षोडश माला, खंड 32, अंक 08

सोमवार, 30 जुलाई, 2018

08 श्रावण, 1940 (शक)

लोक सभा वाद-विवाद

(हिन्दी संस्करण)

पन्द्रहवां सत्र

(सोलहवीं लोक सभा)

सत्यमेव जयते

Gazettes & Debates Section
Parliament Library Building
Room No. FB-025
Block 'G'
Acc. No. 75
Dated 27 जुलाई 2023

(खण्ड 32 में अंक 01 से 10 तक हैं)

लोक सभा सचिवालय

नई दिल्ली

मूल्य : एक सौ पंद्रह रुपये

सम्पादक मण्डल

स्नेहलता श्रीवास्तव
महासचिव
लोक सभा

अनीता बी. पंडा
संयुक्त सचिव

अजीत सिंह यादव
निदेशक

एस.एस. चौहान
संयुक्त निदेशक

लक्ष्मण प्रसाद
सम्पादक

जगदीश चोपड़ा
सहायक सम्पादक

निलयेन्दु कुमार
सहायक सम्पादक

© 2018 लोक सभा सचिवालय

हिन्दी संस्करण में सम्मिलित मूल हिन्दी कार्यवाही ही प्रामाणिक मानी जाएगी। इसमें सम्मिलित मूलत: अंग्रेजी और अन्य भाषाओं में दिए गए भाषणों का हिन्दी अनुवाद प्रामाणिक नहीं माना जाएगा। पूर्ण प्रामाणिक संस्करण के लिए कृपया लोक सभा वाद-विवाद का मूल संस्करण देखें।

लोक सभा सचिवालय की पूर्व स्वीकृति के बिना किसी भी सामग्री की न तो नकल की जाए और न ही पुन: प्रतिलिपि तैयार की जाए, साथ ही उसका वितरण, पुन: प्रकाशन, डाउनलोड, प्रदर्शन तथा किसी अन्य कार्य के लिए इस्तेमाल अथवा किसी अन्य रूप या साधन द्वारा प्रेषण न किया जाए, यह प्रतिबंध केवल इलेक्ट्रॉनिक, मैकेनिकल, फोटोप्रति, रिकॉर्डिंग आदि तक ही सीमित नहीं है। तथापि इस सामग्री का केवल निजी, गैर वाणिज्यिक प्रयोग हेतु प्रदर्शन, नकल और वितरण किया जा सकता है बशर्ते कि सामग्री में किसी प्रकार का परिवर्तन न किया जाए और सभी प्रतिलिप्यधिकार (कॉपीराइट) तथा सामग्री में अन्तर्विष्ट अन्य स्वामित्व संबंधी सूचनाएं सुरक्षित रहें।

विषय-सूची

षोडश माला, खंड 32, पन्द्रहवां सत्र, 2018/1940 (शक)

अंक 8, सोमवार, 30 जुलाई, 2018/8 श्रावण, 1940 (शक)

विषय **कॉलम**

प्रश्नों के मौखिक उत्तर

*तारांकित प्रश्न संख्या 161 से 165 (30.07.2018) 1-52

प्रश्नों के लिखित उत्तर

तारांकित प्रश्न संख्या 141 से 160 (27.07.2018) 52-220

166 से 180 (30.07.2018) 220-298

अतारांकित प्रश्न संख्या 1611 से 1840 (27.07.2018) 298-904

1841 से 1990** (30.07.2018) 905-1352

और 1992 से 2070 (30.07.2018) 1352-1619

सभा पटल पर रखे गए पत्र 1620-1631

राज्य सभा से संदेश 1631-1632

सरकारी उपक्रमों संबंधी समिति

23वां प्रतिवेदन 1633

मंत्रियों द्वारा वक्तव्य

(एक) (क) दिव्यांगजन सशक्तिकरण विभाग, सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय से संबंधित अनुदानों की मांगों (2016-17) के बारे में सामाजिक न्याय और अधिकारिता संबंधी स्थायी समिति के 28वें प्रतिवेदन में अंतर्विष्ट सिफारिशों के कार्यान्वयन की स्थिति।

(ख) दिव्यांगजन सशक्तिकरण विभाग, सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय से संबंधित अनुदानों की मांगों (2017-18) के बारे में सामाजिक न्याय और अधिकारिता संबंधी स्थायी समिति के 37वें प्रतिवेदन में अंतर्विष्ट सिफारिशों के कार्यान्वयन की स्थिति।

श्री थावर चंद गहलोत 1632-1633

(दो) वाणिज्य विभाग, वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय से संबंधित "दक्षिण-पूर्व एशियाई राष्ट्रों का संगठन (आसियान) के साथ व्यापार" के बारे में वाणिज्य संबंधी स्थायी समिति के 137वें प्रतिवेदन में अंतर्विष्ट सिफारिशों के कार्यान्वयन की स्थिति।

श्री सी.आर. चौधरी 1633

* किसी सदस्य के नाम पर अंकित * चिह्न इस बात का द्योतक है कि प्रश्न को सभा में उस सदस्य ने ही पूछा था।

** अतारांकित प्रश्न सं. 1991 का 'लोकसभा के प्रक्रिया तथा कार्य संचालन नियम' के नियम 47 के तहत लोप किया गया।

विषय कॉलम

सभा का कार्य ... 1634-1637

सदस्यों द्वारा निवेदन

(एक) असम में नागरिकों का अद्यतन राष्ट्रीय रजिस्टर के पूर्ण प्रारूप के प्रकाशन के बारे में ... 1638-1645

(दो) कृषि उपज के लिए कठोर आयात नीति की आवश्यकता के बारे में ... 1645-1664

नियम 377 के अधीन मामले

(एक) देश के सभी उच्चतर माध्यमिक विद्यालयों में मानविकी की पढ़ाई शुरू किए जाने की आवश्यकता

श्रीमती जयश्रीबेन पटेल ... 1665-1666

(दो) झारखंड की लंबित परियोजनाओं के बारे में

श्री निशिकान्त दुबे ... 1666-1667

(तीन) बिहार के दरभंगा संसदीय निर्वाचन क्षेत्र में एक तारामंडल स्थापित करने, तालाबों का सौन्दर्यीकरण करने और सड़क ऊपरी पुलों का निर्माण किए जाने की आवश्यकता

श्री कीर्ति आजाद ... 1667-1668

(चार) केंद्रीय विश्वविद्यालयों में अध्यापकों के पदों पर नियुक्तियां किए जाने के बारे में

श्री गणेश सिंह ... 1668-1669

(पांच) अपराधियों की दोष सिद्धि की दर को अधिकतम किए जाने के लिए एक तंत्र विकसित किए जाने की आवश्यकता

श्री अजय मिश्रा टेनी ... 1669-1670

(छह) उत्तर प्रदेश में कानपुर नगर और कानपुर देहात जिलों के यमुना नदी के तटवर्ती इलाकों में बुंदेलखंड क्षेत्र के समतुल्य सुविधाएं प्रदान किए जाने की आवश्यकता

श्री देवेन्द्र सिंह भोले ... 1670

(सात) किसानों को उनके खेतों पर बाड़ लगाए जाने के लिए वित्तीय सहायता प्रदान किए जाने की आवश्यकता

श्री ओम बिरला ... 1670-1671

(आठ) भारत में जॉनसन एंड जॉनसन के उन उत्पादों, जिन्हें अमेरिका में हानिकारक घोषित किया गया है, की समीक्षा किए जाने और उन पर प्रतिबंध लगाए जाने की आवश्यकता

श्री राजेन्द्र अग्रवाल ... 1671

(नौ) दमनगंगा नदी का जल महाराष्ट्र के डिंडोरी संसदीय निर्वाचन क्षेत्र में स्थित बांधों को दिए जाने की आवश्यकता

श्री हरिश्चन्द्र चव्हाण ... 1671-1672

विषय | कॉलम

(दस) उत्तर प्रदेश के जालौन संसदीय निर्वाचन क्षेत्र में कोंच से एट रेलवे लाइन के अंडर पास को शिफ्ट किए जाने की आवश्यकता

श्री भानु प्रताप सिंह वर्मा 1672

(ग्यारह) हावड़ा-नई दिल्ली दुरन्तो एक्सप्रेस और रांची-जयनगर एक्सप्रेस ट्रेन को झारखंड के धनबाद से होकर चलाए जाने की आवश्यकता

श्री पशुपति नाथ सिंह 1672-1673

(बारह) दयोदय एक्सप्रेस (गाड़ी संख्या 12181/82) और जयपुर-इंदौर एक्सप्रेस (गाड़ी संख्या 12973/74) का ठहराव राजस्थान के सवाई माधोपुर जिले में

ईसरदा रेलवे स्टेशन पर दिए जाने की आवश्यकता

श्री सुखबीर सिंह जौनपुरिया 1673-1674

(तेरह) उत्तर प्रदेश के कौशाम्बी जनपद में एक केंद्रीय विद्यालय की स्थापना किए जाने की आवश्यकता

श्री विनोद कुमार सोनकर 1674

(चौदह) महाराष्ट्र के मराठा समुदाय को आरक्षण दिए जाने के बारे में

श्री राजीव सातव 1674

(पंद्रह) इम्फाल और जीरीबाम के बीच राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 37 की स्थिति के बारे में

डॉ. थोकचोम मेन्या 1674-1675

(सोलह) तमिलनाडु के शहरी स्थानीय निकायों को मूलभूत और कार्यनिष्पादन अनुदान राशि जारी किए जाने के बारे में

श्री एस.आर. विजय कुमार 1675-1676

(सत्रह) तमिलनाडु में रेल संपर्क बढ़ाए जाने के बारे में

श्रीमती के. मरगथम 1676

(अठारह) भारत-पाकिस्तान संबंधों के बारे में

प्रो. सौगत राय 1676-1677

(उन्नीस) पश्चिम बंगाल के आरामबाग संसदीय निर्वाचन क्षेत्र में दीहीबगन में जवाहर नवोदय विद्यालय की समस्याओं के बारे में

श्रीमती अपरूपा पोद्दार 1677

(बीस) ओडिशा के पाराद्वीप क्षेत्र में मलिन बस्तियों में रहने वाले व्यक्तियों को मूलभूत सुविधाएं प्रदान किए जाने के बारे में

डॉ. कुलमणि सामल 1677

विषय **कॉलम**

(इक्कीस) थैलेसीमिया रोगियों के लिए एक विशेष निधि और ब्लड बैंक स्थापित किए जाने की आवश्यकता

श्री श्रीरंग आप्पा बारणे.. 1678

(बाईस) तिरुपति और विजयवाड़ा विमानपत्तन से अंतर्राष्ट्रीय उड़ानों के बारे में

श्री जैदेव गल्ला.. 1678-1679

(तेईस) बहरामपुर से कृष्णानगर तक एक रेलवे लाइन बिछाए जाने के बारे में

श्री मोहम्मद बदरुद्दोजा खान.. 1679-1680

(चौबीस) वर्ष 2016, 2017 और 2018 के लिए 'सेक्शन ऑफिसर्स' हेतु विभागीय प्रतियोगिता परीक्षा कराए जाने की आवश्यकता

श्री तारिक अनवर.. 1680

(पच्चीस) उत्तर प्रदेश के मैनपुरी संसदीय निर्वाचन क्षेत्र में एक सीजीएचएस वेलनैस सेंटर स्थापित किए जाने की आवश्यकता

श्री तेज प्रताप सिंह यादव.. 1680-1681

होम्योपैथी केन्द्रीय परिषद (संशोधन) अध्यादेश, 2018 का निरनुमोदन किए जाने के बारे में और होम्योपैथी केन्द्रीय परिषद (संशोधन) विधेयक, 2018

डॉ. मनोज रजोरिया.. 1681-1684

डॉ. के. कामराज.. 1684-1689

डॉ. रत्ना डे (नाग).. 1689-1691

श्री रवीन्द्र कुमार जेना.. 1691-1694

डॉ. श्रीकांत एकनाथ शिंदे.. 1694-1698

डॉ. रविन्द्र बाबू.. 1698-1699

डॉ. बूरा नरसैय्या गौड.. 1699-1701

श्रीमती पी.के श्रीमथि टीचर.. 1701-1704

श्री निहाल चन्द.. 1704-1706

डॉ. करण सिंह यादव.. 1707-1708

श्री धनंजय महाडीक.. 1709-1710

श्री कौशलेन्द्र कुमार.. 1710-1711

श्री जय प्रकाश नारायण यादव.. 1711-1712

श्री सी.एन. जयदेवन.. 1712-1713

श्री एन.के. प्रेमचन्द्रन.. 1713-1715

विषय	कॉलम

डॉ. रमेश पोखरियाल निशंक 1715-1717

डॉ. बंशीलाल महतो 1717-1718

श्री श्रीपाद येसो नाईक 1718-1722

श्री अधीर रंजन चौधरी 1723-1724

संकल्प - वापस लिया गया 1724

विचार करने के लिए प्रस्ताव 1725

खंड 2 से 4 और 1 1725-1727

पारित करने के लिए प्रस्ताव 1728

स्टेट बैंक (निरसन और संशोधन) विधेयक, 2017
राज्य सभा द्वारा किए गए संशोधन

विचार करने के लिए प्रस्ताव 1728

संशोधन जिन पर सहमति व्यक्त की गई 1728-1729

दाण्डिक विधि (संशोधन) अध्यादेश, 2018 का निरनुमोदन किए जाने के बारे में सांविधिक संकल्प
और
दाण्डिक विधि (संशोधन) विधेयक, 2018

विचार करने के लिए प्रस्ताव 1730

श्री किरेन रिजीजू 1730-1731

श्री एन.के. प्रेमचन्द्रन 1731-1740

श्रीमती किरण खेर 1740-1743

श्रीमती रंजीत रंजन 1743-1747

श्री टी.जी. वेंकटेश बाबू 1747-1749

श्री प्रहलाद सिंह पटेल 1749-1750

प्रो. सौगत राय 1750-1753

श्री पिनाकी मिश्रा 1753-1757

श्री श्रीरंग आप्पा बारणे 1757-1758

डॉ. रविन्द्र बाबू 1758-1760

श्री कुण्डा विश्वेश्वर रेड्डी 1760-1762

डॉ. ए. सम्पत 1762-1765

श्रीमती सुप्रिया सुले 1766-1769

विषय	कॉलम

श्रीमती बुत्ता रेणुका........ 1769-1771

श्रीमती मीनाक्षी लेखी........ 1771-1776

श्री कौशलेन्द्र कुमार........ 1776-1777

श्री असादुद्दीन ओवैसी........ 1777-1779

श्री सी.एन. जयदेवन........ 1779

डॉ. ममताज़ संघमिता........ 1779-1781

श्री हरीश मीना........ 1781-1782

श्री निनोंग इरिंग........ 1782-1784

संकल्प - वापस लिया गया........ 1796

खंड 2 से 26 और 1........ 1797-1804

पारित करने के लिए प्रस्ताव........ 1804

अनुबंध-I

तारांकित प्रश्नों की सदस्य-वार अनुक्रमणिका (27.07.2018)........ 1805

(30.07.2018)........ 1806

अतारांकित प्रश्नों की सदस्य-वार अनुक्रमणिका (27.07.2018)........ 1807-1816

(30.07.2018)........ 1817-1826

अनुबंध-II

तारांकित प्रश्नों की मंत्रालय-वार अनुक्रमणिका (27.07.2018)........ 1827-1828

(30.07.2018)........ 1827-1828

अतारांकित प्रश्नों की मंत्रालय-वार अनुक्रमणिका (27.07.2018)........ 1828-1830

(30.07.2018)........ 1829-1830

लोक सभा के पदाधिकारी

अध्यक्ष

श्रीमती सुमित्रा महाजन

उपाध्यक्ष

डॉ. एम. तंबिदुरै

सभापति तालिका

श्री अर्जुन चरण सेठी

श्री हुक्मदेव नारायण यादव

श्री आनंदराव अडसुल

श्री प्रहलाद जोशी

डॉ. रत्ना डे (नाग)

श्री रमेन डेका

श्री कोनाकल्ला नारायण राव

श्री के.एच. मुनियप्पा

डॉ. पी. वेणुगोपाल

श्री कलराज मिश्र

महासचिव

श्रीमती स्नेहलता श्रीवास्तव

लोक सभा

सोमवार, 30 जुलाई, 2018/08 श्रावण, 1940 (शक)

लोक सभा पूर्वाह्न ग्यारह बजे समवेत हुई।

[**माननीय अध्यक्ष** *पीठासीन हुईं*]

...*(व्यवधान)*

[अनुवाद]

श्री सुदीप बन्दोपाध्याय (कोलकाता दक्षिण): महोदया, असम में राष्ट्रीय नागरिक रजिस्टर से 40 लाख लोगों के नाम हटा दिये गये हैं...*(व्यवधान)* महोदया, यह बहुत गंभीर मुद्दा है... *(व्यवधान)*

प्रो. सौगत राय (दमदम): महोदया, यह बहुत गंभीर मुद्दा है।

माननीय अध्यक्ष: मैं आपको मना नहीं कर रही हूं। प्रश्न काल के उपरांत मैं आपको इसे रखने की अनुमति दूंगी।

...*(व्यवधान)*

माननीय अध्यक्ष: आइए प्रश्न काल को लेते हैं- श्रीमथि टीचर।

प्रश्नों के मौखिक उत्तर

पूर्वाह्न 11.01 बजे

माननीय अध्यक्ष: प्रश्न संख्या-161

'प्रशाद' योजना

***161. श्रीमती पी.के. श्रीमथि टीचर:** क्या **पर्यटन मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) समूचे देश में तीर्थयात्रा कायाकल्प और आध्यात्मिक विरासत संवर्धन अभियान (प्रशाद) योजना के अंतर्गत अनुमोदित परियोजनाओं का केरल सहित राज्य/संघ राज्यक्षेत्र-वार ब्यौरा क्या है;

(ख) देश में उक्त योजना के अंतर्गत पर्यटकों के लिए विकसित की गई अवसंरचनात्मक एवं मूलभूत सुविधाओं का केरल सहित राज्य/संघ राज्यक्षेत्र-वार ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या सरकार के पास उक्त योजना के तहत केरल में परियोजनाएं अनुमोदित करने हेतु कोई और प्रस्ताव है; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

पर्यटन मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री अलफोन्स कन्ननथनम): (क) से (घ) एक विवरण सभा पटल पर रख दिया गया है।

विवरण

(क) और (ख) पर्यटन मंत्रालय की तीर्थस्थल जीर्णोद्धार एवं आध्यात्मिक विरासत संवर्धन अभियान (प्रशाद) योजना के अंतर्गत केरल राज्य सहित अनुमोदित परियोजनाओं का ब्यौरा विकसित की जा रही सुविधाओं के साथ अनुबंध में दिया गया है।

(ग) और (घ) पर्यटन मंत्रालय ने इस योजना के अंतर्गत विकास हेतु केरल में निम्नलिखित दो गंतव्यों को चुना है:-

(i) सेंट थॉमस इंटरनेशनल श्राइन, मलयत्तूर, केरल

(ii) चेरामन जुमा मस्जिद, कोडुनगल्लूर, केरल

अनुबंध

प्रशाद योजना के अंतर्गत अनुमोदित परियोजनाओं का ब्यौरा

(करोड़ रु. में)

क्र. सं.	राज्य	परियोजना का नाम और विकसित की जा रही सुविधाएं	स्वीकृति का वर्ष	स्वीकृत राशि	जारी राशि
1	2	3	4	5	6
1.	आन्ध्र प्रदेश	पर्यटन गंतव्य के रूप में अमरावती शहर जिला गुंटुर का विकास	2015-16	28.36	22.69

1	2	3	4	5	6
		विकसित की जा रही सुविधाएं: पर्यटकों के लिए मूलभूत सुविधाएं जैसे पर्यटक सूचना केऑस्क, प्रसाधन कक्ष, चेंजिंग रूम, पेयजल सुविधाएं, शू रैक, क्यू कॉम्प्लेक्स, उपहार गृह, बैठने की सुविधाएं, शेडिंग, पाथवे, पार्किंग, सूचना साइनेज, उद्यान विकास सहित लैंडस्केपिंग तथा सौन्दर्यीकरण, कूड़ेदान, सीसीटी प्रणाली अग्नि सुरक्षा प्रणालियां, पर्यावरण अनुकूल प्रकाश व्यवस्था एवं वाहन, प्रवेश द्वार, साउंड एवं लाइट शो, घाटों का पुनरुद्धार तथा प्रोमेनेड विकास, सम्पर्कता सुविधाएं (वाई-फाई प्रणाली)			
2.	आंध्र प्रदेश	श्रीसेलम मंदिर का विकास	2017-18	47.45	22.75
		विकसित की जा रही सुविधाएं : प्रकाश व्यवस्था, लाइट एवं साउंड शो, एम्फीथियेटर, क्यू रेलिंग, पर्यटक सुविधा केंद्र, फ्लोरिंग, पेयजल सुविधाएं, व्यू प्वाइंट, पार्किंग, लैंडस्केपिंग, पाथवे विकास, जेट्टी, प्रसाधन गृह, पर्यटक सुविधा केंद्र, कूड़ेदान, बैटरी प्रचालित वाहन			
3.	असम	कामाख्या मंदिर एवं गुवाहाटी के भीतर तथा आस-पास अन्य तीर्थ स्थानों का विकास	2015-16	33.98	16.99
		विकसित की जा रही सुविधाएं : क्यू कॉम्प्लेक्स, फ्लोरिंग, मंदिर में प्रकाश व्यवस्था, मेला मैदान का विकास, बहुउद्देश्यीय हॉल, व्यू प्वाइंट्स, मौजूदा पैदल पथ का विकास, मल्टी लेवल कार पार्किंग, वेंडर हाट, क्लॉक रूम, शिशु देखभाल तथा वरिष्ठ नागरिकों हेतु विश्राम गृह, नहाने की सुविधाओं सहित प्रसाधन गृह, सीसीटीवी प्रणाली, अग्नि शमन प्रणाली, साइनेज			
4.	बिहार	विष्णुपद मंदिर, गया, बिहार में मूलभूत सुविधाओं का विकास	2014-15	4.27	2.14
		विकसित की जा रही सुविधाएं : चेंजिंग रूम, प्रसाधन गृह, शैड, पेयजल सुविधाएं, सौर प्रकाश व्यवस्था, जन सुविधाएं, रोड स्केपिंग तथा पार्किंग			
5.	बिहार	पटना साहिब में विकास	2015-16	41.54	33.23
		विकसित की जा रही सुविधाएं : प्रकाश व्यवस्था, कूड़ेदान, सीसीटीवी, साइनेज, पाथवे का विकास, पर्यटक सूचना केंद्र, स्ट्रीट लाइटिंग, पेयजल सुविधाएं, वाई-फाई, बैटरी प्रचालित वाहन, पर्यटक सुविधा केंद्र, नदी के घाट का विकास, बैठने का स्थान			

1	2	3	4	5	6
6.	गुजरात	द्वारका का विकास विकसित की जा रही सुविधाएं : क्यू कॉम्प्लेक्स रेलिंग, शेडिंग, प्रकाश व्यवस्था, पर्यटक सुविधा केंद्र, सीसीटीवी, वाई-फाई हॉटस्पॉट, प्रसाधन गृह, पेयजल सुविधाएं, फूड स्टॉल, खाने का स्थान, शेडेड रेस्टिंग एरिया, लैंडस्केपिंग एवं स्थान का विकास, पुराने घाटों का नवीनीकरण, उपहार गृह/केऑक्स, जनसुविधाओं सहित पर्यटक स्वागत केंद्र, साइनेज	2016-17	26.23	5.25
7.	गुजरात	सोमनाथ में तीर्थयात्रा सुविधाएं विकसित की जा रही सुविधाएं : पार्किंग, पर्यटक सुविधा केंद्र, ठोस अपशिष्ट प्रबंधन प्रणाली	2016-17	37.44	7.49
8.	जम्मू और कश्मीर	हजरतबल में विकास विकसित की जा रही सुविधाएं : सम्पर्क सड़कों का विकास, लैंडस्केपिंग, जनसुविधा ब्लॉक, प्रवेश द्वार, शेडिंग डल झील में एरेटर्स, शॉपिंग केऑक्स, झील के किनारे लोहे की फेंसिंग, सूफी व्याख्या केंद्र, पर्यटक सुविधा केंद्र, साइनेज, उस क्षेत्र में प्रकाश व्यवस्था, कार पार्किंग	2016-17	42.02	19.92
9.	केरल	गुरुवयूर मंदिर में विकास विकसित की जा रही सुविधाएं : पर्यटक सुविधा केंद्र, पर्यटक सुविधा केंद्र, पार्किंग, नेटवर्क अवसरंचना तथा सीसीटीवी प्रणाली	2016-17	46.14	13.06
10.	मध्य प्रदेश	ओंकारेश्वर का विकास विकसित की जा रही सुविधाएं : दर्शन कक्ष, प्रतीक्षा कक्ष तथा रैम्प का निर्माण, वॉक वे का विकास, प्राथमिक चिकित्सा कक्ष, सुरक्षा रेलिंग, लिफ्ट, घाट का नवीकरण एवं विस्तार, फूड कोट, जेट्टी प्लेटफार्म, सुरक्षा कक्ष, चेंजिंग रूम, दुकानें, फेकेड का विकास कार्य, प्रवेश द्वार, कवर्ड वॉक वे, कनेक्टिंग स्टेयरकेस, उपहार/पुष्प दुकानें, डे शेल्टर, साउंड एवं लाइट शो, प्रकाश व्यवस्था, जनसुविधा एवं पेयजल केऑक्स, बैठने की सुविधाएं, निगरानी प्रणाली, वाई-फाई, ठोस अपशिष्ट प्रबंधन प्रणाली, सौर ऊर्जा	2017-18	40.67	8.13
11.	महाराष्ट्र	त्रियम्बकेश्वर का विकास विकसित की जा रही सुविधाएं : वॉक वे का विकास, घाट का नवीकरण, पर्यटक सूचना केंद्र, पर्यटन सुविधा केंद्र, पार्किंग, कैंपिंग तथा प्रतीक्षा सुविधा, स्थान का विकास तथा जलाशयों का सौन्दर्यीकरण	2017-18	37.81	30.01.18 को केवल प्रशासनिक अनुमोदन

1	2	3	4	5	6
12.	ओडिशा	मेगा परिपथ के तहत पुरी में श्रीगन्नाथ धाम-रामचण्डी-प्राची नदी तट पर देउली का अवसंरचना विकास विकसित की जा रही सुविधाएं : पर्यटक सुविधा केंद्र, बहुउद्देश्यीय हॉल, एम्फीथियेटर, पार्किंग, जनसुविधा, पेयजल सुविधाएं, प्रकाश व्यवस्था, कूड़ेदान, निगरानी टॉवर, लिफ्ट, फूड कोट, पाथवे, लैंडस्केपिंग तथा बैठने की सुविधाएं तथा साइनेज, प्रवेश द्वार, जेट्टी केऑक्स, रेलिंग्स, रिवर लाइनिंग, प्रार्थना कक्ष, अपशिष्ट निपटान केंद्र, मौजूदा ड्रेनेज	2014-15	50.00	10.00
13.	पंजाब	अमृतसर में करुणा सागर वाल्मीकि स्थल का विकास विकसित की जा रही सुविधाएं : सीवरेज, जल आपूर्ति, प्रसाधन ब्लॉक तथा क्लॉक रूम, लैंडस्केपिंग, ठोस अपशिष्ट एकत्रण प्रबंधन, मुख्य द्वार, सड़कों को चौड़ा करना तथा सौंदर्यीकरण एवं बिजली का कार्य, अतिरिक्त स्ट्रीट स्केप, पार्किंग	2015-16	6.45	6.40
14.	राजस्थान	पुष्कर/अजमेर का एकीकृत विकास विकसित की जा रही सुविधाएं : उस स्थान एवं आस-पास के क्षेत्र का सुधार, ठोस अपशिष्ट प्रबंधन, पेयजल, बैठने की सुविधा, बेंच, लैंडस्केपिंग तथा सौन्दर्यीकरण, साइनेज, प्रकाश व्यवस्था, शेडिंग, सड़कों का सुधार, साफ-सफाई को बेहतर बनाना, स्ट्रीट लाइटिंग, स्ट्रीट स्केपिंग, पर्यटक सूचना केंद्र, पाथवे तथा घाट पर फ्लोरिंग का नवीकरण, तटों का विकास, प्रतीक्षा गृह, लाइट एवं साउंड शो, प्रसाधन सुविधाएं, जलाशय का पुनरुद्धार, लैंडस्केपिंग, विश्रामगृह, शू रैक	2015-16	40.44	19.41
15.	तमिलनाडु	कांचीपुरम का विकास विकसित की जा रही सुविधाएं : पर्यटक सूचना केंद्र, क्लॉक रूम, जनसुविधा, पेयजल सुविधा, साइनेज, रेलिंग, फ्लोरिंग, प्रकाश व्यवस्था, सड़कों पर सौर प्रकाश व्यवस्था, पाथवे विकास, प्रवेश द्वार, कम्पाउंड वॉल, बैठने की सुविधा, पार्किंग, वाई-फाई, सुरक्षा कक्ष	2016-17	16.48	3.30
16.	तमिलनाडु	वेल्लंकानी का विकास विकसित की जा रही सुविधाएं : पाथवे विकास, प्रसाधन ब्लॉक, जलाशय का सुधार, सड़क पर प्रकाश व्यवस्था, सीसीटी तथा वाई-फाई प्रणाली का प्रावधान	2016-17	5.60	1.12

1	2	3	4	5	6
17.	उत्तराखंड	केदारनाथ का एकीकृत विकास विकसित की जा रही सुविधाएं : फूड केऑस्क, प्रसाधन ब्लॉक, इंटरप्रेटेनशन सेंटर (इको लॉग हट) पर्यटक सूचना/सहायता केंद्र, उपहार गृह, घाट का विकास, साइनेज, बैठने की व्यवस्था, प्रकाश व्यवस्था, सड़कों पर प्रकाश व्यवस्था (सोलर एलइडी), पार्किंग, व्यू प्वाइंट्स, विश्रामगृह, सम्पर्क सड़क, ठोस अपशिष्ट प्रबंधन (उपकरण एवं वाहन), शू रैक	2015-16	34.78	22.39
18.	उत्तराखंड	प्रशाद योजना के अंतर्गत बद्रीनाथजी धाम (उत्तराखण्ड) में तीर्थ यात्रा सुविधा हेतु अवसंरचना विकास विकसित की जा रही सुविधाएं : चेंजिंग रूम, प्रसाधन कक्ष, बाथिंग क्यूबिकल्स, मंदिर में प्रकाश व्यवस्था, पवित्र अपशिष्ट प्रबंधन, ड्रेनेज प्रणाली, एलेवेटेड फुटपाथ तथा फुटब्रिज का विकास, प्राथमिक चिकित्सा केंद्र, स्ट्रीट लाइट (सोलर), स्ट्रीट केपिंग, स्ट्रीट फर्नीचर, कूड़ेदान, सुविधा केंद्र, क्यू कॉम्प्लेक्स, प्रवेश द्वार, आईईसी संघटक, कार पार्किंग, रेस्टोरेंट/फूट केऑस्क/प्रतीक्षा स्थान/प्रसाधन गृह, प्रतीक्षा स्थान, क्लॉक रूम/एटीएम/सुविधा केऑस्क	2018-19	39.24	4.4.2018 को केवल प्रशासनिक अनुमोदन
19.	उत्तर प्रदेश	मेगा पर्यटक परिपथ (चरण-II) के रूप में मथुरा-वृंदावन का विकास विकसित की जा रही सुविधाएं : लैंडस्केपिंग, फेंसिंग, पाथवे, फाउंटेन/वॉटर फॉल, बैठने की सुविधा, प्रकाश व्यवस्था, पार्किंग, साइनेज, जलाशय एवं घाट का पुनरुद्धार, प्रवेश द्वार, सूचना केंद्र, प्रसाधन एवं पेयजल सुविधा, फूड केऑस्क	2014-15	14.93	6.77
20.	उत्तर प्रदेश	वृंदावन जिला मथुरा में पर्यटक सुविधा केंद्र का निर्माण विकसित की जा रही सुविधाएं : पर्यटक सुविधा केंद्र, पार्किंग, उपहार गृह, प्रसाधन सुविधा, पेयजल सुविधा, प्रतीक्षा एवं विश्राम सुविधाएं, रेस्टोरेंट, क्लॉक रूम, पर्यटक स्वागत सहायता डेस्क	2014-15	9.36	7.36
21.	उत्तर प्रदेश	वाराणसी का विकास विकसित की जा रही सुविधाएं : लैंडस्केपिंग, पाथवे, बैठने की व्यवस्था, परिसर प्रकाश व्यवस्था, पार्किंग, घाट का पुनरुद्धार/विकास, जलाशय/सरोवर को बेहतर बनाना, लाइट एवं साउंड शो, प्रवेश द्वार, सूचना बूथ, सार्वजनिक प्रसाधन गृह, स्ट्रीट लाइट लगाना, पाथवे के लिए शेड तथा रेलिंग, साइनेज	2015-16	20.40	16.32

1	2	3	4	5	6
22.	उत्तर प्रदेश	गंगा नदी वाराणसी में क्रूज पर्यटन विकसित की जा रही सुविधाएं : फ्लोटिंग जेट्टी, पैसेंजर कम क्रूज वेसल, ऑडियो विजुअल इंटरवेंशन, स्टोरी बोर्ड, सीसीटीवी प्रणाली, वाई-फाई, साइनेज, टिकट बूथ	2017-18	10.72	2.14
23.	उत्तर प्रदेश	प्रशाद योजना-II के अंतर्गत वाराणसी का विकास विकसित की जा रही सुविधाएं : स्ट्रीट स्केपिंग, फुटपाथ विकास, स्टोर्म वाटर ड्रेनेज, सड़कों पर प्रकाश व्यवस्था, साइनेज, भवनों पर प्रकाश व्यवस्था, प्रसाधन, जं. विकास, स्क्रीन वॉल्स, उपहार गृह, प्राथमिक चिकित्सा कक्ष, सीसीटीवी प्रणाली, पर्यटक सूचना कार्यालय, पेयजल केऑस्क, स्थान विकास एवं सौन्दर्यीकरण, पर्यटक सूचना केंद्र, पार्किंग, रिवर बोट प्लेटफार्म (जेट्टी), प्रकाश संरचनाएं, घाटों पर ऑडियो सिस्टम, तीर्थ यात्री सुविधा केंद्र (पीएफसी)	2017-18	62.82	8.2.2018 को केवल प्रशासनिक अनुमोदन
24.	पश्चिम बंगाल	बेलूर का विकास विकसित की जा रही सुविधाएं : सड़कों पर प्रकाश व्यवस्था, कूड़ेदान, कॉम्पेक्टर स्टेशन सहित ठोस अपशिष्ट कॉम्पेक्टर, साइनेज, एलइडी डिस्प्ले, पाथवे विकास, पेयजल केऑस्क, शूरैक, पर्यटक स्वागत केंद्र, गैंगवे तथा पॉन्टून टाइप जेट्टी, कार पार्किंग, उपहार गृह/शॉपिंग केऑस्क, सौर ऊर्जा संयंत्र	2016-17	30.03	22.39
		योग		727.16	270.24

श्रीमती पी.के. श्रीमथि टीचर: महोदया, आपका बहुत-बहुत धन्यवाद। हम सब इस बात से परिचित हैं कि पूरे विश्व में केरल को भगवान के देश के रूप में जाना जाता है। इसे नेशनल ज्योग्राफिक ट्रैवलर द्वारा विश्व के दस स्वर्गों में से एक के रूप में चुना गया है।

महोदया, मेरे जिले कन्नूर का पहले कन्नानूर नाम था जिसका अर्थ है भगवान कृष्ण का स्थान। यह केरल का बहुत ही सुन्दर स्थान है जहां पर प्राचीन मंदिर, सुन्दर समुद्री तट, बैकवाटर और पर्वतीय स्थल हैं। कन्नूर में प्रतिदिन हजारों पर्यटक और भक्तजन आते हैं।

कन्नूर में बनने वाला अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा दक्षिण भारत का सबसे बड़ा हवाई अड्डा है। आने वाले दिनों में राष्ट्रीय और अंतरराष्ट्रीय पर्यटकों की बड़ी संख्या में आने की उम्मीद है। मेरा जिला लोक-साहित्य, हथकरघा और प्राचीन दिव्य कला जिसे 'थेय्यम' के रूप में जाना जाता है, के लिए विश्व प्रसिद्ध स्थल है।

अध्यक्ष महोदया, आपके माध्यम से मैं माननीय मंत्री जी के समक्ष बहुत ही महत्त्वपूर्ण प्रश्न उठाना चाहूंगी और यह तीर्थ पर्यटन परियोजना के बारे में है जिसे राज्य सरकार द्वारा संस्तुत किया गया है। मेरे जिले में कई सुन्दर मंदिर हैं। वहां पर श्री मृदंगा सैलेस्वरी मंदिर है और इस जैसा अन्य मंदिर पूरे भारत में नहीं है। फिर, श्री कोट्टियूर मंदिर है जहां प्रति वर्ष लाखों श्रद्धालु आते हैं। श्री राजाराजेश्वर मंदिर एक दिव्य स्थान है जहां पर तमिलनाडु की माननीय मुख्य मंत्री स्वर्गीय जे. जयललिता जी आया करती थी। श्री राजाराजेश्वर शिव मंदिर में हर वर्ष कई माननीय मंत्री, सांसद और अन्य जनप्रतिनिधि आते हैं।

श्री मुथप्पन मंदिर, त्रिचम्बारम और कृष्णा मंदिर, श्री सुब्रमण्या स्वामी मंदिर, श्री सुंदरेश्वर मंदिर, श्री मामा निक्कुंनु महादेवी मंदिर, वेलम श्री महागणपति मंदिर और श्री अन्नपूर्णेश्वरी मंदिर जैसे अन्य दिव्य मंदिर मेरे जिले में हैं। महोदया, प्रसिद्ध श्री हनुमान मंदिर मेरे गांव चेरुथम में स्थित है।

महोदय, यह उल्लेख करते हुए मुझे खुशी हो रही है कि श्री बद्रीनाथ मंदिर के पुजारी श्री रावलजी मेरे अपने गांव से हैं। पारम्परिक तौर पर, वे मेरे गांव से ही आते हैं।

महोदया, मुझे सदन को सूचित करते हुए खुशी हो रही है कि बद्रीनाथ मंदिर के पुजारी मेरे पड़ोसी हैं।

माननीय अध्यक्षः यह बहुत अच्छा है कि आप इतने मंदिरों और अन्य चीजों को महत्त्व दे रही हो। कृपया आप अपना प्रश्न रखिये।

श्रीमती पी.के. श्रीमथि टीचरः महोदया, मेरे जिले के प्रत्येक वार्ड में कम से कम 10 मंदिर हैं। कन्नूर में हजारों प्रसिद्ध मंदिर हैं। कन्नूर में बहुत दूर-दूर से श्रद्धालु आते हैं। अतः, मैं पूछना चाहूंगी कि क्या माननीय मंत्री जी और भारत सरकार (पर्यटन विभाग) कन्नूर के आध्यात्मिक महत्त्व और तीर्थयात्रियों की बढ़ती संख्या के मद्देनजर क्या इस आध्यात्मिक और तीर्थ पर्यटक परियोजना को यथाशीघ्र मंजूरी देंगे।

श्री अल्फोन्स कन्ननथनमः अध्यक्ष महोदया, 'प्रशाद' परियोजना के अंतर्गत केरल सरकार से मेरे मंत्रालय में ऐसा कोई भी प्रस्ताव प्राप्त नहीं हुआ है। तथापि, हमें स्वदेश दर्शन योजना के अंतर्गत प्रस्ताव प्राप्त हुआ है जो भारत सरकार की अन्य प्रमुख योजना है। उक्त प्रस्ताव मालाबार में क्रूज पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए है। मूलतः, उक्त प्रस्ताव 300 करोड़ रुपये का है। हमारे मंत्रालय के समक्ष प्रस्तुति थी और इस पर हमने फिर से कार्य करने के लिए कहा है।

अब, हमें केरल सरकार से 98 करोड़ रुपये का प्रस्ताव प्राप्त हुआ है। हमारे मिशन निदेशालय ने इसकी जांच की है। हमारी समिति ने सचिव और सभापति के साथ इसकी जांच की है। महोदया, प्रस्ताव हमारे समक्ष है।

श्रीमती पी.के. श्रीमथि टीचरः महोदया, राज्य सरकार की सिफारिशें यहां आ चुकी हैं। मैं माननीय मंत्री जी से अनुरोध करूंगी कि कृपया वे उन पर विचार करें। मैं जानना चाहूंगी कि माननीय मंत्री जी के कार्यभार संभालने के उपरांत कुल कितनी पर्यटन परियोजनाओं को लिया गया है।

मैं एक महत्त्वपूर्ण मामले के बारे में बताना चाहूंगी। जैसा कि पहले ही बताया जा चुका है, कन्नूर अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डे का अगले दो-तीन माह में उद्घाटन होने जा रहा है। इस संदर्भ में, केरल सरकार ने पर्यटन केन्द्र के बारे में प्रस्ताव प्रस्तुत किया है। मालाबार नदी क्रूज परियोजना के प्रस्ताव को पहले ही प्रस्तुत किया जा चुका है और पर्यटन मंत्रालय ने राज्य सरकार को शेष राशि देने के लिए कहा है।

राज्य सरकार ने पिछले वर्ष 53 करोड़ से उक्त परियोजना को शुरू किया है। लेकिन पिछले दो वर्षों से, केन्द्र सरकार के स्तर पर मंजूरी प्रतीक्षित है। इसे दो वर्षों के उपरांत भी प्राप्त नहीं किया गया है। इसका सभी स्तरों पर ध्यानपूर्वक अध्ययन किया गया है। उस समय डॉ. महेश शर्मा पर्यटन मंत्री थे। मैंने परियोजना को प्रस्तुत किया था और पर्यटन मंत्रालय के सभी स्तरों पर इसका अध्ययन किया गया था। लेकिन मंजूरी प्राप्त नहीं हुई। फाइल मंत्रालय के पास है। सभी औपचारिकताएं पूरी कर ली गई हैं। मुझे सकारात्मक उत्तर की प्रतीक्षा है। मैं आपके माध्यम से माननीय मंत्री जी से अनुरोध करूंगी कि वे 82 करोड़ रुपये के मालाबार नदी क्रूज परियोजना को यथाशीघ्र मंजूरी दें।

श्री अल्फोंस कन्ननथनमः महोदया, जैसा कि पहले ही उल्लेख किया जा चुका है, यह परियोजना हमारे समक्ष है और हम इस पर विचार कर रहे हैं। महोदया, यह पहली बार है कि संसद में मैं इस प्रश्न का उत्तर दे रहा हूं यद्यपि मैं 11 माह पूर्व मंत्री बना हूं।

महोदया, कृपया मुझे पर्यटन के बारे में कुछ बात रखने की अनुमति दें। मंत्रालय में हमारे पास दो प्रमुख कार्यक्रम हैं। एक स्वदेशी दर्शन और दूसरा प्रशाद। हमने स्वदेश दर्शन योजना के अंतर्गत 5711 करोड़ रुपये की धनराशि के साथ 69 परियोजनाओं को मंजूरी दी है। प्रसाद योजना के अंतर्गत, हमने 727 करोड़ रुपये की धनराशि से 24 योजनाओं को मंजूरी दी है। महोदया, पूर्वोत्तर के लिए, 723 करोड़ रुपये की धनराशि से आठ परियोजनाओं को मंजूरी दी है। जनजातीय पर्यटन थीम के अंतर्गत हमने 381 करोड़ रुपये की धनराशि से चार परियोजनाओं, बुद्धिष्ट थीम के अंतर्गत 367 करोड़ रुपये की धनराशि से पांच परियोजनाओं, पर्यावरणीय पर्यटन थीम के अंतर्गत 461 करोड़ रुपये की धनराशि से पांच परियोजनाओं और तटीय थीम के अंतर्गत 896 करोड़ रुपये की धनराशि से 11 परियोजनाओं को मंजूरी दी है। अध्यक्ष महोदया, परियोजनाओं को अनुमोदित करने की प्रक्रिया बहुत सरल है।

राज्य सरकार हमें प्रस्ताव देती है। हम उन्हें संयुक्त सचिव के नेतृत्व में मिशन निदेशालय के समक्ष संकल्पना प्रस्तुति के लिए बुलाते हैं। स्पष्ट तौर पर, परियोजना प्रस्ताव में संशोधन किये जाते हैं। राज्य हमारे पास फिर से आते हैं। फिर से, यह मिशन निदेशालय के समक्ष आते हैं। यदि इसे मिशन निदेशालय अनुमोदित कर देता है तो यह वरिष्ठ अधिकारियों से युक्त विभाग के सचिव के नेतृत्व में समिति को जाता है। फिर हम वित्तीय प्रकोष्ठ से अनुमोदन प्राप्त करते हैं। तत्पश्चात्, फाइल मेरे पास आती है।

क्या मैं कुल बजट के बारे में कुछ शब्द रख सकता हूं? हमारे पास स्वदेश दर्शन के अंतर्गत 5711 करोड़ रुपये और प्रसाद के अंतर्गत 727 करोड़ रुपये का बजट आवंटन है। मेरा वर्तमान वर्ष में विकास कार्यों के लिए कुल परिव्यय 1370 करोड़ रुपये है। इसीलिए, हमें इन परियोजनाओं की विस्तार से जांच करनी होगी और इनकी व्यवहार्यता को देखना होगा। कोई परियोजना कितनी व्यवहार्य है, यह कितने पर्यटकों को आकर्षित कर सकती है और इसके वित्तीय व्यवहार्यता क्या है, इसके आधार पर हम परियोजनाओं को मंजूर करते हैं।

क्रूज पर्यटन को हम बड़ी मजबूती से बढ़ावा दे रहे हैं। हमने गत कुछ वर्षों के दौरान 106 करोड़ रुपये से अधिक की परियोजनाओं को मंजूरी दी है। उनमें से कई जैसे कोचीन, चेन्नैई और गोवा पत्तनों को पूरा कर लिया गया है। ये परियोजनाएं पूरी कर ली गई हैं। मुंबई पोर्ट में, 300 करोड़ रुपये की परियोजना को मंजूर किया गया है। पोत परिवहन मंत्रालय 197 करोड़ रुपये लगा रहा है और शेष धनराशि निजी क्षेत्र से आनी है। कोचीन में 24.43 करोड़ रुपये की धनराशि से नई क्रूज टूर्मिनल परियोजना चल रही है जिसमें बड़े क्रूज जहाज रह सकते हैं।

हम होटल मैनेजमेंट के 42 संस्थान चला रहे हैं जिनमें से 21 केन्द्र सरकार और 21 राज्य सरकारों के अंतर्गत हैं।

अध्यक्ष महोदया, हम व्यापक प्रचार भी करते हैं। इस वर्ष, हमारे पास विदेश में प्रचार के लिए 450 करोड़ रुपये और घरेलू प्रचार के लिए 135 करोड़ रुपये हैं।...*(व्यवधान)*

माननीय अध्यक्ष: कृपया इसे होने दीजिए। पर्यटन पर यदा-कदा ही प्रश्न आता है।

[अनुवाद]

श्री अल्फोन्स कन्ननथनम: अध्यक्ष महोदया, जो कुछ भी हम मंत्रालय में कर रहे हैं यह उसकी रूपरेखा है। वास्तव में करने के लिए अभी काफी कुछ है। यदि और अधिक प्रश्न होंगे तो मुझे सदन में सूचना साझा करने में खुशी होगी।

श्री एन.के. प्रेमचन्द्रन: अध्यक्ष महोदया, मैं आपको धन्यवाद देता हूं। यह बहुत सौभाग्य की बात है कि माननीय मंत्री जी का प्रथम भाषण केरल से संबंधित विषय पर है। इस प्रश्न के लिए यह एक सही दिन है।

अध्यक्ष महोदया, माननीय मंत्री जी ने अभी जवाब दिया है कि संबंधित राज्यों से प्रस्ताव आना है। मेरा पहला सुझाव है कि सांसदों द्वारा प्रस्तुत प्रस्तावों पर भी विचार किया जाना चाहिए अन्यथा हम व्यर्थ में ही बहुत सारे प्रस्ताव प्रस्तुत कर रहे हैं। यह न केवल पर्यटन बल्कि केन्द्रीय प्रायोजित योजनाओं के संबंध में है कि सांसदों की कार्यों के चयन में कोई भूमिका नहीं है। मैं सरकार से इस स्थिति पर ध्यान रखने के लिए अनुरोध करता हूं ताकि संसद सदस्यों द्वारा प्रस्तुत प्रस्तावों का भी परियोजनाओं को आवंटित करते समय ध्यान रखा जाए।

महोदया, मेरा प्रश्न मेरे निर्वाचन क्षेत्र से संबंधित है। जैसा कि श्रीमती टीचर ने सही कहा है कि, 'पिछले माह ब्रॉड गेज परिवर्तन कार्य के उद्घाटन के दौरान माननीय मंत्री जी ने मेरे निर्वाचन क्षेत्र के पूर्वी हिस्से का दौरा किया। अचनकोविल श्री धर्म संस्था मंदिर, आर्यकवु श्री धर्म संस्था मंदिर एवं कुलाथुपुजा श्री धर्म संस्था मंदिर भगवान अय्यप्पा के तीन प्रमुख मंदिर हैं। यह स्थान सबरीमाला से भी जुड़ा हुआ है। पुनालुर एडाथवलम भी वहीं है। बात यह है कि भगवान अय्यप्पा के ये तीनों मंदिर भगवान अय्यप्पा स्वामी के तीन चरणों का प्रतिनिधित्व करते हैं। यह नोट करना आवश्यक है कि इन मंदिरों में बहुत सारे भक्त आते रहते हैं। चंदन और तीर्थ को सांप काटने का इलाज करने के लिए औषधीय गुण माना जाता है। ऐसे ऐतिहासिक महत्त्व के तीन मंदिर हैं जो सबरीमाला से भी जुड़े हैं। पुनलुर एडाथवलम भी वहां है।

माननीय मंत्री जी से मेरा विशेष प्रश्न यह है कि क्या वह मेरे द्वारा पर्यटन मंत्रालय को पूर्व में प्रस्तुत किए गए प्रस्ताव को स्वदेश दर्शन योजना अथवा प्रसाद योजना में शामिल करने के बारे में विचार करेंगे? यही विशेष प्रश्न है जो मैं माननीय सभापति से पूछना चाहता हूं।

श्री अल्फोन्स कन्ननथनम: अध्यक्ष महोदया, यह एक विचित्र संयोग है कि जब मैं केरल विधानसभा का सदस्य था, ये दोनों वहां मंत्री थे और मैं उनसे प्रश्न पूछा करता था।

अध्यक्ष महोदया, मेरे पास प्रत्येक सांसदों के सभी अभ्यावेदनों

का विवरण यहां है। मैं उनका वर्णन भी कर सकता हूं। अपने मंत्रालय में प्राप्त सभी अभ्यावेदनों को हम गंभीरता से लेते हैं। हम उन्हें उत्तर देते हैं। हम उन्हें परियोजनाओं में शामिल करने हेतु राज्य सरकार को भेजते हैं।

जहां तक केरल का संबंध है, वर्तमान में तीन परियोजनाएं कार्यान्वयनाधीन हैं। पथनमथिट्टा-गवी-वागमन परियोजना की लागत 90 करोड़ रुपए है; सबरीमाला-एरुमेली-पांबा परियोजना की लागत 99.99 करोड़ रुपये है एवं श्री पद्मनाभ स्वामी-सबरीमाला परियोजना की लागत 92 करोड़ रुपये है। श्री पद्मनाभ मंदिर के पास एक लाख करोड़ रुपए से भी अधिक की संपत्ति है। एक बार वे इन परियोजनाओं को पूरा कर लें, हम अन्य परियोजनाओं के बारे में निश्चित रूप से विचार करेंगे।

माननीय अध्यक्ष: प्रश्न पूर्णत: केरल पर है।

प्रो. के.वी. थॉमस: महोदया, पिरावोम श्री शंकराचार्य की जन्मस्थली है एवं कालडी में उनका लालन-पालन हुआ। लोग इन दोनों महत्त्वपूर्ण तीर्थ स्थलों की यात्रा करते हैं। मलयात्तूर में संट थॉमस माउण्ट स्थित है। जैसा कि माननीय मंत्री जी जानते हैं कि वल्लारपदम मदर मैरी का एक प्रमुख तीर्थ स्थल है। संत करियाकोस का जन्म एवं पालन-पोषण कूनम्मावु में हुआ था। ये एर्नाकुलम में प्रमुख तीर्थस्थल है जिनसे माननीय मंत्री जी भलीभांति परिचित हैं। केरल सरकार द्वारा भारत सरकार के समक्ष विभिन्न प्रस्ताव रखे गए हैं। इन केन्द्रों विशेषरूप से श्री शंकराचार्य की जन्मस्थली, कलडी को किस तरह से विकसित किया जा सकता है?

श्री अल्फोन्स कन्ननथनम: महोदया, मंत्रालय में दो प्रस्ताव हैं जिन पर हम विचार कर रहे हैं। ये प्रस्ताव नहीं हैं। हम अब प्रसाद योजना के आकार का विस्तार कर रहे हैं। विचाराधीन स्थानों में एक स्थान सेंट थॉमस चर्च, मलयात्तूर है जिसका निर्माण ईसामसीह के एक शिष्य द्वारा 52 ई.पू. में कराया गया था। दूसरा स्थान कोदुन्गल्लूर में स्थित चेरामन मस्जिद है जोकि सऊदी अरब के बाहर की प्रथम मस्जिद है। इन दोनों को राज्य सरकार को भेजा गया है, हम जवाब का इंतजार कर रहे हैं। जैसे ही हमें जवाब प्राप्त होगा, हम अन्य राज्यों से आने वाले प्रस्तावों की पूर्णत: जांच करेंगे, और देखेंगे कि इन सभी को कैसे शामिल किया जा सकता है।

[हिन्दी]

माननीय अध्यक्ष: अब थोड़ा हनुमान बनिए।

श्री कौशलेन्द्र कुमार: मैडम, मैं माननीय मंत्री जी से यह जानना चाहता हूं कि मेरे संसदीय क्षेत्र नालंदा में राजगृह एक जगह है, जिसे महात्मा बुद्ध जी की ज्ञान की भूमि कहा जाता है एवं जैनियों की निर्वाण भूमि पावापुरी है। मैडम, आप वहां चार महीने पहले जा चुकी हैं। मैं जानना चाहता हूं कि प्रसाद योजना के तहत राजगृह के विकास के लिए, जहां दुनिया भर से लोग आते हैं, मंत्री जी अपने क्या विचार रखते हैं?

[अनुवाद]

श्री अल्फोन्स कन्ननथनम: महोदया, हमारे पास बिहार से दो प्रस्ताव हैं जो कार्यान्वियनाधीन हैं। एक प्रस्ताव गया में विष्णुपद मंदिर पर बुनियादी सुविधाओं के विकास का है जिसकी परियोजना लागत 4.27 करोड़ रुपये है। महोदया, 50 प्रतिशत कार्य पूर्ण हो चुका है। दूसरा प्रस्ताव पटना साहिब के विकास का है जिसकी लागत 41.54 करोड़ रुपए है। ये दो प्रस्ताव हैं; हमें बिहार से अन्य कोई प्रस्ताव प्राप्त नहीं हुआ है। जब भी हमें प्राप्त होगा, हम इस पर विचार करेंगे।

[हिन्दी]

श्री गणेश सिंह: महोदया, माननीय मंत्री जी ने प्रसाद योजना के तहत 24 परियोजनाओं की स्वीकृति दी है। उसी में मध्य प्रदेश राज्य के ओंकारेश्वर को जोड़ा गया है, उसका स्वागत है, लेकिन मैं माननीय मंत्री जी से निवेदन करूंगा कि चित्रकूट जहां भगवान राम जी ने साढ़े ग्यारह वर्ष का वनवास काटा था, जहां लाखों लोग आते हैं उसको भी इस योजना के अंतर्गत शामिल किया जाए। वैसे मैहर में मां शारदा का मंदिर, ओरछा मंदिर और उज्जैन का महाकाल ये सभी स्थान प्रसाद योजना में शामिल होने के लायक हैं। फिर भी मैं मंत्री जी से यह चाहूंगा कि विशेष रूप से चित्रकूट को जरूर इस योजना में शामिल किया जाए।

[अनुवाद]

श्री अल्फोन्स कन्ननथनम: महोदया, अब 40.67 करोड़ रुपये की लागत से ओमकारेश्वर परियोजना की जा रही है। दुर्भाग्यवश, यद्यपि हमने 8.13 करोड़ रुपये की पहली किश्त दे दी है, फिर भी इसकी प्रगति बहुत धीमी रही है। अभी तक केवल 5 प्रतिशत कार्य ही पूर्ण हुआ है। हमें प्रसाद योजना के अंतर्गत चित्रकूट के संबंध में कोई प्रस्ताव प्राप्त नहीं हुआ है। तथापि, हमें स्वदेश दर्शन योजना के तहत चित्रकूट का प्रस्ताव प्राप्त हुआ है। आमतौर पर, जैसा कि हम सभी राज्यों से प्राप्त सभी परियोजनाओं में करते हैं; हम उनको समान महत्व देते हैं। इस पर भी अन्य प्रस्तावों के साथ विचार किया जाएगा।

श्री आधलराव पाटील शिवाजीराव: महोदया, मैं नासिक, महाराष्ट्र के त्रयम्बकेश्वर के लिए परियोजना को अनुमोदित करने के लिए मंत्री जी और उनके मंत्रालय को धन्यवाद देता हूं।

जैसा कि मुझे याद है, मैंने पहले ही अपने निर्वाचन क्षेत्र में दूसरे महत्वपूर्ण ज्योतिर्लिंग जो कि भीमा शंकर है, के विकास हेतु निधि जारी करने के लिए प्रस्ताव एवं अनुरोध पहले ही किया था। मैंने पहले ही इस प्रस्ताव को महाराष्ट्र सरकार को भेजा हुआ है। एक वर्ष से ज्यादा समय बीत गया है, मुझे पता चला है कि सरकार की ओर से कोई सूचना प्राप्त नहीं हुई है। अत:, मैं माननीय मंत्री जी से अनुरोध करता हूं कि वे जांच करें कि क्या, उन्हें भीमा शंकर के विकास के लिए महाराष्ट्र सरकार से कोई प्रस्ताव प्राप्त हुआ है?

यह प्रश्न उनके मंत्रालय से संबंधित नहीं है फिर भी मैं सरकार को बताना चाहता हूं कि मेरे निर्वाचन क्षेत्र में वेनदरी में अष्टविनायक मंदिर है जहां भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण केन्द्र स्थित है। भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण विभाग द्वारा मंदिर में आने वाले आगंतुकों से प्रवेश शुल्क लिया जाता है। क्या इस मामले में जिम्मेदार मंत्री ध्यान देंगे?

[हिन्दी]

माननीय अध्यक्ष: यह उनका प्रश्न नहीं है।

...(व्यवधान)

माननीय अध्यक्ष: इसका उनसे कोई संबंध नहीं है।

...(व्यवधान)

[अनुवाद]

श्री अलफोन्स कन्ननथनम: महोदया, भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण मेरे अधीन नहीं है; वह संस्कृति मंत्रालय के अधीन है। हमें राज्य सरकार से इस तरह का कोई प्रस्ताव प्राप्त नहीं हुआ है। जब भी प्राप्त होगा, दूसरे अन्य प्रस्तावों की तरह इस पर भी विचार किया जाएगा। हम त्रयम्बकेश्वर में 37.01 करोड़ रुपये लागत की एक योजना का कार्यान्वयन कर रहे हैं; इसकी निविदा प्रक्रिया चल रही है।

[हिन्दी]

श्री ए.पी. जितेन्द्र रेड्डी: महोदया, आपने मुझे प्रश्न पूछने का अवसर दिया, इसके लिए मैं आपको धन्यवाद देता हूं। महोदया, ऐसा लग रहा है कि आज सोमवार की सुबह-सुबह पूरे देश के टेंपल्स के दर्शन हो गए हैं। सारे भगवानों के नाम भी हमने लिए हैं। महोदया, तेलंगाना में महबूबनगर के अंदर जोगलांबा टेंपल एक एंशिएंट टेंपल है, जो पांचवां शक्तिपीठ कहा जाता है। Lots of devotees from all over the country visit this place. मैं मंत्री जी से पूछना चाहता हूं कि प्रसाद स्कीम के अंदर इसको शामिल कर के क्या टूरिज्म के तहत इसको शामिल किया जाएगा? This is

[अनुवाद]

महोदया, यह मेरे राज्य तेलंगाना के बारे में है।

श्री अलफोन्स कन्नथनम: महोदया जैसे ही मुझे लिखित अनुरोध मिलेगा मैं उसे देखूंगा और वापस सभा में आऊंगा।

राष्ट्रीय परीक्षा एजेंसी

***162. श्रीमती मौसम नूर:** क्या **मानव संसाधन विकास मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या केन्द्र सरकार ने यह निर्णय लिया है कि नवगठित राष्ट्रीय परीक्षा एजेंसी (एनटीए) राष्ट्रीय पात्रता परीक्षा, राष्ट्रीय पात्रता-सह-प्रवेश परीक्षा, संयुक्त प्रवेश परीक्षा जैसी राष्ट्रीय स्तर की परीक्षाएं आयोजित करेगी, जोकि केन्द्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड द्वारा आयोजित की जाती थीं, यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इसके क्या कारण हैं तथा एनटीए की संरचना क्या है और एजेंसी में शामिल लोगों की अर्हताएं क्या होंगी;

(ख) एनटीए को सौंपे गए कार्य/इसके कृत्य, उद्देश्य इसके वित्तपोषण तथा इसके द्वारा ऐसी परीक्षाएं आयोजित किए जाने हेतु इसकी तैयारियों का ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या एनटीए की स्थापना के पूर्व राज्य सरकारों तथा उच्चतर शिक्षा के क्षेत्र से जुड़े पेशेवरों से व्यापक परामर्श किए गए थे और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(घ) क्या एजेंसी बेहतर प्रश्न पत्र निर्धारित करने हेतु पेपर-निर्धारकों को प्रशिक्षित भी करेगी तथा बेहतर मॉडल उत्तर भी मुहैया कराएगी और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ङ) क्या देश में विभिन्न स्तरों पर परीक्षाओं में प्रश्न पत्रों के लीक होने, परीक्षा परिणामों में विलंब होने इत्यादि के मामले हुए हैं और यदि हां, तो परीक्षा प्रणाली को पारदर्शी बनाने हेतु केन्द्र सरकार द्वारा क्या कदम उठाए गए हैं?

मानव संसाधन विकास मंत्री (श्री प्रकाश जावडेकर): (क) से (ङ) विवरण सभा-पटल पर रख दिया गया है।

विवरण

(क) से (ङ) सरकार ने, एक स्वायत्त और स्वावलंबी प्रमुख परीक्षा संगठन के तौर पर राष्ट्रीय परीक्षा एजेंसी (एनटीए) का गठन किया है जो उच्चतर शिक्षा के लिए उन प्रवेश परीक्षाओं को आयोजित करेगी, जिनका आयोजन केन्द्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड (सीबीएसई) और अखिल भारतीय तकनीकी शिक्षा परिषद (एआईसीटीई) द्वारा किया जाता रहा। इसका उद्देश्य इन उच्च-स्तरीय प्रवेश परीक्षाओं के आयोजन हेतु एक विशेषज्ञ एवं समर्पित निकाय कायम करना है और साथ ही, केन्द्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड को इस उत्तरदायित्व से मुक्त करना है ताकि वह अपना मूल अधिदेश पूरा कर सके। सरकार ने एनटीए को विशेषज्ञों की सहभागिता से वैज्ञानिक तरीके से परीक्षा आयोजित करने के लिए अधिदेशित किया है। छात्रों के लाभार्थ एनटीए की सभी परीक्षाएं एक वर्ष में अनिवार्यत: दो बार आयोजित की जाएंगी।

हितधारकों, मंत्रालयों/विभागों/एजेंसियों के अनुरोध के आधार पर, यूजीसी-जेईई (मेन), नीट-यूजी, सी-मैट और सी-पैट परीक्षाएं एनटीए को सौंपी गई हैं। एनटीए ने अपनी वेबसाईट *https://ntaexams.co.in* पर वर्ष 2019 की परीक्षा समय-सारणी अधिसूचित की है। एनटीए ने छात्रों को अपना सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन करने का पर्याप्त अवसर प्रदान करने और मूल्यांकन में होने वाली मानवीय त्रुटि की संभावना दूर करने के लिए, एक वर्ष में दो बार परीक्षाएं आयोजित करने का प्रस्ताव किया है।

एनटीए के नियम और विनियमों के अनुसार, सामान्य निकाय, जो नीतिगत मामलों का निर्णय करेगी, में 17 सदस्य होंगे जो प्रमुख संस्थाओं के शिक्षाविद और केन्द्र व राज्य, दोनों, सरकारों के नामिती होंगे। इसके अलावा, सामान्य निकाय में परीक्षा विशेषज्ञ, उच्च शिक्षा संस्थाओं के प्रतिनिधि, स्कूल शिक्षा बोर्ड के प्रतिनिधि और एनटीए के अधिकारी शामिल होंगे। एनटीए के उद्देश्यों में, अन्य बातों के साथ-साथ, छात्रों की क्षमता का मूल्यांकन करने के लिए वैज्ञानिक ढंग से तैयार की गई परीक्षाओं का प्रभावी और पारदर्शी ढंग से आयोजन किया जाना है। यह विषयवस्तु विशेषज्ञों को प्रशिक्षित करेगी और मनोविश्लेषण विशेषज्ञों की सहायता से परीक्षा की विषय वस्तु तैयार करेगी ताकि यह सुनिश्चित किया जा सके कि परीक्षाएं पूर्ण रूप से संतुलित हैं। पिछली परीक्षाओं के आंकड़ों का विश्लेषण और विषयवस्तु विशेषज्ञों के साथ उस पर विचार-विमर्श किया जाएगा ताकि बेहतर प्रश्नपत्रों को तैयार किया जा सके। एनटीए एक आत्मनिर्भर संगठन होगा। तथापि, इसकी स्थापना और प्रचालन के लिए एक बारगी अनुदान के रूप में 25 करोड़ रुपये का प्रावधान किया गया है जिसमें से 10 करोड़ रुपये की राशि जारी कर दी गई है।

प्रस्ताव को अनुमोदित किए जाने से पहले, भारत सरकार के संबंधित मंत्रालयों/विभागों के साथ-साथ केन्द्र और राज्य सरकार दोनों के अन्य हितधारकों के साथ 1.09.2017 को हुई कार्यशाला में गहन विचार-विमर्श किया गया है।

सीबीएसई ने सूचित किया है कि एआईपीएमटी के संबंध में वर्ष 2004 में और एआईईईई के संबंध में वर्ष 2011 में प्रश्नपत्रों के लीक होने की दो घटनाएं हुई हैं। तथापि, इन परीक्षाओं के परिणाम घोषित करने में कोई भी विलंब नहीं हुआ है। पूर्ण पारदर्शिता सुनिश्चित करने के लिए, सीबीएसई परिणाम घोषित करने से पहले अपनी वेबसाइट पर परीक्षार्थियों की ओएमआर सीट, उत्तर कुंजी और उत्तर को प्रदर्शित करता है, जिन्हें उम्मीदवारों द्वारा नि:संकोच चुनौती दी जा सकती है।

बोर्ड प्रश्नपत्रों के लीक होने के संबंध में, सीबीएसई ने सूचित किया है कि कक्षा 12वीं के अर्थशास्त्र और कक्षा 10वीं के गणित के प्रश्नपत्र के लीक होने की पुष्टि हुई है। कक्षा 12वीं के अर्थशास्त्र की पुन: परीक्षा 25 अप्रैल, 2018 को आयोजित की गई थी। तथापि, छात्रों के सर्वोच्च हित तथा इस बात को ध्यान में रखते हुए कि कक्षा 10वीं की परीक्षा कक्षा 11वीं के लिए एक अनिवार्य प्रवेश द्वार है और स्कूल शिक्षा प्रणाली का आंतरिक घटक है, कक्षा 10वीं के गणित की पुन: परीक्षा आयोजित न करने का निर्णय लिया गया था। पुलिस को मामले की सूचना दे दी गई थी और इसमें शामिल लोगों को गिरफ्तार कर लिया गया था तथा शामिल स्कूल का संबंधन रद्द कर दिया गया था।

उपचारात्मक कार्रवाई करते हुए, सीबीएसई ने मल्टीपल सेट्स के विकल्प के साथ परीक्षा केन्द्रों में इनक्रिपटिड प्रश्नपत्रों को भेजने का निर्णय लिया है। इसे जुलाई, 2018 में हुई अनुपूरक परीक्षाओं में चयनित विषयों के लिए सफलतापूर्वक लागू किया गया है। केन्द्र निर्धारण मानकों और संरक्षक की पहचान को और अधिक मजबूत बनाया गया है और प्रत्येक केन्द्र को परीक्षा मामलों की निगरानी के लिए एक बाह्य पर्यवेक्षक दिया गया है। सीबीएसई ने अध्यापकों द्वारा अंक प्रदान करने और उनका जोड़ करने संबंधी चूक का समाधान करने के लिए तीन स्तरीय प्रणाली भी अपनायी है।

श्रीमती मौसम नूर: महोदया, केंद्र सरकार के अनुसार, नवगठित 'नेशनल टेस्टिंग एजेंसी (एनटीए)' राष्ट्रीय स्तर की परीक्षाएं

ऑनलाइन मोड् में आयोजित करेगी। उदाहरण के लिए, नेट, एनईईटी, जेईई (मेन) जिन्हें पहले सीबीएसई द्वारा आयोजित किया जाता था, अब एनटीए द्वारा आयोजित किया जाएगा।

उदाहरण के लिए, दिसंबर में नेट आयोजित किया जाएगा; जेईई (मेन) को वर्ष में दो बार–जनवरी और अप्रैल में और एनईईटी को फरवरी और मई में आयोजित किया जाएगा। माननीय मंत्री ने कहा है कि परीक्षा अधिक सुरक्षित होगी और अंतरराष्ट्रीय मानदंडों के समकक्ष होगी। प्रश्नपत्र लीक होने का भी कोई मामला नहीं होगा; यह प्रणाली छात्रों के अधिक अनुकूल, खुली, वैज्ञानिक और लीक-प्रूफ होगी। क्या सरकार ने ऑनलाइन मोड परीक्षा की प्रभावशीलता सुनिश्चित करने के लिए परीक्षाएं आयोजित करने वाले अधिकारियों पर जिम्मेदारियां और जवाबदेही तय की है? यदि हां, तो कृपया विवरण दें।

[हिन्दी]

श्री प्रकाश जावड़ेकर: उत्तर है, 'हां'। दुनिया में, बहुत सारे विकसित देशों में यह टेस्टिंग एजेंसी होती है। अपने यहां हर विश्वविद्यालय में परीक्षा अलग होती है, हर बोर्ड में परीक्षा अलग होती है और परीक्षा में मुद्दा यह उठता है कि बहुत साइंटिफिकली पेपर सैटिंग नहीं होती है। इसलिए यह सब होने के लिए, साइकोमेट्रिक रिसर्च और इसकी इनपुट के साथ, पेपर सेफ्टी, यह इसका बहुत महत्वपूर्ण हिस्सा है। इसलिए पेपर सेफ्टी के लिए, क्योंकि जैसे जीआरई, जीमैट में होता है, वहां तो हरेक को अलग क्वेश्चन पेपर आता है, यहां ऐसा नहीं है। लेकिन छात्रों को सिक्योर्ड एन्वायरमेंट में परीक्षा मिलेगी। इसलिए जब मैंने इसकी घोषणा की तो इसका बहुत स्वागत हुआ। अभी हम इसे अन्तिम रूप दे रहे हैं और जल्द ही इसकी घोषणा करेंगे, लेकिन जवाबदेही बिल्कुल फिक्स रहेगी।

[अनुवाद]

श्रीमती मौसम नूर: महोदया, कई छात्र विशेष रूप से आर्थिक रूप से पिछड़े वर्ग और दूरस्थ क्षेत्रों के छात्रों के लिए ऑनलाइन मोड में परीक्षा देना कठिन हो सकता है। उस स्थिति में क्या सरकार उनके लिए ऑनलाइन मोड प्रणाली में अभ्यस्त होने के लिए पर्याप्त समय और प्रशिक्षण प्रदान करेगी?

[हिन्दी]

श्री प्रकाश जावड़ेकर: एक्चुअली यह ऑनलाइन मोड नहीं है, इसे कम्प्यूटर बेस्ड कहना चाहिए, क्योंकि ऑनलाइन में नेटवर्क का इश्यू आता है। यहां यह इश्यू नहीं है। इसमें एक प्रारूप तैयार किया जाएगा, जिसे कम्प्यूटर पर डाउनलोड किया जाएगा। कॉलेज में कम्प्यूटर होता है, स्कूल में कम्प्यूटर होता है। ऐसे रिमोट एरियाज में जहां कम्प्यूटर नहीं है, उनके लिए ट्रांजिशन होने के एक वर्ष तक ऑप्शन देना है। हम इस पर विचार कर रहे हैं। तीन हजार से ज्यादा जगहों पर, जहां स्टूडेंट्स परीक्षा देने के लिए आते हैं, उनके लिए विशेष सेंटर्स भी रहेंगे। जहां-जहां जिन-जिन कॉलेजेज में सेंटर्स हैं, वहां सितम्बर माह से वे शनिवार, रविवार को आकर प्रैक्टिस कर सकते हैं। उन्हें उसमें माउस का ही उपयोग करना है। जो लिखित प्रश्न हैं, वे वैसे ही रहेंगे, उसमें हाथ से सर्कल करना होता है, यहां कम्प्यूटर से करना है। बस इतनी सी ही चीज है। उसमें लिखना और बाकी फैमिलिएरिटी नहीं है। हम तीन हजार सेंटर्स पर इसे करेंगे। हम यह भी विचार कर रहे हैं कि पहले वर्ष के लिए, जब ट्रांजिशन हो रहा है, तो इसका भी ऑपशन रखा जाए।

[अनुवाद]

श्री एस. राजेन्द्रन: अध्यक्ष महोदया, 'नेशनल टेस्टिंग एजेंसी' के अंतर्गत सभी परीक्षाएं केवल कम्प्यूटर आधारित होंगी।

इस संदर्भ में मैं आदरणीय मंत्री जी से यह पूछना चाहता हूं कि क्या सरकार ने 'जेईई मेन और एनईईटी परीक्षा' देने के इच्छुक ग्रामीण इलाकों से आने वाले छात्रों को विशेष शिक्षण देने की व्यवस्था की है क्योंकि उन्हें कम्प्यूटर की शिक्षा नहीं मिली।

श्री प्रकाश जावड़ेकर: छात्रों को अभ्यास करने के लिए पांच महीने मिलेंगे। वे सभी शनिवार और रविवार वाले दिन को अभ्यास करेंगे जिसका अर्थ है उन्हें लगभग बीस शनिवार और रविवार मिलेंगे। वास्तव में, उन्हें इतने समय की आवश्यकता नहीं है क्योंकि छात्र तेज हैं और विशेषकर, ग्रामीण क्षेत्रो से छात्र और भी तेज हैं। मैं आपको बताता हूं कि पर्याप्त व्यवस्था की गई है, लेकिन जैसा मैंने कहा, हम इस बात पर विचार कर रहे हैं कि कोई अस्थायी व्यवस्था होनी चाहिए कि नहीं।

डॉ. एम. तंबिदुरै: अध्यक्ष महोदया, आपके माध्यम से मैं यह जानना चाहता हूं कि क्या पूरे भारत में परीक्षा आयोजित करने के लिए इस तरह की 'नेशनल टेस्टिंग एजेंसी' होना जरूरी है?

महोदया, आप जानती हैं कि शिक्षा पूर्ण रूप से राज्य का विषय था। इसके बाद, इसे समवर्ती सूची में लाया गया था। जब इसे समवर्ती सूची में लाया गया, तो केंद्र सरकार ने शिक्षा प्रणाली में हस्तक्षेप करना शुरू कर दिया। शिक्षा का माध्यम मातृभाषा होना

चाहिए जिसे अंतरराष्ट्रीय स्तर पर स्वीकृति प्राप्त है। यही कारण है कि, राज्यों को शिक्षा प्रदान करने का अधिकार दिया गया था।

लेकिन अब केंद्र सरकार परीक्षा और मानक निर्धारित करने के नाम पर बेवजह राज्य सरकारों के क्षेत्राधिकार में, उनसे सब अधिकार वापस लेकर, हस्तक्षेप कर रही है। यदि प्रवेश परीक्षा वर्ष में दो बार आयोजित की जाती है, तो छात्र केवल परीक्षा में ध्यान केंद्रित करेंगे। परीक्षा आयोजित करने की सरकार की नीति के कारण ग्रामीण लोग प्रभावित होंगे। जब छात्र 11वीं और 12वीं कक्षाओं में पढ़ते हैं तो वे सभी विषयों का अध्ययन करते हैं। यदि आप प्रवेश परीक्षा लेते हैं तो छात्र केवल उसी पर ध्यान केंद्रित रखेंगे। शिक्षा का स्तर निश्चित रूप से नीचे जाएगा क्योंकि छात्र कोचिंग सेंटरों में जाने लग जाएंगे। जैसा कि माननीय सदस्य ने कहा, ग्रामीण लोगों के पास कोचिंग सेंटरों जैसी सुविधाएं नहीं मिल सकती हैं। इसलिए, यहां कोचिंग सेंटर काफी बढ़ने वाले हैं जिससे विद्यालयों में शिक्षा प्रभावित होगी। विद्यालयों में शिक्षा का स्तर नीचे जाएगा। क्या प्लस-2 स्तर पर शिक्षा आयोजित करने के लिए सरकार को राज्य सरकारों पर विश्वास नहीं है? क्या आप एक अन्य प्रणाली चाहते हैं जिसमें आप एक ही परीक्षा आयोजित करें? इसमें भी कई समस्याएं हैं जैसे अनुवाद की समस्या, इसमें कई कमियां हैं।

अंत में, तमिलनाडु में एनईईटी परीक्षा में प्रश्नों के अनुवाद में कई विसंगतियां थीं। यहां तक कि मद्रास उच्च न्यायालय ने भी प्रभावित छात्रों को 'ग्रेस अंक' देने का आदेश दिया।

लेकिन आप उच्चतम न्यायालय में स्थगन आदेश के लिए गए, वह एक अलग मुद्दा है। जब न्यायालय ने स्वयं कहा कि परीक्षाओं के संचालन में विसंगतियां हैं तो आप इन प्रकार की परीक्षाओं को क्यों नहीं रोक सकते? जिन राज्य सरकारों के पास मानकों के अनुसार परीक्षा आयोजित करने की क्षमता है उन्हें ऐसा करने की अनुमति दें। राज्य सरकारें डॉक्टरों और इंजीनियरों की शिक्षा में निवेश क्यों कर रही हैं? यह राज्यों की आवश्यकता पूरा करने के लिए है। उन्हें कई डॉक्टरों की आवश्यकता है। यदि आप, केन्द्रीकृत प्रवेश परीक्षाएं आयोजित करते हैं तो इनका स्तर बढ़ जाएगा और केवल सम्पन्न लोग ही इनमें सफल हो पाएंगे और वे डॉक्टर ग्रामीण इलाकों में आकर सेवा नहीं करेंगे। हम इस समस्या का सामना कर रहे हैं। इसलिए, छात्रों को 10+2 स्तर पर अर्जित अंकों के आधार पर चयनित किया जाए। यह मानदंड होना चाहिए। आपको उनकी इस अंतराल में और परीक्षाएं देने के लिए बाध्य नहीं करना चाहिए। अगर आप ऐसा करेंगे तो छात्र 10+1 और 10+2 में निर्धारित पाठ्यक्रम का अध्ययन न करके केवल प्रवेश परीक्षाओं पर ध्यान केंद्रित करेंगे। अगर आप इस परीक्षा को दो बार आयोजित करेंगे तो सभी विद्यालयों के छात्र पूरे वर्ष केवल प्रवेश परीक्षाओं पर ध्यान देंगे और वे अपने विद्यालय में 10+1 और 10+2 के निर्धारित पाठ्यक्रम पर ध्यान नहीं देंगे। यह काफी खतरनाक होगा।

माननीय अध्यक्ष: अब, मंत्री जी को उत्तर देने दें।

डॉ. एम. तंबिदुरै: महोदया, हमारी राज्य सरकार इस नीति के विरुद्ध है। अन्य राज्य भी इसे स्वीकार करेंगे...(व्यवधान) केंद्र सरकार राज्य सरकार के विषय में हस्तक्षेप क्यों कर रही है? तमिलनाडु सरकार और हमारी राजनीतिक पार्टियां इस तरह की परीक्षाओं के आयोजन और हमारे राज्य के विषय में केंद्र के हस्तक्षेप के खिलाफ हैं।

श्री प्रकाश जावड़ेकर: जो दो-तीन मुद्दे आपने उठाए हैं, वे काफी महत्वपूर्ण हैं। मैं माननीय सदस्य के विचारों की सराहना करता हूं। मुद्दा यह है कि इंजीनियरिंग में प्रवेश के लिए केवल जेईई केंद्रीय परीक्षा थी...(व्यवधान) अब मैं उत्तर दे रहा हूं। यह परीक्षा आईआईटी और एनआईटी में प्रवेश के लिए थी। फिर एनईईटी न्यायालय के आदेश पर शुरू की गई। न्यायालय ने कहा कि इसे 'केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड' द्वारा आयोजित किया जाना है और यह एक राष्ट्रीय स्तर की परीक्षा होगी। जहां तक तमिल प्रश्न पत्रों का संबंध है हमने तमिलनाडु सरकार से अनुवादकों की मांग की। उन्होंने हमें अनुवादक दिए जिन्होंने प्रश्न पत्र का अनुवाद किया था। लेकिन अब एक प्रश्न उठा है। आगे से, हम कह रहे हैं कि हम राज्य सरकार से अनुवाद सही होने की पुष्टि का हलफनामा लेंगे। फिर, कोई समस्या नहीं होनी चाहिए। मैं उठाए गए मुद्दों की सराहना करता हूं। लेकिन, यह निर्णय उच्चतम न्यायालय के हस्तक्षेप के कारण लिया गया।

अध्यक्ष महोदया, पूरे देश में, राज्य बोर्डों सहित करीब 2 करोड़ छात्र 12वीं की परीक्षा देते हैं। एनईईटी की परीक्षा के लिए केवल 12 लाख छात्र उपस्थित होते हैं और जेईई के लिए करीब 12 लाख छात्र। इसलिए, करीब 2 करोड़ छात्रों में से करीब 24 लाख छात्र ही इन 2 परीक्षाओं में उपस्थित होते हैं और बाकी दाखिले राज्य सरकारों द्वारा किए जाते हैं।

श्री अनिल शिरोले: अध्यक्ष महोदया, मैं माननीय मंत्री जी से जानना चाहता हूं कि क्या सरकार ने जीआरई के लिए ऑनलाइन परीक्षा लेने का विचार किया है और अगर हां, तो अब तक क्या कार्रवाई की गई और उसके परिणाम क्या हैं?

श्री प्रकाश जावड़ेकर: जैसा कि मैंने कहा, यह कम्प्यूटर आधारित परीक्षा है। हमें उन लोगों को प्रशिक्षण प्रदान करना चाहिए, जिनके पास इसकी सुविधा नहीं है। लेकिन, मैं आपको बता सकता हूं कि हमें छात्रों से जबरदस्त प्रतिक्रिया मिली है। एक भी शिकायत नहीं मिली है। सबने इसका स्वागत किया। इसलिए, पिछले एक माह से, लोग बड़े खुश हैं। लेकिन, यह ऑनलाइन नहीं अपितु कम्प्यूटर आधारित है।

श्री रामचन्द्र हांसदा: अध्यक्ष महोदया, यह अच्छा है कि केंद्र सरकार ने विभिन्न राष्ट्रीय स्तर की परीक्षाएं आयोजित करने हेतु एनटीए जैसी स्वायत्त संस्था गठित की। विशेष रूप से यूजीसी नेट में जब भारतीय भाषाओं के लिए परीक्षाएं आयोजित होती हैं तो यह अपेक्षा की जाती है कि प्रश्न उनकी अपनी लिपियों में ही लिखे जाएं। लेकिन, यूजीसी नेट परीक्षा अब तक देवनागरी लिपि में आयोजित की गई है, हालांकि मेरी अपनी भाषा है, संथाली की अपनी अलग लिपि है जिसका नाम ओल चिकी है। देश में नौ विश्वविद्यालयों में ओल चिकी भाषा में शिक्षा प्रदान की जाती है। तो क्या मंत्री जी इस विसंगति को दूर करने के लिए आवश्यक कदम उठाएंगे ताकि संथाली भाषा को उसकी अपनी लिपि ओल चिकी में ही पढ़ाया जाए?

श्री प्रकाश जावड़ेकर: यह प्रश्न विशेष रूप से केवल एक लिपि के बारे में है। हमारे भाषा विभाग में हम विभिन्न भाषाओं के माध्यम से लोगों की सभी आकांक्षाओं पर ध्यान दे रहे हैं। मैथिली के संदर्भ में एक मुद्दा था जिसके बारे में आपने मुझे लिखा था और महोदया, हमने यह कहकर जवाब दिया है कि हमने इसका संज्ञान लिया है। यह कार्रवाई के लिए एक सुझाव है।

कच्चे तेल का आयात

***163. श्री अनुराग सिंह ठाकुर:** क्या **पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) देश में कच्चे तेल के आयात की लागतों को कम करने हेतु क्या कदम उठाए गए हैं;

(ख) कच्चे तेल की आयात लागत को कम करने के अपने उद्देश्य को हासिल करने हेतु सरकार की कौन से वैकल्पिक ईंधन का उपयोग करने की योजना है;

(ग) उक्त उपाय से देश में किसानों को किस प्रकार सहायता मिलेगी; और

(घ) देश में एलपीजी सिलिंडर को प्रत्येक के लिए वहनीय बनाने हेतु एलपीजी सिलिंडरों की कीमत कम करने में इससे किस प्रकार और कितनी सहायता मिलने की संभावना है?

पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्री तथा कौशल विकास और उद्यमशीलता मंत्री (श्री धर्मेन्द्र प्रधान): (क) से (घ) एक विवरण सदन के पटल पर रख दिया गया है।

विवरण

(क) सरकार द्वारा देश की कच्चे तेल आयात लागत को कम करने के लिए निम्नलिखित कदम उठाए गए हैं:–

(i) तेल और गैस का घरेलू उत्पादन बढ़ाना;

(ii) ऊर्जा दक्षता और संरक्षण उपायों को बढ़ावा देना;

(iii) मांग प्रतिस्थापन पर जोर देना।

(iv) जैव ईंधनों और अन्य वैकल्पिक ईंधनों/नवीकरणीय ईंधनों में दोहन न की गई क्षमता का लाभ उठाना; और

(v) रिफाइनरी प्रक्रिया में सुधार करने के लिए उपायों को क्रियान्वित करना।

(ख) सरकार आयात कम करने, पर्यावरण संबंधी लाभों को प्राप्त करने तथा किसानों की आय बढ़ाने जैसे अपने उद्देश्यों की पूर्ति के लिए प्रथम पीढ़ी के एथेनॉल, दूसरी पीढ़ी के एथेनॉल, जैव-डीजल, जैव-सीएनजी आदि जैसे जैव-ईंधनों पर ध्यान केन्द्रित कर रही है।

(ग) गन्ना किसानों के बकायों का निपटान करने तथा अपेक्षाकृत उच्च एथेनॉल मिश्रण प्रतिशतता प्राप्त करने के उद्देश्यों को प्राप्त करने के लिए सरकार ने हाल ही में सी-हैवी शीरे और बी-हैवी शीरे से प्राप्त एथेनॉल के एक्स-मिल प्राइस को 01 दिसम्बर, 2018 से 30 नवम्बर, 2019 तक की एथेनॉल आपूर्ति अवधि के दौरान क्रमशः 43.70 रुपए प्रति लीटर और 47.49 रुपए प्रति लीटर निर्धारित किया है। इन मूल्यों में जीएसटी और ढुलाई प्रभार शामिल नहीं है। सरकार ने एथेनॉल उत्पादन के लिए दूसरी पीढ़ी का रूट भी खोल दिया है जिससे सैल्यूलॉसिक तथा लिग्नोसैल्यूलॉसिक सामग्रियों जैसे कृषि जीवाश्म, फसल अपशिष्टों, बांस आदि से एथेनॉल की अधिप्राप्ति की जा सकती है। इससे किसानों को अतिरिक्त पारिश्रमिक देने में मदद मिलेगी। इसके साथ ही सरकार ने दिनांक 08.06.2018 को जैव ईंधनों से संबंधित राष्ट्रीय नीति-2018 अधिसूचित की है जिससे अब पेट्रोल के साथ मिश्रण

के लिए क्षतिग्रस्त खाद्यान्नों से एथेनॉल का उत्पादन किया जा सकता है। राष्ट्रीय जैव ईंधन समन्वय समिति द्वारा लिए गए निर्णय के अनुसार अधिशेष चरण के दौरान एथेनॉल उत्पादन के लिए अधिशेष खाद्यान्नों से भी एथेनॉल उत्पादन का प्रावधान किया गया है।

(घ) सरकार एलपीजी के सीधे लाभ अंतरण (डीबीटीएल) के तहत घरेलू उपभोक्ताओं के लिए घरेलू एलपीजी आपूर्ति के प्रभावी मूल्य को लगातार घटाती-बढ़ाती रहती है। देश में एलपीजी का घरेलू मूल्य एलपीजी के अंतरराष्ट्रीय मूल्य (अर्थात साऊदी संविदागत मूल्य) पर आधारित होता है और यह कच्चे तेल की लागत से संबद्ध नहीं होता है।

[हिन्दी]

श्री अनुराग सिंह ठाकुर: अध्यक्ष जी, माननीय प्रधानमंत्री जी ने जब 'गीव इट अप' कहा तो देश के एक करोड़ से ज्यादा लोगों ने अपनी सब्सिडी छोड़ दी। मैं माननीय मंत्री जी को भी बधाई देना चाहता हूं कि उन्होंने 'उज्ज्वला योजना' लाकर एवं मुफ्त में गैस सिलेंडर का प्रावधान करके चार करोड़ से ज्यादा महिलाओं को राहत दी है। लेकिन चिंता का विषय आज भी बना हुआ है कि हम जो क्रूड ऑयल इम्पोर्ट करते हैं, उसके ऊपर भारत की निर्भरता बनी रहती है। अलग-अलग सरकारें आईं और अलग-अलग वायदे हुए। माननीय मंत्री जी से मेरा प्रश्न यह है कि आखिरकार अगर कार्बन से ही एनर्जी मिलती है और हमें क्रूड ऑयल पर निर्भर रहना पड़ता है, आपका फॉरेन एक्सचेंज भी उस पर सबसे ज्यादा खर्च होता है, तो इस सरकार ने कौन-से ऐसे कदम उठाए हैं जिनसे भविष्य में हमारी निर्भरता उस पर कम हो और जो अंतर्राष्ट्रीय दाम बढ़ते-गिरते रहते हैं, उसके कारण उपभोक्ता तथा व्यापारियों को ज्यादा नुकसान न हो? आपने ऐसा कौन-सा कदम उठाया है, जिससे उपभोक्ता को लाभ मिल सके?

श्री धर्मेन्द्र प्रधान: महोदया, माननीय सदस्य ने एक मूलभूत विषय को इस प्रश्न के माध्यम से सदन के सामने रखा है, क्योंकि प्रत्येक व्यक्ति को ऊर्जा चाहिए। डेवलपमेंट के लिए एक प्रमुख शर्त एनर्जी है। आज की हमारी जो वैज्ञानिक प्रक्रिया है, उसमें फॉसलाइज फ्यूल से, चाहे वह कोयला हो या हाइड्रो-कार्बन हो, उससे हम एनर्जी कन्वर्जन करते हैं। लेकिन, आज आधुनिक वैज्ञानिक युग में अन्य कई प्रकार के बायोमास के कार्बन कन्वर्जन करना होता है, जिसे हम इथेनॉल, बायो-डीजल, बायो-सीएनजी कहते हैं। रिन्यूअब्ल एनर्जी, ग्रीन एनर्जी, कम प्रदूषण तथा कम्पटेटिव रेट आदि सारे विषय भी धीरे-धीरे भारत में एक नीति बनाकर पिछले जून महीने में ही भारत सरकार ने न्यू बायो-फ्यूल पॉलिसी, 2018 के नाम से देश के सामने रखी है। इथेनॉल, बायो-डीजल, बायो-सीएनजी, बायो-कम्पोस्ट इन सारे विषयों को मिनिस्ट्री ऑफ पेट्रोलियम एंड नेचुरल गैस, मिनिस्ट्री ऑफ फूड, मिनिस्ट्री ऑफ एग्रीकल्चर, मिनिस्ट्री ऑफ फाइनान्स, मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स तथा मिनिस्ट्री ऑफ रिन्यूअल एनर्जी ने मिलकर एक सामूहिक रणनीति बनाई है, जिससे हमारे देश की आत्मनिर्भरता बढ़े। माननीय सदस्य की बात सही है कि अंतर्राष्ट्रीय बाजार के क्रूड ऑयल के दाम के उतार-चढ़ाव का कुप्रभाव भारत की अर्थ-नीति में भी देखने को मिलती है। भारत सरकार ने वर्ष 2018 में एक लांग टर्म स्ट्रटेजी के नाते उसका एक वैकल्पिक रास्ता न्यू बायो-फ्यूल पॉलिसी के रूप में लाई है, जिसके बारे में मैंने उत्तर में विशेष कुछ लिखा है।

श्री अनुराग सिंह ठाकुर: अध्यक्ष जी, मुझे प्रसन्नता है कि इससे किसानों को भी लाभ मिलेगा और भारत की निर्भरता विदेशी देशों के ऊपर कम होगी, लेकिन जब तक यह लागू होता है, तब तक ईरान-इंडिया पाइप लाइन के बारे में क्या हुआ? आईओसी तथा ओएनजीसी (विदेश) ने कहा था कि हम विदेशों में जाकर ज्यादा ऑयल फील्ड्स को एक्वायर करेंगे ताकि हिन्दुस्तान को उसका लाभ मिल पाए, तो उस पर क्या हुआ? केलकर कमेटी से लेकर सी.रंगराजन कमेटी में सुझाव दिए गए थे कि किस तरह से ऑयल प्राइसिंग को कैलकुलेट किया जाए, उसमें से हम कितनी चीजों को लागू कर पाए हैं? माननीय मंत्री जी से मेरा निवेदन है, क्योंकि इसके बारे में जानना बहुत आवश्यक है।

मैडम, एक दूसरा विषय आता है कि बैटरी ऑपरेटेड कार आएगी, तो वर्ष 2025 से 2030 तक भारत सरकार के विभिन्न मंत्रालय क्या कदम उठाएंगे? वर्ष 2025 में किस तरह की गाड़ियां, ट्रक्स, बसें वगैरह इस देश में देखने को मिलेंगी? उनकी रिक्वायरमेंट कौन पूरी करेगा? क्योंकि, एक व्यक्ति कहता है कि इलेक्ट्रिकल कार आएगी, एक कहता है कि बैटरी ऑपरेटेड तथा इथेनॉल वाली कार आएगी। इस देश में क्या होगा? हमारे माननीय मंत्री जी उस पर थोड़ा प्रकाश डालें।

श्री धर्मेन्द्र प्रधान: अध्यक्ष महोदया, मल्टी सोर्स तो रखना ही पड़ेगा। अभी का जो एनर्जी सोर्स है, इसके अलावा जैसे-जैसे टेक्नोलॉजी का रिवोल्यूशन होता जा रहा है, इलेक्ट्रिक व्हीकल हो या बायो-एनर्जी ड्रिवेन व्हीकल हो, सबको लाना पड़ेगा। एक लांग टर्म स्ट्रैटिजी के नाते उन्होंने कई विषयों का उल्लेख किया। पिछले दिनों में रंगराजन साहब हों, केलकर जी हों, इन्होंने जो-जो रिकमेंडेशंस कीं, जैसे केलकर जी की एक बड़ी रिकमेंडेशन थी

कि देश में सीबीएम उत्पादित होनी चाहिए। हमारे देश में कोयले का अपार भण्डार है, लेकिन उसका वैल्यू एडीशन हम नहीं कर पाते हैं। सीबीएम का उत्पादन बढ़े, इसके लिए कई सारे रिफार्म्स वर्तमान सरकार ने किए हैं। इसका उत्पादन बढ़ा है। कोयले से मेथनॉल बने, इसके लिए हमारे यहां पर्याप्त कोयला है। उसमें मेथनॉल कन्वर्ट करते हैं। इसके ऊपर भी वर्किंग ग्रुप बनाकर हम लोग काम कर रहे हैं।

अध्यक्ष महोदया, विदेश में निवेश की बात कही गई। मैं आप के माध्यम से सदन को सूचित करना चाहूंगा कि शायद आजादी के बाद हम लोगों की ऊर्जा सिक्योरिटी के संबंध में रणनीति रही है कि विदेश में भारत का निवेश रहे। मैं जिम्मेदारी के साथ कहना चाहूंगा कि पिछले चार साल में माननीय प्रधान मंत्री नरेन्द्र मोदी जी के वैश्विक नेतृत्व के कारण जिस ढंग से भारत को अंतर्राष्ट्रीय बाजार में अच्छे मूल्य पर, रशिया हो या खाड़ी के देश हों, अब तक हम खाड़ी के देशों से तेल खरीदते थे। उन देशों में हमें कुएं नहीं मिलते थे। पहली बार यूएई की सरकार ने लोअर जाकूम की ऑयल फील्ड भारत को अच्छे मूल्य पर लांग टर्म के लिए दी है। भारत सरकार की, विशेषकर प्रधान मंत्री जी की वैश्विक नेतृत्व की यह एक बड़ी स्वीकृति है। इस प्रकार के अनेकों कार्यक्रम चलाए जा रहे हैं।

श्री जय प्रकाश नारायण यादव: अध्यक्ष महोदया, मैं माननीय मंत्री जी को बधाई देना चाहता हूं कि बांका बाराहाट में गैस सिलेण्डर के एक बड़े सेंटर का निर्माण किया जा रहा है। मैं माननीय मंत्री जी से जानना चाहता हूं कि उसकी लागत कितनी है, कब तक यह योजना पूरी हो जाएगी और स्थानीय लोगों को क्या छोटे रोजगार में प्राथमिकता दी जाएगी?

श्री धर्मेन्द्र प्रधान: अध्यक्षा जी, सदन के वरिष्ठ सदस्य यादव जी ने अपने चुनाव क्षेत्र में लगने वाले एक एलपीजी बॉटलिंग प्लांट के बारे में पूछा। मेरे पास उसके लागत मूल्य की जानकारी अभी नहीं है। इसकी जानकारी मैं निश्चित रूप से आज ही उनको दे दूंगा।

दूसरा, उन्होंने स्थानीय नौजवानों के रोजगार के बारे में पूछा, तो मैं उनको सूचित करना चाहूंगा कि कम से कम प्रतिदिन सौ ट्रक्स उसी बॉटलिंग प्लांट से बिहार के अन्य जिलों में सिलेण्डर लेकर जाएंगे। निश्चित रूप से बिहार के नौजवान, बांका के नौजवान, यादव जी की उसमें निगरानी रहे, लोगों को रोजगार मिलेगा और रोजगार सृजन होगा।

श्री सुनील कुमार जाखड़: अध्यक्ष महोदया, मैं आपके माध्यम से माननीय मंत्री जी से जानना चाहूंगा कि विदेशी करेंसियों के मुकाबले रुपये की गिरती हुई कीमत का कितना बोझ हमारे इम्पोर्ट बिल के ऊपर पड़ा है? आपने अभी माननीय प्रधान मंत्री के वैश्विक साख की बात कही। वैश्विक साख एक तरफ रह गई, आप ही की पार्टी के लोग 2014 से पहले रुपये की गिरती हुई कीमत के साथ सरकार की साख गिरने की बात कहते थे। मेरा आपके माध्यम से यही सवाल है कि रुपये की पिछले 4 साल के अन्दर जो कीमत फॉरेन करेन्सीज के मुकाबले गिरी है, उसका कितना बोझ देश के खजाने के ऊपर पड़ा है? क्या माननीय मंत्री जी इस बात के लिए सदन को आश्वस्त करेंगे कि रुपये की गिरती हुई कीमत की बदौलत जो डीजल की कीमतें बढ़ी हैं, उसकी कोई सब्सिडी किसानों को दी जाएगी?

श्री धर्मेन्द्र प्रधान: अध्यक्ष महोदया, यह मूल प्रश्न से थोड़ा अलग है, लेकिन मैं आदर के साथ आपकी अनुमति से माननीय सदस्य के इस प्रश्न का उत्तर देना चाहूंगा। अगर एक रुपया भारतीय मुद्रा डॉलर की तुलना में इमबैलेंस होती है, तो लगभग 60 पैसे का बोझ हमारे ऊपर आ जाता है।

अध्यक्ष महोदया, आज की वैश्विक स्थिति में किसी को ईर्ष्या के कारण अगर मोदी जी का वैश्विक नेतृत्व स्वीकार नहीं करना है तो यह उनके दिल की बात है। मैं इसके लिए उनको विवाद में नहीं लेना चाहता। आज विश्व भारत को कैसे स्वीकार कर रहा है, भारत के पासपोर्ट की वजूद कैसे बढ़ी है, लो जोग विदेश जाते हैं उनको पता चलता है। वर्ष 2014 और 2018 की स्थिति में कोई तुलना नहीं है। उन दिनों भारत में जिस प्रकार की अस्थिरता थी, नीतियों में अस्पष्टता और अनिर्णयता थी, आज हम उससे कई मील आगे जा चुके हैं। आज वैश्विक स्थिति में ट्रेड वार छिड़ी हुई है। जियो-पॉलिटी में कुछ देश अपनी ही बातों को विश्व की अर्थ नीति पर लादना चाहते हैं। मैं सदन को निश्चित रूप से आश्वस्त करना चाहता हूं कि भारत अपने हितों को सर्वोपरि रखकर निर्णय कर रहा है। इस कारण भारतीय मुद्रा का अव्यमूल्यन होना केवल भारत की अर्थनीति से जुड़ा नहीं है। आज वैश्विक क्राइसिस बनी हुई है।

श्री निहाल चन्द: अध्यक्ष महोदया, केन्द्र सरकार, माननीय मंत्री जी और माननीय प्रधान मंत्री जी ने कच्चे तेल के आयात और एलपीजी के क्षेत्र में देश के लिए बहुत बड़ा काम किया है। मैं इसके लिए उनको बधाई देता हूं। माननीय मंत्री जी से निवेदन है कि प्रत्येक राज्य में पेट्रोल और डीजल के भाव में अंतर है। मेरे लोक सभा क्षेत्र गंगानगर में हनुमानगढ़ एक बहुत बड़ा जिला है, इस जिले में एक तेल डिपो था, जिसे इस सरकार ने बंद कर

दिया था। इसकी वजह से राजस्थान और पंजाब में छह रुपये डीजल के भाव में बढ़ोतरी हुई है। मैं माननीय मंत्री जी से जानना चाहता हूं कि जो तेल डिपो बंद है, क्या आप उसे शुरू करने के लिए विचार कर रहे हैं?

श्री धर्मेन्द्र प्रधान: अध्यक्ष महोदया, यह प्रश्न मूल प्रश्न से अलग है। मैं सदस्य से मिलकर उसका समाधान करने की कोशिश करूंगा।

प्रतिष्ठित संस्थान

***164. +श्री प्रसून बनर्जी:** क्या **मानव संसाधन विकास मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) 'प्रतिष्ठित संस्थानों' (आईओई) का टैग/दर्जा प्रदान करने के लिये विचारित/अपनाए गए मानदंड क्या हैं;

(ख) क्या सरकार को देश में विश्व स्तरीय विश्वविद्यालय बनाए जाने हेतु कई संस्थानों से आवेदन प्राप्त हुए हैं और यदि हां, तो ऐसे संस्थानों का ब्यौरा क्या है जिन्होंने इस प्रयोजनार्थ आवेदन भेजे हैं तथा उन संस्थानों का ब्यौरा क्या है जिन्हें आईओई टैग प्रदान किया गया है;

(ग) क्या कतिपय संस्थानों, जिनकी अभी स्थापना भी नहीं हुई है, को आईओई टैग/दर्जा प्रदान किया गया है और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है तथा ऐसे संस्थानों के नाम क्या हैं और इसके क्या कारण हैं;

(घ) उन आवेदकों/संस्थानों के नाम क्या हैं जिन्होंने ग्रीन फील्ड श्रेणी के तहत आईओई टैग/दर्जे हेतु आवेदन किया था; और

(ङ) उन निजी और सरकारी क्षेत्र के संस्थानों का ब्यौरा क्या है जिन्हें आज की तारीख तक आईओई का दर्जा प्रदान किया गया है तथा इसके अंतर्गत क्या शर्तें लगाई गई हैं?

मानव संसाधन विकास मंत्री (श्री प्रकाश जावडेकर): (क) से (ङ) विवरण सभा पटल पर रख दिया गया है।

विवरण

(क) अधिकार प्राप्त विशेषज्ञ समिति (ईईसी) और विश्वविद्यालय अनुदान आयोग (यूजीसी) ने संस्थाओं की प्रतिष्ठित संस्थान के रूप में मान्यता के लिए, उनकी पन्द्रह वर्षीय कार्यनीतिक भावी योजना और एक पंचवर्षीय रोलिंग कार्यान्वयन योजना अर्थात् शैक्षिक योजना, संकाय भर्ती योजना, विद्यार्थी प्रवेश योजना, अनुसंधान योजना, नेटवर्किंग योजना, अवसंरचना विकास योजना, वित्त योजना, प्रशासनिक योजना, अभिशासन योजना आदि, के स्पष्ट वार्षिक लक्ष्यों और उनकी कार्रवाई योजनाओं की उत्कृष्ट संस्थाएं किस प्रकार स्थापित की जाएंगी, के साथ-साथ अभिनिर्धारणीय परिणामों एवं निष्कर्षों और ईईसी के समक्ष अपने दिए गए आवेदन और प्रस्तुतियों में यथा उल्लिखित एक उत्कृष्ट संस्था का दर्जा प्राप्त करने के लिए मानदंड को पूरा करने के आधार पर, उन पर विचार किया और अनुमोदित किया।

(ख) यूजीसी (सरकारी शैक्षिक संस्थाओं की उत्कृष्ट संस्थाओं के रूप में घोषणा) दिशानिर्देश, 2017 और यूजीसी (उत्कृष्ट सम-विश्वविद्यालय संस्थाएं) विनियम 2017, के उपबंधों के अनुसार, यूजीसी ने दिनांक 13 सितम्बर, 2017 की इसकी अधिसूचना के द्वारा मौजूदा सरकारी संस्थाओं और मौजूदा निजी संस्थाओं के साथ-साथ उन प्रायोजकों से आवेदन आमंत्रित किए थे जिनका विचार नई उत्कृष्ट सम-विश्वविद्यालयवत् संस्था स्थापित करने का है। तद्नुसार, सार्वजनिक क्षेत्र से 74 और निजी क्षेत्र से 40 जिसमें ग्रीनफील्ड क्षेत्र में 11 आवेदन सहित कुल 114 आवेदन प्राप्त हुए हैं। इन संस्थाओं का विवरण **अनुबंध** में दिया गया है।

इन आवेदनों को इस प्रयोजनार्थ गठित अधिकारप्राप्त विशेषज्ञ समिति (ईईसी) को सौंपा गया था। ईईसी ने संस्थाओं द्वारा प्रस्तुत किए गए आवेदनों और प्रस्तुतियों की समीक्षा करने के बाद यूजीसी को अपनी सिफारिशें कर दी थीं। यूजीसी ने दिनांक 09 जुलाई, 2018 को हुई अपनी बैठक में ईईसी की रिपोर्ट पर विचार-विमर्श किया और उसे अनुमोदित करने के साथ ही निम्नलिखित 3 संस्थाओं के संबंध में उन्हें सरकारी श्रेणी के उत्कृष्ट संस्थान के रूप में आदेश जारी किए जाने की सिफारिश की थी:–

(i) भारतीय विज्ञान संस्थान, बंगलौर

(ii) भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान, दिल्ली

(iii) भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान, बॉम्बे

इसके अतिरिक्त, निम्नलिखित तीन निजी संस्थाओं को आशय पत्र जारी किए जाने की सिफारिश की गई है:–

(i) बिरला प्रौद्योगिकी और विज्ञान संस्थान, पिलानी

(ii) मणिपाल उच्चतर शिक्षा अकादमी, मणिपाल

(iii) ग्रीनफील्ड श्रेणी के अंतर्गत जियो संस्थान। इसे आशय पत्र जारी किए जाने के तीन वर्षों के अंतर्गत, एक उत्कृष्ट सम-विश्वविद्यालयवत् संस्था के रूप में स्थापित किया जाएगा।

(ग) आगामी तीन वर्ष के भीतर 'उत्कृष्ट सम-विश्वविद्यालयवत् संस्था स्थापित करने के लिए ग्रीनफील्ड वर्ग के तहत केवल एक संस्था नामत: जियो संस्थान को आशय पत्र जारी किया गया है। अधिकार प्राप्त विशेषज्ञ समिति (ईईसी) और विश्वविद्यालय अनुदान आयोग (यूजीसी) ने जियो को उसकी पन्द्रह वर्षीय कार्यनीतिक भावी योजना और एक पंचवर्षीय रोलिंग कार्यान्वयन योजना अर्थात् शैक्षिक योजना, संकाय भर्ती योजना, विद्यार्थी प्रवेश योजना, अनुसंधान योजना, नेटवर्किंग योजना, अवसरंचना विकास योजना, वित्त योजना, प्रशासनिक योजना, अभिशासन योजना आदि, के स्पष्ट वार्षिक लक्ष्यों और उनकी कार्रवाई योजनाओं की उत्कृष्ट संस्थाएं किस प्रकार स्थापित की जाएंगी, के साथ-साथ अभिनिर्धारणीय परिणामों एवं और ईईसी के समक्ष अपने दिए गए आवेदन और प्रस्तुतियों में यथा उल्लिखित एक उत्कृष्ट संस्था का दर्जा प्राप्त करने के लिए मानदंड को पूरा करने के आधार पर, उसे अनुशंसित और अनुमोदित किया है।

(घ) 11 संस्थाओं/प्रायोजक संगठनों ने ग्रीनफील्ड वर्ग के तहत उत्कृष्ट संस्था समवत विश्वविद्यालय टैग/दर्जे के लिए आवेदन किया गया था। जिनका विवरण निम्नानुसार है:-

(i) आचार्य संस्थान, बंगलौर; (ii) डीआईसीई ज्ञान फाउंडेशन, महाराष्ट्र; (iii) इंडियन इंस्टिट्यूट ऑफ ह्यूमन सेटलमेन्ट्स, बंगलौर, कर्नाटक (iv) इंडियन स्कूल ऑफ बिजनेस; हैदराबाद; (v) केआरईए विश्वविद्यालय (आईएफएमआर), चेन्नई, तमिलनाडु; (vi) महाराष्ट्र प्रौद्योगिकी संस्थान, पुणे; (vii) भारती (सत्य भारती फाउंडेशन), पंजाब; (viii) इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ पब्लिक हैल्थ, गांधीनगर, गुजरात; (ix) इंडस टेक्नोलॉजी विश्वविद्यालय, दिल्ली; (x) जियो संस्थान (रिलायंस फाउंडेशन इंस्टिट्यूशन ऑफ एजुकेशन एंड रिसर्च, महाराष्ट्र; और (xi) वेदांता विश्वविद्यालय, ओडिशा।

(ङ) केंद्रीय सरकार ने, ईईसी की रिपोर्ट और यूजीसी की सिफारिशों पर विचार करने और साथ ही यूजीसी विनियम की विभिन्न शर्तों को पूरा करने के बारे में विचार करने के पश्चात्, 3 सार्वजनिक संस्थाओं (आईआईएससी बंगलौर, आईआईटी दिल्ली और आईआईटी बॉम्बे) को आदेश जारी कर दिए हैं कि वे सरकार के साथ हस्ताक्षर करने के लिए समझौता ज्ञापन (एमओयू) का प्रारूप प्रस्तुत करें। इसके अतिरिक्त, 2 निजी संस्थाओं नामत: मणिपुर शिक्षा अकादमी, कर्नाटक और जियो संस्थान (रिलायंस फाउंडेशन इंस्टिट्यूशन ऑफ एजुकेशन एंड रिसर्च); महाराष्ट्र को इस शर्त के साथ आशय पत्र जारी किए गए हैं कि वे इस मंत्रालय को इस आशय पत्र के जारी होने के तीन वर्ष के भीतर उत्कृष्ट संस्था टैग के तहत शैक्षिक कार्यक्रम शुरू करने के लिए उनकी तत्परता को सूचित करते हुए रिपोर्ट प्रस्तुत करेंगे। तथापि, प्रस्तुत की जाने वाली उक्त तत्परता संबंधी रिपोर्ट का सत्यापन और अनुमोदन ईईसी तथा यूजीसी द्वारा निम्नलिखित शर्तों के अध्यधीन होगा:-

(i) संस्थाओं ने संस्था उत्कृष्ट विश्वविद्यालय के लिए एक पूर्णत: स्वतंत्र निधि स्थापित की हो।

(ii) संस्थाओं के पास अपने प्रायोजक संगठन से एक पूर्णत: स्वतंत्र अभिशासन संरचना उपलब्ध हो।

(iii) विद्यार्थियों की फीस से बोझ हटाने के लिए पूर्व छात्र दानकर्ताओं अथवा अन्य श्रोतों को शामिल करने के माध्यम से विविध पोर्टफोलियो (वर्ग) के द्वारा निधियन का एक तंत्र होगा।

(iv) अनुसंधान कार्यकलापों को जारी रखने के लिए साधन उपलब्ध करने के लिए एक तंत्र हो।

(v) संकाय विद्यार्थी अनुपात 1:20 से कम नहीं होगा (विनियमों में संकाय को परिभाषित किया गया है।)

(vi) संस्था के पास 60 करोड़ रु. की आरंभिक कायिक निधि होगी।

(vii) प्रायोजक संगठन के सदस्यों के पास मौजूदा संस्थाओं के लिए कम से कम 3000 करोड़ रु. और ग्रीनफील्ड संस्था के लिए 5000 करोड़ रु. की निवल संपत्ति हो।

(viii) प्रायोजक संगठन द्वारा अपनी विस्तृत पन्द्रह वर्षीय कार्यनीतिक भावी योजना और एक पंचवर्षीय रोलिंग कार्यान्वयन योजना आदि के स्पष्ट वार्षिक लक्ष्यों और उनकी कार्रवाई योजनाओं की किस प्रकार उत्कृष्ट सम-विश्वविद्यालयवत् संस्था स्थापित करने का प्रस्ताव है, वे साथ-साथ अभिनिर्धारणीय परिणामों एवं निष्कर्षों और ईईसी के समक्ष अपने दिए गए आवेदन और प्रस्तुतियों में यथा उल्लिखित एक उत्कृष्ट सम-विश्वविद्यालयवत् संस्था का दर्जा प्राप्त करने के लिए मानदंड को पूरा करने के लिए किस प्रकार की योजना है, के अनुसार शुरू की गई कार्रवाई।

अनुबंध

उत्कृष्ट संस्थाओं के लिए प्राप्त आवेदनों की सूची

क्र. सं.	संस्था का नाम	संस्था का प्रकार (सरकारी/निजी)
1	2	3
1.	अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय, उत्तर प्रदेश	सरकारी (केंद्रीय)
2.	बनारस हिंदू विश्वविद्यालय, उत्तर प्रदेश	सरकारी (केंद्रीय)
3.	राजस्थान केंद्रीय विश्वविद्यालय, राजस्थान	सरकारी (केंद्रीय)
4.	दिल्ली विश्वविद्यालय, दिल्ली	सरकारी (केंद्रीय)
5.	डॉ. हरि सिंह गौड़ केंद्रीय विश्वविद्यालय, सागर, मध्य प्रदेश	सरकारी (केंद्रीय)
6.	हैदराबाद विश्वविद्यालय, तेलंगाना	सरकारी (केंद्रीय)
7.	जामिया मिलिया इस्लामिया, नई दिल्ली	सरकारी (केंद्रीय)
8.	जवाहर लाल नेहरू विश्वविद्यालय, दिल्ली	सरकारी (केंद्रीय)
9.	पांडिचेरी विश्वविद्यालय, पुदुचेरी	सरकारी (केंद्रीय)
10.	तेजपुर विश्वविद्यालय, असम	सरकारी (केंद्रीय)
11.	विश्व भारतीय विश्वविद्यालय, पश्चिम बंगाल	सरकारी (केंद्रीय)
12.	गांधीग्राम ग्रामीण संस्थान, तमिलनाडु	सरकारी (केंद्रीय)
13.	इंडियन एग्रीकल्चर रिसर्च इंस्टिट्यूट, दिल्ली	सरकारी (केंद्रीय)
14.	इंडियन इंस्टिट्यूट ऑफ साइंस, बंगलौर	सरकारी (केंद्रीय)
15.	जवाहरलाल नेहरू सेंटर फॉर एडवांस्ड साइंटिफिक रिसर्च, बंगलौर	सरकारी (केंद्रीय)
16.	टाटा इंस्टिट्यूट ऑफ फंडामेंटल रिसर्च, मुंबई	सरकारी (केंद्रीय)
17.	डॉ. बी.आर. अम्बेडकर राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी संस्थान, जालंधर, पंजाब	सरकारी (केंद्रीय)
18.	आईआईएम अहमदाबाद	सरकारी (केंद्रीय)
19.	आईआईएम बंगलौर	सरकारी (केंद्रीय)
20.	आईआईएम कोलकाता	सरकारी (केंद्रीय)
21.	आईआईएसईआर कोलकाता	सरकारी (केंद्रीय)
22.	आईआईएसईआर पुणे	सरकारी (केंद्रीय)
23.	आईआईटी भुवनेश्वर	सरकारी (केंद्रीय)

1	2	3
24.	आईआईटी बॉम्बे	सरकारी (केंद्रीय)
25.	आईआईटी दिल्ली	सरकारी (केंद्रीय)
26.	आईआईटी गांधीनगर, गुजरात	सरकारी (केंद्रीय)
27.	आईआईटी गुवाहाटी	सरकारी (केंद्रीय)
28.	आईआईटी हैदराबाद	सरकारी (केंद्रीय)
29.	आईआईटी इंदौर	सरकारी (केंद्रीय)
30.	आईआईटी कानपुर	सरकारी (केंद्रीय)
31.	आईआईटी खड़गपुर	सरकारी (केंद्रीय)
32.	आईआईटी मद्रास	सरकारी (केंद्रीय)
33.	आईआईटी रुड़की	सरकारी (केंद्रीय)
34.	आईआईटी रोपर, पंजाब	सरकारी (केंद्रीय)
35.	इंडियन इंस्टिट्यूट ऑफ इंजीनियरिंग साइंस एंड रिसर्च, शिवपुर, पश्चिम बंगाल	सरकारी (केंद्रीय)
36.	भारतीय सांख्यिकीय संस्थान, कोलकाता	सरकारी (केंद्रीय)
37.	मालवीय नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी, जयपुर, राजस्थान	सरकारी (केंद्रीय)
38.	एनआईटी कालीकट	सरकारी (केंद्रीय)
39.	एनआईटी कुरुक्षेत्र	सरकारी (केंद्रीय)
40.	एनआईटी राउरकेला	सरकारी (केंद्रीय)
41.	एनआईटी तिरुचिरापल्ली	सरकारी (केंद्रीय)
42.	एनआईटीके सूरतकल मैंगलोर, कर्नाटक	सरकारी (केंद्रीय)
43.	वीएनआईटी नागपुर	सरकारी (केंद्रीय)
44.	नेशनल रेल एंड ट्रांसपोर्टेशन इंस्टीट्यूट, वड़ौदरा	सरकारी (केंद्रीय)
45.	रासायनिक प्रौद्योगिकी संस्थान, मुंबई	सरकारी (राज्य)
46.	कॉलेज ऑफ इंजीनियरिंग पुणे	सरकारी (राज्य)
47.	मौलाना आजाद इंस्टीट्यूट ऑफ डेंटल साइंस, दिल्ली	सरकारी (राज्य)
48.	अलागप्पा विश्वविद्यालय, तमिलनाडु	सरकारी (राज्य)
49.	आनंद कृषि विश्वविद्यालय, आनंद, गुजरात	सरकारी (राज्य)
50.	आंध्र यूनिवर्सिटी, विशाखापत्तनम	सरकारी (राज्य)

1	2	3
51.	अन्ना विश्वविद्यालय, चेन्नई	सरकारी (राज्य)
52.	भारथिअर यूनिवर्सिटी, कोयंबटूर	सरकारी (राज्य)
53.	कोचीन विश्वविद्यालय विज्ञान और प्रौद्योगिकी, केरल	सरकारी (राज्य)
54.	गोवा विश्वविद्यालय, गोवा	सरकारी (राज्य)
55.	गुरु जंबेश्वर यूनिवर्सिटी साइंस एंड टेक्नोलॉजी, हिसार, हरियाणा	सरकारी (राज्य)
56.	गुरु नानक देव विश्वविद्यालय, अमृतसर, पंजाब	सरकारी (राज्य)
57.	गुवाहाटी विश्वविद्यालय, असम	सरकारी (राज्य)
58.	जादवपुर विश्वविद्यालय, कोलकाता	सरकारी (राज्य)
59.	किंग जॉर्ज मेडिकल यूनिवर्सिटी, लखनऊ	सरकारी (राज्य)
60.	महार्षि दयानंद विश्वविद्यालय, रोहतक	सरकारी (राज्य)
61.	उस्मानिया विश्वविद्यालय, तेलंगाना	सरकारी (राज्य)
62.	पंजाब विश्वविद्यालय, चंडीगढ़	सरकारी (राज्य)
63.	पेरियार विश्वविद्यालय, तमिलनाडु	सरकारी (राज्य)
64.	पंडित रविशंकर शुक्ला विश्वविद्यालय, रायपुर, छत्तीसगढ़	सरकारी (राज्य)
65.	पंजाब कृषि विश्वविद्यालय, पंजाब	सरकारी (राज्य)
66.	संजय गांधी पीजीआईएमएस, लखनऊ	सरकारी (राज्य)
67.	सावित्री फुले पुणे यूनिवर्सिटी, महाराष्ट्र	सरकारी (राज्य)
68.	शिवाजी विश्वविद्यालय, महाराष्ट्र	सरकारी (राज्य)
69.	श्री वेंकटेश्वर विश्वविद्यालय, तिरुपति, आंध्र प्रदेश	सरकारी (राज्य)
70.	तमिलनाडु कृषि विश्वविद्यालय, कोयंबटूर, तमिलनाडु	सरकारी (राज्य)
71.	कलकत्ता विश्वविद्यालय, पश्चिम बंगाल	सरकारी (राज्य)
72.	केरल विश्वविद्यालय, तिरुवनंतपुरम, केरल	सरकारी (राज्य)
73.	मद्रास विश्वविद्यालय, तमिलनाडु	सरकारी (राज्य)
74.	मैसूर विश्वविद्यालय, कर्नाटक	सरकारी (राज्य)
75.	अमृता विश्व विद्यापीठम, बंगलौर	निजी
76.	भारथ इंस्टीट्यूट ऑफ हायर एजुकेशन एंड रिसर्च, चेन्नई, तमिलनाडु	निजी
77.	बिरला इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी एंड साइंस (बीआईटीएस), पिलानी, राजस्थान	निजी

1	2	3
78.	चेतनाद एकेडमी ऑफ रिसर्च एंड एजुकेशन, तमिलनाडु	निजी
79.	दयालबाग एजुकेशन इंस्टीट्यूट, आगरा	निजी
80.	गांधी प्रौद्योगिकी और प्रबंधन संस्थान, विशाखापट्टनम, आंध्र प्रदेश	निजी
81.	जगद्गुरु श्री शिवराथेश्वर विश्वविद्यालय, मैसूर, कर्नाटक	निजी
82.	जामिया हमदर्द, नई दिल्ली	निजी
83.	कलासलिंगम एकेडमी ऑफ रिसर्च एंड हायर एजुकेशन, तमिलनाडु	निजी
84.	कलिंगा इंस्टीट्यूट इंडस्ट्रियल टेक्नोलॉजी, भुवनेश्वर	निजी
85.	केएलई अकादमी ऑफ हायर एजूकेशन एंड रिसर्च, बेलगांव, कर्नाटक	निजी
86.	मणिपाल अकादमी ऑफ हायर एजुकेशन, कर्नाटक	निजी
87.	नारसी मोंगी इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट एंड स्टडीज, मुंबई, महाराष्ट्र	निजी
88.	शिक्षा ओ अनुसंधान, ओडिशा	निजी
89.	श्री रामचंद्र मेडिकल कॉलेज एंड रिसर्च इंस्टीट्यूट, चेन्नई, तमिलनाडु	निजी
90.	एसआरएम इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस एंड टैक्नोलॉजी, तमिलनाडु	निजी
91.	टाटा इंस्टीट्यूट ऑफ सोशल साइंस, मुंबई	निजी
92.	थापर इंस्टीट्यूट ऑफ इंजीनियरिंग एंड टैक्नोलॉजी, पटियाला, पंजाब	निजी
93.	वेल्स इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस टैक्नोलॉजी एंड एडवांस्ड स्टडीज, चेन्नई, तमिलनाडु	निजी
94.	वीआईटी वेल्लोर, तमिलनाडु	निजी
95.	अहमदाबाद विश्वविद्यालय, अहमदाबाद	निजी
96.	अनंत राष्ट्रीय विश्वविद्यालय, अहमदाबाद	निजी
97.	अशोक विश्वविद्यालय, सोनीपत, हरियाणा	निजी
98.	अजीम प्रेमजी विश्वविद्यालय, बंगलौर	निजी
99.	फ्लेम विश्वविद्यालय, पुणे, महाराष्ट्र	निजी
100.	निरमा विश्वविद्यालय, गुजरात	निजी
101.	ओ.पी. जिंदल विश्वविद्यालय, हरियाणा	निजी
102.	पंडित दीन दयाल पेट्रोलियम विश्वविद्यालय, गांधीनगर, गुजरात	निजी
103.	शिव नाडार विश्वविद्यालय, उत्तर प्रदेश	निजी
104.	आचार्य संस्थान, बंगलौर, कर्नाटक	निजी-ग्रीनफील्ड

1	2	3
105.	डीआईसीई नॉलेज फाउंडेशन, महाराष्ट्र	निजी-ग्रीनफील्ड
106.	आईआईएचएस (इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ ह्यूमन सेटलमेंट), बंगलौर, कर्नाटक	निजी-ग्रीनफील्ड
107.	इंडियन स्कूल ऑफ बिजनस, हैदराबाद	निजी-ग्रीनफील्ड
108.	केआरईए विश्वविद्यालय (आईएफएमआर), चेन्नई, तमिलनाडु	निजी-ग्रीनफील्ड
109.	महाराष्ट्र इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी, पुणे	निजी-ग्रीनफील्ड
110.	भारती (सत्य भारती फाउंडेशन), पंजाब	निजी-ग्रीनफील्ड
111.	इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ पब्लिक हेल्थ, गांधीनगर	निजी-ग्रीनफील्ड
112.	इंडस टेक्नोलॉजी यूनिवर्सिटी, दिल्ली	निजी-ग्रीनफील्ड
113.	रिलायंस फाउंडेशन इंस्टीट्यूट एंड रिसर्च, महाराष्ट्र	निजी-ग्रीनफील्ड
114.	वेदांत विश्वविद्यालय, ओडिशा	निजी-ग्रीनफील्ड

[अनुवाद]

श्री प्रसून बनर्जी: अध्यक्ष महोदया, धन्यवाद। मुझे काफी लंबे समय के बाद बोलने का अवसर मिल रहा है।

यह छोटा सा प्रश्न मंत्री जी से सर्वोत्कृष्ट संस्थानों (आईओई) का टैग/दर्जा प्रदान करने में विचरित/अपनाए गए मानदण्डों के संबंध में है। मेरा सवाल यह था कि क्या कुछ संस्थान जिन्हें अभी तक स्थापित नहीं किया गया है, उन्हें सर्वोत्कृष्ट संस्थान का टैग/दर्जा दे दिया गया है, यदि हां, तो इन संस्थानों के नाम सहित उनका विवरण और तत्संबंधी कारण, ग्रीन फील्ड श्रेणी के अंतर्गत आवेदन करने वाले आवेदकों/संस्थानों के नाम एवं निजी एवं सरकारी क्षेत्र के संस्थानों का विवरण जिन्हें आज की तारीख में लागू शर्तों के साथ सर्वोत्कृष्ट संस्थान (आईओई) का दर्जा प्रदान किया गया है, दें।

श्री प्रकाश जावड़ेकर: प्रमुख सूचना एवं सूची उत्तर में दी गई है किंतु मुझे दोहराने दें कि 114 आवेदन प्राप्त हुए थे, 74 सार्वजनिक संस्थानों से जोकि केन्द्र द्वारा वित्तपोषित संस्थान हैं, केन्द्रीय विश्वविद्यालयों, राज्यों की सरकारी विश्वविद्यालय एवं केन्द्र पोषित मानद विश्वविद्यालय एवं 29 निजी विश्वविद्यालय एवं ग्रीन फील्ड श्रेणी के 11 विश्वविद्यालय जो अस्तित्व में नहीं थे किंतु जिनके पास शिक्षा एवं बेहतर शिक्षा में बड़ा निवेश करने की योजना थी।

श्री गोपालस्वामी की अध्यक्षता में गठित समिति में डॉ. तरुण खन्ना, यूनिवर्सिटी हार्वर्ड, डॉ. रेनू खतोर, ह्यूस्टन यूनिवर्सिटी एवं डॉ. प्रीतम सिंह, भारतीय प्रबंध संस्थान, लखनऊ के पूर्व निदेशक शामिल थे। उन्होंने सभी संस्थानों से अभ्यावेदन लिए थे। मानदण्ड में 15 वर्ष का विजन और 5 वर्ष की कार्यान्वयन योजना दी गई थी। कार्यान्वयन योजना में शैक्षिक योजना, भर्ती योजना, अनुसंधान योजना, प्रशासनिक योजना, अवसंरचना संबंधी योजना, सहभागिता योजना, वित्त योजना, शासी संबंधी योजना, प्रति वर्ष योजना का लाभ एवं स्पष्ट वार्षिक लक्ष्य एवं कार्य योजना शामिल है। इसलिए समिति द्वारा इन सभी पहलुओं पर व्यापक रूप से विचार किया गया। सरकार ने इससे दूरी बनाए रखी क्योंकि यह एक अधिकार प्राप्त समिति थी।

मैं पुन: स्पष्ट करना चाहता हूं कि किसी भी ग्रीनफील्ड विश्वविद्यालय को, जो कि अस्तित्व में नहीं है, किंतु भविष्य में आने की योजना है, को सर्वोत्कृष्ट संस्थान का दर्जा दिया गया है। उन्हें तीन वर्ष तक क्या करना चाहिए, इस प्रक्रिया को पूरा करने के लिए स्पष्ट दिशानिर्देश के साथ आशय पत्र जारी किया गया है और सत्यापन एवं निरीक्षण करने के बाद ही उन्हें इसका दर्जा दिया जाएगा।

[हिन्दी]

श्री प्रसून बनर्जी: माननीय अध्यक्ष जी, एम्पावर्ड एक्सपर्ट कमेटी बनी है, यह बेंगलुरू, दिल्ली और मुम्बई में है। पश्चिम

बंगाल में द ग्रेट चीफ मिनिस्टर ममता जी एजुकेशन के लिए सोचती हैं।

मैं जानना चाहता हूं कोलकाता में कब ईईसी यानी एम्पावर्ड एक्सपर्ट कमेटी आएगी?

[अनुवाद]

श्री प्रकाश जावड़ेकर: एक अधिकार प्राप्त समिति ने सभी 114 आवेदनों का संज्ञान लिया है जिसमें पश्चिम बंगाल से प्राप्त आवेदन भी शामिल हैं। यह इस कहानी का अंत नहीं है। मुझे लगता है कि वे इस प्रक्रिया को आगे बढ़ाने के बारे में फैसला लेंगे। आज, केवल 6 संस्थान, तीन सार्वजनिक संस्थानों–भारतीय विज्ञान संस्थान, बंगलुरु, भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान, मुंबई एवं भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान, दिल्ली को सर्वोत्कृष्ट संस्थान के रूप में अधिसूचित किया गया है...*(व्यवधान)*

श्री सुदीप बंधोपाध्याय: आप भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान, खड़गपुर को भूल गए हैं...*(व्यवधान)*

माननीय अध्यक्ष: आपको इस तरह नहीं बोलना चाहिए।

...*(व्यवधान)*

श्री प्रकाश जावड़ेकर: भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान, खड़गपुर एक बहुत अच्छा संस्थान है। अधिकार प्राप्त समिति निश्चित रूप से इस मामले में ध्यान देगी।

प्रो. सौगत राय: महोदया, सर्वोत्कृष्ट संस्थान का आइडिया अच्छा है क्योंकि हमारे पूर्व राष्ट्रपति श्री प्रणव मुखर्जी एवं पूर्व प्रधानमंत्री डॉ. मनमोहन सिंह अकसर कहते थे कि विश्व के प्रथम 200 विश्वविद्यालयों में भारत का एक भी विश्वविद्यालय एवं प्रौद्योगिकी संस्थान नहीं आता है। इसलिए हमें विश्व के दो सौ संस्थानों के बीच उन्हें लाने के लिए कुछ प्रयास अवश्य करने चाहिए।

मैं यह उल्लेख करना चाहता हूं कि बड़े संस्थान केवल पैसे और बुनियादी ढांचे के बल पर नहीं बनाए जाते हैं। प्रोफेसर रमन ने कोलकाता की जीर्ण-शीर्ण प्रयोगशाला में कार्य करते हुए नोबल पुरस्कार प्राप्त किया। प्रोफेसर साहा एवं प्रोफेसर बोस ने वहां से कार्य करते हुए अंतर्राष्ट्रीय ख्याति प्राप्त की। इसलिए मुख्य बात, विदेश से प्रतिभा को आकर्षित करना है। हरगोबिंद खुराना एवं प्रोफेसर ऐसे दो भारतीय हैं जिन्होंने विदेश से कार्य करके नोबल पुरस्कार प्राप्त किए। अब सवाल यह है कि इन प्रतिष्ठित लोगों को विदेश से कैसे वापस बुलाया जाए।

दुर्भाग्यवश पिछले कुछ वर्षों में भारत सरकार के लिए काम करने आए डॉ. रघुराम राजन, प्रो. अरविंद पनगड़िया एवं प्रो. अरविंद सुब्रमण्यम जैसे अच्छे प्रोफेसरों ने भारत सरकार की सेवाएं छोड़ दी हैं। अतः इस सरकार के समय अभी भी प्रतिभा का पलायन जारी है।

मंत्री जी ने हमें विस्तार से बताया कि किस प्रकार पूरी सूची बनाई गई। आपके पास हार्वर्ड बिजनस स्कूल से एक प्रोफेसर थे। मुझे नहीं पता कि क्यों किसी व्यापारिक घराने के साथ पक्षपात किया गया अथवा उन्हें क्यों नहीं चुना गया। मैं कहना चाहता हूं कि रिलायंस समूह से संबंधित जियो को शामिल करके चयन की पूरी प्रक्रिया की विश्वसनीयता को भ्रष्ट कर दिया गया है। मैं माननीय मंत्री जी से विशेष रूप से दो प्रश्न पूछना चाहता हूं।

मैं सुधार लाने में माननीय मंत्री जी के प्रयास की सराहना करता हूं। भारतीय विश्वविद्यालयों या प्रौद्योगिकी के संस्थानों में काम करने के लिए विदेशों में काम कर रहे सर्वश्रेष्ठ भारतीय प्रोफेसरों को लाने के लिए सरकार द्वारा क्या कदम उठाए जा रहे हैं? और रिलायंस से संबंधित जियो को आशय का पत्र देने की व्यापक आलोचना के बावजूद, जबकि यह कोई संस्थान नहीं है, यह केवल कागजों पर है, और शैक्षिक एवं राजनीतिक क्षेत्रों में इसकी व्यापक आलोचना की गई है। कि क्या मंत्री जी जियो संस्थान को आशय का पत्र देने के निर्णय पर पुनर्विचार करेंगे?

श्री प्रकाश जावड़ेकर: प्रो. सौगत रॉय ने ठीक ही कहा है कि प्रतिष्ठा श्रेष्ठ प्रोफेसरों से आती है और यह केवल बेहतर बुनियादी ढांचे से नहीं आती है। इसलिए हम उन प्रतिष्ठित लोगों को वापस कैसे ला सकते हैं जो विदेश में पढ़ा रहे हैं और वहां से पीएचडी कर रहे हैं? अब भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान एवं अन्य संस्थान उन छात्रों का पता लगा रहे हैं जो पीएचडी के तीसरे वर्ष में हैं। अतः हम एनआरआई और ओसीआई छात्रों को किस प्रकार वापस ला सकते हैं जो पीएचडी कर रहे हैं। पिछले माह जब मैं भारतीय विज्ञान शिक्षा एवं अनुसंधान (आईआईएसईआर), पुणे गया, मैं बहुत प्रसन्न था। मैंने वहां 12 युवाओं को देखा जो पीएचडी करने के बाद स्वेच्छा से विदेश से वापस आए थे, उनमें से कुछ वहां पढ़ा रहे थे, उनमें से कुछ एमएनसी में अच्छी नौकरियां कर रहे थे और उनमें से कुछ को बहुराष्ट्रीय कंपनियों से अच्छे प्रस्ताव मिल रहे थे। किंतु, इसके बावजूद, ऐसे लोग यहां आ रहे हैं क्योंकि वे अपने देश की सेवा करना चाहते हैं। आगे और भी ऐसे लोग आएंगे।

आपने तीन लोगों के बारे में जिक्र किया है। ये तीनों इन संस्थानों से पुनग्रहणाधिकार पर तीन वर्ष के लिए यहां आए थे। इसलिए यह उनका व्यक्तिगत निर्णय था। मैं यह नहीं कहता हूं कि यह प्रतिभा-पलायन का विषय है। मैं कहना चाहूंगा कि तीन वर्ष से यह प्रतिभा-लाभ का प्रश्न आ रहा है।

जहां तक जियो संस्थान का संबंध है, मुझे यह स्पष्ट करने दें कि सरकार का इससे कोई लेना-देना नहीं है। यह अधिकार प्राप्त समिति का सुझाव था। श्री एन. गोपालस्वामी का बयान रिकॉर्ड में है...*(व्यवधान)* ग्रीन फील्ड श्रेणी के अंतर्गत चयनित किए गए 11 संस्थानों में से केवल एक की सिफारिश की गई है...*(व्यवधान)* इसलिए विषय बहुत स्पष्ट है। सरकार केवल सार्वजनिक संस्थानों अर्थात भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थानों एवं भारतीय विज्ञान संस्थानों को 1000 करोड़ रुपए दे रही है। निजी संस्थानों को एक पैसा भी नहीं दिया गया है। सरकार द्वारा इस संस्थान को आशय पत्र जारी किया गया है जिसके तहत संस्थान को तीन वर्ष के भीतर स्थापित किया जाना चाहिए। केवल तभी, सरकार इसे अनुदान देगी अन्यथा इस संस्थान को अनुदान नहीं दिया जाएगा।

[हिन्दी]

डॉ. किरिट पी. सोलंकी: अध्यक्ष महोदया, मंत्री जी ने इंस्टीट्यूट्स ऑफ एमिनेंस का जवाब देते हुए बहुत विस्तार से जवाब दिया है। मैं नरेन्द्र मोदी जी की सरकार और मंत्री जी को बधाई देता हूं कि देश में जो इंस्टीट्यूट्स ऑफ एमिनेंस बने हैं और इसके लिए इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस, आईआईटी दिल्ली और आईआईटी, मुम्बई को चिन्हित किया है। इसके अलावा तीन और इंस्टीट्यूट्स प्राइवेट सेक्टर के हैं। मैं आपसे जानना चाहता हूं कि जो लोग गरीब तबके के हैं शिड्यूल कास्ट्स, शिड्यूल ट्राइब्स और ओबीसी के लोग हैं, क्या उनके लिए उस इंस्टीट्यूट में आरक्षण रहेगा? आरक्षण एक अवसर होता है। अगर उनको ऐसे इंस्टीट्यूट्स में अवसर नहीं मिलेगा, तो वे बहुत ही पीछे रह जाएंगे। क्या मंत्री जी बताएंगे कि उनके लिए आरक्षण का प्रावधान रहेगा या नहीं?

श्री प्रकाश जावड़ेकर: अध्यक्ष महोदया, सस्ती शिक्षा भी मिले और सबको अवसर मिले, इसके लिए ज्यादा-से-ज्यादा नई यूनिवर्सिटिज तैयार हों, यही कल्पना है। ये जितनी अच्छी यूनिवर्सिटिज होती हैं, वहां सोशल जस्टिस का निश्चित रूप से पालन होगा, यह हमने पहले ही उनको बताया है।

सामाजिक सुरक्षा संबंधी योजनाएं

***165. श्री राम चरित्र निषाद:** क्या **श्रम और रोजगार मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या समूचे देश में 15,000 रुपये तक का मूल पारिश्रमिक पाने वाले 20 अथवा उससे अधिक कर्मचारियों वाले समस्त प्रतिष्ठानों को कर्मचारी भविष्य निधि संगठन (ईपीएफओ) द्वारा चलाई जा रही सामाजिक सुरक्षा संबंधी योजनाओं के अंतर्गत अनिवार्यत: सम्मिलित किये जाने की आवश्यकता है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या ईपीएफओ देश में संगठित/अर्ध-संगठित क्षेत्र में कामगारों की सामाजिक सुरक्षा संबंधी धनराशि का प्रबंधन करता है तथा इसके 6 करोड़ से अधिक सक्रिय सदस्य हैं; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

श्रम और रोजगार मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री संतोष कुमार गंगवार): (क) से (घ) एक विवरण सभा पटल पर रख दिया गया है।

विवरण

(क) और (ख) कर्मचारी भविष्य निधि संगठन (ईपीएफओ) कर्मचारी भविष्य निधि एवं प्रकीर्ण उपबंध (ईपीएफ एण्ड एमपी) अधिनियम, 1952 के अंतर्गत निर्मित सामाजिक सुरक्षा योजनाओं को प्रशासित करता है। ईपीएफ एण्ड एमपी अधिनियम, 1952 के उपबंध निम्नलिखित पर अनिवार्य रूप से लागू होते हैं:–

(i) प्रत्येक प्रतिष्ठान, जो अधिनियम की अनुसूची-I में विनिर्दिष्ट किसी उद्योग में लगा हुआ कारखाना है तथा जिसमें बीस अथवा उससे अधिक व्यक्ति नियोजित हैं; और

(ii) बीस अथवा उससे अधिक व्यक्तियों को नियोजित करने वाला अन्य कोई प्रतिष्ठान अथवा केन्द्र सरकार द्वारा सरकारी राजपत्र में यथा अधिसूचित ऐसे प्रतिष्ठानों की श्रेणी।

31.03.2018 की स्थिति के अनुसार ईपीएफ एण्ड एमपी अधिनियम, 1952 के अंतर्गत पंजीकृत 5,79,120 अंशदाता प्रतिष्ठान हैं। कवर किए गए प्रतिष्ठानों में कार्यरत कर्मचारी जिनका वेतन प्रतिमाह 15000/-रुपये तक है, उन्हें भविष्य निधि (पीएफ) सदस्यों के रूप में अनिवार्य रूप से नामांकित करना अपेक्षित होता है।

(ग) और (घ) वित्तीय वर्ष 2017-18 के दौरान, ईपीएफ एण्ड एमपी अधिनियम, 1952 के अंतर्गत कवर प्रतिष्ठानों ने 6.23 करोड़ सदस्य खातों में अंशदान जमा किया।

[हिन्दी]

श्री राम चरित्र निषाद: अध्यक्ष महोदया, मैं माननीय मंत्री जी को जवाब देने के लिए बधाई देता हूं। मैं आपके माध्यम से माननीय मंत्री जी से जानना चाहता हूं कि आज अनौपचारिक कर्मचारियों की संख्या पूरे देश में लगभग 50 करोड़ है। ये लोग ईपीएफ और ईएसआई से वंचित रह जाते हैं। अनौपचारिक कर्मचारी होने के नाते ये लोग तमाम योजनाओं से वंचित रह जाते हैं। मैं माननीय मंत्री जी से जानना चाहता हूं कि आने वाले दिनों में इन लोगों को सोशल सिक्योरिटी के दायरे में लाने के लिए क्या सरकार की कोई योजना है?

श्री संतोष कुमार गंगवार: मैं माननीय सदस्य जी को धन्यवाद दूंगा कि उन्होंने बहुत ही महत्वपूर्ण बात सदन के सामने प्रस्तुत की है। मैं यह बताना चाहूंगा कि प्रोविडेंट फंड के सदस्यों की संख्या का ग्रोथ रेट लगातार बढ़ रहा है। इस समय ग्रोथ रेट साढ़े नौ परसेंट से दस परसेंट के बीच में है। पिछले एक वर्ष में लगभग एक करोड़ सदस्य ईपीएफओ से जुड़े हैं। यह बात अपने आप में दुरुस्त है कि 40 करोड़ से अधिक वे असंगठित कर्मचारी हैं, जिनको ये सुविधाएं नहीं मिल रही हैं।

मध्याह्न 12.00 बजे

महोदया, हमारी सरकार और आदरणीय प्रधानमंत्री जी पूरी तरह से चिन्तित हैं कि कैसे इनको सामाजिक सुरक्षा के दायरे में लाया जाए। हम इस सन्दर्भ में लगातार बैठकें कर रहे हैं और इसके बारे में कई विषयों पर चर्चा भी कर चुके हैं। मैं बताना चाहूंगा कि सरकार बहुत जल्दी ही ऐसी जानकारी सदन को देगी और हम निर्णय लेंगे कि कैसे इन 40 करोड़ लोगों को सुरक्षा के दायरे में लाएं ताकि इनको सारी सुरक्षा मिल सके, परन्तु संगठित कर्मचारियों की संख्या भी लगातार बढ़ रही है। इस समय यह संख्या साढ़े छ: करोड़ के आस-पास है।

श्री राम चरित्र निषाद: महोदया, मैं घरेलू मजदूरों के बारे में मंत्री जी से एक प्रश्न पूछना चाहता हूं। आज घरेलू मजदूरों को कोई प्रशिक्षण नहीं दिया जाता है, उनकी कोई समय-सीमा नहीं है, उनका कोई वेतन निर्धारित नहीं होता है। मैं माननीय मंत्री जी से जानना चाहता हूं कि क्या सरकार आने वाले दिनों में राष्ट्रीय स्तर पर, उनके जीवन स्तर को उठाने के लिए कोई योजना ला रही है?

श्री संतोष कुमार गंगवार: महोदया, मैं माननीय सदस्य की बात से सहमत हूं। असंगठित क्षेत्र में काम करने वाले कर्मचारियों की संख्या 40 करोड़ से अधिक है। घरेलू कर्मचारियों की सेवा शर्तें एवं बाकी सारी सुविधाएं, खासकर महिला कर्मचारियों को अत्यधिक असुविधा का सामना करना पड़ता है। सरकार इस बारे में पूरी तरह से चिन्तित है और हम लगातार इस सन्दर्भ में बैठकें कर रहे हैं। अगर माननीय सदस्य भी इस सन्दर्भ में कोई सुझाव देना चाहें तो उनका स्वागत है। हम बहुत जल्द ही इस बारे में अंतिम निर्णय लेने जा रहे हैं।

प्रश्नों के लिखित उत्तर

[अनुवाद]

मत्स्य और मत्स्य उत्पादों में फोरमालिन का इस्तेमाल

***141. श्री एंटो एंटोनी:**
श्री के.सी. वेणुगोपाल:

क्या **स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार ने देश के विभिन्न भागों से आई रिपोर्ट की ओर ध्यान दिया है कि देश में मत्स्य और मत्स्य उत्पादों में फोरमालिन जैसे जहरीले परिरक्षकों का इस्तेमाल किया जा रहा है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और सरकार द्वारा मत्स्य और मत्स्य उत्पादों में फोरमालिन एवं अन्य जहरीले परिरक्षकों के इस्तेमाल को रोकने के लिये क्या कार्रवाई की गई है;

(ग) क्या खाद्य उत्पादों में फोरमालिन के इस्तेमाल से कैंसर हो सकता है और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(घ) क्या सरकार का मत्स्य और अन्य उपभोज्य पदार्थों में ऐसे खतरनाक जहरीले तत्वों के होने का पता लगाने के लिये जनता के उपयोगार्थ कम कीमत वाला डिटेक्टर्स उपलब्ध कराने का विचार है और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री (श्री जगत प्रकाश नड्डा): (क) और (ख) देश में मत्स्य और मत्स्य उत्पादों में फॉर्मालिन के उपयोग की रिपोर्ट भारतीय खाद्य सुरक्षा और मानक प्राधिकरण (एफएसएसएआई) के नोटिस में आई है। एफएसएस अधिनियम, 2006 के नियमों और इसके तहत निर्मित विनियमों का प्रवर्तन मुख्य रूप से राज्यों/केंद्रशासित प्रदेशों के कार्य क्षेत्र में आता है। खाद्य सुरक्षा और मानक (एफएसएस) अधिनियम, 2006 में

किसी भी खाद्य उत्पादों में परिरक्षक और/या योजक सहित किसी भी रूप में फार्माल्डेहाइड या फॉर्मालिन के उपयोग की अनुमति नहीं दी गई है। आम तौर पर, फार्माल्डेहाइड प्राकृतिक रूप से मछलियों (जैसे मैकेरल, बॉम्बे डक इत्यादि) और शेलफिश (श्रिम्प्स और खारे पानी के झींगे) में मौजूद होता है और यह बहुत ही कम (<4 मिलीग्राम प्रति किलो) होता है या ताजे पानी की मछली में नहीं होता है। किसी भी ताजे पानी की मछली का पॉजिटिव परीक्षण, या तो तेजी से परीक्षण के माध्यम से या प्रयोगशाला विश्लेषण के माध्यम से जोड़े गए फॉर्मालिन का संकेत देता है। हालांकि, ताजे पानी की मछली में फॉर्मालिन की घटना निषिद्ध पदार्थों के अवैध उपयोग के कारण से होती है जो उपभोक्ता की सुरक्षा को प्रभावित करती है और इस पर कानूनी कार्रवाई की जा सकती है।

एफएसएसएआई ने, केंद्रीय मत्स्य प्रौद्योगिकी संस्थान (सीआईएफटी), कोच्चि के परामर्श से, एक मार्गदर्शन दस्तावेज तैयार किया है और इसे सभी राज्यों को जारी किया है। इसे आम जनता के लाभ के लिए एफएसएसएआई की वेबसाइट पर भी रखा गया है। सुरक्षित और स्वास्थ्यवर्धक भोजन की उपलब्धता सुनिश्चित करने के लिए संबंधित राज्यों/केंद्रशासित प्रदेशों के खाद्य सुरक्षा विभागों के अधिकारियों द्वारा नियमित निगरानी, मॉनिटरिंग, निरीक्षण और खाद्य उत्पादों के यादृच्छिक नमूने के जरिए यह जांच की जाती है कि वे एफएसएस अधिनियम और नियम, इसके तहत निर्मित नियमों के तहत निर्धारित मानकों का अनुपालन करते हैं। ऐसे मामलों में जहां खाद्य नमूनों को गैर-अनुरूप पाया जाता है, एफएसएस अधिनियम, 2006 के अध्याय IX के तहत दंड के प्रावधानों का सहारा लिया जाता है। राज्यों/केंद्रशासित प्रदेशों से प्राप्त रिपोर्ट के अनुसार, अभी तक लिए गए मछली के नमूने और गैर-अनुरूप पाए गए नमूने निम्नानुसार हैं:–

निरीक्षित मछली बाजरों की संख्या	मछली के लिए गए नमूनों की संख्या	अनुरूप पाए गए नमूनों की संख्या	गैर-अनुरूप पाए गए नमूनों की संख्या
386	689	533	75*

*गैर-अनुरूप नमूने दर्शाता है। 75 गैर-अनुरूप नमूनों में से नागालैंड से 58, असम से 1, मेघालय से 12, केरल से 3 और पंजाब से 1.

(ग) डब्ल्यूएचओ की अंतर्राष्ट्रीय कैंसर अनुसंधान एजेंसी (आईएआरसी) फार्माल्डेहाइड को "मानवों के लिए कैंसरजन्य" के रूप में वर्गीकृत करती है, जिसमें पेशेवर जोखिम के साथ मनुष्यों में नासोफैरेनजील कैंसर पैदा करने के पर्याप्त प्रमाण हैं। तथापि, डब्ल्यूएचओ ने संकेत दिया है कि फॉर्मल्डेहाइड इंजेशन मार्ग के माध्यम से कैंसरजन्य नहीं था। हालांकि, इसके अन्य दुष्प्रभाव हैं। जबकि फॉर्मल्डेहाइड की थोड़ी मात्रा में इंजेशन से तीव्र प्रभाव का कारण बनने की संभावना नहीं है, लेकिन बड़ी मात्रा में फॉर्मल्डेहाइड के इंजेशन से आम तौर पर गंभीर पेट दर्द, उल्टी, कोमा, गुर्दे की खराबी और संभावित मौत हो सकती है।

(घ) एफएसएसएआई की सलाह पर केन्द्रीय मत्स्य प्रौद्योगिकी संस्थान (सीआईएफटी) ने तेजी से पहचान करने की किट 'सीआईएफटीएस्ट किट' विकसित की है जिसे मछली पर फॉर्मालिन की मौजूदगी निर्धारित करने के लिए इस्तेमाल किया जा सकता है। रैपिड किट पेपर स्ट्रिप आधारित है जो गुणात्मक रूप से फॉर्मल्डेहाइड की मौजूदगी को 2 मिनट के भीतर निर्धारित करती है। विभिन्न क्षेत्रों में पेपर स्ट्रिप को मछली की सतह पर 3-4 बार बिछाना पड़ता है, इसके बाद एक बूंद रिएजेंट भी डाला जाता है। 1-2 मिनट के भीतर विकसित रंग का मानक चार्ट के साथ मिलान किया जाता है। सीआईएफटी ने ये परीक्षण किट एफएसएसएआई समेत 28 एजेंसियों को उपलब्ध कराया है।

[हिन्दी]

कृषि ऋण माफी योजना

*142. **श्री लखन लाल साहू:** क्या **वित्त मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) देश में विशेषकर सूखा प्रवण क्षेत्रों में किसानों को प्रदत्त कृषि-ऋणों की वर्तमान स्थिति क्या है;

(ख) क्या ऋण माफी योजना के अंतर्गत किसानों के ऋणों को माफ किये जाने से देश के सूखा-प्रवण क्षेत्रों के किसान लाभान्वित हुये हैं; और

(ग) यदि हां, तो राज्य/संघ राज्यक्षेत्र-वार तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं?

रेल मंत्री, कोयला मंत्री, वित्त मंत्री तथा कॉर्पोरेट कार्य मंत्री (श्री पीयूष गोयल): (क) राष्ट्रीय कृषि और ग्रामीण विकास बैंक (नाबार्ड) द्वारा दी गई सूचना के अनुसार, गत 2 वर्ष के दौरान सूखा संभावित क्षेत्र सहित राज्य-वार संवितरित कृषि ऋण का ब्यौरा संलग्न विवरण में दिया गया है। वर्ष 2018-19 के कृषि ऋण का लक्ष्य 11,00,000 करोड़ रुपये निर्धारित किया गया है।

(ख) और (ग) नाबार्ड द्वारा दी गई सूचना के अनुसार, वर्ष 2014 से तमिलनाडु, महाराष्ट्र, कर्नाटक, आन्ध्र प्रदेश, उत्तर प्रदेश, जम्मू और कश्मीर, पंजाब, तेलंगाना और राजस्थान ने, अन्य बातों के साथ-साथ, किसानों के ऋण माफी के लिए अपनी-अपनी योजनाओं की घोषणा की है। केन्द्र सरकार ने, अन्य बातों के साथ-साथ, किसानों के ऋण भार को कम करने तथा कृषि के विकास एवं किसानों के कल्याण के लिए निम्नलिखित महत्वपूर्ण पहल की हैं:–

- किसानों को 7 प्रतिशत प्रतिवर्ष की घटी हुई ब्याज दर पर कृषि ऋण की उपलब्धता सुनिश्चित करने को ध्यान में रखते हुए, कृषि, सहकारिता एवं किसान कल्याण विभाग (डीएसी एण्ड एफडब्ल्यू), भारत सरकार द्वारा 3.00 लाख रुपए तक के अल्पावधि फसल ऋणों के लिए ब्याज सहायता योजना कार्यान्वित की जाती है। इस योजना में बैंकों को अपने संसाधनों का उपयोग करने पर 2 प्रतिशत की ब्याज सहायता दी जाती है। इसके अलावा, ऋण का तत्परता से पुनर्भुगतान करने पर किसानों को 3 प्रतिशत का अतिरिक्त प्रोत्साहन दिया जाता है, जिससे ब्याज की प्रभावी दर कम होकर 4 प्रतिशत हो जाती है। इसके अलावा, किसानों द्वारा फसलों की मजबूरन बिक्री को हतोत्साहित करने तथा उन्हें अपने उत्पाद को वेयर हाऊस रसीदों के बदले वेयर हाऊसों में भण्डारण हेतु प्रोत्साहित करने के लिए किसान क्रेडिट कार्डधारक छोटे तथा सीमांत किसानों को फसल ऋण के लिए उपलब्ध ब्याज दर पर ही वेयरहाऊसिंग विकास विनियामक प्राधिकरण (डब्ल्यूडीआरए) द्वारा अनुमोदित वेयर हाऊसों में कटाई के पश्चात अपनी उपज रखने पर प्राप्त परक्राम्य वेयर हाऊस रसीदों के बदले छः माह की अवधि तक ब्याज छूट के लाभ दिए जाते हैं।

- उक्त ब्याज सहायता योजना के अंतर्गत, प्राकृतिक आपदाओं से प्रभावित किसानों को राहत प्रदान करने के लिए बैंकों के लिए पुनर्संरचित राशि पर पहले वर्ष के लिए फसल ऋण पर ब्याज सहायता उपलब्ध रहेगी। भारतीय रिजर्व बैंक (आरबीआई) द्वारा निर्धारित नीति के अनुसार, ऐसे पुनर्संरचित ऋणों पर दूसरे वर्ष के उपरान्त ब्याज की साधारण दर लगेगी।

- भारतीय रिजर्व बैंक (आरबीआई) ने प्राकृतिक आपदाओं से प्रभावित क्षेत्रों में उधारदात्री संस्थाओं द्वारा किए जाने वाले राहत उपायों के लिए निदेश जारी किए हैं, जिनमें, अन्य बातों के साथ-साथ, मौजूदा ऋणों को पुनर्संरचित/पुनर्निर्धारित करना तथा सावधि ऋण, नए ऋण प्रदान करना, लचीले प्रतिभूति तथा मार्जिन मानदंड, अधिस्थगन आदि शामिल हैं। इन निदेशों को इस प्रकार तैयार किया गया है कि संबंधित जिला प्राधिकारी द्वारा आपदा की घोषणा किए जाते ही बिना किसी हस्तक्षेप के ये स्वत: लागू हो जाते हैं। इस प्रकार समय की बचत होती है। बैंकों द्वारा राहत उपाय आरंभ करने संबंधी बेंचमार्क को राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन संरचना के अनुरूप कम करके 33% फसल हानि कर दिया गया है। इसके अलावा, आरबीआई द्वारा जारी निदेशों के अनुसार गैर संस्थागत साहूकारों के कर्ज से परेशान किसान प्राथमिकता प्राप्त क्षेत्र उधार (पीएसएल) के अंतर्गत कृषि ऋण के लिए पात्र श्रेणी हैं।

- प्रधान मंत्री फसल बीमा योजना (पीएमएफबीवाई) ऐसे प्राकृतिक जोखिमों, जिन्हें रोका न जा सके, के कारण बीमित फसलों के नष्ट होने के संबंध में व्यापक बीमा कवर उपलब्ध कराता है। इस प्रकार, अप्रत्याशित घटनाओं के कारण जिन किसानों के फसल की हानि/क्षति हुई है, उन्हें वित्तीय सहायता उपलब्ध कराई जाती है; किसानों द्वारा कृषि कार्य को जारी रखने को सुनिश्चित करने के लिए उनकी आय को स्थिर रखा जाता है और नवीन तथा आधुनिक कृषि पद्धति अपनाने के लिए उन्हें प्रेरित किया जाता है। कृषि के विकास तथा देश के किसानों के कल्याण के लिए कृषि, सहकारिता और किसान कल्याण विभाग (डीएसी एंड एफडब्ल्यू), में सरकार केन्द्रीय क्षेत्र/केन्द्र द्वारा प्रायोजित विभिन्न योजनाएं कार्यान्वित कर रही है, जिनमें निम्नलिखित शामिल हैं:–

  (i) राष्ट्रीय कृषि विकास योजना (आरकेवीवाई)

  (ii) राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा मिशन (एनएफएसएम)

  (iii) राष्ट्रीय कृषि बाजार (ई-एनएएम)

  (iv) राष्ट्रीय सम्पोषणीय कृषि मिशन (एनएमएसए)

विवरण

कृषि ऋण संवितरण आंकड़ा

(लाख रुपए)

क्र. सं.	राज्य/संघ राज्य क्षेत्र	2016-17			2017-18 (अनंतिम)		
		कुल कृषि ऋण			कुल कृषि ऋण		
		फसल ऋण	सावधि ऋण	कुल ऋण	फसल ऋण	सावधि ऋण	कुल ऋण
1	2	3	4	5	6	7	8
1.	दिल्ली	8,37,769.83	11,56,395.14	19,94,164.97	6,53,938.57	13,05,860.60	19,59,799.17
2.	हरियाणा	36,27,486.50	13,20,620.63	49,48,107.13	38,84,376.61	16,66,695.25	55,51,071.86
3.	हिमाचल प्रदेश	4,41,953.30	1,69,661.26	6,11,614.56	10,90,641.71	3,43,277.77	14,33,919.48
4.	जम्मू और कश्मीर	6,70,230.34	59,443.72	7,29,674.06	9,24,862.13	2,05,310.85	11,30,172.98
5.	पंजाब	58,03,430.42	16,26,716.41	74,30,146.82	52,98,693.13	20,21,457.83	73,20,150.96
6.	राजस्थान	57,87,553.14	16,42,832.47	74,30,385.60	63,59,453.89	17,39,522.94	80,98,976.83
7.	चंडीगढ़ यूटी	75,278.84	65,315.76	1,40,594.60	1,29,425.74	1,06,392.70	2,35,818.44
8.	अरुणाचल प्रदेश	2,777.29	10,481.37	13,258.66	2,672.31	5,669.78	8,342.09
9.	असम	1,56,819.66	4,53,387.75	6,10,207.41	1,50,700.21	5,24,913.63	6,75,613.84
10.	मणिपुर	5,899.36	19,212.82	25,112.17	3,754.31	23,525.73	27,280.04
11.	मेघालय	28,170.23	8,660.83	36,831.05	28,662.96	6,410.66	35,073.62
12.	मिजोरम	3,035.56	8,400.07	11,435.63	2,324.91	15,168.70	17,493.61
13.	नागालैंड	7,290.05	5,649.16	12,939.21	8,263.27	12,238.44	20,501.71
14.	सिक्किम	10,797.21	5,372.44	16,169.65	6,575.12	5,924.16	12,499.28
15.	त्रिपुरा	33,507.78	1,17,804.75	1,51,312.53	70,474.85	1,62,097.76	2,32,572.61
16.	अंडमान और निकोबार द्वीपसमूह	3,596.87	9,901.33	13,498.20	4,205.19	7,818.32	12,023.51
17.	बिहार	14,21,862.40	11,96,595.97	26,18,458.38	14,43,529.59	12,55,143.78	26,98,673.37
18.	झारखंड	2,82,139.80	1,55,859.39	4,37,999.18	2,10,042.59	1,68,050.80	3,78,093.39
19.	ओडिशा	15,81,164.22	5,45,332.24	21,26,496.46	15,65,007.16	7,12,714.29	22,77,721.45
20.	पश्चिम बंगाल	12,94,390.77	21,95,181.55	34,89,572.32	14,84,862.62	26,07,160.59	40,92,023.21
21.	छत्तीसगढ़	9,36,350.26	2,87,391.88	12,23,742.13	10,85,310.57	4,34,612.19	15,19,922.76

1	2	3	4	5	6	7	8
22.	मध्य प्रदेश	42,90,984.78	13,23,921.63	56,14,906.41	45,98,690.12	14,44,498.35	60,43,188.47
23.	उत्तराखंड	3,67,117.61	2,83,425.81	6,50,543.42	4,69,270.49	3,18,856.75	7,88,127.24
24.	उत्तर प्रदेश	59,59,266.02	21,99,135.39	81,58,401.41	62,51,162.20	22,62,452.54	85,13,614.74
25.	गोवा	21,884.90	79,242.76	1,01,127.66	33,929.15	90,621.49	1,24,550.64
26.	गुजरात	33,86,445.60	20,41,224.15	54,27,669.75	39,67,145.51	23,01,147.94	62,68,293.45
27.	महाराष्ट्र	41,33,883.12	40,04,500.51	81,38,383.63	26,97,318.50	49,74,947.60	76,72,266.10
28.	दादरा और नगर हवेली यूटी	2,713.05	5,304.05	8,017.10	1,304.20	5,280.02	6,584.22
29.	दमन और दीव यूटी	1,278.98	2,179.35	3,458.32	1,215.66	2,110.30	3,325.96
30.	आंध्र प्रदेश	61,39,148.29	31,47,713.85	92,86,862.14	79,70,017.76	33,72,729.98	113,42,747.74
31.	तेलंगाना	47,28,922.01	20,59,613.42	67,88,535.43	44,95,791.77	13,94,959.64	58,90,751.41
32.	कर्नाटक	41,67,717.58	36,40,554.54	78,08,272.12	44,15,231.04	35,23,145.98	79,38,377.02
33.	केरल	44,41,564.73	23,32,311.72	67,73,876.45	54,75,965.97	29,41,741.72	84,17,707.69
34.	पुदुचेरी	3,33,856.30	1,95,152.12	5,29,008.42	1,84,606.14	76,192.52	2,60,798.66
35.	तमिलनाडु	79,59,389.93	52,55,066.75	132,14,456.68	105,27,636.06	53,14,064.40	158,41,700.46
36.	लक्षद्वीप यूटी	54.93	272.37	327.30	50.78	454.92	505.70
	कुल	689,45,731.64	376,29,835.36	1065,75,567.01	754,97,112.79	413,53,170.92	1168,50,283.71

स्रोत: नाबार्ड

[अनुवाद]

एम्स जैसे संस्थान

***143. श्री मोहनभाई कल्याणजीभाई कुंदरिया:** क्या **स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या गुजरात के सौराष्ट्र क्षेत्र के राजकोट में एम्स जैसे संस्थान की स्थापना करने के लिये गुजरात राज्य सरकार द्वारा प्रस्तावित स्थलों को अंतिम रूप देने के लिये केन्द्र सरकार ने सर्वेक्षण कर लिया है और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ख) उक्त एम्स जैसे संस्थान की मंजूरी और निष्पादन प्रक्रिया में तेजी लाने हेतु केन्द्र सरकार द्वारा क्या कदम उठाये जा रहे हैं;

(ग) इस प्रयोजनार्थ आवंटित/संस्वीकृत धनराशि कितनी है; और

(घ) राजकोट में उक्त संस्थान कब तक कार्यरत हो जाएगा?

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री (श्री जगत प्रकाश नड्डा): (क) राज्य सरकार ने गुजरात राज्य में नए एम्स की स्थापना के लिए विचार हेतु चार स्थलों का प्रस्ताव किया जिसमें से दो बड़ोदरा में और दो राजकोट में हैं। इस मंत्रालय द्वारा एक

केन्द्रीय दल का गठन किया गया जिसने नए एम्स की स्थापना के लिए गुजरात सरकार द्वारा प्रस्ताव किए गए उपर्युक्त स्थलों का दिनांक 31.08.2017 और 01.09.2017 को निरीक्षण किया।

(ख) एम्स की स्थापना के लिए प्रस्तावित स्थलों की उपयुक्तता का मूल्यांकन करने के लिए एक चयन समिति का गठन किया गया। राज्य में एम्स की स्थापना के लिए चुनौती प्रारूप के तहत मानदंडों के आधार पर चयन समिति की सहायता करने तथा राज्य सरकार द्वारा प्रस्तावित स्थलों का प्रारंभिक मूल्यांकन करने के लिए एक उप-समिति का भी गठन किया गया। चुनौती प्रारूप के तहत गुजरात सरकार द्वारा प्रस्तावित स्थलों का मूल्यांकन करने के लिए उप-समिति द्वारा तैयार किए गए विवरण को चयन समिति के समक्ष प्रस्तुत किया गया। उसके बाद, चयन समिति ने दिनांक 19.09.2017 को पीएमएसएसवाई के तहत एम्स की स्थापना के लिए स्थलों के मूल्यांकन हेतु दिशानिर्देशों के पैरा 5.2 की शर्तानुसार चुनौती प्रारूप के मानदंडों के तहत गुजरात सरकार द्वारा प्रस्तावित स्थलों का मूल्यांकन किया। गुजरात सरकार से कुछ आवश्यक अतिरिक्त जानकारी उपलब्ध कराने का अनुरोध किया गया ताकि मंत्रालय गुजरात में एम्स की स्थापना के लिए स्थल को अंतिम रूप देने में को सक्षम हो सके।

(ग) और (घ) धनराशि का आवंटन तथा एम्स को पूर्ण रूप से कार्यशील बनाने की समय-सीमा व्यय वित्त समिति (ईएफसी) और मंत्रिमंडल के विभिन्न अपेक्षित अनुमोदनों की प्राप्ति पर निर्भर है।

विमुद्रीकरण

***144. श्री राम कुमार शर्मा:** क्या **वित्त मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या दो वर्ष पहले विमुद्रीकरण के तहत देश में 500 और 1000 रुपये के करेंसी नोटों के परिचालन पर प्रतिबंध लगा दिया गया था और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ख) क्या यह सच है कि उक्त निर्णय सरकार द्वारा लिया गया था और यदि हां, तो तत्संबंधी तथ्य क्या हैं;

(ग) क्या इस निर्णय के कार्यान्वयन से कालेधन को रोकने की संभावना थी;

(घ) यदि हां, तो इस पर सरकार की क्या प्रतिक्रिया है; और

(ङ) विमुद्रीकरण के कार्यान्वयन के पश्चात् कुल कितनी राशि के कालेधन का पता लगा है?

रेल मंत्री, कोयला मंत्री, वित्त मंत्री तथा कॉर्पोरेट कार्य मंत्री (श्री पीयूष गोयल): (क) 8 नवम्बर, 2016 तक भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा जारी किए गए महात्मा गांधी श्रृंखला के 500 रुपये तथा 1000 रुपये मूल्यवर्गों के बैंक नोटों का वैध मुद्रा स्वरूप भारत सरकार की राजपत्र अधिसूचना सं. 3407 (अ.) दिनांक 8 नवम्बर, 2016 के तहत वापस ले लिया गया था।

(ख) भारत सरकार ने भारतीय रिजर्व बैंक के केंद्रीय बोर्ड की सिफारिश के आधार पर भारतीय रिजर्व बैंक अधिनियम, 1934 की धारा 26 (2) के अंतर्गत दिनांक 8.11.2016 को अधिसूचना सं. का.आ. 3407 (अ.) जारी की जिसमें यह घोषणा की गई थी कि 500 रुपये और 1000 रुपये के बैंक नोटों की विद्यमान श्रृंखलाएं 9 नवम्बर, 2016 से वैध मुद्रा नहीं रहेंगी।

(ग) से (ङ) आयकर विभाग ने उन लोगों पर तत्काल कार्रवाई की थी जो विमुद्रीकरण की योजना के दुरुपयोग में शामिल पाए गए थे। इन कार्रवाइयों में, अन्य कार्रवाइयों के साथ संबंधित मामलों में तलाशी तथा सर्वेक्षण संबंधी कार्रवाइयां करना भी शामिल हैं। नवम्बर, 2016 से मार्च, 2017 तक की अवधि के दौरान, आयकर विभाग ने विभिन्न गतिविधियों और कारोबार में संलिप्त 900 समूहों की तलाशी ली है जिसके परिणामस्वरूप 900 करोड़ रुपए जब्त किए गए जिसमें 636 करोड़ रुपए की नकद जब्ती शामिल है। इसी अवधि में, 8239 सर्वेक्षण किए गए जिससे 6745 करोड़ रुपये की अघोषित आय का पता चला।

इसके अतिरिक्त, उन आयकर रिटर्न न भरने वालों पर विशेष ध्यान देते हुए कार्रवाई करने के लिए समर्पित अभियान शुरू किया गया था जिन्होंने विमुद्रीकरण की अवधि के दौरान अधिक मूल्य की नकदी जमा की थी। आयकर अधिनियम, 1961 की धारा 142 (1) के अंतर्गत उन **3.04 लाख** व्यक्तियों को नोटिस जारी किए गए थे जिन्होंने 10 लाख रुपये से अधिक की नकदी जमा की थी परन्तु रिटर्न फाइल करने की निर्धारित तिथि तक अपनी आयकर रिटर्न दायर नहीं की थी। परिणामस्वरूप, पता लगाए गए ऐसे रिटर्न न भरने वाले **2.09 लाख** व्यक्तियों द्वारा रिटर्न दायर की गई थी जिन्होंने **6,416 करोड़** रुपये के स्वत:निर्धारण कर का भुगतान किया था। वित्तीय वर्ष 2017-18 के दौरान सतत अभियान के कारण, प्रत्यक्ष कर का निवल संग्रहण 18 प्रतिशत बढ़कर 10.03 लाख करोड़ रुपये हो गया था। पिछले वर्ष की तुलना में 23.4 प्रतिशत वैयक्तिक अग्रिम कर तथा 29.9 प्रतिशत वैयक्तिक स्वत:निर्धारण कर में आपवादिक बढ़ोत्तरी हुई है।

वित्त वर्ष 2017-18 के दौरान आयकर विभाग में 6.86 करोड़

आयकर विवरणियां (आईटीआर) फाइल की गईं जबकि वित्त वर्ष 2016-17 के दौरान 5.48 करोड़ आईटीआर फाइल की गई थीं, जो 25% की वृद्धि दर्शाता है। पिछले वर्षों के लिए आयकर विवरणियों की वृद्धि दर दर्शाने वाली सारणी निम्नानुसार है:–

वित्त वर्ष	आयकर विवरणियों की संख्या	पिछले वित्त वर्ष की तुलना में वृद्धि दर
2013-14	379,73,221	
2014-15	404,04,339	6%
2015-16	462,94,225	15%
2016-17	548,83,401	19%
2017-18	686,74,904	25%

[अनुवाद]

राष्ट्रीय कंपनी कानून अधिकरण

***145. श्री टी. राधाकृष्णन:**
श्री सुधीर गुप्ता:

क्या **कॉर्पोरेट कार्य मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) दिवाला तथा शोधन अक्षमता कोड, 2016 के अधिनियमित किये जाने के पश्चात् राष्ट्रीय कंपनी कानून अधिकरण (एनसीएलटी) में आज तक दर्ज किये गये मामलों की कंपनी-वार संख्या कितनी है;

(ख) आज की तारीख तक कंपनी-वार निपटाये गये मामलों की संख्या और वसूल की गई गैर-निष्पादनकारी आस्तियों (एनपीए) की राशि कितनी है;

(ग) समाधान प्रक्रिया के तहत रखे गए ऋण लेने वाले कॉर्पोरेट की संख्या कितनी है;

(घ) वर्तमान में देश में कार्यरत अपीलीय अधिकरणों और एनसीएलटी खंडपीठों की संख्या कितनी है; और

(ङ) क्या सरकार का मामलों में हो रहे विलंब को रोकने के लिए देश में अपीलीय अधिकरणों और एनसीएलटी खंडपीठों की संख्या में वृद्धि करने का विचार है, यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं तथा एनसीएलटी मामलों के शीघ्र निपटान हेतु सरकार द्वारा अन्य क्या सुधारात्मक उपाय किए गए हैं/किये जा रहे हैं?

रेल मंत्री, कोयला मंत्री, वित्त मंत्री तथा कॉर्पोरेट कार्य मंत्री (श्री पीयूष गोयल): (क) राष्ट्रीय कंपनी विधि अधिकरण (एनसीएलटी) द्वारा दी गई सूचना के अनुसार दिवाला और शोधन अक्षमता संहिता, 2016 के अधिनियमन के बाद से एनसीएलटी के समक्ष आईबीसी, 2016 के अधीन 6,326 नए मामले फाइल किए गए हैं और 30.06.2018 तक विभिन्न उच्च न्यायालयों से अंतरण होने पर 2,323 समापन मामले प्राप्त हुए हैं।

(ख) और (ग) एनसीएलटी में 30.06.2018 तक आईबीसी, 2016 के अधीन कुल 4,390 मामलों का निपटान किया गया है और 907 मामले स्वीकृत किए गए हैं। भारतीय दिवाला और शोधन अक्षमता बोर्ड (आईबीबीआई) द्वारा दी गई सूचना के अनुसार 32 कंपनियों में कॉर्पोरेट दिवाला समाधान प्रक्रिया के परिणामस्वरूप 49784.11 करोड़ रुपए वसूल हुए।

(घ) राष्ट्रीय कंपनी विधि अपील अधिकरण (एनसीएलएटी) की नई दिल्ली में एक न्यायपीठ है। एनसीएलटी की न्यायपीठें नई दिल्ली, इलाहाबाद, अहमदाबाद, बंगलुरु, चेन्नई, चंडीगढ़, कटक, गुवाहाटी, जयपुर, हैदराबाद, कोलकाता और मुम्बई में स्थापित की गई हैं।

(ङ) अपील अधिकरणों की संख्या बढ़ाने का कोई प्रस्ताव नहीं है। कार्यभार को ध्यान में रखते हुए एनसीएलटी की न्यायपीठें चरणबद्ध रूप से स्थापित की जा रही हैं। एनसीएलटी की शीघ्र ही एक न्यायपीठ कोच्ची में स्थापित की जाएगी। मामलों के शीघ्र निपटान के लिए सरकार ने सदस्यों की संख्या बढ़ाने का निर्णय किया है। उन स्थानों पर जहां लंबित मामलों की संख्या अपेक्षाकृत अधिक है जैसे मुम्बई और दिल्ली, वहां न्यायपीठों में एक से अधिक न्यायालयों ने काम करना शुरू कर दिया है। शीघ्र और एकसमान न्यायिक व्यवस्था सुनिश्चित करने के लिए एनसीएलटी के सदस्यों के लिए नियमित गोष्ठियों का आयोजन किया जाता है।

एआईआईबी ऋण

***146. डॉ. किरीट सोमैया:**
श्रीमती कविता कलवकुंतला:

क्या **वित्त मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या भारत ने एशियन इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट बैंक (एआईआईबी) से परियोजना के वित्तपोषण की मांग की है और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ख) भारत द्वारा एआईआईबी से आज तक प्राप्त

वित्तपोषण/अनुदानों की मात्रा कितनी है और इन पर प्रभारित ब्याज दर कितना है;

(ग) उन परियोजनाओं की राशि/परियोजना-वार ब्यौरा क्या है जिन्हें एआईआईबी ऋणों से वित्तपोषित किया जा रहा है/वित्तपोषित किया जायेगा;

(घ) क्या सरकार ने एआईआईबी के सृजन के लिये किसी कायिक निधि का अंशदान किया है और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ङ) विगत तीन वर्षों के दौरान एआईआईबी द्वारा विभिन्न देशों की परियोजनाओं के लिए प्रदत्त/संस्वीकृत ऋण की कुल राशि देश/परियोजना-वार कितनी है?

रेल मंत्री, कोयला मंत्री, वित्त मंत्री तथा कॉर्पोरेट कार्य मंत्री (श्री पीयूष गोयल): (क) से (ग) जी, हां। भारत ने अभी तक एशियन इंफ्रास्ट्रक्चर इंवेस्टमेंट बैंक (एआईआईबी) से 3.276 बिलियन अमरीकी डालर लागत वाली 13 परियोजनाओं के लिए परियोजना वित्तपोषण की मांग की है। इनमें से, 1.314 बिलियन अमरीकी डालर के वित्तपोषण के लिए एआईआईबी ने 7 परियोजनाएं पहले ही अनुमोदित कर दी हैं और 4 परियोजनाओं के लिए कानूनी करारों पर हस्ताक्षर हो चुके हैं तथा 3 परियोजनाओं के लिए संवितरण प्रारंभ हो गया है। 4 हस्ताक्षरित परियोजनाओं के लिए ब्याज दर लिबोर +0.75% से 1.30% के निश्चित कीमत लागत अंतर पर आधारित है, जो ऋण अवधि पर निर्भर है। एआईआईबी को प्रस्तुत 1.962 बिलियन अमरीकी डालर वाली शेष 6 परियोजनाएं अभी अनुमोदित की जानी हैं। परियोजनाओं का ब्यौरा संलग्न विवरण-I में दिया गया है।

(घ) सरकार ने एआईआईबी के पूंजीगत स्टॉक के लिए भारत का 8.37 बिलियन अमरीकी डालर का पूंजीगत अंशदान अनुमोदित कर दिया है जिसमें 20% "प्रदत्त-पूंजी" के रूप में पांच समान किस्तों में अदा किए जाने हैं। अभी तक 1.0041 बिलियन अमरीकी डालर की कुल राशि 3 किस्तों में अदा की गई है जिसमें प्रत्येक किस्त 334.7 मिलियन अमरीकी डालर की है।

(ङ) पिछले तीन वर्षों में, एआईआईबी ने लगभग 5 बिलियन अमरीकी डालर के वित्तपोषण के लिए 14 देशों/क्षेत्रों हेतु 28 परियोजनाओं को अनुमोदित किया है। ब्यौरा संलग्न विवरण-II में दिया गया है।

विवरण-I

एआईआईबी से भारत को प्राप्त वित्तपोषण/अनुदानों का ब्यौरा

क्र. सं.	परियोजना का नाम	एआईआईबी वित्तपोषण (मिलियन अमेरिकी डॉलर में)	परियोजना का आकार (मिलियन अमेरिकी डॉलर में)	स्थिति	ब्याज दर (प्रतिशत में)	संवितरित राशि (मिलियन अमेरिकी डॉलर में)	अवधि (वर्षों में)
1	2	3	4	5	6	7	8
1.	आंध्र प्रदेश में सभी के लिए 24×7 बिजली (विश्व बैंक से सह-वित्तपोषित)	160	800	अनुमोदित	3.53	11.6	19 (5 वर्ष की छूट अवधि सहित)
2.	गुजरात ग्रामीण सड़क विकास - चरण-1	329	1153.8	अनुमोदित	3.43	141.9	13 (5 वर्ष की छूट अवधि सहित)
3.	पीजीसीआईएल द्वारा कार्यान्वित एसी ट्रांसमिशन सिस्टम सुदृढ़ीकरण परियोजना (एडीबी से सह-वित्तपोषित)	100	300	अनुमोदित	3.28	4.7	11 (3 वर्ष की छूट अवधि सहित)

1	2	3	4	5	6	7	8
4.	मध्य प्रदेश ग्रामीण संपर्क परियोजना (डब्ल्यूबी से सह-वित्तपोषित)	140	500	अनुमोदित	3.83	0	25 (5 वर्ष की छूट अवधि सहित)
5.	बैंगलूरु मेट्रो रेल परियोजना लाइन आर 6 (ईआईबी से सह-वित्तपोषित)	335	1785	अनुमोदित	अभी तक ऋण करार पर हस्ताक्षर किए जाने हैं।	0	अभी तक ऋण करार पर हस्ताक्षर किए जाने हैं।
6.	राष्ट्रीय निवेश एवं अवसंरचना कोष (चरण-1)	100	6000	अनुमोदित	इक्विटी निवेश	0	इक्विटी निवेश
7.	मॉर्गन स्टेनली भारत अवसंरचना कोष	150	750	अनुमोदित	इक्विटी निवेश	0	इक्विटी निवेश
8.	वाधवन, तालुका दहानू, जिला पालघर, महाराष्ट्र में जेएनपीटी के सैटेलाइट पत्तन का विकास (एडीबी से सह-वित्तपोषित किया जाएगा)	282	1410	अभी अनुमोदित किया जाना है।	–	–	
9.	अमरावती सतत् राजधानी शहर विकास परियोजना (डब्ल्यूबी से सह-वित्तपोषित किया जाएगा)	200	715	अभी अनुमोदित किया जाना है।	–	–	
10.	पश्चिम बंगाल मुख्य सिंचाई और बाढ़ प्रबंधन (डब्ल्यूबी से सह-वित्तपोषित किया जाएगा)	145	413	अभी अनुमोदित किया जाना है।	–	–	
11.	आंध्र प्रदेश शहरी जल आपूर्ति और सेप्टेज प्रबंधन सुधार परियोजना	405	555.67	अभी अनुमोदित किया जाना है।	–	–	
12.	मुंबई शहरी परिवहन परियोजना चरण-3	475	1356	अभी अनुमोदित किया जाना है।	–	–	

1	2	3	4	5	6	7	8
13.	250+ आबादी के संपर्कहीन आवासों के लिए आंध्र प्रदेश ग्रामीण सड़क संपर्क (परियोजना-1)	455	651.38	अभी अनुमोदित किया जाना है।	–	–	
	कुल योग	3276	16389.85			158.2	

विवरण-II

विभिन्न देशों/क्षेत्रों के लिए एआईआईबी द्वारा स्वीकृत परियोजनाएं

क्र. सं.	परियोजना का नाम	क्षेत्र	देश/क्षेत्र	कुल परियोजना लागत (मिलियन अमेरिकी डॉलर)	वित्तपोषण योजना (मिलियन अमेरिकी डॉलर)		
					एआईआईबी	पश्चिम बंगाल	वित्तपोषण के अन्य विकल्प
1	2	3	4	5	6	7	8
1.	सामरिक सिंचाई आधुनिकीकरण और तत्काल पुनर्वास परियोजना	जल/ सिंचाई	इंडोनेशिया	578	250	250	उधारकर्ता-78
2.	तुज गोल्लू गैस स्टोरेज विस्तार परियोजना	ऊर्जा	तुर्की	2735	600	600	इस्लामी विकास बैंक-350 वाणिज्यिक ऋण-450 बोटास-735
3.	राष्ट्रीय निवेश एवं अवसंरचना कोष	मल्टी सेक्टर	भारत	6000*	100	-	भारत सरकार-3000
4.	मध्य प्रदेश ग्रामीण संपर्क परियोजना	परिवहन/ सड़क	भारत	502	140	210	जीओएमपी-152
5.	बांग्लादेश भोला आईपीपी	ऊर्जा	बांग्लादेश	271	60		उधारकर्ता-211
6.	बीजिंग वायु गुणवत्ता सुधार और कोयला प्रतिस्थापन परियोजना	ऊर्जा	चीन	761.1	250		बीजिंग नगरपालिका-228.33 चीन सीडीएम फंड-30 बीजिंग गैस-252.77

1	2	3	4	5	6	7	8
7.	ब्रॉडबैंड इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट	दूरसंचार	ओमान	467	परियोजना को अपने चालू संचालन से इक्विटी, ऋण और परिचालन नकदी प्रवाह द्वारा वित्तपोषित किया जाना है। वित्तपोषण योजना में लगभग 239 मिलियन अमेरिकी डॉलर के कुल ऋण में ऋण ए और ऋण बी के संयोजन के साथ दीर्घकालिक ऋण वित्तपोषण की परिकल्पना की गई है। (कुल जोड़ की गणना करते समय 23.9 मिलियन अमेरिकी डॉलर नहीं लिया गया है)		
8.	बैंगलोर मेट्रो रेल परियोजना - लाइन आर 6	परिवहन	भारत	1785	335		ईआईबी ट्रांश ए-350 आईबी ट्रांश ए-233 भारत सरकार-255 कर्नाटक सरकार-612
9.	मेट्रो मनीला बाढ़ प्रबंधन परियोजना	जल/बाढ़ प्रबंधन	फिलिपींस	500	207.603205	207,603,205 अमेरिकी डॉलर	जीओपी-84,793,590 अमेरिकी डॉलर
10.	आईएफसी इमर्जिंग एशिया फंड	मल्टी सेक्टर	एशिया	640	150		आईएफसी-150 अन्य निवेशक-340
11.	ट्रांसमिशन सिस्टम सुदृढ़ीकरण परियोजना	ऊर्जा	भारत	303.47	100		एशियाई विकास बैंक-50 उधारकर्ता-153.47
12.	मिस्र राउंड-II सौर पीवी फीड-इन टैरिफ कार्यक्रम-मिस्र राउंड-II सौर पीवी फीड-इन टैरिफ कार्यक्रम (परियोजना) में 11 फोटोवोल्टिक सौर ऊर्जा संयंत्र शामिल है।	ऊर्जा	मिस्र	70-75	17.5-19 (कुल जोड़ की गणना के लिए 19 लिया गया है)		आईएफसी और अन्य उधारदाता-41
13.	गुजरात ग्रामीण सड़क परियोजना (एमएमजीएसवाई)	परिवहन (सड़क)	भारत	658	329		गुजरात सरकार-329
14.	नुरेक जलविद्युत पुनर्वास परियोजना, चरण-I	ऊर्जा जलविद्युत	ताजिकिस्तान	350	60		आईडीए-225.7 ईएडीबी-40 (समांतर सह-वित्तपोषण) वित्तपोषण अंतर-24.3

1	2	3	4	5	6	7	8
15.	भारत अवसंरचना कोष	मल्टी सेक्टर	भारत	750	150		अन्य निवेशक-600
16.	बटुमी बाईपास रोड परियोजना	परिवहन/ सड़क	जॉर्जिया	315.2	114		एडीबी-114.0 सरकार-87.2
17.	आंध्र प्रदेश 24×7 – सभी के लिए विद्युत	विद्युत	भारत	571	160	240	आंध्र प्रदेश सरकार-171
18.	प्राकृतिक गैस अवसंरचना और दक्षता सुधार परियोजना	प्राकृतिक गैस उत्पादन और पारेषण	बांग्लादेश	453	60		एडीबी-167 घरेलू संसाधन-226
19.	बांध परिचालन सुधार और सुरक्षा परियोजना चरण-II	बांध और जल संसाधन प्रबंधन	इंडोनेशिया	300	125	125	भारत सरकार-50
20.	क्षेत्रीय अवसंरचना विकास निधि परियोजना	मल्टी सेक्टर	इंडोनेशिया	406	100	100	भारत सरकार-203 एसईसीओ-3
21.	ट्रांश अनातोलियन प्राकृतिक गैस पाइपलाइन परियोजना (टीएएनएपी)	ऊर्जा (तेल और गैस)	अजरबैजान	8600	600	800	उधारकर्ता-1400 ईआईबी ऋण-1300 ईबीआरडी ऋण-500 बोटास, तुर्की-1000 बीपी (ब्रिटिश पेट्रोलियम)-1000 निजी वाणिज्यिक स्रोत- 2000
22.	डुक्म पोर्ट वाणिज्यिक टर्मिनल और परिचालन क्षेत्र विकास परियोजना	परिवहन-पोर्ट	ओमान	353.33	265	88.33	एसईजेडईडी-88.33
23.	मिंग्यान पावर प्लांट प्रोजेक्ट	ऊर्जा	म्यांमार	304	20		आईएफसी एशियाई विकास बैंक
24.	तारबेला 5 जलविद्युत विस्तार परियोजना	जलविद्युत-ऊर्जा	पाकिस्तान	823.5	300	390	जीओपी-823.5

1	2	3	4	5	6	7	8
25.	राष्ट्रीय मलिन बस्ती उन्नयन योजना	अन्य सामाजिक सेवाएं (20%), शहरी परिवहन (20%), ठोस अपशिष्ट प्रबंधन (60%)	इंडोनेशिया	1743	216.5	216.5	प्राप्तकर्ता-1300
26.	राष्ट्रीय मोटरवे एम-4 परियोजना	परिवहन - सड़क और राजमार्ग	पाकिस्तान	273	100		एडीबी-100 अंतर्राष्ट्रीय विकास विभाग (यूके)-34 जीओपी-39
27.	वितरण प्रणाली उन्नयन और विस्तार परियोजना	ऊर्जा	बांग्लादेश	262.29	165		
28.	दुशान्बे-उजबेकिस्तान सीमा सड़क सुधार परियोजना	परिवहन- सड़क और राजमार्ग	ताजिकिस्तान	105.9	27.5		ईबीआरडी-62.5 जीओटी 15.9
		कुल योग			5003.603205 5.0 बीएन		

आंध्र प्रदेश का राजस्व घाटा

***147. श्री कोनाकल्ला नारायण राव:**
श्री एम. वेंकटेश्वर राव:

क्या **वित्त मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार आंध्र प्रदेश राज्य द्वारा वर्ष 2014-15 में वहन किए गए राजस्व घाटे को पूरा करने के लिए प्रतिबद्ध है;

(ख) यदि हां, तो राजस्व घाटे की मात्रा का ब्यौरा क्या है तथा यह आंकड़ा किस आधार पर निकाला गया है; और

(ग) क्या सरकार ने प्रथम वर्ष के राजस्व घाटे की गणना करने हेतु कोई सूत्र दिया है और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

रेल मंत्री, कोयला मंत्री, वित्त मंत्री तथा कॉर्पोरेट कार्य मंत्री (श्री पीयूष गोयल): (क) जी, हां।

(ख) और (ग) उत्तरवर्ती आंध्र प्रदेश राज्य ने वर्ष 2014-15 (2 जून, 2014 से 31 मार्च, 2015) के लिए 16,079 करोड़ रुपए के राजस्व घाटे की सूचना दी थी। महालेखापरीक्षक (लेखा एवं हकदारी), आंध्र प्रदेश और तेलंगाना द्वारा प्रकाशित 2014-15 के राज्य वित्त लेखाओं में दर्शाए गए संपरीक्षित आंकड़ों में उपर्युक्त

अवधि के संबंध में 13775.76 करोड़ रुपए के राजस्व घाटे का उल्लेख किया गया था। इस राशि की गणना 2014-15 के दौरान केन्द्र सरकार द्वारा जारी किए गए 2303 करोड़ रुपए को हिसाब में लिए जाने के बाद की गई थी। इसके अतिरिक्त, महालेखापरीक्षक (लेखा एवं हकदारी) ने सूचित किया था कि आंध्र प्रदेश सरकार द्वारा कृषि ऋण मोचन स्कीम, वित्तीय पुनर्गठन योजना बॉन्ड लेने के लिए डिस्कॉम को सहायता, एपट्रांस्को को सहायता, औद्योगिक संवर्धन के लिए प्रोत्साहन नामक नई स्कीमें शुरू किए जाने और पेंशनभोगियों का दायरा एवं मासिक पेंशन दर बढ़ाए जाने से 'इंद्रम्मा' वृद्धावस्था और अपंगता पेंशन स्कीमों पर बढ़े हुए व्यय के कारण 16078.76 करोड़ रुपए का घाटा हुआ है।

वर्ष 2014-15 के संसाधन अंतर के वास्तविक आकलन पर पहुंचने के उद्देश्य से, 11960.87 करोड़ रुपए की अनुमति नहीं दी गई थी जिसमें नई स्कीमों पर व्यय और मासिक पेंशन दर में वृद्धि तथा पेंशनभोगियों के विस्तारित दायरे का प्रभाव शामिल था। तथापि, 2013-14 की 91.27 करोड़ रुपए की बकाया राशि, जिसका भुगतान 2014-15 में किया गया था, संसाधन अंतर में शामिल की गई थी। इस प्रकार, वर्ष 2014-15 (2 जून, 2014 से 31 मार्च, 2015) के लिए संसाधन अंतर की राशि 4117.89 करोड़ रुपए बनी। इसमें से 3979.50 करोड़ रुपए उत्तरवर्ती आंध्र प्रदेश राज्य को पहले ही जारी किए जा चुके हैं। उत्तरवर्ती आंध्र प्रदेश राज्य को 2014-15 के लिए संसाधन अंतर की हकदारी की गणना नीचे दी गई है।

(करोड़ रुपए)

क्र. सं.	विवरण	आंध्र प्रदेश सरकार के दिनांक 23.11.2016 के पत्र पर आधारित
क	**आंध्र प्रदेश राज्य द्वारा सूचित राजस्व घाटा**	**16078.76**
ख	**मानकीकृत व्यय के आधार पर राज्य की हकदारी की गणना के लिए अस्वीकृत मदें जिसमें**	**11960.87**
ख. 1	रायतु साधिकार संस्था (कृषक सशक्तीकरण निगम)	4001.32
ख. 2	कृषि ऋण मोचन स्कीम	3068.35
ख. 3	एफआरपी बॉन्ड लेने के लिए डिस्कॉम को सहायता	1500.00
ख. 4	मासिक पेंशन दर और पेंशनभोगियों का दायरा बढ़ाए जाने के कारण वृद्धि	3391.20
ग	**2014-15 के राजस्व घाटे की मद में राज्य की हकदारी (क-ख)**	**4117.89**
घ	**आंध्र प्रदेश राज्य को अब तक की गई प्रतिपूर्ति घटाएं जिसमें**	**3979.50**
घ. 1	वित्त वर्ष 2014-15 में जारी की गई विशेष सहायता	2303.00
घ. 2	वित्त वर्ष 2015-16 में जारी की गई विशेष सहायता	500.00
घ. 3	वित्त वर्ष 2016-17 में जारी की गई विशेष सहायता	1176.50
ङ	**2014-15 के राजस्व घाटे की मद में राज्य की हकदारी के लिए शेष (ग-घ)**	**138.39**

[हिन्दी]

जड़ी-बूटी से निर्मित औषधियां

***148. श्री मानशंकर निनामा:** क्या **आयुर्वेद, योग और प्राकृतिक चिकित्सा यूनानी, सिद्ध और होम्योपैथी (आयुष) मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या असाध्य रोगों के उपचार के लिए जड़ी-बूटी से निर्मित औषधियों को जेनेटिक रूप से संशोधित करने के लिए कोई अनुसंधान कार्य किया जा रहा है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) यदि नहीं, तो क्या सरकार का समुचित दवाइयों की

अनुपलब्धता के कारण पीड़ित लोगों के लाभार्थ जड़ी-बूटी से निर्मित औषधियों के क्षेत्र में अनुसंधान कार्य आरंभ करने का विचार है; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

आयुर्वेद, योग और प्राकृतिक चिकित्सा, यूनानी, सिद्ध और होम्योपैथी (आयुष) मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री श्रीपाद येसो नाईक): (क) जी, नहीं। सरकार के किसी संस्थान द्वारा ऐसा कोई अनुसंधान आरंभ नहीं किया गया है।

(ख) उपर्युक्त उत्तर (क) के मद्देनजर प्रश्न नहीं उठता।

(ग) जड़ी-बूटीय औषधों के क्षेत्र में अनुसंधान कार्य आयुष मंत्रालय के अधीन कुछ संगठनों [जैसे केंद्रीय आयुर्वेदीय विज्ञान अनुसंधान परिषद (सीसीआरएएस), केंद्रीय सिद्ध अनुसंधान परिषद (सीसीआरएस), केंद्रीय होम्योपैथी अनुसंधान परिषद (सीसीआरएच) और केंद्रीय यूनानी चिकित्सा अनुसंधान परिषद (सीसीआरयूएम)] के साथ-साथ वैज्ञानिक एवं औद्योगिक अनुसंधान परिषद और विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी मंत्रालय के अधीन जैव प्रौद्योगिकी विभाग द्वारा किया जा रहा है। ऊपर उल्लिखित केंद्रीय अनुसंधान परिषदों द्वारा किए जा रहे कार्यों में शास्त्रीय औषधों के विधिमान्यकरण में अनुसंधान और नए औषधों का विकास शामिल है।

(घ) ब्यौरे संलग्न विवरण-I और II में दिए गए हैं।

विवरण-I

जड़ी-बूटीय औषधों के क्षेत्र में अनुसंधान कार्य का ब्यौरा

1. **आयुष मंत्रालय की अधीनस्थ अनुसंधान परिषदें**

आयुष मंत्रालय की अधीनस्थ अनुसंधान परिषद अर्थात् केंद्रीय आयुर्वेदीय विज्ञान अनुसंधान परिषद (सीसीआरएएस), केंद्रीय सिद्ध अनुसंधान परिषद (सीसीआरएस), केंद्रीय यूनानी चिकित्सा अनुसंधान परिषद (सीसीआरयूएम) और केंद्रीय होम्योपैथी अनुसंधान परिषद (सीसीआरएच) एएसयूएंडएच जड़ी-बूटीय औषधों के क्षेत्र में अनुसंधान कार्य में लगी हुई है। जड़ी-बूटीय औषधों पर अनुसंधान में नए औषधों का विकास और प्रणालीबद्ध विधियों को अपनाकर शास्त्रीय आयुर्वेद, सिद्ध, यूनानी और होम्योपैथी औषधों पर अनुसंधान करना शामिल है। इन अनुसंधान परिषदों ने अब तक 60 नए एएसयूएंडएच औषध विकसित की है और अन्य 53 औषध सक्रियतापूर्वक विकासाधीन है। इसके अतिरिक्त, एएसयूएंडएच की शास्त्रीय 209 औषधों पर अनुसंधान किया जा चुका है और उनकी सुरक्षा, प्रभावकारिता और तर्कसंगत उपयोग पर इन परिषदों में साक्ष्य पैदा किए जा रहे हैं। इन जड़ी-बूटीय औषधों के बारे में और विवरण संलग्नक-II में दिया गया है।

2. **वैज्ञानिक एवं औद्योगिक अनुसंधान परिषद (सीएसआईआर)**

विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्रालय के अधीन वैज्ञानिक एवं औद्योगिक अनुसंधान परिषद (सीएसआईआर) के पास गैर आनुवंशिक रूप से संशोधित जड़ी-बूटीय औषधों के लिए ऐसा सक्रिय कार्यक्रम है जो सामान्य आदमी को सस्ता उपचार प्रदान करता है। सीएसआईआर द्वारा पारंपरिक ज्ञान एवं आधुनिक विज्ञान की क्षमताओं को सम्मिलित करके अभी तक निम्नलिखित जड़ी-बूटीय औषध विकसित किए गए हैं:

जड़ी-बूटीय औषध	उपयोग
इसाप्टेंट	सर्वाइकल विस्तारण (एमटीपी)
गुगुलिपीड	हाइपोलिपिडेमिक
बकोपा मानियरा एक्स्ट्रेक्ट	मेमोरी इम्प्रूवमेंट
कोन्सेप क्रीम	स्पर्मिसाइडल क्रीम
दल्जबोन	एक्सीलरेटेड फ्रेक्चर हीलिंग
बीजीआर-34	ब्लड गुलुकोज रेगुलेटर
लिव-1	हेपाटोप्रोटेक्टिव

3. **जैव प्रौद्योगिकी विभाग (डीबीटी)**

विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्रालय के अधीन जैव प्रौद्योगिकी विभाग (डीबीटी) ने क्लोरोप्लास्ट चयापचय इंजीनियरी दृष्टिकोणों का अनुसरण करते हुए आर्टीमीसिया एन्नुआ पादप में आर्टीमिसीनिन (एक मलेरिया रोधी औषध) की अंतरवस्तु में वृद्धि करने पर आनुवंशिक अभियांत्रिकी एवं जैव प्रौद्योगिकी हेतु अंतर्राष्ट्रीय केंद्र (आईसीजीईबी), नई दिल्ली और जामिया हमदर्द, नई दिल्ली में संयुक्त रूप से चल रही एक परियोजना का समर्थन किया है। इसके अतिरिक्त, डीबीटी ने मधुमेह, डेंगू, मलेरिया, चिकिनगुनिया, कैंसर, यूरोलोथिएसिस, लीशमीनियासिस, श्वसन दमा, त्वचा और घाव संक्रमण इत्यादि जैसे विभिन्न रोग खंडों में औषधीय पादपों से औषध विकसित करने हेतु अनेक परियोजनाओं का समर्थन किया है।

विवरण-II

नए विकसित औषधों, विकास चरण के अंतर्गत नए औषध और शास्त्रीय एएसयू एंड एच औषधों की संख्या जिसकी सुरक्षा, प्रभावकारिता और विवेकशील प्रयोग पर अनुसंधान और साक्ष्य सृजन आरंभ किया गया है

(क) केंद्रीय आयुर्वेदीय विज्ञान अनुसंधान परिषद

I. विकसित की गई नवीन जड़ी-बूटीय-औषधें (आयुर्वेद औषधि):- कुल संख्या-11

क्र.सं.	विकसित की गई नवीन जड़ी-बूटीय औषधें	रोग/लक्षण/उपयोग
1.	आयुष-64	मलेरिया
2.	आयुष-82	टाईप डायबिटीज मेलिटस 2
3.	बाल रसायन	बच्चों में सामान्य रोध प्रतिरोधक क्षमता बढ़ाने हेतु
4.	आयुष छुट्टी	कास एवं प्रतिसाय
5.	आयुष-56	अपस्मार
6.	आयुष -एस.एस. ग्रेनुल्स	प्रसव पश्चात देखभाल (स्तन पान को बढ़ाने हेतु)
7.	आयुष ए.जी. टेबलेट	प्रसव पूर्व देखभाल
8.	आयुष पी.के. अवलेह	प्रसव पश्चात देखभाल (प्रसव पश्चात देखभाल व प्रसूतिकाल की अन्य जटिलताओं में)
9.	आयुष पी.जी. टेबलेट	प्रसव पूर्व देखभाल
10.	आयुष बी.बार. लेहम	शिशु देखभाल
11.	आयुष एस.जी.	संधिशोथ रोधी संपाक

II. विकासशील नवीन जड़ी-बूटीय औषधें (आयुर्वेद औषधि):- कुल संख्या-13

क्र.सं.	विकासशील नवीन जड़ी-बूटीय औषधें	रोग/लक्षण/उपयोग
1	2	3
1.	आयुष मानस	मानस मंदता
2.	आयुष क्यूओएल 2-सी	कैंसर से पीड़ित रोगियों में जीवन गुणवत्ता में सुधार हेतु
3.	आयुष रसायन ए व बी	वृद्धावस्था स्वास्थ्य
4.	सी-1 तैल	घाव भरना
5.	आयुष पीजे 7	डेंगू
6.	आयुष डी	मधुमेह
7.	आयुष ए	जीर्णकास

1	2	3
8.	आयुष एसएल	फाइलेरिएसिस
9.	कर्कटोल-एस	ओवेरियन कैंसर
10.	कूटिकृत आयुर्वेदिक औषधि	एंटी ट्युबर्क्युलर उपचार के साथ हिपेटो-प्रोटेक्टिव गतिविधि
11.	कूटिकृत आयुर्वेदिक औषधि	नॉन एल्कोहोलिक फैटी लीवर डिजीज (एनएएफएलडी)
12.	आयुष के-1	जीर्ण वृक्क रोग
13.	आयुष एम	माइग्रेन

III. शास्त्रीय आयुर्वेदिक औषधों पर अनुसंधान (सुरक्षा प्रभावकारिता):- कुल संख्या-88

क्र. सं.	सुरक्षा व प्रभावकारिता के साक्ष्य बनाने के लिए शास्त्रीय आयुर्वेदिक औषधों पर अनुसंधान	रोग/लक्षण/उपयोग
1	2	3
1.	महात्रिफलाद्य घृत	एलर्जिक कंजक्टीवाइटिस
2.	महात्रिफलाद्य घृत	ड्राई आई सिंड्रोम (शुष्काक्षि पाक)
3.	व्याघ्री हरीतकी	तमक श्वास
4.	व्याघ्री हरीतकी	जीर्ण कास
5.	ब्राह्मी घृत	मानस मंदता
6.	ज्योतिष्मती तेल	
7.	व्योषादि गुगुलु	स्थौल्य
8.	हरीतकी चूर्ण	
9.	व्योषादि गुगुलु	डिसलिपिडिमिया
10.	हरीतकी चूर्ण	
11.	सप्तविमशतिक गुगुलु	टाइप-II मधुमेह मेलिटस
12.	हरिद्रा चूर्ण	
13.	अश्वगंधाद्यरिष्ट	उच्च रक्त चाप
14.	जटामांसी अर्क	
15.	सर्पगंधा वटी	
16.	बिलवादि लेह	इरिटेबल बवल सिंड्रोम (आईबीएस)

1	2	3
17.	पुनर्नवादि मंडूर	लौह न्यूनता जन्य रक्ताल्पता
18.	दाडिमादि घृत	
19.	अशोकारिष्ट	रजोनिवृत्ति सिंड्रोम
20.	अश्वगंधा चूर्ण	
21.	प्रवाल पिष्टि	
22.	पुनर्नवा गुगुलु	संधिवात
23.	दशमूल घृत	
24.	कोट्टमचुक्कादि तेल	
25.	लाक्षा गुगुलु	अस्थिसौषीर्य/अस्थिक्षय
26.	मुक्ताशुक्ति पिष्टि	
27.	सिंहनाद गुगुलु	आमवात
28.	बृहत सैंधवाद्य तेल	
29.	अश्वगंधादि लेह	रसायन
30.	रज:प्रवर्तिनी वटी	कष्टार्तव (डिसमेनोरिया)
31.	पिंड तेल	वातरक्त (गाउट) में हाइपरयूरिसिमिया
32.	अमृता गुगुलु	
33.	वज्रक घृत	किटिभ (सॉरायसिस)
34.	आरोग्यवर्धिनी वटी	
35.	दिनेशवलयादि तेल	
36.	निशा आमलकी चूर्ण (वटी)	टाइप II डाइबिटीज मेलिटस (मधुमेह)
37.	चंद्रप्रभा वटी	
38.	यशद भस्म	किटिभ (सॉरायसिस)
39.	त्रिफला चूर्ण	
40.	प्राणदा गुटिका	अर्श
41.	अभ्यारिष्ट	
42.	कांचनार गुगुलु (वटी)	पॉलीसिस्टिक ओवेरियन सिंड्रोम (पीसीओएस)
43.	रज:प्रवर्तिनी वटी	
44.	वरणादि कषाय	

1	2	3
45.	ब्रह्म रसायन	मानस मंदता
46.	ब्रह्म रसायन	रसायन
47.	वातारि गुगुलु	जानुगत संधिवात
48.	नारायण तेल	
49.	महारास्नादि कषाय	
50.	क्षीरबला तेल	
51.	वातारि गुगुलु	आमवात
52.	बृहत सैंधवाद्य तेल	
53.	रासनासप्तक कषाय	
54.	निशाकतकादि कषाय	मधुमेह
55.	यशद भस्म	
56.	योगराज गुगुलु	संधिवात
57.	गंधर्वहस्त तेल	
58.	धान्वंतर तेल	
59.	वासवलेह	जीर्ण कास
60.	कुटजारिष्ट	इरिटेबल बवल सिंड्रोम
61.	सारस्वत घृत	मानस मंदता
62.	वातारि गुगुलु	आमवात
63.	हिंगवाष्टक चूर्ण	
64.	बृहत सैंधवाद्य तेल	
65.	अश्वगंधा चूर्ण	अस्थिसौषीर्य/अस्थिक्षय
66.	प्रवाल पिष्टि	
67.	कनकासव	तमक श्वास
68.	त्रिवृत्त चूर्ण	
69.	च्वयनप्राश	रसायन
70.	कुष्मांडक रसायन	जीर्णकास
71.	नवायस चूर्ण	लौह न्यूनता जन्य रक्ताल्पता

1	2	3
72.	बृहत् गंगाधर चूर्ण	इर्रिटेबल बोवेल सिंड्रोम
73.	क्षीरबला तैल	जनरलाइज्ड एंक्जाइटी डिसआर्डर (जीएडी)
74.	मंडूकपर्णी चूर्ण टेबलेट	
75.	अश्वगंधा चूर्ण टेबलेट	
76.	महत्रिफलाद्य घृत	कंप्यूटर विजर सिंड्रोम
77.	अणु तैल	
78.	गौक्षुरादि गुग्गुलु	मधुमेह
79.	गुडूची चूर्ण	
80.	रुद्राक्ष चूर्ण	उच्च रक्तचाप
81.	पार्थाद्यरिष्ट (अर्जुनारिष्ट)	उच्च रक्तचाप
82.	सर्पगंधा वटी	
83.	व्योषादि गुग्गुलु	आमवात (रयुमेटॉयड आर्थराईटिस)
84.	पंचसम चूर्ण	
85.	पंचतिक्तगुग्गुलु घृत	सोरिएसिस
86.	बृहन्मरिच्याद्य तैल	
87.	कांचनार गुग्गुलु	युटेराईन फाईब्रोइड्स
88.	खदिरारिष्ट	

*विभिन्न रोग अवस्थाओं अथवा विभिन्न संयोजनों में कुछ औषधयोगों की पुनरावृत्ति हुई है।

(ख) केंद्रीय सिद्ध अनुसंधान परिषद

I. विकसित नई जड़ी-बूटीय औषधें-सिद्ध औषधः- कुल संख्या-1

क्र.सं.	विकसित नई जड़ी-बूटीय औषधें	रोग/लक्षण/उपयोग
1.	777 तेल	सोरायसिस

II. विकसित की जा रहीं नई जड़ी-बूटीय औषधें-सिद्ध औषधः- कुल संख्या-3

क्र.सं.	विकसित की जा रहीं नई जड़ी-बूटीय औषधें	रोग/लक्षण/उपयोग
1.	डी 5 -चूरन (पेटेंट पत्रिका में प्रकाशित)	मधुमेह
2.	जेएसीओएम	एच 1 एन 1 इन्फ्लूएंजा वायरस
3.	अकैल्यफा इंडिका-एल पर अनुसंधान	लौह ऑक्साइड के गहरे संश्लेषण

III. शास्त्रीय सिद्ध पर अनुसंधान (सुरक्षा प्रभावकारिता):- कुल संख्या-7

क्र.सं.	विकसित की जा रहीं नई जड़ी-बूटीय औषधें	रोग/लक्षण/उपयोग
1.	कुंथिरिक्का थैलम	घुटनों के जोड़ों का ऑस्टियोआर्थराइटिस
2.	नीलप्पनई चूरन	ओलिगोस्पर्मिया
3.	स्फपरंथस अमराथोइड्स	नेफ्रोप्रोटेक्टिव प्रभाव
4.	नुना कदुगु (आंतरिक दवा) और नुना थैलम (बाहरी दवा)	वेनपडै (विटिलिगो)
5.	सेन्गथारी एननै	एंटी-कैंसर गतिविधि
6.	मुदाक्कु वाध इलगम	घुटने जोड़ों के ओस्टियो गठिया
7.	सेमेकरपस एनाकार्डियम का वैज्ञानिक सत्यापन	मानकीकरण

(ग) केंद्रीय होम्योपैथी अनुसंधान परिषद

I नई विकसित जड़ी-बूटीय औषधियां (होम्योपैथी औषधियां):- कुल संख्या-13

क्र.सं.	विकसित की गई नई जड़ी-बूटीय औषधियां	रोग/लक्षण/उपयोग
1.	एसक्लेपियस क्यूरासैविका	कश्टार्तव, गुर्दे की पथरी
2.	ब्रसिका ओलेरेसिया	फुंसी
3.	बक्सस सेंपरविरन्स	रक्तप्रदर
4.	कार्डियोस्परमम हैलिककाबम	गंजापन
5.	कैसिया फिस्टुला	संधि शोथ, उदर शूल, अनिद्रा, टॉन्सिल की सूजन
6.	कुस्कटा रिफ्लेक्सिा	मसूड़ा शोथ
7.	सायनारा स्कोलिमस	संधि शोथ
8.	फोनिकुलम वलगेर	वायुविकार शोथ (साइनेसाइटिस)
9.	पर्सिया अमेरिकाना	मुहासे
10.	विथेनिया सोमनिफेरा	स्वसनी शोथ, नेत्र श्लेषमा शोथ
11.	कैसिया सोफेरा	दमा, संधि शोथ
12.	कर्कुमा लोंगा	मूत्रपथ संक्रमण, सिर चकराना
13.	ग्लाइसिरिझा ग्लाबरा	ऊपरी श्वसन पथ संक्रमण

II. विकसित की जा रही नई जड़ी-बूटीय औषधियां (होम्योपैथी औषधियां):- कुल संख्या-26

क्र.सं.	विकसित की गई नई जड़ी-बूटीय औषधियां	रोग/लक्षण/उपयोग
1.	एगेव अमेरिकाना	जठर शोथ
2.	एंड्रोगेरफिस पेनिकुलेटा	ग्रसनी शोथ
3.	अर्जिमोन मेक्सिकाना	खूनी दस्त, अपच, जठर शोथ
4.	बकोपा मोनियर	गर्दन संबंधी संधि शोथ
5.	क्लेरोडेन्ड्रोन इनफोचूयनेटम	खूनी दस्त
6.	सिलम एरोमाटिकस	बवासीर
7.	कोरनस सिरसिनेटा	नेत्र श्लेषमा शोथ
8.	टीनोस्पोरा कोर्डिफालिया	मौसमी ज्वर
9.	अजेडिरैक्टा इंडिका	त्वक शोथ
10.	कैलोट्रोपिस गिगंयि	मोटापा
11.	कैसिया फिस्टुला	संधि शोथ
12.	कर्कुमा लोंगा	मूत्रपथ संक्रमण
13.	साइनोडोन डक्टाइलोन	जठर शोथ
14.	ग्लाइकेरिझा ग्लाबरा	ऊपरी श्वसन पथ संक्रमण
15.	होलेरहिना एंटीडाइसेंट्रिका	खूनी दस्त
16.	टर्मिनालिया अर्जुना	छाती का दर्द
17.	टाइलोफोरा इंडिका	गला शोथ
18.	अमूरा रोहीतिका	तीव्र वायुविकार शोथ, ग्रसनी शोथ, तीव्र श्वसनी शोथ, ब्रोंकाइल अस्थमा
19.	एसक्लेपियस क्यूरासैविका	एलर्जिक नासिका प्रदाह, मुंहासे
20.	बक्सस सेंपरविरन्स	संधि शोथ, एलीर्जिक नासिका प्रदाह, टॉन्सिल की सूजन, भवासकश्ट, अतिसार, सिर चकराना
21.	सिजलपिनिया बोंडुसेला	विचर्चिका, तीव्र जठर शोथ
22.	कार्डिर्पोस्पेरमम हैलिककाबम	माइग्रेन, सिर चकराना
23.	साइनेरा स्कोलिमस	स्पोंडलाइटिस, अपच
24.	फोनिकुलम वलगेर	वायुविवर शोथ, अस्तिसंधि शोथ
25.	हाइग्रोफिला स्पाईनोसा	अर्टीकारिया पित्ती, तीव्र नासिका प्रदाह जठर शोथ
26.	पर्सिया अमेरिकाना	मुहांसे, संधि शोथ, तीव्र जठर शोथ

III. शास्त्रीय होम्योपैथी औषधियों पर अनुसंधान (सुरक्षा प्रभावकारिता):- कुल संख्या-41

क्र.सं.	विकसित की गई नई जड़ी-बूटीय औषधियां	रोग/लक्षण/उपयोग
1	2	3
1.	ड्रोसेरा	दमा
2.	ऐनाकारडियम	अपच
3.	कोलचिकम	अपच
4.	सिमिसीफ्यूगा	माइग्रेन
5.	स्पाइजेलिया	माइग्रेन
6.	एकोनाइट नेपैलस	तीव्र नासिका प्रदाह, तीव्र ट्रैकियो बोंकाइटिस, इंफ्लूएंजा जैसा रोग माइग्रेन
7.	एस्कुलेस हिप्पोकास्टेनम	बवासीर
8.	एथ्यूजा साइनेपियम	तीव्र दस्त संबंधी रोग
9.	एगैरिकस मस्केरियस	आंत्र शोथ
10.	एलो सोकोट्रिना	बवासीर
11.	अर्निका मोंटाना	फुंसी, इंफ्लूएंजा जैसा रोग
12.	बैपटिसिया टिंकटोरिया	इंफ्लूएंजा जैसा रोग
13.	बैलाडोना	तीव्र नासिका प्रदाह, एडीएचडी, महिलाओं में माहवारी बंद होने के समय के लक्षण, इंफ्लूएंजा जैसा रोग, माइग्रेन, गुर्दे की पथरी
14.	बरबैरिस वलगैरिस	फुंसी, गुर्दे की पथरी
15.	ब्रायोनिया अल्बा	तीव्र भवास रोग, गर्दन संबंधी संधि शोथ, आंत्र शोथ रोग इंफ्लूएंजा जैसा रोग, अपच, माइग्रेन
16.	कैमोमिला	तीव्र दस्त संबंधी रोग, तीव्र नासिका प्रदाह, तीव्र मध्यकर्ण शोथ, आंत्र शोथ, बवासीर
17.	चेलिडोनियम	गर्दन संबंधी संधि शोथ
18.	सिनकोना ऑफीसिनेलिस	महिलाओं में माहवारी बंद होने के समय के लक्षण, आंत्र शोथ, इंफ्लूएंजा जैसा रोग, अपच, माइग्रेन
19.	सिना	तीव्र मध्यकर्ण शोथ
20.	कोक्यूलस इंडिकस	महिलाओं में माहवारी बंद होने के समय के लक्षण
21.	कोलोसिंथ	गुर्दे की पथरी
22.	कोनियम मैकुलेटम	बीपीएच, गर्दन संबंधी संधि शोथ

1	2	3
23.	डल्कामारा	तीव्र नासिका प्रदाह, आंत्र शोथ, इंफ्लुएंजा जैसा रोग, दमा
24.	इचिनीसीया	फुंसी
25.	यूपेटोरियम पर्फोलियेटम	इंफ्लुएंजा जैसा रोग
26.	जैलसिमियम	इंफ्लुएंजा जैसा रोग, माइग्रेन
27.	हायोसाइमस	एडीएचडी
28.	इग्ने	तीव्र भवास रोग, बवासीर, अपच, माइग्रेन, अवसाद प्रकरण
29.	इपिकाक	तीव्र दस्त संबंधी रोग, आंत्र शोथ, दमा
30.	लाइकोपोडियम	तीव्र मध्यकर्ण शोथ, दमा, तीव्र भवास रोग, एडीएचडी, बीपीएच, गर्दन संबंधी संधि शोथ, डीडीएसपी, अपच, अवसाद प्रकरण, मधुमेह जनित पाद अल्सर, महिलाओं में महावारी बंद होने के समय के लक्षण, आंत्र, शोथ, बवासीर, एचआईवी, इंफ्लुएंजा जैसा रोग, गुर्दे की पथरी, पुराना वायु विवर शोथ
31.	नक्स वोमिका	तीव्र नासिका प्रदाह, तीव्र भवास रोग, गर्दन संबंधी संधि शोथ, पुराना वायु विवर शोथ, अवसाद प्रकरण, इंफ्लुएंजा जैसा रोग, महिलाओं में माहवारी बंद होने के समय के लक्षण, आंत्र शोथ, बवासीर, दमा, अपच, गुर्दे की पथरी, माइग्रेन
32.	पोडोफाईलम	तीव्र दस्त संबंधी रोग, बवासीर
33.	पल्सेटिला	तीव्र मध्यकर्ण शोथ, तीव्र नासिका प्रदाह, तीव्र भवास रोग, एडीएचडी, बीपीएच, अवसाद प्रकरण, आंत्र शोथ, एचआईवी, इंफ्लुएंजा जैसा रोग, पुराना वायु विवर शोथ, अपच, माइग्रेन, महिलाओं में माहावारी बंद होने के समय के लक्षण
34.	रहूयम	तीव्र दस्त संबंधी रोग
35.	रस टॉक्स	गर्दन संबंधी संधि शोथ, मधुमेह जनित स्नायु रोग, इंफ्लुएंजा जैसा रोग, मुंहासे
36.	सेबाईना	महिलाओं में माहावारी बंद होने के समय के लक्षण
37.	सेंग्यूनेरिया	पुराना वायु विवर शोथ
38.	स्टैंफाइसेग्रिया	बीपीएच
39.	स्ट्रामोनियम	दमा, गुर्दे की पथरी
40.	थ्यूजा ऑक्सीडेंटेलिस	पुराना वायु विवर शोथ, बवासीर, मुंहासे, माइग्रेन
41.	वेरेट्रम एल्बम	आंत्र शोथ

(घ) केंद्रीय यूनानी चिकित्सा अनुसंधान परिषद

I. नई विकसित जड़ी-बूटीय औषधें (यूनानी):- कुल संख्या-35

क्र.सं.	नई विकसित जड़ी-बूटीय औषधों	रोग/लक्षण/उपयोग
1	2	3
1.	जैडएन 5	जीकुन नफस (दमा)
2.	कैप्सूल हाबीस	नजफुदम (रक्त स्राव)
3.	कैप्सूल मुबारक	हुम्मा (बुखार)
4.	कैप्सूल नजला	नजला-ए-हार (खांसी)
5.	कुर्स मफासिल	वजा-उल-मफासिल (रूमेटाइड अर्थराइटिस)
6.	कैप्सूल हुदार	वजा-उल-मफासिल (रूमेटाइड अर्थराइटिस)
7.	कुर्स मुलय्यन	कब्ज (कोनस्टिपेशन)
8.	कैप्सूल दीदान	दीदान-ए-अमा (कृमि रोग)
9.	यूनिम-2002	नजफुदम (रक्त स्राव)
10.	यूनिम-2004	हुम्मा (बुखार)
11.	यूनिम-2005	नजला-ए-हार (खांसी)
12.	यूनिम-2012	वजा-उल-मफालिस (रूमेटाइड अर्थराइटिस)
13.	यूनिम-2003	वजा-उल-मफालिस (रूमेटाइड अर्थराइटिस)
14.	यूनिम-2013	कब्ज (कोनस्टिपेशन)
15.	यूनिम-2001	दीदान-ए-अमा (आंतों के कीड़े)
16.	यूनिम-2006	शकीका (माइग्रेन)
17.	यूनिम-2007	सुदा (सर का दर्द)
18.	यूनिम-2008	कब्ज (कोनस्टिपेशन)
19.	यूनिम-2009	अमराज-ए-जिल्द (चर्म रोग)
20.	यूनिम-2010	इसहाल, जहीर (दस्त, पेचिश)
21.	यूनिम-2011	हैजा (कॉलरा)
22.	यूनिम-2014	जोफ-ए-आजा-ए-रड्सा (सामान्य दुर्बलता)
23.	यूनिम-2015	अमराज-ए-जिल्द (चर्म रोग)

1	2	3
24.	यूनिम-2016	सुआल (खांसी)
25.	यूनिम-2017	जोफ-ए-इश्तिहा (भूख का कम लगना)
26.	यूनिम-005	बर्स विटिलिगो
27.	यूनिम-001	
28.	यूनिम-304	वजा-उल-मफासिल (संधिवात गठिया)
29.	यूनिम-115	वरम-ए-कबिद (विषक्त यकृत शोथ)
30.	यूनिम-105	
31.	यूनिम-152	हुम्मा अल जामिया (मलेरिया)
32.	यूनिम-251	दा उल फील (फाइलेरियासिस)
33.	यूनिम-701	कुर्रा-ए मेदा (पेट का अल्सर)
34.	यूनिम-104	तशहुम कबिद (वसा-यकृत)
35.	यूनिम-353	जीक-उन नफस (दमा)

II. विकसित की जा रही नई जड़ी-बूटीय औषधें (यूनानी औषधें):- कुल संख्या-11

क्र.सं.	विकसित की जा रही नई जड़ी-बूटीय औषधें	रोग/लक्षण/उपयोग
1.	यूनिम-001	बर्स (विटिलिगो)
2.	यूनिम-003	बर्स (विटिलिगो)
3.	यूनिम-221	जियाबितुस बुकरी किस्म-ए सान (डायबिटिज मेलीटस-2)
4.	यूनिम-904	जुक्त (एसेंशियल हाइपरटेंशन) दम कवा लाजमी-उल
5.	खमीरागावजबां-ए-	जोफ-ए-दिमाग (सेरेब्रास्थीनिया)
6.	जवारिश कमुनी	हमूजत ए मेदा (हाइपर ऐसिडिटी)
7.	खमीरा आबरेशम सादा	खफ्कान (पैल्पिटेशन)
8.	जवारिश अनारैन	जोफ-ए-मेदा (फंकशलन डिस्पैप्सिया)
9.	अर्कहराभरा-ए-	दिक्क-ए-रेवी (पल्मनेरी यक्ष्मा)
10.	कुर्स तबाशीर सरतानी	दिक्क-ए-रेवी (पल्मनेरी यक्ष्मा)
11.	मरहम दखालियून	कुर्रा उनुकूर-ए-रेहम (सरवाइकल इरोजन)

III. शास्त्रीय यूनानी औषधों पर (सुरक्षा प्रभावकारिता) अनुसंधानः- कुल संख्या-73

क्र.सं.	विकसित की जा रही नई जड़ी-बूटिय औषधें	रोग/लक्षण/उपयोग
1	2	3
	सम्पूर्ण कर लिया है	
1.	शर्बत-ए-फौलाद	सूल किनीया (एनिमीया)
2.	माजून-ए-उशबा	बुसूर जिल्द (फोड़े और फुंसी)
3.	अर्क-ए-मुराक्कब मुसफ्फि खून	
4.	हब्ब-ए-पपीता,	कसरत-ए-रतुबत-ए-हमूजी (हाईपर एसिडिटी)
5.	जवारिश आमला	
6.	हब्ब-ए-रसोट	बवासीर-ए-दामीया (हेमोराइड)
7.	हब्ब-ए-मुकील,	
8.	माजून-ए-मुकील और	
9.	मरहम-ए-सईदा चोब नीम वाला	
10.	सफूफ-ए-मुगल्लिज मनी,	सुरत-ए-इंजाल (प्रिमेचियोर ईजेक्यूलेशन)
11.	माजून अरद खुर्मा और	
12.	हब्ब-ए-इक्सीर	
13.	माजून सूरंजान,	वजा उल मफासिल (रूमेटोइड अर्थराईटिस)
14.	सफूफ-ए-सूरंजान,	
15.	रौगन-ए-सूरंजान	
16.	सफूफ-ए-जहीर	जहीर (डाइसेंटरी)
17.	माजून निस्यान	निसयान (एमनेशिया)
18.	रौगन-ए-सूरंजान	वजा-उल-मफासिल (जोड़ों का दर्द)
19.	हब्ब-ए-सूरंजान	
20.	हब्ब-ए-शिफा	नजला-ए- हार (जुकाम)
21.	कुश्ता खुब्स उल हदीद	सेलान-उर-रेहम (ल्यूकोरिया)
22.	हब्ब-ए-मरवरीद	
23.	दवाऊल मिस्क मोतादिल सादा	खफ्कान (पेल्पिटेशन)
24.	जवारीश कमूनी	सु-ए-हज्म (डिसपेप्सिया)

1	2	3
25.	अर्क बादियान	सु-ए-हज्म (डिसपेप्सिया)
26.	शर्बत जूफा मुरक्कब	सुआल रतब (प्रोइक्टिव कफ)
27.	शर्बत एजाज	सुआल याबिस (सूखी खांसी)
28.	रौगन इक्सीर	सुदा (सिरदर्द)
29.	रौगन इक्सीर	वजा उल असनान (दांत का दर्द)
30.	जरुर कथ	कुला (स्टोमेटाईटिस)
31.	कुर्स असफार	शरा मुजमिन (पुरानी पित्ती)
32.	शर्बत तूत सियाह	वरम हलक (फेरिनजाईटिस)
33.	इत्रिफल शाहतरा	बुसूर जिल्द (फोड़े और फुंसी)
34.	शर्बत उन्नाब	
35.	माजून जोगराज गुग्गल	वजा-उल-मफासिल (रूमेटोइड अर्थराईटिस)
36.	रौगन मल्कंगनी	
37.	कुश्ता खुब्स उल हदीद	
38.	हब्ब-ए-मरवारीद	सलान-उर-रेहम (ल्यूकोरिया)
39.	माजून सुपारी पाक	
40.	कुर्स-ए-दीदान	दीदान-ए-अमा (हेल्मिंथियासिस)
41.	माजून-ए-सूरंजान	निकरस (गठिया)
42.	हब्ब-ए-अजाराकी	
43.	दवाउल मिस्क मोतादिल सादा	खफ्कान (पेल्पिटेशन)
44.	कुर्स-ए-जियाबेतुस खास	जियाबेतुस (डाईबिटीज मेलाईटिस टाइप-II)
45.	इत्रिफल शाहतरा	
46.	मर्हम-ए-खारिश	जरब (स्केबीज)
47.	आब-नीम	
48.	सफूफ हजुल यहूद	हिसातुल कुल्लिया (नेफ्रोलिथियासिस)
49.	सफूफ पत्थर फोडी	
50.	शर्बत-ए-बजूरी मोतादिल	हिसातुल कुल्लिया (नेफ्रोलिथियासिस)
51.	जवारिश ऊद शीरीन	जोफ ई इश्तिहा (एनोरेक्सिया)

1	2	3
52.	हब्ब-ए-तुर्श मुशतही	जोफ ई इश्तिहा (एनोरेक्सिया)
53.	शर्बत-ए-बेलगीरी	जहीर (डाइसेंटरी)
54.	दमवी	सु- उल-किनिया (एनीमिया)
55.	माजून मुकव्वी-ए-दिमाग	निसायान (एमनेशिया)
56.	इत्रिफल फौलादी	सु- उल-किनिया (एनीमिया)
57.	हब्ब-ए-सूरंजान	वजा-उल-मफासिल (रूमेटोइड अर्थराईटिस)
58.	हब्ब-ए-तिंकर	जोफ ई इश्तिहा (एनोरेक्सिया)
59.	हब्ब-ए-बवासीर अम्या	बावेसर अम्या (नोन ब्लीडिंग पाइल्स)
60.	इत्रिफल मुलय्यन	सुदा (सिरदर्द)
61.	इत्रिफल जमानी	नजला मुजमिन (क्रोनिक राइनो-साइनोसाईटिस)
62.	जवारिश-ए-बिस्बासा	समन-ए-मुफरित (सेंट्रल ओबिसिटी)
63.	जवारिश-ए-जंजबील	जोफ ई इश्तिहा (एनोरेक्सिया)
64.	खमीरा-ए-आबरेशम सादा	खफ्कान (पेल्पिटेशन)
65.	माजून-ए-राहुल मोमिनीन	जीक-उन-नफस (ब्रोंकायल अस्थमा)
66.	माजून-ए-पियाज	सुरत-ए-इंजाल (प्रिमेचियोर ईजेक्यूलेशन)
67.	कुर्स-ए-हाबिस	कसरत-ए-तम्स (हैवी मेंस्टुअल ब्लीडिंग)
68.	सफूफ-ए-तीन	जहीर (डाइसेंटरी)
69.	सुनून-ए-मुखिज-ए-रुतूबत	लिस्सा-ए-दामीया (ब्लीडिंग गम्स)
70.	रौगन-काहू	सहर (इन्सोम्निया)
71.	खमीरा-ए-बनफशा	सुआल रतब (प्रोड्क्टिव कफ)
72.	लऊक-ए-ख्यारशम्बर	नजला (कामन कोल्ड)
73.	जवारिश-ए-अनारैन	गसियान (मतली)

चिकित्सा महाविद्यालयों में प्रवेश

***149. श्री विनसेंट एच. पाला:** क्या **स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) शैक्षणिक सत्र 2018-19 हेतु प्रवेश दे रहे मान्यता प्राप्त तथा गैर-मान्यता प्राप्त चिकित्सा महाविद्यालयों की राज्य/संघ राज्य क्षेत्र-वार संख्या कितनी है;

(ख) उन विद्यार्थियों की संख्या कितनी है जिन्होंने राष्ट्रीय पात्रता-सह-प्रवेश परीक्षा उत्तीर्ण की है और जिनके प्रवेश लिए जाने की संभावना है किंतु वे इन महाविद्यालयों में उपरोक्त सत्र के लिए प्रवेश नहीं ले सकते;

(ग) विद्यार्थियों से 15 लाख रुपए प्रतिवर्ष से अधिक की राशि लेने वाले चिकित्सा महाविद्यालयों के क्या नाम हैं; और

(घ) विगत एक वर्ष के दौरान भारतीय चिकित्सा परिषद् द्वारा राज्य/संघ राज्य क्षेत्र-वार कितने चिकित्सा महाविद्यालयों की मान्यता समाप्त की गई है?

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री (श्री जगत प्रकाश नड्डा): (क) 432 चिकित्सा कॉलेज 59,930 एमबीबीएस सीटों पर दाखिला दे रहे हैं। कॉलेजों का राज्य/संघ राज्य क्षेत्र-वार ब्यौरा संलग्न विवरण में दिया गया है।

(ख) केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड (सीबीएससी) द्वारा दी गई सूचना के अनुसार 7,14,562 उम्मीदवारों को एनईईटी (स्नातक) - 2018 में योग्य घोषित किया गया है। योग्य उम्मीदवारों में से 6,54,632 उम्मीदवार 2018-19 सत्र में प्रवेश नहीं ले सकेंगे क्योंकि वर्ष 2018-19 हेतु सरकारी और निजी कॉलेजों दोनों में कुल 59,930 सीटें ही उपलब्ध हैं।

(ग) सरकारी चिकित्सा कॉलेजों के मामले में, शुल्क के निर्धारण के लिए संबंधित राज्य सरकार जिम्मेदार हैं और निजी गैर-सहायता प्राप्त चिकित्सा कॉलेजों के मामले में शुल्क संरचना का निर्धारण माननीय भारत के उच्चतम न्यायालय के निर्देशों के अनुपालन में संबंधित राज्य सरकार द्वारा उच्च न्यायालय के एक सेवानिवृत्त न्यायाधीश की अध्यक्षता में गठित समिति द्वारा किया जाता है। यह निर्णय लेना समिति का कार्य है कि किसी संस्थान द्वारा प्रस्तावित शुल्क न्यायोचित है अथवा नहीं और समिति द्वारा निर्धारित शुल्क संस्थान पर बाध्यकारी होता है। देश भर में विभिन्न चिकित्सा कॉलेजों द्वारा एकत्रित शुल्क से संबंधित सूचना केंद्रीय स्तर पर नहीं रखी जाती है।

(घ) पिछले एक वर्ष के दौरान, निरंतर कमियों को देखते हुए, भारतीय चिकित्सा परिषद (एमसीआई) ने आईएमसी अधिनियम, 1956 की धारा 19 के अंतर्गत महाराष्ट्र राज्य में एक चिकित्सा कॉलेज की मान्यता वापस लेने की सिफारिश की थी।

विवरण

चिकित्सा कॉलेजों का राज्य/संघ राज्यक्षेत्र-वार ब्यौरा

क्र. सं.	राज्य/संघ राज्य क्षेत्र	कॉलेजों की संख्या (मान्यता प्राप्त और मान्यता दिए जाने वाले, दोनों)
1	2	3
1.	आंध्र प्रदेश	27
2.	अंडमान और निकोबार द्वीपसमूह	1
3.	असम	6
4.	अरुणाचल प्रदेश	1
5.	बिहार	12
6.	चंडीगढ़	1
7.	छत्तीसगढ़	6
8.	दिल्ली	8
9.	गोवा	1
10.	गुजरात	25
11.	हरियाणा	9
12.	हिमाचल प्रदेश	7
13.	जम्मू और कश्मीर	4
14.	झारखंड	3
15.	कर्नाटक	52
16.	केरल	27
17.	मध्य प्रदेश	17
18.	महाराष्ट्र	49
19.	मणिपुर	2
20.	मेघालय	1
21.	मिजोरम	1
22.	ओडिशा	10
23.	पुदुचेरी	9
24.	पंजाब	8
25.	राजस्थान	18
26.	सिक्किम	1
27.	तमिलनाडु	45

1	2	3
28.	तेलंगाना	22
29.	त्रिपुरा	2
30.	उत्तर प्रदेश	35
31.	उत्तराखंड	5
32.	पश्चिम बंगाल	17
	कुल	432

[हिन्दी]

ई-अपशिष्ट का निपटान

***150. श्री विष्णु दयाल राम:** क्या **पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या समूचे देश में सभी विद्युत कंपनियों में निपटान योग्य जहरीला ई-अपशिष्ट भारी मात्रा में पड़ा हुआ है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या सरकार ने उक्त कंपनियों से पर्यावरण को नुकसान पहुंचाए बगैर ऐसे ई-अपशिष्ट का निपटान करने के लिए कहा है; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इस संबंध में विद्युत कंपनियों की क्या प्रतिक्रिया है?

विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्री पृथ्वी विज्ञान मंत्री तथा पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्री (डॉ. हर्ष वर्धन): (क) और (ख) देश में विद्युत कंपनियों द्वारा निपटाने योग्य प्रकृति के जहरीले ई-अपशिष्ट के जमा किए जाने के संबंध में मंत्रालय के पास सूचना उपलब्ध नहीं है। तथापि, विद्युत उत्पादन इकाइयों में विभिन्न कार्यावधि वाले इलेक्ट्रॉनिक तथा इलेक्ट्रिक उपकरणों को लगाया जाता है जो अपनी कार्यावधि पूरी होने के बाद ई-अपशिष्ट में बदल जाते हैं। ई-अपशिष्ट (प्रबंधन) नियम 2016 के वर्तमान उपबंधों के अनुसार, इलेक्ट्रॉनिक तथा इलेक्ट्रिकल उपकरणों के बड़े उपभोक्ता होने के नाते सभी विद्युत कंपनियां ई-अपशिष्ट को केवल अधिकृत पुनर्चक्रणकर्ताओं/भंजकों को सौंपकर निर्धारित तरीके से इनका निपटान करने के लिए बाध्य हैं। राष्ट्रीय हरित अधिकरण, प्रधान पीठ के निदेशों के अनुसरण में, केन्द्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड और दिल्ली प्रदूषण नियंत्रण समिति ने विद्युत वितरण कंपनियों की बीस संस्थापनाओं का संयुक्त रूप से निरीक्षण किया है और टाटा पावर देल्ही डिस्ट्रिब्यूशन लिमिटेड, मंगोलपुरी को छोड़कर कहीं भी ई-अपशिष्ट के किसी भंडार के होने की रिपोर्ट नहीं है।

(ग) और (घ) सरकार ने विद्युत कंपनियों को ई-अपशिष्ट के निपटान के लिए कोई विशिष्ट निदेश जारी नहीं किए हैं। तथापि, ई-अपशिष्ट के निपटान के लिए पर्यावरण की दृष्टि से अनुकूल प्रणालियां उपलब्ध कराने के लिए मार्च, 2016 में ई-अपशिष्ट (प्रबंधन) नियम, 2016 अधिसूचित किए गए थे। इन नियमों के उपबंधों में समर्पित विस्तारित उत्पादक दायित्व (ईपीआर), एकत्रण तथा पुनर्चक्रण को सुगमता प्रदान करने के लिए उत्पादक दायित्व संगठनों और ई-अपशिष्ट एक्सचेंजों की स्थापना, सुरक्षित निपटान के लिए इलेक्ट्रॉनिक उत्पादों के बड़े उपभोक्ताओं को विशिष्ट दायित्व सौंपना और अन्य उपाय शामिल हैं, जिनमें इलेक्ट्रॉनिक अपशिष्ट के एकत्रण तथा प्रणालीकरण के लिए इलेक्ट्रॉनिक तथा इलेक्ट्रिकल उत्पादों के उत्पादकों का दायित्व शामिल हैं। विद्युत कंपनियां इलेक्ट्रिकल तथा इलेक्ट्रॉनिक उपकरणों की बड़ी उपभोक्ता हैं। ई-अपशिष्ट प्रबंधन नियम, 2016 के उपबंधों के अनुसार ऐसी कंपनियों द्वारा रिकॉर्ड का रखरखाव किया जाना और संबंधित राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्डों को वार्षिक रिपोर्ट प्रस्तुत किया जाना अपेक्षित है।

चिकित्सा महाविद्यालय

***151. श्री लक्ष्मी नारायण यादव:**
श्रीमती रमा देवी:

क्या **स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार ने प्रत्येक तीन जिलों के लिये एक चिकित्सा महाविद्यालय की स्थापना करने का कोई नीतिगत निर्णय लिया है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है तथा उन जिलों की संख्या एवं नाम क्या हैं जहां जून, 2018 तक उक्त नीति के तहत नए चिकित्सा महाविद्यालयों की स्थापना की गई है; और

(ग) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं तथा इस पर सरकार की क्या प्रतिक्रिया है?

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री (श्री जगत प्रकाश नड्डा): (क) से (ग) यह मंत्रालय मौजूदा जिला/रेफरल अस्पतालों के साथ संबद्ध नए चिकित्सा कॉलेजों की स्थापना के लिए एक

केंद्रीय प्रायोजित योजना का कार्यान्वयन करता है। 24 नए चिकित्सा कॉलेजों की स्थापना के लिए इस योजना के चरण-II को आर्थिक कार्य संबंधी मंत्रिमंडल समिति ने 7 फरवरी, 2018 को आयोजित अपनी बैठक में मंजूरी दी है। योजना के चरण-II का उद्देश्य प्रत्येक 3 संसदीय निर्वाचन क्षेत्रों में एक चिकित्सा कॉलेज तथा प्रत्येक राज्य में एक सरकारी चिकित्सा कॉलेज की उपलब्धता सुनिश्चित करना है। इस योजना के अंतर्गत 8 राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों में 24 नए चिकित्सा कॉलेजों की आवश्यकता का पता लगाया गया है। योजना के अंतर्गत केंद्रीय सरकार तथा राज्यों के बीच निधि साझेदारी अनुपात पूर्वोत्तर/विशेष श्रेणी के राज्यों के लिए 90:10 तथा अन्य राज्यों के लिए 60:40 है। योजना के अंतर्गत एक चिकित्सा कॉलेज की स्थापना करने की कुल लागत 250 करोड़ रुपए है। राज्य सरकार से चैलेंज मोड में इन 24 नए चिकित्सा कॉलेजों के लिए स्थल का चयन करने का अनुरोध किया गया था। 24 चिकित्सा कॉलेजों में से, आज की तारीख तक 12 कॉलेजों को मंजूरी दी गई है। योजना के अंतर्गत अनुमोदित जिलों के लिए राज्य/संघ राज्य क्षेत्र सरकारों को 600 करोड़ रुपए की निधियां जारी की गई हैं। ब्यौरा संलग्न विवरण में दिया गया है।

विवरण

चरण-II के अंतर्गत अभिज्ञात 24 चिकित्सा कॉलेजों की सूची

(करोड़ रुपये में)

क्र. सं.	राज्य	राज्य सरकार द्वारा चयनित स्थान	वर्तमान स्थिति	अनुमोदित लागत	केंद्रीय अंश	जारी निधियां
1	2	3	4	5	6	7
1.	बिहार	1 सीतामढ़ी	-	250.00	150.00	
		2 झंझारपुर	-	250.00	150.00	
		3 सिवान	-	250.00	150.00	
		4 बक्सर	-	250.00	150.00	
		5 जमुई	-	250.00	150.00	
2.	झारखंड	6 कोडरमा	-	250.00	150.00	
		7 चाइबासा (सिंहभूम)	अनुमोदित	250.00	150.00	50.00
3.	मध्य प्रदेश	8 सतना	अनुमोदित	250.00	150.00	50.00
4.	ओडिशा	9 जाजपुर	-	250.00	150.00	
5.	राजस्थान	10 धौलपुर	अनुमोदित	250.00	150.00	50.00
6.	उत्तर प्रदेश	11 एटा	अनुमोदित	250.00	150.00	50.00
		12 हरदोई	अनुमोदित	250.00	150.00	50.00
		13 प्रतापगढ़	अनुमोदित	250.00	150.00	50.00
		14 फतेहपुर	अनुमोदित	250.00	150.00	50.00

1	2		3	4	5	6	7
		15	सिद्धार्थनगर (डोमरीयागंज)	अनुमोदित	250.00	150.00	50.00
		16	देवरिया	-	250.00	150.00	
		17	गाजीपुर	अनुमोदित	250.00	150.00	50.00
		18	मिर्जापुर	अनुमोदित	250.00	150.00	50.00
7.	पश्चिम बंगाल	19	बारासात	-	250.00	150.00	
		20	उलुबेरिया	-	250.00	150.00	
		21	आरामबाग	अनुमोदित	250.00	150.00	50.00
		22	झारग्राम	-	250.00	150.00	
		23	तामलुक	-	250.00	150.00	
8.	सिक्किम	24	गंगटोक	अनुमोदित	250.00	225.00	50.00

[अनुवाद]

कॉर्पोरेट सामाजिक दायित्व

***152. श्री हेमन्त तुकाराम गोडसे:**
श्री कृपाल बालाजी तुमाने:

क्या **कॉर्पोरेट कार्य मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार के पास उन कंपनियों का ब्यौरा है जो कॉर्पोरेट सामाजिक दायित्व (सीएसआर) के तहत निर्धारित धनराशि शिक्षा एवं स्वास्थ्य सुविधाओं हेतु व्यय करती हैं;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है तथा उन सरकारी उपक्रमों (पीएसयू) एवं निजी कंपनियों की संख्या कितनी है और विगत तीन वर्षों के दौरान स्वास्थ्य एवं शिक्षा संबंधी गतिविधियों तथा अन्य गतिविधियों पर उनके द्वारा कुल कितनी सीएसआर धनराशि व्यय की गई है और यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं;

(ग) क्या सरकार का विचार पीएसयू/निजी कंपनियों के द्वारा सीएसआर धनराशि के उपयोग को संस्थागत बनाने हेतु कोई प्रावधान करने का है, यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं;

(घ) क्या सरकार को पीएसयू/निजी कंपनियों/संस्थानों के द्वारा सीएसआर धनराशि का दुरुपयोग किए जाने अथवा कोई व्यय न किये जाने से संबंधित शिकायतें प्राप्त हुई हैं और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है तथा सरकार ने उनके विरुद्ध क्या कार्रवाई की है; और

(ङ) क्या सरकार पीएसयू/निजी कंपनियों के द्वारा सीएसआर के तहत धनराशि के समुचित उपयोग/गतिविधियों की निगरानी सुनिश्चित करने के लिए सीएसआर हेतु किसी विनियामक एवं निगरानी प्राधिकरण अथवा अधिकार प्राप्त समिति की गठन करने पर भी विचार कर रही है, यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं?

रेल मंत्री, कोयला मंत्री, वित्त मंत्री तथा कॉर्पोरेट कार्य मंत्री (श्री पीयूष गोयल): (क) और (ख) तुरंत पूर्ववर्ती वित्तीय वर्ष के दौरान 500 करोड़ या अधिक रुपये के निवल मूल्य या 1000 करोड़ या अधिक रुपये के कारोबार या 5 करोड़ या अधिक रुपये के निवल लाभ वाली प्रत्येक कंपनी सुनिश्चित करेगी कि कंपनी द्वारा तुरंत पूर्ववर्ती वित्तीय वर्षों के दौरान अर्जित औसत निवल लाभों का न्यूनतम 2% प्रत्येक वित्तीय वर्ष में कंपनी अधिनियम, 2013 की अनुसूची-VII में उल्लिखित क्षेत्रों या विषयों पर व्यय किया जाता है। ऐसी कंपनियों का विवरण संलग्न विवरण में दिया गया है जो सीएसआर के तहत अन्य कार्यकलापों सहित शिक्षा और स्वास्थ्य सुविधाओं पर निधि व्यय करती हैं।

(ग) से (ङ) अधिनियम की धारा 135 के अनुसार, सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों सहित प्रत्येक पात्र कंपनी के लिए सीएसआर कार्यकलाप करना अपेक्षित है और कंपनी के बोर्ड को सीएसआर कार्यकलापों की निगरानी का अधिकार दिया गया है। सरकार के समक्ष नियामक और निगरानी प्राधिकरण की स्थापना का कोई प्रस्ताव नहीं है। अधिनियम की धारा 135(5) के दूसरे परंतुक के अनुसार, यदि कोई कंपनी निर्धारित राशि व्यय करने में असफल रहती है, तो, कंपनी का बोर्ड राशि व्यय नहीं करने के कारणों का उल्लेख करेगा और इसका प्रकटीकरण बोर्ड की रिपोर्ट में करेगा। इसके अतिरिक्त, मंत्रालय में कंपनियों द्वारा सीएसआर के अनुपालन पर पर भी विभिन्न प्रश्न और शिकायतें प्राप्त होती हैं और जहां कहीं सीएसआर के प्रावधानों के उल्लंघन की सूचना दी जाती है, कंपनी रजिस्ट्रार अभिलेखों की उचित जांच के बाद ऐसी गैर-अनुपालक कंपनियों के विरुद्ध कार्रवाई प्रारंभ करते हैं। वित्तीय वर्ष 2014-15 के लिए, 254 कंपनियों के विरुद्ध अभियोजन की स्वीकृति दी गई, जिनमें से 33 कंपनियों ने प्रशमन के लिए आवेदन दायर किया है। इसके अतिरिक्त, मंत्रालय ने वित्तीय वर्ष 2015-16 से सीएसआर प्रावधानों के प्रवर्तन के लिए अप्रैल, 2018 में प्रायोगिक आधार पर केंद्रीकृत जांच एवं अभियोजन तंत्र की स्थापना की है।

विवरण

शिक्षा और स्वास्थ्य संबंधी गतिविधियों पर सीएसआर व्यय

क्र. सं.	वित्तीय वर्ष	शिक्षा/विकलांग/जीविका (करोड़ रुपये में)	स्वास्थ्य/भुखमरी/गरीबी और कुपोषण उन्मूलन/साफ पेयजल/स्वच्छता (करोड़ रुपये में)
1.	2014-15	3,021.47	2,382.27
2.	2015-16	4,689.81	4,330.21
3.	2016-17*	1,605.05	1,201.37

*30.11.2017 तक फाइलिंग की गणना की गई है।

पीएसयू और गैर-पीएसयू के सीएसआर व्यय का विवरण

क्र. सं.	वित्तीय वर्ष / कंपनी का प्रकार	2014-15		2015-16		2016-17	
		सीएसआर के लिए सूचित कंपनियों की संख्या	सीएसआर व्यय (करोड़ रुपये में)	सीएसआर के लिए सूचित कंपनियों की संख्या	सीएसआर व्यय (करोड़ रुपये में)	सीएसआर के लिए सूचित कंपनियों की संख्या	सीएसआर व्यय (करोड़ रुपये में)
1.	सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रम	315	2673.85	397	4163.09	132	1325.83
2.	अन्य कंपनियां	14629	6890.92	18787	9664.77	6154	3393.17
	कुल	14944	9564.77	19184	13827.86	6286	4719.00

*30.11.2017 तक फाइलिंग की गणना की गई है।

वित्त वर्ष 2014-15, 2015-16 और 2016-17 के लिए क्षेत्र-वार सीएसआर व्यय

सीएसआर व्यय (करोड़ रुपये में)

क्र.सं.	क्षेत्र	2014-15	2015-16	2016-17**
1.	स्वास्थ्य/भूखमरी, गरीबी और कुपोषण का निवारण/सुरक्षित पीने का पानी/स्वच्छता	2,382.27	4,330.21	1,201.37
2.	शिक्षा/विकलांगजन/जीविका	3,021.47	4,689.81	1,605.05
3.	ग्रामीण विकास	1,031.02	1,327.57	628.56
4.	पर्यावरण/पशु कल्याण/संसाधनों का संरक्षण	812.31	901.80	306.68
5.	स्वच्छ भारत कोष	94.52	323.24	89.35
6.	अन्य कोई निधि	272.58	322.63	137.70
7.	लैंगिक समानता/महिला सशक्तिकरण/वृद्धाश्रम/असमानता हटाना	172.63	331.50	122.60
8.	प्रधानमंत्री राष्ट्रीय राहत कोष	211.04	206.08	109.81
9.	खेलों को प्रोत्साहन	53.36	134.76	51.73
10.	विरासत कला और संस्कृति	113.62	114.90	49.64
11.	स्लम विकास क्षेत्र	101.07	13.60	1.97
12.	निर्मल गंगा कोष	4.64	32.52	22.97
13.	अन्य क्षेत्र (सशस्त्र सेनाओं को प्रौद्योगिकी इनक्यूबेटर और लाभ, प्रशासनिक ऊपरी खर्च तथा अन्य*)	1,294.24	1,099.24	391.57
	कुल (करोड़ रुपये में)	9,564.77	13,827.86	4,719.00

*निर्दिष्ट नहीं किया गया है।

**30.11.2017 तक फाइलिंग की गणना की गई है।

[हिन्दी]

जननी शिशु सुरक्षा कार्यक्रम का मूल्यांकन

***153. श्री ताम्रध्वज साहू:** क्या **स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार ने देश में विभिन्न स्तरों पर जननी शिशु सुरक्षा कार्यक्रम के कार्यान्वयन की समीक्षा की है/कोई मूल्यांकन किया है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इसके निष्कर्ष क्या हैं तथा उक्त समीक्षा/मूल्यांकन के दौरान ध्यान में आई कमियां क्या हैं; और

(ग) सरकार द्वारा कमियों को दूर करने एवं उन्हें रोकने हेतु क्या सुधारात्मक उपाय किये गए हैं/किए जा रहे हैं?

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री (श्री जगत प्रकाश नड्डा): (क) जननी शिशु सुरक्षा कार्यक्रम का सामान्य समीक्षा मिशन और राज्यों/केंद्रशासित प्रदेशों के साथ वीडियो कॉन्फ्रेंस सहित

आवधिक समीक्षा, क्षेत्रीय दौरों के माध्यम से नियमित रूप से निगरानी और मूल्यांकन किया जाता है। वर्ष 2013 और 2016 में चुनिंदा राज्यों में जेएसएसके पर एक स्वतंत्र मूल्यांकन आयोजित किया गया था। राष्ट्रीय प्रतिदर्श सर्वेक्षण संगठन भी अपने सर्वेक्षण के दौरान सार्वजनिक स्वास्थ्य सुविधाओं में बाल जन्म दर पर जेब से खर्च का आकलन करता है, जो जेएसएसके की सफलता का संकेतक है। इसके अलावा, एनएफएचएस भी सार्वजनिक स्वास्थ्य सुविधा केन्द्रों में प्रसव पर जेब से औसत खर्च का विवरण रखता है।

(ख) जेएसएसके के आकलन/समीक्षा के मुख्य निष्कर्ष नीचे उल्लिखित हैं:–

राष्ट्रीय प्रतिदर्श सर्वेक्षण संगठन के 71वें दौर की रिपोर्ट के अनुसार, ग्रामीण क्षेत्रों में बाल जन्म के लिए औसत चिकित्सा व्यय निरंतर मूल्यों पर सार्वजनिक स्वास्थ्य सुविधा केन्द्रों में वर्ष 2004 में 1,165 रुपये से घटकर वर्ष 2014 में 873 रुपये रह गया था। तुलनात्मक रूप से, निजी सुविधा केन्द्रों में औसत चिकित्सा व्यय वर्ष 2004 में 437 रुपये से बढ़कर वर्ष 2014 में 8128 रुपये हो गया है।

क्षेत्र दौरों/आकलनों से यह भी रेखांकित हुआ है कि:–

- दौरा किए गए सभी राज्यों ने राष्ट्रीय दिशानिर्देश के अनुसार जेएसएसके के तहत पात्रता को कार्य रूप दिया है।
- राज्य और जिला दोनों स्तर पर अधिकारियों के बीच योजना के अधिकारों के बारे में ज्यादातर राज्यों में सामान्य जागरूकता पूरी पाई गई। इसके अलावा, जेएसएसके योजना के तहत गर्भवती महिलाओं के अधिकारों के बारे में जागरूकता में सुधार हुआ है।
- अधिकांश राज्यों में दवाओं और उपभोग्य सामग्रियों की खरीद के लिए खरीद प्रणाली को सुव्यवस्थित किया गया है।
- सभी राज्यों में मुफ्त दवाओं, निदान, आहार, घर से सुविधा केन्द्र तक सुनिश्चित परिवहन के साथ ही घर पर वापस छोड़ने और रक्त की उपलब्धता में सुधार हुआ है।
- सभी राज्यों में सभी गर्भवती लाभार्थियों को मुफ्त ओपीडी और आईपीडी सेवाएं मुहैया कराई जाती हैं।

उपरोक्त समीक्षाओं और क्षेत्रीय दौरों से एक वर्ष की उम्र तक के बीमार शिशुओं की योजना के कवरेज में इतनी कमी पाई गई है कि जेएसएसके पर अधिक जागरूकता सृजन और आईईसी गतिविधियों की आवश्यकता है तथा जेएसएसके के लिए शिकायत निवारण तंत्र को भी मजबूत करने की आवश्यकता है।

(ग) भारत सरकार द्वारा जेएसएसके के प्रभावी कार्यान्वयन के लिए निम्नलिखित कदम उठाए गए हैं:–

- विशेष रूप से शिशुओं के लिए उपलब्ध सुविधाओं के लिए सार्वजनिक मीडिया और पारस्परिक संचार सहित सूचना शिक्षा और संचार (आईईसी) और व्यवहार परिवर्तन संचार (बीसीसी) रणनीतियों के माध्यम से योजना को लोकप्रिय बनाना।
- गर्भवती महिलाओं, बीमार नवजातों और शिशुओं के लिए टोल फ्री नंबर आधारित मुफ्त रेफरल परिवहन के लिए राष्ट्रीय एम्बुलेंस सेवाएं शुरू की गई हैं।
- स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय ने वर्ष 2014 में मां एवं बाल ट्रैकिंग सुविधा केंद्र (एमसीटीएफसी) की स्थापना की है। इसके हेल्प डेस्क एजेंटों के माध्यम से, केंद्र सेवा प्रदाताओं तथा मां और शिशु देखभाल सेवाओं प्रदाताओं से संपर्क करता है ताकि वे जेएसएसके, जेएसवाई जैसे विभिन्न कार्यक्रमों और पहलों पर उनकी प्रतिक्रिया प्राप्त कर सकें। मातृ एवं शिशु स्वास्थ्य सेवाओं और सरकारी योजनाओं का लाभ उठाने में डेटा सत्यापन, संवर्धन और सुविधा के लिए लाभार्थियों को 72.48 लाख से अधिक कॉल किए गए हैं।
- योजना के सुचारू कार्यान्वयन को सुविधाजनक बनाने के लिए जेएसएसके हेल्प डेस्क और शिकायत निवारण तंत्र शुरू किए गए हैं।

लघु और मध्यम उद्यम

***154. श्री दुष्यंत सिंह:** क्या **वित्त मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या मंत्रालय ने बैंकों के पुन:पूंजीकरण के पश्चात लघु और मध्यम उद्यमों (एसएमई) हेतु ऋण संबंधी मांग को प्रोत्साहित करने हेतु कोई कदम उठाए हैं;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं;

(ग) क्या मंत्रालय ने एसएमई हेतु ऋण सृजन पर विशेष ध्यान देने हेतु सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों (पीएसबी) के लिए कोई योजना बनाई है; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं?

रेल मंत्री, कोयला मंत्री, वित्त मंत्री तथा कॉर्पोरेट कार्य मंत्री (श्री पीयूष गोयल): (क) से (घ) सरकार द्वारा सरकारी क्षेत्र के बैंकों (पीएसबी) के पुनर्पूंजीकरण में सुधार पैकेज शामिल था। इस सुधार एजेंडा का लक्ष्य संवर्धित उपलब्धता तथा सेवा उत्कृष्टता (ईएएसई), विवेकपूर्ण तथा स्वच्छ उधार को सुनिश्चित करने के लिए सहक्रियाशील पद्धति को शामिल करना, बेहतर ग्राहक सेवा, अधिक ऋण उपलब्धता, सूक्ष्म लघु तथा मध्यम उद्यम (एमएसएमई) के लिए उद्यमी मित्र के रूप में पीएसबी एवं बेहतर अभिशासन था। इसमें, अन्य बातों के साथ-साथ, जीएसटी में पंजीकृत एमएसएमई के लिए अधिक कार्यशील पूंजी के लिए बोर्ड अनुमोदित नीति, समूह आधारित वित्तपोषण तथा वित्तीय प्रौद्योगिकियों के जरिए एमएसएमई के वित्तपोषण को संभव बनाना, एमएसएमई ऋण प्रस्तावों की समयबद्ध तथा स्वचलित प्रक्रिया, एकल एमएसएमई सम्पर्क अधिकारी, एमएसएमई के बिलों के भुगतान को सुविधाजनक बनाने के लिए सभी बैंकों का ट्रेड रिसीवेबल्स डिस्काउंटिंग सिस्टम (टीआरइडीएस) में पंजीकरण, प्रस्तावों के लिए धन की उपलब्धता तथा अधिक विश्वसनीयता के लिए एमएसएमई सहित सभी उधारकर्ताओं के हैंडहोल्डिंग के लिए क्रेडिट प्लस सेवाएं आदि शामिल हैं। सुधार एजेंडा से एमएसएमई के ऋण मांग में व्यापक वृद्धि होती है।

एमएसएमई की और सहायता करने के लिए सरकार ने 250 करोड़ रुपए तक टर्नओवर वाले सभी एमएसएमई के लिए कॉर्पोरेट कर को कम करके 25% कर दिया है। इसके अलावा, एमएसएमई क्षेत्र को औपचारिक बनाने के लिए प्रोत्साहित करने हेतु भारतीय रिजर्व बैंक ने बैंकों तथा गैर-बैंकिंग वित्तीय कंपनियों (एनबीएफसी) को जीएसटी के अंतर्गत अपंजीकृत एमएसएमई सहित 250 मिलियन रुपए तक की कुल ऋण सुविधा प्राप्त सभी एमएसएमई को 180 दिन से बकाया राशि मानदण्ड के अनुसार कुछेक शर्तों के अध्यधीन मानक आस्ति के रूप में अपने एक्सपोजर को वर्गीकृत करने की अनुमति दे दी है। भारतीय लघु उद्योग विकास बैंक (सिडबी) एमएसएमई को ऋण परामर्श तथा हैंडहोल्डिंग सेवाएं देने के लिए अक्तूबर 2017 से 525 प्रमाणित ऋण परामर्शदाताओं (सीसीसी) की सेवाएं ली हैं।

ट्रांसयूनियन सीआईबीआईएल तथा सिडबी माइक्रो (1 करोड़ रुपए से कम ऋण एक्सपोजर) तथा एसएमई (1 करोड़ रुपए से 25 करोड़ रुपए के बीच ऋण एक्सपोजर) के द्वारा तैयार एमएसएमई प्लस रिपोर्ट जून 2018 के अनुसार मार्च 2017 और मार्च 2018 के बीच वर्ष-दर-वर्ष आधार पर क्रमश: 22.2% और 12.8% की वृद्धि का पता चला है। एमएसएमई के ऋण में वर्ष-दर-वर्ष आधार पर मार्च 2018 में 9.27%, अप्रैल 2018 में 8.35%, मई 2018 में 8.39% की वृद्धि जारी है।

स्वास्थ्य संबंधी परियोजनाएं/योजनाएं

***155. श्री टी.जी. वंकेटेश बाबू:** क्या **स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) कर्नाटक सहित देश में कार्यान्वित की जा रही/चल रही केन्द्र द्वारा वित्तपोषित स्वास्थ्य परियोजनाओं/योजनाओं तथा धनराशि के आवंटन एवं उपयोग का परियोजना/योजना-वार एवं राज्य/संघ राज्य क्षेत्र-वार ब्यौरा क्या है;

(ख) क्या सरकार ने देश के ग्रामीण क्षेत्रों में विद्यमान स्वास्थ्य परिचर्या सुविधाओं और अवसंरचना के बारे में कोई सर्वेक्षण कराया है और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इसके निष्कर्ष क्या हैं;

(ग) क्या सरकार को इस बात की जानकारी है कि देश में डॉक्टरों की संख्या प्रति हजार जनसंख्या पर एक से भी कम है तथा ग्रामीण क्षेत्रों में यह अनुपात और अधिक खराब है; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और सरकार द्वारा इस संबंध में क्या सुधारात्मक उपाय किए गए हैं?

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री (श्री जगत प्रकाश नड्डा): (क) स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय की राज्य/संघ राज्य-वार निधियों के विवरण सहित देश में कार्यान्वित की जा रही मुख्य योजनाओं/परियोजनाओं का विवरण निम्नवत् है:-

1. **राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन:**

- ग्रामीण आबादी, विशेषकर वंचित समुदायों को पहुंच योग्य, किफायती और गुणवत्तापूर्ण स्वास्थ्य

परिचर्या उपलब्ध कराने के लिए 2005 में राष्ट्रीय ग्रामीण स्वास्थ्य मिशन (एनआरएचएम) प्रारंभ किया गया था। एनआरएचएम की मुख्य विशेषताओं में से एक में स्वास्थ्य संकेतकों में सुधार लाने हेतु किए जाने वाले क्रियाकलाप शामिल हैं। एनआरएचएम को 2013 राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन (एनएचएम) के तहत उसके एक उप-मिशन के रूप में राष्ट्रीय शहरी स्वास्थ्य मिशन (एनयूएचएम) के साथ एक दूसरे उप-मिशन के रूप में शामिल किया गया था।

- एनएचएम के तहत, भौतिक बुनियादी सुविधाओं, स्वास्थ्य मानव संसाधन, एम्बुलेंसों, निःशुल्क औषधि एवं नैदानिक, प्रधानमंत्री राष्ट्रीय डायलिसिस कार्यक्रम, गुणवत्ता आश्वासन, स्वास्थ्य और आरोग्य केंद्रों इत्यादि सहित, स्वास्थ्य प्रणाली के सुदृढ़ीकरण हेतु राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों को तकनीकी और वित्तीय सहायता उपलब्ध कराई जाती है।

- वित्तीय आबंटन अनंतिम हैं और वित्तीय वर्ष की समाप्ति के पश्चात धनराशि जारी नहीं की जाती।

अतः राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन के तहत पिछले तीन वित्तीय वर्षों अर्थात 2015-16 से 2017-18 तक राज्य-वार केंद्रीय रिलीज एवं व्यय (केंद्र + राज्य) संबंधी जानकारी निम्नवत् हैः

राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन के तहत वित्तीय वर्ष 2015-16 से 2017-18 तक जारी धनराशि एवं किए गए व्यय का राज्य-वार ब्यौरा

(करोड़ रुपये में)

क्र.सं.	राज्य	2015-16		2016-17		2017-18	
		रिलीज	व्यय	रिलीज	व्यय	रिलीज	व्यय
1	2	3	4	5	6	7	8
1.	अंडमान और निकोबार द्वीपसमूह	37.54	11.72	44.90	28.92	33.94	32.84
2.	आंध्र प्रदेश	659.04	1,105.70	629.55	1,287.04	875.06	1,463.74
3.	अरुणाचल प्रदेश	163.80	147.41	160.60	165.42	261.70	165.75
4.	असम	997.59	1,212.25	1,046.09	1,337.40	1,392.66	1,374.94
5.	बिहार	1,269.67	1,731.85	1,040.59	1,619.20	1,557.40	1,820.05
6.	चंडीगढ़	24.66	21.75	21.47	20.61	20.35	26.72
7.	छत्तीसगढ़	423.31	769.33	586.97	999.33	825.76	1,180.27
8.	दादरा और नगर हवेली	14.63	15.79	17.12	17.36	19.14	19.76
9.	दमन और दीव	10.66	10.14	11.53	10.24	10.67	10.63
10.	दिल्ली	176.56	150.05	241.98	155.15	268.39	249.12
11.	गोवा	17.30	25.44	26.13	37.38	26.07	40.08
12.	गुजरात	714.39	1,293.03	863.66	1,395.67	1,221.83	1,593.16

1	2	3	4	5	6	7	8
13.	हरियाणा	318.21	519.47	335.55	535.09	384.25	637.75
14.	हिमाचल प्रदेश	249.14	283.90	212.49	346.58	370.89	397.57
15.	जम्मू और कश्मीर	375.34	428.38	362.42	419.55	550.42	521.86
16.	झारखंड	423.93	602.61	454.64	633.54	735.99	753.03
17.	कर्नाटक	772.15	1,173.31	714.09	1,291.49	1,345.50	1,917.28
18.	केरल	315.35	644.09	452.36	744.98	586.52	934.60
19.	लक्षद्वीप	5.72	2.75	3.83	4.33	5.54	6.20
20.	मध्यप्रदेश	1,156.95	2,071.36	1,490.75	2,066.38	1,696.56	2,313.93
21.	महाराष्ट्र	1,142.64	1,791.17	1,252.55	1,804.67	1,707.60	2,192.88
22.	मणिपुर	115.19	108.55	79.07	81.40	163.05	102,15
23.	मेघालय	107.50	138.83	161.13	152.85	189.02	169.14
24.	मिजोरम	95.26	96.15	80.88	99.55	126.95	112.70
25.	नागालैंड	106.37	82.56	95.92	95.17	134.86	95.61
26.	ओडिशा	669.77	1,222.92	728.58	1,299.27	1,216.22	1,514.45
27.	पुदुचेरी	19.21	22.37	41.35	38.41	35.55	38.84
28.	पंजाब	305.97	660.24	292.55	695.31	483.74	639.53
29.	राजस्थान	1,329.48	1,840.75	1,234.18	1,734.34	1,615.29	1,885.55
30.	सिक्किम	41.54	51.23	41.72	50.62	55.40	43.48
31.	तमिलनाडु	1,110.31	1,650.45	788.68	1,852.90	1,293.97	2,285.56
32.	त्रिपुरा	238.39	220.87	343.47	360.85	662.42	711.04
33.	उत्तर प्रदेश	2,868.98	4,457.93	3,099.84	4,905.77	3,509.95	5,645.44
34.	उत्तराखंड	378.53	438.08	325.86	411.00	493.67	587.05
35.	पश्चिम बंगाल	971.36	1,499.47	755.60	1,863.33	1,232.81	2,154.34
36.	तेलंगाना	439.06	507.98	386.34	689.02	356.16	618.38
	कुल	18,065.50	27,009.89	18,424.43	9,250.11	5,465.28	34,255.42

टिप्पणी:

- उपर्युक्त जारी धनराशि केंद्रीय सरकार के अनुदान से संबंधित है तथा इनमें राज्य के हिस्सेदारी का अंशदान शामिल नहीं है।
- व्यय में केंद्र द्वारा जारी, राज्यों द्वारा जारी राशि की तुलना में किया गया व्यय तथा वर्ष के प्रारंभ में अप्रयुक्त शेष धनराशियां शामिल हैं। व्यय राज्य/संघ राज्य क्षेत्र द्वारा प्रस्तुत एफएमआर के अनुसार है, अत: अनंतिम है।

एनएचएम के तहत नए निर्माण कार्यों की स्थिति (31.03.2018 की स्थिति के अनुसार)

क्र. सं.	राज्य	स्वीकृत							पूरी हुई						
		डीएच	एसडीएच	सीएचसी	पीएचसी	एससी के अलावा अन्य	अनुसूचित जाति	कुल	डीएच	एसडीएच	सीएचसी	पीएचसी	एससी के अलावा अन्य	अनुसूचित जाति	कुल
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
1.	बिहार	0	0	0	65	403	3544	4012	0	0	0	65	12	1082	1159
2.	छत्तीसगढ़	0	0	0	22	0	437	459	0	0	0	0	0	320	320
3.	हिमाचल प्रदेश	3	18	26	216	2	409	674	3	14	13	100	2	115	247
4.	जम्मू-कश्मीर	8	24	0	63	4	195	294	4	10	0	29	4	140	187
5.	झारखंड	0	0	22	39	0	738	799	0	0	12	9	0	598	619
6.	मध्य प्रदेश	8	0	35	73	0	2426	2542	7	0	28	72	0	1337	1444
7.	ओडिशा	4	0	10	2	57	661	734	1	0	10	0	49	640	700
8.	राजस्थान	0	0	30	311	0	1304	1645	0	0	14	181	0	1011	1206
9.	उत्तर प्रदेश	6	0	74	33	0	6568	6681	2	0	50	27	0	5824	5903
10.	उत्तराखंड	8	10	2	3	0	0	23	2	2	0	0	0	0	4
11.	अरुणाचल प्रदेश	2	0	1	1	0	232	236	1	0	1	0	0	226	228
12.	असम	8	0	121	0	215	2876	3220	7	0	91	0	179	1946	2223
13.	मणिपुर	20	0	3	29	0	244	296	2	0	2	22	0	203	229
14.	मेघालय	0	0	0	6	0	126	132	0	0	0	5	0	120	125
15.	मिजोरम	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
16.	नागालैंड	0	0	9	19	0	217	245	0	0	9	19	0	141	169
17.	सिक्किम	0	0	2	2	0	13	17	0	0	2	2	0	12	16

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
18.	त्रिपुरा	0	0	0	25	0	406	431	0	0	0	14	0	360	374
19.	आंध्र प्रदेश	48	63	40	298	0	1017	1466	48	61	40	241	0	873	1263
20.	गोवा	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
21.	गुजरात	0	0	19	198	140	676	1033	0	0	19	194	116	580	909
22.	हरियाणा	0	0	22	78	0	245	345	0	0	21	75	0	216	312
23.	कर्नाटक	4	27	6	290	0	1359	1686	2	11	2	265	0	690	970
24.	केरल	17	19	117	29	101	0	283	16	19	9	22	89	0	155
25.	महाराष्ट्र	0	2	11	143	0	870	1026	0	2	10	90	0	851	953
26.	पंजाब	2	3	4	35	0	207	251	1	3	4	35	0	207	250
27.	तमिलनाडु	0	0	0	444	0	178	622	0	0	0	331	0	167	498
28.	तेलंगाना	0	0	0	93	562	0	655	0	0	0	91	515	0	606
29.	पश्चिम बंगाल	0	0	1	1	0	2827	2829	0	0	1	0	0	2408	2409
30.	अंडमान और निकोबार द्वीपसमूह	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
31.	चंडीगढ़	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
32.	दादरा एवं नगर हवेली	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
33.	दमन और दीव	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
34.	दिल्ली	1	0	0	6	0	0	7	0	0	0	6	0	0	6
35.	लक्षद्वीप	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
36.	पुदुचेरी	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	कुल	139	166	555	2524	1484	27,775	32643	96	122	338	1895	966	20067	23,484

एनएचएम के तहत पुनर्निर्माण/उन्नयन कार्यों की स्थिति (31.03.2018 की स्थिति के अनुसार)

क्र. सं.	संघ राज्यक्षेत्र	स्वीकृत							पूर्ण						
		डीएच	एसडीएच	सीएचसी	पीएचसी	अन्य अनुसूचित जाति में	अनुसूचित जाति	कुल	डीएच	एसडीएच	सीएचसी	पीएचसी	अन्य अनुसूचित जाति में	अनुसूचित जाति	कुल
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
1.	बिहार	25	22	399	0	73	2767	3286	25	19	209	0	57	1743	2053
2.	छत्तीसगढ़	408	36	1273	1110	0	0	2827	260	36	1072	900	0	0	2268
3.	हिमाचल प्रदेश	0	3	0	0	0	0	3	0	2	0	0	0	0	0
4.	जम्मू-कश्मीर	12	51	0	55	0	0	118	11	33	0	50	0	0	94
5.	झारखंड	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6.	मध्य प्रदेश	99	46	204	324	0	399	1072	74	41	191	304	0	350	960
7.	ओडिशा	520	27	606	127	280	1805	3365	394	25	406	102	219	1790	2936
8.	राजस्थान	191	40	631	1647	0	3120	5629	156	39	593	1404	0	3047	5239
9.	उत्तर प्रदेश	129	0	50	942	0	500	1621	100	0	50	942	0	482	1574
10.	उत्तराखंड	6	14	23	12	0	46	101	2	4	9	1	0	0	16
11.	अरुणाचल प्रदेश	87	0	132	220	0	152	591	81	0	125	220	0	137	563
12.	असम	37	12	113	25	465	1491	2143	26	1	109	19	455	1487	2097
13.	मणिपुर	37	1	118	73	0	127	356	37	1	114	70	0	35	257
14.	मेघालय	43	0	122	243	0	340	748	38	0	111	216	0	304	669
15.	मिजोरम	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
16.	नागालैंड	13	0	3	3	0	10	29	12	0	2	1	0	0	15
17.	सिक्किम	12	1	1	41	0	113	168	10	1	1	39	0	111	162
18.	त्रिपुरा	2	15	9	77	0	70	173	2	14	9	69	0	70	164

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
19.	आंध्र प्रदेश	0	23	102	0	0	0	125	0	23	102	0	0	0	125
20.	गोवा	11	2	10	34	4	19	80	8	2	6	16	2	4	38
21.	गुजरात	44	26	1091	190	28	73	1452	21	23	885	111	28	49	1117
22.	हरियाणा	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
23.	कर्नाटक	0	0	0	175	0	0	175	0	0	0	143	0	0	143
24.	केरल	34	46	9	2	27	0	118	29	44	9	1	24	0	107
25.	महाराष्ट्र	418	204	526	3593	0	3390	8131	332	196	503	3580	0	3390	8001
26.	पंजाब	22	29	123	225	0	253	652	22	29	123	178	0	253	605
27.	तमिलनाडु	313	216	332	1711	0	1094	3666	260	197	330	1678	0	1094	3559
28.	तेलंगाना	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
29.	पश्चिम बंगाल	176	185	249	336	0	0	946	174	184	249	336	0	0	943
30.	अंडमान और निकोबार द्वीपसमूह	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
31.	चंडीगढ़	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
32.	दादरा और नगर हवेली	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
33.	दमन और दीव	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
34.	दिल्ली	2	2	13	84	0	0	101	1	2	3	54	0	0	60
35.	लक्षद्वीप	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
36.	पुदुचेरी	21	0	23	0	0	0	44	29	0	23	0	0	0	52
	कुल	2662	1001	6162	11249	877	15,769	37,720	2104	916	5234	10,434	785	14,346	33,819

2. राष्ट्रीय शहरी स्वास्थ्य मिशन (एनयूएचएम)

राष्ट्रीय शहरी स्वास्थ्य मिशन (एनयूएचएम) को, समाज के मलिन और वंचित समुदायों पर ध्यान केंद्रित करने के साथ-साथ शहरी आबादी को उचित और गुणवत्ता पूर्ण प्राथमिक स्वास्थ्य परिचर्या सेवाएं उपलब्ध कराने हेतु अति महत्त्वपूर्ण राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन (एनएचएम) के तहत मंत्रिमंडल द्वारा 1 मई, 2013 को एक उप-मिशन के रूप में अनुमोदित किया गया था।

एनयूएचएम के तहत वित्तीय वर्ष 2013-14 से 2017-18 के लिए आबंटन, जारी धनराशि और किया गया व्यय

करोड़ रुपए में

कुल (2013-14 से 2017-18)

क्र.सं.	राज्य का नाम	केंद्रीय आवंटन	केंद्रीय रिलीज	व्यय
1	2	3	4	5
1.	अंडमान और निकोबार द्वीपसमूह	1.90	0.47	0.86
2.	आंध्र प्रदेश	364.43	251.76	228.99
3.	अरुणाचल प्रदेश	9.38	5.45	6.07
4.	असम	180.53	68.23	52.06
5.	बिहार	119.15	46.98	25.56
6.	चंडीगढ़	21.07	15.63	18.47
7.	छत्तीसगढ़	111.20	81.13	103.52
8.	दादरा और नगर हवेली	2.60	1.88	1.37
9.	दमन और दीव	1.57	0.29	0.11
10.	दिल्ली	300.69	226.58	191.47
11.	गोवा	6.74	2.67	3.81
12.	गुजरात	395.39	339.50	355.61
13.	हरियाणा	180.81	156.88	121.81
14.	हिमाचल प्रदेश	4.90	3.39	2.90
15.	जम्मू और कश्मीर	44.65	34.76	35.81
16.	झारखंड	72.32	36.24	17.96
17.	कर्नाटक	347.68	209.58	237.50

1	2	3	4	5
18.	केरल	127.73	95.12	121.31
19.	लक्षद्वीप	0.30	–	–
20.	मध्य प्रदेश	311.64	166.05	112.60
21.	महाराष्ट्र	896.42	490.57	262.39
22.	मणिपुर	18.40	6.21	3.11
23.	मेघालय	34.34	22.18	13.82
24.	मिजोरम	28.78	18.31	12.41
25.	नागालैंड	25.92	13.91	8.92
26.	ओडिशा	133.47	124.74	186.10
27.	पुदुचेरी	15.29	7.65	8.92
28.	पंजाब	148.83	117.96	149.58
29.	राजस्थान	199.11	162.31	257.76
30.	सिक्किम	7.48	3.01	2.02
31.	तमिलनाडु	450.87	364.24	584.81
32.	त्रिपुरा	39.33	12.42	4.24
33.	उत्तर प्रदेश	599.67	378.35	503.85
34.	उत्तराखंड	41.17	25.60	28.25
35.	पश्चिम बंगाल	492.40	282.29	310.29
36.	तेलंगाना	176.32	121.11	133.03
	कुल	5,912.48	3,893.44	4,107.25

टिप्पणी:

- संघ राज्य क्षेत्रों द्वारा पीआईपी प्रस्तुत न किए जाने के कारण वित्तीय वर्ष 2013-14 में अंडमान और निकोबार द्वीप समूह, चंडीगढ़, दादरा एवं नगर हवेली तथा दमन और दीव संघ राज्य क्षेत्रों को निधियां जारी नहीं की जा सकी थीं।
- संघ राज्य क्षेत्र द्वारा पीआईपी प्रस्तुत न किए जाने के कारण वित्तीय वर्ष 2014-15 में संघ राज्य क्षेत्र दमन और दीव को निधियां जारी नहीं की जा सकी थीं।
- वित्तीय वर्ष 2015-16 में उच्च अप्रयुक्त शेष निधियों के कारण अंडमान और निकोबार द्वीप समूह, संघ राज्य क्षेत्र दमन और द्वीप, गोवा, कर्नाटक, अरुणाचल प्रदेश, असम, सिक्किम, मेघालय, महाराष्ट्र और मणिपुर को निधियां जारी नहीं की जा सकीं।

एनयूएचएम के तहत वित्तीय वर्ष 2013-14 से 2017-18 के लिए आबंटन, जारी धनराशि और किया गया व्यय

करोड़ रुपए में

कुल (2013-14 से 2017-18)

क्र.सं.	राज्य का नाम	केंद्रीय आवंटन	केंद्रीय रिलीज	व्यय

- वित्तीय वर्ष 2016-17 में उच्च अप्रयुक्त शेष निधियों के कारण अंडमान और निकोबार द्वीप समूह, पश्चिम बंगाल, जम्मू एवं कश्मीर, बिहार और झारखंड को निधियां जारी नहीं की जा सकीं। वित्तीय वर्ष 2017-18 में उच्च अप्रयुक्त शेष निधियों के कारण, राजस्थान, बिहार, तेलंगाना, मध्य प्रदेश और झारखंड को निधियां जारी नहीं की जा सकीं।

3. चिकित्सा शिक्षा

3.1 मौजूदा जिला/रेफरल अस्पतालों से जुड़े नए चिकित्सा कॉलेजों की स्थापना:

चरण-I

इस योजना के तहत एक मेडिकल कॉलेज की स्थापना की कुल लागत 189 करोड़ रुपये है। इस योजना के तहत 20 राज्यों/केंद्रशासित प्रदेशों के 58 जिलों की पहचान की गई है। इनमें से अभी तक 57 का अनुमोदन हो चुका है। योजना के तहत अनुमोदित जिलों के लिए राज्य/संघ शासित प्रदेशों को 6281.70 करोड़ रुपये की निधियां जारी की गई हैं। 57 अनुमोदित मेडिकल कॉलेजों में से 19 कार्यात्मक हैं। जारी की गई निधियों का राज्य/केंद्र शासित प्रदेश-वार ब्यौरा **तालिका**-I में दिया गया है।

चरण-II

इस योजना के तहत एक मेडिकल कॉलेज की स्थापना की कुल लागत 250 करोड़ रुपये है। इसका उद्देश्य हर तीन संसदीय निर्वाचन क्षेत्रों में 1 चिकित्सा कॉलेज और देश के प्रत्येक राज्य में कम से कम एक सरकारी चिकित्सा कॉलेज की उपलब्धता सुनिश्चित करना है। इस योजना के तहत 8 राज्यों/केंद्रशासित प्रदेशों में 24 नए मेडिकल कॉलेजों की पहचान की गई है। इनमें से दिनांक 03.07.2018 की स्थितिनुसार, 12 चिकित्सा कॉलेजों को मंजूरी दे दी गई है। योजना के तहत अनुमोदित जिलों के लिए राज्य/संघ शासित प्रदेशों को 600 करोड़ रुपये की निधियां जारी की गई हैं। जारी की गई निधियों का राज्य/केंद्र शासित प्रदेशवार ब्यौरा **तालिका**-II में दिया गया है।

3.2 देश में एमबीबीएस सीटों में बढ़ोतरी के लिए मौजूदा राज्य सरकार/केंद्र सरकार के मेडिकल कॉलेजों का उन्नयन:

देश में सरकारी कॉलेजों में 10,000 एमबीबीएस सीटें सृजित करने के उद्देश्य से, स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय एमबीबीएस सीटों को बढ़ाने के लिए मौजूदा राज्य सरकार/केंद्र सरकार के मेडिकल कॉलेजों के उन्नयन के लिए केंद्र प्रायोजित योजना लागू कर रहा है। 2615 यूजी सीटों की बढ़ोत्तरी के लिए इस योजना के तहत 36 चिकित्सा कॉलेजों का अनुमोदन किया गया है। इस योजना के तहत अभी तक राज्य सरकारों को 1228.30 करोड़ रुपये की निधियां जारी की गई हैं। जारी की गई निधियों का राज्य/केंद्र शासित प्रदेशवार ब्यौरा **तालिका**-III में दिया गया है।

3.3 नए पीजी विषय शुरू करने और पीजी सीटों को बढ़ाने के लिए राज्य सरकार मेडिकल कॉलेजों को सुदृढ़ बनाना और उनका उन्नयन करना:

चरण-1

इस योजना का पहला चरण-XI योजना की अवधि में नई पीजी सीटों के सृजन के लिए राज्य/केंद्र सरकार मेडिकल कॉलेजों को सुदृढ़ और उन्नत करने के उद्देश्य से शुरू किया गया था। 4058 पीजी सीटों की बढ़ोत्तरी के लिए इस योजना के तहत 21 राज्यों/केंद्रशासित प्रदेशों में कुल 72 सरकारी मेडिकल कॉलेजों को मंजूरी दे दी गई है। अभी तक इस योजना के तहत 988.99 करोड़ रुपये की निधियां जारी की गई हैं। जारी की गई निधियों का राज्य/केंद्र शासित प्रदेशवार ब्यौरा **तालिका**-IV में दिया गया है।

चरण-2

देश में सरकारी कॉलेजों में 4000 पीजी सीटों के सृजन के

उद्देश्य से, स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय पीजी सीटों में बढ़ोत्तरी के लिए मौजूदा राज्य सरकार/केंद्र सरकार के मेडिकल कॉलेजों के उन्नयन के लिए केंद्र प्रायोजित योजना के चरण-II को कार्यान्वित कर रहा है।

तालिका-1: चरण-I – जिला/रेफरल अस्पतालों से जुड़े नए चिकित्सा कॉलेजों की स्थापना के लिए योजना के तहत राज्यों/केंद्र शासित प्रदेशों को जारी की गई निधियों का विवरण

(करोड़ रुपये में)

क्र. सं.	राज्य/केंद्र शासित राज्य	जिला	कुल राशि	केंद्रीय अंश 60% (पूर्वोत्तर के लिए 90%)	जारी की गई कुल निधियां
1.	अंडमान और निकोबार द्वीपसमूह	1	189.00	113.40	113
2.	अरुणाचल प्रदेश	1	189.00	170.10	152.5
3.	असम	4	756.00	680.40	492.97
4.	बिहार	3	567.00	340.20	108
5.	छत्तीसगढ़	2	378.00	226.80	216.8
6.	हिमाचल प्रदेश	3	567.00	510.30	485.51
7.	हरियाणा	1	189.00	113.4	88.05
8.	झारखंड	3	567.00	340.20	300
9.	जम्मू-कश्मीर	5	945.00	850.50	505
10.	मध्य प्रदेश	7	1323.00	793.80	700
11.	महाराष्ट्र	1	189.00	113.40	105
12.	मेघालय	1	189.00	170.10	126
13.	मिजोरम	1	189.00	170.10	165.1
14.	नागालैंड	1	189.00	170.10	76.03
15.	ओडिशा	5	945.00	567.00	558.6
16.	पंजाब	1	189.00	113.40	60
17.	राजस्थान	7	1323.00	793.80	791
18.	उत्तर प्रदेश	5	945.00	567.00	550.1
19.	उत्तराखंड	1	189.00	170.10	163.04
20.	पश्चिम बंगाल	5	945.00	567.00	525
	कुल	58	10962.00	7541.10	6281.70

तालिका-2: चरण-II – जिला/रेफरल अस्पतालों से जुड़े नए चिकित्सा कॉलेजों की स्थापना के लिए योजना के तहत राज्यों/केंद्र शासित प्रदेशों को जारी की गई निधियों का विवरण

(करोड़ रुपये में)

क्र. सं.	राज्य/केंद्र शासित राज्य	जिला अस्पतालों की संख्या	कुल स्वीकृत लागत	केंद्रीय अंश	जारी की गई कुल निधियां (आज तक)
1.	झारखंड	1	250	150	50
2.	मध्य प्रदेश	1	250	150	50
3.	राजस्थान	1	250	150	50
4.	सिक्किम	1	250	225	50
5.	उत्तर प्रदेश	7	1750	1050	350
6.	पश्चिम बंगाल	1	250	150	50
	कुल	12			600

तालिका-III: आज की तारीख तक चिकित्सा कॉलेजों की संख्या और देश में एमबीबीएस सीटों की बढ़ोत्तरी के लिए मौजूदा राज्य/केंद्र सरकार चिकित्सा कॉलेजों के उन्नयन के लिए केंद्र प्रायोजित योजनाओं के लिए राज्यों/केंद्र शासित प्रदेशों को जारी की गई निधियों और राज्य-वार सीटों की स्थिति

(करोड़ रुपये में)

क्र. सं.	राज्य/केंद्र शासित राज्य	चिकित्सा कॉलेजों की संख्या	स्वीकृत लागत लागत	केंद्रीय अंश (60%)	जारी की गई कुल निधियां
1.	आंध्र प्रदेश	3	180	108	80
2.	गुजरात	2	204	122.4	70.8
3.	मध्य प्रदेश	5	540	324	198
4.	ओडिशा	2	240	144	104.94
5.	पंजाब	2	120	72	72
6.	राजस्थान	4	420	252	148
7.	तमिलनाडु	4	414	248.4	152.56
8.	उत्तराखंड	1	60	54	26
9.	पश्चिम बंगाल	2	120	72	44
10.	मणिपुर	1	60	54	32
11.	कर्नाटक	9	660	396	276
12.	झारखंड	1	120	72	24
	कुल	36	3138	1918.8	1228.3

तालिका-IV: आज की तारीख तक पीजी विषयों को शुरू करने और पीजी सीटों में बढ़ोत्तरी के लिए राज्य सरकार मेडिकल कॉलेजों को सुदृढ़ बनाने और उन्नयन करने के लिए योजना के तहत राज्य/केंद्र शासित प्रदेशों को जारी की गई निधियों और राज्यवार सीटों की स्थिति

(करोड़ रुपये में)

क्र. सं.	राज्य/केंद्र शासित राज्य	स्वीकृत लागत लागत	केंद्रीय अंश	जारी की गई कुल निधियां (आज तक)
1.	असम	47.2	38.3454	36.1509
2.	आंध्र प्रदेश	122.409	82.6691	81.1053
3.	बिहार	74.425	50.4653	36.107
4.	छत्तीसगढ़	32.73	22.094	22.094
5.	चंडीगढ़	45.56	30.754	30.754
6.	गोवा	22.14	16.4941	16.07
7.	गुजरात	29.62	22.22	22.22
8.	हिमाचल प्रदेश	14.5	11.04	10.05
9.	जम्मू और कश्मीर	37.57	30.9985	30.9985
10.	झारखंड	44.01	30.303	24.49
11.	केरल	54.453	36.9621	36.9621
12.	मध्य प्रदेश	87.758	59.4254	52.4761
13.	महाराष्ट्र	345.7935	233.3881	219.0211
14.	ओडिशा	19.7	13.7374	10.1
15.	पंजाब	58.665	44	44
16.	राजस्थान	138.0815	103.69	103.54
17.	तेलंगाना	62.717	42.7506	25.565
18.	त्रिपुरा	24.55	19.4348	18.29
19.	उत्तर प्रदेश	55.09	40.5144	37.37
20.	उत्तराखंड	12.55	9.7626	7.65
21.	पश्चिम बंगाल	168.91	123.979	123.976
	कुल	1498.432	1063.0278	988.99

4. **प्रधान मंत्री स्वास्थ्य सुरक्षा योजना**

- मंत्रालय राज्य सरकार को सीधे निधि जारी नहीं करता है। मेडिकल उपकरणों हेतु और अधिप्राप्ति सहयोग एजेंसी (पीएसए) के लिए परियोजना प्रबंधन सलाहकार (पीएमसी)/कार्यकारी एजेंसियों (ईए) को मंत्रालय द्वारा निधियां जारी की जाती हैं।
- केंद्रीय वित्त पोषित स्वास्थ्य परियोजनाओं/स्कीमों के लिए जारी निधियों के साथ-साथ प्रधानमंत्री स्वास्थ्य सुरक्षा योजना के तहत आबंटित एवं जारी निधियों का राज्य/केंद्र शासित प्रदेश वार ब्यौरा नीचे दिया गया है:

क्र. सं.	राज्य	नए एम्स	राज्य सरकार चिकित्सा कॉलेजों/अस्पतालों का उन्नयन				
			चरण-I	चरण-II	चरण-III	चरण-IV	चरण-वी(क)
1	2	3	4	5	6	7	8
1.	आंध्र प्रदेश	मंगलगिरी (पीएच-IV)	एसवीआईएमएस, तिरुपति		एसएमसी, विजयवाड़ा जीएमसी, अनंतपुर		
2.	असम	गुवाहाटी (पीएच-V)			जीएमसी, गुवाहाटी एएमसी, डिब्रूगढ़		
3.	बिहार	पटना (पीएच-I) एम्स घोषित (पीएच-वी)			एसएमसी, मुजफ्फरपुर जीएमसी, दरभंगा	पीएमसीएच, पटना जीएमसी, भागलपुर जीएमसी, गया	
4.	छत्तीसगढ़	रायपुर (पीएच-आई)				जीएमसी, बिलासपुर, जीएमसी जगदलपुर	
5.	गोवा				जीएमसी, पणजी		
6.	गुजरात	गुजरात (पीएच-VI)	बीजेएमसी, अहमदाबाद		जीएमसी, राजकोट	जीएमसी, सूरत जीएमसी, भावनगर	
7.	हरियाणा			पीडीएसआईएमएस, रोहतक			
8.	हिमाचल प्रदेश	कोठीपुरा (पीएच-वी)		जीएमसी टांडा	आईजी जीएमसी, शिमला		

1	2	3	4	5	6	7	8
9.	जम्मू और कश्मीर	सांबा, जम्मू (पीएच-V) अवंतीपुर, कश्मीर (पीएच-वी)	जीएमसी, जम्मू जीएमसी, कश्मीर				
10.	झारखंड	देवघर (पीएच-VI)	आरआईएमएस, रांची		पीएमसी, धनबाद		
11.	कर्नाटक		बीएमसी, बैंगलोर		वीएमसी, बेल्लारी किम्स, हुबली		
12.	केरल		तिरुवनंतपुरम		एमसी, कोझिकोड टीडीएमसी, अलपुज्जा		एससीटीआईएमएसटी
13.	मध्य प्रदेश	भोपाल (पीएच-आई)			जीएमसी, रीवा एनएससीबी, एमसी, जबलपुर जीआरएमसी, ग्वालियर	जीएमसी, इंदौर	
14.	महाराष्ट्र	नागपुर (पीएच-4)	अनुदान, एमसी+ जेजे अस्पताल	जीएमसी, नागपुर	जीएमसी, औरंगाबाद जीएमसी, लातूर जीएमसी, अकोला एसवीके, जीएमसी, यवतमाल		
15.	ओडिशा	भुवनेश्वर (पीएच-I)			एमकेसीजी एमसी, बेहरमपुर वीएसएस एमसी, बुर्ला	जीएमसी, कटक	
16.	पंजाब	भटिंडा (पीएच-वी)		जीएमसी, अमृतसर	जीएमसी, पटियाला		

1	2	3	4	5	6	7	8
17.	राजस्थान	जोधपुर (पीएच-I)			एसपी एमसी, बीकानेर आरएनटी एमसी, उदयपुर जीएमसी, कोटा	जीएमसी, जयपुर	
18.	तमिलनाडु	घोषित (पीएच-वी)	जीएमसी, सेलम	जीएमसी, मदुरै	टीएमसी, तंजावुर टीएमसी, तिरुनेलवेली		
19.	तेलंगाना	एम्स, तेलंगाना के लिए वित्त मंत्रालय की सैद्धांतिक मंजूरी	एनआईएमएस, हैदराबाद		आरजी आईएमएस, आदिलाबाद केएमसी, वारंगल		
20.	त्रिपुरा				एएमसी, अगरतला		
21.	उत्तर प्रदेश	रायबरेली (चरण-2) गोरखपुर (चरण-4)	एसजीपीजीआई एमएस, लखनऊ आईएमएस, वाराणसी	जेएनएमसी, एएमयू, अलीगढ़	जीएमसी, झांसी जीएमसी, गोरखपुर एमएलएनएमसी, इलाहाबाद एलएलआरएमसी, मेरठ	जीएमसी, आगरा जीएमसी, कानपुर	आईएमएस, बीएचयू
22.	उत्तराखंड	ऋषिकेश (चरण-I)					
23.	पश्चिम बंगाल	कल्याणी (चरण-4)	केएमसी, कोलकाता		बीएस एमसी, बांकुरा जीएमसी, मालदा एनबीएमसी, दार्जिलिंग		
24.	दिल्ली					यूसीएमएस-जीटीबी अस्पताल	
		20 एम्स	13	06	39	13	2

कुल 21 एम्स और 73 सरकारी चिकित्सा कॉलेजों का उन्नयन किया जा रहा है।

पीएमएसएसवाई के विभिन्न चरणों के तहत सभी एम्स के लिए जारी निधियों का विवरण

क्र. सं.	राज्य	परियोजना का नाम	परियोजना की लागत (करोड़ रुपये में)	जारी निधियां (दिनांक 30.06.2018 की स्थितिनुसार) (करोड़ रुपये)
1.	आंध्र प्रदेश	एम्स, मंगलागिरि (चरण-IV)	1618.00	233.88
2.	असम	एम्स, गुवाहाटी (चरण-वी)	1123.00	5.00
3.	बिहार	एम्स, पटना (चरण-I)	820.00	723.65
4.	बिहार	एम्स घोषित (चरण-वी)		
5.	छत्तीसगढ़	एम्स, रायपुर (चरण-I)	820.00	724.33
6.	गुजरात	एम्स, गुजरात (चरण-VI)	1,200.00	शून्य
7.	हिमाचल प्रदेश	एम्स, बिलासपुर (चरण-V)	1351.00	10.00
8.	जम्मू	एम्स जम्मू (चरण-VI)		
9.	झारखंड	एम्स, झारखंड (चरण-VI)	1103.00	9.00
10.	कश्मीर	एम्स कश्मीर (चरण-VI)	-	90.84
11.	मध्य प्रदेश	एम्स, भोपाल (चरण-IV)	820.00	731.29
12.	महाराष्ट्र	एम्स, नागपुर (चरण-I)	1577.00	231.29
13.	ओडिशा	एम्स, भुवनेश्वर (चरण I)	820.00	747.56
14.	पंजाब	एम्स, बठिंडा (चरण-V)	925.00	128.22
15.	राजस्थान	एम्स, जोधपुर (चरण-I)	820.00	605.13
16.	तमिलनाडु	एम्स, तमिलनाडु (चरण-V)	1,200.00	शून्य
17.	तेलंगाना	एम्स तेलंगाना		
18.	पश्चिम बंगाल	एम्स, कल्याणी (चरण-IV)	1754.00	278.42
19.	उत्तर प्रदेश	एम्स, रायबरेली (चरण-II)	823.00	204.00
20.	उत्तर प्रदेश	एम्स, गोरखपुर (चरण-IV)	1011.00	98.34
21.	उत्तराखंड	एम्स, ऋषिकेश (चरण-I)	820.00	668.90
		कुल	18605.00	5489.85

पीएमएसएसवाई के चरण-I और II के तहत सरकारी चिकित्सा कॉलेजों के उन्नयन के संदर्भ में आबंटन और जारी केंद्रीय शेयर का विवरण

क्र. सं.	राज्य	चिकित्सा कॉलेज का नाम	शेयर/परिव्यय (करोड़ रुपए)			पीएमएसएसवाई डिवीजन द्वारा पीएमसी/ईए/ पीएसए*** के लिए जारी निधियां
			केंद्र	राज्य	कुल	
पीएमएसएसवाई का चरण-I						
1.	आंध्र प्रदेश	एसवीआईएमएस, तिरुपति	60.00	60.00	120.00	58.31
2.	गुजरात	बीजेएमसी, अहमदाबाद	100.00	20.00	120.00	91.57
3.	झारखंड	आरआईएमएस, रांची	100.00	20.00	120.00	94.25
4.	जम्मू	जम्मू मेडिकल कॉलेज	115.00	20.00	135.00	112.42
5.	कश्मीर	श्रीनगर मेडिकल कॉलेज	115.00	20.00	135.00	110.28
6.	केरल	त्रिवेंद्रम मेडिकल कॉलेज	100.00	20.00	120.00	91.89
7.	कर्नाटक	बैंगलोर मेडिकल कॉलेज	100.00	26.69	126.69	93.64
8.	महाराष्ट्र	ग्रांट मेडिकल कॉलेज, मुंबई	100.00	20.00	120.00	92.13
9.	तमिलनाडु	जीएमसी, सेलम	100.00	39.31	139.31	89.21
10.	तेलंगाना	एनआईएमएस, हैदराबाद	100.00	72.59	172.59	90
11.	उत्तर प्रदेश	एसजीपीजीआईएमएस, लखनऊ	100.00	20.00	120.00	88.29
12.		आईएमएस, बीएचयू, वाराणसी	100.00	47.00	147.00	97.68
13.	पश्चिम बंगाल	कोलकाता मेडिकल कॉलेज	100.00	60.73	160.73	84.99
			1290	446.32	1736.32	1194.66
पीएमएसएसवाई का चरण-II						
14.	हरियाणा	पीजीआईएमएस, रोहतक	125.00	25.00	150.00	91.10
15.	हिमाचल प्रदेश	टांडा मेडिकल कॉलेज	125.00	25.00	150.00	104.76
16.	महाराष्ट्र	नागपुर मेडिकल कॉलेज	125.00	25.00	150.00	120.25
17.	पंजाब	अमृतसर मेडिकल कॉलेज	125.00	67.50	192.50	90.14
18.	तमिलनाडु	मदुरै मेडिकल कॉलेज	125.00	25.00	150.00	73.77
19.	उत्तर प्रदेश	जेएनएमसी, एएमयू, अलीगढ़	125.00	25.00	150.00	100.85
			750.00	192.50	942.50	580.87

***पीएमसी – परियोजना प्रबंधन सलाहकार

ईए – निष्पादन एजेंसियां

पीएसए – अधिप्राप्ति सहयोग एजेंसी

पीएमएसएसवाई के चरण-III के तहत सरकारी चिकित्सा कॉलेजों के उन्नयन के संदर्भ में आबंटन और जारी केंद्रीय शेयर का विवरण

क्र. सं.	राज्य	सरकारी चिकित्सा कॉलेज का नाम	शेयर/परिव्यय (करोड़ रुपए)			पीएमएसएसवाई डिवीजन द्वारा पीएमसी/ईए/पीएसए*** के लिए जारी निधियां
			केंद्र	राज्य	कुल	
1	2	3	4	5	6	7
1	आंध्र प्रदेश	एसएमसी, विजयवाड़ा	120	30	150	107.53
2		जीएमसी, अनंतपुर	120	30	150	120.56
3	असम	जीएमसी, गुवाहाटी	120	30	150	80.06
4		एएमसी, डिब्रूगढ़	120	30	150	74.76
5	बिहार	एसएमसी, मुजफ्फरपुर	120	30	150	64.95
6		जीएमसी, दरभंगा	120	30	150	66.23
7	गोवा	जीएमसी, पणजी	120	266.35	386.35	14.33
8	गुजरात	जीएमसी, राजकोट	120	30	150	56.93
9	हिमाचल प्रदेश	आईजीएमसी, शिमला	120	93.01	213.01	46.26
10	झारखंड	पीएमसी, धनबाद	120	45.71	165.71	68.36
11	कर्नाटक	वीआईएमएस, बेल्लारी	120	30	150	80.27
12		किम्स, हुबली	120	30	150	74.26
13	केरल	जीएमसी, कोझिकोड	120	75.93	195.93	40.81
14		टीडीएमसी, आलप्पुषा	120	53.18	173.18	61.72
15	मध्य प्रदेश	एसएसएमसी, रीवा	120	30	150	71.07
16		एनएससीबीएमसी, जबलपुर	120	30	150	104.59
17		जीआरएमसी, ग्वालियर	120	30	150	64.00
18	महाराष्ट्र	जीएमसी, औरंगाबाद	120	30	150	86.86
19		जीएमसी, लातूर	120	30	150	75.09

1	2	3	4	5	6	7
20	महाराष्ट्र	जीएमसी, अकोला	120	30	150	48.04
21		एसवीएनजीएमसी, यवतमाल	120	30	150	100.93
22	ओडिशा	एमकेसीजीएमसी, बेरहमपुर	120	30	150	103.33
23		वीएसएसएमसी, बुर्ला	120	30	150	54.04
24	पंजाब	जीएमसी, पटियाला	120	30	150	86.66
25	राजस्थान	आरएनटीएमसी, उदयपुर	120	39	159	73.08
26		एसपीएमसी, बीकानेर	120	30	150	87.36
27		जीएमसी, कोटा	120	30	150	73.13
28	तमिलनाडु	टीएमसी, तंजावुर	120	30	150	109.31
29		टीएमसी, तिरुनेलवेली	120	30	150	113.32
30	तेलंगाना	आरआईएमएस, आदिलाबाद	120	30	150	78.40
31		केएमसी, वारंगल	120	30	150	82.49
32	त्रिपुरा	एजीएमसी, त्रिपुरा	120	30	150	42.22
33	उत्तर प्रदेश	जीएमसी, झांसी	120	30	150	89.28
34		एमएलएनएमसी, इलाहाबाद	120	30	150	85.66
35		बीआरडीएमसी, गोरखपुर	120	30	150	88.64
36		एलएलआरएमसी, मेरठ	120	30	150	83.28
37	पश्चिम बंगाल	बीएसएमसी, बांकुरा	120	30	150	83.00
38		जीएमसी, मालदा	120	30	150	47.31
39		एनबीएमसी, सिलीगुड़ी, दार्जिलिंग	120	30	150	82.84
	कुल		4680.00	1563.18	6243.18	2970.96

***पीएमसी – परियोजना प्रबंधन सलाहकार

ईए – निष्पादन एजेंसियां

पीएसए – अधिप्राप्ति सहयोग एजेंसी

पीएमएसएसवाई के चरण-IV के तहत सरकारी चिकित्सा कॉलेजों के उन्नयन के संदर्भ में आबंटन और जारी केंद्रीय अंश का विवरण

क्र. सं.	राज्य	जीएमसी/संस्थान का नाम	स्वीकृत परिव्यय (करोड़ रुपए)			पीएमएसएसवाई डिवीजन द्वारा पीएमसी/ईए/पीएसए*** के लिए जारी निधियां
			केंद्र	राज्य	कुल	
1	बिहार	पटना	120.00	80.00	200.00	11.85
2	बिहार	भागलपुर	120.00	80.00	200.00	10.90
3		गया	120.00	80.00	200.00	10.80
4	छत्तीसगढ़	बिलासपुर	120.00	80.00	200.00	10.90
5		जगदलपुर	120.00	80.00	200.00	11.10
6	दिल्ली	अस्पताल	120.00	80.00	200.00	0.00
7	गुजरात	सूरत	120.00	80.00	200.00	0.00
8		भावनगर	120.00	80.00	200.00	16.83
9	मध्य प्रदेश	इंदौर	120.00	117.00	237.00	19.93
10	ओडिशा	कटक	120.00	140.00	260.00	0.00
11	राजस्थान	जयपुर	120.00	80.00	200.00	10.44
12	उत्तर प्रदेश	आगरा	120.00	80.00	200.00	9.10
13		कानपुर	120.00	80.00	200.00	10.80
14		बीएचयू, वाराणसी	120.00	80.00	200.00	68.44
15	केरल	त्रिवेंद्रम	120.00	110.00	230.00	10.00
	कुल		1800.00	1327.00	3127.00	201.09

***पीएमसी – परियोजना प्रबंधन सलाहकार
ईए – निष्पादन एजेंसियां
पीएसए – अधिप्राप्ति सहयोग एजेंसी

5. "राष्ट्रीय कैंसर, मधुमेह, हृदवाहिका रोग और आघात रोकथाम एवं नियंत्रण कार्यक्रम (एनपीसीडीसीएस) के लिए तृतीयक देखभाल कैंसर सुविधाओं को सुदृढ़ बनाने की योजना।

राष्ट्रीय कैंसर, मधुमेह, हृदवाहिका रोग और आघात रोकथाम एवं नियंत्रण कार्यक्रम (एनपीसीडीसीएस) के लिए "तृतीयक देखभाल कैंसर सुविधाओं को सुदृढ़ बनाने की योजना" के तहत, भारत सरकार देश के विभिन्न भागों में राज्य कैंसर संस्थानों (एससीआई) और तृतीयक देखभाल कैंसर केंद्रों (टीसीसीसी) की स्थापना के लिए वित्तीय सहायता प्रदान करती है। अधिकतम स्वीकार्य सहायता एससीआई के लिए 120 करोड़ रुपए टीसीसीसी के लिए 45 करोड़ रुपए है जिसमें राज्य की हिस्सेदारी 40 प्रतिशत है लेकिन उत्तर-पूर्वी तथा पर्वतीय राज्यों में राज्य की हिस्सेदारी 10 प्रतिशत है। कर्नाटक समेत इस योजना के तहत अभी तक जारी निधियों का राज्य/संघ राज्य क्षेत्रवार विवरण निम्नानुसार है:

दिनांक 31.03.2018 की स्थितिनुसार, राष्ट्रीय कैंसर, मधुमेह, हृदवाहिका रोग और आघात रोकथाम एवं नियंत्रण कार्यक्रम (एनपीसीडीसीएस) के अधीन तृतीयक देखभाल कैंसर सुविधाओं को सुदृढ़ बनाने के तहत राज्य कैंसर संस्थानों (एससीआई) और तृतीयक देखभाल कैंसर केंद्रों (टीसीसीसी) के लिए जारी की गई निधियों का विवरण

क्र. सं.	राज्य	राज्य कैंसर संस्थान	तृतीयक परिचर्या कैंसर केंद्र	जारी की गई राशि (करोड़ रुपये में)				कुल
				2014-15	2015-16	2016-17	2017-18	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	कर्नाटक	किदवाई मेमोरियल इंस्टिट्यूट ऑफ ओन्कोलॉजी (आरसीसी), बैंगलुरु	–	67.50	–	–	–	67.50
2		–	मांड्या इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेज	–	17.257	–	–	17.257
3	केरल	-	सरकारी मेडिकल कॉलेज, कोझिकोड	25.03	–	–	–	25.03
4		क्षेत्रीय कैंसर केंद्र, तिरुवनंतपुरम	-	–	–	46.957	–	46.957
5	त्रिपुरा	कैंसर अस्पताल (आरसीसी), अगरतला	-	55.00	–	–	–	55.00
6	गुजरात	गुजरात कैंसर रिसर्च इंस्टिट्यूट, अहमदाबाद	-	67.50	–	–	–	67.50
7.	पश्चिम बंगाल	–	गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज, बर्दवान	22.24	–	–	–	22.24
8		–	मुर्शिदाबाद मेडिकल कॉलेज एंड हॉस्पिटल, बेरहमपुर, मुर्शिदाबाद	–	–	10.9793	0.005	10.9843
9		–	सगोरे दत्ता मेमोरियल मेडिकल कॉलेज और अस्पताल, कोलकाता	–	–	–	20.25	20.25
10	जम्मू और कश्मीर	शेर-ए-कश्मीर इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेज, श्रीनगर	-	47.25	-	-	-	47.25

1	2	3	4	5	6	7	8	9
11	तमिलनाडु	कैंसर इंस्टिट्यूट (आरसीसी), आडयार, चेन्नई	-	67.38	-	-	-	67.38
12	हिमाचल प्रदेश	-	इंदिरा गांधी मेडिकल कॉलेज, शिमला	-	14.87	-	-	14.87
13	बिहार	इंदिरा गांधी इंस्टिट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेज, पटना	-	-	33.06	-	-	33.06
14	मिजोरम	-	मिजोरम स्टेट कैंसर इंस्टिट्यूट, आइजोल	-	14.64	-	-	14.64
15	उत्तर प्रदेश	-	संजय गांधी पोस्ट ग्रेजुएट इंस्टिट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसिस, लखनऊ	-	11.43	-	-	11.43
16	राजस्थान	-	एसपी मेडिकल कॉलेज, बीकानेर	-	17.123	-	-	17.123
17		एसएमएस मेडिकल कॉलेज, जयपुर	-	-	-	40.6683	4.1394	44.8077
18		-	झालावाड मेडिकल कॉलेज एंड हॉस्पिटल, झालावाड	-	-	-	19.755	19.755
19	तेलंगाना	एमएनजे इंस्टीट्यूट ऑफ ओन्कोलॉजी एंड आरसीसी, हैदराबाद	-	-	18.12	-	-	18.12
20	पंजाब	सरकारी मेडिकल कॉलेज, अमृतसर	-	-	-	51.58	-	51.58
21		-	सिविल अस्पताल, फजिलका	-	-	20.119	-	20.119
22	दिल्ली	-	लोक नायक अस्पताल	-	-	25.40	4.47	29.87
23	ओडिशा	आचार्य हरिहर क्षेत्रीय कैंसर केंद्र, कटक	-	-	-	35.829	-	35.829

1	2	3	4	5	6	7	8	9
24	नागालैंड	-	जिला अस्पताल कोहिमा	-	-	5,4998 4.6702 3.06	-	13.23
25	हरियाणा	-	सिविल अस्पताल, अंबाला कैंट	-	-	9.2253	2.925	12.1503
26	महाराष्ट्र	-	राष्ट्रसंत तुकडोजी क्षेत्रीय कैंसर अस्पताल और अनुसंधान केंद्र, नागपुर	-	-	15.3196	4.8564	20.176
27		सरकारी मेडिकल कॉलेज, औरंगाबाद	-	-	-	-	43.515	43.515
28		-	विवेकानंद फाउंडेशन एवं रिसर्च सेंटर, लातूर	-	-	-	20.25	20.25
29	असम	गौहाटी मेडिकल कॉलेज एवं हॉस्पिटल, गुवाहाटी	-	-	-	08.43	30.00	38.43
30	मध्य प्रदेश	-	जीआर मेडिकल कॉलेज, ग्वालियर	-	-	-	18.90	18.90
31	झारखंड	राजेंद्र इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेज, रांची	-	-	-	-	22.95	22.95
32	आंध्र प्रदेश	कुरनूल मेडिकल कॉलेज, कुरनूल	-	-	-	-	54.00	54.00
33	गोवा	-	गोवा मेडिकल कॉलेज, पणजी	-	-	-	8.3519	8.3519
34	सिक्किम	-	गंगटोक, सिक्किम के पास, सोचिगांग (सिचेय) में बहुउद्देश्यीय अस्पताल	–	–	–	23.01	23.01
35	हिमाचल प्रदेश	-	श्री लाल बहादुर शास्त्री मेडिकल कॉलेज, मंडी	-	-	-	12.1932	12.1932
	कुल	15	20	351.90	126.50	277.7375	289.5709	1045.7082

(ख) स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय द्वारा नोडल एजेंसी अंतर्राष्ट्रीय जनसंख्या विज्ञान संस्थान (आईआईपीएस) के माध्यम से किए गए जिला स्तरीय घरेलू एवं केंद्र सर्वेक्षण (डीएलएचएस-3) (2007-08) तथा डीएलएचएस-4 (2012-13) अन्य के साथ-साथ स्वास्थ्य केंद्रों पर सूचना उपलब्ध कराता है। ब्यौरा संलग्न विवरण में दिया गया है।

(ग) 31 दिसंबर, 2017 तक राज्य चिकित्सा परिषदों/भारतीय चिकित्सा परिषद में कुल 10,62,398 एलोपैथिक डाक्टर पंजीकृत हैं। यदि हम इनकी 80 प्रतिशत उपलब्धता माने, तो अनुमान है कि सक्रिय सेवा के लिए लगभग 8.50 लाख डाक्टर वास्तव में उपलब्ध हो सकते हैं। 1.33 बिलियन के वर्तमान जनसंख्या अनुमान के अनुसार यह संख्या डॉक्टर-जनसंख्या के अनुपात को 1:1565 के रूप में दर्शाता है। इसके अतिरिक्त देश में 7,73,668 आयुष के पंजीकृत प्रैक्टिशनर है और यदि उनकी 80 प्रतिशत उपलब्धता मान ली जाए तो 6.19 लाख आयुष प्रैक्टिशनर सक्रिय सेवा में होंगे। यदि ऐलोपैथिक एवं आयुष विधा पर एक साथ विचार किया जाए तो यह 1:1905 का डॉक्टर-जनसंख्या अनुपात देता है जो विश्व स्वास्थ्य संगठन के मानदंडों से बेहतर है।

(घ) देश में डॉक्टरों की संख्या बढ़ाने के लिए सरकार ने विभिन्न कदम उठाये हैं। इनमें निम्नलिखित शामिल हैं:–

(i) देशभर में चिकित्सा कालेजों में सभी एमडी/एमएस विषयों के लिए छात्रों की तुलना में अध्यापकों का अनुपात 1:1 से बढ़ाकर 1:2 और संवेदनाहरण, न्यायिक औषधि, रेडियोथेरेपी, चिकित्सा ऑकोलॉजी, सर्जिकल ओंकोलॉजी और मनश्चिकित्सा विज्ञान के क्षेत्र में 1:1 से बढ़ाकर 1.3 कर दिया गया है। इसके अतिरिक्त, सार्वजनिक निधि सहायता प्राप्त सरकारी चिकित्सा कॉलेजों में अध्यापक:छात्र अनुपात सभी नैदानिक विषयों में 1:2 से 1:3 और यदि एसोसिएट प्रोफेसर कोई यूनिट अध्यक्ष है तो 1:1 से बढ़ाकर 1:2 कर दिया गया है। यह सुविधा इस शर्त के साथ निजी चिकित्सा कालेजों को भी दी गई है कि वह कालेज 15 वर्ष की प्रतिष्ठा वाला हो, 10 वर्षों से स्नातकोत्तर पाठ्यक्रम चला रहा हो, और कम से कम एक निरंतर मान्यता-प्राप्त मूल्यांकन सफलतापूर्वक पूरा किया हो और आईएमसी अधिनियम, (1956 की धारा 10क के अंतर्गत सीटों की वृद्धि के लिए आवेदन करें। इससे देश में स्नातकोत्तर सीटों की संख्या में वृद्धि होगी।

(ii) संकाय की कमी को पूरा करने के लिए डीएनबी की योग्यता को संकाय के रूप में नियुक्ति के रूप में मान्यता दी गई है।

(iii) एमबीबीएस स्तर पर अधिकतम भर्ती क्षमता को 150 से बढ़ाकर 250 करना।

(iv) संकाय, स्टाफ, बिस्तर, बिस्तरों की संख्या और अन्य अवसंरचना की आवश्यकता के संबंध में चिकित्सा कालेजों की स्थापना करने के मानदंडों में छूट।

(v) भारतीय संविधान के अनुच्छेद 243 पी(सी) के अंतर्गत यथा अधिसूचित महानगरों में चिकित्सा कालेजों की स्थापना हेतु भूमि की आवश्यकता समाप्त कर दी गई है।

(vi) नये स्नातकोत्तर पाठ्यक्रम प्रारंभ करने/स्नातकोत्तर सीटें बढ़ाने के लिए राज्य सरकारी चिकित्सा कालेजों को सुदृढ़/उन्नत करना।

(vii) देश के वरीयता अल्पसेवित जिलों में जिले/रेफरल अस्पतालों को उन्नत करके नये चिकित्सा कालेजों की स्थापना करना।

(viii) एमबीबीएस सीटें बढ़ाने के लिए वर्तमान राज्य सरकारी/केन्द्र सरकारी चिकित्सा कालेजों को सुदृढ़/उन्नत करना।

(ix) चिकित्सा कालेजों में अध्यापकों/डीन/प्रिंसिपल/निदेशक के पदों पर नियुक्ति विस्तार/पुन:रोजगार के लिए आयु सीमा 65 वर्ष से बढ़ाकर 70 वर्ष करना।

इसके अतिरिक्त, डॉक्टरों को दूरवर्ती और दुर्गम क्षेत्रों में कार्य करने हेतु प्रोत्साहित करने के लिए, भारतीय चिकित्सा परिषद ने केन्द्र सरकार के विगत अनुमोदन से निम्नलिखित प्रदान करने के लिए स्नातकोत्तर चिकित्सा शिक्षा विनियमावली, 2000 में संशोधन किया है:–

(i) सरकारी सेवा में कार्यरत ऐसे चिकित्सा अधिकारियों के लिए स्नातकोत्तर डिप्लोमा पाठ्यक्रमों में 50 प्रतिशत आरक्षण, जिन्होंने दूरवर्ती और/या दुर्गम और/या ग्रामीण क्षेत्रों में न्यूनतम 3 वर्ष सेवा की है। स्नातकोत्तर डिप्लोमा प्राप्त करने के बाद चिकित्सा अधिकारी दूरवर्ती और/या दुर्गम और/या ग्रामीण क्षेत्रों में दो और वर्षों तक सेवा करेंगे।

(ii) दूरवर्ती अथवा/या दुर्गम और/या ग्रामीण क्षेत्रों में सेवा के प्रत्येक वर्ष हेतु प्राप्त अंकों के 10 प्रतिशत की दर पर प्रोत्साहन जो स्नातकोत्तर चिकित्सा पाठ्यक्रमों में प्रवेश के लिए प्रवेश परीक्षा में प्राप्त कुल अंकों के अधिकतम 30 प्रतिशत तक होगा।

विवरण

मुख्य संकेतक जिला स्तरीय परिवार और सुविधा केंद्र सर्वेक्षण, डीएलएचएस-4 (2012-13) और डीएलएचएस-3 (2007-08) (अनुलग्नक-I)

क्र. सं.	राज्य/संघ राज्य क्षेत्र	उप-स्वास्थ्य केंद्र - मानव संसाधन एवं अवसंरचना									
		सरकारी भवन में स्थित उप-स्वास्थ्य केंद्र		एएनएम सहित उप-स्वास्थ्य केंद्र		पुरुष स्वास्थ्य कार्यकर्ता सहित उप-स्वास्थ्य केंद्र		उप-स्वास्थ्य केंद्र क्वार्टर में रहने वाले एएनएम सहित उप-स्वास्थ्य केंद्र जहां सुविधा उपलब्ध है		अतिरिक्त एएनएम सहित उप-स्वास्थ्य केंद्र	
		डीएलएचएस-4	डीएलएचएस-3	डीएलएचएस-4	डीएलएचएस-3	डीएलएचएस-4	डीएलएचएस-3	डीएलएचएस-4	डीएलएचएस-3	डीएलएचएस-4	डीएलएचएस-3
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	भारत	**अनुपलब्ध**	**55.7**	**अनुपलब्ध**	**90.7**	**NA**	**39.3**	**अनुपलब्ध**	**57.9**	**अनुपलब्ध**	**20.0**
1.	आंध्र प्रदेश	22.8	21.9	90.4	84.4	38.3	40.6	67.6	63.3	73.2	28.0
2.	असम	74.9	52.8	94.1	96.1	63.2	6.1	36.5	50.6	69.6	60.1
3.	बिहार	46.2	353	71.4	91.2	3.1	13.3	21.6	26.6	47.2	27.6
4.	छत्तीसगढ़	70.5	45.3	89.7	76.5	64.2	51.6	73.8	80.1	8.3	5.9
5.	गुजरात	अनुपलब्ध	657	अनुपलब्ध	94.7	अनुपलब्ध	55.5	अनुपलब्ध	37.8	अनुपलब्ध	8.0
6.	हरियाणा	57.7	54.9	90.6	92.3	58.2	51.8	35.6	31.4	83.5	74.2
7.	झारखंड	66.7	57.5	55.9	91.3	23.2	18.7	32.2	42.5	63.5	44.1
8.	कर्नाटक	61.5	57.6	87.9	92.7	43.8	40.5	61.5	67.4	6.4	1.8
9.	केरल	57.6	76.9	93.4	97.6	76.2	80.3	56.4	53.3	21.3	0.4
10.	मध्य प्रदेश	74.7	55.6	94.8	90.2	405	58.5	52.2	639	20.7	8.2
11.	महाराष्ट्र	83.6	70.0	94.8	93.0	70.9	76.6	90.7	71.5	49.8	30.7
12.	ओडिशा	51.4	60.0	94.8	78.1	58.7	59.8	69.1	40.6	7.4	51.5
13.	पंजाब	60.7	56.1	73.7	79.7	45.7	56.5	12.9	17.8	61.7	5.6
14.	राजस्थान	80.9	75.9	90.7	86.5	10.6	9.7	529	50.4	26.8	22.4
15.	तमिलनाडु	75.5	72.2	33.9	99.8	4.7	71.6	62.2	59.9	3.0	2.8

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
16.	तेलंगाना	32.4	अनुपलब्ध	97.3	अनुपलब्ध	25.4	अनुपलब्ध	46.2	अनुपलब्ध	73.8	अनुपलब्ध
17.	उत्तर प्रदेश	80.6	42.2	95.2	99.5	1.8	6.2	30.5	57.3	9.2	3.3
18.	पश्चिम बंगाल	86.7	45.8	99.4	89.6	22.4	40.7	6.3	14.7	66.3	1.2
19.	अंडमान और निकोबार द्वीपसमूह	98.2	96.0	76.4	96.0	23.2	12.0	59.2	68.2	42.9	56.0
20.	अरुणाचल प्रदेश	92.0	96.4	69.4	93.8	46.8	63.4	53.3	31.3	45.4	9.8
21.	दिल्ली	अनुपलब्ध	44.7	अनुपलब्ध	100.0	अनुपलब्ध	0.0	अनुपलब्ध	100.0	अनुपलब्ध	84.2
22.	गोवा	31.9	20.5	85.1	97.4	66.0	74.4	22.2	33.3	10.6	2.6
23.	हिमाचल प्रदेश	75.4	79.7	92.8	83.1	51.8	51.1	43.5	60.5	1.6	1.2
24.	जम्मू-कश्मीर	अनुपलब्ध	38.0	अनुपलब्ध	68.8	अनुपलब्ध	19.8	अनुपलब्ध	64.1	अनुपलब्ध	16.6
25.	मणिपुर	79.1	70.3	97.3	93.1	39.2	50.0	33.3	0.0	70.3	53.4
26.	मेघालय	84.6	94.8	99.5	100.0	6.2	29.6	58.1	46.4	88.6	9.6
27.	मिजोरम	98.6	97.1	89.2	95.4	64.3	93.0	76.6	79.1	13.8	38.4
28.	नागालैंड	89.3	अनुपलब्ध	98.6	अनुपलब्ध	24.0	अनुपलब्ध	42.1	अनुपलब्ध	77.0	अनुपलब्ध
29.	सिक्किम	96.0	89.3	88.2	86.9	85.5	84.5	26.9	33.3	23.9	23.8
30.	त्रिपुरा	77.1	54.0	59.1	78.5	55.7	66.3	54.6	7.7	8.6	4.3
31.	उत्तराखंड	69.4	58.0	98.4	99.5	5.4	5.1	46.3	63.5	11.0	अनुपलब्ध
32.	चंडीगढ़	60.9	60.0	52.2	80.0	47.8	40.0	0.0	0.0	75.0	60.0
33.	दादरा और नगर हवेली	अनुपलब्ध	93.1	अनुपलब्ध	82.8	अनुपलब्ध	6.9	अनुपलब्ध	47.8	अनुपलब्ध	51.7
34.	दमन और दीव	अनुपलब्ध	77.3	अनुपलब्ध	95.5	अनुपलब्ध	68.2	अनुपलब्ध	0.0	अनुपलब्ध	22.7
35.	लक्षद्वीप	अनुपलब्ध	60.0	अनुपलब्ध	100.0	अनुपलब्ध	80.0	अनुपलब्ध	0.0	अनुपलब्ध	0.0
36.	पुदुचेरी	71.1	65.4	51.1	100.0	0.0	80.8	48.0	26.7	60.8	84.6

एनसी = गणना नहीं की गई क्योंकि कोई मामला नहीं था।

स्रोत: जिला स्तरीय परिवार और सुविधा केंद्र सर्वेक्षण।

मुख्य संकेतक जिला स्तरीय परिवार और सुविधा केंद्र सर्वेक्षण, डीएलएचएस-4 (2012-13) और डीएलएचएस-3 (2007-08)

क्र. सं.	राज्य/संघ राज्य क्षेत्र	उप-केंद्र में सुविधाएं (%)					उप-केंद्र में सामुदायिक सेवा			प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र (पीएचसी) (%)	
		नियमित बिजली	पानी	शौचालय	प्रसूति कक्ष	मौजूदा प्रयोग में प्रसूति कक्ष	प्रदर्शित नागरिक चार्टर	बीएचएससी सुविधा केंद्र*	प्राप्त संयुक्त निधि	कार्यरत पीएचसी	
		डीएलएचएस-4	डीएलएचएस-4	डीएलएचएस-4	डीएलएचएस-4	डीएलएचएस-4	डीएलएचएस-4	डीएलएचएस-4	डीएलएचएस-4	डीएलएचएस-4	डीएलएचएस-3
1	2	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22
	भारत	**अनुपलब्ध**	**अनुपलब्ध**	**अनुपलब्ध**	**अनुपलब्ध**	**अनुपलब्ध**	**अनुपलब्ध**	**अनुपलब्ध**	**अनुपलब्ध**	**अनुपलब्ध**	**52.7**
1.	आंध्र प्रदेश	29.0	46.7	28.0	2.8	33.3	78.9	97.5	93.4	42.9	51.1
2.	असम	23.1	79.2	91.6	13.9	78.2	43.4	96.3	87.2	48.5	65.6
3.	बिहार	4.6	47.9	37.8	15.9	32.8	37.5	95.7	71.8	61.0	64.5
4.	छत्तीसगढ़	52.2	61.7	76.9	83.0	78.8	34.3	97.2	93.0	57.1	58.6
5.	गुजरात	अनुपलब्ध	अनुपलब्ध	अनुपलब्ध	अनुपलब्ध	अनुपलब्ध	अनुपलब्ध	अनुपलब्ध	अनुपलब्ध	अनुपलब्ध	46.9
6.	हरियाणा	24.2	92.3	92.3	40.0	82.5	85.1	89.2	88.5	79.3	39.2
7.	झारखंड	11.8	52.8	46.2	81.8	88.4	42.4	96.2	85.7	51.9	79.4
8.	कर्नाटक	11.6	76.7	80.8	37.9	33.1	20.9	98.6	91.0	55.6	47.0
9.	केरल	79.3	92.0	89.7	6.9	100.0	88.1	94.7	77.5	28.2	10.3
10.	मध्य प्रदेश	23.3	64.1	76.3	18.5	42.9	47.3	94.5	84.1	74.6	73.1
11.	महाराष्ट्र	82.9	89.9	93.9	79.1	95.1	95.6	98.5	93.1	64.0	78.1
12.	ओडिशा	22.1	72.5	57.7	20.2	28.4	16.2	93.9	78.2	12.5	49.2
13.	पंजाब	65.9	92.3	87.7	131	20.0	77.3	99.4	89.3	53.1	17.2
14.	राजस्थान	16.0	70.3	75.3	47.3	75.7	28.5	97.2	83.9	76.4	56.9
15.	तमिलनाडु	72.7	76.8	88.6	680	19.0	61.6	96.1	88.9	94.1	50.6
16.	तेलंगाना	17.9	40.5	47.6	15.5	30.8	84.2	93.9	89.6	55.8	अनुपलब्ध

1	2	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22
17.	उत्तर प्रदेश	5.2	81.2	74.8	824	30.2	33.0	95.1	68.4	27.2	45.5
18.	पश्चिम बंगाल	62.8	77.5	84.9	11.4	21.6	72.7	91.3	94.3	30.0	25.9
19.	अंडमान और निकोबार द्वीपसमूह	अनुपलब्ध	अनुपलब्ध	अनुपलब्ध	अनुपलब्ध	अनुपलब्ध	अनुपलब्ध	अनुपलब्ध	अनुपलब्ध	100.0	93.3
20.	अरुणाचल प्रदेश	14.7	68.6	73.5	28.4	63.0	12.6	74.7	54.1	69.5	36.1
21.	दिल्ली	अनुपलब्ध	अनुपलब्ध	अनुपलब्ध	अनुपलब्ध	अनुपलब्ध	अनुपलब्ध	अनुपलब्ध	अनुपलब्ध	अनुपलब्ध	42.9
22.	गोवा	86.7	100.0	100.0	100.0	–	19.2	100.0	74.5	64.7	62.5
23.	हिमाचल प्रदेश	88.0	83.7	86.1	3.9	33.3	71.0	96.5	94.16	16.3	52.8
24.	जम्मू और कश्मीर	अनुपलब्ध	अनुपलब्ध	अनुपलब्ध	अनुपलब्ध	अनुपलब्ध	अनुपलब्ध	अनुपलब्ध	अनुपलब्ध	अनुपलब्ध	32.4
25.	मणिपुर	5.2	44.7	62.9	10.3	16.7	27.9	90.7	91.8	39.7	13.2
26.	मेघालय	53.9	93.9	98.2	24.2	70.3	6.2	49.2	73.3	98.6	62.7
27.	मिजोरम	62.8	87.0	87.7	39.1	824	67.1	96.4	95.0	90.2	69.8
28.	नागालैंड	42.5	65.7	85.1	23.9	54.8	82.7	93.4	94.0	53.4	अनुपलब्ध
29.	सिक्किम	78.1	91.8	97.3	98.6	95.8	73.7	97.4	97.4	100.0	95.7
30.	त्रिपुरा	49.4	70.4	53.1	11.1	22.2	42.9	91.1	81.9	79.6	70.9
31.	उत्तराखंड	39.7	69.4	842	48.3	45.9	64.0	78.0	80.2	57.9	72.6
32.	चंडीगढ़	अनुपलब्ध	अनुपलब्ध	अनुपलब्ध	अनुपलब्ध	अनुपलब्ध	अनुपलब्ध	अनुपलब्ध	अनुपलब्ध	अनुपलब्ध	अनुपलब्ध
33.	दादरा और नगर हवेली	अनुपलब्ध	अनुपलब्ध	अनुपलब्ध	अनुपलब्ध	अनुपलब्ध	अनुपलब्ध	अनुपलब्ध	अनुपलब्ध	अनुपलब्ध	100.0
34.	दमन और दीव	अनुपलब्ध	अनुपलब्ध	अनुपलब्ध	अनुपलब्ध	अनुपलब्ध	अनुपलब्ध	अनुपलब्ध	अनुपलब्ध	अनुपलब्ध	50.0
35.	लक्षद्वीप	अनुपलब्ध	अनुपलब्ध	अनुपलब्ध	अनुपलब्ध	अनुपलब्ध	अनुपलब्ध	अनुपलब्ध	अनुपलब्ध	अनुपलब्ध	100.0
36.	पुदुचेरी	अनुपलब्ध	अनुपलब्ध	अनुपलब्ध	अनुपलब्ध	अनुपलब्ध	अनुपलब्ध	अनुपलब्ध	अनुपलब्ध	73.9	73.3

एनसी = गणना नहीं की गई क्योंकि कोई मामला नहीं था।

स्रोत: जिला स्तरीय परिवार और सुविधा केंद्र सर्वेक्षण।

मुख्य संकेतक जिला स्तरीय परिवार और सुविधा केंद्र सर्वेक्षण, डीएलएचएस-4 (2012-13) और डीएलएचएस-3 (2007-08)

क्र. सं.	राज्य/संघ शासित क्षेत्र	प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र (पीएचसी) (%)									
		पीएचसी (%)	फार्मासिस्ट वाले पीएचसी (%)	महिला चिकित्सा अधिकारी वाले पीएचसी (%)		कम से कम 4 बिस्तर वाले पीएचसी (%)		आयुष डॉक्सटर सहित पीएचसी (%)		चिकित्सा अधिकारी के लिए आवासीय क्वार्टर वाले पीएचसी (%)	
		डीएलएचएस-4	डीएलएचएस-4	डीएलएचएस-4	डीएलएचएस-3	डीएलएचएस-4	डीएलएचएस-3	डीएलएचएस-4	डीएलएचएस-3	डीएलएचएस-4	डीएलएचएस-3
1	2	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32
	भारत	**अनुपलब्ध**	**अनुपलब्ध**	**अनुपलब्ध**	**24.4**	**अनुपलब्ध**	**67.1**	**अनुपलब्ध**	**19.3**	**अनुपलब्ध**	**54.5**
1.	आंध्र प्रदेश	90.3	53.7	41.7	40.6	84.0	82.9	21.7	8.4	12.5	25.7
2.	असम	91.2	72.3	29.2	23.1	60.4	64.6	46.2	58.0	80.8	90.8
3.	बिहार	94.1	21.4	25.8	28.2	73.9	75.8	54.6	8.2	38.0	62.2
4.	छत्तीसगढ़	45.9	71.2	13.3	6.8	51.6	40.2	49.5	18.3	44.4	39.0
5.	गुजरात	अनुपलब्ध	अनुपलब्ध	अनुपलब्ध	11.6	अनुपलब्ध	77.1	अनुपलब्ध	29.9	अनुपलब्ध	56.6
6.	हरियाणा	80.9	81.7	34.2	30.8	75.7	64.3	19.1	1.5	47.9	43.0
7.	झारखंड	70.9	7.3	33.3	50.5	46.2	89.1	2.6	7.6	25.5	84.2
8.	कर्नाटक	77.5	79.0	7.6	23.2	90.9	85.7	27.6	27.0	44.9	58.7
9.	केरल	87.9	91.7	37.1	6.1	86.7	27.4	17.6	0.0	11.6	24.9
10.	मध्य प्रदेश	57.3	16.4	10.9	13.5	73.2	66.6	46.1	8.4	55.2	63.4
11.	महाराष्ट्र	95.1	88.7	32.0	30.8	96.0	89.7	5.0	17.4	87.4	81.3
12.	ओडिशा	61.1	76.2	4.8	53.2	39.5	31.3	80.1	54.9	54.2	53.4
13.	पंजाब	74.7	85.2	37.2	20.2	653	74.6	50.0	0.0	18.0	26.1
14.	राजस्थान	81.3	1.8	7.8	6.2	85.1	899	460	19.9	53.6	63.3
15.	तमिलनाडु	90.3	75.9	69.4	62.4	67.7	28.4	52.2	10.9	18.7	22.2
16.	तेलंगाना	93.9	63.5	43.2	अनुपलब्ध	94.2	अनुपलब्ध	40.5	अनुपलब्ध	21.8	अनुपलब्ध

1	2	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32
17.	उत्तर प्रदेश	73.6	84.3	6.6	2.3	55.3	56.7	25.3	20.8	70.2	52.2
18.	पश्चिम बंगाल	82.9	71.1	11.8	9.7	50.0	27.0	21.0	18.6	70.2	82.8
19.	अंडमान और निकोबार द्वीपसमूह	अनुपलब्ध	अनुपलब्ध	77.8	26.7	100.0	100.0	88.9	6.7	100.0	100.0
20.	अरुणाचल प्रदेश	57.3	31.7	25.5	25.0	68.2	79.1	29.7	6.9	65.8	52.8
21.	दिल्ली	अनुपलब्ध	अनुपलब्ध	अनुपलब्ध	64.3	अनुपलब्ध	50.0	अनुपलब्ध	7.1	अनुपलब्ध	42.9
22.	गोवा	100.0	100.0	70.6	62.5	91.7	62.5	82.4	31.3	471	50.0
23.	हिमाचल प्रदेश	81.7	42.5	12.0	16.0	63.5	70.8	12.8	2.1	30.7	21.5
24.	जम्मू और कश्मीर	अनुपलब्ध	अनुपलब्ध	अनुपलब्ध	39.2	अनुपलब्ध	47.5	अनुपलब्ध	34.2	अनुपलब्ध	26.1
25.	मणिपुर	96.6	83.1	64.9	41.5	74.1	49.1	91.2	67.9	55.9	26.4
26.	मेघालय	93.3	97.3	57.1	41.2	100.0	94.1	71.4	25.0	97.3	94.1
27.	मिजोरम	92.9	71.4	12.8	22.6	95.2	92.5	0.0	1.9	95.2	88.7
28.	नागालैंड	81.8	87.5	13.8	अनुपलब्ध	77.6	अनुपलब्ध	12.5	अनुपलब्ध	62.5	अनुपलब्ध
29.	सिक्किम	70.8	अनुपलब्ध	62.5	73.9	95.8	100.0	12.5	0.0	100.0	87.0
30.	त्रिपुरा	97.7	72.7	48.8	29.1	95.2	87.3	79.1	52.7	65.9	72.7
31.	उत्तराखंड	84.5	94.0	28.2	10.7	84.3	82.1	60.6	10.7	85.7	58.3
32.	चंडीगढ़	अनुपलब्ध	अनुपलब्ध	अनुपलब्ध	अनुपलब्ध	अनुपलब्ध	अनुपलब्ध	अनुपलब्ध	अनुपलब्ध	अनुपलब्ध	अनुपलब्ध
33.	दादरा और नगर हवेली	अनुपलब्ध	अनुपलब्ध	अनुपलब्ध	0.0	अनुपलब्ध	100.0	अनुपलब्ध	16.7	अनुपलब्ध	66.7
34.	दमन और दीव	अनुपलब्ध	अनुपलब्ध	अनुपलब्ध	0.0	अनुपलब्ध	100.0	अनुपलब्ध	100.0	अनुपलब्ध	0.0
35.	लक्षद्वीप	अनुपलब्ध	अनुपलब्ध	अनुपलब्ध	50.0	अनुपलब्ध	100.0	अनुपलब्ध	0.0	अनुपलब्ध	50.0
36.	पुदुचेरी	अनुपलब्ध	अनुपलब्ध	57.1	46.7	59.1	93.3	80.9	93.3	60.8	46.7

एनसी = गणना नहीं की गई क्योंकि कोई मामला नहीं था।

स्रोत: जिला स्तरीय परिवार और सुविधा केंद्र सर्वेक्षण।

—जारी

मुख्य संकेतक जिला स्तरीय परिवार और सुविधा केंद्र सर्वेक्षण, डीएलएचएस-4 (2012-13) और डीएलएचएस-3 (2007-08)

क्र. सं.	राज्य/संघ शासित क्षेत्र	प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र (पीएचसी) (%)						पीएचसी में सामुदायिक सेवाएं (%)		
		24×7 घंटे नवजात शिशु देखभाल सेवाओं वाले पीएचसी		24×7 घंटे आधार पर गर्भवती/प्रसूति के लिए रेफरल सेवाओं वाले पीएचसी (%)		24×7 घंटे आधार पर कम से कम एक माह के दौरान न्यूनतम 10 प्रसव कराने वाले पीएचसी		प्रदर्शित सिटिजन चार्टर	आरकेएम गठित	अबध उपयोग की गई निधियां
		डीएलएचएस-4	डीएलएचएस-4	डीएलएचएस-4	डीएलएचएस-4	डीएलएचएस-4	डीएलएचएस-4	डीएलएचएस-4	डीएलएचएस-4	डीएलएचएस-4
1	2	33	34	35	36	37	38	39	40	41
	भारत	**अनुपलब्ध**	**86.8**	**अनुपलब्ध**	**55.2**	**अनुपलब्ध**	**49.9**	**अनुपलब्ध**	**अनुपलब्ध**	**अनुपलब्ध**
1.	आंध्र प्रदेश	92.6	95.8	76.7	72.4	46.6	54.2	81.2	67.6	96
2.	असम	90.2	92.2	62.6	84.4	58.8	81.3	70.9	97.3	96.1
3.	बिहार	94.5	85.8	42.7	71.0	96.7	84.9	73.8	90.8	88
4.	छत्तीसगढ़	89.4	82.3	46.6	43.5	26.7	24.5	45.2	97.3	93.5
5.	गुजरात	अनुपलब्ध	95.7	अनुपलब्ध	64.2	अनुपलब्ध	62.6	अनुपलब्ध	अनुपलब्ध	अनुपलब्ध
6.	हरियाणा	91.1	94.2	65.6	46.6	74.3	38.8	89.8	93.9	96.5
7.	झारखंड	93.3	86.3	42.9	47.3	73.3	48.0	50.9	36.4	54.6
8.	कर्नाटक	96.6	93.4	72.4	72.2	64.2	47.8	69.4	94.7	95.6
9.	केरल	66.7	86.5	43.1	21.6	88.8	0.0	89.4	77.2	81.7
10.	मध्य प्रदेश	92.4	88.2	56.0	67.7	60.0	82.1	54.6	91.1	83.7
11.	महाराष्ट्र	94.9	90.9	67.2	53.1	50.7	46.8	97.8	99.7	99.6
12.	ओडिशा	60.9	55.4	38.0	39.0	44.3	26.4	24.9	98.1	54.0
13.	पंजाब	94.1	100.0	60.5	43.5	62.7	39.1	79.6	95.7	92.0
14.	राजस्थान	93.8	94.2	34.6	31.5	34.5	44.2	56.7	68.0	93.1
15.	तमिलनाडु	94.2	93.5	89.1	70.1	51.4	59.4	82.8	67.1	76.9
16.	तेलंगाना	90.2	अनुपलब्ध	72.6	अनुपलब्ध	39.3	अनुपलब्ध	86.3	54.8	94.9

1	2	33	34	35	36	37	38	39	40	41
17.	उत्तर प्रदेश	84.6	81.2	23.7	39.7	47.6	44.5	37.7	31.7	30.4
18.	पश्चिम बंगाल	67.5	73.3	32.4	45.3	36.2	33.3	61.4	93.0	72.8
19.	अंडमान और निकोबार द्वीपसमूह	94.1	71.4	72.2	42.8	5.6	14.3	अनुपलब्ध	अनुपलब्ध	अनुपलब्ध
20.	अरुणाचल प्रदेश	68.6	73.1	17.5	34.8	2.3	7.7	24.4	86.6	73.2
21.	दिल्ली	अनुपलब्ध	100.0	अनुपलब्ध	100.0	अनुपलब्ध	83.3	अनुपलब्ध	अनुपलब्ध	अनुपलब्ध
22.	गोवा	81.8	90.0	27.3	50.0	45.5	10.0	47.1	17.7	100.0
23.	हिमाचल प्रदेश	76.9	75.0	16.0	48.7	28.6	9.2	81.1	96.7	98.1
24.	जम्मू और कश्मीर	अनुपलब्ध	66.7	अनुपलब्ध	51.4	अनुपलब्ध	19.4	अनुपलब्ध	अनुपलब्ध	अनुपलब्ध
25.	मणिपुर	76.5	57.1	39.1	57.1	5.9	14.3	69.5	94.9	98.3
26.	मेघालय	95.8	57.1	36.5	28.6	9.3	21.4	97.3	97.3	100.0
27.	मिजोरम	92.3	91.9	16.2	29.7	10.3	29.7	85.7	95.2	95.2
28.	नागालैंड	84.4	अनुपलब्ध	19.2	अनुपलब्ध	2.0	अनुपलब्ध	89.8	85.2	92.1
29.	सिक्किम	95.8	100.0	50.0	63.6	12.5	18.2	95.8	87.5	100.0
30.	त्रिपुरा	93.1	74.4	82.4	64.1	58.1	43.6	72.1	88.4	86.1
31.	उत्तराखंड	94.6	अनुपलब्ध	52.6	42.9	35.7	16.7	84.3	89.2	88.0
32.	चंडीगढ़	अनुपलब्ध	अनुपलब्ध	अनुपलब्ध	अनुपलब्ध	अनुपलब्ध	अनुपलब्ध	अनुपलब्ध	अनुपलब्ध	अनुपलब्ध
33.	दादरा और नगर हवेली	अनुपलब्ध	100.0	अनुपलब्ध	50.0	अनुपलब्ध	50.0	अनुपलब्ध	अनुपलब्ध	अनुपलब्ध
34.	दमन और दीव	अनुपलब्ध	100.0	अनुपलब्ध	0.0	अनुपलब्ध	100.0	अनुपलब्ध	अनुपलब्ध	अनुपलब्ध
35.	लक्षद्वीप	अनुपलब्ध	75.0	अनुपलब्ध	50.0	अनुपलब्ध	0.0	अनुपलब्ध	अनुपलब्ध	अनुपलब्ध
36.	पुदुचेरी	100.0	90.9	58.8	54.6	38.8	9.1	अनुपलब्ध	अनुपलब्ध	अनुपलब्ध

एनसी = गणना नहीं की गई क्योंकि कोई मामला नहीं था।

स्रोत: जिला स्तरीय परिवार और सुविधा केंद्र सर्वेक्षण।

मुख्य संकेतक जिला स्तरीय परिवार और सुविधा केंद्र सर्वेक्षण, डीएलएचएस-4 (2012-13) और डीएलएचएस-3 (2007-08)

क्र. सं.	राज्य/संघ शासित क्षेत्र	मुख्य संकेतक जिला अस्पताल और सुविधा सर्वेक्षण, डीएलएचएस-4 (2012-13) और डीएलएचएस-3 (2007-08) सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र (पीएचसी) (%)									
		24×7 घंटे सामान्य प्रसूति सेवाओं वाले सीएचसी		स्त्री रोग विशेषज्ञ/ प्रसूति रोग विशेषज्ञ		एनस्थेसिया विशेषज्ञ वाले सीएचसी		कार्यात्मक ऑपरेशन थिएटर वाले सीएचसी		एफआरयू के रूप में विनिर्दिष्ट सीएचसी	
		डीएलएचएस-4	डीएलएचएस-3	डीएलएचएस-4	डीएलएचएस-3	डीएलएचएस-4	डीएलएचएस-3	डीएलएचएस-4	डीएलएचएस-3	डीएलएचएस-4	डीएलएचएस-3
1	2	42	43	44	45	46	47	48	49	50	51
	भारत	**अनुपलब्ध**	**90.0**	**अनुपलब्ध**	**25.2**	**अनुपलब्ध**	**17.1**	**अनुपलब्ध**	**65.2**	**अनुपलब्ध**	**52.0**
1.	आंध्र प्रदेश	98.0	93.8	41.6	42.6	29.5	26.5	86.5	80.9	80.7	88.9
2.	असम	100.0	91.6	17.3	31.3	7.0	अनुपलब्ध	12.6	24.1	21.5	32.5
3.	बिहार	100.0	90.9	26.5	40.9	17.7	19.7	79.4	86.4	77.9	87.9
4.	छत्तीसगढ़	99.4	99.3	16.7	19.7	23.5	अनुपलब्ध	58.6	73.0	34.6	56.9
5.	गुजरात	अनुपलब्ध	97.6	अनुपलब्ध	11.3	अनुपलब्ध	9.4	अनुपलब्ध	65.6	अनुपलब्ध	74.1
6.	हरियाणा	100.0	88.1	13.2	13.1	8.5	10.7	46.2	60.7	71.7	44.1
7.	झारखंड	100.0	100.0	11.7	62.5	10.6	अनुपलब्ध	74.4	87.5	17.8	87.5
8.	कर्नाटक	95.7	94.1	36.6	28.8	10.8	11.2	67.2	72.0	50.1	75.4
9.	केरल	100.0	18.4	31.4	14.3	17.5	अनुपलब्ध	25.5	26.3	50.4	18.0
10.	मध्य प्रदेश	98.1	99.6	12.8	15.8	6.8	अनुपलब्ध	54.5	70.7	70.3	61.4
11.	महाराष्ट्र	98.4	95.9	43.4	40.3	27.3	26.9	91.6	84.6	75.1	58.7
12.	ओडिशा	99.7	79.0	35.3	87.3	6.4	50.7	43.1	59.4	28.1	53.7
13.	पंजाब	95.8	82.0	34.2	31.6	14.2	7.7	76.7	69.5	75.8	39.4
14.	राजस्थान	99.7	98.9	19.2	29.9	13.8	अनुपलब्ध	38.8	60.3	53.1	52.7
15.	तमिलनाडु	99.0	100.0	34.3	7.2	40.3	9.4	72.4	56.8	58.8	46.7
16.	तेलंगाना	97.6	अनुपलब्ध	27.3	अनुपलब्ध	39.7	अनुपलब्ध	65.9	अनुपलब्ध	92.1	अनुपलब्ध

1	2	42	43	44	45	46	47	48	49	50	51
17.	उत्तर प्रदेश	99.3	92.1	14.4	19.5	11.1	अनुपलब्ध	54.1	88.5	18.4	55.8
18.	पश्चिम बंगाल	96.2	96.1	17.5	11.6	10.7	13.4	68.6	46.3	52.7	17.9
19.	अंडमान और निकोबार द्वीपसमूह	100.0	100.0	0.0	100.0	0.0	100.0	25.0	100.0	75.0	50.0
20.	अरुणाचल प्रदेश	100.0	89.5	2.0	34.2	3.7	7.8	11.3	60.5	15.9	65.8
21.	दिल्ली	अनुपलब्ध	अनुपलब्ध	अनुपलब्ध	अनुपलब्ध	अनुपलब्ध	अनुपलब्ध	अनुपलब्ध	अनुपलब्ध	अनुपलब्ध	अनुपलब्ध
22.	गोवा	100.0	100.0	25.0	20.0	50.0	60.0	50.0	60.0	100.0	80.0
23.	हिमाचल प्रदेश	98.4	87.0	6.5	4.4	9.1	5.4	52.0	47.8	35.1	35.9
24.	जम्मू और कश्मीर	अनुपलब्ध	84.9	अनुपलब्ध	45.2	अनुपलब्ध	54.8	अनुपलब्ध	58.9	अनुपलब्ध	71.2
25.	मणिपुर	92.9	84.2	12.5	15.8	12.5	10.5	12.5	5.3	50.0	31.6
26.	मेघालय	100.0	96.2	14.3	11.5	0.0	7.7	21.4	15.4	64.3	46.1
27.	मिजोरम	100.0	90.0	18.2	0.0	27.3	10.0	100.0	80.0	54.6	70.0
28.	नागालैंड	100.0	अनुपलब्ध	4.7	अनुपलब्ध	9.5	अनुपलब्ध	54.1	अनुपलब्ध	80.9	अनुपलब्ध
29.	सिक्किम	100.0	अनुपलब्ध	100.0	अनुपलब्ध	100.0	अनुपलब्ध	100.0	अनुपलब्ध	100.0	अनुपलब्ध
30.	त्रिपुरा	100.0	100.0	9.1	0.0	0.0	8.3	0.0	16.7	45.5	25.0
31.	उत्तराखंड	98.3	92.6	23.3	16.8	11.7	8.4	30.0	67.4	58.3	53.7
32.	चंडीगढ़	100.0	50.0	100.0	100.0	100.0	अनुपलब्ध	100.0	50.0	100.0	50.0
33.	दादरा और नगर हवेली	अनुपलब्ध	100.0	अनुपलब्ध	0.0	अनुपलब्ध	0.0	अनुपलब्ध	100.0	अनुपलब्ध	100.0
34.	दमन और दीव	अनुपलब्ध	100.0	अनुपलब्ध	100.0	अनुपलब्ध	100.0	अनुपलब्ध	100.0	अनुपलब्ध	100.0
35.	लक्षद्वीप	अनुपलब्ध	100.0	अनुपलब्ध	0.0	अनुपलब्ध	0.0	अनुपलब्ध	33.3	अनुपलब्ध	80.0
36.	पुदुचेरी	100.0	75.01	42.8	0.0	28.5	अनुपलब्ध	42.8	25.0	100.0	75.0

एनसी = गणना नहीं की गई क्योंकि कोई मामला नहीं था।

स्रोत: जिला स्तरीय परिवार और सुविधा केंद्र सर्वेक्षण।

मुख्य संकेतक जिला स्तरीय परिवार और सुविधा केंद्र सर्वेक्षण, डीएलएचएस-4 (2012-13) और डीएलएचएस-3 (2007-08)

क्र. सं.	राज्य/संघ शासित क्षेत्र	मुख्य संकेतक जिला अस्पताल और सुविधा सर्वेक्षण, डीएलएचएस-4 (2012-13) और डीएलएचएस-3 (2007-08) सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र (पीएचसी) (%)				उप-मंडलीय अस्पातल (%)					
		सिजरिएन सेक्शन प्रदान करने वाले विनिर्दिष्ट सीएचसी		24×7 घंटे आधार पर नवजात शिशु देखभाल सेवाओं वाले सीएचसी		बाल रोग चिकित्सक वाले जिला अस्पताल	नियमित रेडियोग्राफ वाले जिला अस्पताल	2डी ईको सुविधा वाले जिला अस्पताल	अल्टासाउंड सुविधा वाले जिला अस्पताल	गहन चिकित्सा क्षेत्र वाले जिला अस्पताल	सुझाव और शिकायत बॉक्स वाले जिला अस्पताल
		डीएलएचएस-4	डीएलएचएस-3	डीएलएचएस-4	डीएलएचएस-3	डीएलएचएस-4	डीएलएचएस-4	डीएलएचएस-4	डीएलएचएस-4	डीएलएचएस-4	डीएलएचएस-4
1	2	52	53	54	55	56	57	58	59	60	61
	भारत	**अनुपलब्ध**	**18.7**	**अनुपलब्ध**	**76.1**	**अनुपलब्ध**	**अनुपलब्ध**	**अनुपलब्ध**	**अनुपलब्ध**	**अनुपलब्ध**	**अनुपलब्ध**
1.	आंध्र प्रदेश	33.3	35.3	67.9	61.8	60.5	13.2	5.3	71.1	100.0	78.9
2.	असम	52.2	37.0	86.4	88.9	27.3	0.0	9.1	45.5	81.8	54.5
3.	बिहार	26.4	18.8	77.9	72.4	50.0	13.3	0.0	26.7	76.7	60.0
4.	छत्तीसगढ़	32.1	22.1	78.4	80.8	50.0	0.0	25.0	0.0	100.0	75.0
5.	गुजरात	अनुपलब्ध	25.5	अनुपलब्ध	86.0	अनुपलब्ध	अनुपलब्ध	अनुपलब्ध	अनुपलब्ध	अनुपलब्ध	अनुपलब्ध
6.	हरियाणा	14.5	21.6	91.5	62.2	28.6	9.5	4.7	14.3	90.5	42.8
7.	झारखंड	59.4	0.0	84.4	85.7	30.0	अनुपलब्ध	10.0	10.0	60.0	20.0
8.	कर्नाटक	23.1	22.5	82.3	60.7	51.4	16.2	4.1	37.8	98.0	46.0
9.	केरल	53.6	15.4	27.1	28.2	96.4	45.5	45.4	52.7	100.0	90.9
10.	मध्य प्रदेश	12.8	17.7	86.6	86.2	55.6	11.1	5.6	29.6	92.6	31.5
11.	महाराष्ट्र	48.7	14.9	86.8	83.7	13.8	13.8	7.5	45.0	100.0	90.0
12.	ओडिशा	16.8	15.5	79.7	53.7	80.8	3.9	7.7	3.9	88.5	26.9
13.	पंजाब	56.0	52.5	72.5	85.2	63.1	26.3	7.8	63.1	100.0	55.2
14.	राजस्थान	16.8	38.0	81.9	88.2	64.7	41.1	23.5	100.0	100.0	76.4

1	2	52	53	54	55	56	57	58	59	60	61
15.	तमिलनाडु	27.4	0.0	83.6	86.1	65.3	40.3	11.7	81.1	96.7	42.3
16.	तेलंगाना	29.6	अनुपलब्ध	76.1	अनुपलब्ध	72.7	9.1	0.0	72.7	100.0	75.7
17.	उत्तर प्रदेश	31.8	6.2	81.1	71.8	50.0	10.0		0.0	90.0	60.0
18.	पश्चिम बंगाल	37.0	25.5	81.7	86.7	97.6	83.7	7.0	79.1	97.6	48.8
19.	अंडमान और निकोबार द्वीपसमूह	0.0	0.0	100.0	100.0	अनुपलब्ध	अनुपलब्ध	अनुपलब्ध	अनुपलब्ध	अनुपलब्ध	अनुपलब्ध
20.	अरुणाचल प्रदेश	12.5	12.0	75.5	68.0	अनुपलब्ध	अनुपलब्ध	अनुपलब्ध	अनुपलब्ध	अनुपलब्ध	अनुपलब्ध
21.	दिल्ली	अनुपलब्ध	अनुपलब्ध	अनुपलब्ध	अनुपलब्ध	अनुपलब्ध	अनुपलब्ध	अनुपलब्ध	अनुपलब्ध	अनुपलब्ध	अनुपलब्ध
22.	गोवा	25.0	0.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0
23.	हिमाचल प्रदेश	22.2	6.1	688	84.9	अनुपलब्ध	अनुपलब्ध	अनुपलब्ध	अनुपलब्ध	अनुपलब्ध	अनुपलब्ध
24.	जम्मू और कश्मीर	अनुपलब्ध	20.4	अनुपलब्ध	67.3	अनुपलब्ध	अनुपलब्ध	अनुपलब्ध	अनुपलब्ध	अनुपलब्ध	अनुपलब्ध
25.	मणिपुर	0.0	0.0	68.8	50.0	0.0	0.0	0.0	0.0	100.0	0.0
26.	मेघालय	33.3	8.3	100.0	50.0	अनुपलब्ध	अनुपलब्ध	अनुपलब्ध	अनुपलब्ध	अनुपलब्ध	अनुपलब्ध
27.	मिजोरम	100.0	0.0	100.0	100.0	50.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
28.	नागालैंड	23.5	अनुपलब्ध	80.9	अनुपलब्ध	अनुपलब्ध	अनुपलब्ध	अनुपलब्ध	अनुपलब्ध	अनुपलब्ध	अनुपलब्ध
29.	त्रिपुरा	0.0	अनुपलब्ध	100.0	अनुपलब्ध	अनुपलब्ध	अनुपलब्ध	अनुपलब्ध	अनुपलब्ध	अनुपलब्ध	अनुपलब्ध
30.	उत्तर प्रदेश	0.0	0.0	72.7	100.0	36.4	0.0	0.0	63.6	90.9	27.3
31.	उत्तराखंड	8.6	5.8	73.3	86.3	88.9	55.6	0.0	77.8	100.0	44.4
32.	चंडीगढ़	100.0	100.0	100.0	100.0	अनुपलब्ध	अनुपलब्ध	अनुपलब्ध	अनुपलब्ध	अनुपलब्ध	अनुपलब्ध
33.	दादरा और नगर हवेली	अनुपलब्ध	0.0	अनुपलब्ध	100.0	अनुपलब्ध	अनुपलब्ध	अनुपलब्ध	अनुपलब्ध	अनुपलब्ध	अनुपलब्ध
34.	दमन और दीव	अनुपलब्ध	100.0	अनुपलब्ध	100.0	अनुपलब्ध	अनुपलब्ध	अनुपलब्ध	अनुपलब्ध	अनुपलब्ध	अनुपलब्ध
35.	लक्षद्वीप	अनुपलब्ध	0.0	अनुपलब्ध	100.0	अनुपलब्ध	अनुपलब्ध	अनुपलब्ध	अनुपलब्ध	अनुपलब्ध	अनुपलब्ध
36.	पुदुचेरी	14.3	0.0	57.1	अनुपलब्ध	अनुपलब्ध	अनुपलब्ध	अनुपलब्ध	अनुपलब्ध	अनुपलब्ध	अनुपलब्ध

एनसी = गणना नहीं की गई क्योंकि कोई मामला नहीं था।

स्रोत: जिला स्तरीय परिवार और सुविधा केंद्र सर्वेक्षण।

मुख्य संकेतक जिला स्तरीय परिवार और सुविधा केंद्र सर्वेक्षण, डीएलएचएस-4 (2012-13) और डीएलएचएस-3 (2007-08)

क्र. सं.	राज्य/संघ शासित क्षेत्र	जिला अस्पताल (डीएच) (DH) (%)						
		बाल रोग चिकित्सक वाले जिला अस्पताल	नियमित रेडियोग्राफ वाले जिला अस्पताल	2डी ईको सुविधा वाले जिला अस्पताल	अल्टासाउंड सुविधा वाले जिला अस्पताल	तीन फेज वाले जिला अस्पताल	गहन चिकित्सा क्षेत्र वाले जिला अस्पताल	सुझाव और शिकायत बॉक्स वाले जिला अस्पताल
		डीएलएचएस-4	डीएलएचएस-4	डीएलएचएस-4	डीएलएचएस-4	डीएलएचएस-4	डीएलएचएस-4	डीएलएचएस-4
1	2	62	63	64	65	66	67	68
	भारत	**अनुपलब्ध**	**अनुपलब्ध**	**अनुपलब्ध**	**अनुपलब्ध**	**अनुपलब्ध**	**अनुपलब्ध**	**अनुपलब्ध**
1.	आंध्र प्रदेश	82.3	52.9	23.5	100.0	100.0	88.2	52.9
2.	असम	76.0	24.0	12.0	76.0	100.0	64.0	92.0
3.	बिहार	76.3	44.7	13.2	63.2	94.7	81.6	94.7
4.	छत्तीसगढ़	14.0	10.0	2.0	10.0	16.0	10.0	16.0
5.	गुजरात	अनुपलब्ध	अनुपलब्ध	अनुपलब्ध	अनुपलब्ध	अनुपलब्ध	अनुपलब्ध	अनुपलब्ध
6.	हरियाणा	95.2	38.1	38.1	90.5	100.0	76.2	100.0
7.	झारखंड	85.7	19.5	9.5	47.6	100.0	42.9	85.7
8.	कर्नाटक	86.2	62.1	34.5	89.7	96.6	75.9	82.8
9.	केरल	93.3	86.6	73.3	93.3	100.0	100.0	100.0
10.	मध्य प्रदेश	97.9	63.2	16.3	89.8	100.0	73.5	93.8
11.	महाराष्ट्र	97.4	79.5	38.5	92.3	100.0	89.7	97.4
12.	ओडिशा	93.1	31.0	3.5	69.0	96.6	51.7	89.7
13.	पंजाब	90.0	50.0	15.0	90.0	100.0	51.7	95.0
14.	राजस्थान	91.6	61.1	25.0	100.0	100.0	86.1	91.6
15.	तमिलनाडु	90.0	50.0	73.3	93.3	100.0	46.6	76.7

1	2	62	63	64	65	66	67	68
16.	तेलंगाना	77.8	55.5	22.2	100.0	100.0	88.8	55.5
17.	उत्तर प्रदेश	84.1	62.8	9.1	69.7	96.9	58.3	87.8
18.	पश्चिम बंगाल	95.0	100.0	47.4	100.0	100.0	63.2	94.7
19.	अंडमान और निकोबार द्वीपसमूह	33.3	0.0	33.3	66.7	100.0	66.7	100.0
20.	अरुणाचल प्रदेश	35.7	14.3	14.3	50.0	50.0	28.6	71.4
21.	दिल्ली	अनुपलब्ध	अनुपलब्ध	अनुपलब्ध	अनुपलब्ध	अनुपलब्ध	अनुपलब्ध	अनुपलब्ध
22.	गोवा	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	50.0	100.0
23.	हिमाचल प्रदेश	91.7	75.0	25.0	83.3	100.0	50.0	100.0
24.	जम्मू और कश्मीर	अनुपलब्ध	अनुपलब्ध	अनुपलब्ध	अनुपलब्ध	अनुपलब्ध	अनुपलब्ध	अनुपलब्ध
25.	मणिपुर	42.9	14.3	0.0	42.9	42.9	28.6	71.4
26.	मेघालय	100.0	40.0	20.0	80.0	60.0	20.0	100.0
27.	मिजोरम	50.0	12.5	25.0	100.0	62.5	35.5	87.5
28.	नागालैंड	45.4	18.2	18.2	72.7	54.5	18.2	81.8
29.	सिक्किम	75.0	50.0	0.0	100.0	100.0	75.0	75.0
30.	त्रिपुरा	60.0	40.0	20.0	60.0	80.0	40.0	100.0
31.	उत्तराखंड	22.0	14.0	4.0	20.0	29.0	14.0	29.0
32.	चंडीगढ़	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0
33.	दादरा और नगर हवेली	अनुपलब्ध	अनुपलब्ध	अनुपलब्ध	अनुपलब्ध	अनुपलब्ध	अनुपलब्ध	अनुपलब्ध
34.	दमन और दीव	अनुपलब्ध	अनुपलब्ध	अनुपलब्ध	अनुपलब्ध	अनुपलब्ध	अनुपलब्ध	अनुपलब्ध
35.	लक्षद्वीप	अनुपलब्ध	अनुपलब्ध	अनुपलब्ध	अनुपलब्ध	अनुपलब्ध	अनुपलब्ध	अनुपलब्ध
36.	पुदुचेरी	66.6	66.6	66.6	100.0	100.0	100.0	100.0

एनसी = गणना नहीं की गई क्योंकि कोई मामला नहीं था।

स्रोत: जिला स्तरीय परिवार और सुविधा केंद्र सर्वेक्षण।

पीएसबी का विनियमन

***156. श्री के. अशोक कुमार:**
श्री आधलराव पाटील शिवाजीराव:

क्या **वित्त मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या भारतीय रिजर्व बैंक (आरबीआई) पंजाब नेशनल बैंक (पीएनबी) घोटाला नहीं पकड़ा गया था और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ख) क्या आरबीआई के पास राज्य द्वारा चलाए गए ऋणदाताओं/सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों (पीएसबी) का विनियमन करने की पर्याप्त शक्ति नहीं है, यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इस पर सरकार की क्या प्रतिक्रिया है;

(ग) क्या सरकार ने पहले यह कहा था/विचार दिया था कि आरबीआई के पास पीएसबी का विनियमन करने की पर्याप्त शक्ति है और यदि हां, तो इस संबंध में तथ्य क्या हैं;

(घ) क्या सरकार पीएसबी का विनियमन करने में आरबीआई की शक्ति के संबंध में मुद्दों पर चर्चा करने की इच्छुक है और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और पीएसबी के संरक्षण हेतु आरबीआई को सशक्त बनाने के साथ-साथ इस संबंध में सरकार ने क्या कदम उठाए हैं; और

(ङ) क्या सरकार की आचार युक्त बैंकिंग और बैंकरों की शिक्षा के बारे में बाध्यकारी विनियमन लाने की योजना है और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

रेल मंत्री, कोयला मंत्री, वित्त मंत्री तथा कॉर्पोरेट कार्य मंत्री (श्री पीयूष गोयल): (क) से (ङ) भारतीय रिजर्व बैंक (आरबीआई) ने यह सूचित किया है कि उसे पीएनबी के ब्रेडी हाउस शाखा में हुई धोखाधड़ी के बारे में प्रथम औपचारिक रिपोर्ट दिनांक 29.01.2018 को प्राप्त हुई थी। आरबीआई ने यह भी सूचित किया है कि उनकी पर्यवेक्षीय कार्रवाई में बैंकों की लेखापरीक्षा शामिल नहीं है और यह कि यदि लेखापरीक्षा रिपोर्ट में कोई संकेत अथवा पर्यवेक्षीय समस्या का उल्लेख किया जाता है तो आरबीआई जांच आरंभ कर सकता है। इसके अलावा, स्थल पर ही जांच के लिए आरबीआई द्वारा वर्ष 2013 से अपनाए गए जोखिम आधारित पर्यवेक्षण मॉडल के अंतर्गत बैंक शाखाओं की जांच को तब तक शामिल नहीं किया जाता है, जब तक कि आरबीआई को पर्यवेक्षित बैंक की लेखापरीक्षा रिपोर्ट में कोई चेतावनी संकेत, जिसकी सूचना अन्य सभी लेखापरीक्षा रिपोर्ट में न दी गई हो, प्राप्त न हो। इसके अलावा, बैंकों द्वारा दायर आवधिक विवरणियों के आधार पर आरबीआई द्वारा बैंकों का स्थलेत्तर निरीक्षण एक परिमाणी विश्लेषणात्मक प्रक्रिया है तथा विनियामकीय अनुपालन से संबंधित पहलुओं को शामिल करने के लिए इसे तैयार नहीं किया गया है।

भारतीय रिजर्व बैंक सरकारी क्षेत्र के बैंकों और निजी क्षेत्र के बैंकों का विनियमन तथा पर्यवेक्षण करता है। बैंककारी विनियमन अधिनियम, 1949 के उपबंधों के अंतर्गत यह, अन्य बातों के साथ-साथ:–

- बैंक तथा इसके बही और खातों की जांच करता है (धारा 35(1));
- बैंक के किसी निदेशक या अन्य अधिकारी की शपथ की जांच करता है (धारा 35(3));
- बैंक के कार्यों की संवीक्षा करता है (धारा 35(1क));
- बैंक के समुचित प्रबंधन को सुरक्षित करने के लिए निदेश देता है (धारा 35(क));
- खाते के ब्यौरे से संबंधित सूचना की मांग करता है (धारा 27(2));
- बैंकों द्वारा ऋण दिए जाने से संबंधित नीति का निर्धारण करता है (धारा 21);
- बैंक की विशेष लेखापरीक्षा के लिए निदेश देता है (धारा 30(1ख)); और
- दिवाला और शोधन अक्षमता संहिता, 2016 के अंतर्गत चूक के संबंध में दिवाला समाधान प्रक्रिया आरंभ करने के लिए बैंकों को निदेश देता है (धारा (35कक))।

इसके अलावा, राष्ट्रीयकृत बैंकों तथा भारतीय स्टेट बैंक (एसबीआई) के संबंध में बैंककारी कंपनी (उपक्रमों का अर्जन एवं अंतरण) अधिनियम, 1970 और 1980 ("बैंक राष्ट्रीयकरण अधिनियम") और भारतीय स्टेट बैंक अधिनियम, 1955 ("एसबीआई अधिनियम") में, अन्य बातों के साथ-साथ, निम्नलिखित का उल्लेख है:–

(i) आरबीआई के नामिती निदेशक:

(1) राष्ट्रीयकृत बैंक की प्रबंधन समिति के बोर्ड में सदस्य होते हैं, जो एक निर्धारित अवसीमा से अधिक के ऋण प्रस्तावों के संबंध में बैंक के

बोर्ड की शक्ति का प्रयोग करता है (धारा 9(3)(ग) और बैंक राष्ट्रीयकरण अधिनियम के अंतर्गत सरकार द्वारा बनाए गए राष्ट्रीयकृत बैंक (प्रबंध और प्रकीर्ण उपबंध) योजना 1970 और 1980 का पैरा 13)

(2) एसबीआई की कार्यकारी समिति, जो एसबीआई साधारण विनियम, 1955 और केन्द्रीय बोर्ड निदेश (एसबीआई अधिनियम की धारा 19 (च) और 30 तथा एसबीआई साधारण विनियम, 1955 के विनियम, 46 के अध्यधीन केन्द्रीय बोर्ड के सामर्थ्य के अंतर्गत किसी मामले के संबंध में कार्रवाई कर सकते हैं;

(ii) आरबीआई बैंकों के लेखापरीक्षकों की नियुक्ति को अनुमोदित करता है तथा उनकी पारिश्रमिक निर्धारित करता है (बैंक राष्ट्रीयकरण अधिनियम की धारा 10 और एसबीआई अधिनियम की धारा 41); और

(iii) आरबीआई राष्ट्रीयकृत बैंक के बोर्ड तथा भारतीय स्टेट बैंक के केन्द्रीय बोर्ड में अतिरिक्त निदेशकों की नियुक्ति कर सकता है (बैंक राष्ट्रीयकरण अधिनियम की धारा 9क और एसबीआई अधिनियम की धारा 19ख)।

इसके अलावा, राष्ट्रीयकृत बैंकों और भारतीय स्टेट बैंक के पूर्णकालिक निदेशकों की नियुक्ति आरबीआई के परामर्श से की जाती है।

अन्य कानूनों के अंतर्गत आरबीआई को शक्तियां प्राप्त हैं, जिनमें, अन्य बातों के साथ-साथ, अधिनियम और इसके अंतर्गत बनाए गए नियम के अनुपालन की जांच के लिए विदेशी मुद्रा प्रबंध अधिनियम, 1999 की धारा 12 के अंतर्गत शक्तियां शामिल हैं।

आरबीआई सभी बैंकों के 5 करोड़ रुपए या उससे अधिक की समग्र निधि आधारित तथा गैर-निधि आधारित एक्सपोजर पर बड़े ऋणों के संबंध में सूचना का केन्द्रीय रिपॉजिटरी (सीआरआईएलसी) भी तैयार करता है। साथ ही आरबीआई केन्द्रीय धोखाधड़ी रजिस्ट्री भी तैयार करता है और बैंक 1 लाख रुपये या उससे अधिक अंतर्ग्रस्त राशि वाले सभी मामलों की सूचना आरबीआई को देते हैं। इसके अलावा, धोखाधड़ी पर आरबीआई के मास्टर निदेश में परिणामी प्रावधानीकरण के लिए मानदण्ड सहित धोखाधड़ी के वर्गीकरण, रिपोर्टिंग तथा समीक्षा के संबंध में दिशानिर्देश निर्धारित किए गए हैं।

विभिन्न परिस्थितियों से निपटने के लिए आरबीआई की शक्तियां व्यापक तथा विस्तृत हैं और यह सरकारी क्षेत्र के बैंकों सहित सभी बैंकों के संबंध में हो सकती हैं। विनियामकीय कार्यों में सुधार एक निरंतर चलने वाली प्रक्रिया है, मामलों के सामने आने पर सरकार आरबीआई को इसमें शामिल करती है तथा मामलों पर विचार-विमर्श करती है।

संबंधित बैंकों के बोर्ड के द्वारा अनुमोदित पीएसबी सुधार एजेंडा में, अन्य बातों के साथ-साथ, स्वच्छ तथा जवाबदेह बैंकिंग को बढ़ावा देने तथा बैंकरों को शिक्षित करने के कार्य को जारी रखने के उपायों का प्रस्ताव किया गया है, जिसका लक्ष्य ग्राहकों के प्रति बैंक को शिष्टाचारपूर्वक जवाबदेह बनाना है। सुधार एजेंडा में डिजिटल बैंकिंग, घर के निकट बैंकिंग, ग्राहक सुविधा, शिकायत निवारण की सुविधा, वरिष्ठ नागरिक तथा दिव्यांग हितैषी बैंकिंग सेवाएं, स्वचलित प्रक्रियाओं के जरिए ऋण का सक्रियता से वितरण जैसे उपायों के जरिए बैंकिंग सेवाओं की उपलब्धता को बढ़ाने तथा इसकी सेवा में उत्कृष्टता लाने पर जोर दिया गया है। इसमें अधिकारियों के लिए भूमिका आधारित ई-शिक्षण कार्यक्रम तथा वरिष्ठ कार्यपालकों के लिए प्रशिक्षण कार्यक्रम की भी परिकल्पना की गई है।

फसलों को नुकसान पहुंचाने वाले पशु

***157. श्री रावसाहेब पाटील दानवे:** क्या **पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) वन्य जीव संरक्षण अधिनियम, 1972 के अंतर्गत फसलों को नुकसान पहुंचाने वाले/हिंसक पशुओं की श्रेणी में किन पशुओं को रखा गया है;

(ख) उक्त पशुओं द्वारा फसलों एवं मानवों को पहुंचाई गई क्षति के लिए मुआवजा प्रदान करने हेतु क्या उपबंध है तथा विगत दो वर्षों और चालू वर्ष के दौरान हुई घटनाओं हेतु दिये गए मुआवजे का राज्य/संघ राज्यक्षेत्र-वार ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या नील गाय को भी फसलों को नुकसान पहुंचाने वाले/हिंसक पशुओं की श्रेणी में रखा गया है और यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं और नील गाय द्वारा की गई क्षति का ब्यौरा क्या है;

(घ) देश में बंदरों द्वारा फसलों एवं जान-माल को पहुंचाई गई क्षति की घटनाओं की राज्य/संघ राज्यक्षेत्र-वार संख्या कितनी है; और

(ङ) वन्य जीवों का संरक्षण करने एवं जंगली पशुओं द्वारा मानव जीवन और फसलों एवं संपत्तियों को पहुंचाई गई क्षति को रोकने/कम करने हेतु क्या कदम उठाए गए हैं?

विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्री, पृथ्वी विज्ञान मंत्री तथा पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्री (डॉ. हर्ष वर्धन): (क) वन्यजीव संरक्षण अधिनियम, 1972 के तहत फसलों को नुकसान पहुंचाने वाले पशु की श्रेणी में रखे गए पशुओं में (i) सामान्य कौआ (ii) फ्रूट बैट्स (iii) मूसे और (iv) चूहें शामिल हैं। केन्द्रीय सरकार वन्यजीव (संरक्षण) अधिनियम, 1972 की धारा 62 के अंतर्गत अनुसूची-I और भाग-II, अनुसूची-II में शामिल किए गए पशुओं के अलावा किसी भी वन्य पशु को किसी क्षेत्र के लिए एक विनिर्दिष्ट अवधि के लिए फसल को नुकसान पहुंचाने वाले पशु के रूप में घोषित कर सकती है।

(ख) राज्य सरकारें, वन्य पशुओं द्वारा फसलों और मानवों को पहुंचाई गई क्षति के लिए मुआवजा प्रदान करने के लिए उत्तरदायी हैं। तथापि, मंत्रालय, वन्यजीवों और उनके वास-स्थलों का प्रबंधन के लिए 'वन्यजीव वास-स्थलों का एकीकृत विकास, 'बाघ परियोजना' और 'हाथी परियोजना' की केन्द्रीय प्रायोजित स्कीमों के तहत राज्य/संघ शासित प्रदेश की सरकारों को वित्तीय सहायता भी प्रदान करता है जिसमें मवेशियों को उठा ले जाने, फसलों को क्षति पहुंचाने, जीवन और सम्पत्ति को पहुंचाई गई क्षति सहित वन्य पशुओं द्वारा उपद्रव करने पर मुआवजे की अदायगी करना भी शामिल है।

हाल ही में मंत्रालय ने दिनांक 9 फरवरी, 2018 के पत्र सं. 14-2/2011-डब्ल्यू एल-I (पार्ट) द्वारा वन्यजीवों के उपद्रव के संबंध में अनुग्रह राशि की दरों में वृद्धि की है। संवर्धित मुआवजे की धनराशि निम्नवत है:

क्र. सं.	वन्य पशुओं द्वारा पहुंचाई गई क्षति की प्रकृति	अनुग्रहपूर्वक सहायता धनराशि
1	2	3
(क)	मृत्यु अथवा स्थायी अशक्तता	5,00,000/- रुपये
(ख)	गंभीर चोट	2,00,000/- रुपये
(ग)	मामूली चोट	उपचार की लागत प्रति व्यक्ति 25000/- रुपये तक
(घ)	संपत्ति/फसलों को पहुंची क्षति	राज्य/संघ शासित प्रदेश सरकारें, स्वयं द्वारा निर्धारित किए गए लागत मानदंडों का अनुपालन कर सकते हैं।

गत दो वर्षों और चालू वर्ष के दौरान इन स्कीमों के तहत फसलों को पहुंची क्षति, मानव जीवन की क्षति/मानव चोटों के लिए मुआवजे के लिए राज्य/संघ शासित प्रदेशों को जारी की गई वित्तीय सहायता का ब्यौरा संलग्न विवरण में दिया गया है।

(ग) बिहार राज्य सरकार के अनुरोध पर मंत्रालय ने दिनांक 1 दिसम्बर, 2015 के का.आ. 3318 (अ) द्वारा नीलगाय को एक वर्ष की अवधि के लिए फसलों को नुकसान पहुंचाने वाले पशु के रूप में घोषित करने के लिए अधिसूचना जारी की थी। तथापि, नीलगाय द्वारा पहुंचाई गई क्षति के ब्यौरे का संकलन केन्द्रीय सरकार के स्तर पर नहीं किया जाता।

(घ) ऐसे संघर्षों के निपटान का प्रबंधन संबंधित राज्य/संघ राज्य क्षेत्र की सरकारों द्वारा किया जाता है। बंदरों द्वारा फसलों, मानव जीवन और सम्पत्तियों को पहुंचाई गई क्षति की घटनाओं की संख्या का संकलन मंत्रालय द्वारा नहीं किया जाता है।

(ङ) वन्यजीवों का संरक्षण करने एवं जंगली पशुओं द्वारा मानव जीवन और फसलों एवं संपत्तियों को पहुंचाई गई क्षति को रोकने/कम करने हेतु सरकार द्वारा उठाए गए कदम निम्नलिखित हैं:-

(i) वन्य पशुओं और उनके वास-स्थलों को संरक्षित करने के लिए वन्य जीव (संरक्षण) अधिनियम, 1972 के उपबंधों के तहत देशभर में महत्वपूर्ण वन्यजीव वास-स्थलों को शामिल करते हुए सुरक्षित क्षेत्रों, अर्थात् राष्ट्रीय उद्यान, वन्यजीव अभयारण्य, संरक्षण रिजर्व और सामुदायिक रिजर्वो का एक नेटवर्क सृजित किया गया है।

(ii) मंत्रालय ने मानव-वन्य जीव संघर्ष के संबंध में सभी राज्य सरकारों/संघ शासित प्रदेशों प्रशासनों के मुख्य वन्यजीव वार्डनों को दिनांक 24 दिसम्बर, 2014 और 01 जून, 2015 को दिशानिर्देश जारी किए हैं। मंत्रालय ने राज्यों/संघ शासित प्रदेशों से स्थिति का वस्तु-परक आकलन करने के पश्चात उस क्षेत्र जहां किसी विनिर्दिष्ट अवधि के लिए वन्य पशुओं की अधिक संख्या में कमी करना अनिवार्य है, के विषय में विशिष्ट रूप से प्रस्ताव मांगे हैं।

(iii) फसलों वाले खेतों में वन्य पशुओं के प्रवेश को रोकने के लिए कंटीली तारों की बाड़ लगाने, सौर ऊर्जा से चालित विद्युत बाड़े, कैक्टस का प्रयोग करते हुए जैव-बाड़े, चारदीवारी जैसे वास्तविक अवरोधकों का निर्माण/स्थापित करना।

(iv) मंत्रालय ने तदर्थ प्रतिपूरक वनीकरण निधि प्रबंधन और आयोजना प्राधिकरण (काम्पा) से वित्तीय सहायता से वन्य शाकाहारियों के लिए घास, चारे और जल की मात्रा में संवर्धन करने के लिए व्यवस्था करके क्षेत्र में वास-स्थल में सुधार करने पर लक्षित, 'सुरक्षित क्षेत्रों/वन क्षेत्रों में चारे और जल की उपलब्धता में संवर्धन' हेतु राज्यों को सहायता प्रदान करने के लिए एक स्कीम तैयार की है ताकि वन्य पशुओं द्वारा पहुंचाई गई क्षति को रोका जा सके।

(v) मंत्रालय ने दिनांक 9 फरवरी, 2018 के पत्र सं. 14-2/2011 डब्ल्यूएल-I (पार्ट) द्वारा वन्यपशुओं के उपद्रव से संबंधित अनुग्रह-राशि दरों में वृद्धि की अधिसूचना जारी की है।

(vi) मंत्रालय ने फसलों की क्षति और विध्वंस के लिए जिम्मेदार वन्यपशुओं, अर्थात् हाथी, जंगली सुअर, बंदर और नीलगाय की संख्या को नियंत्रित करने के लिए प्रतिरक्षक-गर्भनिरोधक से संबंधित प्रायोगिक परियोजना अनुमोदित की है।

(vii) मंत्रालय ने जीआईजेड के सहयोग से मानव वन्यजीव संघर्ष उपशमन परियोजना भी शुरू की है।

(viii) सुरक्षित क्षेत्रों और अन्य वन्यजीव बहुल क्षेत्रों से गुजर रहे रेलवे ट्रैकों, सड़कों/राजमार्गों और विद्युत पारेषण लाइनों जैसी सरेखीय अवसंरचनाओं के साथ-साथ वन्यजीव संघर्ष के प्रभाव का शमन करने के लिए राष्ट्रीय वन्यजीव बोर्ड की स्थायी समिति ने सिफारिश की है कि सभी सरेखीय अवसंरचना विकास अभिकरण सरेखीय अवसंरचना परियोजनाओं के प्रयोजनार्थ सुरक्षित क्षेत्रों के उपयोग के लिए प्रस्ताव प्रस्तुत करते समय डब्ल्यूआईआई दिशानिर्देश "वन्यजीवों पर सरेखयीय अवसंरचना के प्रभाव का शमन करने के लिए पारिस्थितिकीय अनुकूल उपाय" के आधार पर वन्यपशु मार्ग योजना प्रस्तुत करेंगे। ये दिशानिर्देश पारिस्थितिकीय हितैषी संरचना उपलब्ध कराने के उपाय के द्वारा सरेखीय अवसंरचनाओं के डिजाइन में संशोधन करने का सुझाव देते हैं जिसमें इन सरेखीय अवसंरचनाओं के आर-पार वन्यजीवों का सुरक्षित आवागमन सुनिश्चित होगा।

(ix) मीडिया के विभिन्न स्वरूपों के माध्यम से सूचना का प्रसार करने सहित मानव-पशु संघर्ष के विषय में सामान्य जनता को मार्गदर्शन देने और परामर्श देने की प्रक्रिया को सुग्राही बनाने के लिए आवधिक जागरूकता अभियान चलाना।

विवरण

गत दो वर्षों और चालू वर्ष के दौरान केन्द्रीय प्रायोजित स्कीम 'वन्यजीव वास स्थलों का एकीकृत विकास के तहत राज्य/संघ शासित सरकारों को जारी की गई निधियों का ब्यौरा

(लाख रु. में)

क्र. सं.	राज्यों/संघ शासित प्रदेशों के नाम	2016-17	2017-18	2018-19 (24.07.2018 तक)
1	2	3	4	5
1.	अंडमान और निकोबार द्वीपसमूह	118.49	141.93486	97.376
2.	आंध्र प्रदेश	0	0	0
3.	अरुणाचल प्रदेश	256.8107	269.9348	0

1	2	3	4	5
4.	असम	0	275.827	0
5.	बिहार	100.576	322.67435	0
6.	चंडीगढ़	26.06514	26.06514	0
7.	छत्तीसगढ़	278.9453	435.01469	0
8.	गोवा	0	85.99383	0
9.	गुजरात	497.604	558.52	0
10.	हरियाणा	124.6572	181.4448	0
11.	हिमाचल प्रदेश	280.31	237.4107	0
12.	जम्मू और कश्मीर	336.50626	577.9151	0
13.	झारखंड	0	95.607	00
14.	कर्नाटक	325.52	427.89	0
15.	केरल	1928.42	900.834	549.6326
16.	मध्य प्रदेश	322.265	1379.488	0
17.	महाराष्ट्र	497.35	808.0555	0
18.	मणिपुर	340.032	425.6644	0
19.	मेघालय	55.23	114.061	0
20.	मिजोरम	1234.95	487.44544	274.70
21.	नागालैंड	357.846	565.871	109.37088
22.	ओडिशा	279.65	342.93705	397.75
23.	राजस्थान	453.87878	622.4216	541.24624
24.	सिक्किम	145.52	202.154	0
25.	तमिलनाडु	0	394.7252	327.098
26.	तेलंगाना	0	157.0833	0
27.	उत्तर प्रदेश	250.956	386.968	0
28.	उत्तराखंड	545.30576	2979.3618	0
29.	पश्चिम बंगाल	237.66	657.9924	0
30.	पुदुचेरी	0	6.71	0
31.	एमईई-उत्तराखंड	0	932.00	83.25
	कुल	8994.54814	15000.00496	2380.42372

केन्द्रीय प्रायोजित स्कीम 'बाघ परियोजना' के तहत गत दो वर्षों और चालू वर्ष के दौरान राज्य-वार जारी की गई वित्तीय सहायता

(लाख रु. में)

क्र. सं.	राज्य	2016-17 जारी की गई धनराशि	2017-18 जारी की गई धनराशि	2018-19 (23.07.2018 तक) जारी की गई धनराशि
1.	आंध्र प्रदेश	173.48600	232.49	162.178
2.	अरुणाचल प्रदेश	597.28900	671.0222	
3.	असम	1510.92100	2309.608	
4.	बिहार	487.83800	552.273	
5.	छत्तीसगढ़	626.56700	1315.076	
6.	झारखंड	323.76200	338.62	293.45
7.	कर्नाटक	3203.61440	2308.846	1764.964
8.	केरल	780.23100	636.412	
9.	मध्य प्रदेश	12885.59790	11455.457	
10.	महाराष्ट्र	8229.71800	6524.165	
11.	मिजोरम	301.54800	215.316	
12.	ओडिशा	917.16700	1646.127	
13.	राजस्थान	381.30200	773.09	
14.	तमिलनाडु	949.86900	2551.058	
15.	तेलंगाना	239.25900	350.416	
16.	उत्तराखंड	1023.40300	1187.439	
17.	उत्तर प्रदेश	1057.04500	820.074	
18.	पश्चिम बंगाल	536.14070	597.5808	
19.	गोवा	0.00000	10.88	
20.	मणिपुर	0.00000	2.70	
21.	नागालैंड	0.00000	1.35	
	कुल	34224.7580	34500.000	2220.592

केन्द्रीय प्रायोजित स्कीम (सीएसएस) हाथी परियोजना के तहत राज्य-वार जारी की गई धनराशि

(लाख रु. में)

क्र. सं.	राज्य/संघ शासित क्षेत्र	2016-17	2017-18	2018-19
1.	आंध्र प्रदेश	13.62282	17.394	–
2.	अरुणाचल प्रदेश	100.062	118.8504	–
3.	असम	275.6668	–	–
4.	छत्तीसगढ़	61.1624	48.00	–
5.	झारखंड	95.7704	105.5184	–
6.	कर्नाटक	254.80	355.5484	309.3044
7.	केरल	429.8712	482.55	363.13
8.	महाराष्ट्र	14.335	27.00	–
9.	मेघालय	130.266	162.849	–
10.	नागालैंड	20.3143	25.20	35.136
11.	ओडिशा	284.0342	124.8382	197.28
12.	तमिलनाडु	25.80	291.92	231.198
13.	त्रिपुरा	22.464	10.08	–
14.	उत्तर प्रदेश	14.174	30.672	20.244
15.	उत्तराखंड	175.4576	341.563	–
16.	पश्चिम बंगाल	101.45	79.93022	–
17.	हरियाणा	–	17.76	8.385
18.	बिहार	16.2904	154.40	–
19.	राजस्थान	15.84	14.454	12.6596
20.	पंजाब	1.825	–	–
21.	मध्य प्रदेश	6.8442	–	3.4978
22.	मणिपुर	–	10.80	9.072
	कुल	2060.05032	2419.32762	1189.9068

सिंगल-यूज प्लास्टिक उत्पाद

***158. डॉ. प्रीतम गोपीनाथ मुंडे:**
श्री धर्मेन्द्र यादव:

क्या **पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या प्लास्टिक प्रदूषण देश में बड़ी समस्या है जहां प्रतिवर्ष 25,000 टन प्लास्टिक अपशिष्ट निकलता है और इसकी मात्रा का केवल 60 प्रतिशत ही रिसाइकल किया जाता है और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ख) क्या विभिन्न कार्यालयों में बैठकों और अन्य समारोहों के दौरान प्लास्टिक वाली पानी की बोतलों का इस्तेमाल आम बात है और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या सरकार का सभी कार्यालयों को सिंगल यूज प्लास्टिक मुक्त करने का विचार है और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और कार्यालयों में प्लास्टिक की पानी की बोतलों जैसे सिंगल-यूज प्लास्टिक उत्पादों के इस्तेमाल को चरणबद्ध तरीके से समाप्त करने हेतु मंत्रालयों/विभागों को जारी अनुदेश/निर्देश क्या हैं;

(घ) क्या सरकार ने 2022 तक सिंगल-यूज प्लास्टिक के इस्तेमाल को समाप्त करने हेतु कोई कार्य योजना बनाई है तथा प्लास्टिकजनित प्रदूषण की समस्या से निजात पाने हेतु प्रतिबद्ध होकर विश्व में एक उदाहरण प्रस्तुत किया है, यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और सिंगल-यूज प्लास्टिक अथवा नॉन-रिसाइकल प्लास्टिक के इस्तेमाल को कम/बंद करने संबंधी क्या नियम एवं विनियम हैं तथा देश में विभिन्न स्थलों पर प्लास्टिक रिसाइकल इकाइयों की स्थापना हेतु क्या कदम उठाए गए हैं; और

(ङ) क्या सरकार का विचार विनिर्माण के प्रारंभिक चरणों पर ही सिंगल-यूज प्लास्टिक पैकेजिंग सामग्री को समाप्त करने का है और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है तथा देश में प्लास्टिक के उपयोग को कम करने एवं प्लास्टिक अपशिष्ट की रिसाइकलिंग हेतु सरकार द्वारा अन्य क्या कदम उठाए गए हैं?

विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्री, पृथ्वी विज्ञान मंत्री तथा पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्री (डॉ. हर्ष वर्धन): (क) केन्द्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड (सीपीसीबी) ने भारत के 60 प्रमुख शहरों में अध्ययन कराया था। यह अनुमान लगाया गया है कि इन शहरों से प्रतिदिन लगभग 4059 टन प्लास्टिक अपशिष्ट का सृजन होता है। 60 प्रमुख शहरों से प्राप्त प्लास्टिक अपशिष्ट सृजन संबंधी ज्ञात आंकड़ों के आधार पर यह अनुमान लगाया गया है कि भारत में प्रतिदिन लगभग 25,940 टन प्लास्टिक अपशिष्ट सृजित किया जाता है। प्रतिदिन लगभग 15384 टन अपशिष्ट, जो देश में सृजित कुल प्लास्टिक अपशिष्ट का 60% है, एकत्रित और पुनश्चक्रित किया जाता है।

(ख) और (ग) यह देखा गया है कि सरकारी कार्यालयों और निजी संगठनों/संस्थानों द्वारा बैठकों तथा अन्य समारोहों के दौरान प्लास्टिक वाली पानी की बोतलों का इस्तेमाल किया जाता है। पर्यावरण, वन और जलवायु परिवहन मंत्रालय द्वारा उसके अपने प्रशासनिक नियंत्रण के अधीन आने वाले कार्यालयों, मंत्रालय के क्षेत्रीय कार्यालयों, केन्द्रीय सरकार के कार्यालयों और उसके विभागों, प्रमुख सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों, नैगम कार्यालयों, संस्थानों आदि को पत्र लिखे गए हैं कि वे अपने कार्यालयों में पानी की बोतलों, चाय-कॉफी पीने के लिए प्रयुक्त प्यालों, डिस्पोजेबल प्लास्टिक के पैकेजों में रखे गए भोजन, प्लास्टिक थैलियों, डिस्पोजेबल खाद्य डिब्बों, पॉलीस्टीरिन फोम से निर्मित प्लेटों एवं डिब्बों, पेय पदार्थ पीने के लिए प्रयुक्त प्लास्टिक की नलियों आदि सहित एक बार इस्तेमाल होने वाले प्लास्टिक उत्पादों के प्रयोग का निषेध करें। 'एक बार इस्तेमाल होने वाले प्लास्टिक' के दुष्प्रभाव के विषय में जागरूकता पैदा करने और ऐसे प्लास्टिक के प्रयोग को समाप्त करने हेतु संबंधित राज्यों में संचालित ईको-क्लबों के माध्यम से स्कूलों का दौरा किया गया है।

सभी राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों के मुख्य सचिवों को इस आशय के पत्र जारी किए गए हैं कि वे अपने राज्यों में स्थित मंदिरों, मस्जिदों, गुरुद्वारों और गिरिजाघरों को 'एक बार इस्तेमाल होने वाले प्लास्टिक' के दुष्प्रभाव के संबंध में सूचित करें और वहां के कर्मचारियों तथा वहां पहुंचने वाले आगंतुकों को एक बार इस्तेमाल होने वाले प्लास्टिक उत्पादों के प्रयोग को निषिद्ध करने हेतु प्रेरित करें।

(घ) और (ङ) भारत अंतर्राष्ट्रीय विश्व पर्यावरण दिवस, 2018 का मेजबान था और इसे दिनांक 5 जून, 2018 को संपूर्ण भारत में आयोजित किया गया। इस वर्ष के विश्व पर्यावरण दिवस का मुख्य विषय "करेंगे संग, प्लास्टिक प्रदूषण से जंग" था। इस अवसर पर सार्वजनिक क्षेत्रों में प्लास्टिक स्वच्छता अभियानों, समुद्र तट की सफाई और नदी की सफाई संबंधी कार्यकलापों, सम्मेलनों, कार्यशालाओं, सांस्कृतिक कार्यक्रमों, मीडिया के माध्यम से प्रचार-प्रसार अभियानों, प्रदर्शनों, प्रतियोगिताओं आदि सहित अनेक सहभागिता पूर्ण कार्यकलापों और कार्यक्रमों का आयोजन किया गया। दिनांक 4 जून, 2018 को राज्यों के पर्यावरण मंत्रियों का सम्मेलन आयोजित

किया गया तथा कार्य योजना के भाग के रूप में मंत्रालय द्वारा (i) यूएलबी, एसपीसीबी, अन्य पणधारकों के लिए क्षमता निर्माण कार्यक्रम आरंभ करने, (ii) अपशिष्ट प्रबंधन के क्षेत्र में नवीन प्रौद्योगिकियों को बढ़ावा देने, (iii) नियमों के कार्यान्वयन की निगरानी के लिए राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों के मुख्य सचिवों के साथ बैठक बुलाने, (iv) भारत में एक बार इस्तेमाल होने वाले प्लास्टिक के प्रयोग में कमी लाने का प्रयास करने, (v) बेहतर अपशिष्ट प्रबंधन के लिए ग्रीन गुड डीड्स का सिद्धांत अपनाने और (vi) अपशिष्ट प्रबंधन के क्षेत्र में हुई सफलता को प्रलेखित करने हेतु तंत्र विकसित करने का संकल्प पारित किया।

सरकार द्वारा, पूर्व के प्लास्टिक अपशिष्ट (प्रबंधन और हथालन) नियम, 2011 का अधिक्रमण करते हुए, प्लास्टिक अपशिष्ट प्रबंधन नियम, 2016 अधिसूचित किए गए हैं। इसके अलावा, मार्च, 2018 में इन नियमों में संशोधन अधिसूचित किया गया है। नियमानुसार, शुद्ध अथवा पुनश्चक्रित प्लास्टिक से निर्मित कैरी बैग और प्लास्टिक शीट की मोटाई पचास माइक्रोन से कम नहीं होगी। अपशिष्ट उत्पादकों को प्लास्टिक अपशिष्ट के सृजन को कम करने हेतु कदम उठाने, प्लास्टिक अपशिष्ट से गंदगी न होने, स्रोत पर ही अपशिष्ट को अलग-अलग एकीकृत करने को सुनिश्चित करने और अलग किए गए अपशिष्ट को स्थानीय निकायों अथवा स्थानीय निकायों द्वारा प्राधिकृत एजेंसियों को सौंपने हेतु अधिदेशित किया गया है। इन नियमों के अंतर्गत प्लास्टिक अपशिष्ट के प्रबंधन के लिए स्थानीय निकायों, ग्राम पंचायतों, अपशिष्ट उत्पादकों, फुटकर विक्रेताओं तथा रेहड़ी वालों की जिम्मेदारियां भी अधिदेशित की गई हैं। इन नियमों द्वारा उत्पादकों, आयातकों और ब्रांड मालिकों को विस्तारित उत्पादक उत्तरदायित्व के सिद्धांत के आधार पर अपशिष्ट संग्रहण प्रणाली के तौर-तरीके तय करने का अधिदेश दिया गया है।

[हिन्दी]

पेड़ों की गैर-कानूनी कटाई

***159. श्री मनसुखभाई धनजीभाई वसावाः** क्या **पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे किः

(क) क्या सरकार पेड़ों की गैर-कानूनी कटाई संबंधी सूचना मिलने पर ही कोई कार्रवाई करती है और ऐसे मामलों को स्वतः नहीं रोकती है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इस संबंध में सरकार की क्या प्रतिक्रिया है;

(ग) क्या लोग माफिया के डर से पेड़ों की गैर-कानूनी कटाई की सूचना नहीं देते हैं और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(घ) इस संबंध में सरकार द्वारा क्या सुधारात्मक उपाय किए गए हैं और इसमें कितनी सफलता मिली है?

विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्री, पृथ्वी विज्ञान मंत्री तथा पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्री (डॉ. हर्ष वर्धन): (क) और (ख) वनों और पेड़ों की सुरक्षा और प्रबंधन करना प्राथमिक तौर पर संबंधित राज्य/संघ राज्य क्षेत्र सरकारों का उत्तरदायित्व होता है। राज्य/संघ राज्य क्षेत्र सरकारें पेड़ों की गैर-कानूनी कटाई के संबंध में भारतीय वन अधिनियम, 1927; वन्यजीव (संरक्षण) अधिनियम, 1972; राज्य/संघ राज्य क्षेत्र सरकारों के विभिन्न अधिनियमों तथा उनके अंतर्गत बनाए गए विभिन्न नियमों और विनियमों के अनुसार समुचित कार्रवाई करती हैं। तथापि, वन (संरक्षण) अधिनियम, 1980 की धारा 2 के अनुसार केन्द्र सरकार के अनुमोदन के बिना वनेतर उपयोग के लिए वन भूमि का अपवर्तन नहीं किया जा सकता।

यदि वन (संरक्षण) अधिनियम, 1980 के उपबंध का उल्लंघन होने संबंधी मामले को केन्द्र सरकार के संज्ञान में लाया जाता है तो यह मंत्रालय वन (संरक्षण) अधिनियम, 1980 उपबंधों तथा उसके अंतर्गत बनाए गए नियमों और विनियमों के तहत यथोचित कार्रवाई करता है। यह मंत्रालय वन (संरक्षण) अधिनियम, 1980 के उपबंध का उल्लंघन होने के मामले का संज्ञान लेने पर स्वतः कार्रवाई भी करता है।

(ग) और (घ) मंत्रालय को इस संबंध में कोई सूचना प्राप्त नहीं हुई है।

संघीय वित्तीय संबंध

***160. श्री एन.के. प्रेमचन्द्रनः** क्या **वित्त मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे किः

(क) क्या केन्द्र सरकार का भारत में संघीय वित्तीय संबंध जारी रखने का विचार है;

(ख) यदि हां, तो केन्द्र और राज्यों के मध्य संघीय वित्तीय संबंध सुदृढ़ करने हेतु क्या कार्रवाई की गई है;

(ग) वित्त आयोग के विचारार्थ विषयों को अंतिम रूप देने हेतु केरल की अर्थव्यवस्था तथा राज्य वित्त पर विचार करके केन्द्र सरकार द्वारा की गई कार्रवाई का ब्यौरा क्या है;

(घ) क्या केन्द्र सरकार का प्रत्येक राज्य की विशेषता तथा राज्यों की मांगों पर विचार करके राज्यों के मध्य विभाज्य पूल बनाने का विचार है और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ङ) क्या केन्द्र सरकार का स्थानीय निकायों को सीधे तौर पर अनुदान सहायता देने का विचार है, यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इसके क्या कारण हैं तथा इस संबंध में केरल राज्य ने क्या विचार प्रस्तुत किए हैं?

रेल मंत्री, कोयला मंत्री, वित्त मंत्री तथा कॉर्पोरेट कार्य मंत्री (श्री पीयूष गोयल): (क) जी, हां।

(ख) भारत में संघीय वित्तीय संबंध दो प्रमुख संस्थानों-वित्त आयोग और माल एवं सेवा कर (जीएसटी) परिषद् में गहनता से समाहित हैं। जैसा कि संविधान में आवश्यक है, संघ सरकार ने वित्त आयोग (प्रकीर्ण उपबंध) अधिनियम, 1951 (1951 का 33) के उपबंधों के साथ पठित, संविधान के अनुच्छेद 280 के खंड (1) के अनुसरण में राष्ट्रपति के दिनांक 27 नवंबर, 2017 के आदेश का.आ. 3755 (अ) के द्वारा पंद्रहवें वित्त आयोग का गठन किया है। वित्त आयोग से अपेक्षित है कि वे अपनी सिफारिशें अक्तूबर, 2019 तक प्रस्तुत करें।

(ग) भारत सरकार ने पंद्रहवें वित्त आयोग के लिए विचारार्थ विषयों को अंतिम रूप देने के लिए सभी राज्यों से विचार/इन्पुट्स मांगे हैं। वित्त मंत्रालय ने विभिन्न राज्यों से प्राप्त इन्पुट्स की जांच की है। पंद्रहवें वित्त आयोग के विचारार्थ विषयों के अनुसार आयोग को संघ और राज्यों के वित्त, घाटे, ऋण के स्तरों, नकद शेष तथा राजकोषीय अनुशासन संबंधी प्रयासों की वर्तमान स्थिति की समीक्षा करने और सुदृढ़ राजकोषीय प्रबंधन के लिए राजकोषीय समेकित रूपरेखा की सिफारिश करने का प्रावधान है।

(घ) भारत के संविधान के अनुच्छेद 280 (3) (क) के तहत करों की निवल आय, जो इस अध्याय के तहत केन्द्र और राज्यों के बीच बांटी जानी है या बांटी जा सकती है, उनके केंद्र और राज्यों के बीच वितरण के संबंध में और राज्यों के बीच आबंटित किए जाने वाली ऐसी आय के संबंधित हिस्से के बारे में राष्ट्रपति के समक्ष सिफारिश करना आयोग का कर्तव्य है। पन्द्रहवें वित्त आयोग द्वारा की गई सिफारिशों के साथ-साथ उन पर की गई कार्रवाई का व्याख्यात्मक ज्ञापन भारत के संविधान के अनुच्छेद 281 के अनुसार संसद के प्रत्येक सदन में रखा जाएगा।

(ङ) 14वें वित्त आयोग द्वारा की गई सिफारिश के अनुसार वर्तमान में, स्थानीय निकायों को दिया जाने वाला सहायता अनुदान संबंधित राज्यों को अंतरित किया जाता है। स्थानीय निकायों को सहायता अनुदान के संबंध में 14वें वित्त आयोग की सिफारिशें केन्द्र सरकार द्वारा अन्य बातों के साथ-साथ स्वीकार कर ली गई हैं, जो 2015-16 से 2019-20 अवधि के लिए प्रयोज्य हैं।

जनजातियों के लिये योजनाएं

***166. डॉ. मनोज राजोरिया:** क्या **जनजातीय कार्य मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या केंद्र सरकार ने जनजातियों के लिये चलाई जा रही योजनाओं की प्रभावी निगरानी एवं बेहतर पर्यवेक्षण के लिये कोई तंत्र विकसित किया है और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ख) केंद्र सरकार और राज्य सरकारों द्वारा की गई निगरानी का ब्यौरा क्या है; और

(ग) क्या योजनाओं की तृतीय पक्ष निगरानी की जा रही है और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

जनजातीय कार्य मंत्री (श्री जुएल ओराम): (क) और (ख) जी, हां। अनुसूचित जनजातियों के लिए सतत योजनाओं को प्रभावी निगरानी तथा बेहतर सर्वेक्षण के लिए विकसित तंत्र एवं जनजातीय कार्य मंत्रालय तथा राज्य सरकारों द्वारा की गई निगरानी के ब्यौरे संलग्न विवरण में दिये गये हैं।

(ग) मंत्रालय द्वारा निधि पोषित परियोजनाओं को संचालित करने वाले एनजीओं के कार्यो की निगरानी के लिए 2010 में एक स्वतंत्र तृतीय पक्ष निगरानी एजेंसी को नियुक्त किया गया था। इसने तीन वर्षों (2010-2013) की निर्धारित अवधि के लिए परियोजनाओं की निगरानी की थी और इसके जांच-परिणामों को संबंधित राज्यों/संघ राज्यक्षेत्रों के साथ संशोधन/उचित कार्रवाई के लिए साझा किया गया था।

विवरण

अनुसूचित जनजाति के लिए सतत योजनाओं की प्रभावी निगरानी तथा बेहतर सर्वेक्षण के लिए विकसित तंत्र एवं जनजातीय कार्य मंत्रालय तथा राज्य सरकारों द्वारा की गई निगरानी के ब्यौरे निम्नानुसार हैं:

(i) भविष्य में निधियों की निर्मुक्ति के लिए उपयोगिता प्रमाण-पत्रों पर पहली आवश्यकता के रूप में बल दिया जाता है।

(ii) योजनाओं के कार्यान्वयन की स्थिति के संबंध में प्रगति रिपोर्ट प्राप्त की जाती है।

(iii) नीति अयोग द्वारा डिजाइन किये गए ढांचे एवं तंत्र के आधार पर केन्द्रीय मंत्रालयों की अनुसूचित जनजाति घटक (एसटीसी) निधियों की निगरानी के लिए *stcmis.nic.in* के वेब पते के साथ एक ऑनलाइन निगरानी प्रणाली स्थापित की गई है। इस ढांचे में योजनाओं के तहत अनुसूचित जनजातियों के कल्याण के लिए आवंटन की निगरानी, आवंटनों की तुलना में व्यय की निगरानी, वास्तविक प्रदर्शन की निगरानी तथा परिणाम निगरानी शामिल है। इस ढांचे में उत्तरदायित्व तथा लक्षित खर्च को सुनिश्चित करने के लिए स्थान-वार ब्यौरे एकत्रित करना भी शामिल है। इसके अतिरिक्त समन्वय एवं निगरानी के लिए लाइन मंत्रालयों/विभागों में नोडल अधिकारी को नामित किया गया है।

(iv) मंत्रालय/विभाग-वार प्रदर्शन की समीक्षा करने के लिए नोडल अधिकारियों के साथ बैठकों का आयोजन आवधिक रूप से किया जाता है।

(v) प्रस्तावों का यथासमय प्रस्तुतिकरण, योजनाओं/कार्यक्रमों के कार्यान्वयन में तेजी तथा वास्तविक एवं वित्त प्रगति की समीक्षा को सुनिश्चित करने के लिए राज्य सरकारों के साथ केन्द्रीय स्तर पर बैठकें/संगोष्ठियां आयोजित की जाती हैं। राज्य/संघ राज्यक्षेत्रों के दौरे के दौरान अधिकारीगण जनजातीय कार्य मंत्रालय की विभिन्न योजनाओं/कार्यक्रमों के कार्यान्वयन की प्रगति को भी सुनिश्चित करते हैं।

(vi) सभी स्वीकृति आदेशों को मंत्रालय की वेबसाइट पर अपलोड किया जाता है।

(vii) जिला प्राधिकारियों द्वारा एनजीओ की परियोजनाओं का अनिवार्य वार्षिक निरीक्षण।

(viii) 'न्यूनतम समर्थन मूल्य (एमएसपी) के माध्यम से लघु वन उत्पाद (एमएफपी) के विपणन हेतु तंत्र' की योजना की निगरानी दो समितियों द्वारा की जाती है, एक संबंधित राज्य के मुख्य सचिव की अध्यक्षता में राज्य स्तर पर तथा दूसरी संबंधित जिला कलेक्टर की अध्यक्षता में जिला स्तर पर। इसके अलावा, भारत सरकार केन्द्र में भारतीय जनजातीय सहकारी विपणन विकास संघ लिमिटेड (ट्राइफेड) के माध्यम से योजनाओं की निगरानी भी करती है।

(ix) जनजातीय कार्य मंत्रालय के प्रशासनिक नियंत्रण के अधीन कार्यरत सर्वोच्च संगठनों, ट्राइफेड तथा राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति वित्त एवं विकास निगम (एनएसटीएफडीसी) के कार्य को, जिन्हें निधियां निर्मुक्त की जाती हैं, मंत्रालय एवं ट्राइफेड/एनएसटीएफडीसी के बीच हस्ताक्षरित समझौता ज्ञापन (एमओयू) की शर्तों के अनुसार आंकलन किया जाता है।

(x) कुछ राज्य सरकारों ने जनजातीय उप-योजना पर कानून अधिनियमित किया है। कुछ राज्यों में जनजातीय कल्याण तथा विकास संबंधी कार्य की प्रगति की निगरानी मुख्यमंत्री करते हैं।

[अनुवाद]

जीआई उत्पादों के स्टॉल

*167. **श्री जी. हरि:** क्या **वाणिज्य और उद्योग मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या यह सच है कि सरकार देश के सभी हवाई अड्डों पर भौगोलिक संकेत (जीआई) उत्पादों के स्टॉलों की स्थापना करने हेतु एक नीति पर विचार कर रही है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या यह भी सच है कि भौगोलिक संकेत प्रमुखत: एक निश्चित भौगोलिक क्षेत्र से उत्पन्न होने वाला एक कृषि प्राकृतिक अथवा एक विनिर्मित उत्पाद है; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

वाणिज्य और उद्योग मंत्री तथा नागर विमानन मंत्री (श्री सुरेश प्रभु): (क) और (ख) सरकार ने वस्तुओं के भौगोलिक निदर्शन (पंजीकरण तथा संरक्षण) अधिनियम, 1999 के प्रावधानों के अनुरूप भौगोलिक निदर्शन (जीआई) के रूप में पंजीकृत भारतीय उत्पादों को बढ़ावा देने के लिए अभियान के भाग के रूप में अनेक कदम उठाए हैं। इनमें, अन्य बातों के साथ-साथ, जीआई के बारे में जागरुकता उत्पन्न करने तथा प्रोत्साहित करने से संबंधित कार्यक्रमों में भागीदारी, सोशल मीडिया के जरिए राज्य सरकारों तथा संघ राज्य क्षेत्रों के प्रशासन को शामिल करते हुए जीआई को बढ़ावा देना है। सरकार ने प्रदर्शनियों तथा हवाई अड्डों पर बिक्री द्वारा पंजीकृत जीआई उत्पादों हो बढ़ावा देने हेतु भारतीय हवाई अड्डा प्राधिकरण से भी सम्पर्क किया है।

(ग) और (घ) जी, हां। वस्तुओं के भौगोलिक निदर्शन (पंजीकरण तथा संरक्षण) अधिनियम, 1999 के अनुसार वे वस्तुएं

जिनके संबंध में जीआई पंजीकृत है, से आशय कोई कृषि, प्राकृतिक अथवा विनिर्मित सामान अथवा हस्तशिल्प का कोई सामान, अथवा औद्योगिक सामान से है जिसमें खाद्य सामग्री भी शामिल है। दिनांक 20.07.2018 की स्थिति के अनुसार, पंजीकृत जीआई की श्रेणीवार संख्या निम्नवत है:–

धारा 2 (एफ) के अनुसार जीआई का वर्गीकरण	पंजीकृत जीआई
कृषि	89
खाद्य सामग्री	13
विनिर्मित	19
हस्तशिल्प	198
प्राकृतिक वस्तुएं	1
कुल	320

[हिन्दी]

जनजातियों के आर्थिक एवं लोकतांत्रिक अधिकार

*168. **श्री अर्जुन लाल मीणा:**
श्री लखन लाल साहू:

क्या **जनजातीय कार्य मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या विभिन्न जनजातीय संगठनों ने यह आरोप लगाया है कि निजी कंपनियों को फायदा पहुंचाने के लिये जनजातियों/आदिवासियों के 'आर्थिक एवं लोकतांत्रिक अधिकारों' को क्षति पहुंचाई जा रही है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और सरकार द्वारा आज तक प्राप्त अभ्यावेदनों पर क्या कार्रवाई की गई है; और

(ग) सरकार द्वारा इस संबंध में क्या उपचारात्मक उपाय किए गए हैं?

जनजातीय कार्य मंत्री (श्री जुएल ओराम): (क) से (ग) मानव अधिकार सुरक्षा अधिनियम, 1993 के तहत गठित राष्ट्रीय मानव अधिकार आयोग (एनएचआरसी) तथा राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग (एनसीएसटी) देश में संवैधानिक तथा कानूनी रूपरेखा के अनुसार विद्यमान सुरक्षोपायों के उल्लंघन की ऐसी संभावना के प्रति सतर्क रहते हैं। राष्ट्रीय मानव अधिकार आयोग को ओडिशा के कालाहांडी जिले में नियाम्गिरी पहाड़ियों में वेदान्ता एल्युमिना रिफाइनरी प्लान्ट तथा बॉक्साइट खनन की स्थापना तथा ओडिशा के जगतसिंहपुर जिले में पोस्को (पीओएससीओ) द्वारा स्टील प्लान्ट के कारण लोगों का विस्थापन जैसे मामलों से जुड़ी शिकायतें प्राप्त हुई हैं। राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग को छत्तीसगढ़ राज्य में निजी कम्पनियों को बेची जा रही जनजातीय भूमि के संबंध में अभ्यावेदन प्राप्त हुए हैं। एनएचआरसी तथा एनसीएसटी दोनों ने अपने अधिदेश तथा सौंपी गई शक्तियों के अनुसार कार्रवाई शुरू की है। मंत्रालय को व्यक्तिगत/संस्थाओं से कुछ अभ्यावेदन प्राप्त हुए हैं जिनकी पुष्टि की जानी आवश्यक है तथा जिन्हें संबंधित राज्य सरकारों के पास भेजा गया है।

देश में जनजातीय लोगों/आदिवासियों के लिए अन्य बातों के साथ-साथ संवैधानिक तथा कानूनी रूपरेखा के अनुसार कई सुरक्षोपाय किए गए हैं जो निम्नानुसार दिए गए हैं:–

(i) संविधान का अनुच्छेद 46 अन्य बातों के साथ-साथ यह प्रावधान करता है कि राज्य विशेष रूप से अनुसूचित जातियों तथा अनुसूचित जनजातियों के कमजोर वर्गों के लोगों के आर्थिक हितों को बढ़ावा देगा और उनकी सामाजिक न्याय तथा सभी प्रकार के शोषण से सुरक्षा करेगा।

(ii) पंचायत (अनुसूचित क्षेत्रों तक विस्तार) अधिनियम, 1996 अनुसूचित क्षेत्रों तक पंचायत के संबंध में संविधान के भाग IX के विस्तार का प्रावधान करता है। यह अधिनियम अन्य बातों के साथ-साथ प्रावधान करता है कि विकासीय परियोजनाओं के लिए अनुसूचित क्षेत्रों में भूमि का अधिग्रहण करने से पूर्व तथा अनुसूचित क्षेत्रों में ऐसी परियोजनाओं द्वारा प्रभावित व्यक्तियों के पुनर्स्थापन अथवा पुनर्वास से पूर्व ग्राम सभा अथवा पंचायतों से उपयुक्त स्तर पर परामर्श किया जाएगा।

(iii) संविधान के भाग X में अनुसूचित क्षेत्रों और जनजातीय क्षेत्रों के प्रशासन से संबंधित विशेष प्रावधान निहित हैं।

(iv) पूरे देश में विस्थापित जनजातीय लोगों की उपयुक्त तथा समयबद्ध क्षतिपूर्ति और उपयुक्त पुनर्वास सुनिश्चित करने के लिए भूमि अर्जन, पुनर्वासन तथा पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता अधिकार (आरएफसीटीएलएआरआर) अधिनियम, 2013 में उपयुक्त

प्रावधान किए गए हैं। इस अधिनियम की धारा 41 के अनुसार जहां तक संभव हो अंतिम विकल्प के अलावा अनुसूचित क्षेत्र में कोई भूमि अधिग्रहीत नहीं की जाएगी। अनुसूचित क्षेत्रों में किसी भूमि के अधिग्रहण अथवा अन्य हस्तांतरण के मामले में ग्राम सभा अथवा ग्राम पंचायत या स्वायत्त जिला परिषदों, जैसा भी मामला हो, की पूर्व सहमति प्राप्त की जानी आवश्यक है। यह अधिनियम पुनर्वास तथा पुनर्स्थापन (आरएंडआर) की प्रक्रिया तथा तरीका भी निर्दिष्ट करता है जहां पुनर्वास तथा पुनर्स्थापन स्वत: भूमि अधिग्रहण योजना का एक एकीकृत भाग है। उक्त अधिनियम के अध्याय-V तथा VI में पुनर्वास तथा पुनर्स्थापन अवार्ड तथा उनके कार्यान्वयन के विस्तृत प्रावधान निहित हैं। आरएफसीटीएलएआरआर अधिनियम, 2013 की धारा 48 के प्रावधानों के अनुरूप पुनर्वास तथा पुनर्स्थापन योजना के कार्यान्वयन की समीक्षा तथा निगरानी, लोगों के विस्थापन, क्षतिपूर्ति के भुगतान, पुनर्वास तथा पुनर्स्थापन और भूमि अधिग्रहण की स्थिति से संबंधित मुद्दों को देखने के लिए ग्रामीण विकास मंत्रालय में सचिव, भू-संसाधन विभाग की अध्यक्षता में राष्ट्रीय निगरानी समिति गठित की गई है।

(v) अनुसूचित जनजाति तथा अन्य परम्परागत वन निवासी (वन अधिकारों की मान्यता) अधिनियम, 2006 वन निवासी अनुसूचित जनजातियों तथा अन्य परम्परागत वन निवासियों जो पीढ़ियों से वनों में रह रहे हैं, के वन अधिकारों की मान्यता तथा उन्हें यह अधिकार प्रदान किए जाने और वन भूमि पर कब्जे की व्यवस्था करता है। इस अधिनियम के कार्यान्वयन की जिम्मेदारी राज्य/संघ राज्यक्षेत्रों की है। वन अधिकार अधिनियम, 2006 की धारा 4(5) यह सुनिश्चित करती है कि वन निवासी अनुसूचित जनजाति अथवा अन्य परम्परागत वन निवासी के किसी सदस्य को मान्यता तथा सत्यापन प्रक्रिया पूरी होने तक उसके कब्जे वाली वन भूमि से बंदखल नहीं किया जाएगा अथवा हटाया नहीं जाएगा।

(vi) संविधान (89वां संशोधन) अधिनियम, 2003 के माध्यम से अनुच्छेद 338 को संशोधित करते हुए तथा संविधान में एक नया अनुच्छेद 338क जोड़कर 19 फरवरी, 2004 से एक अलग राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग (एनसीएसटी) स्थापित किया गया है। एनसीएसटी के मुख्य कर्तव्य अनुसूचित जनजातियों को प्रदान किए गए सुरक्षोपायों से संबंधित सभी मामलों की जांच तथा निगरानी और ऐसे सुरक्षोपायों के कार्यकरण का मूल्यांकन करना; तथा अनुसूचित जनजातियों के अधिकारों और सुरक्षोपायों के वंचन के संबंध में विशेष शिकायतों की जांच करना है। आयोग को अनुसूचित जनजातियों के अधिकारों और सुरक्षोपायों के वंचन के संबंध में किसी शिकायत में जांच करते हुए अथवा किसी मामले में जांच-पड़ताल करते समय सिविल न्यायालय में वाद की सुनवाई की सभी शक्तियां प्राप्त हैं।

पेट्रोलियम उत्पादों की कीमतें

***169. श्री सुशील कुमार सिंह:** क्या **पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या देश में पेट्रोल, डीजल, कच्चे तेल और घरेलू एलपीजी की कीमतों में वृद्धि एवं कमी के संबंध में कोई उच्च स्तरीय समीक्षा की गई है और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और उसके निष्कर्ष क्या हैं तथा सरकार द्वारा इस संबंध में क्या ठोस उपाय किए गए हैं;

(ख) क्या सरकार को पड़ोसी देशों और अन्य देशों में पेट्रोल/डीजल की कीमतें कम होने किंतु भारत में इन कीमतों के दिनोंदिन बढ़ने के बारे में विभिन्न समाचार चैनलों/सोशल मीडिया द्वारा फैलाई जा रही भ्रामक सूचना की जानकारी है; और

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इस पर सरकार की क्या प्रतिक्रिया है?

पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्री तथा कौशल विकास और उद्यमशीलता मंत्री (श्री धर्मेन्द्र प्रधान): (क) पेट्रोल और डीजल के मूल्यों को क्रमश: दिनांक 26.06.2010 और 19.10.2014 से बाजार निर्धारित बना दिया गया है। तब से, सार्वजनिक क्षेत्र की तेल विपणन कंपनियां (ओएमसीज) अंतर्राष्ट्रीय उत्पाद मूल्यों तथा अन्य बाजार दशाओं के अनुसार पेट्रोल और डीजल के मूल्य निर्धारण के संबंध में उपयुक्त निर्णय लेती हैं। उपभोक्ताओं को फायदा पहुंचाने के उद्देश्य से मूल्य निर्धारण में और अधिक पारदर्शिता और दक्षता लाने के लिए दैनिक मूल्य निर्धारण शुरू किया गया है। सरकार राजसहायता प्राप्त घरेलू एलपीजी के उपभोक्ता के लिए प्रभावी मूल्य और पीडीएस मिट्टी तेल के खुदरा बिक्री मूल्य (आरएसपी) को आवश्यकतानुसार घटाती-बढ़ाती रहती है। तथापि, ओएमसीज द्वारा गैर-राजसहायता प्राप्त घरेलू एलपीजी

के मूल्य अंतर्राष्ट्रीय बाजारों में बदलावों के अनुरूप तय किए जाते हैं। पेट्रोलियम उत्पादों के मूल्य अंतर्राष्ट्रीय बाजार में संबंधित पेट्रोलियम उत्पादों के मूल्य से जुड़े हुए हैं।

(ख) और (ग) देश में पेट्रोलियम उत्पादों के मूल्य अंतर्राष्ट्रीय उत्पाद मूल्यों के अनुसार तय किए जाते हैं। प्रचलित कर व्यवस्था और संबंधित सरकारों द्वारा राजसहायता की प्रतिपूर्ति सहित विभिन्न घटकों के चलते देश में सामान्यतया, संवेदनशील पेट्रोलियम उत्पादों के मूल्य अन्य देशों की तुलना में अधिक/कम हैं।

[अनुवाद]

पर्यटन सूचकांक में रैकिंग

***170. श्री सुनील कुमार मण्डलः**
श्री सी. महेंद्रनः

क्या **पर्यटन मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या वर्ल्ड ट्रैवल एंड टूरिज्म काउंसिल की हॉल की एक रिपोर्ट के अनुसार, भारत के यात्रा एवं पर्यटन क्षेत्र का स्थान देश के सकल घरेलू उत्पाद (जीडीपी) में अपने कुल योगदान के संदर्भ में विश्व में प्रथम दस में आता है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या सरकार ने पर्यटन सूचकांक में अपने स्थान को बेहतर करने और देश की अंतर्राष्ट्रीय रैकिंग में सुधार करने हेतु अतुल्य भारत की तर्ज पर अनेक योजनाओं/पहलों को आरंभ किया है अथवा आरंभ किये जाने का विचार है; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और सरकार द्वारा इस संबंध में क्या कदम उठाए गए हैं?

पर्यटन मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री अलफोन्स कन्ननथनम): (क) और (ख) विश्व यात्रा एवं पर्यटन परिषद द्वारा प्रकाशित यात्रा एवं पर्यटन आर्थिक प्रभाव, 2018 की रिपोर्ट के अनुसार भारत का रैंक वर्ष 2017 में भारत के सकल घरेलू उत्पाद में यात्रा और पर्यटन के यात्रा के रूप में कुल योगदान के संबंध में विश्व में भारत का रैंक सातवां था।

(ग) और (घ) पर्यटन मंत्रालय का "अतुल्य भारत 2.0" अभियान महामहिम राष्ट्रपति द्वारा 27 सितम्बर, 2017 अर्थात् विश्व पर्यटन दिवस पर राष्ट्रीय पर्यटन पुरस्कार समारोह के दौरान आरंभ किया गया।

अतुल्य भारत 2.0 अभियान पूरे विश्व में किए जा रहे सामान्य संवर्धनों से बाजार विशिष्ट संवर्धनात्मक योजनाओं और विषय वस्तु सृजन में बदलाव को दर्शाता है। इस अभियान में भारतीय पर्यटन के लिए महत्वपूर्ण स्रोत बाजार शामिल हैं और महत्वपूर्ण संभावनाओं वाले उभरते बाजारों को भी ध्यान रखा गया है। विभिन्न निश उत्पादों पर तैयार किए जा रहे थीमैटिक क्रिएटिव्स अभियान में उपयोग किए जा रहे हैं। दूरदर्शन उपयोग इस माध्यम की उच्च पहुंच के लिए किया जा रहा है जबकि प्रिंट मीडिया में संभावित यात्रियों को सीधे लक्ष्य करने वाले प्रकाशनों का उपयोग इस अभियान में किया जाएगा। तथापि, डिजिटल मीडिया और सोशल मीडिया प्लेटफार्म पर अधिक उपस्थिति पर अधिक फोकस है।

समुद्री खाद्य पदार्थ/उत्पादों का निर्यात

***171. श्री मोहम्मद फैजलः** क्या **वाणिज्य और उद्योग मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) देश में समुद्री खाद्य पदार्थों के निर्यात की स्थिति क्या है और विगत पांच वर्षों के दौरान भारत से निर्यात किए गए समुद्री खाद्य पदार्थों/उत्पादों की मात्रा एवं कीमत उत्पाद और देश-वार कितनी है तथा इससे अर्जित विदेशी मुद्रा कितनी है;

(ख) क्या उक्त अवधि के दौरान समुद्री खाद्य पदार्थों/उत्पादों के निर्यात में कोई गिरावट/वृद्धि हुई है और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और उक्त निर्यात को बढ़ाने हेतु क्या कदम उठाए गए हैं;

(ग) क्या सरकार की लक्षद्वीप से विशेष टूना मछली का निर्यात करने की कोई योजना है और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(घ) क्या सरकार को इस संबंध में लक्षद्वीप प्रशासन और अन्यों से कोई अभ्यावेदन प्राप्त हुआ है और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और सरकार द्वारा इस संबंध में क्या कार्रवाई की गई है; और

(ङ) क्या समुद्री उत्पाद विकास प्राधिकरण ने मात्स्यिकी निर्यात क्षेत्र में सुधार करने हेतु लक्षद्वीप में कोई परियोजना आरंभ की है और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री सी.आर. चौधरी): (क) विगत पांच वर्षों के दौरान भारत से समुद्री उत्पादों के निर्यात की स्थिति अधोलिखित है:–

वर्ष	2013-14	2014-15	2015-16	2016-17	2017-18
मात्रा (मी. टन में)	983756	1051243	945892	1134948	1377244
मूल्य (मिलियन अमेरिका डॉलर में)	5008	5511	4688	5778	7082

विगत 5 वर्षों के दौरान निर्यात किए गए समुद्री खाद्य पदार्थों/उत्पादों के उत्पाद-वार और देश-वार आंकड़े तथा इससे अर्जित विदेशी मुद्रा क्रमशः संलग्न विवरण-I और II में दिए गए हैं।

(ख) जी, नहीं। विगत 5 वर्षों में भारत से समुद्री उत्पादों के निर्यात ने अमरीकी डालर मूल्य के रूप में 41% की वृद्धि दर्शाई है। यह वृद्धि समुद्री उत्पाद निर्यात विकास प्राधिकरण (एम्पीडा) और अन्य संबंधित संगठनों द्वारा इस क्षेत्र में की जा रही अनेक निर्यात संवर्धन गतिविधियों जैसे मूल्यवर्धित निर्यातों को बढ़ावा देना, सी-कॉट और एक्वाकल्चर दोनों तरह के निर्यात के विकास के लिए तकनीकी/वित्तीय सहायता प्रदान करना, निर्यात उन्मुख एक्वाकल्चर उत्पादों में वृद्धि और इस क्षेत्र में अनुसंधान एवं विकास गतिविधियों के परिणामस्वरूप हुई है।

(ग) एम्पीडा ने कावारत्ती, लक्षद्वीप में एक नया कार्यालय खोला है और वह लक्षद्वीप से टुना मछली का निर्यात आरंभ करने हेतु निर्यातकों के साथ समन्वय कर रहा है।

(घ) जी, नहीं।

(ङ) जी, हां।

अप्रैल, 2017 में एम्पीडा ने लक्षद्वीप में एक नया कार्यालय खोला जिससे कि मछुआरों को द्वीप में पकड़ी गई टुना मछलियों के लिए निर्यात बाजार का पता लगाने और मछुआरों द्वारा पकड़ी गई मछली के लिए यथोचित बाजार दर सुनिश्चित कराने में सहायता की जा सके। वर्ष 2017-18 के दौरान मैसर्स अल बदर सीफूड्स (प्रा.) लि. (एम्पीडा का पंजीकृत प्रोसेसर एवं निर्यातक), जिसकी कोच्ची में एक कैंनिंग फैक्ट्री स्थित है, ने उक्त द्वीप से निर्यात के लिए 455 एमटी टुना (164 एमटी येलो फिन और 291 एमटी स्किपजैक टुना सहित) की खरीद की है।

विवरण-I

पिछले 5 वर्षों के लिए समुद्री उत्पादों का उत्पाद-वार निर्यात

मात्रा: मी. टन में, मूल्य: करोड़ रु. में, $: मिलियन अमेरिका डॉलर

देश		2013-14	2014-15	2015-16	2016-17	2017-18
1		2	3	4	5	6
फ्रोजन श्रिंप	मात्रा:	301,435	357,505	373,866	434,486	565,980
	मूल्य:	19,368	22,468	20045	24,711	30,868
	डॉलर:	3211	3710	3097	3726	4848
प्रशितित मछली	मात्रा:	324,359	309,434	228,749	296,762	353,192
	मूल्य:	4295	3779	3462	4461	4674
	डॉलर:	709	620	530	672	733
प्रशितित कटल मछली	मात्रा:	68,577	82,353	65,596	63,320	69,183
	मूल्य:	1387	1833	1636	1944	2357
	डॉलर:	228	301	250	293	370

1		2	3	4	5	6
प्रशितित स्क्विड	मात्रा:	87,437	69,569	81,769	99,348	100,845
	मूल्य:	1732	1275	1615	2575	2452
	डॉलर:	285	210	248	389	385
ड्राई मद	मात्रा:	67901	70544	43,320	61071	88,997
	मूल्य:	998	1010	726	872	1042
	डॉलर:	168	165	111	200	164
लाईव मदें	मात्रा:	5080	5488	5493	6703	7034
	मूल्य:	282	302	309	404	286
	डॉलर:	47	49	48	61	45
शीतित मदें	मात्रा:	19,755	31404	33150	31,815	19501
	मूल्य:	528	636	810	770	647
	डॉलर:	88	105	124	116	102
अन्य	मात्रा:	109,212	124,947	113,949	141,442	172,512
	मूल्य:	1623	2139	1818	2134	2781
	डॉलर:	272	351	280	321	435
कुल	मात्रा:	983,756	1051244	945,892	1134947	1377244
	मूल्य:	30213	33442	30421	37871	45107
	डॉलर:	5008	5511	4688	5778	7082

विवरण-II

देश के पिछले 5 वर्षों के लिए समुद्री उत्पादों का निर्यात

मात्रा: मी. टन में, मूल्य: करोड़ रु. में, $: मिलियन अमेरिका डॉलर

देश		2013-14	2014-15	2015-16	2016-17	2017-18
1		2	3	4	5	6
जापान	मात्रा:	71,484	78,772	75,393	69,039	85,651
	मूल्य:	2464	3040	2611	2621	2846
	डॉलर:	411	502	403	395	445

1		2	3	4	5	6
अमेरिका	मात्रा:	110,880	129,667	153,695	188,617	247,780
	मूल्य:	7745	8830	8633	11,482	14770
	डॉ:	1286	1458	1334	1732	2320
यूरोपीय संघ	मात्रा:	174,686	188,031	186,349	189,833	190,314
	मूल्य:	6130	6716	6312	6892	7116
	डॉ:	1013	1107	971	1039	1117
चीन	मात्रा:	75,783	59,519	50,042	45,443	49701
	मूल्य:	1767	1349	1432	1342	1448
	डॉ:	293	221	221	202	227
दक्षिण-पूर्व एशिया	मात्रा:	380061	409,931	328,900	484,819	616,707
	मूल्य:	8046	8621	7499	11,462	14250
	डॉ:	1321	1417	1153	1728	2237
मध्य पूर्व	मात्रा:	58040	64,608	53,905	52,973	62220
	मूल्य:	1599	2021	1794	1831	1849
	डॉ:	273	333	276	276	291
अन्य	मात्रा:	112,822	120,716	97,609	104,224	124,871
	मूल्य:	2462	2865	2140	2241	2828
	डॉ:	411	473	330	406	445
कुल	मात्रा:	983,756	1051244	945,892	1134947	1377244
	मूल्य:	30213	33442	30421	37871	45107
	डॉ:	5008	5511	4688	5778	7082

[हिन्दी]

कौशल विकास

***172. श्री जय प्रकाश नारायण यादव:**
डॉ. भारतीबेन डी. श्याल:

क्या **कौशल विकास और उद्यमशीलता मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार का विभिन्न राज्यों, विशेषत: राजस्थान के पिछड़े क्षेत्रों में कौशल विकास संस्थानों का नेटवर्क स्थापित करने का विचार है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इस प्रयोजनार्थ तैयार की जा रही कार्य योजना है और प्रस्तावित प्रशिक्षण मॉड्यूल्स क्या हैं;

(ग) वर्ष 2015-16, 2016-17 और 2017-18 के दौरान कौशल विकास एवं उद्यमिता हेतु व्यय की गई राशि वर्ष-वार कितनी है;

(घ) उक्त वर्षों के दौरान प्रशिक्षित व्यक्तियों को किन क्षेत्रों में रोजगार के अवसर मुहैया कराये गए; और

(ङ) क्या सरकार राज्यों को भी कौशल विकास हेतु धनराशि

मुहैया करा रही है और यदि हां, तो राज्य-वार तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्री तथा कौशल विकास और उद्यमशीलता मंत्री (श्री धर्मेंद्र प्रधान): (क) से (ङ) भारत सरकार ने पहचान किए गए आकांक्षी जिले जो स्वास्थ्य और पोषण, कृषि और जल संसाधन, वित्तीय निवेशन और कौशल संरचना तथा मूलभूत अवसंरचना जैसे महत्वपूर्ण सामाजिक संकेतकों में पिछड़ रहे हैं, के परिवर्तन के लिए पहल प्रारंभ की है। राजस्थान के 5 जिलों नामत: बारां, जैसलमेर, धौलपुर, करौली और सिरोही की पहचान आकांक्षी जिलों के रूप में की गई है।

इन आकांक्षी जिलों को कौशल विकास के रूप में अन्य जिलों के बराबर लाने के लिए इन जिलों को परिवर्तित करने की दिशा में उद्देश्य प्राप्त करने हेतु कौशल विकास और उद्यमशीलता मंत्रालय की रणनीतियों को सूचीबद्ध करते हुए एक मास्टर प्लान तैयार किया गया है। इस रणनीति में अन्य बातों के साथ-साथ उन जिलों में प्रशिक्षण अवसंरचना उपलब्ध कराना जहां वर्तमान में यह उपलब्ध नहीं है, जिला कार्य योजना तैयार करना, प्रधानमंत्री कौशल केंद्रों (पीएमकेके) में परामर्शीय सुविधाएं उपलब्ध कराना, रोजगार मेलों का आयोजन करना, मुद्रा योजना के जरिए प्रशिक्षित उम्मीदवारों को ऋण उपलब्ध कराना आदि शामिल हैं।

प्रशिक्षण अवसंरचना को सुदृढ़ बनाने के लिए सरकार प्रत्येक जिले में प्रधानमंत्री कौशल केंद्रों (पीएमकेके) को आदर्श कौशल केंद्रों के रूप में प्रोत्साहित कर रही है। अब तक 548 जिलों में 613 पीएमकेके आवंटित किए गए हैं जिनमें से 462 स्थापित किए जा चुके हैं। राजस्थान के 5 आकांक्षी जिलों में से जैसलमेर और बारां में पीएमकेके प्रचालनरत हैं जबकि धौलपुर और करौली में सितंबर, 2018 तक और सिरोही में जनवरी, 2019 तक पीएमकेके का प्रचालन प्रारंभ होने की संभावना है।

प्रधान मंत्री कौशल विकास योजना (पीएमकेवीवाई) के अंतर्गत मंत्रालय की परिणाम आधारित कौशल प्रशिक्षण फ्लैगशिप स्कीम, अल्पावधि प्रशिक्षण, बेहतर रोजगार अवसर प्राप्त करने की दिशा में युवाओं को नियोजनीय कौशल प्रदान करने हेतु संचालित की जाती है। वर्तमान में, देशभर में 7213 पीएमकेवीवाई प्रशिक्षण केंद्र कृषि, निर्माण, ऑटोमोटिव, रिटेल, खाद्य प्रसंस्करण, ब्यूटी और वेल्नेस आदि जैसे क्षेत्रों में प्रशिक्षण प्रदान कर रहे हैं। इन प्रशिक्षण केंद्रों में से 33 राजस्थान के आकांक्षी जिलों में हैं।

दीर्घावधि प्रशिक्षण औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थानों (आईटीआई) के माध्यम से इलैक्ट्रीशियन, फिटर, मशीनिस्ट, वेल्डर, मैकेनिक मोटर वाहन आदि जैसे 127 ट्रेडों में दिया जाता है। कुल 14295 आईटीआई (2187 सरकारी और 12108 निजी) हैं जिनमें से 149 राजस्थान के आकांक्षी जिलों में हैं।

मंत्रालय ने कौशल विकास और उद्यमशीलता कार्यक्रमों पर वर्ष 2015-16, 2016-17 और 2017-18 में क्रमश: 991.15 करोड़ रुपए, 1521.94 करोड़ रुपए और 2149.95 करोड़ रुपए व्यय किए। सरकार ने इस कार्यक्रम के कार्यान्वयन में राज्य सरकारों को शामिल करने के लिए पीएमकेवीवाई 2.0 (2016-2020) के दिशा-निर्देशों में संशोधन किया है। अब इसके दो घटक हैं जिन्हें राष्ट्रीय कौशल विकास निगम (एनएसडीसी) द्वारा कार्यान्वित केंद्रीय प्रायोजित केंद्रीय प्रबंधित (सीएससीएम) और राज्य/संघ राज्य क्षेत्रों के राज्य कौशल विकास मिशनों द्वारा कार्यान्वित केंद्रीय प्रायोजित राज्य प्रबंधित (सीएसएसएम) के रूप में जाना जाता है। सीएसएसएम घटक के अंतर्गत वास्तविक और वित्तीय आवंटन, सिद्धांतत: अनुमोदित और वितरित निधियों का राज्य वार ब्यौरा संलग्न विवरण में दिया गया है।

विवरण

17.07.2018 की स्थिति के अनुसार पीएमकेवीवाई 2016-20 के सीएसएसएम घटक के अंतर्गत सिद्धांतत: अनुमोदित वास्तविक और वित्तीय आवंटन, वितरित निधियों का राज्य-वार ब्यौरा

क्र. सं.	राज्य का नाम	अनुमोदित वास्तविक लक्ष्य (2016-20)	अनुमोदित निधियां (2016-20)	एमएसडीई द्वारा जारी निधियां
1	2	3	4	5
1.	उत्तर प्रदेश	1,42,552	2,09,04,00,000	52,26,00,000
2.	छत्तीसगढ़	48,532	71,16,73,248	13,19,76,000
3.	राजस्थान	64,526	94,62,15,130	14,19,35,789

1	2	3	4	5
4.	मध्य प्रदेश	84,058	1,23,26,26,512	21,46,66,296
5.	त्रिपुरा	36,875	54,07,35,000	8,37,68,100
6.	आंध्र प्रदेश	64,608	94,74,11,712	11,84,26,464
7.	कर्नाटक	94,164	1,38,08,20,896	21,43,95,135
8.	अरुणाचल प्रदेश	29,510	43,27,34,640	7,21,32,216
9.	तमिलनाडु	1,40,880	2,06,58,64,320	34,43,10,720
10.	पंजाब	55,028	80,69,30,592	26,39,52,000
11.	पुदुचेरी	10,619	15,57,17,016	2,59,55,280
12.	बिहार	89,664	1,38,05,74,540	36,81,62,449
13.	उत्तराखंड	48,236	74,26,99,339	20,32,43,040
14.	हिमाचल प्रदेश	49,499	76,21,46,003	21,55,60,800
15.	मणिपुर	32,472	49,99,77,879	24,99,88,939
16.	अंडमान और निकोबार द्वीपसमूह	4,108	6,32,51,698	2,10,78,767
17.	चंडीगढ़	10,288	15,84,06,394	6,15,88,800
18.	गुजरात	77,824	1,19,82,71,693	35,94,93,826
19.	हरियाणा	56,036	86,27,97,499	21,56,99,375
20.	ओडिशा	58,046	89,37,45,871	27,71,49,600
21.	तेलंगाना	59,611	91,78,42,489	22,94,64,472
22.	पश्चिम बंगाल	1,23,550	1,90,23,24,060	38,04,64,812
23.	जम्मू और कश्मीर	47,302	72,83,18,354	22,94,18,280
24.	झारखंड	57,668	88,79,25,730	29,59,64,978
25.	नागालैंड	33,021	50,84,30,941	16,94,76,980
26.	असम	47,258	72,76,40,878	36,95,32,800
27.	सिक्किम	4,900	7,54,46,280	2,00,16,360
28.	दमन और दीव	4,000	6,15,88,800	2,00,16,360
29.	केरल	71,450	1,10,01,29,940	22,00,25,988

1	2	3	4	5
30.	मेघालय	33,642	51,79,92,602	12,77,96,760
31.	महाराष्ट्र	1,67,127	2,57,32,87,845	85,77,62,615
32.	दिल्ली	81,000	1,24,71,73,200	15,39,72,000
33.	दादरा और नगर हवेली	4,000	6,15,88,800	1,10,85,984
34.	गोवा	46,951	72,29,13,937	10,70,25,937
35.	मिजोरम	36,671	56,46,30,721	10,88,73,601
	सकल योग	20,15,676	30,47,02,34,559	7,40,69,81,532

कृषि श्रमिक

***173. श्री सदाशिव लोखंडे:** क्या **श्रम और रोजगार मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) सरकार द्वारा कृषि श्रमिकों को दुर्घटना की स्थिति में सहायता मुहैया कराने हेतु कार्यान्वित की जा रही योजनाओं के नाम क्या हैं;

(ख) क्या राज्यों को इन योजनाओं के तहत अनुदान दिया जाता है; और

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और विगत तीन वर्षों और चालू वर्ष के दौरान इन योजनाओं के अंतर्गत विभिन्न राज्यों को योजना-वार एवं राज्य/संघ राज्यक्षेत्र-वार कितनी धनराशि आवंटित की गई है?

श्रम और रोजगार मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री संतोष कुमार गंगवार): (क) से (ग) केंद्र सरकार ने हाल ही में कृषि श्रमिकों सहित असंगठित कामगारों को, उनकी पात्रता के आधार पर जीवन एवं निःशक्तता कवरेज प्रदान करने के लिए आम आदमी बीमा योजना (एएबीवाई) संबंधी सामाजिक सुरक्षा योजनाओं का समेकन प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना (पीएमजेजेबीवाई) तथा प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना (पीएमएसबीवाई) से कर दिया है। पीएमजेजेबीवाई 18 से 50 वर्ष तकके आयु वर्ग के लिए 330/- रुपये की वार्षिक प्रीमियम पर मृत्यु होने पर 2 लाख रुपये की कवरेज प्रदान करती है। पीएमएसबीवाई 18 से 70 वर्ष तक के आयु वर्ग को शामिल करते हुए 12/- रुपये की वार्षिक प्रीमियम पर दुर्घटना से हुई मृत्यु और निःशक्तता पर 2 लाख रुपये की कवरेज प्रदान करती है। ये समेकित योजनाएं भारतीय जीवन बीमा निगम के माध्यम से कार्यान्वित की जा रही हैं। वार्षिक प्रीमियम केंद्र सरकार और राज्य सरकारों द्वारा 50:50 के आधार पर वहन की जाती है। केन्द्र सरकार की तरफ से प्रीमियम में सामाजिक सुरक्षा निधि के माध्यम से सहायता दी जाती है, जिसका रख-रखाव भारतीय जीवन बीमा निगम द्वारा किया जाता है। सामाजिक सुरक्षा निधि का रख-रखाव राज्य-वार नहीं किया जाता है, अतः राज्य वार खर्च उपलब्ध नहीं है। पूर्ववर्ती वर्षों के दौरान इस संबंध में हुआ खर्च इस प्रकार है:-

वर्ष	व्यय (करोड़ रुपये में)
2013-14	303.82
2014-15	438.57
2015-16	436.58
2016-17	385.34
2017-18	435.16

[अनुवाद]

भारतीय खानपान संस्कृति को बढ़ावा

***174. श्री नलीन कुमार कटील:**
श्री डी.के. सुरेश:

क्या **संस्कृति मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार को इस बात की जानकारी है कि विश्व

में हमारे देश की समृद्ध और सर्वाधिक अद्वितीय खानपान विरासत है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या भारतीय खानपान का उद्देश्य देश में ऋतु के अनुसार किसी व्यक्ति की स्वास्थ्य संबंधी विभिन्न जरूरतों को संतुलित करना है और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(घ) सरकार द्वारा आधुनिक विश्व के रोगों से बचने हेतु भारतीय खानपान संस्कृति को बढ़ावा देने हेतु क्या कदम उठाए गए हैं/उठाये जा रहे हैं?

संस्कृति मंत्रालय के राज्य मंत्री तथा पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय में राज्य मंत्री (डॉ. महेश शर्मा): (क) और (ख) सरकार इस बात से अवगत है कि भारत की एक समृद्ध पाक कला विरासत है। हमारे अधिकांश पारंपरिक व्यंजन सदियों से विकसित हुए हैं।

भारतीय पाक-शैली में व्यापक रूप से विभिन्न क्षेत्रीय पाक शैलियां समाहित हैं जो मूलत: भारत से ही संबंधित हैं। मिट्टी के प्रकार, जलवायु, संस्कृति, जातीय समूह और आजीविकाओं के विभिन्न प्रकारों को ध्यान में रखते हुए, ये पाक शैलियां एक-दूसरे से काफी भिन्न होती हैं और इनमें स्थानीय रूप से उपलब्ध मसालों, जड़ी-बूटियों, सब्जियों और फलों का प्रयोग किया जाता है। लगभग सभी राज्यों की अपनी-अपनी विशिष्ट पाक विधि है।

(ग) भारतीय भोजन प्राय: स्थानीय लोगों द्वारा यथा अपेक्षित पोषण के समग्र दृष्टिकोण पर आधारित होते हैं जिनमें कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन और वसा का सम्मिश्रण होता है। ऐसे भोजन स्थानीय रूप से उपलब्ध सामग्री से तैयार किए जाते हैं और इनमें इनके स्वयं के उपचारात्मक और पोषक लाभ पाए जाते हैं।

भारतीय भोजन आयुर्वेद और प्राकृतिक चिकित्सा आधारित खाने-पीने की आदतों के साथ नजदीक से जुड़ा हुआ है जो किसी भी व्यक्ति को स्वस्थ बनाए रखने में सहायक होता है। इसके कुछ उदाहरणों में ऋतु के अनुसार भोजन का सेवन जैसे-गर्मी के दौरान छाछ, लस्सी, शिकंजी, कोकुम शरबत, बेल शरबत आदि और सर्दियों के दौरान राब, शोरबा, केसर दूध, कहवा आदि शामिल हैं।

(घ) सरकार भारतीय खानपान संस्कृति को बढ़ावा देने के साथ-साथ आधुनिक जीवन शैली से संबंधित रोगों को दूर रखने के महत्व के बारे में जागरूक करने के लिए प्रतिबद्ध है। पर्यटन मंत्रालय द्वारा अपने प्राथमिक उद्देश्यों में से एक, भारतीय पाक-कला के क्षेत्र में अनुसंधान और प्रलेखन की सुविधा के साथ हाल ही में तिरुपति में भारतीय पाक कला संस्थान और नोएडा में इसके केन्द्र की स्थापना की गई है। पर्यटन मंत्रालय भी हमारे खानपान की संस्कृति को बढ़ावा देने के लिए विश्व के विभिन्न भागों में विविध व्यंजन महोत्सवों का आयोजन करते हुए इस प्रयास में शामिल है।

पर्यटन मंत्रालय भारतीय पाक-शैली सहित देश के विभिन्न पर्यटन स्थलों को बढ़ावा देने के लिए 'अतुल्य भारत' के अंतर्गत देश के बाहर और देश के भीतर महत्वपूर्ण और संभावित बाजारों में ग्लोबल प्रिंट, इलेक्ट्रॉनिक और ऑनलाइन मीडिया अभियान जारी करता है।

[अनुवाद]

बेरोजगारी

***175. श्री एम.आई. शनवास:**
श्री जितेन्द्र चौधरी:

क्या **श्रम और रोजगार मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या देश में बेरोजगारी की स्थिति दिन प्रतिदिन विकट होती जा रही है और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ख) सरकार द्वारा विगत चार वर्षों के दौरान देश में बेरोजगारी उन्मूलन/नये रोजगार के सृजन हेतु कार्यान्वित की जा रही योजनाएं/कार्यक्रम कौन-से हैं और इस संबंध में क्या उपलब्धियां हासिल हुई हैं और उक्त अवधि के दौरान कितने युवाओं को रोजगार मिला;

(ग) सरकार और निजी क्षेत्र द्वारा विगत तीन वर्षों के दौरान सृजित/जारी नौकरियों की राज्य-वार संख्या कितनी है;

(घ) विगत चार वर्षों के दौरान सार्वजनिक क्षेत्र के विभिन्न उपक्रमों में रोजगार की संख्या का ब्यौरा क्या है; और

(ङ) क्या सरकार देश में बेरोजगार युवकों को कम-से-कम 2000 रुपये प्रति माह की राशि बेरोजगारी पारिश्रमिक/भत्ते के रूप में देने हेतु कदम उठाएगी यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

श्रम और रोजगार मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री संतोष कुमार गंगवार): (क) श्रम ब्यूरो द्वारा आयोजित किए गए रोजगार-बेरोजगारी संबंधी विगत उपलब्ध श्रम बल सर्वेक्षणों के परिणामों के अनुसार, देश में 15 वर्ष एवं उससे अधिक आयु के

व्यक्तियों हेतु सामान्य स्थिति आधार पर बेरोजगारी दर 2011-12, 2012-13, 2013-14 तथा 2015-16 में क्रमशः 3.3%, 4.0%, 3.4% तथा 3.7% थी।

(ख) और (ग) नियोजनीयता में सुधार करते हुए रोजगार का सृजन करना सरकार की प्राथमिकता रही है। सरकार इस दिशा में विभिन्न कार्यक्रमों का कार्यान्वयन कर रही है - जैसे अर्थव्यवस्था के निजी क्षेत्र को बढ़ावा देना, व्यापक निवेश वाली विभिन्न परियोजनाओं को तीव्रता से निष्पादित करना और प्रधानमंत्री रोजगार सृजन कार्यक्रम (पीएमईजीपी), महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारन्टी योजना (एमजीएनआरईजीएस), पं. दीन दयाल उपाध्याय ग्रामीण कौशल्य योजना (डीडीयू-जीकेवाई) तथा दीन दयाल अंत्योदय योजना – राष्ट्रीय शहरी आजीविका मिशन (डीएवाई-एनयूएलएम) जैसी योजनाओं पर सार्वजनिक व्यय में वृद्धि करना। इन योजनाओं के तहत सृजित रोजगार नीचे दिया गया है:–

योजनाएं/वर्ष	2015-16	2016-17	2017-18	2018-19
पीएमईजीपी के तहत सृजित अनुमानित रोजगार (लाख में)	3.23	4.08	3.87	1.11 (30-6-2018 तक)
एमजीएनआरईजीएस के तहत सृजित मानव दिवस (करोड़ में)	235.14	235.64	234.26	84.73 (23-7-2018 तक)
डीडीयू-जीकेवाई के तहत नियोजित अभ्यर्थी (लाख में)	1.09	1.48	0.76	0.24 (23-7-2018 तक)
डीएवाई-एनयूएलएम के तहत नियोजन (लाख में)	0.34	1.52	1.15	0.23 (9-7-2018 तक)

रोजगार सृजन को बढ़ावा देने हेतु उद्योग को प्रोत्साहित करने के लिए वर्ष 2016-17 में श्रम और रोजगार मंत्रालय द्वारा प्रधानमंत्री रोजगार प्रोत्साहन योजना आरंभ की गई है। इस योजना के तहत, सरकार 3 वर्षों के लिए सभी पात्र नए कर्मचारियों हेतु समस्त क्षेत्रों के लिए ईपीएस एवं ईपीएफ संबंधी नियोक्ता के संपूर्ण अंशदान (12% अथवा यथा-स्वीकार्य) का भुगतान कर रही है। 23 जुलाई, 2018 तक योजना में 75753 प्रतिष्ठानों तथा 60.81 लाख लाभार्थियों को शामिल किया गया।

प्रधानमंत्री मुद्रा योजना एक ऐसी योजना है जो व्यक्तियों को उनके व्यापारिक कार्यकलापों को स्थापित करने अथवा विस्तार करने हेतु समर्थ बनाने के लिए, गैर-कृषि क्षेत्र में लघु/सूक्ष्म व्यापारिक उपक्रमों को 10 लाख रुपए तक का ऋण प्रदान करते हुए बैंकों, गैर-बैंकिंग, वित्तीय कम्पनियों (एनबीएफसी) तथा सूक्ष्म वित्तीय संस्थानों (एमएफआइज) द्वारा जमानत मुक्त ऋण प्रदान करती है। पीएमएमवाई के तहत, 2015-16 से 2017-18 के दौरान स्वीकृत ऋणों की संख्या 12.27 करोड़ थी, जिसमें से 3.49 करोड़ नए उद्यमी थे।

व्यय विभाग, वित्त मंत्रालय के वेतन अनुसंधान एकक (पीआरयू) की रिपोर्ट के अनुसार प्रमुख मंत्रालयों/विभागों में केंद्र सरकार के सिविलियन नियमित कर्मचारियों की अनुमानित संख्या नीचे दी गई है:–

वर्ष (1 मार्च की स्थिति के अनुसार)	2013-14	2014-15	2015-16
कर्मचारी (लाख में)	32.90	32.94	32.86

इसके अतिरिक्त, केंद्र सरकार के तहत भर्ती मुख्य रूप से विभिन्न भर्ती एजेंसियों नामतः संघ लोक सेवा आयोग (यूपीएससी), कर्मचारी चयन आयोग (एसएससी), रेलवे भर्ती बोर्ड (आरआरबी) इत्यादि के माध्यम से की जाती है। इनके अलावा, अनेक मंत्रालयों/विभागों के पास कुछ पदों हेतु अपने अधिकार-क्षेत्र में अपना स्वयं का भर्ती तंत्र है। सभी भर्ती एजेंसियों से आंकड़े इकट्ठा करने के लिए कोई केंद्रीयकृत एजेंसी नहीं है। श्रम और रोजगार मंत्रालय में यथा-उपलब्ध केंद्रीय सरकार की प्रमुख भर्ती एजेंसियों के माध्यम से भर्ती किए गए व्यक्तियों की राज्य-वार संख्या नीचे दी गई है:–

वर्ष	यूपीएससी द्वारा संस्तुत अभ्यर्थियों की संख्या	एसएससी द्वारा संस्तुत अभ्यर्थियों की संख्या	आरआरबी/ आरआरसी द्वारा संस्तुत इमपैनल/भर्ती अभ्यर्थियों की संख्या	योग
2014-15	8272	58066	47186	113524
2015-16	6866	25138	79803	111807
2016-17	5735	68880	26318	100933

उपर्युक्त आंकड़ों में अपने स्वयं के तंत्र के माध्यम से राज्य सरकारों, बैंकों, अन्य वित्तीय संस्थानों, विश्वविद्यालयों, सार्वजनिक क्षेत्र के केंद्रीय उद्यमों, सांविधिक/स्वायत्तशासी निकायों तथा यूपीएससी/एसएससी के माध्यम को छोड़कर सीधे ही मंत्रालय/विभागों द्वारा की गई भर्तियां शामिल नहीं हैं।

सृजित रोजगारों के राज्य-वार ब्यौरे केंद्रीय रूप से नहीं रखे जाते हैं।

(घ) भारी उद्योग एवं सार्वजनिक उद्यम मंत्रालय के सार्वजनिक उद्यम विभाग की नवीनतम सार्वजनिक उद्यम सर्वेक्षण रिपोर्ट के अनुसार, केंद्रीय सार्वजनिक क्षेत्र के उद्यमों (सीपीएसई) की रोजगार क्षमता निम्नानुसार है:-

वर्ष	2013-14	2014-15	2015-16	2016-17
कर्मचारी (लाख में) [संविदा कामगारों को छोड़कर]	13.49	12.91	11.85	11.31

(ङ) भारत सरकार बेरोजगार व्यक्तियों को बेरोजगारी भत्ता प्रदान नहीं कर रही है।

[अनुवाद]

आयात पर आश्रय कम करने संबंधी कृत्तक बल

***176. श्री बी. विनोद कुमार:** क्या **वाणिज्य और उद्योग मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार ने आयात पर आश्रय कम करने के लिए विभिन्न मदों की पहचान करने और नीतिगत हस्तक्षेप तथा देश में विनिर्मित और अन्वेषण की जा सकने वाली उन मदों के आयात को कम करने के तरीकों को सुझाने हेतु एक उच्च-स्तरीय कृत्तक बल गठित किया है; और

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और विगत तीन वर्षों के दौरान मद-वार देश का आयात कितना है?

उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री सी.आर. चौधरी): (क) और (ख) जी हां, देश में आयात पर निर्भरता को कम करने के लिए विभिन्न मदों और नीति समाधानों को अभिज्ञात करने हेतु दिनांक 5 जुलाई 2018 को इस तरह के कार्य बल का गठन कर दिया गया है। कार्यबल के लिए विचारार्थ विषय में अन्य बातों के साथ-साथ आयात प्रतिस्थापन के लिए उत्पादों को अभिज्ञात करना, घरेलू विनिर्माण क्षमता का आकलन करना और घरेलू उत्पादन को बढ़ाने में अवरोधों की पहचान करना शामिल है। पिछले तीन वर्षों में भारत के आयातों का ब्यौरा अनुबंध में दिया गया है।

पिछले तीन वर्षों के दौरान भारत का आयात

क्र. सं.	मुख्य वस्तु	आयात मूल्य मिलियन अमेरिकी डॉलर में		
		2015-16	2016-17	2017-18
1	2	3	4	5
1.	चाय	58	50	55
2.	कॉफी	123	138	155
3.	चावल (बासमती के अलावा)	1	1	2
4.	गेहूं	135	1269	365

1	2	3	4	5
5.	अन्य अनाज	52	73	67
6.	दालें	3902	4244	2908
7.	तंबाकू अविनिर्मित	21	11	11
8.	तंबाकू विनिर्मित	30	34	29
9.	मसाले	824	859	990
10.	काजू	1339	1347	1419
11.	कैश्यू नट शेल लिक्विड	1	1	1
12.	तिल के बीज	28	66	27
13.	निगर बीज	7	12	4
14.	मूंगफली	0	0	2
15.	अन्य तिलहन	33	59	56
16.	वनस्पति तेल	10,492	10,893	11,637
17.	ऑयल मील	65	145	116
18.	ग्वारगम भोजन	2	0	1
19.	अरंडी का तेल	0	0	0
20.	चपड़ा	3	2	3
21.	चीनी	612	1022	937
22.	सीरा	1	1	11
23.	फल/सब्जी के बीज	108	97	119
24.	ताजे फल	1695	1683	1943
25.	ताजी सब्जियां	60	2	4
26.	प्रसंस्कृत सब्जियां	18	17	21
27.	प्रसंस्कृत फल और रस	80	82	125
28.	अन्न से बने खाद्य	88	86	102
29.	कोको उत्पाद	213	230	229
30.	मिल्ड उत्पाद	3	2	2
31.	विविध प्रक्रमित मदें	277	316	349

1	2	3	4	5
32.	भेड़/बकरे का मांस	1	1	2
33.	अन्य मांस	3	3	4
34.	परिष्कृत मांस	0	1	0
35.	दुग्ध उत्पाद	57	38	49
36.	कुक्कुट उत्पाद	4	4	4
37.	पुष्पोत्पाद	17	20	21
38.	प्राकृतिक रबड़	715	653	829
39.	मादक पेय	447	536	601
40.	समुद्री उत्पाद	97	94	123
41.	लौह अयस्क	494	322	655
42.	अभ्रक	1	1	2
43.	कोयला, कोक और ब्रिकेट्स आदि	13668	15760	22901
44.	बल्क खनिज और अयस्क	5256	4287	6207
45.	ग्रेनाइट, प्राकृतिक पत्थर और उत्पाद	500	450	422
46.	संसाधित खनिज	715	862	1483
47.	सल्फर, अनरोस्टेड आयरन पायराइट	217	131	166
48.	अन्य अशोधित खनिज	333	273	326
49.	अपरिष्कृत हाइड्स एवं स्किन्स	63	57	47
50.	परिष्कृत चमड़ा	596	552	569
51.	चमड़े का सामान	83	68	68
52.	चमड़े के वस्त्र	8	2	3
53.	चमड़े के फुटवियर	253	290	349
54.	चमड़े के फुटवियर घटक	28	23	21
55.	काठी और जीन	0	0	1
56.	मोती, बहुमूल्य अर्धबहुमूल्य पत्थर	20070	23,809	34,279
57.	सोना	31,771	27,518	33,657
58.	चांदी	3743	1839	3214

1	2	3	4	5
59.	अन्य बहुमूल्य और बेस धातुएं	219	191	360
60.	स्वर्ण और अन्य बहुमूल्य धातु के आभूषण	706	382	3158
61.	खेलकूद का सामान	221	224	292
62.	अशोधित उर्वरक	1014	758	729
63.	विनिर्मित उर्वरक	7058	4266	4648
64.	आयुष और हर्बल उत्पाद	54	53	61
65.	बल्क ड्रग, मध्यवर्ती ड्रग	3248	2738	2993
66.	रंजक मध्यवर्ती	607	608	872
67.	रंजक	320	305	336
68.	ड्रग फॉर्मूलेशन, बायोलॉजिल्स	1583	1662	1841
69.	कृषि रसायन	844	1049	1314
70.	सर्जिकल्स	555	541	586
71.	अकार्बनिक रसायन	4447	3947	4763
72.	कार्बनिक रसायन	9623	9879	12428
73.	अन्य विविध रसायन	597	528	653
74.	कास्मेटिक्स और टॉयलेटरीज	941	1052	1321
75.	सुगंधित तेल	134	143	152
76.	अपशिष्ट रसायन और संबद्ध उत्पाद	5087	5298	6523
77.	ऑटो टायर और ट्यूब	515	508	499
78.	अन्य रबड़ उत्पाद फुटवियर के अलावा	1686	1748	2141
79.	रबड़/कैनवास के जूते आदि	192	222	317
80.	पेंट, वार्निश और सहबद्ध उत्पाद	1320	1370	1679
81.	ग्रेफाइट, विस्फोटक और सहायक सामग्री	64	77	140
82.	सीमेंट, क्लींकर और एबस्टम सीमेंट	104	140	175
83.	सिरेमिक्स एवं सहबद्ध उत्पाद	866	628	807
84.	ग्लास और ग्लासवेयर	968	1054	131
85.	किताबें, प्रकाशन और मुद्रण	348	277	318

1	2	3	4	5
86.	अखबारी कागज	805	850	777
87.	पेपर, पेपर बोर्ड और उत्पाद	2408	2602	3303
88.	प्लाईवुड और संबद्ध उत्पाद	1083	1088	1396
89.	अन्य लकड़ी और लकड़ी के उत्पाद	1558	1202	1329
90.	लुगदी और अपशिष्ट	956	975	1155
91.	ऑप्टिकल आइटम (लेंस सहित आदि)	333	312	593
92.	मानव बाल और उसके उत्पाद	8	6	5
93.	मोल्डेड और एक्सटुडेड सामान	1190	1247	1400
94.	पैकेजिंग सामग्री	255	259	302
95.	अपरिष्कृत प्लास्टिक सामग्री	8822	8810	10690
96.	प्लास्टिक शीट, फिल्म, पीएल प्लेट्स आदि	1067	1144	1417
97.	स्टेशनरी/ऑफिस, स्कूल की आपूर्ति	88	86	93
98.	प्लास्टिक के अन्य मद	716	763	981
99.	लोहा और इस्पात	11,252	8239	10432
100.	लोहा और इस्पात के उत्पाद	3726	3444	4185
101.	एल्यूमीनियम, एल्यूमीनियम के उत्पाद	3507	3557	4605
102.	तांबा और तांबे से बनाये गए उत्पाद	3359	3449	
103.	तांबा और तांबे से बनाये गए उत्पाद			4575
104.	सीसा और सीसा से बनी वस्तुएं	492	597	815
105.	निकल, निकल से बने उत्पाद	902	555	638
106.	टिन और टिन से बने उत्पाद	193	173	243
107.	जिंक और जिंक से बने उत्पाद	460	702	827
108.	अन्य अलौह धातुएं और उत्पाद	813	835	
109.	अन्य अलौह धातुएं और उत्पाद			1109
110.	ऑटो कंपोनेंट्स/पार्ट्स	4370	4063	5133
111.	इलेक्ट्रोड	81	83	103
112.	एक्युमुलेटर और बैटरी	837	865	1247

1	2	3	4	5
113.	हैण्ड टूल, धातु के कटिंग टूल	846	778	982
114.	मशीन टूल्स	1912	2257	2538
115.	मेडिकल और वैज्ञानिक उपकरण	3289	3546	4162
116.	कार्यालय उपकरण	124	92	47
117.	एसी, रेफ्रिजरेशन मशीनरी आदि	4043	2899	3386
118.	साइकिल और उसके कलपुर्जे	185	226	263
119.	क्रेन, लिफ्ट और विंटेज	1148	1380	1417
120.	विद्युत मशीनरी और उपकरण	6041	6316	8288
121.	आईसी इंजन और उसके पार्ट्स	2081	1925	2642
122.	डेयरी आदि के लिए औद्योगिक मशीनरी	9669	9376	10482
123.	एटीएम, इंजेक्टिंग सोल्डिंग मशीनरी आदि	771	817	832
124.	न्यूक्लियर रिएक्टर, बायलर उसके कलपुर्जे	562	355	291
125.	अन्य निर्माण तंत्र	1456	1666	2061
126.	अन्य विविध इंजीनियरिंग मदें	2756	2998	3465
127.	प्रधान अभ्रक और अभ्रक उत्पाद	203	208	
128.	प्रधान अभ्रक और अभ्रक उत्पाद			250
129.	सभी प्रकार के पंप	812	846	1066
130.	एयरक्राफ्ट, स्पेश क्राफ्ट और उसके कलपुर्जे	4984	8372	7677
131.	मोटर वाहन/कार	289	329	335
132.	रेलवे परिवहन के उपकरण और उसके कलपुर्जे	500	369	426
133.	जहाज, नाव और फ्लोटिंग संरचना	4503	5652	4793
134.	दुपहिया और तिपहिया वाहन	48	40	49
135.	कम्प्यूटर हार्डवेयर, पेरिफेरल	7509	6894	8209
136.	उपभोक्ता संबंधी इलेक्ट्रॉनिक्स	4106	3992	4378
137.	इलेक्ट्रॉनिक्स के घटक	7115	8408	10,183
138.	इलेक्ट्रॉनिक्स उपकरण	5889	6065	6923
139.	दूरसंचार उपकरण	15,403	16572	21,848
140.	परियोजना की वस्तुएं	2761	2074	2078
141.	मानव निर्मित स्टेपल फाइबर	403	366	369
142.	सूती धागा	42	52	32

1	2	3	4	5
143.	कॉटन फैब्रिक्स, मेड अप आदि	504	373	472
144.	अन्य वस्त्र यार्न, वस्त्र कृत्रिम सामग्री	767	712	964
145.	अपरिष्कृत रेशम	154	163	189
146.	प्राकृतिक रेशम यार्न, फैब्रिक्स, मैड अप	47	45	60
147.	मानव निर्मित यार्न, कपड़े, मैड्यूप्स	1727	1607	1896
148.	परिष्कृत ऊन	308	282	292
149.	ऊनी यार्न, कपड़े मेडअप	59	44	79
150.	आरएमजी कॉटन सहित सहयोगी वस्तु	269	289	351
151.	आरएमजी रेशम	5	4	5
152.	आरएमजी मानव निर्मित फाइबर	168	176	234
153.	आरएमजी ऊन	14	11	13
154.	आरएमजी के अन्य वस्त्र सामग्री	124	116	170
155.	कॉयर और कॉयर निर्माण	5	7	8
156.	हाथकरघा उत्पाद	10	5	11
157.	रेशम अपशिष्ट	6	2	2
158.	परिष्कृत जूट	56	105	45
159.	जूट यार्न	78	75	48
160.	जूट हेंसीयन	28	9	19
161.	जूट के फर्श बिछावन	1	1	1
162.	जूट के अन्य निर्माण	86	55	68
163.	हस्तशिल्प (हाथ से बने कालीन को छोड़कर)	693	784	923
164.	रेशम के अलावा हस्तनिर्मित कारपेट	79	71	94
165.	रेशम का गलीचा	0	0	0
166.	परिष्कृत कपास अपशिष्ट सहित	394	947	979
167.	परिष्कृत पेट्रोलियम	65,923	70,705	87,372
168.	पेट्रोलियम उत्पाद	17021	16258	21286
169.	अन्य वस्तुएं	11019	10,749	4962
	कुल आयात	381,008	384,357	465,578

नोट: वित्तीय वर्ष 2017-18 से संबंधित आंकड़े अनंतिम हैं, स्रोत: वाणिज्यिक आसूचना और सांख्यिकी महानिदेशालय।

[अनुवाद]

पर्यटन परियोजनाएं

***177. श्री एस.पी. मुद्दाहनुमे गौड़ा:**
श्री नारणभाई काछड़िया:

क्या **पर्यटन मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) केंद्र सरकार द्वारा विगत तीन वर्षों और चालू वर्ष के दौरान पर्यटन क्षेत्र में कार्यान्वित विभिन्न योजनाओं तथा निर्धारित लक्ष्यों एवं हासिल की गई उपलब्धियों का गुजरात, तेलंगाना और कर्नाटक सहित राज्य-वार ब्यौरा क्या है;

(ख) केंद्र सरकार द्वारा विगत चार वर्षों के दौरान देश में आरंभ की गई/अनुमोदित केंद्र प्रायोजित परियोजनाओं की गुजरात, तेलंगाना और कर्नाटक सहित राज्य-वार सूची क्या है और मेडक-महबूबनगर विरासत सर्किट की मौजूदा स्थिति क्या है;

(ग) केंद्र सरकार द्वारा विभिन्न राज्यों/संघ राज्यक्षेत्रों में विभिन्न पर्यटन परियोजनाओं के लिए वित्तीय सहायता देने हेतु क्या मानदंड अपनाए जा रहे हैं;

(घ) क्या केंद्र सरकार ने विगत तीन वर्षों में प्रत्येक वर्ष के दौरान राज्य सरकारों/संघ राज्यक्षेत्र प्रशासनों से प्राप्त समस्त पर्यटन परियोजनाओं प्रस्तावों के लिए वित्तीय सहायता दी है, यदि हां, तो राज्य/संघ राज्यक्षेत्र-वार ब्यौरा क्या है, यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं; और

(ङ) क्या केंद्र सरकार को उक्त अवधि के दौरान पर्यटन संबंधी परियोजनाओं के लिए अतिरिक्त धनराशि हेतु विभिन्न राज्य सरकारों से प्रस्ताव मिले हैं, यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है तथा सरकार द्वारा इस पर क्या कार्रवाई की गई है और केंद्र सरकार द्वारा देश में पर्यटन को बढ़ावा देने हेतु अन्य क्या कदम उठाए गये/उठाये जा रहे हैं?

पर्यटन मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री अलफोन्स कन्ननथनम): (क) से (ङ) पर्यटन मंत्रालय स्वदेश दर्शन और तीर्थस्थल जीर्णोद्धार एवं आध्यात्मिक, विरासत संवर्धन अभियान (प्रशाद) पर राष्ट्रीय मिशन योजनाओं के अंतर्गत राज्य सरकारों/संघ राज्य क्षेत्र प्रशासनों को केंद्रीय वित्तीय सहायता प्रदान करता है। स्वदेश दर्शन योजना के अंतर्गत ऐसे स्थलों की यात्रा करने के लिए विशेष रुचि रखने वाले पर्यटकों को आकर्षित करने हेतु पहचाने गए विशिष्ट थीमों के आस-पास पर्यटक परिपथों के सृजन हेतु वित्तीय सहायता प्रदान करता है। प्रशाद योजना का उद्देश्य राज्य/संघ राज्य क्षेत्रों को केंद्रीय वित्तीय सहायता प्रदान करते हुए चयनित तीर्थ गंतव्यों का समग्र विकास करने की आवश्यकता को पूरा करना है।

स्वदेश दर्शन योजना के अंतर्गत विकास के लिए पन्द्रह थीम आधारित परिपथों - पूर्वोत्तर परिपथ, बौद्ध परिपथ, हिमालयन परिपथ, तटवर्ती परिपथ, कृष्ण परिपथ, मरुस्थल परिपथ, जनजातीय परिपथ, इको परिपथ, वन्यजीव परिपथ, ग्रामीण परिपथ, आध्यात्मिक परिपथ, रामायण परिपथ, विरासत परिपथ, तीर्थंकर परिपथ तथा सूफी परिपथ की पहचान की गई है। स्वदेश दर्शन योजना के अंतर्गत वर्ष 2014-15 से लेकर अब तक कुल 69 परियोजनाएं स्वीकृत की जा चुकी हैं।

जहां तक प्रशाद योजना का संबंध है 19 राज्यों में 26 धार्मिक शहरों/स्थलों की विकास के लिए पहचान की गई है जिनमें अन्यों के साथ-साथ अमरावती एवं श्रीसेलम (आंध्र प्रदेश), कामाख्या (असम), पटना एवं गया (बिहार), द्वारका और सोमनाथ (गुजरात), गुरुद्वारा नादा साहेब (हरियाणा), हजरतबल एवं कटरा (जम्मू एवं कश्मीर), देवघर (झारखण्ड), चामुण्डेश्वरी देवी (कर्नाटक), गुरुवयूर (केरल), उना (हिमाचल प्रदेश), ओंकारेश्वर (मध्य प्रदेश), त्रियम्बकेश्वर (महाराष्ट्र), पुरी (ओडिशा), अमृतसर (पंजाब), अजमेर (राजस्थान), कांचीपुरम एवं वेल्लांकनी (तमिलनाडु), वाराणसी और मथुरा (उत्तर प्रदेश), बद्रीनाथ और केदारनाथ (उत्तराखण्ड) तथा बेलूर (पश्चिम बंगाल) शामिल हैं। प्रशाद परियोजना के अंतर्गत वर्ष 2014-15 से लेकर अब तक कुल 24 परियोजनाएं स्वीकृत की जा चुकी हैं।

उपरोक्त योजनाओं के अलावा, पर्यटन मंत्रालय देश में पर्यटन अवसंरचना के विकास हेतु केंद्रीय एजेंसियों को भी वित्तीय सहायता प्रदान करता है। पर्यटन अवसंरचना के विकास हेतु केंद्रीय एजेंसियों को सहायता की योजना के तहत वर्ष 2014-15 से लेकर अब तक कुल 28 परियोजनाएं स्वीकृत की जा चुकी हैं।

पर्यटन मंत्रालय ने स्वदेश दर्शन योजना के विरासत परिपथ के तहत मेडक-महबूबनगर के लिए कोई परियोजना संस्वीकृत नहीं की है। स्वदेश दर्शन और प्रशाद के तहत स्वीकृत परियोजनाएं और गुजरात, तेलंगाना और कर्नाटक सहित विभिन्न राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों में पर्यटन अवसंरचना विकास योजनाओं के लिए केंद्रीय एजेंसियों को सहायता की सूची संलग्न विवरण में है।

पर्यटन के क्षेत्र में संचालित विभिन्न योजनाओं के तहत वित्तीय सहायता प्राप्त करने के लिए राज्य सरकारों/संघ राज्य क्षेत्र प्रशासनों/केंद्रीय एजेंसियों से समय-समय पर परियोजना प्रस्ताव प्राप्त किए जाते हैं।

निर्धारित दिशानिर्देशों के संदर्भ में प्राप्त प्रस्तावों की जांच की जाती है तथा ऐसी परियोजनाओं के लिए निर्धारित शर्तों को पूरा करने, परिचालन व्यवहार्यता तथा निधियों की उपलब्धता की शर्त पर वित्तीय सहायता प्रदान की जाती है।

पर्यटन मंत्रालय घरेलू और अंतर्राष्ट्रीय मार्केटों में देश के प्रत्येक राज्य/संघ राज्य क्षेत्र के विभिन्न पर्यटन स्थलों एवं उत्पादों सहित भारत का एक समग्र पर्यटन गंतव्य के रूप में संवर्धन करता है। विभिन्न पर्यटन उत्पादों के विकास एवं संवर्धन हेतु निम्नलिखित कदम उठाए गए हैं:–

(i) थीम आधारित पर्यटक परिपथों के एकीकृत विकास हेतु स्वदेश दर्शन योजना की शुरुआत।

(ii) तीर्थ स्थलों पर सुविधाओं और अवसंरचना में सुधार तथा सौन्दर्यीकरण हेतु तीर्थस्थल जीर्णोद्धार एवं आध्यात्मिक, विरासत संवर्धन अभियान पर राष्ट्रीय मिशन (प्रशाद) योजना की शुरुआत।

(iii) ई-वीजा की शुरुआत।

(iv) प्रचार और संवर्धनात्मक सामग्री का उत्पादन।

(v) सामान्य संवर्धनों से बाजार विशिष्ट संवर्धनात्मक योजनाओं में बदलाव कर अतुल्य भारत 2.0 अभियान का आरंभ।

(vi) "निश पर्यटन" उत्पादों का विकास एवं संवर्धन।

(vii) पर्यटन एवं आतिथ्य उद्योग की आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए पर्याप्त जनशक्ति सृजन करना।

(viii) 24x7 टोल फ्री बहुभाषीय पर्यटक हेल्पलाइन का आरंभ।

(ix) नई अतुल्य भारत वेबसाइट की शुरुआत।

विवरण

योजना और प्रशाद योजना के अंतर्गत स्वीकृत परियोजनाओं की सूची

स्वदेश दर्शन योजना (करोड़ रुपए में)

क्र. सं.	राज्य/संघ राज्य क्षेत्र	परिपथ का नाम	परियोजना का नाम	स्वीस्रत राशि
1	2	3	4	5
वर्ष 2014-15				
1.	अरुणाचल प्रदेश	पूर्वोत्तर परिपथ	अरुणाचल प्रदेश में भालुकपोंग-बोमडिला और तवांग में मेंगा परिपथ का विकास	49.77
2.	आंध्र प्रदेश	तटवर्ती परिपथ	आंध्र प्रदेश में विश्वस्तरीय तटवर्ती एवं ईको पर्यटन परिपथ के रूप में काकीनाडा होप आईलैंड कोनासीमा का विकास	69.83
	2014-15 का योग			119.6
वर्ष 2015-16				
3.	मणिपुर	पूर्वोत्तर परिपथ	मणिपुर में पर्यटक परिपथ का विकास : इंफाल-मोइरांग-खोंजोम-मोरेह	89.66
4.	सिक्किम	पूर्वोत्तर परिपथ	सिक्किम में रांग्पो (प्रवेश)-रोराथांग-अरितर-फाडमचेन-नाथंग-शेराथांग-त्सोंग्मो-गंगटोक-फोडोंग-मंगन-लाचुंग-युमथांग-लाचेन-थांगू-गुरुदोंगमेर-मंगन-गंगटोक-तुमिन लिंगी-सिंगतम (निकास) को जोड़ने वाले पर्यटक का परिपथ का विकास	98.05

1	2	3	4	5
5.	उत्तराखंड	इको परिपथ	नए गंतव्य के रूप में उत्तराखंड, जिला टिहरी में टिहरी झील और आसपास के विकास के लिए इको-पर्यटन, रोमांचकारी, क्रीड़ा, पर्यटन से जुड़ी अवसंरचना का एकीकृत विकास	80.37
6.	राजस्थान	मरुस्थल परिपथ	मरुस्थल परिपथ के अंतर्गत राजस्थान में सांभर लेक टाउन एवं अन्य गंतव्यों का विकास	63.96
7.	नागालैंड	जनजातीय परिपथ	जनजातीय परिपथ पेरेन-कोहिमा-वोखा, नागालैंड का विकास	97.36
8.	मध्य प्रदेश	वन्यजीव परिपथ	मध्य प्रदेश में पन्ना-मुकुंदपुर-संजय-कन्हा-बांधवगढ़-डुबरी-पेन्च में वन्यजीव परिपथ का विकास	92.22
9.	आंध्र प्रदेश	तटवर्ती परिपथ	स्वदेश दर्शन योजना के अंतर्गत आंध्र प्रदेश में श्री पोट्टी श्रीरामलू नेल्लोर में तटवर्ती पर्यटन परिपथ का विकास	59.70
10.	तेलंगाना	इको परिपथ	तेलंगाना के महबूबनगर जिला में ईको पर्यटन परिपथ का एकीस्रत विकास	91.62
11.	केरल	इको परिपथ	केरल के इडुकी और पथानामथिट्टा जिलों में पथानामथिट्टा-गावी-वागमोन-थेक्काडी का ईको पर्यटन परिपथ के रूप में विकास	90.06
12.	मिजोरम	पूर्वोत्तर परिपथ	थेंजावल के पूर्वोत्तकर परिपथ एवं साउथ जोट, जिला सेरचिप और रेईक, मिजोरम में स्वदेश दर्शन – पूर्वोत्तर परिपथ के अंतर्गत नए इको-पर्यटन का एकीस्रत विकास	94.91
13.	असम	वन्य जीव परिपथ	असम में वन्य जीव परिपथ के रूप में मानस-प्रोबितोरा-नामेरी-काजीरंगा-डिब्रू-संखोवा का विकास	95.67
14.	पुदुचेरी	तटवर्ती परिपथ	'स्वदेश दर्शन' स्कीम के अंतर्गत पर्यटक परिपथ के रूप में पुदुचेरी संघ राज्य क्षेत्र का विकास (तटवर्ती परिपथ)	85.28
15.	अरुणाचल प्रदेश	पूर्वोत्तर परिपथ	अरुणाचल प्रदेश में नए रोमांचकारी पर्यटन का एकीस्रत विकास	97.14
16.	त्रिपुरा	पूर्वोत्तर परिपथ	त्रिपुरा में: अगरतला-सिपाहिजला-मेलाघर-उदयपुर-अमरपुर-तीर्थमुख-मंदिरघाट-दुम्बूर-नरिकेलकुंज-गंडाचरा-अम्बासा पूर्वोत्तर परिपथ का विकास	99.59
17.	पश्चिम बंगाल	तटवर्ती परिपथ	पश्चिम बंगाल में समुद्रतट परिपथ : उदयपुर-दीघा-शंकरपुर-ताजपुर-मंदारमणि-फ्रेजरगंज-बक्खलई-हेनरी द्वीप का विकास	85.39
18.	छत्तीसगढ़	जनजातीय परिपथ	छत्तीसगढ़ में जशपुर-महेशपुर-अंबिकापुर-मैनपत-कुकुरी-नथयानावगांव-कोंडागांव-गंगरेल-सरोदादादर-कुरदार-रतनपुर-तीर्थगढ़ में जनजातीय-चित्रकूट-जगदलपुर पर्यटन परिपथ का विकास	99.94

1	2	3	4	5
19.	महाराष्ट्र	तटवर्ती परिपथ	स्वदेश दर्शन योजना के अंतर्गत महाराष्ट्र में सिंधुदुर्ग तटवर्ती परिपथ का विकास	82.17
			2015-16 का कुल	1503.09
वर्ष 2016-17				
20.	गोवा	तटवर्ती परिपथ	गोवा में तटवर्ती परिपथ (सिंक्वेरियम-बागा-अंजुना-वेगेटर-मोरजिम-केरी-अगौदा किला और अगौदा जेल) का विकास।	99.99
21.	जम्मू और कश्मीर	हिमालयन परिपथ	जम्मू और कश्मीर राज्य में पर्यटन अवसंरचना परियोजनाओं का एकीकृत विकास	82.97
22.	तेलंगाना	जनजातीय परिपथ	तेलंगाना में मुलुग-लकनावरम-मेदावरम-तडवई-दमारवी-मल्लूर-बोगाथा जलप्रपात का जनजातीय परिपथ के रूप में एकीस्रत विकास	84.40
23.	मेघालय	पूर्वोत्तर परिपथ	उमियम (लेक-व्यू) युलुम-सोहपेटबनेंग-मावडियांगडियांग-आर्किड लेक रिजार्ट, मेघालय का विकास	99.13
24.	मध्य प्रदेश	बौद्ध परिपथ	मध्य प्रदेश में सांची-सतना-रीवा-मंदसौर-धार में बौद्ध परिपथ का विकास	74.94
25.	केरल	आध्यात्मिक परिपथ	पाथानामथिटा जिला, केरल में आध्यात्मिक परिपथ के रूप में सबरीमाला-एरुमेलि-पम्पा-सन्नीधानम का विकास	99.99
26.	कर्नाटक	तटवर्ती परिपथ	कर्नाटक में दक्षिण कन्नड़ जिला, उत्तर कन्नड़ जिला एवं उडुपी जिला में तटीय परिपथ का विकास	95.67
27.	मणिपुर	आध्यात्मिक परिपथ	आध्यात्मिक परिपथ – श्रीगोविंदजी मंदिर-श्रीबिजय गोविंदजी मंदिर-श्रीगोपीनाथ मंदिर-श्रीबंगशीबोदन मंदिर-श्रीकैना मंदिर, मणिपुर का विकास	53.80
28.	गुजरात	विरासत परिपथ	गुजरात में अहमदाबाद-राजकोट-पोरबंदर-बारदोली-दांडी में विरासत परिपथ का विकास	93.48
29.	हरियाणा	कृष्णा परिपथ	कुरुक्षेत्र, हरियाणा में महाभारत से संबंधित स्थानों में पर्यटन अवसंरचना विकास	97.35
30.	राजस्थान	कृष्णा परिपथ	राजस्थान में गोविन्दे देव जी मंदिर (जयपुर), खाटूश्याम जी (सीकर) और नाथद्वारा (राजसमंद) का एकीस्रत विकास	91.45
31.	सिक्किम	पूर्वोत्तर परिपथ	सिक्किम में सिंगतम-माका-तेमी-बेरमोइक तोकल-गेंगिया-नामची-जोरथांग-ओकारे-सोमबारिया-दरमदीन-जोरेथांग-मेली (निकास) को जोड़ने वाले पर्यटक परिपथ विकास	95.32

1	2	3	4	5
32.	मध्य प्रदेश	विरासत परिपथ	विरासत परिपथ का विकास (ग्वालियर-ओरछा-खजुराहो-चंदेरी-भीमबेटका-मांडु) मध्य प्रदेश का विकास	99.77
33.	केरल	आध्यात्मिक परिपथ	केरल में आध्यात्मिक परिपथ के रूप में श्री पदमनाभा अरनामुला-सबरीमाला का विकास	92.44
34.	बिहार	तीर्थंकर परिपथ	बिहार में आध्यात्मिक परिपथ के रूप में जैन परिपथ: वैशाली-आरा-मसाद-पटना-राजगीर-पावापुरी-चंपापुरी का विकास	52.39
35.	बिहार	आध्यात्मिक परिपथ	बिहार में आध्यात्मिक परिपथ के अंतर्गत कांवड़िया रूट, सुल्तानगंज देवघर का एकीकृत विकास - धर्मशाला	52.35
36.	ओडिशा	तटवर्ती परिपथ	ओडिशा में तटवर्ती परिपथ के रूप में गोपालपुर, बारकुल, सतपदा और तंपारा का विकास	76.49
37.	नागालैंड	जनजातीय परिपथ	नागालैंड में जनजातीय परिपथ का विकास (मोकोकचुंग-तुएनसांग-मोन)	99.67
38.	उत्तराखंड	विरासत परिपथ	उत्तराखंड में कुमांऊ क्षेत्र में कटारमलदेवीधुरा-बैजनाथ-जोगेश्वर-विरासत परिपथ का एकीकृत विकास	81.94
39.	जम्मू और कश्मीर	हिमालयन परिपथ	जम्मू और कश्मीर में हिमालयन परिपथ थीम के तहत जम्मू-राजौरी-शोपियान-पुलवामा में पर्यटक सुविधाओं का एकीकृत विकास	96.38
40.	जम्मू और कश्मीर	हिमालयन परिपथ	जम्मू और कश्मीर के लिए प्रधानमंत्री विकास पैकेज के तहत 2014 में आई बाढ़ में हुई तबाही के एवज में परिसंपत्तियों के निर्माण के तहत पर्यटन सुविधाओं का एकीकृत विकास	98.70
41.	जम्मू और कश्मीर	हिमालयन परिपथ	जम्मू और कश्मीर में हिमालयन परिपथ थीम के तहत मंतालाई-सुधमहादेव-पटनीटॉप में पर्यटक सुविधाओं का एकीकृत विकास	97.82
42.	जम्मू और कश्मीर	हिमालयन परिपथ	जम्मू और कश्मीर में हिमालयन परिपथ थीम के अनंतनाग-किश्तवार-पहलगाम-दकसुम-रंजीत सागर बांध पर पर्यटक सुविधाओं का एकीकृत विकास	96.39
43.	जम्मू और कश्मीर	हिमालयन परिपथ	जम्मू और कश्मीर में हिमालयन परिपथ थीम के तहत गुलमर्ग-बारामुला-कुपवाड़ा-लेह परिपथ पर पर्यटक सुविधाओं का एकीकृत विकास	96.93
44.	उत्तर प्रदेश	बौद्ध परिपथ	उत्तर प्रदेश में श्रावस्ती, कुशीनगर एवं कपिलवस्तु में बौद्ध परिपथ का विकास	99.97

1	2	3	4	5
45.	उत्तर प्रदेश	रामायण परिपथ	उत्तर प्रदेश में चित्रकूट और श्रृंगवेरपुर का रामायण परिपथ के रूप में विकास	69.45
46.	अंडमान और निकोबार द्वीपसमूह	तटवर्ती परिपथ	स्वदेश दर्शन योजना के तटवर्ती थीमैटिक परिपथ के तहत अंडमान और निकोबार में तटवर्ती परिपथ का विकास (लांग आईलैंड-रास स्मिथ आईलैंड-नील आईलैंड-हैवलॉक आईलैंड-वाराटांग आईलैंड-पोर्ट ब्लेयर)	42.19
47.	तमिलनाडु	तटवर्ती परिपथ	स्वदेश दर्शन योजना के तहत तमिलनाडु में तटवर्ती परिपथ का विकास (चैन्नई-मामल्लापुरम-रामेश्वरम-मानपाडु-कन्याकुमारी)	99.92
48.	उत्तर प्रदेश	आध्यात्मिक परिपथ	आध्यात्मिक परिपथ का विकास (शाहजहांपुर-बस्ती-अहर-अलीगढ़-कासगंज-सरोसी-प्रतापगढ-उन्नाव-कौशाम्बी-मिर्जापुर-गोरखपुर-कैराना-डुमरियागंज-बागपत-बाराबंकी-आजमगढ़)	76.00
49.	उत्तर प्रदेश	आध्यात्मिक परिपथ	स्वदेश दर्शन योजना के तहत उत्तर प्रदेश में आध्यात्मिक परिपथ-II का विकास (बिजनौर-मेरठ-कानपुर-कानपुर देहात-बांदा-गाजीपुर-सलेमपुर-घोसी-बलिया-अंबेडकर नगर-अलीगढ़-फतेहपुर-देवरिया-महोबा-सोनभद्र-चन्दौली-मिश्रिख-भदोही)	63.77
50.	उत्तर प्रदेश	विरासत परिपथ	स्वदेश दर्शन योजना के तहत उत्तर प्रदेश में विरासत परिपथ (कालिंजर किला (बांदा)-मरहर धाम (संतकबीर नगर)-चौरी चौरा, शहीद स्थल (फतेहपुर)-मावाहर स्थल (घोसी)- शहीद स्मारक (मेरठ) का विकास	41.51
51.	बिहार	बौद्ध परिपथ	बौद्ध परिपथ का विकास-बोधगया, बिहार में, सांस्कृतिक केन्द्र का निर्माण	98.73
52.	असम	विरासत परिपथ	स्वदेश दर्शन योजना के तहत असम में विरासत परिपथ के रूप में तेजपुर-माजुली-सिबसागर का विकास	98.35
53.	हिमाचल प्रदेश	हिमालयन परिपथ	स्वदेश दर्शन योजना के तहत हिमाचल प्रदेश में हिमालयन परिपथ का एकीकृत विकास	99.76
54.	मिज़ोरम	इको परिपथ	स्वदेश दर्शन योजना के इको परिपथ थीम के तहत "इको-रोमांचकारी परिपथ आइजवाल-रॉपुइछिप-खॉहफॉव-लेंगपुर-डर्टलॉग-चतलांग-सकब्रवमुईट्वेट-लॉग-मुथी-बेराटलॉग-तुइरियाल एयर फील्ड-मुईफॉग" का विकास	99.07
55.	राजस्थान	आध्यात्मिक परिपथ	स्वदेश दर्शन योजना के तहत राजस्थान में आध्यात्मिक परिपथ-चुरु (सालासर बालाजी)-जयपुर (श्री समोदे बालाजी, घटके बालाजी, बांधेक बालाजी) - अलवर (पांडुपोल हनुमानजी, भरतहरि) -विराटनगर (बीजक, जैन्नासिया, अम्बिका मंदिर)-भरतपुर (कमान क्षेत्र)-धौलपुर (मुचकुंद)-मेहंदीपुर बालाजी-चित्तौड़गढ़ (सॉवलियाजी) का विकास	93.90

1	2	3	4	5
56.	गुजरात	विरासत परिपथ	स्वदेश दर्शन योजना के तहत गुजरात में विरासत परिपथ : वाडनगर-मोधेरा और पाटन का विकास	99.81
	2016-17 का योग			3192.19
वर्ष 2017-18				
57.	बिहार	ग्रामीण परिपथ	स्वदेश दर्शन योजना के ग्रामीण परिपथ थीम के अंतर्गत बिहार में गांधी परिपथ : भितिहरवा-चन्द्रहिया-तुरकौलिया का विकास	44.65
58.	गोवा	तटवर्ती परिपथ	स्वदेश दर्शन योजना के तहत अंतर्गत गोवा में तटवर्ती परिपथ-II: रुआ दि ओरम क्रीक-डोन पौला-कोलवा-बेनौलिम का विकास	99.35
59.	गुजरात	बौद्ध परिपथ	स्वदेश दर्शन योजना के तहत गुजरात में बौद्ध परिपथ : जूनागढ़-गिर-सोमनाथ-भड़ूच-कच्छ-भावनगर-राजकोट-मेंहसांणा का विकास	35.99
60.	पुदुचेरी	विरासत परिपथ	स्वदेश दर्शन योजना के तहत पुदुचेरी में विरासत परिपथ का विकास	66.35
61.	पुदुचेरी	आध्यात्मिक परिपथ	स्वदेश दर्शन योजना के तहत पुदुचेरी में आध्यात्मिक परिपथ का विकास	40.68
62.	राजस्थान	विरासत परिपथ	स्वदेश दर्शन योजना के तहत अंतर्गत राजस्थान में विरासत परिपथ : राजसमंद (कुंभलगढ़ का किला) - जयपुर (नाहरगढ़ का किला) - अलवर (बाला किला)-सवाई माधोपुर (रणथम्बौर) का किला और खंडार किला)-झलावड़-(गागरों का किला)-चित्तौड़गढ़ (चित्तौड़गढ़ का किला)-जैसलमेर (जैसलमेर का किला) - हनुमानगढ़ (कालीबंगन, भटनेर किला और गोगामेड़ी)-जलोड़ (जलोड़ का किला) - उदयपुर (प्रताप गौरव केन्द्र)-धौलपुर (बाग ई-निलोफर और पुरानी छावनी)-नागौर (मीराबाई मंदिर) का विकास	99.60
63.	तेलंगाना	विरासत परिपथ	स्वदेश दर्शन योजना के तहत तेलंगाना में विरासत परिपथ : कुतुब शाही विरासती पार्क-पैगाह का मकबरा-हयात बक्शी की मस्जिद, रेमण्ड की मज़ार का विकास	99.42
64.	बिहार	आध्यात्मिक परिपथ	स्वदेश दर्शन योजना के आध्यात्मिक परिपथ के तहत मंदार हिल और अंग प्रदेश का विकास	53.49
65.	मध्य प्रदेश	इको परिपथ	स्वदेश दर्शन योजना के इको परिपथ के अंतर्गत गांधीसागर बांध, मंडलेश्वर बांध, ओंमकारेश्वर बांध, इन्दिरा सागर बांध, तवा बांध, बारगी बांध, भेड़ाघाट-बनसागर बांध, केन रिवर का विकास	99.62
66.	उत्तर प्रदेश	रामायण परिपथ	स्वदेश दर्शन योजना के रामायण परिपथ के अंतर्गत अयोध्या का विकास	133.31

1	2	3	4	5
67.	आंध्र प्रदेश	बौद्ध परिपथ	स्वदेश दर्शन योजना के अंतर्गत आंध्र प्रदेश में बौद्ध परिपथ थीम के अंतर्गत शामिलहुंडम-थोटलाकोंडा-बावीकोंडा-बोज्जनाकोंडा-अमरावती-अनुपू बौद्ध परिपथ का विकास	52.34
	2017-18 का योग			824.8
वर्ष 2018-19				
68.	महाराष्ट्र	आध्यात्मिक परिपथ	महराष्ट्र में वाकी-अडासा-धापेवाड़ा-पराडसिंघा-छोटा ताज बाग-तेलानखांडी-गिराड का विकास	54.01
69.		बौद्ध परिपथ और रामायण परिपथ	पर्यटन मंत्रालय द्वारा बौद्ध परिपथ और रामायण परिपथ के तहत मार्गस्थ सुविधाओं का विकास: वाराणसी-गया; लखनऊ-अयोध्या-गोरखपुर-कुशीनगर, कुशीनगर-गया-कुशीनगर	18.10
			2018-19 का योग	72.11
	कुल योग			5711.79

प्रशाद योजना (करोड़ रुपए में)

क्र. सं.	राज्य	परियोजनाओं का नाम	स्वीकृति का वर्ष	स्वीकृत राशि
1	2	3	4	5
1.	आंध्र प्रदेश	पर्यटक गंतव्यों के रूप में अमरावती टाउन, गुंटूर जिला का विकास	2015-16	28.36
2.	आंध्र प्रदेश	श्रीसेलम मंदिर का विकास	2017-18	47.45
3.	असम	गुवाहाटी में कामाख्या मंदिर और उसके आस-पास तीर्थ गंतव्य का विकास	2015-16	33.98
4.	बिहार	विष्णुपद मंदिर, गया, बिहार में मूलभूत सुविधाओं का विकास	2014-15	4.27
5.	बिहार	पटना साहेब का विकास	2015-16	41.54
6.	गुजरात	द्वारका का विकास	2016-17	26.23
7.	गुजरात	सोमनाथ में तीर्थस्थल सुविधाओं का विकास	2016-17	37.44
8.	जम्मू और कश्मीर	हजरतबल का विकास	2016-17	42.02
9.	केरल	गुरुवायर मंदिर का विकास	2016-17	46.14

1	2	3	4	5
10.	मध्य प्रदेश	ओंकारेश्वर का विकास	2017-18	40.67
11.	ओडिशा	मेगा परिपथ के तहत पुरी, श्री जगन्नाथ धाम-रामचंडी देवली में प्राची रिवर फ्रंट में अवसंरचना विकास	2014-15	50.00
12.	पंजाब	अमृतसर में करुणा सागर वाल्मिकी स्थल का विकास	2015-16	6.45
13.	राजस्थान	पुष्कर/अजमेर का एकीकृत विकास	2015-16	40.44
14.	तमिलनाडु	कांचीपुरम का विकास	2016-17	16.48
15.	तमिलनाडु	वेलानकनी का विकास	2016-17	5.60
16.	उत्तराखंड	केदारनाथ का एकीकृत विकास	2015-16	34.78
17.	उत्तर प्रदेश	मेगा पर्यटक परिपथ (चरण-II) के रूप में मथुरा-वृंदावन का विकास	2014-15	14.93
18.	उत्तर प्रदेश	वृंदावन, जिला मथुरा में पर्यटन सुविधा केन्द्र का निर्माण	2014-15	9.36
19.	उत्तर प्रदेश	वाराणसी का विकास	2015-16	20.40
20.	पश्चिम बंगाल	बेलूर का विकास	2016-17	30.03
21.	उत्तर प्रदेश	गंगा नदी, वाराणसी में क्रूज पर्यटन	2017-18	10.72
22.	महाराष्ट्र	त्रिम्बकेश्वर का विकास	2017-18	37.81
23.	उत्तर प्रदेश	प्रशाद योजना-II के अंतर्गत वाराणसी का विकास	2017-18	62.82
24.	उत्तराखंड	प्रशाद योजना के अंतर्गत बद्रीनाथ जी धाम (उत्तराखंड) में तीर्थयात्रा सुविधा के लिए बुनियादी ढांचे का विकास	2018-19	39.24
		कुल		727.16

पर्यटन अवसंरचना विकास हेतु केन्द्रीय एजेंसियों को सहायता

(लाख रुपए)

क्र. सं.	राज्य	परियोजना का नाम	कार्यकारी एजेंसी	स्वीकृत राशि
1	2	3	4	5
2014-15				
1.	दमन और दीव	दीव किला, दीव में साउंड एवं लाइट शो	आईटीडीसी	775.54
2.	गोवा	मोरमुगांव पोर्ट ट्रस्ट में क्रूज टर्मिनल बिल्डिंग	मुर्मुगांव पत्तन न्यास	879.04

1	2	3	4	5
3.	राजस्थान	रेल मंत्रालय के सहयोग से जयपुर रेलवे स्टेशन में पर्यटक सुविधाओं का संयुक्त विकास	उत्तर पश्चिमी रेल, रेल मंत्रालय	488.00
4.	राजस्थान	रेल मंत्रालय के सहयोग से अजमेर रेलवे स्टेशन में पर्यटक सुविधाओं का संयुक्त विकास	उत्तर पश्चिमी रेल, रेल मंत्रालय	552.00
5.	आंध्र प्रदेश/महाराष्ट्र	विजाग - अराकू वैली विशाखापटनम पारदर्शी कोचों का विनिर्माण सुरम्य कोंकण रेलवे मार्ग दादर-मडगांव मुंबई के लिए पारदर्शी कोचों का विनिर्माण	इन्टीग्रल कोच फैक्ट्री	800.00
6.	जम्मू और कश्मीर	बदगाम - बनिहाल और बारामुला - श्रीनगर ग्लास टाप कोच का विनिर्माण	आईआरसीटीसी	400.00
7.	उत्तर प्रदेश	वाराणसी/सारनाथ में स्मारकों का प्रदीप्तिकरण (सारनाथ में धमेख स्तूप, सारनाथ में चौखंडी स्तूप, सारनाथ में ललकान का मकबरा और बनारस में मन महल)	आईटीडीसी	512.43

वर्ष 2015-16 के दौरान कोई परियोजना स्वीकृत नहीं की गई।

2016-17

8.	आंध्र प्रदेश	रेल मंत्रालय के सहयोग से तिरुपति रेलवे स्टेशन पर पर्यटक सुविधाओं का संयुक्त विकास	दक्षिण मध्य रेलवे, रेल मंत्रालय	575.00
9.	कर्नाटक	रेल मंत्रालय के सहयोग से होसपेट रेलवे स्टेशन पर पर्यटक सुविधाओं का संयुक्त विकास	दक्षिण मध्य रेलवे, रेल मंत्रालय	541.00
10.	केरल	विलिंगडन आईलैंड, कोचीन केरल में वॉकवे/प्रोमीनेड का विकास	कोचीन पत्तन न्यास	901.00
11.	केरल	एर्नाकुलम वार्फ के बैकप क्षेत्र तथा बर्थ के उन्नयन हेतु केन्द्रीय वित्तीय सहायता	कोचीन पत्तन न्यास	2141.00
12.	केरल	भारतीय खेल प्राधिकरण द्वारा एसएआई त्रिवेन्द्रम गोल्फ क्लब पर गोल्फ कोर्स के उन्नयन हेतु परियोजना	भारतीय खेल प्राधिकरण (नई दिल्ली)	2464.99
13.	महाराष्ट्र	पर्यटक गंतव्य के रूप में कनोजी अंग्रे लाईट हाउस के विकास हेतु मुंबई पत्तन न्यास को केन्द्रीय वित्तीय सहायता	मुंबई पत्तन न्यास	1500.00

1	2	3	4	5
14.	महाराष्ट्र	रेल मंत्रालय के सहयोग से नांदेड़ रेलवे स्टेशन पर पर्यटक सुविधाओं का संयुक्त विकास	दक्षिण मध्य रेलवे, रेल मंत्रालय	518.00
15.	ओडिशा	रेल मंत्रालय के सहयोग से पुरी रेलवे स्टेशन पर पर्यटक सुविधाओं का संयुक्त विकास	पूवी तट रेलवे, रेल मंत्रालय	614.81
16.	तेलंगाना	रेल मंत्रालय के सहयोग से हैदराबाद रेलवे स्टेशन पर पर्यटक सुविधाओं का संयुक्त विकास	दक्षिण मध्य रेलवे, रेल मंत्रालय	441.00
2017-18				
17.	आंध्र प्रदेश	एस.ई.एल., पुट्टपार्थी, आंध्र प्रदेश	आईटीडीसी	708.67
18.	दिल्ली	ध्वनि और लाइट शो, लाल किला	आईटीडीसी	1370.00
19.	गोवा	कोंकण रेलवे निगम लिमिटेड से गोवा राज्य में मडगांव, थिवीम और कर्मली रेलवे स्टेशनों में पर्यटन बुनियादी ढांचे का विकास	कोंकण रेलवे निगम लि.	2499.98
20.	हरियाणा	एसईएल, यादविंद्र गार्डन, पिंजौर हरियाणा	आईटीडीसी	600.00
21.	महाराष्ट्र	इंदिरा डॉक, मुंबई में अंतर्राष्ट्रीय क्रूज टर्मिनल का उन्नयन आधुनिकीकरण	मुंबई पोर्ट ट्रस्ट	1250.00
22.	महाराष्ट्र	रेल मंत्रालय के सहयोग से औरंगाबाद रेलवे स्टेशन पर पर्यटक सुविधाओं का संयुक्त विकास	दक्षिण मध्य रेलवे	571.00
23.	पंजाब	जेसीपी अटारी, में अवसंरचनात्मक विकास के लिए परियोजना	बीएसएफ	1287.00
24.	तमिलनाडु	रेल मंत्रालय के सहयोग से रामेश्वरम रेलवे स्टेशन पर पर्यटक सुविधाओं का संयुक्त विकास	दक्षिण रेलवे	470.00
25.	तमिलनाडु	रेल मंत्रालय के सहयोग से मदुरै रेलवे स्टेशन पर पर्यटक सुविधाओं का संयुक्त विकास	दक्षिण रेलवे	447.00
26.	उत्तर प्रदेश	वाराणसी, उत्तर प्रदेश में 3 स्मारकों का प्रदीप्तिकरण	केन्द्रीय लोक निर्माण विभाग	293.00
27.	पश्चिम बंगाल	रेल मंत्रालय के सहयोग से रामपुरहट रेलवे स्टेशन पर पर्यटक सुविधाओं का संयुक्त विकास	पूर्वी रेलवे	348.00
28.	पश्चिम बंगाल	रेल मंत्रालय के सहयोग में तारकेश्वर रेलवे स्टेशन पर पर्यटक सुविधाओं का संयुक्त विकास	पूर्वी रेलवे	386.00
	योग			24334.46

[अनुवाद]

निरक्षरता उन्मूलन

***178. श्री ज्योतिरादित्य माधवराव सिंधिया:**
कुमारी सुष्मिता देव:

क्या **मानव संसाधन विकास मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या केंद्र सरकार का देश से निरक्षरता का उन्मूलन करके वर्ष 2022 तक शत-प्रतिशत साक्षरता हासिल करने का लक्ष्य है और यदि हां, तो प्रस्तावित लक्ष्य हासिल करने हेतु विगत चार वर्षों के दौरान उठाए गए कदमों/उठाये जाने वाले संभावित कदमों का ब्यौरा क्या है;

(ख) क्या केंद्र सरकार ने विगत तीन वर्षों एवं चालू वर्ष के दौरान देश में शत-प्रतिशत साक्षरता हासिल करने हेतु वित्तीय सहायता दी है;

(ग) यदि हां, तो राज्य/संघ राज्यक्षेत्र-वार तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं तथा देश में मौजूदा निरक्षर जनसंख्या का राज्य/संघ राज्यक्षेत्र-वार प्रतिशत क्या है;

(घ) शत-प्रतिशत साक्षरता का लक्ष्य हासिल करने हेतु राज्य सरकारों तथा गैर-सरकारी संगठनों द्वारा निभाई जाने वाली भूमिका क्या है; और

(ङ) क्या केंद्र सरकार निरक्षरता उन्मूलन करने हेतु विदेशी विशेषज्ञों से सहायता लेने का विचार कर रही है और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

मानव संसाधन विकास मंत्री (श्री प्रकाश जावड़ेकर): (क) साक्षर भारत योजना 26 राज्यों और संघ राज्य क्षेत्र के उन 410 जिलों के ग्रामीण क्षेत्रों में चरणबद्ध तरीके से अक्टूबर, 2009 से कार्यान्वित की गई थी जहां जनगणना 2001 के अनुसार महिला साक्षरता दर 50 प्रतिशत और उससे कम थी और इस योजना में वामपंथी चरमपंथ प्रभावित जिलों को उनकी साक्षरता दर पर विचार किए बिना शामिल किया गया था। इस योजना का लक्ष्य 12वीं पंचवर्षीय योजना के अंत तक देश की समग्र साक्षरता दर को 80 प्रतिशत तक ले जाना और महिला-पुरुष अंतराल को 10 प्रतिशत तक कम करना था। योजना को 31.3.2018 तक बढ़ाया गया था। साक्षर भारत योजना को प्रौढ़ शिक्षा की एक नई योजना से बदलने का प्रस्ताव है, इस योजना के मानदंडों को अंतिम रूप दिया जा रहा है।

(ख) और (ग) साक्षर भारत योजना के तहत गत तीन वर्षों और चालू वर्ष के दौरान उपलब्ध करवाई गई वित्तीय सहायता का राज्य/संघ राज्यक्षेत्र-वार ब्यौरा दर्शाने वाला ब्यौरा संलग्न विवरण-I पर दिया गया है। जनगणना 2001 के अनुसार देश में निरक्षर जनसंख्या (7 वर्ष से अधिक आयु समूह) का राज्य/संघ राज्यक्षेत्र-वार प्रतिशत दर्शाने वाला ब्यौरा संलग्न विवरण-II पर दिया गया है।

(घ) जैसा उपर्युक्त पैरा (क) के उत्तर में उल्लिखित है, प्रौढ़ शिक्षा की प्रस्तावित नई योजना के मानदंडों को अंतिम रूप दिया जा रहा है।

(ङ) जी, नहीं।

विवरण-I

साक्षर भारत कार्यक्रम के तहत कवर किए गए राज्यों/संघ राज्यक्षेत्रों के लिए पिछले तीन वर्षों और वर्तमान वर्ष के दौरान जारी केन्द्रीय भाग का राज्य/संघ राज्यक्षेत्र और वर्ष-वार ब्यौरा

(रुपये लाख में)

क्र. सं.	राज्य/संघ-राज्यक्षेत्र का नाम	जारी किया गया केन्द्रीय भाग			
		2015-16	2016-17	2017-18	2018-19 (दिनांक 25.07.2018 की स्थिति के अनुसार)
1	2	3	4	5	6
1.	आंध्र प्रदेश	4456.45	0	1874	0
2.	अरुणाचल प्रदेश	383.4	31.45	234	0

1	2	3	4	5	6
3.	असम	1319.76	0	1033.2	0
4.	बिहार	3900	2340	0	0
5.	छत्तीसगढ़	1500	1400.1	1248	0
6.	दादरा और नगर हवेली	0	29.12	0	0
7.	गुजरात	1560	0	0	0
8.	हरियाणा	0	1002.35	499.2	0
9.	हिमाचल प्रदेश	114.26	0	46.8	0
10.	जम्मू और कश्मीर	725.4	585	2347.2	0
11.	झारखंड	1837.5	630.24	0	0
12.	कर्नाटक	780	1934.4	312	0
13.	मध्य प्रदेश	2620.8	4142.75	1725.25	0
14.	महाराष्ट्र	0	0	0	0
15.	मणिपुर	135	0	117	0
16.	मेघालय	226.8	0	0	0
17.	नागालैंड	151.93	0	0	0
18.	ओडिशा	624	153.24	314.76	0
19.	पंजाब	0	0	0	0
20.	राजस्थान	0	152.99	2097.6	0
21.	सिक्किम	74.88	0	0	0
22.	तमिलनाडु	1209	878.66	796.8	0
23.	तेलंगाना	1725	1560	2496	0
24.	त्रिपुरा	72.54	0	0	0
25.	उत्तर प्रदेश	7800	5100	3744	0
26.	उत्तराखंड	1216.8	0	0	0
27.	पश्चिम बंगाल	780	748.8	283.9	0
	कुल	33213.52	20689.1	19167.71	0

विवरण-II

वर्ष 2011 की जनगणना के अनुसार 7 वर्ष और उससे ऊपर की आयु वर्ग में, भारत में निरक्षर जनसंख्या का राज्य/संघ राज्यक्षेत्र-वार प्रतिशत

क्र. सं.	भारत/राज्य/संघ राज्यक्षेत्र	निरक्षर जनसंख्या का प्रतिशत
1	2	3
00	भारत	27.02
01	आंध्र प्रदेश	32.98
02	अरुणाचल प्रदेश	34.62
03	असम	27.81
04	बिहार	38.20
05	छत्तीसगढ़	29.72
06	गोवा	11.30
07	गुजरात	21.97
08	हरियाणा	24.45
09	हिमाचल प्रदेश	17.20
10	जम्मू और कश्मीर	32.84
11	झारखंड	33.59
12	कर्नाटक	24.64
13	केरल	6.00
14	मध्य प्रदेश	30.68
15	महाराष्ट्र	17.66
16	मणिपुर	23.06
17	मेघालय	25.57
18	मिजोरम	8.67
19	नागालैंड	20.45
20	ओडिशा	27.13
21	पंजाब	24.16
22	राजस्थान	33.89
23	सिक्किम	18.58
24	तमिलनाडु	19.91
25	त्रिपुरा	12.78
26	उत्तर प्रदेश	32.32
27	उत्तराखंड	21.18
28	पश्चिम बंगाल	23.74
29	अंडमान और निकोबार द्वीपसमूह	13.37
30	चंडीगढ़	13.95
31	दादर और नगर हवेली	23.76
32	दमन और दीव	12.90
33	राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली	13.79
34	लक्षद्वीप	8.15
35	पुदुचेरी	14.15

[हिन्दी]

शेल गैस अन्वेषण

***179. श्री राम कुमार शर्मा:** क्या **पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या देश में शेल गैस भंडारों का पता लगाया गया है और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और उक्त अन्वेषण कब किया गया था;

(ख) मार्च, 2018 तक देश में मिले तेल/गैस ब्लॉकों की कुल संख्या कितनी है तथा अन्वेषित शेल गैस भंडारों की मात्रा क्या है; और

(ग) क्या सरकार ने उक्त गैस ब्लॉकों में वाणिज्यिक उत्पादन आरंभ करने हेतु कोई समय-सीमा निर्धारित की है और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्री तथा कौशल विकास और उद्यमशीलता मंत्री (श्री धर्मेन्द्र प्रधान): (क) और (ख) देश में शेल गैस और तेल का दोहन करने के उद्देश्य से, भारत सरकार ने राष्ट्रीय तेल कंपनियों अर्थात ऑयल एंड नेचुरल गैस कार्पोरेशन (ओएनजीसी) लि. और ऑयल इंडिया लि. (ओआईएल) द्वारा नामांकन व्यवस्थाओं के तहत प्रदान किए गए उनके जमीनी पेट्रोलियम अन्वेषण लाइसेंस (पीईएल)/पेट्रोलियम खनन पट्टा (पीएमएल) क्षेत्रों में शेल गैस और तेल का अन्वेषण और दोहन किए जाने के लिए दिनांक 14 अक्तूबर, 2013 को नीतिगत दिशा निर्देश घोषित किए थे। इस नीति के अनुसरण में, मूल्यांकन के पहले चरण के तहत ओएनजीसी ने 4 बेसिनों (असम, केजी, कावेरी और खंभात बेसिन) के 18 ब्लॉकों में 22 मूल्यांकन कूपों का वेधन किया है और ओआईएल ने दो बेसिनों (असम और राजस्थान) के तीन ब्लॉकों में 3 कूपों का वेधन किया है।

(ग) अब तक, देश में शेल गैस की कोई वाणिज्यिक खोज सिद्ध नहीं हुई है।

[अनुवाद]

जनजातीय लोगों की प्रति व्यक्ति आय

180. श्रीमती प्रत्यूषा राजेश्वरी सिंह: क्या **जनजातीय कार्य मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार ने ओडिशा सहित विभिन्न राज्यों में जनजातीय लोगों की प्रति व्यक्ति आय के संबंध में कोई अध्ययन कराया है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं;

(ग) क्या जनजातीय लोगों की प्रति व्यक्ति आय सामान्य और अन्य जातियों की प्रति व्यक्ति आय से कम है; और

(घ) यदि हां, तो जनजातीय लोगों की औसत आय में वृद्धि करने हेतु सरकार द्वारा क्या कदम उठाए गए हैं और इसके फलस्वरूप सरकार को कितनी सफलता मिली है?

जनजातीय कार्य मंत्री (श्री जुएल ओराम): (क) जी, नहीं।

(ख) और (ग) राष्ट्रीय नमूना सर्वेक्षण कार्यालय (एनएसएसओ), सांख्यिकी एवं कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय ने यह सूचना दी है कि एनएसएसओ के सर्वेक्षण के आधार पर देश में जनजातियों की प्रति व्यक्ति आय उपलब्ध नहीं है। एनएसएसओ घरेलू उपभोक्ता व्यय के आधार पर आंकड़े एकत्रित करते हैं न कि उनके घरेलू सर्वेक्षणों में आय के आधार पर।

(घ) यह मंत्रालय दो प्रमुख कार्यक्रमों नामत: संविधान के अनुच्छेद 275(1) के तहत अनुदान और जनजातीय उप-योजना को विशेष केन्द्रीय सहायता (टीएसएस को एससीए), को प्रशासित करता है, जिसके तहत कौशल विकास तथा विभिन्न प्रशिक्षण कार्यक्रमों के माध्यम से जनजातीय लोगों के बीच आय सृजन के लिए राज्य सरकारों को निधियां निर्मुक्त की जाती हैं। इसके अलावा, जनजातीय कार्य मंत्रालय के तहत राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति वित्त एवं विकास निगम (एनएसटीएफडीसी) अनुसूचित जनजातियों के बीच उद्यमशीलता विकास को बढ़ावा देता है। यह निगम व्यक्तियों या अनुसूचित जनजातियों के समूहों को अपनी चैनेलाइजिंग एजेंसियों के माध्यम से स्व-रोजगार आय सृजन गतिविधियों को आरम्भ करने के लिए रियायती वित्तीय सहायता प्रदान करता है। इसके अतिरिक्त, मंत्रालय के कार्यक्रम तथा योजनाएं अनुसूचित जनजातियों की आवश्यकताओं को ध्यान में रखते हुए वित्तीय सहायता के माध्यम से केन्द्रीय मंत्रालयों, राज्य सरकारों तथा स्वैच्छिक संगठनों के प्रयासों का समर्थन करते हैं एवं सम्पूर्ण बनाते हैं और संवेदनशील अंतरों को भरती हैं। जनजातीय कार्य मंत्रालय की योजनाओं/कार्यक्रमों के ब्यौरे संलग्न विवरण में दिये गये हैं।

पूर्व योजना आयोग के गरीबी अनुपात के अनुमानों के अनुसार, वर्ष 2004-05 के दौरान ग्रामीण क्षेत्रों में गरीबी रेखा से नीचे रहने वाली अनुसूचित जनजातियों का प्रतिशत 62.3% से घटकर वर्ष 2011-12 के दौरान 45.3% हो गया है। शहरी क्षेत्रों में वर्ष 2004-05 के दौरान गरीबी रेखा से नीचे रहने वाली अनुसूचित जनजातियों का प्रतिशत 35.5% से घटकर वर्ष 2011-12 के दौरान 24.1% हो गया है।

विवरण

जनजातीय कार्य मंत्रालय की योजनाओं/कार्यक्रमों के ब्यौरे

1. जनजातीय उप-योजना को विशेष केन्द्रीय सहायता (टीएसएस को एससीए)

जनजातीय उप-योजना को विशेष केन्द्रीय सहायता (टीएसएस को एससीए) भारत सरकार से (वर्ष 1977-78 से अब तक) 100 प्रतिशत अनुदान है। यह भारत की समेकित निधि पर प्रभारित है (पूर्वोत्तर राज्यों के लिए अनुदान के अलावा, एक मतदान मद) तथा जनजातीय विकास के लिए राज्य योजना

निधियों और प्रयासों के लिए एक योगदान है। यह अनुदान एकीकृत जनजातीय विकास परियोजना (आईटीडीपी), एकीकृत विकास एजेंसी (आईटीडीए), संशोधित क्षेत्र विकास दृष्टिकोण (माडा), कलस्टर, विशेष रूप से कमजोर जनजातीय समूह (पीवीटीजी) और फैली हुई जनजातीय जनसंख्या के आर्थिक विकास के लिए उपयोग किया जाता है। टीएसएस को एससीए 23 राज्यों को कवर करता है। आंध्र प्रदेश, असम, बिहार, छत्तीसगढ़, गोवा, गुजरात, हिमाचल प्रदेश, जम्मू और कश्मीर, झारखंड, कर्नाटक, केरल, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, मणिपुर, ओडिशा, राजस्थान, सिक्किम, तमिलनाडु, तेलंगाना, त्रिपुरा, उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश और पश्चिम बंगाल।

2. संविधान के अनुच्छेद 275(1) के तहत सहायता अनुदान

भारत के संविधान के अनुच्छेद 275(1) के प्रावधान के तहत सहायता अनुदान भारत सरकार से राज्यों को 100 प्रतिशत वार्षिक अनुदान है। इसका भुगतान भारत की समेकित निधि से किया जाता है (पूर्वोत्तर राज्यों के लिए, श्रेणी निर्धारित मद के लिए अनुदानों को छोड़कर) और जनजातीय कल्याण के लिए राज्य योजना निधियों एवं प्रयासों के लिए योगदान है। 27 राज्यों नामत: आंध्र प्रदेश, अरुणाचल प्रदेश, असम, बिहार, छत्तीसगढ़, गोवा, गुजरात, हिमाचल प्रदेश, जम्मू और कश्मीर, झारखंड, कर्नाटक, केरल, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, मणिपुर, मेघालय, मिजोरम, नागालैंड, ओडिशा, राजस्थान, सिक्किम, तमिलनाडु, तेलंगाना, त्रिपुरा, उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड तथा पश्चिम बंगाल को अनुदान प्रदान किया जाता है। आईटीडीए, माडा, कलस्टर और पीवीटीजी के सामाजिक-आर्थिक विकास के लिए निधियों का उपयोग किया जाता है।

3. विशेष रूप से कमजोर जनजातीय समूह (पीवीटीजी) का विकास

पीवीटीजी के विकास की योजना आवास, भूमि संवितरण, भूमि विकास, कृषि विकास, पशु पालन, सम्पर्क सड़कों का निर्माण, प्रकाश के उद्देश्य के लिए ऊर्जा के गैर-परम्परागत स्रोतों की स्थापना, जनश्री बीमा योजना सहित सामाजिक सुरक्षा या पीवीटीजी के समग्र सामाजिक आर्थिक विकास के लिए कोई अन्य नवीन गतिविधि जैसे कार्यकलापों के लिए 18 राज्यों तथा अंडमान और निकोबार द्वीप समूह संघ राज्य क्षेत्र में चिन्हित पीवीटीजी को कवर करती है। यह लचीली योजना है क्योंकि यह राज्य को उन क्षेत्रों पर ध्यान देने के लिए सक्षम बनाती है जिन्हें वे पीवीटीजी और उनके सामाजिक-सांस्कृतिक पर्यावरण के लिए संगत मानती हैं।

4. जनजातीय उत्पाद/उपज के विकास तथा विपणन के लिए संस्थागत समर्थन (केन्द्रीय क्षेत्र की योजना)

इस योजना के तहत राज्य जनजातीय विकास सहकारी निगमों (एसटीडीसीसी) तथा भारतीय जनजातीय सहकारी विपणन विकास संघ लिमिटेड (ट्राइफेड) जो जनजातीय कार्य मंत्रालय (एमओटीए) के तहत बहु राज्य सहकारी है, को सहायता अनुदान निर्मुक्त किया जाता है।

इस योजना का कार्यक्षेत्र निम्नानुसार है:-

(i) विभिन्न जनजातियों से संबंधित लोगों को उत्पादन की सम्पूर्ण श्रृंखला, उत्पादन विकास, परम्परागत विकास में संरक्षण, जनजातीय लोगों के वन तथा कृषीय दोनों उपज का समर्थन उपर्युक्त कार्यकलाप करने के लिए संस्थानों को समर्थन, बेहतर अवसंरचना के प्रावधान, डिजाइनों का विकास, मूल्य तथा एजेंसियां जो उत्पाद खरीद रही हैं, के बारे में सूचना का प्रसार निरन्तर विपणन के लिए सरकारी एजेंसियों को समर्थन जिसके द्वारा उपयुक्त मूल्य व्यवस्था सुनिश्चित करने में सम्पूर्ण समर्थन देना है।

(ii) ग्राम पंचायतों तथा ग्राम सभाओं के साथ सूचना की साझेदारी।

(iii) बाजार में मूल्य में वृद्धि के लिए उत्पादों की उपयोगिता का विकास, कौशल उन्नयन।

इस योजना का उद्देश्य उन कार्यकलापों जिन पर वे अपनी आजीविका के लिए निर्भर हैं, के विपणन तथा विकास समर्थन हेतु अनुसूचित जनजातियों के लिए संस्थाओं का सृजन करना है। इन्हें विशेष उपायों जैसे (i) बाजार हस्तक्षेप, (ii) जनजातीय कारीगरों, शिल्पकारों, लघुवन उत्पाद (एमएफपी) संग्रहकर्ताओं आदि का प्रशिक्षण तथा कौशल उन्नयन, (iii) आरएण्डडी/आईपीआर कार्यकलाप तथा (iv) आपूर्ति श्रृंखला अवसंरचना उपलब्ध किए जाने की व्यवस्था की जाती है।

5. लघु वन उत्पाद संग्रहकर्ताओं को सामाजिक सुरक्षा के उपाय के रूप में 'न्यूनतम समर्थन मूल्य' (एमएसपी) के माध्यम से लघु वन उत्पाद के विपणन हेतु तंत्र तथा एमएफपी के लिए मूल्य श्रृंखला का विकास (केन्द्रीय प्रायोजित योजना)

(i) इस मंत्रालय ने वर्ष 2013-14 से लघु वन उत्पाद संग्रहकर्ताओं और अन्य परम्परागत वन निवासियों के

सदस्य हैं तथा जिनकी आजीविका एमएफपी में संग्रह और बिक्री पर निर्भर है, की सामाजिक सुरक्षा, के उपाय के रूप में 'न्यूनतम समर्थन मूल्य (एमएसपी) के माध्यम से लघु वन उत्पाद (एमएफपी) के विपणन हेतु तंत्र तथा एमएफपी के लिए मूल्य श्रृंखला का विकास' की केन्द्रीय प्रायोजित योजना शुरू की है।

(ii) यह योजना संग्रहण, प्राथमिक प्रसंस्करण, भंडारण, पैकेजिंग, परिवहन आदि में उनके प्रयासों के लिए उचित आर्थिक लाभ सुनिश्चित करने की प्रणाली स्थापित करने की व्यवस्था करती है। वह घटती लागत के साथ बिक्री प्रक्रियाओं में उन्हें राजस्व की हिस्सेदारी प्राप्त करने की भी व्यवस्था करती है। इसका लक्ष्य प्रक्रिया को निरन्तरता के लिए अन्य मुद्दों का समाधान करना भी है।

(iii) यह योजना चयनित एमएफपी के लिए न्यूनतम समर्थन मूल्य के निर्धारण तथा घोषणा की परिकल्पना करती है। पूर्व निर्धारित एमएसपी पर खरीद एवं विपणन प्रचालन पदनामित राज्य एजेंसियों द्वारा किए जाएंगे। इसके साथ-साथ अन्य माध्यम और दीर्घावधि मुद्दों जैसे निरन्तर संग्रह, मूल्य संवर्धन, अवसंरचना विकास, एमएफपी का ज्ञान आधारित प्रसार, बाजार आसूचना विकास, ग्राम सभा/पंचायत की मोलभाव की शक्ति के सुदृढ़ीकरण का भी समाधान किया जाएगा।

(iv) आरम्भ में यह योजना संविधान की अनुसूची V के तहत क्षेत्रों वाले राज्यों में कार्यान्वित की गई थी तथा दस एमएफपी मदें शामिल थीं। तथापि, हाल ही में 'न्यूनतम समर्थन मूल्य (एमएसपी) के माध्यम से लघु वन उत्पाद (एमएफपी) के विपणन हेतु तंत्र तथा एमएफपी के लिए मूल्य श्रृंखला का विकास' योजना में दिशा-निर्देशों को विभिन्न हितधारियों और ट्राइफेड के साथ चर्चा उपरांत संशोधित किया गया है तथा विद्यमान एमएफपी मदों के एमएसपी को संशोधित किया गया है सूची में चौदह और एमएफपी मदों को भी जोड़ा गया है।

6. राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति वित्त एवं विकास निगम (एनएसटीएफडीसी)/राज्य अनुसूचित जनजाति वित्त एवं विकास निगम (एसटीएफडीसी) को समर्थन

एनएसटीएफडीसी भी भारत सरकार के पूर्व स्वामित्व वाला सार्वजनिक क्षेत्र का उपक्रम है जिसे जनजातीय कार्य मंत्रालय द्वारा 100% इक्विटी शेयर पूंजी योगदान प्रदान किया जाता है। निगम की अधिकृत शेयर पूंजी 750.00 करोड़ रुपये है। पेडअप शेयर पूंजी 599.11 करोड़ रुपये है (31.12.2017 तक)। एनएसटीएफडीसी के मुख्य उद्देश्य निम्नानुसार हैं:—

- अनुसूचित जनजातियों के लिए महत्वूपर्ण आर्थिक कलापों की पहचान करना ताकि रोजगार पैदा किए जा सकें और उनकी आय बढ़ाई जा सके।
- उनके कौशल विकास का उन्नयन करना तथा संस्थागत और नौकरी करते हुए प्रशिक्षण दोनों के माध्यम से प्रक्रिया करना।
- विद्यमान राज्य/संघ राज्यक्षेत्र अनुसूचित जनजाति वित्त और विकास निगमों (एसीए) तथा अन्य विकासीय एजेंसियों को और प्रभावी रूप में अनुसूचित जनजातियों के आर्थिक विकास में लगाना।
- परियोजना निरुपण, एनएसटीएफडीसी की सहायता प्राप्त योजनाओं के कार्यान्वयन और अपने कार्मिकों को प्रशिक्षण प्रदान करने में एससीए की सहायता करना।
- उनके प्रभाव का आंकलन करने के लिए एनएसटीएफडीसी की सहायता प्राप्त योजनाओं के कार्यान्वयन की निगरानी कराना।

एनएसटीएफडीसी विभिन्न राज्यों में अनुसूचित जनजातियों के लिए प्रबंध कर रही है तथा इस मंत्रालय द्वारा शेयर पूंजी के प्रति योगदान के रूप में सहायता प्रदान करती है। राज्य और केन्द्रीय सरकार के बीच इसके योगदान का अनुपात 51:49 है। इस योजना के मुख्य उद्देश्य निम्नानुसार हैं:

- पात्र अनुसूचित जनजाति के परिवार की पहचान तथा उन्हें आर्थिक विकास की योजनाएं शुरू करने के लिए प्रेरित करना।
- ऋण समर्थन के लिए वित्तीय संस्थानों को उन योजनाओं को प्रायोजित करना।
- ब्याज की कम दर पर मार्जिन राशि के रूप में वित्तीय सहायता प्रदान करना; और
- अन्य गरीबी उन्मूलन कार्यक्रमों के साथ आवश्यक संयोजन/करार प्रदान करना।

7. **अजजा के विद्यार्थियों के लिए मैट्रिक-पूर्व छात्रवृत्तियां (कक्षा IX तथा X)**

- उन विद्यार्थियों के लिए लागू जो कक्षा IX तथा X में पढ़ रहे हैं।
- माता-पिता की आय सभी स्रोतों से 2.00 लाख रुपये वार्षिक से कम होनी चाहिए जिसे 2.50 लाख रुपये वार्षिक तक संशोधित किए जाने का प्रस्ताव है।
- छात्रवृत्ति का भुगतान दिवा छात्र के लिए 150/- रुपये प्रति माह की दर से तथा छात्रावासों के लिए 350/- रुपये प्रतिमाह की दर से वर्ष में 10 माह की अवधि के लिए किया जाता है जिसे दिवा छात्र के लिए विद्यमान 150/- रुपये से 225/- रुपये तक तथा छात्रावासों के लिए 350/- रुपये से 525/- रुपये प्रति माह तक संशोधित किए जाने का प्रस्ताव है।
- राज्य सरकारों/संघ राज्य क्षेत्रों को 75:25 (उत्तर पूर्वी और पहाड़ी राज्यों के लिए 90:10) के हिस्से में केंद्रीय सहायता भारत सरकार से उपलब्ध है।
- छात्रवृत्ति राज्य सरकार/संघ राज्यक्षेत्र प्रशासन के माध्यम से वितरित की जाती है।

8. **अनुसूचित जनजाति के छात्रों को मैट्रिकोत्तर छात्रवृत्ति (कक्षा XI और उससे ऊपर)**

- उन छात्रों के लिए लागू जो किसी मान्यता प्राप्त संस्था से मान्यता प्राप्त पाठ्यक्रम में पढ़ रहे हैं जिसके लिए योग्यता मैट्रिकुलेशन/कक्षा X या उससे ऊपर है।
- सभी स्रोतों से माता-पिता की आय प्रति वर्ष 2.50 लाख रुपये से कम होनी चाहिए।
- शैक्षणिक संस्थानों द्वारा लगाए गए अनिवार्य शुल्क का भुगतान संबंधित राज्य शुल्क निर्धारण समिति द्वारा निर्धारित सीमा के अधीन किया जाता है और अध्ययन के पाठ्यक्रम के आधार पर 230 रुपये से 1200 रुपये प्रति छात्र की छात्रवृत्ति राशि का भुगतान किया जाता है।
- राज्य सरकारों/संघ राज्य क्षेत्र प्रशासनों को 75:25 (उत्तर पूर्वी और पहाड़ी राज्यों के लिए 90:10) के हिस्से में केंद्रीय सहायता भारत सरकार से उपलब्ध है।
- छात्रवृत्ति राज्य सरकार/संघ राज्यक्षेत्र प्रशासन के माध्यम से वितरित की जाती है।

9. **विदेश में पढ़ाई करने के लिए अनुसूचित जनजाति के छात्रों के लिए राष्ट्रीय समुद्रपारीय छात्रवृत्ति (एनओएस)**

- विदेश में स्नातकोत्तर, पीएचडी और पोस्ट-डॉक्टरेट अध्ययन करने के लिए चयनित छात्रों को वित्तीय सहायता प्रदान करता है।
- हर साल कुल 20 अवार्ड दिए जाते हैं। इनमें से 17 अवार्ड अनुसूचित जनजातियों और 3 अवार्ड विशेष रूप से कमजोर जनजातीय समूहों से संबंधित छात्रों के लिए हैं।
- सभी स्रोतों से माता-पिता/पारिवारिक आय प्रति वर्ष 6.00 लाख से अधिक नहीं होनी चाहिए।
- यूनाइटेड किंगडम में उम्मीदवारों के लिए प्रदान 9900/- पाउंड का वार्षिक रख-रखाव भत्ता, 1116/-पाउंड का आकस्मिकता और उपकरण भत्ता, ट्यूशन शुल्क वास्तविकता के अनुसार और अन्य स्वीकार्य शुल्क प्रदान किए जाते हैं।
- संयुक्त राज्य अमेरिका में उम्मीदवारों के लिए 15400/- डॉलर का वार्षिक रखरखाव भत्ता, 1532/- डॉलर का आकस्मिकता और उपकरण भत्ता, ट्यूशन शुल्क वास्तविकता के अनुसार और अन्य स्वीकार्य शुल्क प्रदान किए जाते हैं। दूसरे देशों में अभ्यार्थियों के लिए यूएस डॉलर या समतुल्य लागू होगा।
- विदेश मंत्रालय/विदेश भारतीय मिशन के माध्यम से छात्रवृत्ति का वितरण।

10. **अनुसूचित जनजाति के छात्रों की उच्चतर शिक्षा के लिए राष्ट्रीय अध्येतावृत्ति और छात्रवृत्ति:**

(i) अनुसूचित जनजाति के छात्रों की उच्चतर शिक्षा (जिसे पहले उच्च श्रेणी शिक्षा के रूप में जाना जाता है) के लिए छात्रवृत्ति।

- मंत्रालय द्वारा चिन्हित आईआईटी, एम्स, आईआईएम, एनआईआईटी इत्यादि जैसे देश भर में उत्कृष्टता के 246 संस्थानों में से किसी एक में निर्धारित पाठ्यक्रमों में अध्ययन करने के लिए

अनुसूचित जनजाति के छात्रों को छात्रवृत्ति दी जाती है।

- छात्रवृत्तियों की कुल संख्या प्रति वर्ष 1000 है।
- सभी स्रोतों से पारिवारिक आय प्रति वर्ष 6.00 लाख से अधिक न हो।
- छात्रवृत्ति राशि में पुस्तकों और कंप्यूटर के लिए शिक्षण शुल्क, रहने का खर्च और भत्ते शामिल हैं।

(ii) अनुसूचित जनजाति के छात्रों के लिए अध्येतावृत्ति योजना (जिसे पहले आरजीएनएफ के रूप में जाना जाता था)।

- भारत में एमफिल और पीएचडी के लिए उच्चतर अध्ययन करने के लिए प्रत्येक वर्ष अनुसूचित जनजाति के छात्रों को 750 अध्येतावृत्तियां प्रदान की जाती हैं।
- यूजीसी मानदंडों के अनुसार जेआरएफ के लिए 25,000/- रु., और एसआरएफ के लिए 28,000/- रु. की दर से अध्येतावृत्ति स्वीकृत की जाती है।
- अध्येतावृत्ति की अवधि:

क.	एमफिल का नामांकन	2 वर्ष
ख.	पीएचडी (विशेष रूप से)	5 वर्ष
ग.	एमफिल करने के बाद पीएचडी का नामांकन	2 वर्ष (एमफिल) तथा 3 वर्ष (पीएचडी)

11. कम साक्षरता वाले जिलों में अनुसूचित जनजाति की लड़कियों में शिक्षा के सुदृढ़ीकरण की योजना

इस केंद्रीय क्षेत्र की योजना का मुख्य उद्देश्य देश के कम साक्षरता वाले चिह्नित जिलों में जनजातीय लड़कियों में शिक्षा को बढ़ावा देना है। महिलाओं की शिक्षा के माध्यम से गरीब तथा अनपढ़ जनजातीय जनसंख्या की सामाजिक-आर्थिक स्थिति में सुधार करना इस योजना का उद्देश्य है। इस योजना को दिनांक 01.04.2008 से संशोधित किया गया है। अब यह योजना 54 कम साक्षरता वाले चिह्नित जिलों में कार्यान्वित की जा रही है जहां जनगणना 2001 के अनुसार अनुसूचित जनजाति की जनसंख्या 25% और उससे अधिक है तथा अनुसूचित जनजाति की महिला साक्षरता दर 35% से कम है। इस योजना का उद्देश्य सामान्य महिला जनसंख्या तथा जनजातीय महिलाओं के बीच साक्षरता स्तर में अंतर को भरना है तथा यह योजना केवल अनुसूचित जनजाति की लड़कियों के लिए है। चिह्नित जिलों के ग्रामीण क्षेत्रों में शैक्षिक परिसर स्थापित किए जाते हैं तथा कक्षा 12 तक के उन्नयन हेतु प्रावधान के साथ यहां I से V तक कक्षाएं हैं बशर्ते कि वहां कक्षाओं, छात्रावास, किचन गार्डेन तथा खेल सुविधाओं के लिए पर्याप्त जगह हो। शैक्षिक परिसर जनजातीय लड़कियों को न केवल औपचारिक शिक्षा देते हैं अपितु उन्हें आर्थिक रूप से सशक्त बनाने के लिए कृषि, पशुपालन तथा अन्य व्यवसायों एवं शिल्पों में भी प्रशिक्षित करते हैं।

12. अनुसूचित जनजातियों के कल्याण के लिए कार्यरत स्वैच्छिक संगठनों को सहायता अनुदान की योजना

यह योजना 1953-54 में आरंभ की गई थी और आखिरी बार 1 अप्रैल 2008 को संशोधित किया गया था। इस योजना का मुख्य उद्देश्य सरकार की कल्याणकारी योजनाओं की पहुंच को बढ़ाना, स्वैच्छिक संगठनों के प्रयासों के माध्यम से शिक्षा, स्वास्थ्य, पेयजल, कृषि-बागवानी उत्पादकता, सामाजिक सुरक्षा जाल आदि जैसे क्षेत्रों में सेवा की कमी वाले जनजातीय क्षेत्रों में अंतर को भरना तथा सामाजिक-आर्थिक उत्थान और अनुसूचित जनजातियों (अजजा) के समग्र विकास के लिए अनुकूल वातावरण प्रदान करना है। अनुसूचित जनजातियों के सामाजिक-आर्थिक विकास या आजीविका पीढ़ी पर प्रत्यक्ष सकारात्मक प्रभाव रखने वाली किसी भी अन्य अभिनव गतिविधि को स्वैच्छिक प्रयासों के माध्यम से भी माना जा सकता है। यह योजना केंद्रीय क्षेत्र की योजना है। संबंधित राज्य सरकार/यूटी प्रशासन की बहु-अनुशासनात्मक राज्य स्तरीय समिति द्वारा विधिवत अनुशंसित निर्धारित प्रारूप में गैर-सरकारी संगठनों को आवेदन पर अनुदान प्रदान किया जाता है। आमतौर पर सरकार द्वारा 90% की सीमा तक निधियां प्रदान की जाती हैं। स्वैच्छिक संगठन ने अपने स्वयं के संसाधनों से शेष 10% राशि वहन करने की उम्मीद की जाती है।

13. जनजातीय क्षेत्रों में व्यावसायिक प्रशिक्षण की योजना

योजना का मुख्य उद्देश्य विभिन्न रोजगारों के साथ-साथ स्व-रोजगार के लिए अनुसूचित जनजाति के युवाओं के

कौशल का विकास करना है तथा उनकी आय बढ़ाकर उनकी सामाजिक-आर्थिक स्थिति को उन्नत करना है। योजना में सभी राज्य तथा संघ राज्यक्षेत्र शामिल हैं। यह क्षेत्र विशिष्ट की योजना नहीं है, बशर्ते कि केवल जनजातीय युवाओं को निःशुल्क व्यावसायिक प्रशिक्षण सुविधाएं दी जाती हैं तथा योजना के अंतर्गत 100 प्रतिशत अनुदान राज्यों, संघ राज्यक्षेत्रों तथा योजना कार्यान्वित करने वाले अन्य संगठनों को प्रदान किया जाता है। इस योजना के अंतर्गत प्रत्येक व्यावसायिक प्रशिक्षण केन्द्र (वीटीसी) क्षेत्र की रोजगार संभावना के अनुसार पारंपरिक कौशलों में 5 व्यावसायिक पाठ्यक्रमों का प्रबंध कर सकते हैं। सुदूर क्षेत्रों में कुशल व्यक्तियों की भी सीमित संभावना को ध्यान में रखते हुए, अनुसूचित जनजाति के प्रत्येक बालक/बालिका को उनकी पसंद की दो विधाओं में प्रशिक्षित किया जाता है। प्रत्येक विधा में पाठ्यक्रम तीन महीने की अवधि का है। छः माह के अंत में प्रत्येक प्रशिक्षणार्थी को व्यावहारिक अनुभव द्वारा अपनी विधा को सीखने के लिए अर्ध शहरी/शहरी क्षेत्रों में मास्टर क्राफ्ट्समैन के साथ लगाया जाता है। बढ़े हुए वित्तीय मानदंड प्रदान करने तथा श्रम एवं रोजगार मंत्रालय की राष्ट्रीय व्यावसायिक प्रशिक्षण परिषद द्वारा मॉड्यूलर इम्प्लोयेबल स्किल्स एंड क्राफ्ट्समैन ट्रेनिंग योजना के अंतर्गत पाठ्यक्रमों तथा संस्थाओं की संबद्धता/प्रत्यायन के माध्यम से मान्यता प्राप्त प्रमाण-पत्र/डिप्लोमा के साथ प्रशिक्षण कार्यक्रमों का संयोजन सुनिश्चित करने के लिए इस योजना को दिनांक 01.04.2009 से संशोधित किया गया है।

14. जनजातीय अनुसंधान संस्थानों (टीआरआई) तथा जनजातीय उत्सवों, अनुसंधान सूचना एवं जनशिक्षा को समर्थन:

उपरोक्त योजनाओं में, मंत्रालय का उद्देश्य जनजातीय संस्कृति को संरक्षित करना एवं बढ़ावा देना तथा सूचना को प्रसारित करना है। जनजातीय कला एवं संस्कृति को संरक्षित करने के लिए टीआरआई को अनुसंधान एवं दस्तावेजीकरण, कला एवं कलाकृतियों का रख-रखाव तथा संरक्षण, जनजातीय संग्रहालयों की स्थापना, राज्य के दूसरे भाग के जनजातियों के लिए विनिमय दौरा, जनजातीय उत्सवों का आयोजन आदि के माध्यम से देश में जनजातीय संस्कृति एवं विरासत को संरक्षित करने एवं बढ़ावा देने के लिए विभिन्न कार्यकलापों को जारी रखने हेतु प्रदान किया जाता है। इस योजना के तहत निधि पोषण सर्वोच्च समिति के अनुमोदन से आवश्यकता आधार पर टीआरआई को जनजातीय कार्य मंत्रालय द्वारा 100 प्रतिशत सहायता अनुदान है। वर्ष के लिए बजटीय आवश्यकता सहित प्रस्ताव तथा विस्तृत कार्य योजना तैयार करने और इसे राज्य जनजातीय कल्याण विभाग के माध्यम से राज्य को प्रस्तुत करने की जिम्मेदारी टीआरआई की है।

[अनुवाद]

सामाजिक क्षेत्र पर व्यय

1611. डॉ. ए. सम्पत: क्या **वित्त मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या गत चार वर्षों के दौरान गैर-निष्पादनकारी सरकारी व्यय को कम करने के लिए कई प्रभवी कदम उठाए गए हैं जिसके परिणामस्वरूप गैर-निष्पादनकारी व्यय काफी हद तक कम हुआ है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) क्या गत 3 वर्षों के दौरान सामाजिक क्षेत्रों में सरकारी खर्च में एक रिकॉड वृद्धि हुई है और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा पोत परिवहन मंत्रालय में राज्यमंत्री (श्री पी. राधाकृष्णन): (क) और (ख) 2017-18 के बजट में यह निर्णय लिया गया था कि 68 मंत्रालयों और विभागों की स्कीमों के निर्गम एंव परिणाम, वित्तीय परिव्यय के साथ बजट दस्तावेजों के भाग के रूप में उपलब्ध होंगे ताकि सभी लोग प्रत्येक स्कीम के स्पष्ट: परिभाषित उद्देश्य एवं लक्ष्य देख सके। परिणाम बजट (क)वर्ष के लिए वित्तीय परिव्यय के साथ-साथ (ख) निर्गम एवं प्रदेय सेवाएं और (ग) प्रत्येक स्कीम/परियोजना के अनुमानित मध्यकालिक परिणाम एक ही समेकित दस्तावेज में प्रस्तुत करता है। इसका प्रस्ताव इसलिए किया गया है कि इससे पारदर्शिता और पूर्वानुमेयता काफी बढ़ेगी तथा सरकार की विकास कार्य-सूची को समझने में आसानी होगी।

इस कवायद के जरिए सरकार का उद्देश्य परिव्यय मात्र से आगे निकल कर परिणामोन्मुखी निग्रम ओर परिणाम प्राप्त करके सुशासन की एक मुक्त, जवाबदेह, अग्रसक्रिय और सार्थक पद्धति को बढ़ावा देना है। इस प्रयास के फलस्वरूप मंत्रालय स्कीम के उद्देश्य पर नजर रख पाएंगे और अपने निर्धारित विकास लक्ष्य की दिशा में काम कर पाएंगे।

(ग) भारत सरकार के चालू वर्ष और पिछले दो वर्षों के

वार्षिक वित्तीय विवरणों में यथा-प्रस्तुत सामाजिक सेवाओं पर व्यय का ब्यौरा इस प्रकार है:-

(करोड़ रुपए)

क्र. सं.	सं.प्रा. 2016-17	सं.प्रा. 2017-18	ब.प्रा. 2018-19
1.	93512.11	98473.99	105839.86

[हिन्दी]

आंगनवाड़ी केंद्रों का क्षेत्र

1612. श्रीमती रंजनबेन भट्ट: क्या **महिला और बाल विकास मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार का विचार आंगनवाड़ी केंद्रों के कार्यक्षेत्र में विस्तार करने का है और उन्हें विद्यालय पूर्व शिक्षा के केंद्रों के रूप में मान्यता देने/परिवर्तित करने का है; और

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इस संबंध में अब तक क्या कदम उठाए गए हैं?

महिला एवं बाल विकास मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा अल्पसंख्यक कार्य मंत्रालय में राज्यमंत्री (डॉ. वीरेंद्र कुमार): (क) और (ख) आंगनवाड़ी केंद्रों (एडब्ल्यूसी) के क्षेत्र मे विस्तार संबंधी कोई प्रस्ताव नहीं है। तथापि, स्कूल-पूर्व अनौपचारिक शिक्षा, स्कीम के तहत पहले से ही प्रदान की जाने वाली 6 सेवाओं में से एक है। स्कूलपूर्व अनौपचारिक शिक्षा के अतिरिक्त पूरक पोषण, स्वास्थ्या और पोषण-शिक्षा, प्रतिरक्षण, स्वास्थ्य जांच और रेफरल-सेवाएं आंगनवाड़ी केंद्रों में दी जाने वाली अन्य सेवाएं है।

[अनुवाद]

पीएसयू का विनिवेश

1613. श्री दिव्येन्दु अधिकारी: क्या **वित्त मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार ने इनिशियल पब्लिक ऑफर(आईपीओ) बिक्री प्रक्रिया के माध्यम से सरकारी क्षेत्र के उपक्रमों (पीएसयू) के विनिवेश का निर्णय लिया है;

(ख) यदि हां, तो बिक्री लक्ष्य और अनुवर्ती कार्यवाही संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) वर्ष 2012 की तुलना में पीएसयू की वर्तमान खाता स्थिति और सरकार की हिस्सेदारी संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(घ) गत चार वर्षों के दौरान पीएसयू के शेयरों की बिक्री के माध्यम से जुटाई गई निधियों के व्यय का वर्ष-वार विवरण क्या है?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा पोत परिवहन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री पोन राधाकृष्णन): (क) जी, हां। भारत सरकार ने वर्ष 2017-18 में रेल, विद्युत, इस्पात, नवीकरणीय ऊर्जा और बीमा जैसे क्षेत्रों में 14 सीपीएसईस के सूचीकरण का अनुमोदन प्रदान किया है जिनमें से अब तक 08 सीपीएसईस को सूचीबद्ध किया जा चुका है।

(ख) पिछले चार वर्षों के विनिवेश लक्ष्य और प्राप्त धन राशि:-

क्र. सं.	वित्त वर्ष	सीपीएसईस के विनिवेश हेतु लक्ष्य		विनिवेश से प्राप्त
		बजट अनुमान	संशोधित अनुमान	धनराशि
1.	2014-15	43,425	26,353	24,349
2.	2015-16	69,500	25,313	23,997
3.	2016-17	56,500	40,000	46,247
4.	2017-18	72,500	1,00,000	1,00,057

(ग) 31 मार्च, 2012 और 31 मार्च, 2018 की स्थिति के अनुसार सीपीएसईस में भारत सरकार की शेयरधारिता का ब्यौरा विवरण में संलग्न है।

(घ) निधियों के उपयोग और विनिवेश से प्राप्त धनराशि का ब्यौरा इस प्रकार है:-

(करोड़ रुपये)

वर्णन	2014-15	2015-16	2016-17	2017-18 (आरई)
उपयोग (राष्ट्रीय निवेश कोष के माध्यम से)	29,438.42	23,997.91	35,469.98	85,100.00

विवरण

31 मार्च, 2012 और 31 मार्च, 2018 को सीपीएसईस में भारत सरकार की शेयरधारिता का ब्यौरा

क्र. सं.	सीपीएसई	31 मार्च, 2012 को भारत सरकार की शेयरधारिता (% में)	31 मार्च, 2018 को भारत सरकार की शेयरधारिता (% में)
1	2	3	4
1.	एंड्र्यू यूले एंड कंपनी लि.	93.30	89.25
2.	बामर लॉरी इन्वेस्टमेंट लि.	59.67	59.67
3.	बीईएमएल लि.	54.03	54.03
4.	भारत डायनामिक्स लि.	100.00	87.75
5.	भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लि.	75.86	66.79
6.	भारत हेवी इलेक्ट्रिकल्स लि.	67.72	63.06
7.	भारत इम्यूनोलॉजिकल एंड बायोलॉजिकल कार्पो. लि.	59.25	59.25
8.	भारत पेट्रोलियम कार्पो. लि.	54.93	54.31
9.	कोल इंडिया लि.	90.00	78.55
10.	कोचीन शिपयार्ड लि.	100.00	75.00
11.	कंटेनर कार्पो. ऑफ इंडिया लि.	63.09	54.80
12.	ड्रेजिंग कार्पो ऑफ इंडिया लि.	78.56	73.47
13.	इंजीनियर्स इंडिया लि.	80.40	52.02
14.	उर्वरक और रसायन त्रवणकोर लि.	98.56	90.00
15.	गेल (इंडिया) लि.	57.34	53.59
16.	जनरल इंश्योरेंस कार्पो. ऑफ इंडिया	100.00	85.78
17.	हिंदुस्तान एयरोनॉटिक्स लि.	100.00	89.97
18.	हिंदुस्तान कॉपर लि.	99.59	76.05
19.	हिंदुस्तान ऑर्गेनिक रसायन लि.	58.78	58.78
20.	हिंदुस्तान पेट्रोलियम कार्पो. लि.	51.11	NIL
21.	हिंदुस्तान फोटो फिल्म्स मैन्युफेक्चरिंग कार्पो. लि.	90.68	90.00
22.	एचएमटी लि.	99.88	93.69
23.	हाउसिंग एंड अर्बन डेवलपमेंट कार्पो. लि.	100.00	89.81
24.	इंडिया टूरिज्म डेवलपमेंट कार्पो. लि.	92.11	87.03
25.	इंडिया ऑयल कार्पो लि.	78.92	56.98

1	2	3	4
26.	आईटीआई लि.	92.98	92.63
27.	केआईओसीएल लि.	99.00	99.00
28.	मद्रास फर्टिलाइजर्स लि.	59.50	59.50
29.	महागर टेलीफोन निगम लि.	56.25	56.25
30.	मिश्र धातु निगम लि.	100.00	74.00
31.	एमएमटीसी लि.	99.33	89.93
32.	मॉयल लि.	80.00	65.69
33.	नेशनल एल्यूमीनियम कंपनी लि.	87.15	60.20
34.	राष्ट्री उर्वरक लि.	97.64	74.71
35.	एनबीसीसी (इंडिया) लि.	90.00	74.29
36.	न्यू इंडिया एश्योरेंस कंपनी लि.	100.00	85.44
37.	एनएचपीसी लि.	86.36	73.96
38.	एनएलसी इंडिया लि.	93.56	84.04
39.	एनएमडीसी लि.	90.00	72.43
40.	एनटीपीसी लि.	84.50	62.27
41.	तेल और प्राकृतिक गैस कार्पो. लि.	69.23	67.72
42.	ऑयल इंडिया लि.	78.43	66.13
43.	पावर फाइनेंस कार्पो. लि.	73.72	65.92
44.	पावर ग्रिड कार्पो. ऑफ इंडिया लि.	69.42	56.91
45.	राष्ट्रीय केमिकल्स एंड फर्टीलाजर्स लि.	92.50	75.00
46.	राइट्स लि.	100.00	87.38 **
47.	रूरल इलेक्ट्रीफिकेशन कार्पो. लि.	66.80	58.32
48.	स्कूटर्स इंडिया लि.	95.38	93.74
49.	शिपिंग कार्पो. ऑफ इंडिया लि.	63.75	63.75
50.	एसजेवीएन लि.	89.97	90.78
51.	स्टेट ट्रेडिंग कार्पो. ऑफ इंडिया लि.	91.02	90.00
52.	भारतीय इस्पात प्राधिकरण लि.	85.82	75.00

**30.06.2018 की स्थिति के अनुसार राइट्स में भारत सरकार की शेयरधारिता।

कृषि सहकारी समितियों को आयकर से छूट

1614. श्रीमती पी.के. श्रीमथि टीचर: क्या **वित्त मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार को केरल सहित राज्य सरकारों से कृषि सहकारी समितियों और सरकारी अस्पतालों को आयकर के दायरे से छूट देने संबंधी कोई प्रस्ताव प्राप्त हुए है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबधी ब्यौरा क्या है और प्रस्ताव की वर्तमान स्थिति क्या है; और

(ग) इस संबंध में कार्यवाही कब तक प्रारंभ किए जाने की संभावना है?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री शिव प्रताप शुक्ल): (क) जी, नहीं। सरकार को ऐसी कोई प्रस्ताव प्राप्त नहीं हुआ है। तथापि, यह ध्यान देने योग्य है कि आयकर अधिनियम, 1961 की धारा 80 त के प्रावधान उक्त धारा में विनिर्दिष्ट शर्तो को पूरा किए जाने के अध्यधीन विभिन्न सहकारी समितियों (निर्दिष्ट सहकारी बैंकों से इतर) को कटौती प्रदान करते हैं। उक्त धारा के अंतर्गत कटौती की मात्रा, सहकारी समितियों द्वारा किये गए कार्यों के स्वरूप पर निर्भर करती है।

(ख) प्रश्न ही नहीं उठता।

(ग) प्रश्न ही नहीं उठता।

कमजोर वर्गो को ऋण

1615. श्री वी. एलुमलाई: क्या **वित्त मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार ने बैंकों द्वारा कमजोर वर्गो को दिए गए ऋण का जायजा लिया है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या सरकार ने विभिन्न सरकारी योजनाओं के अंतर्गत अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति के लोगों को वित्त वर्ष 2018 में वितरित किए गए ऋणों का ब्यौरा प्रदान करने के लिए बैंकों से कहा है; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री शिव प्रताप शुक्ल): (क) से (घ) 31 मार्च, 2018 की स्थिति के अनुसार आरबीआई द्वारा सूचित किए गए अनुसार अनुसूचित वाणिज्यिक बैंकों के प्रति कमजोर वर्गों द्वारा बकाया ऋण राशि 8,52,129 करोड़ रुपए थी।

सरकार ने सरकारी क्षेत्र के बैंकों को अपने प्राथमिकता प्राप्त क्षेत्र ऋणों के भाग के रूप में एससी/एसटी समुदाय को ऋण प्रदान करने के लिए विशेष जोर देने हेतु सलाह दी है।

प्राथमिकता प्राप्त क्षेत्र को ऋण प्रदान करने के संबंध में आरबीआई दिशानिर्देशों के अनुसार घरेलू अनुसूचित वाणिज्यिक बैंकों 20 या उससे अधिक शाखाओं वाले विदेशी बैंकों द्वारा पूर्ववर्ती 31 मार्च की स्थिति के अनुसार समायोजित समायोजित निवल बैंक ऋण (एएनबीसी) का 10 प्रतिशत या तुलन-पत्र बाह्य एक्सपोजर (ओबीई) के समतुल्य ऋण राशि का एक उप-लक्ष्य कमजोर वर्गों (जिसमें अन्य के बीच एससी/एसटी शामिल हैं) को ऋण प्रदान करने के लिए निर्धारित किया गया है। यह एएनबीसी के 40 प्रतिशत के प्राथमिकता प्राप्त क्षेत्र के कुल लक्ष्य लक्ष्यों/उप-लक्ष्यों की तुलना में बैंकों के कार्यनिष्पादन की तिमाही के साथ-साथ वार्षिक आधार पर निगरानी कर रहा है।

[अनुवाद]

कचरे का उपयोग

1616. श्री जी.एम. सिद्देश्वरा: क्या **पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या प्रतिदिन सृजित होने वाले कुल 1.7 लाख टन कचरे का लगभग 80% वर्तमान में बिना छटाई के पाटन किया जा रहा है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा है और इसके क्या कारण है;

(ग) क्या सरकार ने, खेती हेतु शहरी कचरे से बनी कंपोस्ट खाद के अधिक उपयोग पर जोर देने के लिए कोई कदम उठाए हैं और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(घ) क्या यह सच है कि वार्षिक रूप से मात्र 2 लाख टन कंपोस्ट खाद की बिक्री की जाती है और मौजूदा संयंत्रो की संयुक्त रूप से 15 लाख टन की अधिष्ठापित क्षमता का पूर्ण रूप से उपयोग नहीं हो पा रहा है; और

(ङ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और स्थिति को सुधारने हेतु सरकार द्वारा क्या कदम उठाए गए हैं?

संस्कृति मंत्रालय के राज्य मंत्री तथा पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय के राज्य मंत्री (डॉ. महेश शर्मा): (क) और (ख) मंत्रालय ने नगरीय ठोस अपशिष्ट (प्रबंधन और

हथालन) नियम, 2000 के अधिक्रमण में ठोस अपशिष्ट प्रबंधन नियम, 2016 अधिसूचित किए हैं। आवास और शहरी कार्य मंत्रालय के पास राज्यों तथा स्थानीय निकायों की ठोस अपशिष्ट प्रबंधन की पद्धतियों में सुधार लाने के लिए उनके द्वारा किए गए समग्र उपायों की आवधिक समीक्षा करने का अधिदेश है। आवास और शहरी कार्य मंत्रालय की वर्ष 2016-17 के लिए ठोस अपशिष्ट प्रबंधन नियम, 2016 के कार्यान्वयन संबंधी वार्षिक रिपोर्ट के अनुसार, अनुमान लगाया जाता है कि ठोस अपशिष्ट का कुल उत्पादन लगभग 1,50,000 टन प्रति दिन है। लगभग 90% (1,35,000 एमटी/दिन) का एकत्रण किया जाता है। एकत्रित किए गए अपशिष्ट में से, 20% (27,000 एमटी/दिन) का प्रसंस्करण किया जाता है और शेष 80% (10,8000 एमटी/दिन) मलबा स्थलों पर डाला जा रहा है।

(ग) से (ङ) रसायन और उर्वरक मंत्रालय, उर्वरक विभाग ने नगर के कम्पोस्ट के संवर्धन संबंधी एक नीति अनुमोदित की है जिसे उर्वरक विभाग द्वारा दिनांक 10.02.2017 को अधिसूचित किया गया है जिसमें नगर के कम्पोस्ट के उत्पादन और भोग को बढ़ाने के लिए 1500 रु. प्रति मीट्रिक टन की बाजार विकास सहायता प्रदान की गई है।

कृषि मंत्रालय ने, स्थिति में और सुधार लाने के लिए, जैविक/नागरीय कम्पोस्ट बनाने के लिए निर्माण का प्रमाण-पत्र प्राप्त करने की अपेक्षा से छुट दे दी है जो पहले उर्वरक (नियंत्रण) आदेश, 1985 के अन्तर्गत अपेक्षित था। सरकार ने नागरीय कम्पोस्ट की अपेक्षाकृत कम कीमत पर बिक्री को प्रोत्साहित करने के लिए किसानों को ऐसे कम्पोस्ट की बड़ी मात्रा में बिक्री के लिए लगभग 90 इकाइयां अधिसूचित की हैं। नगरपालिकाओं को भी नगरीय कम्पोस्ट की बड़ी मात्रा में बिक्री की अनुमति दी गई है। इसके अतिरिक्त कृषि मंत्रालय द्वारा नगरीय कम्पोस्ट के प्रयोग के संवर्धन के लिए समाचार पत्रों में विज्ञापन प्रकाशित किए गए है।

लघु और मध्यम उधम लिंगानुपात

1617. श्री बी. सेनगुट्टुवन: क्या **स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या वर्ष 2015-16 में भारत में 21 बड़े राज्यों में से 17 में जन्म के समय लिंगानुपात में भारी गिरावट देखी गई है और यदि हां, तो तत्संबंधी गुजरात सहित राज्य/संघ राज्यक्षेत्र का ब्यौरा क्या है;

(ख) क्या गुजरात में प्रति 1000 पुरुषों की तुलना में 854 महिला जन्म के साथ 53 पॉइंट्स की एसआरबी में एक गंभीर गिरावट रिकॉर्ड की और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या इसी प्रकार का गिरावट वाला रुझान हरियाणा, राजस्थान, उत्तराखंड, महाराष्ट्र, हिमाचल प्रदेश, छत्तीसगढ़ और कर्नाटक इत्यादि में जारी है और यदि हां, तो तत्संबधी ब्यौरा क्या है;

(घ) क्या एसआरबी में गिरावट गर्भधारण पूर्व और प्रसव पूर्व निदान तकनीक लिंग चयन प्रतिषेध अधिनियम, 1994 के अधिक प्रभावी कार्यान्वयन की आवश्यकता को दर्शाता है और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ङ) क्या सरकार ने असमान महिला पुरुष अनुपात के बान को रोकने हेतु कोई कदम उठाए हैं?

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण राज्य मंत्री (श्रीमती अनुप्रिया पटेल): (क) नमूना पंजीकरण सर्वेक्षण (एसआरएस), भारत के महापंजीयक (आरजीआई)-2014-16 के अनुसार, 22 राज्यों में से 9 राज्यों ने जन्म के समय लिंग अनुपात (प्रति 1000 पुरुष पर महिला) में सुधार दर्ज किया है जबकि 13 राज्यों में गिरावट आई है, जैसाकि संलग्न विवरण में दिया गया है।

(ख) एसआरएस 2014-16 के अनुसार, गुजरात के लिए जन्म के समय लिंग अनुपात 6 अंकों की गिरावट दर्ज करते हुए 2013-15 में 854 से घटकर 2014-16 में 848 हो गया है।

(ग) एसआरएस 2014-16 के अनुसार, हरियाणा, उत्तरखंड और छत्तीसगढ़ राज्यों में जन्म के समय लिंग अनुपात में सुधार दर्ज किया गया है जबकि राजस्थान, महाराष्ट्र, हिमाचल प्रदेश और कर्नाटक राज्यों में गिरावट दर्ज की गई है।

राज्य	2012-2014	2013-2015	अंतर	2014-2016	अंतर
हरियाणा	866	831	-35	832	1
राजस्थान	893	861	-32	857	-4
उत्तराखंड	871	844	-27	850	6
महाराष्ट्र	896	878	-18	876	-2
हिमाचल प्रदेश	938	924	-14	917	-7
छत्तीसगढ़	973	961	-12	963	2
कर्नाटक	950	939	-11	935	-4

स्रोत: नमूना पंजीकरण प्रणाली (आरजीआई)

(घ) और (ङ) जन्म के समय में बाल लिंग अनुपात और लिंग अनुपात में गिरावट को ध्यान में रखते हुए भारत सरकार ने पूर्व-गर्भाधन और प्रसव पूर्व निदान तकनीक (लिंग चयन का निषेध) अधिनियम 1994 और नियमों के अलावा पीसी और पीएनडीटी अधिनियम और नियमों के प्रभावी कार्यान्वयन और लैंगिक संवेदनशील नीतियों, प्रावधानों और कानूनों के माध्यम से बेटियों के लिए सकारात्मक वातावरण बनाने के लिए जागरूकता निर्माण और एडवोकेसी उपायों के लिए एक बहुपक्षीय रणनीति अपनाई है। भारत सरकार द्वारा किए गए महत्वपूर्ण उपायों में अन्य बातों के साथ-साथ निम्नलिखित शमिल है:-

- राष्ट्रीय निरीक्षण और निगरानी समिति (एनआईएमसी) द्वारा नियमित निरीक्षण दौरे किए जाते हैं।
- कार्यान्वयन संरचनाओं को मजबूत बनाने, समर्पित पीएनडीटी सैल की स्थापना, क्षमता निर्माण, निगरानी और एडवोकेसी अभियान आदि के लिए राज्यों और केंद्रशासित प्रदेशों को राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन (एनएचएम) के तहत वित्तीय सहायता और तकनीकी मार्गदर्शक प्रदान किया जाता हैं।
- राज्य/जिले के उचित प्राधिकरणों और राज्य/जिला नोडल अधिकारी के लिए नियमित क्षमता निर्माण कार्यक्रम आयोजित किए जाते हैं।
- जिला उचित प्राधिकरण के लिए व्यापक मानक संचालन दिशानिर्देश(एसओजी) तैयार किए गए हैं और सभी राज्यों /केंद्रशासित प्रदेशों को प्रेषित किया गया है।
- राज्यों/केंद्रशासित प्रदेशों में प्रगति की समीक्षा के लिए नियमित क्षेत्रीय कार्यक्रम आयोजित किए जाते हैं।
- डब्ल्यूपी (सी) 34 9/2006 (पंजाब स्वैच्छिक स्वास्थ्य संघ बनाम यूओआई और अन्य) के मामले में माननीय सर्वोच्च न्यायलय द्वारा दिए गए निदेशों को राज्यों/केंद्रशासित प्रदेशों को सूचित किया गया था और उनका अनुपालन सुनिश्चित करने के लिए समय-समय पर समीक्षा की जाती है।
- सरकार ने वर्ष 2008 की रिट याचिका (सिविल) संख्या 341 में दिनांक 16.11.2016 के आदेश के तहत माननीय सर्वोच्च न्यायालय के निदेशों के अनुसार पीसी और पीएनडीटी अधिनियम, 1994 के तहत लिंग के पूर्व गर्भाधान और प्रसव पूर्व निर्धारण से संबंधित इंटरनेट पर ई-विज्ञापनों से संबधित शिकायतों को प्राप्त करने के लिए नोडल एजेंसी भी स्थापित की है। नोडल एजेंसी ऐसे ई-विज्ञापन को हटाने के लिए इन शिकायतों को संबंधित अनुसंधान तंत्रो को भी अग्रेषित करती है।
- राज्यों/केंद्रशासित प्रदेशों के स्तर पर प्रिंट, इलेक्ट्रॉनिक और मास मीडिया के माध्यम से विभिन्न आईईसी गतिविधियां चलाई जाती हैं। राज्यों को उचित व्यवहार परिवर्तन संचार अभियान की योजना बनाने और पीसी और पीएनडीटी अधिनियम के प्रावधानों को ढंग से कार्यान्वित करने का निर्देश दिया जाता है। प्रिंट विज्ञापनों, ट्विटर, फेसबुक और यू ट्यूब के सोशल मीडीया प्लेटफॉर्म के माध्यम से जागरूकता पैदा की जाती है।
- राष्ट्रीय न्यायिक अकादमी के माध्यम से न्यायपालिका का अभिविन्यास और जागरूकता कार्यक्रम आयोजित किया गया है।

विवरण

जन्म के समय लिंग अनुपात (प्रति 1000 पुरूषों पर महिलाएं)

भारत एवं बड़े राज्य

क्र. सं.	भारत एवं बड़े राज्य/ अवधि*	2012-14	2013-15	परिवर्तन	2013-15	2014-16	परिवर्तन
1	2	3	4	5	6	7	8
	इंडिया	906	900	-6	900	898	-2
1.	आंध्र प्रदेश	919*	918*	-1	918	913	-5

1	2	3	4	5	6	7	8
2.	असम	918	900	-18	900	896	-4
3.	बिहार	907	916	9	916	908	-8
4.	छत्तीसगढ़	973	961	-12	961	963	2
5.	दिल्ली	876	869	-7	869	857	-12
6.	गुजरात	907	854	-53	854	848	-6
7.	हरियाणा	866	831	-35	831	832	1
8.	हिमाचल प्रदेश	938	924	-14	924	917	-7
9.	जम्मू और कश्मीर	899	899	0	899	906	7
10.	झारखंड	910	902	-8	902	918	16
11.	कर्नाटक	950	939	-11	939	935	-4
12.	केरल	974	967	-7	967	959	-8
13.	मध्य प्रदेश	927	919	-8	919	922	3
14.	महाराष्ट्र	896	878	-18	878	876	-2
15.	ओडिशा	953	950	-3	950	948	-2
16.	पंजाब	870	889	19	889	893	4
17.	राजस्थान	893	861	-32	861	857	-4
18.	तमिलनाडु	921	911	-10	911	915	4
19.	तेलंगाना	NA	NA	NA	NA	901	NA
20.	उत्तर प्रदेश	869	879	10	879	882	3
21.	उत्तराखंड	871	844	-27	844	850	6
22.	पश्चिम बंगाल	952	951	-1	951	937	-14

*आंध्र प्रदेश में तेलगाना शामिल है।

*नमूना पंजीकरण प्रणाली (आरजीआई)

सस्थामकोट्टा झील का पुनरुद्धार

1618. श्री कोडिकुन्नील सुरेश: क्या **पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार ने गत तीन वर्षों और चालू वर्ष के दौरान केरल में सस्थामकरेट्टा ताजा पानी की झील के पुनरूद्धार हेतु राशि स्वीकृत है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या सरकार ने केरल में सस्थमकोट्टा ताजा पानी झील हेतु जल की आवश्यकता का आकलन किया है;

(घ) यदि हां, तो इस संबंध में सरकार द्वारा क्या कदम उठाए गए हैं; और

(ङ) क्या सरकार के पास केरल में सस्थामकोट्टा में ताजे

पानी की झील के संरक्षण और सफाई हेतु कोई नवीन कार्य-योजना है और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

संस्कृति मंत्रालय के राज्य मंत्री तथा पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय में राज्य मंत्री (डॉ. महेश शर्मा): (क) और (ख) केरल सरकार से वित्त वर्ष 2015-16 और 2016-17 के दौरान सस्थामकोट्टा झील के बारे में कोई प्रस्ताव प्राप्त नहीं हुआ है। वर्ष 2017-18 में, केरल सरकार द्वारा एकीकृत प्रबंधन योजना के एक भाग के रूप में 119.25 लाख रु. की लागत वाली एक वार्षिक प्रबंधन कार्य योजना प्रस्तुत की गई थी जिसे केरल में सस्थामकोंट्टा ताजा जल झील के संरक्षण तथा प्रबंधन के लिए केन्द्र और राज्य के बीच 60.40 की निधीयन पद्धति पर स्वीकृति प्रदान की गई थी। स्वीकृत अनुदान में से, केन्द्र के हिस्से की 50% धनराशि अर्थात् 35.775 लाख रु. सस्थामकोट्टा झील में वित्त वर्ष 2017-18 के दौरान संरक्षण संबंधी विभिन्न कार्यकलापों जैसे नमभूमि की निगरानी तथा मूल्यांकन बेसलाइन डाटाबेस प्रबंधन प्रणाली, एकीकृत नमभूमि प्रबंधन, संचार एवं संपर्क, आवाह संरक्षण, माइक्रो आयोजना तथा प्ररोही उपायों, जैव विविधता संरक्षण और वहनीय जीविका इत्यादि के संबंध में प्रशिक्षण के लिए जारी की गई। केन्द्र के हिस्से के रुप में जारी की गई समूची धनराशि को वर्तमान वित्त वर्ष के लिए पुन:वैधीकरण किया गया है।

(ग) और (घ) 373 हे. क्षेत्र फैली सस्थामकोट्टा ताजा जल की झील केरल के कोल्लम जिले के कन्नातूर तालुक में अवस्थित है। यह झील कोल्लम शहर और इसके उपनगरों में रहने वाले लगभग 0.5 मिलियन लोगों के लिए जल का प्रमुख स्रोत है। सस्थामकोट्टा 625 हे. का सीधा जल बहाव बेसिन है। इस जल बहाव बेसिन में वर्षा से सतह के ऊपर बहने वाला पानी तथा झील के ऊपर होने वाला सीधा वृष्टिपात जल अन्तर्वाह के प्रमुख स्रोत हैं। केरल जल प्राधिकरण द्वारा कोल्लम शहर तथा इसके उपनगरों को पेयजल की सप्लाई के लिए सस्थामकोट्टा से पानी लिया जाता है। झील के तल से वाष्पीकरण से जल के महत्वपूर्ण अनुपात का बहिर्वाह हो जाता है। क्विलोन जल प्रदाय योजना (डब्ल्यूएसएस)के लिए सस्थामकोट्टा से वर्तमान में लगभग 30 मिलियन लीटर पानी प्रतिदिन (10.95 एमएम^3 के बराबर) निकाला जाता है। इसके अतिरिक्त 33.5 एमएलडी (12.22 एमएम^3 के बराबर) पानी, 4 जल प्रदाय योजनाओं (चावरा-पैनमाना के लिए डब्ल्यूएसएस, सस्थामकोट्टा के लिए डब्ल्यूएसएस, सूरन्ड (एसी और वेस्ट कल्लाडा; और थेवलक्कर थेकुम्भगम के लिए डब्ल्यूएसएस) के लिए पानी की जरूरतों को पूरा हेतु लिए ग्रहण किया जाता है।

(ङ) केरल में सस्थामकोट्टा झील के संरक्षण एवं प्रबंधन के लिए पांच वर्ष की अवधि के लिए 98.63 करोड़ रुपये की कुल लागत वाली एक समेकित प्रबंधन योजना केरल सरकार से वित्तीय वर्ष 2017-18 के दौरान प्राप्त हुई, जिसमें संस्थागत विकास, जलागम संरक्षण, जल प्रबंधन, जैवविविधता संरक्षण तथा वहनीय आजीविकाओं जैसे विभिन्न क्रियाकलाप शामिल थे। इस प्रबंधन योजना का बजट, एकीकृत जलधारा विकास कार्यक्रम,जीर्णोद्धार तथा शहरी परिवर्तन के लिए अटल मिशन, शुचित्व मिशन जैसी विभिन्न विकास योजनाओं जो विनिर्दिष्ट क्रियाकलापों में सहायक हो सकती हैं, के माध्यम से समाभिरूपता के सिद्धांत पर तैयार किया गया है। बजट के लगभग 74% भाग का आकलन इन योजनाओं से समाभिरूपता के द्वारा किया गया है और शेष 26% भाग का आकलन मंत्रालय की "जलीय पारिप्रणालियों के संरक्षण हेतु राष्ट्रीय योजना (एनपीसीए)" के अधीन किया गया है।

चिकित्सा लाइसेंस परीक्षा

1619. **श्री ओम बिरला:** क्या **स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) गत तीन वर्षों और चालू वर्ष के दौरान देश में सरकारी चिकित्सा महाविद्यालयों के अंतर्गत नामांकित किए गए विद्यार्थियों की संख्या कितनी है;

(ख) क्या सरकार की योजना एक चिकित्सा लाइसेंस परीक्षा प्रारंभ करने की है जो देश में डिग्री की समाप्ति पर चिकित्सकों के स्तर के मूल्यांकन और पुष्टि हेतु आयोजित की जाएगी और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) इसे कार्यान्वित करने के लिए सरकार द्वारा क्या अंतिम तिथि तय की गई है; और

(घ) एमबीबीएस और अन्य चिकित्सा डिग्रियों के संबंध में सरकार द्वारा अन्य क्या सुधरात्मक उपायों पर विचार किया जा रहा है?

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री अश्विनी कुमार चौबे): (क) चिकित्सा/दंत चिकित्सा पाठयक्रमों में प्रवेश स्वास्थ्य सेवा महानिदेशालय, स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय तथा राज्य/संघ राज्य क्षेत्र में उनकी संबंधित कोटा सीटों/संस्थाओं के लिए उनके द्वारा आयोजित कॉमन काउंसलिंग के बाद राष्ट्रीय पात्रता सह-प्रवेश परीक्षा (नीट) में अर्जित अंकों के आधार पर दिया जाता है। सरकारी मेडीकल कॉलजों के अंतर्गत प्रवेश प्राप्त विद्यार्थियों की संख्या से संबंधित कोई आंकड़ों केन्द्रीय स्तर पर नहीं रखा जाता है।

(ख) और (ग) राष्ट्रीय चिकित्सा आयोग बिल, 2017, जिसे दिनांक 29.12.2017 को लोकसभा में प्रस्तुत किया जा चुका है, के प्रावधानों के तहत भारत में मेडिकल प्रेक्टीशनर के तौर पर कार्य करने के लिए लाइसेंस प्रदान करने के लिए स्नातक स्तर पर नेशनल एग्जिट टेस्ट नामक, एक एग्जिट एग्जाम का प्रावधान किया है।

(घ) देश में स्नातक और स्नातकोत्तर चिकित्सा पाठ्यक्रमों में प्रवेश के लिए एक सामान्य प्रवेश के लिए एक सामान्य प्रवेश परीक्षा नामत: राष्ट्रीय पात्रता-सह-परीक्षा (नीट) शैक्षिक वर्ष 2016-17 से शुरू की गई है। देश में स्नातक और स्नातकोत्तर चिकित्सा पाठ्यक्रमों में प्रवेश के लिए कॉमन काउंसलिंग के लिए प्रावधान के लिए एमसीआई विनियमों में संशोधन किए गए थे। अखिल भारतीय कोटा सीटों तथा डीम्ड विश्वविद्यालयों के लिए डीजीएचएस, स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय द्वारा कॉमन काउंसलिंग का आयोजन किया जाता है। राज्यकोटा सीटों और निजी कॉलेजों के लिए राज्य सरकारों अथवा इसमें नामित प्राधिकारियों द्वारा काउंसलिंग का आयोजन किया जाता है। यह सुनिश्चित किया जाता है कि सभी प्रवेश पारदर्शी तरीके से योग्यता आधार पर किए जाएं।

इसके अलावा, भारतीय चिकित्सा परिषद को देशभर में सभी चिकित्सा कॉलेजों में बॉयोमैट्रिक फिंगर प्रिंट उपस्थिति मशीन तथा क्लोज सर्किट टेलिविजन की प्रतिस्थापना हेतु डिजिटल मिशन मोड प्रोजेक्ट को कार्यान्वित करने का कार्य सौंपा गया है। इससे एमसीआई संबंधित कॉलेजों में फैकल्टी की उपस्थिति की ऑनलाइन निगरानी करने तथा चिकित्सा शिक्षा में मानकों पर सतत जागरुकता बनाए रखने में सक्षम होगा।

[हिन्दी]

प्रधानमंत्री राष्ट्रीय डायलिसिस कार्यक्रम

1620. श्री लक्ष्मण गिलुवा:
श्री राम टहल चौधरी:
श्री हरिश्चन्द्र चव्हाण:

क्या **स्वाथ्य और परिवार कल्याण मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या प्रधानमंत्री राष्ट्रीय डायलिसिस कार्यक्रम (पीएमडीपी) को देश में कार्यान्वित किया गया है और यदि हां, तो महाराष्ट्र सहित राज्य/संघ राज्यक्षेत्र-वार ब्यौरा क्या है;

(ख) क्या देश में डायलिसिस मिशनों की संख्या वास्तविक आवश्यकता से कम है और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या सरकार डायलिसिस मशीनों की संख्या को बढ़ाने के लिए कोई वित्तीय सहायता प्रदान कर रही है;

(घ) यदि हां, तो राज्य/संघ राज्यक्षेत्र-वार तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ङ) देश में पीएमडीपी के प्रभावी कार्यान्वयन हेतु सरकार द्वारा क्या कदम उठाए गए हैं/उठाए जा रहे हैं?

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय राज्य मंत्री (श्रीमती अनुप्रिया पटेल): (क) पीपीपी मोड में राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन (एनएचएम) के तहत राष्ट्रीय डायलिसिस कार्यक्रम शुरू करने के संबंध में केंद्रीय बजट 2016-17 में घोषणा के अनुसार, 'प्रधान मंत्री राष्ट्रीय डायलिसिस कार्यक्रम' की शुरुआत 2016 में की गई। निजी प्रदाताओं से प्रस्ताव के लिए मॉडल अनुरोध (आरएफपी) सहित 'प्रधान मंत्री राष्ट्रीय डायलिसिस कार्यक्रम' के लिए दिशानिर्देशों जारी किए गए हैं। दिशानिर्देश के अनुसार, निजी भागीदार से रिवर्स ऑस्मोसिस (आरओ) जल संयंत्र बुनियादी ढांचे, डायलाइजर और उपभोग्य सामग्रियों के साथ-साथ चिकित्सा मानव संसाधन और डायलिसिस मशीन प्रदान करने की संकल्पना की गई है, जबकि जिला अस्पतालों में राज्य सरकारों द्वारा स्थान, बिजली और जल आपूर्ति प्रदान की जानी है। गरीबों को नि:शुल्क डायलिसिस सेवाओं के प्रावधान के लिए राज्य/केंद्रशासित प्रदेशों को एनएचएम के तहत सहायता प्रदान की जाती है। डायलिसिस डेटा के लिए पोर्टल पर संबंधित राज्यों/केंद्रशासित प्रदेशों द्वारा अपलोड की गई जानकारी के अनुसार, महाराष्ट्र राज्यों-वार जानकारी संलग्न विवरण-I में है।

(ख) केंद्रीय स्तर पर ऐसी कोई जानकारी नहीं रखी जाती है।

(ग) से (ङ) सार्वजनिक स्वास्थ्य और अस्पताल राज्य विषय होने के नाते, राज्य/केंद्रशासित प्रदेशों को उनकी कार्यक्रम कार्यान्वयन योजनाओं में राज्य/केंद्रशासित प्रदेशों की सरकारों से प्राप्त प्रस्तावों के आधार पर जिला अस्पतालों/सार्वजनिक स्वास्थ्य सुविधाओं में डायलिसिस सेवाओं सहित उनकी स्वास्थ्य देखभाल प्रणाली को मजबूत बनाने के लिए एनएचएम के तहत वित्तीय और तकनीकी सहायता प्रदान की जा रही हैं प्रधान मंत्री राष्ट्रीय डायलिसिस कार्यक्रम के लिए एनएचएम के कार्यान्वयन हेतु दी गई मंजूरी का राज्य-वार ब्यौरा संलग्न विवरण-II में हैं।

शीघ्र और सुलभ संचालन को सुविधाजनक बनाने के लिए, भारत सरकार ने राष्ट्रीय डायलिसिस कार्यक्रम पर दिशानिर्देश विकसित किए हैं।

विवरण-I

राष्ट्रीय समेकित दृश्य: 26 जुलाई, 2018 को तैयार की गई रिपोर्ट

क्र. सं.	राज्य/संघ राज्य क्षेत्र	कुल प्रचालनरत मशीनें	अभी तक रोगियों की सं.	अभी तक आयोजित डायलिसिस सत्रों की सं.
1	2	3	4	5
1.	अंडमान और निकोबार द्वीपसमूह	12	1310	11836
2.	आंध्र प्रदेश	417	30801	438579
3.	अरुणाचल प्रदेश	0	0	0
4.	असम	0	0	0
5.	बिहार	26	7437	54683
6.	चंडीगढ़	3	53	665
7.	छत्तीसगढ़	4	234	1445
8.	दादरा और नगर हवेली	8	190	10915
9.	दमन और दीव	7	34	3906
10.	दिल्ली	40	11435	101104
11.	गोवा	51	5665	44247
12.	गुजरात	1195	76947	696471
13.	हरियाणा	16	1187	4112
14.	हिमाचल प्रदेश	37	5127	36075
15.	जम्मू और कश्मीर	35	4519	13782
16.	झारखंड	12	321	3504
17.	कर्नाटक	406	37615	251518
18.	केरल	326	2676	168276
19.	लक्षद्वीप	0	8	444
20.	मध्य प्रदेश	159	739	66931
21.	महाराष्ट्र	131	7597	111606
22.	मणिपुर	9	2699	6130
23.	मेघालय	3	26	106
24.	मिजोरम	8	735	6314
25.	नागालैंड	3	156	1338
26.	ओडिशा	26	4206	18443
27.	पुदुचेरी	4	5688	6172
28.	पंजाब	71	12245	39031
29.	राजस्थान	50	2814	19965
30.	सिक्किम	6	224	4510
31.	तमिलनाडु	344	22004	172571
32.	तेलंगाना	60	2872	51834
33.	त्रिपुरा	18	389	9916
34.	उत्तराखंड	36	4786	40486
35.	उत्तर प्रदेश	50	302	10511
36.	पश्चिम बंगाल	253	34808	201591
	कुल	3826	287849	2609017

*स्रोत: जून, 2018 तक की अवधि के लिए पोर्टल पर राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों द्वारा अपलोड की गई रिपोर्टें। तथापि, राज्यों की रिपोर्टें अलग-अलग अवधि की हैं।

विवरण-II

प्रधानमंत्री राष्ट्रीय डायलिसिस कार्यक्रम के लिए एनएचएम के कार्यान्वयन हेतु दी गई मंजूरी का राज्य-वार ब्यौरा

क्र. सं.	राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों के नाम	अनुमोदित राशि (रुपये लाख में) वित्त वर्ष 2017-18
1	2	3
1.	आंध्र प्रदेश	1129.92
2.	असम	500

1	2	3
3.	बिहार	1600
4.	दिल्ली	1439.08
5.	गोवा	400
6.	गुजरात	2162.42
7.	हिमाचल प्रदेश	200
8.	जम्मू और कश्मीर	200
9.	कर्नाटक	1494.8
10.	मध्य प्रदेश	571.44
11.	महाराष्ट्र	1626.18
12.	नागालैंड	46.74
13.	ओडिशा	358.45
14.	पुदुच्चेरी	99
15.	राजस्थान	1050
16.	सिक्किम	152.96
17.	तमिलनाडु	272
18.	तेलंगाना	400
19.	त्रिपुरा	150
20.	उत्तर प्रदेश	2040.08
21.	उत्तराखंड	1000
22.	पश्चिम बंगाल	913
	कुल	17806.07

चिकित्सा सीटों को बहाल करना

1621. श्री रोड़मल नागर:
श्री कोनाकल्ला नारायण राव:

क्या **स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार इससे परिचित है कि भारतीय आयुर्विज्ञान परिषद ने देश में 2018-19 के अकादमिक सत्र में बड़ी संख्या में चिकित्सा सीटों को समाप्त कर दिया है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है तथा इसके कारण हैं तथा राज्य/संघ राज्यक्षेत्र-वार तत्संबंधी कितने महाविद्यालय हैं;

(ग) क्या सरकार को देश में समाप्त किए गए चिकित्सा सीटों को बहाल करने संबंध में अभ्यावेदन प्राप्त हुए हैं तथा यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(घ) क्या सरकार ने अनुरोध पर कोई निर्णय लिया है तथा भारतीय आयुर्विज्ञान परिषद को सीटें बहाल करने के निदेश दिए हैं तथा यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री अश्विनी कुमार चौबे): (क) और (ख) जिन मेडिकल कॉलेजों को अकादमिक वर्ष 2018-19 के लिए नवीकरण अनुमति प्रदान नहीं की गई थी उनका राज्यवार ब्यौरा संलग्न विवरण में दिया गया हैं। इन कॉलेजों को भारतीय आयुर्विज्ञान परिषद की सिफारिश पर नवीकरण की अनुमति नहीं दी गई थी क्योंकि ये संकाय, रेजिडेंट, क्लिनिकल सामग्री इत्यादि के संबंध में त्रुटिपूर्ण और एमसीआई के न्यूनतम मानक विनियमों के अनुरूप नहीं पाए गए थे।

(ग) और (घ) कुछ कॉलेज जिन्हें वर्ष 2018-19 में नवीकरण अनुमति प्रदान नहीं की गई थी उन्होंने केन्द्र सरकार के निर्णय के विरुद्ध अभिवेदन दिया। इन कॉलेजों को नवीकरण अनुमति प्रदान न करने के आदेश पारित करने से पूर्व भारतीय आयुर्विज्ञान अधिनियम, 1956 और उसके अधीन बनाए गए विनियमों के अनुसार, सुनवाई का अवसर प्रदान किया गया था। चूंकि आदेश पारित करने से पूर्व सभी सांविधिक अपेक्षाओं का पालन किया गया था और वर्ष 2018-19 के लिए 31.05.2018 अनुमति प्रदान करने हेतु अंतिम तिथि थी, इसलिए, इस तारिख के पश्चात प्राप्त अभ्यावेदनों पर कोई विचार नहीं किया जा सका।

विवरण

क्र. सं.	राज्यों/संघ राज्य क्षेत्र	वर्ष 2018-19 के लिए कॉलेजों की संख्या जिन्हें नवीकरण अनुमति प्रदान नहीं की गई
1	2	3
1.	आंध्र प्रदेश	6
2.	अंडमान और निकोबार द्वीपसमूह	0

1	2	3
3.	असम	0
4.	अरुणाचल प्रदेश	0
5.	बिहार	0
6.	चंडीगढ़	0
7.	छत्तीसगढ़	4
8.	दिल्ली	0
9.	गोवा	0
10.	गुजरात	1
11.	हरियाणा	2
12.	हिमाचल प्रदेश	0
13.	जम्मू और कश्मीर	0
14.	झारखंड	0
15.	कर्नाटक	7
16.	केरल	9
17.	मध्य प्रदेश	6
18.	महाराष्ट्र	4
19.	मणिपुर	0
20.	मेघालय	0
21.	मिजोरम	0
22.	ओडिशा	1
23.	पुदुचेरी	1
24.	पंजाब	0
25.	राजस्थान	3
26.	सिक्किम	0
27.	तमिलनाडु	4
28.	तेलंगाना	5
29.	त्रिपुरा	0
30.	उत्तर प्रदेश	13
31.	उत्तराखंड	2
32.	पश्चिम बंगाल	1
	कुल	69

करेंसी के मुद्रण में आत्मनिर्भरता

1622. श्री आलोक संजर: क्या **वित्त मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या भारत करेंसी नोटों के मुद्रण में आत्मनिर्भर नहीं हो पाया है और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ख) क्या सरकार सीमा पार से सप्लाई किए जा रहे जाली नोटों के मद्देनजर इस संबंध में कोई कदम उठा रही है;

(ग) क्या भारतीय रिजर्व बैंक करेंसी कागज और सेक्युरिटि स्याही का आयात करता है और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(घ) क्या सरकार करेंसी कागज और सेक्युरिटि स्याही का ज्यादा घरेलू उत्पादन करने का विचार रखती है/प्रयास कर रही है; और

(ङ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और सरकार द्वारा इस संबंध में क्या कदम उठाए गए हैं?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा पोत परिवहन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री पोन. राधाकृष्णन): (क) आज की स्थिति के अनुसार, भारत करेंसी/बैंक नोटों के मुद्रण में आत्मनिर्भर है तथा भारतीय रिजर्व बैंक नोट मुद्रण प्राइवेट लि. (बीआरबीएनएमएल) तथा भारत प्रतिभूति मुद्रण तथा मुद्रा निर्माण निगम लि. के स्वामित्वाधीन भारत में चार बैंक नोट प्रेसों द्वारा मांग की पूर्ति की जाती है।

(ख) सरकार ने देश जाली भारतीय करेंसी नोटों (एफसीआईएन) की तस्करी और परिचालन को रोकने के लिए विभिन्न उपाय किए है, जिनमें अन्य बातों के साथ-साथ निम्नलिखित शामिल हैं:–

(i) विधि विरुद्ध क्रियाकलाप (निवारण) अधिनियम, 1967 में असली दिखाई देने वाले जाली भारतीय करेंसी नोटों,

सिक्कों अथवा किसी अन्य सामग्री के उत्पादन अथवा तस्करी अथवा परिचालन को आतंकवादी गतिविधि के रूप में अपराधी माना गया है।

(ii) देश में जाली भारतीय करेंसी नोटों के परिचालन की समस्या को रोकने के लिए केन्द्र/राज्यों की विभिन्न सुरक्षा एजेंसियों के बीच आसूचना/जानकारी साझा करने के लिए गृह मंत्रालय ने एफआईसीएन समन्वय समूह (एफसीओआरडी) गठित किया है। आतंकी गतिविधियों के वित्तपोषण और जाली करेंसी के मामलों की छानबीन करने के लिए एनआईए में एक आतंकी गतिविधियों संबंधी वित्तपोषण और जाली करेंसी प्रकोष्ठ (टीएफएफसी) कार्य कर रहा है।

(iii) एफआईसीएन की तस्करी और परिचालन को रोकने के लिए भारत और बंग्लादेश के बीच एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए गए हैं।

(iv) नई निगरानी प्रौद्योगिकी का प्रयोग करके, चौबीस घंटे निगरानी के लिए अतिरिक्त मानव शक्ति लगाकर, अंतर्राष्ट्रीय सीमा पर प्रेक्षण चौकियां स्थापित करके, सीमा पर तार लगाकर तथा गहन गश्त लगाकर अंतर्राष्ट्रीय सीमाओं पर सुरक्षा का सुदृढ़ीकरण किया गया है।

(ग) फिलहाल सिलेंडर वाटरमार्क बैंक नोट (सीडब्ल्यूबीएन) करेंसी पेपर का आयात नहीं किया जा रहा है। तथापि, विभिन्न विदेशी पेपर मिलों के पास उपलब्ध सीडब्ल्यूबीएन पेपर की थोडी मात्रा ही खरीदी जा रही है। फिलहाल केवल कलर शिफ्ट इंटाग्लियों इंक ही आयात की जा रही है।

(घ) और (ङ) बैंक नोटों की कच्ची सामग्री की आपूर्ति घरेलू स्तर पर करने के प्रयासों के अंतर्गत बैंक नोट पेपर मिल इंडिया प्राइवेट लि. (बीएनपीएमआईपीएल), मैसूरू में दो पेपर लाइनें और प्रतिभूमि कागज कारखाना, होशंगाबाद में एक पेपर लाइन संस्थापित की गई है जो देश की सीडब्ल्यूबीएन कागज की आवश्यकता पूरी करने के लिए बैंक नोट कागज का विनिर्माण करेगी। इस समय आयात के विकल्प के रूप में करेंसी कागज की जरूरत को पूरा करने के लिए इन पेपर मिलों की क्षमता का पूरा उपयोग किया जा रहा है। स्वदेशी रूप से सिक्यूरिटी इंक उत्पादन की वृद्धि के लिए बैंक नोट प्रेस, देवास तथा बीआरबीएनएनपीएल, मैसूरू में नई इंक विनिर्माण इकाई की स्थापना की जा रही है।

[अनुवाद]

अनिवासी भारतीयों पर आयकर

1623. श्री पी.आर. सुन्दरम:
डॉ. जे. जयवर्धन:
श्री मोहिते पाटिल विजयसिंह शंकरराव:
श्री राजीव सातव:
डॉ. हिना विजय कुमार गावीत:
श्री धनंजय महाडीक:

क्या **वित्त मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या अनिवासी भारतीय (एनआरआई) अपने भारत में अर्जित धन पर ही सरकार को आयकर अदा करते हैं, यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ख) क्या सैकड़ों अनिवासी भारतीय जिनके पास संपत्ति है और जो विपमतापूर्वक धन अर्जित कर रहा हैं को आयकर विभाग द्वारा नोटिस जारी किया गया है, यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है तथा इसके क्या परिणाम रहे;

(ग) क्या सरकार का ध्यान इस ओर दिलाया गया है कि अनिवासी भारतीय कर प्राधिकारियों की जांच से बचने के लिए अपने भारत स्थित पते को छोड़ रहे है, यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(घ) अनिवासी भारतीयों को ऐसे खामियों का उपयोग करने से रोकने के लिए सरकार द्वारा क्या सुधारात्मक कदम उठाया गया है?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री शिव प्रताप शुक्ला): (क) जी हां, एनआरआई सरकार को आयकर अधिनियम, 1961 की धारा 9 के साथ पठित धारा 5(2) के उपबंधों के अनुसार भारत में अपनी आय पर आयकर अदा करते है। एनआरआई की वह आय करयोग्य होती है, जो वे भारत में अर्जित अथवा प्राप्त करते है, जैसा कि अन्य अनिवासियों के मामले में होता है।

(ख) आयकर अधिनियम, 1961 के अन्तर्गत आय के निर्धारण, संग्रहण तथा वसूली एवं कर सहित विभिन्न कार्यवाहियों की शुरुआत के फलस्वरूप, जब कभी भी अपेक्षित हो, अनिवासी निर्धारितियों सहित निर्धारितियों को आयकर अधिनियम, 1961 के अन्तर्गत नोटिस/समन भेजे जाते हैं। जहां एनआरआई द्वारा संपत्तियों के रखने को दर्शाने वाली सूचना प्राप्त की जाती है, यह जांच करने के लिए जरूरी पूछताछ की जाती है कि क्या सपंत्तियों की

किसी आय विवरणी में घोषण की गई है और क्या सपत्तियों को भारत में कराधेय आय से अर्जित किया गया होगा। आयकर अधिनियम, 1961 के अन्तर्गत प्रकियाओं में यदि किसी आय का छूट जाना पाया जाता है, तो समुचित कर वसूले जाते हैं। समुचित मामलों में आयकर अधिनियम, 1961 के अनुसार अर्थदण्ड की प्रक्रिया भी शुरू की जाती है।

(ग) और (घ) उन व्यक्तियों का पता कुछ भी हो, वे भारत में प्राप्त की गई आय/शुरू किए गए लेन देन पर कराधान के लिए उत्तरदायी है। भारतीय पतों के छोड़ने से विभाग की संवीक्षा से बचा नहीं जा सकता। केवल इस प्रयोजनार्थ भारतीय पता छोड़ने वाले एनआरआई के विशिष्ट मामले नहीं देखे गए है। जहां एनआरआई की संभावित अघोषित आय अथवा संपत्तियों के बारे में सूचना प्राप्त की जाती है, उन सभी मामलों में त्वरित कार्रवाई की जाती है।

[हिन्दी]

चिकित्सा शिक्षा पाठ्यक्रम

1624. श्री संजय हरिभाऊ जाधव: क्या **स्वाथ्य और परिवार कल्याण मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या देश का चिकित्सा शिक्षा पाठ्यक्रम अंतर्राष्ट्रीय मानकों के स्तर का है और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ख) क्या राज्यों में चिकित्सा शिक्षा हेतु भिन्न-भिन्न परीक्षा पद्धति होने के कारण भ्रष्टाचार के स्तर में वृद्धि हुई है; और

(ग) यदि हां, तो इसके सुधरने हेतु सरकार द्वारा क्या कदम प्रस्तावित हैं?

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री अश्विनी कुमार चौबे): (क) देश में चिकित्सा शिक्षा में मानकों को निर्धारित और उन्हें बनाए रखने के लिए भारतीय चिकित्सा परिषद एक सांविधिक निकाय हैं। एमसीआई ने एमबीबीएम पाठ्यक्रम को विश्व स्तर पर मानकों के अनुरुप सक्षमता आधारित बनाने के लिए हाल ही में इसमें संशोधन किए हैं। यह सभी पणधारकों के साथ परामर्श, जिसमें जनता से टिप्पणियाँ आमंत्रित करना सम्मिलित है, करके किया गया था। स्नातक कार्यक्रम में विद्यार्थियों को चिकित्सा व्यवसायों, आचार नीति, रोगी की सुरक्षा, राष्ट्रीय स्वास्थ्य वरीयताओं, वैकल्पिक स्वास्थ्य प्रणालियों आदि के लिए एक माह का बुनियादी पाठ्यक्रम सम्मिलित होगा। इस पाठ्यक्रम में आरंभिक नैदानिक एक्सपोज़र, इलैक्टिव और देशान्तरीय परिचर्या के लिए प्रावधान है। यह आवश्यक विशिष्ट कौशलों के आवश्यक प्रमाणन के जरिए विद्यार्थियों द्वारा दक्षता अर्जन को भी सशक्त करता है। पाठ्यक्रम में संशोधन एक सतत प्रक्रिया है।

(ख) और (ग) चिकित्सा विद्यार्थियों के लिए वार्षिक परीक्षा का आयोजन संबंधित विश्वविद्यालय द्वारा एमसीआई द्वारा निर्धारित सामान्य पाठ्यक्रम के अनुसार किया जाता है। स्नातक और स्नातकोत्तर चिकित्सा/दंत पाठ्यक्रमों में प्रवेश के लिए राष्ट्रीय योग्यता-सह-प्रवेश-परीक्षा (एनईईटी) नामक एक समान प्रदेश परीक्षा पहले ही शुरू की जा चुकी है। इसके अलावा, राष्ट्रीय चिकित्सा आयोग बिल, 2017 यह प्रावधान करता है कि अंतिम वर्ष की एमबीबीएस परीक्षा देश भर में समान होगी जो चिकित्सा स्नातकों के लिए एक एग्जिट टेस्ट के तौर पर आयोजित की जाएगी।

[अनुवाद]

एक बार का समझौता

1625. श्री चन्द्र प्रकाश जोशी:
श्री रामदास सी. तडस:

क्या **वित्त मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार का विचार एनपीए धारकों को एक बार समझौता या मासिक भुगतान प्रणाली हेतु एक मौका देने का है;

(ख) यदि हां, तो विशेषकर बैंक ऑफ इंडिया के संदर्भ में तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) क्या बैंकों को कहा गया है कि वह ऋण चूककर्ताओं के साथ समन्वय बनाए, विशेषकर जो थोडी-बहुत छूट के साथ इसका भुगतान करने के लिए तैयार है;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और बैंकों के एनपीए मुद्दे को सुलझाने हेतु नियुक्त किए गए नोडल अधिकारियों की सूची क्या है?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री शिव प्रताप शुक्ल): (क) से (घ) समझौता अथवा बातचीत के द्वारा समाधान करके सहमति से अनर्जक आस्ति (एनपीए) को समाप्त करने अथवा कम करने के बैंकों के प्रयास के संदर्भ में भारतीय रिजर्व बैंक (आरबीआई) ने बैंकों को, अन्य बातों के साथ-साथ, एक ऋण वसूली नीति तैयार करने तथा अपने निदेशक मंडल से उनकी विधिवत पुनरीक्षा कराने की सलाह दी है। उपलब्ध अभिलेख के अनुसार, बैंकों के ओटीएस अथवा एनपीए खाताधारकों से संबंधित

मासिक भुगतान-प्रणाली में परिवर्तन करने अथवा ऋण चूककर्ताओं, विशेष रूप से वैसे चूककर्ताओं जो थोड़ी रियायत के साथ भुगतान करने के इच्छुक हों, के साथ समन्वय करने के लिए सरकार के द्वारा कोई अनुदेश जारी नहीं किये गये हैं।

दीवाला और शोधन की अक्षमता संहिता की समीक्षा

1626. श्री शिवकुमार उदासि: क्या **कॉर्पोरेट कार्य मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार द्वारा धनशोधन और शोधन अक्षमता संहिता (आईबीसी) के अंतर्गत जानबूझकर चूक करने वालों के विरुद्ध कोई कार्रवाई की गई है और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ख) आईबीसी के कार्यकरण और कार्यान्वयन की स्थिति का जायजा लेने हेतु समिति द्वारा की गई सिफारिशों का ब्यौरा क्या है और सरकार द्वारा इस पर क्या कार्रवाई की गई है?

विधि और न्याय मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा कॉर्पोरेट कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री पी.पी. चौधरी): (क) दिवाला एवं शोधन अक्षमता संहिता (संशोधन) अधिनियम, 2018 द्वारा दिवाला एवं शोधन अक्षमता संहिता, 2016 (संहिता) में धारा 29क जोड़ी गई थी जिसमें यह प्रावधान है कि भारतीय रिज़र्व बैंक के दिशा-निर्देशों के अनुसार जानबूझकर चूक करने वाला व्यक्ति समाधान योजना प्रस्तुत करने के लिए पात्र नहीं होगा।

(ख) सरकार ने 16.11.2017 को दिवाला विधि समिति (आईएलसी) का गठन किया था। आईएलसी ने 26.03.2018 को अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत की थी जो पब्लिक डोमेन पर उपलब्ध है। सरकार द्वारा आईएलसी की सिफारिशों की जांच करने के पश्चात् दिनांक 06.06.2018 को संहिता के उपबंधो का संशोधन करने हेतु अध्यादेश पारित किया गया है जिससे संहिता में विभिन्न हितधारकों, विशेषत: घर खरीदने वालों, सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यमों के हितों को संतुलित किया जा सके, लेनदारों को समिति की मतदान सीमा को कम करते हुए और समाधान आवेदकों की पात्रता संबंधी प्रावधानों को सरल बना कर कारपोरेट ऋणी के समापन की तुलना में समाधान को बढ़ावा दिया जा सके।

पर्यावरण निष्पादन सूचकांक पर सर्वेक्षण

1627. श्री दुष्यंत चौटाला: क्या **पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या वर्ल्ड इकोनोमिक फोरम की एक अर्धवार्षिक रिपोर्ट के अनुसार 2016 में 141 से 36 अंक नीचे गिरकर पर्यावरण निष्पादन सूचकांक (ईपीआई) 2018 में भारत सबसे नीचे के पांच देशों में से है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या सरकार ने देश में पर्यावरण निष्पादन सूचकांक के संबंध में सर्वेक्षण कराने हेतु कोई तंत्र भी बनाया है; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और सरकार द्वारा इस संबंध में क्या कार्रवाई की गई है?

संस्कृति मंत्रालय में राज्य मंत्री पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय में राज्य मंत्री (डॉ. महेश शर्मा): (क) और (ख) विश्व आर्थिक मंच ने 24 मैट्रिक्स को लेकर 180 देशों को उनके निष्पादन के संबंध में रैंक दिए हैं जिसके लिए दस मुद्दे की दस श्रेणियां ली गई हैं जिनमें पर्यावरणीय स्वास्थ्य, वायु गुणवत्ता, जल संसाधन प्रबंधन, जैवविविधता तथा पर्यावास, वानिकी, मात्स्यिकी, कृषि और जलवायु परिवर्तन शामिल हैं। विश्व आर्थिक मंच के पर्यावरणीय निष्पादन सूचकांक (ईपीआइ) के अनुसार भारत को वर्ष 2016 में 141वां और 2018 में 177वां रैंक दिया गया था। एक मूल्यांकन से पता चलता है कि तीन श्रेणीबद्ध स्तरों (नीति लक्ष्यों, मुद्दे संबंधी श्रेणियों और सचूकों) पर मानदंडों को दी गई अधिमानताएं वर्ष 2016 और 2018 की पुनरावृत्तियों में अलग-अलग हैं। किए गए परिवर्तनों की व्याख्या नहीं की गई है अथवा उनका वैज्ञानिक तर्कों के साथ समर्थन नहीं किया गया है, और ये यथेच्छ प्रतीत होते हैं। वर्ष 2016 में, पर्यावरणीय स्वास्थ्य तथा परिप्रणाली स्थायित्व का 0.5 (अथवा 50%) प्रत्येक का महत्व था, जबकि ईपीआइ 2018 में यह क्रमश: 0.4 और 0.6 है। इसके अतिरिक्त, वायु गुणवत्ता श्रेणी के लिए ईपीआइ 2016 में दिया गया महत्व 0.3 था जिसे ईपीआइ 2018 में 100% से अधिक तक बढ़ाकर 0.65 कर दिया गया है। ईपीआइ 2016 में, वायु गुणवत्ता पर्यावरणीय स्वास्थ्य के अन्तर्गत केवल एक श्रेणी के रूप में सामने आई थी। तथापि, ईपीआइ, 2018 में वायु गुणवत्ता पर्यावरण स्वास्थ्य के अन्तर्गत आती है, और पारिप्रणाली स्थायित्व के अन्तर्गत वायु प्रदुषण एक श्रेणी है जोकि अनुचित प्रतीत होती है। अलग-अलग अधिमान और प्रयुक्त पद्धतियों में भिन्नता का अर्थ यह है कि प्राप्त की गई रैंकिंग तुलनीय नहीं है और इसकी अपनी सीमाएं हैं। जल संसाधन श्रेणी के अन्तर्गत, दिखाया गया अकेला सूचक

अपशिष्ट जल शोधन है जो विकसित देशों को शीर्ष पर ला देता है क्योंकि यह एक समस्या के निराकरण की क्षमता का माप है। इस रिपोर्ट में वास्तविक रूप से निगरानी किए गए आंकड़ों की बजाए नासा के उपग्रह द्वारा एकत्रित आंकडों पर भरोसा किया गया है। रिपोर्ट की समकक्ष समीक्षा नहीं की गई है। अलग-अलग मानदंड वाले प्रदूषकों के आधार पर भिन्न-भिन्न परिणामों के साथ देशों की रैकिंग की जा सकती है।

(ग) और (घ) मंत्रालय ने ईपीआई के संबंध में सर्वेक्षण करने के लिए कोई तंत्र विकसित नहीं किया है। तथापि, केन्द्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड (सीपीसीबी) ने एक व्यापक पर्यावरणीय प्रदूषण सूचकांक (सीपीआई) विकसित किया है जो स्रोत, मार्ग और ग्राही के लघुगणक का अनुसरण करते हुए दिए गए स्थान पर पर्यावरणीय गुणवत्ता की विशेषता-वर्णित करने के लिए एक युक्तिमूलक संख्या है। सूचकांक में पर्यावरण के विभिन्न स्वास्थ्य संबंधी आयामों को लिया जाता है जिनमें वायु, जल और भूमि शामिल हैं। केन्द्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड ने सीईपीआई के आधार पर औद्योगिक समूहों का राष्ट्र-व्यापी पर्यावरणीय मूल्यांकन किया है और 0 से 100 के पैमाने पर 70 से अधिक सीईपीआई वाले ऐसे 43 औद्योगिक समूहों की पहचान अत्यधिक प्रदूषित के रूप में की गई है।

[हिन्दी]

वन कवर

1628. श्रीमति जयश्रीबेन पटेल: क्या **पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) वैश्विक मानकों के अनुसार भौगोलिक क्षेत्र के लिए न्यूनतम कितने वन कवर की आवश्यकता है और देश में कितना प्रतिशत वन क्षेत्र है;

(ख) गत तीन वर्षों और चालू वर्ष के दौरान वन क्षेत्र में आए परिवर्तन का राज्य/संघ राज्य क्षेत्र-वार ब्यौरा क्या है;

(ग) पारिस्थितिकी संतुलन में वनों की क्या भूमिका है;

(घ) क्या सरकार ने गत वर्षों के दौरान और चालू वर्ष के दौरान काटे गए पेड़ों की संख्या की प्रतिपूर्ति हेतु कोई नीति बनाई है; और

(ङ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

संस्कृति मंत्रालय के राज्य मंत्री तथा पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय में राज्य मंत्री (डॉ. महेश शर्मा): (क) देशों के लिए भौगोलिक क्षेत्र की प्रतिशतता के रूप न्यूनतम वनावरण हेतु कोई वैश्विक मानक नहीं है। न्यूनतम वनावरण के लिए प्रत्येक देश की अपनी स्वयं की नीति है। वैश्विक रूप से, वनावरण का विस्तार भौगोलिक क्षेत्र के 30.6% तक होता है (वैश्विक वन संसाधन मूल्यांकन (जीएफआरए)- 2015, एफएओ)। राष्ट्रीय वन नीति, 1988 के अनुसार, राष्ट्रीय लक्ष्य देश के कुल भूमि क्षेत्र के न्यूनतम एक तिहाई भाग को वन अथवा वृक्षावरण के अन्तर्गत रखना है। पर्वतों तथा पहाड़ी क्षेत्रों में, क्षेत्र के न्यूनतम दो तिहाई भाग को वनावरण के अन्तर्गत रखना है ताकि भू-क्षरण तथा भूमि अवक्रमण को रोका जा सके और संवेदनशील परि-प्रणाली के स्थायित्व को सुनिश्चित किया जा सके।

भारतीय वन सर्वेक्षण द्वारा प्रकाशित नवीनतम "भारत वन स्थिति रिपोर्ट (आइएसएफआर)- 2017" के अनुसार देश का कुल वन तथा वनावरण 8,02,088 वर्ग किलोमीटर है जो देश के कुल भौगोलिक क्षेत्र का 24.39% है। इससे पता चलता है कि भारत वन स्थिति रिपोर्ट 2015 में रिपोर्ट किए गए 6778 वर्गकिलोमीटर के वनावरण में वृद्धि हुई है।

(ख) "भारत वन स्थिति रिपोर्ट (आइएसएफआर)- 2017" के अनुसार, राज्यवार वनावरण और भारत वन स्थिति रिपोर्ट (आइएसएफआर)-2015 के संदर्भ में वनावरण में परिवर्तन की स्थिति का ब्यौरा संलग्न विवरण-I में दी गई है।

(ग) किसी क्षेत्र की मिट्टी तथा नमी के संरक्षण और सूक्ष्म जलवायु के लिए वन महत्वपूर्ण होते हैं और क्षेत्र में पारिस्थिकीय संतुलन हेतु जीवनाधार होते हैं।

(घ) और (ङ) जब कभी भी वन (संरक्षण) अधिनियम, 1980 की धार 2 के अन्तर्गत पूर्वानुमति से वनेतर प्रयोजन के लिए वन भूमि का अपवर्तन किया जाता है तो ऐसी वन भूमि के लिए इसके बराबर वनेतर भूमि अथवा अवक्रमित वन भूमि के दोगुने क्षेत्र पर प्रतिपूरक वनीकरण किया जाता है। यह कार्य प्रयोक्त एजेंसियों द्वारा प्रतिपूरक वनीकरण प्रबंधन और आयोजना प्राधिकरण (काम्पा) द्वारा प्रबंधित प्रतिपूरक वनीकरण निधि (सीएएफ) में जमा की गई धनराशियों से किया जाता है। राज्य काम्पा की संचालन समिति द्वारा अनुमोदित वार्षिक योजना कार्यों (एपीओ) के समक्ष सीएएफ से वन को हुई क्षति की बहाली और संबंधित कार्यकलापों के लिए पिछलें तीन वर्षों के दौरान विभिन्न राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों को जारी की गई निधि का ब्यौरा संलग्न विवरण-II में दिया गया है।

विवरण-I

भारत में राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों के वनावरण में परिवर्तन

(क्षेत्रफल, वर्ग किलोमीटर में)

राज्य	भौगोलिक क्षेत्र	आईएसएफआर-2017 के अनुसार कुल वनावरण	भौगोलिक क्षेत्र का प्रतिशत	आईएसएफआर-2015 तक अद्यतित के संदर्भ में वनावरण में परिवर्तन
1	2	3	4	5
आंध्र प्रदेश	162,968	28,147	17.27	2141
अरुणाचल प्रदेश	83,743	66,964	79.96	-190
असम	78,438	28,105	35.83	567
बिहार	94163	7299	7.75	45
छत्तीसगढ़	135,192	55,547	41.09	-12
दिल्ली	1483	192.41	12.97	3.64
गोवा	3702	2,229	6021	19
गुजरात	196,244	14,757	7.52	47
हरियाणा	44212	1,588	3.59	8
हिमाचल प्रदेश	55,673	15,100	27.12	393
जम्मू और कश्मीर	222,236	23,241	10.46	253
झारखंड	79,716	23,553	29.55	29
कर्नाटक	91,791	37,550	19.58	1101
केरल	38852	20,321	52.30	1043
मध्य प्रदेश	308,252	77,414	25.11	-12
महाराष्ट्र	307,713	50,682	16.47	-17
मणिपुर	22,327	17,346	77.69	263
मेघालय	22,429	17,146	76.45	-116
मिजोरम	21081	18,186	86.27	-531
नागालैंड	16,579	12,489	75.33	-450
ओडिशा	155,707	51,345	32.98	885

1	2	3	4	5
पंजाब	50,362	1837	3.65	66
राजस्थान	342,239	16,572	4.84	466
सिक्किम	7096	3344	47.13	-9
तमिलनाडु	130,060	26,281	2021	73
तेलंगाना	112,077	20,419	18.22	565
त्रिपुरा	10486	7726	73.68	-164
उत्तर प्रदेश	240,928	14,679	6.09	278
उत्तराखंड	53,483	24,295	45.43	23
पश्चिम बंगाल	88,752	16,847	18.98	21
अंडमान और निकोबार द्वीपसमूह	8249	6742	81.73	-9
चंडीगढ़	114	21.56	18.91	-010
दादरा और नगर हवेली	491	207	42.16	1
दमन और दीव	111	20.49	18.46	0.88
लक्षद्वीप	30	27.10	90.33	0.04
पुदुचेरी	490	53.67	10.95	-3.28
कुल योग	32,87,469	708273	21.54	6778

*इसमें नियंत्रण रेखा के बाहर जम्मू एवं कश्मीर का क्षेत्र शामिल है जो पाकिस्तान और चीन के अवैध कब्जे में है।

विवरण-II

प्रतिपूरक वनीकरण निधियों के अन्तर्गत पिछले तीन वर्षों के लिए राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों को जारी की गई निधियों का विवरण

(धनराशि रुपये में)

राज्य/संघ राज्य क्षेत्र	2015-16	2016-17	2017-18	जारी की गई कुल धनराशि
1	2	3	4	5
आंध्र प्रदेश	850,000,000	890,000,000	970,000,000	2,710,000,000
अंडमान और निकोबार द्वीपसमूह	10,000,000	–	–	10,000,000

1	2	3	4	5
अरुणाचल प्रदेश	620,000,000	1,500,000,000	–	2,120,000,000
असम	–	300,000,000	700,000,000	1,000,000,000
बिहार	341,400,000	330,000,000	393,100,000	1,064,500,000
चंडीगढ़	21,179,000	10,000,000	11,300,000	42,479,000
छत्तीसगढ़	2,390,000,000	2,800,000,000	–	5,190,000,000
दिल्ली	39,100,000	40,000,000	–	79,100,000
गुजरात	330,000,000	990,000,000	270,000,000	1,590,000,000
हरियाणा	640,000,000	180,000,000	800,000,000	1,620,000,000
हिमाचल प्रदेश	769,800,000	1,320,000,000	1,200,000,000	3,289,800,000
जम्मू और कश्मीर	310,000,000	1,020,000,000	690,000,000	2,020,000,000
झारखंड	1,410,000,000	1,490,000,000	2,340,000,000	5,240,000,000
कर्नाटक	600,000,000	875,200,000	860,000,000	2,335,200,000
केरल	–	–	80,000,000	80,000,000
मध्य प्रदेश	2,130,000,000	1,400,000,000	2,000,000,000	5,530,000,000
महाराष्ट्र	1,550,000,000	2,050,000,000	1,990,000,000	5,590,000,000
मणिपुर	250,000,000	150,000,000	295,000,000	695,000,000
मेघालय	165,600,000	–	70,000,000	235,600,000
मिजोरम	100,000,000	77,300,000	68,500,000	245,800,000
ओड़िशा	3,220,000,000	4,260,000,000	14,940,400,000	22,420,400,000
पंजाब	490,000,000	660,000,000	640,000,000	1,790,000,000
राजस्थान	480,000,000	1,410,600,000	1,790,000,000	3,680,600,000
सिक्किम	110,000,000	90,000,000	–	200,000,000
तमिलनाडु	22,000,000	90,000,000	126,800,000	238,800,000
तेलंगाना	760,000,000	1,182,180,000	1,270,000,000	3,212,180,000
त्रिपुरा	110,000,000	120,000,000	7,100,000	237,100,000
उत्तर प्रदेश	1,770,000,000	1,320,000,000	1,230,000,000	4,320,000000
उत्तराखंड	1,640,000,000	1,707,100,000	960,000,000	4,307,100,000
पश्चिम बंगाल	–	210,000,000	–	210,000,000
कुल	21,1290,079,000	26,472,380,000	33,702,200,000	81,303,659,000

आर्गन रिट्रीवल बैंकिंग आर्गेनाईजेशन

1629. श्री हरिश्चन्द्र उर्फ हरीश द्विवेदी: क्या **स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या उत्तर प्रदेश में आर्गन रिट्रीवल बैंकिंग आर्गेनाईजेशन (ओआरबीओ) स्थापित किया गया है जिसका चिकित्सकों के लिए प्रशिक्षण केंद्र के रूप में उपयोग किया जायेगा और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ख) क्या ऐसे बैंक अन्य राज्यों में भी स्थापित कियें गए है;

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इस परियोजनार्थ राज्य/संघ राज्यक्षेत्र-वार कितनी निधि आवंटित की गई है;

(घ) क्या अस्पताल प्राधिकरण प्रयोजन के पूरे होने के पश्चात् ऐसे शवों का दाह संस्कार करता है; और

(ङ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं?

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमति अनुप्रिया पटेल): (क) स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय ने उत्तर प्रदेश राज्य में किसी आर्गन रिट्रीवल बैंकिंग आर्गेनाईजेशन (ओआरबीओ) की स्थपना नहीं की है।

(ख) आर्गन रिट्रीवल बैंकिंग आर्गेनाईजेशन (ओआबीओ) अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान (एम्स), नई दिल्ली में प्रचालनरत है।

(ग) प्रश्न नहीं उठता।

(घ) और (ङ) एम्स, नई दिल्ली द्वारा दी गई सूचना के अनुसार, आर्गन और टीश्यूज के रिट्रीवल के बाद मृत शरीर को परिवार को सौंप दिया जाता है।

सीईओ को मानदेय

1630. डॉ. अंशुल वर्मा: क्या **कॉर्पोरेट कार्य मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या कंपनी अधिनियम, 1956 में एक कंपनी के मुख्य कार्यकारी अधिकारी (सीईओ) को दिए जाने वाले मानदेय की अधिकतम सीमा निर्धारित है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा है और सीईओ का अधिकतम मानदेय कितना है;

(ग) क्या कतिपय कंपनियां सीईओ को उनकी अधिकतम सीमा से अधिक मानदेय दे रही हैं और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(घ) ऐसी कंपनियों के विरुद्ध सरकार द्वारा क्या कार्रवाई की गई है?

विधि और न्याय मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा एवं कॉर्पोरेट कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री पी.पी. चौधरी): (क) से (घ) किसी सार्वजनिक कंपनी द्वारा बोर्ड स्तरीय मुख्य कार्यकारी अधिकारी (सीईओ) सहित अपने प्रबंधकीय कार्मिकों को देय कुल प्रबंधकीय पारिश्रमिक का नियमन कंपनी अधिनियम, 2013 (अधिनियम) की अनुसूची V और उसके अधीन बने नियमों के साथ पठित धारा 197 से 200 के अंतर्गत किया जाता है। किसी वित्त वर्ष में संबंध में, किसी कंपनी का अपने निदेशकों को देय कुल पारिश्रमिक, उस कंपनी के उस वित्त वर्ष में हुए निवल लाभ के ग्यारह प्रतिशत से अधिक नहीं होगा। नुकसान या लाभ अपर्याप्तता की स्थिति में केंद्रीय सरकार की अनुमति के बिना ही इस पारिश्रमिक का भुगतान किया जा सकता है, बशर्ते यह निर्धारित सीमा के भीतर हो और इस अधिनियम और उसके अधीन बने निमयों में विहित शर्तों के अधीन हो। यदि कोई कंपनी ऐसे प्रावधानों का पालन करने में असमर्थ है, तो इस पारिश्रमिक का भुगतान केवल केंद्रीय सरकार के अनुमोदन से ही किया जाएगा।

मोबाइल वॉलेट सेवाएं

1631. श्री भरत सिंह: क्या **वित्त मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या भारतीय रिजर्व बैंक (आरबीआई) ने मोबाइल वॉलेट सेवाओं के लिए कठोर दिशानिर्देश जारी किए हैं और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा है;

(ख) क्या आरबीआई के इस कदम से ग्राहकों को लाभ होने की संभावना है;

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा है; और

(घ) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री शिव प्रताप शुक्ला): (क) जी, हां। भारतीय रिजर्व बैंक (आरबीआई) ने मोबाइल वॉलेट

सहित प्रीपेड भुगतान लिखतों (पीपीआई) को जारी करने एवं उनके परिचालन के संबंध में दिनांक 11.10.2017 (दिनांक 29.12.2017 को अद्यतन किए गए) को मास्टर निदेश जारी किए हैं।

(ख) से (घ) 29 दिसम्बर, 2017 को अद्यतन किए गए मास्टर निदेश में, अन्य बातों के साथ-साथ, पीपीआई जारीकर्ताओं को ग्राहक की शिकायतों/समस्याओं का निपटान करने के लिए नोडल अधिकारी पदनामित करने, शिकायत के समाधान के लिए इसे उच्च स्तर पर प्रेषित करने और इसके लिए समय-सीमा निर्धारित करने सहित एक औपचारिक, सार्वजनिक रूप से उपलब्ध ग्राहक शिकायत समाधान संरचना लागू करने का अधिदेश दिया गया है।

इसके अलावा, ग्राहक संरक्षण पर 06 जुलाई, 2017 के आरबीआई परिपत्र संख्या डीबीआर सं. एल.ई.जी.बी.सी. 78/09.07.005/2017-18 में उन मामलों, जिनमें लेनदेन सहभागी धोखाधाड़ी/लापरवाही/बैंक की तरफ से कमी होने के कारण हुई है, में इस पर ध्यान दिए बिना कि ग्राहक द्वारा इसकी सूचना दी गई है अथवा नहीं, या घटना अन्य पक्ष द्वारा धोखा दिए जाने के कारण हुई हो पर यह कमी न तो बैंक की तरफ से है और न ही ग्राहक द्वारा की गई है, बल्कि यह कमी अन्यत्र कहीं प्रणाली में है, तथा ग्राहक अनधिकृत लेनदेन के संबंध में बैंक से सूचना प्राप्त होने से तीन कार्य दिवस के अंदर बैंक को इसकी सूचना दे देता है, ग्राहक की देयता शून्य निर्धारित की गई है। इसके अलावा, बैंक ऐसी अधिसूचना की तिथि से दस कार्य दिवस के अंदर ग्राहक के खाते में उस लेनदेन में अंतर्ग्रस्त राशि जमा करेगा।

इस परिपत्र में कुछेक मामलों में अनधिकृत लेनदेनों के कारण होने वाली हानियों के लिए भी ग्राहक की सीमित जवाबदेही निर्धारित करती है। इसके अलावा, बैंकों द्वारा जारी पीपीआई के मामले में ग्राहक अपनी शिकायतों के समाधान के लिए बैंकिंग लोकपाल योजना का सहारा ले सकते हैं।

[अनुवाद]

बाघ गणना

1632. श्री पी. नागराजन: क्या **पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या राष्ट्रीय बाघ संरक्षण संगठन ने तमिलनाडु के थेनी, मदुरै, विरुधुनगर, तिरुनेलवेली और कन्याकुमारी के वन क्षेत्रों सहित पश्चिमी घाट में बाघों की गणना की है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) बाघ गणना रिपोर्ट के कब तक तैयार किए जाने तथा प्रकाशित होने की संभावना है?

संस्कृति मंत्रालय के राज्य मंत्री तथा पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय में राज्य मंत्री (डॉ. महेश शर्मा): (क) और (ख) राष्ट्रीय बाघ संरक्षण प्राधिकरण देश भर में बाघ रिजर्वों और बाघ बहुल वनों, जिनमें *अन्य बातों के साथ-साथ* पश्चिमी घाट क्षेत्र भी शामिल है, में राज्य सरकारों और संरक्षण कार्य में लगे सहभागियों के निकट सहयोग में चतुर्वाषिक अखिल भारतीय बाघ आकलन को समन्वित और निरीक्षित करता है। देश व्यापी बाघ स्थिति के आकलन में भारत में बाघों का वितरण और बहुलता का आकलन करने में डबल सैम्पिलिंग दृष्टिकोण अपनाया जाता है। डबल सैम्पिलिंग के पहले घटक में 18 राज्यों, जहां राज्य वन विभाग के कार्मिकों द्वारा सूचना एकत्रित की जाती है, में सभी संभावित बाघ बहुल वनों का जमीनी सर्वेक्षण शामिल है।

डबल सैम्पलिंग के दूसरे घटक में (क) बाघों और अन्य मांसभक्षी पशुओं की बहुलता का आकलन लगाने के लिए कैप्चयोर-रिकैप्च्योर तकनीक पर आधारित सुदूर कैमरा ट्रैप का उपयोग करते हुए चुनिंदा सैम्पलिंग इकाइयों में वैज्ञानिक रूप से परिशुद्ध बहुलता का आकलन और (ख) अहेर की बहुलता का आकलन लगाने के लिए लाईन ट्रांससेक्ट आधारित डिसटेंस सैम्पलिंग शामिल है।

(ग) अखिल भारतीय बाघ आकलन रिपोट को वर्ष 2019 में जारी करने के लिए प्रयास किए गए हैं।

जीएसटी सुधार

1633. श्री ए. अरुणमणिदेवन: क्या **वित्त मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सर्वोच्च 28 प्रतिशत के स्लेब को समाप्त करना तथा समरुप उपकर दर लागू करना माल और सेवाकर (जीएसटी) को और अधिक सरल करने की दिशा में पहला कदम होगी और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ख) क्या बदनाम पूंजीवाद सुधारों को रोक रहा है और निजी क्षेत्र को शामिल कर निर्णय लेने को कठिन बना रहा है; और

(ग) यदि हां, तो इसके क्या कारण है और तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

वित्त मंत्रालय में राज्यमंत्री (श्री शिव प्रताप शुक्ला): (क) यद्यपि जीएसटी/प्रतिपूर्ति उपकर की एक समान दर रखने से दर की संरचना सरल जरुर हो सकती है लेकिन देश की सामाजिक और आर्थिक स्थिति तथा इसके स्तर को और विभिन्न वस्तुओं और सेवाओं पर जीएसटी के पूर्व लगाए जाने वाले कर की स्थिति को देखते हुए जीएसटी की दर संरचना के अन्तर्गत इसकी चार दरें

यथा 5%, 12%, 18%, और 28% रखी गयी हैं। इसके अलावा जीएसटी परिषद ने शून्य दर को भी निर्धारित किया है। इसके अलावा कुछ आपूर्तियों पर विशेष दर से प्रतिपूर्ति उपकर लगाया जाता है। जिसका विशेष उद्देश्य राज्यों को प्रतिपूर्ति करना होता है। जीएसटी परिषद ने अपनी विभिन्न बैठकों में जीएसटी की दरों की समीक्षा की है और इनमें कुछ परिवर्तन की सिफारिश की है।

वस्तुओं की 28% दर वाली सूची को पिछले एक वर्ष में काफी छोटा कर दिया गया है (228 मदों से कम करके 33 मद की दिए गए है)। इसी प्रकार सेवाओं के मामले में उन 4 श्रेणियों में, जिनमें शुरू-शुरू में 28% की जीएसटी लगती थी, एक उपश्रेणी की दर को कम करके 18% कर दिया गया है।

(ख) जी, नहीं।

(ग) उपर्युक्त (ख) को देखते हुए यह प्रश्न उठता है।

बच्चों को बेचना

1634. श्री पशुपति नाथ:
श्री रवीन्द्र कुमार राय:

क्या **महिला और बाल विकास मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या झारखंड में बाल सुधार गृह से बच्चों को बेचने की घटनाओं का सरकार ने संज्ञान लिया है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और सरकार द्वारा उनके विरुद्ध क्या कार्रवाई की गई है/किए जाने की संभावना है; और

(ग) क्या सरकार का ऐसे बाल सुधार गृहों को काली सूची में डालने का विचार है और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं?

महिला और बाल विकास मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा अल्पसंख्यक कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (डॉ. वीरेन्द्र कुमार): (क) तथा (ख) झारखंड राज्य में 'मिशनरी ऑफ चैरिटी' के संबंध में ऐसी एक घटना जानकारी में आई है। इस बारे में झारखंड राज्य की रिपोर्ट अनुलग्नक-I के रूप में संलग्न है। किशोर न्याय अधिनियम, 2015 (जेजे एक्स) अधिनियम के निष्पादन की प्राथमिक ज़िम्मेदारी राज्य सरकार की है, जिसे जेजे एक्ट ओर दत्तकग्रहण विनियम, 2017 के अनुसार आवश्यक कार्रवाई करने की आवश्यकता है। बाल देखभाल संस्थानों (सीसीआई) के पंजीकरण से संबंधित अधिनियम की प्रासंगिक धारा, जिसमें एसएए और गैर पंजीकरण के लिए जुर्माना शामिल है, क्रमश: जे. जे. अधिनियम की धारा 41 और 42 में उल्लिखित है। धारा 41 अनुसार यह अपेक्षित है कि सभी संस्थान, जिनका संबंध पूरी तरह से या आंशिक रूप से, देखभाल एवं संरक्षण के जरुरतमंद बच्चों अथवा कानून की अवहेलना करने वाले बच्चों के आवास से है, उनका इस अधिनियम के तहत पंजीकरण, इस अधिनियम के प्रारम्भ होने की तारीख से छह महीने की अवधि के भीतर किया जाएगा, बेशक वे केंद्र सरकार या राज्य सरकार से अनुदान प्राप्त कर रहे हों। तथा जे. जे. अधिनियम 2015 की धारा 42 में कहा गया है कि धारा 41 की उप-धारा (1) के प्रावधानों का अनुपालन करने में विफल संस्था के प्रभारी किसी भी व्यक्ति या व्यक्तियों को कारावास, जिसे एक वर्ष तक बढ़ाया जा सकता है या कम से कम एक लाख रुपये का जुर्माना अथवा दोनों का दंड दिया जाएगा, बशर्ते पंजीकरण के लिए आवेदन करने में हर तीस दिन की देरी को अलग अपराध माना जाएगा। इसके अतिरिक्त, अधिनियम की धारा-80 निर्धारित प्रक्रियाओं का पालन किए बिना गोद लेने के प्रति दंडनीय उपयों के बारे में है। यह धारा कहती है कि यदि कोई व्यक्ति या संगठन इस अधिनियम में यथा-उल्लिखित प्रावधानों या प्रक्रियाओं का पालन किए बिना किसी अनाथ, परित्यक्त या आत्मसमर्पित बच्चे को गोद लेने के उद्देश्य से प्रस्ताव करता है या देता है या प्राप्त करता है, तो ऐसे व्यक्ति या संगठन को किसी भी निर्दिष्ट अवधि, जिसे तीन साल तक बढ़ाया जा सकता है, के लिए कारावास अथवा एक लाख रुपये का जुर्माना अथवा दोनो, का दंड दिया जाएगा बशर्ते जहां अपराध किसी मान्यता प्राप्त गोद लेने वाली एजेंसी द्वारा किया जाता है, तो एजेंसी के प्रभाव व्यक्तियों अथवा गोद लेने वाली एजेंसी का दिन-प्रतिदिन के मामले को देखने के लिए जिम्मेदारी व्यक्तियों को उपरोक्त सजा के अलावा धारा 41 के तहत ऐसी एजेंसी का पंजीकरण और धारा 65 के तहत इसकी मान्यता को भी एक वर्ष की न्यूनतम अवधि के लिए वापस ले लिया जाएगा।

(ग) ऐसी किसी अनियमितताओं की स्थिति में राज्य द्वारा तदनुसार कार्रवाई की जानी अपेक्षित है। साथ ही संबंधित राज्य दत्तकग्रहण संसाधन एजेंसी (एसएआरए)/राज्य सरकारों से अनुराध है कि वे बताई गई अनियमितता, यदि कोई हो, के विषय में जांच करे और अधिनियम एवं विनियमों के अनुसार कार्रवाई करे, जब ऐसा कोई मामला केंद्र सरकार की जानकारी में आए। तदनतर अधिनियम एवं विनियमों की अवहेलना के विशिष्ट मामलों में, विशिष्ट दत्तकग्रहक एजेंसी (एसएए) को कारण बताओ नोटिस जारी किए जा रहे हैं और तदन्तर विशिष्ट दत्तकग्रहक एजेंसी (एसएए) द्वारा अवहेलना की गंभीरता के आधार पर या तो जुर्माना लगाया जाता है अथवा उनकी मान्यता निलंबित/निरस्त कर दी जाती है। बन्द की गई विशिष्ट दत्तकग्रहण एजेंसीयों (एसएए) का राज्यवार

ब्यौरा संलग्न विवरण-II में दिया गया है। इसके अलावा, झारखंड राज्य में हुई "मिशनरी ऑफ चैरिटी" की घटना को ध्यान में रखते हुए राज्य/संघ राज्य क्षेत्रों से यह सुनिश्चित करने के लिए अनुरोध किया गया है कि सभी पंजीकृत संस्थान विशिष्ट दत्तकग्रहण एजेंसियों से जुड़े हों और एक महीने की अवधि के अन्दर केयरिंग्स में प्रतिबिंबित हों तथा संस्थानों द्वारा निर्धारित अवधि के भीतर अनुपालन सुनिश्चित करने के लिए इस निर्देश को शीध्रता से निष्पादित करने हेतु स्थानीय समाचार-पत्र में प्रकाशित हो, ऐसा न कर पाने पर अनुपालन न करने वाले संस्थानों के खिलाफ कार्रवाई की जाए; उनके राज्य में मिशनरी ऑफ चैरिटी द्वारा संचालित सभी गृहों का निरीक्षण करने के निर्देश जारी करें तथा ऐसे अन्य संभावित संस्थानों/संगठनों, जो गैरकानूनी गतिविधियों में शामिल हो सकते हैं, की तत्काल पहचान करें; अधिनियम के तहत निर्धारित सभी संस्थानों का नियमित रूप से निरीक्षण करें; इन सीसीआई में रहने वाले बच्चों, कानूनी रूप से मुक्त गोद लिए जा सकने वाले बच्चों को वैध रूप से गोद लेने का अवसर मुहैय्या कराने हेतु एक महिने के भीतर निकटतम एसएए के साथ सभी सीसीआई का लिंकेज सुनिश्चित करें; मातृत्व गृहों और सुविधाओं, जो अवैध रूप से गोद लेने और बाल तस्करी के संभावित स्रोतों के रूप में कार्य कर सकते हैं; पर कठोर नजर रखें; ऐसी घटनाओं को रोकने में मदद के लिए जनता के बीच जागरूकता पैदा करना। दिनांक 20/07/2018 के पत्र सं. सीडब्ल्यू-II-26/33/2018- सीडब्ल्यू-II की प्रति संलग्न विवरण-III में दिया गया है।

विवरण-I

मिशनरी ऑफ चैरिटी से संबंधित मामले का तथ्यात्मक ब्यौरा निम्नुसार है

1. निदेशक-सह-सदस्य सचिव, झारखण्ड राज्य, बाल संरक्षण संस्था के पत्र संख्या 21/बा. सं. दिनांक 15.01.2018 द्वारा सभी बाल देखभाल संस्थानों (सीसीआई) के निरीक्षण (विहित मानकों के अनुरूप) हेतु निर्देश दिया गया था।

2. इस आलोक में उपायुक्त, रांची द्वारा एक टीम को गठित कर जिले में अवस्थित सभी बाल देखभाल संस्थानों का निरीक्षण करवाया गया। उक्त गठित कमिटी द्वारा मिशनरी ऑफ चैरिटी द्वारा संचालित गृहों के निरीक्षण के दौरान पाया गया कि संस्था में बच्चों से संबंधित दो प्रकार के मास्टर रजिस्टर उपलब्ध है जिसमें से एक रजिस्टर जिसमें वैसे बच्चों के आंकड़े संधारित किए गए थे जिन्हें बाल कल्याण समिति के समक्ष प्रस्तुत किए जाते थे तथा अन्य एक रजिस्टर में उन बच्चों का भी जिक्र था जिन्हें बाल कल्याण समिति के समक्ष प्रस्तुत नहीं किया जाता था।

3. उक्त दूसरे रजिस्टर के अवलोकन से यह तथ्य सामने आया कि कुछ बच्चों का गैर कानूनी तरीके से दत्तकग्रहण किया गया है। इस संबंध में यह पाया गया कि स्पष्ट रूप से चार बच्चों को पैसे के लेन-देन द्वारा दत्तकग्रहण कराया गया है।

4. इसके अतिरिक्त यह जांच किया जा रहा है कि ऐसे कितने बच्चों का अवैध रूप से लेन-देन के माध्यम से दत्तकग्रहण कराया गया है। जांच के दौरान यह भी पाया गया कि बच्चों से संबंधित बहुत से मामलों का कोई रिकार्ड संस्था के पास उपलब्ध नहीं है।

5. दिनांक 03.07.2018 को एक बच्चे की मां (अविवाहितत) द्वारा बाल कल्याण समिति, रांची के समक्ष शिकायत दर्ज करायी गई कि उसके बच्चे को मिशनरीज ऑफ चैरिटी, ईस्ट जेल रोड, रांची द्वारा उत्तर प्रदेश के ओबारा निवासी सौरव कुमार अग्रवाल को एक लाख बीस हजार रुपये के एवज में बेच दिया गया है।

6. बाल कल्याण समिति, रांची के समक्ष जांच के दौरान मिशनरीज ऑफ चैरिटी में कार्यरत कर्मी अनिमा इंदवार द्वारा यह स्वीकार किया गया कि कुल चार बच्चों को संस्था के सिस्टर कोनसिलया के साथ मिलकर बेचा है।

7. तत्पश्चात बाल कल्याण समिति, रांची द्वारा थाना प्रभारी, कोतवाली थाना, रांची को इस संबंध में प्राथमिकी दर्ज करने हेतु निर्देश दिया गया।

8. उक्त के आलोक में कोतवाली थाना द्वारा प्राथमिकी दर्ज कर मिशनरीज ऑफ चैरिटी में कार्यरत दो कर्मी क्रमशः अनिमा इंदवार एवं सिस्टर कोनसिलया को गिरफ्तार कर लिया गया है।

9. दिनांक 10.07.2018 को माननीय मुख्यमंत्री द्वारा उक्त के संबंध में बैठक आयोजित कर झारखंड राज्य बाल संरक्षण अधिकार आयोग को समेकित बाल संरक्षण योजना के अंतर्गत राज्य में संचालित सभी बाल देखभाल संस्थाओं का निरीक्षण करने हेतु निर्देश दिया गया है।

विवरण-II

बंद की गई विशिष्ट दत्तकग्रहण एजेंसियों का विवरण

क्र.सं.	राज्य	एजेंसीका नाम तथा जिला	टिप्पणी
1	2	3	4
1.	बिहार	डॉ. बी.आर. अम्बेकर हरिजन कल्याण परिषद	अनियमितता के कारण
2.		नालंदा मदर टेरेसा अनाथ सेवा आश्रम नालंदा	
3.		सर्वांगीण विकास समिति, पूर्णिया	
4.	झारखंड	जोका मिलेनियम वृद्धाश्रम, पश्चिम बंगाल	गैर-कानूनी रूप दत्तकग्रहण के आरोप के कारण सरकार द्वारा बंद।
5.		उत्तरी बंगाल जन विकास केंद्र, जलपाई गुडी पश्चिम बंगाल	
6.		महिला जन शिशु कल्याण केंद्र, बोकारो	कानून के प्रावधानों का उल्लंघन करने तथा बाल दुर्व्यापार के आरोप के कारण सरकार द्वारा बंद।
7.		राष्ट्रीय पुनर्निमाण संस्थान, जमशेद पुर	कानून के प्रावधानों का उल्लंघन करने के कारण सरकार द्वारा बंद।
8.	मध्य प्रदेश	शकुंतला परमार समिति, शिवपुरी	बाल शोषण के आरोप के कारण सरकार द्वारा बंद।
9.		जनभदिया समाजी संस्था, देवास	
10.		जुझारू समाज संवी, कटनी	सरकार द्वारा बंद चूंकि एसएए जेजेएक्ट के मानदंडों का पालन नहीं कर रही थी।
11.		श्रीमति गीता देवी परमथिक लोक कल्याण समिति, देवास	
12.	महाराष्ट्र	ज्योतिबा फुले ट्रस्ट, नानदेड़	सरकार द्वारा बंद चूंकि कानून के प्रावधानों का उल्लंघन किया जा रहा था।
13.		मारवाडी चैरिटेबल ट्रस्ट, जालना	
14.		मारवाडी चैरिटेबल ट्रस्ट, जलगांव	
15.		मारवाडी चैरिटेबल ट्रस्ट, जालना	मामला प्रक्रियाधीन है।
16.	उत्तर प्रदेश	शिशु गृह कंधारी बेजोर, फैंजाबाद	जेजेएक्ट अधिनियम, 2015 तथा दत्तकग्रहण विनियम, 2017 के तहत प्रावधानों का अनुपालन करने में अनियमितताओं के कारण बंद।
17.		मां विध्यावासिनी महिला प्रशिक्षण एवं समाज सेवा संस्थ, देवरिया	
18.		द्वारिका समाज कल्याण समिति, आगरा	
19.		शांति देवी मेमोरियल ग्राम विकास, कानपुर, देहात	
20.		कानपुर हिंदू अनाथालय, कानपुर नगर	
21.		श्री राम उद्यौगिक अनाथालय, लखनऊ	

1	2	3	4
22.		महादेव शिशु गृह, मिर्जापुर	राज्य सरकार द्वारा निरीक्षण के आधार पर तथा एसएए को डी-लाईसेंस्ड कर दिया गया था।
23.		लक्ष्मी शिशु गृह, वाराणसी	
24.		श्री राधा कृष्ण बाल गृह, वाराणसी	
25.	गुजरात	मिशनरी ऑफ चैरिटी, अहमदाबाद	जेजेएक्ट अधिनियम, 2015 तथा दत्तकग्रहण विनियम, 2017 के तहत प्रावधनों का अनुपालन करने में अनियमितताओं के कारण बंद।
26.		विकास विद्यालय, सुरेंद्र नगर	
27.		महाजन अनाथालय, सूरत	एसएए को पहले ही केयरिंग्स से हटा दिया गया है।

स्रोत: कारा

विवरण-III

अ.शा. पत्र सं. सीडब्ल्यू-II-26/33/2018-सीडब्ल्यू-II

दिनांक: 20 जुलाई, 2018

प्रिय मुख्य सचिव,

1. मैं आपका ध्यान मिशनरीज ऑफ चैरिटी फाउंडेशन द्वारा संचालित आश्रम गृह द्वारा बच्चों की बिक्री के बारे में मीडिया की रिपोर्टों की ओर आपका ध्यान आकृष्ट करना चाहता हूँ।

2. जेजे अधिनियम, 2015 की धारा 41 के प्रावधानों के तहत ऐसी सभी संस्थाएं अधिनियम के तहत पंजीकरण होंगा जो पूर्णत: या आंशिक रूप से देखरेख एवं संरक्षण के जरुरतमंद बच्चों या कानून का उल्लंघन करने वाले बच्चों को रखने के लिए हैं। अधिनियम यह प्रावधान करता है कि राज्य सरकारें असुरक्षित बच्ची की उपयुक्त देखरेख एवं सुरक्षा सुनिश्चित करने हेतु ऐसी संस्थाओं का तिमाही निरीक्षण करें। केंद्रीय दत्तकग्रहण संसाधन प्राधिकरण (कारा) को घरेलू एवं विदेशी दत्तक ग्रहण को विनियमित करने तथा संरक्षण प्रदान करने के लिए नोडल एजेंसी की जिम्मेदारी सौंपी गई है, जो ऑनलाइन पोर्टल केयरिंग्स के माध्यम से सुगम बनाए जा रहे हैं।

3. मंत्रालय के पास उपलब्ध सूचना के अनुसार, देश में जेजे अधिनियम के तहत पंजीकरण बाल देखरेख संस्थाओं की संख्या 7,000 से अधिक है। इनमें से केवल 2300 संस्थाएं केयरिंग्स पर विशिष्ट दत्तक ग्रहण एजेंसियों से संबद्ध हैं।

4. हाल की मीडिया रिपोर्ट के आलोक में, जेजे अधिनियम के तहत गैर-पंजीकरण या पंजीकरण परंतु नियमित रूप से गैर-निरीक्षित संस्थाओं में बच्चों की सुरक्षा से जुड़े सरोकार की अनदेखी नहीं की जा सकती है। कानून के दायर से बाहर गैर-कानूनी दत्तक ग्रहण बच्चों का दुर्व्यापार है, जो जेजे अधिनियम का गंभीर उल्लंघन है तथा अधिनियम के तहत परिकल्पना के अनुसार बच्चे के सर्वोत्तम हित में बाधा डालता है।

5. अत:, मेरा आपसे यह सुनिश्चित करने का अनुरोध है कि सभी पंजीकरण संस्थाएं विशिष्ट दत्तक ग्रहण एजेंसियों से संबद्ध हों और एक माह की अवधि के अंदर केयरिंग्स पर प्रदर्शित हों। शीघ्रता से लागू करने हेतु इस निर्देश को स्थानीय समाचार पत्र में छपवाया जा सकता है ताकि निर्धारित अवधि के अंदर संस्थाओं द्वारा अनुपालन सुनिश्चित हो और ऐसा न होने पर अनुपालन न करने वाली संस्थाओं के विरुद्ध कार्रवाई की जा सकती है।

6. मुद्दे की संवेदनशील को देखते हुए मेरा आपसे यह भी अनुरोध है कि अपने राज्य में मिशनरीज ऑफ चैरिटी द्वारा संचालित सभी गृहों के निरीक्षण तथा ऐसी अन्य संभावित संस्थाओं/ संगठनों की तत्काल पहचान के लिए अनुदेश जारी करें जो गैर-कानूनी गतिविधियों में शामिल हो सकते हैं। अधिनियम के तहत प्रावधान के अनुसार सभी संस्थाओं के नियमित निरीक्षण किए जा सकते हैं।

7. एक माह के अंदर सभी बाल देखरेख संस्थाएं निकटतम एसएए से संबद्ध हो सकती हैं। इससे इन सीसीआई में रहने वाले बच्चों के विधिसम्मत दत्तक ग्रहण का अवसर मिलेगा, यदि वे दत्तक ग्रहण के लिए कानूनी दृष्टि से मुक्त हैं।

8. साथ ही, गैर-कानूनी दत्तक ग्रहण को नियंत्रित करने के उद्देश्य से आपसे ऐसे मातृत्व गृहों एवं सुविधाओं पर ध्यान से नजर रखने

का अनुरोध किया जाता है जो गैर-कानूनी दत्तक ग्रहण एवं बाल दुर्व्यापार के लिए संभावित स्रोत के रूप में काम कर सकती हैं। आम लोगों में जागरुकता से भी ऐसी घटनाओं को रोकने में मदद मिल सकती है।

9. मैं आभारी रहूंगा यदि उपर्युक्त पहलुओं से संबद्ध संवेदनशील की जांच-पड़ताल करते हुए 31 जुलाई, 2018 तक उपर्युक्त मुद्दों पर मुझे स्थिति रिपोर्ट उपलब्ध कराई जाती है।

सादर।

भवदीय,
ह./-
(राकेश श्रीवास्तव)

मिशनरी ऑफ चैरिटी से संबंधित मामले का तथ्यात्मक ब्यौरा निम्ननुसार है:

1. निदेशक-सह-सदस्य सचिव, झारखण्ड राज्य बाल संरक्षण संस्था के पत्र संख्या 21/बा0 सं0, दिनांक 15.01.2018 द्वारा सभी बाल देखभाल संस्थानों (CCI) के निरीक्षण (विहित मानकों के अनुरुनप) हेतु निर्देश दिया गया था।

2. इस आलोक में उपायुक्त, रांची द्वारा एक टीम का गठन कर जिलें में अवस्थित सभी बाल देखभाल संस्थानों का निरीक्षण करवाया गया। उक्त गठित कमिटी द्वारा मिशनरी ऑफ चैरिटी द्वारा संचालित गृहों के निरीक्षण के दौरान पायी गया कि संस्था में बच्चों से संबंधित दो प्रकार के मास्टर रजिस्टर उपलब्ध है जिसमें से एक रजिस्टर जिसमें वैसे बच्चों के आंकड़ें संधारित किए गए थे जिन्हें बाल कल्याण समिति के समक्ष प्रस्तुत किए जाते थे तथा अन्य एक रजिस्टर में उन बच्चों का भी जिक्र था जिन्हें बाल कल्याण समिति के समक्ष प्रस्तुत नहीं किए जाते थे।

3. उक्त दूसरे रजिस्टर के अवलोकन से यह तथ्य सामने आया कि कुछ बच्चों का गैर कानूनी तरीके से दत्तक ग्रहण किया गया है। इस संबंध में यह पाया गया कि स्पष्ट रूप से चार बच्चो को पैसे के लेन देन द्वारा दत्तक ग्रहण कराया गया है।

4. इसके अतिरिक्त यह जांच किया जा रहा है कि ऐसे कितने बच्चों का अवैध रूप से लेन देन के माध्यम से दत्तक ग्रहण कराया गया है। जांच के दौरान यह भी पाया गया कि बच्चों से संबंधित बहुत से मामलों का कोई रिकॉर्ड संस्था के पास उपलब्ध नहीं है।

5. दिनांक 03.07.2018 को एक बच्चें की मां (अविवाहित) द्वारा बाल कल्याण समिति, रांची के समक्ष शिकायत दर्ज करायी गई कि उसके बच्चें को मिशनरीज ऑफ चैरिटी, ईस्ट जेल रोड़, राँची द्वारा उत्तर प्रदेश के ओबरा निवासी सौरव कुमार अग्रवाल को एक लाख बीस हजार रु. के एवज में बेच दिया गया है।

6. बाल कल्याण समिति, रांची के समक्ष जांच के दौरान मिशनरीज ऑफ चैरिटी में कार्यरत कर्मी अनिमा इन्दवार द्वारा यह स्वीकार किया गया कि कुल चार बच्चों को संस्था के सिस्टर कोनसिलया के साथ मिलकर बेचा है।

7. तत्पश्चात बाल कल्याण समिति, राँची द्वारा थाना प्रभारी, कोतवाली थाना, रांची को इस संबंध में प्राथमिकी दर्ज करने हेतु निर्देश दिया गया।

8. उक्त के आलोक में कोतवाली थाना द्वारा प्राथमिकी दर्ज कर मिशनरीज ऑफ चैरिटी में कार्यरत दो कर्मी क्रमशः अनिमा इन्दवार एवं सिस्टर कोनसिलया को गिरफ्तार कर लिया गया है।

9. दिनांक 10.07.2018 को माननीय मुख्यमंत्री द्वारा उक्त के संबंध में बैठक आयोजित कर झारखण्ड राज्य बाल संरक्षण अधिकार आयोग को समेकित बाल संरक्षण योजना के अन्तर्गत राज्य में संचालित सभी बाल देखभाल संस्थाओं का निरीक्षण करने हेतु निर्देश दिया गया है।

[अनुवाद]

नकली मुद्रा का परिचालन

1635. श्री बी.वी. नाईक:
श्रीमती रंजनबेन भट्ट:

क्या **वित्त मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या देश के विभिन्न भागों में नकली मुद्रा अभी भी विद्यमान है और तेजी से फल-फूल रही है और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ख) क्या सरकार का इसे रोकने के लिए ठोस और प्रभावी कदम उठाने का विचार है, और

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा पोत परिवहन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री पोन राधाकृष्णन): (क) राष्ट्रीय अपराध रिकार्ड ब्यूरो के पास उपलब्ध आंकड़ों के अनुसार, दिनांक 9.11.2016 से 30.6.2018 तक राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों की पुलिस ने 29.47 करोड़ रुपये की जाली करेंसी जब्त की है।

(ख) और (ग) केन्द्र और राज्यों की आसूचना और सुरक्षा एजेंसियां देश में जाली करेंसी के परिचालन में शामिल व्यक्तियों पर कड़ी निगरानी रखती है और सूचित किए गए कानून के किसी भी उल्लंघन पर कार्रवाई करती है। सरकार ने देश में जाली भारतीय करेंसी नोटों (एफसीआईएन) की तस्करी और परिचालन को रोकने के लिए विभिन्न उपाय किए हैं, जिनमें अन्य बातों के साथ-साथ निम्नलिखित शामिल है:–

(i) विधि विरुद्ध क्रियाकलाप (निवारण) अधिनियम, 1967 में असली दिखाई देने वाले जाली भारतीय करेंसी नोटों, सिक्कों अथवा किसी अन्य सामग्री के उत्पादन अथवा तस्करी अथवा परिचालन को आतंकवादी गतिविधि के रूप में अपराधी माना गया है।

(ii) देश में जाली भारतीय करेंसी नोटों के परिचालन की समस्या को रोकने के लिए केन्द्र/राज्यों की विभिन्न सुरक्षा एजेंसियों के बीच आसूचना/जानकारी साझा करने के लिए गृह मंत्रालय ने एफआईसीएन समन्वय समूह (एक सीओआरडी) गठित किया है। आतंकी गतिविधियों के वित्तपोषण और जाली करेंसी के मामलों की छानबीन करने के लिए एनआईए में एक आतंकी गतिविधियों संबंधी वित्तपोषण और जाली करेंसी प्रकोष्ठ (टीएफएफसी) कार्य कर रहा है।

(iii) एफआईसीएन की तस्करी और परिचालन को रोकने के लिए भारत और बांग्लादेश के बीच एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए गए हैं।

(iv) नई निगरानी प्रौद्योगिक का प्रयोग करके, चौबीस घंटे निगरानी के लिए अतिरिक्त मानव शक्ति लगाकर, अंतर्राष्ट्रीय सीमा पर प्रेक्षण चौकियां स्थापित करके, सीमा पर तार लगाकर तथा गहन गश्त लगाकर अंतर्राष्ट्रीय सीमाओं पर सुरक्षा का सुदृढ़ीकरण किया गया है।

हाई पॉवर कम्प्यूटिंग सिस्टम

1636. श्री के.आर.पी. प्रबाकरन: क्या **पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार ने प्रत्युष हाई पॉवर कम्प्यूटिंग प्रणाली अधिष्ठापित करने का कोई प्रयास किया है और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ख) क्या हाई पॉवर कंप्यूटिंग सिस्टम से मौसम और जलवायु संबंधी भविष्यवाणी और पूर्वानुमान को बेहतर बनाने में मदद मिलेगी और पूर्वानुमान प्रणाली चक्रवात और सुनामी की सटीक भविष्यवाणी कर सकेगा और इससे सिस्मोलोजिकल अध्ययन में मदद मिलेगी; और

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

संस्कृति मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय में राज्य मंत्री (डॉ. महेश शर्मा): (क) भारत सरकार के पृथ्वी विज्ञान मंत्रालय ने भारतीय उष्ण-कटिबंधीय मौसम विज्ञान संस्थान, पुणे में हाई पॉवर कम्प्यूटर (एचपीसी) "प्रत्युष", जो 4.0 पेटा फ्लाप्स क्षमता का सुपर कम्प्यूटिंग सिस्टम है और एक अन्य 2.8 पेटा फलाप्स क्षमता का एचपीसी सिस्टम "मिहिर" राष्ट्रीय मध्यम अवधि मौसम पूर्वानुमान केन्द्र (नेशनल सेंटर फॉर मीडियन रेंज वेदर फोरकास्टिंग) नोयडा में अधिष्ठापित किया है।

(ख) और (ग) उन एचपीसी सुविधाओं से पूरे भारत में ब्लॉक स्तर पर मौसम के पूर्वानुमान में सुधार आने की संभावना है जिससे अत्यधिक मौसम की भविष्यवाणी की जा सकती है; मानसून के अविरल/खंडित अवधि के लिए उच्च रेंजोल्युशन मौसमी/विस्तारित पूर्वानुमान, अधिक सटीकता और समय-सीमा के साथ चक्रवातों की भविष्यवाणी के लिए बहुत उच्च रेंजोल्युशन युग्मित मॉडल; महासागर स्थिति पूर्वानुमान और सुनामी पूर्वानुमान; और बहुत उच्च रेजोल्युशन पर जलवायु संबंधी आकलन किया जा सकता है।

[हिन्दी]

वर्टिकल गार्डन

1637. श्री जैदेव गल्ला: क्या **पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या भवनों, सड़कों के आस-पास वर्टिकल गार्डन इत्यादि से तापमान को कम करने में मदद मिलेगी;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या सरकार देश में वर्टिकल गार्डन को बढ़ावा देने के

लिए नगर निकायों/सोसायटियों को कोई प्रोत्साहन राशि देती है या देने का विचार है; और

(घ) यदि हां, तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और देश में इस प्रयोजनार्थ कार्यान्वित किए जा रहे कार्यक्रमों का ब्यौरा क्या है?

संस्कृति मंत्रालय के राज्य मंत्री तथा पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय में राज्य मंत्री (डॉ. महेश शर्मा): (क) से (घ) वृक्ष और पेड़-पौधे पारिस्थितिकीय प्रक्रिया में सुधार करते हैं जिनमें किसी क्षेत्र की जलवायु भी शामिल हैं और ऐसा कोई भी प्रयास जलवायु संबंध सरोकारों का निराकरण करने में सहायता करता है। राज्य, संगत राज्य/केन्द्रीय सरकार की स्कीमों के तहत अपनी वार्षिक कार्य प्रचालन योजनाओं में ऐसे कार्यकलापों को शामिल कर सकते हैं। देश में हरित आवरण में वृद्धि करने के लिए राष्ट्रीय वन नीति, 1988 सड़कों, रेलवे लाइनों, नदियों/जल-धाराओं/नहरों के साथ-साथ और अन्य प्रकार के अप्रयुक्त भूमि क्षेत्रों पर वृक्षारोपण करने के लिए बढ़ावा देती है। इसके अतिरिक्त शहरी विकास मंत्रालय ने उद्यानों सहित विभिन्न स्वरूपों में हरित क्षेत्र के सृजन को बढ़ावा देने के लिए शहरी हरित मार्गदर्शिका, 2014 तैयार की है। सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय ने समुदायों, किसानों, निजी क्षेत्रों, गैर सरकारी संगठनों और सरकारी संस्थानों की सहभागिता से राजमार्ग गलियारों की हरियाली में संवर्धन करने के लिए हरित राजमार्ग (पौध-रोपण, प्रत्यारोपण, सुंदरीकरण और अनुरक्षण), नीति, 2015 भी प्रतिपादित की है।

[अनुवाद]

हुक्का बार

1638. श्री राजन विचारे: क्या **स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या देश में होटलों और रेस्तरां में हुक्का बार चल रहे हैं, यदि हां, तो राज्य-वार तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ख) क्या हुक्का बार के प्रचालन को विनियमित करने के लिए सरकार द्वारा कोई कदम उठाया गया है;

(ग) क्या सरकार ने ऐसे हुक्का बारों द्वारा विनिर्दिष्ट धूम्रपान क्षेत्रों में खाद्य और पेय परोसना वर्जित करने हेतु दिशानिर्देश जारी किए हैं; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती अनुप्रिया पटेल): (क) इस मंत्रालय के पास ऐसी कोई सूचना उपलब्ध नहीं है।

(ख) से (घ) इस मंत्रालय ने तंबाकू के प्रयोग या उपभोग को हतोत्साहित करने के उद्देश्य से सिगरेट और अन्य तंबाकू उत्पादों के विज्ञापन को निषिद्ध करने और इनके उत्पादन, इनकी आपूर्ति और वितरण में संलिप्त व्यापार और वाणिज्य के विनियमन का प्रावधान करने हेतु सिगरेट और अन्य तंबाकू उत्पाद (विज्ञापन का निषेध और व्यापार और वाणिज्य, उत्पादन, आपूर्ति और वितरण का विनियमन) अधिनियम, 2003 नामक एक व्यापक कानून अधिनियमित किया है।

इस अधिनियम की धारा 4 में रेस्टोरेंटों सहित सार्वजनिक स्थानों पर धूम्रपान निषिद्ध है। इसमें 30 कमरों वाले होटलों या 30 या इससे अधिक व्यक्तियों के बैठने की क्षमता वाले रेस्टोरेंटों तथा हवाई अड्डों में पृथक धूम्रपान क्षेत्र या स्थान का प्रावधान किया गया है।

इसके अतिरिक्त, धूम्रपान के लिए घोषित किए गए किसी भी क्षेत्र या स्थान पर किसी भी सेवा की अनुमति नहीं होगी। अत: किसी रेस्टोरेंट द्वारा हुक्के या किसी तंबाकू उत्पाद की सेवा देना इस उपबंध के विरुद्ध है।

एसबीआई में वीआरएस योजना

1639. डॉ. उदित राज: क्या **वित्त मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या भारतीय स्टेट बैंक (एसबीआई) और इसके अन्य सहयोगी बैंक एसबीआई का इसके पांच सहयोगी बैंकों के साथ विलय के कारण स्वैच्छिक सेवानिवृत्ति योजना (वीआरएस) पर विचार कर रही है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) प्रस्तावित विलय के कारण ग्रेड-वार और पद-वार कितने कर्मचारियों की छंटनी की जा रही है?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री शिव प्रताप शुक्ला): (क) और (ख) भारतीय स्टेट बैंक (एसबीआई) ने सूचित किया है कि फिलहाल बैंक में स्वैच्छिक सेवानिवृत्ति योजना (वीआरएस) शुरू करने की योजना नहीं है। तथापि, विलय से पूर्व एसबीआई के पांच पूर्व अनुषंगी बैंकों के कर्मचारियों और अधिकारियों को वीआरएस का प्रस्ताव दिया गया था।

(ग) एसबीआई ने सूचित किया है कि विलय के कारण छंटनी नहीं की गई थी।

कर-छूट

1640. श्री जुगल किशोर:
श्रीमती रीती पाठक:

क्या **वित्त मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार नि:शक्त लोगों की परिचर्या करने वाले पारिवारिक सदस्यों को कर राहत/छूट प्रदान करने पर विचार कर रही है;

(ख) यदि हां, तो मध्य प्रदेश और जम्मू कश्मीर सहित तत्संबंधी राज्य/संघ राज्यक्षेत्र-वार ब्यौरा क्या है; और

(ग) सरकार द्वारा इस संबंध में उठाए गए कदमों का ब्यौरा क्या है?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री शिव प्रताप शुक्ला): (क) से (ग) जी नहीं। फिलहाल नि:शक्त व्यक्तियों की परिचर्या करने वाले पारिवारिक सदस्यों को कोई नई कर राहत/छूट प्रदान करने का कोई प्रस्ताव विचाराधीन नहीं है।

तथापि, आयकर अधिनियम, 1961 (अधिनियम) के विद्यमान उपबंधों में, किसी आश्रित जो नि:शक्त व्यक्ति हैं, के चिकित्सीय उपचार (जिसके अंतर्गत परिचर्या भी है) प्रशिक्षण और पुनर्वास के लिए किए गए व्यय के संबंध में, निवासी व्यक्ति को कटौती दिए जाने का प्रावधान है। यह कटौती, नि:शक्त आश्रित के रखरखाव के लिए, किसी स्कीम के संबंध में जीवन बीमा निगम या किसी अन्य बीमाकर्ता को अदा राशि के संबंध में अनुमत: है। अधिनियम की धारा 80घघ के तहत अनुमत: कटौती, 75,000/-रु. है। तथापि ऐसा व्यक्ति जोकि गंभीर नि:शक्तता से ग्रस्त है, के मामले में कटौती की राशि, 1,25,000-/रु. है। अधिनियम की धारा 80घघ के तहत कटौती, भारत में निवासी सभी करदाताओं के लिए उपलब्ध है जिसमें जम्मू एवं कश्मीर और मध्य प्रदेश राज्य के निवासी करदाता भी शामिल हैं।

[अनुवाद]

कंपनी अधिनियम का उल्लंघन

1641. श्री राधेश्याम बिश्वास: क्या **कॉर्पोरेट कार्य मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) विगत 3 वर्षों तथा चालू वर्ष के दौरान कंपनी अधिनियम का उल्लंघन करने संबंधी कितने मामलों में सरकार ने कार्रवाई शुरू की है;

(ख) इन मामलों में अब तक की प्रगति क्या है; और

(ग) सरकार द्वारा इन मामलों में की गई कार्रवाई का ब्यौरा क्या है?

विधि और न्याय मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा कॉर्पोरेट कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री पी.पी. चौधरी): (क) पिछले तीन वर्षों के दौरान, कंपनी अधिनियम 1956/2013 के विभिन्न उपबंधों का उल्लंघन करने के कारण सरकार द्वारा कुल 10,522 मामलों पर कार्रवाई शुरू की गई और इसमें से 3,256 मामलों का निपटान कर दियाग या है।

इसके अतिरिक्त, वर्तमान वर्ष के दौरान आज की तारीख तक, कंपनी अधिनियम, 1956/2013 के विभिन्न उपबंधों का उल्लंघन करने के कारण सरकार द्वारा कुल 463 मामलों पर कार्रवाई शुरू की गई है और इसमें से 160 मामले निपटाए गए हैं।

ऋण चूककर्ताओं के खातों को अवरुद्ध करना

1642. श्री असादुद्दीन ओवैसी: क्या **कॉर्पोरेट कार्य मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार का पंजाब नेशनल बैंक (पीएनबी) के 11500 करोड़ रुपए के धोखाधड़ी के मामले में अभियुक्तों के स्वामित्व वाली कंपनियों सहित प्रमुख अभियुक्तों की सभी परिसंपत्तियों को जब्त करने का विचार है;

(ख) यदि हां, तो क्या सरकार 64 प्रतिवादियों की सभी परिसंपत्तियों को जब्त करने के लिए कंपनी अधिनियम की धारा 221 और 222 के अंतर्गत राष्ट्रीय कंपनी विधि अधिकरण (एनसीएलटी) के पास गई है और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) यह प्रक्रिया कब तक आरंभ होने की संभावना है और सरकार को इस से कितना धन अर्जित होने की संभावना है?

विधि और न्याय मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा कॉर्पोरेट कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री पी.पी. चौधरी): (क) से (ग) कॉर्पोरेट कार्य मंत्रालय ने दिनांक 17.02.2018 को कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 216 के साथ पठित धारा 212(1)ग और सीमित देयता भागीदारी अधिनियम, 2008 की धारा 43(3)(ग)(झ) के तहत नीरव मोदी (फायरस्टार डायमंड ग्रुप) और मेहुल चोकसी (गीतंजली ग्रुप) की 107 कंपनियों और 7 सीमित देयता भागीदारियों के मामलों की गंभीर कपट अन्वेषण कार्यालय

के माध्यम से जांच किए जाने का आदेश दिया है। साथ ही, पहले से चल रही जांच में सहायता करने के लिए कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 339 के साथ पठित धारा 221, 222, 241, 242, 246 के तहत 67 व्यक्तियों की सभी चल या अचल संपत्तियों के लिए स्थानांतरण, तृतीय पक्ष के अधिकार बनाने, ग्रहणाधिकार या अंतरण या अन्य किसी तरीके से स्थानांतरण के विरुद्ध रोक लगाने के आदेश की मांग करते हुए दिनांक 23.02.2018 को राष्ट्रीय कंपनी विधि अधिकरण (एनसीएलटी), मुंबई खंडपीठ के समक्ष एक याचिका दायर की गई थी। एनसीएलटी, मुंबई खंडपीठ ने उपर्युक्त याचिका को स्वीकार करते हुए, दिनांक 23.02.2018 के अंत:कालीन अंतरिम ओदश में प्रतिवादियों के विरुद्ध कुछ रोक आदेश दिए। इसके बाद मंत्रालय ने उक्त अंत:कालीन आदेशों में और संशोधन की मांग करते हुए दिनांक 23.02.2018 के अंत:कालीन आदेशों के विरुद्ध एक अपील दायर की और दिनांक 02.04.2018 के सामान्य आदेश के विरुद्ध एक अन्य अपील भी दायर की, जिससे एनसीएलटी, मुंबई खंडपीठ द्वारा 7 स्वतंत्र निदेशकों को राहत दी गई। इसके अतिरिक्त, कुछ प्रतिवादियों ने एनसीएलटी, मुंबई खंडपीठ के दिनांक 23.02.2018 के आदेशों के विरुद्ध राष्ट्रीय कंपनी विधि अपील अधिकरण (एनसीएलएटी) के समक्ष भी अपील दायर की। मंत्रालय द्वारा दायर की गई अपीलों को एनसीएलटी द्वारा अपने दिनांक 12.07.2018 के आदेशों द्वारा स्वीकार किया गया। एनसीएलएटी ने आदेश दिया है कि एनसीएलटी, मुंबई खंडपीठ के दिनांक 23. 02.2018 के आदेश अगले आदेशों तक जारी रहेंगे, तथापि, प्रतिवादियों/अपीलकर्ताओं को अपने किसी भी खाते में से प्रतिमाह 1,00,000/-रुपये (केवल एक लाख रुपये) निकालने की अनुमति दी गई है।

[अनुवाद]

वित्तीय आंकड़ा प्रबंधन केन्द्र

1643. डॉ. किरिट पी. सोलंकी: क्या **वित्त मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार वित्तीय आंकड़ा प्रबंधन केन्द्र स्थापित करने की प्रक्रिया में है और यदि हां, तो ऐसा केन्द्र कब तक स्थापित होने की संभावना है;

(ख) इस केन्द्र के कार्य तथा जिम्मेदारियां क्या होंगी; और

(ग) क्या इस प्रस्तावित केन्द्र तथा भारतीय रिजर्व बैंक के कार्यों में कोई अतिव्यापन होगा?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा पोत परिवहन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री पोन. राधाकृष्णन): (क) और (ख) वित्त मंत्री ने बजट भाषण 2016-17 में घोषणा की थी कि वित्तीय क्षेत्र में एकीकृत डाटा संग्रहण और विश्लेषण को सुविधाजनक बनाने के लिए वित्तीय स्थिरता विकास परिषद (एफएसडीसी) के तत्वावधान में वित्तीय डाटा प्रबंधन केन्द्र की स्थापना की जाएगी। इस प्रयोजनार्थ गठित समिति की सिफारिश के आधार पर, निक्षेपागार का प्रबंध करने, समूचे वित्तीय क्षेत्र में डाटा के मानकीकरण को समर्थ बनाने और अर्थव्यवस्था की वित्तीय स्थिरता और इससे जुड़े मामलों से संबंधित मुद्दों पर एफएसडीसी को विश्लेषणात्मक सहायता प्रदान करने के लिए एक सांविधिक वित्तीय डाटा प्रबंधन केन्द्र की स्थापना करने का प्रस्ताव किया गया है।

(ग) जी, नहीं।

स्वस्थ शिशु के लिए होम्योपैथी

1644. श्री जे.जे.टी. नट्टर्जी: क्या **आयुर्वेद, योग और प्राकृतिक चिकित्सा, यूनानी, सिद्ध और होम्योपैथी (आयुष) मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार स्वस्थ शिशु हेतु होम्योपैथिक (एनएचसी) नामक एक कार्यक्रम का कार्यान्वयन कर रही है और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ख) क्या सरकार ने कार्यक्रम का मूल्यांकन किया है और यदि हां, तो इसके परिणामों का ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या सरकार का उक्त कार्यक्रम को सभी जिलों में लागू करने का विचार है; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

आयुर्वेद, योग और प्राकृतिक चिकित्सा, यूनानी, सिद्ध और होम्योपैथी (आयुष) मंत्रालय के राज्यमंत्री (श्री श्रीपाद येसो नाईक): (क) जी हां, आयुष मंत्रालय ने आयुष मंत्रालय के अधीन एक स्वायत्त संगठन केन्द्रीय होम्योपैथी अनुसंधान परिषद (सीसीआरएच) के माध्यम से 'स्वस्थ शिशु के लिए होम्योपैथी' (एचएचसी) नामक कार्यक्रम आरंभ किया है। परिषद ने 08 राज्यों (दिल्ली, उत्तर प्रदेश, उड़ीसा, असम, महाराष्ट्र, कर्नाटक, राजस्थान, झारखंड) के 12 ब्लॉकों में एक कार्यक्रम शुरू किया है। इस प्रायोगिक कार्यक्रम में, स्वस्थ दंतोद्भवन को बढ़ावा देने, दंतोद्भवन अवधि के दौरान होने वाली सामान्य समस्याओं जैसे दस्त, बुखार/ऊपरी श्वसन पथ संक्रमण (यूआरटीआई) के उपचार के लिए एक लक्षित दृष्टिकोण अपनाया गया है। इस कार्यक्रम के मुख्य कार्यकर्ता एएनएम और आशा हैं, जिन्हें होम्योपैथिक औषधियों से बच्चों को

गृह आधारित उपचार प्रदान करने के लिए प्रशिक्षित किया गया था। एएनएम/आशा कार्यकर्ता को दंतोद्भवन और संबंधित शिकायतों के लिए छह सर्वाधिक उपयोग की जाने वाली औषधियों की एक किट प्रदान की जाती है। आशा कार्यकर्ताओं ने दिए गए होम्योपैथिक उपचार सहित दंतोद्भवन पैटर्न और अन्य संबंधित शिकायतों को दर्ज किया था। आशा कार्यकर्ताओं के साथ मासिक समीक्षा बैठकें आयोजित की जाती हैं।

(ख) अभी तक लगभग 70,000 बच्चों का नामांकन हुआ है। डेटा का विश्लेषण किया गया है और परिणाम उत्साहजनक हैं। दस्त से पीड़ित 9032 बच्चों में से 8394 बच्चों पर होम्योपैथी का प्रभाव पड़ा। इसी प्रकार यूआरटीआई/ बुखार से पीड़ित 13666 मरीजों में से 12798 मरीजों पर होम्योपैथी का प्रभाव पड़ा।

(ग) और (घ) राज्यों को राष्ट्रीय आयुष मिशन के तहत कार्यक्रम आरंभ करने के लिए कहा गया है।

असम के चाय बागानों में पीएमजेडीवाई खाते

1645. श्री नव कुमार सरनीया: क्या **वित्त मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) असम राज्य में प्रधानमंत्री जनधन योजना (पीएमजेडीवाई) के अंतर्गत जोन-वार कुल कितने खाते खोले गए हैं;

(ख) असम में पीएमजेडीवाई के अंतर्गत कुल कितने चाय बागानों में खाते खोले गए हैं; और

(ग) क्या असम के सभी चाय बागानों में एटीएम संस्थापित की जा चुकी हैं और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री शिव प्रताप शुक्ला): (क) बैंकों के द्वारा सूचित किए गए अनुसार असम में प्रधानमंत्री जन-धन योजना (पीएमजेडीवाई) के तहत 1,30,50,728 खाते खोले गए हैं। जिला-वार आंकड़ा का ब्यौरा संलग्न विवरण में दिया गया है।

(ख) असम की राज्य स्तरीय बैंकर समिति (एसएलबीसी) के संयोजक द्वारा सूचित किए गए अनुसार राज्य में पीएमजेडीवाई के तहत खाते खोले गए चाय बागानों की कुल संख्या 669 है।

(ग) असम की राज्य स्तरीय बैंकर समिति (एसएलबीसी) के संयोजक ने सूचित किया है कि राज्य के चाय बागानों में 54 एटीएम मशीनें लगाई गई हैं।

तथापि, नेटवर्क की उपलब्धता में कमी और ऐसे एटीएम की अव्यवहार्यता के कारण सभी चाय बागानों में एटीएम मशीनें नहीं लगाई गई हैं।

विवरण

18.07.2018 की स्थिति के अनुसार असम में जिले-वार पीएमजेडीवाई खाते

जिले का नाम	पीएमजेडीवाई खातों की संख्या
1	2
बक्सा	307463
बरपेटा	808074
बोंगाईगांव	266027
कछार	686159
चिरंग	228912
दारंग	474170
धेमाजी	443983
धुबरी	918467
डिब्रूगढ़	418093
दीमा हसाओ	43639
गोलपाड़ा	430851
गोलाघाट	477850
हैलाकांडी	315080
जोरहाट	427702
कामरूप	612328
कामरूप मैट्रोपालिटन	240396
कर्बी आंगलांग	220475
करीमगंज	486954
लखीमपुर	514355
मोरीगांव	482833

1	2
नैगांव	1493756
नलबाड़ी	304506
शिवसागर	460771
सोनितपुर	720115
तिनसुकिया	466677
उदालगुड़ी	432323
कुल	13050728

स्रोत: बैंक

चिकित्सकों के विरुद्ध हिंसा

1646. श्रीमती एम. वसन्ती: क्या **स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार इस बात से अवगत है कि चिकित्सा क्षेत्र के साथ-साथ स्वास्थ्य परिचर्या ढांचे में चिकित्सकों के विरुद्ध हिंसा एक बड़ी चुनौती है और यदि हां, तो सरकार की इस पर क्या प्रतिक्रिया है;

(ख) क्या भारतीय आयुर्विज्ञान संघ ने चिकित्सकों की सुरक्षा संबंधी मुद्दा उठाया है और

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और सरकार द्वारा इस संबंध में क्या कदम उठाए गए हैं?

स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती अनुप्रिया पटेल): (क) से (ग) जी हां।

सरकार ने हिंसा की घटनाओं को गंभीरता से लिया है।

इस समस्या के निवारण और "डॉक्टरों के साथ हिंसा" सहित इंडियन मेडिकल एसोसिएशन (आईएमए) द्वारा उठाई गई चिंता के लिए अपर सचिव (स्वास्थ्य) की अध्यक्षता में अंतर-मंत्रालयी समिति का गठन किया गया था।

चूंकि स्वास्थ्य राज्य का विषय है, अतएव स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय ने आईएमए द्वारा प्रदत्त "चिकित्सा सेवा व्यक्ति और चिकित्सा सेवा संस्थानों की सुरक्षा (हिंसा एवं क्षति अथवा संपत्ति की हानि की रोकथाम) अधिनियम, 2017" के प्रारूप अधिनियम की प्रति सभी राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों को परिचालित की है और अनुरोध किया है कि वे या तो प्रारूप अधिनियम के अनुसार विशिष्ट विधान पर विचार करें अथवा मौजूदा अधिनियम, यदि कोई हो, के प्रावधानों को कड़ाई से लागू करें।

जी.एम. खाद्य पदार्थ

1647. डॉ. के. गोपाल: क्या **पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार आनुवंशिक रूप से संवर्धित खाद्य पदार्थों पर लेबल लगाने हेतु कम से कम 2 वर्ष के लिए एक व्यवस्था पर विचार कर रही है और हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ख) क्या वर्तमान कानून किसी भी आनुवंशिक रूप से संवर्धित खाद्य पदार्थ को प्रतिबंधित करता है जब तक कि आनुवंशिक इंजीनियरिंग मूल्यांकन समिति इसको मंजूरी न दे दे और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या 2007 अधिसूचना के अनुसार सरकार ने परिसंस्कृत खाने को इस शर्त से मुक्त कर दिया है; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इसके क्या कारण हैं?

संस्कृति मंत्रालय के राज्य मंत्री तथा पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय में राज्य मंत्री (डॉ. महेश शर्मा): (क) खाद्य सुरक्षा और मानक अधिनियम, 2006, खाद्य और खाद्य पदार्थों के लिए विज्ञान पर आधारित मानकों को निर्धारित करने और मानव उपभोग के लिए सुरक्षित और संपूर्ण भोजन की उपलब्धता को सुनिश्चित करने हेतु उनके विनिर्माण, भण्डारण, वितरण, बिक्री और आयात को विनियमित करने और तत्संबंधी अथवा आनुषंगिक मामलों के लिए भारतीय खाद्य सुरक्षा और मानक प्राधिकरण (एफएसएसएआई) को स्थापित करने से संबंधित कानूनों को समेकित करने के लिए प्रावधान करता है। एफएसएसएआई द्वारा प्रारूप "खाद्य सुरक्षा और मानक (लेबलिंग और प्रदर्शन) विनियमन, 2018" जिसमें आनुवंशिक रूप से संवर्धित खाद्य पदार्थों की लेबलिंग के लिए प्रावधान शामिल है, को पणधारियों के सुझावों, मतों और टिप्पणियां प्राप्त करने के लिए वेबसाईट पर अपलोड किया गया था।

(ख) से (घ) भारत में आनुवंशिक रूप से संवर्धित जीवों (जीएमओ) और जीएम खाद्य पदार्थो सहित जीएमओ से प्राप्त उत्पादों के विनियमन को पर्यावरण (संरक्षण) अधिनियम, 1986 के

प्रावधानों के अंतर्गत खतरनाक सूक्ष्म जीवों/आनुवंशिक रूप से निर्मित जीवों अथवा कोशिकाओं के विनिर्माण, उपयोग/आयात/निर्यात और भण्डारण के लिए नियमावली, 1989 (नियमावली 1989) के तहत शामिल किया गया है।

सरकार ने वर्ष 2006 में एफएसएसएआई की स्थापना करने के पश्चात वर्ष 2007 में नियमावली 1989 के अंतर्गत एक अधिसूचना जारी की थी जिसमें नियमावली 1989 के नियम 11 के दायरे से जीएम संसाधित खाद्य पदार्थों, संघटकों, योज्य और संसाधनों में सहायक अंशों को छूट प्रदान की गई है, बशर्ते कि एक अंतिम उत्पाद, जीवित संशोधित जीव न हो।

एंटी माइक्रोबियल प्रतिरोध

1648. श्री महेश गिरी: क्या **स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार ने स्वस्थ्य जीवन शैली के बावजूद वायु प्रदूषण और जल्दी ही मधुमेह रोगी हो जाने के संबंध में विश्व स्वास्थ्य संगठन की चिंता के समाधान हेतु कोई कदम उठाया है; और

(ख) क्या एंटी माइक्रोबियल प्रतिरोध से और कठिन बन गई नवजात बच्चों में सेप्सीस की समस्या के समाधान के लिए सरकार के पास कोई कार्ययोजना है क्योंकि भारत में एम.एम.आर. सेप्सीस से प्रतिवर्ष 56500 नवजात बच्चों की सेप्सीस के कारण मृत्यु हो जाती है और यदि हां, तो इस संबंध में क्या कदम उठाए गए हैं?

स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती अनुप्रिया पटेल): (क) स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय ने वायु प्रदूषण व मधुमेह की शुरुआत जल्दी होने के बीच संबद्धता के संबंध में कोई अध्ययन नहीं किया है।

(ख) राष्ट्रीय रोग नियंत्रण केन्द्र राष्ट्रीय एएमआर नियंत्रण कार्यक्रम का समन्वयन कर रहा है जिसमें सात रोगजनकों में एएमआर की निगरानी शामिल है। तथापि, इस कार्यक्रम के तहत नवजात सेप्सिस से संबंधित कोई अलग डाटा एकत्र नहीं किया जाता है।

अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान व वैश्विक एंटीबायोटिक अनुसंधान व विकास साझेदारी (जीएआरडीपी) के सहयोग से भारतीय आयुर्विज्ञान अनुसंधान परिषद (आईसीएमआर) अनुमानित सेप्सिस के निदान किए गए रोगियों के वैकल्पिक फर्स्ट-लाइन उपचार का विकास करने के लिए नवजात सेप्सिस कार्यक्रम चला रहा है जहां औषध रोधी ग्राम निगेटिव रोगजनक संदिग्ध होते हैं तथा इसके साथ-साथ सुनिश्चित बहु-औषध रोधी रोगजनकों के लिए, एक नया उपचार होता है। आईसीएमआर-जीएआरडीपी द्वारा व्यापक बालचिकित्सा एंटीबायोटिक कार्यक्रम संपूर्ण बाल-चिकित्सा समूह के लिए लेट-स्टेज पाइपलाइन, नवीनतम पंजीकृत एंटीबायोटिक्स व मौजूदा एंटीबायोटिक्स के विकास में तेजी लाएगा।

नई पेंशन योजना

1649. श्री तेज प्रताप सिंह यादव:
श्रीमती अंजू बाला:

क्या **वित्त मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) केंद्र सरकार के मृत कर्मचारियों के परिवारों को नई पेंशन योजना (एनपीएस) के अंतर्गत अब तक स्वीकृत परिवार पेंशन के मामलों का ब्यौरा क्या है;

(ख) क्या एनपीएस के प्रवर्तन में आने के बाद मृत कर्मचारियों के इन सदस्यों को पुरानी परिवार पेंशन योजना की दर पर पेंशन बंद कर दी गई है;

(ग) यदि नहीं, तो उन लोगों, जो एनपीएस के अंतर्गत पुरानी पेंशन योजना की दर पर परिवार पेंशन पाते रहे हैं, का भविष्य क्या होगा;

(घ) क्या अनेक मृत कर्मचारियों ने अंशदायी पेंशन निधि (सीपीएफ) के रूप में नेशनल सिक्युरिटीज डिपॉजिटरी लिमिटेड के पास मात्र कुछ हजार रुपए पीछे छोड़े हैं; और

(ङ) यदि हां, तो सरकार किस प्रकार अपने सीपीएफ से परिवार पेंशन का उन्हें भुगतान करेगी?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री शिव प्रताप शुक्ला): (क) से (ङ) एनएसडीएल ई-गवर्नेंस इन्फ्रास्ट्रक्चर लि. जो कि पेंशन निधि विनियामक और विकास प्राधिकरण (पीएफआरडीए) द्वारा पंजीकृत केन्द्रीय रिकार्डकीपिंग एजेंसी हैं, उसके द्वारा 20 जुलाई, 2018 तक केन्द्र सरकार के कर्मचारियों जिन्हें राष्ट्रीय पेंशन प्रणाली (एनपीएस) के अंतर्गत कवर किया गया है, के 1095 फैमिली पेंशन मामलों पर कार्रवाई की जा चुकी है।

इसके अतिरिक्त, पेंशन और पेंशनभोगी कल्याण विभाग द्वारा जारी 05 मई, 2009 के का.ज्ञा.सं. 38/41/106-पी. एंड पीडब्ल्यू(ए) के अनुसार राष्ट्रीय पेंशन प्रणाली (एनपीएस) के अंतर्गत कवर किए

गए सरकारी कर्मचारी की सेवाकाल के दौरान मृत्यु अथवा अपंगता/अशक्तता के कारण सेवामुक्ति होने पर उन्हें दिनांक 01. 01.2004 से पहले नियुक्त कर्मचारियों के समकक्ष पेंशन/फैमिली पेंशन लाभ उपलब्ध हैं। इस संबंध में पीएफआरडीए (राष्ट्रीय पेंशन प्रणाली के अंतर्गत बहिर्गमन और आहरण) विनियमन, 2015 के विनियम 6(ङ.) में एक प्रावधान भी किया गया है।

पेंशन और पेंशनभोगी कल्याण विभाग के दिनांक 26.08. 2016 के का.ज्ञा.स. 07.05.2012 पी एंड पीडब्ल्यू(एफ)/बी के अंतर्गत एनपीएस द्वारा कवर किए गए केन्द्र सरकार के सभी कर्मचारियों को सेवानिवृत्ति उपदान और मृत्यु उपदान का लाभ भी प्रदान किया गया है।

[हिन्दी]

पीएमएसएसवाई के अंतर्गत अस्पताल

1650. श्री विजय कुमार हांसदाक:
श्री राम टहल चौधरी:

क्या **स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या झारखंड में प्रधान मंत्री स्वास्थ्य सुरक्षा योजना (पीएमएसएसवाई) के अंतर्गत इलाज प्रदान करने के लिए अस्पतालों के पैनल को अंतिम रूप दे दिया गया है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी राज्य/संघ राज्य क्षेत्र-वार ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या इस योजना के अंतर्गत झारखंड में निधि जारी की गई है;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ङ) क्या सरकार ने इस संबंध में जन-प्रतिनिधियों के लिए किसी विवेकाधीन कोटे का निर्धारण किया है; और

(च) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री अश्विनी कुमार चौबे): (क) से (घ) प्रधान मंत्री स्वास्थ्य सुरक्षा योजना (पीएमएसएसवाई) के तहत उपचार प्रदान करने के लिए अस्पतालों का पैनल बनाने का कोई प्रावधान नहीं है।

(ङ) और (च) प्रश्न नहीं उठता।

संदिग्ध लेन-देन के मामले

1651. श्री बी.एन. चन्द्रप्पा:
श्री नलीन कुमार कटील:
श्री डी.के. सुरेश:

क्या **वित्त मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या देश में विमुद्रीकरण के बाद कर-प्रोफाइल से मेल नहीं खाने वाले बड़ी संख्या में संदिग्ध मामले चिन्हित किए गए हैं और यदि हां; तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ख) देश में बैंक-वार और कंपनी-वार कर-प्रोफाइल से मेल नहीं खाने वाले कुल कितने संदिग्ध मामले चिन्हित किए गए हैं;

(ग) क्या सरकार ने ऐसे कदाचार में लिप्त लोगों के विरुद्ध कोई कदम उठाया है;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या; और

(ङ) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री शिव प्रताप शुक्ला): (क) से (घ) तक वित्तीय वर्ष 2016-17 तथा 2017-18 में, स्वच्छ धन अभियान के दोनों चरणों के दौरान नोटबंदी की अवधि में जमा नकदी के लगभग 22.69 लाख मामलों की पहचान के लिए नकद जमा राशि के आंकड़ों का विश्लेषण किया गया था, जिसका आगे सत्यापन किया जाना अपेक्षित था। ई-सत्यापन में, आयकर विभाग (आईटीडी) ने करदाताओं से नोटबंदी के दौरान, उनके द्वारा जमा की गई नकदी के स्रोत की सूचना मांगी थी। इस सूचना को करदाताओं द्वारा आयकर विभाग में जाये बिना ही ई-फाइलिंग पोर्टल जैसे कि *https://incometaxindiafilling.gov.in* के माध्यम से इलेक्ट्रॉनिकली फाइल किया जाना था। अब तक लगभग 11 लाख करदाताओं से अधिक ने, ऑनलाइन प्रतिक्रियाएं प्रस्तुत की हैं।

वित्तीय वर्ष 2017-18 के दौरान, आयकर अधिनियम, 1961 (अधिनियम) की धारा 142(1) के तहत ऐसे लगभग 3.04 लाख मामलों में नोटिस जारी किए गए हैं जहां करदाताओं ने 10 लाख या इससे अधिक नकदी जमा की थी परंतु रिटर्न फाइल नहीं किया था। इसके जवाब में, 2.09 लाख करदाताओं ने रिटर्न दायर किया तथा 6,416 करोड़ रुपए का स्व-निर्धारण कर अदा किया।

इसके अतिरिक्त, ऐसे 4.16 लाख करदाता जिन्होंने 5 से 10 लाख रुपए नकदी जमा की थी परंतु अपना रिटर्न फाइल नहीं किया था; के संबंध में, इलेक्ट्रॉनिक अभियान भी प्रारंभ किया था। इस भाग में, 605 करोड़ रुपए के स्व-निर्धारण कर का भुगतान करके 1.98 लाख करदाताओं ने अपना रिटर्न फाइल किया

2017 तथा 2018 में कम्प्यूटर समर्थित जांच चयन योजना (सीएसएस) के तहत, रिटर्न में उपलब्ध कर प्रोफाइल को, नकदी जमा आंकड़ों के साथ मिलाया गया था तथा केन्द्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड द्वारा अनुमोदित, जोखिम आधारित नियमावली पर आधारित जांच के लिए उच्च जोखिम वाले मामलों की पहचान की जा रही है।

(ङ) उपरोक्त उत्तर के संबंध में प्रश्न नहीं उठता।

[अनुवाद]

वेतन आयोग की रिपोर्ट

1652. श्री राजेन्द्र अग्रवाल: क्या **वित्त मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या क्रमिक वेतन आयोग की रिपोर्ट वेतन में बढ़ोतरी हेतु उनकी सिफारिशों को आंशिक रूप से स्वीकार कर सरकारी वित्त/खजाने पर बोझ बढ़ा रही है और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ख) क्या गत वेतन आयोग ने औसत से कम और औसत दर्जे के निष्पादन के उन्मूलन हेतु योग्य कर्मचारियों के लिए उत्पादकता संबंधी वेतन बढ़ाने का सुझाव दिया था और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या वेतन आयोग की सिफारिशों के फलस्वरूप वेतन में ऐसी आवधिक वृद्धि के कारण राज्य सरकार/लोक प्रतिष्ठानों के कर्मचारी भी ऐसी ही मांगें करते हैं जिसके परिणामस्वरूप पहले से ही वित्तीय बोझ झेल रहे राज्यों पर और बोझ बढ़ता है और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(घ) क्या सरकार वेतन आयोग गठित करने के स्थान पर भविष्य में केन्द्र सरकार के कर्मचारियों और पेंशन उपभोक्ताओं का वेतन और भत्ते बढ़ाने के लिए एक विकल्प पर विचार कर रही है और हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा पोत परिवहन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री पोन राधाकृष्णन): (क) सरकार द्वारा यथास्वीकृत केन्द्रीय वेतन आयोग की सिफारिशों का वित्तीय प्रभाव शुरुआती वर्ष में सामान्यत: अधिक स्पष्ट होता है और जैसे-जैसे अर्थव्यवस्था में तेजी आती है और राजकोषीय गुंजाइश बढ़ती है, यह धीरे-धीरे कम होता जाता है। पिछले केन्द्रीय वेतन आयोग अर्थात् सातवें केन्द्रीय वेतन आयोग की सिफारिशें लागू करते समय, सरकार ने इसका कार्यान्वयन दो वित्त वर्षों में फैला दिया है। वेतन और पेंशन से संबंधित सिफारिशें 01.01.2016 से लागू की गई थीं, जबकि भत्तों से संबंधित सिफारिशें एक समिति द्वारा जांच के पश्चात् 01.07.2017 से लागू की गई हैं। इससे सिफारिशों का वित्तीय प्रभाव कम हो गया है। इसके अतिरिक्त, पिछले छठे वेतन आयोग के विपरीत, जिसका बकाया राशि की मद में काफी प्रभाव पड़ा था, इस बार सातवें केन्द्रीय वेतन आयोग के संशोधित वेतन और पेंशन की बकाया राशि के कारण वर्ष 2016-17 में यह प्रभाव पिछले वित्त वर्ष 2015-16 के केवल 2 महीनों का था।

(ख) सातवें केन्द्रीय वेतन आयोग ने अपनी रिपोर्ट के पैरा 5.1.46 में ऐसे कर्मचारियों की वार्षिक वेतनवृद्धि रोकने का प्रस्ताव किया है जो संशोधित सुनिश्चित करियर प्रोन्नयन स्कीम अथवा अपनी सेवा के प्रथम 20 वर्षों में नियमित पदोन्नति का बेंचमार्क हासिल नहीं कर पाए हैं।

(ग) राज्य सरकारों के कर्मचारियों की सेवा शर्तें संबंधित राज्य सरकारों जो केन्द्र सरकार से संघीय रूप से स्वतंत्र हैं, के विशेष कार्यक्षेत्र में आती हैं। इसलिए, संबंधित राज्य सरकारों को इस मामले में स्वतंत्र रूप से विचार करना है।

(घ) सरकार ऐसे किसी प्रस्ताव पर विचार नहीं कर रही है।

आईआईएम, अहमदाबाद का बकाया सेवाकर/जीएसटी

1653. प्रो. सौगत राय: क्या **वित्त मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार ने भारतीय प्रबंधन संस्थान (आईआईएम) अहमदाबाद को सेवाकर और माल और सेवाकर (जीएसटी) के भारी मात्रा में भुगतान के लिए एक नोटिस जारी किया है और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ख) क्या सरकार संस्थानों द्वारा संचालित व्यावसायिक पाठ्यक्रमों के लिए शिक्षण शुल्क को भी जीएसटी में शामिल किया गया है और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) क्या जीएसटी प्रणाली कार्यान्वित होने से पहले के कार्यकाल के लिए भी जीएसटी लागू है और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री शिव प्रताप शुक्ला): (क) जी हां, सेवाकर विभाग में आईआईएम अहमदाबाद को 2014

से समस-समय पर कारण बताओ आठ नोटिस जारी किया है जिसमें वर्ष 2008-09 से 2015-16 तक की अवधि की बात आती है और इनमें लगभग 8606.89 लाख रुपए के सेवाकर की मांग की गयी है।

(ख) जी, नहीं।

इस सेवाकर की व्यवस्था में किसी शैक्षणिक संस्थान द्वारा अपने विद्यार्थियों शिक्षकों और कर्मचारियों को दी जाने वाली सेवा को पहले छूट दी गयी थी और इस छूट को अब भी जीएसटी की व्यवस्था में जारी रखा गया है। किसी शैक्षणिक संस्थान को ऐसे संस्थान के रूप में परिभाषित किया गया जो निम्नलिखित तरीके से अपनी सेवाएं प्रदान करती है – (i) विद्यालय के पूर्व की शिक्षा और हायर सेकेण्डरी स्कूल या समकक्ष, (ii) तत्समय लागू किसी कानून के द्वारा मान्यता प्राप्त अर्हता को प्राप्त करने के लिए पाठ्यक्रम के एक हिस्से के रूप में शिक्षा और (iii) किसी अनुमोदित व्यवसायिक शिक्षा पाठ्यक्रम के एक हिस्से के रूप में शिक्षा।

हालांकि आईआईएम जो कि न तो सरकारी संस्थान है और न ही ऐसा शिक्षण संस्थान है जिस पर सेवाकर एवं जीएसटी की छूट अधिसूचनाएं लागू होती हैं। अत: इस पर उन व्यवसायिक पाठ्यक्रमों पर लिए जाने वाले शिक्षण शुल्क का भुगतान करने का दायित्व बनता है जिन्हें किसी कानून द्वारा मान्यता प्राप्त नहीं है और न ही संबंधित छूट अधिसूचनाओं में जिनका उल्लेख है।

01.03.2016 से आईआईएम द्वारा चलाए गए विशेष पाठ्यक्रमों जैसे कि (i) दो वर्षीय पूर्ण कालिक पीजीपीएस पाठ्यक्रम जिसमें प्रवेश सीएटी परीक्षा के माध्यम से होता है, (ii) फेलो प्रोग्राम इन मैनेजमेंट और (iii) 5 वर्षीय इंटीग्रेटेड प्रोग्राम इन मैनेजमेंट, को अधिसूचना संख्या 9/2016-सेवाकर के तहत छूट दी गई है।

इसके अलावा संयुक्त सचिव टीआरयू के D.O.F. No. 334/8/2016-TRU, दिनांक 29 फरवरी, 2016 के तहत यह स्पष्ट कर दिया गया है कि आईआईएम को उपर्युक्त कार्यक्रम के तहत दी जाने वाली छूट स्पष्टीकरण के रूप में है और इसी बात के मुद्दनजर पिछली अवधि के संबंधित उक्त कार्यक्रमों को के बारे में सेवाकर के भुगतान की देयता निष्फल हो जाती है। हालांकि यह मामला 01.03.2016 से पहले की अवधि के संबंध में न्यायालय में विचाराधीन है।

इसके अलावा अधिसूचना सं. 12/2017 केन्द्रीय कर (दर), दिनांक 28.06.2017 के क्रम सं. 67 के तहत उपर्युक्त पाठ्यक्रमों को दी जाने वाली छूट को जीएसटी में भी जारी रखा गया है और इसे नॉन-रेजीडेंसियल प्रोग्राम्य पर भी लागू किया गया है।

(ग) जी नहीं।

[हिन्दी]

अल्पकालिक प्रमाणपत्र-पाठ्यक्रम

1654. श्री रत्न लाल कटारिया: क्या **आयुर्वेद, योग और प्राकृतिक चिकित्सा, यूनानी, सिद्ध और होम्योपैथी (आयुष) मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार के पास देश में योग शिक्षकों/प्रशिक्षकों के लिए अल्पकालिक प्रमाण-पत्र पाठ्यक्रम शुरू करने का कोई प्रस्ताव है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं; और

(ग) योग के लाभों का विश्वभर में किस प्रकार प्रचार-प्रसार किया जाएगा?

आयुर्वेद, योग और प्राकृतिक चिकित्सा, यूनानी, सिद्ध और होम्योपैथी (आयुष) मंत्रालय के राज्यमंत्री (श्री श्रीपाद येसो नाईक): (क) और (ख) आयुष मंत्रालय के अधीन मोरारजी देसाई राष्ट्रीय योग संस्थान (एमडीएनआईवाई) इस समय लक्षित समूहों के लिए अल्पकालिक योग प्रमाण पत्र पाठ्यक्रम अर्थात् स्वास्थ्य के लिए योग विज्ञान में प्रमाण पत्र पाठ्यक्रम संचालित कर रहा है।

विशेष रुचि समूह के लिए मास्टर प्रशिक्षकों हेतु यह 4 महीने का पूर्णकालिक पाठ्यक्रम है।

(ग) योग को बढ़ावा देने और देश तथा विदेश में इसके लाभों के प्रति जागरुकता फैलाने के लिए सरकार द्वारा किए गए उपायों के ब्यौरे निम्नलिखित शीर्षकों के तहत संक्षिप्त रूप में हैं:–

(i) राष्ट्रीय आयुष मिशन (एनएएम) जिसमें योग के लिए कार्यक्रम शामिल हैं।

(ii) केन्द्रीय योग व प्राकृतिक चिकित्सा अनुसंधान परिषद (सीसीआरवाईएन), नई दिल्ली।

(iii) मोरारजी देसाई राष्ट्रीय योग संस्थान (एमडीएनआईवाई), नई दिल्ली।

(iv) राष्ट्रीय प्राकृतिक चिकित्सा संस्थान, पुणे।

(v) विदेश मंत्रालय

ब्यौरे संलग्न विवरण पर दिया गया है।

विवरण

योग के संवर्धन के लिए सरकार द्वारा उठाए जा रहे कदम:

I. आयुष मंत्रालय

(क) राष्ट्रीय आयुष मिशन (एनएएम)

(i) प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्रों, सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्रों और जिला अस्पतालों में योग व प्राकृतिक चिकित्सा सहित आयुष सुविधाओं की सहस्थापना।

(ii) योग व प्राकृतिक चिकित्सा सहित एकमात्र राजकीय आयुष अस्पतालों और औषधायलों का उन्नयन।

(iii) योग व प्राकृतिक चिकित्सा सहित 50 बिस्तर तक के एकीकृत आयुष अस्पताल की स्थापना।

(iv) योग व प्राकृतिक चिकित्सा सहित राज्य सरकार के शैक्षणिक संस्थानों का उन्नयन।

(v) उस राज्य में योग व प्राकृतिक चिकित्सा सहित राज्य सरकार के नए आयुष शैक्षणिक संस्थान आरंभ करना जहां ये उपलब्ध नहीं हैं।

(vi) एनएएम स्कीम के नम्य घटक के अंतर्गत योग स्वास्थ्य केन्द्रों में अनुदान सहायता देने का प्रावधान किया गया है।

II. केंद्रीय योग व प्राकृतिक चिकित्सा अनुसंधान परिषद (सीसीआरवाईएन), नई दिल्ली।

(i) केन्द्रीय योग व प्राकृतिक चिकित्सा अनुसंधान संस्थान (सीआरआईवाईएन), रोहिणी, दिल्ली संचालित कर रहा है।

(ii) सहयोगात्मक अनुसंधान केन्द्र।

(iii) बहुकेन्द्रिक अनुसंधान अध्ययन संचालित करना।

(iv) योग व प्राकृतिक चिकित्सा की ओपीडी स्थापित करना।

(v) स्वास्थ्य मेलों/प्रदर्शनियों में भागीदारी के माध्यम से प्रशिक्षण, संवर्धन और प्रचार संबंधी क्रियाकलाप।

(vi) भारत के सभी जिलों में एक माह के प्रशिक्षण कार्यक्रम के आयोजन द्वारा अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस मनाना।

(vii) योग व प्राकृतिक चिकित्सा क्लीनिक/अस्पताल स्थापित अथवा संचालित करने के लिए वित्तीय सहायता की स्कीम।

(viii) विभिन्न राज्यों में योग उत्सवों का आयोजन।

(ix) योग पार्क की स्थापना।

III. मोरारजी देसाई राष्ट्रीय योग संस्थान (एमडीएनआईवाई), नई दिल्ली।

(i) 19 सीजीएचएस स्वास्थ्य केन्द्रों और तृतीयक/एलोपैथी अस्पतालों में 4 योग उपचार केन्द्रों में योग ओपीडी चलाना और योग उपचार प्रदान करना।

(ii) योग में प्रमाण पत्र, डिप्लोमा और डिग्री पाठ्यक्रम संचालित करना।

(iii) लोगों में योग संबंधी जागरुकता पैदा करने के लिए प्रत्येक वर्ष 21 जून को अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस मनाया जाता है।

(iv) लोगों के बीच योग संबंधी जागरुकता पैदा करने के लिए संगोष्ठियों/सम्मेलनों/कार्यशालाओं और विशेष व्याख्यानों का आयोजन।

(v) भारतीय खेल प्राधिकरण के 4 स्टेडियमों में योग केन्द्र संचालित किए जा रहे हैं।

IV. राष्ट्रीय प्राकृतिक चिकित्सा संस्थान (एनआईएन), पुणे

(i) ओपीडी क्लीनिक संचालित किया जा रहा है।

(ii) विभिन्न सरकारी कार्यालयों, संस्थानों, स्कूलों, कॉलजों आदि में योग शिविरों का आयोजन।

(iii) पुणे के बाहर प्रशिक्षक प्रशिक्षण (टीओटी) कार्यक्रम संचालित करना।

(iv) 10वीं पास छात्रों के लिए एक वर्ष का पूर्णकालिक "उपचार सहायक प्रशिक्षण पाठ्यक्रम" संचालित करना।

V. विदेश मंत्रालय

विदेश मंत्रालय भारतीय सांस्कृतिक संबंध परिषद (आईसीसीआर) के माध्यम से विभिन्न योग संबंधी क्रियाकलाप आयोजित

करता है। विदेश मंत्रालय प्रदर्शन और वितरण के लिए भारतीय मिशनों को योग व यौगिक अभ्यासों के विभिन्न पहलुओं पर विडियो, वृत्तचित्र, कॉफी टेबल बुक, निदेशात्मक पुस्तिकाओं सहित प्रचार सामग्री भी मुहैया कराता है। विदेश स्थित भारतीय मिशन प्रति वर्ष अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के अवसर पर योग को बढ़ावा देने के लिए विभिन्न क्रियाकलाप भी आयोजित करते हैं।

सुकन्या समृद्धि योजना

1655. श्री निहाल चन्द:
श्रीमती कमला पाटले:

क्या **वित्त मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार ने सुकन्या समृद्धि योजना की आवृत्ति से संबंधित कोई आकलन किया है और यदि हां, तो देश में इस योजना के अंतर्गत अब तक राज्य-वार कुल कितने खाते खोले गए हैं;

(ख) क्या उक्त योजना अपने निर्धारित लक्ष्य को प्राप्त करने में सफल रही है और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) सरकार द्वारा इस योजना के सफल कार्यान्वयन और देश में बालिकाओं को लाभ प्रदान करने के लिए क्या प्रभावी कदम उठाए गए हैं;

(घ) क्या सरकार ने इस योजना को कार्यान्वित करने के लिए राज्यों पर कोई जिम्मेदारी तय की है; और

(ङ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा पोत परिवहन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री पोन राधाकृष्णन): (क) जी, हां। देश में सुकन्या समृद्धि योजना शुरू होने के समय से राज्य-वार खोले गए खातों की संख्या निम्नानुसार है:–

क्र. सं.	राज्य का नाम	30 जून, 2018 तक खोले गए खाते
1	2	3
1.	अंडमान और निकोबार द्वीपसमूह	2,327
2.	आंध्र प्रदेश	7,11,392
3.	अरुणाचल प्रदेश	12,700
4.	असम	2,17,728
5.	बिहार	6,01,464
6.	चंडीगढ़	9,500
7.	छत्तीसगढ़	3,94,836
8.	दादरा और नगर हवेली	895
9.	दमन और दीव	1,156
10.	दिल्ली	2,72,127
11.	गोवा	37,207
12.	गुजरात	4,84,348
13.	हरियाणा	4,62,377
14.	हिमाचल प्रदेश	2,24,028
15.	जम्मू और कश्मीर	1,45,055
16.	झारखंड	5,81,408
17.	कर्नाटक	11,99,310
18.	केरल	4,29,616
19.	लक्षद्वीप	10
20.	मध्य प्रदेश	6,24,975
21.	महाराष्ट्र	11,66,040
22.	मणिपुर	27,128
23.	मेघालय	10,072
24.	मिजोरम	4,073
25.	नागालैंड	5,472
26.	ओडिशा	5,36,638
27.	पुदुचेरी	8,838
28.	पंजाब	3,72,761
29.	राजस्थान	6,63,158

1	2	3
30.	सिक्किम	8,630
31.	तमिलनाडु	15,94,443
32.	तेलंगाना	4,96,615
33.	त्रिपुरा	25,868
34.	उत्तर प्रदेश	15,08,668
35.	उत्तराखंड	3,45,041
36.	पश्चिम बंगाल	7,99,538
	कुल	1,39,85,442

(ख) इस स्कीम के अंतर्गत 30 जून, 2018 तक कुल 1,39,85,442 खाते खाले गए हैं और सुकन्या के नामे 25,979. 62 करोड़ रुपए की राशि सुरक्षित जमा की गई है।

(ग) इस स्कीम का व्यापक कवरेज सुनिश्चित करने के लिए सभी डाक घरों, सरकारी क्षेत्र के सभी बैंकों और तीन निजी क्षेत्र के बैंकों को इस स्कीम को संचालित करने के लिए अधिकृत किया गया है। खाता खोलने के लिए 250 रुपए की न्यूनतम राशि जमा कराई जाती है जिसके द्वारा न्यूनतम आय समूह वाले कन्याओं के परिवारों के लिए इसे लुभावना बनाया जाता है।

(घ) और (ङ) इस स्कीम के दिशा-निर्देशों में राज्यों द्वारा क्रियान्वित करने के निर्धारित लक्ष्यों की परिकल्पना नहीं की गई है।

जलवायु परिवर्तन का प्रभाव

1656. श्री राजेश वर्मा: क्या **पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या जलवायु परिवर्तन के प्रभाव के कारण विभिन्न प्रकार के जीव लुप्त होने के कगार पर हैं और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ख) क्या सरकार ने अनाज के पोषक तत्व पर जलवायु परिवर्तन के प्रभाव और इसके कारण बच्चों में कुपोषण के मामलों में वृद्धि पर कोई आकलन किया है;

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(घ) जीवों को लुप्त होने से बचाने और खाद्यान्न के उत्पादन पर जलवायु परिवर्तन के प्रभाव को कम करने के लिए सरकार द्वारा क्या सुधारात्मक कदम उठाए गए हैं?

संस्कृति मंत्रालय के राज्य मंत्री तथा पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय में राज्य मंत्री (डॉ. महेश शर्मा): (क) वैश्विक तापन वनस्पतियों के साथ-साथ जीवों के पर्यावासों को प्रतिकूल रूप से प्रभावित करता है। जलवायु परिवर्तन संबंधी अंतर-सरकारी पैनल (आईपीसीसी) की 2007 में प्रकाशित चौथी आकलन रिपोर्ट के अनुसार यह अनुमान लगाया गया है कि आकलन की गई औसत 20 से 30% प्रजातियों पर संभवत: इस शताब्दी के भीतर जलवायु परिवर्तन के प्रभावों से विलुप्त होने का अत्यधिक खतरा होने की संभावना है क्योंकि वैश्विक औसत तापमान पूर्व-औद्योगिक स्तरों के सापेक्ष 2 डिग्री सेल्सियस से 3 डिग्री सेल्सियस तक बढ़ा है। वैश्विक औसत तापमान पूर्व-औद्योगिक स्तरों से 4 डिग्री सेल्सियस अधिक होने पर, मॉडल अनुमान पूरे विश्व में आकलन की गई 40-70% प्रजातियों के विलुप्त होने का महत्वपूर्ण संकेत देते हैं। इसके अतिरिक्त, जी.बी. पंत राष्ट्रीय हिमालयी पर्यावरण और सतत विकास संस्थान द्वारा किए गए अध्ययन में बताया गया है कि पश्चिमी हिमालयी क्षेत्र में कई खाद्य फसलें स्थानीय रूप से विलुप्त होने के कगार पर हैं।

(ख) और (ग) भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद (आईसीएआर) के जलवायु सुनम्य कृषि पर राष्ट्रीय नवाचार (आईआईसीआरए) परियोजना के अंतर्गत अनुसंधान दर्शाता है कि CO_2 का बढ़े स्तर से मक्का अनाज में लौह, जस्ता और प्रोटीन के तत्व कम हो जाते हैं। तथापि, अनाज के पोषक तत्व पर जलवायु परिवर्तन के प्रभाव और इसके कारण बच्चों में होने वाले कुपोषण के आकलन के लिए कोई विशेष अध्ययन नहीं किए गए हैं।

(घ) सरकार ने जैविक संसाधनों को संरक्षित करने, इसके घटकों के सतत उपयोग और जैविक संसाधनों के उपयोग से होने वाले लाभों के निष्पक्ष और समान बटवारे के उद्देश्य के साथ जैविक विविधता अधिनियम, 2002 प्रवर्तित किया है। यह अधिनियम, केन्द्रीय सरकार को संबंधित राज्य सरकार के साथ विचार-विमर्श करके किसी प्रजाति को जो विलुप्त होने के कगार पर है या निकट भविष्य में संकटापन्न प्रजातियों के रूप में इनके विलुप्त होने की संभावना है को समय-समय पर अधिसूचित करने और इनके संग्रह को प्रतिबंधित या नियंत्रित करने तथा साथ ही उन प्रजातियों की पुन:बहाली और संरक्षण के लिए उचित कदम उठाने के लिए शक्ति संपन्न बनाता है।

भारत सरकार ने विभिन्न जैव-भौगोलिक क्षेत्रों में 103 राष्ट्रीय उद्यानों, 544 वन्यजीव अभयारण्यों, 46 सामुदायिक आरक्षित क्षेत्रों और 76 संरक्षण आरक्षित क्षेत्रों सहित जिसमें मुख्य रूप से संकटापन्न वनस्पतियों और जीवों के पर्यावास शामिल हैं, 769 संरक्षित क्षेत्रों के साथ एक देश-व्यापी संरक्षित क्षेत्र नेटवर्क स्थापित किया है।

आईसीएआर ने कृषि क्षेत्र में जलवायु परिवर्तन के अनुकूलन के निराकरण के लिए 623 जिला आकस्मिक योजनाएं विकसित की हैं। आईसीएआर के अंतर्गत कई कृषि अनुसंधान संगठन और केन्द्र और राज्य स्तर पर सरकार घास-पात का प्रबंधन, फसल अवशेष पुनर्चक्रण, जुताई में कमी, जैविक खाद का उपयोग, मृदा परीक्षण और संतुलित पोषण तथा उपजाऊ मृदा कार्यक्रम जैसे अनुकूलन उपायों को बढ़ावा दे रही है जो कृषि उत्पादन/उत्पादकता और जैव-विविधता बढ़ाने में मदद करते हैं। इसके अतिरिक्त, कृषि संबंधी महत्वपूर्ण सूक्ष्म जीवों पर अजैविक दबाव कम करके उन्हें अलग रख कर विशेष ध्यान दिया जा रहा है।

राष्ट्रीय महिला कोष में फर्जी एनजीओ

1657. डॉ. बंशीलाल महतो: क्या **महिला और बाल विकास मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार के ध्यान में गत तीन वर्षों में प्रत्येक वर्ष और चालू वर्ष के दौरान राष्ट्रीय महिला कोष (आरएमके) के अंतर्गत विभिन्न योजनाओं के कार्यान्वयन में कुछ फर्जी गैर-सरकारी संगठनों (एनजीओ) को शामिल करने के मामले सामने आए हैं;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी राज्य/संघ राज्य क्षेत्र-वार ब्यौरा क्या है और सरकार द्वारा उनके विरुद्ध क्या कार्रवाई की गई है/करने का प्रस्ताव है;

(ग) देश में महिलाओं और सशक्तीकरण में राष्ट्रीय महिला कोष (आरएमके) की क्या भूमिका है; और

(घ) आरएमके के अंतर्गत विभिन्न योजनाओं के प्रभावी कार्यान्वयने के लिए वर्तमान में क्या तंत्र हैं?

महिला और बाल विकास मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा अल्पसंख्यक कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (डॉ. वीरेन्द्र कुमार): (क) जी, नहीं।

(ख) प्रश्न नहीं उठता।

(ग) भारत सरकार ने केवल महिलाओं हेतु वित्त पोषण के शीर्ष संगठन के रूप में 30.03.1993 को राष्ट्रीय महिला कोष (आरएमके) का गठन किया है। आरएमके सामाजिक-आर्थिक हेतु महिलाओं में उद्यमियता के कौशलों के विस्तार के लिए प्रोत्साहन एवं समर्थन प्रदान करने के अलावा गरीब महिला लाभार्थियों को ऋण देने हेतु एनजीओ जैसे मध्यवर्ती सूक्ष्म वित्त पोषण संगठनों (आईएमओ) को ऋण प्रदान करता है।

(घ) योजनाओं के प्रभावी कार्यान्वयन तथा निधियों के समुचित उपयोग की जांच करने के लिए आरएमके द्वारा बहुस्तरीय निगरानी तंत्र स्थापित किया गया है:–

(i) एनजीओ द्वारा प्रस्तुत प्रस्तावों की उनकी पात्रता के लिए जांच की जाती है।

(ii) केवल नीति आयोग पोर्टल पर सूचीबद्ध एनजीओ के प्रस्तावों पर विचार किया जाता है।

(iii) एनजीओ द्वारा प्रस्तुत प्रस्तावों के ब्यौरों के सत्यापन के लिए संस्वीकृति पूर्व दौरे किए जाते हैं।

(iv) ऋण पर विचार हेतु संस्वीकृति पूर्व रिपोर्ट ऋण समिति के समक्ष रखी जाती है।

(v) एनजीओ द्वारा ऋण लेने का काम पूरा हो जाने के बाद सत्यापन के लिए आरएमके के अधिकारियों द्वारा संस्वीकृति पश्चात दौरे किए जाते हैं।

(vi) एनजीओ ऋण की गतिविधि पर नियमित रूप से वित्तीय रिपोर्टें प्रस्तुत करते हैं।

(vii) प्रत्येक संस्वीकृत ऋण का नियमित अनुवर्तन किया जाता है।

(viii) चूककर्ताओं के विरुद्ध कारण बताओ नोटिस, कानूनी कार्रवाई, काली सूची में डालना आदि का सहारा लिया जाता है।

[अनुवाद]

जल और वायु प्रदूषण

1658. श्री भीमराव बी. पाटील: क्या **पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) देश में गत तीन वर्षों में किन-किन पांच प्रमुख शहरों में जल और वायु प्रदूषण का अधिकतम स्तर रिकॉर्ड किया गया

है और वर्तमान में उन शहरों में क्या बदलाव और वृद्धि देखी गई है;

(ख) पांच प्रमुख नदियों में प्रदूषण और उक्त अवधि के दौरान जल प्रदूषण का अधिकतम स्तर रिकॉर्ड करने वाले शहरों से संबंधित तुलनात्मक ब्यौरा क्या है; और

(ग) गत तीन वर्षों के दौरान इन स्थानों पर प्रदूषण नियंत्रित करने के लिए किए गए उपायों का क्या निष्कर्ष है?

संस्कृति मंत्रालय के राज्य मंत्री तथा पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय में राज्य मंत्री (डॉ. महेश शर्मा): (क) और (ख) केन्द्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, राष्ट्रीय वायु गुणवत्ता निगरानी कार्यक्रम के अंतर्गत परिवेशी वायु गुणवत्ता की निगरानी कर रहा है। 2014-16 के दौरान NO_2, PM_{10} और $PM_{2.5}$ की उच्चतम सांद्रता वाले पांच शहर विवरण-I में दिए गए हैं।

राष्ट्रीय जल गुणवत्ता निगरानी कार्यक्रम के अंतर्गत की गई जल गुणवत्ता की निगरानी शहर केन्द्रित नहीं है। नवीनतम आकलन के अनुसार केन्द्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड ने 293 नदियों में 317 प्रदूषित नदी प्रवाह क्षेत्रों को अभिज्ञात किया है जिनका ब्यौरा विवरण-II पर दिया गया है। 2017 में पांच सबसे प्रदूषित नदी तटाग्रों के साथ लगे अभिज्ञात शहर मिथी नदी के साथ बृहत्तर मुंबई, हिंडन नदी के साथ गाजियाबाद, सतलुज नदी के साथ लुधियाना, यमुना नदी के साथ दिल्ली और खान नदी के साथ इंदौर हैं।

(ग) जल और वायु प्रदूषण के उपशमन हेतु किए गए उपायों के फलस्वरूप, सामान्य परिदृश्य में होने वाले कार्य की तुलना में उन प्रदूषणों के स्तरों में कमी आई है।

विवरण-I

वर्ष 2014 से 2016 के दौरान NO_2, PM_{10} और $PM_{2.5}$ (अवरोही क्रम में वार्षिक औसत) के संबंध में राष्ट्रीय परिवेशी वायु गुणवत्ता मानकों का उल्लंघन कर रहे शहर

मानदंड	वर्ष	शहरों के नाम
1	2	3
NO_2	2014	डोंबिवली/अंबरनाथ, कोलकाता, दिल्ली, ठाणे, बदलापुर
	2015	फरीदाबाद, दिल्ली, पुणे, बैरकपुर, ठाणे
	2016	पुणे, डोंबिवली/अंबरनाथ, बदलापुर, पिंपरी-चिंचवाड़, उल्हासनगर
PM_{10}	2014	इलाहाबाद, गजियाबद, अलवर, बरेली, दिल्ली
	2015	गजियाबाद, इलाहाबाद, बरेली, दिल्ली, रांची
	2016	झरिया, दिल्ली, भिवाड़ी वाराणसी, बरेली
$PM_{2.5}$	2014	दिल्ली, भोपाल, कटक, संगारेड्डी
	2015	भोपाल, दिल्ली तलचर, ग्वालियर, बैरकपुर
	2016	दिल्ली, आसनसोल, दुर्गापुर, कोलकाता, हावड़ा

विवरण-II

प्रदूषित नदी प्रवाह क्षेत्रों और शहरों/कस्बों की राज्य-वार संख्या

राज्य का नाम	प्रदूषित नदी प्रवाह क्षेत्रों की संख्या	प्रदूषित नदी प्रवाह क्षेत्रों के किनारे बसे शहर/कस्बे
1	2	3
आंध्र प्रदेश	5	10
असम	31	50
बिहार	15	22
छत्तीसगढ़	3	11
दमन और दीव, दादरा और नगर हवेली	1	2
दिल्ली	1	1
गोवा	15	21
गुजरात	14	27
हरियाणा	2	7
हिमाचल प्रदेश	6	10
जम्मू और कश्मीर	7	16
झारखंड	6	10
कर्नाटक	16	23

1	2	3
केरल	23	34
मध्य प्रदेश	20	41
महाराष्ट्र	56	170
मणिपुर	3	4
मेघालय	7	7
नागालैंड	3	4
ओडिशा	18	31
पांडिचेरी	1	1
पंजाब	2	5
राजस्थान	1	5
सिक्किम	3	9
तमिलनाडु	8	24
तेलंगाना	9	19
त्रिपुरा	2	4
उत्तर प्रदेश	13	36
उत्तराखंड	9	11
पश्चिम बंगाल	17	44
कुल	317	659

[हिन्दी]

लघु निवेशकों की रक्षा हेतु योजना

1659. श्री भैरों प्रसाद मिश्र: क्या **वित्त मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार ने लघु निवेशकों की रक्षा के लिए और उन्हें राष्ट्रीयकृत बैंकों की बचत योजनाओं में अपनी बचत का निवेश करने के लिए उत्साहित करने हेतु एक नई प्रचार योजना कार्यान्वित/प्रस्तावित की है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) इसके कब तक कार्यान्वित होने की संभावना है?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री शिव प्रताप शुक्ला): (क) से (ग) वित्तीय समावेशन को बढ़ावा देने के उद्देश्य से प्रधानमंत्री जन-धन योजना (पीएमजेडीवाई) के तहत सार्वभौमिक आधार पर बैकिंग सेवाएं प्रदान की जाती हैं। पीएमजेडीवाई खातों में न्यूनतम शेष राशि बनाए रखने की कोई आवश्यकता नहीं है। दिनांक 18.07.2018 की स्थिति के अनुसार पीएमजेडीवाई के तहत 32.09 करोड़ खाते खोले गए हैं जिनमें से 18.91 करोड़ (58.93%) खाते ग्रामीण/अर्ध-शहरी क्षेत्रों में और 16.95 करोड़ (52.32%) खाते महिला लाभार्थियों द्वारा खोले गए हैं, जिसमें कुल 79,562.63 करोड़ रुपए की जमाराशि है। पीएमजेडीवाई खाताधारक बैंकों द्वारा प्रदान की जा रही लचीली आवर्ती जमा जैसे उत्पादों में भी निवेश कर सकते हैं।

इसके अलावा, भारत सरकार की दिनांक 10.10.2017 की अधिसूचना के अनुसार सरकारी क्षेत्र के सभी बैंक, आईसीआईसीआई बैंक, ऐक्सिस बैंक तथा एचडीएफसी बैंक को मौजूदा लघु बचत योजनाओं के अतिरिक्त राष्ट्रीय बचत सावधि जमा नियम, 1981, राष्ट्रीय बचत (मासिक आय खाता) नियम, 1987, राष्ट्रीय बचत आवर्ती जमा नियम, 1981 तथा राष्ट्रीय बचत पत्र (VIII संस्करण) योजना, 1989 के तहत अंशदान प्राप्त करने के लिए प्राधिकृत कर दिया गया है।

सरकारी बैंकों में पूंजी डालना

1660. डॉ पी. वेणुगोपाल: क्या **वित्त मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या वित्त वर्ष 2018 की चौथी तिमाही में सरकारी बैंकों (पीएसबी) को 50,000 करोड़ रुपए का रिकार्ड घाटा होने की संभावना है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी बैंक-वार ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या इससे सरकार को पूर्व योजना से ज्यादा पूंजी डालने पर विवश होना पड़ेगा; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री शिव प्रताप शुक्ला): (क) और (ख) वित्त वर्ष 2017-18 के दौरान निवल लाभ/हानि का बैंक-वार ब्यौरा संलग्न विवरण पर दिया गया है।

(ग) और (घ) सरकार ने अक्टूबर 2017 में सरकारी क्षेत्र के बैंकों को वित्त वर्ष 2017-18 और 2018-19 के दौरान पुनर्पूंजीकृत करने के निर्णय की घोषणा की थी। इसमें लगभग 2,11,000 करोड़ रुपए की पूंजी जुटाना शामिल है जिसमें से सरकार द्वारा विशेष प्रतिभूतियों (पुनर्पूंजीकरण बाण्डों) के मिश्रण तथा बजटीय सहायता के माध्यम से सरकार द्वारा 1,53,139 करोड़ रुपए का निवेश किया जाना है तथा शेष को बाजार से पूंजी जुटाने के माध्यम से किया जाएगा। इसके अनुसरण में, वित्त वर्ष 2017-17 की दूसरी छमाही में 88,139 करोड़ रुपए निवेश किया गया था। इस उद्देश्य के लिए केन्द्रीय बजट 2018-19 में 65,000 करोड़ रुपए का बजट प्रावधान किया गया है तथा अब तक बैंकों में 11,337 करोड़ रुपए का निवेश किया जा चुका है। इसके अतिरिक्त, बैंकों में सरकार की शेयरधारिता को कम करते हुए नई इक्विटी जारी करके तथा गैर-प्रमुख आस्तियों की बिक्री के माध्यम से बाजारों से 11,948 करोड़ रुपए जुटा लिए हैं।

विवरण

वित्त वर्ष 2017-18 में पीएसबी के निवल लाभ/ हानि का विवरण

राशि करोड़ रुपए में

क्र. सं.	बैंक	निवल लाभ (नकारात्मक चिह्न वाली वाली राशियां हानियां हैं)*
1	2	3
1.	इलाहाबाद बैंक	-4,674
2.	आन्ध्रा बैंक	-3,413
3.	बैंक ऑफ बड़ौदा	-2,432
4.	बैंक ऑफ इंडिया	-6,044
5.	बैंक ऑफ महाराष्ट्र	-1,146
6.	केनरा बैंक	-4,222
7.	सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया	-5,105
8.	कार्पोरेशन बैंक	-4,054
9.	देना बैंक	-1,923
10.	आईडीबीआई बैंक लिमिटेड	-8,238
11.	इंडियन बैंक	-1,259
12.	इंडियन ओवरसीज बैंक	-6,299
13.	ओरियंटल बैंक ऑफ कॉमर्स	-5,872
14.	पंजाब एंड सिंध बैंक	-744
15.	पंजाब नेशनल बैंक	-12,283
16.	भारतीय स्टेट बैंक	-6,547
17.	सिंडिकेट बैंक	-3,223
18.	यूको बैंक	-4,436
19.	यूनियन बैंक ऑफ इंडिया	-5,247
20.	युनाइटेड बैंक ऑफ इंडिया	-1,454
21.	विजया बैंक	727

स्रोत: भारतीय रिजर्व बैंक

*जबकि बैंकों को परिचालनों में लाभ हुआ है, उनकी निवल हानियां मुख्यतया वर्ष 2015 में प्रारंभ की गई एक्यूआर और तदनंतर बैंकों द्वारा पारदर्शी पहचान के परिणामस्वरूप पहचाने गए एनपीए हेतु लगातार पुराने प्रावधान के कारण हैं।

धोखाधड़ी वाले ई-लेनदेन

1661. श्री निशिकान्त दुबे:
श्री रवीन्द्र कुमार पाण्डेय:

क्या **वित्त मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार एवं निजी क्षेत्र के बैंकों में ई-लेनदेन धोखाधड़ी से संबंधित साइबर अपराधों में हाल के वर्षों में वृद्धि हुई है; और

(ख) यदि हां, तो गत 3 वर्षों में प्रत्येक वर्ष एवं चालू वर्ष के दौरान तत्संबंधी बैंक-वार एवं झारखंड सहित राज्य/संघ राज्य क्षेत्र-वार ब्यौरा क्या है?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री शिव प्रताप शुक्ला): (क) और (ख) भारतीय रिजर्व बैंक (आरबीआई) के अनुसार, धोखाधड़ीपूर्ण ई-लेनदेन, जिनमें 1 लाख रुपए या इससे अधिक की राशि अंतर्ग्रस्त है, का गत तीन वर्ष वित्तीय वर्ष 2015-16, 2016-17, 2017-18 तथा जून 2018 तक की तिमाही के दौरान बैंक-वार और झारखंड सहित राज्य-वार ब्यौरा क्रमश: संलग्न विवरण-I और विवरण-II में दिया गया है।

विवरण-I

गत तीन वर्ष के दौरान सूचित क्रेडिट कार्ड/डेबिट कार्ड तथा इंटरनेट बैंकिंग से संबंधित धोखाधड़ी के मामले (जिनमें 1.00 लाख रुपए इससे अधिक राशि अंतर्ग्रस्त) का बैंक-वार ब्यौरा

बैंक का नाम	2015-16		2016-17		2017-18		अप्रैल 2018 से जून 2018	
	धोखाधड़ियों की संख्या	अंतर्ग्रस्त राशि लाख रुपए में	धोखाधड़ियों की संख्या	अंतर्ग्रस्त राशि लाख रुपए में	धोखाधड़ियों की संख्या	अंतर्ग्रस्त राशि लाख रुपए में	धोखाधड़ियों की संख्या	अंतर्ग्रस्त राशि लाख रुपए में
1	2	3	4	5	6	7	8	9
अमेरिकन एक्सप्रेस बैंकिंग कार्पोरेशन	154	575.86	164	552.46	349	1175.62	51	117.3
एयू स्मॉल फाइनेंस बैंक							1	3.53
आंध्रा बैंक	0	0	1	5.36				
एक्सिस बैंक लिमिटेड	86	603.63	64	381.25	73	238.44	17	24.84
बैंक ऑफ अमेरिका					16	35.23	4	8.48
बैंक ऑफ वड़ौदा	13	61.77	4	103.02	3	16.76		
बैंक ऑफ इंडिया	4	37.1	1	2.11	2	9.03	2	41.02
बैंक ऑफ महाराष्ट्र	1	3.57	1	1.65				
भारतीय महिला बैंक लिमिटेड	0	0	1	1.17				
केनरा बैंक	1	1.12	1	453.66	3	31.8	4	94.82
सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया	11	64.31	3	6.09	8	297.79	6	9.16
सिटी बैंक एनए	106	253.62	161	419.68	203	1149.15	40	125.54
सिटी यूनियन बैंक					1	3155.92		
कार्पोरेशन बैंक	8	57.98	21	32.68	1	1	1	2

1	2	3	4	5	6	7	8	9
डीबीएस बैंक							1	1
देना बैंक	0	0	1	1	2	4.98		
ड्यूश बैंक (एशिया)	1	1.5			5	9.56	4	4.3
धनलक्ष्मी बैंक लिमिटेड	0	0						
डेवलपमेंट क्रेडिट बैंक					1	2.82		
ईएसएएफ स्मोल फाइनेंस बैंक							1	2.79
फेडरल बैंक लिमिटैड	0	0	2	27.44	10	192.49		
फिनकेयर स्मॉल फाइनेंस बैंक							6	9.97
फस्टरैंड बैंक	0	0	1	1.67				
एचडीएफसी बैंक लिमिटेड	164	350.61	140	254.66	159	500.51	31	88.42
हांगकांग और शंघाई बैंकिंग कॉर्पोरेशन लिमिटेड	35	81.03	48	99.13	272	508.08	61	106.97
आईसीआईसीआई बैंक लिमिटेड	340	921.51	273	784.23	393	826.40	29	56.32
आईडीबीआई बैंक लिमिटेड	52	77.73	30	56.28	39	250.16	3	4.41
आईडीएफसी लिमिटेड					1	1.98		
इंडियन बैंक	3	6.96	28	106.85	7	29.76	3	3.76
इंडियन ओवरसीज बैंक	0	0						
इंडसइंड बैंक लिमिटेड	4	47.08	3	33.1	14	160.82	5	24.25
जम्मू एंड कश्मीर बैंक लिमिटेड	0	0	1	9.4				
कर्नाटक बैंक लिमिटेड	0	0			2	24.24	1	1.6
करूर वैश्य बैंक लिमिटेड	0	0	2	13.26				

कोरिया एक्सचेंज बैंक	0	0	1	1.28				
कोटक महिंद्रा बैंक लिमिटेड	42	416.56	75	143.4	239	506.93	88	170.27
लक्ष्मी विलास बैंक लिमिटेड	1	2.4	1	1.06	2	355.15		
ओरियंटल बैंक ऑफ कॉमर्स	5	9.34					2	1559.42
पंजाब नेशनल बैंक	3	10.16	1	6.13	4	6.56		
आरबीएल बैंक लिमिटेड	6	39.74	8	19.37	13	220.4	2	4.88
शिनहान बैंक	1	1.46	1	1				
साउथ इंडियन बैंक लिमिटेड	0	0	1	4.01	1	2.23	1	1.21
स्टैंडर्ड चार्टर्ड बैंक	122	269.88	314	590.73	80	158.2	18	23.31
भारतीय स्टेट बैंक	5	20.13	6	119.16	574	5029.72	270	911.44
स्टेट बैंक ऑफ त्रावणकोर	0	0	2	9.16				
सिंडिकेट बैंक	9	34.85	1	1.58	1	30	1	2.2
तमिलनाड मर्केटाइल बैंक लिमिटैड	1	29.5			1	2.52		
रॉयल बैंक ऑफ स्कॉटलैंड एनवी	7	11.04						
यूको बैंक	0	0	2	5.31				
यूनियन बैंक ऑफ इंडिया	6	29.68	3	25.69	3	11.73	4	8.7
यूनाइटेड बैंक ऑफ इंडिया					4	11.03		
विजया बैंक	0	0	5	44.45	1	4.54	1	18.03
यस बैंक लिमिटेड	0	0			1	1	3	6.9
सकल योग	1191	4020.12	1372	4318.48	2488	14962.6	661	3436.84

स्रोत: आरबीआई

विवरण-II

गत तीन वर्ष के दौरान सूचित क्रेडिट कार्ड/डेबिट कार्ड तथा इंटरनेट बैंकिंग से संबंधित धोखाधड़ी के मामले (जिनमें 1.00 लाख रुपए इससे अधिक राशि अंतर्ग्रस्त) का बैंक-वार ब्यौरा

बैंक का नाम	2015-16		2016-17		2017-18		अप्रैल, 2018 से जून, 2018	
	धोखाधड़ियों की संख्या	अंतर्ग्रस्त राशि लाख रुपए में	धोखाधड़ियों की संख्या	अंतर्ग्रस्त राशि लाख रुपए में	धोखाधड़ियों की संख्या	अंतर्ग्रस्त राशि लाख रुपए में	धोखाधड़ियों की संख्या	अंतर्ग्रस्त राशि लाख रुपए में
1	2	3	4	5	6	7	8	9
आंध्र प्रदेश	35	173.26	31	64.17	8	51.27	3	12.69
अरुणाचल प्रदेश					10	48.84		
असम	1	5.98	3	16.06	166	754.92	28	68.92
बिहार	4	16.46	4	6.5	6	28.6		
चंडीगढ़	3	16.19	7	18.88	9	27.97	8	16.96
छत्तीसगढ़	4	20.78	1	1.33	4	16.38	2	7.68
गोवा	8	62.94			2	3.54	3	4.4
गुजरात	26	70.83	16	53.32	24	3010.78	12	18.39
हरियाणा	194	684.93	238	827.65	419	1306.04	90	190.73
हिमाचल प्रदेश	1	1.1	1	1.5	21	52.74	9	22.68
जम्मू और कश्मीर	0	0	1	9.4	34	99.48	1	10.28
झारखंड	2	2.95	9	12.05	5	7.19	6	27.32
कर्नाटक	179	477.2	221	968.88	160	769.56	33	95.7
केरल	2	2.5	9	45.92	23	60.28	13	40.44
मध्य प्रदेश	5	12.14	4	9.68	22	137.35	4	11.32
महाराष्ट्र	368	1589.63	379	1209.88	784	2133.071	234	600.39
मणिपुर							4	22.36
मेघालय					4	11.44	1	7.8
मिजोरम							1	1.6
नागालैंड					4	9.55	2	8.84

1	2	3	4	5	6	7	8	9
दिल्ली	74	226.33	156	349.64	257	1158.25	87	271.81
ओडिशा	6	7.67	1	6.13	15	57.41	2	7.16
पुदुचेरी	1	2.54	2	4.52	1	1.81	1	3.39
पंजाब	3	12.52	3	26.69	42	128.64	11	32.5
राजस्थान	4	8.54	10	16.35	19	101.01	3	10.17
सिक्किम	0	0						
तमिलनाडु	201	373.23	208	438.54	222	4085.31	39	148.78
तेलंगाना					55	336.36	11	28.45
त्रिपुरा					5	15.16		
उत्तर प्रदेश	39	93.24	37	104.3	75	231.02	32	145.16
उत्तराखंड	3	26.1	5	13.31	52	139.47	12	31.28
पश्चिम बंगाल	15	62.12	19	66.6	29	128.16	6	1581.64
अन्य	13	70.86	7	47.18	11	50.95	3	8
सकल योग	1191	4020.12	1372	4318.48	2488	14962.55	661	3436.84

राज्य-वार आंकड़े, जिनमें 1 लाख रुपए से कम राशि अंतर्ग्रस्त है, के राज्य-वार आंकड़े उपलब्ध नहीं हैं।

स्रोत: आरबीआई

[हिन्दी]

जोनोटिक रोग

1662. श्री राकेश सिंह: क्या **स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार ने देश में पशुओं के माध्यम से संक्रमित होने वाले जोनोटिक रोगों के संबंध में कोई योजना तैयार की है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) क्या सरकार का विचार जबलपुर में एक जोनोटिक प्रकोष्ठ स्थापित करने का है?

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती अनुप्रिया पटेल): (क) और (ख) लोक स्वास्थ्य महत्ता वाले पशुजन्य रोगों के निवारण और नियंत्रण सहयोग के सुदृढ़ीकरण के लिए स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय पशुजन्य रोग नियंत्रण कार्यक्रम के निवारण और नियंत्रण हेतु अंतर क्षेत्रीय समन्वय कार्यक्रम को लागू कर रहा है। कार्यक्रम की कार्यनीतियां निम्नानुसार हैं:–

(i) एकीकृत रोग सर्विलांस कार्यक्रम (आईडीएसपी) के तहत शीघ्र चेतावनी सिग्नल देने के लिए मौजूदा पशुजन्य रोगों के डाटा के एकत्रण और परितुलन की मौजूदा सर्विलांस प्रणाली का प्रयोग करते हुए अंतर क्षेत्रीय समन्वय और राज्य सर्विलांस एककों का सुदृढ़ीकरण।

(ii) प्रशिक्षित जनशक्ति विकास।

(iii) विभिन्न सेक्टरों के व्यावसायियों को जागरूक करना।

(iv) समुदाय और व्यावसायियों में जागरूकता सृजन हेतु सूचना शिक्षा और संप्रेषण गतिविधियां।

(ग) जी, नहीं।

[अनुवाद]

एनपीए खातों की निगरानी करना

1663. श्री संतोष कुमार:
श्री छोटेलाल:

क्या **वित्त मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) सरकारी क्षेत्र के बैंकों के, विशेषत: गैर-निष्पादनकारी आस्तियों (एनपीए), के संबंध में कार्य-निष्पादन की समीक्षा के लिए वर्तमान प्रणाली क्या है और विगत चार वर्षों के दौरान प्रत्येक बैंक के कार्य-निष्पादन का ब्यौरा क्या है;

(ख) क्या सरकार का यह मानना है कि वर्तमान प्रणाली अपर्याप्त है और यदि हां, तो क्या सरकार सभी सरकारी क्षेत्र के बैंकों का कार्य-निष्पादन में सुधार करने और निवेशकों के आत्मविश्वास को पुन: प्राप्त करने के लिए नई पहल पर विचार कर रही है;

(ग) क्या सरकार/भारतीय रिजर्व बैंक सरकारी क्षेत्र के बैंकों में एनपीए खाता की स्थिति की मासिक/साप्ताहिक आधार पर निगरानी करते हैं और यदि हां, तो बिहार सहित बैंक-वार राज्य/संघ राज्यक्षेत्र-वार नोडल एजेंसियों और अधिकारियों का ब्यौरा क्या है तथा यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं; और

(घ) 20 एनपीए खातों की विस्तृत सूची क्या है और बिहार सहित बैंक-वार, राज्य/संघ राज्यक्षेत्र-वार जानबूझकर चूक करने वाले लोगों की सूची क्या है?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री शिव प्रताप शुक्ला): (क) और (ख) बैंकों के वित्तीय कार्यनिष्पादने को उनके वार्षिक वित्तीय विवरण में दर्शाया जाता है। मौजूदा प्रक्रिया के अनुसार, लागू विभिन्न कानूनों के अंतर्गत सरकारी क्षेत्र के बैंकों (पीएसबी) सहित सभी बैंकों को अपने निदेशक मंडल से अनुमोदित एक वार्षिक वित्तीय विवरण (जिसमें एनपीए का ब्यौरा शामिल हो) तैयार करना, शेयर बाजार को इसकी सूचना देना, इसकी प्रतिलिपि भारतीय रिजर्व बैंक (आरबीआई) में प्रस्तुत करना और इसे अपने शेयरधारकों की वार्षिक आम सभा में अनुमोदन तथा विचार-विमर्श के पश्चात् स्वीकार किए जाने के लिए प्रस्तुत करना आवश्यक है। इस प्रक्रिया के भाग के रूप में बैंक के बोर्ड और शेयरधारक बैंक के कार्यनिष्पादन पर विचार-विमर्श करते हैं और इसकी समीक्षा करते हैं और इसके अलावा, बाजार और विनियामक भी कार्यनिष्पादन को नोट करते हैं। यह अन्य देशों में प्रचलित प्रक्रिया के अनुरूप है।

सरकारी क्षेत्र के सभी बैंकों का वार्षिक वित्तीय विवरण संबंधित बैंकों की वेबसाइट के अलावा बॉम्बे शेयर बाजार की वेबसाई (*https://www.bseindia.com*) पर उपलब्ध है। आरबीआई के आंकड़ों के अनुसार, गत चार वित्तीय वर्ष के अंत में पीएसबी के सकल एनपीए का बैंक-वार ब्यौरा संलग्न विवरण में दिया गया है।

सरकार ने पीएसबी के कार्यनिष्पादन में सुधार लाने में उन्हें सक्षम बनाने हेतु एक व्यापक पद्धति को अपनाया है। बैंकों के एनपीए की पारदर्शी पहचान की गई है, बैंकों ने इसके लिए आरंभ में ही प्रावधान किए हैं, बैंकों को सुदृढ़ बनाने के लिए पूनर्पूजीकरण किया गया है, बैंकों में प्रणालीगत सुधार के लिए पीएसबी सुधार एजेंडा को लागू किया जा रहा है तथा दिवाला तथा ऋण शोधन अक्षमता संहिता एवं वसूली विधि में संशोधन करके वसूली व्यवस्था को स्वच्छ एवं अधिक प्रभावी बनाया गया है।

(ग) आरबीआई ने यह सूचित किया है कि इसके परिपत्र में यह उल्लेख किया गया है कि उधारदाता 5 करोड़ रुपए या उससे अधिक के एक्सपोजर वाली चूक करने वाली सभी उधारकर्ता संस्थाओं की सूचना बड़े ऋणों के संबंध में सूचना के केन्द्रीय रिपॉजिटरी को साप्ताहिक आधार पर देगा। आरबीआई का बैंकिंग पर्यवेक्षण विभाग इस संबंध में सभी बैंकों तथा बिहार सहित राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों के लिए नोडल विभाग है।

(घ) शीर्ष 20 एनपीए खातों की सूची तथा इरादतन चूककर्ता की सूची के संबंध में आरबीआई ने सूचित किया है कि भारतीय रिजर्व बैंक अधिनियम, 1934 की धारा 45ङ के उपबंधों के अंतर्गत आरबीआई को ऋण सूचना को प्रकट करने से प्रतिबंधित किया गया है। धारा 45ड़ में यह उपबंध किया गया है कि बैंकों द्वारा प्रस्तुत ऋण सूचना को गोपनीय माना जाएगा और इसे न तो प्रकाशित किया जाएगा और न ही किसी प्रकार से प्रकट किया जाएगा।

विवरण

सरकारी क्षेत्र के बैंकों का सकल अनर्जक आस्ति अनुपात

राशि करोड़ रुपए में

क्र. सं.	बैंक	31.3.2015 की स्थिति के अनुसार	31.3.2016 की स्थिति के अनुसार	31.3.2017 की स्थिति के अनुसार	31.3.2018 की स्थिति के अनुसार
1	2	3	4	5	6
1.	इलाहाबाद बैंक	5.46	9.76	13.09	15.96
2.	आंध्रा बैंक	5.31	8.39	12.25	17.09
3.	बैंक ऑफ बड़ौदा	3.72	9.99	10.46	12.26
4.	बैंक ऑफ इंडिया	5.55	13.07	13.22	16.58
5.	बैंक ऑफ महाराष्ट्र	6.33	9.34	16.93	19.48
6.	केनरा बैंक	3.89	9.40	9.63	11.84
7.	सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया	6.09	11.95	17.81	21.48
8.	कार्पोरेशन बैंक	4.81	9.98	11.70	17.35
9.	देना बैंक	5.45	9.98	16.27	22.04
10.	आइडीबीआई बैंक लिमिटेड	5.88	10.98	21.25	27.95
11.	इंडियन बैंक	4.40	6.66	7.47	7.37
12.	इंडियन ओवरसीज बैंक	8.33	17.40	22.39	25.28
13.	ओरियंअल बैंक ऑफ कॉमर्स	5.18	9.57	13.73	17.63
14.	पंजाब एंड सिंध बैंक	4.76	6.48	10.45	11.19
15.	पंजाब नेशनल बैंक	6.55	12.90	12.53	18.38
16.	सिंडिकेट बैंक	3.13	6.70	8.50	11.53
17.	यूको बैंक	6.71	15.43	17.12	24.64
18.	यूनियन बैंक ऑफ इंडिया	4.96	8.70	10.85	15.73
19.	युनाइटेड बैंक ऑफ इंडिया	9.49	13.26	15.53	24.10
20.	विजया बैंक	2.79	6.64	6.59	6.34
21.	स्टेट बैंक ऑफ इंडिया (एसबीआई)	4.25	6.50	6.90	10.91

1	2	3	4	5	6
22.	स्टेट बैंक ऑफ बीकानेर एंड जयपुर	4.14	4.82	15.52	एसबीआई के साथ विलय
23.	स्टेट बैंक ऑफ हैदराबाद	4.59	5.75	20.77	
24.	स्टेट बैंक ऑफ मैसूर	4.01	6.56	25.68	
25.	स्टेट बैंक ऑफ पटियाला	5.41	7.87	23.15	
26.	स्टेट बैंक ऑफ त्रावणकोर	3.37	4.78	16.79	
27.	भारतीय महिला बैंक	0.00	0.22	9.54	

स्रोत: आरबीआई, वैश्विक परिचालन (मार्च, 2018 अनंतिम आंकड़े)

[हिन्दी]

रासायनिक उद्योगों में दुर्घटना के कारण पर्यावरण को क्षति

1664. श्री रामचरण बोहरा: क्या **पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) गत 3 वर्षों के दौरान रासायनिक उद्योगों में लीकेज/दुर्घटनाओं के कारण पर्यावरण को हुई क्षति का ब्यौरा क्या है;

(ख) क्या गत 3 वर्षों के दौरान ऐसी घटनाओं में वृद्धि हुई है;

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(घ) उक्त क्षति के विरुद्ध पर्यावरण को बचाने के लिए उठाए गए उपचारात्मक उपायों का ब्यौरा क्या है?

संस्कृति मंत्रालय के राज्य मंत्री तथा पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय में राज्य मंत्री (डॉ. महेश शर्मा): (क) से (ग) राज्य सरकारों/संघ राज्य क्षेत्रों के मुख्य कारखाना निरीक्षकों (सीआईएफ) द्वारा प्रदत्त सूचना के अनुसार, रासायनिक उद्योगों में दुर्घटनाएं हुई हैं जिनके कारण पर्यावरण और मानव जीवन को क्षति पहुंची है। उपलब्ध आंकड़ों से संकेत मिलता है कि दुर्घटनाओं के घटित होने और उनके फलस्वरूप होने वाली मौत की घटनाओं में कमी आई है। गत तीन वर्षों में हुई दुर्घटनाओं का कैलेण्डर वर्ष-वार ब्यौरा निम्नलिखित है:–

वर्ष	दुर्घटनाओं की संख्या	मरने वालों की संख्या	जख्मी हुए लोगों की संख्या
2015	64	70	215
2016	44	70	181
2017	13	15	688

(घ) देश में आपदा प्रबंधन में समन्वय स्थापित करने वाला शीर्षस्थ निकाय, राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन प्राधिकरण (एनडीएमए) के अनुसार, ऐसी दुर्घटनाओं से निपटने की जिम्मेदारी मुख्य रूप से संबंधित राज्य सरकारों/संघ राज्य क्षेत्र प्रशासन पर होती है। ऐसी दुर्घटनाओं की स्थिति में समय पर और प्रभावकारी ढंग से कार्रवाई सुनिश्चित करने हेतु आपदा प्रबंधन के लिए नीतियों, योजनाओं और दिशा-निर्देशों को निर्धारित करने की जिम्मेदारी एनडीएमए की होती है। इस संबंध में एनडीएमए ने अप्रैल, 2007 में रासायनिक आपदाओं (औद्योगिक) के संबंध में राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन दिशा-निर्देश जारी किए थे। इन दिशा-निर्देशों में अन्य बातों के साथ-साथ ऐसी परिस्थितियों से निपटने के लिए विभिन्न पणधारकों की भूमिकाओं और जिम्मेदारियों का उल्लेख किया गया है। एनडीएम द्वारा मई, 2016 में रासायनिक (औद्योगिक) खतरों सहित विभिन्न खतरों के आपदा जोखिम प्रबंधन में राज्य सरकारों सहित पणधारकों को सहायता प्रदान करने हेतु राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन योजना (एनडीएमपी) जारी की गई थी। इस योजना के तहत आपदा प्रबंधन के सभी चरणों अर्थात् निवारण, उपशमन, अनुक्रिया और स्वास्थ्य लाभ हेतु सरकारी एजेंसियों के लिए फ्रेमवर्क और निदेश उपलब्ध कराए गए हैं। इसके अलावा, मंत्रालय द्वारा खतरनाक रासायनिक पदार्थों के

विनिर्माण, भंडारण और आयात नियम, 1989 (एमएसआईएचसी नियम, 1989) अधिसूचित किए गए हैं जिसका उद्देश्य औद्योगिक कार्यकलापों से होने वाली रासायनिक दुर्घटनाओं की रोकथाम करना और उनसे संबंधित प्रभावों का उपशमन करना है। रासायनिक दुर्घटना (आपातकालीन योजना, तैयारी और अनुक्रिया) नियम, 1996 एमएसआईएचसी नियम, 1989 के पूरक नियम हैं और वे केन्द्र, राज्य, जिला और स्थानीय स्तरों पर चार चरणों (फोर-टियर) की प्रणाली के साथ संकट प्रबंधन की प्रणाली को कानूनी सहयोग प्रदान करते हैं। औद्योगिक इकाइयों के लिए यह भी अपेक्षित है कि वे संकट प्रबंधक समूहों के कार्य संचालन में सहायता और सुविधा प्रदान करें।

राज्य सरकारों से प्राप्त प्रस्ताव

1665. प्रो. रविन्द्र विश्वनाथ गायकवाड़: क्या **पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) गत 3 वर्षों एवं चालू वर्ष के दौरान केन्द्र सरकार को महाराष्ट्र राज्य सरकार से प्राप्त प्रस्तावों की कुल संख्या कितनी है;

(ख) प्राप्त कुल प्रस्तावों में से स्वीकृत प्रस्तावों की संख्या कितनी है तथा लंबित प्रस्तावों की संख्या कितनी है; और

(ग) लंबित प्रस्तावों को केन्द्र सरकार द्वारा कब तक स्वीकृत किए जाने की संभावना है?

संस्कृति मंत्रालय के राज्य मंत्री तथा पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय में राज्य मंत्री (डॉ. महेश शर्मा): (क) से (ग) पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय को पिछले 3 वर्षों और चालू वर्ष (1 जुलाई, 2018 तक) के दौरान महाराष्ट्र राज्य सरकार से 56 प्रस्ताव प्राप्त हुए हैं। उपर्युक्त में से, 45 प्रस्तावों को पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय द्वारा पर्यावरणीय मंजूरी प्रदान की गई थी। 11 प्रस्ताव पर्यावरण प्रभाव आकलन अधिसूचना, 2006 और समय-समय पर किए गए इसके संशोधनों के तहत मूल्यांकन के विभिन्न स्तरों पर हैं।

[अनुवाद]

किशोरों के लिए आश्रय गृह

1666. श्रीमती रीता तराई: क्या **महिला और बाल विकास मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) आश्रय सुविधाएं प्रदान करने वाले गैर-सरकारी संगठनों की संख्या कितनी है तथा इनमें से आश्रय घरों में रहने वाले किशोरों की राज्य/संघ राज्यक्षेत्र-वार संख्या कितनी है; और

(ख) क्या उन आश्रय गृहों में बच्चों के यौन शोषण होने एवं किशोर न्याय अधिनियम में सूचीबद्ध मूलभूत सुविधाओं की अनुपलब्धता की शिकायतें हैं तथा यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है तथा इस संबंध में क्या कार्रवाई की गई है?

महिला और बाल विकास मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा अल्पसंख्यक कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (डॉ. वीरेन्द्र कुमार): (क) राज्य/संघ राज्य क्षेत्र सरकारों द्वारा दी गई सूचना के अनुसार, देश में किशोर न्याय (बालकों की देखरेख और संरक्षण) अधिनियम, 2000/2015 के अंतर्गत छत्रक समेकित बाल विकास सेवा के अधीन 'बाल संरक्षण सेवाएं' (तत्कालीन समेकित बाल संरक्षण स्कीम) के अंतर्गत सहायता-प्राप्त पंजीकृत बाल देखरेख संस्थाओं और इन संस्थाओं में रहने वाले बच्चों की संख्या संलग्न विवरण-I में दी गई है।

(ख) राष्ट्रीय बाल अधिकार संरक्षण आयोग (एनसीपीसीआर) ने बताया है कि उसने विगत तीन वर्षों और मौजूदा वर्ष 2018-19 (जून, 2018 तक) के दौरान बाल देखरेख संस्थाओं में बच्चों के शोषण और उनकी उपेक्षा के संबंध में 43 शिकायतें दर्ज की हैं। इन 43 शिकायतों में से 38 शिकायतों का निपटान हो चुका है और शेष 5 मामले अभी भी लंबित हैं। राज्य/संघ राज्य क्षेत्र-वार ब्यौरा संलग्न विवरण-II में दिया गया है।

विवरण-I

आईसीपीएस स्कीम के अंतर्गत आज की स्थिति के अनुसार देश में बाल देखरेख संस्थाओं और इन संस्थाओं में रहने वाले बच्चों की संख्या दर्शाने वाला विवरण

क्र. सं.	राज्य	बाल गृह	लाभार्थी	विशेषीकृत ग्रहण दत्तक अभिकरण	लाभार्थी	खुले आश्रय गृह	लाभार्थी
1	2	3	4	5	6	7	8
1.	आंध्र प्रदेश	0	0	0	0	11	265

1	2	3	4	5	6	7	8
2.	अरुणाचल प्रदेश	3	66	1	6	0	0
3.	असम	27	1110	21	46	5	57
4.	बिहार	21	755	20	202	7	172
5.	छत्तीसगढ़	32	1474	9	73	9	105
6.	गोवा	22	1153	2	16	3	378
7.	गुजरात	26	1471	6	59	3	75
8.	हरियाणा	21	1037	6	52	21	644
9.	हिमाचल प्रदेश	19	801	1	6	3	44
10.	जम्मू और कश्मीर	2	142	0	0	0	0
11.	झारखंड	23	917	15	217	5	125
12.	कर्नाटक	8	341	22	177	40	1194
13.	केरल	1	25	17	95	4	103
14.	मध्य प्रदेश	29	1277	25	196	8	254
15.	महाराष्ट्र	43	1532	16	199	3	162
16.	मणिपुर	32	947	4	40	14	309
17.	मेघालय	20	699	3	7	4	172
18.	मिजोरम	26	875	6	43	0	0
19.	नागालैंड	28	489	4	7	3	37
20.	ओडिशा	90	5582	20	193	11	259
21.	पंजाब	0	0	4	99	0	0
22.	राजस्थान	51	2111	0	0	21	405
23.	सिक्किम	12	492	4	6	4	52
24.	तमिलनाडु	155	10323	15	150	14	350
25.	त्रिपुरा	9	158	3	20	2	52
26.	उत्तर प्रदेश	27	773	12	120	22	550
27.	उत्तराखंड	2	125	0	0	2	36
28.	पश्चिम बंगाल	45	3680	22	273	33	850

1	2	3	4	5	6	7	8
29.	तेलंगाना	6	105	0	0	0	0
30.	अंडमान और निकोबार द्वीपसमूह	8	367	0	0	0	0
31.	चंडीगढ़	1	32	1	14	0	0
32.	दादरा और नगर हवेली	0	0	0	0	0	0
33.	लक्षद्वीप	0	0	0	0	0	0
35.	राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली	8	689	3	60	13	415
36.	पुदुचेरी	22	984	2	15	2	33
	कुल	819	40532	264	2391	267	7098

विवरण-II

विगत 3 वर्षों और मौजूदा वर्ष 2018-19 (जून, 2018 तक) के दौरान एनसीपीसीआर में 'बाल देखरेख संस्थाओं में बच्चों का शोषण/उपेक्षा' के संबंध में प्राप्त शिकायतों का राज्य/संघ राज्य क्षेत्र-वार ब्यौरा

क्र. सं.	राज्य/संघ राज्य क्षेत्र	2015-16	2016-17	2017-18	2018-19	कुल	निपटाई गई शिकायतों की संख्या	लंबित शिकायतों की संख्या
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1.	आंध्र प्रदेश					0		
2.	अरुणाचल प्रदेश					0		
3.	असम			1		1	1	
4.	बिहार	2			2	4	2	2
5.	छत्तीसगढ़					0		
6.	गोवा					0		
7.	गुजरात		1			1	1	
8.	हरियाणा	1	4	1		6	5	1
9.	हिमाचल प्रदेश					0		
10.	जम्मू और कश्मीर					0		

1	2	3	4	5	6	7	8	9
11.	झारखंड					0		
12.	कर्नाटक					0		
13.	केरल					0		
14.	मध्य प्रदेश	1		1		2	1	1
15.	महाराष्ट्र		2			2	2	
16.	मणिपुर	1				1	1	
17.	मेघालय					0		
18.	मिजोरम					0		
19.	नागालैंड					0		
20.	ओडिशा					0		
21.	पंजाब			1		1	1	
22.	राजस्थान					0		
23.	सिक्किम					0		
24.	तमिलनाडु		1			1	1	
25.	त्रिपुरा					0		
26.	उत्तर प्रदेश	2	6	3	1	12	11	1
27.	उत्तराखंड			1		1	1	
28.	पश्चिम बंगाल	2	3			5	5	
29.	तेलंगाना					0		
30.	अंडमान और निकोबार द्वीपसमूह					0		
31.	चंडीगढ़					0		
32.	दादरा और नगर हवेली					0		
33.	लक्षद्वीप					0		
35.	राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली		4	2		6	6	
36.	पुदुचेरी					0		
	कुल	9	21	10	3	43	38	5

आरबीआई क्षेत्रीय शाखा

1667. श्री प्रह्लाद सिंह पटेल: क्या **वित्त मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या भोपाल में वर्ष 1972 में भारतीय रिजर्व बैंक (आरबीआई) का क्षेत्रीय कार्यालय स्थापित किया गया था तथा यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ख) क्या इस क्षेत्रीय कार्यालय का मुख्य उद्देश्य चेक और जमा संबंधी विभिन्न प्रकार के लेन-देन के क्लीयरेंस में राज्य सरकार को सहायता प्रदान करना था तथा यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या उक्त कार्यालय आवश्यकता अनुसार एवं अपने उस उद्देश्य के मुताबिक कार्य नहीं कर रहा है जिसके लिए इसकी स्थापना की गई थी तथा यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(घ) क्या सरकार आरबीआई की भोपाल शाखा को उद्देश्यपूर्ण बनाने पर विचार कर रही है; और

(ङ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है तथा इस संबंध में क्या निर्देश जारी किया गया है?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री शिव प्रताप शुक्ला): (क) से (ङ) भारतीय रिजर्व बैंक (आरबीआई) ने सूचित किया है कि भोपाल में उसके क्षेत्रीय कार्यालय (आरओ) की स्थापना वर्ष 1972 में की गई थी तथा उसका मुख्य उद्देश्य सरकारी (केन्द्रीय के साथ-साथ राज्य) कारोबार का समन्वय करना, करेंसी/विदेशी विनिमय का प्रबंधन, बैंकों के कार्य का पर्यवेक्षण और अन्य विकासात्मक कार्यकलाप करना था। आरबीआई ने सूचित किया है कि यह कार्यालय आवश्यकता और उद्देश्य के अनुरूप कार्य कर रहा है।

अननुभूत हृदयाघात

1668. श्री आर. ध्रुवनारायण: क्या **स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या हृदयाघात के आधे मामले अननुभूत होते हैं तथा निश्चित लक्षण प्रकट नहीं करते जिससे मौतों की संख्या में उल्लेखनीय वृद्धि होती है तथा यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ख) क्या ग्रामीण लोगों एवं महिलाओं के बीच अननुभूत हृदयाघात के ज्यादा मामले होते हैं तथा यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) अननुभूत हृदयाघात के बारे में जागरूकता फैलाने के लिए क्या कदम उठाए गए है। तथा यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती अनुप्रिया पटेल): (क) से (ग) सर्कुलेशन 2016 में प्रकाशित अध्ययन के अनुसार सायलेंट हार्ट अटैक अथवा सायलेंट मायोकॉर्डिनल इनफारक्शन (एसएमआई) जिसे नैदानिक हृदयाघात की अनुपस्थिति में ईसीजी में हृदयावात के प्रमाण के रूप में परिभाषित किया गया है, की रिपोर्ट की गई घटनाएं कुल हृदयाघात में 22% और 60% के बीच हैं। हाल ही में जर्नल ऑफ अमेरिकन कॉलेज ऑफ कॉर्डियालोजी में प्रकाशित अध्ययन के अनुसार कुल हृदयाघात की संख्या में एसएमआई के मामले आधे हैं। एसएमआई हृदय विफलता के बढ़ते जोखिम से संबद्ध है। एसएमआई घटनाओं के मौजूदा अनुमान प्रमुख रूप से सीमित लिंग प्रतिनिधित्व सहित यूरोपियन मूल की गोरी जनसंख्या के अध्ययन पर आधारित है। एसएमआई दोनों लिंगों में बढ़ती मृत्युदर से संबद्ध है जिसमें महिलाओं के बीच जोखिम अधिक है।

भारत सरकार राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन के अंतर्गत राष्ट्रीय कैंसर, मधुमेह, हृदवाहिका रोग और आघात निवारण और नियंत्रण कार्यक्रम लागू कर रही है जो जिला स्तर तक के कार्यकलापों से जुड़ा है। एमपीसीडीसीएस व्यवहार और जीवन शैली परिवर्तन, स्क्रीनिंग और उच्च स्तरीय जोखिम घटकों वाले व्यक्तियों के शीघ्र निदान तथा गैर संक्रामक रोगों के उपयुक्त प्रबंधन के लिए उच्चतर केन्द्रों में भेजने संबंधी जागरूकता पैदा करने पर फोकस करता है जिसमें हृदवाहिका रोग भी शामिल हैं। कार्यक्रम के अंतर्गत जून, 2018 तक; 525 जिला एनसीडी क्लीनिक, 2564 सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र एनसीडी क्लीनिक और 167 कॉर्डियक केयर यूनिट स्थापित किए गए हैं।

शीघ्र निदान के लिए, मौजूदा प्राथमिक स्वास्थ्य परिचर्या प्रणाली के अंतर्गत हृदयाघात के दो ज्ञात कारणों-मुधमेह एवं उच्च रक्तचाप सहित सामान्य गैर-संक्रामक रोगों के निवारण नियंत्रण, स्क्रीनिंग और प्रबंधन के लिए फ्रंट लाइन स्वास्थ्य कार्मिकों की सेवाओं का प्रयोग करते हुए 150 से अधिक जिलों में जनसंख्या आधारित पहल की गई है। इससे जमीनी स्तर पर मधुमेह और उच्च रक्त चाप के शीघ्र निदान और जोखिम घटकों के संबंध में जागरूकता पैदा होगी।

प्रधानमंत्री स्वास्थ्य सुरक्षा योजना के अंतर्गत छह नए एम्स स्थापित किए जा चुके हैं तथा एनसीडी के लिए तृतीयक परिचर्या केन्द्रों को बेहतर बनाने के उद्देश्य से, जिसमें हृदवाहिका रोग भी शामिल हैं अभिज्ञात मेडिकल कॉलेजों का उन्नयन किया गया है।

[हिन्दी]

शहरी क्षेत्रों में आंगनवाड़ी केन्द्र

1669. श्री अर्जुन लाल मीणा: क्या **महिला और बाल विकास मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या संघ सरकार को राजस्थान सरकार से शहरी क्षेत्रों में आंगनवाड़ी केन्द्रों की इमारतें निर्मित करने हेतु कोई प्रस्ताव प्राप्त हुआ है; और

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और संघ सरकार द्वारा इस पर क्या कार्यवाही की गई है?

महिला और बाल विकास मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा अल्पसंख्यक कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (डॉ. वीरेन्द्र कुमार): (क) और (ख) वर्ष 2017-18 के दौरान राजस्थान सरकार ने शहरी क्षेत्रों में रु. 7.00 लाख प्रति आंगनवाड़ी केन्द्र की दर से आंगनवाड़ी केन्द्रों के भवनों के निर्माण का प्रस्ताव दिया है। तथापि, आईसीडीएस स्कीम (जिसका 'आंगनवाड़ी सेवाएं' के तौर पर पुन: नामकरण किया गया है) में अब संशोधन किया गया है और शहरी क्षेत्रों में आईसीडीएस निधि से आंगनवाड़ी केन्द्रों के निर्माण का कार्य रोक दिया गया है।

कन्या भ्रूण हत्या

1670. श्रीमती प्रत्यूषा राजेश्वरी सिंह: क्या **स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या देश में कन्या भ्रूण हत्या के मामलों में वृद्धि हुई है और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और विगत तीन वर्षों के प्रत्येक वर्ष और वर्तमान वर्ष के दौरान राज्य/संघ राज्यक्षेत्र-वार विशेषकर ओडिशा में सूचित ऐसी घटनाओं की संख्या कितनी है; और

(ख) देश भर में विशेषकर ओडिशा में कन्या भ्रूण हत्या को रोकने हेतु सरकार द्वारा क्या सुधारात्मक कदम उठाए गए/जा रहे हैं।

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती अनुप्रिया पटेल): (क) राष्ट्रीय अपराध रिकॉर्ड ब्यूरो से प्राप्त सूचना के अनुसार, वर्ष 2014 में भ्रूण हत्या के कुल 107 मामले, वर्ष 2015 में 97 मामले और वर्ष 2016 में 144 मामले दर्ज किए गए थे। ओडिशा राज्य में कन्या भ्रूण हत्या के किसी मामले की रिपोर्ट नहीं मिली है। विस्तृत जानकारी संलग्न विवरण में दी गई है।

(ख) जन्म के समय घटते बाल लिंग अनुपात और लिंग अनुपात को देखते हुए भारत सरकार ने गर्भधारण-पूर्व और प्रसव-पूर्व डायग्नोस्टिक तकनीक (लिंग चयन का निषेध) अधिनियम (पीसी एंड पीएनडीटी) 1994 और संबंधित नियमों को अधिनियमित करने के अतिरिक्त, पीसी एंड पीएनडीटी अधिनियम और नियमों के प्रभावी कार्यान्वयन और महिलाओं के प्रति संवेदनशील नीतियों, उपबंधों और कानून के माध्यम से बालिकाओं के लिए सकारात्मक वातावरण बनाने के लिए जागरूकता सृजन और पक्ष समर्थन संबंधी उपायों के लिए एक बहुआयामी रणनीति अंगीकार की है। विभिन्न राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों में राष्ट्रीय निरीक्षण और निगरानी समितियों के माध्यम से नियमित निरीक्षण करवाने के अतिरिक्त, स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय अधिनियम/नियमों के प्रभावी क्रियान्वयन, विभिन्न अधिनिर्णयों में माननीय उच्चतम न्यायालय के निदेशों के क्रियान्वयन/अनुपालन, राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों में अधिनियम का क्रियान्वयन कराने वाले उचित प्राधिकारियों और नोडल अधिकारियों के क्षमता निर्माण कार्यक्रमों के लिए राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन के तहत वित्तीय सहायता और तकनीकी मार्गदर्शन प्रदान करता है।

विवरण

2014-2016 के दौरान बच्चों के खिलाफ अपराधों के लिए भ्रूण हत्या के तहत पंजीकृत राज्य/संघ राज्यवार मामले

क्र. सं.	राज्य/संघ राज्य क्षेत्र	2014 भ्रूण हत्या	2015 भ्रूण हत्या	2016 भ्रूण हत्या
1	2	3	4	5
1.	आंध्र प्रदेश	0	0	1
2.	अरुणाचल प्रदेश	0	0	0
3.	असम	0	0	1
4.	बिहार	0	0	0
5.	छत्तीसगढ़	5	11	18
6.	गोवा	0	0	0

1	2	3	4	5
7.	गुजरात	0	1	0
8.	हरियाणा	6	14	4
9.	हिमाचल प्रदेश	4	1	0
10.	जम्मू और कश्मीर	0	0	2
11.	झारखंड	1	1	0
12.	कर्नाटक	0	1	2
13.	केरल	0	0	0
14.	मध्य प्रदेश	30	17	19
15.	महाराष्ट्र	7	11	7
16.	मणिपुर	0	0	0
17.	मेघालय	0	0	0
18.	मिजोरम	0	0	0
19.	नागालैंड	0	0	0
20.	ओडिशा	0	0	0
21.	पंजाब	10	10	4
22.	राजस्थान	24	13	21
23.	सिक्किम	0	0	0
24.	तमिलनाडु	0	0	0
25.	तेलंगाना	2	2	0
26.	त्रिपुरा	0	0	0
27.	उत्तर प्रदेश	11	12	52
28.	उत्तराखंड	1	0	4
29.	पश्चिम बंगाल	0	0	0
	कुल राज्य	101	94	135
30.	अंडमान और निकोबार द्वीपसमूह	0	0	0
31.	चंडीगढ़	1	0	1
32.	दादरा और नगर हवेली	0	0	0
33.	दमन और दीव	0	0	0
34.	संघ राज्य क्षेत्र	5	3	8
35.	लक्षद्वीप	0	0	0
36.	पुदुचेरी	0	0	0
	कुल संघ राज्य क्षेत्र	6	3	9
	कुल (अखिल भारत)	107	97	144

स्रोत: भारत में अपराध।

[अनुवाद]

क्रिप्टो करेंसी

1671. श्री जनार्दन सिंह सीग्रीवाल: क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार ने देश में प्रयोग की जा रही क्रिप्टो करेंसी की मात्रा का पता लगाने हेतु कोई अध्ययन किया है और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ख) क्या सरकार का विचार क्रिप्टो करेंसी के प्रयोग को विनियमित करने का है और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) क्या वर्चुअल करेंसी संबंधी अंतर-विषयी समिति द्वारा प्रस्तुत रिपोर्ट को सार्वजनिक किया गया है और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा पोत परिवहन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री पोन राधाकृष्णन): (क) जी, नहीं।

(ख) और (ग) वर्चुअल करेंसी का अंतर-विषयी समिति की रिपोर्ट प्रस्तुत करने के पश्चात्, सरकार ने सचिव, आर्थिक कार्य विभाग की अध्यक्षता में एक अंतर-मंत्रालयी समिति का गठन किया है जो क्रिप्टो करेंसी/आस्तियों इत्यादि के विनियमन की सीमा सहित इस मामले की और अधिक जांच करेगी। अंतर-विषयी समिति द्वारा

तैयार की गई रिपोर्ट को सार्वजनिक करने के संबंध में कोई निर्णय नहीं लिया गया है।

आईएमएफ हेतु मानक

1672. श्री सी. महेंद्रन: क्या **वित्त मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार देश में बीमा पहुंच बढ़ाने के उद्देश्य के साथ बीमा विपणन फर्मों (आईएमएफ) संबंधी मानकों की समीक्षा कर रही है, यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ख) क्या सरकार ने अन्य वित्तीय क्षेत्र विनियामकों के क्षेत्राधिकार में आने वाले उत्पादों को शामिल कर आईएमएफ के वितरण चैनल को सुदृढ़ करने हेतु कोई उपाय किए हैं और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री शिव प्रताप शुक्ला): (क) और (ख) भारतीय बीमा विनियामक और विकास प्राधिकरण (इरडाई) द्वारा क्षेत्र-वार पंजीकरण पद्धति के माध्यम से देश में बीमा विस्तार में वृद्धि करने के उद्देश्य से भारतीय बीमा विनियामक और विकास प्राधिकरण (बीमा विपणन फर्म पंजीकरण), विनियमन, 2015 के जरिए बीमा विपणन फर्म (आईएमएफ) विस्तार चैनल प्रारंभ किया गया था।

इरडाई ने समाज के सभी वर्गों तक बीमा कवरेज का विस्तार करने के उद्देश्य को पूरा करने तथा अन्य वित्तीय क्षेत्र विनियामकों के क्षेत्राधिकार में आने वाले उत्पादों, जिनमें अन्य विनियामकों के साथ विचार-विमर्श के लिए पथ प्रशस्त करना शामिल है, को शामिल करके आईएमएफ के वितरण चैनलों को और अधिक विकसित एवं सुदृढ़ बनाकर सक्षम बनाने के लिए उपर्युक्त विनियम की समीक्षा के लिए एक समिति गठित की है।

जाली स्वास्थ्य बीमा कंपनियां

1673. श्री एस.पी. मुद्दाहनुमे गौड़ा: क्या **वित्त मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या विगत वर्ष के दौरान देश में स्वास्थ्य बीमा कवरेज में अत्यधिक वृद्धि दर्ज की गई है और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ख) क्या शहरी और ग्रामीण क्षेत्रों में स्वास्थ्य बीमा पहुंच संबंधी कोई अध्ययन किया गया है, यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या जाली बीमा कंपनियों द्वारा पॉलिसी जारी करने और चिकित्सा सेवाओं की चिकित्सा उपचार हेतु भुगतान न करने/प्रतिपूर्ति न करने की कोई शिकायतें प्राप्त हुई हैं, यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(घ) विनियामक प्राधिकरण द्वारा स्वास्थ्य बीमा योजनाओं की निगरानी हेतु कोई कदम उठाए गए/प्रस्तावित हैं?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री शिव प्रताप शुक्ला): (क) भारतीय बीमा विनियामक और विकास प्राधिकरण (इरडाई) के अनुसार, देश में स्वास्थ्य बीमा कवरेज में कवर किए गए लोगों की संख्या तथा संग्रहीत प्रीमियम दोनों में उल्लेखनीय वृद्धि देखी गई हैं। स्वास्थ्य बीमा के अंतर्गत कवर किए गए लोगों की संख्या वर्ष 2015-16 में 35.90 करोड़ से बढ़कर वर्ष 2016-17 में 43.75 करोड़ हो गई है। वर्ष 2015-16 से वर्ष 2016-17 तक स्वास्थ्य बीमा के अंतर्गत प्रतिशत वृद्धि 24.31% है।

(ख) जी, नहीं।

(ग) इरडाई को एक शिकायत प्राप्त हुई थी कि "मैसर्स एकेपीसीएल साधारण बीमा कंपनी" नामक एक संस्था किसी भी प्रकार की बीमा पालिसियों को विक्रय करने के लिए प्राधिकारी द्वारा बिना किसी लाइसेंस अथवा स्वीकृत पंजीकरण के बीमा पालिसियां बेच रही है। प्राधिकरण ने 21 जुलाई, 2016 को गुजरात औद्योगिक विकास निगम (जीआईडीसी) पुलिस स्टेशन, वापी, गुजरात में शिकायत दर्ज कराई थी। इसके अलावा, इरडाई ने इस जालसाज कंपनी के बारे में लोगों को चेतावनी देते हुए 4 अगस्त, 2016 को एक सार्वजनक नोटिस भी जारी किया है।

(घ) स्वास्थ्य बीमा योजनाओं की निगरानी करने के लिए इरडाई निम्नलिखित कदम उठाए गए हैं:-

(i) इरडाई ने स्वास्थ्य बीमा व्यवसाय पर विनियामकीय दृष्टि रखने के लिए इरडाई (स्वास्थ्य बीमा) विनियमन, 2016 (एचआईआर 2016), 29 जुलाई, 2016 को स्वास्थ्य बीमा में मानकीकरण पर दिशानिर्देश तथा 29 जुलाई, 2016 को स्वास्थ्य बीमा व्यवसाय में उत्पाद लाने (प्रोडक्ट फाइलिंग) संबंधी दिशानिर्देशों को अधिसूचित किया है।

(ii) इरडाई के द्वारा व्यवसाय कार्यनिष्पादन और दावा व्यवस्था से संबंधित विवरणियों को निर्दिष्ट किया जाता है, जिन्हें समय-समय पर इरडाई समीक्षा करने हेतु सभी बीमाकर्ताओं द्वारा दायर किया जाना है।

(iii) इरडाई समय-समय पर बीमा कंपनियों का निरीक्षण करता है जिसमें बीमाकर्ताओं की दावा भुगतान प्रक्रियाओं की जांच करना तथा बीमा अधिनियम के उपबंधों के संबंध में उनके अनुपालन, समय-समय पर विभिन्न इरडाई विनियमनों/परिपत्रों तथा दिशानिर्देशों को जारी करना शामिल है।

[हिन्दी]

जीएसटी अपवंचन

1674. **श्री सुशील कुमार सिंह:** क्या **वित्त मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार माल और सेवा कर (जीएसटी) नेटवर्क सॉफ्टवेयर में परिवर्तन कर रही है ताकि करप्रदाताओं द्वारा दी जाने वाली सूचना का विश्लेषण अधिकारियों के लिए आसान बनाया जा सके, हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ख) क्या जीएसटी अपवंचन के मामले सूचित किए गए हैं, यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) विगत एक वर्ष और वर्तमान वर्ष के दौरान राज्य/संघ राज्यक्षेत्र-वार जीएसटी के अपवंचन के मामलों में दण्डित व्यक्तियों की संख्या कितनी है?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री शिव प्रताप शुक्ला): (क) विभिन्न स्टेकहोल्डरों से प्राप्त फीडबैक के आधार पर माल एवं सेवाकर नेटवर्क (जीएसटीएन) ने विभिन्न एमआईएस (मैनेजमेंट इन्फॉरमेशन सिस्टम) रिपोर्टें तैयार की हैं जिससे जीएसटी से संबंधित डाटा के विश्लेषण में कर अधिकारियों को मदद मिल सकती है। इन कर अधिकारियों को डाटा जैसे कि रिटर्न, रिफण्ड आदि से संबंधित जानकारी एसएफटीपी (सेफ फाइल ट्रांसफर प्रोटोकॉल) सर्वर के माध्यम से समय-समय पर उपलब्ध कराया जाता रहता है। इसके अलावा डाटा विश्लेषण के क्षेत्र में काफी प्रगति हुई है जिससे कर अधिकारी इस व्यापारिक आसूचना उपकरण का उपयोग करदाताओं के द्वारा प्रदान करने की जाने वाली जानकारी के विश्लेषण की रिपोर्ट तैयार करने में की जा सकती है। केन्द्रीय अप्रत्यक्ष कर और सीमा शुल्क बोर्ड (सीबीआईसी) के अंतर्गत डाइरेक्टोरेट जनरल ऑफ एनालिटिक्स एंड रिस्क मैनेजमेंट (डीजीएआरएम) की स्थापना की गई है जिसका कार्य डाटा विश्लेषण करना होता है और राजस्व के सृजन के लिए तथा बेहतर नीति तैयार करने के लिए इसका प्रयोग करना होता है।

(ख) और (ग) जी हां, 30 जून, 2018 की स्थिति के अनुसार देश भर में केन्द्रीय कर प्राधिकारियों के द्वारा रिपोर्ट की गई जीएसटी उपवंचन के मामलों की संख्या 1205 है और इनमें कुल 3026.55 करोड़ रुपए की राशि का पता चला है। पिछले एक वर्ष (01 जुलाई, 2017 से 31 मार्च, 2018 तक) के दौरान जीएसटी के अपवंचन के मामले में 9 व्यक्तियों को दंडित किया जा चुका है और चालू वर्ष (01 अप्रैल, 2018 से 30 जून, 2018 तक) इसी मामले में 17 व्यक्ति दंडित किए जा चुके हैं। इनका राज्य/संघ राज्यवार ब्यौरा निम्नलिखित हैं:-

क्र. सं.	केन्द्रीय कर जोन का नाम	राज्य/संघ शासित राज्य	यदि हां, तो विवरण		जीएसटी की चोरी के मामलों में दंडित व्यक्तियों की संख्या			
					2017-18 (जुलाई 2017 से मार्च 2018)		2018-19 (अप्रैल 2018 से जून 2018)	
			जीएसटी चोरी के मामलों की कुल संख्या	राशि (करोड़ रुपए में)	दंडित व्यक्तियों की संख्या	लगाया गया जुर्माना (करोड़ रुपए में)	दंडित व्यक्तियों की संख्या	लगाया गया जुर्माना (करोड़ रुपए में)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1.	डीजीजीआई (जीएसटी इंटेलिजेंस के महानिदेशालय)	अखिल भारतीय अधिकार क्षेत्र	298	1476.6	3	0	9	0

1	2	3	4	5	6	7	8	9
2.	अहमदाबाद जीएसटी जोन	गुजरात	108	97.35	0	0	0	0
3.	बैंगलोर जीएसटी जोन	कर्नाटक	28	103.81	0	0	0	0
4.	भोपाल जीएसटी जोन	मध्य प्रदेश	21	4.31	3	0.03	4	0.02
		चंडीगढ़	8	85.68	0	0	0	0
5.	भुवनेश्वर जीएसटी जोन	ओडिशा	16	17.88	0	0	0	0
		चंडीगढ़	7	0.9	0	0	0	0
		हिमाचल प्रदेश	5	2.9	0	0	0	0
6.	चंडीगढ़ जीएसटी जोन	जम्मू और कश्मीर	31	13.02	0	0	0	0
		पंजाब	35	29.84	0	0	0	0
7.	चेन्नई जीएसटी जोन	तमिलनाडु और पुदुचेरी	40	42.02	0	0	0	0
8.	दिल्ली जीएसटी जोन	राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली	46	63.18	0	0	0	0
9.	हैदराबाद जीएसटी जोन	तेलंगाना	28	48.21	0	0	0	0
10.	जयपुर जीएसटी जोन	राजस्थान	15	3.56	0	0	0	0
11.	कोची जोन	केरल	6	4.52	0	0	0	0
12.	कोलकाता जीएसटी जोन	पश्चिम बंगाल	32	52.56	0	0	3	0
13.	लखनऊ जीएसटी जोन	उत्तर प्रदेश	41	34.45	0	0	0	0
14.	मेरठ जीएसटी जोन	उत्तर प्रदेश	34	145.23	0	0	0	0
15.	मुम्बई जीएसटी जोन	महाराष्ट्र	104	494.73	3	0	1	0
16.	नागपुर जीएसटी जोन	महाराष्ट्र	30	87.92	0	0	0	0
17.	पंचकुला जीएसटी जोन	हरियाणा	148	84.89	0	0	0	0
18.	पुणे जीएसटी जोन	महाराष्ट्र	13	11.62	0	0	0	0
19.	रांची जीएसटी जोन	झारखंड	27	41.28	0	0	0	0
20.	शिलोंग	असम	4	0.45	0	0	0	0
		मेघालय	1	0.04	0	0	0	0
		त्रिपुरा	3	3.38	0	0	0	0

1	2	3	4	5	6	7	8	9
21.	वड़ोदरा जीएसटी जोन	गुजरात और दमन	51	13.45	0	0	0	0
22.	विशाखापट्टनम जीएसटी जोन	आंध्र प्रदेश	25	62.78	0	0	0	0
		कुल	1205	3026.55	9	0.03	17	0.02

बैंकों में घोटाले

1675. श्री देवेन्द्र सिंह भोले: क्या **वित्त मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार ने हाल ही में हुए बैंक घोटालों के मामलों की जांच की है और यदि हां, तो तत्संबंधी घोटाला-वार ब्यौरा क्या है और आज की तिथि अनुसार जांच के परिणाम क्या हैं;

(ख) जमाकर्ताओं के हित संरक्षण हेतु ऐसे घोटालों को रोकने के लिए सरकार द्वारा क्या कदम उठाए गए/प्रस्तावित हैं; और

(ग) इन घोटालों में सम्मिलित पाए गए अधिकारियों के विरुद्ध क्या कार्यवाही की गई है?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री शिव प्रताप शुक्ला): (क) से (ग) धोखाधड़ी के मामलों की संख्या (एक लाख रुपए या उससे अधिक की अन्तर्ग्रस्त राशि वाले अलग-अलग मामलों) तथा संलिप्त बैंक अधिकारियों पर की गई कार्रवाई के संबंध में भारतीय रिजर्व बैंक (आरबीआई) द्वारा दिए गए आंकड़े निम्नानुसार हैं:–

(i) पिछले दो वित्तीय वर्ष 2015-16 और 2016-17 के दौरान धोखाधड़ियों के बैंक-वार आंकड़े संलग्न विवरण-I पर दिए गए हैं।

(ii) पिछले दो कैलेन्डर वर्ष 2016 और 2017 के दौरान कर्मचारियों के विरुद्ध आरंभ की गई/की गई कार्रवाई की संख्या के संबंध में बैंक-वार आंकड़े संलग्न विवरण-II पर दिए गए हैं।

(iii) पिछले दो कैलेन्डर वर्ष 2016 और 2017 के दौरान कर्मचारियों के विरुद्ध आरंभ की गई/की गई कार्रवाई की संख्या के संबंध में बैंक-वार आंकड़े संलग्न विवरण-III पर दिए गए हैं।

बैंकों में धोखाधड़ी की रोकथाम तथा नियंत्रण के लिए, अन्य बातों के साथ-साथ निम्नलिखित उपाय किए गए हैं:–

(i) मई, 2015 में भारत सरकार द्वारा सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों (पीएसबी) के सभी सीएमडी/एमडी तथा सीईओ को "उच्च मूल्य की बैंक धोखाधड़ी से संबंधित जांच, सूचना तथा समय पर पता लगाए जाने हेतु ढांचा" पर अनुदेश जारी किए गए थे, जिनमें, अन्य बातों के साथ-साथ, यह व्यवस्था है कि 50 करोड़ रुपए से अधिक के खाते यदि उन्हें अनुप्रयोज्य आस्तियों के रूप में वर्गीकृत किया है, की बैंकों द्वारा संभावित धोखाधड़ी की दृष्टि से भी जांच की जाए। इस जांच के निष्कर्षों पर एनपीए की समीक्षा हेतु बैंक की समिति के समक्ष एक रिपोर्ट प्रस्तुत की जाएगी। उपर्युक्त अनुदेशों को फरवरी, 2018 में दोहराया गया है।

(ii) भारतीय रिजर्व बैंक (आरबीआई) ने 01 जुलाई, 2016 के 'धोखाधड़ी-वर्गीकरण और रिपोर्टिंग' पर मास्टर निर्देश जारी किया है। धोखाधड़ी की पहचान में लगने वाले समय को कम करने के लिए ऋण धोखाधड़ी पर कार्रवाई करने के लिए एक ढांचा तैयार किया गया है। इस ढांचे का मुख्य उद्देश्य रोक लगाना, जल्दी पहचान करना, भारतीय रिजर्व बैंक और जांच एजेंसियों (धोखाधड़ी उधारकर्ताओं के विरुद्ध आपराधिक कार्यवाहियां करने के लिए) को शीघ्र रिपोर्टिंग करने और स्टाफ की उत्तरदायित्व वाली कार्यवाहियों को समयबद्ध रूप से प्रारंभ करने संबंधी पहलुओं पर बैंकों का ध्यान केन्द्रित करना है।

(iii) आर्थिक अपराधियों द्वारा भारतीय क्षेत्राधिकार से बाहर रहकर भारतीय विधि प्रक्रिया से बचने से रोकने हेतु सरकार ने भगोड़ा आर्थिक अपराधी विधेयक, 2018

पुर:स्थापित किया है, जिसमें भगोड़े आर्थिक अपराधी की संपत्ति की कुर्की और जब्ती का प्रावधान है और पीएसबी को 50 करोड़ रुपए से अधिक के ऋण सुविधा प्राप्त करने वाली कंपनियों के प्रवर्तकों/निदेशकों और अन्य प्राधिकृत हस्ताक्षरकर्ताओं के पासपोर्ट की प्रमाणित प्रति प्राप्त करने का परामर्श दिया है।

(iv) लेखापरीक्षा मानकों के प्रवर्तन तथा लेखापरीक्षाओं की गुणवत्ता सुनिश्चित करने हेतु सरकार ने एक स्वतंत्र विनियामक के रूप में राष्ट्रीय वित्तीय रिपोर्टिंग प्राधिकरण की स्थापना का कार्य प्रारंभ किया है।

(v) यह स्पष्ट संदेश देने के लिए कि उधारकर्ता इरादतन चूक करने के साथ-साथ अपनी संपत्तियों का स्वामित्व नहीं बनाए रख सकते, इरादतन चूककर्ताओं और संबद्ध (कनेक्टेड) व्यक्तियों को दिवाला और शोधन अक्षमता संहिता (आईबीसी) के अंतर्गत समाधान प्रक्रिया में भाग लेने से रोक लगा दी गई है।

(vi) बैंकों द्वारा सूचित धोखाधड़ियों का पता लगाने से सक्षम एक वेब आधारित डाटाबेस, जिसमें पिछले 13 वर्ष के आंकड़े हैं, के रूप में केन्द्रीकृत धोखाधड़ी रजिस्ट्री (सीएफआर) का शुभारंभ किया गया, इसे आरबीआई द्वारा जनवरी, 2016 में परिचालनरत किया गया है।

(vii) बैंकों को संवेदनशील जगहों पर नियुक्त स्टाफ के रोटेशन तथा अनिवार्य अवकाश के लिए परिपत्र के माध्यम से सलाह दी गई है तथा इसे वर्ष 2011 में आंतरिक लेखा-परीक्षा में भी कवर किए जाने की सलाह दी थी।

विवरण-I

विगत दो वित्तीय वर्ष के दौरान सूचित धोखाधड़ी (1 लाख या उससे अधिक के व्यक्तिगत मामले में शामिल राशि) का बैंक-वार आंकड़ा

बैंक का नाम	2015-16			2016-17		
	धोखाधड़ियों की संख्या	अंतर्ग्रस्त राशि करोड़ रुपए में	मामलों की संख्या जहां पर स्टॉफ संलिप्त है	धोखाधड़ियों की संख्या	अंतर्ग्रस्त राशि करोड़ रुपए में	मामलों की संख्या जहां पर स्टॉफ संलिप्त है
1	2	3	4	5	6	7
आबू धाबी वाणिज्यिक बैंक	1	24.8894		0	0	0
इलाहाबाद बैंक	23	290.908	5	60	895.087	11
अमेरिकन एक्सप्रेस बैंकिंग कॉर्पोरेशन	187	6.4183	1	166	5.5854	1
आंध्रा बैंक	44	250.459	5	64	245.601	10
ऐक्सिस बैंक	227	338.364	37	222	2020.38	43
बंधन बैंक लिमिटेड	1	0.1155	1	13	1.5556	13
बैंक इंटरनेशनल इंडोनेशिया	0	0	0	1	17.7818	0
बैंक ऑफ बहरीन और कुवैत	0	0	0	1	0.0697	0
बैंक ऑफ बड़ौदा	255	1668.10	33	224	1164.85	24

1	2	3	4	5	6	7
बैंक ऑफ इंडिया	156	1217.58	14	162	2774.01	15
बैंक ऑफ महाराष्ट्र	45	1307.73	12	75	425.023	15
बैंक ऑफ नोवो स्कोटिया	0	0	0	1	0.13	0
बैंक ऑफ टोक्यो मित्सुबिशी, यूएफजे	0	0	0	1	1.2396	0
भारतीय महिला बैंक लिमिटेड	0	0	0	4	0.5477	0
कैनरा बैंक	94	1589.78	17	119	610.165	25
कैपिटल स्माल फाइनेंस बैंक	0	0	0	0	0	0
कैथोलिक सीरियन बैंक	11	9.1709	6	39	20.4479	4
सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया	167	177.296	29	146	867.861	27
चाइनाट्रस्ट वाणिज्यिक बैंक	1	20.00	0	0	0	0
सिटी बैंक	115	5.1051	2	177	11.7153	1
सिटी यूनियन बैंक	5	12.0867	2	3	23.0336	2
कॉर्पोरेशन बैंक	135	1321.99	36	83	694.076	11
डीवीएस बैंक	3	71.1153	0	1	0.0819	0
देना बैंक	21	71.0243	1	43	468.093	6
इयूश बैंक (एशिया)	1	0.015	0	1	0.0617	0
डेवलपमेंट क्रेडिट बैंक	14	4.5935	0	0	0	0
धनलक्ष्मी बैंक	4	5.5612	2	0	90.8509	1
दोहा बैंक क्यूएससी	0	0	0	3	8.9794	0
इक्विटस स्मॉल फाइनेंस बैंक	0	0	0	2	2.0152	2
निर्यात आयात बैंक ऑफ इंडिया	0	0	0	2	108.788	0
फेडरल बैंक	49	81.9981	3	58	259.131	21
फर्स्टरंड बैंक	0	0	0	2	27.1165	0
एचडीएफसी बैंक	260	97.2898	29	313	160.346	62
एएसबीसी	36	86.1177	0	48	0.3913	0
आईसीआईसीआई बैंक	588	347.715	66	686	412.899	35
आईडीबीआई बैंक लिमिटेड	129	262.053	8	107	1136.34	1

1	2	3	4	5	6	7
आईडीएफसी बैंक लिमिटैड	0	0	0	3	0.391	0
इंडियन बैंक	87	138.056	23	79	480.227	6
इंडियन ओवरसीज बैंक	109	598.33	14	95	1372.11	27
इंडसइंड बैंक	21	5.289	7	23	2.896	11
आईएनजी वैश्य बैंक	0	0	0	0	0	0
जम्मू और कश्मीर बैंक	14	8.3655	5	23	311.475	2
कर्नाटक बैंक	15	91.9572	3	25	31.0362	1
करूरव्यास बैंक	21	182.433	4	21	17.8235	4
कोरिया एक्सचेंज बैंक	0	0	0	2	0.0228	0
कोटक महिंद्रा बैंक	114	45.0213	6	126	111.547	13
कृष्ण भीम समृद्धि लैब	0	0	0	0	0	0
लक्ष्मी विलास बैंक	12	22.0114	5	13	109.954	8
मशरेक बैंक	1	0.0366	0	0	0	
नैनीताल बैंक	21	1.8781	0	4	0.3591	
ओमान इंटरनेशनल बैंक	0	0	0	0	0	
ओरिएंटल बैंक ऑफ कॉमर्स	114	807.296	12	56	162.768	9
पंजाब और सिंध बैंक	12	131.939	1	16	178.784	3
पंजाब नेशनल बैंक	131	352.852	17	158	2808.27	18
रत्नाकर बैंक लिमिटेड	10	3.8354	1	13	3.1544	1
रॉयल बैंक ऑफ स्कॉटलैंड	7	0.1104	0	1	0.01	0
शिनहान बैंक	2	5.8416	0	0	0	0
स्माल इंडस्ट्रीज डेवल बैंक ऑफ इंडिया	2	45.3185	0	3	11.3086	0
साउथ इंडियन बैंक	7	1.5822	3	7	313.963	2
स्टैंडर्ड चार्टर्ड बैंक	127	3.6603	3	320	6.5187	0
स्टेट बैंक ऑफ बीकानेर एंड जयपुर	48	147.729	5	38	132.872	8
स्टेट बैंक ऑफ हैदराबाद	34	673.667	7	38	112.156	9
भारतीय स्टेट बैंक	562	1895.51	66	544	2422.37	83

1	2	3	4	5	6	7
स्टेट बैंक ऑफ मैसूर	67	21.7285	6	92	279.771	6
स्टेट बैंक ऑफ पटियाला	40	413.199	4	47	35.8337	6
स्टेट बैंक ऑफ त्रावणकोर	19	138.88	6	44	57.0941	2
सिंडिकेट बैंक	178	1640.68	14	166	376.232	19
तमिलनाड मर्केटाइल बैंक	12	5.7214	2	20	74.786	1
दि इंडस्ट्रियल फाइनेंस कार्पो ऑफ इंडिया लिमिटेड	5	253.361	2	1	214.861	0
यूको बैंक	85	248.149	44	59	695.482	15
यूनियन बैंक ऑफ इंडिया	145	1297.73	12	111	920.723	4
यूनाइटेड बैंक ऑफ इंडिया	67	142.567	2	30	83.3214	5
विजया बैंक	21	104.654	0	58	132.716	8
यस बैंक	10	1.547	0	7	17.3801	2
कुल योग	4693	18698.82	584	5076	23933.85	603

स्रोत: आरबीआई उपर्युक्त आंकड़े में सभी तरह के धोखाधड़ियों के साथ-साथ दुर्विनियोजन और आपराधिक विश्वासघात के कारण जाली दस्तावेज के माध्यम से धोखाधड़ीपूर्ण नकद आहरण, नकदी की कमी, धोखाधड़ी और जालसाजी आदि शामिल हैं।

विवरण-II

वर्ष 2016-17 के दौरान बैंकों द्वारा सूचित किए गए अनुसार धोखाधड़ी (1 लाख या उससे अधिक की राशि) में संलिप्त बैंक कर्मचारियों के विरुद्ध आरंभ की गई/की गई कार्रवाई का कर्मचारी पक्ष-वार संख्या का बैंक-वार ब्यौरा

बैंक का नाम	कर्मचारियों जिन पर कार्रवाई की गई संख्या	
	2016	2017
1	2	3
इलाहाबाद बैंक	116	121
अमेरिकन एक्सप्रेस बैंकिंग कॉर्प.	1	11
आंध्रा बैंक	124	77
एक्सिस बैंक लिमिटेड	160	306
बंधन बैंक लिमिटेड	41	98
बैंक ऑफ बड़ौदा	225	137
बैंक ऑफ इंडिया	8	14
बैंक ऑफ महाराष्ट्र	22	56
केनरा बैंक	291	216
कैथोलिक सिरअन बैंक लिमिटेड	36	36
सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया	274	132
सिटी बैंक एनए	2	
सिटी यूनियन बैंक लिमिटेड	1	6

1	2	3
कॉरपोरेशन बैंक	124	148
डीबीएस बैंक लिमिटेड		
डीसीबी बैंक लिमिटेड		1
देना बैंक	81	95
दोहा बैंक क्यूएएसी	1	
इक्यूटस लघु वित्त बैंक लिमिटेड	1	14
निर्यात आयात बैंक ऑफ इंडिया	2	
फेडरल बैंक लिमिटेड	67	3
एचडीएफसी बैंक लिमिटेड	11	1
हांगकांग और शंघाई बैंकिंग कॉर्प, लि.	11	1
आईसीआईसीआई बैंक लिमिटेड		2
आईडीबीआई बैंक लिमिटेड	82	3
इंडियन बैंक	135	105
इंडियन ओवरसीज बैंक	41	18
इंडसइंड बैंक लिमिटेड	17	11
आईएनसी वैश्य बैंक लिमिटेड		
जम्मू और कश्मीर बैंक लिमिटेड	16	61
कर्नाटक बैंक लिमिटेड	35	11
करूर वैश्य बैंक लिमिटेड	6	3
कोटक महिन्द्रा बैंक लिमिटेड	13	61
कृष्णा भीम समृद्धि लैब लिमिटेड		1
लक्ष्मी विलास बैंक लिमिटेड	16	47
नैनीताल बैंक लिमिटेड		6
ओरिएंटल बैंक ऑफ लिमिटेड	80	12
पंजाब एंड सिंध बैंक	12	34
पंजाब नेशनल बैंक	331	376
आरबीएल बैंक लिमिटेड	5	
एसबीएम बैंक (मोरिशस) लि.		1
स्माल इंडस्ट्रीज डेवल. बैंक ऑफ इंडिया	4	
साउथ इंडियन बैंक लि.	20	19
स्टैंडर्ड चार्टर्ड बैंक		1
स्टेट बैंक ऑफ बिकानेर एंड जयपुर	67	6
स्टेट बैंक ऑफ हैदराबाद	44	12
भारतीय स्टेट बैंक	338	251
स्टेट बैंक ऑफ मैसूर	9	
स्टेट बैंक ऑफ पटियाला	75	3
स्टेट बैंक ऑफ त्रावणकोर	72	2
सुभद्रा लोकल एरिया बैंक लिमिटेड		1
सिंडिकेट बैंक	219	76
तमिलनाडु मर्केटाइल बैंक लिमिटेड	26	12
दि धनलक्ष्मी बैंक लिमिटेड	26	1
दि इंडस्ट्रियल फाइनेंस कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड	1	
यूको बैंक	321	82
यूनियन बैंक ऑफ इंडिया	66	30
युनाइटेड बैंक ऑफ इंडिया	67	96
विजया बैंक	2	5
यस बैंक लिमिटेड	1	104
कुल योग	4360	3804

स्रोत: आरबीआई

विवरण-III

वर्ष 2016-17 के दौरान बैंकों द्वारा सूचित किए गए अनुसार धोखाधड़ी (1 लाख या उससे अधिक की राशि) में संलिप्त बैंक कर्मचारियों के विरुद्ध आरंभ की गई/की गई कार्रवाई का कर्मचारी पक्ष-वार

राज्य	कर्मचारियों जिन पर कार्रवाई की गई की संख्या	
	2016	2017
1	2	3
अंडमान और निकोबार द्वीपसमूह	1	
आंध्र प्रदेश	271	181
अरुणाचल प्रदेश		9
असम	75	90
बिहार	129	155
चंडीगढ़	17	42
छत्तीसगढ़	75	61
दमन और दीव		1
दिल्ली	415	82
गोवा	14	2
गुजरात	211	121
हरियाणा	132	151
हिमाचल प्रदेश	14	12
जम्मू और कश्मीर	75	72
झारखंड	64	70
कर्नाटक	250	167
केरल	113	46
मध्य प्रदेश	152	199
महाराष्ट्र	528	542
मणिपुर	6	2
मेघालय	1	
मिजोरम	3	
नागालैंड	5	
राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली		224
ओडिशा		64
ओडिशा	94	7
अन्य	9	4
पांडिचेरी	2	
पुदुचेरी		2
पंजाब	277	165
राजस्थान	163	205
सिक्किम	3	1
तमिलनाडु	411	374
तेलंगाना		90
त्रिपुरा	6	
उत्तर प्रदेश	519	422
उत्तराखंड		15
उत्तरांचल	59	10
पश्चिम बंगाल	266	216
सकल योग	4360	3804

स्रोत: आरबीआई

सिद्ध प्रणाली

1676. श्री कंवर सिंह तंवर: क्या **आयुर्वेद, योग और प्राकृतिक चिकित्सा, यूनानी, सिद्ध और होम्योपैथी (आयुष) मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सिद्ध चिकित्सा प्रणाली विदेशों में भी प्रसिद्ध है और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और किन देशों में सिद्ध चिकित्सा प्रणाली या समान प्रणाली प्रचलित हैं;

(ख) सिद्ध चिकित्सा प्रणाली में अनुसंधान और विकास के क्षेत्र में इन देशों के साथ सहयोग और समन्वय संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) सरकार द्वारा देश में सिद्ध चिकित्सा प्रणाली को प्रचलित करने के लिए क्या कदम उठाए गए हैं?

आयुर्वेद, योग और प्राकृतिक चिकित्सा, यूनानी, सिद्ध और होम्योपैथी (आयुष) मंत्रालय के राज्यमंत्री (श्री श्रीपाद येसो नाईक): (क) जी, हां। सिद्ध चिकित्सा पद्धति का श्रीलंका और मलेशिया जैसे देशों में अभ्यास किया जाता है क्योंकि वहां पर बड़ी संख्या में तमिल आबादी है। मलेशिया में सरकार पारंपरिक और पूरक चिकित्सा (टीएंडसीएम) के अंतर्गत सिद्ध अभ्यास विनियमित करती है। श्रीलंका में सिद्ध संबंधी स्नातकपूर्व पाठ्यक्रम जाफना विश्वविद्यालय जहां सिद्ध विभाग है और पूर्वी विश्वविद्यालय से संबद्ध त्रिंकोमाली परिसर द्वारा प्रदान किया जा रहा है। श्रीलंका के विभिन्न प्रांतों के सिद्ध अस्पतालों और औषधालयों में सिद्ध चिकित्सा पद्धति की सुविधाएं मुहैया कराई जा रही हैं।

(ख) आयुष मंत्रालय ने सिद्ध सहित पारंपरिक चिकित्सा पद्धतियों के क्षेत्र में सहयोग के लिए मलेशिया सरकार के साथ देश दर देश समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए हैं। विदेश मंत्रालय के भारतीय तकनीकी और आर्थिक सहयोग (आईटीईसी) कार्यक्रम के तहत मलेशिया में एक सिद्ध विशेषज्ञ की प्रतिनियुक्ति की गई है।

आयुष मंत्रालय भारत में आयुष संस्थानों में सिद्ध सहित आयुष चिकित्सा पद्धतियों के स्नातकपूर्व और स्नातकोत्तर पाठ्यक्रम के लिए पात्र विदेशी नागरिकों को अपनी छात्रवृत्ति योजना के तहत छात्रवृत्ति प्रदान करता है।

(ग) आयुष मंत्रालय ने सिद्ध में शिक्षा प्रदान करने और सिद्ध चिकित्सा पद्धति में अनुसंधान क्रियाकलाप आरंभ करने के लिए क्रमशः राष्ट्रीय सिद्ध संस्थान (एनआईएस) और केन्द्रीय सिद्ध अनुसंधान परिषद (सीसीआरएस) स्थापित किया है। आयुष मंत्रालय की सूचना, शिक्षा और संचार (आईईसी) की केन्द्रीय प्रायोजित स्कीम के अंतर्गत पूरे देश में सिद्ध सहित आयुष चिकित्सा पद्धतियों के प्रचार और संवर्धन के लिए विभिन्न संवर्धनात्मक क्रियाकलाप आरंभ किए गए हैं। राष्ट्रीय आयुष मिशन के अंतर्गत तमिलनाडु और पुदुचेरी को आयुष स्वास्थ्य केन्द्र (सिद्ध सहित) और 50 बिस्तर वाले अस्पतालों की स्थापना के लिए निधियां प्रदान की गई हैं।

एटीएम संव्यवहार प्रभार

1677. **श्री चन्द्रकांत खैरे:** क्या **वित्त मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार का एटीएम संव्यवहार प्रभारों को बढ़ाने का विचार है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इसके क्या कारण हैं;

(ग) देश भर में सरकारी क्षेत्र के बैंकों द्वारा अब तक कुल कितने एटीएम कार्ड वितरित किए गए हैं; और

(घ) देश में प्रचालित एटीएम की राज्य/संघ राज्य क्षेत्र-वार कुल संख्या कितनी है?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री शिव प्रताप शुक्ला): (क) और (ख) 'एटीएम का प्रयोग-नि:शुल्क लेन-देनों की संख्या का युक्तियुक्तकरण' पर दिनांक 14.08.2014 के भारतीय रिजर्व बैंक (आरबीआई) के निदेशों के अनुसार नि:शुल्क/प्रभारित एटीएम लेन-देनों का विवरण निम्नानुसार है: (i) एक माह के दौरान किसी भी स्थान पर बैंक के अपने एटीएम पर न्यूनतम पांच नि:शुल्क एटीएम लेन-देन। (ii) छः महानगरों अर्थात् मुम्बई, नई दिल्ली, चेन्नई, कोलकाता, बेंगलुरू और हैदराबाद में किसी अन्य बैंक के एटीएम से कम से कम तीन नि:शुल्क लेन-देन। (iii) माह के दौरान मैट्रो स्थानों को छोड़कर अन्य स्थानों पर किसी अन्य बैंकों के एटीएम पर न्यूनतम पांच नि:शुल्क लेन-देन। (iv) इन नि:शुल्क एटीएम लेन-देनों की न्यूनतम संख्या के अलावा बैंकों के पास एटीएम लेन-देनों पर ग्राहकों पर प्रभार लगाने के संबंध में अपनी बोर्ड अनुमोदित नीति है, जो प्रति लेन-देन पर ग्राहकों पर अधिकतम 20/- रुपए प्रभारित करने की सीमा के अध्यधीन है।

(ग) आरबीआई द्वारा प्रदान की गई सूचना के अनुसार, दिनांक 31.5.2018 की स्थिति के अनुसार, सरकारी क्षेत्र के बैंकों द्वारा बकाया क्रेडिट कार्डों और जारी किए गए डेबिट कार्डों की संख्या क्रमशः 0.83 करोड़ और 72.62 करोड़ है।

(घ) आरबीआई द्वारा सूचित किए गए अनुसार दिनांक 31.03.2018 कर स्थिति के अनुसार राज्य/संघ राज्यक्षेत्र-वार लगाए गए एटीएम का विवरण के अनुसार संलग्न है।

विवरण

राज्य/संघ राज्यक्षेत्र	दिनांक 31.03.2018 की स्थिति के अनुसार अनुसूचित वाणिज्यिक बैंकों के एटीएम और व्हाइट लेबल
1	2
अंडमान और निकोबार द्वीपसमूह	115
आंध्र प्रदेश	10436
अरुणाचल प्रदेश	248
असम	3805
बिहार	7949
चंडीगढ़	648

1	2
छत्तीसगढ़	3262
दादरा और नगर हवेली	139
दमन	95
दिल्ली	8744
दीव	13
गोवा	1032
गुजरात	11726
हरियाणा	6497
हिमाचल प्रदेश	1786
जम्मू और कश्मीर	2516
झारखंड	3768
कर्नाटक	17664
केरल	9644
लक्षद्वीप	17
मध्य प्रदेश	10066
महाराष्ट्र	25651
मणिपुर	335
मेघालय	409
मिजोरम	171
नागालैंड	316
ओडिशा	6988
पांडिचेरी	591
पंजाब	7384
राजस्थान	9386
सिक्किम	196
तमिलनाडु	25277
तेलंगाना	10365
त्रिपुरा	491
उत्तर प्रदेश	19937
उत्तराखंड	2677
पश्चिम बंगाल	11722
कुल	222066

स्रोत: आरबीआई

[अनुवाद]

बाल परिचर्या संस्थाएं

1678. श्री शिशिर कुमार अधिकारी: क्या **महिला और बाल विकास मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) बाल परिचर्या संस्थाओं और विभिन्न गैर-सरकारी संगठनों में रह रहे बच्चों का राज्य/संघ राज्य क्षेत्र-वार ब्यौरा क्या है;

(ख) क्या सरकार के पास आंकड़ों की निगरानी और बाल अधिकारी के संरक्षण हेतु तंत्र है और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या सरकार ने समेकित आंकड़े हेतु "ट्रैक चाइल्ड" के लिए आधार कार्ड से जोड़ने के लिए निर्देश जारी किए हैं; और

(घ) यदि हां, तो देश के कुल बाल परिचर्या केन्द्रों की संख्या कितनी है और आधार से कितने बच्चे पंजीकृत किए गए हैं?

महिला और बाल विकास मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा अल्पसंख्यक कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (डॉ. वीरेन्द्र कुमार): (क) जी, हां। सरकार ने स्वयं राज्यों द्वारा या एनजीओ के माध्यम से संचालित बाल देखरेख संस्थाओं तथा उनमें 16.03.2018 तक रहने वाले बच्चों पर राज्य सरकारों/संघ राज्य क्षेत्र प्रशासनों से रिपोर्ट प्राप्त की है। बाल देखरेख संस्थाओं की सूची संलग्न विवरण है।

(ख) जी, हां। सरकार में ऑनलाइन निगरानी प्रणाली की व्यवस्था है, जिसमें राज्य/संघ राज्य क्षेत्र द्वारा तारीख लिखी जानी होती है।

(ग) भारत सरकार द्वारा भारतीय विशिष्ट पहचान प्राधिकरण को बच्चों सहित भारतीय नागरिकों का आधार कार्ड जारी करने का कार्य सौंपा गया है। महिला एवं बाल विकास मंत्रालय किशोर न्याय (बालकों की देखरेख एवं संरक्षण) अधिनियम 2015 में परिभाषा के अनुसार देखरेश एवं संरक्षण के जरूरतमंद बच्चों तथा कानून का उल्लंघन करने वाले बच्चों को सुरक्षा तंत्र प्रदान काने हेतु आईसीडीएस की अंब्रेला योजना के तहत बाल संरक्षण सेवा चला रहा है। मंत्रालय ने सभी हितधारकों से सभी बाल देखरेख संस्थाओं में बच्चों के आधार पंजीकरण का सुनिश्चय करने के लिए कहा है। विभिन्न प्लैटफॉर्मों पर उनके द्वारा प्रदान की गई सूचना के अनुसार, राज्य सरकारों द्वारा आवश्यक कदम उठाए जा रहे हैं। ट्रैक चाइल्ड पोर्टल में बच्चों का आधार ब्यौरा दर्ज करने का प्रावधान पहले से ही है।

(घ) देश में बाल देखरेख संस्थाओं की कुल संख्या का ब्यौरा भाग (क) में संलग्न विवरण है तथा ट्रैक चाइल्ड पोर्टल पर प्रदान की गई सूचना के अनुसार आधार के साथ पंजीकृत बच्चों की संख्या 30835 है।

विवरण

'अनाथालयों में बच्चों का शोषण' विषय पर तमिलनाडु राज्य बनाम भारत संघ एवं अन्य की 2007 की याचिका (आपराधिक) संख्या 102 दिनांक 16 मार्च, 2018 के संबंध में स्थिति-रिपोर्ट

क्र. सं.	राज्य	पंजीकृत बाल देखरेख संस्थानों की संख्या	प्रक्रिया अधीन बाल देखरेख संस्थानों की संख्या	अस्थायी तौर पर पंजीकृत बाल देखरेख संस्थानों की संख्या	अपंजीकृत बाल देखरेख संस्थानों की संख्या	अन्य	नयायिक मामले	कुल	सभी बाल देखरेख संस्थानों में रिपोर्ट/सूचित बालकों की कुल संख्या	दिनांक	टिप्पणियां
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1.	अंडमान और निकोबार द्वीपसमूह	16	0	0	0	0	0	16	486	07.03.2018	• बाल देखरेख संस्थानों में बालकों की संख्या: 226 • बाल देखरेख संस्थानों में बालिकाओं की संख्या: 260
2.	आंध्र प्रदेश	824	0	0	49	0	0	873	30681	11.01.2018	• पंजीकृत बाल देखरेख संस्थानों में बच्चों की संख्या: 30091 • गैर-पंजीकृत बाल देखरेख संस्थानों में बच्चों की संख्या: 590
3.	अरुणाचल प्रदेश	7	0	0	0	0	0	7	155	20.02.2018	• बाल देखरेख संस्थानों में बालकों की संख्या: 87 • बाल देखरेख संस्थानों में बालिकाओं की संख्या: 68
4.	असम	110	47	0	4	0	0	161	3480	21.02.2018	• अनुदान प्राप्त न करने वाले एनजीओ द्वारा परिचालित बाल-गृहों में बच्चों की संख्या: 1213

											• आईसीपीएस के तहत अनुदान प्राप्त करने वाले एनजीओ द्वारा परिचालित बाल-गृहों में बच्चों की संख्या: 1116 • अनुदान प्राप्त करने वाले खुल आश्रय गृहों में बच्चों की संख्या: 45 • अनुदान प्राप्त करने वाले एसएए में बच्चों की संख्या: 103 • सरकार द्वारा चलाए जा रहे बाल. संप्रेक्षण गृहों में बच्चों की संख्या: 222 • नयी सीसीआई एप्लीकेशन में बच्चों की संख्या की क्षमता: 781
5.	बिहार	79	6	0	0	0	0	85	2259	21.02.2018	• संप्रेक्षण गृहों में बच्चों की संख्या: 786 • वशेष गृहों में बच्चों की संख्या: 16 • बाल दत्ताक-ग्रहण विशेषज्ञ अभिकरणों में बच्चों की संख्या: 217 • बाल गृहों में बच्चों की संख्या: 1039 • खुले आश्रयगृहों में बच्चों की संख्या: 201
6.	चंडीगढ़	10	0	0	0	0	0	10	295	22.02.2018	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
7.	छत्तीसगढ़	77	0	8	0	0	0	85	2426	19.02.2018	• 31 जनवरी 2018 को बच्चों की वास्तविक संख्या
8.	दादरा और नगर हवेली	0	0	0	0	0	0	0	0	26.12.2017	• सीसीआई की अनुपलब्धता
9.	दमन और दीव	0	0	0	0	0	0	0	0	26.02.2018	• सीसीआई की अनुपलब्धता
10.	दिल्ली	65	31	0	0	0	0	96	3177	22.02.2018	• पंजीकृत बाल देखरेख संस्थानों में बच्चों की संख्या: 2400 • प्रक्रियाधीन बाल देखरेख संस्थानों में बच्चों की संख्या: 777
11.	गोवा	67	12	0	0	0	0	79	3788	22.02.2018	• पंजीकृत बाल देखरेख संस्थानों में बच्चों की संख्या: 3234 • अपंजीकृत बाल देखरेख संस्थानों में बच्चों की संख्या: 554
12.	गुजरात	125	0	0	0	0	0	125	3324	16.02.2018	• बाल देखरेख संस्थानों में बालकों की कुल संख्या: 2035 • बाल देखरेख संस्थानों में बालिकाओं की कुल संख्या: 1289
13.	हरियाणा	65	3	0	0	0	0	68	2551	22.02.2018	• पंजीकृत बाल देखरेख संस्थानों में बच्चों की संख्या: 2384 • अनंतिम रूप से पंजीकृत बाल देखरेख संस्थानों में बच्चों की संख्या: 20 • बाल देखरेख संस्थानों जिन्हें विभाग द्वारा कारण बताओ नोटिस दिया गया है और बच्चों की संख्या: 52

										• उन बाल देखरेख संस्थानों में बच्चों की संख्या जो बंद होने वाले हैं: 15 • उन बाल देखरेख संस्थानों में बच्चों की संख्या जो मुख्यालय में पंजीकरण के लिए प्रक्रिया अधीन हैं: 80 • बाल देखरेख संस्थानों में बालिकाओं की कुल संख्या: 1149 • बाल देखरेख संस्थानों में बालकों की कुल संख्या: 1402
14. हिमाचल प्रदेश	46	0	0	0	0	0	46	1494	20.02.2018	
15. जम्मू और कश्मीर	58	0	0	0	0	0	58	1798	22.02.2018	
16. झारखंड	114	0	0	0	0	0	114	2856	22.02.2018	• बाल देखरेख संस्थानों में बालकों की कुल संख्या: 1628 • बाल देखरेख संस्थानों में बालिकाओं की कुल संख्या: 1198
17. कर्नाटक	918	50	282	0	0	0	1250	37014	02.03.2018	• बाल देखरेख संस्थानों में बालकों की कुल संख्या: 21349 • बाल देखरेख संस्थानों में बालिकाओं की कुल संख्या: 15665
18. केरल	371	109	0	0	709	0	1189	14577	11.01.2018	• पंजीकृत बाल देखरेख संस्थानों में बच्चों की संख्या: 9934 • संस्तुत बाल देखरेख संस्थानों में बच्चों की संख्या: 141 • अस्थायी तौर पर पंजीकृत बाल देखरेख संस्थानों में बच्चों की संख्या: 26

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
											• उन बाल देखरेख संस्थानों में बच्चों की संख्या जिनका पंजीकरण रोकने की जरूरत है: 58 • उन बाल देखरेख संस्थानों में बच्चों की संख्या जिन्होंने बाल देखरेख संस्थान के पंजीकरण के लिए नया आवेदन दिया है: 162 • 2015-16 में 9 बाल देखरेख संस्थानों में बच्चें की संख्या: 625 • 2016-17 में 8 बाल देखरेख संस्थानों में बच्चें की संख्या: 295 • 2017-18 में 27 बाल देखरेख संस्थानों में बच्चों की संख्या: 1554 (आवेदन प्राप्त हुआ परंतु रिपोर्ट नहीं भेजी गई) • बाल देखरेख संस्थानों में आवेदन देने वाले बच्चों की संख्या: 269 • बाल देखरेख संस्थानों में उन बच्चों की संख्या जिनके आवेदन लंबित हैं: 327 • बाल देखरेख संस्थानों में उन बच्चों की संख्या, जिनके आवेदन पंजीकरण के लिए 03.01. 2018 को प्राप्त हुए : 9 • संस्तुत बाल देखरेख संस्थानों में बच्चों की संख्या: 375 • 20 बाल देखरेख संस्थानों में बच्चों की संख्या 680 • बाल देखरेख संस्थानों में जेजे पंजीकरण आवेदन को वापस लेने का अनुरोध करने वाले बच्चों

									की संख्या: 122
19. लक्षद्वीप	0	0	0	0	0	0	0	0	07.03.2018	• सीसीआई की अनुपलब्धता
20. मध्य प्रदेश	121	0	0	0	0	0	121	2797	11.01.2018	
21. महाराष्ट्र	749	104	0	0	0	0	853	22946	05.03.2018	
22. मणिपुर	116	13	0	0	0	0	129	1942	12.03.2018	• आईसीपीएस के तहत निधिकृत बाल गृहों और खुले आश्रयगृहों में बच्चों की संख्या: 1196 • आईसीपीएस के तहत निधिकृत संप्रेक्षण गृहों में बच्चों की संख्या: 36 • आईसीपीएस के तहत निधिकृत और अनिधिकृत दत्तक ग्रहण विशेषज्ञ अभिकरणों में बच्चों की संख्या: 45 • आईसीपीएस के तहत जेजे अधिनियम के अंतर्गत पंजीकृत और गैर-निधिकृत बाल देखरेख संस्थानों में बच्चों की संख्या: 665
23. मेघालय#	108	0	0	8	6	0	122	2464	26.02.2018	• बाल देखरेख संस्थानों में बालकों की कुल संख्या: 1337 • बाल देखरेख संस्थानों में बालिकाओं की कुल संख्या: 1127
24. मिजोरम	52	0	0	0	0	0	52	1079	23.01.2018	• बाल देखरेख संस्थानों में बालकों की कुल संख्या: 437 • बाल देखरेख संस्थानों में बालिकाओं की कुल संख्या: 642
25. नागालैंड	71	0	0	0	0	0	71	765	14.02.2018	
26. ओडिशा	308	0	0	3	00	0	311	13398	11.01.2018	
27. पुदुचेरी	67	1	0	0	0	0	68	1969	13.02.2017	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
28.	पंजाब	74	0	0	0	0	0	74	2890	13.02.2018	• बाल देखरेख संस्थानों में बालकों की कुल संख्या: 1665 • बाल देखरेख संस्थानों में बालिकाओं की कुल संख्या: 1225
29.	राजस्थान	170	19	0	0	0	0	189	4503	27.02.2018	
30.	सिक्किम	27	0	0	0	0	0	27	612	09.02.2018	
31.	तमिलनाडु	1296	0	0	0	0	4	1300	62023	11.01.2018	
32.	तेलंगाना@	455	6	0	0	48	0	509	16904	23.02.2018	• बाल देखरेख संस्थानों में बालकों की कुल संख्या: 8540 • बाल देखरेख संस्थानों में बालिकाओं की कुल संख्या: 8364
33.	त्रिपुरा	39	0	0	0	0	0	39	770	17.02.2018	
34.	उत्तर प्रदेश	231	0	0	0	0	0	231	5140	22.02.2018	• सरकारी संप्रेक्षण गृहों में बालकों की कुल संख्या: 1737 • सरकारी संप्रेक्षण गृहों में बालिकाओं की कुल संख्या: 41 • सरकारी बाल गृहों में बालकों की कुल संख्या: 393 • सुरक्षित स्थानों पर बच्चों की कुल संख्या: 10 • सरकारी विशेष गृहों में बालकों की कुल संख्या: 5 • सरकारी बाल गृहों में बालिकाओं की कुल संख्या: 5 • सरकारी बाल गृहों में बालिकाओं की कुल संख्या 244

										• सरकारी पश्च देखरेख गृहों में बालिकाओं की संख्या: 237 • सरकारी पश्च देखरेख गृहों में बालकों की संख्या: 34 • सरकारी बाल गृहों में बच्चों (0-10) की कुल संख्या: 127 • बाल गृहों में बालकों की कुल संख्या: 710 • बाल गृहों में बालिकाओं की: 716 • बाल गृहों में बच्चों (0-10) की संख्या: 380 • आश्रयगृहों/ आश्रय में छोड़े गये बच्चों की संख्या: 72 • खुले आश्रयगृहों में बच्चों की संख्या: 434
35. उत्तराखंड	45	0	0	0	0	0	45	1045	27.10.2018	• बाल देखरेख संस्थानों में बालकों की कुल संख्या: 534 • बाल देखरेख संस्थानों में बालिकाओं की कुल संख्या: 511
36. पश्चिम बंगाल	228	0	0	0	00	0	228	9958	19.02.2018	• गृहों की गैर पीएबी सूची में बच्चों की संख्या: 5085 • गृहों की गैर पीएबी सूची में बच्चों की संख्या: 4873
कुल	7109	401	290	64	763	4	8631	261566		

*केरल से बाल देखरेख संस्थानों के बारे में जानकारी प्राप्त नहीं हुई है। तथापि, उन्होंने सूचित किया है कि आनाथाश्रम नियंत्रण बोर्ड के अधीन 1189 अनाथाश्रम हैं।

@तेलंगाना ने सूचित किया है कि 48 बाल देखरेख संस्थान बंद कर दिए गए हैं।

#मेघालय ने सूचित किया है कि 6 बाल देखरेख संस्थानों ने अपना पंजीकरण आवेदन वापस मांग लिया है क्योंकि उनके संस्थान छात्रावास हैं।

नोट: बाल देखरेख संस्थानों की कुल संख्या में बाल गृह संप्रेक्षण गृह, विशेष गृह, सुरक्षा स्थल, विशिष्ट दत्तक ग्रहण अभिकरण और खुले आश्रय गृह शामिल हैं। बच्चों की कुल संख्या में देखरेख और संरक्षण तथा कानून का उल्लंघन करने वाले बच्चे शामिल हैं।

कार्यस्थल पर यौन उत्पीड़न अधिनियम का अनुपालन

1679. कुमारी शोभा कारान्दलाजे: क्या महिला और बाल विकास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या उच्चतम न्यायालय ने सरकार से एक एनजीओ से प्राप्त उस सलाह पर जिसमें कार्यस्थल पर यौन उत्पीड़न से बचाव संबंधी कानून का अनुपालन सुनिश्चित करने को कहा गया है, पर विचार करने को कहा है और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है तथा सरकार की इस पर क्या प्रतिक्रिया है;

(ख) क्या संगठित तथा असंगठित क्षेत्र दोनों में ही कार्यस्थल पर यौन उत्पीड़न का सामना करने वाली महिलाओं के लिए अपनी शिकायतों को दर्ज कराने तथा शिकायत के समाधान के लिए कोई उपयुक्त स्थान नहीं है और यदि हां, तो इस पर सरकार की क्या प्रतिक्रिया है;

(ग) क्या यह सत्य है कि अधिनियम के उपबंधों के कार्यान्वयन में राज्यों ने बहुत ही कम प्रगति की है;

(घ) यदि हां, तो कई राज्यों तथा संघ राज्य क्षेत्रों द्वारा जिला स्तर पर नोडल एजेंसी तथा शिकायत निवारण तंत्र स्थापित करने के संबंध में जिला अधिकारियों को अधिसूचित नहीं करने के पीछे क्या कारण हैं; और

(ङ) कार्यस्थल पर यौन उत्पीड़न को समाप्त करने तथा महिलाओं के लिए सुरक्षित और संरक्षित माहौल बनाने के लिए क्या कदम उठाए गए हैं?

महिला और बाल विकास मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा अल्पसंख्यक कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (डॉ. वीरेन्द्र कुमार): (क) माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने 19 अप्रैल, 2018 के आदेश के अनुसार, 'इनिशिएटिव्स फॉर इन्क्लूजन फाउंडेशन द्वारा दिए गए सुझाव पर चर्चा करने की सलाह दी, जिसमें मंत्रालयों/विभागों तथा राज्यों आदि को परामर्शी जारी करना शामिल है। इस संबंध में 03 मई, 2018 को एक शपथ पत्र पहले ही दाखिल किया जा चुका है।

(ख) से (ङ) महिलाओं का कार्यस्थल पर लैंगिक उत्पीड़न (निवारण, निषेध और प्रतितोष) अधिनियम, 2013 जिसे 09 दिसम्बर, 2013 को लागू किया गया। इस अधिनियम में सभी महिलाएं शामिल हैं, चाहे उनकी आयु अथवा रोजगार का दर्जा कुछ भी हो और ये अधिनियम सार्वजनिक और निजी, संगठित अथवा असंगठित दोनों क्षेत्रों में सभी कार्यस्थलों पर लैंगिक उत्पीड़न से उनकी सुरक्षा करता है। अधिनियम के अनुसार सभी कार्यस्थलों पर, जहां 10 से अधिक कर्मी कार्यरत हैं, लैंगिक उत्पीड़न की शिकायतें प्राप्त करने के लिए आंतरिक शिकायत समितियां गठित करना अधिदेशित है। इसी प्रकार, उपयुक्त सरकार प्रत्येक जिले में स्थानीय शिकायत समिति गठित करने के लिए प्राधिकृत है, जो ऐसे संगठनों से शिकायतें प्राप्त करेंगी, जहां 10 से कम कर्मी कार्यरत हैं अथवा जहां स्वयं नियोक्ता के विरुद्ध शिकायत की जाती है।

अब तक 29 राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों ने महिलाओं का कार्यस्थले पर लैंगिक उत्पीड़न (निवारण, निषेध और प्रतितोष) अधिनियम, 2013 के अंतर्गत जिला अधिकारी अधिसूचित किए हैं और स्थानीय शिकायत समितियां गठित की हैं।

महिला और बाल विकास मंत्रालय अधिनियम का कारगर क्रियान्वयन सुनिश्चित करने के लिए समय-समय पर सभी राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों, भारत सरकार के मंत्रालयों/विभागों तथा प्रमुख व्यापारिक संगठनों, एसोचैम, फिक्की, सीसीआई और नैस्कॉम को परामर्शियां जारी करता है।

इसके अलावा, भारत सरकार के सभी मंत्रालयों/विभागों तथा राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों से अनुरोध किया गया है कि इस अधिनियम के उपबंधों के बारे में कर्मचारियों में संचेतना पैदा करने के लिए अपने-अपने विभागों/कार्यालयों में कार्यशालाएं और जागरुकता कार्यक्रम आयोजित करें। इसके अतिरिक्त, सभी राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों से यह भी अनुरोध किया गया है कि वे राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों में उद्योग/वाणिज्य सचिव को सलाह दें कि प्रत्येक उद्योग, व्यापारिक घराने, निजी क्षेत्र के उपक्रम में इसी प्रकार की कार्यशालाएं और जागरुकता कार्यक्रम आयोजित करें।

मंत्रालय ने देश में सभी महिला कर्मचारियों, जिनमें सरकारी और निजी क्षेत्र में कार्यरत कर्मचारी शामिल हैं, कि कार्यस्थल पर लैंगिक उत्पीड़न से संबंधित शिकायतें दर्ज करने के लिए लैंगिक उत्पीड़न इलैक्ट्रॉनिक बॉक्स [एसएचइ (शी) बॉक्स] नामक ऑनलाइन शिकायत प्रबंधन प्रणाली शुरू की है।

उपर्युक्त के अलावा, महिला एवं बाल विकास मंत्रालय ने पूरे देश में संगठित और असंगठित दोनों क्षेत्रों में अधिनियम के संबंध में व्यापक जागरुकता पैदा करने के लिए कार्यस्थल पर लैंगिक उत्पीड़न के मुद्दे पर क्षमता-निर्माण कार्यक्रम, अर्थात् प्रशिक्षण, कार्यशालाएं आदि चलाने के लिए 223 संसाधन संस्थाओं को अभिनिर्धारित किया है।

सीजीएचएस में संविदा चिकित्सक

1680. श्री अश्विनी कुमार: क्या **स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार सीजीएचएस औषधालयों में चिकित्सा अधिकारियों को संविदा आधार पर कार्य पर रख रही है;

(ख) यदि हां, तो गत तीन वर्षों के दौरान दिल्ली सहित राज्य/संघ राज्यक्षेत्र-वार ऐसे कितने चिकित्सक नियुक्त किए गए हैं;

(ग) क्या देश में बड़ी संख्या में योग्य एमबीबीएस चिकित्सक बेरोजगार हैं और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इस पर सरकार की क्या प्रतिक्रिया है; और

(घ) सीजीएचएस औषधालयों में चिकित्सकों की स्थायी नियुक्ति को सुगम बनाने के लिए क्या कदम उठाए गए हैं/उठाए जाने प्रस्तावित हैं?

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री अश्विनी कुमार चौबे): (क) जी हां, केन्द्र सरकार/राज्य सरकार/पीएसयू के सेवानिवृत्त जीडीएमओ/विशेषज्ञ निर्धारित नियमों और शर्तों पर सीजीएचएस डिस्पेंसरियों में संविदात्मक आधार पर कार्य कर रहे हैं।

(ख) पिछले तीन वर्षों के दौरान सीजीएचएस के अंतर्गत संविदात्मक आधार पर नियुक्त किए गए डॉक्टरों की संख्या संलग्न विवरण में है।

(ग) देश के बेरोजगार क्वालिफाइड एमबीबीएस डॉक्टरों से संबंधित विवरण को केन्द्रीय स्तर पर नहीं रखा जाता है।

(घ) सीजीएचएस डिस्पेंसरियों में डॉक्टरों की स्थायी नियुक्ति को सुविधाजनक बनाने के लिए सरकार ने निम्नलिखित कदम उठाए हैं:–

- प्रत्येक वर्ष स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय द्वारा बताई गई अनुमानित रिक्तियों के आधार पर, संघ लोक सेवा आयोग (यूपीएससी) केन्द्रीय स्वास्थ्य सेवा के जीडीएमओ उप संवर्ग के चिकित्सा अधिकारियों की भर्ती हेतु संयुक्त चिकित्सा सेवा परीक्षा आयोजित कराता है।
- सीजीएचएस में कार्यभार ग्रहण करने के लिए अधिक डॉक्टरों को प्रोत्साहित करने हेतु सामान्यत: उनके निवास/अधिवास स्थान पर उपयुक्त ध्यान रखने के बाद उनकी तैनाती की जा रही है।
- डायनामिक एश्योर्ड कैरियर स्कीम के अंतर्गत एसएजी स्तर तक की प्रोन्नतियों को समयबद्ध बनाया गया है।
- सीजएचएस डॉक्टरों की सेवा निवृत्ति की आयु हाल ही में बढ़ाकर 65 वर्ष की गई है।

विवरण

पिछले तीन वर्षों के दौरान संविदा आधार पर नियुक्त किए गए डॉक्टरों की संख्या

क्र. सं.	सीजीएचएस शहर	डॉक्टरों की संख्या
1	2	3
1.	अहमदाबाद	12
2.	इलाहाबाद	12
3.	बंगलौर	01
4.	भोपाल	02
5.	भुवनेश्वर	01
6.	चंडीगढ़	00
7.	चेन्नई	10
8.	दिल्ली	157
9.	देहरादून	02
10.	गुवाहाटी	05
11.	हैदराबाद	00
12.	जबलपुर	19
13.	जयपुर	04
14.	जम्मू	01
15.	कोलकाता	10
16.	लखनऊ	05
17.	मेरठ	04

1	2	3
18.	मुंबई	16
19.	पटना	02
20.	पुणे	08
21.	रांची	02
22.	शिलांग	02
23.	तिरुवनंतपुरम	00
24.	नागपुर	07
25.	कानपुर	11
26.	आइजॉल	01

[हिन्दी]

प्रतिबंधित ऑक्सीटोसिन के स्थान पर कारबेटॉसिन का उपयोग

1681. **श्रीमती पूनम महाजनः** क्या **स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या विश्व स्वास्थ्य संगठन द्वारा अध्ययन के अनुसार शिशु के जन्म के दौरान ऑक्सीटोसिन के स्थान पर कारबेटॉसिन नाम औषधि को परिवर्तित कर उपयोग किया जा सकता है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या सरकार का देश भर के जन स्वास्थ्य तंत्र में उक्त औषधि का उपयोग आरंभ करने का विचार है;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं?

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती अनुप्रिया पटेल): (क) और (ख) विश्व स्वास्थ्य संगठन (डब्ल्यूएचओ) द्वारा किए गए अध्ययन के अनुसार एक वैकल्पिक औषध कारबेटोसिन को ऑक्सीटोसीन की तरह सुरक्षित और प्रभावी पाया गया है। वर्तमान में डब्ल्यूएचओ पोस्टपार्टम हेमोरेज निवारण (बाल जन्म के पश्चात रक्त स्राव) के लिए ऑक्सीटोसीन की प्रथम पसंद के रूप में सिफारिश करता है।

तथापि, सुविधा केन्द्रों में जन्म पर ऑक्सीटोसीन की जरूरत कारबेटोसिन की उपलब्धता से समाप्त नहीं हो जाती है। पोस्टपार्टम हेमोरेज के उपचार के अलावा प्रसव इंडक्शन और बढ़ोत्तरी के लिए आक्सीटोसीन की आवश्यकता होती है।

(ग) जी, नहीं।

(घ) चूंकि ऑक्सीटोसीन पर रोक नहीं है इसलिए यह उपचार संबंधी उद्देश्यों के लिए देश में निरंतर उपलब्ध रहेगी।

क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक

1682. **श्रीमती कमला पाटले:** क्या **वित्त मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) देश में क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों की छत्तीसगढ़ सहित राज्य/संघ राज्यक्षेत्र-वार कुल संख्या कितनी है;

(ख) क्या सरकार ने क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों के कार्यकरण की समीक्षा की है और हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या हाल ही में क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों द्वारा गांववासियों को ऋण प्रदान करने में कोई सुधार किया गया है;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ङ) सरकार द्वारा ग्रामीण क्षेत्रों में और अधिक क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों की शाखाएं खोलने और इनको सुदृढ़ बनाने के लिए क्या कदम उठाए गए हैं?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री शिव प्रताप शुक्ला): (क) भारत में 56 क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक (आरआरबी) हैं। आरआरबी का राज्य/संघ राज्यक्षेत्र-वार ब्यौरा संलग्न विवरण में दिया गया है।

(ख) आरआरबी के कार्यकरण की समीक्षा वार्षिक आधार पर की जाती है। आरआरबी की वार्षिक समेकित समीक्षा संसद के दोनों सदनों के पटल पर भी रखी जाती है। राष्ट्रीय कृषि एवं ग्रामीण विकास बैंक (नाबार्ड) भी आरआरबी के कार्यनिष्पादन की समीक्षा छमाही आधार पर करता है।

(ग) और (घ) विगत तीन वर्ष के दौरान आरआरबी द्वारा बकाया ऋण निम्नानुसार दिए गए हैं:–

(राशि करोड़ रुपए में)

वर्ष	बकाया ऋण
2015-16	2,06,538
2016-17	2,26,175
2017-18	2,52,669

स्रोत: नाबार्ड

(ङ) बैंकिंग विस्तार और वित्तीय समावेशन में तेजी से वृद्धि के उद्देश्य को पूरा करने के लिए बैंक रहित ग्रामीण केन्द्रों में शाखाएं खोलने में तीव्रता लाना सरकार की नीति है। 1 जुलाई, 2015 के आरबीआई परिपत्र के अनुसार, आरआरबी को व्यवसाय प्रतिनिधियों (बीसी) के उपयोग के अतिरिक्त बैंक रहित ग्रामीण क्षेत्रों में और अधिक स्थायी शाखाएं खोलने की सलाह दी गई है।

आरआरबी को सुदृढ़ बनाने के उद्देश्य से सरकार ने उन आरआरबी को पुनर्पूंजीकरण सहायता प्रदान की है जो 9% के जोखिम भारित आस्तियों की तुलना में पूंजी अनुपात (सीआरएआर) की विनियामकीय आवश्यकता को पूरा करने में सक्षम नहीं है।

विवरण

क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक (आरआरबी) की राज्य/संघ राज्यक्षेत्र-वार सूची

क्र.सं.	राज्य	क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक का नाम
1	2	3
1.	आंध्र प्रदेश	आंध्र प्रगति ग्रामीण बैंक
2.	आंध्र प्रदेश	चैतन्य गोदावरी ग्रामीण बैंक
3.	आंध्र प्रदेश	सप्तगिरी ग्रामीण बैंक
4.	अरुणाचल प्रदेश	अरुणाचल प्रदेश ग्रामीण बैंक
5.	असम	असम ग्रामीण विकास बैंक
6.	असम	लेंगपई देहांगी ग्रामीण बैंक
7.	बिहार	बिहार ग्रामीण बैंक
8.	बिहार	मध्य बिहार ग्रामीण बैंक
9.	बिहार	उत्तर बिहार ग्रामीण बैंक
10.	छत्तीसगढ़	छत्तीसगढ़ राज्य ग्रामीण बैंक
11.	गुजरात	बड़ौदा गुजरात ग्रामीण बैंक
12.	गुजरात	देना गुजरात ग्रामीण बैंक
13.	गुजरात	सौराष्ट्र ग्रामीण बैंक
14.	हरियाणा	सर्व हरियाणा ग्रामीण बैंक
15.	हिमाचल प्रदेश	हिमाचल प्रदेश ग्रामीण बैंक
16.	जम्मू और कश्मीर	इलाकाई देहाती बैंक
17.	जम्मू और कश्मीर	जम्मू-कश्मीर बैंक
18.	झारखंड	झारखंड ग्रामीण बैंक
19.	झारखंड	वनांचल ग्रामीण बैंक
20.	कर्नाटक	कर्नाटक विकास ग्रामीण बैंक
21.	कर्नाटक	कावेरी ग्रामीण बैंक
22.	कर्नाटक	प्रगति कृष्ण ग्रामीण बैंक
23.	केरल	केरल ग्रामीण बैंक
24.	मध्य प्रदेश	सेंट्रल मध्य प्रदेश ग्रामीण बैंक
25.	मध्य प्रदेश	मध्यांचल ग्रामीण बैंक
26.	मध्य प्रदेश	नर्मदा झाबुआ ग्रामीण बैंक
27.	महाराष्ट्र	महाराष्ट्र ग्रामीण बैंक
28.	महाराष्ट्र	विदर्भ कोंकण ग्रामीण बैंक
29.	मणिपुर	मणिपुर ग्रामीण बैंक
30.	मेघालय	मेघालय ग्रामीण बैंक
31.	मिजोरम	मिजोरम ग्रामीण बैंक
32.	नागालैंड	नागालैंड ग्रामीण बैंक
33.	ओडिशा	ओडिशा ग्राम्य बैंक
34.	ओडिशा	उत्कल ग्रामीण बैंक
35.	पुदुचेरी	पुदुवाई भर्थियार ग्रामा बैंक
36.	पंजाब	मालवा ग्रामीण बैंक
37.	पंजाब	पंजाब ग्रामीण बैंक
38.	पंजाब	सतलज ग्रामीण बैंक
39.	राजस्थान	बड़ौदा राजस्थान क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक
40.	राजस्थान	राजस्थान मरुधर ग्रामीण बैंक
41.	तमिलनाडु	पल्लवन ग्रामा बैंक
42.	तमिलनाडु	पांड्यन ग्रामा बैंक

1	2	3
43.	तेलंगाना	आंध्र प्रदेश ग्रामीण विकास बैंक
44.	तेलंगाना	तेलंगाना ग्रामीण बैंक
45.	त्रिपुरा	त्रिपुरा ग्रामीण बैंक
46.	उत्तर प्रदेश	इलाहाबाद यूपी ग्रामीण बैंक
47.	उत्तर प्रदेश	बड़ौदा यूपी ग्रामीण बैंक
48.	उत्तर प्रदेश	ग्रामीण बैंक ऑफ आर्यवर्त
49.	उत्तर प्रदेश	काशीगोमती सम्युत ग्रामीण बैंक
50.	उत्तर प्रदेश	प्रथमा बैंक
51.	उत्तर प्रदेश	पूर्वांचल बैंक
52.	उत्तर प्रदेश	सर्व यूपी ग्रामीण बैंक
53.	उत्तराखंड	उत्तराखंड ग्रामीण बैंक
54.	पश्चिम बंगाल	बंगिया ग्रामीण विकास बैंक
55.	पश्चिम बंगाल	पश्चिमबंग ग्रामीण बैंक
56.	पश्चिम बंगाल	उत्तरबंग क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक

नए एम्स हेतु निधियां

1683. श्री अजय मिश्रा टेनी: क्या **स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या एम्स जैसी संस्थानों को एम्स जैसी सुविधाओं के उन्नयन हेतु अतिरिक्त धनराशि उपलब्ध कराई गई है;

(ख) यदि हां, तो राज्य/संघ राज्यक्षेत्र-वार तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं;

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री अश्विनी कुमार चौबे): (क) प्रधान मंत्री स्वास्थ्य सुरक्षा योजना (पीएमएसएसवाई) के माध्यम से स्थापित किए जा रहे इक्कीस (21) घोषित एम्स में से छह (06) एम्स अर्थात भोपाल, भुवनेश्वर, जोधपुर, पटना, रायपुर और ऋषिकेश कार्यरत हैं और शेष निर्माण, अनुमोदन आदि के विभिन्न चरणों में हैं।

(ख) उपर्युक्त छह कार्यरत एम्स को विभिन्न शीर्षों के तहत सहायता अनुदानों के माध्यम से वित्त पोषित किया जाता है। विगत तीन वर्षों और इस वित्तीय वर्ष में निधियों के संवितरण का शीर्षवार ब्यौरा नीचे दिया गया है:–

(करोड़ रुपए में)

		2015-16	2016-17	2017-18	2018-19 (23.7.18)	
एम्स	बजट शीर्ष	जारी	जारी	जारी	बी.ई.	जारी
छह कार्यात्मक एम्स	जीआईए (सामान्य)	155.00	229.90	220.00	450.00	140.00
	जीआईए (पूंजीगत)	690.00	443.02	314.00	350.00	235.00
	जीआईए (वेतन)	292.00	477.00	346.24	950.00	141.00
		1137.00	1149.92	880.24	1750.00	516.00

(ग) उपर्युक्त को देखते हुए प्रश्न नहीं उठता।

[अनुवाद]

डिजिटल स्वास्थ्य अभिलेख

1684. श्रीमती रक्षाताई खाडसे: क्या **स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार एक अस्पताल से दूसरे अस्पताल के रोगियों के डिजिटल स्वास्थ्य अभिलेख के मुक्त आवागमन के साथ आंकड़े सुरक्षा और निजता की संरक्षा सुनिश्चित करने के लिए मसौदा कानून तैयार कर रही है और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ख) क्या सरकार का इलेक्ट्रॉनिक स्वास्थ्य अभिलेखों (ईएचआर) के विकास और प्रबंधन हेतु नियम, मानक और प्रक्रिया

तैयार करने के लिए राष्ट्रीय इलेक्ट्रॉनिक स्वास्थ्य प्राधिकरण नामक एक स्वतंत्र विनियामक स्थापित करने का विचार है; और

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती अनुप्रिया पटेल): (क) जी, हां। स्वास्थ्य देखभाल में डिजिटल सूचना सुरक्षा (दिशा) अधिनियम के मसौदे में राष्ट्रीय और राज्य के ई-स्वास्थ्य प्राधिकरणों और स्वास्थ्य संबंधी सूचना के आदान-प्रदान केन्द्रों की स्थापना करने, स्वास्थ्य के डिजिटल आंकड़ों के संग्रहण, भंडारण, पारेषण और प्रयोग से संबंधित प्रक्रियाओं को मानकीकृत और विनियमित करने और स्वास्थ्य के डिजिटल आंकड़ों को विश्वसनीयता, निजता, गोपनीयता और सुरक्षा सुनिश्चित करने का प्रावधान किया गया है।

स्वास्थ्य देखभाल में डिजीटल सूचना सुरक्षा अधिनियम (दिशा) के मसौदे की मुख्य विशेषताओं में निम्नलिखित शामिल हैं:—

(i) 'स्वास्थ्य के डिजीटल आंकड़ों' के 'स्वामित्व' (उस व्यक्ति/रोगी जिससे स्वास्थ्य के डिजीटल आंकड़े संबंध रखते हैं) को व्यक्त करना।

(ii) स्वास्थ्य के आंकड़ों के संग्रहण, भंडारण, आदान-प्रदान में इनके मानकीकरण के लिए एक विनियामक निकाय के रूप में एक राष्ट्रीय ई-स्वास्थ्य प्राधिकरण और राज्य प्राधिकरणों की स्थापना करना।

(iii) स्वास्थ्य की डिजीटल सूचना के आदान-प्रदान केन्द्रों की स्थापना के लिए प्रावधान करना; और

(iv) आंकड़ों के उल्लंघन को रोकने के लिए सिविल और आपराधिक उपचारों का प्रावधान करने के लिए ढांचा।

(ख) और (ग) स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय ई-स्वास्थ्य मानकों को बढ़ावा देने/अपनाने के लिए संसद के इस अधिनियम के माध्यम से "राष्ट्रीय डिजीटल स्वास्थ्य प्राधिकरण" के रूप में एक नोडल निकाय स्थापित करने की योजना बना रहा है, जो स्वास्थ्य के इलैक्ट्रॉनिक आंकड़ों के लिए निजता और सुरक्षा के उपायों को लागू करने, और स्वास्थ्य के इलैक्ट्रॉनिक रिकॉर्डों के भंडारण और आदान-प्रदान को विनियमित करने के लिए एक सांविधिक निकाय के रूप में कार्य करेगा।

अधिनियम के मसौदे में रोगी के आंकड़ों की सुरक्षा और निजता के लिए आवश्यक उपायों को शामिल किया गया है। किसी भी तरह के उल्लंघन के मामले में, शास्ति/कारावास के उपबंध किए गए हैं।

आयुर्वेदिक दवा केन्द्र

1685. **श्री रामसिंह राठवा:** क्या **आयुर्वेद, योग और प्राकृतिक चिकित्सा, यूनानी, सिद्ध और होम्योपैथी (आयुष) मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या रोगियों को वहनीय दरों पर दवाइयां उपलब्ध कराने हेतु सरकार द्वारा नए आयुर्वेदिक दवा भंडार/केन्द्र खोलने की योजना है; और

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं?

आयुर्वेद, योग और प्राकृतिक चिकित्सा, यूनानी, सिद्ध और होम्योपैथी (आयुष) मंत्रालय के राज्यमंत्री (श्री श्रीपाद येसो नाईक): (क) और (ख) देश में केन्द्रीय सरकार स्वास्थ्य योजना और अन्य केन्द्रीय संगठनों के अधीन 17,128 राज्य सरकार आयुर्वेद औषधालय और 288 आयुर्वेद केन्द्र हैं। इन औषधालयों और केन्द्रों से आयुर्वेदिक औषधियां रोगियों को नि:शुल्क मुहैया कराई जाती हैं। राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन और राष्ट्रीय आयुष मिशन की केंद्रीय प्रायोजित स्कीमों के माध्यम से राज्यों को प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्रों, सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्रों और जिला अस्पतालों में आयुर्वेदिक और अन्य आयुष सुविधाओं की स्थापना के लिए अनुदान सहायता दी जाती है। पिछले तीन वर्षो 2015-16, 2016-17 और 2017-18 के दौरान, 10,617 प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्रों, 2,599 सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्रों और 1,239 जिला अस्पतालों में आयुष सुविधाओं की सहस्थापना और ऐसे केन्द्रों, 4,147 अस्पतालों और 43,480 औषधालयों को आवश्यक औषधियों की आपूर्ति के लिए राष्ट्रीय आयुष मिशन के माध्यम से राज्यों को अनुदान सहायता दी गई है।

वन नीति

1686. **श्री आर. गोपालकृष्णन:** क्या **पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार ने हाल ही में एक प्रारूप वन नीति जारी की है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या यह सच है कि उक्त प्रारूप नीति जनजातियों के हितों की रक्षा नहीं करती है; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और सरकार द्वारा इस संबंध में क्या कार्रवाई की गई है/की जा रही है?

संस्कृति मंत्रालय के राज्य मंत्री तथा पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय में राज्य मंत्री (डॉ. महेश शर्मा): (क) और (ख) पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय ने प्रारूप राष्ट्रीय वन नीति, 2018 को टिप्पणियों के लिए 14 अप्रैल, 2018 तक एक महीने के लिए पब्लिक डोमेन पर रखा था।

(ग) और (घ) 2018 की प्रारूप राष्ट्रीय वन नीति का बुनियादी जोर वन और वन प्रबंधन से जुड़े अन्य मुद्दों के सामाधान के साथ-साथ वनों के संरक्षण, सुरक्षा और प्रबंधन पर है। जनजातियों के हितों की रक्षा के लिए 2018 की प्रारूप नीति एक भागीदारी वन प्रबंधन दृष्टिकोण के माध्यम से सामुदायिक वन संसाधनों के प्रबंधन के लिए सामुदायिक वन प्रबंधन मिशन प्रस्ताव रखती है। इसके अतिरिक्त, प्रारूप वन नीति में विशिष्ट प्रावधान किए गए हैं ताकि सुनिश्चित हो सके कि स्थानीय समुदायों के हितों को सुरक्षित रखा गया है और इन्हें वनों के प्रबंधन में भागीदार के रूप में मानने के लिए प्रावधान भी किए गए हैं।

इसके अतिरिक्त, जनजातियों और अन्य पारंपरिक वनवासियों के वन अधिकारों की एक पृथक अधिनियम, नामतः "अनुसूचित जाति और अन्य पारंपरिक वनवासी (वन अधिकार की मान्यता) अधिनियम, 2006" (वन अधिकार अधिनियम, 2006) के अंतर्गत सुरक्षा की जाती है, जो इन अनुसूचित जनजातियों और अन्य पारंपरिक वनवासियों जो पीढ़ियों से ऐसे वनों में रह रहे हैं किन्तु जिनको अधिकार प्रदान नहीं किए जा सके, के वन अधिकारों की पहचान करता है और अधिकार प्रदान करता है।

सीजीएचएस के अंतर्गत फिजियोथेरेपिस्ट

1687. **श्री पी.के. बिजू:** क्या **स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) सीजीएचएस के अंतर्गत फिजियोथेरेपिस्ट के भरे गए पदों और रिक्त पदों की संख्या कितनी है;

(ख) क्या डीओपीटी के दिशा-निर्देशों के अनुसार अस्पतालों हेतु फिजियोथेरेपिस्ट भर्ती नियमों की पांच वर्ष में एक बार समीक्षा की जाती है/संशोधन किया जाता है और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या सरकार जनता की पहुंच में वृद्धि करने के लिए सभी सीजीएचएस औषधालयों में फिजियोथेरेपी सेवाएं प्रदान कर रही है और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(घ) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं?

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री अश्विनी कुमार चौबे): (क) सीजीएचएस के अंतर्गत फिजियोथेरेपिस्ट का एक पद है जो भरा हुआ है।

(ख) केन्द्र सरकार के तीन अस्पतालों के फिजियोथेरेपिस्ट के भर्ती नियमों की पांच वर्षों में एक बार समीक्षा नहीं की जाती है।

(ग) और (घ) नहीं, क्योंकि सीजीएचएस के अंतर्गत फिजियोथेरेपिस्ट का केवल एक ही पद है।

कंपनी के निदेशकों के संबंध में सूचना का अद्यतनीकरण

1688. **श्री एम. उदयकुमार:** क्या **कॉर्पोरेट कार्य मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार जल्द की संबंधित कंपनियों के कंपनी सचिव और सनदी लेखाकार से वार्षिक रिपोर्ट भरते समय अपने निदेशकों से संबंधित सूचना का अद्यतनीकरण करने के लिए कहेगी और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ख) क्या सरकार 30 लाख से अधिक कंपनियों और निदेशकों द्वारा पंजीकरण कराए जाने की उम्मीद कर रही है और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

विधि और न्याय मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा कॉर्पोरेट कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री पी.पी. चौधरी): (क) जी, नहीं।

(ख) कॉर्पोरेट कार्य मंत्रालय ने दिनांक 5 जुलाई, 2018 की अधिसूचना द्वारा कंपनी (निदेशकों की नियुक्ति और अर्हता) चौथा संशोधन नियम, 2018 में नियम 12क अंत:स्थापित किया है जिसमें यह उल्लेख है कि नियमों के अनुसार किसी वित्त वर्ष के 31 मार्च को निदेशक पहचान संख्या (डिन) वाले प्रत्येक व्यक्ति द्वारा अगले वर्ष के 30 अप्रैल को या उसके पूर्व केन्द्रीय सरकार के समक्ष ई-प्ररूप डीआईआर-3 केवाईसी प्रस्तुत किया जाएगा। चूंकि यह संशोधन 10 जुलाई, 2018 को ही प्रवृत्त किया गया है, अत: 31 अगस्त, 2018 को वर्तमान वर्ष के लिए अंतिम तारीख निर्धारित किया गया है। यह अनुमान है कि 30 लाख से अधिक सक्रिय डिन धारकों द्वारा इसका अनुपालन करना अपेक्षित होगा।

ऋण वृद्धि निधि की शुरुआत

1689. श्री एम.आई. शनवास: क्या **वित्त मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार द्वारा ऋण वृद्धि निधि आरंभ किए जाने की संभावना है और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ख) यदि नहीं, तो वित्त वर्ष 2016-17 के वित्तीय बजट से अब तक इसे आरंभ करने में विलंब के क्या कारण हैं;

(ग) उपर्युक्त निधि में इंडिया इन्फ्रास्ट्रक्चर फाइनेंस कंपनी द्वारा प्रायोजित की जाने वाली आरंभिक कायिक निधि कितनी है;

(घ) क्या सरकार का कॉर्पोरेट बॉन्ड के माध्यम से धनराशि जुटाने का विचार है; और

(ङ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा पोत परिवहन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री पोन राधाकृष्णन): (क) से (ग) जी, हां। केन्द्रीय बजट 2016-17 में घोषित ऋण संवर्धन निधि की स्थापना अंतिम अवस्था में है। ऋण संवर्धन निधि गैर-बैंकिंग वित्तीय कंपनी (एनबीएफसी) के रूप में स्थापित की जानी है। भारत अवसंरचना वित्त कंपनी लिमिटेड (आईआईएफसीएल) की अग्रणी प्रायोजक के रूप में तथा भारतीय जीवन बीमा निगम (एलआईसी), केन्द्रीय सरकारी क्षेत्र के अन्य उद्यम (सीपीएसई), सरकारी क्षेत्र के बैंक (पीएसबी) तथा सरकारी क्षेत्र की बीमा कंपनियों की सह-निवेशकों के रूप में पहचाने की गई है। आज तक, आईआईएफसीएल ने ऋण संवर्धन कंपनी की परिकल्पित 500 करोड़ रुपए की प्रारंभिक इक्विटी शेयर पूंजी के 22.5% (अर्थात् 112.5 करोड़ रुपए) हिस्से का अभिदान करने की प्रतिबद्धता की है।

(घ) और (ङ) जी, नहीं।

अज्ञात प्रजाति के जीवों का आक्रमण

1690. श्री आर. पार्थिपन: क्या **पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार ने इस बात पर ध्यान दिया है कि देश के कई भाग अज्ञात प्रजाति के जीवों के आक्रमण से बुरी तरह प्रभावित हैं;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या इन प्रजातियों के जीवों को नियंत्रित करने के लिए सरकार की कोई ठोस कार्य योजना/स्कीम है और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(घ) क्या सभी राज्यों में आक्रमण अज्ञात प्रजाति के जीवों के प्रलेखीकरण और रिपोर्ट करने के संबंध में सरकार का कोई केन्द्रीकृत तंत्र है; और

(ङ) यदि हां, तो तत्संबंधी राज्य/संघ राज्य-क्षेत्र-वार ब्यौरा क्या है?

संस्कृति मंत्रालय के राज्य मंत्री तथा पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय में राज्य मंत्री (डॉ. महेश शर्मा): (क) और (ख) पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय को देश के कई भागों की अज्ञात प्रजाति के जीवों के आक्रमण से प्रभावित होने के बारे में जानकारी मिली है। देश में पाए गए महत्वपूर्ण आक्रामक अज्ञात प्रजाति के जीवों में विशाल अफ्रीकी घोंघे, कॉमन कार्प, अफ्रीकी कैटफिश, प्रोसोपिस जूलिफ्लोरा, इछोर्निया क्रैशिपस, लेंटाना कैमारा, पार्थेनियम हिस्टेरोफोरस आदि शामिल हैं।

(ग) राष्ट्रीय वन्यजीव कार्य-योजना (2017-2031), में आक्रामक अज्ञात प्रजाति के जीवों के प्रबंधन के लिए प्राथमिकता से कार्रवाई करने का प्रावधान है। इसके अतिरिक्त, पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय अपनी केन्द्रीय प्रायोजित योजनाओं के अंतर्गत आक्रामक अज्ञात प्रजाति के जीवों के प्रबंधन सहित वन्यजीवों और उनके पर्यावासों के संरक्षण और प्रबंधन के लिए वित्तीय सहायता प्रदान करता है।

(घ) और (ङ) आक्रामक अज्ञात प्रजाति के जीवों के प्रबंधन सहित वन्यजीवों और जैव-विविधता के संरक्षण और प्रबंधन, संबंधित राज्य/संघ राज्य क्षेत्र सरकारों की जिम्मेदारी है। विभिन्न राज्यों में आक्रामक अज्ञात प्रजातियों के जीवों और ब्यौरे मंत्रालय के स्तर पर नहीं रखे जाते हैं।

[हिन्दी]

नई शाखा खोलना

1691. श्री रवीन्द्र कुमार राय: क्या **वित्त मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या विगत वर्ष ही झारखंड के गिरिडीह जिले के सरिया में यूनियन बैंक ऑफ इंडिया की नई शाखा खोले जाने को स्वीकृति दी गयी थी;

(ख) यदि हां, तो आज तक शाखा को नहीं खोले जाने के क्या कारण हैं; और

(ग) बैंक द्वारा इस शाखा को कब तक खोले जाने की संभावना है?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री शिव प्रताप शुक्ला): (क) यूनियन बैंक ऑफ इंडिया द्वारा दी गई सूचनानुसार, झारखंड के गिरिडीह जिले के सरिया में नई शाखा खोलने हेतु पिछले वर्ष कोई प्रस्ताव स्वीकृत नहीं किया गया था।

(ख) और (ग) प्रश्न ही नहीं उठता।

[अनुवाद]

अपशिष्ट का पृथक्करण

1692. श्री अनूप मिश्रा: क्या **पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या संशोधित ठोस अपशिष्ट प्रबंधन नियमों से अपशिष्ट को गीले, सूखे और खतरनाक में पृथक करने में मदद मिली है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या सभी स्थानीय निकायों द्वारा कूड़ा फैलाने और पृथक्करण नहीं करने के लिए मौके पर ही जुर्माना लगाने को कार्यान्वित किया गया है; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और स्थानीय स्तर पर पृथक्करण नहीं किए जाने की निगरानी के लिए क्या तंत्र स्थापित किया गया है?

संस्कृति मंत्रालय के राज्य मंत्री तथा पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय में राज्य मंत्री (डॉ. महेश शर्मा): (क) और (ख) मंत्रालय ने नगरीय ठोस अपशिष्ट (प्रबंधन और हथालन) नियम, 2000 के अधिक्रमण में ठोस अपशिष्ट प्रबंधन नियम, 2016 अधिसूचित किये हैं। नए नियमों में अपशिष्ट के पुनर्चक्रण के माध्यम से सतत बाजार विकसित करने के लिए पुनचर्क्रकों को बढ़ावा देने हेतु स्रोत पर अपशिष्ट को पृथक्कृत करने और अपशिष्ट संग्रहक या एजेंसी को सौंपने पर बल दिया गया है।

(ग) और (घ) ये नियम, स्थानीय प्राधिकारियों और गांव की पंचायतों को उप-कानून बनाने के लिए और ऐसे व्यक्ति जो कूड़ा फेकते हैं या नियमों के प्रावधानों का पालन करने में विफल रहते हैं, मौके पर ही जुर्माना लगाने के लिए मानदंड निर्धारित करने का प्रावधान करते हैं। राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली (एनसीटी) के लिए ठोस अपशिष्ट प्रबंधन उप-नियम-2018 को दिल्ली राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र की सरकार द्वारा अधिसूचित किया गया था जिसमें उप-नियमों के अनुपालन की निगरानी के लिए तंत्र शामिल था। राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र में सभी पांच नगर निगम अब अपने अधिकार क्षेत्रों में इन उप-नियमों को लागू करने के लिए बाध्य हैं। इसके अतिरिक्त, कई स्थानीय निकाय अपने संबंधित राज्यों में उप-नियमों को तैयार करने की प्रक्रिया में हैं।

[हिन्दी]

वित्तीय संस्थानों में रिक्त पद

1693. डॉ. रमेश पोखरियाल निशंक: क्या **वित्त मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) देश के विभिन्न वित्तीय संस्थानों में कुल कितने आरक्षित पद रिक्त हैं और ये पद कब से रिक्त हैं तथा सरकार द्वारा इन्हें भरने के लिए क्या कदम उठाए गए हैं;

(ख) क्या सरकार ने बीमा कंपनियों और बैंकों में अनुकंपा के आधार पर नौकरी प्रदान करने के लिए कोई विशेष नीति बनाई है;

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौर क्या है;

(घ) गत पांच वर्षों के दौरान बीमा कंपनियों और बैंकों सहित इन संस्थानों में अनुकंपा के आधार पर कुल कितने लोगों को नौकरी दी गई है और वर्तमान में कितने मामले लंबित हैं; और

(ङ) वित्तीय संस्थाओं द्वारा सामाजिक और आर्थिक रूप से पिछड़े अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों से संबद्ध उम्मीदवारों के क्षमता विकास और कौशल विकास हेतु क्या-क्या कार्यक्रम संचालित किए गए है

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री शिव प्रताप शुक्ला): (क) ब्यौरा संलग्न विवरण-I में दिया गया है। बैंकों में भर्ती एक सतत प्रक्रिया है और यह प्रत्येक वर्ष आवश्यकता के आधार पर की जाती है। भर्ती की इस सतत प्रक्रिया के दौरान बैकलॉग रिक्तियों पर विचार किया जाता है। सरकारी क्षेत्र के सभी बैंकों (पीएसबी)/सार्वजनिक क्षेत्र की बीमा कंपनियों (पीएसआईसी)/वित्तीय संस्थाओं को दिनांक 29.12.2014 को यह निर्देश दिया गया था कि वे कार्मिक एवं प्रशिक्षण विभाग (डीओपी एंड टी) द्वारा उनके दिनांक 26.11.2014 के का.ज्ञा.सं. 36038/01/2013-स्थापना (आ.)

के माध्यम से निर्धारित समय-सीमा के अनुसार पहले से रिक्त पदों की भर्ती करें।

(ख) और (ग) वित्तीय सेवाएं विभाग (डीएफएस) ने सरकारी क्षेत्र के बैंकों (पीएसबी)/बीमा कंपनियों में अनुकंपा नियुक्ति को आरंभ करने के लिए वर्ष 2014 में अपनी स्वीकृति प्रदान कर दी है। तद्नुसार, भारतीय बैंक संघ (आईबीए)/भारतीय साधारण बीमाकर्ता (सरकारी क्षेत्र) संघ (जिप्सा)/भारतीय जीवन बीमा निगम (एलआईसी) ने सरकारी क्षेत्र के बैंकों/बीमा कंपनियों में अनुकंपा के आधार पर नियुक्ति करने की योजना तैयार कर ली है।

(घ) ब्यौरा संलग्न विवरण-II में दिया गया है।

(ङ) अ.जा./अ.ज.जा. से संबंधित अभ्यर्थियों के लिए भर्ती-पूर्व/पदोन्नति पूर्व तथा सेवाकाल के दौरान प्रशिक्षण के संबंध में सरकारी क्षेत्र के सभी बैंकों/वित्तीय संस्थाओं को दिनांक 04.07.2006 को सूचित किया गया था। पीएसबी/एफआई/पीएसआईसी ने सूचित किया है कि उन्होंने सामाजिक और आर्थिक रूप से पिछड़े अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के क्षमता विकास और कौशल विकास हेतु विभिन्न प्रशिक्षण कार्यक्रमों की व्यवस्था की है।

विवरण-I

दिनांक 31.12.2017 की स्थिति के अनुसार, सरकारी क्षेत्र के बैंकों (पीएसबी) वित्तीय संस्थाओं (एफआई) सरकारी क्षेत्र की बीमा कंपनियों (पीएसआईसी) में आरक्षित रिक्त पदों की कुल संख्या को बैंक-वार दर्शाने वाला विवरण

क्र. सं.	संगठनों का नाम	रिक्त पड़े आरक्षित पदों की कुल संख्या					
		एससी	कब से रिक्त हैं	एसटी	कब से रिक्त हैं	ओबीसी	कब से रिक्त हैं
1	2	3	4	5	6	7	8
सरकारी क्षेत्र के बैंक (पीएसबी)							
1.	इलाहाबाद बैंक	64	2017-18	29	2017-18	85	2017-18
2.	आंध्रा बैंक	165	2015 से 2017 तक	132	2015 से 2017 तक	266	2015 से 2017 तक
3.	बैंक ऑफ बड़ौदा	61	31.12.2017	55	31.12.2017	201	31.12.2017
4.	बैंक ऑफ इंडिया	169	31.12.2017	96	31.12.2017	144	31.12.2017
5.	बैंक ऑफ महाराष्ट्र	21	2017-18	19	2017-18	25	2017-18
6.	केनरा बैंक	0	-	22	10.02.2017 से 18.12.2017 तक	0	-
7.	सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया	230	01.01.2018	118	01.01.2018	435	01.01.2018
8.	कॉर्पोरेशन बैंक	0	-	0	-	0	-
9.	देना बैंक	7	31.12.2017	90	31.12.2017	36	31.12.2017
10.	इंडियन बैंक	1	31.12.2013	33	31.12.2013 से 31.12.2016 तक	26	31.12.2011 से 31.12.2016 तक

1	2	3	4	5	6	7	8
11.	इंडियन ओवरसीज बैंक	118	2015	32	2015	235	2015
12.	ओरिएंटल बैंक ऑफ कॉमर्स	18	31.12.2017	40	01.04.2016 से 31.12.2017 तक	77	01.04.2016 से 31.12.2017 तक
13.	पंजाब नेशनल बैंक	121	31.12.2017	270	31.12.2017	0	-
14.	पंजाब एंड सिंध बैंक	12	01.01.2018	10	01.01.2018	65	01.01.2018
15.	सिंडिकेट बैंक	0	-	0	-	0	-
16.	यूनियन बैंक ऑफ इंडिया	217	दिसम्बर, 2016 से दिसम्बर, 2017 तक	182	दिसम्बर, 2016 से दिसम्बर, 2017 तक	157	दिसम्बर, 2016 से दिसम्बर, 2017 तक
17.	युनाइटेड बैंक ऑफ इंडिया	40	01.04.2017	18	01.04.2017	39	01.04.2017
18.	यूको बैंक	63	11.09.2017 से 11.12.2017 तक	35	11.09.2017 से 11.12.2017 तक	72	11.09.2017 से 11.12.2017 तक
19.	विजया बैंक	0	-	0	-	0	-
20.	भारतीय स्टेट बैंक	569	31.12.2017	303	31.12.2017	229	31.12.2017
21.	आईडीबीआई बैंक लिमिटेड	0	-	0	-	0	-
वित्तीय संस्थान (एफआई)							
22.	नाबार्ड	0	-	2	2016 से 2017 तक	3	2016 से 2017 तक
23.	राष्ट्रीय आवास बैंक		0	-	0	-	0 -
24.	एक्जिम बैंक	9	2011 से 2017 तक	2	2011 से 2017 तक	12	2011 से 2017 तक
25.	सिडबी	0	-	0	-	2	21.10.2014
26.	आईआईएफसी लिमिटेड	1	जुलाई, 2016	1	जुलाई, 2016	2	2012 से अगस्त, 2016 तक
27.	आईएफसीआई लिमिटेड	4	2014 से 2016 तक	3	2016	4	2016

1	2	3	4	5	6	7	8
सरकारी क्षेत्र की बीमा कंपनियां (पीएसआईसी)							
28.	भारतीय जीवन बीमा निगम	115	01.04.2012 से 31.03.2017 तक	121	01.04.2012 से 31.03.2017 तक	232	01.04.2012 से 31.03.2017 तक
29.	भारतीय साधारण बीमा निगम	0	-	0	-	3	जुलाई , 2017
30.	न्यू इंडिया एश्योरेंस कंपनी लिमिटेड	42	31.12.2017	48	31.12.2017	96	31.12.2017
31.	नेशनल इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड	1	2015	0	-	0	-
32.	ओरिएंटल इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड	0	-	0	-	0	-
33.	युनाइटेड इंडिया इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड	0	-	0	-	0	-
34.	एग्रीकल्चर इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड	1	15.03.2016	1	15.03.2016	1	15.03.2016
	सकल योग	2040		1660		2435	

विवरण-II

दिनांक 31.12.2017 की स्थिति के अनुसार, उन व्यक्तियों की कुल बैंक-वार संख्या, जिन्हें सरकारी क्षेत्र के बैंकों (पीएसबी)/ वित्तीय संस्थाओं (एफआई)/सरकारी क्षेत्र की बीमा कंपनियों (पीएसआईसी) में अनुकंपा आधार पर नौकरियां प्रदान की गई हैं तथा लंबित पड़े मामलों की संख्या को दर्शाने वाला विवरण

क्र. सं.	संगठनों का नाम	पिछले पांच वर्ष के दौरान अनुकंपा आधार पर की गई नियुक्तियां	अनुकंपा आधार पर नियुक्ति हेतु लंबित मामलों की संख्या
1	2	3	4
सरकारी क्षेत्र के बैंक (पीएसबी)			
1.	इलाहाबाद बैंक	53	23
2.	आंध्रा बैंक	107	11
3.	बैंक ऑफ बड़ौदा	183	63
4.	बैंक ऑफ इंडिया	230	34

1	2	3	4
5.	बैंक ऑफ महाराष्ट्र	42	20
6.	केनरा बैंक	130	0
7.	सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया	131	105
8.	कॉर्पोरेशन बैंक	67	10
9.	देना बैंक	27	29
10.	इंडियन बैंक	12	33
11.	इंडियन ओवरसीज बैंक	86	50
12.	ओरिएंटल बैंक ऑफ कॉमर्स	100	10
13.	पंजाब नेशनल बैंक	208	32
14.	पंजाब एंड सिंध बैंक	2	40
15.	सिंडिकेट बैंक	114	0
16.	यूनियन बैंक ऑफ इंडिया	101	12
17.	युनाइटेड बैंक ऑफ इंडिया	128	0
18.	यूको बैंक	62	5
19.	विजया बैंक	52	26
20.	भारतीय स्टेट बैंक	56	0
21.	आईडीबीआई बैंक लिमिटेड	19	11
	वित्तीय संस्थान (एफआई)		
22.	नाबार्ड	0	0
23.	राष्ट्रीय आवास बैंक	0	0
24.	एक्जिम बैंक	0	0
25.	सिडबी	0	8
26.	आईआईएफसी लिमिटेड	0	0
27.	आईएफसीआई लिमिटेड	0	0
	सरकारी क्षेत्र की बीमा कंपनियां (पीएसआईसी)		
28.	भारतीय जीवन बीमा निगम	1283	77
29.	भारतीय साधारण बीमा निगम	0	0

1	2	3	4
30.	न्यू इंडिया एश्योरेंस कंपनी लिमिटेड	75	8
31.	नेशनल इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड	25	48
32.	ओरिएंटल इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड	53	53
33.	युनाइटेड इंडिया इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड	74	0
34.	एग्रीकल्चर इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड	1	0
	सकल योग	3421	708

वन्य और समुदी जीवों का संरक्षण

1694. कर्नल सोनाराम चौधरी: क्या **पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) वन्य जीवों के संरक्षण हेतु क्या तंत्र स्थापित किया गया है;

(ख) विगत तीन वर्षों के दौरान वन्य जीवों के संरक्षण और परिरक्षण हेतु राज्य/संघ राज्यक्षेत्र-वार कितनी धनराशि व्यय की गई है;

(ग) क्या राजस्थान सहित देश में मगरमच्छ और दरियाई घोड़े जैसे वन्य और समुद्री जीवों के संरक्षण संबंधी कोई योजना है; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

संस्कृति मंत्रालय के राज्य मंत्री तथा पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय में राज्य मंत्री (डॉ. महेश शर्मा): (क) से (घ) सरकार ने वन्यजीव के संरक्षण के लिए एक समर्पित कानून अर्थात् वन्यजीव (संरक्षण) अधिनियम, 1972 प्रवर्तित किया है। यह अधिनियम वन्यजीवों के संरक्षण के लिए निम्नलिखित महत्वपूर्ण प्रावधान प्रदान करता है:–

(i) वन्यजीवों और इनके पर्यावासों को बेहतर संरक्षण देने के लिए संरक्षित क्षेत्रों (राष्ट्रीय उद्यान, वन्यजीव अभयारण्य, संरक्षण आरक्षित क्षेत्र और सामुदायिक आरक्षित क्षेत्र) का निर्माण।

(ii) अधिनियम के प्रावधानों को लागू करने के लिए वन्यजीव वार्डनों जैसे अधिकारियों की नियुक्ति।

(iii) राष्ट्रीय व्याघ्र संरक्षण प्राधिकरण की स्थापना।

(iv) वन्यजीव अपराध नियंत्रण ब्यूरो की स्थापना।

(v) प्रजातियों को विभिन्न अनुसूचियों में सूचीबद्ध करके कानूनी सुरक्षा प्रदान करना।

(vi) अधिनियम के प्रावधानों के उल्लंघन के लिए कठोर दंड।

(vii) वन्यजीव संरक्षण से संबंधित विभिन्न मामलों पर केन्द्र/राज्य सरकारों को सलाह देने के लिए बोर्डों और समितियों का गठन।

(viii) प्राधिकरणों और वैधानिक निकायों की स्थापना।

पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय राजस्थान सहित राज्य/संघ राज्य क्षेत्र की सरकारों को वन्यजीवों और उनके पर्यावास के संरक्षण के लिए 'वन्यजीव पर्यावास का विकास (आईडीडब्ल्यूएच)', 'बाघ परियोजना' और 'हाथी परियोजना' की केन्द्रीय प्रायोजित योजनाओं के माध्यम से वित्तीय सहायता प्रदान करता है। पिछले तीन वर्षों के दौरान राज्य/संघ राज्य क्षेत्रों की सरकारों को प्रदान की गई वित्तीय सहायता का ब्यौरा क्रमशः विवरण-I, विवरण-II और विवरण-III में दिया गया है।

समुद्री प्रजातियों और मगरमच्छों को भी 'वन्यजीव पर्यावासों का विकास' और 'हाथी परियोजना' की केन्द्रीय प्रायोजित योजनाओं के तहत शामिल किया गया है। तथापि, दरियाई घोड़े को एक विदेशी जीव होने के कारण देश के चिड़ियाघरों में ही रखने की अनुमति दी गई है।

विवरण-I

पिछले तीन वर्षों के दौरान 'वन्यजीव पर्यावासों का एकीकृत विकास' – सीएसएस के अंतर्गत राज्य/संघ राज्य क्षेत्र की सरकारों को जारी की गई निधियों का ब्यौरा

(लाख रुपये में)

क्र. सं.	राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों का नाम	2015-16	2016-17	2017-18
1	2	3	4	5
1.	अंडमान और निकोबार द्वीपसमूह	100	118.49	141.34
2.	आंध्र प्रदेश	0	0	0
3.	अरुणाचल प्रदेश	304.02	256.8107	269.9348
4.	असम	87.10	0	275.827
5.	बिहार	108.011	100.576	322.674
6.	चंडीगढ़	0	26.06514	26.065
7.	छत्तीसगढ़	213.409	278.9453	435.014
8.	गोवा	00	0	85.9938
9.	गुजरात	395.798	497.604	558.52
10.	हरियाणा	99.33	124.6572	181.4448
11.	हिमाचल प्रदेश	431.837	280.31	237.4107
12.	जम्मू और कश्मीर	354.00	336.50626	577.9151
13.	झारखंड	18.62	0	95.607
14.	कर्नाटक	262.13	325.52	427.89
15.	केरल	967.386	1928.42	900.834
16.	मध्य प्रदेश	394.565	322.265	1379.488
17.	महाराष्ट्र	277.94	497.35	808.0555
18.	मणिपुर	248.919	340.032	425.664
19.	मेघालय	38.3902	55.23	114.061
20.	मिजोरम	94.55	1234.95	487.445

1	2	3	4	5
21.	नागालैंड	235.48	357.846	565.871
22.	ओडिशा	246.8365	279.65	342.9370
23.	राजस्थान	314.788	453.87878	622.421
24.	सिक्किम	290.32635	145.52	202.154
25.	तमिलनाडु	113.261	0	394.725
26.	तेलंगाना	0	0	157.0833
27.	उत्तर प्रदेश	235.05	250.956	386.968
28.	उत्तराखंड	188.318	545.30576	2979.361
29.	पश्चिम बंगाल	100.934	237.66	657.992
30.	पुदुचेरी	00	0	6.71
31.	एमईई-देहरादून (उत्तराखंड)	0	0	932.00
	कुल	6120.99905	8994.54814	15000.00

विवरण-II

पिछले तीन वर्षों के दौरान 'बाघ परियोजना' की केन्द्रीय प्रायोजित योजना के अंतर्गत बाघ बहुल राज्यों को प्रदान की गई वित्त पोषण सहायता का राज्य-वार ब्यौरा

(लाख रुपये में)

क्र. सं.	राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों का नाम	2015-16 जारी की गई निधि	2016-17 जारी की गई निधि	2017-18 (अखिल भारत बाघ आकलन सहित) जारी की गई निधि
1	2	3	4	5
1.	आंध्र प्रदेश	0.00000	173.48600	232.49
2.	अरुणाचल प्रदेश	429.53900	597.28900	671.0222
3.	असम	1425.41300	1510.92100	2309.608
4.	बिहार	223.55051	487.83800	552.273
5.	छत्तीसगढ़	398.94500	626.56700	1315.076
6.	झारखंड	47.98470	323.76200	338.62
7.	कर्नाटक	1378.19440	3203.61440	2308.846

1	2	3	4	5
8.	केरल	396.60100	780.23100	636.412
9.	मध्य प्रदेश	1421.00700	12885.59790	11455.457
10.	महाराष्ट्र	3923.07890	8229.71800	6524.165
11.	मिजोरम	187.98450	301.54800	215.316
12.	ओडिशा	544.80052	917.16700	1646.127
13.	राजस्थान	1257.80800	381.30200	773.09
14.	तमिलनाडु	1950.17128	949.86900	2551.058
15.	तेलंगाना	214.81920	239.25900	350.416
16.	उत्तराखंड	683.98538	1023.40300	1187.439
17.	उत्तर प्रदेश	624.54630	1057.04500	820.074
18.	पश्चिम बंगाल	376.50781	536.14070	597.5808
19.	गोवा	0.00000	0.00000	10.88
20.	मणिपुर	0.00000	0.00000	2.70
21.	नागालैंड	0.00000	0.00000	1.35
	कुल	15484.9365	34224.7580	34500.000

विवरण-III

हाथी परियोजना की केन्द्रीय प्रायोजित स्कीम (सीएसएस) के अंतर्गत जारी की गई निधियों का राज्य-वार ब्यौरा

(लाख रुपये में)

क्र.सं.	राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों	2015-16	2016-17	2017-18
1	2	3	4	5
1.	आंध्र प्रदेश	-	13.62282	17.394
2.	अरुणाचल प्रदेश	61.206	100.062	118.8504
3.	असम	-	275.6668	-
4.	छत्तीसगढ़	21.91	61.1624	48.00
5.	झारखंड	53.453	95.7704	105.5184
6.	कर्नाटक	181.054	254.80	355.5484

1	2	3	4	5
7.	केरल	204.54	429.8712	482.55
8.	महाराष्ट्र	8.062	14.335	27.00
9.	मेघालय	81.387	130.266	162.849
10.	नागालैंड	15.44	20.3143	25.20
11.	ओडिशा	105.63	284.0342	124.8382
12.	तमिलनाडु	160.533	25.80	291.92
13.	त्रिपुरा	26.10932	22.464	10.08
14.	उत्तर प्रदेश	15.33	14.174	30.672
15.	उत्तराखंड	82.61	175.4576	341.563
16.	पश्चिम बंगाल	105.174	101.45	79.93022
17.	हरियाणा	10.00	-	17.76
18.	बिहार	3.008	16.2904	154.40
19.	राजस्थान	-	15.84	14.454
20.	पंजाब	-	1.825	-
21.	मध्य प्रदेश	-	6.8442	-
22.	मणिपुर	-	-	10.80
	कुल	1135.44632	2060.05032	2419.32762

संपूर्ण टीकाकरण

1695. श्री हरि मांझी: क्या **स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या देश में सामान्य टीकाकरण कार्यक्रम के माध्यम से लाखों बच्चे या तो टीकाकरण से वंचित रहते हैं अथवा आंशिक रूप से टीकाकरण प्राप्त कर पाते हैं;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इसके क्या कारण हैं; और

(ग) सरकार द्वारा 'इंद्रधनुष' मिशन के अंतर्गत संपूर्ण टीकाकरण के लक्ष्य को हासिल करने के लिए क्या कदम उठाए गए हैं/उठाए जा रहे हैं?

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री अश्विनी कुमार चौबे): (क) और (ख) राष्ट्रीय परिवार स्वास्थ्य सर्वेक्षण-4 (एनएफएचएस-4) 2015-16 की रिपोर्ट के अनुसार, हमारे देश के 38% बच्चे गैर-टीका प्राप्त या आंशिक रूप से टीका प्राप्त हैं। बच्चों को पूर्ण प्रतिरक्षण प्राप्त न होने के प्रमुख कारणों में- प्रतिरक्षण के लाभों के बारे में जानकारी का अभाव, प्रतिरक्षण के बाद प्रतिकूल घटनाओं का डर, टीकाकरण के अनुसूचित दिनों पर बच्चों की अनुपस्थिति आदि शामिल हैं।

(ग) सरकार ने दिसम्बर, 2018 तक पूर्ण प्रतिरक्षण कवरेज को बढ़ाकर 90% तक लाने के लिए मिशन इंद्रधनुष प्रारंभ किया है। इस अभियान के तहत गैर-टीका-प्राप्त व आंशिक रूप से टीका-प्राप्त बच्चों व गर्भवती महिलाओं की पहचान करने के लिए

हेड-काउंट सर्वेक्षण किया जाता है। जिन्हें इस मिशन के तहत विशेष प्रतिरक्षण अभियानों के माध्यम से प्रतिरक्षण सेवाएं प्रदान की जाती हैं। प्रतिरक्षण के लाभों से संबंधित जागरुकता को बढ़ाने तथा प्रतिरक्षण हेतु ऐसे बच्चों व गर्भवती महिलाओं को जुटाने के लिए इस अभियान के तहत सूचना, शिक्षा व संचार (आईईसी) संबंधी कार्यकलाप भी किए जाते हैं।

निर्यातकों को जीएसटी प्रतिदाय

1696. **श्री जी. हरि: क्या वित्त मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार ने अब तक निर्यातकों के 38,062 करोड़ रुपए के लंबित माल एवं सेवा कर प्रतिदाय का निपटान कर दिया है और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ख) क्या शून्य शेड रेटेड आपूर्ति करने वाले व्यवसायों अथवा उन्हें जो इनपुट क्रेडिट का दावा करने चाहते थे, को प्रतिदाय किया गया था और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री शिव प्रताप शुक्ला): (क) और (ख) जी हां, सरकार ने 16 जून, 2018 की स्थिति के अनुसार 38,062 करोड़ रुपए का जीएसटी रिफण्ड स्वीकृत किया है जिसका ब्यौरा निम्नलिखित है:-

(i) 21,142 करोड़ रुपए के एकीकृत कर का रिफण्ड उन वस्तुओं के मामले में किया गया था जिनका निर्यात आईजीएसटी के भुगतान के साथ हुआ था।

(ii) 9,923 करोड़ रुपए की स्वीकृति Form RFD-01A. में फाइल किए गए रिफण्ड के दावों के मामले में की गयी थी। इसमें संचित इनपुट टैक्स क्रेडिट (आईटीसी) का रिफण्ड और वस्तुओं या सेवाओं की जीरो रेटेड आपूर्ति या बिना आईजीएसटी के भुगतान, किए गए दोनों से संबंधित रिफण्ड शामिल हैं।

(iii) 6,997 करोड़ रुपए की स्वीकृति FORM RFD-01A. में किए गए रिफण्ड के दावों के मामले में राज्य सरकारों द्वारा की गयी है। इसमें संचित इनपुट टैक्स क्रेडिट (आईटीसी) का रिफण्ड और वस्तुओं या सेवाओं की जीरो रेटेड आपूर्ति या बिना आईजीएसटी के भुगतान, किए गए दोनों से संबंधित रिफण्ड शामिल हैं।

[अनुवाद]

किशोरियों के लिए योजना

1697. **श्रीमती किरण खेर: क्या महिला और बाल विकास मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार देश में किशोरियों के लिए योजना कार्यान्वित कर रही है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और गत तीन वर्षों में उक्त योजना के अंतर्गत (एजी) के पोषण और स्वास्थ्य स्थिति में क्या परिवर्तन देखे गए हैं;

(ग) क्या इस योजना के एक भाग के रूप में यौन शिक्षा दी जाती है और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(घ) क्या उक्त योजना के अंतर्गत स्वरूप स्थिति और स्वास्थ्य जांच में अनियमित माहवारी को शामिल किया गया है और और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ङ) इस योजना के अंतर्गत बालिकाओं के संबंध में जागरुकता फैलाने और कलंक तथा वर्जन पर नियंत्रण लगाने के लिए क्या उपाय किए गए है?

महिला और बाल विकास मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा अल्पसंख्यक कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (डॉ. वीरेन्द्र कुमार): (क) और (ख) जी हां, सरकार देश के 250 जिलों में प्रायोगिक आधार पर 2010-11 में शुरू की गई किशोरी योजना नामक केन्द्रीय प्रायोजित योजना चला रही है जिसे अब 01.04.2018 से सर्वसुलभ बनाया गया है।

इस योजना का उद्देश्य 11-14 वर्ष की स्कूल-बाह्य किशोरियों का चहुमुंखी विकास करना है तथा इसके 2 घटक अर्थात् पोषण और गैर पोषण घटक हैं। पोषण घटक के तहत 11-14 वर्ष की प्रत्येक स्कूल-बाह्य किशोरी को वर्ष में 300 दिन के लिए प्रतिदिन प्रति लाभार्थी 9.5 रुपये की दर से 600 कैलोरी, 18-20 ग्राम प्रोटीन तथा सूक्ष्म पोषक तत्व प्रदान किए जाते हैं। गैर पोषण घटक में औपचारिक शिक्षा हेतु स्कूल में वापस जाने या कौशल शिक्षा प्राप्त करने के लिए स्कूल-बाह्य किशोरियों को प्रेरित करने का अंतर-निर्मित कारक हैं। विभिन्न उपायों के माध्यम से स्वास्थ्य, स्वच्छता, पोषण के बारे में जागरुकता बढ़ाने तथा सार्वजनिक सेवाओं के बारे में जानने में सुगमता प्रदान करने के साथ पोषण संपूरण ने किशोरियों के पोषण एवं स्वास्थ्य स्तर पर सकारात्मक प्रभाव उत्पन्न किया है।

(ग) योजना के तहत यौन शिक्षा नहीं दी जाती है।

(घ) ग्राम स्वास्थ्य एवं पोषण दिवस (वीएचएनडी) के साथ ताल-मेल स्थापित करके किशोरी दिवस नामक एक विशेष दिन को 3 माह में कम से कम एक बार सभी किशोरियों के स्वास्थ्य की सामान्य जांच की जाती हैं। यदि किशोरियों को ऐसी समस्याएं होती हैं जिसके लिए विशिष्ट उपचार की आवश्यकता होती है तो चिकित्सा अधिकारी उनको रेफरल स्लिप के साथ जिला अस्पताल/पीएचसी/सीएचसी/जच्चा-बच्चा स्वास्थ्य उपकेन्द्र में रेफर करते हैं। अगले किशोरी दिवसों या वीएचएनडी को सभी रेफरल का अनुवर्तन किया जाता है/खोज खबर ली जाती है। माहवारी स्वास्थ्य, निजी साफ-सफाई एवं स्वच्छता बनाए रखना, सेनेटरी नैपकीन का प्रयोग सहित विभिन्न स्वास्थ्य मुद्दों पर इस दिन किशोरियों को जानकारी भी प्रदान की जाती है।

(ङ) जागरुकता पैदा करने तथा बेटियों के बारे में गलत धारणाओं को दूर करने के लिए किशोरियों की क्षमता का विकास करने हेतु सामुदायिक सहायता प्राप्त करने के लिए किशोरी योजना के तहत समुदाय को सचेत करने का कार्य किया जाता है। इसमें समुदाय आधारित संरचनाओं के माध्यम से सामुदायिक संचेतना तथा संचार की अन्य गतिविधियों जैसे कि मीडिया मध्य गतिविधियां, कलाजत्था, नुक्कड़ नाटक तथा अन्य का संचालन शामिल है।

वनों का संरक्षण

1698. श्री एम चन्द्राकाशी: क्या **पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) गत पांच वर्षों और चालू वर्ष के दौरान वन/वनस्पति/जीव के संरक्षण या सुरक्षा हेतु विदेशों/विदेशी एजेंसियों से प्राप्त निधियों का ब्यौरा क्या है;

(ख) उक्त प्रयोजनार्थ वित्तीय सहायता जारी करने के लिए विदेशों/विदेशी एजेंसियों द्वारा निर्धारित यदि कोई शर्तें या विनिर्देश हैं, तो उनका ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या यह सच है कि देश में पशु गणना में पशुओं की अधिक संख्या दिखाने के लिए हेरा-फेरी की जाती है ताकि विदेशी सहायता प्राप्त की जा सके और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(घ) देश में पालन किए जाने वाले गणना-तंत्र को सुनिश्चित करने और देश में की जाने वाली पशु गणना के माध्यम से प्राप्त आंकड़ों की विश्वसनीयता में सुधार लाने हेतु क्या कदम उठाए जा रहे हैं?

संस्कृति मंत्रालय के राज्य मंत्री तथा पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय में राज्य मंत्री (डॉ. महेश शर्मा): (क) और (ख) वन/वनस्पति/ जीव-जंतुओं के संरक्षण या सुरक्षा के लिए विदेशों/जापान अंतर्राष्ट्रीय सहयोग एजेंसी, फ्रेंच विकास एजेंसी, जर्मनी के केएफडब्ल्यू और विश्व बैंक जैसी एजेंसियों से प्राप्त निधियों का ब्यौरा संलग्न विवरण-I पर दिया गया है।

बाह्य सहायता प्राप्त परियोजनाओं को संबंधित परियोजनाओं के वार्ता कार्यवृत्त/ऋण करार के प्रावधानों के अनुसार कार्यान्वित किया जाता है।

(ग) और (घ) जी नहीं। वन्य पशुओं की गणना मानक प्रक्रिया के अनुसार उन संबंधित प्राधिकरणों द्वारा की जाती है जिन्हें गणना कार्य की जिम्मेदारी सौंपी गई है।

विवरण

I. जापान अंतर्राष्ट्रीय सहयोग एजेंसी (जेआईसीए) द्वारा प्रायोजित परियोजनाएं

क्र. सं.	राज्य	परियोजना का नाम	31 मार्च, 2018 तक जारी समेकित निधि (जेपीवाई मिलियन)
1	2	3	4
1.	ओडिशा	ओडिशा वानिकी क्षेत्र विकास परियोजना	12,068
2.	त्रिपुरा	त्रिपुरा वन पर्यावरणीय सुधार और गरीबी उपशमन परियोजना	5,388
3.	गुजरात	गुजरात वानिकी विकास परियोजना चरण-II	14.757

1	2	3	4
4.	उत्तर प्रदेश	उत्तर प्रदेश सहभागी वन प्रबंधन और गरीबी उपशमन परियोजना	7,405
5.	पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय द्वारा 13 राज्यों में कार्यान्वित	वन प्रबंधन के लिए क्षमता विकास और कार्मिक प्रशिक्षण परियोजना	2,442
6.	सिक्किम	सिक्किम जैव-विविधता संरक्षण और वन प्रबंधन परियोजना	2,080
7.	तमिलनाडु	तमिलनाडु जैव-विविधता संरक्षण और हरितकरण परियोजना	6,441
8.	राजस्थान	राजस्थान वानिकी एवं जैव-विविधता परियोजना (चरण-II)	13,133
9.	पश्चिम बंगाल	पश्चिम बंगाल वन और जैव-विविधता संरक्षण परियोजना	2,257
10.	उत्तराखंड	उत्तराखंड वन संसाधन प्रबंधन परियोजना	1557
11.	नागालैंड	नागालैंड वन प्रबंधन परियोजना	0
12.	ओडिशा	ओडिशा वानिकी क्षेत्र विकास परियोजना (चरण-2)	71
13.	हिमाचल प्रदेश	हिमाचल प्रदेश वन पारि-प्रणाली प्रबंधन और आजीविकाओं में सुधार के लिए परियोजना	0
14.	हिमाचल प्रदेश	स्वान नदी एकीकृत जलसंभर प्रबंधन परियोजना	3446

II. फ्रेंच विकास एजेंसी द्वारा प्रायोजित परियोजना

राज्य	परियोजना का नाम	प्राप्त धनराशि (रु. में)
असम	असम वन और जैव-विविधता संरक्षण संबंधी परियोजना	191.07 करोड़
III. विश्व बैंक द्वारा प्रायोजित परियोजना		
हिमाचल प्रदेश	हिमाचल प्रदेश मध्य हिमालय जलसंभर विकास परियोजना	223.7 करोड़
IV. केएफडब्ल्यू जर्मनी द्वारा प्रायोजित परियोजना		
हिमाचल प्रदेश	हिमाचल प्रदेश वन पारि-प्रणाली जलवायु प्रूफिंग परियोजना	0.5 करोड़

राष्ट्रीय अवसंरचना और निवेश कोष

1699. श्री के. परसुरमन: क्या **वित्त मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार ने अवसंरचना परियोजनाओं के विकास के लिए राष्ट्रीय अवसरंचना और निवेश कोष (एनआईआईएफ) गठित किया है;

(ख) यदि हां, तो उक्त कोष के गठन के उद्देश्य और लक्ष्यों सहित इसके कृत्यों का ब्यौरा क्या है और इस कोष का उपयोग किस प्रकार होने की संभावना है;

(ग) इन परियोजनाओं की श्रेणियों का ब्यौरा क्या है और एनआईआईएफ की सहायता से आज की तिथि तक, विद्यमान अवसंरचनात्मक परियोजनाओं तथा सरकार द्वारा विकासार्थ प्रस्तावित नई परियोजनाओं का ब्यौरा क्या है;

(घ) क्या सरकार ने एक ऐसे अधीक्षण बोर्ड के गठन हेतु प्रयास किए हैं जो धनराशि का दुरुपयोग रोकने के लिए विभिन्न अवसंरचनात्मक परियोजनाओं हेतु धनराशि की मंजूरी, आबंटन और उपयोग का अधीक्षण करेगा; और

(ङ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं;

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा पोत परिवहन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री पोन राधाकृष्णन): (क) और (ख) जी, नहीं। राष्ट्रीय अवसरंचना और निवेश कोष की स्थापना की घोषणा 28 फरवरी, 2015 को बजट भाषण के पैरा 47 द्वारा की गई थी और केन्द्रीय मंत्रिमंडल ने 29 जुलाई, 2015 को इसे अनुमोदित कर दिया था। एनआईआईएफ का सृजन अंतरराष्ट्रीय और घरेलू वाणिज्यिक पूंजी में सरकारी अंशदानों को शामिल कर, अवसंरचना विकास की अवरुद्ध परियोजनाओं सहित, ग्रीनफील्ड और ब्राउनफील्ड दोनों में वाणिज्यिक रूप से व्यवहार्य परियोजनाओं में निवेश करने के लिए किया गया है। एनआईआईएफ की स्थापना सेबी (वैकल्पिक निवेश निधि) विनियमन, 2012 ("एआईएफ विनियमन") के तहत श्रेणी II वैकल्पिक निवेश निधि ("एआईएफ") के रूप में भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड ("सेबी") से पंजीकृत न्यास के रूप में की गई है। एनआईआईएफ की प्रस्तावित समग्र निधि 40,000 करोड़ रुपए (लगभग 6 बिलियन अमरीकी डॉलर) है। इस समग्र निधि में सरकार का अंशदान/हिस्सा किसी एआईएफ के रूप में स्थापित किए गए प्रत्येक निकाय में 49 प्रतिशत होगा और इसे न तो बढ़ाया जाएगा, न 49 प्रतिशत से कम करना अनुमत होगा। भारत सरकार प्रत्यक्ष रूप से पूर्ण 49 प्रतिशत का अंशदान करेगी।

आज की तारीख के अनुसार, एनआईआईएफ प्लेटफार्म के तहत तीन निधियों की स्थापना की गई है और इन्हें सेबी से श्रेणी-II वैकल्पिक निवेश निधियों के रूप में पंजीकृत कराया गया है। एनआईआईएफ निधियों का प्रबंधन कंपनी अधिनियम, 2013 के अधीन पंजीकृत कंपनी और सेबी द्वारा सेबी-पंजीकृत एआईएफ के निधि प्रबंधक के रूप में विनियमित कंपनी एनआईआईएफ लिमिटेड द्वारा किया जाता है।

एनआईआईएफ निधियां एक मॉडल पर कार्य करती हैं जिसमें सरकार के अंशदान के साथ-साथ, कार्यनीतिक भागीदारों (विदेशी सावरेन/अर्ध-सावरेन/बहुपक्षीय/द्विपक्षीय निवेशकों सहित) से इक्विटी भागीदारी आमंत्रित की जाती है।

एनआईआईएफ और इसके निवेश प्रबंधक, एनआईआईएफ लिमिटेड के कार्य निम्नलिखित हैं:–

(i) निधियां जुटाना, जिसमें एनआईआईएफ निधियों में निवेशकों को आकर्षित करना शामिल होगा;

(ii) निधियों में निवेशकों को सेवा प्रदान करना;

(iii) एनआईआईएफ निधियों का निवेश करना, जिसमें निवेश अवसरों पर विचार करना, उनका विश्लेषण करना और कंपनियों, परियोजनाओं या अन्य निधियों में निधियों का निवेश करना अपरिहार्य होगा; और

(iv) निवेशों की सावधिक निगरानी करना।

(ग) सेबी के साथ स्थापित की गई तीन निधियों में से, दो निधियों ने निवेश करना शुरू कर दिया है। सेबी द्वारा पंजीकृत पहली निधि राष्ट्रीय निवेश और अवसंरचना निधि या मास्टर निधि है, जिसका उद्देश्य पत्तनों और संभार तंत्रों, सड़कों, हवाई अड्डों और अन्य संभावित क्षेत्रों जैसे महत्वपूर्ण अवसरंचना क्षेत्रों में कंपनियों और परियोजनाओं में निवेश करने पर केन्द्रित है। मास्टर निधि निवेशकों में वर्तमान में भारत सरकार, आबू धाबी इंवेस्टमेंट अथोरिटी (एडीआईए), एक्सेस बैंक लिमिटेड, एचडीएफसी एस्सेट मैनेजमेंट कंपनी लिमिटेड, एचडीएफसी स्टेंडर्ड लाईफ इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड, हाउसिंग डेवलपमेंट फाइनेंस कंपनी लिमिटेड, आईसीआईसीआई बैंक लिमिटेड और कोटक महिंद्रा लाईफ इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड शामिल हैं। एनआईआईएफ मास्टर निधि ने वैश्विक पत्तन संचालक डीपी वर्ल्ड के साथ एक संयुक्त उद्यम हिन्दुस्तान इंफ्रालॉग प्राइवेट लिमिटेड नामक पत्तन और संभार तंत्र कंपनी में निवेश किया है। हिन्दुस्तान इंफ्रालॉग प्राइवेट लिमिटेड ने हाल ही में अपने प्रथम निवेश का उपयोग किया है।

दूसरी निधि एनआईआईएफ फंड ऑफ फंड्स-I है, जिसकी स्थापना अवसंरचना सेवाओं और सहबद्ध क्षेत्रों में विभिन्न निधियों में निवेश करने के लिए की गई है। एशियन इंफ्रास्ट्रक्चर इंवेस्टमेंट बैंक (एआईआईबी के साथ एक टर्म शीट पर हस्ताक्षर किए गए हैं, जिसके द्वारा इसे एनआईआईएफ फंड ऑफ फंड्स-I में मुख्य निवेशक बनाया गया है। एनआईआईएफ फंड ऑफ फंड्स-I का प्रथम निवेश ग्रीन ग्रोथ इक्विटी फंड (जीजीईएफ) में किया गया है। डिपार्टमेंट फॉर इंटरनेशनल डेवलपमेंट (डीएफआईडी), यूके सरकार का अंग, ने जीजीईएफ में 120 मिलियन जीबीपी निवेश करने की प्रतिबद्धता की है।

(घ) और (ङ) एनआईआईएफ निधियां सेबी से पंजीकृत हैं और सेबी द्वारा श्रेणी-II वैकल्पिक निवेश निधियों के रूप में विनियमित की जाती हैं। चूंकि एनआईआईएफ निधियों की समग्र

निधि का 51 प्रतिशत भारत सरकार के अलावा अन्य निवेशकों से है, अत: एनआईआईएफ लिमिटेड की स्थापना सरकार से असन्निकट दूरी पर संचालन करने के लिए की गई है। इस प्रयोजन के लिए, यह निर्णय लिया गया था कि एनआईआईएफ लिमिटेड के पास निवेशकों द्वारा सहमत किसी स्थापित प्रक्रिया के आधार पर निवेश का चुनाव करने के लिए पूर्ण स्वायत्ता होगी।

एनआईआईएफ के लिए अभिशासन संरचना, निधि उद्योग में प्रयोग की गई परिपाटियों की तर्ज पर तथा सेबी के पर्यवेक्षणाधीन है। एनआईआईएफ लिमिटेड पेशेवरों के दल से मिलकर बनी है। इसके निदेशक मंडल में भारत सरकार सहित निवेशकों के प्रतिनिधिगण तथा स्वतंत्र निदेशकों के रूप में उद्योग के अनुभवी व्यक्ति शामिल हैं। इसके अतिरिक्त, एनआईआईएफ की एक अभिशासन परिषद है, जिसके अध्यक्ष माननीय वित्त मंत्री हैं और इसमें वरिष्ठ सरकारी अधिकारी तथा उद्योग विशेषज्ञ शामिल हैं।

असम को वित्तीय सहायता

1700. **श्री सिराजुद्दीन अजमल:** क्या **वित्त मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या असम राज्य सरकार ने हाल ही में केन्द्र सरकार से तुरंत वित्तीय सहायता के लिए अनुरोध किया है क्योंकि राज्य गंभीर वित्तीय संकट में है; और

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इस पर केन्द्र सरकार द्वारा क्या कार्रवाई की गई है?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा पोत परिवहन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री पोन राधाकृष्णन): (क) और (ख) असम राज्य सरकार से गंभीर वित्तीय संकट के आधार पर तत्काल वित्तीय सहायता का कोई विशिष्ट अनुरोध पिछले एक वर्ष के दौरान इस विभाग को प्राप्त नहीं हुआ है। तथापि, असम राज्य सरकार से बाढ़ प्रबंधन कार्यक्रम के तहत धनराशि जारी किए जाने, तेल रॉयल्टी की मद से धनराशि जारी किए जाने, हिन्दुस्तान पेपर कारपोरेशन को पुनरुज्जीवित किए जाने और पूर्वोत्तर औद्योगिक निवेश नीति, 2007 की समाप्ति पर नई नीति जारी किए जाने का अनुरोध प्राप्त हुआ है।

एनपीए का निपटान

1701. **श्री कौशलेन्द्र कुमार:** क्या **वित्त मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या एक विख्यात इस्पात कंपनी ने बैंकों को बकाया ऋणों/गैर-निष्पादन आस्तियों का भुगतान कर दिया है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है तथा ऋण की राशि क्या थी तथा कितनी राशि का भुगतान किया गया है;

(ग) उन कंपनियों के नाम क्या हैं जिन्हें बैंकों के एनपीए के निपटान के लिए बेचे जाने की संभावना है;

(घ) क्या उक्त कंपनियां अपनी बिक्री प्रक्रिया को लंबित रखने के लिए विधिक खामियों का सहारा ले रही हैं; और

(ङ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है तथा इस मुद्दे से निपटने के लिए सरकार द्वारा क्या कदम उठाए जा रहे हैं?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री शिव प्रताप शुक्ला): (क) और (ख) जी, हां। कार्पोरेट कार्य मंत्रालय से प्राप्त सूचनाओं के अनुसार, एक इस्पात कंपनी के एक अनुपयोज्य आस्ति (एनपीए) के रूप में वर्गीकृत ऋण खाते के कुल 57,505 करोड़ रुपए की राशि हेतु शोधन अक्षमता प्रक्रिया के अंतर्गत राष्ट्रीय कंपनी विधि अधिकरण में दर्ज दावों की तुलना में 36,771 करोड़ रुपए की राशि वसूल की जा चुकी है।

(ग) से (ङ) इसके अतिरिक्त, मंत्रालय ने सूचित किया है कि जून, 2018 की समाप्ति की स्थिति के अनुसार, 704 कार्पोरेट उधारकर्ता शोधन अक्षमता समाधान प्रक्रिया के अंतर्गत थे तथा ऐसे कार्पोरेट उधारकर्ताओं के उधारदाताओं की समिति द्वारा लिए गए निर्णय के आधार पर उसका परिणाम समाधान योजना होगा अथवा परिसमापना होगा। मंत्रालय ने सूचित किया है कि इस प्रकार, बैंकों के एनपीए के निपटान हेतु बेची जाने वाली कंपनियों की कोई सूची उपलबध नहीं करायी जा सकती है।

निगरानी और विशेष गृह

1702. **श्री देवुसिंह चैहान:** क्या **महिला और बाल विकास मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) विगत तीन वर्षों के प्रत्येक वर्ष के दौरान कानून का उल्लंघन करने वाले बच्चों हेतु निगरानी और विशेष गृहों का निर्माण करने के लिए राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों को प्रदान की गई धनराशि का गुजरात सहित राज्य/संघ राज्य क्षेत्र-वार ब्यौरा क्या है;

(ख) क्या ऐसे गृहों में पद रिक्त पड़े हुए हैं, यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इसके क्या कारण हैं, और ये रिक्त पद कब तक भरे जाने की संभावना है;

(ग) क्या सरकार ने विचारण की अवधि के दौरान 18 वर्ष की उम्र होने पर किशोर अपराधियों के लिए पृथक गृह स्थापित किए हैं, यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं; और

(घ) उक्त गृहों के समग्र कार्यकरण में सुधार करने के लिए और उनमें रिक्त पदों को भरने के लिए सरकार द्वारा अन्य क्या कदम उठाए गए हैं/उठाए जा रहे हैं?

महिला और बाल विकास मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा अल्पसंख्यक कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (डॉ. वीरेन्द्र कुमार): (क) केन्द्र सरकार छत्रक समेकित बाल विकास सेवा के अंतर्गत 'बाल संरक्षण सेवाओं' (सीपीएस) (पूर्ववर्ती समेकित बाल संरक्षण स्कीम) का प्रबंधन कर रही है और किशोर (बालकों की देखरेख एवं संरक्षण) अधिनियम, 2015 (जेजे एक्ट) के निष्पादन के लिए साझा पैटर्न पर राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों को, सहायता अनुदान के रूप में, सहायता प्रदान कर रही है जिसमें कानून का उल्लंघन करने वाले बालकों के लिए गृहों सहित विभिन्न प्रकार के गृहों की स्थापना और अनुरक्षण भी शामिल है। किराए के आधार या निर्माण आधार पर प्रस्तावित किए गए गृहों के वित्त पोषण का निर्णय राज्य सरकारों/संघ राज्य क्षेत्र प्रशासनों से प्राप्त वित्तीय प्रस्तावों पर विचार करने और अनुमोदन प्रदान करने के लिए स्कीम के अंतर्गत गठित अंतरमंत्रालयी परियोजना अनुमोदन बोर्ड (पीएबी) में लिया जाता है। गत तीन वर्षों में से प्रत्येक वर्ष तथा वर्तमान वर्ष के दौरान पर्यवेक्षण गृहों/विशेष गृहों के लिए बाल संरक्षण सेवाओं के अंतर्गत गुजरात सहित राज्य सरकारों/संघ राज्य क्षेत्रों द्वारा जारी की गई ओर उपयोग की गई निधियों का राज्य/संघ राज्य क्षेत्र-वार ब्यौरा संलग्न विवरण-I पर दिया गया है।

(ख) महिला एवं बाल विकास मंत्रालय ने स्कीम के प्रभावी कार्यान्वयन को सुनिश्चित करने के लिए निगरानी प्रणाली स्थापित की है। स्कीम के अंतर्गत अनुदान जारी करने के लिए राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों से कार्यान्वयन योजनाओं, वार्षिक योजनाओं तथा वित्तीय प्रस्तावों की बारीकी से जांच करने और अनुमोदन प्रदान करने के लिए मंत्रालय में सचिव (महिला एवं बाल विकास) की अध्यक्षता में एक पीएबी का गठन किया गया है। यह बोर्ड समय-समय पर स्कीम के कार्यान्वयन की प्रगति की निगरानी और समीक्षा भी करता है। पीएबी स्कीम के अंतर्गत सेवा प्रदायगी ढांचों अर्थात् राज्य बाल संरक्षण सोसायटी, जिला बाल संरक्षण यूनिट, राज्य दत्तक ग्रहण संसाधन अभिकरण, विशिष्ट दत्तक ग्रहण अभिकरणों आदि में रिक्त पदों को भरने के लिए राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों को नियमित रूप से निर्देश भी देता है।

(ग) किशोर न्याय अधिनियम की धारा 49(1) के अंतर्गत, राज्य सरकार धारा 41 के अंतर्गत पंजीकृत राज्य में कम से कम एक सुरक्षित स्थान की स्थापना करेगी ताकि 18 वर्ष की आयु से अधिक आयु के किसी व्यक्ति या कानून का उल्लंघन करने वाले बालक, जो 16 वर्ष से 18 वर्ष के बीच की आयु का हो, और किसी जघन्य अपराध को करने का आरोपी हो और दोषसिद्ध ठहराया गया हो, को उसमें रखा जा सके। किशोर न्याय अधिनियम की धारा 19 के अंतर्गत जब बाल न्यायालय यह पाता है कि किसी बालक ने अपराध किया है तो वह 'सुनिश्चित स्थान' जो कि जेल नहीं होती, में 21 वर्ष की आयु हो जाने तक उस बालक को रखे जाने का आदेश जारी करेगी। इस अधिनियम की धारा 19(4) के अंतर्गत, बाल न्यायालय यह सुनिश्चित करेगा कि 'सुरक्षित स्थान' में बच्चे की प्रगति का मूल्यांकन करने और यह सुनिश्चित करने कि बालक के साथ किसी भी रूप में खराब व्यवहार न हो, परीवीक्षा अधिकारी या जिला बाल संरक्षण एकक या सामाजिक कार्यकर्ता द्वारा प्रत्येक वर्ष एक आवधिक अनुवर्तन रिपोर्ट जारी की जाए। इन रिपोर्टों को रिकार्ड और अनुवर्तन के लिए बाल न्यायालय को भी भेजा जाएगा। धारा 20(1) के अंतर्गत, बालक के 21 वर्ष की आयु पूरा कर लेने पर और यदि उसने वहां रहने की समयावधि पूरी नहीं की है तो बाल न्यायालय यह मूल्यांकन करने, कि बालक में कोई सुधारात्मक परिवर्तन हुआ है और क्या यह बालक समाज का एक उपयोगी सदस्य बन सकता है, के लिए परीवीक्षा अधिकारी या जिला बाल संरक्षण एकक या सामाजिक कार्यकर्ता या स्वयं द्वारा अनुवर्तन की व्यवस्था करेगा। इस उद्देश्य हेतु संबंधित विशेषज्ञों के मूल्यांकन के साथ-साथ बालक की प्रगति रिपोर्टों को भी ध्यान में रखा जाएगा। धारा 20(1) के अंतर्गत प्रक्रिया को पूरा करने के पश्चात्, बाल न्यायालय या तो बालक को छोड़ सकेगा या उस बालक को शेष अवधि के लिए जेल भेजा जा सकेगा। बाल संरक्षण सेवाओं (सीपीएस) के अंतर्गत वित्त पोषित किए जा रहे कानून का उल्लंघन करने वाले बालकों के लिए सुरक्षित स्थान सहित पर्यवेक्षण गृहों, विशेष गृहों की संख्या का राज्य/संघ राज्य क्षेत्र-वार ब्यौरा संलग्न विवरण-II पर दिया गया है।

(घ) किशोर न्याय अधिनियम की धारा 8(3) (जे) में उल्लेख किया गया है कि बोर्ड के कार्यों और उत्तरदायित्वों में कानून का उल्लंघन करने वाले बालकों के लिए आवासीय सुविधाओं का प्रत्येक माह कम से कम एक निरीक्षण दौरा करना और जिला बाल संरक्षण एकक तथा राज्य सरकार को सेवाओं की गुणवत्ता में सुधार करने के लिए कार्रवाई की सिफारिश करना शामिल होगा। धारा 30 (viii) में उल्लेख किया गया है कि समिति के कार्यों और उत्तरदायित्वों में देखरेख और संरक्षण की आवश्यकता वाले बालकों

के लिए आवासीय सुविधाओं का प्रतिमाह कम से कम दो निरीक्षण दौरे करना और जिला बाल संरक्षण एकक तथा राज्य सरकार को सेवाओं की गुणवत्ता में सुधार के लिए कार्रवाई की सिफारिश करना शामिल होगा। अधिनियम की धारा 41 में भी अपेक्षा की गई है कि देखरेख और संरक्षण के जरूरतमंद बालकों (सीएनसीपी) या कानून का उल्लंघन करने वाले बालकों (सीसीआई) को शामिल करने के लिए बनाए गए सभी बाल देखरेख संस्थानों को राज्य सरकारों/संघ राज्य क्षेत्रों द्वारा इस अधिनियम के अंतर्गत पंजीकृत किया जाएगा और किशोर न्याय अधिनियम की धारा 54 में उल्लेख किया गया है कि राज्य सरकार इस अधिनियम के अंतर्गत पंजीकृत किए गए और मान्यता प्रदान किए गए सभी संस्थानों के लिए यथास्थिति, राज्य और जिले के लिए निरीक्षण समितियां बनाएंगे। इसके अतिरिक्त धारा 54(2) के अनुसार, ये निरीक्षण समितियां कम से कम तीन सदस्यों वाली एक टीम, जिनमें से एक सदस्य महिला होगी और एक सदस्य चिकित्सा, अधिकारी होगा के साथ बच्चों को आवासित करने वाली सभी सुविधाओं का कम से कम तीन माह में एक बार आबंटित क्षेत्र में अनिवार्य रूप से दौरा करेगी और आगे की कार्रवाई के लिए, यथास्थिति, जिला बालक संरक्षण एकक या राज्य सरकार को अपने दौरे के एक सप्ताह के भीतर इन दौरों के निष्कर्ष की रिपोर्टें प्रस्तुत करेंगी और धारा 53(3) के अनुसार, निरीक्षण समिति की रिपोर्ट के प्रस्तुत किए जाने पर जिला बालक संरक्षण एकक या राज्य सरकार द्वारा एक माह के भीतर उपर्युक्त कार्रवाई की जाएगी। और राज्य सरकार के समक्ष अनुपालन रिपोर्ट प्रस्तुत की जाएगी। अत: अधिनियम के निष्पादन का प्राथमिक उत्तरदायित्व राज्य/संघ राज्य क्षेत्रों का है। 'बाल संरक्षण सेवाओं (सीपीएस)' के अंतर्गत संस्थागत देखभाल पुनर्वास उपाय के रूप में बालक देखरेख संस्थाओं (सीसीआई) के माध्यम से प्रदान की जाती है। इन बाल देखरेख संस्थानों में, बालकों को सरकार या सिविल सोसायटी की अन्य स्कीमों और कार्यक्रमों के साथ अभिसरण के माध्यम से औपचारिक शिक्षा प्रणाली में या तो संस्थान के भीतर या इसके बाहर आयु के अनुसार उपर्युक्त शिक्षा प्रदान की जाती है। गैर-संस्थागत देखभाल घटक के अंतर्गत, दत्तक ग्रहण, पोषण देखरेख तथा प्रवर्तकता के लिए समर्थन प्रदान किया जाता है।

विवरण-I

क्र. सं.	राज्य का नाम	सीपीएस के अंतर्गत जारी किए गए और उपयोग किए गए अनुदान की स्थिति (रुपये लाख में)					
		2015-16		2016-17		2017-18	
		जारी की गई राशि	उपयोगी की गई राशि	जारी की गई राशि	उपयोगी की गई राशि	जारी की गई राशि	उपयोगी की गई राशि
1	2	3	4	5	6	7	8
1.	आंध्र प्रदेश	238.58	500.52	110.74	586.32	1469.88	1537.11
2.	अरुणाचल प्रदेश	571.68	92.02	52.29	179.54	643.71	180.00
3.	असम	597.90	1025.07	413.64	1112.98	2932.68	1787.53
4.	बिहार	2687.89	1896.52	2787.92	1923.33	541.56	1633.69
5.	छत्तीसगढ़	3955.55	2086.26	527.77	1683.25	3181.97	2486.27
6.	गोवा	235.25	39.68	36.83	98.27	728.53	54.44
7.	गुजरात	2328.90	1510.37	769.95	1526.53	590.11	1767.24
8.	हरियाणा	496.44	350.89	0.00	1224.85	1858.22	2500.00
9.	हिमाचल प्रदेश	604.04	1255.12	2345.48	2390.26	1835.01	1833.11
10.	जम्मू और कश्मीर	113.35	0.00	43.12	114.71	807.48	374.62

1	2	3	4	5	6	7	8
11.	झारखंड	369.88	387.42	840.11	842.14	1714.57	1641.76
12.	कर्नाटक	1845.24	2193.66	3720.80	3709.53	3272.45	1364.04
13.	केरल	944.39	660.25	260.50	216.96	1849.45	1275.72
14.	मध्य प्रदेश	1116.03	2373.81	2503.88	2535.83	3262.77	2582.87
15.	महाराष्ट्र	3138.75	1975.29	2272.33	1569.37	608.15	1308.75
16.	मणिपुर	3082.18	1163.81	241.34	709.47	1886.33	2103.00
17.	मेघालय	1469.55	1497.88	2060.33	2060.33	1846.60	1846.60
18.	मिजोरम	2079.44	2079.44	1949.55	1949.55	1917.51	1917.51
19.	नागालैंड	2257.65	1473.21	1350.37	1447.50	1457.45	1457.45
20.	ओडिशा	3309.07	2669.74	1089.22	2580.78	2599.30	2773.86
21.	पंजाब	820.81	515.57	581.67	718.31	143.24	875.43
22.	राजस्थान	3258.92	2929.43	0.00	2267.52	4752.30	1295.98
23.	सिक्किम	562.00	303.74	601.18	365.87	662.76	125.43
24.	तमिलनाडु	825.04	4282.78	13039.37	3648.55	2013.12	5512.50
25.	तेलंगाना	354.88	93.94	195.64	1823.98	894.82	633.08
26.	त्रिपुरा	710.63	680.20	676.04	415.30	446.81	499.00
27.	उत्तर प्रदेश	2884.18	3293.57	3207.19	3109.82	1830.67	4222.98
28.	उत्तराखंड	66.88	3.89	15.54	187.54	907.57	731.40
29.	पश्चिम बंगाल	508.67	1067.29	6763.87	3522.60	5073.56	4232.67
30.	अंडमान और निकोबार द्वीपसमूह	36.03	36.03	36.88	36.76	31.66	93.36
31.	चंडीगढ़	357.82	324.15	245.44	278.53	194.32	172.73
32.	दादरा और नगर हवेली	58.66	5.84	177.59	59.11	24.82	69.90
33.	दमन और दीव	82.82	57.69	126.42	80.33	21.89	83.00
34.	दिल्ली	1363.40	931.53	978.64	1024.94	354.33	1295.68
35.	लक्षद्वीप	0.00	0.00	0.00	0.00	-	-
36.	पुदुचेरी	559.60	622.75	826.33	768.69	114.35	426.20
	कुल	43892.10	40379.36	50847.97	46769.35	52469.95	52694.91

विवरण-II

आज की तारीख तक कानून का उल्लंघन करने वाले बालकों तथा आईसीपीएस के अंतर्गत सहायता-प्राप्त करने वाले बालकों के गृहों का राज्य/संघ राज्य क्षेत्र-वार ब्यौरा

क्र.सं.	राज्य	सम्प्रेषण गृह	विशेष गृह	सम्प्रेषण विशेष गृह	सुरक्षित स्थान
1	2	3	4	5	6
1.	आंध्र प्रदेश	12	2	2	0
2.	अरुणाचल प्रदेश	0	0	1	0
3.	असम	5	0	0	1
4.	बिहार	12	1	0	0
5.	छत्तीसगढ़	12	1	0	3
6.	गोवा	0	0	0	0
7.	गुजरात	3	0	3	0
8.	हरियाणा	4	0	0	0
9.	हिमाचल प्रदेश	0	0	2	0
10.	जम्मू और कश्मीर	6	2	0	0
11.	झारखंड	10	1	0	0
12.	कर्नाटक	16	1	0	0
13.	केरल	14	2	0	1
14.	मध्य प्रदेश	18	3	0	0
15.	महाराष्ट्र	53	0	0	0
16.	मणिपुर	4	0	1	0
17.	मेघालय	3	0	0	0
18.	मिजोरम	8	2	0	0
19.	नागालैंड	11	2	0	0
20.	ओडिशा	0	0	4	0
21.	पंजाब	4	2	0	0
22.	राजस्थान	34	0	0	0
23.	सिक्किम	2	1	0	0

1	2	3	4	5	6
24.	तमिलनाडु	8	2	0	0
25.	त्रिपुरा	4	1	0	0
26.	उत्तर प्रदेश	26	2	0	1
27.	उत्तराखंड	9	2	0	2
28.	पश्चिम बंगाल	7	0	7	0
29.	तेलंगाना	9	1	1	0
30.	अंडमान और निकोबार द्वीपसमूह	0	0	0	0
31.	चंडीगढ़	1	0	0	0
32.	दादरा और नगर हवेली	0	0	0	0
33.	दमन और दीव	0	0	0	0
34.	लक्षद्वीप	0	0	0	0
35.	दिल्ली का एनसीटी	4	1	0	1
36.	पुदुचेरी	2	2	0	0
	कुल	301	31	21	9

पीएसबी सुधार एजेंडा का कार्यान्वयन

1703. श्रीमती के. मरगथम: क्या **वित्त मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकारी क्षेत्र के बैंकों (पीएसबी) द्वारा सुधार एजेंडा के कार्यान्वयन को छह विशिष्ट मापदंडों पर मापने के लिए भारतीय बैंक संघ (आईबीए) ने एक योजना बनाई है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या राज्य के स्वामित्व वाले बैंकों में पूंजी निवेश सुधार पक्ष पर उनके कार्य निष्पादन से प्रत्यक्ष रूप से जुड़ा हुआ है;

(घ) क्या आईबीए ने पीएसबी सुधार एजेंडा बढ़ी हुई पहुंच और सेवा उत्कृष्टता के कार्यान्वयन को मापने के लिए परामर्शदाता नियुक्त करने का निर्णय लिया है; और

(ङ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री शिव प्रताप शुक्ला): (क) से (ङ) सरकारी क्षेत्र के बैंक (पीएसबी) सुधार एजेंडा, जिसमें बैंकिंग सुधार के छ: विषयगत क्षेत्र शामिल हैं, में ग्राहक सर्वे एवं वस्तुनिष्ठ उपायों के माध्यम से बैंकों के ग्राहक की प्रतिक्रिया के लिए संवर्द्धित पहुंच और सेवा उत्कृष्टता (ईएएसई) मूल्यांकन सर्वेक्षण करने एवं प्रकाशित करने की परिकल्पना की गई है। भारतीय बैंक संघ (आईबीए) से प्राप्त सूचनाओं के आधार पर इसने सर्वेक्षण हेतु परामर्शदाता का चयन करते हुए इस संबंध में कार्रवाई शुरू कर दी है।

सरकार ने वित्तीय वर्ष 2017-18 तथा 2018-19 के दौरान पीएसबी के पुनर्पूंजीकरण की उद्घोषणा की है, जिसमें सरकार द्वारा पूंजी लगाना भी शामिल है। पूंजी लगाने का कार्य प्रत्येक पीएसबी के द्वारा सुधार एजेंडा के कार्यान्वयन के कार्यनिष्पादन के आधार पर होगा।

चिकित्सा कालेजों की फीस

1704. श्री जितेन्द्र चौधरी:
श्री एम. मुरली मोहन:

क्या **स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या बड़ी संख्या में निजी चिकित्सा कॉलेज/विश्वविद्यालय एमबीबीएस और स्नातकोत्तर पाठ्यक्रमों हेतु बहुत अधिक फीस वसूल रहे हैं और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ख) क्या निजी चिकित्सा विश्वविद्यालयों के विरुद्ध कार्रवाई करने के लिए अभिभावकों से कोई शिकायतें प्राप्त हुई हैं और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इस पर क्या कार्रवाई की गई है;

(ग) क्या सरकार द्वारा फीस ढांचे में कमी करने के लिए उनके विरुद्ध सख्त कार्रवाई करने के लिए कोई तंत्र स्थापित किया गया है; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं?

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री अश्विनी कुमार चौबे): (क) से (घ) सरकारी मेडिकल कालेजों के मामले में संबंधित राज्य सरकारें फीस तय करने के लिए जिम्मेदार हैं और निजी गैर-सहायता प्राप्त मेडिकल कालेजों में माननीय उच्चतम न्यायालय, भारत के निर्देशों के अनुसरण में उच्च न्यायालय के सेवानिवृत्त न्यायाधीश की अध्यक्षता में संबंधित राज्य सरकार द्वारा गठित समिति फीस अवसंरचना का निर्धारण करती है। यह समिति को निर्णय लेना है कि संस्थान द्वारा प्रस्तावित फीस न्यायोचित है अथवा नहीं। समिति द्वारा तय फीस के प्रति संस्थान बाध्य होगा।

यूएसए द्वारा इस्पात पर पाटन-रोधी शुल्क लगाया जाना

1705. कुंवर हरिवंश सिंह:
श्री अशोक शंकरराव चव्हाण:
श्री सुधीर गुप्ता:
श्री गजानन कीर्तिकर:
श्री एस.आर. विजय कुमार:
श्री टी. राधाकृष्णन:
श्री एस. राजेन्द्रन:
श्री विद्युत वरण महतो:

क्या **वित्त मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या संयुक्त राज्य अमेरिका ने हाल ही में भारत से आयात होने वाले इस्पात और एल्युमिनियम पर भारी प्रशुल्क लगाया है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है तथा इसके क्या कारण हैं तथा इस संबंध में भारतीय इस्पात उद्योग पर पड़ने वाले प्रभाव का ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या सरकार ने इस संबंध में संयुक्त राज्य अमेरिका के प्राधिकरण से कोई वार्ता की है तथा यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(घ) क्या सरकार ने भारतीय इस्पात पर पाटन-रोधी शुल्क वापस लेने के लिए दबाव डालने हेतु संयुक्त राज्य अमेरिका के विरुद्ध कोई जवाबी कार्रवाई भी शुरू की है; और

(ङ) भारतीय इस्पात उद्योग के संरक्षण के लिए सरकार द्वारा क्या कदम उठाए गए हैं/उठाए जा रहे हैं?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री शिव प्रताप शुक्ला): (क) जी, हां।

(ख) संयुक्त राज्य अमेरिका ने अपनी दो अलग-अलग राष्ट्रपति-उद्घोषणाओं के तहत मार्च, 2018 में स्टील पर 25% और एल्यूमिनियम पर 10% का ग्लोबल टैरिफ लगाया था। यह टैरिफ 23.03.2018 से संयुक्त राज्य अमेरिका में होने वाले आयात पर लागू हो गया था जिसमें विशेष टैरिफ लाइन्स के अंतर्गत भारत से होने वाला स्टील और एल्यूमिनियम का आयात भी शामिल है। संयुक्त राज्य अमेरिका ने इसके लिए यह कारण बताया था कि इस प्रकार के आयात से संयुक्त राज्य व्यापार विस्तार अधिनियम, 1962 की धारा 232 में यथा परिभाषित उसकी राष्ट्रीय सुरक्षा को खतरा पैदा होता है। संयुक्त राज्य अमेरिका के राष्ट्रपति-उद्घोषणाओं में उल्लेखित टैरिफ लाइन के अंतर्गत भारत से होने वाले स्टील और एल्यूमिनियम के उत्पादों के निर्यातों पर क्रमश: 25% और 10% की दर से टैरिफ लगता है।

(ग) भारत सरकार संयुक्त राज्य अमेरिका के प्राधिकारियों के समक्ष यह बात उठाया है कि संयुक्त राज्य अमेरिका में भारत से होने वाले आयात को धारा 232 के अंतर्गत टैरिफ से छूट दी

जानी चाहिए और संयुक्त राज्य अमेरिका के प्रशासन के साथ लगातार यह बात चलायी जा रही है।

(घ) चूंकि संयुक्त राज्य अमेरिका की ओर से कोई सकारात्मक उत्तर नहीं मिला है अत: भारत ने विश्व व्यापार संगठन के विवाद निपटान निकाय के समक्ष संयुक्त राज्य अमेरिका से विचार विमर्श किए जाने के लिए अनुरोध किया है। भारत ने भी प्रतिक्रिया स्वरूप टैरिफ लगाया है जोकि 4 अगस्त, 2018 से लागू हो जाएगा। इन सबके बावजूद इस समस्या के सौहार्दपूर्ण समाधान के लिए भारत संयुक्त राज्य अमेरिका के साथ लगातार बात कर रहा है।

(ङ) भारतीय इस्पात उद्योग के विकास को सुनिश्चित करने और इसको सुरक्षित रखने के लिए सरकार ने निम्नलिखित कदम उठाए हैं:–

(i) जून, 2015 से आधारभूत सीमा शुल्क की दर को इंगॉट्स एंड बिल्लेट्स, एलाय स्टील (फ्लेट एंड लॉग), स्टेनलेस स्टील (लॉग) और नॉन एलाय प्रोड्क्ट्स पर 5% से बढ़ाकर 7.5% और नॉन एलाय और अन्य एलाय फ्लेट प्रोडक्ट्स पर 7.5% से बढ़ाकर 10% कर दिया गया है। इस शुल्क को अगस्त, 2015 में फ्लेट स्टील पर 10% से बढ़ाकर 12.5% लॉग स्टील पर 7.5% से बढ़ाकर 10% और सेमीफिनिस्ड स्टील पर 7.5% से बढ़ाकर 10% कर दिया गया है।

(ii) इसके अलावा निर्दिष्ट प्राधिकारी, डाइरेक्टॉरेट जनरल ऑफ ट्रेड रेमेडीज की जांच और सिफारिशों के आधार पर विभिन्न स्टील उत्पादों पर समय-समय पर विशिष्ट दर से प्रतिपाटन शुल्क भी लगाया गया है।

उत्तर-पूर्व राज्यों में एम्स

1706. श्री निनोंग इरिंग: क्या **स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार का अरुणाचल प्रदेश के पासीघाट सहित उत्तर-पूर्व राज्यों में एम्स की स्थापना करने का कोई विचार है; और

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इस संबंध में सरकार द्वारा क्या कदम उठाए गए हैं?

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री अश्विनी कुमार चौबे): (क) और (ख) मंत्रिमंडल ने गांव जलाह, मौजा सिला सुन्दरी घोपा, उत्तरी गुवाहाटी राजस्व सर्किल में एम्स की स्थापना को मंजूरी दे दी है।

अरुणाचल प्रदेश में पासीघाट में एम्स की स्थापना का कोई प्रस्ताव नहीं है।

[हिन्दी]

आर्थिक सुधारों के प्रभाव

1707. श्रीमती वीणा देवी: क्या **वित्त मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या हाल ही के वर्षों में नए आर्थिक सुधारों के कार्यान्वयन के पश्चात् सूचना प्रौद्योगिकी, संचार, विज्ञापन, भेषज, बैंकिंग, पर्यटन से संबंधित विभिन्न क्षेत्रों में उन्हें दी गई प्राथमिकता के आधार पर विकास और विस्तारण हुआ है;

(ख) यदि हां, तो इस पर सरकार की क्या प्रतिक्रिया है;

(ग) क्या नए आर्थिक सुधारों के कार्यान्वयन के पश्चात् देश में परंपरागत उद्योगों में गिरावट आई है; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा पोत परिवहन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री पोन राधाकृष्णन): (क) और (ख) सरकार ने विभिन्न क्षेत्रों में अनेक सुधारात्मक पहलें की हैं। उदाहरण के लिए, माल और सेवा कर लागू किया गया, भारतीय दिवालियापन संहिता पारित की गई, सरकारी क्षेत्रों के बैंकों के लिए पुनर्पूंजीकरण पैकेज की घोषणा की गई तथा टैक्सटाइल क्षेत्र के लिए एक विशेष पैकेज दिया गया। इन सुधारात्मक उपायों के फलस्वरूप विकास की गति त्वरित हुई है। केन्द्रीय सांख्यिकी कार्यालय द्वारा वर्ष 2017-18 के संबंध में जारी किए गए वार्षिक राष्ट्रीय आय से संबंधित अनंतिम अनुमानों के अनुसार वर्ष 2017 के दौरान व्यापार, होटल, परिवहन, संचार तथा प्रशासन से संबंधित सेवाओं के क्षेत्र में स्थिर (2011-12) मूल्यों पर सकल मूल्य वर्धन (जीवीए) 8.0 प्रतिशत होने का अनुमान लगाया गया है जबकि पिछले वर्ष यह वृद्धि दर 7.2 प्रतिशत रही थी। जनवरी-मई 2018 की अवधि के दौरान 44,82,064 विदेशी पर्यटक भारत में आए थे जबकि जनवरी-मई, 2017 की अवधि के दौरान इन पर्यटकों की संख्या 41,21,377 थी जो 8.8 प्रतिशत की वृद्धि दर्शाती है। गत कुछ वर्षों के दौरान भारतीय दूरसंचार क्षेत्र में उल्लेखनीय वृद्धि दर्ज की गई है। सितंबर, 2017 के अंत में दूरसंचार क्षेत्र के ग्राहकों की कुल संख्या 1207.04 मिलियन थी जिनमें से 501.99 मिलियन कनेक्शन ग्रामीण

क्षेत्रों में तथा 705.05 मिलियन कनेक्शन शहरी क्षेत्रों में थे। भारत में कुल टेली-घनत्व 93.42 प्रतिशत था जिसमें ग्रामीण क्षेत्रों में रहने वाले ग्राहकों की संख्या 56.78 प्रतिशत तथा शहरी क्षेत्रों में रहने वाले ग्राहकों की संख्या 172.86 प्रतिशत थी (सितंबर 2017 की स्थिति के अनुसार) अनुसूचित वाणिज्यिक बैंकों की खाद्येत्तर क्षेत्र में उपलब्ध कराई गई ऋण वृद्धि अप्रैल 2017 के 4.5 प्रतिशत से बढ़कर अप्रैल 2018 में 11.1 प्रतिशत के स्तर पर पहुंच गई।

(ग) और (घ) केन्द्रीय सांख्यिकी कार्यालय द्वारा वर्ष 2017-18 के संबंध में जारी किए गए वार्षिक राष्ट्रीय आय से संबंधित अनंतिम अनुमानों के अनुसार उद्योग के संबंध में स्थिर (2011-12) मूल्यों पर सकल मूल्य वर्धन (जीवीए) की वृद्धि दर वर्ष 2017-18 की पहली तिमाही के 0.1 प्रतिशत से बढ़कर 2017-18 की चौथी तिमाही में 8.8 प्रतिशत हो गई। नीचे दी गई सारणी में उद्योग के विभिन्न क्षेत्रों के संबंध में वृद्धि दर दर्शायी गई है:

वर्ष 2017-18 के संबंध में आधारभूत मूल्यों पर जीवीए में वृद्धि से संबंधित तिमाही अनुमान (2011-12 के मूल्यों पर)

	2017-18			
	ति 1	ति 2	ति 3	ति 4
खनन तथा उत्खनन	1.7	6.9	1.4	2.7
विनिर्माण	-1.8	7.1	8.5	9.1
बिजली, गैस, जलापूर्ति एवं अन्य उपयोगी सेवाएं	7.1	7.7	6.1	7.7
निर्माण	1.8	3.1	6.6	11.5

[अनुवाद]

आवश्यक वस्तुओं पर जीएसटी

1708. श्री पी.आर. सेनथिलनाथन:
श्रीमती वी. सत्यबामा:
श्री आर.के. भारती मोहन:

क्या **वित्त मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार की आवश्यक वस्तुओं और माल एवं सेवा कर (जीएसटी) प्रणाली के अधीन उत्पादों हेतु 9 प्रतिशत की एकल कर आधारित संरचना अपनाने की कोई योजनाएं हैं;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) उनके मंत्रालय को औषधीय, शैक्षिक, खाद्य और स्वच्छता संबंधी उत्पादों हेतु वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय द्वारा प्रस्तावित कर आधारों का ब्यौरा क्या है;

(घ) क्या सरकार ने जीएसटी के अंतर्गत आवश्यक वस्तुओं और पदार्थों को 5 प्रतिशत की सबसे कम कर आधार संरचना के अंतर्गत लाने के लिए कोई प्रयास किए हैं; और

(ङ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इस पर सरकार का क्या रुख है?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री शिव प्रताप शुक्ला): (क) तथा (ख) जी, नहीं।

(ग) वाणिज्य तथा उद्योग मंत्रालय ने औषधीय, शैक्षणिक एवं खाद और स्वच्छता संबंधी उत्पादों के बारे में किसी भी कर आधार के बारे में कोई प्रस्ताव नहीं किया है।

(घ) तथा (ङ) जीएसटी की दरों का निर्धारण जीएसटी परिषद की सिफारिशों के आधार पर किया जाता है। प्रमुख आवश्यक वस्तुओं और जिन्सों पर लागू जीएसटी की दर इस प्रकार है:-

विवरण	जीएसटी दर
1	2
खाद्य फसलों के बीज और फलों तथा सब्जियों के बीज, पशुचारा के बीज	शून्य
दूध	शून्य
ताजे फल	शून्य
ताजी सब्जियां	शून्य
ताजा गन्ना	शून्य
अनाज और अनाज उत्पाद	शून्य/5%*
दालें और इसके उत्पाद	शून्य/5%*
खाद्य वनस्पति तेल	5%
गुड़/खाण्ड़सारी चीनी	शून्य
चीनी	5%

1	2
पशु एवं जानवर आहार	शून्य
उर्वरक, अजैविक, जैविक या मिश्रित	5%
खादी यार्न	शून्य
जूट फाइबर, कच्चा या प्रसंस्कृत	शून्य
कॉटन या कॉटन वेस्ट	5%
कॉटन यार्न (खादी यार्न के अलावा)	5%
जूट यार्न	5%
बुने हुए सूती कपड़े	5%

*यूनिट कन्टेनर में बंद ब्रान्डेड अनाजों और दालों पर 5% की दर से जीएसटी लगायी जाती है।

प्ले स्कूलों का विनियमन

1709. **श्री कौशल किशोर:** क्या **महिला और बाल विकास मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार ने इस बात पर ध्यान दिया है कि देश में अनेक प्ले स्कूलों की संख्या में तेजी से वृद्धि हो रही है और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ख) क्या सरकार ने छोटे बच्चों के विरुद्ध अत्याचारों की बढ़ती घटनाओं के मद्देनजर देश के विभिन्न भागों में प्ले स्कूलों के प्रचालन का विनियमन करने के लिऐ कोई पहल की है; और

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

महिला और बाल विकास मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा अल्पसंख्यक कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (डॉ. वीरेन्द्र कुमार): (क) जी नहीं। यह मंत्रालय देश में चलाए जा रहे प्ले स्कूलों के संबंध में कोई आंकड़े नहीं रखता है।

(ख) और (ग) भारत सरकार ने राष्ट्रीय प्रारंभिक बाल्यावस्था देखरेख और शिक्षा (ईसीसीई) नीति, 2013 निर्धारित की है और इसकी प्रमुख विशेषताएं इस प्रकार हैं:–

(i) सभी सेवा-प्रदाताओं के कार्यक्रमों और उपायों में समता और समावेश के साथ पहुंच;

(ii) गुणवत्ता में सुधार करना, क्षमता, निगरानी और पर्यवेक्षण को सुदृढ़ बनाना;

(iii) अनुसंधान और प्रलेखीकरण;

(iv) समर्थन और जागरुकता विकास;

(v) नीतियों और कार्यक्रमों में अभिसरण और समन्वय;

(vi) संस्थागत और क्रियान्वयन व्यवस्थाएं; और

(vii) ईसीसीई में भागीदारी, आवधिक समीक्षा और बेहतर पूंजी निवेश।

ईसीसीई नीति, 2013 के उद्देश्य हैं:–

(i) बच्चों के समग्र कल्याण पर लक्षित और गर्भधारण से लेकर 6 वर्ष की आयु तक लगातार देखरेख के साथ-साथ उनकी विकास संबंधी जरूरतों के प्रति उत्तरदायी व्यापक बाल देखरेख समर्थन, अवसंरचना और सेवाओं को सुलभ बनाना।

(ii) ईसीसीई को सर्वसुलभ बनाना और लागू करना तथा कमजोर बच्चों की ओर विशिष्ट ध्यान देते हुए सभी बच्चों के समावेश के लिए अनुकूल कार्यनीतियां सुनिश्चित करना।

(iii) सक्षम मानव संसाधनों को नियोजित करना और बच्चों तथा उनके परिवारों के लिए गुणवत्तापूर्ण सेवाएं बढ़ाने और विकसित करने के लिए उनकी क्षमता का निर्माण करना।

(iv) ईसीसीई प्रावधानों के लिए गुणवत्ता मानक और पाठ्यचर्या ढांचा निर्धारित करना तथा उपयुक्त संस्थागत व्यवस्थाओं के माध्यम से समर्थन और प्रवर्तन के जरिए उनका अनुप्रयोग और व्यवहार सुनिश्चित करना।

(v) ईसीसीई के महत्व के बारे में जागरुकता बढ़ाना और सामान्य जानकारी पैदा करना तथा यथापेक्षित संस्थागत और कार्यक्रम संबंधी तरीकों और प्रौद्योगिकी के उपयुक्त प्रयोग के माध्यम से छोटे बच्चों के जीवन स्तर में सुधार लाने के लिए समुदायों और परिवारों के साथ मजबूत भागीदारी को बढ़ावा देना।

(vi) संदर्भो की विविधता को मान्यता देना, सांस्कृतिक रूप से उपयुक्त कार्यनीतियों का विकास करना और उन्हें बढ़ावा देना तथा प्रतिभागी और स्थानीय रूप से उत्तरदायी दृष्टिकोण के माध्यम से विकेन्द्रीकृत शासन ढांचे के भीतर कार्य करना।

[हिन्दी]

पॉलिथीन बैंगों पर प्रतिबंध

1710. श्रीमती संतोष अहलावत:
श्री सुमेधानन्द सरस्वती:
श्री ओम प्रकाश यादव:
श्री मोहनभाई कल्याणजीभाई कुंदरिया:

क्या **पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार ने पॉलिथीन बैंगों के उपयोग पर प्रतिबंध लगाया है और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ख) क्या सरकार ने इस प्रतिबंध को कठोरता पूर्वक अनुपालन करना सुनिश्चित किया है और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या सरकार को इस बात की जानकारी है कि दुकानदार अभी भी इतने ग्राहकों को अपनी वस्तु बेचने हेतु पॉलिथीन बैगों का उपयोग कर रहे हैं और यदि हां, तो इस संबंध में सरकार द्वारा क्या कार्रवाई की गई है;

(घ) क्या कोई राज्य सरकार ने हाल ही में पॉलिथीन बैगों पर कठोरता पूर्वक प्रतिबंध लगाने हेतु अपने पॉलिथीन अपशिष्ट प्रबंधन नीति में संशोधन किया है और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ङ) क्या संघ सरकार पॉलिथीन बैगों पर पूर्णतया प्रतिबंध लगाने हेतु पूरे देश में इस नीति को क्रियान्वित करने पर विचार कर रही है और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

संस्कृति मंत्रालय के राज्य मंत्री तथा पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय में राज्य मंत्री (डॉ. महेश शर्मा): (क) से (ग) सरकार द्वारा प्लास्टिक अपशिष्ट प्रबंधन (पीडब्ल्यूएम) नियम, 2016 अधिसूचित किए गए हैं जिनके तहत, अन्य बातों के साथ-साथ, कंपोस्ट में परिवर्तनीय प्लास्टिक से निर्मित कैरी बैगों सहित सभी प्लास्टिक कैरी बैगों के विनिर्माण, विक्रय, वितरण और उपयोग को विनियमित किया जाता है। सरकार ने कैरी बैगों के प्रयोग पर पूर्णतया प्रतिबंध नहीं लगाया है। 50 माइक्रोन से कम मोटाई वाले शुद्ध या पुनश्चक्रित प्लास्टिक से निर्मित कैरी बैगों के प्रयोग का निषेध किया गया है। प्लास्टिक अपशिष्ट प्रबंधन (पीडब्ल्यूएम) नियम, 2016 के अनुसार, राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड तथा प्रदूषण नियंत्रण समिति प्लास्टिक उत्पादों के पंजीकरण, विनिर्माण, प्लास्टिक अपशिष्टों के प्रसंस्करण एवं निपटान से संबंधित इन नियमों के प्रावधानों को लागू करने वाले प्राधिकरण हैं।

(घ) और (ङ) केन्द्रीय सरकार द्वारा अधिसूचित प्लास्टिक अपशिष्ट प्रबंधन (पीडब्ल्यूएम) नियम, 2016 के अलावा, 21 राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों ने भी उपर्युक्त विधान को संपूरित करते हुए अन्य संविधियों के अंतर्गत अपने स्तर से जारी अधिसूचनाओं के माध्यम से प्लास्टिक कैरी बैगों/एक ही बार इस्तेमाल होने वाले प्लास्टिक के प्रयोग पर आंशिक या पूर्ण प्रतिबंध लगाया है।

[अनुवाद]

समेकित बाल विकास सेवा योजना

1711. श्री ई.टी. मोहम्मद बशीर:
श्री लक्ष्मी नारायण यादव:
श्रीमती पूनमबेन माडम:

क्या **महिला और बाल विकास मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) समेकित बाल विकास सेवा (आईसीडीएस) योजना का इसमें शामिल जिलों को दर्शाते हुए ब्यौरा क्या है और गत तीन वर्षों में प्रत्येक वर्ष और चालू वर्ष के दौरान उक्त योजना के अंतर्गत लाभार्थियों की संख्या सहित राज्य/संघ राज्यक्षेत्र और कंपनी-वार आबंटित/जारी और उपयोग की गई निधियों का ब्यौरा क्या है;

(ख) योजना के कार्यान्वयन विशेष रूप से देश में बाल कुपोषण को सुधारने संबंधी क्या स्थिति है;

(ग) क्या सरकार ने ध्यान दिया है कि सुदूर गांवों में योजना का क्रियान्वयन बहुत खराब/असंतोषजनक है और यदि हां, तो इस पर सरकार की क्या प्रतिक्रिया है;

(घ) क्या सरकार का पिछड़े राज्यों में योजना को प्रभावी रूप से आरंभ/कार्यान्वयन करने हेतु समर्थ बनाने के लिए एक विशेष पैकेज तैयार करने का विचार है और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा है;

(ङ) क्या सरकार/केन्द्रीय दलों ने उक्त अवधि के दौरान योजना के क्रियान्वयन की निगरानी के लिए विभिन्न राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों का दौरा किया है और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(च) सरकार द्वारा उपयुक्त क्रियान्वयन की निगरानी और योजना के बारे में जागरुकता फैलाने के लिए और क्या उपाय किए गए हैं?

महिला और बाल विकास मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा अल्पसंख्यक कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (डॉ. वीरेन्द्र कुमार): (क) समेकित बाल विकास सेवा (आईसीडीएस) स्कीम, जिसका अब नाम बदलकर आंगनवाड़ी सेवाएं कर दिया गया है, वर्ष 1975 में शुरू की गई थी। स्कीम के उद्देश्य हैं : 0-6 वर्ष आयु वर्ग के बच्चों के पोषण और स्वास्थ्य की स्थिति में सुधार करना; बच्चे के समुचित मनोवैज्ञानिक, शारीरिक और सामाजिक विकास की नींव रखना; मृत्यु दर, रूग्णता, कुपोषण और बीच में पढ़ाई छोड़ देने के मामले को कम करना; बाल विकास को बढ़ावा देने के लिए विभिन्न विभागों के बीच नीति और क्रियान्वयन का कारगर समन्वय सुनिश्चित करना; और उपयुक्त पोषण तथा स्वास्थ्य शिक्षा के माध्यम से बच्चों की सामान्य स्वास्थ्य और पोषण संबंधी जरूरतों की देखभाल के लिए मां की क्षमता को बढ़ाना।

स्कीम के अंतर्गत आंगनवाड़ी केन्द्रों में 6 सेवाएं, नामत: पूरक पोषण, स्वास्थ्य और पोषण शिक्षा, स्कूल-पूर्व शिक्षा, टीकाकरण, रैफरल सेवाएं और स्वास्थ्य जांच प्रदान की जाती हैं। स्कीम के लाभार्थी 0-6 वर्ष आयु वर्ग के बच्चे तथा गर्भवती महिलाएं और शिशुओं को स्तनपान कराने वाली माताएं हैं। यह राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों द्वारा क्रियान्वित केन्द्रीय प्रायोजित स्कीम है।

यह स्कीम सर्वसुलभ है, जिसमें देश के सभी जिले शामिल हैं। पिछले तीन वर्षों में प्रत्येक वर्ष और मौजूदा वर्ष के दौरान स्कीम के अंतर्गत राज्य/संघ राज्य क्षेत्र तथा घटक-वार आबंटित/निर्मुक्त तथा प्रयुक्त निधियों का ब्यौरा और लाभार्थियों की संख्या दर्शाने वाले विवरण-I तथा II के रूप में संलग्न है।

(ख) पूरे देश में कुल 14 लाख आंगनवाड़ी केन्द्र स्वीकृत हैं, जिनमें से 01.06.2018 तक की स्थिति के अनुसार 13.63 लाख आंगनवाड़ी केन्द्र परिचालित हैं। राष्ट्रीय परिवार स्वास्थ्य सर्वेक्षण-3 की स्थिति की तुलना में राष्ट्रीय परिवार स्वास्थ्य सर्वेक्षण-4 द्वारा इकट्ठे किए गए आंकड़ों के अनुसार बाल कुपोषण के स्तर में सुधार हुआ है।

(ग) यह स्कीम राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों द्वारा क्रियान्वित की जाती है। जब कभी भी इसमें कमियों के बारे में बताया जाता है तो उनकी ओर ध्यान दिया जाता है।

(घ) इस प्रकार का कोई प्रस्ताव विचाराधीन नहीं है। तथापि, स्कीम के क्रियान्वयन के लिए खर्च के बंटवारे का अनुपात पूर्वोत्तर और हिमालयी राज्यों के लिए 90:10 निर्धारित किया गया है, जबकि विधान सभा वाले राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों के लिए यह अनुपात 60:40 है।

(ङ) और (च) स्कीम पर राष्ट्रीय, राज्य, जिला, ब्लॉक तथा आंगनवाड़ी स्तर पर पांच स्तरीय निगरानी समितियों के माध्यम से निगरानी रखी जाती है। इसके अलावा, राज्य/संघ राज्य क्षेत्र के अधिकारियों तथा मंत्रालय के वरिष्ठ अधिकारियों द्वारा पर्यवेक्षण दौरे किए जाते हैं। जब कभी भी इसमें कोई कमी पाई जाती है, तो उसके संबंध में सुधारात्मक कार्रवाई करने के लिए उसे राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों के ध्यान में लाया जाता है।

विवरण-I

विगत तीन वर्षों और मौजूदा वर्ष 2018-19 (20.07.2018 तक) के दौरान आंगनवाड़ी सेवा स्कीम के अंतर्गत आंगनवाड़ी भवनों के निर्माण, पूरक पोषण कार्यक्रम और प्रशिक्षण (आंगनवाड़ी सेवा, सामान्य) निर्मुक्त राज्य-वार निधियों का समेकित विवरण

रुपये लाखों में

क्र. सं.	राज्य	2015-16 निर्मुक्त निधियां	2016-17 निर्मुक्त निधियां	2017-18 निर्मुक्त निधियां	2018-19 निर्मुक्त निधियां
1	2	3	4	5	6
1.	आंध्र प्रदेश	68818.48	56387.46	58474.18	34207.54
2.	बिहार	102372.56	98099.36	92217.01	59181.66
3.	छत्तीसगढ़	51151.54	41939.90	56762.73	18746.59
4.	गोवा	1228.04	1067.70	1649.60	576.50
5.	गुजरात	64185.05	69417.36	62275.13	20992.06
6.	हरियाणा	16081.19	20871.79	20914.78	8451.76

1	2	3	4	5	6
7.	हिमाचल प्रदेश	19507.32	23696.07	21612.57	12490.54
8.	जम्मू और कश्मीर	27362.65	26732.11	19328.24	16882.27
9.	झारखंड	46217.72	48163.54	42081.45	16772.55
10.	कर्नाटक	96394.53	53686.59	92834.76	40375.38
11.	केरल	28554.27	34357.05	32460.32	10545.88
12.	मध्य प्रदेश	108673.52	110506.46	116645.68	55186.72
13.	महाराष्ट्र	104166.66	105660.17	102957.15	76788.25
14.	ओडिशा	65643.69	72497.49	95323.96	39262.70
15.	पंजाब	13689.39	16982.50	20168.46	8362.87
16.	राजस्थान	49851.78	62397.70	67542.98	22242.00
17.	तमिलनाडु	63744.93	47085.82	49336.98	21001.54
18.	उत्तराखंड	35710.06	21399.62	27990.11	14718.25
19.	उत्तर प्रदेश	281398.92	278089.75	215246.75	118175.48
20.	पश्चिम बंगाल	79465.80	66563.30	99426.41	52750.74
21.	तेलंगाना	37918.23	29877.27	38468.27	14201.01
22.	दिल्ली	13775.25	14168.00	10868.44	6120.88
23.	पुदुचेरी	1673.27	2299.22	1455.40	223.82
24.	अंडमान और निकोबार द्वीपसमूह	1421.03	1207.51	1295.81	563.38
25.	चंडीगढ़	1420.25	762.19	1077.47	661.82
26.	दादरा और नगर हवेली	210.97	569.61	323.11	234.90
27.	दमन और दीव	133.55	307.96	279.45	123.26
28.	लक्षद्वीप	155.91	146.95	165.31	134.84
29.	अरुणाचल प्रदेश	12923.23	11346.05	14588.50	6269.48
30.	असम	92972.20	64397.66	70237.54	47920.16
31.	मणिपुर	10267.27	9998.54	17647.46	7399.22
32.	मेघालय	12418.60	19135.66	19864.97	8040.94
33.	मिजोरम	5371.93	4666.49	6174.29	2393.50
34.	नागालैंड	8796.00	15149.57	16652.36	6208.30
35.	सिक्किम	2022.73	1625.01	1983.22	1090.58
36.	त्रिपुरा	18194.62	11710.57	13101.10	8214.60
	कुल	1543893.14	1442970.00	1509431.95	757511.97

विवरण-II

आईसीडीएस स्कीम के अंतर्गत पिछले तीन वर्ष और चालू वर्ष के दौरान लाभान्वित बच्चों (6 माह से 6 वर्ष) तथा गर्भवती एवं स्तनपान कराने वाली माताओं की संख्या

क्र. सं.	राज्य/संघ राज्य क्षेत्र	2014-15 लाभार्थियों की संख्या				2015-16 लाभार्थियों की संख्या				2016-17 लाभार्थियों की संख्या				2017-18 लाभार्थियों की संख्या			
		पूरक पोषण			स्कूल शिक्षा अर्थत (3 वर्ष से 6 वर्ष)	पूरक पोषण			स्कूल शिक्षा अर्थत (3 वर्ष से 6 वर्ष)	पूरक पोषण			स्कूल शिक्षा अर्थत (3 वर्ष से 6 वर्ष)	पूरक पोषण			स्कूल शिक्षा अर्थत (3 वर्ष से 6 वर्ष)
		बच्चे (6 माह से (6 वर्ष)	गर्भवती एवं स्तपान कराने वाली माताएं	कुल लाभार्थी (6 माह से 6 वर्ष + पी एंड एलएम)		बच्चे (6 माह से (6 वर्ष)	गर्भवती एवं स्तपान कराने वाली माताएं	कुल लाभार्थी (6 माह से 6 वर्ष + पी एंड एलएम)		बच्चे (6 माह से (6 वर्ष)	गर्भवती एवं स्तपान कराने वाली माताएं	कुल लाभार्थी (6 माह से 6 वर्ष + पी एंड एलएम)		बच्चे (6 माह से (6 वर्ष)	गर्भवती एवं स्तपान कराने वाली माताएं	कुल लाभार्थी (6 माह से 6 वर्ष + पी एंड एलएम)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
1.	आंध्र प्रदेश	2382866	805143	3188009	941753	2631659	728068	3359727	952957	2575806	724841	3300647	956881	2361549	611035	2972584	864685
2.	तेलंगाना	1691079	466985	2158064	639138	1574455	419525	1993980	320435	1518128	385044	1903172	681911	1457408	362781	1820189	665194
3.	अरुणाचल प्रदेश	222956	30233	253189	113011	226323	29757	256080	113933	206669	26112	232781	103884	189060	24517	213577	96623
4.	असम	3310885	691237	4002122	1801441	3310885	691237	4002122	1801441	3310885	691237	4002122	1801441	3562673	683549	4246222	1888756
5.	बिहार	9967439	1716981	11684420	2416088	9892618	1662181	11554799	2331123	9892618	1662181	11554799	2331123	4940640	1163378	6104018	2681885
6.	छत्तीसगढ़	2055307	493718	2549025	880233	2055307	493718	2549025	880233	1963485	453704	2417189	801953	2013902	455626	2469528	854260
7.	गोवा	57419	15909	73328	20917	58719	15853	74572	21226	57584	16077	73661	20095	56630	15050	71680	19690
8.	गुजरात	3185697	757219	3942916	1580094	3269470	809268	4078738	1505347	3141989	754890	3896879	1430720	3104693	744902	3849595	1443193
9.	हरियाणा	1105095	316855	1421950	398895	996751	287802	1284553	353511	924226	277457	1201683	318160	883607	263976	1147583	291548
10.	हिमाचल प्रदेश	458955	102728	561683	149861	449511	101161	550672	139275	449087	100913	550000	138406	427449	97867	525316	128168
11.	जम्मू और कश्मीर	295039	92021	387060	300126	295039	92021	387060	300126	845074	102464	947538	300126	731676	133140	864816	439005
12.	झारखंड	2840711	706032	3546743	1247550	2961485	660264	3621749	1234533	3180362	798312	3978674	1234533	2634116	758842	3392958	1234533
13.	कर्नाटक	3997286	993802	4991088	1760253	3997286	993802	4991088	1760253	3997286	993802	4991088	1760253	4036695	1055470	5092165	1518127
14.	केरल	856427	159801	1016228	444283	874831	162595	1037426	442838	699638	188560	888198	342843	747654	259178	1006832	386035

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
15.	मध्य प्रदेश	5935835	1340084	7275919	3029398	5526328	1470362	6996690	3104200	6291588	1402205	7693793	2904788	6607796	1443235	8051031	3696416
16.	महाराष्ट्र	5983249	1126895	7110144	2822502	5940882	1105541	7046423	2823063	5585804	997423	6583227	2780859	5312961	1004602	6317563	2552687
17.	मणिपुर	355176	75010	430186	179522	355176	75010	430186	179522	355176	75010	430186	179522	340984	67208	408192	177583
18.	मेघालय	440399	78538	518937	187563	468579	86292	554871	205476	476923	81896	558819	211773	489738	82802	572540	218986
19.	मिजोरम	77974	20313	98287	934907	109179	74388	133567	872588	80360	20530	100890	872588	ग155222	28150	183372	56334
20.	नागालैंड	302940	62508	365448	140325	292059	56514	348573	146396	289575	49441	339016	144060	287537	46165	333702	144241
21.	ओडिशा	3872777	793324	4666101	1535738	3823385	785918	4609303	1549474	3823385	785918	4609303	1549474	3918422	725129	4643551	2047340
22.	पंजाब	937773	261844	1199617	391036	945504	259331	1204.835	376458	888728	243014	1131742	354587	671496	186289	857785	275968
23.	राजस्थान	2868934	892369	3761303	1088980	2781462	881413	3662875	968244	2744718	871058	3615776	987811	2616106	866794	3482900	967701
24.	सिक्किम	23288	4441	27729	11671	25316	5396	30712	11487	25316	5396	30712	11487	30500	6000	36500	12500
25.	तमिलनाडु	2452140	670337	3122477	1108348	245506	655427	3107933	1019285	2448525	667409	3115934	1104546	2394243	665067	3059310	632304
26.	त्रिपुरा	299116	77264	376380	152204	299116	77264	376380	152204	314957	67804	382761	159952	344859	71074	415933	189854
27.	उत्तर प्रदेश	18445336	4853101	23298437	8309581	19126779	4934881	24061660	7681641	16043369	4186266	20229635	6811940	14334752	3882027	18216779	5852814
28.	उत्तराखंड	632102	162684	794786	230615	684721	181738	866459	217971	663207	179248	842455	201010	607332	169495	776827	181925
29.	पश्चिम बंगाल	6871904	1374924	8246828	3325069	6631338	133887	7965225	3256562	6462646	1289849	7752495	3244627	6117637	1320684	7438321	2889710
30.	अंडमान और निकोबार द्वीपसमूह	12550	3277	15827	3882	12781	3157	15938	3973	12065	2806	14871	3557	10568	2621	13189	2791
31.	चंडीगढ़	55806	10415	66221	29285	53188	8323	61511	29052	50770	8732	59502	27699	47506	7653	55159	25809
32.	दिल्ली	846467	162462	1008929	351177	697158	144362	841520	262732	697158	144362	841520	262732	451407	115543	566950	139298
33.	दादरा और नगर हवेली	19725	3177	22902	10621	19379	3209	22588	10107	19008	2998	22006	10165	19363	3523	22886	10475
34.	दमन और दीव	6308	1103	7411	2643	6308	1103	7411	2643	6308	1103	7411	2643	5150	1451	6601	2388
35.	लक्षद्वीप	4652	1666	6318	2292	4652	1666	6318	2292	4652	1666	6318	2292	3450	1148	4598	843
36.	पुदुचेरी	27812	9205	37017	2994	28781	9934	38715	2285	26398	9189	35587	1862	26936	9245	36181	2197
	अखिल भारतीय	82899424	19333605	102233029	36543996	82878916	19252368	102131284	35034886	80073473	18268917	98342390	34052303	71941717	17335216	8927693	32591866

राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों द्वारा प्रदान किए गए आंकड़ों के अनुसार।

[हिन्दी]

खाद्य मिलावट संबंधी कानूनों को सुदृढ़ बनाना

1712. श्री उदय प्रताप सिंह: क्या **स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या एफएसएसएआई ने खाद्य मिलावट को रोकने के लिए सख्त दंड की सिफारिश की है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) खाद्य पदार्थों में मिलावट रोकने के लिए सरकार द्वारा क्या दंडात्मक उपाय करने का विचार है?

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री अश्विनी कुमार चौबे): (क) से (ग) खाद्य सुरक्षा और मानक (एफएसएस) अधिनियम, 2006 की धारा 57 और 59 के उपबंध जो खाद्य मिलावट और असुरक्षित खाद्य पदार्थों पर शास्ति से संबंधित हैं, में मिलावट और इसके निहितार्थों के कार्य की गंभीरता के अनुसार क्रमिक शास्तियों और सजा का प्रावधान है। शास्ति और सजा के मौजूदा उपबंध खाद्य पदार्थों में मिलावट के अपराधों से निपटने के लिए पर्याप्त हैं।

एफएसएस अधिनियम की धारा 57 के अनुसार –मिलावटी पदार्थ रखने पर शास्ति-(1) यदि कोई व्यक्ति स्वयं द्वारा या अपनी ओर से किसी अन्य व्यक्ति द्वारा किसी मिलावटी पदार्थ की बिक्री के लिए इसका आयात या विनिर्माण करता है और इसका भंडारण करता है, विक्रय या वितरण करता है तो वह–

(i) जहां ऐसा मिलावटी पदार्थ स्वास्थ्य के लिए हानिकारक नहीं है वहां अधिकतम दो लाख रुपए की शास्ति का हकदार होगा;

(ii) जहां ऐसा मिलावटी पदार्थ स्वास्थ्य के लिए हानिकारक है वहां अधिकतम दस लाख रुपए की शास्ति का हकदार होगा।

(2) उपधारा (1) के तहत कार्यवाही के दौरान, इसमें कोई बचाव नहीं होगा कि अभियुक्त ऐसे मिलावटी पदार्थ को किसी अन्य व्यक्ति की ओर से रखे हुए था।

एफएसएस अधिनियम की धारा 59 के अनुसार – असुरक्षित खाद्य पदार्थ के लिए सजा-कोई व्यक्ति जो, स्वयं द्वारा या अपनी ओर से किसी अन्य व्यक्ति द्वारा मानव उपभोग के लिए असुरक्षित खाद्य पदार्थ की किसी मद की बिक्री के लिए इसका विनिर्माण करता है या इसे भंडारित करता है या इसका विक्रय या वितरण या आयात करता है तो उसे –

(i) जहां ऐसी चूक या उल्लंघन के परिणामस्वरूप कोई क्षति नहीं होती है वहां अधिकतम छः माह के कारावास और इसके साथ अधिकतम एक लाख रुपए के जुर्माने की सजा हो सकती है;

(ii) जहां ऐसी चूक या उल्लंघन जिसके परिणामस्वरूप कोई गैर-कष्ट दायक क्षति होती है वहां अधिकतम एक वर्ष के कारावास और इसके साथ अधिकतम तीन लाख रुपए के जुर्माने की सजा हो सकती है;

(iii) जहां ऐसी चूक या उल्लंघन जिसके परिणामस्वरूप कोई कष्ट-दायक क्षति होती है वहां अधिकतम छः वर्ष के कारावास और इसके साथ अधिकतम पांच लाख रुपए के जुर्माने की सजा हो सकती है;

(iv) जहां ऐसी चूक या उल्लंघन जिसके परिणामस्वरूप मृत्यु हो जाती है वहां कम से कम सात वर्ष के कारावास परन्तु उस ताउम्र कारावास तक बढ़ भी सकती है और इसके साथ कम से कम दस लाख रुपए के जुर्माने की सजा हो सकती है।

तटीय क्षेत्रों का संरक्षण

1713. श्री सतीश चंद्र दुबे: क्या **पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) गत पांच दशकों के दौरान विश्वभर में तापमान में वृद्धि के कारण समुद्री स्तर में अनुभव किए गए परिवर्तनों का ब्यौरा क्या है;

(ख) तटीय क्षेत्रों में अनधिकृत निर्माण, हरित क्षेत्रों में कमी, अनियंत्रित पर्यटन और तटीय संरक्षण संबंधी कानूनों के प्रति उदासीन व्यवहार के कारण देश के तटीय क्षेत्र किस प्रकार प्रतिकूल रूप से प्रभावित हुए हैं; और

(ग) सरकार का तटीय क्षेत्रों को बढ़ते समुद्री जल स्तर से किस प्रकार बचाने का विचार है?

संस्कृति मंत्रालय के राज्य मंत्री तथा पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय में राज्य मंत्री (डॉ. महेश शर्मा): (क) जलवायु परिवर्तन संबंधी अंतर-शासकीय पैनल की पांचवीं

आकलन रिपोर्ट के अनुसार, वर्ष 1901 और 2010 के बीच विश्व भर में समुद्री स्तर में वृद्धि की औसत दर 1.7 मि.मी. थी, जिसके कारण समुद्री स्तर में कुल 0.19 मीटर की वृद्धि हुई थी। इसके अलावा, भारतीय राष्ट्रीय महासागर सूचना सेवा केन्द्र (आईएनसीओआईएस) द्वारा किए गए अध्ययनों के अनुसार, भारतीय तट क्षेत्र में समुद्र के जल-स्तर में विभिन्न दरों पर परिवर्तन हो रहा है। भारतीय तट क्षेत्र में समुद्र के जल-स्तर में औसतन 0.33 से 5.16 मि.मी./वर्ष की दर से वृद्धि हो रही है और यह रुझान जारी रहने की उम्मीद है।

(ख) देश के समुद्री क्षेत्रों के अनोखे पर्यावरण को संरक्षित और सुरक्षित रखने तथा सतत ढंग से विकास को बढ़ावा देने के उद्देश्य से, केन्द्रीय सरकार द्वारा वर्ष 1991 में तटीय विनियमन क्षेत्र अधिसूचना जारी की गई थी। तदुपरांत इसमें समय-समय पर उपयुक्त संशोधन किए गए और वर्ष 2011 में इसके व्यापक संशोधन लाया गया। तटीय विनियमन क्षेत्र में प्राकृतिक संसाधनों के संरक्षण के उपायों, हरित क्षेत्रों के संरक्षण, विकास संबंधी कार्यकलापों और पर्यटन आदि के वैज्ञानिक तरीके से विनियमन सहित सभी कार्यकलापों को इस अधिसूचना के विभिन्न प्रावधानों के जरिए विनियमित किया जाता है। इन विनियमों में अनधिकृत पर्यटन और विकास को नियंत्रित करने के लिए पर्याप्त सुरक्षा उपाय निर्धारित किए गए हैं। पिछले कुछ वर्षों में कच्छ वनस्पतियों, जो हरित क्षेत्र हैं, में वृद्धि हुई है।

(ग) केन्द्रीय सरकार द्वारा तटीय राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों (यूटी) के लिए संबंधित राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों में तटीय विनियमन क्षेत्र अधिसूचना को कार्यान्वित और लागू करने हेतु तटीय क्षेत्र प्रबंधन प्राधिकरणों (सीजेडएमए) का गठन किया गया है। तटीय क्षेत्र प्रबंधन प्राधिकरणों (सीजेडएमए) को अधिसूचना के उल्लंघन के विरुद्ध कार्रवाई करने की शक्तियां प्रदान की गई हैं।

भारत सरकार गंभीर रूप से प्रभावित क्षेत्रों में तटीय अपरदन के प्रबंधन के लिए तटीय राज्यों द्वारा किए गए प्रयासों में तकनीकी परामर्श तथा संवर्धक वित्तीय सहायता प्रदान करके उन राज्यों को सहयोग प्रदान करती है। इसके अलावा, सरकार द्वारा सीआरजेड अधिसूचना, 2011 में समय-समय पर संशोधन किए गए हैं।

सरकार ने एकीकृत तटीय क्षेत्र प्रबंधन (आईसीजेडएम) परियोजना के तहत देश के संपूर्ण तटीय क्षेत्र में जोखिम रेखा को सीमांकित किया है। जोखिम रेखा से जलवायु परिवर्तन के कारण समुद्र के जल-स्तर में वृद्धि सहित तट रेखा में होने वाले परिवर्तनों का संकेत मिलता है।

आईसीजेडएम परियोजना में तट रेखा में होने वाले परिवर्तनों से संबद्ध खतरों का व्यापक पैमाने पर आकलन करने और इन खतरों से निपटने हेतु प्रबंधन समाधान की योजना बनाने के लिए एक फ्रेमवर्क तैयार करने की भी परिकल्पना की गई है। इस परियोजना के तहत, गुजरात, ओडिशा और पश्चिम बंगाल में पांच अभिज्ञात तटीय क्षेत्रों के लिए प्रायोगिक आधा पर तटरेखा प्रबंधन योजनाएं तैयार की गई हैं।

जड़ी-बूटी और औषधीय पौधे

1714. श्री रमेश बिधूड़ी: क्या **पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार ने देश में जंगली झाड़ियों के स्थान पर औषधीय और फलदार वृक्षों को लगाने हेतु कदम उठाए हैं;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या सरकार का दिल्ली के विभिन्न क्षेत्रों में ऐसी किसी योजना का कार्यान्वयन करने का विचार है; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

संस्कृति मंत्रालय के राज्य मंत्री तथा पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय में राज्य मंत्री (डॉ. महेश शर्मा): (क) से (घ) जी हां। वर्तमान में, राष्ट्रीय औषधीय पादप बोर्ड (एनएमपीबी), आयुष मंत्रालय द्वारा देश भर में "औषधीय पौधों के संरक्षण, विकास और सतत प्रबंधन संबंधी केन्द्रीय क्षेत्र की योजना" का कार्यान्वयन किया जा रहा है। उपर्युक्त योजना के तहत, योजना दिशानिर्देशों के अनुसार देश भर में वन्य/वन क्षेत्रों में औषधीय श्रेणी की जड़ी-बूटियों, झाड़ियों, पेड़ों का संरक्षण करने तथा सतत उपलब्धता बनाए रखने हेतु उनके संसाधन में वृद्धि/पौधारोपण के लिए परियोजना के आधार पर सहयोग प्रदान किया जाता है।

राष्ट्रीय वनीकरण एवं पारिस्थितिकीय विकास बोर्ड (एनएईबी), पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय (एमओईएफ एंड सीसी) द्वारा भी देश में ग्राम स्तर पर संयुक्त वन प्रबंधन समितियों (जेएफएमसी), वन प्रभाग के स्तर पर वन विकास एजेंसी (एफडीए) तथा राज्य स्तर पर राज्य वन विकास एजेंसी (एसएफडीए) को शामिल करते हुए लोगों की भागीदारी के माध्यम से अवक्रमित वनों के वनीकरण और उनमें पारिस्थितिकी की पुन: बहाली के लिए राष्ट्रीय वनीकरण कार्यक्रम (एनएपी) कार्यान्वित किया जा रहा है। देश में औषधीय पौधरोपण को बढ़ावा देने के लिए, राष्ट्रीय

वनीकरण कार्यक्रम (एनएपी) की योजना के तहत सात पौधरोपण मॉडलों में से एक मॉडल के रूप में 'औषधीय महत्व की सदाबहार जड़ी-बूटियों और झाड़ियों के पुनरुत्पादन' के माध्यम से जड़ी-बूटी और औषधीय पौधों के रोपण का प्रावधान किया गया है। पौधरोपण के लिए पौधों की प्रजातियों का चयन संयुक्त वन प्रबंधन समितियों के सदस्यों द्वारा राज्य वन विभाग के साथ परामर्श करके उनकी जरूरतों, पारिस्थितिकीय दशाओं तथा अन्य स्थानीय कारकों के आधार पर किया जाता है। वन क्षेत्र में पौधरोपण के लिए फलदार पेड़ों सहित विभिन्न प्रकार से उपयोगी पेड़ों को महत्व देते हुए पौधों की देशी प्रजातियों के रोपण को बढ़ावा दिया जाता है।

[अनुवाद]

बैंकों द्वारा आधार प्रमाणीकरण सेवा संबंधी शुल्क

1715. **श्री पिनाकी मिश्राः** क्या **वित्त मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या बैंक, आधार प्रमाणीकरण पर उनके द्वारा खर्च की गई लागत/शुल्क राशि को लोगों से वसूलने की योजना बना रहे हैं; और

(ख) यदि हां, तो लोगों द्वारा साझा किए जाने वाले प्रभार/लागत के अनुपात का ब्यौरा क्या है?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री शिव प्रताप शुक्ला): (क) बैंकों से प्राप्त सूचनानुसार, वर्तमान में आधार प्रमाणीकरण हेतु उनके द्वारा खर्च की गई कोई लागत/शुल्क राशि के लोगों से वसूलने की कोई योजना नहीं है।

(ख) प्रश्न ही नहीं उठता।

काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान का संरक्षण

1716. **श्री रामेश्वर तेली:** क्या **पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या असम में विश्व प्रसिद्ध नदी द्वीप माजुली और काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान को क्षरण और बाढ़ से संरक्षण प्रदान करने के लिए विभिन्न केन्द्र प्रायोजित योजनाओं के अंतर्गत अतिरिक्त धनराशि प्रदान की जाएगी;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं?

संस्कृति मंत्रालय के राज्य मंत्री तथा पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय में राज्य मंत्री (डॉ. महेश शर्मा): (क) से (ग) राज्य द्वारा प्रस्तुत की गई वार्षिक प्रचालन योजना (एपीओ), जोकि बाघ संरक्षण योजना (टीसीपी) संबंधी विनिर्देशों का भाग है, के आधार पर केन्द्रीय प्रायोजित स्कीम-बाघ परियोजना के अंतर्गत काजीरंगा बाघ रिजर्व को विभिन्न कार्यकलापों, जिनमें अन्य बातों के साथ-साथ, अपक्षरण का निवारण और उच्च भूमि में निर्माण के अलावा बाढ़ आने के दौरान वन्यजीवों की सुरक्षा हेतु इसका रखरखाव शामिल है, के लिए वित्तीय सहायत प्रदान की जाती है। गत 3 वित्तीय वर्षों के दौरान उक्त स्कीम के अंतर्गत काजीरंगा बाघ रिजर्व, असम को 3110.322 लाख रुपए की धनराशि जारी की गई है।

मातृत्व मृत्यु

1717. **डॉ. संजय जायसवाल:** क्या **स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) गत एक वर्ष के दौरान देश में पता लगाई गई मातृत्व मृत्यु का राज्य-वार ब्यौरा क्या है;

(ख) क्या सरकार ने उक्त मृत्यु हेतु प्राथमिक कारणों की पहचान की है और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या सरकार को जानकारी है कि मातृत्व मृत्यु के पीछे के कारणों में से रक्ताल्पता एक कारण है और यदि हां, तो इस समस्या का समाधान करने के लिए सरकार द्वारा क्या उपाय किए गए हैं; और

(घ) उक्त अवधि के दौरान मातृत्व मृत्यु दर को कम करने के लिए सरकार द्वारा राज्य/संघ राज्यक्षेत्र-वार अन्य क्या उपाय किए गए हैं?

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री अश्विनी कुमार चौबे): (क) और (ख) भारत के महापंजीयक, नमूना पंजीकरण प्रणाली (आरजीआई-एसआरएम) द्वारा जारी अद्यतन रिपोर्ट के अनुसार वर्ष 2014-16 में भारत का मातृ मृत्युदर अनुपात प्रति 100,000 जीवित जन्म पर 130 था। राज्य-वार एमएमआर का ब्यौरा अनुलग्नक में है।

अद्यतन आरजीआई-एसआरएम रिपोर्ट के अनुसार मातृ मृत्युदर (2001-2003) के पहचाने गए प्राथमिक कारण हैं – हेमरेज (38%), सेपसिस (11%), गर्भपात (8%), उच्च रक्तचाप विकार (5%) बाधित प्रसूति (5%) अन्य परिस्थितियां (इक्टोपिक गर्भवस्था, गंभीर रक्तल्पता, इम्बोलिस्म) आदि (34%)।

(ग) और (घ) स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय द्वारा पहचाने गए कारणों में से एक रक्ताल्पता है।

राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन (एनएचएम) के तहत देश में मातृ मृत्युदर के कम करने और रक्ताल्पता से निपटने के लिए निम्नवत् कदम उठाए गए हैं:–

- जननी सुरक्षा योजना और जननी शिशु सुरक्षा योजना कार्यक्रम जैसी योजनाओं के माध्यम से सुरक्षित संस्थागत प्रसव को बढ़ावा देना।
- सभी जन-स्वास्थ्य सुविधा केन्द्रों में एनेमिक पीडब्ल्यू सहित गर्भवती महिलाओं की वैश्विक जांच की जाती है। सभी गर्भवती महिलाओं को प्रसवपूर्व 180 आयरन व फोलिक एसिड (आईएफए) गोलियां और प्रसव के पश्चात् 180 आईएफए गोलियां दी जाती हैं।
- कृमि संक्रमण के कारण रक्ताल्पता से निपटने के लिए, गर्भवती महिलाओं में कृमिनाशन का कार्य गर्भावस्था की पहली तिमाही के पश्चात और प्राय: दूसरी तिमाही में किया जाता है।
- रक्ताल्पता के मामले का पता लगाने और इसका उपचार करने के लिए, चिकित्सा अधिकारियों/ओबीजीवाईएन की सहायता से प्रत्येक माह की 09 तारीख को विशेष एएनसी जांच करने के लिए हाल ही में प्रधानमंत्री सुरक्षित मातृत्व अभियान (पीएमएसएमए) शुरू किया गया है।
- जिला अस्पतालों में रक्तबैंक, उप-जिला सुविधा केन्द्रों रक्त भंडार यूनिट जैसे उप-जिला अस्पताल/समुदाय स्वास्थ्य केन्द्र में गंभीर रक्ताल्पता आदि के कारण उत्पन्न जटिलताओं से निपटने के लिए कार्य किया जा रहा है।
- विशेष रूप से गर्भवती महिलाओं और बच्चों में मलेरिया के कारण रक्ताल्पता की समस्या से निपटने के लिए प्रभावित क्षेत्रों में लांग लास्टिंग इनसेक्टीसाइड नेट (एसलएलआईएन) और इनसेक्टीसाइड ट्रीटेड बेड नेट (आईटीबीएन) वितरित की जा रही हैं।
- स्वास्थ्य प्रबंधन सूचना प्रणाली और प्रजनन व बाल स्वास्थ्य (आरसीएच) पोर्टल के माध्यम से गर्भवती महिलाओं में मातृ मृत्यु और रक्ताल्पता की निगरानी की जा रही है।
- उप-केन्द्रों व प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्रों में तथा अन्य स्वास्थ्य सुविधा केन्द्र के मौजूदा नेटवर्क के साथ-साथ ग्राम स्वास्थ्य एवं पोषण दिवसों (बीएचएनडी) के माध्यम से प्रसवपूर्व दौरों के दौरान गर्भवती महिलाओं के आहार संबंधी परामर्श दिया जाता है।
- पोस्टर, हार्डिंग, बाल-राइटिंग और श्रव्य-दृश्य, माता एवं शिशु सुरक्षा बार्ड और सुरक्षित मातृत्व पुस्तिका के रूप में सूचना, शिक्षा एवं सम्प्रेषण (आईईसी) सामग्री के माध्यम से स्वास्थ्य एवं पोषण शिक्षा।
- समुदाय द्वारा मांग सृजन और स्वास्थ्य परिचर्या सेवाओं को सुलभ बनाने के लिए 10 लाख से अधिक प्रत्यायित सामाजिक स्वास्थ्य कार्यकर्ता (आशा) कार्यरत है।
- चिकित्सा कॉलेजों सहित देश में 2100 से अधिक स्वास्थ्य सुविधा केन्द्रों में लक्ष्य एक प्रसव कक्ष गुणवत्ता सुधार कार्यक्रम कार्यान्वित किया गया है।

विवरण

मातृ मृत्यु दर: भारत और राज्यवार

(स्रोत: आरजीआई-एसआरएस एमएमआर बुलेटिन 2014-16)

राज्य	मातृ मृत्यु दर/1,00,000 जीवित जन्म
1	2
इंडिया	130
असम	237
आंध्र प्रदेश	74
बिहार/झारखंड	165
गुजरात	91
हरियाणा	101
कर्नाटक	108
केरल	46
मध्य प्रदेश/छत्तीसगढ़	173

1	2
महाराष्ट्र	61
ओडिशा	180
पंजाब	122
राजस्थान	199
तमिलनाडु	66
तेलंगाना	81
उत्तर प्रदेश/उत्तराखंड	201
पश्चिम बंगाल	101
*अन्य	97

*: अन्य समेत

कार्बन सिंक

1718. श्री अभिषेक सिंह: क्या **पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) केन्द्र सरकार द्वारा देश में कार्बन सिंक में वृद्धि करने के लिए उठाए गए कदमों और कार्यान्वित की जा रही योजनाओं का ब्यौरा क्या है;

(ख) क्या सरकार ने पेरिस जलवायु करार के अंतर्गत कार्बन सिंक को कार्बन डाइऑक्साइड की 2.5 बिलियन टन मात्रा से बढ़ाकर 3 बिलियन टन करने का वचन दिया है और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) वर्तमान में देश में कार्बन सिंक की उपलब्धता कितनी है;

(घ) क्या सरकार द्वारा उक्त लक्ष्य को प्राप्त न कर पाने की संभावना है और यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं; और

(ङ) सरकार द्वारा इस संबंध में क्या सुधारात्मक कदम उठाए गए हैं?

संस्कृति मंत्रालय के राज्य मंत्री तथा पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय में राज्य मंत्री (डॉ. महेश शर्मा): (क) और (ख) पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय (एमओईएफएण्डसीसी) के हरित भारत मिशन, राष्ट्रीय वनीकरण कार्यक्रम, प्रतिपूरक वनीकरण निधि प्रबंधन और आयोजना प्राधिकरण के तहत वनीकरण जैसे विभिन्न कार्यक्रमों और अन्य मंत्रालयों के कार्यक्रमों के अंतर्गत भी वन के साथ-साथ वनेतर क्षेत्रों में वनीकरण और पुनर्वनीकरण कार्यकलाप किए जा रहे हैं। संयुक्त राष्ट्र जलवायु परिवर्तन कार्यढांचा कन्वेंशन (यूएनएफसीसीसी) को प्रस्तुत पेरिस करार के अंतर्गत राष्ट्रीय तौर पर निर्धारित योगदान (एनडीसी) वर्ष 2021-2030 की अवधि से संबंधित हैं। एनडीसी के अंतर्गत निर्धारित लक्ष्यों में से एक लक्ष्य, वर्ष 2030 तक अतिरिक्त वन और वृक्ष आवरण संवर्धन के माध्यम से 2.5-3 बिलियन टन CO_2 समतुल्य का अतिरिक्त कार्बन सिंक सृजित करना है।

(ग) भारत वन स्थिति रिपोर्ट, 2017 के अनुसार देश के वनों में कुल 7,082 मिलियन टन कार्बन सिंक होने का अनुमान लगाया गया है।

(घ) और (ङ) उपरोक्त सभी स्कीमें और कार्यक्रम, एनडीसी लक्ष्य को प्राप्त करने में सहायक होंगे।

मानसिक स्वास्थ्य

1719. श्री प्रताप सिम्हा:
कुंवर भारतेन्दु सिंह:
श्री पिनाकी मिश्रा:

क्या **स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या वर्ष 2017 में जारी की गई विश्व स्वास्थ्य संगठन (डब्ल्यूएचओ) की रिपोर्ट "अवसाद और अन्य आम मानसिक विकार-वैश्विक स्वास्थ्य अनुमान" के अनुसार, भारत में अवसादग्रस्त विकार का अनुमानित प्रसार कुल जनसंख्या का 4.5 प्रतिशत है और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है तथा सरकार की इस पर क्या प्रतिक्रिया है;

(ख) क्या भारत में मानसिक रोगियों का उपचार करने के लिए मनोचिकित्सकों की संख्या 4000 से भी कम है और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है तथा सरकार द्वारा इस संबंध में क्या सुधारात्मक कदम उठाए गए हैं;

(ग) क्या सरकार का देश के 517 जिलों में मानसिक विकारों/रोगों का पता लगाने, प्रबंधन और उपचार करने हेतु जिला मानसिक स्वास्थ्य कार्यक्रम (डीएमएचपी) कार्यान्वित करने का विचार है और यदि हां, तो डीएमएचपी के प्रमुख अवयव कौन-से हैं;

(घ) क्या शहरी केन्द्रों में मानसिक विकृति की व्याप्ति बहुत अधिक पायी गयी है और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ङ) वर्ष 2016 में एनआईएमएचएएनएस द्वारा किए गए राष्ट्रीय मानसिक स्वास्थ्य सर्वेक्षण के मुख्य निष्कर्ष क्या है और सर्वेक्षण के अनुसार क्या सुधारात्मक कदम उठाए गए हैं?

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती अनुप्रिया पटेल): (क) वर्ष 2017 में जारी विश्व स्वास्थ्य संगठन की रिपोर्ट "अवसाद और अन्य सामान्य मानसिक विकार-वैश्विक स्वास्थ्य अनुमान" के अनुसार, भारत में अवसादी विकारों की अनुमानित व्याप्तता कुल जनसंख्या का 4.5 प्रतिशत है। तथापि, राष्ट्रीय मानसिक स्वास्थ्य और तंत्रिका विज्ञान संस्थान, बैंगलुरु द्वारा देश के 12 राज्यों में कराए गए राष्ट्रीय मानसिक स्वास्थ्य सर्वेक्षण के अनुसार, भारत में अवसादी विकारों की व्याप्तता अनुमानतः कुल जनसंख्या का 2.7 प्रतिशत है। मानसिक विकारों के बोझ को निपटाने के लिए भारत सरकार 1982 से राष्ट्रीय मानसिक स्वास्थ्य कार्यक्रम (एनएमएचएपी) का क्रियावन्यन कर रही है।

(ख) उपलब्ध सूचना के अनुसार देश में लगभग 3827 मनोचिकित्सक उपलब्ध हैं। देश में मानसिक स्वास्थ्य पेशेवरों की संख्या में वृद्धि करने के लिए, सरकार एनएमएचपी के तहत उत्कृष्टता केन्द्रों की स्थापना के लिए जनशक्ति विकास योजनाएं क्रियान्वित कर रही है और मानसिक स्वास्थ्य विशेषज्ञताओं में स्नातकोत्तर विभागों का सुदृढ़ीकरण/ अधिष्ठापन कर रही है। अभी तक, देश में 25 उत्कृष्टता केन्द्रों की स्थापना और मानसिक स्वास्थ्य विशेषज्ञताओं में 47 स्नातकोत्तर विभागों के सुदृढ़ीकरण/अधिष्ठापन के लिए सहायता प्रदान की गई है।

(ग) से (ङ) सरकार ने राष्ट्रीय मानसिक स्वास्थ्य और तंत्रिका विज्ञान संस्थान (निम्हान्स), बैंगलुरु के माध्यम से देश के 12 राज्यों में राष्ट्रीय मानसिक स्वास्थ्य सर्वेक्षण करवाया था। 26 दिसंबर, 2016 को जारी सर्वेक्षण की रिपोर्ट के अनुसार मानसिक रुग्णता की व्याप्तता ग्रामीण क्षेत्रों में 6.9 प्रतिशत और शहरी-महानगरीय क्षेत्रों में 4.3 प्रतिशत की तुलना में शहरी महानगरीय क्षेत्रों में अधिक है, जो 13.5 प्रतिशत है। इस सर्वेक्षण के प्रमुख निष्कर्ष निम्नानुसार हैं:–

- मानसिक विकारों, जिनमें सामान्य मानसिक विकार, गंभीर मानसिक विकार और 18 वर्ष से अधिक की आयु के वयस्कों में शराब और मादक पदार्थो के सेवन से संबंधित विकार (तंबाकू के सेवन से होने वाले विकारों को छोड़कर) शामिल हैं, की व्याप्तता लगभग 10.6 प्रतिशत है।
- मानसिक विकार अनेक गैर-संचारी विकारों (एनसीडी) के कारणों और परिणामों से घनिष्ठ रूप से जुड़े हैं।
- लगभग 40 व्यक्तियों में से 1 और 20 में से 1 व्यक्ति क्रमशः विगत और वर्तमान अवसाद से ग्रस्त है।
- न्यूरोसिस और तनाव संबंधी विकारों से 3.5 प्रतिशत जनसंख्या प्रभावित है और इनके महिलाओं में अधिक (पुरुषों के मुकाबले लगभग दुगुना) होने की रिपोर्ट है।
- आंकड़ों से यह इंगित होता है कि सर्वेक्षित जनसंख्या का 0.9 प्रतिशत भाग आत्महत्या के अधिक जोखिम पर है।
- बड़े अवसादी विकारों से ग्रस्त लगभग 50 प्रतिशत व्यक्तियों ने अपने दैनिक क्रियाकलाप करने में कठिनाई होने की जानकारी दी है।

मानसिक विकारों के बोझ को दूर करने के लिए भारत सरकार राष्ट्रीय मानसिक स्वास्थ्य कार्यक्रम (एनएमएचपी) के तहत देश के 517 जिलों में जिला मानसिक स्वास्थ्य कार्यक्रम का कार्यान्वियन कर रही है, जिसके निम्नलिखित उद्देश्य हैं:

(i) मानसिक स्वास्थ्य सेवाएं प्रदान करना जिनमें जिला स्वास्थ्य परिचर्या प्रदायगी प्रणाली के विभिन्न स्तरों पर रोकथाम, दीर्घावधिक सतत देखभाल को बढ़ावा देना शामिल है।

(ii) मानसिक स्वास्थ्य देखभाल के लिए अवसंरचना, उपस्कर और मानव संसाधन के संदर्भ में संस्थागत क्षमता का संवर्धन करना।

(iii) मानसिक स्वास्थ्य देखभाल सेवाओं की प्रदायगी में सामुदायिक जागरुकता और भागीदारी को बढ़ावा देना।

(iv) अन्य संबद्ध कार्यक्रमों में मानसिक स्वास्थ्य के आधार को व्यापक बनाना।

असम में वनों की कटाई

1720. **श्री रमेन डेका:** क्या **पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार को इस बात की जानकारी है कि असम में जलवायु परिवर्तन और अचानक बाढ़ का मुख्य कारण वनों की कटाई है; और

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और राज्य में इस समस्या को दूर करने और वृक्षारोपण को बढ़ावा देने के लिए क्या कदम उठाए गए हैं/उठाए जा रहे हैं?

संस्कृति मंत्रालय के राज्य मंत्री तथा पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय में राज्य मंत्री (डॉ. महेश शर्मा): (क) और (ख) भारत वन स्थिति रिपोर्ट (आईएसएफआर), 2017 के अनुसार असम के वनावरण में आईएसएफआर, 2015 से अब तक 567 वर्ग किमी. की वृद्धि हुई है। राज्य के वनावरण में और अधिक वृद्धि करने के लिए पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय (एमओईएफएण्डसीसी) का राष्ट्रीय वनीकरण कार्यक्रम (एनएपी), राज्य काम्पा और असम सरकार की असम वन और जैव-विविधता संरक्षण परियोजना (एपीएफबीसी) जैसी विभिन्न स्कीमों के अंतर्गत राज्य में वनीकरण कार्यक्रम चलाए जाते हैं।

'आशा' कार्यकर्त्ताओं के प्रमाणित आंकड़े

1721. श्री परेश रावल: क्या **स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार के पास देश में मान्यता प्राप्त सामाजिक स्वास्थ्य कार्यकर्त्ताओं (आशा) के संबंध में राष्ट्रीय मुक्त-विद्यालयी शिक्षा संस्थान द्वारा प्रमाणित कोई आंकड़े हैं;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी राज्य/संघ राज्यक्षेत्र-वार ब्यौरा क्या है; और

(ग) गुजरात में मान्यता प्राप्त सामाजिक स्वास्थ्य कार्यकर्त्ताओं (आशा) का जिले-वार ब्यौरा क्या है?

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री अश्विनी कुमार चौबे): (क) व (ख) राष्ट्रीय मुक्त विद्यालयी शिक्षा संस्थान (एनआईओएस) से प्राप्त जानकारी के अनुसार, दिनांक 31 जनवरी, 2018 को आशा प्रमाणन हेतु एक परीक्षा आयोजित की गयी है। यह परीक्षा 2256 आशाकर्मियों ने दी जिसमें से 2214 उत्तीर्ण हुए। प्रमाणित आशाकर्मियों का राज्य-वार विवरण ब्यौरा संलग्न पर दिया गया है।

(ग) गुजरात सरकार से प्राप्त जानकारी के अनुसार, राज्य के किसी भी आशाकर्मी को प्रमाणित नहीं किया गया है।

विवरण

देश में प्रमाणित आशा-कर्मियों का राज्य-वार व जिला-वार विवरण

राज्य	जिला	एनआईओएस द्वारा प्रमाणित आशा-कर्मियों की संख्या जिला-वार	एनआईओएस द्वारा प्रमाणित आशा-कर्मियों की संख्या राज्य-वार
1	2	3	4
अरुणाचल प्रदेश	पापमपरे	20	20
असम	धेमाजी	172	
	नगांव	299	471
दिल्ली	पूर्वी दिल्ली	28	
	नई दिल्ली	30	
	उत्तर दिल्ली	30	
	उत्तर पश्चिम	28	174
	शाहदरा	30	
	पश्चिम दिल्ली	28	
झारखंड	रांची	142	
	देवघर	133	
	पूर्वी सिंहभाम	117	550
	हजारीबाग	122	
	कोडरमा	36	
कर्नाटक	बेंगलुरु शहरी	58	
	बेंगलुरु ग्रामीण	76	
	धारवाड़	41	
	गडग	24	301
	मंड्या	30	
	मैसूर	21	
	गुलबर्गा	51	

1	2	3	4
महाराष्ट्र	पुणे	102	
	थाइन	73	279
	कोल्हापुर	104	
मध्य प्रदेश	जबलपुर	30	
	ग्वालियर	58	114
	इंदौर	26	
सिक्किम	पूर्वी सिक्किम	25	25
त्रिपुरा	खोवाई	280	280

बैंकों में रिक्त पद

1722. श्री राजेश कुमार दिवाकर: क्या **वित्त मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) देश में, विशेषकर उत्तर प्रदेश में, हाथरस जोन में विभिन्न राष्ट्रीकृत/सरकारी और निजी क्षेत्र के बैंकों में कार्य कर रहे कर्मचारियों की राज्य-वार कुल संख्या कितनी है और उनमें से अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति के कर्मचारियों की श्रेणी-वार संख्या कितनी है;

(ख) क्या देश में विशेषकर उत्तर प्रदेश में उक्त क्षेत्र में इन बैंकों में अ.जा./अ.ज.जा. के लिए आरक्षित पद बड़ी संख्या में रिक्त पड़े हैं और यदि हां, तो तत्संबंधी बैंक-वार ब्यौरा क्या है; और

(ग) उक्त रिक्तियों को यथाशीघ्र भरने के लिए क्या कदम उठाए गए हैं/उठाए जाने का प्रस्ताव है?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री शिव प्रताप शुक्ला): (क) सरकारी क्षेत्र के बैंकों (पीएसबी) द्वारा प्रदान की गई जानकारियों के अनुसार, कर्मचारियों की कुल संख्या तथा अनुसूचित जाति (एससी)/अनुसूचित जनजाति (एसटी) से संबंधित, कर्मचारियों की संख्या का उत्तर प्रदेश राज्य के हाथरस सहित राज्य-वार ब्यौरा विवरण-I में संलग्न है। जहां तक निजी क्षेत्र के बैंकों का संबंध है, भारतीय रिजर्व बैंक ने सूचित किया है कि दिनांक 31.03.2018 के अनंतिम आंकड़ों के अनुसार, निजी क्षेत्र के बैंकों में 421274 कर्मचारी हैं।

(ख) पीएसबी द्वारा उपलब्ध करायी गयी जानकारी के अनुसार, अनुसूचित, जाति/अनुसूचित जनजाति श्रेणी से संबंधित रिक्त पड़े पदों का बैंक-वार ब्यौरा विवरण-II में संलग्न है।

(ग) पीएसबी को भर्ती सहित मानव संसाधन नीतियों और प्रक्रियाओं में प्रबंधकीय स्वायत्तता प्राप्त है तथा वे अपनी आवश्यकता के अनुसार रिक्तियों को भरने के लिए सतत आधार पर स्टाफ की भर्ती करते हैं।

विवरण-I

उत्तर प्रदेश राज्य के हाथरस सहित कर्मचारियों और अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति कर्मचारियों की राज्य-वार संख्या (दिनांक 31.3.2018 की स्थिति के अनुसार)

क्र. सं.	राज्य/संघ राज्यक्षेत्र	कर्मचारियों की सं.	अनुसूचित जाति कर्मचारियों की सं.	अनुसूचित जनजाति कर्मचारियों की सं.
1	2	3	4	5
1.	आंध्र प्रदेश	42,828	8,328	2,704
2.	अरुणाचल प्रदेश	798	54	453
3.	असम	13,627	1,848	2,299
4.	बिहार	32,060	5,183	871
5.	छत्तीसगढ़	11,420	1,530	3,086
6.	गोवा	4,247	538	252
7.	गुजरात	45,250	7,830	5,951
8.	हरियाणा	25,811	6,591	360
9.	हिमाचल प्रदेश	8,742	2,554	831
10.	जम्मू-कश्मीर	3,704	595	831
11.	झारखंड	17,250	2,250	4,343
12.	कर्नाटक	52,779	10,238	3,680
13.	केरल	31,046	4,183	683
14.	मध्य प्रदेश	36,203	6,386	4,712

1	2	3	4	5
15.	महाराष्ट्र	1,01,215	16,583	7,578
16.	मणिपुर	973	76	396
17.	मेघालय	1,702	98	966
18.	मिजोरम	556	20	471
19.	नागालैंड	945	55	628
20.	ओडिशा	19,707	3,450	3,527
21.	पंजाब	35,429	11,344	443
22.	राजस्थान	37,196	7,455	5,160
23.	सिक्किम	590	61	222
24.	तमिलनाडु	57,966	13,619	1,665
25.	तेलंगाना	27,134	4,911	2,158
26.	त्रिपुरा	1,824	367	438
27.	उत्तराखंड	8,686	1,932	621
28.	उत्तर प्रदेश*	87,566	21,314	1,472
29.	पश्चिम बंगाल	52,161	12,235	3,142
30.	अंडमान और निकोबार द्वीपसमूह	434	47	57
31.	चंडीगढ़	5,910	1,499	139
32.	दादरा और नगर हवेली	211	32	67
33.	दमन और दीव	198	29	46
34.	दिल्ली	34,334	6,978	1,578
35.	लक्षद्वीप	66	4	49
36.	पुदुचेरी	864	188	14

स्रोत: बैंक

*आंकड़ों में हाथरस हेतु आंकड़े शामिल हैं।

विवरण-II

एससी/एसटी श्रेणी से संबंधित रिक्त पड़े पदों की बैंक-वार संख्यार (दिनांक 31.3.2018 की स्थिति के अनुसार)

क्र. सं.	बैंक	अनुसूचित जातियों से संबंधित रिक्त पड़े पदों की संख्या	अनुसूचित जनजातियों से संबंधित रिक्त पड़े पदों की संख्या
1.	इलाहाबाद बैंक	13	8
2.	आंध्रा बैंक	163	132
3.	बैंक ऑफ बड़ौदा	0	0
4.	बैंक ऑफ इंडिया	286	199
5.	बैंक ऑफ महाराष्ट्र	0	0
6.	केनरा बैंक	0	21
7.	सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया	76	61
8.	कार्पोरेशन बैंक	7	12
9.	देना बैंक	59	80
10.	आईडीबीआई बैंक लिमिटेड	0	0
11.	इंडियन बैंक	0	2
12.	इंडियन ओवरसीज बैंक	118	32
13.	ओरिएंटल बैंक ऑफ कॉमर्स	14	33
14.	पंजाब नेशनल बैंक	176	334
15.	पंजाब एंड सिंध बैंक	17	8
16.	सिंडिकेट बैंक	0	0
17.	यूको बैंक	167	152
18.	यूनियन बैंक ऑफ इंडिया	211	162
19.	युनाइटेड बैंक ऑफ इंडिया	0	0
20.	विजया बैंक	9	24
21.	भारतीय स्टेट बैंक	1,680	1,014

स्रोत: बैंक

एम्स में रिक्त पद

1723. **श्रीमती सुप्रिया सदानंद सुले:**
श्री राजीव सातव:
श्री धनंजय महाडीक:
श्री पी.आर. सुन्दरम:
डॉ. जे. जयवर्धन:
श्री बी.वी. नाईक:
श्री मोहिते पाटिल विजयसिंह शंकरराव:
डॉ. हिना विजयकुमार गावीत:

क्या **स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) देशभर में स्थापित नए एम्स में संकाय और गैर-शिक्षण स्टाफ के अनुमोदित पदों की तुलना में रिक्त पदों का एम्स-वार ब्यौरा क्या है;

(ख) छह नए एम्स में वरिष्ठ रेजिडेंट चिकित्सकों के आज की तिथि तक कितने पद भरे गए हैं;

(ग) क्या अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान में चिकित्सकों और संकाय की भारी कमी है और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इसके क्या कारण हैं;

(घ) क्या सरकार देश भर में अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान से सभी स्नातकोत्तरों को शामिल करने की योजना बना रही है और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ङ) रोगियों को गुणवत्तापूर्ण उपचार प्रदान करने के लिए चिकित्सकों की बड़ी संख्या में रिक्तियों को भरने हेतु सरकार द्वारा क्या कदम उठाए गए हैं?

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री अश्विनी कुमार चौबे): (क) से (ग) भोपाल, भुवनेश्वर, जोधपुर, पटना, रायपुर और ऋषिकेश स्थित छः नए एम्स में प्रत्येक के लिए कुल 4089 पदों को मंजूरी दी गई है। इन अस्पतालों में अतिरिक्त सेवाएं और सुविधाएं सम्मिलित किए जाने को ध्यान में रखते हुए आवश्यकता आधार पर विभिन्न पदों के लिए भर्ती की जाती है।

भोपाल, भुवनेश्वर, जोधपुर, पटना, रायपुर और ऋषिकेश स्थित छः प्रचालनरत एम्स में प्रत्येक के लिए विभिन्न फैकल्टी विषयों के लिए कुल 305 पदों का सृजन किया गया है। रिक्त फैकल्टी पदों के लिए उनकी अपेक्षा के आधार पर संबंधित संस्थानों द्वारा नियमित रूप से विज्ञापन निकाला जाता है। चूंकि चयन प्रक्रिया में उच्च मानकों का अनुपालन किया जाता है, फिर भी राष्ट्रीय महत्व के इन संस्थानों की महत्ता को ध्यान में रखते हुए विज्ञापन दिए गए सभी पदों को भरा नहीं जा सका है।

वर्ष 2015 में छः नए एम्स के लिए नॉन-फैकल्टी पदों के लिए भर्ती नियमों का गठन किया गया था तथा हाल ही में छः नए एम्स के एक संस्थान निकाय द्वारा इन नियमों को स्वीकार किया गया है। तदोपरांत छः नए एम्स में नॉन फैकल्टी पदों के लिए भर्ती प्रक्रिया शुरू कर दी गई है।

सीनियर रेजिडेंट और जूनियर रेजिडेंट के विभिन्न पदों के लिए भी संबंधित एम्स द्वारा विज्ञापन दिया जाता है और आवश्यकतानुसार उन्हें भरा जाता है।

छः नए एम्स के संबंध में स्वीकृत पदों की तुलना में फैकल्टी और नॉन फैकल्टी पदों के रिक्त पदों का संस्थान-वार ब्यौरा विवरण-I में दिया गया है।

छः नए एम्स के संबंध में सीनियर रेजिडेंट और जूनियर रेजिडेंट के रिक्त पदों की स्थिति विवरण-II में दी गई है।

जहां तक एम्स नई दिल्ली का संबंध है इस संस्थान में 686 फैकल्टी सदस्य कार्य कर रहे हैं तथा 20 सहायक प्रोफेसर विभिन्न विभागों की आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए अनुबंध आधार पर कार्य कर रहे हैं। इसके अलावा, 150 रिक्त फैकल्टी पदों को भरने के लिए प्रक्रिया शुरू की गई है तथा इन रिक्त पदों को भरने के लिए प्रयास किए जा रहे हैं।

(घ) छः नए एम्स में फैकल्टी की कमी के मुद्दे का निपटान करने के मद्देनजर यह विचार किया गया है कि औषधि के क्षेत्र में उच्चतर योग्यता वाले तथा प्रमुख संस्थानों में उत्तीर्ण होने वाले विद्यार्थियों को इन छः नए एम्स में फैकल्टी पदों पर नियुक्ति दी जा सकती है।

हालांकि इन संस्थानों में अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान के सभी स्नातकोत्तरों को आमेलित किए जाने का कोई प्रस्ताव नहीं है।

(ङ) इन रिक्तियों को शीघ्र भरने के लिए उपरोक्त छः एम्स में प्रत्येक के लिए अलग-अलग स्थायी चयन समिति (एसएससी)

का गठन किया गया है। प्रत्येक एम्स में आवधिक रूप से भर्ती का क्रम चल रहा है।

इन छ: एम्स में प्रोफेसर और एडिशनल प्रोफेसर के पदों पर सीधी भर्ती के लिए अधिकतम आयु-सीमा को वर्तमान में 50 वर्ष से बढ़ाकर 58 वर्ष कर दिया गया है। इससे विभिन्न सरकारी मेडिकल कॉलेजों में अनुभवी इच्छुक फैकल्टी उपलब्ध कराए जा सकेंगे।

सरकारी मेडिकल कॉलेजों/संस्थानों से प्रतिनियुक्ति आधार पर सेवारत फैकल्टी ग्रहण करके इन नए एम्स में रिक्त फैकल्टी पदों को भरने की भी मंजूरी दे दी गई है। छ: नए एम्स में फैकल्टी की कमी को पूरा करने के लिए सरकारी मेडिकल कॉलेजों/संस्थानों से सेवानिवृत्त फैकल्टी की अनुबंध आधार पर नियुक्ति की भी मंजूरी दी गई है। इसके अलावा, इस अंतराल को समाप्त करने हेतु एक व्यवस्था के तौर पर अनुबंध आधार पर फैकल्टी की तैनाती हेतु तात्कालिक साक्षात्कार (वॉक-इन-इंटरव्यू) को भी मंजूरी दी गई है।

रोगी परिचर्या के लिए सीनियर रेजिडेंट्स तथा जूनियर रेजिडेंट्स की सेवाओं का भी उपयोग किया जाता है।

विवरण-I

छ: नए एम्स में स्वीकृत पदों की तुलना में नॉन-फैकल्टी पदों की वर्तमान स्थिति

एम्स	स्वीकृत पद	वर्तमान में भरे पद	वर्तमान में रिक्त पद
भोपाल	3776	929 *	2847
भुवनेश्वर	3776	972	2804
जोधपुर	3776	1039	2737
पटना	3776	1080	2696
रायपुर	3776	932 #	2844
ऋषिकेश	3776	673	3103
कुल	22656	5625	17031

*दिनांक 23.07.2018 तक।

#जून, 2018 के लिए।

छ: नए एम्स में स्वीकृत पदों की तुलना में फैकल्टी पदों की वर्तमान स्थिति

एम्स	स्वीकृत पद	वर्तमान में भरे पद	वर्तमान में रिक्त पद	भर्ती कार्रवाई टिप्पणियां/प्रगति
1	2	3	4	5
भोपाल	305	135	170	विभिन्न फैकल्टी पदों के लिए भर्ती प्रक्रिया विभिन्न चरणों में प्रगति पर हैं।
भुवनेश्वर	305	180	125	3 उम्मीदवारों को कार्यभार ग्रहण करने हेतु उनका कार्य काल बढ़ाया गया है। इसके अलावा ठेकागत/प्रतिनियुक्ति आधार पर फैकल्टी के 74 पदों के लिए विज्ञापन दिए गए हैं जिनमें से 4 उम्मीदवारों का चयन किया गया है। इसके अतिरिक्त सहायक प्रोफेसर के 15 पदों के लिए दिनांक 08.07.2018 को तात्कालिक साक्षात्कार का आयोजन किया गया था जिनमें से 3 उम्मीदवारों का चयन किया गया है। नियुक्ति प्रस्ताव जारी किया जाएगा।

1	2	3	4	5
जोधपुर	305	137	168	166 रिक्त पदों के लिए साक्षात्कार पूरा कर लिया गया है। इनके परिणाम शासी निकाय के अनुमोदनार्थ लंबित है।
पटना	305	107	198	विभिन्न विभागों में 252 फैकल्टी पदों के लिए विज्ञापन दिया गया था जिनमें से केवल 86 उम्मीदवारों को पैनलबद्ध किया गया। 86 पैनलबद्ध उम्मीदवारों में से 63 उम्मीदवारों ने कार्यभार ग्रहण किया। 6 फैकल्टी ने ठेकागत आधार पर भी कार्यभार ग्रहण किया है।
रायपुर	305	110	195	204 पदों के लिए विज्ञापन निकाला गया। चौथे, पांचवें और छठे चरण के लिए अभी परिणाम घोषित किए जाने हैं। इसके साथ-साथ ठेकागत आधार पर 56 पदों के लिए विज्ञापन दिया गया तथा संबंधित संस्थान को आवेदकों के आवेदन प्राप्त हो रहे हैं। अगस्त, 2018 में साक्षात्कार किए जाने हैं।
ऋषिकेश	305	172	133	फैकल्टी के लिए भर्ती प्रक्रियो चल रही है। 35 उम्मीदवारों के कार्यभार ग्रहण करने की प्रतीक्षा है।
कुल	1830	841	989	

विवरण-II

छः नए एम्स में सीनियर रेजिडेंट के रिक्त पदों की स्थिति

एम्स	सीनियर रेजिडेंट		
	स्वीकृत	भरे गए पद	रिक्त पद
भोपाल	327	105	222
भुवनेश्वर	327	135	192
जोधपुर	327	144	183
पटना	327	160	167
रायपुर	327	95	232
ऋषिकेश	327	144	183
कुल	1962	783	1179

छः नए एम्स में जूनियर रेजिडेंट के रिक्त पदों की स्थिति

एम्स	सीनियर रेजिडेंट		
	स्वीकृत	भरे गए पद	रिक्त पद
भोपाल	301	115	186
भुवनेश्वर	301	26	275
जोधपुर	301	171	130
पटना	301	140	161
रायपुर	301	98	203
ऋषिकेश	301	234	67
कुल	1806	784	1022

लाइसोजोम स्टोरेज रोग

1724. श्रीमती मौसम नूर: क्या **स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार लोगों में पाई जाने वाली दुर्लभ आनुवांशिक बीमारी जिसे समग्र रूप में लाइसोजोम स्टोरेज रोग के रूप में चिन्हित किया गया है कि व्याप्तता के बारे में अवगत है;

(ख) यदि हां, तो अब तक पहचानी गई बीमारियों के प्रकार सहित तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या सरकार ने एक राष्ट्रीय नीति बनाई है जिसके तहत आनुवांशिक परामर्श और गर्भधरण-पूर्व तथा जन्मपूर्व-माता-पिता की स्क्रीनिंग की सिफारिश की है और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(घ) क्या सरकार का इस दुर्लभ आनुवांशिक बीमारी से पीड़ित माता-पिता के लिए बजटीय आवंटन करने का प्रस्ताव है;

(ङ) क्या सरकार का फेनिलकेटोन्यूरिया जैसे दुर्लभ आनुवांशिक रोगों जिन्हें शीघ्र पता लगाने की जरूरत है, के लिए स्क्रीनिंग को अनिवार्य बनाने का प्रस्ताव है; और

(च) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं?

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती अनुप्रिया पटेल): (क) और (ख) सरकार असामान्य लाइसोजोम स्टोरेज रोग (एलएसडी) के बारे में अवगत है। भारत में वास्तविक व्याप्तता की जानकारी नहीं है क्योंकि भारत से लाइसोजोम स्टोरेज विकार के संबंध में कोई व्यापक अध्ययन नहीं हुआ है। गॉउचर डीजीज एमपीएस-I, एमएसपी-II, एमएसपी-IV, एमएसपी-V पॉम्पस का रोग, फेब्री रोग आदि प्राथमिक रूप से एलएसडी हैं, जिनकी जानकारी भारत में मिली है।

(ग) भारत सरकार ने 'दुर्लभ बीमारियों के उपचार के लिए एक राष्ट्रीय नीति' तैयार की है जिसमें आनुवांशिकी परामर्शन शामिल है।

इसमें दुर्लभ आनुवांशिक रोगों के साथ एक बालक के गर्भाधान या जन्म को रोकने के लिए माता-पिता को विकल्प प्रदान करने के लिए एक निवारक रणनीति एक लक्षित तरीके से अथवा अन्य प्रकार से गर्भाधान-पूर्व और प्रसवपूर्ण आनुवांशिक परामर्श तथा स्क्रीनिंग प्रदान करने एवं उत्तरोत्तर रूप से इसमें बढ़ोत्तरी करने के लिए एक योजना की व्यवहार्यता का पता लगाने की परिकल्पना की गई है।

(घ) भारत सरकार द्वारा कुछ चिन्हित आनुवांशिक रोगों के लिए पहले ही बजटीय आबंटन किया जा चुका है, ताकि राज्य सरकारों को कार्यक्रम कार्यान्वयन योजनाओं के माध्यम से सहायता प्रदान की जा सके।

(ङ) और (च) जी नहीं, वर्तमान में दुर्लभ रोगों के लिए कोई राष्ट्रीय नवजात स्क्रीनिंग (एनबीएस) कार्यक्रम नहीं है। कुछ राज्य सरकारों के पास मुख्य रूप से जन्मजात हाइपोथाईरोडिज्म, जन्मजात एड्रीनल हाईपरप्लासिया और जी 6 पीडी डेफिशियंसी के लिए नवजात स्क्रीनिंग (एनबीएस) हेतु राज्य स्तरीय कार्यक्रम हैं। फेनिलकेटोन्यूरिया को केरल राज्य के एनबीएस प्रोग्राम में शामिल किया गया है।

मेटाबॉलिज्म की सभी जन्मजात गलतियों की स्क्रीनिंग नहीं की जा रही है। राष्ट्रीय बाल स्वास्थ्य कार्यक्रम के तहत जन्मजात हाइपोथाईरोडिज्म की स्क्रीनिंग का भी प्रस्ताव किया गया है।

[हिन्दी]

आयुष के उपयोग

1725. श्री अरविंद सावंत: क्या **आयुर्वेद, योग और प्राकृतिक चिकित्सा, यूनानी, सिद्ध और होम्योपैथी (आयुष) मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार द्वारा देश में गत कुछ वर्षों से आयुष को लोकप्रिय बनाने के लिए किए जा रहे प्रयासों के बावजूद भी ग्रामीण और शहरी क्षेत्रों में लोगों का रुझान एलोपैथी उपचार की ओर है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा और इसके कारण क्या हैं;

(ग) क्या ग्रामीण पुरुषों की तुलना में शहरी पुरुष 'आयुष' पद्धति के उपचार का अधिक उपयोग करते हैं, वहीं दूसरी ओर ग्रामीण महिलाओं की तुलना में शहरी महिलाएं 'आयुष' उपचार का कम उपयोग करती हैं; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और सरकार द्वारा इस संबंध में क्या कार्रवाई की गई है?

आयुर्वेद, योग और प्राकृतिक चिकित्सा, यूनानी, सिद्ध और होम्योपैथी (आयुष) मंत्रालय के राज्यमंत्री (श्री श्रीपाद येसो नाईक): (क) और (ख) भारत में जनवरी-जून 2014 के दौरान आयोजित स्वास्थ्य संबंधी सामाजिक उपभोग पर एनएसएसओ के 71वें दौर के प्रमुख सूचकों के अनुसार ग्रामीण और शहरी क्षेत्र दोनों में ऐलोपैथी उपचार के प्रति अधिक झुकाव, जो लगभग 90 प्रतिशत है और आयुष (आयुर्वेद, योग और प्राकृतिक चिकित्सा, यूनानी, सिद्ध और होम्योपैथी) सहित 'अन्य' के प्रति केवल 5 से 7 प्रतिशत का उपयोग देखा गया है। इसके अतिरिक्त ऐलोपैथी से अथवा भारतीय चिकित्सा पद्धतियों द्वारा उपचार कराना लोगों की अपनी पसंद है।

(ग) इस सर्वेक्षण में यह देखा गया है कि ग्रामीण पुरुषों की तुलना में शहरी पुरुषों द्वारा ऐसे 'अन्य' उपचारों का अधिक प्रयोग (1.5% प्वाइंट) किया जा रहा है जबकि ग्रामीण महिलाओं की तुलना में शहरी महिलाओं द्वारा इसका कम प्रयोग (0.8% प्वाइंट) किया जा रहा है। इसके अतिरिक्त, शहरों की तुलना में ग्रामीण क्षेत्र में (पुरुषों और महिलाओं दोनों के लिए) उपचार न कराने की अवधि अधिक है।

(घ) भारत सरकार ने राष्ट्रीय आयुष मिशन की एकीकृत केन्द्रीय प्रायोजित स्कीम आरंभ की है जिसमें राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों में आयुष सेवाओं तक बेहतर पहुंच; आयुष शैक्षणिक संस्थाओं के सुदृढ़ीकरण, आयुर्वेद, सिद्ध और यूनानी तथा होम्योपैथी (एएसयू एवं एच) औषधों के गुणवत्ता नियंत्रणे के प्रवर्तन को सुविधाजनक बनाने और एएसयू एवं एच कच्ची सामग्री की सतत उपलब्धता की परिकल्पना की गई है। इसके अतिरिक्त इस मंत्रालय ने विभिन्न मीडिया चैनलों और आयुष चिकित्सा पद्धतियों पर आरोग्य मेलों, सम्मेलनों, संगोष्ठियों के आयोजन जैसे अन्य प्रचार प्रसार कार्यकलापों के माध्यम से सामान्य रोगों के उपचार के लिए आयुष चिकित्सा पद्धतियों के संवर्धन और प्रचार के लिए अंतर्राष्ट्रीय शिक्षा और संचार स्कीम के अंतर्गत विभिन्न पहलें की हैं।

[अनुवाद]

राजकोषीय घाटा

1726. डॉ. थोकचोम मेन्या:
श्री अशोक महादेवराव नेते:
श्रीमती पूनमबेन माडम:

क्या **वित्त मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) आज की तारीख के अनुसार और गत तीन वर्षों के दौरान राजकोषीय घाटे का ब्यौरा क्या है और राजकोषीय घाटे में लगातार वृद्धि होने के क्या कारण हैं;

(ख) क्या बजट में भारत वर्ष 2018-19 में राजकोषीय घाटे को जीडीपी के 3.3 प्रतिशत के नीचे बनाए रखने अथवा सीमित रखने में सक्षम होगा और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और वर्ष के अंत तक माल एवं सेवा कर से कितना राजस्व संगृहीत किए जाने की संभावना है;

(ग) क्या हाल ही में घोषित न्यूनतम समर्थन मूल्य के कारण वर्तमान वर्ष का राजकोषीय घाटा समरूप बना रहेगा और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(घ) क्या सरकार को उक्त अवधि के दौरान राजकोषीय घाटा और वर्तमान संकट को कम करने के संबंध में अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष और अन्य अंतर्राष्ट्रीय वित्तीय संस्थाओं से निदेश प्राप्त हुए हैं और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ङ) राजकोषीय घाटा कम करने/इसे भरने के लिए सरकार द्वारा क्या कदम उठाए गए हैं और आकस्मिक योजना बनाई गई है?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा पोत परिवहन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री पोन राधाकृष्णन): (क) विगत तीन वर्षों के दौरान राजकोषीय घाटे का ब्यौरा नीचे सारणी में दिया गया है। यह ध्यातव्य है कि वर्ष 2017-18 के आंकड़े अनंतिम/लेखापरीक्षा रहित हैं।

वित्तीय वर्ष	राजस्व घाटा (करोड़ रुपये)	राजस्व घाटा जीडीपी के प्रतिशत के अनुसार
2015-16	532783	3.9 प्रतिशत
2016-17	53799	3.5 प्रतिशत
2017-18 (अनं.)	591663	3.5 प्रतिशत

31 मई, 2018 से वर्ष 2018-19 के लिए राजकोषीय घाटा 345493 करोड़ रुपये था।

एफआरबीएम अधिनियम के अनुसार, सरकार के लक्ष्य जीडीपी के प्रतिशत के रूप में परिभाषित किए गए हैं। राजकोषीय घाटा 2015-16 के 3.9 प्रतिशत की तुलना में कम होकर 2016-17 में 3.5 प्रतिशत हो गया और 2017-18 में इसी स्तर पर बना रहा।

(ख) और (ग) वर्ष 2018-19 के अंत में राजकोषीय घाटे के बजटीय आंकड़े 624276 करोड़ रुपये थे जो जीडीपी का 3.3 प्रतिशत होता है। बजट में निर्धारित राजकोषीय लक्ष्यों का अनुपालन सुनिश्चित करने के लिए भारत सरकार के सभी मंत्रालयों/विभागों सहित राजस्व और व्यय का मूल्यांकन किया जाता है। एफआरबीएम अधिनियम, 2003 की धारा 7(1) के अंतर्गत वित्त मंत्रालय के प्रभारी मंत्री द्वारा बजट से संबंधित प्राप्तियों तथा व्यय के रुझानों की अर्द्ध-वार्षिक समीक्षा की जाती है और ऐसी समीक्षाओं के परिणाम को संसद के दोनों सदनों में प्रस्तुत किया जाता है। बजट अनुमान 2018-19 के अनुसार, केन्द्रीय सरकार की जीएसटी प्राप्तियां, 743900 करोड़ अनुमानित की गई है।

(घ) जी नहीं। अंतरराष्ट्रीय मुद्रा कोष द्वारा अप्रैल 2018 में जारी वर्ल्ड इकोनोमिक आउटलुक, 2018 में यह सुझाव दिया गया है कि भारत को राजकोषीय नीतिगत विश्वसनीयता बनाए रखने के लिए मध्यावधि में राजकोषीय समेकन को जारी रखना चाहिए। सरकार द्वारा बजट 2018-19 के साथ प्रस्तुत एफआरबीएम से संबंधित विवरणों में उपर्युक्त प्रतिबद्धता प्रतिबिंबित होती है।

(ङ) सरकार द्वारा बजट 2018-19 के साथ प्रस्तुत राजकोषीय नीति विवरण और मध्यावधि राजकोषीय नीति विवरण में राजकोषीय घाटा लक्ष्यों को कम करने के लिए भारत सरकार द्वारा अपनाई गई विस्तृत रूपरेखा समाहित है।

बाल उत्पीड़न के संबंध में एनसीपीसीआर को अभ्यावेदन

1727. कुमारी सुष्मिता देव:
श्री ज्योतिरादित्य माधवराव सिंधिया:

क्या **महिला और बाल विकास मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या राष्ट्रीय बाल अधिकार संरक्षण आयोग (एनसीपीसीआर) को विभिन्न राज्यों/संघ राज्यक्षेत्रों से विभिन्न प्रकार के बाल उत्पीड़न के बारे में अभ्यावेदन प्राप्त हुए हैं;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इस संबंध में एनसीपीसीआर द्वारा क्या कार्रवाई की गई है;

(ग) क्या सरकार ने विभिन्न प्रकार के बाल उत्पीड़न से निपटने के लिए विभिन्न राज्यों/संघ राज्यक्षेत्रों में नोडल अधिकारी नियुक्त किए हैं; और

(घ) यदि हां, तो उक्त नोडल अधिकारी उक्त अपराधों पर अंकुश लगाने और रोकने में किस हद तक सफल रहे हैं?

महिला और बाल विकास मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा अल्पसंख्यक कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (डॉ. वीरेन्द्र कुमार): (क) और (ख) राष्ट्रीय बालक अधिकार संरक्षण आयोग (एनसीपीसीआर) ने पिछले 3 वर्षों तथा वर्तमान वर्ष के दौरान (30 जून 2018 तक) बच्चों पर विभिन्न प्रकार के दुरुपयोग के बारे में 5951 शिकायतें प्राप्त की है। राज्य/संघ राज्य क्षेत्रवार ब्यौरा संलग्न विवरण-I में दिया गया है। समुचित जांच के बाद इस प्रकार प्राप्त शिकायतें अन्वेषण एवं रिपोर्ट के लिए संबंधित प्राधिकारियों को भेजी जाती हैं। प्राप्त कुल कार्रवाई रिपोर्ट (एटीएन) का विश्लेषण किया जाता है और तदनुसार आगे की कार्रवाई की जाती है।

(ग) एनसीपीसीआर को यौन अपराधों से बालकों का संरक्षण अधिनियम, 2012 और किशोर न्याय (बालकों की देखरेख एवं संरक्षण) अधिनियम, 2015 के कार्यान्वयन की निगरानी करने की जिम्मेदारी सौंपी गई है। इसने सभी राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों से एनसीपीसीआर के निर्धारित निगरानी फार्मेट में सांख्यिकीय सूचना एकत्र करने हेतु नोडल अधिकारी के रूप में वरिष्ठ स्तर के अधिकारियों को नामित करने के लिए अनुरोध किया था ताकि आयोग अपने उद्देश्य को प्राप्त कर सके। नोडल अधिकारियों से एनसीपीसीआर को मासिक रिपोर्ट भेजने का अनुरोध किया गया है।

(घ) नोडल अधिकारी केवल सांख्यिकीय आंकड़े प्रदान करते हैं। ऐसे अपराध की जांच-पड़ताल करने एवं रोकने की जिम्मेदारी राज्य सरकारों की है।

विवरण

पिछले तीन वर्षों तथा चालू वर्ष 2018-19 (30 जून, 2018 तक) के दौरान एनसीपीसीआर में विभिन्न प्रकार के बाल शोषणों से संबंधित प्राप्त शिकायतों का राज्य/संघ राज्य क्षेत्र-वार ब्यौरा

क्र. सं.	राज्य/संघ राज्य क्षेत्र	2015-16			2016-17			2017-18			2017-18		
		बच्चों के साथ यौन अपराध पर प्राप्त शिकायतें (पोक्सो अधिनियम)	बच्चों के साथ यौन अपराध के अलावा प्राप्त शिकायतें	कुल	बच्चों के साथ यौन अपराध पर प्राप्त शिकायतें (पोक्सो अधिनियम)	बच्चों के साथ यौन अपराध के अलावा प्राप्त शिकायतें	कुल	बच्चों के साथ यौन अपराध पर प्राप्त शिकायतें (पोक्सो अधिनियम)	बच्चों के साथ यौन अपराध के अलावा प्राप्त शिकायतें	कुल	बच्चों के साथ यौन अपराध पर प्राप्त शिकायतें (पोक्सो अधिनियम)	बच्चों के साथ यौन अपराध के अलावा प्राप्त शिकायतें	कुल
1.	अंडमान और निकोबार द्वीपसमूह	0	0	0	0	1	1	1	3	4	0	2	2
2.	आंध्र प्रदेश	1	16	17	6	19	25	2	38	40	0	12	12
3.	अरुणाचल प्रदेश	0	1	1	0	0	0	1	4	5	0	0	0
4.	असम	2	3	5	4	14	18	3	30	35	2	8	10
5.	बिहार	6	19	25	19	45	64	14	59	73	13	58	71
6.	चंडीगढ़	0	0	0	1	8	9	1	11	12	1	2	3
7.	छत्तीसगढ़	2	9	11	17	36	53	3	44	47	3	12	15
8.	दादरा और नगर हवेली	0	0	0	0	0	0	0	1	1	0	0	0
9.	दमन और दीव	0	0	0	0	1	1	0	0	0	0	0	0
10.	दिल्ली	16	50	66	73	218	291	48	218	266	12	99	111
11.	गोवा	0	0	0	1	5	6	0	1	1		1	1
12.	गुजरात	1	6	7	5	26	31	1	34	35	3	32	35
13.	हरियाणा	20	20	40	42	101	143	37	115	152	11	36	47
14.	हिमाचल प्रदेश	0	2	2	2	5	7	1	12	18	0	8	8

15. झारखंड	2	23	25	9	46	55	7	48	55	2	31	33
16. कर्नाटक	8	4	12	3	33	36	6	71	77	2	22	24
17. केरल	1	3	4	4	47	51	4	48	52	0	14	14
18. लक्षद्वीप	0	0	0	1	0	1	0	2	2	0	0	0
19. मध्य प्रदेश	3	32	35	25	115	140	21	181	202	8	46	54
20. महाराष्ट्र	3	19	22	22	83	105	13	116	129	2	43	45
21. मणिपुर	2	0	2	0	7	7	0	4	4	0	1	1
22. मेघालय	0	2	2	2	4	6	1	4	5	0	0	0
23. मिजोरम	0	0	0	0	2	2	0	0	0	0	1	1
24. नागालैंड	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
25. ओडिशा	2	6	8	6	55	61	10	65	75	6	29	35
26. पुदुचेरी	2	0	2	2	5	7	0	0	0	0	1	1
27. पंजाब	2	12	14	5	38	43	19	51	70	1	24	25
28. राजस्थान	5	23	28	23	81	104	21	91	112	17	17	34
29. सिक्किम	0	0	0	0	0	0	2	1	3	0	1	1
30. तमिलनाडु	3	15	18	4	79	83	7	89	96	2	29	31
31. तेलंगाना	1	16	17	11	36	47	1	35	36	4	9	13
32. त्रिपुरा	1	0	1	1	0	1	0	7	7	0	1	1
33. उत्तर प्रदेश	77	190	267	131	406	537	99	424	523	65	162	227
34. उत्तराखंड	0	0	0	4	22	26	5	26	31	2	4	6
35. पश्चिम बंगाल	6	9	15	11	57	68	10	84	94	7	30	37
जम्मू और कश्मीर सहित अन्य	0	2	2	0	19	19	0	83	83	1	18	19
कुल	166	482	648	434	1614	2048	338	2000	2338	164	753	917

[हिन्दी]

डॉक्टरों की कमी

1728. **श्रीमती रीती पाठक:**
श्री आर. ध्रुवनारायण:
श्री राजू शेट्टी:
श्री जनक राम:
श्रीमती के. मरगथम:
श्री चन्द्रकांत खैरे:

क्या **स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) देश में विशेषकर ग्रामीण और सुदूर क्षेत्रों में डॉक्टरों की आवश्यकता और उपलब्धता का राज्य/संघ राज्यक्षेत्र-वार ब्यौरा क्या है और विद्यमान डॉक्टरों/रोगी अनुपात किनता है;

(ख) क्या देश में विशेषकर ग्रामीण और सुदूर क्षेत्रों में विशेषज्ञ डॉक्टरों सहित डॉक्टरों की अत्यधिक कमी है और यदि हां, तो तत्संबंधी राज्य/संघ राज्यक्षेत्र-वार ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या सरकार ने ग्रामीण क्षेत्रों में डॉक्टरों की तैनाती के संबंध में कोई निर्देश जारी किए हैं और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(घ) क्या यह सच है कि ग्रामीण स्वास्थ्य संबंधी वर्ष, 2017 के आंकड़ों के अनुसार डॉक्टरों के 25650 स्वीकृत पदों में से 3027 पद रिक्त पड़े हैं और यदि हां, तो इस पर सरकार की क्या प्रतिक्रिया है; और

(ङ) सरकार द्वारा देश में उक्त स्थिति से निपटने और डॉक्टर-रोगी अनुपात में सुधार करने के लिए क्या सुधारात्मक उपाय किए गए हैं?

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री अश्विनी कुमार चौबे): (क) और (ख) ग्रामीण स्वास्थ्य सांख्यिकी (आरएचएस) 2017 के अनुसार, विभिन्न जन स्वास्थ्य, केन्द्रों में डॉक्टरों तथा विशेषज्ञों की राज्य/संघ राज्य वार स्थिति एवं उनकी कमी का ब्यौरा क्रमश: संलग्न विवरण-I और II में दिया गया है।

भारतीय चिकित्सा परिषद के अनुसार 31 दिसंबर, 2017 तक राज्य चिकित्सा परिषदों/भारतीय चिकित्सा परिषद में कुल 1062398 एलोपैथिक डॉक्टर पंजीकृत हैं। यदि हम इनकी 80 प्रतिशत उपलब्धता माने, तो अनुमान है कि सक्रिय सेवा के लिए लगभग 8.50 लाख डाक्टर वास्तव में उपलब्ध हो सकते हैं। 1.33 बिलियन के वर्तमान जनसंख्या अनुमान के अनुसार यह संख्या डाक्टर-जनसंख्या के अनुपात को 1:1565 के रूप में दर्शाता है।

(ग) जन स्वास्थ्य एवं अस्पताल राज्य का एक विषय है इसलिए जन स्वास्थ्य केन्द्रों में डाक्टरों की तैनाती सुनिश्चित करने की जिम्मेदारी राज्य सरकारों की है। तथापि, राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों द्वारा उनकी कार्यक्रम कार्यान्वियन योजनाओं में दी गई आवश्यकताओं के आधार पर डाक्टरों को अनुबंध आधार पर भर्ती करने सहित उनकी स्वास्थ्य परिचर्या को सुदृढ़ करने के लिए उन्हें राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन (एनएचएम) के अंतर्गत सहायता दी जाती है।

राज्यों को, तैनाती एवं स्थानांतरण की पारदर्शी नीतियां रखने, और डॉक्टरों की उपयुक्त तैनाती सुनिश्चित करने की भी सलाह दी जाती है। चूंकि स्वास्थ्य केन्द्रों के लिए अपेक्षित पद संबंधित राज्यों/संघ राज्य सरकारों द्वारा भरे जाते हैं, इसलिए रिक्त पदों को भरने के लिए समय-समय पर उन पर दबाव डाला जाता है।

इसके अतिरिक्त डॉक्टरों को दूरवर्ती और दुर्गम क्षेत्रों में कार्य करने हेतु प्रोत्साहित करने के लिए, भारतीय चिकित्सा परिषद ने केन्द्र सरकार के विगत अनुमोदन से निम्नलिखित प्रदान करने के लिए स्नातकोत्तर चिकित्सा शिक्षा विनियमावली, 2000 में संशोधन किया है:

(i) सरकारी सेवा में कार्यरत ऐसे चिकित्सा अधिकारियों के लिए स्नातकोत्तर डिप्लोमा पाठ्यक्रमों में 50 प्रतिशत आरक्षण, जिन्होंने दूरवर्ती और दुर्गम क्षेत्रों में न्यूनतम 3 वर्ष सेवा की है।

(ii) दूरवर्ती अथवा दुर्गम क्षेत्रों में सेवा के लिए प्रत्येक वर्ष में प्राप्त अंकों के 10 प्रतिशत की दर पर प्रोत्साहन जो स्नातकोत्तर चिकित्सा पाठ्यक्रमों में प्रवेश के लिए प्रवेश परीक्षा में प्राप्त कुल अंकों के अधिकतम 30 प्रतिशत तक होगा।

(घ) आरएचएस-2017 के अनुसार प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्रों में डॉक्टरों के 33698 पद हैं जिनमें से 8826 पद रिक्त हैं। जैसा कि ऊपर उल्लेख किया गया है जन स्वास्थ्य एवं अस्पताल राज्य का विषय है। जन स्वास्थ्य क्षेत्र में डॉक्टरों की कमी राज्यों की नीतियों एवं संदर्भो के आधार पर एक राज्य से दूसरे राज्य में भिन्न-भिन्न होती है।

(ङ) देश में डॉक्टरों की संख्या बढ़ाने के लिए सरकार ने विभिन्न कदम उठाये हैं। इनमें निम्नलिखित शामिल हैं:–

(i) देशभर में चिकित्सा कॉलेजों में सभी एमडी/एमएस विषयों के लिए छात्रों की तुलना में अध्यापकों का अनुपात 1:1 से बढ़ाकर 1:2 और संवेदनाहरण, न्यायिक औषधी, रेडियोथेरेपी, चिकित्सा ओंकोलॉजी, सर्जिकल ओंकोलॉजी और मनश्चिकित्सा विज्ञान के क्षेत्र में 1:1 से बढ़ाकर 1.3 कर दी गई है। इसके अतिरिक्त सार्वजनिक निधि सहायता प्राप्त सरकारी चिकित्सा कॉलेजों में अध्यापक : छात्र सभी नैदानिक विषयों में 1:2 से 1:3 और यदि एसोसिएट प्रोफेसर कोई यूनिट अध्यक्ष है तो 1:1 से बढ़ाकर 1:2 कर दिया गया है। यह सुविधा इस शर्त के साथ निजी चिकित्सा कॉलेजों पर भी विस्तृत की गई है कि वह कॉलेज 15 वर्ष की प्रतिष्ठा वाला हो, 10 वर्षों से स्नाकोत्तर पाठ्यक्रम चला रहा हो, और कम से कम एक निरंतर मान्यताप्राप्त मूल्यांकन सफलतापूर्वक पूरा किया हो और आईएमसी अधिनियम, (1956 की धारा 10 क के अंतर्गत सीटों की वृद्धि के लिए आवेदन करें। इससे देश में स्नातकोत्तर सीटों की संख्या में वृद्धि होगी।

(ii) संकाय की कमी को पूरा करने के लिए डीएनबी की योग्यता को संकाय के रूप में नियुक्ति के रूप में मान्यता दी गई है।

(iii) एमबीबीएस स्तर पर अधिकतम भर्ती क्षमता को 150 से बढ़ाकर 250 करना।

(iv) संकाय, स्टाफ, बिस्तर, बिस्तरों की संख्या और अन्य अवसंरचना की आवश्यकता के संबंध में चिकित्सा कॉलेजों की स्थापना करने के मानदंडों में छूट।

(v) भारतीय संविधान के अनुच्छेद 243 पी (सी) के अंतर्गत यथा अधिसूचित महानगरों में चिकित्सा कॉलेजो की स्थापना हेतु भूमि की आवश्यकता समाप्त कर दी गई है।

(vi) नये स्नातकोत्तर पाठ्यक्रम प्रारंभ करने/स्नातकोत्तर सीटें बढ़ाने के लिए राज्य सरकारी चिकित्सा कॉलेजों को सुदृढ़/उन्नत करना।

(vii) देश में वरीयता अल्पसेवित जिलों में जिले/रेफरल अस्पतालों को उन्नत करके नये चिकित्सा कॉलेजों की स्थापना करना।

(viii) एमबीबीएस सीटें बढ़ाने के लिए वर्तमान राज्य सरकारी/केन्द्र सरकारी चिकित्सा कॉलेजों को सुदृढ़/उन्नत करना।

(ix) चिकित्सा कॉलेजों में अध्यापकों/डीन/प्रिंसिपल/निदेशक के पदों पर नियुक्ति विस्तार/पुन: रोजगार के लिए आयु सीमा 65 वर्ष से बढ़ाकर 70 वर्ष करना।

विवरण-I

प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्रों में डॉक्टरों की स्थिति

क्र. सं.	राज्य/केन्द्र शासित क्षेत्र	(31 मार्च, 2017 की स्थिति के अनुसार)				
		अपेक्षित [आर]	स्वीकृत [एस]	पद स्थापित [पी]	रिक्त [एस-पी]	कमी [आर-पी]
1	2	3	4	5	6	7
1.	आंध्र प्रदेश	1147	1952	1644	308	*
2.	अरुणाचल प्रदेश	143	एनए	122	एन	21
3.	असम	1014	एनए	1048	एनए	*
4.	बिहार #	1899	2078	1786	292	113

1	2	3	4	5	6	7
5.	छत्तीसगढ़	785	798	341	457	444
6.	गोवा	24	48	56	*	*
7.	गुजरात	1392	1769	1229	540	163
8.	हरियाणा	366	687	429	258	*
9.	हिमाचल प्रदेश	538	636	492	144	46
10.	जम्मू और कश्मीर	637	1347	704	643	*
11.	झारखंड	297	569	331	238	*
12.	कर्नाटक	2359	2359	2136	223	223
13.	केरल	849	1120	1169	*	*
14.	मध्य प्रदेश	1171	1771	654	817	217
15.	महाराष्ट्र	1814	3009	2929	80	*
16.	मणिपुर	85	238	194	44	*
17.	मेघालय ##	109	128	112	16	*
18.	मिजोरम ###	57	152	56	96	1
19.	नागालैंड	126	108	122	*	4
20.	ओडिशा	1280	1285	940	345	340
21.	पंजाब	432	593	568	25	*
22.	राजस्थान	2079	2664	2382	282	*
23.	सिक्किम	24	एनए	30	एनए	*
24.	तमिलनाडु	1362	2927	2759	168	*
25.	तेलंगाना	689	1318	966	352	*
26.	त्रिपुरा	93	0	156	*	*
27.	उत्तराखंड	257	386	215	171	42
28.	उत्तर प्रदेश	3621	4509	2209	2300	1412
29.	पश्चिम बंगाल	914	1390	918	472	*
30.	अंडमान और निकोबार द्वीपसमूह	22	42	34	8	*

1	2	3	4	5	6	7
31.	चंडीगढ़	3	0	3	*	0
32.	दादरा और नगर हवेली	9	15	8	7	1
33.	दमन और दीव	4	3	7	*	*
34.	दिल्ली	5	21	21	0	*
35.	लक्षद्वीप	4	8	8	0	*
36.	पुदुचेरी	40	38	46	*	*
	कुल	25650	33968	27124	8286	3027

टिप्पणियां: #वर्ष 2011 के लिए स्वीकृत आंकड़े प्रयुक्त किए गए।

##वर्ष 2015 के लिए स्वीकृत आंकड़े प्रस्तुत किए गए।

###वर्ष 2013-14 के लिए स्वीकृत आंकड़े प्रयुक्त किए गए।

एनए: उपलब्ध नहीं+: एलोपैथिक डॉक्टर

रिक्तियों एवं कमियों के अखिल भारतीय आंकड़े सभी राज्यों में रिक्तियां और कमी के आंकड़ों का योग है। राज्यों/संघ शासित प्रदेशों में अधिशेष की अनदेखी की गई है।

*अधिशेष[1] एक प्रति प्राथमिक स्वास्थ्य

केन्द्र रिक्तियों के समय प्रतिशत की गणना के लिए राज्य/संघ शासित प्रदेशों जिनके लिए कार्मिक शक्ति की स्थिति उपलब्ध नहीं है, को बाहर रखा गया है।

विवरण-II

सीएचसी में कुल विशेषज्ञ

कुल विशेषज्ञ [सर्जन, प्रसूति एवं स्त्री रोग विशेषज्ञ, चिकित्सक तथा बाल चिकित्सक]

क्र. सं.	राज्य/केन्द्र शासित क्षेत्र	(31 मार्च, 2017 की स्थिति के अनुसार)				
		अपेक्षित[1] [आर]	स्वीकृत [एस]	तैनत [पी]	रिक्त [एसपी]	कमी [आरपी]
1	2	3	4	5	6	7
1.	आंध्र प्रदेश	772	533	348	185	424
2.	अरुणाचल प्रदेश	252	उपलब्ध नहीं	4	उपलब्ध नहीं	248
3.	असम	632	उपलब्ध नहीं	139	उपलब्ध नहीं	493
4.	बिहार	600	उपलब्ध नहीं	82	उपलब्ध नहीं	518
5.	छत्तीसगढ़	676	320	59	561	617
6.	गोवा	16	5	4	1	12

1	2	3	4	5	6	7
7.	गुजरात	1452	611	92	519	1360
8.	हरियाणा	448	74	16	58	432
9.	हिमाचल प्रदेश	356	उपलब्ध नहीं	12	उपलब्ध नहीं	344
10.	जम्मू और कश्मीर	336	344	191	153	145
11.	झारखंड	752	424	75	349	677
12.	कर्नाटक	824	824	498	326	326
13.	केरल	928	30	40	*	888
14.	मध्य प्रदेश	1236	1236	180	1056	1056
15.	महाराष्ट्र	1440	823	508	315	832
16.	मणिपुर	68	4	3	1	55
17.	मेघालय	108	3	13	*	95
18.	मिजोरम	36	33	0	33	36
19.	नागालैंड	84	उपलब्ध नहीं	8	उपलब्ध नहीं	76
20.	ओडिशा	1480	884	318	566	1162
21.	पंजाब	604	593	203	390	401
22.	राजस्थान	2316	1593	497	1096	1819
23.	सिक्किम	8	उपलब्ध नहीं	1	उपलब्ध नहीं	7
24.	तमिलनाडु	1540	उपलब्ध नहीं	78	उपलब्ध नहीं	1462
25.	तेलंगाना	456	284	125	159	331
26.	त्रिपुरा	84	0	0	0	84
27.	उत्तराखंड	240	200	41	159	199
28.	उत्तर प्रदेश	3288	2099	484	1615	2804
29.	पश्चिम बंगाल	1396	669	117	552	1279
30.	अंडमान और निकोबार द्वीपसमूह	16	9	0	9	16
31.	चंडीगढ़	8	9	15	*	*
32.	दादरा और नगर हवेली	8	0	0	0	8

1	2	3	4	5	6	7
33.	दमन और दीव	8	2	0	2	8
34.	दिल्ली	0	0	0	0	0
35.	लक्षद्वीप	12	0	0	0	12
36.	पुदुचेरी	16	4	5	*	11
	अखिल भारत/कुल	22496	11910	4156	8105	18347

टिप्पणियां: एनए: उपलब्ध नहीं।

[1]प्रति समुदाय स्वास्थ्य केन्द्र-चार

रिक्तियों तथा कमी के अखिल भारतीय आंकड़े राज्य-वार रिक्तियों तथा कमी की कुल संख्या के आंकड़े हैं, जिनमें कुछ राज्य/संघ शासित प्रदेश में अधिशेष की अनदेखी की गई है।

अधिशेष

[2]रिक्ति तथा कमी की समग्र प्रतिशतता की गणना करने हेतु, राज्यों/संघ शासित प्रदेशों, जिनके कार्मिक शक्ति की स्थिति उपलब्ध नहीं है, को निकाल दिया गया है।

[अनुवाद]

शैल कंपनियों की निगरानी

1729. श्री हरि ओम पाण्डेय:
श्री संतोष कुमार:

क्या **कारपोरेट कार्य मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार के पास शैल कंपनियों और उनको चलाने वाले ऐसे व्यक्तियों, जिन्हें एक बार दण्ड दिए जाने के बाद भी जो अभी नए नामों से सक्रिय हैं, की निगरानी हेतु कोई तंत्र है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और दिल्ली में इन शैल कंपनियों की निगरानी हेतु कौन-कौन सी नोडल एजेंसियां तथा अधिकारी कार्य कर रहे हैं;

(ग) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं; और

(घ) विशेषकर उत्तर प्रदेश में इस संबंध में उन कंपनियों का ब्यौरा क्या है जिनकी जांच की गई लेकिन वे दोषी नहीं पाई गई?

विधि और न्याय मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा कारपोरेट कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री पी.पी. चौधरी): (क) 'शैल कंपनी' शब्द कंपनी अधिनियम, 2013 (अधिनियम) में परिभाषित नहीं किया गया है। तथापि, लगातार दो या अधिक वर्ष के लिए वित्तीय विवरणों की फाइलिंग न करने के आधार पर, 2.97 लाख कंपनियों की पहचान की गई थी और अधिनियम की धारा 248 के तहत किए गए प्रावधान के अनुसार कानून की उचित प्रक्रिया का अनुपालन करते हुए वर्ष 2017-18 के दौरान 226166 कंपनियों के नाम काटे गए।

इसके अतिरिक्त, सरकार ने तुरंत पूर्ववर्ती 3 (तीन) वित्तीय वर्षों (2013-14, 2014-15 और 2015-16) की लगातार अवधि के लिए वित्तीय विवरणों या वार्षिक विवरणियों की गैर-फाइलिंग हेतु कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 167(1) के साथ पठित धारा 164(2)(क) के तहत 309619 निदेशकों/संप्रवर्तकों की अयोग्य के रूप में पहचान की। उपर्युक्त अयोग्य निदेशकों में से, 20,10,116 अयोग्य निदेशक उपर्युक्त नाम काटी गई कंपनियों के बोर्ड में निदेशक थे। उपर्युक्त अयोग्य निदेशकों/संप्रवर्तकों को 5 वर्ष की अवधि के लिए निदेशक के रूप में नियुक्त या पुन: नियुक्ति करने से प्रतिबंधित किया जाता है।

(ख) और (ग) 'शैल' कंपनियों के मामले की जांच करने के लिए राजस्व सचिव और सचिव, कारपोरेट कार्य मंत्रालय की संयुक्त अध्यक्षता के अधीन विशेष कार्यदल का गठन किया गया है जिसमें वित्तीय सेवा विभाग, केन्द्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड, केन्द्रीय

अप्रत्यक्ष कर एवं सीमा कर बोर्ड, केन्द्रीय अन्वेषण ब्यूरो, प्रवर्तन निदेशालय, गंभीर कपट अन्वेषण कार्यालय, वित्तीय आसूचना एकक के सदस्य शामिल हैं। यह समिति अन्य सरकारी एजेंसियों से भी अधिकारियों को आवश्यकता के आधार पर सहयोजित कर सकती है।

केन्द्रीय सरकार ने 68 कंपनियों के वास्तविक स्वामित्व की जांच के आदेश दिए हैं, जिनमें से कई कंपनियां इस अधिनियम की धारा 210(1)(ग) के साथ पठित धारा 216 के तहत उत्तर प्रदेश राज्य में पंजीकृत हैं।

मिडल स्ट्रेट क्रीक ब्रिज परियोजना

1730. श्री विष्णु पद राय: क्या **पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार को अंडमान और निकोबार द्वीप समूह संघ राज्य-क्षेत्र प्रशासन की ओर से मिडल स्ट्रेट क्रीक ब्रिज परियोजना के निर्माण को मंजूरी प्रदान करने संबंधी कोई प्रस्ताव प्राप्त हुआ है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) क्या सरकार ने उक्त प्रस्ताव पर कोई निर्णय लिया है और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

संस्कृति मंत्रालय के राज्य मंत्री तथा पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय में राज्य मंत्री (डॉ. महेश शर्मा): (क) से (ग) जी, हां। केन्द्र सरकार को अण्डमान और निकोबार द्वीप समूह संघ राज्य-क्षेत्र प्रशासन से अण्डमान में मिडल स्ट्रेट पर 2-लेन के पुल के निर्माण हेतु एक प्रस्ताव प्राप्त हुआ है, जिस पर विशेषज्ञ मूल्यांकन समिति और सक्षम प्राधिकारी द्वारा विचार किया गया है। तथापि, केन्द्र सरकार को इस परियोजना के लिए स्वीकृति पत्र अभी जारी करना है, जोकि राष्ट्रीय हरित अधिकरण और माननीय उच्चतम न्यायालय के पास देश के तटीय क्षेत्रों में सभी पर्यावरणीय स्वीकृतियों से संबंधित लम्बित मामले में अंतिम निर्णय आने तक लम्बित है।

राज्यों के ऋण

1731. श्री अशोक महादेवराव नेते: क्या **वित्त मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या गत तीन वर्षों के दौरान आज की तिथि तक राज्य सरकारों ने केन्द्र सरकार से ऋण लिए हैं;

(ख) यदि हां, तो उक्त अवधि के लिए तत्संबंधी राज्य/वर्ष-वार ब्यौरा क्या है;

(ग) राज्य सरकारों द्वारा लिए गए निर्णयों के विशिष्ट प्रयोजनों का ब्यौरा क्या है और इनका किस शीर्षक के अंतर्गत उपयोग किया गया;

(घ) क्या सरकार को राज्य सरकारों द्वारा लिए गए ऋण के भारी दुरुपयोग के संबंध में शिकायतें प्राप्त हुई हैं और यदि हां, तो तत्संबंधी आज की तिथि के अनुसार राज्य-वार ब्यौरा क्या है;

(ङ) क्या केन्द्र सरकार को आज की तिथि के अनुसार बकाया राशि के पुनर्भुगतान को आगे खिसकाने हेतु कई राज्य सरकारों से कोई अभ्यावेदन प्राप्त हुई हैं और यदि हां, तो उक्त अभ्यावेदनों में उल्लेखित मुद्दों का ब्यौरा क्या है; और

(च) केन्द्र सरकार द्वारा इस संबंध में क्या कार्यवाही की गई/किए जाने का विचार है?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा पोत परिवहन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री पोन राधाकृष्णन): (क) और (ख) जी हां। वित्त मंत्रालय राज्य सरकारों को विदेशी सहायता प्राप्त परियोजना (ईएपी) ऋण प्रदान करता है। विगत तीन वर्षों के दौरान राज्यों को प्रदान किए गए ईएपी ऋणों का ब्यौरा विवरण के रूप में संलग्न है।

(ग) और (घ) जो ऋण राज्य सरकारों को उपलब्ध कराए गए हैं, वे बहुपक्षीय और द्वीपक्षीय ऋण दाता अभिकरणों द्वारा दिए गए विकासात्मक ऋण हैं। ये ऋण विशिष्ट स्कीमों/परियोजनाओं के कार्यान्वयन के लिए हैं जो प्रतिपूर्ति आधार पर दिए जाते हैं। चूंकि प्रतिपूर्ति तंत्र के अनुसार यदि स्कीम/परियोजनाओं के दिशानिर्देशों का सख्ती से पालन किया जाता है, तो किस्त की राशि जारी की जाती है।

(ङ) और (च) संघ सरकार को बकाया ऋणों की पुनर्संरचना/माफी/स्थगन के लिए विभिन्न राज्य सरकारों से अनेक अनुरोध प्राप्त हुए हैं। हालिया विगत में ऐसा कोई अनुरोध/प्रस्ताव स्वीकार नहीं किया गया है।

विवरण

(हजार रु. में)

क्र. सं.	राज्यों के नाम	वर्ष 2015-16 के दौरान संवितरित राशि	वर्ष 2016-17 के दौरान संवितरित राशि	वर्ष 2017-18 के दौरान संवितरित राशि
1	2	3	4	5
1.	आंध्र प्रदेश	6851721	8142508	9467890
2.	अरुणाचल प्रदेश	0	0	0
3.	असम	504883	573564	709961
4.	बिहार	8179690	15073849	13914609
5.	छत्तीसगढ़	1450315	3812855	4643066
6.	गोवा	1115583	918682	780295
7.	गुजरात	2525635	1910684	898340
8.	हरियाणा	972360	1295918	1410103
9.	हिमाचल प्रदेश	593121	1012988	818706
10.	जम्मू और कश्मीर	172115	247047	315984
11.	झारखंड	1507320	2342875	2316093
12.	कर्नाटक	12710165	19179339	19432453
13.	केरल	5313484	8521399	4447643
14.	मध्य प्रदेश	13261213	13666666	19168114
15.	महाराष्ट्र	5759674	6348000	1649334
16.	मणिपुर	0	160403	89591
17.	मेघालय	22346	42755	66685
18.	मिजोरम	38026	68375	78702
19.	नागालैंड	1438	2562	3323
20.	ओडिशा	7388215	9029765	8481289
21.	पंजाब	2653296	6549406	4603098
22.	राजस्थान	17491203	34553540	15569033
23.	सिक्किम	30181	33439	27099

1	2	3	4	5
24.	तेलंगाना	9208767	9561170	6366792
25.	तमिलनाडु	13673721	18597374	27302514
26.	त्रिपुरा	59275	36142	12681
27.	उत्तराखंड	970112	1454381	1143576
28.	उत्तर प्रदेश	5938624	10310824	11031643
29.	पश्चिम बंगाल	6589540	5189355	20250918
	कुल	124982023	177635865	174999535

फिजिकल मेडिसिन और रिहैबिलिटेशन

1732. **श्री अभिषेक बनर्जी:** क्या **स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) फिजिकल मेडिसिन और रिहैबिलिटेशन (पीएमआर) विभागों का राज्य-वार डाटा क्या है;

(ख) क्या मंत्रालय ने भारतीय आयुर्विज्ञान परिषद के मौजूदा एमबीबीएस पाठ्यक्रम में पीएमआर को एक अनिवार्य विषय के रूप में शामिल करने संबंधी अनुरोध को अधिसूचित किया है और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं; और

(ग) क्या मंत्रालय पुनर्वास सुविधाओं को सुधरने हेतु नि:शक्तता संबंधी आंकड़ों को एकत्रित करने के लिए एक पी.एम.आर. विभाग को स्थापित करने और पुनर्वास सुविधाओं की योजना मूल्यांकन और निगरानी लें नि:शक्त चिकित्सकों को शामिल करने की योजना बना रहा है और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं?

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती अनुप्रिया पटेल): (क) आंकड़े केन्द्रीय स्तर पर नहीं रखे जाते हैं। एमसीआई के न्यूनतम मानक आवश्यकता विनियमों के अनुसार, भौतिक चिकित्सा और पुनर्वास विभाग (पीएमआर) चिकित्सा कॉलेजों के लिए एक वैकल्पिक विभाग है।

(ख) एमसीआई स्नातक पाठ्यक्रम ने चिकित्सा स्नातक के लिए आवश्यक पीएमआर में अध्ययन के मानक निर्धारित किए हैं ताकि वे भौतिक चिकित्सा और पुनर्वास के विभिन्न पहलुओं के बारे में सीख सकें, जिसमें विकलांगता, इसके कारण और व्यापकता, विकलांगता की पहचान और रोकथाम, दिव्यांगों के अधिकार और पात्रता, नैदानिक विशेषताएं, मूल्यांकन, निदान तथा मस्तिष्क चोट आघात के बाद विकलांगता प्रबंधन, आदि शामिल है, जिसे प्रत्येक स्नातक छात्र को पढ़ाया जाना चाहिए। पीएमआर एमबीबीएस पाठ्यक्रम के संशोधित पाठ्यक्रम में एक अनिवार्य विषय है।

(ग) ऐसा कोई प्रस्ताव नहीं है।

वन्यजीव अभयारण्यों में पारिस्थितिकी रूप से संवेदी क्षेत्र

1733. **श्री प्रहलाद जोशी:**
श्री के.एन. रामचन्द्रन:
श्री आर.के. भारती मोहन:
श्री जी.एम. सिद्देश्वरा:
श्रीमती वी. सत्यबामा:
श्री पी.आर. सेनथिलनाथन:

क्या **पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार ने देशभर में पारिस्थितिकी रूप से संवदेनशील क्षेत्र (ईसीजेड) स्थापित किए हैं और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इस प्रयोजन हेतु क्या मापदंड निर्धारित किया गया है;

(ख) क्या सरकार ने देश में तमिलनाडु सहित वन्यजीव उद्यान और अभयारण्य में ईसीजेड की सीमाओं का पुन: मूल्यांकन किया है और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या सरकार ने देश के विभिन्न वन्यजीव उद्यानों में ईसीजेड के निरीक्षण करने और सत्यापन करने हेतु किसी उच्च स्तरीय समिति का गठन किया है;

(घ) क्या समिति ने सरकार को अपनी रिपोर्ट सौंप दी है और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ङ) क्या सरकार ने देश में कतिपय वन्यजीव अभयारण्य और राष्ट्रीय उद्यानों के ईसीजेड क्षेत्रों को कम करने की अनुमति दी है; और

(च) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इसके क्या कारण हैं और सरकार द्वारा इन अभयारण्य और राष्ट्रीय उद्यानों से संबंध रखने वाले कई संकटग्रस्त जीव प्रजातियों के पर्यावास को संरक्षित करने हेतु क्या कदम उठाए गए हैं?

संस्कृति मंत्रालय के राज्य मंत्री तथा पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय में राज्य मंत्री (डॉ. महेश शर्मा): (क) पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय ने पर्यावरण और जैव विविधता के संरक्षण के लिए पर्यावरण (संरक्षण) अधिनियम, 1986 के प्रावधानों के तहत राष्ट्रीय पार्कों और अभयारण्यों के आस-पास के क्षेत्र को पारिस्थितिकीय रूप से संवेदी क्षेत्र के रूप में अधिसूचित किया है। मंत्रालय द्वारा अब तक 283 वन्यजीव अभयारण्यों तथा राष्ट्रीय पार्कों को शामिल करते हुए 166 पारिस्थितिकी संवेदी क्षेत्रों को अधिसूचित किया गया है।

वन्यजीव राष्ट्रीय बोर्ड द्वारा यथासम्मत पारिस्थितिकीय रूप में संवेदनशील क्षेत्रों से अभिज्ञात/मानदंड निम्न प्रकार हैं:–

(i) इसके संपूर्ण दायरे में स्थानीय प्रजातियों का पूर्ण संरक्षण;

(ii) विकास प्रक्रियाएं गंभीर रूप से संकटापन्न प्रजातियों या किसी अन्य संकटापन्न प्रजातियों के पर्यावास को कम न करें, क्षति न पहुंचाएं या नष्ट न करें;

(iii) जैविक गलियारे का संक्षण;

(iv) प्रवाल भित्तियों, कच्छ वनस्पतियों इत्यादि जैसे अपूरणीय क्षति वाली अत्यधिक जटिल तथा विविधतापूर्ण पारिप्रणाली की सुरक्षा;

(v) दुर्लभ तथा अतिसंवेदनशील प्रजातियों के प्रजनक प्रजनन या पालन-पोषण वाले संबंधित स्थानों का संरक्षण;

(vi) प्राचीन वनों का अस्तित्व;

(vii) तीव्र ढलान (60 से अधिक)।

(ख) पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय ने अधिसूचना जारी होने के बाद तमिलनाडु के राष्ट्रीय पार्कों तथा अभयारण्यों सहित राष्ट्रीय पार्कों तथा अभयारण्यों के आस-पास के पारिस्थितिकी संवेदी क्षेत्रों की सीमाओं का पुनर्मूल्यांकन नहीं किया है।

(ग) पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय ने राष्ट्रीय पार्कों तथा वन्यजीव अभयारण्यों के पारिस्थितिकी संवेदी क्षेत्रों की जांच के लिए किसी भी उच्चस्तरीय समिति का गठन नहीं किया है।

(घ) उपरोक्त (ग) को देखते हुए प्रश्न नहीं उठता।

(ङ) पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय ने अधिसूचना जारी होने के बाद पारिस्थितिकी संवेदी क्षेत्र को कम नहीं किया है।

(च) उपर्युक्त (ङ) को देखते हुए प्रश्न नहीं उठता।

[हिन्दी]

पारिस्थितिकी रूप से संवेदनशील क्षेत्रों की वृद्धि

1734. श्री संजय काका पाटील: क्या **पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार पारिस्थितिकी रूप से संवेदनशील आरक्षित क्षेत्र में वृद्धि करने और उक्त क्षेत्रें में मानवीय गतिविधियों को कम करने हेतु एक परियोजना पर कार्य कर रही है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) इन क्षेत्रों में प्लास्टिक उत्पादों के उपयोग पर प्रतिबंध लगाने हेतु सरकार द्वारा प्रस्तावित/जारी परियोजना का ब्यौरा क्या है?

संस्कृति मंत्रालय के राज्य मंत्री तथा पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय में राज्य मंत्री (डॉ. महेश शर्मा): (क) और (ख) संरक्षित क्षेत्रों के आस-पास (पीएएस) पारिस्थितिकी रूप से संवेदनशील क्षेत्रों (ईएसजेड) का रेखांकन उनकी जैविक एकता को सुनिश्चित करने के लिए आवश्यक है। उच्च संरक्षण से निम्न संरक्षण क्षेत्रों के बीच संक्रमण क्षेत्र होने के रूप में ईएसजेड संरक्षित क्षेत्रों के लिए "बफर के रूप में कार्य करता

है। राष्ट्रीय वन्यजीव बोर्ड (एनबीडब्ल्यूएल) द्वारा लिए गए निर्णय के अनुसरण में पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय (एमओईएफ एंड सीसी) ने राष्ट्रीय पार्कों और वन्यजीव अभयारण्यों के आस-पास ईएसजेड की घोषणा हेतु दिशानिर्देश तैयार किए हैं। पीए-विशिष्ट पारिसंवेदी क्षेत्र (ईएसजेड) को वन्यजीव (संरक्षण) अधिनियम के खण्ड 3(v) तथा पर्यावरण (संरक्षण) नियमावली के नियम 5 के उप नियम (viii) और (x) के तहत अधिसूचना द्वारा घोषित किए जाते हैं। कुछ चिह्नित कार्यकलापों पर प्रतिबंध लगाए गए हैं जिनका वन्यजीवन पर विपरीत प्रभाव पड़ता है जैसे कि व्यावसायिक खनन, प्रदूषणकारी उद्योगों की स्थापना, बड़ी जल विद्युत परियोजनाओं की स्थापना, खतरनाक अपशिष्ट का उपयोग/उत्पादन/प्रसंस्करण, अशोधित उत्सर्जनों का प्राकृतिक जल, निकायों/भूमि क्षेत्र इत्यादि में निस्तारण। निर्माण, नागरिक सुविधाओं की स्थापना और सतह तथा भूजल से व्यावसायिक निष्कर्षण को विनियमित किया जाता है। जबकि ऐसे कार्यकलाप जो पारिस्थितिकी हितैषी प्रकृति के हैं, उन्हें पारि-संवेदी क्षेत्रों में बढ़ावा दिया जाता है।

(ग) पारिसंवेदी क्षेत्र में प्लास्टिक बैगों का उपयोग एक विनियमित कार्यकलाप है। पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय द्वारा अधिसूचित किए गए प्लास्टिक अपशिष्ट प्रबंधन नियमावली 2016 के प्रावधानों के अनुसार प्लास्टिक अपशिष्ट का निपटान किया जाएगा। इसके अलावा, मंत्रालय द्वारा राज्य सरकारों को बायोस्फीयर रिजर्वों की प्लास्टिक मुक्त क्षेत्र के रूप में घोषणा करने के संबंध में कार्य योजना प्रस्तुत करने के दिशानिर्देश भी जारी किए गए हैं।

[अनुवाद]

फिजियोथेरेपी शिक्षा

1735. प्रो. रिचर्ड हे:
श्री सुनील कुमार सिंह:
श्रीमती संतोष अहलावत:

क्या **स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या फिजियोथेरेपिस्ट की भर्ती के लिए आवश्यक पात्रता का उन्नयन कर डिप्लोमा से स्नातक डिग्री कर दी गई है और यदि हां, तो इसके उद्देश्यों का ब्यौरा क्या है और इसके क्या कारण हैं;

(ख) क्या फिजियोथेरेपिस्ट के वेतन सहित इसकी सेवाओं के नियम एवं शर्तों के संबंध में कतिपय बदलाव किए गए हैं और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या देश के सरकारी क्षेत्र में फिजियोथेरेपिस्ट के लिए रोजगार के पर्याप्त अवसर उपलब्ध हैं और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और यदि नहीं, तो सरकार द्वारा इस संबंध में क्या कदम उठाए जा रहे हैं; और

(ङ) क्या देश में फिजियोथेरेपिस्टों की संख्या विश्व स्वास्थ्य संगठन के मापदंडों के अनुरूप है और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और वर्तमान में फिजियोथेरेपिस्ट और मरीजों के बीच अनुपात क्या है?

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती अनुप्रिया पटेल): (क) जहां तक दिल्ली में केन्द्रीय सरकार के तीन अस्पतालों का संबंध है, स्थिति निम्नवत् है:

एलएचएमसी तथा संबद्ध अस्पतालों में फिजियोथेरेपिस्ट के पद के लिए अपेक्षित शैक्षणिक योग्यता भर्ती नियमों के अनुसार है अर्थात् डिग्री अथवा डिप्लोमा। सफदरजंग अस्पताल में 21.4.2018 को प्रकाशित भर्ती नियमों के अनुसार, फिजियोथेरेपिस्ट के पद के लिए आवश्यक योग्यता को डिप्लोमा से बढ़ाकर स्नातक डिग्री कर दिया गया है। जहां तक आरएमएल अस्पताल का संबंध है, फिजियोथेरेपिस्ट के भर्ती नियमों को अपग्रेड नहीं किया गया है।

(ख) फिजियोथेरेपिस्ट की सेवा शर्तों को भर्ती नियमों के अनुसार शासित किया जाता है तथा वेतन का निर्धारण केन्द्रीय वेतन आयोग द्वारा समय-समय पर की जाने वाली सिफारिशों के अनुसार किया जाता है।

(ग) 'स्वास्थ्य' राज्य का विषय होने के कारण ऐसी सूचना केन्द्रीयकृत रूप से नहीं रखी जाती।

(घ) फिजियोथेरेपिस्ट की संख्या का निर्धारण कार्यभार एवं सक्षम प्राधिकारी के अनुमोदन के आधार पर किया जाता है।

ई-सिगरेट और बीड़ी पर जीएसटी

1736. श्री सी.आर. पाटील:
श्री एम.बी. राजेश:

क्या **वित्त मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) ई-सिगरेट या इलेक्ट्रॉनिक निकोटीन डिलीवरी सिस्टम (ईएनडीएस) पर माल और सेवा कर (जीएसटी) कराधान की मौजूदा दर का ब्यौरा क्या है;

(ख) भारत में आयात किए गए इन उत्पादों पर लगाए जाने वाले आयात शुल्क का ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या ईएनडीएस के विभिन्न अवयव पर अलग-अलग कर लगता है और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(घ) क्या बीड़ी को छः माल श्रेणी के अंतर्गत शामिल नहीं किया गया है और उस पर उपकर नहीं लगता है और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इसके क्या कारण हैं; और

(ङ) क्या कई बीड़ी इकाइयों को जीएसटी से छूट प्रदान की गई है और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री शिव प्रताप शुक्ला): (क) ई-सिगरेट या इलेक्ट्रॉनिक निकोटिन डिलीवरी सिस्टम (ENDS) पर 18% की दर से जीएसटी लगायी जाती है।

(ख) इलेक्ट्रॉनिक निकोटिन डिलीवरी सिस्टम (ENDS) के आयात पर 7.5% की दर से आधारभूत सीमा शुल्क लगाया जाता है। और इस आधारभूत सीमा शुल्क पर 10% का सामाजिक कल्याण अधिभार भी लगाया जाता है : और साथ में ही इस पर 18% की आईजीएसटी (जीएसटी के बदले में) लगायी जाती है।

(ग) इलेक्ट्रॉनिक निकोटिन डिलीवरी सिस्टम (ENDS) के विशेष घटकों पर 18% की जीएसटी और 7.5% आधारभूत सीमा शुल्क (BCD) लगाया जाता है। इलेक्ट्रॉनिक निकोटिन डिलीवरी सिस्टम (ENDS) के सहायक/सामान्य घटकों पर वही कर लगता है जो कि उस टैरिफ के संबंधित शीर्ष के अन्तर्गत आता है जिनमें ऐसी वस्तुओं का वर्गीकरण किया गया होता है।

(घ) बीड़ी पर सबसे अधिक 28% की दर से जीएसटी लगायी जाती है। जीएसटी परिषद ने बीड़ी पर प्रतिपूर्ति उपकर लगाए जाने की सिफारिश नहीं की है।

(ङ) ऐसे किसी भी वस्तु-विनिर्माता/सेवाओं के आपूर्तिकर्ता, जिसका एक साल में कुल कारोबार 20 लाख रुपए से कम होता है, को जीएसटी में पंजीकरण से छूट दी गयी है। यह रियायत छोटी बीड़ी इकाईयों को भी उपलब्ध है।

कार्बन उत्सर्जन

1737. **श्री संतोख सिंह चौधरी:** क्या **पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) वर्ष 2005-06 से वर्ष 2017-18 के दौरान देश के सकल घरेलू उत्पादन के एक उपाय के रूप में भारत की कार्बन उत्सर्जन क्षमता का वर्ष-वार ब्यौरा क्या है;

(ख) वर्ष 2005-06 से वर्ष 2017-18 के दौरान समग्र कार्बन वृद्धि दरों का वर्ष-वार ब्यौरा क्या है;

(ग) जीएसटी क्षतिपूर्ति निधि में स्वच्छता पर्यावरण उपकर शामिल करने के क्या कारण हैं;

(घ) क्या सरकार ने राष्ट्रीय स्वच्छता ऊर्जा और पर्यावरण निधि के रूप में एक वैकल्पिक साधन की योजना बनाई है और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ङ) वर्ष 2014 से 2018 तक स्वच्छ पर्यावरण उपकर के अंतर्गत कुल कितनी राशि जमा की गई और राष्ट्रीय स्वच्छ ऊर्जा और पर्यावरण निधि को इसमें से कितने प्रतिशत राशि आवंटित की गई और स्वच्छ ऊर्जा और पर्यावरण परियोजनाओं के संबंध में खर्च की गई राशि का वर्ष-वार ब्यौरा क्या है?

संस्कृति मंत्रालय के राज्य मंत्री तथा पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय में राज्य मंत्री (डॉ. महेश शर्मा): (क) और (ख) भारत की 2016 में जलवायु परिवर्तन संबंधी संयुक्त राष्ट्र फ्रेमवर्क कन्वेंशन (यूएनएफसीसीसी) को प्रस्तुत प्रथम द्विवर्षी अद्यतन रिपोर्ट के अनुसार भारत की 2005 में सकल उत्पाद (जीडीपी) की उत्सर्जन तीव्रता 35.14 किग्रा. CO_2eq/1,000 रु. (2004-05 मूल्यों पर स्थिर) थी जो 2010 में 31.01 किग्रा CO_2eq/1,000 रु. (2004-05 मूल्यों पर) कम हो गई। ये दोनों उत्सर्जन तीव्रताओं की गणना कृषि क्षेत्र से उत्सर्जन को छोड़कर की गई है। यह 2005-2010 की पांचवर्षीय अवधि में लगभग 12% की कमी दर्ज करती है।

भारत की द्वितीय राष्ट्रीय संसूचना (नेटकॉम) और प्रथम द्विवर्षीय अद्यतन रिपोर्ट (बीयूआर) के अनुसार वर्ष 2000 और 2010 के बीच कुल मिलाकर ग्रीन हाऊस गैस (जीएचजी) उत्सर्जन (भू-उपयोग, भूउपयोग परिवर्तन और वानिकी (एलयूएलयूसीएफ) को छोड़कर) लगभग 3.44% की कम्पाऊंड वार्षिक वृद्धि दर से बढ़ा है। जबकि देश का जीडीपी दुगुना हुआ और इसी अवधि के दौरान जनसंख्या लगभग 18% बढ़ी। देश में जीएचजी उत्सर्जनों के आकलन के लिए प्रत्येक 4 वर्षों में नेटकॉम और प्रत्येक दो वर्षों में बीयूआर तैयार किए जाते हैं।

(ग) से (ङ) स्वच्छ ऊर्जा (पर्यावरण) उपकर को 01 जुलाई, 2017 से जीएसटी के अंतर्गत शामिल कर लिया गया है।

राष्ट्रीय ऊर्जा और पर्यावरण निधि (एनसीईईएफ) से पहले वित्तपोषित स्कीमें अब सामान्य बजटीय सहायता से वित्तपोषित की जाती है।

स्वच्छ ऊर्जा उपकर (सीईसी) संग्रहण, 2014-15 से 2016-17 तक एनसीईईएफ को अंतरित राशि और उपयोग की गई राशि का ब्यौरा नीचे दिया गया है।

(करोड़ रु. में)

वर्ष	स्वच्छ ऊर्जा उपकर (सीईसी) संग्रहण	एनसीईईएफ को अंतरित राशि	एनसीईईएफ से राशि का उपयोग
2017-18	11,836.72	–	–
2016-17	27,329.84	6,466.75	6,436.23
2015-16	13,847.87	100.00 *	5,243.80
2014-15	5,844.55	4,700.00	2,087.99

*वित्त संबंधी स्थायी समिति ने अपनी दूसरी रिपोर्ट (16वीं लोक सभा) में सिफारिश की थी की परियोजनाओं/स्कीमों के विशिष्ट ब्यौरों के अभाव में दो वर्षो से अधिक के लिए एनसीईएफ में पड़ी अप्रयुक्त निधियों को भारत की समेकित निधि में अंतरित किया जा सकता है ताकि निधियों को अन्य प्राथमिकता प्राप्त स्कीमों के लिए उपयोग में लाया जा सके। वित्त संबंधी स्थायी समिति की सिफारिश को ध्यान में रखते हुए निधि में 1.04.2015 को उपलब्ध 5152. 51 करोड़ रुपए की शेष राशि को देखते हुए एनसीईएफ को वित्त वर्ष 2015-16 के दौराने केवल 100 करोड़ रुपए का उपकर ही अंतरित किया गया था।

सरकारी भूमि पर निजी अस्पताल

1738. एडवोकेट नरेन्द्र केशव सावईकर: क्या **स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या निजी अस्पताल स्थापित करने के लिए सरकार द्वारा भूमि राज सहायता दरों पर प्रदान की जाती है और यदि हां, तो तत्संबंधी दिल्ली सहित राज्य/संघ राज्यक्षेत्र-वार ब्यौरा क्या है;

(ख) क्या ऐसे निजी अस्पताल गरीब मरीजों, आर्थिक रूप से पिछड़े वर्गो (ईडब्ल्यूएस) को मुफ्त में या राज सहायता दरों पर इलाज करने के लिए बाध्य हैं और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या यह सच है कि निजी अस्पतालों द्वारा बहुत से उल्लंघन के मामले सरकार के संज्ञान में आए हैं;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और ऐसे अस्पतालों के नाम क्या है। और सरकार द्वारा ऐसे अस्पतालों के विरुद्ध क्या कार्रवाही की गई है; और

(ङ) क्या सरकार का विचार सरकारी जमीन पर बने निजी अस्पतालों को नवीन दिशानिर्देश जारी करने का है और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और सरकार द्वारा इस संबंध में क्या कदम उठाए गए हैं?

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती अनुप्रिया पटेल): (क) और (ख) 'स्वास्थ्य' राज्य का विषय होने के कारण ऐसी सूचना केन्द्रीय स्तर पर नहीं रखी जाती।

तथापि, भूमि और विकास कार्यालय (एल एंड डीओ) आवासन एवं शहरी विकास मंत्रालय द्वारा अग्रेषित सूचना के अनुसार नीचे अस्पतालों को रियायती दरों पर भूमि आबंटित की गयी है:-

(i) सर गंगाराम अस्पताल

(ii) वीरांवाली अंतरराष्ट्रीय अस्पताल (दिल्ली अस्पताल सोसायटी)/पीआरआईएमयूएस-आर्थो

(iii) डॉ. विद्यासागर कौशल्या देवी मेमोरियल ट्रस्ट (वीआईएमएचएएनएस)

(iv) मूलचंद खैराती राम अस्पताल

(v) सेंट स्टीफन अस्पताल

(vi) आर.बी. सेठ जेसा राम अस्पताल को अस्पताल के विस्तारण के लिए 773 वर्ग यार्ड का अतिरिक्त भू-खंड आवंटित किया गया था। शुरू में यह भूमि डीडीए द्वारा आवंटित की गई है।

रिट याचिका (सी) 2866/2002 के संदर्भ में माननीय दिल्ली उच्च न्यायालय के दिनांक 22.3.2007 के आदेश के अनुसार, अभिज्ञात निजी अस्पताल कुल ओपीडी का 25 प्रतिशत तथा कुल आईपीडी के 10 प्रतिशत उपचार आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग के रोगियों को निःशुल्क प्रदान करेंगे।

(ग) से (ङ) उपलब्ध सूचना के अनुसार एल एंड डीओ द्वारा रियायती दरों पर भूमि आवंटित किए गए 6 अस्पतालों में से 2 अस्पताल नामत: सेंट स्टीफन अस्पताल और मूलचंद खैराती राम अस्पताल अनिवार्य शर्तों का अनुपालन करने में असफल रहे तथा उन्होंने माननीय उच्च न्यायालय के समक्ष रिट याचिका दायर की, जिसमें आदेश दिनांक 28.4.2014 पारित किया। विभाग ने माननीय

उच्च न्यायालय के आदेश के विरुद्ध माननीय उच्चतम न्यायालय में एसएलपी दायर की। अब माननीय उच्चतम न्यायालय ने दिनांक 9.7.2018 के आदेश द्वारा उपर्युक्त अस्पतालों के लिए अनिवार्य किया है कि वे कुल आईपीडी का 10 प्रतिशत उपचार तथा कुल ओपीडी का 25 प्रतिशत उपचार आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग के रोगियों को निःशुल्क प्रदान करने की शर्त का कड़ाई से पालन करेंगे।

निर्भया निधि

1739. श्री मुथमसेटी श्रीनिवास राव (अवंती):
श्री जयोतिरादित्य माधवराव सिंधिया:
कुमारी सुष्मिता देव:
श्री कोडिकुन्नील सुरेश:
श्री अनिल शिरोले:
श्री कीर्ति आजाद:
श्री जॉर्ज बेकर:
प्रो. रिचर्ड हे:
श्री पी.के. बिजू:
श्री एम.आई शनवास:
श्री प्रभुभाई नागरभाई वसावा:

क्या **महिला और बाल विकास मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) देश में महिलाओं की सुरक्षा और संरक्षा बढ़ाने हेतु स्थापित की गई निर्भया कायिक निधि की मुख्य विशेषताएं क्या हैं;

(ख) विभिन्न मंत्रालयों/विभागों और राज्य/संघ राज्य क्षेत्रों द्वारा इसके व्यय करने के विभिन्न प्रकारों के संबंध में जारी किए गए दिशानिर्देश/अनुदेशों का ब्यौरा क्या है और उनके द्वारा इन दिशानिर्देशों/अनुदेशों का किस स्तर तक अनुपालन किया गया है;

(ग) विभिन्न मंत्रालयों/विभागों और राज्य/संघ राज्य क्षेत्रों द्वारा प्राप्त, अवगत और सिफारिश/अनुमोदन किए गए परियोजना प्रस्ताव का ब्यौरा क्या है और इसकी शुरुआत से अब तक इसके अंतर्गत परियोजना-वार कितनी निधि प्रदान की गई है और कितनी महिलाएं लाभान्वित हुई हैं;

(घ) अब तक पूरी की गई/शुरू की गई परियोजनाओं और इसके अंतर्गत उपयोग की गई निधियों का परियोजना-वार ब्यौरा क्या है;

(ङ) क्या सरकार ने संज्ञान लिया है कि निर्भया निधि का एक बहुत बड़ा हिस्सा अनुपयुक्त रह जाता है या कम उपयोग किया जाता है और जरूरतमंद लाभार्थियों तक नहीं पहुंच रहा है और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इस पर क्या कार्रवाई की गई है; और

(च) सरकार द्वारा निर्भया निधि के न्यायोचित/सही उपयोग हेतु क्या दिशानिर्देश जारी किए गए हैं और इसके सुचारू कार्यान्वयन हेतु विभिन्न मंत्रालयों के मध्य समन्वय की क्या स्थिति है?

महिला और बाल विकास मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा अल्पसंख्यक कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (डॉ. वीरेन्द्र कुमार): (क) से (च) सरकार ने देश में महिलाओं की सुरक्षा और संरक्षा बढ़ाने के उद्देश्य से की गई पहलों के क्रियान्वयन के लिए वर्ष 2013 में 'निर्भया कोष' नामक एक विशेष कोष की स्थापना की। यह एक गैर-व्यपगत कोरपस कोष है। वर्ष 2018-19 तक निर्भया कोष के लिए लोक खाते में हस्तांतरित कोरपस 3600 करोड़ रुपये है। निधियों का वर्ष-वार वित्तीय आबंटन इस प्रकार है:–

वित्तीय वर्ष	2013-14	2014-15	2015-16	2016-17	2017-18	2018-19	कुल
राशि (करोड़ रुपये में)	1000.00	1000.00	-	550.00	550.00	500.00	3600

विभिन्न मंत्रालयों/विभागों तथा राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों द्वारा कोष के खर्च के तरीकों के संबंध में आर्थिक मामले विभाग द्वारा समय-समय पर दिशानिर्देश/अनुदेश जारी किए जा रहे हैं। निर्भया कोष के लिए एक फ्रेमवर्क तैयार किया गया है, जिसमें परियोजना की रूपरेखाएं, अधिकारियों की अधिकार-प्राप्त समिति का गठन, प्रस्ताव प्रस्तुत करने की कार्यविधि, प्रस्तावों पर कार्रवाई करने की कार्यविधि, निधियन पद्धति आदि दिए गए हैं।

मौजूदा दिशानिर्देशों/अनुदेशों के अनुसार केन्द्रीय सरकार के मंत्रालय/विभाग तथा राज्य संरकारें/संघ राज्य क्षेत्र प्रशासन सार्वजनिक क्षेत्र में अपने-अपने क्षेत्रों में महिलाओं की सुरक्षा से संबंधित मुद्दों को ध्यान में रखते हुए प्रस्ताव भेजते हैं। महिला एवं बाल विकास मंत्रालय निर्भया कोष के अंतर्गत निधियन के लिए प्रस्तावों/स्कीमों का मूल्यांकन/सिफारिश करने के लिए नोडल प्राधिकरण है।

निर्भय कोष के अंतर्गत निधियन-प्राप्त वन स्टॉप सेंटर की स्थापना की स्कीम के अंतर्गत अब तक 33 राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों में इस प्रकार के 195 वन स्टॉप सेंटर स्थापित किए जा चुके हैं। कुल मिलाकर इन सैंटरों ने 1.7 लाख महिलाओं को सहायता प्रदान की है।

निर्भया कोष के अंतर्गत निधियन-प्राप्त महिला हैल्पलाइन सर्वसुलभीकरण स्कीम के अंतर्गत अब तक 30 राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों में महिला हैल्पलाइनें परिचालित की जा चुकी हैं। इन हैल्पलाइनों द्वारा अब तक 16.5 लाख से अधिक महिलाओं को सहायता प्रदान की जा चुकी है।

कोष के प्रारंभ से लेकर अब तक विभिन्न मंत्रालयों/विभागों तथा राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों से प्राप्त परियोजनाओं/प्रस्तावों, उनके मूल्यांकन और संस्तुति/अनुमोदन के साथ-साथ उनके लिए प्रदान की गई निधियों का ब्यौरा संलग्न विवरण में दिया गया है।

मंत्रालयों/विभागों तथा राज्य सरकारों से प्राप्त स्कीमों/प्रस्तावों के मूल्यांकन और संस्तुति के लिए महिला एवं बाल विकास मंत्रालय (नोडल मंत्रालय) के सचिव की अध्यक्षता में अंतरमंत्रालयी अधिकार-प्राप्त समिति का गठन किया गया है। सचिव, गृह मंत्रालय; सचिव, सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय; अध्यक्ष, रेलवे बोर्ड; सचिव, इलैक्ट्रॉनिकी और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय; संयुक्त सचिव, आर्थिक मामले विभाग; परियोजना प्रायोजन विभाग के सचिव; राज्य सरकार के संबंधित विभाग के सचिव; और सचिव, राज्य महिला एवं बाल विकास विभाग इस समिति के सदस्य हैं। अधिकार-प्राप्त समिति द्वारा सिफारिश/मूल्यांकन के पश्चात् संबंधित मंत्रालय/विभाग प्रस्ताव की स्वीकृति के लिए सक्षम प्राधिकारी का अनुमोदन प्राप्त करता है।

अधिकार-प्राप्त समिति विभिन्न मंत्रालयों/विभागों/राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों से प्राप्त प्रस्तावों/परियोजनाओं का समय-समय पर मूल्यांकन, संस्तुति और समीक्षा करती है अधिकार-प्राप्त समिति की अब 17 बैठकें आयोजित की जा चुकी हैं। जून, 2018 में आयोजित अधिकार-प्राप्त समिति की बैठक की तारीख तक प्राप्त ऐसे सभी प्रस्तावों का अधिकार-प्राप्त समिति द्वारा मूल्यांकन किया जा चुका है, जो दिशानिर्देशों की शर्तों को पूरा करते थे।

विवरण-I

20.07.2018 तक की स्थिति के अनुसार निर्भया कोष के अंतर्गत मूल्यांकित और प्रयुक्त निधियों का ब्यौरा

(रुपये करोड़ों में)

मंत्रालय/विभाग	क्र. सं.	प्रस्ताव का नाम	ई.सी. द्वारा मूल्यांकित राशि	निर्मुक्त निधियां				कुल निर्मुक्ति
				2015-16	2016-17	2017-18	2018-19	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
गृह मंत्रालय	1.	आपात प्रत्युत्तर सहायता प्रणाली	321.69	-	217.97	55.39	-	273.36
	2.	केन्द्रीय पीड़ित क्षतिपूर्ति निधि (सीवीसीएफ) का गठन	200	-	200.00	-	-	200
	3.	महिलाओं के साथ अपराधों के संबंध में जांच इकाइयों का सृजन (आईयूसीएडब्ल्यू)	324	-	-	-	-	0
	4.	संगठित अपराध जांच एजेंसी (ओसीआईए)	83.2	-	-	-	-	0
	5.	महिलाओं और बच्चों के साथ साइबरे अपराध निवारण (सीसीपीडब्ल्यूसी)	195.83	-	-	94.51	0.04	94.55

1	2	3	4	5	6	7	8	9
	6.	सीसीपीडब्ल्यूसी के अंतर्गत उप-परियोजना	28.93	-	-	-	-	0
	7.	दिल्ली में जिला और उप-मंडल पुलिस स्टेशन स्तर पर सामाजिक कार्यकर्ताओं/परामर्शदाताओं की सुविधा प्रदान करने के लिए प्रस्ताव	5.07	-	-	0.82	0.61	1.43
	8.	नानकपुरा में महिलाओं एवं बच्चों के लिए विशेष यूनिट तथा पूर्वोत्तर क्षेत्र के लिए विशेष यूनिट के लिए महिला केन्द्रित सुविधाओं के साथ नया भवन	23.53	-	-	2.35	-	2.35
	9.	भुवनेश्वर - कटक, ओडिशा सरकार के पुलिस आयुक्तालय में 'सुरक्षित शहर परियोजना' के क्रियान्वयन के लिए प्रस्ताव	110.35	-	-	-	-	0
	10.	दिल्ली पुलिस की 'महिला सुरक्षा' स्कीम के अंतर्गत विभिन्न अन्य गतिविधियां	10.2	-	-	2.43	0.70	3.13
	11.	सीएफएसएल, चंडीगढ़ में आधुनिक डीएनए प्रयोगशाला की स्थापना	99.76	-	-	-	-	0
	12.	दिल्ली, कोलकाता, मुम्बई, चेन्नई, हैदराबाद, बैंगलुरु, अहमदाबाद और लखनऊ नामक 08 शहरों के लिए सुरक्षित शहर प्रस्ताव	2919.55	-	-	-	-	0
रेल मंत्रालय	13.	एकीकृत आपात प्रत्युत्तर प्रबंधन प्रणाली (आईईआरएमएस)	500	-	50	100.00	-	150
एमईआईटीवाई/ आईआईटी दिल्ली	14.	महिलाओं की सुरक्षा में सहायता के लिए कारों और बसों के लिए पैनिक स्विच आधारित सुरक्षा डिवाइस का विकास तथा फील्ड परीक्षण	3.5	-	2.44	1.02	-	3.46

1	2	3	4	5	6	7	8	9
सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय	15.	महिलाओं और लड़कियों की सुरक्षा के लिए आंध्र प्रदेश सरकार का अभय परियोजना प्रस्ताव	138.49	-	-	58.64	-	58.64
	16.	सड़क परिवहन में महिलाओं की सुरक्षा, यूपीएसआरटीसी, उत्तर प्रदेश सरकार	83.5	-	-	40.2	-	40.2
	17.	भारी यात्री वाहनों के लिए महिलाओं के प्रशिक्षण पर बेंगलुरु महानगर परिवहन निगम, कर्नाटक सरकार का प्रस्ताव	56.06	-	-	-	-	0
	18.	सार्वजनिक परिवहन की बसों में महिलाओं की सुरक्षा को सुदृढ़ करने के लिए 6655 बसों (डीटीसी+कलस्टर) में सीसीटीवी कैमरे लगाना	140.00	-	-	-	-	0
	19.	महिलाओं की सुरक्षा को सुदृढ़ करने के लिए 100 प्रमुख स्थानों पर बनाए गए आधुनिक स्टेनलैस स्टील बस पंक्ति शैल्टरों पर दिल्ली परिवहन अवसंरचना विकास निगम लिमिटेड के माध्यम ये सीसीटीवी कैमरे लगाना	1.87	-	-	-	-	0
महिला एवं बाल विकास मंत्रालय	20.	वन स्टॉप सैंटर	867.74	11.02	40.29	30.03	27.39	108.73
	21.	महिला हैल्पलाइन का सर्वसुलभीकरण	155.93	15.46	0.67	7.63	1.61	25.37
	22.	महिला पुलिस वॉलेंटियर : हरियाणा सरकार	27.76	-	0.77	-	-	0.77
		महिला पुलिस वॉलेंटियर : आंध्र प्रदेश सरकार		-	0.75	-	-	0.75
		महिला पुलिस वॉलेंटियर : गुजरात सरकार		-	-	0.76	-	0.76
		महिला पुलिस वॉलेंटियर : मिजोरम सरकार		-	-	0.35	-	0.35

1	2	3	4	5	6	7	8	9
महिला और बाल विकास मंत्रालय		महिला पुलिस वॉलेंटियर : छत्तीसगढ़ सरकार		-	-	7.15	-	7.16
		महिला पुलिस वॉलेंटियर : कर्नाटक सरकार		-	-	0.56	-	0.56
		महिला पुलिस वॉलेंटियर : मध्य प्रदेश सरकार		-	-	0.3	-	0.3
	23.	चिराली परियोजना महिला सशक्तीकरण निदेशालय	10.2	-	0.23	2.53	-	2.76
	24.	मध्य प्रदेश राज्य सरकार का महिला एवं लड़कियों के साथ हिंसामुक्त स्मार्ट एवं सुरक्षित शहर कार्यक्रम	1.74	-	-	1.05	-	1.05
	25.	महिलाओं की सुरक्षा और संरक्षा, उत्तराखंड सरकार	0.72	-	-	0.32	-	0.32
	26.	निर्भया आश्रय गृह, नागालैंड सरकार	2.84	-	-	2.55	-	2.55

बाघ संरक्षण

1740. श्री बोध सिंह भगत:
श्री गणेश सिंह:

क्या **पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या केन्द्र सरकार ने चालू वर्ष के दौरान देश में बाघ संरक्षण हेतु कोई विशेष योजना कार्यान्वित की है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इस योजना के अंतर्गत मध्य प्रदेश को कितनी निधि प्रदान की जा रही है;

(ग) क्या सरकारों को बाघ संरक्षण परियोजना हेतु अधिक निधियों की आवश्यकता है और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(घ) सरकार द्वारा राज्यों की आवश्यकता के अनुसार बाघ संरक्षण परियोजना हेतु निधियों की राशि में वृद्धि हेतु क्या प्रयास किए गए हैं?

संस्कृति मंत्रालय के राज्य मंत्री तथा पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय में राज्य मंत्री (डॉ. महेश शर्मा): (क) भारत सरकार 1973 से बाघ परियोजना की केन्द्रीय प्रायोजित स्कीम कार्यान्वित कर रही है जो चल रही है।

(ख) उक्त परियोजना 18 बाघ बहुल राज्यों में 50 बाघ रिजर्वो में परिचालनात्मक है जिसमें अन्य बातों के साथ-साथ मध्य प्रदेश राज्य भी शामिल है। उक्त योजना के तहत मध्य प्रदेश राज्य को उपलब्ध कराई गई वित्तीय सहायता का विवरण निम्न प्रकार है:-

वर्ष	जारी की गई राशि (लाख रु. में)
2014-15	4335.1182
2015-16	1421.00700
2016-17	12885.59790
2018-19 (24.07.2018 तक)	1413.264

(ग) और (घ) राज्य वार्षिक कार्य योजना (एपीओ) जिसमें वैधानिक रूप से अधिदेशित बाघ संरक्षण योजना (टीसीपी) पर आधारित कार्यकलाप की मांग होती है, के माध्यम से वित्तीय सहायता की आवश्यकता अभिव्यक्त करते हैं। भारत सरकार ने केन्द्रीय प्रायोजित स्कीम बाघ परियोजना की वित्तीय सहायता जो कि 2014-15 में 185.02 करोड़ रुपए थी, को बढ़ाकर 2018-19 में 350.00 करोड़ रुपए कर दिया है।

सीएसआर के अंतर्गत भेषज कंपनियों का समावेशन

1741. श्री जॉर्ज बेकर:
श्री प्रभुभाई नागरभाई वसावा:
श्री अनिल शिरोले:

क्या **कारपोरेट कार्य मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) कारपोरेट सामाजिक दायित्व (सीएसआर) की मुख्य विशेषताएं क्या हैं;

(ख) गत तीन वर्षों और चालू वर्ष के दौरान सीएसआर के अंतर्गत स्वीकृत, आवंटित और उपयोग की गई निधियों का पश्चिम बंगाल, गुजरात और महाराष्ट्र सहित राज्य/संघ राज्यक्षेत्र-वार ब्यौरा क्या है;

(ग) अब तक सीएसआर के अंतर्गत किए गए कार्यों/किए जा रहे कार्यों का उनके परिणाम सहित ब्यौरा क्या है;

(घ) क्या सरकार का विचार सीएसआर के अंतर्गत भेषज कंपनियों को शामिल करने का है; और

(ङ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इसके क्या कारण हैं?

विधि और न्याय मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा कारपोरेट कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री पी.पी. चौधरी): (क) से (ङ) तुरंत पूर्ववर्ती वित्तीय वर्ष के दौरान 500 करोड़ या अधिक रुपये के निवल मूल्य या 1000 करोड़ या अधिक रुपये के कारोबार या 5 करोड़ या अधिक रुपये के निवल लाभ वाली प्रत्येक कंपनी (फार्मा कंपनियों सहित) सुनिश्चित करेगी कि कंपनी द्वारा तुरंत पूर्ववर्ती तीन वित्तीय वर्षों के दौरान अर्जित औसत निवल लाभों का न्यूनतम 2% प्रत्येक वित्तीय वर्ष में कंपनी अधिनियम, 2013 (अधिनियम) की अनुसूची-VII में उल्लिखित क्षेत्रों या विषयों में व्यय किया जाता है। अन्य बातों के साथ-साथ सीएसआर प्रावधान की मुख्य विशेषताएं निम्नानुसार हैं:-

(i) प्रत्येक ऐसी कंपनी को बोर्ड की सीएसआर समिति का गठन करना अपेक्षित है;

(ii) कंपनी की अपनी सीएसआर नीति होना अपेक्षित है और सीएसआर समिति सीएसआर कार्यकलापों की निगरानी के लिए व्यवस्था करती है जबकि बोर्ड को इसके सीएसआर कार्यकलापों को लागू करने और निगरानी करने का अधिकार दिया गया है;

(iii) बोर्ड के सदस्यों की रिपोर्ट में कंपनियों द्वारा किए गए सीएसआर कार्यकलापों के विवरण या व्यय नहीं करने या कम व्यय करने के कारणों का उल्लेख किया जाता है।

(iv) सीएसआर कार्यकलाप किसी कंपनी द्वारा स्वयं या अधिनियम की धारा 8 के तहत स्थापित कार्यान्वयन एजेंसियों के माध्यम से या तीन वर्ष के ट्रैक रिकार्ड वाले किसी पंजीकृत न्यास या किसी पंजीकृत सोसाइटी के माध्यम से किए जा सकते हैं। यदि कार्यान्वयन एजेंसी स्वयं कंपनी द्वारा या केन्द्रीय या राज्य सरकार द्वारा स्थापित है तो तीन वर्ष का ट्रैक रिकार्ड अपेक्षित नहीं है।

(v) सीएसआर समिति कंपनी द्वारा की जाने वाली सीएसआर परियोजनाओं या कार्यक्रमों या गतिविधियों के कार्यान्वयन के लिए एक पारदर्शी निगरानी तंत्र की स्थापना करेगी।

(vi) प्रशासनिक शीर्ष पर व्यय एक वित्तीय वर्ष में कंपनी के कुल सीएसआर व्यय के 5% से अधिक नहीं होना चाहिए।

ऐसी कंपनियों द्वारा वर्ष 2014-15, 2015-16 और 2016-17 के लिए राज्य/संघ शासित प्रदेशों (पश्चिम बंगाल, गुजरात और

महाराष्ट्र सहित) का सीएसआर व्यय और क्षेत्र-वार ब्यौरा क्रमश: संलग्न विवरण-I और II पर दिया गया है।

विवरण-I

सीएसआर व्यय

(करोड़ रुपये में)

क्र. सं.	राज्य/संघ शासित क्षेत्र	2014-15	2015-16	2016-17*
1	2	3	4	5
1.	अंडमान और निकोबार द्वीपसमूह	0.29	0.54	0.07
2.	आंध्र प्रदेश	403.91	1220.54	101.69
3.	अरुणाचल प्रदेश	11.03	1.49	7.98
4.	असम	133.07	166.81	38.28
5.	बिहार	36.20	108.15	36.90
6.	चंडीगढ़	1.73	5.08	4.17
7.	छत्तीसगढ़	158.89	236.22	14.85
8.	दादरा और नगर हवेली	2.54	12.03	1.65
9.	दमन और दीव	20.05	2.13	0.83
10.	दिल्ली	214.24	468.18	229.87
11.	गोवा	26.60	30.25	10.54
12.	गुजरात	296.53	550.98	152.04
13.	हरियाणा	176.29	364.22	107.87
14.	हिमाचल प्रदेश	9.30	51.71	10.57
15.	जम्मू और कश्मीर	40.57	103.02	27.83
16.	झारखंड	75.86	115.70	24.24
17.	कर्नाटक	382.76	730.64	202.71
18.	केरल	64.30	129.24	50.94
19.	लक्षद्वीप	0.00	0.30	0.00
20.	मध्य प्रदेश	137.15	178.94	213.48
21.	महाराष्ट्र	1372.34	1810.45	702.37
22.	मणिपुर	1.57	5.93	6.03
23.	मेघालय	3.52	3.86	2.99
24.	मिजोरम	1.03	1.08	0.08
25.	नागालैंड	1.11	0.95	0.45
26.	ओडिशा	249.50	604.26	191.43
27.	पुदुचेरी	1.81	6.31	3.71
28.	पंजाब	53.86	68.17	20.17
29.	राजस्थान	271.36	472.46	84.99
30.	सिक्किम	1.03	1.90	2.12
31.	तमिलनाडु	498.89	597.60	202.53
32.	तेलंगाना	94.89	248.57	64.56
33.	त्रिपुरा	1.16	1.47	0.60
34.	उत्तर प्रदेश	138.64	406.93	120.34
35.	उत्तराखंड	69.99	71.50	30.74
36.	पश्चिम बंगाल	178.61	399.89	121.12
37.	समस्त भारत**	4434.12	4650.39	1928.26
	कुल योग	9564.77	12827.86	4719.00

*30.11.2017 तक की फाइलिंग शामिल की गई है।

**कंपनियों ने या तो राज्यों का नाम नहीं बताया है या एक से अधिक राज्य का उल्लेख किया है जहां परियोजनाएं शुरू की गईं।

विवरण-II

सीएसआर व्यय

(करोड़ रुपये में)

क्र.सं.	क्षेत्र	2014-15	2015-16	2016-17*
1.	स्वास्थ्य/भुखमरी, गरीबी और कुपोषण का निवारण/सुरक्षित पीने का पानी/स्वच्छता	2382.27	4330.21	1201.37
2.	शिक्षा/विक्लांगजन/जीविका	3021.47	4689.81	1605.05
3.	ग्रामीण विकास	1031.02	1327.57	628.56
4.	पर्यावरण/पशु कल्याण/संसाधनों का संरक्षण	812.31	901.80	306.68
5.	स्वच्छ भारत कोष	94.52	323.24	89.35
6.	अन्य कोई निधि	272.58	322.63	137.70
7.	लैंगिक समानता/महिला सशक्तिकरण/वृद्धाश्रम/असमानता हटाना	172.63	331.50	122.60
8.	प्रधानमंत्री राष्ट्रीय राहत कोष	211.04	206.08	109.81
9.	खेलों को प्रोत्साहन	53.36	134.76	51.73
10.	विरासत कला और संस्कृति	113.62	114.90	49.64
11.	स्लम विकास क्षेत्र	101.07	13.60	1.97
12.	निर्मल गंगा कोष	4.64	32.52	22.97
13.	अन्य क्षेत्र (सशस्त्र सेनाओं को प्रौद्योगिकी इनक्यूबेटर और लाभ, प्रशासनिक ऊपरी खर्च तथा अन्य**)	1294.24	1099.24	391.57
	कुल (करोड़ रुपये में)	**9564.77**	**13827.86**	**4719.00**

*30.11.2017 तक की फाइलिंग शामिल की गई है।

**निर्दिष्ट नहीं किया गया है।

शहरी सहकारी बैंकों में प्रबंधन बोर्ड का गठन

1742. **एडवोकेट जोएस जॉर्ज:**
श्री अनुराग सिंह ठाकुर:
श्री बी. विनोद कुमार:

क्या **वित्त मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार शहरी सहकारी बैंकों (यूसीबी) में शासन को सुदृढ़ करने और पेशेवर प्रबंधन को बढ़ावा देने के लिए एक वर्ष के अंदर 100 करोड़ रुपये से भी अधिक की जमा राशि वाले इन सभी बैंकों में मालेगाम समिति के अनुरूप निदेशक मंडल (बीओएम) के अतिरिक्त एक प्रबंधन बोर्ड गठित करने की योजना बना रही है और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ख) क्या उक्त बीओएम इन बैंकों के प्रबंधन हेतु शीर्ष नीति निर्धारण निकाय होंगे, यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या बीओएम शहरी सहकारी बैंकों के संबंधित सहकारी अधिनियम में परिभाषित सभी प्रशासनिक कार्यों की देखरेख करने के लिए अधिकृत हैं, यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(घ) क्या बीओएमयूसीबी के ऋण, जोखिम और तरलता प्रबंधन के लिए उत्तरदायी होंगे और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ङ) क्या भारतीय रिजर्व बैंक ने बड़े शहरी सहकारी बैंकों के आकार और जटिलता के कारण सिस्टम को होने वाले जोखिमों को टालने के लिए उनको लघु वित्तीय बैंकों में परिवर्तित करने की अनुमति देने की कोई योजना घोषित की है और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं; और

(च) क्या इस प्रस्ताव का उद्देश्य शहरी सहकारी बैंकों को बैंकिंग की मुख्य धारा में लाने के लिए उनमें नई विनियामक प्रणाली विकसित करने का है और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री शिव प्रताप शुक्ला): (क) से (घ) भारतीय रिजर्व बैंक (आरबीआई) ने सूचित किया है कि उसने नए शहरी सहकारी बैंकों (यूसीबी) को लाइसेंस प्रदान करने के संबंध में विशेषज्ञ समिति (अर्थात् मालेगम समिति) तथा यूसीबी पर उच्च अधिकार प्राप्त समिति की सिफारिशों के अनुरूप नए शहरी सहकारी बैंकों (यूसीबी) को लाइसेंस प्रदान करने से संबंधित मसौदा दिशानिर्देश जारी किए हैं।

मसौदा दिशानिर्देशों के अनुसार, प्रत्येक यूसीबी में निदेशक मंडल (बीओडी) के अतिरिक्त एक प्रबंधक मंडल (बीओएम) होगा, जिसका गठन बीओडी द्वारा किया जाएगा। 100 करोड़ रुपए से अधिक की जमा राशि वाले वर्तमान यूसीबी एक वर्ष की अवधि के अंदर बीओएम का गठन करेंगे और अन्य बैंक दो वर्ष की अवधि के अंदर बीओएम का गठन कर सकते हैं।

मसौदा दिशानिर्देशों के अनुसार, बीओडी पॉलिसी तैयार करने वाला सर्वोच्च निकाय होगा और यह संबंधित सहकारी अधिनियम में यथा वर्णित यूसीबी के प्रशासनिक कार्यों की देख-रेख भी करेगा। बीओएम के प्रमुख उत्तरदायित्वों में प्रबंधन, जोखिम प्रबंधन और चलनिधि प्रबंधन के कार्य शामिल होंगे। बीओएम अच्छे आंतरिक नियंत्रण तथा प्रणाली /तैयारी/जोखिम प्रबंधन पॉलिसी का क्रियान्वयन भी करेगा।

(ङ) और (च) आरबीआई ने सूचित किया है कि 6 जून, 2018 को जारी अपनी मौद्रिक नीति विवरणी में उसने लघु वित्त बैंकों (एसएफबी) में निर्धारित मानदण्डों को पूरा करने वाली यूसीबी को स्वैच्छिक परिवर्तन करने की अनुमति देने की घोषणा की है। योजना के अंतर्गत कुछेक मानदण्डों को पूरा करने वाली सुचारु रूप से चल रही यूसीबी एसएफबी में परिवर्तित करने के लिए पात्र होंगी।

ई-सिगरेट

1743. श्री एम.बी. राजेश:
डॉ. कंभमपति हरिबाबू:

क्या **स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या स्वास्थ्य मंत्रालय सम्पूर्ण देश में ई-सिगरेट या इलेक्ट्रॉनिक निकोटीन डिलीवरी प्रणाली (ईएनडीएस) पर प्रतिबंध लगाने के लिए कोई तंत्र बनाने पर विचार कर रहा है और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ख) इलेक्ट्रॉनिक निकोटीन डिलीवरी प्रणाली (ईएनडीएस) के संबंधी कार्य समूह की सिफारिशें क्या हैं और अब तक क्या कार्रवाई की गई है;

(ग) क्या सरकार ई-सिगरेट या इलेक्ट्रॉनिक निकोटीन डिलीवरी प्रणाली (ईएनडीएस) पर प्रतिबंध लगाने या विनियमित करने के लिए प्रावधान शामिल करने हेतु सीओपीटीए, 2003 में संशोधन करने पर विचार कर रही है और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(घ) क्या स्वास्थ्य मंत्रालय को देश में ई-सिगरेट या इलेक्ट्रॉनिक निकोटीन डिलीवरी प्रणाली (ईएनडीएस) के स्वास्थ्य पर प्रभावों और सुरक्षा के संबंध में किसी अध्ययन की जानकारी है और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती अनुप्रिया पटेल): (क) से (घ) स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय ने इलेक्ट्रॉनिक निकोटिन प्रदानगी प्रणालियों (ईएनडीएस) के संबंध में 4 जुलाई, 2014 को एक गोलमेज चर्चा का आयोजन किया था, जिसमें प्रतिष्ठित चिकित्सकों, वैज्ञानिकों और स्वास्थ्य एवं औषधि विभाग के अधिकारियों ने यह निष्कर्ष निकाला था कि उपलब्ध वैज्ञानिक साक्ष्य यह दर्शाते हैं कि ईएनडीएस [और इस प्रकार की प्रौद्योगिकियां जो तंबाकू के उपयोग को बढ़ावा देती हैं अथवा जन स्वास्थ्य पर प्रतिकूल प्रभाव डालती हैं] सक्रिय (एक्टिव) उपभोक्ताओं के साथ-साथ निष्क्रिय (पैसिव) उपभोक्ताओं के लिए जोखिमपूर्ण हैं तथा भारत में ईएनडीएस को प्रतिबंधित करने/विनियमित करने के मामले पर विचार करने के लिए उप-समूहों का गठन करने का निर्णय लिया गया था। उप-समूहों ने मौजूदा कानून में संशोधन, जो कि सरकार के विचारार्थ है, सहित ईएनडीएस को प्रतिबंधित करने/विनियमित करने के बारे में अपनी संस्तुतियां प्रस्तुत कर दी हैं।

स्वास्थ्य मंत्रालय को भारत के संदर्भ में ई-सिगरेटों अथवा इलेक्ट्रॉनिक निकोटिन प्रदानगी प्रणालियों (ईएनडीएस) का स्वास्थ्य पर पड़ने वाले प्रभाव एवं सुरक्षा के बारे में किए जाने वाले किसी भी अध्ययन के बारे में जानकारी नहीं है। फिर भी, वैश्विक परिप्रेक्ष्य में, विश्व स्वास्थ्य संगठन द्वारा तैयार की गई रिपोर्ट के अनुसार, इलेक्ट्रोनिक निकोटिन प्रदानगी प्रणाली (ईएनडीएस) (ई-सिगरेट के रूप में भी जाना जाता है) निकोटिन, जो कि तंबाकू उत्पादों का व्यसनकारी घटक है, का उत्सर्जन करती है। इस पर निर्भर होने

के साथ-साथ गर्भावस्था के दौरान विकास पर निकोटिन के भ्रूण पर प्रतिकूल प्रभाव हो सकते हैं तथा इससे हृदयवाहिका रोग भी हो सकता है। विश्व स्वास्थ्य संगठन की रिपोर्ट में आगे कहा गया है कि हालांकि निकोटिन स्वयं कैंसरजनित नहीं है, तथापि यह 'ट्यूमर वर्धक' के रूप में कार्य कर सकता है तथा इससे घातक बीमारी के साथ-साथ स्नायु विकार होने की संभावना रहती है। भ्रूण एवं किशोर निकोटिन की अरक्षितता से मस्तिष्क विकास, अंत:शक्ति पर दीर्घावधि दुष्परिणाम पड़ती है जिससे सीख एवं चिंता संबंधी विकार उत्पन्न होते हैं।

उपलब्ध साहित्य में यह सुझाते हैं कि इलेक्ट्रॉनिक निकोटिन प्रदानगी प्रणाली में (ईएनडीएस) निकोटिन का उत्सर्जन होता है जो कि तंबाकू उत्पादों का व्यसनकारी घटक है तथा मानव स्वास्थ्य के लिए हानिकारक है।

प्वाइंट ऑफ सेल मशीन

1744. श्री पी.सी. मोहन: क्या **वित्त मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार ने सरकारी क्षेत्र के बैंकों (पीएसबी) को अधिक प्वाइंट ऑफ सेल (पीओएस) मशीन खरीदने हेतु अनुदेश दिया है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या मौजूदा एटीएम मशीनों को छोटे उपभोक्ताओं की सुविधा हेतु बैंकों द्वारा परिचालनरत किए जाने की संभावना है;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इसके क्या कारण हैं; और

(ङ) आज की तिथि अनुसार पीएसबी द्वारा प्रचालित पीओएस मशीनों की कुल संख्या कितनी है और इस वर्ष कितनी वृद्धि की संभावना है?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री शिव प्रताप शुक्ला): (क) और (ख) इलैक्ट्रॉनिक और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय (एमईआईटीवाई) के अनुसार, भारत सरकार ने एमईआईटीवाई के माध्यम से सरकारी और निजी क्षेत्र के बैंकों द्वारा 20 लाख अतिरिक्त बिक्री केन्द्र (पीओएस) टर्मिनल लगाने का लक्ष्य आवंटित किया है।

(ग) और (घ) बैंकों द्वारा दी गयी सूचना के अनुसार, बैंकों द्वारा लगायी गयी एटीएम मशीनों का उपयोग बैंकों के छोटे ग्राहकों सहित सभी ग्राहकों द्वारा किया जा सकता है।

(ङ) बैंकों द्वारा पीओएस मशीनें लगाया जाना एक निरंतर चलने वाली प्रक्रिया है। दिनांक 29.6.2018 की स्थिति के अनुसार, सरकारी क्षेत्र के बैंकों द्वारा फिजिकल/मोबाइल पीओएस सहित, पीओएस मशीनों की संख्या का ब्यौरा संलग्न विवरण में है।

विवरण

29.06.2018 को पीएसबी द्वारा लगाई गई पीओएस मशीनों की संख्या

क्र. सं.	बैंक का नाम	दिनांक 29.06.2018 की स्थिति के अनुसार लगाए गए भीम आधार पे	दिनांक 29.06.2018 की स्थिति के अनुसार लगाए गए फिजिकल/ मोबाइल बिक्री केन्द्र
1	2	3	4
1.	इलाहाबाद बैंक	26,644	3,094
2.	आंध्र बैंक	18,300	15,968
3.	बैंक ऑफ बड़ौदा	64,836	62,413
4.	बैंक ऑफ इंडिया	30,469	35,283
5.	बैंक ऑफ महाराष्ट्र	28,702	3,493
6.	केनरा बैंक	27,973	19,550
7.	सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया	6,502	3,712

1	2	3	4
8.	कार्पोरेशन बैंक	1,017	1,59,715
9.	देना बैंक	13,825	7,888
10.	आईडीबीआई बैंक लिमिटेड	26,183	30,196
11.	इंडियन बैंक	2,987	11,352
12.	इंडियन ओवरसीज बैंक	4,984	21,164
13.	ओरिएंटल बैंक ऑफ कॉमर्स	3,952	8,318
14.	पंजाब एंड सिंध बैंक	3,312	1,066
15.	पंजाब नेशनल बैंक	25,283	61,516
16.	भारतीय स्टेट बैंक	1,44,096	6,22,637
17.	सिंडिकेट बैंक	16,206	7,600
18.	यूको बैंक	1,964	5,080
19.	यूनियन बैंक ऑफ इंडिया	9,124	57,420
20.	युनाइटेड बैंक ऑफ इंडिया	2,047	4,169
21.	विजया बैंक	2,392	7,192
	कुल	460,798	1,148,826

स्रोत: बैंक

एलआईसी की सम्पत्ति

1745. श्री गोपाल शेट्टी: क्या **वित्त मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) मुंबई में जीवन बीमा निगम (एलआईसी) के स्वामित्व वाली चाल और भवन सम्पत्तियों की संख्या का ब्यौरा क्या है और उनकी आवासीय/वाणिज्यिक-वार कीमत कितनी है;

(ख) क्या एलआईसी ने उन चालों और सम्पत्तियों के पुनर्विकास से संबंधित कोई सर्वेक्षण किया है और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या एलआईसी ने कोई परामर्शदाता नियुक्त किया है और यदि हां, तो तत्संबंधी परिणाम क्या रहे;

(घ) क्या उन्होंने अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत कर दी है और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और एलआईसी को 50 प्रतिशत बिक्री योग्य एफएसआई में से चाल/सम्पत्तियों के पुनर्विकास के पश्चात् कितना लाभ हुआ है;

(ङ) क्या इन सम्पत्तियों का पुनर्विकास एक नीतिगत मसला है जिसका निर्णय केवल मंत्रालय द्वारा लिया गया है और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(च) क्या मंत्रालय इस संबंध में कोई नीति तैयार करेगा जैसा कि अन्य मंत्रालयों/विभागों द्वारा किया गया है और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री शिव प्रताप शुक्ला): (क) से (घ) भारतीय जीवन बीमा निगम (एलआईसी) के अनुसार मुंबई में एलआईसी के स्वामित्व वाली चालों एवं भवन संपत्तियों की उनके मूल्य सहित संख्या निम्नानुसार है:-

संपत्ति	संख्या	मूल्य (करोड़ रुपए में)
चालें	10	138.83
निवेश भवन	101	5,033.32
आवासीय भवन	87	924.32
कुल	198	6,096.44

एलआईसी ने चालों/संपत्तियों के पुनर्विकास के संबंध में ऐसा कोई सर्वेक्षण नहीं किया है। एलआईसी ने किसी परामर्शदाता की नियुक्ति नहीं की है।

(ङ) और (च) उपर्युक्त संपत्तियों का पुनर्विकास एलआईसी का नीतिगत मामला है।

[हिन्दी]

एम्स में प्रतीक्षा की अवधि

1746. श्री कीर्ति आजाद:
श्री ताम्रध्वज साहू:

क्या **स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार को इस बात की जानकारी है कि अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान (एम्स), नई दिल्ली और स्नातकोत्तर चिकित्सा शिक्षा और अनुसंधान संस्थान, की लखनऊ में मरीजों की शल्य चिकित्सा के लिए प्रतीक्षा का समय कई वर्ष तक है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और सरकार की इस पर क्या प्रतिक्रिया है;

(ग) विगत तीन वर्षों के दौरान एम्स में पृथक रूप से शल्य चिकित्सा विभाग में भर्ती किए गए मरीजों की कुल संख्या कितनी है जिनकी शल्य चिकित्सा की गई और कितने मरीजों को उपर्युक्त संस्थानों में बिस्तर उपलब्ध नहीं होने के कारण अन्य अस्पतालों में रेफर किया गया; और

(घ) सरकार द्वारा उक्त संस्थान में शल्य चिकित्सा विभाग में बिस्तरों की संख्या और अन्य सुविधाएं बढ़ाने के लिए क्या कदम उठाए गए हैं/जा रहे हैं?

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री अश्विनी कुमार चौबे): (क) और (ख) उपचार/सर्जरी के लिए आने वाले मरीजों की संख्या संस्थानों में उपलब्ध बिस्तरों से अधिक है। तथापि, भर्ती होने वाले मरीजों की प्रतीक्षा सूची मरीजों की स्थिति, उपचार की तात्कालिकता और दिन विशेष को बिस्तरों की उपलब्धता के अनुसार तैयार की जाती है। दुर्घटना/लाइफसेविंग परिस्थितियों में जहां तक व्यावहारिक रूप से संभव होता है, गंभीर रूप से बीमार मरीजों को भर्ती करने के सभी प्रयास किए जाते हैं। आपातकाल में बिस्तरों की अनुपलब्धता की स्थिति में, मरीजों को पहले स्थिर किया जाता है, फिर आगामी प्रबंधन के लिए उन्हें दूसरे सरकारी अस्पतालों को भेजा जाता है।

(ग) पिछले तीन वर्षों के दौरान एम्स, नई दिल्ली और संजय गांधी स्नातकोत्तर चिकित्सा विज्ञान संस्थान (एसजीपीजीआईएमएस), लखनऊ में भर्ती किए गए मरीजों और की गई सर्जरी की कुल संख्या अनुलग्नक में दी गई है। उपरोक्त दोनों संस्थानों में बिस्तरों की अनुपलब्धता के कारण अन्य अस्पतालों को स्थानांतरित किए गए मरीजों से संबंधित आंकड़े नहीं रखे जाते हैं।

(घ) एम्स, नई दिल्ली के सर्जरी विभाग में बिस्तरों की संख्या और अन्य सुविधाओं में बढ़ोतरी के लिए सरकार ने 200 बिस्तरों और 12 ऑपरेशन थियेटरों के एक नए सर्जिकल ब्लॉक की स्थापना की मंजूरी दी।

विवरण

एम्स, नई दिल्ली

विभाग	2015-16		2016-17		2017-18	
	प्रवेश	ऑपरेशन	प्रवेश	ऑपरेशन	प्रवेश	ऑपरेशन
सर्जरी	7993	17735	7755	18705	8082	18873
ऑर्थोपेडिक्स	6199	5530	6402	5506	6591	5635
कार्डियो + सीटीवीएस	12007	3909	12611	4060	12331	4141
न्यूरोलॉजी	4398	-	4354	-	5018	-
न्यूरो सर्जरी	4247	3407	4292	3383	3999	3314

संजय गांधी स्नातकोत्तर चिकित्सा विज्ञान संस्थान, लखनऊ

विभाग	2015		2016		2017	
	प्रवेश	ऑपरेशन	प्रवेश	ऑपरेशन	प्रवेश	ऑपरेशन
न्यूरो सर्जरी	1399	2059	1397	1928	1674	2325
सीटीवीएस	938	789	903	756	893	801
न्यूरोलॉजी	1610	-	1914	-	1762	-

[अनुवाद]

एकीकृत बाल सुरक्षा योजना

1747. श्रीमती ज्योति धुर्वे: क्या **महिला और बाल विकास मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) सरकार द्वारा कार्यान्वित की जा रही एकीकृत बाल सुरक्षा योजना (आईसीपीएस) की मुख्य विशेषताएं क्या हैं;

(ख) क्या सरकार इसके कार्यान्वयन हेतु राज्य/संघ राज्यक्षेत्र को कोई वित्तीय सहायता प्रदान करती है और यदि हां, तो आवंटित/जारी की गई और उपयोग की गई निधियों का ब्यौरा क्या है और गत तीन वर्षों में प्रत्येक वर्ष और मौजूदा वर्ष के दौरान उक्त योजना के अंतर्गत लाभार्थी बालकों की राज्य/संघ राज्यक्षेत्र-वार संख्या कितनी है; और

(ग) देश में उक्त योजना के प्रभावी कार्यान्वयन हेतु सरकार द्वारा क्या उपाय किए गए हैं?

महिला और बाल विकास मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा अल्पसंख्यक कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (डॉ. वीरेन्द्र कुमार): (क) महिला एवं बाल विकास मंत्रालय (एमडब्ल्यूसीडी) किशोर न्याय (बालकों की देख-रेख एवं संरक्षण) अधिनियम, 2015 के तहत यथा-परिकल्पिक कठिन परिस्थितियों में बालकों की सहायता के लिए केन्द्रीय प्रायोजित समेकित "बाल संरक्षण सेवा" (सीपीएस), क्रियान्वित कर रहा है जो पूर्व में समेकित बाल संरक्षण योजना नाम से जानी जाती थी। अधिनियम के निष्पादन का प्राथमिक उत्तरदायित्व राज्य/संघ राज्य क्षेत्रों का है। तथापि, केन्द्र सरकार समेकित बाल विकास योजना के तहत आईसीपीएस (अब "बाल संरक्षण सेवाएं") का प्रबंधन कर रही है और राज्यों/संघ शासित क्षेत्रों को विभिन्न प्रकार के बाल देख-रेख संस्थानों (सीसीआई) की स्थापना करने, रखरखाव करने के लिए अन्य बातों के साथ-साथ साझा कठिन परिस्थितियों में रह रहे बालकों का परिस्थिति-जन्य विश्लेषण करने हेतु पैटर्न पर वित्तीय सहायता प्रदान कर रही है। इस स्कीम के तहत देख-रेख संस्थानों (सीसीआई) के माध्यम से पुनर्वास उपाय के रूप में संस्थागत देख-रेख प्रदान की जाती है। इन देख-रेख संस्थानों (सीसीआई) में बालकों को या तो सरकार या फिर सिविल सोसायटी की अन्य स्कीमों और कार्यक्रमों के अभिसरण के माध्यम से संस्था के भीतर या औपचारिक शिक्षा प्रणाली में अन्यत्र आयु अनुरूप उचित शिक्षा प्रदान की जाती है। गैर-संस्थागत देख-रेख घटक के तहत दत्तक-ग्रहण, फोस्टर देख-रेख और प्रायोजन करने के लिए सहायता प्रदान की जाती है।

(ख) राज्यों/संघ शासित क्षेत्रों द्वारा विगत तीन वर्षों और वर्तमान वर्ष के दौराने रिपोर्ट किये निधियों के उपयोग और लाभार्थियों की संख्या के साथ "बाल संरक्षण सेवा" (सीपीएस) के तहत राज्य सरकारों/संघ शासित क्षेत्रों के प्रशासन को जारी की गई निधियों का राज्य/संघ राज्यक्षेत्र-वार ब्यौरा संलग्न विवरण में दिया गया है।

(ग) महिला और बाल विकास मंत्रालय ने स्कीम का प्रभावी कार्यान्वयन सुनिश्चित करने के लिए निगरानी प्रणाली स्थापित की है। मंत्रालय में सचिव (महिला एवं बाल विकास मंत्रालय) की अध्यक्षता में परियोजना अनुमोदन मंडल (पीएबी) का गठन किया गया है जो इस स्कीम के तहत अनुदान जारी करने के लिए राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों की कार्यान्वयन आयोजनाओं, वार्षिक आयोजनाओं और वित्तीय प्रस्तावों की संवीक्षा करता है। परियोजना अनुमोदन मंडल (पीएबी) समय-समय पर आयोजनाओं के क्रियावन्यन की प्रगति की निगरानी और समीक्षा करता है। परियोजना अनुमोदन मंडल (पीएबी) नियमित रूप से राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों को इस योजना के तहत सेवा वितरण संरचनाओं अर्थात् राज्य बाल संरक्षण सोसायटी, जिला बाल संरक्षण इकाइयों, राज्य दत्तक-ग्रहण संसाधन एजेंसी, विशेषीकृत दत्तक-गहण एजेंसियों इत्यादि के रिक्त पदों को भरने के लिए निदेश देता है।

विवरण

संघ शासित क्षेत्रों द्वारा विगत तीन वर्षों और वर्तमान वर्ष के दौरान रिपोर्ट की गई निधियों के उपयोग और लाभार्थियों की संख्या के साथ "बाल संरक्षण सेवा" (सीपीएस) के तहत राज्य सरकारों/संघ राज्य क्षेत्र प्रशासनों को जारी की गई निधियों का राज्य/संघ राज्य क्षेत्र-वार विवरण

(लाख रुपये में)

क्र. सं.	राज्य/संघ राज्य क्षेत्र	2014-15			2015-16			2016-17			2017-18 (31.03.18 तक)		
		जारी की गई राशि	उपयोग की गई राशि	लाभार्थी	जारी की गई राशि	उपयोग की गई राशि	लाभार्थी	जारी की गई राशि	उपयोग की गई राशि	लाभार्थी	जारी की गई राशि	उपयोग की गई राशि	लाभार्थी
1.	आंध्र प्रदेश	301.62	275.24	4797	238.58	500.52	4827	110.74	586.32	4874	1469.88	1537.11	4874
2.	अरुणाचल प्रदेश	130.68	84.17	70	571.68	92.02	33	52.29	179.54	65	643.71	180.00	65
3.	असम	1010.36	1332.49	792	597.90	1025.07	860	413.64	1112.98	1281	2932.68	1787.53	1281
4.	बिहार	204.75	1721.60	2137	2687.89	1896.52	1502	2787.92	1923.33	2315	541.56	1633.69	2315
5.	छत्तीसगढ़	821.24	1620.47	1493	3955.55	2086.26	1485	527.77	1683.25	2341	2650.97	2486.27	2341
6.	गोवा	100.00	240.11	151	235.25	39.68	447	36.83	98.27	1261	728.53	54.44	1261
7.	गुजरात	1925.75	1404.29	2669	2328.90	1510.37	2299	769.95	1526.53	2216	590.11	1767.24	2404
8.	हरियाणा	1526.72	678.15	1803	496.44	350.89	2247	0.00	1224.85	3219	315.11	2500.00	3219
9.	हिमाचल प्रदेश	835.71	228.25	924	604.04	1255.12	1016	2345.48	2390.26	1094	1835.01	1833.11	1237
10.	जम्मू और कश्मीर	0.00	0.00	0	113.35	0.00	267	43.12	114.71	1161	624.24	374.62	1161
11.	झारखंड	36.03	87.32	666	369.88	387.42	585	840.11	842.14	941	1714.57	1641.76	941
12.	कर्नाटक	3689.87	3747.81	4610	1845.24	2193.66	4114	3720.80	3709.53	5051	3272.45	1364.04	5051
13.	केरल	1354.35	1340.30	961	944.39	660.25	1333	260.50	216.96	1382	1849.45	1275.72	1382
14.	मध्य प्रदेश	1889.69	2096.53	2239	1116.03	2373.81	1963	2503.88	2535.83	2668	3262.77	2582.87	2668
15.	महाराष्ट्र	762.32	762.32	4626	3138.75	1975.29	4112	2272.33	1569.37	6444	383.99	1308.75	6444

16. मणिपुर	138.48	1986.84	870	3082.18	1163.81	1105	241.34	709.47	1275	1536.33	2103.00	1275
17. मेघालय	2003.83	1975.50	1199	1469.55	1497.88	745	2060.33	2060.33	1676	1846.60	1846.60	1676
18. मिजोरम	1919.02	1919.02	1928	2079.44	2079.44	1615	1949.55	1949.55	1497	1917.51	1917.51	1351
19. नागालैंड	957.41	1662.70	1710	2257.65	1473.21	913	1350.37	1447.50	692	1457.45	1457.45	539
20. ओडिशा	2544.82	1786.31	19583	3309.07	2669.74	7578	1089.22	2580.78	7791	1655.96	2773.86	7791
21. पंजाब	507.12	570.61	818	820.81	515.57	591	581.67	718.31	643	143.24	875.43	643
22. राजस्थान	3395.82	3654.40	4340	3258.92	2929.43	3938	0.00	2267.52	3149	4752.30	1295.98	3149
23. सिक्किम	390.24	413.88	475	562.00	303.74	572	601.18	365.87	506	662.76	125.43	506
24. तमिलनाडु	3067.10	2804.89	18952	825.04	4282.78	17361	13039.37	3648.55	14555	2013.12	5512.50	14555
25. तेलंगाना	2087.59	203.53	3013	354.88	93.94	3434	195.64	1823.98	3569	894.82	633.08	3569
26. त्रिपुरा	1227.34	1073.70	1465	710.63	680.20	560	67604	415.30	777	446.81	499.00	777
27. उत्तर प्रदेश	1798.9	3552.11	4070	2884.18	3293.57	3319	3207.19	3109.82	2954	1830.67	4222.98	3217
28. उत्तराखंड	83.48	11.05	275	66.88	3.89	291	15.54	187.54	424	907.57	731.40	424
29. पश्चिम बंगाल	2574.04	4348.35	4720	508.67	1067.29	3660	6763.87	3522.60	8915	5073.56	4232.67	7013
30. अंडमान और निकोबार द्वीपसमूह	145.90	0.00	310	36.03	36.03	342	36.88	36.76	367	31.66	93.36	367
31. चंडीगढ़	21.98	228.30	608	357.82	324.15	462	245.44	278.53	343	103.01	17273	343
32. दादरा और नगर हवेली	68.61	6.71	0	58.66	5.84	0	177.59	59.11	0	24.82	69.90	0
33. दमन और दीव	80.61	32.73	50	82.82	57.69	0	126.42	80.33	100	21.89	83.00	100
34. दिल्ली	606.22	838.68	1832	1363.40	931.53	1867	978.64	1024.94	2136	354.33	1295.68	1954
35. लक्षद्वीप	–	–	–	0.00	–	0.00	0.00	0.00	0.00	–	–	0
36. पुदुचेरी	1168.57	676.23	1635	559.60	622.75	1191	826.33	768.69	1226	114.35	426.20	1226

ईंट और मोर्टार से निर्मित बैंक शाखाएं

1748. श्री रवीन्द्र कुमार जेना: क्या **वित्त मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या मंत्रालय ने निर्देश जारी किए हैं कि बिना बैंक वाले राज्यों की प्रत्येक ग्राम पंचायत में मार्च 2019 तक अनुसूचित वाणिज्यिक बैंक की ईंट और मोर्टार से बनी एक बैंक शाखा शामिल की जाए और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ख) क्या मंत्रालय द्वारा ओडिशा सहित देश की प्रत्येक बिना बैंक वाली ग्राम पंचायत में पांच वर्षों की लक्षित अवधि के भीतर मार्च, 2019 तक ईंट और मोर्टार से बनी अनुसूचित वाणिज्यिक बैंक की शाखा खोली जाए और यदि हां, तो ओडिशा सहित राज्य/संघ राज्यक्षेत्र-वार तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) क्या मंत्रालय के किसी विशिष्ट उपाय पर विचार करने की संभावना है ताकि वाणिज्यिक बैंक ओडिशा सहित उपेक्षित राज्यों में आर्थिक और सामाजिक विकास के लिए आवश्यक समयबद्ध और पर्याप्त ऋण प्रदान करने में समर्थ हों और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री शिव प्रताप शुक्ला): (क) और (ख) शाखा प्राधिकार नीति को युक्तिसंगत बनाने के संबंध में दिनांक 18.05.2017 के मौजूदा दिशानिर्देशों के अनुसार, भारतीय रिजर्व बैंक (आरबीआई) ने घरेलू अनुसूचित वाणिज्यिक बैंकों (क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों को छोड़कर) को प्रत्येक मामले में आरबीआई का पूर्व अनुमोदन प्राप्त किए बिना देश के किसी स्थान पर बैंकिंग केन्द्र खोलने की सामान्य अनुमति प्रदान की है, बशर्ते कि किसी वित्तीय वर्ष के दौरान खोले जाने वाले कुल बैंकिंग केन्द्र का कम से कम 25 प्रतिशत 10,000 से कम जनसंख्या वाले बैंकरहित ग्रामीण केन्द्रों में हो। इस प्रयोजन हेतु भारत सरकार द्वारा यथा अधिसूचित पूर्वोत्तर के राज्यों तथा सिक्किम और वामपंथ उग्रवाद (एलडब्ल्यूई) से प्रभावित जिलों में 50,000 से कम जनसंख्या वाले किसी केन्द्र में खोले गए बैंकिंग केन्द्र को भी बैंकरहित ग्रामीण केन्द्रों में बैंकिंग केन्द्र खोलने के समतुल्य माना जाता है।

(ग) भारतीय रिजर्व बैंक ने सभी अनुसूचित वाणिज्यिक बैंक को प्राथमिकता प्राप्त क्षेत्र उधार के अंतर्गत लक्ष्यों के साथ मास्टर परिपत्र जारी किया है, जिसमें कृषि, सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम, निर्यात ऋण, शिक्षा, आवास, सामाजिक अवसंरचना, नवीकरणीय ऊर्जा इत्यादि शामिल हैं।

सरकारी क्षेत्र के बैंकों का निजीकरण

1749. श्री मुल्लापल्ली रामचन्द्रन: क्या **वित्त मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार का विचार देश में सरकारी क्षेत्र के बैंकों (पीएसबी) का निजीकरण करने का है;

(ख) घाटे में चल रहे सरकारी क्षेत्र के बैंकों का ब्यौरा है और इन बैंकों को कितना घाटा हुआ है;

(ग) क्या सरकार ने इन बैंकों के लिए कोई पुन:निर्माण योजना बनाई है; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री शिव प्रताप शुक्ला): (क) सरकार ने सरकारी क्षेत्र के बैंकों के निजीकरण का प्रस्ताव नहीं किया है।

(ख) से (घ) वित्तीय वर्ष 2017-18 में पीएसबी के निवल लाभ/घाटे का बैंक-वार ब्यौरा संलग्न विवरण में दिया गया है। सरकार ने पीएसबी सुधार एजेंडे की घोषणा की है, जिसे पीएसबी के बोर्ड द्वारा अनुमोदित कर दिया जाता है, जो अन्य बातों के साथ-साथ, पांच वर्ष के लिए बोर्ड द्वारा अनुमोदित कार्यनीतिक दृष्टिकोण एवं कारोबार केन्द्रित योजना की परिकल्पना करता है।

विवरण

वित्त वर्ष 2017-18 में पीएसबी के निवल लाभ/ घाटे का विवरण

राशि करोड़ रुपए में

क्र. सं.	बैंक	निवल लाभ (नकारात्मक चिह्न वाली राशि हानि की है)*
1	2	3
1.	इलाहाबाद बैंक	-4674
2.	आंध्र बैंक	-3413

1	2	3
3.	बैंक ऑफ बड़ौदा	-2432
4.	बैंक ऑफ इंडिया	-6044
5.	बैंक ऑफ महाराष्ट्र	-1146
6.	केनरा बैंक	-4222
7.	सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया	-5105
8.	कार्पोरेशन बैंक	-4054
9.	देना बैंक	-1923
10.	आईडीबीआई बैंक लिमिटेड	-8238
11.	इंडियन बैंक	1259
12.	इंडियन ओवरसीज बैंक	-6299
13.	ओरिएंटल बैंक ऑफ कॉमर्स	-5872
14.	पंजाब एंड सिंध बैंक	-744
15.	पंजाब नेशनल बैंक	-12283
16.	भारतीय स्टेट बैंक	-6547
17.	सिंडिकेट बैंक	-3223
18.	यूको बैंक	-4436
19.	यूनियन बैंक ऑफ इंडिया	-5247
20.	युनाइटेड बैंक ऑफ इंडिया	-1454
21.	विजया बैंक	727

स्रोत: भारतीय रिजर्व बैंक।

*जबकि बैंकों के द्वारा परिचालन लाभ सूचित किया गया है, उनका निवल घाटा मुख्यत: वर्ष 2015 में शुरू की गई एक्यूआर के परिणामस्वरूप अभिचिह्नित एनपीए हेतु पुराने प्रावधानों और तदनन्तर बैंकों के द्वारा पारदर्शी पहचान के कारण है।

पीएमएसएवाई

1750. श्री दीपेन्द्र सिंह हुड्डा:
श्री चन्द्रकांत खैरे:
श्री मनसुखभाई धनजीभाई वसावा:
श्री एम. चन्द्राकाशी:

क्या **स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार ने प्रधानमंत्री स्वास्थ्य सुरक्षा योजना (पीएमएसएसवाई) के अंतर्गत किसी चिकित्सा महाविद्यालय को उन्नयन हेतु चिह्नित किया है और यदि हां, तो गुजरात तथा हरियाणा सहित तत्संबंधी राज्य/संघ राज्यक्षेत्र-वार ब्यौरा क्या है;

(ख) विगत 3 वर्षो तथा चालू वर्ष के दौरान पीएमएसएसवाई के लिए राज्य/संघ राज्य क्षेत्र-वार कितनी निधि आवंटित की गई है और लक्ष्य प्राप्त किए गए हैं;

(ग) देश में नए एम्स खोलने हेतु कितनी निधि निर्धारित/उपयोग की गई है और इन नए एम्स की गुजरात तथा हरियाणा सहित राज्य/संघ राज्य क्षेत्र-वार वर्तमान स्थिति क्या है; और

(घ) सरकार द्वारा उक्त परियोजनाओं को पूरा करने हेतु क्या कदम उठाए गए हैं?

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री अश्विनी कुमार चौबे): (क) और (ख) जी, हां। भारत सरकार ने प्रधानमंत्री स्वास्थ्य सुरक्षा योजना (पीएमएसएसवाई) के विभिन्न चरणों के तहत 73 सरकारी मेडिकल कॉलेजों/संस्थानों के उन्नयन की मंजूरी दी है।

ब्यौरा संलग्न विवरण में दिया गया है।

(ग) पीएमएसएसवाई के तहत स्थापित किए गए नए एम्स का ब्यौरा संलग्न विववरण-II में दिया गया है।

(घ) स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय द्वारा 6 नए एम्स के शेष कार्य को शीघ्रता से पूरा करने हेतु प्रत्येक संभव कदम उठाए गए हैं। निर्माण के अतिरिक्त, दिसंबर 2018 तक 6 नए एम्स को पूर्णत: कार्यरत करने के लिए खरीदे तथा स्टॉफ की भर्ती के कार्य में तेजी लाई गई है। उपरोक्त के अतिरिक्त, मंत्रिमंडल द्वारा 9 नए एम्स की मंजूरी दी गई है। इसके अतिरिक्त 6 एम्स भी अनुमोदन के विभिन्न चरणों में हैं। ब्यौरा विवरण-II में संलग्न है।

विवरण-I

पीएमएसएसवाई के चरण-I के तहत 120.00 करोड़ रु. प्रत्येक की लागत से 13 मौजूदा सरकारी मेडिकल कॉलेजों का उन्नयन (केन्द्रीय अंशदान : 100 करोड़ रु. तथा राज्य अंशदान : 20 करोड़ रु.)

क्र. सं.	राज्य का नाम	कॉलेज की क्रम संख्या	संस्थान/सरकारी मेडिकल कॉलेज का नाम	जारी की गई निधि (करोड़ रु.)			
				2015-16	2016-17	2017-18	2018-19
1.	आंध्र प्रदेश	1.	श्री वेंकटेश्वर आयुर्विज्ञान संस्थान, तिरुपति	0	0	0	0
2.	जम्मू-कश्मीर	2.	सरकारी मेडिकल कॉलेज, जम्मू	2.61	0.0019	0	0
		3.	सरकारी मेडिकल कॉलेज, श्रीनगर	0	0.0334	2.48	0
3.	झारखण्ड	4.	राजेन्द्र आयुर्विज्ञान संस्थान संस्थान (आरआईएमएस), रांची	4.51	0.0020	0	0
4.	गुजरात	5.	बीजे मेडिकल कॉलेज, अहमदाबाद	11.29	3.07	5.24	0
5.	कर्नाटक	6.	बंगलौर मेडिकल कॉलेज, बंगलौर	1	0	0	0
6.	केरल	7.	मेडिकल कॉलेज, तिरुवनंतपुरम	3.67	4.22	1.16	0
7.	महाराष्ट्र	8.	ग्रांट मेडिकल कॉलेज एवं सर जेजे ग्रुप ऑफ हॉस्पिटल्स, मुंबई	8.37	0.88	0.75	0
8.	तमिलनाडु	9.	सरकारी मोहन कुमारमंगलम मेडिकल कॉलेज, सालेम	0	0	0	0
9.	तेलंगाना	10.	निजाम आयुर्विज्ञान संस्थान, हैदराबाद, तेलंगाना	0	0	0	0
10.	उत्तर प्रदेश	11.	संजय गांधी स्नातकोत्तर आयुर्विज्ञान संस्थान, लखनऊ	0	0	0	0
		12.	आयुर्विज्ञान संस्थान, बीएचयू, वाराणयी	1.21	1.67	0	0
11.	पश्चिम बंगाल	13.	कोलकाता मेडिकल कॉलेज, कोलकाता	2.22	28	0	0

पीएमएसएसवाई के चरण-II के तहत 150.00 करोड़ रु. प्रत्येक की लागत से 6 मौजूदा सरकारी मेडिकल कॉलेजों का उन्नयन (केन्द्रीय अंशदान : 125 करोड़ रु. तथा राज्य अंशदान : 25 करोड़ रु.)

क्र. सं.	राज्य का नाम	कॉलेज की क्रम संख्या	संस्थान/सरकारी मेडिकल कॉलेज का नाम	जारी की गई निधि (करोड़ रु.)			
				2015-16	2016-17	2017-18	2018-19
1	2	3	4	5	6	7	8
1.	हरियाणा	1.	पीजीआईएमएस, रोहतक (हरियाणा)	29.30	0.01	0	1.67

1	2	3	4	5	6	7	8
2.	हिमाचल प्रदेश	2.	डॉ. आरपी सरकारी मेडिकल कॉलेज, टांडा (हिमाचल प्रदेश)	17.35	0.06	0	0
3.	महाराष्ट्र	3.	सरकारी मेडिकल कॉलेज, नागपुर (महाराष्ट्र)	13	0	0	0
4.	पंजाब	4.	सरकारी मेडिकल कॉलेज, अमृतसर (पंजाब)	11.08	0	0	0
5.	तमिलनाडु	5.	सरकारी मेडिकल कॉलेज, मदुरै (तमिलनाडु)	43.82	0	13.67	0
6.	उत्तर प्रदेश	6.	जेएन मेडिकल कॉलेज, एएमयू. अलीगढ़ (उत्तर प्रदेश)	27.79	0.01	0	0

पीएमएसएसवाई के चरण-III के तहत 150.00 करोड़ रु. प्रत्येक की लागत से 39 मौजूदा सरकारी मेडिकल कॉलेजों का उन्नयन (केन्द्रीय अंशदान : 120 करोड़ रु. तथा राज्य अंशदान : 30 करोड़ रु.)

क्र. सं.	राज्य का नाम	कॉलेज की क्रम संख्या	जीएमसीआई	जारी की गई निधि (करोड़ रु.)			
				2015-16	2016-17	2017-18	2018-19
1	2	3	4	5	6	7	8
1.	आंध्र प्रदेश	1.	सरकारी मेडिकल कॉलेज, अनंतपुर	2.4	19.31	94.89	0
		2.	सिद्धार्थ मेडिकल कॉलेज, विजयवाड़ा	2.4	20.49	68.07	13.63
2.	असम	3.	गुवाहाटी मेडिकल कॉलेज, गुवाहाटी	2.4	4.79	39.52	30.97
		4.	असम मेडिकल कॉलेज, डिब्रूगढ़	2.4	16.91	30.09	22.48
3.	बिहार	5.	श्री कृष्ण मेडिकल कॉलेज, मुजफ्फरपुर	2.55	18.12	38.65	2.75
		6.	सरकारी मेडिकल कॉलेज, दरभंगा	2.55	16.3	40.73	3.69
4.	गोवा	7.	गोवा मेडिकल कॉलेज, बाम्बोलिम	0	11.59	0	0
5.	गुजरात	8.	पीडीयू सरकारी मेडिकल, कॉलेज, राजकोट	2.65	4.85	42.41	4.08
6.	हिमाचल प्रदेश	9.	इंदिरा गांधी मेडिकल कॉलेज, शिमला	2.55	3.7	6.17	30.96
7.	झारखंड	10.	पाटलिपुत्र मेडिकल कॉलेज, धनबाद	8.57	13.5	46.01	0
8.	कर्नाटक	11.	विजयनगर आयुर्विज्ञान संस्थान, बेल्लारी	1.95	24.12	50.66	0
		12.	कर्नाटक आयुर्विज्ञान संस्थान, हुबली	2.25	12.45	32.8	22.85
9.	केरल	13.	कोझिकोड मेडिकल कॉलेज, कोझिकोड	2.4	8	20.49	6.59
		14.	टीडी मेडिकल कॉलेज, अलप्पुझा	2.4	8.15	41.84	5.99

1	2	3	4	5	6	7	8
10.	मध्य प्रदेश	15.	नेताजी सुभाष चन्द्र बोस मेडिकल कॉलेज, जलबपुर	2.34	40.33	57.97	0
		16.	श्याम शाह मेडिकल कॉलेज, रीवा	2.34	27.65	38.32	0
		17.	गजरा राजे मेडिकल कॉलेज, ग्वालियर	2.4	16.04	27.49	15.05
11.	महाराष्ट्र	18.	सरकारी मेडिकल कॉलेज, लातूर	2.23	16.63	40.17	13.82
		19.	सरकारी मेडिकल कॉलेज, अकोला	7.47	7.48	9.78	23.26
		20.	श्री वसंतराव नाइक सरकारी मेडिकल कॉलेज, यवतमाल	7.44	7.44	76.53	8
		21.	सरकारी मेडिकल कॉलेज, औरंगाबाद	2.25	16.99	44.03	21.04
12.	ओडिशा	22.	एमकेसीजे मेडिकल कॉलेज, बेरहमपुर	2.4	17.93	52.05	28.64
		23.	वीएसएस मेडिकल कॉलेज, बर्ला	2.4	0	16.01	33.57
13.	पंजाब	24.	सरककारी मेडिकल कॉलेज, पटियाला	2.48	4.17	45.15	32.28
14.	राजस्थान	25.	सरकार पटेल मेडिकल कॉलेज, बीकानेर	2.16	24.61	39.35	18.9
		26.	सरकारी मेडिकल कॉलेज, कोटा	2.39	26.64	39.24	2.12
		27.	आरएनटी मेडिकल कॉलेज, उदयपुर	2.25	13.1	37.08	17.98
15.	तमिलनाडु	28.	तंजावुर मेडिकल कॉलेज, तंजावुर	2.39	33.12	69.22	0
		29.	तिरुनेल्वेली मेडिकल कॉलेज, तिरुनेल्वेली	2.51	34.8	71.37	0
16.	तेलंगाना	30.	राजीव गांधी आयुर्विज्ञान संस्थान, आदिलाबाद	2.4	21.63	50.89	0
		31.	ककातिया मेडिकल कॉलेज, वारंगल	2.4	22.8	49.03	3.99
17.	त्रिपुरा	32.	अगरतला सरकारी मेडिकल कॉलेज	0	20	12.66	9.4
		33.	महारानी लक्ष्मी बाई मेडिकल कॉलेज, झांसी	2.36	13.67	53.6	16.62
18.	उत्तर प्रदेश	34.	मोतीलाल नेहरू मेडिकल कॉलेज, इलाहाबाद	2.1	18.08	45.21	17.53
		35.	सरकारी मेडिकल कॉलेज, गोरखपुर	6.99	21.98	58.96	0
		36.	एलएलआरएम मेडिकल कॉलेज, मेरठ	7	17.98	45.32	12.36
19.	पश्चिम बंगाल	37.	उत्तरी बंगाल मेडिकल कॉलेज, सिलीगुड़ी, दार्जिलिंग	2.4	14.79	44.02	18.85
		38.	बीएस मेडिकल कॉलेज, बांकुरा	7.99	33	11.79	30
		39.	सरकारी मेडिकल कॉलेज, मालदा	6.14	10	19.57	11.36

पीएमएसएसवाई के चरण-IV के तहत 200.00 करोड़ रु. प्रत्येक की लागत से 13 मौजूदा सरकारी मेडिकल कॉलेजों का उन्नयन (केन्द्रीय अंशदान : 120 करोड़ रु. तथा राज्य अंशदान : 80 करोड़ रु.)

क्र. सं.	राज्य का नाम	कॉलेज की क्रम संख्या	संस्थान/सरकारी मेडिकल कॉलेज	जारी की गई निधि (करोड़ रु.)			
				2015-16	2016-17	2017-18	2018-19 (अब तक)
1.	बिहार	1.	पटना मेडिकल कॉलेज एवं अस्पताल, पटना	-	-	11.85	-
		2.	सरकारी मेडिकल कॉलेज भागलपुर	-	-	10.9	-
		3.	सरकारी मेडिकल कॉलेज, गया	-	-	10.8	-
2.	छत्तीसगढ़	4.	सरकारी मेडिकल कॉलेज, बिलासपुर	-	-	10.9	-
		5.	सरकारी मेडिकल कॉलेज, जगदलपुर	-	-	11.1	-
3.	दिल्ली	6.	यूनिवर्सिटी कॉलेज ऑफ मेडिकल साइंसिस (यूसीएमएस), गुरु तेग बहादुर (जीटीबी) अस्पताल	-	-	-	-
4.	गुजरात	7.	सरकारी मेडिकल कॉलेज, सूरत	-	-	-	-
		8.	सरकारी मेडिकल कॉलेज, भावनगर	-	-	11.44	5.39
5.	मध्य प्रदेश	9.	सरकारी मेडिकल कॉलेज, इंदौर	-	-	14.25	5.68
6.	ओडिशा	10.	सरकारी मेडिकल कॉलेज, कटक	-	-	-	-
7.	राजस्थान	11.	सरकारी मेडिकल कॉलेज,	-	-	-	10.44
8.	उत्तर प्रदेश	12.	सरकारी मेडिकल कॉलेज, आगरा	-	-	9.1	-
		13.	सरकारी मेडिकल कॉलेज, कानपुर	-	-	10.8	-

पीएमएसएसवाई के चरण-V (क) के तहत 2 मेडिकल कॉलेजों का उन्नयन

क्र. सं.	राज्य का नाम	कॉलेज की क्र.सं.	सरकारी मेडिकल कॉलेज/संस्थान	अनुमोदित व्यय	जारी की गई निधि			
					2015-16	2016-17	2017-18	2018-19 (अब तक)
1.	उत्तर प्रदेश	1.	आईएमएसबीएचयू वाराणसी	200 करोड़ रु. [स्वा. और प.क.मं. अंशदान: 120 करोड़; मा.सं.वि.मं. अंशदान: 80 करोड़ रु.]	-	-	21.46	46.98
2.	केरल	2.	एससीटीआईएमएसटी त्रिवेन्द्रम	230 करोड़ रु. [स्वा. और प.क.मं. अंशदान: 120 करोड़ रु.; डीएसटी अंशदान: 110 करोड़ रु.]	-	-	10	-

विवरण-II

पीएमएसएसवाई के तहत नए एम्स की स्थिति

क्र.सं. सं.	राज्य	एम्स स्थान स्थिति	मंत्रिमंडल अनुमोदन की तिथि	अनुमोदित परिव्यय	जारी की गई राशि	परियोजना के पूरा करने हेतु लक्षित तिथि
1	2	3	4	5	6	7
1.	छत्तीसगढ़	रायपुर	मार्च, 2006 मार्च, 2010 में मत्रिमंडल से संशोधित अनुमोदन	820 करोड़ रु.	724.33 करोड़ रु.	दिसंबर, 2018 (पूर्ण
2.	बिहार	पटना	मंत्रिमंडल से संशोधित	820 करोड़ रु.	723.65 करोड़ रु.	कार्यात्मकता हेतु)
3.	राजस्थान	जोधपुर		820 करोड़ रु.	605.13 करोड़ रु.	
4.	मध्य प्रदेश	भोपाल		820 करोड़ रु.	731.29 करोड़ रु.	
5.	उत्तराखण्ड	ऋषिकेश		820 करोड़ रु.	668.90 करोड़ रु.	
6.	ओडिशा	भुवनेश्वर		820 करोड़ रु.	747.56 करोड़ रु.	
7.	उत्तर प्रदेश	रायबरेली	05 फरवरी, 2009 *स्वा. एवं प.क. मंत्री द्वारा दिनांक 10.07.2017 को संशोधित आरसीई की मंजूरी दी गई	823 करोड़ रु.	240 करोड़ रु.	मार्च, 2020
8.		गोरखपुर	20.07.2016 (कार्य पूरा करने की समय-सीमा 45 माह)	1011 करोड़ रु.	98.34 करोड़ रु.	मार्च, 2020
9.	आंध्र प्रदेश	मंगलागिरी	07.10.2015 (कार्य पूरा करने की समय-सीमा 60 माह)	1618 करोड़ रु.	233.88 करोड़ रु.	फरवरी, 2020
10.	पश्चिम बंगाल	कल्याणी	07.10.2015 (कार्य पूरा करने की समय-सीमा 60 माह)	1754 करोड़ रु.	278.42 करोड़ रु.	फरवरी, 2020
11.	महाराष्ट्र	नागपुर	07.10.2015 (कार्य पूरा करने की समय-सीमा 60 माह)	1577 करोड़ रु.	231.29 करोड़ रु.	फरवरी, 2020
12.	पंजाब	बठिण्डा	27.07.2016 (कार्य पूरा करने की समय-सीमा 48 माह)	925 करोड़ रु.	128.21 करोड़ रु.	मई, 2020
13.	असम	गुवाहाटी	24.05.2017 (कार्य पूरा करने की समय-सीमा 48 माह)	1123 करोड़ रु.	5 करोड़ रु.	अप्रैल, 2020

1	2	3	4	5	6	7
14.	हिमाचल प्रदेश	बिलासपुर	03.01.2018 (कार्य पूरा करने की समय-सीमा 48 माह)	1351 करोड़ रु.	10 करोड़ रु.	सितंबर, 2021
15.	तमिलनाडु	मदुरै	-	1200 करोड़ रु.*	-	2022
16.	जम्मू और कश्मीर	साम्बा, जम्मू	-	1668 करोड़ रु.*	48.33 करोड़ रु.	फरवरी, 2022
17.		पुलवामा (अवन्तीपुरा कश्मीर)	-	1837 करोड़ रु.*	42.51 करोड़ रु.	फरवरी, 2024
18.	बिहार	स्थान का चयन हो रहा है	-	1200 करोड़ रु.	-	2022
19.	झारखण्ड	देवघर	16.05.2018 (कार्य पूरा करने की समय-सीमा 45 माह)	1103 करोड़ रु.	9 करोड़ रु.	मई, 2021
20.	गुजरात	स्थान का चयन हो रहा है	-	1200 करोड़ रु.	-	2022
21.	तेलंगाना	स्थान का चयन हो रहा है	-	1200 करोड़ रु.*	-	2022

*अनुमानित लागत।

आयकर प्रतिदाय

1751. श्री प्रसून बनर्जी: क्या **वित्त मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) आयकर प्रतिदाय हेतु औसतन कितना समय लगता है; और

(ख) वर्ष 2014 से सभी आयकर प्रतिदाय का ब्यौरा क्या है और आज की तिथि में प्रतिदान की प्रतीक्षा करने वाले लोगों की संख्या कितनी है?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री शिव प्रताप शुक्ला): (क) आयकर विभाग, बंगलूरु के केन्द्रीय संसाधन केन्द्र (सीपीसी) ने चालू वित्त वर्ष में कर निर्धारण वर्ष 2018-19 की आयकर विवरणी संसाधित करने के लिए औसतन 43 दिन लिए हैं। प्रतिदाय के दावे वाली विवरणियों के बारे में औसतन लिए गए समय के आंकड़े अलग से उपलब्ध नहीं हैं। तथापि, चालू वित्त वर्ष में सीपीसी द्वारा 83 प्रतिशत प्रतिदाय, विवरणी दायर करने के 60 दिन के अंदर जारी कर दिए गए थे।

(ख) वित्त वर्ष 2017-18 में दायर किए गए प्रतिदाय के सभी पात्र दावों में से सीपीसी ने पहले ही 1.93 करोड़ मामलों पर कार्यवाही कर ली है। 01.04.2018 को लंबित कुल पात्र प्रतिदाय दावों में से केवल 1.86 लाख दावे ही 27.07.2018 की स्थिति के अनुसार सीपीसी द्वारा जारी किए जाने लंबित हैं। चालू वित्त वर्ष में दायर किए गए पात्र प्रतिदाय दावों में से 17.92 लाख मामलों में कार्यवाही पहले ही पूरी की जा चुकी है तथा 19.61 लाख

मामलों में कार्यवाही प्रक्रियाधीन है। पात्र प्रतिदाय मामले वे मामले हैं, जहां आयकर विवरणी त्रुटिहीन है, शेष बकाया अथवा आय के समायोजन हेतु किसी नोटिस पर करदाता का जवाब लंबित नहीं है तथा वह मामला संवीक्षा के अधीन नहीं है।

बाघों की मौत

1752. श्री कीर्तिवर्धन सिंह: क्या **पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार इस बात से अवगत है कि 2012 से 2017 के मध्य 45% बाघों की अप्राकृतिक मौतें हुई हैं;

(ख) यदि हां, तो इन बाघों की अप्राकृतिक मौतों के विभिन्न कारण क्या हैं;

(ग) क्या सरकार बाघों की नई गणना पर विचार कर रही है, यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(घ) क्या पहुंच के अभाव और बाघों के उत्तर पूर्व में बहुत बड़े क्षेत्र में विरल रूप में फैले रहने के कारण, उनका सर्वेक्षण उचित ढंग से नहीं किया गया है; और

(ङ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और उत्तर पूर्व सहित देश में बाघों की नई गणना हेतु क्या उपाय किए गए है?

संस्कृति मंत्रालय के राज्य मंत्री तथा पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय में राज्य मंत्री (डॉ. महेश शर्मा): (क) और (ख) विगत 5 वर्षों अर्थात् 2012-17 तक 55% बाघों की मृत्यु प्राकृतिक कारणों से हुई है। 7% की मृत्यु बिना अवैध शिकार के अप्राकृतिक कारणों से हुई, 23% की मृत्यु अवैध शिकार के कारण हुई, जबकि 15% बाघों के शरीर के अंग/जब्त किए गए रूप में हैं।

(ग) भारत सरकार ने क्रमश: 2006, 2010 तथा 2014 में चतुर्वार्षिक प्रथम, द्वितीय तथा तृतीय चक्र की अखिल भारतीय बाघ अनुमान गणना संचालित की है। चौथे चक्र की रिपोर्ट 2009 में प्रकाशित करने के प्रयास किए गए हैं।

(घ) और (ङ) पशुओं के आकलन के क्षेत्र में विकास तथा प्रगति के साथ पूर्वोत्तर में परिशुद्धता वर्धन के लिए रैंडम एनकाऊटर मॉडल के उपयोग के अलावा छोटे ग्रिड आकार का प्रयोग और पॉलीगन अनुसंधान विधि जैसे उपाय किए जाएंगे।

सरकारी क्षेत्र के बैंकों की एनपीए समस्या का हल

1753. श्री राम मोहन नायडू किंजरापू: क्या **वित्त मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) वर्ष 2010-2011 से वर्ष 2017-18 तक सरकारी क्षेत्र के बैंकों द्वारा माफ की गई गैर-निष्पादनकारी शास्तियां (एनपीए) का ब्यौरा क्या है; और

(ख) सरकार द्वारा जून, 2014 से लेकर सरकारी क्षेत्र के बैंकों की गैर-निष्पादनकारी शास्तियों की समस्या को हल करने हेतु सरकार द्वारा क्या उपाय किए गए हैं?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री शिव प्रताप शुक्ला): (क) भारतीय रिजर्व बैंक (आरबीआई) के दिशानिर्देशों तथा बैंकों के बोर्डों के द्वारा अनुमोदित नीति के अनुसार, अनर्जक ऋणों में अन्य ऋणों के साथ-साथ वैसे ऋण, जिनके चार वर्ष पूरा होने पर पूर्ण प्रावधानीकरण किया गया है और जिन्हें बट्टे खाते डालकर संबंधित बैंक के तुलनपत्र से हटा दिया गया है, शामिल हैं। इस प्रकार, हाल के वित्तीय वर्षों के दौरान पूर्व के वर्षों के ऐसे दबावग्रस्त ऋण खातों की एक्यूआर का अनुसरण करते हुए पारदर्शी पहचान किए जाने तथा इनके लिए पूर्ण प्रावधान किए जाने के कारण बट्टे खाते डाली गई राशि में अत्यधिक वृद्धि हुई है। बैंक अपने तुलन-पत्र को परिशुद्ध करने, कर लाभ और पूंजी के ईष्टतम प्रयोग के लिए अपने नियमित कार्य के भाग के रूप में एनपीए को बट्टे खाते डालते हैं। ऐसे बट्टे खाते डाले गए ऋणों के उधारकर्ताओं पर भुगतान का दायित्व बना रहता है। बकाया राशि की वसूली विधिक तंत्र, जिसमें, अन्य बातों के साथ-साथ, वित्तीय आस्तियों का प्रतिभूतिकरण एवं पुनर्गठन तथा प्रतिभूति हित का प्रवर्तन अधिनियम, 2002 (सरफासी अधिनियम) तथा ऋण वसूली अधिकरण (डीआरटी) शामिल हैं, के अंतर्गत निरंतर चलती रहती है। इस प्रकार, बट्टे खाते डालने से उधारकर्त्ताओं को कोई लाभ नहीं होता है।

बट्टे खाते डालने के कारण वित्तीय वर्ष 2010-11 से 2017-18 के दौरान सरकारी क्षेत्र के बैंकों (पीएसबी) के एनपीए में आई कमी का ब्यौरा संलग्न विवरण में दिया गया है।

(ख) गत चार वर्ष के दौरान पीएसबी के एनपीए के समाधान में तेजी लाने तथा इस कार्य को संभव बनाने हेतु कई कदम उठाए

गए हैं। दिवाला और शोधन अक्षमता मामलों के समाधान हेतु एक एकीकृत ढांचे के सृजन के लिए दिवाला और शोधन अक्षमता संहिता, 2016 (आईबीसी) को अधिनियमित किया गया है। इसके अंतर्गत, आरंभ में ही कार्पोरेट उधारकर्ता के कार्यों का प्रबंधन, अंतरिम समाधन पेशेवर के द्वारा अपने हाथ में लेने के साथ उधारदाता को नियंत्रक बनाने के दृष्टिकोण को अपनाते हुए विधिक प्रणाली का दुरुपयोग करके लाभ प्राप्त करने की सुविधा समाप्त कर दी गई है। इसके साथ इरादतन चूककर्ताओं और एनपीए खातों के साथ जुड़े हुए व्यक्तियों को समाधान प्रक्रिया से प्रतिबंधित करके उधारदाता/उधारकर्ता संबंध में मूलभूत परिवर्तन किया गया है। आईबीसी के अंतर्गत दिवालियापन समाधान प्रक्रिया से प्रतिबंधित करके उधारदाता/उधारकर्ता संबंध में मूलभूत परिवर्तन किया गया है। आईबीसी के अंतर्गत दिवालियापन समाधान प्रक्रिया आरंभ करने के लिए बैंकों को निदेश जारी करने हेतु आरबीआई को प्राधिकार देने के लिए बैंककारी विनियमन अधिनियम, 1949 को संशोधित किया गया है। आरबीआई के निदेशों के अनुसार 39 बड़े चूककर्ताओं जिनका कुल वित्तपोषित एक्सपोजर 2.69 लाख करोड़ रुपये है, के संबंध में आईबीसी के अंतर्गत राष्ट्रीय कंपनी विधि अधिकरण (एनसीएलटी) में मामले दायर किए गए हैं (दिसम्बर, 2017 की स्थिति के अनुसार)।

अधिक प्रभावी बनाने के लिए वित्तीय आस्तियों का प्रतिभूतिकरण और पुनर्गठन तथा प्रतिभूति हित का प्रवर्तन अधिनियम (सरफासी अधिनियम) को संशोधित किया गया है, जिसमें उधारकर्ता द्वारा आस्ति विवरण न दिये जाने के मामले में तीन माह के कारावास तथा उधारदाता द्वारा बंधक रखी संपत्ति पर 30 दिन के भीतर कब्जा प्राप्त करने का प्रावधान है। इसके अतिरिक्त वसूली में तेजी लाने के लिए छह नये ऋण वसूली अधिकरणों की स्थापना की गई है।

इसके अलावा, पीएसबी सुधार एजेंडा के अंतर्गत पीएसबी ने सख्ती से वसूली के लिए दबावग्रस्त आस्ति प्रबंधन वर्टिकल्स का सृजन किया है, स्वच्छ और प्रभावी निगरानी हेतु स्वीकृति पूर्व और स्वीकृति पश्चात अनुवर्ती भूमिकाओं को अलग-अलग किया है, ऑनलाइन एक बारगी निपटान प्लेटफार्मो का सृजन प्रारंभ किया है और विशेषीकृत निगरानी एजेंसियों के माध्यम से उच्च मूल्य खातों की निगरानी की प्रतिबद्धता व्यक्त की है।

विवरण

सरकारी क्षेत्र के बैंकों में समझौता सहित बट्टे खाते डालने के कारण एनपीए में कमी

राशि करोड़ रुपए में

वित्त वर्ष	राशि
2010-11	17794
2011-12	15551
2012-13	27231
2013-14	34409
2014-15	49018
2015-16	57585
2016-17	81683
2017-18	128229

स्रोत: आरबीआई (वैश्विक परिचालन)

*बट्टे खाते डालने का कार्य पूर्ण प्रावधानीकरण किए जाने के पश्चात् तथा आरबीआई के दिशानिर्देशों एवं बैंक बोर्डो के द्वारा दिए गए अनुमोदन के अनुसार किया जाता है, अनर्जक ऋण, जिनमें, अन्य बातों के साथ-साथ वैसे ऋण भी शामिल हैं, जिनके चार वर्ष पूरा होने पर पूर्ण प्रावधानीकरण करके, बट्टे खाते डालकर संबंधित बैंक के तुलन-पत्र से हटा दिया गया हो। इसके अलावा, ऐसे ऋण खातों के उधारकर्ता से बकाया राशि की वसूली जारी रहती है। इस प्रकार, बट्टे खाते डालने से उधारकर्ता को कोई लाभ नहीं होता है।

सरकारी दौरों हेतु दिशा-निर्देश

1754. श्री हरिश्चन्द्र चव्हाण:
श्री राम टहल चौधरी:

क्या **वित्त मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकारी कार्यालय द्वारा सरकारी दौरों के संबंध में जारी किए गए दिशा-निर्देशों का सरकारी अधिकारियों द्वारा अनुपालन नहीं किया जा रहा है;

(ख) यदि हां, तो इस संबंध में सरकार की क्या प्रतिक्रिया है;

(ग) क्या उक्त दिशा-निर्देशों का उल्लंघन करने वाले अधिकारियों की पहचान कर ली गई है; और

(घ) यदि हां, तो ऐसे अधिकारियों के विरुद्ध क्या कार्रवाही की गई है और इसके परिणाम क्या हैं?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा पोत परिवहन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री पोन राधाकृष्णन): (क) से (घ) अधिकारियों के घरेलू और विदेशी दौरों को अनुमोदित करने/न करने के प्राधिकार का पदक्रमानुसार स्पष्ट प्रत्यायोजन है और यह प्राधिकार सामान्यत: संबंधित मंत्रालयों/विभागों के पास होता है। संबंधित मंत्रालयों/विभागों को अधिकारियों द्वारा दिशा-निर्देशों के किसी उल्लंघन पर विद्यमान आचरण नियमों के अनुसार कार्रवाई करनी होती है।

इच्छा मृत्यु

1755. श्री संजय धोत्रे:
श्री राहुल शेवाले:
श्री भर्तृहरि महताब:

क्या **स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या इच्छा मृत्यु से संबंधित मुद्दे की जांच के लिए गठित विशेषज्ञ समिति ने अपनी रिपोर्ट सौंप दी है;

(ख) यदि हां, तो समिति की मुख्य सिफारिशें क्या हैं;

(ग) क्या सरकार ने समिति की सिफारिशों को स्वीकार कर लिया है;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और ऐसी स्वीकृत सिफारिशों के कार्यान्वयन की वर्तमान स्थिति क्या है और यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं;

(ङ) विगत 3 वर्षों के प्रत्येक वर्ष तथा चालू वर्ष के दौरान देश भर में सरकार को इच्छा मृत्यु संबंधी कितने अनुरोध/अभ्यावेदन प्राप्त हुए हैं और सरकार द्वारा उस पर क्या कार्रवाही की गई है/की जा रही है; और

(च) क्या सरकार का देश में निष्क्रिय (पेसिव) इच्छा मृत्यु को अनुमति देने हेतु एक विधेयक लागू करने का विचार है और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती अनुप्रिया पटेल): (क) और (ख) विधि आयोग ने 'पैसिव युथान्सिया-ए रीलुक' नामक अपनी 241वीं रिपोर्ट के माध्यम से 'निष्क्रिय इच्छा मृत्यु' पर एक कानून बनाने का प्रस्ताव किया और '*मरणासन्न रोगी (रोगी एवं चिकित्सा प्रैक्टिशन)* चिकित्सा उपचार विधेयक' नामक एक प्रारूप विधेयक भी तैयार किया। इस विधेयक की इस मंत्रालय में स्वास्थ्य सेवा महानिदेशालय के अधीन एक विशेषज्ञ समिति द्वारा जांच की गई है। विशेषज्ञ समिति की मुख्य सिफारिशें निम्नानुसार हैं:-

- इसने केवल निष्क्रिय इच्छा मृत्यु का प्रस्ताव किया है।
- सक्रिय इच्छा मृत्यु का कोई प्रावधान नहीं है।
- किसी सक्षम व्यक्ति द्वारा दिए गए उच्च चिकित्सा विनिर्देश नामक एक लिखित चिकित्सा विनिर्देश का प्रावधान।
- विधेयक में यथा परिभाषित मरणासन्न रोगी के लिए लागू।
- सक्षम और असक्षम मरणासन्न रोगियों के लिए उपचार को रोकने की प्रक्रिया हेतु पृथक प्रावधान।

(ग) और (घ) समिति की सिफारिशें इस मंत्रालय में विचारधीन हैं।

(ङ) पिछले तीन वर्षों के दौरान स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय को इच्छा मृत्यु की अनुमति देने के कुछ अनुरोध/अभ्यावेदन प्राप्त हुए हैं। जब कभी भी ऐसे अनुरोध/अभ्यावेदन प्राप्त होते हैं, आवेदकों को रिट याचिका (आपरा.) संख्या 115/2009-अरुणा रामचन्द्र शानबॉग बनाम भारत संघ एवं अन्य के संबंध में माननीय उच्चतम न्यायालय के निर्णय में यथा निर्धारित तथा सामान्य कारण बनाम भारत संघ एवं अन्यों के मामले में दिनांक 09 मार्च, 2018 को भारत के मुख्य न्यायाधीश श्री दीपक मिश्रा की अध्यक्षता में गठित उच्चतम न्यायालय की 5 जजों की पीठ के निर्णय द्वारा निर्धारित सिद्धांतों की सूचना/जानकारी दी जाती है।

(च) निष्क्रिय इच्छा मृत्यु पर कानून बनाने के संबंध में मामला इस मंत्रालय में विचाराधीन है।

राष्ट्रीय महिला आयोग

1756. श्री मल्लिकार्जुन खड़गे:
श्री राम टहल चौधरी:
श्री लक्ष्मण गिलुवा:

क्या **महिला और बाल विकास मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) गत तीन वर्षों के प्रत्येक वर्ष और चालू वर्ष के दौरान राष्ट्रीय महिला आयोग को प्राप्त कथित बलात्कार के मामलों का राज्य/संघ राज्यक्षेत्र-वार ब्यौरा क्या है;

(ख) क्या आयोग ने इस मामले को संबंधित राज्य सरकारों सहित अधिकारियों के साथ उठाया है और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है तथा इस मुद्दे पर क्या प्रतिक्रिया प्राप्त हुई है;

(ग) उक्त अवधि के दौरान इस उद्देश्य हेतु राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों द्वारा संस्वीकृत, जारी और उपयोग की गई राशि कितनी है;

(घ) क्या आयोग ने देश में बलात्कार के मामलों के संबंध में राज्य सरकारों को सुझाव दिए हैं;

(ङ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है तथा अब तक अपने विचार नहीं देने वाले राज्यों की जानकारी सहित इस पर राज्यों की क्या प्रतिक्रिया है; और

(च) इस विषय में शीघ्र राज्यों के विचार जानने के लिए सरकार द्वारा क्या कार्रवाई की गई है?

महिला और बाल विकास मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा अल्पसंख्यक कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (डॉ. वीरेन्द्र कुमार): (क) राष्ट्रीय महिला आयोग में विगत तीन वर्षों तथा चालू वर्ष के दौरान दिनांक 23.07.2018 तक प्राप्त बलात्कार के कथित मामलों का राज्य/संघ राज्य क्षेत्र-वार ब्यौरा संलग्न विवरण में दिया गया है।

(ख) जी, हां। प्राप्त हुई शिकायतों की बड़ी संख्या तथा राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों के साथ पत्राचार की मात्रा को ध्यान में रखते हुए, डाटा विस्तृत होने के कारण, तत्संबंधी मामलों की केस फाइल आयोग के पास हैं। तथापि, राष्ट्रीय महिला आयोग, इसे प्राप्त होने वाली, सभी शिकायतों को संबंधित राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों के प्राधिकारियों के साथ उठाता है और उनके साथ तब तक अनुवर्ती कार्रवाई करता है जब तक कि वे तर्कसंगत निष्कर्ष तक न पहुंच जाएं।

(ग) राष्ट्रीय महिला आयोग के अनुसार, राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों को इस प्रकार की गतिविधियों के लिए ऐसी कोई निधि जारी नहीं की गई है।

(घ) जी नहीं। राष्ट्रीय महिला आयोग द्वारा विगत दो वर्षों के दौरान इस विषय पर अलग से कोई सुझाव नहीं भेजे गए हैं।

(ङ) तथा (च) प्रश्न नहीं उठता।

विवरण

राष्ट्रीय महिला आयोग के पास विगत तीन वर्ष तथा चालू वर्ष के दौरान दर्ज कथित बलात्कार की शिकायतों का विवरण

क्र.सं.	राज्य/संघ राज्य क्षेत्र	2015	2016	2017	2018 (अब तक)	कुल
1	2	3	4	5	6	7
1.	अंडमान और निकोबार द्वीपसमूह	-	-	-	-	-
2.	आंध्र प्रदेश	-	-	1	-	1
3.	अरुणाचल प्रदेश	-	-	-	-	-
4.	असम	-	-	1	-	1
5.	बिहार	34	10	23	19	86
6.	चंडीगढ़	-	1	1	1	3
7.	छत्तीसगढ़	7	2	2	4	15
8.	दादरा और नगर हवेली	-	-	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7
9.	दमन और दीव	–	–	–	–	–
10.	दिल्ली	68	34	33	33	168
11.	गोवा	–	–	–	–	–
12.	गुजरात	4	3	1	3	11
13.	हरियाणा	72	35	83	61	251
14.	हिमाचल प्रदेश	2	1	–	–	3
15.	जम्मू और कश्मीर	1	–	1	–	2
16.	झारखंड	18	4	8	4	34
17.	कर्नाटक	1	4	3	1	9
18.	केरल	–	–	1	2	3
19.	लक्षद्वीप	–	–	–	–	–
20.	मध्य प्रदेश	36	13	20	5	74
21.	महाराष्ट्र	9	11	9	4	33
22.	मणिपुर	–	–	–	1	1
23.	मेघालय	–	–	–	–	–
24.	मिजोरम	–	–	–	–	–
25.	ओडिशा	–	1	1	3	5
26.	पुदुचेरी	–	–	–	–	–
27.	पंजाब	4	6	8	6	24
28.	राजस्थान	105	34	57	44	240
29.	सिक्किम	–	–	–	–	–
30.	तमिलनाडु	5	4	5	–	14
31.	तेलंगाना	3	1	–	1	5
32.	त्रिपुरा	–	–	–	–	–
33.	उत्तर प्रदेश	1085	477	580	517	2659
34.	उत्तराखंड	15	3	9	10	37
35.	पश्चिम बंगाल	6	8	5	4	23
	कुल	1475	652	852	723	3702

राज्यों की निधि

1757. श्री सुनील कुमार मण्डल: क्या **वित्त मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) विभिन्न विकास योजनाओं के अंतर्गत निधि के आबंटन के लिए आधार का ब्यौरा क्या है;

(ख) क्या सरकार का उन राज्यों को और अधिक निधि आबंटित करने का विचार है जो योजनाओं का कार्यान्वयन अच्छी तरह से कर रहे हैं और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) क्या इस संबंध में कोई दिशा-निर्देश जारी किए गए हैं और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा पोत परिवहन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री पोन राधाकृष्णन): (क) से (ग) वित्त मंत्रालय द्वारा इन स्कीमों के लिए धनराशि का आबंटन कुल उपलब्ध राजकोषीय गुंजाइश, मंत्रालय को आबंटित सांकेतिक मध्यावधि व्यय रूपरेखा, किसी स्कीम के लिए परिव्यय की स्वीकृत/अनुमोदित कुल धनराशि और इसके लिए अनुमोदित वर्ष-वार धनराशि तथा योजना की भौतिक एवं वित्तीय प्रगति के आधार पर किया जाता है। संबंधित मंत्रालयों/विभागों द्वारा विभिन्न कल्याण स्कीमों के अंतर्गत राज्यों को धनराशि का आबंटन, स्कीमों के अनुमोदित दिशानिर्देशों के आधार पर किया जाता है। राज्यों को धनराशि का जारी किए जाना सामान्य वित्तीय नियमों और केन्द्र सरकार के पास सकल बजट सहायता के अंतर्गत धनराशि की उपलब्धता से शासित होता है। विकास संबंधी योजनाओं के कार्यान्वयन के लिए कार्यनिष्पादन के आधार पर राज्यों को धनराशि का कोई आबंटन नहीं किया जाता।

अविनियमित निक्षेप योजनाएं विधेयक, 2018

1758. कुंवर भारतेन्द्र सिंह: क्या **वित्त मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) अविनियमित निक्षेप योजनाएं विधेयक, 2018 पर प्रतिबंध लगाने की वर्तमान स्थिति क्या है;

(ख) क्या उक्त विधेयक के दायरे से प्रत्यक्ष बिक्री निकाल दी गई है और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) क्या सरकार का इनामी चिट और धन परिचालन स्कीम (पाबंदी) अधिनियम, 1978 का निरसन करने का इरादा है और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(घ) इस विधेयक के कब तक प्रवर्तन में आने की संभावना है?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री शिव प्रताप शुक्ला): (क) से (ग) अविनियमित निक्षेप स्कीम पाबंदी विधेयक, 2018 को दिनांक 18.7.2018 को पुर:स्थापित किया गया है। पुर:स्थापित विधेयक के खण्ड 2(17) में "अविनियमित निक्षेप स्कीम" से ऐसी कोई स्कीम या ठहराव अभिप्रेत है, जिसके अधीन किसी निक्षेप लेने के द्वारा कारबार के माध्यम से निक्षेप स्वीकार किए जाते हैं या उनकी याचना की जाती है और जो कोई विनियमित निक्षेप स्कीम नहीं है" को अविनियमित जमा योजना के रूप में परिभाषित किया गया है। पुर:स्थापित विधेयक के खण्ड 3(क) में यह उपबंध किया गया है कि "इस अधिनियम की तारीख के प्रारंभ से ही (क) अविनियमित निक्षेप स्कीमों पर पाबंदी होगी.....।" पुर:स्थापित विधेयक के खण्ड 6 में यह भी उपबंध किया गया है कि "इनामी चिट और धन परिचालन स्कीम (पाबंदी) अधिनियम, 1978 के उपबंधों के अधीन पाबंद की गई इनामी चिट या धनपरिचालन स्कीम को इस अधिनियम के अधीन अविनियमित निक्षेप स्कीम होना समझा जाएगा।"

(घ) इस विधेयक को सदन के दोनों सदनों द्वारा पारित किया जाना है।

फसल/कृषि ऋण

1759. श्री के.एन. रामचन्द्रन:
श्री पी.आर. सेनथिलनाथन:
श्रीमती वी. सत्यबामा:
श्री शंकर प्रसाद दत्ता:
श्री आर.के. भारती मोहन:

क्या **वित्त मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) राज्य/संघ राज्यक्षेत्र-वार कितने सीमांत और मध्यम दर्जे के किसान बैंकों और निजी/वित्तीय संस्थाओं से ऋण लेकर उसे चुकाने में विफल रहे हैं;

(ख) क्या सरकार के पास किसानों द्वारा बैंकों या वित्तीय संस्थाओं से लिए गए कृषि/फसल ऋण माफ करने का कोई प्रस्ताव है;

(ग) यदि हां, तो ऋण माफी के चयन के लिए क्या मानदंड अपनाए गए हैं और यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं;

(घ) माफी हेतु कितनी मात्रा के ऋण की माफी पर विचार किया जाएगा; और

(ङ) क्या विमुद्रीकरण और फसल में नुकसान के कारण विभिन्न सहकारी बैंकों, सरकारी क्षेत्र के बैंकों (पीएसबी) से ऋण लेने वाले अधिकाधिक लघु, सूक्ष्म और सीमांत किसानों का नुकसान हुआ है और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है तथा सरकार द्वारा इस संबंध में क्या सुधारात्मक कदम उठाए गए हैं?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री शिव प्रताप शुक्ला): (क) भारतीय रिजर्व बैंक (आरबीआई) और राष्ट्रीय कृषि और ग्रामीण विकास बैंक (नाबार्ड) ने यह सूचित किया है कि उन सीमांत और मध्यम स्तरीय किसानों, जो बैंकों तथा निजी संस्थाओं से लिए गए ऋणों को लौटाने में असफल रहे, की सूचना से संबंधित आंकड़ा राज्य/संघ राज्यक्षेत्र-वार नहीं रखा जाता है।

(ख) से (ङ) किसानों की ऋण माफी का कोई प्रस्ताव केन्द्र सरकार के विचाराधीन नहीं है। तथापि, किसानो के ऋण बोझ को कम करने के लिए निम्नलिखित मुख्य पहल की गई हैं:–

- किसानों को 7 प्रतिशत प्रतिवर्ष की कम ब्याज दर पर कृषि ऋण उपलब्ध कराने को ध्यान में रखते हुए कृषि, सहकारिता एवं किसान कल्याण विभाग (डीएसी एण्ड एफडब्ल्यू), भारत सरकार द्वारा 3.00 लाख रुपए तक के अल्पावधि फसल ऋणों के लिए ब्याज सहायता योजना कार्यान्वित की जाती है। इस योजना में बैंकों को अपने संसाधनों का उपयोग करने पर 2 प्रतिशत की ब्याज सहायता दी जाती है। इसके अलावा, ऋण का तत्परता से पुनर्भुगतान करने पर किसानों को 3 प्रतिशत का अतिरिक्त प्रोत्साहन दिया जाता है, जिससे ब्याज की प्रभावी दर कम होकर 4 प्रतिशत हो जाती है।

- प्राकृतिक आपदाओं से प्रभावित क्षेत्रों में संबंधित उधारदात्री संसथाओं द्वारा किए जाने वाले राहत उपायों के संबंध में भारतीय रिजर्व बैंक (आरबीआई) ने निदेश जारी किए हैं जिनमें, अन्य बातों के साथ-साथ, मौजूदा फसल ऋण तथा सावधि ऋण को पुनर्सरचित/पुनर्निर्धारित करने, नया ऋण प्रदान करने, प्रतिभूति तथा मार्जिन के संबंध में लचीला मानदंड, अधिस्थगन, आदि शामिल हैं। इन निदेशों को इस प्रकार तैयार किया गया है कि संबंधित जिला प्राधिकारियों द्वारा आपदा की घोषणा किए जाते ही ये बिना किसी हस्तक्षेप के स्वत: लागू हो जाते हैं। इस प्रकार, बहुमूल्य समय की बचत होती है। राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन संरचना के अनुरूप बैंकों द्वारा राहत उपायों को आरंभ करने संबंधी बेंचमार्क को कम करके 33% फसल हानि कर दिया गया है।

- प्रधान मंत्री फसल बीमा योजना (पीएमएफबीवाई) ऐसे प्राकृतिक जोखिमों, जिन्हें रोका न जा सके, के कारण बीमित फसलों के नष्ट होने के संबंध में व्यापक बीमा कवर उपलब्ध करता है। इस प्रकार, अप्रत्याशित घटनाओं के कारण फसल की हानि/क्षति से ग्रस्त किसानों को वित्तीय सहायता उपलब्ध कराई जाती है; किसानों के द्वारा कृषि कार्य जारी रखने को सुनिश्चित करने के लिए उनकी आय को स्थिर रखा जाता है और नवीन तथा आधुनिक कृषि पद्धति अपनाने के लिए उन्हें प्रेरित किया जाता है। कृषि तथा देश के किसानों के कल्याण को बढ़ावा देने के लिए कृषि, सहकारिता और किसान कल्याण विभाग, भारत सरकार केन्द्रीय क्षेत्र की विभिन्न योजनाएं/केन्द्र द्वारा प्रायोजित योजनाएं कार्यान्वित करता है जिनमें निम्नलिखित शामिल हैं:–

  (i) राष्ट्रीय कृषि विकास योजना (आरकेवीवाई)

  (ii) राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा मिशन (एनएफएसएम)

  (iii) राष्ट्रीय कृषि बाजार (ई-एनएएम)

  (iv) राष्ट्रीय सम्पोषणीय कृषि मिशन (एनएमएसए)

- सरकार ने विमुद्रीकरण के पश्चात् सहकारी क्षेत्र में किसानों के लिए निम्नलिखित राहत उपाय आरंभ किए हैं:–

  (i) ऐसे किसानों को जिनके फसल ऋण 01.11.2016 से 31.12.2016 तक देय थे और यदि ऐसे किसानों ने इस अवधि में अपनी देय तिथि के 60 दिन के भीतर उसका पुनर्भुगतान किया था, तो उन्हें तत्परता से पुनर्भुगतान करने के लिए 3% की दर से प्रोत्साहन प्रदान करने के लिए 60 दिने की अतिरिक्त रियायत अवधि प्रदान की गई थी।

(ii) दिनांक 01.04.2016 से 30.09.2016 के बीच सहकारी बैंकों से लिए गए सभी अल्पावधि फसल ऋण के लिए दो माह (नवम्बर और दिसम्बर 2016) का ब्याज माफ किया गया और इसे संबंधित किसानों के खाते में आरंभ में ही जमा कर दिया गया।

(iii) राष्ट्रीय कृषि और ग्रामीण विकास बैंक (नाबार्ड) ने 17.880.78 करोड़ रुपए के लिए ब्याज की प्रचलित बाजार दर पर बाजार से लघु अवधि उधार लिया और इस राशि को वर्ष 2016-17 के दौरान सहकारी बैंकों को आगे उधार देने के लिए पुनर्वित्त के अंगर्तत 4.5% की ब्याज दर पर संवितरित किया।

वस्त्र निर्यातकों को प्रतिदाय

1760. श्री रवनीत सिंह: क्या **वित्त मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार ने विशेषकर वस्त्र निर्यात क्षेत्रक में शामिल व्यवसाय मालिकों को त्वरित कर-प्रतिदाय सुनिश्चित करने के लिए नई पहलें की हैं और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ख) क्या सरकार को पिछले कर-प्रतिदाय की प्रक्रिया में समस्या के बारे में व्यावसायियों के कई अभ्यावेदन प्राप्त हुए हैं और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या सरकार इस बात से अवगत है कि जीएसटी के बाद विभिन्न प्रकार की वस्त्र संबंधी राजसहायता प्रभावित हुई है जिसके कारण वस्त्र निर्यात अधिक महंगा हो गया है और इसके परिणामस्वरूप अंतर्राष्ट्रीय बाजार में प्रतिस्पर्धा नहीं है; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और वस्त्र क्षेत्र के लिए क्या अनुवर्ती कार्ययोजना बनाई गई है?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री शिव प्रताप शुक्ला): (क) जी हां, सरकार ने व्यापारियों को विशेषकर जोकि कपड़े के निर्यात क्षेत्र में लगे हुए हैं, कर रिफण्ड को तेजी से देने को सुनिश्चित करने के लिए निम्नलिखित कदम उठाया है:-

(i) **मानद निर्यात:** अधिसूचना सं. 48/2017-केन्द्रीय कर दिनांक 18.10.2017 के अनुसार वस्तुओं की आपूर्ति की निम्नलिखित श्रेणी को मानद निर्यात घोषित किया गया है:-

- किसी पंजीकृत व्यक्ति द्वारा अग्रिम प्राधिकार पत्र के एवज में वस्तुओं की, की जाने वाली आपूर्ति।
- किसी पंजीकृत व्यक्ति द्वारा निर्यात प्रोत्साहन पूंजीगत माल प्राधिकार के एवज में पूंजीगत माल की, की जाने वाली आपूर्ति।
- किसी पंजीकृत व्यक्ति द्वारा किसी निर्यात उन्मुखी इकाई को किए जाने वाले माल की आपूर्ति।
- अग्रिम प्राधिकरण के प्रति अधिसूचना, सं. 50/2017-सीमा शुल्क, 30 जून, 2017 (यथा संशोधित) के अंतर्गत विनिर्दिष्ट किसी बैंक या सार्वजनिक क्षेत्र प्रतिष्ठान के द्वारा सोने की की जाने वाली आपूर्ति।

इसके अलावा अधिसूचना सं. 47/2017-केन्द्रीय कर, 18.10.2017 के द्वारा केन्द्रीय माल एवं सेवाकर नियमावली, 2017 (जिसे संक्षेप में सीजीएसटी रूल्स, 2017 कहते हैं) के नियम 89 में संशोधन कर दिया गया है जिससे अब या तो ऐसी आपूर्तियों को प्राप्त करने वाला या उसको भेजने वाला उस पर भुगतान किए गए कर के रिफण्ड का दावा कर सकता है।

(ii) **व्यापारी निर्यातक:** अधिसूचना सं. 40/2017-केन्द्रीय कर (दर) दिनांक, 23.10.2017 के अनुसार किसी पंजीकृत आपूर्तिकर्ता द्वारा किसी व्यापारी निर्यातक को निर्यात के उद्देश्य के लिए कर वाली वस्तुओं की की जाने वाली अंत: राज्यीय आपूर्ति पर 0.05% की दर से केन्द्रीय कर (सीजीएसटी) लगाया जाता है। अधिसूचना सं. 41/2017-एकीकृत कर (दर), दिनांक 23.10.2017 के अनुसार किसी पंजीकृत आपूर्तिकर्ता द्वारा किसी व्यापारी निर्यातक को निर्यात के उद्देश्य के लिए कर वाली वस्तुओं की जाने वाली अंत: राज्यीय आपूर्ति पर 0.1% की दर से एकीकृत कर (आईजीएसटी) लगाया जाता है। इससे व्यापारियों की पूंजी की अवरुद्धता में कमी आएगी।

(iii) **रिफण्ड पखवाडा:** जीएसटी रिफण्ड के विचाराधीन मामलों की कार्रवाई में तेजी लाने के लिए केन्द्रीय

अप्रत्यक्ष कर एवं सीमा शुल्क बोर्ड (सीबीआईसी) ने निम्नलिखित तीन रिफण्ड-पखवाड़ा एवं विशेष अभियान को सफलतापूर्वक चलाया है:–

- **प्रथम रिफण्ड पखवाडा-15.03.2018 से 31.03.2018 तक:** इसमें कुल 4.265 करोड़ रुपए के आईजीएसटी रिफण्ड की स्वीकृति दी गयी और कुल 288829 शिपिंग बिल्स का निपटान किया गया। प्रयोग न किए गए इनपुट टैक्स क्रेडिट वे रिफण्ड के लिए दायर RFD-01A आवेदनों के मामलों में 1136 करोड़ रुपए की राशि की स्वीकृति दी गयी है।

- **दूसरा रिफण्ड पखवाडा-31.05.2018 से 16.06.2018 तक:** इसमें कुल 6087 करोड़ रुपए के आईजीएसटी रिफण्ड की स्वीकृति दी गयी और कुल 168191 शिपिंग बिल्स का निपटान किया गया। रिफण्ड के लिए दावा किए गए RFD-01A आवेदनों के मामलों में 1548 करोड़ रुपए की राशि की स्वीकृति दी गयी है।

- **तीसरा रिफण्ड पखवाडा-16.07.2018 से 30.07.2018 तक जो अभी जारी है।**

(iv) **कपड़ा निर्यातक:** जीएसटी परिषद ने 21 जुलाई, 2018 को हुई अपनी 28वीं बैठक में यह निर्णय लिया है कि इन्वर्टेड ड्यूटी स्ट्रक्चर के कारण संचित इनपुट टैक्स क्रेडिट का रिफण्ड कपड़ा निर्यातकों को कर दिया जाएगा।

(ख) सरकार को व्यापार और उद्योग जगत से ढेर सारे अभ्यावेदन प्राप्त हुए हैं जोकि रिफण्ड की प्रक्रिया के बारे में हैं जैसे कि स्वीकृति में विलंब होना और रिफण्ड के वितरण में देरी, सीजीएसटी रूल्स, 2017 के नियम 89(4) और नियम 89(5) के अंतर्गत स्वीकृत अधिकतम रिफण्ड के फॉर्मूले में स्पष्टता। सरकार ने विभिन्न परिपत्रों, अधिसूचनाओं के माध्यम से तथा प्रिंट मीडिया और सोशल मीडिया दोनों के माध्यम से जागरुकता अभियान चलाकर इन मुद्दों को स्पष्ट कर दिया है।

(ग) तथा (घ) जीएसटी के लागू होने के बाद विभिन्न राज्य लेवियों और अप्रत्यक्ष करों को जीएसटी में मिला दिया गया है। अत: राज्य लेवियों की रिबेट की दर और शुल्क प्रति अदायगी को यथोचित रूप से समायोजित किया गया है। निर्यात को प्रोत्साहन देने के लिए सरकार ने विभिन्न कदम उठाए हैं जोकि निम्नलिखित हैं:–

(i) 01.10.2017 से राज्य लेवियों की छूट की दरों को और शुल्क प्रति अदायगी की दरों को संशोधित रूप में लागू किया गया है।

(ii) कार्यशील पूंजी को अवरुद्ध होने से बचाने और निर्यात को बढ़ावा देने के लिए निर्यातकों को ईपीसीजी (एक्सपोर्ट प्रोमोशन फॉर कैपीटल गुड्स) स्कीम के अंतर्गत मशीनों के आयात के लिए एकीकृत कर के अपफ्रंट पेमेंट से 01.10.2018 तक छूट दी गयी है।

(iii) परिधानों और सिलेसिलाए कपड़ों के लिए एमईआईएस (मर्केन्डाइज एक्सपोर्ट्स फ्रॉम इंडिया स्कीम) की दरों को 2% से बढ़ाकर 4% कर दिया गया है।

एमसीए योजनाएं

1761. श्री नारणभाई काछड़िया: क्या **कारपोरेट कार्य मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) कारपोरेट मामलों के मंत्रालय द्वारा कार्यान्वित की जा रही योजनाओं का ब्यौरा क्या है;

(ख) वर्तमान वर्ष सहित तीन वर्षों के दौरान गुजरात सहित देश में विभिन्न योजनाओं के अंतर्गत योजना-वार /राज्य-वार तय किए गए लक्ष्य और उपलब्धियां क्या हैं;

(ग) वर्तमान वर्ष सहित विगत तीन वर्षों के दौरान गुजरात सहित देश में इन योजनाओं से लाभान्वित हुए लोगों/परिवारों की योजना-वार/राज्य-वार संख्या कितनी है; और

(घ) वर्तमान वर्ष सहित विगत तीन वर्षों के दौरान गुजरात सहित मंत्रालय द्वारा चलायी गई परियोजनाओं का परियोजना-वार/राज्य-वार ब्यौरा क्या है?

विधि और न्याय मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा कारपोरेट कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री पी.पी. चौधरी): (क) कारपोरेट कार्य मंत्रालय कारपोरेट विधि से संबंधित मामले देखता है। यह केन्द्रीय क्षेत्र या केन्द्र द्वारा प्रायोजित किसी योजना का कार्यान्वयन नहीं करता।

(ख) से (घ) प्रश्न नहीं उठता।

सीपीआई आधारित मुद्रास्फीति

1762. श्री ज्योतिरादित्य माधवराव सिंधिया: क्या **वित्त मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या उपभोक्ता मूल्य सूचकांक (सीपीआई) आधारित मुद्रास्फीति पिछले कुछ महीनों में तेज गति से बढ़ी है;

(ख) यदि हां, तो इसके लिए जिम्मेदार कारक क्या हैं;

(ग) क्या केन्द्र सरकार का ऐसे जिम्मेदार कारकों की जांच करने और इसे रोकने के लिए सुधारात्मक कदम उठाने का विचार है; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा पोत परिवहन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री पोन राधाकृष्णन): (क) से (घ) पिछले छह महीनों के दौरान उपभोक्ता मूल्य सूचकांक-संयुक्त (सीपीआई-सी) पर आधारित मुद्रास्फीति नीचे की सारणी में प्रस्तुत की गई है:-

सारणी: उपभोक्ता मूल्य सूचकांक-संयुक्त (सीपीआई-सी) पर आधारित मुद्रास्फीति (प्रतिशत में)

	जनवरी-18	फरवरी-18	मार्च-18	अप्रैल-18	मई-18	जून-18 (अ.)
सीपीआई-सी	5.1	4.4	4.3	4.6	4.9	5.0

टिप्पणी: अ-अनंतिम

हेडलाइन मुद्रास्फीति 5 अगस्त, 2016 से 31 मार्च, 2021 की अवधि के संबंध में सरकार द्वारा +/-2 प्रतिशत के घट-बढ़ स्तर के साथ निर्धारित 4 प्रतिशत मुद्रास्फीति लक्ष्य (उपभोक्ता मूल्य सूचकांक-संयुक्त पर आधारित) के भीतर रही है।

सरकार द्वारा मूल्य स्थिरता को बनाए रखने को उच्च प्राथमिकता दिए जाने के कारण नियमित आधार पर मूल्य स्थिति पर निगरानी रखी जाती है। सरकार ने मुद्रास्फीति और विशेषकर खाद्य मुद्रास्फीति को नियंत्रण में रखने के लिए अनेक उपाय किए हैं जिनमें अन्य बातों के साथ-साथ सचिवों की समिति, अंतरमंत्रालयी समिति, मूल्य स्थिरीकरण कोष प्रबंधन समिति के स्तर पर की गई समीक्षा बैठकों सहित उच्चतम स्तर पर मूल्य एवं उपलब्धता की स्थिति की समीक्षा के लिए नियमित समीक्षा बैठकें आयोजित करना तथा अन्य विभागीय स्तर की समीक्षा बैठकें आयोजित करना, दालों का 20 लाख टन तक परिवर्तनशील बफर स्टॉक बनाए रखना, जब कभी भी आवश्यकता हो कृषि उत्पादों की मूल्य में अस्थिरता पर नियंत्रण के लिए मूल्य स्थिरीकरण कोष के अंतर्गत उचित बाजार हस्तक्षेपी कार्रवाई करना तथा जमाखोरी एवं कालाबाजारी के विरुद्ध कड़ी कार्रवाई करने के लिए राज्य सरकारों को सुझाव देना तथा कम आपूर्ति वाली वस्तुओं की जमाखोरी एवं कालाबाजारी के विरुद्ध कठोर कार्रवाई करने तथा आवश्यक वस्तु अधिनियम, 1955 और कालाबाजारी निवारण एवं आवश्यक वस्तु प्रदाय अधिनियम, 1980 के अंतर्गत जमाखोरी एवं कालाबाजारी के खिलाफ सख्त कार्रवाई करने का परामर्श दिया गया है।

कार्यस्थल पर महिलाओं का यौन उत्पीड़न

1763. श्री जगदम्बिका पाल: क्या **महिला और बाल विकास मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या देश में पिछले कुछ वर्षों में कार्यस्थल पर महिलाओं के यौन उत्पीड़न की शिकायतों की संख्या में वृद्धि हुई है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और राष्ट्रीय महिला आयोग (एनसीडब्ल्यू) को गत तीन वर्षों में प्रत्येक वर्ष और चालू वर्ष के दौरान राज्य/संघ राज्य क्षेत्र-वार कितनी शिकायतें प्राप्त हुई हैं;

(ग) वर्तमान में देश में लागू उस कानून का ब्यौरा क्या है जिसके अंतर्गत कार्यस्थल पर महिलाओं के यौन उत्पीड़न से संबंधित शिकायतें दर्ज की जा सकती हैं; और

(घ) सरकार द्वारा देश में कार्यस्थल पर महिलाओं के यौन उत्पीड़न से सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए और क्या कदम उठाए गए हैं/उठाए जा रहे हैं?

महिला और बाल विकास मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा अल्पसंख्यक कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (डॉ. वीरेन्द्र कुमार): (क) और (ख) विगत तीन वर्षों और मौजूदा वर्ष अर्थात 2015, 2016, 2017 और 2018 के दौरान कार्यस्थल पर लैंगिक उत्पीड़न

श्रेणी के अंतर्गत राज्य/संघ राज्य क्षेत्र-वार दर्ज मामले की संख्या संलग्न विवरण में दी गई है।

(ग) महिलाओं का कार्यस्थल पर लैंगिक उत्पीड़न (निवारण, प्रतितोष) अधिनियम, 2013 के अनुसार, उपयुक्त सरकार स्थानीय प्राधिकरण अथवा किसी सरकारी कम्पनी या निगम या सहकारी समिति द्वारा स्थापित, उसके द्वारा नियंत्रित अथवा पूरी तरह या अधिकांश रूप से प्रत्यक्ष अथवा अप्रत्यक्ष रूप से प्रदान की गई निधियों द्वारा वित्त पोषण सभी कार्यस्थल, जिनमें कोई विभाग, संगठन, उपक्रम, स्थापना, उद्यम, संस्था, कार्यालय, शाखा अथवा इकाई शामिल हैं, और जहां 10 से अधिक कर्मी कार्यरत हैं, अधिदेशित हैं कि वे अपने यहां लैंगिक उत्पीड़न की शिकायतें प्राप्त करने के लिए आंतरिक शिकायत समिति गठित करें। इसी प्रकार, उपयुक्त सरकार प्रत्येक जिले में स्थानीय शिकायत समिति गठित करने के लिए प्राधिकृत है, जो ऐसे संगठनों से शिकायतें प्राप्त करेंगी, जहां 10 से कम कर्मी कार्यरत हैं अथवा जहां स्वयं नियोक्ता के विरुद्ध शिकायत की जाती है।

(घ) मंत्रालय ने देश में सभी महिला कर्मचारियों, जिनमें सरकारी और निजी क्षेत्र में कार्यरत कर्मचारी शामिल हैं, की कार्यस्थल पर लैंगिक उत्पीड़न से संबंधित शिकायतें दर्ज करने के लिए लैंगिक उत्पीड़न इलैक्ट्रॉनिक बॉक्स (एसएचई बॉक्स) नामक ऑनलाइन शिकायत प्रबंधन प्रणाली शुरू की है।

भारत सरकार के सभी मंत्रालयों/विभागों से अनुरोध किया गया है कि वे इस अधिनियम के उपबंधों के बारे में कर्मचारियों को जानकारी प्रदान करने के लिए अपने-अपने विभागों/कार्यालयों में कार्यशालाएं और जागरुकता कार्यक्रम आयोजित करें।

सभी राज्य/संघ राज्य क्षेत्र सरकारों से अनुरोध किया गया है कि इस अधिनियम के उपबंधों के बारे में कर्मचारियों को जानकारी प्रदान करने के लिए अपने-अपने विभागों/कार्यलयों में कार्यशालाएं और जागरुकता कार्यक्रम आयोजित करें। सभी राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों से यह भी अनुरोध किया गया है कि वे उद्योग/वाणिज्य सचिव से कहें कि राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों के प्रत्येक उद्योग, व्यापारिक घराने, निजी क्षेत्र की एनटीटी में इसी प्रकार की कार्यशालाएं और जागरुकता कार्यक्रम आयोजित किए जाएं।

उपर्युक्त के आलावा, महिला एवं बाल विकास मंत्रालय ने पूरे देश में संगठित और असंगठित दोनों क्षेत्रों में अधिनियम के संबंध में व्यापक जागरुकता पैदा करने के लिए कार्यस्थल पर लैंगिक उत्पीड़न के मुद्दे पर क्षमता-निर्माण कार्यक्रम, अर्थात प्रशिक्षण, कार्यशालाएं आदि चलाने के लिए 223 संस्थाओं को अभिनिर्धारित किया है।

विवरण

विगत तीन वर्षों अर्थात 2015, 2016, 2017 और 2018 के दौरान कार्यस्थल पर लैंगिक उत्पीड़न श्रेणी के अंतर्गत राज्य/संघ राज्य क्षेत्र-वार दर्ज मामलों की संख्या

क्र.सं.	राज्य/संघ राज्य क्षेत्र	2015	2016	2017	2018
1	2	3	4	5	6
1.	अंडमान और निकोबार द्वीपसमूह	2	2	0	1
2.	आंध्र प्रदेश	4	11	12	2
3.	असम	1	6	6	3
4.	बिहार	12	20	15	20
5.	चंडीगढ़	3	4	2	3
6.	छत्तीसगढ़	5	4	6	2
7.	दादरा और नगर हवेली	-	1	0	0

1	2	3	4	5	6
8.	दिल्ली	100	82	77	55
9.	गोवा	1	–	2	1
10.	गुजरात	15	7	12	7
11.	हरियाणा	33	30	39	37
12.	हिमाचल प्रदेश	5	–	3	2
13.	जम्मू और कश्मीर	3	5	3	0
14.	झारखंड	14	9	4	4
15.	कर्नाटक	21	22	38	14
16.	केरल	9	9	4	7
17.	मध्य प्रदेश	38	35	39	23
18.	महाराष्ट्र	28	35	41	22
19.	मणिपुर	–	–	–	–
20.	मेघालय	–	–	–	–
21.	नागालैंड	1	–	–	–
22.	ओडिशा	5	9	8	5
23.	पुदुचेरी	1	1	3	3
24.	पंजाब	6	8	16	14
25.	राजस्थान	23	31	31	28
26.	सिक्किम	–	1	1	0
27.	तमिलनाडु	24	38	17	17
28.	तेलंगाना	20	12	8	10
29.	त्रिपुरा	1	–	1	0
30.	उत्तर प्रदेश	120	129	147	231
31.	उत्तराखंड	8	5	7	7
32.	पश्चिम बंगाल	19	23	28	15
	कुल	522	539	570	533

राष्ट्रीय पार्कों/अभयारण्यों में अतिक्रमण

1764. श्री अनुराग सिंह ठाकुर:
प्रो. सौगत राय:

क्या **पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या केंद्र सरकार ने विभिन्न राष्ट्रीय पार्कों/अभयारण्यों में निजी पक्षों द्वारा अतिक्रमण करने का हिमाचल प्रदेश सहित राज्य/संघ क्षेत्र-वार संज्ञान लिया है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) अतिक्रमण से भूमि सुरक्षा करने के लिए गहन सर्वेक्षण नहीं करने के क्या कारण हैं;

(घ) क्या कुछ राज्य सरकारों ने अतिक्रमण के विरुद्ध कार्रवाई नहीं की है और यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं; और

(ङ) क्या इन पार्कों या अभयारण्यों के अंतर्गत क्षेत्र को बढ़ाने के लिए कोई कदम उठाया गया है और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा है?

संस्कृति मंत्रालय के राज्य मंत्री तथा पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय में राज्य मंत्री (डॉ. महेश शर्मा): (क) से (ग) देश के राष्ट्रीय पार्कों और वन्यजीव अभयारण्यों में अतिक्रमण की रिपोर्टें समय-समय पर प्राप्त होती हैं। तथापि, ऐसे मामलों के विवरण का समेकन मंत्रालय में नहीं किया जाता है। संरक्षित क्षेत्रों के प्रबंधन की जिम्मेदारी संबंधित राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों की होती है।

(घ) राज्य/संघ राज्य क्षेत्र सरकारें वन्यजीव (संरक्षण) अधिनियम, 1972 की धारा 34ए के तहत अतिक्रमण को हटाने के लिए पूरी तरह से शक्ति संपन्न है। हिमाचल प्रदेश की सरकार सहित संबंधित राज्य/संघ राज्य क्षेत्र की सरकारें अतिक्रमण हटाने के विरुद्ध कार्रवाई कर रही है।

(ङ) मंत्रालय को कर्नाटक (पुष्पागिरि वन्यजीव अभयारण्य), पश्चिम बंगाल (बक्सा टाइगर रिजर्व) तथा छत्तीगढ़ (इंद्रावती टाइगर रिजर्व) से वन्यजीव अभयारण्य/राष्ट्रीय पार्कों के क्षेत्र बढ़ाने सहित सीमाओं के उपयुक्त निर्धारण के लिए प्रस्ताव प्राप्त हुए जिन पर राष्ट्रीय वन्यजीव बोर्ड की स्थायी समिति (एनबीडब्ल्यूएल) द्वारा विचार किया गया और सिफारिश की गई थी।

इसके अलावा, उपलब्ध सूचना के अनुसार, पश्चिम बंगाल सरकार वर्ष 2013 में न्यौरा वैली राष्ट्रीय पार्क के 88 वर्ग किमी क्षेत्र को बढ़ाकर 159.89 वर्ग किमी कर दिया है।

वृद्धि दर मुद्रास्फीति का प्रभाव

1765. श्री शरद त्रिपाठी: क्या **वित्त मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) विगत 6 महीनों के दौरान मुद्रास्फीति की दर का ब्यौरा क्या है और इसका आर्थिक वृद्धि दर पर क्या प्रभाव पड़ा है;

(ख) मंहगाई क

(ग) क्या खाद्य पदार्थों की खुदरा मंहगाई, मंहगाई की समग्र दर से अधिक दर से बढ़ रही है; और

(घ) यदि हां इसके क्या कारण हैं और सरकार द्वारा मूल्य वृद्धि को नियंत्रित करने हेतु क्या प्रयास किए जा रहे हैं?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा पोत परिवहन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री पोन राधाकृष्णन): (क) और (ख) पिछले छह महीनों के दौरान उपभोक्ता मूल्य सूचकांक-संयुक्त (सीपीआई-सी) पर आधारित मुद्रास्फीति नीचे सारणी-1 में प्रस्तुत की गई है:

सारणी 1

	जनवरी-18	फरवरी-18	मार्च-18	अप्रैल-18	मई-18	जून-18 (अ.)
सीपीआई-सी	5.1	4.4	4.3	4.6	4.9	5.0

टिप्पणी: अ-अनंतिम

देश की जीडीपी वृद्धि अनेक कारकों पर निर्भर करती है जैसे ढांचागत, विदेशी, राजकोषीय और मौद्रिक। इस प्रकार आर्थिक वृद्धि में मुद्रास्फीति के प्रभाव का ठीक-ठीक पता लगाना कठिन है। अन्य कारक वही रहे हैं, मुद्रास्फीति से मूल्यों में वृद्धि होती है, जिससे

उपभोग कम हो जाता है, जो अर्थव्यवस्था में कुल मांग का मुख्य घटक है।

(ग) और (घ) 2017-18 की हेडलाइन मुद्रास्फीति की तुलना में खाद्य मुद्रास्फीति कम रही है और 2018-19 की प्रथम तिमाही के आंकड़े सारणी 2 में दर्शाए गए हैं।

सारणी 2: खाद्य (सीएफपीआई) मुद्रास्फीति (प्रतिशत में) और हेडलाइन (सीपीआई-सी)

	2017-18	2018-19 पहली तिमाह (अ.)
खाद्य मुद्रास्फीति: उपभोक्ता खाद्य मूल्य सूचकांक (सीएफआई)	1.8	2.9
हेडलाइन मुद्रास्फीति: उपभोक्ता मूल्य सूचकांक संयुक्त (सीपीआई-सी)	3.6	4.8

टिप्पणी: अ.-अनंतिम

सरकार ने मुद्रास्फीति और विशेषकर खाद्य मुद्रास्फीति को नियंत्रण में रखने के लिए अनेक उपाय किए है; जिसमें अन्य बातों के साथ-साथ उच्चतम स्तर पर मूल्य एवं उपलब्धता की स्थिति की समीक्षा के लिए नियमित समीक्षा बैठकें आयोजित करना, दालों का 20 लाख टन परिवर्तनशील बफर स्टॉक बनाए रखना, जब कभी भी आवश्यकता हो कृषि उत्पादों के मूल्य में अस्थिरता पर नियंत्रण के लिए मूल्य स्थिरीकरण कोष के अंतर्गत उचित बाजार हस्तक्षेपी कार्रवाई करना।

सीओडीएस-2018

1766. श्री पी. श्रीनिवास रेड्डी: क्या **कारपोरेट कार्य मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार का अयोग्य निर्देशकों को राहत देने के लिए विलंब की माफी योजना का विचार है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इसके अमल की स्थिति क्या है;

(ग) क्या यह योजना बंद कंपनियों के निर्देशक के लिए नहीं है और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(घ) क्या सरकार ने अयोग्य निर्देशकों की निर्देशक पहचान संख्या को निष्क्रिय कर दिया है और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इसके क्या कारण है;

(ङ) क्या यह चिंता जताई जा रही है कि वास्तविक कंपनियों के कई निर्देशकों को भी अयोग्य घोषित किया गया है और कुछ लोग अयोग्य घोषित किए जाने के विरुद्ध न्यायालय चले गए है; और

(च) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इस संबध में वर्तमान स्थिति क्या है?

विधि और न्याय मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा कारपोरेट कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री पी.पी. चौधरी): (क) सरकार द्वारा ऐसा कोई प्रस्ताव विचाराधीन नहीं है।

(ख) प्रश्न नहीं उठता।

(ग) सरकार ने चूककर्त्ता कंपनियों के लिए अपनी लंबित संविधिक विवरणियां नियमित करने के लिए दिनांक 01.01.2018 से 01.05.2018 तक देरी के लिए क्षमा योजना (सीओडीएस), 2018 की घोषणा की थी। तद्नुसार, 13,993 कंपनियों ने अनुपालक कंपनियां बनने के लिए सीओडीएस योजना का लाभ उठाया और लगभग 30,000 ऐसे अयोग्य निदेशकों को नियमित किया गया। यह योजना पहले से ही नाम काटी गई कंपनियों के निदेशकों पर तब तक लागू नहीं थी जब तक की उन्होंने राष्ट्रीय कंपनी विधि अधिकरण के समक्ष याचिका दायर करके अधिनियम की धारा 252 के तहत पुनरुद्धार का आवेदन न किया हो।

(घ) वित्तीय वर्ष 2017-18 के दौरान और अब तक सरकार ने लगातार तुरंत पूर्ववर्ती 3(तीन) वित्तीय वर्षों (2013-14, 2014-15, 2015-16) की अवधि के लिए वित्तीय विवरण या वार्षिक विवरणियां दायर करने के लिए लिए कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 167(2) के तहत 3,09,619 निदेशकों की अयोग्य के रूप में पहचान की। उपर्युक्त अयोग्य निदेशकों में से, 2,10,116 अयोग्य निदेशक नाम काटी गई 2,26,166 कंपनियों के बोर्ड में निदेशक थे।

(ङ) और (च) उपर्युक्तानुसार निदेशकों की अयोग्यता की पहचान करने और कंपनियों के नाम काटने पर सरकार द्वारा की गई कार्रवाई को चुनौती देने के लिए विभिन्न उच्च न्यायालयों में कुल 2459 याचिकाएं दायर/प्रस्तुत की गई थीं। इनमें से 628 मामलों का निपटान किया गया और शेष मामले न्याय निर्णय के लिए लंबित है।

कॉर्पोरेट पर्यावरण दायित्व योजना

1767. श्री अनिल शिरोले:
श्री जॉर्ज बेकर:
प्रो. रिचर्ड हे:
श्री प्रभुभाई नागरभाई वसावा:

क्या **पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) कॉर्पोरेट पर्यावरण दायित्व (सीईआर) योजना की मुख्य विशेषताएं क्या है;

(ख) गत 3 वर्षों में चालू वर्ष के दौरान देश भर में उक्त योजना के अंतर्गत स्वीकृत, आवंटित और उपयोग में लाई गई राशि का केरल सहित राज्य और संघ राज्य क्षेत्र-वार ब्यौरा क्या है;

(ग) उक्त अवधि के दौरान इस योजना के अंतर्गत निर्धारित लक्ष्य और हासिल की गई उपलब्धियों का ब्यौरा क्या है;

(घ) क्या इस योजना के परिणाम निर्धारित लक्ष्य के अनुरूप हैं तथा यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है तथा यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं तथा सरकार द्वारा इस संबंध में क्या कार्रवाई की गई है; और

(ङ) क्या सरकार सीईआर के लिए परियोजना में प्रस्तावित पूंजी निवेश का एक निश्चित प्रतिशत निर्धारित करने का विचार रखती है और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

संस्कृति मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय में राज्य मंत्री (डॉ. महेश शर्मा): (क) कार्पोरेट पर्यावरण दायित्व योजना (सीईआर) के दिशानिर्देशों की मुख्य विशेषताओं में अन्य बातों के साथ-साथ निम्नलिखित भी शामिल हैं:-

(i) सीईआर की लागत पर्यावरण प्रभाव मूल्यांकन (ईआईए)/पर्यावरण प्रबंधन योजना (ईएमपी) के कार्यान्वयन कर परिकल्पित लागत के अतिरिक्त है;

(ii) सीईआर के निधि आवंटन पर विशेषज्ञ मूल्यांकन समिति (ईएसी) या राज्य विशेषज्ञ मूल्यांकन समिति (एसईएसी) या जिला विशेषज्ञ मूल्यांकन समिति (डीईएसी) द्वारा जैसा भी मामला हो, उचित रूप से विचार-विमर्श किया जाएगा, बशर्ते कि दिनांक 1 मई, 2018 के मंत्रालय के कार्यालय ज्ञापन में निर्धारित अधिकतम प्रतिशत का पालन किया जाए;

(iii) सीईआर के तहत प्रस्तावित कार्यकलापों को जन सुनवाई, सामाजिक आवश्यकता आकलन, पुनर्वास तथा पुर्नस्थापन योजना, ईएमपी इत्यादि के दौरान उठाए गए मामलों के आधार पर संपादित किया जाएगा तथा परियोजना के आस-पास के प्रभावित क्षेत्र के लिए प्रस्तावित कार्यकलापों को प्रतिबंधित किया जाएगा है; तथा

(iv) सीईआर के तहत प्रस्तावित संपूर्ण कार्यकलापों को परियोजना के रूप में माना जाएगाा तथा उनकी मॉनीटरी की जाएगी।

(ख) से (घ) सीईआर के लिए निधि का आवंटन जन सुनवाई, सामाजिक आवश्यकता मूल्यांकन तथा ईएमपी के दौरान उठाए गए मामलों के आधार पर किया जाएगा तथा जोकि ईएसी/एसईएसी/डीईएसी द्वारा विचार-विमर्श करके किया जाएगा। सीईआर की राशि परियोजना के स्वरूप तथा आकार पर निर्भर करेगी।

(ङ) जी हां, सीईआर के लिए निधि का आवंटन ईएसी/एसईएसी/डीईएसी द्वारा विचार विमर्श करके किया जाएगा, जैसा भी मामला हो, बशर्ते कि ग्रीन फील्ड परियोजनाओं तथा ब्राऊन फील्ड परियोजनाओं के लिए पूंजी निवेश के अधिकतम प्रतिशत किया जाए जो इस प्रकार है:-

क्र. सं.	पूंजी निवेश/अतिरिक्त पूंजी निवेश (रु. में)	ग्रीन फील्ड परियोजना के लिए निवेश पूंजी का प्रतिशत	ब्राउन फील्ड परियोजना के लिए निवेश पूंजी का प्रतिशत
I	II	III	IV
1.	≤ 100 करोड़	2.0%	1.2%
2.	> 100 करोड़ से ≤ 500 करोड़	1.5%	0.75%
3.	> 500 करोड़ से ≤ 1000 करोड़	1.0%	0.50%
4.	> 100 करोड़ से ≤ 10000 करोड़ तक	0.5%	0.25%
5.	> 10000 करोड़	0.25%	0.125%

वैकल्पिक बाजार आयोग

1768. श्री बी. विनोद कुमार: क्या **कारपोरेट कार्य मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार, भारतीय उद्यमियों के लिए बाजार के वित्तपोषण हेतु 500 बिलियन डॉलर की स्टार्ट-अप निधि की देखरेख के लिए एक विनियामक स्थापित करने पर विचार कर रही है और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा है;

(ख) क्या प्रस्तावित वैकल्पिक बाजार आयोग, विनियम बनाने तथा विश्वास जगाने और गैर-सूचीबद्ध कंपनियों द्वारा निवेशकों से धन अर्जन को आसान बनाने हेतु जिम्मेवार है; और

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

विधि और न्याय मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा कारपोरेट कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री पी. पी. चौधरी): (क) से (ग) वित्त मंत्रालय के आर्थिक कार्य विभाग ने दिनांक 24.07.2018 के अपने कार्यालय ज्ञापन द्वारा सूचित किया है कि अब तक उन्होंने भारतीय उद्यमों के लिए 500 बिलियन डॉलर की स्टार्ट-अप निधि बाजार की देखरेख करने के लिए कोई विनियामक गठित करने का निर्णय नहीं किया है।

एक्सचेंज में सूचीबद्ध फजी कंपनियां

1769. श्री राजू शेट्टी : क्या **वित्त मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार ने राष्ट्रीय स्टॉक एक्सचेंज (एनएसई) और मुंबई स्टॉक एक्सचेंज (बीएसई) में सूचीबद्ध फर्जी कंपनियों की जांच शुरू कर दी है और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ख) क्या सेबी ने निवेशकों को ऐसी कंपनियों में निवेश ना करने की सूचना दी है और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या उक्त कंपनियों को सूची से हटाने की प्रक्रिया शुरू हो गई है; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा पोत परिवहन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री पोन राधाकृष्णन): (क) से (घ) 'फर्जी' कंपनी शब्द को कंपनी अधिनियम, 2013 के अधीन परिभाषित नहीं किया जाता है। इसके अलावा, भारतीय प्रतिभूति और विनियम बोर्ड (सेबी), भारत में प्रतिभूति बाजार के लिए विनियामक, ने यह सूचना दी है कि राष्ट्रीय स्टॉक एक्सचेंज (एनएसई) और मुंबई स्टॉक एक्सचेंज (बीएसई) में किसी भी कंपनी की फर्जी कंपनी के रूप में पहचान नहीं की गई है।

तथापि, यह ध्यातव्य है कि कार्पोरेट कार्य मंत्रालय (एमसीए) ने ऐसी 1313 कंपनियों (चूककर्ता/निष्क्रिय कंपनियां के रूप में उल्लिखित) को सेबी को संदर्भित कर दिया था जिन्होंनें तात्कालिक पूर्ववर्ती तीन वर्षों (2014-15 से 2016-17) के दौरान तुलन पत्र और/या वार्षिक रिपोर्ट प्रस्तुत करने में दो बार या इससे अधिक बार चूक की है। इन 1313 कंपनीयों में से, 891 कंपनियां सूचीबद्ध होने वाली पाई गई थी, जिनमें से 527 कंपनियों को 23 जुलाई, 2018 की स्थिति के अनुसार एक्सचेंजों द्वारा पहले ही सूची से हटा दिया गया है। इसके अतिरिक्त, कलकत्ता स्टॉक एक्सचेंज में सूचीबद्ध 79 कंपनियों को सूची से हटाए जाने की कार्रवाई की जा रही है। इसके अलावा, 72 कंपनियां कार्पोरेट कार्य मंत्रालय को लुप्त होने वाली कंपनियों के रूप में संदर्भित कर दी गई हैं तथा 135 कंपनियां सूचीबद्धता से बाहर बनी हुई हैं जिनमें से 97 निलंबन के अधीन हैं। शेष 78 कंपनियां उन कंपनियों की प्रतिभूतियों के क्रेताओं और विक्रेताओं द्वारा लगाई गई बोलियों के प्रसार के लिए बीएसई और एनएसई द्वारा अनुरक्षित प्रसार बोर्ड तंत्र में रखी गई है जो निर्गमनकारी या मान्यता रद्द कर दिए गए क्षेत्रीय स्टॉक एक्सचेंज (आरएसी) में से किसी में विशेष रूप से पंजीकृत थीं और जो अन्यत्र सूचीयन प्राप्त करने में विफल रही थीं।

इसके अतिरिक्त, केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड (सीबीडीटी), राजस्व विभाग ने यह सूचना दी है कि आयकर विभाग (आईटीडी) इसके द्वारा प्रशासित विधियों के उल्लंघन में लिप्त पाई गई 'मुखौटा' कंपनियों और उनकी सहायक कंपनियों सहित, विभिन्न व्यक्तियों के विरुद्ध, अन्य के साथ-साथ, तलाशी और जब्ती तथा सर्वेक्षण सहित उपयुक्त कार्रवाइयां करता है।

फिनटेक पर समिति

1770. श्री बलका सुमन:
श्री चामाकुरा मल्ला रेड्डी:

क्या **वित्त मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार ने भारत में फिनटेक स्पेस के विकास से संबंधित विभिन्न मुद्दों पर विचार के लिए फिनटेक पर एक संचालन समिति/8 सदस्यीय समिति गठित की है ताकि फिनटेक से संबंधित नियमों को अधिक लचीला, वित्तीय समावेश का समर्थन और अन्य बढ़ती अर्थव्यवस्थाओं की तुलना में जहां पर भारत की तुलनात्मक

अधिक ताकत है पर बढ़ती उद्यमिता को उत्पन्न किया जा सके; और

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा पोत परिवहन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री पोन राधाकृष्णन): (क) और (ख) जी, हां।

(i) सरकार ने मार्च, 2018 में सचिव, आर्थिक कार्य विभाग (डीईए) की अध्यक्षता में फिनटेक संबंधी मुद्दों पर संचालन समिति का गठन किया है। इस समिति के सदस्यों में सूक्ष्म लघु और मझोले उद्यम मंत्रालय (एमएसएमई), इलैक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय (एमईआईटीवाई), वित्तीय सेवाएं विभाग (डीएफएस) के सचिव और केंद्रीय उत्पाद और सीमा शुल्क बोर्ड (सीबीईसी) के अध्यक्ष, भारतीय विशिष्ट पहचान प्राधिकरण (यूआईडीएआई) के सीईओं, भारतीय रिजर्व बैंक (निवेश), आर्थिक कार्य विभाग; इसके संयोजक हैं।

(ii) इस समिति का उद्देश्य फिनटेक संबंधी विनियमों को और अधिक नम्य बनाने और ऐसे क्षेत्र में, जिसमें अन्य उभरती अर्थव्यवस्थाओं की तुलना में भारत की विशिष्ट तुलनात्मक सुदृढ़ताएं हैं, उनमें बढ़ती उद्यमिता का सृजन करने के दृष्टिकोण के साथ भारत में फिनटेक गुंजाइश के विकास संबंधी विभिन्न मुद्दों पर विचार करना है। यह समिति इस बात पर भी ध्यान देगी कि एमएसएमई के वित्तीय समावेशन में वृद्धि करने के लिए फिनटेक का किस प्रकार लाभ उठाया जा सकता है। इस समिति की अभी तक दो बैठकें हो चुकी है।

(iii) इस समिति के अधीन 'ट्रस्टेड इंवोइसेस' के निक्षेपागार का सृजन करने के लिए माल और सेवा कर नेटवर्क (जीएसटीएन) डाटा बेस का प्रयोग करके, ओपन एप्लीकेशन प्रोग्रामिंग इंटरफेस (एपीआई) प्रणाली के माध्यम से उधार देने वालों को उपलब्ध कराने के लिए प्रवाह आधारित उधारी देने को समर्थ बनाने के दृष्टिकोण से एक उप-समूह की भी स्थापना की गई है। इस उप-समूह की भी दो बैठकें हो चुकी हैं।

आयुष विश्वविद्यालयों की स्थापना हेतु दिशानिर्देश

1771. डॉ. प्रभास कुमार सिंह: क्या **आयुर्वेद, योग और प्राकृतिक चिकित्सा, यूनानी, सिद्ध और होम्योपैथी (आयुष) मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) आयुर्वेद, यूनानी, सिद्ध चिकित्सा व्यवस्था के विश्वविद्यालयों की स्थापना संबंधी दिशानिर्देशों का ब्यौरा क्या है और इन दिशानिर्देशों को बनाने तथा लागू करने के लिए कौन से प्राधिकारी/अधिकारी नामित किए गए हैं;

(ख) क्या सरकार का वर्तमान महाविद्यालय को आयुर्वेदिक केंद्रीय विश्वविद्यालय में परिवर्तित करने का कोई विचार है; और

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

आयुर्वेद, योग और प्राकृतिक चिकित्सा, यूनानी, सिद्ध और होम्योपैथी (आयुष) मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री श्रीपाद येसो नाईक): (क) आयुष मंत्रालय ने आयुर्वेद, यूनानी और सिद्ध चिकित्सा पद्धतियों के विश्वविद्यालयों की स्थापना हेतु कोई दिशानिर्देश तैयार नहीं किए हैं।

(ख) और (ग) ऐसा कोई प्रस्ताव नहीं है।

सरकारी भवनों में अत्यंत कुशल वातानुकूलक

1772. श्री चामाकुरा मल्ला रेड्डी: क्या **पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार ने जलवायु परिवर्तन पर पेरिस समझौते में किए गए अपने वायदे का पालन करते हुए देश में पहली बार अपने 2,500 भवनों में अत्यंत कुशल वातानुकूलित संयंत्र स्थापित करने का निर्णय लिया है; और

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

संस्कृति मंत्रालय के राज्य मंत्री तथा पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय में राज्य मंत्री (डॉ. महेश शर्मा): (क) और (ख) व्यय विभाग, वित्तमंत्रालय ने व्यय में किफायत और बचत करने के लिए सभी सरकारी भवनों में एलईडी आधारित प्रकाश एवं ऊर्जा दक्ष उपकरणों (पंखे एवं एयर कंडीशनर्स) की अनिवार्य संस्थापन करने का अनुरोध किया है। सचूना के अनुसार विद्युत मंत्रालय, भारत सरकार के प्रशासन के अधीन एक संयुक्त उद्यम, एनर्जी एफीश्येंसी सर्विसेस लिमिटेड (ईईएसएल) ने लगभग

8000 भवनों में 9864 सुपर एफीश्येंट एयर कंडीशनर्स संस्थापित किए हैं। केंद्रीय लोक निर्माण विभाग और ईईएसएल द्वारा परियोजना का क्रियान्वयन किया जाता है।

विमुद्रीकरण और डिजिटल लेन-देन

1773. श्री डी.एस. राठौड़:
श्री मोहनभाई कल्याणजीभाई कुंदरिया:

क्या **वित्त मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या विमुद्रीकरण ने देश में डिजिटल लेन-देन को बढ़ाया दिया है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है.

(ग) क्या इसने सरकारी प्राप्तियों में भी सुधार किया है और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(घ) सरकार द्वारा डिजिटल भुगतानों की पहुंच और स्वीकार्यता में सुधार के लिए क्या कदम उठाए जा रहे हैं?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा पोत परिवहन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री पोन राधाकृष्णन): (क) और (ख) जी, हां। विमुद्रीकरण के बाद की अवधि में देश में डिजिटल लेनदेनों में भारी वृद्धि देखी गई है। मात्रा के संबंध में डिजिटल लेनदेन नंवबर 2016 के 91.83 करोड़ रुपये से बढ़कर मई 2018 में 214.13 करोड़ रुपये हो गई हैं। मूल्य के संदर्भ में डिजिटल लेनदेन 112.27 लाख करोड़ रुपये से बढ़कर मई 2018 में जो 179.83 लाख करोड़ रुपये हो गए हैं। नवंबर 2016 से डिजिटल लेनदेनों में हुई वृद्धि का ब्यौरा संलग्न विवरण-I में दिया गया है।

(ग) वित्त वर्ष 2017-18 में हुए निवल प्रत्यक्ष कर संग्रहण कर 10.03 लाख करोड़ रु. के रहे जो 2016-17 में हुए संग्रहण से 18% अधिक है। वित्त वर्ष 2016-17 में हुए संग्रहण भी 2015-16 के संग्रहण से 14.5% अधिक थे। दूसरी ओर, वित्त वर्ष 2015-16 और वित्त वर्ष 2014-15 की वृद्धि दरें क्रमश: केवल 6.6% और 9% थी। विमुद्रीकरण के वर्ष में और उसके बाद के वर्ष में प्रत्यक्ष कर राजस्व में हुई जबरदस्त वृद्धि देश में कर अनुपालन के स्तर पर विमुद्रीकरण के सकारात्मक प्रभाव का संकेत है।

वैयक्तिक आयकर के अंतर्गत अग्रिम कर और स्व-निर्धारण कर से प्राप्त होने वाले राजस्व में भी भारी वृद्धि हुई है। वित्त वर्ष 2017-18 में, वैयक्तिक आयकर के अग्रिम कर संग्रहण में 23.4% की वृद्धि हुई और वैयक्तिक आयकर के स्व-निर्धारण कर में 2016-17 के संग्रहण की तुलना में 29.9% की वृद्धि हुई जो इस तर्क की पुष्टि करता है कि विमुद्रीकरण और उसके बाद आयकर विभाग द्वारा की गई बैंक जमा राशियों के आंकड़ों से संबंधित अनुवर्ती कार्रवाई से स्वैच्छिक अदायगी पर उल्लेखनीय प्रभाव पड़ा।

(घ) वाणिज्यिक लेनदेनों में डिजिटल भुगताान के प्रयोग को बढ़ावा देने के लिए, सरकार (वित्त अधिनियम-2017 के जरिए) ने डिजिटल लेनदेनों के माध्यम से कुल बिक्री के संबंध में अनुमानित आयकर की दर को 8% से घटाकर 6% कर दिया है। डिजिटल लेनदेनों को बढ़ावा देने के उद्देश्य से डिजीधन नामक एक समर्पित मिशन की स्थापना की गई। डिजिटल भुगतान का ऐप 'BHIM-Bharat Interface for Money' 30 दिसंबर, 2016 को शुरू किया गया। देश में डिजिटल लेनदेनों को बढ़ावा देने के लिए सरकार द्वारा शुरू किए गए उपाय संलग्न विवरण-II में वर्णित हैं।

विवरण-I

डिजिटल लेनदेन की वृद्धि

महीनें इकाई	मात्रा करोड़ में	मूल्य लाख करोड़ में
1	2	3
नवम्बर 16	91.83	112.27
दिसम्बर 16	132.93	124.57
जनवरी 17	125.61	113.94
फरवरी 17	111.37	107.98
मार्च 17	130.64	172.61
अप्रैल 17	159.74	148.43
मई 17	156.89	151.45
जून' 17	153.02	154.43
जुलाई' 17	156.71	145.76
अगस्त'17	158.37	151.15
सितम्बर' 17	158.62	169.20
अक्टूबर' 17	169.10	156.44

1	2	3
नवम्बर' 17	174.64	165.07
दिसम्बर' 17	194.03	169.44
जनवरी' 18	199.01	216.86
फरवरी' 18	191.23	152.16
मार्च' 18	199.74	216.86
अप्रैल' 18	208.26	163.67
मई' 18	214.31	179.83

नोट: जून 18 और जुलाई 18 के महिनें के लिए आरबीआई आंकड़े प्रकाशित नहीं हुआ, इसलिए इसमें शामिल नहीं किया गया है।

उपर्युक्त के रूप में डिजिटल लेनदेन गणना के लिए उपयोग की जाने वाली विधियों की सूची निम्नलिखित है:–

1. एनएसीएच
2. आईएमपीएस
3. यूपीआई
4. भीम
5. यूएसएसडी
6. पीओएस पर रुपे
7. ईकाम पर रुपे
8. एईपीएस
9. बीबीपीएस
10. एनईटीसी
11. डेबिट कार्ड (रुपे को छोड़कर)
12. क्रेडिट कार्ड
13. एनईएफटी
14. मोबाइल वॉलेट
15. आरटीजीएस
16. पीपीसी
17. क्लोज्ड लूप

विवरण-II

देश में डिजिटल लेनदेनों को बढ़ावा देने के लिए सरकार द्वारा किए गए उपाय

(i) भुगतान स्वीकार संबंधी अवसंरचना का विस्तार:

➢ वित्त वर्ष 2017-18 के संबंध में की गई बजट घोषणा के अनुसार, बैंकों को 10 लाख अतिरिक्त बिक्री स्थल (पीओएस) टर्मिनल लगाने का लक्ष्य दिया गया था। इस लक्ष्य की तुलना में, बैंकों ने 12.33 लाख नए पीओएस टर्मिनल स्थापित किए गए। इस समय देश भर में कुल 33.20 लाख पीओएस (मई 2018 तक) लगाए जा चुके हैं इलेक्ट्रॉनिकी और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय (मेइटि) ने वित्त वर्ष 2018-19 में बैंक द्वारा 20 लाख अतिरिक्त पीओएस टर्मिनल लगाने का लक्ष्य निर्धारित किया है।

➢ भीम आधार पे बायोमेट्रिक सत्यापन का उपयोग करके ऐसे नागरिकों को डिजिटल भुगतान करने में सक्षम बनाता है, जिनके पास स्मार्ट फोन नहीं है। मई 2018 तक बैंकों द्वारा लगभग 5.56 लाख भीम आधार पीओएस लगाए जा चुके हैं।

➢ भारत क्यूआर 4.0 10 अगस्त, 2017 को आरंभ किया गया था जिसमें यूपीआई का प्रयोग करते हुऐ क्यूआर आधारित भुगतान स्वीकृत करने का प्रवधान किया गया है। 30 अप्रैल, 2018 तक 26 बैंक प्राप्तकर्ता के रूप में भारत क्यूआर पर सक्रिय कर दिए गए हैं और 38 बैंकों को भीम यूपीआई पीएसपी ऐप पर सक्रिय कर दिया गया है। मई 2018 तक 11.08 लाख वाणिज्यिक स्थलों पर भारत क्यूआर संस्थापित कर दिए गए हैं।

(ii) प्रोत्साहन योजनाएं

➢ मेइटि ने राजपत्र अधिसूचना सं. 6(19)/2017-डीपीडी-1 दिनांक 27 दिसम्बर, 2017 के माध्यम से 1 जनवरी 2018 से शुरू होने वाली दो वर्ष कर अवधि के लिए बैंकों को 2000 रुपये से कम मूल्य के डेबिट कार्ड/भीम-यूपीआई/भीम आधार पे आधारित लेनदेनों पर मर्चेंट डिस्काउंट रेट (एमडीआर) प्रभारों की प्रतिपूर्ति अधिसूचित की है। एमडीआर की प्रतिपूर्ति का उद्देश्य व्यापारियों विशेष रूप से छोटे और लघु

व्यापारियों द्वारा डिजिटल भुगतान की प्रक्रिया अपनाने की स्थिति में सुधार करना है।

- 'व्यक्तियों के लिए भीम कैशबैक योजना' भीम ऐप के माध्यम से भुगतान को लोकप्रिय बनाने के लिए शुरू की गई है। इस योजना को संशोधित किया गया है और यह मार्च, 2019 तक प्रचालनरत है। भीम ऐप पर कोई भी ग्राहक भीम ऐप पर किए गए 10 विशिष्ट लेनदेनों पर 150 रुपये तक का प्रोत्साहन अर्जित कर सकता है।

- भीम आधार मर्चेंट प्रोत्साहन योजना दोबारा शुरू की गई है और इसमें प्रोत्साहन 0.25% से बढ़ाकर 0.5% कर दिया गया है। यह योजना 1 अप्रैल, 2018 से मार्च 2019 तक चलाई जा रही है। इस योजना में व्यापारी 2000 रुपये प्रतिमाह तक का प्रोत्साहन अर्जित कर सकता है।

- भीम आधार पीओएस उपकरणों की संस्थापना को बढ़ावा देने के लिए वित्तीय सेवाएं विभाग ने बैंकों को प्रत्येक भीम आधार पीओएस की खरीद के लिए 1800 रुपये तक का प्रोत्साहन देने की योजना शुरू की है।

(iii) बैंकों के साथ समन्वय

- वित्त वर्ष 2018-19 के लिए सरकारी और निजी क्षेत्र के बैंकों को डिजिटल भुगतान के लेनदेन संबंधी लक्ष्य आवंटित किए गए हैं। मेइटि ने 3013 करोड़ डिजिटल भुगतान लेनदेनों का लक्ष्य निर्धारित किया है।

- बैंकों के निष्पादन पर स्कोर कार्ड और बैंकों की रैंकिंग प्रणाली के जरिए मेइटि द्वारा निगरानी की जाती है और मूल्यांकन किया जाता है।

(iv) मंत्रालयों/विभागों को सलाह

- भारत सरकार के केंद्रीय मंत्रालय/विभागों और राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों को सलाह दी है कि वे भुगतान स्वीकृति की अवसंरचना में सुधार लाएं, नागरिकों को अनेकानेक डिजिटल माध्यमों के जरिए भुगतान करने में समर्थ बनाएं जैसेकि इंटरनेट बैंकिंग, मोबाइल बैंकिंग और मोबाइल एप्लिकेशन आदि जिनमें भीम ऐप का प्रयोग, भीम/यूपीआई/क्यूआर-कोड/रुपे कार्ड के साथ आनलाइन पेमेंट का समेकन, बिलों पर क्यूआर-कोड की छपाई, डिजिटल भुगतानों और प्रचार को प्रोत्साहन देना तथा नागरिकों में डिजिटल भुगतान के बारे में जागरुकता पैदा करना शामिल है।

(v) प्रचार अभियान

- इलेक्ट्रॉनिकी और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय ने अब तक निम्नलिखित माध्यमों से प्रचार अभियान शुरू किया है:–

1. रेडियो (वायरलेस मीडिया)
2. समाचार पत्र (प्रिंट मीडिया)
3. वेबसाइट (डिजिटल मीडिया)

(vi) मॉनीटरिंग, विश्लेषण और शिकायतें

- देश भर में समस्त डिजिटल भुगतान संबंधी लेनदेनों की सटीक रिपोर्टिंग, मॉनीटरिंग और विश्लेषण के लिए एक मंच सृजित करने के उद्देश्य से भारत सरकार ने नेशनल डिजिटल पेमेंट डैशबोर्ड विकसित किया है जिसका शुभारंभ 13 फरवरी, 2018 को माननीय इलेक्ट्रॉनिकी और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री द्वारा किया गया।

- वित्तीय सेवाएं विभाग के साथ समन्वय करके राष्ट्रीय उपभोक्ता हेल्पलाइन (एनसीएच) में शामिल सभी बैंकों, पेमेंट बैंकों और पीपीआई (प्रीपेड इंस्ट्रूमेंट) सेवा प्रदाताओं को समाभिरूप भागीदार बनाने के लिए आवश्यक निर्देश जारी किए गए हैं। तदनुसार, लगभग 56 बैंक और अन्य वित्तीय सेवा संस्थाएं एनसीएच मंच पर आ गई हैं। एनपीसीआई को भी राष्ट्रीय उपभोक्ता हेल्पलान (एनसीएच) समाभिरूप भागीदार के रूप में शामिल कर लिया गया है। इस प्रकार एनसीएच मंच सक्रिय है और डिजिटल भुगतानों से संबंधित शिकायतों प्राप्त कर रहा है।

निजी क्षेत्रक द्वारा वृक्षारोपण

1774. **श्री फग्गन सिंह कुलस्ते:**
श्री गणेश सिंह:

क्या **पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार निजी क्षेत्रक में वृक्षारोपण को बढ़ावा देने के लिए कोई विशेष योजना कार्यान्वित कर रही है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी राज्य/संघ राज्यक्षेत्र-वार ब्यौरा क्या है;

(ग) देश भर में मध्य प्रदेश सहित गत तीन वर्षों के दौरान उक्त योजना के लिए कितनी निधि आबंटित की गई है; और

(घ) यदि नहीं, तो सरकार द्वारा ऐसी योजना कब तक बनाए जाने की संभावना है?

संस्कृति मंत्रालय के राज्य मंत्री तथा पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय में राज्य मंत्री (डॉ. महेश शर्मा): (क) पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय निजी भूमि खंडों पर वृक्षारोपण को बढ़ावा देने से संबंधित किसी योजना को कार्यान्वित नहीं कर रहा है। तथापि, पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय ने वनों से बाहर वृक्षारोपण को बढ़ावा देने के लिए नीतिगत हस्तक्षेपों के माध्यम से विभिन्न कदम उठाए हैं।

(ख) और (ग) उपर्युक्त के मद्देनजर, ये प्रश्न नहीं उठते।

(घ) मंत्रालय ने ऐसी किसी योजना को बनाने के लिए कोई समय सीमा निश्चित नहीं की है।

निजी क्षेत्रक द्वारा वृक्षारोपण

1774. श्री फग्गन सिंह कुलस्ते:
श्री गणेश सिंह:

क्या **पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार निजी क्षेत्रक में वृक्षारोपण को बढ़ावा देने के लिए कोई विशेष योजना कार्यान्वित कर रही है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी राज्य/संघ राज्यक्षेत्र-वार ब्यौरा क्या है;

(ग) देश भर में मध्य प्रदेश सहित गत तीन वर्षों के दौरान उक्त योजना के लिए कितनी निधि आबंटित की गई है; और

(घ) यदि नहीं, तो सरकार द्वारा ऐसी योजना कब तक बनाए जाने की संभावना है?

संस्कृति मंत्रालय के राज्य मंत्री तथा पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय में राज्य मंत्री (डॉ. महेश शर्मा): (क) पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय निजी भूमि खंडों पर वृक्षारोपण को बढ़ावा देने से संबंधित किसी योजना को कार्यान्वित नहीं कर रहा है। तथापि, पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय ने वनों से बाहर वृक्षारोपण को बढ़ावा देने के लिए नीतिगत हस्तक्षेपों के माध्यम से विभिन्न कदम उठाए हैं।

(ख) और (ग) उपर्युक्त के मद्देनजर, ये प्रश्न नहीं उठते।

(घ) मंत्रालय ने ऐसी किसी योजना को बनाने के लिए कोई समय सीमा निश्चित नहीं की है।

[अनुवाद]

बंधित ऋण वृद्धि

1775. श्री राम चरित्र निषाद: क्या **वित्त मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या उच्च गैर-निष्पादनकारी आस्तियों के उच्चस्तर के कारण वित्तीय वर्ष 2018-19 में ऋणवृद्धि 8 प्रतिशत पर आकर रुक सकती है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या भारतीय रिजर्व बैंक (आरबीआई) द्वारा घोषित शिथिल किए गए मानकों तथा घरेलू उच्च ऋणदर के कारण बाह्य वाणिज्यिक ऋण 27-32 बिलियन अमरीकी डॉलर तक चला जाएगा और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(घ) क्या वित्तीय वर्ष 2018 के दौरान देश की बैंकिंग प्रणाली लगभग 11 प्रतिशत की ऋणवृद्धि के साथ रहने की संभावना है; और

(ङ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री शिव प्रताप शुक्ला): (क) से (ङ) भारतीय रिजर्व बैंक (आरबीआई) के वैश्विक परिचालन आंकड़ों के अनुसार, अनुसूचित वाणिज्यिक बैंकों (एससीबी) की ऋण वृद्धि वित्तीय वर्ष (एफवाई) 2016-17 में 3.91% से बढ़कर वित्तीय वर्ष 2017-18 (अनंतिम) में 8.82% हो गया है जबकि एससीबी बैंकों की अनर्जक आस्तियां वित्तीय वर्ष 2016-17 में 9.31% से बढ़कर वित्तीय वर्ष 2017-18 में 11.21% (अनंतिम) हो गया है।

बाह्य वाणिज्यिक उधार (ईसीबी) की मात्रा के संदर्भ में,

आरबीआई ने, अन्य बातों के साथ-साथ, यह भी अवगत कराया है कि वित्तीय वर्ष 2018-19 की प्रथम तिमाही के दौरान आरबीआई में पंजीकृत ईसीबी समझौता वित्तीय वर्ष 2017-18 की प्रथम तिमाही के 4.3 बिलियन यूएस डॉलर की तुलना में 7.97 बिलियन यूएस डॉलर था और कि वित्तीय वर्ष 2017-18 के लिए ईसीबी का आंकड़ा 28.8 बिलियन यूएस डॉलर था।

पीएमजीडी खातों का नियमित खातों में परिवर्तन

1776. श्री कल्याण बनर्जी:
श्री सी.एन. जयदेवन:

क्या **वित्त मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार ने प्रधानमंत्री जनधन योजना के अंतर्गत खातों को बंद कर उनको नियमित खातों में परिवर्तित करने का निर्णय लिया है और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इसके क्या कारण हैं;

(ख) क्या पीएमजीडीवाई खाताधारकों को प्रतिमाह चार से अधिक लेनदेन करने पर दण्ड दिया जा रहा है/शुल्क वसूला जा रहा है और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इसके क्या कारण हैं;

(ग) गत दो वर्षो और चालू वर्ष के दौरान पीएमजेडीवाई के अंतर्गत कितने बैंक खाते खोले, बंद/प्रतिबंधित किए गए और कितने नियमित खातों में परिवर्तित किए गए; और

(घ) क्या सरकार ने इस योजना के सफलता और असफलता का कोई आकलन किया है और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री शिव प्रताप शुक्ला): (क) जी नहीं।

(ख) प्रधानमंत्री जनधन योजना (पीएमजीडीवाई) के अंतर्गत खोले गए खाते मूल बचत बैंक जमा (बीएसबीडी) खाते हैं। भारतीय रिजर्व बैंक (आरबीआई) के दिशानिर्देशों के अनुसार हालांकि एक माह में बीएसबीडी खातों में जमाराशि जमा किए जाने की संख्या पर कोई सीमा नहीं है, खाताधारकों को एटीएम आहरण सहित एक माह में अधिकतम चार आहरण की अनुमति है।

(ग) वर्तमान वर्ष तथा गत दो वर्ष हेतु जनधन खातों की बैंक-वार संख्या का ब्यौरा विवरण में संलग्न है। आरबीआई के परिपत्र के अनुसार, यदि दो वर्ष में ग्राहक द्वारा कोई भी लेन-देन नहीं किया जाता है तो बचत बैंक खातों को अपरिचालनीय माना जाता है। इस मानदंड के आधार पर 11.07.2018 की स्थिति के अनुसार, 6.05 करोड़ निष्क्रिय पीएमजेडीवाई खाते हैं (स्रोत-बैंक)। खाता-धारकों से प्राप्त अनुरोध पर पीएमजीडीवाई खातों को नियमित बचत बैंक खातों में परिवर्तित किया जा सकता है।

(घ) 1000-1500 परिवारों के मानदंड के आधार पर सभी ग्रामीण तथा अर्द्धशहरी क्षेत्रों को 15.9 लाख उप-सेवा क्षेत्रों (एसएसए) में संघटित किया गया है। कुल एसएसए में से 0.33 लाख एसएसए बैंक शाखाओं द्वारा तथा 1.26 लाख एसएसए अंतर-परिचालनीय बैंक मित्रों द्वारा कवर किया गया है। 11.07.2018 की स्थिति के अनुसार, 32.02 जन-धन खाते खोले गए हैं जिनमें से 18.78 करोड़ (58.65%) खाते ग्रामीण अर्द्ध-शहरी क्षेत्रों में तथा 17.00 करोड़ (53.09%) खाते महिला लाभार्थियों द्वारा खोले गए हैं। इसके अतिरिक्त, 24.09 करोड़ रुपे कार्ड निर्गत किए गए हैं तथा 3035 जन-धन रुपे कार्ड-धारकों के लिए दुर्घटना बीमा दावों का भुगतान किया गया है।

विवरण

की स्थिति के अनुसार पीएमजेडीवाई खाते

क्र.सं.	बैंक का नाम	30.03.2016	29.03.2017	28.03.2018	11.07.2018
1	2	3	4	5	6
1.	इलाहाबाद बैंक	5219487	7678941	8693062	9460875
2.	आंध्रा बैंक	2335718	2603255	2585870	2596971
3.	एक्सिस बैंक लि.	589659	700096	774961	785880
4.	बैंक ऑफ बड़ौदा	16476527	24818226	29943971	31835982

1	2	3	4	5	6
5.	बैंक ऑफ इंडिया	14377822	20487652	23347698	24072023
6.	बैंक ऑफ महाराष्ट्र	3666628	5064055	6092919	6175164
7.	केनरा बैंक	8346410	7542826	8225352	7936790
8.	सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया	11680575	13168392	15376934	15889171
9.	सिटी यूनियन बैंक लि.	78576	84008	84347	85224
10.	कारपोरेशन बैंक	2591887	2733803	2713973	2714617
11.	देना बैंक	3871071	4285192	4831006	4934908
12.	फेडरल बैंक लि.	418967	460574	481749	481919
13.	एचडीएफसी बैंक लि.	1593634	1733139	1772090	1772388
14.	आईसीआईसीआई बैंक लि.	2909202	3346385	4016758	4034565
15.	आईडीबीआई बैंक लि.	1062461	1179012	822490	827749
16.	इंडियन बैंक	3407700	3753091	3877469	3952006
17.	इंडियन ओवरसीज बैंक	4759191	5259853	5408320	5448153
18.	इंडसइंड बैंक	313065	531340	449371	452237
19.	जम्मू एंड कश्मीर बैंक लि.	1372144	1544241	1608818	1631583
20.	करूर वैश्य बैंक	143868	174247	189216	194076
21.	कोटक महिन्द्रा बैंक लि.	184109	180988	178169	177771
22.	लक्ष्मी विलास बैंक लि.	160393	174680	136297	138534
23.	ओरियंटल बैंक ऑफ कॉमर्स	3671762	3958666	4242349	4325080
24.	पंजाब एंड सिंध बैंक	1291543	783145	1099125	1095857
25.	पंजाब नैशनल बैंक	16378961	19772748	21916870	22204824
26.	आरबीएल बैंक लि.	95307	95307	95307	95307
27.	साउथ इंडियन बैंक	103108	208421	209557	209557
28.	भारतीय स्टेट बैंक	72252346	107600502	118160151	118474254
29.	सिंडीकेट बैंक	6180598	6947964	7010413	7048597
30.	यूको बैंक	8218252	7185759	8184599	8488301

1	2	3	4	5	6
31.	यूनियन बैंक ऑफ इंडिया	6574027	7966213	9981970	10193689
32.	युनाईटेड बैंक ऑफ इंडिया	12664722	18176996	20455399	21009158
33.	विजया बैंक	1272302	1490040	1459967	1459299
34.	यस बैंक लि.	13352	15478	12582	12518
		214275474	281678271	314439129	320215027

स्रोत: बैंक

बीएनवाईएस महाविद्यालय

1777. श्रीमती सजदा अहमद: क्या **आयुर्वेद, योग और प्राकृतिक चिकित्सा, यूनानी, सिद्ध और होम्योपैथी (आयुष) मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) कल्याणी, पश्चिम बंगाल में प्राकृतिक चिकित्सा अनुसंधान केंद्र स्थापित करने से संबंधित वर्तमान स्थिति क्या है;

(ख) क्या सरकार का विचार बेलूर, पश्चिम बंगाल में प्राकृतिक चिकित्सा एवं यौगिक विज्ञान स्नातक (बीएनवाईएस) चिकित्सा महाविद्यालय स्थापित करने का है तथा यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) पश्चिम बंगाल में आयुष के विकास के लिए गत 3 वर्षों में कितनी राशि स्वीकृत की गई है?

आयुर्वेद, योग और प्राकृतिक चिकित्सा, यूनानी, सिद्ध और होम्योपैथी (आयुष) मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री श्रीपाद येसो नाईक): (क) आयुष मंत्रालय के अधीन स्वायत्त निकाय केंद्रीय योग व प्राकृतिक चिकित्सा अनुसंधान परिषद ने कल्याणी, पश्चिम बंगाल में योग व प्राकृतिक चिकित्सा के 100 बिस्तर वाले अस्पताल सहित केंद्रीय अनुसंधान संस्थान की स्थापना के लिए परिषद के नाम भूमि का हस्तांतरण करने के लिए सरकार की सैद्धांतिक रूप से अनुमति राज्य सरकार को संसूचित कर दी है।

(ख) ऐसा कोई प्रस्ताव विचाराधीन नहीं है।

(ग) पश्चिम बंगाल में आयुष के विकास के लिए पिछले तीन वर्षों के दौरान मंजूर की गई राशि निम्नानुसार है:–

(रु. लाख में)

वर्ष	एनएएम (आयुष) द्वारा जारी की गई राशि	सीसीआरवाईएन द्वारा जारी की गई राशि
2015-16	1924.852	23.00
2016-17	1298.056	23.00
2017-18	1654.646	23.00
कुल	4877.554	69.00

पीएमवीवीवाई

1778. श्री प्रेम सिंह चन्दूमाजरा: क्या **वित्त मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार ने प्रधान मंत्री वय वंदना योजना (पीएमवीवीवाई) शुरू की है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है तथा उक्त योजना की मुख्य विशेषताएं एवं उद्देश्य क्या हैं; और

(ग) उक्त योजना के अंतर्गत लाभान्वित व्यक्तियों/वरिष्ठ नागरिकों की पंजाब सहित राज्य-वार संख्या कितनी है?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री शिव प्रताप शुक्ला): (क) और (ख) अनिश्चित बाजार परिस्थितियों के कारण 60 वर्ष या इससे अधिक आयु के वृद्ध व्यक्तियों की ब्याज संबंधी आय में भविष्य में होने वाली कमी से उनकी रक्षा करने तथा वृद्धावस्था के दौरान सामाजिक सुरक्षा प्रदान करने के लिए भारत सरकार ने प्रधानमंत्री वय वंदना योजना (पीएमवीवीवाई) नामक योजना आरंभ

की है। इस योजना को भारतीय जीवन बीमा निगम (एलआईसी) के माध्यम से चलाया जा रहा है और यह 10 वर्ष के लिए 8% प्रतिवर्ष का गारंटीयुक्त प्रतिफल प्रदान करती है। विभेदी प्रतिफल, अर्थात् एलआईसी द्वारा अर्जित प्रतिफल और 8% प्रति वर्ष के गारंटीशुदा प्रतिफल के बीच के अंतर का वहन भारत सरकार द्वारा सब्सिडी के रूप में वार्षिक आधार पर किया जाएगा। अभिदाता द्वारा दिए गए विकल्प के आधार पर पेंशन भुगतान का तरीका मासिक, त्रैमासिक, अर्द्धवार्षिक तथा वार्षिक होता है। प्रारम्भ में यह योजना अभिदान हेतु एक वर्ष अर्थात् 4 मई, 2017 से 3 मई 2018 तक खुली थी। योजना के अंतर्गत 1000 रुपए प्रतिमाह की न्यूनतम पेंशन के लिए न्यूनतम खरीद मूल्य 1.5 लाख रुपए प्रति परिवार तथा 5,000 रुपए प्रतिमाह की अधिकतम पेंशन के लिए अधिकतम खरीद मूल्य 7.5 लाख रुपए प्रति परिवार था।

बजट घोषणा 2018-19 के अनुसरण में, प्रधानमंत्री वय वंदना योजना को 31 मार्च 2020 तक बढ़ा दिया गया है तथा योजना के अंतर्गत 7.5 लाख रुपए प्रति परिवार की अधिकतम क्रय मूल्य सीमा को 15 लाख रुपए प्रति वरिष्ठ नागरिक तक भी बढ़ा दिया गया है।

(ग) इस योजना से लाभान्वित वरिष्ठ नागरिकों की राज्य-वार संख्या, जैसाकि एलआईसी द्वारा उपलब्ध करायी गयी है, का विवरण में है।

विवरण

अंतर्गत शामिल किये गये व्यक्तियों की संख्या

राज्य	वरिष्ठ नागरिकों की संख्या
1	2
अंडमान और निकोबार द्वीपसमूह	15
आंध्र प्रदेश	6564
अरुणाचल प्रदेश	6
असम	1804
बिहार	2690
चंडीगढ़	819
छत्तीसगढ़	2830
गोवा	1420
गुजरात	42464
हरियाणा	4062
हिमाचल प्रदेश	849
जम्मू और कश्मीर	620
झारखंड	4639
कर्नाटक	18318
केरल	6538
मध्य प्रदेश	7926
महाराष्ट्र	56110
मणिपुर	16
मेघालय	73
मिजोरम	1
नागालैंड	12
राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली	13123
ओडिशा	4597
पुदुचेरी	219
पंजाब	3573
राजस्थान	6050
सिक्किम	24
तमिलनाडु	18559
तेलंगाना	8376
त्रिपुरा	270
उत्तराखंड	2352
उत्तर प्रदेश	19993
पश्चिम बंगाल	60722
कुल	295634

[हिन्दी]

जंगली हाथियों द्वारा हमला

1779. श्री नव कुमार सरनीया: क्या **पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या जंगली हाथियों ने उत्तर-पूर्वी राज्यों में रहने वाले लोगों के जीवन में अव्यवस्था उत्पन्न कर दी है क्योंकि उक्त हाथियों ने अधिकतर गांवों को तबाह कर दिया है और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ख) क्या सरकार ने इस संबंध में कोई आवश्यक कदम उठाए हैं और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) गत तीन वर्षो के दौरान असम में जंगली हाथियों द्वारा कितने घरों को तबाह किया गया है और कितने लोगों की मौतें हुई हैं;

(घ) क्या सरकार ने उन लोगों को कोई मुआवजा प्रदान किया है जिनके घर तबाह हुए हैं; और

(ङ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

संस्कृति मंत्रालय के राज्य मंत्री तथा पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय में राज्य मंत्री (डॉ. महेश शर्मा): (क) पूर्वोत्तर के राज्यों के कुछ भागों में मानव हाथी संघर्ष की घटनाओं की सूचनाएं प्राप्त हुई हैं।

(ख) मानव-हाथी संघर्ष सहित मानव वन्यजीवों के संघर्ष के प्रभाव को न्यूनतम करने के लिए सरकार ने निम्नलिखित कदम उठाए हैं:-

(i) देश में हाथियों की सुरक्षा और संरक्षण के लिए केन्द्र द्वारा प्रायोजित योजनाओं में 'हाथी परियोजना' के अधीन हाथी क्षेत्र वाले राज्यों को वित्तीय और तकनीकी सहायता प्रदान की जाती है।

(ii) हाथी वाले सभी राज्यों को, मंत्रालय द्वारा 06.10.2017 को जारी किए गए 'मानव हाथी संघर्ष के प्रबंधन हेतु दिशानिर्देशों' को लागू करने के निदेश दिये गये हैं।

(iii) मंत्रालय ने मानव वन्यजीव संघर्ष के संदर्भ में सभी राज्य सरकारों/संघ राज्यक्षेत्रों प्रशासनों के मुख्य वन्यजीव वार्डनों को 24 दिसंबर, 2014 और 1 जून, 2015 को दिशानिर्देश जारी किये हैं।

(iv) मंत्रालय ने पत्र सं. 14-2/2011 डब्ल्यूएल (पार्ट) दिनांक 09 फरवरी, 2018 के द्वारा वन्यजीव उत्पाद के संबंध में अनुकंपा राशि की दरों के बढ़ाये जाने को अधिसूचित किया है।

(v) मंत्रालय ने तदर्थ प्रतिपूरक वनीकरण निधि प्रबंधन और आयोजना प्राधिकरण (काम्पा) से वित्तीय सहायता लेकर राज्यों को 'संरक्षित क्षेत्रों/वन क्षेत्रों में चारा तथा जल की वृद्धि' के लिए सहायता प्रदान करने के लिए एक योजना तैयार की है, जिसका उद्देश्य शाकाहारी जंगली जानवरों के लिए घास, चारा और जल की वृद्धि करने के लिए प्रावधान करके इन क्षेत्रों में पर्यावास में सुधार करना है, ताकि वन्य पशुओं द्वारा की जाने वाली क्षति को रोका जा सके।

(vi) भारतीय वन्यजीव संस्थान ने, पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन, राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण, राष्ट्रीय बाघ संरक्षण प्राधिकरण और विश्व बैंक ग्रुप के साथ परामर्श करके 'रेखीय अवसंरचना के प्रभावों को कम करने हेतु पारि-हितैषी उपाय' शीर्षक से एक दस्तावेज प्रकाशित किया है ताकि रेखीय अवसंरचना की परियोजना एजेंसियों की, रेखीय अवसंरचना का डिजाइन इस ढंग से तैयार करने में मदद की जा सके जिससे संरक्षित क्षेत्रों तथा अन्य वन्यजीव क्षेत्रों में से गुजरने वाली इन रेखीय अवसंरचनाओं वाले क्षेत्रों में मानव पशु संघर्ष को कम किया जा सके।

(vii) फसल वाले खेतों में वन्य पशुओं के प्रवेश को रोकने के लिए कांटेदार तार वाली बाड़, सौर ऊर्जा से चालित विद्युत बाड़, कैक्टस का प्रयोग करते हुए जैव-बाड़, चारदीवारी इत्यादि जैसे भौतिक अवरोधकों का संनिर्माण।

(viii) मंत्रालय ने फसलों की क्षति तथा विनाश के लिए जिम्मेदार वन्य पशुओं जैसे-हाथी, जंगली सूअर, बंदर और नीलगाय की संख्या को नियन्त्रित करने के लिए निरापद गर्भ निरोध से संबंधित एक प्रायोगिक परियोजना को मंजूरी दी है।

(ix) मंत्रालय ने जीआईजेड के साथ सहयोग करके एक मानव वन्यजीव संघर्ष उपशमन परियोजना प्रारम्भ की है।

(x) हाथी पर्यावास को समृद्ध बनाने के लिए जल संसाधनों का सृजन, फलदार वृक्षों का रोपण, चरागाहों का

विकास, आग से सुरक्षा इत्यादि जैसे कार्यों को किया जा रहा है, ताकि हाथियों को उनके पर्यावासों में ही बनाये रखा जा सके।

(xi) मानव पशु संघर्ष से बचने और मानव जीवन तथा हाथियों की क्षति या नुकसान को रोकने तथा स्थानीय लोगों को सावधान करने के लिए वन विभाग पशुओं के संचलन की खोज खबर रखने हेतु स्थानीय समुदायों के लोगों को नियुक्त कर रहा है।

(xii) हाथियों के उत्पात को न्यूनतम करने के लिए व्हाट्सएप, एसएमएस आधारित सावधानी प्रणाली, हाथियों की रेडियो कॉलरिंग इत्यादि जैसी नवीनतम तकनीकों का इस्तेमाल किया जाता है।

(ग) राज्य सरकार से एकत्रित की गई सूचना के अनुसार पिछले तीन वर्षों के दौरान असम में जंगली हाथियों द्वारा नष्ट किए गए मकानों तथा मारे गए व्यक्तियों की संख्या नीचे दी गई है:-

वर्ष	मारे गए व्यक्ति	नष्ट किए गए मकान
2015	149	435
2016	110	807
2017	72	967
कुल	331	2209

(घ) और (ङ) राज्य सरकार से प्राप्त सूचना के अनुसार असम राज्य में पिछले तीन वर्षों के दौरान जंगली हाथियों द्वारा नष्ट किये गये मकानों के लिए दिया गया मुआवजा नीचे दिया गया है:-

वित्तीय वर्ष	दिये गये मुआवजे की राशि (लाख रुपयों में)
2015-16	शून्य
2016-17	222.01
2017-18	116.631
कुल	338.641

[अनुवाद]

महिलाओं और बच्चों हेतु सहायता आश्रय गृह

1780. **श्रीमती मीनाक्षी लेखी:** क्या **महिला और बाल विकास मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) भारत में, विशेष रूप से दिल्ली में महिलाओं एवं बच्चों के लिए उपलब्ध सहायता गृहों का ब्यौरा क्या है;

(ख) उक्त परियोजनाओं के निर्माण एवं उनके रखरखाव के लिए वित्तपोषण के स्रोत क्या हैं; और

(ग) गत 3 वर्षों में प्रत्येक वर्ष एवं चालू वर्ष के दौरान इन आश्रय गृहों के लिए आवंटित, जारी की गई एवं खर्च की गई राशि का राज्य/संघ राज्यक्षेत्र-वार ब्यौरा क्या है?

महिला और बाल विकास मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा अल्पसंख्यक कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (डॉ. वीरेन्द्र कुमार): (क) महिला एवं बाल विकास मंत्रालय स्वाधार गृह योजना चला रहा है जिसका उद्देश्य पुनर्वास के लिए संस्थानिक सहायता की जरूरतमंद महिला पीड़ितों को सहायता प्रदान करना है ताकि वे अपना जीवन गरिमा के साथ जी सकें। योजना में कठिन परिस्थितियों की शिकार महिलाओं जिनमें विधवाएं, निराश्रित महिलाएं तथा बुजुर्ग महिलाएं शामिल हैं, के लिए आश्रय, भोजन, वस्त्र तथा स्वास्थ्य एवं सामाजिक व आर्थिक सुरक्षा प्रदान करने की परिकल्पना है। अधिकांश आश्रय गृह किराए के भवनों में चलते हैं। दिल्ली राज्य में मंत्रालय द्वारा एक भी गृह का निर्माण नहीं कराया गया है। स्वाधार/स्वाधार गृह योजना के तहत निर्मित गृहों की राज्य-वार सूची इस प्रकार है:-

राज्य	गृह का नाम
मध्य प्रदेश	1
उत्तर प्रदेश	3 (1000 अंत:वासियों की क्षमता वाले विधवाओं के लिए एक गृह सहित)

महिला एवं बाल विकास मंत्रालय किशोर न्याय (बालकों की देखरेख एवं संरक्षण) अधिनियम 2015 के तहत परिकल्पना के अनुसार कठिन परिस्थितियों के शिकार बच्चों की सहायता हेतु बाल

संरक्षण सेवा (तत्कालीन समेकित बाल संरक्षण सेवा) नामक एक केंद्रीय प्रायोजित योजना भी चला रहा है। इस अधिनियम को लागू करने की प्राथमिक जिम्मेदारी राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों की है। तथापि केंद्र सरकार समेकित बाल विकास योजना के तहत बाल संरक्षण सेवा चला रही है और अन्य बातों के साथ कठिन परिस्थितियों के शिकार बच्चों की स्थिति का विश्लेषण करने, विभिन्न प्रकार की बाल देखरेख संस्थाओं की स्थापना एवं अनुरक्षण करने के लिए लागत हिस्सेदारी के आधार पर राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों को वित्तीय सहायता दे रही है। योजना के तहत बाल देखरेख संस्थाओं के माध्यम से पुनर्वास के उपाय के रूप में संस्थानिक देखरेख प्रदान की जाती है। पिछले तीन वर्षों में प्रत्येक वर्ष तथा वर्तमान वर्ष के दौरान केंद्रीय प्रायोजित योजना के तहत निर्मित गृहों की संख्या का ब्यौरा संलग्न विवरण-I में दिया गया है।

(ख) समेकित बाल विकास योजना के तहत स्वाधार गृह योजना और बाल संरक्षण सेवा आश्रय गृहों के निर्माण एवं अनुरक्षण हेतु हिस्सेदारी के आधार पर राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों को वित्तीय सहायता प्रदान करती हैं।

(ग) स्वाधार गृह योजना के तहत वृंदावन, उत्तर प्रदेश में आश्रय गृह के निर्माण हेतु स्वाधार गृह योजना के तहत 2015-16 के दौरान 11.99 करोड़ रुपये, 2016-17 के दौरान 30.73 करोड़ रुपये और 2017-18 के दौरान 14.76 करोड़ रुपये की राशि जारी की गई। पिछले तीन वर्षों में से प्रत्येक वर्ष तथा वर्तमान वर्ष के दौरान समेकित बाल संरक्षण योजना के तहत राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों द्वारा सूचित तथा राज्य सरकारों/संघ राज्य क्षेत्र प्रशासनों को जारी की गई निधियों का राज्य/संघ राज्यक्षेत्र-वार ब्यौरा संलग्न विवरण-II में दिया गया है।

विवरण-I

आईसीपीएस के अंतर्गत पिछले तीन वर्षों एवं चालू वर्ष के दौरान आश्रय गृहों की संख्या

क्र. सं.	राज्य का नाम	2014-15 में गृहों का निर्माण	2015-16 में गृहों का निर्माण	2016-17 में गृहों का निर्माण	2017-18 में गृहों का निर्माण
		सहायता प्राप्त की संख्या (निर्माण)	सहायता प्राप्त की संख्या (निर्माण)	सहायता प्राप्त की संख्या (निर्माण)	सहायता प्राप्त की संख्या (निर्माण)
1	2	3	4	5	6
1.	आंध्र प्रदेश	-	-	-	-
2.	अरुणाचल प्रदेश	-	-	-	-
3.	असम	-	-	-	-
4.	बिहार	-	-	5	-
5.	छत्तीसगढ़	3	7	-	13
6.	गोवा	-	-	-	1
7.	गुजरात	-	-	5	-
8.	हरियाणा	-	-	-	2
9.	हिमाचल प्रदेश	1	1	-	-
10.	जम्मू और कश्मीर	-	-	-	-
11.	झारखंड	-	-	-	-

1	2	3	4	5	6
12.	कर्नाटक	–	–	–	–
13.	केरल	–	1	1	–
14.	मध्य प्रदेश	–	–	–	–
15.	महाराष्ट्र	–	–	–	–
16	मणिपुर	1	–	–	–
17.	मेघालय	–	–	–	–
18.	मिजोरम	–	–	–	–
19.	नागालैंड	1	–	2	1
20.	ओडिशा	2	1	3	–
21.	पंजाब	5	4	–	–
22.	राजस्थान	–	3	–	2
23.	सिक्किम	–	–	6	2
24.	तमिलनाडु	–	–	–	–
25.	त्रिपुरा	1	1	1	–
26.	उत्तर प्रदेश	10	1	2	–
27.	उत्तराखंड	–	–	–	–
28.	पश्चिम बंगाल	–	4	–	–
29.	तेलंगाना	1	–	–	–
30.	अंडमान और निकोबार द्वीपसमूह	–	–	–	–
31.	चंडीगढ़	–	–	–	–
32.	दादर और नगर हवेली	–	–	–	–
33.	दमन और दीव	–	–	–	–
34.	लक्षद्वीप	–	–	–	–
35.	दिल्ली	1	–	–	–
36.	पुदुचेरी	1	–	2	–
	कुल	28	23	27	25

विवरण-II

समेकित बाल संरक्षण स्कीम (आईसीपीएस) के अंतर्गत 16.07.2018 तक निर्मुक्त एवं उपयाग की गई निधि की स्थिति

(रुपये लाखों में)

क्र. सं.	राज्य का नाम	2015-16		2016-17		2017-18		2018-19
		निर्मुक्त राशि	उपयोग की गई राशि	निर्मुक्त राशि	उपयोग की गई राशि	निर्मुक्त राशि	उपयोग की गई राशि	निर्मुक्त राशि
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1.	आंध्र प्रदेश	238.58	500.52	110.74	586.32	1469.88	1537.11	218.66
2.	अरुणाचल प्रदेश	571.68	92.02	52.29	179.54	643.71	180.00	37.63
3.	असम	597.90	1025.07	413.64	1112.98	2932.68	1787.53	327.13
4.	बिहार	2687.89	1896.52	2787.92	1923.33	541.56	1633.69	454.46
5.	छत्तीसगढ़	3955.55	2086.26	527.77	1683.25	3181.97	2486.27	521.32
6.	गोवा	235.25	39.68	36.83	98.27	728.53	54.44	16.03
7.	गुजरात	2328.90	1510.37	769.95	1526.53	590.11	1767.24	400.35
8.	हरियाणा	496.44	350.89	0.00	1224.85	1858.22	2500.00	0.00
9.	हिमाचल प्रदेश	604.04	1255.12	2345.48	2390.26	1835.01	1833.11	456.54
10.	जम्मू और कश्मीर	113.35	0.00	43.12	114.71	807.48	374.62	40.78
11.	झारखंड	369.88	387.42	840.11	842.14	1714.57	1641.76	239.28
12.	कर्नाटक	1845.24	2193.66	3720.80	3709.53	3272.45	1364.04	605.60
13.	केरल	944.39	660.25	260.50	216.96	1849.45	1275.72	179.41
14.	मध्य प्रदेश	1116.03	2373.81	2503.88	2535.83	3262.77	2582.87	624.38
15.	महाराष्ट्र	3138.75	1975.29	2272.33	1569.37	608.15	1308.75	404.45
16	मणिपुर	3082.18	1163.81	241.34	709.47	1886.33	2103.00	331.36
17.	मेघालय	1469.55	1497.88	2060.33	2060.33	1846.60	1846.60	450.40
18.	मिजोरम	2079.44	2079.44	1949.55	1949.55	1917.51	1917.51	495.54
19.	नागालैंड	2257.65	1473.21	1350.37	1447.50	1457.45	1457.45	364.85
20.	ओडिशा	3309.07	2669.74	1089.22	2580.78	2599.30	2773.86	669.53
21.	पंजाब	820.81	515.57	581.67	718.31	143.24	875.43	175.78

1	2	3	4	5	6	7	8	9
22.	राजस्थान	3258.92	2929.43	0.00	2267.52	4752.30	1295.98	541.08
23.	सिक्किम	562.00	303.74	601.18	365.87	662.76	125.43	66.25
24.	तमिलनाडु	825.04	4282.78	13039.37	3648.55	2013.12	5512.50	1120.32
25.	तेलंगाना	354.88	93.94	195.64	1823.98	894.82	633.08	212.58
26.	त्रिपुरा	710.63	680.20	676.04	415.30	446.81	499.00	0.00
27.	उत्तर प्रदेश	2884.18	3293.57	3207.19	3109.82	1830.67	4222.98	885.53
28.	उत्तराखंड	66.88	3.89	15.54	187.54	907.57	731.40	76.90
29.	पश्चिम बंगाल	508.67	1067.29	6763.87	3522.60	5073.56	4232.67	735.21
30.	अंडमान और निकोबार द्वीपसमूह	36.03	36.03	36.88	36.76	31.66	93.36	13.85
31.	चंडीगढ़	357.82	324.15	245.44	278.53	194.32	172.73	0.00
32.	दादरा और नगर हवेली	58.66	5.84	177.59	59.11	24.82	69.90	11.24
33.	दमन और दीव	82.82	57.69	126.42	80.33	21.89	83.00	18.42
34.	दिल्ली	1363.40	931.53	978.64	1024.94	354.33	1295.68	271.01
35.	लक्षद्वीप	0.00	0.00	0.00	0.00	-	-	0.00
36.	पुदुचेरी	559.60	622.75	826.33	768.69	114.35	426.20	0.00
	कुल	43892.10	40379.36	50847.97	46769.35	52469.95	52694.91	10965.87

[हिन्दी]

परिवार नियोजन हेतु जागरूकता कार्यक्रम

1781. **श्री सदाशिव लोखंडे:** क्या **स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) गत 3 वर्षों के दौरान ग्रामीण लोगों के बीच परिवार नियोजन के बारे में जागरूकता फैलाने के लिए आयोजित किए गए कार्यक्रमों का राज्य/संघ राज्यक्षेत्र-वार ब्यौरा क्या है;

(ख) उक्त अवधि के दौरान परिवार नियोजन कार्यक्रम पर खर्च की गई कुल राशि का राज्य/संघ राज्यक्षेत्र-वार ब्यौरा क्या है;

(ग) उक्त अवधि के दौरान जन्म दर में कमी लाने में हुई प्रगति का राज्य-वार ब्यौरा क्या है; और

(घ) उक्त अवधि के दौरान अब तक परिवार नियोजन संबंधी विज्ञापनों पर वर्ष-वार कितनी राशि खर्च की गई है?

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती अनुप्रिया पटेल): (क) स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय द्वारा राष्ट्रीय स्तर पर परिवार नियोजन हेतु जागरूक अभियान चलाया जाता है। स्वास्थ्य राज्य का विषय है तथा राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों द्वारा एनएचएम के तहत अनुमोदित निधियों के माध्यम से उनके जागरूकता कार्यक्रम चलाये जाते हैं।

(ख) ब्यौरा संलग्न विवरण-I में दिया गया है।

(ग) ब्यौरा संलग्न विवरण-II में दिया गया है।

(घ) ब्यौरा संलग्न विवरण-III में दिया गया है।

विवरण-I

परिवार नियोजन कार्यक्रमों में किया गया व्यय

क्र. सं.	राज्य/संघ राज्य क्षेत्र का नाम	2015-16	2016-17	2017-18
1	2	3	4	5
क.	**उच्च फोकस राज्य**			
1.	बिहार	8,910.13	7,998.31	11,414.20
2.	छत्तीसगढ़	1,588.48	1,468.89	1,426.56
3.	हिमाचल प्रदेश	417.74	237.95	217.13
4.	जम्मू और कश्मीर	169.87	152.42	180.25
5.	झारखण्ड	3,220.21	2,749.42	3,438.65
6.	मध्य प्रदेश	10,015.72	8,788.98	10,246.44
7.	ओडिशा	2,683.23	2,526.39	2,189.84
8.	राजस्थान	7,086.38	8,429.97	6,853.53
9.	उत्तर प्रदेश	4,957.41	6,437.61	11,849.82
10.	उत्तराखंड	623.66	525.89	721.79
	उप-योग	39,672.84	39,315.83	48,538.21
ख.	**पूर्वोत्तर राज्य**			
11.	अरुणाचल प्रदेश	35.32	73.40	133.51
12.	असम	1,754.53	1,716.60	1,502.21
13.	मणिपुर	49.87	38.23	58.99
14.	मेघालय	94.17	40.02	114.35
15.	मिजोरम	58.23	61.56	57.84
16.	नागालैंड	101.93	70.73	19.18
17.	सिक्किम	8.33	11.61	66.84
18.	त्रिपुरा	57.40	51.09	168.89
	उप-योग	2,159.78	2,063.24	2,121.81
ग.	**गैर उच्च फोकस राज्य**			
19.	आंध्र प्रदेश	3,214.73	3,352.16	2,109.29
20.	गोवा	14.78	16.79	22.52
21.	गुजरात	4,808.90	4,618.01	4,327.30
22.	हरियाणा	1,400.23	1,079.98	1,172.57
23.	कर्नाटक	2,245.38	2,572.38	1,814.01
24.	केरल	286.94	260.07	338.23
25.	महाराष्ट्र	3,192.23	3,029.37	2,986.06
26.	पंजाब	855.11	496.00	270.63
27.	तमिलनाडु	2,310.68	3,131.10	1,407.70
28.	तेलंगाना	1,048.71	705.75	697.56
29.	पश्चिम बंगाल	1,554.41	1,935.40	2,402.38
	उप-योग	20,932.09	21,197.02	17,548.26
घ.	**छोटे राज्य/संघ राज्य क्षेत्र**			
30.	अंडमान और निकोबार द्वीपसमूह	6.86	6.97	7.83
31.	चंडीगढ़	14.35	10.40	14.96
32.	दादरा और नगर हवेली	9.68	38.29	14.80
33.	दमन और दीव	0.94	1.43	3.17
34.	दिल्ली	197.38	146.25	154.48
35.	लक्षद्वीप	0.66	0.23	0.91
36.	पुदुचेरी	40.35	63.32	58.20
	उप-योग	270.22	266.89	254.35
	कुल योग	63,034.93	62,842.98	68,462.64

विवरण-II

भारत/राज्यों में विगत तीन वर्षों के दौरान अशोधित जन्म दर (प्रति 1000 की आबादी पर)

क्र. सं.	राज्य/संघ राज्य क्षेत्र	वर्ष		
		2014	2015	2016
1	2	3	4	5
	भारत	**21.0**	**20.8**	**20.4**
1.	आंध्र प्रदेश	17.0	16.8	16.4
2.	असम	22.4	22.0	21.7
3.	बिहार	25.9	26.3	26.8
4.	छत्तीसगढ़	23.4	23.2	22.8
5.	दिल्ली	16.8	16.4	15.5
6.	गुजरात	20.6	20.4	20.1
7.	हरियाणा	21.2	20.9	20.7
8.	जम्मू और कश्मीर	16.8	16.2	15.7
9.	झारखंड	23.8	23.5	22.9
10.	कर्नाटक	18.1	17.9	17.6
11.	केरल	14.8	14.8	14.3
12.	मध्य प्रदेश	25.7	25.5	25.1
13.	महाराष्ट्र	16.5	16.3	15.9
14.	ओडिशा	19.4	19.2	18.6
15.	पंजाब	15.5	15.2	14.9
16.	राजस्थान	25.0	24.8	24.3
17.	तमिलनाडु	15.4	15.2	15.0
18.	तेलंगाना	18.0	17.8	17.5
19.	उत्तर प्रदेश	27.0	26.7	26.2
20.	उत्तराखंड	18.2	17.8	16.6
21.	पश्चिम बंगाल	15.6	15.5	15.4
22.	अरुणाचल प्रदेश	19.2	18.8	18.9
23.	गोवा	12.9	12.7	12.9
24.	हिमाचल प्रदेश	16.4	16.3	16.0
25.	मणिपुर	14.6	14.4	12.9
26.	मेघालय	24.1	23.7	23.7
27.	मिजोरम	16.4	16.2	15.5
28.	नागालैंड	15.3	14.8	14.0
29.	सिक्किम	17.1	17.0	16.6
30.	त्रिपुरा	14.9	14.7	13.7
31.	अंडमान और निकोबार द्वीपसमूह	14.7	12.0	11.7
32.	चंडीगढ़	14.3	13.7	13.9
33.	दादरा और नगर हवेली	25.6	25.5	24.5
34.	दमन और दीव	17.3	17.1	24.0
35.	लक्षद्वीप	14.0	14.7	18.9
36.	पुदुचेरी	14.6	13.8	13.9

स्रोत: एसआरएस, महापंजीयक एवं जनगणना आयुक्त, भारत

विवरण-III

परिवार नियोजन के विज्ञापन पर खर्च की गई निधियां

अभियान	2015-16 (रुपये में)	2016-17 (रुपये में)	2017-18 (रुपये में)
परिवार नियोजन	32,48,74,622/-	13,58,82,599/-	40,17,14,042/-

घरेलू हिंसा अधिनियम का कार्यान्वयन

1782. श्री हरीश मीना: क्या **महिला और बाल विकास मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार ने "घरेलू हिंसा से महिला संरक्षण

अधिनियम, 2005" के प्रावधानों को कार्यान्वित करने के लिए कदम उठाए हैं तथा यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ख) गत 3 वर्षों एवं चालू वर्ष के दौरान उक्त अधिनियम के अंतर्गत प्राप्त मामलों की संख्या एवं निपटाए गए मामलों की संख्या का ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या सरकार ने महिला कल्याण के लिए सामुदायिक स्वास्थ्य परियोजनाओं की सुविधा प्रदान करने के लिए सामाजिक भागीदारी एवं संचालन तरीकों पर एक स्पष्ट नीति परिभाषित की है; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

महिला और बाल विकास मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा अल्पसंख्यक कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (डॉ. वीरेन्द्र कुमार): (क) और (ख) घरेलू हिंसा से महिलाओं का संरक्षण अधिनियम 2005 जो अक्टूबर 2006 में प्रभाव में आया, का उद्देश्य घरेलू हिंसा से पीड़ितों को संरक्षण एवं सहायता प्रदान करना हैं सभी राज्य सरकारें/संघ राज्य क्षेत्र प्रशासन घरेलू हिंसा से महिलाओं का संरक्षण अधिनियम 2005 के कार्यान्वयन के लिए जिम्मेदार हैं। तथापि भारत सरकार ने घरेलू हिंसा अधिनियम के तहत मामलों को देखने के लिए राष्ट्रीय/राज्य न्यायिक अकादमियों के माध्यम से प्रथम श्रेणी के न्यायिक मजिस्ट्रेटों/महानगर मजिस्ट्रेटों को प्रशिक्षण प्रदान करने की आवश्यकता पर बल दिया। जिला स्तर पर कार्यशाला, सेमिनार, नुक्कड़ नाटक, नारी की चौपाल, बेटी जन्मोत्सव के माध्यम से समाज में पुरुषों और महिलाओं में सतत जागरूकता सृजन का कार्य किया जा रहा है। इसके अलावा घरेलू हिंसा के मुद्दों के बारे में लोगों को शिक्षित करने के लिए प्रेस और इलेक्ट्रॉनिक मीडिया में विज्ञापन भी छपवाए जा रहे हैं। इस मंत्रालय के सबला कार्यक्रम के माध्यम से 11 से 18 वर्ष की किशोरियों को महिलाओं के कानून अधिकारों के बारे में प्रशिक्षण दिया जाता है।

राष्ट्रीय अपराध रिकॉर्ड ब्यूरो (एनसीआरबी) के अनुसार घरेलू हिंसा से महिलाओं का संरक्षण अधिनियम 2005 के तहत 2014 में कुल 426, 2015 में 461 और 2016 में 437 मामले दर्ज किए गए ब्यौरा संलग्न विवरण में दिया गया है।

(ग) जी, नहीं।

(घ) उपर्युक्त (ग) के मद्देनजर प्रश्न नहीं उठता।

विवरण

2014, 2015 और 2016 के दौरान घरेलू हिंसा से महिलाओं का संरक्षण अधिनियम 2015 के तहत पंजीकृत मामलों (सीआर), आरोप पत्र दाखिल मामलों (सीएस), आरोपित व्यक्तियों (पीसीएस), गिरफ्तार व्यक्तियों (पीए), दोष सिद्ध मामलों (सीसी) और दोषसिद्ध व्यक्तियों (पीसी) की संख्या

विवरण	2014	2015	2016
पंजीकृत मामला (सीआर)	426	461	437
आरोप पत्र दाखिल मामलों (सीएस)	312	418	403
आरोपित व्यक्तियों (पीसीएस)	639	482	515
गिरफ्तार व्यक्तियों (पीए)	693	540	556
दोषसिद्ध मामलों (सीसी)	9	22	23
दोषसिद्ध व्यक्तियों (पीसी)	13	27	28

योग मुद्राओं हेतु पेटेन्ट

1783. श्री पी. कुमार:
श्री कृष्ण प्रताप:

क्या **आयुर्वेद, योग और प्राकृतिक चिकित्सा, यूनानी, सिद्ध और होम्योपैथी (आयुष) मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) पद्धति के रूप में योग उत्पत्ति का ब्यौरा क्या है;

(ख) क्या योग हेतु देश में पेटेन्ट की आवश्यकता नहीं है चूंकि विश्व भर में 30 प्रकार के योग किए जा रहे हैं और यदि हां, तो इस पर सरकार की क्या प्रतिक्रिया है;

(ग) क्या सरकार ने 1500 योग मुद्राओं का पेटेन्ट करने हेतु प्रयास किए हैं;

(घ) यदि हां, तो पेटेन्ट प्राप्त करने में विलंब के क्या कारण हैं; और

(ङ) योग मुद्राओं हेतु पेटेन्ट प्राप्त करने के लिए आगे और क्या कदम उठाए गए हैं?

आयुर्वेद, योग और प्राकृतिक चिकित्सा, यूनानी, सिद्ध और होम्योपैथी आयुष मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री श्रीपाद येसो नाईक): (क) यह माना जाता है कि योगाभ्यास का आरंभ सभ्यता के उद्‌भव के साथ ही हुआ था। योग विज्ञान का उद्‌गम हजारों वर्ष पूर्व हुआ था। योग विद्या में भगवान शिव को प्रथम योगी अथवा आदियोगी और प्रथम गुरु अथवा आदिगुरु के रूप में देखा जाता है।

योग जैसे कार्यकलाप करने वाले योगिक प्रयोजनों और आकृतियों वाली सिंधु सरस्वती घाटी की सभ्यता की मुद्राओं एवं जीवाश्मों के अवशेषों की संख्या बताती है कि प्राचीन भारत में योग विद्यमान था। योग की चर्चा लोक परंपराओं, वेद एवं उपनिषदों की विरासत, बुद्ध एवं जैन परंपराओं, दर्शनों, महाभारत एवं रामायण महाकाव्यों, शैव और वैष्णव की परंपराओं और तांत्रिक परंपराओं में मिलती है।

(ख) योग की जड़ें पारंपरिक ज्ञान में हैं जिसे पेटेंट नहीं किया जा सकता। इसके अतिरिक्त, पेटेंट का दावा केवल प्रथम आविष्कारक अथवा उसके किसी प्रतिनिधि द्वारा ही किया जा सकता है और सरकार का योग पर इस तरह का कोई अधिकार नहीं है।

शास्त्रीय परंपरा युक्त योग प्राचीन योग ग्रंथों पर आधारित है। तथापि, समय बीतने के साथ-साथ योग की विभिन्न परंपराओं का विकास होता गया जिनमें से अधिकांश देश के अलग-अलग क्षेत्रों में प्रचलित रूपों के अनुरूप थी और उन्हें योग के विभिन्न विद्यालयों का समर्थन प्राप्त था। योग को बढ़ावा देने तथा उसे लोकप्रिय बनाने के सरकारी प्रयासों का ध्यान योग के मूल ग्रंथों में वर्णित योग के परंपरागत शास्त्रीय रूपों पर केन्द्रित है। तथापि, सरकार योग के अनुसंधान, अध्ययन और नवाचारों के विरुद्ध नहीं है।

(ग) से (ङ) सरकार योग के प्राचीन ज्ञान और अभ्यास को उसके मूल रूप में संरक्षित करने और उसका प्रचार करने के लिए उत्सुक है। तथापि, वह योग मुद्राओं को पेटेंट कराने पर विचार नहीं कर रही है क्योंकि योग मूलत: पारंपरिक ज्ञान है और पेटेंट अधिनियम, 1970 के अंतर्गत पेटेंटों के अधिकार क्षेत्र से बाहर है।

ग्रामीण महिलाओं का सशक्तिकरण

1784. श्री मलयाद्रि श्रीराम: क्या **महिला और बाल विकास मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार ने ग्रामीण महिलाओं के सशक्तिकरण हेतु विद्यार्थी स्वयं सेवियों को शामिल कर सामुदायिक भागीदारी को बढ़ावा देने हेतु कोई योजना प्रारंभ की है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और अब तक इस संबंध में सरकार द्वारा क्या कदम उठाए जा रहे हैं; और

(ग) विगत तीन वर्षों के प्रत्येक वर्ष और वर्तमान वर्ष के दौरान राज्य/संघ राज्य क्षेत्र-वार योजना के अंतर्गत निधि आवंटन कितना है?

महिला और बाल विकास मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा अल्पसंख्यक कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (डॉ. वीरेन्द्र कुमार): (क) से (ग) जी, हां। भारत सरकार ने सामुदायिक सहभागिता और सरकारी स्कीमों तथा कार्यक्रमों के बारे में जागरूकता पैदा करने के माध्यम से ग्रामीण महिलाओं को सशक्त बनाने के लिए वित्तीय वर्ष 2017-18 से 2019-20 तक क्रियान्वयन के लिए नवम्बर, 2017 में महिला शक्ति केंद्र नामक एक नई स्कीम का अनुमोदन किया है। इस स्कीम का विभिन्न स्तरों पर कार्य करना परिकल्पित है। राष्ट्रीय स्तर पर (विषय आधारित ज्ञान सहायता) और राज्य स्तर पर (राज्य महिला संसाधन केंद्र) संबंधित सरकारों को महिलाओं से जुड़े मुद्दों पर तकनीकी सहायता प्रदान की जाती है। ब्लॉक स्तर पर पहल के भाग के रूप में 115 आकांक्षी जिलों में कॉलेज के विद्यार्थी वॉलेंटियरों के माध्यम से सामुदायिक सहभागिता परिकल्पित है। विभिन्न महत्वपूर्ण सरकारी स्कीमों/कार्यक्रमों तथा सामाजिक मुद्दों के बारे में जागरूकता पैदा करने में विद्यार्थी वॉलेंटियरों को सहायक की भूमिका अदा करनी है। जिला स्तरीय महिला केंद्र 640 जिलों में परिकल्पित है, जिन्हें चरणबद्ध तरीके से शामिल किया जाएगा। ये केंद्र महिला-केंद्रित स्कीमों को सुलभ बनाने के लिए गांव, ब्लॉक और राज्य स्तर पर एक संपर्क सूत्र के रूप में कार्य करेंगे और जिला स्तर पर बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ (बीबीबीपी) स्कीम के संबंध में आधार प्रदान करेंगे। यह स्कीम केंद्र और राज्यों के बीच 60:40 के अनुपात में खर्च में हिस्सेदारी के आधार पर क्रियान्वित की जा रही है, लेकिन केंद्र और पूर्वोत्तर राज्यों तथा विशेष श्रेणी के राज्यों के बीच खर्च की हिस्सेदारी का अनुपात 90:10 है। वित्तीय वर्ष 2017-18 और 2018-19 के दौरान स्कीम के अंतर्गत आबंटित निधियों का ब्यौरा संलग्न विवरण में दिया गया है।

विवरण

महिला शक्ति केंद्र स्कीम (एनएमईडब्ल्यू स्कीम को शामिल करते हुए) के अंतर्गत निर्मुक्त निधियां

(रुपये लाखों में)

क्र. सं.	राज्य/संघ राज्य क्षेत्र का नाम	वित्तीय वर्ष 2017-18	वित्तीय वर्ष 2018-19 (15 जुलाई, 2018 तक)
1	2	3	4
1.	अंडमान और निकोबार द्वीपसमूह	10.90	शून्य
2.	आंध्र प्रदेश	7.39	267.63
3.	अरुणाचल प्रदेश	शून्य	151.35
4.	असम	980.00	शून्य
5.	बिहार	1022.20	258.30
6.	चंडीगढ़	10.90	शून्य
7.	छत्तीसगढ़	863.19	शून्य
8.	दादरा और नगर हवेली	10.90	शून्य
9.	दमन और दीव	10.90	61.50
10.	दिल्ली (राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र)	शून्य	शून्य
11.	गोवा	शून्य	शून्य
12.	गुजरात	49.10	206.62
13.	हरियाणा	शून्य	शून्य
14.	हिमाचल प्रदेश	शून्य	124.18
15.	जम्मू और कश्मीर	22.50	125.58
16.	झारखंड	1776.36	शून्य
17.	कर्नाटक	10.80	150.78
18.	केरल	शून्य	74.25
19.	लक्षद्वीप	10.90	शून्य
20.	मध्य प्रदेश	शून्य	475.95
21.	महाराष्ट्र	शून्य	144.63
22.	मणिपुर	137.34	33.21
23.	मेघालय	61.31	127.29
24.	मिजोरम	117.82	138.36
25.	नागालैंड	95.13	166.04
26.	ओडिशा	शून्य	737.95
27.	पुदुचेरी	54.06	शून्य
28.	पंजाब	शून्य	87.50
29.	राजस्थान	74.90	278.23
30.	सिक्किम	शून्य	99.85
31.	तमिलनाडु	36.18	210.31
32.	तेलंगाना	13.20	280.42
33.	त्रिपुरा	19.90	125.50
34.	उत्तर प्रदेश	शून्य	362.12
35.	उत्तराखंड	18.89	220.32
36.	पश्चिम बंगाल	24.37	453.62
	कुल योग	5439.14	5216.86

रियल एस्टेट में लेनदेन का विनियमन

1785. श्री रवीन्द्र कुमार पाण्डेय:
श्री निशिकान्त दुबे:

क्या **वित्त मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) काले धन को नियंत्रित करने हेतु रियल एस्टेट क्षेत्र में लेनदेन विनियम हेतु उठाए गए कदमों का ब्यौरा क्या है;

(ख) रियल एस्टेट क्षेत्र में बेनामी लेनदेन के समाधान हेतु क्या कदम उठाए गए हैं; और

(ग) बेनामी लेनदेन (निषेध) संशोधन अधिनियम, 2016 को लागू करने के बाद देश में कितने मामले दर्ज किए गए हैं और इन मामलों में कुल कितनी राशि सम्मिलित है?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री शिव प्रताप शुक्ला): (क) पिछले कुछ समय में काले धन को रोकने के आशय से रियल एस्टेट क्षेत्र में संव्यवहारों को विनियमित करने हेतु विभिन्न कार्रवाईयां की गई हैं। इनमें आयकर अधिनियम, 1961 (अधिनियम) के अंतर्गत किए गए निम्नलिखित महत्वपूर्ण वैधानिक परिवर्तन शामिल हैं;–

(i) अधिनियम में धारा 43 ग क को अन्त:स्थापित किया गया है ताकि यह प्रावधान किया जा सके कि जहां भूमि या भवन या दोनों के अंतरण पर प्राप्त प्रतिफल, राज्य सरकार द्वारा अपनाए गए स्टाम्प ड्यूटी मूल्य से कम है, और यदि स्टाम्प ड्यूटी का मूल्य ऐसे प्रतिफल के 105% से अधिक होता है तो स्टाम्प ड्यूटी मूल्य को प्राप्त प्रतिफल का पूर्ण मूल्य माना जाएगा।

(ii) अधिनियम की धारा 56(2)(X) को संशोधित किया गया है ताकि कतिपय परिस्थितियों, जिनमें कोई प्राप्तकर्ता बिना किसी प्रतिफल के अथवा पर्याप्त प्रतिफल के साथ अचल सम्पत्ति प्राप्त करता है तो प्राप्तकर्ता के हाथों प्राप्त होने वाली ऐसी आय को मानद आय माने जाने का प्रावधान किया जा सके।

(iii) धारा 194 झ क को अधिनियम में अन्त:स्थापित किया गया है ताकि यह प्रावधान किया जा सके कि अचल सम्पत्ति (कृषि भूमि से इतर) के प्रतिफल के माध्यम से 50 लाख रुपए से अधिक की किसी राशि के, एक निवासी को भुगतान के लिए उत्तरदायी कोई व्यक्ति, भुगतान के समय ऐसी राशि के 1% की दर से कर कटौती करे।

(iv) आयकर नियमावली, 1962 के नियम 114ख एवं नियम 114 ङ में, पैन का अनिवार्यत: उल्लेख करना और अचल सम्पत्ति के संव्यवहार को रिपोर्ट करने का प्रावधान है, यदि इन नियमों में विनिर्दिष्ट किए अनुसार प्रतिफल, थ्रेरशहोल्ड से अधिक होता है।

(v) रियल एस्टेट में संव्यवहारों में नकदी लेन-देन को रोकने के लिए, आयकर अधिनियम की धारा 269 ध ध को संशोधित किया गया था ताकि अचल संपत्ति के अन्तरण के लिए बैंकिंग माध्यम के अलावा, किसी अन्य माध्यम से 20 हजार रुपये या इससे अधिक की किसी भी राशि की प्राप्ति का निषेध किया जा सके। आयकर अधिनियम की धारा 269 न के अन्तर्गत इसी तरह की पाबंदी है।

उपर्युक्त के अलावा, सरकार द्वारा रियल एस्टेट (विनियमन और विकास) अधिनियम, 2016 अधिनियमित किया गया है ताकि रियल एस्टेट विनियामक प्राधिकरण की स्थापना की जा सके जोकि रियल एस्टेट क्षेत्र में लेन-देन को विनियमित करेगा। यह इसमें अन्य करों के साथ-साथ रियल एस्टेट विनियामक प्राधिकरण के पास, रियल एस्टेट परियोजनाओं व रियल एस्टेट एजेन्टों के अनिवार्य पंजीकरण का प्रावधान है। इसके अतिरिक्त, यह परियोजना की सभी संगत सूचना के अद्यतन प्रकटीकरण के लिए प्रोमोटर पर बाध्यता करती है जिसमें प्रोमोटरों का ब्यौरा, ले आउट प्लान, विकास कार्यों की योजना, भूमि स्थिति, सांविधिक अनुमोदनों की स्थिति, पार्किंग की संख्या, परियोजना पूरा होने की समय अवधि इत्यादि का ब्यौरा शामिल है। अधिनियम में निर्माण लागत और भूमि लागत को कवर करने के लिए एक अलग एकाउण्ट में आबंटियों से जारी 70 प्रतिशत राशि के अनिवार्य रूप से जमा करने का भी प्रावधान है।

(ख) सरकार ने रियल एस्टेट सेक्टर सहित बेनामी लेन-देन पर कार्रवाई करने के लिए विभिन्न उपाय किए हैं। इनका ब्यौरा निम्नलिखित है:–

(i) बेनामी लेनदेन (निषेध) अधिनियम, 1988 को, बेनामी लेन-देन (निषेध) संशोधित अधिनियम, 2016 के माध्यम से व्यापक रूप से संशोधित किया गया था ताकि बेनामी लेन देनों के निषेध के लिए प्रभावी व्यवस्था का प्रावधान किया जा सके। संशोधित अधिनियम, 2016, 1 नवम्बर, 2016 से लागू हुआ।

(ii) सरकार ने बेनामी लेन-देन (निषेध) अधिनियम, 1988 के तहत प्रभावी कार्रवाई करने के लिए पूरे भारत में 24 बेनामी निषेध यूनिटें (बी.पी.यू.) स्थापित की हैं।

(ग) आयकर विभाग द्वारा किए गए गहन प्रयासों के कारण, बेनामी लेन-देन (निषेध) अधिनियम, 1988 के तहत 1600 से भी ज्यादा सम्पत्तियों के मामलों में अनन्तिम जब्ती की गई है। इसमें भूमि प्लॉट, दुकानों, आभूषण, वाहन, बैंक-खातों में जमा राशि, मियादी जमा इत्यादि शामिल है। जब्त की गई सम्पत्तियों का मूल्य 4300 करोड़ रुपए से अधिक है जिसमें 3400 करोड़ रुपए से ऊपर की अचल सम्पत्तियां शामिल हैं।

वन भूमि में रहने वाले जनजातीय लोगों का संरक्षण

1786. प्रो. ए.एस.आर. नायक: क्या **पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या वन अधिनियम, 1976 में 13 दिसंबर, 2005 को या उससे पहले वन में रहने वाले एवं पोदु खेती के रूप में वन भूमि पर खेती करने वाले जनजातीय लोगों के लिए वन अधिकारों की मान्यता (आरओएफआर) का प्रावधान है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या उचित निगरानी एवं अधीक्षण के अभाव में राज्य वन विभाग अपने आप को सर्वोच्च प्राधिकरण मान रहा है किन्तु उक्त अधिनियम के कार्यान्वयन में असफल रहा है, जिससे राज्य के लिए समस्याएं उत्पन्न हो रही हैं;

(घ) यदि हां, तो तत्संबधी ब्यौरा क्या है; और

(ङ) क्या मंत्रालय जनजातीय लोगों के लिए उक्त अधिनियम की भावना को अक्षरश: कार्यान्वित करने के प्रति प्रतिबद्ध है तथा यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

संस्कृति मंत्रालय के राज्य मंत्री तथा पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय में राज्य मंत्री (डॉ. महेश शर्मा): (क) 13 दिसंबर, 2005 को अथवा उससे पहले वन में रहने वाले एवं पोदु खेती के रूप में वन भूमि पर खेती करने वाले जनजातीय लोगों के लिए वन अधिकारियों की मान्यता प्रदान करने हेतु केंद्रीय स्तर पर कोई वन अधिकारी 1976 नहीं है।

(ख) से (ङ) उपर्युक्त के मद्देनजर, ये प्रश्न नहीं उठते।

केजी बेसिन में खनन कार्यकलाप

1787. डॉ. रविन्द्र बाबू: क्या **पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार को आंध्र प्रदेश के कृष्णा-गोदावरी (केजी) बेसिन क्षेत्र में चल रही अनेक वेधन और गाद निकालने संबंधी कार्यकलापों की जानकारी है;

(ख) क्या इन कार्यकलापों के कारण क्षेत्र के मछुआरे, मृदा स्खलन, पानी में लवणता की समस्या और भूमि धसाव की समस्या से प्रभावित हो रहे हो;

(ग) यदि हां, तो क्या उक्त क्षेत्र में कोई पर्यावरणीय प्रभाव आकलन अध्ययन किया गया है; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और स्थानीय जनसंख्या के हित संरक्षण हेतु क्या कदम उठाए जा रहे हैं?

संस्कृति मंत्रालय के राज्य मंत्री तथा पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय में राज्य मंत्री (डॉ. महेश शर्मा): (क) और (ख) मंत्रालय को आंध्र प्रदेश के कृष्णा गोदावरी (केजी) बेसिन क्षेत्र में खनन और गाद निकालने संबंधी क्रियाकलापों के कारण इस क्षेत्र के मछुआरों के प्रभावित होने की कोई सूचना प्राप्त नहीं हुई है।

(ग) और (घ) प्रश्न नहीं उठता।

जानबूझकर चूक करने वालों को ऋण

1788. श्री केसिनेनी श्रीनिवास: क्या **वित्त मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) विगत तीन वर्षों और वर्तमान वर्ष के दौरान बैंक-वार जानबूझकर चूक करने वालों के बकाया ऋणों की कुल प्रमात्रा कितनी है;

(ख) क्या उक्त अवधि के दौरान जानबूझकर चूक करने वालों की संख्या में कोई वृद्धि हुई है और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) इस संख्या को सही/ठीक करने हेतु सरकार द्वारा क्या कदम उठाए गए/जा रहे हैं;

(घ) क्या जानबूझकर चूक करने वालों से बकाया ऋणों की वसूली हेतु कोई तंत्र लागू किया गया है, यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ङ) यदि नहीं, तो क्या बकाया ऋण की वसूली हेतु किसी नए तंत्र की आवश्यकता है और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री शिव प्रताप शुक्ला): (क) और (ख) सरकारी क्षेत्र के बैंकों (पीएसबी) द्वारा दिए गए आंकड़ों के अनुसार, गत तीन वित्तीय वर्ष तथा वर्तमान वित्तीय वर्ष की प्रथम तिमाही के अंत में पीएसबी के इरादतन चूककर्ताओं के विरुद्ध बकाया ऋण की कुल राशि का बैंक-वार ब्यौरा तथा पीएसबी के इरादतन चूककर्ताओं की संख्या को संलग्न विवरण में दर्शाया गया है।

(ग) इरादतन चूककर्ताओं के कारण होने वाली चूक की घटनाओं को कम करने के लिए कई कदम उठाए गए हैं। इरादतन चूककर्ताओं को रोकने के लिए, आरबीआई के अनुदेशों के अनुसार बैंकों अथवा वित्तीय संस्थाओं के द्वारा उन्हें कोई अतिरिक्त सुविधाएं स्वीकृत नहीं की जाती हैं, उनकी इकाई को पांच वर्ष तक नया उपक्रम आरंभ करने से वंचित किया जाता है और जब कभी आवश्यक हो, उधारदाता उनके विरुद्ध आपराधिक कार्यवाही आरंभ कर सकते हैं। पीएसबी द्वारा दिनांक 30.06.2018 को दिए गए आंकड़ों के अनुसार, इरादतन चूककर्ताओं के विरुद्ध 2,348 एफआईआर दर्ज किए गए हैं और उनसे वसूली के लिए 8,994 वाद दायर किए गए हैं तथा 7471 इरादतन चूककर्ताओं के मामले में वित्तीय आस्तियों का प्रतिभूतिकरण और प्रतिभूति हित का प्रवर्तन अधिनियम, 2002 (सरफासी अधिनियम) के अंतर्गत कार्रवाई आरंभ कर दी गई है। इसके अलावा, भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड के अनुसार, इरादतन चूककर्ताओं और ऐसी कंपनियों, जिनमें प्रवर्तक निदेशक इरादतन चूककर्ता हों, को निधियां एकत्र करने के लिए पूंजी बाजार में जाने से प्रतिबंधित किया गया है। इसके अलावा, इरादतन चूककर्ताओं को दिवाला समाधान प्रक्रिया में भाग लेने से वंचित करने के लिए दिवाला और शोधन अक्षमता संहिता, 2016 को संशोधित किया गया है।

भविष्य में स्वच्छ ऋण प्रणाली तैयार करने तथा आर्थिक अपराधियों को भारतीय अधिकारिता से बाहर रहकर भारतीय कानून से बचने से रोकने के लिए सरकार ने आर्थिक अपराधी की संपत्ति को कुर्क एवं जब्त करने के लिए उपबंध करने हेतु भगोड़ा आर्थिक अपराधी विधेयक, 2018 का पुर:स्थापित किया है। इसके अलावा, सरकार ने पीएसबी को 50 करोड़ रुपये से अधिक ऋण सुविधा प्राप्त करने वाली कंपनियों के प्रवर्ततकों/निदेशकों तथा अन्य प्राधिकृत हस्ताक्षरकर्ताओं के पासपोर्ट की प्रमाणित प्रति प्राप्त करने की सलाह दी है।

(घ) और (ङ) सभी चूककर्ता संबंधी वसूली प्रक्रिया में, अन्य बातों के साथ-साथ, सरफासी अधिनियम, ऋण वसूली अधिकरण, समझौता निपटान, लोक अदालत तथा आईबीसी के जरिए कार्रवाई शामिल है।

पीएसबी द्वारा दिए गए आंकड़ों के अनुसार गत तीन वित्तीय वर्ष तथा वर्तमान वित्तीय वर्ष की प्रथम तिमाही के दौरान वसूली तंत्र के जरिए कुल 1,61,123 करोड़ रुपये की राशि सफलतापूर्वक वसूल की गई है।

विवरण

सरकारी क्षेत्र के बैंकों के इरादतन चूककर्ताओं के विरुद्ध बकाया ऋण की कुल राशि का ब्यौरा

राशि करोड़ रुपये में

बैंक	31.3.2016 की स्थिति के अनुसार	31.3.2017 की स्थिति के अनुसार	31.3.2018 की स्थिति के अनुसार	30.6.2018 की स्थिति के अनुसार
1	2	3	4	5
इलाहाबाद बैंक	539	2,223	3,965	4,164
आंध्रा बैंक	3,964	3,934	3,957	3,937
बैंक ऑफ बड़ौदा	1,662	4,883	6,253	7,931
बैंक ऑफ इंडिया	4,426	2,634	7,463	9,425
बैंक ऑफ महाराष्ट्र	751	822	1,518	1,518
केनरा बैंक	3,630	3,659	4,759	4,629
सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया	4,409	4,921	6,197	6,197
कारपोरेशन बैंक	2,343	2,227	2,453	2,717

1	2	3	4	5
देना बैंक	919	1,515	1,877	1,845
आईडीबीआई बैंक लि.	3,064	3,131	4,828	5,372
इंडियन बैंक	328	1,082	1,373	1,361
इंडियन ओवरसीज बैंक	3,473	3,473	4,485	5,395
ओरियंटल बैंक ऑफ कॉमर्स	3,799	4,307	4,215	4,483
पंजाब एंड सिंध बैंक	248	286	283	276
पंजाब नैशनल बैंक	11,486	12,278	15,190	15,355
सिंडिकेट बैंक	922	1,107	1,162	1,159
यूको बैंक	4,251	5,715	5,722	5,988
यूनियन बैंक ऑफ इंडिया	3,446	3,784	5,103	5,167
युनाईटेड बैंक ऑफ इंडिया	1,857	1,829	1,737	1,736
विजया बैंक	958	3,464	5,041	5,249
भारतीय स्टेट बैंक	12,466	15,070	34,436	34,275
स्टेट बैंक ऑफ बीकानेर एंड जयपुर	2,100	2,260		
स्टेट बैंक ऑफ हैदराबाद	2,145	2,178		
स्टेट बैंक ऑफ मैसूर	1,079	1,388	एसबीआई में विलय	
स्टेट बैंक ऑफ पटियाला	1,899	3,123		
स्टेट बैंक ऑफ त्रावणकोर	566	1,086		
सरकारी क्षेत्र के बैंकों के इरादतन चूककर्ताओं की संख्या का ब्यौरा				
सरकारी क्षेत्र के सभी बैंक	8,315	8,915	9,331	9,501

स्रोत: सरकारी क्षेत्र के बैंक

[हिन्दी]

प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजना

1789. श्री लल्लू सिंह: क्या **वित्त मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार ने प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजना (पीएमजीकेवाई) शुरू की है और यदि हां, तो योजना के क्या लक्ष्य हैं और तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ख) क्या कुछ बैंक योजना के अंतर्गत कर संग्रहण के लिए अनिच्छा प्रकट कर रहे हैं और यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं;

(ग) सरकार द्वारा इस संबंध में नियमों/दिशा-निर्देशों का अनुपालन सुनिश्चित करने के लिए क्या कदम उठाए जा रहे हैं; और

(घ) वर्ष 2016 में योजना की घोषणा से कर अदाकर्ताओं को होने वाले संभावित लाभों का ब्यौरा क्या है?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री शिव प्रताप शुक्ला): (क) जी, हां। सरकार ने 17.12.2016 से "प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजना संबंधी कराधान तथा निवेश व्यवस्था, 2016 (योजना)" की शुरुआत की थी। इस योजना के तहत घोषणा करने की अंतिम तारीख 31.03.2017 थी जिसे ऐसे मामलों में बाद में बढ़ाकर 10 मई, 2017 कर दिया गया था, जिनमें योजना के तहत कर, अधिभार तथा शास्ति की अदायगी 31 मार्च, 2017 को अथवा उससे पहले की गई थी तथा "प्रधान मंत्री गरीब कल्याण जमा योजना, 2016 (जमा योजना)" के तहत जमा की अनिवार्य राशि की अदायगी 30 अप्रैल, 2017 को अथवा इससे पहले कर दी गई थी।

योजना के तहत, कोई व्यक्ति किसी भी आय के संबंध में, एक विनिर्दिष्ट संस्था के साथ व्यक्ति के खाते में नकद रूप में अथवा जमा धनराशि के रूप में 1 अप्रैल, 2017 को अथवा इससे पूर्व प्रारंभ होने वाले किसी निर्धारण वर्ष के संबंध में आयकर के तहत प्रभार्य किसी आय की घोषणा कर सकता है।

योजना के तहत घोषणाकर्ता को, अघोषित आय के 30 प्रतिशत की दर से कर, कर के 33 प्रतिशत की दर से अधिभार तथा इस प्रकार की अघोषित आय पर 10 प्रतिशत की दर से शास्ति अदा करना आवश्यक था। घोषणाकर्ता को इस प्रकार की अघोषित आय की न्यूनतम 25 प्रतिशत की राशि, जमा योजना में जमा करना आवश्यक था। इन जमा राशि पर कोई ब्याज नहीं मिलता है तथा इनकी लॉक-इन अवधि चार वर्ष है।

नोटबंदी के आलोक में, सरकार ने एक योजना शुरू की थी ताकि घोषणाकर्ता, अघोषित आय की घोषणा कर सकें और शास्ति सहित करों का भुगतान कर सकें और पाक-साफ हो सकें ताकि सरकार को न केवल निर्धनों के संबंध में कल्याणकारी क्रियाकलाप शुरू करने के लिए अतिरिक्त राजस्व मिलें अपितु यह भी सुनिश्चित हो सके कि अघोषित आय विधिक रूप से औपचारिक अर्थव्यवस्था में शामिल हो। चूंकि योजना का प्राथमिक उद्देश्य, ऐसे लोगों जिनके पास अघोषित आय है, को एक अवसर प्रदान करना था ताकि वे पाक-साफ हो सके, अत: इस योजना के तहत कोई लक्ष्य निर्धारित नहीं किए गए थे।

(ख) और (ग) योजना की अवधि के दौरान करों/अधिभार और शास्ति अथवा अनिवार्य जमा का भुगतान करते समय घोषणाकर्ताओं के सामने आने वाली किन्हीं प्रक्रियात्मक अथवा तकनीकी कठिनाईयों का समयबद्ध तरीके से यथावत समाधान किया गया था।

(घ) जहां तक घोषणाकर्ताओं को दिए जाने वाले लाभों का सरोकार है, घोषणा में यह प्रावधान था कि योजना के अंतर्गत घोषित की गई आय को, आयकर अधिनियम के अंतर्गत किसी भी निर्धारण वर्ष के संबंध में घोषणाकर्ता की कुल आय में शामिल नहीं किया जाएगा। इसके अलावा योजना में यह प्रावधान था कि घोषणा में विहित कोई भी बात, विनिर्दिष्ट अधिनियमों के अलावा किसी भी अधिनियम के अंतर्गत किसी भी कार्यवाही के प्रयोजन से घोषणाकर्ता के विरुद्ध साक्ष्य के रूप में अनुज्ञेय नहीं होगी।

[अनुवाद]

रक्त आधान के कारण एचआईवी

1790. **श्री जितेन्द्र चौधरी:**
डॉ. सुनील बलीराम गायकवाड़:

क्या **स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या रक्त आधान के परिणामस्वरूप देश में बड़ी संख्या में लोग एचआईवी और हेपेटाइटिस 'बी' विषाणु से संक्रमित हो रहे हैं;

(ख यदि हां, तो गत तीन वर्षों के दौरान राज्य/संघ राज्य क्षेत्र-वार तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) रक्त के असुरक्षित आधान और उचित जांच की कमी के क्या कारण हैं;

(घ) संदूषित रक्त के आधान में कौन-कौन से अस्पताल संलिप्त हैं और इन पर क्या कार्रवाई की गई है; और

(ङ) सरकार द्वारा देश के अस्पतालों में असुरक्षित रक्त आधान के कार्य को रोकने के लिए अन्य क्या कदम उठाए गए हैं?

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती अनुप्रिया पटेल): (क) जी, नहीं।

(ख) प्रश्न नहीं उठता।

(ग) असुरक्षित रक्त-आधान तथा रक्त की उचित जांच का अभाव तभी होता है, जब बिना लाइसेंस वाले ब्लड-बैंक से रक्त प्राप्त करने अथवा बिना जांचे या रक्त समूह का मिलान किए बिना रक्त-आधान करने जैसे कार्यों द्वारा मौजूदा सरकारी नियमों का उल्लंघन किया जाता है।

औषधि एवं प्रसाधन सामग्री अधिनियम, 1940 के उपबंधों के तहत लाइसेंस प्राप्त ब्लड बैंकों द्वारा एकत्रित सभी रक्त यूनिट्स को रोगियों के लिए रक्ताधान हेतु जारी करने से पूर्व उनकी एचआईवी, हेपेटाइटिस-बी, हेपेटाइटिस-सी, मलेरिया और सिफिलिस संबंधी जांच तथा रोगी के रक्त नमूनों के साथ रक्त समूह का मिलान करना अनिवार्य है। सुरक्षित और नियमित रक्तदाता को नामांकित करने के लिए उचित रक्तदाता चयन, परामर्श तथा प्रतिधारण पर यथापेक्षित जोर दिया जाता है। रक्त और रक्त घटक केवल पंजीकृत चिकित्सक द्वारा लिखे जाने पर ही जारी किए जाते हैं।

(घ) भारतीय इस्पात प्राधिकरण लिमिटेड के तहत जेएलएन अस्पताल, भिलाई, दुर्ग, छत्तीसगढ़ से एक मामला इस मंत्रालय के संज्ञान में लाया गया है।

मामले की जांच की गई तथा जेएलएन अस्पताल में स्थित ब्लड बैंक का लाइसेंस निलंबित किया गया था। आवश्यक सुधारात्मक कार्रवाई हेतु जांच रिपोर्ट संबंधित प्राधिकरण को भेजी गई है।

(ङ) सभी अस्पतालों को लाइसेंस प्राप्त ब्लड बैंकों से ही रक्त प्राप्त करने के निदेश दिए गए हैं। चिकित्सकों को प्रशिक्षण कार्यक्रमों तथा निरंतर चिकित्सा शिक्षा के माध्यम से रक्त और रक्त घटकों के विवेकपूर्ण और उपयुक्त उपयोग के संबंध में आवधिक रूप से सुग्राही बनाया जाता है।

लाइसेंस प्राप्त ब्लड बैंकों में राज्य और राष्ट्रीय स्तर पर खाद्य एवं औषधि प्राधिकरण द्वारा लाइसेंस प्रदान करने तथा आवधिक रूप से निरीक्षणों के माध्यम से रक्त और रक्त घटकों की सुरक्षा और गुणवत्ता सुनिश्चित की जाती है।

[हिन्दी]

प्रतिपूरक वृक्षारोपण

1791. श्री गणेश सिंह: क्या **पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार ने प्रतिपूरक वृक्षारोपण और वन भूमि में बदलाव के पश्चात वन के उपयोग के बदले अन्य गतिविधियों के लिए कुछ राशि जमा करने के लिए एक अधिनियम लागू किया है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और उक्त प्रयोजनार्थ अधिसूचना किए गए नियमों का ब्यौरा क्या है; और

(ग) प्रतिपूरक वृक्षारोपण और अन्य गतिविधियों के लिए सीएएमपीए के अंतर्गत मध्य प्रदेश को कितनी राशि प्रदान किए जाने की संभावना है?

संस्कृति मंत्रालय के राज्य मंत्री तथा पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय में राज्य मंत्री (डॉ. महेश शर्मा): (क) और (ख) संसद ने प्रतिपूरक वनीकरण निधि अधिनियम, 2016 पारित कर दिया है और उसे 03 अगस्त, 2016 को राष्ट्रपति जी की स्वीकृति प्राप्त हो चुकी है। प्रतिपूरक वनीकरण निधि अधिनियम के अधीन नियम, जनता/हितधारकों से टिप्पणियां/विचार प्राप्त करने के लिए 17.02.2018 को राजपत्र में प्रकाशित किये गए थे और प्रतिपूरक वनीकरण निधि नियमों के अंतिम प्रारूप को विधि और न्याय मंत्रालय को भेज दिया गया है।

(ग) आज की तारीख तक मूलधन तथा ब्याज राशि के रूप में 6353.67 करोड़ रुपए तदर्थ सीएएमपीए द्वारा प्रबंधित मध्य प्रदेश प्रतिपूरक वनीकरण निधि में जमा करा दिये गये हैं। प्रतिपूरक वनीकरण तथा अन्य क्रियाकलापों के लिए 31.03.2018 तक मध्य प्रदेश राज्य सीएएमपीए को, ब्याज राशि से 861.53 करोड़ रुपए की धनराशि जारी की गई है।

गौ मूत्र

1792. श्रीमती दर्शना विक्रम जरदोश:
श्री रवीन्द्र कुमार जेना:

क्या **आयुर्वेद, योग और प्राकृतिक चिकित्सा, यूनानी, सिद्ध और होम्योपैथी (आयुष) मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या विभिन्न असाध्य बीमारियों के उपचार हेतु गो मूत्र और गो मूत्र आधारित उत्पादों पर एक अनुसंधान करने की कोई योजना है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या सरकार का फिजियोथेरेपी में अनुसंधान को बढ़ावा देने का विचार है; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं?

आयुर्वेद, योग और प्राकृतिक चिकित्सा, यूनानी, सिद्ध और होम्योपैथी (आयुष) मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री श्रीपाद येसो नाईक): (क) और (ख) जी हां। विज्ञान और प्रौद्योगिकी

विभाग ने निम्नलिखित के सहयोग और समर्थन से अंतर मंत्रालयी कार्यक्रम "अनुसंधान विस्तार के जरिए वैज्ञानिक उपयोग - देशी गाय के मुख्य उत्पाद (पंचगव्य)" आरंभ किया है:-

(i) विज्ञान और प्रौद्योगिकी विभाग (डीएसटी) के माध्यम से विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्रालय।

(ii) जैव प्रौद्योगिकी विभाग (डीबीटी)।

(iii) वैज्ञानिक एवं औद्योगिकी अनुसंधान विभाग (डीएसआईआर)।

(iv) वैज्ञानिक एवं औद्योगिकी अनुसंधान परिषद (सीएसआईआर)।

(v) आयुष मंत्रालय।

(vi) नवीन एवं नवकरणीय ऊर्जा मंत्रालय (एमएनआरई)।

(vii) भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद् (आईसीएआर)।

(viii) भारतीय चिकित्सा अनुसंधान परिषद् (आईसीएमआर)।

कार्यक्रम के विषयगत क्षेत्रों में से "औषधि एवं स्वास्थ्य के लिए देशी गाय के मुख्य उत्पादों" पर वैज्ञानिक अनुसंधान एक क्षेत्र है जिसमें केंद्रीय आयुर्वेदीय विज्ञान अनुसंधान परिषद् (सीसीआरएएस), आयुष मंत्रालय शामिल है।

केंद्रीय सरकार का एक स्वायत्त आयुर्वेदिक अनुसंधान संगठन, केंद्रीय आयुर्वेदीय विज्ञान अनुसंधान परिषद् (सीसीआरएएस) ने आयुर्वेदिक शास्त्रीय ग्रंथों और भारतीय आयुर्वेदिक फार्मूलरी, भाग-I में यथाउल्लिखित गाय के पांच उत्पादों (दूध, दही, घी, मूत्र और गोबर) से बने आयुर्वेदिक औषधयोग, पंचगव्य घृत के प्रतिरक्षा-नियंत्रक कार्यकलापों और सुरक्षा/विषाक्तता का मूल्यांकन करने के लिए अध्ययन आरंभ किया है।

गो मूत्र शुद्धिकरण प्रक्रियाओं और कच्ची औषधों की विभिन्न प्रसंस्करण तकनीकों तथा सिद्ध औषधियों के संपाकों में बहुधा प्रयोग किया जाता है। केंद्रीय सिद्ध अनुसंधान परिषद् गो मूत्र वाले औषधयोगों के अनुसंधान क्रियाकलापों में लगी हुई है।

(ग) और (घ) ऐसा कोई प्रस्ताव विचाराधीन नहीं है।

आयुर्वेद के लिए एम्स जैसे अस्पताल

1793. श्री प्रतापराव जाधव: क्या **आयुर्वेद, योग और प्राकृतिक चिकित्सा, यूनानी, सिद्ध और होम्योपैथी (आयुष) मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या महाराष्ट्र राज्य सरकार ने विदर्भ में एम्स जैसी आयुर्वेदिक पद्धति की एक अस्पताल की स्थापना के लिए केन्द्र सरकार के साथ कोई परामर्श किया है; और

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

आयुर्वेद, योग और प्राकृतिक चिकित्सा, यूनानी, सिद्ध और होम्योपैथी (आयुष) मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री श्रीपाद येसो नाईक): (क) जी, नहीं।

(ख) प्रश्न नहीं उठता।

[अनुवाद]

एडब्ल्यूसी का उन्नयन

1794. डॉ. सुनील बलीराम गायकवाड़: क्या **महिला और बाल विकास मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार ने आंगनवाड़ियों की कार्यकुशलता में वृद्धि करने के लिए देश में आंगनवाड़ी केंद्रों का उन्नयन किया है और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ख) क्या सरकार ने आंगनवाड़ी केंद्रों के उन्नयन हेतु कॉर्पोरेट सामाजिक दायित्व के अंतर्गत कतिपय प्रतिशत व्यय करने के लिए कॉर्पोरेट क्षेत्र से कोई अपील की है; और

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और कॉर्पोरेट क्षेत्र की इस पर क्या प्रतिक्रिया है?

महिला और बाल विकास मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा अल्पसंख्यक कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (डॉ. बीरेन्द्र कुमार): (क) वर्ष 2013-14, 2014-15 तथा वर्ष 2017-18 के दौरान स्कीम के तहत आंगनवाड़ी केन्द्रों के क्रमश: 42642 भवन, 44651 भवन तथा 18751 भवन उन्नयन के लिए अनुमोदित किए गए थे। इस प्रयोजन के लिए अपेक्षित धनराशि भी रिलीज कर दी गई थी।

(ख) तथा (ग) जी नहीं। तथापि, इस मंत्रालय ने मैसर्स वेदान्ता के साथ कॉर्पोरेट सामाजिक जिम्मेदारी के तहत अपनी लागत पर 4000 आंगनवाड़ी केन्द्रों के भवनों का निर्माण करने के लिए एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए हैं। वर्ष 2017 में केन्द्रीय मंत्रालयों/विभागों, सीपीएसई/राज्यों सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों, प्राइवेट कम्पनियों, गैर-सरकारी संगठनों/फाउंडेशन्स आदि सहित सभी हितधारकों को अपनी सीएसआर गतिविधियां दर्शाने के लिए एक

प्लेटफार्म उपलब्ध कराने, अपने श्रेष्ठ कार्यो को शेयर करने तथा अन्य हितधारकों के साथ जुड़ने के लिए एक अवसर उपलब्ध कराने हेतु सार्वजनिक उद्यम विभाग, भारी उद्योग एवं सार्वजनिक उद्यम मंत्रालय ने नई दिल्ली में एक तीन दिवसीय सीएसआर मेला आयोजित किया था। इस मंत्रालय और टाटा ट्रस्ट ने भी की गई विभिन्न पहलों को प्रदर्शित एवं दर्शाने वाले तीन दिवसीय लंबे सीएसआर मेले में भाग लिया।

[हिन्दी]

हाइड्रोक्लोरोफ्लोरो कार्बन के प्रयोग में कमी

1795. श्री जनक राम: क्या **पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार ऐसा कोई विधान लाने का विचार रखती है जिससे यह सुनिश्चित हो सके कि भवनों, वाणिज्यिक स्थानों एवं विमानपत्तनों पर लगाए गए एयर कंडीशनर एक पूर्व निर्धारित तापमान को बनाए रख सकें;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या ऐसा कोई विधान जापान एवं यूरोपियन देशों में सफलतापूर्वक कार्यान्वित किया जा चुका है तथा यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(घ) क्या उक्त उपाय से हाइड्रोक्लोरोफ्लोरो कार्बन (एचएफसी) के प्रयोग में कमी आएगी तथा यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है तथा देश में एचएफसी के प्रयोग में कमी लाने के लिए सरकार द्वारा अन्य क्या कदम उठाए गए हैं/उठाए जा रहे हैं?

संस्कृति मंत्रालय के राज्य मंत्री तथा पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय में राज्य मंत्री (डॉ. महेश शर्मा): (क) से (घ) जी नहीं। तथापि, सरकार इस विषय से संबंधित अन्तरराष्ट्रीय घटनाओं के बारे में सजग है। ऊर्जा दक्षता ब्यूरो ने विद्युत मंत्रालय के मार्गदर्शन में स्वैच्छिक दिशानिदेश जारी किये हैं, जिनमें सिफारिश की गई है कि ऊर्जा की बचत करने के उद्देश्य से भवनों, व्यापारिक स्थानों तथा विमान पत्तनों में, आरामदायक स्थितियों से समझौता किये बिना एयर कंडीशनरों को उपयुक्त आर्द्रता तथा वायु के प्रवाह सहित 24 से 25 डिग्री सेल्सियस के स्तर पर बनाये रखा जाए।

सूचनाओं के अनुसार, जापान ने ऊर्जा की खपत को कम करने के लिए 2005 में व्यापार जगत तथा आम जनता को गर्मियों के दौरान एयरकंडीशनरों को पहले से ही 28° पर सेट रखने के लिए प्रोत्साहित करने का अभियान शुरू किया था। अभी हाल में, 2016 में एक कार्रवाई योजना तैयार की गई है, जिसमें जापान में सरकारी भवनों में एयरकंडीशनरों को पहले से ही निश्चित स्तर पर रखने की अपेक्षा की गई है। जापान में इस अभियान के प्रभाव के संबंध में कराये गये सर्वेक्षण से पता चला है कि अधिकतर प्रत्यर्थी इस अभियान के बारे में जानते थे। चीन ने भी सार्वजनिक भवनों के लिए एयरकंडीशनिंग द्वारा तापमान नियंत्रण को निर्धारित किया है। पता चला है कि दक्षिण कोरिया और यूनाइटिड किंग्डम में भी वैसे ही अभियान चलाये गये हैं। यूरोप में एयरकंडीशनरों के लिए तापमान को पहले ही सेट रखने संबंधी विनियमन की कोई सूचना उपलब्ध नहीं है।

ठण्डा करने की आवश्यकता में कमी का संबंध एयरकंडीशनिंग के उपकरण में प्रयोग किए जाने वाले प्रशीतक जैसे हाइड्रोक्लोरोफ्लोरो कार्बन (एचसीएफसी) की प्रमात्रा से है। तथापि, एयरकंडीशनरों में अधिक आंतरिक/कक्ष तापमान को पहले ही निश्चित रखने का संबंध ऊर्जा खपत में कमी करने से है।

भारत हाइड्रोक्लोरोफ्लोरो कार्बनों (एचसीएफसी) के उत्पादन तथा खपत को मांट्रियल प्रोटोकॉल के कार्यक्रमानुसार 2030 में पूरी तरह से समाप्त करने और शेष 2.5% का समाधान 2040 तक करने के लिए चरणबद्ध रूप से कार्य कर रहा है। भारत ने एचसीएफसी की चरणबद्ध समाप्ति प्रबंधन योजना (एचपीएमपी) के अंतर्गत न केवल मांट्रियल प्रोटोकोल के अनुपालन दायित्वों को पूरा किया है बल्कि अनेक नीतिगत उपाय, विनियामकों, उद्योगों में सुव्यवस्थित तकनीकी परिवर्तनों, तकनीकी सहायता और जागरूकता उत्पन्न करके चरणबद्ध समाप्ति के लक्ष्यों से भी अधिक उपलब्धि प्राप्त की है। चालू एचपीएमपी चरण-II के परिणामस्वरूप 1.1.2023 तक एचसीएफसी का 60% चरणबद्ध रीति से हटा दिया जाएगा जबकि 2020 तक 35% और 2025 तक 65% हटाने का लक्ष्य है।

निर्वनीकरण

1796. श्री तारिक अनवर: क्या **पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या बिगड़ते पर्यावरण परिवर्तन का मुख्य कारण अंधाधुंध निर्वनीकरण है और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ख) क्या सरकार ने निर्वनीकरण को रोकने के लिए कोई समिति गठित की है अथवा कोई नीति बनाई है;

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(घ) सरकार द्वारा पर्यावरण परिवर्तन के प्रभावों से देश को सुरक्षित रखने के लिए आरंभ की गई परियोजनाओं का ब्यौरा क्या है और इस संबंध में गठित की गई समिति का नाम क्या है?

संस्कृति मंत्रालय के राज्य मंत्री तथा पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय में राज्य मंत्री (डॉ. महेश शर्मा): (क) जलवायु परिवर्तन संबंधी अंतरसरकारी पैनल (IPCC) के अनुसार, ऊर्जा संतुलन के पश्चात् ग्रीन हाउस गैसों (जीएच्रजी) और एरोसोल, भूमि आवरण तथा सौर विकिरण से वायुमंडलीय संकेंद्रण में परिवर्तन होता है। इनमें से कुछ परिवर्तन प्राकृतिक कारणों से होते हैं और अन्य मानव जनित क्रियाकलापों से होते हैं। जीवाश्म ईंधन जलाना, निर्वनीकरण, उद्योगों और परिवहन आदि जैसे मानव जनित क्रियाकलापों के फलस्वरूप वायुमंडल में ग्रीन हाउस गैसों (जीएचजी) की सांद्रता में वृद्धि हुई है। ये ग्रीन हाउस गैसें ताप को रोक लेती हैं और उससे धरती के औसत तापमान में वृद्धि होती है जिसके फलस्वरूप जलवायु परिवर्तन होता है।

(ख) और (ग) विभिन्न खतरों से वनों की सुरक्षा और प्रबंधन का प्राथमिक उत्तरदायित्व संबंधित राज्य/संघ राज्य क्षेत्र की सरकारों का है। भारत सरकार ने राष्ट्रीय वन नीति, 2018 का प्रारूप तैयार किया है जिसमें जलवायु परिवर्तन उपशमन और वन प्रबंधन में अनुकूलन उपायों को समाकलित करने पर जोर दिया गया है। सरकार, दूर संवेदी प्रौद्योगिकी का इस्तेमाल करके वन और वृक्षावरण का द्विवार्षिक आकलन करती है और निष्कर्षों को भारत वन स्थिति रिपोर्ट (ISFR) में प्रकाशित करती है। अद्यतन रिपोर्ट के अनुसार, देश में वन और वृक्षारोपण में वृद्धि दर्ज की गई है।

(घ) भारत सरकार द्वारा शुरू किए गए मुख्य वनीकरण कार्यक्रमों में ये शामिल हैं- राष्ट्रीय वनीकरण और पारिस्थितिकीय विकास बोर्ड (NAEB) द्वारा राष्ट्रीय वनीकरण कार्यक्रम (NAP); जलवायु परिवर्तन संबंधी राष्ट्रीय कार्य योजना के अंतर्गत राष्ट्रीय हरित भारत मिशन, जिनका उद्देश्य भारत के वन और वृक्षावरण की सुरक्षा, बहाली और उनमें वृद्धि करना है। सरकार ने राष्ट्रीय स्तर पर जलवायु परिवर्तन से संबंधित मामलों के लिए एक समन्वित अनुक्रिया तैयार करने और जलवायु परिवर्तन के आकलन, अनुकूलन और उपशमन के क्षेत्र में कार्य योजनाएं तैयार करने के लिए पर्यवेक्षण प्रदान करने के लिए 2015 में जलवायु परिवर्तन संबंधी प्रधानमंत्री परिषद का पुनर्गठन किया है। सरकार, वानिकी सहित विभिन्न क्षेत्रों को शामिल करके अनुकूलन उपायों की लागत को पूरा करने के लिए राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों को जलवायु परिवर्तन स्कीम संबंधी राष्ट्रीय अनुकूलन निधि के अंतर्गत सहायता भी प्रदान कर रही है।

एडब्ल्यू डब्ल्यू/सहायकों के लिए स्थायी कर्मचारियों का दर्जा

1797. **श्रीमती नीलम सोनकर:** क्या **महिला और बाल विकास मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) देश में राज्य/संघ राज्य क्षेत्र-वार कार्यरत आंगनवाड़ी कर्मियों/सहायकों की कुल संख्या कितनी है;

(ख) क्या आंगनवाड़ी कर्मियों/सहायकों को अनेक उत्तरदायित्व सौंपे जाते हैं जैसे पल्स पोलियो, जनगणना, महिला और बाल कुपोषण इत्यादि परन्तु इन्हें आज तक स्थायी कर्मचारियों का दर्जा नहीं दिया गया है और इनका मानदेय भी काफी कम है और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या सरकार का विचार आंगनवाड़ी कर्मियों/सहायकों को स्थायी कर्मचारी का दर्जा देने का है और इनका मानदेय बढ़ाने तथा स्थायी कर्मचारियों के समान सुविधाएं प्रदान करने का है;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इसे कब तक लागू किए जाने की संभावना है; और

(ङ) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं?

महिला और बाल विकास मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा अल्पसंख्यक कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (डॉ. वीरेन्द्र कुमार): (क) देश में कार्यरत आंगनवाड़ी कार्यकर्त्रियों और सहायिकाओं की कुल संख्या को दर्शाने वाला राज्य/संघ राज्य क्षेत्रवार ब्यौरा संलग्न विवरण-I में दिया गया है।

(ख) से (ङ) आंगनवाड़ी कार्यकर्त्रियों और आंगनवाड़ी सहायिकाओं को आंगनवाड़ी सेवा स्कीम (आईसीडीएस स्कीम) को क्रियान्वित करने के लिए नियुक्त किया गया है जिसमें स्वास्थ्य घटकों का भी समावेश है। यह मंत्रालय सभी राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों से अनुरोध करता रहा है कि उपर्युक्त कार्यकर्ताओं का निर्दिष्ट कार्य पर उनका ध्यान केंद्रित करने हेतु उनको कोई अन्य कार्य न सौंपा जाए।

आंगनवाड़ी कार्यकर्त्रियां (एडब्ल्यूडब्ल्यू) और आंगनवाड़ी सहायिकाएं (एडब्ल्यूएच) अवैतनिक कार्यकर्त्रियां हैं और उनको समय-समय पर सरकार द्वारा तय किये गये मासिक मानदेय का भुगतान किया जाता है। आंगनवाड़ी कार्यकर्त्रियों (एडब्लूडब्ल्यू) और

आंगनवाड़ी सहायिकाओं (एडब्ल्यूएच) को 01.04.2011 से भुगतान किये गए मानदेय की वर्तमान मासिक दर क्रमश: 3000/- रुपये और 1500/- रुपये है। लघु आंगनवाड़ी केंद्रों की आंगनवाड़ी कार्यकर्त्रियों (एडब्लूडब्ल्यू) को 04.07.2013 से भुगतान किया गया मासिक मानदेय 2250/- रुपये है। मानदेय की दर में वृद्धि एक सतत प्रक्रिया है।

यह मंत्रालय राज्यों/संघ शासित प्रदेशों को अपने संसाधनों से आंगनवाड़ी कार्यकर्त्रियों (एडब्लूडब्ल्यू) और आंगनवाड़ी सहायिकाओं (एडब्ल्यूएच) को अतिरिक्त मानदेय के रूप में मानदेय बढ़ाने पर विचार करने के लिए राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों से आग्रह करता रहा है। परिणामस्वरूप, कई राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों ने संलग्न विवरण-II में दिए गए ब्यौरे के अनुसार इन कार्यकर्ताओं के मानदेय को अपने संसाधनों से बढ़ाया है।

भारत सरकार इन कार्यकर्ताओं द्वारा किये गये स्वैच्छिक प्रयासों के बारे में सजग है और उनके कल्याण के लिए अपनी पूरी कोशिश करता रहा है। आंगनवाड़ी कार्यकर्त्रियों (एडब्लूडब्ल्यू) और आंगनवाड़ी सहायिकाओं (एडब्ल्यूएच) मानदेय के अलावा प्रदत्त कुछ सुविधाएं नीचे दी गई हैं:–

- 20 दिन का वार्षिक अवकाश।
- 135 दिनों की अवधि का वेतन सहित अधिकतम दो बार मातृत्व अवकाश।
- गर्भपात/मिसकैरेज होने पर 45 दिन की एक बार भुगतान सहित अनुपस्थिति।
- राष्ट्रीय और राज्य स्तर पर आंगनवाड़ी कार्यकर्त्रियों (एडब्लूडब्ल्यू) के लिए पुरस्कार।
  - ➢ आंगनवाड़ी कार्यकर्त्रियों (एडब्लूडब्ल्यू) और आंगनवाड़ी सहायिकाओं (एडब्ल्यूएच) को वर्दियां
  - ➢ पर्यवेक्षकों की भर्ती में 50% आरक्षण:
- आंगनवाड़ी कार्यकर्त्री बीमा योजना, प्रधान मंत्री सुरक्षा बीमा योजना और प्रधान मंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना के अंतर्गत सम्मिलित हुए लाभार्थियों के लिए बीमा कवर।

आईसीडीएस स्कीम में आंगनवाड़ी कार्यकर्त्रियों (एडब्लूडब्ल्यू) और आंगनवाड़ी सहायिकाओं (एडब्ल्यूएच) की भूमिका के स्वरूप को ध्यान में रखते हुए उन्हें सरकारी कर्मचारियों के रूप में घोषित करना या सरकारी कर्मचारियों की भांति देय लाभ उनको प्रदान करना संभव नहीं है। इसके अतिरिक्त, भारत के माननीय उच्चतम न्यायालय ने कर्नाटक राज्य एवं अन्य बनाम अमीर बी एवं अन्य की 1998 की सिविल अपील सं. 4853-4957 के अपने निर्णय में कहा है कि आंगनवाड़ी कार्यकर्त्रियां (एडब्लूडब्ल्यू) और आंगनवाड़ी सहायिकाएं (एडब्ल्यूएच) कोई सिविल पद धारक नहीं है।

विवरण-I

31 मार्च, 2018 को देश में कार्यरत आंगनवाड़ी कार्यकर्त्रियों (एडब्लूडब्ल्यू) और आंगनवाड़ी सहायिकाओं (एडब्ल्यूएच) की संख्या

क्र. सं.	राज्य/संघ राज्य क्षेत्र	आंगनवाड़ी कार्यकत्रियों की संख्या		आंगनवाड़ी सहायिकाओं की संख्या	
		संस्वीकृत	पदस्थ/कार्यरत	संस्वीकृत	पदस्थ/कार्यरत
1	2	3	4	5	6
1.	आंध्र प्रदेश	55607	53951	48768	44828
2.	तेलंगाना	35700	33575	31711	28820
3.	अरुणाचल प्रदेश	6225	6225	6225	6225
4.	असम	62153	62153	56728	56728
5.	बिहार	115009	88174	107894	81130
6.	छत्तीसगढ़	52474	49253	46660	42366

1	2	3	4	5	6
7.	गोवा	1262	1208	1262	1153
8.	गुजरात	53029	51595	51229	48710
9.	हरियाणा	25962	25347	25450	24891
10.	हिमाचल प्रदेश	18925	18716	18386	18131
11.	जम्मू और कश्मीर	31938	28707	31938	29599
12.	झारखंड	38432	35424	35881	33117
13.	कर्नाटक	65911	63186	62580	59026
14.	केरल	33318	33102	33189	32953
15.	मध्य प्रदेश	97135	97133	84465	84465
16.	महाराष्ट्र	110486	107170	97475	92179
17.	मणिपुर	11510	10274	9958	9497
18.	मेघालय	5896	5895	4630	4628
19.	मिजोरम	2244	2244	2244	2157
20.	नागालैंड	3980	3455	3980	3455
21.	ओडिशा	74154	69625	63738	60168
22.	पंजाब	27314	26462	26074	24772
23.	राजस्थान	62010	58744	55806	52257
24.	सिक्किम	1308	1289	1308	1285
25.	तमिलनाडु	54439	38827	49499	35154
26.	त्रिपुरा	10145	9911	10145	9911
27.	उत्तर प्रदेश	190145	173383	167855	150543
28.	उत्तराखंड	20067	19056	14947	13906
29.	पश्चिम बंगाल	119481	107514	119481	101651
30.	अंडमान और निकोबार द्वीपसमूह	720	720	689	689
31.	चंडीगढ़	500	465	500	433
32.	दिल्ली	11150	9796	11150	10744

1	2	3	4	5	6
33.	दादरा और नगर हवेली	302	302	247	233
34.	दमन और दीव	107	102	107	102
35.	लक्षद्वीप	107	107	96	96
36.	पुदुचेरी	855	855	855	855
	कुल	1400000	1293945	1283150	1166857

विवरण-II

राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों द्वारा आंगनवाड़ी कार्यकर्त्रियों/आंगनवाड़ी सहायिकाओं को अपने स्रोतों में दिये अतिरिक्त मानदेय को दर्शानेवाला विवरण

(30.06.2018 तक)

क्र. सं.	राज्य/संघ राज्य क्षेत्र	राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों द्वारा अपने स्रोतों से दिया गया अतिरिक्त मानदेय (रुपये में)	
		आंगनवाड़ी कार्यकर्त्रियां	आंगनवाड़ी सहायिकाएं
1	2	3	4
1.	अंडमान और निकोबार द्वीपसमूह	3000	2500
2.	आंध्र प्रदेश	1200	700
3.	अरुणाचल प्रदेश	शून्य	शून्य
4.	असम	2000	1000
5.	बिहार	750	375
6.	चंडीगढ़	2000	1000
7.	छत्तीसगढ़	2000	1000
8.	दादरा और नगर हवेली	1000	600
9.	दमन और दीव	1000	600
10.	दिल्ली	6678	3339
11.	गोवा	3062-11937*	3000-6000*
12.	गुजरात	3300	1700
13.	हरियाणा	7286-8429*	4215
14.	हिमाचल प्रदेश	1750	900
15.	जम्मू और कश्मीर	600	340
16.	झारखंड	1400	700
17.	कर्नाटक	5000	2500
18.	केरल	2000	2000
19.	लक्षद्वीप	3000	2000
20.	मध्य प्रदेश	7000	3500
21.	महाराष्ट्र	2000	1000
22.	मणिपुर	100	50
23.	मेघालय	शून्य	शून्य
24.	ओडिशा	1000	500
25.	पुदुचेरी	600	300
26.	पंजाब	2600	1300
27.	राजस्थान	1724-1736*	1065
28.	सिक्किम	2225	1500

1	2	3	4
29.	उत्तराखंड	3000	1500
30.	पश्चिम बंगाल	1300	1300
31.	उत्तर प्रदेश	1000	500
32.	नागालैंड	शून्य	शून्य
33.	मिजोरम	294-306*	150
34.	तमिलनाडु	6750 (उसमें-वेतन-2500, जीपी-500, एवं डीए-3750 का समावेश)	4275 (उसमें वेतन-1500, जीपी-400, एवं डीए-2375)
35.	तेलंगाना	10500	6000
36.	त्रिपुरा	2865	1924

*योग्यता एवं/अथवा सेवा के वर्षों की संख्या के आधार पर

[अनुवाद]

सीजीएचएस औषधालय

1798. श्रीमती अंजू बाला:
श्री तेज प्रताप सिंह यादव:

क्या **स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) केंद्रीय सरकार स्वास्थ्य योजना (सीजीएचएस) में चिकित्सकों और पराचिकित्सक स्टाफ के रिक्त पदों का राज्य-वार ब्यौरा क्या है;

(ख) विगत तीन वर्षों के दौरान सीजीएचएस के चिकित्सकों के विरुद्ध प्राप्त शिकायतों का राज्य/संघ राज्य क्षेत्र-वार ब्यौरा क्या है और उन पर क्या कार्रवाई की गई है;

(ग) गैर-कार्यशील सीजीएचएस औषधालयों का दिल्ली सहित राज्य/संघ राज्य क्षेत्र-वार ब्यौरा क्या है;

(घ) क्या सरकार ने नवनिर्मित औषधालयों के लिए चिकित्सकों/कर्मचारियों का पैनल तैयार किया है और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ङ) क्या सरकार को सीजीएचएस के अंतर्गत वाराणसी को शामिल करने के संबंध में कोई प्रस्ताव प्राप्त हुआ है और यदि हां, तो सरकार की इस पर क्या प्रतिक्रिया है?

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती अनुप्रिया पटेल): (क) केंद्रीय सरकार स्वास्थ्य योजना में चिकित्सकों और परा-चिकित्सक कर्मचारियों के रिक्त पड़े पदों का ब्यौरा क्रमश: संलग्न विवरण-I तथा II में दिया गया है।

(ख) सीजीएचएस डिस्पेंसरियों के चिकित्सकों के खिलाफ प्राप्त हुई शिकायतों तथा की गई कार्रवाई का पिछले तीन वर्षों का ब्यौरा संलग्न विवरण-III पर दिया गया है।

(ग) **दिल्ली-**

पूर्वी पटेल नगर तथा दरियागंज डिस्पेंसरियों को अस्थायी रूप से समीप के सीजीएचएस आरोग्य केंद्र के साथ मिला दिया गया है।

किदवई नगर तथा नौरोजी नगर डिस्पेंसरियां क्षेत्र के पुनर्विकास के कारण अस्थायी रूप से गैर-कार्यशील हैं।

जम्मू-

सीजीएचएस द्वारा डाक विभाग की एक डिस्पेंसरी को अपने अधिकार में ले लिया गया है। उसे स्थान के पुनर्निधारण के पश्चात् प्रारंभ किया जाएगा।

(घ) अलग से कोई पैनल तैयार नहीं किए गए हैं। आवश्यकताओं के अनुरूप मौजूदा संसाधनों से चिकित्सकों तथा कर्मचारियों की तैनाती की जाती है।

(ङ) जी हां; सरकार ने वाराणसी में एक नया सीजीएचएस आरोग्य केंद्र खोलने का निर्णय लिया है।

विवरण-I

सीजीएचएस शहरों में चिकित्सा अधिकारियों के संबंध में रिक्त पदों को दर्शाने वाला विवरण

क्र. सं.	सीजीएचएस शहर	स्वीकृत पद	खाली पद
1	2	3	4
1.	अहमदाबाद	28	14

1	2	3	4
2.	इलाहाबाद	38	18
3.	बैंगलोर	56	2
4.	भोपाल	6	1
5.	इंदौर	2	1
6.	चंडीगढ़	7	0
7.	चेन्नई	69	13
8.	पुदुचेरी	2	0
9.	दिल्ली	907	207
10.	हैदराबाद	110	16
11.	विशाखापट्नम	2	0
12.	जयपुर	41	2
13.	कानपुर	57	24
14.	कोलकाता	91	7
15.	लखनऊ	61	12
16.	मेरठ	28	5
17.	मुंबई	115	26
18.	नागपुर	54	9
19.	पटना	31	2
20.	पुणे	47	2
21.	भुवनेश्वर	8	0
22.	रांची	9	0
23.	देहरादून	7	0
24.	गुवाहाटी	16	7
25.	जबलपुर	23	13
26.	शिलांग	8	4
27.	त्रिवेंद्रम	13	0
28.	जम्मू	4	2
29.	शिमला	2	0
30.	अगरतला	2	1
31.	इंफाल	2	1
32.	कोहिमा	1	0
33.	गांधीनगर	2	0
34.	गंगटोक	1	0
35.	आइजोल	1	1
36.	रायपुर	2	1
37.	पणजी	1	0
	कुल	1854	396

विवरण-II

सीजीएचएस शहरों में परा-चिकित्सा स्टाफ के संबंध में रिक्त पदों को दर्शाने वाला विवरण

क्र. सं.	सीजीएचएस शहर	स्वीकृत पद	खाली पद
1	2	3	4
1.	अहमदाबाद	82	05
2.	इलाहाबाद	71	27
3.	बैंगलोर	113	29
4.	भोपाल	18	02
5.	भुवनेश्वर	24	14
6.	चंडीगढ़	06	01
7.	चेन्नई	149	61
8.	देहरादून	12	10
9.	दिल्ली	1346	518
10.	गुवाहाटी	36	06

1	2	3	4
11.	हैदराबाद + विशाखापत्तनम	162	87
12.	जयपुर	88	04
13.	जम्मू	09	09
14.	जबलपुर	38	06
15.	कानपुर	105	53
16.	कोलकाता	177	64
17.	लखनऊ	108	31
18.	मेरठ	68	22
19.	मुंबई	292	40
20.	नागपुर	105	29
21.	पटना	62	30
22.	पुणे	99	05
23.	रांची	20	02
24.	शिलांग	17	09
25.	त्रिवेन्द्रम	28	10
26.	गांधीनगर	03	00
27.	इंदौर	03	00
28.	शिमला	03	02
29.	पुदुचेरी	03	01
30.	आइजोल	02	00
31.	गंगटोक	02	00
32.	कोहिमा	02	00
33.	पणजी	02	02
34.	रायपुर	03	01
35.	अगरतला	03	03
36.	इंफाल	03	02
	कुल	3264	1085

विवरण-III

पिछले तीन वर्षों के दौरान सीजीएचएस डिस्पेंसरी के डॉक्टरों के खिलाफ प्राप्त शिकायतों तथा उन पर की गई कार्रवाई दर्शाने वाला विवरण

राज्य	सीजीएचएस शहर	के खिलाफ	आरोप	की गई कार्रवाई
1	2	3	4	5
बिहार	पटना	सामान्य रूप से सीजीएचएस डॉक्टर	लाभार्थियों को उपचार और दवाएं उपलब्ध न कराने के लिए	एक ही साल्ट की औषधियां जारी की गई।
		डॉ. अंजु कुमारी	दुर्व्यवहार	विनम्र होने के लिए निर्देश जारी किए गए हैं।
		डॉ. नम्रता कुमारी, सीएमओ डॉ. विभा सिन्हा, सीएमओ (एनएफएसजी),	भ्रष्टाचार	अनुशासनात्मक कार्यवाही शुरू की गई।

1	2	3	4	5
		डॉ. संजय कुमार सिन्हा, सीएमओ (एनएफएसजी)		
गुजरात	अहमदाबाद	डॉ. जयेश मेहता	दुर्व्यवहार	विनम्र होने की सलाह दी गई।
झारखंड	रांची	दो वरिष्ठ डॉक्टर	डॉक्टरों को स्थानांतरित करने के लिए	समाधान किया गया
कर्नाटक	बेंगलोर	डॉ. मारुथि रमन, सीएमओ (आई/सी)	रोगी को देखने से मना कर दिया	समाधान किया गया
		डॉ. नंदीश	कटु व्यवहार	समाधान किया गया
मध्य प्रदेश	भोपाल	डॉ. एसडी सेन, एक संविदात्मक एमओ	दवाओं का मुद्दा	मामला सुलझाया गया
		डॉ. आलोक मिश्रा, सीएमओ (आई/सी)	दवा की तैयारी और मुद्दा	समाधान किया गया
	जबलपुर	डॉ. मीना दुबे, सीएमओ (एनएफएसजी)	रोगी द्वारा 120 गोलियां उपलब्ध कराने के बजाय विडलग्लिपटिन की 30 गोलियां उपलब्ध कराने के लिए	समाधान किया गया
		डॉ. मीना दुबे	दुर्व्यवहार	सही नहीं पाया गया
		डॉ. प्रमोद पांडे	दवा की कम मात्रा जारी की गई थी	समाधान किया गया
		डॉ. धवानी मानवातकर, एमओ	(गैर जिम्मेदार व्यवहार, वरिष्ठ नागरिक लंबी कतार में खड़े होने के लिए मजबूर)	समाधान किया गया
		डॉ. प्रवीण बेलवलकर, एमओ	(दवा जारी न करना)	समाधान किया गया
महाराष्ट्र	मुंबई	डॉ. शिवचंद नाइक, एमओ	महिला रोगी को इंजेक्शन देने से इनकार कर दिया क्योंकि सिस्टर वहां नहीं थी	सही नहीं पाया गया
		डॉ. सावले, सीएमओ (एनएफएसजी),	फोन पर अशिष्टता से जवाब दिया	समाधान किया गया
		डॉ. मिशल, सीएमओ (एनजीएसजी)	असभ्य व्यवहार, देर से आना	सही नहीं पाया गया

1	2	3	4	5
		डॉ. चंदोला	अफदुरा टैबलेट की बजाय तमदुरा टैबलेट दी गई।	स्पष्टीकरण - एक ही साल्ट के साथ प्रतिस्थापन की अनुमति।
	पुणे	डॉ. एनएस सयालवार और डॉ. आरके मोरे	रोगियों और वरिष्ठ नागरिकों को इंतजार करता छोड़कर कामकाजी घंटों के दौरान डिस्पेंसरी परिसर छोड़कर जाना।	दोनों डॉक्टरों को निर्देश दिया गया कि भविष्य में इसकी पुनरावृत्ति न हो
		डॉ. एनएस सयालवार	एक दिन का चिकित्सा प्रमाण-पत्र जारी न करना और दुर्व्यवहार	समाधान किया गया
		डॉ. वी कौशिक	संदर्भ ज्ञापन जारी नहीं किया गया	समाधान किया गया
उत्तराखंड	देहरादून	डॉ. जंकी जांगपंगी, सीएमओ (एसएजी)	अशिष्ट व्यवहार	कार्रवाई शुरू की गई।
	कानपुर	डॉ. पंकज सेठी, सीएमओ (एसएजी) और डॉ. रेखा कुमार, एसएमओ	दुर्व्यवहार	समाधान किया गया
		डॉ. एसएम शुक्ला, सीएमओ (एसएजी)	रीजेंसी अस्पताल से पैसे लेना	जांच समिति गठित
		डॉ. नेहा अग्रवाल, एसएमओ	दुर्व्यवहार	बेहतर व्यवहार के लिए एडवाइजरी जारी की गई
		डॉ. हरि सिंह, सीएमओ (एनएफएसजी)	निजी प्रैक्टिस	जांच समिति गठित
	लखनऊ	डॉ. पेंणते	गैर-जिम्मेदार और डॉक्टरों की गैर-योग्यता	समाधान किया गया
पश्चिम बंगाल	कोलकाता	डॉ. एजी दास, परामर्शदाता स्त्री रोग विशेषज्ञ	निजी प्रैक्टिस	अनुशासनात्मक कार्रवाई शुरू की गई
		सीएमओ प्रभारी - डब्ल्यूसी नं. 1	अशिष्ट व्यवहार	समाधान किया गया।
		डॉ. पीके साहा	गलत विभाग का जिक्र करने के लिए	समाधान किया गया।

1	2	3	4	5
चंडीगढ़ (यूटी)	चंडीगढ़	डॉ. रजनीश सिंघल, सीएमओ	दुर्व्यवहार	समाधान किया गया।
		डॉ. रजनीश सिंघल, सीएमओ	दुर्व्यवहार	समाधान किया गया।
	चंडीगढ़	डॉ. रजनीश सिंघल, सीएमओ	दुर्व्यवहार	समाधन किया गया।
		डॉ. कंवलजीत सिंह (संविदात्मक डॉक्टर)	दवाएं जारी न करना	समाधान किया गया।
		डॉ. रजनीश सिंघल, सीएमओ	दवाएं जारी न करना/दुर्व्यवहार	समाधान किया गया।
		डॉ. रजनीश सिंघल, सीएमओ	दवाएं जारी न करना/दुर्व्यवहार	समाधान किया गया।
		डॉ. सुनीता चौधरी, सीएमओ (एनएफएसजी)	डब्ल्यूसी में भीड़ होने के कारण पंजीकरण संख्या जारी न करना	समाधान किया गया।
दिल्ली/एनसीआर		डॉ. प्रमोद कुमार (संविदात्मक डॉक्टर)	दवाएं जारी न करना/दुर्व्यवहार	समाधान किया गया।
		सीएमओ आई/सी	डब्ल्यूसी का कुप्रबंधन	समाधान किया गया।
		डॉ. के.एस. राणा	उनकी मां को ठीक से न देखना	समाधान किया गया।
		डॉ. निर्मला रानी	मरीजों के साथ दुर्व्यवहार	समाधान किया गया।
		डॉ. प्रोमिला चक्रवर्ती	लाभार्थियों के साथ दुर्व्यवहार	समाधान किया गया।
		डॉ. नीना आहुजा	लाभार्थी को दवाएं जारी करने से मना करना	समाधान किया गया।
		डॉ. कैसिया मरांडी	लाभार्थी द्वारा मांगी गई दवाई को जारी करने से मना करना	समाधान किया गया।
		डॉ. वंदना चक्रवर्ती	दवाइयों को जारी करने से मना करना	समाधान किया गया।
		सीएमओ प्रभारी त्रिनगर	दुर्व्यवहार	समाधान किया गया।
दिल्ली/एनसीआर		सीएमओ प्रभारी जनकपुर-1 आयुर्वेदिक	दुर्व्यवहार	समाधान किया गया।
		सीएमओ प्रभारी पश्चिम विहार	दुर्व्यवहार	समाधान किया गया।
		डॉ. अशोक खुराना	अशिष्ट व्यवहार	समाधान किया गया।
		डॉ. सुदामा जेसवानी	अनावश्यक उत्पीड़न	समाधान किया गया।
		डॉ. जीएस बैन्स	दुर्व्यवहार	समाधान किया गया।

बाघों की संख्या

1799. श्री नलीन कुमार कटील:
श्री बी.एन. चन्द्रप्पा:
श्री डी.के. सुरेश:

क्या **पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) विगत तीन वर्षों और चालू वर्ष के दौरान देश में बाघों की राज्य/संघ राज्यक्षेत्र-वार कुल संख्या कितनी है;

(ख) क्या हाल के वर्षों में बाघों को मारे जाने और उनके शिकार की घटनाओं में वृद्धि हुई है;

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(घ) क्या सरकार ने देश में ऐसी घटनाओं को रोकने और बाघों की आबादी को सुरक्षित रखने के लिए कोई समुचित तंत्र स्थापित किया है; और

(ङ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

संस्कृति मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय में राज्य मंत्री (डॉ. महेश शर्मा): (क) परिष्कृत प्रणाली का उपयोग करके बाघ, परभक्षी और शिकार, 2014 की स्थिति के आकलन के अनुसार, भारत में बाघों की अनुमानित संख्या 2226 है (रेंज 1945-2491) जबकि 2010 में इनकी अनुमानित संख्या 1706 (रेंज 1520-1909 बाघ) थी। वर्ष 2010 और 2014 के लिए देश में बाघ क्षेत्रों से संबंधित बाघ अनुमान के ब्यौरे संलग्न विवरण-I में दिए गए हैं। रिजर्व-वार बाघों की संख्या संलग्न विवरण-II में दी गई है।

(ख) और (ग) वर्ष 2012-17 से, 55% बाघों की मौत प्राकृतिक कारणों से, 7% की मृत्यु अप्राकृतिक कारणों, जिसे अवैध शिकार नहीं ठहराया जा सकता है और 23% की मौत अवैध शिकार के कारण हुई जबकि 15% बाघों के शरीर के अंग/उनसे प्राप्त उत्पादों की जब्ती हुई है।

(घ) और (ङ) बाघ परियोजना/राष्ट्रीय व्याघ्र संरक्षण प्राधिकरण के माध्यम से भारत सरकार ने अवैध शिकार रोधी क्रियाकलापों के लिए अनेक पहलें की हैं जिनमें अन्य बातों के साथ-साथ विशेष बाघ संरक्षण बल (STPP) का सृजन, सुरक्षा योजना दिशानिर्देश तैयार करना जो बाघ संरक्षण योजना (TCP) का भाग है, एक सुरक्षा ऑडिट ढांचा तैयार करना, ऑन लाइन वन्यजीव अपराध डेटाबेस का सृजन, प्रभावी क्षेत्र प्रधानता और जवाबदेही के लिए M-STrIPES (बाघों के लिए प्रबंधन प्रणाली, गहन संरक्षण और पारिस्थितिकीय स्थिति) बाघों की मौतों के मामलों से निपटने के लिए एक मानक प्रचालन प्रक्रिया (SOP), बाघ परियोजना की जारी केंद्रीय प्रायोजित स्कीम के अंतर्गत अवैध शिकार रोधी पहलों के लिए वित्तीय सहायता प्रदान करने के अतिरिक्त, वन्यजीवों के सीमापारीय अवैध व्यापार के नियंत्रण के लिए अंतर्राष्ट्रीय सहयोग में तेजी लाना है।

विवरण-I

वर्ष 2010 और 2014 के लिए, देश में बाघ क्षेत्रों से संबंधित बाघ अनुमान के ब्यौरे

राज्य	बाघों की संख्या		
	2010	2014	वृद्धि/कमी/स्थिर
1	2	3	4
शिवालिक-गांगेय मैदान भू-दृश्य परिसर			
उत्तराखंड	227 (199-256)	340	वृद्धि
उत्तर प्रदेश	118 (113-124)	117	स्थिर
बिहार	8(-)	28	वृद्धि
शिवालिक-गांगेय	353 (320-388)	485 (427-543)	वृद्धि

1	2	3	4
केंद्रीय भारतीय भू-दृश्य परिसर और पूर्वी घाट भू-दृश्य परिसर			
आंध्र प्रदेश (तेलंगाना सहित)	72 (65-79)	68	स्थिर
छत्तीसगढ़	26 (24-27)	46	वृद्धि
मध्य प्रदेश	257 (213-301)	308	वृद्धि
महाराष्ट्र	169 (155-183)	190	वृद्धि
ओडिशा	32 (20-44)	28	स्थिर
राजस्थान	36 (35-37)	45	वृद्धि
झारखंड	10 (6-14)	3+	कमी*
केंद्रीय भारतीय	601 (518-685)	688 (596-780)	वृद्धि
पश्चिमी घाट भू-दृश्य परिसर			
कर्नाटक	300 (280-320)	406	वृद्धि
केरल	71 (67-75)	136	वृद्धि
तमिलनाडु	163 (153-173)	229	वृद्धि
गोआ	-	5	वृद्धि
पश्चिमी घाट	534 (500-568)	776 (685-861)	वृद्धि
पूर्वोत्तर पहाड़ियां और ब्रह्मपुत्र बाढ़ के मैदान			
असम	143 (113-173)	167	वृद्धि
अरुणाचल प्रदेश	-	28•	वृद्धि
मिजोरम	5	3+	स्थिर
उत्तर पश्चिम बंगाल	-	3	**
पूर्वोत्तर पहाड़ियां और ब्रह्मपुत्र	148 (118-178)	201 (174-212)	वृद्धि
सुंदरवन	70 (64-90)	76 (92-96)	स्थिर
कुल	1706 (1520-1909)	2226 (1945-2491)	वृद्धि

+स्कैट डीएनए से

•कैमरा ट्रैप डेटा और स्कैट डीएनए से

*नक्सल समस्या के कारण अधिकांश बाघ वाले क्षेत्रों का सर्वेक्षण ही किया जा सका

**वर्ष 2010 में बाघ अनुमान नहीं लगाया गया था।

विवरण-II

भारत में बाघों, सह-परभक्षियों और शिकार पशुओं की स्थिति, 2014 के अनुसार बाघ-रिजर्ववार बाघों की संख्या

बाघ रिजर्व	राज्य	बाघों की संख्या	निम्न एसई सीमा	ऊपरी एसई सीमा
1	2	3	4	5
अचानकमार	छत्तीसगढ़	11	10	12
अनामलाई	तमिलनाडु	13	11	14
बांधवगढ़	मध्य प्रदेश	63	55	71
बांदीपुर	कर्नाटक	120	107	134
भद्रा	कर्नाटक	22	20	25
बिलिगिरी रंगनाथ मंदिर	कर्नाटक	68	60	75
बोर	महाराष्ट्र	5	3	6
बक्सा	पश्चिम बंगाल	2	2	2
कॉर्बेट	उत्तराखंड	215	169	261
डम्पा*	मिजोरम	3	3	3
दंडेली-अंशी	कर्नाटक	5	3	6
दुधवा	उत्तर प्रदेश	58	46	69
इंद्रावती	छत्तीसगढ़	12	11	13
कालाकड-मुंडनथुरई	तमिलनाडु	10	9	11
कान्हा	मध्य प्रदेश	80	71	90
काजीरंगा	असम	103	91	115
मानस	असम	11	9	12
मेलघाट	महाराष्ट्र	25	21	30
मुदुमलाई	तमिलनाडु	89	79	99
नागरहोले	कर्नाटक	101	90	113
नागार्जुनसागर श्रीशैलम	आंध्र प्रदेश	54	40	67
नामदफा	अरुणाचल प्रदेश	11	5	11

1	2	3	4	5
नामेरी	असम	5	4	5
नवेगांव-नगजीरा	महाराष्ट्र	7	4	10
पाक्के	अरुणाचल प्रदेश	7	6	8
पलामू*	झारखंड	3	3	3
पन्ना	मध्य प्रदेश	17	17	17
परम्बिकुलम	केरल	19	17	21
पेंच	मध्य प्रदेश	43	36	49
पेंच	महाराष्ट्र	35	28	42
पेरियार	केरल	20	18	22
पीलीभीत	उत्तर प्रदेश	25	19	30
रणथंभौर	राजस्थान	37	30	41
सहयाद्रि*	महाराष्ट्र	7	7	7
संजय-डुबरी	मध्य प्रदेश	8	7	10
सरिस्का	राजस्थान	9	9	9
सत्यमंगलम	तमिलनाडु	72	64	80
सतकोसिया	ओडिशा	3	2	4
सतपुड़ा	मध्य प्रदेश	26	22	30
सिमलीपाल	ओडिशा	17	14	19
सुंदरवन	पश्चिम बंगाल	68	57	86
तडोबा-अंधारी	महाराष्ट्र	51	44	58
उदंती-सीतानदी	छत्तीसगढ़	4	3	4
वाल्मीकि	बिहार	22	17	26
	कुल	1586	1343	1820

*बाघों की न्यूनतम संख्या स्कैट डीएनए के माध्यम से दर्ज की गई है, इन मामलों में उनके आकलन संबंधी एक मानक त्रुटि होना संभव नहीं था।

नकद बहाव की कमी

1800. श्री अर्का केशरी देव:
श्री दिव्येन्दु अधिकारी:
कुमारी शोभा कारान्दलाजे:
एडवोकेट नरेन्द्र केशव सावईकर:

क्या **वित्त मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार को देश में नकद बहाव की कमी और मई में 4000 करोड़ से अधिक नकदी बहाव की कमी और देश के कुछ भागों में कुछ एटीएम नकद रहित/कार्य रहित हो रहे हैं और यदि हां, तो तत्संबंधी बैंक और राज्य/संघ राज्यक्षेत्र-वार ब्यौरा क्या है;

(ख) नकद की कमी के कारण राष्ट्रीय अर्थव्यवस्था पर क्या प्रभाव पड़ा;

(ग) क्या सरकार ने इस कमी को दूर करने हेतु आरबीआई के साथ सभी कदम उठाए हैं, यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(घ) क्या सरकार के पास बढ़ती मांग को दूर करने हेतु सभी मूल्य-वर्ग के मुद्रा नोटों के पर्याप्त भंडार हैं, यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ङ) एटीएम में नकद आपूर्ति और कार्य नहीं कर रहे एटीएम में कार्य प्रांरभ करने हेतु क्या ठोस कदम उठाए गए हैं?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा पोत परिवहन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री पोन राधाकृष्णन): (क) करेंसी के आहरण में उछाल के कारण मार्च, अप्रैल और मई, 2018 के दौरान करेंसी की भारी मांग थी। नकद की मांग में बढ़ोतरी मुख्यत: कृषि क्षेत्र में नकद की मांग के कारण हुई कही जा सकती है। मुद्रणालयों में उपलब्धता के आधार पर इस अवधि के दौरान नकदी की अतिरिक्त आपूर्ति की व्यवस्था की गई थी।

(ख) प्रश्न नहीं उठता।

(ग) और (घ) करेंसी नोटों की आपूर्ति में अब पर्याप्त वृद्धि हो चुकी है। दिनांक 19 जुलाई, 2018 की स्थिति के अनुसार, करेंसी चेस्ट तथा आरबीआई वाल्ट में सभी मूल्य वर्गों का लगभग 2.98 लाख करोड़ रुपए का स्टॉक उपलब्ध था। बैंकों के करेंसी चेस्ट में नई/पुन: निर्गम योग्य नोटों की स्थिति की नियमित आधार पर निगरानी की जा रही है और नकद की पर्याप्त आपूर्ति सुनिश्चित की जा रही है।

(ङ) यह सुनिश्चित करने के लिए सरकार द्वारा नकदी की उपलब्धता तथा एटीएम की प्रकार्यता की नियमित निगरानी की जा रही है कि पर्याप्त करेंसी नोट उपलब्ध रहे ताकि किसी भी हालत में एटीएम खाली न रहे और लोगों को कोई समस्या न हो। सरकार ने सभी बैंकों से अनुरोध किया है कि वे नकदी का कुशलतापूर्वक प्रबंध करें ताकि यह सुनिश्चित किया जा सके कि एटीएम के लिए नकदी उपलब्ध रहे और लोगों को कोई समस्या न हो।

बैंकिंग का प्रसार

1801. मोहम्मद फैजल:
श्री कौशल कुमार:
श्री अभिषेक सिंह:
श्री हरीश मीना:

क्या **वित्त मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) देश के ग्रामीण क्षेत्रों में राज्य/संघ राज्य-क्षेत्र-वार बैंकों की प्रति व्यक्ति उपलब्धता का ब्यौरा क्या है;

(ख) ग्रामीण क्षेत्रों में बैंक शाखाएं खोलने हेतु मानकों/मानदण्डों का राज्य/संघ राज्य-क्षेत्र-वार ब्यौरा क्या है और सरकारी क्षेत्रक बैंकों (पीएसबी) द्वारा देश में राजस्थान और लक्षद्वीप सहित राज्य/संघ राज्यक्षेत्र-वार अल्पसंख्यक बहुल, पहाड़ी और सुदूर क्षेत्रों में खोली गई बैंक शाखाओं की संख्या कितनी है;

(ग) क्या सरकार का विचार ग्रामीण क्षेत्रों में नई शाखाएं खोलने के लिए राष्ट्रीकृत बैंकों हेतु वर्तमान कानून में छूट देने का है और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं;

(घ) क्या सरकार बेहतर वित्तीय समावेशन हेतु देश के आंतरिक क्षेत्रों में मोबाइल बैंकों की अवधारणा को लागू करने पर विचार कर चुकी है और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ङ) क्या पीएसबी ने जनजातीय और पहाड़ी क्षेत्रों में ऋणों की स्वीकृति हेतु कोई लक्ष्य निर्धारित किया है और यदि हां, तो सरकार द्वारा जारी मानकों और दिशानिर्देशों का ब्यौरा क्या है; और

(च) सरकार द्वारा विशेषकर उपरोक्त क्षेत्रों में बैंक पहुंच बढ़ाने हेतु राज्य/संघ राज्यक्षेत्र-वार क्या कदम उठाए गए हैं?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री शिव प्रताप शुक्ला): (क) भारतीय रिजर्व बैंक (आरबीआई) द्वारा दी गयी सूचना के अनुसार, देश के ग्रामीण क्षेत्रों में प्रति व्यक्ति बैंकों की उपलब्धता

का विवरण मौजूद नहीं है। तथापि, दिनांक 31.03.2018 की स्थिति के अनुसार, अनुसूचित वाणिज्यिक बैंकों की शाखाओं की राज्य/संघ राज्य क्षेत्रवार संख्या विवरण-I में संलग्न है।

(ख), (ग) और (च) शाखा प्राधिकार नीति को युक्तिसंगत बनाने के संबंध में दिनांक 18.05.2017 के मौजूदा दिशानिर्देशों के अनुसार, भारतीय रिजर्व बैंक (आरबीआई) ने घरेलू अनुसूचित वाणिज्यिक बैंकों (क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों को छोड़कर) को प्रत्येक मामले में आरबीआई का पूर्व अनुमोदन प्राप्त किए बिना देश के किसी स्थान पर बैंकिंग केन्द्र खोलने की सामान्य अनुमति प्रदान की है, बशर्ते कि किसी वित्तीय वर्ष के दौरान खोले जाने वाले कुल बैंकिंग केन्द्र का कम से कम 25 प्रतिशत 10,000 से कम जनसंख्या वाले बैंकरहित ग्रामीण केन्द्रों में हो। इस प्रयोजन हेतु भारत सरकार द्वारा यथा अधिसूचित पूर्वोत्तर के राज्यों तथा सिक्किम और वामपंथ उग्रवाद (एलडब्ल्यूई) से प्रभावित जिलों में 50,000 से कम जनसंख्या वाले किसी केन्द्र में खोले गए बैंकिंग केन्द्र को भी बैंकरहित ग्रामीण केन्द्रों में बैंकिंग केन्द्र खोलने के समतुल्य माना जाता है।

दिनांक 31.03.2018 की स्थिति के अनुसार, सरकारी क्षेत्र के बैंकों की शाखाओं की संख्या विवरण-II में संलग्न है।

(घ) आरबीआई ने दिनांक 18.05.2017 के अपने परिपत्र के माध्यम से, अन्य बातों के साथ-साथ, बैंकों को सभी केन्द्रों पर मोबाईल शाखाएं खोलने/परिचालित करने की अनुमति प्रदान की है। तथापि, इन मोबाइल शाखाओं को बैंकिंग आऊटलेट नहीं माना जाता है।

(ङ) भारतीय रिजर्व बैंक ने सभी अनुसूचित वाणिज्यिक बैंक को प्राथमिकता प्राप्त क्षेत्र उधार के अंतर्गत लक्ष्यों के साथ मास्टर परिपत्र जारी किया है, जिसमें कृषि, सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम, निर्यात ऋण, शिक्षा, आवास, सामाजिक अवसंरचना, नवीकरणीय ऊर्जा इत्यादि शामिल हैं।

विवरण-I

दिनांक 31.03.2018 की स्थिति के अनुसार वाणिज्यिक बैंकों की चल रही शाखाओं की संख्या-अनुसूचित राज्य/संघ राज्य क्षेत्र तथा जनसंख्या समूह-वार

क्षेत्र/राज्य/संघ राज्य क्षेत्र	ग्रामीण	अर्द्ध शहरी	शहरी	महानगरीय	कुल
1	2	3	4	5	6
केन्द्रीय क्षेत्र					
छत्तीसगढ़	1,063	692	490	293	2,538
मध्य प्रदेश	2,306	1,932	1,074	1,309	6,621
उत्तर प्रदेश	7,716	3,840	2,820	2,670	17,046
उत्तराखंड	938	527	597	0	2,062
कुल	12,023	6,991	4,981	4,272	28,267
पूर्वी क्षेत्र					
अंडमान और निकोबार द्वीपसमूह	23	12	33	0	68
बिहार	3,266	2,203	1,061	496	7,026
झारखंड	1,348	778	441	445	3,012
ओडिशा	2,568	1,273	1,026	0	4,867

1	2	3	4	5	6
सिक्किम	72	20	53	0	145
पश्चिम बंगाल	3,662	1,658	1,805	1,643	8,768
कुल	10,939	5,944	4,419	2,584	23,886
पूर्वोत्तर क्षेत्र					
अरुणाचल प्रदेश	73	81	0	0	154
असम	1,309	739	608	0	2,656
मणिपुर	80	43	60	0	183
मेघालय	170	77	101	0	348
मिजोरम	67	53	75	0	195
नागालैंड	53	72	41	0	166
त्रिपुरा	235	188	114	0	537
कुल	1,987	1,253	999	0	4,239
उत्तर क्षेत्र					
चंडीगढ़	11	6	383	0	400
हरियाणा	1,616	1,206	1,745	259	4,826
हिमाचल प्रदेश	1,209	311	83	0	1,603
जम्मू और कश्मीर	890	411	279	182	1,762
राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली	68	89	12	3,371	3,540
पंजाब	2,534	2,015	1,169	726	6,444
राजस्थान	2,853	2,044	1,260	1,007	7,164
कुल	9,181	6,082	4,931	5,545	25,739
दक्षिण क्षेत्र					
आंध्र प्रदेश	2,383	2,065	1,640	765	6,853
कर्नाटक	3,485	2,347	2,039	2,228	10,099
केरल	331	4,500	1,424	0	6,255

1	2	3	4	5	6
लक्षद्वीप	6	7	0	0	13
पुदुचेरी	51	72	119	0	242
तमिलनाडु	2,926	3,901	1,498	2,477	10,802
तेलंगाना	1,536	1,157	608	1,876	5,177
कुल	10,718	14,049	7,328	7,346	39,441
पश्चिमी क्षेत्र					
दादरा और नगर हवेली	14	47	0	0	61
दमन और दीव	3	44	0	0	47
गोवा	279	394	0	0	673
गुजरात	2,488	2,004	1,265	2,132	7,889
महाराष्ट्र	3,116	2,888	1,429	4,976	12,409
कुल	5,900	5,377	2,694	7,108	21,079
अखिल भारत	50,748	39,696	25,352	26,855	1,42,651

स्रोत: आरबीआई

विवरण-II

दिनांक 31.03.2018 की स्थिति के अनुसार सरकारी क्षेत्र के बैंकों की चल रही शाखाओं की ? संख्या-बैंक-वार और जनसंख्या समूह-वार

बैंक का नाम	ग्रामीण	अर्द्ध शहरी	शहरी	महानगरीय	कुल
1	2	3	4	5	6
भारतीय स्टेट बैंक	7,757	6,719	4,180	4,299	22,955
इलाहाबाद बैंक	1,207	764	648	626	3,245
आंध्रा बैंक	745	770	669	736	2,920
बैंक ऑफ बड़ौदा	1,833	1,537	931	1,168	5,469
बैंक ऑफ इंडिया	1,834	1,455	806	983	5,078
बैंक ऑफ महाराष्ट्र	615	428	329	474	1,846
केनरा बैंक	1,810	1,991	1,165	1,255	6,221
सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया	1,602	1,352	834	899	4,687

1	2	3	4	5	6
कारपोरेशन बैंक	588	795	524	557	2,464
देना बैंक	573	433	368	418	1,792
इंडियन बैंक	727	785	607	630	2,749
इंडियन ओवरसीज बैंक	922	990	678	744	3,334
ओरियंटल बैंक ऑफ कॉमर्स	560	627	611	601	2,399
पंजाब एण्ड सिंध बैंक	561	278	352	325	1,516
पंजाब नेशनल बैंक	2,572	1,698	1,200	1,101	6,571
सिंडिकेट बैंक	1,241	1,128	816	848	4,033
यूको बैंक	1,075	821	603	580	3,079
यूनियन बैंक ऑफ इंडिया	1,252	1,288	852	907	4,299
युनाईटेड बैंक ऑफ इंडिया	779	408	471	360	2,018
विजया बैंक	513	547	535	540	2,135
आईडीबीआई बैंक लि.	415	592	506	504	2,017
अखिल भारत	29,181	25,406	17,685	18,555	90,827

स्रोत: आरबीआई

बैंकों और वित्तीय संस्थानों में धोखाधड़ी और हेराफेरी

1802. **डॉ. कंभमपति हरिबाबू:**
श्री हरि ओम पाण्डेय:
श्री संतोष कुमार:
श्री मनोज तिवारी:
श्री राम कुमार शर्मा:
श्री ई.टी. मोहम्मद बशीर:
श्री कौशलेन्द्र कुमार:

क्या **वित्त मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) विभिन्न सरकारी क्षेत्र के बैंकों (पीएसबी) और वित्तीय संस्थानों के कितने कर्मी/अधिकारी वित्तीय धोखाधड़ी और हेराफेरी के लिए आरोपित किए गए हैं, यदि हां तो तत्संबंधी बैंक/वित्तीय संस्थान/राज्य/संघ राज्यक्षेत्र-वार ब्यौरा क्या है;

(ख) आरोपी कर्मी/अधिकारियों की संख्या कितनी है और मार्च, 2015 से मार्च, 2018 तक बैंक, राज्य/संघ राज्यक्षेत्र-वार इनके विरुद्ध प्रारंभ जांच की स्थिति क्या है;

(ग) क्या उक्त आरोपों हेतु इन कर्मियों को सेवाओं से निलंबित किया गया है और यदि हां, तो ऐसे कर्मियों की संख्या कितनी है;

(घ) क्या सरकार/भारतीय रिजर्व बैंक के पास इन बैंकों और वित्तीय संस्थानों की निगरानी हेतु कोई तंत्र है और यदि हां, तो इस प्रयोजन हेतु देश भर में राज्य/संघ राज्यक्षेत्र-वार नियुक्त अधिकारियों और नोडल एजेंसी का ब्यौरा क्या है; और

(ङ) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं और अपने नाम प्रकट होने के भय के बिना सूचना प्रदाता इन प्राधिकारियों से किस ढंग से संपर्क कर सकता है?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री शिव प्रताप शुक्ला): (क) से (ग) भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा उपलब्ध करायी गई धोखाधड़ियों के मामलों की संख्या का बैंक/वित्तीय संस्था-वार और राज्य/संघ राज्यक्षेत्र-वार ब्यौरा क्रमश: विवरण-I और विवरण-II में संलग्न है, जिनमें अधिकारी/कर्मचारी संलिप्त हैं।

जब कभी अधिकारियों/कर्मचारियों के कारण कोई अनियमितताएं पाई अथवा देखी जाती हैं तो संबंधित संगठन अपने विद्यमान विनियमों और केन्द्रीय सतर्कता आयोग (सीवीसी) के दिशानिर्देशों के अनुसार कार्रवाई प्रारंभ करते हैं। दोषी कर्मचारियों को, उनके द्वारा किये गये कदाचार की गंभीरता के आधार पर, उनके अनुशासनात्मक विनियमों के अनुसार और सीवीसी/मुख्य सतर्कता अधिकारी (सीवीओ) के परामर्श से उसके अनुरूप दंड दिया जाता है।

(घ) और (ङ) आरबीआई ने मास्टर निदेश के माध्यम से बैंकों और चुनिंदा वित्तीय संस्थाओं के लिए एक धोखाधड़ी रिपोर्टिंग एवं निगरानी प्रणाली लागू की है, जिसके अनुसार बैंकों को एक ऑनलाइन प्लेटफॉर्म के माध्यम से आरबीआई को धोखाधड़ी के मामलों की सूचना देना अपेक्षित है। इसके अतिरिक्त, आरबीआई द्वारा जनवरी, 2016 में बैंकों द्वारा सूचित धोखाधड़ियों की एक वेब आधारित पता लगाए जाने योग्य (सर्चएबल) डाटा बेस वाली केन्द्रीय धोखाधड़ी रजिस्ट्री जिसमें पिछले 13 वर्ष के आंकड़े हैं, सक्रिय (आपरेशनल) की है।

कार्मिक एवं प्रशिक्षण विभाग के 21 अप्रैल, 2004 का संकल्प संख्या 89 जिसे सामान्य रूप से सूचना देने वालों के जनहित प्रकटन और संरक्षण संकल्प (पीआईडीपीआई), 2004 के नाम से जाना जाता है, में एक तंत्र की अवधारणा है जिसमें शिकायतकर्ता शिकायत दर्ज करके मामले को उजागर कर सकता है तथा साथ ही ऐसा करने के लिए अपने उत्पीड़न के विरुद्ध सुरक्षा की मांग सकता है। पीआईडीपीआई संकल्प के अंतर्गत उजागरकर्ताओं (विसॅलब्लोअरों) से शिकायत प्राप्त करने के लिए सीवीसी पद नामित एजेंसी है।

बाद के संशोधनों में, अन्य बातों के साथ-साथ, मंत्रालयों अथवा भारत सरकार के विभागों के मुख्य सतर्कता अधिकारी को भ्रष्टाचार अथवा पद के दुरुपयोग के किसी आरोप पर लिखित शिकायत अथवा प्रकटन को प्राप्त करने के लिए पदनामित प्राधिकारी के रूप में कार्य करने हेतु प्राधिकृत कर दिया गया था।

विवरण-I

पिछले तीन वर्ष के दौरान सरकारी क्षेत्र के बैंकों तथा चुनिन्दा वित्तीय संस्थाओं में सूचित धोखाधड़ियों (जिनमें प्रत्येक मामले में संलिप्त राशि 1.00 लाख रुपए अथवा उससे अधिक थी), जिनमें स्टाफ संलिप्त था, की संख्या का बैंक-वार आंकड़ा

बैंक का नाम	2015-16	2016-17	2017-18
1	2	3	4
इलाहाबाद बैंक	5	11	8
आंध्रा बैंक	5	10	8
बैंक ऑफ बड़ौदा	33	24	18
बैंक ऑफ इंडिया	14	15	23
बैंक ऑफ महाराष्ट्र	12	15	9
भारतीय महिला बैंक लिमिटेड	0	0	0
केनरा बैंक	17	25	18
सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया	29	27	16
कारपोरेशन बैंक	36	11	16
देना बैंक	1	6	3
भारतीय निर्यात आयात बैंक	0	0	0
आईडीबीआई बैंक लिमिटेड	8	1	14
इंडियन बैंक	23	6	16
इंडियन ओवरसीज बैंक	14	27	29
राष्ट्रीय कृषि और ग्रामीण विकास बैंक	0	0	0
राष्ट्रीय आवास बैंक	0	0	0
ओरियंटल बैंक ऑफ कॉमर्स	12	9	127
पंजाब एण्ड सिंध बैंक	1	3	2
पंजाब नेशनल बैंक	17	18	29
भारतीय लघु उद्योग विकास बैंक	0	0	0

1	2	3	4
स्टेट बैंक ऑफ बीकानेर एंड जयपुर	5	8	0
स्टेट बैंक ऑफ हैदराबाद	7	9	0
भारतीय स्टेट बैंक	66	83	127
स्टेट बैंक ऑफ मैसूर	6	6	0
स्टेट बैंक ऑफ पटियाला	4	6	0
स्टेट बैंक ऑफ त्रावणकोर	6	2	0
सिंडिकेट बैंक	14	19	29
भारतीय औद्योगिक वित्त निगम	2	0	1
यूको बैंक	44	15	5
यूनियन बैंक ऑफ इंडिया	12	4	8
युनाईटेड बैंक ऑफ इंडिया	2	5	1
विजया बैंक	0	8	2
सकल योग	395	373	509

विवरण-II

पिछले तीन वर्ष के दौरान सरकारी क्षेत्र के बैंकों तथा चुनिदा वित्तीय संस्थाओं में सूचित धोखाधड़ियों जिनमें प्रत्येक मामले में संलिप्त राशि 1.00 लाख रुपए अथवा उससे अधिक थी), जिनमें स्टाफ संलिप्त था, की संख्या का राज्य-वार आंकड़ा

राज्य	2015-16	2016-17	2017-18
1	2	3	4
अंडमान और निकोबार द्वीपसमूह	0	1	0
आंध्र प्रदेश	31	47	28
अरुणाचल प्रदेश	0	0	1
असम	10	5	11
बिहार	16	21	10
चंडीगढ़	1	3	2
छत्तीसगढ़	2	11	4
दादरा और नगर हवेली	0	0	0
दमन और दीव	0	0	0
दिल्ली	14	12	16
गोवा	1	0	1
गुजरात	16	7	17
हरियाणा	6	8	14
हिमाचल प्रदेश	4	2	5
जम्मू और कश्मीर	2	13	1
झारखंड	6	4	6
कर्नाटक	56	21	28
केरल	11	10	6
लक्षद्वीप	0	0	0
मध्य प्रदेश	12	17	20
महाराष्ट्र	31	46	40
मणिपुर	1	2	1
मेघालय	1	0	0
मिजोरम	0	3	0
नागालैंड	3	4	0
ओडिशा	2	3	6
पांडिचेरी	2	0	1
पंजाब	16	11	13
राजस्थान	11	23	157
सिक्किम	0	1	2
तमिलनाडु	84	38	50
तेलंगाना	0	0	11

1	2	3	4
त्रिपुरा	1	1	0
उत्तर प्रदेश	34	24	36
उत्तराखंड	4	5	5
पश्चिम बंगाल	16	28	17
विदेशी शाखाए	1	2	0
सकल योग	395	373	509

सावधि जमा स्वीकार करने वाली कंपनियों पर प्रतिबंध

1803. श्री विद्युत वरण महतो:
श्री टी. राधाकृष्णन:
श्री एस.आर. विजय कुमार:
श्री एस. राजेन्द्रन:
श्री चामाकुरा मल्ला रेड्डी:
श्री सुधीर गुप्ता:
कुंवर हरिवंश सिंह:
श्री गजानन कीर्तिकार:

क्या **कॉर्पोरेट कार्य मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष (आईएमएफ) ने सरकार को लिखा है कि जनता से जमा स्वीकार किए जाने के प्रावधान की समीक्षा की जानी चाहिए और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इस पर सरकार की क्या प्रतिक्रिया है;

(ख) क्या कंपनियां जनता से सावधि जमा स्वीकार कर रही हैं, जो अक्सर बैंकों के ब्याज से दो-तीन प्रतिशत अधिक है, परंतु इन्हें जोखिम पूर्ण माना जाता है;

(ग) यदि हां, तो क्या सरकार ने इस बात का संज्ञान लिया है कि कई मामलों में कंपनियों ने जमाकर्ताओं के ब्याज के साथ सावधि जमा राशि वापस नहीं की है और यदि हां, तो इन कंपनियों का ब्यौरा क्या है तथा सरकार द्वारा इस संबंध में क्या कार्रवाई की गई है;

(घ) क्या सरकार का विचार जुटाई जा सकने वाली जमा राशि के संबंध में मानक तैयार करने और इसे कारोबार अथवा अन्य वित्तीय मानदण्डों से जोड़ने का है ताकि यह सुनिश्चित किया जा सके कि कंपनियां ऋण योग्य बनी रहें और यदि हां, तो तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ङ) सरकार द्वारा कंपनियां जनता से सावधि जमा स्वीकार करने को सीमित करने के लिए क्या कदम उठाए गए हैं/उठाए जा रहे हैं और इस प्रतिबंध को कब तक लागू किए जाने की संभावना है?

विधि और न्याय मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा कॉर्पोरेट कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री पी.पी. चौधरी): (क) से (ङ) भारतीय रिजर्व बैंक ने "प्रभावी बैंकिंग पर्यवेक्षण के लिए बेसल मूल सिद्धांतों के अनुपालन का मूल्यांकन-वित्तीय क्षेत्र मूल्यांकन कार्यक्रम (एफएसएपी), आईएमएफ" विषय पर अंतरराष्ट्रीय मुद्रा कोष (आईएमएफ) का एक पत्र अग्रेषित किया है। इसमें यह उल्लेख है कि आईएमएफ ने भारत में वित्तीय क्षेत्र मूल्यांकन कार्यक्रम (एफएसएपी) के अंतर्गत बेसल मूल सिद्धांतों के अनुपालन का विस्तृत मूल्यांकन किया है और 19.01.2018 को अंतिम रिपोर्ट प्रस्तुत की गई, जिसमें आईएमएफ ने कुछ कार्रवाइयों की सिफारिश की है जिसमें अन्य बातों के साथ-साथ निम्नलिखित शामिल है:-

> "बैंकों के रूप में निगमित न किए गए संस्थानों द्वारा लिए गए जमा को, चाहे वह बहुत कम मात्रा में हो, निषेध किया जाना चाहिए।"

कंपनी (जमा की स्वीकृति) नियम, 2014 के नियम 2(1)(ङ) के साथ पठित कंपनी अधिनियम, 2013 (सीए, 2013) की धारा 76(1) में पहले से ही यह प्रावधान है कि केवल पात्र पब्लिक कंपनी को ही आम जनता से जमा एकत्रित करने की अनुमति है। अत: कम से कम सौ करोड़ रुपये के निवल मूल्य वाली या कम से कम पांच सौ करोड़ रुपये का व्यापार करने वाली पब्लिक कंपनी ही कंपनी (जमा की स्वीकृति) नियम, 2014 के नियम 3 के साथ पठित धारा 73 की उपधारा (2) और कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 76(1) के परंतुक में विहित अपेक्षाओं के अनुपालन के अधीन आम जनता से जमा स्वीकृत कर सकती है।

कंपनी अधिनियम, 2013 के अधीन, आम जनता से जमा की स्वीकृति को पूर्व कंपनी अधिनियम, 1956 की धारा 58क की तुलना में अधिक सख्त तंत्र के अधीन अनुमति दी गई है।

धारा 75 में कपट के लिए हरजाने का प्रावधान है और धारा 76क में कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 73 या धारा 76 के उल्लंघन के लिए दंड का प्रावधान है और यह अधिनियम की धारा 73 या धारा 76 के उल्लंघन को अशमनीय बनाता है जिसमें

चूककर्ता अधिकारी को सात वर्ष की सजा और शास्ति का प्रावधान है। कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 164 (2) (ख) में कंपनी द्वारा चूक की तारीख से पांच वर्ष की अवधि तक जमा का पुन: भुगतान करने के लिए चूककर्ता निदेशक को चूककर्ता कंपनी में निदेशक के रूप में पुन: नियुक्त करने या किसी अन्य कंपनी में नियुक्त करने पर प्रतिबंध हैं।

अत: यह विचार है कि कंपनी अधिनियम, 2013 और कंपनी जमा की स्वीकृति नियम, 2014 के अधीन कंपनियों द्वारा जनता से जमाओं की स्वीकृति के संबंध में पर्याप्त जांच और सुरक्षा उपाय मौजूद हैं। आगे इस स्तर पर अतिरिक्त जांच सुरक्षा उपाय आवश्यक नहीं हैं।

इसके अतिरिक्त, ऐसे मामले नहीं देखे गए हैं जिसमें कंपनियों ने जनता से सावधि जमा जिसकी ब्याज दर आमतौर पर बैंकों की तुलना में दो-तीन प्रतिशत अधिक है, एकत्रित नहीं की है।

भेषज उद्योगों द्वारा प्रदूषण

1804. श्री एस.आर. विजय कुमार:
श्री टी. राधाकृष्णन:
श्री विद्युत वरण महतो:
श्री एस. राजेन्द्रन:
श्री सुधीर गुप्ता:
कुंवर हरिवंश सिंह:
श्री गजानन कीर्तिकर:

क्या **पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या भेषज उद्योग देश में सबसे अधिक प्रदूषणकारी उद्योगों में से एक हैं और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ख) क्या पर्यावरण में अत्यधिक संकेंद्रण में एंटीबायोटिक अपशिष्ट की उपस्थिति में एंटीमाइक्रोबीयल रेसिस्टेंट (एएमआर) पैथोजन विकसित हो सकता है;

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और सरकार द्वारा इस संबंध में क्या सुधारात्मक उपाय किए गए/किए जा रहे हैं;

(घ) क्या फार्मा एंटीबायोटिक अपशिष्ट हेतु मानक तैयार करने का कार्य केन्द्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड को दिया गया था और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इसे कब तक तैयार किया जाएगा; और

(ङ) क्या विश्व स्वास्थ्य संगठन का भी भेषज संबंधी अपशिष्ट का बेहतर प्रबंधन करने के लिए आह्वान किया गया है और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इस पर सरकार की क्या प्रतिक्रिया है?

संस्कृति मंत्रालय के राज्य मंत्री तथा पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय में राज्य मंत्री (डॉ. महेश शर्मा): (क) भेषज उद्योग अत्यधिक प्रदूषणकारी उद्योगों में से एक है और यह सबसे अधिक प्रदूषणकारी उद्योगों की 17 श्रेणी के अंतर्गत शामिल है। केन्द्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड (सीपीसीबी) के पास उपलब्ध आंकड़ों के अनुसार, देश में 676 भेषज विनिर्माण इकाइयां प्रचालन में हैं।

(ख) और (ग) कई वैश्विक अध्ययनों से पता चला है कि पर्यावरण में अत्यधिक संकेन्द्रणों में एंटीबायोटिक अपशिष्ट से एंटीमाइक्रोबियल रेसिस्टेंट (एएमआर) विकसित हो सकता है। सरकार ने पर्यावरण सहित विभिन्न क्षेत्रों में एएमआर से निपटने के उद्देश्य से देश के लिए राष्ट्रीय एएमआर कार्य योजना तैयार की है।

(घ) केन्द्रीय प्रदूषणे नियंत्रण बोर्ड को पर्यावरण (संरक्षण) अधिनियम, 1986 के उपबंधों के अनुसार भेषज औद्योगिक बहिस्रावों में एंटीबायोटिक अवशेषों के लिए मानक तैयार करने का काम सौंपा गया है। इस बारे में सीपीसीबी द्वारा प्रारूप मानक तैयार किए गए हैं।

(ङ) विश्व स्वास्थ्य संगठन ने आपातकाल परिस्थितियों में अवांछित भेषजों के सुरक्षित निपटान के कार्यान्वयन पर राय देने के लिए वर्ष 1999 में आपातकाल में और उसके बाद अवांछित भेषजों के सुरक्षित निपटान के लिए दिशानिर्देश जारी किए हैं। दिशानिर्देशों में अन्य बातों के साथ-साथ भेषजों के सुरक्षित निपटान की कई ऐसी पद्धतियों का वर्णन किया गया है जिनसे जन स्वास्थ्य और पर्यावरण को जोखिम कम करने में सहायता मिलती है।

पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय ने जैव चिकित्सा अपशिष्ट (प्रबंधन और प्रहस्तन) नियम, 2016 अधिसूचित किए हैं जिनमें एंटीबायोटिक, साइटोक्सिक औषधियां आदि जैसे भेषज अपशिष्ट सहित विभिन्न जैव-चिकित्सा अपशिष्टों के पृथक्करण, संग्रहण, शोधन, प्रसंस्करण और निपटान की पद्धतियों का उल्लेख किया गया है।

[हिन्दी]

नदियों में प्रदूषण

1805. श्री प्रभुभाई नागरभाई वसावा:
श्री विष्णु दयाल राम:
श्री संजय काका पाटील:
प्रो. रिचर्ड हे:
श्री जॉर्ज बेकर:
श्री के. परसुरमन:
श्री अनिल शिरोले:
श्री बी.वी. नाईक:
श्री एस.पी. मुद्दाहनुमे गौड़ा:

क्या **पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या वर्तमान में देश में अनेक नदियां प्रदूषित हो गई हैं और कुछ नदियों का जल विषैला ही रहा है और यदि हां, तो सरकार द्वारा पहचान की गई प्रदूषित नदियों का नदी-वार ब्यौरा क्या है;

(ख) क्या नदियों, धाराओं और नालों में प्रत्यक्ष रूप से अशोधित मल-जल, औद्योगिक और होटल का अपशिष्ट प्रवाहित करने से नदियां बड़े पैमाने पर प्रदूषित हो रहे हैं और यदि हां, तो तत्संबंधी राज्य/संघ राज्यक्षेत्र-वार ब्यौरा क्या है और उक्त उद्योगों/कारखानों के विरुद्ध क्यो कार्रवाई की गई है;

(ग) इन नदियों को प्रदूषण से बचाने के लिए सरकार द्वारा चलाई जा रही परियोजनाओं और कार्यान्वित की गई/की जा रही योजनाओं का नदी-वार ब्यौरा क्या है;

(घ) क्या सरकार ने गंगा नदी के अलावा अधिकांश प्रदूषित नदियों की पहचान करने के लिए किसी निगरानी समिति का गठन किया है और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ङ) प्रदूषित नदियों की सफाई के लिए सरकार द्वारा उठाए गए कदमों का ब्यौरा क्या है और गत तीन वर्षों और चालू वर्ष के दौरान राज्य/संघ राज्यक्षेत्र-वार कितनी धनराशि स्वीकृत, आवंटित और उपयोग की गई है?

संस्कृति मंत्रालय के राज्य मंत्री तथा पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय में राज्य मंत्री (डॉ. महेश शर्मा): (क) से (ङ) गत वर्षों से त्वरित गति से बढ़ते हुए शहरीकरण और औद्योगीकरण के कारण नदियों और झीलों में प्रदूषण भार में वृद्धि हुई हैं देश में नदियां मुख्य रूप से अशोधित उत्सर्जनों और आंशिक रूप से शोधित शहरों/नगरों और औद्योगिक बहिस्रावों से प्रदूषित होती हैं। कृषि बहाव, खुले में शौच करना, ठोस अपशिष्ट पाटन (डंपिंग) स्थलों आदि जैसे प्रदूषण के नान/प्वाइंट स्रोत से भी नदियों में प्रदूषण होता है। केन्द्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड (सीपीसीबी), राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड (सीपीसीबी) के सहयोग से राष्ट्रीय जल गुणवत्ता निगरानी कार्यक्रम (एनडब्ल्यूक्यूएमपी) के अंतर्गत निगरानी केन्द्रों के नेटवर्क के जरिए देश भर में नदियों, झीलों, तालाबों और जलाशयों की जल गुणवत्ता की निगरानी करता है। सीपीसीबी द्वारा फरवरी, 2015 में प्रकाशित रिपोर्ट के अनुसार बायो-केमिकल ऑक्सीजन डिमांड (बीओडी) स्तरों, जो जैविक प्रदूषण का प्रमुख सूचक है, के आधार पर, 275 नदियों पर 302 प्रदूषित नदी भागों को अभिज्ञात किया गया है। प्रदूषित नदी भागों के राज्य-वार ब्यौरे संलग्न विववरण-I में दिए गए हैं।

यह राज्य सरकारों/संबंधित स्थानीय निकायों का दायित्व है कि वे नदियों के प्रदूषण उपशमन के लिए मलजल संग्रह, परिवहन और इसके शोधन के लिए सुविधाएं स्थापित करें। यह मंत्रालय राष्ट्रीय नदी संरक्षण योजना (एनआरसीपी) के अंतर्गत नदियों में प्रदूषण के उपमशन में केन्द्र और राज्य सरकारों के बीच लागत में हिस्सेदारी के आधार पर राज्य सरकारों के प्रयासों को संपूरित कर रहा है। एनआरसीपी गंगा और इसकी सहायक नदियों को छोड़कर जिन्हें दिनांक 01.08.2014 के बाद जल संसाधन, नदी विकास और गंगा संरक्षण मंत्रालय (एमओडब्ल्यूआर, आरडी और जीआर) द्वारा देखा जा रहा है, के अंतर्गत अब तक 4581.91 करोड़ रुपये की अनुमोदित लागत से देश में 14 राज्यों में फैले 76 शहरों में 32 नदियों के प्रदूषित भागों को शामिल किया गया है और विभिन्न प्रदूषण उपशमन स्कीमों के क्रियान्वयन हेतु राज्य सरकारों को 2258.72 करोड़ रुपए की केन्द्रीय सहायता का हिस्सा जारी किया गया है। एनआरसीपी के अंतर्गत अब तक 2472.43 एमएलडी (मिलियन लीटर प्रतिदिन) की मल-जल शोधन क्षमता सृजित की गई है। एनआरसीपी के तहत गत तीन वर्षो और वर्तमान वित्तीय वर्ष के दौरान शामिल की गई नदियों, परियोजना की मंजूरी लागत, अब तक जारी की गई निधियों के राज्य-वार ब्यौरे संलग्न विवरण-II में दिए गए हैं।

राज्य सरकारें, अपने स्वयं के बजटीय आबंटन के अतिरिक्त, आवास और शहरी मामले मंत्रालय के अटल पुनरुद्धार और शहरी रूपांतरण मिशन (एएमआरयूटी) तथा स्मार्ट सिटी मिशन के

साथ-साथ जल संसाधन, नदी विकास और गंगा संरक्षण मंत्रालय (एमओडब्ल्यूआर, आरडी एंड जीआर) के नमामि गंगे कार्यक्रम के अंतर्गत भी विभिन्न नगरों/शहरों में मलजल शोधन संयंत्रों की स्थापना सहित मल-निर्यास अवसंरचना के सृजन हेतु वित्तीय सहायता प्राप्त कर रही हैं।

सीपीसीबी ने देश में सभी राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्डों/प्रदूषण नियंत्रण समितियों (पीसीसी) को अपने संबंधित राज्यों में मलजल को नदियों में गिराने से पहले नगरीय अपशिष्ट जल का शोधन सुनिश्चित करने के लिए अपने मलजल शोधन संयंत्रों की स्थापना करने के बारे में अप्रैल, 2015 में जल (प्रदूषण निवारण एवं नियंत्रण) अधिनियम, 1974 की धारा 18 1(ख) के अंतर्गत दिशानिर्देश जारी किए हैं। सीपीसीबी ने नदियों के प्रदूषण के उपशमन के लिए सृजित मलजल के उपयुक्त शोधन तथा निपटान को सुनिश्चित करने के लिए पर्यावरण (संरक्षण) अधिनियम, 1986 की धारा 5 के अंतर्गत 184 कस्बों के नगरीय प्राधिकरणों (66 महानगरों और राज्यों की राजधानियों + गंगा नदी के साथ-साथ स्थित कस्बों) को अक्टूबर, 2015 में दिशानिर्देश भी जारी किए हैं।

औद्योगिक बहिस्रावों के निस्सारण को नियंत्रित करने के लिए केन्द्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड (सीपीसीबी) और संबंधित राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड पीसीसी बहिस्राव निस्सारण के मानकों के संबंध में उद्योगों की निगरानी करते हैं और जल (प्रदूषण निवारण एवं नियंत्रण) अधिनियम, 1974 और पर्यावरण (संरक्षण) अधिनियम, 1986 के अंतर्गत अनुपालन न करने पर कार्रवाई करते हैं। अनुपालन की निगरानी में सुधार करने के लिए सीपीसीबी द्वारा विशिष्ट उद्योगों को निदेश जारी किए गए हैं कि वे ऑन-लाइन 24 x 7 बहिस्राव निगरानी उपकरण स्थापित करें। विशेष रूप से नदियों के किनारे स्थित अति प्रदूषणकारी उद्योगों में कम से कम अपशिष्ट सृजन की अवधारणा को विकसित करने के लिए भी केन्द्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड द्वारा कदम उठाए गए हैं।

विवरण-I

राज्य-वार प्रदूषित नदी भाग

क्र.सं.	राज्य का नाम	अभिज्ञात क्षेत्र	संख्या
1	2	3	4
1.	आंध्र प्रदेश	गोदावरी, हुन्द्री, कृष्णा, तुंगभद्रा, पेन्नार, कुन्डु	6
2.	असम	मोरा भराली, बराक, बेकी, भरालू, भोगडोई, बागीनाडी, ब्रह्मपुत्र, बुहाईडिहिंग, दीपार बिल, धनसीरी, डिगबोई, डिसांग, जिया भराली, झांजी, कलौंग, कपिली, खारसंग, कोहोरा, कुंडली, कुशीयारा, मानस, पगलडिया, पंचनई, रंगा नाडी, सनकोष, सोनई, सुबनसिरी, कथकल	28
3.	बिहार	गंगा, हरबोरा, मानुसमार, राम रेखा, सिरसिया	5
4.	छत्तीसगढ़	हसदेव, केलो, खरून, महानदी, स्योनाथ	5
5.	दमन और दीव और दादरा नगर हवेली	दमनगंगा	1
6.	दिल्ली	यमुना	1
7.	गोवा	मनडोवी अस्सोनोरा, बिचोलिम, चपोरा, खानडेपर, मापुसा, साल, वालवंत	8
8.	गुजरात	माही, नर्मदा, अंबिका, अमलाखादी, अनस, बालेहवार खादी, भदर, दमनगंगा, कावेरी, खारी, किम, कोलक, पानम, भोगावो, धादर, पूर्ना, साबरमती, शेडी, तापी, त्रिवेणी	20

1	2	3	4
9.	हरियाणा	घग्गर, यमुना	2
10.	हिमाचल प्रदेश	ब्यास, टोंस, सिरसा, स्वान, सुखना, सुकेती खाद, बिनवा, मारकंडा	8
11.	जम्मू और कश्मीर	बनगंगा, बासानतेर, चेनाब, चुन्ट कोल, देवाव, झेलम लिद्देर, तावी	9
12.	झारखंड	बोकारो, कोयल, दामोदर, जुमार, कारो, संख, सुबर्णरेखा, कोयेले	8
13.	कर्नाटक	अर्कावटी, भद्रा, भीमा, कावेरी, घाटप्रभा, कबिनी, कगिना, काली, कृष्णा, लक्ष्मणतीर्थ, मालप्रभा, मंजीरा, शिमशा, तुंगभद्रा, तुंग	15
14.	केरल	चितरापुझा, कदमबयार, कल्लई, करमाना, कीचेरी, कूप्पम, मणिमाला, नीलेश्वरम, पेरियार, पुल्लुर, पुझक्कल, थिरूर, उप्पाला	13
15.	मध्य प्रदेश	बंजार, बेतवा, बिचिया, चंबल, चिल्लर, देनवा, गोहाद, गौर, जम्मेर, कालीसोट, खान, कोलार, क्षिप्रा, कुंडा, मलई, नर्मदा, पार्वती, शिवना, तापी, टोन्स, वैनगंगा	21
16.	महाराष्ट्र	वेना, वेनगंगा, गोदावरी, भीमा, कृष्णा, उल्हास, कुंडालिका, तापी, गिर्ना, पंचगंगा, नीरा, भत्सा, रंगावलि इंद्रायनी, चन्द्रभागा, वशिष्टी, मीठी, कान्हन, कोयना, अम्बा, अमरावती, बिन्दुसारा, धर्ना, घोड, गोमई, हिवारा, कान, मंजारा, मोर, मोरना, मूला, मूला-मूथा, मूथा, पंजारा, पातालगंगा, पावना, पेधी, पेल्हार, पेनगंगा, पूर्णा, सावित्री, सीना, सूर्या, उरमोदी, वेतरना, वेल, वेन्ना, वाघूर, वर्धा	49
17.	मणिपुर	बराक, इम्फाल, इरिल, खुगा, खुजारोक, लोकचाऊ, महा, मणिपुर, नामबुल, सेकमाई, थोबल, वैनगजिंग	12
18.	मेघालय	बुगी, काइनशी, कईरूखला, लूखा, माइन्तडू, नोनबाह, उपशीरपी, उमशीरपी, उमट्रियू, वाहबलेई	10
19.	नागालैंड	चाथे, धनसिरी, ड्जू	3
20.	ओडिशा	वैतरणी, ब्राह्मणी, बुधावलनागा, दया, कठजोडी, कोयल, कुआखाई, महानदी नागावल्ली, रुशीकुल्या, सेरूया, वंसधारा	12
21.	पंजाब	घग्गर, सतलुज	2
22.	राजस्थान	बनस, चंबल, चुप्पी, घग्गर, काली सिंध, पार्वती, जवाई, उजाद	8
23.	सिक्किम	डिकचू, तीस्ता, मनी खोला और रानीछू	5
24.	तमिलनाडु	भवानी, कावेरी, पलार, सराबंगा, तंबीरापानी थिरुमनीमुथर, वासीस्टा	7
25.	तेलंगाना	गोदावरी, कृष्णा, मंजीरा, मूसी, नक्कावागू, मानेर, सबरी	7
26.	त्रिपुरा	गुमती, हाओरा	2

1	2	3	4
27.	उत्तर प्रदेश	बेतवा, घाघरा, गोमती, हिंडन, काली नदी, रामगंगा, राप्ती, रिहंद, साई, सरयू, गंगा, यमुना, कोसी	13
28.	उत्तराखंड	भेला, धेला, सुसवा, गंगा, कोसी	5
29.	पश्चिम बंगाल	बाराकर, चुरनी, दामोदर, द्वारकेश्वर, द्वारगंगा, जलांगी, कालजनी, कांसी, कारोला, महानंदा, माथाभक्का, मूयरकाशी, रूपनारायन, सिलाबाती, तीस्ता, विंधाधरी	17
	कुल		302

विवरण-II

राष्ट्रीय नदी संरक्षण योजना (एनआरसीपी) के तहत शामिल की गई नदियों, परियोजनाओं की स्वीकृत लागत और जारी की गई निधियों का राज्य-वार ब्यौरा

(करोड़ रुपये)

क्र. सं.	राज्य	शामिल की गई नदियां	स्वीकृत लागत	आज की तारीखं तक जारी की गई निधियां (करोड़ रुपये)	गत तीन वर्षो और वर्तमान वर्ष (आज की तारीख तक) के दौरान जारी केन्द्रीय निधियां
1	2	3	4	5	6
1.	आंध्र प्रदेश	गोदावरी	21.78		
2.	तेलंगाना	गोदावरी और मुसी	345.72	259.80	-
3.	झारखंड	सुवर्णरेखा	3.14	4.26	-
4.	गुजरात	साबरमती और मिंडोला	808.53	333.26	157.52
5.	गोवा	मंडोवी, साल	75.83	12.26	3.00
6.	कर्नाटक	तुंगा, भाद्र, तुंगभद्रा, कावेरी और पेनार	66.25	47.83	-
7.	महाराष्ट्र	गोदावरी, तापी, कृष्णा, पंचगंगा और मुला मुथा	1182.86	208.94	57.74
8.	मध्य प्रदेश	वैंगंगा, नर्मदा और तापी	20.16	12.46	-
9.	ओडिशा	ब्राह्मणी, महानदी और तटीय क्षेत्र (पुरी शहर)	92.74	63.40	1.99
10.	पंजाब	घागर, ब्यास और सतलुज	774.43	516.16	67.61

1	2	3	4	5	6
11.	तमिलनाडु	आद्यार, कोउम, वैगई, वेनेर, कावेरी और ताम्रबरनी	908.13	623.65	-
12.	केरल	पम्बा	18.45	7.78	5.00
13.	सिक्किम	रानी चू	181.09	1440.42	39.01
14.	नागालैंड	दीफू और धनसिरी	82.80	24.50	20.00
	कुल		4581.91	2258.72	351.87

रक्त बैंक

1806. श्री राम टहल चौधरी:
श्री लक्ष्मी नारायण यादव:
श्री हरि मांझी:
श्री कीर्ति आजाद:
डॉ. उदित राज:

क्या **स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) देश में ऐसे कितने जिले हैं, जहां कोई रक्त बैंक नहीं है और इसके क्या कारण हैं;

(ख) क्या सरकार की देश के सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्रों में रक्त बैंक स्थापित करने के संबंध में कोई योजना है और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या सरकार का निकट भविष्य में सार्वजनिक निजी भागीदारी पद्धति के माध्यम से रक्त बैंक स्थापित करने का विचार है;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और उन निजी संस्थानों के नाम क्या हैं, जहां रक्त बैंक स्थापित किए जाने की संभावना है; और

(ङ) रक्त बैंक स्थापित करने के लिए मापदंडों का ब्यौरा क्या है?

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती अनुप्रिया पटेल): (क) देश में 74 जिलों में जिला स्तर पर एक भी रक्त बैंक नहीं है। रक्त बैंकों की स्थापना करने की जिम्मेंदारी राज्य सरकारों की है। भारत सरकार की नीति है कि प्रत्येक जिले में कम से कम एक रक्त बैंक होना चाहिए। तथापि यह देखते हुए कि विभिन्न प्रशासनिक कारणों से राज्य सरकारें समय-समय पर नए जिलों का सृजन करती हैं, अत: प्रत्येक जिले में एक रक्त बैंक के अनुपात को बनाए रखना कठिन है।

(ख) जी, नहीं।

(ग) जी, नहीं।

(घ) प्रश्न नहीं उठता।

(ङ) समय-समय पर किए गए संशोधनों के अनुसार, रक्त बैंकों की स्थापना संबंधी मानदंडों का औषधि तथा प्रसाधन नियम, 1945 में उल्लेख किया गया है, इसमें सामान्य, आवास, कार्मिक, अनुरक्षण, उपकरण, आपूर्ति तथा रिजेंट, उत्कृष्ट विनिर्माण परिपाटियां/मानक परिचालन प्रक्रियाएं रक्तदान हेतु मानदंड, रक्तदान हेतु मानदंड, उपकरण परीक्षण, रिकॉर्ड तथा लेबल से संबंधित प्रावधान शामिल हैं।

करों में छूट

1807. श्री टी.जी. वेंकटेश बाबू: क्या **वित्त मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार ने महिला उद्यमियों के लिए करों और आयकर में विशेष छूट देने हेतु किसी प्रावधान का विस्तार किया है; और

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री शिव प्रताप शुक्ला): (क) और (ख) जी नहीं, सरकार ने महिला उद्यमियों के लिए करों और आयकर में विशेष छूट दिए जाने के किसी प्रावधान को आगे नहीं बढ़ाया है।

[अनुवाद]

कृषि ऋण संबंधी ब्याज दरें

1808. **श्रीमती रेखा वर्मा:**
श्री कृपाल बालाजी तुमाने:
श्री अभिषेक सिंह:
श्री टी.जी. वेंकटेश बाबू:
श्री सदाशिव लोखंडे:

क्या **वित्त मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या विगत तीन वर्षों के दौरान सरकारी क्षेत्र के बैंकों (पीएसबी)/सहकारी बैंकों/नाबार्ड द्वारा किसानों को दिए गए कृषि ऋण पर सरकार ने ब्याज दरों में कमी की है और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ख) क्या सरकार ने किसानों को ब्याजमुक्त कृषि ऋण देने/ब्याज देने के लिए दिशानिर्देश/मापदण्ड बनाए हैं और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या विगत तीन वर्षों के दौरान विभिन्न बैंकों द्वारा इन दिशानिर्देशों के उल्लंघन की घटनाएं सूचित हुई हैं और यदि हां, तो तत्संबंधी बैंक-वार ब्यौरा क्या है और सरकार द्वारा इस संबंध में क्या सुधारात्मक कदम उठाए गए हैं;

(घ) बैंकों द्वारा वितरित किए गए कृषि ऋण, तय किए गए और प्राप्त लक्ष्य तथा प्रभावित ब्याज दर की प्रतिशतता और ब्यौरा क्या है और गत तीन वर्षों और चालू वर्ष के दौरान उनके विरुद्ध बकाया ऋण की महाराष्ट्र सहित राज्य/संघ राज्यक्षेत्र-वार कुल राशि कितनी है; और

(ङ) सरकार द्वारा फसल ऋण पर किफायती दर पर ब्याज प्रदान करने के लिए अब तक क्या कदम उठाए गए हैं/जा रहे हैं?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री शिव प्रताप शुक्ला): (क) से (ङ) भारतीय रिजर्व बैंक (आरआरबी) ने अनुसूचित वाणिज्यिक बैंकों द्वारा मंजूर अग्रिमों पर ब्याज दरों को नियंत्रण मुक्त कर दिया है तथा ये ब्याज दरें लागू होने वाले विनियामकीय दिशानिर्देशों के अध्यधीन उनके संबंधित निदेशक मंडल के अनुमोदन से बैंकों द्वारा निर्धारित की जाती है। तथापि, किसानों को 7 प्रतिशत प्रतिवर्ष की कम ब्याज दर पर कृषि ऋण उपलब्ध कराने को ध्यान में रखते हुए कृषि, सहकारिता एवं किसान कल्याण विभाग (डीएसी एण्ड एफडब्ल्यू), भारत सरकार द्वारा 3.00 लाख रुपए तक के *अल्पावधि फसल ऋणों के लिए ब्याज सहायता योजना कार्यान्वित* की जाती है। इस योजना में बैंकों को अपने संसाधना का उपयोग करने पर 2 प्रतिशत की ब्याज सहायता दी जाती है। इसके अलावा, ऋण का तत्परता से पुनर्भुगतान करने पर किसानों को 3 प्रतिशत का अतिरिक्त प्रोत्साहन दिया जाता है, जिससे ब्याज की प्रभावी दर कम होकर 4 प्रतिशत हो जाती है।

राष्ट्रीय कृषि और ग्रामीण विकास बैंक (नाबार्ड) ने सूचित किया है कि उन्हें दिशानिर्देशों के उल्लंघन की घटनाओं के बारे में कोई सूचना नहीं है। आरबीआई ने सूचित किया है कि उनके द्वारा प्राप्त शिकायतों को सुधारात्मक कार्रवाई हेतु तत्काल संबंधित बैंकों के साथ उठाया जाता है। इसके अतिरिक्त, आरबीआई द्वारा सूचित किए गए अनुसार, किसान क्रेडिट कार्ड (केसीसी) पर ब्याज दर में अनियमितताओं के संबंध में कोई विशिष्ट शिकायतें आरबीआई के पास लंबित नहीं है।

नाबार्ड द्वारा दी गयी सूचना के अनुसार, पिछले तीन वर्ष के दौरान कृषि ऋण लक्ष्य एवं संवितरित ऋण और बकाया ऋणों का राज्य/संघ राज्य क्षेत्र वार ब्यौरा संलग्न विवरण-I और II में है।

विवरण-I

कृषि ऋण बकाया आंकड़े (लाख रुपए में)

क्र. सं.	राज्य/संघ राज्यक्षेत्र	सभी एजेंसियां		
		2015-16 बकाया राशि	2016-17 बकाया राशि	2017-18 बकाया राशि
1	2	3	4	5
1.	दिल्ली	161,697.40	1313761	1102723

1	2	3	4	5
2.	हरियाणा	5,331,688.56	5647357	5848236
3.	हिमाचल प्रदेश	690,160.55	733661	783795
4.	जम्मू और कश्मीर	647,267.96	662286	729518
5.	पंजाब	7,988,127.64	8376991	8552582
6.	राजस्थान	7,917,531.51	9143184	10024054
7.	चंडीगढ़ यूटी	240,969.91	249366	236371
	उत्तरी क्षेत्र कुल	22,977,443.53	26,126,606.67	27,277,277.27
8.	अरुणाचल प्रदेश	17,528.12	26560	29038
9.	असम	843,078.16	1086065	1205503
10.	मणिपुर	32,410.09	43204	44654
11.	मेघालय	67,185.37	83092	86086
12.	मिजोरम	29,498.85	32571	50697
13.	नागालैंड	38,571.27	38736	47353
14.	सिक्किम	16,486.97	19300	22737
15.	त्रिपुरा	140,082.58	235664	335355
	पूर्वोत्तर क्षेत्र कुल	1,184,841.41	1,565,191.81	1,821,423.88
16.	अंडमान और निकोबार द्वीपसमूह	30295.82	14798	14777
17.	बिहार	3,137,017.09	3489403	3831707
18.	झारखंड	732,952.19	730658	817322
19.	ओडिशा	2,380,299.26	2685323	2889584
20.	पश्चिम बंगाल	4,089,135.73	3846261	4071754
	पूर्वी क्षेत्र कुल	10,369,700.09	10,766,443.48	11,625,143.30
21.	छत्तीसगढ़	1,135,537.55	1252887	1394163
22.	मध्य प्रदेश	665,9013.28	7371363	8313028
23.	उत्तराखंड	883,236.73	922091	1006141
24.	उत्तर प्रदेश	12,480,062.22	20530100	20837028
	मध्य क्षेत्र कुल	21,157,849.78	30,076,439.51	31,550,359.68

1	2	3	4	5
25.	गोवा	90,303.36	153599	171225
26.	गुजरात	6,162,672.47	7057542	7704521
27.	महाराष्ट्र	16,344,663.81	16914931	16150337
28.	दादरा और नगर हवेली यूटी	6,104.37	5835	5516
29.	दमन और दीव यूटी	2,009.92	2008	4378
	पश्चिमी क्षेत्र कुल	22,605,813.93	24,133,913.56	24,035,977.07
30.	आंध्र प्रदेश	10,186,047.56	11132261	12646617
31.	तेलंगाना	5,014,660.79	6225752	6040687
32.	कर्नाटक	12,737,867.30	12214101	12927529
33.	केरल	6,060,363.93	6921243	7642105
34.	पुदुचेरी	190,200.55	224221	243001
35.	तमिलनाडु	13,425,780.28	14293142	17116907
36.	लक्षद्वीप यूटी	3,876.05	633	1772
	दक्षिणी क्षेत्र कुल	47,618,796.46	51011352.96	56618616.64
	सकल योग	125,914,445.20	143,679,947.99	152,928,797.84

स्रोत: नाबार्ड

विवरण-II

कृषि ऋण संवितरण आंकड़ा (लाख रुपए में)

क्र. सं.	राज्य/संघ राज्यक्षेत्र	सभी एजेंसियां					
		2015-16		2016-17		2017-18	
		लक्ष्य	संवितरण	लक्ष्य	संवितरण	लक्ष्य	संवितरण
1	2	3	4	5	6	7	8
1.	दिल्ली	8100	554974.47	9800.00	1994164.972	61200	1959799.17
2.	हरियाणा	5665000	4979049.00	5865000.00	4948107.128	6065000	5551071.86
3.	हिमाचल प्रदेश	510000	512193.53	595000.00	611614.5564	625000	1433919.48
4.	जम्मू और कश्मीर	145000	276146.16	168000.00	729674.0637	460000	1130172.98

1	2	3	4	5	6	7	8
5.	पंजाब	7650000	8465288.56	7940000.00	7430146.824	8095000	7320150.96
6.	राजस्थान	6560000	6762726.22	6820000.00	7430385.604	7605000	8098976.83
7.	चंडीगढ़ यूटी	11000	141536.00	12000.00	140594.6034	10000	235818.44
	उत्तरी क्षेत्र कुल	20,549,100.00	21691913.94	21,409,800.00	23,284,687.75	22,921,200.00	25,729,909.72
8.	अरुणाचल प्रदेश	30100	4282.18	25800.00	13258.66058	37600	8342.09
9.	असम	520500	390547.53	571000.00	610207.4098	714000	675613.84
10.	मणिपुर	34300	15867.18	41800.00	25112.17491	65200	27280.04
11.	मेघालय	34200	15627.14	42500.00	36831.05286	66000	35073.62
12.	मिजोरम	20300	9912.84	24600.00	11435.63322	27300	17493.61
13.	नागालैंड	31500	11816.65	38800.00	12939.20706	38400	20501.71
14.	सिक्किम	14100	7161.36	19900.00	16169.64758	24800	12499.28
15.	त्रिपुरा	100000	128054.76	109300.00	151312.5343	178000	232572.61
	पूर्वोत्तर क्षेत्र कुल	785,000.00	583,269.64	873,700.00	877,266.32	1,151,300.00	1,029,376.80
16.	अंडमान और निकोबार द्वीपसमूह	12800	11184.38	14800.00	13498.20389	23000	12023.51
17.	बिहार	3620000	4054231.00	3890000.00	2618458.375	3798000	2698673.37
18.	झारखंड	524000	366183.81	691500.00	437999.1831	696000	378093.39
19.	ओडिशा	2152500	2028270.04	2435000.00	2126496.465	2992000	2277721.45
20.	पश्चिम बंगाल	3997000	3907458.44	4247000.00	3489572.322	5505000	4092023.21
	पूर्वी क्षेत्र कुल	10,306,300.00	10,367,327.67	11,278,300.00	8,686,024.55	13,014,000.00	9,458,534.93
21.	छत्तीसगढ़	1013000	767426.11	1130000.00	1223742.133	1300000	1519922.76
22.	मध्य प्रदेश	5975000	5210400.35	6355000.00	5614906.412	6568000	6043188.47
23.	उत्तराखंड	618800	586937.77	670000.00	650543.4181	975000	788127.24
24.	उत्तर प्रदेश	8430000	8764167.01	8870000.00	8158401.411	10790000	8513614.74
	मध्य क्षेत्र कुल	16,036,800.00	15,328,931.24	17,025,000.00	15,647,593.37	19,633,000.00	16,864,853.21

1	2	3	4	5	6	7	8
25.	गोवा	78000	56711.46	83500.00	101127.6641	128500	124550.64
26.	गुजरात	4990000	4456320.39	5310000.00	5427669.753	5810000	6268293.45
27.	महाराष्ट्र	6111500	6277679.78	6471500.00	8138383.631	6965000	7672266.1
28.	दादरा और नगर हवेली यूटी	2200	2026.85	2600.00	8017.098278	11100	6584.22
29.	दमन और दीव यूटी	2100	644.67	2600.00	3458.32316	4900	3325.96
	पश्चिमी क्षेत्र कुल	11,183,800.00	10,793,383.15	11,870,200.00	13,678,656.47	12,919,500.00	14,075,020.37
30.	आंध्र प्रदेश	5392500	7413594.20	5712500.00	9286862.137	6060000	11342747.74
31.	तेलंगाना	3765000	3332568.03	4035000.00	6788535.432	5190000	5890751.41
32.	कर्नाटक	5340000	8483248.35	5560000.00	7808272.116	5492500	7938377.02
33.	केरल	4068000	4339237.06	4288000.00	6773876.454	3955000	8417707.69
34.	पुदुचेरी	78500	108155.84	91700.00	529008.4231	433200	260798.66
35.	तमिलनाडु	7494000	9109362.38	7854000.00	13214456.68	9225000	15841700.46
36.	लक्षद्वीप यूटी	1000	0.00	1800.00	327.297	5300	505.7
	दक्षिणी क्षेत्र कुल	26,139,000.00	32,786,165.86	27,543,000.00	44,401,338.54	30,361,000.00	49,692,588.68
	सकल योग	85,000,000.00	91,550,991.50	90,000,000.00	106,575,567.01	100,000,000.00	116,850,283.71

स्रोत: नाबार्ड

दस्तावेजों में पिता का नाम शामिल नहीं करने का विकल्प

1809. **श्री आनंद राव अडसुल:**
डॉ. प्रीतम गोपीनाथ मुंडे:
श्री धर्मेन्द्र यादव:
श्री विनायक भाऊराव राऊत:
श्री आधलराव पाटील शिवाजीराव:
कुंवर पुष्पेन्द्र सिंह चन्देल:
श्री श्रीरंग आप्पा बारणे:
डॉ. श्रीकांत एकनाथ शिन्दे:

क्या **महिला और बाल विकास मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या ऐसी महिलाएं जो अपने पति से अलग रह रही हैं तथा जिनके साथ उनके बच्चे रह रहे हैं, वे अपने बच्चों से संबंधित दस्तवेजों में अपने पूर्व-पति के नाम का उल्लेख नहीं करना चाहती हैं;

(ख) यदि हां, तो क्या वित्त मंत्रालय से परित्यक्त या तलाकशुदा महिलाओं या एकल माताओं द्वारा अपनाये गए बच्चों के लिए पैन कार्ड में पिता का नाम शामिल नहीं करने का विकल्प प्रदान करने का अनुरोध किया गया है;

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इस संबंध में मंत्रालय से क्या प्रतिक्रिया प्राप्त हुई है;

(घ) इस संबंध में अंतिम निर्णय कब तक लिए जाने की संभावना है; और

(ङ) क्या मंत्रालय बच्चों को गोद लेने के लिए एकल महिलाओं को वरीयता दे रहा है और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

महिला और बाल विकास मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा अल्पसंख्यक कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (डॉ. वीरेन्द्र कुमार): (क) से (घ) जी हां। महिला एवं बाल विकास मंत्रालय ने वित्त मंत्रालय से अनुरोध किया है कि पैन कार्ड के लिए आवेदन प्रपत्र की पुन: जांच की जाए, जिससे कि एकल माताओं को अपने बच्चों के लिए आवेदन दाखिल करने में सुविधा हो।

(ङ) दत्तक ग्रहण विनियम, 2017 के विनियम 60 के अंतर्गत केन्द्रीय दत्तक ग्रहण संसाधन एजेंसी (कारा) की संचालन समिति ने निर्णय लिया है कि 40 वर्ष से अधिक आयु की एकल महिला संभावित दत्तकग्राही अभिभावक को प्रारंभ में तीन माह की अवधि के लिए 6 माह की पूर्व-दिनांकित वरिष्ठता प्रदान की जाए, जो एकल महिलाओं को प्राथमिकता प्रदान करने के लिए दी गई थी।

वेक्टर जनित रोगों का निवारण

1810. श्री गजानन कीर्तिकर:
श्री सुधीर गुप्ता:
कुंवर हरिवंश सिंह:
प्रो. के.वी. थॉमस:
श्री शंकर प्रसाद दत्ता:
श्री सुनील कुमार सिंह:
श्री एस.आर. विजय कुमार:
श्री नव कुमार सरनीया:
श्री विद्युत वरण महतो:
डॉ. पी. वेणुगोपाल:
श्री टी. राधाकृष्णन:
श्री एस. राजेन्द्रन:

क्या **स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) देश में मलेरिया, डेंगू और अन्य वेक्टर जनित रोगों के निवारण हेतु आरंभ की गई विभिन्न योजनाओं का ब्यौरा क्या है;

(ख) विगत तीन वर्षों और चालू वर्ष के दौरान इन योजनाओं हेतु आवंटित की गई धनराशि का ब्यौरा क्या है;

(ग) विगत तीन वर्षों और चालू वर्ष के दौरान प्रत्येक राज्य/संघ राज्य क्षेत्र में मच्छरों द्वारा फैलाए जा रहे रोगों के कारण होने वाली मौतों की संख्या कितनी है;

(घ) क्या भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान ने डेंगू के मच्छरों और उनके अण्डों को समाप्त करने के लिए नई प्रौद्योगिकी विकसित की है और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ङ) देश में मलेरिया, डेंगू और अन्य वेक्टर जनित रोगों के मामलों में कमी लाने में कितनी प्रगति हुई है?

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती अनुप्रिया पटेल): (क) और (ख) स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय के अधीन राष्ट्रीय वेक्टर जनित रोग नियंत्रण कार्यक्रम निदेशालय (एनवीबीडीसीपी) निम्नलिखित वेक्टर जनित रोगों संबंधी कार्य देखता है:-

(क) मलेरिया

(ख) डेंगू

(ग) चिकुनगुनिया

(घ) जापानी इंसेफेलाइटिस (जेई)

(ङ) काला-आजार (केए)

(च) लिम्फैटिक फिलेराइसिस (एलएफ)

राष्ट्रीय वेक्टर जनित रोग नियंत्रण कार्यक्रम निदेशालय (एनवीबीडीसीपी) वेक्टर जनित रोगों की रोकथाम और नियंत्रण के लिए राज्यों/संघ शासित क्षेत्रों को तकनीकी दिशा-निर्देश और निधियां उपलब्ध कराता है। पिछले तीन वर्षों और चालू वर्ष के दौरान राज्यों/केन्द्र शासित क्षेत्रों के लिए आबंटित निधियों का ब्यौरा संलग्न विवरण-I पर दिया गया है।

(ग) वेक्टर जनित रोगों के कारण होने वाली मृत्यु को दर्शाने वाला ब्यौरा संलग्न विवरण-II में दिया गया है।

(घ) भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान (आईआईटी), मद्रास ने ऐसा उपकरण विकसित करने का दावा किया है, जो मच्छरों को पकड़ता है, लेकिन इससे किसी भी तरह ये डेंगू कम नहीं होता।

(ङ) हाल ही के वर्षों में, देश में वेक्टर जनित रोगों जैसे मलेरिया, काला-आजार और लिम्फैटिक फिलेरेसिस की घटनाओं में निरंतर कमी हुई है। वर्ष 2016 की तुलना में वर्ष 2017 में मलेरिया के मामलों की संख्या में अत्यधिक गिरावट (22.32%) हुई है। मलेरिया के कारण होने वाली मौतों में भी वर्ष 2016 की तुलना में वर्ष 2017 में लगभग 41.38% की कमी हुई है। इसी तरह की गिरावट वर्ष 2008 के प्रारंभ में भी जारी रही है।

इसी प्रकार, काला-आजार के मामलों की संख्या वर्ष 2007 में 44533 थी, जो वर्ष 2009 में घटकर 24212 हो गई है और वर्ष 2017 में केवल 5758 मामलों की जानकारी मिली है तथा वर्ष 2018 (अभी तक) में केवल 1890 मामलों का पता चला है, जिनमें किसी प्रकार की मौत नहीं हुई है।

लिम्फैटिक फिलेरेसिस की स्थानिकता में भी कमी हुई है। वर्ष 2009 में निर्धारित 256 जिलों में से वर्तमान में यह केवल 137 जिलों तक सीमित है। एलएफ के उन्मूलन के लिए शेष जिलों में भी मॉस ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन (एमडीए) चल रहा है।

देश में डेंगू के मामलों में कमी करने के लिए की गई प्रगति निम्नवत् है:–

- मामले का शुरुआत में पता लगाना, रोकथाम और नियंत्रण के लिए निगरानी एवं पर्यवेक्षण करना।
- वर्ष 2018 के दौरान (दिनांक 30.06.2018 तक), 5 एडवाइजरी जारी की गई हैं और 6 समीक्षाएं की गई तथा एक वीडियो कांफ्रेंस आयोजित की गई है।
- पूरे देश में निर्धारित 618 प्रहरी निगरानी अस्पतालों (एसएसएच) और 16 शीर्ष रेफरल प्रयोगशालाओं (एआरएल) के जरिए नैदानिक सुविधाएं प्रदान की जाती हैं।
- वर्ष 2018 के दौरान (दिनांक 30.06.2018 तक) भारत सरकार ने राष्ट्रीय विषाणु विज्ञान संस्थान (एनआईवी), पुणे के जरिए 1768 डेंगू किटों की आपूर्ति की है।
- परामर्श, बैठकों, समीक्षा, इलेक्ट्रॉनिक एवं प्रिंट मीडिया के जरिए रोकथाम एवं नियंत्रण के लिए जानकारी के प्रचार-प्रसार हेतु सूचना शिक्षा संचार (आईईसी)/व्यवहार परिवर्तन संचार (बीवीसी) क्रियाकलाप करना।

विवरण-I

एनवीबीडीसीपी के तहत आवंटन

(लाख रुपए में)

क्र. सं.	राज्यों/संघशासित प्रदेश	आवंटन			
		2015-16	2016-17	2017-18	2018-19
1	2	3	4	5	6
1.	आंध्र प्रदेश	825.00	728.00	909.95	1041.60
2.	अरुणाचल प्रदेश	1274.00	1183.00	1183.00	918.80
3.	असम	2582.00	2395.10	2335.10	2548.09
4.	बिहार	3540.00	3534.00	3673.50	1795.00
5.	छत्तीसगढ़	2096.00	908.00	3364.50	1086.00
6.	गोवा	98.00	102	106.76	165.40
7.	गुजरात	1072.00	1100.00	1259.00	1313.00
8.	हरियाणा	255.00	200.00	52.00	477.00
9.	हिमाचल प्रदेश	104.00	26.00	45.00	264.00
10.	जम्मू और कश्मीर	92.00	94.20	99.62	352.50
11.	झारखंड	3945.00	3390.00	3370.91	1904.00

1	2	3	4	5	6
12.	कर्नाटक	1953.00	1759.00	970.06	1232.40
13.	केरल	726.00	644.00	509.41	687.00
14.	मध्य प्रदेश	2441.00	2118.00	1657.15	20413.00
15.	महाराष्ट्र	602.00	1320.00	705.80	1104.70
16.	मणिपुर	917.00	1005.00	905.00	697.68
17.	मेघालय	967.00	915.00	864.00	473.80
18.	मिजोरम	1219.00	1104.00	1364.00	337.62
19.	नागालैंड	1203.00	1117.00	1117.00	534.11
20.	ओडिशा	3887.00	10037.00	10177.00	994.60
21.	पंजाब	399.00	402.00	1038.63	272.00
22.	राजस्थान	2615.00	2180.80	1388.65	694.00
23.	सिक्किम	61.00	90.90	41.90	50.00
24.	तमिलनाडु	1619.00	1409.00	1410.55	883.70
25.	तेलंगाना	3965.00	685.00	628.33	1549.20
26.	त्रिपुरा	1400.00	1617.00	1617.00	732.90
27.	उत्तर प्रदेश	3593.00	3650.00	3343.80	3350.60
28.	उत्तराखंड	200.00	266.00	249.38	308.50
29.	पश्चिम बंगाल	1801.00	1910.00	1600.00	1807.80
30.	दिल्ली	171.00	169.00	168.17	204.50
31.	पुदुचेरी	49.00	51.00	51.83	204.50
32.	अंडमान और निकोबार द्वीपसमूह	352.00	349.00	373.00	395.70
33.	चंडीगढ़	80.00	77.00	60.00	90.80
34.	दादरा और नगर हवेली	96.00	107.00	100.00	147.00
35.	दमन और दीव	67.00	71.00	66.00	103.00
36.	लक्षद्वीप	47.00	36.00	41.00	63.50
	कुल	46313.00	46750.00	46847.00	49198.00

विवरण-II

राष्ट्रीय वेक्टर जनित रोग नियंत्रण कार्यक्रम निदेशालय, दिल्ली वीबीडी के कारण मौतों का राज्य/संघ राज्य क्षेत्र-वार ब्यौरा

क्र. सं.	राज्यों/केन्द्र शासित प्रदेश	मलेरिया				डेंगू				जेई				काला-अजार			
		2015	2016	2017	2018*	2015	2016	2017	2018*	2015	2016	2017	2018*	2015	2016	2017	2018*
1.	आंध्र प्रदेश	0	0	0	0	2	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2.	अरुणाचल प्रदेश	7	2	0	0	1	0	0	0	2	0	0	0	0	0	0	0
3.	असम	4	6	0	0	1	4	1	0	135	92	87	13	0	0	0	0
4.	बिहार	1	0	2	0	0	0	0	0	12	25	11	0	5	0	0	0
5.	छत्तीसगढ़	21	61	81	0	1	0	0	2	0	0	0	0	0	0	0	0
6.	गोवा	1	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7.	गुजरात	7	6	7	0	9	14	6	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8.	हरियाणा	3	0	0	0	13	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0
9.	हिमाचल प्रदेश	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10.	जम्मू और कश्मीर	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11.	झारखंड	6	15	0	1	0	1	5	0	8	5	1	0	0	0	0	0
12.	कर्नाटक	0	0	0	0	9	8	10	0	1	0	2	0	0	0	0	0
13.	केरल	4	2	2	0	25	13	37	14	1	0	0	1	0	0	0	0
14.	मध्य प्रदेश	24	3	5	1	8	12	6	0	0	0	0	0	0	0	0	0
15.	महाराष्ट्र	59	26	20	0	23	33	65	1	0	1	0	0	0	0	0	0
16.	मणिपुर	0	0	0	0	0	1	1	0	0	1	10	0	0	0	0	0
17.	मेघालय	79	45	12	0	0	0	0	0	8	4	4	0	0	0	0	0
18.	मिजोरम	21	9	4	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

19.	नागालैंड	3	0	1	0	1	0	0	0	0	0	2	0	0	0	0	0
20.	ओडिशा	80	77	24	2	2	11	6	0	2	42	0	0	0	0	0	0
21.	पंजाब	0	0	0	0	18	15	18	0	0	0	1	0	0	0	0	0
22.	राजस्थान	3	5	0	0	7	16	14	3	0	0	0	0	0	0	0	0
23.	सिक्किम	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
24.	तमिलनाडु	0	0	0	0	12	5	65	1	0	0	2	0	0	0	0	0
25.	तेलंगाना	4	1	0	0	2	4	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0
26.	त्रिपुरा	21	14	6	0	0	0	0	0	4	1	0	0	0	0	0	0
27.	उत्तराखंड	0	0	0	0	1	4	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
28.	उत्तर प्रदेश	0	0	0	0	9	42	28	0	42	73	93	5	0	0	0	0
29.	पश्चिम बंगाल	34	59	29	2	14	45	46	0	75	39	40	2	0	0	0	0
30.	अंडमान और निकोबार द्वीपसमूह	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
31.	चंडीगढ़	1	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
32.	दादरा और नगर हवेली	0	0	0	0	0	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
33.	दमन और दीव	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
34.	दिल्ली	0	0	0	0	60	10	10	0	0	0	0	0	0	0	0	0
35.	लक्षद्वीप	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
36.	पुदुचेरी	1	0	0	0	0	2	7	1	0	0	0	0	0	0	0	0
	कुल	384	331	194	6	220	245	325	22	291	283	254	21	5	0	0	0

*मई 2018 की स्थितिनुसार।

नेत्र बैंक

1811. **श्री एस. राजेन्द्रन:**
कुंवर हरिवंश सिंह:
श्री गजानन कीर्तिकर:
श्री एस.आर. विजय कुमार:
श्री विद्युत वरण महतो:

क्या **स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) देश में वर्तमान में राज्य/संघ राज्य क्षेत्र-वार कितने नेत्र बैंक कार्य कर रहे हैं;

(ख) गत तीन वर्षों के प्रत्येक वर्ष और चालू वर्ष के दौरान राज्य/संघ राज्य क्षेत्र-वार कितने नेत्रदान किए गए हैं;

(ग) क्या अंधापन नियंत्रण हेतु राष्ट्रीय कार्यक्रम (एनपीसीवी) के अनुसार कॉर्नियल प्रत्यारोपण हेतु दान किए गए नेत्रों के 50 प्रतिशत से भी कम का उपयोग किया जाता है;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इसके क्या कारण हैं; और

(ङ) दान किए गए नेत्रों का सफलतापूर्वक उपयोग हो, यह सुनिश्चित करने के लिए सरकार द्वारा क्या कदम उठाए गए हैं/उठाए जा रहे हैं?

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती अनुप्रिया पटेल): (क) राज्य/संघ क्षेत्रों द्वारा प्रस्तुत सूचना के अनुसार वर्तमान में देश में कार्यरत नेत्र बैंकों की संख्या को दर्शाने वाला ब्यौरा संलग्न विवरण-I में दिया गया है।

(ख) राज्य/संघ राज्य क्षेत्रों द्वारा प्रस्तुत सूचना के अनुसार पिछले तीन वर्षों और चालू वर्ष (वर्ष 2015-16, 2016-17, 2017-18 और 2018-19) प्रत्येक के दौरान प्राप्त दान किए गए नेत्रों की संख्या को दर्शाने वाला ब्यौरा संलग्न विवरण-II में दिया गया है।

(ग) और (घ) उपलब्ध रिपोर्ट के अनुसार, राज्य/संघ राज्य क्षेत्रों में लगभग 40-50 प्रतिशत दान किए गए नेत्रों का उपयोग कॉर्निया प्रतिरोपण के लिए किया जाता है।

कॉर्निया प्रत्यारोपण से पहले, ऑप्टिकल केराटोप्लास्टी के लिए संग्रहित कॉर्नियों की उपयुक्तता का मूल्यांकन प्रतिरोपण सर्जन द्वारा किया जाता है। तथापि, विभिन्न चिकित्सा कारणों जैसे दानदाता की उम्र, पूर्व-विद्यमान अपकर्ष आदि जैसे कारणों से एकत्रित कॉर्नियों की खराब गुणवत्ता के कारण सभी कॉर्निया प्रत्यारोपण के लिए उपयुक्त नहीं पाई जाती हैं। अत: कॉर्नियल अंधापन को दूर करने के लिए केवल स्वास्थ्य की दृष्टि से उपयुक्त कॉर्निया का ही कॉर्नियल प्रत्यारोपण के लिए उपयोग किया जाता है।

तथापि, दान की गई कॉर्निया, जो कॉर्नियल प्रत्यारोपण के लिए उपयुक्त या योग्य नहीं पाई जाती है, उनका उपयोग या तो थैराप्यूटिक केराटोप्लास्टी के लिए या प्रशिक्षण और अनुसंधान उद्देश्यों के लिए किया जाता है।

(ङ) दान की गई कॉर्नियों के सफल उपयोग के लिए राष्ट्रीय दृष्टिहीनता और दृष्टि विकार नियंत्रण कार्यक्रम (एनपीसीबी एवं VI) के तहत निम्नलिखित कदम उठाए गए हैं:-

(i) दान की गई कॉर्निया के भंडारण हेतु परिरक्षण सामग्री और मीडिया सहित चिह्नित ऑफथैलेमिक उपस्करों, उपभोज्य वस्तुओं की लागत को पूरा करने के लिए नेत्र बैंकों और नेत्रदान केन्द्रों को सहायता देना;

(ii) नेत्र बैंकिंग और केराटोप्लास्टी में नेत्र सर्जनों को आतंरिक प्रशिक्षण देना;

(iii) सरकारी नेत्र बैंकों के लिए दान की गई कॉर्निया हेतु परिरक्षण एवं भंडारण माध्यम की नि:शुल्क आपूर्ति करना;

(iv) समय पर कॉर्निया के प्रत्यारोपण के लिए "हॉस्पिटल कॉर्नियल रिट्राइवल प्रोग्राम" के तहत मृत्यु के बाद नेत्रदान करने वाले दाताओं और अस्पताल में मरने वाले मरीजों से भी नेत्र बैंकों द्वारा नेत्रों का संग्रहण करना;

(v) नेत्रदान को प्रोत्साहन देने और दान किए गए नेत्रों को समय पर संग्रहित करने के लिए चिह्नित नेत्र बैंकों में नेत्रदान सलाहकारों की नियुक्ति करना;

(vi) नेत्रदान अंगदान के लिए मेट्रो शहरों में क्षेत्र के नेत्र बैंकों से अपने आप जुड़ने वाली समर्पित फोन लाइन 1919 (बीएसएनएल और एमटीएनएल प्रयोगकर्ता) और नए 24 × 7 टोल फ्री नं. 1800-11-4770 का प्रावधान करना।

विवरण-I

देश में राज्य/संघ राज्य-वार कार्यात्मक नेत्र बैंकों की संख्या, (24.7.2018 के अनुसार)

क्र. सं.	राज्यों/संघशासित प्रदेश	कार्यात्मक नेत्र बैंकों की संख्या
1	2	3
1.	अंडमान और निकोबार द्वीपसमूह	0
2.	आंध्र प्रदेश	14
3.	अरुणाचल प्रदेश	0
4.	असम	5
5.	बिहार	1
6.	चंडीगढ़	3
7.	छत्तीसगढ़	4
8.	दादरा और नगर हवेली	0
9.	दमन और दीव	0
10.	दिल्ली	10
11.	गोवा	1
12.	गुजरात	29
13.	हरियाणा	6
14.	हिमाचल प्रदेश	2
15.	जम्मू और कश्मीर	0
16.	झारखंड	7
17.	कर्नाटक	30
18.	केरल	13
19.	लक्षद्वीप	0
20.	मध्य प्रदेश	36
21.	महाराष्ट्र	74
22.	मणिपुर	1
23.	मेघालय	0
24.	मिजोरम	1
25.	नागालैंड	0
26.	ओडिशा	7
27.	पुदुचेरी	3
28.	पंजाब	18
29.	राजस्थान	6
30.	सिक्किम	0
31.	तमिलनाडु	38
32.	तेलंगाना	2
33.	त्रिपुरा	1
34.	उत्तर प्रदेश	33
35.	उत्तराखंड	2
36.	पश्चिम बंगाल	14
	कुल	361

विवरण-II

पिछले तीन वर्षों एवं चालू वर्ष के दौरान प्राप्त किए गए राज्य/संघ राज्य क्षेत्र-वार कॉर्निया की संख्या

क्र. सं.	राज्यों/संघशासित प्रदेश	दान किए गए नेत्रों की संख्या			
		2015-16	2016-17	2017-18	2018-19
1	2	3	4	5	6
1.	अंडमान और निकोबार द्वीपसमूह	0	0	0	0

1	2	3	4	5	6
2.	आंध्र प्रदेश	3115	3454	4142	1126
3.	अरुणाचल प्रदेश	0	0	0	0
4.	असम	394	215	313	85
5.	बिहार	34	0	71	0
6.	छत्तीसगढ़	282	334	378	84
7.	चंडीगढ़	950	1081	1169	173
8.	दादरा और नगर हवेली	0	0	0	0
9.	दमन और दीव	6	4	4	0
10.	दिल्ली	3575	3409	3699	117
11.	गोवा	6	12	4	1
12.	गुजरात	8436	8447	8057	1819
13.	हरियाणा	3456	4397	1876	0
14.	हिमाचल प्रदेश	0	93	40	0
15.	जम्मू और कश्मीर	0	0	55	25
16.	झारखंड	42	12	38	4
17.	कर्नाटक	3572	3498	5914	1030
18.	केरल	1922	1973	2012	303
19.	लक्षद्वीप	0	0	0	0
20.	मध्य प्रदेश	2208	3710	2414	130
21.	महाराष्ट्र	7301	7514	7560	936
22.	मणिपुर	59	73	0	0
23.	मेघालय	0	0	0	0
24.	मिजोरम	127	102	80	36
25.	नागालैंड	2	0	0	0
26.	ओडिशा	983	1346	1344	410
27.	पुदुचेरी	1330	1399	1242	306
28.	पंजाब	773	1257	1274	184
29.	राजस्थान	1267	1522	1417	382

1	2	3	4	5	6
30.	सिक्किम	0	0	0	0
31.	तमिलनाडु	11919	11204	12349	2426
32.	तेलंगाना	6171	7638	9953	3963
33.	त्रिपुरा	0	6	4	0
34.	उत्तर प्रदेश	827	857	2051	617
35.	उत्तराखंड	207	285	239	42
36.	पश्चिम बंगाल	2940	3794	4011	275
	कुल	61904	67636	71710	14474

सीएएमपीए योजना के अंतर्गत आबंटित की गई निधियां

1812. श्री कोथा प्रभाकर रेड्डी:
श्री निनोंग इरिंग:

क्या **पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) देश में अरुणाचल प्रदेश और तेलंगाना सहित क्षतिपूरक वनीकरण निधि प्रबंधन और नियोजन प्राधिकरण (सीएएमपीए) के कार्यान्वयन की राज्य/संघ राज्यक्षेत्र-वार वर्तमान स्थिति क्या है;

(ख) गत तीन वर्षों और चालू वर्ष के दौरान उक्त योजना के अंतर्गत विभिन्न राज्यों/संघ राज्यक्षेत्रों द्वारा व्यय/उपयोग की गई निधियों का परियोजना और राज्य/संघ राज्यक्षेत्र-वार ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या सरकार ने उक्त योजना के अंतर्गत राज्य को निधियों के वितरण से संबंधित नए नियम बनाए हैं; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

संस्कृति मंत्रालय के राज्य मंत्री तथा पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय में राज्य मंत्री (डॉ. महेश शर्मा): (क) और (ख) राज्य काम्पा की संचालन समिति द्वारा अनुमोदित वार्षिक प्रचालन योजना के लिए तदर्थ काम्पा द्वारा प्रबंधित प्रतिपूरक वनीकरण निधि से आंध्र प्रदेश ओर तेलंगाना सहित विभिन्न राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों को 31.03.2018 तक जारी निधियों का ब्यौरा संलग्न विवरण में दिया गया है। निधियों का उपयोग काम्पा दिशानिर्देश के अनुसार किया जाता है।

(ग) और (घ) प्रतिपूरक वनीकरण निधि अधिनियम के अंतर्गत नियमों को जनता/हितधारकों से टिप्पणियों/अभ्युक्तियों के लिए 17.02.2018 को राजपत्र में प्रकाशित किया गया था और अंतिम प्रारूप प्रतिपूरक वनीकरण निधि नियमों को विधि और न्याय मंत्रालय को भेज दिया गया है।

विवरण

प्रतिपूरक वनीकरण विधि से विभिन्न राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों को जारी की गई निधियां

क्र. सं.	राज्य/केन्द्र शासित प्रदेशों	31.03.2018 तक राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों को जारी राशि (रुपये में)
1	2	3
1.	आंध्र प्रदेश	9,46,70,15,000
2.	अंडमान और निकोबार द्वीपसमूह	5,76,87,000
3.	अरुणाचल प्रदेश	3,58,36,84,000
4.	असम	1,50,88,58,100

1	2	3
5.	बिहार	1,48,35,24,000
6.	चंडीगढ़	4,85,22,000
7.	छत्तीसगढ़	12,93,24,40,000
8.	दादरा और नगर हवेली	32,18,000
9.	दमन और दीव	-
10.	दिल्ली	18,17,49,105
11.	गोवा	45,46,65,000
12.	गुजरात	3,64,83,32,000
13.	हरियाणा	2,74,95,50,000
14.	हिमाचल प्रदेश	6,71,09,89,400
15.	जम्मू और कश्मीर	2,77,78,35,000
16.	झारखंड	1,15,31,23,93,00
17.	कर्नाटक	52,77,83,30,00
18.	केरल	15,65,58,000
19.	लक्षद्वीप	-
20.	मध्य प्रदेश	8,61,53,47,000
21.	महाराष्ट्र	11,20,68,65,000
22.	मणिपुर	88,23,69,000
23.	मेघालय	23,72,64,000
24.	मिजोरम	3,76,75,2000
25.	नागालैंड	-
26.	ओडिशा	3,07,60,22,50,50
27.	पुदुचेरी	-
28.	पंजाब	3,42,46,63,878
29.	राजस्थान	6,20,54,17,000
30.	सिक्किम	79,23,49,000
31.	तमिलनाडु	30,08,29,000
32.	तेलंगाना	3,56,21,80,000
33.	त्रिपुरा	43,61,36,300
34.	उत्तर प्रदेश	5,89,83,85,400
35.	उत्तराखंड	8,53,38,90,000
36.	पश्चिम बंगाल	37,41,53,000
	कुल योग	1,44,18,05,24,533

'सशक्त' योजना

1813. श्रीमती पूनम बेन माडम:
श्रीमती एम. वसन्ती:
डॉ. थोकचोम मेन्या:

क्या **वित्त मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार ने सरकारी क्षेत्र के बैंकों की संकटग्रस्त/गैर निष्पादनकारी परिसम्पत्तियों के समाधान के लिए सुनील मेहता समिति रिपोर्ट की सिफारिशों को स्वीकार कर लिया है तथा बैंकों के नेतृत्व में पांच आयामी व्यापक 'सशक्त' नामक योजना की घोषणा की है और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ख) क्या सरकार अशोध्य ऋणों से निपटने के लिए समिति की सभी सिफारिशों को कार्यान्वित करेगी और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और इन्हें कार्यान्वित करने की समय सीमा क्या है;

(ग) क्या उक्त योजना में 500 करोड़ रुपए से अधिक के ऋण के लिए एक या अधिक व्यापक नियंत्रण वाली परिसम्पत्ति प्रबंधन कंपनियों का सृजन शामिल है और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(घ) क्या इस योजना में कोई विनियामक पूर्ववर्तिता या तात्कालिक सरकारी संलग्नता शामिल नहीं है और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ङ) इस परियोजना का किस हद तक बैंकिंग क्षेत्र की अनियमितताओं पर अनुकूल प्रभाव पड़ेगा?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री शिव प्रताप शुक्ला): (क) से (ङ) बैंकों से प्राप्त सूचना के अनुसार, बैंकों ने दबावग्रस्त आस्तियों के समाधान के लिए एक समिति का गठन किया था,

जिसने अपनी रिपोर्ट दे दी है, जिसमें एसएमई समाधान, बैंक संचालित समाधान, एएमसी/एआईएफ संचालित समाधान (इसमें बैंकों की 500 करोड़ रुपये से अधिक के एक्सपोजर वाली दबावग्रस्त आस्ति को नियंत्रण में लेने के लिए आस्ति प्रबंधन कंपनी के गठन, वैकल्पिक निवेश निधियों (एआईएफ) के जरिए दबावग्रस्त आस्तियों में संस्थागत वित्तपोषण को आकर्षित करने और मूल्य सृजित करने के लिए परिचालनात्मक परिवर्तन करने की परिकल्पना की गई है), दिवाला और शोधन अक्षमता संहिता के जरिए समाधान और आस्ति कारोबार मंच के क्षेत्र में बैंकिंग उद्योग के द्वारा दबावग्रस्त आस्ति समाधान के लिए पंच आयामी-पद्धति की सिफारिश की गई है। बैंकों ने दबावग्रस्त आस्ति की स्थिति से निपटने के लिए समुचित अनुमोदन के साथ सुझावों को आगे बढ़ाने के लिए कदम उठाए हैं।

बैंकों द्वारा दी गई सूचना के अनुसार, पंच-पद्धति में तत्काल सरकार की सहभागिता की परिकल्पना नहीं की गई है। विनियामकीय व्यवस्था के संबंध में, बैंक द्वारा दी गई सूचना के अनुसार रिपोर्ट में एआईएफ को सूचीबद्ध प्रतिभूतियों में 51% से अधिक शेयरधारिता रखने और भारतीय प्रतिभूति एवं विनिमय बोर्ड (सेबी) नियंत्रण संहिता के अंतर्गत खुला प्रस्ताव करने के लिए सेबी से छूट प्राप्त करने के लिए क्रेडिट रेटिंग एजेंसी द्वारा जारी एवं एआईएफ द्वारा धारित बॉण्डों के क्रेडिट रेटिंग के आधार पर जोखिम भार उपलब्ध कराने हेतु भारतीय रिजर्व बैंक से विशेष छूट का प्रस्ताव किया गया है।

एमएमआर और आईएमआर

1814. श्री मोहम्मद सलीम:
श्री रमेन डेका:
श्री लल्लू सिंह:
श्री मोहम्मद बदरुद्दोजा खान:

क्या **स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार ने शिशु मृत्यु दर (आईएमआर), मातृत्व दर (एमएमआर) और नवजात मृत्यु दर (एनएमआर) संबंधी वर्ष 2018 की यूनिसेफ रिपोर्ट पर संज्ञान लिया है;

(ख) यदि हां, तो विगत तीन वर्षों के दौरान राज्य/संघ राज्य क्षेत्र-वार असम में इंद्रधनुष द्वारा कवर किए गए बच्चों सहित तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और सरकार द्वारा संबंधित मृत्यु दर का कितना अनुमान लगाया गया था;

(ग) सराकर द्वारा संबंधित योजनाओं के संबंध में व्यय/स्वीकृत और आवंटित की गई धनराशि का ब्यौरा क्या है;

(घ) क्या सरकार ने इन समस्याओं से निपटने के लिए उक्त योजनाओं हेतु कोई तंत्र अथवा नीति आरंभ की है और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ङ) विगत तीन वर्षों के दौरान उक्त मृत्यु दर को रोकने के लिए राज्य/संघ राज्य क्षेत्र-वार कौन-सी योजनाएं/कार्यक्रम/ निधि आरंभ/जारी की गई है; और

(च) सरकार द्वारा देश में उक्त समस्याओं का समाधान करने और एमएमआर, आईएमआर और एनएमआर की दर में कमी लाने के लिए क्या कदम उठाए गए हैं/उठाए जा रहे हैं?

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री अश्विनी कुमार चौबे): (क) और (ख) भारत सरकार के राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन (एनएचएम) के तहत मातृ एवं शिशु उत्तरजीविता शीर्ष प्राथमिकताओं में से एक है।

वर्ष 2018 में यूनिसेफ द्वारा प्रकाशित "एवरी चाइल्ड-एलाइन अर्जेंट नीड टू एण्ड न्यू बोर्न डेथ्स" के अनुसार नवजात मृत्यु दर के आधार पर विश्व के 52 निम्न मध्य आय वर्ग वाले देशों में भारत का स्थान 12वां हैं। तथापि, भारत के महापंजीयक की नमूना पंजीकरण प्रणाली के अनुसार, नवजात मृत्यु दर (एनएमआर) वर्ष 2016 में प्रति 1000 जीवित जन्म पर 24, शिशु मृत्यु दर (आईएमआर) प्रति 1000 जीवित जन्म पर 34 और मातृ मृत्यु दर का अनुपात प्रति 100000 जीवित जन्मों पर (2014-16) 130 है।

पिछले तीन वर्षों की राज्य/संघ राज्य क्षेत्र-वार शिशु मृत्यु दर (आईएमआर), मातृ मृत्यु दर (एमएमआर) तथा नवजात मृत्यु दर (एनएमआर) संलग्न विवरण-I से III पर दी गई है।

23 जुलाई, 2018 की स्थिति के अनुसार असम में ग्राम स्वराज अभियान/विस्तारित ग्राम स्वराज अभियान सहित मिशन इंद्रधनुष के विभिन्न चरणों के तहत कुल 3.89 लाख बच्चों को कवर किया गया है।

(ग) से (ङ) राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन के तहत 2015-16 से 2017-18 की अवधि के लिए निधियों का राज्य-वार आवंटन और संलग्न विवरण-IV पर दिया गया है।

जन स्वास्थ्य राज्य का विषय है, फिर भी मातृ एवं बाल मृत्यु में कमी लाने के लिए राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन के तहत राज्यों/संघ

राज्य क्षेत्रों द्वारा कार्यान्वित किए जा रहे विभिन्न कार्यक्रम और योजनाएं निम्नवत् हैं:—

(1) जननी सुरक्षा योजना (जेएसवाई) के अंतर्गत नकद प्रोत्साहन राशि के जरिए संस्थागत प्रसवों को बढ़ावा देना और जननी शिशु सुरक्षा कार्यक्रम (जेएसएसके), जिसमें सरकारी स्वास्थ्य केन्द्रों में प्रसव कराने वाली सभी गर्भवती महिलाएं पूर्णत: निशुल्क प्रसव-पूर्व जांचों, सिजेरियन सेक्शन सहित प्रसव, प्रसवोत्तर परिचर्या एवं बीमार बच्चों का उपचार एक वर्ष तक करवाने हेतु पात्र होती है।

(2) व्यापक और गुणवत्ता युक्त प्रजनन, मातृ, बाल और किशोर स्वास्थ्य (आरएमएनसीएच+ए) सेवाएं प्रदान करने हेतु सभी प्रसव स्थलों पर अनिवार्य नवजात परिचर्या सुनिश्चित करने, माताओं और शिशुओं को उपलब्ध कराई जाने वाली परिचर्या की गुणवत्ता में सुधार लाने के लिए उच्च मामला भार वाले सुविधा केन्द्रों में मातृ एवं बाल स्वास्थ्य (एमसीएच) विंग की स्थापना करना, विशेष नवजात परिचर्या एकक (एसएनसीयू), नवजात स्थिरीकरण एककें (एनबीएसयू) तथा रुग्ण एवं छोटे बच्चों की परिचर्या के लिए कंगारू माता परिचर्या (केएमसी) प्रदान करने के लिए प्रसव स्थलों की स्थापना।

(3) देश के मेडिकल कॉलेजों सहित 2100 से अधिक स्वास्थ्य सुविधा केन्द्रों में लक्ष्य प्रसव कक्ष गुणवत्ता सुधार कार्यक्रम कार्यान्वित किया गया है।

(4) शिशु पालन पोषण परिपाटियों में सुधार लाने के लिए आशाकर्मियों द्वारा आवास आधारित नवजात परिचर्या (एनबीएनसी) उपलब्ध कराई जाती है। वर्ष 2030 तक "एक अंक तक नवजात मृत्यु दर" तथा "एक अंक तक मृत्यु जन्म दर" का लक्ष्य हासिल करने के लिए संगठित प्रयास करने हेतु 2014 में भारत नवजात कार्य-योजना (आईएनएपी) प्रारंभ की गई थी।

(5) प्रत्येक माह की 9 तारीख को सभी गर्भवती महिलाओं को व्यापक रूप से नियत दिवस सुनिश्चित करने, व्यापक और गुणवत्तापूर्ण प्रसव-पूर्व परिचर्या उपलब्ध कराने हेतु प्रधानमंत्री सुरक्षित मातृत्व अभियान (पीएमएसएमए) कार्यान्वित किया गया है।

(6) सभी जन स्वास्थ्य सुविधा केन्द्रों पर रक्ताल्पता गर्भवती महिलाओं सहित गर्भवती महिलाओं की व्यापक जांच की जाती है। सभी गर्भवती महिलाओं को प्रसव-पूर्व 180 आयरन और फॉलिक एसिड (आईएफए) की गोलियां दी जाती हैं तथा प्रसव पश्चात् अवधि में 180 आईएफए गोलियां दी जाती हैं। इनमें से, जिनमें नैदानिक रूप से रक्त की कमी पाई जाती है, उन्हें उपचार रेजिमेन के एक भग के रूप में दोगुनी खुराक दी जाती है।

(7) जिला अस्पतालों और मेडिकल कॉलेजों में प्रसूति कक्षों के मानकीकरण एवं प्रासविक एचडीयू तथा प्रासविक आईसीयू के संबंध में दिशा-निर्देश भी तैयार किए जा चुके हैं तथा प्रसूति एवं बच्चे के जन्म के दौरान परिचर्या गुणवत्ता में सुधार लाने के लिए उनका प्रचार-प्रसार किया गया है।

(8) महिला और बाल विकास मंत्रालय के समन्वय से स्तनपान जल्दी शुरू करवाने तथा पहले छह माह में अनन्य रूप से स्तनपान करवाने के लिए एवं नवजात तथा छोटे बच्चों की आहार संबंधी परिपाटियों (आईवाईसीएफ) को बढ़ावा दिया जाता है। स्वास्थ्य एवं पोषण शिक्षा सहित मातृ एवं बाल परिचर्या के संबंध में जागरुकता फैलाने तथा मातृ एवं बाल स्वास्थ्य सेवाओं के प्रावधान के लिए ग्राम स्वास्थ्य एवं पोषण दिवस (वीएचएनडी) मनाए जाते हैं। स्तनपान को बढ़ावा देने के लिए (प्रथम एक घंटे में स्तनपान शुरू करना छ: माह तक अनन्य रूप से स्तनपान कराने, दो वर्ष तक सम्पूरक स्तनपान कराना) मास-मीडिया तथा स्वास्थ्य परिचर्या प्रदाताओं की क्षमता निर्माण के माध्यम से स्वास्थ्य केन्द्रों और साथ ही समुदायों में एमएए-मां का संपूर्ण दुलार कार्यक्रम की शुरुआत की गई।

(9) तपेदिक, डिपथीरिया, परटुसिस, पॉलियो, टेटनिस, हेपेटाइटिस बी और खसरा जैसे जानलेवा रोगों के लिए बच्चों का टीकाकरण करने हेतु सार्वभौमिक प्रतिरक्षण कार्यक्रम (यूआईपी) के लिए सहायता दी जा रही है। टीकाकरण न किए गए अथवा आंशिक टीकाकरण उन बच्चों के पूरी तरह प्रतिरक्षण के लिए "मिशन इंद्रधनुष और गहन मिशन इंद्रधनुष" की शुरुआत की गई थी

जोकि नियमित प्रतिरक्षण के चक्रों के दौरान किन्हीं कारणों से कवर नहीं किये जा सके थे। चुनिंदा राज्यों में 9 माह से 15 वर्ष तक आयु बच्चों के लिए खसरा रूबेला अभियान चलाया जा रहा है ताकि 2020 तक खसरे के उन्मूलन का लक्ष्य पूरा किया जा सके।

(10) प्रसवपूर्व, प्रसवकालीन एवं प्रसवोत्तर परिचर्या तथा कार्यक्रमानुसार पूर्ण प्रतिरक्षण सुनिश्चित करने हेतु माताओं तथा दो वर्ष की आयु तक बच्चों की नाम आधारित निगरानी (माता और शिशु ट्रैकिंग प्रणाली) की जाती है।

(11) स्वास्थ्य जांच, जन्म के समय विकारों, रोगों, कमियों, धीमा विकास की शीघ्र पहचान करने, जिसमें अक्षमता तथा शीर्घ कार्यकलाप संवाएं भी शामिल हैं, के लिए राष्ट्रीय बाल स्वास्थ्य कार्यक्रम (आरबीएसके) शुरू किया गया ताकि समुदाय में 0-18 वर्ष के आयु समूह के सभी बच्चों को व्यापक परिचर्या प्रदान की जा सके।

(12) लोक स्वास्थ्य केन्द्रों में गंभीर तीव्र कुपोषणता (एसएएम) से ग्रस्त बच्चों और चिकित्सकीय जटिलताओं वाले भर्ती बच्चों के उपचार और प्रबंधन के लिए पोषण पुनर्वास केन्द्र स्थापित किए गए हैं।

(13) गहन अतिसार नियंत्रण पखवाड़ा (आईडीसीएफ) के तहत, अनन्य रूप से स्तनपान कराने और बच्चों में डायरिया के प्रबंधन हेतु ओआरएस और जिंक के उपयोग के प्रचार प्रसार हेतु आशा द्वारा संवेदनशील आयु समूह, घर-घर जाकर रक्ताल्पता के निवारण के लिए आयरन व फोलिक एसिड (आईएफए) संपूरक देना, राष्ट्रीय कृमिनाशी दिवस (फरवरी और अगस्त) के दौरान 1-19 वर्ष के आयु वर्ग के सभी बच्चों को कृमिनाशी गोलियां दी जाती हैं।

(14) स्वस्थ परिपाटियों के प्रचार-प्रसार और मांग सृजन करने के प्रति जागरुकता बढ़ाने तथा सेवा प्राप्ति को सुधारने हेतु सूचना शिक्षा एवं संप्रेषण (आईईसी) और व्यवहार परिवर्तन संप्रेषण (बीसीसी) के माध्यम से स्वास्थ्य एवं पोषण शिक्षा देना।

(15) विशेष रूप से गर्भवती महिलाओं और बच्चों में मलेरिया के कारण होने वाली रक्त की कमी की समस्या से निपटने के लिए स्थानिकमारी क्षेत्रों में लंबे समय तक चलने वाली मच्छरदानियों (एलएचआईएन) तथा कीट उपचारित बिस्तर मच्छरदानियों (आईटीबीएन) का वितरण किया जाता है।

(16) उप-केन्द्रों तथा प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्रों एवं अन्य सुविधा केन्द्रों के साथ-साथ ग्राम स्वास्थ्य एवं पोषण दिवसों (वीएचएनडी) पर आउटरीच क्रियाकलापों के माध्यम से मौजूदा नेटवर्क के द्वारा प्रसव-पूर्व दौरों के दौरान गर्भवती महिलाओं को खुराक संबंधी परामर्श दिया जाता है।

(17) गर्भावस्था प्रसव और आवश्यक नवजात परिचर्या के दौरान माता का बुनियादी और व्यापक प्रासविक परिचर्या में स्वास्थ्य परिचर्या प्रदाताओं के कौशल निर्माण एवं उन्नयन हेतु विभिन्न प्रशिक्षणों का आयोजन किया जाता है।

विवरण-I

शिशु मृत्यु दर की स्थिति

राज्य/संघ राज्य/क्षेत्र	2014	2015	2016
1	2	3	4
भारत	39	37	34
बिहार	42	42	38
छत्तीसगढ़	43	41	39
हिमाचल प्रदेश	32	28	25
जम्मू और कश्मीर	34	26	24
झारखंड	34	32	29
मध्य प्रदेश	52	50	47
ओडिशा	49	46	44
राजस्थान	46	43	41
उत्तर प्रदेश	48	46	43
उत्तराखंड	33	34	38
अरुणाचल प्रदेश	30	30	36

1	2	3	4
असम	49	47	44
मणिपुर	11	9	11
मेघालय	46	42	39
मिजोरम	32	32	27
नागालैंड	14	12	12
सिक्किम	19	18	16
त्रिपुरा	21	20	24
आंध्र प्रदेश	39	37	34
गोवा	10	9	8
गुजरात	35	33	30
हरियाणा	36	36	33
कर्नाटक	29	28	24
केरल	12	12	10
महाराष्ट्र	22	21	19
पंजाब	24	23	21
तमिलनाडु	20	19	17
तेलंगाना	35	34	31
पश्चिम बंगाल	28	26	25
अंडमान और निकोबार द्वीपसमूह	22	20	16
चंडीगढ़	23	21	14
दादरा और नगर हवेली	26	21	17
दमन और दीव	18	18	19
दिल्ली	20	18	18
लक्षद्वीप	20	20	19
पुदुचेरी	14	11	10

स्रोत: भारत के महापंजीयक की नमूना पंजीकरण प्रणाली रिपोर्ट।

विवरण-II

नवजात मृत्यु दर की स्थिति

राज्य अमेरिका	2014	2015	2016
भारत	26	25	24
आंध्र प्रदेश	26	24	23
असम	26	25	23
बिहार	27	28	27
छत्तीसगढ़	28	27	26
दिल्ली	13	14	12
गुजरात	24	23	21
हरियाणा	23	24	22
हिमाचल प्रदेश	25	19	16
जम्मू और कश्मीर	26	20	18
झारखंड	25	23	21
कर्नाटक	20	19	18
केरल	6	6	6
मध्य प्रदेश	35	34	32
महाराष्ट्र	16	15	13
ओडिशा	36	35	32
पंजाब	14	13	13
राजस्थान	32	30	28
तमिलनाडु	14	14	12
तेलंगाना	25	23	21
उत्तर प्रदेश	32	31	30
उत्तराखंड	26	28	30
पश्चिम बंगाल	19	18	17

स्रोत: भारत के महापंजीयक की नमूना पंजीकरण प्रणाली रिपोर्ट।

विवरण-III

मातृ मृत्यु दर की स्थिति

	2011-13	2014-16
1	2	3
भारत	167	130
उत्तर प्रदेश/उत्तराखंड	285	201
केरल	61	46
मध्य प्रदेश/छत्तीसगढ़	221	173
असम	300	237
बिहार/झारखंड	208	165
हरियाणा	127	101
आंध्र प्रदेश	92	74
ओडिशा	222	180
कर्नाटक	133	108
गुजरात	112	91
राजस्थान	244	199
तमिलनाडु	79	66
पंजाब	141	122
पश्चिम बंगाल	113	101
महाराष्ट्र	68	61
तेलंगाना	अनुपलब्ध	81
अन्य राज्य	126	97

स्रोत: भारत के महापंजीयक की नमूना पंजीकरण प्रणाली रिपोर्ट।

विवरण-IV

वित्त वर्ष 2015-16 से 2017-18 के लिए एनएचएम के तहत जारी धनराशि एवं व्यय का राज्य-वार विवरण

करोड़ रु. में

क्र.सं.	राज्य	2015-16		2016-17		2017-18	
		जारी	व्यय	जारी	व्यय	जारी	व्यय
1	2	3	4	5	6	7	8
1.	अंडमान और निकोबार द्वीपसमूह	37.54	11.72	44.90	28.92	33.94	32.84
2.	आंध्र प्रदेश	659.04	1,105.70	629.55	1,287.04	875.06	1,463.74
3.	अरुणाचल प्रदेश	163.80	147.41	160.60	165.42	261.70	165.75
4.	असम	997.59	1,212.25	1,046.09	1,337.40	1,392.66	1,374.94
5.	बिहार	1,269.67	1,731.85	1,040.59	1,619.20	1,557.40	1,820.05
6.	चंडीगढ़	24.66	21.75	21.47	20.61	20.35	26.72
7.	छत्तीसगढ़	423.31	769.33	586.97	999.33	825.76	1,180.27
8.	दादरा और नगर हवेली	14.63	15.79	17.12	17.36	19.14	19.76
9.	दमन और दीव	10.66	10.14	11.53	10.24	10.67	10.63

1	2	3	4	5	6	7	8
10.	दिल्ली	176.56	150.05	241.98	155.15	268.39	249.12
11.	गोवा	17.30	25.44	26.13	37.38	26.07	40.08
12.	गुजरात	714.39	1,293.03	863.66	1,395.67	1,221.83	1,593.16
13.	हरियाणा	318.21	519.47	335.55	535.09	384.25	637.75
14.	हिमाचल प्रदेश	249.14	283.90	212.49	346.58	370.89	397.57
15.	जम्मू और कश्मीर	375.34	428.38	362.42	419.55	550.42	521.86
16.	झारखंड	423.93	602.61	454.64	633.54	735.99	753.03
17.	कर्नाटक	772.15	1,173.31	714.09	1,291.49	1,345.50	1,917.28
18.	केरल	315.35	644.09	452.36	744.98	586.52	934.60
19.	लक्षद्वीप	5.72	2.75	3.83	4.33	5.54	6.20
20.	मध्य प्रदेश	1,156.95	2,071.36	1,490.75	2,066.38	1,696.56	2,313.93
21.	महाराष्ट्र	1,142.64	1,791.17	1,252.55	1,804.67	1,707.60	2,192.88
22.	मणिपुर	115.19	108.55	79.07	81.40	163.05	102.15
23.	मेघालय	107.50	138.83	161.13	152.85	189.02	169.14
24.	मिजोरम	95.26	96.15	80.88	99.55	126.95	112.70
25.	नागालैंड	106.37	82.56	95.92	95.17	134.86	95.61
26.	ओडिशा	669.77	1,222.92	728.58	1,299.27	1,216.22	1,514.45
27.	पुदुचेरी	19.21	22.37	41.35	38.41	35.55	38.84
28.	पंजाब	305.97	660.24	292.55	695.31	483.74	639.53
29.	राजस्थान	1,329.48	1,840.75	1,234.18	1,734.34	1,615.29	1,885.55
30.	सिक्किम	41.54	51.23	41.72	50.62	55.40	43.48
31.	तमिलनाडु	1,110.31	1,650.45	788.68	1,852.90	1,293.97	2,285.56
32.	त्रिपुरा	238.39	220.87	343.47	360.85	662.42	711.04
33.	उत्तर प्रदेश	2,868.98	4,457.93	3,099.84	4,905.77	3,509.95	5,645.44
34.	उत्तराखंड	378.53	438.08	325.86	411.00	493.67	587.05
35.	पश्चिम बंगाल	971.36	1,499.47	755.60	1,863.33	1,232.81	2,154.34
36.	तेलंगाना	439.06	507.98	386.34	689.02	356.16	618.38
	कुल	18,065.50	27,009.89	18,424.43	29,250.11	25,465.28	34,255.42

टिप्पणी: 1. उपर्युक्त जारी की गई राशि केन्द्र सरकार के अनुदान से संबंधित हैं तथा इसमें राज्य का अंशदान शामिल नहीं है।

2. व्यय में केन्द्र द्वारा जारी, राज्य द्वारा जारी धनराशि की गई तुलना की गई तुलना में किया गया व्यय तथा वर्ष के प्रारंभ में व्यय न की गई शेष धनराशि शामिल है।

अंग दाताओं की कमी

1815. श्री राजीव सातव:
श्रीमती सुप्रिया सुले:
श्री पी.सी. मोहन:
डॉ. हिना विजयकुमार गावीत:
श्री धनंजय महाडीक:
श्री पी.आर. सुन्दरम:
डॉ. जे. जयवर्धन:
श्री मोहिते पाटिल विजयसिंह शंकरराव:

क्या **स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या देश में मानव अंग दाताओं की कमी है;

(ख) यदि हां, तो विगत तीन वर्षो के दौरान अंगदान का अनुरोध करने वाले और अंगदान प्राप्त करने वाले व्यक्तियों की संख्या सहित तत्संबंधी राज्य-वार, संघ राज्य क्षेत्र-वार और अंग-वार ब्यौरा क्या है और ऐसे व्यक्तियों की संख्या कितनी है, जिनकी अंगों की अनुपलब्धता के कारण मृत्यु हो गई है;

(ग) क्या सरकार को दान किए गए अंगों की बर्बादी के संबंध में कोई शिकायतें प्राप्त हुई हैं और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है तथा सरकार द्वारा उन पर क्या कार्रवाई की गई हैं;

(घ) क्या सरकार देश में अंगों के व्यापार में वृद्धि से भी अवगत है;

(ङ) यदि हां, तो विगत तीन वर्षो के दौरान राज्य/संघ राज्य क्षेत्र-वार तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और ऐसे कितने मामले रिपोर्ट किए गए हैं तथा दोषियों के विरुद्ध क्या कार्रवाई की गई है;

(च) क्या सरकार का अंग प्रत्यारोपण नीति की समीक्षा करने का विचार है और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(छ) सरकार द्वारा अंगों का अवैध व्यापार रोकने के लिए अन्य क्या वैधानिक उपाय किए गए हैं/तैयार किए गए हैं?

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती अनुप्रिया पटेल): (क) और (ख) जी हां, गुर्दा, हृदय और यकृत दान संबंधी अनुमानित आवश्यकता तथा किए गए अंग प्रत्यारोपणों की संख्या निम्नवत् है:-

अंग	प्रति वर्ष अंग खराब होने के नए मामलों में प्रत्यारोपण की आवश्यकता	प्रत्येक वर्ष (2017 अनुमान) किए गए अंग प्रत्यारोपणों की अनुमानित संख्या
गुर्दा	2,00,000	8000-10000
यकृत	30,000	1800-2000
हृदय	50,000	339

स्वास्थ्य राज्य का विषय है। गत तीन वर्षो के दौरान अंगों के लिए अनुरोध करने वाले व्यक्तियों तथा अंगों की अनुपलब्धता के कारण मरने वाले व्यक्तियों की संख्या संबंधी डाटा उपलब्ध नहीं है।

तथापि, राष्ट्रीय अंग एवं ऊतक प्रत्यारोपण संगठन (नोटो) द्वारा प्राप्त डाटा के अनुसार राज्यों, विगत तीन वर्षो के दौरान किए गए घटते अंग प्रत्यारोपणों की राज्य-वार संख्या की ब्यौरे संलग्न विवरण-I में दिया गया है।

(ग) जी, नहीं।

(घ) और (ङ) शिकायतों/मीडिया रिपोर्टो के माध्यम से स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय के संज्ञान में अंगों के अवैध व्यापार के कुछ मामले आए हैं। ये मामले जांच करने और मानव अंग एवं ऊतक का प्रत्यारोपण अधिनियम, 1994 (टीएचओटीए) के उपबंधों के अनुसार आगे की कार्रवाई करने के लिए संबंधित राज्य सरकारों को अग्रेषित किए गए हैं।

राष्ट्रीय अपराध अभिलेख ब्यूरो (एनसीआरबी) द्वारा प्रदत्त अद्यतन प्रकाशित सूचना के अनुसार, टीएचओटीए के अंतर्गत पंजीकृत मामलों की संख्या तथा की गई कार्रवाई का राज्य/संघ राज्य क्षेत्र-वार ब्यौरा संलग्न विवरण-II में दिया गया है।

(च) भारत सरकार ने पहले ही मानव अंग एवं ऊतक प्रत्यारोपण अधिनियम, 1994 (वर्ष 2011 में यथा-संशोधित) लागू कर दिया है।

(छ) टीएचओटीए में मानव अंगों के वाणिज्यिक लेन-देन के लिए 10 वर्ष तक के कारावास तथा 1.00 करोड़ रु. तक के जुर्माने का प्रावधान किया गया है। तथापि, अधिनियम के प्रावधानों का प्रवर्तन संबंधित राज्य सरकार के दायरे में आता है। राष्ट्रीय अंग प्रत्यारोपण कार्यक्रम (एनओटीपी) के अंतर्गत निजी अस्पतालों सहित सभी हितधारकों को अधिनियम के उपबंधों तथा अंग प्रत्यारोपण से संबंधित आपराधिक अधिनियमों और मानव अंगों के वाणिज्यिक लेन-देन को रोकने के प्रति जानकारी दी जाती है।

विवरण-I

गत तीन वर्षों के दौरान घटते अंग प्रत्यारोपणों की राज्य-वार संख्या

क्र.सं.	राज्य	दाताओं की संख्या			गुर्दा			यकृत		
		2015	2016	2017	2015	2016	2017	2015	2016	2017
1.	तमिलनाडु	155	185	176	290	339	318	149	179	152
2.	केरल	76	78	26	132	113	46	61	64	19
3.	महाराष्ट्र	60	142	170	106	229	320	51	108	125
4.	तेलंगाना और	98	106	150	168	182	292	99	100	143
	आंध्र प्रदेश		48	34		87	62		43	29
5.	कर्नाटक	60	78	87	91	142	166	55	57	56
6.	गुजरात	45	57	85	77	83	162	45	49	68
7.	मध्य प्रदेश	3	21	38	6	28	68	2	12	23
8.	उत्तर प्रदेश	4	9	7	8	16	12	0	5	5
9.	दिल्ली/एनसीआर	23	35	45	45	62	78	27	32	36
10.	पुदुचेरी	9	11	15	18	20	28	2	4	6
11.	चंडीगढ़	33	28	44	69	51	82	25	6	20
12.	राजस्थान	7	9	28	14	16	50	7	6	26
	कुल	573	807	905	1024	1368	1684	523	665	708

विवरण-II

वर्ष 2014-16 के दौरान मानव अंग प्रत्यारोपण अधिनियम, 1994 के तहत राज्य/संघ राज्य क्षेत्र-वार पंजीकृत मामले (सीआर) गिरफ्तार व्यक्ति (पीएआर), चार्जशीट दर्ज किए गए मामले (सीएस), चार्जशीट दर्ज किए गए व्यक्ति (पीसीएस), दोषसिद्ध होने वाले मामले (सीवी) और दोषसिद्ध होने वाले व्यक्ति (पीसीवी)

क्र.सं.	राज्य/संघ राज्य क्षेत्र	2014					
		सीआर	पीएआर	सीएस	पीसीएस	सीवी	पीसीवी
1	2	3	4	5	6	7	8
1.	आंध्र प्रदेश	0	0	0	0	0	0
2.	अरुणाचल प्रदेश	0	0	0	0	0	0
3.	असम	0	0	0	0	0	0
4.	बिहार	0	0	0	0	0	0
5.	छत्तीसगढ़	0	0	0	0	0	0
6.	गोवा	0	0	0	0	0	0
7.	गुजरात	0	0	0	0	0	0
8.	हरियाणा	0	0	0	0	0	0

हृदय			फेफड़े			अग्नाशय			कुल अंग		
2015	2016	2017	2015	2016	2017	2015	2016	2017	2015	2016	2017
51	100	112	28	56	87	0	10	4	518	684	673
14	18	8	2	0	5	1	1	3	210	196	81
5	34	55	0	0	1	0	0	2	162	371	503
19	15	42	7	2	2	0	4	1	293	303	480
	18	16		0	25		0	0	0	148	132
11	14	27	0	0	0	1	1	0	158	214	249
0	4	12	0	0	0	0	0	0	122	136	242
1	7	10	0	0	0	0	0	0	9	47	101
0	1	2	0	0	0	0	0	0	8	22	19
6	18	22	0	0	0	0	0	0	78	112	136
1	1	5	0	0	0	0	0	0	21	25	39
1	2	12	0	0	4	2	5	3	97	64	121
1	3	16	0	0	1	0	0	1	22	25	94
110	235	339	37	58	125	4	21	14	1698	2347	2870

2015						2016					
सीआर	पीएआर	सीएस	पीसीएस	सीवी	पीसीवी	सीआर	पीएआर	सीएस	पीसीएस	सीवी	पीसीवी
9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	1	4	1	4	0	0
0	0	0	0	0	0	1	4	1	4	0	0

1	2	3	4	5	6	7	8
9.	हिमाचल प्रदेश	0	0	0	0	0	0
10.	जम्मू और कश्मीर	0	0	0	0	0	0
11.	झारखंड	0	0	0	0	0	0
12.	कर्नाटक	0	0	0	0	0	0
13.	केरल	0	0	0	0	0	0
14.	मध्य प्रदेश	0	0	0	0	0	0
15.	महाराष्ट्र	0	0	0	0	0	0
16.	मणिपुर	0	0	0	0	0	0
17.	मेघालय	0	0	0	0	0	0
18.	मिजोरम	0	0	0	0	0	0
19.	नागालैंड	0	0	0	0	0	0
20.	ओडिशा	0	0	0	0	0	0
21.	पंजाब	0	0	1	1	0	0
22.	राजस्थान	0	0	0	0	0	0
23.	सिक्किम	0	0	0	0	0	0
24.	तमिलनाडु	0	0	0	0	0	0
25.	तेलंगाना	0	0	0	0	0	0
26.	त्रिपुरा	0	0	0	0	0	0
27.	उत्तर प्रदेश	0	0	0	0	0	0
28.	उत्तराखंड	0	0	0	0	0	0
29.	पश्चिम बंगाल	1	0	0	0	0	0
	कुल राज्य	1	0	1	1	0	0
30.	अंडमान और निकोबार द्वीपसमूह	0	0	0	0	0	0
31.	चंडीगढ़	0	0	0	0	0	0
32.	दादरा और नगर हवेली	0	0	0	0	0	0
33.	दमन और दीव	0	0	0	0	0	0
34.	दिल्ली यूटी	1	0	0	0	0	0
35.	लक्षद्वीप	0	0	0	0	0	0
36.	पुदुचेरी	0	0	0	0	0	0
	कुल संघ राज्य क्षेत्र	1	0	0	0	0	0
	कुल (अखिल भारत)	2	0	1	1	0	0

नोट: वर्ष के दौरान पुलिस तथा न्यायालयों द्वारा निपटाए गए मामले और व्यक्तियों में पिछले वर्ष दर्ज मामले और व्यक्ति भी शामिल हो सकते हैं।
स्रोत: भारत में अपराध

9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12	5	12	5	0	0	1	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1	6	1	6	0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1	2	0	0	8	0	0	0	0	0	0	0
15	14	13	11	0	0	5	8	2	8	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	2	24	2	24	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	2	24	2	24	0	0
15	14	13	11	0	0	7	32	4	32	0	0

शल्य चिकित्सा उपकरणों की खरीद

1816. श्री मनोज तिवारी:
श्री हरिओम पाण्डेय:

क्या **स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार ने अस्पतालों द्वारा शल्य चिकित्सा उपकरणों की स्टार्ट-अप कंपनियों से खरीद के संबंध में कोई दिशा-निर्देश जारी किए हैं;

(ख) यदि हां, तो राज्य/संघ राज्य क्षेत्र-वार तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं; और

(घ) विशेषत: उत्तर प्रदेश में चिकित्सा स्टार्ट-अप से खरीद को बढ़ावा देने हेतु सरकार द्वारा उठाए गए कदमों का ब्यौरा क्या है?

स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री अश्विनी कुमार चौबे): (क) से (घ) केन्द्र सरकार ने सामान्य वित्तीय नियम (जीएफआर), 2017 जारी किए हैं। जीएफआर नियम 173 के अध्याय 6 अर्थात् गुणवत्ता तथा तकनीकी विशिष्टताओं (औद्योगिक नीति तथा संवर्धन विभाग द्वारा परिभाषित अनुसार) के स्टार्ट-अप हेतु पिछले कारोबार तथा पूर्व अनुभव की शर्तो में छूट दी गई है। स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग के अधीन, सभी अस्पतालों/स्वास्थ्य संस्थानों/संगठनों को सुनिश्चित करने हेतु यह दिशा-निर्देश जारी किए गए हैं कि चिकित्सा साधनों/चिकित्सा उपकरणों की खरीद के सभी मामलों, जहां पर भी भारतीय मानक उपलब्ध हैं, ये पर्याप्त होंगे तथा इनडेटिंग संगठन केवल किसी विशिष्टता अथवा मानक जैसे; यूएसएफडीए अथवा सीई प्रमाण-पत्र आदि पर जोर नहीं देंगे।

वित्तीय स्थिरता रिपोर्ट

1817. श्री सी.एन. जयदेवन:
श्री ज्योतिरादित्य माधवराव सिंधिया:
श्री पंकज चौधरी:
श्री कमलनाथ:

क्या **वित्त मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या भारतीय रिजर्व बैंक ने अपनी वित्तीय स्थिरता रिपोर्ट में यह चेतावनी दी है कि मौजूदा समविष्ट आर्थिक परिदृश्य में बैंकों की सकल गैर-निष्पादनकारी आस्तियों में मार्च, 2018 की 15.6% से बढ़ कर मार्च, 2019 को 16.3% होने की संभावना है और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इस पर सरकार की क्या प्रतिक्रिया है;

(ख) क्या आरबीआई की ऐसी रिपोर्ट के आधार पर सरकार ने बैंकों की एनपीए को नीचे लाने/कम करने के लिए कोई कदम उठाए हैं और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और गैर-निष्पादनकारी आस्तियों के कारण भारतीय रिजर्व बैंक के निगरानी तंत्र की सूची में शामिल सरकारी क्षेत्र के बैंकों (पीएसबी) की संख्या कितनी है;

(ग) क्या सरकार का विचार देश में आर्थिक स्थिति पर एक श्वेत पत्र जारी करने का है और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं;

(घ) क्या सरकार ने एनपीए के संकट से पीएसबी को उबारने के लिए एक रूपरेखा तैयार की है/करने का विचार है और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ङ) बैंकों की स्थिति और खराब होने से रोकने और उपभोक्ताओं को बैंकों से अन्य गैर बैंकिंग वित्तीय संस्थानों (एनबीएफसी) की तरफ जाने से रोकने के लिए क्या उपाय किए जा रहे हैं?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री शिव प्रताप शुक्ला): (क) भारतीय रिजर्व बैंक (आरबीआई) की वित्तीय स्थिरता रिपोर्ट (एफएसआर) जनू 2018 के अनुसार, अनुसूचित वाणिज्यिक बैंकों का सकल एनपीए मार्च 2018 में 11.6% था। एफएसआर के अनुसार, प्रतिगामी प्रतिरूपण के आधार पर दबाव परीक्षण संबंधी आरंभिक स्थिति में मार्च 2019 में अनुसूचित वाणिज्यिक बैंकों (एससीबी) का सकल एनपीए स्तर 12.2% दर्शाया गया है।

उपर्युक्त प्रतिगामी प्रतिरूपण प्रतिफल के संबंध में यह आवश्यक है कि मौजूदा एनपीए में से लगभग एक तिहाई दिवाला और शोधन अक्षमता संहिता, 2016 के अंतर्गत समयबद्ध दिवालियापन समाधान के तहत राष्ट्रीय कंपनी विधि अधिकरण (एनसीएलटी) में हैं और समाधान प्रक्रिया वर्तमान वित्तीय वर्ष के दौरान आरंभ हुई है। तदनुसार, बैंकों का एनपीए कम होगा। तथापि, प्रतिगामी प्रतिरूपण पूर्व की दरों तथा प्रवृत्ति पर आधारित है, इसके परिणाम में चल रही ऐसी घटनाओं का प्रभाव शामिल नहीं होता। इसके अलावा, दबावग्रस्त आस्तियों के समाधान के लिए फरवरी 2018 में जारी संशोधित संरचना में वित्तीय वर्ष 2017-18 में एनपीए के अत्यधिक प्रभाव को दर्शाया गया है, जो वित्तीय वर्ष 2018-19 का

आधार है। प्रतिरूपण में ऐसे आरंभिक प्रभाव को शामिल नहीं किया जाता है और इससे प्रतिरूपण प्रतिफल में वृद्धि हो सकती है।

(ख) से (ङ) सरकार ने बैंकिंग प्रणाली में एनपीए की समस्या का समाधान करने तथा बैंकों की स्थिति में सुधार लाने के लिए व्यापक पद्धति को अपनाया है। आरबीआई के वैश्विक परिचालन आंकड़ों के अनुसार, एससीबी का सकल अग्रिम जो दिनांक 31.03.2008 को 25,03,431 करोड़ रुपए था, दिनांक 31.03.2014 को बढ़कर 68,75,748 करोड़ रुपए हो गया। स्वच्छ तथा पूर्ण प्रावधानीकृत बैंक तुलन-पत्र के लिए वर्ष 2015 में की गई आस्ति गुणवत्ता समीक्षा (एक्यूआर) से अत्यधिक एनपीए का पता चला है। पीएसबी ने तुलन-पत्र को स्वच्छ करने के लिए कार्रवाई आरंभ कर दी है। दबावग्रस्त ऋणों के संबंध में संभावित हानि जिसके संबंध में पुनर्संरचित ऋणों को दिए गए लचीलेपन के लिए पहले प्रावधान नहीं किए जाते थे, को एनपीए के रूप में वर्गीकृत किया गया एवं इनके लिए प्रावधान किए गए। ऐसी पुनर्संरचना योजनाओं को अब बंद कर दिया गया है। इसके अलावा, अन्य बातों के साथ-साथ, निवल एनपीए अनुपात के निर्दिष्ट अनुरक्षित सीमा से अधिक होने पर आरबीआई ने बैंकों की वित्तीय स्थिति को पुन: बहाल करने के पीएसबी को सुदृढ़ करने के साथ-साथ सरकार ने अगस्त 2015 में इंद्रधनुष योजना के अंतर्गत इनका पुनर्पूंजीकरण आरंभ कर दिया है, जिसमें चार वित्तीय वर्ष के दौरान सरकार द्वारा 70,000 करोड़ रुपए की पूंजी निवेश किए जाने तथा एक्यूआर के द्वारा प्रकट किए गए अत्यधिक एनपीए का समाधान करने के लिए इस घोषणा का अनुसरण किया है तथा 2,11,000 करोड़ रुपए का पुनर्पूंजीकरण आरंभ कर दिया है। इसे बैंकों में प्रणालीगत सुधार संबंधी पीएसबी सुधार एजेंडा के साथ किया जा रहा है। पीएसबी सुधार एजेंडा के अंतर्गत सख्ती से वसूली के लिए पीएसबी ने दबावग्रस्त आस्ति प्रबंधन वर्टिकल्स तैयार किए हैं, स्वच्छ तथा प्रभावी निगरानी के लिए स्वीकृति पूर्व तथा स्वीकृति पश्चात भूमिकाओं को अलग-अलग किया गया है। एकबारगी निपटान हेतु ऑनलाइन प्लेटफार्म तैयार करने की कार्रवाई आरंभ की गई है तथा विशेषीकृत निगरानी एजेंसियों के जरिए बड़े मूल्य के खातों की निगरानी के लिए प्रतिबद्धता व्यक्त की है।

इसके अतिरिक्त, साफ सुथरा तथा प्रभावी वसूली तंत्र बनाने हेतु सरकार द्वारा दिवाला एवं शोधन अक्षमता संहित को अधिनियमित किया गया है, वित्तीय आस्तियों का प्रतिभूतिकरण एवं पुनर्गठन तथा प्रतिभूति हित का प्रवर्तन अधिनियम, 2002 (सरफासी) में संशोधन किया गया है ताकि इसे और प्रभावी बनाया जा सके। छ: नए ऋण वसूली अधिकरणों की स्थापना की गई है तथा पीएसबी के अंतर्गत वसूली प्रणाली में सुधार किया गया है। इसके अतिरिक्त, बैंकिंग विनियमन अधिनियम, 1949 में संशोधन किया गया है ताकि आरबीआई को आईबीसी के अंतर्गत दिवाला समाधान प्रक्रिया को शुरू करने के लिए बैंकों को निदेश जारी करने हेतु अधिकृत किया जा सके। आरबीआई के निदेशानुसार, लगभग 2.69 लाख करोड़ निधिपोषित एक्सपोजर (दिसम्बर 2017 तक) के 39 बड़े चूककर्ताओं के संबंध में राष्ट्रीय कंपनी विधि अधिकरण (एनसीएलटी) के समक्ष आईबीसी के अंतर्गत मामले दर्ज किए गए हैं।

अत: एनपीए की पारदर्शी रूप से पहचान कर, आरंभ में प्रावधानीकरण, बैंकों को सुदृढ़ बनाने के लिए पुनर्पूंजीकरण, बैंकों में व्यापक प्रणालीगत विकास हेतु सुधार, उधार देने तथा वसूली प्रणाली को स्वच्छ बनाकर सरकार ने साफ सुथरी एवं सुदृढ़ बैंकिंग व्यवस्था लागू की है।

जहां तक बैंकों के ग्राहक आधार का संबंध है, यह उनके खाता आधार में परिलक्षित होता है। अनुसूचित वाणिज्यिक बैंकों द्वारा अपने जमा खाते जो मार्च 2015 में 143.99 करोड़ थे, मार्च 2017 में 26.9% बढ़कर 182.67 करोड़ होने की सूचना दी गई है। जहां तक पीएसबी में ग्राहकों को आकर्षित किए जाने का संबंध है, उन्होंने सुधार एजेंडा में डिजिटल बैंकिंग, घर के निकट बैंकिंग, ग्राहक सुविधा, शिकायत निवारण की सुविधा, वरिष्ठ नागरिक तथा दिव्यांग हितैषी बैंकिंग सेवाएं, स्वचलित प्रक्रियाओं के जरिए ऋण का सक्रियता से वितरण जैसे उपायों के जरिए बैंकिंग सेवाओं की उपलब्धता को बढ़ाने तथा इसकी सेवा में उत्कृष्टता लाने के लिए कोई उपाय किए हैं।

सरकार आर्थिक स्थिति के संबंध में प्रति वर्ष संसद में आर्थिक सर्वेक्षण प्रस्तुत करती है।

महिलाओं और बच्चों में कुपोषण

1818. **डॉ. कुलमणि सामल:**
श्री प्रतापराव जाधव:
श्री लक्ष्मी नारायण यादव:
श्री पंकज चौधरी:
श्रीमती नीलम सोनकर:
श्री ए.पी. जितेन्द्र रेड्डी:
डॉ. बंशीलाल महतो:
श्री जुगल किशोर:
श्री अभिषेक सिंह:

क्या **महिला और बाल विकास मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) देश में विशेषत: जनजाति, ग्रामीण और पिछड़े/पहाड़ी क्षेत्रों में कुपोषण से कितनी महिलाएं और बच्चे पीड़ित हैं और इस संबंध में राज्य/संघ राज्यक्षेत्र-वार यदि कोई अध्ययन/सर्वेक्षण किए गए हैं तो उसके परिणाम क्या हैं और तत्संबंधी क्या कारण हैं;

(ख) क्या वैश्विक पोषण रिपोर्ट 2016 और वैश्विक भूख सूचकांक रिपोर्ट के अनुसार कुपोषण की व्याप्ति के संबंध में अन्य देशों की तुलना में भारत का रैंक नीचे गिरा है और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इस पर सरकार की क्या प्रतिक्रिया है;

(ग) कुपोषण की समस्या से निपटने के लिए सरकार द्वारा कार्यान्वित की गई योजनाओं का ब्यौरा क्या है और गत तीन वर्षों के प्रत्येक वर्ष और चालू वर्ष के दौरान इसके अंतर्गत योजना और राज्य/संघ राजयक्षेत्र-वार आवंटित, जारी और उपयोग की गई निधियां कितनी हैं;

(घ) उक्त अवधि के दौरान कुपोषण को कम करने में राज्य/संघ राज्यक्षेत्र-वार योजनाओं के प्रभाव का ब्यौरा क्या रहा है;

(ङ) क्या सरकार की योजना यह सुनिश्चित करने के लिए अपनी नीतियों पर पुनर्विचार करने की है कि विनिर्धारित निधियां लक्षित जनसंख्या तक पहुंचे और कुपोषण में कमी लाने के उद्देश्यों को पूरा किया जा सके; और

(च) देश को कुपोषण मुक्त बनाने के लिए सरकार द्वारा क्या उपय किए गए हैं?

महिला और बाल विकास मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा अल्पसंख्यक कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (डॉ. वीरेन्द्र कुमार): (क) स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय द्वारा 2015-16 में संचालित राष्ट्रीय परिवार स्वास्थ्य सर्वेक्षण (एनएफएसएच) 4 की हालिया रिपोर्ट के अनुसार, 5 साल के कम आयु के 35.7 प्रतिशत बच्चे अल्पवजनी तथा 38.4 प्रतिशत बच्चे ठिगने हैं जो 2005-06 में संचालित पिछले एनएफएसएच-3 से कटौती को दर्शाता है, जिसने 5 साल से कम आयु के 42.5 प्रतिशत बच्चों की अल्पवजनी तथा 48 प्रतिशत बच्चों को ठिगना सूचित किया था। इसके अलावा 22.9 प्रतिशत महिलाओं (15-49 आयु वर्ग) में ऊर्जा की चिरकालिक कमी है (बीएमआई 18.5 से कम है) जो पिछले एनएफएसएच 3 के स्तरों से गिरावट है जिसने 35.5 प्रतिशत महिलाओं को ऊर्जा की चिरकालिक कमी के रूप में सूचित किया था। राज्य-वार ब्यौरा संलग्न विवरण-I के रूप में संलग्न है।

(ख) से (च) वैश्विक भुखमरी सूचकांक (जीएचआई) 2016 में जिन 118 देशों का सर्वेक्षण किया गया उनमें भारत 97वें स्थान पर था। वैश्विक पोषण रिपोर्ट 2016 के अनुसार 5 साल से कम आयु के बच्चों में ठिगनेपन की दृष्टि से भारत 132 देशों में 114वें स्थान पर था।

सरकार देश में कुपोषण की समस्या को दूर करने हेतु प्रत्यक्ष लक्षित उपायों के रूप में अंब्रेला समेकित बाल विकास सेवा योजना के तहत आंगनवाड़ी सेवा, किशोरी योजना तथा प्रधानमंत्री मातृ वंदना योजना जैसी अनेक योजनाएं एवं कार्यक्रम चला रहा है। ये सभी योजनाएं पोषण से संबंधित किसी न किसी पहलू पर ध्यान देती हैं तथा इनमें देश में पोषण के परिणामों में सुधार लाने की क्षमता है। पिछले 3 वर्षों तथा वर्तमान वर्ष के दौरान इनमें से प्रत्येक योजना के तहत आबंटित एवं प्रयुक्त निधियों का राज्य-वार संलग्न विवरण-II, III और IV में दिया गया है।

सरकार के इन समवेत प्रयासों के फलस्वरूप देश में महिलाओं एवं बच्चों में कुपोषण का स्तर घटा है जो राष्ट्रीय परिवार स्वास्थ्य सर्वेक्षण (एनएफएसएच) 4, 2015-16 की हालिया रिपोर्ट से स्पष्ट है जो पिछले एनएफएसएच 3 के स्तरों से कटौती दर्शाती है।

महिलाओं और बच्चों में कुपोषण का स्तर कम करने के उद्देश्य से संचालित मौजूदा योजनाओं के अलावा हाल ही में सरकार ने बच्चों तथा गर्भवती महिलाओं एवं धात्री माताओं के पोषण संबंधी संकेतकों में सुधार हेतु पोषण अभियान स्थापित किया है। अभियान का उद्देश्य देश में 0-6 आयुवर्ग के बच्चों में ठिगनेपन को रोकना तथा उसकी दर में प्रति वर्ष 2 प्रतिशत की दर से कटौती करना और 0-6 आयुवर्ग के बच्चों में अल्पपोषण (कम वजन) की दर को रोकना तथा 2 प्रतिशत प्रति वर्ष की दर से कम करना, बच्चों (5-59 माह) में रक्ताल्पता की दर को 3 प्रतिशत की दर से कम करना, महिलाओं (15-49 वर्ष) में रक्ताल्पता की दर को 3 प्रतिशत की दर से कम करना और जन्म के समय कम वजन के शिशुओं की दर को 2 प्रतिशत प्रति वर्ष की दर से कम करना है। अभियान के तहत निर्धारित लक्ष्य विभिन्न कार्यक्रमों के साथ अभिसरण के सुनिश्चिय, राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों को प्रोत्साहन, स्मार्ट फोन का प्रयोग करके आईटी समर्थित रियल टाइम निगरानी (आईसीटी-आरटीएम), मूल्यांकन, सामुदायिक संचेतना जागरुकता हिमायत, आईईसी, बच्चों के लिए पोषण पर ऑनलाइन पाठ्यक्रम, वाश पर लोक गीतों एवं गीतों के माध्यम से पोषण संदेश तथा मानव संसाधन का सुदृढ़ीकरण आदि के माध्यम से प्राप्त किए जाएंगे।

विवरण-I

राष्ट्रीय परिवार स्वास्थ्य सर्वेक्षण के अनुसार महिलाओं और बच्चों के बीच कुपोषण की व्याप्तता का सर्वेक्षण-4 (2015-16)

क्र. सं.	राज्य	बच्चे 5 साल से कम			महिलाएं (15-49 वर्ष)	
		अल्पवजनी(%)	ठिगनेपन(%)	रक्ताल्पता(%)	चिरकालिक ऊर्जा की कमी(%)	रक्ताल्पता(%)
1	2	3	4	5	6	7
1.	अंडमान और निकोबार द्वीपसमूह	21.6	23.3	49	13.1	65.7
2.	आंध्र प्रदेश	31.9	31.4	58.6	17.6	60
3.	अरुणाचल प्रदेश	19.5	29.4	50.7	8.5	40.3
4.	असम	29.8	36.4	35.7	25.7	46
5.	बिहार	43.9	48.3	63.5	30.4	60.3
6.	चंडीगढ़	24.5	28.7	73.1	13.3	75.9
7.	छत्तीसगढ़	37.7	37.6	41.6	26.7	47
8.	दादरा और नगर हवेली	38.9	41.7	84.6	28.5	79.5
9.	दमन और द्वीव	26.7	23.4	73.8	12.9	58.9
10.	दिल्ली	27	32.3	62.6	12.8	52.5
11.	गोवा	23.8	20.1	48.3	14.7	31.3
12.	गुजरात	39.3	38.5	62.6	27.2	54.9
13.	हरियाणा	29.4	34	71.7	15.8	62.7
14.	हिमाचल प्रदेश	21.2	26.3	53.7	16.2	53.4
15.	जम्मू और कश्मीर	16.6	27.4	43.3	12.1	40.3
16.	झारखंड	47.8	45.3	69.9	31.5	65.2
17.	कर्नाटक	35.2	36.2	60.9	20.7	44.8
18.	केरल	16.1	19.7	35.6	9.7	34.2
19.	लक्षद्वीप	23.4	27	51.9	12.5	45.7
20.	मध्य प्रदेश	42.8	42	68.9	28.3	52.5

1	2	3	4	5	6	7
21.	महाराष्ट्र	36	34.4	53.8	23.5	48
22.	मणिपुर	13.8	28.9	23.9	8.8	26.4
23.	मेघालय	29	43.8	48	12.1	56.2
24.	मिजोरम	11.9	28	17.7	8.3	22.5
25.	नागालैंड	16.8	28.6	21.6	12.2	23.9
26.	ओडिशा	34.4	34.1	44.6	26.4	51
27.	पुडुचेरी	22	23.7	44.9	11.3	52.4
28.	पंजाब	21.6	25.7	56.6	11.7	53.5
29.	राजस्थान	36.7	39.1	60.3	27	46.8
30.	सिक्किम	14.2	29.6	55.1	6.4	34.9
31.	तमिलनाडु	23.8	27.1	50.7	14.6	55.1
32.	तेलंगाना	28.5	28.1	60.7	23.1	56.7
33.	त्रिपुरा	24.1	24.3	48.3	18.9	54.5
34.	उत्तर प्रदेश	39.5	46.3	63.2	25.3	52.4
35.	उत्तराखंड	26.6	33.5	59.8	18.4	45.2
36.	पश्चिम बंगाल	31.5	32.5	54.2	21.3	62.5
	भारत	35.7	38.4	58.4	22.9	53

विवरण-II

पिछले तीन वर्षों और वर्तमान वर्ष 2018-19 (16.07.2018 तक) के दौरान आंगनवाड़ी सेवा स्कीम के तहत आंगनवाड़ी सेवाओं (सामान्य), एसएनपी, आंगनवाड़ी केंद्रों का निर्माण और प्रशिक्षण के लिए राज्य-वार जारी निधियों का समेकित ब्यौरा

क्र. सं.	राज्य	2015-16		2016-17		2017-18		2018-19
		जारी की गई निधि	राज्य शेयर सहित राज्यों द्वारा रिपोर्ट किया गया खर्च	जारी की गई निधि	राज्य शेयर सहित राज्यों द्वारा रिपोर्ट किया गया खर्च	जारी की गई निधि	राज्य शेयर सहित राज्यों द्वारा रिपोर्ट किया गया खर्च	जारी की गई निधि
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1.	आंध्र प्रदेश	68818.48	98148.45	56387.46	86726.76	58474.18	62304.49	34207.54

1	2	3	4	5	6	7	8	9
2.	बिहार	102372.56	144090.04	98099.36	131535.62	92217.01	121321.71	59181.66
3.	छत्तीसगढ़	51151.54	64376.96	41939.90	62042.55	56762.73	सूचित नहीं	18746.59
4.	गोवा	1228.04	2715.22	1067.70	2206.61	1649.60	सूचित नहीं	576.50
5.	गुजरात	64185.05	98608.32	69417.36	88592.55	62275.13	सूचित नहीं	20992.06
6.	हरियाणा	16081.19	26580.94	20871.79	25778.90	20914.78	10395.30	8451.76
7.	हिमाचल प्रदेश	19507.32	21044.30	23696.07	21452.43	21612.57	सूचित नहीं	12490.54
8.	जम्मू और कश्मीर	27362.65	35271.02	26732.11	17914.48	19328.24	1718.39	16882.27
9.	झारखंड	46217.72	57446.15	48163.54	68019.68	42081.45	सूचित नहीं	16772.55
10.	कर्नाटक	96394.53	154998.70	53686.59	129290.96	92834.76	सूचित नहीं	40375.38
11.	केरल	28554.27	58765.87	34357.05	38243.59	32460.32	सूचित नहीं	10545.88
12.	मध्य प्रदेश	108673.52	196464.40	110506.46	165029.79	116645.68	सूचित नहीं	55186.72
13.	महाराष्ट्र	104166.66	107134.98	105660.17	39276.10	102957.15	सूचित नहीं	76788.25
14.	ओडिशा	65643.69	106505.11	72497.49	103693.47	95323.96	सूचित नहीं	39262.70
15.	पंजाब	13689.39	14497.21	16982.50	24533.14	20168.46	सूचित नहीं	8362.87
16.	राजस्थान	49851.78	103243.25	62397.70	88770.99	67542.98	सूचित नहीं	22242.00
17.	तमिलनाडु	63744.93	78363.14	47085.82	86703.43	49336.98	सूचित नहीं	21001.54
18.	उत्तराखंड	35710.06	28416.41	21399.62	26696.54	27990.11	14657.96	14718.25
19.	उत्तर प्रदेश	281398.92	373571.94	278089.75	409762.10	215246.75	144712.84	118175.48
20.	पश्चिम बंगाल	79465.80	151836.50	66563.30	149685.79	99426.41	सूचित नहीं	52750.74
21.	तेलंगाना	37918.23	57138.46	29877.27	55212.32	38468.27	37902.92	14201.01
22.	दिल्ली	13775.25	18120.31	14168.00	18963.75	10868.44	सूचित नहीं	6120.88
23.	पुडुचेरी	1673.27	1708.59	2299.22	1691.26	1455.40	सूचित नहीं	223.82
24.	अंडमान और निकोबार द्वीपसमूह	1421.03	991.04	1207.51	259.80	1295.81	273.08	563.38
25.	चंडीगढ़	1420.25	649.78	762.19	574.51	1077.47	509.47	661.82

1	2	3	4	5	6	7	8	9
26.	दादरा और नगर हवेली	210.97	148.58	569.61	सूचित नहीं	323.11	129.89	234.90
27.	दमन और द्वीव	133.55	92.37	307.96	141.54	279.45	204.80	123.26
28.	लक्षद्वीप	155.91	122.64	146.95	सूचित नहीं	165.31	सूचित नहीं	134.84
29.	अरुणाचल प्रदेश	12923.23	12473.86	11346.05	8341.25	14588.50	सूचित नहीं	6269.48
30.	असम	92972.20	90367.00	64397.66	70641.49	70237.54	सूचित नहीं	47920.16
31.	मणिपुर	10267.27	13185.16	9998.54	6387.10	17647.46	सूचित नहीं	7399.22
32.	मेघालय	12418.60	12927.10	19135.66	15795.83	19864.97	16325.54	8040.94
33.	मिजोरम	5371.93	4902.59	4666.49	5572.76	6174.29	1778.86	2393.50
34.	नागालैंड	8796.00	13692.96	15149.57	13784.25	16652.36	सूचित नहीं	6208.30
35.	सिक्किम	2022.73	2129.49	1625.01	1940.57	1983.22	393.74	1090.58
36.	त्रिपुरा	18194.62	16348.98	11710.57	14021.61	13101.10	7173.98	8214.60
	कुल	1543893.14	2167077.82	1442970.00	136484.86	1509431.95	419729.00	757511.97

*वर्ष 2017-18 के दौरान व्यय केवल एसएनपी घटक के लिए नियम

विवरण-III

2015-16 से 2018-19 के दौरान किशोरियों के लिए स्कीमों के तहत राज्य-वार जारी/उपयोग की गई निधियां

क्र. सं.	राज्य/संघ राज्य क्षेत्र	वित्त वर्ष 2017-18 में जारी की गई निधि (रुपये में)	वित्त वर्ष 2018-19 में जारी की गई निधि (रुपये में)	राज्य/संघ राज्य क्षेत्र द्वारा 31.03.2018 तक किए गए व्यय	राज्य/संघ राज्य क्षेत्र द्वारा 30.06.2018 तक किए गए व्यय
1	2	3	4	5	6
1.	अंडमान और निकोबार द्वीपसमूह	100.22	82.73	0.00	0.00
2.	आंध्र प्रदेश	1284.63	2872.85	0.00	88.09
3.	अरुणाचल प्रदेश	52.93	115.19	0.00	0.00
4.	असम	2298.27	5608.64	0.00	0.00
5.	बिहार	6724.06	4773.79	0.00	1061.28
6.	चंडीगढ़	158.88	41.61	0.36	0.00
7.	छत्तीसगढ़	965.45	3602.89	0.00	116.66
8.	दादरा और नगर हवेली	108.83	38.92	0.00	41.23

1	2	3	4	5	6
9.	दमन और दीव	42.06	46.16	0.00	0.00
10.	गोवा	238.07	49.42	0.00	0.00
11.	गुजरात	3036.66	3093.51	2.47	1.38
12.	हरियाणा	400.97	1425.68	0.00	0.00
13.	हिमाचल प्रदेश	1557.26	183.00	0.33	79.70
14.	जम्मू और कश्मीर	388.59	1698.71	9.88	0.00
15.	झारखंड	1555.35	2087.97	0.00	0.00
16.	कर्नाटक	3351.05	1903.50	0.00	0.00
17.	केरल	1273.37	207.66	0.00	0.00
18.	लक्षद्वीप	60.00	41.64	0.00	0.00
19.	मध्य प्रदेश	3441.49	5434.38	0.00	240.70
20.	महाराष्ट्र	2572.31	4902.67	0.00	0.00
21.	मणिपुर	340.46	1024.26	0.00	10.00
22.	मेघालय	462.98	628.93	0.00	0.00
23.	मिजोरम	119.38	175.34	38.12	50.02
24.	नागालैंड	163.74	88.71	0.00	0.00
25.	दिल्ली	945.95	466.73	0.00	0.00
26.	ओडिशा	4600.46	3729.75	0.00	0.00
27.	पुदुचेरी	39.24	22.02	0.00	0.9948
28.	पंजाब	819.51	441.00	0.00	0.00
29.	राजस्थान	2045.73	3158.22	1843.29	461.98
30.	सिक्किम	98.59	89.46	69.66	-
31.	तमिलनाडु	1340.51	1362.10	0.00	0.00
32.	तेलंगाना	1736.94	2091.96	0.00	1.50
33.	त्रिपुरा	277.91	521.04	0.00	0.00
34.	उत्तर प्रदेश	8440.60	10231.58	0.00	0.00
35.	उत्तराखंड	1866.25	1173.18	0.00	0.00
36.	पश्चिम बंगाल	5545.27	6589.20	0.00	0.00
	कुल	58353.75	70004.41	1964.11	2153.53

विवरण-IV

वर्ष 2017-18 और 2018-19 (16.07.2018 तक) के दौरान पीएमएमवीवाई के तहत वर्ष-वार और राज्य/संघ राज्य क्षेत्र-वार स्वीकृत/जारी निधियां दर्शाता विवरण

क्र. सं.	राज्य/संघ राज्य क्षेत्र	कुल स्वीकृति/जारी की गई (₹ लाखों में) 2017-18	2018-19 (16.07.2018 को)
1	2	3	4
1.	अंडमान और निकोबार द्वीपसमूह	6.00	6.00
2.	आंध्र प्रदेश	385.00	385.00
3.	अरुणाचल प्रदेश	36.00	36.00
4.	असम	817.00	817.00
5.	बिहार	949.00	949.00
6.	चंडीगढ़	16.00	16.00
7.	छत्तीसगढ़	233.00	233.00
8.	दादरा और नगर हवेली	5.00	5.00
9.	दमन और दीव	3.00	3.00
10.	दिल्ली	153.00	153.00
11.	गोवा	13.00	13.00
12.	गुजरात	551.00	551.00
13.	हरियाणा	231.00	231.00
14.	हिमाचल प्रदेश	94.00	94.00
15.	जम्मू और कश्मीर	171.00	171.00
16.	झारखंड	301.00	301.00
17.	कर्नाटक	557.00	557.00
18.	केरल	305.00	305.00
18.	लक्षद्वीप	1.00	1.00
20.	मध्य प्रदेश	663.00	663.00
21.	महाराष्ट्र	1025.00	1025.00
22.	मणिपुर	75.00	75.00
23.	मेघालय	77.00	77.00
24.	मिजोरम	29.00	29.00
25.	नागालैंड	52.00	52.00
26.	ओडिशा	383.00	383.00
27.	पुदुचेरी	19.00	19.00
28.	पंजाब	253.00	253.00
29.	राजस्थान	625.00	625.00
30.	सिक्किम	16.00	16.00
31.	तमिलनाडु	658.00	658.00
32.	तेलंगाना	385.00	385.00
33.	त्रिपुरा	96.00	96.00
34.	उत्तर प्रदेश	1822.00	1822.00
35.	उत्तराखंड	138.00	138.00
36.	पश्चिम बंगाल	1167.42	1167.42
	कुल	204267.35	12310.42

कैंसर के मामले

1819. श्री सुनील कुमार सिंह:
श्री पी. नागराजन:
श्री देवेन्द्र सिंह भोले:
श्री संजय काका पाटील:
डॉ. बंशीलाल महतो:
श्री एस.पी. मुद्दाहनुमे गौड़ा:
श्री रवीन्द्र कुमार पाण्डेय:
श्री निशिकान्त दुबे:
श्री लखन लाल साहू:

क्या **स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या देश में विभिन्न प्रकार के कैंसर और उनसे संबंधित मौतों के मामलों में वृद्धि हुई है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इसके क्या कारण हैं तथा गत तीन वर्षों के प्रत्येक वर्ष और चालू वर्ष के दौरान ऐसे कितने मामले और मौतें राज्य/संघ राज्य क्षेत्र-वार रिपोर्ट की गई हैं;

(ग) देश में विशेषत: देश के गरीब लोगों के लिए कैंसर की रोकथाम, निदान और उपचार हेतु सरकार द्वारा कार्यान्वित की जा रही योजनाएं/कार्यक्रम क्या हैं;

(घ) क्या सरकार द्वारा प्रोस्टेट कैंसर सहित विभिन्न प्रकार के कैंसर के संबंध में जागरुकता फैलाने हेतु कोई कार्यक्रम आरंभ किया गया है/आरंभ करने का प्रस्ताव है और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ङ) क्या सरकार का विचार देश में और कैंसर अस्पतालों और संस्थानों को स्थापित करने का है और यदि हां, तो राज्य/संघ राज्य क्षेत्र-वार ब्यौरा क्या है तथा देश में ऐसे कितने अस्पताल/संस्थान कार्यरत हैं; और

(च) कैंसर की शीघ्र पहचान और किफायती उपचार हेतु सरकार द्वारा क्या कदम उठाए गए हैं?

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती अनुप्रिया पटेल): (क) और (ख) भारतीय चिकित्सा अनुसंधान परिषद के राष्ट्रीय कैंसर रजिस्ट्री कार्यक्रम (एनसीआरपी) के आंकड़ों के अनुसार राज्स/संघ राज्य क्षेत्रवार पिछले तीन वर्षो के दौरान भार में कैंसर की संसूचित घटनाओं और मौतों का ब्यौरा संलग्न विवरण-I और II में दिया गया है।

कैंसर एक बहु-तथ्यात्मक रोग है, जिसके जोखिम तथ्यों में अन्य के साथ-साथ वृद्ध जनसंख्या, निष्क्रिय जीवनशैली, तंबाकू उत्पादों का सेवन, गैर-स्वास्थ्यकारी आहार आदि शामिल हैं।

(ग) से (घ) कई राज्यों में तथा केन्द्रीय सरकार के संस्थानों में गरीबी रेखा के नीचे वाले रोगियों के लिए उपचार मुफ्त है और अन्य के लिए सरकारी सहायता प्राप्त है। केन्द्र सरकार कैंसर की रोकथाम और नियंत्रण व किफायती और सुलभ परिचर्या के लिए राज्य सरकार के प्रयासों में सहयोग प्रदान करती है। केन्द्र सरकार द्वारा उठाए गए कुछ कदम निम्नलिखित हैं:–

(i) जिला स्तर तक कार्य-कलाप करने के लिए एनएचएम के तहत कार्यान्वित किये जा रहे राष्ट्रीय कैंसर, मधुमेह, हृदवाहिका रोग, आघात नियंत्रण तथा रोकथाम कार्यक्रम (एनपीसीडीसीएस) के लक्ष्यों में कैंसर की रोकथाम के लिए जागरुकता पैदा करना, स्क्रीनिंग, शीघ्र पहचान करना और उपयुक्त स्तर के संस्थान में उपचार के लिए रेफर करना शामिल है। कैंसर के संदर्भ में स्तन, गर्भाशय तथा मुख कैंसर पर अधिक फोकस किया जाता है।

(ii) व्यापक प्राथमिक स्वास्थ्य परिचर्या के एक भाग के रूप में, एनएचएम के अंतर्गत वर्ष 2017-18 में देश के 150 से अधिक जिलों में सामान्य गैर-संचारी रोगों (मधुमेह, उच्च रक्तचाप तथा कैंसर जैसे मुख, छाती और गर्भाशय कैंसर) की रोकथाम, नियंत्रण एवं जांच के लिए जनसंख्या स्तर की पहल की गई है।

(iii) कैंसर की तृतीयक परिचर्या सुविधाओं को बढ़ाने के लिए, केन्द्रीय सरकार देश के विभिन्न भागों में राज्य कैंसर संस्थान (एससीआई) तथा तृतीयक परिचर्या कैंसर केन्द्र (टीससीसी) स्थापित करने में सहायता प्रदान करने के लिए कैंसर संबंधी तृतीयक परिचर्या स्कीम का सुदृढ़ीकरण कार्यान्वित कर रही हैं। योजना के अंतर्गत आज तक अनुमोदित एससीआई एवं टीसीसीसी की अनुसूची संलग्न विवरण-III में दी गई है।

(iv) कैंसर विज्ञान अपने विभिन्न पहलुओं में प्रधानमंत्री स्वास्थ्य सुरक्षा योजना (पीएमएसएसवाई) के अंतर्गत नए एम्स और कई उन्नत संस्थानों के मामले पर ध्यान देता है।

(v) झज्जर (हरियाणा) स्थित राष्ट्रीय कैंसर संस्थान और चितरंजन राष्ट्रीय कैंसर संस्थान, कोलकाता के दूसरे परिसर की स्थापना को भी अनुमोदित किया गया है।

(vi) सरकार राष्ट्रीय आरोग्य निधि (आरएएन), स्वास्थ्य मंत्री कैंसर निधि (एचएमसीपीपी), राज्य सहायता निधि (एसआईएएफ) और स्वास्थ्य मंत्री विवेकाधीन अनुदान (एचएमडीजी) जैसी योजनाओं के तहत जीवन के लिए घातक रोगों हेतु गरीबी रेखा से नीचे रह रहे रोगियों को वित्तीय सहायता प्रदान कर रही है।

(vii) रोगियों के लिए रियायती कीमतों पर कैंसर और हृदवाहिका रोग की दवाएं और प्रत्यारोपण उपलब्ध कराने के उद्देश्य से सभी 22 राज्यों के 136 संस्थाओं/अस्पतालों

में किफायती औषधि और विश्वसनीय प्रत्यारोपण उपचार (अमृत) आउटलेट खोले गए हैं। औषध विभाग द्वारा किफायती कीमतों पर जेनरिक दवाएं उपलब्ध कराने के लिए जन औषधि भंडारों की स्थापना की गई है।

(viii) भारतीय चिकित्सा अनुसंधान परिषद (आईसीएमआर) – राष्ट्रीय कैंसर रोकथाम और अनुसंधान संस्थान (एनआईसीपीआर) ने "इंडिया अर्गेस्ट कैंसर" विषय पर *www.cancerindia.org.in* नामक एक पोर्टल शुरू किया है जो भारत में प्रमुख कैंसरों पर सूचना प्रदान करता है जिसमें इन कैंसरों की जागरूकता, रोकथाम और उपचार पर ध्यान दिया जाता है।

विवरण-I

भारत में कैंसर मामलों की अनुमानित व्याप्तता - राज्य संघ शासित क्षेत्र-सभी स्थल-स्त्री-पुरुष दोनों

राज्य	2015	2016	2017
1	2	3	4
जम्मू और कश्मीर	14,864	15,652	16,480
हिमाचल प्रदेश	7,722	8,029	8,348
पंजाब	31,214	32,474	33,781
चंडीगढ़	1,217	1,274	1,335
उत्तरांचल	11,796	12,381	12,995
हरियाणा	29,240	30,611	32,049
दिल्ली	19,168	20,015	20,899
राजस्थान	79,160	82,836	86,675
उत्तर प्रदेश	2,33,659	2,45,231	2,57,353
बिहार	1,23,949	1,30,628	1,37,656
सिक्किम	473	479	485
अरुणाचल प्रदेश	1,252	1,272	1,292
नागालैंड	1,294	1,300	1,309
मणिपुर	2,916	2,998	3,082
मिजोरम	1,618	1,652	1,687
त्रिपुरा	2,169	2,199	2,229
मेघालय	3,246	3,311	3,376
असम	31,474	31,825	32,177
पश्चिम बंगाल	1,03,532	1,07,906	1,12,466
झारखंड	38,947	40,959	43,071
ओडिशा	47,666	49,674	51,763
छत्तीसगढ़	30,239	31,817	33,477
मध्य प्रदेश	85,078	89,315	93,754
गुजरात	70,171	73,551	77,097
दमन और दीव	385	440	504
दादरा और नगर हवेली	457	497	542
महाराष्ट्र	1,27,390	1,32,726	1,38,271
तेलंगाना	40,177	41,939	43,784
आंध्र प्रदेश	55,776	58,072	60,475
कर्नाटक	70,302	73,511	76,867
गोवा	1,655	1,726	1,801
लक्षद्वीप	82	89	96
केरल	39,672	42,004	44,566
तमिलनाडु	78,512	80,999	83,554
पुडुचेरी	1,510	1,596	1,687
अंडमान और निकोबार द्वीपसमूह	415	429	443
कुल	13,88,397	14,51,417	15,17,426

*भारत में कैंसर के अनुमानित मामलों की गणना अनुमानित मामला दर और जनसंख्या (व्यक्ति-वर्ष) का प्रयोग कर की गई थी।

विवरण-II

भारत में कैंसर के कारण अनुमानित मृत्यु दर - राज्य संघ राज्य - सभी स्थान - स्त्री-पुरुष दोनों

राज्य	2015	2016	2017
1	2	3	4
जम्मू और कश्मीर	7,525	7,925	8,345
हिमाचल प्रदेश	3,893	4,048	4,210
पंजाब	15,784	16,423	17,084
चंडीगढ़	618	646	678
उत्तरांचल	5,949	6,245	6,556
हरियाणा	14,797	15,491	16,219
दिल्ली	9,699	10,127	10,573
राजस्थान	39,985	41,848	43,795
उत्तर प्रदेश	1,18,115	1,23,985	1,30,134
बिहार	62,651	66,040	69,607
सिक्किम	240	242	245
अरुणाचल प्रदेश	638	649	659
नागालैंड	665	667	672
मणिपुर	1,460	1,500	1,542
मिजोरम	824	841	859
त्रिपुरा	1,109	1,125	1,140
मेघालय	1,676	1,710	1,744
असम	16,029	16,206	16,383
पश्चिम बंगाल	52,231	54,443	56,750
झारखंड	19,653	20,671	21,741
ओडिशा	24,019	25,035	26,091
छत्तीसगढ़	15,231	16,030	16,868
मध्य प्रदेश	42,964	45,110	47,358
गुजरात	35,466	37,182	38,983
दमन और दीव	200	229	263
दादरा और नगर हवेली	233	254	276
महाराष्ट्र	64,332	67,035	69,843
तेलंगाना	20,235	21,126	22,058
आंध्र प्रदेश	28,082	29,244	30,458
कर्नाटक	35,430	37,052	38,747
गोवा	834	870	908
लक्षद्वीप	42	45	48
केरल	19,892	21,062	22,348
तमिलनाडु	39,537	40,796	42,091
पुदुचेरी	759	802	848
अंडमान और निकोबार द्वीपसमूह	210	217	224
कुल	7,01,007	7,32,921	7,66,348

*भारत में मृत्यु के अनुमानित मामलों की गणना मुंबई की मृत्यु दर घटना तथा कैंसर मामलों की अनुमानित घटना के अनुपात का प्रयोग कर की गई थी।

विवरण-III

आज की तारीख तक अनुमोदित राज्य कैंसर संस्थानों (एससीआई) और तृतीयक परिचर्या कैंसर केन्द्रों (टीसीसीसी) की सूची

क्र.सं.	राज्य	संस्थान का नाम	एससीआई/टीसीसीसी
1	2	3	4
1.	कर्नाटक	किडवाई मेमोरियल इंस्टिट्यूट ऑफ ओन्कोलॉजी (आरसीसी), बंगालुरु	एससीआई
2.		मंड्या इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेज, मंड्या	टीसीसीसी

1	2	3	4
3.	केरल	सरकारी मेडिकल कॉलेज, कोझिकोड	टीसीसीसी
4.		क्षेत्रीय कैंसर केन्द्र, तिजुरवनंतपुरम	एसीसीआई
5.	त्रिपुरा	कैंसर अस्पताल (आरसीसी), अगरतला	एसीसीआई
6.	गुजरात	गुजरात कैंसर रिसर्च इंस्टिट्यूट, अहमदाबाद	एसीसीआई
7.	पश्चिम बंगाल	गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज, बर्दवान	टीसीसीसी
8.		मुर्शिदाबाद मेडिकल कॉलेज एंड हॉस्पिटल, बेरहमपुर, मुर्शिदाबाद	टीसीसीसी
9.		Sagore दत्ता मेमोरियल मेडिकल कॉलेज और अस्पताल, कोलकाता	टीसीसीसी
10.	जम्मू और कश्मीर	शेर-ए-कश्मीर इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेज, श्रीनगर	एससीआई
11.	तमिलनाडु	कैंसर इंस्टिट्यूट (आरसीसी), आद्यार, चेन्नई	एससीआई
12.	हिमाचल प्रदेश	इंदिरा गांधी मेडिकल कॉलेज, शिमला	टीसीसीसी
13.		श्री लाल बहादुर शास्त्री मेडिकल कॉलेज, मंडी	टीसीसीसी
14.	बिहार	इंदिरा गांधी इंस्टिट्यू ऑफ मेडिकल साइंसेज, पटना	एससीआई
15.	मिजोरम	मिजोरम स्टेट कैंसर इंस्टिट्यूट, ऐजोल	टीसीसीसी
16.	उत्तर प्रदेश	संजय गांधी पोस्ट ग्रेजुएट इंस्टिट्यूट ऑफ मेडिकल साईंसिस, लखनऊ	टीसीसीसी
17.	राजस्थान	एसपी मेडिकल कॉलेज, बीकानेर	टीसीसीसी
18.		एसएमएस मेडिकल कॉलेज, जयपुर	एससीआई
19.		झलवार मेडिकल कॉलेज एंड हॉस्पिटल, झलवार	टीसीसीसी
20.	तेलंगाना	एमएनजे इंस्टीट्यूट ऑफ ओन्कोलॉजी एंड आरसीसी, हैदराबाद	एससीआई
21.	पंजाब	सरकारी मेडिकल कॉलेज, अमृतसर	एससीआई
22.		सिविल अस्पताल, फजिलका	टीसीसीसी
23.	दिल्ली	लोक नायक अस्पताल	टीसीसीसी
24.	ओडिशा	आचार्य हरिहर क्षेत्रीय कैंसर केन्द्र, कटक	एससीआई
25.	नागालैंड	जिला अस्पताल, कोहिमा	टीसीसीसी
26.	हरियाणा	सिविल अस्पताल, अंबाला कैंट	टीसीसीसी
27.	महाराष्ट्र	राष्ट्रसंत तुकडोजी क्षेत्रीय कैंसर अस्पताल और अनुसंधान केन्द्र, नागपुर	टीसीसीसी
28.		सरकारी मेडिकल कॉलेज, औरंगाबाद	एससीआई
29.		विवेकानंद फाउंडेशन एंड रिसर्च सेंटर, लातूर	टीसीसीसी

1	2	3	4
30.	असम	गौहती मेडिकल कॉलेज एवं हॉसिप्टल, गुवाहाटी	एससीआई
31.	मध्य प्रदेश	जीआर मेडिकल कॉलेज, ग्वालियर	टीसीसीसी
32.	झारखंड	राजेंद्र इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेज, रांची	एससीआई
33.	आंध्र प्रदेश	कुरनूल मेडिकल कॉलेज, कुरनूल	एससीआई
34.	गोवा	गोवा मेडिकल कॉलेज, पणजी	टीसीसीसी
35.	सिक्किम	सिक्किम, गंगटोक के पास, सोचिगांग (सशी) में बहुउद्देश्यीय अस्पताल	टीसीसीसी

जेनरिक औषधियां निर्दिष्ट करना

1820. **श्री मोहम्मद बदरुद्दोजा खान:**
श्री मुथमसेटी श्रीनिवास राव (अवंती):
श्री मोहम्मद सलीम:
श्री सुमेधनन्द सरस्वती:
श्री ओम प्रकाश यादव:
श्रीमती संतोष अहलावत:

क्या **स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार चिकित्सकों द्वारा जेनरिक औषधियां लिखे जाने को अनिवार्य बना रही है और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ख) क्या सरकार को ऐसी कोई शिकायतें प्राप्त हुई हैं जिसमें चिकित्सकों ने रोगी को जेनरिक औषधियां लिखने से मना कर दिया है और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इस पर क्या कार्रवाई की गई है;

(ग) क्या चिकित्सक गुणवत्ता आश्वासन हेतु जेनरिक औषधियों को लिखने के इच्छुक नहीं है और यदि हां, तो जेनरिक औषधियों की गुणवत्ता का आश्वासन देने के लिए क्या कदम उठाए गए हैं;

(घ) क्या चिकित्सक समुदाय के कुछ लोग इस विनियमन के विरुद्ध हैं और यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं; और

(ङ) क्या सरकार चिकित्सकों द्वारा जेनरिक औषधियां लिखे जाने के लिए एक कानून लाने पर भी विचार कर रही है और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और उक्त कानून को कब तक अधिनियमित किया जाएगा?

स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री अश्विनी कुमार चौबे): (क) से (ङ) भारत में डॉक्टरों के व्यवसायिक आचरण का विनियमन भारतीय चिकित्सा परिषद (व्यवसायिक आचरण, शिष्टाचार तथा नैतिक आचरण), विनियम, 2002 के अनुसार भारतीय चिकित्सा परिषद (एमसीआई) तथा संबंधित राज्य चिकित्सा परिषदों के द्वारा किया जाता है। उक्त विनियम के खंड 1.5 में निर्धारित किया गया है कि प्रत्येक फिजिशियन स्पष्ट रूप से तथा मुख्यत: मोटे अक्षरों में जेनरिक नाम वाली औषधियां लिखेगा तथा सुनिश्चित करेगा कि औषधियों की पर्ची तथा उपयोग विवेकपूर्ण है।

इसके अतिरिक्त, देश में औषधियों के विनिर्माण, विक्रय और वितरण का विनियमन लाइसेंसिंग और निरीक्षण की एक प्रणाली के माध्यम से औषधि एवं प्रसाधन सामग्री अधिनियम, 1940 और उसके अंतर्गत बनाए गए नियमों के प्रावधानों के अंतर्गत किया जाता है। औषधियों के विनिर्माण, विक्रय और वितरण के लिए लाइसेंस संबंधित राज्य सरकारों द्वारा नियुक्त राज्य लाइसेंसिंग प्राधिकरणों द्वारा प्रदान किया जाता है। देश में विनिर्मित औषधि, चाहे वह ब्रांडिड अथवा जेनरिक हों, के लिए उनकी गुणवत्ता हेतु उक्त अधिनियम और नियमों में निर्धारित समान मानकों का अनुपालन करना अपेक्षित है। राज्य लाइसेंसिंग प्राधिकरण उपर्युक्त अपेक्षाओं में किसी प्रकार के उल्लंघन के विरुद्ध कार्रवाई करने के लिए अधिकार संपन्न हैं।

स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय के अंतर्गत सीडीएससीओ ने देश में जेनरिक दवाओं की गुणवत्ता सुनिश्चित करने के लिए विविध उपाय किए हैं जिनमें निम्नलिखित शामिल हैं:–

(i) नकली एवं मिलावटी दवाइयों के विनिर्माण हेतु सख्त दंड का प्रावधान करने के लिए औषध एवं प्रसाधन

सामग्री (संशोधन) अधिनियम, 2008 के तहत औषध एवं प्रसाधन सामग्री अधिनियम, 1940 को संशोधित किया गया था। कुछ अपराधों को संज्ञेय व गैर-जमानती भी बनाया गया है।

(ii) शीघ्र निस्तारण हेतु औषध एवं प्रसाधन सामग्री अधिनियम के तहत अपराधों के अभियोजन हेतु विशेष न्यायालयों की स्थापना करने के लिए राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों से अनुरोध किया गया था। अब तक 22 राज्य नामित विशेष न्यायालया की स्थापना कर चुके हैं।

(iii) औषध एवं प्रसाधन सामग्री (संशोधन) अधिनियम, 2008 के तहत बढ़ाए गए दंडों के परिप्रेक्ष्य में नकली घोषित या अवमानक गुणवत्ता वाली औषधियों के नमूनों पर कार्रवाई करने के लिए एक समान कार्यान्वयन हेतु राज्य औषध नियंत्रकों को दिशानिर्देश अग्रेषित किए गए थे।

(iv) निरीक्षणालय कर्मचारियों को देश में चल रही औषधियों की गुणवत्ता की निगरानी के लिए सतर्कता रखने तथा जांच व विश्लेषण हेतु औषधियों के नमूने लेने का निदेश दिया गया है।

(v) केन्द्रीय औषध मानक नियंत्रण संगठन (सीडीएससीओ) में स्वीकृत पदों की संख्या (वर्ष, 2008 में) 111 से बढ़ाकर वर्ष 2018 में 510 कर दी गयी है।

(vi) सीडीएससीओ के अधीन केन्द्रीय औषध परीक्षण प्रयोगशालाओं की परीक्षण क्षमताओं को सतत् रूप से बढ़ाया जा रहा है ताकि देश में औषधियों नमूनों के परीक्षण में तेजी लाई जा सके।

(vii) दिनांक 03.04.2017 को औषधियों की क्षमता सुनिश्चित करने के लिए, औषधि एवं प्रसाधन सामग्री नियम, 1945 में यह प्रावधान करने के लिए संशोधन किया गया कि आवेदक बायोफार्मास्यूटिकल वर्गीकरण प्रणाली की श्रेणी-II और श्रेणी-IV के अंतगत आने वाली औषधियों के ओरल डोसेज फार्म का विनिर्माण लाइसेंस प्राप्त करने के लिए आवेदन सहित बायोइक्वीलेंस अध्ययन के परिणाम भी प्रस्तुत करेगा।

(viii) दिनांक 27.10.2017 को, राजपत्रित अधिसूचना सं.सा.का.नि. 1337 (ई) के द्वारा औषधि एवं प्रसाधन सामग्री नियम, 1945 में यह अनिवार्य करते हुए संशोधन किया गया है कि विनिर्माण लाइसेंस प्रदान करने से पूर्व केन्द्रीय सरकार के औषधि निरीक्षक और राज्य सरकार द्वारा संयुक्त रूप से विनिर्माण स्थापना का निरीक्षण किया जाएगा।

सीजीएचएस के अंतर्गत दवाओं की खरीद

1821. श्री सी. गोपालकृष्णन:
श्री मुथमसेटी श्रीनिवास राव (अवंती):
श्री पी. नागराजन:

क्या **स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या केन्द्रीय सरकार स्वास्थ्य योजना (सीजीएचएस) की विभिन्न इकाइयों जैसे एलोपैथी, आयुर्वेद, होम्योपैथी और यूनानी आदि में दवाओं की स्थानीय खरीद हेतु इंडेंट बनाने के प्रावधान की अनुमति है और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ख) क्या सीजीएचएस सिद्ध इकाई में दवाओं की स्थानीय खरीद हेतु इंडेंट बनाने का कोई प्रावधान नहीं है और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इसके क्या कारण हैं;

(ग) क्या केन्द्र सरकार का कोई प्रस्ताव सीजीएचएस सिद्ध इकाई में स्थानीय खरीद हेतु इंडेंट बनाने के विशेष प्रावधान को शामिल करने का है और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं; और

(घ) क्या नार्थ एवेन्यू औषधालय सहित सीजीएचएस आयुर्वेदिक औषधालय एस-कंपाउंड, समासित तेल आदि जैसी अनिवार्य दवाएं नहीं रख रहे हैं, और यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं?

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री अश्विनी कुमार चौबे): (क) जी हां, सभी सीजीएचएस शहरों में प्राधिकृत स्थानीय कैमिस्ट (एएलसी) के माध्यम से एलोपेथिक औषधियां मंगाने का प्रावधान है। दिल्ली-एनसीआर में प्राधिकृत स्थानीय कैमिस्टों के माध्यम से आयुर्वेदिक, होम्योपेथिक और यूनानी औषधियां मंगाने का प्रावधान है। अन्य सीजीएचएस शहरों में लाभार्थियों की सीजीएचएस चिकित्सकों द्वारा औषधियों खरीदने की अनुमति दी जाती है। सेवारत लाभार्थी संबंधित विभागों को अपने दावे प्रस्तुत करते हैं जबकि पेंशन धारकों के दावों की प्रतिपूर्ति अपर निदेशक, सीजीएचएस द्वारा की जाती है।

(ख) और (ग) वर्तमान में, चूंकि सिद्ध औषधियों के लिए कोई प्राधिकृत स्थानीय कैमिस्ट उपलब्ध नहीं है अत: सीजीएचएस डिस्पेंसरी स्तर पर सिद्ध औषधियों की मांग भेजने का कोई प्रावधान नहीं है। यदि कोई औषधि उपलब्ध नहीं होती है तो लाभार्थी को उसकी आपूर्ति करने के लिए संबंधित सीजीएचएस शहर के अपर निदेशक द्वारा उसकी स्थानीय रूप से खरीद की जाती है।

(घ) एलोपेथिक औषधियों की तरह, आयुर्वेद के तहत आवश्यक औषधियों की कोई सूची नहीं है तथा इन औषधियों की खरीद व्यक्तिगत नुस्खापर्चियों के आधार पर की जाती है।

पैन कार्ड सेवाएं

1822. श्री ओम प्रकाश यादव:
डॉ. के. गोपाल:
श्री सुमेधानन्द सरस्वती:
श्रीमती संतोष अहलावत:

क्या **वित्त मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या आयकर विभाग ने त्वरित पैन कार्ड सेवाएं आरंभ की हैं और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ख) क्या सेवाएं नि:शुल्क होंगी और केवल आधार कार्डधारकों को ही उपलब्ध होगी और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या सरकार का पैन कार्ड में अनिवार्य रूप से पिता का नाम घोषित करने को समाप्त करने और इसे वैकल्पिक करने का विचार है और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(घ) क्या सरकार का तलाक शुदा महिलाओं, एकल और परित्यकता माताओं के बच्चों के लिए पैन कार्ड हेतु अलग आवेदन प्रपत्र तैयार करने का विचार है और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ङ) उक्त परिवर्तनों का कब तक कार्यान्वयन किए जाने की संभावना है?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री शिव प्रताप शुक्ला): (क) और (ख) कर विभाग ने अभी तक पूर्ण आधार पर त्वरित पैन कार्ड सेवाएं आरंभ नहीं की हैं। अत: यह ब्यौरा कि क्या सेवाएं नि:शुल्क होंगी और केवल आधार कार्ड धारकों को ही उपलब्ध होंगी, प्रस्तुत नहीं किया जा सकता।

यह उल्लेख किया जाता है कि हाल ही में त्वरित ई-पैन आवंटन सुविधा 29 जून, 18 से 6 जुलाई, 18 तक की सीमित अवधि के लिए उपलब्ध थी। ई-पैन आवंटन सेवा, इस प्रायोगिक परियोजना के तहत ऐसे व्यक्तियों के लिए नि:शुल्क उपलब्ध थी जिनकी आयु अठारह वर्ष से अधिक थी और जो नया पैन कार्ड मांग रहे थे और उनके पास वैध आधार संख्या था।

(ग) पैन के आवंटन के लिए, आवेदन-पत्र के रूप में प्रयुक्त होने संबंधी फॉर्म 49क में, पैन आवेदक के लिए पिता या माता, जो वह पैन कार्ड पर प्रिन्ट करवाना चाहता है, का नाम चयन करने का विकल्प है। जहां आवेदक विकल्प का प्रयोग नहीं करता है, ऐसी स्थिति में ही पैन कार्ड पर पिता का नाम लिखा जाता है।

(घ) और (ङ) इस मामले की जांच-पड़ताल की जा रही है।

नए उद्यमियों के लिए वित्तपोषण योजना

1823. श्री विनोद लखमाशी चावड़ा:
श्री देवुसिंह चौहान:

क्या **वित्त मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार ने भारत में नए उद्यमियों हेतु कोई वित्तपोषण योजना आरंभ की है; और

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री शिव प्रताप शुक्ला): (क) और (ख) उद्यमियों के लिए वित्त पोषण बैंकों और वित्तीय संस्थाओं द्वारा किया जाता है। सरकार नये उद्यमियों की सहायता विभिन्न योजनाओं के माध्यम से करती है जिसमें अन्य बातों के साथ-साथ, स्टैण्ड अप इंडिया (एसयूआई) योजना, प्रधान मंत्री मुद्रा योजना (पीएमएमवाई), प्रधान मंत्री रोजगार सृजन कार्यक्रम (पीएमईजीपी) आदि शामिल हैं। ये सभी योजनाएं नये उद्यमियों के लिए वित्त उपलब्ध कराती हैं।

एसयूआई योजना विनिर्माण, सेवाओं अथवा व्यापार क्षेत्र में ग्रीन फील्ड उद्यमों की स्थापना हेतु अनुसूचित वाणिज्यिक बैंकों (एससीबी) की प्रत्येक बैंक शाखा से कम से कम एक अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति उधारकर्ता और कम से कम एक महिला उधारकर्ता को 10 लाख रुपये से 1 करोड़ रुपये के मध्य बैंक

ऋण की सुविधा प्रदान करती है। पीएमएमवाई योजना विनिर्माण, प्रसंस्करण, व्यापार, सेवाओं और कृषि से संबंधित गतिविधियों के लिये सूक्ष्म/लघु व्यवसाय हेतु 10 लाख रुपये तक का संस्थागत वित्त उपलब्ध कराती है। पीएमईजीपी योजना ऋण-सहबद्ध सब्सिडी कार्यक्रम है जिसका उद्देश्य परंपरागत कारीगरों और बेरोजगार युवाओं के लिये गैर-कृषि क्षेत्र में सूक्ष्म-उद्यमों के माध्यम से स्व-रोजगार के अवसर पैदा करना है।

एआरटी निदानशालाओं का विनियमन

1824. श्री राहुल शेवाले:
श्री संजय धोत्रे:
श्री भर्तृहरि महताब:

क्या **स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) देश में एआरटी निदानशालाओं के प्रत्यायन, पर्यवेक्षण और विनियमन हेतु दिशानिर्देशों का ब्यौरा क्या है;

(ख) क्या केन्द्र सरकार द्वारा समर्थन नहीं देने के परामर्श के बावजूद देशभर में कमर्शियल सरोगेसी की जा रही है;

(ग) यदि हां, तो गत तीन वर्षों और चालू वर्ष के दौरान राज्य/संघ राज्यक्षेत्र-वार ऐसे कितने मामले सरकार के ध्यान में आए हैं और उक्त मामलों पर सरकार द्वारा अब तक क्या कार्रवाई की गई है; और

(घ) उक्त अवधि के दौरान देश में एआरटी निदानशालाओं में की जा रही प्रसवपूर्ण गर्भनिर्धारण संबंधी जांच के संबंध में कितनी शिकायतें सरकार के ध्यान में आई हैं?

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती अनुप्रिया पटेल): (क) देश में एआरटी क्लिनिकों के प्रत्यायन, पर्यवेक्षण तथा विनियमन हेतु दिशानिर्देशों को अब तक अंतिम रूप नहीं दिया गया है।

(ख) और (ग) स्वास्थ्य अनुसंधान विभाग द्वारा इस प्रकार के आंकड़े नहीं रखे जाते हैं।

(घ) देश में एआरटी क्लिनिकों में प्रसव-पूर्व लिंग जांच परीक्षणों से संबंधित कोई शिकायत स्वास्थ्य अनुसंधान विभाग की जानकारी में नहीं आई है।

सीएसआर का कार्यान्वयन

1825. श्री भर्तृहरि महताब:
श्री संजय धोत्रे:
कुंवर भारतेन्द्र सिंह:
श्री विनोद लखमाशी चावड़ा:
श्री राहुल शेवाले:

क्या **कारपोरेट कार्य मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार के पास गत चार वर्षों के दौरान सामाजिक कार्यों हेतु उपयोग की जाने वाली कारपोरेट सामाजिक दायित्व (सीएसआर) निधि का ब्यौरा है और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ख) क्या सरकार की देश में सरकारी और निजी क्षेत्र की कंपनियों द्वारा कारपोरेट सामाजिक दायित्व (सीएसआर) के अंतर्गत अनिवार्य लाभ राशि के खर्च पर नियंत्रण रखने में कोई भूमिका नहीं है और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और इसके क्या कारण हैं;

(ग) सरकार ने सीएसआर के अंतर्गत आवश्यक खर्च से छुटकारा पाने के लिए कंपनियों द्वारा अपनाई गई गुप्त गतिविधियों का किस प्रकार से पता लगाया है;

(घ) गत चार वर्षों में प्रत्येक वर्ष और चालू वर्ष के दौरान सरकार द्वारा सीएसआर से संबंधित कंपनी अधिनियम, 2013 के प्रावधानों की गैर-अनुपालन हेतु कंपनी-वार कितनी कंपनियों के विरुद्ध दण्डात्मक कार्रवाई की गई है; और

(ङ) उक्त अवधि के दौरान उनके सीएसआर के अंतर्गत इन कंपनियों द्वारा विभिन्न परियोजनाओं पर परियोजना-वर खर्च की गई निधि का ब्यौरा क्या है?

विधि और न्याय मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा कारपोरेट कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री पी.पी. चौधरी): (क) से (ङ) तत्काल पूर्ववर्ती वित्त वर्ष के दौरान 500 करोड़ या उससे अधिक के निवल मूल्य या 1000 करोड़ या उससे अधिक का व्यापार या 5 करोड़ या उससे अधिक का निवल लाभ करने वाली प्रत्येक कंपनी यह सुनिश्चित करेगी कि वह कंपनी प्रत्येक वित्त वर्ष में पिछले तीन वित्त वर्ष के दौरान अर्जित निवल मूल्य की कम से कम 2% राशि कंपनी अधिनियम, 2013 (अधिनियम) की अनुसूची-VII में विहित विषयों या क्षेत्रों में कारपोरेट सामाजिक

दायित्व (सीएसआर) कार्यकलापों पर खर्च करे। ऐसी कंपनियों के सीएसआर व्यय जिसमें विकास क्षेत्र-वार व्यय शामिल हैं, का ब्यौरा संलग्न विवरण अनुलग्नक में दिया गया है।

इसके अतिरिक्त, अधिनियम की धारा 135(3) और (4) में कंपनी बोर्ड और इसकी सीएसआर समिति को अधिनियम की अनुसूची-VII में सूचीबद्ध मदों के लिए सीएसआर निधि आबंटन संबंधी निर्णय लेने का अधिकार दिया गया है। जब भी सीएसआर उपबंध के उल्लंघन की सूचना प्राप्त होती है, कंपनी रजिस्ट्रारों द्वारा रिकार्ड की उचित जांच करने के पश्चात् गैर-अनुपालनकर्ता कंपनियों के विरुद्ध कार्रवाई शुरू की जाती है। वित्त वर्ष 2014-15 में 254 कंपनियों के विरुद्ध अभियोजन स्वीकृत किए गए हैं जिसमें 33 कंपनियों ने शमन के लिए आवेदन दायर किए हैं। इसके अतिरिक्त, मंत्रालय ने अप्रैल, 2018 में वित्त वर्ष 2015-16 के लिए सीएसआर उपबंधों के प्रवर्तन के लिए प्रायोगिक आधार पर केन्द्रीकृत जांच और अभियोजन तंत्र की स्थापना की है।

विवरण

वित्त वर्ष 2014-15, 2015-16 और 2016-17 के लिए सीएसआर व्यय

क्र. सं.	वित्तीय वर्ष	कंपनियों की संख्या	कुल खर्च की गई राशि (करोड़ रुपये में)
1.	2014-15	14944	9564.77
2.	2015-16	19184	13827.86
3.	2016-17*	6286	4719.00

*30.11.2017 तक फाइलिंग की गणना की गई है।

वित्त वर्ष 2014-15, 2015-16 और 2016-17 के लिए क्षेत्र-वार सीएसआर व्यय

सीएसआर व्यय (करोड़ रुपये में)

क्र.सं.	राज्य	2014-15	2015-16	2016-17*
1.	स्वास्थ्य/भूखमरी, गरीबी और कुपोषण का निवारण/सुरक्षित पीने का पानी/स्वच्छता	2382.27	4330.21	1201.37
2.	शिक्षा/विक्लांगजन/जीविका	3021.47	4689.81	1605.05
3.	ग्रामीण विकास	1031.02	1327.57	628.56
4.	पर्यावरण/पशु कल्याण/संसाधनों का संरक्षण	812.31	901.80	306.68
5.	स्वच्छ भारत कोष	94.52	323.24	89.35
6.	अन्य कोई निधि	272.58	322.63	137.70
7.	लैंगिक समानता/महिला सशक्तिकरण/वृद्धाश्रम/असमानता हटाना	172.63	331.50	122.60
8.	प्रधानमंत्री राष्ट्रीय राहत कोष	211.04	206.08	109.81
9.	खेलों का प्रोत्साहन	53.36	134.76	51.73
10.	विरासत कला और संस्कृति	113.62	114.90	49.64
11.	स्लम विकास क्षेत्र	101.07	13.60	1.97
12.	निर्मल गंगा कोष	4.64	32.52	22.97
13.	अन्य क्षेत्र (सशक्त सेनाओं को प्रौद्योगिकी इनक्यूबेटर और लाभ, प्रशासनिक ऊपरी खर्च तथा अन्य*)	1294.24	1099.24	391.57
	कुल (करोड़ रुपये में)	9564.77	13827.86	4719.00

*30.11.2017 तक फाइलिंग की गणना की गई है।

**निर्दिष्ट नहीं किया गया है।

प्राकृतिक जड़ी-बूटियों की कृषि

1826. श्रीमती वी. सत्यबामा:
श्री के.एन. रामचन्द्रन:
श्री पी.आर. सेनथिलनाथन:
श्री आर.के. भारती मोहन:

क्या **आयुर्वेद, योग और प्राकृतिक चिकित्सा, यूनानी, सिद्ध और होम्योपैथी (आयुष) मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार ने देश में प्राकृतिक जड़ी-बूटियों और दुर्लभ औषधीय पौधों की खेती को बढ़ावा देने और समुद्र से जड़ी-बूटियों और औषधीय पौधों का उत्पादन करने के लिए पर्याप्त उपाय किए हैं;

(ख) यदि हां, तो विगत तीन वर्षों में प्रत्येक वर्ष के दौरान तत्संबंधी राज्यसंघ/राज्य क्षेत्रवार-ब्यौरा क्या है और इस संबंध में कितनी धनराशि आवंटित की गई है और कौन-सी जड़ी-बूटियों/औषधीय पौधों की खेती की गई है;

(ग) क्या सरकार ने तमिलनाडु को अनुसंधान और विकास हेतु धनराशि और सहायता प्रदान की है; और

(घ) यदि हां, तो उक्त अवधि के दौरान तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

आयुर्वेद, योग और प्राकृतिक चिकित्सा, यूनानी, सिद्ध और होम्योपैथी (आयुष) मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री श्रीपाद येसो नाईक): (क) और (ख) जी, हां। आयुष मंत्रालय, भारत सरकार ने देश में प्राकृतिक जड़ी-बूटियों और दुर्लभ औषधीय पादपों की कृषि को बढ़ावा देने के लिए पर्याप्त उपाय किए हैं तथा इस सन्दर्भ में आयुष मंत्रालय अपनी राष्ट्रीय आयुष मिशन (एनएएम) की केंद्रीय प्रायोजित स्कीम के अंतर्गत संपूर्ण देश में कृषकों की भूमि पर औषधीय पादपों की खेती को बड़े पैमाने पर बढ़ावा दे रहा है।

एनएएम स्कीम के अंतर्गत, 'औषधीय पादपों' पर एक घटक है जिसका मुख्य उद्देश्य गुणवत्तायुक्त पादप सामग्री की आपूर्ति के लिए पौधशालाओं की स्थापना के माध्यम से पश्चवर्ती संबंधी और फसलोपरांत प्रबंधन के लिए अग्रवर्ती संबंधों सहित किसानों की भूमि पर औषधीय पादपों की कृषि के लिए सहायता करना है। कृषि कार्यक्रम को संबंधित राज्य की निर्धारित कार्यान्वयन एजेंसी द्वारा क्रियान्वित किया जा रहा है तथा संबंधित राज्य हेतु राज्य वार्षिक कार्य योजना के अनुसार वित्तीय सहायता प्रदान की जाती है। औषधीय पादपों की कृषि लागत पर 30%, 50% तथा 75% की दर से सब्सिडी के रूप में वित्तीय सहायता प्रदान की जाती है। स्कीम दिशानिर्देशों के अनुसार, दुर्लभ, लुप्तप्राय संकटापन्न प्रजातियों हेतु कृषि लागत पर 75% की दर से सहायता प्रदान की जाती है। गत तीन वर्षों के दौरान एनएएम स्कीम के अंतर्गत औषधीय पादपों की कृषि के लिए सहायता हेतु आवंटित धनराशि का राज्य/संघ राज्य क्षेत्र-वार ब्यौरा संलग्न विवरण-I और सहायता प्राप्त प्रजातियों का ब्यौरा संलग्न विवरण-II पर दिया गया है।

(ग) और (घ) जी, हां। आयुष मंत्रालय ने उत्कृष्टता केंद्र स्कीम के अंतर्गत तमिलनाडु राज्य में तीन संगठनों को उनकी सुविधाओं के उन्नयन तथा आयुष में अनुसंधान करने के लिए 819.00 लाख रु. की धनराशि प्रदान की है। ब्यौरा संलग्न विवरण-III पर दिया गया है।

इसके अतिरिक्त, राष्ट्रीय औषधीय पादप बोर्ड (एनएमपीबी), आयुष मंत्रालय "औषधीय पादपों के संरक्षण, विकास एवं सतत प्रबंधन" के लिए अपनी केंद्रीय क्षेत्रक स्कीम के अंतर्गत तमिलनाडु राज्य सहित सम्पूर्ण देश में विभिन्न अनुसंधान संगठनों को औषधीय पादपों के अलग-अलग पहलुओं पर अनुसंधान एवं विकास हेतु सहायता भी प्रदान करता है। गत तीन वर्षों के दौरान तमिलनाडु राज्य में औषधीय पादपों के विभिन्न पहलुओं पर अनुसंधान एवं विकास के लिए सहायता हेतु उपर्युक्त के अंतर्गत प्रदत्त धनराशि का ब्यौरा संलग्न विवरण-IV पर दिया गया है।

विवरण-I

गत तीन वर्षों के दौरान एनएएम स्कीम के अंतर्गत औषधीय पादपों की कृषि के लिए सहायता हेतु आवंटित धनराशि का राज्य/संघ राज्य क्षेत्र-वार ब्यौरा

क्र. सं.	राज्य का नाम	2015-16 आवंटित धनराशि	2016-17 आवंटित धनराशि	2017-18 आवंटित धनराशि
1	2	3	4	5
1.	आंध्र प्रदेश	133.924	193.165	213.158
2.	अरुणाचल प्रदेश	25.032	45.031	61.111
3.	असम	158.971	175.37	392.284
4.	अंडमान और निकोबार द्वीपसमूह	19.489	40.802	68.922

1	2	3	4	5
5.	बिहार	396.061	691.887	659.83
6.	छत्तीसगढ़	152.705	217.942	178.646
7.	चंडीगढ़	92.554	36.445	88.397
8.	गुजरात	168.141	219.886	185.05
9.	गोवा	69.862	41.606	38.115
10.	दिल्ली	52.86	45.422	152.47
11.	दादरा और नगर हवेली	38	58.619	43.581
12.	दमन एवं दीव	48.819	69.048	38.721
13.	हरियाणा	106.131	122.627	166.01
14.	हिमाचल प्रदेश	62.115	60.036	75.783
15.	जम्मू एवं कश्मीर	59.336	93.276	80.392
16.	झारखंड	144.14	262.674	235.537
17.	कर्नाटक	137.27	233.208	247.465
18.	केरल	126.562	169.608	269.787
19.	लक्षद्वीप	37.478	58.104	27.971
20.	मध्य प्रदेश	306.973	499.847	450.651
21.	महाराष्ट्र	205.972	373.846	355.725
22.	मणिपुर	60.896	73.38	90.341
23.	मेघालय	38.757	55.348	91.576
24.	मिजोरम	43.806	44.345	97.568
25.	नागालैंड	60.502	53.493	104.669
26.	उड़ीसा	187.726	308.835	297.518
27.	पंजाब	89.625	150.301	104.201
28.	पुदुचेरी	20.075	23.191	38.115
29.	राजस्थान	264.413	474.86	503.22
30.	सिक्किम	30.789	32.172	25.41
31.	तमिलनाडू	144.452	252.725	286.666
32.	त्रिपुरा	36.864	54.522	77.281
33.	तेलंगाना	111.35	150.835	119.135
34.	उत्तर प्रदेश	720.119	1241.326	1238.718
35.	उत्तराखंड	60.989	70.024	130.148
36.	पश्चिम बंगाल	180.811	318.86	348.76
	कुल	4593.569	7012.664	7582.932

विवरण-II

2015-16 से 2017-18 तक राष्ट्रीय आयुष मिशन (एनएएम) की केंद्रीय प्रायोजित स्कीम के अंतर्गत कृषि के लिए सहायता प्राप्त औषधीय पादपों का राज्य/संघ राज्य क्षेत्र-वार ब्यौरा

क्र. सं.	राज्य का नाम	कृषि हेतु औषधीय पादप प्रजातियां	सहायता प्राप्त क्षेत्र (हेक्टेयर में)
1	2	3	4
1.	आंध्र प्रदेश	एलोयवीरा, ईगलमारमीलोस, अन्ड्रोग्राफीसपेनीकुलाटा, एसपेरेगसरेसीमोसस, एजार्डीक्टाइन्डीका, बेकोपामोनीराइ, केसियाअंगस्टीफोलियावहल, सेन्टेलाएसीयेटिका, ग्लोरीओसासुपरबा, हाईडिसियमस्पाईकेट्रम, ओसिममसेन्कटम, फाइलेन्थसएम्बलीका, पाइपरलोन्गम, टेरोकारपससेन्टेलाइनस, राउलफीयासरपेनटाइना, सेन्टलमएलब्म, टर्मीनेलियाअर्जुना, टर्मीनेलियाबलेरीका, टर्मीनेलियाचेबुला, वीथेनियासोमनीफेरा	2504

1	2	3	4
2.	अरुणाचल प्रदेश	अक्रसकेलेमस, एसपेरेगसरेसीमोसस, बरबेरिसएरिसटाटा, पिकरोइजाकूरु, राउलफीयासरपेनआइना, ससुरियाकोसटस, वेलेरियानावलेची, जेन्थोंजाइलमअलेटम	213.4
3.	असम	अकेसियाकटेचू, अक्रसकेलेमस, ईगलमारमीलोस, अलबीजियालीबेक, एलोयवीरा, अल्सटोनियास्कोलेरिस, अन्ड्रोग्राफीसपेनीकुलाटा, एकवेलेरियाएगेलोचा, एसपेरेगसरेसीमोसस, एजार्डीक्टाइन्डीका, बेकोपामोनीराइ, बोहरावियाडीफयूजा, सीन्नामोममटमाला, कोमिफोराविधटी, डायोसकोरियाबल्बीफेरा, ग्लोरीओसासुपरबा, मलाइयनाअरबोरिया, हेमीडेसमसइन्डीकस, मेसुआफेरिया, ओसिममसेन्कटम, ओरोजाइल्मइन्डिकम, फाइलेन्थसएम्बलीका, पाइपरलोन्गम, प्लमबागोजेलेनिका, स्टीवियारेबीयुडिआना, सेन्टलमएलब्म, सराकाअसोका, स्टीवियारेबीयुडिआना, टर्मीनेलियाअर्जुना, टर्मीनेलियाबलेरीका, टर्मीनेलियाचेबुला, टीनोस्पोराकोरडीफोलिया, विटेक्सनीगेन्डो, वीथेनियासोमनीफेरा, जेन्थोजाइलमअलेटम।	485.6
4.	छत्तीसगढ़	अक्रसकेलेमस, एडेटोडाजेलेनिका, ईगलमारमीलोस, एलोयवीरा, अन्ड्रोग्राफीसपेनीकुलाटा, एसपेरेगसरेसीमोसस, सीलासट्रसपेनीकुलाटा, कोमिफोराविधटी, एमबलियाराइबस, ग्लोरीओसासुपरबा, मुकुनाप्रुरीटा, ओसिममसेन्कटम, पाइपरलोन्गम, प्लमबागोजेलेनिका, प्रीमनाइनटीग्रीफोलिया, टेरोकारपससेन्टेलाइनस, सेन्टलमएलब्म, टर्मीनेलियाअर्जुना, टीनोस्पोराकोरडीफोलिया, वीथेनियासोमनीफेरा।	292
5.	गुजरात	अक्रसकेलेमस, एसपेरेगसरेसीमोसस, बोहरावियाडीफयूजा, सीलासट्रसपेनीकुलाटा, क्लोरोफाइटमबोरीवीलिनम, कनवलवुलसमाइक्रोफीलस, एमबलियाराइबस, लेपदेनिया रेतिकुलता, ओसिममसेन्कटम, फाइलेन्थसएम्बलीका, पाइपरलोन्गम, प्लमबागोजेलेनिका, प्यूरेरियाटयूबरोसा, टीनोस्पोराकोरडीफोलिया, यूरेरियापिक्आ, वीथेनियासोमनीफेरा।	417.83
6.	गोवा	गारसेनियाइन्डीका, पाइपरलोन्गम, स्टीवियारेबीयुडिआना	52.86
7.	हरियाणा	ईगलमारमीलोस, एलोयवीरा, अन्ड्रोग्राफीसपेनीकुलाटा, एसपेरेगसरेसीमोसस, ओसिममसेन्कटम, फाइलेन्थसएम्बलीका, प्लेनटागोओवेटा, स्टीवियारेबीयुडिआना, स्टीवियारेबीयुडिआना, टर्मीनेलियाचेबुला, वीथेनियासोमनीफेरा।	419.8
8.	हिमाचल प्रदेश	एकोनिटमहिटेरोफिल्लम, एलोयवीरा, क्लोरोफाइटमबोरीवीलिनम, ओसिममसेन्कटम, पिकरोराइजाकूरु, पोडोफिल्लमहेक्जेन्ड्रम, स्टीवियारेबीयुडिआना, ससुरियाकोसटस, वेलेरियानावलेची, वीथेनियासोमनीफेरा।	166
9.	जम्मू और कश्मीर	एकोनिटमहिटेरोफिल्लम, एलोयवीरा, हिफोफीरहमेनोइडिस, इन्यूलारेसीमोसा, पिकरोराइजाकूरु, पोडोफिल्लमहेक्जेन्ड्रम, ऋयूमइमोडी, ससुरियाकोसटस, वीथेनियासोमनीफेरा।	64
10.	कर्नाटक	अक्रसकेलेमस, एलोयवीरा, अन्ड्रोग्राफीसपेनीकुलाटा, एकवेलेरियाएगेलोचा, केसियाअंगस्टीफोलियावहल, क्लोरोफाइटमबोरीवीलिनम, कोलियसफोरसकोलाई, मुकुनापुरीटा, ओसिममसेन्कटम, फाइलेन्थसएम्बलीका, पाइपरलोन्गम, टेरोकारपससेन्टेलाइनस, सेन्टलमएलब्म, स्टीवियारेबीयुडिआना, टेफरोसीयापरप्यूरीया, वीथेनियासोमनीफेरा।	2033.4

1	2	3	4
11.	केरल	एडेटोडाजेलेनिका, ईगलमारमीलोस, एलोयवीरा, अल्पाइनाकेलकराटा, अल्पाइनागेंलंगा, अन्ड्रोग्राफीसपेनीकुलाटा, एसपेरेगसरेसीमोसस, एजार्डीक्टाइन्डीका, बेकोपानोनीराइ, सीसलपीनियासेपन, कोलियसफोरसकोलाई, डेसमोडियमगेंगेटिकम, गारसेनियाइन्डीका, मलाइयनाअरबोरिया, हेमीडेसमसइन्डीकस, केम्पफेरियागेलंगा, ओसिमममसेन्कटम, फाइलेन्थसएम्बलीका, पाइपरलोन्गम, प्लमबागोजेलेनिका, टेरोकारपसमारसुपीयम, टेरोकारपससेन्टेलाइनस, स्टीवियारेबीयुडिआना, सेन्टलमएलब्म, सराकाअसोका, सीडारोम्बिफोलिया सोलनम, जैथोकार्पम, टर्मीनेलियाचेबुला, विटेक्सनीगेन्डो।	1529
12.	महाराष्ट्र	अक्रसकेलेमस, एलोयवीरा, एसपेरेगसरेसीमोसस, एजार्डीक्टाइन्डीका, बेकोपामोनीराइ, क्लोरोफाइटमबोरीवीलिनम, कोलियसफोरसकोलाई, कोमिफोराविधटी, हेमीडेसमसइन्डीकस, ओसिमममसेन्कटम, ओसिमममसेन्कटम, फाइलेन्थसएम्बलीका, पाइपरलोन्गम, टेरोकारपससेन्टेलाइनस, सेन्टलमएलब्म, टर्मीनेलियाचेबुला, टीनोस्पोराकोरडीफोलिया।	770.43
13.	मध्य प्रदेश	अन्ड्रोग्राफीसपेनीकुलाटा, क्लोरोफाइटमबोरीवीलिनम, कोलियसफोरसकोलाई, कोमिफोराविधटी, ओसिमममसेन्कटम, वीथेनियासोमनीफेरा।	6229
14.	मणिपुर	अकेसियाकटेचू, ईगलमारमीलोस, एलोयवीरा, एकवेलेरियाएगेलोचा, सेन्टेलाएसीयेटिका, सीन्नामोममटमाला, सिनामोमम जेलेनिकम फाइलेन्थसएम्बलीका, स्टीवियारेबीयुडिआना।	526.2
15.	मिजोरम	एलोयवीरा, अन्ड्रोग्राफीसपेनीकुलाटा, सिनामोमम जेलेनिकम ओसिमममसेन्कटम, ओरोजाइल्मइन्डिकम, फाइलेन्थसएम्बलीका, स्टीवियारेबीयुडिआना, स्वरीताचिरायता, टर्मीनेलियाबलेरीका, टर्मीनेलियाचेबुला।	151.28
16.	मेघालय	ईगलमारमीलोस, एलोयवीरा, अल्पाइनागेंलंगा, एकवेलेरियाएगेलोचा, एसपेरेगसरेसीमोसस, एजार्डीक्टाइन्डीका, सेन्टेलाएसीयेटिका, सिनामोमम जेलेनिकम केम्पफेरियागेलंगा, पाइपरलोन्गम, स्टीवियारेबीयुडिआना, स्वरीताचिरायता, वेलेरियानावलेची, जेन्थोजाइलमअलेटम।	70
17.	नागालैंड	अन्ड्रोग्राफीसपेनीकुलाटा, एकवेलेरियाएगेलोचा, सिनामोमम जेलेनिकम मुकुनाप्रुरीटा, पाइपरलोन्गम, टेफरीसीयापरप्यूरीया, वेलेरियानावलेची, जेन्थोजाइलमअलेटम।	439
18.	राजस्थान	एलोयवीरा, एसपेरेगसरेसीमोसस, केसियाअंगस्टीफोलियावहल, क्लोरोफाइटमबोरीवीलिनम, कोमिफोराविधटी, ग्लोरीओसासुपरबा, लेपदेनिया रेतिकुलता, ओसिमममसेन्कटम, फाइलेन्थसऐमेरसशुम, फाइलेन्थसएम्बलीका, प्रीमनाइनटीग्रीफोलिनया, स्टीवियारेबीयुडिआना, स्टीवियारेबीयुडिआना, टेकोमिलाअन्डूलाटा, टेफरोसीयापरप्यूरीया, टीनोस्पोराकोरडीफोलिया, वीथेनियासोमनीफेरा।	2833.5
19.	सिक्किम	एकोनिटमहिटेरोफिल्लम, कोलियसफोरसकोलाई, हाईडिसियमस्पाईकेट्रम, नारडेस्टीकसजटामानसी, फाइलेन्थसएम्बलीका, पिकरोराइजाकूरु, स्वरीताचिरायता।	179

1	2	3	4
20.	ओडिशा	ईगलमारमीलोस, डायोसकोरियाबल्बीफेरा, ओसिममसेन्कटम, पाइपरलोन्गम, स्टीवियारेबीयुडिआना, वीथेनियासोमनीफेरा।	488.5
21.	पंजाब	राउलफीयासरपेनटाइना, वीथेन्नियासोमनीफेरा।	360
22.	पुदुचेरी	एडेटोडाजेलेनिका, अन्ड्रोग्राफीसपेनीकुलाटा, बोहरावियाडीफयूजा, सेन्टेलाएसीयेटिका।	43
23.	तमिलनाडु	कोलियसफोरसकोलाई, गारसेनियाइन्डीका, ग्लोरीओसासुपरबा, फाइलेन्थसएम्बलीका, पाइपरलोन्गम, सोलनम जैथोकार्पम।	2266
24.	तेलंगाना	अक्रसकेलेमस, एलोयवीरा, केसियाअंगस्टीफोलियाववहल, ग्लोरीओसासुपरबा, मुकुनाप्रुरीटा, ओसिममसेन्कटम, फाइलेन्थसएम्बलीका, टेरोकारपससेन्टेलाइनस, सेन्टलमएलब्म, स्टीवियारेबीयुडिआना, वीथेनियासोमनीफेरा।	1096.18
25.	त्रिपुरा	टर्मीनेलियाअर्जुना	45
26.	उत्तराखंड	एकोनिटमहिटेरोफिल्लम, सीन्नामोममटमाला, हिफोफीरहमेनाइडिस, पिकरोराइजाकूरु, पोडोफिल्लमहेक्जेन्ड्रम, स्टीवियारेबीयुडिआना, ऋयूमइमोडी, ससुरियाकोसटस।	483.53
27.	उत्तर प्रदेश	अक्रसकेलेमस, एलोयवीरा, अन्ड्रोग्राफीसपेनीकुलाटा, आरटीमिसियाएनुआ, एसपेरेगसरेसीमोसस, बेकोपामोनीराइ, ग्लोरीओसासुपरबा, मुकुनाप्रुरीटा, ओसिममसेन्कटम, स्टीवियारेबीयुडिआना, वीथेनियासोमनीफेरा।	6431
28.	पश्चिम बंगाल	अकेसियाकटेचू, ईगलमारमीलोस, अन्ड्रोग्राफीसपेनीकुलाटा, एजार्डीक्टाइन्डीका, बेकोपामोनीराइ, केसियाअंगस्टीफोलियावहल, सेन्टेलाएसीयेटिका, गारसेनियाइन्डीका, ग्लाइसिराइजाग्लेबरा, होलोराइहनाएन्टीडाइसेन्टीरीका, केम्पफेरियागेलंगा, नारडेस्टीकसजटामानसी, ओसिममसेन्कटम, फाइलेन्थसऐमेरसशुम, फाइलेन्थसएम्बलीका पोडोफिल्लमहेक्जेन्ड्रम, टेरोकारपसमारसुपीयम, स्टीवियारेबीयुडिआना, सराकाअसोका, स्वरीताचिरायता, टर्मीनेलियाअर्जुना, टर्मीनेलियाबलेरीका, टर्मीनेलियाचेबुला।	754
	कुल		31343.51

विवरण-III

आयुष मंत्रालय ने निम्नलिखित तीन संगठनों को अपनी सुविधाओं के उन्नयन और आयुष में अनुसंधान करने के लिए इसकी उत्कृष्टता केंद्र स्कीम के अंतर्गत 819.00 लाख रुपये प्रदान किए हैं

क्र. सं.	परियोजना	क्रियाकलाप	प्रदत्त अनुदान सहायता राशि (लाखों में)	निधियन की अवधि
1	2	3	4	5
1.	नियामत साइंस एकेडमी, चेन्नई फॉर सेंटर ऑफ एक्सीलेंस फॉर यूनानी इलाज बिद तदबिर-रेजिमेंटल थेरपी	• रेजिमेंटल थेरपी में एसओपी विकास • भवन विनिर्माण तथा सुविधाओं का उन्नयन • इडब्ल्यूएस श्रेणी को चिकित्सा सेवाओं का 25% नि:शुल्क प्रदान करना।	200.00	2010-2016

1	2	3	4	5
2.	दा आयुर्वेदिक ट्रस्ट, कोयम्बटूर फॉर अपग्रेडेशन टू सेंटर ऑफ एक्सीलेंस रिसर्च हॉस्पीटल रयूमेटोलॉजी	• अभिकल्पित रोगावस्थाओं जैसे रुमेटोइड अर्थरीटीस, ओस्टियो अर्थरीटीस, स्पोंडैलोसिस, एंकिलॉजिंग/सोरिअटिक अर्थरीटीस में आयुर्वेदिक उपचार की प्रभावकारिता का दस्तावेजीकरण तथा इन रोग अवस्थाओं के लिए एसओपी का विकास • भवन विनिर्माण तथा चिकित्सा उपकरण खरीदे गये • ईडब्ल्यूएस श्रेणी को चिकित्सा सेवाओं का 25% निःशुल्क प्रदान करना।	255.5	2009-2017
3.	शास्त्र यूनिवर्सिटी, तमिलनाडु-आयुर्वेदिक एवं सिद्ध-रस औषधियों तथा भस्मों के लिए वैज्ञानिक राष्ट्रीय सुविधा में उत्कृष्टता केन्द्र	• जीएमपी यूनिट का निर्माण तथा उपकरणों एवं उपस्करों की खरीद। • आयुर्वेद एवं सिद्ध औषधियों का सुरक्षा तथा विषाक्तता अध्ययन। • रासायनिक निरूपण और सुरक्षा मामलों पर आयुर्वेद एवं सिद्ध चिकित्सकों के लिए प्रशिक्षण कार्यक्रम आयोजित करना।	363.71	2010-2015
	कुल		819.00	

विवरण-IV

गत तीन वर्षों के दौरान तमिलनाडु राज्य में औषधीय पादपों के विभिन्न पहलुओं पर अनुसंधान और विकास के लिए सहायता करने हेतु एनएमपीबी, आयुष मंत्रालय की "औषधीय पादपों के संरक्षण, विकास और सतत प्रबंधन" के लिए केन्द्रीय क्षेत्रक स्कीम के अंतर्गत प्रदान की गई धनराशि का विवरण

क्र.सं.	संगठन का नाम	राशि (लाख रुपये में)
1.	टी. स्टेन्स एंड कं. लिमिटेड, कोयम्बटूर, तमिलनाडु	11.26
2.	इंस्टीट्यूट ऑफ फॉरेन जेनेटिक्स एंड ट्री ब्रिडिंग (आईएफजीटीबी), कोयम्बटूर, तमिलनाडु	47.413
3.	भारतीदाशन यूनिवर्सिटी, तिरुचिरापल्ली, तमिलनाडु	13.02
4.	पाचियापा कॉलेज, तमिलनाडु	9.14058
5.	वीईएलएस इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस, टेक्नॉलोजी एंड एडवांस्ड स्टडीज (विस्टास), वीईएलएस यूनिवर्सिटी, चेन्नई, तमिलनाडु	3.80
6.	शास्त्र यूनिवर्सिटी, तजावुर, तमिलनाडु	4.00
		88.63358

महिलाओं संबंधी समस्याओं पर जागरुकता कार्यक्रम

1827. श्री आर.के. भारती मोहन:
श्री के.एन. रामचन्द्रन:
श्रीमती वी. सत्यबामा:
श्री पी.आर. सेनथिलनाथन:

क्या **महिला और बाल विकास मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या केन्द्र सरकार महिलाओं संबंधी समस्याओं पर जागरूकता कार्यक्रम आयोजित करने और महिलाओं के विरुद्ध यौन उत्पीड़न, छेड़खानी, पीछा करने और साइबर शोषण इत्यादि जैसे अपराध रोकने के लिए विशेषकर शहरों और आईटी पार्कों में सूक्ष्म स्तरों पर कार्य कर रही है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं;

(ग) क्या सरकार ने महिलाओं और बच्चों को प्रभावित करने वाले ज्वलंत मुद्दों पर जागरूकता फैलाने और महिलाओं के विरुद्ध अपराध रोकने के लिए अंतर्राष्ट्रीय एजेंसियों और गैर-लाभकारी संगठनों के साथ समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए हैं; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और गत तीन वर्षों में प्रत्येक वर्ष के दौरान इस हेतु राज्य/संघ राज्यक्षेत्र-वार कुल कितनी धनराशि आवंटित की गई है?

महिला और बाल विकास मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा अल्पसंख्यक कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (डॉ. वीरेन्द्र कुमार): (क) से (घ) सरकार महिलाओं के विरुद्ध अपराध पर रोक लगाने और महिलाओं हेतु सुरक्षित परिवेश उपलब्ध कराने के लिए प्रभावी तंत्र स्थापित करने की दिशा में प्रयास कर रही है। बलात्कार जैसे अपराधों के लिए दंड को और अधिक कठोर बनाकर आपराधिक कानून (संशोधन) अधिनियम, 2013 अधिनियमित किया गया है। भारतीय दंड संहिता में एसिड हमला, यौन उत्पीड़न, रति दर्शन और पीछा करना, किसी महिला को निर्वस्त्र करना जैसे नए अपराधों को शामिल किया गया है। कार्यस्थल पर महिलाओं को सुरक्षित एवं निरापद परिवेश प्रदान करने हेतु सरकार ने कार्यस्थल पर महिलाओं का यौन उत्पीड़न (निवारण, प्रतिषेध एवं प्रतितोष) अधिनियम, 2013 भी अधिनियमित किया है। उपर्युक्त के अलावा, आपराधिक कानून (संशोधन) अध्यादेश, 2018 लाया गया है। उक्त अध्यादेश में दंड की अवधि 7 साल से बढ़ाकर जुर्माने के साथ न्यूनतम 10 साल के सश्रम कारावास के रूप में की गई है जिसे आजीवन कारावास तक बढ़ाया जा सकता है।

गृह मंत्रालय महिलाओं की सुरक्षा एवं संरक्षण के लिए निर्मित कानूनों, तंत्रों पर प्रशासन और विशेषरूप से आम जनता में जागरूकता बढ़ाने के लिए कदम उठाने हेतु राज्यों को समय-समय पर एडवाइजरी भी जारी करता है। राज्यों को महिलाओं के विरुद्ध अपराध से लड़ने के क्षेत्र में काम करने वाले एनजीओ को सहयोजित करने तथा समाज में लैंगिक मुद्दों के बारे में जागरूकता बढ़ाने हेतु नागरिक समूहों एवं एनजीओ को प्रोत्साहित करने की संभावना का पता लगाने की भी सलाह दी गई है।

राज्यों को आपराधिक कानून संशोधन अधिनियम, 2013 के दंडात्मक कानूनी प्रावधानों के बारे में जागरूकता एवं संवेदनशीलता बढ़ाने हेतु विशेष रूप से कानून का प्रवर्तन करने वाले कार्मिकों के लिए व्यापक प्रशिक्षण कार्यक्रम संचालित करने की भी सलाह दी गई है। ये एडवाइजरी www.mha.gov.in पर उपलब्ध हैं।

महिला एवं बाल विकास मंत्रालय ने इस संबंध में जागरूकता पैदा करने के लिए अंतरराष्ट्रीय एजेंसियों तथा लाभ न कमाने वाले संगठनों के साथ किसी एमओयू पर हस्ताक्षर नहीं किए हैं, किंतु इस संबंध में ऐसे कई संगठनों के साथ निरंतर कार्य कर रहा है।

कुपोषण से मौतें

1828. श्री शंकर प्रसाद दत्ता:
श्री निशिकान्त दुबे:
श्री निहाल चन्द:
श्री रवीन्द्र कुमार पाण्डेय:
श्री बी.वी. नाईक:

क्या **महिला और बाल विकास मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार ने हाल ही के वर्षों में देश में कुपोषण के कारण बच्चों की मौतों की ओर ध्यान दिया है;

(ख) यदि हां, तो गत तीन वर्षों के दौरान देश में कुपोषण के कारण झारखंड सहित राज्य/संघ राज्यक्षेत्र-वार कितने बच्चों की मौतें हुई हैं;

(ग) क्या सरकार ने संवेदनशील क्षेत्रों में जाने के लिए कोई विशेष कार्यबल तैयार किया है जो जोखिमग्रस्त समूहों का पता

लगाएगा और वहां कुपोषण का समाधान निकालेगा और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं;

(घ) क्या राष्ट्रीय बाल अधिकार संरक्षण आयोग ने उक्त मौतों के कारणों का पता लगाने के लिए कोई अध्ययन/जांच की है और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इसके क्या परिणाम रहे हैं; और

(ङ) क्या सरकार ने देश में कुपोषण की समस्या के समाधान हेतु उन क्षेत्रों का पता लगाया है जहां कुपोषण की अधिक समस्या है और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

महिला और बाल विकास मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा अल्पसंख्यक कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (डॉ. वीरेन्द्र कुमार): (क) और (ख) झारखंड सहित देश में बच्चों की मौतों से संबंधित आंकड़े इस मंत्रालय द्वारा नहीं रखे जाते हैं।

(ग) यद्यपि जोखिम समूहों को चिन्हित करने के लिए किसी कार्य बल का गठन नहीं किया गया है किंतु कुपोषण की समस्या को दूर करने के लिए विशेष रूप से ध्यान दिए जाने के लिए देश में सबसे अधिक कुपोषण वाले क्षेत्र को चिन्हित किया गया है।

(घ) कुपोषण मृत्यु का एक सीधा कारण नहीं है किंतु यह संक्रमण के प्रति प्रतिरोधक क्षमता कम करके मृत्यु दर को बढ़ाता है। बच्चों की मृत्यु के कई कारण होते हैं जैसे अपरिपक्वता, जन्म के समय कम भार होना, न्यूमोनिया, डायरिया, गैर-संक्रमक रोग, जन्म से संबंधित सांस की बीमारी और जन्म के समय का मानसिक आघात, जख्म, जन्मजात कमियां, तीव्र बेक्टिरियल सेपसिस तथा तीव्र संक्रमण आदि है।

(ङ) आंगनवाड़ी सेवा स्कीम के अतिरिक्त सरकार ने बच्चों और गर्भवती महिलाओं तथा दूध पिलाने वाली माताओं के पोषण संबंधी सूचकों को सुधारने के लिए पोषण अभियान की शुरुआत की है। इस अभियान को चरणबद्ध रूप से चलाया जा रहा है। इस अभियान का लक्ष्य 2 प्रतिशत प्रति वर्ष की दर पर देश में बच्चों (0-6 वर्ष) के मध्य होने वाले ठिगनेपन को निवारित करना एवं कम करना और बच्चों (0-6 वर्ष) के मध्य अल्प-पोषण (कम भार) की मौजूदगी को 2 प्रतिशत तक कम करना, बच्चों (6 से 59 माह) के मध्य खून की कमी की मौजूदगी को 3 प्रतिशत तक कम करना, महिलाओं (15-49 वर्ष) के मध्य खून की कमी की मौजूदगी को 3 प्रतिशत तक कम करना और जन्म के समय कम भार होने की समस्या को 2 प्रतिशत प्रतिवर्ष तक कम करना है। इस अभियान के अंतर्गत निर्धारित लक्ष्यों को विभिन्न कार्यक्रमों के साथ अभिसरण को सुनिश्चित करके, राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों को सुग्राही बनाकर, स्मार्ट फोन के उपयोग द्वारा (आईटी) आईटी सक्षम यथार्थ समय निगरानी (आईसीटी-आरटीएम); मूल्यांकन; सामुदायिक गतिशीलता जागरूकता समर्थन, आईईसी, बच्चों के लिए पोषण पर ऑनलाइन पाठ्यक्रम, परम्परागत गीतों या डब्ल्यूएएसएच पर गीतों के माध्यम से पोषण संदेश और मानव संसाधन को सुदृढ़ बनाने आदि द्वारा हासिल किया जाएगा।

एफएसएसएआई द्वारा खाद्यान्नों का परीक्षण

1829. **श्री जी.एम. सिद्देश्वरा:** क्या **स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) पीडीएस पद्धति के अन्तर्गत वितरित किए गए खाद्यान्नों की जांच के लिए एफएसएसएआई द्वारा अपनाई गई प्रक्रिया का ब्यौरा क्या है और एफएसएसएआई द्वारा पीडीएस के अन्तर्गत कितनी बार खाद्यान्नों की जांच की गई है और तत्संबंधी राज्य/संघ राज्यक्षेत्र-वार ब्यौरा क्या है?

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री अश्विनी कुमार चौबे): (क) खाद्यान्नों संबंधी मानकों को खाद्य सुरक्षा एवं मानक (खाद्य उत्पाद मानक एवं खाद्य योजना) विनियम, 2011 के उप-विनियम 2.4.6 के अंतर्गत शामिल किया गया है। सभी खाद्य व्यापार संचालकों के लिए खाद्य सुरक्षा एवं मानक (एफएसएस) अधिनियम और उसके तहत बनाए गए नियमों और विनियमों का पालन करना आवश्यक है। खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम, 2006 और उसके तहत बनाए गए नियमों और विनियमों का कार्यान्वयन एवं अनुपालन करना मुख्यतः राज्य/संघ राज्य क्षेत्र की सरकारों का है।

सभी राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों के खाद्य सुरक्षा आयुक्तों को संबोधित भारतीय खाद्य सुरक्षा एवं मानक प्राधिकरण (एफएसएसएआई) के दिनांक 16 मार्च, 2017 के पत्र द्वारा उन्हें विशेष रूप से भारतीय खाद्य निगम, खाद्य एवं आपूर्ति विभागों तथा उचित दर की दुकानों की स्थापना करके खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम, 2006 और उसके तहत बनाए गए नियमों और विनियमों के प्रावधानों का अनुपालन सुनिश्चित करने के लिए कहा गया है।

सुरक्षा एवं मानक अधिनियम, 2006 और उसके तहत बनाए गए नियमों और विनियमों के अंतर्गत निर्धारित मानकों के अनुपालन

की जांच करने के लिए संबंधित राज्य/संघ राज्य क्षेत्रों के खाद्य सुरक्षा विभागों के कर्मचारियों द्वारा नियमित चौकसी, निगरानी, निरीक्षण और खाद्य उत्पादों का औचक नमूना लिया जा रहा है। खाद्य नमूनों के मानकों के अनुरूप न पाए जाने के मामले में एफएसएस अधिनियम, 2006 के अध्याय IX के तहत दंड प्रावधानों के अनुसार कार्रवाई की जाती है। पीडीएस के अंतर्गत वितरित खाद्यान्नों के संबंध में एफएसएसएआई द्वारा केंद्रीय स्तर पर अलग से कोई प्रवर्तन डाटा नहीं रखा जाता है। तथापि, राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों द्वारा उपलब्ध कराई गई सूचना के आधार पर, वर्ष 2017-18 के दौरान प्राप्त, विश्लेषित, मानकों के अनुरूप न पाए गए खाद्यान्नों तथा की गई कार्रवाई का ब्यौरा संलग्न विवरण में दिया गया है।

विवरण

वार्षिक सरकारी प्रयोगशाला जांच रिपोर्ट, 2017-18

राज्य	प्राप्त नमूनों की कुल संख्या	विश्लेषित नमूनों की संख्या	मिलावटी और भ्रामक ब्रांडों के नमूनों की संख्या	अदायर मामलों की संख्या		दोषसिद्धि/दंडित मामलों की संख्या		
				आपराधिक	दीवानी	दोषसिद्धि	दंडित मामलों की संख्या	दंड की राशि
1	2	3	4	5	6	7	8	9
अंडमान और निकोबार द्वीपसमूह	234	234	49	शून्य	285	शून्य	285	36,91,500
अरुणाचल प्रदेश	270	269	09	04	07	शून्य	09	75,500
असम	610	610	78	04	39	शून्य	06	1,22,000
बिहार	2412	2248	215	28	122	-	-	-
चंडीगढ़	376	376	25		21		04	2,25,000
छत्तीसगढ़	1564	1564	388	15	81	13	30	1,71,004
दादरा और नगर हवेली	67	67	04	04		-	-	-
दमन और दीव	71	71	06	02		शून्य	शून्य	
दिल्ली	1275	1271	120	127	0	39	-	2,68,98,000
गोवा	1310	1268	82	08		07		70,5000
गुजरात	9828	9576	713	27	481	485	382	2,59,82,503
हरियाणा	2126	2067	380	33	303	08	280	31,30,360
हिमाचल प्रदेश	169	164	50	09	08	05	43	9,81,000

1	2	3	4	5	6	7	8	9
कर्नाटक	3257	3257	426	53	236	-	236	40,27,270
केरल	3943	3783	703	48	332	88	147	39,89,880
मध्य प्रदेश	7121	6272	904	27	547	10	507	2,39,42,000
महाराष्ट्र	9722	9022	1532	194	589	83	141	17,34,500
मणिपुर	830	830	295	09	19	00	04	2,60,000
मिजोरम	84	84	52	शून्य	शून्य	शून्य	05	शून्य
नागालैंड	310	310	69	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य
ओडिशा	229	229	54	13	77	शून्य	शून्य	शून्य
पुदुचेरी	3156	3156	-	-	-	-	-	-
पंजाब	11623	11057	3053	40	1022	22	568	46,23,650
सिक्किम	04	04	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य
तमिलनाडु	6617	7383	2461	496	825	896	-	2,24,66,700
त्रिपुरा	268	268	18	-	-	-	-	-
उत्तर प्रदेश	23,576	19063	8375	102	7232	3237	4219	1,64,000
पश्चिम बंगाल	1326	1228	329			22		16,400
कुल	92,378	85,729	20,390	1,243	12,226	4,915	6,866	2,523,75,367

स्रोत: राज्य/संघ राज्य क्षेत्र।

तेल स्राव की आपदात्मक घटनाएं

1830. श्री ओम बिरला: क्या **पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) गत चार वर्षों के दौरान हिंद महासागर में हुई तेल स्राव की आपदात्मक घटनाओं का ब्यौरा क्या है;

(ख) क्या सरकार ने भारतीय जल सीमा में वनस्पति और जलीय जीवन चक्र की क्षति को रोकने हेतु तेल स्राव की घटनाओं से निपटने/को संभालने हेतु कोई नीति बनाई है और यदि हां, तो इसकी मुख्य विशेषताएं क्या हैं और उक्त नीति का ब्यौरा क्या है;

(ग) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं और सरकार का भविष्य में ऐसी कोई नीति बनाने हेतु वर्तमान प्रस्ताव क्या है;

(घ) क्या सरकार ने तेल स्राव के कारण हुई पर्यावरणीय बर्बादी क्षति का अनुमान लगाने के लिए कोई सर्वेक्षण किया है और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ङ) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं?

संस्कृति मंत्रालय के राज्य मंत्री तथा पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय में राज्य मंत्री (डॉ. महेश शर्मा): (क) भारतीय तटरक्षक (आईसीजी) के अनुसार विगत चार वर्षों के दौरान हिंद महासागर में तेल स्राव की निम्नलिखित घटनाओं की सूचना मिली थी:

स्थान तथा घटना की तारीख	मात्रा	स्राव का कारण
दिनांक 22.08.2014 को पारादीप से दूर ड्रिल शिप-प्लेटिनस एक्सप्लोरर (ओएनजीसी)	80 बैरल (लगभग 3.8 कि.लीटर)	ड्रिलिंग परिचालन के दौरान अनजाने में आंतरिक अंतरण
दिनांक 28.01.2017 को कामराजर पत्तन, इन्नौर, तमिलनाडु	196.4 मीट्रिक टन	टीएमडॉन कंचलपुरम् और एमटी बीडब्ल्यू के बीच टक्कर
दिनांक 30.01.2018 को बाहरी लंगरगाह, मुम्बई बंदरगाह	2-3 ड्रम बंकर तेल	एमटी जिप्रो नेफटिस पर बंकर ट्रांसफर के दौरान दुर्घटनावश स्राव

(ख) और (ग) कार्य नियतन नियम, 1961 (संशोधन 2002) के अनुसार, भारतीय तट रक्षक (आईसीजी) भारत की क्षेत्रीय सीमाओं के अंदर तेल स्राव की घटनाओं से निपटने के लिए नॉडल एजेंसी है। आईसीजी ने मुम्बई, चेन्नई और पोर्ट ब्लेयर में प्रदूषण प्रत्युत्तर दल पीआरटी की स्थापना की है। वेडिनर (गुजरात) के लिए दूसरा पीआरटी अनुमोदित किया गया है। प्रदूषण प्रत्युत्तर प्रयासों में तेजी लाने के लिए आईसीजी ने पोरबंदर, मुम्बई और वाइजेग में तीन समर्पित प्रदूषण नियंत्रण पोत चालू किए हैं। इसके अतिरिक्त, प्रदूषण प्रत्युत्तर प्रचालन के दौरान अन्य तट रक्षक जहाजों और वायुयानों को भी उपयोग में लाया जाता है। आईसीजी को समुद्री क्षेत्रों की निगरानी करने और तेल स्राव के विरुद्ध तेल प्रदूषण से निबटने के लिए समन्वयक प्राधिकरण के रूप में कार्य करने; तेल स्राव का सामना करने (पत्तनों में जल के सिवाए और तट से 500 तीटर दूर अन्वेषण और उत्पादन प्लेटफार्म, तटीय रिफाइनरियां और इससे जुड़ी सुविधाओं के अंदर); स्तर-I रिस्पांस (अर्थात् 700 टन तक तेल स्राव) के लिए प्रदूषण प्रत्युत्तर उपकरणों के अनुरक्षण के लिए तेल हैंडलिंग एजेंसियों तथा तेल प्रतिष्ठान तथा तटीय राज्य प्रशासन को अपने उत्तरदायित्वों के क्षेत्र में तटरेखा की सफाई करने के लिए उपयुक्त रूप से तैयार रखने तथा स्टेकहोल्डरों अर्थात् पत्तनों, तेल का काम देखने वाली एजेंसियों की सक्रिय भागीदारी से नियमित प्रशिक्षण और राष्ट्र स्तरीय प्रत्युत्तर अभ्यास आयोजित करने का दायित्व दिया गया है और अद्यतन प्रशिक्षण गल्फ ऑफ कच्छ में 20-21 दिसम्बर, 2016 को किया गया था।

(घ) और (ङ) तेल स्रावों के फलस्वरूप पर्यावरणीय क्षति का सर्वेक्षण और क्षति के अनुरूप अनुवर्ती कार्रवाई केन्द्रीय और राज्य सरकारों में संबंधित एजेंसियों द्वारा की जाती है। इस बारे में सरकार द्वारा किए गए प्रयासों में अन्य बातों के साथ-साथ निम्नलिखित शामिल हैं:—

- आईसीजी द्वारा तेल स्राव प्रत्युत्तर के लिए एनओएस-डीसीपी का कार्यान्वयन, और
- महानिदेशक पोत परिवहन द्वारा जहाजों से प्रदूषण रोकने और इसे न्यूनतम करने के उद्देश्य से विनियमनों से संबंधित एक अंतर्राष्ट्रीय कन्वेंशन एमएआरपीओएल के उपबंधों का कार्यान्वयन।

[हिन्दी]

बच्चों के दत्तक-ग्रहण हेतु नियम/दिशानिर्देश

1831. श्री रोड़मल नागर: क्या **महिला और बाल विकास मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार का बच्चों के दत्तक-ग्रहण हेतु नियमों/दिशानिर्देशों में संशोधन करने का विचार है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इस संबंध में नियम/दिशानिर्देश कब तक जारी किए जाएंगे; और

(ग) क्या सरकार का कानून का प्रभावी रूप से कार्यान्वयन करने के लिए स्थानीय स्तर (जिला) पर किसी एजेंसी अथवा नोडल अधिकारी को नियुक्त करने का विचार है और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

महिला और बाल विकास मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा अल्पसंख्यक कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (डॉ. वीरेन्द्र कुमार): (क) जी, हां।

(ख) और (ग) किशोर न्याय (बालकों की देखरेख और संरक्षण) अधिनियम, 2015 (जेजे अधिनियम) 15.01.2016 से लागू हुआ, जिसमें तथाकथित और वास्तविक रूप से कानून का उल्लंघन करते हुए पाए जाने वाले बच्चों तथा देखरेख तथा संरक्षण के जरूरतमंद बच्चों के लिए व्यापक प्रावधान हैं। जेजे अधिनियम, 2015 का अध्याय-VIII अनाथ, परित्यक्त और अभ्यर्पित बच्चों के दत्तक ग्रहण से संबंधित है।

जेजे अधिनियम की धारा 61 में यह अधिदेश है कि दत्तक ग्रहण को न्यायालय के आदेश द्वारा आवेदन दाखिल किए जाने की तारीख से दो माह के भीतर अंतिम रूप दे दिया जाएगा। तथापि, दत्तक ग्रहण की अनेक कार्रवाइयों में विलंब देखा जा रहा है। महिला एवं बाल विकास मंत्रालय ने इस मुद्दे के समाधान के लिए दत्तक ग्रहण की कार्रवाई के अंतर्गत आदेश जारी करने के लिए 'न्यायालय' के बजाय 'जिला मजिस्ट्रेट' को अधिकार देने का प्रस्ताव रखा है।

मंत्रालय में जेजे संशोधन विधेयक, 2018 को संसद में पेश करने की प्रक्रिया चल रही है।

बैंक बोर्ड ब्यूरो

1832. श्री संजय हरिभाऊ जाधव: क्या **वित्त मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या बैंक बोर्ड ब्यूरो (बीबीबी) ने यह बताया है कि अशोध्य ऋणों की समस्या से जूझ रहे सरकारी क्षेत्र के बैंकों (पीएसबी) में सुधार करने हेतु की गई सिफारिशों पर सरकार शांत है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और सरकार पीएसबी में सुधार करने हेतु की गई सिफारिशों का कार्यान्वयन कब तक करेगी; और

(ग) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री शिव प्रताप शुक्ला): (क) बैंक बोर्ड ब्यूरो (बीबीबी) ने सरकारी क्षेत्र के बैंकों (पीएसबी) में कई क्षेत्रों में सुधार के लिए सिफारिशें की हैं। इनमें पीएसबी के दबावग्रस्त ऋण खातों के संदर्भ में विशेष रूप से कोई सिफारिशें शामिल नहीं हैं।

(ख) और (ग) प्रश्न ही नहीं उठता।

[अनुवाद]

खाद्य उत्पादों के संघटकों का लेबल पर उल्लेख

1833. श्री वी. एलुमलाई: क्या **स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या एफएसएसएआई ने ऐसे उत्पादों, जिनमें जीएम संघटकों की मात्रा 5 प्रतिशत या इससे अधिक है का लेबल पर अनिवार्य रूप से उल्लेख करने हेतु प्रारूप नोटिस जारी किया है; और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ख) क्या प्रारूप में उच्च वसा, शर्करा और लवणता वाले उत्पादों जिनमें शर्करा से प्राप्त होने वाली ऊर्जा की मात्रा उत्पाद में दी गई कुल ऊर्जा के 10 प्रतिशत से अधिक है के लिए लाल रंग के कोड का प्रस्ताव किया गया है;

(ग) क्या ट्रांसवसा और सोडियम उपादानों हेतु भी समान प्रावधान है और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(घ) क्या यह भी सच है कि प्रारूप में पोषक जानकारी को अतिरिक्त तौर पर बार कोड के रूप में उल्लेख करने का भी प्रस्ताव है और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री अश्विनी कुमार चौबे): (क) जी, हां। भारतीय खाद्य सुरक्षा एवं मानक प्राधिकरण (एफएसएसएआई) ने टिप्पणियां आमंत्रित करने के नोटिस के अंतर्गत खाद्य सुरक्षा एवं मानक (लेबलिंग एवं प्रदर्शन) विनियमावली से संबंधित प्रारूप अधिसूचना जारी की है, जिसमें अन्य बातों के साथ-साथ आनुवंशिक रूप से तैयार या शोधित खाद्य पदार्थों हेतु अनिवार्य लेबलिंग प्रावधान भी शामिल हैं, जिसका नीचे पुन: उल्लिखित किया जाता है:-

> "आनुवांशिक रूप में तैयार (जीई) 50 प्रतिशत तथा अधिक घटकों वाले सभी खाद्य उत्पादों पर लेबल लगाए जाएंगे। सम्पूर्ण आनुवंशिक रूप से तैयार (जीई) घटक उत्पाद अपनी प्रतिशतता के अनुसार शीर्ष तीन घटक होंगे। लेबलिंग निम्नानुसार होगी: "*जीएमओ/जीएमओ से निर्मित घटकों युक्त*"

(ख) जी, हां। प्रारूप (लेबलिंग एवं प्रदर्शन) विनियमों में, उच्च वसा, शर्करा एवं लवणता वाले खाद्य उत्पादों के लिए लाल रंग के कोड का प्रस्ताव है, जिसमें खाद्य उत्पादों में सम्पूर्ण शर्करा मात्रा की सीमा अर्थात सम्पूर्ण शकरा से ऊर्जा (के.कैल) की मात्रा उत्पाद के 100 ग्राम/100 मि.ली. द्वारा प्रदान की गई कुल ऊर्जा के 10 प्रतिशत से अधिक होने के मामले में इसे लाल रंग से चिन्हित किया जाएगा।

(ग) जी हां। ट्रांस वसा और सोडियम की मात्रा के लिए भी प्रस्तावित प्रारूप (लेबलिंग एवं प्रदर्शन) विनियामों में ऐसे ही प्रावधान किए गए हैं। जहां ट्रांस वसा से ऊर्जा (के.कैल) की मात्रा उत्पाद की 100 ग्राम/100 मि.ली. द्वारा दी गई कुल ऊर्जा (के. कैल) के 1 प्रतिशत से अधिक होती है और उत्पाद के

100 ग्राम/100 मिली द्वारा दी गई सोडियम की मात्रा इन विनियमों की अनुसूची-I में यथा निर्दिष्ट सीमा से अधिक है तो इसे लाल रंग से चिन्हित किया जाएगा।

(घ) प्रारूप (लेबलिंग एवं प्रदर्शन) विनियमों में यह प्रस्ताव है कि पोषक-तत्वों संबंधी सूचना, बॉरकोड/विश्व व्यापार पहचान संख्या (जीटीआईएन) के रूप में अतिरिक्त रूप से दी जाए। तथापि, पैकेट बंद खाद्य पदार्थों के लेबल पर पोषक-तत्वों की सूचना की घोषणा करना अनिवार्य है जबकि बॉरकोड के रूप में अतिरिक्त सूचना देना वैकल्पिक है।

कर-छूट श्रेणी

1834. श्री भरत सिंह: क्या **वित्त मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार का मुद्रास्फीति के कारण जीवनयापन लागत में तेजी से हुई वृद्धि पर विचार करते हुए कर-छूट श्रेणी बढ़ाने का प्रस्ताव है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और यदि हां, तो इसे कब तक कार्यान्वित किए जाने की संभावना है; और

(ग) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री शिव प्रताप शुक्ला): (क) से (ग) जी नहीं, इस समय ऐसा कोई प्रस्ताव विचाराधीन नहीं है।

[अनुवाद]

चूक करने के संबंध में आरबीआई द्वारा तय मानदंड

1835. श्री ए. अरुणमणिदेवन: क्या **वित्त मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या 30 अप्रैल, 2018 की स्थिति के अनुसार भारतीय रिजर्व बैंक (आरबीआई) के एक-दिवसीय चूक मानदंडों के अन्तर्गत 4000 से अधिक ऐसे ऋण प्राप्तकर्ताओं ने चूक की है जिन पर 1.2 लाख करोड़ रुपये की राशि बकाया है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या आरबीआई के परिपत्र में बैंकों से उन ऋण लेने वाले लोगों को, जो ऋण का भुगतान करने में एक दिन का भी विलंब करते हैं, को चूककर्ताओं की श्रेणी में शामिल करने को कहा गया है और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(घ) क्या आरबीआई को सरकारी क्षेत्र के बैंकों द्वारा उक्त परिपत्र की गैर-अनुपालना के बारे में कोई रिपोर्ट प्राप्त हुई है; और

(ङ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री शिव प्रताप शुक्ला): (क) और (ख) भारतीय रिजर्व बैंक (आरबीआई) ने सूचित किया है कि बड़े उधारों पर सूचना की केंद्रीय रिपॉजिटरी (सीआरआईएलसी) पर बैंकों द्वारा सूचित आंकड़ों के अनुसार, 4,102 उधारकर्ताओं ने दिनांक 30.4.2018 को देय अपनी ऋण देनदारी में चूक की तथा उक्त तिथि को बैंकों को उनकी कुल वित्तपोषित बकाया राशि 1,21,060 करोड़ रुपए थी। आरबीआई ने यह भी सूचित किया है कि किसी विशिष्ट दिन को देय ऋण देयताओं में चूक के परिणामस्वरूप खाते को एक अनुपयोज्य आस्ति (एनपीए) के रूप में वर्गीकृत नहीं किया जाता है तथा केवल तभी कोई खाता एनपीए के रूप में वर्गीकृत होता है जब चूक की अवधि 90 दिन से अधिक हो जाती है।

(ग) आरबीआई ने सूचित किया है कि 12 फरवरी, 2018 को "दबावग्रस्त आस्तियों का समाधान-संशोधित ढांचा" पर उसके परिपत्र में यह विनिर्धारित है कि उधारदाता सभी चूककर्ता उधारकर्ता कंपनियों (5 करोड़ रुपए तथा उससे अधिक समग्र एक्सपोजर वाली) के संबंध में सीआरआईएलसी को साप्ताहिक आधार पर रिपोर्ट भेजेंगे। आरबीआई ने आगे सूचित किया है कि उक्त परिपत्र में 'चूक' का अर्थ जब ऋण की पूरी राशि अथवा कोई अंश अथवा ऋण राशि की किश्त देय हो जाती है तथा भुगतान किया जाना होता है तथा उधारकर्ता अथवा कारपोरेट उधारकर्ता, जैसा भी मामला हो, द्वारा उसका पुनर्भुगतान नहीं किया जाता है। नकद ऋण जैसी परिक्रामी सुविधाओं के लिए चूक का अर्थ उपर्युक्त में बिना किसी भेदभाव के बकाया शेष की स्वीकृत सीमा अथवा आहरण शक्ति, जो भी कम हो, के लगातार 30 दिन से अधिक की अवधि हेतु अधिक रहना भी होगा।

(घ) और (ङ) आरबीआई ने सूचित किया है कि जहां तक चूककर्ता उधारकर्ताओं की साप्ताहिक आधार पर सूचना देने के साथ-साथ सीआरआईएलसी आंकड़े को मासिक आधार पर सूचित करने की आवश्यकता का संबंध है, बैंक आरबीआई को यथावश्यक रूप से सूचित कर रहे हैं। इसके अतिरिक्त, बैंकों की पर्यवेक्षीय

प्रक्रिया के दौरान आरबीआई के परिपत्रों के अनुपालन की नमूना आधार पर जांच भी की जाती है तथा त्रुटियों, यदि कोई हों, को सुधार हेतु बैंकों के साथ उठाया जाता है।

करंट लगने के कारण मारे गए जानवर

1836. श्री बी.वी. नाईक: क्या **पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या यह सच है कि खेतों, बागानों और बस्तियों आदि के आस-पास विद्युत लाइनों से करंट लगने के कारण ज्यादा जानवर मर रहे हैं;

(ख) यदि हां, तो गत एक वर्ष और चालू वर्ष के दौरान कुल कितने जानवर करंट लगने के कारण मरे हैं;

(ग) क्या केन्द्र द्वारा इस संबंध में राज्यों को कोई दिशानिर्देश जारी किए गए हैं; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और राज्य सरकारों द्वारा उक्त दिशानिर्देशों के उल्लंघन, यदि कोई हों, जिसके कारण जानवर विद्युत लाइनों का शिकार बने हैं, पर क्या कार्रवाई की गई है?

संस्कृति मंत्रालय के राज्य मंत्री तथा पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय में राज्य मंत्री (डॉ. महेश शर्मा): (क) और (ख) देश के विभिन्न स्थानों पर जंगली जानवरों के बिजली का करंट लगने से मरने की रिपोर्टें मंत्रालय में प्राप्त हुई हैं। मंत्रालय में उपलब्ध सूचना के अनुसार, गत वर्ष और वर्तमान वर्ष के दौरान बिजली का करंट लगने से मरे बाघों और हाथियों की संख्या का ब्यौरा निम्नलिखित है:-

प्रजातियों के नाम	वर्ष	
	2017-18	2018-19 (आज की तारीख तक)
बाघ	6	1
हाथी	35	उपलब्ध नहीं

(ग) और (घ) मंत्रालय ने मानव-हाथी भिडंत के प्रबंधन के लिए सभी हाथी रेंज वाले राज्यों को कार्यान्वयन हेतु दिशानिर्देश जारी किए हैं। इसके अतिरिक्त, मुख्य वन्यजीव वार्डनों को निर्देशित किया गया है कि वे विद्युत संचरण लाइनों के झुकाव को रोकने और जमीन से न्यूनतम अंतर बनाए रखने हेतु नियमानुसार इस मामले को विद्युत विभाग के साथ उठाएं। राष्ट्रीय व्याघ्र संरक्षण प्राधिकरण ने भी बिजली का करंट लगने के कारण बाघों और इसी तरह की प्रजातियों की मौतों से निपटने के लिए एक परामर्शिका जारी की है जिसमें, अन्य बातों के साथ-साथ, फील्ड लेवल और प्रशासनिक स्तर की कार्रवाइयां करने का सुझाव दिया गया है।

बैंकों की जमा राशि में वृद्धि

1837. श्री जैदेव गल्ला: क्या **वित्त मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या वर्ष 2017-18 में बैंकों में जमा राशि गत पांच दशकों में सबसे निचले स्तर पर रही है और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ख) विमुद्रीकरण, म्यूचुअल फंडों, बीमा आदि ने बैंक में जमा राशि पर किस हद तक प्रभाव डाला है;

(ग) सरकार की उक्त प्रवृत्ति पर क्या प्रतिक्रिया है; और

(घ) सरकार द्वारा बैंकों की जमा-दर में सुधार करने के लिए क्या कदम उठाए गए हैं?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री शिव प्रताप शुक्ला): (क) जी, हां। भारतीय रिजर्व बैंक (आरबीआई) के आंकड़ों के अनुसार अनुसूचित वाणिज्यिक बैंकों की कुल जमा राशि वित्तीय वर्ष 2016-17 में 15.3% की वृद्धि दर की पृष्ठभूमि के मुकाबले वित्तीय वर्ष 2017-18 में 6.2% धीमी वृद्धि रही, जिसे अन्य बातों के साथ-साथ, विमुद्रीकरण के संदर्भ में देखा जा सकता है। इसके अलावा, वित्तीय वर्ष 2017-18 में कुल जमा राशि वर्ष के दौरान 6,65,062 करोड़ रुपये की वृद्धि दर्ज करते हुये सर्वाधिक 1,17,78,997 करोड़ रुपये थी।

(ख) से (घ) विभिन्न कारकों के प्रभाव की सीमा के संबंध में आरबीआई ने सूचित किया है कि उसके पास अपेक्षित सूचना उपलब्ध नहीं है।

ग्राहक को आकर्षित करने में सुधार करने के लिये सरकार ने सरकारी क्षेत्र के बैंकों (पीएसबी) के सुधार एजेंडा की घोषणा की है जिसके तहत बैंकों ने बैंकिंग सेवाओं में पहुंच बढ़ाने और सेवा उत्कृष्टता प्राप्त करने के लिये कई उपाय किये हैं। इनमें डिजिटल बैंकिंग एवं घर के पास बैंकिंग का विस्तार करना, ग्राहक सुविधा, शिकायत समाधान को सरल करना तथा वरिष्ठ नागरिक

एवं दिव्यांग हितैषी बैंकिंग सुविधाएं प्रदान करना शामिल है। इसके अलावा, सरकार ने ग्राम स्वराज अभियान और विस्तारित ग्राम स्वराज अभियान की शुरुआत की है, जिसका लक्ष्य चिन्हित 65779 गांवों में प्रधान मंत्री जन-धन योजना के अंतर्गत चालू वित्त वर्ष में कवरेज को पूरा करना है।

[हिन्दी]

ग्राम पंचायतों में बैंकिंग सुविधा

1838. श्री राजन विचारे: क्या **वित्त मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) राज्य/संघ राज्य क्षेत्र-वार विशेषकर महाराष्ट्र में कुल कितनी ग्राम पंचायतों और गांवों में बैंकिंग सुविधा उपलब्ध है;

(ख) जिन गांवों में बैंकिंग सुविधा उपलब्ध नहीं है वहां उक्त सुविधा प्रदान करने संबंधी योजना का ब्यौरा क्या है; और

(ग) लाभार्थियों के खातों में प्रत्यक्ष लाभ अन्तरण के लिए क्या प्रविधियां कार्यान्वित की गई हैं?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री शिव प्रताप शुक्ला): (क) भारतीय रिजर्व बैंक (आरबीआई) द्वारा दी गई सूचना के अनुसार, बैंकिंग सुविधाओं वाले ग्राम पंचायतों तथा गांवों का ब्यौरा उनके पास उपलब्ध नहीं है। तथापि, अनुसूचित वाणिज्यिक बैंकों की राज्य/संघ राज्य क्षेत्रवार और जनसंख्या समूह-वार कार्यरत शाखाओं से संबंधित आंकड़े संलग्न विवरण में दिए गए हैं।

(ख) शाखा प्राधिकार नीति को युक्ति संगत बनाने के संबंध में दिनांक 18.05.2017 के मौजूदा दिशा-निर्देशों के अनुसार, भारतीय रिजर्व बैंक (आरबीआई) ने घरेलू अनुसूचित वाणिज्यिक बैंकों (क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों को छोड़कर) को प्रत्येक मामले में आरबीआई का पूर्व अनुमोदन प्राप्त किए बिना देश के किसी भी स्थान में बैंकिंग केन्द्र खोलने की सामान्य अनुमति प्रदान कर दी है, बशर्ते कि किसी वित्तीय वर्ष के दौरान खोले जाने वाले बैंकिंग केन्द्रों की कुल संख्या का कम से कम 25% 10,000 से कम जनसंख्या वाले बैंक रहित ग्रामीण केन्द्रों में खोले जाएं।

(ग) प्रत्यक्ष लाभ अंतरण (डीबीटी) मिशन, मंत्रिमंडल सचिवालय ने यह सूचित किया है कि डीबीटी के अंतर्गत मजदूरी भुगतान, ईंधन सब्सिडी, खाद्यान्न सब्सिडी आदि जैसे लाभ सीधे लाभार्थियों के खाते में भेजे जाते हैं। लाभ अधिमान्य आधार भुगतान ब्रिज (एपीबी) का प्रयोग करके अथवा एनईएफटी/आरटीजीएस के जरिए अंतरित किए जाते हैं।

विवरण

दिनांक 31.03.2018 की स्थिति के अनुसार अनुसूचित वाणिज्यिक बैंकों की परिचालनरत शाखाओं की राज्य/संघ राज्य क्षेत्र और जनसंख्या समूहवार संख्या

क्षेत्र/राज्य/संघ राज्य क्षेत्र	ग्रामीण	अर्द्ध शहरी	शहरी	महानगरीय	कुल
1	2	3	4	5	6
मध्य क्षेत्र					
छत्तीसगढ़	1063	692	490	293	2538
मध्य प्रदेश	2306	1932	1074	1309	6621
उत्तर प्रदेश	7716	3840	2820	2670	17046
उत्तराखंड	938	527	597	0	2062
कुल	12023	3991	4981	4272	28267
पूर्वी क्षेत्र					
अंडमान और निकोबार द्वीपसमूह	23	12	33	0	68

1	2	3	4	5	6
बिहार	3266	2203	1061	496	7026
झारखंड	1348	778	441	445	3012
ओडिशा	2568	1273	1026	0	4867
सिक्किम	72	20	53	0	145
पश्चिम बंगाल	3662	1658	1805	1643	8768
कुल	10939	5944	4419	2584	23886
पूर्वोत्तर क्षेत्र					
अरुणाचल प्रदेश	73	81	0	0	154
असम	1309	739	608	0	2656
मणिपुर	80	43	60	0	183
मेघालय	170	77	101	0	348
मिजोरम	67	53	75	0	195
नागालैंड	53	72	41	0	166
त्रिपुरा	235	188	114	0	537
कुल	1987	1253	999	0	4239
उत्तरी क्षेत्र					
छत्तीसगढ़	11	6	383	0	400
हरियाणा	1616	1206	1745	259	4826
हिमाचल प्रदेश	1209	311	83	0	1603
जम्मू और कश्मीर	890	411	279	182	1762
राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली	68	89	12	3371	3540
पंजाब	2534	2015	1169	726	6444
राजस्थान	2853	2044	1260	1007	7164
कुल	9181	6082	4931	5545	25739
दक्षिणी क्षेत्र					
आंध्र प्रदेश	2383	2065	1640	765	6853
कर्नाटक	3485	2347	2039	2228	10099
केरल	331	4500	1424	0	6255

1	2	3	4	5	6
लक्षद्वीप	6	7	0	0	13
पुदुचेरी	51	72	119	0	242
तमिलनाडु	2926	3901	1498	2477	10802
तेलंगाना	1536	1157	608	1876	8177
कुल	10718	14049	7328	7346	39441
पश्चिमी क्षेत्र					
दादरा और नगर हवेली	14	47	0	0	.61
दमन और दीव	3	44	0	0	47
गोवा	279	394	0	0	673
गुजरात	2488	2004	1265	2132	7889
महाराष्ट्र	3116	2888	1429	4976	21079
कुल	5,900	5,377	2,694	7,108	21,079
अखिल भारत	50748	39696	25352	26855	142651

स्रोत: भारतीय रिजर्व बैंक (आरबीआई)

[अनुवाद]

राष्ट्रीय आरोग्य निधियां

1839.डॉ. उदित राज: क्या **स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या देश में राष्ट्रीय आरोग्य निधि योजना (आरएएनएस) क्रियान्वित की जा रही है;

(ख) यदि हां, तो विगत तीन वर्षो के दौरान आबंटित/उपयोग की गई राशि सहित तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) क्या लोग प्रधान मंत्री राष्ट्रीय राहत निधि के जैसे राष्ट्रीय आरोग्य निधि योजना के लाभों से अवगत नहीं है और यदि हां, तो सरकार द्वारा राष्ट्रीय आरोग्य निधि के बारे में लोगों की जागरूकता बढ़ाने के लिए क्या कदम उठाए गए हैं/उठाए जा रहे हैं?

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री अश्विनी कुमार चौबे): (क) जी हां। देश में राष्ट्रीय आरोग्य निधि (आरएएन) स्कीम का क्रियान्वयन किया जा रहा है।

(ख) आरएएन स्कीम का ब्यौरा संलग्न विवरण पर दिया गया है। वर्ष 2015-16 से 2017-18 के दौरान आरएएन स्कीम के तहत उपार्जित ब्याज से किया गया व्यय और अस्पतालों से प्राप्त रिफंड सहित बजटीय आबंटन और व्यय का ब्यौरा निम्नलिखित है:

(राशि लाख रु. में)

वर्ष	आबंटित राशि	व्यय की गई राशि
2015-16	2000.00	1827.87
2016-17	2200.00	2557.23
2017-18	3000.00	4350.51

(ग) आरएएन स्कीम के बारे में जागरूकता बढ़ाने के लिए सरकार ने अनेक कदम उठाए हैं, जिसमें अन्य बातों के साथ-साथ अपने संबंधित राज्यों में स्कीम का प्रचार करने के लिए राज्य सरकारों को पत्र भेजना, स्कीम के बारे में जानकारी देने के लिए

देश के अग्रणी समाचार पत्रों में प्रेस नोट जारी करना, स्कीम के संबंध में सभी जानकारी यथा अपेक्षित दस्तावेज, योग्यता मानदंड, प्रक्रिया और मंत्रालय की वेबसाइट पर जानकारी के लिए संपर्क का विवरण अपलोड करना, स्कीम के बारे में सूचना का प्रसार करने के लिए समाचार पत्रों में एक अपील का प्रकाशन करना और सभी राज्य स्वास्थ्य निदेशकों/केंद्रीय संस्थानों और अस्पतालों के लिए इश्तहार के प्रारूप में स्कीम का प्रसार करना शामिल है।

विवरण

राष्ट्रीय आरोग्य निधि (आरएएन) की स्थापना दिनांक 13 जनवरी, 1997 की संकल्प संख्या एफ 7-2/96 वित्त-II द्वारा की गई थी और इसे एक **सोसाइटी** के रूप में सोसाइटी पंजीकरण अधिनियम, 1860 के तहत इसका पंजीकरण किया गया था। आरएएन की स्थापना किसी भी सुपरस्पेशलिटी अस्पताल/संस्थान अथवा अन्य सरकारी अस्पतालों में चिकित्सा उपचार प्राप्त करने के लिए उन मरीजों को वित्तीय सहायता प्रदान करने हेतु की गई थी, जो गरीबी रेखा से नीचे जीवन यापन कर रहे हैं और जो मुख्य जानलेवा बीमारियों से पीड़ित हैं। ऐसे मरीजों को वित्तीय सहायता 'एक बारगी अनुदान' के रूप में उस अस्पताल के चिकित्सा अधीक्षक को जारी की जाती है जिसमें उपचार प्राप्त किया गया है/किया जा रहा है।

आरएएन के तहत, दो लाख रुपए तक के उपचार के लिए वित्तीय सहायता प्रदान करने हेतु पूरे भारत में स्थित 13 केंद्रीय सरकारी अस्पतालों/संस्थानों में परिक्रमी निधियां स्थापित की गई हैं। इसके अलावा, सरकारी अस्पतालों/संस्थानों, जिनके पास परिक्रामी निधि नहीं है और द्वारा रेफर किए गए व्यक्तिगत मामलों 13 सरकारी अस्पताल/संस्थान, जिनके पास 2 लाख रुपए से अधिक की सहायता के लिए परिक्रमी निधि है, द्वारा रेफर किए गए मामलों के लिए वित्तीय सहायता प्रदान की जाती है।

वर्ष 2020 तक खसरा का उन्मूलन किया जाना

1840. श्री असादुद्दीन ओवैसी: क्या **स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार वर्ष 2020 तक देश से खसरा का उन्मूलन करने की योजना बना रही है, यदि हां, तो लक्ष्य को हासिल करने हेतु उठाए गए कदमों सहित तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ख) विगत तीन वर्षों के दौरान देश में खसरा से होने वाली मौतों का राज्य/संघ राज्यक्षेत्र-वार ब्यौरा क्या है;

(ग) विश्व स्वास्थ्य संगठन की एक रिपोर्ट के अनुसार विगत एक वर्ष में देश में खसरा के मामलों में 43 प्रतिशत की गिरावट आई है, यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(घ) विगत तीन वर्षों में सरकार द्वारा शुरू किए गए टीकाकरण कार्यक्रमों का राज्य/संघ राज्यक्षेत्र-वार ब्यौरा क्या है?

स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री अश्विनी कुमार चौबे): (क) वर्ष 2020 तक खसरे का उन्मूलन करने की दिशा में, भारत सरकार ने 9 माह से 15 वर्ष तक की आयु वर्ग के बच्चों को शामिल करते हुए, देश भर में चरणबद्ध रीति से खसरा-रूबेला (एमआर) टीकाकरण कार्यक्रम शुरू किया। अभियान के बाद, खसरे के लिए दो बार लगाए जाने वाले टीके के स्थान पर नियमित टीकाकरण में खसरा-रूबेला (एमआर) टीके की शुरुआत की गई।

खसरा-रूबेला अभियान फरवरी, 2017 में शुरू किया गया तथा लगभग 9.2 करोड़ बच्चों को शामिल करते हुए जुलाई, 2018 तक यह 21 राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों में शुरू किया जा चुका है।

(ख) विगत तीन वर्षों के दौरान खसरे के कारण हुई सूचित मौतों की संख्या का राज्य/संघ राज्यक्षेत्र-वार ब्यौरा संलग्न विवरण में दिया गया है।

(ग) जी, हां डब्ल्यूएचओ की रिपोर्ट के अनुसार, पिछले कुछ वर्षों के दौरान खसरे के मामलों में उल्लेखनीय कमी हुई है। वर्ष 2015 में लगभग 30,000 खसरे के मामलों की तुलना में वर्ष 2016 में ये घटकर 17,000 हो गए तथा उनमें 43 प्रतिशत की कमी दर्ज की गई।

(घ) विगत तीन वर्षों के दौरान, सार्वभौमिक प्रतिरक्षण कार्यक्रम (यूआईपी) में निम्नलिखित पहलें की गई हैं:–

- पोलियो निष्क्रिय टीका (आईपीवी) की शुरुआत वर्ष 2015 में चरणबद्ध रीति से की गई थी तथा इसका पूरे देश में विस्तार किया गया।
- रोटा वायरस टीके (आरवीपी) की शुरुआत वर्ष 2016 में चरणबद्ध ढंग से की गई थी, तथा 11 राज्यों नामतः, असम, आंध्र प्रदेश, हरियाणा, हिमाचल प्रदेश, मध्य प्रदेश, ओडिशा, राजस्थान, तमिलनाडु, त्रिपुरा, झारखंड और उत्तर प्रदेश में इसका विस्तार किया गया।
- खसरा-रूबेला (एमआर) टीके की शुरुआत, 2017 में एक अभियान के रूप में चरणबद्ध ढंग से की गई थी तथा इसे 21 राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों नामतः आंध्र

प्रदेश, अरुणाचल प्रदेश, चंडीगढ़, दादरा एवं नगर हवेली, दमन एवं द्वीप, गोवा, हिमाचल प्रदेश, कर्नाटक, केरल, लक्षद्वीप, ओडिशा, पुदुचेरी, तमिलनाडु, तेलंगाना, उत्तराखंड, अंडमान एवं निकोबार द्वीप समूह, मणिपुर, मिजोरम, हरियाणा, पंजाब, एवं गुजरात में शुरू किया गया है।

- न्यूमोकोक्कल कनजुगेट टीके (पीसीवी) की शुरुआत वर्ष 2017 में चरणबद्ध ढंग से की गई थी तथा इसका विस्तार बिहार, हिमाचल प्रदेश, मध्य प्रदेश, राजस्थान तथा उत्तर प्रदेश के कुछ भागों तक किया गया है।
- पूरे देश में ऐसे बच्चे, जिनका टीकाकरण नहीं हुआ है और आंशिक रूप से हुआ है, उन तक पहुंच बनाने के लिए मिशन इंद्रधनुष के माध्यम से नियमित प्रतिरक्षण में तेजी लाना, गहन मिशन इंद्रधनुष (आईएमआई), ग्राम स्वराज अभियान और विस्तारित ग्राम स्वराज अभियान दृष्टिकोण शुरू किया गया है।

विवरण

विगत तीन वर्षों में खसरे के कारण हुई सूचित मौतों की संख्या का राज्य/संघ राज्य क्षेत्र-वार ब्यौरा

क्र. सं.	राज्य/संघ राज्य क्षेत्र	2015	2016	2017 (अनंतिम)
1	2	3	4	5
1.	आंध्र प्रदेश	0	0	0
2.	अरुणाचल प्रदेश	0	0	0
3.	असम	0	0	0
4.	बिहार	0	0	0
5.	छत्तीसगढ़	0	0	0
6.	गोवा	0	0	0
7.	गुजरात	0	0	0
8.	हरियाणा	0	0	0
9.	हिमाचल प्रदेश	0	0	0
10.	जम्मू और कश्मीर	0	0	0
11.	झारखंड	0	0	0
12.	कर्नाटक	0	0	0
13.	केरल	0	0	0
14.	मध्य प्रदेश	0	2	0
15.	महाराष्ट्र	5	7	2
16.	मणिपुर	0	0	0
17.	मेघालय	3	0	0
18.	मिजोरम	0	0	0
19.	नागालैंड	0	0	1
20.	ओडिशा	0	0	0
21.	पंजाब	0	0	0
22.	राजस्थान	0	0	0
23.	सिक्किम	0	0	0
24.	तमिलनाडु	0	0	0
25.	तेलंगाना	0	0	0
26.	त्रिपुरा	2	0	0
27.	उत्तराखंड	0	0	0
28.	उत्तर प्रदेश	4	1	2
29.	पश्चिम बंगाल	16	5	18
30.	अंडमान और निकोबार द्वीपसमूह	1	0	0
31.	चंडीगढ़	3	1	1
32.	दादरा और नगर हवेली	0	0	0
33.	दमन और दीव	0	0	0
34.	दिल्ली	10	8	4
35.	लक्षद्वीप	0	0	0
36.	पुदुचेरी	0	0	0
	कुल	44	33	28

स्रोत: राज्य/संघ राज्य क्षेत्र के स्वास्थ्य सेवा निदेशालय केन्द्रीय स्वास्थ्य आसूचना ब्यूरो (सीबीएचआई) से प्राप्त मासिक स्वास्थ्य स्थिति रिपोर्टें।

ईएसआई अस्पताल

1841. श्री के.सी. वेणुगोपाल : क्या श्रम और रोजगार मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने देश में विभिन्न ईएसआई अस्पतालों में मूलभूत सुविधाओं में सुधार हेतु कोई उपाय किए हैं और यदि हां, तो केरल सहित तत्संबंधी राज्य/संघ राज्य क्षेत्र-वार ब्यौरा क्या है; और

(ख) ईएसआई अस्पतालों में प्रभावी चिकित्सा परिचर्या सुनिश्चित करने के लिए सरकार द्वारा क्या विशिष्ट कार्रवाई की गई है?

श्रम और रोजगार मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री संतोष कुमार गंगवार) : (क) ईएसआई अस्पतालों में सुविधाओं में सुधार लाने के लिए किए गए विभिन्न उपाय इस प्रकार हैं:—

1. जहां राज्य कर्मचारी राज्य बीमा स्कीम के सभी अस्पतालों में बिस्तर उपयोग पिछले वित्तीय वर्ष के दौरान 70% से अधिक हो, वहां कर्मचारी राज्य बीमा निगम राज्य सरकार को 3000/- रुपये प्रति बीमाकृत व्यक्ति की अधिकतम सीमा के अतिरिक्त 200/- रुपये प्रति बीमाकृत व्यक्ति प्रतिवर्ष प्रदान करता है।
2. यदि लगातार पिछले तीन वर्षों से ईएसआईसी/ईएसआईएस अस्पतालों में बिस्तर उपयोग 70% से अधिक हो, तो बिस्तरों की संख्या में 50% बढ़ोतरी।
3. वरिष्ठ नागरिकों और विक्लांगों के लिए शाम की ओपीडी।
4. 24×7 चिकित्सा हैल्पलाइन।
5. स्टाफ को व्यवहार संबंधी प्रशिक्षण।
6. रोगियों/परिचर के लिए "क्या मैं आपकी सहायता कर सकता/सकती हूं" सुविधा।
7. आंतरिक रोगियों के लिए फीडबैक प्रणाली।
8. पूर्ण प्रतिरक्षा सुविधाएं।
9. योग की सुविधा।
10. आयुष सुविधाएं।

(ख) क.रा.बी. निगम ने सभी ईएसआईसी अस्पतालों में गहन देखरेख यूनिट (आईसीयू)/हाई डिपेन्डेंसी यूनिट (एचडीयू) स्थापित करने के अनुदेश जारी किए हैं।

जेडईडी योजना

1842. डॉ. किरिट पी. सोलंकी : क्या सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) ऐसे सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यमों की कुल संख्या का ब्यौरा क्या है जिन्होंने जीरो डिफेक्ट जीरो इफेक्ट (जेडईडी) योजना के दिशा-निर्देशों में दिए गए विनिर्माण पैटर्न का अनुसरण करना आरंभ कर दिया है;

(ख) क्या राष्ट्रीय निगरानी और कार्यान्वयन इकाई (एनएमआईयू) अर्थात् भारतीय गुणवत्ता परिषद् (क्यूसीआई) दिशा-निर्देशों का नियमित आधार पर पालन कर रही है और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) क्या इस योजना का पर्यावरण पर सामयिक प्रभाव की रिपोर्ट के संबंध में कोई तंत्र बनाया गया है और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं?

सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री गिरिराज सिंह) : (क) और 20,000 से अधिक सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यमों ने जेडईडी स्कीम के तहत जीरो डिफेक्ट, जीरो इफेक्ट (जेडईडी) विनिर्माण अपनाने के लिए अपने-आपको पंजीकृत किया है।

(ख) जी, हां। योजना के दिशा-निर्देशों के अनुसार, भारतीय गुणवत्ता परिषद् (क्यूसीआई) द्वारा जागरुकता और प्रशिक्षण कार्यक्रम आयोजित किए गए हैं; ई-लर्निंग मॉड्यूल का विकास किया गया है; आंकलन किया गया है और जेडईडी रेटिंग्स दिये गए हैं।

(ग) इस योजना की राष्ट्रीय निगरानी और कार्यान्वयन इकाई (एनएमआईयू) को पर्यावरण पर योजना के आवधिक प्रभाव से संबंधित रिपोर्ट देने की सलाह दी गई है।

[हिन्दी]

शिक्षा का क्षेत्र

1843. श्रीमती दर्शना विक्रम जरदोश : क्या मानव संसाधन विकास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का विचार सरकार के अंतर्गत विचाराधीन पर्यावरण परिवर्तन से संबंधित जन-जागरुकता और शिक्षा क्षेत्र में विशेषज्ञ पाठ्यक्रम शुरू करने से संबंधित कोई योजना शुरू करने का है; और

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

मानव संसाधन विकास मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा जल संसाधन, नदी विकास और गंगा संरक्षण मंत्रालय में राज्य मंत्री (डॉ. सत्यपाल सिंह) : (क) और (ख) विश्वविद्यालय अनुदान आयोग (यूजीसी) ने सूचित किया है कि वह पर्यावरण और पारिस्थितिक संतुलन को सहयोग करता है और उच्चतर शैक्षिक संस्थाओं को विशेष सहायता कार्यक्रम (एसएपी) और मुख्य अनुसंधान परियोजना (एमआरपी) के अंतर्गत जलवायु अनुकूल प्रौद्योगिकी हेतु वित्तीय सहायता प्रदान करता रहा है।

[अनुवाद]

एनआईएमजेड की स्थापना

1844. श्री एम. वेंकटेश्वर राव : क्या **वाणिज्य और उद्योग मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का विचार देश में राष्ट्रीय निवेश और विनिर्माण जोन (एनआईएमजेड) स्थापित करने का है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और यह स्पेशल इकोनोमिक जोन योजना विशेषकर आंध्र प्रदेश में किस प्रकार से भिन्न है;

(ग) क्या सरकार उपरोक्त जोनों को कोई कर प्रोत्साहन दे रही है; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री सी.आर. चौधरी) : (क) और (ख) राष्ट्रीय निवेश एवं विनिर्माण जोन (एनआईएमजेड) राष्ट्रीय विनिर्माण नीति, 2011 के महत्वपूर्ण घटकों में से एक है। एनआईएमजेड की परिकल्पना, विश्वस्तरीय विनिर्माण क्रियाकलाप को बढ़ावा देने के लिए अपेक्षित परि-व्यवस्था वाली विकसित भूमि के एक विशाल क्षेत्र के रूप में की गई है। अब तक तीन एनआईएमजेड नामत: प्रकाशम (आंध्र प्रदेश), संगारेड्डी (तेलंगाना) तथा कलिंगनगर (ओडिशा) को अंतिम अनुमोदन प्रदान किया गया है और 13 एनआईएमजेड को सिद्धांतत: अनुमोदन प्रदान किया गया है। इन 13 एनआईएमजेड का ब्यौरा संलग्न विवरण में दिया गय हैं। इसके अलावा, दिल्ली मुंबई औद्योगिक कॉरीडोर (डीएमआईसी) परियोजना के साथ-साथ आठ निवेश क्षेत्रों को भी एनआईएमजेड के रूप में घोषित किया गया है। 8 डीएमआईसी एनआईएमजेड का ब्यौरा अनुबंध में दिया गया है।

विशेष आर्थिक जोनों का मुख्य उद्देश्य निर्यातों का संवर्धन करना है, जबकि एनआईएमजेड राज्यों की भागीदारी में औद्योगिक वृद्धि के सिद्धांत पर आधारित हैं और विनिर्माण विकास तथा रोजगार सृजन पर केंद्रित हैं। एनआईएमजेड आकार, अवसंरचना प्लानिंग के स्तर, विनियामक प्रक्रियाओं से संबंधित संचालन ढांचे तथा निर्गम नीतियों के संदर्भ में एसआईजेड से भिन्न हैं। आंध्र प्रदेश में स्थापित एसआईजेड तथा अन्य सामान्य राज्यों में स्थापित एसआईजेड में कोई अंतर नहीं है।

(ग) और (घ) राष्ट्रीय विनिर्माण नीति (एनएमपी) में अन्य बातों के साथ-साथ निम्नलिखित निहित है:–

(i) समान एनआईएमजेड तथा अन्य एनआईएमजेड में स्थित किसी अन्य इकाई में नए संयंत्र एवं मशीनरी की खरीद के लिए तीन वर्षों की अवधि के भीतर बिक्री के लिहाज से पुनर्निवेश के मामले में राष्ट्रीय निवेश एवं विनिर्माण जोन (एनआईएमजेड) में स्थित इकाई के संयंत्र एवं मशीनरी की बिक्री पर पूंजीगत लाभ कर में रियायत। [नीति का पैरा 3.5]

(ii) नए संयंत्र एवं मशीनरी की खरीद के लिए विनिर्माण क्षेत्र में नए स्टार्टअप-एसएमई की इक्विटी में बिक्री के लिहाज से पुनर्निवेश के मामले में आवासीय संपत्ति (मकान अथवा भूमि प्लॉट) की बिक्री पर वैयक्तिक आधार पर लंबी अवधि पूंजीगत लाभ कर में रोलऑवर रियायत। [नीति का पैरा 6.2(i)]

(iii) विनिर्माण क्षेत्र में एसएमई पर फोकस वाले उद्यम पूंजी निधि के लिए स्थिति के माध्यम से टैक्स पास। इन वीसीएफ को भारतीय प्रतिभूति एवं विनिमय बोर्ड (उद्यम पूंजी निधि) विनियमन, 1996 के अंतर्गत पंजीकृत करवाना होगा और आयकर अधिनियम के अंतर्गत समुचित रूप से अधिसूचित करवाना होगा। [नीति का पैरा 6.2(ii)]

विवरण

सिद्धांतत: अनुमोदन प्रदान किए गए 13 एनआईएमजेड का ब्यौरा इस प्रकार है:

(i) महाराष्ट्र में नागपुर

(ii) आंध्र प्रदेश में चित्तूर

(iii) तेलंगाना के रंगारेड्डी जिले में हैदराबाद फार्मा एनआईएमजेड

(iv) कर्नाटक में टुमकुर

(v) कर्नाटक में कोलार

(vi) कर्नाटक में बिदर

(vii) कर्नाटक में गुलबर्ग

(viii) तमिलनाडु में रामानाथपुरम जिला

(ix) तमिलनाडु में पोन्नेरी तालुक, थिरूवल्लुर जिला

(x) उत्तर प्रदेश में औरैया जिला

(xi) उत्तर प्रदेश में झांसी जिला

(xii) गुजरात में मंडल-बेचारजी विशेष निवेश क्षेत्र के अहमदाबाद तथा मेहसाणा जिले

(xiii) गुजरात में मंडल-बेचारजी विशेष निवेश क्षेत्र का अहमदाबाद जिला

दिल्ली मुंबई औद्योगिक कॉरीडोर (डीएमआईसी) परियोजना के साथ-साथ एनआईएमजेड के रूप में घोषित किए गए आठ निवेश क्षेत्रों का ब्यौरा इस प्रकार है:

(i) अहमदाबाद-धोलेरा विशेष निवेश क्षेत्र, गुजरात

(ii) पीथमपुर-धार-महू निवेश क्षेत्र, मध्य प्रदेश

(iii) औरंगाबाद के पास शेंद्रा-बिदकिन औद्योगिक पार्क सिटी, महाराष्ट्र

(iv) दिघी पत्तन औद्योगिक क्षेत्र, महाराष्ट्र

(v) मानेसर-बावल निवेश क्षेत्र, हरियाणा

(vi) खुशखेड़ा-भिवाडी-नीमराना निवेश क्षेत्र, राजस्थान

(vii) जोधपुर पाली-मारवाड़ औद्योगिक क्षेत्र, राजस्थान

(viii) दादरी-नोएडा-गाजियाबाद निवेश क्षेत्र, उत्तर प्रदेश

[हिन्दी]

जनजातीय क्षेत्र विकास

1845. कर्नल सोनाराम चौधरी : क्या **जनजातीय कार्य मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) सरकार द्वारा जनजातीय क्षेत्र के विकास से संबंधित चलाई जा रही योजनाओं के नाम क्या हैं;

(ख) गत चार वर्षों में प्रत्येक वर्ष और मौजूदा वित्तीय वर्ष के दौरान आवंटित और खर्च की गई निधियों का ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या सरकार का विचार पूर्वांचल की तरह पश्चिमांचल (राजस्थान-गुजरात) हेतु जनजातीय क्षेत्रों के विकास के लिए कोई विशेष पैकेज जारी कर अत्यधिक पिछड़ी जनजातियों को मुख्यधारा में लाने का है; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं?

जनजातीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री जसवंतसिंह सुमनभाई भाभोर) : (क) जनजातीय उप-योजना (टीएसपी) जो अब अनुसूचित जनजाति घटक (एसटीसी) के रूप में ज्ञात है, पूरे देश में जनजातीय विकास के लिए निधियों का समर्पित स्रोत हैं। वर्ष 2018-19 के दौरान टीएसपी/एसटीसी के तहत निधि के प्रवाह का उद्‌भव जनजातीय कार्य मंत्रालय सहित 37 मंत्रालयों/विभागों द्वारा प्रशासित लगभग 300 योजनाओं से होता है। निधियों में आवंटन के साथ योजनाओं का मंत्रालय/विभाग-वार नाम केन्द्रीय बजट 2018-19 की व्यय प्रोफोइल के विवरण 10ख में प्रतिबिम्बित है संलग्न विवरण-I में दिया गया है। इसके अलावा, राज्य सरकारें शिक्षा, स्वास्थ्य, आवास, स्वच्छता, जल आपूर्ति, आजीविका, कृषि, सिंचाई, आय-सृजन कार्यक्रम, सड़कों के निर्माण, बिजली की आपूर्ति आदि के लिए समर्थन सहित अनुसूचित जनजातियों के विकास हेतु अलग-अलग क्षेत्रों की योजनाओं के तहत निधियां चिह्नित करती हैं।

(ख) गत 4 वर्षों और चालू वित्तीय वर्ष के लिए एसटीसी के तहत केन्द्रीय मंत्रालयों/विभागों द्वारा आवंटित निधियों तथा किए गए व्यय के ब्यौरे संलग्न विवरण-II में दिए गए है। गत 4 वित्तीय वर्षों के दौरान राज्यों द्वारा जनजातीय विकास के लिए आवंटित निधियां और तत्संबंधी किए व्यय के ब्यौरें संलग्न विवरण-III में दिए गए हैं।

(ग) और (घ) जनजातीय कार्य मंत्रालय (एमओटीए) के विचारार्थ ऐसा कोई प्रस्ताव नहीं है और न ही हाल ही में ऐसा कोई प्रस्ताव स्वीकार किया गया है। तथापि, जनजातीय कार्य मंत्रालय विशेष रूप से कमजोर जनजातीय समूहों (पीवीटीजी) के लिए समर्पित एक योजना का संचालन कर रहा है। यह योजना 18 राज्यों/अंडमान ओर निकोबार द्वीप समूह संध राज्य क्षेत्र में अनुसूचित जनजातियों में चिह्नित 75 विशेष रूप से कमजोर जनजातीय समूहों को कवर करती है। पीवीटीजी की राज्य-वार सूची संलग्न विवरण-IV में दी गई है। इस योजना का लक्ष्य समुदाय की संस्कृति तथा विरासत को बनाए रखते हुए समग्र रूप में पीवीटीजी का सामाजिक-आर्थिक विकास है। यह मांग आधारित योजना है जिसमें इस योजना के तहत निधियों की उपलब्धता के आधार पर मंत्रालय की परियोजना मूल्यांकन समिति (पीएसी) द्वारा मूल्यांकन तथा अनुमोदन के पश्चात राजस्थान और गुजरात सहित उनके प्रस्तावों के आधार पर राज्य सरकारों को निधियां प्रदान की जाती हैं। गत 4 वर्षों के लिए राज्यों को निर्मुक्त निधियों और उनके द्वारा रिपोर्ट किए गए उपयोग के ब्यौरें संलग्न विवरण-V में दिए गए है।

विवरण-I

व्यय की रूप-रेखा 2018-2019

(करोड़ रुपए में)

मंत्रालय/विभाग	वास्तविक 2016-17			बजट अनुमान 2017-18			संशोधित अनुमान 2017-18			बजट अनुमान 2018-19		
	राजस्व	पूंजी	जोड़	राजस्व	पूंजी	जोड़	राजस्व	पूंजी	जोड़	राजस्व	पूंजी	जोड़
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
मांग संख्या 1	1071.37	...	1071.37	3293.28	...	3293.28	3170.61	...	3170.61	3965.37	...	3985.37
कृषि, सहकारिता एवं कृषक कल्याण विभाग												
1. फसल बीमा योजना												
1.01 प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना	378.86	...	378.86	719.04	...	719.04	772.08	...	772.08	1027.67	...	1027.67
2. किसानों को अल्पावधि ऋण के लिए ब्याज सब्सिडी	...	...	...	1200.00	...	1200.00	1160.15	...	1160.15	1226.61	...	1226.61
3. प्रधानामंत्री कृषि सिंचाई योजना-प्रति बूंद अधिक फसल	185.42	...	185.42	272.00	...	272.00	240.00	...	240.00	344.00	...	344.00
4. राष्ट्रीय कृषि विकास योजना	...	...	...	380.00	...	380.00	272.00	...	272.00	335.00	...	335.00
5. राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा मिशन	126.70	...	126.70	137.60	...	137.60	129.76	...	129.76	139.60	...	139.60
6. पूर्वोत्तर क्षेत्र के लिए जैविक मूल्य श्रृंखला विकास	17.00	...	17.00	24.64	...	24.64	24.64	...	24.64	39.41	...	39.41
7. मृदा स्वास्थ्य एवं उर्वरता प्रबंधन पर राष्ट्रीय परियोजना	10.67	...	10.67	36.00	...	36.00	15.38	...	15.38	32.00	...	32.00
8. वर्षा आधारित क्षेत्र विकास और जलवायु परिवर्तन	22.99	...	22.99	20.00	...	20.00	28.80	...	28.80	37.00	...	37.00

9. परम्परागत कृषि विकास योजना	24.00	...	24.00	28.40	...	28.40	20.24	...	20.24	30.00	...	30.00
10. कृषि वानिकी पर राष्ट्रीय परियोजना	2.11	...	2.11	8.00	...	8.00	5.40	...	5.40	7.00	...	7.00
11. राष्ट्रीय तिलहन एवं ऑयल पाम मिशन	31.76	...	31.76	37.23	...	37.23	32.79	...	32.79	34.40	...	34.40
12. राष्ट्रीय बागवानी मिशन	172.14	...	172.14	208.90	...	208.90	228.36	...	228.36	297.20	...	297.20
13. बीज एवं पौध रोपण सामग्री का उप-मिशन	14.14	...	14.14	16.00	...	16.00	23.64	...	23.64	42.00	...	42.00
14. कृषि विस्तार पर उप-मिशन	48.00	...	48.00	72.92	...	72.92	81.62	...	81.62	70.00	...	70.00
15. सूचना प्रौद्योगिकी										2.20	...	2.20
16. कृषि यंत्रीकरण पर उप-मिशन	15.03	...	15.03	39.95	...	39.95	62.95	...	62.95	145.00	...	145.00
17. कृषि सहकारिता पर समेकित स्कीम	10.39	...	10.39	10.40	...	10.40	10.40	...	10.40	10.40	...	10.40
18. कृषि विपणन												
18.01 समेकित कृषि विपणन	12.16		12.16	82.20		82.20	62.40		62.40	56.68		56.68
19. राष्ट्रीय बांस मिशन	...	...	...	...	...	...	...	...	...	89.20	...	89.20
मांग संख्या 2	112.07	...	112.07	75.00	...	75.00	93.18	...	93.18	125.82	...	125.82
कृषि अनुसंधान शिक्षा विभाग												
20. कृषि-वानिकी अनुसंधान सहित प्राकृतिक संसाधन प्रबंधन संस्थाएं	20.00	...	20.00	10.00	...	10.00	12.42	...	12.42	13.04	...	13.04
21. फसल मिशन	11.00	...	11.00	5.00	...	5.00	6.21	...	6.21	24.52	...	24.52
22. बागवानी मिशन	5.00	...	5.00	3.00	...	3.00	3.73	...	3.73	5.72	...	5.72

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
23. पशु मिशन	7.00	...	7.00	4.00	...	4.00	4.97	...	4.97	11.22	...	11.22
24. मात्स्यिकी मिशन	1.00	...	1.00	1.00	...	1.00	1.24	...	1.24	3.50	...	3.50
25. कृषि विस्तार	30.07	...	30.07	25.00	...	25.00	31.05	...	31.05	32.60	...	32.60
26. कृषि विश्वविद्यालय और संस्थाएं	38.00	...	38.00	27.00	...	27.00	33.54	...	33.54	35.22	...	35.22
मांग संख्या 3	...	...	...	...	...	...	...	...	...	246.84	...	246.84
पशु पालन और डेरी कार्य तथा मात्स्यिकी विभाग												
27. मात्स्यिकी का एकीकृत विकास	...	...	...	...	...	...	...	...	...	55.95	...	55.95
28. राष्ट्रीय डेयरी योजना (ईएपी)	...	...	...	...	...	...	...	...	...	27.95	...	27.95
29. राष्ट्रीय डेयरी विकास कार्यक्रम	...	...	...	...	...	...	...	...	...	24.50	...	24.50
30. डेयरी उद्यमशीलता विकास	...	...	...	...	...	...	...	...	...	27.98	...	27.96
31. राष्ट्रीय गोकुल मिशन	...	...	...	...	...	...	...	...	...	25.90	...	25.90
32. राज्य सहकारी डेयरी परिसंघ को सहायता	...	...	...	...	...	...	...	...	...	0.05	...	0.05
33. पशुधन स्वास्थ्य तथा रोग नियंत्रण	...	...	...	...	...	...	...	...	...	41.86	...	41.86
34. राष्ट्रीय पशुधन मिशन	...	...	...	...	...	...	...	...	...	32.88	...	32.88
35. पशुधन जनगणना तथा एकीकृत नमूना सर्वेक्षण	...	...	...	...	...	...	...	...	...	5.52	...	5.52
36. डेयरी प्रसंस्करण और अवसंरचना विकास फंड	...	...	...	...	...	...	...	...	...	3.19	...	3.19

37. मत्स्य पालन और जलीय कृषि अवसंरचना विकास निधि	...	...	...	...	...	...	...	...	...	0.86	...	0.86
मांग संख्या 5	20.55	...	20.55	20.55	...	20.55	28.57	...	28.57	26.00	...	26.00
आयुर्वेद, योग एवं प्राकृतिक चिकित्सा, यूनानी, सिद्ध तथा होम्योपैथी (आयुष) मंत्रालय												
38. राष्ट्रीय आयुष मिशन (एनएएम) (राष्ट्रीय निवेश निधि से सहायता)	14.80	...	14.80	14.80	...	14.80	20.57	...	20.57	22.00	...	22.00
39. केंद्रीय आयुर्वेदिक विज्ञान अनुसंधान परिषद	2.00	...	2.00	2.00	...	2.00	3.00	...	3.00	3.00	...	3.00
40. केंद्रीय होम्योपैथी अनुसंधान	0.75	...	0.75	0.75	...	0.75	1.00	...	1.00	...	...	...
41. केंद्रीय यूनानी चिकित्सा अनुसंधान परिषद	1.00	...	1.00	1.00	...	1.00	1.00	...	1.00	1.00	...	1.00
42. राष्ट्रीय औषधीय पादप बोर्ड	2.00	...	2.00	2.00	...	2.00	3.00	...	3.00	...	...	...
मांग संख्या 10	25.38	...	25.38	30.75	...	30.75	36.40	...	38.40	30.53	...	30.53
कोयला मंत्रालय												
43. कोयला खानों में संरक्षण, सुरक्षा और अवसंरचना विकास	13.94	...	13.94	16.40	...	16.40	22.05	...	22.05	9.00	...	9.00
44. कोयला और लिग्राईट का अन्वेषण	11.44	...	11.44	14.35	...	14.35	14.35	...	14.35	21.53	...	21.53
मांग संख्या 11	...	...	...	...	...	...	...	...	...	25.00	...	25.00
वाणिज्य विभाग												
45. कृषि उत्पाद निर्यात विकास प्राधिकरण (एपीईडीए)	...	...	...	...	...	...	...	...	...	1.37	...	1.37

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
46. चाय बोर्ड	...	...	...	...	...	...	...	...	...	6.23	...	6.23
47. कॉफी बोर्ड	...	...	...	...	...	...	...	...	...	6.10	...	6.10
48. रबर बोर्ड	...	...	...	...	...	...	...	...	...	6.30	...	6.30
49. मसाला बोर्ड	...	...	...	...	...	...	...	...	...	5.00	...	5.00
मांग संख्या 14	29.00	...	29.00	39.00	...	39.00	18.72	...	18.72	442.00	235.00	677.00
दूरसंचार विभाग												
50. दूरसंचार अवसंरचना के सृजन एवं संवर्धन के लिए सेवा प्रदाताओं को क्षति-पूर्ति												
50.01 सार्वभौमिक सेवा दायित्व (यूएसओ) निधि को अंतरण	27.00	...	27.00	38.00	...	38.00	18.00	...	18.00	430.00	...	430.00
51. रक्षा सेवाओं के लिए ऑप्टिकल फाइबर केबल आधारित नेटवर्क	...	...	...	...	...	...	...	...	...	235.00	...	235.00
52. टेलीमैटिक्स विकास केन्द्र (सी-डॉट)	2.00	...	2.00	1.00	...	1.00	0.72	...	0.72	12.00	...	12.00
मांग संख्या 15	...	...	...	...	...	...	...	...	...	3.00	...	3.00
उपभोक्ता मामले विभाग												
53. उपभोक्ता जागरुकता (विज्ञापन एवं प्रचार)	...	...	...	...	...	...	...	...	...	3.00	...	3.00
मांग संख्या 16	1.28	...	1.28	...	...	...	...	...	...	6.00	...	6.00
खाद्य और सार्वजनिक वितरण विभाग												
54. सार्वजनिक वितरण प्रणाली के मंत्रालय का सुदृढ़ीकरण	1.28	...	1.28	...	...	...	...	...	...	6.00	...	6.00

मांग संख्या 18	24.78	...	24.78	35.10	...	35.10	34.97	...	34.97	35.10	...	35.10
संस्कृति मंत्रालय												
55. अकादमियों को सहायता	18.08	...	18.08	15.41	...	15.41	17.41	...	17.41	17.50	...	17.50
56. पुस्तकालयों को सहायता	2.50	...	2.50	2.00	...	2.00	2.00	...	2.00	2.50	...	2.50
57. बौद्ध तिब्बती संस्थान एवं संचालन	0.80	...	0.80	0.75	...	0.75	0.75	...	0.75	1.00	...	1.00
58. संग्रहालयों को सहायता	2.00	...	2.00	1.50	...	1.50	1.50	...	1.50	1.50	...	1.50
59. भारतीय मानव विज्ञान सर्वेक्षण (एनएसआई)	0.30	...	0.30	0.30	...	0.30	0.30	...	0.30	0.30	...	0.30
60. अनुदान प्राप्तकर्ता निकाय	...	...	...	0.50	...	0.50	0.50	...	0.50	0.50	...	0.50
61. शताब्दी एवं जयंती समारोह योजनाएं	...	...	...	1.00	...	1.00	0.02	...	0.02	1.20	...	1.20
62. कला संस्कृति विकास योजना	1.08	...	1.08	10.14	...	10.14	9.14	...	9.14	9.14	...	9.14
63. पांडुलिपियों के परिरक्षण हेतु राष्ट्रीय मिशन	...	...	...	0.50	...	0.50	0.35	...	0.35	0.46	...	0.46
64. पुस्तकालयों और अभिलेखागारों का विकास	...	...	...	3.00	...	3.00	3.00	...	3.00	1.00	...	1.00
मांग संख्या 23	...	...	...	691.00	25.00	716.00	696.00	20.00	716.00	522.25	5.00	527.25
पूर्वोत्तर क्षेत्र विकास मंत्रालय												
65. पूर्वोत्तर परिषद की स्कीमें	...	...	...	116.00	...	116.00	63.02	...	63.02	52.25	...	52.25
66. पूर्वोत्तर परिषद की स्कीमें-विशेष विकास परियोजनाएं	...	...	...	194.00	...	194.00	251.98	...	251.98	100.00	...	100.00
67. पूर्वोत्तर एवं सिक्किम के लिए केंद्रीय संसाधन पूल	...	...	...	276.00	...	276.00	276.00	...	276.00	200.00	...	200.00

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
68. पूर्वोत्तर क्षेत्र आजीविका परियोजना (एनईआरएलपी)	...	...	...	70.00	...	70.00	70.00	...	70.00	90.00	...	90.00
69. उत्तर पूर्व सड़क क्षेत्र विकास स्कीम												
69.01 कार्यक्रम के घटक	...	...	...	...	25.00	25.00	...	20.00	20.00	...	5.00	5.00
70. बोडोलैंड प्रादेशिक परिषद	...	...	...	10.00	...	10.00	10.00	...	10.00	10.00	...	10.00
71. कार्बी आंगलांग स्वायत्त प्रादेशिक परिषद	...	...	...	15.00	...	15.00	15.00	...	15.00	10.00	...	10.00
72. दीमा हसाओ प्रादेशिक परिषद	...	...	...	10.00	...	10.00	10.00	...	10.00	10.00	...	10.00
73. पूर्वोत्तर क्षेत्र विशेष अवसंरचना विकास योजना												
73.01 एनईएसआईडीएस कार्यक्रम	...	...	...	...	...	...	...	...	...	20.00	...	20.00
73.02 पहाड़ी क्षेत्र विकास कार्यक्रम	...	...	...	...	...	...	...	...	...	30.00	...	30.00
जोड़-पूर्वोत्तर क्षेत्र विशेष अवसंरचना विकास योजना	...	...	...	...	...	...	...	...	...	50.00	...	50.00
मांग संख्या 24	1649.90	...	1649.90	1999.83	...	1999.83	2399.83	...	2399.83	2234.31	...	2234.31
पेयजल एवं स्वच्छता मंत्रालय												
74. स्वच्छ भारत मिशन (ग्रामीण)												
74.01 कार्यक्रम घटक	1049.99	...	1049.99	1394.83	...	1394.83	1694.83	...	1694.83	1534.31	...	1534.31
75. राष्ट्रीय ग्रामीण पेयजल कार्यक्रम												
75.01 राष्ट्रीय ग्रामीण पेयजल कार्यक्रम	599.91	...	599.91	605.00	...	605.00	705.00	...	705.00	700.00	...	700.00

मांग संख्या 26	185.42	...	185.42	78.16	...	78.16	95.53	...	95.53	206.00	...	206.00
इलेक्ट्रॉनिकी और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय												
76. जनशक्ति विकास	40.00	...	40.00	35.00	...	35.00	35.42	...	35.42	40.00	...	40.00
77. राष्ट्रीय ज्ञान नेटवर्क	45.40	...	45.40	20.16	...	20.16	20.16	...	20.16	11.00	...	11.00
78. इलेक्ट्रॉनिकी/आईटी हार्डवेयर विनिर्माण को प्रोत्साहन (एमएसआईपीएस, ईडीएफ और विनिर्माण समूह)	...	...	...	...	...	...	16.95	...	16.95	...	...	...
79. आईटी/आईटीईएस उद्योग को प्रोत्साहन	...	...	...	...	...	...	...	...	...	5.00	...	5.00
80. आईटी/इलेक्ट्रॉनिकी/सीसीवीटी में अनुसंधान और विकास	...	...	...	...	...	...	...	...	...	5.00	...	5.00
81. राष्ट्रीय सूचना विज्ञान केंद्र	79.10	...	79.10	...	...	...	...	...	...	...	...	...
82. इलेक्ट्रॉनिकी शासन												
82.01 कार्यक्रम संघटक	20.92	...	20.92	23.00	...	23.00	23.00	...	23.00	34.00	...	34.00
83. डिजिटल भुगतान का संवर्धन	...	...	...	...	...	...	...	...	...	33.00	...	33.00
84. प्रधानमंत्री ग्रामीण डिजिटल साक्षरता अभियान	...	...	...	...	...	...	...	...	...	78.00	...	78.00
मांग संख्या 27	5.50	...	5.50	5.50	...	5.50	5.50	...	5.50	70.35	...	70.35
पर्यावरण, वन और जलवायु												
85. राष्ट्रीय अनुकूलन कोष (एनसीईएफ से वित्तपोषित)	...	...	...	...	...	...	...	...	...	8.00	...	8.00
86. हिमालय अध्ययन पर राष्ट्रीय मिशन (एनसीईएफ से वित्तपोषित)	...	...	...	...	...	...	...	...	...	3.00	...	3.00

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
87. पर्यावरण शिक्षा, जागरुकता और प्रशिक्षण	...	...	...	...	...	...	...	...	...	2.00	...	2.00
88. हरित भारत संबंधित राष्ट्रीय मिशन (एनसीईएफ से वित्तपोषित)												
88.01 हरित भारत मिशन-राष्ट्रीय वनरोपण कार्यक्रम	2.00	...	2.00	2.00	...	2.00	2.00	...	2.00	12.00	...	12.00
88.02 वन अग्नि रोकथाम एवं	...	...	...	...	...	...	...	...	...	2.00	...	2.00
जोड़-हरित भारत संबंधित राष्ट्रीय मिशन (एनसीईएफ से वित्तपोषित)	2.00	...	2.00	2.00	...	2.00	2.00	...	2.00	14.00	...	14.00
89. वन्यजीव वास स्थानों का समेकित विकास (एनसीईएफ से वित्तपोषित)												
89.01 वन्य जीव आवासों का विकास	0.50	...	0.50	0.50	...	0.50	0.50	...	0.50	10.35	...	10.35
89.02 बाघ परियोजना	3.00	...	3.00	3.00	...	3.00	3.00	...	3.00	17.00	...	17.00
89.03 हाथी परियोजना	...	...	...	...	...	...	...	...	...	1.00	...	1.00
जोड़-वन्यजीव वास स्थानों का समेकित विकास (एनसीईएफ से वित्तपोषित)	3.50	...	3.50	3.50	...	3.50	3.50	...	3.50	28.35	...	28.35
90. राष्ट्रीय संसाधन तथा पारिस्थितिकियों का संरक्षण (एनसीईएफ से वित्तपोषित)												
90.01 जलीय पारिस्थितिकी का संरक्षण	...	...	...	...	...	...	...	...	...	4.00	...	4.00

90.02 जैव विविधता संरक्षण	...	...	...	...	...	...	...	...	...	1.00	...	1.00
जोड़-प्राकृतिक संसाधन तथा पारिस्थितिकियों का संरक्षण (एनसीईएफ से वित्तपोषित)	...	...	...	...	...	...	...	...	...	5.00	...	5.00
91. राष्ट्रीय नदी संरक्षण कार्यक्रम												
91.01 कार्यक्रम घटक (एनसीईएफ से वित्तपोषित)	...	...	...	...	...	...	...	...	...	5.00	...	5.00
92. राष्ट्रीय तटीय मिशन												
92.01 कार्यक्रम घटक	...	...	...	...	...	...	...	...	...	5.00	...	5.00
मांग संख्या 41	...	...	...	...	...	...	...	...	...	55.00	...	55.00
खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्रालय												
93. प्रधान मंत्री किसान सम्पदा	...	...	...	...	...	...	...	...	...	55.00	...	55.00
मांग संख्या 42	320.91	...	320.91	2972.88	...	2972.88	2909.70	...	2909.70	3155.08	...	3155.08
स्वास्थ्य और परिवार कल्याण विभाग												
94. राष्ट्रीय ग्रामीण स्वास्थ्य मिशन												
94.01 प्रधानमंत्री की जम्मू और कश्मीर के लिए विकास योजना	...	...	...	37.17	...	37.17	37.17	...	37.17	32.59	...	32.59
94.02 नियमित टीकाकरण कार्यक्रम, पल्स पोलियो टीकाकरण कार्यक्रम राष्ट्रीय आयोडीन अल्पता विकार नियंत्रण कार्यक्रम आदि सहित आरसीएच फ्लेक्सीबल पूल	...	...	...	483.22	...	483.22	551.86	...	551.86	547.88	...	547.88

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
94.03 एनआरएचएम के अधीन स्वास्थ्य प्रणाली सुदृढ़ीकरण	...	...	...	932.16	...	932.16	932.16	...	932.16	1161.13	...	1161.13
94.04 संक्रामक रोगों के लिए फ्लेक्सीबल पूल	79.02	...	79.02	179.56	...	179.56	158.04	...	158.04	217.89	...	217.89
94.05 असंक्रामक रोगों, चोट और ट्रामा के लिए फ्लेक्सिबल पूल	27.10	...	27.10	110.66	...	110.66	112.66	...	112.66	107.75	...	107.75
94.06 अवसंरचना अनुरक्षण	...	...	...	589.51	...	589.51	589.51	...	589.51	622.15	...	622.15
जोड़-राष्ट्रीय ग्रामीण स्वास्थ्य मिशन	106.12	...	106.12	2332.28	...	2332.28	2381.40	...	2381.40	2689.39	...	2689.39
95. राष्ट्रीय शहरी स्वास्थ्य मिशन (राष्ट्रीय निवेश निधि से सहायता)	...	...	...	24.15	...	24.15	20.40	...	20.40	26.06	...	26.06
96.01 राष्ट्रीय मानसिक स्वास्थ्य कार्यक्रम	412	...	4.12	4.12	...	4.12	4.12	...	4.12	4.00	...	4.00
96.02 ट्रामा केन्द्रों के लिए क्षमता निर्माण	19.38	...	19.38	20.42	...	20.42	13.55	...	13.55	14.43	...	14.43
96.03 कैंसर, मधुमेह, कार्डियो-वास्कुलर रोगों तथा पक्षाघात की रोकथाम और नियंत्रण हेतु राष्ट्रीय कार्यक्रम	31.56	...	31.56	27.92	...	27.92	31.72	...	31.72	30.03	...	30.03
96.04 वृद्धों के लिए स्वास्थ्य परिचर्या	2.47	...	2.47	6.12	...	6.12	5.06	...	5.06	6.12	...	6.12
जोड़-तृतीयक परिचर्या कार्यक्रम	57.53	...	57.53	58.58	...	58.58	54.45	...	54.45	54.58	...	54.58

97. स्वास्थ्य एवं चिकित्सा शिक्षा के लिए मानव संसाधन												
97.01 नए चिकित्सा विद्यालयों की स्थापना (जिला अस्पतालों का उन्नयन)	144.32	...	144.32	506.30	...	506.30	401.90	...	401.90	299.29	...	299.29
97.02 सरकारी चिकित्सा महाविद्यालय (यूजी सीट) तथा केन्द्रीय सरकारी स्वास्थ्य संस्थानों का सुदृढ़ीकरण	12.94	...	12.94	51.55	...	51.55	51.55	...	51.55	85.76	...	85.76
जोड़-स्वास्थ्य एवं चिकित्सा शिक्षा के लिए मानव संसाधन	157.26	...	157.26	557.85	...	557.85	453.45	...	453.45	385.05	...	385.05
मांग संख्या 49	78.70	50.90	129.60	85.35	84.01	189.38	91.72	218.55	308.27	92.08	160.46	252.54
अंडमान और निकोबार द्वीपसमूह												
98. संघ राज्य क्षेत्र की योजनाएं												
98.01 ऊर्जा	14.52	...	14.52	...	...	...	...	...	...	13.25	1.10	14.35
98.02 सड़क परिवहन	...	0.02	0.02	...	5.50	5.50	0.05	6.00	6.05	0.05	5.00	5.05
जोड़-संघ राज्य क्षेत्र की	14.52	0.02	14.54	...	5.50	5.50	0.05	6.00	6.05	13.30	6.10	19.40
99. आदिवासी क्षेत्र घटक	64.18	50.88	115.06	85.35	78.51	163.86	91.67	210.55	302.22	78.78	154.36	233.14
मांग संख्या 51	47.73	...	47.73	46.12	...	46.12	47.27	...	47.27	47.76	...	47.76
दादरा और नगर हवेली												
100. अन्य स्थापना	...	...	...	18.30	...	18.30	0.01	...	0.01	0.01	...	0.01
101. संघ राज्य क्षेत्र की योजनाएं												
101.01 स्वास्थ्य	...	...	...	...	...	...	0.80	...	0.80	1.20	...	1.20

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
101.02 शिक्षा	5.02	...	5.02	25.95	...	25.95	5.59	...	5.59	5.69	...	5.69
101.03 शहरी विकास	...	...	...	0.65	...	0.65	...	...	...	...	...	...
101.04 ग्रामीण एवं लघु उद्योग	...	...	...	0.06	...	0.06	...	...	...	...	...	...
101.05 अनुसूचित जाति/ अनुसूचित जनजाति का कल्याण	...	...	...	...	...	...	0.16	...	0.16	0.15	...	0.15
101.06 कृषि और संबद्ध कार्यकलाप	1.01	...	1.01	1.16	...	1.16	1.16	...	1.16	0.15	...	0.15
जोड़-संघ राज्य क्षेत्र की योजनाएं	6.03	...	6.03	27.82	...	27.82	7.71	...	7.71	8.20	...	8.20
102. अनुदानग्राही/अन्य विकास												
102.01 जिला परिषद/जिला स्तरीय पंचायत को अनुदान	41.70	...	41.70	...	...	...	39.50	...	39.50	39.50	...	39.50
103. संघ राज्य क्षेत्रों के अन्य व्यय	...	...	...	...	...	...	0.05	...	0.05	0.05	...	0.05
मांग संख्या 52	23.04	...	23.04	21.91	...	21.91	25.48	...	25.48	25.15	...	25.15
दमन और दीव												
104. संघ राज्य क्षेत्र की योजनाएं												
104.01 शिक्षा	8.97	...	8.97	...	...	...	3.40	...	3.40	3.45	...	3.45
104.02 औद्योगिक संवर्द्धन	...	...	...	...	...	...	0.14	...	0.14	...	...	...
104.03 कृषि एवं संबद्ध कार्यकलाप	0.04	...	0.04	...	...	...	0.03	...	0.03	0.08	...	0.08
जोड़-संघ राज्य क्षेत्र की योजनाएं	9.01	...	9.01	...	...	...	3.57	...	3.57	3.53	...	3.53
105. जनजातीय क्षेत्र संघटक	14.03	...	14.03	21.91	...	21.91	21.91	...	21.91	21.62	...	21.62

मांग संख्या 53	537.22	117.57	654.79	557.00	162.65	719.65	697.67	137.53	835.20	742.59	263.75	1008.34
लक्षद्वीप												
106. संघ राज्य क्षेत्र की योजनाएं												
106.01 आपदा प्रबंधन	0.23	...	0.23	1.05	...	1.05	1.05	...	1.05	1.05	...	1.05
106.02 सूचना प्रौद्योगिकी	15.00	...	15.00	29.25	...	29.25	40.00	...	40.00	50.00	...	50.00
106.03 पुलिस	...	6.75	6.75	...	10.90	10.90	...	9.65	9.65	...	9.98	9.98
106.04 विद्युत	134.94	6.88	141.82	76.23	11.50	87.73	95.17	11.50	106.67	91.17	16.00	107.17
106.05 पर्यावरण एवं वन	3.64	0.43	4.07	5.48	1.00	6.48	7.45	0.80	8.25	8.90	3.75	12.65
106.06 पंचायती राज	4.19	0.74	4.93	4.21	0.75	4.96	4.75	1.25	6.00	5.25	1.00	6.25
106.07 नागरिक आपूर्ति	...	...	...	...	...	...	4.78	0.40	5.18	4.78	0.50	5.28
106.08 स्वास्थ्य	...	...	...	31.98	10.50	42.48	34.65	8.30	42.95	38.15	10.20	48.35
106.09 समाज कल्याण, महिला और बाल विकास	4.98	3.24	8.22	5.74	1.50	7.24	6.05	1.50	7.55	6.17	1.50	7.67
106.10 ग्रामीण और लघु उद्योग	0.29	0.27	0.56	0.57	0.45	1.02	0.57	0.45	1.02	0.67	0.65	1.32
106.11 विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी	2.36	0.12	2.48	5.64	0.80	6.44	5.41	0.30	5.71	3.28	1.25	4.53
106.12 शहरी विकास, आवास, जलापूर्ति और बाढ़ नियंत्रण	24.17	50.54	74.71	7.00	39.00	46.00	7.00	43.00	50.00	10.10	70.50	80.60
106.13 सड़क	0.17	11.14	11.31	0.24	10.00	10.24	0.40	15.00	15.40	0.70	15.00	15.70
106.14 परिवहन	285.42	7.82	293.24	319.51	45.66	365.17	413.95	11.59	425.54	436.95	94.50	531.45
106.15 पर्यटन विकास	2.51	1.59	4.10	2.41	4.25	6.66	3.29	3.75	7.04	5.80	9.50	15.30
106.16 शिक्षा, खेलकूद, कला और संस्कृति	38.71	21.43	60.14	41.53	18.50	60.03	41.48	19.00	60.48	45.95	18.00	63.95

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
106.17 कृषि और संबद्ध कार्यकलाप	19.57	4.12	23.69	24.57	6.84	31.41	30.08	6.04	36.12	31.94	6.42	38.36
106.18 रोजगार और प्रशिक्षण	1.04	2.50	3.54	1.59	1.00	2.59	1.59	5.00	6.59	1.73	5.00	6.73
जोड़-संघ राज्य क्षेत्र की योजनाएं	537.22	117.57	654.79	557.00	162.65	719.65	697.67	137.53	835.20	742.59	263.75	1006.34
मांग संख्या 56	111.32	...	111.32	153.00	...	153.00	157.18	...	157.18	291.88	...	291.88
आवास और शहरी कार्य मंत्रालय												
107. दीनदयाल अंत्योदय योजना-राष्ट्रीय शहरी आजीविका मिशन (डीएवाई-एनयूएलएम)												
107.01 राज्य/संघ राज्य क्षेत्र घटक	7.32	...	7.32	8.00	...	8.00	8.21	...	8.21	12.17	...	12.17
108. पीएमएवाई-शहरी												
108.01 राज्य/संघ राज्य क्षेत्र घटक की अन्य मदें	104.00	...	104.00	145.00	...	145.00	148.97	...	148.97	279.51	...	279.51
मांग संख्या 57	4343.98	...	4343.98	4888.03	...	4888.03	4873.19	...	4873.19	4908.31	...	4908.31
विद्यालयी शिक्षा और साक्षरता विभाग												
109. राष्ट्रीय साधन एवं मेरिट छात्रवृत्ति योजना	4.17	...	4.17	30.18	...	30.18	30.18	...	30.18	4.33	...	4.33
109.02 माध्यमिक और उच्चतर शिक्षा कोष से सहायता	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...
जोड़-राष्ट्रीय साधन एवं मेरिट छात्रवृत्ति योजना	4.17	...	4.17	30.18	...	30.18	30.18	...	30.18	32.07	...	32.07
110. राष्ट्रीय बालिका माध्यमिक शिक्षा प्रोत्साहन योजना	13.72	...	13.72	64.00	...	64.00	64.00	...	64.00	4.12	...	4.12

110.02 माध्यमिक और उच्चतर शिक्षा कोष से सहायता	...	...	...	...	...	...	...	...	...	47.06	...	47.06
जोड़-राष्ट्रीय बालिका माध्यमिक शिक्षा प्रोत्साहन योजना	13.72	...	13.72	64.00	...	64.00	64.00	...	64.00	51.18	...	51.18
111. राष्ट्रीय माध्यमिक शिक्षा अभियान												
111.01 कार्यक्रम घटक	396.18	...	396.18	744.47	...	744.47	412.80	...	412.80	54.69	...	54.69
111.02 माध्यमिक और उच्चतर शिक्षा कोष से सहायता	...	...	...	...	...	...	...	...	...	396.10	...	396.10
जोड़-राष्ट्रीय माध्यमिक शिक्षा अभियान	396.18	...	396.18	744.47	...	744.47	412.80	...	412.80	450.79	...	450.79
112. अध्यापक प्रशिक्षण तथा प्रौढ़ शिक्षा												
112.01 शिक्षक प्रशिक्षण संस्थानों का सुदृढ़ीकरण	56.43	...	56.43	51.36	...	51.36	51.36	...	51.36	59.06	...	59.06
112.02 भाषा शिक्षकों की नियुक्ति	24.40	...	24.40	13.00	...	13.00	10.00	...	10.00	...	...	...
112.03 स्कूल आकलन कार्यक्रम	...	...	...	0.07	...	0.07	0.07	...	0.07	0.07	...	0.07
112.04 साक्षर भारत	23.69	...	23.69	34.24	...	34.24	34.24	...	34.24	34.24	...	34.24
जोड़-अध्यापक प्रशिक्षण तथा प्रौढ़ शिक्षा	104.52	...	104.52	98.67	...	98.67	95.67	...	95.67	93.37	...	93.37
113. राष्ट्रीय स्कूल मध्याहन भोजन कार्यक्रम												
113.01 सकल बजटीय सहायता से सहायता	443.03	...	443.03	350.25	...	350.25	382.05	...	382.05	364.54	...	364.54

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
113.02 प्रारंभिक शिक्षा कोष से सहायता	577.00	...	577.00	703.75	...	703.75	671.95	...	671.95	748.10	...	748.10
जोड़-राष्ट्रीय स्कूल मध्याह्न	1020.03	...	1020.03	1054.00	...	1054.00	1054.00	...	1054.00	1112.64	...	1112.64
114. राष्ट्रीय शैक्षिक अनुसंधान तथा प्रशिक्षण परिषद (एनसीईआरटी)	1.52	...	1.52	...	...	...	...	...	...	...	...	...
115. राष्ट्रीय बाल भवन	0.53	...	0.53	...	...	...	...	...	...	...	...	...
116. डिजिटल इंडिया ई-लर्निंग	...	...	...	0.01	...	0.01	0.01	...	0.01	...	...	...
117. सर्व शिक्षा अभियान												
117.01 सकल बजटीय सहायता	759.24	...	759.24	960.20	...	960.20	1236.18	...	1236.18	1460.78	...	1460.78
117.02 प्रारंभिक शिक्षा कोष से सहायता	1700.28	...	1700.28	1554.30	...	1554.30	1554.30	...	1554.30	1335.00	...	1335.00
जोड़-सर्व शिक्षा अभियान	2459.52	...	2459.52	2514.50	...	2514.50	2790.48	...	2790.48	2795.78	...	2795.78
118. प्रौढ़ शिक्षा निदेशालय	0.25	...	0.25	...	...	...	...	...	...	...	...	...
119. केन्द्रीय विद्यालय संगठन (केवीएस)												
119.01 सकल बजटीय सहायता से मदद	117.92	...	117.92	134.00	...	134.00	...	...	...	...	...	...
119.02 राष्ट्रीय निवेश निधि (एनआईएफ) से सहायता	...	...	...	...	...	...	157.91	...	157.91	137.62	...	137.62
जोड़-केन्द्रीय विद्यालय संगठन (केवीएस)	117.92	...	117.92	134.00	...	134.00	157.91	...	157.91	137.62	...	137.62
120. नवोदय विद्यालय समति (एनवीएस)												

120.01 सकल बजटीय सहायता (जीबीएस) से मदद	213.30	...	213.30	223.81	...	223.81	81.85	...	81.85	231.54	...	231.54
120.02 राष्ट्रीय निवेश निधि से सहायता	...	...	...	...	...	...	181.90	...	181.90	...	...	...
जोड़-नवोदय विद्यालय समिति (एनवीएस)	213.30	...	213.30	223.81	...	223.81	263.75	...	263.75	231.54	...	231.54
121. राष्ट्रीय साक्षरता मिशन प्राधिकरण	...	...	...	0.11	...	0.11	0.11	...	0.11	0.11	...	0.11
122. प्रौढ़ शिक्षा तथा कौशल विकास के लिए स्वैच्छिक एजेंसियों/संस्थानों/राज्य संसाधन केन्द्रों को सहायता	12.32	...	12.32	4.28	...	4.28	4.28	...	4.28	3.21	...	3.21
मांग संख्या 58	1231.12	...	1231.12	1477.00	...	1477.00	1532.02	...	1532.02	1480.00	...	1480.00
उच्चतर शिक्षा विभाग												
123. केन्द्र सरकार द्वारा पदोन्नत सम विश्वविद्यालय	4.13	...	4.13	4.50	...	4.50	4.50	...	4.50	4.40	...	4.40
124. राष्ट्रीय खेलकूद और देखभाल कार्यक्रम	...	...	...	0.08	...	0.08	0.08	...	0.08	0.09	...	0.09
125. उच्चतर शिक्षा में दिव्यांग व्यक्तियों को शामिल करने संबंधी राष्ट्रीय पहल	0.14	...	0.14	0.15	...	0.15	0.15	...	0.15	0.17	...	0.17
126. सामाजिक दायित्वों के अनुपालन हेतु राष्ट्रीय पहल	...	...	...	0.07	...	0.07	...	...	...	0.09	...	0.09
127. गारंटी निधि के लिए ब्याज सहायता तथा अंशदान	148.00	...	148.00	150.00	...	150.00	150.00	...	150.00	185.00	...	185.00
128. कॉलेज तथा विश्वविद्यालय के छात्रों के लिए छात्रवृत्ति	11.62	...	11.62	24.00	...	24.00	20.00	...	20.00	24.00	...	24.00

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
129. आईसीटी के माध्यम से राष्ट्रीय शिक्षा मिशन	10.99	...	10.99	11.25	...	11.25	12.00	...	12.00	13.00	...	13.00
130. वर्चुअल कक्षाओं और व्यापक मुक्त ऑनलाइन पाठयक्रम (एमओओसी) सुव्यवस्थित करना	4.88	...	4.88	6.00	...	6.00	7.20	...	7.20	8.00	...	8.00
131. ई-शोध सिंधु	17.63	...	17.63	18.00	...	18.00	18.00	...	18.00	16.00	...	16.00
132. उच्चतर शिक्षा सांख्यिकी और सार्वजनिक सूचना प्रणाली (एचईएसपीआईएस)	...	...	...	1.13	...	1.13	...	...	...	...	...	...
133. राष्ट्रीय डिजिटल पुस्तकालय	...	...	...	1.00	...	1.00	1.00	...	1.00	1.00	...	1.00
134. हिन्दी निदेशालय	0.88	...	0.88	2.40	...	2.40	2.40	...	2.40	2.00	...	2.00
135. वैज्ञानिक और तकनीकी शब्दावली आयोग	0.38	...	0.38	0.53	...	0.53	0.53	...	0.53	0.50	...	0.50
136. केन्द्रीय भारतीय भाषाएं संस्थान (सीआईआईएल), मैसूर तथा क्षेत्रीय भाषा केन्द्र	0.79	...	0.79	2.25	...	2.25	2.25	...	2.25	...	...	...
137. पीएम शोध अध्येतावृत्ति	...	...	...	2.87	...	2.87	...	...	...	7.00	...	7.00
138. राष्ट्रीय शैक्षिक डिपोजिटरी	...	...	...	1.00	...	1.00	0.60	...	0.60	1.00	...	1.00
139. राष्ट्रीय उच्चतर शिक्षा अभियान (रूसा)	105.68	...	105.68	102.00	...	102.00	102.00	...	102.00	130.00	...	130.00
140. अग्रणी क्षेत्रों में प्रशिक्षण और अनुसंधान	1.13	...	1.13	1.13	...	1.13	1.13	...	1.13	1.13	...	1.13

141. अंतर सांस्थानिक केन्द्र स्थापित करना, उत्कृष्टता क्लस्टरों और नेटवर्को की स्थापना, संस्थाओं में सहयोगियों को स्थापित करना	...	...	...	0.80	...	0.80	...	...	...	0.15	...	0.15
142. राष्ट्रीय डिजाइन नवाचार पहल	1.50	...	1.50	2.63	...	2.63	2.25	...	2.25	2.25	...	2.25
143. उच्च शैक्षणिक संस्थानों में स्टार्टअप इंडिया पहल	3.69	...	3.69	3.75	...	3.75	6.50	...	6.50	7.00	...	7.00
144. उन्नत भारत अभियान	0.39	...	0.39	0.75	...	0.75	0.72	...	0.72	1.50	...	1.50
145. उच्चतर अविष्कार अभियान	5.63	...	5.63	5.63	...	5.63	6.64	...	6.64	8.00	...	8.00
146. इम्प्रिट अनुसंधान पहल का कार्यान्वयन (अनुसंधान नवोन्मेष और प्रौद्योगिकी पर प्रभाव)	3.75	...	3.75	4.24	...	4.24	4.24	...	4.24	9.00	...	9.00
147. विश्वविद्यालय अनुदान आयोग (यूजीसी)	153.03	...	153.03	154.00	...	154.00	157.50	...	157.50	130.00	...	130.00
148. भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थानों को सहायता	221.41	...	221.41	298.40	...	298.40	316.90	...	316.90	228.00	...	228.00
149. आईआईटी, आंध्र प्रदेश	2.18	...	2.18	3.00	...	3.00	3.08	...	3.08	3.00	...	3.00
150. आईआईटी, हैदराबाद (ईएपी)	1.50	...	1.50	5.00	...	5.00	5.00	...	5.00	5.00	...	5.00
151. भारतीय खान स्कूल, धनबाद	7.50	...	7.50	7.00	...	7.00	8.50	...	8.50	7.00	...	7.00
152. नए आईआईटी, की स्थापना	12.76	...	12.76	24.00	...	24.00	24.00	...	24.00	20.00	...	20.00
153. भारतीय प्रबंधन संस्थान को सहायता	47.77	...	47.77	60.00	...	60.00	69.90	...	69.90	50.00	...	50.00
154. आईआईएम, आंध्र प्रदेश	1.25	...	1.25	3.00	...	3.00	3.18	...	3.18	3.00	...	3.00
155. नए आईआईएम की स्थापना	4.44	...	4.44	14.00	...	14.00	8.00	...	8.00	10.00	...	10.00

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
156. राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी संस्थानों को सहायता	122.89	...	122.89	130.00	...	130.00	138.40	...	138.40	130.00	...	130.00
157. आईएनईटी, आंध्र प्रदेश	1.07	...	1.07	1.52	...	1.52	3.25	...	3.25	3.00	...	3.00
158. भारतीय इंजीनियरी, विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी संस्थान का उन्नयन (आईआईईएसटी) (बीईएमयू एवं सीयूएसएटी)	7.24	...	7.24	7.42	...	7.42	10.00	...	10.00	7.00	...	7.00
159. भारतीय विज्ञान शिक्षा एवं अनुसंधान संस्थान (आईआईएसईआर) को सहायता	64.50	...	64.50	55.50	...	55.50	50.00	...	50.00	35.00	...	35.00
160. आईआईएमईआर, आंध्र प्रदेश	2.71	...	2.71	3.00	...	3.00	3.00	...	3.00	2.00	...	2.00
161. भारतीय सूचना प्रौद्योगिकी संस्थान को सहायता देना (इलाहाबाद, ग्वालियर, जबलपुर और कांचीपुरम)	4.75	...	4.75	15.00	...	15.00	15.75	...	15.75	9.00	...	9.00
162. सार्वजनिक निजी भागीदारी प्रणाली में भारतीय सूचना प्रौद्योगिकी संस्थानों की स्थापना	4.50	...	4.50	4.50	...	4.50	8.00	...	8.00	5.00	...	5.00
163. आईआईआईटी, आंध्र प्रदेश	1.28	...	1.28	1.54	...	1.54	1.03	...	1.03	1.50	...	1.50
164. विश्वविद्यालय और कॉलेज शिक्षकों के वेतनमान में सुधार	...	...	...	52.50	...	52.50	50.57	...	50.57	82.00	...	82.00
165. पंडित मदन मोहन मालवीय राष्ट्रीय शिक्षक और शिक्षण मिशन	5.18	...	5.18	9.00	...	9.00	7.50	...	7.50	11.00	...	11.00
166. प्रशिक्षुता प्रशिक्षण कार्यक्रम	6.00	...	6.00	6.00	...	6.00	6.75	...	6.75	11.00	...	11.00

167. सामुदायिक कॉलेज सहित कौशल आधारित उच्चतर शिक्षा को सहायता	3.75	...	3.75	3.75	...	3.75	1.88	...	1.88	3.50	...	3.50
168. शैक्षिक नेटवर्क के लिए वैश्विक पहल (ज्ञान)	1.50	...	1.50	1.90	...	1.90	1.90	...	1.90	2.50	...	2.50
169. राष्ट्रीय सांस्थाकि रैंकिंग कार्यढांचा	0.30	...	0.30	0.50	...	0.50	0.32	...	0.32	0.26	...	0.26
170. भारतीय विज्ञान संस्थान को सहायता (आईआईएससी)	...	...	...	9.00	...	9.00	15.00	...	15.00	7.00	...	7.00
171. अखिल भारतीय तकनीकी शिक्षा गुणवत्ता सुधार कार्यक्रम (ईएपी)	36.01	...	36.01	35.00	...	35.00	35.00	...	35.00	35.00	...	35.00
172. इंदिरा गांधी राष्ट्रीय मुक्त विश्वविद्यालय (इग्नू)	7.50	...	7.50	7.50	...	7.50	7.50	...	7.50	7.50	...	7.50
173. भारत सरकार का तकनीकी शिक्षा गुणवत्ता सुधार कार्यक्रम (ईएपी)	8.36	...	8.36	19.50	...	19.50	11.91	...	11.91	25.00	...	25.00
174. राष्ट्रीय तकनीकी शिक्षक प्रशिक्षण एवं अनुसंधान संस्थान (एनआईटीटीटीआर)	3.40	...	3.40	3.40	...	3.40	3.05	...	3.05	3.00	...	3.00
175. भारतीय भाषाओं के संवर्धन के लिए संस्थानों को अनुदान	13.84	...	13.84	15.00	...	15.00	19.18	...	19.18	15.00	...	15.00
176. मानविकी और सामाजिक विज्ञान में उत्कृष्टता के लिए परिषदों/संस्थानों को अनुदान	11.79	...	11.79	12.00	...	12.00	12.50	...	12.50	12.00	...	12.00
177. राष्ट्रीय औद्योगिक इंजीनियरिंग संस्थान, मुम्बई	0.30	...	0.30	0.30	...	0.30	0.35	...	0.35	0.30	...	0.30
178. आयोजना एवं वास्तुकला में नए स्कूल	4.42	...	4.42	4.50	...	4.50	5.10	...	5.10	5.00	...	5.00

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
179. प्रशिक्षुता प्रशिक्षण बोर्ड, बॉम्बे, कोलकाता, मद्रास और कानपुर	0.26	...	0.26	0.30	...	0.30	...	0.33	...	0.33	...	0.30
180. योजना, प्रशासन और वैश्विक कार्यक्रम	...	...	...	0.88	...	0.88	...	...	...	...	...	...
181. अन्य संस्थानों को सहायता	6.22	...	6.22	12.10	...	12.10	18.00	...	18.00	11.00	...	11.00
182. एम.टेक कार्यक्रम शिक्षण सहायता	...	...	...	...	...	...	...	...	...	3.00	...	3.00
183. केन्द्रीय हिमालयी अध्ययन विश्वविद्यालय (सीयूएचएस) सहित बहु-विषयक शोध विश्वविद्यालयों की स्थापना, राष्ट्रीय	...	...	...	0.75	...	0.75	...	...	...	0.86	...	0.86
184. विश्व स्तरीय संस्थान	...	...	...	3.50	...	3.50	...	...	...	21.50	...	21.50
185. प्रधानमंत्री बालिका छात्रावास	...	...	...	0.08	...	0.08	1.50	...	1.50	2.00	...	2.00
186. केन्द्रीय विश्वविद्यालय, आंध्र प्रदेश	...	...	...	0.50	...	0.50	...	...	...	0.50	...	0.50
187. आंध्र प्रदेश और तेलंगाना जनजातीय विश्वविद्यालय	...	...	...	1.00	...	1.00	...	...	...	1.00	...	1.00
188. केन्द्रीय विश्वविद्यालयों को अनुदान (सीयूएस)	140.30	...	140.30	145.00	...	145.00	166.00	...	166.00	150.00	...	150.00
मांग संख्या 60	27.11	...	27.11	564.03	...	564.03	517.50	...	517.50	607.74	...	607.74
श्रम और रोजगार मंत्रालय												
189. श्रम और रोजगार सांख्यिकी प्रणाली (एलईएसएस)	2.19	...	2.19	5.50	...	5.50	1.80	...	1.80	3.69	...	3.69
190. न्याय निर्णयन तंत्र का सुदृढ़ीकरण तथा लोक अदालतों का आयोजन	...	...	...	0.82	...	0.82	...	...	...	0.82	...	0.82

191. बेहतर सुलह, उपचारात्मक बीच बचाव तथा श्रम कानूनों के प्रभावी प्रवर्तन के लिए तंत्र, सीएलसी (सी) तथा आरएलसी (सी) नई दिल्ली के कार्यालय के लिए सीओसी तथा सीएलएस अधिकारियों को प्रशिक्षण उपलब्ध कराना	...	...	...	1.64	...	1.64	0.25	...	0.25	2.63	...	2.63
192. असंगठित कामगारों के लिए राष्ट्रीय मंच का निर्माण तथा आधार संबद्ध पहचान संख्याएं आबंटित करना	...	...	...	8.10	...	8.10	...	...	...	4.10	...	4.10
193. कर्मचारी पेंशन स्कीम, 1995	...	...	...	387.78	...	387.78	415.64	...	415.64	401.80	...	401.80
194. असम में बागान कामगारों के लिए सामाजिक सुरक्षा	...	...	...	4.10	...	4.10	9.02	...	9.02	2.87	...	2.87
195. स्वयंसेवी एजेंसियों को अनुदान सहायता और बंधुआ श्रमिकों की सहायता की प्रतिपूर्ति सहित राष्ट्रीय बाल श्रमिक परियोजना	7.34	...	7.34	13.12	...	13.12	8.57	...	8.57	9.84	...	9.84
196. रोजगार सृजन कार्यक्रम												
196.01 राष्ट्रीय कैरियर सेवाएं	6.22	...	6.22	10.17	...	10.17	5.14	...	5.14	9.00	...	9.00
196.02 प्रधानमंत्री रोजगार प्रोत्साहन योजना	6.94	...	6.94	82.82	...	82.82	50.12	...	50.12	135.47	...	135.47
196.03 अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति और अन्य पिछड़ा वर्ग के लिए कोचिंग और मार्गदर्शन	2.74	...	2.74	5.50	...	5.50	3.00	...	3.00	3.65	...	3.65

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
196.04 रोजगार संबर्द्धन योजना	0.09	...	0.09	1.00	...	1.00	0.45	...	0.45	1.14	...	1.14
जोड़-रोजगार सृजन कार्यक्रम	15.99	...	15.99	99.49	...	99.49	58.71	...	58.71	149.26	...	149.26
197. कारखानों, पत्तनों एवं गोदियों में ओएसएच तथा डीजीफासली संगठन का सुदृढ़ीकरण	0.22	...	0.22	1.40	...	1.40	0.15	...	0.15	0.90	...	0.90
198. क्षेत्रीय श्रम संस्थान, फरीदाबाद का राष्ट्रीय उत्कृष्टता केन्द्र के रूप में विकास	0.17	...	0.17	0.43	...	0.43	0.12	...	0.12	...	...	...
199. खान दुर्घटना विश्लेषण तथा सूचना डाटाबेस का आधुनिकीकरण	...	...	...	0.73	...	0.73	0.10	...	0.10	...	...	...
200. खान सुरक्षा के महानिदेशालय की प्रणाली और बुनियादी ढांचे का सुदृढ़ीकरण	0.05	...	0.05	1.53	...	1.53	0.10	...	0.10	1.07	...	1.07
201. केन्द्रीय श्रमिक शिक्षाबोर्ड	0.25	...	0.25	7.38	...	7.38	6.10	...	6.10	7.38	...	7.38
202. राष्ट्रीय श्रम संस्थान	0.90	...	0.90	1.23	...	1.23	0.93	...	0.93	1.26	...	1.26
203. श्रम कल्याण योजना	...	...	...	30.78	...	30.78	16.01	...	16.01	18.02	...	18.02
204. असंगठित श्रमिकों के लिए बीमा योजना	...	...	...	...	...	...	...	...	...	4.10	...	4.10
मांग संख्या 64	350.83	...	350.83	497.92	...	497.92	468.77	...	468.77	587.74	...	587.74
सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम मंत्रालय												
205. खादी अनुदान	2.55	...	2.55	2.40	...	2.40	1.11	...	1.11	2.40	...	2.40
206. ग्रामोद्योग (वीआई) अनुदान	...	...	...	...	...	...	8.80	...	8.80	11.80	...	11.80
207. खादी सुधार और विकास कार्यक्रम (एडीवी सहायता)	...	...	...	...	...	...	...	...	...	9.00	...	9.00

208. बाजार संवर्धन एवं विकास सहातया (एमपीडीए)	23.83	...	23.83	23.00	...	23.00	23.00	...	23.00	29.40	...	29.40
209. परंपरागत उद्योगों के पुनर्सृजन के लिए निधि स्कीम (स्फूर्ति)	4.43	...	4.43	6.15	...	6.15	0.59	...	0.59	21.48	...	21.48
210. कयर विकास योजना	1.35	...	1.35	1.23	...	1.23	1.23	...	1.23	9.60	...	9.60
211. कयर उद्यमी योजना	0.02	...	0.02	1.00	...	1.00	0.15	...	0.15	1.00	...	1.00
212. नवप्रवर्तन, ग्रामीण उद्योग एवं उद्यमिता संवर्धन के लिए स्कीम (एस्पायर)	0.85	...	0.85	2.00	...	2.00	2.00	...	2.00	14.00	...	14.00
213. राष्ट्रीय विनिर्माण प्रतिस्पर्धात्मकता कार्यक्रम (एनएमसीपी)	0.56	...	0.56	42.17	...	42.17	41.10	...	41.10	57.63	...	57.63
214. प्रधानमंत्री रोजगार सृजन कार्यक्रम (पीएमईजीपी)	128.40	...	128.40	82.37	...	82.37	98.00	...	98.00	198.88	...	198.88
215. सब्सिडी पात्रता प्रमाण पत्र (आईएसईसी)	4.00	...	4.00	4.06	...	4.06	1.64	...	1.64	4.06	...	4.06
216. ऋण सहायता कार्यक्रम	159.36	...	159.36	246.16	...	246.16	246.16	...	246.16	108.00	...	108.00
217. निष्पादन एवं ऋण रेटिंग स्कीम	0.27	...	0.27	0.82	...	0.82	...	...	...	...	...	...
218. विपणन विकास कार्यक्रम	...	...	...	...	...	...	...	...	...	5.59	...	5.59
219. विपणन सहायता स्कीम	0.01	...	0.01	1.25	...	1.25	...	...	...	...	...	...
220. अंतर्राष्ट्रीय सहयोग योजना	...	...	...	0.20	...	0.20	...	...	...	0.10	...	0.10
221. संवर्धनात्मक सेवा संस्थान और कार्यक्रम	0.48	...	0.48	0.65	...	0.65	0.65	...	0.65	4.80	...	4.80
222. प्रशिक्षण संस्थाओं को सहायता	1.20	...	1.20	2.46	...	2.46	...	...	...	...	...	...
223. अवसंरचना विकास और क्षमता निर्माण	21.76	...	21.76	37.00	...	37.00	8.64	...	8.64	35.00	...	35.00

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
224. राष्ट्रीय अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति हब केंद्र	1.76	...	1.76	20.00	...	20.00	20.00	...	20.00	28.00	...	28.00
225. अवसंरचना विकास और क्षमता निर्माण कार्यक्रम (ईएपी घटक)	...	...	...	25.00	...	25.00	15.70	...	15.70	38.00	...	38.00
226. सोलर चरखा मिशन	...	...	...	...	...	...	...	...	...	9.00	...	9.00
मांग संख्या 65	12.52	...	12.52	12.70	...	12.70	11.70	...	11.70	8.63	...	9.83
खान मंत्रालय												
227. भारतीय भूवैज्ञानिक सर्वेक्षण	12.52	...	12.52	11.00	...	11.00	10.00	...	10.00	8.00	...	8.00
228. भारतीय खान ब्यूरो	...	...	...	1.70	...	1.70	1.70	...	1.70	1.63	...	1.63
मांग संख्या 67	69.49	...	69.49	92.00	...	92.00	73.00	...	73.00	217.00	...	217.00
नवीन तथा नवीकरणीय ऊर्जा मंत्रालय												
229. लघु पनबिजली	...	...	...	12.00	...	12.00	9.00	...	9.00	60.00	...	60.00
230. सौर विद्युत	...	...	...	42.00	...	42.00	27.00	...	27.00	63.50	...	63.50
231. सौर विद्युत	52.70	...	52.70	30.00	...	30.00	29.00	...	29.00	67.50	...	67.50
232. दूरस्थ ग्राम विद्युतीकरण (आरवीई)	9.64	...	9.64	...	...	...	...	...	...	...	...	...
233. बायोगैस कार्यक्रम	7.15	...	7.15	8.00	...	8.00	8.00	...	8.00	26.00	...	26.00
मांग संख्या 68	56.50	...	56.50	82.27	...	82.27	57.40	...	57.40	57.40	...	57.40
पंचायती राज मंत्रालय												
234. क्षमता निर्माण - पंचायत सशक्तिकरण अभियान (सीबीपीएसए)/राष्ट्रीय ग्राम स्वराज अभियान (आरजीएसए)	56.50	...	56.50	62.27	...	62.27	57.40	...	57.40	57.40	...	57.40

मांग संख्या 74	...	...	...	...	...	...	...	...	...	901.30	75.00	976.30
विद्युत मंत्रालय												
235. दीनदयाल उपाध्याय ग्राम ज्योति	...	...	...	...	...	...	...	...	...	326.80	...	36.80
236. एकीकृत विद्युत विकास योजना												
236.01 आईपीडीएस अनुदान	...	...	...	...	...	...	...	...	...	265.00	...	265.00
236.02 आईपीडीएस ऋण	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	75.00	75.00
236.03 सहज बिजली हर घर योजना (शहरी)-सौभाग्य	...	...	...	...	...	...	...	...	...	73.00	...	73.00
जोड़-एकीकृत विद्युत विकास योजना	...	...	...	...	...	...	...	...	...	338.00	75.00	413.00
237. सहज बिजली हर घर योजना-	...	...	...	...	...	...	...	...	...	236.50	...	236.50
मांग संख्या 81	...	379.96	379.96	...	400.00	400.00	...	577.00	577.00	...	2700.00	2700.00
सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय												
238. सड़क निर्माण कार्य	...	379.96	379.96	...	400.00	400.00	...	577.00	577.00	...	2700.00	2700.00
मांग संख्या 82	4266.31	...	4266.31	5931.69	...	5931.69	5937.83	...	5937.83	5741.93	...	5741.93
ग्रामीण विकास विभाग												
239. राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन												
239.01 कार्यक्रम घटक	264.84	...	264.84	613.41	...	613.41	619.55	...	619.55	877.17	...	877.17
240. प्रधानमंत्री आवास योजना (पीएमएवाई) - ग्रामीण												
240.01 कार्यक्रम घटक	4001.47	...	4001.47	5318.28	...	5318.28	5318.28	...	5318.28	4864.76	...	4864.76

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
मांग संख्या 83	169.00	...	169.00	225.00	...	225.00	175.00	...	175.00	250.10	...	250.10
भूमि संसाधन विभाग												
241. भूमि रिकॉर्ड के आधुनिकीकरण का कार्यक्रम	19.00	...	19.00	20.00	...	20.00	5.00	...	5.00	25.00	...	25.00
242. एकीकृत जल संभर विकास कार्यक्रम												
242.01 कार्यक्रम घटक	150.00	...	150.00	205.00	...	205.00	170.00	...	170.00	225.10	...	225.10
मांग संख्या 84	59.10	...	59.10	101.00	...	101.00	155.00	...	155.00	104.85	...	104.85
विज्ञान और प्रौद्योगिकी विभाग												
243. विज्ञान और प्रौद्योगिकी संस्थागत एवं मानवीय क्षमता निर्माण	3.39	...	3.39	6.00	...	6.00	60.00	...	60.00	6.85	...	6.85
244. नवोन्मेष, प्रौद्योगिकी विकास और परिनियोजन	22.71	...	22.71	58.00	...	58.00	58.00	...	58.00	58.00	...	58.00
245. स्वायत्तशासी निकायो को सहायता	33.00	...	33.00	37.00	...	37.00	37.00	...	37.00	40.00	...	40.00
मांग संख्या 88	...	...	...	222.11	16.04	238.15	171.46	3.28	174.74	235.36	16.32	251.68
कौशल विकास और उद्यमशीलता मंत्रालय												
246. प्रधानमंत्री कौशल विकस योजना												
246.01 शिक्षुता और प्रशिक्षण	...	...	...	92.64	16.04	108.68	32.07	3.28	35.35	40.77	16.32	57.09
246.02 राष्ट्रीय कौशल प्रमाणन बोर्ड	...	...	...	1.85	...	1.85	...	...	...	1.94	...	1.94
246.03 उद्यमिता विकास	...	...	...	6.55	...	6.55	0.66	...	0.66	6.87	...	6.87

246.04 आदर्श आईटीआई/ बहु-कौशल प्रशिक्षण संस्थान	...	...	...	3.69	...	3.69	0.07	...	0.07	3.87	...	3.87
246.05 कौशल विकास	...	...	...	117.38	...	117.38	134.56	...	134.56	167.29	...	167.29
246.06 पॉलिटेक्निक की योजना	...	...	...	...	...	...	4.10	...	4.10	14.62	...	14.62
जोड़-प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना	...	...	...	222.11	16.04	238.15	171.46	3.28	174.74	235.36	16.32	251.68
मांग संख्या 90	54.04	2.40	56.44	54.31	2.50	56.81	64.34	2.50	66.84	68.19	3.31	71.50
दिव्यांगजन सशक्तीकरण विभाग												
247. दिव्यांगजनों के लिए राष्ट्रीय फैलोशिप	1.56	...	1.56	1.92	...	1.92	3.24	...	3.24	...	...	...
248. दिव्यांगजनों के लिए राष्ट्रीय समुद्रपारीय छात्रवृत्ति	...	...	...	0.16	...	0.16	0.16	...	0.16	...	...	...
249. दिव्यांगजनों के लिए उच्चस्तरीय शिक्षा	...	...	...	0.36	...	0.36	...	...	...	...	...	...
250. दिव्यांग छात्रों के लिए प्रि-मैट्रिक छात्रावृत्ति	0.48	...	0.48	0.56	...	0.56	1.10	...	1.10	...	...	...
251. दिव्यांग छात्रों को पोस्ट-मैट्रिक छात्रवृत्ति	0.80	...	0.80	0.80	...	0.80	1.48	...	1.48	...	...	...
252. दिव्यांगजनों के लिए निशुल्क कोचिंग	...	...	...	0.16	...	0.16	0.16	...	0.16	...	...	...
253. सेवा कालीन प्रशिक्षण एवं संवेदीकरण, दिव्यांगजनों के लिए रोजगार	0.11	...	0.11	0.24	...	0.24	0.48	...	0.48	0.50	...	0.50
254. दीनदयाल दिव्यांगजन पुनर्वास योजना	3.16	...	3.16	4.00	...	4.00	4.00	...	4.00	6.04	...	6.04

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
255. दिव्यांगजनों को सहायक यंत्र/सहायक सामग्री की फिटिंग एवं उपकरण की खरीददारी के लिए सहायता	22.52	...	22.52	26.62	...	26.62	30.30	...	30.30	23.92	...	23.92
256. राष्ट्रीय संस्थानों को सहायता	10.12	...	10.12	4.04	...	4.04	7.97	...	7.97	3.75	...	3.75
257. भारतीय पुनर्वास परिषद	0.20	...	0.20	0.20	...	0.20	0.20	...	0.20	0.20	...	0.20
258. राष्ट्रीय दिव्यांग वित्त एवं विकास निगम	...	2.40	2.40	...	2.50	2.50	...	2.50	2.50	...	3.31	3.31
259. भारतीय स्पाइनल इंजुरी/सेंटर	0.20	...	0.20	0.20	...	0.20	0.20	...	0.20	0.20	...	0.20
260. ब्रेल प्रेसों की संस्थापन/आधुनिकीकरण/क्षमता वृद्धि के लिए सहायता	1.00	...	1.00	0.80	...	0.80	0.80	...	0.80	0.80	...	0.80
261. दिव्यांगों के लिए स्कीमें												
261.01 दिव्यांगजन अधिनियम स्कीमों का क्रियान्वयन	13.89	...	13.89	14.25	...	14.25	14.25	...	14.25	26.28	...	26.28
262. दिव्यांग छात्रों के लिए छात्रवृत्ति	...	...	...	...	...	...	...	...	...	6.50	...	6.50
मांग संख्या 94	33.62	...	33.62	63.95	...	63.95	61.50	...	61.50	109.84	...	109.84
कपड़ा मंत्रालय												
263. राष्ट्रीय हथकरघा विकास कार्यक्रम	1.20	...	1.20	1.50	...	1.50	1.50	...	1.50	20.00	...	20.00
264. व्यापक हथकरघा बुनकर कल्याण स्कीम	0.42	...	0.42	2.45	...	2.45	...	...	...	5.00	...	5.00
265. रेखा आपूर्ति-स्कीम	30.00	...	30.00	30.00	...	30.00	30.00	...	30.00	20.00	...	20.00

266. डिज़ाइन एवं तकनीकी उन्नयन योजना	...	...	...	...	...	...	...	...	...	3.00	...	3.00
267. व्यापक हस्तशिल्प कारीगर कल्याण योजनाएं	...	...	...	...	...	...	...	...	...	3.00	...	3.00
268. अनुसंधान एवं विकास-हस्तशिल्प	...	...	...	...	...	...	...	...	...	1.00	...	1.00
269. मानव संसाधन विकास-हस्तशिल्प	...	...	...	...	...	...	...	...	...	5.00	...	5.00
270. केन्द्रीय रेशम बोर्ड	2.00	...	2.00	30.00	...	30.00	30.00	...	30.00	30.00	...	30.00
271. एकीकृत कौशल विकास योजना	...	...	...	...	...	...	...	...	...	20.00	...	20.00
272. एकीकृत ऊन विकास कार्यक्रम	...	...	...	...	...	...	...	...	...	2.84	...	2.84
मांग संख्या 95	37.50	...	37.50	43.75	...	43.75	43.75	...	43.75	87.57	...	87.57
पर्यटन मंत्रालय												
273. विशिष्ट योजना के आसपास पर्यटन सर्किट के समन्वित विकास (स्वदेश दर्शन)	37.50	...	37.50	43.75	...	43.75	43.75	...	43.75	87.57	...	87.57
मांग संख्या 96	4733.96	60.00	4793.96	5240.14	60.00	5300.14	5238.30	55.00	5293.30	5892.18	65.00	5957.18
जनजातीय कार्य मंत्रालय												
274. जनजातीय शिक्षा												
274.01 मैट्रिकपूर्व छात्रवृत्ति	...	...	...	265.00	...	265.00	318.00	...	318.00	350.00	...	350.00
274.02 बालक और बालिका छात्रावास	...	...	...	10.00	...	10.00	7.00	...	7.00	...	...	...
274.03 व्यावसायिक प्रशिक्षण	...	...	...	3.00	...	3.00	...	...	...	...	...	...
274.04 मैट्रिकोत्तर छात्रवृत्ति	...	...	...	1347.07	...	1347.07	1436.00	...	1436.00	1586.00	...	1586.00
274.05 आश्रम विद्यालय	...	...	...	10.00	...	10.00	7.00	...	7.00	...	...	...

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
274.06 जनजातीय शिक्षा	1659.30	...	1659.30	...	...	...	...	...	...	...	...	...
जोड़-जनजातीय शिक्षा	1659.30	...	1659.30	1635.07	...	1635.07	1768.00	...	1768.00	1936.00	...	1936.00
275. वन बंधु कल्याण योजना												
275.01 विशेष रूप के कमजोर जनजातीय समूहों (पीवीटीजीएस)	340.21	...	340.21	270.00	...	270.00	240.00	...	240.00	260.00	...	260.00
275.02 अजजा के कल्याणार्थ कार्यरत स्वैच्छिक संगठनों को सहायता	120.00	...	120.00	120.00	...	120.00	120.00	...	120.00	...	...	...
275.03 जनजातीय क्षेत्रों में विकास कार्यक्रम (ईएपी)	...	...	...	0.01	...	0.01	...	...	...	0.01	...	0.01
275.04 लघु वन उत्पाद के लिए न्यूनतम समर्थन मूल्य (एमएफपी के लिए एमएसपी)	2.00	...	2.00	100.00	...	100.00	25.00	...	25.00	130.00	...	130.00
275.05 निगरानी और मूल्यांकन	1.39	...	1.39	3.00	...	3.00	3.00	...	3.00	5.00	...	5.00
275.06 वन बंधु कल्याण योजना	1.00	...	1.00	0.01	...	0.01	...	...	...	0.01	...	0.01
275.07 जनजातीय महोत्सव, अनुसंधान, सूचना और वन शिक्षा	4.69	...	4.69	12.04	...	12.04	6.35	...	6.35	25.00	...	25.00
जोड़-वन बंधु कल्याण योजना	469.29	...	469.29	505.06	...	505.06	394.35	...	394.35	420.02	...	420.02
276. अजजा के विद्यार्थियों की उच्च शिक्षा के लिए राष्ट्रीय अध्येतावृत्ति और छात्रवृत्ति	79.98	...	79.98	120.00	...	120.00	100.00	...	100.00	100.00	...	100.00

277. विदेश में अध्ययन हेतु अजजा विद्यार्थियों को छात्रवृत्ति	0.39	...	0.39	1.00	...	1.00	1.00	...	1.00	2.00	...	2.00
278. राष्ट्रीय/राज्य अनुसूचित जनजाति एवं वित्त विकास निगम को समर्थन	...	60.00	60.00	...	60.00	60.00	...	55.00	55.00	...	65.00	65.00
279. जनजातीय अनुसंधान संस्थानों को सहायता	15.11	...	15.11	80.00	...	80.00	80.00	...	80.00	...	...	...
280. जनजातीय उत्पादों के विकास और विपणन के लिए संस्थागत समर्थन (ट्राइफेड आदि)	49.00	...	49.00	49.00	...	49.00	44.95	...	44.95	54.15	...	54.15
281. संविधान के अनुच्छेद 275(1) के परन्तुक के तहत अनुमान	1265.86	...	1265.86	1500.00	...	1500.00	1500.00	...	1500.00	1800.00	...	1800.00
282. संविधान के अनुच्छेद 275(1) के द्वितीय प्रावधान के खण्ड क के तहत असम सरकार को अनुदान	...	...	...	0.01	...	0.01	...	...	...	0.01	...	0.01
283. विशेष केन्द्रीय सहायता												
283.01 जनजातीय उप-स्कीमों को विशेष केन्द्रीय सहायता	1195.03	...	1195.03	1350.00	...	1350.00	1350.00	...	1350.00	1350.00	...	1350.00
284. जनजातीय अनुसंधान संस्थानों के लिए सहायता												
284.01 जनजातीय अनुसंधान संस्थान	...	...	...	...	...	...	...	...	...	99.99	...	99.99
284.02 जनजातीय स्मारक	...	...	...	...	...	...	...	...	...	0.01	...	0.01
जोड़-जनजातीय अनुसंधान संस्थानों के लिए सहायता	...	...	...	...	...	...	...	...	...	100.00	...	100.00

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
285. अनुसूचित जनजातियों के कल्याण के लिए कार्यरत स्वैच्छिक संगठनों के लिए सहायता	...	...	...	...	...	...	...	...	..	130.00	...	130.00
मांग संख्या 97	30.01	...	30.01	50.10	...	50.10	50.10	...	50.10	139.20	23.00	162.20
जल संसाधन, नदी विकास और गंगा संरक्षण मंत्रालय												
286. भूजल प्रबंधन और विनियमन												
286.01 भूमिजल प्रबंधन और विनियमन	...	...	...	...	...	...	...	...	...	9.00	23.00	32.00
287. मानव संसाधन विकास/क्षमता निर्माण कार्यक्रम	0.01	...	0.01	0.10	...	0.10	0.10	...	0.10	0.20	...	0.20
288. हर खेत को पानी	...	...	...	50.00	...	50.00	50.00	...	50.00	100.00	...	100.00
289. त्वरित सिंचाई लाभ कार्यक्रम	30.00	...	30.00	...	...	...	...	...	...	...	...	...
290. बाढ़ प्रबंधन और सीमा क्षेत्रों के कार्यक्रम	...	...	...	...	...	...	...	...	...	30.00	...	30.00
मांग संख्या 98	1417.55	...	1417.55	1420.00	...	1420.00	...	1420.00	1420.00	1677.19	...	1677.19
महिला और बाल विकास मंत्रालय												
291. किशोरियों के लिए स्कीम	...	...	...	...	...	...	...	...	...	43.00	...	43.00
292. महिला शक्ति केंद्र	...	...	...	...	...	...	...	...	...	22.99	...	22.99
293. प्रधानमंत्री मातृ वंदना योजना	...	...	...	...	...	...	...	...	...	206.40	...	206.40
294. आंगनवाड़ी सेवाएं (पूर्व में मुख्य आईसीडीएस)	1417.55	...	1417.55	1420.00	...	1420.00	1420.00	...	1420.00	1404.80	...	1404.80

मांग संख्या 99	62.94	...	62.94	138.90	...	138.90	137.39	137.39	...	164.85	...	164.65
युवा मामले और खेल मंत्रालय												
295. राजीव गांधी राष्ट्रीय युवा विकास संस्थान	2.46	...	2.46	2.96	...	2.96	1.10	...	1.10	1.98	...	1.98
296. राष्ट्रीय युवा कोर	3.00	...	3.00	4.92	...	4.92	4.92	...	4.92	7.00	...	7.00
297. राष्ट्रीय युवा और किशोर विकास कार्यक्रम												
297.01 कार्यक्रम घटक	1.18	...	1.18	1.48	...	1.48	1.97	...	1.97	2.15	...	2.15
298. राष्ट्रीय युवा नेता कार्यक्रम	1.77	...	1.77	2.05	...	2.05	1.24	...	1.24	1.72	...	1.72
299. उत्कृष्ट खेलों को बढ़ावा हेतु सहायता												
299.01 राष्ट्रीय खेल परिसंघों को सहायता	17.00	...	17.00	25.00	...	25.00	25.00	...	25.00	30.00	...	30.00
300. हिमालयी क्षेत्र खेल समारोह	...	...	...	1.23	...	1.23	1.23	...	1.23	0.43	...	0.43
301. राष्ट्रीय सेवा योजना	...	...	...	11.80	...	11.80	11.96	...	11.96	13.80	...	13.80
302. खेलो इंडिया	...	...	...	28.70	...	28.70	28.70	...	28.70	44.80	...	44.80
303. नेहरू युवा केंद्र संगठन	13.53	...	13.53	17.63	...	17.63	18.14	...	18.14	21.93	...	21.93
304. भारतीय खेल प्राधिकरण	21.00	...	21.00	39.44	...	39.44	39.44	...	39.44	36.94	...	36.94
305. लक्ष्मी बाई राष्ट्रीय शारीरिक शिक्षा संस्थान	3.00	...	3.00	3.69	...	3.69	3.69	...	3.69	3.90	...	3.90
कुल जोड़	21199.73	610.83	21810.56	31169.31	750.20	31919.51	31496.56	1011.86	32508.42	35587.89	3546.84	39134.73

विवरण-II

गत चार वर्षों और चालू वित्तीय वर्ष के लिए एसटीसी के तहत केंद्रीय मंत्रालयों/विभागों द्वारा आवंटित निधियां तथा किए गए व्यय के ब्यौरे

(करोड़ रुपए में)

क्र.सं.	मंत्रालय/विभाग	2014-15			2015-16			2016-17			2017-18			2018-19	
		बजट अनुमान	संशोधित अनुमान	व्यय	बजट अनुमान	संशोधित अनुमान	व्यय	बजट अनुमान	संशोधित अनुमान	व्यय	बजट अनुमान	संशोधित अनुमान	व्यय	बजट अनुमान	संशोधित अनुमान
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
1.	कृषि अनुसंधान एवं शिक्षा विभाग	133.80	90.00	90.00	133.00	108.03	108.03	133.20	114.00	112.07	75.00	93.16	93.21	125.82	62.91
2.	कृषि सहकारिता एवं किसान कल्याण विभाग	953.52	885.60	875.68	971.71	930.10	914.25	1200.00	1765.21	1071.37	3293.28	3170.61	2197.81	3965.37	1438.79
3.	विकलांग व्यक्तियों का सशक्तिकरण विभाग	45.20	28.93	31.78	45.22	43.60	37.46	56.00	57.37	56.44	56.81	66.84	70.15	71.50	50.64
4.	खाद्य एवं सार्वजनिक वितरण विभाग	4.13	2.40	2.40	1.12	1.12	1.12	2.10	2.10	1.28			0.00	6.00	0.00
5.	स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग	2512.89	1866.37	1916.16	2013.02	2014.56	2038.64	2566.60	2572.18	320.91	2972.86	2909.70	2971.41	3155.08	1136.49
6.	उच्चतर शिक्षा विभाग	1267.62	951.31	884.34	1189.17	1011.05	1006.33	1238.00	1288 34	1231.12	1477.00	1532.02	1380.43	1480.00	253.81
7.	भूमि संसाधन विभाग	375.00	250.10	254.03	159ए97	154.80	153.33	165.00	169.00	169.00	225.00	175.00	186.02	250.10	50.64
8.	ग्रामीण विकास विभाग	10358.49	2907.93	3314.27	2714.37	2786.18	2786.64	4269.49	4269.49	4266.31	5931.69	5937.83	5992.59	5741 93	3812.49
9.	स्कूल शिक्षा और साक्षरता विभाग	5663.80	4796.35	4707.15	4297.27	4297.16	4287.24	4276.70	4748.87	4343.98	4868.03	4873.19	4904.53	4908.31	1461.60
10.	विज्ञान और प्रौद्योगिकी विभाग	78.12	36.30	36.20	85.04	85.04	53.23	100 00	100.00	59.10	101.00	155.00	45.90	104.85	1.13

11. दूरसंचार विभाग	17.50	7.47	0.00	1.64	0.00	11.96	0.00	25.65	29.00	39.00	18.72	55.43	677.00	4.02
12. आयुर्वेद, योग और प्राकृतिक चिकित्सा मंत्रालय, यूनानी, सिद्ध और होम्योपैथी (आयुष)	21.38	9.35	9.35	20.16	12.80	12.80	21.00	20.55	20.55	20.55	28.57	28.57	26.00	9.40
13. कोयला मंत्रालय	37.15	0.00	33.05	0.00	37.15	37.15	18.00	25.38	25.38	30.75	36.40	36.40	30.53	0.00
14. संस्कृति मंत्रालय	36.70	30.00	25.88	2910	28.34	25.16	35.10	34.41	24.76	35.10	34.97	27 35	35.10	4.47
15. उत्तर पूर्वी क्षेत्र विकास मंत्रालय	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	716.00	716.00	802.72	527.25	85.20
16. पेयजल और स्वच्छता मंत्रालय	1526.00	1210.00	672.52	623.00	1074.30	1094.26	1400.00	1650 00	1649.90	1999.83	2399.83	2488.35	2234.31	1114.11
17. इलेक्ट्रॉनिकी और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय	256.00	106.22	222.33	172.00	181.00	172.23	214.40	186.40	185.42	78.16	95.53	95.53	206.00	43.00
18. पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन	16.00	11.74	12.72	5.00	5.00	5.00	5.50	5.50	5.50	5.50	5.50	5.50	70.35	0.59
19. आवासन और शहरी गरीबी उन्मूलन मंत्रालय	144.00	24.60	19.99	130.00	40.20	26.05	111.38	111.60	112.32	153.00	157.18	267.07	291.68	91.23
20. श्रम और रोजगार मंत्रालय	200.57	121.36	123.14	176.55	52.65	49.23	127.10	43.94	27.11	564.03	517.50	146.32	607.74	82.53
21. सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम मंत्रालय	273.00	179.37	170.39	214.27	206.53	197.18	246.01	409.11	350.83	497.92	468.77	525.21	587.74	124.51
22. खान मंत्रालय	21.47	0.00	10.71	0.00	8.94	8.19	11.70	12.70	12.52	12.70	11.70	11.07	9.63	4.90
23. नवीन और नवीकरणीय ऊर्जा मंत्रालय	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	87.00	72.00	69.49	92.00	73.00	61 83	217.00	71.16
24. पंचायती राज मंत्रालय	1203.00	582.20	0.00	0.00	15.21	16.12	0.00	53.37	5650	62.27	57.40	59.06	57.40	0.00

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
25.	सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय	400.00	350.00	399.26	400.00	520.00	513.26	400.00	380.00	379.96	400.00	577.00	439.36	2700.00	319.17
26.	कौशल विकास और उद्यमशीलता मंत्रालय	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	157.75		238.15	174.74	12.72	251.68	0.67
27.	वस्त्र मंत्रालय	55.57	49.47	33.04	42.28	67.78	49.16	40.20	40.20	33.62	63.95	61.50	61.81	109.84	33.87
28.	पर्यटन मंत्रालय	47.05	27.50	30.45	37.00	21.25	21.24	37.50	37.50	37.50	43.75	43.75	23.37	87.57	8.79
29.	जनजातीय कार्य मंत्रालय	4479.00	3850.00	3832.20	4792.19	4550.00	4472.26	4800.00	4798.64	4793.96	5300.14	5293.30	5286.75	5957.18	1930.53
30.	जल संसाधन, नदी विकास और गंगा संरक्षण मंत्रालय	191.58	0.00	60.00	0.00	190.05	188.94	146.00	30.01	30.01	50.10	50.10	98.22	162.20	150.30
31.	महिला और बाल विकास मंत्रालय	1730.20	1517.00	1597.51	843.51	1666.71	1653.90	1418.60	1418.60	1417.55	1420.00	1420.00	1513.39	1677.19	450.13
32.	युवा कार्यक्रम और खेल मंत्रालय	101.29	69.72	72.30	85.30	68.07	84.30	79.56	71.71	62.94	138.90	137.39	132.17	164.65	34.66
33.	पशुपालन, डेयरी और मत्स्य पालन विभाग	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	246.64	84.67
34.	वाणिज्य विभाग	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	25.00	13.35
35.	उपभोक्ता मामले विभाग	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	3.00	0.00
36.	खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्रालय	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	55.00	0.00
37.	विद्युत मंत्रालय	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	976.30	474.96
	कुल	32150.03	19961.29	19436.85	19181.89	20177.62	20024.66	23206.14	24671.58	20956.40	30962.47	31292.20	30020.25	37802.94	13404.72

विवरण-III

गत चालू वित्तीय वर्षों के दौरान राज्यों द्वारा जनजातीय विकास के लिए आवंटित निधियां और तत्संबंधी किए गए व्यय के ब्यौरे

क्र. सं.	राज्य/संघ राज्य क्षेत्र	अजज जनसंख्या का % (2011)	वार्षिक योजना 2014-15			वार्षिक योजना 2015-16			वार्षिक योजना 2016-17			वार्षिक योजना 2017-18,		
			कुल राज्य योजना परिव्यय	टीएसपी आवंटन	टीएसपी व्यय	कुल राज्य योजना परिव्यय	टीएसपी आवंटन	टीएसपी व्यय	कुल राज्य योजना परिव्यय	टीएसपी आवंटन	टीएसपी व्यय	कुल राज्य योजना परिव्यय	टीएसपी आवंटन	टीएसपी व्यय
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
1.	आंध्र प्रदेश	5.6	26670.00	1500.00	1442.45	34408.00	1904.48	1711.00	56057.14	3099.96	2446.46	60918.82	3528.75	3356.10
2.	असम	12.5	18000.00	90.00	68.00	25406.00	98.00	34.00	रिपोर्ट नहीं किया	रिपोर्ट नहीं किया	रिपोर्ट नहीं किया	रिपोर्ट नहीं किया	रिपोर्ट नहीं किया	रिपोर्ट नहीं किया
3.	बिहार	1.3	55099.00	509.00	509.00	57138.00	679.00	544.00	71501.84	982.00	603.99	70316.00	1091.50	838.83
4.	छत्तीसगढ़	30.6	26615.00	9519.00	9417.00	29753.00	10,513	10,066	51232.05	16725.72	12423.64	52583.62	18442.53	9893.41
5.	गोवा	10.2	35725	36.00	19.34	490.00	51.50	14.16	491.80	46.35	28.40	773.80	30.33	24.06
6.	गुजरात	14.8	69195.00	9039.00	7536.00	79295.00	9691.00	8379.00	85558.00	10267.00	9066.02	172179.24	12559.33	11056.64
7.	हिमाचल प्रदेश	5.7	4400.00	395.00	432.00	4800.00	432.00	429.00	5200.00	468.00	468.00	5700.00	513.00	रिपोर्ट नहीं
8.	जम्मू और कश्मीर	11.9	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	रिपोर्ट नहीं किया	रिपोर्ट नहीं किया	रिपोर्ट नहीं किया	रिपोर्ट नहीं किया	रिपोर्ट नहीं किया	रिपोर्ट नहीं किया
9.	झारखंड	26.2	18260.00	11797.00	6414.00	22526.00	14272.00	7755.00	37065.34	16304.95	14935.26	43019.83	18026.00	रिपोर्ट नहीं
10.	कर्नाटक	7.0	65600.00	4357.00	3538.00	72596.81	4678.00	4475.00	85375.33	5631.67	5102.30	186561.00	7992.03	5001.46
11.	केरल	1.5	20000.00	600.00	582.00	20000.00	605.00	0.00	24000.00	683.00	रिपोर्ट नहीं	26500.00	751.00	रिपोर्ट नहीं
12.	मध्य प्रदेश	21.1	54902.00	7562.00	7628.68	60747.00	8658.00	7398.61	75189.00	10906.92	8383.65	104358.17	25862.15	21784.54
13.	महाराष्ट्र	9.4	51222.54	4814.92	4032.68	54999.00	5170.00	4562.55	56997.00	5357.71	4957.71	77184.00	6754.00	6162.93

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
14.	मणिपुर	35.1	8671.00	3060.00	0.00	0.00	3366.00	0.00	रिपोर्ट नहीं किया	रिपोर्ट नहीं किया	रिपोर्ट नहीं किया	रिपोर्ट नहीं किया	रिपोर्ट नहीं किया	रिपोर्ट नहीं किया
15.	ओडिशा	22.9	37529.00	7885.00	5870.00	44230.00	8468.00	5190.00	50200.00	11269.65	8153.23	58360.00	13491.67	6426.08
16.	राजस्थान	13.5	66064.52	9432.06	7671.91	111784.03	15613.40	14169.07	95052.95	13595.32	11764.68	86094.45	12896.43	11098.35
17.	सिक्किम	33.8	2957.00	810.00	648.00	5176.00	0.00	0.00	1574.00	819.00	819.00	रिपोर्ट नहीं	रिपोर्ट नहीं	रिपोर्ट नहीं
18.	तमिलनाडु	1.1	42185.00	573.00	471.00	55100.00	658.00	617.00	60610.00	722.36	692.59	54564.19	607.50	317.79
19.	तेलंगाना	9.3	48648.00	4560.00	1727.00	52383.00	5036.00	3222'00	67630.73	6171.15	3139.17	88038.80	8165.87	5863.25
20.	त्रिपुरा	31.8	5151.23	2052.08	1532.01	4827.00	2064.64	1404.76	5856.64	2399.00	2000.77	5572.93	2677.76	रिपोर्ट नहीं
21.	उत्तर प्रदेश	0.6	113500.00	104.00	47.00	120000.00	256.00	206.00	136667.41	260.00	221.57	रिपोर्ट नहीं किया	रिपोर्ट नहीं किया	रिपोर्ट नहीं किया
22.	उत्तराखंड	2.9	16260.00	457.00	25900	15795.00	430.00	227.00	16933.53	462.43	227.30	42581.28	424.59	211.08
23.	पश्चिम बंगाल	5.8	42694.00	3139.00	3022.00	49507.00	3725.00	3646.00	57595.36	5262.54	3711.51	60013.89	5476.00	रिपोर्ट नहीं किया
	कुल	8.6	793980.54	82291.06	62867.07	920960.84	96369.02	74050.15	1040788.12	111434.73	89145.25	1195320.02	139290.44	82034.52

विवरण-IV

विशेष रूप से कमजोर जनजातीय समूहों (पीवीटीजी) की राज्य-वार सूची

राज्य/संघ राज्य क्षेत्र का नाम	क्र. सं.	विशेष रूप से कमजोर जनजतीय समूह का नाम
1	2	3
आंध्र प्रदेश (तेलंगाना सहित)	1.	चेंचू
	2.	बोडो गडाबा
	3.	गुटोब गाडाबा
	4.	डोंगरिया खोण्ड
	5.	कुटियाखोंड
	6.	कोलाम
	7.	कोन्डारेड्डी
	8.	कोण्डोसवारा
	9.	बोण्डो पोरजा
	10.	खोण्ड पोरजा
	11.	पारेंगी पोरोजा
	12.	थोटी
बिहार (झारखंड सहित)	13.	असुर
	14.	बिरहोर
	15.	बिरिजिया
	16.	हिल खारिया
	17.	कोरवा
	18.	मल परिहैया
	19.	परहाइयास
	20.	सौरिया पहारिया
	21.	सावर
गुजरात	22.	कोलघा
	23.	काथोडी
	24.	कोतवालिया
	25.	पधार
	26.	सिधि
कर्नाटक	27.	जेनू कुरुबा
	28.	कोरागा
केरल	29.	चोलालाइकायन
	30.	कदार
	31.	कट्टूनायकन
	32.	कोरागा
	33.	कुरुम्बा
मध्य प्रदेश (छत्तीसगढ़ सहित)	34.	अबुझ मारिया
	35.	बैगा
	36.	भारिया
	37.	बिरहोर
	38.	हिल कोरबा
	39.	कमार
	40.	सहरिया
महाराष्ट्र	41.	कटकारिया/कथोडिया
	42.	कोलाम
	43.	मारिया गोण्ड
मणिपुर	44.	मारम नागास
ओडिशा	45.	चुकटिया भुंजिया
	46.	बिरहोर
	47.	बोंडो

1	2	3
ओडिशा	48.	डिडाई
	49.	डोंगरिया खोण्ड
	50.	जुआंग
	51.	खारिया
	52.	कुटिआ खोण्ड
	53.	लाजिया सौराव
	54.	लोधा
	55.	मनकिडिया
	56.	पोडी भुयान
	57.	शाउरा
राजस्थान	58.	सेहारिया
तमिलनाडु	59.	इरुलास
	60.	कट्टु नायकन
	61.	कोटा
तमिलनाडु	62.	कौरुम्बा
	63.	पानियान
	64.	टोडा
त्रिपुरा	65.	रियांग
उत्तर प्रदेश (उत्तराखंड सहित)	66.	बुकसा
	67.	राजी
पश्चिम बंगाल	68.	बिरहोर
	69.	लोधा
	70.	टोटो
अंडमान और निकोबार	71.	ग्रेट अंडमानीज
द्वीप समूह	72.	जरावा
	73.	ओन्गेज
	74.	सोर्टिनिलिज
	75.	शोम पेन

विवरण-V

विशेष रूप से कमजोर जनजातीय समूहों (पीवीटीजी) के विकास की योजना के तहत निर्मुक्त निधियों तथा रिपोर्ट किए गए उपयोग को दर्शाने वाला विवरण (30.07.2018 तक)

(लाख रुपये में)

क्र. सं.	राज्य का नाम	2014-15		2015-16		2016-17		2017-18	
		निर्मुक्ति	उपयोग किया गया	निर्मुक्ति	उपयोग किया गया	निर्मुक्ति	उपयोग किया गया	निर्मुक्ति	उपयोग किया गया
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1.	आंध्र प्रदेश	2000.00	2000.00	3240.00	3240.00	5105.00	5105.00	2076.00	1557.00
2.	अंडमान और निकोबार द्वीपसमूह	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00	0.00	200.00	0.00
3.	बिहार	0.00	0.00	0.00	0.00	342.87	0.00	295.91	0.00

	2	3	4	5	6	7	8	9	10
4.	छत्तीसगढ़	2212.02	2212.02	1809.63	1809.63	1230.00	1230.00	1089.50	817.50
5.	गुजरात	1091.00	1091.00	898.10	898.10	779.12	779.12	390.67	228.63
6.	झारखंड	0.00	0.00	1575.00	1575.00	3120.00	915.00	2043.75	0.00
7.	कर्नाटक	0.00	0.00	800.00	800.00	136.00	100.00	467.00	467.00
8.	केरल	600.00	0.00	0.00	0.00	100.00	0.00	62.00	0.00
9.	मध्य प्रदेश	4272.94	4272.94	4491.92	4491.92	10460.40	9950.40	8232.46	7905.72
10.	महाराष्ट्र	1900.00	1900.00	0.00	0.00	2077.00	0.00	1226.25	0.00
11.	मणिपुर	47.50	47.50	100.00	100.00	329.00	102.34	195.00	0.00
12.	ओडिशा	2500.00	2500.00	3373.92	3373.92	1379.00	164.00	1297.00	548.31
13.	राजस्थान	1500.00	1500.00	1076.09	1076.09	1331.00	843.00	1038.00	0.00
14.	तमिलनाडु	0.00	0.00	1048.15	1048.15	3055.00	0.00	1770.75	0.00
15.	तेलंगाना	600.00	600.00	1439.04	1439.04	1139.00	1139.00	778.00	434.50
16.	त्रिपुरा	826.54	826.54	895.56	895.56	2250.00	2176.73	2305.00	229.98
17.	पश्चिम बंगाल	0.00	0.00	447.60	447.60	574.00	574.00	330.75	82.69
18.	उत्तराखंड	0.00	0.00	.0.00	0.00	292.48	0.00	130.00	0.00
19.	उत्तर प्रदेश	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	17.96	0.00
	कुल योग	17550.00	16950.00	21195.00	21195.01	33799.87	23078.59	23946.00	12271.33

[अनुवाद]

जनजातीय लोगों के वन अधिकार

1846. श्री राम मोहन नायडू किंजरापु : क्या जनजातीय कार्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) आंध्र प्रदेश राज्य में जनजातियों के वन अधिकारों की सुरक्षा हेतु उठाए गए कदमों का ब्यौरा क्या है;

(ख) क्या वनों पर निर्भर जनजातीय जनसंख्या को उनके अधिकारों के प्रति जागरुक बनाने के लिए कोई प्रयास किए जा रहे हैं; और

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

जनजातीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री सुदर्शन भगत) : (क) से (ग) अनुसूचित जनजाति तथा अन्य परम्परागत वन निवासी (वन अधिकारों की मान्यता) अधिनियम, 2006 तथा इसके तहत नियमों की घोषणा के समय से जनजातीय कार्य मंत्रालय (एमओटीए) इस अधिनियम के प्रभावी कार्यान्वयन के लिए राज्यों तथा संघ राज्य क्षेत्रों को समर्थन प्रदान कर रहा है जिसमें इन्हें दिशा-निर्देश देना और उनकी सहायता करना तथा इसके कार्यान्वयन की निगरानी के अलावा जागरुकता पैदा करना शामिल है। जनजातीय कार्य मंत्रालय द्वारा उठाए गए ऐसे कदमों का संक्षिप्त लेखा संलग्न विवरण प्रस्तुत किया गया है। इसके अतिरिक्त, आंध्र प्रदेश में जनजातीय लोगों के वन अधिकारों की सुरक्षा

के लिए आंध्र प्रदेश राज्य सरकार द्वारा उठाए गए कदमों में निम्नलिखित शामिल है:—

1. आंध्र प्रदेश सरकार ने समाज कल्याण (एलटीआर 1) विभाग, आंध्र प्रदेश सरकार के दिनांक 06.06.2008 की जीओएमएस संख्या 102 के माध्यम से 'अनुसूचित जनजाति तथा अन्य परम्परागत वन निवासी (वन अधिकारों की मान्यता) अधिनियम, 2006' के कार्यान्वयन को अभिशासित करने वाले विस्तृत दिशा-निर्देश तथा नियम जारी किए हैं।

2. राज्य के सभी 13 जिलों में 1,949 वन अधिकार समितियां (एफआरसी) गठित की गई हैं।

3. 9,93,331 एकड़ भूमि की सीमा के प्रसंस्करण के लिए 1,74,656 दावे प्राप्त किए गए हैं।

4. एफआरसी के माध्यम से 1,71,469 दावों के लिए सर्वेक्षण पूरा किया गया है।

5. ग्राम सभाओं में 1,48,077 दावे अनुमोदित किए गए हैं।

6. दावेदारों को 6,75,416 एकड़ भूमि के लिए 93,401 अधिकार पत्र संवितरित किए गए हैं।

7. कुल प्राप्त दावों के 95% तक का निपटान कर दिया गया है।

8. कार्टोसेट छवि सॉफ्टवेयर तथा अन्य साक्ष्यों की सहायता से 1,55,255 एकड़ भूमि के लिए 73,016 रद्द दावों की पुन: जांच की गई।

9. राजस्व रिकॉर्डों आदि में अधिकारों के रिकॉर्ड का निगमन।

इसी प्रकार, अनुसूचित जनजाति की जनसंख्या जो वनों पर निर्भर हैं, में इन अधिकारों की जागरुकता पैदा करने के लिए आंध्र प्रदेश राज्य सरकार द्वारा प्रयास किए गये हैं जिसमें निम्नलिखित शामिल हैं:—

1. वन अधिकार अधिनियम, 2006 के बारे में जागरुकता पैदा करने के लिए सभी जनजातीय क्षेत्रों में दीवार पर पोस्टरों का उपयोग, बैठकें आयोजित करना;

2. जनजातीय क्षेत्रों में पम्पलेट (पुस्तिका) का संवितरण जिसमें दावों को तैयार करने और उनके दावों के समर्थन में साक्ष्यों की प्रस्तुति आदि सहित दावा कैसे किया जाए की पद्धति दी गई है;

3. वन अधिकार अधिनियम, 2006 तथा वन अधिकार नियमावली का जनजातीय लोगों और ग्राम सभाओं में स्थानीय भाषा तथा इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के माध्यम से वृहद प्रचार करना;

4. इस अधिनियम के लाभ प्राप्त करने हेतु उन्हें स्पष्ट करने के लिए जनजातीय क्षेत्रों में वन, राजस्व तथा जनजातीय कल्याण विभाग द्वारा बैठकें आयोजित करना;

5. वन अधिकार अधिनियम के तहत अनुसूचित जनजाति के किसानों का अंतरजिला अध्ययन दौरा आयोजित करना जो कृषीय पैदावार तथा वार्षिक आय बढ़ाने के लिए उनकी अपने समकक्षों के साथ बातचीत को सुसाध्य बनाता है; और

6. अनुभव की साझेदारी के लिए मंत्री स्तर पर अजजा के किसानों की बैठकें आयोजित करना।

विवरण

अनुसूचित जनजाति तथा अन्य परम्परागत वन निवासी (वन अधिकारों की मान्यता) अधिनियम, 2006 (संक्षेप में वन अधिकार अधिनियम, 2006) के प्रभावी कार्यान्वयन के लिए जनजातीय कार्य मंत्रालय (एम.ओ.टी.ए.) द्वारा उठाए गए कदम

1. जनजातीय कार्य मंत्रालय द्वारा राज्य सरकारों को प्रदान किया गया समर्थन

क. राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों का क्षमता निर्माण

(i) जागरुकता तथा कुशलता बढ़ाने के लिए राज्यों से वन अधिकार अधिनियम के कार्यान्वयन के लिए जिम्मेदार अधिकारियों तथा संस्थानों के सदस्यों हेतु वृहद प्रशिक्षण कार्यक्रम शुरू करने और अधिकार प्रदान करने के प्रति दावों को तैयार करने तथा नक्शों के लिए भू-संदर्भित डाटाबेस का उपयोग करने का अनुरोध किया है;

(ii) वन अधिकार अधिनियम, 2006 के संबंध में राज्य सरकारों द्वारा उठाए गए प्रश्नों का समाधान करने के लिए एफएक्यू जारी किए;

(iii) अधिनियम, नियमों तथा स्पष्टीकरण का स्थानीय भाषाओं में अनुवाद तथा प्रशिक्षण और दिशा-निर्देशन के लिए वन अधिनियम के संबंध में प्रशिक्षण मॉड्यूल का प्रकाशन;

(iv) वन अधिकार अधिनियम, 2006 के विभिन्न पहलुओं पर वन अधिकार अधिनियम, 2006 की धारा 12 के तहत दिशा-निर्देश, अवलोकन, स्पष्टीकरण तथा निदेश जारी करना;

(v) समर्पित वेबसाइट <http://www.forestrights.nic.in> आरम्भ की गई है। अधिनियम, नियमावली तथा दिशा-निर्देश आदि जैसे सभी दस्तावेज रखने के अलावा इस साइट में स्वत: सीखने तथा स्वत: टेस्ट मॉड्यूल भी हैं।

ख. वन अधिकार अधिनियम, 2006 के कार्यान्वयन के लिए वित्तीय समर्थन

वन अधिकार अधिनियम से संबंधित कार्यकलाप जैसे क्षमता निर्माण, अधिकारों की मान्यता से पश्चात् प्रशिक्षण और समर्थन करने के लिए टीएसपी (अब टीएसएस) तथा अनुच्छेद 275(1) के तहत अनुदानों के अंतर्गत समय-समय पर निधियों की निर्मुक्ति (टीएसपी: जनजातीय उप-प्लान, टीएसएस: जनजातीय उप-स्कीम)

2. राज्य सरकारों के लिए निर्देश तथा अनुवर्तन

क. इस अधिनियम के कार्यान्वयन की प्रगति की निगरानी के लिए भारत सरकार द्वारा निर्धारित तंत्र

(i) राज्य/संघ राज्य क्षेत्र संशोधित नियमावली के अनुसार मंत्रालय को मासिक प्रगति रिपोर्टें तथा तिमाही प्रगति रिपोर्टें प्रस्तुत कर रहे हैं;

(ii) मंत्रालय जनजातीय कल्याण/विकास विभागों के राज्य सचिवों/आयुक्तों की बैठक आयोजित करके प्रगति की समीक्षा भी करता है।

(iii) इस अधिनियम के कार्यान्वयन की प्रगति की समीक्षा करने के लिए मंत्रियों तथा मंत्रालय के वरिष्ठ अधिकारियों द्वारा राज्यों के दौरे किए जाते हैं।

(iv) राज्य सरकार के महत्वपूर्ण विभागों के अधिकारियों को वन अधिकार नियमावली तथा दिशा-निर्देशों में संशोधनों को स्पष्ट करने तथा उस पर चर्चा करने के लिए क्षेत्रीय कार्यशालाओं का आयोजन।

(v) राज्यों के साथ समीक्षा सह-परामर्श की बैठकों की शृंखला आयोजित की गई जिसमें प्रगति की समीक्षा करने के अलावा इसके कार्यान्वयन में विभिन्न मुद्दों पर भी चर्चा की गई थी तथा कई बिन्दुओं पर स्पष्टीकरण दिए गए थे।

(vi) सरकार द्वारा दिनांक 06.09.2012 को अधिसूचित वन अधिकार संशोधन नियमावली, 2012 के अनुसार राज्य स्तरीय निगरानी समिति को अधिकारों की मान्यता, सत्यापन तथा अधिकार प्रदान किए जाने की प्रक्रिया की निगरानी और क्षेत्र स्तरीय कठिनाइयों का समाधान करने के लिए 3 माह में कम-से-कम एक बार बैठक करने की आवश्यकता है।

ख. पुन: परिभाषित महत्व वाले क्षेत्र

(i) राज्यों से सामुदायिक अधिकारों के दावों के संबंध में ध्यान देने के लिए आग्रह किया गया है।

(ii) रद्द दावों की स्वत: समीक्षा के लिए राज्यों को निदेश जारी किए गए।

(iii) वन गांवों के राजस्व गांवों में परिवर्तन पर बल दिया गया तथा राज्यों से मंत्रालय को आवधिक रिपोर्टें प्रस्तुत करने के लिए कहा गया।

(iv) राज्यों से अधिकार पत्र धारकों को अधिकारों की मान्यता के पश्चात समर्थन प्रदान करने के लिए अनुरोध किया गया है।

(v) राज्यों से यह सुनिश्चित करने का अनुरोध किया गया है कि वन अधिकार अधिनियम की परिभाषाओं के अनुसार सभी गांवों में ग्राम सभाएं आयोजित की जाएं और वन अधिकार समितियां गठित की जाएं।

ग. नए उभरते क्षेत्रों के संबंध में संवेदनशील

(i) राज्यों को संवेदनशील अन्य जीवन अधिवासों, सीएएमपीए निधियों और भूमि बैंकों के मुद्दों के बारे में संवेदनशील बनाया गया (सीएएमपीए: क्षतिपूर्ति वन रोपण निधि प्रबंधन तथा प्लानिंग प्राधिकरण)।

(ii) राजस्व विभाग के रिकॉर्डों में एफआरए के तहत मान्यता प्राप्त अधिकारों/दिए गए पट्टों को प्रतिबिम्बित करने हेतु आवश्यक कदम उठाने के लिए राज्यों को निदेश दिए गए।

(iii) दावों की निरस्तता की उच्च दरों वाले राज्यों को दिनांक 27.7.2015 को पत्र लिखे गए जिसके पश्चात् उन्होंने निरस्त दावों की समीक्षा और पुन: जांच आरम्भ की है।

(iv) ग्राम सभाओं की बैठक आयोजित करने, रद्द दावों को स्वत: समीक्षा तथा सभी लम्बित दावों के शीघ्र निपटान के लिए अधिकार प्रदान करने/अधिकारों के रिकॉर्ड के सुधार के संबंध में भू-संदर्भित डाटाबेस के सृजन के लिए अंतरिक्ष प्रौद्योगिकी का उपयोग करने के लिए राज्यों को दिनांक 21.9.2017 को पत्र भेजा गया।

[अनुवाद]

महर्षि सांदीपनि राष्ट्रीय वेद विद्या प्रतिष्ठान

1847. श्री पी.आर. सुन्दरम :
डॉ. जे. जयवर्धन :
श्री धनंजय महाडीक :
श्री मोहिते पाटिल विजयसिंह शंकरराव :
श्रीमती सुप्रिया सदानंद सुले :
डॉ. हिना विजयकुमार गावीत :
श्री राजीव सातव :

क्या **मानव संसाधन विकास मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या मानव संसाधन विकास मंत्रालय के अधीन एक स्वायत्त निकाय महर्षि सांदीपनि राष्ट्रीय वेद विद्या प्रतिष्ठान में छात्रों को वैदिक शिक्षा दी जाती है जिसको किसी बोर्ड द्वारा मान्यता प्राप्त नहीं है;

(ख) यदि हां, तो क्या इससे वहां से पास करने वाले छात्रों को उच्च शिक्षा के लिए प्रवेश में कठिनाइयां का सामना करना पड़ रहा है और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या सरकार वैदिक प्रमाणन को अखिल भारतीय मान्यता या स्कूल बोर्ड/सीबीएसई बोर्ड स्तर की मान्यता देने की संभावना की गहनता से जांच कर रहा है;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ङ) क्या सरकार ने इस संबंध में सीबीएसई से भी परामर्श मांगा है; और

(च) यदि हां, तो इसके परिणाम क्या रहे तथा देश में पृथक रूप से गुरूकुल बोर्ड की स्थापना के लिए सरकार द्वारा अन्य कौन-से कदम उठाए गए हैं?

मानव संसाधन विकास मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा जल संसाधन, नदी विकास और गंगा संरक्षण मंत्रालय में राज्य मंत्री (डॉ. सत्यपाल सिंह) : (क) वर्तमान में, महर्षि सांदीपनि राष्ट्रीय वेद विद्या प्रतिष्ठान द्वारा प्रदत्त वैदिक शिक्षा को किसी बोर्ड द्वारा मान्यता नहीं मिली है।

(ख) महर्षि सांदीपनि राष्ट्रीय वेद विद्या प्रतिष्ठान द्वारा चलाए जा रहे वेद भूषण और वेद विभूषण पाठ्यक्रम में उत्तीर्ण छात्रों को देश में संस्कृत विश्वविद्यालयों अर्थात् राष्ट्रीय संस्कृत संस्थान, नई दिल्ली; राष्ट्रीय संस्कृत विद्यापीठ, तिरूपति, आंध्र प्रदेश; श्री वेंकटेश्वर वैदिक विश्वविद्यालय, तिरूपति, आंध्र प्रदेश; कर्नाटक संस्कृत विश्वविद्यालय बंगलौर; जगदगुरू रामानंदाचार्य राजस्थान संस्कृत विश्वविद्यालय, जयपुर; श्री सोमनाथ संस्कृत विश्वविद्यालय, सोमनाथ, गुजरात; श्री जगन्नाथ संस्कृत विश्वविद्यालय, पुरी, ओडिशा; श्री चन्द्रशेखरेन्द्र सरस्वती विश्व महाविद्यालय कांचीपुरम, तमिलनाडु और गुरूकुल कांगड़ी विश्वविद्यालय, हरिद्वार, उत्तराखंड और महर्षि दयानंद विश्वविद्यालय, रोहतक, हरियाणा में प्रवेश प्राप्त होता है।

(ग) से (च) सरकार सीबीएसई सहित संबंधित संगठनों के परामर्श से महर्षि सांदीपनि राष्ट्रीय वेद विद्या प्रतिष्ठान द्वारा चलाए जा रहे पाठ्यक्रमों को मान्यता प्रदान करने की संभावनाओं की जांच कर रही है। सरकार के सम्मुख इस स्तर पर अलग से गुरूकुल बोर्ड स्थापित करने का कोई प्रस्ताव विचारार्थ नहीं है।

विदेशी विश्वविद्यालय

1848. श्री राजेन्द्र अग्रवाल : क्या **मानव संसाधन विकास मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को जानकारी है कि कई विदेशी विश्वविद्यालयों ने देश में संस्थाओं की स्थापना में दिलचस्पी दिखाई है और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है तथा ऐसे विश्वविद्यालयों से प्राप्त प्रस्ताव क्या हैं;

(ख) क्या इससे देश में गुणवत्ता-पूर्ण शिक्षा की बढ़ती मांग को पूरा करा जा सकता है;

(ग) क्या सरकार को इस बात की जानकारी है कि राष्ट्रीय शिक्षा नीति, 2016 के अंतर्गत उठाए गए नीतिगत पहलों के अंतर्गत विदेशी विश्वविद्यालयों में प्रवेश को विनियमन तथा सुगम बनाने के लिए सरकार द्वारा विशिष्ट कदम उठाए जा रहे हैं; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं?

मानव संसाधन विकास मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा जल संसाधन, नदी विकास और गंगा संरक्षण मंत्रालय में राज्य मंत्री (डॉ. सत्यपाल सिंह) : (क) और (ख) विश्वविद्यालय अनुदान आयोग (यूजीसी) ने सूचित किया है कि उसे विदेशी विश्वविद्यालयों से देश में संस्थाओं की स्थापना करने संबंधी कोई प्रस्ताव प्राप्त नहीं हुआ है।

(ग) और (घ) सरकार, वर्तमान में, नई शिक्षा नीति तैयार करने की प्रक्रिया में है।

बुंदेलखंड में पीएमकेवीवाई

1849. कुंवर पुष्पेन्द्र सिंह चन्देल : क्या कौशल विकास और उद्यमशीलता मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना के उद्‌घाटन के पश्चात् बुंदेलखंड में स्थापित किए गए और स्थापित किए जाने के लिए प्रस्तावित प्रधानमंत्री कौशल केंद्रों का ब्यौरा क्या है;

(ख) क्या सरकार को जानकारी है कि बुंदेलखंड में पीएमके को चलाने के लिए नियुक्त की गई गुछ एजेंसियों की संविदा को रद्द कर दिया गया है;

(ग) यदि हां, तो क्या बुंदेलखंड में बंद पड़े पीएमके को शुरू करने हेतु नए संविदा देने पर विचार किया जा रहा है या किया जा चुका है; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और यदि नहीं, तो उसके क्या कारण हैं?

कौशल विकास और उद्यमशीलता मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री अनंतकुमार हेगड़े) : (क) कौशल विकास और उद्यमशीलता मंत्रालय प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना (पीएमकेवीवाई) 2016-20 के माध्यम से कौशल प्रशिक्षण प्रदान करने के लिए प्रत्येक जिले में प्रधानमंत्री कौशल केंद्र (पीएमकेके) नामक आदर्श और आकांक्षी कौशल केंद्रों की स्थापना करने को प्रोत्साहित कर रहा है। 11.07.2018 की स्थिति के अनुसार 35 राज्यों और संघ राज्य क्षेत्रों में 613 पीएमकेके आबंटित किए गए हैं, जिनके अंतर्गत 548 जिले और 468 संसदीय निर्वाचन क्षेत्र आते हैं। 613 आबंटित पीएमकेके में से 462 केंद्र स्थापित किए जा चुके हैं।

बुंदेलखंड को कवर करने वाले 20 जिले हैं। इन 20 जिलों में से 13 जिलों में प्रधानमंत्री कौशल केंद्र (पीएमकेके) आबंटित किए गए हैं और 12 जिलों में स्थापित किए जा चुके हैं।

(ख) से (घ) चित्रकूट, जालोन, झांसी और ललितपुर जिलों के पीएमकेके डॉन बॉस्कों टेक सोसायटी को आबंटित किए गए थे। तथापि, केंद्रों को स्थापित करने के लिए पीएमकेके दिशा-निर्देशों के अनुसार समय-सीमा का अनुपालन न करने के कारण इनका आबंटन रद्द कर दिया गया था। 4 जिलों (चित्रकूट, जालोन, झांसी और ललितपुर) में पीएमकेके का आबंटन रद्द करने के बाद इनका पुन: आबंटन करने की कार्रवाई की गई थी और आरएफपी मोड के माध्यम से पीएमकेके चरण 4 के अंतर्गत उक्त जिलों में केंद्रों की स्थापना करने के लिए आवेदन आमंत्रित किए गए थे। आज की स्थिति के अनुसार जालोन जिले में एआईएसईसीटी लिमिटेड को जालोन जिले में पीएमकेके आबंटित किया गया हे, जिसके अंतर्गत जालोन संसदीय निर्वाचन क्षेत्र आता है।

[हिन्दी]

कृषि उत्पादों पर आयात शुल्क

1850. श्री भरत सिंह :
श्री अजय मिश्रा टेनी :

क्या **वाणिज्य और उद्योग मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का विचार देश में कृषि उत्पादों को बढ़ावा देने और घरेलू कृषि उत्पादों को प्रोत्साहन देने हेतु अमेरिका से आयात किए गए कृषि उत्पादों पर मौजूदा आयात शुल्क में वृद्धि करने का है;

(ख) यदि हां, तो इससे देश में कृषि को होने वाले लाभ का राज्य-वार ब्यौरा क्या है; और

(ग) यदि हां, तो इसके क्या कारण है?

उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री सी.आर. चौधरी) : (क) कृषि वस्तुओं का निर्यात संवर्धन करना एक सतत् प्रक्रिया है और वाणिज्य विभाग उच्च वैश्विक निर्यातों को सुकर बनाता है। कृषकों, उपभोक्ताओं आदि की संरक्षा करने के लिए आयात शुल्क को सरकार द्वारा अपनी डब्ल्यूटीओ प्रतिबद्धताओं तथा द्विपक्षीय-बहुपक्षीय मुक्त व्यापार करारों को ध्यान में रखते हुए बढ़ाया अथवा घटाया जाता है।

(ख) और (ग) खाद्य तेलों, दालों आदि पर एमएफएन आधार पर आयात शुल्क को बढ़ाने के सरकार के निर्णय से कृषकों/प्रोसेसरों के लाभान्वित होने की संभावना है।

[अनुवाद]

संविदा श्रमिकों का शोषण

1851. श्री हरीश मीना : क्या श्रम और रोजगार मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को केंद्रीय सरकार के कार्यालय और परियोजनाओं में कार्य कर रहे विभिन्न ठेकेदारों द्वारा संविदा श्रमिकों के शोषण की जानकारी है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और विगत चार वर्षों के दौरान सेवा प्रदाताओं के विरुद्ध कितनी शिकायतें प्राप्त हुई हैं;

(ग) क्या सरकार ने यह सुनिश्चित करने के लिए कोई तंत्र बनाया है कि श्रमिकों को उनके ठेकेदारों द्वारा समय पर और कानून के अनुसार भुगतान किया जाए;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इस संबंध में क्या कदम उठाए गए हैं; और

(ङ) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं?

श्रम और रोजगार मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री संतोष कुमार गंगवार) : (क) से (ङ) श्रम कानूनों के प्रावधानों को लागू करने और केंद्रीय क्षेत्र में ठेकेदारों द्वारा संविदात्मक श्रमिकों सहित कर्मकारों के शोषण को रोकने के लिए, एक सुव्यवस्थित केंद्रीय औद्योगिक संबंध मंत्र (सीआरआईएम) बनाई गई है। मुख्य श्रम आयुक्त (केन्द्रीय) के नियंत्रणाधीन उप मुख्य श्रम आयुक्तों (केन्द्रीय) और क्षेत्रीय श्रम आयुक्तों (केन्द्रीय) के देश-व्यापी नेटवर्क को निरीक्षण का संचालन करने और विभिन्न श्रम कानूनों के अतिक्रमण से संबंधित शिकायतों/दावों को निपटाने हेतु अधिदेशित किया है। केन्द्रीय क्षेत्र प्रतिष्ठानों में गत चार वर्षों के दौरान लागू श्रम कानूनों के अंतर्गत किए गए निरीक्षणों का ब्यौरा संलग्न विवरण पर है।

विवरण

केंद्रीय क्षेत्र में गत चार वर्षों के दौरान लागू श्रम कानूनों के अंतर्गत किए गए निरीक्षणों का ब्यौरा

ठेक श्रम (विनियमन एवं उत्सादन) अधिनियम, 1970

क्र.सं.	विवरण	2014-15	2015-16	2016-17	2017-18
1.	किए गए निरीक्षणों की संख्या	4744	10593	8843	8490
2.	पता लगाई गई अनियमितताओं की संख्या	60184	117936	89296	97779
3.	दूर की गई अनियमितताओं की संख्या	66228	73741	68808	68716
4.	आरंभ किए गए अभियोजनों की संख्या	3140	3411	3168	3538
5.	दोषसिद्धियों की संख्या	3012	2009	2266	2583

भवन एवं अन्य सिन्निर्माण कामगार (रोजगार का विनियमन एवं सेवा शर्ते) अधिनियम, 1996

क्र.सं.	विवरण	2014-15	2015-16	2016-17	2017-18
1.	किए गए निरीक्षणों की संख्या	694	2086	1372	1473
2.	पता लगाई गई अनियमितताओं की संख्या	9546	21870	15689	20315
3.	दूर की गई अनियमितताओं की संख्या	15777	15695	16360	8808
4.	आरंभ किए गए अभियोजनों की संख्या	265	309	265	370
5.	दोषसिद्धियों की संख्या	219	193	297	248

समान पारिश्रमिक अधिनियम, 1976

क्र.सं.	विवरण	2014-15	2015-16	2016-17	2017-18
1.	किए गए निरीक्षणों की संख्या	1643	2340	4117	4386
2.	पता लगाई गई अनियमितताओं की संख्या	1682	1846	5253	3513
3.	दूर की गई अनियमितताओं की संख्या	2634	1502	2607	2172
4.	आरंभ किए गए अभियोजनों की संख्या	535	178	301	408
5.	दोषसिद्धियों की संख्या	762	472	317	516

अंतर राज्यिक प्रवासी कामगार (रोजगार का विनियमन एवं सेवा शर्तें) अधिनियम, 1979

क्र.सं.	विवरण	2014-15	2015-16	2016-17	2017-18
1.	किए गए निरीक्षणों की संख्या	78	173	122	209
2.	पता लगाई गई अनियमितताओं की संख्या	1038	2744	2214	2952
3.	दूर की गई अनियमितताओं की संख्या	1734	2240	1848	1939
4.	आरंभ किए गए अभियोजनों की संख्या	49	61	52	57
5.	दोषसिद्धियों की संख्या	35	44	59	47

मजदूरी का भुगतान (खान)

क्र.सं.	विवरण	2014-15	2015-16	2016-17	2017-18
1.	किए गए निरीक्षणों की संख्या	1657	1353	1872	1955
2.	पता लगाई गई अनियमितताओं की संख्या	17802	12441	17774	15792
3.	दूर की गई अनियमितताओं की संख्या	23308	13734	14633	9398
4.	आरंभ किए गए अभियोजनों की संख्या	1121	216	515	312
5.	दोषसिद्धियों की संख्या	709	258	255	610

मजदूरी का भुगतान (रेलवे)

क्र.सं.	विवरण	2014-15	2015-16	2016-17	2017-18
1.	किए गए निरीक्षणों की संख्या	619	153	338	918
2.	पता लगाई गई अनियमितताओं की संख्या	3484	1439	2117	5872
3.	दूर की गई अनियमितताओं की संख्या	17872	1939	2296	1921
4.	आरंभ किए गए अभियोजनों की संख्या	0	0	31	10
5.	दोषसिद्धियों की संख्या	2	3	2	9

मजूदरी का भुगतान (एटीएस)

क्र.सं.	विवरण	2014-15	2015-16	2016-17	2017-18
1.	किए गए निरीक्षणों की संख्या	66	122	211	362
2.	पता लगाई गई अनियमितताओं की संख्या	555	1489	4076	3000
3.	दूर की गई अनियमितताओं की संख्या	629	621	3572	1087
4.	आरंभ किए गए अभियोजनों की संख्या	6	10	20	124
5.	दोषसिद्धियों की संख्या	9	20	10	23

न्यूनतम मजदूरी अधिनियम, 1948

क्र.सं.	विवरण	2014-15	2015-16	2016-17	2017-18
1.	किए गए निरीक्षणों की संख्या	6582	9803	9151	9187
2.	पता लगाई गई अनियमितताओं की संख्या	68747	75938	61689	77399
3.	दूर की गई अनियमितताओं की संख्या	87809	46467	53255	39620
4.	आरंभ किए गए अभियोजनों की संख्या	3774	1549	2321	1651
5.	दोषसिद्धियों की संख्या	2782	1476	1951	2205

समुद्री पर्यटन नीति

1852. श्री पी. कुमार : क्या **पर्यटन मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का देश में पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए समुद्री पर्यटन नीति लाने का कोई विचार है और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ख) क्या देश में विशेषज्ञों द्वारा समुद्री पर्यटन संबंधी कोई सर्वेक्षण रिपोर्ट तैयार की गई है और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) विभिन्न पत्तनों पर वर्तमान कितने समुद्री जहाज प्रचालन में हैं और इनमें आगामी पांच वर्षों में कितनी बढ़ोत्तरी होने की संभावना है; और

(घ) समुद्री टर्मिनल हेतु अवसंरचना को बढ़ावा देने के लिए उठाए जा रहे कदमों/उठाए गए कदमों के कारण आगामी पांच वर्षों में समुद्री यात्रियों और रोजगार सृजन की अनुमानित संख्या कितनी है?

पर्यटन मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री अलफोन्स कन्ननथनम) : (क) पोत परिवहन मंत्रालय ने भारत को एक क्रूज शिपिंग गंतव्य के रूप में तैयार करने के दृष्टिकोण से एक विजन दस्तावेज तैयार किया है। इस विजन दस्तावेज में बंदरगाहों पर क्रूज पर्यटन के लिए सहायक अवसंरचना तैयार करने नीति समर्थन, प्रोत्साहन तथा पोर्ट अवसंरचना विकास के माध्यम से घरेलू क्रूज तैयार करने पर विशेष फोकस करने की परिकल्पना की गई है।

(ख) पोत परिवहन मंत्रालय तथा पर्यटन मंत्रालय ने भारत में क्रूज पर्यटन के विकास के लिए कार्य योजना तैयार करना, हेतु तीन विशेषज्ञ कंपनियों के समूह को संयुक्त रूप से नियुक्त किया है। परामर्शदाता ने अन्य बातों के साथ-साथ नियामक व्यवस्था में सुधार, आप्रवासन एवं कस्टम क्लीयरेंस हेतु प्रक्रिया को सरल बनाना, क्रूज उद्योग के लिए कर प्रोत्साहन, क्षमता निर्माण, विपणन, पोर्ट पर क्रूज संबंधित अवसंरचना का सृजन आदि की सिफारिश करते हुए रिपोर्ट प्रस्तुत की है।

(ग) वर्ष 2017-18 में कुल 139 क्रूज जहाज छः प्रमुख बंदरगाहों नामत: मुम्बई पोर्ट, मोर्मुगाँव पोर्ट, नया मैंगलूर पोर्ट, कोचीन पोर्ट, चेन्नई पोर्ट और कलकत्ता पोर्ट द्वारा भारत आए। निम्नवृद्धि, मध्यम वृद्धि तथा उच्च वृद्धि के मामले में विभिन्न परिदृश्यों के लिए रिपोर्ट में कंसल्टेंट द्वारा दिए गए अनुमानों के अनुसार देश में क्रूज शिप की आगमन संख्या वर्ष 2042-43 तक क्रमश: 219,579 और 955 तक होने का अनुमान है।

(घ) वर्ष 2017-18 के दौरान कुल 1,62,660 क्रूज यात्री भारत के छः प्रमुख पोर्ट नामश: मुम्बई पोर्ट, चेन्नई पोर्ट, कोचीन पोर्ट, कोलकाता पोर्ट, नया मैंगलू पोर्ट और मोर्मुगाँव पोर्ट द्वारा भारत आए। निम्न वृद्धि, मध्यम वृद्धि तथा उच्च वृद्धि के मामले में विभिन्न पदिृश्यों के लिए रिपोर्ट में कंसल्टेंट द्वारा दिए गए अनुमानों के अनुसार वर्ष 20142-43 तक क्रूज यात्रियों की संख्या क्रमश: 4.72 लाख, 27.18 लाख तथा 39.41 लाख होने की संभावना है।

मॉडल कॉलेज

1853. डॉ. प्रभास कुमार सिंह : क्या **मानव संसाधन विकास मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने ओडिशा के पिछड़े जिले झारसुगड़ा में सरकारी मॉडल कॉलेज स्थापित करने के लिए कोई कदम उठाए हैं;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं?

मानव संसाधन विकास मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा जल संसाधन, नदी विकास और गंगा संरक्षण मंत्रालय में राज्य मंत्री (डॉ. सत्यपाल सिंह) : (क) से (ग) राष्ट्रीय उच्चतर शिक्षा अभियान

(रूसा) की केंद्र प्रायोजित योजना के तहत अन्य बातों के साथ-साथ नीति आयोग द्वारा चिह्नित महत्वाकांक्षी जिलों में और पूर्वोत्तर और हिमालयी राज्यों के असेवित और अल्पसेवित जिलों में नए मॉडल डिग्री कॉलेजों (एमडीसी) के निर्माण हेतु केंद्रीय सहायता प्रदान की जाती है।

नीति आयोग द्वारा चिह्नित महत्वाकांक्षी जिलों की सूची में ओडिशा राज्य में झारसुगड़ा जिला शामिल नहीं है, अत: योजना के मानकों के अनुसार, ये रूसा के अंतर्गत एमडीसी हेतु केंद्रीय सहायता के लिए पात्र नहीं है। तथापि, रूसा के तहत झारसुगड़ा जिले में चार कॉलेज नामत: (i) महिला (डिग्री) कॉलेज, झारसुगड़ा, (ii) लक्ष्मी नारायण (डिग्री) कॉलेज झारसुगड़ा, (iii) ब्रजराजनगर (डिग्री) कॉलेज, ब्रजराजनगर और (iv) बेलपाड़ा (डिग्री) कॉलेज, बेलपाहड़ को "कॉलेजों को अवसंरचना अनुदान" के घटक के तहत प्रत्येक को 2 करोड़ रुपये की केंद्रीय सहायता अनुमोदित की गई है।

[हिन्दी]

समारोह आयोजित करना

1854. श्रीमती रंजनबेन भट्ट : क्या मानव संसाधन विकास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को इस बात की जानकारी है कि देश में विश्वविद्यालयों द्वारा प्रति वर्ष दीक्षांत समारोह का आयोजन नहीं करने के कारण विद्यार्थियों को उनकी डिग्री समय पर नहीं मिलती है;

(ख) यदि हां, तो क्या सरकार का विद्यार्थियों को समय पर डिग्री उपलब्ध करवाने के लिए कुछ कदम उठाने का विचार है; और

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इसके कब तक किए जाने की संभावना है और यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं?

मानव संसाधन विकास मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा जल संसाधन, नदी विकास और गंगा संरक्षण मंत्रालय में राज्य मंत्री (डॉ. सत्यपाल सिंह) : (क) से (ग) विश्वविद्यालय अनुदान आयोग (यूजीसी) ने सूचित किया है कि उसने यूजीसी (विश्वविद्यालय द्वारा डिग्रियां एवं अन्य उपाधियां प्रदान करना) विनियम, 2008 नामक एक संपूर्ण विनियम अधिसूचित किया है, जिसके खंड 4.4 में अधिसूचित है कि:

'डिग्री अवार्ड करने की तारीख/तारीखें, उस तारीख/तारीखों से, जब छात्रों से परीक्षा उत्तीर्ण करने और उनके (डिग्री) पात्र बन जाने की अपेक्षा होती है, के 180 दिनों के भीतर होगी'

इसके अलावा, यूजीसी ने देश की उच्चतर शिक्षा संस्थाओं को छात्रों के अधिकार और हकदारी के बारे में बार-बार लिखा है। उपर्युक्त विनियम *https://www.ugc.ac.in/oldpdf/regulations/regulation awarddegree.pdf* पर उपलब्ध है।

जनजाति को जनजातीय दर्जा प्रदान करना

1855. श्री भैरों प्रसाद मिश्र : क्या जनजातीय कार्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या उत्तर प्रदेश की कोल जनजाति को जनजातीय दर्जा प्रदान करने का प्रस्ताव सरकार के पास वर्तमान में लंबित पड़ा है;

(ख) यदि हां, तो सरकार की इस पर क्या प्रतिक्रिया है और इन्हें कब तक जनजातीय दर्जा प्रदान किए जाने की संभावना है;

(ग) उत्तर प्रदेश राज्य सरकार द्वारा इसका प्रस्ताव केंद्र सरकार को भेजे जाने की तिथियों का ब्यौरा क्या है; और

(घ) इस संबंध में देरी के क्या कारण हैं?

(ङ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

जनजातीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री सुदर्शन भगत) : (क) जी, नहीं।

(ख) उपर्युक्त (क) को ध्यान में रखने हुए प्रश्न नहीं उठता।

(ग) और (घ) भारत सरकार ने दिनांक 15.06.1999 (दिनांक 25.06.2002 को पुन: संशोधित) को अनुसूचित जनजातियों (अजजा) की सूचियों को निर्दिष्ट करने वाले आदेशों में समावेशन तथा अन्य संशोधनों के लिए दावों का निर्धारण करने हेतु प्रविधियां निर्धारित की हैं। इन प्रविधियों के अनुसार, केवल उन प्रस्तावों पर विधान के संशोधन के लिए विचार किया जाता है जिसे संबंधित राज्य सरकार/संघ राज्य क्षेत्र प्रशासन द्वारा न्यायोचित माना जाता है एवं इसकी सिफारिश की जाती है तथा जिस पर भारत के महापंजीयक (आरजीआई) तथा राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग द्वारा सहमति प्राप्त हो।

उत्तर प्रदेश सरकार ने दिनांक 22.4.1981, 1.6.1998 तथा 16.3.2000 के पत्रों के माध्यम से 'कोल' समुदाय को अनुसूचित जातियों की सूची से अनुसूचित जनजातियों की सूची में स्थानांतरित करने की सिफारिश की जिसे टिप्पणियों के लिए भारत के महापंजीयक (आरजीआई) को संदर्भित किया गया था। आरजीआई के कार्यालय ने दिनांक 10.4.2000, 7.8.2000 तथा 19.10.2000 के पत्रों के माध्यम से प्रस्ताव का समर्थन नहीं किया। तद्नुसार, उत्तर प्रदेश राज्य सरकार को आरजीआई के अवलोकनों के संबंध में टिप्पणियां प्रस्तुत करने का अनुरोध किया गया था।

उत्तर प्रदेश सरकार ने दिनांक 5.3.2004 पत्र के माध्यम से नई रिपोर्ट के साथ पुन: 'कोल' समुदाय के अनुसूचित जनजातियों की सूची में समावेश के लिए सिफारिश की। आरजीआई ने दिनांक 17.8.2005 के पत्र के माध्यम से दोबारा यह बताया कि उन्होंने प्रस्ताव का समर्थन नहीं किया।

उत्तर प्रदेश सरकार ने दिनांक 12.7.2013 के पत्र के माध्यम से एक बार फिर से उत्तर प्रदेश की अनुसूचित जनजातियों की सूची में 'कोल' के समावेश के लिए अध्ययन रिपोर्ट के साथ रिपोर्ट प्रस्तुत की, जिसे टिप्पणियों के लिए आरजीआई के पास भेजा गया था। आरजीआई ने दिनांक 27.1.2014 के पत्र के माध्यम से सूचित किया है कि संशोधित दिशा-निर्देशों के अनुरूप इसे पुन: जांच के लिए नहीं लिया गया था। दिनांक 26.2.2014 के पत्र के माध्यम से उत्तर प्रदेश सरकार को इस उत्तर से अवगत करा दिया गया था।

[अनुवाद]

एस्सार ऑइल की बिक्री

1856. श्री बी. सेनगुट्टुवन : क्या **पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या एस्सार ऑइल और एस्सार कंपनियों के अन्य समूह पर ऋण का भारी बोझ है और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ख) क्या सरकार के साथ-साथ सरकारी क्षेत्र के बैंकों ने एस्सार ऑइल के 86000 करोड़ रुपये तक के स्टॉक की रूसी तेल कंपनी रोसनेट को बिक्री की स्वीकृति दे दी है और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) क्या 86000 करोड़ रुपये का सौदा किसी भारतीय तेल कंपनी में अब तक का सबसे बड़ा प्रत्यक्ष विदेशी निवेश है जिसमें 20 मिलियन टन की तेल रिफायनरी के साथ-साथ सम्पूर्ण देश में फैले 3500 खुदरा आउटलेट शामिल हैं और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्री तथा कौशल विकास और उद्यमशीलता मंत्री (श्री धर्मेन्द्र प्रधान) : (क) विनियामक, इनसॉल्वेन्सी एंड बैंकक्रप्सी बोर्ड ऑफ इंडिया ने सूचित किया है कि एस्सार ग्रुप ऑफ कंपनीज की कर्ज़दारी के बारे में उसके पास कोई सूचना नहीं है। तथापि, ऐसी दो कंपनियां जिनके नाम में 'एस्सार' जुड़ा है अर्थात एस्सार स्टील इंडिया लिमिटेड और एस्सार पावर (झारखंड) लिमिटेड, जिनके विरुद्ध क्रमश: 54,331.52 करोड़ रुपए और 4,388.78 करोड़ रुपए के यथा स्वीकृत दावे हैं, समाधान प्रक्रिया से गुजर रही हैं।

(ख) और (ग) अक्तूबर, 2016 में, गोवा में आयोजित भारत-रूस वार्षिक शिखर वार्ता में एस्सार-रोसनेफ्ट शेयर क्रय करार को अंतिम रूप दिए जाने की घोषणा की गई थी। पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय के पास इस संव्यवहार से संबंधित वित्तीय ब्यौरे उपलब्ध नहीं हैं।

केंद्रीय विश्वविद्यालय

1857. डॉ. अनुपम हाज़रा : क्या **मानव संसाधन विकास मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या देश के अनेक केंद्रीय विश्वविद्यालयों में कुलपति के पद महीनों तक खाली पड़े रहते हैं और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ख) क्या सरकार ने विद्यार्थियों और प्रशासन के हित में केन्द्रीय विश्वविद्यालयों में कुलपति के पद के लिए पूर्व पदधारी और भावी पदधारी के बीच प्रभार देने एवं प्रभार लेने हेतु प्रासंगिक नियम/विनियमों में संशोधन करने के लिए कोई कदम उठाया है; और

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

मानव संसाधन विकास मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा जल संसाधन, नदी विकास और गंगा संरक्षण मंत्रालय में राज्य मंत्री (डॉ. सत्यपाल सिंह) : (क) इस मंत्रालय के क्षेत्राधिकार में 41 केंद्रीय विश्वविद्यालय (सीयू) हैं। वर्तमान में, केंद्रीय विश्वविद्यालयों नामत: विश्व भारती (पश्चिम बंगाल), राजीव गांधी विश्वविद्यालय (अरुणाचल प्रदेश), सिक्किम विश्वविद्यालय (सिक्किम), एचएनबी गढ़वाल विश्वविद्यालय (उत्तराखंड)और बाबा साहिब भीमराव अम्बेडकर विश्वविद्यालय, लखनऊ (उत्तर प्रदेश) में कुलपतियों के केवल 5 पद रिक्त हैं, जिनको भरने की प्रक्रिया चल रही है।

(ख) और (ग) केंद्रीय विश्वविद्यालय स्वायत्त निकाय हैं जोकि संसद द्वारा पारित विभिन्न अधिनियमों के तहत स्थापित किए जाते हैं और संबंधित अधिनियमों और उनके तहत बनाए गए संविधियों/अध्यादेशों द्वारा निगमित होते हैं। कुलपति के पद हेतु पूर्ववर्ती और उत्तरवर्ती पदाधिकारी के बीच कार्यभार ग्रहण करने और सौंपने का कार्य संबंधित अधिनियमों/संविधियों/अध्यादेशों आदि के प्रावधानों के अनुसार किया जाता है।

[हिन्दी]

सकल नामांकन अनुपात

1858. श्री लक्ष्मी नारायण यादव : क्या **मानव संसाधन विकास मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) विश्वविद्यालय अनुदान आयोग (यूजीसी) द्वारा शैक्षिक रूप से पिछड़े जिलों के रूप में चिह्नित किए मध्य प्रदेश के जिलों के नाम क्या हैं जहां उच्चतम शिक्षा में सकल नामांकन अनुपात राष्ट्रीय औसत प्रतिशत से कम है;

(ख) वर्ष 2011 की जनगणना के दौरान चिह्नित किए गए जिलों के नाम क्या हैं; और

(ग) सरकार द्वारा उक्त जिलों में उच्चतर शिक्षा के स्तर में सुधार हेतु क्या प्रयास किए गए हैं/जा रहे हैं?

मानव संसाधन विकास मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा जल संसाधन, नदी विकास और गंगा संरक्षण मंत्रालय में राज्य मंत्री (डॉ. सत्यपाल सिंह) : (क) और (ख) विश्वविद्यालय अनुदान आयोग (यूजीसी) द्वारा गठित विशेषज्ञ समिति ने उन 374 शैक्षिक रूप से पिछड़े जिलों को चिह्नित किया है जहां 2001 के जनगणना डाटा के आधार पर उच्चतर शिक्षा में सकल नामांकन अनुपात (जीईआर) 12.4% के राष्ट्रीय औसत से कम था। 374 ईबीडी में से, ऐसे 39 जिले मध्य प्रदेश राज्य में चिह्नित किए गए थे। 374 ईबीडी की सूची संलग्न विवरण में है।

(ग) राष्ट्रीय उच्चतर शिक्षा अभियान (रूसा) की केंद्र प्रायोजित योजना का कार्यान्वयन किया जा रहा है, जिसका उद्देश्य पहुंच, साम्यता और गुणवत्ता को बढ़ावा देना है। इस योजना में, अन्य बातों के साथ-साथ, राज्यों को मॉडल डिग्री कॉलेजों की स्थापना, कॉलेजों और विश्वविद्यालयों को अवसंरचना अनुदान, कॉलेजों की क्लस्टिरिंग अथवा मौजूदा स्वायत्त कॉलेजों के प्रोन्नयन के माध्यम से विश्वविद्यालयों की स्थापना हेतु केंद्रीय सहायता प्रदान की जाती है।

रूसा के परियोजना अनुमोदन बोर्ड (पीएबी) ने विभिन्न घटकों के तहत मध्य प्रदेश राज्य के चिह्नित 39 ईडीबी में से 27 के लिए 273 करोड़ रुपये की राशि अनुमोदित की है।

विवरण

मध्य प्रदेश राज्य सहित वर्ष 2001 की जनगणना डाटा के अनुसार चिह्नित शैक्षिक रूप से पिछड़े जिलों (ईडीबी) की सूची

1. **अंडमान और निकोबार द्वीपसमूह**

अंडमान

निकोबार

2. **आंध्र प्रदेश**

आदिलाबाद

अनन्तपुर

पूर्वी गोदावरी

कुरनूल

महबूबनगर

मेडक

निजामाबाद

प्रकाशम

श्रीकाकुलम

विजनगरम

पश्चिम गोदावरी

3. **अरुणाचल प्रदेश**

चांगलांग

दीवंगवेली

पूर्वी कामेंग

लोहित

लोअर सुबनसिरी

तवांग

तीराप

अपर सियांग

अपर सुबनसिरी

पश्चिम कामेंग

पश्चिम सियांग

4. **असम**

बोंगाईगांव

कछार

दारांग

धुब्री

गोलपाड़ा

हैलाकांडी

कार्बी अंगलूंग

करीमगंज

मारीगांव

नौगांव

सोनितपुर

तिनसुखिया

5. **बिहार**

अरेरिया

औरंगाबाद

बांका

बेगूसराय

दरभंगा

गोपालगंज

जमुई

कैमूर (भबुआ)

कटिहार

खगरिया

किशनगंज

लखीसराय

मधेपुरा

मधुबनी

नवादा

पश्चिमी चम्पारण

पूर्वी चम्पारण

पूर्णिया

सहरसा

समस्तीपुर

शिवहर

सीतामढ़ी

सीवान

सुपौल

वैशाली

6. **छत्तीसगढ़**

बस्तर

बिलासपुर

दांतेवाड़ा

धामतरी

दुर्ग

जंजगीर-चम्पा

जसपुर

कानकेर

कावर्धा

कोरिया

महासमुंद

रायगढ़

रायपुर

राजनंदगांव

सरगूजा

7. **दादरा और नगर हवेली**

दादरा और नगर हवेली

8. **दमन और दीव**

दमन

दीव

9. **गुजरात**

अमरेली

बानसकंठा

भरुच

भावनगर

दोहाड

जामनगर

जूनागढ़

कच्छ

खेड़ा

मेहसाना

नर्मदा

पंचमहल

पाटन

पोरबन्दर

राजकोट

सबरकांठा

सूरत

सुरेन्द्रनगर

दाडांग

वलसाड

10. **हरियाणा**

फतेहबाद

गुड़गांव

जींद

कैथल

करनाल

पानीपत

सिरसा

11. **हिमाचल प्रदेश**

चम्बा

किन्नौर (पू.)

लाहौल तथा स्पीति

सिरमौर

12. **जम्मू और कश्मीर**

अनन्तनाग

बडगाम

बारामूला

डोडा

कारगिल

कथुआ

कुपवाड़ा

लेह (लद्दाख)

पुंछ

राजौरी

ऊधमपुर

13. **झारखंड**

छतरा

देवघर

दुमका

गरहवा

गिरडिह

गोड्डा

गुमला

कोडरमा

पाकुर

पलामू

पश्चिमी सिंहभूम

साहिबगंज

14. **कर्नाटक**

बगलकोट

बंगलौर ग्रामीण

बेलगाम

बेल्लारी

बीजापुर

चामराजनगर

चिकमंगलूर

चित्रदुर्ग

दक्षिण कन्नाडा

गडग

हसन

हवेरी

कोडागु

कोलार

कोप्पल

मंध्या

रायचूर

टुमकुर

उदुपी (उडुपी)

उत्तर कन्नड

15. **केरल**

कसरगोड

मालापुरम

पलाक्कड

वेनाड

16. **लक्षद्वीप**

लक्षद्वीप

17. **मध्य प्रदेश**

बालाघाट

बरवानी

बेतुल

भिंड

छतरपुर

छिंदवाड़ा

दमोह

दतिया

देवास

धार

डिंडोरी

ईस्ट नीमर

गुना

हरदा

झाबुआ

कटनी

मांडला

मंदसौर

मोरेना

नरसिंहपुर

नीमच

पन्ना

रायसेन

राजगढ़

रतलाम

सागर

सतना

सिहोर

सिओनी

शहडोल

शाजापुर

शिओपुर

शिवपुरी

सिधी

टीकमगढ़

उज्जैन

उमरिया

विदिशा

वेस्ट नीमर

18. **महाराष्ट्र**

बुल्दाना

गडचिरोली

हिंगोली

जालना

रायगढ़

रत्नागिरी

सिंद्धूदुर्ग

19. **मेघालय**

ईस्ट गारो हिल्स

जैनतिया हिल्स

रीभोई

साउथ गारो हिल्स

वेस्ट खासी हिल्स

20. **मिजोरम**

चम्फाई

कोलासिब

लॉंगतलाई

लंगलई

मामित

सेहा

सरचिप

21. **नागालैंड**

मोन

22. **उड़ीसा**

अंगुल

बालांगीर

बारगढ़

बौद्ध

देवगढ़

धेनकनाल

गजपति

गंजम

कालाहांडी

कंधामल

केन्दुझर

कोरापुट

मल्कानगिरी

नवरंगपुर

नयागढ़

नूपाड़ा

रायगाड़ा

सोनपुर

23. **पुदुचेरी**

यनम

24. **पंजाब**

अमृतसर

भटिंडा

फरीदकोट

फतेहगढ़ साहिब

फिरोजपुर

गुरुदासपुर

कपूरथला

मांसा

मोगा

मुक्तसर

नवनशहर

पटियाला

संगरूर

25. **राजस्थान**

अजमेर

अलवर

बांसबाड़ा

बारन

बाड़मेर

भरतपुर

भीलवाड़ा

बीकानेर

बून्दी

चित्तौड़गढ़

चुरू

दौसा

धौलपुर

डुंगरपुर

गंगानगर

हनुमानगढ़

जैसलमेर

जालोर

झालावार

झूनझुनु

जोधपुर

करौली

नागौर

पाली

राजसामन्द

सवाई माधोपुर

सिकर

सिरोही

टोंक

उदयपुर

26. **सिक्किम**

पूर्व

उत्तर

दक्षिण

पश्चिम

27. **तमिलनाडु**

अरियालुर

कोयमबटूर

कुड़ालूर

धर्मपुरी

डिण्डीगुल

इरोड

कांचीपुरम

कन्याकुमारी

करूर

मदुरई

नागापट्टीनम

पैरमबल्लूर

पुडुकोट्टई

रामानाथपुरम

सलेम

शिवगंगा

तंजावुर

दॉ नीलगिरीस

थणी

थिरुवल्लूर

थूवरूर

थूथुकुकडी

तिरुनेलवली

तिरुवन्नमलई

वेलोर

वेलुपुरम

विरुद्धनगर

28 **त्रिपुरा**

थलाइ

उत्तर त्रिपुरा

दक्षिण त्रिपुरा

पश्चिम त्रिपुरा

29. **उत्तर प्रदेश**

बहराइच

बलरामपुर

बांदा

बराबंकी

बरेली

बस्ती

बिजनौर

बदायूं

बुलन्दशहर

चित्रकूट

एटा

फरुखाबाद

फतेहपुर

गोंडा

हमीरपुर

हरदोई

हाथरस

ज्योतिबा फूले नगर

कन्नौज

कानपुर देहात

कौशाम्बी

खीरी

कुशीनगर

ललीतपुर

महाराजगंज

महोवा

मथुरा

मुरादाबाद

मुज्जफरनगर

पीलीभीत

रायबरेली

रामपुर

सहारनपुर

संत कबीर नगर

शाहजहांपुर

श्रावस्ती

सिद्धार्थ नगर

सीतापुर

सोनभद्र

सुल्तानपुर

उन्नाव

30. **उत्तराखंड**

बागेश्वर

चम्पावत

31 **पश्चिम बंगाल**

बांकुरा

बर्धमान

बीरभूम

दक्षिण दिनाजपुर

दार्जीलिंग

हावड़ा

हुगली

जलपाइगुड़ी

कूच बिहार

मालदा
मिदनापुर
मुर्शीदाबाद
नाडिया
उत्तरी 24 परगना
पुरुलिया
दक्षिणी 24 परगना
उत्तर दिनाजपुर

[अनुवाद]

रबर कप लम्प्स का आयात

1859. श्री सी.एन. जयदेवन : क्या **वाणिज्य और उद्योग मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार भारतीय मानक ब्यूरो द्वारा रबर कप लम्प्स के मानक तय करने के बाद प्राकृतिक रबर के कच्चे कप लम्प्स का आयात करने के प्रस्ताव पर विचार कर रही है;

(ख) यदि हां, तो क्या सरकार इससे अवगत है कि रोगों के फैलाव और रबर उत्पादकों में भय से कोई भी देश कप लम्प रबर के आयात की अनुमति नहीं दे रहा है और रबर की गिरती कीमत के कारण वे भारी दवाब में हैं;

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इस पर सरकार की क्या प्रतिक्रिया है;

(घ) क्या केरल सरकार ने किसी भी रूप में प्राकृतिक रबर के आयात संबंधी किसी भी कदम को रोकने की मांग की है; और

(ङ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है तथा इस संबंध में सरकार की क्या प्रतिक्रिया है?

उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री सी.आर. चौधरी) : (क) से (ग) इस विभाग में प्राकृतिक रबड़ के कच्चे कप लम्प्स के आयात हेतु ऐसा कोई प्रस्ताव विचाराधीन नहीं है।

(घ) और (ङ) केरल सरकार ने भारतीय मानक ब्यूरो (बीआईएस) द्वारा कप लम्प्स के मानकीकरण के उद्देश्य से उठाए जाने वाले कदम जिसके परिणामस्वरूप देश में इसका आयात होगा, और रोगों के फैलाव का जोखिम होगा, को रोकने हेतु अभ्यावेदन किया है। बीआईएस ने एक पैनल का गठन किया है जिसमें टायर उद्योग, रबड़ बोर्ड के अधिकारी और अन्य बाह्य विशेषज्ञ शामिल हैं जो फील्ड कोगुलम में मानक निर्धारित करेंगे। विस्तृत चर्चा के पश्चात् यह निर्णय लिया गया है कि "उक्त विषय पर उत्पाद मानक निर्धारित करना कप लम्प की समय, आयु, स्थान के अनुसार परिवर्ती विशेषताओं और उत्पाद के विषम स्वरूप के कारण व्यवहार्य नहीं है। तथापि, इस विषय पर आगे और बातचीत हेतु सभी क्षेत्रों के विस्तृत अध्ययन और वहां के कम से कम तीन ऋतुओं (तीन ग्रीष्म, तीन शीत ऋतु आदि) के आंकड़े एकत्र करने के पश्चात् गुणवत्ता में सुधार करने हेतु दिशा-निर्देश/प्रोटोकॉल/अच्छी कार्यप्रणाली तैयार की जा सकती है"।

[हिन्दी]

प्रमुख धरोहर इमारतों की सूची

1860. श्री हरि मांझी : क्या **संस्कृति मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण देश में धरोहर इमारतों और स्मारकों की एक सूची तैयार कर रही है और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ख) विश्व धरोहर स्थल तथा राष्ट्रीय धरोहर स्थल के अंतर्गत आने वाली इमारतों/स्मारकों का राज्य/संघ राज्य क्षेत्र-वार ब्यौरा क्या है; और

(ग) विगत 3 वर्षों के दौरान संरक्षित/सुरक्षित इमारतों के रख-रखाव हेतु कितने प्रतिशत निधि वर्ष-वार निर्धारित की गई है?

संस्कृति मंत्रालय के राज्य मंत्री तथा पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय में राज्य मंत्री (डॉ. महेश शर्मा) : (क) भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण ने देश में "अवश्य देखें धरोहर स्थलों" की सूची पहले ही तैयार कर ली है और इसे *asimustsee.nic.in* वेबसाइट के माध्यम से पब्लिक डोमेन में रखा गया है। "अवश्य देखें" स्थलों की वर्तमान सूची में 98 स्मारक सूचीबद्ध हैं। इनका ब्यौरा संलग्न विवरण-I में दिया गया है।

(ख) भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण के अंतर्गत विश्व विरासत स्थल का ब्यौरा संलग्न विवरण-II में दिया गया है।

(ग) ब्यौरा संलग्न विवरण-III में दिया गया है।

विवरण-I

भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण के अधीन 'अवश्य देखें' स्मारकों/स्थलों की सूची

क्र.सं.	स्मारक/स्थल का नाम
1	2
1.	ताज महल
2.	आगरा किला
3.	स्मारक समूह – फतेहपुर सीकरी
4.	अकबर का मकबरा
5.	लाल किला
6.	कुतुब मीनार
7.	हुमायूं का मकबरा
8.	सहेत-महेत स्थल
9.	कालिंजर किला
10.	झांसी किला
11.	रेसीडेंसी बिल्डिंग
12.	शाक्यों का स्थल, स्तूप तथा मठ
13.	नागार्जुनकोंडा
14.	विष्णुडोल, शिवसागर
15.	शिवडोल, शिवसागर
16.	देवीडोल, शिवसागर
17.	विष्णुडोल, जॉयसागर
18.	देर्वीडोल, जॉयसागर
19.	शिवडोल, जॉयसागर
20.	घनश्याम का घर, जॉयसागर
21.	अहोम काल की आठ तोपें, जॉयसागर
22.	रनघर, जॉयसागर
23.	करेनघर (तलातलघर), जॉयसागर
24.	गोला-घर अथवा मैगज़ीन हाउस, जॉयसागर
25.	विष्णुडोल, गौरीसागर
26.	देवीडोल, गौरीसागर
27.	शिवडोल, गौरीसागर
28.	गौरीसागर तालाब, गौरीसागर
29.	अहोम राजा का महल, गढ़गांव
30.	चार मैयडमों का समूह, चरईदेव
31.	वांगछिया मंदिर समूह, मिज़ोरम
32.	लक्ष्मण मंदिर तथा प्राचीन स्थल
33.	मोढेरा स्थित सूर्य मंदिर
34.	हिडिम्बा देवी मंदिर
35.	अंदर और बाहर पड़ी मूर्तियों सहित शैल कृत मंदिर
36.	बौद्ध मठ (ताबो)
37.	मार्तंड का प्राचीन मंदिर
38.	प्राचीन स्थल तथा अवशेष, बुर्ज़होम
39.	मंदिर समूह, किरमची
40.	प्राचीन महल, रामनगर
41.	अवंतीस्वामी
42.	होयसलेश्वर मंदिर
43.	गोल गुम्बज़
44.	बौद्ध स्तूप के प्राचीन उत्खनित स्थल अवशेष
45.	बहामनी मकबरा
46.	बिदर किला
47.	स्मारक समूह, पट्टाडकल

1	2
48.	इब्राहिम रौज़ा
49.	जैन तथा वैष्णव मंदिर
50.	जैन मंदिर, लाक्कुंडी
51.	कुडाकल्लुपरम्बु (चेरामंगड)
52.	1 से 20 गुफाएं उदयगिरि
53.	ग्वालियर जिला
54.	शिव मंदिर
55.	ग्वालीगढ़ किला
56.	अजंता गुफाएं
57.	एलोरा गुफाएं
58.	उदयगिरि तथा खंडगिरि गुफाएं
59.	अशोक के शैल शासनादेश तथा हाथी की मूर्ति
60.	डीग महल
61.	रणथम्भोर किला
62.	सूर्य को समर्पित एक बड़ा मंदिर, कटारमल
63.	जागेश्वर मंदिर समूह
64.	बैजनाथ मंदिर समूह
65.	कूच बिहार पैलेस
66.	हज़ारदुआरी पैलेस
67.	अशोक के शैल शासनादेश
68.	लोनार स्थित पन्द्रह मंदिर
69.	प्राचीन महल स्थल तथा अवशेष, श्रीरंगपटना
70.	कर्नल बैली की कालकोठरी
71.	दरिया दौलतबाग
72.	टीपू सुल्तान के मकबरे में गुम्बज़
73.	जुम्मा मस्जिद (मस्जिद-ए-आला)
74.	ब्रीच के समीप स्मारक स्तंभ तथा किले की दीवार
75.	स्थान जहां टीपू का शरीर मिला था
76.	नरसिम्हा मंदिर में श्री कंठेरवा मूर्ति
77.	श्री रंगनाथ स्वामी मंदिर
78.	थॉमस इन्मान की कालकोठरी
79.	आदिनाथ बसादि
80.	केदारेश्वर मंदिर
81.	शांतिनाथ बसादि
82.	पार्श्वनाथ बसादि
83.	कल्याणी (अलंकृत सीढ़ीदार तालाब)
84.	केशव मंदिर तथा शिलालेख
85.	चंदेरी के स्मारक
86.	रेलिक स्तूप वैशाली
87.	विशाल जीवित चौल मंदिर
88.	महाबलिपुरम स्थित स्मारक समूह
89.	चाम्पानेर-पावागढ़ स्थित पुरातत्वीय पार्क
90.	रानी की वॉव
91.	एलीफेंटा गुफाएं
92.	छत्रपति शिवाजी टर्मिनस
93.	गोवा के चर्च तथा कान्वेंट
94.	सांची स्थित बौद्ध स्मारक
95.	भीमबेटका के शैलाश्रय
96.	खजुराहो मंदिर समू
97.	प्राचीन महल, लेह
98.	सूर्य मंदिर, कोणार्क

विवरण-II

भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण के क्षेत्राधिकार के अंतर्गत विश्व विरासत स्थलों की सूची

क्र. सं.	स्थल का नाम	राज्य
1.	नालंदा महाविहार के पुरातत्वीय स्थल, (नालंदा विश्वविद्यालय) नालंदा (2016)	बिहार
2.	हुमायूं का मकबरा, दिल्ली (1993)	दिल्ली
3.	कुतुब मीनार और इसके स्मारक, दिल्ली (1993)	
4.	लाल किला परिसर, दिल्ली (2007)	
5.	चर्च तथा कॉन्वेंट ऑफ गोवा (1986)	गोवा
6.	चम्पानेर – पावागढ़ पुरातत्वीय उद्यान (2004)	गुजरात
7.	रानी-की-वाव, (रानी की बावली) पाटन (2014)	
8.	स्मारक समूह, हम्पी (1986)	कर्नाटक
9.	मंदिर समूह, पट्टडकल (1987)	
10.	मंदिर समूह, खजुराहो (1986)	मध्य प्रदेश
11.	बौद्ध स्मारक, सांची (1989)	
12.	प्रागितिहासिक शैलाश्रय, भीमबेटका (2003)	
13.	अजंता गुफाएं (1983)	महाराष्ट्र
14.	एलोरा गुफाएं (1983)	
15.	एलिफेंटा गुफाएं (1983)	
16.	सूर्य मंदिर, कोणार्क (1984)	
17.	राजस्थान के पहाड़ी किले (चित्तौड़गढ़, कुम्भलगढ़, जैसलमेर तथा रणथम्भौर, आमेर और गगरौन किले) (2013) (आमेर और गगरौन किले राजस्थान राज्य पुरातत्व और संग्रहालय के संरक्षणाधीन हैं)	राजस्थान
18.	तंजावुर, गंगईकोंडाचोलपुरम और दारासुरम में स्थित महान जीवित चोल मंदिर (1987 और 2004)	तमिलनाडु
19.	स्मारक समूह, महाबलीपुरम (1984)	
20.	फतेहपुर सीकरी (1986)	उत्तर प्रदेश
21.	आगरा किला (1983)	
22.	ताज महल (1983)	

विवरण-III

विगत तीन वर्षों के दौरान भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण के अंतर्गत संरक्षित स्मारकों के संरक्षण पर खर्च किया गया व्यय

(राशि लाख रुपयों में)

क्र. सं.	राज्य/संघ राज्य क्षेत्र का नाम	मंडल/शाखा	व्यय		
			2015-16	2016-17	2017-18
1	2	3	4	5	6
1.	उत्तर प्रदेश	आगरा मंडल	1270.00	940.00	850.00
		लखनऊ मंडल	945.08	688.52	648.97
		सारनाथ मंडल	495.00	230.20	200.00
2.	महाराष्ट्र	औरंगाबाद मंडल	629.05	334.00	544.99
		मुंबई मंडल	902.82	900.48	914.98
		नागपुर मंडल	845.00	395.54	530.00
3.	कर्नाटक	बंगलौर मंडल	1427.02	1009.50	1056.89
		लघु मंडल हम्पी	401.24	800.31	660.00
		धारवाड़ मंडल	716.42	516.98	597.99
4.	मध्य प्रदेश	भोपाल मंडल	1261.01	745.00	779.98
5.	ओडिशा	भुवनेश्वर मंडल	679.52	865.00	689.92
6.	पश्चिम बंगाल सिक्किम	कोलकाता मंडल	537.95	280.68	521.00
7.	तमिलनाडु पुदुचेरी (संघ राज्य क्षेत्र)	चेन्नई मंडल	919.10	583.98	460.05
8.	पंजाब हरियाणा	चंडीगढ़ मंडल	634.98	523.85	424.91
9.	हिमाचल प्रदेश	शिमला मंडल	300.00	106.22	148.75
10.	दिल्ली	दिल्ली मंडल	1176.73	562.50	901.88
		दिल्ली लघु मंडल	—	418.05	640.11
11.	गोवा	गोवा मंडल	240.99	155.30	239.64

1	2	3	4	5	6
12.	असम मेघालय नागालैंड त्रिपुरा अरुणाचल प्रदेश	गुवाहाटी मंडल	395.07	262.19	377.00
		आइजौल मंडल, मिजोरम	—	72.20	86.20
13.	राजस्थान	जयपुर मंडल	512.98	208.48	255.00
		जौधपुर मंडल	729.29	322.42	370.00
14.	आंध्र प्रदेश	हैदराबाद मंडल	776.61	841.50	350.00
	तेलंगाना	अमरावती मंडल	—	—	—
15.	बिहार	पटना मंडल	374.99	153.53	195.00
16.	जम्मू और कश्मीर	श्रीनगर मंडल	135.07	95.83	215.00
		लघु मंडल लेह	131.50	43.40	54.09
17.	केरल	त्रिशूर मंडल	545.00	284.98	325.00
18.	गुजरात दमन और दीव (संघ राज्य क्षेत्र)	वडोदरा मंडल	1123.07	1385.00	1117.99
19.	उत्तराखंड	देहरादून मंडल	215.00	55.07	70.00
20.	छत्तीसगढ़	रायपुर मंडल	670.33	216.30	176.39
21.	झारखंड	रांची मंडल	147.61	50.13	175.00
		रासायनिक परिरक्षण (अखिल भारतीय)	729.60	690.13	549.79
		बागवानी कार्यकलाप (अखिल भारतीय)	3878.22	4655.95	5528.20
		महानिदेशक, मुख्यालय कार्यालय	—	10783.00	19737.09
		आरक्षित	—	—	—
	कुल		23746.25	30176.22	40391.81

[अनुवाद]

निर्यात नीति

1861. श्री अनिल शिरोले :
श्री जॉर्ज बेकर :
श्री प्रभुभाई नागरभाई वसावा :

क्या **वाणिज्य और उद्योग मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) सरकार की निर्यात नीति की प्रमुख विशेषताएं क्या हैं;

(ख) इस नीति के साथ विश्व के कितने देश हैं;

(ग) क्या सरकार का छोटे देशों को निर्यात आरंभ करने पर विचार है;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इसके क्या कारण हैं; और

(ङ) यह निर्यात कब तक आरंभ होने की संभावना है?

उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री सी.आर. चौधरी) : (क) भारत सरकार द्वारा 1 अप्रैल, 2015 को लांच की गई विदेश व्यापार नीति (एफटीपी) 2015-20 तथा दिनांक 5 दिसंबर, 2017 को लांच की गई इसकी मध्यावधि समीक्षा तथा समय-समय पर किए गए अन्य नीतिगत उपायों में सम्मिलित निर्यात नीति की मुख्य विशेषताएं निम्नानुसार हैं:—

(i) विदेश व्यापार नीति 2015-20 मेक इन इंडिया', 'डिजीटल इंडिया', 'स्किल इंडिया', 'स्टार्ट अप इंडिया' तथा 'व्यापार करने की सुगमता' की पहलों के अनुरूप देश में वस्तुओं और सेवाओं के निर्यात में वृद्धि करने तथा रोजगार सृजित करने तथा मूल्य संवर्धन को बढ़ावा देने के लिए एक तंत्र उपलब्ध कराती है।

(ii) नीति का मुख्य उद्देश्य अंतर्राष्ट्रीय व्यापार में तेजी से विकसित हो रही संरचना के मद्देनजर भारत को बाह्य वातावरण की चुनौतियों का सामना करने के लिए सक्षम बनाना तथा व्यापार को देश की आर्थिक संवृद्धि और विकास में प्रमुख भागीदार बनाना है।

(iii) नीति निर्यात को प्रोत्साहन देने तथा निर्यात उत्पादन हेतु निविष्टियों पर शुल्क की माफी/छूट संबंधी स्कीमों के माध्यम से निर्यात को बढ़ावा देने हेतु तंत्र उपलब्ध कराती है।

(iv) नीति के तहत दो नई स्कीमों को प्रारंभ किया गया है नामत: बेहतर सामंजस्य के लिए पूर्व की पांच स्कीमों में विलय करके विनिर्दिष्ट वस्तुओं के निर्यात में वृद्धि करने हेतु भारत से व्यापारिक वस्तुओं के निर्यात की स्कीम (एमईआईएस) तथा अधिसूचित सेवाओं के निर्यात को बढ़ाने के लिए भारत से सेवाओं के निर्यात की स्कीम (एसईआईएस)। एमईआईएस और एसईआईएस के तहत जारी ड्यूटी क्रेडिट स्क्रिप तथा इन स्क्रिपों के आधार पर आयातित माल पूर्ण रूप से हस्तांतरणीय है। स्कीम में अब सभी देशों के लिए 8 अंक स्तर पर निर्यात की 8020 प्रशुल्क लाइनों को शामिल कियाक गया है।

(v) नीति में विशिष्ट निर्यात दायित्व को 90 प्रतिशत से 75 प्रतिशत के सामान्य निर्यात दायित्व तक कम करते हुए ईपीसीजी स्कीम के अंतर्गत स्वदेशी विनिर्माताओं से पूंजीगत माल की खरीद को बढ़ावा देने के उपाय शामिल हैं।

(vi) नीति में विनिर्दिष्ट समय-सीमा के अंदर नीति उत्पाद में वास्तविक रूप से शामिल निविष्टि के शुल्क मुक्त आयात को अनुमत करने के लिए अग्रिम प्राधिकार-पत्र जारी करने का प्रावधान है।

(vii) पूर्व एवं पश्च पोतलदान रुपये निर्यात क्रेडिट संबंधी ब्याज समकरण स्कीम को दिनांक 01.04.2015 से प्रारंभ किया गया है ताकि निर्यातकों को कम दरों पर क्रेडिट प्राप्त करने में सहायता मिल सके।

(viii) 'निर्यात बंधु स्कीम' को और बेहतर और पुनर्निर्धारित किया गया है ताकि 'स्किल इंडिया' तथा व्यापार संवर्धन/जागरुकता बढ़ाने के उद्देश्यों को हासिल किया जा सके।

(ix) कागजरहित कार्य प्रणाली को अपनाने पर विशेष ध्यान केन्द्रित करते हुए व्यापार सरलीकरण तथा व्यापार करने की सुगमता को बढ़ावा देने के उपाय किए गए हैं। सरकार ने दिनांक 1 अप्रैल, 2016 से व्यापार सुगमीकरण हेतु एक एकल विन्डो इन्टरफेस (स्विफ्ट) स्वीकृति परियोजना प्रारंभ किया है। स्कीम से आयातकों/निर्यातकों को भारतीय सीमा शुल्क इलेक्ट्रॉनिक वाणिज्य/इलेक्ट्रॉनिक डाटा इंटरचेंज (ईसी/ईडीआई) गेटवे अर्थात् आइसगेट पोर्टल पर सामान्य इलेक्ट्रॉनिक 'एकीकृत घोषणा' फाइल करने में सहायता प्राप्त होती है। व्यापार सुगमीकरण को बढ़ावा देने के लिए भारत ने अप्रैल 2016 में डब्ल्यूटीओ के व्यापार सरलीकरण समझौते (टीएफए) का भी अनुसमर्थन किया था।

(x) देश में निर्यात अवसंरचना संबंधी कमियों को दूर करने के लिए 1 अप्रैल, 2017 से एक नई स्कीम नामत: "निर्यात हेतु व्यापार अवसंरचना स्कीम" जांच की गई है।

(xi) 5 दिसंबर, 2017 को आरंभ विदेश व्यापार नीति 2015-20 की मध्यावधि समीक्षा में निर्यात संवर्धन हेतु अधिक प्रोत्साहनों का प्रावधान है। उदाहरण के लिए श्रम गहन और एमएसएमई क्षेत्रों के लिए एमईआईएस के तहत निर्यात प्रोत्साहन में दिनांक 01.11.2017 से 2 प्रतिशत की बढ़ोत्तरी कर दी गई है। यह बढ़ोत्तरी श्रम गहन वस्त्र क्षेत्र में रेडीमेड परिधानों और विनिर्मितियों के लिए एमईआईएस प्रोत्साहन में पहले ही घोषित 2 प्रतिशत से 4 प्रतिशत की बढ़ोत्तरी के अतिरिक्त है। इसी प्रकार सभी अधिसूचित सेवाओं जैसे व्यापार, विधिक, लेखांकन, वास्तुकला, इंजीनियरिंग, शैक्षिक, अस्पताल, होटल और रेस्तरां के लिए दिनांक 01.11.2017 से एसईआईएस (भारत से सेवा निर्यात स्कीम) प्रोत्साहन दर में 2 प्रतिशत की वृद्धि की गई है।

(ख) भारत की विदेश व्यापार नीति सभी देशों (संयुक्त राष्ट्र के प्रतिबंधों/रोक के कार्यान्वयन हेतु एफटीपी के तहत अधिसूचित देशों को छोड़कर) में निर्यात हेतु सहायता प्रदान करती है। भारत के वैश्विक व्यापार और इसके बाजारों के विस्तार हेतु व्यवस्था के सृजन हेतु सरकार द्वारा विश्व व्यापार संगठन प्रणाली और अन्य क्षेत्रीय व्यापार संगठनों/करारों के तहत समय-समय पर संभावित साझेदार देशों के साथ द्विपक्षीय परामर्श और बहुपक्षीय परामर्श/वार्ता की जाती है।

(ग) से (ङ) वर्ष 2017-18 में भारत ने छोटे देशों सहित 238 देशों/विशेष प्रशासनिक क्षेत्रों को निर्यात किया। नई एफटीपी 2015-20 विशेषकर दक्षिण एशिया, अफ्रीका, सीआईएस और लैटिन अमेरिका में नए बाजारों की तलाश करने के लक्ष्य पर केन्द्रित है।

नवोदय विद्यालयों में विकास निधि

1862. श्री छोटेलाल : क्या **मानव संसाधन विकास मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का निकट भविष्य में देश के नवोदय विद्यालयों में हाल ही में शुरू की गई विद्यालय विकास फीस को समाप्त करने का विचार है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी राज्य-वार ब्यौरा है;

(ग) यदि नहीं, तो उसके क्या कारण हैं; और

(घ) निकट भविष्य में विशेषकर पूर्वी उत्तर प्रदेश में नए नवोदय विद्यालय खोलने संबंधी प्रस्तावों का ब्यौरा क्या है?

मानव संसाधन विकास मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री उपेन्द्र कुशवाहा) : (क) से (ग) ऐसा कोई प्रस्ताव विचाराधीन नहीं है। जवाहर नवोदय विद्यालयों (जेएनवी) के विद्यार्थियों को उनके प्रारंभ से ही नि:शुल्क भोजन और आवास व्यवस्था के साथ-साथ अच्छी गुणवत्तापरक आधुनिक शिक्षा नि:शुल्क प्रदान की जा रही है। जुलाई, 2003 से 9वीं से 12वीं कक्षा के छात्रों से विद्यालय विकास निधि (वीवीएन) के रूप में केवल 200 रुपए प्रति माह प्रति विद्यार्थी बहुत मामूली शुल्क लिया जाता है। सभी छात्राओं, अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति समुदायों के विद्यार्थियों तथा बीपीएल परिवारों के बालकों को इस शुल्क के भुगतान से छूट दी गई है। अत: वीवीएन बहुत कम प्रतिशत छात्रों से एकत्र किया जाता है। जेएनवी में वीवीएन निधि का उपयोग निम्नलिखित कार्यकलापों के लिए किया जा रहा है:-

1. कम्प्यूटर शिक्षा कार्यक्रम और सूचना प्रौद्योगिकी के विस्तार के लिए।
2. योग शिविरों, साहसिक गतिविधियों के आयोजन, खेलों आदि को प्रोत्साहित करने के लिए।
3. विज्ञान संवर्धन गतिविधियों के भाग के रूप में रुचि (हॉबी) केंद्रों और जूनियर विज्ञान प्रयोगशालाओं के विकास के लिए।
4. स्थानीय भ्रमण दौरों और सांस्कृतिक गतिविधियों के आयोजन के लिए।
5. एनसीसी और स्काउट्स एवं गाइड्स गतिविधियों को प्रोत्साहित करने के लिए।
6. बच्चों की सुरक्षा, संरक्षा और स्वास्थ्य देखभाल के लिए।
7. शैक्षणिक/पेस सेटिंग (गति-निर्धारण) कार्यकलापों में गुणवत्ता सुधार कार्यक्रम।

जवाहर नवोदय विद्यालयों (जेएनवी) के छात्रों को बेहतर सुविधाएं मुहैया कराने के साथ-साथ सुरक्षा सेवाओं, स्वच्छता, आरोग्यता और सफाई संबंधी सेवाओं आदि को सुदृढ़ बनाने की दृष्टि से, अप्रैल, 2018 से एनवीएस द्वारा विद्यालय विकास निधि (वीवीएन) को बढ़ाकर 600 रुपए प्रति माह प्रति छात्र किया जा रहा है। एससी/एसटी समुदायों के छात्रों, छात्राओं और बीपीएल परिवारों से आने वाले लड़कों को इस शुल्क के भुगतान से मिलने वाली छूट जारी रहेगी। जिन विद्यार्थियों के अभिभावक

सरकारी कर्मचारी हैं उनसे अप्रैल, 2018 से 1500 रुपए प्रति माह की दर पर वीवीएन लिया जाएगा।

(घ) नवोदय विद्यालय योजना में देश के प्रत्येक जिले में एक जवाहर नवोदय विद्यालय (जेएनवी) खोले जाने का प्रावधान है। जेएनवी की स्वीकृति संबंधित राज्य सरकार/संघ राज्य क्षेत्र प्रशासन के अपेक्षित उपयुक्त भूमि निःशुल्क उपलब्ध कराने और जब तक स्थायी भवन का निर्माण नहीं हो जाता तब तक विद्यालय चलाने के लिए अपेक्षित अस्थायी भवन, किराया मुक्त उपलब्ध कराने की इच्छा पर निर्भर है। तथापि, वास्तविक स्वीकृति और नए जेएनवी का खोला जाना निधियों की उपलब्धता और सक्षम प्राधिकारी द्वारा अनुमोदन पर निर्भर करता है। नए जेएनवी का खोला जाना सतत् प्रक्रिया है और तमिलनाडु जिसने अभी नवोदय विद्यालय योजना को स्वीकार नहीं किया है को छोड़कर, देश के सभी जिलों में (31 मई, 2014 तक) एक जेएनवी पहले ही स्वीकृत किया गया है।

चिकित्सा पर्यटकों में संक्रमण

1863. श्री आर. पार्थिपन : क्या पर्यटन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या हाल ही में अमेरिका के चिकित्सा पर्यटकों में कार्बपेनाम रेजिस्टेंस इंटेरोबैक्टीरिया और इन्फेक्शन पाए जाने के कारण देश के चिकित्सा पर्यटन बाजार को झटका लग सकता है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या सरकार ने पर्यटन उद्योग की सुरक्षा हेतु कोई समुचित रोगनिरोधी और बचावकारी उपाय किए है; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

पर्यटन मंत्रालय के राज्य मंत्री तथा इलेक्ट्रोनिकी और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री अलफोन्स कन्ननथनम) : (क) और (ख) स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय ने सूचित किया है कि कार्बापेनेम-रेजिस्टेंस इंटेरोबैक्टेरिया सहित सूक्ष्मजीवी रोधी प्रतिरोधी का उद्भव केवल भारत में ही नहीं अपितु वैश्विक रूप से चुनौती बना हुआ है। तथापि, इस संबंध में इस मंत्रालय को आज की तारीख तक चिकित्सा पर्यटन के लिए बाधा के संबंध में कोई विशेष सूचना प्रदान नहीं की गई है।

(ग) और (घ) भारत सरकार ने देश में सूक्ष्मजीवी रोधी (एएमआर) के नियंत्रण पर प्रतिरोधी के नियंत्रण पर राष्ट्रीय कार्यक्रम प्रारंभ किया है। इस कार्यक्रम का उद्देश्य एंटी-माइक्रोबियल रेसिस्टेंस पैटर्नस पर आंकड़े तैयार करना तथा देश में एंटी माइक्रोबियल रेसिस्टेंस की उत्पत्ति की रोकथाम के लिए विभिन्न कार्रवाईयों के लिए सिफारिश और समन्वय करना है।

स्वच्छ भारत प्रशिक्षुत्व

1864. श्रीमती एम. वसन्ती : क्या मानव संसाधन विकास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार इस शैक्षणिक वर्ष विश्वविद्यालयों और उच्च शिक्षा संस्थानों के छात्रों को "स्वच्छ भारत ग्रीष्म प्रशिक्षुत्व स्वच्छता के सौ घंटे" की शुरुआत करेगी;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या प्रशिक्षुत्व का उद्देश्य गांव में स्वच्छता और सफाई में सुधार करना है तथा प्रशिक्षित छात्रों को 200000 रुपए तक का नकद पुरस्कार और दो अकादमी क्रेडिट मिलेंगे; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

मानव संसाधन विकास मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा जल संसाधन, नदी विकास और गंगा संरक्षण मंत्रालय में राज्य मंत्री (डॉ. सत्यपाल सिंह) : (क) से (घ) भारत सरकार ने विश्वविद्यालयों और उच्चतर शिक्षा संस्थाओं के विद्यार्थियों के लिए 'स्वच्छ भारत समर इंटर्नशिप – स्वच्छता के 100 घंटें' कार्यक्रम की शुरुआत की है। इस कार्यक्रम के अंतर्गत विद्यार्थी, उनके द्वारा चयनित एवं उनके संस्थान द्वारा अनुमोदित गांवों में स्वच्छता संबंधी गतिविधियां आयोजित करने के लिए लगभग 100 घंटों का समय देते हैं। प्रतिभागी इन गांवों में (i) स्वच्छता एवं साफ-सफाई और (ii) अपशिष्ट प्रबंधन के बारे में गांव के लोगों के मध्य जागरुकता बढ़ाने हेतु जानकारी-शिक्षा-संचार संबंधी गतिविधियों का आयोजन करते हैं।

इंटर्नशिप के सभी प्रतिभागियों को उनकी इंटर्नशिप पूरी करने पर, उनके संबंधित संस्थान के अनुमोदन से एक 'स्वच्छ भारत इंटर्नशिप प्रमाण-पत्र प्रदान किया जाएगा। सर्वश्रेष्ठ इंटर्न प्रतिभागी को प्रमाण पत्र के अतिरिक्त, कॉलेज स्तर पर शील्ड/कप और विश्वविद्यालय स्तर पर रुपए 30,000, रुपए 20,000 और रुपए 10,000; राज्य स्तर पर रुपए 50,000, रुपए 30,000 और रुपए 20,000 तथा राष्ट्रीय स्तर पर 2 लाख रुपए, 1 लाख रुपए तथा 50,000 रुपए के नगद पुरस्कार प्रदान किए जाएंगे। इंटर्नशिप कार्यक्रम के दिशा-निर्देशों के अनुसार, ऐसे इंटर्न, जिनकी इंटर्नशिप को संबंधित संस्थान द्वारा प्रमाणित किया जाता है, उन्हें यूजीसी से संबद्ध संस्थाओं द्वारा उच्च पैरामीटर के आधार पर क्रेडिट हेतु पात्र होने पर 2 पाठ्यक्रम क्रेडिट प्रदान किए जाएंगे।

महिला उद्यमियों को बढ़ावा देना

1865. श्रीमती रक्षाताई खाडसे : क्या **सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्योग (एमएसएमई क्षेत्र) में महिलाओं के सशक्तिकरण और उनके उद्यमिता कौशल को बढ़ावा देने हेतु विभिन्न उत्पादों तथा सेवाओं के लिए व्यवसाय उत्पन्न करने हेतु नेटवर्क बनाने का विचार है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इस नेटवर्क के माध्यम से सरकार द्वारा प्रदान की जाने वाली सहायता का ब्यौरा क्या है; और

(ग) सरकार द्वारा इस संबंध में कार्यान्वित की जाने वाली योजना का ब्यौरा क्या है?

सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री गिरिराज सिंह) : (क) से (ग) जी, हां। सरकार ने महिला उद्यमियों को प्रोत्साहित करने और उनके हितों की मदद, परामर्श, सहायता और सुरक्षा के लिए सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम मंत्रालय के माध्यम से "उद्यम सखी" नामक एक पोर्टल आरंभ किया है। उद्यम सखी नेटवर्क उद्यमिता के विभिन्न पहलुओं पर सहायता प्राप्त करने और उद्योगों के वर्तमान परिदृश्य को समझने और मार्गदर्शन प्राप्त करने के लिए भारत की उभरती महिला उद्यमियों के लिए एक मंच है। यह भारतीय महिलाओं की सामाजिक असमानताओं का समाधान करने के लिए कम लागत वाले उत्पादों और सेवाओं के व्यवसाय आरंभ करने, व्यवसाय मॉडल सृजित करने और निर्माण करने में सहायता करता है।

तथापि, सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम मंत्रालय निम्नलिखित स्कीमों के माध्यम से महिला उद्यमिता को सशक्त कर रहा है:—

कयर बोर्ड कौशल उन्नयन और महिला कयर योजना (एमसीवाई) का कार्यान्वयन कर रहा है जिसके अंतर्गत कयर औद्योगिक इकाइयों की स्थापना के लिए महिलाओं को और अधिक आकर्षित करने हेतु उद्यमिता विकास कार्यक्रम (ईडीपी), जागरुकता कार्यक्रम, कार्यशाला, सेमिनार, एक्सपोजर टूर, आदि जैसे कार्यक्रमों को कवर किया जाता है। परंपरागत उद्योगों के पुनर्सृजन के लिए निधि स्कीम (स्फूर्ति) के अंतर्गत कयर इकाइयां स्थापित करने अथवा कयर क्लस्टर शुरू करने के लिए प्रशिक्षित महिलाओं द्वारा पीएमईजीपी के अंतर्गत उपकरण/मशीनरी के प्रापण (प्रोक्यूरमेंट) के लिए वित्तीय सहायता प्राप्त कर सकते हैं। पीएमईजीपी के अंतर्गत प्रशिक्षित महिलाओं को प्राथमिकता दी जाती है।

'महिला कयर योजना' जो विशेष रूप से ग्रामीण महिलाओं के लिए है, के अंतर्गत देश में कयर फाइबर का उत्पादन करने वाले क्षेत्रों में ग्रामीण महिलाओं को कयर यार्न की कताई/विभिन्न कयर प्रसंस्करण कार्यकलापों में प्रशिक्षण दिया जाता है। इस स्कीम में अधिकतम 7500 रुपये के अधीन 75% सब्सिडी पर मोटर युक्त रटों/मोटर युक्त परंपरागत रटों और अन्य कयर प्रसंस्करण उपकरणों के वितरण की परिकल्पना की जाती है जिसे दो महीनों का प्रशिक्षण कार्यक्रम पूरा कर लेने के बाद महिला द्वारा संचालित किया जा सकता है। प्रशिक्षण अवधि के दौरान, महिला कारीगरों को 1000 रुपये प्रतिमाह वृत्तिका दी जाती है।

खादी और ग्रामोद्योग आयोग सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यमों के संवर्धन एवं स्थापना करने और देश के ग्रामीण और शहरी क्षेत्रों में रोजगार सृजन करने के लिए 2008-09 से एक मुख्य ऋण सम्बद्ध सब्सिडी स्कीम, प्रधानमंत्री रोजगार सृजन कार्यक्रम (पीएमईजीपी) का कार्यान्वयन कर रहा है। प्रधानमंत्री रोजगार सृजन कार्यक्रम स्कीम के अंतर्गत परियोजना की अधिकतम लागत विनिर्माण क्षेत्र की इकाइयों के लिए 25 लाख रुपए और सेवा क्षेत्र के अंतर्गत इकाइयों के लिए 10 लाख रुपए है। **इस स्कीम के अंतर्गत महिला उद्यमियों को क्रमशः शहरी और ग्रामीण क्षेत्रों में परियोजना की स्थापना के लिए 25% और 35% सब्सिडी उपलब्ध कराई जाती है। महिला लाभार्थियों के लिए अपना अंशदान परियोजना लागत का केवल 5% है जबकि सामान्य श्रेणी के लिए यह 10% है।** महिलाओं सहित सभी उद्यमी अपनी इकाई स्थापित करने के लिए वित्तीय सहायता के लिए बैंकों से परियोजनाओं के स्वीकृत होने के बाद दो सप्ताह के उद्यमिता विकास कार्यक्रम (ईडीपी) के लिए पात्र हैं। वर्ष 2016-17 के दौरान महिला उद्यमियों द्वारा स्थापित परियोजनाओं की राज्य/संघ राज्य क्षेत्र-वार संख्या और उपलब्ध कराई मार्जिन मनी सब्सिडी संलग्न विवरण में दी गई है।

महिला उद्यमी सहित उद्यमी मुम्बई, कोलकाता, एर्नाकुलम, भोपाल, गोवा, पटना, और दिल्ली स्थित केवीआईसी के 07 विभागीय आउटलेट सहित खादी संस्थाओं द्वारा संचालित 8058 बिक्री केन्द्रों के माध्यम से अपने उत्पादों का क्रय कर सकते हैं।

केवीआईसी विभिन्न डिसीपिलीन के अंतर्गत 38 विभागीय और गैर-विभागीय प्रशिक्षण केन्द्रों के माध्यम से कौशल विकास हेतु प्रशिक्षण भी प्रदान कर रहा है। वर्ष 2017-18 के दौरान, कुल 35955 महिला उम्मीदवारों को प्रशिक्षित किया गया।

उद्यमी विकास कार्यक्रम-ईडीपी (आईएमसी/ईडीपी/ ईएसडीपी/ एमडीपी) स्कीम के अंतर्गत समाज के कमजोर वर्गों (अनुसूचित जाति/ अनुसूचित जनजाति/महिलाएं/दिव्यांगों) के लिए 20 प्रतिशत

ईडीपी/ ईएसडीपी का प्रावधान है। ऐसे कार्यक्रमों के भागीदारों से कोई शुल्क नहीं लिया जाता है। इसके अलावा, प्रति उम्मीदवार को 125/- रुपए प्रति सप्ताह की वृत्तिका दी जाती है।

विपणन सहायता और प्रौद्योगिकी उन्नयन (एमएटीयू) स्कीम के घटक घरेलू मेलों/प्रदर्शनियों के अंतर्गत, अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति/महिलाएं/पूर्वोत्तर क्षेत्र/दिव्यांग श्रेणी के लिए स्थान किराए का 100 प्रतिशत भुगतान किया जाता है। एमएसई इकाईयां 20,000/- रुपए तक सीमित है- (प्रौद्योगिकी व्यापार मेलों/प्रदर्शनियों के मामले में 50,000/- रुपए) अथवा वास्तविक जो भी कम हो, भुगतान किया जाता है। एमएटीयू स्कीम के घटक अंतर्राष्ट्रीय व्यापार मेलों/प्रदर्शनियों के अंतर्गत अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति/महिलाओं/पूर्वोत्तर क्षेत्र एमएसई इकाइयों के लिए स्थान किराए का 100 प्रतिशत भुगतान किया जाता है। यह अधिकतम 1.00 लाख रुपए या वास्तविक किराया यो भी कम हो, के अधीन है।

विवरण

2016-17 तथा 2017-18 के दौरान महिला उद्यमियों द्वारा स्थापित परियोजनाओं की संख्या और संवितरित मार्जिन मनी (एमएम)

क्र. सं.	राज्य/संघ राज्य क्षेत्र	2016-17		2017-18	
		स्थापित परियोजनाओं की संख्या	संवितरित मार्जिन मनी (लाख रुपए में)	स्थापित परियोजनाओं की संख्या	संवितरित मार्जिन मनी (लाख रुपए में)
1	2	3	4	5	6
1.	जम्मू और कश्मीर	476	634.15	1188	1718.41
2.	हिमाचल प्रदेश	198	422.73	303	765.23
3.	पंजाब	454	1316.11	580	1861.72
4.	चंडीगढ़	14	25.07	18	32.58
5.	हरियाणा	283	662.57	422	958.11
6.	दिल्ली	40	58.51	43	57.16
7.	राजस्थान	314	1250.10	337	1332.04
8.	उत्तराखंड	296	528.92	327	676.04
9.	उत्तर प्रदेश	1387	5030.05	1492	5417.78
10.	छत्तीसगढ़	319	977.37	327	959.80
11.	मध्य प्रदेश	512	2100.23	518	2645.46
12.	सिक्किम	11	11.16	15	19.35
13.	अरुणाचल प्रदेश	104	138.50	86	121.22
14.	नागालैंड	334	626.72	427	1178.34
15.	मणिपुर	223	581.75	237	473.38
16.	मिजोरम	128	217.30	134	133.83

1	2	3	4	5	6
17.	त्रिपुरा	452	734.81	261	393.52
18.	मेघालय	142	155.15	31	56.98
19.	असम	1484	1015.53	581	528.41
20.	बिहार	915	2115.84	647	1778.56
21.	पश्चिम बंगाल	802	1535.21	406	1144.53
22.	झारखंड	292	494.67	215	537.20
23.	ओडिशा	942	2144.02	777	2095.83
24.	अंडमान और निकोबार द्वीपसमूह	22	15.33	38	33.02
25.	गुजरात	567	3905.07	1017	7785.33
26.	महाराष्ट्र	783	2233.86	1079	3153.11
27.	गोवा	37	95.36	19	43.08
28.	आंध्र प्रदेश	294	2631.29	719	2761.31
29.	तेलंगाना	218	812.76	370	1534.84
30.	कर्नाटक	816	2362.30	580	1853.93
31.	केरल	635	1112.50	525	960.76
32.	तमिलनाडु	1248	2955.01	1929	3314.02
33.	पुदुचेरी	26	49.20	21	30.98
	कुल	14768	38949.15	15669	46355.86

भारतीय चाय उत्पादन

1866. श्री वी. एलुमलाई : क्या वाणिज्य और उद्योग मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या वर्ष 2017-18 के दौरान भारतीय चाय का उत्पादन 5.9% बढ़कर 1325.1 मिलियन किलोग्राम हो गया है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या इस वर्ष के दौरान चाय का निर्यात भी 12.5 प्रतिशत बढ़कर 256.6 मिलियन किलोग्राम हो गया है; और

(घ) यदि हां, तो क्या चाय का अधिकतम उत्पादन छोटे चाय उत्पादकों को आता है और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री सी.आर. चौधरी) : (क) और (ख) जी, हां। वर्ष 2016-17 के दौरान 1250.49 मिलियन कि.ग्रा. की तुलना में वर्ष 2017-18 में चाय का सर्वाधिक उत्पादन 1325.05 मिलियन कि.ग्रा. रहा है। वर्ष 2016-17 की तुलना में वर्ष 2017-18 में वृद्धि प्रतिशत 5.96% है। अनुकूल मौसम के कारण उत्पादन में वृद्धि हुई।

(ग) और (घ) भारत से चाय का निर्यात वर्ष 2016-17 में 227.63 मिलियन कि.ग्रा. की तुलना में वर्ष 2017-18 में सर्वाधिक 256.57 मिलियन कि.ग्रा. रहा है। वर्ष 2016-17 की तुलना में वर्ष 2017-18 में वृद्धि प्रतिशत 12.71% है। केन्या द्वारा मिश्र, पाकिस्तान, चीन, यूएई और पोलैंड के महत्वपूर्ण सीटीसी चाय बाजारों को सीटीसी चाय की कम आपूर्ति के कारण निर्यात में वृद्धि हुई। वर्षों के बाद लघु उपजकर्ताओं के उत्पादन भाग में वृद्धि हुई। लघु उपजकर्ताओं के कुल उत्पादन में प्रतिशत भाग वर्ष 2016-17 में 44.01% से बढ़कर वर्ष 2017-18 में 46.91% के स्तर पर हो गया है।

रबर बोर्ड का पुनर्गठन

1867. श्री एंटो एन्टोनी : क्या वाणिज्य और उद्योग मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने रबर बोर्ड को पुनर्गठित करने का निर्णय लिया है और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा तथा कारण क्या हैं;

(ख) क्या सरकार के पास रबर बोर्ड को जारी निधि के संबंध में कोई आंकड़ा है;

(ग) यदि हां, तो गत दस वर्षों के दौरान रबर बोर्ड को जारी निधियों का वर्ष-वार ब्यौरा क्या है;

(घ) क्या सरकार के पास विभिन्न योजनाओं/राजसहायता के तहत रबर उत्पादकों को जारी की गई निधियों का रिकॉर्ड है और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ङ) क्या सरकार का रबर उत्पादकों को सहायता सहित विभिन्न कार्यों के लिए रबर बोर्ड को और अधिक निधि जारी करने का कोई प्रस्ताव है?

उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री सी.आर. चौधरी) : (क) व्यय विभाग, वित्त मंत्रालय के निदेशानुसार, स्थापना/प्रचालन व्यय को कम करने तथा बोर्ड की सुचारू एवं प्रभावी कार्य प्रणाली सुनिश्चित करने के लिए रबड़ बोर्ड सहित वस्तु बोर्डों को पुनर्गठित करने का निर्णय लिया गया है।

(ख) और (ग) विगत दस वर्षों के दौरान रबड़ बोर्ड को निर्मुक्त निधियों का ब्यौरा संलग्न विवरण में दिया गया है।

(घ) रबड़ बोर्ड द्वारा रबड़ उपजकर्ताओं को सीधे ही प्रदान की गई प्रमुख वित्तीय सहायता, रबड़ के नव रोपण और पुनर्रोपण के लिए सब्सिडी है। नव रोपण/पुनर्रोपण के लिए रबड़ उपजकर्ताओं को जारी किये गये रोपण अनुदान का ब्यौरा नीचे दिया गया है।

वर्ष	रबड़ बोर्ड द्वारा उपजकर्ताओं को जारी किया गया रोपण अनुदान (करोड़ रुपए में)		
	पूर्वोत्तर के अलावा	पूर्वोत्तर	कुल
2015-16	13.43	16.21	29.64
2016-17	7.57	8.58	16.15
2017-18	0.83	3.23	4.06

(ङ) मध्यावधि फ्रेमवर्क (2017-18 से 2019-20 तक) के लिए, रबड़ बोर्ड को 721.98 करोड़ रुपए की राशि अनुमोदित की गयी है जिसमें रबड़ उपजकर्ताओं के लिए सहायता शामिल है।

विवरण

रबड़ बोर्ड को निर्मुक्त निधियों का ब्यौरा

वर्ष	रबड़ बोर्ड को जारी की गई निधि (रुपए करोड़ में)
2008-09	126.33
2009-10	141.92
2010-11	170.00
2011-12	195.81
2012-13	185.00
2013-14	194.58
2014-15	208.50
2015-16	201.74
2016-17	148.75
2017-18	185.00

पुस्तक आवंटन केन्द्र

1868. श्री ओम बिरला : क्या मानव संसाधन विकास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का विभिन्न विद्यालयों में पुस्तक आवंटन केन्द्र खोलने का विचार है जिसमें गरीब विद्यार्थी सत्र के शुरू होने से पूर्व पाठ्यक्रम की किताबें ले सकेंगे और सत्र समाप्त होने पर उन्हें जमा करेंगे

जो कि नए बैच के छात्रों को दी जा सकेगी और यदि हां, तो क्या सरकार का इस मॉडल को कार्यान्वित करने का विचार है; और

(ख) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण है, तथा सरकार द्वारा गरीब विद्यार्थियों के लिए न्यूनतम मूल्य पर पाठ्यक्रम पुस्तकें उपलब्ध कराने हेतु क्या कार्यवाही की गई है?

मानव संसाधन विकास मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री उपेन्द्र कुशवाहा) : (क) और (ख) केन्द्र सरकार वर्ष 2018-19 से स्कूल शिक्षा हेतु समय शिक्षा नामक एक एकीकृत योजना की शुरुआत की है, जिसमें स्कूल शिक्षा की तीन पूर्व केन्द्रीय प्रायोजित योजनाओं अर्थात् सर्वशिक्षा, अभियान (एसएसए), राष्ट्रीय माध्यमिक शिक्षा अभियान (आरएमएसए) और केन्द्रीय प्रायोजित, शिक्षक शिक्षा योजना (सीएसएसटीई) को आमेलित किया गया है। एसएसए की पूर्व योजना के तहत राज्य पाठ्यचर्या को शुरू करने के इच्छुक मदरसों सहित सरकारी/स्थानीय निकाय और सरकारी सहायता प्राप्त स्कूलों में प्राथमिक स्तर पर 150/- रुपये प्रति बच्चा और उच्च प्राथमिक स्तर पर 250/- रुपये प्रति बच्चा की उच्चतम सीमा के भीतर, कक्षा-I से VIII के सभी बच्चों को पाठ्यपुस्तकें प्रदान की जाती थी।समग्र शिक्षा शिक्षा की नई एकीकृत योजना के तहत इस सीमा को प्राथमिक स्तर पर बढ़ाकर 250/- रुपये प्रति बच्चा और उच्च प्राथमिक स्तर पर 400/- रुपये प्रति बच्चा कर दिया गया है। इसके अतिरिक्त, समग्र शिक्षा योजना में पाठ्यपुस्तकों के पुन:प्रयोग को प्रोत्साहित करने की सिफारिश की गई है ताकि स्कूल में प्रत्येक बच्चे के पास शैक्षिक वर्ष के प्रारंभ में पाठ्यपुस्तकें उपलब्ध हों।

इसके अलावा, केन्द्रीय विद्यालय संगठन ने 'पुस्तकोपहार' नामक एक कार्यक्रम की शुरुआत की है जिसमें देश भर के सभी केन्द्रीय विद्यालयों में शैक्षिक वर्ष की शुरुआत में सभी सीनियर छात्र स्वेच्छा से अपनी पुस्तकें जूनियर्स को दे देते हैं। इस कार्य से पुस्तकें बिना वित्तीय भार के प्राप्त होने और मौजूदा पुस्तकों के पुन:प्रयोग द्वारा कागज की बचत से पर्यावरण की सुरक्षा जैसे दोहरे उद्देश्यों की प्राप्ति होती है।

राष्ट्रीय शैक्षणिक अनुसंधान और प्रशिक्षण परिषद् (एनसीईआरटी) पुस्तकें देश भर में पैनलबद्ध एजेंसियों के विशाल नेटवर्क के माध्यम से बाजार में उचित मूल्य पर वितरित की जाती हैं। इसके अलावा, एनसीईआरटी पुस्तकें अहमदाबाद, बेंगलुरु, कोलकाता, गुवाहाटी, नई दिल्ली स्थित एनसीईआरटी आउटलेट (बिक्री काउंटर) और इसके क्षेत्रीय संस्थान अर्थात् अजमेर, भोपाल, भुवनेश्वर, मैसूर और शिलांग स्थित बिक्री काउंटर से भी वितरित की जाती हैं। इसके अलावा एनसीईआरटी पुस्तकें इसके समर्थित वेब पोर्टल *www.ncertbooks.ncert.gov.nic.in* से प्राप्त की जा सकती है, साथ ही, ई-पाठशाला मोबाइल एप्प से भी नि:शुल्क डाउनलोड की जा सकती है।

[हिन्दी]

स्कूलों में शौचालय

1869. डॉ. बंशीलाल महतो :
श्री राहुल कस्वां :

क्या **मानव संसाधन विकास मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) 'स्वच्छ भारत स्वच्छ विद्यालय' के अंतर्गत तय किए गए लक्ष्य की तुलना में स्कूलों में राज्य/संघ राज्य क्षेत्र-वार कुल कितने शौचालय बनाए गए हैं;

(ख) क्या उक्त अभियान के लिए तय किए गए लक्ष्यों को पूरा कर लिया गया है;

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और यदि नहीं, तो इसके राज्य/संघ राज्य क्षेत्र-वार क्या कारण हैं; और

(घ) स्कूलों में महिलाओं और लड़कियों के लिए शौचालयों के निर्माण की राज्य/संघ राज्य क्षेत्र-वार स्थिति क्या है और उनकी पहुंच में उचित मानक के शौचालय बनाने के लिए कितनी समय-सीमा तय की गई है?

मानव संसाधन विकास मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री उपेन्द्र कुशवाहा) : (क) से (ग) राज्य और संघ राज्य क्षेत्र की सरकारों, सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों (पीएसयू) और निजी कॉर्पोरेट के साथ सहयोग करके शुरू की गई स्वच्छ विद्यालय पहल के अंतर्गत, 1.91 लाख बालिका शौचालयों सहित 4.17 लाख शौचालयों का निर्माण/पुन: निर्माण 15 अगस्त, 2015 तक एक वर्ष की अवधि में 2.61 लाख सरकारी प्रारंभिक और माध्यमिक स्कूलों में किया गया था। निर्धारित लक्ष्य को पूरा करने की पहल के अंतर्गत निर्माण/पुन: निर्माण शौचालयों का राज्य और संघ राज्य क्षेत्र-वार ब्यौरा संलग्न विवरण-I में है।

(घ) नि:शुल्क और अनिवार्य बाल शिक्षा का अधिकार (आरटीई) अधिनियम, 2009 की धारा 19 में, स्कूल के लिए मानकों और मानदंडों का प्रावधान है। यह समुचित सरकारों की जिम्मेवारी है और अनिवार्य है कि वे आरटीई अधिनियम, 2009 की अनुसूची और संबंधी राज्य आरटीई नियमों में निर्धारित मानकों के अनुसार स्कूलों में शौचालयों सहित स्कूल अवसंरचना प्रदान करें। सभी राज्यों और संघ राज्य क्षेत्रों को आरटीई

अधिनियम, 2009 के प्रावधान का अनुपालन करने की सलाह दी गई है जिसमें अन्य बातों के साथ-साथ यह बताया गया है कि प्रत्येक स्कूल भवन में छात्रों और छात्राओं के लिए अलग से शौचालय होने चाहिए और अंतरालों को, यदि हों, तो उन्हें पाटा जाए और सभी स्कूलों में बालक और बालिकाओं के शौचालय उपलब्ध एवं कार्यात्मक हो यह सुनिश्चित होना चाहिए। स्कूल में प्रति छात्र संख्या या स्कूलों के उन्नयन के रूप में शौचालयों की पर्याप्त संख्या सुनिश्चित करने के लिए, देश के स्कूलों में शौचालयों का निर्माण एक सतत् प्रक्रिया है।

स्कूल शिक्षा और साक्षरता विभाग ने स्कूल शिक्षा के लिए एक एकीकृत योजना – समग्र शिक्षा तैयार की है, जिसमें सर्वशिक्षा अभियान (एसएसए), राष्ट्रीय माध्यमिक शिक्षा अभियान (आरएमएसए) और शिक्षक-शिक्षा (टीई) केन्द्र प्रायोजित योजनाएं शामिल है। 1 अप्रैल, 2018 से लागू समग्र शिक्षा योजना में वर्तमान सरकारी विद्यालयों के सुदृढ़ीकरण हेतु और राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों से प्राप्त प्रस्तावों यूडीआईएसई द्वारा निर्धारित अंतराल के आधार पर शौचालय सहित अवसंरचनात्मक सुविधा में वृद्धि और सृजन हेतु राज्यों को सहायता प्रदान की जाती है। इस योजना में सभी सरकारी विद्यालयों के लिए विद्यार्थियों की संख्या के अनुसार 25,000 रुपये से 1,00,000 रुपये तक प्रतिवर्ष कंपोजिट वार्षिक आवर्ती विद्यालया अनुदान भी परिकल्पित है। प्रत्येक विद्यालय को अपने कंपोजिट विद्यालय अनुदान का न्यूनतम 10 प्रतिशत व्यय, स्वच्छता कार्य योजना से संबंधित शौचालय के रखरखाव सहित अन्य गतिविधियों पर करना आवश्यक है। योजना में, वर्तमान विद्यालय भवनों, शौचालयों एवं अन्य सुविधाओं के वार्षिक रखरखाव और मरम्मत करने और अन्य अवसंरचना को अच्छी स्थिति में बनाए रखने हेतु सुविधा भी प्रदान की जाती है।

एसएसए की पूर्व योजना के अंतर्गत, 3.95 लाख बालकों के शौचालयों, 5.18 लाख बालिकाओं के लिए अलग से शौचालय और विशेष आवश्यकता वाले बच्चों (सीडब्ल्यूएसएन) के लिए 1.41 लाख शौचालयों के निर्माण की संस्वीकृति दी गई थी जिनमें से राज्यों और संघ राज्य क्षेत्रों ने 31.03.2018 तक 3.76 लाख बालकों के शौचालय, 5.07 लाख बालिकाओं के लिए अलग से शौचालय और सीडब्ल्यूएसएन के लिए 1.21 लाख शौचालयों के निर्माण की रिपोर्ट दी है। आरएमएसए की पूर्व योजना के अंतर्गत, 70,244 शौचालयों को संस्वीकृति दी गई थी जिनमें से राज्यों और संघ राज्य क्षेत्रों ने 31.03.2018 तक 49,692 शौचालयों के निर्माण की रिपोर्ट दी है। एसएसए और आरएमएसए की पूर्व योजनाओं के अंतर्गत 31.03.2018 तक बालिकाओं के शौचालयों की संस्वीकृति और निर्माण का राज्य/संघ राज्य क्षेत्र-वार ब्यौरा संलग्न विवरण-II में है।

विवरण-I

स्वच्छ विद्यालय पहल (एसवीआई) के अंतर्गत निर्मित/पुनः निर्मित शौचालयों का राज्य/संघ राज्य क्षेत्र-वार विवरण

क्र. सं.	राज्य/संघ राज्य क्षेत्र	एसवीआई के अंतर्गत निर्मित/पुनः निर्मित शौचालयों की संख्या
1	2	3
1.	अंडमान और निकोबार द्वीपसमूह	71
2.	आंध्र प्रदेश	49,293
3.	अरुणाचल प्रदेश	3,492
4.	असम	35,699
5.	बिहार	56,912
6.	चंडीगढ़	0
7.	छत्तीसगढ़	16,629
8.	दादरा और नगर हवेली	78
9.	दमन और दीव	16
10.	दिल्ली	0
11.	गोवा	138
12.	गुजरात	1,521
13.	हरियाणा	1,843
14.	हिमाचल प्रदेश	1,175
15.	जम्मू और कश्मीर	16,172
16.	झारखंड	15,795
17.	कर्नाटक	649
18.	केरल	535
19.	लक्षद्वीप	0
20.	मध्य प्रदेश	33,201

1	2	3
21.	महाराष्ट्र	5,586
22.	मणिपुर	1,296
23.	मेघालय	8,944
24.	मिजोरम	1,261
25.	नागालैंड	666
26.	ओडिशा	43,501
27.	पुदुचेरी	2
28.	पंजाब	1,807
29.	राजस्थान	12,083
30.	सिक्किम	88
31.	तमिलनाडु	7,926
32.	तेलंगाना	36,159
33.	त्रिपुरा	607
34.	उत्तर प्रदेश	19,626
35.	उत्तराखंड	2,971
36.	पश्चिम बंगाल	42,054
	कुल	417,796

स्रोत: स्वच्छ विद्यालय पोर्टल।

विवरण-II

एसएसए और आरएमएसए की पूर्व योजनाओं के अंतर्गत 31.03.2018 तक बालिकाओं के शौचालयों की संस्वीकृति और निर्माण के राज्य/संघ राज्य क्षेत्र-वार ब्यौरे को दर्शाने वाला विवरण

क्र. स.	राज्य/संघ राज्य क्षेत्र	एसएसए बालिकाओं के लिए अलग शौचालय		आरएमएसए शौचालय ब्लॉक (बालकों और बालिकाओं के लिए अलग शौचालय)	
		संस्वीकृत	निर्मित	संस्वीकृत	निर्मित
1	2	3	4	5	6
1.	आंध्र प्रदेश	18525	18389	2113	1430
2.	अरुणाचल प्रदेश	3322	3322	76	76
3.	असम	41840	41486	723	599
4.	बिहार	36296	35236	653	616
5.	छत्तीसगढ़	35454	32183	1441	1311
6.	गोवा	644	635	73	73
7.	गुजरात	18355	18355	0	0
8.	हरियाणा	11733	11733	244	138
9.	हिमाचल प्रदेश	9980	9976	363	363
10.	जम्मू और कश्मीर	18097	18075	474	254

1	2	3	4	5	6
11.	झारखंड	16568	16568	658	319
12.	कर्नाटक	24818	22832	1257	643
13.	केरल	7671	7662	588	19
14.	मध्य प्रदेश	62050	61077	3549	2874
15.	महाराष्ट्र	22969	22668	162	0
16.	मणिपुर	4209	4209	19	4
17.	मेघालय	5295	5295	154	154
18.	मिजोरम	3323	3323	215	212
19.	नागालैंड	2394	2394	35	2
20.	ओडिशा	49773	48033	933	770
21.	पंजाब	6352	6172	1286	1273
22.	राजस्थान	9962	9962	1167	1080
23.	सिक्किम	608	598	67	65
24.	तमिलनाडु	24040	24040	1232	968
25.	तेलंगाना	12216	12216	1753	651
26.	त्रिपुरा	3744	3744	257	167
27.	उत्तर प्रदेश	10813	10813	158	78
28.	उत्तराखंड	15964	15711	398	313
29.	पश्चिम बंगाल	39785	38945	130	15
30.	अंडमान और निकोबार द्वीपसमूह	0	0	0	0
31.	चंडीगढ़	0	0	4	0
32.	दादरा और नगर हवेली	258	258	2	0
33.	दमन और दीव	27	27	2	2
34.	दिल्ली	724	613	53	0
35.	लक्षद्वीप	10	9	0	0
36.	पुदुचेरी	132	132	19	5
	कुल	517951	506691	20258	14474

स्रोत: राज्य/संघ राज्य क्षेत्रों द्वारा प्रस्तुत की गई तिमाही प्रगति रिपोर्ट।

[अनुवाद]

विद्यालय नहीं जाने वाले बच्चे

1870. श्री राघव लखनपाल :
श्री रवीन्द्र कुमार राय :
श्री जुगल किशोर :
श्री शेर सिंह गुबाया :

क्या **मानव संसाधन विकास मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार के पास देश में विद्यालय नहीं जाने वाले बच्चों का कोई आंकड़ा है और यदि हां, तो तत्संबंधी राज्य/संघ राज्य क्षेत्र-वार ब्यौरा क्या है;

(ख) अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति और अल्पसंख्यक समुदायों के विद्यालय नहीं जाने वाले बच्चों का ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या सरकार का माता-पिता को ऐसे बच्चों के विद्यालय नहीं जाने के लिए जिम्मेवार बनाने का विचार है जिससे कि देश का प्रत्येक बच्चा स्कूल जाए और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं;

(घ) क्या सरकार सभी बच्चों को स्कूल में लाने में सफल रही है और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं; और

(ङ) इस प्रवृत्ति को समाप्त करने हेतु सरकार द्वारा क्या कदम उठाए गए/उठाए जा रहे हैं?

मानव संसाधन विकास मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री उपेन्द्र कुशवाहा) : (क) और (ख) अंतर्राष्ट्रीय बाजार अनुसंधान ब्यूरो (आईएमआरबी) द्वारा 2014 में आयोजित किए गए सर्वेक्षण के अनुसार देश में 6-13 आयु वर्ग में 20.41 करोड़ बच्चे थे, जिनमें से 60.64 (2.97 प्रतिशत) बच्चे स्कूलों से बाहर थे। इसका राज्य/संघ राज्य क्षेत्र-वार संलग्न विवरण-I पर है। अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति और अल्पसंख्यक समुदाय के स्कूल से बाहर बच्चों का राज्य/संघ राज्य क्षेत्र-वार संलग्न विवरण-II पर है।

(ग) नि:शुल्क और अनिवार्य बाल शिक्षा का अधिकार अधिनियम, 2009 (आरटीई अधिनियम) के जरिए 6-14 वर्ष के सभी बच्चों के लिए प्राथमिक शिक्षा को एक मूल अधिकार बनाया गया है। इस अधिनियम की धारा 8 के तहत "उपयुक्त सरकार" 6 से 14 वर्ष की आयु वर्ग के प्रत्येक बच्चे को प्रारंभिक शिक्षा नि:शुल्क प्रदान करने के लिए प्रतिबद्ध है। सरकार की यह अप्रोच अभिभावकों और संरक्षकों को अपने बच्चों को स्कूल में भेजने के लिए प्रोत्साहित करने की है। राज्य/संघ राज्य क्षेत्र, शैक्षणिक सत्र की शुरुआत में नामांकन अभियान नियमित रूप से आयोजित करने हैं जिन्हें जनप्रतिनिधि, सरकारी कर्मचारी, सिविल सोसाइटी के प्रतिनिधि, पंचायती राज संस्थानों के सदस्य आदि यह सुनिश्चित करने के लिए जनमानस को प्रेरित करते हैं कि माता पिता अपने बच्चों का स्कूलों में नामांकन कराएं और उन्हें स्कूल भेजें।

(घ) मानव संसाधन विकास मंत्रालय (एमएचआरडी) ने वर्ष 2005, 2009 और 2014 में देश में स्कूल से बाहर बच्चों की संख्या का अनुमान लगाने के लिए स्वतंत्र सर्वेक्षण आयोजित किए थे। इन सर्वेक्षणों के अनुसार, देश में स्कूल ना जाने वाले बच्चों की संख्या में लगातार कमी आ रही है। इसका विवरण निम्नानुसार है:—

2005		2009		2014	
ओओएससी की कुल संख्या (6-13 वर्ष)	6-13 वर्ष के वर्ग में ओओएससी का प्रतिशत	ओओएससी की कुल संख्या (6-13 वर्ष)	6-13 वर्ष के वर्ग में ओओएससी का प्रतिशत	ओओएससी की कुल संख्या (6-13 वर्ष)	6-13 वर्ष के वर्ग में ओओएससी का प्रतिशत
134.6 लाख	6.94	81.5 लाख	4.28	60.64 लाख	2.97

स्रोत: आईएमआरबी रिपोर्ट।

(ङ) भारत सरकार ने राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों की साझेदारी से प्रारंभिक शिक्षा के सार्वभौमिकरण और स्कूल ना जाने वाले बच्चों की संख्या में कमी लाने के लिए, कई उपाय किए हैं।

तत्कालीन केंद्रीय प्रायोजित योजना, सर्व शिक्षा अभियान (एसएसए) के तहत राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों को नए विद्यालय खोलने, विद्यालय और अतिरिक्त कक्षा कक्षों के निर्माण (कस्तूरबा गांधी बालिका विद्यालय (केजीबीबी) खोलने, विद्यालय/छात्रावास खोलने, परिवहन सुविधाओं, नि:शुल्क वर्दी, नि:शुल्क पाठ्यपुस्तक, नामांकन और रिटेंशन अभियान, और 6-14 वर्ष के छात्रों के लिए मध्याह्न भोजन सहित विद्यालय न जाने वाले बच्चों की संख्या में कमी करने के लिए विभिन्न कार्यकलाप किए

हैं। इसके अतिरिक्त, मानव संसाधन विकास मंत्रालय द्वारा विद्यालय ना जाने वाले बच्चों के लिए उनकी आयु के उपयुक्त विशेष प्रशिक्षण और बड़े बच्चों के लिए आवासीय एवं गैर-आवासीय प्रशिक्षण के लिए भी सहायता प्रदान की गई है ताकि स्कूल ना जाने वाले बच्चों की उनकी आयु के अनुरूप कक्षा में समायोजित किया जा सके।

2018-19 से स्कूल शिक्षा के लिए एकीकृत योजना – समग्र शिक्षा शुरू की गई है, जिसमें अभी तक केंद्रीय प्रायोजित सर्व शिक्षा अभियान (एसएसए) योजना, राष्ट्रीय माध्यमिक शिक्षा अभियान (आरएमएसए) और शिक्षक शिक्षा (टीई) का विलय किया गया है जिसके अंतर्गत शिक्षा को प्री स्कूल से कक्षा 12 तक निरंतर शिक्षा के रूप में माना गया है और इसके अलावा पहुंच में वृद्धि करने और ड्रॉपआउट में कमी लाने के लिए स्कूल शिक्षा के सभी स्तरों पर हस्ताक्षेप करने के प्रावधान किए गए हैं।

विवरण-I

स्वतंत्र सर्वेक्षण के अनुसार विद्यालय न जाने वाले बच्चों का विवरण

क्र. सं.	राज्य/संघ राज्य क्षेत्र	2014
1	2	3
1.	अंडमान और निकोबार द्वीपसमूह	1015
2.	आंध्र प्रदेश	107829
3.	अरुणाचल प्रदेश	6517
4.	असम	157813
5.	बिहार	1169722
6.	चंडीगढ़	1090
7.	छत्तीसगढ़	167072
8.	दादरा और नगर हवेली	745
9.	दमन और दीव	421
10.	दिल्ली	85084
11.	गोवा	0
12.	गुजरात	159308
13.	हरियाणा	43879
14.	हिमाचल प्रदेश	2176
15.	जम्मू और कश्मीर	45468
16.	झारखंड	140426
17.	कर्नाटक	122139
18.	केरल	33161
19.	लक्षद्वीप	267
20.	मध्य प्रदेश	450952
21.	महाराष्ट्र	145326
22.	मणिपुर	7037
23.	मेघालय	17237
24.	मिजोरम	972
25.	नागालैंड	2896
26.	ओडिशा	401052
27.	पुदुचेरी	285
28.	पंजाब	91578
29.	राजस्थान	601863
30.	सिक्किम	535
31.	तमिलनाडु	57529
32.	त्रिपुरा	4518
33.	उत्तर प्रदेश	1612285
34.	उत्तराखंड	86794
35.	पश्चिम बंगाल	339239
	कुल	6064229

स्रोत: आईएमआरबी सर्वेक्षण, 2014।

विवरण-II

अनुसूचित जाति (एससी), अनुसूचित जनजाति (एसटी) और अल्पसंख्यक समुदायों का राज्य-वार विवरण

क्र. सं.	राज्य/संघ राज्य क्षेत्र	अनुसूचित जाति	अनुसूचित जनजाति	अलपसंख्यक
1	2	3	4	5
1.	अंडमान और निकोबार द्वीपसमूह	275	0	0
2.	आंध्र प्रदेश	27911	12721	4751
3.	अरुणाचल प्रदेश	0	6517	6517
4.	असम	5850	10138	102782
5.	बिहार	524150	30746	252954
6.	चंडीगढ़	1090	0	0
7.	छत्तीसगढ़	2410	119426	0
8.	दादरा और नगर हवेली	172	0	0
9.	दमन और दीव	421	0	0
10.	दिल्ली	22185	5788	52138
11.	गोवा	0	0	0
12.	गुजरात	69721	30155	21889
13.	हरियाणा	4023	35997	30294
14.	हिमाचल प्रदेश	0	0	0
15.	जम्मू और कश्मीर	15382	7379	44177
16.	झारखंड	24438	25644	68019
17.	कर्नाटक	52769	10034	13707
18.	केरल	5016	6343	12321
19.	लक्षद्वीप	0	267	267
20.	मध्य प्रदेश	130562	130680	117830
21.	महाराष्ट्र	43454	28702	28502
22.	मणिपुर	0	1751	3888
23.	मेघालय	505	16109	16732
24.	मिजोरम	0	972	972
25.	नागालैंड	0	2896	2896
26.	ओडिशा	109987	215994	7287
27.	पुदुचेरी	0	0	0
28.	पंजाब	63489	0	19041
29.	राजस्थान	129861	133459	87423
30.	सिक्किम	0	535	535
31.	तमिलनाडु	41556	1189	5178
32.	त्रिपुरा	277	3037	1590
33.	उत्तर प्रदेश	560531	108833	357870
34.	उत्तराखंड	36611	0	43296
35.	पश्चिम बंगाल	93383	62251	158957
	कुल	1966029	1007563	1661813

विशिष्ट सामान हेतु निर्यात नीति

1871. श्री रवनीत सिंह : क्या **वाणिज्य और उद्योग मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार विशिष्ट सामानों और वस्त्रों के निर्यातों के विशेष संदर्भ में एक नई निर्यात नीति तैयार करने पर काम कर रही है और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ख) क्या सरकार निर्यात संवर्धन हेतु विशेष रूप से पंजाब राज्य हेतु किसी विशिष्ट राज्य पैकेजों और प्रस्तावों पर काम कर रही है;

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी राज्य/संघ राज्य क्षेत्र-वार ब्यौरा क्या है और इस संबंध में सरकार द्वारा क्या कार्यवाही की गई है;

(घ) क्या सरकार ने लुधियाना जैसे औद्योगिक नगरों तक पूर्ण कनेक्टिवटी को और अधिक दक्षतापूर्ण बनाने के लिए पोत परिवहन और सड़क तथा परिवहन मंत्रालय के साथ कोई समन्वय किया है और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ङ) विगत तीन वर्षों के प्रत्येक वर्ष के दौरान निर्यातों के माध्यम से अर्जित धनराशि और उक्त अवधि के दौरान आयातों पर खर्च की गई धनराशि का ब्यौरा क्या है?

उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री सी.आर. चौधरी) : (क) नई विदेश व्यापार नीति (एफटीपी) को दिनांक 01.04.2015 को लांच किया गया। इस नीति का मुख्य उद्देश्य तेजी से विकसित हो रही अंतर्राष्ट्रीय व्यापार संरचना को ध्यान में रखते हुए बाह्य वातावरण की चुनौतियों का सामना करने में भारत को सक्षम बनाना तथा देश की आर्थिक प्रगति और विकास में व्यापार को एक प्रमुख सहयोगी बनाना है। इस नीति में निर्यात संबंधी प्रोत्साहनों और निर्यात उत्पादन हेतु इनपुट पर शुल्क की माफी/छूट की स्कीमों के माध्यम से निर्यात को बढ़ावा देने के लिए ढांचे का प्रावधान है। विदेश व्यापार नीति 2015-20 की मध्यावधि समीक्षा दिसम्बर, 2017 में जारी की गई जिसमें दिनांक 01.11.2017 से श्रम सघन वस्त्र क्षेत्र में रेडीमेड कपड़े और मेडअप्स सहित श्रम सघन और सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्यम (एमएसएमई) क्षेत्रों के लिए भारत से व्यापारिक वस्तुओं के निर्यात (एमईआईएस) के तहत निर्यात प्रोत्साहनों में 2 प्रतिशत की वृद्धि की गई है। इसके अलावा, सरकार ने अन्य के साथ-साथ वस्त्र, रसायन और पेट्रोरसायन, कृषि, इलेक्ट्रॉनिक्स और आईटी, भारी उद्योग, रक्षा उत्पादन जैसे क्षेत्रों जो भारत के निर्यात का एक बड़ा हिस्सा हैं, को शामिल करके क्षेत्रीय निर्यात संवर्धन कार्यनीति तैयार करने के लिए कदम उठाए हैं।

(ख) और (ग) अंतर्राष्ट्रीय व्यापार की प्रक्रिया में पंजाब सहित सभी राज्य सरकारों को मुख्यधारा में लाने हेतु कदम उठाए गए हैं। प्रमुख उपायों में निम्नलिखित शामिल हैं:—

(i) एक व्यापार विकास एवं संवर्धन परिषद् का गठन किया गया है जिसमें सभी राज्यों के प्रतिनिधि हैं। इस समिति का उद्देश्य केन्द्र सरकार का राज्य सरकारों और संघ राज्य क्षेत्रों के साथ अंतर्राष्ट्रीय व्यापार पर निरंतर वार्ता सुनिश्चित करना है।

(ii) भारत सरकार ने डीजीसीआईएस द्वारा संकलित राज्य-वार निर्यात संबंधी आंकड़ों तक राज्य सरकारों की पहुंच प्रदान की है। राज्यों को निर्यात संबंधी कार्यनीतियों तैयार करने हेतु प्रोत्साहित किया जा रहा है।

(iii) हाल ही में सभी राज्य सरकारों/संघ राज्य क्षेत्रों से निर्यात को बढ़ावा देने पर फोकस करने के लिए मुख्य सचिवों की अध्यक्षता में राज्य निर्यात संवर्धन समिति गठित करने का अनुरोध किया गया है।

(iv) देश में निर्यात संबंधी अवसंरचना की कमियों को दूर करने के उद्देश्य से "निर्यात हेतु व्यापार अवसंरचना स्कीम (टीआईईएस)" नामक नई स्कीम दिनांक 01 अप्रैल, 2017 को शुरू की गई है।

(v) विदेश व्यापार नीति 2015-20 के तहत सभी राज्यों में निर्यातकों को निर्यात संबंधी प्रोत्साहन स्कीमों के माध्यम से सहायता तथा निर्यात उत्पादन हेतु निविष्टियों पर शुल्क छूट/माफी प्रदान की जा रही है।

(vi) दिनांक 01.04.2015 से शुरू की गई पोत-लदान पूर्व एवं पश्च रुपया निर्यात ऋण संबंधी ब्याज समकरण स्कीम के तहत निर्यातकों को घटी दरों पर ऋण प्राप्त करने में सहायता प्रदान की जाती है।

(घ) सरकार ने अंतर्राष्ट्रीय व्यापार में संभार-तंत्र लागत में कटौती कर निर्यात को बढ़ावा देने के उद्देश्य से वाणिज्य विभाग में एक नए संभार तंत्र प्रभाग का सृजन किया है। यह प्रभाग औद्योगिक शहरों तक सम्पूर्ण कनेक्टिविटी में सुधार लाने के लिए नौवहन एवं सड़क मंत्रालय और सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्रालय सहित अवसंरचना मंत्रालयों और राज्य सरकारों के साथ नियमित रूप से संपर्क में है।

(ङ) विगत तीन वर्षों के दौरान किए गए निर्यात एवं आयात का मूल्य निम्नलिखित है:—

वर्ष	निर्यात (मूल्य अमेरिकी बिलियन डॉलर में)			आयात (मूल्य अमेरिकी बिलियन डॉलर में)		
	व्यापारिक वस्तु	सेवा	जोड़	व्यापारिक वस्तु	सेवा	जोड़
2015-16	262.29	154.31	416.60	381.01	84.64	465.64
2016-17	275.85	164.20	440.05	384.36	95.90	480.26
2017-18	303.38	195.10	498.48	465.58	117.50	583.08

स्रोत: डीजीसीआईएण्डएस, कोलकाता एवं भारतीय रिजर्व बैंक।

[हिन्दी]

ईपीएफओ के भवन

1872. श्री पशुपति नाथ सिंह :
श्री रवीन्द्र कुमार राय :

क्या **श्रम और रोजगार मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) देश में कर्मचारी भविष्य निधि संगठन (ईपीएफओ) के भवनों की कुल संख्या का राज्य-वार ब्यौरा क्या है;

(ख) क्या सरकार का श्रमिकों के लाभ के लिए ईपीएफओ के भवनों की संख्या बढ़ाने का विचार है;

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इस संबंध में क्या कदम उठाए गए हैं; और

(घ) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं?

श्रम और रोजगार मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री संतोष कुमार गंगवार) : (क) देश में कर्मचारी भविष्य निधि संगठन (ईपीएफओ) के स्वामित्व वाले भवनों की कुल संख्या 78 है। राज्य-वार ब्यौरा निम्नवत् है:—

क्र. सं.	राज्य का नाम	स्वामित्व वाले भवनों की संख्या
1	2	3
1.	आंध्र प्रदेश	3
2.	तेलंगाना	5
3.	कर्नाटक	5
4.	गोवा	1
5.	बिहार	1
6.	तमिलनाडु	8
7.	दिल्ली	4
8.	उत्तराखंड	1
9.	गुजरात	2
10.	हरियाणा	5
11.	केरल	3
12.	मध्य प्रदेश	5
13.	महाराष्ट्र	8
14.	असम	1
15.	त्रिपुरा	1
16.	ओडिशा	2
17.	पंजाब	5
18.	हिमाचल प्रदेश	1
19.	राजस्थान	4
20.	उत्तर प्रदेश	7
21.	पश्चिम बंगाल	6
	कुल	78

(ख) से (घ) जी, हां। ईपीएफओ के 11 नए कार्यालय भवन आंध्र प्रदेश (1), कर्नाटक (4), झारखंड (2), तमिलनाडु (1), मध्य प्रदेश (1), ओडिशा (1) तथा उत्तर प्रदेश (1) राज्यों में निर्माण के विभिन्न चरणों में हैं, इसके अलावा 5 प्रस्ताव संकल्पना चरण में हैं।

[अनुवाद]

विज्ञान और गणित सीखना

1873. श्री प्रताप सिम्हा : क्या **मानव संसाधन विकास मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने अपनी गतिविधियों के माध्यम से स्कूली शिक्षा और उच्च शिक्षा में बच्चों को विज्ञान और गणित पढ़ने के लिए उन्हें प्रोत्साहित करने हेतु कई योजना शुरू की है;

(ख) यदि हां, तो गत तीन वर्षों के दौरान शुरू की गई ऐसी योजनाओं का ब्यौरा क्या है;

(ग) पूरे देश के विद्यालयों में अटल टिंकरिंग प्रयोगशाला स्थापित करने के क्या उद्देश्य हो;

(घ) पूरे देश में आज की तारीख में राज्य-वार विद्यालयों में टिंकरिंग लैब स्थापना हेतु चयनित विद्यालयों की संख्या कितनी हैं; और

(ङ) विज्ञान शिक्षक द्वितीय स्तर पर विषय और शिक्षण शास्त्र में शिक्षकों को पढ़ाने वाले शिक्षण की क्षमता को बढ़ाने हेतु कौन से कदम उठाए जा रहे हो जिससे छात्रों में जांच करने, सोचने और समस्या को हल करने की क्षमता का विकास होता है?

मानव संसाधन विकास मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री उपेन्द्र कुशवाहा) : (क) और (ख) मानव संसाधन विकास मंत्रालय ने विज्ञान और गणित संबंधी कार्यकलापों के माध्यम से शिक्षण के प्रति प्रोत्साहित करने के लिए स्कूल शिक्षा और उच्चतर शिक्षा में जुलाई, 2015 से राष्ट्रीय अविष्कार अभियान (आरएए) की शुरूआत की गई है। विज्ञान को प्रोत्साहित करने के लिए आरएए के तहत किए जाने वाले कुछ अंतक्षेपों में स्कूलों की विज्ञान एवं गणित प्रयोगशालाओं को सुदृढ़ करना, जिला स्तर पर विज्ञान मेले/प्रदर्शनी तथा प्रतिभा खोज, स्कूलों में गणित और विज्ञान किट का प्रावधान, छात्रों द्वारा उच्चतर शिक्षा संस्थानों का दौरा और छात्रों के अधिगम में वृद्धि करना शामिल हैं।

(ग) और (घ) नेशनल इंस्टिट्यूशन फॉर ट्रांस्फोर्मिंग इंडिया (नीति) अटल नवाचार मिशन के तहत देश भर के स्कूलों में अटल टिंकरिंग प्रयोगशाला (एटीएल) स्थापित कर रहा है। योजना का उद्देश्य युवा प्रतिभाओं में जिज्ञासा, सृजन ओर कल्पना को पोषित करना और बच्चों में धारणा निर्माण, गणनात्मक सोच, शिक्षण अनुकूलन, वास्तविक गणना आदि जैसे कौशल प्रतिपादित करना है। अटल टिंकरिंग प्रयोगशाला की स्थापना हेतु चयन किए गए स्कूलों की संख्या का राज्य-वार ब्यौरा संलग्न विवरण में दिया गया है।

(ङ) गत तीन वर्षों के दौरान, सर्व शिक्षा अभियान के तहत उच्च प्राथमिक स्तर पर गणित और विज्ञान के अध्यापकों को सेवाकालीन अध्यापक प्रशिक्षण, अधिगम संवर्धन कार्यक्रम, कम्प्यूटर समर्थित शिक्षा और नवाचार पर 952.47 करोड़ रुपए की राशि अनुमोदित की गई है। इसके अलावा राष्ट्रीय माध्यमिक शिक्षा अभियान (आरएमएसए) के तहत विज्ञान एवं गणित के अध्यापकों, उपचारात्मक शिक्षण, विज्ञान एवं गणित किट्स का प्रावधान, विज्ञान प्रदर्शनियों आदि के लिए 425.39 करोड़ रुपये की राशि अनुमोदित की गई है।

राष्ट्रीय पाठ्यचर्या ढांचा (एनसीएफ), 2005 ने भारत में विज्ञान शिक्षा क्षेत्र में एक उदाहरणीय परिवर्तन का सुझाव दिया है एनसीएफ के अनुसार जिज्ञासा कौशल को भाषा, डिजाइन और परिमाणात्मक कौशल द्वारा समर्थ और मजबूत बनाना चाहिए। स्कूलों को अन्वेषणात्मक योग्यता को उत्प्रेरित करने, प्रोत्साहन, सृजनात्मक और अलग-अलग परिस्थितियों में शिक्षण अंतरण पर लक्षित गतिविधियों पर अधिक बल देना चाहिए। एनसीए-2005 के विज्ञान संबंधी अवधारणा की एनसीईआरटी द्वारा पाठ्यचर्या, पाठ्यपुस्तक और अध्यापक सहायता सामग्री में व्याख्या की गई है। एनसीईआरटी माध्यमिक स्तर पर विज्ञान अध्यापकों और शिक्षक प्रशिक्षकों का उन कंटेंट्स और शिक्षण कलाओं में सतत् रूप से क्षमता निर्माण करती रही है, जो छात्रों में जिज्ञासा, सोच और प्रश्नपत्र हल करने के कौशलों को प्रोत्साहित करती है। एनसीईआरटी छात्रों में वैज्ञानिक सोच को और अधिक प्रोत्साहित करने के लिए प्रत्येक वर्ष राष्ट्रीय विज्ञान प्रदर्शनी का भी आयोजन करती है।

विवरण

अटल इनोवेशन मिशन के तहत अटल टिंकरिंग लैब्स की स्थापना के लिए चुने गए स्कूलों की संख्या

क्र. सं.	राज्य/संघ राज्य क्षेत्र	अटल टिंकरिंग लैब्स की स्थापना के लिए चुने गए स्कूलों की संख्या
1	2	3
1.	अंडमान और निकोबार द्वीपसमूह	23
2.	आंध्र प्रदेश	433
3.	अरुणाचल प्रदेश	33
4.	असम	225
5.	बिहार	90
6.	चंडीगढ़	25
7.	छत्तीसगढ़	239
8.	दादरा और नगर हवेली	2
9.	दमन और दीव	0
10.	दिल्ली-एनसीआर	225
11.	गोवा	20
12.	गुजरात	250
13.	हरियाणा	186
14.	हिमाचल प्रदेश	76
15.	जम्मू और कश्मीर	50
16.	झारखंड	109
17.	कर्नाटक	310

1	2	3
18.	केरल	435
19.	लक्षद्वीप	0
20.	मध्य प्रदेश	372
21.	महाराष्ट्र	389
22.	मणिपुर	51
23.	मेघालय	22
24.	मिजोरम	26
25.	नागालैंड	19
26.	ओडिशा	278
27.	पुदुचेरी	21
28.	पंजाब	157
29.	राजस्थान	264
30.	सिक्किम	28
31.	तमिलनाडु	395
32.	तेलंगाना	239
33.	त्रिपुरा	18
34.	उत्तर प्रदेश	281
35.	उत्तराखंड	50
36.	पश्चिम बंगाल	100
	कुल	5441

ई-लर्निंग

1874. कुमारी शोभा कारान्दलाजे : क्या **मानव संसाधन विकास मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या मंत्रालय ने ई-लर्निंग को बढ़ावा देने के लिए कई योजनाएं शुरू की है और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ख) गत तीन वित्तीय वर्षों के दौरान 'स्वयं', 'स्वयं प्रभा', नेशनल डाइट लाइब्रेरी (एनडीएल), ई-पाठशाला और मुक्त शिक्षा संसाधनों के राष्ट्रीय कोष (एनआरओईआर) जैसी योजनाओं पर कितना व्यय किया गया है; और

(ग) क्या सरकार देश के सभी विश्वविद्यालयों में ई-लर्निंग शुरू करने पर विचार कर रही है और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

मानव संसाधन विकास मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा जल संसाधन, नदी विकास और गंगा संरक्षण मंत्रालय में राज्य मंत्री (डॉ. सत्यपाल सिंह) : (क) मानव संसाधन विकास मंत्रालय (एमएचआरडी) द्वारा चलाई जा रही मुख्य ई-लर्निंग परियोजनाएं निम्नानुसार हैं:—

- **स्वयम :** द 'स्टडी वेबस् ऑफ एक्टिव लर्निंग फॉर यंग एस्पायरिंग माइन्डस' (स्वयम) एक एकीकृत ऑनलाइन पाठ्यक्रम मंच है, जिसमें सूचना और संचार प्रौद्योगिकी (आईसीटी) का उपयोग किया जाता है, और इसमें स्कूल (9 से 12 कक्षा) से स्नातकोत्तर स्तर तक को कवर किया जाता है। वर्तमान में, लगभग 1000 + मूक पाठ्यक्रम स्वयम पर सूचीबद्ध हैं, जिसमें लगभग 30 लाख छात्रों ने इन पाठ्यक्रमों के लिए नामांकन कराया है। स्वयम छात्रों, शिक्षकों और शिक्षक प्रशिक्षकों को भी ऑनलाइन पाठ्यक्रम प्रदान करता है। इसे *swayam.gov.in* पर देखा जा सकता है।

- **स्वयम प्रभा :** स्वयम प्रभा पूरे देश में 25×7 आधार पर डीटीएच (डायरेक्ट टू होम) के माध्यम 32 उच्च गुणवत्ता के शैक्षिक चैनल प्रदान करने की पहल है। स्वयम प्रभा में विभिन्न विषयों को कवर करते हुए पाठ्यक्रम विषयवस्तु आधारित पाठ्यचर्या है।

- **राष्ट्रीय डिजिटल पुस्तकालय (एनडीएल) :** भारत का राष्ट्रीय डिजिटल पुस्तकालय (एनडीएल) एकल-खिड़की खोज सुविधा वाले अधिगम संसाधन वर्चुअल रिपोजिटरी कार्यढांचे का विकास करने की परियोजना है। एनडीएल के माध्यम से 153 लाख से अधिक डिजिटल पुस्तकें उपलब्ध हैं। इसे *ndl.gov.in* पर देखा जा सकता है।

- **स्कूल प्रणाली के लिए शैक्षिक पाठ्यचर्या में आईसीटी :** एकीकृत स्कूल शिक्षा योजना (समग्र शिक्षा) की केन्द्र प्रायोजित योजना के "स्कूलों में सूचना और संचार प्रौद्योगिकी (आईसीटी)" घटक माध्यमिक चरण के विद्यार्थियों को आईसीटी कौशल में उनकी क्षमता निर्माण करने और कम्प्यूटर समर्थित अधिगम प्रक्रिया के माध्यम से सीखने के अवसर प्रदान करता है। इस योजना में सरकारी व सरकारी सहायता

प्राप्त माध्यमिक और उच्चतर माध्यमिक स्कूलों को शामिल किया जाता है।

- **ई-पाठशाला :** एनसीईआरटी, एससीईआरटी/एसआईई, राज्य बोर्डों आदि द्वारा संसाधनों की ई-पुस्तकें तैयार की जाती हैं। एसआईई बहु-भाषाओं में और ई-पाठशाला वेबसाइट पर अपलोड है और इन्हें मोबाइल एप (एन्ड्रॉयड, आईओएस एवं विंडोस) के माध्यम से प्रदान किया जाता है। ई-पाठशाला को भारत सरकार के उमंग एप पर सूचीबद्ध/उपलब्ध कराया गया है जिसे जीसीसीएस-2017 के दौरान भारत के माननीय प्रधानमंत्री द्वारा 23 नवंबर, 2017 को शुरू किया गया था। अब तक, पोर्टल और मोबाइल एप पर 3311 ऑडियो और वीडियो, 650 ई-पुस्तक (ई-पब) और 504 फ्लिप पुस्तक उपलब्ध कराई गई हैं।

- **शगुन पोर्टल-एसएसए के कार्यान्वयन की निगरानी हेतु एक पहल :** शगुन (शाला और गुणवत्ता शब्दों से) नामक वेब पोर्टल के दो भाग हैं अर्थात भाग एक, प्रारंभिक शिक्षा पर अच्छी प्रथाओं, फोटोग्राफों, वीडियों, अध्ययन, समाचार पत्र आदि की शिक्षा पर राज्य/संघ राज्य क्षेत्र-वार रिपोजिटरी है। ये सार्वजनिक डोमेन में होंगें। इसका उद्देश्य सफलता की कहानियों का प्रदर्शन करना और साथ ही स्टेकहोल्डरों को एक-दूसरे से सीखने के लिए एक प्लेटफार्म प्रदान करना भी है। इससे सभी राज्यों और संघ राज्य क्षेत्रों के बीच एक सकारात्मक प्रतिस्पर्धा का भाव भी आयेगा। इसके दूसरे भाग का संबंध राज्यों और संघ राज्य क्षेत्रों द्वारा कार्यान्वित एसएसए की ऑनलाइन मॉनीटरिंग से है और यह सभी सरकारी अधिकारियों की पहुंच में होगा।

- **शाला कोश :** शालाकोश स्कूल डाटा की एक रिपोजिटरी है। स्कूलों के लिए शाला कोश का उद्देश्य स्कूलों में अकादमिक कार्यों और गैर-अकादमिक प्रशासनिक कार्यों में व्यर्थ किए जाने वाले समय को कम करना, स्कूल प्रचालनों को सुगम बनाना और प्रशासनिक बोझ को कम करना है। स्कूलों में शाला कोश एप्लीकेशन स्कूलों के दैनिक कार्य संचालन में सहायक होगी।

- **राष्ट्रीय मुक्त शैक्षिक संसाधन रिपोजिटरी (एनआरओईआर) :** शिक्षकों और छात्रों का मुक्त स्रोत सामग्री के रूप में डिजिटल संसाधन मुहैया कराना। डिजिटल संसाधनों के विकास और उन्हें साझा करने में समुदाय की प्रतिभागिता सुनिश्चित करना। विभिन्न भारतीय भाषाओं में डिजिटल संसाधनों को अपनाने और उनके सृजन को सहज बनाना।

- **सारांश :** सारांश स्कूलों और अभिभावकों के लिए व्यापक आत्म-समीक्षा करने हेतु सीबीएसई द्वारा विकसित एक साधन है। यह स्कूलों, राज्य, क्षेत्र और राष्ट्रीय स्तर के भीतर छात्रों के प्रदर्शन का पता लगाने के लिए एक डाटा संचालित विश्लेषणात्मक समाधान है।

(ख) वित्तीय वर्ष 2015-16, 2016-17 और 2017-18 के दौरान स्वयम, स्वयम प्रभा, राष्ट्रीय डिजिटल पुस्तकालय (एनडीएल), ई-पाठशाला और राष्ट्रीय मुक्त शैक्षिक संसाधन रिपोजटरी (एनआरओईआर) योजनाओं में व्यय की गई राशि निम्नानुसार है:—

क्र. सं.	योजना का नाम	2015-16	2016-17	2017-18
1.	स्वयम	52.00	61.00	63.00
2.	स्वयम प्रभा	0	0	83.43
3.	राष्ट्रीय डिजिटल पुस्तकालय (एनडीएल)	4.97	9.71	10.00
4.	ई-पाठशाला और राष्ट्रीय मुक्त शैक्षिक संसाधन रिपोजटरी (एनआरओईआर)	0.8968	0	1.09

(ग) यूजीसी ने इंटरनेट का प्रयोग करके इंट्रैक्टिव प्रौद्योगिकी के माध्यम से, ऑनलाइन पद्धति द्वारा प्रमाणपत्र या डिप्लोमा या डिग्री प्रदान करने के लिए अनुदेशों के न्यूनतम मानकों के संबंध में दिनांक 04 जुलाई, 2018 को विनियम अधिसूचित किए हैं।

[हिन्दी]

महाराष्ट्र सरकार से प्रस्ताव

1875. प्रो. रविन्द्र विश्वनाथ गायकवाड़ : क्या **जनजातीय कार्य मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) गत तीन वर्षों के दौरान महाराष्ट्र सरकार द्वारा केंद्र सरकार के अनुमोदनार्थ संस्तुत प्रस्तावों का कुल ब्यौरा क्या है; और

(ख) प्राप्त हुए प्रस्तावों में से अनुमोदित प्रस्तावों का ब्यौरा क्या है और उक्त अवधि के दौरान इस प्रयोजनार्थ कितनी मात्रा में धनराशि जारी की गई है?

जनजातीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री जसवंत सिंह सुमनभाई भाभोर) : (क) और (ख) जनजातीय कार्य मंत्रालय ने जनजातीय लोगों के कल्याण के लिए निम्नलिखित योजनाओं नामत: (i) जनजातीय उप-योजना को विशेष केंद्रीय सहायता (टीएसएस को एससीए); (ii) संविधान के अनुच्छेद 275(1) के तहत अनुदान; (iii) विशेष रूप से कमजोर जनजातीय समूह (पीवीटीजी) का विकास; (iv) मैट्रिकोत्तर छात्रवृत्ति; (v) न्यूनतम समर्थन मूल्य (एमएसपी) के माध्यम से लघु वन उत्पाद (एमएफपी) के विपणन के लिए तंत्र ओर एमएफपी के लिए मूल्य श्रृंखला का विकास; (vi) राष्ट्रीय/राज्य अनुसूचित जनजाति वित्त एवं विकास निगमों (एनएसटीएफडीसी/एसटीएफडीसी) को समर्थन; और (vii) अनुसूचित जनजाति के कल्याणार्थ कार्यरत स्वैच्छिक संगठनों को सहायता अनुदान और कम साक्षरता वाले जिलों में अजजा बालिकाओं के बीच शिक्षा का सुदृढ़ीकरण के तहत महाराष्ट्र राज्य सरकार से प्रस्ताव प्राप्त किए थे। राज्य सरकारों से प्रस्ताव प्राप्त होते हैं और योजनाओं/कार्यक्रमों के तहत निर्धारित दिशा-निर्देशों/निकायों के अनुसार अनुदानों की निर्मुक्ति के लिए मंत्रालय (परियोजना मूल्यांकन समिति) द्वारा इन पर विचार किया जाता है। इन योजनाओं के तहत महाराष्ट्र राज्य सरकार से गत तीन वर्षों के दौरान प्राप्त प्रस्तावों, जहां उपलब्ध हो, और निर्मुक्त राशि के ब्यौरे संलग्न विवरण-I से III में दिए गए हैं।

विवरण-I

गत तीन वर्षों के दौरान महाराष्ट्र सरकार से प्राप्त प्रस्ताव और मंत्रालय द्वारा जारी राशि के ब्यौरे

(लाख रुपए में)

क्र.सं.	योजना/कार्यक्रम का नाम	निर्मुक्त निधियां		
		2015-16	2016-17	2017-18
1.	टीएसएस को एससीए	12514.91	9547.00	13760.38
2.	संविधान के अनुच्छेद 275(1) के तहत अनुदान	13374.00	11536.53	13862.24
3.	पीवीटीजी का विकास	0.00	2077.00	1226.25
	कुल	25888.91	23160.53	28848.57

विवरण-II

(लाख रुपए में)

योजना का नाम	वर्ष	प्राप्त प्रस्ताव	महाराष्ट्र राज्य सरकार द्वारा रिपोर्ट किया गया कुल व्यय	केंद्रीय अंश (75%)	निर्मुक्त निधि
अजजा विद्यार्थियों के लिए मैट्रिकोत्तर छात्रवृत्ति	2015-16	25798.55	19027.00	14270.36	14121.87
	2016-17	24851.51	17239.95	12929.96	12921.16
	2017-18	22411.94	23671.05	17753.29	5556.75 (25.07.2018 तक)

विवरण-III

(लाख रुपए में)

योजना का नाम	वर्ष	प्राप्त प्रस्तावों की संख्या	निर्मुक्त सहायता अनुदान
अनुसूचित जनजाति के कल्याणार्थ कार्यरत स्वैच्छिक संगठनों को सहायता अनुदान और कम साक्षरता वाले जिलों में अजजा बलिकाओं के बीच शिक्षा का सुदृढ़ीकरण	2015-16	31	33.77
	2016-17	26	361.34
	2017-18	21	527.34

उपर्युक्त के अलावा, 'न्यूनतम समर्थन मूल्य (एमएसपी) के माध्यम से लघु वन उत्पाद (एमएफपी) के विपणन के लिए तंत्र और एमएफपी के लिए मूल्य शृंखला का विकास' के तहत एक प्रस्ताव और 'राष्ट्रीय/राज्य अनुसूचित जनजाति वित्त एवं विकास निगमों (एनएसटीएफडीसी/एसटीएफडीसी) को समर्थन' योजना के तहत दो प्रस्ताव वित्तीय वर्ष 2017-18 के दौरान महाराष्ट्र राज्य सरकार से प्राप्त किए गए हैं। इन प्रस्तावों में कमी पाई गई थी।

[अनुवाद]

जनजातीय सहकारी विपणन विकास संघ

1876. श्री तेज प्रताप सिंह यादव :
श्रीमती अंजू बाला :

क्या **जनजातीय कार्य मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या जनजातियों द्वारा निर्मित उत्पादों के विपणन के लिए सरकार ने जनजातीय सहकारी विपणन विकास संघ का गठन किया है और यदि हां, तो कार्यकरण, सदस्य संघों सहित तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ख) क्रियान्वित की जा रही परियोजनाओं/योजनाओं स्वीकृत निधियों और अब तक प्राप्त की गई भौतिक उपलब्धि/प्रगति का राज्य-वार ब्यौरा क्या है;

(ग) गत तीन वर्षों के दौरान ट्राइफेड द्वारा खरीदे गए जनजातीय उत्पादों की खरीद पर व्यय की गई राशि तथा उससे अर्जित राशि का राज्य-वार ब्यौरा क्या है;

(घ) संघ को हुए कुल लाभ/हानि का वर्ष-वार ब्यौरा क्या है;

(ङ) क्या ट्राइफेड जनजातियों के सामाजिक-आर्थिक विकास पर बहुत प्रभाव डालने में सफल रहा है और यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं; और

(च) क्या सरकार ने ट्राइफेड के कार्यकरण को और प्रभावी बनाने हेतु इसकी समीक्षा की है और यदि हां, तो इस संबंध में सरकार द्वारा क्या कदम उठाए जा रहे हैं?

जनजातीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री जसवंतसिंह सुमनभाई भाभोर) : (क) जी, हां। ट्राइफेड की स्थापना जनजातीय उत्पादों जिन पर जनजातीय लोगों का जीवन अत्याधिक निर्भर हैं, के विपणन और विकास के रूप में देश में जनजातीय लोगों के सामाजिक-आर्थिक विकास के उद्देश्य के साथ की गई हैं जिस पर अपना अधिकांश समय व्यतीत करते हैं तथा अपनी आय का प्रमुख भाग प्राप्त करते हैं। ट्राइफेड का कार्य ज्ञान, सूचना के उपकरण एवं पूल के साथ जनजातीय लोगों को सशक्त करना है ताकि वे अपने प्रचालन और अधिक व्यवस्थित तथा वैज्ञानिक रूप में कर सकें। इस दृष्टिकोण में संवेदनशीलता, स्वयं सहायता समूहों (एसएचजी) के गठन और विशेष कार्यकलाप करने के लिए उन्हें प्रशिक्षण देने, राष्ट्रीय के साथ-साथ अंतर्राष्ट्रीय बाजारों में विपणन की संभावनाओं को बढ़ाने, निरंतर आधार पर जनजातीय उत्पादों के विपणन को बढ़ाने, उचित आधार पर जनजातीय उत्पादों के विपणन के लिए अवसरों के सृजन और ब्रांड निर्मित करने के माध्यम से जनजातीय लोगों का क्षमता निर्माण शामिल है। ट्राइफेड के सदस्य संघ संलगन विवरण-I में दिए गए हैं।

(ख) आवश्यक ब्यौरे संलगन विवरण-II में दिए गए हैं।

(ग) आवश्यक ब्यौरे संलगन विवरण-III में दिए गए हैं।

(घ) वर्ष 2014-15 और बाद के लिए संघ को हुए कुल लाभ/हानि के वर्ष-वार ब्यौरे निम्नानुसार हैं:—

क्र. सं.	वर्ष	अर्जित शुद्ध लाभ (व्यय पर आय) (लाख रुपए में)
1	2	3
1.	2014-15	258.28

1	2	3
2.	2015-16	491.55
3.	2016-17	1297.69
4.	2017-18	67.62

(ङ) ट्राइफेड ने अपने विभिन्न क्रियाकलापों के माध्यम से जनजातीय लोगों के सामाजिक-आर्थिक विकास पर महत्वपूर्ण प्रभाव डाला है।

(घ) जी, नहीं।

विवरण-I

ट्राइफेड के सदस्य संघ

1. मैसर्स राष्ट्रीय सहकारी विकास निगम,
4, सिरी इंस्टीट्यूशनल एरिया,
नई दिल्ली-110016,
011-26510314 (का.), 26962370 (फैक्स)

2. मैसर्स भारतीय राष्ट्रीय कृषि सहकारी विपणन संघ लि.,
नाफेड हॉउस, 1, सिद्धार्थ एन्कलेव,
आश्रम चोक,
नई दिल्ली-110014,
011-26341807/26344293 (का.), 26340019 (पीबीएक्स)
011-26340261/26343261 (फैक्स)

3. मैसर्स ओडिशा जनजातीय विकास सहकारी निगम लि.,
टीडीसीसीओएल भवन,
रुपाली चौक, शहीद नगर,
भुवनेश्वर-751001 (ओडिशा),
0674-2542475/2542530/2542617 (का.)
0674-2544828 (फैक्स)

4. मैसर्स गिरीजन सहकारी निगम लि.,
इस्ट प्वाइंट कॉलोनी, वुडा पार्क के सामने,
विशखापट्टनम-530023 (आंध्र प्रदेश),
0891-2796164 (का.), 0891-2796345/23395799 (फैक्स)

5. मैसर्स झारखंड राज्य सहकारी लाख विपणन संघ लि.,
पुरुलिया,
रांची-834001 (झारखंड),
0651-2532485/2532997 (का.), 2532997/2532485 (फैक्स)

6. मैसर्स मध्य प्रदेश लघु वन उपज व्यापार एवं विकास सहकारी संघ लि.,
74, बंगलो, इंदिरा निकुंज, खेल परिसर,
भोपाल (मध्य प्रदेश),
0755-2674202 (का.), 0755-2552628 (फैक्स)

7. मैसर्स राजस्थान जनजातीय क्षेत्र विकास सहकारी संघ लि.,
जनजातीय विकास भवन, प्रतापनगर,
उदयपुर-313001 (राजस्थान),
0294-2490345/2412599 (का.), 2491740 (पीबीएक्स)
0294-2523499 (फैक्स)

8. मैसर्स गुजरात राज्य वन विकास निगम लि.,
"वन गंगा", 78-अलकापुरी,
वडोदरा-390007 (गुजरात),
0265-2355291 (का.), 0265-2355292-94 (पीबीएक्स),
0265-2355292-94 (टेलीफैक्स)

9. मैसर्स महाराष्ट्र राज्य सहकारी जनजातीय विकास निगम लि.,
आदिवासी विकास भवन, 2 तल,
राम गनेश गडकरी चौक,
पुराना आगरा रोड,
नासिक-422002 (महाराष्ट्र)
0253-2576860/2572916, 2571560 (फैक्स)

10. मैसर्स पश्चिम बंगाल सहकारी निगम लि.,
सिद्धू कानू भवन,
केबी-18, सेक्टर-III, विधान नगर,
कोलकाता-700069 (पश्चिम बंगाल),
033-23351832/23351918 (का.), 033-23351935 (फैक्स)

11. मैसर्स तमिलनाडु सहकारी विपणन संघ लि.,
91, सेंट मेरी रोड,
चेन्नई-600018 (तमिलनाडु),
044-24933054 (का.), 044-24936205/24936046 (फैक्स)

12. त्रिपुरा राज्य सहकारी विपणन संघ लि.,
बदरघाट,
डाकघर:- सिद्धि आश्रम,
अगरतला-799001 (त्रिपुरा),
0381-2375017/2375018 (का.),
0381-2374872/2375017 (फैक्स)

13. मैसर्स बिहार राज्य वन विकास निगम लि.,
पुराना सचिवालय,
पटना-800023 (बिहार)

14. हिमाचल वन लिमिटेड,
वन निगम भवन,
एसडीए कॉम्पलेक्स, कसूम्पती,
शिमला-171009 (हिमाचल प्रदेश),
0177-2622457 (का.), 2621183 (फैक्स)

15. असम सामान्य जनजातीय विकास निगम लि.,
गणेश मार्केट, चेराली,
गणेशपुर, पी.ओ.-दिसपुर,
गुवाहाटी-781005 (असम),
0361-2201558 (का.)

16. मैसर्स मध्य प्रदेश राज्य सहकारी विपणन संघ लि. (मार्कफेड),
जहांगीराबाद,
भोपाल (मध्य प्रदेश),
0755-2678463-68 (का.), 0755-2678495/2678449 (फैक्स)

17. मैसर्स अरनोड ब्रुकुट कृषि बहु उद्देश्य सहकारी समिति लि.,
अरनोड,
जिला, चित्तौढ़गढ़ (राजस्थान),
09413584836

18. मैसर्स वसुंधरा वृक्ष वनवादी जलसिंचन विकास सहकारी मंडली लि.,
वृंदावन परिसर, लच्छाकड़ी, त.-वंसदा
जिला नवसारी-396580 (गुजरात),
02630-244179/244096 (का.),
02630-244046/244005 (फैक्स)

19. मैसर्स संतपुर वृहद क्षेत्र बहुउद्देशीय सहकारी समिति लि.,
ग्राम-अखरा भट्टा,
त०-आबू रोड,
जिला-सिरोही-302076 (राजस्थान)
मोबाइल-9784591555

20. मैसर्स टोडाभीम कार्य-विक्रय सहकारी समिति लि.,
टोडाभीम
करोली (राजस्थान),
07461-230301 (का.)

21. मैसर्स कर्नाटका राज्य लैम्प्स संघ लि.,
सहकारी भवन, 100 फीट रोड,
मैसूर (कर्नाटक),
0821-2441710 (का.), 2520823 (फैक्स)

22. मैसर्स अत्रु क्रय विक्रय सहकारी समिति लि.,
अत्रु, **जिला बारन-325318 (राजस्थान),**
07451-240232 (का.)

23. मैसर्स छत्तीसगढ़ राज्य लघु वन उपज (व्यापार एवं विकास) सहकारी संघ लि.,
ए-25, वीआईपी स्टेट, शंकर नगर,
रायपुर-492007 (छत्तीसगढ़),
0771-4065100/4065104 (का.)
0771-2283594 (फैक्स)

24. मैसर्स लाहौल आलू उत्पादक सहकारी विपणन सह-प्रसंस्करण समिति लि.,
पीओ-मनाली,
जिला-कुल्लु (हिमाचल प्रदेश),
01902-252346, 253047, 253048 (का.),
01902-253047 (फैक्स)

25. मैसर्स किन्नौर जिला सहकारी विपणन एवं उपभोक्ता संघ लि.,
तपरी (हिमाचल प्रदेश),
01786-261202 (का.)

26. मैसर्स हिमगिरी बहुउद्देश्य सहकारी समिति लि.,
बी सेक्टर, पुलिस थाने के पास,
नहरलगुन, अरुणाचल प्रदेश,
0360-2351043 (का.)

27. कुडंली वृहद आकार बहुउद्देशीय सहकारी समिति लि.,
एट/पीओ-कुंडली, वाया सेमलीगुडा,
जिला-कोरापुट-764036 ओडिशा,
06853-225017 (का.)

28. झारखंड राज्य लघु वन उत्पाद सहकारी विकास तथा विपणन निगम लि., 2 तल,
कृषि विपणन बोर्ड,
इटकी रोड, हेहल भवन,
रांची-834005 (झारखंड),
0651-2510307/2010307 (का.)

विवरण-II

(1) जनजातीय उत्पाद/उपज के विकास तथा विपणन के लिए संस्थागत समर्थन (केन्द्रीय क्षेत्र की योजना)

1. इस योजना के तहत राज्य जनजातीय विकास सहकारी निगमों (एसटीडीसीसी) तथा भारतीय जनजातीय सहकारी विपणन विकास संघ लिमिटेड (ट्राइफेड) जो जनजातीय कार्य मंत्रालय (एमओटीए) के अधीन बहुत राज्य सहकारी है, को सहायता अनुदान निर्मुक्त किया जाता है।

2. इस योजना का कार्य क्षेत्र निम्नानुसार है:—

   (i) विभिन्न जनजातियों से संबंधित लोगों को उत्पादन की सम्पूर्ण श्रृंखला, उत्पादन विकास, परम्परागत विकास में संरक्षण, जनजातीय लोगों के वन तथा कृषीय दोनों उपज का समर्थन उपर्युक्त कार्यकलाप करने के लिए संस्थानों को समर्थन, बेहतर अवसंरचना के प्रावधान, डिजाइनों का विकास, मूल्य तथा एजेंसियों जो उत्पाद खरीद रही हैं, के बारे में सूचना का प्रसार निरंतर विपणन के लिए सहकारी एजेंसियों को समर्थन जिसके द्वारा उपयुक्त मूल्य व्यवस्था सुनिश्चित करने में सम्पूर्ण समर्थन देना है।

   (ii) ग्राम पंचायतों तथा ग्राम सभाओं के साथ सूचना की साझेदारी।

   (iii) बाजार में मूल्य में वृद्धि के लिए उत्पादों की उपयोगिता का विकास, कौशल उन्नयन।

3. इस योजना का उद्देश्य उन कार्यकलापों जिन पर वे अपनी आजीविका के लिए निर्भर हैं, के विपणन तथा विकास समर्थन हेतु अनुसूचित जनजातियों के लिए संस्थाओं का सृजन करना है। इन्हें विशेष उपायों जैसे (i)-बाजार हस्तक्षेप, (ii)-जनजातीय कारीगरों, शिल्पकारों, लघुवन उत्पाद (एमएफपी) संग्रहकर्ताओं आदि का प्रशिक्षण तथा कौशल उन्नयन, (iii)-आरएण्डडी/आईपीआर कार्यकलाप तथा (iv)-आपूर्ति श्रृंखला अवसंरचना विकास उपलब्ध कराए जाने की व्यवस्था की जाती है।

गत चार वर्षों के दौरान 'जनजातीय उत्पाद/उपज के विकास तथा विपणन के लिए संस्थागत समर्थन' योजना के तहत राज्यों/ट्राइफेड द्वारा जारी

(लाख रुपए में)

क्र.सं.	राज्य का नाम	2014-15	2015-16	2016-17	2017-18	2018-19
1	2	3	4	5	6	7
1.	आंध्र प्रदेश	—	—	—	—	—
2.	असम	—	—	—	—	—
3.	अरुणाचल प्रदेश	—	—	—	—	—
4.	बिहार	—	—	—	—	—
5.	छत्तीसगढ़	232.00	—	—	—	—
6.	गुजरात	—	—	—	—	—
7.	हिमाचल प्रदेश	—	—	—	—	—
8.	कर्नाटक	—	—	—	—	—
9.	केरल	206.77	—	—	—	—
10.	मध्य प्रदेश	—	—	—	—	—

1	2	3	4	5	6	7
11.	महाराष्ट्र	—	—	—	—	—
12.	मणिपुर	—	—	—	—	—
13.	मेघालय	—	—	—	—	—
14.	ओडिशा	138.30	148.13	—	—	—
15.	राजस्थान	56.00	—	43.43	—	—
16.	त्रिपुरा	119.93	310.98	351.10	201.48	—
17.	पश्चिम बंगाल	356.00	—	431.47	—	—
18.	मिजोरम	—	—	174.00	—	—
19.	ट्राइफेड	3500.00 (418.37 लाख रुपए की शेष राशि के समायोजन के पश्चात्)	3500.00 (474.39 लाख रुपए की शेष राशि के समायोजन के पश्चात्)	3900.00	3900.00	2250.00

(2) लघु वन उत्पाद संग्रहकर्ताओं को सामाजिक सुरक्षा के उपाय के रूप में 'न्यूनतम समर्थन मूल्य' (एमएसपी) के माध्यम से लघु वन उत्पाद के विपणन हेतु तंत्र तथा एमएफपी के लिए मूल्य शृंखला का विकास (केन्द्रीय प्रायोजित योजना)

1. इस मंत्रालय ने वर्ष 2013-14 से लघु वन उत्पाद संग्रहकर्ताओं जो अनुसूचित जनजातियों के सदस्य और अन्य परम्परागत वन निवासी हैं तथा जिनकी आजीविका एमएफपी के संग्रह और बिक्री पर निर्भर है, की सामाजिक सुरक्षा के उपाय के रूप में 'न्यूनतम समर्थन मूल्य (एमएसपी) के माध्यम से लघु वन उत्पाद (एमएफपी) के विपणन हेतु तंत्र तथा एमएफपी के लिए मूल्य शृंखला का विकास' की केन्द्रीय प्रायोजित योजना शुरू की है।

2. यह योजना संग्रहण, प्राथमिक प्रसंस्करण, भंडारण, पैकेजिंग, परिवहन, आदि में उनके प्रयासों के लिए उचित आर्थिक लाभ सुनिश्चित करने की प्रणाली स्थापित करने की व्यवस्था करती है। यह घटती लागत के साथ बिक्री प्रक्रियाओं में उन्हें राजस्व की हिस्सेदारी प्राप्त करने की भी व्यवस्था करती है। इसका लक्ष्य प्रक्रिया को निरन्तरता के लिए अन्य मुद्दों का समाधान करना भी है।

3. यह योजना चयनित एमएफपी के लिए न्यूनतम समर्थन मूल्य के निर्धारण तथा घोषणा की परिकल्पना करती है। पूर्व निर्धारित एमएसपी पर खरीद एवं विपणन प्रचालन पदनामित राज्य एजेंसियों द्वारा किए जाएंगे। इसके साथ-साथ अन्य मध्यम और दीर्घवधि मुद्दों जैसे निरन्तर संग्रह, मूल्य संवर्धन, अवसंरचना विकास, एमएफपी का ज्ञान आधारित प्रसार, बाजार आसूचना विकास, ग्राम सभा/पंचायत की मोलभाव की शक्ति के सुदृढ़ीकरण का भी समाधान किया जाएगा।

4. आरंभ में यह योजना संविधान की अनुसूची-V के तहत क्षेत्रों वाले राज्यों में कार्यान्वित की गई थी तथा दस एमएफपी मदें शामिल थीं। तथापि, हाल ही में 'न्यूनतम समर्थन मूल्य (एमएसपी) के माध्यम से लघु वन उत्पाद (एमएफपी) के विपणन हेतु तंत्र तथा एमएफपी के लिए मूल्य शृंखला का विकास' योजना में दिशा-निर्देशों को विभिन्न हितधारियों और ट्राइफेड के साथ चर्चा उपरांत संशोधित किया गया है तथा विद्यमान एमएफपी मदों के एमएसपी को संशोधित किया गया है सूची में चौदह और एमएफपी मदों को उन एमएसपी के साथ जोड़ा भी गया है।

2013-14 से 2017-18 तक "न्यूनतम समर्थन मूल्य (एमएसपी) के माध्यम से लघु वन उत्पाद के विपणन हेतु तंत्र तथा एमएफपी के लिए मूल्य श्रृंखला का विकास" योजना के तहत निर्मुक्त निधियों का राज्य-वार (ट्राइफेड सहित) विश्लेषण:—

(करोड़ रुपए में)

क्र.सं.	राज्य का नाम	2013-14	2014-15	2015-16	2016-17	2017-18
1	2	3	4	5	6	7
1.	ओडिशा	40.00	8.20	09.91	—	—
2.	गुजरात	5.00	—	—	—	—
3.	महाराष्ट्र	8.25	—	—	—	—
4.	राजस्थान	0.20	—	—	—	—
5.	झारखंड	24.15	4.64	18.32	—	—
6.	मध्य प्रदेश	34.89	—	—	—	—
7.	छत्तीसगढ़	—	80.16	73.50	—	0.89
8.	आंध्र प्रदेश	—	—	5.29	—	3.00
9.	मणिपुर	—	—	—	—	0.11
10.	नागालैंड	—	—	—	—	0.19
11.	उत्तर प्रदेश	—	—	—	—	2.40
12.	ट्राइफेड	—	7.00	10.67	2.00	2.00
	कुल	112.49	100.00	117.693	2.00	8.59

विवरण-III

जनजातीय उत्पादों की खरीद में खर्च की गई धनराशि और इससे सृजित धनराशि

क्रय मूल्य (लाख रुपए में)

क्र. सं.	कार्यालय	राज्य	2015-16	2016-17	2017-18	2018-19 (19.7.2018 तक)
1	2	3	4	5	6	7
1.	अहमदाबाद	गुजरात	24.055	32.74	52.3	39.22
2.	भोपाल	मध्य प्रदेश	79.785	68.37	185.69	90.46
3.	भुवनेश्वर	ओडिशा	60.632	25.64	74.72	32.43

1	2	3	4	5	6	7
4.	बेंगलूरु	कर्नाटक, तमिलनाडु, केरल	4.483	5.61	41.63	10.48
5.	देहरादून	उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश	119.213	68.84	98.309	106.45
6.	गुवाहाटी	उत्तर पूर्वी राज्य (सिक्किम को छोड़कर)	36.42	34.72	108.33	34.32
7.	गंगटोक	सिक्किम	27.24	39.11	14.88	4.6
8.	हैदराबाद	आंध्र प्रदेश और तेलंगाना	36.76	48.1	107.22	45.8
9.	जयपुर	राजस्थान	79.594	31.18	263.74	206.39
10.	जगदलपुर	छत्तीसगढ़	49.8196	64.26	105.34	25.1
11.	मुंबई	महाराष्ट्र	4.81	2.51	82.41	48.13
12.	दिल्ली	दिल्ली	184.333	69.18	180.61	5.63
13.	रांची	झारखंड	12.697	10.58	119.39	42.97
14.	चंडीगढ़	हिमाचल प्रदेश, जम्मू और कश्मीर तथा पंजाब	46.121	94.5	203.98	1.35
	कुल		765.963	595.34	1638.55	693.33

विक्रय मूल्य (लाख रुपए में)

क्र. सं.	कार्यालय	राज्य	2015-16	2016-17	2017-18	2018-19 (19.7.2018 तक)
1	2	3	4	5	6	7
1.	अहमदाबाद	गुजरात	5.837	7.61	11.82	3.836
2.	भोपाल	मध्य प्रदेश	162.664	142.35	224.41	45.23
3.	भुवनेश्वर	ओडिशा	11.754	11.99	25.2	6.986
4.	बेंगलूरु	कर्नाटक, तमिलनाडु, केरल	94.524	118.57	185.96	33.89
5.	देहरादून	उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश	198.66	154.79	241.15	65.58
6.	गुवाहाटी	उत्तर पूर्वी राज्य (सिक्किम को छोड़कर)	10.088	15.04	75.93	17.39
7.	गंगटोक	सिक्किम	73.288	77.47	39.72	8.15
8.	हैदराबाद	आंध्र प्रदेश और तेलंगाना	45.094	61.25	115.06	35.73

1	2	3	4	5	6	7
9.	जयपुर	राजस्थान	42.675	18.14	173.96	54.68
10.	जगदलपुर	छत्तीसगढ़	0.672	1.71	15.24	10.548
11.	मुंबई	महाराष्ट्र	58.097	63.43	88.7	25.45
12.	दिल्ली	दिल्ली	459.905	338.07	552.85	81.78
13.	रांची	झारखंड	20.651	24.26	118.11	19.99
14.	चंडीगढ़	हिमाचल प्रदेश, जम्मू और कश्मीर तथा पंजाब	48.59	102.43	133.89	41.76
	कुल		1232.5	1137.11	2002.00	451.00

महिला कॉलेज/विश्वविद्यालय

1877. श्री गोकाराजू गंगा राजू : क्या मानव संसाधन विकास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) देश में कला, विज्ञान, वाणिज्य और चिकित्सा विज्ञान संबंधी विषय पढ़ाने वाले राज्य-वार/संघ राज्य क्षेत्र-वार कुल कितने महिला कॉलेज/विश्वविद्यालय प्रचालन में हैं;

(ख) क्या सरकार महिलाओं के लिए कॉलेजों/विश्वविद्यालयों की कमी को देखते हुए छात्रावास सहित और अधिक कॉलेज/विश्वविद्यालय खोलने पर विचार कर रही है और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या सरकार सरकारी-निजी भागीदार (पीपीपी) पद्धति से महिलाओं के लिए भवन-निर्माण की भी योजना बना रही है; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

मानव संसाधन विकास मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा जल संसाधन, नदी विकास और गंगा संरक्षण मंत्रालय में राज्य मंत्री (डॉ. सत्यपाल सिंह) : (क) और (ख) विश्वविद्यालय अनुदान आयोग (यूजीसी) ने सूचित किया है कि यूजीसी अधिनियम, 1956 की धारा 2(च) और 12(ख) के अंतर्गत देश में 522 महिला कॉलेज सहित 14 महिला विश्वविद्यालय/सम विश्वविद्यालय हैं। विश्वविद्यालयों और कॉलेजों की राज्य-वार सूची संलग्न विवरण पर है।

शिक्षा, संविधान की समवर्ती सूची का विषय होने के नाते, नई संस्थाएं स्थापित करने का दायित्व केन्द्र और राज्य सरकारों दोनों का है। तथापि, केन्द्र सरकार का मुख्य जोर मौजूदा संस्थाओं के समेकन और क्षमता निर्माण पर है। इसके अतिरिक्त, यूजीसी ने सूचित किया है कि उसके द्वारा महिला छात्रावासों का अलग से डाटा नहीं रखा जाता है।

(ग) और (घ) विश्वविद्यालय अपने शैक्षिक और प्रशासनिक मामलों से संबंधित निर्णय लेने के लिए स्वतंत्र हैं।

विवरण

विश्वविद्यालयों और कॉलेजों की राज्य-वार सूची

क्र. सं.	राज्य का नाम	विश्वविद्यालयों की संख्या	कॉलेजों की संख्या
1	2	3	4
1.	आंध्र प्रदेश	1	41
2.	अरुणाचल प्रदेश	0	0
3.	असम	1	2
4.	बिहार	0	7
5.	चंडीगढ़	0	4
6.	छत्तीसगढ़	0	0
7.	गोवा	0	1
8.	गुजरात	0	8
9.	दिल्ली	1	22

1	2	3	4
10.	हरियाणा	1	18
11.	हिमाचल प्रदेश	0	1
12.	जम्मू और कश्मीर	0	15
13.	झारखंड	0	4
14.	कर्नाटक	1	84
15.	केरल	0	13
16.	मध्य प्रदेश	0	4
17.	महाराष्ट्र	1	25
18.	मणिपुर	0	3
19.	मेघालय	0	1
20.	मिजोरम	0	1
21.	नागालैंड	0	0
22.	ओडिशा	1	43
23.	पुदुचेरी	0	4
24.	पंजाब	0	45
25.	राजस्थान	4	6
26.	सिक्किम	0	0
27.	तमिलनाडु	2	99
28.	तेलंगाना	0	36
29.	त्रिपुरा	0	1
30.	उत्तर प्रदेश	0	11
31.	उत्तराखंड	0	1
32.	पश्चिम बंगाल	1	22
	कुल	14	522

ईएसआई मेडिकल कॉलेज, पारिपल्ली

1878. **श्री कोडिकुन्नील सुरेश : क्या श्रम और रोजगार मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने केरल में पारिपल्ली के ईएसआई मेडिकल कॉलेज को हस्तांतरित करने का अंतिम निर्णय ले लिया है या यह अभी भी ईएसआईसी के ही अंतर्गत है; और

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और सरकार द्वारा इस संबंध में क्या कार्रवाई की गई है?

श्रम और रोजगार मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री संतोष कुमार गंगवार) : (क) और (ख) जी, हां। पारिपल्ली, केरल में प्रस्तावित एक समझौता ज्ञापन के अंतर्गत 12.10.2015 से ईएसआईसी मेडिकल कॉलेज की आधारभूत संरचना राज्य सरकार को हस्तांतरित कर दी गई है।

(ख) केंद्र सरकार द्वारा दी गई अनुमति के बाद केरल की राज्य सरकार ने 2016-17 से 100 वार्षिक दाखिलों के साथ एमबीबीएस पाठ्यक्रम की शुरूआत कर दी है।

[अनुवाद]

आदिवासी क्षेत्रों में स्वास्थ्य और शिक्षा प्रणाली

1879. **श्री हरिओम सिंह राठौड़ : क्या जनजातीय कार्य मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने आदिवासी क्षेत्रों में स्वास्थ्य और शिक्षा प्रणाली को मजबूत करने के लिए गंभी प्रयास किए हैं; और

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी राज्य/संघ राज्य क्षेत्र-वार ब्यौरा क्या है और सरकार द्वारा जनजातीय मामलों के समग्र विकास के लिए सरकारों को उत्साहित करने के लिए क्या कदम उठाए गए हैं?

जनजातीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री जसवंतसिंह सुमनभाई भाभोर) : (क) जी, हां।

(ख) भारत सरकार स्वास्थ्य एवं शिक्षा सहित विभिन्न क्षेत्रों में अनुसूचित जनजाति (अजजा) की जनसंख्या तथा अन्यों के बीच अंतरों को भरने के उद्देश्य के साथ जनजातीय उप-योजना को विशेष केन्द्रीय सहायता की योजना के तहत राज्य सरकारों/संघ राज्य क्षेत्रों को 100% अनुदान प्रदान करती है। इसी प्रकार संविधान के अनुच्छेद 275(1) के तहत शिक्षा एवं स्वास्थ्य सहित विभिन्न क्षेत्रों के लिए राज्य सरकारों को निधियां निर्मुक्त की जाती हैं। दूरस्थ क्षेत्रों में अनुसूचित जनजातियों को गुणवत्तापरक मिडिल एवं उच्च स्तरीय शिक्षा प्रदान करने के उद्देश्य के साथ एकलव्य आदर्श आवासीय विद्यालय (ईएमआरएस) इस योजना के तहत एक महत्वपूर्ण घटक है। छात्रावास, कोचिंग आदि प्रदान करते हुए शिक्षा व्यवस्था तथा अवसंरचना में वृद्धि के लिए भी राज्य सरकारों को निधियां प्रदान की जाती हैं।

उपरोक्त योजनाओं के दिशा-निर्देशों के अनुसार कुल निधि आवंटन का 10 से 15% दूरस्थ क्षेत्रों में सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र (सीएचसी)/प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र (पीएचसी), सचल औषधालय की भवन अवसंरचना में वृद्धि/सुदृढ़ीकरण, जनजातीय विद्यार्थियों के बीच सिकल सेल एनजीमिया जैसी गंभीर स्वास्थ्य समस्याओं के लिए जांच का आयोजन तथा स्वास्थ्य कार्ड का प्रावधान, मलेरिया, कुष्ठ रोग, टीबी आदि जैसी स्थानिक स्वास्थ्य समस्याओं को समाप्त करने पर ध्यान देने जैसे स्वास्थ्य क्षेत्र से संबंधित कार्यकलापों के लिए होना चाहिए।

ये योजना के दिशा-निर्देश वर्तमान भवन अवसंरचना में वृद्धि, सह-शिक्षा आवासीय विद्यालयों का निर्माण, बालिका एवं बालक छात्रवासों का निर्माण, आवासीय विद्यालयों में व्यावसायिक प्रशिक्षण केन्द्र, आईटी आधारित शिक्षा सुविधाएं/उपकरण आदि जैसे शिक्षा क्षेत्र से संबंधित कार्यकलापों के लिए भी कुल निधि आवंटन का 40-50% भाग प्रदान करते हैं।

उपरोक्त योजनाओं के तहत वर्ष 2018-19 के दौरान (26.07.2018 तक) शैक्षणिक कार्यकलापों के लिए 1348.55 करोड़ रुपये अनुमोदित किए गए वहीं स्वास्थ्य कार्यकलापों के लिए 218.88 करोड़ रुपये अनुमोदित किए गए।

"विशेष रूप से कमजोर जनजातीय समूहों (पीवीटीजी) का विकास" की योजना 18 राज्यों/अंडमान और निकोबार द्वीपसमूह के संघ राज्य क्षेत्र में अनुसूचित जनजातियों के बीच 75 चिन्हित पीवीटीजी को ऐसे कार्यकलापों के लिए भी प्रदान करती है।

विशेष रूप से अनुसूचित जनजाति के विद्यार्थियों के लिए लागू की जा रही विभिन्न छात्रवृत्ति/अध्येतावृत्ति की योजनाओं के तहत सरकार कक्षा IX तथा इससे उपर पढ़ने वाले अनुसूचित जनजाति के विद्यार्थियों के लिए रहने के खर्च सहित छात्रवृत्तियां प्रदान करती है। यह भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान, भारतीय प्रबंधन संस्थान, प्रतिष्ठित चिकित्सा महाविद्यालयों आदि जैसे चिन्हित उच्च स्तरीय संस्थानों में पढ़ने वाले अनुसूचित जनजाति के विद्यार्थियों को शामिल करती है। विदेशी मान्यता प्राप्त संस्थानों/विश्वविद्यालयों से उच्चतर अध्ययन करने के लिए प्रतिवर्ष अनुसूचित जनजाति के 20 विद्यार्थियों को छात्रवृत्तियां भी प्रदान की जाती हैं। वर्ष 2017-18 के दौरान इन छात्रवृत्ति/अध्येतावृत्ति योजनाओं के तहत करीब 1,787.45 करोड़ रुपये निर्मुक्त किए गए थे।

"कम साक्षरता वाले जिलों में अनुसूचित जनजाति की बालिकाओं के बीच शिक्षा के सुदृढ़ीकरण" की अपनी योजना के उद्देश्य के तहत चिन्हित जिलों या ब्लॉकों, ज्यादातर विशेष रूप से नक्सल प्रभावित क्षेत्रों में तथा प्राथमिक जनजातीय समूह के क्षेत्रों में जनजातीय बालिकाओं के 100% नामांकन की सुविधा प्रदान करते हुए सामान्य महिला जनसंख्या तथा अनुसूचित जनजाति की महिला जनसंख्या के बीच साक्षरता दरों में अंतरों को भरना एवं शिक्षा के लिए आवश्यक माहौल सृजित करते हुए प्राथमिक स्तर पर ड्रापआउट को कम करना है।

सामाजिक सुरक्षा कानून के अंतर्गत जुर्माना को मुद्रास्फीति से जोड़ना

1880. डॉ. के. गोपाल : क्या **श्रम और रोजगार मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच हे कि सरकार, सामाजिक सुरक्षा कानूनों के अंतर्गत नियोक्ता द्वारा श्रम-कानूनों के उल्लंघन की स्थिति में उन पर खुदरा मुद्रास्फीति के सापेक्ष आर्थिक दंड लगाने को अधिकृत रहेगी;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या यह भी सच है कि प्रारूप सामाजिक सुरक्षा संबंधी श्रम संहिता, 2018 में अपराधियों को सुधारने के लिए सामुदायिक सेवा की अवधारणा रखने का प्रावधान है; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

श्रम और रोजगार मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री संतोष कुमार गंगवार) : (क) से (घ) श्रम संबंधी द्वितीय राष्ट्रीय आयोग की सिफारिशों के अनुसरण में, मंत्रालय ने मौजूदा 15 केन्द्रीय श्रम कानूनों के संगत उपबंधों को सरल, समामेलित और तर्कसंगत बनाकर सामाजिक सुरक्षा संबंधी श्रम संहिता, 2018 का संशोधित प्रारूप तैयार किया है तथा उसे सभी हितधारकों की सूचनार्थ एवं केन्द्र सरकार और राज्य सरकारों द्वारा मान्यता प्राप्त नियोक्ता संगठनों, केन्द्रीय श्रमिक संघों से सुझाव/टिप्पणियां/जानकारियां आमंत्रित करने हेतु 01 मार्च, 2018 को मंत्रालय की वेबसाइट पर अपलोड कर दिया है।

उक्त संहिता का प्रारूप अन्य बातों के साथ, उपभोक्ता मूल्य सूचकांक में बदलाव से जुर्माने में संशोधन एवं सामुदायिक सेवा व्यवस्था का प्रावधान करता है। वर्तमान में, उक्त प्रारूप संहिता प्रारूप पूर्व-विधायी परामर्श चरण में है।

[हिन्दी]

गिरिडीह में पेट्रोल पम्प

1881. श्री रवीन्द्र कुमार राय : क्या **पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या झारखंड राज्य में कुबरी मोर से गिरिडीह तक कोडरमा-कोवद मार्ग पर भरकथा हटिया बाजार के पश्चात् तथा ईदगाह

नदी से पहले एवं गिरिडीह जिले में कसकटिया के आसपास कोई पेट्रोल पंप नहीं है तथा यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ख) क्या सरकार का विचार उपर्युक्त दोनों जगहों पर पेट्रोल पंप स्थापित करने का है तथा यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है तथा यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं; और

(ग) क्या सरकार को इस संबंध में किसी जन प्रतिनिधि या सामाजिक संगठन से कोई निवेदन/अभ्यावेदन प्राप्त हुआ है, यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है तथा इस पर क्या कार्रवाई की गई है/की जा रही है?

पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्री तथा कौशल विकास और उद्यमशीलता मंत्री (श्री धर्मेन्द्र प्रधान) : (क) से (ग) तेल विपणन कंपनियों (ओएमसीज) ने बताया है कि गिरीडीह की ओर जाने वाले कोडरमा-कोवाड रोड पर कुबरीमोड़ से लगभग 8 कि.मी. और कोडरमा-कोवाड रोड और भरकथा हटिया बाजार तथा ईदगाह नदी के बीच से लगभग 3 कि.मी. के भीतर कोई पेट्रोल पंप मौजूद नहीं है। तथापि, डा. रवीन्द्र कुमार राय, संसद सदस्य (लोक सभा) और ह्यूमन राइट्स रिडेम्पशन सोशल वेलफेयर एसोसिएशन ऑफ इंडिया, नई दिल्ली से प्राप्त संदर्भों के आधार पर, इन स्थलों पर खुदरा बिक्री केन्द्र स्थापित करने के लिए ओएमसीज द्वारा व्यवहार्यता अध्ययन किया गया है। इन स्थलों को व्यवहार्य पाया गया है और इन्हें ओएमसीज द्वारा विज्ञापन के अगले दौर में शामिल किया गया है।

नवोदय विद्यालय

1882. श्री कौशलेन्द्र कुमार : क्या मानव संसाधन विकास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) देश में अब तक चल रहे नवोदय विद्यालयों की संख्या कितनी है तथा इन विद्यालयों में पढ़ रहे विद्यार्थियों की संख्या कितनी है;

(ख) प्रत्येक नवोदय विद्यालय में विद्यार्थियों की कुल संख्या कितनी है;

(ग) देश में वर्तमान में निर्माणाधीन नवोदय विद्यालयों की संख्या कितनी है तथा उक्त विद्यालयों का संचालन कब तक शुरू किए जाने की संभावना है; और

(घ) क्या देश के प्रत्येक जिले में कम-से-कम एक नवोदय विद्यालय स्थापित किया गया है तथा यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

मानव संसाधन विकास मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री उपेन्द्र कुशवाहा) : (क) और (ख) वर्तमान में, देश में कुल 629 जवाहर नवोदय विद्यालय (जेएनवी) कार्य कर रहे हैं। कक्षा 6 से 12 तक के प्रत्येक जेएनवी की कुल स्वीकृत संख्या 560 छात्र है।

(ग) 93 जेएनवी के स्थायी भवनों का निर्माण कार्य विभिन्न चरणों में है। तथापि, छात्रों के हितों के मद्देनजर जेएनवी, रामपुर और जेएनवी, किफिरे जहां राज्य सरकारों ने कोई अस्थायी आवास प्रदान नहीं किया, को छोड़कर इन सभी जेएनवी को राज्य सरकारों/संघ राज्य क्षेत्रों द्वारा उपलब्ध कराए गए अस्थायी भवनों से कार्यात्मक कर दिया गया है।

(घ) देश में स्थापित जवाहर नवोदय विद्यालय का राज्य/संघ राज्य क्षेत्र-वार ब्यौरा संलग्न विवरण पर है।

विवरण

देश में जवाहर नवोदय विद्यालय का राज्य/ संघ राज्य क्षेत्र-वार ब्यौरा

क्र. सं.	राज्य/संघ राज्य क्षेत्र	वर्तमान में चल रहे जेएनवी की संख्या
1	2	3
1.	अंडमान और निकोबार द्वीपसमूह	03
2.	आंध्र प्रदेश	15
3.	अरुणाचल प्रदेश	16
4.	असम	27
5.	बिहार	39
6.	चंडीगढ़	01
7.	छत्तीसगढ़	28
8.	दादरा और नगर हवेली	01
9.	दमन और दीव	02
10.	दिल्ली	02
11.	गोवा	02
12.	गुजरात	30
13.	हरियाणा	21

1	2	3
14.	हिमाचल प्रदेश	12
15.	जम्मू और कश्मीर	18
16.	झारखंड	26
17.	कर्नाटक	31
18.	केरल	14
19.	लक्षद्वीप	01
20.	मध्य प्रदेश	53
21.	महाराष्ट्र	34
22.	मणिपुर	11
23.	मेघालय	08
24.	मिजोरम	08
25.	नागालैंड	11
26.	ओडिशा	31
27.	पुदुचेरी	04
28.	पंजाब	21
29.	राजस्थान	35
30.	सिक्किम	04
31.	तेलंगाना	09
32.	त्रिपुरा	06
33.	उत्तर प्रदेश	73
34.	उत्तराखंड	13
35.	पश्चिम बंगाल	19
	कुल	629

तमिलनाडु राज्य द्वारा नवोदय विद्यालय योजना को अभी स्वीकार किया जाना है। जेएनवी को केन्द्रीय दिल्ली, नई दिल्ली, मुम्बई, मुम्बई उप-नगर, हैदराबाद, कोलकाता जिलों में स्वीकृत नहीं किया गया है क्योंकि इन जिलों में ग्रामीण आबादी नहीं है।

[अनुवाद]

उप-क्षेत्रीय विज्ञान केन्द्र की स्थापना

1883. **श्रीमती रीता तराई :** क्या **संस्कृति मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का देश के विभिन्न राज्यों के प्रत्येक जिले में विज्ञान केन्द्रों का निर्माण/स्थापना करने का विचार है;

(ख) यदि हां, तो गुजरात और राजस्थान सहित तत्संबंधी राज्य-वार और जिला-वार ब्यौरा क्या है;

(ग) इस संबंध में सरकार द्वारा आवंटित धनराशि का राज्य/संघ राज्य क्षेत्र-वार ब्यौरा क्या है और उक्त विज्ञान केन्द्रों का निर्माण/स्थापना कब तक किए जाने की संभावना है;

(घ) क्या क्योंझर, जैपुर और खण्डापद में उप-क्षेत्रीय विज्ञान केन्द्रों की स्थापना के लिए ओडिशा राज्य की सरकार द्वारा राष्ट्रीय विज्ञान संग्रहालय परिषद् (एनसीएसएम), कोलकाता और संस्कृति मंत्रालय को भेजा गया प्रस्ताव सरकार के पास लंबित पड़ा हुआ है; और

(ङ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और उक्त प्रस्ताव को कब तक अनुमोदन/अंतिम रूप दिए जाने की संभावना है?

संस्कृति मंत्रालय के राज्य मंत्री तथा पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय में राज्य मंत्री (डॉ. महेश शर्मा) : (क) संस्कृति मंत्रालय विज्ञान की संस्कृति के संवर्धन की स्कीम (एसपीओसीएम) संचालित करता है जिसमें देश के सभी राज्यों में विज्ञान शहरों और विज्ञान केन्द्रों की स्थापना का प्रावधान है और यह कार्य इस उद्देश्य के लिए धनराशि की उपलब्धता पर निर्भर करता है। इस स्कीम का लाभ प्राप्त करने के इच्छुक राज्यों को भूखंड प्रदान करना होता है और सुविधाओं की स्थापना हेतु लागत के साथ-साथ रखरखाव एवं देखरेख के लिए समूह निधि (कार्पस) में हिस्सेदारी करनी होती है।

(ख) गुजरात और राजस्थान राज्य सहित विज्ञान केन्द्रों की राज्य-वार और जिला-वार सूची संलग्न विवरण-I में दी गई है।

(ग) आवंटित निधियों सहित स्थापित किए जा रहे विज्ञान केन्द्रों की सूची संलग्न विवरण-II में दी गई है।

इस स्कीम में ऐसी कोई विशिष्ट समय-सीमा निर्धारित नहीं की गई है जिसके भीतर प्रत्येक राज्य/संघ राज्य क्षेत्र में विज्ञान शहर/विज्ञान केन्द्र स्थापित किए जाने हैं क्योंकि विज्ञान शहर/विज्ञान केन्द्र स्थापित किया जाना भूमि, निधि आदि जैसी आवश्यकताओं को पूरा करने की प्रतिबद्धताओं सहित राज्य सरकार से प्रस्ताव की प्राप्ति पर निर्भर करता

है। एसपीओसीएम के अनुसार, विज्ञान केन्द्र (श्रेणी-I), विज्ञान केन्द्र (श्रेणी-II) और विज्ञान केन्द्र (श्रेणी-III) के संबंध में अनुमानित परियोजना समयावधि- भवन निर्माण का कार्यदेश देने की तारीख से क्रमशः 34 माह, 27 माह और 24 माह है।

(घ) संस्कृति मंत्रालय में ऐसा कोई प्रस्ताव लंबित नहीं है।

(ङ) विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी विभाग, ओडिशा सरकार को मई, 2016 में सूचित किया गया है कि इन प्रस्तावों को विज्ञान शहर स्कीम की स्कीम "ग" के अंतर्गत स्थापित किया जा सकता है अर्थात् राज्य सरकार केन्द्र परियोजना का पूर्ण रूप से वित्त पोषण करेगी और एसपीओसीएम (पूर्ववर्ती विज्ञान शहर स्कीम) के कार्यान्वयन के लिए नोडल एजेंसी, राष्ट्रीय विज्ञान संग्रहालय परिषद की तकनीकी सहायता से विज्ञान केन्द्र स्थापित करेगी। ओडिशा सरकार से कोई जवाब प्राप्त नहीं हुआ है।

विवरण-I

विज्ञान केन्द्रों की राज्य-वार और जिले-वार सूची

क्र. सं.	विज्ञान केन्द्रों के नाम	राज्य-वार अवस्थिति
1	2	3
01.	बिड़ला औद्योगिक एवं प्रौद्योगिकीय संग्रहालय, कोलकाता	पश्चिम बंगाल
02.	नेहरू विज्ञान केन्द्र, मुम्बई	महाराष्ट्र
03.	राष्ट्रीय विज्ञान केन्द्र, दिल्ली	नई दिल्ली
04.	विश्वेश्वरैया औद्योगिक एवं प्रौद्योगिकीय संग्रहालय, बेंगलूरु	कर्नाटक
05.	श्री कृष्ण विज्ञान केन्द्र, पटना	बिहार
06.	क्षेत्रीय विज्ञान केन्द्र, भुवनेश्वर	ओडिशा
07.	रमन विज्ञान केन्द्र एवं तारामंडल, नागपुर	महाराष्ट्र
08.	क्षेत्रीय विज्ञान केन्द्र, तिरुपति	आंध्र प्रदेश
09.	क्षेत्रीय विज्ञान केन्द्र, गुवाहाटी	असम
10.	क्षेत्रीय विज्ञान केन्द्र, भोपाल	मध्य प्रदेश
11.	क्षेत्रीय विज्ञान केन्द्र एवं तारामंडल, कालीकट	केरल
12.	कुरुक्षेत्र पैनोरमा एवं विज्ञान केन्द्र, कुरुक्षेत्र	हरियाणा
13.	बर्धमान विज्ञान केन्द्र, बर्धमान	पश्चिम बंगाल
14.	जिला विज्ञान केन्द्र, पुरुलिया	पश्चिम बंगाल
15.	जिला विज्ञान केन्द्र, दीघा	पश्चिम बंगाल
16.	उत्तर बंगाल विज्ञान केन्द्र एवं तारामंडल, सिलिगुड़ी	पश्चिम बंगाल

1	2	3
17.	ढेंकानाल विज्ञान केन्द्र, ढेंकानाल एवं कपिलास विज्ञान पार्क	ओडिशा
18.	जिला विज्ञान केन्द्र एवं तारामंडल, धर्मपुर	गुजरात
19.	गोवा विज्ञान केन्द्र एवं तारामंडल, पणजी	गोवा
20.	जिला विज्ञान केन्द्र, एवं तारामंडल, गुलबर्गा	कर्नाटक
21.	जिला विज्ञान केन्द्र एवं तारामंडल, तिरुनलवेली	तमिलनाडु
22.	विज्ञान केन्द्र, पोर्ट ब्लेयर	अंडमान और निकोबार द्वीपसमूह
23.	मिजोरम विज्ञान केन्द्र, आइजॉल	मिजोरम
24.	नागालैंड विज्ञान केन्द्र, दीमापुर	नागालैंड
25.	मणिपुर विज्ञान केन्द्र, मणिपुर	मणिपुर
26.	इटानगर विज्ञान केन्द्र, इटानगर	अरुणाचल प्रदेश
27.	शिलांग विज्ञान केन्द्र, शिलांग	मेघालय
28.	सिक्किम विज्ञान केन्द्र एवं तारामंडल, गंगटाक	सिक्किम
29.	उप-क्षेत्रीय विज्ञान केन्द्र, कलीम्पोंग	पश्चिम बंगाल
30.	उप-क्षेत्रीय विज्ञान केन्द्र, सोलापुर	महाराष्ट्र
31.	क्षेत्रीय विज्ञान केन्द्र, रांची	झारखंड
32.	क्षेत्रीय विज्ञान केन्द्र, धारवाड़	कर्नाटक
33.	क्षेत्रीय विज्ञान केन्द्र, रायपुर	छत्तीसगढ़
34.	क्षेत्रीय विज्ञान केन्द्र, देहरादून	उत्तराखंड
35.	क्षेत्रीय विज्ञान केन्द्र, जयपुर	राजस्थान
36.	क्षेत्रीय विज्ञान केन्द्र, पुणे	महाराष्ट्र
37.	उप-क्षेत्रीय विज्ञान केन्द्र, जोधपुर	राजस्थान
38.	जोरहाट विज्ञान केन्द्र, एवं तारामंडल, जोरहाट	असम
39.	क्षेत्रीय विज्ञान केन्द्र, कोयम्बटूर	तमिलनाडु
40.	क्षेत्रीय विज्ञान केन्द्र, पिलिकुला, मंगलोर	कर्नाटक
41.	उप-क्षेत्रीय विज्ञान केन्द्र और तारामंडल, पुदुचेरी	पुदुचेरी

विवरण-II

आवंटित निधियों सहित स्थापित किए जा रहे विज्ञान केन्द्रों की सूची

(लाख रुपए में)

क्र. सं.	राज्य	परियोजना का नाम	स्वीकृत निधि (परियोजना लागत)	संस्कृति मंत्रालय और राज्य सरकार के बीच निधि हिस्सेदारी का अनुपात	2014-15 जारी तिथि		2015-16 जारी तिथि		2016-17 जारी निधि		2017-18 (31.03.2018 तक) जारी निधि	
					संस्कृति मंत्रालय	राज्य	संस्कृति मंत्रालय	राज्य	संस्कृति मंत्रालय	राज्य	संस्कृति मंत्रालय	राज्य
1.	केरल	आरएससी, कोट्टायम	1450.00	50:50	100.00	—	—	—	—	—	—	—
2.	कर्नाटक	आरएससी, मैसूर	1450.00	50:50	100.00	537.00	—	—	—	—	—	188.00
3.	उत्तराखंड	आरएससी, देहरादून	1265.00	50:50	196.50	—	—	196.50	—	—	—	—
4.	हिमाचल प्रदेश	एसआरएससी, पालमपुर	600.00	100:00	100.00	—	150.00	—	—	—	—	—
5.	ओडिशा	एसआरएससी, बारगढ़	500.00	50:50	50.00	—	—	—	—	—	—	—
6.	त्रिपुरा	एसआरएससी, उदयपुर	600.00	90:10	170.00	60.00	—	—	135.00	—	—	—
7.	बिहार	एसआरएससी, गया	500.00	50:50	—	—	—	—	50.00	250.00	—	—
8.	उत्तराखंड	एसआरएससी, अल्मोड़ा	600.00	100:00	—	—	100.00	—	—	—	—	45.00
9.	राजस्थान	एसआरएससी, उदयपुर	500.00	50:50	—	—	100.00	—	—	250.00	—	—
10.	मध्य प्रदेश	एमआरएससी, जबलपुर	500.00	50:50	—	—	100.00	—	—	—	—	300.00
11.	असम	एसआरएससी, कोकराझार	600.00	90:10	—	—	146.00	—	—	60.00	—	—
12.	अंडमान और निकोबार द्वीपसमूह	एसआरएससी, मायाबंदर	600.00	90:10	—	—	100.00	60.00	—	—	—	—
13.	आंध्र प्रदेश	एसआरएससी, राजमुंद्री	500.00	50:50	—	—	100.00	—	—	—	—	—

आरएससी, देहरादून का उद्घाटन किया गया और 3 फरवरी, 2016 को राज्य सरकार प्राधिकरण को सुपुर्द किया गया।

स्वर्ण की मांग

1884. श्री दिव्येन्दु अधिकारी : क्या वाणिज्य और उद्योग मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या वित्तीय वर्ष 2017-18 के पहले, दूसरे और चौथे तिमाही के दौरान देश में स्वर्ण की मांग में गिरावट आयी है और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ख) क्या उक्त अवधि के दौरान स्वर्ण के आयात में पचास प्रतिशत तक की गिरावट आयी है और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या स्वर्ण निवेश में लगातार गिरावट के फलस्वरूप देश में स्टॉक बाजार प्रभावित हुए हैं; और

(घ) स्वर्ण की मांग और बिक्री तथा उसके भंडार बढ़ाने हेतु सरकारी प्रस्ताव का ब्यौरा क्या है?

उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री सी.आर. चौधरी) : (क) और (ख) वर्ष 2016-17 की संगत अवधि की तुलना में वर्ष 2017-18 में स्वर्ण की मांग पहली और दूसरी तिमाहियों के दौरान बढ़ी है और तीसरी और चौथी तिमाहियों में इसमें गिरावट आई है। 2016-17 में आयात की तुलना में 2017-18 में स्वर्ण का कुल आयात 22.43% बढ़ गया है। 2016-17 और 2017-18 में स्वर्ण के आयात के त्रैमासिक आंकड़े निम्नानुसार है:—

(मात्रा टन में)

	2016-17	2017-18
पहली तिमाही (अप्रैल-जून)	117.05	317.16
दूसरी तिमाही (जुलाई-सितंबर)	102.71	165.91
तीसरी तिमाही (अक्तूबर-दिसंबर)	280.09	269.48
चौथी तिमाही (जनवरी-मार्च)	280.29	202.62
कुल	780.14	955.16

स्रोत: डीजीसीआईएंडएस

(ग) ऐसी कोई जानकारी उपलब्ध नहीं है।

(घ) ऐसा कोई प्रस्ताव नहीं है।

[हिन्दी]

निजी विश्वविद्यालय स्थापित करना

1885. श्रीमती रीती पाठक : क्या मानव संसाधन विकास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) देश में राज्य/संघ राज्य क्षेत्र-वार निजी/मानद विश्वविद्यालयों की संख्या कितनी है और उनके निष्पादन में आधार पर उनकी रैंकिंग क्या है;

(ख) गुणवत्ता के आधार पर विश्वविद्यालय अनुदान आयोग द्वारा मान्यताप्राप्त विश्वविद्यालयों का स्थान-वार ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या सरकार ने निजी विश्वविद्यालयों की गुणवत्ता और निष्पादन के आकलन के लिए कोई प्रक्रिया निर्धारित की है; यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(घ) क्या यूजीसी के पास निजी विश्वविद्यालयों की स्थापना के कई प्रस्ताव लम्बित हैं; और

(ङ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इन्हें कब तक अनुमोदित किए जाने की संभावना है?

मानव संसाधन विकास मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा जल संसाधन, नदी विकास और गंगा संरक्षण मंत्रालय में राज्य मंत्री (डॉ. सत्यपाल सिंह) : (क) वर्तमान में, देश में 305 निजी विश्वविद्यालय और 124 मानद विश्वविद्यालय संचालित हो रहे हैं। इन विश्वविद्यालयों/संस्थानों की राज्य-वार सूची विश्वविद्यालय अनुदान आयोग (यूजीसी) की वेबसाइट *www.ugc.ac.in* पर उपलब्ध है। निजी विश्वविद्यालय और मानद विश्वविद्यालय सहित सभी उच्चतर शैक्षिक संस्थानों की रैंकिंग उनके कार्य निष्पादन के आधार पर की जाती है जिसमें 'शिक्षण' अधिगम और संसाधन', 'शोध और व्यावसायिक प्रैक्टिस', 'स्नातक परिणाम', 'पहुंच और समावेशिता' और 'अवधारणाएं' शामिल हैं। राज्य/संघ राज्य क्षेत्र-वार सभी निजी विश्वविद्यालय और विश्वविद्यालय, जो विभिन्न श्रेणियों में भागीदार थे और जिन्हें एनआईआरएफ 2018 में रैंकिंग प्रदान की गई है, की सूची एनआईआरएफ *www.nirfindia.org* पर उपलब्ध है।

(ख) यूजीसी द्वारा मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालयों का अवस्थिति-वार ब्यौरा यूजीसी की वेबसाइट *www.ugc.ac.in* पर उपलब्ध है।

(ग) यूजीसी द्वारा निजी विश्वविद्यालयों को यूजीसी (निजी विश्वविद्यालयों के मानकों की स्थापना और अनुरक्षण) विनियम, 2003 के प्रावधान के अनुसार विनियमित किया जाता है। यूजीसी, इन विश्वविद्यालयों की गुणवत्ता और निष्पादन को सुनिश्चित करने के लिए

अपनी विशेषज्ञ समिति की सहायता से, जिसमें संबंधित सांविधिक परिषद (परिषदों) से प्रतिनिधि होते हैं, प्रत्येक निजी विश्वविद्यालय का निरीक्षण करता है। ये समितियां, यूजीसी एवं संबंधित सांविधिक परिषदों द्वारा यथा निर्धारित कार्यक्रमों, संकाय, अवसंरचनात्मक सुविधाओं, वित्तीय व्यवहार्यता आदि की दृष्टि से न्यूनतम मानदंडों को पूरा करने का मूल्यांकन करती है। यदि, कमियां पाई जाती हैं, तो निजी विश्वविद्यालयों को विशेषज्ञ समिति की समुक्तियों/सुझावों के संबंध में अनुपालन रिपोर्ट प्रस्तुत करने हेतु कहा जाता है।

(घ) और (ङ) जी, नहीं। निजी विश्वविद्यालय को संबंधित राज्य विधायिका के अधिनियम द्वारा स्थापित किया जाता है। यूजीसी अपनी सूची में इन निजी विश्वविद्यालयों को राज्य अधिनियम की प्राप्ति के उपरांत ही शामिल करती है। वर्तमान में यूजीसी की सूची में किसी भी निजी विश्वविद्यालय को शामिल कराने का कोई भी प्रस्ताव लंबित नहीं है।

[अनुवाद]

चाय उद्योग का विकास

1886. श्री कंवर सिंह तंवर : क्या वाणिज्य और उद्योग मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या देश में विशेषकर असम में चाय उद्योग के विकास हेतु सरकारी चाय बोर्ड ने पर्याप्त उपाय किए हैं;

(ख) यदि हां, तो क्रियान्वित की जाने वाली योजनाओं सहित तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या चाय श्रमिकों/कामगारों के कल्याण हेतु सरकार द्वारा योजनाएं क्रियान्वित की जा रही है और यदि हां, तो तत्संबंधी राज्य-वार ब्यौरा क्या है;

(घ) क्या सरकार का चाय बागानों के विकास तथा चाय श्रमिकों/कामगारों की शिक्षा, स्वास्थ्य और स्वच्छता से संबंधित उनके कल्याण के लिए कोई प्रस्ताव है; और

(ङ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और नहीं, तो इसके क्या कारण हैं?

उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री सी.आर. चौधरी) : (क) और (ख) जी, हां। केन्द्रीय सरकार, चाय बोर्ड के जरिये, चाय अधिनियम, 1953 के तहत विनियमों के माध्यम से, असम सहित देश में चाय उद्योग के विकास को बढ़ावा दे रही है। इसके अलावा, चाय बोर्ड "चाय विकास एवं संवर्धन स्कीम (टीडीपीएस)" का भी कार्यान्वयन कर रहा है, जिसमें अन्य बातों के साथ चाय उत्पादन, उत्पादकता में सुधार, गुणवत्ता – उन्नयन, अनुसंधान एवं विस्तार, निर्यातों का संवर्धन और चाय उद्योग के उपजकर्ताओं एवं अन्य पणधारियों को वित्तीय एवं तकनीकी सहायता के प्रावधानों के जरिये मूल्यवर्धन क्रियाकलाप शामिल हैं। चाय बोर्ड ने इस स्कीम के तहत 12वीं योजना अवधि (वर्ष 2012-13 से 2016-17) और वर्ष 2017-18 एवं 2018-19 (30.06.2018 तक) के दौरान 786.64 करोड़ रुपए की कुल राशि व्यय की, जिसमें असम राज्य को दी गयी 362.39 करोड़ रुपए भी शामिल है।

(ग) से (ङ) देश में चाय बागान श्रमिकों की कार्य दशा श्रम और रोजगार मंत्रालय द्वारा प्रशासित और संबंधित राज्य सरकारों द्वारा लागू बागान श्रम अधिनियम (पीएलए), 1951 द्वारा शासित की जाती हैं इस अधिनियम में प्रावधान है कि नियोक्ता अपने कामगारों को आवास, चिकित्सा सुविधाएं, रोग मुक्ति लाभ एवं मातृत्व लाभ की सुविधा दिलाएगा एवं सामाजिक सुरक्षा के अन्य उपाय भी करेगा। चाय संपदाओं में कार्य स्थलों के आस-पास चाय बागान श्रमिकों एवं उनके परिवारों के लाभ के लिए बच्चों के लिए शैक्षणिक सुविधा, पेय जल, परिरक्षण, कैंटीन, शिशु-गृह एवं मनोरंजन की सुविधाओं हेतु भी प्रावधान हैं।

चाय बोर्ड श्रमिकों के स्वास्थ्य एवं स्वच्छता में सुधार करने, श्रमिकों के बच्चों की शिक्षा में सुधार लाने के उद्देश्य के साथ मानव संसाधन विकास (एचआरडी) क्रियाकलाप भी कार्यान्वित कर रहा है और उपजकर्ताओं/श्रमिकों हेतु कौशलों में सुधार लाने के लिए प्रशिक्षण प्रदान कर रहा है। 12वीं योजना अवधि (2012-13 से 2016-17) और 2017-18 एवं 2018-19 (30.06.2018 तक) के दौरान प्रदान की गयी सहायता का राज्य-वार ब्यौरा निम्नलिखित तालिका में दिया गया है:—

राज्य	(करोड़ रुपए में)
असम	20.11
अरुणाचल प्रदेश	0.37
त्रिपुरा	0.35
पश्चिम बंगाल	6.33
तमिलनाडु	5.77
केरल	7.38
कर्नाटक	0.03
हिमाचल प्रदेश	0.05
उत्तराखंड	0.01
कुल	40.20

पीएलए, 1951 के प्रावधानों को ध्यान में रखते हुए और टीडीपीएस के पहले से ही कार्यान्वयनाधीन होते हुए, वर्तमान में चाय बागानों के विकास और शिक्षा, स्वास्थ्य एवं स्वच्छता के संबंध में श्रमिकों/मजूदरों के कल्याण हेतु किसी विशेष पैकेज का कोई प्रस्ताव नहीं है।

[हिन्दी]

निजी संस्थानों द्वारा प्राधिकरण

1887. श्रीमती रेखा वर्मा : क्या **कौशल विकास और उद्यमशीलता मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना (पीएमकेवीवाई) के अंतर्गत युवाओं को कौशल विकास प्रशिक्षण प्रदान किए जाने के लिए निजी संस्थानों को भी शामिल किया है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) विभिन्न राज्यों में विशेष रूप से उत्तर प्रदेश में पीएमकेवीवाई के अंतर्गत निजी संस्थानों में प्रदान किए जा रहे कौशल विकास प्रशिक्षण की उपलब्धियों का राज्य-वार/संघ राज्य क्षेत्र-वार ब्यौरा क्या है; और

(घ) इस उद्देश्य हेतु वर्ष 2017-18 के दौरान युवाओं के कौशल विकास के लिए कुल आवंटन में से निर्धारित राशि एवं इस संबंध में खर्च की गई राशि तथा आवंटन राशि का उत्तर प्रदेश सहित राज्य/संघ राज्य क्षेत्र-वार ब्यौरा क्या है?

कौशल विकास और उद्यमशीलता मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री अनंतकुमार हेगड़े) : (क) से (घ) कुशल भारत मिशन के अंतर्गत कौशल विकास और उद्यमशीलता मंत्रालय अखिल भारतीय आधार पर प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना (पीएमकेवीवाई) नामक एक फ्लैगशिप स्कीम का कार्यान्वयन कर रहा है। पीएमकेवीवाई प्रत्यायित और संबद्ध प्रशिक्षण केंद्रों के माध्यम से अल्पकालिक प्रशिक्षण (एसटीटी) और पूर्व शिक्षण मान्यता (आरपीएल) प्राप्त करने के लिए बड़ी संख्या में भावी युवाओं को समर्थ बनाती है।

पीएमकेवीवाई के दो घटक हैं जो राष्ट्रीय कौशल विकास निगम (एनएसडीसी) द्वारा संचालित केन्द्रीय प्रायोजित केन्द्रीय प्रबंधित (सीएससीएम) और राज्य/संघ राज्य क्षेत्रों के राज्य कौशल विकास मिशनों द्वारा संचालित केन्द्रीय प्रायोजित राज्य प्रबंधित जिसे आमतौर पर पीएमकेवीवाई (2016-20) के राज्य प्रबंधित घटक के नाम से जाना जाता है।

पीएमकेवीवाई 2016-20 के सीएससीएम घटक के अंतर्गत 10.07.2018 की स्थिति के अनुसार देश में अल्पकालिक प्रशिक्षण, पूर्व शिक्षण मान्यता और विशेष परियोजना के अंतर्गत 31.12 लाख (लगभग) उम्मीदवारों (22.01 लाख एसटीटी + 7.82 लाख आरपीएल + .0.51 लाख विशेष (परियोजना) को प्रशिक्षित किया गया है/प्रशिक्षित किया जा रहा है (लगभग 0.78 लाख)। कौशल विकास प्रशिक्षण प्रदान करने के लिए पीएमकेवीवाई 2016-20 के अंतर्गत प्रशिक्षण केन्द्रों का प्रत्यायन और संबद्धता 'स्मार्ट' नामक एकल खिड़की अनुप्रयोग के माध्यम से किया जा रहा है। 10.07.2018 की स्थिति के अनुसार पीएमकेवीवाई 2016-20 के सीएससीएम घटक के अंतर्गत लगभग 7,213 प्रशिक्षण केन्द्र चल रहे हैं। चल रहे प्रशिक्षण केन्द्रों और प्रशिक्षित उम्मीदवारों की संख्या का राज्य/संघ राज्य क्षेत्र-वार ब्यौरा संलग्न विवरण-I में दिया गया है।

इसके अतिरिक्त, पीएमकेवीवाई 2016-20 के सीएसएसएम घटक के अंतर्गत 25 प्रतिशत निधियां और पीएमकेवीवाई 2016-20 के इतने ही भौतिक लक्ष्य राज्य कौशल विकास मिशनों के माध्यम से स्कीम को कार्यान्वित करने के लिए राज्यों को आबंटित किए गए हैं। इस घटक के अंतर्गत 35 राज्यों/संघ राज्यों से प्राप्त हुए प्रस्तावों का मूल्यांकन करने के पश्चात् मंत्रालय ने कुल 20.15 लाख का लक्ष्य और वित्त-वर्ष 2016-20 के लिए 3047 करोड़ रुपए का वित्तीय आबंटन सिद्धांततः अनुमोदित किया है। पीएमकेवीवाई 2016-20 के सीएसएसएम घटक के अंतर्गत 17.07.2018 की स्थिति के अनुसार अनुमोदित वास्तविक लक्ष्य और वित्तीय आबंटन, वितरित निधियां और प्रशिक्षण केंद्रों की संख्या का राज्य-वार ब्यौरा संलग्न विवरण-II में दिया गया है।

विवरण-I

10.07.2018 की स्थिति के अनुसार पीएमकेवीवाई 2016-20 के अंतर्गत प्रचालनरत टीसी (एसटीटी) तथा प्रशिक्षित उम्मीदवारों की राज्य-वार संख्या नीचे दी गई है:

क्र. सं.	राज्य का नाम	प्रशिक्षण केन्द्रों की संख्या (एसटीटी)	प्रशिक्षित (एसटीटी + आरपीएल + विशेष परियोजना)
1	2	3	4
1.	आंध्र प्रदेश	148	85401
2.	अरुणाचल प्रदेश	2	2346
3.	असम	118	56061

1	2	3	4
4.	बिहार	253	150762
5.	चंडीगढ़	14	6428
6.	छत्तीसगढ़	103	36983
7.	दादरा और नगर हवेली	1	722
8.	दमन और दीव	2	554
9.	दिल्ली	237	132297
10.	गोवा	3	1205
11.	गुजरात	137	54735
12.	हरियाणा	770	241604
13.	हिमाचल प्रदेश	87	29864
14.	जम्मू और कश्मीर	182	61401
15.	झारखंड	90	44594
16.	कर्नाटक	114	103635
17.	केरल	139	97765
18.	मध्य प्रदेश	631	262758
19.	महाराष्ट्र	213	139108
20.	मणिपुर	11	17547
21.	मेघालय	9	5797
22.	मिजोरम	1	70
23.	नागालैंड	6	2377
24.	ओडिशा	193	86920
25.	पुदुचेरी	12	5018
26.	पंजाब	444	141060
27.	राजस्थान	1057	269902
28.	सिक्किम	3	1332
29.	तमिलनाडु	356	213685
30.	तेलंगाना	178	116331
31.	त्रिपुरा	29	15092
32.	उत्तर प्रदेश	1354	480016
33.	उत्तराखंड	95	43335
34.	पश्चिम बंगाल	221	129183
	सकल योग	7213	3035888

विवरण-II

17.07.2018 की स्थिति के अनुसार पीएमकेवीवाई 2016-20 के सीएसएसएम घटक के अंतर्गत सिद्धांततः अनुमोदित वास्तविक और वित्तीय आवंटन, वितरित निधियां और प्रशिक्षण केन्द्रों का राज्य-वार ब्यौरा:

क्र. सं.	राज्य का नाम	अनुमोदित वास्तविक लक्ष्य (2016-20)	अनुमोदित निधियां (2016-20)	एमएसडीई द्वारा जारी निधियां	सूचीबद्ध प्रशिक्षण केन्द्र	नामांकित उम्मीदवार
1	2	3	4	5	6	7
1.	उत्तर प्रदेश	1,42,552	2,09,04,00,000	52,26,00,000	76	4800
2.	छत्तीसगढ़	48,532	71,16,73,248	13,19,76,000	27	3069
3.	राजस्थान	64,526	94,62,15,130	14,19,35,789	158	194

1	2	3	4	5	6	7
4.	मध्य प्रदेश	84,058	1,23,25,26,512	21,46,86,296	154	23626
5.	त्रिपुरा	36,875	54,07,35,000	8,37,68,100	18	612
6.	आंध्र प्रदेश	64,608	94,74,11,712	11,84,26,464	84	4095
7.	कर्नाटक	94,164	1,38,08,20,896	21,43,95,135	5	737
8.	अरुणाचल प्रदेश	29,510	43,27,34,640	7,21,32,216	5	300
9.	तमिलनाडु	1,40,880	2,06,58,64,320	34,43,10,720	175	6033
10.	पंजाब	55,028	80,69,30,592	26,39,52,000	24	413
11.	पुदुचेरी	10,619	15,57,17,016	2,59,55,280	8	2668
12.	बिहार	89,664	1,38,05,74,540	36,81,62,449	65	299
13.	उत्तराखंड	48,236	74,26,99,339	20,32,43,040	85	7613
14.	हिमाचल प्रदेश	49,499	76,21,46,003	21,55,60,800	33	1802
15.	मणिपुर	32,472	49,99,77,879	24,99,88,939	6	524
16.	अंडमान और निकोबार द्वीपसमूह	4,108	6,32,51,698	2,10,78,767	—	—
17.	चंडीगढ़	10,288	15,84,06,394	6,15,88,800	—	—
18.	गुजरात	77,824	1,19,82,71,693	35,94,93,826	70	2014
19.	हरियाणा	56,036	86,27,97,499	21,56,99,375	12	1222
20.	ओडिशा	58,046	89,37,45,871	27,71,49,600	17	479
21.	तेलंगाना	59,611	91,78,42,489	22,94,64,472	36	1525
22.	पश्चिम बंगाल	1,23,550	1,90,23,24,060	38,04,64,812	—	—
23.	जम्मू और कश्मीर	47,302	72,83,18,354	22,94,18,280	—	—
24.	झारखंड	57,668	88,79,25,730	29,59,64,978	2	30
25.	नागालैंड	33,021	50,84,30,941	16,94,76,980	1	—
26.	असम	47,258	72,76,40,878	36,95,32,800	6	570
27.	सिक्किम	4,900	7,54,46,280	2,00,16,360	1	20
28.	दमन और दीव	4,000	6,15,88,800	2,00,16,360	3	205

1	2	3	4	5	6	7
29.	केरल	71,450	1,10,01,29,940	22,00,25,988	—	—
30.	मेघालय	33,642	51,79,92,602	12,77,96,760	—	—
31.	महाराष्ट्र	1,67,127	2,57,32,87,845	85,77,62,615	—	—
32.	दिल्ली	81,000	1,24,71,73,200	15,39,72,000	1	—
33.	दादरा और नगर हवेली	4,000	6,15,88,800	1,10,85,984	1	149
34.	गोवा	46,951	72,29,13,937	10,70,25,937	—	—
35.	मिजोरम	36,671	56,46,30,721	10,88,73,601	7	39
	सकल योग	20,15,676	30,47,02,34,559	7,40,69,81,523	1,080	63,038

जनजातीय लोगों का प्रशिक्षण और कल्याण

1888. श्री बी.वी. नाईक :
श्री एस.पी. मुद्दाहनुमे गौड़ा :

क्या **जनजातीय कार्य मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या बड़ी संख्या में जनजातीय लोग कृषि कार्य में लगे हुए हैं तथा यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ख) क्या सरकार के पास उनके द्वारा आधुनिक प्रौद्योगिकी/कृषि प्रक्रिया अपनाए जाने हेतु उन्हें कोई सहायता या प्रशिक्षण प्रदान करने की कोई योजना है तथा यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) गत 3 वर्षों के दौरान देश में जनजातीय लोगों के कल्याण एवं उनकी सुरक्षा के लिए चलाई जा रही योजनाओं का कर्नाटक सहित राज्य-वार ब्यौरा क्या है; और

(घ) क्या सरकार ने आय का एक अन्य स्रोत बनाने के लिए बेरोजगार एवं कम धन अर्जन करने वाले जनजातीय लोगों को सहायता प्रदान करने के लिए कोई कदम उठाया है तथा यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

जनजातीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री जसवंतसिंह सुमनभाई भाभोर) : (क) जी, हां। जनगणना 2011, के अनुसार किसान और खेतिहर मजदूरों के रूप में कार्य करने वाले अनुसूचित जनजातियों की संख्या निम्नलिखित है:—

किसान	मुख्य	सीमांत	कुल
किसान	13493163	4143866	17637029
खेतिहर मजदूर	11942352	10671770	22614122

(ख) से (घ) जनजातीय कार्य मंत्रालय तीन योजनाएं नामत: (i) जनजातीय उप-योजना को विशेष केन्द्रीय सहायता; (ii) संविधान के अनुच्छेद 275(1) के तहत अनुदान; और (iii) विशेष रूप से कमजोर जनजातीय समूहों का विकास प्रशासित करता है जिसके अंतर्गत कृषि संबंधी क्रियाकलाप शाामिल हैं। इन योजनाओं के कौशल विकास और उद्यमिता घटक के अंतर्गत, जनजातीय परिवारों की अर्थव्यवस्था को दुरुस्त करने के लिए कृषि, बागवानी, पशुपालन, मछलीपालन, डेयरी और अन्य प्राथमिक क्षेत्रों के साथ-साथ आय सृजनकारी योजनाओं/क्रियाकलापों सहित विभिन्न क्षेत्रों में जनजाततीय लोगों के विकास के लिए कर्नाटक राज्य सरकार सहित, राज्य सरकारों को सहायता प्रदान की जाती है। गत तीन वर्षों और चालू वर्ष के दौरान, योजनाओं के इस घटक के अंतर्गत लाभार्थियों की संख्या दर्शाने वाला विवरण संलग्न विवरण-I में दिया गया है।

उपर्युक्त के अलावा, कृषि एवं सहकारी विभाग (कृषि एवं कृषक कल्याण मंत्रालय) कृषि विस्तार उप-मिशन (एसएएमई) के तहत जनजातीय उप-योजना के लिए निधियां आवंटित करता है, जिसके ब्यौरे निम्नानुसार हैं:—

क्र. सं.	वर्ष	योजना	टीएसपी आवंटन (लाख रुपये में)	अजज लाभार्थियों की संख्या
1.	2015-16	राज्य विस्तार सेवाओं को समर्थन (एटीएमए)	3200.00	आवश्यक ब्यौरे अनलुग्नक-II में दिए गए हैं।
	2016-17		3600.00	
	2017-18		7052.00	
2.	2015-16	कृषि दवाखाना और कृषि व्यवसाय केन्द्र (एसीएबीसी)	300.00	150
	2016-17		222.50	147
	2017-18		90.00	171
3.	2015-16	कृषि विस्तार को जन मीडिया समर्थन (एमएम)	1550.00	अजजा के लिए कोई पृथक आंकड़े नहीं रखे जाते।
	2016-17		790.00	
	2017-18		800.00	
4.	2015-16	केन्द्रीय संस्थानों को विस्तार समर्थन-एचआरडी	350.00	अजजा के लिए कोई पृथक आंकड़े नहीं रखे जाते।
	2016-17	उपाय	187.50	
	2017-18		220.00	

विवरण-I

टीएसपी को एससीए और संविधान के अनुच्छेद 275(1) के अंतर्गत कौशल विकास और व्यावसायिक प्रशिक्षण के लिए निर्मुक्त निधियां और लाभार्थियों की संख्या

(लाख रुपये में)

क्र. सं.	राज्य का नाम	2015-16		2016-17		2017-18	
		निर्मुक्त निधियां	लाभार्थियों की संख्या	निर्मुक्त निधियां	लाभार्थियों की संख्या	निर्मुक्त निधियां	लाभार्थियों की संख्या
1	2	3	4	5	6	7	8
1.	आंध्र प्रदेश	300.00	700	40.00	125	300.00	450
2.	अरुणाचल प्रदेश	230.00	700	125.00	390	0.00	0
3.	असम	1800.00	6000	168.00	1120	0.00	0
4.	बिहार	750.00	2500	430.18	4620	250.00	3600
5.	छत्तीसगढ़	1000.00	4000	2090.00	4400	0.00	0
6.	गुजरात	3695.72	8000	2998.00	2300	1750.03	8540

1	2	3	4	5	6	7	8
7.	हिमाचल प्रदेश	175.00	400	300.64	937	320.00	1000
8.	जम्मू और कश्मीर	500.00	1650	500.00	3000	100.00	320
9.	झारखंड	1240.00	3500	0.00	0	300.00	250
10.	कर्नाटक	1800.00	6400	0.00	0	1180.00	3028
11.	केरल	550.00	1800	35.10	290	100.52	453
12.	मध्य प्रदेश	3300.00	10000	2233.19	6500	4100.00	7500
13.	महाराष्ट्र	1977.18	6590	1000.00	1000	0.00	0
14.	मणिपुर	200.00	665	0.00	0	187.00	131
15.	मेघालय	0.00	0.00	0.00	0	90.00	4640
16.	मिजोरम	100.00	500	300.00	937	55.82	500
17.	नागालैंड	300.00	1000	180.00	562	50.00	90
18.	ओडिशा	3194.59	10640	7093.35	22165	5200.00	29378
19.	राजस्थान	2675.00	7800	0.00	0	0.00	0
20.	सिक्किम	215.00	715	109.80	50	28.00	100
21.	तेलंगाना	1300.00	3800	1186.35	6000	800.00	2500
22.	त्रिपुरा	290.00	1000	450.00	2093	290.00	1620
23.	उत्तर प्रदेश	290.00	965	0.00	0	200.00	1487
24.	उत्तराखंड	0	0	0	0	100.00	310
25.	पश्चिम बंगाल	2063.58	6875	990.00	5500	1055.00	5500
	कुल	27946.07	86200	20229.61	61989	16456.37	71397

विवरण-II

2015-16 से विस्तार सुधार के तहत लाभांवित अजजा किसानों का ब्यौरा

क्र.सं.	राज्य	2015-16	2016-17	2017-18
1	2	3	4	5
1.	आंध्र प्रदेश	2804	11412	14233
2.	बिहार	78400	8619	57601
3.	छत्तीसगढ़	35149	43147	32282
4.	गोवा	628	5	0
5.	गुजरात	97816	80967	23585
6.	हरियाणा	0	0	7675

1	2	3	4	5
7.	हिमाचल प्रदेश	6542	3173	10752
8.	जम्मू और कश्मीर	0	0	0
9.	झारखंड	19444	16108	8986
10.	कर्नाटक	458	26413	18670
11.	केरल	2482	95	4721
12.	महाराष्ट्र	17732	11670	90374
13.	मध्य प्रदेश	22208	41676	27928
14.	ओडिशा	6770	15014	27368
15.	पंजाब	2122	517	7469
16.	राजस्थान	23936	32608	85475
17.	तमिलनाडु	2318	2479	93736
18.	तेलंगाना	8156	6435	23425
19.	उत्तर प्रदेश	0	0	85963
20.	उत्तराखंड	1385	2231	9039
21.	पश्चिम बंगाल	6159	14961	57145
22.	असम	1530	257	0
23.	अरुणाचल प्रदेश	21396	16340	0
24.	मणिपुर	1996	4967	264
25.	मेघालय	960	1147	2
26.	मिजोरम	2804	6380	0
27.	नागालैंड	82953	53635	0
28.	त्रिपुरा	0		0
29.	सिक्किम	1390	3847	0
30.	दिल्ली	0		0
31.	पुदुचेरी	0	14	187
32.	अंडमान और निकोबार द्वीपसमूह	2492	3344	0
	कुल	450030	407261	686880

[हिन्दी]

दिल्ली विश्वविद्यालय

1889. श्री देवजी एम. पटेल : क्या **मानव संसाधन विकास मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) दिल्ली विश्वविद्यालय में प्रश्न-पत्रों को सेट करने तथा उनकी स्तर पुस्तिकाओं के मूल्यांकन के प्रावधानों का ब्यौरा क्या है;

(ख) क्या सरकार को जानकारी है कि मात्र एक सत्र, 2016 के दौरान दिल्ली विश्वविद्यालय में बौद्ध अध्ययन विभाग के प्रोफेसर द्वारा सेट किए गए स्नातकोत्तर के 18 प्रश्न-पत्रों तथा उसी के द्वारा उनके मूल्यांकन के संबंध में कई शिकायतें प्राप्त हुई हैं;

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(घ) क्या यह निम्नानुसार है;

(ङ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और यदि नहीं, तो इस संबंध में सरकार द्वारा क्या कार्रवाई की गई है;

(च) विश्वविद्यालयों में नियमों का उल्लंघन करने वाले प्रोफेसर के विरुद्ध विश्वविद्यालय प्रशासन द्वारा क्या अनुशासनात्मक कार्यवाही की गई है; और

(छ) भविष्य में ऐसे मामलों को रोकने के लिए दिल्ली विश्वविद्यालय द्वारा कौन-सी नीति बनाई गई है?

मानव संसाधन विकास मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा जल संसाधन, नदी विकास और गंगा संरक्षण मंत्रालय में राज्य मंत्री (डॉ. सत्यपाल सिंह) : (क) दिल्ली विश्वविद्यालय ने सूचित किया है कि दिल्ली विश्वविद्यालय में अवरस्नातक और स्नातकोत्तर पाठ्यक्रमों के लिए पेपर सैटर का कार्य संबंधित विषयों के शैक्षणिक विभागों द्वारा पूरा किया जाता है। विभागाध्यक्ष (एचओडी) द्वारा अपने मार्गनिर्देशन में पेपर सैटर का कार्य पूरा करने के लिए पाठ्यक्रमों की एक समिति गठित की गई है। अवर स्नातक पाठ्यक्रमों के लिए उत्तरपुस्तिकाओं का मूल्यांकन संबंधित विषय के घटक कॉलेजों के शिक्षकों द्वारा निर्दिष्ट केन्द्रीय मूल्यांकन केन्द्रों (सीईसी) पर किया जाता है। स्नातकोत्तर पाठ्यपुस्तकों के मामले में, उत्तरपुस्तिकाओं का मूल्यांकन संबंधित विभाग के संकाय सदस्यों द्वारा किया जाता है, जिन्हें विभागाध्यक्ष द्वारा नियुक्त किया जाता है।

(ख) और (ग) इस मामले में संबंधित शाखा में ऐसी कोई शिकायत प्राप्त नहीं हुई थी।

(घ) और (ङ) स्नातकोत्तर पाठ्यक्रमों के लिए पेपर सैटर और मूल्यांकन का मामला संबंधित विभागों द्वारा किया जाता है। विभागाध्यक्ष

द्वारा नियुक्त पाठ्यक्रम समिति पेपर सैटर और मूल्यांकनकर्ताओं को नियुक्त करने में सक्षम है। बौद्ध अध्ययन विभाग की पाठ्यक्रम समिति ने इस प्रक्रिया के अनुसार शैक्षणिक वर्ष 2015-16 के लिए पेपर सैटर और मूल्यांकनकर्ता के रूप में संकाय सदस्य की नियुक्ति की।

(च) और (छ) प्रश्न नहीं उठता।

[अनुवाद]

सर्व-शिक्षा अभियान

1890. **श्री के.आर.पी. प्रबाकरन :** क्या **मानव संसाधन विकास मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या देश के कई भागों में, विशेष रूप से ग्रामीण क्षेत्रों में सर्व-शिक्षा अभियान (एसएसए) के अंतर्गत प्राथमिक विद्यालयों/शिक्षा गारंटी योजनाओं/वैकल्पिक विद्यालयों इत्यादि का अभाव है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है तथा इसके क्या कारण हैं; और

(ग) इस संबंध में सरकार द्वारा क्या सुधारात्मक कार्रवाई की गई है/की जानी प्रस्तावित है?

मानव संसाधन विकास मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री उपेन्द्र कुशवाहा) : (क) से (ग) निःशुल्क और अनिवार्य बाल शिक्षा का अधिकार अधिनियम, 2009 के तहत बच्चों की प्राथमिक स्कूलों तक पहुंच को पड़ोस की एक निश्चित सीमा के भीतर प्रदान किया जाता है। **अधिनियम की धारा 6** में कहा गया है कि अधिनियम के लागू होने से 3 वर्ष के भीतर, उपयुक्त सरकार और स्थानीय अधिकारी उस क्षेत्र या पड़ोस की सीमा के भीतर एक विद्यालय की स्थापना करेंगे, जहां पहले से विद्यालय नहीं है। **अधिनियम की धारा 6 के अनुपालन** में, केन्द्र सरकार ने क्षेत्र या पड़ोस की सीमा 1 किमी. के रूप में अधिसूचित की है जिसके भीतर उपयुक्त सरकार या स्थानीय अधिकारी द्वारा प्राथमिक विद्यालय की स्थापना की जानी है। तद्नुसार विद्यालय खोलने के लिए राज्यों ने पड़ोस की सीमा के मानक को अपने राज्य की विशेष परिस्थितियों के अनुसार अधिसूचित किया है। वर्ष 2018-19 में राज्यों/संघ राज्यों की वार्षिक कार्य योजना और बजट की रिपोर्ट के अनुसार देश के 97.15 प्रतिशत बस्तियों को प्राथमिक विद्यालय कवर करते हैं। उन बस्तियों को जो कवर नहीं किये जा सके हैं, वे अधिकांशत: छोटे या दुर्गम क्षेत्र के कम जनघनत्व वाले क्षेत्र हैं, वहां विद्यालय खोलना व्यवहार्य नहीं है।

सर्व शिक्षा अभियान (एसएसए) को पूरे देश में प्राथमिक शिक्षा के सार्वभौमिकीकरण हेतु नये प्राथमिक विद्यालय खोलने, विद्यालय और अतिरिक्त कक्षाओं आदि के निर्माण द्वारा राज्य सरकार की भागीदारी से एक केन्द्रीय प्रायोजित योजना के रूप में कार्यान्वित किया गया। इसकी शुरुआत से विद्यालयी सुविधाओं की सार्वभौमिक उपलब्धता सुनिश्चित करने के लिए योजना के तहत 2.04 लाख प्राथमिक विद्यालय खोले गए हैं। शेष बस्तियों के लिए परिवहन और ऐस्कार्ट सुविधा प्रदान करने, और आवासीय विद्यालयों और छात्रावासों को खोलने का प्रावधान किया गया है।

साइबर सुरक्षा

1891. **श्रीमती के. मरगथम :** क्या **मानव संसाधन विकास मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या एनसीईआरटी ने साइबर सिक्योरिटी सुरक्षा के संबंध में विद्यालयों एवं अभिभावकों को दिशा-निर्देश जारी किए हैं;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या विद्यार्थियों को साइबर अपराधियों के साथ संपर्क या वाद-विवाद न करना सिखाया जाना चाहिए क्योंकि इससे और बदतर आचरण को बढ़ावा मिल सकता है तथा यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(घ) क्या शिक्षकों को विद्यार्थियों के आचरण परिवर्तन या उनके रवैये में अंतर की निगरानी करने का परामर्श दिया है तथा यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है तथा इसके क्या कारण हैं?

मानव संसाधन विकास मंत्रालय में राज्य मंत्री (डॉ. उपेन्द्र कुशवाहा) : (क) और (ख) राष्ट्रीय शैक्षिक अनुसंधान और प्रशिक्षण परिषद (एनसीईआरटी) ने विद्यार्थियों, शिक्षकों और स्कूल के लिए साइबर सुरक्षा और संरक्षा संबंधी दिशा-निर्देश विकसित किए हैं, जिसे दिनांक 17 मई, 2018 को राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों के बीच उनके संदर्भ, उपयोग और आगे प्रचार हेतु प्रसारित किया गया है। साइबर सुरक्षा और संरक्षा संबंधी दिशा-निर्देश अभिभावकों सहित सभी हितधारकों के बीच प्रचार हेतु एनसीईआरटी की वेबसाइट पर रखे गए हैं।

(ग) जी, हां। शिक्षकों के लिए साइबर सुरक्षा और संरक्षा संबंधी दिशा-निर्देश एनसीईआरटी द्वारा तैयार किए गए हैं, जिसमें स्पष्ट रूप से साइबर अपराधियों के साथ संपर्क या वाद-विवाद न करने की सलाह दी जाती है। शिक्षकों से इस संबंध में उपयुक्त तरीके से विद्यार्थियों को सलाह देने और मार्ग दर्शन करने की अपेक्षा की जाती है।

(घ) केन्द्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड (सीबीएसई) के पास जीवन कौशल और महिला-पुरुष संवेदनशीलता के क्षेत्र में शिक्षकों के लिए क्षमता निर्माण कार्यक्रम है जिसके माध्यम से शिक्षकों को विद्यार्थियों के

व्यवहार में परिवर्तनों को देखने, उन्हें आपस में सही दृष्टिकोण रखने और पाठ्यचर्या व्यवहार के भाग के रूप में सकारात्मक व्यवहारिक परिवर्तन लाने के लिए सशक्त बनाया जाता है।

ईपीएफ निवेश

1892. श्रीमती वी. सत्यबामा : क्या श्रम और रोजगार मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने ईपीएफ राशि को विभिन्न पब्लिक लिमिटेड कंपनियों में और विभिन्न पब्लिक लिमिटेड कंपनी के शेयरों तथा इक्विटी सहित कुछ निजी कंपनियों के ब्ल्यू चिप शेयरों में निवेश किया है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और शीर्ष दस कंपनियों में कंपनी-वार निवेशित कुल राशि कितनी है;

(ग) सरकार द्वारा ईपीएफ अंशदाताओं के हितों के संरक्षण हेतु क्या कदम उठाए गए हैं;

(घ) क्या सरकार ने ईपीएफ की परिधि के अंतर्गत दोनों संगठित और असंगठित क्षेत्र के अधिक कर्मियों को लाने के लिए कोई प्रयास किए हैं; और

(ङ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इससे किस स्तर तक सफलता प्राप्त हुई है?

श्रम और रोजगार मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री संतोष कुमार गंगवार) : (क) कर्मचारी भविष्य निधि संगठन (ईपीएफओ) निफ्टी 50, सेन्सेक्स तथा केन्द्रीय सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों (सीपीएसई) तथा भारत 22 सूचकांकों के आधार पर विनिमेय व्यापार निधियों (ईटीएफ) में निवेश कर रहा है। ईपीएफओ अलग-अलग कंपनियों के शेयरों और इक्विटी में निवेश नहीं करता है।

(ख) जून, 2018 की स्थिति के अनुसार ईपीएफओ द्वारा ईटीएफ में निवेश की गई कुल राशि 48,946 करोड़ रुपये है।

(ग) केन्द्रीय न्यासी बोर्ड (सीबीटी), कर्मचारी भविष्य निधि (ईपीएफ) ने 31.03.2015 को सम्पन्न अपनी 207वीं बैठक में केवल शेयर और संबद्ध निवेशों के वर्ग में विनिमय व्यापार निधि (ईटीएफ) में निवेश करने का निर्णय लिया था।

(घ) और (ङ) कर्मचारी भविष्य निधि एवं प्रकीर्ण उपबंध अधिनियम, 1952 के अधीन बनाई गई स्कीमों के अंतर्गत लाभ उन प्रतिष्ठानों में कार्यबद्ध कामगारों के लिए उपलब्ध हैं जिन पर कर्मचारी भविष्य निधि एवं प्रकीर्ण उपबंध अधिनियम, 1952 लागू है। कर्मचारी भविष्य निधि एवं प्रकीर्ण उपबंध अधिनियम, 1952 उस प्रत्येक प्रतिष्ठान पर लागू है जिसमें 20 या इससे अधिक व्यक्ति नियोजित हों, जो या तो अधिनियम की अनुसूची-I में विनिर्दिष्ट किसी उद्योग में संलग्न कारखाना हो या ऐसा प्रतिष्ठान हो जिस पर केन्द्र सरकार द्वारा शासकीय राजपत्र में अधिसूचना द्वारा यह अधिनियम लागू किया गया हो।

ईपीएफओ द्वारा 01.01.2017 से 31.03.2017 तक की अवधि के दौरान कर्मचारी नामांकन अभियान, 2017 आरंभ किया गया था, जिसे 30.06.2017 तक आगे बढ़ाया गया था। अभियान के दौरान 01.04.2009 और 31.12.2016 के बीच किसी कारणवश गैर-नामांकित रहे कामगारों को नामांकित करने के लिए प्रतिष्ठानों को विभिन्न प्रोत्साहनों की पेशकश की गई।

कोई नियोजक जो चाहे पहले से कवर हो या अभी कवर किया जाना हो, अभियान की अवधि के दौरान 01.04.2009 और 31.12.2016 के बीच कारणवश गैर-नामांकित रहे कर्मचारियों की घोषणा करके इन कर्मचारियों को नामांकित करा सकता था। परिणामस्वरूप, अभियान के दौरान लगभग 1 करोड़ कर्मचारी नामांकित किए गए थे।

गेल का बंटवारा

1893. एडवोकेट नरेन्द्र केशव सावईकर : क्या पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार गैर अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड (गेल), सरकारी क्षेत्रक उपक्रम के बंटवारे पर सक्रिय रूप से विचार कर रही है और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ख) क्या सरकार ने इस संबंध में सभी अंशधारकों के साथ परामर्श किया है;

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इसके क्या परिणाम रहे; और

(घ) क्या प्रस्तावित बंटवारे से प्रचालनों में पारदर्शिता आएगी और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्री तथा कौशल विकास और उद्यमशीलता मंत्री (श्री धर्मेन्द्र प्रधान) : (क) से (घ) वर्ष 1984 में, प्राकृतिक गैस के परिवहन, प्रसंस्करण और विपणन तथा गैस पाइपलाइनों तथा संबद्ध संस्थापनाओं की स्थापना और प्रबंधन के लिए गेल की स्थापना की गई थी। वर्तमान में, गेल ने लगभग 11,000 कि.मी. लंबी गैस पाइपलाइन नेटवर्क विकसित किया है और देश में लगभग 4,200 कि.मी. लंबी पाइपलाइन परियोजनाओं का भी विकास कर रही है।

वर्ष 2006 में, सरकार ने प्राकृतिक गैस पाइपलाइनों तथा नगर अथवा स्थानीय प्राकृतिक गैस वितरण नेटवर्कों के विकास के लिए नीति जारी की है। इस नीति और पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस विनियामक बोर्ड (पीएनजीआरबी) अधिनियम, 2006 के प्रावधानों के अनुसार, गेल सहित सभी प्राधिकृत कंपनियों को गैर-विवेकाधीन आधार तथा पीएनजीआरबी द्वारा निर्धारित परिवहन दरों पर एक कॉमन कैरियर सिद्धांत आधार पर अपनी गैस पाइपलाइन बुनियादी ढांचे को अनिवार्यत: सबके उपयोग हेतु उपलब्ध कराया जाए। दीर्घकाल में और गैस बाजार के मजबूत होने पर नीति में यह परिकल्पना की गई है कि प्राधिकृत कंपनियां अपने एकल कारोबारी कार्यकलाप के तौर पर प्राकृतिक गैस की ढुलाई का काम करेगी और सीजीडी नेटवर्कों में गैस विपणन अथवा नगर अथवा स्थानीय गैस वितरण नेटवर्कों में उनका कोई कारोबारी हित नहीं होगा।

प्रशिक्षु प्रोत्साहन योजना

1894. श्री राजेशभाई चुड़ासमा : क्या कौशल विकास और उद्यमशीलता मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने प्रशिक्षु प्रोत्साहन योजना के अंतर्गत 20 लाख प्रशिक्षुओं के प्रशिक्षण का लक्ष्य परिकल्पित किया है और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ख) प्रशिक्षु प्रोत्साहन योजना की प्रगति का ब्यौरा क्या है और इस योजना के अंतर्गत आज की तिथि तक राज्य-वार प्रशिक्षित प्रशिक्षुओं की संख्या कितनी है; और

(ग) आज की तिथि तक राज्य/संघ राज्य क्षेत्र-वार इस योजना का लाभ लेने के लिए पंजीकरण करने वाले उद्योगों का ब्यौरा क्या है?

कौशल विकास और उद्यमशीलता मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री अनंतकुमार हेगड़े) :

शिशु अधिनियम, 1961 के तहत शिक्षुता प्रशिक्षण से संबंधित इनपुट

(क) जी नहीं, शिक्षुता प्रोत्साहन योजना के तहत 01 लाख शिक्षुओं को प्रशिक्षित करने का लक्ष्य था।

(ख) शिक्षुता प्रोत्साहन योजना 31 अक्तूबर, 2014 से 18 अगस्त, 2016 तक लागू हुई, जिसके बाद इसे राष्ट्रीय शिक्षुता संवर्द्धन योजना (एनएपीएस) नाम से एक नई योजना के साथ संशोधित किया गया तथा 31 अक्तूबर, 2014 से 18 अगस्त, 2016 के दौरान इस योजना के तहत प्रशिक्षित शिक्षुओं का राज्य-वार विवरण नीचे दिया गया है:—

क्र. सं.	राज्य का नाम	एपीवाई के तहत नियुक्त शिशु
1	2	3
1.	आंध्र प्रदेश	197
2.	अरुणाचल प्रदेश	0
3.	असम	0
4.	बिहार	0
5.	छत्तीसगढ़	53
6.	गोवा	0
7.	गुजरात	10
8.	हरियाणा	117
9.	हिमाचल प्रदेश	37
10.	जम्मू और कश्मीर	20
11.	झारखंड	1
12.	कर्नाटक	6
13.	केरल	23
14.	मध्य प्रदेश	0
15.	महाराष्ट्र	175
16.	मणिपुर	0
17.	मेघालय	0
18.	मिज़ोरम	0
19.	नागालैंड	0
20.	ओडिशा	52
21.	पंजाब	106
22.	राजस्थान	21
23.	सिक्किम	0
24.	तेलंगाना	9

1	2	3
25.	तमिलनाडु	57
26.	त्रिपुरा	2
27.	उत्तर प्रदेश	70
28.	उत्तराखंड	4
29.	पश्चिम बंगाल	13
30.	अंडमान और निकोबार द्वीपसमूह	0
31.	चंडीगढ़	0
32.	दादरा और नगर हवेली	2
33.	दमन और दीव	0
34.	दिल्ली	1
35.	लक्षद्वीप	0
36.	पुदुचेरी	0
	कुल	976

(ग) 31 अक्तूबर, 2014 से 18 अगस्त, 2016 के दौरान इस योजना से लाभान्वित होने वाले पंजीकृत उद्योगों का राज्य/संघ राज्य क्षेत्र-वार विवरण नीचे दिया गया है:—

क्र. सं.	राज्य का नाम	पंजीकृत प्रतिष्ठान/ उद्योग
1	2	3
1.	आंध्र प्रदेश	34
2.	अरुणाचल प्रदेश	0
3.	असम	0
4.	बिहार	0
5.	छत्तीसगढ़	5
6.	गोवा	0
7.	गुजरात	3
8.	हरियाणा	30
9.	हिमाचल प्रदेश	21
10.	जम्मू और कश्मीर	20
11.	झारखंड	1
12.	कर्नाटक	3
13.	केरल	3
14.	मध्य प्रदेश	0
15.	महाराष्ट्र	2
16.	मणिपुर	0
17.	मेघालय	0
18.	मिज़ोरम	0
19.	नागालैंड	0
20.	ओडिशा	9
21.	पंजाब	35
22.	राजस्थान	9
23.	सिक्किम	0
24.	तेलंगाना	3
25.	तमिलनाडु	6
26.	त्रिपुरा	1
27.	उत्तर प्रदेश	9
28.	उत्तराखंड	2
29.	पश्चिम बंगाल	24
30.	अंडमान और निकोबार द्वीपसमूह	0
31.	चंडीगढ़	0
32.	दादरा और नगर हवेली	1

1	2	3
33.	दमन और दीव	0
34.	दिल्ली	2
35.	पुदुचेरी	0
36.	लक्षद्वीप	0
	कुल	223

[हिन्दी]

रसोई गैस का नेटवर्क

1895. श्री विजय कुमार हांसदाक :
प्रो. चिंतामणि मालवीय :

क्या **पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) झारखंड में ऐसे गांवों की जिला-वार संख्या कितनी है जहां अब तक रसोई गैस नहीं पहुंची है और इसके क्या कारण हैं;

(ख) झारखंड में सभी गांवों में कब तक रसोई गैस पहुंचा दी जाएगी;

(ग) क्या सरकार ने अगले तीन वर्षों में देश में रसोई गैस के वितरण/रसोई गैस कनेक्शन के लिए कोई लक्ष्य तय किए हैं और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(घ) क्या सरकार का प्रत्येक परिवार को रसोई गैस का कनेक्शन देने के लिए पंचायत स्तर पर एलपीजी एजेंसी स्थापित करने सहित मौजूदा रसोई गैस के नेटवर्क को बढ़ाने का प्रस्ताव है और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ङ) क्या देश में रसोई गैस की मांग और आपूर्ति में अंतर है और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है तथा इस संबंध में राज्य/संघ राज्य क्षेत्र-वार क्या कदम उठाए गए हैं?

पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्री तथा कौशल विकास और उद्यमशीलता मंत्री (श्री धर्मेन्द्र प्रधान) : (क) और (ख) दिनांक 25.07.2018 की स्थिति के अनुसार, झारखंड राज्य में 39.89 लाख से अधिक उपभोक्ता हैं। जिला-वार ब्यौरा संलग्न विवरण में दिए गए हैं।

(ग) तेल विपणन कंपनियों (ओएमसीज) ने बताया है कि वे झारखंड राज्य सहित पूरे देश में मांग किए जाने पर एलपीजी कनेक्शन जारी करती हैं। इसके अलावा, सरकार ने वर्ष 2019-20 तक गरीबी रेखा के नीचे के परिवारों की 8 करोड़ महिलाओं को बगैर जमानत राशि के एलपीजी कनेक्शन प्रदान करने के लिए प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना शुरू की है। अब तक झारखंड राज्य में पीएमयूवाई के तहत 17.89 लाख से अधिक एलपीजी कनेक्शन जारी किए गए हैं।

(घ) एलपीजी डिस्ट्रीब्यूटरशिप्स की नियुक्ति की एक सतत् प्रक्रिया है और एलपीजी डिस्ट्रीब्यूटरशिप्स की स्थापना के लिए स्थलों की पहचान बिक्री संभाव्यता के आधार पर की जाती है जो उन्हें वाणिज्यिक लिहाज से व्यवहार्य बनाती है। वर्तमान में, झारखंड राज्य में 401 वितरक हैं और ओएमसीज ने नई एलपीजी डिस्ट्रीब्यूटरशिप्स की स्थापना हेतु 312 स्थलों के लिए विज्ञापन दिया है।

(ङ) ओएमसीज द्वारा देश में एलपीजी (घरेलू/वाणिज्यिक) की जरूरत का आकलन देश में बढ़ रहे एलपीजी उपभोक्ताओं के आधार पर किया जाता है। ओएमसीज विभिन्न स्रोतों से एलपीजी प्राप्त करती हैं। अनुमानित मांग पर लगातार नजर रखी जाती है और चल रहे बिक्री रुख, नीतियों में बदलाव अथवा मांग को प्रभावित कर सकने वाले अन्य घटकों के आधार पर अनुमानों में बदलाव किए जाते हैं। ऐसे घटकों के कारण एजपीजी की मांग में होने वाली वृद्धि अथवा कमी को पूरा करने के लिए तदनुसार कार्रवाई की जाती है।

विवरण

दिनांक 25.7.2018 की स्थिति के अनुसार झारखंड में एलपीजी उपभोक्ताओं के ब्यौरे

जिला	एलपीजी उपभोक्ताओं की संख्या
1	2
बोकारो	2,14,214
चतरा	1,12,379
देवघर	1,71,812
धनबाद	2,86,835
दूमका	1,61,806
गढ़वा	1,20,661
गिरिडीह	3,11,259
गोड्डा	1,14,107

1	2
गूमला	96,337
हजारीबाग	2,19,823
जामताड़ा	60,293
खूंटी	46,058
कोडरमा	1,16,883
लातेहार	66,521
लोहरदगा	77,926
पाकुर	68,524
पलामू	2,46,605
पश्चिमी सिंहभूम	1,36,709
पूर्वी सिंहभूम	3,60,919
रामगढ़	1,07,995
रांची	5,12,516
साहिबगंज	1,87,778
सरायकेला-खर्सवान	1,27,468
सिडमेगा	63,896
योग	39,89,324

उद्यमिता संस्कृति

1896. श्री जुगल किशोर : क्या **कौशल विकास और उद्यमशीलता मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या देश के ग्रामीण क्षेत्रों में उद्यमिता को बढ़ावा देने हेतु उठाए गए कदमों का ब्यौरा क्या है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) जम्मू और कश्मीर सहित राज्य-वार देश के विभिन्न राज्यों में उक्त योजना के कार्यान्वयन का ब्यौरा क्या है?

कौशल विकास और उद्यमशीलता मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री अनंतकुमार हेगड़े) : (क) से (ग) वर्तमान में कौशल विकास और उद्यमशीलता मंत्रालय (एमएसडीई) प्रधानमंत्री युवा उद्यमी विकास अभियान (पीएम-युवा) का कार्यान्वयन कर रहा है। इस स्कीम का उद्देश्य ग्रामीण क्षेत्रों सहित देशभर में 5 वर्षों (2017-18 से 2021-2022) की अवधि के लिए चुनिंदा उच्च शिक्षण संस्थानों (विश्वविद्यालय, कॉलेज और उत्कृष्ट संस्थान), विद्यालयों, औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थानों (आईटीआई) और उद्यमशीलता विकास केंद्रों (ईडीसी) में उद्यमशीलता शिक्षा और प्रशिक्षण के माध्यम से उद्यमशीलता विकास के लिए पारिस्थितिकी तंत्र सृजित करना है। इसके अतिरिक्त ऑनलाइन प्लेटफार्म के जरिए साथियों, मेंटरों, इंक्यूबेटरों, निधियों और व्यवसाय सेवाओं के सुदृढ़ नेटवर्क पर छात्रों की सहज पहुंच होगी। अब तक जम्मू-कश्मीर राज्य के 3 संस्थानों सहित उच्च शिक्षण के 239 संस्थानों को देशभर में उद्यमशीलता शिक्षा संचालित करने के लिए सूचीबद्ध किया गया है। उच्च शिक्षण के 200 से अधिक संस्थानों में उद्यमशीलता पाठ्यक्रम प्रारंभ कर दिए गए हैं।

इसके अलावा ग्रामीण विकास मंत्रालय राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन (एनआरएलएम) के अंतर्गत ग्रामीण स्व-रोजगार प्रशिक्षण संस्थान (आरएसईटीआई) के माध्यम से कौशल विकास स्कीम चला रहा है। आरएसईटीआई के अंतर्गत आरएसईटीआई द्वारा उद्यमशीलता को प्रोत्साहित करने के लिए किए गए महत्वपूर्ण उपाय इस प्रकार हैं:—

(i) आरएसईटीआई ग्रामीण युवाओं में आरएसईटीआई में प्रशिक्षण प्राप्त करने और विभिन्न ट्रेडों/गतिविधियों में बेरोजगार युवाओं को आरएसईटीआई द्वारा पेशकश किए जा रहे मुफ्त प्रशिक्षण का उपयोग करने के प्रति जागरुकता उत्पन्न करने के प्रति जागरुकता उत्पन्न करने के लिए अपने अधिकार क्षेत्र में उद्यमशीलता जागरुकता कार्यक्रम (ईएपी) आयोजित करता है ताकि वे उद्यमी बन सकें।

(ii) आरएसईटीआई प्रशिक्षण कार्यक्रमों के बारे में सूचना प्रसारित करने के लिए पैम्प्लेटों, पोस्टरों, बैनरों स्थानीय केवल टीवी नेटवर्क में टीवी स्क्रोलिंग और स्थानीय प्रेस के जरिए प्रचार करने की व्यवस्था करता है जिसका उपयोग उन्हें सशक्त बनाने के लिए किया जा सकता है। आरएसईटीआई उद्यमशीलता जागरुकता कार्यक्रम (ईएपी) आयोजित करने के लिए एसएचजी, एनजीओ, स्वैच्छिक एजेंसियों, सरंपचों, स्थानीय जनता के प्रतिनिधियों, बैंकों को भी शामिल करता है।

(iii) आरएसईटीआई के पूर्व प्रशिक्षार्थी आरएसईटीआई प्रशिक्षण कार्यक्रमों की उपयोगिता के संदेश को प्रसारित करने में एम्बेसडरों के रूप में कार्य करते हैं। उपर्युक्त पहलों का नितांत उद्देश्य बेरोजगार युवाओं को सक्रिय करना और चिन्हित गतिविधि/क्षेत्र में उनके लिए उपयोगी प्रशिक्षण कार्यक्रम आयोजित करना है ताकि वे सफल उद्यमों वन सकें। गत 3 वर्षों और वर्तमान वर्ष के दौरान प्रशिक्षित और व्यवस्थित उम्मीदवारों की राज्य/संघ राज्य क्षेत्र-वार संख्या संलग्न विवरण में दी गई है।

विवरण

पिछले तीन वर्षों तथा वर्तमान वर्ष के दौरान आरएसईटीआई कार्यक्रम के तहत प्रशिक्षित और व्यवस्थित उम्मीदवारों की राज्य/संघ राज्य क्षेत्र-वार संख्या

क्र. सं.	राज्य का नाम	वित्त वर्ष 2015-16		वित्त वर्ष 2016-17		वित्त वर्ष 2017-18		वित्त वर्ष 2018-19 (30.06.2018 तक)	
		प्रशिक्षित	व्यवस्थित	प्रशिक्षित	व्यवस्थित	प्रशिक्षित	व्यवस्थित	प्रशिक्षित	व्यवस्थित
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1.	आंध्र प्रदेश	12769	8376	12640	9846	12465	10684	2049	1320
2.	अरुणाचल प्रदेश	210	8	485	360	345	153	116	0
3.	असम	14556	9692	15057	11366	14262	11470	3439	1868
4.	बिहार	27528	20830	30544	23701	28411	24868	5455	2801
5.	छत्तीसगढ़	11486	6781	13320	8701	12651	9707	2299	1267
6.	गोवा	0	0	0	0	0	0	0	0
7.	गुजरात	26728	18156	24211	27547	22359	22231	4288	3106
8.	हरियाणा	13984	9922	15126	12555	15496	11032	2729	1624
9.	हिमाचल प्रदेश	5603	4863	5765	6260	5753	4745	1471	791
10.	जम्मू और कश्मीर	10185	7104	7462	5960	9504	7498	1853	1041
11.	झारखंड	20169	14106	19607	14271	17660	14585	3449	910
12.	कर्नाटक	36346	19917	34539	29181	27515	26932	5940	4119
13.	केरल	13477	8758	14129	11453	11582	11282	2444	1347
14.	मध्य प्रदेश	32337	23772	34769	26141	36179	24616	6072	2497
15.	महाराष्ट्र	24946	17780	26583	24147	26143	23426	5429	2063
16.	मणिपुर	304	68	355	304	465	310	38	62
17.	मेघालय	1461	243	2244	1420	1851	1042	304	43
18.	मिजोरम	508	380	408	439	453	523	113	51
19.	नागालैंड	297	81	336	218	380	294	92	155
20.	ओडिशा	25807	20663	25456	19720	22173	18931	5237	2458
21.	पंजाब	11833	7248	11861	9231	11582	10726	2088	1296

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
22.	राजस्थान	30728	21657	33369	29583	30641	22490	6841	2846
23.	सिक्किम	482	363	484	304	432	314	74	57
24.	तमिलनाडु	25158	18508	26287	20359	26805	22685	3935	2817
25.	तेलंगाना	7493	5507	7809	5136	7145	5945	1297	650
26.	त्रिपुरा	3752	1991	3508	2248	3132	1926	445	135
27.	अंडमान और निकोबार द्वीपसमूह	293	582	365	370	47	439	24	0
28.	दादरा और नगर हवेली	731	318	763	581	606	406	76	2
29.	लक्षद्वीप	102	50	3	0	10	0	0	0
30.	पुदुचेरी	764	516	788	567	782	859	155	55
31.	उत्तर प्रदेश	53166	35073	54700	44955	54503	44330	9554	4895
32.	उत्तराखंड	6909	6022	6922	6603	7156	5299	1818	718
33.	पश्चिम बंगाल	16267	11209	15248	11003	14405	10574	2568	967
	कुल	436385	300544	445143	364560	423343	350322	81692	41961

उत्तराखंड के लिए निधियां

1897. डॉ. रमेश पोखरियाल निशंक : क्या **मानव संसाधन विकास मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) विगत पांच वर्षों के दौरान मंत्रालय के अंतर्गत विभिन्न योजनाओं हेतु उत्तराखंड सहित विभिन्न पहाड़ी राज्यों को सरकार द्वारा आवंटित निधियां कितनी हैं;

(ख) राज्यों द्वारा राज्य-वार आवंटित निधियां में से अब तक प्रयुक्त और व्यय न की गई राशि कितनी है;

(ग) संपूर्ण राशि व्यय न करने के क्या कारण हैं; और

(घ) संपूर्ण राशि को समयबद्ध ढंग से व्यय करने हेतु सरकार द्वारा क्या कदम उठाए गए/उठाए जा रहे हैं?

मानव संसाधन विकास मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा जल संसाधन, नदी विकास और गंगा संरक्षण मंत्रालय में राज्य मंत्री (डॉ. सत्यपाल सिंह) : (क) से (घ) सूचना एकत्र की जा रही है और सभा-पटल पर रख दी जाएगी।

झारखंड में एनजीओ हेतु निधियां

1898. श्री लक्ष्मण गिलुवा :
श्री राम टहल चौधरी :

क्या **मानव संसाधन विकास मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) विगत तीन वर्षों के दौरान झारखंड में एनजीओ-वार मंत्रालय के अंतर्गत चल रही विभिन्न योजनाओं हेतु वित्तीय सहायता प्राप्त करने वाले गैर-सरकारी संगठनों के नाम क्या हैं;

(ख) इन एनजीओ को किस योजना के अंतर्गत और कितनी वित्तीय सहायता प्रदान की गई है; और

(ग) इनमें से अनियमितताओं में पाए गए एनजीओ के नाम क्या हैं और दोषी संगठनों के विरुद्ध क्या कार्यवाही की गई है?

मानव संसाधन विकास मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री उपेंद्र कुशवाहा) : (क) और (ख) गैर-सरकारी संगठनों (एनजीओ) को प्रौढ़ शिक्षा एवं कौशल विकास हेतु स्वैच्छिक एजेंसी सहायता योजना के अंतर्गत वित्तीय सहायता प्रदान की जाती है। विगत तीन वर्षों के दौरान झारखंड में गैर-सरकारी संगठनों (एनजीओ) को दी गई वित्तीय सहायता का एनजीओ-वार ब्यौरा निम्नानुसार है:—

क्र. सं.	एनजीओ का नाम	जारी की गई वास्तविक राशि (रुपए)		
		2015-16	2016-17	2017-18
	झारखंड			
	राज्य संसाधन केंद्र			
1.	एडीआरआई रांची	82,61,215	1,14,04,724	0
2.	पलामू	38,96,066	66,17,144	0
	जन शिक्षण संस्थान			
3.	बोकारो	23,21,379	25,22,350	1,10,000
4.	हजारीबाग	22,28,140	38,52,779	1,60,000
5.	रांची	30,24,446	33,75,257	11,61,970
	कुल	1,97,31,246	2,77,72,254	14,31,970

(ग) जन शिक्षण संस्थान (जेएसएस), जमशेदपुर को प्रशासनिक अनियमितताओं में संलिप्त पाया गया था, इसलिए वर्ष 2013-14 से जेएसएस, जमशेदपुर को अनुदान प्रदान करने पर रोक लगा दी गई। जन शिक्षण संस्थान, धनबाद को भी प्रशासनिक एवं वित्तीय अनियमितताओं में संलिप्त पाया गया था तथा इसे दिनांक 31.05.2016 के आदेश के जरिए रद्द कर दिया गया था। जेएसएस योजना को अब कौशल विकास एवं उद्यमिता मंत्रालय को सौंप दिया गया है।

[अनुवाद]

अस्थायी भवनों में चल रहे केन्द्रीय विद्यालय

1899. श्री सिराजुद्दीन अज़मल : क्या **मानव संसाधन विकास मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) देश में अस्थायी आधारभूत ढांचे के अंतर्गत कार्यरत केंद्रीय विद्यालयों की संख्या का राज्य/संघ राज्य क्षेत्र-वार ब्यौरा क्या है;

(ख) क्या सरकार देश में विभिन्न केन्द्रीय विद्यालयों हेतु स्थाई विद्यालय भवन प्रदान कर रही है और यदि हां, तो गत तीन वर्षों और मौजूदा वर्ष के दौरान तत्संबंधी राज्य/संघ राज्य क्षेत्र-वार ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या सरकार को बारपेटा केंद्रीय विद्यालय के अस्थाई आधारभूत ढांचे की अत्यधिक खराब स्थिति के बारे में जानकारी है; और

(घ) यदि हां, तो इस संबंध में उठाए जा रहे कदमों का ब्यौरा क्या है?

मानव संसाधन विकास मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री उपेन्द्र कुशवाहा) : (क) आज की तारीख के अनुसार, देश में प्रायोजित प्राधिकरणों द्वारा प्रदान किए गए अस्थायी भवन में 283 केन्द्रीय विद्यालय (केवी) चल रहे हैं। राज्य/संघ राज्य क्षेत्र-वार ब्यौरा संलग्न विवरण-I में है।

(ख) केन्द्रीय विद्यालयों के लिए स्थायी भवनों का निर्माण एक सतत् प्रक्रिया है जो उचित भूमि की पहचान, प्रायोजित प्राधिकरणों द्वारा केन्द्रीय विद्यालय संगठन (केवीएस) के पक्ष में पट्टे संबंधी औचारिकताओं को पूरा करने, निधियों की उपलब्धता, अपेक्षित अनुमोदनों इत्यादि पर निर्भर करता है। वर्तमान वर्ष और पिछले तीन वर्षों के दौरान संस्वीकृत स्थायी केवी स्कूल भवनों का राज्य/संघ राज्य क्षेत्र-वार ब्यौरा संलग्न विवरण-II में है।

(ग) और (घ) केवी, बारपेटा राज्य सरकार के प्रयोजन के अंतर्गत अकादमिक वर्ष 2003-04 में खोला गया था और तब से विद्यालय प्रायोजित प्राधिकरण द्वारा प्रदान किए गए अस्थायी भवन से कार्य कर रहा है। यह प्रायोजक प्राधिकरण का उत्तरदायित्व है कि जब तक केवीएस स्वयं अपने स्थायी भवन का निर्माण नहीं कर लेता है तब तक वह विद्यालय को संचालित करने के लिए संरचनात्मक दृष्टि से पूर्ण रूप से सुरक्षित भवन प्रदान करें। तथापि, प्रधानाचार्य, केवी, बारपेटा ने अपनी पहल के माध्यम से माता-पिता और अन्यों से योगदान लेकर अस्थायी भवन की कुछ तत्काल मरम्मत करवाई है।

विवरण-I

तारीख 01.07.2018 के अनुसार अस्थायी भवनों में संचालित केन्द्रीय विद्यालयों की राज्य/संघ राज्य क्षेत्र-वार स्थिति

क्र. सं.	राज्य/संघ राज्य क्षेत्र	अस्थायी भवन वाले केन्द्रीय विद्यालय की संख्या
1	2	3
1.	आंध्र प्रदेश	5
2.	अरुणाचल प्रदेश	5

1	2	3
3.	असम	8
4.	बिहार	21
5.	छत्तीसगढ़	11
6.	दिल्ली	6
7.	दादरा और नगर हवेली	1
8.	दमन और दीव	1
9.	गुजरात	6
10.	हरियाणा	8
11.	हिमाचल प्रदेश	8
12.	जम्मू और कश्मीर	19
13.	झारखंड	13
14.	कर्नाटक	11
15.	केरल	9
16.	लक्षद्वीप	1
17.	मध्य प्रदेश	26
18.	महाराष्ट्र	4
19.	मणिपुर	6
20.	मिज़ोरम	2
21.	नागालैंड	3
22.	ओडिशा	20
23.	पंजाब	2
24.	राजस्थान	12
25.	सिक्किम	17
26.	तमिलनाडु	4
27.	तेलंगाना	9
28.	त्रिपुरा	3
29.	उत्तर प्रदेश	17
30.	उत्तराखंड	13
31.	पश्चिम बंगाल	12
	कुल	283

विवरण-II

वर्तमान वर्ष और पिछले तीन वर्षों के दौरान संस्वीकृत स्थायी केवी स्कूल भवनों का राज्य/संघ राज्य क्षेत्र-वार ब्यौरा

क्र. सं.	राज्य	केवी के नाम			
		2015-16	2016-17	2017-18	2018-19
1	2	3	4	5	6
1.	केरल	एझिमाला	केपीए रामवर्मपुरम		
2.	राजस्थान	चित्तौड़गढ़		देवगढ़	
3.				टोंक	
4.	तेलंगाना	मिर्यालागुदा	सिरसिला		
5.	कर्नाटक	कामराजनगर	हावेरी		
6.			चिकोड़ी		

1	2	3	4	5	6
7.	आंध्र प्रदेश	तेनाली			
8.	गुजरात	दाहोद			
9.	मध्य प्रदेश	चौरई	टीकमगढ़	मलनजखंड	
10.			बेतुल		
11.			डिंडोरी		
12.			दतिया		
13.			छिंदवाड़ा		
14.			हरदा		
15.	पंजाब	रिओनाउचा			
16.	झारखंड	गोड्डा			
17.	उत्तर प्रदेश	हरदोई	श्रीवास्ती	कुशीनगर	
18.		नं. II, गोरखपुर		सिद्धार्थनगर	
19.	राजस्थान	जालोर			
20.		हनुमानगढ़			
21.	अरुणाचल प्रदेश	तूतिंग			
22.	पुदुचेरी	माहे			
23.	केरल	कांडागढ़	कुडुरूली		
24.	तमिलनाडु	एएफएस, तंजपुर	पेरम्बलुर		
25.	कर्नाटक	कोडागू			
26.	बिहार	सासाराम	बेला	हन्नौत	
27.	मध्य प्रदेश	नं. II, सतना			
28.	महाराष्ट्र		नांदेड़		
29.			बीएसएफ चकुर		
30.	ओडिशा		संख्या 2, संबलपुर	महुलदिया	
31.			नयागढ़	अस्का	
32.	छत्तीसगढ़		नारायणपुर		

1	2	3	4	5	6
33.			राजनंदगांव		
34.			बीसीसीपी, कोरबा		
35.			हासौद		
36.	जम्मू और कश्मीर		बांदीपुर		
37.			मिरनसाबिद		
38.	असम		रंगिया		
39.	हरियाणा		नं. 3, फरीदाबाद	बुदेन	
40.	उत्तराखंड		भीमताल	गोपसवर	
41.	हिमाचल प्रदेश			सालोह	
	कुल केवीएस	20	27	11	0

आईआईएम में संकाय सदस्य

1900. श्री विनसेंट एच. पाला : क्या **मानव संसाधन विकास मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) भारतीय प्रबंधन संस्थान (आईआईएम) में नाम-वार संकाय सदस्यों के स्वीकृत और वास्तव में रिक्त पद कितने हैं;

(ख) आईआईएम के विकास हेतु आवंटित और व्यय की गई राशि कितनी है; और

(ग) अस्थायी परिसरों में कार्य कर रहे आईआईएम के नाम और इनकी स्थिति क्या है?

मानव संसाधन विकास मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा जल संसाधन, नदी विकास और गंगा संरक्षण मंत्रालय में राज्य मंत्री (डॉ. सत्यपाल सिंह) : (क) और (ख) संस्थानों से प्राप्त सूचना के अनुसार, विभिन्न भारतीय प्रबंध संस्थानों (आईआईएम) में रिक्त पदों का ब्यौरा निम्नानुसार है:—

(रुपए लाख में)

क्र. सं.	आईआईएम का नाम	स्वीकृत संख्या	संकाय की रिक्ति (संख्या	आवंटि राशि (2017-18 तक जारी)	संस्थान द्वारा संस्थान के विकास हेतु व्यय की गई राशि
1	2	3	4	5	6
1.	आईआईएम अहदाबाद	120	22		
2.	आईआईएम कलकत्ता	126	39		
3.	आईआईएम बैंगलोर	120	15	सरकारी अनुदान प्रदान नहीं किया जाता है।	
4.	आईआईएम इंदौर	150	47		
5.	आईआईएम लखनऊ	100	17		
6.	आईआईएम कोझिकोड	80	22		

1	2	3	4	5	6
7.	आईआईएम शिलांग	40	16	389.82	415.68
8.	आईआईएम रांची	36	06	186.37	165.30
9.	आईआईएम रोहतक	31	04	386.13	317.41
10.	आईआईएम उदयपुर	45	08	443.49	469.61
11.	आईआईएम रायपुर	42	15	369.08	349.22
12.	आईआईएम काशीपुर	40	12	397.82	373.54
13.	आईआईएम तिरुचिरापल्ली	31	00	473.19	473.19
14.	आईआईएम अमृतसर	15	05	39.37	20.56
15.	आईआईएम सिरमौर	11	03	38.63	21.95
16.	आईआईएम बोध गया	11	11	16.00	1.77
17.	आईआईएम संबलपुर	11	04	39.18	10.00
18.	आईआईएम नागपुर	11	01	46.51	29.79
19.	आईआईएम विशाखापत्तनम	11	00	56.83	47.79
20.	आईआईएम जम्मू	14	11	42.96	21.38

(ग) अस्थाई कैम्पस से कार्यरत आईआईएम की स्थिति निम्नानुसार है:—

क्र. सं.	अस्थाई कैम्पस से कार्यरत आईआईएम का नाम	स्थिति
1.	आईआईएम शिलांग	संस्थान जुलाई, 2008 से अपने अस्थाई कैम्पस से कार्य कर रहा है। स्थाई कैम्पस परियोजना का चरण-I पूर्ण होने के समीप है। संस्थान की योजना जून, 2019 में स्थाई कैम्पस में शिफ्ट करने की है।
2.	आईआईएम रांची	संस्थान अगस्त, 2010 से अपने अस्थाई कैम्पस से कार्य कर रहा है। बांऊड्री की दीवार पूर्ण हो गई है।
3.	आईआईएम रायपुर	संस्थान अक्तूबर, 2010 से अपने स्थाई कैम्पस से कार्य कर रहा है। संस्थान की सितंबर, 2018 तक अपने अस्थाई कैम्पस में शिफ्ट होने की योजना है।
4.	आईआईएम अमृतसर	आईआईएम जम्मू को छोड़कर जो 2016-17 में प्रारंभ हुआ, 2015-16 में उनके प्रारंभ होने से यह सभी संस्थान वर्तमान में अस्थाई कैम्पस से कार्य कर रहे हैं।
5.	आईआईएम सिरमौर	
6.	आईआईएम बौधगया	
7.	आईआईएम संबलपुर	
8.	आईआईएम नागपुर	
9.	आईआईएम विशाखापट्टनम	
10.	आईआईएम जम्मू	

उपर्युक्त संस्थानों को पर्याप्त अवसंरचना जैसे कक्षा-कक्ष, डाईनिंग हॉल, मनोरंजन कक्ष, बाहरी और भीतरी खेल सुविधा, प्रयोगशाला, उपकरण, छात्रावास आदि प्रदान की गई है।

शिक्षा फीस

1901. **श्री दुष्यंत चौटाला :** क्या **मानव संसाधन विकास मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने मुख्य निजी संस्थानों में शिक्षा फीस को विनियमित करने के लिए दिशा-निर्देश तैयार किए हैं;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और क्या सरकार को निजी उच्च संस्थानों में अधिक फीस के संबंध में शिकायतें प्राप्त हुई हैं;

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(घ) सरकार द्वारा देशभर में निजी शिक्षा संस्थानों द्वारा निर्धारित फीस की निगरानी हेतु क्या कार्यवाही की गई है?

मानव संसाधन विकास मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा जल संसाधन, नदी विकास और गंगा संरक्षण मंत्रालय में राज्य मंत्री (डॉ. सत्यपाल सिंह) : (क) से (घ) अखिल भारतीय तकनीकी शिक्षा परिषद् (एआईसीटीई) ने माननीय उच्चतम न्यायालय के भूतपूर्व न्यायाधीश बी.एन. श्रीकृष्णा की अध्यक्षता में एक समिति का गठन किया था जो देश में निजी तकनीकी संस्थानों द्वारा वसूली जाने वाली शिक्षा फीस के संबंध में सिफारिश करेगी। समिति इन निजी संस्थानों द्वारा वसूली जाने वाले शिक्षण शुल्क और विकास शुल्क की अधिकतम सीमा की सिफारिश करेगी। इसके अतिरिक्त, सभी राज्य/केन्द्र शासित राज्य सरकारों को शुल्क समिति की अनुशंसाओं के पालन हेतु निर्देशित किया गया है। तद्नुसार, राज्य/शुल्क विनियामक समिति का गठन, इन संस्थानों द्वारा वसूले जाने वाली शिक्षण और विकास शुल्क सीमा सुनिश्चित करने के लिए किया गया है। इसके अतिरिक्त, विश्वविद्यालय अनुदान आयोग (यूजीसी) ने एम्स, नई दिल्ली के भूतपूर्व निदेशक प्रोफेसर आर.सी. डेका की अध्यक्षता में मेडिकल और डेण्टल पाठ्यक्रमों के लिए समवत विश्वविद्यालय द्वारा किए जाने वाले शुल्क को विनियमित करने हेतु एक समिति का गठन किया है।

[हिन्दी]

चयनित मदों संबंधी अस्थाई लाइसेंस जारी करना

1902. **श्री सुखबीर सिंह जौनापुरिया :** क्या **वाणिज्य और उद्योग मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का चीन के मार्ग से आयातों को ध्यान में रखकर चयनित मदों पर अस्थाई लाइसें जारी करने की योजना लागू करने का विचार है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या सरकार और अन्य एजेंसियां वस्तुओं के मूल्यों में गिरावट को ध्यान में रखकर गुणवत्ता की निगरानी कर रही है;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ङ) सरकार द्वारा इस संबंध में क्या कदम उठाए गए हैं?

उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री सी.आर. चौधरी) : (क) और (ख) जी, नहीं।

(ग) से (ङ) सरकार ने खाद्य तेल, दलहन, चीनी, गेहूं, चावल और प्याज सहित अनिवार्य कृषि वस्तुओं के मूल्य की निगरानी करने के लिए सचिव, खाद्य और सार्वजनिक वितरण विभाग की अध्यक्षता में एक अंतर-मंत्रालयी समिति का गठन किया है। अन्यों के अलावा, कृषि सहकारिता और किसान कल्याण विभाग, उपभोक्ता मामले विभाग, वाणिज्य विभाग के सचिव, महानिदेशक विदेश व्यापार इस समिति के सदस्य हैं। यह समिति बाजार में इन अनिवार्य वस्तुओं की आपूर्ति/मांग/मूल्य की समीक्षा करने के लिए नियमित अंतराल पर अपनी बैठक करती है तथा किसानों के लिए बेहतर मूल्य सुनिश्चित करने, घरेलू आपूर्ति में सुधार लाने तथा मूल्य पर नियंत्रण रखने के उद्देश्य से विभिन्न उपायों की सिफारिश करती है। इस समिति की सिफारिशों के आधार पर विगत में खाद्य तेल के आयात पर सीमा शुल्क में वृद्धि, दलहन (तूर, उड़द, मूंग और मटर) के आयात पर प्रतिबंध जैसे उपाय किए गए हैं।

[अनुवाद]

एनएसडीसी और निजी कम्पनियों के बीच समझौता

1903. **श्री जी.एम. सिद्देश्वरा :** क्या **कौशल विकास और उद्यमशीलता मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि राष्ट्रीय कौशल विकास निगम ने कुशल श्रमिकों की आवश्यकता हेतु सहयोग के लिए विभिन्न निजी कम्पनियों के साथ समझौता किया है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) यदि हां, तो इस संबंध में ब्यौरा क्या है?

कौशल विकास और उद्यमशीलता मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री अनंतकुमार हेगड़े) : (क) से (ग) राष्ट्रीय कौशल विकास निगम

(एनएसडीसी) ने कुशल श्रमिकों की आवश्यकता हेतु सहयोग करने के लिए विभिन्न निजी कंपनियों के साथ करार किए हैं। इस प्रयास में सम्मिलित कर्नाटक की निजी कंपनियों की सूची संलग्न विवरण में दी गई है।

विवरण

उन निजी कंपनियों का विवरण, जिनके साथ राष्ट्रीय कौशल विकास निगम ने कर्नाटक में कुशल श्रमिकों की आवश्यकता हेतु सहयोग करने के लिए समझौते किए हैं:—

क्र.सं.	कर्नाटक की निजी कंपनियों की सूची
1	2
1.	आंट्स कंसल्टिंग एंड सर्विसेज प्राइवेट लिमिटेड
2.	एरिना एजुकेशन सर्विसेज प्राइवेट लिमिटेड
3.	कारवां क्राफ्टस रिटेल्स प्राइवेट लिमिटेड
4.	देशपांडे एजुकेशनल ट्रस्ट
5.	ईपाल्मलीफ आईटीईएस प्राइवेट लिमिटेड
6.	इंडस्ट्री स्किल्स ट्रांसफॉर्म प्राइवेट लिमिटेड
7.	इंटरेक्टिव इंस्टीट्यूट ऑफ जॉब स्किल्स प्राइवेट लिमिटेड
8.	आईएसटीएआर स्किल डेवलपमेंट प्राइवेट लिमिटेड
9.	जॉब स्किल सॉल्यूशन प्राइवेट लिमिटेड (फाइड ग्लोबल)
10.	लैबोरनेट सर्विसेज इंडिया प्राइवेट लिमिटेड
11.	एलएक्यूएसएच जॉब स्किल एकेडमी प्राइवेट लिमिटेड
12.	मैजिक वंड इंपावरमेंट प्राइवेट लिमिटेड
13.	मणिपाल सिटी एंड गिल्ड्स प्राइवेट लिमिटेड
14.	नेटूर टेक्निकल ट्रेनिंग फाउंडेशन
15.	रूमन टेक्नोलॉजीज प्राइवेट लिमिटेड
16.	सक्षम ट्रेनिंग एंड फेसिलिटी मेनेजमेंट प्राइवेट लिमिटेड
17.	एसजीबीएस उन्नति फाउंडेशन
18.	स्किल्सोनिक्स इंडिया प्राइवेट लिमिटेड
19.	सोना युक्ति प्राइवेट लिमिटेड
20.	श्री श्री रूरल डेवलपमेंट प्रोग्राम ट्रस्ट
21.	एसवी एडुसपोर्ट प्राइवेट लिमिटेड
22.	यूनिक वोकेशनल ट्रेनिंग एकेडमी प्राइवेट लिमिटेड
23.	एनएस इन्फोटक लिमिटेड
24.	आई केयर लर्निंग प्राइवेट लिमिटेड
25.	आईपीआरआईएमईडी एजुकेशन सॉल्यूशंस प्राइवेट लिमिटेड
26.	सेंटर फॉर सुस्टेनएबल डेवलपमेंट
27.	अमरेश्वर ग्रामीणाभिवरुद्धि शिक्षण एंड कल्याण संस्थे।

विश्वविद्यालयों का प्रशासन

1904. श्री अनूप मिश्रा : क्या **मानव संसाधन विकास मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने निधियों के उपयुक्त उपयोग के लिए विश्वविद्यालय प्रशासन में परिवर्तन किए हैं और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ख) क्या सरकार ने उचित प्रशासन सुनिश्चित करने के लिए नियंत्रण और सन्तुलन की कोई नीति अपनाई है;

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(घ) यदि नहीं, तो सरकार द्वारा विश्वविद्यालयों के प्रशासन की उचित रूप से निगरानी करने के लिए क्या कदम उठाए गए हैं?

मानव संसाधन विकास मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा जल संसाधन, नदी विकास और गंगा संरक्षण मंत्रालय में राज्य मंत्री (डॉ. सत्यपाल सिंह) : (क) से (घ) जी, नहीं। विश्वविद्यालय अनुदान आयोग (यूजीसी) ने सूचित किया है कि उसने अपने विश्वविद्यालयों के प्रशासन में कोई परिवर्तन नहीं किया है।

हालांकि, विश्वविद्यालय केन्द्रीय अधिनियम या राज्य अधिनियम के तहत सृजित स्वायत्त संस्थाएं हैं और अपने शैक्षिक और प्रशासनिक मामलों में निर्णय लेने में स्वतंत्र हैं। वित्त मंत्रालय, व्यय विभाग द्वारा तैयार की गई सामान्य वित्तीय नियमावली (जीएफआर), 2017 में निहित प्रावधान स्वायत्त निकायों पर भी लागू होते हैं। वित्तीय लेन-देन से जुड़े सभी मामलों को सांविधिक निकायों जैसे वित्त समिति/कार्यकारी परिषद/शैक्षिक परिषद् के समक्ष रखा जा रहा है। इन सांविधिक निकायों

के माध्यम से केन्द्रीय विश्वविद्यालयों के वित्तीय मामलों/कार्यकलापों की निगरानी की जा रही है।

केन्द्रीय विश्वविद्यालयों के लेखाओं की प्रत्येक वर्ष भारत के नियंत्रण एवं महालेखा परीक्षक (सी और एजी) द्वारा लेखापरीक्षा कराया जाना अनिवार्य है और विधिवत रूप से संपरीक्षित वार्षिक लेखाओं को संसद के दोनों पटलों पर रखा जाना अपेक्षित है।

यूरो VI उत्सर्जन मानदंड

1905. श्री असादुद्दीन ओवैसी : क्या **पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार द्वारा 1 अप्रैल, 2018 से राष्ट्रीय राजधानी के सभी खुदरा बिक्री केन्द्रों पर यूरो VI पेट्रोल और डीज़ल उपलब्ध कराया गया है/उपलब्ध कराए जाने का विचार है और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ख) शहर में प्रदूषण कम करने के लिए इस ईंधन को आरंभ करने से किस सीमा तक मदद मिली है/मदद मिलने की संभावना है; और

(ग) क्या सरकार का इस ईंधन को उन शहरों में जहां वाहन संबंधी प्रदूषण का स्तर बहुत अधिक है, आरंभ करने का विचार है और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और सरकार द्वारा इस संबंध में अन्य राज्यों के लिए तैयार की गई योजना का ब्यौरा क्या है?

पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्री तथा कौशल विकास और उद्यमशीलता मंत्री (श्री धर्मेन्द्र प्रधान) : (क) सरकार के निर्देश के अनुसार तेल विपणन कंपनियों ने दिनांक 01.04.2018 से राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली में बीएस-VI ऑटो ईंधनों की आपूर्ति शुरू कर दी है।

(ख) आईओसीएल के अनुसंधान और विकास विंग द्वारा किए गए आकलन के अनुसार, गैर-बीएस-VI अनुपालक ऑटोमोबाइलों में बीएस-VI ऑटो ईंधनों के उपयोग से राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली में उत्सर्जनों में कुछ हद तक कमी आएगी। तथापि, इसके पूरे फायदे देश में बीएस- अनुपालक वाहनों का उपयोग शुरू किए जाने के बाद प्राप्त होंगे।

(ग) सरकार ने दिनांक 01.04.2020 से प्रमुख शहरों सहित पूरे देश में बीएस-VI ऑटो ईंधन मानक कार्यान्वित करने का निर्णय लिया है।

असंगठित कामगारों के लिए स्वास्थ्य बीमा

1906. श्री अभिषेक सिंह : क्या **श्रम और रोजगार मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) सरकार द्वारा देश में असंगठित कामगारों जो कुल कार्यबल का लगभग 93 प्रतिशत हैं को स्वास्थ्य बीमा प्रदान करने के लिए वर्तमान में कौन-कौन सी योजनाएं चलाई जा रही हैं;

(ख) क्या सरकार द्वारा वेतन की न्यूनतम गारंटी सुनिश्चित करने के लिए किसी योजना का कार्यान्वयन किया जा रहा है और असंगठित क्षेत्र के कामगार यदि कोई हों बीमारी अथवा चिकित्सा मामलों के कारण कार्य पर जाने में असमर्थ हैं और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) सरकार द्वारा असंगठित क्षेत्र के श्रमिकों के लिए कार्य करने का बेहतर माहौल सुनिश्चित करने के लिए क्या कदम उठाए गए हैं/उठाए जा रहे हैं?

श्रम और रोजगार मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री संतोष कुमार गंगवार) : (क) सरकार ने 2018-19 के दौरान आयुष्मान भारत-राष्ट्रीय स्वास्थ्य संरक्षण मिशन (एबी-एनएचपीएम) को आरंभ करने का अनुमोदन किया है, ताकि वंचित और व्यावसायिक मानदंड के आधार पर 10 करोड़ गरीब और कमजोर परिवारों (लगभग 50 करोड़ लाभार्थियों) को कवर किया जा सके, एसईसीसी के अनुसार ग्रामीण और शहरी दोनों को माध्यमिक और तृतीयक अस्पताल में भर्ती हेतु प्रत्येक परिवार को प्रति वर्ष 5 लाख रुपये की कवरेज प्रदान करा रही है। सरकार ने राष्ट्रीय स्वास्थ्य बीमा योजना (आरएसबीवाई) को लागू किया है जो बीपीएल और 11 अन्य असंगठित कामगारों की परिभाषित श्रेणियों को प्रति परिवार 30000/- रुपये प्रति वर्ष का स्वास्थ्य बीमा प्रदान करती है।

(ख) जी, नहीं।

(ग) सरकार असंगठित क्षेत्र में कामगारों के लिए ठेका श्रम (विनियमन एवं उत्सादन), अधिनियम 1970, भवन और अन्य सन्निर्माण कामगार (रोज़गार का विनियमन एवं सेवा शर्तें) अधिनियम, 1996, अंतर-राज्यिक प्रवासी कर्मकार अधिनियम, 1979 आदि अधिनियमन को उचित रूप से कार्यान्वित करके बेहतर कामकाजी माहौल सुनिश्चित कर रही है। इसके अतिरिक्त सभी कामगारों की सुरक्षा, कल्याण, कार्य घंटे और कार्य दशाएं संबंधी विभिन्न उपबंधों को शामिल करते हुए व्यावसायिक सुरक्षा और कार्य दशाएं संहिता को तैयार किया गया है जो पूर्व विधायी परामर्शी चरण में है। केन्द्रीय औद्योगिक केंद्रीय संबंध तंत्र (सीआईआरएम) के अधिकारियों द्वारा इन अधिनियमनों के अंतर्गत गत तीन वर्षों के दौरान किए गए निरीक्षणों का विवरण संलग्न विवरण पर दर्शाया गया है।

विवरण

केंद्रीय क्षेत्र प्रतिष्ठानों में गत तीन वर्षों के दौरान लागू श्रम कानूनों के अंतर्गत किए गए निरीक्षणों का विवरण

ठेक श्रम (विनियमन एवं उत्सादन) अधिनियम, 1970

क्र.सं.	विवरण	2015-16	2016-17	2017-18
1.	किए गए निरीक्षणों की संख्या	10593	8843	8490
2.	पता लगाई गई अनियमितताओं की संख्या	117936	89296	97779
3.	दूर की गई अनियमितताओं की संख्या	73741	68808	68716
4.	आरंभ किए गए अभियोजनों की संख्या	3411	3168	3538
5.	दोषसिद्धियों की संख्या	2009	2266	2583

भवन एवं अन्य सिन्निर्माण कामगार (रोजगार का विनियमन एवं सेवा शर्तें) अधिनियम, 1996

क्र.सं.	विवरण	2015-16	2016-17	2017-18
1.	किए गए निरीक्षणों की संख्या	2086	1372	1473
2.	पता लगाई गई अनियमितताओं की संख्या	21870	15689	20315
3.	दूर की गई अनियमितताओं की संख्या	15695	16360	8808
4.	आरंभ किए गए अभियोजनों की संख्या	309	265	370
5.	दोषसिद्धियों की संख्या	193	297	248

अंतर राज्यिक प्रवासी कामगार (रोजगार का विनियमन एवं सेवा शर्तें) अधिनियम, 1979

क्र.सं.	विवरण	2015-16	2016-17	2017-18
1.	किए गए निरीक्षणों की संख्या	173	122	209
2.	पता लगाई गई अनियमितताओं की संख्या	2744	2214	2952
3.	दूर की गई अनियमितताओं की संख्या	2240	1848	1939
4.	आरंभ किए गए अभियोजनों की संख्या	61	52	57
5.	दोषसिद्धियों की संख्या	44	59	47

[हिन्दी]

सर्व शिक्षा अभियान के अंतर्गत रिक्तियां

1907. श्री संजय हरिभाऊ जाधव : क्या मानव संसाधन विकास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) देश में विशेष रूप से महाराष्ट्र में सर्व शिक्षा अभियान के अंतर्गत शिक्षकों के वर्तमान रिक्त पदों की संख्या कितनी है;

(ख) इन्हें समयबद्ध तरीके से भरने के लिए क्या कदम उठाए गए हैं/उठाए जा रहे हैं;

(ग) क्या उक्त पदों को भरने के लिए एक विशेष भर्ती अभियान की पहल करने की कोई योजना है;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ङ) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं?

मानव संसाधन विकास मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री उपेन्द्र कुशवाहा) : (क) से (ङ) जैसाकि सभी राज्यों एवं संघ राज्य क्षेत्रों ने सूचित किया है कि देश में तत्कालीन सर्व शिक्षा अभियान के तहत संस्वीकृत 1933398 शिक्षक पदों में से कुल 417057 पद रिक्त हैं। महाराष्ट्र राज्य ने अपनी वार्षिक कार्य योजना एवं बजट (एडब्ल्यूपीएंडबी) 2017-18 में संस्वीकृत 15387 पदों में से किसी रिक्त पद की सूचना नहीं दी है।

शिक्षकों की भर्ती, सेवा शर्तें और तैनाती राज्य/संघ राज्य क्षेत्र (यूटी) सरकार के क्षेत्राधिकार में आते हैं। मानव संसाधन विकास मंत्रालय, महाराष्ट्र सरकार सहित, सभी राज्यों/संघ राज्य क्षेत्र सरकारों से उनके राज्य में रिक्त अध्यापक पदों को भरने और तर्कसंगत तैनाती के लिए अनुरोध करता रहा है और इसके लिए मंत्रालय ने सभी राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों को सलाह-पत्र भी जारी किए हैं।

गैर-सरकारी संगठनों (एनजीओ) को वित्तीय सहायता

1908. श्री हरिश्चन्द्र चव्हाण : क्या **पर्यटन मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) मंत्रालय की चल रही योजनाओं के अंतर्गत महाराष्ट्र राज्य में वित्तीय सहायता प्राप्त करने वाले गैर-सरकारी संगठनों के नाम क्या हैं;

(ख) गत तीन वर्षों में प्रत्येक वर्ष के दौरान ऐसी सहायता की राशि का एनजीओ-वार और योजना-वार ब्यौरा क्या है; और

(ग) उक्त अवधि के दौरान उक्त योजना के क्रियान्वयन में अनियमितताओं में संलिप्त पाए गए एनजीओ का राज्य/संघ राज्य क्षेत्र-वार ब्यौरा क्या है तथा उनके खिलाफ क्या कार्रवाई की गई है?

पर्यटन मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री अलफोन्स कन्ननथनम) : (क) से (ग) पर्यटन मंत्रालय देश तथा/अथवा देश के भीतर पर्यटन को बढ़ावा देने की संभावना रखने वाले राष्ट्रीय/अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर आयोजित कार्यक्रमों के लिए देश के विभिन्न हिस्सों जिसमें महाराष्ट्र राज्य शामिल है में स्थित गैर-सरकारी संगठनों (एनजीओ) सहित अनेक निजी संगठनों को तथा सेवा प्रदाताओं हेतु क्षमता निर्माण के लिए वित्तीय सहायता प्रदान करता है। पिछली तीन वर्षों में उपर्युक्त के संबंध में दी गई वित्तीय सहायता का विवरण नीचे दिया गया है:—

(लाख रुपए में)

वर्ष	संस्वीकृत राशि
2015-16	88.83
2016-17	167.14
2017-18	491.30

पर्यटन मंत्रालय को अभी तक संगठनों द्वारा अनियमितताओं की सूचना नहीं मिली है जिन्हें उल्लिखित सहायता प्रदान की गई है।

सांस्कृतिक और पुरातात्विक महत्व के स्थानों का सर्वेक्षण

1909. श्री रवीन्द्र कुमार पाण्डेय : क्या **संस्कृति मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या झारखंड के बोकारो, धनबाद और गिरिडीह जिलों में स्थित पर्यटन और धार्मिक महत्व के केन्द्र विकसित करके पर्यटन को बढ़ावा दिया जा रहा है और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ख) क्या सरकार द्वारा झारखंड में सांस्कृतिक और पुरातात्विक महत्व के स्थानों का सर्वेक्षण किया गया है;

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है तथा इसके क्या परिणाम रहे; और

(घ) क्या सरकार द्वारा धनबाद जिले के बनासो धाम और टॉय चांची झील और गिरिडीह जिले के बाबा दु:ख हरण धाम सहित सांस्कृतिक और पुरातात्विक महत्व के स्थानों को विकसित करने की दिशा में कोई कदम उठाए गए हैं?

संस्कृति मंत्रालय के राज्य मंत्री तथा पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय में राज्य मंत्री (डॉ. महेश शर्मा) : (क) भारत सरकार का पर्यटन मंत्रालय देश में विभिन्न राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों की सांस्कृतिक विरासत सहित अतुल्य भारत ब्रैंड लाइन के अंतर्गत देश में विभिन्न पर्यटन स्थलों और उत्पादकों को बढ़ावा देता है।

(ख) और (ग) ब्यौरा संलग्न विवरण-I में दिया गया है।

(घ) भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण नियमित आधार पर झारखंड में 13 केन्द्रीय संरक्षित स्मारकों के संरक्षण, परिरक्षण और अनुरक्षण का कार्य करता है। इसकी सूची संलग्न विवरण-II में दी गई है।

बनासो धाम और धनबाद जिले की टॉय चांची झील और गिरिडीह जिले का बाबा दुखहरण धाम भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण के संरक्षणाधीन नहीं है।

विवरण-I

भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण द्वारा झारखंड में किए गए गांव-दर-गांव सर्वेक्षण को दर्शाता विवरण

क्र. सं.	गांव का नाम	तालुक/तहसील/ ब्लॉक	जिला	खोजों की प्रकृति
1	2	3	4	5
1.	अखिलेश्वरधाम	भंडारा	लोहरदगा	9वीं, 10वीं शताब्दी के मंदिर के अवशेष
2.	काशपुर	भंडारा	लोहरदगा	दीर्घाश्म स्तम्भ के अवशेष
3.	भंडारा	भंडारा	लोहरदगा	9वीं, 10वीं शताब्दी के शिव लिंग सहित दो मंदिरों के अवशेष
4.	मसमानो ठाकुर गांव	भंडारा	लोहरदगा	दीर्घाश्म स्तम्भ
5.	अरकोसा	लोहरदगा	लोहरदगा	छोटी पहाड़ी पर रखे 10वीं, 11वीं शताब्दी की सूर्य और नरसिम्हावतारा की खुली मूर्तियां तथा मंदिर के अन्य वास्तुशिल्पीय भाग
6.	अरकोसा	लोहरदगा	लोहरदगा	एक उत्कीर्ण गोल चट्टान ध्यान में आई है। यह दो चट्टानों के अंतराल में उत्कीर्ण है, अंतराल बहुत कम है, गोले एक दूसरे के सामने हैं।
7.	हिराही	लोहरदगा	लोहरदगा	ब्रिटिश काल के ढांचे तथा पानी की नहर के अवशेष
8.	कुरसे	लोहरदगा	लोहरदगा	दीर्घाश्म स्तम्भ के अवशेष
9.	बरातपुर	लोहरदगा	लोहरदगा	ब्रिटिश समय का कुआं
10.	बास्को	लोहरदगा	लोहरदगा	शायद मध्य काल के मंदिर में आसनस्थ उमा महेश के वास्तुशिल्पीय भाग तथा मूर्तियां, स्तूप, कब्रिस्तान, दीर्घाश्म स्तम्भ
11.	बास्को	लोहरदगा	लोहरदगा	चित्रलेख प्राप्त हुए हैं। एक दूसरे के सामने कूबड़वाला सांड तथा चीता
12.	बामनडिहा	लोहरदगा	लोहरदगा	शिव लिंग के योनिपीठ के अवशेष प्राप्त हुए हैं (मध्य कालीन)
13.	बंजर किसको	लोहरदगा	लोहरदगा	मध्य काल के ....के मंदिर अवशेष तथा मूर्तियां
14.	कैंमो	लोहरदगा	लोहरदगा	मूसली तथा इमामदस्ता (मध्य काल के उत्तरार्द्ध के)
15.	सहेदा	लोहरदगा	लोहरदगा	दीर्घाश्म स्तम्भ
16.	लवागई	कुरू	लोहरदगा	छोटे पत्थर के एक छोटे भाग पर उत्कीर्ण पत्थर जो कि मंदिर में रखा गया है, एक आसनस्थ बंदर (हनुमान) जैसी आकृति नोटिस की गई है।

1	2	3	4	5
17.	कोलसेमरी	कुरू	लोहरदगा	ग्रामीणों के अनुसार वहां एक प्राचीन मंदिर था जोकि अब नया बन गया है। यहां केवल शिव लिंग ही स्थापित है, एक बहुत बड़ा पत्थर का टुकड़ा (शायद दीर्घाश्म स्तम्भ का भाग) मंदिर के परिसर के पास पड़ा हुआ है।
18.	निनि	किस्को	लोहरदगा	दीर्घाश्म स्तम्भ के अवशेष
19.	गुडगामा	किस्को	लोहरदगा	दीर्घाश्म स्तम्भ
20.	नाथपुर	किस्को	लोहरदगा	11वीं, 12वीं शताब्दी का मंदिर तथा मूर्तियों के अवशेष
21.	तिसिया	किस्को	लोहरदगा	12वीं, 13वीं शताब्दी के मंदिर के अवशेष
22.	नारी	किस्को	लोहरदगा	दीर्घाश्म स्तम्भ के अवशेष
23.	होंडागा	किस्को	लोहरदगा	यहां कई दीर्घाश्म स्तम्भ पाए गए हैं
24.	बडाला	सेन्हा	लोहरदगा	दीर्घाश्म स्तम्भ
25.	जोगी टोंगरी	सेन्हा	लोहरदगा	उत्कीर्ण चट्टान (जिन आकृतियां) माइक्रोलिथ तथा करमार्क्स
26.	कोरम्बे	सेन्हा	लोहरदगा	पत्थर के ढांचे के अवशेष, माइक्रोलिथ तथा पाउंडिंग होल्स
27.	बुटी	सेन्हा	लोहरदगा	दीर्घाश्म स्तम्भ
28.	दत्री	सेन्हा	लोहरदगा	शिव लिंग
29.	बरही	सेन्हा	लोहरदगा	
30.	जोगाना	सेन्हा	लोहरदगा	शिवलिंग
31.	मुरपा	सेन्हा	लोहरदगा	दीर्घाश्म स्तम्भ
32.	घागेया	सेन्हा	लोहरदगा	दीर्घाश्म स्तम्भ
33.	मेरहो	सेन्हा	लोहरदगा	दीर्घाश्म स्तम्भ
34.	चितारी	सेन्हा	लोहरदगा	मंदिर अवशेष
35.	कंडारा	सेन्हा	लोहरदगा	ब्रिटिश काल की संरचना
36.	पतरातु	सेन्हा	लोहरदगा	दीर्घाश्म स्तम्भ
37.	पतरातु बडाका टोइल	सेन्हा	लोहरदगा	दीर्घाश्म स्तम्भ
38.	अरहासा	सेन्हा	लोहरदगा	दीर्घाश्म स्तम्भ

1	2	3	4	5
39.	हिसरी	सेन्हा	लोहरदगा	दीर्घाश्म स्तम्भ
40.	ऊपरी हिसरी	सेन्हा	लोहरदगा	दीर्घाश्म स्तम्भ
41.	तोरड	सेन्हा	लोहरदगा	दीर्घाश्म स्तम्भ
42.	झामावार	पेशरारा	लोहरदगा	दीर्घाश्म स्तम्भ
43.	गढ़ कासामर	पेशरारा	लोहरदगा	दो स्थानक प्रस्तर के स्तम्भ जिसमें से एक सूर्य को दर्शाता है दूसरा चंद्रमा को। दो मानव आकृतियां एक दूसरे के आमने-सामने हाथ पकड़े हुए। शायद किले का भाग। चट्टान पर दीर्घाश्म स्तम्भ तथा पाउंडिंग होल्स के अवशेष पाए गए हैं।
44.	कैरो	कैरो	लोहरदगा	लाइम मोर्टार के साथ ईंटों की चिनाई वाले ईंटों की संरचना वाले बुर्ज़ के अवशेष
45.	चोटा चिपो	कैरो	लोहरदगा	दस दीर्घाश्म स्तम्भ
46.	सरहाबे	कैरो	लोहरदगा	विभिन्न स्थानों पर कई दीर्घाश्म स्तम्भ मिले हैं
47.	लवागई	किस्को	लोहरदगा	दीर्घाश्म स्तम्भ
48.	हेसापिडि	किस्को	लोहरदगा	उमा महेश की टूटी हुई पत्थर की मूर्ति
49.	अकासी	किस्को	लोहरदगा	दीर्घाश्म स्तम्भ
50.	खरमातु	किस्को	लोहरदगा	दीर्घाश्म स्तम्भ तथा माइक्रोलिथ
51.	आरा	सेन्हा	लोहरदगा	दीर्घाश्म स्तम्भ
52.	जिंगी	कुरू	लोहरदगा	पत्थर पर शिवलिंग तथा कैथी शिलालेख
53.	करक	कुडु	लोहरदगा	दीर्घाश्म स्तम्भ
54.	ताति	कुडु	लोहरदगा	ब्रिटिश काल का पानी का तालाब तथा संरचना
55.	ताति डूमरटोली	कुडु	लोहरदगा	दीर्घाश्म स्तम्भ
56.	जरियोबादटोली	कुडु	लोहरदगा	मानव तथा हाथी की नक्काशी वाला वास्तुशिल्पीय भाग
57.	सालगिटुंगरटोली	कुडु	लोहरदगा	दीर्घाश्म स्तम्भ तथा ब्रिटिश काल का कुआं तथा संरचना अवशेष
58.	सालगि	कुडु	लोहरदगा	मध्य काल की संरचना के अवशेष
59.	रोचो	कुडु	लोहरदगा	दीर्घाश्म स्तम्भ
60.	उमरी	कुडु	लोहरदगा	ब्रिटिश काल के कुएं के अवशेष

1	2	3	4	5
61.	उमरिपुलसीटेंड	कुडु	लोहरदगा	दीर्घाश्म स्तम्भ
62.	दोबाबाडटोली	कुडु	लोहरदगा	ब्रिटिश कालीन पानी का तालाब
63.	बरडीह	कुडु	लोहरदगा	एक स्थानक उत्कीर्ण पत्थर
64.	भउरो	भंडारा	लोहरदगा	दीर्घाश्म स्तम्भ, मंदिर अवशेष तथा मूर्तियां
65.	पालमी माझीटोली	भंडारा	लोहरदगा	शिवलिंग सहित मंदिर के अवशेष
66.	पालमी	भंडारा	लोहरदगा	दीर्घाश्म स्तम्भ
67.	बिदापी	भंडारा	लोहरदगा	माइक्रोलिथ तथा ईंटों की संरचना के अवशेष
68.	तेतारपोका	भंडारा	लोहरदगा	दीर्घाश्म स्तम्भ
69.	वकीलम्बुआ	भंडारा	लोहरदगा	दीर्घाश्म स्तम्भ
70.	नागदी	भंडारा	लोहरदगा	दीर्घाश्म स्तम्भ
71.	कुंडो	भंडारा	लोहरदगा	दीर्घाश्म स्तम्भ
72.	पंदरुआ	भंडारा	लोहरदगा	पाउंडिंग होल्स
73.	जमगई	भंडारा	लोहरदगा	दीर्घाश्म स्तम्भ
74.	डुमरी	भंडारा	लोहरदगा	दीर्घाश्म स्तम्भ, डौलमेन
75.	तिलसिरि	भंडारा	लोहरदगा	दीर्घाश्म स्तम्भ
76.	अमदारी	भंडारा	लोहरदगा	दीर्घाश्म स्तम्भ तथा ईंटों की संरचना
77.	कचमच	भंडारा	लोहरदगा	दीर्घाश्म स्तम्भ
78.	डूमरटोली	भंडारा	लोहरदगा	माइक्रोलिथ
79.	पोढातेरनटोली	भंडारा	लोहरदगा	दीर्घाश्म स्तम्भ

विवरण-II

झारखंड में केंद्रीय संरक्षित स्मारकों की सूची

क्र.सं.	स्मारक/स्थल का नाम	स्थान	जिला
1	2	3	4
1.	असुरा स्थल	हंसा	रांची
2.	असुरा स्थल	खुंटी टोला	रांची
3.	उसके अंदर एक छोटे शिवलिंग सहित प्राचीन पत्थर का मंदिर	खेकपेट्टा	रांची

1	2	3	4
4.	असुरा स्थल	खुंटी टोला	रांची
5.	असुरा स्थल	कुंजला	रांची
6.	असुरा स्थल	सारिदकेल	रांची
7.	चंदर शहीद – पहाड़ी पर अशोक शिलालेख	अशिकपुर	रांची
8.	हरडीह स्थित मंदिर	हरडीह, तमाड 210	रांची
9.	भूतल के नीचे संभावित कोठिरियों तथा रास्ते सहित बारादरी भवन के अवशेष	अरज़ी मुकीमपुर	संथाल परगना
10.	जामा मस्जिद	हदफ	संथाल परगना
11.	1. बेनीसागर तालाब	बेनीसागर	सिंहभूम
	2. उपरोक्त तालाब के दक्षिण पूर्वी किनारे पर मंदिर तथा मूर्तियों के प्राचीन अवशेष		
12.	एक प्राचीन किले का स्थल	रुआम	सिंहभूम
13.	प्राचीन टीला	इटागढ़	सिंहभूम

[अनुवाद]

पशु उत्पादों की मांग

1910. श्री राधेश्याम बिश्वास : क्या वाणिज्य और उद्योग मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या निर्यात हेतु कम अतिशेष छोड़ने वाले पशु उत्पादों की घरेलू मांग अधिक है और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ख) क्या विदेश व्यापार नीति के अंतर्गत बीफ और बीफ उत्पादों के निर्यात पर प्रतिबंध है और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) क्या कई आयातकर्त्ता देशों ने स्वच्छता और पादप स्वच्छता संबंधी कठोर शर्तें लगाई हैं और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री सी.आर. चौधरी) : (क) जी, हां। भारत में पशु उत्पादों का बड़ा खपत आधार है। तथापि, भारत पशु उत्पादों जैसे भैंस के मांस, भेड/बकरी के मांस, पोल्ट्री उत्पादों इत्यादि का निर्यात करने में सक्षम रहा है।

(ख) जी, हां। मौजूदा विदेश व्यापार नीति के अनुसार गाय, बैल और बछड़ों के बीफ (मांस एवं खाने योग्य अवशिष्ट सहित) का निर्यात प्रतिबंधित है और इसके निर्यात की अनुमति नहीं है।

(ग) जी, हां। विश्व पुश स्वास्थ्य संगठन (ओआईई) के भौमिक पशु स्वास्थ्य कोड में निर्धारित स्वच्छता शर्तों के अनुसार ही अंतर्राष्ट्रीय व्यापार में पशु उत्पादों को अनुमति दी जाती है। कुछ देश खुर एवं मुंह रोग (एफएमडी) की घटनाओं के आधार पर भारत से भैंस के प्रशीतित मांस के लिए बाजार पहुंच का मूल्यांकन करते हैं।

संभार तंत्र केन्द्र

1911. श्री के. परसुरमन : क्या वाणिज्य और उद्योग मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार विमानपत्तन, समुद्रीपत्तन पर माल प्राप्त करने और माल के अंतर्देशीय आवागमन की समस्या का समाधान करने के लिए निजी क्षेत्र की भागीदारी के संभार तंत्र केन्द्रों की स्थापना कर रही है; और

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और सरकार द्वारा पूरे देश में योजनाबद्ध किए गए संभार तंत्र केन्द्रों की कुल संख्या कितनी है?

उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री सी.आर. चौधरी) : (क) संभार – तंत्र केन्द्रों का विकास करना एक अनवरत प्रक्रिया है।

(ख) भारतीय अंतर्देशीय जलमार्ग प्राधिकरण, वाराणसी (उत्तर प्रदेश), साहिबगंज (झारखंड) और जोगीगोपा (असम) में मालढुलाई गांवों/संभार-तंत्र पार्कों का विकास कर रहा है। इसी प्रकार, सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्रालय ने मल्टीमॉडल संभार-तंत्र पार्कों के विकास के लिए 35 स्थानों का चयन किया है। रेल मंत्रालय की नीति देश के विभिन्न भागों में निजी मालभाड़ा टर्मिनलों का विकास करने की है।

मध्याह्न भोजन योजना में अंडे

1912. श्रीमती पूनम महाजन : क्या **मानव संसाधन विकास मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार बच्चों में अल्प पोषण की समस्या से निपटने के लिए और विद्यालय उपस्थिति को बढ़ाने के लिए देश के विद्यालयों में मध्याह्न भोजन योजना में अंडे प्रदान करती है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और विद्यालयों में बच्चों को राज्य/संघ राज्य क्षेत्र-वार कितने अंडे प्रदान किए गए हैं और विगत पांच वर्ष में प्रत्येक वर्ष के दौरान अंडों के प्रावधान पर वर्ष-वार कुल कितनी राशि का व्यय आया है; और

(ग) क्या सरकार देश के सभी राज्यों में मध्याह्न भोजन में अंडे प्रदान करने पर विचार कर रही है और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं?

मानव संसाधन विकास मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री उपेन्द्र कुशवाहा) : (क) से (ग) मध्याह्न भोजन दिशा-निर्देशों में योजना के उद्देश्यों की प्राप्ति के लिए निम्नलिखित पोषक तत्व निर्धारित हैं:–

मद	प्राथमिक कक्षा के बच्चों के लिए	उच्च प्राथमिक कक्षा के बच्चों के लिए
1	2	3
(क) पोषण मानक (प्रति बच्चा प्रतिदिन)		
कैलोरी	450	700
प्रोटीन	12 ग्राम	20 ग्राम
(ख) भोजन मानक (प्रति बच्चा प्रतिदिन)		
अनाज	100 ग्राम	150 ग्राम
दालें20 ग्राम	30 ग्राम	
सब्जी	50 ग्राम	75 ग्राम
तेल और वसा	5 ग्राम	7.5 ग्राम
नमक और मसाले	आवश्यकतानुसार	आवश्यकतानुसार

तथापि, मध्याह्न भोजन योजना (एमडीएमएस) का केंद्रीय प्रायोजित योजना है जिसका कार्यान्वयन राज्यों और संघ राज्य क्षेत्र के साभ भागीदारी से किया जाता है। पात्र बच्चों को पका हुआ और पोषक मध्याह्न भोजन प्रदान करने का सम्पूर्ण उत्तरदायित्व राज्य सरकारों और संघ राज्य क्षेत्र प्रशासन का है। राज्य और संघ राज्य क्षेत्र निर्धारित पोषण तत्वों की पूर्ति की दृष्टि से, उनकी स्थानीय आवश्यकताओं के अनुसार अपना मैन्यू निर्धारित करते हैं। कुछ राज्य और संघ राज्य क्षेत्र स्वयं के संसाधनों से अतिरिक्त मद भी प्रदान करते हैं।

प्राथमिक शिक्षा

1913. श्री जे.जे.टी. नट्टर्जी : क्या **मानव संसाधन विकास मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या देश में कौशल विकास प्रदान करने के लिए पर्याप्त व्यवस्था है, जिससे कई लोगों को रोजगार प्राप्त करने और अच्छी तथा सुदृढ़ प्राथमिक शिक्षा प्रदान करने में मदद मिलेगी;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या सरकार का विचार है कि कौशल प्रशिक्षण के साथ अच्छी और सुदृढ़ शिक्षा दीर्घकालिक अविध में युवाओं को अपनी क्षमताओं में वृद्धि करने में मददगार साबित होगी; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और सरकार ने इस विषय में क्या पहल की है?

मानव संसाधन विकास मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री उपेन्द्र कुशवाहा) : (क) और (ख) जी, हां। सरकार अखिल भारतीय आधार पर प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना (पीएमकेवीवाई) नामक प्रमुख योजना कार्यान्वित कर रही है जिससे आकांक्षी युवा को प्रत्यायित और संबंधन प्राप्त प्रशिक्षण केन्द्रों के जरिए अल्पकालिक प्रशिक्षण (एसटीटी) और रिकग्निशन ऑफ प्रायर लर्निंग (आरपीएल) कर सकते हैं। इस

योजना के दो घटक नामत: केन्द्रीय प्रायोजित केन्द्रीय प्रबंधित (सीएससीएम), जिसे राष्ट्रीय कौशल विकास निगम (एनएसडीस) द्वारा कार्यान्वित किया जा रहा है, और केन्द्रीय प्रायोजित राज्य प्रबंधित (सीएससीएम) है, जिसका कार्यान्वयन राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों के राज्य कौशल विकास मिशन द्वारा किया जा रहा है, जिसे आम तौर पर पीएमकेवीवाई का राज्य भागीदारी घटक कहा जाता है। सीएससीएम-पीएमकेवीवाई 2016-20 के तहत, 10 जुलाई, 2018 की स्थिति के अनुसार, एसटीटी, आरपीएल और विशेष परियोजना के अंतर्गत लगभग 7213 प्रशिक्षण केन्द्र कार्यरत हैं और एसटीटी, आरपीएल और विशेष परियोजना के तहत लगभग 31.13 लाख अभ्यर्थी प्रशिक्षित किए गए हैं/प्रशिक्षण पा रहे हैं। इसके अतिरिक्त, पीएमकेवीवाई 2016-20 के सीएसएसएम घटक के तहत, 27 राज्य में 1080 प्रशिक्षण केन्द्रों में कौशल विकास प्रशिक्षण प्रदान किया जाता है।

सरकार द्वारा अभी तक सर्व शिक्षा अभियान की केन्द्रीय प्रायोजित योजना के जरिए प्राथमिक शिक्षा के सार्वभौमिकरण के प्रयास किए जा रहे हैं। इसके अतिरिक्त भारत सरकार ने 2018-19 से समग्र शिक्षा-स्कूल शिक्षा के लिए एक एकीकृत योजना हाल ही में शुरू की है जो विद्यालय शिक्षा क्षेत्र के लिए प्री स्कूल से कक्षा 12 तक के लिए एक ओवरआर्किंग कार्यक्रम है और जिसका उद्देश्य स्कूली शिक्षा के सभी स्तरों पर समावेशी और समान गुणवत्ता वाली शिक्षा सुनिश्चित करना है। इसके समग्र लक्ष्य में सार्वभौमिक पहुंच और रिटेंशन, शिक्षा में लैंगिक और सामाजिक वर्गों के बीच अंतरालों को पाटना और बच्चों के अधिगम स्तर की बढोतरी करना है।

प्रारंभिक शिक्षा के पाठ्यक्रम का उद्देश्य व्यापक अधिगम अनुभव प्रदान करना है और यह शिक्षण अधिगम के विभिन्न पहलुओं को प्रोत्साहित करता है जो अलग-अलग बच्चों की अलग-अलग जरूरतों को पूरा करते हैं। इस चरण पर ध्यान होकर विकास पर है, जो सभी विषय क्षेत्रों को कवर करता है, ताकि बच्चे, अधिगम की एक समग्र आधारशिला स्थापित करने के लिए अनिवार्य कौशल जैसे प्रश्न हल करने संबंधी कौशल, व्यक्तिगत आचरण और मूल्य, शारीरिक एवं सौंदर्य विकास, आईसीटी कौशल, अंतर्वैयक्तिक कौशल, और संज्ञानात्मक कौशल अर्जित करें। इन सभी कौशलों को प्रारंभिक चरण पर कक्षाओं में पढ़ाए जा रहे विषयों के साथ एकत्रित किया गया है।

(ग) और (घ) जी, हां। एक मजबूत आधारशिला स्थापित करने के लिए, समग्र शिक्षा में शिक्षकों और प्राध्यापकों के सेवाकालीन प्रशिक्षण, राज्य और राष्ट्रीय स्तर पर उपलब्धि सर्वेक्षण आयोजित करने, सहायक अधिगम परिवेश प्रदान करने के लिए प्रत्येक स्कूल को कंपोजिट स्कूल अनुदान, पुस्तकालय, खेलकूद और शारीरिक गतिविधियों के लिए अनुदान, राष्ट्रीय आविष्कार अभियान के लिए सहायता, आईसीटी एवं डिजिटल पहलें, विद्यालय लीडरशिप विकास कार्यक्रम, शैक्षिक रूप से कमजोर छात्रों के लिए समाधानात्मक शिक्षण, पढ़े भारत बढ़े भारत के लिए सहायता आदि जैसे विभिन्न अंतक्षेपों के लिए सहायता प्रदान करके शिक्षा की गुणवत्ता में सुधार करने पर फोकस किया गया है।

समग्र शिक्षा के तहत विद्यालय शिक्षा के व्यावसायीकरण के घटक का उद्देश्य सामान्य शैक्षणिक शिक्षा को व्यावसायिक शिक्षा के साथ एकीकृत करना और नियोजनीय युवाओं को आर्थिक और वैश्विक बाजार के विभिन्न क्षेत्रों के लिए तैयार करना है। कक्षा 9 से 12 के लिए व्यावसायिक विषयों के पाठ्यक्रम को दो प्रमुख घटकों – (क) नियोजनीय कौशल और (ख) व्यावसायिक कौशल में बांटा गया है। नियोजनीय कौशल में संचार, स्व प्रबंधन, आईसीटी, उद्यमिता विकास और हरित कौशल आते हैं। व्यावसायिक कौशल, विद्यालय द्वारा प्रदान की गई कार्य भूमिकाओं के अनुरूप होते हैं इस प्रकार समग्र शिक्षा के तहत गुणवत्तापरक शिक्षा के साथ-साथ कौशल प्रशिक्षण से मजबूत आधारशिला मिलती है और इसी के साथ छात्र अपनी क्षमताओं, आकांक्षाओं और कार्य के लिए उपलब्ध अवसरों के आधार पर एक संसूचित कैरियर विकल्प ले सकते हैं।

विदेशों में एमएसएमई को प्रोत्साहन देना

1914. श्री हेमन्त तुकाराम गोडसे : क्या सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने स्वीडन और नीदरलैंड सहित विभिन्न देशों के साथ सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्योग (एमएसएमई) के क्षेत्र में सहयोग पर समझौता ज्ञापन (एमओयू) पर हस्ताक्षर किया है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इसकी प्रमुख विशेषताएं क्या हैं तथा इस सहयोग से भारतीय एमएसएमई क्षेत्र को देश-वार कितनी मदद मिलने की संभावना है;

(ग) क्या सरकार ने भारतीय एमएसएमई के संवर्धन हेतु प्रमुख देशों में भारतीय मिशन में एमएसएमई सेल स्थापित किया है/करने का विचार है और यदि हां, तो तत्संबंधी देश-वार ब्यौरा क्या है; और

(घ) क्या सरकार प्रमुख देशों में एमएसएमई के संवर्धन के लिए वार्षिक एमएसएमई मेला/प्रदर्शनियां आयोजित करती है/आयोजित करने का विचार है और यदि हां, तो तत्संबंधी देश-वार ब्यौरा क्या है?

सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री गिरिराज सिंह) : (क) और (ख) जी, हां। सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम मंत्रालय, भारत सरकार ने सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम (एमएसएमई) के क्षेत्र में सहयोग के लिए स्वीडन सहित विभिन्न देशों

के साथ 20 समझौता ज्ञापनों/समझौतों पर हस्ताक्षर किए हैं। स्वीडन के साथ समझौता ज्ञापन पर दिनांक 1 जून, 2015 को हस्ताक्षर किए गए। नीदरलैंड के साथ कोई समझौता ज्ञापन नहीं है। समझौता ज्ञापनों का उद्देश्य दो पक्षों के सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यमों के बीच सहयोग को बढ़ावा देना है। ये समझौता ज्ञापन एक-दूसरे के सामर्थ्य, बाजारों, प्रौद्योगिकियों (टेक्नोलॉजियों), नीतियों आदि को समझने के लिए दो पक्षों के एमएसएमई सेक्टर को ढांचागत फ्रेमवर्क एवं समर्थनकारी वातावरण प्रदान करते हैं। समझौता एक-दूसरे के व्यापार मेलों/प्रदर्शनियों में भाग लेने तथा व्यवसाय प्रतिनिधिमंडलों को विनिमय (एक्सचेंज) करने, नीति को समझने एवं बाजारों को खोजने के लिए संबंधित एमएसएमई को भी सुसाध्य बनाते हैं ताकि संयुक्त उद्यम, टाई अप्स, प्रौद्योगिकी (टेक्नोलॉजी) अंतरण आदि हो सके। दोनों पक्षों की ओर से समझौतों पर हस्ताक्षर में कोई वित्तीय, वैधानिक या राजनैतिक प्रतिबद्धता शामिल नहीं होती है।

(ग) और (घ) जी, नहीं।

[अनुवाद]

व्यावसायिक कौशल अधिगम

1915. डॉ. सुनील बलीराम गायकवाड़ : क्या **मानव संसाधन विकास मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या मंत्रालय व्यावसायिक कौशल अधिगम को बीए और बी.कॉम जैसे पाठ्यक्रमों का हिस्सा बनाने संबंधी प्रस्ताव पर कार्य कर रहा है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इस कदम के क्या उद्देश्य हैं;

(ग) नए पाठ्यक्रम को कब तक आरंभ किए जाने की संभावना है; और

(घ) सरकार द्वारा देश में प्रस्तावित स्नातक पाठ्यक्रमों की नियोजनीयता में वृद्धि करने के लिए अन्य क्या कदम उठाए गए हैं?

मानव संसाधन विकास मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा जल संसाधन, नदी विकास और गंगा संरक्षण मंत्रालय में राज्य मंत्री (डॉ. सत्यपाल सिंह) : (क) से (ग) बी.ए. (व्यावसायिक), बी.एससी (व्यावसायिक) और बी.कॉम (व्यावसायिक) पाठ्यक्रम शुरू करने का मामला विचाराधीन है।

(घ) सरकार द्वारा देश में प्रदान किए जा रहे स्नातक पाठ्यक्रमों की नियोजनीयता बढ़ाने के लिए निम्नलिखित कदम उठाएं गए हैं:—

(i) देशभर में फैली एआईसीटीई और यूजीसी अनुमोदित संस्थाओं के माध्यम से ज्ञान और व्यावसायिक कौशल के मिश्रण के साथ स्कूल छोड़ने वाले बच्चों और अन्य के लिए सामुदायिक कॉलेज कार्यक्रम। इन कार्यक्रमों में 40 प्रतिशत सामान्य और 60 प्रतिशत कौशल घटक शामिल होते हैं। यह पाठ्यक्रम लचीली प्रकृति के होने के साथ ही इसे सफलतापूर्वक पूरा करने पर एक उपयुक्त क्रेडिट सिस्टम के माध्यम से माध्यमिक स्तर पर स्कूल छोड़ने वाले विद्यार्थियों को तीन वर्षीय पाठ्यक्रम में पुनः प्रवेश हेतु समर्थ बनाते हैं।

(ii) बी.वॉक डिग्री यूजीसी द्वारा अनुमोदित एक तीन वर्षीय नियमित डिग्री कार्यक्रम है जहां देश में विभिन्न औद्योगिक क्षेत्रों के 85 कारोबार में व्यावसायिक शिक्षा प्रदान की जाती है। 40 प्रतिशत पाठ्यक्रम सामान्य जबकि 60 प्रतिशत पाठ्यक्रम कौशल आधारित हैं। कौशल सामग्री कौशल विकास एवं उद्यमिता मंत्रालय द्वारा विकसित राष्ट्रीय व्यावसायिक मानकों के अनुरूप हैं। राष्ट्रीय कौशल योग्यता फ्रेमवर्क (एनएसक्यूएफ) में 1 से 6 स्तर के पाठ्यक्रमों को बी.वॉक पाठ्यक्रमों के तहत प्रदान किया जाता है।

(iii) प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना (पीएमकेवीवाई-टीआई), बड़ी संख्या में भारतीय युवाओं को कम अवधि, उद्योग से संबंधित कौशल प्रदान करता है, जो उन्हें जीविका जुटाने में समर्थ बनाता है। पीएमकेवीवाई के तकनीकी आयामों को एआईसीटीई संबद्ध संस्थाओं द्वारा संचालित किया जाता है।

(iv) देश में इस समय 63 दीन दयाल उपाध्याय कौशल केन्द्र हैं जो एनएसक्यूएफ के स्तर 5 और इससे ऊपर के उन्नत कौशल प्रदान कर रहे हैं। कौशल प्रदान करने के अतिरिक्त, ये केन्द्र उच्चतर शिक्षा प्रणाली और उद्योग के बीच विशेषीकृत क्षेत्रों में कौशल विकास उत्कृष्टता केन्द्रों के रूप में कार्य करते हैं।

विदेशों से ऐतिहासिक कलाकृतियों की वापसी

1916. डॉ. शशि थरूर : क्या **संस्कृति मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या मंत्रालय इस बात से अवगत है कि प्रधानमंत्री ने हाल ही में एक साक्षात्कार में कहा था कि "वर्ष 2016 में वाशिंगटन डीसी के ब्लेयर हाऊस में एक विशेष आयोजन के दौरान अमेरिका ने 200 ऐतिहासिक कलाकृतियां लौटाईं थीं" और यदि हां, तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ख) क्या इन कलाकृतियों को देश में वापस लाया गया है और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) क्या लौटाई गई कलाकृतियों को उनके मूल स्मारकों/स्थानों पर पुनःस्थापित किया गया है और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है तथा इन कलाकृतियों का वर्तमान स्थान क्या है?

संस्कृति मंत्रालय के राज्य मंत्री तथा पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय में राज्य मंत्री (डॉ. महेश शर्मा) : (क) और (ख) भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण कलाकृतियों से संबंधित कार्य नहीं करता है। भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण केवल पुरावशेषों को वापस लाने के लिए उत्तरदायी है। जरूरी नहीं कि सभी कलाकृतियां पुरावशेष हों लेकिन सभी पुरावशेष कलाकृतियां होती हैं। अभी तक 17 पुरावशेष जो कि कलाकृतियां भी हैं जून, 2016 के पश्चात् अमेरिका से वापस लाई गई हैं।

(ग) दो आकृतियां यथा (1) संत मणिक्कावाचका (सामबांथार), (2) गणेश को तमिलनाडु पुलिस के मूर्ति स्कंध को सौंप दिया गया है और एक पुरुष प्रस्तर प्रतिमा को खजुराहो संग्रहालय भेज दिया गया है। शेष वस्तुएं अभी भी भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण की अभिरक्षा में हैं।

[अनुवाद]

इस्पात संयंत्रों का आधुनिकीकरण

1917. श्री शिशिर कुमार अधिकारी :
श्री जनार्दन सिंह सीग्रीवाल :

क्या **इस्पात मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने देश में इस्पात क्षेत्र के सरकारी उपक्रमों में 'कोई-निवेश-नहीं' नीति अपनाने का निर्णय लिया है और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और 'सेल' की सहायक कंपनियों में रणनीतिक निवेश की वर्तमान स्थिति क्या है;

(ख) सेलम इस्पात संयंत्र सहित सरकारी क्षेत्र के इस्पात संयंत्रों द्वारा शुरू की गई आधुनिकीकरण और विस्तार योजनाओं का संयंत्र-वार ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या इन विस्तार कार्यों के कार्यान्वयन में देरी हुई है और यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं तथा इसके कार्य-निष्पादन की संयंत्र-वार वर्तमान स्थिति क्या है और इन्हें कब तक पूरा करने की संभावना है;

(घ) इस विस्तार-कार्य पर किए गए/किए जाने वाले कुल व्यय का ब्यौरा क्या है तथा गत तीन वर्षों में प्रत्येक वर्ष के दौरान कुल कितने इस्पात का उत्पादन किया गया और उक्त कार्य के पूरे होने के बाद कुल उत्पादन क्षमता में संयंत्र-वार कितनी वृद्धि होने की संभावना है;

(ङ) क्या उक्त विस्तार योजना से रोजगार के अवसर सृजित होने की संभावना है और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है तथा भारतीय इस्पात प्राधिकरण लिमिटेड के विभिन्न संयंत्रों में वर्तमान में श्रमिकों की कुल संख्या का संयंत्र-वार ब्यौरा क्या है;

(च) क्या सरकारी क्षेत्र के इस्पात संयंत्रों की स्थापना के लिए जिन परिवारों की जमीन ली गई थी, उनके कानूनी वारिसों को पर्याप्त रूप से मुआवजा दिया गया है और रोजगार प्रदान किया गया है; और

(छ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं तथा सरकार द्वारा इस संबंध में किस नीति का पालन क्रिया जा रहा है?

इस्पात मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री विष्णु देव साय) : (क) जी, नहीं। सरकार ने देश के इस्पात पीएसयू में 'कोई निवेश नहीं' की नीति पर कोई निर्णय नहीं लिया है। भारत सरकार ने सेल की तीन यूनिटों अर्थात् सेलम इस्पात संयंत्र (एसएसपी), अलॉय इस्पात संयंत्र (एएसपी) और विश्वेश्वरैया लोहा एवं इस्पात संयंत्र (वीआईएसपी) के योजनागत विनिवेश के लिए दिनांक 27 अक्तूबर, 2016 को 'सैद्धांतिक' अनुमोदन प्रदान कर दिया है। अलॉय इस्पात संयंत्र हेतु अभिरूचि प्रकटीकरण जारी किया गया था और इस संबंध में प्रतिक्रिया प्राप्त हो गई है।

(ख) से (घ) स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड (सेल) और राष्ट्रीय इस्पात निगम लिमिटेड (आरआईएनएल) के आधुनिकीकरण और विस्तार कार्य का संयंत्र-वार ब्यौरा संलग्न विवरण-I में दिया गया है।

(ङ) जी, हां। ब्यौरे संलग्न विवरण-II के रूप में संलग्न हैं।

(च) और (छ) जी, हां। सेल और आरआईएनएल ने विस्थापित श्रेणी के अंतर्गत क्रमशः 28,000 और 7,650 से अधिक लोगों को रोजगार प्रदान किया है तथा प्रतिपूर्ति की राशि संबंधित राज्य सरकारों के पास जमा कर दी गई थी।

विवरण

आधुनिकीकरण, विस्तार, खर्च और उत्पादन योजनाएं

सेल की इकाइयां

1. सेल ने 12.8 मिलियन टन प्रति वर्ष (एमटीपीए) की अपनी क्रूड इस्पात क्षमता को 21.4 मिलियन टन प्रति वर्ष (एमटीपीए) तक बढ़ाने के लिए आधुनिकीकरण और विस्तार कार्य शुरू किया था। आधुनिकीकरण और विस्तार कार्य के लिए संकेतात्मक निवेश 61,870 करोड़ रुपये है। आधुनिकीकरण और विस्तार कार्य, खान और संबंधित सस्टेनेंस स्कीमों पर जून, 2018 तक 67,767 करोड़ रुपये का संचयी व्यय हो चुका है।

2. उत्पादन क्षमता (वर्तमान और विस्तारित), संकेतात्मक निवेश/खर्च और जून, 2018 तक कुल संचयी व्यय का प्रमुख संयंत्र-वार ब्यौरा नीचे दिया गया है:—

संयंत्र	क्रूड इस्पात की वर्तमान क्षमता	विस्तारित क्रूड इस्पात क्षमता	अनुमोदित लागत (करोड़ रुपये में)	खर्च (जून, 2018 तक (करोड़ रुपए में) (सकल)
भिलाई इस्पात संयंत्र (बीएसपी)	3.93	7.0	18,847	18,832
दुर्गापुर इस्पात संयंत्र (डीएएपी)	1.8	2.2	3,164	3,140
राउरकेला इस्पात संयंत्र (आरएसपी)	1.9	4.2	12,922	12,665
बोकारो इस्पात संयंत्र (बीएसएल)	4.36	4.61	6,951	6,076
इस्को इस्पात संयंत्र (आईएसपी)	0.5	2.5	17,961	18,719
सेलम इस्पात संयंत्र (एसएसपी)	—	0.18	2,138	2,373

3. विगत तीन वर्षों के दौरान सेल द्वारा क्रूड इस्पात और विक्रय इस्पात का उत्पादन नीचे दिया गया है:—

मदें (मिलियन टन)	2015-16	2016-17	2017-18
क्रूड इस्पात उत्पादन	14.3	14.5	15.0

4. आधुनिकीकरण और विस्तार को पूरा करने का संयंत्र-वार ब्यौरा (समय-सूची/वास्तविक) नीचे दिया गया है:—

संयंत्र	समय-सूची	वास्तविक
सेलम इस्पात संयंत्र	मार्च, 2010	सितंबर, 2010
राउरकेला इस्पात संयंत्र	मार्च, 2013	दिसंबर, 2014
इस्को इस्पात संयंत्र	दिसंबर, 2010	दिसंबर, 2014
दुर्गापुर इस्पात संयंत्र	दिसंबर, 2012	जून, 2015
बोकारो इस्पात संयंत्र	दिसंबर, 2011	सितंबर, 2015
भिलाई इस्पात संयंत्र	मार्च, 2013	जून, 2018

5. क्रियान्वयन में विलंब के कारण:—

(क) सेल द्वारा क्षमता वृद्धि हेतु विस्तार योजनाएं आर्थिक वृद्धि (2006 से आगे) के दौरान शुरू की गई थी। निर्माण और ढांचागत कार्य इत्यादि को करने में सीमित प्रौद्योगिकी आपूर्तिकर्ताओं की अनिच्छा, जिसके फलस्वरूप टर्नकी पैकेज बंट गए हैं, विविध एजेंसियों की लिप्तता के कारण आंतरिक समस्या उत्पन्न हुई है।

(ख) परियोजनाओं के मुख्य रूप से ब्राउन फील्ड होने के कारण विद्यमान प्रौद्योगिकी में नई प्रौद्योगिकी की रिट्रो-फीटिंग की चुनौतियों का सामना करना पड़ा तथा सुगठित ले-आऊट होने के कारण स्थान की उपलब्धता एक बड़ी समस्या थी जिससे इंटरफेस और लॉजिस्टिक्स की समस्याएं उत्पन्न हुई।

(ग) संसाधनों की कमी/संसाधनों को कम जुटाया जाना तथा ठेकेदारों की वित्तीय अड़चनों का होना जिसके फलस्वरूप खरीद में जोखिम शामिल था और कुछ मामलों में दोबारा से ऑर्डर देने पड़े।

आरआईएनएल

6.3 एमटीपीए विस्तार की स्थिति

1. आरआईएनएल ने अपनी तरह इस्पात को वर्तमान 3 मिलियन टन प्रति वर्ष (एमटीपीए) से बढ़ाकर 6.3 एमटीपीए करने के क्षमता विस्तार कार्य को अप्रैल, 2015 में पूरा कर लिया है। बड़ी यूनिटों का आधुनिकीकरण और तरल इस्पात का 7.3 एमटीपीए तथा अपग्रेडेशन दिसंबर, 2017 में पूरा कर लिया था।

2. विलंब के प्रमुख कारणों में सिविल ढांचा/वैद्युत/आपूर्ति पैकेजों इत्यादि से संबंधित ठेकागत विलंब शामिल है, जिनमें लंबी मानसून

अवधि और 12 अक्तूबर, 2014 को भी विशाखापट्टनम में आए हुदहुद तुफान, जिसके फलस्वरूप निर्माण स्थल पर अस्थायी रूप से बाढ़ आई है, जैसे बाहरी घटक शामिल हैं। इससे उपस्कर/मशीन और विद्युत लाइनों समेत विस्तार क्षेत्र को नुकसान हुआ है।

3. आरआईएनएल ने 12,291 करोड़ रुपये की अनुमोदित लागत से विशाखापट्टनम इस्पात संयंत्र का विस्तार कार्य शुरू किया है। 3 एमटीपीए से 6.3 एमटीपीए तक के विस्तार कार्य में कुल 12,095 करोड़ रुपये का कुल खर्च हुआ है। इसके अतिरिक्त, आरआईएनएल ने 3530 करोड़ रुपये की अनुमोदित लागत से पुरानी यूनिटों का आधुनिकीकरण/अपग्रेडेशन शुरू किया था। यूनिटों के आधुनिकीकरण/अपग्रेडेशन पर 2754 करोड़ रुपये खर्च किया गया था।

4. विगत तीन वर्षों के दौरान क्रूड इस्पात का उत्पादन निम्नवत् है:—

यूनिट: मिलियन टन

वर्ष	वास्तविक उत्पादन
2015-16	3.64
2016-17	3.96
2017-18	4.73

विवरण-II

1. दिनांक 01.07.2018 की स्थितिनुसार, वर्ष 2009-10 से आधुनिकीकरण और विस्तार के लिए भर्ती किए गए कर्मचारियों की संख्या निम्नवत् है:—

संयंत्र	भर्ती
बीएसपी	1920
डीएसपी	396
आरएसपी	1786
बीएसएल	802
आईएसपी	3698
एसएसपी	238
कुल	8840

2. सेल के पांच एकीकृत इस्पात संयंत्रों में कुल वर्तमान जनशक्ति निम्नवत् है:—

संयंत्र	भर्ती
बीएसपी	22015
डीएसपी	9356
आरएसपी	14275
बीएसएल	13057
आईएसपी	6710
अन्य संयंत्र/इकाई	10076
कुल	75489

[हिन्दी]

निर्यात में कृषि की हिस्सेदारी

1918. श्री राहुल कस्वां : क्या **वाणिज्य और उद्योग मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या विगत पांच वर्षों के दौरान देश के कुल निर्यात में कृषि की हिस्सेदारी में कमी आई है; और

(ख) यदि हां, तो सरकार द्वारा देश में कुल निर्यात में कृषि की हिस्सेदारी में वृद्धि करने के लिए क्या कदम उठाए गए हैं/उठाए जाने का प्रस्ताव है?

उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री सी.आर. चौधरी) : (क) पिछले कुछ वर्षों के दौरान कृषि (बागान एवं समुद्री उत्पादों सहित) का हिस्सा स्थिर रहा है। पिछले चार वर्षों का ब्यौरा अधोलिखित है:—

मूल्य मिलियन अमेरिकी डॉलर में

वर्ष	2014-15	2015-16	2016-17	2017-18
कृषि निर्यात	39060.87	32790.63	33685.10	38725.22
कुल निर्यात	31033.47	262291.08	275852.42	303376.22
कृषि निर्यातों का %	12.59	12.50	12.21	12.76

स्रोत: डीजीसीआई एंड एस

(ख) सरकार ने कृषि सहित सभी क्षेत्रों से निर्यात संवर्धन के लिए कई उपाय किए हैं। कृषि वस्तुओं का निर्यात संवर्धन करना एक अनवरत प्रक्रिया है। कृषि उत्पादों के निर्यात सहित निर्यातों का संवर्धन करने के लिए वाणिज्य विभाग की अनेक योजनाएं हैं जैसे निर्यात व्यापार अवसंरचना स्कीम (टीआईईएस), बाजार पहुंच पहल (एमएआई) स्कीम, भारत से पण्यवस्तु निर्यात स्कीम (एमईआईएस) आदि। इसके अतिरिक्त, कृषि उत्पाद निर्यातकों को कृषि एवं प्रसंस्कृत खाद्य उत्पाद निर्यात विकास प्राधिकरण (एपीडा), समुद्री उत्पाद निर्यात विकास प्राधिकरण (एम्पीडा), तम्बाकू बोर्ड, चाय बोर्ड, कॉफी बोर्ड, रबर बोर्ड एवं मसाला बोर्ड की निर्यात संवर्धन स्कीमों के अंतर्गत भी सहायता उपलब्ध है। ये संगठन अंतर्राष्ट्रीय मेलों एवं प्रदर्शनियों में भागीदारी करके, विभिन्न बाजारों में विभिन्न उत्पादों के लिए बाजार पहुंच प्राप्त करने की पहल करके, बाजार आसूचना के प्रसार, निर्यातित उत्पाद की गुणवत्ता सुनिश्चित करने के उपाय आदि के माध्यम से निर्यात संवर्धन करते हैं।

औद्योगिक अवसंरचना उन्नयन योजना के अंतर्गत सहायता

1919. श्री राम टहल चौधरी : क्या **वाणिज्य और उद्योग मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) विगत तीन वर्षों के दौरान औद्योगिक अवसंरचना उन्नयन योजना के अंतर्गत झारखंड के रांची जिले को आवंटित की गई केन्द्रीय सहायता और संवितरित की गई वास्तविक धनराशि तथा निर्यात अवसंरचना और संबंधित कार्यकलापों के विकास हेतु जिले को प्रदान की गई सहायता का ब्यौरा क्या है;

(ख) उक्त सहायता के क्या परिणाम रहे हैं;

(ग) क्या विगत तीन वर्षों के दौरान जिले में प्रचुर मात्रा में प्राकृतिक संसाधनों की उपलब्धता के मद्देनजर झारखंड के रांची जिले में कच्ची सामग्री आधारित किसी उद्योग को स्थापित करने के कोई प्रयास किए गए हैं; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं?

उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री सी.आर. चौधरी) : (क) और (ख) वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय के अंतर्गत औद्योगिक नीति एवं संवर्धन विभाग ने 5.54 करोड़ रुपये की केन्द्रीय अनुदान सहायता के साथ 18.54 करोड़ रुपये की परियोजना लागत से संशोधित औद्योगिक अवसंरचना उन्नयन स्कीम (एमआईआईयूएस) के अंतर्गत झारखंड के रांची जिले में दिनांक 10.08.2015 को 'तपंदन औद्योगिक क्षेत्र, रांची' परियोजना को मंजूरी प्रदान की है। अब तक, परियोजना कार्यान्वयन हेतु दिनांक 22.09.2016 को 1.66 करोड़ रुपए (प्रथम किस्त) की केन्द्रीय अनुदान सहायता इस परियोजना हेतु उपलब्ध करायी गई है। इस परियोजना का कार्यान्वयन राज्य कार्यान्वयन एजेंसी-झारखंड औद्योगिक क्षेत्र विकास प्राधिकरण (जेआईएडीए) द्वारा किया जा रहा है। इस परियोजना में निर्यात क्षमता संवर्धन सहित इस औद्योगिक क्षेत्र के कारगर एवं दक्षतापूर्ण प्रचालन हेतु तपंदन औद्योगिक क्षेत्र की मौजूदा अवसंरचना का उन्नयन तथा नई अवसंरचना का सृजन शामिल है।

(ग) और (घ) डीआईपीपी के पास देश के किसी खास क्षेत्र अथवा राज्य में कच्चे माल की उपलब्धता के आधार पर उद्योग स्थापित करने की कोई स्कीम नहीं है। तथापि, इस विभाग ने 'संशोधित औद्योगिक अवसंरचना उन्नयन स्कीम (एमआईआईयूएस)' जो 31.03.2017 तक वैध थी, के माध्यम से औद्योगिक क्लस्टरों में सामान्य सुविधाओं के विकास हेतु सहायता प्रदान की है। उद्योगों का विकास करना राज्य का विषय है तथा किसी क्षेत्र विशेष में अवस्थित कच्चे माल पर आधारित उद्योगों के लाभ हेतु सामान्य सुविधाओं के सृजन में राज्य सरकार एवं उसकी एजेंसियों की प्राथमिक भूमिका होती है।

[अनुवाद]

प्रौद्योगिकी विकास केन्द्र

1920. श्री दीपेन्द्र सिंह हुड्डा : क्या **सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) हरियाणा में रोहतक एवं साहा, अंबाला में स्थापित किए जाने वाले प्रस्तावित उपकरण कक्ष/प्रौद्योगिकी विकास केन्द्र के कार्य की स्थिति क्या है तथा भवन अवसंरचना के निर्माण में स्थिति क्या है;

(ख) गत 3 वर्षों के दौरान हरियाणा में स्वीकृत/प्रस्तावित नए उपकरण कक्षा/प्रौद्योगिकी विकास केन्द्रों की संख्या कितनी है;

(ग) क्या उक्त कार्य अपने कार्यक्रम के अनुसार चल रहा है या उक्त कार्य को पूरा होने में कुछ विलंब हो रहा है तथा यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है तथा इस संबंध में हरियाणा सरकार के साथ क्या पत्राचार हुआ है; और

(घ) इनमें से प्रत्येक केन्द्र की स्थापना के लिए सरकार द्वारा किए गए निवेश का ब्यौरा क्या है तथा ऐसे प्रत्येक केन्द्र से प्रति वर्ष कितने लोगों के लाभान्वित होने की संभावना है तथा इन उपकरण कक्षों के पूर्ण रूप से कार्य करने लायक बनाने का कार्य कब तक पूरा होने की संभावना है?

सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री गिरिराज सिंह) : (क) से (घ) प्रौद्योगिकी केन्द्र प्रणाली कार्यक्रम (टीसीएसपी) के अंतर्गत, रोहतक (हरियाणा) में 125.56 करोड़ रुपए की अनुमानित लागत से एक प्रौद्योगिकी केन्द्र स्थापित करने का अनुमोदन दिया गया है। इस प्रौद्योगिकी केन्द्र का कार्य करने नियत समयानुसार चल रहा है और इसकी वार्षिक प्रशिक्षण क्षमता लगभग 8500 प्रशिक्षु है।

अल्ट्रा मेगा इस्पात संयंत्रों की स्थापना

1921. श्री बदरुद्दीन अज़मल : क्या **इस्पात मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार देश में अल्ट्रा मेगा इस्पात संयंत्रों (यूएमएसटी) की स्थापना करने पर कार्य कर रही है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी राज्य-वार ब्यौरा क्या है और देश में प्रचालनशील यूएमएसटी की संख्या कितनी है; और

(ग) आगामी दो वर्षों के दौरान स्थापित करने के लिए प्रस्तावित यूएमएसटी की राज्य-वार संख्या कितनी है?

इस्पात मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री विष्णु देव राय) : (क) से (ग) जी, नहीं। इस्पात नियंत्रणमुक्त क्षेत्र होने के कारण इस्पात संयंत्र स्थापित करने संबंधी निर्णय व्यक्तिगत इस्पात उत्पादकों द्वारा वाणिज्यिक अपेक्षाओं के आधार पर लिया जाता है।

भारत-चीन व्यापार

1922. श्री ए. अरुणमणिदेवन : क्या **वाणिज्य और उद्योग मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या गत वर्ष के दौरान भारत-चीन व्यापार में ऐतिहासिक तेजी आई थी;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या चालू वर्ष की प्रथम तिमाही में यूएस डॉलर 22.1 बिलियन के द्विपक्षीय व्यापार मूल्य के साथ चीन के साथ भारत के व्यापार में 15.4 प्रतिशत वर्ष-दर-वर्ष अत्यधिक वृद्धि देखी है; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री सी.आर. चौधरी) : (क) और (ख) डीजीसीआईएस सांख्यिकी के अनुसार कैलेण्डर वर्ष 2017 के दौरान भारत चीन द्विपक्षीय पण्यवस्तु व्यापार 84.69 बिलियन अमेरिकी डॉलर तक पहुंच गया, यह कैलेण्डर वर्ष 2016 से 2.16 प्रतिशत अधिक है। वर्ष 2017 में द्विपक्षीय पण्यवस्तु व्यापार का यह मूल्य भारत चीन व्यापारिक संबंधों में अब तक का सर्वाधिक मूल्य है। कैलेण्डर वर्ष 2017 के दौरान चीन को भारत का निर्यात कैलेण्डर वर्ष 2016 के 8.96 बिलियन अमेरिकी डॉलर की तुलना में 12.86 बिलियन अमेरिकी डॉलर का रहा हो पिछले वर्ष से 41.2 प्रतिशत की वृद्धि दर्शाता है। कैलेण्डर वर्ष 2017 के दौरान भारत का चीन से आयात कैलेण्डर वर्ष 2016 के 60.64 बिलियन अमेरिकी डॉलर की तुलना में 72.03 बिलियन अमेरिकी डॉलर का रहा जो पिछले वर्ष से 18.78 प्रतिशत की वृद्धि दर्शाता है।

(ग) और (घ) वर्तमान वर्ष 2018 की पहली तिमाही (जनवरी से मार्च 2018) के दौरान पिछले वर्ष की इसी अवधि की तुलना में चीन के साथ द्विपक्षीय व्यापार का विवरण अधोलिखित है:—

बिलियन अमेरिकी डॉलर में मूल्य

अवधि	निर्यात	आयात	कुल व्यापार
जनवरी से मार्च 2017	3.26	15.64	18.90
जनवरी से मार्च 2018	3.93	19.88	23.81

(डी.जी.सी.आई.एस.)

उपर्युक्त तालिका से यह देखा जा सकता है कि 2018 की प्रथम तिमाही के दौरान चीन के साथ भारत का व्यापार पिछले वर्ष अर्थात् 2017 की समसामयिक अवधि के दौरान हुए 18.90 बिलियन अमेरिकी डॉलर की तुलना में 23.81 बिलियन अमेरिकी डॉलर के हुए, जिसमें इनमें 25.97 की मामूली वृद्धि हुई। इस अवधि के दौरान, चीन को भारत के निर्यात में 20.55 प्रतिशत (लगभग) की वृद्धि हुई, जो 3.26 बिलियन अमेरिकी डॉलर से बढ़कर 3.93 बिलियन अमेरिकी डॉलर का हो गया जबकि, चीन के भारत के आयात में 27.04 प्रतिशत की वृद्धि हुई, यह 15.64 बिलियन अमेरिकी डॉलर से बढ़कर 19.88 बिलियन अमेरिकी डॉलर हो गया।

[हिन्दी]

दुकानों को खोलने के लिए सहायता

1923. श्री रामचरण बोहरा : क्या **कौशल विकास और उद्यमशीलता मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या देश में कौशल संवर्धन और विकास तथा उद्यमिता के लिए कोई संस्थागत तंत्र मौजूद है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या सरकार का विचार नेशनल बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन कॉर्पोरेशन

लिमिटेड (एनबीसीसी) और अन्य संबंधित संगठनों की व्यापारिक परियोजनाओं के अंतर्गत सस्ती दरों पर ऑन साइड दुकान खोलने को उपलब्ध कराने के लिए युवा उद्यमियों को सहायता प्रदान करने का है;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ङ) इस संबंध में सरकार द्वारा क्या कदम उठाए गए हैं/उठाए जाने का प्रस्ताव है?

कौशल विकास और उद्यमशीलता मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री अनंतकुमार हेगड़े) : (क) और (ख) कौशल विकास और उद्यमशीलता मंत्रालय (एनएसडीई) को सौंपी गई जिम्मेदारी के दृष्टिगत मंत्रालय ने विश्व युवा कौशल दिवस के अवसर पर 15 जुलाई, 2015 को प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना (पीएमकेवीवाई) का शुभारंभ किया गया था। पीएमकेवीवाई का कार्यान्वियन राष्ट्रीय कौशल विकास निगम (एनएसडीसी) द्वारा अपने प्रशिक्षण भागीदारों के माध्यम से किया जा रहा है। इन प्रशिक्षण भागीदारों के प्रशिक्षण केन्द्र एमएसडीई के दिशा-निर्देश में पूरे देश में स्थापित हैं। स्कीम का मुख्य उद्देश्य बड़ी संख्या में युवाओं को उद्योग संगत गुणवत्तापूर्ण कौशल प्रशिक्षण प्राप्त करने में समर्थ बनाना और प्रेरित करना है, जिससे वे नियोजनीय बन सके और अपनी आजीविका अर्जित कर सकें। स्कीम का उद्देश्य यह भी है कि मौजूदा कार्यबल की उत्पादकता में वृद्धि की जाए तथा कौशल प्रशिक्षण की देश वास्तविक आवश्यकता के अनुरूप ढाला जाए। इसके कार्यान्वियन के प्रथम वर्ष में सफल होने के बाद केंद्रीय मंत्रिमंडल ने इस स्कीम को देश के एक करोड़ युवाओं के कौशलीकरण हेतु अगले चार वर्षों (2016-20) के लिए अनुमोदित किया है।

इसके अलावा, एमएसडीई देश के युवाओं में उद्यमशीलता का संवर्धन करने के लिए प्रधानमंत्री युवा उद्यमी विकास अभियान (पीएम-युवा) का कार्यान्वयन कर रहा है। स्कीम का उद्देश्य उद्यमशीलता विकास हेतु देश में चयनित उच्च शिक्षण संस्थानों (विश्वविद्यालयों, कॉलेजों तथा प्रमुख संस्थानों), स्कूलों, औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थानों (आईटीआई) तथा उद्यमशीलता विकास केन्द्रों (ईडीसी) के माध्यम से पांच वर्षों (2017-18 से 2021-22) के भीतर उद्यमशीलता शिक्षा और प्रशिक्षण का विकास करना है। पीएमकेवीवाई-II (2016-20) पाठ्यक्रमों के जीवन कौशल पाठ्यक्रम मॉड्यूल के अंतर्गत समस्त आवश्यकताओं को पूरा करने वाला उद्यमशीलता उन्मुखीकरण मॉड्यूल को शामिल किया गया है, जिससे पीएमकेवीवाई कौशल प्रशिक्षण प्राप्त करने वाले उम्मीदवार उद्यमशीलता उन्मुखी बन सके। आईटीआई पाठ्यक्रमों में उद्यमशीलता संबंधी मॉड्यूल को नियोजनीय कौशल के खंड के रूप में पहले ही शामिल किया जा चुका है।

(ग) आवास तथा शहरी मामलों के मंत्रालय का राष्ट्रीय भवन निर्माण निगम लिमिटेड (एनबीसीसी) के वाणिज्यिक परियोजनाओं के अंतर्गत सस्ती दर पर दुकानें उपलब्ध कराकर युवा उद्यमियों की सहायता करने का कोई प्रस्ताव नहीं है।

(घ) से (ङ) उपुर्यक्त (ग) के दृष्टिगत प्रश्न नहीं उठता।

अनीमिया से ग्रस्त महिलाएं और बच्चे

1924. श्री ताम्रध्वज साहू : क्या **जनजातीय कार्य मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या देश में लोग विशेषकर ग्रामीण और जनजातीय क्षेत्रों में बड़ी संख्या में विशेषकर महिलाएं और बच्चे अनीमिया से ग्रस्त हैं और इनमें खनिज एवं अन्य पोषकों की कमी है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी राज्य/संघ राज्य क्षेत्र-वार ब्यौरा क्या है;

(ग) इस समस्या के समाधान हेतु सरकार द्वारा लागू की जा रही योजनाओं/कार्यक्रमों का ब्यौरा क्या है और विगत तीन वर्षों के प्रत्येक वर्ष और वर्तमान वर्ष के दौरान आवंटित और प्रयोग की गई निधियां कितनी हैं;

(घ) उक्त अवधि के दौरान राज्य/संघ राज्य क्षेत्र-वार उक्त योजनाओं के अंतर्गत प्राप्त सफलता कितनी है; और

(ङ) विशेषकर महिलाओं और बच्चों से संबंधित खनिज और अन्य पोषकों संबंधी रोगों को कम करने के लिए सरकार द्वारा क्या अन्य कदम उठाए जा रहे हैं?

जनजातीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री जसवंतसिंह सुमनभाई भाभोर) : (क) राष्ट्रीय परिवार स्वास्थ्य सर्वेक्षण (एनएफएचएस-4) 2015-16 के अनुसार 5 वर्ष से कम आयु के बच्चों में एनीमिया की व्याप्तता 58.4% है तथा 15-49 वर्ष की आयु की महिलाओं में एनीमिया की व्याप्तता 53.0% है।

(ख) वांछित ब्यौरे संलग्न विवरण-I में दिये गये हैं।

(ग) से (ङ) पोषक तथा खनिजों की कमी से संबंधित अन्य बीमारियों के मुद्दे के समाधान के लिए सरकार ने राष्ट्रीय मिशन के तहत अलग-अलग राष्ट्रीय कार्यक्रम कार्यान्वित किए हैं:—

1. राष्ट्रीय आयोडीन की कमी संबंधी बीमारियों के नियंत्रण कार्यक्रम (एनआईडीडीसीपी) : इस कार्यक्रम के महत्वपूर्ण उद्देश्य तथा घटक निम्नानुसार हैं:—

   I. आयोडीन की कमी सम्बंधी बीमारियों के विस्तार के आकलन के लिए सर्वेक्षण

II. सामान्य नमक के स्थान पर आयोडीन नमक की आपूर्ति

III. आयोडीन की कमी सम्बंधी बीमारियों के विस्तार तथा आयोडीन नमक के प्रभाव का आकलन करने के लिए प्रत्येक 5 वर्ष के पश्चात पुन: सर्वेक्षण

IV. आयोडीन युक्त नमक तथा मूत्र से आयोडीन उत्सर्जन की प्रयोगशाला निगरानी स्वास्थ्य शिक्षा तथा प्रचार

V. स्वास्थ्य शिक्षा तथा प्रचार

2. विटामिन ए की कमी से बच्चों में दृष्टिहीनता के विरुद्ध प्रोफाइलैक्सिस के लिए राष्ट्रीय कार्यक्रम के तहत 5 वर्ष से कम आयु के बच्चों के लिए द्विवर्षीय विटामिन ए की अनुपूर्ति कार्यक्रम।

3. महिलाओं तथा बच्चों में एनीमिया की समस्या के समाधान के लिए राष्ट्रीय मिशन के तहत सरकार द्वारा राष्ट्रीय आयरन प्लस पहल कार्यान्वित की जा रही है। एनआईपीआई कार्यक्रम के तहत 5 वर्ष से कम आयु के बच्चों (6 महीने से लेकर 5 वर्ष तक), 6 से 10 वर्ष की आयु के बच्चों, किशोरों, गर्भवती महिलाओं तथा स्तनपान कराने वाली माताओं, जो जीवनचक्र दृष्टिकोण का अनुपालन रही है, को प्रदान किया जाता है। गत प्रत्येक तीन वर्षों के दौरान राज्य/संघ राज्य क्षेत्र-वार आवंटित तथा उपयोग की गई निधियां संलग्न विवरण-II में देखी जा सकती है।

जनजातीय कार्य मंत्रालय जनजातीय उप-योजना को विशेष केन्द्रीय सहायता (टीएसएस को एससीए) तथा संवर्धन के अनुच्छेद 275(1) के तहत अनुदान की अपनी योजना के तहत स्वास्थ्य स्वच्छता, जलापूर्ति आदि के लिए समर्थन प्रदान करते हुए अनुसूचित जनजाति (अजजा) की जनसंख्या तथा अन्य के बीच अंतरों को भरने के उद्देश्य के साथ लाइन मंत्रालयों के प्रयासों को पूरा करता है। गत तीन वर्षों तथा चालू वर्ष के दौरान इन योजनाओं के तहत निर्मुक्त निधियों के ब्यौरे संलग्न विवरण-III में देखे जा सकते हैं।

(घ) वर्ष 2005-2006 के एनएफएचएस-3 से 2015-16 के एनएफएचएस-4 तक के गत दशकों में एनीमिया के फैलाव में कमी आई है। गत दशक के दौरान 5 वर्ष से कम आयु के बच्चों के बीच एनीमिया का फैलाव 69.4% से घटकर 58.5% हो गया है, 15-49 वर्ष की महिलाओं के बीच एनीमिया का फैलाव 55.3% हो गया है तथा गर्भवती महिलाओं के बीच एनीमिया का फैलाव 57.9% से घटकर 50.3% हो गया है।

विवरण-I

राज्य-वार उम्र-समूह-वार एनीमिया की व्याप्तता (%) (एनएफएचएस 4, 2015-16)

राज्य	बच्चें (6-59 माह)		प्रजनन आयु समूह की महिलाएं (15-49 वर्ष)		(गर्भवती महिलाएं (15-49 वर्ष)	
	एनएफएचएस 3	एनएफएचएस 4	एनएफएचएस 3	एनएफएचएस 4	एनएफएचएस 3	एनएफएचएस 4
1	2	3	4	5	6	7
अखिल भारत	69.4	58.5	55.3	53.0	57.9	50.3
अंडमान और निकोबार द्वीपसमूह	लागू नहीं	49.0	लागू नहीं	65.7	लागू नहीं	61.4
आंध्र प्रदेश	70.8	58.6	62.9	60.0	58.2	52.9
अरुणाचल प्रदेश	56.9	50.7	50.5	40.3	51.8	33.8
असम	69.4	35.7	69.3	46.0	72.0	44.8
बिहार	78.0	63.5	67,4	60.3	60.2	58.3
चंडीगढ़	लागू नहीं	73.1	लागू नहीं	75.9	लागू नहीं	लागू नहीं

1	2	3	4	5	6	7
छत्तीसगढ़	71.2	41.6	57.5	47.0	63.1	41.5
दादरा और नगर हवेली	लागू नहीं	84.6	लागू नहीं	79.5	लागू नहीं	67.9
दमन और दीव	लागू नहीं	73.8	लागू नहीं	58.9	लागू नहीं	लागू नहीं
दिल्ली	57.0	62.6	44.3	52.5	29.9	45.1
गोवा	38.2	48.3	38.0	31.3	36,9	26.9
गुजरात	69.7	62.6	55.3	54.9	60.8	51.3
हरियाणा	72.3	71.7	56.1	62.7	69.7	55.0
हिमाचल प्रदेश	54.7	53.7	43.3	53.4	38.1	50.2
जम्मू और कश्मीर	58.5	43.3	52.0	40.3	55.7	38.1
झारखंड	69.9	70.3	65.2	69.5	62.6	68.5
कर्नाटक	70.3	60.9	51.2	44.8	60.4	45.4
केरल	44.5	35.6	32.8	34.2	33.8	22.6
लक्षद्वीप	लागू नहीं	51,9	लागू नहीं	45.7	लागू नहीं	36.5
मध्य प्रदेश	74.0	68.9	55.9	52.5	57.9	54.6
महाराष्ट्र	63.4	53.8	48.4	48.0	57.8	49.3
मणिपुर	41.1	23.9	35.7	26.4	36.3	26.0
मेघालय	63.8	48.0	46.2	56.2	58.1	53.1
मिजोरम	43.8.2	17.7	38.1	22.5	48.3	24.5
नागालैंड	लागू नहीं	21.6	लागू नहीं	23.9	लागू नहीं	28.9
ओडिशा	65.0	44.6	61.1	51.0	68.1	47.6
पुदुचेरी	लागू नहीं	44.9	लागू नहीं	52.4	लागू नहीं	26.0
पंजाब	66.4	56.6	38.0	53.5	41.6	42.0
राजस्थान	69.6	60.3	53.1	46.8	61.7	46.6
सिक्किम	58.1	55.1	59.5	34.9	62.1	23.6
तमिलनाडु	64.2	50.7	53.2	55.1	54.7	44.0

1	2	3	4	5	6	7
तेलंगाना	लागू नहीं	60.7	लागू नहीं	56.7	लागू नहीं	49.8
त्रिपुरा	62.9	48.3	65.1	54.5	57.6	54.4
उत्तर प्रदेश	73.9	63.2	49.9	52.4	51.5	51.0
उत्तराखंड	60.7	54.9	54.7	41.5	50.8	43.9
पश्चिम बंगाल	61.0	54.2	63.2	62.5	62.6	53.6

विवरण-II

वित्तीय वर्ष 2015-16 से 2017-18 के लिए राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन के तहत राष्ट्रीय आयरन प्लस पहल के घटक के लिए एसपीआईपी के अनुमोदन की तुलना में व्यय के ब्यौरे

लाख रुपए में

क्र. सं.	राज्य/संघ राज्य क्षेत्र का नाम	2015-16		2016-17		2017-18	
		अनुमोदन	व्यय	अनुमोदन	व्यय	अनुमोदन	व्यय
1	2	3	4	5	6	7	8
1.	बिहार	9191.45	18.57	5,292.88	149.69	3,691.46	1,168.65
2.	छत्तीसगढ़	1476.86	1.34	2,298.67	400.00	3,346.95	550.43
3.	हिमाचल प्रदेश	220.21	129.16	—	—	—	—
4.	जम्मू और कश्मीर	0.00	0.00	658.42	156.78	724.11	—
5.	झारखंड	1670.11	367.13	1,926.73	442.94	1,044.97	664.35
6.	मध्य प्रदेश	706.54	435.76	1,866.33	974.23	1,467.45	699.85
7.	ओडिशा	44.19	149.93	—	1.31	2,059.53	983.64
8.	राजस्थान	440.21	705.06	2,036.78	738.12	738.71	370.41
9.	उत्तर प्रदेश	5956.89	1761.62	1,777.40	1,994.84	5,585.63	1,373.28
10.	उत्तराखंड	259.92	135.42	120.28	176.29	433.60	298.73
11.	अरुणाचल प्रदेश	182.85	117.84	75.03	15.88	508.72	104.04
12.	असम	1444.07	527.29	1,605.03	510.52	1,375.60	656.51
13.	मणिपुर	6.98	13.23	153.59	150.03	166.21	55.02
14.	मेघालय	75.61	27.19	388.68	467.13	1,475.42	757.34

1	2	3	4	5	6	7	8
15.	मिजोरम	105.68	148.98	121.67	97.43	94.52	113.40
16.	नागालैंड	4.80	58.68	127.90	113.45	220.83	92.50
17.	सिक्किम	56.97	36.14	43.77	7.47	34.60	33.56
18.	त्रिपुरा	414.64	129.26	20.23	124.46	268.23	115.79
19.	आंध्र प्रदेश	996.91	773.49	1,137.57	546.20	1,386.99	1,091.62
20.	गोवा	80.08	0.98	56.11	42.53	84.69	59.77
21.	गुजरात	2002.74	2490.12	1,752.18	1,750.52	1,551.57	1,431.72
22.	हरियाणा	380.40	0.01	—	—	618.43	64.25
23.	कर्नाटक	1876.49	195.21	884.68	1,040.23	3,063.48	901.17
24.	केरल	373.00	256.18	537.86	590.24	525.00	383.70
25.	महाराष्ट्र	4716.62	7.15	5,210.35	1,385.55	6,758.91	530.74
26.	पंजाब	419.83	176.00	1,106.72	1,079.88	898.48	207.44
27.	तमिलनाडु	220.00	593.54	1,603.70	1,808.07	425.58	1,241.14
28.	तेलंगाना	695.59	0.00	1,149.12	352.14	738.41	—
29.	पश्चिम बंगाल	1597.67	1793.26	3,577.48	1,902.12	2,583.04	1,845.95
30.	अंडमान और निकोबार द्वीपसमूह	8.48	0.00	26.97	9.86	36.55	6.60
31.	चंडीगढ़	0.00	0.00	—	—	—	—
32.	दादरा और नगर हवेली	58.97	59.17	113.17	9.54	4.91	104.59
33.	दमन और दीव	4.30	3.12	10.06	4.01	19.45	9.77
34.	दिल्ली	1.92	0.00	28.50	0.09	24.16	0.22
35.	लक्षद्वीप	11.64	0.00	7.07	1.08	10.72	3.03
36.	पुदुचेरी	67.91	34.14	130.03	131.44	109.70	74.34
	कुल योग	35770.53	11144.97	35,844.95	17,174.06	42,076.6	15,993.5

नोट: 1. एसपीआईपी राज्य कार्यक्रम कार्यान्वयन योजना के लिए है।

2. उपरोक्त आंकड़े राज्य/संघ राज्य क्षेत्र रिपोर्ट की गई एफएमआर के अनुसार है।

विवरण-III

गत तीन वर्षों तथा चालू वर्ष के दौरान टीएसएस को एससीए एवं भारत के संविधान के अनुच्छेद 275(1) के तहत अनुदान की योजनाओं के तहत स्वास्थ्य कार्यकलापों के लिए निर्मुक्त निधियों को दर्शाने वाले ब्यौरे

(लाख रुपए में)

क्र.सं.	राज्य	2015-16	2016-17	2017-18	2018-19
1	2	3	4	5	6
1.	आंध्र प्रदेश	0.00	1016.76	233.00	1135.00
2.	अरुणाचल प्रदेश	150.00	705.00	600.00	1000.00
3.	असम	0.00	474.39	0.00	0.00
4.	बिहार	0.00	10.00	10.00	0.00
5.	छत्तीसगढ़	240.00	507.00	300.00	0.00
6.	गोवा	0.00	0,00	0.00	0.00
7.	गुजरात	52.00	0.00	986.70	0.00
8.	हिमाचल प्रदेश	0.00	461.00	978.40	570.90
9.	जम्मू और कश्मीर	0.00	871.53	884.71	600.00
10.	झारखंड	1400.00	925.00	50.00	6419.63
11.	कर्नाटक	200.00	410.00	2205.00	0.00
12.	केरल	300.00	350.00	0.00	441.00
13.	मध्य प्रदेश	2721.02	5101.07	2037.35	3175.00
14.	महाराष्ट्र	0.00	2000.00	9262.40	3037.53
15.	मणिपुर	666.00	360.00	290.00	0.00
16.	मेघालय	0.00	200.00	0.00	21.54
17.	मिजोरम	288.12	273.61	357.56	5.53
18.	नागालैंड	0.00	110.00	90.00	0.00
19.	ओडिशा	114.00	0.00	0.00	0.00
20.	राजस्थान	1309.59	2510.98	86108.00	1943.00
21.	सिक्किम	10.00	34.98	103.50	0.00
22.	तमिलनाडु	0.00	176.55	33.96	100.00

1	2	3	4	5	6
23.	तेलंगाना	0.00	0.00	420.15	1200.00
24.	त्रिपुरा	0.00	50.00	430.00	403.97
25.	उत्तर प्रदेश	27.00	0.00	0.00	0.00
26.	उत्तराखंड	0.00	0.00	0.00	0.00
27.	पश्चिम बंगाल	675.60	2018.65	2029.90	1834.41
	कुल	8153.33	18566.52	107410.63	21887.51

[अनुवाद]

कॉफी उत्पादन अनुमान

1925. श्री एम. उदयकुमार : क्या वाणिज्य और उद्योग मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि 2017-18 मार्केटिंग वर्ष के लिए भारत के कॉफी उत्पादन के अनुमान में 10 प्रतिशत तक 3.15 लाख टन की कमी आई है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या यह भी सच है कि 2017-18 के लिए पूर्व अनुमान 3,50,400 टन था और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(घ) क्या गत वर्ष की तुलना में कॉफी उत्पादन का अनुमान 1.3% अधिक है, और

(ङ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री सी.आर. चौधरी) : (क) और (ख) जी, हां, वर्ष 2017-18 के फसल पैदावार आंकड़ों के आधार पर अंतिम फसल अनुमान 3,16,000 मीट्रिक टन (मी.ट.) था जो 2017-18 के पुष्पण उपरांत 3,50,000 मी.ट. के अनुमानों में कुल 9.82 प्रतिशत की कमी को दर्शाता है। इस कमी के लिए पर्याप्त वर्षा के अभाव के साथ उच्च तापमान के कारण विशेषत: रोबस्टा कॉफी की खराब फसल जिम्मेदार हैं।

(ग) कॉफी फसल का पुष्पण उपरांत चरण का प्रथम अनुमान 3,50,400 मी.ट. था, जिसमें वर्ष 2017-18 के लिए 1,03,100 मी.ट. अरेबिक कॉफी और 2,47,300 मी.ट. रोबस्टा कॉफी शामिल है।

(घ) और (ङ) वर्ष 2017-18 के फसल पैदावार आंकड़ों के आधार पर अंतिम फसल अनुमान 3,16,000 मी.ट. था जो पिछले वर्ष 2016-17 के 3,12,000 मी.ट. के अंतिम फसल अनुमान की तुलना में 1.3 प्रतिशत अधिक है।

एसटी सूची में कुछ समुदायों का समावेशन

1926. डॉ. ए. सम्पत : क्या जनजातीय कार्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या केन्द्र सरकार का देश में अनुसूचित जनजातियों की सूची में कुछ समुदायों का समावेशन करने का कोई प्रस्ताव है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या केन्द्र सरकार अनुसूचित जनजाति सूची में समावेशन हेतु राज्यों से समुदायों के दावों की जांच के लिए शीघ्र हस्तक्षेप करेगी ताकि उन समुदायों के लोगों को उनके विकास के लिए लाभ प्राप्त करने में सक्षम किया जा सके; और

(घ) यदि हां, तो राज्य/संघ राज्य क्षेत्र-वार तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

जनजातीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री सुदर्शन भगत) : (क) से (घ) भारत सरकार ने दिनांक 15.06.1999 (दिनांक 25.06.2002 को पुन: संशोधित) को अनुसूचित जनजातियों (अजजा) की सूचियों को निर्दिष्ट करने वाले आदेशों में समावेशन तथा अन्य संशोधनों के लिए दावों का निर्धारण करने हेतु प्रविधियां निर्धारित की हैं। इन प्रविधियों के अनुसार, केवल उन प्रस्तावों पर विधान के संशोधन के लिए विचार किया जाता है जिसे संबंधित राज्य सरकार/संघ राज्य क्षेत्र प्रशासन द्वारा न्यायोचित माना जाता है एवं इसकी सिफारिश की जाती है तथा जिस पर भारत के महापंजीयक (आरजीआई) तथा राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग द्वारा सहमति प्राप्त हो।

अनुसूचित जनजातियों के सूची राज्य विशिष्ट है तथा एक राज्य में अनुसूचित जनजाति के रूप में घोषित समुदाय आवश्यक नहीं है कि दूसरे राज्य/संघ राज्य क्षेत्र में भी ऐसा ही हो। सरकार के विभिन्न राज्य सरकारों/संघ राज्य क्षेत्र प्रशासनों से अपने संबंधित राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों की अनुसूचित जनजातियों की सूची में विभिन्न समुदायों के समावेश के लिए प्रस्ताव प्राप्त किए हैं। ये प्रस्ताव प्रसंस्करण के विभिन्न चरणों में हैं। उस राज्य की अनुसूचित जनजातियों की सूची में कुछ समुदायों के समावेश के लिए विभिन्न राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों से प्राप्त प्रस्तावों के ब्यौरे संलग्न विवरण में दिए गए हैं।

विवरण

अनुसूचित जनजातियों की सूची में विभिन्न समुदायों के समावेश के लिए प्राप्त तथा प्रक्रियाधीन प्रस्तावों की संख्या से संबंधित ब्यौरे

क्र. सं.	राज्य/संघ राज्य क्षेत्र	प्रस्तावों की संख्या
1	2	3
1.	आंध्र प्रदेश	3
2.	अरुणाचल प्रदेश	1
3.	असम	8
4.	बिहार	3
5.	छत्तीसगढ़	27
6.	गोवा	1
7.	जम्मू और कश्मीर	2
8.	झारखंड	9
9.	कर्नाटक	9
10.	केरल	3
11.	मध्य प्रदेश	8
12.	मणिपुर	1
13.	ओडिशा	19
14.	पंजाब	1
15.	सिक्किम	1
16.	तमिलनाडु	8
17.	त्रिपुरा	1
18.	उत्तराखंड	1
19.	उत्तर प्रदेश	2
20.	पश्चिम बंगाल	3
21.	पुदुचेरी	1

साइबर सुरक्षा

1927. श्रीमती मीनाक्षी लेखी : क्या **मानव संसाधन विकास मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार देश में राष्ट्रीय विश्वविद्यालयों में आर्टिफिशयल इंटेलिजेंस और साइबर सुरक्षा में विशिष्टता पाठ्यक्रम आरंभ करने की योजना बना रही है; और

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

मानव संसाधन विकास मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा जल संसाधन, नदी विकास और गंगा संरक्षण मंत्रालय में राज्य मंत्री (डॉ. सत्यपाल सिंह) : (क) और (ख) सुरक्षा पर मंत्रिमंडल समिति के निर्देशों पर गठित राष्ट्रीय सुरक्षा प्रणाली कार्यबल ने सिफारिश की है कि यूजीसी और एआईसीटीई यह सुनिश्चित करेगी कि अवर स्नातक और स्नातकोत्तर्इ स्तरों पर विश्वविद्यालय/तकनीकी संस्थाओं में विषय के रूप में साइबर सुरक्षा/सूचना सुरक्षा प्रारंभ की है। यूजीसी ने अपने दिनांक 16.01.2013 के पत्र के माध्यम से सभी विश्व विद्यालयों के कुलपतियों से अनुरोध किया है कि वे इस संबंध में उचित कार्रवाई करें। दिनांक 16.01.2013 का पत्र संख्या 14-7/2009(सीपीपी-2) यूजीसी की वेबसाइट *https://www.ugc.ac.in/pdfnews/7493274_Introduction-of-Cyber-Security.pdf.* पर उपलब्ध है। अवर स्नातक स्तर के इंजीनियरिंग पाठ्यक्रमों के लिए एआईसीटीई मॉडल पाठ्यक्रम दिनांक 24 जनवरी, 2018 को प्रारंभ किया गया, जिसे आर्टिफिशियल इजेंलिजेंस और साइबर लॉ और नीतिशास्त्र एवं आर्टिफिशियल इजेंलिजेंस जैसे उभरते हुए नए विषयों में ऑनर्स डिग्री प्रदान करने वाले विषय लेने को बढ़ावा देने हेतु आईआईटी और उद्योगों के अग्रणी विशेषज्ञों द्वारा बनाया गया है। शैक्षिक वर्ष 2018-19 से विभिन्न विश्व विद्यालयों द्वारा यह पाठ्यक्रम कार्यान्वित किया जाएगा तत्पश्चात उसके प्रभाव का मूल्यांकन किया जाएगा। इसके अतिरिक्त सभी विश्वविद्यालय से अनुरोध है कि वे एआईसीटीई मॉडल

पाठ्यचर्या, जो उनकी वेबसाइट पर उपलब्ध है, की तर्ज पर अपने पाठ्यक्रम को संशोधित करें।

भारत और अमेरिका के बीच व्यापार

1928. श्री शिवकुमार उदासि :
डॉ. पी. वेणुगोपाल :

क्या **वाणिज्य और उद्योग मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) भारत और अमेरिका के बीच स्थापित किए गए व्यापारिक संबंधों के क्षेत्रों का ब्यौरा क्या है;

(ख) क्या सरकार का अमेरिका के साथ व्यापारिक संबंध बढ़ाने का कोई प्रस्ताव है और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या उक्त प्रयोजनार्थ नए क्षेत्र चिंहित किए गए हैं और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इस संबंध में क्या कदम उठाए जा रहे हैं;

(घ) क्या यह सच है कि अमेरिकी मंत्रियों और औद्योगिक लीडरों के साथ बैठक में दोनों देशों के बीच बहुत दिनों से चल रहे विवादों का समाधान नहीं हुआ है और यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं; और

(ङ) क्या वार्ता को लगातार चालू रखने के लिए वरिष्ठ भारतीय पदाधिकारियों के एक शिष्ट-मंडल की शीघ्र ही अमेरिका जाने की संभावना है और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री सी.आर. चौधरी) : (क) भारत और संयुक्त राज्य के पण्य वस्तु व्यापार और सेवा व्यापार दोनों में ही व्यापारिक संबंध है।

(ख) माल एवं सेवाओं के द्विपक्षीय व्यापार का सुदृढ़ीकरण एवं विस्तार करना एक सतत् प्रयास है।

(ग) पण्य वस्तु व्यापार के नवीन क्षेत्रों/उत्पादों की पहचान की जाती है और समय-समय पर आवश्यकतानुसार बाज़ार पहुंच प्राप्त की जाती है। इसके अतिरिक्त, विद्यमान संस्थागत तंत्र, यथा, व्यापार नीति मंच, के तहत सभी बकाया द्विपक्षीय व्यापार मामलों के मैत्रीपूर्ण समाधान के लिए वार्ता भी की जाती है।

(घ) मैत्रीपूर्ण समाधानों के लिए बकाया व्यापार मामलों पर चर्चा करना एक अनवरत प्रक्रिया है।

(ङ) नियमित ई-मेल, पत्राचार, टैलीकान्फ्रेंसिंग, विडियो कांफ्रेंसिंग, इत्यादि के माध्यम से सूचना - विनिमय के अन्य साधनों के साथ भारत और संयुक्त राज्य के मध्य आवधिक रूप से द्विपक्षीय वार्ताएं भी की जाती हैं।

[हिन्दी]

गैर-मान्यता प्राप्त विद्यालय

1929. श्रीमती कमला पाटले : क्या **मानव संसाधन विकास मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने यह संज्ञान लिया है कि देश में कई गैर-मान्यता प्राप्त शिक्षण संस्थान प्रचालित हैं;

(ख) यदि हां, तो राज्य/संघ राज्य क्षेत्र-वार तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) शिक्षण संस्थानों के पंजीकरण और उनमें गुणवत्तापूर्ण शिक्षा प्रदान करने को सुनिश्चित करने के लिए की गई कार्रवाई का ब्यौरा क्या है;

(घ) बिना मान्यताप्राप्त/पंजीकरण के चल रहे शिक्षण संस्थानों को विनियमित और नियंत्रित करने के लिए सरकार द्वारा क्या कार्रवाई की गई है;

(ङ) क्या सरकार का विचार निजी विद्यालयों और शिक्षण संस्थानों के पंजीकरण और निगरानी हेतु कानून बनाने का है; और

(च) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

मानव संसाधन विकास मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा जल संसाधन, नदी विकास और गंगा संरक्षण मंत्रालय में राज्य मंत्री (डॉ. सत्यपाल सिंह) : (क) से (च) जी, हां। अखिल भारतीय तकनीकी शिक्षा परिषद् (एआईसीटीई) को अनुमोदन के बिना ही अपने पाठ्यक्रमों को चला रहे इंजीनियरिंग कॉलेजों की घटनाएं सरकार के नोटिस में आई हैं। इन संस्थानों के राज्य-वार विवरण एआईसीटीई की वेबसाइट *http://www.old.aicte-india.org/dashboard/pages/unapprovedengg%202016_feb.php.* पर उपलब्ध है।

इसके अतिरिक्त, विश्वविद्यालय अनुदान आयोग (यूजीसी) ने फर्जी विश्वविद्यालयों/संस्थानों की सूची तैयार की, जोकि यूजीसी की वेबसाइट *www.ugc.ac.in* पर मौजूद है। वर्तमान में, यूजीसी ने नोटिस किया है कि ऐसे 23 विश्वविद्यालय देश में कार्य कर रहे हैं। साथ ही, भारतीय शिक्षा परिषद, लखनऊ, उत्तर प्रदेश और भारतीय आयोजना और प्रबंधन संस्थान (आईआईपीएम), नई दिल्ली भी यूजीसी अधिनियम, 1956 की धारा 2(च) के तहत यूजीसी द्वारा मान्यता प्राप्त नहीं हैं।

इंजीनियरिंग कॉलेजों को विनियमित करने के लिए, नए तकनीकी संस्थानों, नए पाठ्यक्रम शुरू करने आदि को अनुमोदन प्रदान करने के कार्य के लिए संसद अधिनियम (1987 का अधिनियम 52) के द्वारा एआईसीटीई स्थापित किया गया है। एआईसीटीई ने तकनीकी संस्थानों के लिए यह अधिदेशित करते हुए विनियम अधिसूचित किया है कि इंजीनियरिंग और प्रौद्योगिकी में पाठ्यक्रमों के संचालन के लिए पूर्व अनुमोद लिया जाए। इसके अतिरिक्त, गैर-अनुमोदित पाठ्यक्रम संचालित करने वाली संस्थाओं से समय-समय पर सार्वजनिक नोटिस और तकनीकी शिक्षा कार्यक्रम आयोजित करने के लिए एआईसीटीई का अनुमोदन प्राप्त करने हेतु संबंधित राज्य सरकार को सूचित करते हुए अलग-अलग पत्रों के जरिये समय-समय पर निर्देशित किया जाता है।

जहां तक यूजीसी का संबंध है, ऐसी संस्थाओं/विश्वविद्यालयों की पहचान करने के लिए विगत एक वर्ष में निम्नलिखित उपाय किये गए हैं:—

(i) हिन्दी और अंग्रेजी के समाचार पत्रों में नकली विश्वविद्यालयों/संस्थाओं की सूची के संबंध में सार्वजनिक नोटिस प्रकाशित किये गए।

(ii) राज्य मुख्य सचिवों, शिक्षा सचिवों और प्रधान सचिवों को उनके अपने अधिकार क्षेत्र में आने वाले फर्जी विश्वविद्यालयों/संस्थाओं के खिलाफ कार्रवाई करने और अपने राज्य में कार्यात्मक ऐसे विश्वविद्यालयों/संस्थाओं की पहचान करने के लिए भेजे गए।

(iii) अवैध डिग्रियां जारी करने वाले अनधिकृत संस्थानों को कारण बताओ नोटिस जारी किये गए हैं।

(iv) बायोकैमिक शिक्षा अनुदान आयोग, नाडिया, पश्चिम बंगाल और आईआईपीएम, नई दिल्ली की गैर-कानूनी स्थिति के संबंध में सार्वजनिक नाटिस जारी किये गए हैं।

इसके अतिरिक्त, यूजीसी द्वारा ऐसे विश्वविद्यालयों के खिलाफ लोगों को चेतावनी देते हुए निम्नलिखित कार्रवाईयां की गई हैं:—

(i) आम जनता/छात्रों/अभिभावकों को जागरुक करने के लिए यूजीसी ने फर्जी विश्वविद्यालयों की सूची अपने वेबसाइट अर्थात् *www.ugc.ac.in* पर डाली है। अपनी शैली में सभी गैर-वर्गीकृत और गैर-अनुमोदित उन संस्थाओं को चेतावनी दी जाती है जो कि अवरस्नातक और स्नातकोत्तर डिग्री पाठ्यक्रम संचालित कर रही हैं और भ्रामक विज्ञापन दे रही हैं उनके विरुद्ध यूजीसी अधिनियम सहित उपयुक्त कानूनों और भारतीय दंड संहिता आदि के प्रावधानों के तहत बड़ी कार्रवाई की जाएगी।

(ii) प्रत्येक शैक्षणिक सत्र की शुरुआत में, आकांक्षी छात्रों, अभिभावकों और आम जनता को सावधान करने के लिए कि देश के विभिन्न भागों में संचालित किये जा रहे अपनी शैली के अनधिकृत, फर्जी विश्वविद्यालयों/संस्थाओं द्वारा संचालित पाठ्यक्रमों में दाखिला न लें, इसके लिए यूजीसी देशभर के राष्ट्रीय हिन्दी और अंग्रेजी समाचार पत्रों में फर्जी विश्वविद्यालयों की राज्य-वार सूची और प्रेस विज्ञप्ति और सार्वजानिक नोटिस जारी करता है।

(iii) इन संस्थानों को कारण बताओ नोटिस/सार्वजानिक नोटिस/चेतावनी नोटिस जारी करना और किसी नजदीकी पुलिस थाने में इन संस्थानों के खिलाफ एफआईआर दर्ज़ करना।

मंत्रालय ने संबंधित राज्य सरकार के मुख्य सचिव को मामले की जांच करने और ऐसे फर्जी विश्वविद्यालयों के खिलाफ पुलिस थाने में शिकायत दर्ज़ करने को कहा है। यह भी अनुरोध किया गया है कि उन लोगों के खिलाफ अभियोग चलाएं जो स्वयं को 'विश्वविद्यालय' के रूप में अपने नाम के साथ डिग्री प्रदान करने के लिए छात्रों के साथ धोखधड़ी करने और झूठ फैलाने में लिप्त हैं।

[अनुवाद]

वैश्विक आर्थिक मंदी

1930. श्री आर. ध्रुवनारायण : क्या **मानव संसाधन विकास मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को ज्ञात है कि वर्तमान वैश्विक आर्थिक मंदी के कारण, प्रबंधन संस्थानों सहित शैक्षिक संस्थानों को इस वर्ष कम कैंपस चयन मिले हैं;

(ख) यदि हां, तो सरकार ने स्थिति का आकलन किया है; और

(ग) यदि हां, तो युवाओं की सहायता हेतु सरकार द्वारा क्या कदम उठाए जाने का प्रस्ताव है?

मानव संसाधन विकास मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा जल संसाधन, नदी विकास और गंगा संरक्षण मंत्रालय में राज्य मंत्री (डॉ. सत्यपाल सिंह) : (क) से (ग) शैक्षिक संस्थाओं/प्रबंध संस्थाओं में कैंपस प्लेसमेंट में वृद्धि और कमी अनेक कारकों से होती है, जैसे मौजूदा बाजार परिस्थितियां, उच्चतर अध्ययन को प्राथमिकता, स्टार्टअप

और उद्यमिता से जुड़े विद्यार्थियों के नवीकृत हित। तथापि, बेहतर प्लेसमेंट के अवसर को सुकर बनाने के लिए प्रत्येक केन्द्रीय निधिबद्ध संस्थान में प्लेसमेंट प्रकोष्ठ है, जो निजी और सार्वजनिक दोनों सेक्टरों के समर्थ नियोक्ताओं के साथ मजबूत संपर्क स्थापित करता है। ऐसे कुछ संस्थानों में रोजगार विकास केन्द्र भी हैं, जो रोजगार अवसर का चयन करने में विद्यार्थियों को सहायता प्रदान करते हैं। यह भी सूचित किया जाता है कि विद्यार्थियों में सॉफ्ट-स्किल विकसित करने के लिए संस्थाओं द्वारा नियमित रूप से कार्यशालाएं और सेमीनार भी आयोजित किए जा रहे हैं।

ईएसआई अस्पतालों और चिकित्सा कॉलेजों की स्थापना

1931. श्री कोनाकल्ला कोकाकटला नारायण राव : क्या **श्रम और रोजगार मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का विचार तेलंगाना और आंध्र प्रदेश राज्य में और अधिक ईएसआई अस्पताल और चिकित्सा कॉलेज स्थापित करने का है; और

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इस संबंध में कौन से स्थान चयनित किए गए हैं और इस प्रयोजनार्थ इस वित्त वर्ष में कितनी निधियां विनिर्दिष्ट की गई हैं या जारी करने का प्रस्ताव है?

श्रम और रोजगार मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री संतोष कुमार गंगवार) : (क) और (ख) आंध्र प्रदेश राज्य सरकार ने काकीनाड़ा, विजियनगरम, पेनुकोण्डा और तदेपल्लीगदेम में चार नए अस्पतालों की स्थापना का प्रस्ताव किया है। काकीनाडा, विजियनगरम, और पेनुकोण्डा से संबंधित प्रस्ताव आंध्र प्रदेश राज्य सरकार को निर्धारित प्रॉफार्मा के अनुसार उनकी सहमति के लिए वापिस भेजे गए हैं। तदेपल्लीगुदेम से संबंधित प्रस्ताव नए ईएसआई अस्पताल की स्थापना करने हेतु न्यूनतम बीमाकृत व्यक्तियों (आईपी) की संख्या संबंधी मानदंडों की अपेक्षा को पूरा नहीं करता है। तेलंगाना की राज्य सरकार ने रामागुंडम में एक नए अस्पताल की स्थापना का प्रस्ताव किया है। तथापि, यह प्रस्ताव नए ईएसआई अस्पताल की स्थापना करने हेतु न्यूनतम बीमाकृत व्यक्तियों की संख्या मानदंडों की अपेक्षा को पूरा नहीं करता है।

ईएसआईसी ने कोई नया मेडिकल कॉलेज शुरू न करने का निर्णय लिया है।

विश्वविद्यालय शिक्षक

1932. डॉ. पी. वेणुगोपाल : क्या **मानव संसाधन विकास मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या विश्वविद्यालय अनुदान आयोग (यूजीसी) महाविद्यालय और विश्वविद्यालय शिक्षकों की भर्ती और पदोन्नति हेतु शर्तों में परिवर्तन करने के लिए नए विनियमन लेकर आया है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या इसका लक्ष्य शिक्षण अधिगम प्रक्रिया संबंधी अनुसंधान और महाविद्यालयों पर विश्वविद्यालयों द्वारा और अधिक ध्यान केन्द्रित करने का है; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

मानव संसाधन विकास मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा जल संसाधन, नदी विकास और गंगा संरक्षण मंत्रालय में राज्य मंत्री (डॉ. सत्यपाल सिंह) : (क) और (घ) जी, हां। विश्वविद्यालय अनुदान आयोग (यूजीसी) ने यूजीसी (विश्वविद्यालयों और कॉलेजों में शिक्षकों और अन्य शैक्षणिक कर्मचारियों की नियुक्ति हेतु न्यूनतम अर्हता और उच्चतर शिक्षा के मानकों को बनाए रखने के अन्य उपाय) अधिनियम, 2018 को दिनांक 18.07.2018 को भारत के राजपत्र में अधिसूचित किया है। इन अधिनियमों को, विश्वविद्यालय और कॉलेज के शिक्षकों, पुस्तकालयाध्यक्षों, शारीरिक शिक्षा और खेल के निदेशकों की नियुक्ति के लिए न्यूनतम अर्हताएं और उच्चतर शिक्षा के मानकों को बनाये रखने हेतु जारी किया गया है। यह अधिनियम शिक्षकों के निष्पादन मूल्यांकन हेतु नई सरलीकृत मूल्यांकन मानंदड और विधि प्रदान करता है जिसके तहत विश्वविद्यालयों के शोध परिणाम में सुधार हेतु शोध स्कोर शामिल हैं और जो कॉलेजों के लिए और अधिक शिक्षण केन्द्रित है। ये अधिनियम यूजीसी की वेबसाइट *http://www.ugc.ac.in/pdfnews/4033931UGC-RegulationminQualificationJul2018.pdf.* पर उपलब्ध है।

काजू का उत्पादन और आयात-निर्यात

1933. श्री एम. चन्द्राकाशी : क्या **वाणिज्य और उद्योग मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) गत पांच वर्षों के दौरान देश में काजू उत्पादन और कच्चे काजू के निर्यात और आयात की मात्रा का ब्यौरा क्या है;

(ख) क्या यह सही है कि घरेलू काजू उत्पादन में कमी और अंतर्राष्ट्रीय काजू बाजार फलने-फूलने से देश में काजू प्रसंस्करण उद्योग कठिनाइयों का सामना कर रहा है; और

(ग) यदि हां, तो घरेलू काजू बाजार के हितों के संरक्षण हेतु क्या कदम उठाए जा रहे हैं अथवा उठाए जाने का विचार है?

उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री सी.आर. चौधरी) : (क) देश में पिछले पांच वर्षों के दौरान काजू उत्पादन कच्चे काजू के निर्यात एवं आयात का विवरण अधोलिखित है:—

कच्चे काजू गिरी का उत्पादन

वर्ष	कच्चे काजू की गिरी का उत्पादन (लाख मैट्रिक टन)
2013-14	7.36
2014-15	7.25
2015-16	6.70
2016-17	7.79
2017-18	8.17

(*स्रोत:* डीसीसीडी)

शेल में ताज़े/सूखे काजूओं का भारतीय निर्यात और आयात (आईटीसीएचएस कोड 080131)

वर्ष	निर्यात		आयात	
	मात्रा (टन में)	मूल्य (मिलियन अमेरिकी डॉलर में)	मात्रा (टन में)	मूल्य (मिलियन अमेरिकी डॉलर में)
2013-14	3,900.77	4.03	776,334	773.81
2014-15	15,637.75	21.79	933,190	1087.16
2015-16	7,014.40	11.34	961,665	1339.34
2016-17	9,773.37	19.45	774,513	1346.58
2017-18	5,542.90	10.34	654,024	1418.63

(*स्रोत:* डीसीसीडी और एस)

*केवल 2017-18 के आंकड़े अनंतिम हैं)

(ख) और (ग) वर्ष 2017-18 के दौरान कच्चे काजू गिरी का उत्पादन 8.17 लाख मीट्रिक टन हुआ जो अब तक की सबसे अधिक उत्पादन हुई है और इसमें पिछले 7.79 लाख मीट्रिक टन के उत्पादन की तुलना में 4 प्रतिशत तथा 2015-16 के 6.70 लाख मीट्रिक टन की तुलना में 21 प्रतिशत की वृद्धि दर्ज की गई है।

तथापि, कच्चे काजू गिरी की पर्याप्त मात्रा में कमी और अंतर्राष्ट्रीय बाजार में कच्चे काजू गिरी की ऊंची कीमत के कारण यह सूचना दी गई कि काजू उद्योग को मांग आपूर्ति में अंतर की सम्भावना का सामना करना पड़ रहा है, क्योंकि कच्चे काजू की कुल आवश्यकता 17 लाख मीट्रिक टन अनुमानित है।

कच्चे काजू गिरी के उत्पादन में वृद्धि के लिए किए गए उपायों के संबंध में कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय (एमओएएण्डएफडब्ल्यू) ने एकीकृत बागवानी विकास मिशन (एमआईडीएच) और राष्ट्रीय कृषि विकास योजना (आरकेवीवाई) के अंतर्गत काजू के क्षेत्रफल में विस्तार करने और परम्परागत और गैर-परम्परागत राज्यों में काजू के पुराने बागानों के बदले उच्च उत्पादकता वाली किस्मों को उगाकर घरेलू उत्पादन में वृद्धि की कार्यनीति तैयार की गई है।

व्यापार संगठनों से प्राप्त अभ्यावेदन

1934. श्री जनार्दन सिंह सीग्रीवाल : क्या **वाणिज्य और उद्योग मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को निर्यात को बढ़ावा देने के लिए विभिन्न व्यापार संगठन/निर्यात संवर्धन परिषदों से अभ्यावेदन प्राप्त हुए हैं;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और उनकी चिंताओं का समाधान करने के लिए सरकार द्वारा क्या कदम उठाए गए हैं;

(ग) क्या सरकार ने निर्यात को बढ़ावा देने और बढ़ते व्यापार घाटे से उभरने हेतु उपायों का सुझाव देने के लिए कोई समिति गठित की है; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और समिति द्वारा क्या सुझाव दिया गया है और इस पर सरकार द्वारा क्या कदम उठाए गए/उठाए जा रहे हैं?

उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री सी.आर. चौधरी) : (क) और (ख) सरकार को निर्यात को बढ़ावा देने के संबंध में नियमित आधार पर विभिन्न व्यापार संगठनों/निर्यात संवर्धन परिषदों से अभ्यावेदन प्राप्त होते हैं।

इन अभ्यावेदनों में उठाए गए मुद्दों का समाधान करने के लिए सरकार ने 01 अप्रैल, 2015 को लांच की गई नई विदेश व्यापार नीति 2015-20, 05 सितम्बर, 2017 को जारी इसकी मध्यावधि समीक्षा और समय-समय पर किए गए अन्य नीतिगत कदमों के माध्यम से कई उपाय किए हैं। मुख्य उपायों में निम्नलिखित शामिल हैं:—

(i) विदेश व्यापार नीति 2015-20 'मेक इन इंडिया', 'डिजीटल

इंडिया', 'स्किल इंडिया', 'स्टार्ट अप इंडिया' तथा 'व्यापार करने की सुगमता' की पहलों के अनुरूप देश में वस्तुओं और सेवाओं के निर्यात में वृद्धि करने तथा रोजगार सृजित करने तथा मूल्य संवर्धन को बढ़ावा देने के लिए एक तंत्र उपलब्ध कराती है।

(ii) नीति का मुख्य उद्देश्य अंतर्राष्ट्रीय व्यापार में तेजी से विकसित हो रही संरचना के मद्देनजर भारत को बाह्य वातावरण की चुनौतियों का सामना करने के लिए सक्षम बनाना तथा व्यापार को देश की आर्थिक संवृद्धि और विकास में प्रमुख भागीदार बनाना है।

(iii) नीति निर्यात को प्रोत्साहन देने तथा निर्यात उत्पादन हेतु निविष्टियों पर शुल्क की माफी/छूट संबंधी स्कीमों के माध्यम से निर्यात को बढ़ावा देने हेतु तंत्र उपलब्ध कराती है।

(iv) नीति के तहत दो नई स्कीमों को प्रारंभ किया गया है, नामत: बेहतर सामंजस्य के लिए पूर्व की पांच स्कीमों में विलय करके विनिर्दिष्ट वस्तुओं के निर्यात में वृद्धि करने हेतु भारत से व्यापारिक वस्तुओं के निर्यात की स्कीम (एमईआईएस) तथा अधिसूचित सेवाओं के निर्यात को बढ़ाने के लिए भारत से सेवाओं के निर्यात की स्कीम (एसईआईएस)। एमईआईएस और एसईआईएस के तहत जारी ड्यूटी क्रेडिट स्क्रिप तथा इन स्क्रिपों के आधार पर आयातित माल पूर्ण रूप से हस्तांतरणीय है। स्कीम में अब सभी देशों के लिए 8 अंक स्तर पर निर्यात की 8020 प्रशुल्क लाइनों को शामिल किया गया है।

(v) नीति में विशिष्ट निर्यात दायित्व को 90 प्रतिशत से 75 प्रतिशत के सामान्य निर्यात दायित्व तक कम करते हुए ईपीसीजी स्कीम के अंतर्गत स्वदेशी विनिर्माताओं से पूंजीगत माल की खरीद को बढ़ावा देने के उपाय शामिल हैं।

(vi) नीति में विनिर्दिष्ट समय-सीमा के अंदर निर्यात उत्पाद में वास्तविक रूप से शामिल निविष्टि के शुल्क मुक्त आयात को अनुमत करने के लिए अग्रिम प्राधिकार-पत्र जारी करने का प्रावधान है।

(vii) पूर्व एवं पश्च पोतलदान रुपये निर्यात क्रेडिट संबंधी ब्याज समकरण स्कीम को दिनांक 01.04.2015 से प्रारंभ किया गया है ताकि निर्यातकों को कम दरों पर क्रेडिट प्राप्त करने में सहायता मिल सके।

(viii) 'निर्यात बंधु स्कीम' को और बेहतर और पुनर्निर्धारित किया गया है ताकि 'स्किल इंडिया' तथा व्यापार संवर्धन/जागरुकता बढ़ाने के उद्देश्यों को हासिल किया जा सके।

(ix) कागजरहित कार्य प्रणाली को अपनाने पर विशेष ध्यान केन्द्रित करते हुए व्यापार सरलीकरण तथा व्यापार करने की सुगमता को बढ़ावा देने के उपाय किए गए हैं। सरकार ने दिनांक 1 अप्रैल, 2016 से व्यापार सुगमीकरण हेतु एक एकल विन्डो इन्टरफेस (स्विफ्ट) स्वीकृति परियोजना प्रारंभ किया है। स्कीम से आयातकों/निर्यातकों को भारतीय सीमा शुल्क इलेक्ट्रॉनिक वाणिज्य/इलेक्ट्रॉनिक डाटा इन्टरचेंज (ईसी/ईडीआई) गेटवे अर्थात् आइसगेट पोर्टल पर सामान्य इलेक्ट्रॉनिक 'एकीकृत घोषणा' फाइल करने में सहायता प्राप्त होती है। व्यापार सुगमीकरण को बढ़ावा देने के लिए भारत ने अप्रैल, 2016 में डब्ल्यूटीओ के व्यापार सरलीकरण समझौते (टीएफए) का भी अनुसमर्थन किया था।

(x) देश में निर्यात अवसंरचना संबंधी कमियों को दूर करने के लिए 1 अप्रैल, 2017 से एक नई स्कीम नामत: "निर्यात हेतु व्यापार अवसंरचना स्कीम" लांच की गई है।

(xi) शुल्क क्रेडिट स्क्रिप की वैधता अवधि जीएसटी तंत्र में उसकी उपयोगिता बढ़ाने के लिए 18 महीने से बढ़ाकर 24 महीने कर दी गई है।

(xii) 5 दिसंबर, 2017 को आरंभ विदेश व्यापार नीति 2015-20 की मध्यावधि समीक्षा में निर्यात संवर्धन हेतु अधिक प्रोत्साहनों का प्रावधान है। उदाहरण के लिए श्रम गहन और एमएसएमई क्षेत्रों के लिए एमईआईएस के तहत निर्यात प्रोत्साहन में दिनांक 01.11.2017 से 2 प्रतिशत की बढ़ोतरी कर दी गई है। यह बढ़ोतरी श्रम गहन वस्त्र क्षेत्र में रेडीमेड परिधानों और विनिर्मितियों के लिए एमईआईएस प्रोत्साहन में पहले ही घोषित 2 प्रतिशत से 4 प्रतिशत की बढ़ोतरी के अतिरिक्त है। इसी प्रकार सभी अधिसूचित सेवाओं जैसे व्यापार, विधिक, लेखांकन, वास्तुकला, इंजीनियरिंग, शैक्षिक, अस्पताल, होटल और रेस्तरां और के लिए दिनांक 01.11.2017 से एसईआईएस (भारत से सेवा निर्यात स्कीम) प्रोत्साहन दर में 2 प्रतिशत की वृद्धि की गई है।

(xiii) एक नई भरोसेमंद स्व-अनुसमर्थन योजना को प्राधिकृत इकोनॉमिक ऑपरेटर (एईओ) के लिए शुल्क मुक्त योजना के तहत निर्यात उत्पादन हेतु शुल्क मुक्त निविष्टियों को अनुमति देने के लिए शुरू किया गया था।

(xiv) लॉजिस्टिक्स क्षेत्र के एकीकृत विकास के लिए इस क्षेत्र में नीतिगत परिवर्तनों, मौजूदा प्रक्रिओं में सुधार, अवरोधों और कमियों की पहचान और प्रौद्योगिकी के प्रयोग द्वारा एक कार्य योजना को तैयार करने और उसके कार्यान्वयन के समन्वय के लिए वाणिज्य विभाग में एक नये लॉजिस्टिक्स प्रभाग का गठन किया गया है।

(xv) स्क्रिप के हस्तांतरण/बिक्री के लिए जीएसटी दर को पहले के 12 प्रतिशत की दर से घटाकर शून्य कर दिया गया है।

(xvi) कार्यशील पूंजी की रूकावट के मुद्दे का समाधान करने के उद्देश्य से अग्रिम प्राधिकार पत्र (एए)/निर्यात संवर्धन पूंजीगत माल (ईपीसीजी) और निर्यातोन्मुख यूनिट (ईओयू) स्कीमों के अंतर्गत आयातित माल के लिए आईजीएसटी से छूट और मुआवजा उपकर प्रदान किया गया।

(xvii) अंतर्राष्ट्रीय व्यापार की प्रक्रिया में राज्यों को मुख्यधारा में लाने के लिए कदम उठाए गए हैं। अंतर्राष्ट्रीय व्यापार के संबंध में राज्य सरकारों और संघ राज्य क्षेत्रों के साथ लगातार विचार-विमर्श सुनिश्चित करने के उद्देश्य से व्यापार विकास एवं संवर्धन परिषद् का गठन किया गया है। 28 राज्य सरकारों ने निर्यात आयुक्तों को नामित किया है। राज्यों को निर्यात कार्य-नीतियां तैयार करने के लिए प्रेरित किया जा रहा है। सत्रह राज्यों ने पहले ही निर्यात कार्य-नीतियां तैयार कर ली हैं। भारत सरकार ने डीजीसीआईएण्डएस द्वारा संकलित राज्य-वार निर्यात आंकड़ा तक राज्य सरकारों को पहुंच प्रदान की है। हाल में, निर्यात संवर्धन पर बल देने के लिए मुख्य सचिवों की अध्यक्षता में राज्य निर्यात संवर्धन समिति का गठन करने के लिए सभी राज्य सरकारों/संघ राज्य क्षेत्रों से अनुरोध किया गया है।

(ग) और (घ) नीति आयोग द्वारा दिनांक 06 सितम्बर, 2017 को रोजगार और निर्यात संबंधी कार्यबल का गठन किया गया है। कार्यबल ने 09 दिसम्बर, 2017 को अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत की तथा व्यापार सुगमीकरण पर सिफारिशों के अलावा वस्त्र और परिधान, यात्रा, पर्यटन तथा अतिथि सरकार, चिकित्सा पर्यटन, कृषि और खाद्य प्रसंस्करण तथा रत्न और आभूषण क्षेत्रों में निर्यात और रोजगार को बढ़ावा देने के लिए कार्यान्वित किए जाने वाले उपायों के बारे में विस्तृत सिफारिशें की। सरकार ने अन्य के साथ-साथ वस्त्र, रसायन और पेट्रोरसायन, कृषि जैसे क्षेत्रों जो भारत के निर्यात का बड़ा हिस्सा है, को शामिल करके क्षेत्रीय निर्यात संवर्धन कार्यनीति तैयार करने के लिए कदम उठाए हैं।

यथा उपरोक्त वर्णित निर्यात को बढ़ावा देने के लिए उपाय करने के अलावा सरकार ने घरेलू उद्योग को बढ़ावा देने और गैर-अनिवार्य आयात को युक्तिसंगत बनाने के माध्यम से व्यापार घाटा कम करने हेतु विभिन्न उपाय किए हैं जिसका वर्णन नीचे दिया गया है। इन उपायों में शामिल हैं:—

(i) भारत को एक वैश्विक डिजायन और विनिर्माण केन्द्र में बदलने के लिए "मेक इन इंडिया" पहल जिसमें प्रयोक्ता अनुकूल पद्धति हो जिससे निवेश में वृद्धि हो, नवप्रवर्तन को प्रोत्साहन मिले, कौशल का विकास हो, बौद्धिक सम्पदा की रक्षा हो तथा सर्वोत्कृष्ट विनिर्माण अवसंरचना का निर्माण हो।

(ii) 'स्टार्ट-अप इंडिया' जिसका उद्देश्य उद्यमशीलता को बढ़ावा देना और स्टार्ट-अप को प्रोत्साहित करने के लिए स्टार्ट-अप उद्यम हेतु बैंक से वित्तपोषण को बढ़ावा देना है।

(iii) भारत में व्यापार करना आसान बनाने के उद्देश्य से विनियामक सुधार कार्यक्रम। इससे "व्यापार सुगमीकरण" में भारत के 2014 के 142वें रैंक से सुधार होकर 2018 में 100वां रैंक हो गया है।

(iv) यह सुनिश्चित करने के लिए "डिजिटल इंडिया" कि ऑनलाइन अवसंरचना में सुधार लाकर तथा इंटरनेट कनेक्टिविटी बढ़ाकर नागरिकों के लिए सरकारी सेवाएं इलेक्ट्रॉनिक रूप में उपलब्ध हो सके।

रसोई गैस सिलेंडरों का विपथन

1935. डॉ. किरीट सौमैया : क्या **पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को वाणिज्यिक उपयोग हेतु घरेलू रसोई गैस सिलेंडरों के विपथन की जानकारी है और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ख) क्या सरकार के पास वाणिज्यिक उपयोग हेतु घरेलू रसोई गैस सिलेंडरों के विपथन को रोकने के लिए कोई तंत्र उपलब्ध है; और

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और गत तीन वर्षों और चालू वर्ष के दौरान ऐसे कितने मामलों का पता चला है और इसमें संलिप्त पाए गए रसोई गैस एजेंसियों/व्यक्तियों के विरुद्ध राज्य/संघ राज्य क्षेत्र-वार क्या कार्रवाई की गई है?

पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्री तथा कौशल विकास और उद्यमशीलता मंत्री (श्री धर्मेन्द्र प्रधान) : (क) जी, हां। तेल विपणन

कंपनियों द्वारा पिछले तीन वर्षों और जून, 2018 तक वर्तमान वर्ष के दौरान विपथन के पांच सौ पैंतिस सिद्ध मामलों की सूचना दी गई है।

(ख) ओएमसीज घरेलू एलपीजी के विपथन को रोकने के लिए वितरकों के परिसरों पर औचक निरीक्षण करती हैं, रीफिल ऑडिट करती हैं, ग्राहकों के परिसरों पर औचक निरीक्षण करती हैं, डिलिवरी वाहनों आदि की मार्गस्थ जांच करती हैं। देश भर में एलपीजी वितरण की कार्यप्रणाली में पारदर्शिता लाने के लिए उठाए गए मुख्य कदम निम्नानुसार हैं:—

(i) एलपीजी के वितरण को नियमित करने के लिए, "तरलीकृत पेट्रोलियम गैस (आपूर्ति और वितरण का विनियमन) आदेश, 2000" अधिसूचित किया गया है;

(ii) सभी नए कनेक्शन/एकाधिक कनेक्शन/स्थानांतरित/निष्क्रिय ग्राहकों के लिए केवाईसी पहल ताकि उचित पहचान और पते के प्रमाण वाले ग्राहकों का नामांकन वितरकों के पास किया जा सके;

(iii) आईवीआरएस/एसएमएस रीफिल बुकिंग सिस्टम देश भर में सभी नियमित डिस्ट्रीब्यूटरशिपों में शुरू किया गया है, जिसमें ग्राहकों को रीफिल बुकिंग/कैश मैमो के बनने पर एसएमएस मिलता है। इसके अलावा, इससे ग्राहकों को किसी गलत सुपुर्दगी/सुपुर्दगी नहीं होने की रिपोर्ट करने का अधिकार मिलता है;

(iv) ओएमसीज ने वितरकों द्वारा पहल किए जाने वाले एलपीजी विपणन अनुशासन दिशा-निर्देश (एमडीजी) को अधिसूचित किया है। एलपीजी विपणन के सभी पहलुओं को शामिल करने और चूक करने वाले वितरकों पर जांच रखने के उद्देश्य से एमडीजी को समय-समय पर संशोधित किया जाता है;

(v) ओएमसीज के वितरकों की सेवाओं को रेट करने का प्रावधान स्टार रेटिंग देते हुए वेब पोर्टल पर उपलब्ध है;

(vi) नागरिक को अपनी प्रतिक्रिया प्रदान करने के लिए सुविधाजनक, आसान और प्रभावी तरीका रखने के लिए उद्योग आधार पर कॉल सेंटर के माध्यम से, एक विशिष्ट टोल फ्री टेलीफोन नंबर 18002333555 प्रचालनरत है;

(vii) घरेलू और गैर-घरेलू एलपीजी सिलेंडरों के लिए अलग-अलग रंगों की व्यवस्था की शुरुआत की है।

(ग) पिछले तीन वर्षों और वर्तमान वर्ष (जून, 2018 तक) के दौरान विपथन के सिद्ध मामलों के ब्यौरे संलग्न विवरण में दिए गए हैं।

विवरण

पिछले तीन वर्षों और वर्तमान वर्ष (जून, 2018 तक) के दौरान विपथन के सिद्ध मामलों के ब्यौरे

राज्य/केन्द्र शासित प्रदेश	विपथन के सिद्ध मामले
1	2
चंडीगढ़	9
दिल्ली	58
हरियाणा	16
हिमाचल प्रदेश	2
जम्मू और कश्मीर	17
पंजाब	11
राजस्थान	30
उत्तर प्रदेश	103
उत्तराखंड	5
उप-योग उत्तर	251
अंडमान और निकोबार द्वीपसमूह	0
अरुणाचल प्रदेश	2
असम	22
बिहार	12
झारखंड	14
मणिपुर	0
मेघालय	4
मिज़ोरम	0
नागालैंड	0
ओडिशा	3
सिक्किम	0
त्रिपुरा	1
पश्चिम बंगाल	7
उप-योग पूर्व	65

1	2
छत्तीसगढ़	8
दादरा और नगर हवेली	0
दमन और दीव	0
गोवा	0
गुजरात	24
मध्य प्रदेश	52
महाराष्ट्र	52
उप-योग पश्चिम	136
आंध्र प्रदेश	11
कर्नाटक	24
केरल	18
लक्षद्वीप	0
पुदुचेरी	1
तमिलनाडु	16
तेलंगाना	13
उप-योग दक्षिण	83
अखिल भारत योग	535

[हिन्दी]

इस्पात विकास कोष

1936. प्रो. चिंतामणि मालवीय : क्या **इस्पात मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को गत तीन वर्षों में प्रत्येक वर्ष और चालू वर्ष के दौरान इस्पात विकास कोष से वित्तीय सहायता हेतु मध्य प्रदेश सहित विभिन्न राज्यों में स्थित इस्पात संयंत्रों से कोई प्रस्ताव प्राप्त हुआ है और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ख) क्या सरकार देश में इस्पात विकास कोष से इस्पात उत्पादन में वृद्धि करने हेतु कोई योजना तैयार कर रही है और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और यदि नहीं, तो इसके कारण हैं?

इस्पात मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री विष्णु देव साय) : (क) और (ख) जी, नहीं। इस्पात क्षेत्र नियंत्रण मुक्त होने के नाते सरकार इस्पात उत्पादन के लिए वि त्त पोषण नहीं करती है।

[अनुवाद]

घरेलू कामगारों के आंकड़े

1937. श्री नव कुमार सरनीया : क्या **श्रम और रोजगार मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार के पास नियोक्ता के घर में रहने वाले पूर्णकालिक घरेलू कामगारों की संख्या के संबंध में कोई आंकड़े हैं और क्या उन्हें श्रम अधिकार, न्यूनतम मजदूरी, अवकाश अवधि, साप्ताहिक अवकाश, सामाजिक सुरक्षा संबंधी लाभ और अन्य लाभ दिए जाते हैं;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या सरकार इस बात से अवगत है कि पूरे देश में प्लेसमेंट एजेंसियों के माध्यम से सस्ते घरेलू कामगारों के लिए बड़े पैमाने पर महिलाओं और बच्चों का मानव दुर्व्यापार किया जा रहा है और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है तथा सरकार द्वारा देश में ऐसी गतिविधियों को नियंत्रित करने के लिए क्या कदम उठाए गए हैं/योजना तैयार की गई है;

(घ) देश में घरेलू कामगार उपलब्ध कराने वाली पंजीकृत प्लेसमेंट एजेंसियों का संघ/राज्य क्षेत्र-वार ब्यौरा क्या है; और

(ङ) विगत तीन वर्षों के दौरान असम से कथित रूप से दुर्व्यापार किए गए व्यक्तियों का जिला-वार ब्यौरा क्या है और उनकी संख्या कितनी है?

श्रम और रोजगार मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री संतोष कुमार गंगवार) : (क) और (ख) ऐसा कोई आंकड़ा केन्द्रीय स्तर पर नहीं रखा जाता। घरेलू कामगारों के लिए एक नीति के संबंध में चर्चाएं प्रक्रियाधीन हैं, जिसकी मुख्य विशेषताएं निम्नवत् हैं:–

(i) मौजूदा विधानों में घरेलू कामगारों को शामिल करना

(ii) घरेलू कामगारों का पंजीकरण

(iii) उन्हें अपनी एसोसिएशन, श्रमिक संघ बनाने का अधिकार

(iv) न्यूनतम वेतन पाने, सामाजिक सुरक्षा तक पहुंच, दुर्व्यवहार, उत्पीड़न, हिंसा से संरक्षण का अधिकार

(v) अपने व्यवसायिक कौशल का संवर्धन करने का अधिकार

(vi) घरेलू कामगारों का दुर्व्यवहार तथा शोषण से संरक्षण

(vii) घरेलू कामगारों की न्यायालयों, न्यायाधिकरणों, इत्यादि तक पहुंच।

(viii) प्लेसमेंट एजेंसियों के विनियमन हेतु एक तंत्र की स्थापना।

(ग) और (घ) गृह मंत्रालय तथा राज्य सरकार द्वारा इस प्रयोजनार्थ कई एसओपी विकसित किए गए हैं। श्रम और रोजगार मंत्रालय ने भी दुर्व्यापार सौदा किए गए तथा प्रवासी बाल श्रमिकों की रोकथाम, बचाव, प्रत्यावर्तन तथा पुनर्वास संबंधी एक प्रोटोकॉल भी विकसित किया है जिसको सभी राज्य श्रम विभागों तथा संघ राज्य क्षेत्रों को परिचालित कर दिया गया है। यह प्रोटोकॉल देश में बच्चे के गृह राज्य पर ध्यान दिए बिना तथा उसके लिंग, जाति, भाषा, धर्म अथवा उत्पत्ति के आधार पर भेद-भाव के बिना किसी भी दुर्व्यापार किए गए या प्रवासी बाल श्रमिक पर लागू होगा। इस प्रोटोकॉल में एक बचाव दल के सृजन की बात पर बल दिया गया है जिसमें राज्य श्रम विभाग के सदस्य, स्थानीय पुलिस, नगर निगम अथवा जिला परिषद् अथवा पंचायत, जैसा भी मामला हो, एनजीओ, सामाजिक संगठन श्रमिक संघ तथा अन्य जिम्मेदार नागरिक सम्मिलित होंगे। इस प्रोटोकॉल में बचाव दल सदस्यों के बीच गहन सहयोग पर बल दिया गया है।

दुर्व्यापार के विरुद्ध भी विधायी प्रावधान इस प्रकार हैं:—

(i) अनैतिक व्यापार (प्रतिषेध), अधिनियम, 1956 (आईटीपीए) वाणिज्यिक लैंगिक शोषण हेतु वेश्यावृत्ति हेतु किसी बच्चे के प्रापण अथवा पेशकश, अश्लील प्रदर्शन हेतु तथा अवैध गतिविधियों के लिए किसी बच्चे के प्रापण अथवा पेशकश की रोकथाम हेतु प्रमुख विधान है। (ii) आपराधिक कानून (संशोधन) अधिनियम, 2013 लागू हुआ है जिसमें भारतीय दंड संहिता की धारा 370 के स्थान पर धारा 370 तथा 370क आईपीसी प्रतिस्थापित की गई है जिसमें मानव तस्करी के खतरे से निपटने हेतु व्यापक उपायों का प्रावधान किया गया। (iii) आईपीसी में विशेष धाराओं जैसे वेश्यावृत्ति के प्रयोजनार्थ युवतियों को बेचने और खरीदने से संबंधित धारा 372 तथा 373 के अलावा, महिलाओं और बच्चों की तस्करी से संबंधित अन्य विशेष विधान अधिनियमित किए गए हैं जैसे बाल विवाह निषेध अधिनियम, 2006 बंधित पद्धति (उत्सादन) अधिनियम, 1976, मानव अंगों का प्रत्यारोपण अधिनियम, 1994 (iv) बाल श्रम पर अंकुश लगाने हेतु श्रम और रोजगार मंत्रालय बाल श्रम (प्रतिषेध एवं विनियमन) अधिनियम, 1986 प्रशासित कर रहा है। इस अधिनियम को और कठोर बनाया गया है तथा यह 14 वर्ष से कम आयु के बच्चों का सभी व्यवसायों तथा प्रक्रियाओं में तथा किशोरों (18 वर्ष से कम) का जोखिमकारी व्यवसायों एवं प्रक्रियाओं में नियोजन निषिद्ध करता है।

प्लेसमेंट एजेंसियों का पंजीकरण संबंधित राज्य सरकार द्वारा देखा जा रहा है। प्लेसमेंट एजेंसियों के पंजीकरण का राज्य/संघ राज्य क्षेत्र-वार ब्यौरा केन्द्रीय स्तर पर नहीं रखा जाता है।

(ङ) केन्द्रीय स्तर पर ऐसा कोई आंकड़ा नहीं रखा जाता।

[हिन्दी]

उच्च शिक्षा

1938. श्री रामसिंह राठवा : क्या मानव संसाधन विकास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को यह सुनिश्चित करने में कठिनाई हो रही है कि उच्च शिक्षा में सामाजिक रूप से वंचित छात्रों का सतत् नामांकन हो; और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ख) क्या गत चार वर्षों में उच्च शिक्षा में अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति छात्रों के नामांकन की वृद्धि दर में तेजी से कमी आई है और यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं; और

(ग) सरकार द्वारा क्या उपचारात्मक कदम उठाए गए हैं ताकि विश्वविद्यालय उनको रोक कर रखने के लिए सकारात्मक कार्रवाई कर सकें?

मानव संसाधन विकास मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा जल संसाधन, नदी विकास और गंगा संरक्षण मंत्रालय में राज्य मंत्री (डॉ. सत्यपाल सिंह) : (क) से (ग) जी, नहीं। अखिल भारतीय उच्चतर शिक्षा सर्वेक्षण रिपोर्ट 2016-17 के अनुसार, उच्चतर शिक्षा में नामांकित अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के विद्यार्थियों की संख्या में वर्ष 2013-14 से 2016-17 तक निरन्तर वृद्धि हुई है, जो निम्नानुसार है:—

वर्ष	अनुसूचित जाति कुल नामांकन का प्रतिशत	अनुसूचित जनजाति कुल नामांकन का प्रतिशत
2013-14	13.1	4.6
2014-15	13.44	4.8
2015-16	13.9	4.9
2016-17	14.2	5.1

[अनुवाद]

लौह अयस्क की कमी

1939. श्री भीमराव बी. पाटील : क्या **इस्पात मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार के पास इस्पात कंपनियों का विकास और वैविध्यकरण करने और इस क्षेत्र में निजी कंपनियों को प्रोत्साहित करने के लिए कोई योजनाएं हैं और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ख) क्या घरेलू इस्पात उद्योग लौह अयस्क और प्रसंस्कृत इस्पात की भारी कमी का सामना कर रहा है;

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और घरेलू बाजार में उच्च गुणवत्ता वाले लौह अयस्क और प्रसंस्कृत इस्पात की बढ़ती मांग को पूरा करने के लिए क्या कदम उठाए जा रहे हैं; और

(घ) क्या सरकार का घरेलू उद्योग में उपयोग हेतु कबाड़ से लोहे का पुन: उपयोग और पुन: प्रसंस्करण करने हेतु कोई विशेष नीति अथवा मानदंडों का प्रस्ताव है और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इस पर सरकार का क्या रुख है?

इस्पात मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री विष्णु देव साय) : (क) जी, नहीं। इस्पात उद्योग नियंत्रण मुक्त क्षेत्र है। निजी और सार्वजनिक दोनों क्षेत्रों की कंपनियों द्वारा निवेश और वाणिज्यिक निर्णय वाणिज्यिक गुणावगुण के आधार पर लिए जाते हैं।

(ख) से (घ) जी, नहीं।

[हिन्दी]

पर्यटन स्थलों पर टोकन प्रणाली

1940. श्री रोड़मल नागर : क्या **संस्कृति मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का दिल्ली मेट्रो की तर्ज पर कुतुब मीनार जैसे पर्यटन स्थलों पर टिकटों की धोखाधड़ी रोकने के लिए टोकन प्रणाली कार्यान्वित करने का विचार है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और उन पर्यटन स्थलों के क्या नाम हैं जहां सरकार का उक्त प्रणाली शुरू करने का विचार है; और

(ग) इस प्रणाली को शुरू करने के बाद पर्यटकों को मिलने वाली प्रस्तावित सुविधाओं का ब्यौरा क्या है?

संस्कृति मंत्रालय के राज्य मंत्री तथा पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय में राज्य मंत्री (डॉ. महेश शर्मा) : (क) और (ख) जी, हां। टोकन प्रणाली (टर्नस्टाइल आधारित प्रवेश और निकास) सात स्मारकों अर्थात् कुतुब मीनार, हुमायूँ का मकबरा, पुराना किला, दिल्ली; सूर्य मंदिर, कोणार्क; एलोरा गुफाएं, बीबी का मकबरा, औरंगाबाद और शानीवरवादा, पुणे में लागू कर दी गई है। दो और स्मारकों अर्थात् लाल किला और ताज महल में टोकन प्रणाली का कार्यान्वयन प्रक्रियाधीन है।

(ग) इस प्रणाली के साथ कोई अतिरिक्त सुविधाएं दिए जाने का प्रस्ताव नहीं है।

आईआईटी में अधिकारी

1941. श्री रामस्वरूप शर्मा : क्या **मानव संसाधन विकास मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को जानकारी है कि हिमाचल प्रदेश में मंडी जिले में भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान (आईआईटी) कमंद में अधिकारियों की भर्ती और अन्य कार्यों में अनियमितताएं पाई गई हैं;

(ख) यदि हां, तो सरकार द्वारा उक्त अनियमितताओं पर अंकुश लगाने के लिए क्या उपयुक्त कदम उठाए जा रहे हैं;

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(घ) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं?

मानव संसाधन विकास मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा जल संसाधन, नदी विकास और गंगा संरक्षण मंत्रालय में राज्य मंत्री (डॉ. सत्यपाल सिंह) : (क) से (घ) आईआईटी-मंडी सहित भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान, प्रौद्योगिकी संस्थान अधिनियम, 1961, समय-समय पर यथासंशोधित और इसके अंतर्गत बनाई गई संविधियों द्वारा अभिशासित राष्ट्रीय महत्व की संस्थाएं हैं। जैसाकि आईआईटी-मंडी ने सूचना दी है, अधिकारियों की भर्ती में काई अनियमितताएं नहीं हुई हैं। संकाय और स्टाफ की भर्ती उपर्युक्त उल्लिखित अधिनियम में परिभाषित चयन प्रक्रिया के अनुसार की जाती है। सीपीडब्ल्यूडी मानदंडों और जीएफआर प्रावधानों का अनुसरण करते हुए, सभी कार्य संस्थान के शासी बोर्ड का अनुमोदन मिलने पर किए जाते हैं।

कलाओं को प्रोत्साहन

1942. श्रीमती नीलम सोनकर : क्या **संस्कृति मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) सरकार द्वारा देश में कला को प्रोत्साहन प्रदान करने के लिए क्या प्रयास किए जा रहे हैं;

(ख) क्या सरकार की इस क्षेत्र की ओर उदासीनता के कारण गत पांच/और चालू वर्ष के दौरान कुछ युवा कलाकार यूरोप और अन्य पूर्वी देशों की ओर पलायन कर रहे हैं;

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(घ) सरकार द्वारा कलाकारों के अन्य देशों में पलायन को रोकने के लिए क्या कदम उठाए गए हैं?

संस्कृति मंत्रालय के राज्य मंत्री तथा पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय में राज्य मंत्री (डॉ. महेश शर्मा) : (क) संस्कृति मंत्रालय का अधिदेश कला और संस्कृति के सभी रूपों को परिरक्षित और प्रोत्साहित करना है। इन कार्यकलापों को मंत्रालय के अंतर्गत संबद्ध, अधीनस्थ और स्वायत्त संस्थाओं की स्कीमों के माध्यम से और मंत्रालय द्वारा सीधे तौर पर संचालित स्कीमों के जरिए कार्यान्वित किया जाता है। इन स्कीमों में मंत्रालय द्वारा संचालित स्कीमें नामत: कला और संस्कृति के प्रोत्साहन हेतु वित्तीय सहायता स्कीम, सांस्कृतिक अवसंरचना के सृजन हेतु वित्तीय सहायता स्कीम, कला और संस्कृति के प्रोत्साहन हेतु छात्रवृत्ति एवं अध्येतावृत्ति स्कीम, संग्रहालय अनुदान स्कीम, कलाकार पेंशन तथा चिकित्सा सहायता स्कीम और अमूर्त सांस्कृतिक विरासत की संरक्षा स्कीम शामिल हैं। इसके अलावा, देश भर में लोक कला और संस्कृति के विभिन्न रूपों को संरक्षित, परिरक्षित एवं प्रोत्साहित करने के लिए भारत सरकार द्वारा सात क्षेत्रीय सांस्कृतिक केन्द्रों (जेडसीसी) की स्थापना की गई है, जिनके मुख्यालय पटियाला, नागपुर, उदयपुर, इलाहाबाद, कोलकाता, दीमापुर और तंजावुर में अवस्थित हैं।

(ख) ऐसा कोई अध्ययन नहीं कराया गया है।

(ग) और (घ) उपर्युक्त (ख) के उत्तर को दृष्टिगत रखते हुए प्रश्न नहीं उठता।

उच्चतर शिक्षा

1943. श्री ए.टी. नाना पाटील : क्या **मानव संसाधन विकास मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार देश में उच्चतर शिक्षा और शोध कार्य को प्रोत्साहन प्रदान करने के लिए निरंतर कार्य कर रही है;

(ख) यदि हां, तो वर्तमान में देश में युवाओं को प्रोत्साहित करने के लक्ष्य से सरकार द्वारा चलाए जा रहे कोर्सों का ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या देश में राष्ट्रीय पात्रता परीक्षा (एनईटी) वर्ष में दो बार आयोजित करने का निर्णय ले लिया गया है; और

(घ) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं और इससे विद्यार्थियों को कहां तक लाभ प्राप्त होने और देश में कनिष्ठ शोध अध्येताओं (जेआरएफ) की संख्या में कितनी वृद्धि होने की संभावना है?

मानव संसाधन विकास मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा जल संसाधन, नदी विकास और गंगा संरक्षण मंत्रालय में राज्य मंत्री (डॉ. सत्यपाल सिंह) : (क) और (ख) जी, हां। केन्द्र सरकार ने देश में शिक्षा के क्षेत्र में उच्चतर शिक्षा और शोध कार्य को बढ़ावा देने के लिए अनेक पहलें अर्थात् राष्ट्रीय संस्थागत रैंकिंग कार्यढांचा (एनआईआरएफ), इम्पैक्टिंग रिसर्च, इनोवेशन एंड टेक्नोलॉजी (इम्प्रिंट), उच्चतर आविष्कार योजना (यूएवाई), वैश्विक शैक्षणिक नेटवर्क पहल (ज्ञान) की शुरुआत की है।

एनआईआरएफ के अंतर्गत, एक स्वतंत्र रैंकिंग एजेंसी द्वारा वस्तुपरक मानदंडों के आधार पर शैक्षिक संस्थाओं को रैंक प्रदान की जाती है। इंप्रिंट पहल भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान (आईआईटी) और भारतीय विज्ञान संस्थान (आईआईएससी) के सहयोगात्मक प्रयासों के माध्यम से 10 प्रौद्योगिकी क्षेत्रों में इंजीनियरिंग की चुनौतियों को हल करने की अपेक्षा करती है। यूएवाई योजना का उद्देश्य विनिर्माण उद्योगों; नवाचारी सोच को बढ़ाने; शिक्षा और उद्योग के मध्य सहयोगात्मक कार्रवाई और प्रयोगशालाएं एवं शोध सुविधाओं के सुदृढ़ीकरण से संबंधित मुद्दों को हल करना है। ज्ञान योजना के अंतर्गत विश्वभर की शीर्ष संस्थाओं के ख्यातिप्राप्त शिक्षाविदों को भारतीय संस्थाओं में एक या दो सप्ताह के पाठ्यक्रम आयोजित करने हेतु आमंत्रित किया जाता है।

इसके अतिरिक्त, विश्वविद्यालय अनुदान आयोग (यूजीसी) अंत: विषयक विषयों सहित सभी विषयों में शोध और डॉक्टरल कार्य को प्रोत्साहित करने के लिए निम्नलिखित योजनाओं का कार्यान्वयन कर रहा है:—

(i) विशेष सहायता कार्यक्रम (एसएपी)

(ii) बुनियादी वैज्ञानिक अनुसंधान (बीएसआर)

साथ ही यूजीसी, मानिविकी और सामाजिक विज्ञान सहित भाषा और विज्ञान में एम.फिल/पीएचडी करने के लिए अर्हताप्राप्त अभ्यर्थियों को उच्च अध्ययन और शोध करने के लिए राष्ट्रीय पात्रता परीक्षा (नेट)/कनिष्ठ शोध अध्येतावृत्ति (जेआरएफ) अर्हताप्राप्त उम्मीदवारों को अवसर प्रदान करने के उद्देश्य के साथ विज्ञान, मानविकी और सामाजिक विज्ञान में जेआरएफ नामक योजना का कार्यान्वयन कर रहा है।

(ग) और (घ) राष्ट्रीय पात्रता परीक्षा (नेट) वर्ष में दो बार आयोजित की जाती है। नेट परीक्षा आयोजित करने के लिए वर्ष 2014 से सीबीएसई को आउटसोर्स किया गया था। वर्ष 2017 में जनवरी और

नवम्बर महीने में परीक्षा आयोजित की गई थी जबकि हाल ही में जुलाई, 2018 में इसका आयोजन किया गया था।

वर्तमान में, यूजीसी द्वारा संयुक्त सीएसआईआर-यूजीसी परीक्षा के माध्यम से प्रत्येक यूजीसी-नेट में 3200 और 1500 से अधिक जेआरएफ प्रदान की जाती है।

[अनुवाद]

निजी क्षेत्र कामगारों हेतु न्यूनतम वेतनमान

1944. श्री प्रहलाद सिंह पटेल : क्या श्रम और रोजगार मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने निजी क्षेत्र में कार्यरत कामगारों हेतु न्यूनतम वेतनमान तय किया है और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ख) क्या कुछ कामगारों को निजी क्षेत्र में न्यूनतम वेतनमान न मिलने की सूचना प्राप्त हुई है और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और किन केन्द्रीय सरकार के अधिकारियों ने चालकों, रसोइयों, अन्य स्टाफ सदस्यों को अपनी निजी सहायता हेतु रोजगार दिया है और ऐसी सूचना प्राप्त हुई है कि यह इनके वेतन हेतु सरकार द्वारा जारी पूर्ण राशि का भुगतान नहीं कर रहे हैं;

(ग) क्या सरकार के पास सरकार द्वारा जारी पूर्ण राशि को प्राप्त न करने वाले कामगारों की संख्या के संबंध में कोई ब्यौरा है और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(घ) क्या सरकार का विचार ऐसा कोई नियम/कानून लाने का है ताकि निजी क्षेत्र में कार्यरत कामगारों को प्रतिमाह न्यूनतम 25000/- रुपए वेतन सुनिश्चित किया जा सके; और

(ङ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं?

श्रम और रोजगार मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री संतोष कुमार गंगवार) : (क) से (ङ) न्यूनतम मजदूरी अधिनियम, 1948 के प्रावधानों के अंतर्गत केन्द्रीय सरकार और राज्य सरकारें अपने-अपने क्षेत्राधिकार के अनुसूचित नियोजन में नियोजित कामगारों की न्यूनतम मजदूरी नियत करने, समीक्षा करने और संशोधित करने के लिए उपयुक्त सरकारें हैं। केन्द्रीय क्षेत्र में नियत की गई दरें केन्द्रीय सरकार के प्राधिकार के अंतर्गत स्थापनों, रेलवे प्रशासन, खानों, तेल क्षेत्र, केन्द्रीय सरकार द्वारा स्थापित प्रमुख पत्तन या निगम पर लागू होती हैं। ये दरें ठेका और नैमित्तक श्रमिकों/कामगारों पर भी समान रूप से लागू होती है। केन्द्रीय क्षेत्र के 45 अनुसूचित नियोजन संलग्न विवरण हैं, जिनमें निजी क्षेत्र के नियोजित कामगार केन्द्र सरकार के अधिकारियों की निजी सहायता के लिए चालक, रसोइया और अन्य स्टाफ शामिल नहीं है।

इसके अलावा इस अधिनियम का कार्यान्वयन केन्द्र तथा राज्यों द्वारा अपने-अपने क्षेत्राधिकारों में किया जाता है। राज्य में इसका पालन राज्य प्रवर्तन मशीनरी द्वारा सुनिश्चित किया जाता है। इस मशीनरी के अधिकारियों की नियुक्ति अधिनियम के प्रावधानों के अंतर्गत निरीक्षक के रूप में की जाती है। वे नियमित निरीक्षण करते हैं और गैर-भुगतान का मामला पाए जाने पर वे दी गई कम मजदूरी का भुगतान करने के लिए नियोक्ता को सलाह देते हैं। गैर-अनुपालन की स्थिति में चूककर्ता नियोक्ताओं के विरुद्ध दंड प्रावधानों का सहारा लिया जाता है।

विवरण

केन्द्रीय क्षेत्र में 45 अनुसूचित नियोजन का ब्यौरा

क्र.सं.	स्थापनाओं का नाम
1.	कृषि
2.	रोड एवं भवन संचालन का निर्माण/रख-रखाव
3.	भवनों का रख-रखाव
4.	रनवे का निर्माण व रख-रखाव
5.	जिप्सम खानें
6.	बेराइट खानें
7.	बॉक्साइड खानें
8.	मैग्नीज खानें
9.	चीनी मिट्टीखानें
10.	कैनाइट खानें
11.	कॉपर खानें
12.	क्ले खानें
13.	पत्थर खानें
14.	सफेद क्ले खानें
15.	ओकाय खानें
16.	फायर क्ले खानें

क्र.सं.	स्थापनाओं का नाम
17.	स्टेटाईट (सोप स्टॉन एवं टाल्क) खानें
18.	एस्बेस्टस खानें
19.	क्रोमाइट खानें
20.	क्वाजाईट खानें
21.	क्वार्टज़ खानें
22.	सिलिका खानें
23.	मैग्नेसाइट खानें
24.	ग्रेफाइट खानें
25.	फेल्सपार खानें
26.	रेड ऑकसाइड खानें
27.	लेटेराइट खानें
28.	डोलोमाइट खानें
29.	लौह अयस्क खानें
30.	ग्रेनाइट खानें
31.	वोल्फ्रेम खानें
32.	मैग्नेटाइट खानें
33.	रॉक फास्फेट खानें
34.	हेमाटाइट खानें
35.	मार्बल और कैल्साइट खानें
36.	यूरेनियमखानें
37.	माइका खानें
38.	लिग्नाइट खानों में रोजगार
39.	ग्रेवल खानों में रोजगार
40.	स्लेट खानों में रोजगार
41.	भूमिगत विद्युत, वायरलेस, रेडियो, टेलीविजन, टेलीफोन, टेलीग्राफ एवं बाहरी संचार एवं अन्य समान भूमिगत केबल, विद्युत लाइन, पानी की आपूर्ति एवं जल-मल पाइप लाइन लगाने के कार्य में रोजगार
42.	रेलवे माल गोदामों में लोडिंग, अनलोडिंग
43.	पत्थर तोड़ना एवं पत्थर घिसने
44.	झाडू लगाने और सफाई कार्य में रोजगार
45.	रखवाली एवं निगरानी

[हिन्दी]

स्कूलों में आर.ओ. मशीन

1945. श्री सतीश चंद्र दुबे : क्या **मानव संसाधन विकास मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का देश के सभी स्कूलों में आर.ओ. मशीनें अधिष्ठापित करके शुद्ध और स्वच्छ पेयजल उपलब्ध कराने का प्रस्ताव है;

(ख) यदि हां, तो उक्त प्रस्ताव को कब तक कार्यान्वित किए जाने की संभावना है; और

(ग) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं?

मानव संसाधन विकास मंत्रालय में राज्य मंत्री (उपेन्द्र कुशवाहा) : (क) से (ग) देश के सभी स्कूलों में आर.ओ. मशीनों की संस्थापना हेतु कोई विशेष प्रस्ताव नहीं है। तथापि, नि:शुल्क और अनिवार्य बाल शिक्षा का अधिकार (आरटीई) अधिनियम, 2009 के तहत प्रारंभिक स्कूलों में स्वच्छ और पर्याप्त पेयजल सुविधा का प्रावधान अनिवार्य है। सभी राज्यों और संघ राज्य क्षेत्रों को आरटीई अधिनियम, 2009 के इस प्रावधान का अनुपालन सुनिश्चित करने की सलाह दी गई है।

स्कूल शिक्षा और साक्षरता विभाग ने स्कूल शिक्षा हेतु एक एकीकृत योजना-समग्र शिक्षा तैयार की है जिसमें सर्व शिक्षा अभियान (एसएसए), राष्ट्रीय माध्यमिक शिक्षा अभियान (आरएमएसए) और शिक्षक शिक्षा (टीई) की केंद्र प्रायोजित योजनाओं को सामेलित किया गया है। दिनांक 01 अप्रैल, 2018 से प्रभावी समग्र शिक्षा में एकीकृत जिला सूचना शिक्षा प्रणाली (यू-डाइज) द्वारा बताई गई कमियों और संबंधित राज्य/संघ राज्य क्षेत्र से प्राप्त प्रस्तावों के आधार पर पेयजल सुविधा सहित मौजूदा सरकारी स्कूलों के सुदृढ़ीकरण और अवसंरचना सुविधाओं का सृजन और विस्तार करने हेतु राज्यों और संघ राज्य क्षेत्रों को सहायता दी जाती है।

एसएसए की पूर्व योजना के तहत, दिनांक 31.03.2018 तक सरकारी प्रारंभिक स्कूलों में 2.42 लाख पेयजल सुविधाएं स्वीकृत की गई थी जिनमें से राज्यों और संघ राज्य क्षेत्रों ने 2.35 लाख पेयजल सुविधाओं

के प्रावधान की सूचना दी है। आरएमएसए की पूर्व योजना के तहत, दिनांक 31.03.2018 तक, सरकारी माध्यमिक स्कूलों में 11,864 पेयजल सुविधाएं स्वीकृत की गई थीं जिनमें से राज्यों और संघ राज्य क्षेत्रों ने 10,059 पेयजल सुविधाओं के प्रावधासन की सूचना दी है।

केंद्र और राज्य सरकारों की अन्य योजनाओं/कार्यक्रमों के साथ कंवर्जेंस करके सरकारी स्कूलों में स्वच्छ पेयजल सुविधाओं सहित अवसंरचना सुविधा भी प्रदान की गई हैं। पेयजल और स्वच्छता मंत्रालय राष्ट्रीय ग्रामीण पेयजल कार्यक्रम (एनआरडीडब्ल्यूपी) के तहत स्कूलों सहित ग्रामीण क्षेत्रों में स्वच्छ पेयजल आपूर्ति प्रदान करने के उनके प्रयास को पूरा करने के लिए राज्यों को तकनीकी और वित्तीय सहायता प्रदान करता है। पंचायती राज मंत्रालय ने मार्च, 2016 में सभी राज्यों के पंचायती राज विभागों को 14वें वित्तीय आयोग अनुदानों का उपयोग करने के लिए ग्राम पंचायत विकास योजनाएं तैयार करते समय अन्य बातों के साथ-साथ स्कूलों में पेयजल आपूर्ति प्रणालियों और पेयजल प्रणालियों की नियमित मरम्मत के प्रावधान शामिल करने की सलाह दी है।

[अनुवाद]

गुजरात में ईएसआई अस्पताल

1946. श्री परेश रावल :
श्री विनोद लखमाशी चावड़ा :

क्या **श्रम और रोजगार मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का गुजरात में ईएसआई अस्पतालों में हृदय के ऑपरेशन शुरू करने का प्रस्ताव है/शुरू किया है और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ख) गुजरात में जिन ईएसआई अस्पतालों में कैंसर, गुर्दे, हृदय और यकृत जैसे रोगों के उपचार हेतु सुविधाएं उपलब्ध हैं, उनका ब्यौरा क्या है?

श्रम और रोजगार मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री संतोष कुमार गंगवार) : (क) और (ख) गुजरात में ईएसआई अस्पतालों में हृदय के ऑपरेशन शुरू करने का कोई प्रस्ताव नहीं है। ईएसआई अस्पताल द्वितीय देख-रेख सेवाएं प्रदान करता है जबकि हृदय के ऑपरेशन, कैंसर और गुर्दे के रोगों के उपचार सहित सुपर स्पेशलिटी उपचार (एसएसटी) कैशलेश/टाई-अप अस्पतालों के माध्यम से प्रदान किया जाता है।

[हिन्दी]

शिक्षा ऋण योजना

1947. श्री रतन लाल कटारिया : क्या **मानव संसाधन विकास मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार विद्यार्थियों के उज्ज्वल भविष्य हेतु शिक्षा ऋण योजना चला रही है;

(ख) यदि हां, तो उक्त ऋण योजना का ब्यौरा क्या है;

(ग) गरीबी मेधावी बालक और बालिकाओं हेतु शिक्षा ऋण योजना के अंतर्गत शिक्षा हेतु ऋण प्रदान करने पर बैंकों की क्या प्रतिक्रिया है; और

(घ) गत तीन वर्षों के दौरान शिक्षा ऋण योजना के अंतर्गत अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति छात्रों को पृथकत: से प्रदान की गई राशि का ब्यौरा क्या है?

मानव संसाधन विकास मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा जल संसाधन, नदी विकास और गंगा संरक्षण मंत्रालय में राज्य मंत्री (डॉ. सत्यपाल सिंह) : (क) और (ख) भारतीय बैंक संघ (आईबीए) की मॉडल शिक्षा ऋण योजना के अंतर्गत बैंक शिक्षा ऋण प्रदान करते हैं। इस योजना का उद्देश्य भारत और विदेश में उच्चतर अध्ययन करने के लिए मेधावी छात्रों के लिए बैंकिंग प्रणाली से वित्तीय सहायता प्रदान करना है।

भारतीय बैंक संघ (आईबीए) की मॉडल शिक्षा ऋण योजना की मुख्य विशेषताएं:—

(i) भारत में 10 लाख रुपये तक और विदेश में 20 लाख रुपये तक अधिकतम शिक्षा ऋण।

(ii) 4 लाख तक और 4 लाख से उपर तक के ऋण के लिए किसी छूट की आवश्यकता नहीं है, भारत में अध्ययन के लिए 5% छूट और विदेश में अध्ययन के लिए 15% छूट।

(iii) यदि ऋण, शिक्षा ऋण योजना के लिए ऋण क्रेडिट गारंटी के तहत कवर नहीं है तो, 4 लाख से उपर और 7.5 लाख तक के ऋण के लिए किसी छूट की आवश्यकता नहीं है।

(iv) अध्ययन अवधि के दौरान और पुन: भुगतान प्रारंभ होने तक साधारण ब्याज लिया जाएगा।

(v) पुन: भुगतान अवकाश/अधिस्थगन अवधि (पाठ्यक्रम अवधि + एक वर्ष) के अतिरिक्त 15 वर्षों की पुन: भुगतान अवधि।

(vi) बैंक ऋण अवधि के दौरान, बेरोजगार/अल्प रोजगार अवधि को ध्यान में रखते हुए एक बार में छह माह तक अतिरिक्त अधिस्थगन अवधि भी देंगे।

(vii) स्नातक के बाद स्टार्ट-अप उद्यम प्रारंभ करने के लिए विद्यार्थियों की इच्छा होने पर इनक्यूबेशन अवधि के लिए अधिस्थगन अवधि दी जाती।

सरकार उच्चतर शिक्षा हेतु शिक्षा ऋण पर निम्नलिखित ब्याज सब्सिडी योजनाओं का कार्यान्वयन कर रही है:—

(i) **केन्द्रीय सेक्टर की ब्याज सब्सिडी योजना (सीएसआईएस):** इस योजना के अंतर्गत आर्थित रूप से पिछड़े वर्गों (ईडब्ल्यूएस) के उन विद्यार्थियों जिनके अभिभावकों की वार्षिक आय अधिकतम 4.5 लाख रुपए है, को मॉडल शिक्षा ऋण योजना के तहत अनुसूचित बैंकों से 7.5 लाख रुपए तक शैक्षिक ऋण पर एक आस्थगन अवधि (पाठ्यक्रम अवधि + एक वर्ष तक) हेतु पूरी ब्याज सब्सिडी प्रदान की जाती है।

(ii) **विदेश में अध्ययन हेतु डॉ. अम्बेडकर शैक्षिक ऋण ब्याज सब्सिडी योजना:** इस योजना का कार्यान्वयन सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्रालय द्वारा किया जा रहा है। इस योजना का उद्देश्य अन्य पिछड़ा वर्गों (ओबीसी) एवं आर्थिक रूप से पिछड़े वर्गों (ईबीसी) के प्रतिभावान विद्यार्थियों को कला, इंजीनियरिंग, कृषि एवं चिकित्सा विषय में विदेश में उच्चतर शिक्षा का अवसर प्रदान करने हेतु ब्याज सब्सिडी प्रदान करना है। अन्य पिछड़े वर्गों के लिए आय की अधिकतम सीमा 8 लाख रुपए प्रतिवर्ष एवं आर्थिक रूप से पिछड़े वर्गों के लिए 2.5 लाख रुपए प्रतिवर्ष निर्धारित है।

(iii) **पढ़ो परदेश योजना:** यह योजना अल्पसंख्यक मंत्रालय द्वारा चलाई जा रही है। इस योजना के अंतर्गत, विदेशी विश्वविद्यालयों में कला, इंजीनियरिंग एवं चिकित्सा क्षेत्र के स्नातकोत्तर स्तर के पाठ्यक्रम, एम.फिल और पीएच.डी. में अध्ययन हेतु अल्पसंख्यक विद्यार्थियों को ब्याज सब्सिडी प्रदान की जाती है। इस योजना हेतु आय की अधिकतम सीमा 6.00 लाख रुपए प्रतिवर्ष है।

(ग) बैंक प्रत्येक शाखा में अपने उत्पाद को प्रदर्शित करके देश भर में अपनी शिक्षा ऋण योजना को प्रोत्साहित करते हैं। अनेक बैंक शैक्षिक संस्थाओं के साथ टाई-अप भी करते हैं और वे प्रवेश के समय, विद्यार्थियों के लाभ हेतु स्टॉल लगाते हैं। प्रिंट और सोशल मीडिया के माध्यम से प्रोत्साहन अभियान भी चलाते हैं।

(घ) पिछले तीन वर्षों के दौरान अनुसूचित व्यावसायिक बैंक द्वारा अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति के विद्यार्थियों के लिए निम्नानुसार शैक्षिक ऋण वितरित किए गए:—

वित्तीय वर्ष	खातों की संख्या	वितरित राशि (रुपये करोड़ में)
2015-16	52,092	490.05
2016-17	38,165	358.45
2017-18	35,929	335.91

स्रोत: आरबीआई।

एनएसडीएफ और एनएसडीसी का पुनर्गठन

1948. **श्री छेदी पासवान :** क्या **कौशल विकास और उद्यमशीलता मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने राजेश बिंदल समिति की सिफारिशों पर राष्ट्रीय कौशल विकास निधि (एनएसडीएफ) और राष्ट्रीय कौशल विकास निगम (एनएसडीसी) के पुनर्गठन हेतु स्वीकृति प्रदान कर दी है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) एनएसडीएफ और एनएसडीसी के पुनर्गठन से होने वाले संभावित लाभों का ब्यौरा क्या है?

कौशल विकास और उद्यमशीलता मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री अनंतकुमार हेगड़े) : (क) से (ग) सरकार ने शासन, कार्यान्वयन और निगरानी ढांचे को सुदृढ़ बनाने के लिए राष्ट्रीय कौशल विकास निधि (एनएसडीएफ) और राष्ट्रीय कौशल विकास निगम (एनएसडीसी) के पुनर्गठन को अनुमोदित कर दिया है। तथापि यह राजेश बिंदल समिति की सिफारिशों के आधार पर नहीं किया गया था। इस पुनर्गठन से एनएसडीएफ की पर्यवेक्षण भूमिका को सुदृढ़ बनाने के साथ-साथ एनएसडीसी के प्रचालनों में बेहतर निगमित शासन, पारदर्शिता और उत्तरदायित्व सुनिश्चित होगा।

[अनुवाद]

मातृत्व लाभ कानून में पुरूषों को शामिल करना

1949. **डॉ. कंभमपति हरिबाबू :** क्या **श्रम और रोजगार मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार बच्चों के पालन-पोषण के संबंध में पुरूषों को समान सहभागी के रूप में शामिल करने के लिए मातृत्व कानून में

संशोधन करने वाले किसी संशोधन पर विचार कर रही है और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ख) उन कंपनियों, जिनमें 50 या इससे अधिक कर्मचारी कार्य कर रहे हैं और जहां मातृत्व लाभ अधिनियम, यथासंशोधित, 2017 द्वारा अधिदेशित क्रेच राज्य/संघ राज्य क्षेत्र-वार सुविधाएं प्रदान नहीं की गई हैं की सूची का राज्य/संघ राज्य क्षेत्र-वार ब्यौरा क्या है; और

(ग) क्या इस अधिनियम के अंतर्गत अधिदेश का पालन न करने वाली कंपनियों हेतु कोई दंडात्मक प्रावधान है और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और गत तीन वर्षों और चालू वर्ष के दौरान चूककर्ता कंपनियों के विरुद्ध राज्य/संघ राज्य क्षेत्र-वार क्या कार्रवाई की गई है?

श्रम और रोजगार मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री संतोष कुमार गंगवार) : (क) वर्तमान में, बच्चों के पालन पोषण के संबंध में पुरूषों को समान का सहभागी के रूप में शामिल करने हेतु मातृत्व कानून को संशोधित करने संबंधी कोई प्रस्ताव सरकार के विचाराधीन नहीं है।

(ख) ऐसा कोई डाटा केन्द्रीय सरकार द्वारा नहीं रखा जाता है।

(ग) जी, हां। जबकि प्रसूति प्रसुविधा अधिनियम, 1961 की धारा 21 किसी नियोक्ता द्वारा उक्त अधिनियम के उल्लंघन हेतु दंड की परिकल्पना करती है, धारा 22 अधिनियम की धारा 14 के अंतर्गत समुचित सरकार द्वारा नियुक्त निरीक्षक को बाधा पहुंचाने पर दंड के प्रावधानों से सरोकार रखती है।

खान एवं सर्कस उद्योगों को छोड़कर सभी क्षेत्रों में प्रसूति प्रसुविधा अधिनियम, 1961 का प्रवर्तन एवं कार्यान्वयन संबंधित राज्य सरकारों द्वारा किया जाता है। प्रसूति प्रसुविधा अधिनियम, 1961 के उपबंधों के कठोर प्रवर्तन तथा अनुपालन हेतु समय-समय पर राज्य सरकारों को परामर्शिकाएं जारी की जाती हैं। प्रसूति प्रसुविधा अधिनियम, 1961 की धारा 14 और 15 में निहित प्रावधानों के अनुसार अधिनियम के प्रावधान समुचित सरकार द्वारा निरीक्षकों के माध्यम से कार्यान्वित किए जाते हैं।

एएमयू का मलप्पुरम केंद्र

1950. श्री पी.के. कुनहलिकुट्टी : क्या **मानव संसाधन विकास मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय (एएमयू) के मलप्पुरम स्थित केन्द्र को 104.93 करोड़ रुपए के आवंटन में से 60 करोड़ रुपए की राशि जारी करने के पश्चात् और धनराशि जारी की गई है, चूंकि यह बताया गया हे कि आदेश संख्या एफ. सं. 3-2/2018-सी.यू.वी. दिनांक 22.06.2018 के आलोक में विश्वविद्यालय अनुदान आयोग (यूजीसी) को लेखापरीक्षित उपयोगिता प्रमाण-पत्र सौंप दिया गया था;

(ख) क्या मंत्रालय द्वारा यूजीसी को पर्याप्त धनराशि जारी की गई है, ताकि उसे एएमयू केन्द्रों को अंतरित किया जा सके;

(ग) क्या वर्ष 2017-18 के दौरान एएमयू अलीगढ़ द्वारा मल्लपुरम केन्द्र हेतु और धनराशि की मांग की गई है;

(घ) क्या सरकार द्वारा उक्त धनराशि को जारी करने के लिए कोई कदम उठाए गए हैं और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ङ) क्या इसके मलप्पुरम केंद्र हेतु वर्ष 2018-19 के लिए अनुदान के रूप में कुछ धनराशि की मांग की गई है और यदि हां, तो यह राशि कब तक जारी किए जाने की संभावना है?

मानव संसाधन विकास मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा जल संसाधन, नदी विकास और गंगा संरक्षण मंत्रालय में राज्य मंत्री (डॉ. सत्यपाल सिंह) : (क) से (ङ) मानव संसाधन विकास मंत्रालय (एमएचआरडी) ब्लॉक अनुदान के तहत विश्वविद्यालय अनुदान आयोग को निधि आवंटित करता है। इसके अतिरिक्त यूजीसी अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय और उसके केन्द्रों सहित केन्द्रीय विश्वविद्यालयों को इनकी आवश्यकताओं का मूल्यांकन करने के बाद निधि आवंटित और वितरित करता है।

अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय ने मलप्पुरम केन्द्र सहित इसके तीन केन्द्रों को अनुदान जारी करने का अनुरोध किया है। यूजीसी द्वारा उपलब्ध कराई गई जानकारी के अनुसार, उन्होंने अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय के तीन केन्द्रों को अनुदान जारी करने के लिए यूजीसी को समर्थ बनाने हेतु वर्ष 2017-18 (अनंतिम) के दौरान अर्थात् 01.04.2017 से 31.03.2018 तक किए गए व्यय के लिए सभी तीन केन्द्रों के मदवार विवरण भेजने के लिए एएमयू से अनुरोध किया है।

[हिन्दी]

एसईजेड हेतु अधिग्रहित भूमि

1951. श्री अशोक महादेवराव नेते : क्या **वाणिज्य और उद्योग मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या विशेष आर्थिक क्षेत्र (एसईजेड) को स्थापित करने हेतु एक बड़े कृषि भूमि क्षेत्र की आवश्यकता है;

(ख) यदि हां, तो गत तीन वर्षों के दौरान प्रस्तावित और स्थापित किए गए एसईजेड का ब्यौरा क्या है और इन एसईजेड हेतु राज्य-वार कितना कृषि भूमि क्षेत्र दांव पर है;

(ग) क्या एसईजेड हेतु अधिकृत की गई भूमि के स्वामियों को पर्याप्त मूल्य या क्षति पूर्ति अदा नहीं की जा रही है और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(घ) क्या सरकार विस्थापित किसानों के पुनर्वास हेतु कोई नवीन पुनर्वास नीति तैयार करने पर विचार कर रही है; और

(ङ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री सी.आर. चौधरी) : (क) और (ख) जी नहीं, भूमि राज्य का विषय है। विशेष आर्थिक क्षेत्रों (एसईजेड) के लिए भूमि का अधिग्रहण संबंधित राज्य सरकारों की नीतियों और प्रक्रियाओं के अनुसार किया जाता है। राज्य सरकारों को यह सुझाव दिया गया है कि एसईजेड के लिए भूमि अधिग्रहण की पहली प्राथमिकता बंजर एवं अनुपजाऊ भूमि के अधिग्रहण को दी जानी चाहिए और यदि आवश्यक हो, तो एसईजेड के लिए एकल फसल कृषि भूमि को अधिगृहीत किया जाए। यदि न्यूनतम क्षेत्रफल आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए विवशतापूर्वक, विशेषकर बहु-उत्पाद एसईजेड के लिए, द्वि-फसल कृषि भूमि अधिगृहीत की भी जाती है तो यह एसईजेड के लिए आवश्यक कुल भूमि के 10 प्रतिशत से अधिक नहीं होनी चाहिए। एसईजेड के लिए अनुमोदन बोर्ड केवल उन्हीं प्रस्तावों पर विचार करता है, जिनकी विधिवत राज्य सरकार द्वारा संस्तुति की गई हो। पिछले तीन वर्षों के दौरान विभिन्न राज्यों में 913.40 हैक्टेयर भू-क्षेत्र 48 एसईजेड के लिए अधिसूचित किया गया है।

(ग) से (ङ) भूमि अधिग्रहण, पुर्नवास और पुन: स्थापन अधिनियम 2013 के प्रावधानों के तहत भारत के संविधान की 7वीं अनुसूची की राज्य सूची की प्रविष्टि सं. 18 के अनुसार विशेष आर्थिक क्षेत्रों (एसईजेड) के लिए अधिगृहीत भूमि के भू-स्वामियों के लिए भूमि अधिग्रहण का मुआवज़ा राज्य का विषय है। इसलिए, विस्थापित-किसानों का पुनर्वास राज्य सरकार की एजेंसियां द्वारा किया जाता है।

[अनुवाद]

प्रधानमंत्री कौशल केन्द्र

1952. श्री विनायक भाऊराव रा ऊत :
डॉ. प्रीतम गोपीनाथ मुंडे :
श्री श्रीरंग आप्पा बारणे :
श्री आधलराव पाटील शिवाजीराव :
डॉ. श्रीकांत एकनाथ शिंदे :

क्या **कौशल विकास और उद्यमशीलता मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) पीएमकेवीवाई के उद्घाटन के पश्चात् स्थापित अथवा स्थापित किए जाने वाले प्रधानमंत्री कौशल केन्द्र का बुंदेलखंड, असम (जिले-वार) और महाराष्ट्र (रत्नागिरी और सिंधुदुर्ग) सहित राज्य/संघ राज्य क्षेत्र-वार ब्यौरा क्या है;

(ख) क्या सरकार को जानकारी है कि हाल ही में बुंदेलखंड और महाराष्ट्र (रत्नागिरी और सिंधुदुर्ग) सहित राज्य/संघ राज्य क्षेत्र-वार पीएमकेके का प्रचालन करने के लिए गठित की गई कुछ एजेंसियों का निलंबन किया गया है और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या सरकार महाराष्ट्र (रत्नागिरी और सिंधुदुर्ग) सहित राज्य/संघ राज्य क्षेत्र-वार बंद पड़े पीएमकेके को शुरू करने हेतु नई संविदा प्रदान करने पर विचार कर रही है अथवा विचार किया है और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं; और

(ङ) क्या सरकार को महाराष्ट्र के सकंलु आई डी: एमएच 3, मुंबई, मुंबई उपनगर, रायगढ़, रत्नागिरी और सिंधुदुर्ग जिलों में प्रधानमंत्री कौशल केन्द्र स्थापित करने हेतु संसद सदस्य का अभ्यावेदन प्राप्त हुआ है और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इस पर सरकार द्वारा क्या कार्रवाई की गई है?

कौशल विकास और उद्यमशीलता मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री अनंतकुमार हेगड़े) : (क) से (ङ) कौशल विकास और उद्यमशीलता मंत्रालय प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना (पीएमकेवीवाई) 2016-2020 के माध्यम से कौशल प्रशिक्षण प्रदान करने के लिए प्रत्येक जिले में प्रधानमंत्री कौशल केन्द्र (पीएमकेके) नामक आदर्श और आकांक्षी कौशल केन्द्रों की स्थापना को प्रोत्साहित कर रही है। 11.07.2018 की स्थिति के अनुसार 35 राज्यों और संघ राज्य क्षेत्रों में 613 पीएमकेके आवंटित किए गए हैं जिनके अंतर्गत 548 जिले और 468 संसदीय निर्वाचन क्षेत्र आते हैं। आवंटित 613 पीएमकेके में से 462 केन्द्र बुंदेलखंड, असम और महाराष्ट्र में स्थापित किए गए हैं। आवंटित पीएमकेके की राज्य-वार संख्या संलग्न विवरण में दी गई है।

पीएमकेके दिशा-निर्देशों के अनुसार केन्द्रों की स्थापना के लिए समय-सीमा का अनुपालन न करने के कारण अब तक बुंदेलखंड के चित्रकुट, जालौन, झांसी और ललितपुर जिले में 4 पीएमकेके और महाराष्ट्र राज्य के मुंबई, मुंबई उपनगर, रायगढ़, रत्नागिरी, सिंधुदुर्ग, मुंबई उत्तर पश्चिम (पीसी) और मुंबई उत्तर पूर्व (पीसी) में 7 पीएमकेके सहित 19 राज्यों में 56 पीएमकेके का आवंटन रद्द किया गया है। तथापि जालौन जिले में पीएमकेके पुन: आवंटित किया गया है।

इसके अलावा शेष जिलों के लिए पुन:-आवंटन/आवंटन शुरू कर दिया गया है और चरण-IV के अंतर्गत अनुरोध प्रस्ताव (आरएफपी) मोड के माध्यम से पीएमकेक स्थापित करने के लिए आवेदन आमंत्रित किए गए थे।

विवरण

पीएमकेके का राज्य-वार ब्यौरा (11.07.2018 की स्थिति के अनुसार)

क्र. सं.	राज्य	राज्य के जिलों की संख्या	आबंटित पीएमकेके की संख्या (जिला + संसदीय निर्वाचन क्षेत्र)
1	2	3	4
1.	अंडमान और निकोबार द्वीपसमूह	3	1
2.	आंध्र प्रदेश	13	20
3.	अरुणाचल प्रदेश	19	2
4.	असम	32	29
5.	बिहार	38	40
6.	चंडीगढ़	1	1
7.	छत्तीसगढ़	27	26
8.	दादरा और नगर हवेली	1	1
9.	दमन और दीव	2	1
10.	दिल्ली	11	4
11.	गोवा	2	1
12.	गुजरात	33	33
13.	हरियाणा	21	22
14.	हिमाचल प्रदेश	12	9
15.	जम्मू और कश्मीर	22	11
16.	झारखंड	24	21
17.	कर्नाटक	30	34
18.	केरल	14	9
19.	लक्षद्वीप	2	0
20.	मध्य प्रदेश	51	45
21.	महाराष्ट्र	36	36
22.	मणिपुर	9	4
23.	मेघालय	11	4
24.	मिजोरम	8	1
25.	नागालैंड	11	2
26.	ओडिशा	30	25
27.	पुदुचेरी	4	1
28.	पंजाब	22	24
29.	राजस्थान	33	30
30.	सिक्किम	4	1
31.	तेलंगाना	32	24
32.	तमिलनाडु	10	16
33.	त्रिपुरा	8	2
34.	उत्तर प्रदेश	75	80
35.	उत्तराखंड	13	13
36.	पश्चिम बंगाल	20	40
	कुल	683	613

[हिन्दी]

शिक्षकों की रिक्तियां

1953. श्री अरविंद सावंत : क्या **मानव संसाधन विकास मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) देश में दिल्ली सहित विभिन्न राज्यों में राज्य/संघ राज्य क्षेत्र-वार कुल कितने टीजीटी और पीजीटी शिक्षकों के पद रिक्त पड़े हैं;

(ख) क्या केन्द्रीय शिक्षण पात्रता परीक्षा (सीटीईटी) उत्तीर्ण करने के लिए अभ्यार्थियों के 70 प्रतिशत या इससे अधिक अंक देना अनिवार्य

है या भर्ती अंकों के प्रतिशत के आधार पर की जाएगी और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) 2014-15 से अब तक सीटीईटी शिक्षकों हेतु प्रवेश परीक्षा आयोजित नहीं कराने के क्या कारण हैं;

(घ) क्या सरकार का उक्त भर्ती बीएससी (बीएड) और बीए (बीएड) के आधार पर करने और सीटीईटी को समाप्त करने का प्रस्ताव है;

(ङ) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं; और

(च) क्या केन्द्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड (सीबीएसई) ने सीटीईटी को पूर्ण रूप से बंद करने का निर्णय लिया है और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इसके क्या कारण हैं?

मानव संसाधन विकास मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री उपेन्द्र कुशवाहा) : (क) शिक्षकों की भर्ती, सेवा शर्तें और तैनाती संबंधित राज्य/संघ राज्य क्षेत्र (यूटी) सरकार के क्षेत्राधिकार में आता है। प्रारंभिक और माध्यमिक स्तर पर शिक्षकों की रिक्तियों का दिल्ली सहित राज्य-वार ब्यौरा संलग्नक पर है।

(ख) और (ग) एनसीटीई की दिनांक 11.02.2011 की अधिसूचना संख्या 76-4/2010/एनसीटीई/अकादमिक के अनुसार, सीटीईटी परीक्षा में 60% अथवा अधिक पाने वाले व्यक्ति को सीटीईटी उत्तीर्ण माना जाएगा। सीटीईटी परीक्षा वर्ष 2014, 2015, फरवरी 2016 और सितंबर, 2016 में आयोजित की गई थी। प्रशासनिक कारणों की वजह से सीटीईटी परीक्षा वर्ष 2017 में आयोजित नहीं की जा सकी।

(घ) से (च) ऐसा कोई प्रस्ताव नहीं है।

विवरण

शिक्षकों के खाली पदों की स्थिति

क्र. सं.	राज्य/संघ राज्य क्षेत्र	प्राथमिक स्तर			माध्यमिक स्तर		
		स्वीकृत पद कुल	भरे पद कुल	रिक्तियां कुल	स्वीकृत पद कुल	भरे पद कुल	रिक्तियां कुल
1	2	3	4	5	6	7	8
1.	अंडमान एवं निकोबार द्वीपसमूह	3169	2957	212	782	782	0
2.	आंध्र प्रदेश	148,785	135,830	12,955	1543	1543	0
3.	अरुणाचल प्रदेश	14,062	13,638	424	30,245	26385	3860
4.	असम	204,607	184,502	20105	45,156	40,278	4878
5.	बिहार	592,541	388,607	203,934	48,468	31,314	17,154
6.	चंडीगढ़	5325	4055	1270	NA	NA	0
7.	छत्तीसगढ़	200,429	151,923	48506	28,127	19,849	8278
8.	दादरा और नगर हवेली	1804	1630	174	171	170	1
9.	दमन और दीव	601	568	33	139	139	0
10.	दिल्ली	58,439	50,346	8093	13,652	11,681	1971
11.	गोवा	5694	5694	0	436	326	110

1	2	3	4	5	6	7	8
12.	गुजरात	217,106	213,067	4039	2,795	1980	815
13.	हरियाणा	70,090	58,159	1,1931	18,135	17,190	945
14.	हिमाचल प्रदेश	49,578	47946	1632	9923	9265	658
15.	जम्मू और कश्मीर	101,301	94,093	7208	25,657	4436	21221
16.	झारखंड	192,144	113,879	78,265	17,872	14,265	3607
17.	कर्नाटक	203,824	389,332	14,492	40,807	36,103	4704
18.	केरल	126,382	124,982	1400	15683	13016	2667
19.	लक्षद्वीप	731	681	50	178	106	72
20.	मध्य प्रदेश	363,099	296,576	66523	58,688	48,816	9872
21.	महाराष्ट्र	314,938	296,267	18,671	9746	8142	1604
22.	मणिपुर	18,826	18,462	364	406	406	0
23.	मेघालय	22,632	21,756	876	2,130	2,074	56
24.	मिजोरम	12508	11373	1135	1,864	1,864	0
25.	नागालैंड	17330	17013	317	2,104	1,840	264
26.	ओडिशा	229,006	229,006	0	29173	28,140	1033
27.	पुदुचेरी	3906	3139	767	2,275	1,792	483
28.	पंजाब	95249	77074	18175	29,187	25,347	3840
29.	राजस्थान	283,416	246,827	36,589	56,512	56,512	0
30.	सिक्किम	8092	8092	0	1,336	1311	25
31.	तमिलनाडु	147,982	144,194	3788	50,158	49,523	635
32.	तेलंगाना	97,507	83,206	14,301	46,179	42,189	3990
33.	त्रिपुरा	31,695	27,294	4401	5,201	4313	888
34.	उत्तर प्रदेश	759,828	535,501	224,327	14,507	7641	6866
35.	उत्तराखंड	46053	38,475	7578	18,783	15209	3574
36.	पश्चिम बंगाल	454,860	367,079	87,781	57,877	54,259	3618
	कुल	5103539	4203223	900,316	685,895	578,206	107,689

स्रोत: एडब्ल्यूपीएंडबी और पीएबी कार्यवृत्त 2017-18 (31.03.2017 स्थिति के अनुसार)।

[अनुवाद]

ग्रामीण परिपथ के रूप में विशेष क्षेत्रों की पहचान करना

1954. श्री कीर्ति आजाद :
श्री जनक राम :
श्री बलका सुमन :

क्या **पर्यटन मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को 'स्वदेश दर्शन योजना' के अंतर्गत ग्रामीण परिपथ के रूप में विशिष्ट/विशेष क्षेत्रों को चिह्नित करने हेतु राज्य सरकारों से कोई प्रस्ताव प्राप्त हुए हैं;

(ख) यदि हां, तो बिहार और तेलंगाना सहित राज्य-वार तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) सरकार द्वारा 'स्वदेश दर्शन योजना' के अंतर्गत जनजातियों और ग्रामीण परिपथों के विकास हेतु क्या कदम उठाए गए हैं/उठाए जा रहे हैं;

(घ) 'स्वदेश दर्शन योजना' के ग्रामीण परिपथ के अंतर्गत अब तक स्वीकृत परियोजनाओं का राज्य/संघ राज्य क्षेत्र-वार ब्यौरा क्या है; और

(ङ) 'स्वदेश दर्शन योजना' के अंतर्गत अब तक जनजातीय और ग्रामीण परिपथों हेतु उपयोग की गई निधियों का राज्य/संघ राज्य क्षेत्र-वार ब्यौरा क्या है?

पर्यटन मंत्रालय के राज्य मंत्री तथा इलेक्ट्रोनिकी और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री अलफोन्स कन्ननथनम) : (क) से (ङ) जनजातीय और ग्रामीण परिपथ स्वदेश दर्शन योजना के अंतर्गत विकास के लिए पहचाने गए पंद्रह थीमैटिक परिपथों में से है।

योजना के अंतर्गत विकास के लिए परियोजनाओं की पहचान राज्य सरकारों/संघ राज्य क्षेत्र प्रशासनों के परामर्श से की जाती है और निधियों की उपलब्धता, संगत विस्तृत परियोजना रिपोर्टों की प्रस्तुति, योजना दिशा-निर्देशों के अनुपालन और पहले जारी निधियों के उपयोग की शर्त पर स्वीकृत की जाती हैं। उपरोक्त के आधार पर मंत्रालय ने बिहार और तेलंगाना सहित स्वदेश दर्शन योजना के जनजातीय और ग्रामीण परिपथ थीम के अंतर्गत निम्नलिखित परियोजनाएं स्वीकृत की हैं:—

(करोड़ रुपए में)

क्र. सं.	राज्य/संघ राज्य क्षेत्र	परिपथ	परियोजना का नाम/स्वीकृति का वर्ष	स्वीकृत राशि	निर्मुक्त राशि
1.	नागालैंड	जनजातीय	परिपथ पेरेन-कोहिमा-वोखा, नागालैंड का विकास (2015-16)	97.36	72.05
2.	छत्तीसगढ़	जनजातीय	छत्तीसगढ़ में जशपुर - कुंकुरी - मैनपत - अंबिकापुर - महेशपुर - रतनपुर - कुरदार - सरोदादादर - गंगरेल - कोंडागांव - नथयानावगांव - जगदलपुर - चित्रकूट - तीर्थगढ़ में जनजातीय पर्यटन परिपथ का विकास (2015-16)	99.94	49.97
3.	तेलंगाना	जनजातीय	तेलंगाना में मुलुगु-लकनावरम-मेदावरम-तडवई-दमारवी-मल्लूर-बोगाथा जलप्रपात का जनजातीय परिपथ के रूप में एकीकृत विकास (2016-17)	84.40	42.20
4.	नागालैंड	जनजातीय	नागालैंड में जनजातीय परिपथ का विकास (मोकोकचुंग-तुएनसांग-मोन) (2016-17)	99.67	49.83
5.	बिहार	ग्रामीण	बिहार में गांधी परिपथ : भितिहरवा - चन्द्रहिया - तुरकौलिया का विकास (2017-18)	44.65	8.93

[अनुवाद]

राष्ट्रीय अनुसंधान परिषद्

1955. श्री जॉर्ज बेकर :
श्री प्रभुभाई नागरभाई वसावा :
श्री अनिल शिरोले :

क्या **मानव संसाधन विकास मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार देशभर में राष्ट्रीय अनुसंधान परिषद् स्थापित करने की योजना बना रही है;

(ख) यदि हां, तो पश्चिम बंगाल और गुजरात सहित तत्संबंधी राज्य/संघ राज्य क्षेत्र-वार ब्यौरा क्या है और इसके क्या कारण हैं;

(ग) इस संबंध में स्वीकृत की जाने वाली संभावित निधियों का ब्यौरा क्या है;

(घ) इसके लिए तय किए गए लक्ष्यों का ब्यौरा क्या है; और

(ङ) इसके कब तक स्थापित किए जाने की संभावना है?

मानव संसाधन विकास मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा जल संसाधन, नदी विकास और गंगा संरक्षण मंत्रालय में राज्य मंत्री (डॉ. सत्यपाल सिंह) : (क) से (ङ) जी, नहीं। वर्तमान में ऐसा कोई प्रस्ताव विचाराधीन नहीं है। तथापि, नेशनल रिसर्च फाउंडेशन की स्थापना के संबंध में मंत्रालय में जांच की जा रही है।

जेईई परीक्षा का आयोजन

1956. श्री एस.आर. विजयकुमार :
श्री राकेश सिंह :
श्री टी. राधाकृष्णन :
डॉ. के. गोपाल :
श्री विद्युत वरण महतो :
श्री धर्मेन्द्र यादव :
श्री चन्द्र प्रकाश जोशी :
श्री रामदास सी. तडस :
श्री आनंदराव अडसुल :
श्री विनायक भाऊराव राऊत :
कुँवर हरिवंश सिंह :
श्री गजानन कीर्तिकर :
श्री श्रीरंग आप्पा बारणे :
श्री आधलराव पाटील शिवाजीराव :

क्या **मानव संसाधन विकास मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने वर्ष 2019 से संयुक्त परीक्षा (जेईई) और राष्ट्रीय प्रवेश पात्रता परीक्षा (नीट) परीक्षा को वर्ष में दो बार ऑनलाइन मोड में आयोजित करने का निर्णय लिया है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इसके लक्ष्य और उद्देश्य क्या हैं;

(ग) उक्त निर्णय से कितने विद्यार्थियों के लाभान्वित हो की संभावना है;

(घ) सरकार द्वारा इस कार्य को प्रारंभ करने हेतु नेशनल टेस्टिंग एजेंसी को दी गई वित्तीय सहायता का ब्यौरा क्या है;

(ङ) क्या कई राज्यों ने ऐसे प्रस्ताव का विरोध किया है और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(च) क्या सरकार इस संबंध में राज्य सरकारों के साथ चर्चा करने पर विचार कर रही है और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

मानव संसाधन विकास मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा जल संसाधन, नदी विकास और गंगा संरक्षण मंत्रालय में राज्य मंत्री (डॉ. सत्यपाल सिंह) : (क) से (च) बजट उद्घोषणा 2017-18 का अनुसरण करते हुए, केन्द्रीय मंत्रिमंडल ने 10.11.2017 को आयोजित अपनी बैठक में उच्चतर शिक्षा संस्थाओं (एचईआई) हेतु प्रवेश परीक्षाओं का आयोजन करने के लिए एक स्वायत्त और आत्मनिर्भर शीर्ष परीक्षा संगठन के रूप में राष्ट्रीय परीक्षा एजेंसी (एनटीए) के सृजन को अनुमोदन दिया था। इसके साथ-साथ एनटीए जेईई (मुख्य) और राष्ट्रीय पात्रता सह प्रवेश परीक्षा (नीट) यूजी के 2019 से वर्ष में दो बार आयोजित करेगा ताकि अभ्यर्थियों को अपना सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन करने के लिए पर्याप्त अवसर दिए जा सकें। सभी प्रवेश परीक्षाएं कम्प्यूटर आधारित होंगी, जिसके लिए परीक्षा अभ्यास केन्द्रों का एक नेटवर्क, विशेषतौर पर ग्रामीण क्षेत्रों से महत्वकांक्षियों के लिए, स्थापित किया जाएगा ताकि उनको कम्प्यूटर आधारित परीक्षाओं से अपने आपको परिचित कराने के लिए पर्याप्त अवसर दिए जा सके। यह लगभग 40 लाख छात्रों को लाभ देगा। एनटीए व्यापक रूप से आत्मनिर्भर होगा। तथापि, इस प्रयोजनार्थ 25 करोड़ रुपए की राशि इन केन्द्रों को स्थापित करने और प्रथम वर्ष के प्रचालनों के लिए संस्वीकृत की गई है। किसी भी राज्य सरकार ने प्रस्ताव के लिए आपत्ति नहीं जताई है। शीघ्र ही अंतिम निर्णय घोषित किया जाएगा।

[हिन्दी]

कलाकृतियों की तस्करी

1957. श्री मानशंकर निनामा : क्या **संस्कृति मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को पुरातात्विक रूप से अत्यंत महत्व की

वस्तुओं की जारी तस्करी के बारे में जानकारी है और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ख) क्या सरकार को यह भी जानकारी है कि कई अवैध व्यापारियों की स्वयं की वेबसाइट हैं और वह चोरी की गई कलाकृतियों की खुलेआम नीलामी कर रहे हैं; और

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इस संबंध में अब तक सरकार द्वारा क्या कार्यवाही की गई है?

संस्कृति मंत्रालय के राज्य मंत्री तथा पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय में राज्य मंत्री (डॉ. महेश शर्मा) : (क) पिछले तीन वर्षों अर्थात् वर्ष 2015-17 से और वर्तमान वर्ष में दिनांक 30 जून, 2018 तक भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण के केन्द्रीय संरक्षित स्मारकों से 13 पुरावशेषों की चोरी के मामलों की सूचना मिली है (विवरण संलग्न)।

(ख) और (ग) जी, नहीं। वर्तमान में अवैध व्यापारियों द्वारा कलाकृतियों की नीलामी के लिए अपनी स्वयं की वेबसाइट होने संबंधी कोई सूचना उपलब्ध नहीं है। तथापि, विगत में *www.saffronart.com* वेबसाइट द्वारा जैन मूर्ति की ऑनलाइन नीलामी संबंधी शिकायत प्राप्त हुई थी। केन्द्रीय जांच ब्यूरो द्वारा शिकायत की जांच की गई थी परंतु इसे प्रमाणित नहीं किया जा सका।

विवरण

पिछले तीन वर्षों अर्थात् 2015-17 से और वर्तमान वर्ष में दिनांक 30 जून, 2018 तक भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण के केन्द्रीय संरक्षित स्मारकों/स्थलों से चुराए गए पुरावशेषों का राज्य/संघ राज्य क्षेत्र-वार ब्यौरा

क्र. सं.	राज्य	स्मारक/स्थल/मूलस्थान का नाम	पुरावशेषों का काल, मूल और ऐतिहासिक मूल्य	चोरी की तारीख	कृत कार्रवाई/वर्तमान स्थिति
1	2	3	4	5	6
			वर्ष 2015		
1.	कर्नाटक	भीमेश्वर मंदिर नीलगुंडा, हड़प्पनहल्ली तालुक, दावनगिरि जिला, कर्नाटक	लगभग 11वीं-12वीं शताब्दी ईसवी की परतदार पत्थर से बनी यक्ष की एक मूर्ति	26.04.2015	संबंधित पुलिस स्टेशन में प्रथम सूचना रिपोर्ट दर्ज कराई गई और मामले की जांच की जा रही है।
2.	ओडिशा	त्रीविक्रम (स्थानीय रूप से बाली वामन के रूप में विख्यात) वराहनाथ मंदिर, जाजपुर, ओडिशा	लगभग 11वीं-12वीं शताब्दी ईसवी की त्रीविक्रम (स्थानीय रूप से बाली वामन के रूप में विख्यात) की मूर्ति	18.05.2015	संबंधित पुलिस स्टेशन में प्रथम सूचना रिपोर्ट दर्ज कराई गई और मामले की जांच की जा रही है।
3.	कर्नाटक	नंद, चिक्काबल्लापुर तालुक चिक्काबल्लापुर जिला, कर्नाटक में भोगनंदीश्वर मंदिर	लगभग 11वीं-12वीं शताब्दी ईसवी का काले पत्थर का कलश	16.09.2015	संबंधित पुलिस स्टेशन में प्रथम सूचना रिपोर्ट दर्ज कराई गई और मामले की जांच की जा रही है।
4.	महाराष्ट्र (एम.एच.)	जिला औरंगाबाद में आम खास द्वार, दौलताबाद किला स्थित मूर्तिशाला	लगभग 16वीं-17वीं शताब्दी ईसवी के 11 पुरावशेष	16.09.2015	संबंधित पुलिस स्टेशन में प्रथम सूचना रिपोर्ट दर्ज कराई गई और मामले की जांच की जा रही है।

1	2	3	4	5	6
5.	बिहार	जैन मंदिर, वैभर, राजगीर, पटना	लगभग 11वीं-12वीं शताब्दी ईसवी की प्रस्तर प्रतिमा	22 और 23.11.2015	संबंधित पुलिस स्टेशन में प्रथम सूचना रिपोर्ट दर्ज कराई गई और मामले की जांच की जा रही है।
6.	ओडिशा	चंद्रशेखर मंदिर, कपिलास, से भैरव, गणेश और कौमारी की मूर्ति	लगभग 11वीं-12वीं शताब्दी ईसवी की मूर्ति	25/26.11.2015	संबंधित पुलिस स्टेशन में प्रथम सूचना रिपोर्ट दर्ज कराई गई और मामले की जांच की जा रही है।
			वर्ष 2016		
7.	महाराष्ट्र	कासा किला, जिला रायगढ़, महाराष्ट्र	लगभग 11वीं-12वीं शताब्दी ईसवी की लोहे की तोप (छोटे आकार की)	05.12.2015	संबंधित पुलिस स्टेशन में प्रथम सूचना रिपोर्ट दर्ज कराई गई रही है।
8.	राजस्थान	प्राचीन खंडहर, कल्याणपुर, जिला उदयपुर	लगभग 11वीं-12वीं शताब्दी ईसवी की तीन प्रस्तर मूर्तियां	03 एवं 04 फरवरी, 2016	संबंधित पुलिस स्टेशन में प्रथम सूचना रिपोर्ट दर्ज कराई गई और मामले की जांच की जा रही है।
9.	छत्तीसगढ़	भैरवबाबा मंदिर, दांतेवाड़ा और क्षतिग्रस्त मंदिर जियापारा, जिला दक्षिण बस्तर दांतेवाड़ा, छत्तीसगढ़	भैरव की दो प्रस्तर प्रतिमाएं	06 और 07 जुलाई, 2016	संबंधित पुलिस स्टेशन में प्रथम सूचना रिपोर्ट दर्ज कराई गई और मामले की जांच की जा रही है।
10.	आंध्र प्रदेश	श्री कुमाररामा भीमेश्वर स्वामी मंदिर, पूर्वी गोदावरी जिले का समालकोट मंडल	लगभग 11वीं-12वीं शताब्दी ईसवी का पत्थर	24 और 25 नवंबर, 2016	संबंधित पुलिस स्टेशन में प्रथम सूचना रिपोर्ट दर्ज कराई गई और मामले की जांच की जा
11.	कर्नाटक	रामलिंगेश्वर मंदिर परिसर, अवनी, मुलबागली तालुक, कोलार जिला, कर्नाटक	लगभग 11वीं-12वीं शताब्दी ईसवी की विग्नेश्वर वेदी के खुले मंडप पर स्थापित गणेश की एक प्रस्ताव प्रतिमा	26 और 27 नवंबर, 2016	संबंधित पुलिस स्टेशन में प्रथम सूचना रिपोर्ट दर्ज कराई गई और मामले की जांच की जा रही है।
12.	आंध्र प्रदेश	वीरभद्र मंदिर, मोटूपल्ले, चीनागंजम मंडल, प्रकासम जिला, आंध्र प्रदेश	नंदी की प्रस्तर मूर्ति	12 और 13 दिसंबर, 2016	18.12.2016 को बरामद
			वर्ष 2017		
13.	अमरावती, आंध्र प्रदेश	श्री आनदावल्ली अम्मावारू मंदिर, परशुरामेश्वर स्वामी परिसर, गुड्डीमल्लम, जिला चित्तूर	लगभग 11वीं-12वीं शताब्दी	03.11.2017	संबंधित पुलिस स्टेशन में प्रथम सूचना रिपोर्ट दर्ज कराई गई और मामले की जांच की जा रही है।

[अनुवाद]

आईटीआई में नामांकन मापदंड

1958. श्री के. अशोक कुमार :
श्री एम. उदयकुमार :

क्या **कौशल विकास और उद्यमशीलता मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि सरकार ने आत्मसमर्पण कर चुके वामपंथी चरमपंथियों को आईटीआई में प्रवेश लेने हेतु सक्षम बनाने के लिए नामांकन मापदंडों में बदलाव किया है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या यह भी सच है कि सरकार देशभर में आईटीआई में कई पाठ्यक्रम प्रारंभ करने पर विचार कर रही है; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

कौशल विकास और उद्यमशीलता मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री अनंतकुमार हेगड़े) : (क) और (ख) भारत सरकार का गृह मंत्रालय "वामपंथी अतिवादी समर्पण-सह-पुनर्वास योजना" चला रहा है ताकि आत्मसमर्पण करने वाले वामपंथी अतिवादियों को मुख्य धारा में शामिल किया जा सके। इस योजना के तहत आत्मसमर्पण करने वाले वामपंथी अतिवादी को किसी संस्थान में तीन वर्ष तक अपनी पढ़ाई जारी रखने के लिए 6000/- रुपए प्रति माह की वृत्तिका राशि मिलती है। ऐसे लाभार्थियों को कौशल प्रदान करने हेतु राष्ट्रीय व्यावसायिक प्रशिक्षण परिषद् (एनसीवीटी) से सम्बद्ध औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थानों (आईटीआइज) में दाखिला देने के मामले पर कौशल विकास एवं उद्यमशीलता मंत्रालय द्वारा विचार किया गया है ताकि उन्हें लाभकारी रोजगार प्राप्त हो सके। यह पाया गया है कि आत्मसमर्पण करने वाले अधिकांश वामपंथी अतिवादियों के पास आईटीआइज में दाखिले के लिए अपेक्षित योग्यता नहीं है। संबंधित राज्यों तथा गृह मंत्रालय से परामर्श करने के उपरान्त ऐसे अभ्यर्थियों के दाखिले की अर्हता में छूट दी गयी है तथा विस्तृत मार्गदर्शन वाली एक अधिसूचना सं. एमएसडीई/डीजीटी-05/01/2018-पीसीटी/एलडब्ल्यूई दिनांक 28.04.2018 परिपत्रित की गयी है।

(ग) और (घ) राष्ट्रीय व्यावसायिक प्रशिक्षण परिषद (एनसीवीटी) पूरे देश में 134 व्यावसायों को चलाने के लिए आईटीआइज को सम्बद्धता प्रदान करती है। जरूरत पड़ने पर, सरकार उद्योगों सहित विभिन्न हितधारकों के परामर्श से निरन्तर एवं व्यावसायों की शुरुआत करती है।

[अनुवाद]

समुद्री पर्यटन संबंधी कृतक बल

1959. श्री गजानन कीर्तिकर :
श्री सुधीर गुप्ता :
श्री विद्युत वरण महतो :
श्री एस.आर. विजय कुमार :

क्या **पर्यटन मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने पर्यटन मंत्रालय और पोत परिवहन मंत्रालय और सभी प्रमुख हितधारकों के प्रतिनिधियों द्वारा संयुक्त रूप से समुद्री संबंधी कृतक बल का गठन किया है;

(ख) यदि हां, तो संबंधित ब्यौरा क्या है और समिति द्वारा क्या अनुशंसाएं की गई है और उन पर सरकार की क्या प्रतिक्रिया है;

(ग) वर्तमान में भारत आने वाले समुद्री पर्यटक यात्रियों की अनुमानित संख्या कितनी है;

(घ) क्या सरकार ने देश में समुद्री पर्यटकों के आगमन में वृद्धि हेतु कोई लक्ष्य निर्धारित किया है और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ङ) देश के विभिन्न भागों में समुद्री टर्मिनल के उन्नयन और समुद्री आधारभूत ढांचे के विकास हेतु मंत्रालय द्वारा कितना खर्च किया गया है?

पर्यटन मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री अलफोन्स कन्ननथनम) : (क) और (ख) जी, हां। भारत में क्रूज पर्यटन के विकास के लिए समर्थित इको प्रणाली सृजित करने के लिए समन्वित प्रयासों हेतु सभी बंदरगाहों तथा हितधारकों के प्रतिनिधियों के साथ पर्यटन मंत्रालय और पोत परिवहन मंत्रालय द्वारा संयुक्त रूप से क्रूज पर्यटन पर एक कार्यदल का गठन किया गया है। कार्यदल की बैठकें नियमित रूप से होती हैं और कार्यदल की पिछली बैठक 21.05.2018 को आयोजित की गई थी।

(ग) वर्ष 2017-18 के दौरान छह प्रमुख बंदरगाहों नामत: मुम्बई पोर्ट, चेन्नई पोर्ट, कोचीन पोर्ट, कोलकाता पोर्ट, नया मैंगलूर पोर्ट और मॉर्मुगांव पोर्ट द्वारा 1,62,660 क्रूज यात्री भारत आए।

(घ) सरकार ने देश में क्रूज पर्यटकों के प्रवाह को बढ़ाने के लिए निम्नलिखित कदम उठाए हैं:-

(i) यात्रियों वाले विदेशी झंडा जहाजों को 6 फरवरी, 2009 से पोत परिवहन महानिदेशक से लाइसेंस प्राप्त किए बिना

10 वर्षों की अवधि तक भारतीय बंदरगाहों पर आने की अनुमति है। यह सुविधा 5 फरवरी, 2024 तक अर्थात् 5 वर्षों की अवधि के लिए आगे बढ़ा दी गई है।

(ii) क्रूज पर्यटन के लिए मानक प्रचालन प्रक्रियाएं (एसओपी) सभी प्रमुख पोर्ट द्वारा अनुपालन के लिए एक रूप, पुन: परिभाषित प्रक्रियाओं के लिए नवम्बर, 2017 के प्रभाव से संशोधित और संचालित की गई।

(iii) क्रूज जहाजों के आगमन वाले पांच प्रमुख बंदरगाहों पर आप्रवासन काउंटर्स स्थापित किए गए हैं। ई-वीज़ा की सुविधा का विस्तार पांच समुद्री बंदरगाहों नामत: मुम्बई, गोवा, नया मैंगलूर, कोचीन तथा चेन्नई तक किया गया है।

(iv) ई-वीज़ा पर आने वाले क्रूज पर्यटकों को त्वरित आप्रवासन स्वीकृति को सुगम बनाने के लिए 31.12.2020 तक तीन वर्षों की अवधि के लिए बायोमीट्रिक नामांकन की आवश्यकता से छूट दे दी गई है।

(v) बंदरगाह प्रभार कम कर दिया गया है और सभी प्रमुख बंदरगाह अब 3 नवम्बर, 2017 से ठहराव के पहले 12 घंटों के लिए $0.35 प्रति सकल पंजीकृत टन (जीआरटी) एक समान एकल दर चार्ज करते हैं और यह तीन वर्षों की अवधि के लिए लागू किया।

(vi) बंदरगाह क्रूज जहाज की बर्थिंग के लिए कोई प्राथमिकता/प्रस्थान/स्थानांतरण प्रभार नहीं लगाते हैं।

(vii) अब होम पोर्ट क्रूज के लिए वॉक-इन बर्थिंग/अधिमान्य बर्थिंग बिना किसी अतिरिक्त प्रभार के उपलब्ध है।

(viii) क्रूज यात्रियों तथा जहाजों के निर्बाध संचालन को सुगम बनाने तथा जनशक्ति, समन्वय तथा संचालन के मामलों के समाधान हेतु उपरोक्त प्रमुख बंदरगाहों के संबंधित अध्यक्ष के अधीन पोर्ट स्तर सुविधा समितियां बनाई गई हैं।

(ङ) पोत परिवहन मंत्रालय ने सूचित किया है कि लगभग 300 करोड़ रुपए की लागत पर मुम्बई में एक नया अंतर्राष्ट्रीय टर्मिनल पीपीपी मोड में स्वीकृत किया गया है और 25.72 करोड़ रुपए की अनुमोदन लागत के साथ वृहत्त जहाजों के लिए कोचीन पोर्ट के एर्नाकुलम वार्फ में एक अन्य क्रूज टर्मिनल सुविधा का भी प्रस्ताव किया गया है।

पर्यटन मंत्रालय ने "पर्यटन अवसंरचना विकास हेतु केंद्रीय अभिकरणों को सहायता" योजना के अंतर्गत गोवा, महाराष्ट्र, केरल और तमिलनाडु में प्रमुख बंदरगाहों पर क्रूज टर्मिनल तथा संबद्ध अवसंरचना के विकास के लिए 106.39 करोड़ रुपए की विभिन्न परियोजनाएं भी स्वीकृत की है।

रबड़ की कीमत में गिरावट

1960. एडवोकेट जोएस जॉर्ज : क्या **वाणिज्य और उद्योग मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने ध्यान दिया है कि गत वर्षों के दौरान रबड़ की कीमत में गिरावट ने अत्यंत गरीब किसानों को बुरी तरह प्रभावित किया है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इस पर सरकार की क्या प्रतिक्रिया है;

(ग) क्या सरकार ने इस संबंध में कोई कदम उठाए हैं और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(घ) क्या सरकार की योजना रबड़ कृषक समुदाय को समर्थन प्रदान करने हेतु एक न्यूनतम मूल्य प्रणाली शुरू करने की है; और

(ङ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री सी.आर. चौधरी) : (क) और (ख) घरेलू और अंतर्राष्ट्रीय बाजारों में हाल के वर्षों के दौरान प्राकृतिक रबड़ की कीमतें अपेक्षाकृत कम स्तर पर रही हैं। प्राकृतिक रबड़ (एनआर) की कीमतें बाजार के मूल तत्वों और कारकों की श्रृंखला द्वारा निर्धारित होती हैं जिनमें, अन्य बातों के साथ-साथ प्रमुख उपभोक्ता देशों में आर्थिक विकास की प्रवृत्तियां, तेल/कृत्रिम रबड़ की कीमतें, मौसम की परिस्थितियां और भावी बाजारों का विकास शामिल हैं। घरेलू एनआर बाजार सामान्यत: क्षेत्र विशिष्ट एवं मौसमी घटकों के कारण कुछ विचलनों के साथ विश्व बाजार की प्रवृतियों के अनुसार निर्धारित होता है।

(ग) घरेलू एनआर की कीमतें आयात के प्रति अत्यधिक संवेदनशील हैं। अत: एनआर के आयात को विनियमित करने के लिए, सरकार ने स्थानीय रूप से उत्पादित रबड़ की मांग सृजित करने के लिए शुष्क रबड़ के आयात पर शुल्क "20 प्रतिशत या 30 रुपये प्रति किलोग्राम" जो भी कम हो, को दिनांक 30.4.2015 से बढ़ाकर '25 प्रतिशत या 30 रुपये प्रति किलोग्राम जो भी कम हो' कर दिया है। सरकार ने अग्रिम लाइसेसिंग स्कीम के तहत आयातित शुष्क रबड़ के उपयोग की अवधि को 18 महीने से घटाकर 6 महीने कर दिया है। विदेश

व्यापार महानिदेशक (डीजीएफटी) ने प्राकृतिक रबड़ के आयात पर दिनांक 20 जनवरी, 2016 से चेन्नई और नावाशेवा (जवाहर लाल नेहरू पत्तन) को प्रवेश के पत्तन प्रतिबंध अधिरोपित किए है।

(घ) से (ङ) जी, नहीं, तथापि केरल राज्य के प्रमुख रबड़ उपजकर्ता क्षेत्रों के रबड़ उपजकर्ताओं को वित्तीय सहायता प्रदान करने के लिए "रबड़ उत्पादन प्रोत्साहन स्कीम" का क्रियान्वयन किया जा रहा है, जिसके अंतर्गत स्कीम संदर्भ कीमत 150 रुपए प्रति कि.ग्रा. और दैनिक बाज़ार कीमत के बीच के अंतर को खरीद बिल के आधार पर सीधे किसान के बैंक खाते में जमा करा दिया जाता है।

[हिन्दी]

समान कार्य हेतु समान मजदूरी

1961. श्री जनक राम : क्या **श्रम और रोजगार मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या माननीय उच्चतम न्यायालय ने निर्देश दिया है कि समान कार्य हेतु समान मजदूरी का सिद्धांत कार्यान्वित किया जाना चाहिए और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ख) क्या उच्चतम न्यायालय ने यह भी कहा है कि नियमित और संविदा कामगार एक ही प्रकार का कार्य करते हैं तो एक कल्याणकारी राज्य में उन दोनों वर्गों के वेतन में कोई विसंगति नहीं होनी चाहिए और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इस पर सरकार की क्या प्रतिक्रिया है; और

(ग) क्या सरकार को इस बात की जानकारी है कि संविदा आधार पर काम करने वाले कर्मचारी अपने नियोक्ताओं द्वारा समान कार्य हेतु समान वेतन से वंचित रखे जाते हैं और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और सरकार द्वारा इस संबंध में क्या निवारण तंत्र विकसित किया गया है/किए जाने का प्रस्ताव है?

श्रम और रोजगार मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री संतोष कुमार गंगवार) : (क) से (ग) "समान कार्य हेतु समान वेतन" के सिद्धांत की जांच माननीय सर्वोच्च न्यायालय द्वारा 2013 की सिविल अपील संख्या 2013 में की गई थी। माननीय सर्वोच्च न्यायालय के समक्ष निम्नवत मामला था:—

"…. क्या अस्थायी रूप से नियोजित कर्मचारी (दैनिक-मजदूरी पाने वाली कर्मचारी, तदर्थ व्यक्ति, नैमित्तिक आधार पर नियुक्त कर्मचारी, तथा ऐसे अन्य कर्मचारी) उनके द्वारा किए जाने वाले उन कार्यों के बदले महंगाई भत्ता (समय-समय पर यथासंशोधित) सहित नियमित वेतनमान का न्यूनतम प्राप्त करने के हकदार हैं, जो संस्वीकृत पदों पर नियमित आधार पर नियोजित कर्मचारियों द्वारा निष्पादित किए जाते हैं…"

माननीय सर्वोच्च न्यायालय का यह अवलोकन था कि:—

"….इस बात का कोई संदेह नहीं हो सकता है कि 'समान कार्य हेतु समान वेतन' का सिद्धांत सभी संबंधित अस्थायी कर्मचारियों पर लागू होगा, जिससे उनमें समान पदों पर नियोजित नियमित सरकारी कर्मचारियों के वेतनमान के न्यूनतम के समान वेतन के दावे का अधिकार विहित हो जाए…"

नियोक्ता/प्रधान नियोक्ता के लिए अपने कामगारों/श्रमिकों को मजदूरी का भुगतान करते समय 'समान कार्य हेतु समान वेतन' के संबंध में विभिन्न श्रेणियों के कर्मचारियों के लिए वेतन संबंधी अनुदेशों सहित विभिन्न सांविधिक उपबंधों/न्यायालय के आदेशों/सरकारी अनुदेशों और माननीय सर्वोच्च न्यायालय द्वारा दिए गए सिद्धांत का अनुपालन करना अनिवार्य है।

जहां तक ठेका श्रम का संबंध है, ठेका श्रम (विनियमन एवं उत्सादन) केन्द्रीय नियम, 1971 में, नियम 25(2)(v)(क) में यथाविनिर्दिष्ट मजदूरी की समानता का प्रावधान है, जो निम्नवत दोहराई गई है:—

"….उन मामलों में जहां ठेकेदार द्वारा नियोजित कोई कामगार किसी प्रतिष्ठान के प्रधान नियोक्ता द्वारा सीधे नियोजित कामगार के समान अथवा समरूप कार्य करता हो तो उसके लिए मजदूरी दरें, अवकाश, कार्य घंटे तथा अन्य सेवा शर्तें वही होंगी जो किसी प्रतिष्ठान के प्रधान नियोक्ता द्वारा सीधे नियोजित कामगार पर समान अथवा समरूप कार्य करने के लिए लागू होती हैं…."

श्रम कानूनों का प्रवर्तन सुनिश्चित करने के उद्देश्य तथा राज्य क्षेत्र में अलग-अलग प्रवर्तन तंत्र उपलब्ध हैं जहां कोई पीड़ित कामगार अपनी शिकायतों के निपटान के लिए जा सकता है।

केन्द्रीय क्षेत्र में श्रम कानूनों के प्रवर्तन तथा श्रम विवादों से उत्पन्न होने वाली शिकायतों का समाधान/दावों का निपटान करने हेतु एक सुव्यवस्थित केन्द्रीय औद्योगिक संबंध तंत्र (सीआईआरएम) है जिसका मुख्य श्रमायुक्त (केन्द्रीय) के नियंत्रणाधीन उप-मुख्य श्रमायुक्त (केन्द्रीय) और क्षेत्रीय श्रमायुक्त (केन्द्रीय) के रूप में देशव्यापी नेटवर्क मौजूद है। राज्य क्षेत्र में, संबंधित राज्य सरकारों/संघ राज्य क्षेत्र के प्रशासनों में भी समान व्यवस्था विद्यमान है।

[अनुवाद]

ताजमहल का संरक्षण

1962. श्री मुल्लापल्ली रामचन्द्रन :
श्री टी.जी. वेंकटेश बाबू :
श्री पी. नागराजन :

क्या **संस्कृति मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने ताजमहल के संरक्षण हेतु कोई निवारक उपाय किए हैं और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और गत तीन वर्षों के दौरान इस संबंध में कितनी निधि आवंटित की गई है और कितनी खर्च की गई है;

(ख) क्या हाल ही में आए धूल भरी आंधी और आंधी तूफान से ताजमहल की मीनारों और उसकी संरचना के एक हिस्से को और देश में भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण द्वारा संरक्षित अन्य स्मारकों को भारी क्षति पहुंची है;

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और सरकार द्वारा क्षतिग्रस्त सभी संरचनाओं को मौलिक रूप में पुन: बहाल करने के लिए क्या कदम उठाए हैं/उठाए जा रहे हैं;

(घ) क्या सरकार का विचार ताजमहल के मौलिक संगरमरमर के रंग को पुन: प्राप्त करने हेतु उसके नवीनीकरण के लिए परीक्षण हेतु विदेशी विशेषज्ञ बुलाने का है; और

(ङ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और उसके कब तक किए जाने की संभावना है?

संस्कृति मंत्रालय के राज्य मंत्री तथा पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय में राज्य मंत्री (डॉ. महेश शर्मा) : (क) जी, हां। ताजमहल का आवश्यक संरक्षण, परिरक्षण और पर्यावरणीय विकास कार्य नियमित रूप से किया जाता है ताकि स्मारक को अच्छी अवस्था में रखा जा सके। इस संबंध में पिछले तीन वर्षों के दौरान आवंटित निधियों और खर्च किए गए व्यय का ब्यौरा इस प्रकार है:—

राशि रुपए में

क्र.सं.	वर्ष	आवंटित निधियां	खर्च किया गया व्यय
1.	2015-16	36556563	36555570
2.	2016-17	48115035	46994913
3.	2017-18	42222452	41232851

(ख) और (ग) जी, हां। हाल ही में आए तूफान के कारण आगरा में कुछ स्मारकों के कुछ प्रोजैक्टिंग हिस्सों को क्षति पहुंची। क्षतिग्रस्त हिस्सों की मरम्मत का कार्य पहले ही शुरू किया जा चुका है।

(घ) और (ङ) इस प्रकार का कोई प्रस्ताव विचाराधीन नहीं हैं।

[हिन्दी]

आईआईटी हेतु आधारभूत ढांचा

1963. श्री विष्णु दयाल राम :
श्री राहुल शेवाले :
श्री भर्तृहरि महताब :
श्री संजय धोत्रे :

क्या **कौशल विकास और उद्यमशीलता मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) सरकार द्वारा देश में औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थानों (आईटीआई) के लिए पर्याप्त आधारभूत ढांचा बनाने हेतु राज्य को वित्तीय सहायता देने और नक्सलवाद से प्रभावित जिलों में ऐसे आधारभूत ढांचे के उन्नयन के लिए कौन सी योजनाएं/कार्यक्रम किए जा रहे हैं;

(ख) गत तीन वर्षों में प्रत्येक वर्ष और चालू वर्ष के दौरान देश में उक्त योजनाओं/कार्यक्रमों ने राज्य/संघ राज्य क्षेत्र-वार और योजना/कार्यक्रम-वार किस स्तर पर वांछित परिणाम प्राप्त किए हैं;

(ग) क्या उक्त अवधि के दौरान आईटीआई को आधारभूत सुविधाएं प्रदान करने में राष्ट्रीय व्यावसायिक प्रशिक्षण परिषद् द्वारा निर्धारित मानदंडों से विपथन की जानकारी सरकार के संज्ञान में आई है और यदि हां, तो तत्संबंधी राज्य/संघ राज्य क्षेत्र-वार ब्यौरा क्या है;

(घ) सरकार द्वारा देशभर में विशेषकर नक्सलवाद से प्रभावित जिलों में आईटीआई में पर्याप्त आधारभूत ढांचा सुनिश्चित करने के लिए कदम उठाए गए हैं; और

(ङ) क्या इन आईटीआई द्वारा उपकरणों/मशीनों की खरीद में कोई अनियमित/कमी पाई गई है और यदि हां, तो नियमों का उल्लंघन करने वाले व्यक्तियों/संस्थानों के विरुद्ध की गई कार्रवाई का तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

कौशल विकास और उद्यमशीलता मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री अनंतकुमार हेगड़े) : (क), (ख) और (घ) महानिदेशालय, कौशल विकास एवं उद्यमशीलता मंत्रालय ने देश में अवसंरचना के सृजन

तथा आईटीआइज के उन्नयन के लिए निम्नलिखित योजनाएं बनायी हैं:—

(i) वामपंथी अतिवाद से प्रभावित 47 जिलों में कौशल विकास इस योजना में अन्य बातों के साथ-साथ वामपंथी अतिवाद से प्रभावित 10 रज्यों के 47 जिलों में 47 नए औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान स्थापित किया जाना शामिल है। विवरण-I संलग्न है।

(ii) पूर्वोत्तर राज्यों तथा सिक्किम में कौशल विकास अवसंरचना बढ़ाना: इस योजना में प्रत्येक आईटीआई में तीन नए व्यावसायों की शुरुआत कर 20 मौजूदा औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थानों (आईटीआइज) के उन्नयन तथा 28 आईटीआइज में तीन व्यावसायों के लिए पुराने औजारों तथा उपस्कर का बदलाव, चाहरदीवारी का निर्माण, प्रत्येक आईटीआई में छात्रावास का निर्माण कर कमी वाली अवसंरचना को बदलने की परिकल्पना की गयी है। योजना के तहत 8 पूर्वोत्तर राज्यों में 22 नयी आईटीआइज की स्थापना करना भी शामिल है। विवरण-II संलग्न है।

(iii) विश्व बैंक सहाय्यित व्यावसायिक प्रशिक्षण सुधार परियोजना (वीटीआईपी): व्यावसायिक प्रशिक्षण सुधार परियोजना (वीटीआईपी) में अन्य बातों के साथ-साथ 400 आईटीआइज के उन्नयन पर विचार किया गया है। पूर्वोत्तर राज्यों सहित 34 राज्य सरकारें/संघ राज्य क्षेत्र इस परियोजना के तहत भाग ले रहे हैं। जारी की गयी धनराशि का राज्य-वार ब्यौरा संलग्न विवरण-III में दखा जा सकता है।

(iv) मौजूदा सरकारी आईटीआइज का आदर्श आईटीआइज में उन्नयन: यह योजना केन्द्रीय प्रायोजित योजना है जिसमें 25 राज्यों की 26 सरकारी आईटीआइज को आदर्श आईटीआइज में उन्नयित करना शामिल किया गया है। राज्य-वार जारी की गयी धनराशि का ब्यौरा संलग्न विवरण-IV में देखा जा सकता है।

(ग) एनसीवीटी के मानदंडों में ऐसा कोई परिवर्तन नहीं किया गया है।

(ङ) औजारों तथा उपस्कर की खरीद राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों द्वारा की जाती है। राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों द्वारा उपस्कर/मशीनरी की खरीद में किसी प्रकार की विसंगतियों की रिपोर्ट नहीं मिलती है।

विवरण-I

"वामपंथी अतिवाद से प्रभावित 47 जिलों में कौशल विकास योजना" के अंतर्गत सम्मिलित तथा जारी

क्र. सं.	राज्य	जिलों की संख्या	शामिल जिलों के नाम	जारी निधि (रुपए लाख में) (75% केन्द्र तथा 25% राज्य का हिस्सा)
1	2	3	4	5
1.	आंध्र प्रदेश	1	विशाखापट्टनम	550.56
2.	तेलंगाना	1	खम्माम	399.45
3.	बिहार	9	जमुई, गया, औरंगाबाद, रोहतास, जहानाबाद, अरवल, मुजफ्फरपुर, बांका और नवादा	2576.04
4.	छत्तीसगढ़	9	दंतेवाड़ा, बस्तर, कांकेर, सरगुजा, राजनंदगांव, बीजापुर, नारायणपुर, सुकमा और कोंडागांव	4830.08
5.	झारखंड	16	चतरा, पश्चिम सिंहभूम, पलामू, गढ़वा, पूर्वी सिंहभूम, बोकारो, लोहरदगा, गुमला, लातेहार, हजारीबाग, गिरिडीह, खूंटी, रांची, दुमका, रामगढ़ और सिमडेगा	7165.17

1	2	3	4	5
6.	मध्य प्रदेश	1	बालाघाट	532.61
7.	महाराष्ट्र	2	गढ़चिरौली के तथा गोंडिया	676.24
8.	ओडिशा	6	गजपति, मलकानगिरी, रायगढ़, देवगढ़, संबलपुर, कोरापुट	3029.61
9.	उत्तर प्रदेश	1	सोनभद्र	532.60
10.	पश्चिम बंगाल	1	पश्चिम मिदनापुर (लालगढ़ क्षेत्र)	532.60
	कुल	47		20824.97

विवरण-II

"पूर्वोत्तर राज्यों तथा सिक्किम में कौशल विकास अवसंरचना बढ़ाना" योजना में शामिल:

राज्य का नाम	उन्नयन		कमी वाली अवसंरचना की अनुपूर्ति		नई आईटीआइज	
	सं.	स्थान का नाम	सं.	स्थान का नाम	सं.	स्थान का नाम
अरुणाचल प्रदेश	3	युपिया, बलिनोंग और डिरांग	3	डिरांग, रोइंग और टेबारिजो	4	न्यू सागली, मणीपोलियांग (ज़ीरो), मिपांग ईस्ट सियांग और कानुबारी
असम	6	जोरहाट, श्रीकोना, माजुली, गुवाहाटी, नागांव, सिलचर (डब्ल्यू)	1	लखीमपुर	5	नलबाड़ी, बौंगाईगांव, जोरहाट, सोनितपुर और तिनसुकिया
मणिपुर	3	फकनुंग, सेनापति और टकएल (डब्ल्यू)	8	फकनुंग, सेनापति, टकएल (डब्ल्यू), तमेंगलोंग, निंगथौखोंग, ककचिंग, चंदोल, सैकोट	2	सेकमई और कांगपोकपी
मेघालय	4	सोहरा, रेसुबेलपाड़ा, नांगस्टोइन और नोंगपोह	4	सोहरा, रेसुबेलपाड़ा, नांगस्टोइन और नोंगपोह	2	अम्पाती और मावकिर्वट
मिजोरम	1	आइजोल	3	आइजोल, लुंगलेई और सैहा	3	थिंगवाल, सेरछिप तथा चमफई
नागालैंड	2	दीमापुर और कोहिमा	5	जुहेनबोटो, ट्यूएनसेंग, मोन मोकोकचुंग तथा कोहिमा	2	दीमापुर और पेरेन
सिक्किम	0		3	रांग्पो, नामची तथा गियाशिलिंग	1	केउचिंग
त्रिपुरा	1	इंद्रानगर	1	बेलोनिया	3	कंचनपुर, गंडाचेरा तथा शांतिबाजार
	20		28		22	

अब तक, इस प्रयोजन के लिए राज्यों को 16908.84 लाख रुपए की राशि (नई आईटीआइज के लिए 10% राज्य के हिस्से सहित) जारी की गयी है:

क्र. सं.	राज्य	उन्नयन*	नई आईटीआई			सकल योग		
			केन्द्र	राज्य	कुल	केन्द्र	राज्य	योग
1.	अरुणाचल प्रदेश	1060.85	1811.88	201.32	2013.20	2872.73	201.32	3074.05
2.	नागालैंड	1189.47	1099.00	122.11	1221.11	2288.47	122.11	2410.58
3.	सिक्किम	308.20	571.17	63.46	634.63	879.37	63.46	942.83
4.	मणिपुर	928.46	776.52	86.28	862.80	1704.98	86.28	1791.26
5.	मिजोरम	696.28	1682.91	186.99	1869.90	2379.19	186.99	2566.18
6.	मेघालय	256.36	491.05	54.56	545.61	747.41	54.56	801.97
7.	असम	1019.88	1310.88	145.65	1456.53	2330.76	145.65	2476.41
8.	त्रिपुरा	291.38	2298.75	255.42	2554.17	2590.13	255.42	2845.55
	कुल	5750.88	10042.16	1115.80	11157.96	15793.04	1115.80	16908.84

*-मौजूदा 20 आईटीआइज के उन्नयन तथा मौजूदा 28 आईटीआइज में कमी वाले अवसंरचना की अनुपूर्ति।

विवरण-III

"विश्व बैंक सहाय्यित व्यावसायिक प्रशिक्षण सुधार परियोजना (वीटीआईपी)" योजना का ब्यौरा

क्र. सं.	राज्य/संघ राज्यक्षेत्र	वीटीआईपी के तहत शामिल आईटीआइज की कुल संख्या	आज तक जारी केन्द्रीय निधि (रुपए लाख में)
1	2	3	4
1.	आंध्र प्रदेश	17	5891.89
2.	अंडमान और निकोबार द्वीपसमूह	1	176.57
3.	अरुणाचल प्रदेश	1	338.08
4.	असम	7	2136.58
5.	बिहार	8	1674.83
6.	छत्तीसगढ़	18	4024.59
7.	दमन और दीव	1	151.25
8.	दिल्ली	3	598.14
9.	गोवा	7	2154.34
10.	गुजरात	29	10745.39
11.	हरियाणा	16	5749.86
12.	हिमाचल प्रदेश	11	3504.61
13.	जम्मू और कश्मीर	10	1841.05
14.	झारखंड	3	811.25
15.	कर्नाटक	30	10292.33
16.	केरल	7	2413.42
17.	लक्षद्वीप	1	25.81
18.	मध्य प्रदेश	28	9814.34
19.	महाराष्ट्र	87	25453.12
20.	मणिपुर	2	300.61

1	2	3	4
21.	मेघालय	1	317.96
22.	मिजोरम	1	320.92
23.	नागालैंड	1	331.24
24.	ओडिशा	9	4113.97
25.	पुदुचेरी	1	216.70
26.	पंजाब	27	8882.54
27.	राजस्थान	10	2340.47
28.	सिक्किम	1	293.74
29.	तमिलनाडु	17	5763.22
30.	तेलंगाना	8	2267.54
31.	त्रिपुरा	1	464.61
32.	उत्तर प्रदेश	16	5393.94
33.	उत्तराखंड	10	2412.19
34.	पश्चिम बंगाल	10	2856.06
	कुल	400	124073.16

*केन्द्र तथा राज्य के बीच निधियन पद्धति 75:25 (पूर्वोत्तर 90:10) है।

विवरण-IV

"मौजूदा सरकारी आईटीआइज का आदर्श आईटीआइज में उन्नयन" योजना का ब्यौरा:

क्र. सं.	राज्य का नाम	आईटीआई का नाम (रुपए लाख में)	केन्द्रीय हिस्सा आबंटन (रुपए लाख में)	केन्द्रीय हिस्सा जारी (रुपए लाख में)
1	2	3	4	5
1.	आंध्र प्रदेश	आईटीआई गजुवाका	700.00	350.00
2.	असम	आईटीआई जोरहाट	783.00	195.75
3.	अरुणाचल प्रदेश	आईटीआई यूपिया	392.00	98.00
4.	बिहार	आईटीआई मारोहरा	700.00	175.00
5.	छत्तीसगढ़	आईटीआई भिलाई	700.00	350.00
6.	दिल्ली	आईटीआई पुसा	590.00	295.00
7.	गोवा	आईटीआई पणजी	350.00	175.00
8.	गुजरात	आईटीआई दशरथ	637.00	318.50
9.	हरियाणा	आईटीआई गुड़गांव	700.00	350.00
10.	हिमाचल प्रदेश	आईटीआई नालागढ़	639.00	319.50
11.	झारखंड	आईटीआई रांची	700.00	350.00
12.	कर्नाटक	आईटीआई बैंगलोर	700.00	214.00
13.	केरल	आईटीआई कालामेसरी	700.00	350.00

1	2	3	4	5
14.	मध्य प्रदेश	आईटीआई भोपल	700.00	350.00
15.	महाराष्ट्र	आईटीआई नासिक	629.30	157.33
16.	ओडिशा	आईटीआई बारबिल	497.00	447.30
17.	पंजाब	आईटीआई लुधियाना	700.00	350.00
18.	राजस्थान	आईटीआई उदयपुर	350.00	175.00
19.	सिक्किम	आईटीआई नामची	450.00	225.00
20.	तमिलनाडु	आईटीआई कोयंबटूर	700.00	175.00
21.	त्रिपुरा	आईटीआई इंद्रानगर (डब्ल्यू)	720.00	360.00
22.	तेलंगाना	आईटीआई मल्लेपेल्ली	700.00	228.00
23.	उत्तर प्रदेश	आईटीआई मेरठ	700.00	350.00
24.		आईटीआई वाराणसी	630.00	157.50
25.	उत्तराखंड	आईटीआई जगतीपुर, हरिद्वार	525.00	79.00
26.	पश्चिम बंगाल	आईटीआई दुर्गापुर	700.00	165.00
	कुल		16292.30	6759.88

*केन्द्र तथा राज्य के बीच निधियन पद्धति 70:30 है।

विक्रम उद्योगपुरी में औद्योगिक टाउनशिप

1964. श्री मनोहर उटवाल : क्या वाणिज्य और उद्योग मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या मध्य प्रदेश सरकार द्वारा दिल्ली-मुंबई औद्योगिक गलियारे के अंतर्गत उज्जैन के समीप विक्रम उद्योगपुरी में एकीकृत औद्योगिक टाउनशिप के विकास हेतु 375 करोड़ रुपए की धनराशि स्वीकृत करने के पश्चात् 50 करोड़ रुपए की किस्त के वितरण संबंधी प्रस्ताव भारत सरकार को भेजा गया है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा और वर्तमान स्थिति क्या है; और

(ग) उक्त प्रस्ताव के कब तक अनुमोदित होने की संभावना है?

उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री सी.आर. चौधरी) : (क) से (ग) भारत सरकार ने दिल्ली मुंबई औद्योगिक कॉरीडोर (डीएमआईसी) परियोजना के पीतमपुर, धार, मउ निवेश क्षेत्र में मध्य प्रदेश के उज्जैन के निकट विक्रम उद्योगपुरी में एकीकृत औद्योगिक टाउनशिप के विकास के लिए संयुक्त उद्यम कंपनी विक्रम उद्योगपुरी लिमिटेड, विशेष प्रयोजन माध्यम (एसपीवी) में अपने 50 प्रतिशत इक्विटी अंशदान के रूप में राष्ट्रीय औद्योगिक कॉरीडोर विकास और कार्यान्वयन न्यास (एनआईसीडीआईटी) (पूर्व में डीएमआईसी न्यास) द्वारा 59.50 करोड़ रुपए के निवेश तथा परियोजना की शुरुआत से 10 वर्ष के अवस्थगन और 8.5 प्रतिशत के वार्षिक ब्याज पर 12 वर्ष की पुनर्भुगतान अवधि वाले 372.80 करोड़ रुपए के निवेश को अनुमोदित किया है। एनआईसीडीआईटी ने अपने इक्विटी भाग के रूप में एसपीवी को 55.93 करोड़ रुपए अंतरित किए हैं। इसके साथ ही, एनआईसीडीआईटी द्वारा परियोजना एसपीवी हेतु 132.54 करोड़ रुपए का ऋण भी जारी किया गया है। मध्य प्रदेश सरकार से निधि जारी करने संबंधी कोई प्रस्ताव लंबित नहीं है।

[अनुवाद]

उत्तर-पूर्व क्षेत्र में सीमेंट उद्योग

1965. श्री कामाख्या प्रसाद तासा : क्या वाणिज्य और उद्योग मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) असम और अन्य उत्तर-पूर्व क्षेत्र में कार्यरत सीमेंट फैक्ट्रियों का ब्यौरा क्या है;

(ख) क्या यह भी सच है कि देश के अन्य हिस्सों की तुलना में उत्तर-पूर्व क्षेत्र में सीमेंट का भारी संकट है;

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इसके क्या कारण हैं; और

(घ) उत्तर-पूर्व क्षेत्र में सीमेंट की एक बोरी के लिए निर्धारित मूल्य का ब्यौरा क्या है?

उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री सी.आर. चौधरी) : (क) असम तथा अन्य उत्तर-पूर्वी क्षेत्रों में प्रचालनाधीन सीमेंट कारखानों का विवरण संलग्न विवरण में दिया गया है।

(ख) विभाग में उत्तर-पूर्वी क्षेत्र में सीमेंट संकट के संबंध में कोई अभ्यावेदन प्राप्त नहीं हुआ है।

(ग) उपरोक्त (ख) के दृष्टिगत प्रश्न नहीं उठता।

(घ) सीमेंट उद्योग को 1989 में नियंत्रण-मुक्त कर दिया गया था और आर्थिक उदारीकरण की नीति के तहत वर्ष 1991 में लाइसेंस मुक्त कर दिया गया था। यह विभाग उत्तर पूर्वी क्षेत्र सहित देश में सीमेंट की कीमतों को नियंत्रित नहीं करता है।

विवरण

सीमेंट मैन्युफैक्चरर्स एसोसिएशन द्वारा प्रस्तुत उत्तर पूर्वी क्षेत्र में सीमेंट संयंत्र संबंधी विवरण

असम

1. अदीति सीमेंट (कोलियाबोर), असम
2. बराक उद्योग लिमिटेड, गुवाहाटी, असम
3. बराक वैली सीमेंट्स लिमिटेड, करीमगंज, असम
4. सीमेंट कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड, बोकाजन, असम
5. डालमिया सीमेंट भारत लिमिटेड, नागांव, असम
6. एचएम सीमेंट लिमिटेड, असम
7. जे.के. अवतार प्रा. लिमिटेड, गुवाहाटी, असम
8. के.डी. सीमेंट्स, नागांव, असम
9. कलशपति सीमेंट प्रा. लिमिटेड, बारपेटा, असम
10. महा शक्ति सीमेंट इंडस्ट्रीज प्रा. लिमिटेड, असम
11. पृथ्वी सीमेंट, नागांव, असम
12. पूर्बांचल सीमेंट लिमिटेड, असम
13. रक्षा सीमेंट प्रा. लिमिटेड, गुवाहाटी, असम
14. रीवर वैली सीमेंट कॉर्पोरेशन, असम
15. आरजे सीमेंट इंडस्ट्रीज प्रा. लिमिटेड, नागांव, असम
16. एम.एम. सीमेंट लिमिटेड, असम
17. स्टार सीमेंट लिमिटेड, गुवाहाटी, असम
18. टॉपसेम इंडिया लिमिटेड, असम
19. विनय सीमेंट लिमिटेड, उमरंगशु, असम

मेघालय

1. अमृत सीमेंट लिमिटेड, मेघालय
2. डालमिया सीमेंट भारत लिमिटेड, मेघालय
3. गोल्ड स्टोन लिमिटेड, मेघालय
4. ग्रीन वैली सीमेंट लिमिटेड, मेघालय
5. हिल सीमेंट लिमिटेड, मेघालय
6. जैन्तिया सीमेंट लिमिटेड, मेघालय
7. जेयूडी सीमेंट लिमिटेड, मेघालय
8. मैजिक सीमेंट, मेघालय
9. मावंलुहा चेरा सीमेंट लिमिटेड, मेघालय
10. मेघालय सीमेंट लिमिटेड, मेघालय
11. स्टार सीमेंट लिमिटेड, मेघालय
12. विरगो सीमेंट्स लिमिटेड, मेघालय

एमडीएमएस के अंतर्गत रसोई-सह-भंडार के निर्माण हेतु निधियां

1966. डॉ. हिना विजयकुमार गावीत :
श्रीमती सुप्रिया सदानंद सुले :
श्री राजीव सातव :
श्री पी.आर. सुन्दरम :
डॉ. जे. जयवधर्न :
श्री धनंजय महाडीक :
श्री मोहिते पाटिल विजयसिंह शंकरराव :

क्या **मानव संसाधन विकास मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या मध्याह्न भोजन योजना के अंतर्गत रसोई-सह-भंडार के निर्माण हेतु वित्तीय सहायता प्रदान की जाती है;

(ख) यदि हां, तो गत तीन वर्षा में प्रत्येक वर्ष और चालू वर्ष के दौरान प्रदान की गई वित्तीय सहायता का राज्य/संघ राज्य क्षेत्र-वार ब्यौरा क्या है;

(ग) गत तीन वर्षों और चालू वर्ष के दौरान देश भर में विद्यालयों में निर्मित किए गये रसोई-सह-भंडार की राज्य/संघ राज्य क्षेत्र-वार संख्या कितनी है;

(घ) क्या उक्त अवधि के दौरान रसोई-सह-भंडार के निर्माण हेतु प्रदान की गई निधि में अनियमितताएं/भ्रष्टाचार/कम उपयोग के मामले सरकार के संज्ञान में आए हैं और यदि हां, तो तत्संबंधी राज्य/संघ राज्य क्षेत्र-वार ब्यौरा क्या है और इसके क्या कारण हैं; और

(ङ) सरकार द्वारा विद्यालयों में रसोई-सह-भंडारों के निर्माण हेतु पर्याप्त निधि सुनिश्चित करने और ऐसी निधियों के उपयोग का नजर रखने के संबंध में निगरानी तंत्र को सशक्त बनाने के लिए क्या सुधारात्मक कदम उठाए गए हैं/उठाए जा रहे हैं?

मानव संसाधन विकास मंत्रालय में राज्य मंत्री (उपेन्द्र कुशवाहा) : (क) से (ग) मध्याह्न भोजन योजना के तहत केंद्र सरकार ने 2006-07 से 7000 रुपए प्रति इकाई की सपाट दर से रसोईघर-सह-भंडार गृह के निर्माण के लिए 100 प्रतिशत केन्द्रीय सहायता देना शुरू किया है। दिसंबर, 2009 में रसोईघर-सह-भंडार गृह के निर्माण गृह के निर्माण संबंधी मानदंड संशोधित किए गए हैं और रसोईघर-सह-भंडार गृह के निर्माण की लागत अब प्लिंथ एरिया के नियमों और राज्यों एवं संघ राज्य क्षेत्रों में प्रचलित दरों की अनुसूची के आधार पर किया जाता है। 100 बच्चों तक वाले विद्यालयों में रसोईघर-सह-भंडार गृह के निर्माण के लिए 20 वर्गमीटर प्लिंथ एरिया संशोधित किया गया है; अतिरिक्त 100 बच्चों के लिए अतिरिक्त 4 वर्गमीटर प्लिंथ एरिया जोड़ा जाएगा। राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों को स्थानीय दशाओं के आधार पर 100 बच्चों के स्लेब में संशोधन करने की छुट है। संशोधित नियमों के अनुसार, वित्तीय सहायता, केन्द्र और राज्यों एवं संघ राज्य क्षेत्रों के बीच विनिर्दिष्ट अनुपात में साझा की जाती हैं विगत तीन वर्षों के दौरान और चालू वर्ष रसोईघर-सह-भंडार गृह के निम्रण के एिल जारी की गई राज्य एवं संघ राज्य क्षेत्र-वार निधियां संलग्न विवरण में दी गई हैं।

(घ) विगत तीन वर्षों के दौरान और चालू वर्ष में रसोईघर-सह-भंडार गृह के निर्माण के लिए निधियों के संबंध में अनियमितता/भ्रष्टाचार/कम उपयोग संबंधी कोई विशिष्ट शिकायत भारत सरकार के नोटिस में नहीं आई है।

(ङ) पता नहीं यह सुनिश्चित करने के लिए बच्चों को गुणवत्ता युक्त भोजन दिया जाता है और इस योजना के तहत निधियों का उपयोग किया जा रहा है, केंद्रीय, राज्य और जिला स्तर ऊपर एक व्यापक निगरानी तंत्र अपनाया है। राष्ट्रीय स्तर पर, मानव संसाधन विकास मंत्री की अध्यक्षता में एक अधिकार प्राप्त समिति और किसी के साथ राष्ट्रीय स्टीयरिंग निगरानी समिति (एनएसएमसी) कार्यक्रम अनुमोदन बोर्ड (पीएबी) योजना की निगरानी करते हैं इसके सुचारु एवं प्रभावी कार्यान्वयन के लिए उपायों का सुझाव देते हैं। राज्य स्तर पर, राज्य प्रधान सचिव की अध्यक्षता में एक राज्य स्तरीय स्टीयरिंग-सह-निगरानी समिति, किस जिले से सबसे वरिष्ठ संसद सदस्य, लोकसभा की अध्यक्षता में एक जिला स्तरीय समिति, अपने-अपने जिले में इस योजना के कार्यान्वयन की निगरनी करते हैं। स्थानीय स्तर पर, ग्राम पंचायत/ग्राम सभा, ग्राम शिक्षा समिति (वीईसी) के सदस्य, अभिभावक-शिक्षक संघ (पीटीए) और स्कूल प्रबंधन समिति (एमएमसी), बच्चों को परोसे जाने वाले मध्याह्न भोजन की नियमितता और स्वास्थ्य परकता, भोजन पकाने और परोसने में स्वच्छता, अच्छी गुणवत्ता की सामग्री की खरीद में समय-पालन आदि, भोजन सूची में विभिन्नता के कार्यान्वयन की निगरानी करते हैं ताकि इसे बच्चों के लिए आकर्षक बनाए जा सके और दैनिक आधार पर सामाजिक और महिला-पुरुष समता सुनिश्चित की जा सके। इसके अतिरिक्त, केन्द्र संयुक्त समीक्षा मिशन (जेआरएम) गठित करता है जिसमें शैक्षिक और पोषण संबंधी विशेषज्ञ देते हैं, जो समय-समय पर फील्ड विजिट के जरिए इस योजना की समीक्षा करते हैं। इसके निष्कर्षो पर उपयुक्त कार्रवाही करने के लिए जेआरएम की रिपोर्टें, संबंधित राज्य और संघ राज्य क्षेत्रों के साथ साझा की जाती है।

विवरण

एमडीएमएस के तहत विगत तीन वर्षों और चालू वर्ष के दौरान रसोईघर-सह-भंडारगृह के निर्माण के लिए जारी की गई निधियों का राज्य और संघ राज्य क्षेत्र-वार विवरण

(रुपए लाख में)

क्र. सं.	वर्ष	राज्य और संघ राज्य क्षेत्र	जारी की गई केंद्रीय सहायता
1.	2015-16	मिजोरम	346.50
2.	2016-17	शून्य	
3.	2017-18	केरल	12658.26
		मध्य प्रदेश	3670.77
4.	2018-19	सिक्किम	26.39
		पश्चिम बंगाल	461.50

एमडीएमएस के तहत विगत तीन वर्षों और चालू वर्ष के दौरान रसोईघर-सह-भंडारगृह के निर्माण का राज्य और संघ राज्य क्षेत्र-वार विवरण

क्र. सं.	राज्य/संघ राज्य क्षेत्र	निर्मित रसोईघर-सह-भंडारगृह की संख्या		
		2015-16	2016-17	2017-18
1	2	3	4	5
1.	आंध्र प्रदेश	3719	1404	1178
2.	अरुणाचल प्रदेश	0	00	
3.	असम	1	10612	918
4.	बिहार	5203	1266	1439
5.	छत्तीसगढ़	1555	2567	1547
6.	गोवा	0	0	0
7.	गुजरात	2979	2364	0
8.	हरियाणा	1617	47	172
9.	हिमाचल प्रदेश	217	261	201
10.	जम्मू और कश्मीर	0	20	0
11.	झारखंड	3126	1532	969
12.	कर्नाटक	2469	1570	497
13.	केरल	1634	14	0
14.	मध्य प्रदेश	1671	2408	0
15.	महाराष्ट्र	3076	487	259
16.	मणिपुर	0	422	0
17.	मेघालय	539	312	127
18.	मिज़ोरम	0	110	0
19.	नागालैंड	0	0	0
20.	ओडिशा	0	522	5810
21.	पंजाब	198	0	0
22.	राजस्थान	9740	2062	0
23.	सिक्किम	136	0	0
24.	तमिलनाडु	3539	3203	184
25.	तेलंगाना	0	0	0
26.	त्रिपुरा*	160	0	0
27.	उत्तर प्रदेश	38	5	37
28.	उत्तराखंड	1896	322	106
29.	पश्चिम बंगाल	5533	4511	1045
30.	अंडमान और निकोबार द्वीपसमूह	87	0	60
31.	चंडीगढ़	0	0	0
32.	दादरा और नगर हवेली	31	18	0
33.	दमन और दीव	6	0	0
34.	दिल्ली	0	0	0
35.	लक्षद्वीप	0	0	0
36.	पुदुचेरी	0	0	0
	कुल	49170	36039	14549

[हिन्दी]

ईएसआईसी लाभार्थी

1967. श्री प्रभुभाई नागरभाई वसावा : क्या **श्रम और रोजगार मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) देश में गुजरात सहित स्थापित की गई ईएसआईसी अस्पतालों/औषधालयों की राज्य/संघ राज्य क्षेत्र-वार संख्या कितनी है;

(ख) क्या ईएसआईसी के अंतर्गत कवर किए जा रहे श्रमिकों की संख्या में लगातार वृद्धि हो रही है;

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और सरकार द्वारा लागतार बढ़ रहे लाभार्थियों की संख्या से निपटने हेतु क्या उपाय किए जा रहे हैं; और

(घ) सरकार द्वारा देश में ईएसआईसी द्वारा प्रदान की जा रही चिकित्सा सुविधाओं में सुधार के लिए उठाए गए कदमों का ब्यौरा क्या है?

श्रम और रोजगार मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री संतोष कुमार गंगवार) : (क) देश में स्थापित कर्मचारी राज्य बीमा निगम के गुजरात सहित राज्य/संघ राज्य-क्षेत्र-वार अस्पतालों/औषधालयों की संख्या संलग्न विवरण में दी गई है।

(ख) और (ग) जी, हां। ईएसआईसी के अंतर्गत व्याप्त बीमाकृत व्यक्तियों (आईपी) की संख्या 2015 में 2,03,44,530 की तुलना में 2017 में 3,19,62,910 थी। ईएसआई के लाभार्थियों को क.रा.बी. (सामान्य) विनियम, 1950 के विनियम 52 के अंतर्गत यथा उपबंधित नकद लाभ का संवितरण किया जाता है। इसके अलावा, लाभ के दावों के निपटान को भी यथाशीघ्र निपटान के समुचित स्तरों पर मॉनीटर किया जाता है। क.रा.बी. निगम ने दिनांक 29.05.2018 को सम्पन्न अपनी 174वीं बैठक में किसी जिले के आंशिक या पूर्ण रूप से कार्यान्वित होने पर ध्यान दिए बिना प्रत्येक जिले में ईएसआईसी औषधालय-सह-शाखा कार्यालय (डीसीबीओ) स्थापित करने का अनुमोदन किया है। बीमाकृत व्यक्तियों की सुविधा के लिए औषधालय और शाखा कार्यालय एक ही परिसर में चलाए जाएंगे। डीसीबीओ प्राथमिक चिकित्सा देखरेख, आंतरिक रोगी उपचार हेतु निर्देश, बिलों की संवीक्षा, जिले में दवाओं का संवितरण, नकद लाभ का भुगतान, जिले में व्याप्ति हेतु सर्वेक्षण कार्य की व्यवस्था करेगा तथा बीमाकृत व्यक्तियों को आईटी हैल्प डेस्क एवं सुविधा-केन्द्र की सेवा प्रदान करेगा।

(घ) क.रा.बी. निगम ने देश में ईएसआईसी द्वारा प्रदान की जा रही चिकित्सा सेवाओं में सुधार लाने के लिए निम्नलिखित पहलें की हैं:—

1. जहां राज्य कर्मचारी राज्य बीमा स्कीम के सभी अस्पतालों में बिस्तर उपयोग पिछले वित्तीय वर्ष के दौरान 70% से अधिक हो, वहां कर्मचारी राज्य बीमा निगम राज्य सरकार को 3000/- रुपये प्रति बीमाकृत व्यक्ति की अधिकतम सीमा के अलावा 200/- रुपये प्रति बीमाकृत व्यक्ति प्रतिवर्ष प्रदान करता है।
2. यदि लगातार पिछले तीन वर्षों से ईएसआईसी/ईएसआईएस अस्पतालों मे बिस्तर उपयोग 70% के अधिक हो, तो बिस्तरों की संख्या में 50% बढ़ोतरी।
3. वरिष्ठ नागरिकों और विकलांगों के लिए सायंकालीन ओपीडी।
4. 24×7 चिकित्सा हैल्पलाइन।
5. स्टाफ को व्यवहारपरक प्रशिक्षण।
6. रोगियों/परिचारकों के लिए "क्या मैं आपकी सहायता कर सकता/सकती हूं" सुविधा।
7. आंतरिक रोगियों के लिए फीडबैक प्रणाली।
8. पूर्ण प्रतिरक्षा सुविधाएं।
9. योग की सुविधा।
10. आयुष सुविधाएं।

विवरण

ईएसआईसी अस्पतालों/औषधालयों के राज्य-वार ब्यौरे की सूची

क्र. सं.	राज्य	अस्पतालों के नाम
1	2	3
1.	असम	बेल्टोला, गुवाहाटी
2.	बिहार	फुवरिशारिफ, पटना
3.	बिहार	बिहटा
4.	चंडीगढ़ (यूटी)	रामदरबार, चंडीगढ़
5.	दिल्ली	बसईदारापुर

1	2	3
6.	दिल्ली	झिलमिल
7.	दिल्ली	ओखला
8.	दिल्ली	रोहिणी
9.	गुजरात	बापूनगर, अहमदाबाद
10.	गुजरात	नरोदा (छाती)
11.	गुजरात	वापी
12.	गुजरात	अंकलेश्वर
13.	हरियाणा	फरीदाबाद अस्पताल और एमसी
14.	हरियाणा	गुडगांव
15.	हरियाणा	मानेसर
16.	हिमाचल प्रदेश	बद्दी
17.	जम्मू-कश्मीर	बारी ब्राह्मण, जम्मू
18.	झारखंड	आदित्यपुर, जमशेदपुर
19.	झारखंड	नामकुम, रांची
20.	कर्नाटक	पीन्या
21.	कर्नाटक	राजाजीनगर, बैंगलोर
22.	कन्नटक	गुलबर्गा
23.	केरल	आश्रमम, कोल्लम
24.	केरल	उद्योगमंडल
25.	केरल	एषुकोण
26.	एमपी	इंदौर
27.	महाराष्ट्र	अंधेरी, मुंबई
28.	महाराष्ट्र	कोल्हापुर
29.	महाराष्ट्र	बिबवेवाड़ी
30.	ओडिशा	राउरकेला
31.	पंजाब	लुधियाना
32.	राजस्थान	जयपुर
33.	राजस्थान	भिवाड़ी
34.	राजस्थान	अलवर
35.	तमिलनाडु	केके नगर, चेन्नई
36.	तमिलनाडु	तिरुनेलवेली
37.	तेलंगाना	सनतनगर
38.	तेलंगाना	एस.एस. सनतनगर
39.	उत्तर प्रदेश	नोएडा
40.	उत्तर प्रदेश	बरेली
41.	उत्तर प्रदेश	वाराणसी
42.	उत्तर प्रदेश	जाजमऊ, कानपुर
43.	उत्तर प्रदेश	साहिबाबाद
44.	उत्तर प्रदेश	सरोजनीनगर, लखनऊ
45.	पश्चिम बंगाल	जोका

ईएसआईसी आदर्श औषधालय-सह-नैदानिक केन्द्रों (एमडीडीसी) की सूची

क्र. सं.	औषधालय	राज्य
1	2	3
1.	कठुआ	जम्मू और कश्मीर
2.	खानमोह	जम्मू और कश्मीर
3.	थाइन	महाराष्ट्र
4.	वागले	महाराष्ट्र
5.	मीरा रोड	महाराष्ट्र
6.	वलूज	महाराष्ट्र
7.	राजपुरा	पंजाब

1	2	3
8.	बरनाला	पंजाब
9.	चित्तौड़गढ़	राजस्थान
10.	झुनझुनू	राजस्थान
11.	फाल्टा	पश्चिम बंगाल
12.	हल्दिया	पश्चिम बंगाल

ईसीएसआई द्वारा चालित औषधालय

क्र. सं.	औषधालय	राज्य
1	2	3
1.	आजादपुर	दिल्ली
2.	फैक्ट्री रोड, सरोजिनी नगर	दिल्ली
3.	कर्मपुरा	दिल्ली
4.	इंद्रलोक	दिल्ली
5.	जहांगीरपुरी	दिल्ली
6.	जंगपुरा	दिल्ली
7.	ज्वालापुरी	दिल्ली
8.	कालकाजी	दिल्ली
9.	मादीपुर	दिल्ली
10.	मंगोलपुरी	दिल्ली
11.	मायापुरी चरण-1	दिल्ली
12.	मायापुरी, चरण-2	दिल्ली
13.	मयूर विहार	दिल्ली
14.	महरौली	दिल्ली
15.	मोरी गेट	दिल्ली
16.	नजफगढ़	दिल्ली
17.	नंदनगरी	दिल्ली
18.	नरेला	दिल्ली
19.	नारियाना औद्योगिक क्षेत्र (एनआईए)	दिल्ली
20.	ओखला	दिल्ली
21.	ओखला चरण-1	दिल्ली
22.	पहाड़गंज	दिल्ली
23.	द्वारका	दिल्ली
24.	रघुबीर नगर (सभी महिला औषधि)	दिल्ली
25.	रोहिणी, सेक्टर-वी	दिल्ली
26.	सीलमपुर	दिल्ली
27.	शास्त्री नगर	दिल्ली
28.	सब्जीमंडी	दिल्ली
29.	तिगड़ी	दिल्ली
30.	तिलकविहार	दिल्ली
31.	विश्वकर्मा नगर	दिल्ली
32.	वजीरपुर	उत्तर प्रदेश
33.	नोएडा, सेक्टर-12, जीबी नगर	उत्तर प्रदेश
34.	नोएडा, सेक्टर-57, जीबी नगर	उत्तर प्रदेश
35.	नोएडा, एनएसईजेड, जीबी नगर	उत्तर प्रदेश
36.	ग्रेटर नोएडा, जीबी नगर	उत्तर प्रदेश

[अनुवाद]

ओडिशा में अनुसूचित जनजाति सूची

1968. श्री बलभद्र माझी : क्या जनजातीय कार्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) ओडिशा से अनुसूचित जनजाति सूची में सम्मिलित होने का इंतजार कर रहे समुदायों का ब्यौरा क्या है;

(ख) ये मामले कितने वर्ष/महीनों से लंबित हैं और इसका ब्यौरा क्या है और इसकी मौजूदा स्थिति क्या है; और

(ग) केंद्र सरकार के राज्य सरकार से सहमत होने के बावजूद इन समुदायों को सम्मिलित न किए जाने के कारणों का ब्यौरा क्या है?

जनजातीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री सुदर्शन भगत) : (क) से (ग) भारत सरकार ने दिनांक 15.06.1999 (दिनांक 25.06.2002 को पुन: संशोधित) को अनुसूचित जनजातियों (अजजा) की सूचियों को निर्दिष्ट करने वाले आदेशों में समावेशन से अपवर्जन तथा अन्य संशोधनों के लिए दावों का निर्धारण करने हेतु प्रविधियां निर्धारित की हैं। इन प्रविधियों के अनुसार, केवल उन प्रस्तावों पर विधान के संशोधन के लिए विचार किया जाता है जिसे संबंधित राज्य सरकार/संघ राज्य क्षेत्र प्रशासन द्वारा न्यायोचित माना जाता है एवं इसकी सिफारिश की जाती है तथा जिस पर भारत के महापंजीयक (आरजीआई) तथा राष्ट्रीय अनुसूचित जाति तथा अनुसूचित जनजाति आयोग (अब राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग) द्वारा सहमति प्राप्त हो। राज्य/संघ राज्य क्षेत्र को अनुसूचित जनजातियों की सूची में/से किसी समुदाय के समावेश/अपवर्जन के लिए इस मंत्रालय में जब भी अभ्यावेदन प्राप्त होते हैं, मंत्रालय उस अभ्यावेदन को संबंधित राज्य सरकार/संघ राज्य क्षेत्र प्रशासन को सिफाशि के लिए भेजता है जैसा संविधान के अनुच्छेद 342 के तहत आवश्यक है। यदि संबंधित राज्य सरकार/संघ राज्य क्षेत्र प्रस्ताव की सिफारिश करता है तो इसे भारत के महापंजीयक (आरजीआई) के पास भेजा जाता है। आरजीआई यदि राज्य सरकार/संघ राज्य क्षेत्र की सिफारिश से सहमत है तो केन्द्रीय सरकार को प्रस्ताव की सिफारिश करता है। तत्पश्चात, सरकार प्रस्ताव को राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग के पास उनकी सिफारिश के लिए भेजती है। यदि राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग भी मामले की सिफारिश करता है तो यह मामला मंत्रिमंडल के निर्णय के लिए तैयार किया जाता है। तत्पश्चात, राष्ट्रपति के आदेशों में संशोधन करने के लिए विधेयक के रूप में मामला संसद के समक्ष रखा जाता है। समावेश/अपवर्जन के मामले जिनका राज्य सरकार अथवा आरजीआई या राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग समर्थन नहीं करते हैं, उन्हें रद्द कर दिया जाता है।

ओडिशा की अनुसूचित जनजातियों की सूची में समुदायों के समावेश के लिए ओडिशा सरकार से प्राप्त प्रस्तावों के ब्यौरे तथा उनकी स्थिति संलग्न विवरण में दी गई है।

विवरण

ओडिशा की अनुसूचित जनजातियों की सूची में समुदायों के समावेश के लिए ओडिशा सरकार से प्राप्त प्रस्ताव

क्र.सं.	समुदाय	स्थिति
1.	पौरी भूयान/पौडी भूयान	22.3.2016 को आरजीआई के पास भेजा गया। अंतिम अनुस्मारक।
2.	तमोडिया भूमिज/तमाडिया भूमिज/तमुडिया भूमिज/तमुलिया भूमिज/तमुंडिया भूमिज	23.7.2018 को आरजीआई के पास भेजा गया।
3.	चुकतिया भूंजिया	22.3.2016 को आरजीआई के पास भेजा गया। अंतिम अनुस्मारक 12.05.2017 को भेजा गया।
4.	दुरुआ, धुरुआ	दिनांक 5.4.2018 के पत्र तथा 17.4.2018 के अनुस्मारक के माध्यम से आरजीआई की टिप्पणियां पुन: औचित्य के लिए राज्य सरकार को भेजी गईं।
5.	धुरवा	दिनांक 5.4.2018 के पत्र के माध्यम से आरजीआई की टिप्पणियां पुन: औचित्य के लिए राज्य सरकार को भेजी गईं।
6.	तानला गौडा	दिनांक 23.01.2017 को पुन: औचित्य के लिए राज्य सरकार को भेजा गया। 17.4.2018 को अनुस्मारक भेजा गया।

क्र.सं.	समुदाय	स्थिति
7.	उराम	23.7.2018 को आरजीआई के पास भेजा गया।
8.	धांगड़ा	23.7.2018 को आरजीआई के पास भेजा गया।
9.	ओराम/उरांव	23.7.2018 को आरजीआई के पास भेजा गया।
10.	उरांव मुडी (मुडी)	23.7.2018 को आरजीआई के पास भेजा गया।
11.	कुई कंधा	5.9.2014 को आरजीआई के पास भेजा गया।
12.	कंधा कुम्भार	आरजीआई तथा एनसीएसटी ने सहमति दी है, मामले को आगे तैयार किया जा रहा है।
13.	कोंडा रेड्डी/कोंडा रेड्डी	23.7.2018 को आरजीआई के पास भेजा गया।
14.	मुका डोरा/मूका डोरा/नुका डोरा/नूका डोरा	5.9.2014 को आरजीआई के पास भेजा गया।
15.	कोंडा डोरा के पर्यायवाची के रूप में अनाति डोरा/इनाति डोरा	20.7.2018 को राज्य सरकार की टिप्पणियां/औचित्य आरजीआई के पास भेजा गया।
16.	सौरा, सवार, सऔरा, सहारा के पर्यायवाची के रूप में सारा	आरजीआई की टिप्पणियां 17.8.2017 को प्राप्त हुई। प्रस्ताव को आगे तैयार किया जा रहा है।
17.	लुहारा, लोहारा, लहारा, लोहार तथा लुहार	दिनांक 14.5.2018 के पत्र के माध्यम से आरजीआई की टिप्पणियां राज्य सरकार को पुन: औचित्य के लिए भेजी गईं।
18.	कोरापुट जिले के पुटिया/पुटिआ/दुलिया/धुलिया/पुटिया पाइका दुलिया पाइक/धुलिया पाइक तथा सुंदरगढ़ जिले के भुड़यार/भुड़हार/भुंइहर/भुंइहार	दिनांक 7.5.2018 के पत्र के माध्यम से आरजीआई के पास उनकी टिप्पणियों के लिए भेजा गया।
19.	ओडिशा की अनुसूचित जनजातियों की सूची में कवार तथा कंवर के पर्यायवाची के रूप में कौर, कनर, कौनर, कौनवार, कौनवर का समावेश	26.7.2018 के पत्र के माध्यम से आरजीआई को भेजा गया।

एनईईटी में कृपांक

1969. श्री आर.पी. मरुदराजा : क्या **मानव संसाधन विकास मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) एनईईटी के उस मामले का ब्यौरा क्या है जिसमें तमिलनाडु उच्च न्यायालय की मदुरईखंडपीठ ने सीबीएसई को तमिल बेसिक के विद्यार्थियों को 49 प्रश्नों के लिए 196 कृपांक प्रदान करने का आदेश दिया है;

(ख) उक्त परीक्षा में तमिल भाषा में परीक्षा देने वाले विद्यार्थियों की संख्या कितनी है;

(ग) न्यायालय ने उक्त आदेशों पर सरकार की क्या प्रतिक्रिया है; और

(घ) सरकार द्वारा क्या कदम उठाए गए हैं या उठाए जाने का प्रस्ताव है?

मानव संसाधन विकास मंत्रालय में राज्य मंत्री (उपेन्द्र कुशवाहा) : (क) केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड (सीबीएसई) ने सूचित किया है कि मद्रास उच्च न्यायालय की मदुरै बेंच में एक जनहित याचिका (पीआईएल) दायर की गई थी जिसमें तमिल भाषा में 49 प्रश्नों का गलत अनुवाद होने का दावा किया गया था अत: तमिल माध्यम से

राष्ट्रीय पात्रता-सह-प्रवेश परीक्षा (एनईईटी) में सम्मिलित प्रत्येक अभ्यर्थी को ऐसे प्रत्येक प्रश्न के लिए 04 अंक अर्थात 196 अंक दिए जाने की मांग की गई। माननीय उच्च न्यायालय ने तमिल माध्यम से नीट (यूजी) 2018 में शामिल सभी अभ्यर्थियों को 196 ग्रेस अंक प्रदान करने के लिए सीबीएसई को निदेश दिए थे।

(ख) तमिल माध्यम से नीट (यूजी) में कुल 23358 अभ्यर्थी शामिल हुए थे।

(ग) और (घ) सीबीएसई ने मामले में माननीय भारत के सर्वोच्च न्यायालय के सम्मुख एक विशेष अनुमति याचिका (एसएलपी) दायर की थी जिनकी सुनवाई 20.07.2018 को की गई थी और भारत के सर्वोच्च न्यायालय ने उच्च न्यायालय के संबंधित आदेश को स्टे दे दिया है।

पर्यटन परिपथों को बढ़ावा देने के लिए समझौता

1970. श्री आधलराव पाटील शिवाजीराव :
डॉ. प्रीतम गोपीनाथ मुंडे :
श्री धर्मेन्द्र यादव :
श्री आनंदराव अडसुल :
श्री विनायक भाऊराव राऊत :

क्या **पर्यटन मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या भारत और नेपाल ने आपसी मदद से उद्योग के नेतृत्व में भारत नेपाल पर्यटन मंच स्थापित करने का निर्णय लिया है और यदि हां, तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ख) क्या भारत और नेपाल ने ऐतिहासिक और सांस्कृतिक रूप से महत्वपूर्ण पर्यटन परिपथ जैसे रामायण और बौद्ध परिपथ और एडवेंचर पर्यटन को संयुक्त रूप से बढ़ावा देने का निर्णय लिया है और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या सरकार ने नेपाल को पर्यटन और आतिथ्य के क्षेत्र में मानव संसाधनों के विकास के क्षेत्र में हर संभव सहयोग देने का निर्णय लिया है और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इसके लिए चिन्हित कार्यक्रम क्या है;

(घ) क्या दोनों देश महत्वपूर्ण पर्यटन समर्थित अवसंरचना में सुधार करने पर सहमत हुए हैं; और

(ङ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और देश में पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए अन्य क्या कदम उठाए गए हैं/उठाए जाने का विचार है?

पर्यटन मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री अलफोन्स कन्ननथनम) : (क) से (ग) जी, हां। भारत तथा नेपाल के बीच पर्यटन संबंधी कार्यकारी समूह (जेडब्ल्यूजी) की दूसरी बैठक काठमांडू में दिनांक 06.07.2018 को आयोजित की गई थी। इस बैठक में दोनों देशों में परस्पर बातचीत तथा पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए दोनों पक्षों के सरकारी एवं निजी क्षेत्र के प्रतिनिधित्व वाले भारत नेपाल पर्यटन मंच की स्थापना पर सहमति व्यक्त की गई थी। इस जेडब्ल्यूजी में समान ब्रांडिंग तथा मार्केटिंग पद्धतियों के माध्यम से संयुक्त प्रचार हेतु दोनों सरकारों द्वारा रामायण परिपथ तथा बौद्ध परिपथ नामक दो परिपथों को औपचारिक मान्यता देने का निर्णय भी लिया गया।

पर्यटन मंत्रालय ने वर्ष 2016 में भारत में आयोजित सार्क देशों हेतु पर्यटन पर विशेष समिति के कान्क्लेव में नेपाल सहित सार्क देशों के छात्रों को तीन वर्षीय बीएससी पाठ्यक्रम तथा होटल प्रबंधन संस्थान (आईएचएम) के माध्यम से डिप्लोमा पाठ्यक्रमों के लिए कुल 50 सीटें देने पर भी सहमति व्यक्त की।

(घ) और (ङ) संपर्कता, पर्यटन हेतु एक प्रमुख सुविधा है। भारतमाला परियोजना (आर्थिक मामलों संबंधी मंत्रिमंडल समिति द्वारा अक्तूबर, 2017 में अनुमोदित) में नेपाल की सीमा तक जाने वाले राष्ट्रीय राजमार्गों के कुछ हिस्सों सहित 5,300 कि.मी. सीमा तथा अंतर्राष्ट्रीय संपर्कता सड़कों का विकास शामिल है। इसमें से अंतर्राष्ट्रीय संपर्कता हेतु राष्ट्रीय राजमार्गों के 2000 कि.मी. के विकास के लिए इस कार्यक्रम के पहले चरण (2017-18 से 2021-22) में 25,000 करोड़ रुपए का परिव्यय प्रदान किया गया है। उपर्युक्त कार्यक्रम के अंतर्गत विकसित राष्ट्रीय राजमार्ग अवसंरचना से पर्यटन संबंधी कार्यकलापों के लिए संपर्कता भी प्राप्त होगी।

कौशल की गुणवत्ता

1971. श्री पिनाकी मिश्रा : क्या **कौशल विकास और उद्यमिता मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या एक प्रसिद्ध "मानव संसाधन और शिक्षा विशेषज्ञ" के अनुसार भारत को "जनसांख्यिकीय लाभांश" का कोई लाभ नहीं है क्योंकि यह अर्थव्यवस्था के लिए अनुपयुक्त कम कुशल करोड़ों युवाओं के बोझ तले दबा है;

(ख) क्या वर्ष 2025 तक कम कुशल और कम शिक्षा वाले युवाओं की संख्या बढ़कर 20 करोड़ हो जाएगी; और

(ग) सरकार की कौनसी नयी योजनाओं को कार्यान्वित करने का विचार है ताकि शिक्षा की गुणवत्ता में सुधर हो जिससे कौशल की गुणवत्ता बढ़े?

कौशल विकास और उद्यमशीलता मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री अनंतकुमार हेगड़े) : (क) से (ग) सरकार बढ़ते हुए कार्यबल को नियोजनीय कौशल प्रदान करने के लिए जीवंत कौशल पारिस्थितिकी तंत्र सृजित करने के लिए सक्रिय रूप से कार्य कर रही है। मांग आपूर्ति कौशल अंतराल के आधार पर कौशल विकास की अनिवार्य आवश्यकताओं को ध्यान में रखते हुए कौशल विकास और उद्यमशीलता मंत्रालय (एमएसडीई) अखिल भारतीय आधार पर प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना (पीएमकेवीवाई) नामक एक फ्लैगशिप स्कीम का कार्यान्वयन कर रहा है। इस स्कीम से 4 वर्षों (2016-2020) की अवधि में 10 मिलियन युवाओं को लाभ पहुंचने की संभावना है।

पीएमकेवीवाई (2016-20) के माध्यम से कौशल प्रशिक्षण प्रदान करने के लिए प्रत्येक जिले में प्रधानमंत्री कौशल केन्द्र (पीएमकेके) नामक आदर्श और आकांक्षी कौशल केन्द्र स्थापित करने के लिए भी पहल की गई है। अब तक देशभर में 462 पीएमकेके स्थापित किए जा चुके हैं। देश में दीर्घावधि प्रशिक्षण 14,273 आईटीआई जिनकी सीट क्षमता 30.7 लाख है, के माध्यम से प्रदान किया जा रहा है।

कौशल विकास कार्यक्रमों का कार्यान्वयन करने वाले 20 से अधिक केन्द्रीय मंत्रालयों/विभागों के साथ अभिसरण प्रारंभ किया गया है। इस पहल के अंतर्गत 2017-18 में इन मंत्रालयों/विभागों के विभिन्न कार्यक्रमों के तहत अब तक 87 लाख लोगों को प्रशिक्षित किया गया है।

इसके अलावा सरकार ने देशभर में कौशल प्रशिक्षण की गुणवत्ता में वृद्धि करने के लिए अनेक उपाय किए हैं। इन उपायों में अन्य बातों के साथ-साथ सभी कौशल विकास कार्यक्रमों द्वारा अपनाने के लिए क्षमता आधारित ढांचे के रूप में राष्ट्रीय कौशल अर्हता ढांचा (एनएसक्यूएफ) की अधिसूचना, राष्ट्रीय व्यावसायिक मानक विकसित करने, शिक्षुता प्रशिक्षण पर ध्यान केन्द्रित करने और आदान तथा परिणामों का मानकीकरण करने के लिए सामान्य मानदंड निर्धारित करने के लिए उद्योगनीत निकायों के रूप में क्षेत्र कौशल परिषदों (एसएससी) की स्थापना करना शामिल है। इसके अतिरिक्त कौशलीकरण को आकांक्षी बनाने के लिए औपचारिक तथा व्यावसायिक शिक्षा के बीच संतुलन बनाने हेतु उपाय किए गए हैं। आईटीआई स्नातकों को राष्ट्रीय मुक्त स्कूली संस्थान (एनआईओएस) के माध्यम से कक्षा के X/XII के समान शैक्षिक मान्यता प्रदान की गई है। इसके अलावा अनेक विश्वविद्यालयों/कॉलेजों द्वारा व्यावसायिक स्नातक (बी.वोके) कार्यक्रम चलाया जा रहा है।

सीबीएसई उत्तर पुस्तिकाओं का मूल्यांकन

1972. श्री डी.एस. राठौड़ :
श्री मोहनभाई कल्याणजीभाई कुंदरिया :

क्या **मानव संसाधन विकास मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने सीबीएसई की परीक्षा उत्तर पुस्तिकाओं के मूल्यांकन में मूल्यांकनकर्ताओं द्वारा की गई गंभीर गलतियों का संज्ञान लिया है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इस संबंध में क्या सुधारात्मक कार्रवाई करने का विचार है और विगत तीन वर्षों के दौरान इससे संबंधित कितने मामले सूचित हुए हैं;

(ग) क्या गुजरात से भी ऐसे मामले सूचित हुए हैं;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इस गलत मूल्यांकन से प्रभावित विद्यार्थियों की क्षतिपूर्ति के लिए क्या कदम उठाए गए हैं; और

(ङ) सरकार द्वारा भविष्य में ऐसे मामलों की पुनरावृत्ति को रोकने के लिए क्या उपचारात्मक उपाय किए गए हैं/किए जा रहे हैं?

मानव संसाधन विकास मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री उपेन्द्र कुशवाहा) : (क) और (ख) केन्द्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड ने सूचित किया है कि कक्षा 10 और कक्षा 12 की परीक्षा मूल्यांकन प्रक्रिया में बहुत सी मानव गतिविधियां शामिल हैं अत: त्रुटियों की संभावना बनी रहती है। एक प्रणाली बनाई गई है जिसमें छात्रों की त्रुटि, यदि कोई हो, के सुधार के लिए सीबीएसई को आवेदन करने का अवसर प्रदान किया जाता है। दोषी शिक्षकों की पहचान की जाती है और उन्हें कारण बताओ नोटिस दिया जाता है। पिछले तीन वर्षों के दौरान रिपोर्ट किए गए मामलों की संख्या नीचे तालिका में दी गई है:—

वर्ष	अभ्यर्थियों की संख्या	उत्तर पुस्तिकाओं की संख्या	पुन: मूल्यांकन प्रक्रिया हेतु किए गए आवेदनों की संख्या	(ग) के विरुद्ध (घ) का %	पुन: मूल्यांकन के के उपरांत त्रुटि के मामलों की संख्या	(ङ) के विरुद्ध (च) का %
(क)	(ख)	(ग)	(घ)	(ङ)	(च)	(छ)
2016	10,51,999	55,33,398	78,522	7.46	5,849	7.44

(क)	(ख)	(ग)	(घ)	(ङ)	(च)	(छ)
2017	10,76,761	57,43,830	99,661	7.26	7,345	7.36
2018	27,88,712 *	1,50,17,256 *	66,876	5.75	4,632	6.92

*7 वर्ष की अवधि के बाद पुन: X बोर्ड परीक्षा शुरू किए जाने के कारण संख्या में वृद्धि।

(ग) और (घ) गुजरात से 2018 के दौरान रिपोर्ट किए गए मामलों की संख्या नीचे दी गई है:—

2018 में प्राप्त पुन: मूल्यांकन मालों की कुल संख्या	त्रुटि के कुल मामले
220	204

वे मामले जहां अंकों को बढ़ाया या घटाया गया है, संबंधित अभ्यर्थियों द्वारा पुरानी अंक तालिका वापस किए जाने के बाद ऐसे अभ्यर्थियों को नई अंक तालिका जारी की जाएगी।

(ङ) बोर्ड ने प्रौद्योगिकी के प्रयोग सहित स्कूलों और अन्य संबद्ध अधिकारियों को अनुशासित करने के लिए बहुत से ठोस उपाए किए हैं और यह आशा की जाती है कि और अधिक पारदर्शी ढंग से गुणवत्तायुक्त मूल्यांकन करने पर लक्षित यह प्रणालीगत सुधार भविष्य में ऐसे मामलों की पुनरावृत्ति में कमी लाएगा।

श्रम न्यायालय/अधिकरण

1973. श्री मोहम्मद बदरुद्दोज़ा खान :
श्री मोहम्मद सलीम :

क्या **श्रम और रोजगार मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) देश में राज्य/संघ राज्यक्षेत्र-वार कुल कितने श्रम न्यायालय/अधिकरण स्थापित किए गए हैं;

(ख) विगत तीन वर्षों के दौरान देश में विभिन्न श्रम न्यायालयों में प्राप्त, निपटाए गए और लंबित पड़े औद्योगिक विवादों की राज्य/संघ राज्य क्षेत्र-वार कुल संख्या कितनी है; और

(ग) सरकार द्वारा श्रम न्यायालयों/अधिकरणों में लंबित पड़े मामलों के शीघ्र निपटान सुनिश्चित करने के लिए क्या कदम उठाए गए हैं/उठाए जा रहे हैं?

श्रम और रोजगार मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री संतोष कुमार गंगवार) : (क) औद्योगिक विवाद अधिनियम, 1947 के उपबंधों के अनुसार, केन्द्र सरकार ने केन्द्रीय क्षेत्र में उत्पन्न होने वाले औद्योगिक विवादों के निपटाने हेतु विभिन्न राज्यों में बाइस (22) केन्द्रीय सरकार औद्योगिक न्यायाधिकरण-सह-श्रम न्यायालयों (सीजीआईटी-सह-एलसी) की स्थापना की है। इनमें से, दो सीजीआईटी-सह-एलसी, एक मुंबई में तथा दूसरा कोलकाता में राष्ट्रीय विवाद न्यायाधिकरण के रूप में भी कार्य करते हैं। सीजीआईटी-सह-एलसी की राज्य/संघ राज्य क्षेत्रवार सूची संलग्न विवरण-I पर है।

(ख) पिछले तीन वर्षों अर्थात् 2015-16, 2016-17 तथा 2017-18 के दौरान इन सीजीआईटी/एनआईटी में प्राप्त, निपटाए गए तथा लंबित औद्योगिक विवादों की संख्या से संबंधित ब्यौरा क्रमश विवरण-II, III और IV पर संलग्न है।

(ग) "वैकल्पिक शिकायत निवारण तंत्र" के रूप में लोक अदालत आयोजित करने संबंधी एक योजना औद्योगिक विवादों के पिछले बकाया पर काबू पाने हेतु निवारक उपाय स्वरूप सीजीआईटी-सह-एलसी में औद्योगिक विवादों के शीघ्र निपटान हेतु दसवीं पंचवर्षीय योजना (2002-07) से चलायी गयी है। इसके अलावा, सीजीआईटी-सह-एलसी के पीठासीन अधिकारी अपने-अपने क्षेत्राधिकार के विभिन्न क्षेत्रों में कैंप न्यायालय आयोजित करते हैं ताकि कामगारों को उनके विवादों के निपटारे हेतु लंबी दूरी तय करने की आवश्यकता न पड़े।

विवरण-I

केन्द्रीय सरकार औद्योगिक न्यायाधिकरण-सह-श्रम न्यायालयों तथा राष्ट्रीय औद्योगिक न्यायालयों की सूची

क्र. सं.	सीजीआईटी-सह-एलसी का नाम	राज्य/संघ राज्य क्षेत्र
1	2	3
1.	मुंबई I	महाराष्ट्र
2.	मुंबई II	महाराष्ट्र
3.	धनबाद I	झारखंड
4.	धनबाद II	झारखंड

1	2	3
5.	आसनसोल	पश्चिम बंगाल
6.	कोलकाता	पश्चिम बंगाल
7.	चंडीगढ़ I	चंडीगढ़
8.	नई दिल्ली I	दिल्ली
9.	कानपुर	उत्तर प्रदेश
10.	जलबपुर	मध्य प्रदेश
11.	चेन्नई	तमिलनाडु
12.	बैंगलौर	कर्नाटक
13.	हैदराबाद	तेलंगाना और आंध्र प्रदेश
14.	नागपुर	महाराष्ट्र
15.	भुवनेश्वर	ओडिशा
16.	लखनऊ	उत्तर प्रदेश
17.	जयपुर	राजस्थान
18.	नई दिल्ली II	दिल्ली
19.	गुवाहाटी	असम
20.	एर्नाकुलम	केरल
21.	अहमदाबाद	गुजरात
22.	चंडीगढ़ II	चंडीगढ़
	मुंबई I	राष्ट्रीय औद्योगिकी न्यायाधिकरण
	कोलकाता	राष्ट्रीय औद्योगिकी न्यायाधिकरण

विवरण-II

सीजीआईटी-सह-एलसी के समक्ष लंबित मामले (2015-16)

क्र. सं.	सीजीआईटी	मामले				आवेदन			
		पिछले वर्ष से अग्रानीत	प्राप्त	निपटाए गए	लंबित	पिछले वर्ष से अग्रानीत	प्राप्त	निपटाए गए	लंबित
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1.	मुंबई I	252	0	1	251	288	11	10	289
2.	मुंबई II	519	49	9	559	395	73	4	464
3.	धनबाद I	1293	101	201	1,193	82	21	29	74
4.	धनबाद II	70	96	76	727	22	1	1	22
5.	आसनसोल	419	19	87	351	45	55	17	83
6.	कोलकाता	328	112	65	375	134	13	6	141
7.	चंडीगढ़ I	463	56	87	432	24	26	12	38
8.	नई दिल्ली I	689	252	97	844	81	47	23	105
9.	कानपुर	803	115	78	840	155	29	25	159
10.	जलबपुर	1348	128	355	1,121	147	1	96	52

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
11.	चेन्नई	269	115	140	244	15	23	9	29
12.	बैंगलौर	418	38	6	450	147	33	1	179
13.	हैदराबाद	1001	136	32	1,105	74	1	1	74
14.	नागपुर	230	59	1	288	15	12	0	27
15.	भुवनेश्वर	422	52	14	460	395	18	1	412
16.	लखनऊ	524	78	85	517	67	23	28	62
17.	जयपुर	447	83	58	472	108	6	5	109
18.	नई दिल्ली I	607	153	73	687	88	7	71	24
19.	गुवाहाटी	38	10	11	37	31	2	1	32
20.	एर्नाकुलम	136	59	24	171	19	14	5	28
21.	अहमदाबाद	2356	99	225	2,230	1,523	9	226	1,306
22.	चंडीगढ़ II	448	166	104	510	90	65	18	137
	कुल	13717	1976	1829	13864	3945	490	589	3846

विवरण-III

सीजीआईटी-सह-एलसी के समक्ष लंबित मामले (2016-17)

क्र. सं.	सीजीआईटी	मामले				आवेदन			
		पिछले वर्ष से अग्रानीत	प्राप्त	निपटाए गए	लंबित	पिछले वर्ष से अग्रानीत	प्राप्त	निपटाए गए	लंबित
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1.	मुंबई I	251	12	16	247	289	7	10	286
2.	मुंबई II	559	31	83	507	464	20	25	459
3.	धनबाद I	1193	43	206	1030	74	20	18	76
4.	धनबाद II	727	11	38	700	22	—	—	22
5.	आसनसोल	351	5	82	274	83	31	20	94
6.	कोलकाता	375	4	3	376	141	0	0	141
7.	चंडीगढ़ I	432	209	35	606	38	27	17	48

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
8.	नई दिल्ली I	844	167	148	863	105	129	44	190
9.	कानपुर	840	42	67	815	159	12	12	159
10.	जलबपुर	1121	96	343	874	52	28	21	59
11.	चेन्नई	244	48	173	119	29	122	17	134
12.	बैंगलौर	450	105	57	498	179	38	23	194
13.	हैदराबाद	1105	63	107	1061	74	78	1	151
14.	नागपुर	288	41	—	329	27	3	—	30
15.	भुवनेश्वर	460	85	97	448	412	211	23	600
16.	लखनऊ	517	29	42	504	62	67	51	78
17.	जयपुर	472	19	55	436	109	2	51	60
18.	नई दिल्ली I	687	95	89	693	24	4	5	23
19.	गुवाहाटी	37	5	2	40	32	1	0	33
20.	एर्नाकुलम	171	30	42	159	28	13	4	37
21.	अहमदाबाद	2230	57	597	1690	1306	46	272	1080
22.	चंडीगढ़ II	510	48	29	529	137	14	58	93
	कुल	13864	1245	953	12798	3846	826	464	4047

विवरण-IV

सीजीआईटी-सह-एलसी के समक्ष लंबित मामले (2017-18)

क्र. सं.	सीजीआईटी	मामले				आवेदन			
		पिछले वर्ष से अग्रानीत	प्राप्त	निपटाए गए	लंबित	पिछले वर्ष से अग्रानीत	प्राप्त	निपटाए गए	लंबित
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1.	मुंबई I	247	15	12	250	286	127	30	383
2.	मुंबई II	507	58	87	478	459	93	22	530
3.	धनबाद I	1030	105	274	861	76	19	25	70
4.	धनबाद II	700	6	25	681	22	0	0	22

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
5.	आसनसोल	274	33	42	265	94	6	66	34
6.	कोलकाता	376	21	1	396	141	8	0	149
7.	चंडीगढ़ I	606	64	21	649	48	32	3	77
8.	नई दिल्ली I	863	384	139	1108	190	271	90	371
9.	कानपुर	815	103	35	883	159	8	18	149
10.	जलबपुर	874	170	121	923	59	17	2	74
11.	चेन्नई	119	1228	42	1305	134	1	4	131
12.	बैंगलौर	498	39	79	458	194	79	22	251
13.	हैदराबाद	1061	141	257	945	151	4	30	125
14.	नागपुर	329	56	34	351	30	4	4	30
15.	भुवनेश्वर	448	36	13	471	600	3	50	553
16.	लखनऊ	504	241	41	704	78	29	10	97
17.	जयपुर	436	48	40	444	60	0	11	49
18.	नई दिल्ली I	693	73	60	706	23	32	2	53
19.	गुवाहाटी	40	10	17	33	33	2	32	3
20.	एर्नाकुलम	159	39	13	185	37	41	15	63
21.	अहमदाबाद	1690	301	380	1611	1080	53	193	940
22.	चंडीगढ़ II	529	22	13	538	93	15	6	102
	कुल	12798	3193	1746	14245	4047	844	635	4256

[हिन्दी]

डिग्री पाठ्यक्रम

1974. **श्री ओम प्रकाश यादव :**

श्रीमती संतोष अहलावत :

श्री आर. ध्रुवनारायण :

क्या **मानव संसाधन विकास मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का राजस्थान सहित देश के सभी राज्यों में आगामी सत्र से विद्यार्थियों के लिए स्नातक पाठ्यक्रमों के साथ व्यावसायिक डिग्री पाठ्यक्रम शुरू करने का विचार है;

(ख) यदि हां, तो आगामी सत्र से राजस्थान सहित राज्य-वार तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या सरकार ने स्नातक पाठ्यक्रमों के साथ व्यावसायिक डिग्री पाठ्यक्रम के लिए अलग से बजट प्रावधान किए हैं; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

मानव संसाधन विकास मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा जल संसाधन, नदी विकास और गंगा संरक्षण मंत्रालय में राज्य मंत्री (डॉ. सत्यपाल सिंह) : (क) से (घ) बी.ए. (व्यावसायिक), बी.एससी (व्यावसायिक) और बी.कॉम (व्यावसायिक) शुरू करने का मामला विचाराधीन है।

अनुसूचित जनजाति के विद्यार्थियों के लिए योजनाएं

1975. श्री रमेश चन्द्र कौशिक : क्या जनजातीय कार्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) सरकार द्वारा अनुसूचित जनजातियों (एसटी) से संबंधित विद्यार्थियों के लिए कार्यान्वित योजनाओं की वर्तमान संख्या कितनी है;

(ख) इन योजनाओं के अंतर्गत राज्य-वार कितनी राशि आबंटित की गई है;

(ग) क्या इन योजनाओं के लिए कोई समय-सीमा तय की गई है; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

जनजातीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री जसवंत सिंह सुमनभाई भाभोर) : (क) अनुसूचित जनजाति (अजजा) समुदायों से संबंधित विद्यार्थियों के लिए इस मंत्रालय द्वारा वर्तमान में चलाई जा रही चालू योजनाओं की संख्या 9 है। इन योजनाओं के नाम संलग्न विवरण-I में दिए गए हैं।

(ख) अधिकतर योजनाएं/कार्यकलाप मांग आधारित हैं। इन योजनाओं के तहत निधियों का राज्य-वार आवंटन नहीं किया जाता है। तथापि, कुछ योजनाओं जैसे सुदूर क्षेत्रों में अनुसूचित जनजाति के विद्यार्थियों को मिडिल तथा उच्च विद्यालय स्तर पर गुणवत्तापरक शिक्षा प्रदान करने हेतु एकलव्य आदर्श आवासीय विद्यालयों के लिए संविधान के अनुच्छेद 275(1) के तहत अनुदान, शिक्षा संबंधी कार्यकलापों हेतु विशेष रूप से कमजोर जनजातीय समूहों का विकास तथा अनुसूचित जनजातियों के बालकों तथा बालिकाओं के छात्रावासों के लिए जनजातीय उप-योजना को विशेष केन्द्रीय सहायता और अन्य शैक्षिक कार्यकलाप जो संलग्न विवरण-II तथा III में दिए गए हैं, के तहत राज्य-वार निधियों अनुमोदित की जाती हैं। राज्य सरकारों से प्रस्ताव प्राप्त किए जाते हैं तथा उन्हें मूल्यांकन और अनुमोदन के लिए मंत्रालय में परियोजना मूल्यांकन समिति (पीएसी) के समक्ष रखा जाता है और तद्नुसार निधियां निर्मुक्त की जाती हैं।

(ग) और (घ) चूंकि ये योजनाएं चालू योजनाएं हैं इसलिए कोई समय सीमा निर्धारित नहीं की गई है। तथापि, 'अनुसूचित जनजाति के विद्यार्थियों की उच्चतर शिक्षा के लिए राष्ट्रीय अध्येतावृत्ति तथा छात्रवृत्ति' योजना के तहत उच्चतर शिक्षा घटक के लिए छात्रवृत्ति चालू योजना है तथा समय सीमा राष्ट्रीय छात्रवृत्ति पोर्टल के अनुसार है। योजना के दिशा-निर्देशों के अनुसार, अध्येतावृत्तियों तथा राष्ट्रीय समुद्रपारीय छात्रवृत्तियों के लिए नवीकरण हेतु छात्रवृत्तियों का संवितरण एक चालू प्रक्रिया है तथा नए अभ्यर्थियों के लिए संवितरण वर्ष के लिए चयन के अधीन है।

विवरण-I

जनजातीय कार्य मंत्रालय द्वारा अनुसूचित जनजाति के विद्यार्थियों के लिए वर्तमान में चलाई जा रही योजनाओं के ब्यौरे

क्र. सं.	योजना का नाम
1.	अजजा के विद्यार्थियों के लिए मैट्रिकपूर्व छात्रवृत्ति
2.	अजजा के विद्यार्थियों के लिए मैट्रिकोत्तर छात्रवृत्ति
3.	अजजा के विद्यार्थियों के लिए राष्ट्रीय समुद्रपारीय छात्रवृत्ति (एनओएस)
4.	अजजा के विद्यार्थियों की उच्चतर शिक्षा के लिए राष्ट्रीय अध्येतावृत्ति तथा छात्रवृत्ति
5.	अनुसूचित जनजातियों के कल्याण के लिए कार्यरत स्वैच्छिक संगठनों को सहायता अनुदान
6.	कम साक्षरता वाले जिलों में अजजा की बालिकाओं में शिक्षा का सुदृढ़ीकरण
7.	संविधान के अनुच्छेद 275(1) के तहत अनुदान
8.	विशेष रूप से कमजोर जनजातीय समूहों का विकास
9.	जनजातीय उप-योजना को विशेष केन्द्रीय सहायता*

नोट:- *वर्ष 2018-19 से तीन योजनाओं नामत : (i) जनजातीय क्षेत्रों में बालिकाओं तथा बालकों के छात्रावास की योजना, (ii) जनजातीय क्षेत्रों में आश्रम विद्यालयों की योजना, तथा (iii) जनजातीय क्षेत्रों में व्यावसायिक प्रशिक्षण केन्द्र की योजना को बंद करने का निर्णय लिया गया है और इन उपायों को जनजातीय उप-योजना को विशेष केन्द्रीय सहायता (टीएसएस को एससीए) के तहत मिलाया जाना है।

विवरण-II

वर्ष 2018-19 के दौरान अनुच्छेद 275(1) तथा पीवीटीजी के तहत शिक्षा क्षेत्र के लिए अनुमोदित निधियों को दर्शाने वाला विवरण (13.07.2018 तक)

(लाख रुपए में)

क्र. सं.	राज्य	अनुच्छेद 275(1)	पीवीटीजी	कुल
1	2	3	4	5
1.	आंध्र प्रदेश	2545.58	207.00	2752.58
2.	अरुणाचल प्रदेश	1767.6	0.00	1767.6
3.	बिहार	2193.52	221.00	2414.52
4.	छत्तीसगढ़	12362.52	0.00	12362.52
5.	गुजरात	10210.29	0.00	10210.29
6.	हिमाचल प्रदेश	803.54	0.00	803.54
7.	जम्मू और कश्मीर	4234.68	0.00	4234.68
8.	झारखंड	4234.68	0.00	6453.75
9.	कर्नाटक	856.38	0.00	856.38
10.	केरल	976.33	0.00	976.33
11.	मध्य प्रदेश	9262.06	0.00	9262.06
12.	महाराष्ट्र	5247.35	371.30	5618.65
13.	मणिपुर	1869.55	0.00	1869.55
14.	मेघालय	3179.15	0.00	3179.15
15.	मिज़ोरम	2151.75	0.00	2151.75
16.	नागालैंड	1513.54	0.00	1513.54
17.	ओडिशा	12342.8	400.00	12742.8
18.	राजस्थान	7557.53	877.91	8435.44
19.	सिक्किम	761.51	0.00	761.51
20.	तमिलनाडु	955.40	250.60	1206.00
21.	तेलंगाना	3647.95	0.00	3647.95
22.	त्रिपुरा	1709.2	164.20	1873.4
23.	उत्तर प्रदेश	1145.45	0.00	1145.45
24.	उत्तराखंड	838.89	0.00	838.89
25.	पश्चिम बंगाल	3523.49	2.72	3526.21
	कुल	98109.81	2494.73	100604.54

विवरण-III

वर्ष 2018-19 (19.07.2018 तक) के दौरान टीएसएस को एससीए के तहत छात्रावास एवं अन्य शैक्षणिक गतिविधियों के लिए अनुमोदित निधियां दर्शाने वाला विवरण

(लाख रुपए में)

क्र. सं.	राज्य	टीएसएस को एससीए		
		छात्रावास के लिए अनुमोदित निधि	सृजित सीटों की संख्या	अन्य शैक्षणिक गतिविधियां
1	2	3	4	5
1.	आंध्र प्रदेश	0		0
2.	अरुणाचल प्रदेश	0		0
3.	असम	0		0
4.	बिहार	1104.91	600	0
5.	छत्तीसगढ़	10034.45		435.49
6.	गोवा	0		0
7.	गुजरात	0		1437.33
8.	हिमाचल प्रदेश	25.00		757.43
9.	जम्मू और कश्मीर	0	128	0
10.	झारखंड	340.00		2277.57
11.	कर्नाटक	0		0

1	2	3	4	5
12.	केरल	400.00		0
13.	मध्य प्रदेश	0		14073.54
14.	महाराष्ट्र	0		1670.58
15.	मणिपुर	0		0
16.	मेघालय	0		0
17.	मिज़ोरम	0		0
18.	नागालैंड	0		0
19.	ओडिशा	0		2700.00
20.	राजस्थान	0		0
21.	सिक्किम	0		230.00
22.	तमिलनाडु	0		0
23.	तेलंगाना	0		950.89
24.	त्रिपुरा	0		77.47
25.	उत्तर प्रदेश	0		795.55
26.	उत्तराखंड	0		0
27.	पश्चिम बंगाल	0		1095.95
	कुल	11904.36	728	26501.8

[अनुवाद]

ऑयल खरीददार क्लब बनाना

1976. श्री श्रीरंग आप्पा बारणे :
श्री रवीन्द्र कुमार जेना :
डॉ. प्रीतम गोपीनाथ मुंडे :
डॉ. श्रीकांत एकनाथ शिंदे :
डॉ. एंटो एन्टोनी :
कुंवर पुष्पेन्द्र सिंह चन्देल :
श्री आनंदराव अडसुल :
श्री सी.एन. जयदेवन :
श्री पी. नागराजन :
श्री धर्मेन्द्र यादव :
श्री सी. गोपालकृष्णन :
श्री जी. हरि :

क्या **पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या पिछले कुछ महीनों से तेल संबंधित जोखिम बढ़े हैं और तेल उत्पादकों की ओपीईसी के साथ गुटबंदी के कारण कीमतें अत्यधिक बढ़ गई हैं और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ख) क्या ईरान से तेल का आयात जून, 2017 की तुलना में जून, 2018 में कम हुआ है और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और जनवरी से जुलाई 2018 के दौरान तेल आयात की माह-वार प्रतिशतता कितनी है;

(ग) क्या भारत और चीन दोनों ने कच्चे तेल की कीमतों जिसपर वे तेल आयात करते हैं को प्रभावित करने में और अधिक सक्रिय भूमिका रखने में अपनी रूचि व्यक्त की है और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इस संबंध में कार्रवाई की गई है;

(घ) क्या भारत ने चीन के साथ 'तेल खरीददारों का क्लब' बनाने की संभावना पर चर्चा की है जो विक्रेताओं के साथ बेहतर मोल-तोल कर सकें और ऑयल ब्लॉक के प्रभुत्व को कम कर और अधिक अमेरिकी कच्चे तेल को प्राप्त कर सकें और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इसके क्या परिणाम रहे हैं; और

(ङ) क्या इससे एशिया के दो सबसे बड़े कच्चे तेल खरीददारों के लिए बेहतर मोल-तोल का आधार मिलेगा जिससे मध्य पूर्व द्वारा एशिया को कच्चे तेल की बिक्री की कीमत को सकारात्मक तरीके से प्रभावित करेगी और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्री तथा कौशल विकास और उद्यमशीलता मंत्री (श्री धर्मेन्द्र प्रधान) : (क) कच्चे तेल के मूल्यों में उतार-चढ़ाव बाजार में बार-बार होने वाली घटना है और कच्चे तेल का मूल्य वैश्विक बाजार में मांग और आपूर्ति सहित कई कारकों द्वारा निर्धारित होता है। सरकार संवेदनशील पेट्रोलियम उत्पादों के मूल्यों की लगातार निगरानी करती रहती है।

(ख) भारतीय रिफाइनरियों ने जून, 2017 में ईरान से 1.9 मिलियन मीट्रिक टन (एमएमटी) कच्चे तेल का आयात किया था और जून, 2018 में 2.82 एमएमटी आर्डर दिया है। जनवरी से मई, 2018 तक की अवधि के दौरान ईरान से आयात सहित कच्चे तेल के आयात के ब्यौरे नीचे दिए गए हैं:—

वर्ष 2018 के दौरान कच्चे तेल का आयात (एमएमटी) में

	जनवरी	फरवरी	मार्च	अप्रैल	मई
कुल आयात	20.1	17.6	18.4	17.3	19.9
ईरान से आयात	1.9	2.0	2.2	2.9	3.2
ईरान से आयात %	9.5	11.2	11.8	16.5	16.0

(ग) से (ङ) भारत और चीन के बीच मंत्री और कंपनी दोनों स्तरों पर बैठकें की गई हैं। इन बैठकों के दौरान दोनों पक्षों ने कच्चे तेल और गैस के उच्च मूल्यों से निपटने के लिए सहयोग और मिलकर काम करने की इच्छा व्यक्त की है जिसमें मूल्य में तेज वृद्धि को नियंत्रित और कम करने की दिशा में कार्य करने के लिए कंपनियों के बीच बातचीत को बढ़ाना शामिल है।

महिलाओं हेतु विश्वविद्यालय

1977. श्री पी. श्रीनिवास रेड्डी : क्या **मानव संसाधन विकास मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या केन्द्रीय शिक्षा सलाहकार बोर्ड (सीएबीई) का देश में बालिका शिक्षा को प्रोत्साहन देने के लिए प्रत्येक राज्य में विशेषत: तेलंगाना में महिलाओं हेतु अनन्य विश्वविद्यालय स्थापित करने का विचार है और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ख) क्या सरकार का देश के खम्माम जिले सहित प्रत्येक जिले में महिला आवासीय डिग्री महाविद्यालय स्थापित करने का भी विचार है और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या देश के कुल 864 विश्वविद्यालयों में से अनन्य रूप से महिलाओं के लिए केवल 15 विश्वविद्यालय हैं और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इसके क्या कारण हैं;

(घ) क्या सीएबीई ने देश में महिलाओं को प्राथमिक कक्षा से स्नातकोत्तर स्तर तक नि:शुल्क शिक्षा देने की सिफारिशें की हैं और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और सरकार द्वारा अब तक क्या निर्णय लिया गया है और प्रत्येक राज्य का इस संबंध में क्या दृष्टिकोण है; और

(ङ) सरकार द्वारा अन्य बातों के साथ-साथ उच्चतर शिक्षा की स्थिति, उच्चतर शिक्षा में डिजिटल पहलों की समीक्षा करने के लिए अब तक क्या कदम उठाए जा रहे हैं?

मानव संसाधन विकास मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा जल संसाधन, नदी विकास और गंगा संरक्षण मंत्रालय में राज्य मंत्री (डॉ. सत्यपाल सिंह) : (क) से (घ) बालिकाओं की शिक्षा को प्रोत्साहित करने और उनकी शिक्षा से संबंधित मुद्दों को देखने के लिए, केन्द्रीय शिक्षा सलाहकार बोर्ड (कैब) के तहत एक उप-समिति गठित की गई है। उप समिति की अंतरिम सिफारिशों में, अन्य बातों के साथ-साथ, (i) जिला मुख्यालयों में आवासीय डिग्री कॉलेज और महिला पॉलिटेक्निक (ii) प्रत्येक राज्य में विशिष्ट महिला विश्वविद्यालय (iii) स्नातकोत्तर स्तर तक बालिकाओं के लिए नि:शुल्क शिक्षा उपलब्ध कराना शामिल है।

कैब के तहत उप-समिति की सभी सिफारिशें अंतरिम हैं। उप-समिति की अंतिम रिपोर्ट को अंतिम रूप नहीं दिया गया है।

जैसा कि यूजीसी द्वारा सूचित किया गया है, देश में 14 महिला विश्वविद्यालय हैं जिसमें से राजस्थान में चार (4), तमिलनाडु में दो (2), आंध्र प्रदेश, असम, दिल्ली, हरियाणा, कर्नाटक, महाराष्ट्र, ओडिशा और पश्चिम बंगाल में एक-एक विश्वविद्यालय है।

(ङ) सरकार नई शिक्षा नीति बनाने की प्रक्रिया में है जिसके लिए परामर्श हेतु 33 विषयों की पहचान की गई है। इनमें से, 'प्रौद्योगिकी समर्थित अध्ययन हेतु अवसर' सहित उच्चतर शिक्षा पर 20 विषय हैं। तद्नुसार, स्वर्गीय श्री टी.एस.आर सुब्रह्मणियम की अध्यक्षता में नई शिक्षा नीति तैयार करने के लिए समिति गठित की गई थी। विभिन्न परामर्शों की रिपोर्ट सहित समिति की रिपोर्ट को शिक्षा नीति बनाने के लिए इनपुट के रूप में देखा गया है। नई शिक्षा नीति तैयार करने का कार्य जारी है और अब तक इसे अंतिम रूप नहीं दिया गया है।

[हिन्दी]

सकल घरेलू उत्पाद में औद्योगिक क्षेत्र की हिस्सेदारी

1978. श्रीमती वीणा देवी : क्या **वाणिज्य और उद्योग मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या विगत दशक के दौरान देश के सकल घरेलू उत्पाद में औद्योगिक क्षेत्र की हिस्सेदारी स्थिर रही है; और

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और वर्ष 2014-15 और 2017-18 के दौरान सकल घरेलू उत्पाद में औद्योगिक क्षेत्र की हिस्सेदारी की प्रतिशतता कितनी है?

उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री सी.आर. चौधरी) : (क) और (ख) केन्द्रीय सांख्यिकी कार्यालय (सीएसओ) द्वारा सकल घरेलू उत्पाद के अनुमानों (स्थिर कीमतों पर) के मुताबिक, पिछले दस वर्षों के दौरान सकल घरेलू उत्पाद में औद्योगिक क्षेत्र की भागीदारी संबंधी जानकारी नीचे तालिका में दी गई है:

वर्ष	आधार वर्ष 2004-05				आधार वर्ष 2011-12						
	2007-08	2008-09	2009-10	2010-11	2011-12	2012-13	2013-14	2014-15	2015-16	2016-17	2017-18
सकल घरेलू उत्पाद में औद्योगिक क्षेत्र की भागीदारी (% में)	28.74	28.13	28.27	27.92	30.16	29.54	28.81	28.70	29.14	29.05	28.74

स्रोत: केन्द्रीय सांख्यिकी कार्यालय।

वर्ष 2015-16, 2016-17 और 2017-18 के आंकड़े अनंतिम हैं।

[अनुवाद]

सामाजिक कार्य पर पाठ्यक्रम

1979. श्री राहुल शेवाले :
श्री भर्तृहरि महताब :
श्री संजय धोत्रे :

क्या **मानव संसाधन विकास मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का देश के विश्वविद्यालयों में सामाजिक कार्यों के अंतर्गत पढ़ाए जाने वाले पाठ्यक्रमों में औपनिवेशिक प्रभाव को हटाया है/हटाए जाने का प्रस्ताव है और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ख) क्या सरकार ने देश में सामाजिक कार्य के पाठ्यक्रमों के भारतीयकरण हेतु नया पाठ्यक्रम तैयार किया है और केन्द्र और राज्य विश्वविद्यालयों को कार्यान्वयन हेतु परिचालित किया है और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और ऐसे नए पाठ्यक्रम कब तक तैयार किए जाने तथा उक्त विश्वविद्यालयों में परिचालित किए जाने की संभावना है; और

(ग) सरकार द्वारा इस संबंध में अन्य क्या कदम उठाए गए हैं?

मानव संसाधन विकास मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा जल संसाधन, नदी विकास और गंगा संरक्षण मंत्रालय में राज्य मंत्री (डॉ. सत्यपाल सिंह) : (क) से (ग) विश्वविद्यालय अनुदान आयोग (यूजीसी) ने सूचित किया है कि समाज के विभिन्न वर्गों और संस्कृति की निरंतर बढ़ती आवश्यकताओं को प्रभावी ढंग से तभी पूरा किया जा सकता है जब कौशल की मौजूदा एवं संभावित मांग और पूर्ति पर फोकस करते हुए विश्वविद्यालयों/कॉलेजों के विद्यार्थियों को रोजगार योग्य बनाने के लिए एक नियमित आधार पर पाठ्यचर्या की समीक्षा और संशोधन करने हेतु विश्वविद्यालयों द्वारा प्रदान किए जाने वाले अंत: विषयक कार्यक्रमों को एक सुदृढ़ तंत्र के माध्यम से पूरकता प्रदान की जाए।

तद्नुसार यूजीसी ने सभी विश्वविद्यालयों के कुलपतियों से पाठ्यचर्या में आवधिक संशोधन हेतु कार्रवाई करने का अनुरोध किया है।

जनजातीय अनुसंधान संस्थान

1980. श्री प्रह्लाद जोशी :
श्रीमती पी.के. श्रीमथि टीचर :

क्या **जनजातीय कार्य मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का केरल सहित भारत भर में नए जनजातीय अनुसंधान संस्थान खोलने का कोई विचार है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) जनजातीय अनुसंधान संस्थान के प्राथमिक कार्यों का ब्यौरा क्या है; और

(घ) इन जनजातीय अनुसंधान संस्थानों द्वारा अब तक क्या उपलब्धियां प्राप्त हुई हैं?

जनजातीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री जसवंत सिंह सुमनभाई भाभोर) : (क) और (ख) जनजातीय कार्य मंत्रालय (एमओटीए) ने दिसंबर, 2017 में 'जनजातीय अनुसंधान संस्थान (टीआरआई) को समर्थन' योजना के लिए दिशा-निर्देशों को संशोधित किया है। अन्य बातों के साथ-साथ, दिशा-निर्देशों में राज्यों में जहां कोई टीआरआई नहीं है वहां, नए टीआरआई की स्थापना का अनुबंध किया गया है। वर्ष 2017-18 और 2018-19 के दौरान, अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड, सिक्किम और मिजोरम राज्यों से प्राप्त प्रस्तावों के आधार पर, नए जनजातीय अनुसंधान संस्थान की स्थापना के लिए निधियां प्रदान की

गई है। वर्तमान में, टीआरआई संलग्न विवरण पर ब्यौरे के अनुसार 24 राज्यों और 1 संघ राज्यक्षेत्र में कार्यरत हैं।

(ग) 'टीआरआई को समर्थन' योजना के लिए दिशा-निर्देशों के अनुसार, टीआरआई की मुख्य जिम्मेदारी जनजातीय विकास, जनजातीय सांस्कृतिक विरासत का संरक्षण, साक्ष्य आधारित आयोजना और उचित कानून के लिए राज्यों को सूचना प्रदान करना, जनजातीय लोगों और जनजातीय कार्य से संबद्ध व्यक्तियों/संस्थानों का क्षमता निर्माण, सूचना का प्रसार और जागरूकता निर्माण के लिए काफी हद तक प्रबुद्ध मंडल के रूप में ज्ञान एवं अनुसंधान के एक निकाय के रूप में कार्य करने की है।

(घ) गत वर्षों के दौरान, टीआरआई अनुसंधान अध्ययनों, मूल्याकन अध्ययनों, प्रशिक्षण/संगोष्ठी/कार्यशाला के आयोजन, जनजातीय उत्सवों का आयोजन, आधारभूत सर्वेक्षण, प्रकाशन, वृत्तचित्र/अभिलेखन, विनिमय यात्राओं का आयोजन आदि जैसे विभिन्न क्रियाकलाप करता रहा है। गत चार वर्षों और चालू वर्ष के दौरान इन संस्थानों द्वारा किए गए महत्वपूर्ण कार्यों के ब्यौरे निम्नानुसार हैं:—

क्रियाकलाप	संख्या
अनुसंधान अध्ययन	214
मूल्यांकन अध्ययन	54
प्रशिक्षण/संगोष्ठी/कार्यशाला	277
जनजातीय उत्सव	50
मूलभूत सर्वेक्षण	12
प्रकाशन	170
वृत्तचित्र/अभिलेखन	101
विनिमय यात्रा	34

जनजातीय कार्य मंत्रालय ने वेबपते *http://tribal.nic.in/repository* के साथ डिजिटल संग्रह (रिपोजिटरी) विकसित किया है जहां भारत में जनजातियों के अभिलेखन, लोक गीत, इनके उद्‌भव से संबंधित तस्वीर/वीडियो, उत्पति के स्थान, जीवन शैली, खान-पान, वास्तुशिल्प, शैक्षिक स्तर, परंपरागत कला, लोक नृत्य और अन्य मानव जातीय ब्यौरे रखे गए हैं। वर्तमान में संग्रह (रिपोजटरी) में 10,000 से अधिक फोटोग्राफ, वीडियो और प्रकाशन हैं जिनमें से ज्यादातर टीआरआई द्वारा किए गए हैं।

विवरण

24 राज्यों और 1 संघ राज्यक्षेत्र में कार्यरत टीआरआई का ब्यौरा

क्र. सं.	राज्य	स्थापना का स्थान और वर्ष	टीआरआई भवन की स्थिति
1	2	3	4
1.	ओडिशा	भुवनेश्वर, 1952	अपने स्वयं के भवन से कार्यरत
2.	झारखंड (अविभाजित बिहार)	रांची, 1953	अपने स्वयं के भवन से कार्यरत
3.	मध्य प्रदेश	छिंदवाड़ा (अब भोपाल से कार्यरत), 1954	अपने स्वयं के भवन से कार्यरत
4.	पश्चिम बंगाल	कोलकाता, 1955	अपने स्वयं के भवन से कार्यरत
5.	महाराष्ट्र	पुणे, 1962	अपने स्वयं के भवन से कार्यरत
6.	गुजरात	अहमदाबाद, 1962	राज्य विश्वविद्यालय से कार्यरत
7.	असम	गुहाटी, 1962	अपने स्वयं के भवन से कार्यरत

1	2	3	4
8.	तेलंगाना	हैदराबाद, 1963	राज्य विभाग से कार्यरत और टीआरआई के स्वयं का भवन निर्माणाधीन
9.	राजस्थान	उदयपुर, 1964	अपने स्वयं के भवन से कार्यरत
10.	उत्तर प्रदेश	लखनऊ, 1971	अपने स्वयं के भवन से कार्यरत
11.	केरल	कालीकट, 1971	अपने स्वयं के भवन से कार्यरत
12.	तमिलनाडु	उथागमनडलम, 1983	अपने स्वयं के भवन से कार्यरत
13.	मणिपुर	इंफाल, 1988	अपने स्वयं के भवन से कार्यरत
14.	त्रिपुरा	अगरतला, 1993	अपने स्वयं के भवन से कार्यरत
15.	हिमाचल प्रदेश	शिमला, 1994	राज्य विश्वविद्यालय से कार्यरत
16.	छत्तीसगढ़	रायपुर, 2004	राज्य विभाग से कार्यरत और टीआरआई के स्वयं का भवन निर्माणाधीन
17.	कर्नाटक	मैसूर, 2005	अपने स्वयं के भवन से कार्यरत
18.	अंडमान और निकोबार द्वीपसमूह	पोर्ट ब्लेयर, 2014	अपने स्वयं के भवन से कार्यरत
19.	आंध्र प्रदेश	विशाखापट्टनम, 2014	राज्य विभाग से कार्यरत और टीआरआई के स्वयं का भवन निर्माणाधीन
20.	उत्तराखंड	देहरादून, 2014	टीआरआई भवन निर्माणाधीन है
21.	सिक्किम	गंगटोक, 2016	राज्य विभाग से कार्यरत और टीआरआई के स्वयं का भवन निर्माणाधीन
22.	जम्मू-कश्मीर	श्रीनगर, 2016	राज्य विभाग से कार्यरत और टीआरआई के स्वयं का भवन निर्माणाधीन
23.	नागालैंड	कोहिमा, 2017	राज्य विभाग से कार्यरत और टीआरआई के स्वयं का भवन निर्माणाधीन
24.	अरुणाचल प्रदेश	इटानगर, 2017	राज्य विभाग से कार्यरत और टीआरआई के स्वयं का भवन निर्माणाधीन
25.	मिजोरम	आइजोल, 2018	राज्य विभाग से कार्यरत और टीआरआई के स्वयं का भवन निर्माणाधीन

[हिन्दी]

केन्द्रीय विद्यालयों के लिए निधि तथा भूमि की आवश्यकता

1981. श्री बोध सिंह भगत :
श्री पी.सी. मोहन :
श्री दीपेन्द्र सिंह हुड्डा :
श्री पंकज चौधरी :

क्या **मानव संसाधन विकास मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) विगत 5 वर्षों तथा चालू वर्ष के दौरान देश में केन्द्रीय विद्यालय संगठन को नए विद्यालय खोलने के लिए आवंटित निधि का ब्यौरा क्या है और कितने नए विद्यालय राज्य/संघ राज्यक्षेत्र-वार खोले गए है;

(ख) क्या यह सच है कि मध्य प्रदेश के बालाघाट जिले में मलाजखंड में केन्द्रीय विद्यालय की इमारत के निर्माण हेतु निधि स्वीकृत की गई है और यदि हां, तो क्या इमारत के निर्माण का कार्य शुरू हो गया है;

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और यदि नहीं, तो इसके क्या कारण है;

(घ) विगत 5 वर्षों तथा चालू वर्ष के दौरान प्रचालित किए गए केन्द्रीय विद्यालयों का राज्य/संघ राज्यक्षेत्र-वार विवरण क्या है;

(ङ) विगत 5 वर्षो तथा चालू वर्ष के दौरान केन्द्रीय समिति द्वारा अनुमोदित केन्द्रीय विद्यालयों की संख्या का राज्य/संघ राज्यक्षेत्र-वार विवरण क्या है; और

(च) क्या सरकार का नए केन्द्रीय विद्यालयों की स्थावना हेतु भूमि अधिग्रहण की प्रक्रिया का सरल बनाने का विचार है और यदि हां, तो भूमि अधिग्रहण प्रक्रिया में तेजी लाने हेतु क्या कदम उठाए गए है/उठाए जाने का प्रस्ताव है?

मानव संसाधन विकास मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री उपेन्द्र कुशवाहा) : (क) और (घ) केंद्रीय विद्यालय संगठन (केवीएस) को तीन विशिष्ट शीर्ष अर्थात वेतन, सामान्य और पूंजीगत सम्पत्तियों के तहत सहायता अनुदान प्रदान किया जाता है। भारत सरकार द्वारा पिछले 5 वर्षो और वर्तमान वर्ष में जारी किया गया अनुदान निम्न प्रकार हैं:—

वर्ष	शीर्ष			रुपए करोड़ में
	वेतन	सामान्य	पूंजीगत	
2013-14	2144.55	400.42	230.00	2774.97
2014-15	2510.86	409.42	322.87	3243.15
2015-16	2500.00	398.47	380.00	3278.47
2016-17	3109.95	400.57	476.73	3987.25
2017-18	3628.15	694.86	674.24	4997.25
2018-19	3435.65	758.00	231.35	4425.00

इस आवंटन को राज्य/संघ राज्यक्षेत्र-वार न करके समेकित आधार पर किया जाता है। इस निधि के भाग का उपयोग केंद्रीय विद्यालय संगठन द्वारा नए केंद्रीय विद्यायलों को खोलने के लिए भी किया जाता है। नए केंद्रीय विद्यालयों को सिविल/परियोजना और उच्चतर अधिगम संस्था (आईएचएल) क्षेत्रों के अंतर्गत खोला जाता है। वर्तमान वर्ष सहित पिछले पांच वर्षों के दौरान खोले और संचालित किए गए केंद्रीय विद्यालयों का राज्य/संघ राज्यक्षेत्र-वार ब्यौरा संलग्न विवरण-I में दिया गया है।

(ख) और (ग) केवीएस ने सूचित किया है कि केवी मलाजखंड के विद्यालय भवन, स्टाफ क्वाटर्स और चारदीवारी हेतु 1831.62 लाख रुपए का प्रशासनिक अनुमोदन और व्यय स्वीकृति जून, 2017 में की गई थी। तथापि, धनराशि की कमी के कारण निर्माण एजेंसी को कार्य हेतु पहल/टेंडर न करने की सलाह दी गई थी। तदनुसार, निर्माण कार्य शुरू नहीं किया जा सका। केवीएस ने 11 जुलाई, 2018 को कार्य रोके जाने के आदेश को वापस ले लिया है।

(ङ) वर्तमान वर्ष सहित पिछले 5 वर्षों के दौरान, सिविल सेक्टर के अंतर्गत 104 केंद्रीय विद्यालयों को आर्थिक मामलों की मंत्रिमंडल समिति (सीसीईए) द्वारा संस्वीकृत किया गया है। मार्च, 2014 में 54 केवी संस्वीकृत किए गए थे जिनमें से 53 खोले जा चुके हैं। अन्य 50 केंद्रीय विद्यालयों को मार्च 2017 में "चुनौती पद्धति" के तहत संस्वीकृत किया गया था जिनके अंतर्गत प्रायोजक प्राधिकरणों को, जो केवीएस के मानक को 'एक विशिष्ट समय-सीमा के भीतर 'पहले आओ पहले पाओ के आधार' पर तदनुसार वरीयता दी जाती है और संस्वीकृति को अमल में लाया जाता है। केंद्रीय, विद्यालय खोलने का प्रशासनिक आदेश केवीएस द्वारा केवल तभी जारी किया जाएगा जबकि संबंधित केंद्रीय विद्यालय के पक्ष में आवश्यक भूमि स्थानांतरित कर दी गई हो। पूर्व अपेक्षित कार्य

के पूरा होने पर, इन 50 केवी में से 37 केंद्रीय विद्यालय अब तक खोले जा चुके हैं। इन नए केंद्रीय विद्यालयों का राज्यवार ब्यौरा संलग्न विवरण-II में दिया गया है।

(च) केवीएस नए केंद्रीय विद्यालय की स्थापना हेतु भूमि अर्जन नहीं करता। अपेक्षित भूमि को संबंधित प्रायोजक प्राधिकरण द्वारा नि:शुल्क प्रदान किया जाता है।

विवरण-I

वर्तमान वर्ष सहित पिछले पांच वर्षों के दौरान सिविल सेक्टर के तहत खुले 91 केन्द्रीय विद्यालयों और परियोजना/ उच्च शिक्षा के संस्थान (आईएचएल)/संस्थान के तहत खोले गए 12 केन्द्रीय विद्यालयों का ब्यौरा

वर्ष	राज्य का नाम	केवी की संख्या सेक्टर के अनुसार खोला गया		
		सिविल	परियोजना	आईएचएल
1	2	3	4	5
2013-14	आंध्र प्रदेश	—	—	3
2014-15	दिल्ली	1	—	—
	उत्तर प्रदेश	3	—	—
	राजस्थान	1	—	—
	तेलंगाना	2	—	—
	कर्नाटक	1	—	—
	आंध्र प्रदेश	1	—	—
	बिहार	1	—	—
	छत्तीसगढ़	1	—	—
2015-16	राजस्थान	4	—	1
	मध्य प्रदेश	1	—	1
	हिमाचल प्रदेश	1	—	—
	बिहार	1	—	—
	अरुणाचल प्रदेश	1	—	—
	कर्नाटक	4	1	—
	तेलंगाना	3	—	—
	केरल	1	—	—
	छत्तीसगढ़	1	—	—
	उत्तर प्रदेश	1	—	—

1	2	3	4	5
	ओडिशा	2	–	–
	मणिपुर	1	–	–
	महाराष्ट्र	–	–	1
2016-17	आंध्र प्रदेश	2	–	–
	तमिलनाडु	1	–	–
	मध्य प्रदेश	4	–	–
	हरियाणा	2	–	–
	उत्तर प्रदेश	1	–	–
	ओडिशा	2	–	–
	तेलंगाना	1	–	–
	हिमाचल प्रदेश	1	–	–
2017-18	असम	–	–	1
	पंजाब	1	–	–
	दिल्ली	1	–	–
	पश्चिम बंगाल	2	–	–
	हरियाणा	3	–	–
	ओडिशा	3	–	–
	राजस्थान	3	–	1
	मध्य प्रदेश	6	–	–
	गुजरात	1	–	–
	आंध्र प्रदेश	2	–	–
	कर्नाटक	2	–	–
	झारखंड	5	–	–
	जम्मू-कश्मीर	–	–	1
	छत्तीसगढ़	6	–	–
	अरुणाचल प्रदेश	1	–	–

1	2	3	4	5
	उत्तर प्रदेश	1	—	—
	तेलंगाना	1	—	—
	केरल	1	—	—
	नागालैंड	—	—	1
2018-19	बिहार	—	1	—
	कर्नाटक	1	—	—
	केरल	1	—	—
	मध्य प्रदेश	1	—	—
	राजस्थान	2	—	—
	तेलंगाना	1	—	—
	कुल	91	2	10

विवरण-II

नए केन्द्रीय विद्यालयों का राज्य-वार ब्यौरा

क्र. सं.	राज्य	मार्च, 2014 में स्वीकृत 54 में से खोले गए केवी की संख्या	चुनौती पद्धति के तहत मार्च, 2017 में स्वीकृत 50 में से खोले गए केवी की संख्या
1	2	3	4
1.	दिल्ली	1	—
2.	उत्तर प्रदेश	6	—
3.	गुजरात	—	1
4.	राजस्थान	5	5
5.	तेलंगाना (आंध्र प्रदेश, विभाजन से पहले)	6	2
6.	कर्नाटक	5	3
7.	आंध्र प्रदेश	3	2
8.	बिहार	2	—
9.	छत्तीसगढ़	2	6
10.	मध्य प्रदेश	5	7
11.	झारखंड	—	5
12.	हिमाचल प्रदेश	2	—
13.	अरुणाचल प्रदेश	1	1
14.	केरल	1	2
15.	ओडिशा	6	1
16.	मणिपुर	1	—
17.	तमिलनाडु	1	—
18.	हरियाणा	4	1
19.	पंजाब	1	—
20.	पश्चिम बंगाल	1	1
	कुल	53	37

[अनुवाद]

उत्कृष्टता संस्थान

1982. श्री रवीन्द्र कुमार जेना : क्या **मानव संसाधन विकास मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या ग्रीन फील्ड कैटेगरी के अंतर्गत उत्कृष्टता संस्थान (आईओई) के नियमों में कोई मानदंड/संदर्भ है कि प्रस्तावित विश्वविद्यालय के प्रायोजक संगठन के पास कुल सकल संपत्ति 50 बिलियन से अधिक होनी चाहिए;

(ख) यदि हां, तो ऐसे खंड को शामिल करने के पीछे क्या कारण है;

(ग) यदि नहीं, तो ग्रीन फील्ड कैटेगरी के अंतर्गत नियमों/मानदंडों में प्रायोजक संगठन के किसी व्यक्ति का निवल वित्तीय संदर्भ दिया गया है;

(घ) क्या ग्रीन फील्ड कैटेगरी के अंतर्गत आईओई टैग प्राप्त करने के लिए नए संस्थानों के लिए संस्थान के निर्माण हेतु प्रस्तावित भूमि का अधिग्रहण की सैद्धांतिक सहमति एक मानदंड था;

(ङ) क्या रिलायंस फाउंडेशन इस्टिट्यूशन ऑफ एजुकेशन रिसर्च (आरएफआईईआर) कंपनी ने अपने आवेदन में जियो संस्थान के लिए भूमि की उपलब्धता दिखाई है/संदर्भ दिया है;

(च) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(छ) यदि नहीं, तो निर्मित किए जाने वाले संस्थान के लिए भूमि संबंधी आवश्यक मानदंडों के बिना आईओईटैग प्रदान करने के पीछे क्या औचित्य है?

मानव संसाधन विकास मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा जल संसाधन, नदी विकास और गंगा संरक्षण मंत्रालय में राज्य मंत्री (डॉ. सत्यपाल सिंह) : (क) से (ग) जी, हां। विश्वविद्यालय अनुदान आयोग (यूजीसी) (प्रतिष्ठित समवत विश्वविद्यालय संस्थाएं) विनियम, 2017 के अनुसार, ग्रीनफील्ड संस्थाओं के लिए प्रायोजक संगठन के पास ऐसे सदस्य होने चाहिए जिनकी कुल निवल राशि संयुक्त रूप से कम से कम पांच हजार करोड़ रुपए हो। मौजूदा निजी संस्थाओं के संबंध में, प्रायोजक संगठन के सभी सदस्यों की कुल निवल राशि तीन हजार करोड़ रुपए होनी चाहिए। चूंकि रैंक प्राप्त वैश्विक संस्थाओं के साथ प्रतिस्पर्धा करने के लिए प्रस्तावित समविश्वविद्यालय उत्कृष्ट संस्थाओं में विश्वस्तरीय अवसंरचनात्मक सुविधाएं, शिक्षण और शोध सुविधाएं, खेल सुविधाएं और अन्य सुविधाएं होने की अपेक्षा की जाती है, प्रायोजक संगठनों की उच्च निवल राशि के प्रावधानों का विनियमों में शामिल किया गया था।

(घ) जी, हां। ग्रीनफील्ड श्रेणी के अंतर्गत समविश्वविद्यालय उत्कृष्ट संस्थान हेतु आवेदन करने वाले प्रायोजक संगठनों को यह प्रस्तुत करना अपेक्षित था कि क्या प्रस्तावित समविश्वविद्यालय उत्कृष्ट संस्थान के लिए भूमि का स्थान, भूमि का क्षेत्र, भूमि का प्रकार (पूर्ण स्वामित्व या पट्टेदारी), भूमि का शीर्षक इत्यादि की जानकारी प्रस्तुत करना भी अपेक्षित था।

(ङ) और (च) जी, हां। रिलायंस फाउंडेशन इंस्टीट्यूशन ऑफ एजुकेशन रिसर्च (आरएफआईईआर) एक सेक्शन 8 कंपनी है, अपने आवेदन में महाराष्ट्र के करज़त तालुका करज़त में एक नया समविश्वविद्यालय उत्कृष्ट संस्थान स्थापित करने हेतु प्रस्ताव किया गया है जिसके लिए अपेक्षित भूमि का अधिग्रहण कर लिया गया है।

(छ) उपर्युक्त (ङ) और (च) के दृष्टिगत प्रश्न नहीं उठता।

[अनुवाद]

अरुणाचल प्रदेश की एसटी सूची

1983. श्री निनोंग इरिंग : क्या **जनजातीय कार्य मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार राज्य द्वारा मान्यता प्राप्त अनुसूचित जातियों की सूची को उद्यतन करती रहती है और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ख) सरकार द्वारा विभिन्न राज्यों में राज्य की अनुसूचित जनजातियों की सूची में मान्यता हेतु आवश्यक मानदंडों को पूरा करने वाली नई जनजातियों को शामिल करने हेतु क्या कदम उठाए गए हैं; और

(ग) क्या सरकार ने संविधान के अनुच्छेद 341 के अंतर्गत "संविधान (अनुसूचित जाति) आदेश" के अनुसार अरुणाचल प्रदेश की अनुसूचित जाति सूची में अनुसूचित जनजातियों को शामिल करने हेतु कोई कदम उठाया है?

जनजातीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री सुदर्शन भगत) : (क) और (ख) भारत सरकार ने दिनांक 15.06.1999 (दिनांक

25.06.2002 को पुन: संशोधित) को अनुसूचित जनजातियों (अजजा) की सूचियों को निर्दिष्ट करने वाले आदेशों में समावेश, से अपवर्जन तथा अन्य संशोधनों के लिए दावों का निर्धारण करने हेतु प्रविधियां निर्धारित की हैं। इन प्रविधियों के अनुसार, केवल उन प्रस्तावों पर विधान के संशोधन के लिए विचार किया जाता है जिसे संबंधित राज्य सरकार/संघ राज्यक्षेत्र प्रशासन द्वारा न्यायोचित माना जाता है एवं इसकी सिफारिश की जाती है तथा जिस पर भारत के महापंजीयक (आरजीआई) तथा राष्ट्रीय अनुसूचित जाति तथा अनुसूचित जनजाति आयोग (अब राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग) द्वारा सहमति प्राप्त हो। राज्य/संघ राज्यक्षेत्र की अनुसूचित जनजातियों की सूची में/से किसी समुदाय के समावेश/अपवर्जन के लिए इस मंत्रालय में जब भी अभ्यावेदन प्राप्त होते हैं, मंत्रालय उस अभ्यावेदन को संबंधित राज्य सरकार/संघ राज्यक्षेत्र प्रशासन को सिफारिश के लिए भेजता है जैसा संविधान के अनुच्छेद 342 के तहत आवश्यक है। यदि संबंधित राज्य सरकार/संघ राज्यक्षेत्र प्रस्ताव की सिफारिश करता है जो इसे भारत के महापंजीयक (आरजीआई) के पास भेजा जाता है। आरजीआई यदि राज्य सरकार/संघ राज्यक्षेत्र की सिफारिश से सहमत है तो केन्द्रीय सरकार को प्रस्ताव की सिफारिश करता है। तत्पश्चात, सरकार प्रस्ताव को राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग के पास उनकी सिफारिश के लिए भेजती है। यदि राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग भी मामले की सिफारिश करता है तो यह मामला मंत्रिमंडल के निर्णय के लिए तैयार किया जाता है। तत्पश्चात, राष्ट्रपति के आदेशों में संशोधन करने के लिए विधेयक के रूप में मामला संसद के समक्ष रखा जाता है। समावेश/ अपवर्जन के मामले जिनका राज्य सरकार अथवा आरजीआई या राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति समर्थन नहीं करते हैं, उन्हें रद्द कर दिया जाता है।

(ग) जनजातीय कार्य मंत्रालय भारत के संविधान के अनुच्छेद 342 के तहत अनुसूचित जनजाति के रूप में समुदाय के विनिर्धारण के लिए नोडल मंत्रालय है।

संविधान (अनुसूचित जनजाति) आदेश, 1950 (भाग XVIII) (अरुणाचल प्रदेश राज्य के संबंध में) के अनुसार अरुणाचल प्रदेश की अनुसूचित जनजातियों की सूची एक विस्तृत सूची है जिसमें सूचीबद्ध 16 समुदायों सहित राज्य में सभी जनजातियां शामिल हैं। अत: राज्य की अनुसूचित जनजातियों की सूची में 'योबिन' समुदाय के समावेश से संबंधित अरुणाचल प्रदेश सरकार के प्रस्ताव के संबंध में 'योबिन' जनजाति अथवा कोई अन्य देशीय जनजाति को लाभ देने/प्रमाण-पत्र जारी करने के लिए जनजातीय कार्य मंत्रालय द्वारा दिनांक 22.2.2018 के पत्र के माध्यम से राज्य को सलाह जारी की गई है।

'नोक्टे, तन्सा, तुत्सा, वान्चु' समुदायों द्वारा अनुसूचित जनजातियों की सूची के क्रम संख्या 10 पर 'कोई नागा जनजाति' को प्रतिस्थापित करने सहित राज्य की अनुसूचित जनजातियों की सूची में कुछ संशोधन करने के लिए अरुणाचल प्रदेश सरकार से एक प्रस्ताव भी प्राप्त हुआ है। अनुमोदित प्रविधियों के अनुसार प्रस्ताव प्रक्रियाधीन है।

[अनुवाद]

बीड़ी कामगारों के लिए सुविधाएं

1984. श्री टी.जी. वेंकटेश बाबू : क्या **श्रम और रोजगार मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार इस बात से अवगत है कि तंबाकू और अन्य खतरनाक पदार्थों के संपर्क में लगातार रहने के कारण 75% बीड़ी कामगार कई बीमारियों से जूझ रहे हैं और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ख) क्या सरकार ने बीड़ी उद्योग से संबंधित कर्मचारियों विशेषकर महिलाओं की कार्यदशा, स्वास्थ्य तथा अन्य लाभों में सुधार हेतु कोई कदम उठाया है/ठोस उपाय किए हैं;

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं; और

(घ) बीड़ी उद्योग से संबंधित कर्मचारियों की अनुमानित राज्य-वार संख्या कितनी है और विगत 3 वर्षों और चालू वर्ष के दौरान जिन देशों को बीड़ी निर्यात की जाती है उनकी मात्रा, मूल्य तथा देश-वार ब्यौरा क्या है?

श्रम और रोजगार मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री संतोष कुमार गंगवार) : (क) से (ग) अभी तक इस मंत्रालय को बीड़ी कामगारों की बहु - बीमारी के कोई विनिर्दिष्ट मामलों की रिपोर्ट नहीं की गई है। तथापि, बीड़ी कामगारों और उनके परिवारों को देशभर में फैले 12 अस्पतालों और 286 औषद्यालयों के माध्यम से स्वास्थ्य देखभाल सुविधाएं प्रदान की जा रही है। इसके अलावा कतिपय रोगों में सरकारी मान्यताप्राप्त अस्पतालों में उपचार लेने के लिए प्रतिपूर्ति भी दी जा रही है। बीड़ी कामगारों और उनके परिवारों को दी जा रही सुविधाओं का विवरण संलग्न विवरण-I में दिया गया है।

(घ) विवरण संलग्न विवरण-II और III में दिया गया है।

विवरण-I

वर्तमान में बीड़ी कामगारों के लिए क्रियान्वित की जा रही योजनाएं

1. शैक्षणिक योजनाएं :

योजना	शैक्षिक योजनाएं			
लौह अयस्क, मैंगनीस अयस्क, क्रोम अयस्क खानें/एलएसडीएम/माइका खान कामगारों के अंतर्गत छात्रवृत्ति प्रदान करने के लिए योजना	कामगारों के बच्चों के लिए निम्नलिखित दरों पर प्रति छात्र प्रति वर्ष छात्रवृत्ति प्रदान की जाती है:—			
	समूह	कक्षा	दर	
			लड़कियाँ	लड़के
	समूह I	कक्षा I से IV	250	250
	समूह II	कक्षा V से VIII	940	500
	समूह III	कक्षा IX	1140	700
	समूह IV	कक्षा X	1840	1400
	समूह V	कक्षा XI से XII	2440	2000
		आईटीआई	10000	10000
	समूह VII	गैर-व्यावसायिक स्नातक पाठ्यक्रम; गैर-व्यावसायिक स्नातकोत्तर पाठ्यक्रम; दो-तीन वर्षीय डिप्लोमा पाठ्यक्रम और बीसीए, बीबीए एवं पीजीडीसीए।	3000	3000
	समूह VII	व्यावसायिक स्नातक पाठ्यक्रम जैसे, बी.ई./बी.टेक/एमबीबीएस/बीएएमएस/बीयूएमएस/बीएससी (कृषि) और एमसीए/एमबीए।	15000	15000

2. **संशोधित आवास योजना (आरआईएचएस), 2016:**

बीड़ी कामगारों के लिए संशोधित आवास योजना (आरआईएचएस), 2016 मंत्रालय के श्रम कल्याण संगठन के 17 कल्याण आयुक्तों के कार्यालयों के माध्यम से कार्यान्वित की जा रही है। 1,50,000/- रुपए की आवास सब्सिडी 25:60:15 के अनुपात में तीन किश्तों में वितरित की जाती है।

3. **स्वास्थ्य योजना**

इसके अलावा देशभर में 12 अस्पतालों और 286 औषधालयों के माध्यम से स्वास्थ्य देखभाल सुविधाएं प्रदान करने के अलावा, कतिपय बीमारियों के वर्गों के लिए निम्नलिखित सहायता दी जाती है:—

क्र.सं.	नियोजन	सहायता की प्रकृति
1.	(तपेदिक) ट्यूबरोक्लोसिस	कामगारों के लिए टी.बी. अस्पतालों और भर्ती-उपचार के दौरान बिस्तरों का आरक्षण। उपचार करने वाले चिकित्सक की सलाह के अनुसार 750/- रुपए से 1000/- रुपए प्रति माह का जीवन निर्वाह भत्ता प्रदान किया जाता है।
2.	हृदय रोग	कामगारों को 1,30,000/- रुपए तक के खर्च की प्रतिपूर्ति
3.	किडनी प्रत्यारोपण	कामगारों को 2,00,000/- रुपए तक के खर्च की प्रतिपूर्ति
4.	कैंसर	कामगारों या उनके आश्रितों द्वारा सरकारी मान्यता प्राप्त अस्पतालों के माध्यम से उपचार हेतु उपचार, चिकित्सा और भोजन पर किए गए वास्तविक खर्च की प्रतिपूर्ति
5.	हर्निया, एपेन्डक्टोमी, अल्सर, गाइनोक्लोजी और प्रोस्टेट रोगों जैसी सूक्ष्म शल्यचिकित्सा	कामगारों या उनके आश्रितों द्वारा 30,000/- रुपए तक किए खर्च की प्रतिपूर्ति

विवरण-II

पंजीकृत बीड़ी कामगारों का राज्य/संघ राज्य क्षेत्र-वार ब्यौरा

क्र. सं.	क्षेत्र का नाम	राज्य/संघ राज्य क्षेत्र-वार	कुल
1	2	3	4
1.	अहमदाबाद	गुजरात	42008
2.	अजमेर	राजस्थान	42813
3.	इलाहाबाद	उत्तर प्रदेश	450228
4.	बंगलुरु	कर्नाटक	244412
5.	भुवनेश्वर	ओडिशा	157753
6.	हैदराबाद	आंध्र प्रदेश/ तेलंगाना	412984
7.	जबलपुर	मध्य प्रदेश	1054652
8.	कोलकाता	पश्चिम बंगाल	1658401
		त्रिपुरा	13385
9.	गुवाहाटी		9154
10.	कन्नूर	केरल	32032
11.	नागपुर	महाराष्ट्र	188550
		गोवा	—
		दमन (संघ राज्य-क्षेत्र)	—
		दादरा और नगर हवेली (संघ राज्य-क्षेत्र)	—
12.	पटना	बिहार	293916
13.	रायपुर	छत्तीसगढ़	18757
14.	तिरुनेलवेली	तमिलनाडु	79905
15.	रांची	झारखंड	113408
	कुल		4812358

विवरण-III

भारत से बीड़ी निर्यात का देशवार विवरण

मात्रा टन में और मूल्य अमरीकी डॉलर में

देश	2015-16		2016-17		2017-18		2018-19 (मई' 18 तक)	
	मात्रा	मूल्य	मात्रा	मूल्य	मात्रा	मूल्य	मात्रा	मूल्य
1	2	3	4	5	6	7	8	9
संयुक्त अरब अमीरात	146.61	2274787	288.97	4195132	188.57	3144984		
नीदरलैंड अंतिल	26.29	137478	35.03	463286	34.00	763616		
अफगानिस्तान	12.20	114924	47.50	423102	48.39	518698		
जाम्बिया	21.80	282249	23.20	311329	66.08	451511	28.25	317942
सिंगापुर	50.16	255181	9.98	199338	12.51	276088		
नेपाल	16.95	31168	5.10	21528	17.54	133325	1.02	1890
दक्षिण अफ्रीका	3.16	37064	2.34	25496	6.14	83919	5.00	23394
आयरलैंड	4.25	26020	16.00	93038	9.94	67314		
अमरीका	38.54	929352	12.95	306739	3.30	55385	0.57	4819
ऑस्ट्रेलिया	5.19	35875	18.00	110971	18.37	52813	1.56	14175
स्विट्ज़रलैंड	0.75	27107	3.81	135332	1.23	48749		
त्रिनिदाद	0.27	7511	1.04	27235	1.74	41892		
श्रीलंका डीएसआर	1.75	16139	10.00	2641	14.65	37649	0.19	10356
सेनेगल					1.30	30482		
मालदीव					1.52	21539		
सर्बिया					1.60	9751		
रुस	1.00	3657	6.30	58837	1.20	9698		
पेरु					1.00	6453		
कोरिया आरपी	0.82	5926			0.83	5967		
सऊदी अरब			0.08	1270	0.40	3105		

1	2	3	4	5	6	7	8	9
उरुग्वे					0.40	2276		
बांग्लादेश पीआर			1.05	3098	0.71	2078		
कनाडा	1.00	6785	2.30	13863	0.35	1215		
मॉरीशस	0.04	659	0.74	2332	0.14	1020		
कोलंबिया	0.30	2255			0.10	344		
उज्बेकिस्तान					0.06	144		
वियतनाम एसओसी आरईपी					0.08	139		
मोज़ाम्बिक					0.00	2		
इक्वाडोर							2.50	16075
सेंट लूसिया			0.21	4454			0.06	3031
अर्जेंटीना	1.00	25087	1.61	19425				
बहामास	1.46	10997	3.20	8555				
बेल्जियम			0.04	152				
चिली	1.11	8326						
एस्टोनिया	2.40	8902						
जर्मनी	1.48	11416						
ग्रेनेडा	0.02	756						
हांगकांग	4.73	24110	1.98	12537				
ईरान	21.50	214299	15.52	111813				
इजराइल	2.00	9637	5.80	38792				
कजाखस्तान			0.13	209				
लेसोथो	0.09	1678						
लिथुआनिया			8.00	22752				
मलेशिया	1.95	9299	9.94	56635				
मंगोलिया	0.05	707						
न्यूजीलैंड	6.02	12253	0.29	3576				

1	2	3	4	5	6	7	8	9
नाइजीरिया			0.13	740				
फिलिपींस			0.03	66				
स्पेन	3.10	19076	9.38	76678				
यूके	1.50	17620	0.00	1				
कुल योग	379.46	4568300	540.63	6750952	432.13	5770156	39.15	391682

[अनुवाद]

पर्यटन स्थानों के चयन हेतु मानदंड

1985. श्री रावसाहेब पाटील दानवे :
श्री देवेन्द्र सिंह भोले :

क्या **पर्यटन मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) सरकार द्वारा पर्यटन को प्रोत्साहन तथा बढ़ावा देने हेतु "स्वदेश दर्शन योजना" के अंतर्गत पर्यटन केन्द्रों के लिए अपनाए गए चयन मानदंड क्या हैं;

(ख) उक्त योजना के अंतर्गत उत्तर प्रदेश सहित देश में चिन्हित पर्यटन केन्द्रों की कुल संख्या कितनी है और;

(ग) योजना के अंतर्गत चिन्हित स्थानों के सौंदर्यीकरण हेतु कुल कितनी धनराशि मंजूर की गई है और यह कार्य राज्य/संघ राज्य क्षेत्र-वार कब तक आरंभ होने की संभावना है;

(घ) क्या सरकार को विभिन्न राज्यों से अपने-अपने राज्य में पर्यटन को बढ़ावा देने हेतु प्रस्ताव प्राप्त हुए हो और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इन प्रस्तावों की महाराष्ट्र राज्य सहित राज्य-वार वर्तमान स्थिति क्या है; और

(ङ) देश तथा विदेश में भारतीय पर्यटन को प्रदर्शित करने में सरकार की क्या भूमिका है?

पर्यटन मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री अलफोन्स कन्नन्थनम) : (क) से (ङ) पर्यटन मंत्रालय स्वदेश दर्शन योजना - थीम आधारित पर्यटक परिपथों का एकीकृत विकास के अंतर्गत प्राथमिकताबद्ध तथा योजनाबद्ध तरीके से पर्यटक संभावनाओं वाले पूरे देश में परिपथों में पर्यटन अवसंरचना के विकास के लिए राज्य सरकारों/संघ राज्य क्षेत्रों/केंद्रीय अभिकरणों को केन्द्रीय वित्तीय सहायता प्रदान करता है। निम्नलिखित मानदंडों के आधार पर योजना के अंतर्गत परियोजनाओं की पहचान राज्य सरकारों/संघ राज्य क्षेत्र प्रशासनों के परामर्श से की जाती है:—

- विविध पर्यटन अनुभवों सहित विश्व स्तर के गंतव्य के रूप में प्रदर्शित करने की सम्भावना।
- संपर्कता और अन्य अवसंरचनाओं के साथ मौजूदा गंतव्यों के लिए निकटता।
- गंतव्य पर स्थानीय शिल्पकला, सांस्कृतिक, हस्तशिल्प, व्यंजन आदि का संरक्षण और संवर्धन करते हुए क्षेत्रों में रोजगार सृजन और आजीविका में वृद्धि।
- विशिष्ट प्रावधानों सहित निजी क्षेत्र/पीपीपी में निवेश आकर्षित करने की क्षमता।
- पहचाने गए परिपथों में पर्यटकों के लिए आवश्यक सभी सुविधाओं को सुनिश्चित करने के लिए व्यापक क्षेत्र विकास के दृष्टिकोण का पालन।
- स्वतंत्र एजेंसी द्वारा समय-समय पर मूल्यांकन किए गए सहमति-पूर्व सेवा मानकों के अनुसार मजबूत प्रचालन और प्रबंधन योजना (ओ एंड एम)।

योजना के अंतर्गत राज्य सरकारों/संघ राज्य क्षेत्र प्रशासनों द्वारा प्रस्तावों को प्रस्तुत करना एक सतत प्रक्रिया है और परियोजनाएं निधियों की उपलब्धता, लंबित उपयोग प्रमाणपत्रों के परिसमापन, संगत विस्तृत परियोजना रिपोर्ट (डीपीआर) को प्रस्तुत करने और योजना दिशा-निर्देशों के अनुपालन की शर्त पर स्वीकृत की जाती है।

उपरोक्त के आधार पर मंत्रालय के स्वदेश दर्शन योजना के अंतर्गत 29 राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों को 5711.79 करोड़ रुपए की 69 परियोजनाएं स्वीकृत की हैं और सभी परियोजनाएं कार्यान्वयन/पूर्णता के विभिन्न चरणों में है। उत्तर प्रदेश और महाराष्ट्र सहित स्वदेश दर्शन योजना के

अंतर्गत स्वीकृत परियोजनाओं के राज्य/संघ राज्य क्षेत्र वार ब्यौरे संलग्न विवरण पर हैं।

पर्यटन मंत्रालय अपने चल रहे कार्यकलापों के एक भाग के रूप में संवर्धन करता है। यह प्रतिवर्ष देश के विभिन्न पर्यटन गंतव्यों और उत्पादों के संवर्धन के लिए अतुल्य भारत ब्रांड लाइन के अंतर्गत देश में और विदेशों में महत्वपूर्ण और संभावनाओं वाले बाजारों में प्रिंट, इलैक्ट्रॉनिक और ऑनलाइन मीडिया अभियान चलाता है। मंत्रालय की वेबसाइट और सोशल मीडिया एकाउंट के माधम से भी संवर्धन किए जाते हैं।

उपरोक्त के अलावा, मंत्रालय विदेश स्थित भारत पर्यटन कार्यालयों के माध्यम से भारत की पर्यटन क्षमता को प्रदर्शित करने और देश के लिए पर्यटन के संवर्धन के उद्देश्य से विदेश स्थित पर्यटक सृजक बाजारों में संवर्धनात्मक कार्यकलापों की एक श्रृंखला चलाता है। इन संवर्धनात्मक कार्यकलापों में, यात्रा मेलों एवं प्रदर्शनियों में भागीदारी; रोड शो, भारत को जाने संगोष्ठियों और कार्यशाला का आयोजन; भारतीय भोजन एवं सांस्कृतिक उत्सवों का आयोजन एवं समर्थन; ब्रोशर का प्रकाशन; और मंत्रालय के आतिथ्य कार्यक्रम के अंतर्गत देश की यात्रा के लिए मीडिया हस्तियों, यात्रा प्रचालकों तथा विचारकों को आमंत्रित करना शामिल है।

विवरण

उत्तर पदेश और महाराष्ट्र सहित स्वदेश दर्शन योजना के अंतर्गत स्वीकृत परियोजनाओं के राज्य/संघ राज्यक्षेत्र-वार ब्यौरे

(करोड़ रुपए में)

क्र. सं.	राज्य/संघ राज्य क्षेत्र	परिपथ का नाम	परियोजना का नाम	स्वीकृत राशि
1	2	3	4	5
वर्ष 2014-15				
1.	अरुणाचल प्रदेश	पूर्वोत्तर परिपथ	अरुणाचल प्रदेश में भालुकपोंग-बोमडिला और तवांग में मेगा परिपथ का विकास	49.77
2.	आंध्र प्रदेश	तटवर्ती परिपथ	आंध्र प्रदेश में विश्वस्तरीय तटवर्ती एवं ईको पर्यटन परिपथ के रूप में काकीनाडा होप आईलैंड कोनासीमा का विकास	69.83
	2014-15 का योग			119.6
वर्ष 2015-16				
3.	मणिपुर	पूर्वोत्तर परिपथ	मणिपुर में पर्यटक परिपथ का विकास : इंफाल-मोइरांग-खोंजोम-मोरेह	89.66
4.	सिक्किम	पूर्वोत्तर परिपथ	सिक्किम में रांग्पो (प्रवेश)- रोराथांग-अरितर-फाडमचेन-नाथंग-शेराथांग-त्सोंग्मो-गंगटोक-फोडोंग-मंगन-लाचुंग-युमथांग-लाचेन-थांगू-गुरुदोंगमेर-मंगन-गंगटोक-तुमिन लिंगी-सिंगतम (निकास) को जोड़ने वाले पर्यटक का परिपथ का विकास	98.05
5.	उत्तराखंड	इको परिपथ	नए गंतव्य के रूप में उत्तराखंड, जिला टिहरी में टिहरी झील और आसपास के विकास के लिए इको-पर्यटन, रोमांचकारी, क्रीड़ा, पर्यटन से जुड़ी अवसंरचना का एकीकृत विकास	80.37

1	2	3	4	5
6.	राजस्थान	मरुस्थल परिपथ	मरुस्थल परिपथ के अंतर्गत राजस्थान में सांभर लेक टाउन एवं अन्य गंतव्यों का विकास	63.96
7.	नागालैंड	जनजातीय परिपथ	जनजातीय परिपथ पेरेन-कोहिमा-वोखा, नागालैंड का विकास	97.36
8.	मध्य प्रदेश	वन्यजीव परिपथ	मध्य प्रदेश में पन्ना-मुकुंदपुर-संजय-कन्हा-बांधवगढ़-डुबरी-पेन्च में वन्यजीव परिपथ का विकास	92.22
9.	आंध्र प्रदेश	तटवर्ती परिपथ	स्वदेश दर्शन योजना के अंतर्गत आंध्र प्रदेश में श्री पोट्टी श्रीरामलू नेल्लोर में तटवर्ती पर्यटन परिपथ का विकास	59.70
10.	तेलंगाना	इको परिपथ	तेलंगाना के महबूबनगर जिला में ईको पर्यटन परिपथ का एकीकृत विकास	91.62
11.	केरल	इको परिपथ	केरल के इडुकी और पाथानामथिट्टा जिलों में पाथानामथिट्टा-गावी-वागमोन-थेक्काडी का ईको पर्यटन परिपथ के रूप में विकास	90.06
12.	मिजोरम	पूर्वोत्तर परिपथ	थेंजावल के पूर्वोत्तकर परिपथ एवं साउथ जोट, जिला सेरचिप और रेईक, मिजोरम में स्वदेश दर्शन — पूर्वोत्तर परिपथ के अंतर्गत नए इको-पर्यटन का एकीकृत विकास	94.91
13.	असम	वन्य जीव परिपथ	असम में वन्य जीव परिपथ के रूप में मानस-प्रोबितोरा-नामेरी-काजीरंगा-धुबरी-सेखोवा का विकास	95.67
14.	पुदुचेरी	तटवर्ती परिपथ	'स्वदेश दर्शन' स्कीम के अंतर्गत पर्यटक परिपथ के रूप में पुदुचेरी संघ राज्य क्षेत्र का विकास (तटवर्ती परिपथ)	85.28
15.	अरुणाचल प्रदेश	पूर्वोत्तर परिपथ	अरुणाचल प्रदेश में नए रोमांचकारी पर्यटन का एकीकृत विकास	97.14
16.	त्रिपुरा	पूर्वोत्तर परिपथ	त्रिपुरा में: अगरतला-सिपाहिजला-मेलाघर-उदयपुर-अमरपुर-तीर्थमुख-मंदिरघाट-दुम्बूर-नरिकेलकुंज-गंडाचरा-अम्बासा पूर्वोत्तर परिपथ का विकास	99.59
17.	पश्चिम बंगाल	तटवर्ती परिपथ	पश्चिम बंगाल में समुद्रतट परिपथ : उदयपुर-शंकरपुर-दीघा-हेनरी द्वीप का विकास-बक्खलई-फ्रेजरगंज-मंदारमणि-ताजपुर	85.39
18.	छत्तीसगढ़	जनजातीय परिपथ	छत्तीसगढ़ में जशपुर-महेशपुर-अंबिकापुर-मैनपत-कुंकुरी-नथयानावगांव-कोंडागांव-गंगरेल-सरोदादादर-कुरदार-रतनपुर-तीर्थगढ़ में जनजातीय-चित्रकूट-जगदलपुर पर्यटन परिपथ का विकास	99.94
19.	महाराष्ट्र	तटवर्ती परिपथ	स्वदेश दर्शन योजना के अंतर्गत महाराष्ट्र में सिंधुदुर्ग तटवर्ती परिपथ का विकास	82.17
	2015-16 का कुल			1503.09

1	2	3	4	5
वर्ष 2016-17				
20.	गोवा	तटवर्ती परिपथ	गोवा में तटवर्ती परिपथ (सिंक्वेरियम-बागा-अंजुना-वेगेटर-मोरजिम-केरी-अगौदा किला और अगौदा जेल) का विकास।	99.99
21.	जम्मू और कश्मीर	हिमालयन परिपथ	जम्मू और कश्मीर राज्य में पर्यटन अवसंरचना परियोजनाओं का एकीकृत विकास	82.97
22.	तेलंगाना	जनजातीय परिपथ	तेलंगाना में मुलुगु-लकनावरम-मेदावरम-तडवई-दमारवी-मल्लूर-बोगाथा जलप्रपात का जनजातीय परिपथ के रूप में एकीकृत विकास	84.40
23.	मेघालय	पूर्वोत्तर परिपथ	उमियम (लेक-व्यू) युलुम-सोहपेटबनेंग-मावडियांगडियांग-आर्किड लेक रिजार्ट, मेघालय का विकास	99.13
24.	मध्य प्रदेश	बौद्ध परिपथ	मध्य प्रदेश में सांची-सतना-रीवा-मंदसौर-धार में बौद्ध परिपथ का विकास	74.94
25.	केरल	आध्यात्मिक परिपथ	पाथानामथिट्टा जिला, केरल में आध्यात्मिक परिपथ के रूप में सबरीमाला-एरुमेलि-पम्पा-सन्नीधानम का विकास	99.99
26.	कर्नाटक	तटवर्ती परिपथ	कर्नाटक में दक्षिण कन्नड़ जिला, उत्तर कन्नड़ जिला एवं उडुपी जिला में तटीय परिपथ का विकास	95.67
27.	मणिपुर	आध्यात्मिक परिपथ	आध्यात्मिक परिपथ — श्रीगोविंदजी मंदिर-श्रीबिजय गोविंदजी मंदिर-श्रीगोपीनाथ मंदिर-श्रीबंगशीबोदन मंदिर-श्रीकैना मंदिर, मणिपुर का विकास	53.80
28.	गुजरात	विरासत परिपथ	गुजरात में अहमदाबाद-राजकोट-पोरबंदर-बारदोली-दांडी में विरासत परिपथ का विकास	93.48
29.	हरियाणा	कृष्णा परिपथ	कुरुक्षेत्र, हरियाणा में महाभारत से संबंधित स्थानों में पर्यटन अवसंरचना विकास	97.35
30.	राजस्थान	कृष्णा परिपथ	राजस्थान में गोविन्दे देव जी मंदिर (जयपुर), खाटूश्याम जी (सीकर) और नाथद्वारा (राजसमंद) का एकीकृत विकास	91.45
31.	सिक्किम	पूर्वोत्तर परिपथ	सिक्किम में सिंगतम-माका-तेमी-बेरमोइक तोकल-फोंगिया-नामची-जोरथांग-ओकारे-सोमबारिया-दरमदीन-जोरेथांग-मेली (निकास) को जोड़ने वाले पर्यटक परिपथ विकास	95.32
32.	मध्य प्रदेश	विरासत परिपथ	विरासत परिपथ का विकास (ग्वालियर-ओरछा-खजुराहो-चंदेरी-भीमबेटका-माडुं) मध्य प्रदेश	99.77
33.	केरल	आध्यात्मिक परिपथ	केरल में आध्यात्मिक परिपथ के रूप में श्री पदमनाभा अरनामुला-सबरीमाला का विकास	92.44

1	2	3	4	5
34.	बिहार	तीर्थंकर परिपथ	बिहार में आध्यात्मिक परिपथ के रूप में जैन परिपथ: वैशाली-आरा-मसाद-पटना-राजगीर-पावापुरी-चंपापुरी का विकास	52.39
35.	बिहार	आध्यात्मिक परिपथ	बिहार में आध्यात्मिक परिपथ के अंतर्गत कांवड़िया रूट, सुल्तानगंज देवघर का एकीकृत विकास - धर्मशाला	52.35
36.	ओडिशा	तटवर्ती परिपथ	ओडिशा में तटवर्ती परिपथ के रूप में गोपालपुर, बारकुल, सतपदा और तंपारा का विकास	76.49
37.	नागालैंड	जनजातीय परिपथ	नागालैंड में जनजातीय परिपथ का विकास (मोकोकचुंग-तुएनसांग-मोन)	99.67
38.	उत्तराखंड	विरासत परिपथ	उत्तराखंड में कुमांऊ क्षेत्र में कटारमलदेवीधुरा-बैजनाथ-जोगेश्वर-विरासत परिपथ का एकीकृत विकास	81.94
39.	जम्मू और कश्मीर	हिमालयन परिपथ	जम्मू और कश्मीर में हिमालयन परिपथ थीम के तहत जम्मू-राजौरी-शॉपियन-पुलवामा में पर्यटक सुविधाओं का एकीकृत विकास	96.38
40.	जम्मू और कश्मीर	हिमालयन परिपथ	जम्मू और कश्मीर के लिए प्रधानमंत्री विकास पैकेज के तहत 2014 में आई बाढ़ में हुई तबाही के एवज में परिसंपत्तियों के निर्माण के तहत पर्यटन सुविधा	98.70
41.	जम्मू और कश्मीर	हिमालयन परिपथ	जम्मू और कश्मीर में हिमालयन परिपथ थीम के तहत मंतालाई-सुधमहादेव-पटनीटॉप में पर्यटक सुविधाओं का एकीकृत विकास	97.82
42.	जम्मू और कश्मीर	हिमालयन परिपथ	जम्मू और कश्मीर में हिमालयन परिपथ थीम के अनंतनाग-किश्तवार-पहलगाम-दकसुम-रंजीत सागर बांध पर पर्यटक सुविधाओं का एकीकृत विकास	96.39
43.	जम्मू और कश्मीर	हिमालयन परिपथ	जम्मू और कश्मीर में हिमालयन परिपथ थीम के तहत गुलमर्ग-बारामुला-कुपवाड़ा-लेह परिपथ पर पर्यटक सुविधाओं का एकीकृत विकास	96.93
44.	उत्तर प्रदेश	बौद्ध परिपथ	उत्तर प्रदेश में श्रावस्ती, कुशीनगर एवं कपिलवस्तु बौद्ध परिपथ का विकास	99.97
45.	उत्तर प्रदेश	रामायण परिपथ	उत्तर प्रदेश में चित्रकूट और श्रृंगवेरपुर का रामायण परिपथ के रूप में विकास	69.45
46.	अंडमान और निकोबार द्वीपसमूह	तटवर्ती परिपथ	स्वदेश दर्शन योजना के तटवर्ती थीमैटिक परिपथ के तहत अंडमान और निकोबार में तटवर्ती परिपथ का विकास (लांग आईलैंड-रास स्मिथ आईलैंड-नील आईलैंड-हैवलॉक आईलैंड-वाराटांग आईलैंड-पोर्ट ब्लेयर)	42.19

1	2	3	4	5
47.	तमिलनाडु	तटवर्ती परिपथ	स्वदेश दर्शन योजना के तहत तमिलनाडु में तटवर्ती परिपथ का विकास (चैन्नई-मामल्लापुरम-रामेश्वरम-मानपाडु-कन्याकुमारी)	99.92
48.	उत्तर प्रदेश	आध्यात्मिक परिपथ	आध्यात्मिक परिपथ का विकास (शाहजहांपुर-बस्ती-अहर-अलीगढ़-कासगंज-सरोसी-प्रतापगढ-उन्नाव-कौशाम्बी-मिर्जापुर-गोरखपुर-केराना-दुमरियागंज-बागपत-बाराबंकी-आजमगढ़)	76.00
49.	उत्तर प्रदेश	आध्यात्मिक परिपथ	स्वदेश दर्शन योजना के तहत उत्तर प्रदेश में आध्यात्मिक परिपथ-II का विकास (बिजनौर-मेरठ-कानपुर-कानपुर देहात-बांदा-गाजीपुर- सलेमपुर-घोसी-बलिया-अंबेडकर नगर-अलीगढ़-फतेहपुर-देवरिया-महोबा-सोनभद्र-चन्दौली-मिसरिख-भदोही)	63.77
50.	उत्तर प्रदेश	विरासत परिपथ	स्वदेश दर्शन योजना के तहत उत्तर प्रदेश में विरासत परिपथ (कालिंजर किला (बांदा)-मरहर धाम (संतकबीर नगर)-चौरी चौरा, शहीद स्थल (फतेहपुर)-मावाहर स्थल (घोसी)- शहीद स्मारक (मेरठ) का विकास	41.51
51.	बिहार	बौद्ध परिपथ	बौद्ध परिपथ का विकास-बोधगया, बिहार में, सांस्कृतिक केन्द्र का निर्माण	98.73
52.	असम	विरासत परिपथ	स्वदेश दर्शन योजना के तहत असम में विरासत परिपथ के रूप में तेजपुर-माजुली-सिबसागर का विकास	98.35
53.	हिमाचल प्रदेश	हिमालयन परिपथ	स्वदेश दर्शन योजना के तहत हिमाचल प्रदेश में हिमालयन परिपथ का एकीकृत विकास	99.76
54.	मिज़ोरम	इको परिपथ	स्वदेश दर्शन योजना के इको परिपथ थीम के तहत "इको-रोमांचकारी परिपथ आइजवाल-रॉपुइछिप-खॉहफॉव-लेंगपुर-डर्टलॉग-चतलांग-सकव्रवमुईट्वेट-लॉग-मुथी-बेराटलॉग-तुइरियाल एयर फील्ड-मुईफॉग" का विकास	99.07
55.	राजस्थान	आध्यात्मिक परिपथ	स्वदेश दर्शन योजना के तहत राजस्थान में आध्यात्मिक परिपथ-चुरु (सालासर बालाजी)-जयपुर (श्री समोदे बालाजी, घटके बालाजी, बांधेक बालाजी) - अलवर (पांडुपोल हनुमानजी, भरतहरि) -विराटनगर (बीजक, जैन्नासिया, अम्बिका मंदिर)-भरतपुर (कमान क्षेत्र)-धौलपुर (मुचकुंद)-मेहंदीपुर बालाजी-चित्तौड़गढ़ (सॉवलियाजी) का विकास	93.90
56.	गुजरात	विरासत परिपथ	स्वदेश दर्शन योजना के तहत गुजरात में विरासत परिपथ : वाडनगर-मोधेरा और पाटन का विकास	99.81
	2016-17 का योग			3191.38

1	2	3	4	5
वर्ष 2017-18				
57.	बिहार	ग्रामीण परिपथ	स्वदेश दर्शन योजना के ग्रामीण परिपथ थीम के अंतर्गत बिहार में गांधी परिपथ : भितिहरवा-चन्द्रहिया-तुरकौलिया का विकास	44.65
58.	गोवा	तटवर्ती परिपथ	स्वदेश दर्शन योजना के तहत अंतर्गत गोवा में तटवर्ती परिपथ-II: रुआ दि ओरम क्रीक-डोन पौला-कोलवा-बेनौलिम का विकास	99.35
59.	गुजरात	बौद्ध परिपथ	स्वदेश दर्शन योजना के तहत गुजरात में बौद्ध परिपथ : जूनागढ़-गिर-सोमनाथ-भड़ूच-कच्छ-भावनगर-राजकोट-मेंहसांणा का विकास	35.99
60.	पुदुचेरी	विरासत परिपथ	स्वदेश दर्शन योजना के तहत पुदुचेरी में विरासत परिपथ का विकास	66.35
61.	पुदुचेरी	आध्यात्मिक परिपथ	स्वदेश दर्शन योजना के तहत पुदुचेरी में आध्यात्मिक परिपथ का विकास	40.68
62.	राजस्थान	विरासत परिपथ	स्वदेश दर्शन योजना के तहत अंतर्गत राजस्थान में विरासत परिपथ : राजसमंद (कुंभलगढ़ का किला) - जयपुर (नाहरगढ़ का किला) - अलवर (बाला किला)-सवाई माधोपुर (रणथम्बौर) का किला और खंडार किला)-झलावड़-(गागरों का किला)-चित्तौड़गढ़ (चित्तौड़गढ़ का किला)-जैसलमेर (जैसलमेर का किला) - हनुमानगढ़ (कालीबंगन, भटनेर किला और गोगामेड़ी)-जलोड़ (जलोड़ का किला) - उदयपुर (प्रताप गौरव केन्द्र)-धौलपुर (बाग ई-निलोफर और पुरानी छावनी)-नागौर (मीराबाई मंदिर) का विकास।	99.60
63.	तेलंगाना	विरासत परिपथ	स्वदेश दर्शन योजना के तहत तेलंगाना में विरासत परिपथ : कुतुब शाही विरासती पार्क-पाइगाह का मज़ार-हयात बक्शी की मस्जिद, रेमण्ड की मज़ार का विकास।	99.42
64.	बिहार	आध्यात्मिक परिपथ	स्वदेश दर्शन योजना के आध्यात्मिक परिपथ के तहत मंदार हिल और अंग प्रदेश का विकास	53.49
65.	मध्य प्रदेश	इको परिपथ	स्वदेश दर्शन योजना के इको परिपथ के अंतर्गत गांधीसागर बांध, मंडलेश्वर बांध, ओंमकारेश्वर बांध, इन्दिरा सागर बांध, तवा बांध, बारगी बांध, भेड़ाघाट-बनसागर बांध, केन रिवर का विकास	99.62
66.	उत्तर प्रदेश	रामायण परिपथ	स्वदेश दर्शन योजना के रामायण परिपथ के अंतर्गत अयोध्या का का विकास	133.31
67.	आंध्र प्रदेश	बौद्ध परिपथ	स्वदेश दर्शन योजना के अंतर्गत आंध्र प्रदेश में बौद्ध परिपथ थीम के अंतर्गत शामिलहुंडम-थोटलाकोंडा-बावीकोंडा-बोज्जनाकोंडा-अमरावती-अनुपू बौद्ध परिपथ का विकास	52.34
	2017-18 का योग			824.8

1	2	3	4	5
वर्ष 2018-19				
68.	महाराष्ट्र	आध्यात्मिक परिपथ	महराष्ट्र में वाकी-अडासा-धापेवाड़ा-पराधसिंघा-छोटा ताज बाग-तेलाखांडी-गिराड का विकास	54.01
69.		बौद्ध परिपथ और रामायण परिपथ	पर्यटन मंत्रालय द्वारा बौद्ध परिपथ और रामायण परिपथ के तहत मार्गस्थ सुविधाओं का विकास: वाराणसी-गया; लखनऊ-अयोध्या-गोरखपुर-कुशीनगर, कुशीनगर-गया-कुशीनगर	18.10
	2018-19 का योग			72.11
	कुल योग			5711.79

ए.टी.एफ. ईंधन

1986. **श्री मुथमसेटी श्रीनिवास राव (अवंती) : क्या पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या भारत पेट्रोलियम निगम लिमिटेड, हिन्दुस्तान पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन लिमिटेड और इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन लिमिटेड, मुंबई के छत्रपति शिवाजी अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे पर सभी विमानों को रिफाइनरियों से दो पाइपलाइनों के माध्यम से ईंधन प्रदान करते हैं और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ख) क्या रिलायंस इंडस्ट्रीज लिमिटेड ने पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस विनियामक बोर्ड (पीएनजीआरबी) से इन पाइपलाइनों को सामान्य संवाहक घोषित करने का अनुरोध किया है जिससे उसे उन तक पहुंच की अनुमति मिल पाएगी और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) क्या पीएनजीआरबी ने इस संबंध में कोई भी अनुमति प्रदान करने से पहले सरकारी क्षेत्र की तेल विपणन कंपनियों से विचार-विमर्श किया है/करने का विचार किया है और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं?

पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्री तथा कौशल विकास और उद्यमशीलता मंत्री (श्री धर्मेन्द्र प्रधान) : (क) पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस विनियामक बोर्ड (पीएनजीआरबी) ने बताया है कि भारत पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन लि. (बीपीसीएल) ने माहुल, मुंबई में स्थित अपनी रिफाइनरी से सांताक्रूज एयरपोर्ट, मुंबई तक 1.44 एमएमटीपीए डिजाइन क्षमता की 15 कि.मी. लंबी विमानन टर्बाइन ईंधन (एटीएफ) पाइपलाइन बिछाई है। हिन्दुस्तान पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन लि. (एचपीसीएल) ने अपनी मुंबई रिफाइनरी से सहार, मुंबई एयरपोर्ट में स्थित भंडारण स्थल तक 1.10 एमएमटीपीए डिजाइन क्षमता की 19.65 कि.मी. लंबी एटीएफ पाइपलाइन चालू की है। इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन लि. ने बताया है कि वे इन पाइपलाइनों के जरिए मुंबई एविएशन फ्यूल फॉर्म फैसिलिटी प्रा. लि. के स्वामित्व वाले भंडारण टैंक में ईंधन सहायता प्राप्त करते हैं। मुंबई एयरपोर्ट में एयरक्राफ्ट में पुनः ईंधन भरने का कार्य एक स्वतंत्र प्रचालक के माध्यम से किया जाता है।

(ख) रिलायंस इंडस्ट्रीज लि. ने पीएनजीआरबी से अनुरोध किया है कि एचपीसीएल की रिफाइनरी से मुंबई इंटरनेशनल एयरपोर्ट लि. तक की एटीएफ पाइपलाइन और बीपीसीएल की रिफाइनरी से सांताक्रूज एयरपोर्ट, मुंबई तक की एटीएफ पाइपलाइन को एक कॉमन कैरियर पाइपलाइन घोषित किया जाए।

(ग) पीएनजीआरबी ने बताया है कि उन्होंने पीएनजीआरबी अधिनियम, 2006 की धारा 20(i) के संदर्भ में सार्वजनिक नोटिस जारी किया है।

[हिन्दी]

पेंशनधारकों के लिए स्वास्थ्य सेवाएं

1987. **श्री देवेन्द्र सिंह भोले : क्या श्रम और रोजगार मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार असंगठित क्षेत्र के पेंशनरों तथा कामगारों को कर्मचारी राज्य बीमा निगम के माध्यम से स्वास्थ्य सुविधाएं प्रदान करने पर विचार कर रही है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) इस योजना से देश के कितने श्रमिकों को राज्य/संघ राज्यक्षेत्र-वार लाभ होने की संभावना है;

(घ) इस पर कितना व्यय होने की संभावना है; और

(ङ) वर्तमान में देश में उक्त योजना से कितने पेंशनधारकों को राज्य/संघ राज्यक्षेत्र-वार लाभ मिल रहा है?

श्रम और रोजगार मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री संतोष कुमार गंगवार) : (क) जी, नहीं।

(ख) से (ङ) ऊपर (क) उ त्तर के मद्देनजर, प्रश्न नहीं उठता।

[अनुवाद]

विद्यालय की असुरक्षित इमारतें

1988. श्री कौशल किशोर : क्या **मानव संसाधन विकास मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने देश में असुरक्षित इमारतों में चल रहे विद्यालयों को चिन्हित करने हेतु कोई अध्ययन किया है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) सरकार द्वारा इस संबंध में विद्यालय जाने वाले बच्चों की सुरक्षा सुनिश्चित करने हेतु नीतिगत और प्रशासनिक संबंधी क्या कदम उठाए गए हैं/उठाए जा रहे हैं?

मानव संसाधन विकास मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री उपेन्द्र कुशवाहा) : (क) और (ख) एकीकृत जिला शिक्षा सूचना प्रणाली (यू-डाइज) वर्ष 2016-17 (अनंतिम) के अनुसार देश के 0.67% स्कूलों के भवन जर्जर स्थिति में हैं और 7.73% कक्षाओं को अधिक मरम्मत की आवश्यकता है।

(ग) नि:शुल्क और अनिवार्य बाल शिक्षा का अधिकार (आरटीई) अधिनियम, 2009 की धारा 19 में एक मान्यता प्राप्त स्कूल के लिए मानकों और मानदंडों की व्यवस्था है। आरटीई मानकों में, अन्य बातों के साथ-साथ, सभी मौसमों के लिए पूर्णतया: अनुकूल मजबूत भवन की व्यवस्था है। मानव संसाधन विकास मंत्रालय ने सभी राज्यों/संघ राज्य क्षेत्र सरकारों को अक्तूबर, 2014 में दिशा-निर्देश जारी किए है जिनमें कोई घटना घटित होने पर राहत और समाधान कार्यनीतियों के साथ-साथ स्कूल प्रणाली में आवश्यक उपचारात्मक तंत्रों और कार्यविधियों को लागू करने सहित स्कूल के बच्चों की संरक्षा और सुरक्षा सुनिश्चित करने को कहा गया है।

राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन प्राधिकरण (एनडीएमए) ने स्कूल शिक्षा नीति दिशा-निर्देश जारी किए हैं जिन्हें सितंबर, 2017 में अनुपालन हेतु सभी राज्यों और संघ राज्य क्षेत्रों को परिचालित किया गया था। इन दिशा-निर्देशों में स्कूलों में स्कूल प्रबंधन समिति (एसएमसी) द्वारा अग्नि सुरक्षा और खाद्य सुरक्षा सहित तिमाही सुरक्षा निरीक्षण आयोजित करने की व्यवस्था की है। ये दिशा-निर्देश मंत्रालय की वेबसाइट *www.mhrd.gov.in* पर उपलब्ध हैं।

सीबीएसई संबंधन नियमों के अनुसार भी संबंधन प्राप्त करने से पहले, स्कूल को सक्षम प्राधिकारी से इस आशय का प्रमाण-पत्र प्रस्तुत करना होता है कि स्कूल भवन सुरक्षित है।

क्षेत्रीय केन्द्र की स्थापना

1989. श्री एम. मुरली मोहन :
श्री गोकाराजू गंगा राजू :

क्या **मानव संसाधन विकास मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार नागार्जुन विश्वविद्यालय, आंध्र प्रदेश में 'क्षेत्रीय तेलुगु अध्ययन केन्द्र' की स्थापना से संबंधित आंध्र प्रदेश सरकार द्वारा भेजे गए निवेदन पर विचार कर रही है; और

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और यदि नहीं, तो तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

मानव संसाधन विकास मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा जल संसाधन, नदी विकास और गंगा संरक्षण मंत्रालय में राज्य मंत्री (डॉ. सत्यपाल सिंह) : (क) और (ख) भारत सरकार द्वारा केन्द्रीय भारतीय भाषा संस्थान (सीआईआईएल), मैसूर में प्राचीन (क्लासिकल) तेलुगु में अध्ययन हेतु पहले से ही एक उत्कृष्टता केन्द्र स्थापित किया गया है।

पर्यटन के प्रोत्साहन के लिए राष्ट्रीय नीति

1990. श्री मलयाद्रि श्रीराम : क्या **पर्यटन मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या पर्यटन मंत्रालय का देश में पर्यटन के विकास और प्रोत्साहन के लिए राष्ट्रीय नीति और कार्यक्रम बनाने का विचार है और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ख) क्या मंत्रालय का बड़े पैमाने पर रोजगार सृजित करने का विचार है; और

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और सरकार द्वारा इस संबंध में क्या कार्रवाई की गई है और कितनी निधि आबंटित की गई है?

पर्यटन मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री अलफोन्स कन्ननथनम) : (क) से (ग) हितधारकों, राज्यों सरकारों और संघ राज्यत क्षेत्र प्रशासनों, पर्यटन के क्षेत्र में प्रख्यात व्यक्तियों और आम लोगों से प्राप्त सुझावों को शामिल करते हुए एक नई राष्ट्रीय पर्यटन नीति का प्रारूप तैयार किया गया है। उस पर मंत्रिमंडल का अनुमोदन प्राप्त करने से पहले फिलहाल पर्यटन मंत्रालय में इस प्रारूप नीति की समीक्षा की जा रही है।

नई राष्ट्रीय पर्यटन नीति की कुछ प्रमुख विशेषताओं में निम्नलिखित शामिल हैं:—

- पर्यटन विकास में रोजगार सृजन और सामुदायिक भागीदारी पर नीति का फोकस करना।
- एक सतत और उत्तरदायी तरीके से पर्यटन के विकास पर जोर देना।
- विभिन्न मंत्रालयों, विभागों, राज्यों/संघ राज्यों क्षेत्रों और हितधारको के साथ लिंकेज को शामिल करते हुए एक व्यापक नीति तैयार करना।
- यह नीति को भारत को वैश्विक यात्रियों के लिए एक 'अवश्य अनुभव कीजिए' और 'परिवर्तनकारी' गंतव्य के रूप में विकसित करने और स्थापित करने का दृष्टिकोण तैयार करती है जबकि अपने देश के बारे में जानने के लिए भारतीयों को प्रोत्साहित करती है।
- देश की समृद्ध संस्कृति और विरासत के साथ-साथ चिकित्सा और निरोगता, बैठकें, प्रोत्साहन, सम्मेलन तथा प्रदर्शनियां (माइस), रोमांचकारी, वन्यजीव आदि जैसे नीश उत्पादों सहित विभिन्न पर्यटन उत्पादों का विकास और संवर्धन।
- कोर अवसंरचना (हावाई मार्ग, रेल मार्ग, सड़क मार्ग, जलमार्ग आदि) के साथ-साथ पर्यटन अवसंरचना का विकास।
- वोकेशनल से व्यावसायिक कौशल विकास और अवसर सृजन के स्पेमक्ट्रम में पर्यटन और आतिथ्य सेक्टरों में गुणवत्तापूर्ण मानव संसाधनों का विकास करना।
- पर्यटन और पर्यटन संबंधी अवसंरचना में निवेश के लिए समर्थित परिवेश का सृजन।
- पर्यटन में प्रौद्योगिकी समर्थित विकास पर जोर देना।
- पर्यटन वृद्धि के प्रमुख साधन के रूप में घरेलू पर्यटन पर फोकस।
- वैश्विक पर्यटक ट्रैफिक में महत्वपूर्ण योगदान करने वाले स्थापित स्रोत बाजारों और संभावित बाजारों में लक्षित और देश विशिष्ट अभियानों के साथ संवर्धन पर फोकस।
- बहु सेक्टर गतिविधि के आधार के रूप में पर्यटन पर जोर देना और भारत सरकार की महत्वपूर्ण/फ्लैगशिप योजनाओं के साथ मंत्रालय की गतिविधियों में सामंजस्य बनाना।

[हिन्दी]

श्रमिकों को आवासीय सुविधाएं

1992. श्री कृपाल बालाजी तुमाने :
श्रीमती भावना गवली (पाटील) :

क्या **श्रम और रोजगार मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का राष्ट्रीय आवासीय योजना की तरह बीड़ी श्रमिकों और गैर-कोयला खानों में काम कर रहे खनिकों को आवासीय सुविधाएं प्रदान करने का विचार है और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ख) क्या सरकार ने बीड़ी श्रमिकों और गैर-कोयला खानों में काम कर रहे खनिकों के लिए आवास के लिए राजसहायता को चार गुना बढ़ाने का प्रस्ताव किया है, और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) बीड़ी श्रमिकों और गैर-कोयला खानों के खनिकों के लिए आवासीय राजसहायता के लिए निर्धारित मानक क्या हैं;

(घ) वर्तमान में प्रदान की जा रही राजसहायता की कुल राशि कितनी है और इसे कितना बढ़ाए जाने की संभावना है; और

(ङ) गत तीन वर्षों में प्रत्येक वर्ष और चालू वर्ष के दौरान गैर-कोयला खानों में नियोजित खनिकों और बीड़ी श्रमिकों के लिए निर्मित किए गए घरों की राज्य/संघ राज्यक्षेत्र-वार संख्या कितनी है?

श्रम और रोजगार मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री संतोष कुमार गंगवार) : (क) श्रम एवं रोजगार मंत्रालय श्रम कल्याण संगठन के अधीन पंजीकृत बीड़ी, एलएसडीएम, आईओएमसी, अभ्रक खान एवं सिने कामगार जो संबंधित उद्योग में एक वर्ष अथवा अधिक समय से नियोजित रहे, को संशोधित एकीकृत आवासीय योजना (आरआईएचएस), 2016 के अंतर्गत आवासीय आर्थिक सहायता उपलब्ध कराता है।

(ख) नई संशोधित एकीकृत आवासीय योजना (आरआईएचएस), 2016 में आवासीय सहायता की स्लैब को आरआईएचएस, 2007 के अंतर्गत 40,000/- रुपए से बढ़ाकर 1,50,000/- रुपए किया गया है।

(ग) ब्यौरा संलग्न विवरण-I में दिया गया है।

(घ) संशोधित एकीकृत आवासीय योजना (आरआईएचएस), 2016 के अनुसार 1,50,000/- रुपए प्रति आवास की आर्थिक सहायता तीन किश्तों में उपलब्ध कराई जाती है।

(ङ) ब्यौरा संलग्न विवरण-II में दिया गया है।

विवरण-I

बीड़ी श्रमिकों और गैर-कोयला श्रमिकों के लिए आवासीय राजसहायता के लिए निर्धारित मानकों का ब्यौरा

सामान्य शर्त

(क) पात्रता

(i) एलडब्ल्यूओ के अंतर्गत पंजीकृत कोई भी बीड़ी, एलएसडीएम, आईओएमसी, अभ्रक तथा सिने कामगार जो संबंधित उद्योग में एक वर्ष अथवा अधिक के लिए नियोजित रहा है, वह अपने जीवन काल में केवल एक मकान का निर्माण करने के लिए पात्र होगा। तथापि, पात्रता लाभार्थी को आवास आर्थिक सहायता को अधिकार के रूप में दावा करने का हकदार नहीं बनाएगी।

(ii) आर्थिक सहायता प्रापत करने हेतु लाभार्थी के पास आधार पंजीकरण तथा जन-धन/बैंक खाता संख्या होनी चाहिए।

(iii) सभी शहरी क्षेत्रों के साथ-साथ ग्रामीण क्षेत्रों में स्थल का भूमि क्षेत्रफल 30 वर्गमीटर (निर्मित क्षेत्रफल) से कम नहीं होना चाहिए।

(iv) निर्माण लागत की ऊपरी सीमा पर कोई प्रतिबंध नहीं होगा। यदि लाभार्थी बैंक लोन लेता है तो सहायता राशि को मार्जिन/सीड राशि के रूप में प्रयोग किया जा सकता है। लाभार्थी मकान के निर्माण हेतु धन तथा वैयक्तिक/पारिवारिक शारीरिक श्रम के रूप में अंशदान करने के लिए स्वतंत्र होगा।

(v) आवेदन के पहले व बाद में आवेदक अथवा उसकी पत्नी/पति अथवा किसी आश्रित के नाम में भारतीय क्षेत्र में कोई अन्य पक्का मकान नहीं होना चाहिए।

विवरण-II

गैर कोयला खानों में नियोजित खनिकों और बीड़ी श्रमिकों के लिए निर्मित किए गए घरों का ब्यौरा

राज्य	2015-16		2016-17		2017-18		2018-19	
	बीड़ी कामगार	गैर-कोयला खान कामगार	बीड़ी कामगार	गैर-कोयला खान कामगार	बीड़ी कामगार	गैर-कोयला खान कामगार	बीड़ी कामगार	गैर-कोयला खान कामगार
1	2	3	4	5	6	7	8	9
आंध्र प्रदेश	–	–	–	–	11	–	233	–
असम	–	–	–	–	–	–	565	–
बिहार	1162	–	36	–	–	–	208	–
छत्तीसगढ़	–	–	–	–	–	–	105	–
गुजरात	–	–	33	–	925	–	245	–
झारखंड	182	–	–	–	–	–	–	–
कर्नाटक	489	–	06	–	07	–	428	–
केरल	85	–	125	–	70	–	45	–

1	2	3	4	5	6	7	8	9
मध्य प्रदेश	—	—	941	—	03	—	1699	—
महाराष्ट्र	08	—	03	—	1133	—	379	—
ओडिशा	3181	12	388	—	1379	13	654	—
राजस्थान	130	38	35	47	520	184	611	77
त्रिपुरा	—	—	—	—	—	—	—	—
तमिलनाडु	—	—	—	—	464	—	93	—
उत्तर प्रदेश	405	—	423	—	255	—	—	—
पश्चिम बंगाल	—	—	1506	—	6206	—	—	—

[हिन्दी]

मदरसों में गुणवत्तापूर्ण शिक्षा

1993. श्री गणेश सिंह : क्या **मानव संसाधन विकास मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि मध्य प्रदेश में गुणवत्तापूर्ण शिक्षा प्रदान करने के लिए योजना के अंतर्गत अनुदान प्राप्त कर रहे मदरसों को गत दो वर्षों के दौरान निधि प्राप्त नहीं हुई है;

(ख) वर्ष 2016-17 और 2017-18 के दौरान उनके लिए अनुदान जारी नहीं करने के क्या कारण हैं; और

(ग) वर्ष 2016-17 और 2017-18 के लिए कब तक अनुदान जारी करने की संभावना है?

मानव संसाधन विकास मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री उपेन्द्र कुशवाहा) : (क) से (ग) स्कूल शिक्षा और साक्षरता विभाग की मदरसों में गुणवत्तापूर्ण शिक्षा प्रदान करने हेतु योजना (एसपीक्यूईएम) के अंतर्गत, मध्य प्रदेश की राज्य सरकार को 1526.74 लाख रुपए की राशि दी गई थी जिससे 2016-17 के दौरान 1877 मदरसे लाभान्वित हुए। इसके अतिरिक्त, 2017-18 में, मध्य प्रदेश की राज्य सरकार को 846.746 लाख रुपए की राशि प्रदान की गई जिससे 1138 मदरसे लाभान्वित हुए।

दिनांक 14.01.2016 को वर्ष 2015-16 के लिए आयोजित केन्द्रीय सहायता अनुदान समिति (सीजीआईएसी) की बैठक के दौरान, यह निर्णय लिया गया कि योजना के अंतर्गत केवल उन मदरसों की सहायता की जाएगी जिनके पास राज्य सरकार द्वारा दिए गए एकीकृत जिला शिक्षा सूचना प्रणाली (यूडीआईएसई) कोड अथवा एक अद्वितीय पहचान/पंजीकरण कोड हैं। तद्नुसार, 2017-18 में अनुदान जारी करने के लिए उन 1138 मदरसों के नाम पर विचार किया गया जिनके पास यू-डीआईएसई 2016-17 के रिकॉर्डों के अनुसार यू-डीआईएसई कोड थे।

[अनुवाद]

प्रतिष्ठित स्थलों का विकास

+1994. श्री कीर्ति वर्धन सिंह : क्या **पर्यटन मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार की देश में पर्यटकों के भ्रमण वाले 10 प्रतिष्ठित स्थलों की सूची बनाने की योजना है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) सरकार द्वारा इन प्रतिष्ठित स्थलों को विकसित करने के लिए कितनी राशि आबंटित की गई है और इस परियोजना के किस समय-सीमा तक पूरे किए जाने की संभावना है?

पर्यटन मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री अलफोन्स कन्ननथनम) : (क) से (ग) वर्ष 2018-19 की बजट घोषणा के अनुपालन में पर्यटन मंत्रालय ने प्रतिष्ठित पर्यटक स्थल विकास परियोजना के तहत विकास के लिए देशम में 12 समूहों में निम्नलिखित 17 स्थलों: उत्तर प्रदेश - ताजमहल एवं फतेहपुर सीकरी; महाराष्ट्र - अजंता एवं एलोरा; दिल्ली - हुमायूं का मकबरा, लालकिला एवं कुतुबमीनार; गोवा - कोल्वा बीच; राजस्थान - आमेर का किला; गुजरात - सोमनाथ एवं धोलावीरा; मध्य

प्रदेश - खजुराहो; कर्नाटक - हम्पी; तमिलनाडु - महाबलीपुरम; असम - काजीरंगा; केरल - कुमारकोम; बिहार - महाबोधि की पहचान की है।

प्रतिष्ठित पर्यटक गंतव्यों का विकास पर्यटन मंत्रालय की चल रही स्वदेश दर्शन योजना के अंतर्गत कार्यान्वित किया जा रहा है। इस परियोजना के लिए निधियों का अलग से कोई आबंटन नहीं है।

मंत्रालय मास्टर प्लान तैयार करने और उपरोक्त स्थलों के लिए परियोजनाओं को तैयार करने के लिए परामर्शदाताओं की नियुक्ति की प्रक्रिया में है। परियोजनाओं के लिए समय-सीमा को परियोजना समूहों की पहचान के बाद ही अंतिम रूप दिया जाएगा।

[हिन्दी]

जनजातीय हस्तशिल्पों को प्रोत्साहित करना

1995. श्री मनोज तिवारी :
श्री हरि ओम पाण्डेय :

क्या **जनजातीय कार्य मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार के पास देश में, विशेष रूप से उत्तर प्रदेश में जनजातीय हस्तशिल्प के प्रोत्साहन के लिए कोई प्रस्ताव है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं?

जनजातीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री जसवंत सिंह सुमनभाई भाभोर) : (क) और (ख) जी, हां। जनजातीय कार्य मंत्रालय के माध्यम से सरकार उत्तर प्रदेश सहित, पूरे देश में जनजातीय हस्तशिल्प का संवर्धन करती है। जनजातीय कार्य मंत्रालय के अधीन राष्ट्रीय स्तर का शीर्ष संगठन भारतीय जनजातीय सहकारी विपणन एवं विकास संघ लिमिटेड (ट्राइफेड), पूरे देश और विदेश में जनजातीय हस्तशिल्प की प्रदर्शनी और विक्रय के लिए निम्नलिखित अवसर प्रदान करता है:—

- ट्राइब्स इंडिया दुकानों का नेटवर्क
- जिला/तहसील स्तर पर जनजातीय शिल्पकार मेला
- प्रदर्शनी - आदिशिल्प, आदिचित्र, आक्टेव आदि जैसे प्रदर्शनियों का आयोजन और इनमें प्रतिभागिता दोनों जो समय-समय पर पूरे देश में आयोजित की जाती हैं।
- ई-वाणिज्य-ट्राइफेड ने स्नेपडील और अमेजन जैसे ई-कॉमर्स मंचों के साथ समझौता किया है जो ऑनलाइन बिक्री की सुविधा के लिए क्रमशः *www.snapdeal.com और www.amazon.com* के अपने पोर्टलों के माध्यम से विभिन्न जनजातीय उत्पाद और उपज अपने ग्राहकों को उपलब्ध कराएंगे। जनजातीय कार्य मंत्रालय के अनुरोध पर, वाणिज्य मंत्रालय ने भी *www.gem.gov.in* पर ट्राइफेड के माध्यम से जनजातीय उत्पादों के विक्रय का प्रावधान किया है।

(ग) उपर्युक्त (क) और (ख) के उत्तर को देखते हुए प्रश्न नहीं उठता।

मदरसों का प्रशासन

1996. श्री ई.टी. मोहम्मद बशीर : क्या **मानव संसाधन विकास मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का विचार देश में मदरसों के प्रशासन के विनियमन में कोई बदलाव लाने का है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) क्या सरकार ने इस संबंध में विभिन्न हितधारकों के साथ विचार-विमर्श किया है तथा यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

मानव संसाधन विकास मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री उपेन्द्र कुशवाहा) : (क) देश में मदरसों के प्रशासन में मानव संसाधन विकास मंत्रालय के कोई भूमिका नहीं है।

(ख) और (ग) प्रश्न नहीं उठता।

रोजगार कार्यालयों का रूपांतरण

1997. श्री दुष्यंत सिंह : क्या **श्रम और रोजगार मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार रोजगार कार्यालय, जयपुर को आदर्श कैरियन केन्द्रों में बदलने के प्रस्ताव पर विचार कर रही है; और

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है तथा यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं?

श्रम और रोजगार मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री संतोष कुमार गंगवार) : (क) और (ख) मंत्रालय योग्यता-अनुरूप रोजगार, करियर परामर्श व्यावसायिक मार्गदर्शन, कौशल विकास पाठ्यक्रमों आदि के बारे में सूचना जैसी अनेक प्रकार की रोजगार संबंधी सेवाएं प्रदान करने के लिए राष्ट्रीय करियर सेवा (एनसीएस) परियोजना कार्यान्वित कर रहा है। ये सेवाएं राष्ट्रीय करियर सेवा पोर्टल (www.ncs.gov.in) पर ऑनलाइन

उपलब्ध हैं। एनसीएस परियोजना के तहत सेवाओं के बारे में जानकारी मल्टिपल डिलीवरी चैनलों के माध्यम से ली जा सकती है। इस परियोजना में रोजगार कार्यालयों और प्रख्यात संस्थानों में मॉडल करियर केन्द्रों की स्थापना भी शामिल है, ताकि प्रौद्योगिकी का उपयोग कर रोजगार संबंधी विविध सेवाएं प्रदान की जा सकें। सरकार को भरतपुर, बीकानेर, कोटा और जयपुर में मॉड्ल करियर केन्द्र स्थापित करने के लिए राजस्थान से चार प्रस्ताव प्राप्त हुए हैं। अंतर-मंत्रालयी मूल्यांकन समिति ने मॉड्ल करियर केन्द्र स्थापित करने के लिए तीन केन्द्रों, भरतपुर, बीकानेर और कोटा का अनुमोदन किया है।

[अनुवाद]

महाराष्ट्र में गुड़ सकुल

1998. श्री राजू शेट्टी : क्या सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का विचार महाराष्ट्र सहित देश के विभिन्न भागों में गुड़ सकुल विकसित करने का है;

(ख) यदि हां, तो इस संबंध में उपलब्ध कराई गई आवश्यक अवसंरचना सहित तत्संबंधी राज्य-वार ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या गुड़ का उत्पादन करने वाले किसानों को इस हेतु पंजीकृत किया गया था;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है तथा यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं; और

(ङ) सरकार द्वारा इस संबंध में क्या सुधारात्मक कदम उठाए गए हैं?

सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री गिरिराज सिंह) : (क) सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम मंत्रालय सूक्ष्म एवं लघु उद्यम क्लस्टर विकास कार्यक्रम (एमएसई-सीडीपी) तथा पारंपरिक उद्योगों के पुनरुज्जीवर के लिए निधि की योजना (स्फूर्ति) के तहत क्लस्टरों के विकास के लिए वित्तीय सहयोग प्रदान करता है।

(ख) एमएसई-सीडीपी तथा स्फूर्ति के तहत गुड़ क्लस्टर का कोई प्रस्ताव अनुमोदित नहीं किया गया है।

(ग) से (ङ) उपरोक्त 'ख' के दृष्टिगत प्रश्न नहीं उठता है।

महिला रोजगार दर

1999. श्रीमती सजदा अहमद : क्या श्रम और रोजगार मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या गत 10 वर्षों के दौरान महिलाओं की रोजगार दर में गिरावट आई है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है तथा इसके क्या कारण हैं तथा देश भर महिलाओं की रोजगार दर में वृद्धि लाने के लिए सरकार द्वारा क्या कदम उठाए गए हैं;

(ग) क्या सरकार ने नौकरियों में महिलाओं को अवसर देने में प्राथमिकता प्रदान किए जाने के लिए सरकारी एवं निजी संगठनों को कोई दिशानिर्देश जारी किया है तथा यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(घ) देश में वर्तमान में बेरोज़गार महिलाओं की राज्य-वार/संघ राज्यक्षेत्र-वारउ संख्या कितनी है?

श्रम और रोजगार मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री संतोष कुमार गंगवार) : (क) से (घ) रोजगार एवं बेरोजगारी के अनुमान राष्ट्रीय प्रतिदर्श सर्वेक्षण कार्यालय (एनएसएसओ), सांख्यिकी एवं कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय द्वारा आयोजित किए जाने वाले श्रम बल सर्वेक्षणों के माध्यम से प्राप्त किए जाते हैं। इसके अतिरिक्त, श्रम ब्यूरो, श्रम और रोजगार मंत्रालय वार्षिक रूप से रोजगार-बेरोजगारी सर्वेक्षण आयोजित करता है।

राष्ट्रीय प्रतिदर्श सर्वेक्षण कार्यालय (एनएसएसओ) द्वारा आयोजित किए गए सर्वाधिक हालिया श्रम बल सर्वेक्षणों के परिणामों के अनुसार, देश में सामान्य स्थिति आधार पर 2009-10 एवं 2011-12 के दौरान अनुमानित महिला कामगार जनसंख्या अनुपात (%) क्रमश: 26.6% एवं 23.7% है।

श्रम ब्यूरो द्वारा वर्ष 2012-13, 2013-14 एवं 2015-16 में आयोजित किए गए वार्षिक रोजगार-बेरोजगारी (ईयूएस) सर्वेक्षणों के विगत तीन चरणों के अनुसार, सामान्य स्थिति आधार पर 15 वर्ष एवं उससे अधिक आयु की महिलाओं हेतु कामगार जनसंख्या अनुपात क्रमश: 25.0%, 29.6% एवं 25.8% है। राज्य/संघ-राज्य क्षेत्र-वार ब्यौरा संलग्न विवरण में दिया गया है।

सरकार ने महिला रोजगार सहित रोजगार में वृद्धि करने के लिए विभिन्न कदम उठाए हैं, जैसे-अर्थव्यवस्था के निजी क्षेत्र को बढ़ावा देना, व्यापक निवेश वाली विभिन्न परियोजनाओं को तीव्रता से निष्पादित करना और सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्यम मंत्रालय द्वारा संचालित प्रधानमंत्री रोजगार सृजन कार्यक्रम (पीएमईजीपी), ग्रामीण विकास मंत्रालय द्वारा संचालित महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना (एमजीएनआरईजीएस) तथा पं. दीन दयाल उपाध्याय ग्रामीण कौशल्य योजना (डीडीयूजीकेवाई) और आवास एवं शहरी गरीबी उपशमन मंत्रालय द्वारा संचालित दीनदयाल अंत्योदय योजना — राष्ट्रीय शहरी आजीविका

मिशन (डीएवाई-एनयूएलएम) जैसी योजनाओं पर सार्वजनिक व्यय में वृद्धि करना।

प्रधानमंत्री मुद्रा योजना (पीएमएमवाई) के तहत, 0.25% की विशेष छूट महिला उधारकर्त्ताओं को दी जाती है। मुद्रा योजना के तहत लगभग 75% ऋण (31 मार्च, 2018 की स्थिति के अनुसार स्वीकृत कुल 12.27 करोड़ ऋण में से 9.02 करोड़) महिला उद्यमियों को प्रदान किया गया है।

श्रम और रोजगार मंत्रालय ने महिला श्रम भागीदारी दर को बढ़ाने के लिए कुछ अन्य प्रमुख कदम उठाने हेतु इस मुद्दे को लक्षित किया है, जिनमें प्रसूति लाभ (संशोधन) अधिनियम, 2017 का अधिनियमन, जिसमें सवैतनिक प्रसूति अवकाश को 12 सप्ताह से बढ़ाकर 26 सप्ताह तक करने का प्रावधान है, और 50 अथवा अधिक कर्मचारियों वाले प्रतिष्ठानों में शिशु देखभाल केन्द्र की सुविधा की व्यवस्था अनिवार्य करना; कारखाना अधिनियम, 1948 के अंतर्गत महिला कामगारों को पर्याप्त सुरक्षा उपायों के साथ रात्रिकालीन शिफ्ट में कार्य करने की अनुमति देने हेतु राज्यों को परामर्श-पत्र जारी करना शामिल हैं। समान पारिश्रमिक अधिनियम, 1976 में समान कार्य अथवा समान प्रकृति के कार्य के लिए महिला और पुरुष कामगारों को बिना किसी भेदभाव के समान पारिश्रमिक का भुगतान करने का प्रावधान है। इसके अतिरिक्त, न्यूनतम मजदूरी अधिनियम, 1948 के उपबंधों के अनुसार, संगत सरकार द्वारा निर्धारित मजदूरी पुरुष और महिला कामगारों के लिए समान रूप से लागू है और यह अधिनियम लिंग के आधार पर कोई भेदभाव नहीं करता है।

विवरण

तीसरे, चौथे एवं पांचवें ईयूएस के तहत सामान्य प्रमुख एवं सहायक स्थिति दृष्टिकोण के अनुसार 15 वर्ष और उससे अधिक आयु की महिलाओं से संबंधित राज्य/संघ राज्य क्षेत्र-वार कामगार जनसंख्या अनुपात

(% में)

क्र. सं.	राज्य/संघ राज्य क्षेत्र का नाम/अखिल भारत	2012-13	2013-14	2015-16
1	2	3	4	5
1.	आंध्र प्रदेश	44.9	49.6	47.0
2.	अरुणाचल प्रदेश	45.7	56.1	51.6
3.	असम	27.0	33.9	24.5
4.	बिहार	10.4	16.7	17.8
5.	छत्तीसगढ़	44.8	51.0	54.2
6.	दिल्ली	11.5	10.0	11.7
7.	गोवा	20.3	26.0	21.2
8.	गुजरात	16.4	24.5	19.9
9.	हरियाणा	15.4	16.5	18.7
10.	हिमाचल प्रदेश	56.6	59.4	15.1
11.	जम्मू और कश्मीर	12.3	16.4	7.9
12.	झारखंड	28.4	45.7	48.2
13.	कर्नाटक	32.2	34.5	33.3
14.	केरल	20.3	27.8	23.7
15.	मध्य प्रदेश	32.1	34.0	17.2
16.	महाराष्ट्र	32.8	34.6	32.8
17.	मणिपुर	36.9	50.8	46.4
18.	मेघालय	47.6	58.9	49.9
19.	मिज़ोरम	51.7	61.3	59.0
20.	नागालैंड	33.8	34.7	55.9
21.	ओडिशा	25.3	28.5	23.7
22.	पंजाब	11.8	9.4	9.4
23.	राजस्थान	27.4	33.9	31.9
24.	सिक्किम	39.5	50.7	48.2
25.	तमिलनाडु	35.0	39.6	39.3
26.	तेलंगाना	0.0	52.1	42.7
27.	त्रिपुरा	32.1	31.4	45.3
28.	उत्तराखंड	20.6	26.4	20.5
29.	उत्तर प्रदेश	11.4	14.0	12.0

1	2	3	4	5
30.	पश्चिम बंगाल	20.6	17.2	20.5
31.	अंडमान और निकोबार द्वीपसमूह	18.5	32.5	25.1
32.	चंडीगढ़	12.2	12.3	8.1
33.	दादरा और नगर हवेली	16.5	10.3	16.1
34.	दमन और दीव	8.3	1.9	15.2
35.	लक्षद्वीप	8.9	19.2	15.5
36.	पुदुचेरी	20.9	25.7	28.1
	अखिल भारत	25.0	29.6	25.8

स्रोत: श्रम ब्यूरो के रोजगार एवं बेरोजगारी सर्वेक्षण।

सांस्कृतिक दृष्टि से संवेदी जोनों की पहचान

2000. श्री हरि ओम पाण्डेय :
श्री मनोज तिवारी :

क्या **संस्कृति मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या निकट भविष्य में प्रसिद्ध सांस्कृतिक केन्द्रों हेतु देश में सांस्कृतिक दृष्टि से संवेदी जोनों की पहचान का कोई प्रस्ताव है;

(ख) यदि हां, तो उत्तर प्रदेश और दिल्ली/एनसीआर सहित राज्य-वार तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं; और

(घ) क्या इस संबंध में अब तक कोई दिशानिर्देश जारी किए गए हैं?

संस्कृति मंत्रालय के राज्य मंत्री तथा पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय में राज्य मंत्री (डॉ. महेश शर्मा) : (क) जी, नहीं।

(ख) प्रश्न नहीं उठता।

(ग) और (घ) उत्तर प्रदेश और दिल्ली/एनसीआर सहित देश भर में लोक कला और संस्कृति के विभिन्न रूपों को संरक्षित, परिरक्षित और प्रोत्साहित करने के लिए भारत सरकार द्वारा सात क्षेत्रीय सांस्कृतिक केन्द्रों (जेडसीसी) की स्थापना की गई है जिनके मुख्यालय पटियाला, नागपुर, उदयपुर, इलाहाबाद, कोलकाता, दीमापुर और तंजावुर में अवस्थित हैं।

[अनुवाद]

न्यूनतम मजदूरी

2001. श्री शंकर प्रसाद दत्ता :
डॉ. करण सिंह यादव :

क्या **श्रम और रोजगार मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का विभिन्न व्यापारों/व्यवसायों के लिए न्यूनतम मजदूरी बढ़ाने का विचार है और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ख) क्या सरकार ने इस संबंध में श्रमिक संघों के साथ परामर्श किया है और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और देश के श्रमिक वर्ग पर इस कदम का क्या प्रभाव पड़ने की संभावना है;

(ग) उपर्युक्त वर्गों के लिए न्यूनतम मजदूरी के अंतिम संशोधन का ब्यौरा क्या है और यह वृद्धि किस नियम या कानून के अंतर्गत की गई है;

(घ) क्या न्यूनतम मजदूरी में वृद्धि आर्थिक मंदी और आर्थिक विकास को ध्यान में रखते हुए की गई है और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ङ) सरकार द्वारा देश मे श्रमिक वर्ग के कल्याण और सुधार के लिए अन्य क्या कदम उठाए गए हैं/उठाए जा रहे हैं?

श्रम और रोजगार मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री संतोष कुमार गंगवार) : (क) से (घ) केन्द्रीय सरकार ने 19.01.2017 को केन्द्रीय क्षेत्र में अनुसूचित रोजगारों के लिए न्यूनतम मजदूरी के परिशोधन को अधिसूचित किया है। केन्द्रीय क्षेत्र के अंतर्गत 19.01.2017 से अनुसूचित रोजगार के लिए न्यूनतम मजदूरी में बढ़ोतरी संलग्न विवरण-I में दर्शायी गयी है।

केन्द्रीय क्षेत्र में मूल न्यूनतम मजदूरी का परिशोधन न्यूनतम मजदूरी सलाहकार बोर्ड (एमडब्ल्यूएबी) के परामर्श से किया जाता है जो एक त्रिपक्षीय निकाय है तथा इसमें मजदूर संघ शामिल होते हैं।

न्यूनतम मजदूरी के निर्धारण की कार्यपद्धति 15वें भारतीय श्रम सम्मेलन की सिफारिशों तक रेपटाकॉस एवं कंपनी बनाम इसके कामगारों के मामले में माननीय सर्वाच्च न्यायालय के निर्णय पर आधारित है।

न्यूनतम मजदूरी को स्फीति से बचाने के लिए, केन्द्रीय सरकार ने 1988 में संपन्न श्रम मंत्रियों के सम्मेलन की सिफारिश के संबंध में परिवर्तनीय महंगाई भत्ते (वीडीए) के विचार पर विचार-विमर्श किया। तद्नुसार, केन्द्रीय क्षेत्र में, उपभोक्ता मूल्य सूचकांक संख्या के आधार पर प्रत्येक वर्ष 1 अप्रैल और 1 अक्तूबर से प्रभावी परिवर्तनीय महंगाई

भत्ते(वीडीए) का परिशोधन वर्ष में दो बार किया जाता है। केन्द्रीय क्षेत्र में अंतर्गत मजदूरी की न्यूनतम दरों को दर्शाने वाला विवरण संलग्न विवरण-II पर दिया गया है।

(ङ) श्रमबल की बेहतरी तथा श्रमिकों के लिए कार्य की प्रतिष्ठापूर्ण दशाओं के निमित्त हाल ही में शुरू किए गए श्रम कल्याण के विभिन्न उपायों में कर्मचारी पेंशन स्कीम (ईपीएस), 1995 के अंतर्गत पेंशनधारियों को 1000/- रुपए प्रतिमाह की न्यूनतम पेंशन, भविष्य निधि खाते की सुवाह्यता, राष्ट्रीय कैरियर सेवा पोर्टल, कर्मचारी राज्य बीमा निगम 2.0 (ईएसआईसी के स्वास्थ्य सुधार), बोनस संदाय अधिनियम, 1965 के अंतर्गत पात्रता और परिकलन की अधिकतम सीमा में परिशोधन आदि शामिल हैं।

विवरण-I

अनूसूचित नियोजन के अंतर्गत विभिन्न श्रेणियों के लिए पुरानी एवं संशोधित मूल न्यूनतम मजदूरी को दर्शाने वाला तुलनात्मक विवरण

(मजदूरी रुपए प्रतिदिन में)
19.01.2017 से प्रभावी

अनुसूचित नियोजन का नाम	कामगार की श्रेणी	क्षेत्र क		क्षेत्र ख		क्षेत्र ग	
		पुराना	संशोधित	पुराना	संशोधित	पुराना	संशोधित
कृषि		237	333	216	303	214	300
	अकुशल	259	364	239	335	219	307
	अर्धकुशल/अकुशल पर्यवेक्षीय	281	395	259	364	238	334
	कुशल/लिपिकीय	312	438	289	407	259	364
झाड़ू लगाना एवं सफाई करना	अकुशल	374	523	312	437	250	350
रखवाली एवं निगरानी	बिना शस्त्र (प्रशिक्षण के साथ कौशल उन्नयन)	414	637	353	579	293	494
	सशस्त्र (पर्यवेक्षण के लिए उच्च कौशल सहित उन्नयन)	456	693	414	637	353	579
लादना एवं उतारना	अकुशल	374	523	312	437	250	350
निर्माण	अकुशल	374	523	312	437	250	350
	अर्ध-कुशल/अकुशल पर्यवेक्षण	414	579	353	494	293	410
	कुशल/लिपिकीय	456	637	414	579	353	494
	अति कुशल	495	693	456	637	414	579

		पुराना	संशोधित
पत्थर तोड़ने तथा पत्थर पीसने के लिए पत्थर खान में संलग्न कामगार	1. उत्खनन एवं 50 मीटर लीड/1.5 मीटर ऊंचाई सहित अधिक भार को हटाने में.		
	(क) मुलायम मिट्टी	252.00	351.00

	पुराना	संशोधित
(ख) कंकड़ सहित मुलायम मिट्टी	380.00	531.00
(ग) कंकड़	503.00	703.00
2. 50 मीटर लीड/1.5 मीटर ऊंचाई सहित छोटे गये पत्थरों को हटाना एवं जमा करने में: एक समान आकार में पत्थर तोड़ने अथवा पत्थर पीसने के लिए**	203.00	283.00
(क) 1.0 इंच से 1.5 इंच	1553.00	2171
(ख) 1.5 इंच से 3.0 इंच से ऊपर	1329.00	1857
(ग) 3.0 इंच से 5.0 इंच से ऊपर	778.00	1088
(घ) 5.0 इंच से ऊपर	639.00	893

		भूमि से ऊपर		भूमिगत	
गैर-कोयला खानें		पुराना	संशोधित	पुराना	संशोधित
	अकुशल	250	350	312	437
	अर्ध-कुशल/अकुशल पर्यवेक्षीय	312	437	374	523
	कुशल/लिपिकीय	374	523	436	610
	अति कुशल	436	610	495	683

*प्रति 2.831 घन मीटर अथवा 100 घन फीट।

**प्रति ट्रक 5.662 भार घन मीटर अथवा 200 घन फीट।

विवरण-II

केन्द्रीय क्षेत्र के अनुसूचित नियोजनों के लिए न्यूनतम मजदूरी की क्षेत्र-वार दरें

01.04.2018 की स्थिति के अनुसार

अनुसूचित नियोजन का नाम	कामगार की श्रेणी	परिवर्ती महंगाई भत्ते सहित मजदूरी की दरें प्रतिदिन (रुपए में)		
		क्षेत्र-क	क्षेत्र ख	क्षेत्र ग
1	2	3	4	5
1. कृषि	अकुशल	352.00	321.00	318.00
	अर्धकुशल/अकुशल पर्यवेक्षीय	385.00	354.00	325.00
	कुशल/लिपिकीय	418.00	385.00	353.00

1	2	3	4	5
	अतिकुशल	463.00	430.00	385.00
2. पत्थर तोड़ने तथा पत्थर पीसने के लिए पत्थर खान में संलग्न कामगार	1. उत्खनन एवं 50 मीटर लीड/1.5 मीटर ऊंचाई सहित अधिक भार को हटाने में:			
	(क) मुलायम मिट्टी		372.00	
	(ख) कंकड़ सहित मुलायम मिट्टी		561.00	
	(ग) कंकड़		743.00	
	2. 50 मीटर लीड/1.5 मीटर ऊंचाई सहित छोटे गये पत्थरों को हटाना एवं जमा करने में:		299.00	
	एक समान आकार में पत्थर तोड़ने अथवा पत्थर पीसने के लिए			
	(क) 1.0 इंच से 1.5 इंच		2293.00	
	(ख) 1.5 इंच से 3.0 इंच से ऊपर		1961.00	
	(ग) 3.0 इंच से 5.0 इंच से ऊपर		1150.00	
	(घ) 5.0 इंच से ऊपर		944.00	
3. झाड़ू लगाना एवं सफाई करना	अकुशल	553.00	462.00	370.00
4. पहरा एवं निगरानी	बिना शस्त्र के	673.00	612.00	522.00
	शस्त्र सहित	732.00	673.00	612.00
5. लादना एवं उतारना	अकुशल	553.00	462.00	370.00
6. निर्माण	अकुशल	553.00	462.00	370.00
	अधु-कुशल/अकुशल पर्यवेक्षण	612.00	522.00	433.00
	कुशल/लिपिकीय	673.00	612.00	522.00
	अति कुशल	732.00	673.00	612.00
7. गैर-कोयला खानें		भूमि के ऊपर	भूमि के नीचे	
	अकुशल	370.00	462.00	
	अधु-कुशल/अकुशल पर्यवेक्षण	462.00	553.00	
	कुशल/लिपिकीय	553.00	645.00	
	अति कुशल	645.00	722.00	

अनुसूचित नियोजन का नाम	नामावली
1. कृषि	कृषि
2. पत्थर तोड़ने तथा पत्थर पीसने के लिए पत्थर खानों में संलग्न कामगार	पत्थर तोड़ने तथा पत्थर पीसने के लिए पत्थर खानों में संलग्न कामगार
3. झाडू लगाना एवं सफाई करना	हाथ से मल साफ करने और सूखे शौच का निर्माण (प्रतिषेध) अधिनियम, 1993 के अंतर्गत शामिल कार्यों को छोड़कर झाडू लगाने एवं सफाई करने के कार्य संबंधी नियोजन
4. पहरा एवं निगरानी	पहरा-निगरानी संबंधी नियोजन
5. लादने एवं उतारने	लादने एवं उतारने संबंधी कार्य (i) रेलवे के गुड्स शेड्स, पार्सल कार्यालय (ii) अन्य गुड्स-शेड्स, गोदामों, वेयर हाउसों आदि और (iii) गोदी एवं पत्तनों में नियोजन
6. निर्माण	निर्माण अथवा सड़कों का अनुरक्षण अथवा रनवे अथवा भूमिगत बिजली, वायरलेस, रेडियो, टेलीविजन, टेलीफोन, टेलीग्राफ तथा विदेशी दूरसंचार से जुड़े तारों को बिछाने एवं अन्य समरूप भूमिगत तार लगाने के कार्य, बिजली की लाइन, जल आपूर्ति का लाइन तथा सिवरेज पाइप लाइनों के कार्य
7. कोयला खानों के अलावा	जिप्समखान, बेराइट्सखान, बाक्साइटखान, मैग्नीज, चीनीमिट्टी, केनाइट, तांबा, क्ले, मैग्नेसाइट, व्हाईटक्ले, पत्थर, स्टीएटाइट खान (खानों में उत्पन्न होने वाले साबुन, पत्थर एवं पाउडर सहित), ऑशर, एसबेसटस, फायरक्ले, क्रोमाइट, क्वार्टजाइट, क्वार्टज, सिलिका, ग्रेफाइट, फेल्सपर, लेटेराइट, डोलोमाइट, रेडऑक्साइड, वोल्फ्रेम, लौह-अयस्क, ग्रेनाइट, रॉकफास्फेट, हेमाटाइट, मार्बल एवं कैल्साइट, यूरेनियम, अभ्रक, लिग्नाइट, ग्रेव, स्लेट तथा मैग्नेटाइट खान के नियोजन में कार्यरत कर्मचारी।

क्षेत्र का वर्गीकरण

क्षेत्र - "क"

अहमदाबाद	(यूए)	हैदराबाद	(यूए)	फरीदाबाद कॉम्पलैक्स	
बंगलूरु	(यूए)	कानपुर	(यूए)	गाजियाबाद	
कोलकाता	(यूए)	लखनऊ	(यूए)	गुड़गांव	
दिल्ली	(यूए)	चैन्नई	(यूए)	नोएडा	
बृहत मुंबई	(यूए)	नागपुर	(यूए)	सिकन्दराबाद	
नवीमुंबई		पुणे	(यूए)		

क्षेत्र - "ख"

आगरा	(यूए)	ग्वालियर	(यूए)	पोर्टब्लेयर	(यूए)
अजमेर	(यूए)	हुबली-धारवाड़	(नगर निगम)	पुदुचेरी	(यूए)
अलीगढ़	(यूए)	इंदौर	(यूए)	रायपुर	(यूए)

इलाहाबाद	(यूए)	जबलपुर	(यूए)	राउरकेला	(यूए)
अमरावती	(नगर निगम)	जयपुर	(नगर निगम)	राजकोट	(यूए)
अमृतसर	(यूए)	जालंधर	(यूए)	रांची	(यूए)
आसनसोल	(यूए)	जालंधर-कैंट	(यूए)	सहारनपुर	(नगर निगम)
औरंगाबाद	(यूए)	जम्मू	(यूए)	सैलम	(यूए)
बरेली	(यूए)	जामनगर	(यूए)	सांगली	(यूए)
बेलगांव	(यूए)	जमशेदपुर	(यूए)	शिलोंग	(यूए)
भावनगर	(यूए)	झांसी	(यूए)	सिलिगुड़ी	(यूए)
भिवंडी	(यूए)	जोधपुर	(यूए)	सोलापुर	(नगर निगम)
भोपाल	(यूए)	कन्नूर	(यूए)	श्रीनगर	(यूए)
भुवनेश्वर	(यूए)	कोच्ची	(यूए)	सूरत	(यूए)
बीकानेर	(नगर निगम)	कोल्हापुर	(यूए)	तिरुवनन्तपुरम	(यूए)
बोकारो स्टील सिटी	(यूए)	कोल्लम	(यूए)	त्रिशूर	(यूए)
चंडीगढ़	(यूए)	कोटा	(नगर निगम)	तिरुचिरापल्ली	(यूए)
कोयम्बटूर	(यूए)	कोझीकोड	(यूए)	तिरुपुर	(यूए)
कटक	(यूए)	लुधियाना	(नगर निगम)	उज्जैन	(नगर निगम)
देहरादून	(यूए)	मदुरै	(यूए)	वड़ोदरा	(यूए)
धनबाद	(यूए)	मालापुरम	(यूए)	वाराणसी	(यूए)
दुर्गापुर	(यूए)	मालेगांव	(यूए)	वसई-विरार सिटी	(यूए)
दुर्ग-भिलाईनगर	(यूए)	मंगलौर	(यूए)	विजयवाड़ा	(यूए)
इरोड	(यूए)	मेरठ	(यूए)	विशाखापत्तनम	(नगर निगम)
फिरोजाबाद	(यूए)	मुरादाबाद	(नगर निगम)	वारंगल	(यूए)
गोवा	(यूए)	मैसूर	(यूए)	गोरखपुर	(यूए)
नांदेड़ वघाला	(नगर निगम)	ग्रेटर विशाखापत्तनम	(नगर निगम)	नासिक	(यूए)
गुलबर्गा	(यूए)	नेल्लूर	(यूए)	गुन्टूर	(यूए)
पंचकुला	(यूए)	गुवाहाटी	(यूए)	पटना	(यूए)

क्षेत्र 'ग' वे सभी क्षेत्र शामिल होंगे, जिनका इस सूची में उल्लेख नहीं है।

द्रष्टव्यः यूए शहरी जनसंख्या वाले क्षेत्रों के लिए प्रयुक्त किया गया है।

असम में गैस कनेक्शन

2002. श्री रमेन डेका : क्या पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) असम में जिला-वार प्रधानमंत्री उज्जवला योजना (पीएमयूवाई) के लाभार्थियों का ब्यौरा क्या है; और

(ख) असम में जिला-वार पीएमयूवाई के अंतर्गत एलपीजी कनेक्शन प्रदान करने के लिए चयनित लाभार्थियों, परंतु कनेक्शन प्राप्त न करने वालों का ब्यौरा क्या है?

पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्री तथा कौशल विकास और उद्यमशीलता मंत्री (श्री धर्मेन्द्र प्रधान) : (क) और (ख) दिनांक 25.07.2018 की स्थिति के अनुसार प्रधानमंत्री उज्जवला योजना के तहत असम राज्य में जिला-वार जारी कनेक्शनों के ब्यौरे संलग्न विवरण में दिए गए हैं।

विवरण

असम राज्य में पीएमयूवाई (25.07.2018 की स्थिति के अनुसार) के तहत जिला-वार मंजूर किए गए आवेदन तथा जारी कनेक्शनों के ब्यौरे

क्र. सं.	जिला	मंजूर आवेदन	जारी कनेक्शन
1	2	3	4
1.	बक्सा	84,778	829,03
2.	बारपेटा	1,08,831	1,05,910
3.	विश्वनाथ	49,497	44,600
4.	बोंगईगांव	39,150	36,983
5.	कछार	78,935	70,023
6.	चारादिया	23,333	19,599
7.	चिरांग	47,466	44,269
8.	दरांग	86,678	84,866
9.	धेमाजी	50,789	47,607
10.	धुबरी	88,274	86,821
11.	डिब्रूगढ़	71,833	64,107
12.	गोलपाड़ा	48,925	48,563
13.	गोलपाड़ा उत्तर	20,910	20,578
14.	गोलाघाट	77,192	61,403
15.	हैलाकांडी	32,991	31,726
16.	होजाई	62,570	55,259
17.	जोरहाट	46,296	40,301
18.	कामरुप	1,11,594	1,05,513
19.	कामरुप मेट्रोपॉलिटन	36,359	33,350
20.	करबी एंगलॉग	30,656	24,667
21.	करीमगंज	49,345	42,899
22.	कोकराझार	61,694	59,095
23.	लखीमपुर	73,827	66,540
24.	माजुली	16,055	15,781
25.	मैरीगांव	81,629	78,445
26.	नागांव	15,480	1,43,101
27.	नलबाड़ी	79,975	66,457
28.	उत्तरी कैचर हिल्स	16,983	15,821
29.	एस सल्मारा मानकाचर	40,825	37,767
30.	सिबसागर	39,731	37,312
31.	सोनितपुर	72,878	65,921
32.	तिनसुकिया	65,808	54,800
33.	उदलगुड़ी	68,228	67,659
34.	पश्चिम करबी एंगलॉग	10,853	9680

[हिन्दी]

मुंबई-औरंगाबाद को बौद्ध परिपथ से जोड़ना

2003. श्री चन्द्रकांत खैरे :

एडवोकेट जोएस जॉज :

क्या **पर्यटन मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने हाल ही में स्वदेश दर्शन योजना के अंतर्गत बौद्ध पर्यटन परिपथ को देश के 'प्रथम पारदेशीय पर्यटन परिपथ बनाने के लिए उसे 21 अन्य राज्यों तक फैलाने का निर्णय लिया है और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ख) क्या बौद्ध पर्यटन परिपथ के प्रसार के कारण दक्षिण-पूर्व में पारंपरिक बाजारों के अलावा पश्चिम के बौद्ध पर्यटकों की संख्या में वृद्धि की संभावना है और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या मुंबई-औरंगाबाद और नागपुर शहरों को बौद्ध परिपथ के साथ जोड़ने का प्रस्ताव है; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है देश में गत तीन वर्षों के दौरान बौद्ध परिपथ के विकास के लिए व्यय की गई राशि का ब्यौरा क्या है?

पर्यटन मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री अलफोन्स कन्ननथनम) : (क) से (घ) पर्यटन मंत्राल ने अपनी स्वदेश दर्शन योजना के अंतर्गत देश में विकास के लिए थीमेटिक परिपथों में से एक के रूप में बौद्ध परिपथ की पहचान की है। इस परिपथ के अंतर्गत बौद्ध धर्म से संबंधित देश के सभी स्थल कवर किए गए हैं।

इस योजना के अंतर्गत विकास हेतु राज्य सरकारों/संघ राज्य क्षेत्र प्रशासनों के परामर्श से परियोजनाओं की पहचान की जाती है और निधियों की उपलब्धता, संगत विस्तृत परियोजना रिपोर्टों को प्रस्तुत करने, योजना दिशा-निर्देशों के अनुपालन और पहले जारी निधियों के उपयोग की शर्त पर स्वीकृत की जाती हैं। उपरोक्त के आधार पर, मंत्रालय ने स्वदेश दर्शन योजना के बौद्ध परिपथ थीम के अंतर्गत निम्नलिखित परियोजनाएं स्वीकृत की हैं:—

(करोड़ रुपए में)

क्र. सं.	राज्य एवं वर्ष	परियोजना का नाम	स्वीकृत राशि	निर्मुक्त राशि
1.	मध्य प्रदेश (2016-17)	मध्य प्रदेश में बौद्ध परिपथ - सांची-सतना-रीवा-मंदसौर - धार का विकास	74.94	37.47
2.	उत्तर प्रदेश (2016-17)	उत्तर प्रदेश में बौद्ध परिपथ - श्रावस्ती, कुशीनगर एवं कपिलवस्तु का विकास	99.97	19.99
3.	बिहार (2016-17)	बोधगया, बिहार में माया सरोवर के पश्चिमी तट के समीप सांस्कृतिक केन्द्र का निर्माण	98.73	19.75
4.	गुजरात (2017-18)	स्वदेश दर्शन योजना के अंतर्गत गुजरात में बौद्ध परिपथ : जूनागढ़-गिर-सोमनाथ-भड़ूच-कच्छ-भावनगर-राजकोट-मेहसाणा का विकास	35.99	7.20
5.	आंध्र प्रदेश (2017-18)	स्वदेश दर्शन योजना के बौद्ध परिपथ थीम के अंतर्गत आंध्र प्रदेश में बौद्ध परिपथ : शालिहुंदम - थोटलाकोंडा - बाविकोंडा - बोजनाकोंडा - अमरावती - अनुपू का विकास	52.34	10.47
		कुल	361.97	94.88

योजना के अंतर्गत परियोजनाएं सुनियोजित/प्राथमिकता प्रदत्त तरीके से और गंतव्यों पर आगन्तुक अनुभव/संतुष्टि बढ़ाने के लिए परिपथों को विकसित करने के उद्देश्य से स्वीकृत की जाती हैं जिसके परिणामस्वरूप स्थलों पर घरेलू और अंतर्राष्ट्रीय पर्यटक प्रवाह बढ़ने की आशा की जाती है।

[अनुवाद]

विश्व धरोहर शृंखला स्मारक मेडल कार्यक्रम

2004. श्री जगदम्बिका पाल : क्या **संस्कृति मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने हाल ही में विश्व धरोहर शृंखला स्मारक मेडल कार्यक्रम प्रारंभ किया है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या सरकार ने यूनेस्को द्वारा जारी दिशानिर्देशों के अनुसार उत्तर प्रदेश सहित देश में धरोहर स्थलों के संरक्षण हेतु कोई कदम उठाए हैं; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी उत्तर प्रदेश सहित राज्य-वार ब्यौरा क्या है?

संस्कृति मंत्रालय के राज्य मंत्री तथा पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय में राज्य मंत्री (डॉ. महेश शर्मा) : (क) और (ख) जी, नहीं। सरकार ने कोई विश्व धरोहर शृंखला स्मारक मेडल कार्यक्रम शुरू नहीं किया है।

(ग) और (घ) जी हां। भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण निर्धारित अंतर्राष्ट्रीय और राष्ट्रीय दिशानिर्देशों का अनुपालन करते हुए उत्तर प्रदेश सहित देश में संरक्षित स्मारकों पर आवश्यक संरक्षण कार्य कर रहा है और वे भली भांति संरक्षित हैं।

[हिन्दी]

विश्वस्तरीय पर्यटन अवसंरचना का विकास

2005. श्री निहाल चन्द : क्या **पर्यटन मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने देश में पर्यटन के विकास हेतु विश्वस्तरीय अवसंरचना के विकास हेतु कोई कदम उठाए हैं;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और किन योजनाओं पर विकास कार्य प्रारंभ किया गया है; और

(ग) क्या पर्यटन क्षेत्र में अवसंरचनात्मक विकास के कारण देश में पर्यटकों की संख्या में वृद्धि हुई है यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए राजस्थान सहित राज्य-वार देश के विभिन्न भागों में विकसित किए जा रहे पर्यटक परिपथों का ब्यौरा क्या है?

पर्यटन मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री अलफोन्स कन्ननथनम) : (क) से (ग) पर्यटन मंत्रालय देश में अवसंरचना संबंधी पर्यटन के विकास हेतु स्वदेश दर्शन और तीर्थस्थल जीर्णोद्धार एवं आध्यात्मिक, विरासत संवर्धन अभियान पर राष्ट्रीय मिशन (प्रशाद) की योजनाओं के अंतर्गत राज्य सरकारों/संघ राज्य क्षेत्र प्रशासनों को केन्द्रीय वित्तीय सहायता देश में अवसंरचना संबंधी पर्यटन के विकास हेतु और केन्द्रीय एजेंसियों को सहायता प्रदान करता है।

स्वदेश दर्शन योजना के अंतर्गत विकास के लिए पंद्रह थीम आधारित परिपथों की पहचान की गई है जो पूर्वोत्तर परिपथ, बौद्ध परिपथ, हिमालय परिपथ, तटवर्ती परिपथ, कृष्णा परिपथ, मरुस्थल परिपथ, जनजातीय परिपथ, ईको परिपथ, वन्यजीव परिपथ, ग्रामीण परिपथ, आध्यात्मिक परिपथ, रामायण परिपथ, विरासत परिपथ, तीर्थंकर परिपथ और सूफी परिपथ हैं।

प्रशाद योजना के अंतर्गत 19 राज्यों में 26 धार्मिक शहरों/स्थलों की विकास हेतु पहचान की गई है जिनमें अन्य साथ-साथ अमरावती और श्रीसेलम (आंध्र प्रदेश), कामाख्या (असम), पटना और गया (बिहार), द्वारका और सोमनाथ (गुजरात), गुरुद्वारा नाडा साहेब (हरियाणा), हजरतबल और कटरा (जम्मू एवं कश्मीर), देवघर (झारखंड), चामुंडेश्वरी देवी (कर्नाटक), गुरुवयूर (केरल), ऊना (हिमाचल प्रदेश), ओंकारेश्वर (मध्य प्रदेश), त्रियम्बकेश्वर (महाराष्ट्र), पुरी (ओडिशा), अमृतसर (पंजाब), अजमेर (राजस्थान), कांचीपुरम और वेलाकन्नी (तमिलनाडु), वाराणसी और मथुरा (उत्तर प्रदेश), बद्रीनाथ और केदारनाथ (उत्तराखंड) और बेलूर (पश्चिम बंगाल) शामिल हैं।

पर्यटन अवसंरचना के विकास हेतु केन्द्रीय एजेंसियों को सहायता की योजना का उद्देश्य केन्द्रीय एजेंसियों जो परिसंपत्तियों की मालिक हैं, को केन्द्रीय वित्तीय सहायता के माध्यम से पर्यटन संबंधी अवसंरचना का विकास करना है।

उपरोक्त योजनाओं के अंतर्गत राजस्थान सहित विभिन्न राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों में स्वीकृत परियोजनाओं की सूची संलग्न विवरण में दी गई है।

वर्ष 2010-2017 की अवधि के दौरान वार्षिक वृद्धि के साथ-साथ भारत में विदेशी पर्यटक आगमनों की संख्या नीचे दी गई है:—

वर्ष	एफटीए (मिलियन में)	वार्षिक वृद्धि (% में)
2010	5.78	11.8
2011	6.31	9.2
2012	6.58	4.3
2013	6.97	5.9
2014	7.68	10.2
2015	8.03	4.5
2016	8.80	9.7
2017	10.04	14.0

विवरण

राजस्थान सहित विभिन्न राज्यों/संघ राज्यक्षेत्रों में स्वीकृत परियोजनाओं की सूची

स्वदेश दर्शन योजना (करोड़ रुपए में)

क्र. सं.	राज्य/संघ राज्य क्षेत्र	परिपथ का नाम	परियोजना का नाम	स्वीकृत राशि
1	2	3	4	5
वर्ष 2014-15				
1.	अरुणाचल प्रदेश	पूर्वोत्तर परिपथ	अरुणाचल प्रदेश में भालुकपोंग-बोमडिला और तवांग में मेगा परिपथ का विकास	49.77
2.	आंध्र प्रदेश	तटवर्ती परिपथ	आंध्र प्रदेश में विश्वस्तरीय तटवर्ती एवं ईको पर्यटन परिपथ के रूप में काकीनाडा होप आईलैंड कोनासीमा का विकास	69.83
	2014-15 का योग			119.6
वर्ष 2015-16				
3.	मणिपुर	पूर्वोत्तर परिपथ	मणिपुर में पर्यटक परिपथ का विकास : इंफाल-मोइरांग-खोंजोम-मोरेह	89.66
4.	सिक्किम	पूर्वोत्तर परिपथ	सिक्किम में रांग्पो (प्रवेश)- रोराथांग-अरितर-फाडमचेन-नाथंग-शेराथांग-त्सोंग्मो-गंगटोक-फोडोंग-मंगन-लाचुंग-युमथांग-लाचेन-थांगू-गुरुदोंगमेर-मंगन-गंगटोक-तुमिन लिंगी-सिंगतम (निकास) को जोड़ने वाले पर्यटक का परिपथ का विकास	98.05
5.	उत्तराखंड	इको परिपथ	नए गंतव्य के रूप में उत्तराखंड, जिला टिहरी में टिहरी झील और आसपास के विकास के लिए इको-पर्यटन, रोमांचकारी, क्रीड़ा, पर्यटन से जुड़ी अवसंरचना का एकीकृत विकास	80.37
6.	राजस्थान	मरुस्थल परिपथ	मरुस्थल परिपथ के अंतर्गत राजस्थान में सांभर लेक टाउन एवं अन्य गंतव्यों का विकास	63.96
7.	नागालैंड	जनजातीय परिपथ	जनजातीय परिपथ पेरेन-कोहिमा-वोखा, नागालैंड का विकास	97.36
8.	मध्य प्रदेश	वन्यजीव परिपथ	मध्य प्रदेश में पन्ना-मुकुंदपुर-संजय-कन्हा-बांधवगढ़-डुबरी-पेन्च में वन्यजीव परिपथ का विकास	92.22
9.	आंध्र प्रदेश	तटवर्ती परिपथ	स्वदेश दर्शन योजना के अंतर्गत आंध्र प्रदेश में श्री पोट्टी श्रीरामलू नेल्लोर में तटवर्ती पर्यटन परिपथ का विकास	59.70
10.	तेलंगाना	इको परिपथ	तेलंगाना के महबूबनगर जिला में ईको पर्यटन परिपथ का एकीकृत विकास	91.62

1	2	3	4	5
11.	केरल	इको परिपथ	केरल के इडुकी और पाथानामथिट्टा जिलों में पाथानामथिट्टा-गावी-वागमोन-थेक्काडी का ईको पर्यटन परिपथ के रूप में विकास	90.06
12.	मिजोरम	पूर्वोत्तर परिपथ	थेंजावल के पूर्वोत्तकर परिपथ एवं साउथ जोट, जिला सेरचिप और रेईक, मिजोरम में स्वदेश दर्शन – पूर्वोत्तर परिपथ के अंतर्गत नए इको-पर्यटन का एकीकृत विकास	94.91
13.	असम	वन्य जीव परिपथ	असम में वन्य जीव परिपथ के रूप में मानस-प्रोबितोरा-नामेरी-काजीरंगा-धुबरी-सेखोवा का विकास	95.67
14.	पुदुचेरी	तटवर्ती परिपथ	'स्वदेश दर्शन' स्कीम के अंतर्गत पर्यटक परिपथ के रूप में पुदुचेरी संघ राज्य क्षेत्र का विकास (तटवर्ती परिपथ)	85.28
15.	अरुणाचल प्रदेश	पूर्वोत्तर परिपथ	अरुणाचल प्रदेश में नए रोमांचकारी पर्यटन का एकीकृत विकास	97.14
16.	त्रिपुरा	पूर्वोत्तर परिपथ	त्रिपुरा में: अगरतला-सिपाहिजला-मेलाघर-उदयपुर-अमरपुर-तीर्थमुख-मंदिरघाट-दुम्बूर-नरिकेलकुंज-गंडाचरा-अम्बासा पूर्वोत्तर परिपथ का विकास	99.59
17.	पश्चिम बंगाल	तटवर्ती परिपथ	पश्चिम बंगाल में समुद्रतट परिपथ : उदयपुर-शंकरपुर-दीघा-हेनरी द्वीप का विकास-बक्खलई-फ्रेजरगंज-मंदारमणि-ताजपुर	85.39
18.	छत्तीसगढ़	जनजातीय परिपथ	छत्तीसगढ़ में जशपुर-महेशपुर-अंबिकापुर-मैनपत-कुंकुरी-नथयानावगांव-कोंडागांव-गंगरेल-सरोदादादर-कुरदार-रतनपुर-तीर्थगढ़ में जनजातीय-चित्रकूट-जगदलपुर पर्यटन परिपथ का विकास	99.94
19.	महाराष्ट्र	तटवर्ती परिपथ	स्वदेश दर्शन योजना के अंतर्गत महाराष्ट्र में सिंधुदुर्ग तटवर्ती परिपथ का विकास	82.17
	2015-16 का कुल			1503.09
वर्ष 2016-17				
20.	गोवा	तटवर्ती परिपथ	गोवा में तटवर्ती परिपथ (सिंक्वेरियम-बागा-अंजुना-वेगेटर-मोरजिम-केरी-अगौदा किला और अगौदा जेल) का विकास।	99.99
21.	जम्मू और कश्मीर	हिमालयन परिपथ	जम्मू और कश्मीर राज्य में पर्यटन अवसंरचना परियोजनाओं का एकीकृत विकास	82.97
22.	तेलंगाना	जनजातीय परिपथ	तेलंगाना में मुलुगु-लकनावरम-मेदावरम-तडवई-दमारवी-मल्लूर-बोगाथा जलप्रपात का जनजातीय परिपथ के रूप में एकीकृत विकास	84.40

1	2	3	4	5
23.	मेघालय	पूर्वोत्तर परिपथ	उमियम (लेक-व्यू) युलुम-सोहपेटबनेंग-मावडियांगडियांग-आर्किड लेक रिजार्ट, मेघालय का विकास	99.13
24.	मध्य प्रदेश	बौद्ध परिपथ	मध्य प्रदेश में सांची-सतना-रीवा-मंदसौर-धार में बौद्ध परिपथ का विकास	74.94
25.	केरल	आध्यात्मिक परिपथ	पाथानामथिट्टा जिला, केरल में आध्यात्मिक परिपथ के रूप में सबरीमाला-एरुमेलि-पम्पा-सन्नीधानम का विकास	99.99
26.	कर्नाटक	तटवर्ती परिपथ	कर्नाटक में दक्षिण कन्नड़ जिला, उत्तर कन्नड़ जिला एवं उडुपी जिला में तटीय परिपथ का विकास	95.67
27.	मणिपुर	आध्यात्मिक परिपथ	आध्यात्मिक परिपथ — श्रीगोविंदजी मंदिर-श्रीबिजय गोविंदजी मंदिर-श्रीगोपीनाथ मंदिर-श्रीबंगशीबोदन मंदिर-श्रीकैना मंदिर, मणिपुर का विकास	53.80
28.	गुजरात	विरासत परिपथ	गुजरात में अहमदाबाद-राजकोट-पोरबंदर-बारदोली-दांडी में विरासत परिपथ का विकास	93.48
29.	हरियाणा	कृष्णा परिपथ	कुरुक्षेत्र, हरियाणा में महाभारत से संबंधित स्थानों में पर्यटन अवसंरचना विकास	97.35
30.	राजस्थान	कृष्णा परिपथ	राजस्थान में गोविन्दे देव जी मंदिर (जयपुर), खाटूश्याम जी (सीकर) और नाथद्वारा (राजसमंद) का एकीकृत विकास	91.45
31.	सिक्किम	पूर्वोत्तर परिपथ	सिक्किम में सिंगतम-माका-तेमी-बेरमोइक तोकल-फोंगिया-नामची-जोरथांग-ओकारे-सोमबारिया-दरमदीन-जोरेथांग-मेली (निकास) को जोड़ने वाले पर्यटक परिपथ विकास	95.32
32.	मध्य प्रदेश	विरासत परिपथ	विरासत परिपथ का विकास (ग्वालियर-ओरछा-खजुराहो-चंदेरी-भीमबेटका-माडुं) मध्य प्रदेश	99.77
33.	केरल	आध्यात्मिक परिपथ	केरल में आध्यात्मिक परिपथ के रूप में श्री पदमनाभा अरनामुला-सबरीमाला का विकास	92.44
34.	बिहार	तीर्थंकर परिपथ	बिहार में आध्यात्मिक परिपथ के रूप में जैन परिपथ: वैशाली-आरा-मसाद-पटना-राजगीर-पावापुरी-चंपापुरी का विकास	52.39
35.	बिहार	आध्यात्मिक परिपथ	बिहार में आध्यात्मिक परिपथ के अंतर्गत कांवड़िया रूट, सुल्तानगंज देवघर का एकीकृत विकास - धर्मशाला	52.35
36.	ओडिशा	तटवर्ती परिपथ	ओडिशा में तटवर्ती परिपथ के रूप में गोपालपुर, बारकुल, सतपदा और तंपारा का विकास	76.49

1	2	3	4	5
37.	नागालैंड	जनजातीय परिपथ	नागालैंड में जनजातीय परिपथ का विकास (मोकोकचुंग-तुएनसांग-मोन)	99.67
38.	उत्तराखंड	विरासत परिपथ	उत्तराखंड में कुमांऊ क्षेत्र में कटारमलदेवीधुरा-बैजनाथ-जोगेश्वर-विरासत परिपथ का एकीकृत विकास	81.94
39.	जम्मू और कश्मीर	हिमालयन परिपथ	जम्मू और कश्मीर में हिमालयन परिपथ थीम के तहत जम्मू-राजौरी-शॉपियन-पुलवामा में पर्यटक सुविधाओं का एकीकृत विकास	96.38
40.	जम्मू और कश्मीर	हिमालयन परिपथ	जम्मू और कश्मीर के लिए प्रधानमंत्री विकास पैकेज के तहत 2014 में आई बाढ़ में हुई तबाही के एवज में परिसंपत्तियों के निर्माण के तहत पर्यटन सुविधा	98.70
41.	जम्मू और कश्मीर	हिमालयन परिपथ	जम्मू और कश्मीर में हिमालयन परिपथ थीम के तहत मंतालाई-सुधमहादेव-पटनीटॉप में पर्यटक सुविधाओं का एकीकृत विकास	97.82
42.	जम्मू और कश्मीर	हिमालयन परिपथ	जम्मू और कश्मीर में हिमालयन परिपथ थीम के अनंतनाग-किश्तवार-पहलगाम-दकसुम-रंजीत सागर बांध पर पर्यटक सुविधाओं का एकीकृत विकास	96.39
43.	जम्मू और कश्मीर	हिमालयन परिपथ	जम्मू और कश्मीर में हिमालयन परिपथ थीम के तहत गुलमर्ग-बारामुला-कुपवाड़ा-लेह परिपथ पर पर्यटक सुविधाओं का एकीकृत विकास	96.93
44.	उत्तर प्रदेश	बौद्ध परिपथ	उत्तर प्रदेश में श्रावस्ती, कुशीनगर एवं कपिलवस्तु बौद्ध परिपथ का विकास	99.97
45.	उत्तर प्रदेश	रामायण परिपथ	उत्तर प्रदेश में चित्रकूट और श्रृंगवेरपुर का रामायण परिपथ के रूप में विकास	69.45
46.	अंडमान और निकोबार द्वीपसमूह	तटवर्ती परिपथ	स्वदेश दर्शन योजना के तटवर्ती थीमैटिक परिपथ के तहत अंडमान और निकोबार में तटवर्ती परिपथ का विकास (लांग आईलैंड-रास स्मिथ आईलैंड-नील आईलैंड-हैवलॉक आईलैंड-वाराटांग आईलैंड-पोर्ट ब्लेयर)	42.19
47.	तमिलनाडु	तटवर्ती परिपथ	स्वदेश दर्शन योजना के तहत तमिलनाडु में तटवर्ती परिपथ का विकास (चैन्नई-मामल्लापुरम-रामेश्वरम-मानपाडु-कन्याकुमारी)	99.92
48.	उत्तर प्रदेश	आध्यात्मिक परिपथ	आध्यात्मिक परिपथ का विकास (शाहजहांपुर-बस्ती-अहर-अलीगढ़-कासगंज-सरोसी-प्रतापगढ-उन्नाव-कौशाम्बी-मिर्जापुर-गोरखपुर-केराना-दुमरियागंज-बागपत-बाराबंकी-आजमगढ़)	76.00

1	2	3	4	5
49.	उत्तर प्रदेश	आध्यात्मिक परिपथ	स्वदेश दर्शन योजना के तहत उत्तर प्रदेश में आध्यात्मिक परिपथ-II का विकास (बिजनौर-मेरठ-कानपुर-कानपुर देहात-बांदा-गाजीपुर- सलेमपुर-घोसी-बलिया-अंबेडकर नगर-अलीगढ़-फतेहपुर-देवरिया-महोबा-सोनभद्र-चन्दौली-मिसरिख-भदोही)	63.77
50.	उत्तर प्रदेश	विरासत परिपथ	स्वदेश दर्शन योजना के तहत उत्तर प्रदेश में विरासत परिपथ (कालिंजर किला (बांदा)-मरहर धाम (संतकबीर नगर)-चौरी चौरा, शहीद स्थल (फतेहपुर)-मावाहर स्थल (घोसी)- शहीद स्मारक (मेरठ) का विकास	41.51
51.	बिहार	बौद्ध परिपथ	बौद्ध परिपथ का विकास-बोधगया, बिहार में, सांस्कृतिक केन्द्र का निर्माण	98.73
52.	असम	विरासत परिपथ	स्वदेश दर्शन योजना के तहत असम में विरासत परिपथ के रूप में तेजपुर-माजुली-सिबसागर का विकास	98.35
53.	हिमाचल प्रदेश	हिमालयन परिपथ	स्वदेश दर्शन योजना के तहत हिमाचल प्रदेश में हिमालयन परिपथ का एकीकृत विकास	99.76
54.	मिज़ोरम	इको परिपथ	स्वदेश दर्शन योजना के इको परिपथ थीम के तहत "इको-रोमांचकारी परिपथ आइजवाल-रॉपुइछिप-खॉहफॉव-लेंगपुर-डर्टलॉग-चतलांग-सकव्रवमुईट्वेट-लॉग-मुथी-बेराटलॉग-तुइरियाल एयर फील्ड-मुईफॉग" का विकास	99.07
55.	राजस्थान	आध्यात्मिक परिपथ	स्वदेश दर्शन योजना के तहत राजस्थान में आध्यात्मिक परिपथ-चुरु (सालासर बालाजी)-जयपुर (श्री समोदे बालाजी, घटके बालाजी, बांधेक बालाजी) - अलवर (पांडुपोल हनुमानजी, भरतहरि) -विराटनगर (बीजक, जैन्नासिया, अम्बिका मंदिर)-भरतपुर (कमान क्षेत्र)-धौलपुर (मुचकुंद)-मेहंदीपुर बालाजी-चित्तौड़गढ़ (सॉवलियाजी) का विकास	93.90
56.	गुजरात	विरासत परिपथ	स्वदेश दर्शन योजना के तहत गुजरात में विरासत परिपथ : वाडनगर-मोधेरा और पाटन का विकास	99.81
	2016-17 का योग			3191.38
वर्ष 2017-18				
57.	बिहार	ग्रामीण परिपथ	स्वदेश दर्शन योजना के ग्रामीण परिपथ थीम के अंतर्गत बिहार में गांधी परिपथ : भितिहरवा-चन्द्रहिया-तुरकौलिया का विकास	44.65
58.	गोवा	तटवर्ती परिपथ	स्वदेश दर्शन योजना के तहत अंतर्गत गोवा में तटवर्ती परिपथ-II: रुआ दि ओरम क्रीक-डोन पौला-कोलवा-बेनौलिम का विकास	99.35
59.	गुजरात	बौद्ध परिपथ	स्वदेश दर्शन योजना के तहत गुजरात में बौद्ध परिपथ : जूनागढ़-गिर-सोमनाथ-भडूच-कच्छ-भावनगर-राजकोट-मेंहसांणा का विकास	35.99

	2	3	4	5
60.	पुदुचेरी	विरासत परिपथ	स्वदेश दर्शन योजना के तहत पुदुचेरी में विरासत परिपथ का विकास	66.35
61.	पुदुचेरी	आध्यात्मिक परिपथ	स्वदेश दर्शन योजना के तहत पुदुचेरी में आध्यात्मिक परिपथ का विकास	40.68
62.	राजस्थान	विरासत परिपथ	स्वदेश दर्शन योजना के तहत अंतर्गत राजस्थान में विरासत परिपथ : राजसमंद (कुंभलगढ़ का किला) - जयपुर (नाहरगढ़ का किला) - अलवर (बाला किला)-सवाई माधोपुर (रणथम्बौर) का किला और खंडार किला)-झलावड़-(गागरों का किला)-चित्तौड़गढ़ (चित्तौड़गढ़ का किला)-जैसलमेर (जैसलमेर का किला) - हनुमानगढ़ (कालीबंगन, भटनेर किला और गोगामेड़ी)-जलोड़ (जलोड़ का किला) - उदयपुर (प्रताप गौरव केन्द्र)-धौलपुर (बाग ई-निलोफर और पुरानी छावनी)-नागौर (मीराबाई मंदिर) का विकास	99.60
63.	तेलंगाना	विरासत परिपथ	स्वदेश दर्शन योजना के तहत तेलंगाना में विरासत परिपथ : कुतुब शाही विरासती पार्क-पाइगाह का मज़ार-हयात बक्शी की मस्जिद, रेमण्ड की मज़ार का विकास	99.42
64.	बिहार	आध्यात्मिक परिपथ	स्वदेश दर्शन योजना के आध्यात्मिक परिपथ के तहत मंदार हिल और अंग प्रदेश का विकास	53.49
65.	मध्य प्रदेश	इको परिपथ	स्वदेश दर्शन योजना के इको परिपथ के अंतर्गत गांधीसागर बांध, मंडलेश्वर बांध, ओंमकारेश्वर बांध, इन्दिरा सागर बांध, तवा बांध, बारगी बांध, भेड़ाघाट-बनसागर बांध, केन रिवर का विकास	99.62
66.	उत्तर प्रदेश	रामायण परिपथ	स्वदेश दर्शन योजना के रामायण परिपथ के अंतर्गत अयोध्या का विकास	133.31
67.	आंध्र प्रदेश	बौद्ध परिपथ	स्वदेश दर्शन योजना के अंतर्गत आंध्र प्रदेश में बौद्ध परिपथ थीम के अंतर्गत शामिलहुंडम-थोटलाकोंडा-बावीकोंडा-बोज्जनाकोंडा-अमरावती-अनुपू बौद्ध परिपथ का विकास	52.34
	2017-18 का योग			824.8
वर्ष 2018-19				
68.	महाराष्ट्र	आध्यात्मिक परिपथ	महराष्ट्र में वाकी-अडासा-धापेवाड़ा-पराधसिंघा-छोटा ताज बाग-तेलाखांडी-गिराड का विकास	54.01
69.		बौद्ध परिपथ और रामायण परिपथ	पर्यटन मंत्रालय द्वारा बौद्ध परिपथ और रामायण परिपथ के तहत मार्गस्थ सुविधाओं का विकास: वाराणसी-गया; लखनऊ-अयोध्या-गोरखपुर-कुशीनगर, कुशीनगर-गया-कुशीनगर	18.10
	2018-19 का योग			72.11
	कुल योग			5711.79

प्रशाद योजना (करोड़ रुपए में)

क्र. सं.	राज्य	परियोजनाओं का नाम	स्वीकृति का वर्ष	स्वीकृत राशि
1	2	3	4	5
1.	आंध्र प्रदेश	पर्यटक गंतव्यों के रूप में अमरावती टाउन, गुंटूर जिला का विकास	2015-16	28.36
2.	आंध्र प्रदेश	श्रीसेलम मंदिर का विकास	2017-18	47.45
3.	असम	गुवाहाटी में कामाख्या मंदिर और उसके आस-पास तीर्थ गंतव्य का विकास	2015-16	33.98
4.	बिहार	विष्णुपद मंदिर, गया, बिहार में मूलभूत सुविधाओं का विकास	2014-15	4.27
5.	बिहार	पटना साहेब का विकास	2015-16	41.54
6.	गुजरात	द्वारका का विकास	2016-17	26.23
7.	गुजरात	सोमनाथ में तीर्थस्थल सुविधाओं का विकास	2016-17	37.44
8.	जम्मू और कश्मीर	हजरतबल का विकास	2016-17	42.02
9.	केरल	गुरुवायर मंदिर का विकास	2016-17	46.14
10.	मध्य प्रदेश	ओंकारेश्वर का विकास	2017-18	40.67
11.	ओडिशा	मेगा परिपथ के तहत पुरी, श्री जगन्नाथ धाम-रामचंडी देवली में प्राची रिवर फ्रंट में अवसंरचना विकास	2014-15	50.00
12.	पंजाब	अमृतसर में करुणा सागर वाल्मिकी स्थल का विकास	2015-16	6.45
13.	राजस्थान	पुष्कर/अजमेर का एकीकृत विकास	2015-16	40.44
14.	तमिलनाडु	कांचीपुरम का विकास	2016-17	16.48
15.	तमिलनाडु	वेलानकनी का विकास	2016-17	5.60
16.	उत्तराखंड	केदारनाथ का एकीकृत विकास	2015-16	34.78
17.	उत्तर प्रदेश	मेगा पर्यटक परिपथ (चरण-II) के रूप में मथुरा-वृंदावन का विकास	2014-15	14.93
18.	उत्तर प्रदेश	वृंदावन, जिला मथुरा में पर्यटन सुविधा केन्द्र का निर्माण	2014-15	9.36
19.	उत्तर प्रदेश	वाराणसी का विकास	2015-16	20.40
20.	पश्चिम बंगाल	बेलूर का विकास	2016-17	30.03

1	2	3	4	5
21.	उत्तर प्रदेश	गंगा नदी, वाराणसी में क्रूज पर्यटन	2017-18	10.72
22.	महाराष्ट्र	त्रिम्बकेश्वर का विकास	2017-18	37.81
23.	उत्तर प्रदेश	प्रशाद योजना-II के अंतर्गत वाराणसी का विकास	2017-18	62.82
24.	उत्तराखंड	प्रशाद योजना के अंतर्गत बद्रीनाथ जी धाम (उत्तराखंड) में तीर्थयात्रा सुविधा के लिए बुनियादी ढांचे का विकास	2018-19	39.24
		योग		727.16

पर्यटन अवसंरचना विकास हेतु केन्द्रीय एजेंसियों को सहायता

(लाख रुपए)

क्र. सं.	राज्य	परियोजना का नाम	कार्यकारी एजेंसी	स्वीकृत राशि
1	2	3	4	5
2014-15				
1.	दमन और दीव	दीव किला, दीव में साउंड एवं लाइट शो	आईटीडीसी	775.54
2.	गोवा	मोरमुगांव पोर्ट ट्रस्ट में क्रूज टर्मिनल बिल्डिंग	मुर्मुगांव पत्तन न्यास	879.04
3.	राजस्थान	रेल मंत्रालय के सहयोग से जयपुर रेलवे स्टेशन में पर्यटक सुविधाओं का संयुक्त विकास	उत्तर पश्चिमी रेल, रेल मंत्रालय	488.00
4.	राजस्थान	रेल मंत्रालय के सहयोग से अजमेर रेलवे स्टेशन में पर्यटक सुविधाओं का संयुक्त विकास	उत्तर पश्चिमी रेल, रेल मंत्रालय	552.00
5.	आंध्र प्रदेश/महाराष्ट्र	विजाग - अराकू वैली विशाखापट्टनम पारदर्शी कोचों का विनिर्माण सुरम्य कोंकण रेलवे मार्ग दादर-मडगांव मुंबई के लिए पारदर्शी कोचों का विनिर्माण	इन्टीग्रल कोच फैक्ट्री	800.00
6.	जम्मू और कश्मीर	बदगाम - बनिहाल और बारामुला - ग्लास टाप कोच का विनिर्माण	आईआरसीटीसी	400.00
7.	उत्तर प्रदेश	वाराणसी/सारनाथ में स्मारकों का प्रदीप्तिकरण (सारनाथ में धमेख स्तूप, सारनाथ में चौखंडी स्तूप, सारनाथ में ललकान का मकबरा और बनारस में मन महल)	आईटीडीसी	512.43

1	2	3	4	5
वर्ष 2015-16 के दौरान कोई परियोजना स्वीकृत नहीं की गई।				
2016-17				
8.	आंध्र प्रदेश	रेल मंत्रालय के सहयोग से तिरुपति रेलवे स्टेशन पर पर्यटक सुविधाओं का संयुक्त विकास	दक्षिण मध्य रेलवे, रेल मंत्रालय	575.00
9.	कर्नाटक	रेल मंत्रालय के सहयोग से होसपेट रेलवे स्टेशन पर पर्यटक सुविधाओं का संयुक्त विकास	दक्षिण मध्य रेलवे, रेल मंत्रालय	541.00
10.	केरल	विलिंगडन आईलैंड, कोचीन केरल में वॉकवे/प्रोमीनेड का विकास	कोचीन पत्तन न्यास	901.00
11.	केरल	एर्नाकुलम वार्फ के बैकप क्षेत्र तथा बर्थ के उन्नयन हेतु केन्द्रीय वित्तीय सहायता	कोचीन पत्तन न्यास	2141.00
12.	केरल	भारतीय खेल प्राधिकरण द्वारा एसएआई त्रिवेन्द्रम गोल्फ क्लब पर गोल्फ कोर्स के उन्नयन हेतु परियोजना	भारतीय खेल प्राधिकरण (नई दिल्ली)	2464.99
13.	महाराष्ट्र	पर्यटक गंतव्य के रूप में कनोजी अंग्रे लाईट हाउस के विकास हेतु मुंबई पत्तन न्यास को केन्द्रीय वित्तीय सहायता	मुंबई पत्तन न्यास	1500.00
14.	महाराष्ट्र	रेल मंत्रालय के सहयोग से नांदेड़ रेलवे स्टेशन पर पर्यटक सुविधाओं का संयुक्त विकास	दक्षिण मध्य रेलवे, रेल मंत्रालय	518.00
15.	ओडिशा	रेल मंत्रालय के सहयोग से पुरी रेलवे स्टेशन पर पर्यटक सुविधाओं का संयुक्त विकास	पूवी तट रेलवे, रेल मंत्रालय	614.81
16.	तेलंगाना	रेल मंत्रालय के सहयोग से हैदराबाद रेलवे स्टेशन पर पर्यटक सुविधाओं का संयुक्त विकास	दक्षिण मध्य रेलवे, रेल मंत्रालय	441.00
2017-18				
17.	आंध्र प्रदेश	ध्वनि और लाइट शो, पुट्टपार्थी, आंध्र प्रदेश	आईटीडीसी	708.67
18.	दिल्ली	ध्वनि और लाइट शो, लाल किला	आईटीडीसी	1370.00
19.	गोवा	कोंकण रेलवे निगम लिमिटेड से गोवा राज्य में मडगांव, थिवीम और कर्मली रेलवे स्टेशनों में पर्यटन बुनिचयादी ढांचे का विकास	कोंकण रेलवे निगम लि.	2499.98
20.	हरियाणा	एसईएल, यादविंद्र गार्डन, पिंजौर हरियाणा	आईटीडीसी	600.00
21.	महाराष्ट्र	इंदिरा डॉक, मुंबई में अंतर्राष्ट्रीय क्रूज टर्मिनल का उन्नयन आधुनिकीकरण	मुंबई पोर्ट ट्रस्ट	1250.00

1	2	3	4	5
22.	महाराष्ट्र	रेल मंत्रालय के सहयोग से औरंगाबाद रेलवे स्टेशन पर पर्यटक सुविधाओं का संयुक्त विकास	दक्षिण मध्य रेलवे	571.00
23.	पंजाब	जेसीपी अटारी, में अवसंरचनात्मक विकास के लिए परियोजना	बीएसएफ	1287.00
24.	तमिलनाडु	रेल मंत्रालय के सहयोग से रामेश्वरम रेलवे स्टेशन पर पर्यटक सुविधाओं का संयुक्त विकास	दक्षिण रेलवे	470.00
25.	तमिलनाडु	रेल मंत्रालय के सहयोग से मदुरै रेलवे स्टेशन पर पर्यटक सुविधाओं का संयुक्त विकास	दक्षिण रेलवे	447.00
26.	उत्तर प्रदेश	वाराणसी, उत्तर प्रदेश में 3 स्मारकों का प्रदीप्तिकरण	केन्द्रीय लोक निर्माण विभाग	293.00
27.	पश्चिम बंगाल	रेल मंत्रालय के सहयोग से रामपुरहट रेलवे स्टेशन पर पर्यटक सुविधाओं का संयुक्त विकास	पूर्वी रेलवे	348.00
28.	पश्चिम बंगाल	रेल मंत्रालय के सहयोग में तारकेश्वर रेलवे स्टेशन पर पर्यटक सुविधाओं का संयुक्त विकास	पूर्वी रेलवे	386.00
			योग	24334.46

सहयाद्रि शृंखला में पहाड़ी स्थानों में पर्यटन को बढ़ावा

2006. श्री संजय काका पाटील : क्या **पर्यटन मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का विचार संपूर्ण देश में स्थानीय पर्यटक स्थलों के विकास हेतु कोई कार्यक्रम तैयार करने का है और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ख) क्या सरकार का विचार महाराष्ट्र में सहयाद्रि शृंखला में महाबलेश्वर, लोनावाला, पंचगनी स्थित पहाड़ी स्थलों को राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर पर्यटन उद्देश्य से बढ़ावा देने का है;

(ग) क्या इस संबंध में सरकार का विचार राज्य सरकार को सूचित करने का है; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

पर्यटन मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री अलफोन्स कन्ननथनम) : (क) से (घ) मंत्रालय देश में पर्यटन अवसंरचना के विकास के लिए राज्य सरकारों/संघ राज्य क्षेत्र प्रशासनों को अपनी योजनाओं स्वदेश दर्शन – थीम आधारित पर्यटक परिपथों का एकीकृत विकास तथा प्रशाद – तीर्थस्थल जीर्णोद्धार तथा आध्यात्मिक, विरासत संवर्धन अभियान पर राष्ट्रीय मिशन के अंतर्गत केन्द्रीय वित्तीय सहायता प्रदान करता है।

उपरोक्त योजनाओं के अंतर्गत विकास के लिए राज्य सरकारों/संघ राज्य क्षेत्र प्रशासनों के परामर्श से परियोजनाओं की पहचान की जाती है तथा निधियों की उपलब्धता, संगत विस्तृत परियोजना रिपोर्टों को प्रस्तुत करने, योजना दिशा-निर्देशों के अनुपालन तथा पहले जारी निधियों के उपयोग की शर्त पर स्वीकृत की जाती है। परियोजना के कार्यान्वयन के दौरान परियोजनाओं की निगरानी के लिए पर्यटन मंत्रालय नियमित रूप से राज्य सरकारों/संघ राज्य क्षेत्र प्रशासनों से संपर्क करता है।

पर्यटन मंत्रालय घरेलू और अंतर्राष्ट्रीय बाजारों में पूरे देश के 'हिल स्टेशन' सहित अपने विभिन्न पर्यटन गंतव्यों तथा उत्पादों को शामिल करते हुए भारत का एक समग्र गंतव्य के रूप में संवर्धन करता है। हिल स्टेशनों से संबंधित जानकारी पर्यटन मंत्रालय की अतुल्य भारत वेबसाइट पर उपलब्ध है और सोशल मीडिया के माध्यम से भी इसका संवर्धन किया जा रहा है।

पर्यटन मंत्रालय अपने सभी संवर्धनात्मक कार्यकलाप राज्य सरकारों/संघ राज्य क्षेत्रों के समन्वय से कार्यान्वित करता है। पर्यटन

मंत्रालय द्वारा भागीदारी/आयोजित किए जा रहे रोड शो/प्रमुख पर्यटन मेलों में भाग लेने के लिए राज्य सरकारों को आमंत्रित किया जाता है। पर्यटन मंत्रालय विदेशी बाजारों में संवर्धनात्मक कार्यकलापों के लिए राज्य सरकारों/संघ राज्य क्षेत्रों को बाजार विकास सहायता की योजना के अंतर्गत भी वित्तीय सहायता प्रदान करता है।

[अनुवाद]

मदरसों में शिक्षा की गुणवत्ता

2007. डॉ. सी. गोपालकृष्णन :
श्री पी. नागराजन :

क्या **मानव संसाधन विकास मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि केन्द्र सरकार ने देश भर के मदरसों में गुणवत्तापरक शिक्षा प्रदान करने के लिए एक नई योजना लागू करने का निर्णय लिया है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इसके क्रियान्वयन की क्या पद्धति है;

(ग) इस योजना के अंतर्गत राज्य/संघ राज्यक्षेत्र-वार कुल कितने मदरसे चयनित किए गए हैं; और

(घ) इस योजना के कब तक लागू किए जाने की संभावना है?

मानव संसाधन विकास मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री उपेन्द्र कुशवाहा) : (क) से (घ) मदरसों में गुणवत्तापरक शिक्षा प्रदान करने की मौजूदा योजना (एसपीक्यूईएम) को संशोधित दिशा-निर्देशों के साथ मार्च, 2020 तक बढ़ा दिया गया है।

संशोधित एसपीक्यूईएम योजना के अंतर्गत मदरसों/मकतबों के निधियन हेतु राज्यों द्वारा प्रस्तुत प्रस्तावों पर स्कूल शिक्षा और साक्षरता विभाग के परियोजना अनुमोदन बोर्ड द्वारा विचार किया जाना है। निधियन का फोकस शिक्षकों के सेवाकालीन प्रशिक्षण, उपचारात्मक शिक्षण, अधिगम निष्कर्षों के संवर्धन आदि जैसी गुणवत्ता संबंधी पहलों पर है। साथ ही, आधुनिक विषय पढ़ाने और मदरसा बोर्डों के सुदृढ़ीकरण के लिए शिक्षकों को मानदेय देने हेतु सहायता का भी प्रावधान है।

पारदर्शिता और शिक्षा की गुणवत्ता सुनिश्चित करने के लिए, मकतबों/मदरसों को दी जाने वाली वित्तीय सहायता निम्नलिखित पर आधारित है:—

(क) मदरसों को स्कूलों के रूप में राज्य सरकार से मान्यता प्राप्त करनी होगी।

(ख) मदरसों को किसी भी मान्यता प्राप्त स्कूल शिक्षा बोर्ड अर्थात् राज्य स्कूल शिक्षा बोर्ड, सीबीएसई आदि से संबद्ध होना चाहिए।

(ग) मदरसों के पास यूडीआईएसई कोड अनिवार्यत: होना चाहिए और वे जीआईएस मैपिंग ब्यौरा देंगे।

खाड़ी देशों को फलों और सब्जियों का निर्यात

2008. प्रो. के.वी. थॉमस : क्या **वाणिज्य और उद्योग मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या भारत से खाड़ी देशों को निर्यात किए जा रहे फलों और सब्जियों पर प्रतिबंधों का सामना करना पड़ रहा है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) देश से फलों और सब्जियों का निर्यात बढ़ाने के लिए क्या कदम उठाए जा रहे हैं?

उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री सी.आर. चौधरी) : (क) और (ख) भारत से खाड़ी देशों को निर्यात किए जा रहे फलों एवं सब्जियों पर कोई सामान्य प्रतिबंध नहीं है। तथापि, कुछ देशों ने मई 2018 के दौरान नीपाह वायरस की घटना की वजह से केरल राज्य से आयातों को अस्थायी रूप से स्थगित रखा है। सरकार इस स्थगन को जल्द से जल्द हटाने के लिए सभी संभव कदम उठा रही है।

(ग) फलों एवं सब्जियों के निर्यातों का संवर्धन करना एक सतत प्रक्रिया है। वाणिज्य विभाग के प्रशासनिक नियंत्रणाधीन एक स्वायत्त संगठन, कृषि और प्रसंस्कृत खाद्य उत्पाद निर्यात विकास प्राधिकरण (एपीडा) को फलों एवं सब्जियों के निर्यातों को बढ़ावा देने का अधिदेश है। एपीडा अपनी स्कीम "एपीडा कृषि और प्रसंस्कृत खाद्य निर्यात संवर्धन स्कीम" के विभिन्न घटकों अर्थात् अवसंरचना विकास, गुणवत्ता विकास एवं बाजार विकास के तहत फलों एवं सब्जियों के निर्यातकों को सहायता प्रदान करता है। इसके अलावा, भारत पण्यवस्तु निर्यात स्कीम (एमईआईएस) के तहत विभिन्न फलों एवं सब्जियों के निर्यात पर प्रोत्साहन उपलब्ध है। वाणिज्य विभाग की विभिन्न अन्य स्कीमों अर्थात् व्यापार अवसंरचना निर्यात स्कीम (टीआईईएस), बाजार पहुंच पहल (एमएआई) स्कीम आदि के तहत निर्यातकों/राज्य सरकारों को भी सहायता प्रदान की जाती है।

इस्पात क्षेत्र का कार्य-निष्पादन

2009. श्री मल्लिकार्जुन खड़गे : क्या **इस्पात मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने सरकारी और निजी क्षेत्र की इस्पात कंपनियों के कार्य-निष्पादन की समीक्षा की है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और क्षेत्र-वार तत्संबंधी क्या परिणाम रहे;

(ग) इस्पात विकास निधि के अंतर्गत संग्रहित किए गए उपकर का ब्यौरा क्या है और गत तीन वर्षों में प्रत्येक वर्ष के दौरान इनसे कितनी निधियां संवितरित की गई हैं; और

(घ) इस संबंध में इस्पात विनिर्माताओं से प्राप्त अभ्यावेदनों का ब्यौरा क्या है और इस पर क्या कार्रवाई की गई है?

इस्पात मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री विष्णु देव साय) : (क) और (ख) इस्पात एक नियंत्रण मुक्त क्षेत्र है, इसलिए सरकार द्वारा निजी क्षेत्र के कार्य-निष्पादन की समीक्षा नहीं की जाती है। सरकार सार्वजनिक क्षेत्र की इस्पात कंपनियों के कार्य-निष्पादन का नियमित अंतराल में समीक्षा करती है। समीक्षा बैठक के दौरान लक्ष्यों की तुलना में वास्तविक कार्य-निष्पादन का गहन विश्लेषण कार्य-निष्पादन को प्रभावित करने वाले घटकों के साथ किया जाता है।

(ग) विगत तीन वर्षों में प्रत्येक वर्ष के दौरान इस्पात विकास निधि के अंतर्गत किसी कर का संग्रह नहीं किया गया है। इस प्रकार इसके वितरण का प्रश्न नही उठता।

(घ) इस्पात विकास निधि के अंतर्गत संग्रहित कर के बारे में इस्पात विनिर्माताओं से कोई अभ्यावेदन प्राप्त नहीं हुआ है।

[हिन्दी]

कृषि एवं प्रसंस्कृत खाद्य उत्पाद

2010. श्री लल्लू सिंह : क्या **वाणिज्य और उद्योग मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार के पास कृषि एवं प्रसंस्कृत खाद्य उत्पादों को बढ़ावा देने के लिए कोई योजना है तथा यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है तथा यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं;

(ख) क्या सरकार की किसी निर्यात संवर्धन पहल से देश के छोटे एवं सीमांत किसानों को लाभ हुआ है;

(ग) यदि हां, तो गत 3 वर्षों के दौरान तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(घ) क्या महाराष्ट्र से कृषि एवं प्रसंस्कृत खाद्य उत्पादों के निर्यात को बढ़ावा दिए जाने के लिए कोई कदम उठाए गए हैं/उठाए जाने प्रस्तावित हैं तथा यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ङ) क्या ऐसे किसी उपाय से राजस्थान के किसानों को लाभ हुआ है तथा यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री सी.आर. चौधरी) : (क) कृषि एवं प्रसंस्कृत खाद्य उत्पादों के निर्यातों का संवर्धन करना एक सतत प्रक्रिया है। वाणिज्य विभाग के प्रशासनिक नियंत्रणाधीन एक स्वायत्त संगठन, कृषि एवं प्रसंस्कृत खाद्य उत्पाद निर्यात विकास प्राधिकरण (एपीडा) को कृषि एवं प्रसंस्कृत खाद्य उत्पादों के निर्यातों को बढ़ावा देने का अधिदेश है। एपीडा अपनी स्कीम "एपीडा कृषि एवं प्रसंस्कृत खाद्य निर्यात संवर्धन स्कीम" के विभिन्न घटकों अर्थात् अवसंरचना विकास, गुणवत्ता विकास एवं बाजार विकास के तहत कृषि एवं प्रसंस्कृत खाद्य उत्पादों के निर्याताकों को सहायता प्रदान करता है। इसके अलावा, भारत पण्यवस्तु निर्यात स्कीम (एमईआईएस) के तहत विभिन्न कृषि एवं प्रसंस्कृत खाद्य उत्पादों के निर्यात पर प्रोत्साहन उपलब्ध है। वाणिज्य विभाग की विभिन्न अन्य स्कीमों अर्थात् व्यापार अवसंरचना निर्यात स्कीम (टीआईईएस), बाजार पहुंच पहल (एमएआई) स्कीम आदि के तहत निर्यातकों/राज्य सरकारों को भी सहायता प्रदान की जाती है।

(ख) और (ग) उपरोक्त योजनाओं के तहत निर्यातकों को सहायता/प्रोत्साहन उपलब्ध हैं। छोटे और सीमांत किसानों सहित किसानों को दिए जाने वाले लाभ अप्रत्यक्ष प्रकृति के हैं और इन्हें परिमाणित नहीं किया जा सकता है।

(घ) एपीडा ने महाराष्ट्र में सामान्य अवसंरचना सुविधाओं जैसे पैक हाउस, पेरीशबल कार्गो के लिए केन्द्र (सीपीसी), वीएचटी और विकिरण सुविधाएं, गुणवत्ता परीक्षण प्रयोगशाला इत्यादि की स्थापना करने के लिए राज्य और केन्द्रीय एजेंसियों को वित्तीय सहायता प्रदान की है। एपीडा की वित्तीय सहायता से महाराष्ट्र राज्य में स्थापित सामान्य अवसंरचना सुविधाओं की एक सूची संलग्न विवरण-I में दी गई है।

निर्यातकों की आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए एपीडा का मुंबई में एक क्षेत्रीय कार्यालय है और यह पश्चिमी क्षेत्र से कृषि और संसाधित खाद्य उत्पादों के निर्यात को बढ़ावा देने के लिए एपीडा की सभी गतिविधियों को संचालित करता है।

(ङ) एपीडा ने राजस्थान में पैक हाउस जैसी सामान्य अवसंरचना सुविधाओं की स्थापना करने के लि राज्य एजेंसियों को वित्तीय सहायता प्रदान की है।

एपीडा की सहायता से स्थापित सामान्य अवसंरचना सुविधाओं की एक सूची संलग्न विवरण-II में दी गई है।

विवरण-I

महाराष्ट्र राज्य में एपीडा की सहायता से स्थापित सामान्य अवसंरचना सुविधाओं की सूची

क्र.सं.	परियोजनाओं का नाम
1	2
1.	महाराष्ट्र राज्य कृषि विपणन बोर्ड (एमएसएएमबी) द्वारा वर्धा, महाराष्ट्र में संतरे के लिए कॉमन पैक हाउस (2005-06)
2.	महाराष्ट्र राज्य कृषि विपणन बोर्ड (एमएसएएमबी) के द्वारा जलगांव जिला, महाराष्ट्र के रावेर में केले के लिए कॉमन पैक हाउस
3.	महाराष्ट्र राज्य कृषि विपणन बोर्ड (एमएसएएमबी) द्वारा हिंगोली महाराष्ट्र में केले के लिए कॉमन पैक हाउस (2005-06)
4.	महाराष्ट्र राज्य कृषि विपणन बोर्ड (एमएसएएमबी) द्वारा लातूर, महाराष्ट्र में केसर आम और अनार के लिए कॉमन पैक हाउस (2005-06)
5.	एमएसएएमबी द्वारा एपीएमसी, महाराष्ट्र में विकिरण और शीत भंडारण हेतु आम सुविधा (2010-11)
6.	महाराष्ट्र राज्य कृषि मार्केटिंग बोर्ड (एमएसएएमबी) द्वारा सिंधुदुर्ग, महाराष्ट्र, में आमों के लिए कॉमन पैक हाउस (2003-04)
7.	महाराष्ट्र राज्य कृषि मार्केटिंग बोर्ड (एमएसएएमबी) द्वारा नाचाने, रत्नागिरी, महाराष्ट्र, में आमों के लिए कॉमन पैक हाउस (2003-04)
8.	महाराष्ट्र राज्य कृषि मार्केटिंग बोर्ड (एमएसएएमबी) द्वारा जिला जालना, महाराष्ट्र, में आमों के लिए कॉमन पैक हाउस (2003-04)
9.	महाराष्ट्र राज्य कृषि मार्केटिंग बोर्ड (एमएसएएमबी) द्वारा बारामती, पुणे, महाराष्ट्र में अनार के लिए कॉमन पैक हाउस की स्थापना (2004-05)
10.	महाराष्ट्र राज्य वेयर हाउसिंग कॉर्पोरेशन (एमएसडब्ल्यूसी) द्वारा पनवेल में पेरीशबल्स के निर्यात के लिए परिसर की स्थापना (2011-12)
11.	एमएसएएमबी के द्वारा तलेगांव, दाभोडे, पुणे महाराष्ट्र में कट फूलों के निर्यात के लिए आम सुविधा की स्थापना
12.	एमएसएएमबी द्वारा चान्दवाड, नासिक में ताजे उत्पादों के लिए निर्यात सुविधा केन्द्र की स्थापना
13.	एमएसएएमबी द्वारा मसवाड़, सतारा में फलों और सब्जियों के लिए आधुनिक विपणन केन्द्र की स्थापना करना
14.	एमएसएएमबी द्वारा वाशी, मुंबई में फलों और सब्जी के लिए सामान्य सुविधा की स्थापना
15.	महाराष्ट्र राज्य कृषि विपणन बोर्ड द्वारा इंदापुर पुणे जिला में प्याज के लिए एक मॉडल निर्यात सुविधा (पैक हाउस) की स्थापना (2003-04)।
16.	भारतीय कंटेनर कॉर्पोरेशन (कॉनकोर) द्वारा हालकोन कार्गो कॉम्प्लेक्स, ओजार एयरपोर्ट जनोरी विलेज, तालुका डिंडोरी, जिला नासिक 411206 नासिक में बागवानी उत्पाद के निर्यात के लिए पैक हाउस की स्थापना (2007-08)
17.	भारतीय कंटेनर कॉर्पोरेशन (कॉनकोर) द्वारा हालकोन कार्गो कॉम्प्लेक्स, ओजार एयरपोर्ट जानोरी विलेज, तालुका डिंडोरी, जिला नासिक 411206 नासिक में बागवानी उत्पाद के निर्यात के लिए खराब होने वाले कार्गो (समुद्री) के लिए की स्थापना (2005-06)।
18.	महाराष्ट्र एग्रो इंडस्ट्रीज विकास निगम (एमएआईडीसी) द्वारा गोरेगांव, मुंबई पर फूल नीलामी केन्द्र की स्थापना (2001-02)
19.	मुंबई कृषि उत्पाद बाजार समिति, वाशी, नवी मुंबई द्वारा निर्यात के लिए ताजे फलों और सब्जियों के लिए शीत श्रृंखला बुनियादी ढांचे के रूप में सामान्य सुविधा
20.	भारतीय हवाई अड्डा प्राधिकरण/एयर इंडिया द्वारा मुंबई अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे पर पेरीशबल कार्गो (सीपीसी) के लिए केन्द्र (2001-02)

विवरण-II

राजस्थान राज्य में एपीडा की सहायता से स्थापित सामान्य अवसंरचना सुविधाओं की सूची

क्र.सं.	परियोजनाओं का नाम
1.	राजस्थान राज्य कृषि विपणन बोर्ड द्वारा शाहपुरा, जयपुर में पैक हाउस
2.	सोहेला, टोंक राजस्थान राज्य कृषि विपणन बोर्ड में पैक हाउस
3.	राजस्थान राज्य कृषि विपणन बोर्ड द्वारा चोमू, जयपुर में पैक हाउस
4.	राजस्थान राज्य कृषि विपणन बोर्ड द्वारा मुहाना, जयपुर में पैक हाउस

[अनुवाद]

चिकित्सा पर्यटकों की आवक

2011. श्री पी.के. बिजू : क्या **पर्यटन मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार के पास गत तीन वर्षों के दौरान चिकित्सा उपचार हेतु भारत आने वाले विदेशियों के कोई आंकड़े हैं;

(ख) यदि हां, तो केरल सहित राज्य-वार तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) किन देशों से इस प्रकार का चिकित्सा पर्यटन देखने में आया है; और

(घ) इससे कुल कितनी विदेशी मुद्रा अर्जित की गई है?

पर्यटन मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री अलफोन्स कन्ननथनम) : (क) और (ख) वर्ष 2015, 2016 और 2017 के दौरान चिकित्सा के प्रयोजन से भारत में विदेशी पर्यटक आगमनों (एफटीए) के अनुमानित आंकड़ें क्रमश: 233918, 427014 और 495056 (अनंतिम) थे। चिकित्सा के प्रयोजन पर एफटीए का राज्य-वार ब्यौरा उपलब्ध नहीं हैं।

(ग) वर्ष 2015, 2016 और 2017 के दौरान चिकित्सा के प्रयोजन से भारत में विदेशी पर्यटक आगमन (एफटीए) का राष्ट्रीयता-वार ब्यौरा संलग्न विवरण में दिया गया है।

(घ) भारत में चिकित्सा पर्यटन के माध्यम से विदेशी मुद्रा आय (एफईई) अलग से उपलब्ध नहीं है। तथापि, वर्ष 2015, 2016 और 2017 के दौरान पर्यटन के माध्यम से कुल अर्जित विदेशी मुद्रा के अनंतिम अनुमान क्रमश: 1,35,193 करोड़ रुपए, 1,54,146 करोड़ रुपए और 1,77,874 करोड़ रुपए थे।

विवरण

चिकित्सा प्रयोजन हेतु राष्ट्रीयता-वार विदेशी पर्यटक आगमनों के अनुमान निम्नानुसार हैं:

क्र. सं.	राष्ट्र	2015	2016	2017 (अ.)
1	2	3	4	5
1.	बंगलादेश	120388	210142	221751
2.	अफगानिस्तान	27505	61231	55681
3.	इराक	11378	33125	47640
4.	ओमान	8308	25002	28157
5.	मालदीव	1836	10523	45355
6.	उजबेकिस्तान	6398	9564	8309
7.	नाइजीरिया	10642	9277	5530
8.	यमन	5291	8837	11903
9.	केन्या	6400	8701	7496
10.	यूनाइटेड रिपब्लिक ऑफ तंजानिया	6167	5566	5047
11.	सोमालिया	3072	5549	4964
12.	सुडान	1869	4324	6908
13.	श्रीलंका	3029	4284	4436
14.	पाकिस्तान	3632	3955	1785
15.	इथियोपिया	1503	2666	7659
16.	सऊदी अरब	1655	2589	4782
17.	म्यांमार (बर्मा)	1354	1812	1791
18.	यूगांडा	1065	1638	1624
19.	मॉरिशस	1174	1200	1682
20.	ताजिकिस्तान	587	1040	1728
21.	रवांडा	792	865	1390
22.	बहरीन	501	783	1130
23.	फिजी	502	770	829
24.	मोजाम्बिक	547	700	353
25.	सेशल्स	5	682	939
26.	जाम्बिया	545	673	714
27.	यूनाईटेड किंगडम	609	672	755
28.	जिम्बावे	560	627	578
29.	यूनाईटेड स्टेट्स	615	584	649
30.	कंबोडिया (कंपूचिया)	282	570	566
31.	जिबूती	312	487	421
32.	मलावी	29	380	546
33.	साउथ सूडान	401	341	265

1	2	3	4	5
34.	संयुक्त अरब अमीरात	158	337	508
35.	कैमरुन	198	321	342
36.	कनाडा	264	305	312
37.	कजाकिस्तान	235	284	367
38.	कुवैत	174	265	1008
39.	मंगोलिया	276	258	359
40.	घाना	145	252	235
41.	रशियन फेडरेशन	128	229	299
42.	मलेशिया	163	208	441
43.	सिरियन अरब रिपब्लिक	90	184	290
44.	तुर्कमेनिस्तान	25	169	801
45.	किर्गिस्तान	91	167	314
46.	लाइबेरिया	15	163	150
47.	बुरुण्डी	171	157	103
48.	इंडोनेशिया	155	141	249
49.	इरान	77	132	108
50.	फिलिपींस	77	131	304
51.	ऑस्ट्रेलिया	165	129	198
52.	सियरा लियोन	48	129	84
53.	साउथ अफ्रीका	205	125	141
54.	मिश्र	78	115	248
55.	अंगोला	95	109	89
56.	फिलिस्तीन	41	103	108
57.	कोमोरोज	62	96	94
58.	इरीट्रीया	85	93	86
59.	तुवालू	48	93	110
60.	नीदरलैंड्स	56	92	85
61.	मेडागास्कर	86	84	228
62.	जॉर्डन	45	82	120
63.	कांगो	3	80	66
64.	फ्रांस	56	70	97
65.	गाम्बिया	53	66	38
66.	जर्मनी	52	64	109
67.	बुलगारिया	30	61	63
68.	कतर	26	61	65
69.	नाइजर	55	60	46
70.	लेबनॉन	22	57	86
71.	यूक्रेन	30	54	112
72.	नॉर्वे	26	52	57
73.	बोत्सवाना	13	40	29
74.	इटली	36	39	41
75.	सिंगापुर	46	39	44
	अन्य	1061	2159	3059
	योग	233918	427014	495056

नोट : वर्ष 2017 और 2016 के आंकड़ों में चिकित्सा वीज़ा पर सभी प्रकार के आगमन शामिल हैं जबकि वर्ष 2015 के लिए केवल चिकित्सा एवं चिकित्सा परिचर वीज़ा पर आगमन शामिल हैं।

अ: अनंतिम

प्रारंभिक आंकड़े के स्रोत : आप्रवासन ब्यूरो, भारत सरकार।

केन्द्रीय विद्यालयों और जवाहर नवोदय विद्यालयों में शिक्षकों की भर्ती

2012. श्री विनोद लखमाशी चावड़ा :
श्री देवुसिंह चौहान :

क्या **मानव संसाधन विकास मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार के पास देश के केन्द्रीय विद्यालयों और जवाहल नवोदय विद्यालयों में भर्ती किए गए शिक्षकों के कोई आंकड़े हैं; और

(ख) यदि हां, तो राज्य/संघ राज्यक्षेत्र-वार तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

मानव संसाधन विकास मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री उपेन्द्र कुशवाहा) : (क) और (ख) दिनांक 01.07.2018 की स्थिति के अनुसार देश में केंद्रीय विद्यालयों (केवी) और जवाहर नवोदय विद्यालयों (जेएनवी) में भर्ती किए गए तथा पदासीन शिक्षकों के राज्य/संघ राज्य क्षेत्र-वार आंकड़े संलग्न विवरण में हैं।

विवरण

केन्द्रीय विद्यालयों और जवाहर नवोदय विद्यालयों में भर्ती किए गए शिक्षकों का राज्य/संघ राज्य क्षेत्र-वार ब्यौरा

क्र. सं.	राज्य का नाम	प्रधानाचार्य		उप-प्रधानाचार्य		स्नातकोत्तर अध्यापक		प्रशिक्षित स्नातक शिक्षक		विविध श्रेणी शिक्षक		प्राथमिक शिक्षक और मुख्य अध्यापक
		केवी	जेएनवी	केवी	जेएनवी	केवी	जेएनवी	केवी	जेएनवी	केवी	जेएनवी	केवी
1.	अंडमान और निकोबार द्वीपसमूह	2	2	0	2	18	10	15	12	5	5	30
2.	आंध्र प्रदेश	25	14	4	13	138	94	178	127	87	75	589
3.	अरुणाचल प्रदेश	13	15	1	0	34	53	19	64	32	32.	43
4.	असम	97	26	10	5	585	179	209	179	144	110	412
5.	बिहार	39	37	10	28	275	286	417	296	148	180	463
6.	चंडीगढ़	5	1	5	1	63	9	78	9	18	4	100
7.	छत्तीसगढ़	26	11	4	8	175	114	167	125	80	66	560
8.	दादरा और नगर हवेली	1	1	0	0	4	6	4	8	3	5	68
9.	दमन और दीव	1	2	0	0	0	10	2	13	3	8	30
10.	दिल्ली	40	2	18	2	793	19	962	20	213	10	65
11.	गोवा	5	2	0	2	30	10	24	18	15	10	30
12.	गुजरात	43	15	5	12	283	136	307	191	127	104	71
13.	हरियाणा	25	17	3	20	265	179	266	183	85	101	548
14.	हिमाचल प्रदेश	23	10	0	6	168	90	134	100	66	55	632
15.	जम्मू और कश्मीर	31	12	5	5	156	102	167	81	91	50	107
16.	झारखंड	31	23	10	19	191	173	228	161	94	106	347

17. कर्नाटक	39	29	7	29	255	180	314	256	113	129	7
18. केरल	33	14	4	14	384	110	347	137	105	66	506
19. लक्षद्वीप	1	1	0	0	5	5	3	5	2	2	10
20. मध्य प्रदेश	89	38	13	41	664	381	766	401	282	215	1374
21. महाराष्ट्र	53	31	12	30	415	191	520	293	172	171	55
22. मणिपुर	6	10	1	1	28	73	16	95	12	52	943
23. मेघालय	7	7	1	0	36	44	18	47	18	28	415
24. मिजोरम	3	6	0	0	6	19	12	27	10	12	208
25. नागालैंड	3	9	0	0	12	28	10	39	13	24	343
26. ओडिशा	50	23	5	18	292	176	288	191	149	109	380
27. पुदुचेरी	2	4	1	3	16	27	13	33	10	21	659
28. पंजाब	44	18	5	14	374	169	393	178	134	106	7
29. राजस्थान	61	30	9	24	604	279	601	294	197	174	550
30. सिक्किम	2	4	0	1	14	27	4	28	6	12	1242
31. तमिलनाडु	38	0*	8	0*	291	0*	82	0*	48	0*	671
32. तेलंगाना	25	9	9	9	189	62	241	81	81	43	880
33. त्रिपुरा	8	4	1	1	31	26	21	29	23	13	11
34. उत्तर प्रदेश	105	62	29	53	1205	539	1382	597	394	344	692
35. उत्तराखंड	42	12	5	10	372	100	323	94	130	53	1871
36. पश्चिम बंगाल	56	16	10	7	426	106	368	102	174	81	489
कुल	1074	517	195	378	8797	4015	8899	4514	3284	2576	15408

*तमिलनाडु राज्य सरकार ने अभी तक नवोदय विद्यालय स्कीम को स्वीकार नहीं किया है।

जनजातियों के सीएफआर/आईएफआर

2013. श्री एम.बी. राजेश : क्या जनजातीय कार्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या वन अधिकार अधिनियम, (एफआरए), 2006 के अंतर्गत वैयक्तिक वनाधिकारों की मान्यता की तुलना में सामुदायिक वनाधिकार (सीएफआर) का कार्यान्वयन धीमा है;

(ख) अब तक एफआरए, 2006 के अंतर्गत आंध्र प्रदेश सहित राज्य-वार कितने सीएफआर दावे दर्ज किए गए हैं और ऐसे कितने दावों को मान्यता दी गई है;

(ग) अब तक राज्य-वार कितने वैयक्तिक वनाधिकार के दावे दर्ज किए गए हैं और ऐसे कितने दावों को मान्यता दी गई है; और

(घ) एकल महिला सहित महिलाओं के पक्ष में मान्यता दिए गए ऐसे आईएफआर का ब्यौरा क्या है?

जनजातीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री सुदर्शन भगत) : (क) वन अधिकार अधिनियम, 2006 के प्रावधानों के कार्यान्वयन का उत्तरदायित्व राज्य/संघ राज्यक्षेत्र सरकारों का होता है। राज्य सरकारों से प्राप्त सूचना के अनुसार 28.02.2018 तक प्राप्त कुल 1,43,149 सीएफआर दावों के समक्ष देश में 69,434 सीएफआर दावों को मान्यता दी गई है जबकि, प्राप्त कुल 40,46,563 आईएफआर दावों के समक्ष देश में 17,83,056 आईएफआर दावों को मान्यता दी गई है। सीएफआर और आईएफआर की तुलना नहीं की जा सकती है।

(ख) अब तक एफआरए 2006 के तहत दर्ज सीएफआर दावों की संख्या के आंध्र प्रदेश सहित राज्य-वार ब्यौरे और जनजातीय कार्य मंत्रालय में उपलब्ध सूचना के अनुसार इस प्रकार के मान्यता प्राप्त दावे संलग्न विवरण-I में उपलब्ध कराये गये हैं।

(ग) अब तक दर्ज आईएफआर दावों की संख्या के राज्य-वार ब्यौरे और जनजातीय कार्य मंत्रालय में उपलब्ध सूचना के अनुसार इस प्रकार के मान्यता प्राप्त दावे संलग्न विवरण-II में उपलब्ध कराये गये हैं।

(घ) वन अधिकार अधिनियम, 2006 की धारा 4(4) के अनुसार, वन अधिकार अधिनियम, 2006 के तहत आने वाले आईएफआर विवाहित व्यक्तियों के मामले में पति-पत्नी दोनों के नाम पर संयुक्त रूप से दर्ज किए जाएंगे। अत: अधिनियम में लिंग-वार पृथक आंकड़ों के रखरखाव की आवश्यकता नहीं है। अत: एकल महिला सहित महिलाओं के संबंध में पृथक आंकड़े नहीं रखे गए हैं।

विवरण-I

28.02.2018 तक वन अधिकार अधिनियम, 2006 के तहत सामुदायिक वन अधिकार (सीएफआर) के दावे और मान्यता का ब्यौरा

क्र. सं.	राज्य का नाम	वन अधिकार दावा करने वाले समुदायों की संख्या	
		प्राप्त	मान्यता प्राप्त
1.	आंध्र प्रदेश	4,043	1,372
2.	असम	6,046	1,477
3.	बिहार	0	0
4.	छत्तीसगढ़	31,310	17,943
5.	गोवा	372	8
6.	गुजरात	7,187	3,516
7.	हिमाचल प्रदेश	170	7
8.	झारखंड	3,286	1,723
9.	कर्नाटक	5,903	1,406
10.	केरल	1,395	लागू नहीं
11.	मध्य प्रदेश	39,420	27,276
12.	महाराष्ट्र	11,408	5,748
13.	ओडिशा	13,064	6,336
14.	राजस्थान	704	92
15.	तमिलनाडु	803	225
16.	तेलंगाना	3,427	721
17.	त्रिपुरा	277	55
18.	उत्तर प्रदेश	1,124	843
19.	उत्तराखंड	3,091	0
20.	पश्चिम बंगाल	10,119	686
	कुल	1,43,149	69,434

विवरण-II

28.02.2018 तक वन अधिकार अधिनियम, 2006 के तहत व्यक्तिगत वन अधिकार (आईएफआर) के दावे और मान्यता का ब्यौरा

क्र. सं.	राज्य का नाम	वन अधिकार दावा करने वाले व्यक्तियों की संख्या	
		प्राप्त	मान्यता प्राप्त
1.	आंध्र प्रदेश	1,70,437	91,758
2.	असम	1,48,965	57,325
3.	बिहार	8,022	121
4.	छत्तीसगढ़	8,55,238	3,91,692
5.	गोवा	9,758	17
6.	गुजरात	1,82,869	81,575
7.	हिमाचल प्रदेश	2,053	129
8.	झारखंड	99,224	54,458
9.	कर्नाटक	2,75,446	14,667
10.	केरल	36,140	24,599
11.	मध्य प्रदेश	5,76,944	2,21,455
12.	महाराष्ट्र	3,52,950	1,06,898
13.	ओडिशा	6,09,094	4,14,424
14.	राजस्थान	73,455	37,317
15.	तमिलनाडु	34,302	3,797
16.	तेलंगाना	1,83,252	93,639
17.	त्रिपुरा	2,00,358	1,27,029
18.	उत्तर प्रदेश	92,520	17,712
19.	उत्तराखंड	3,574	0
20.	पश्चिम बंगाल	1,31,962	44,444
	कुल	40,46,563	17,83,056

सरकारी कोटे के अंतर्गत दाखिले

2014. श्री चन्द्र प्रकाश जोशी :
श्री रामदास सी. तडस :

क्या **मानव संसाधन विकास मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार के पास सरकार द्वारा दान की गई भूमि पर चल रहे ऐसे निजी स्कूलों के संबंध में कोई सूचना है, जिन्होंने हाल ही में छात्रों को सरकारी कोटे के अंतर्गत दाखिले नहीं दिए हैं;

(ख) यदि हां, तो विशेषकर राजस्थान, महाराष्ट्र और दिल्ली/एनसीआर में तत्संबंधी विस्तृत सूची क्या है;

(ग) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं; और

(घ) क्या ऐसे सीबीएसई विद्यालयों के विरुद्ध कोई नोटिस भेजे जा रहे हैं अथवा अब तक कोई जांच आरंभ की गई है अथवा निकट भविष्य में नोटिस भेजे जाएंगे?

मानव संसाधन विकास मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री उपेन्द्र कुशवाहा) : (क) से (घ) जी, नहीं। नि:शुल्क और अनिवार्य बाल शिक्षा का अधिकार (आरटीई) अधिनियम, 2009 में यह प्रावधान है कि छ: से चौदह वर्ष की आयु के प्रत्येक बच्चे को उसकी प्रारंभिक शिक्षा पूरी होने तक पास पड़ोस के किसी स्कूल में नि:शुल्क और अनिवार्य प्रारंभिक शिक्षा प्राप्त करने का अधिकार होगा। राज्यों और संघ राज्यक्षेत्रों द्वारा उनके अधिसूचित आरटीई नियमों के माध्यम से इस अधिनियम के तहत 'समुचित सरकार' के रूप में परिभाषित राज्यों और संघ राज्यक्षेत्रों द्वारा आरटीई अधिनियम, 2009 के प्रावधान का कार्यान्वयन किया जाता है।

इसके अतिरिक्त, चूंकि शिक्षा समवर्ती सूची में है और अधिकांश स्कूल राज्य/संघ राज्यक्षेत्र सरकारों के क्षेत्राधिकार में आते हैं, इसलिए स्कूलों जिनमें सरकारी भूमि पर चलने वाले स्कूल शामिल हैं, का विनियम संबंधित राज्य/संघ राज्यक्षेत्र सरकारों के क्षेत्राधिकार में आता है।

[हिन्दी]

डिग्री पाठ्यक्रम

2015. श्री सुनील कुमार सिंह :
श्री ए.टी. नाना पाटील :
श्री सुमेधानन्द सरस्वती :
डॉ. रामशंकर कठेरिया :

क्या **मानव संसाधन विकास मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का आगामी सत्र से विद्यार्थियों हेतु विश्वविद्यालयों में व्यावसायिक डिग्री पाठ्यक्रम और स्नातक पाठ्यक्रम आरंभ करने का विचार है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या सरकार इस बात से अवगत है कि व्यावसायिक डिग्री पाठ्यक्रम और स्नातक पाठ्यक्रम देश के सभी राज्यों में आरंभ किए जायेंगे;

(घ) यदि हां, तो राजस्थान सहित तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और उन राज्यों के नाम क्या हैं, जहां इन डिग्री पाठ्यक्रमों को आरंभ किए जाने की संभावना है;

(ङ) क्या सरकार ने व्यावसायिक डिग्री पाठ्यक्रम और स्नातक पाठ्यक्रम हेतु पृथक बजट का उपबंध किया है; और

(च) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

मानव संसाधन विकास मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा जल संसाधन, नदी विकास और गंगा संरक्षण मंत्रालय में राज्य मंत्री (डॉ. सत्यपाल सिंह) : (क) से (च) बी.ए. (व्यावसायिक), बी.एससी. (व्यावसायिक) और बी.कॉम. (व्यावसायिक) आरंभ करने संबंधी मामला विचाराधीन है।

[हिन्दी]

कृष्णा सर्किट का विकास

2016. श्रीमती हेमामालिनी : क्या **पर्यटन मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या स्वदेश दर्शन योजना के अंतर्गत भगवान कृष्ण के जीवन से संबंधित पौराणिक स्थलों को पर्यटक स्थलों के रूप में विकसित करने के लिए कृष्णा सर्किट का निर्माण किया जा रहा है और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ख) कृष्णा सर्किट का कार्य किस सीमा तक पूरा हो गया है शेष कार्य कार्य कब तक पूरा होने की संभावना है;

(ग) क्या बुद्ध सर्किट, हिमालयी सर्किट, जनजातीय सर्किट, आध्यात्मिक सर्किट और विरासत सर्किट सहित प्रसंग आधारित सर्किट विकसित करने संबंधी कोई प्रस्ताव है; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

पर्यटन मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री अलफोन्स कन्नन्थनम) : (क) और (ख) स्वदेश दर्शन योजना के अंतर्गत पहचाने गए पन्द्रह परिपथों में से एक कृष्णा परिपथ है। पर्यटन मंत्रालय ने कृष्णा परिपथ के तहत विकास के लिए प्रारंभ में 12 गंतव्यों नामत: द्वारका (गुजरात), नाथद्वारा, जयपुर और सीकर (राजस्थान); कुरुक्षेत्र (हरियाणा), मथुरा, वृंदावन, गोकुल, बरसाना, नंदगांव और गोवर्धन (उत्तर प्रदेश) और पुरी (ओडिशा) की पहचान की है। उपरोक्त उल्लिखित स्थलों के विकास के लिए स्वीकृत परियोजनाओं के ब्यौरे निम्नानुसार हैं:—

(करोड़ रुपए में)

क्र. सं.	योजना/वर्ष	परियोजना का नाम	स्वीकृत राशि
1.	प्रशाद 2014-15	मेगा पर्यटक परिपथ (चरण-II) के रूप में मथुरा-वृंदावन का विकास	14.93
2.	प्रशाद 2014-15	वृंदावन, जिला मथुरा में पर्यटक सुविधा केन्द्र का निर्माण	9.36
3.	प्रशाद 2014-15	मेगा परिपथ के तहत पुरी, श्री जगन्नाथ धामरामचंडी देवली में - प्राची रिवर फ्रंट में अवसंरचना विकास	50.00
4.	प्रशाद 2016-17	द्वारका का विकास	26.23
5.	स्वदेश दर्शन 2016-17	कुरुक्षेत्र, हरियाणा में महाभारत से संबंधित स्थानों में पर्यटन अवसंरचना का विकास	97.35
6.	स्वदेश दर्शन 2016-17	राजस्थान में गोविन्द देव जी मंदिर (जयपुर), खाटूश्याम जी का एकीकृत विकास (राजसमंद) और नाथद्वारा (सीकर)	91.45

उपरोक्त परियोजनाएं कार्यान्वयन के विभिन्न चरणों पर हैं।

(ग) और (घ) स्वदेश दर्शन योजना के अंतर्गत मंत्रालय ने विकास के लिए पन्द्रह थीमेटिक परिपथों नामत: पूर्वोत्तर परिपथ, बौद्ध परिपथ, हिमालयन परिपथ, तटवर्ती परिपथ, कृष्णा परिपथ, मरुस्थल परिपथ, जनजातीय परिपथ, इको परिपथ, वन्यजीव परिपथ, ग्रामीण परिपथ, आध्यात्मिक परिपथ, रामायण परिपथ, विरासत परिपथ, तीर्थंकर परिपथ और सूफी परिपथ की पहचान की है।

[अनुवाद]

बीटीएक्स का आयात

2017. कुंवर भारतेन्द्र सिंह : क्या पेट्रोलियम और प्राकृतिक मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या गैसोलिन को पेट्रोल पंप पर उपलब्ध कराए जाने से पूर्व उसमें बेंजीन, टोल्यून और जाइलीन (बीटीएक्स) जैसे मश्रक मिलाए जाते हैं, यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ख) क्या उक्त मश्रकों को घरेलू रूप से उत्पादित किया जाता है अथवा आयात किया जाता है और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) बीटीएक्स को कितना और किस दर पर आयात किया जा रहा है; और

(घ) ऐसे अन्य मश्रकों का ब्यौरा क्या है, जिन्हें पेट्रोल की ओक्टेन रेटिंग में वृद्धि करने और इसके परिणामस्वरूप ईंधन की क्षमता में सुधार लाने के लिए मश्रत किया जा सकता है है और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्री तथा कौशल विकास और उद्यमशीलता मंत्री (श्री धर्मेन्द्र प्रधान) : (क) गैसोलीन को पैट्रोल पंपों पर उपलब्ध कराए जाने से पूर्व उसमें मश्रक के रूप में बेंजीन, टोल्यून और जाइलीन (बीटीएक्स) को अलग से नहीं मिलाया जाता है।

(ख) और (ग) वर्ष 2016-17 में बीटीएक्स के घरेलू उत्पादन और साथ ही आयात के ब्यौरे संलग्न विवरण में दिए गए हैं।

(घ) कुछ पीएसयू रिफाइनरियों पेट्रोल की अनुसंधान ऑक्टेन संख्या बढ़ाने के लिए एनमथाइल एनीलाइन आधारित ऑक्टेन बूस्टर और मथाइल टर्टियरी ब्यूटाइल इथर्स का उपयोग कर रही हैं।

विवरण

बेंजीन, टोल्यून और जाइलीन के उत्पादन और आयात के आंकड़े

(सभी आंकड़े मीट्रिक टन में)

उत्पाद	2016-17		
	उत्पादन	आयात	मूल्य (लाख रुपए)
1	2	3	4
बेंजीन	1332000	—	—
टोल्यून	127000	392749	183101
जाइलीन्स			
मश्रत जाइलीन	296000	113	125
ओर्थो-जाइलीन	445000	26275	14609
पैरा - जाइलीन	3161000	1195515	667002

स्रोत: रसायन और पेट्रोरसायन सांख्यिकी, रसायन और उर्वरक मंत्रालय।

[अनुवाद]

मिनी गुरुकुलम

2018. प्रो. ए.एस.आर. नायक : क्या जनजातीय मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या मंत्रालय ने जनजातीय छात्रों की बेहतर शिक्षा के लिए 'मिनी गुरुकुलम' विद्यालय आरंभ किए हैं और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ख) क्या मिनी गुरुकुलम में नियमित शैक्षिक और गैर शैक्षिक कर्मचारी नहीं है तथा वर्तमान में कार्यरत कर्मचारी प्रतिकूल सेवा परिस्थितियों में कार्य कर रहे हैं;

(ग) यदि हां, तो सरकार का नियमित शिक्षकों की नियुक्ति करने या वर्तमान कर्मचारियों को अन्य शैक्षक और गैर शैक्षिक कर्मचारियों के बराबर वेतन बढ़ाने जा रही हैं; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और यदि नहीं तो इसके क्या कारण हैं?

जनजातीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री जसवंतसिंह सुमनभाई भाभोर) : (क) जी, नहीं। जनजातीय कार्य मंत्रालय ने जनजातीय विद्यार्थियों के लिए मिनी गुरुकुलम विद्यालय शुरू नहीं किए हैं।

(ख) से (घ) उपर्युक्त (क) को ध्यान में रखते हुए प्रश्न नहीं उठता।

एमएसएमई क्षेत्र का कार्य-निष्पादन

2019. श्रीमती पूनमबेन माडम : क्या सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) गत तीन वर्षों में प्रत्येक वर्ष एवं चालू वर्ष के दौरान सूक्ष्म,

लघु और मध्यम उद्यम (एमएसएमई) क्षेत्र में सृजित रोजगारों का गुजरात सहित राज्य-वार/संघ राज्यक्षेत्र-वार ब्यौरा क्या है;

(ख) उक्तावधि के दौरान देश के सकल घरेलू उत्पाद में इस क्षेत्र के योगदान का ब्यौरा क्या है तथा देश के कुल निर्यात में इसके योगदान का प्रतिशत कितना है;

(ग) एमएसएमई के समक्ष प्रमुख चुनौतियों, विशेष रूप से उनके विकास से संबंधित चुनौतियों का ब्यौरा क्या है; और

(घ) एमएसएमई क्षेत्र को बढ़ावा देने तथा इस क्षेत्र में ज्यादा रोजगार सृजित करने के लिए सरकार द्वारा क्या कदम उठाए गए हैं/उठाए जाने प्रस्तावित हैं?

सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री गिरिराज सिंह) : (क) वर्ष 2015-16 की अवधि के दौरान किए गए राष्ट्रीय नमूना सर्वेक्षण (एनएसएस) के 73वें दौर के अनुसार देश भर में शहरी एवं ग्रामीण क्षेत्रों में सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम क्षेत्र 11.10 करोड़ रोजगार (विनिर्माण में 360.41 लाख, व्यापार में 387.18 लाख तथा अन्य सेवाओं में 362.82 लाख एवं नॉ कैप्टिव विद्युत सृजन एवं संचारण) सृजित करता रहा है।

सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम मंत्रालय देश में रोजगार सृजन को बढ़ाने के लिए विभिन्न स्कीमें चला रहा है। प्रधानमंत्री रोजगार सृजन कार्यक्रम (पीएमईजीपी) एक प्रमुख ऋण संबद्ध कार्यक्रम है जिसका उद्देश्य परंपरागत कारीगरों तथा बेरोजगार युवाओं की सहायता कर गैर-कृषि क्षेत्र में सूक्ष्म उद्यमों की स्थापना के माध्यम से स्वरोजगार के अवसर सृजित करना है। 18 वर्ष से अधिक आयु का कोई भी व्यक्ति पात्र है। सामान्य श्रेणी के लाभार्थी ग्रामीण क्षेत्रों में परियोजना लागत का 25% तथा शहरी क्षेत्रों में 15% मार्जिन मनी सब्सिडी ले सकते हैं। अजा/जजजा/महिलाओं/शारीरिक रूप से विकलांगों/अल्पसंख्यकों/भूतपूर्व सैनिकों/पूर्वोत्तर क्षेत्र जैसी विशेष श्रेणियों से संबंधित लाभार्थियों के लिए ग्रामीण क्षेत्रों में 35% तथा शहरी क्षेत्रों में 25% मार्जिन मनी सब्सिडी है। परियोजना की अधिकतम लागत विनिर्माण क्षेत्र में 25 लाख रुपए एवं सेवा क्षेत्र में 10 लाख रुपए है। केवल नई इकाइयों की स्थापना के लिए पीएमईजीपी के अंतर्गत लाभ लिया जा सकता है।

इस स्कीम को 2008-09 के दौरान शुरू किया गया। आरंभ से 10007.67 करोड़ रुपए की मार्जिन मनी सब्सिडी से कुल 4.72 लाख सूक्ष्म उद्यमों की सहायता करके वर्ष 2017-18 तक (31.03.2018 तक) अनुमानित 39.36 लाख व्यक्तियों को रोजगार दिया गया है। विगत तीन वर्षों में से प्रत्येक एवं चालू वर्ष के दौरान गुजरात राज्य सहित राज्य/संघ राज्य क्षेत्रवार सृजित रोजगार का ब्यौरा संलग्न विवरण-I में दिया गया है।

सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम मंत्रालय के अधीन एक सांविधिक निकाय, कयर बोर्ड नारियल उत्पादक राज्यों में कयर उद्योग के सतत विकास के लिए कयर विकास योजना (सीयूवाई) कार्यान्वित कर रहा है। विगत तीन वर्षों के दौरान कयर क्षेत्र में सृजित रोजगार का ब्यौरा संलग्न विवरण-II में दिया गया है।

(ख) उपलब्ध आंकड़ों के अनुसार राष्ट्र के सकल घरेलू उत्पाद में एमएसएमई क्षेत्र द्वारा किया गया योगदान का ब्यौरा नीचे दिया गया है:—

	2014-15	2015-16	2016-17
कुल सकल घरेलू उत्पाद में एमएसएमई का हिस्सा (% में)	29.7%	29.2%	28.9%

देश के कुल निर्यात के लिए एमएसएमई क्षेत्र द्वारा किया प्रतिशत योगदान नीचे दिया गया है:—

	2014-15	2015-16	2016-17	2017-18
देश के कुल निर्यात में % योगदान	44.75%	49.86%	49.69%	48.58%

(ग) सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम ऋण की उपलब्ध, प्रौद्योगिकी उन्नयन, विपणन एवं अवसंरचना जैसी चुनौतियों का सामना करते हैं। यह क्षेत्र अपने उद्योग स्थापित करने के लिए पूंजीगत निधि जुटाने और प्रतिस्पर्धी वातावरण में अपने उत्पाद को बेचने के लिए भी कठिनाइयों का सामना करता है।

(घ) सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम मंत्रालय ने देश भर में एमएसएमई क्षेत्र के संवर्धन एवं विकास के लिए बहुत-सी पहल की हैं। सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम मंत्रालय प्रधानमंत्री रोजगार सृजन कार्यक्रम (पीएमईजीपी), सूक्ष्म एवं लघु उद्यमों के लिए ऋण गांरटी स्कीम (सीजीटीएमएसई), सहायता एवं रोजगार सृजन के लिए ऋण संबद्ध पूंजीगत सब्सिडी स्कीम (सीएलसीएसएस) कार्यान्वित कर रहा है।

कौशल विकास एवं अवसंचना विकास के लिए सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम मंत्रालय नवप्रवर्तन, ग्रामीण उद्योग एवं उद्यमिता संवर्धन स्कीम (एस्पायर) तथा परंपरागत उद्योगों के पुर्नसृजन के लिए निधि स्कीम (स्फूर्ति) चला रहा है।

गुणता सुधार तथा बाजार प्रतिस्पर्धत्मकता बनाए रखने के लिए मंत्रालय ने जेड स्कीम, डिजिटल एमएसएमई स्कीम, आदि शुरू की हैं। मंत्रालय ने प्रौद्योगिकी उन्नयन में उद्यमियों की मदद करने तथा उनके उत्पाद के विपणन को संवर्धित करने के लिए बहुत-से पोर्टल शुरू किए हैं।

विवरण-I

पिछले तीन वर्षों और वर्तमान वर्ष के दौरान पीएमईजीपी के अंतर्गत रोजगार की राज्य-वार स्थिति (30.06.2018 तक)

क्र. सं.	राज्य/संघ राज्य क्षेत्र	2015-16	2016-17	2017-18	2018-19 (30.06.2018 तक)
1	2	3	4	5	6
1.	जम्मू और कश्मीर	12115	11691	30024	8888
2.	हिमाचल प्रदेश	5134	6916	7088	1016
3.	पंजाब	7762	9858	12160	2472
4.	संघ राज्य क्षेत्र चंडीगढ़	323	376	360	56
5.	उत्तराखंड	6161	9890	12904	4648
6.	हरियाणा	7232	11016	13744	2728
7.	दिल्ली	2048	952	920	40
8.	राजस्थान	14537	13408	12614	4336
9.	उत्तर प्रदेश	43059	36315	43456	12472
10.	बिहार	19624	25872	18456	5864
11.	सिक्किम	397	201	296	40
12.	अरुणाचल प्रदेश	104	1984	1672	832
13.	नागालैंड	4998	7783	7440	1232
14.	मणिपुर	2715	8419	4800	1568
15.	मिजोरम	9072	3400	1992	1424
16.	त्रिपुरा	5355	17961	8928	1864
17.	मेघालय	4824	2632	600	528
18.	असम	9026	31498	18256	8896
19.	पश्चिम बंगाल	12746	26604	10928	3824
20.	झारखंड	12873	10400	8888	2464
21.	ओडिशा	17629	20392	19192	6184
22.	छत्तीसगढ़	9496	12856	11740	6016

1	2	3	4	5	6
23.	मध्य प्रदेश	16497	15520	14432	2432
24.	गुजरात*	14960	11629	15008	3632
25.	महाराष्ट्र**	20161	17799	26632	8744
26.	आंध्र प्रदेश	7740	14148	12216	3136
27.	तेलंगाना	7761	6445	9520	1488
28.	कर्नाटक	17284	30286	16920	5560
29.	गोवा	500	660	400	32
30.	लक्षद्वीप	0	00	00	00
31.	केरल	9653	13068	10776	3712
32.	तमिलनाडु	20836	25764	32760	4592
33.	पुद्दुचेरी	447	699	352	48
34.	अंडमान और निकोबार द्वीपसमूह	293	1398	1744	296
	कुल	323362	407840	387184	111064

*दमन और दीव सहित।
**दादरा और नगर हवेली सहित।

विवरण-II

कयर क्षेत्र में सृजित रोजगार का ब्यौरा

राज्य	2015-16	2016-17	2017-18
केरल	1312	861	1629
तमिलनाडु	1483	2383	1059
कर्नाटक	102	432	287
आंध्र प्रदेश	879	652	193
ओडिशा	325	225	375
अन्य	108	226	89
कुल	4209	4779	3632

[अनुवाद]

पाटन-रोधी जांच

2020. **श्री बलका सुमन : क्या वाणिज्य और उद्योग मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि चीन, यूएस, ईयू और अन्य देशों के विरुद्ध पाटन-रोधी शुल्क महानिदेशालय द्वारा 850 से अधिक पाट्न-रोधी जांच आरंभ की गई है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या इन 850 जांचों में 200 से अधिक जांचें अकेले चीन के खिलाफ है; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्रालय में

राज्य मंत्री तथा वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री सी.आर. चौधरी) : (क) और (ख) डीजीटीआर (पूर्ववर्ती डीजीएडी) ने विभिन्न देशों से आयातों के खिलाफ 88 जांच प्रारंभ की हैं। मुख्य रूप से चीन, ईयू, कोरिया गणराज्य, चीनी ताईपेई, थाईलैंड, यूएस, इंडोनेशिया, जापान एवं मलेशिया से जाचें शामिल हैं। निम्नलिखित तालिका विभिन्न देशों के खिलाफ भारत द्वारा पाटनरोधी जांच की संख्या दर्शाती है:—

31.12.2017 की स्थिति के अनुसार

देश	जांचों की संख्या
चीन	214
ईयू	65
कोरिया गणराज्य	65
चीनी ताईपेई	62
थाईलैंड	49
यूएस	40
इंडोनेशिया	39
जापान	39
मलेशिया	34
अन्य	281
कुल	888

स्रोत : डब्ल्यूटीओ

(ग) 31.12.2017 तक चीन के खिलाफ 214 जांच प्रारंभ किए गए हैं।

(घ) भारत द्वारा प्रारंभ की गई 888 जांचों में से विभिन्न देशों के खिलाफ 656 जांचों में शुल्क अधिरोपित किया गया है जिनमें से 167 चीन के विरुद्ध हैं।

मानद विश्वविद्यालय

2021. श्री पी.सी. मोहन : क्या **मानव संसाधन विकास मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने मानद विश्वविद्यालयों को दूरस्थ शिक्षा योजना के अंतर्गत अभियांत्रिकी पाठ्यक्रमों को चलाने की अनुमति दी है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या उच्चतम न्यायालय ने वर्ष 2001 से 2005 तक दूरस्थ शिक्षा योजना के अंतर्गत चलाए गए अभियांत्रिकी पाठ्यक्रमों को रद्द कर दिया है;

(घ) यदि हां, तो जिन विद्यार्थियों ने अपनी गलती के बिना उक्त पाठ्यक्रमों में डिग्री हासिल की थी, उनके हितों की सुरक्षा के लिए सरकार द्वारा क्या कदम उठाए गए हैं;

(ङ) क्या सरकार दूरस्थ शिक्षा पेशेवर पाठ्यक्रमों के विनियमन के लिए कोई विधान लाने पर विचार करेगी; और

(च) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है तथा यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं?

मानव संसाधन विकास मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा जल संसाधन, नदी विकास और गंगा संरक्षण मंत्रालय में राज्य मंत्री (डॉ. सत्यपाल सिंह) : (क) और (ख) जी, नहीं।

(ग) और (घ) भारत के माननीय उच्चतम न्यायालय ने सिविल अपील संख्या 17869-17870/2017 में दिनांक 03.11.2017 के अपने न्यायादेश द्वारा इंस्टीट्यूट ऑफ एडवांस्ड स्टडीज़ इन एजूकेशन (आईएएसई), सरदारशहर, राजस्थान; जनार्दन राय नगर राजस्थान विद्यापीठ (जेआरएनआरवी), उदयपुर राजस्थान; विनायक मिशन्स रिसर्च फाउंडेशन (एनएमआरएफ), सलेम, तमिलनाडु; और इलाहाबाद एग्रिकल्चरल इंस्टीट्यूट (एएआई) इलाहाबाद, उत्तर प्रदेश (जिसे अब सैम हिग्गिनबॉटम इंस्टीट्यूट ऑफ एग्रीकल्चर, टेक्नोलॉजी एंड साइंसेज के नाम से जाना जाता है)

नामक चार समवत विश्वविद्यालयों द्वारा अकादमिक सत्र 2001-2005 के दौरान प्रदान की गई सभी इंजीनियरिंग डिग्रियों को स्थगित कर दिया है। न्यायालय ने अखिल भारतीय तकनीकी शिक्षा परिषद् (एआईसीटीई) को उन छात्रों के लिए समुचित परीक्षा/परीक्षाएं आयोजित करने हेतु रूपात्मकताएं (मॉडेलिटीज) तैयार करने का निर्देश दिया है, जिन्हें अकादमिक सत्र 2001-2005 के दौरान इन संस्थाओं में प्रवेश दिया गया था। संबंधित छात्रों को परीक्षा देने के लिए विकल्प दिए जा सकते हैं। छात्रों को परीक्षा पास करने के दो अवसर दिए जाएंगे।

इसके अतिरिक्त, माननीय न्यायालय ने दिनांक 22.01.2018 के निर्णय में कहा है कि, ऐसे सभी अभ्यर्थी, जो एसईसीटीई द्वारा मई-जून, 20018 में आयोजित की जाने वाली परीक्षा देने के इच्छुक हैं, इस परीक्षा

के परिणाम घोषित होने के एक माह तक अथवा 31.07.2018 तक, इनमें से जो भी पहले हो, प्रश्नगत डिग्रियों को रख सकते हैं तथा उनसे मिलने वाले सभी लाभ ले सकते हैं। यदि अभ्यर्थी पहले ही प्रयास में पास हो जाते हैं तो वे सभी लाभ उठाने के पात्र होंगे। किन्तु यदि वे फेल हो जाते हैं। अथवा परीक्षा में नहीं बैठते, तो निर्णय में दिए गए ये निर्देश लागू होंगे, ऐसी अवस्था में डिग्री और सभी लाभ स्थगित और समाप्त माने जाएंगे। नि:संदेह, उन्हें निर्णय के अनुसार परीक्षा देने का दूसरा अवसर दिया जाएगा किंतु यह छूट दूसरे प्रयास पर लागू नहीं होगी।

(ङ) जी, नहीं। फिलहाल, ऐसा कोई प्रस्ताव नहीं है।

(च) उपर्युक्त (ङ) के मद्देनजर, प्रश्न नहीं उठता।

ईएसआईसी के एसआरओ को अवनत करना

2022. श्री एन.के. प्रेमचन्द्रन : क्या **श्रम और रोजगार मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ईएसआईसी के उप-क्षेत्रीय कार्यालयों (एसआरओ) को अवनत करने का विचार रखती है तथा यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है तथा अवनत किए जाने वाले एसआरओ का ब्यौरा क्या है तथा एसआरओ को उक्त प्रकार से अवनत किए जाने के क्या कारण है;

(ख) क्या सरकार का विचार ईएसआईसी के प्रशासनिक कार्यकलाप को केन्द्रीयकृत करने का है तथा यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है तथा इसके क्या कारण है;

(ग) प्रस्तावित अवनत एसआरओ के कार्यकलापों के निष्पादन के लिए सरकार द्वारा क्या वैकल्पिक व्यवस्था प्रस्तावित है;

(घ) क्या सरकार का विचार ईएसआईसी में कर्मचारियों एवं नियोक्ताओं की आसान पहुंच को कठिन बनाने का है तथा यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है तथा इसके क्या कारण हैं; और

(ङ) क्या सरकार का विचार बीमित व्यक्तियों को बेहतर सुविधाएं प्रदान करने का है तथा यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है तथा उनके दावों पर निर्णय लेने में होने वाले प्रशासनिक विलंब से बचने के लिए तथा इस संबंध में एक नई प्रणाली शुरू करने के लिए क्या कार्रवाई की गई है?;

श्रम और रोजगार मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री संतोष कुमार गंगवार) : (क) सरकार को कर्मचारी राज्य बीमा निगम से ईएसआईसी के उप-क्षेत्रीय कार्यालयों (एसआरओ) को अवनत करने का कोई प्रस्ताव प्राप्त नहीं हुआ है।

(ख) जी, नहीं।

(ग) उपर्युक्त (ख) के दृष्टिगत प्रश्न नहीं उठता।

(घ) जी, नहीं।

(ङ) ईएसआई (सामान्य) विनियम, 1950 के विनियम 52 के अंतर्गत यथाउपबंधित ईएसआई लाभार्थियों को नकद लाभ वितरित किए जाते हैं। इसके अतिरिक्त, लाभ संबंधी दावों के निपटान का भी शीघ्र निपटान हेतु समुचित स्तर पर अनुवीक्षण किया जाता है। कराबी निगम ने दिनांक 29.05.2018 को आयोजित अपनी 174वें बैठक में ईएसआईसी औषधालय-सह-शाखा कार्यालय की स्थापना प्रत्येक जिले में करने का अनुमोदन किया है चाहे कोई जिला आंशिक अथवा पूर्णत: क्रियान्वित हो अथवा नहीं। बीमित व्यक्तियों की सुविधा के लिए औषधालय तथा शाखा कार्यालय एक ही भवन में रहेगा। ईएसआईसी औषद्यालय-सह-शाखा कार्यालय से बीमित व्यक्तियों को प्राथमिक चिकित्सा देख-रेख, भर्ती किए गए मरीजों के इलाज हेतु रेफरल, बिलों की जांच, जिले में औषधियों का वितरण, नकद लाभ का भुगतान, जिले में कवरेज हेतु सर्वेक्षण कार्य तथा आईटी हेल्प-डेस्क तथा सुविधा सेवा प्रदान की जाएगी।

[हिन्दी]

एमएसएमई निर्यात

2023. श्री शरद त्रिपाठी : क्या **सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या देश में अधिकांश खाद्य और कृषि उत्पाद लघु और मध्यम उद्यमों द्वारा निर्यात किए जाते हैं और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ख) देश में कुल छोटे और मध्यम उद्यमों में से कितने उद्यम हैं जो कि निर्यात में संलग्न हैं; और

(ग) क्या ये इकाइयां देश में प्रचालित अन्य उद्यमों की तुलना में अधिक लाभ कमाते हैं और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;।

सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री गिरिराज सिंह) : (क) और (ख) वाणिज्यिक आसूचना और सांख्यिकी महानिदेशालय से प्राप्त सूचना के अनुसार खाद्य, वनस्पतियों और कृषि उत्पादों से जुड़े निर्यातकों की संख्या वर्ष 2017-18 में 8035 थी और इस अवधि के दौरान भारत से उक्त उत्पादों के निर्यात में एमएसएमई की भागीदारी 4.17 प्रतिशत थी।

(ग) उद्यमों का मुनाफा कच्चे माल की लागत, कुशल प्रौद्योगिकी के उपयोग, गुणवत्ता, पैकेजिंग तैयार माल के विपणन, किराया और बीमा प्रभारों, शुल्कों और करों इत्यादि पर निर्भर करता है।

तेलंगाना में पर्यटन स्थलों का विकास

2024. श्री गुत्था सुकेन्द्र रेड्डी : क्या पर्यटन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने तेलंगाना राज्य में पर्यटन स्थलों का विकास आरंभ किया है/योजना बनाई है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) इस प्रयोजनार्थ चिह्नित स्थलों का ब्यौरा क्या है;

(घ) क्या इस प्रभाव से राज्य सरकार से कोई डीपीआर मांगी गई है; और

(ङ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

पर्यटन मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री अलफोन्स कन्ननथनम) : (क) से (ग) यह मंत्रालय स्वदेश दर्शन योजना-थीम आधारित पर्यटक परिपथों का एकीकृत विकास, के तहत देश में पर्यटन अवसंरचना के विकास हेतु राज्य सरकारों/संघ राज्यक्षेत्र/केन्द्रीय एजेंसियों को केन्द्रीय वित्तीय सहायता प्रदान करता है। उपर्युक्त योजना के तहत तेलंगाना में संस्वीकृत परियोजनाओं का ब्यौरा निम्नलिखित है:—

(करोड़ रुपए में)

क्र.सं.	योजना/वर्ष	परियोजना का नाम	स्वीकृत राशि
1.	स्वदेश दर्शन 2016-17	महबूबनगर जिला, तेलंगाना में इको पर्यटन परिपथ का एकीकृत विकास	91.62
2.	स्वदेश दर्शन 2016-17	तेलंगाना में मुलुगु-लकनावरम-मेदावरम-तडवई-दमारवी-मल्लूर-बोगाथा जलप्रपातों का जनजातीय परिपथ के रूप में एकीकृत विकास	84.40
3.	स्वदेश दर्शन 2016-17	तेलंगाना में विरासत परिपथ का विकास : कुतुबशाही विरासती पार्क, पैगाह का मकबरा, हयात बक्शी की मस्जिद-रेमंड का मकबरा	99.42
		कुल	275.44

(घ) और (ङ) स्वदेश दर्शन योजना के अंतर्गत राज्य सरकारों/संघ राज्य क्षेत्रों द्वारा परियोजना प्रस्ताव भेजा जाना एक सतत् प्रक्रिया है। विकास हेतु परियोजनाएं राज्य सरकारों/संघ राज्य क्षेत्र प्रशासनों के परामर्श से पहचानी जाती हैं और निधियों की उपलब्धता, उपयुक्त विस्तृत परियोजना रिपोर्टों की प्रस्तुति, योजना दिशा-निर्देशों के अनुपालन तथा पूर्व में जारी निधियों की उपयोगिता की शर्त पर संस्वीकृत की जाती है।

[हिन्दी]

शिक्षक प्रशिक्षण केन्द्र

2025. श्री उदय प्रताप सिंह : क्या मानव संसाधन विकास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने मध्य प्रदेश सहित सभी राज्यों के शिक्षक प्रशिक्षण केन्द्रों के संबंध में कोई आंकलन किया है या इस संबंध में कोई रिपोर्ट प्रकाश में आई है;

(ख) यदि हां, तो राज्य-वार तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या सरकार के विचाराधीन सरकार द्वारा शिक्षक प्रशिक्षण केन्द्रों के आधुनिकीकरण का कार्य किया जा रहा है; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

मानव संसाधन विकास मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री उपेन्द्र कुशवाहा) : (क) और (ख) पूर्व की अध्यापक शिक्षा संबंधी केन्द्रीय रूप से प्रायोजित योजना का वर्ष 2017 में टाटा सामाजिक विज्ञान संस्थान (टीआईएसएस) द्वारा तृतीय पक्ष मूल्यांकन किया गया था जिसमें 11 राज्यों (असम, बिहार, छत्तीसगढ़, हिमाचल प्रदेश, कर्नाटक, महाराष्ट्र, मिजोरम, मध्य प्रदेश, राजस्थान, तेलंगाना और उत्तर प्रदेश) और दो संघ राज्य क्षेत्रों (दिल्ली और पुदुचेरी) में 90 अध्यापक शिक्षा संस्थानों (टीईआई) को शामिल किया गया था।

(ग) और (घ) स्कूल शिक्षा और साक्षरता विभाग ने 2017 में

मौजूदा संगठनात्मक ढांचे की पुन: संरचना करने और अन्य राज्यों तथा जिला स्तरीय उप व्यवस्थाओं के साथ संपर्कों के सुदृढ़ीकरण पर ध्यान केन्द्रित करते हुए राज्य शैक्षिक अनुसंधान एवं प्रशिक्षण परिषदों (एससीईआरटी) और जिला शिक्षा शोध एवं प्रशिक्षण संस्थानों (डीआईईटी) के सुदृढ़ीकरण की प्रक्रिया आरंभ की है।

विगत की सर्व शिक्षा अभियान (एसएसए), राष्ट्रीय माध्यमिक शिक्षा अभियान (आरएमएसए) और अध्यापक शिक्षा (टीई) की तीनों योजनाओं को मिलाकर प्री-स्कूल से 12वीं कक्षा तक समूचे स्कूल शिक्षा क्षेत्र तक विस्तार करने के लिए 2018-19 में भारत सरकार की एक केन्द्र प्रायोजित योजना समग्र शिक्षा आरंभ की गई है। समग्र शिक्षा के अंतर्गत एससीईआरटी/एसआईई तथा डीआईईटी का अध्यापक प्रशिक्षण हेतु नोडल एजेंसियों के रूप में सुदृढ़ीकरण और उन्नयन करना फोकस क्षेत्रों में से एक है। समग्र शिक्षा के दिशा निर्देशों में एससीईआरटी और डीआईईटी की संगठनात्मक पुन: संरचना, अध्यापक शिक्षकों के लिए पृथक काडर का सृजन और इन टीईआई में शैक्षिक पदों पर उच्च गुणवत्तापरक लोगों की भर्ती करने की सिफारिश की गई है।

[अनुवाद]

वरिष्ठ माध्यमिक कक्षाओं हेतु डे केयर स्कूल

2026. श्री देवुसिंह चौहान : क्या **मानव संसाधन विकास मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने देश में कक्षा 10, 11 और 12 के लिए डे केयर स्कूल चलाने की अनुमति दी है; और

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

मानव संसाधन विकास मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री उपेन्द्र कुशवाहा) : (क) और (ख) इस वर्ष 2018-19 के दौरान केन्द्र-प्रायोजित समग्र शिक्षा योजना शुरू की गई हैं, जिसमें 'स्कूल' की प्री-स्कूल, प्राथमिक, उच्च प्राथमिक, माध्यमिक से वरिष्ठ माध्यमिक स्तरों तक सातत्य के रूप में परिकल्पना की गई हैं। इस योजना का लक्ष्य शिक्षा के सतत विकास लक्ष्य (एसडीजी) के अनुपालन में प्री-स्कूल से वरिष्ठ माध्यमिक स्तर तक समावेशी तथा साम्यिक गुणवत्ता शिक्षा सुनिश्चित करना हैं। इस योजना में देश में 10वीं 11वीं और 12वीं कक्षाओं के लिए डे केयर स्कूलों को बढ़ावा देने का कोई प्रावधान नहीं हैं।

[अनुवाद]

पेट्रोलियम उत्पादों की कमी

2027. श्री राजीव प्रताप रुडी : क्या **पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने प्राकृतिक गैस सहित पेट्रोलियम उत्पादों की कमी को पूरा करने हेतु कोई दीर्घावधि रणनीति तैयार की है और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इस संबंध में सरकार द्वारा क्या कदम उठाए गए हैं;

(ख) क्या सरकार देश में शेल गैस के विकास हेतु नई नीति तैयार कर रही है और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या सरकारी क्षेत्र कंपनियों ने विदेशी शेल उत्पादक कंपनियों में निवेश किया है, यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(घ) क्या सरकार ने शेल गैस विकास हेतु प्रौद्योगिकी बांटने और संयुक्त विकास हेतु कोई द्विपक्षीय समझौता हस्ताक्षरित किया है और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्री तथा कौशल विकास और उद्यमशीलता मंत्री (श्री धर्मेन्द्र प्रधान) : (क) सरकार द्वारा तेल और गैस के घरेलू उत्पादन को बढ़ाने के लिए की गई नीतिगत पहलों में निम्नलिखित शामिल हैं:–

(i) हाइड्रोकार्बन खोजों से शीघ्र मुद्रा अर्जित करने के लिए उत्पादन हिस्सेदारी संविदा (पीएससी) के तहत छूट प्रदान करने, अवधि के विस्तार और स्पष्टीकरण संबंधी नीति, 2014

(ii) परीक्षण आवश्यकताओं संबंधी नीति, 2015

(iii) खोजे गए लघु क्षेत्र संबंधी नीति, 2015

(iv) हाइड्रोकार्बन अन्वेषण और लाइसेंसिंग नीति, 2016

(v) उत्पादन हिस्सेदारी संविदाओं के विस्तार संबंधी नीति, 2016 और 2017

(vi) कोल बेड मिथेन से शीघ्र मुद्रा अर्जित करने संबंधी नीति

(vii) नेशनल डोटा रिपोजिटरी, 2017 स्थापित करना

(viii) तलछटीय बेसिनों में गैर-मूल्यांकित क्षेत्र का मूल्यांकन

(ix) हाइड्रोकार्बन संसाधनों का पुन: मूल्यांकन

(x) एनईएलपी पूर्व और एनईएलपी ब्लॉकों, 2018 में उत्पादन हिस्सेदारी संविदाओं की कार्य पद्धति को सुव्यवस्थित करना

ऊर्जा के क्षेत्र में तेल और गैस के आयात पर निर्भरता में कमी का लक्ष्य हासिल करने के लिए उठाए गए कदमों में निम्नलिखित शामिल हैं:–

(i) तेल और गैस के घरेलू उत्पादन को बढ़ाना;

(ii) ऊर्जा दक्षता तथा संरक्षण संबंधी उपायों को बढ़ावा देना;

(iii) मांग प्रतिस्थापन पर जोर देना;

(iv) जैव ईंधनों तथा वैकल्पिक ईंधनों/नवीकरणीय ईंधनों में मौजूद अप्रयुक्त क्षमता का लाभ उठाना; और

(v) रिफाइनरी प्रक्रिया सुधारों के लिए उपायों का कार्यान्वयन।

(ख) देश में शेल गैस और तेल का दोहन करने के लिए भारत सरकार ने दिनांक 14 अक्तूबर, 2013 को राष्ट्रीय तेल कंपनियों अर्थात् ऑयल एंड नेचूरल गैस कॉर्पोरेशन (ओएनजीसी) लि. और ऑयल इंडिया लि. (ओआईएल) द्वारा उन्हें नामांकन व्यवस्था के तहत प्रदान किए गए जमीनी पेट्रोलियम अन्वेषण लाइसेंस (पीईएल)/पेट्रोलियम खनन पट्टा (पीएमएल) क्षेत्रों में शेल गैस और तेल के अन्वेषण और दोहन के लिए नीतिगत दिशा-निर्देशों की घोषणा की है। भारत सरकार ने वर्ष 2015 में खोजे गए लघु क्षेत्र संबंधी नीति और वर्ष 2016 में हाइड्रोकार्बन अन्वेषण लाइसेंसिंग नीति (एचईएलपी) को अनुमोदित कर दिया है जिससे संविदाकार शेल तेल/गैस सहित सभी प्रकार के हाइड्रोकार्बन संसाधनों का अन्वेषण और दोहन कर सकता है। देश में तेल गैस के उत्पादन को बढ़ाने के लिए नीतियों की समीक्षा करना और उन्हें तैयार करना एक सतत प्रक्रिया है।

(ग) भारतीय सार्वजनिक क्षेत्र की तेल और गैस कंपनियों ने फरवरी, 2018 तक ऑस्ट्रेलिया, ब्राजील, कनाडा, ईरान, ईराक, नाइजीरिया, म्यांमार, नामीबिया, रुस, दक्षिणी सूडान, यूएसए, यूएई, वैनेजूएला और वियतनाम सहित 27 देशों में शेल तेल/गैस सहित हाइड्रोकार्बन के दोहन के लिए लगभग 33.8 बिलियन अमरीकी डॉलर के संचयी निवेश से पणों का अर्जन किया है।

(घ) भारत में शेल गैस संसाधनों के वर्गीकरण और आकलन के संबंध में जानकारी के आदान-प्रदान तथा विशेषज्ञता के क्षेत्र में यूएसए के साथ दिनांक 06 नवंबर, 2010 को एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए गए थे।

[हिन्दी]

भारतीय कृषि उत्पादों पर प्रतिबंध

2028. **श्री कपिल मोरेश्वर पाटील : क्या वाणिज्य और उद्योग मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) उन देशों के क्या नाम हैं जिन्होंने गत तीन वर्षों के दौरान भारत के कृषि उत्पादों के आयात पर प्रतिबंध लगाया है और वे कौन से उत्पाद हैं और उक्त प्रतिबंध लगाने के क्या कारण हैं;

(ख) उक्त प्रतिबंध कितनी अवधि के लिए लगाया गया है;

(ग) किन फसलों पर उक्त प्रतिबंध अभी भी जारी है;

(घ) उक्त प्रतिबंध के कारण भारतीय किसानों को कितना नुकसान हुआ है; और

(ङ) सरकार द्वारा इस संबंध में की गई कार्रवाई का ब्यौरा क्या है?

उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री सी.आर. चौधरी) : (क) से (ग) पिछले तीन वर्षों के दौरान विभिन्न देशों द्वारा कृषि उत्पादों के आयात पर प्रतिबंध के बारे में सूचना निमनानुसार है:-

देश	उत्पाद	प्रतिबंध/निलंबन का कारण	प्रतिबंध की अवधि
1	2	3	4
ऑस्ट्रेलिया	अनकुक्कड झींगा	व्हाइट स्पॉट सिंड्रोम वायरस के कारण (डब्ल्यूएसएसवी)	जनवरी 2017 से जुलाई 2017 तक।
सऊदी अरब	शीतित एवं प्रशीतित श्रिंप	डब्ल्यूएसएसवी के कारण	14 दिसंबर 2016 से जारी है।
सऊदी अरब	कल्चर्ड मछली	स्वास्थ्य की अस्पष्ट स्थिति	1 फरवरी 2018 से - जारी है।
कुवैत	शीतित श्रिम्प	कुवैत साइड से कारणों का अभी तक पता नहीं चला	5 जनवरी 2017 - अभी भी जारी है।
थाईलैंड	श्रिम्प	संक्रामक मायोनीक्रोसिस वायरस (आईएमएनवी) के कारण	22 सितंबर 2017 से जारी है।

1	2	3	4
भूटान	मिर्च	4-ब्रोमो-2 - क्लोरोफेनॉल की कीटनाशक अवशेष की उपस्थिति के कारण।	जुलाई 2016 - दिसंबर 2016
मेक्सिको	मिर्च	तरोगोडेर्मागरनारिउम (खापरा बीटल) के लार्वा का पता लगने के कारण	मई 2017 से जारी है।

उपर्युक्त के अलावा, कुछ पश्चिमी एशियाई देशों ने मई 2018 में नीपाह वायरस की घटना के कारण केरल राज्य से फलों और सब्जियों के आयात को अस्थायी रूप से रोक दिया है।

(घ) इन प्रतिबंधों के कारण किसानों द्वारा उठाए गए नुकसान का आंकना संभव नहीं है क्योंकि उपज की बिक्री के लिए घरेलू और अंतर्राष्ट्रीय दोनों की वैकल्पिक मार्ग सदा उपलब्ध रहे हैं।

(ङ) सरकार भारतीय कृषि उत्पादों के आयात पर लगे प्रतिबंध को जल्द से जल्द हटाने के लिए संभव प्रयास करती है। इस मामले को भारतीय दूतावासों के माध्यम से संबंधित देशों में संबंधित अधिकारियों के साथ उठाया गया। प्रतिबंध के कारणों को खत्म करने के लिए यथावश्यक सुधारात्मक कार्रवाई भी की जाती है।

[अनुवाद]

शैक्षिक संस्थाएं

2029. श्री जे.सी. दिवाकर रेड्डी : क्या **मानव संसाधन विकास मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) सरकार द्वारा आंध्र प्रदेश राज्य के विभाजन के पश्चात् कुल कितनी शैक्षिक संस्थाएं/महाविद्यालय/विश्वविद्यालय खोले गए हैं;

(ख) आंध्र प्रदेश में प्रत्येक संस्था या विश्वविद्यालय को कुल कितनी निधि जारी और व्यय की गई;

(ग) क्या सरकार को इस बात की जानकारी है कि आंध्र प्रदेश के इस संबंध में अनुरोध लंबित हैं; और

(घ) यदि हां, तो सरकार द्वारा कब तक कार्रवाई की जाएगी?

मानव संसाधन विकास मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा जल संसाधन, नदी विकास और गंगा संरक्षण मंत्रालय में राज्य मंत्री (डॉ. सत्यपाल सिंह) : (क) से (घ) आंध्र प्रदेश पुनर्गठन अधिनियम, 2014 के अनुसरण में मानव संसाधन विकास मंत्रालय द्वारा आंध्र प्रदेश में सात केन्द्रीय संस्थानों अर्थात् एक आईआईटी, एक एनआईटी, एक आईआईएम, एक आईआईएसईआर, एक आईआईआईटी, एक केन्द्रीय विश्वविद्यालय और एक जनजातीय विश्वविद्यालय की स्थापना की जा रही है। इसका ब्यौरा निम्नानुसार है:—

क्र.सं.	संस्थान	स्थिति/जारी राशि
1	2	3
1.	आईआईटी, तिरुपति	आईआईटी तिरुपति की स्थापना की गई है और इसका शैक्षिक सत्र वर्ष 2015-16 से आरंभ हो गया है। आज की स्थिति के अनुसार संस्थान को 110.04 करोड़ रुपए जारी किए गए।
2.	एनआईटी आंध्र प्रदेश	आंध्र प्रदेश पुनर्गठन अधिनियम, 2014 की अनुसूची 13 (शिक्षा) के अनुसार एनआईटी आंध्र प्रदेश की स्थापना की गई है। आज तक एनआईटी आंध्र प्रदेश को 73.50 करोड़ रुपए की राशि जारी की गई है।
3.	आईआईएम	आईआईएम विशाखापट्टनम ने 2015-16 से अस्थायी परिसर से कार्य करना आरंभ कर दिया है। आज तक संस्थान को 56.83 करोड़ रुपए की राशि जारी की गई है।
4.	आईआईएसईआर तिरुपति	आईआईएएईआर तिरुपति ने 2015-16 से अस्थायी परिसर से कार्य करना आरंभ कर दिया है। आज तक संस्थान को 109.02 करोड़ रुपए की राशि जारी की गई है।

1	2	3
5.	आईआईटीडीएम कुरनूल	आंध्र प्रदेश राज्य के बटवारे के पश्चात् आईआईटीडीएम, कुरनूल खोला गया है। संस्थान ने 2015-16 से अपना शैक्षिक सत्र आरंभ कर दिया है। संस्थान को अब तक कुल 20.10 करोड़ रुपए जारी किए गए हैं।
6.	केन्द्रीय विश्वविद्यालय, जिला अनंतपुर	केन्द्रीय विश्वविद्यालय की स्थापना के लिए अनंतपुर जिला में भूमि की पहचान की गई है। विश्वविद्यालय अनुदान आयोग को पारगमन (ट्रांजिट) परिसर में शैक्षिक सत्र (2018-19) आरंभ करने के लिए 5.0 करोड़ रुपए की पहली किश्त जारी की गई है।
7.	जनजातीय विश्वविद्यालय, जिला विजयनगरम	जनजातीय विश्वविद्यालय, आंध्र प्रदेश की स्थापना के लिए विजयनगरम जिले में भूमि की पहचान की गई है।

[हिन्दी]

पर्यटन स्थलों के रूप में कतिपय स्थलों का विकास

2030. श्री फग्गन सिंह कुलस्ते : क्या पर्यटन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का देश में कतिपय स्थानों/शहरों को पर्यटन स्थलों के रूप में विकसित करने का विचार है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) मध्य प्रदेश सहित देश में अब तक राज्य-वार किन स्थानों/शहरों को पर्यटन स्थलों के रूप में विकसित किया गया और विकसित किए जाने का विचार है?

पर्यटन मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री अलफोन्स कन्ननथनम) : (क) से (ग) पर्यटक स्थलों/तीर्थयात्रा केन्द्रों का विकास संबंधित राज्य सरकारों/संघ राज्यक्षेत्रों की जिम्मेदारी है। पर्यटन मंत्रालय, योजनाओं जैसे तीर्थस्थल जीर्णोद्धार एवं आध्यात्मिक विरासत संवर्धन अभियान (प्रशाद) तथा "देश में थीम आधारित पर्यटक परिपथों का एकीकृत विकास" स्वदेश दर्शन (एसडी) के तहत पर्यटक स्थलों के अवसंरचना विकास एवं सौंदर्यीकरण हेतु राज्य सरकारों/संघ राज्यक्षेत्रों द्वारा प्रस्तुत समुचित डीपीआर मिलने पर निधियों की उपलब्धता, पूर्व में जारी निधियों के लंबित उपयोगिता प्रमाण-पत्र की प्रस्तुति और संगत योजना दिशा-निर्देशों के अनुपालन की शर्त पर केन्द्रीय वित्तीय सहायता प्रदान करता है।

इन योजनाओं के तहत मध्य प्रदेश सहित संस्वीकृत परियोजनाओं का ब्यौरा संलग्न विवरण में दिया गया है।

विवरण

क. प्रशाद योजना के तहत मध्य प्रदेश सहित संस्वीकृत परियोजनाओं का ब्यौरा

(करोड़ रुपए में)

क्र. सं.	राज्य	परियोजना का नाम	स्वीकृति का वर्ष	स्वीकृति राशि	निर्मुक्त राशि
1	2	3	4	5	6
1.	आंध्र प्रदेश	पर्यटक गंतव्य के रूप में अमरावती टाउन, गुंटूर जिला का विकास	2015-16	28.36	22.69
2.	आंध्र प्रदेश	श्रीसेलम मंदिर का विकास	2017-18	47.45	22.75
3.	असम	गुवाहाटी में कामाख्या मंदिर और इसके आस-पास तीर्थ गंतव्य का विकास	2015-16	33.98	16.99

1	2	3	4	5	6
4.	बिहार	विष्णुपद मंदिर, गया, बिहार में मूलभूत सुविधाओं का विकास	2014-15	4.27	2.14
5.	बिहार	पटना सहेब का विकास	2015-16	41.54	33.23
6.	गुजरात	द्वारका का विकास	2016-17	26.23	5.25
7.	गुजरात	सोमनाथ में तीर्थस्थल सुविधाओं का विकास	2016-17	37.44	7.49
8.	जम्मू और कश्मीर	हजरतबल का विकास	2016-17	42.02	19.92
9.	केरल	गुरुवायुर मंदिर का विकास	2016-17	46.14	13.06
10.	मध्य प्रदेश	ओंकारेश्वर का विकास	2016-17	40.67	8.13
11.	महाराष्ट्र	त्रिम्बकेश्वर का विकास	2016-17	37.81	30.01.2018 को प्रशासनिक अनुमोदन
12.	ओडिशा	मेगा परिपथ के तहत पुरी, श्री जगन्नाथ धाम-रामचंडी देवली में प्राची रिवर फ्रंट में अवसंरचना विकास	2014-15	50.00	10.00
13.	पंजाब	अमृतसर में करुणा सागर वाल्मिकी स्थल का विकास	2015-16	6.45	6.40
14.	राजस्थान	पुष्कर/अममेर का एकीकृत विकास	2015-16	40.44	19.41
15.	तमिलनाडु	कांचीपुरम का विकास	2016-17	16.48	3.30
16.	तमिलनाडु	वेलानकनी का विकास	2016-17	5.60	1.12
17.	उत्तराखंड	केदारनाथ का एकीकृत विकास	2015-16	34.78	22.39
18.	उत्तराखंड	प्रशाद योजना के तहत बद्रीनाथ जी धाम (उत्तराखंड) में तीर्थयात्रा सुविधा हेतु अवसरंचना विकास	2018-19	39.24	04.04.2018 को प्रशासनिक अनुमोदन
19.	उत्तर प्रदेश	मेगा पर्यटक परिपथ (चरण-II) के रूप में मथुरा-वृंदावन का विकास	2014-15	14.93	6.77
20.	उत्तर प्रदेश	वृंदावन, जिला मथुरा में पर्यटक सुविधा केन्द्र का निर्माण	2014-15	9.36	7.36
21.	उत्तर प्रदेश	वाराणसी का विकास	2015-16	20.40	16.32
22.	उत्तर प्रदेश	गंगा नदी, वाराणसी में क्रूज पर्यटन	2017-18	10.72	2.14
23.	उत्तर प्रदेश	प्रशाद योजना-II के अंतर्गत वाराणसी का विकास	2017-18	62.82	08.02.2018 को प्रशासनिक अनुमोदन
24.	पश्चिम बंगाल	बेलूर का विकास	2016-17	30.03	23.39
		कुल		727.16	270.24

ख. स्वदेश दर्शन योजना के तहत मध्य प्रदेश सहित संस्वीकृत परियोजनाओं का ब्यौरा

स्वदेश दर्शन योजना (करोड़ रुपए में)

क्र. सं.	राज्य का नाम	परिपथ का नाम एवं वर्ष	परियोजना का नाम	स्वीकृत राशि	निर्मुक्त राशि
1	2	3	4	5	6
वर्ष 2014-15					
1.	अरुणाचल प्रदेश	पूर्वोत्तर भारत परिपथ	अरुणाचल प्रदेश में भालुकपोंग-बोमडिला और तवांग में मेगा परिपथ का विकास	49.77	39.81
2.	आंध्र प्रदेश	तटवर्ती परिपथ	आंध्र प्रदेश में विश्व स्तरीय तटवर्ती एवं ईको पर्यटन परिपथ के रूप में काकीनाडा होप आईलैंड कोनासीमा का विकास	69.83	55.86
	2014-15 का कुल			119.6	95.67
वर्ष 2015-16					
3.	मणिपुर	पूर्वोत्तर परिपथ	मणिपुर में पर्यटक परिपथ का विकास : इंफाल-मोइरांग-खोंजोम-मोरेह	89.66	61.32
4.	सिक्किम	पूर्वोत्तर परिपथ	सिक्किम में रांग्पों (प्रवेश)- रोराथांग-अरितर-फाडमचेन-नाथंग-शेराथांग-त्सोंग्मो-गंगटोक-फोडोंग-मंगन-लाचुंग-युमथांग-लाचेन-थांगू-गुरुदोंगमेर-मंगन-गंगटोक-तुमिन लिंगी-सिंगतम (निकास) को जोड़ने वाले पर्यटक का परिपथ का विकास	98.05	78.44
5.	उत्तराखंड	इको परिपथ	नए गंतव्य के रूप में उत्तराखंड, जिला टिहरी में टिहरी झील और आसपास के विकास के लिए इको-पर्यटन, रोमांचकारी, क्रीड़ा, पर्यटन से जुड़ी अवसंरचना का एकीकृत विकास	80.37	64.30
6.	राजस्थान	मरुस्थल परिपथ	मरुस्थल परिपथ के अंतर्गत राजस्थान में साम्भेर लेक टाउन एवं अन्य गंतव्यों का विकास	63.96	46.99
7.	नागालैंड	जनजातीय परिपथ	जनजातीय परिपथ पेरेन-कोहिमा-वोखा, नागालैंड का विकास	97.36	72.05
8.	मध्य प्रदेश	वन्यजीव परिपथ	मध्य प्रदेश में पन्ना-मुकुंदपुर-संजय-डुबरी-बांधवगढ़-कान्हा-मुक्की-पेन्च में वन्यजीव परिपथ का विकास	92.22	73.78

1	2	3	4	5	6
9.	आंध्र प्रदेश	तटवर्ती परिपथ	स्वदेश दर्शन योजना के अंतर्गत आंध्र प्रदेश में श्री पोट्टी श्रीरामलू नेल्लोर में तटवर्ती पर्यटन परिपथ का विकास	59.70	44.30
10.	तेलंगाना	इको परिपथ	तेलंगाना के महबूबनगर जिला में ईको पर्यटन परिपथ का एकीकृत विकास	91.62	67.09
11.	केरल	इको परिपथ	केरल के इडुकी और पाथानामथिट्टा जिलों में पाथानामथिट्टा-गावी-वागमोन-थेक्काडी का ईको पर्यटन परिपथ के रूप में विकास	90.06	49.61
12.	मिजोरम	पूर्वोत्तर परिपथ	थेंजावल एवं साउथ जोट, जिला सेरचिप और रेईक, मिजोरम में स्वदेश दर्शन पूर्वोत्तर परिपथ के अंतर्गत नए इको-पयर्टन का एकीकृत विकास	94.91	75.92
13.	असम	वन्य जीव परिपथ	असम में वन्य जीव परिपथ के रूप में मानस-प्रोबितोरा-नामेरी-काजीरंगा-धुबरी-सेखोवा का विकास	95.67	47.84
14.	पुदुच्चेरी	तटवर्ती परिपथ	'स्वदेश दर्शन' स्कीम के अंतर्गत पर्यटक परिपथ के रूप में पुदुचेरी संघ राज्य क्षेत्र का विकास (तटवर्ती परिपथ)	85.28	38.43
15.	अरुणाचल प्रदेश	पूर्वोत्तर परिपथ	अरुणाचल प्रदेश में नए रोमांचकारी पर्यटन का एकीकृत विकास	97.14	77.71
16.	त्रिपुरा	पूर्वोत्तर परिपथ	त्रिपुरा में: अगरतला-सिपाहिजला-मेलाघर-उदयपुर-अमरपुर-तीर्थमुख-मंदिरघाट-दुम्बूर-नरिकेलकुंज-गंडाचरा-अम्बासा पूर्वोत्तर परिपथ का विकास	99.59	49.79
17.	पश्चिम बंगाल	तटवर्ती परिपथ	पश्चिम बंगाल में समुद्रतट परिपथ : उदयपुर-दीघा-शंकरपुर-ताजपुर-मंदारमणि-फ्रेजरगंज-बक्खलई-हेनरी द्वीप का विकास	85.39	42.69
18.	छत्तीसगढ़	जनजातीय परिपथ	छत्तीसगढ़ में जशपुर-कुंकुरी-मैनपत-अंबिकापुर-महेशपुर-रतनपुर-कुरदार-सरोदादादर-गंगरेल-कोंडागांव-नथयानावगांव-जगदलपुर-चित्रकूट-तीर्थगढ़ में जनजातीय पर्यटन परिपथ का विकास	99.94	49.97
19.	महाराष्ट्र	तटवर्ती परिपथ	स्वदेश दर्शन योजना के अंतर्गत महाराष्ट्र में सिंधुदुर्ग तटवर्ती परिपथ का विकास	82.17	12.79
	2015-16 का कुल			1503.09	953.02

1	2	3	4	5	6
वर्ष 2016-17					
20.	गोवा	तटवर्ती परिपथ	गोवा में तटवर्ती परिपथ (सिक्वेरियम-बागा-अंजुना-वेगेटर-मोरजिम-केरी-अगौदा किला और अगौदा जेल) का विकास।	99.99	79.99
21.	जम्मू और कश्मीर	हिमालयन परिपथ	जम्मू और कश्मीर राज्य में पर्यटन अवसंरचना परियोजनाओं का एकीकृत विकास	82.97	41.48
22.	तेलंगाना	जनजातीय परिपथ	तेलंगाना में मुलुग-लकनावरम-मेदावरम-तडवई-दमारवी-मल्लूर-बोगाथा जल प्रपात का जनजातीय परिपथ के रूप में एकीकृत विकास	84.40	42.20
23.	मेघालय	पूर्वोत्तर परिपथ	उमियम (लेक-व्यू) युलुम-सोहपेटबनेंग-मावडियांगडियांग-आर्किड लेक रिजार्ट, मेघालय का विकास	99.13	49.57
24.	मध्य प्रदेश	बौद्ध परिपथ	मध्य प्रदेश में सांची-सतना-रीवा-मंदसौर-धार में बौद परिपथ का विकास	74.94	37.47
25.	केरल	आध्यात्मिक परिपथ	पाथानामथिट्टा जिला, केरल में आध्यात्मिक परिपथ के रूप में सबरीमाला-एरुमेलि-पम्पा-सन्नीधानम का विकास	99.99	20.00
26.	कर्नाटक	तटवर्ती परिपथ	कर्नाटक में दक्षिण कन्नड़ जिला, उत्तर कन्नड़ जिला एवं उडुपी जिला में तटीय परिपथ का विकास	95.67	19.13
27.	मणिपुर	आध्यात्मिक परिपथ	आध्यात्मिक परिपथ - श्रीगोविंदजी मंदिर- श्रीबिजय गोविंदजी मंदिर-श्रीगोपीनाथ मंदिर- श्रीबंगशीबोदन मंदिर- श्रीकैना मंदिर, मणिपुर का विकास	53.80	24.24
28.	गुजरात	विरासत परिपथ	गुजरात में अहमदाबाद-राजकोट-पोरबंदर-बारदोली-दांडी में विरासत परिपथ का विकास	93.48	18.70
29.	हरियाणा	कृष्णा परिपथ	कुरुक्षेत्र, हरियाणा में महाभारत से संबंधित स्थानों में पर्यटन अवसंरचना विकास	97.35	44.24
30.	राजस्थान	कृष्णा परिपथ	राजस्थान में गोविन्द देव जी मंदिर (जयपुर), खाटूश्याम जी (सीकर) और नाथद्वारा (राजसमंद) का एकीकृत विकास	91.45	41.78
31.	सिक्किम	पूर्वोत्तर भारत परिपथ	सिक्किम में सिंगतम-माका-तेमी-बेरमोइक तोकल-फोंगिया-नामची-जोरथांग-ओकारे-सोमबारिया-दरमदीन-जोरथांग-मेली (निकास) को जोड़ने वाले पर्यटक परिपथ विकास	95.32	43.59

1	2	3	4	5	6
32.	मध्य प्रदेश	विरासत परिपथ	विरासत परिपथ का विकास (ग्वालियर-ओरछा-खजुराहो-चंदेरी-भीमबेटका-माडुं) मध्य प्रदेश का विकास	99.77	49.89
33.	केरल	आध्यात्मिक परिपथ	केरल में आध्यात्मिक परिपथ के रूप में श्री पदमनाथ अरनामुला-सबरीमाला का विकास	92.44	44.75
34.	बिहार	आध्यात्मिक परिपथ	बिहार में आध्यात्मिक परिपथ के रूप में जैन परिपथ: वैशाली-आरा-मसाद-पटना-राजगीर-पावापुरी-चंपापुरी का विकास	52.39	24.06
35.	बिहार	आध्यात्मिक परिपथ	बिहार में आध्यात्मिक परिपथ के अंतर्गत कांवड़िया रूट, सुल्तानगंज-धर्मशाला-देवघर का एकीकृत विकास	52.35	24.05
36.	ओडिशा	तटवर्ती परिपथ	ओडिशा में तटवर्ती परिपथ के रूप में गोपालपुर, बारकुल, सतपदा और तंपारा का विकास	76.49	15.30
37.	नागालैंड	जनजातीय परिपथ	नागालैंड में जनजातीय परिपथ का विकास (मोकोकचुंग-तुएनसांग-मोन)	99.67	49.83
38.	उत्तराखंड	विरासत परिपथ	उत्तराखंड में कुमांऊ क्षेत्र में कटारमल-जोगेश्वर-बैजनाथ-देवीधुरा विरासत परिपथ का एकीकृत विकास	81.94	37.34
39.	जम्मू एवं कश्मीर	हिमालयन परिपथ	जम्मू और कश्मीर में हिमालयन परिपथ थीम के तहत जम्मू-राजौरी-शोपियन-पुलवामा में पर्यटक सुविधाओं का एकीकृत विकास	96.38	44.78
40.	जम्मू एवं कश्मीर	हिमालयन परिपथ	जम्मू और कश्मीर के लिए प्रधानमंत्री विकास पैकेज के तहत 2014 में आई बाढ़ में हुई तबाही के एवज में परिसंपत्तियों के निर्माण के तहत पर्यटन सुविधाओं का एकीकृत विकास	98.70	47.25
41.	जम्मू एवं कश्मीर	हिमालयन परिपथ	जम्मू और कश्मीर में हिमालयन परिपथ थीम के तहत मंतालाई-सुधमहादेव-पटनीटॉप में पर्यटक सुविधाओं का एकीकृत विकास	97.82	19.56
42.	जम्मू एवं कश्मीर	हिमालयन परिपथ	जम्मू और कश्मीर में हिमालयन परिपथ थीम के अनंतनाग-किश्तवार-पहलगाम-दकसुम-रंजीत सागर बांध पर पर्यटक सुविधाओं का एकीकृत विकास	96.39	44.52

1	2	3	4	5	6
43.	जम्मू और कश्मीर	हिमालयन परिपथ	जम्मू और कश्मीर में हिमालयन परिपथ थीम के तहत गुलमर्ग-बारामुला-कुपवाड़ा-लेह परिपथ पर पर्यटक सुविधाओं का एकीकृत विकास	96.93	19.38
44.	उत्तर प्रदेश	बौद्ध परिपथ	उत्तर प्रदेश में श्रावस्ती, कुशीनगर एवं कपिलवस्तु बौद्ध परिपथ का विकास	99.97	19.99
45.	उत्तर प्रदेश	रामायण परिपथ	उत्तर प्रदेश में चित्रकूट और श्रृंगवेरपुर का रामायण परिपथ के रूप में विकास	69.45	13.89
46.	अंडमान और निकोबार द्वीपसमूह	तटवर्ती परिपथ	स्वदेश दर्शन योजना के तटवर्ती थीमैटिक परिपथ के तहत अंडमान और निकोबार में तटवर्ती परिपथ का विकास (लांग आईलैंड-रास स्मिथ आईलैंड-नील आईलैंड-हैवलॉक आईलैंड-वाराटांग आईलैंड-पोर्ट ब्लेयर)	42.19	8.44
47.	तमिलनाडु	तटवर्ती परिपथ	स्वदेश दर्शन योजना के तहत तमिलनाडु में तटवर्ती परिपथ का विकास (चैन्नई-मामल्लापुरम-रामेश्वरम-मानपाडु-कन्याकुमारी	99.92	19.98
48.	उत्तर प्रदेश	आध्यात्मिक परिपथ	आध्यात्मिक परिपथ का विकास (शाहजहांपुर-इलाहाबाद-बस्ती-अहर-अलीगढ़-कासगंज-सरोसी-प्रतापगढ-उन्नाव-कौशाम्बी-मिर्जापुर-गोरखपुर-केराना-दुमरियागंज-बागपत-बाराबंकी-आजमगढ़	76.00	15.20
49.	उत्तर प्रदेश	आध्यात्मिक परिपथ	स्वदेश दर्शन योजना के तहत उत्तर प्रदेश में आध्यात्मिक परिपथ-II का विकास (बिजनौर-मेरठ-कानपुर-कानपुर देहात-बांदा-गाजीपुर-सलेमपुर-घोसी-बलिया-अंबेडकर नगर-अलीगढ़-फतेहपुर-देवरिया-महोबा-सोनभद्र-चन्दौली-मिसरिख-भदोही	63.77	31.89
50.	उत्तर प्रदेश	विरासत परिपथ	स्वदेश दर्शन योजना के तहत उत्तर प्रदेश में विरासत परिपथ (कालिंजर किला (बांदा)-मरहर धाम (संतकबीर नगर)-चौरी चौरा, शहीद स्थल (फतेहपुर)-मावाहर स्थल (घोसी)- शहीद स्मारक (मेरठ) का विकास	41.51	8.30
51.	बिहार	बौद्ध परिपथ	बौद्ध परिपथ का विकास-बोधगया, बिहार में, सांस्कृतिक केन्द्र का निर्माण	98.73	19.75
52.	असम	विरासत परिपथ	स्वदेश दर्शन योजना के तहत असम में विरासत परिपथ के रूप में तेजपुर-माजुली-सिबसागर का विकास	98.35	19.67

1	2	3	4	5	6
53.	हिमाचल प्रदेश	हिमालयन परिपथ	स्वदेश दर्शन योजना के तहत हिमाचल प्रदेश में हिमालयन परिपथ का एकीकृत विकास	99.76	19.95
54.	मिज़ोरम	इको परिपथ	स्वदेश दर्शन योजना के इको परिपथ थीम के तहत "इको-रोमांचकारी परिपथ आइजवाल-रॉपुइछिप-खॉहफॉव-लेंगपुर-डर्टलॉग-चतलांग-सकव्रवमुईट्वेट-लॉग-मुथी-बेराटलॉग-तुइरियाल एयर फील्ड-मुईफॉग" का विकास	99.07	44.63
55.	राजस्थान	आध्यात्मिक परिपथ	स्वदेश दर्शन योजना के तहत राजस्थान में आध्यात्मिक परिपथ-चुरु (सालासर बालाजी)-जयपुर (श्री समोदे बालाजी, घटके बालाजी, बांधेक बालाजी)-अलवर (पांडुपोल हनुमानजी, भरतहरि) -विराटनगर (बीजक, जैन्नासिया, अम्बिका मंदिर)-भरतपुर (कमान क्षेत्र)-धौलपुर (मुचकुंद)-मेहंदीपुर बालाजी-चित्तौड़गढ़ (सॉवलियाजी) का विकास	93.90	43.69
56.	गुजरात	विरासत परिपथ	स्वदेश दर्शन योजना के तहत गुजरात में विरासत परिपथ : वाडनगर-मोधेरा और पाटन का विकास	99.81	44.90
	2016-17 का कुल			3192.19	1198.38
वर्ष 2017-18					
57.	बिहार	ग्रामीण परिपथ	स्वदेश दर्शन योजना के ग्रामीण परिपथ थीम के अंतर्गत बिहार में गांधी परिपथ : भितिहरवा-चन्द्रहिया-तुरकौलिया का विकास	44.65	8.93
58.	गोवा	तटवर्ती परिपथ	स्वदेश दर्शन योजना के तहत अंतर्गत गोवा में तटवर्ती परिपथ II: रुआ दि ओरम क्रीक-डोन पौला-कोलवा-बेनौलिम का विकास	99.35	19.87
59.	गुजरात	बौद्ध परिपथ	स्वदेश दर्शन योजना के तहत गुजरात में बौद्ध परिपथ : जूनागढ़-गिर-सोमनाथ-भड़ूच-कच्छ-भावनगर-राजकोट-मेंहसांणा का विकास	35.99	7.20
60.	पुदुचेरी	विरासत परिपथ	स्वदेश दर्शन योजना के तहत पुदुचेरी में विरासत का विकास	66.35	13.27
61.	पुदुचेरी	आध्यात्मिक परिपथ	स्वदेश दर्शन योजना के तहत पुदुचेरी में आध्यात्मिक परिपथ का विकास	40.68	8.14

1	2	3	4	5	6
62.	राजस्थान	विरासत परिपथ	स्वदेश दर्शन योजना के तहत अंतर्गत राजस्थान में विरासत परिपथ : राजसमंद (कुंभलगढ़ का किला) - जयपुर (नाहरगढ़ का किला) - अलवर (बाला किला) - सवाई माधोपुर (रणथम्बौर) का किला और खंडार किला) - झलावड़- (गागरों का किला)-चित्तौड़गढ़ (चित्तौड़गढ़ का किला)-जैसलमेर (जैसलमेर का किला) - हनुमानगढ़ (कालीबंगन, भटनेर किला और गोगामेड़ी)- जलोड़ (जलोड़ का किला) - उदयपुर (प्रताप गौरव केन्द्र) - धौलपुर (बाग ई-निलोफर और पुरानी छावनी) - नागौर (मीराबाई मंदिर) का विकास	99.60	49.80
63.	तेलंगाना	विरासत परिपथ	स्वदेश दर्शन योजना के तहत तेलंगाना में विरासत परिपथ : कुतुब शाही विरासती पार्क-पाइगाह का मज़ार-हयात बक्शी की मस्जिद-रेमंड की मज़ार का विकास	99.42	19.88
64.	बिहार	आध्यात्मिक परिपथ	स्वदेश योजना के आध्यात्मिक परिपथ थीम के तहत मंदार पहाणी एवं अंग प्रदेश का विकास	53.49	10.70
65.	मध्य प्रदेश	इको परिपथ	स्वदेश दर्शन योजना के इको परिपथ थीम के तहत गांधीसागर बांध - मंडलेश्वर बांध - ओंकारेश्वर बांध - इन्दिरा सागर बांध - तवा बांध-बारगी बांध - भेड़ा घाट-बनसागर बांध - केन नदी का विकास	99.62	49.81
66.	उत्तर प्रदेश	रामायण परिपथ	स्वदेश दर्शन योजना के रामायण परिपथ थीम के अंतर्गत अयोध्या का विकास	133.31	23.53
67.	आंध्र प्रदेश	बौद्ध परिपथ	स्वदेश दर्शन योजना के बौद्ध परिपथ थीम के तहत आंध्र प्रदेश में बौद्ध परिपथ: शामिलहुंडम-थोटलाकोंडा-बावीकोंडा-बोज्जनाकोंडा-अमरावती-अनुपू का विकास	52.34	10.47
	2017-18 का योग			824.8	161.83
वर्ष 2018-19					
68.	महाराष्ट्र	आध्यात्मिक परिपथ	महराष्ट्र में वाकी-अडासा-धापेवाड़ा-पराधसिंघा-छोटा ताज बाग-तेलाखांडी-गिराड का विकास	54.01	0.00

1	2	3	4	5	6
69.	—	बौद्ध परिपथ और रामायण परिपथ	बौद्ध परिपथ और रामायण परिपथ : वाराणसी-गया; लखनऊ-अयोध्या-लखनऊ; गोरखपुर-कुशीनगर, कुशीनगर-गया-कुशीनगर में पर्यटन मंत्रालय द्वारा मार्गस्थ सुविधाओं का विकास	18.10	0.00
	2018-19 का योग			72.11	0.00
	कुल योग			5711.79	2468.67

[अनुवाद]

क्रूज पर्यटन कार्य योजना

2031. कुंवर हरिवंश सिंह :
श्री विद्युत वरण महतो :
श्री एस. राजेन्द्रन :
श्री सुधीर गुप्ता :
श्री टी. राधाकृष्णन :

क्या **पर्यटन मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का विचार अपनी महत्वाकांक्षी क्रूज पर्यटन कार्य योजना के अंतर्गत एफ 1 एच 2 ओ की फार्मूला 1 पावरबोट विश्व चैम्पियनशिप हेतु मुंबई को विकसित करने का है और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ख) क्या सरकार ने इस संबंध में चैम्पियनशिप के आयोजकों और प्रायोजकों से संपर्क किया है;

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इस पर क्या प्रतिक्रिया है;

(घ) इस संबंध में अंतिम निर्णय कब तक लिए जाने की संभावना है; और

(ङ) देश में क्रूज पर्यटन के ऐसे प्रकारों को विकसित/बढ़ावा देने के लिए सरकार द्वारा क्या कदम उठाए गए/उठाए जाने हैं?

पर्यटन मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री अलफोन्स कन्ननथनम) : (क) से (ङ) पोत परिवहन मंत्रालय ने सूचित किया है कि मैसर्स ग्रैंड प्रिक्स (इंडिया प्रा.लि.) के प्रतिनिधियों ने क्षेत्र के आकलन के लिए मुंबई पत्तन न्यास से संपर्क किया है जहां फॉर्मूला-1 पावरबोट रेस का संचालन किया जा सकता है। मुंबई में घरेलू क्रूज टर्मिनल की उपयुक्त जल क्षेत्र और गहराई की उपलब्धता पर मैसर्स ग्रैंड प्रिक्स (इंडिया प्रा.लि.) के प्रतिनिधियों के साथ चर्चा की गई है।

पर्यटन मंत्रालय ने मौसम के पहलू को दूर करने और भारत को 365 दिन के गंतव्य के रूप में बढ़ावा देने के लिए पर्यटन के विकास एवं संवर्धन हेतु निश पर्यटन उत्पादों में से एक के रूप में क्रूज पर्यटन की पहचान की है।

इसके अलावा, पोत परिवहन मंत्रालय ने भारत को एक क्रूज शिपिंग गंतव्य के रूप में विकसित करने के दृष्टिकोण से एक विजन दस्तावेज प्रकाशित किया है। इस विजन दस्तावेज में बंदरगाहों पर क्रूज पर्यटन हेतु सहायक अवसंरचना के विकास, नीतिगत सहायता, प्रोत्साहन तथा पोर्ट अवसरंचना विकास के माध्यम से घरेलू क्रूज उद्योग विकसित करने पर विशेष फोकस करने की परिकल्पना की गई है।

रसोई गैस वितरकों की नियुक्ति

2032 श्री प्रेम सिंह चन्दूमाजरा : क्या **पेट्रोलियम और प्राकृतिक मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का देश में रसोई गैस वितरकों के अपने नेटवर्क का विस्तार करने का विचार है और यदि हां, तो तत्संबंधी राज्य-वार/संघ राज्यक्षेत्र ब्यौरा क्या है और विशेषकर पंजाब में कितने नए वितरकों को शामिल किया गया/किए जाने का विचार है; और

(ख) क्या वितरण अधिकार देने में और अधिक पारदर्शिता लाने के लिए वितरण रसौई गैस डीलरशिप ऑनलाइन की जा रही है और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्री तथा कौशल विकास और उद्यमशीलता मंत्री (श्री धर्मेन्द्र प्रधान) : (क) दिनांक 01.07.2018 की स्थिति के अनुसार देश में 20585 एलपीजी डिस्ट्रीब्यूटरशिप्स हैं। एलपीजी वितरण के बुनियादी ढांचे को मजबूत बनाने के लिए तेल विपणन कंपनियों (ओएमसीज) ने एलपीजी डिस्ट्रीब्यूटरशिप्स के चयन हेतु एकीकृत दिशा-निर्देश 2016 के तहत नई एलपीजी डिस्ट्रीब्यूटरशिप्स के चयन हेतु पंजाब राज्य में 26 स्थलों सहित 6351 स्थलों के लिए विज्ञापन दिया है।

(ख) नए वितरकों का चयन ऑनलाइन प्रक्रिया के जरिए किया जाता है जिसमें आवेदन पत्रों की ऑनलाइन प्राप्ति, उन पर कार्रवाई और ऑनलाइन लॉटरी ड्रॉ शामिल हैं। लाटरी ड्रॉ इस्पात मंत्रालय के प्रशासनिक नियंत्रणाधीन सार्वजनिक क्षेत्र के एक उपक्रम मैसर्स मैटल स्क्रैप ट्रेड कॉर्पोरेशन लि. (एमएसटीसी) द्वारा राष्ट्रीय सूचना केन्द्र (एनआईसी) की मदद से निकाला जाता है।

[अनुवाद]

विद्यार्थियों द्वारा आत्महत्याएं

2033. श्री अभिषेक बनर्जी : क्या मानव संसाधन विकास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) स्कूल और महाविद्यालय परिसरों में विद्यार्थियों द्वारा की गई आत्महत्याओं के राज्य/संघ राज्य क्षेत्र-वार आंकड़े क्या हैं;

(ख) क्या सरकार उक्त विद्यार्थियों द्वारा की गई आत्महत्याओं के कारणों के संबंध में आंकड़े एकत्रित या दर्ज कर रही है;

(ग) क्या सरकार विद्यार्थियों हेतु परामर्श सत्रों को बढ़ावा दे रही है और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(घ) क्या सरकार विद्यार्थियों द्वारा की जा रही आत्महत्याओं को रोकने के लिए कोई अन्य कदम उठा रही है?

मानव संसाधन विकास मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री उपेन्द्र कुशवाहा) : (क) और (ख) स्कूल और कॉलेज परिसरों में विद्यार्थियों द्वारा आत्महत्या संबंधी आंकड़े इस मंत्रालय द्वारा नहीं रखे जाते। तथापि, राष्ट्रीय अपराध रिकॉर्ड ब्यूरो (एनसीआरबी) द्वारा प्रकाशित 'भारत में आकस्मिक मौतें एवं आत्महत्याएं 2015' पर उपलब्ध आंकड़ों के अनुसार वर्ष 2015 में कुल 8934 विद्यार्थियों ने आत्महत्या की थी। इसकी राज्य-वार सूची संलग्न विवरण में दी गयी है। रिपोर्ट में उल्लेख किया गया है कि वर्ष 2015 के दौरान 18 वर्ष से कम आयु के 1360 छात्रों और 30 वर्ष से कम आयु के 1183 छात्रों ने परीक्षा में असफलता के कारण आत्महत्या की थी। नवोदय विद्यालय समिति ने सूचित किया है कि वर्ष 2017 में नवोदय विद्यालयों में आत्महत्या के कुल 14 मामलों की सूचना मिली थी।

(ग) और (घ) चूंकि शिक्षा, संविधान की समवर्ती सूची का एक विषय है, अधिकांश स्कूल संबंधित राज्य सरकारों के नियंत्रणाधीन हैं। राज्यों और संघ राज्य क्षेत्रों को सलाह दी गई है कि वे स्कूलों में मार्ग दर्शन और काउंसिलिंग के लिए एक विशेष कार्यनीति तैयार करें। यह सिफारिश की जाती है कि ऐसे शिक्षकों को रखा जाए जो मार्गदर्शन और परामर्शी सेवाओं में अर्हताप्राप्त हों और इस प्रकार वे स्कूलों में विविध मार्गदर्शन और काउंसिलिंग कार्यक्रम चलाने में समर्थ हों। इसके अतिरिक्त, मौजूदा शिक्षकों को भी इस प्रयोजनार्थ प्रशिक्षित किया जाता है और विभिन्न क्षेत्रों में प्रख्यात व्यक्तियों के अतिथि व्याख्यानों की व्यवस्था भी की जाती है। मार्गदर्शन और काउंसिलिंग, अध्यापकों और प्रधानाचार्यों के लिए सेवाकालीन प्रशिक्षण कार्यक्रमों का एक अनिवार्य हिस्सा है। वर्ष 2017-18 के दौरान राष्ट्रीय माध्यमिक शिक्षा अभियान (आरएमएसए) के अंतर्गत मार्गदर्शन और काउंसिलिंग क्रियाकलापों हेतु विभिन्न राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों के लिए 465.87 लाख रुपए की राशि अनुमोदित की गई थी। वर्ष 2018-19 में स्कूल शिक्षा हेतु एकीकृत योजना समग्र शिक्षा शुरू की गई। इसमें स्कूलों में मार्गदर्शन और काउंसिलिंग से संबंधित पहलों पर राज्यों और संघ राज्य क्षेत्रों की सहायता करने का प्रावधान है। केन्द्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड (सीबीएसई) ने दिनांक 10 मार्च, 2008 के परिपत्र संख्या 8 के जरिए बताया कि माध्यमिक और उच्चतर माध्यमिक स्तर पर प्रत्येक विद्यार्थी को एक अकादमिक सत्र में मनोवैज्ञानिक काउंसिलिंग के कम-से-कम बीस सत्र दिए जाने हैं। बोर्ड ने दिनांक 14 जुलाई, 2009 के परिपत्र संख्या 24 के माध्यम से अध्ययन (स्कूलिंग) के प्रत्येक स्तर पर एक पूर्णकालिक काउंसिलर की आवश्यकता को रेखांकित किया है। एडवाइजरी में इस बात पर बल दिया गया है कि मनोवैज्ञानिक सत्रों में अभिभावकों और शिक्षकों को भी शामिल किया जा सकता है। 2010 से सीबीएसई के संबद्धता उप-नियमों में अपेक्षित है कि प्रत्येक स्कूल एक पूर्णकालिक काउंसिलर नियुक्त करेगा।

नवोदय विद्यालय समिति (एनवीएस) ने सूचित किया है कि शिक्षकों तथा प्रधानाचार्यों को बच्चों की सुरक्षा और रक्षा के प्रति संवेदनशील बनाने और साथ ही बच्चों में आत्महत्या करने की प्रवृत्ति को पहचानने तथा उससे बचने के लिए निवारक कदम उठाने हेतु शिक्षकों के प्रशिक्षण कार्यक्रम में एक अथवा दो सत्र शामिल हैं। जिन स्कूलों में छात्र विक्षुब्ध अवस्था में पाए जाते हैं, उनमें सलाहकारों को आमंत्रित करके नियमित काउंसलिंग सेशन आयोजित किए जाते हैं। बच्चों की गंभीर मानसिक समस्याओं के मामले में, व्यवहारिक बदलावों की पहचान करने तथा विशेष सलाहकार द्वारा इस प्रकार के व्यवहार के कारणों की पहचान करने के लिए मनोचिकित्सक नियुक्त किए जाते हैं। समय-समय पर सलाहकार भी नियुक्त किए जाते हैं।

जहां तक उच्च शिक्षा का संबंध है, न्यायाधीश रूपनवाल जांच आयोग द्वारा सुझाए गए निम्नलिखित 12 उपायों पर विचार-विमर्श हेतु राज्य सरकारों से भी अनुरोध किया गया था:—

(i) विश्वविद्यालय को एक तंत्र बनाना चाहिए जिसमें यदि विश्वविद्यालय द्वारा कोई ज्यादती की जाती है तो छात्र अपील कर सकें।

(ii) व्यावसायिक रूप से प्रशिक्षित सलाहकारों से युक्त सलाहकार केंद्र स्थापित किए जाने चाहिए, जो छात्रों, शोधकर्ताओं और गैर-शिक्षण स्टाफ सहित संकाय को सेवाएं प्रदान करेंगे।

(iii) निगरानी समितियां गठित की जानी चाहिए, जिनकी अध्यक्षता पर्यवेक्षकों द्वारा की जानी चाहिए, जो छात्रों द्वारा पढ़े जा रहे विषयों से संबंधित मामलों के बारे में दिशा-निर्देश प्रदान करेंगे।

(iv) यूजीसी (उच्च शिक्षण संस्थाओं में समानता संवर्धन) विनियम, 2012 के अनुसार पक्षपात विरोधी अधिकारी की अध्यक्षता में समान अवसर प्रकोष्ठ को संचालनरत किया जाना चाहिए।

(v) यूजीसी (शिकायत निवारण) विनियम, 2012 के अनुसार लोकपाल की अध्यक्षता में शिकायत निवारण समिति को क्रियाशील बनाया जाना चाहिए।

(vi) बेहतर अभ्यास हेतु सुदृढ़ प्रस्तावना (इंडक्शन) कार्यक्रम।

(vii) बाहरी छात्रों के लिए, जहां तक संभव हो, स्थानीय अभिभावक तंत्र की स्थापना।

(viii) साप्ताहिक आधार पर शिकायतों पर विचार-विमर्श तथा उनका निपटारा और कुलपति द्वारा मानसिक आधार पर बैठकों का आयोजन।

(ix) शैक्षिक दृष्टि से कमजोर छात्रों के लिए उपचारात्मक शिक्षण।

(x) डीन द्वारा विभाग संबंध समस्याओं की बारीकी से निगरानी। यदि कोई गंभीर मामला हो तो उसे तुरंत कुलपति के संज्ञान में लाना।

(xi) विश्वविद्यालय द्वारा मेंटर (परामर्शदाताओं) के रूप में कार्य करने तथा नए छात्रों की सहायता हेतु उपयुक्त छात्र स्वयंसेवकों का चुनाव।

(xii) छात्रावास का प्रभावी प्रशासन तथा पर्यवेक्षण और छात्रावास प्रवेश नियमों तथा विनियमों का कड़ाई से अनुपालन ताकि छात्रावासों में रहने के लिए विश्वविद्यालय द्वारा आबंटित छात्रावासों में केवल मौजूदा विद्यार्थी ही रहें।

जहां तक मंत्रालय के शिक्षण संस्थानों का संबंध है, छात्रों के समग्र विकास तथा साथ ही साथ उन्हें तनावमुक्त करने के लिए अनेक कदम उठाए गए हैं। इनमें छात्र परामर्शदाताओं की नियुक्ति, प्रसन्नता/कल्याण के संबंध में कार्यशालाओं/सेमिनारों का आयोजन, योग पर नियमित सत्र, प्रस्तावना कार्यक्रमों का आयोजन, खेल-कूद तथा सांस्कृतिक कार्यकलापों सहित पाठ्येतर कार्यकलापों का आयोजन आदि शामिल है।

विवरण

विद्यार्थियों द्वारा आत्महत्याओं के राज्य/संघ राज्य क्षेत्र-वार आंकड़े

क्र. सं.	राज्य/संघ राज्य क्षेत्र	कुल
1	2	3
1.	आंध्र प्रदेश	360
2.	अरुणाचल प्रदेश	33
3.	असम	564
4.	बिहार	62
5.	छत्तीसगढ़	730
6.	गोवा	25
7.	गुजरात	469
8.	हरियाणा	177
9.	हिमाचल प्रदेश	43
10.	जम्मू और कश्मीर	64
11.	झारखंड	138
12.	कर्नाटक	597
13.	केरल	374
14.	मध्य प्रदेश	625
15.	महाराष्ट्र	1230
16.	मणिपुर	6
17.	मेघालय	20
18.	मिज़ोरम	18
19.	नागालैंड	2
20.	ओडिशा	330
21.	पंजाब	65

1	2	3
22.	राजस्थान	197
23.	सिक्किम	41
24.	तमिलनाडु	955
25.	तेलंगाना	491
26.	त्रिपुरा	74
27.	उत्तर प्रदेश	229
28.	उत्तराखंड	53
29.	पश्चिम बंगाल	676
	कुल (राज्य)	8648
20.	अंडमान और निकोबार द्वीपसमूह	14
31.	चंडीगढ़	26
32.	दादरा और नगर हवेली	10
33.	दमन और दीव	4
34.	दिल्ली यूटी	214
35.	लक्षद्वीप	1
36.	पुदुचेरी	17
	कुल (संघ राज्य क्षेत्र)	286
	कुल (अखिल भारत)	8934

[हिन्दी]

विमानपत्तनों पर ठेके पर कार्यरत मजदूर

2034. श्री गोपाल शेट्टी : क्या **श्रम और रोजगार मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या देश के विभिन्न विमानपत्तनों में विशेषकर छत्रपति शिवाजी अंतर्राष्ट्रीय विमानपत्तन, मुंबई (महाराष्ट्र) में कार्यरत ठेका मजदूर काम कर रहे हैं;

(ख) यदि हां, तो विशेषकर छत्रपति शिवाजी अंतर्राष्ट्रीय विमानपत्तन, मुंबई के विशेष संदर्भ में तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या विशेषकर मुंबई के छत्रपति शिवाजी अंतर्राष्ट्रीय विमानपत्तन में कार्यरत ठेका मजदूरों के श्रम कानूनों के उल्लंघन की शिकायतें प्राप्त हुई हैं, यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(घ) क्या विगत तीन वर्षों और वर्तमान वर्ष के दौरान राज्य-वार ठेका मजदूरों से संबंधित श्रम कानूनों के उल्लंघन की शिकायतें प्राप्त हुई हैं; और

(ङ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इस संबंध में उठाए गए अन्य कदमों सहित क्या कार्यवाही की गई/की जा रही है?

श्रम और रोजगार मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री संतोष कुमार गंगवार) : (क) से (ग) मुंबई विमानपत्तन में कार्यरत ठेका श्रमिकों से संबंधित ब्यौरा संलग्न विवरण-I में रूप में दिया गया है।

(घ) और (ङ) विभिन्न श्रम कानूनों का अनुपालन सुनिश्चित करने के लिए, केन्द्र और राज्यों की अपनी-अपनी प्रवर्तन एजेंसियां हैं। केन्द्रीय क्षेत्र में एक सुव्यवस्थित केंद्रीय औद्योगिक संबंध तंत्र (सीआईआरएम) विद्यमान है। मुख्य श्रम आयुक्त (केन्द्रीय) के नियंत्रणाधीन उप मुख्य श्रम आयुक्तों (केन्द्रीय) और क्षेत्रीय श्रम आयुक्तों (केन्द्रीय) के देश-व्यापी नेटवर्क को निरीक्षण करने और श्रम विवादों से उत्पन्न शिकायतों/दावों को निपटाने हेतु अधिदेश प्राप्त है।

केन्द्रीय क्षेत्र प्रतिष्ठानों में गत चार वर्षों के दौरान लागू श्रम कानूनों के अंतर्गत सीआईआरएम विंग द्वारा किए गए निरीक्षणों का ब्यौरा संलग्न विवरण-II के रूप में है।

विवरण-I

गत तीन वर्षों के दौरान मुंबई विमानपत्तन में कार्यरत ठेका श्रमिक से संबंधित ब्यौरा

वर्ष	ठेका श्रमिकों की संख्या	किए गए निरीक्षणों की संख्या	पता लगाई गई अनियमितताओं की संख्या	दायर किए गए अभियोजनों की संख्या
2015-16	6536	13	212	4
2016-17	6551	45	945	22
2017-18	6300	102	2256	84

विवरण-II

केंद्रीय क्षेत्र में गत चार वर्षों के दौरान लागू श्रम कानूनों के अंतर्गत किए गए निरीक्षणों का ब्यौरा

ठेक श्रम (विनियमन एवं उत्सादन) अधिनियम, 1970

क्र.सं.	विवरण	2014-15	2015-16	2016-17	2017-18
1.	किए गए निरीक्षणों की संख्या	4744	10593	8843	8490
2.	पता लगाई गई अनियमितताओं की संख्या	60184	117936	89296	97779
3.	दूर की गई अनियमितताओं की संख्या	66228	73741	68808	68716
4.	आरंभ किए गए अभियोजनों की संख्या	3140	3411	3168	3538
5.	दोषसिद्धियों की संख्या	3012	2009	2266	2583

भवन एवं अन्य सिन्निर्माण कामगार (रोजगार का विनियमन एवं सेवा शर्ते) अधिनियम, 1996

क्र.सं.	विवरण	2014-15	2015-16	2016-17	2017-18
1.	किए गए निरीक्षणों की संख्या	694	2086	1372	1473
2.	पता लगाई गई अनियमितताओं की संख्या	9546	21870	15689	20315
3.	दूर की गई अनियमितताओं की संख्या	15777	15695	16360	8808
4.	आरंभ किए गए अभियोजनों की संख्या	265	309	265	370
5.	दोषसिद्धियों की संख्या	219	193	297	248

समान पारिश्रमिक अधिनियम, 1976

क्र.सं.	विवरण	2014-15	2015-16	2016-17	2017-18
1.	किए गए निरीक्षणों की संख्या	1643	2340	4117	4386
2.	पता लगाई गई अनियमितताओं की संख्या	1682	1846	5253	3513
3.	दूर की गई अनियमितताओं की संख्या	2634	1502	2607	2172
4.	आरंभ किए गए अभियोजनों की संख्या	535	178	301	408
5.	दोषसिद्धियों की संख्या	762	472	317	516

अंतरराज्यिक प्रवासी कामगार (रोजगार का विनियमन एवं सेवा शर्ते) अधिनियम, 1979

क्र.सं.	विवरण	2014-15	2015-16	2016-17	2017-18
1.	किए गए निरीक्षणों की संख्या	78	173	122	209
2.	पता लगाई गई अनियमितताओं की संख्या	1038	2744	2214	2952
3.	दूर की गई अनियमितताओं की संख्या	1734	2240	1848	1939
4.	आरंभ किए गए अभियोजनों की संख्या	49	61	52	57
5.	दोषसिद्धियों की संख्या	35	44	59	47

मजदूरी संदाय (खान)

क्र.सं.	विवरण	2014-15	2015-16	2016-17	2017-18
1.	किए गए निरीक्षणों की संख्या	1657	1353	1872	1955
2.	पता लगाई गई अनियमितताओं की संख्या	17802	12441	17774	15792
3.	दूर की गई अनियमितताओं की संख्या	23308	13734	14633	9398
4.	आरंभ किए गए अभियोजनों की संख्या	1121	216	515	312
5.	दोषसिद्धियों की संख्या	709	258	255	610

मजदूरी संदाय (रेलवे)

क्र.सं.	विवरण	2014-15	2015-16	2016-17	2017-18
1.	किए गए निरीक्षणों की संख्या	619	153	338	918
2.	पता लगाई गई अनियमितताओं की संख्या	3484	1439	2117	5872
3.	दूर की गई अनियमितताओं की संख्या	17872	1939	2296	1921
4.	आरंभ किए गए अभियोजनों की संख्या	0	0	31	10
5.	दोषसिद्धियों की संख्या	2	3	2	9

मजूदरी संदाय (एटीएस)

क्र.सं.	विवरण	2014-15	2015-16	2016-17	2017-18
1.	किए गए निरीक्षणों की संख्या	66	122	211	362
2.	पता लगाई गई अनियमितताओं की संख्या	555	1489	4076	3000
3.	दूर की गई अनियमितताओं की संख्या	629	621	3572	1087
4.	आरंभ किए गए अभियोजनों की संख्या	6	10	20	124
5.	दोषसिद्धियों की संख्या	9	20	10	23

न्यूनतम मजदूरी अधिनियम, 1948

क्र.सं.	विवरण	2014-15	2015-16	2016-17	2017-18
1.	किए गए निरीक्षणों की संख्या	6582	9803	9151	9187
2.	पता लगाई गई अनियमितताओं की संख्या	68747	75938	61689	77399
3.	दूर की गई अनियमितताओं की संख्या	87809	46467	53255	39620
4.	आरंभ किए गए अभियोजनों की संख्या	3774	1549	2321	1651
5.	दोषसिद्धियों की संख्या	2782	1476	1951	2205

[अनुवाद]

भिन्न रूप से सक्षम विद्यार्थियों के लिए पाठ्यक्रम

2035. डॉ. संजय जायसवाल : क्या **मानव संसाधन विकास मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने राष्ट्रीय विश्वविद्यालयों में विशेष रूप से सक्षम, विशेषकर दृष्टिबाधित विद्यार्थियों हेतु कोई समावेशी प्रावधान बनाया है और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ख) सरकार द्वारा दृष्टि बाधित विद्यार्थियों हेतु समावेशी पाठ्यक्रम शुरू करने के लिए क्या प्रयास किए गए हैं; और

(ग) क्या सरकार ने राष्ट्रीय विश्वविद्यालयों को ब्रेल लिपि में पाठ्यपुस्तक प्रकाशित करने श्रव्य पुस्तकें तैयार करने और स्पृश्य रेखाचित्र तैयार करने का कोई आदेश दिया है?

मानव संसाधन विकास मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा जल संसाधन, नदी विकास और गंगा संरक्षण मंत्रालय में राज्य मंत्री (डॉ. सत्यपाल सिंह) : (क) से (ग) विश्वविद्यालय अनुदान आयोग (यूजीसी) ने सूचित किया है कि वह सभी विश्वविद्यालयों को समय-समय पर नि:शक्त व्यक्तियों के संबंध में अनुदेश, दिशा-निर्देश और नीतिगत निर्णय जारी करता रहा है। यूजीसी ने नि:शक्त व्यक्ति (समान अवसर, अधिकारों के संरक्षण और पूर्ण भागीदारी) अधिनियम, 1995 और नि:शक्त व्यक्ति अधिकार अधिनियम, 2016 भी विश्वविद्यालयों को परिचालित किया था जिसमें उनसे इसमें निहित प्रावधानों का कड़ाई से अनुपालन करने का अनुरोध किया गया था। इसके अतिरिक्त, यूजीसी ने विश्वविद्यालयों को ब्रेल पुस्तकों और सवाक (टॉकिंग) पुस्तकों, संकेत भाषा द्विभाषिया, विशेष शौचालयों, रैंप की सुविधा का प्रावधान करने का अनुरोध किया है ताकि नि:शक्त व्यक्तियों के लिए बाधारहित पहुंच सुनिश्चित की जा सके। 2016 के उपरोक्त अधिनियम के प्रावधान *http://www.disabilityaffairs.gov.in/uploadfiles/files/RPWD%20ACT%202016.pdf* पर देखे जा सकते हैं।

गैस रिसाव मामले

2036. डॉ. रविन्द्र बाबू :
प्रो. चिंतामणि मालवीय :

क्या **पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) पूर्व गोदावरी जिले के निकट पासरलापुडी की ओएनजीसी पाइपलाइन में सूचित गैस रिसाव मामले का ब्यौरा क्या है और उक्त क्षेत्र में जानमाल की कितनी हानि हुई है और सरकार द्वारा पाइपलाइन की सुरक्षा तथा आंध्र प्रदेश के सहित देश में अन्य पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस अवसंरचना में सुधार और पाइपलाइन रिसाव रोकने हेतु क्या कदम उठाए गए हैं;

(ख) क्या भूमिगत प्राकृतिक गैस पाइपलाइनों, तेलशोधनशालाओं और तेल क्षेत्रों/कुंओं में गैस रिसाव और आग लगने की घटनाओं में वृद्धि हुई है और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और सूचित घटनाओं की संख्या कितनी है और परिणामत: राजस्व हानि कितनी हुई है; और

(ग) क्या ऐसी घटनाओं के लिए उत्तरदायी/सम्मिलित तेल कंपनियों/व्यक्तियों और अन्य एजेंसियों का पता लगाया गया है और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इनके विरुद्ध सरकार द्वारा क्या कार्यवाही की गई है?

पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्री तथा कौशल विकास और उद्यमशीलता मंत्री (श्री धर्मेन्द्र प्रधान) : (क) चालू वर्ष के दौरान ओएनजीसी गैस पाइपलाइन्स तातीपाका#6 से तातीपाका गैस कलेक्शन स्टेशन (जीसीएस) और बंदमुरूलंका#1 से पासरलापुडी जीसीएस में रिसाव होने की छुट-पुट घटनाएं बताई गई हैं। तथापि, इनमें न तो आग लगने की दुर्घटना हुई थी और न ही जान जाने और राजस्व की हानि हुई थी। देश में तेल कंपनियां उच्चतम स्तर के सुरक्षा मानकों को बनाए रखती हैं। उद्योग द्वारा किए गए सुरक्षा उपायों में शामिल हैं-प्रारंभिक चरण में आन्तरिक सुरक्षा पहलुओं को शामिल करना, उपचारी उपायों के साथ-साथ सुरक्षा खतरे के विश्लेषण पर कार्रवाई करना इंस्ट्रूमेंटेशन और सुरक्षा इंटरलॉक, उपकरणों आदि के डिजाइन के दौरान सुरक्षा। तेल उद्योग सुरक्षा निदेशालय (ओआईएसडी) कंपनियों/संस्थापनों की बाह्य सुरक्षा जांच और औचक सुरक्षा जांच करता है। प्रचालनों/रख-रखाव आदि में त्रुटियों/दरारों का पता लगाया जाता है और जांच परिणाम के आधार पर ओआईएसडर सिस्टम और प्रक्रियाओं को सुदृढ़ करने की सिफारिश करता है।

(ख) चालू वर्ष के दौरान, भूमिगत प्राकृतिक गैस पाइपलाइनों, रिफाइनरियों और तेल क्षेत्र/कूपों में गैस रिसाव और आग लगने की 6 दुर्घटनाएं हुई हैं जबकि 2017-18 में दुर्घटनाएं हुई थीं।

(ग) संबंधित तेल कंपनियां गलतियों/दोष के आधार पर आचरण, अनुशासन और अपील नियमों के प्रावधानों के तहत, संबंधित कर्मचारियों के विरुद्ध अनुशासनिक कार्रवाई करती हैं।

विदेशी विनिवेश के लिए विशेष समूह

2037. श्री कोथा प्रभाकर रेड्डी : क्या **वाणिज्य और उद्योग मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का ऑनलाइन खुदरा बिक्री केन्द्रों जैसे कि

एमेजन, फ्लिपकार्ट और मंत्रा द्वारा इनके विदेशी निवेश नीति के किसी उल्लंघन संबंधी कार्य-पद्धति पर निगरानी रखने के लिए एक विशेष समूह बनाने का विचार है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या वालमार्ट और फ्लिपकार्ट के संव्यवहार से देश के लघु व्यापारी प्रभावित होंगे और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(घ) क्या सरकार का देश में लघु व्यापार के उत्थान के लिए हस्तक्षेप और उपयुक्त कार्रवाई करने का विचार और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ङ) सरकार द्वारा लगभग 10 लाख व्यापारियों के हितों की रक्षा के लिए क्या उपाय किए गए हैं अथवा किए जा रहे हैं?

उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री सी.आर. चौधरी) : (क) और (ख) जी, नहीं। तथापि, विदेशी प्रत्यक्ष निवेश (एफडीआई) नीति संबंधी विनियमों के किसी उल्लंघन को फेमा, 1999 के दंड प्रावधान के तहत कवर किया गया है। भारतीय रिजर्व बैंक फेमा के प्रशासन हेतु उत्तरदायी है और वित्त मंत्रालय के अधीन प्रवर्तन निदेशालय, फेमा के प्रवर्तन के लिए प्राधिकारी है।

(ग) सरकार द्वारा ऐसा कोई मूल्यांकन नहीं किया गया है।

(घ) और (ङ) संबंधित मंत्रालयों/विभागों, राज्य सरकारों, शीर्ष उद्योग चैम्बर्स, संघों और अन्य संगठनों सहित हितधारकों के साथ गहन परामर्श के बाद खुदरा क्षेत्र में एफडीआई की अनुमति दी गई है। एफडीआई व्यवस्था के विभिन्न पहलुओं पर विभिन्न हितधारकों और जनता से प्राप्त सुझावों/विचारों पर उचित कार्रवाई करने से पहले उनकी जांच की जाती है।

झारखंड हेतु निधि

2038. श्री निशिकान्त दुबे : क्या मानव संसाधन विकास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने सर्व शिक्षा अभियान और मध्याहृन भोजन योजना के अंतर्गत झारखंड राज्य हेतु कोई निधि स्वीकृत/आवंटित की है; और

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और गत तीन वर्षों के दौरान उक्त निधि का वर्ष-वार कितना उपयोग हुआ है?

मानव संसाधन विकास मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री उपेन्द्र कुशवाहा) : (क) और (ख) जी, हां। पिछले तीन वर्षों के दौरान सर्व शिक्षा अभियान (एसएसए) और मध्याहृन भोजन योजना (एमडीएम) के तहत झारखंड राज्य को दी गई निधियों की स्थिति निम्नानुसार है:—

(रुपए लाख में)

वर्ष	जारी केन्द्रीय निधि		किया गया व्यय*	
	एसएसए	एमडीएम	एसएसए	एमडीएम
2015-16	55863.31	24518.16	135590.30	31050.97
2016-17	50945.73	38196.77	131992.15	31759.84
2017-18	58984.54	30332.59	103361.27	28665.96

*ऊपर दर्शाया गया व्यय जारी केन्द्रीय राशि, जारी राज्य के हिस्से और पिछले वर्ष के अव्ययित बकाया, यदि कोई हो, से प्राप्तियों के लिए है।

व्यापक निर्यात रणनीति

2039. श्री चामाकुरा मल्ला रेड्डी : क्या वाणिज्य और उद्योग मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार आगामी पांच वर्षों में 100 बिलियन अमरीकी डॉलर का निर्यात बढ़ाने के लिए एक रणनीति तैयार कर रही है और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ख) क्या सरकार क्षेत्रीय निर्यात रणनीतियां/राज्य विनिर्दिष्ट निर्यात रणनीतियां तैयार कर रही है और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या एग्जिम बैंक ने निर्यात हेतु बाजार अनुसंधान के बारे में अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत कर दी है और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(घ) क्या निर्यातकों ने अंतर्राष्ट्रीय व्यापार जैसे प्रशुल्कों में वृद्धि, मुद्राओं में परिवर्तन और जीएसपी व्यवस्था की समीक्षा में अनिश्चितताओं के बारे में चिंताएं व्यक्त की हैं और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ङ) क्या सरकार की लाइन्स ऑफ क्रेडिट का व्यापारिक उपकरण के रूप में उपयोग करके, अनुसंधान और विकास के लिए और ई-वाणिज्य को त्वरित करने के लिए विद्यमान और नए निर्यात बाजारों में ब्रांडिंग सहायता प्रदान करने की योजना है और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री सी.आर. चौधरी) : (क) निर्यातों में 100 बिलियन डॉ. तक वृद्धि

लाने हेतु कार्य नीतियां एक सतत प्रक्रिया है। पण्यवस्तु एवं सेवाओं दोनों के निर्यातों में त्वरित वृद्धि प्राप्त करने के लिए उत्पाद विशिष्ट और बाजार विशिष्ट कार्यनीतियां/सुझाए गए कदम अपनाये जा रहे हैं।

निर्यातों को बढ़ावा देने के लिए डीओसी द्वारा उठाए गए कदमः—

- विदेश व्यापार नीति 2015-20 और दिसंबर 2017 में अधिसूचित मध्यावधि समीक्षा। एफटीपी को जीएसटी प्रणाली के अनुरूप बनाया गया।
- डीओसी के प्रयास के फलस्वरूप, 6 अक्तूबर, 2017 को जीएसटी परिषद की बैठक आयोजित की गई थी, जिसने डीजीएफटी की अग्रिम प्राधिकार, ईपीसीजी एवं 100 प्रतिशत ईओयू स्कीमों का उपयोग करके सोर्स की गई निविष्टियों पर जीएसटी के भुगतान से छूट की अनुमति दी है।
- पोतलदान पूर्व एवं पोतलदान पश्चात रुपया निर्यात क्रेडिट पर ब्याज समकरण स्कीम प्रारंभ की गई जिसने घटी हुई दरों पर क्रेडिट पहुंच में सहायता प्रदान की है।
- संभार तंत्र क्षमता में सुधार लाने और विकास संवर्धन करने पर फोकस डालने के लिए डीओसी में एक नया संभारतंत्र प्रभाग का सृजन किया गया है।
- टीआईईएस नामक एक नई स्कीम का शुभारंभ किया गया जिसने भारी निर्यात लिंकेजों: सीमा हाट, भू सीमा शुल्क केन्द्रों, गुणवत्ता जांच, प्रमाण प्रयोगशालाओं एवं शीत श्रृंखलाओं आदि सहित अवसंरचना परियोजनाओं की स्थापना करने और उनका उन्नयन करने के लिए मैचिंग सहायता प्रदान कराई है।
- व्यवसाय करने में आसानी और आईटी पहलों के जरिए पारदर्शिता सुगम करना।
- सीमा शुल्क आईसीईजीएटीई के साथ डीजीएफटी एवं एसईजेड को ऑनलाइन एकीकृत किया गया।
- आयात निर्यात कोड (आईईसी) को पीएएन के साथ एकीकृत किया गया और पंजीकरण पूरा करने के लिए जीएसटीएन के साथ एमओयू पर हस्ताक्षर किये गए।
- राज्य सरकारों ने वास्तविक समय में डीजीसीआई एंड एस निर्यात आंकड़े तक पहुंच प्रदान कराई गई।

(ख) राज्य/संघ राज्य क्षेत्र सरकारों से राज्य निर्यात कार्यनीति तैयार करने का अनुरोध किया गया है। गुजरात, तमिलनाडु, कर्नाटक, महाराष्ट्र, उत्तर प्रदेश, हरियाणा, राजस्थान, तेलंगाना, ओडिशा, उत्तराखंड, बिहार, छत्तीसगढ़, पाण्डिचेरी, असम, जे एंड के, अरुणाचल प्रदेश, त्रिपुरा एवं मणिपुर राज्यों ने अपनी अपनी निर्यात कार्यनीति तैयार कर ली है और आंध्र प्रदेश, पश्चिम बंगाल, पंजाब, मध्य प्रदेश, केरल एवं छत्तीसगढ़ राज्यों ने निर्यात कार्यनीति तैयार करने के लिए आईआईएफटी, एफआईईओ आदि जैसी एजेंसियों को लगाया है। इसके लिए इस विभाग की एमएआई स्कीम के तहत वित्तीय सहायता भी प्रदान की जा रही है। अब तक राज्य/यूटी सरकारों के अनुरोध पर 11 राज्यों/यूटीएस अर्थात् चंडीगढ़, आंध्र प्रदेश, ओडिशा, मिजोरम, मेघालय, नागालैंड, उत्तराखंड, कर्नाटक, बिहार, गोवा और दिल्ली की निर्यात कार्यनीति तैयार करने का कार्य एफआईईओ को सौंपा गया है।

(ग) से (ङ) एक्जिम बैंक एवं अन्य निर्यात संवर्धन परिषदों सहित विभिन्न पणधारियों से इनपुट प्राप्त हुए हैं। नये बाजारों एवं नये उत्पादों पर फोकस के साथ, निर्यातों में त्वरित वृद्धि के लिए कदम उठाने हेतु सुझाव दिए गए हैं।

डीओसी के मौजूदा कुछ फोकस क्षेत्र हैं:—

- एमएसएमई एवं श्रमगहन उद्योगों द्वारा निर्यातों को बढ़ावा देना।
- नये निर्यात बाजारों एवं नये निर्यात उत्पादों की खोज करना।
- किसानों की आय बढ़ाने के लिए कृषि निर्यातों पर फोकस
- वैश्विक एवं क्षेत्रीय मूल्य श्रृंखलाओं में अधिकतम भागीदारी
- निर्यातों में वृद्धि लाने के लिए सेवाओं का सुकर बनाना।
- भारतीय संदर्भ में व्यापार सुगमीकरण - सौदा लागत एवं समय में कमी लाने के लिए सरकार हेतु यह प्राथमिकता का क्षेत्र है और इससे भारतीय निर्यात और अधिक प्रतिस्पर्धी बनेगा।
- ई-कॉमर्स की क्षमता का उपयोग करना
- विशेष आर्थिक क्षेत्र (एसईजेड)
- निर्यात क्रेडिट से संबंधित मुद्दों पर फोकस करना
- उत्पाद की गुणवत्ता में सुधार लाना
- बाजार विविधीकरण
- इंडिया ब्राण्ड को बढ़ावा देना

सुझाये गए उपायों/कार्यनीतियों का यथोचित अंगीकरण और उनके सही कार्यान्वयन से भारत के निर्यातों में वृद्धि सुनिश्चित होगी।

हेली-पर्यटन को प्रोत्साहन

2040. श्री आर. गोपालकृष्णन : क्या **पर्यटन मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार देश में हेली-पर्यटन को प्रोत्साहन प्रदान करती है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और देश में राज्य-वार किन-किन पर्यटन स्थानों पर हेली-पर्यटन की सुविधा पहले से विद्यमान है;

(ग) क्या सरकार का मदुरै के आस-पास के संभावित पर्यटन स्थलों को इसमें कवर करने/जोड़ने के लिए तमिलनाडु के मदुरै में हेली-पर्यटन सेवाएं शुरू करने और प्रोत्साहित करने का प्रस्ताव है; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं?

पर्यटन मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री अलफोन्स कन्ननथनम) : (क) और (ख) हेली-पर्यटन सहित पर्यटन गंतव्यों एवं उत्पादों का विकास तथा संवर्धन मुख्य रूप से संबंधित राज्य सरकारों/संघ राज्य क्षेत्रों की जिम्मेदारी है। पर्यटन मंत्रालय हेलीपैड्स, हेलीपोर्ट्स, हवाई पट्टियों आदि सहित पर्यटन अवसंरचना के विकास के लिए राज्य सरकारों/संघ राज्य क्षेत्रों को संगत योजनाओं के तहत केन्द्रीय वित्तीय सहायता प्रदान करता है। इससे देश में हेली पर्यटन को बढ़ावा मिलेगा।

नागर विमानन मंत्रालय ने सूचित किया है कि नागर विमानन मंत्रालय के प्रशासनिक नियंत्रणाधीन एक सार्वजनिक क्षेत्र का उपक्रम पवन हंस लि. हेली-पर्यटन के संवर्धन हेतु राज्य सरकारों/संघ राज्य क्षेत्रों को हेलीकॉप्टर उपलब्ध करा रहा है। वर्तमान में पवन हंस निम्नलिखित राज्य/संघ राज्य क्षेत्रों को हेलीकॉप्टर उपलब्ध करा रहा है:—

(i) हिमाचल प्रदेश - हिमाचल प्रदेश की राज्य सरकार के सहयोग से शिमला-चंडीगढ़-शिमला

(ii) सिक्किम-सिक्किम सरकार के सहयोग से बागडोगरा-गंगटोक-बागडोगरा

(iii) दमन और दीव संघ राज्य क्षेत्र — दमन और दीव संघ राज्य क्षेत्र प्रशासन के सहयोग से।

(iv) अंतर-द्वीपीय हेलीकॉप्टर सेवाओं के लिए लक्षद्वीप संघ राज्य क्षेत्र प्रशासन

(v) अंतर-द्वीपीय हेलीकॉप्टर सेवाओं हेतु अंडमान और निकोबार द्वीप संघ राज्य क्षेत्र प्रशासन।

(vi) मेघालय राज्य में गुवाहाटी-शिलांग-गुवाहाटी।

उपर्युक्त के अतिरिक्त पवन हंस तथा अन्य हेलीकॉप्टर ऑपरेटर हेली-पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए विभिन्न राज्यों में मौसम के अनुसार हेलीकॉप्टर जॉय-राइड्स भी उपलब्ध कराते हैं।

(ग) और (घ) मदुरै सहित तमिलनाडु राज्य में हेली-पर्यटन उपलब्ध कराने के लिए हेलीकॉप्टर सेवाओं की शुरूआत हेतु पवन हंस लि. ने तमिलनाडु की राज्य सरकार के सहयोग से व्यवहार्यता अध्ययन किया था और संबंधित प्रारंभिक रिपोर्ट तमिलनाडु राज्य सरकार को सौंप दी गई है।

[अनुवाद]

अंतरराज्यीय प्रवासी कर्मकार (नियोजन का विनियमन और सेवा शर्त) अधिनियम, 1979

2041. श्रीमती अंजू बाला :
श्री तेल प्रताप सिंह यादव :

क्या **श्रम और रोजगार मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार अंतरराज्यीय प्रवासी कर्मकार (नियोजन का विनियमन और सेवा शर्त) अधिनियम, 1979 के प्रवर्तन की निगरानी करती है और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ख) क्या सरकार ने प्रवासी कर्मकारों के लिए एक रजिस्टर बना कर रखा है और यदि हां, तो वर्तमान में देश में अकुशल और कृषि श्रमिकों सहित ऐसे कर्मकारों की राज्य/संघ राज्यक्षेत्र-वार संख्या कितनी है;

(ग) क्या सरकार ने इन प्रवासी कर्मकारों के रहने के स्तर, स्वास्थ्य और संरक्षा के संबंध में कोई अध्ययन किया है;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और निष्कर्ष क्या रहे और सरकार द्वारा प्रवासी कर्मकारों के कल्याण के लिए क्या कदम उठाए गए हैं/उठाए जा रहे हैं; और

(ङ) सरकार द्वारा अंतर्राज्यीय प्रवासी प्रवृत्ति को रोकने के लिए क्या कदम उठाए गए हैं/उठाए जा रहे हैं और देश के प्रवासी कर्मकारों/श्रमिकों के कल्याण हेतु क्या कदम उठाए गए हैं/उठाए जा रहे हैं?

श्रम और रोजगार मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री संतोष कुमार गंगवार) : (क) और (ख) मुख्य श्रमायुक्त (केन्द्रीय) का कार्यालय केन्द्रीय क्षेत्र में नियमित निरीक्षणों के माध्यम से अंतरराज्यीय प्रवासी

कर्मकार (नियोजन का विनियमन और सेवा शर्त) अधिनियम, 1979 के प्रवर्तन की निगरानी करता है। राज्य क्षेत्र में राज्य सरकार मशीनरी द्वारा निगरानी की जाती है।

अंतरराज्यीय प्रवासी कर्मकार (नियोजन का विनियमन और सेवा शर्त) अधिनियम, 1979 में अंतरराज्यीय प्रवासी कर्मकारों से काम कराने वाले स्थापनों का पंजीकरण करने का उपबंध है। कन्द्रीय स्तर पर प्रवासी कर्मकारों के लिए कोई रजिस्टर नहीं रखा जाता है।

(ग) और (घ) केन्द्रीय सरकार ने प्रवासी कामगारों के जीवन स्तर, स्वास्थ्य और संरक्षा के संबंध में कोई अध्ययन नहीं कराया है।

प्रवासी कामगारों के हितों की रक्षा के लिए, सरकार ने अंतर-राज्यिक प्रवासी कामगार (रोजगार और सेवा शर्तों का विनियमन) अधिनियम, 1979 का भी अधिनियमन किया है जिसमें, अन्य बातों के साथ-साथ पात्र अंतर-राज्यिक प्रवासी कामगारों के लिए न्यूनतम मजदूरी के भुगतान, यात्रा भत्ता, विस्थापन भत्ता, निवास-स्थान, चिकित्सा सुविधाओं तथा रक्षात्मक वस्त्र आदि का प्रावधान भी है। कर्मचारी प्रतिकर अधिनियम, 1923, मजदूरी संदाय अधिनियम, 1936, औद्योगिक विवाद अधिनियम, 1947, कर्मचारी राज्य बीमा अधिनियम, 1948, कर्मचारी भविष्य निधि एवं प्रकीर्ण उपबंध अधिनियम, 1952 तथा प्रसूति प्रसुविधा अधिनियम जैसे विभिन्न श्रम कानूनों के प्रावधान भी कतिपय प्रतिष्ठानों में कार्यरत प्रवासी कामगारों पर लागू हैं। प्रवासी कामगारों सहित असंगठित कामगारों की सामाजिक सुरक्षा एवं कल्याण का प्रावधान करने के लिए असंगठित कामगार सामाजिक सुरक्षा अधिनियम, 2008 का भी अधिनियमन किया गया है।

(ङ) ग्रामीण विकास, उन्नत अवसंरचनात्मक सुविधाओं का प्रावधान, क्षेत्रीय विषमताओं को मिटाने के लिए संसाधनों का समान वितरण, रोजगार सृजन, भूमि सुधार, वर्धित साक्षरता, वित्तीय सहायता आदि के माध्यम से बहु-आयामी कार्यवाही के माध्यम से कामगारों के प्रवासन/प्रवासी कामगारों की समस्याओं पर विचार किए जाने का अनुरोध किया गया है। कार्यबल का प्रवास रोकने तथा उन्हें उनके निवास-स्थानों के निकट बनाए रखने के लिए, सरकार ने महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम, 2005 का अधिनियमन किया है जिसका लक्ष्य अकुशल दस्ती कार्य करने के इच्छुक वयस्क सदस्यों वाले ग्रामीण परिवार को वित्तीय वर्ष में सौ दिन के वैतनिक रोजगार की गारंटी देकर ग्रामीण क्षेत्रों में लोगों की आजीविका की सुरक्षा में बढ़ोतरी करना है। ग्रामीण और शहरी क्षेत्रों में स्व-रोजगार के अवसर उत्पन्न करने के उद्देश्य से, कौशल विकास एवं उद्यमिता मंत्रालय (एमएसडीई) विभिन्न कौशल विकास स्कीमें कार्यान्वित कर रहा है। इन स्कीमों का उद्देश्य विशाल संख्या में भारत के युवाओं को उद्योग-संबंधी कौशल प्रशिक्षण लेने के समर्थ बनाना है जिससे उन्हें बेहतर आजीविका पाने में सहायता मिलेगी। इसके अलावा, दीन दयाल अंत्योदय योजना - राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन के अंतर्गत ग्रामीण स्व-रोजगार प्रशिक्षण संस्थानों के माध्यम से उद्यमिता या स्व-रोजगार के लिए वित्त-पोषण और प्रशिक्षण प्रदान किया जाता है। ग्रामीण विकास मंत्रालय स्थानन संबद्ध कौशल विकास कार्यक्रम नामतः डीडीयू - जीकेवाई - दीन दयाल उपाध्याय ग्रामीण कौशल्य योजना कार्यान्वित कर रहा है, जिसमें देशभर में प्रवासी समर्थन केन्द्र स्थापित करके कुशल प्रवासी कामगारों को प्रवास समर्थन सुविधाएं दी जाएंगी। ग्रामीण विकास मंत्रालय प्रत्येक प्रवासी समर्थन केन्द्र (एमएससी) को प्रतिवर्ष 10.00 लाख रुपए का अनुदान देता है। मजदूरी विधेयक संहिता को लोक सभा में प्रस्तुत कर दिया है जिसके अधिनियमित होने पर इससे राज्यों/क्षेत्रों और सैक्टरों में न्यूनतम मजदूरी के अंतर का समाधान होगा और इसमें सभी क्षेत्रों सहित प्रवासी कामगार शामिल होंगे।

अवसंरचना उद्योगों का विकास

2042. श्री कमल नाथ :
श्री ज्योतिरादित्य माधवराव सिंधिया :

क्या **वाणिज्य और उद्योग मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या गत तीन वर्षों के दौरान कुछ क्षेत्रों में अवसंरचना उद्योगों के विकास में गिरावट आई है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इसके कारक क्या हैं;

(ग) क्या सरकार ने अवसंरचना उद्योगों के विकास में गिरावट हेतु जिम्मेवार कारकों का गहराई से अध्ययन किया है तथा उसका इस संबंध में कोई सुधारात्मक उपाय करने का प्रस्ताव है; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री सी.आर. चौधरी) : (क) और (ख) आठ प्रमुख उद्योगों के इंडेक्स (आईसीआई) के अनुसार, वर्ष 2016-17 की तुलना में वर्ष 2017-18 के दौरान आठ प्रमुख उद्योगों अर्थात् कोयला, कच्चा तेल, प्राकृतिक गैस, रिफाइनरी उत्पाद, उर्वरक स्टील, सीमेंट तथा बिजली के इंडेक्स में वृद्धि का ब्यौरा तालिका में दिया गया है:—

आठ प्रमुख उद्योगों के इंडेक्स की वृद्धि दर (% में) (आधार वर्ष 2011-12)

वर्ष	कोयला	कच्चा तेल	प्राकृतिक गैस	रिफाइनरी उत्पाद	उर्वरक	स्टील	सीमेंट	बिजली	समग्र इंडेक्स
2017-18	2.6	-0.9	2.9	4.6	0.03	5.6	6.3	5.3	4.3

स्रोत: आर्थिक सलाहकार का कार्यालय, डीआईपीपी
2017-18 के आंकड़े अनंतिम हैं।

आठ प्रमुख उद्योगों में से, कच्चे तेल के उत्पादन में 2017-18 में कमी दर्ज की गई। कच्चे तेल के उत्पादन में कमी कई कारणों से हुई, जिनमें अन्य बातों के साथ-साथ, अभिकल्पित उत्पादन की तुलना में कम उत्पादन होना, कुछ क्षेत्रों में मेच्योर फील्ड और रिजर्वायर मुद्दों के कारण प्राकृतिक रूप से कमी होना, मरम्मत संबंधी गतिविधियों के कारण शटडाउन होना, जल की कटौती में वृद्धि होना आदि शामिल हैं।

(ग) और (घ) अवसंरचना उद्योगों की समग्र वृद्धि कई कारकों की अंत:क्रिया का परिणाम है जैसे कि क्षमता का उपयोग, निवेश चक्र, मौसमी कारक, नीति संबंधी कार्यकलाप, घरेलू और वैश्विक वृद्धि दृष्टिकोण आदि। सरकार अवसंरचना क्षेत्र सहित औद्योगिक विकास को बढ़ाने के लिए लगातार कदम उठा रही है जिनमें अन्य बातों के साथ-साथ व्यवसाय अनुकूल वातारण सृजन, अवसंरचनात्मक नेटवर्क को मजबूत बनाना तथा जरूरी निविष्टियों की उपलब्धता सुनिश्चित करने के लिए एक नीतिगत ढांचा तैयार करना शामिल है। प्रत्यक्ष विदेशी निवेश (एफडीआई) नीति और प्रक्रियाओं को लगातार सरल और उदार बनाया गया है। सरकार ने ईज ऑफ डूइंग बिजनेस में सुधार के लिए भी कई उपाय किए हैं। मौजूदा नियमों को सरल व तर्कसंगत बनाने एवं प्रशासन को और अधिक दक्ष तथा प्रभावी बनाने के लिए सूचना प्रौद्योगिकी के उपयोग पर विशेष बल दिया गया है।

तेलशोधक कारखाने की स्थापना

2043 डॉ. प्रीतम गोपीनाथ मुंडे :
श्री विनायक भाऊराव राऊत :
श्री आनंदराव अडसुल :
डॉ. श्रीकांत एकनाथ शिंदे :

क्या **पेट्रोलियम और प्राकृतिक मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का विचार रत्नागिरी जिले में राजापुर तालुका स्थित बाबुलवाड़ी में विश्व के सबसे बड़े तेलशोधक-सह-पेट्रो-रसायन परिसर की स्थापना करने का है यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ख) क्या यह सरकार के संज्ञान में है कि प्रस्तावित तेल शोधक कारखाने की स्थापना पारिस्थितिकीय रूप से संवेदनशील क्षेत्र और उर्वरक भूमि में की जा रही है और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है तथा परियोजना के लिए चिन्हित स्थल के ब्यौरे सहित उक्त परियोजना के लिए ओईओसीएल द्वारा प्रस्तुत की गई जमीनी रिपोर्ट में क्या कहा गया है;

(ग) क्या सरकार के क्षेत्र के निवासियों से विरोध का सामना करना पड़ रहा है और उसे विभिन्न संगठनों और सरकारी प्रतिनिधियों से कोई अभ्यावेदन प्राप्त हुए हैं और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इस पर सरकार की क्या प्रतिक्रिया है;

(घ) क्या सरकार का मंतव्य रत्नागिरी जिले के राजापुर में पेट्रो रसायन की स्थापना करने के अपने निर्णय पर विचार करने/समीक्षा करने का है; और

(ङ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं और सरकार विरोध के मुद्दे और क्षेत्र के निवासियों की चिन्ताओं को किस तरह से समाधान करेगी?

पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्री तथा कौशल विकास और उद्यमशीलता मंत्री (श्री धर्मेन्द्र प्रधान) : (क) तेल पीएसयूज नामत: इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन लि. (आईओसीएल), भारत पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन लि. (बीपीसीएल) और हिन्दुस्तान पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन लि. (एचपीसीएल) ने 3 लाख करोड़ रुपए की अनुमानित लागत से महाराष्ट्र राज्य के रत्नागिरी जिले में बाबुलवाड़ी, तालुका राजापुर में 60 एमएमटीपीए (मिलियन मीट्रिक टन प्रतिवर्ष) की शोधन क्षमता का एक एकीकृत रिफाइनरी और पेट्रोरसायन परिसर स्थापित करने का निर्णय लिया है। इस परियोजना को कार्यान्वित करने के लिए एक संयुक्त उद्यम कंपनी, रत्नागिरी रिफाइनरी एंड पेट्रो कैमिकल लि. (आरआरपीसीएल) का गठन किया गया है।

(ख) महाराष्ट्र सरकार के साथ परामर्श करके तेल पीएसयूज द्वारा प्रस्तावित रिफाइनरी स्थल की पहचान की गई है। आईओसीएल ने बताया

है कि यह भूमि अधिकांश तौर पर बंजर, पथरीली और उबड़-खाबड़ तथा पारिस्थितिकीय रूप से संवेदनशील क्षेत्र से बाहर है। इसके छोटे-छोटे क्षेत्रों में आम के पेड़ और कृषि फसलें मौजूद हैं। महाराष्ट्र सरकार ने एमआईडीसी अधिनियम, 1961 के तहत दिनांक 18.05.2017 को राजपत्र अधिसूचना द्वारा उक्त स्थल को औद्योगिक क्षेत्र घोषित कर दिया है।

(ग) आईओसीएल ने बताया है कि पर्यावरण पर पड़ने वाले प्रभाव से संबंधित चिंताओं के कारण परियोजना का कुछ विरोध हुआ है। तथापि, आईओसीएल के अनुसार क्षेत्र की कृषि फसलों पर रिफाइनरी प्रचालनों का बहुत अधिक प्रभाव नहीं पड़ेगा। रिफाइनरी पूरी दुनिया में अपनाए गए कड़े पर्यावरणीय मानदंडों को पूरा करेगी।

(घ) और (ङ) आरआरपीसीएल ने इस परियोजना के लाभों के बारे में स्थानीय जनता को बताने और रिफाइनरी स्थापित होने से पर्यावरण पर पड़ने वाले प्रतिकूल प्रभाव के बारे में गलत फहमी को दूर करने के लिए प्रिंट और इलैक्ट्रिक मीडिया तथा घर-घर जाकर अभियान के माध्यम से जागरूकता अभियान शुरू किया है। इस स्तर पर, रत्नागिरी जिले के राजापुर में रिफाइनरी और पेट्रो रसायन परिसर स्थापित किए जाने संबंधी निर्णय पर विचार करने/पुर्नविचार करने का कोई प्रस्ताव नहीं है।

[हिन्दी]

उच्च शिक्षण संस्थान

2044. श्रीमती रमा देवी :
श्री लक्ष्मण गिलुवा :
श्री कीर्ति आजाद :

क्या **मानव संसाधन विकास मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या उच्च शिक्षा के अधिकतर संस्थानों में अधिगम का माध्यम अंग्रेजी है जिसके कारण ग्रामीण विद्यार्थी उच्च और तकनीकी शिक्षा से वंचित रहते हैं;

(ख) यदि हां, तो उच्च शिक्षण संस्थानों का ब्यौरा क्या है जहां पर वर्तमान में अधिगम का माध्यम हिन्दी या क्षेत्रीय भाषा है;

(ग) क्या सरकार द्वारा चिकित्सा महाविद्यालयों और भारतीय प्रबंधन संस्थान में भी अधिगम के माध्यम को हिन्दी और क्षेत्रीय भाषाओं को बनाने हेतु कोई प्रयास किए गए हैं; और

(घ) यदि हां, तो उसके क्या परिणाम रहे और यदि नहीं तो इसके क्या कारण है?

मानव संसाधन विकास मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा जल संसाधन, नदी विकास और गंगा संरक्षण मंत्रालय में राज्य मंत्री (डॉ. सत्यपाल सिंह) : (क) से (घ) अधिकतर उच्च शिक्षा संस्थानों में अधिगम का माध्यम अंग्रेजी है। सभी विश्वविद्यालयों को अकादमिक स्वायत्तता प्राप्त है और इसलिए विषयों का शिक्षण और उनकी भाषाएं उनके अधिकार क्षेत्र में आती हैं। तथापि, विश्वविद्यालय अनुदान आयोग (यूजीसी) देश में इसके सभी अनुदान सहायता प्राप्त विश्वविद्यालयों को हिन्दी माध्यम में शिक्षा प्रदान करने के लिए जोर देता है और कुछ विश्वविद्यालयों ने पहले ही कुछ विषयों में हिन्दी माध्यम में स्नातक स्तर पर शिक्षा प्रदान करना शुरू कर दिया है। इसी प्रकार अखिल भारतीय तकनीकी शिक्षा परिषद् (एआईसीटीई) ने भी हिन्दी भाषा में इंजीनियरिंग और प्रौद्योगिकी की अत्याधुनिक ज्ञान प्रदान करने के विचार से "तकनीकी पाठ्य-पुस्तक पुरस्कार योजना" शुरू किया है। यह योजना हिन्दी भाषी राज्यों में हिन्दी भाषा में अध्ययन कक्ष अनुदेशों को सुकर बनाने के लिए हिन्दी में मानक तकनीकी पाठ्य-पुस्तक लिखने के लिए प्रोत्साहित करती है। ग्रामीण पृष्ठभूमि वाले कोई भी छात्र अधिगम माध्यम के कारण उच्च और तकनीकी शिक्षा से वंचित नहीं है। संस्थान ऐसे छात्रों को विशेष कोचिंग प्रदान करते हैं जो इस प्रकार की कठिनाई की सूचना देते हैं और अधिगम को सुकर बनाने के लिए छात्रों की और विशेष ध्यान देते हैं। इसके अतिरिक्त, मेडिकल कॉलेजों में मेडिकल शिक्षा और भारतीय प्रबंधन संस्थानों में प्रबंधन शिक्षा केवल अंग्रेजी में प्रदान की जाती है। अनेक राज्य विश्वविद्यालय अनेक स्नातक और स्नातकोत्तर पाठ्यक्रमों के लिए माध्यम के रूप में क्षेत्रीय भारतीय भाषाओं का प्रयोग करती है।

नकली अभियांत्रिकी महाविद्यालय

2045. श्री पी. नागराजन :
श्री लक्ष्मण गिलुवा :
श्रीमती रमा देवी :

क्या **मानव संसाधन विकास मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को जानकारी है कि देश में बड़ी संख्या में नकली अभियांत्रिकी महाविद्यालय चल रहे हैं और युवाओं को ठग रहे हैं;

(ख) यदि हां, तो सरकार की इस पर क्या प्रतिक्रिया है;

(ग) गत तीन वर्षों के दौरान चिन्हित किए गए नकली अभियांत्रिकी महाविद्यालयों की संख्या कितनी है; और

(घ) उनके विरुद्ध क्या कार्यवाही की गई है?

मानव संसाधन विकास मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा जल संसाधन, नदी विकास और गंगा संरक्षण मंत्रालय में राज्य मंत्री

(डॉ. सत्यपाल सिंह) : (क) से (घ) अखिल भारतीय तकनीकी शिक्षा परिषद् (एआईसीटीई) के अनुमोदन के बिना अपने पाठ्यक्रमों को चलाने वाले इंजीनियरिंग कॉलेजों के दृष्टांत सरकार के संज्ञान में आए हैं। इन 277 संस्थानों का राज्य-वार ब्यौरा संलग्न विवरण में दिया गया है। नए तकनीकी संस्थानों को अनुमोदन प्रदान करने, नए पाठ्यक्रम शुरू करने आदि कार्यों के साथ इंजीनियरिंग कॉलेजों को विनियमित करने के लिए संसद के अधिनियम (1987 का अधिनियम 52) द्वारा एआईसीटीई की स्थापना की गई है। इंजीनियरिंग एवं प्रौद्योगिकी पाठ्यक्रम चलाने हेतु पूर्वानुमोदन प्राप्त करने के लिए तकनीकी संस्थानों को अधिदेशित करते हुए एआईसीटीई ने विनियम भी अधिसूचित किए हैं। इसके अतिरिक्त, अन-नुमोदित पाठ्यक्रम चलाने वाली संस्थाओं को तकनीकी शिक्षा कार्यक्रम चलाने या उन्हें बंद करने के लिए एआईसीटीई का अनुमोदन मांगने हेतु संबंधित राज्य सरकार को सूचित करते हुए सार्वजनिक सूचना (नोटिस) और व्यक्तिगत पत्रों के माध्यम से समय-समय पर निर्देश दिए जाते हैं।

इसके अतिरिक्त, विश्वविद्यालय अनुदान आयोग (यूजीसी) ने भी अपनी वेबसाइट *http://www.ugc.ac.in/page/Fake-Universities.aspx* पर 24 फर्जी विश्वविद्यालयों की सूची रखी है। फर्जी, विश्वविद्यालयों/संस्थाओं की समस्या से निपटने के लिए यूजीसी हिन्दी और अंग्रेजी समाचार-पत्रों में फर्जी विश्वविद्यालयों/संस्थाओं की सूची के संबंध में सार्वजनिक सूचना प्रकाशित करता है और राज्य मुख्य सचिवों, शिक्षा सचिवों तथा प्रधान सचिवों को उनके कार्य क्षेत्र में स्थित फर्जी विश्वविद्यालयों/संस्थाओं के विरुद्ध कार्रवाई करने तथा उनके राज्य में चलाए जा रहे ऐसे विश्वविद्यालयों/संस्थाओं की पहचान करने के लिए उन्हें पत्र भेजता है।

विवरण

नकली अभियांत्रिकी महाविद्यालयों के संबंध राज्य-वार ब्यौरा

क्र. सं.	राज्य/संघ राज्य क्षेत्र	फर्जी संस्थानों की संख्या
1	2	3
1.	अंडमान और निकोबार द्वीपसमूह	0
2.	आंध्र प्रदेश	7
3.	अरुणाचल प्रदेश	0
4.	असम	0
5.	बिहार	17
6.	चंडीगढ़	7
7.	छत्तीसगढ़	0
8.	दादरा और नागर हवेली	0
9.	दमन और द्वीव	0
10.	दिल्ली	66
11.	गोवा	2
12.	गुजरात	8
13.	हरियाणा	18
14.	हिमाचल प्रदेश	1
15.	जम्मू और कश्मीर	0
16.	झारखंड	4
17.	कर्नाटक	23
18.	केरल	2
19.	लक्षद्वीप	0
20.	मध्य प्रदेश	0
21.	महाराष्ट्र	16
22.	मणिपुर	0
23.	मेघालय	0
24.	मिजोरम	0
25.	नागालैंड	0
26.	ओडिशा	1
27.	पुद्दुचेरी	0
28.	पंजाब	5
29.	राजस्थान	3
30.	सिक्किम	0

1	2	3
31.	तमिलनाडु	11
32.	तेलंगाना	35
33.	त्रिपुरा	0
34.	उत्तराखंड	3
35.	उत्तर प्रदेश	22
36.	पश्चिम बंगाल	27
	कुल	277

आईजीएनसीए द्वारा नए पाठ्यक्रम शुरू करना

2046. श्री टी. राधाकृष्णन :
श्री एस.आर विजय कुमार :
श्री एस. राजेन्द्रन :
श्री विद्युत चरण महतो :
श्री कुंवर हरिवंश सिंह :
श्री गजानन कीर्तिकर :
श्री सुधीर गुप्ता :

क्या **संस्कृति मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या देश में कला प्रबंधन के क्षेत्र में आधुनिक प्रबंधन तकनीक और व्यावसायिक दृष्टिकोण का अभाव है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इसके क्या कारण हैं;

(ग) क्या इंदिरा गांधी राष्ट्रीय कला केन्द्र (आईजीएनसीए) ने कला और संस्कृति तथा संबंधित विषयों में पांच डिप्लोमा पाठ्यक्रम और छह नए प्रमाण-पत्र पाठ्यक्रम आरंभ करने का निर्णय लिया है

(घ) यदि हां, तो इन पाठ्यक्रमों को कब तक आरंभ किए जाने की संभावना है; और

(ङ) सरकार द्वारा देश में कला और संस्कृति के क्षेत्र में प्रकृत प्रतिभा वाले प्रशिक्षित व्यक्तियों को विकसित करने के लिए अन्य क्या कदम उठाए गए हैं/उठाए जा रहे हैं?

संस्कृति मंत्रालय के राज्य मंत्री तथा पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय में राज्य मंत्री (डॉ. महेश शर्मा) : (क) और (ख) इंदिरा गांधी राष्ट्रीय कला केन्द्र (आईजीएनसीए) ने अपने समग्र अंतर्विषयक और बहुविषयक परिदृश्य में कला को प्रासंगिक बनाने के लिए अपने विविध व्यापक अनुसंधान, प्रलेखन और प्रचार-प्रसार के जरिए कला प्रबंधन के क्षेत्र में अपने कार्यकलापों में आधुनिक प्रबंधन तकनीकी एवं दृष्टिकोण को अपनाया है।

(ग) और (घ) इंदिरा गांधी राष्ट्रीय कला केन्द्र द्वारा निम्नलिखित पांच स्नातकोत्तर डिप्लोमा पाठ्यक्रम शुरू किए गए हैं जिनमें से प्रत्येक की अवधि एक वर्ष की है:—

1. सांस्कृतिक सूचना विज्ञान
2. निवारण संरक्षण
3. बौद्ध अध्ययन
4. डिजिटल लाइब्रेरी और डाटा मैनेजमेंट
5. पांडुलिपि एवं पुरालिपि शास्त्र

उपर्युक्त के अलावा, इस वर्ष जल्द ही तीन से चार माह की अवधि के निम्नलिखित छः प्रमाण-पत्र पाठ्यक्रमों को भी शुरू करने की योजना है:—

(i) लाइब्रेरी एवं सूचना विज्ञान के प्रोफेशनल हेतु मुक्त अभिगम

(ii) अनुसंधाताओं के लिए मुक्त अभिगम

(iii) डिजिटल लाईब्रेरी एवं सूचना प्रबंधन

(iv) शोध कार्य प्रणाली

(v) सिनेमा अध्ययन एवं सांस्कृतिक प्रलेखन

(vi) भारतीय ज्ञान परंपरा

(ङ) आईजीएनसीए प्रशिक्षित कार्मिक क्षमता का विकास करने के लिए कुछ अल्पावधि पाठ्यक्रमों और प्रशिक्षण कार्यक्रमों का संचालन कर रहा है।

[अनुवाद]

व्यवसाय करने को सुकर बनाने संबंधी रैंकिंग

2047. श्री विद्युत वरण महतो :
श्री गजानन कीतिंकर :
श्री प्रेम सिंह चन्दूमाजरा :
श्री आर.पी. मारुथाराजा :
श्री मुथमसेटी श्रीनिवास राव (अवंती) :
एडवोकेट नरेन्द्र केशव सावईकर :

श्री सुधीर गुप्ता :
कुवरं हरिवंश सिंह :
श्री ए.टी. नाना पाटील :
श्री एस. राजेन्द्रन :
श्री एस.आर. विजय कुमार :
श्री टी. राधाकृष्णन :

क्या **वाणिज्य और उद्योग मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार और विश्व बैंक ने हाल ही में व्यवसाय करने को सुकर बनाने (ईओडीबी) के संबंध में देश के राज्य/संघ राज्यक्षेत्रों की रैंकिंग जारी की है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी राज्य/संघ राज्य क्षेत्र-वार ब्यौरा क्या है और प्रत्येक राज्य/संघ राज्यक्षेत्र की रैंकिंग और इसके लिए तय किए गए/अपनाए गए मानदंडों/मापदंडों का ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या सरकार ने इस बात का आकलन करने कि क्या इन सुधारों का विभिन्न राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों में जमीनी स्तर पर प्रसार हो रहा है, के संबंध में इस बार उद्योगों से कोई प्रतिक्रिया प्राप्त की है;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इस संबंध में उद्योग की क्या प्रतिक्रिया है; और

(ङ) सरकार द्वारा देश में राज्य/संघ राज्यक्षेत्रों और व्यवसाय करने को सुकर बनाने संबंधी देश के कार्य निष्पादन में सुधार करने के लिए क्या कदम उठाए गए हैं/उठाए जाने का प्रस्ताव है?

उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री सी.आर. चौधरी) : (क) से (घ) औद्योगिक नीति एवं संवर्धन विभाग ने विश्व बैंक समूह के साथ मिलकर 10 जुलाई, 2018 को नई दिल्ली में व्यवसाय सुधार कार्रवाई योजना (बीआरएपी), 2017 के तहत राज्य/संघ राज्य क्षेत्रों की रैंकिंग जारी की। 372- बिन्दु वाली कार्रवाई योजना तैयार करके कार्यान्वयन के लिए राज्यों/संघों राज्य क्षेत्रों को भेज दी गई है।

इस कार्यवाही योजना में 12 विस्तृत मानदंड हैं: श्रम विनियम सहायक, संविदा प्रवर्तन, सम्पत्ति पंजीयन, निरीक्षण सहायक, एकल खिड़की प्रणाली, भूमि की उपलब्धता एवं आवंटन, निर्माण अनुज्ञा सहायक, पर्यावरण पंजीयन सहायक, उपयोगिता अनुज्ञा प्राप्त करना, कर चुकाना, सूचना एवं पारदर्शिता सहायक और क्षेत्र विशेष तक पहुंच। राज्य/संघ राज्य क्षेत्रों द्वारा प्राप्त रैंक संलग्न विवरण-I में दिए गए हैं।

बीआरएपी, 2017 के तहत आकलन निम्नलिखित के संयुक्त स्कोर पर आधारित है— (i) सुधार साक्ष्य स्कोर, यह राज्य/संघ राज्य क्षेत्रों द्वारा अपलोड किए गए साक्ष्यों पर आधारित है (ii) फीड बैक स्कोर, यह व्यवसायों को सेवाओं के वास्तविक प्रयोक्ताओं से प्राप्त फीडबैक पर आधारित है।

372 सुधारों में से 78 पर किए गए फीडबैक सर्वेक्षण का उद्देश्य यह सुनिश्चित करना था कि सुधार वास्तव में निचले स्तर पर महसूस किया जा रहा है। राज्य/संघ राज्य क्षेत्रों की सरकारों द्वारा प्रदत्त 50,000 से अधिक प्रयोक्ताओं से प्राप्त आंकड़ों से चुने गए वास्तविक प्रयोक्ताओं के साक्षात्कार के माध्यम से फीडबैक प्राप्त किया गया था। 23 राज्य/संघ राज्य क्षेत्रों में 5000 से अधिक निजी क्षेत्र के प्रयोक्ताओं जिसमें 4300 से अधिक व्यवसायी और 800 से अधिक वास्तुविद्, देश से अधिवक्ता और बिजली ठेकेदार शामिल हैं, ने अपना अनुभव साझा किया है।

बीआरएपी, 2017 के तहत राज्य/संघ राज्य क्षेत्रों के आकलन से संबंधित और अधिक ब्यौरा वेबपोर्टल *http://eodb.dipp.gov.in/.* पर उपलब्ध है।

(ङ) देश में समग्र व्यवसाय विनियामक वातारण में सुधार लाने के लिए उठाए गए/प्रस्तावित कदम ब्यौरा संलग्न विवरण-II में दिए गए हैं।

विवरण-I

राज्य/संघ राज्य क्षेत्रों द्वारा प्राप्त रैंकों का ब्यौरा

शीर्ष उपलब्धि प्राप्तकर्ता (95% से अधिक)

रैंक	राज्य
1.	आंध्र प्रदेश
2.	तेलंगाना
3.	हरियाणा
4.	झारखंड
5.	गुजरात
6.	छत्तीसगढ़
7.	मध्य प्रदेश
8.	कर्नाटक
9.	राजस्थान

उपलब्धि प्राप्तकर्ता (90-95%)

रैंक	राज्य
10.	पश्चिम बंगाल
11.	उत्तराखंड
12.	उत्तर प्रदेश
13.	महाराष्ट्र
14.	ओडिशा
15.	तमिलनाडु
तेज गति से बढ़ने वाले (80-90%.)	
16.	हिमाचल प्रदेश
17.	असम
18.	बिहार
आकांक्षी (80% से कम)	
19.	गोवा
20.	पंजाब
21.	केरल
22.	जम्मू और कश्मीर
23.	दिल्ली
24.	दमन और दीव
25.	त्रिपुरा
26.	दादरा और नगर हवेली
27.	पुद्दुचेरी
28.	नागालैंड
29.	चंडीगढ़
30.	मिजोरम
31.	अंडमान और निकोबार द्वीपसमूह
32.	मणिपुर
33.	सिक्किम
34.	अरुणाचल प्रदेश
35.	लक्षद्वीप
36.	मेघालय

विवरण-II

क. विश्व बैंक की व्यवसाय की सुगमता रैंकिंग (डीबीआर)

देश में व्यवसाय करने की सुगमता के परिवेश के बारे में सरकार द्वारा किए गए कुछ प्रमुख संकेतवार सुधार निम्नलिखित हैं:—

(क) व्यवसाय शुरू करना

डीबीआर 2018 में स्वीकृत सुधार : भारत ने पांच अलग-अलग आवेदनों जैसे-नाम आरक्षण, कंपनी निगमन, निदेशक पहचान संख्या (डीआईएन), स्थायी खाता संख्या (पैन) और कर कटौती/एकत्रण खाता संख्या (टीएएन) के आमेलन के जरिए एसपीआईसीई (कंपनी को इलैक्ट्रॉनिक रूप से निगमित करने के लिए सरल प्रोफॉर्मा) नामक एक प्रपत्र शुरू करके और ऑनलाइन आवेदन प्रणाली में सुधार करके व्यवसाय शुरू करने में तीव्रता प्रदान की है। यह सुधार दिल्ली और मुंबई दोनों पर लागू होता है।

डीबीआर 2019 के लिए कार्यान्वित सुधार :

- आईएनसी-1 ई-प्रारूप को समाप्त कर दिया गया और 26 जनवरी, 2018 को एक नई और सरल वेब आधारित सेवा अर्थात् आरयूएन (रिजर्व यूनीक नेम) की शुरूआत की गई है। इसने नाम के पंजीकरण के दौरान डिजीटल सिग्नेचर सर्टिफिकेट (डीएससी) की आवश्यकता को भी समाप्त कर दिया है।
- किसी नई कम्पनी में पहली बार निदेशकों के लिए निदेशक पहचान सं. (डी.आई.एन.) प्राप्त करने संबंधी आवेदनों को अब एस.पी.आई.सी.ई. ई-प्रारूप के माध्यम से प्रस्तुत करना आवश्यक हो गया है।
- 10 लाख रुपए तक की प्राधिकृत पूंजी वाली कंपनियों के लिए निगमन शुल्क को समाप्त कर दिया गया है।
- ऑनलाइन अलग से फॉर्म प्रस्तुत करने की आवश्यकता को समाप्त करके पीएएन और टीएएन के लिए आवश्यक आवेदनों को एसीपीआईसीई फॉर्म में पूर्णत: एकीकृत कर दिया गया है। इसके अलावा, निगमन प्रमाण पत्र (सीओआई) में पीएएन और टीएएन का उल्लेख होता है जो कि अब पीएएन और टीएएन के प्रमाण के लिए पर्याप्त है।
- ईपीएफओ और ईएसआईसी का पंजीकरण श्रम सुविधा पोर्टल पर उपलब्ध है।
- मुंबई दुकान एवं प्रतिष्ठान अधिनियम के तहत

पंजीकरण बिना किसी वास्तविक निरीक्षण के और रियल टाइम में होता है।

(ख) **निर्माण अनुज्ञाओं का निपटान**

डीबीआर 2018 में स्वीकृत सुधार : भारत ने निर्माण परमिटों के निपटान के संबंध में एक ऑनलाइन प्रणाली को लागू करने की अनुमति दी है जिसने नई दिल्ली नगर पालिका और ग्रेटर मुंबई नगर पालिका की प्रक्रिया को सुव्यवस्थित किया है। ऑनलाइन प्रणाली ने बिल्डिंग परमिट प्राप्त करने की प्रक्रिया को सुव्यवस्थित किया है, जिससे भारत में बिल्डिंग परमिट प्राप्त करने के लिए प्रक्रियाओं की संख्या और अपेक्षित समय में कमी आई है।

डीबीआर 2019 के लिए कार्यान्वित सुधार :

- निर्माण जीवन चक्र के सभी अनुमोदन (अर्थात् भवन योजना अनुमोदन से लेकर पूर्णता सह-रिहाइश प्रमाणपत्र जारी करने तक) ऑनलाइन जारी किए जाते हैं।
- दिल्ली और मुंबई में दशवार्षिक व्यावसायिक उत्तरदायित्व बीमा प्रावधान की शुरूआत
- दिल्ली और मुंबई में रिहाइश सह पूर्णता प्रमाणपत्र के लिए संयुक्त निरीक्षण के लिए प्रावधान की शुरूआत की गई है।

(ग) **विद्युत प्राप्त करना**

डीबीआर 2019 के लिए कार्यान्वित सुधार :

- दिल्ली में 150 किलोवाट तक के लो-टेंशन लोड के लिए विद्युत क्षेत्रों में लाइन प्रभार के लिए 25000/- रुपए की सीमा निर्धारित की गई है।
- दिल्ली में डीईआरसी विनियम अधिदेशित करते हैं कि बिजली कनेक्शन प्रक्रिया को आवेदन की प्राप्ति के 15 दिनों के भीतर निश्चित रूप से पूरा किया जाना चाहिए।
- मुंबई में रिलाइंस इन्फ्रास्ट्रक्चर लि. द्वारा आवेदक द्वारा बिजली कनेक्शन की लागत को पहले बिल के साथ भुगतान करने की अपेक्षा नियत की गई है।

(घ) **संपत्ति का पंजीयन**

डीबीआर 2019 के लिए कार्यान्वित सुधार :

- मुंबई में विलेख/शीर्षक रिकॉर्ड का डिजीटलीकरण हो गया है और ये ऑनलाइन उपलब्ध हैं।
- दिल्ली और मुम्बई में नक्शों का डिजीटलीकरण कर दिया गया है और ये ऑनलाइन उपलब्ध है।
- उपपंजीयन कार्यालय (मुंबई और दिल्ली) भू-कर मैपिंग एजेंसी (दिल्ली) के लिए शिकायत निवारण प्रणालियों को कार्यान्वित कर दिया है।
- दिल्ली में संपत्ति समव्यवहार आंकड़ों को ऑनलाइन उपलब्ध करा दिया गया है।

(ङ) **ऋण प्राप्त करना**

डीबीआर 2018 में स्वीकृत सुधार : भारत ने बाहरी पुनर्गठन प्रक्रियाओं के संदर्भ में सुरक्षित लेनदारों की प्राथमिकता संबंधी नियमों में संशोधन करके और दिवालियापन पर एक नया कानून अपनाकर क्रेडिट तक पहुंच को सुदृढ़ किया है जो पुनर्गठन प्रक्रियाओं के दौरान सुरक्षित लेनदारों के लिए स्वचालित रहने के लिए समय सीमा और राहत प्रदान करता है। यह सुधार दिल्ली और मुंबई दोनों पर लागू होता है।

डीबीआर 2019 के लिए कार्यान्वित सुधार : एसएआरएफएईएसआई अधिनियम की धारा 20क को अधिसूचित करके कार्यान्वयन शुरू कर दिया है जिसका उद्देश्य सीईआरएसएआई पंजीयन के साथ सभी राज्य और केन्द्र पंजीयनों का एकीकरण करना है।

(च) **छोटे निवेशकों की सुरक्षा**

डीबीआर 2018 में स्वीकृत सुधार : इच्छुक पक्षों के बीच प्रतिकूल समव्यवहार के मामले में उपलब्ध उपायों को बढ़ाकर भारत ने छोटे निवेशकों की सुरक्षा को मजबूत बनाया है। यह सुधार दिल्ली और मुंबई दोनों के लिए लागू होता है।

(छ) **करों का भुगतान**

डीबीआर 2018 में स्वीकृत सुधार : भारत ने कर्मचारी भविष्य निधि (ईपीएफ) के अनिवार्य रूप से इलेक्ट्रॉनिक रूप से भुगतान और कॉर्पोरेट आयकर संबंधी अनुपालन में आसानी संबंधी प्रशासनिक उपायों से करों का भुगतान आसान कर दिया है। यह सुधार दिल्ली और मुंबई दोनों पर लागू होता है।

डीबीआर 2019 के लिए कार्यान्वित सुधार :

- जीएसटी के कार्यान्वयन से सभी निम्नलिखित अप्रत्यक्ष कर शामिल हो गए हैं जिसमें (i) सेवा कर (ii) मूल्य संवर्धित कर (iii) केन्द्रीय बिक्री कर और (iv) उत्पाद शुल्क शामिल हैं। इन करों के एकीकरण से करों का क्रम प्रपाती प्रभाव कम हो जाएगा और उच्च प्रतिशत पर देय निविष्टियों पर कर चुकाया जाएगा। इसके अलावा, फाइलिंग और रिटर्न्स पर भी समय कम लगेगा।

- 250 करोड़ रुपए तक के कारोबार वाली कंपनियों के लिए कॉर्पोरेट आयकर 30% से घटाकर 25% कर दिया गया है।

- जीएसटी के तहत, एकीकृत एवं वस्तु सेवा कर (आईजीएसटी) लगाए गए केन्द्रीय बिक्री कर, जिस पर तत्कालीन वैट व्यवस्था में किसी निविष्ट कर क्रेडिट की अनुमति नहीं थी, की तुलना में क्रेडिट रूप में पूर्णतः अनुमति है जिससे प्रभावी कर दर घटेगी।

(ज) विदेश व्यापार

डीबीआर 2018 में स्वीकृत सुधार : भारत ने मुंबई में नावा शेवा पोर्ट के बुनियादी ढांचे में सुधार करके आयात सीमा अनुपालन समय कम कर दिया है। व्यापारी ओवरटाइम फीस को खत्म करके और इलेक्ट्रॉनिक और मोबाइल प्लेटफॉर्मों के संवर्धित उपयोग के जरिये दिल्ली और मुंबई दोनों शहरों में आयात-निर्यात सीमा अनुपालन लागत भी कम कर दी गई है।

डीबीआर 2019 के लिए कार्यान्वित सुधार :

- सीमा अनुपालन समय के लिए लगने वाले समय को घटाने के लिए सीमा शुल्क विभाग ने प्रवेश (आयात घोषणा) अग्रिम बिल दायर करने की सुविधा दी है।

- जोखिम प्रबंधन प्रणाली की निरीक्षण प्रक्रिया के सरलीकरण से जोखिम प्रबंधन प्रणाली (प्रवेश सुविधा बिल) के माध्यम से संवर्धित सुविधा से निपटान समय घटा है।

- निर्यात के लिए सीधा पत्तन प्रवेश और आयात के लिए सीधा पत्तन वितरण जवाहर लाल नेहरु पत्तन न्यास (जेएनपीटी) पर उपलब्ध है जो पत्तन परिसर से कार्गो के निपटान और शिपिंग की सीधे ही अनुमति देता है जिससे आयात और निर्यात दोनों के लिए समग्र निवास समय घट गया।

- प्राधिकृत आर्थिक संचालक (एईओ) कार्यक्रम संवर्धन : एईओ कार्यक्रम के अंर्तत त्वरित सीमा शुल्क निपटान के स्वरूप में मूर्त लाभ और व्यावसायिक संस्थाओं को सरल सीमा शुल्क प्रक्रियाएं अपेक्षित हैं।

- ई-संचित की मदद से एक्जिम संबंधी दस्तावेजों की वास्तविक प्रतियों और कागज दस्तावेजीकरण में कमी आई है; ई-संचित आईसीईजीएटीई पोर्टल पर एक ऑनलाइन आवेदन है जो व्यापारी को डिजीटल हस्ताक्षर के साथ इलेक्ट्रोनिक रूप में प्रेषण के निपटान के लिए सभी सहायक दस्तावेजों को प्रस्तुत करने की अनुमति देता है।

- भारत सरकार ने 2 अप्रैल से समुद्री व्यापार में सभी सहभागियों को ई-पेमेंट, ई-इन्वॉइस और ई-डिलीवरी आदेश के उपयोग के लिए अनिवार्य किया है।

- स्वयं सीलिंग प्रक्रिया के तहत निर्यातकों द्वारा प्रयुक्त कंटेनरों के लिए सीमा शुल्क विभाग ने इलेक्ट्रोनिक सीलिंग की है; जिससे निर्यात प्रक्रिया में तेजी आई है।

- अवसंरचना सशक्तिकरण : जेएनपीटी पर कार्गो की बढ़ती संख्या से निपटने के लिए, जेएनपीटी ने प्रचालन दक्षता में सुधार लाने के लिए 15 ई-आरटीजीसी (रबर टायर गेंटरी कार्स) जोड़े हैं।

- फरवरी, 2018 में जेएनपीटी में 5वें कंटेनर टर्मिनल का उद्‌घाटन किया गया है, जिससे जेएनपीटी की 24 मिलियन टीईयूएस (20 फीट के समान इकाइयां) की क्षमता बढ़ गई है।

(झ) संविदाओं का प्रवर्तन

डीबीआर 2018 में स्वीकृत सुधार : भारत में राष्ट्रीय न्यायिक डाटा ग्रिड की शुरूआत करके प्रवर्तनकारी संविदाओं को आसान बनाया गया है जिससे स्थानीय न्यायालयों में मामलों को मापने संबंधी रिपोर्ट बनाना संभव हुआ है। यह सुधार दिल्ली और मुंबई दोनों पर लागू है।

डीबीआर 2019 के लिए कार्यान्वित सुधार : वाणिज्यिक मामलों का तेजी से समाधान करने के लिए दिल्ली जिला कोर्ट और मुंबई सिटी सिविल कोर्ट में जजों और अधिवक्ताओं के लिए वाद प्रबंधन प्रणाली लागू की गई है।

(य) **दिवालियापन का समाधान**

डीबीआर 2018 में स्वीकृत सुधार : भारत ने नए दिवालियापन संहिता को अपनाकर दिवालियेपन के मामले को सुलझाना आसान बना दिया है, जिसने कंपनी के ऋणदाताओं के लिए पुनर्गठन प्रक्रिया की शुरूआत की है और दिवालियापन संबंधी कार्यवाही के दौरान ऋणदाता के कार्य को जारी रखने की सुविधा प्रदान की है। यह सुधार दिल्ली और मुंबई दोनों पर लागू है।

(ख) **व्यवसाय सुधार कार्रवाई योजना**

व्यवसाय सुधार कार्रवाई योजना, 2017 के तहत औद्योगिक नीति एवं संवर्धन विभाग ने निम्नलिखित सूचीबद्ध सुधार प्रक्रियाओं के लिए कई पहलों की शुरूआत की है:—

- सुधारों के कार्यान्वयन के महत्व और संदर्भ के बारे में चर्चा करने के लिए 29 जुलाई, 2017 को राष्ट्र स्तर की कार्यशाला आयोजित की गई। पूरे दिन के इस सम्मेलन में 26 राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों के लगभग 100 सहभागी सक्रिय रूप से शामिल हुए। इस कार्यशाला में राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों की बेहतर परंपराए साझा की गई।

- अनूठी शुरूआती मदद विधि की शुरूआत हुई जिसमें अग्रणी राज्यों ने पिछड़े राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों को भागीदार बनाया। नागालैंड के लिए 3 दिवसीय कार्यशाला के आयोजन के अपने प्रयासों के लिए पश्चिम बंगाल का विशेष उल्लेख किया जाता है।

- पूर्वोत्तर राज्यों तथा अन्य कम कार्यान्वयन करने वाले राज्यों के लिए वरीयता सुधारों की पहचान की गई।

- त्रिपुरा, पंजाब, हरियाणा, दमन एवं दीव, दादर नगर हवेली, अंडमान व निकोबार द्वीपसमूह, गोवा और कर्नाटक में राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों के प्रश्नों का उत्तर देने के लिए विश्व बैंक के साथ 8 कार्यशालाओं का आयोजन किया गया था।

- सभी 8 पूर्वोत्तर राज्यों को शुरूआती मदद के लिए विडियो कॉन्फ्रेस का आयोजन किया गया था।

इस कार्य के तहत कुछ महत्वपूर्ण उपलब्धियां निम्नलिखित हैं:—

- 19 राज्यों ने सूचना विजार्ड का डिजाइन बनाया है जो व्यवसाय/औद्योगिक इकाई (संस्थापना-पूर्व और प्रचालन-पूर्व) स्थापित करने से जुड़े अनुमोदन, लाइसेंस, पंजीकरण की समय-सीमा प्रक्रिया की जानकारी प्रदान करता है।

- 21 राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों ने ऑनलाइन एकल खिड़की प्रणाली का डिजाइन बनाया है और कार्यान्वित किया है।

- 16 राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों ने निर्माण अनुज्ञा को 45 दिनों में देना निर्धारित किया है (भवन योजना अनुमोदन 30 दिन में दिया जाना है/प्लिथ स्तर का निरीक्षण 7 दिन में पूरा होना है, अन्तिम स्वामित्व प्रमाणपत्र 8 दिन में दिया जाना है)। तेलंगाना, असम और तमिलनाडु ने क्रमशः 29, 30 और 37 दिनों की छोटी समय-सीमा अधिदेशित की है। तमिलनाडु ने पूर्णता प्रमाणपत्र जारी करने की प्रक्रिया पूरी करने का दावा किया है।

- 21 राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों ने सभी राज्यों में औद्योगिक उपयोग के लिए निर्धारित भूमि के बारे में ब्यौरा देने के लिए जीआईसी प्रणाली कार्यान्वित की है।

- 23 राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों ने बिजली कनेक्शन प्राप्त करने के लिए आवश्यक दस्तावेजों की संख्या घटाकर केवल 2 कर दी है।

- 18 राज्यों/संघ राज्य क्षेत्र श्रम, कारखाना, बॉयलर विभाग और प्रदूषण बोर्डों द्वारा किए जाने वाले सभी अनुपान निरीक्षणों को केन्द्रीय निरीक्षण फ्रेमवर्क के तहत ले आए हैं।

- 16 राज्यों/संघ राज्य क्षेत्र विवादों को निपटाने के लिए जिला स्तर पर वाणिज्यिक न्यायालय स्थापित कर रहे हैं।

- 12 राज्यों/संघ राज्य क्षेत्र न्यायालय शुल्क और प्रक्रिया शुल्क के भुगतान को एक साथ जोड़ रहे हैं और कुछ राज्य जैसे कि झारखंड, महाराष्ट्र और गुजरात न्यायालय शुल्क अधिनियम से प्रक्रिया शुल्क को समाप्त कर रहे हैं।

- 29 राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों ने प्रदूषण मंजूरियां लेने से छूट वाले श्वेत श्रेणी उद्योगों की सूची अधिसूचित करने की कार्रवाई की है।

- 2017 में जोड़े गये नए क्षेत्र विशेष सुधार जिसमें राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों ने सक्रिय भागीदारी दर्शायी, 20 राज्यों/संघ राज्य क्षेत्र ऑनलाइन आवेदन प्रणाली (थोक औषध लाइसेंस और खुदरा औषध लाइसेंस (औषध निर्माण), कार्यान्वित कर रहे हैं। 18 राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों के पास भागीदारी फर्मों और सोसाइटियों के पंजीयन के लिए ऑनलाइन प्रणालियां हैं, 20 राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों ने विधिक माप-पद्धति अधिनियम, 2009 के तहत पंजीयन और नवीकरण के लिए ऑनलाइन प्रणाली को कार्यान्वित किया है।

विश्वस्तरीय विश्वविद्यालय

2048. डॉ. कुलमणि सामल :
श्री गजानन कीर्तिकर :
श्री मुल्लापल्ली रामचन्द्रन :
श्री ओम प्रकाश यादव :
श्री के.सी. वेणुगोपाल :
श्री मुथमसेटी श्रीनिवास राव (अवंती) :
श्री सुमेधानन्द सरस्वती :
श्रीमती संतोष अहलावत :
श्री सुधीर गुप्ता :
श्री सुमन बलक :
कुंवर हरिवंश सिंह :
श्री चामाकुरा मल्ला रेड्डी :
श्रीमती रंजनबेन भट्ट :
श्री हरि ओम पाण्डेय :
श्री मनोज तिवारी :
श्री एस. राजेन्द्रन :
श्री प्रसून बनर्जी :
डॉ. रामशंकर कठेरिया :
श्री एस.आर. विजय कुमार :
श्री रोड़मल नागर :
श्री टी. राधाकृष्णन :

क्या **मानव संसाधन विकास मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने विश्वस्तरीय विश्वविद्यालय का खिताब (टैग) देने हेतु शैक्षिक संस्थाओं के चयन के लिए एक उच्चाधिकार प्राप्त विशेषज्ञ समिति का गठन किया है और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है तथा इसके विचारार्थ विषय क्या हैं;

(ख) क्या समिति ने सरकार को अपनी रिपोर्ट सौंप दी है और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है तथा यदि नहीं, तो इसमें विलंब के क्या कारण हैं;

(ग) उन शैक्षिक संस्थाओं के नाम क्या हैं, जिनकी समिति द्वारा उत्कृष्टता संस्थान के रूप में पदांकित करने के लिए संस्तुति की गई है और सरकार द्वारा इस संबंध में उक्त शैक्षिक संस्थाओं को क्या सुविधाएं प्रदान की गई हैं;

(घ) क्या समिति ने अपनी रिपोर्ट में जियो संस्थान सहित 6 संस्थाओं का चयन किया है और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ङ) समिति द्वारा अन्य क्या संस्तुतियां की गई हैं और सरकार की उन पर क्या प्रतिक्रिया है; और

(च) सरकार द्वारा देश में भारतीय छात्रों को विश्वस्तरीय शिक्षा और अनुसंधान सुविधाएं प्राप्त करने में समर्थ बनाने के लिए क्या कदम उठाए गए हैं/उठाए जा रहे हैं?

मानव संसाधन विकास मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा जल संसाधन, नदी विकास और गंगा संरक्षण मंत्रालय में राज्य मंत्री (डॉ. सत्यपाल सिंह) : (क) विश्वविद्यालय अनुदान आयोग (यूजीसी) न 'उत्कृष्ट संस्थाओं' (आईओई) की पहचान करने के लिए एक अधिकार प्राप्त विशेषज्ञ समिति (ईईसी) का गठन किया है, जिसमें श्री जी. गोपाल स्वामी, पूर्व मुख्य चुनाव आयुक्त; श्री प्रीतम सिंह, पूर्व निदेशक (एमडीआई) और आईआईएम लखनऊ; श्री तरुण खन्ना, प्रोफेसर, हार्वर्ड बिजनस स्कूल और सुश्री रेणु खट्टर, कुलपति, यूनिवर्सिटी ऑफ हाउस्टन सिस्टम शामिल हैं। ईईसी की शक्तियां और कार्य इस प्रकार हैं:—

(i) आईओई के लिए प्रस्तुत प्रस्तावों की संवीक्षा और मूल्यांकन करना

(ii) आईओई के चयन के उद्देश्यार्थ आयोग के समक्ष सिफारिश करना

(iii) आईओई की कार्यान्वयन योजनाओं की मॉनीटरिंग और समीक्षा करना

(iv) गुणवत्ता सुनिश्चित करने के लिए आईओई की समीक्षा करना

(v) आईओई के विकास का मार्ग-निर्देशन और पर्यवेक्षण करने के उद्देश्य से ऐसी ही अन्य मॉनीटरिंग और समीक्षा प्रणालियों को विकसित करना

(vi) आईओई के लिए कोई एक अथवा सभी मूल प्रायोजकों से प्रायोजन के अंतरण में परिवर्तन पर निर्णय लेना

(vii) किसी आईओई की कॉरपस निधि के परिसमापन के संबंध में आयोग के समक्ष सिफारिशें करना

(viii) आईओई के लक्ष्यों से हटने के कारणों का मूल्यांकन करना और इसके लिए आयोग के समक्ष दंड से संबंधित सिफारिशें करना

(ख) से (घ) ईईसी ने संस्थानों द्वारा प्रस्तुत आवेदनों की गहन जांच और प्रस्तुतियों के पश्चात् यूजीसी को अपनी सिफारिशें प्रस्तुत की। यूजीसी ने 9 जुलाई, 2018 को आयोजित अपनी बैठक में ईईसी की रिपोर्ट पर विचार किया और उसे अनुमोदित किया और सिफारिश की कि सार्वजनिक श्रेणी से निम्नलिखित 3 संस्थानों को उत्कृष्ट संस्थानों के रूप में आदेश जारी किए जाएं:—

(i) भारतीय विज्ञान संस्थान (आईआईएससी), बंगलौर

(ii) भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान (आईआईटी), दिल्ली

(iii) भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान (आईआईटी), बॉम्बे

इसके अतिरिक्त, आशय-पत्र जारी करने के लिए निम्नलिखित तीन निजी संस्थानों की सिफारिश की गई है:—

(i) बिड़ला इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी एंड साइंस (बिट्स), पिलानी

(ii) मनीपाल अकैडमी ऑफ हायर एजूकेशन (एमएएचई), मनीपाल

(iii) ग्रीनफील्ड श्रेणी के तहत जियो इंस्टीट्यूट 'आशय-पत्र' के जारी होने के तीन वर्षों के भीतर इसकी स्थापना उत्कृष्ट संस्थान समवत विश्वविद्यालय के रूप में की जाएगी।

इस योजना के अंतर्गत, चयनित आईओई को अधिक स्वायत्ता दी जाएगी जिससे वे दाखिल किए गए छात्रों के 30% तक विदेशी विद्यार्थियों को दाखिल कर सके; संकाय संख्या के 25% तक विदेशी संकाय को भर्ती कर सके; अपने कार्यक्रमों में से 20% तक के लिए ऑनलाइन पाठ्यक्रम प्रदान कर सके; यूजीसी की अनुमति के बिना विश्व रैंकिंग संस्थानों में शीर्ष 500 संस्थानों के साथ अकादमिक समन्वय कर सके बिना प्रतिबंध के विदेशी छात्रों से शुल्क लेने और निर्धारित करने की स्वतंत्रता; डिग्री प्राप्त करने में क्रेडिट घंटों और वर्षों के संबंध में पाठ्यक्रम संरचना में स्वतंत्रता; पाठ्यक्रम और पाठ्यचर्या को निर्धारित करने में पूर्ण स्वतंत्रता आदि। आईओई के रूप में चयनित प्रत्येक सार्वजनिक संस्थान को पांच वर्षों की अवधि के लिए 1,000 करोड़ रुपए तक की वित्तीय सहायता दी जाएगी।

(ङ) संस्थाओं को आईओई के रूप में पहचानने के अलावा, ईईसी ने सुझाव दिया है कि केंद्र सरकार, विशेषकर क्षेत्रीय संस्थाओं और स्टैंडअलोन संस्थाओं/विश्वविद्यालयों के लिए अलग परिभाषित लक्ष्यों और प्रत्याशाओं के साथ उनमें निवेश करने हेतु एक पृथक कार्यक्रम शुरू करने पर विचार कर सकती है। फिलहाल, मंत्रालय द्वारा इस संबंध में कोई निर्णय नहीं लिया गया है।

(च) 'उत्कृष्ट संस्थाओं' की स्थापना की योजना के अलावा, सरकार ने देश में उच्चतर शिक्षा की गुणवत्ता को सुधारने के मुद्दे को हल करने के लिए अनेक कदम उठाए हैं, जिससे भारतीय छात्रों को देश में ही गुणवत्तापूरक शिक्षा और अनुसंधान सुविधाएं मिल सकें। इनमें राष्ट्रीय उच्चतर शिक्षा अभियान (आरयूएसए) जैसी केंद्रीय प्रायोजित योजना और राष्ट्रीय महत्व के संस्थानों की संख्या को बढ़ाने, ग्लोबल इनिशिएटिव ऑफ अकैडमिक नेटवर्क्स (जीआईएएन) को शुरू करने (देश की मौजूदा अकादमिक गुणवत्ता के संवर्धन हेतु भारत के उच्चतर शैक्षणिक संस्थानों के साथ अंतर्राष्ट्रीय वैज्ञानिकों और उद्यमियों के प्रतिभावान समूह को जोड़ने के लिए), नेशनल इंस्टीट्यूशनल रैंकिंग फ्रेमवर्क (एनआईआरएफ), (संस्थाओं को स्वयं का मूल्यांकन करने मे समर्थ बनाने और सुधार के लिए प्रेरित करने हेतु), इम्पैक्टिंग रिसर्च इनोवेशन एंड टेक्नोलॉजी (इम्प्रिंट) योजना (चयनित डोमेनों में देश के लिए आवश्यक प्रमुख इंजीनियरिंग और प्रौद्योगिकी चुनौतियों का हल करने के लिए शोध हेतु), स्वयं और स्वयं प्रभा (सर्वाधिक लाभवंचित छात्रों सहित सभी तक सर्वोत्तम शिक्षण अधिगम संसाधन पहुंचाना), उच्चतर आविष्कार योजना (यूएवाई) (उन क्षेत्रों में नवाचार को प्रोत्साहित करने और समन्वित कार्रवाई करने के लिए जिनका विनिर्माण और डिजाइन उद्योग से सीधे संबद्ध हैं), आदि जैसी लक्षित परियोजनाएं, दोनों शामिल हैं।

[हिन्दी]

बाल मजदूरी

2049. श्री हरीशचन्द्र उर्फ हरीश द्विवेदी :
श्री प्रहलाद सिंह पटेल :
श्री दुष्यंत चौटाला :
श्री हरिश्चन्द्र चव्हाण :
श्री निहाल चन्द :
डॉ संजय जायसवाल :
डॉ भारतीबेन डी श्याल :
डॉ करण सिंह यादव :

क्या **श्रम और रोजगार मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या बाल और बंधुआ मजदूरी के संबंध में सख्त कानून लागू होने के बावजूद देश में बाल और बंधुआ मजदूरी आज भी व्याप्त

हैं और यदि हां, तो तत्संबंधी राज्य/संघ राज्यक्षेत्र-वार ब्यौरा क्या है और इसके क्या कारण हैं;

(ख) देश में बंधुआ मजदूरों और बाल मजदूरों कि चिन्हित करने के लिए स्थापित तंत्र का ब्यौरा क्या है और बंधुआ मजदूरी/बाल मजदूरी की समस्या का नियंत्रण सुनिश्चित करने के लिए वर्तमान नीति और योजनाओं का ब्यौरा क्या है;

(ग) विगत तीन वर्षों और चालू वर्ष के दौरान मुक्त और पुनर्वासित किए गए बाल और बंधुआ मजदूरों की राज्य/संघ राज्यक्षेत्र-वार कुल संख्या कितनी है;

(घ) सरकार द्वारा उक्त अवधि के दौरान ऐसे मामलों में शामिल दोषी व्यक्तियों के विरुद्ध कार्रवाई करने के लिए किए गए उपबंधों का ब्यौरा क्या है और अब तक राज्य/संघ राज्यक्षेत्र-वार कितने दोषियों को सजा दी गई है;

(ङ) क्या देश में शिक्षा प्रदान करने और बाल मजदूरी के उन्मूलन हेतु विदेशी सहित किसी प्रकार की सहायता सरकार द्वारा प्राप्त हुई है और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(च) सरकार द्वारा समयबद्ध तरीके से देश में बाल और बंधुआ मजदूरी का पूर्ण रूप से उन्मूलन करने के लिए अन्य क्या उपाय किए जा रहे हो?

श्रम और रोजगार मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री संतोष कुमार गंगवार) : (क) बाल श्रम गरीबी, आर्थिक पिछड़ेपन और निरक्षरता आदि जैसी विभिन्न सामाजिक/आर्थिक समस्याओं का परिणाम है। 2011 की जनगणना के अनुसार, देश में 5-14 वर्ष के आयु वर्ग में मुख्य कामगारों की संख्या 43.53 लाख है। मुख्य कामगारों के संबंध में राज्य-वार ब्यौरा संलग्न विवरण-I पर दिया गया है। बंधुआ श्रम की समस्या का मूल कारण सामाजिक रिवाजों तथा आर्थिक बाध्यताओं में निहित है। बंधुआ श्रम पद्धति को बंधित श्रम पद्धति (उत्सादन) अधिनियम, 1976 के अंतर्गत उत्सादित किया गया है। कभी-कभी बंधित श्रम पद्धति की मौजूदगी के मामले सामने आते हैं। बंधुआ श्रमिकों की मौजूदगी से संबंधित राज्य-वार/संघ राज्य क्षेत्र-वार आंकड़े उपलब्ध नहीं हैं।

(ख) सरकार बाल श्रमिकों के पुनर्वास के लिए राष्ट्रीय बाल श्रम परियोजना (एनसीएलपी) का क्रियान्वयन कर रही है। एनसीएलपी योजना की शुरूआत करने तथा क्रियान्वयन करने के लिए तात्कालिक प्रारंभिक बिंदु कामकाजी बच्चों की पहचान हेतु सर्वेक्षण करना है। जिला मजिस्ट्रेट/कलक्टर की अध्यक्षता वाली एनसीएलपी सोसायटियों से पिछले सर्वेक्षण पर भारत सरकार द्वारा प्रति जिला 4.00 लाख रुपए की राशि प्रदान की जाती है उससे तीन वर्षों के भीतर सर्वेक्षण कराने की अपेक्षा है। 9-14 वर्ष की आयु वर्ग के कार्य से मुक्त कराए गए/हटाए गए बच्चों को एनसीएलपी के विशेष प्रशिक्षण केन्द्रों में नामांकित किया जाता है जहां उन्हें औपचारिक शिक्षण पद्धति की मुख्यधारा में शामिल करने से पूर्व समायोजी शिक्षा, व्यावसायिक प्रशिक्षण, मध्याह्न भोजन, वृत्ति, स्वास्थ्य देख-रेख सुविधा आदि प्रदान की जाती है। 5-8 वर्ष के आयु वर्ग के बच्चों को सर्व शिक्षा अभियान के साथ समन्वय करते हुए औपचारिक शिक्षण पद्धति से सीधे जोड़ा जाता है।

सरकार बंधुआ श्रमिकों के पुनर्वास के लिए केन्द्र द्वारा प्रायोजित स्कीम का क्रियान्वयन कर रही है। बंधित श्रम पद्धति (उत्सादन) अधिनियम, 1976 के अंतर्गत बंधुआ श्रमिकों की पहचान, मुक्ति एवं मुक्त कराए गए श्रमिकों के पुनर्वास की सीधी जवाबदेही संबंधित राज्य सरकार/संघ राज्य क्षेत्र की है। इन कार्यों के लिए जिलाधिकारी एवं उपमंडलाधिकारी को कतिपय कार्य/दायित्व सौंपे गए हैं। अधिनियम के अंतर्गत प्रत्येक जिलाधीश अथवा प्रत्येक अधिकारी जिसे उसके द्वारा जांच करने हेतु विनिर्दिष्ट किया गया हो, उस पर उसके क्षेत्राधिकार के अंतर्गत स्थानीय सीमा में विद्यमान बंधित श्रम पद्धति की मौजूदगी की जांच करने का दायित्व होगा। स्कीम के अंतर्गत राज्यों को बंधुआ श्रमिकों का सर्वेक्षण कराने हेतु प्रति जिला 4.50 लाख रुपए प्रदान किया जाता है। बंधुआ श्रमिकों के पुनर्वास के लिए वयस्क पुरुष लाभार्थी के लिए एक लाख रुपए, विशेष वर्ग के लाभार्थियों जैसे अनाथों सहित बच्चों या संगठित एवं बलात भीख मंगवाने वाले गिरोहों या बलात बाल श्रमिकों के अन्य स्वरूपों से छुड़ाए गए बच्चों और महिलाओं के लिए 2 लाख रुपए, तथा परालिंगियों या घृणित यौन शोषण जैसे चकलों, मसाज पार्लरों, प्लेसमेन्ट एजेन्सियों आदि या तस्करी से छुड़ाए गई महिलाओं या बच्चों के वंचन या प्रभावहीनता के घोर मामलों वाले बंधुआ या बलात श्रमिकों के मामलों में अथवा विक्लांगों के मामलों में अथवा उन परिस्थितियों में जहां जिला न्यायाधीश उचित समझें, 3 लाख रुपए की वित्तीय सहायता प्रदान की जाती है। दोषसिद्धि की कार्यवाही की स्थिति चाहे जैसी भी हो, जिला प्रशासन द्वारा मुक्त कराए गए बंधुआ श्रमिकों के पुनर्वास के लिए 20,000/- रुपए की तत्काल वित्तीय सहायता भी प्रदान की जाती है।

(ग) जिला परियोजना सोसायटियों से प्राप्त सूचना के अनुसार पिछले तीन वर्षों के दौरान राष्ट्रीय बाल श्रम परियोजना स्कीम के अंतर्गत कार्य से मुक्त कराए गए/हटाए गए, पुनर्वासित तथा मुख्यधारा में शामिल किए गए बाल श्रमिकों की राज्य वार संख्या संलग्न विवरण-II पर दी गई है। वर्ष 2016 से बंधुआ श्रमिक पुनर्वास योजना के अंतर्गत मुक्त कराए गए तथा पुनर्वासित बंधुआ श्रमिकों का राज्य-वार वर्ष-वार ब्यौरा संलग्न विवरण-III पर है।

(घ) सरकार ने बाल श्रम (प्रतिषेध एवं विनियमन) संशोधन अधिनियम, 2016 का अधिनियमन किया है जो 1.9.2016 से लागू हुआ। संशोधित अधिनियम में अन्य बातों के साथ-साथ 14 वर्ष से कम आयु के बच्चों के किसी व्यवसाय या प्रक्रिया में नियोजन या काम पर पूर्ण प्रतिषेध तथा 14-18 वर्ष के आयु वर्ग के किशारों के जोखिमपूर्ण व्यवसायों और प्रक्रियाओं में नियोजन या काम पर प्रतिषेध का प्रावधान है। नियोजक द्वारा इस अधिनियम के उपबंधों के उल्लंघन हेतु दंड को अधिक कड़ा बनाया गया है तथा इस अपराध को संज्ञेय बनाया गया है। राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों से प्राप्त सूचना के अनुसार, बाल श्रम अधिनियम के तहत की गई दोषद्धियों की राज्य/संघ राज्य क्षेत्र-वार संख्या संलग्न विवरण-IV में दी गई है।

बंधित श्रम पद्धति (उत्सादन) अधिनियम, 1976 के अंतर्गत दोषी व्यक्तियों के विरुद्ध संबंधित राज्यों/संघ राज्य क्षेत्र की सरकारों द्वारा कार्रवाई की जाती है। यह अधिनियम बंधित श्रम पद्धति के अपराधियों की दोषसिद्धि हेतु जिलाधीश को प्रथम श्रेणी मजिस्ट्रेट की शक्तियां प्रदान करती है। इस अधिनियम में बंधुआ श्रम की पहचान करवाने पर तीन वर्षो तक की कैद और दो हजार रुपए के जुर्माने का प्रावधान है। बंधित श्रम पद्धति (उत्सादन) अधिनियम, 1976 के अंतर्गत रिपोर्ट किए गए मामलों की संख्या के संबंध में तथा दोषी व्यक्तियों के विरुद्ध राज्य/संघ राज्य क्षेत्र की सरकार द्वारा की गई कार्रवाई संबंधी अभिलेख केन्द्रीय स्तर पर नहीं रखे जाते हैं।

(ङ) वर्तमान में देश से बाल श्रम के उन्मूलन के लिए मंत्रालय को कोई विदेशी सहायता प्राप्त नहीं हो रही है।

(च) सरकार बाल श्रम के उन्मूलन हेतु बहु-आयामी रणनीति का अनुसरण कर रही है। इसमें सामाजिक-आर्थिक विकास की अन्य स्कीमों के साथ समेकन सहित सांविधिक और विधायी उपाय, पुनर्वास और सार्वभौम प्राथमिक शिक्षा शामिल है। बाल श्रम अधिनियम में संशोधन के माध्यम से विधायी संरचना को सुदृढ़ करने के पश्चात, सरकार ने बाल श्रम (प्रतिषेघ एवं विनियमन) संशोधन नियम, 2017 बनाए हैं जिनमें अन्य बातों के साथ-साथ, राज्य सरकारों तथा जिला प्राधिकरणों को कर्त्तव्य तथा जवाबदेहियां विहित की गई हैं ताकि अधिनियम के उपबंधों का प्रभावी प्रवर्तन सुनिश्चित किया जा सके। सरकार ने प्रशिक्षकों, व्यवसायियों तथा प्रवर्तन एवं अनुवीक्षण एजेंसियों के लिए रेडी-रेकनर के रूप में मानक प्रचालन प्रक्रिया (एसओपी) भी तैयार की है। बाल श्रम अधिनियम के उपबंधों का प्रभावी प्रवर्तन सुनिश्चित करने तथा एनसीएलपी स्कीम के सुचारू क्रियान्वयन हेतु एक अलग ऑनलाइन पोर्टल पेन्सिल (प्लेटफॉर्म फॉर इफेक्टिव इनफोर्समेंट फॉर नो चाइल्ड लेबर) विकसित किया गया है।

सरकार ने बंधुआ श्रमिकों के पुनर्वास के लिए केन्द्र द्वारा प्रायोजित स्कीम बंधुआ श्रमिक पुनर्वास स्कीम को भी 17 मई, 2016 से नवीकृत किया है।

विवरण-I

2011 की जनगणना के अनुसार 5-14 वर्ष की आयु वर्ग के मुख्य कामगारों का राज्य-वार विवरण

क्र. सं.	राज्य/संघ राज्य क्षेत्र	5-14 वर्ष की आयु वर्ग के मुख्य कामगारों की संख्या
1	2	3
1.	अंडमान और निकोबार द्वीपसमूह	999
2.	आंध्र प्रदेश**	404851
3.	अरुणाचल प्रदेश	5766
4.	असम	99512
5.	बिहार	451590
6.	चंडीगढ़ यू.टी.	3135
7.	छत्तीसगढ़	63884
8.	दादरा और नगर हवेली	1054
9.	दमन और द्वीव	774
10.	दिल्ली यू.टी.	26473
11.	गोवा	6920
12.	गुजरात	250318
13.	हरियाणा	53492
14.	हिमाचल प्रदेश	15001
15.	जम्मू और कश्मीर	25528
16.	झारखंड	90996
17.	कर्नाटक	249432
18.	केरल	21757

1	2	3
19.	लक्षद्वीप यू.टी.	28
20.	मध्य प्रदेश	286310
21.	महाराष्ट्र	496916
22.	मणिपुर	11805
23.	मेघालय	18839
24.	मिजोरम	2793
25.	नागालैंड	11062
26.	ओडिशा	92087
27.	पुदुचेरी	1421
28.	पंजाब	90353
29.	राजस्थान	252338
30.	सिक्किम	2704
31.	तमिलनाडु	151437
32.	त्रिपुरा	4998
33.	उत्तराखंड	896301
34.	उत्तर प्रदेश	28098
35.	पश्चिम बंगाल	234275
	कुल	4353247

**तेलंगाना सहित।

विवरण-II

पिछले तीन वर्षों के दौरान राष्ट्रीय बाल श्रम परियोजना स्कीम के अंतर्गत कार्य से मुक्त कराए गए/हटाए गए, पुनर्वासित तथा मुख्य धारा में शामिल किए गए बच्चों की संख्या

क्र.सं.	राज्य	2015-16	2016-17	2017-18
1	2	3	4	5
1.	आंध्र प्रदेश	716	814	203
2.	असम	9693	434	915
3.	बिहार	2656	0	2800
4.	छत्तीसगढ़	0	0	0
5.	गुजरात	0	0	187
6.	हरियाणा	0	40	0
7.	जम्मू और कश्मीर	10	0	0
8.	झारखंड	3450	334	1621
9.	कर्नाटक	1984	681	679
10.	मध्य प्रदेश	7472	4442	11400
11.	महाराष्ट्र	2177	1692	4843
12.	ओडिशा	1900	0	0
13.	पंजाब	880	590	994
14.	राजस्थान	8476	630	105
15.	तमिलनाडु	4089	2850	2855
16.	तेलंगाना	1810	1431	2137
17.	उत्तर प्रदेश	0	3066	0
18.	पश्चिम बंगाल	13763	13973	16408
19.	उत्तराखंड	0	0	0
20.	नागालैंड	0	0	197
	कुल	59076	39079	45344

विवरण-III

वर्ष 2016 से बंधुआ श्रमिकों का पुनर्वास योजना के अंतर्गत मुक्त कराए गए एवं पुनर्वासित बंधुआ श्रमिकों का राज्य-वार/संघ राज्य क्षेत्र-वार विवरण

वर्ष	राज्य	मुक्त कराए गए एवं पुनर्वासित बंधुआ श्रमिक
1	2	3
2015-16	उत्तर प्रदेश	2216

1	2	3
2016-17	बिहार	1792
	झारखंड	118
	ओडिशा	258
	उत्तर प्रदेश	258
	कर्नाटक	181
2017-18	बिहार	461
	कर्नाटक	1500
	उत्तर प्रदेश	3492
	राजस्थान	159
	मध्य प्रदेश	2
	छत्तीसगढ़	57
	ओडिशा	742
2018-19 (25.7.2018 तक)	उत्तर प्रदेश	741
	बिहार	165
	छत्तीसगढ़	1276

विवरण-IV

पिछले तीन वर्षों के दौरान बाल श्रम अधिनियम के अंतर्गत की गई दोष-सिद्धियों की राज्य-वार संख्या

राज्य/संघ राज्य क्षेत्र	दोष-सिद्धियों की संख्या		
	2015	2016	2017
1	2	3	4
आंध्र प्रदेश	2	13	उ.न.
बिहार	उ.न.	7	उ.न.
चंडीगढ़ यू.टी.	8	11	9
छत्तीसगढ़	उ.न.	7	4
गुजरात	0	0	5
हरियाणा	28	24	2
हिमाचल प्रदेश	6	4	4
जम्मू और कश्मीर	20	10	5
झारखंड	0	0	6
कर्नाटक	18	15	36
केरल	1	उ.न.	1
मध्य प्रदेश	71	26	9
मेघालय	13	2	1
ओडिशा	17	1	उ.न.
पंजाब	265	247	184
राजस्थान	9	9	1
तमिलनाडु	17	20	8
त्रिपुरा	2	2	4
उत्तर प्रदेश	237	273	361
उत्तराखंड	1	उ.न.	उ.न.
तेलंगाना	31	5	27
कुल	746	676	667

उ.न. = उपलब्ध नहीं

विद्यालय के बैग

2050. श्री राजन विचारे :
श्री विष्णु दयाल राम :

क्या **मानव संसाधन विकास मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यशपाल समिति ने 1993 में बिना बोझ के अधिगम की सिफारिश की है और यदि हां, तो ऐसी सिफारिशों पर सरकार द्वारा क्या कार्रवाई की गई है;

(ख) क्या राष्ट्रीय शिक्षा अनुसंधान और प्रशिक्षण परिषद् (एनसीईआरटी) ने विद्यार्थियों पर विद्यालय बैग के बोझ को कम करने की दृष्टि से सभी विद्यालयों को टेबलेट पीसी प्रदान करने और एक

लोचशील समय-सारणी तैयार करने के लिए रिपोर्ट तैयार करने को कहा है और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या सरकार ने विद्यालय के बैगों का बोझ कम करने के लिए सीबीएसई विद्यालयों के लिए दिशा-निर्देश तैयार करने को कहा है और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(घ) क्या यह सच है कि महाराष्ट्र में कुछ सरकारी विद्यालयों में विद्यालय के बैग के बोझ को कम करने के लिए एक कार्यक्रम आरंभ किया है जिसके अंतर्गत विद्यालय के बैग लाना अनिवार्य नहीं है और विद्यालय में विद्यालय ही बैग प्रदान कर रहे हैं और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ङ) ऐसी प्रणाली को अन्य विद्यालयों द्वारा नहीं अपनाए जाने के क्या कारण हैं;

(च) क्या विद्यालय के बैगों के बोझ को हल्का करने के लिए पाठ्य पुस्तकों को दो भागों में वर्गीकृत करने का कोई प्रस्ताव है यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(छ) उक्त सुझाव को कब तक कार्यान्वित किए जाने की संभावना है?

मानव संसाधन विकास मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री उपेन्द्र कुशवाहा) : (क) राष्ट्रीय शैक्षिक अनुसंधान एवं प्रशिक्षण परिषद् (एनसीईआरटी) द्वारा राष्ट्रीय पाठ्यचर्या फ्रेमवर्क (एनसीएफ)-2005 तैयार करते समय 'बोझ रहित अधिगम' से संबंधित यशपाल समिति की रिपोर्ट (1993) में अन्य बातों के साथ-साथ पढ़ाई के बोझ के संबंध उठाए गए मुद्दों पर विचार-विमर्श किया गया। एनसीएफ, सभी स्कूल स्तरों पर पाठ्यचर्या पाठ्यक्रमों और पाठ्यपुस्तकों को तैयार करने के लिए दिशानिर्देश और निर्देश निर्धारित करता है। एनसीएफ पाठ्यचर्या के अनुवर्तन में, एनसीईआरटी द्वारा पाठ्यचर्या, पाठ्यक्रम, पाठ्यपुस्तकें और अन्य अनुपूरक सामग्री तैयार की जाती है। राज्य शैक्षिक अनुसंधान और प्रशिक्षण परिषद् (एससीईआरटी) और राज्य शिक्षा बोर्ड या तो एनसीईआरटी मॉडल पाठ्यक्रम और पाठ्यपुस्तकें अपनाते हैं अथवा इनका अनुकूलन करते हैं अथवा एनसीएफ के आधार पर अपना स्वयं का पाठ्यक्रम और पाठ्यपुस्तकें तैयार करते हैं।

राष्ट्रीय शैक्षिक अनुसंधान तथा प्रशिक्षण परिषद् (एनसीईआरटी और केन्द्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड (सीबीएसई) ने स्कूली बस्तों का बोझ कम करने के लिए पहले से ही उपाय कर लिए हैं। एनसीईआरटी ने प्रारंभिक बाल शिक्षा के लिए किसी पाठ्यपुस्तक की सिफारिश नहीं की है। इसने कक्षा I और II के लिए केवल दो पुस्तके (भाषा और गणित) और कक्षा III और V के लिए तीन पुस्तकों (भाषा, पर्यावरण अध्ययन और गणित) की सिफारिश की है। एनसीईआरटी ने वेब *(epathshala.nic.in)* और मोबाइल उपकरणों के जरिए सर्वसुलभता (फ्री एक्सेस) के लिए अपनी सभी पाठ्य-पुस्तकें भी उपलब्ध कराई हैं। सीबीएसई ने अपने से संबद्ध स्कूलों को यह सुनिश्चित करने के निर्देश दिए हैं कि विद्यार्थी कक्षा II तक स्कूली बस्ते लेकर न आएं और साथ ही साथ कक्षा I-VIII में विहित पुस्तकों की संख्या को सीमित किया जाए।

शिक्षा संविधान की समवर्ती सूची का विषय होने तथा अधिकांश स्कूलों के राज्य सरकार/संघ राज्य क्षेत्र प्रशासन के कार्यक्षेत्र में आने के कारण यह संबंधित राज्य सरकारों/संघ राज्य क्षेत्र प्रशासनों की जिम्मेदारी है कि वे अपने स्कूलों के स्कूल बैग के समुचित भार के संबंध में मानक निर्धारित करें।

(ख) जी, नहीं।

(ग) सीबीएसई ने दिनांक 12 सितंबर, 2016 के अपने परिपत्र के जरिए अपने सभी संबद्ध स्कूलों को पहले ही सलाह दी है कि वे स्कूल बैग के भार को नियंत्रणाधीन रखने के लिए सभी संभव उपाय करें।

(घ) महाराष्ट्र राज्य सरकार ने सूचित किया है कि उन्होंने ऐसा कोई कार्यक्रम शुरू नहीं किया है।

(ङ) प्रश्न नहीं उठता।

(च) वर्तमान में ऐसा कोई प्रस्ताव सरकार के विचाराधीन नहीं है।

(छ) प्रश्न नहीं उठता।

[हिन्दी]

राष्ट्रीय साक्षरता मिशन के लिए निधियां

2051. डॉ. करण सिंह यादव :
श्री मनोहर उटवाल :
श्री रवीन्द्र कुमार पाण्डेय :
श्रीमती मीनाक्षी लेखी :
श्री निशिकान्त दुबे :
श्री राजू शेट्टी :
श्री लक्ष्मी नारायण यादव :

क्या **मानव संसाधन विकास मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) वर्तमान में झारखंड सहित देश में लिंग-वार और राज्य/संघ राज्यक्षेत्र-वार साक्षरता दर का ब्यौरा क्या है और गत तीन वर्षों और चालू वर्ष के दौरान राष्ट्रीय साक्षरता मिशन के अंतर्गत अनुमोदित/व्यय की गई

निधियां क्या हैं और राज्य/संघ राज्यक्षेत्र-वार क्या उपलब्धियां प्राप्त की गई हैं;

(ख) क्या सरकार का विचार उन राज्यों को विशेष सहायता निधियां प्रदान करने का है जिनकी साक्षरता दर राष्ट्रीय औसत से कम है और यदि हां, तो राज्य/संघ राज्यक्षेत्र-वार तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या सरकार का विचार उन राज्यों को भी विशेष सहायता प्रदान करने का है जिनकी साक्षरता दर राष्ट्रीय औसत से कम है और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(घ) क्या सरकार ने देश में साक्षरता को बढ़ाने हेतु गैर-सरकारी संगठनों (एनजीओ) और अन्य देशों के साथ किसी समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ङ) झारखंड सहित देश में सभी राज्यों में साक्षरता के स्तर को सुधारने के लिए सरकार द्वारा क्या अन्य कदम उठाए गए हैं/उठाए जाने का प्रस्ताव है?

मानव संसाधन विकास मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री उपेन्द्र कुशवाहा) : (क) जनगणना 2011 के अनुसार झारखंड सहित देश में, 7 वर्ष और उससे अधिक की आयु समूह में राज्य/संघ राज्य क्षेत्र तथा लिंग-वार साक्षरता दर दर्शाने वाला ब्यौरा संलग्न विवरण-I के रूप में दिया गया है। पिछले तीन वर्षों तथा मौजूदा वर्ष के दौरान साक्षर भारत योजना के अंतर्गत दी गई राज्य/संघ राज्यक्षेत्र-वार केन्द्रीय वित्तीय सहायता दर्शाने वाला ब्यौरा संलग्न विवरण-II में दिया गया है। पिछले तीन वर्षों के दौरान साक्षर भारत कार्यक्रम के अंतर्गत एनआईओएस द्वारा संचालित अर्धवार्षिक बुनियादी साक्षरता मूल्यांकन परीक्षा में सफल घोषित हुए शिक्षार्थियों का लिंग-वार और राज्य/संघ राज्यक्षेत्र-वार ब्यौरा दर्शाने वाला विवरण-III संलग्न है। मौजूद वित्त वर्ष अर्थात् 2018-19 में कोई अर्द्धवार्षिक बुनियादी साक्षरता मूल्यांकन परीक्षा आयोजित नहीं की गई है।

(ख) से (घ) जी, नहीं।

(ङ) साक्षरता दर में सुधार करने के लिए वर्ष 2001 की जनगणना के अनुसार 50 प्रतिशत और उससे कम प्रौढ़ महिला साक्षरता दर वाले 26 राज्यों तथा एक संघ राज्य क्षेत्र के 410 जिलों के ग्रामीण क्षेत्रों और महिलाओं तथा अन्य लाभवंचित समूहों पर विशेष फोकस के साथ वामपंथ अतिवाद से प्रभावित जिलों में, भले ही उनकी साक्षरता दर कुछ भी हो, अक्तूबर, 2009 से राजस्थान सहित, देश में योजना साक्षर भारत कार्यान्वित की गई थी। इस योजना को 31.03.2018 तक विस्तारित किया गया और 01.04.2018 से समाप्त किया गया। साक्षर भारत योजना को प्रौढ़ शिक्षा हेतु एक नई योजना से प्रतिस्थापित किए जाने का प्रस्ताव है।

विवरण-I

वर्ष 2011 की जनगणना के अनुसार देश में 7 एवं उससे अधिक वर्ष की आयु में जेंडर-वार एवं राज्य/संघ राज्य क्षेत्र-वार साक्षरता दर

क्र. सं.	राज्य/संघ राज्य क्षेत्र का नाम	साक्षरता दर		
		व्यक्ति	पुरुष	महिला
1	2	3	4	5
	भारत	72.98	80.88	64.63
1.	आंध्र प्रदेश	67.02	74.88	59.15
2.	अरुणाचल प्रदेश	65.38	72.55	57.70
3.	असम	72.19	77.85	66.27
4.	बिहार	61.80	71.20	51.50
5.	छत्तीसगढ़	70.28	80.27	60.24
6.	गोवा	88.70	92.65	84.66
7.	गुजरात	78.03	85.75	69.68
8.	हरियाणा	75.55	84.06	65.94
9.	हिमाचल प्रदेश	82.80	89.53	75.93
10.	जम्मू और कश्मीर	67.16	76.75	56.43
11.	झारखंड	66.41	76.84	55.42
12.	कर्नाटक	75.36	82.47	68.08
13.	केरल	94.00	96.11	92.07
14.	मध्य प्रदेश	69.32	78.73	59.24
15.	महाराष्ट्र	82.34	88.38	75.87
16.	मणिपुर	76.94	83.58	70.26
17.	मेघालय	74.43	75.95	72.89
18.	मिज़ोरम	91.33	93.35	89.27
19.	नागालैंड	79.55	82.75	76.11
20.	ओडिशा	72.87	81.59	64.01

1	2	3	4	5
21.	पंजाब	75.84	80.44	70.73
22.	राजस्थान	66.11	79.19	52.12
23.	सिक्किम	81.42	86.55	75.61
24.	तमिलनाडु	80.09	86.77	73.44
25.	त्रिपुरा	87.22	91.53	82.73
26.	उत्तर प्रदेश	67.68	77.28	57.18
27.	उत्तराखंड	78.82	87.40	70.01
28.	पश्चिम बंगाल	76.26	81.69	70.54
29.	अंडमान और निकोबार द्वीपसमूह	86.63	90.27	82.43
30.	चंडीगढ़	86.05	89.99	81.19
31.	दादरा और नगर हवेली	76.24	85.17	64.32
32.	दमन और दीव	87.10	91.54	79.55
33.	दिल्ली	91.85	95.56	8.95
34.	लक्षद्वीप	86.21	90.94	80.76
35.	पुदुचेरी	85.85	91.26	80.67

विवरण-II

साक्षर भारत कार्यक्रम के तहत विगत तीन वर्ष और चालू वर्ष के दौरान जारी केन्द्रीय शेयर का राज्य/संघ राज्य क्षेत्र-वार और वर्ष-वार ब्यौरा

(रुपए लाख में)

क्र. सं.	राज्य/संघ राज्य क्षेत्र का नाम	जारी केन्द्रीय शेयर			
		2015-16	2016-17	2017-18	2018-19
1	2	3	4	5	6
1.	आंध्र प्रदेश	4456.45	0	1874	0
2.	अरुणाचल प्रदेश	383.4	31.45	234	0
3.	असम	1319.76	0	1033.2	0
4.	बिहार	3900	2340	0	0
5.	छत्तीसगढ़	1500	1400.1	1248	0
6.	दादरा और नगर हवेली	0	29.12	0	0
7.	गुजरात	1560	0	0	0
8.	हरियाणा	0	1002.35	499.2	0
9.	हिमाचल प्रदेश	114.26	0	46.8	0
10.	जम्मू और कश्मीर	725.4	585	2347.2	0
11.	झारखंड	1837.5	630.24	0	0

1	2	3	4	5	6
12.	कर्नाटक	780	1934.4	312	0
13.	मध्य प्रदेश	2620.8	4142.75	1725.25	0
14.	महाराष्ट्र	0	0	0	0
15.	मणिपुर	135	0	117	0
16.	मेघालय	2268	0	0	0
17.	नागालैंड	151.93	0	0	0
18.	ओडिशा	624	153.24	314.76	0
19.	पंजाब	0	0	0	0
20.	राजस्थान	0	152.99	2097.6	0
21.	सिक्किम	74.88	0	0	0
22.	तमिलनाडु	1209	878.66	796.8	0
23.	तेलंगाना	1725	1560	2496	0
24.	त्रिपुरा	72.54	0	0	0
25.	उत्तर प्रदेश	7800	5100	3744	0
26.	उत्तराखंड	1216.8	0	0	0
27.	पश्चिम बंगाल	780	748.8	283.9	0
	कुल	33213.52	20689.1	19167.71	0

विवरण-III

विगत तीन वर्षों और मौजूदा वर्ष के दौरान साक्षर भारत योजना के तहत एनआईओएस द्वारा संचालित अर्द्धवार्षिक बुनियादी साक्षरता मूल्यांकन परीक्षा में सफल घोषित लिंग-वार और राज्य/संघ राज्य क्षेत्र-वार शिक्षार्थी

क्र. सं.	राज्य	2015-16			2016-17			2017-18		
		पुरुष	महिला	कुल	पुरुष	महिला	कुल	पुरुष	महिला	कुल
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1.	आंध्र प्रदेश	1,57,595	4,60,666	6,18,261	30,609	4,71,433	5,02,042	25,848	2,28,814	2,54,662
2.	तेलंगाना	1,87,039	6,54,342	8,41,381	95,889	2,63,464	3,59,353	33,603	72,002	1,05,605
3.	अरुणाचल प्रदेश	11,689	18,374	30,063	7,035	12,438	19,473	2,062	3,513	5,575

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
4.	असम	1,14,542	2,38,309	3,52,851	12,147	25,881	38,028	13,518	28,234	41,752
5.	बिहार	4,77,117	21,13,968	25,91,085	4,40,401	22,71,505	27,11,906	3,54,676	19,33,986	22,88,662
6.	छत्तीसगढ़	91,203	1,77,264	2,68,467	98,648	1,82,929	2,81,577	20,592	44,409	65,001
7.	दादरा और नगर हवेली	0	0	0	0	0	0	0	0	—
8.	गुजरात	55,560	1,02,824	1,58,384	1,36,986	1,62,500	2,99,486	32,475	55,771	88,246
9.	हरियाणा	47,365	99,119	1,46,484	1,19,817	2,40,326	3,60,143	18,246	43,714	61,960
10.	हिमाचल प्रदेश	3,011	7,187	10,198	4,117	10,285	14,402	411	1,178	1,589
11.	जम्मू और कश्मीर	20,660	29,126	49,786	51,222	76,177	1,27,399	85,956	1,35,575	2,21,531
12.	झारखंड	5,05,065	8,60,068	1,36,5133	5,39,208	9,07,204	14,46,412	1,84,677	3,07,060	4,91,737
13.	कर्नाटक	1,68,527	4,01,934	5,70,461	5,66,786	10,41,146	1,60,7932	2,37,062	3,85,504	6,22,566
14.	मध्य प्रदेश	2,20,716	3,56,713	5,77,429	7,28,187	10,60,760	17,88,947	2,66,105	3,75,889	6,41,994
15.	महाराष्ट्र	85,361	1,29,779	2,15,140	1,13,668	1,73,474	2,87,142	43,170	71,357	1,14,527
16.	मणिपुर	234	4,546	4780	26	9,363	9,389	0	4,719	4,719
17.	मेघालय	3,140	3,966	7106	8,658	11,748	20,406	2,392	3,675	6,067
18.	नागालैंड	9,477	13,173	22,650	5,523	7,855	13,378	2,346	3,502	5,848
19.	ओडिशा	1,69,696	2,11,483	3,81,179	2,65,618	3,36,019	6,01,637	0	0	—
20.	पंजाब	0	0	0	0	0	0	0	0	—
21.	राजस्थान	4,86,148	11,80,420	16,66,568	4,89,935	10,90,288	15,80,223	2,81,889	6,80,761	9,62,650
22.	सिक्किम	412	866	1,278	126	205	331	0	0	—
23.	तमिलनाडु	44,332	86,414	1,30,746	32,759	83,199	1,15,958	37,898	1,12,109	1,50,007
24.	त्रिपुरा	0	0	0	0	0	0	0	0	—
25.	उत्तर प्रदेश	1,18,3713	22,34,749	34,18,462	7,60,424	13,23,597	20,84,021	3,50,779	6,21,057	9,71,836
26.	उत्तराखंड	17,886	51,035	68,921	14,762	4,3,133	57,895	3,653	12,833	16,486
27.	पश्चिम बंगाल	4,29,954	8,82,295	13,12,249	4,29,573	8,68,146	12,97,719	1,13,701	2,33,167	3,46,868
	कुल	44,90,442	1,03,18,620	1,48,09,062	49,52,124	1,06,73,075	1,56,25,199	21,11,059	53,58,829	74,69,888

मौजूदा वित्त वर्ष अर्थात् 2018-19 में कोई अर्द्धवार्षिक बुनियादी साक्षरता मूल्यांकन परीक्षा संचालित नहीं।

[अनुवाद]

सर्व शिक्षा अभियान के अंतर्गत नि:शुल्क पाठ्य पुस्तक

2052. श्रीमती सुप्रिया सदानंद सुले :
डॉ. हिना विजय कुमार गावीत :
श्री राजीव सातव :
श्री पी.आर. सुन्दरम :
डॉ. जे. जयवर्धन :
श्री धनंजय महाडीक :
श्री मोहित पाटिल विजयसिंह शंकरराव :

क्या **मानव संसाधन विकास मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) गत तीन वर्षों के दौरान सर्व शिक्षा अभियान (एसएसए) के अंतर्गत कितने विद्यार्थियों को नि:शुल्क पाठ्य पुस्तक प्रदान की गई हैं;

(ख) गत तीन वर्षों के दौरान एसएसए के अंतर्गत विद्यार्थियों को नि:शुल्क पाठ्य पुस्तक प्रदान करने के लिए राज्य सरकारों को केन्द्र सरकार द्वारा आवंटित की गई निधियों का राज्य/संघ राज्य क्षेत्र-वार और वर्ष-वार ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या पाठ्य पुस्तकों के वितरण हेतु कोई मानदंड बनाए गए हैं और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है तथा किस एजेंसी के माध्यम से पुस्तकों की खरीद की जा रही है;

(घ) क्या पाठ्य पुस्तकों को निजी प्रकाशकों से भी खरीदा जा रहा है और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ङ) क्या निजी प्रकाशकों द्वारा प्रदान की गई पाठ्य पुस्तकें निर्धारित मानदंड को पूरा करती हैं; और

(च) यदि हां, तो क्या सरकार ने इस संबंध में कोई सर्वेक्षण किया है और तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

मानव संसाधन विकास मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री उपेन्द्र कुशवाहा) : (क) और (ख) उन विद्यार्थियों की संख्या जिन्हें विगत तीन वर्षों के दौरान पाठ्य पुस्तकें प्रदान की गई हैं और सर्व शिक्षा अभियान (एसएसए) के तहत आबंटित निधियों का ब्यौरा अनुबंध में दिया गया है। केन्द्र सरकार ने 2018-19 से समग्र शिक्षा के नाम से स्कूल शिक्षा हेतु एक एकीकृत योजना आरंभ की हैं जिसमें विगत की स्कूल शिक्षा की तीन केन्द्र प्रायोजित योजनाओं अर्थात् सर्व शिक्षा अभियान (एसएसए) राष्ट्रीय माध्यमिक शिक्षा अभियान (आरएमएसए) और अध्यापक शिक्षा की केन्द्र प्रायोजित योजना (सीएसएसटीई) को आमेलित किया गया है। सर्व शिक्षा अभियान की पूर्व योजना के अंतर्गत प्राथमिक स्तर पर 150 रुपए प्रति बच्चा और उच्च प्राथमिक स्तर पर 250 रुपए प्रति बच्चा की ऊपरी सीमा के साथ राज्य पाठ्यचर्या आरंभ करने के इच्छुक मदरसों सहित सरकारी/स्थानीय निकाय और सरकार द्वारा सहायता प्राप्त स्कूलों में सभी बच्चों को पाठ्य पुस्तकें प्रदान की गई थीं। समग्र शिक्षा की एकीकृत योजना के अंतर्गत इस सीमा को बढ़ा कर प्राथमिक स्तर पर 250 रुपए प्रति बच्चा और उच्च प्राथमिक स्तर पर 400 रुपए प्रति बच्चा कर दिया गया है।

(ग) से (ङ) निशुल्क और अनिवार्य बाल शिक्षा का अधिकार (आरटीई) अधिनियम, 2009 की धारा 29(1) में यह प्रावधान है कि प्रारंभिक शिक्षा के लिए पाठ्यचर्या और मूल्यांकन की पद्धति उपयुक्त सरकार द्वारा अधिसूचित किसी शैक्षिक प्राधिकरण द्वारा निर्धारित की जाएगी। चूंकि शिक्षा संविधान की समवर्ती सूची में आती है, इसलिए अधिकांश स्कूल राज्य सरकारों और संघ राज्य क्षेत्र प्रशासनों के क्षेत्राधिकार में आते हैं। इसलिए प्रारंभिक स्तर पर बच्चों के लिए पाठ्य पुस्तकों का विकास और वितरण शैक्षिक प्राधिकरण के जैसे कि संबंधित राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों द्वारा अधिसूचित पाठ्य-पुस्तक बोर्ड, एसईआरटी इत्यादि के क्षेत्राधिकार में आता है।

इसके अतिरिक्त, राष्ट्रीय पाठ्यचर्या फ्रेमवर्क (एनसीएफ), 2005 सभी स्तरों पर पाठ्यक्रमों और पाठ्य-पुस्तकें तैयार करने के लिए दिशानिर्देश और निदेश निर्धारित करता है। एनसीएफ 2005 के अनुसरण में, राष्ट्रीय शैक्षिक अनुसंधान और प्रशिक्षण परिषद (एनसीईआरटी) ने विभिन्न विषयों में मॉडल पाठ्यक्रम और पाठ्य सामग्री तैयार की है। राज्यएनसीईआरटी के मॉडल पाठ्यक्रम और पाठ्य पुस्तकों को अपनाते/अनुकूलन करते हैं अथवा एनसीएफ के आधार पर अपने स्वयं के पाठ्यक्रम, पाठ्यपुस्तकों और अन्य शिक्षण अधिगम सामग्री तैयार करते हैं।

(च) इस संदर्भ में कोई सर्वेक्षण नहीं किया गया है। तथापि, राज्यों, और संघ राज्य क्षेत्रों को मानदंडों के अनुसार एवं संबंधित राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों के शैक्षिक प्राधिकरण द्वारा बनाए गए प्रावधानों/दिशानिर्देशों के अनुसार पाठ्य-पुस्तकों का निर्माण, मुद्रण और वितरण सुनिश्चित करने की सलाह दी गयी है।

विवरण

विगत तीन वर्षों के दौरान एसएसए के तहत नि:शुल्क पाठ्यपुस्तकों का वितरण

(रुपए लाख में)

क्र. सं.	राज्य/संघ राज्य क्षेत्र	2015-16 वास्तविक	2015-16 वित्तीय	2016-17 वास्तविक	2016-17 वित्तीय	2017-18 वास्तविक	2017-18 वित्तीय
1	2	3	4	5	6	7	8
1.	अंडमान और निकोबार द्वीपसमूह	0	0.00	18	0.03	0	0.00
2.	आंध्र प्रदेश	3136	6.25	6691	13.44	5151	10.11
3.	अरुणाचल प्रदेश	245062	447.27	239430	438.20	199856	371.61
4.	असम	3036179	5575.96	2749396	5069.06	2754161	5101.77
5.	बिहार	20678916	37367.90	21863649	39613.19	20473538	37342.66
6.	चंडीगढ़	108432	208.15	108631	209.96	107168	417.43
7.	छत्तीसगढ़	2690193	5045.79	2585285	4877.77	2484053	4702.97
8.	दादर और नागर हवेली	0	0.00	0	0.00	0	0.00
9.	दमन और द्वीव	15251	28.78	14699	27.47	15374	28.87
10.	दिल्ली	414993	1037.08	413870	1033.65	406076	1014.77
11.	गोवा	136650	273.03	138011	274.47	137859	273.03
12.	गुजरात	785519	1954.80	740324	1843.35	751913	1871.83
13.	हरियाणा	1958029	3683.65	1632254	3102.10	1526850	2907.39
14.	हिमाचल प्रदेश	337588	651.01	326617	630.36	312768	602.91
15.	जम्मू और कश्मीर	697578	1374.58	695481	1367.60	667616	1320.17
16.	झारखंड	3811632	6858.54	3760660	6775.75	3759166	6773.36
17.	कर्नाटक	986715	1726.12	975299	1297.25	908265	1808.66
18.	केरल	2350266	4697.23	2297311	4588.03	2255928	4497.06
19.	लक्षद्वीप	0	0.00	0	0.00	0	0.00
20.	मध्य प्रदेश	8850199	16550.44	8055629	15188.25	7582321	14254.65
21.	महाराष्ट्र	12386001	23538.26	12015950	22878.98	11702764	22281.75

1	2	3	4	5	6	7	8
22.	मणिपुर	226490	384.44	220120	380.31	188704	325.14
23.	मेघालय	599223	1078.81	614525	1113.33	614655	1113.57
24.	मिजोरम	119094	219.98	117932	217.93	107165	199.23
25.	नागालैंड	165666	294.53	164596	293.01	125771	226.60
26.	ओडिशा	4388183	8155.45	4254305	7974.27	4131487	7807.83
27.	पुद्दुचेरी	33	0.06	28	0.05	30	0.06
28.	पंजाब	787432	1513.91	756733	1463.94	714181	1389.23
29.	राजस्थान	452842	1129.59	500089	1247.88	514559	1284.21
30.	सिक्किम	77382	150.73	70439	140.38	62467	125.28
31.	तमिलनाडु	1710	3.42	8799	16.91	1492	2.97
32.	तेलंगाना	3440	6.78	5892	12.66	2276612	4328.83
33.	त्रिपुरा	504124	941.96	485173	910.05	471220	886.84
34.	उत्तर प्रदेश	13301637	18640.89	12759485	22962.79	12216663	22087.52
35.	उत्तराखंड	593790	1140.45	576089	1101.72	548711	1054.01
36.	पश्चिम बंगाल	4614743	11523.29	4679589	11688.02	4181189	10443.55
	कुल	85328128	156210.12	83832999	158752.15	82205733	156855.85

स्रोत: पीएबी कार्यवृत्त।

भारत अंतर्राष्ट्रीय कौशल केन्द्र (आईआईएससी)

2053. श्री धनंजय महाडीक :
डॉ. हिना विजयकुमार गावीत :
श्रीमती सुप्रिया सुले :
श्री राजीव सातव :
श्री पी.आर. सुन्दरम :
डॉ. जे. जयवर्धन :
श्री मोहिते पाटिल विजयसिंह शंकरराव :

क्या **कौशल विकास और उद्यमिता मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) देश में प्रचालित भारत अंतर्राष्ट्रीय कौशल केन्द्र (आईआईएससी) की संख्या कितनी है;

(ख) प्रत्येक राज्य में सरकार द्वारा आईआईएससी की स्थापना के लिए निर्धारित मानदंड क्या हैं;

(ग) क्या सरकार ने आईआईएससी की स्थापना के लक्ष्यों को प्राप्त कर लिया है और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(घ) क्या सरकार ने आईआईएससी के माध्यम से विदेशों में युवाओं को रोजगार प्रदान करने के लक्ष्य निर्धारित किए हैं और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं; और

(ङ) क्या सरकार का कोई कार्यक्रम युवाओं को प्रशिक्षण और

कार्य हेतु विदेशों में भेजने का है और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और कब तक उक्त कार्यक्रम को प्रचालित किया जाएगा?

कौशल विकास और उद्यमशीलता मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री अनंतकुमार हेगड़े) : (क) और (ख) इस समय देश में 14 आईआईएससी प्रचालनरत हैं। प्रारंभिक चरण में आईआईएससी विभिन्न राज्यों के प्रवासी क्षेत्रों में या उनके निकट स्थापित किए गए हैं ताकि रोजगार के लिए विदेश प्रवास करने के इच्छुक उम्मीदवारों की सहज पहुंच और संचलन सुनिश्चित हो सके।

(ग) और (घ) कुशल भारत मिशन का उद्देश्य श्रमिक बल की वैश्विक कमी को पूरा करके भारत को विश्व की कुशल राजधानी बनाना है। आईआईएससी अंतर्राष्ट्रीय मानकों के अनुसार कौशल प्रशिक्षण और प्रमाणन प्रदान करते हैं। समुद्रपारीय रोजगार के संबंध में कोई लक्ष्य नहीं है। तथापि आईआईएससी की स्थापना प्रवास रूझान, समुद्रपारीय नियोजक आवश्यकता और अवसंरचना की उपलब्धता के आधार पर भागीदार संगठनों द्वारा की जाती है और यह बाजार संगत दृष्टिकोण होता है।

(ङ) भारत सरकार ने तकनीकी इंटर्न प्रशिक्षण कार्यक्रम (टीआईटीपी) के अंतर्गत जापान में कुशल भारतीय युवाओं को भेजने के लिए जापान के साथ रणनीतिक भागीदारी की है। यह कार्यक्रम शुरू हो गया है और तकनीकी इंटर्न के प्रथम बैच को प्रशिक्षित कर दिया गया है और जुलाई, 2018 में इसे जापान में रोजगार दिया गया।

[अनुवाद]

केन्द्रीय विद्यालयों में शिक्षकों की अनुपस्थिति

2054. श्री राजीव सातव :
डॉ. हिना विजयकुमार गावीत :
श्री धनंजय महाडीक :
श्रीमती सुप्रिया सदानंद सुले :
श्री पी.आर. सुन्दरम :
डॉ. जे. जयवर्धन :
श्री मोहिते पाटिल विजयसिंह शंकरराव :

क्या **मानव संसाधन विकास मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि देश में केन्द्रीय विद्यालयों के प्राथमिक और माध्यमिक खंड में कई विद्यालयों में शिक्षक कई दिनों तक अनुपस्थित रहते हैं;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इसके क्या कारण हैं;

(ग) क्या सरकार ने शिक्षकों की अनुपस्थिति के कारण छात्रों की शिक्षा पर प्रतिकूल प्रभाव का कोई आकलन किया है और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(घ) क्या उक्त शिक्षकों के विरुद्ध कोई कार्रवाई की गई है और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ङ) देश में केन्द्रीय विद्यालयों में शिक्षकों की उपस्थिति को सुधारने के लिए सरकार द्वारा की गई/की जाने वाली कार्रवाई का ब्यौरा क्या है?

मानव संसाधन विकास मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री उपेन्द्र कुशवाहा) : (क) से (ग) केन्द्रीय विद्यालय संगठन (केवीएस) ने सूचित किया है कि शिक्षकों की लंबी अनुपस्थिति की ऐसी कोई घटना (घटनाएं) सूचित नहीं की गई हैं। तथापि, विद्यार्थियों की शिक्षा पर किसी प्रतिकूल प्रभाव से बचने के लिए प्रधानाचार्यों को आवश्यकता अनुसार छुट्टी रिक्तियों के लिए अनुबंध आधार पर शिक्षकों की भर्ती करने हेतु प्राधिकृत किया गया है।

(घ) और (ङ) यदि कोई कर्मचारी अवकाश स्वीकृत किए जाने के बगैर अथवा मूल रूप से स्वीकृत अथवा तदंतर विस्तारित अवकाश की अवधि के पश्चात् अनुपस्थित रहता है, तो केवीएस के शिक्षा कोड के अनुच्छेद 81(घ) (सेवा से स्वैच्छिक परित्याग) की शर्तों के अनुसार वह अनंतिम रूप से अपने पद का लियन खो देता है।

नई शिक्षा नीति

2055. श्री अश्विनी कुमार :
श्री बलभद्र माझी :
श्री हरीश मीना :
श्री भैरों प्रसाद मिश्र :

क्या **मानव संसाधन विकास मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) सरकार की नई शिक्षा नीति का ब्यौरा क्या है और इसके कब तक लागू होने की संभावना है;

(ख) क्या सरकार ने देश के लिए नई शिक्षा नीति प्रारुपित करने हेतु गठित की गई के.कस्तुरीरंगन समिति के कार्यकाल को और अधिक बढ़ा दिया है और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) तीसरी बार इसका कार्यकाल बढ़ाने के क्या कारण हैं;

(घ) क्या सरकार ने अपने प्रारूप को अंतिम रूप दे दिया है और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ङ) उक्त नीति को अंतिम रूप देने में हुए विलंब के क्या कारण हैं; और

(च) क्या सरकार का इसे और अधिक रोजगारोन्मुख बनाने का विचार है ताकि उच्च अर्हता प्राप्त पीढ़ी हेतु बेरोजगारी को कम किया जा सके और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

मानव संसाधन विकास मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा जल संसाधन, नदी विकास और गंगा संरक्षण मंत्रालय में राज्य मंत्री (डॉ. सत्यपाल सिंह) : (क) से (च) सरकार, गुणवत्तापरक शिक्षा, नवाचार एवं अनुसंधान के संबंध में लोगों की बदलती आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए छात्रों को आवश्यक कौशल तथा ज्ञान प्रदान कर भारत को ज्ञान के क्षेत्र में महाशक्ति बनाने के उद्देश्य से नई शिक्षा नीति बना रही है।

ऑनलाइन, विशेषज्ञ/विषयगत तथा राज्य से गांव तक जमीनी स्तर, और जोनल स्तरों के साथ-साथ राष्ट्रीय स्तर पर व्यापक विचार-विमर्श किया गया। आरंभ में नई शिक्षा नीति बनाने के लिए एक समिति गठित की गई थी जिसने जिसने मई, 2016 में अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत की थी और तत्पश्चात् मंत्रालय ने 'राष्ट्रीय शिक्षा नीति के मसौदे के लिए कुछ इनपुट' तैयार किए। इन दोनों दस्तावेजों को नीति निर्माण हेतु इनपुट माना जाता है। शिक्षा के विभिन्न पहलुओं के संबंध में व्यक्तियों, संगठनों, स्वायत्त निकायों, माननीय संसद सदस्यों, भारत सरकार के मंत्रालयों और राज्य सरकार जैसे विभिन्न हितधारकों से सुझाव और इनपुट प्राप्त किए गए हैं। नई शिक्षा नीति तैयार करने का कार्य अभी भी जारी है और डॉ. के. स्तूरीरंगन की अध्यक्षता में राष्ट्रीय शिक्षा नीति के मसौदे के लिए एक समिति गठित की गई है। इस समिति ने विभिन्न हितधारकों और समाज के विभिन्न वर्गों के साथ भी विचार-विमर्श किया है। समिति ने माना है कि छात्रों की नियोजनीयता का मुद्दा निस्संदेह एक गंभीर मुद्दा है। इस प्रासंगिक मुद्दे पर संबंधित हितधारकों के साथ विचार-विमर्श किया गया। इस समिति को मसौदा नीति तैयार करने हेतु बड़ी संख्या में सुझावों की जांच करनी हे, इसलिए शुरूआत में अनुमानित समय से अधिक समय लगा रहा है। इसके अतिरिक्त, अंतिम मसौदा नीति को औपचारिक रूप से जमा करने में शामिल प्रक्रियात्मक औपचारिकता समय लेने वाली रही है इसलिए समय का विस्तार किया गया है। अब समिति द्वारा दिनांक 31.08.2018 तक अपनी रिर्पोट प्रस्तुत करने की संभावना है।

[हिन्दी]

पीएमकेवीवाई के अंतर्गत प्रशिक्षण

2056. श्री मनसुखभाई धनजीभाई वसावा :
श्री हेमन्त तुकाराम गोडसे :
डॉ. करण सिंह यादव :
श्रीमती रमा देवी :

क्या **कौशल विकास और उद्यमिता मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने युवाओं के कौशल प्रशिक्षण के लिए प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना (पीएमकेवीवाई) शुरू की है और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और योजना के लक्ष्य एवं उद्देश्य क्या हैं;

(ख) निर्धारित और प्राप्त किए गए लक्ष्यों की तुलना में कितनी धनराशि आवंटित, जारी और उपयोग की गई है और पीएमकेवीवाई की शुरूआत से लेकर अब तक इसके अंतर्गत गुजरात और बिहार सहित राज्य/संघ राज्यक्षेत्र-वार कितने व्यक्तियों को लाभ और रोजगार मिला है;

(ग) क्या सरकार ने पीएमकेवीवाई शुरू होने के परिणामस्वरूप युवाओं को प्राप्त हुए लाभ के संबंध में कोई सर्वेक्षण कराया हे और यदि हां, तो इस संबंध में ब्यौरा क्या है;

(घ) क्या तृतीय पक्ष आंकलन निकायों द्वारा आंकलन और प्रमाणन के संबंध में प्रशिक्षुओं को कुछ आर्थिक पुरस्कार दिए जाने का प्रस्ताव है और यदि हां, तो इस संबंध में ब्यौरा क्या है;

(ङ) क्या सभी प्रशिक्षण केन्द्रों के ब्यौरे का सत्यापन और रिकॉर्ड रखने के लिए एक कौशल विकास प्रबंधन प्रणाली (एसडीएमएस) स्थापित किए जाने का विचार है और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(च) क्या योजना के कार्यान्वयन से संबंधित शिकायतों का समाधान करने के लिए कोई शिकायत निवारण प्रणाली/ऑनलाइन पोर्टल स्थापित किए जाने का विचार है और यदि हां तो इस संबंध में ब्यौरा क्या है?

कौशल विकास और उद्यमशीलता मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री अनंतकुमार हेगड़े) : (क) से (ग) कुशल भारत मिशन के अंतर्गत कौशल विकास और उद्यमशीलता मंत्रालय अखिल भारतीय आधार पर प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना (पीएमकेवीवाई) नामक एक फ्लैगशिप स्कीम का कार्यान्वयन कर रहा है। पीएमकेवीवाई प्रत्यायित और संबद्ध प्रशिक्षण केन्द्रों के माध्यम से अल्पकालिक प्रशिक्षण (एसटीटी) और पूर्व शिक्षण मान्यता (आरपीएल) प्राप्त करने के लिए बड़ी संख्या में भावी युवाओं को समर्थ बनाती है।

पीएमकेवीवाई के दो घटक हैं जो राष्ट्रीय कौशल विकास निगम (एनएसडीसी) द्वारा संचालित केन्द्रीय प्रायोजित केन्द्रीय प्रबंधित (सीएससीएम) और राज्य/संघ राज्यों क्षेत्रों के राज्य कौशल विकास मिशनों द्वारा संचालित केन्द्रीय प्रायोजित राज्य प्रबंधित जैसे आमतौर पर

पीएमकेवीवाई (2016-20) के राज्य प्रबंधित घटक के नाम से जाना जाता है।

पीएमकेवीवाई 2016-20 के सीएससीएम घटक के अंतर्गत राज्य-वार निधियों का आबंटन करने का कोई प्रावधान नहीं है। 23.07.2018 की स्थिति के अनुसार वित्त-वर्ष 2016-17 वित्त वर्ष 2017-18 और वित्त वर्ष 2018-19 के दौरान कार्यान्वयन एजेंसी (अर्थात् एनएसडीसी) को वितरित की गई धनराशि क्रमश: 550 करोड़ रुपए, 1132.48 करोड़ रुपए और 700 करोड़ रुपए है। पीएमकेवीवाई 2016-20 के सीएससीएम घटक के अंतर्गत 10.07.2018 की स्थिति के अनुसार देश में एसटीटी, आरपीएल और विशेष परियोजना के अंतर्गत 31.12 लाख (लगभग) उम्मीदवारों (22.01 एसटीटी +7.82 लाख आरपीएल + 0.51 विशेष परियोजना) को प्रशिक्षित किया गया/प्रशिक्षित किया जा रहा है (लगभग 0.78 लाख)। संशोधित पीएमकेवीवाई 2016-20 स्कीम के अंतर्गत तैनाती की निगरानी करना अनिवार्य है। तैनाती आंकड़ों की सूचना प्रशिक्षित उम्मीदवारों के प्रमाणन के 90 दिनों के भीतर दी जाती है। एसडीएमएस पर सूचित किए गए आंकड़ों के अनुसार 10.07.2018 को पीएमकेवीवाई 2016-20 के अंतर्गत अल्पकालिक प्रशिक्षण के अंतर्गत 16.88 लाख उम्मीदवारों को प्रमाण पत्र दिए गए। पीएमकेवीवाई 2016-20 के अल्पकालिक प्रशिक्षण के अंतर्गत 90 दिन पूर्व अर्थात् 10.04.2018 को प्रमाणित उम्मीदवारों की संख्या 11.8 लाख है। इन उम्मीदवारों में से 10.07.2018 की स्थिति के अनुसार 7.06 लाख उम्मीदवारों को देश के विभिन्न क्षेत्रों में रोजगार प्रदान किया गया है। पीएमकेवीवाई 2016-20 के अल्पकालिक प्रशिक्षण का राज्य/संघ राज्य क्षेत्र-वार ब्यौरा संलग्न विवरण-I में दिया गया है।

पीएमकेवीवाई 2016-20 के सीएसएसएम घटक के अंतर्गत 25 प्रतिशत निधियां और पीएमकेवीवाई 2016-20 के इतने ही भौतिक लक्ष्य राज्य कौशल विकास मिशनों के माध्यम से स्कीम को कार्यान्वित करने के लिए राज्यों को आबंटित किए गए हैं। इस घटक के अंतर्गत 35 राज्यों/संघ राज्यों से प्राप्त हुए प्रस्तावों का मूल्यांकन करने के पश्चात् मंत्रालय ने कुल 20.15 लाख का लक्ष्य और वित्त वर्ष 2016-20 के लिए 3047 करोड़ रुपए का वित्तीय आबंटन अनुमोदित किया है। पीएमकेवीवाई 2016-20 के सीएसएसएम घटक के अंतर्गत 17.07.2018 की स्थिति के अनुसार अनुमोदित वास्तविक लक्ष्य और वित्तीय आबंटन, वितरित निधियां और प्रशिक्षण केन्द्रों की संख्या का राज्य-वार ब्यौरा संलग्न विवरण-II में दिया गया है।

(घ) पीएमकेवीवाई 2016-20 के अंतर्गत सभी प्रशिक्षण में प्रशिक्षण पूरा करने पर उम्मीदवार को नकद पुरस्कार के रूप में 500 रुपए की राशि प्रदान की जा रही है।

(ङ) और (च) इस स्कीम के सभी प्रशिक्षण केन्द्रों, स्थानों और पाठ्यक्रमों को सत्यापित करने और उनका ब्यौरा दर्ज करने के साथ-साथ इस स्कीम के कार्यान्वयन से संबंधित शिकायतों का निपटारा करने के लिए एक सुदृढ़ शिकायत निवारण तंत्र के लिए कौशल विकास प्रबंधन प्रणाली (एसडीएमएस) के लिए प्रावधान है। इस स्कीम के संपूर्ण ऑनलाइन कार्यान्वयन के लिए एक कौशल विकास प्रबंधन प्रणाली (एसडीएमएस) पहले से प्रचालनरत है। मौजूदा विशेषता में उम्मीदवारों, प्रशिक्षण प्रदाताओं, प्रशिक्षण केन्द्रों की संपूर्ण सूचना रखना और नामांकन, प्रशिक्षण, आकलन, परिणाम, प्रमाणन और पुरस्कार राशि के संवितरण के लिए बैंक का ब्यौरा रखना शामिल है। इसके अतिरिक्त, स्कीम के प्रभावी कार्यान्वयन के लिए ऑनलाइन शिकायत निवारण तंत्र स्थापित करने के लिए प्रावधान है।

विवरण-I

पीएमकेवीवाई 2016-20 के एसटीटी घटक के अंतर्गत 10.07.2018 की स्थिति के अनुसार प्रशिक्षित और तैनाती प्राप्त उम्मीदवारों की राज्य-वार संख्या

क्र. सं.	राज्य/संघ राज्य क्षेत्र	नामांकित	प्रशिक्षण पूरा करने वाले	मूल्यांकित	प्रमाणित	तैनात
1	2	3	4	5	6	7
1.	आंध्र प्रदेश	70984	68654	64422	54756	30296
2.	अरुणाचल प्रदेश	254	254	237	102	0
3.	असम	41340	39947	35183	27980	10682

1	2	3	4	5	6	7
4.	बिहार	112082	107699	99605	77448	26984
5.	चंडीगढ़	4582	4402	4008	2986	789
6.	छत्तीसगढ़	39188	36382	31678	24281	4775
7.	दादरा और नगर हवेली	600	480	240	138	0
8.	दमन और दीव	435	195	190	50	0
9.	दिल्ली	106516	104981	94445	78432	34297
10.	गोवा	1140	1140	819	753	411
11.	गुजरात	39779	37354	32618	25773	10556
12.	हरियाणा	195338	193295	183734	156050	67757
13.	हिमाचल प्रदेश	23481	22230	19423	15141	6061
14.	जम्मू-कश्मीर	55728	54685	50864	42958	19403
15.	झारखंड	27662	24991	23214	18860	6417
16.	कर्नाटक	52073	48524	42939	34248	8761
17.	केरल	30886	29603	26306	21812	6686
18.	मध्य प्रदेश	218434	211011	197762	163555	61760
19.	महाराष्ट्र	67597	64881	56837	46651	14929
20.	मणिपुर	2995	2995	2135	1426	425
21.	मेघालय	3450	3415	3236	2762	923
22.	मिजोरम	70	70	65	26	0
23.	नागालैंड	2231	2231	1827	1521	878
24.	ओडिशा	66519	65320	59699	48194	16263
25.	पुदुचेरी	3522	3432	3190	2553	1535
26.	पंजाब	121384	118197	112786	96348	40048
27.	राजस्थान	219553	216585	207943	178461	71450
28.	सिक्किम	762	762	514	472	79
29.	तमिलनाडु	131727	128522	115092	99059	55847

1	2	3	4	5	6	7
30.	तेलंगाना	96981	95811	91085	78645	44580
31.	त्रिपुरा	7993	7968	7044	5606	3287
32.	उत्तर प्रदेश	374306	366963	341557	278355	115338
33.	उत्तराखंड	39579	37204	32800	26776	8876
34.	पश्चिम बंगाल	106313	101539	91465	75849	36210
	कुल	2265484	2201722	2034962	1688027	706303

विवरण-II

17.07.2018 की स्थिति के अनुसार पीएमकेवीवाई 2016-20 के सीएसएसएम घटक के अंतर्गत सिद्धांत अनुमोदित वास्तविक और वित्तीय आवंटन, वितरित निधियां और प्रशिक्षण केन्द्रों का राज्य-वार ब्यौरा:

क्र. सं.	राज्य का नाम	अनुमोदित वास्तविक लक्ष्य (2016-20)	अनुमोदित निधियां (2016-20)	एमएसडीई द्वारा जारी निधियां	सूचीबद्ध प्रशिक्षण केन्द्र	नामांकित उम्मीदवार
1	2	3	4	5	6	7
1.	उत्तर प्रदेश	1,42,552	2,09,04,00,000	5226,00,000	76	4800
2.	छत्तीसगढ़	48,532	71,16,73,248	13,19,76,000	27	3069
3.	राजस्थान	64,526	94,62,15,130	14,19,35,789	158	194
4.	मध्य प्रदेश	84,058	1,23,26,26,512	21,46,66,296	154	23626
5.	त्रिपुरा	36,875	54,07,35,000	8,37,68,100	18	612
6.	आंध्र प्रदेश	64,608	94,74,11,712	11,84,26,464	84	4095
7.	कर्नाटक	94,164	1,38,08,20,896	21,43,95,135	5	737
8.	अरुणाचल प्रदेश	29,510	43,27,34,640	7,21,32,216	5	300
9.	तमिलनाडु	1,40,880	2,06,58,64,320	34,43,10,720	175	6033
10.	पंजाब	55,028	80,69,30,592	26,39,52,000	24	413
11.	पुद्दुचेरी	10,619	15,57,17,016	2,59,55,280	8	2668
12.	बिहार	89,664	1,38,05,74,540	36,81,62,449	65	299
13.	उत्तराखंड	48,236	74,26,99,339	20,32,43,040	85	7613

1	2	3	4	5	6	7
14.	हिमाचल प्रदेश	49,499	76,21,46,003	21,55,60,800	33	1802
15.	मणिपुर	32,472	49,99,77,879	24,99,88,939	6	524
16.	अंडमान और निकोबार द्वीपसमूह	4,108	6,32,51,698	2,10,78,767	—	—
17.	चंडीगढ़	10,288	15,84,06,394	6,15,88,800	—	—
18.	गुजरात	77,824	1,19,82,71,693	35,94,93,826	70	2014
19.	हरियाणा	56,036	86,27,97,499	21,56,99,375	12	1222
20.	ओडिशा	58,046	89,37,45,871	27,71,49,600	17	479
21.	तेलंगाना	59,611	91,78,42,489	22,94,64,472	36	1525
22.	पश्चिम बंगाल	1,23,550	1,90,23,24,060	38,04,64,812	—	—
23.	जम्मू और कश्मीर	47,302	72,83,18,354	22,94,18,280	—	—
24.	झारखंड	57,668	88,79,25,730	29,59,64,978	2	30
25.	नागालैंड	33,021	50,84,30,941	16,94,76,980	1	—
26.	असम	47,258	72,76,40,878	36,95,32,800	6	570
27.	सिक्किम	4,900	7,54,46,280	2,00,16,360	1	20
28.	दमन और दीव	4,000	6,15,88,800	2,00,16,360	3	205
29.	केरल	71,450	1,10,01,29,940	22,00,25,988	—	—
30.	मेघालय	33,642	51,79,92,602	12,77,96,760	—	—
31.	महाराष्ट्र	1,67,127	2,57,32,87,845	85,77,62,615	—	—
32.	दिल्ली	81,000	1,24,71,73,200	15,39,72,000	1	—
33.	दादरा और नगर हवेली	4,000	6,15,88,800	1,10,85,984	1	149
34.	गोवा	46,951	72,29,13,937	10,70,25,937	—	—
35.	मिजोरम	36,671	56,46,30,721	10,88,73,601	7	39
	सकल योग	20,15,676	30,47,02,34,559	7,40,69,81,523	1,080	63,038

[अनुवाद]

रसोई गैस/सीएनजी वितरक

2057 श्री राजेश कुमार दिवाकर :
श्री लखन लाल साहू :
श्री पंकज चौधरी :

क्या **पेट्रोलियम और प्राकृतिक मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का आम लोगों की मांग पूरा करने के लिए देशभर के रसोई गैस/सीएनजी वितरकों की पहचान करने का विचार है और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और क्या इस संबंध में संबंधित राज्यों और तेल कंपनियों से कोई परामर्श किया गया है और इसके छत्तीसगढ़ सहित राज्य/संघ राज्यक्षेत्र-वार क्या परिणाम रहे हैं;

(ख) उत्तर प्रदेश (यूपी) के हाथरस सहित देश में राज्य/संघ राज्यक्षेत्र-वार कितने रसोई गैस/सीएनजी फिलींग स्टेशन है और वर्तमान में कितने चलाए जाने की स्थिति में नहीं हैं;

(ग) क्या यूपी के सभी स्थानों पर उक्त सुविधाएं उपलब्ध हैं और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं;

(घ) क्या सरकार का यूपी के उक्त क्षेत्र और अनुसूचित क्षेत्रों सहित देश में नए एलपीजी/सीएनजी फिलींग स्टेशन स्थापित करने का विचार है और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और संपूर्ण देश को सीएनजी नेटवर्क से कवर करने के लिए राज्य/संघ राज्य क्षेत्र-वार क्या कदम उठाए गए हैं; और

(ङ) वर्तमान में देश में मांग के अनुपात में प्रतिवर्ष सीएनजी की राज्य/संघ राज्य क्षेत्र-वार खपत कितनी है और देश में सीएनजी की भावी मांग को पूरा करने के लिए कोई प्रस्ताव है?

पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्री तथा कौशल विकास और उद्यमशीलता मंत्री (श्री धर्मेन्द्र प्रधान) : (क) एलपीजी डिस्ट्रीब्यूटरशिप्स की नियुक्ति एक सतत प्रक्रिया है और एलपीजी डिस्ट्रीब्यूटरशिप्स की स्थापना के लिए स्थलों की पहचान बिक्री संभाव्यता के आधार पर की जाती है जो उन्हें वाणिज्यिक लिहाज से व्यवहार्य बनाती है। दिनांक 01.07.2018 की स्थिति के अनुसार, देश में 20585 एलपीजी डिस्ट्रीब्यूटरशिप्स हैं। एलपीजी वितरण के बुनियादी ढांचे को मजबूत बनाने के लिए तेल विपणन कंपनियों (ओएमसीज) ने एलपीजी डिस्ट्रीब्यूटरशिप्स के चयन हेतु एकीकृत दिशा-निर्देश 2016 के तहत नई एलपीजी डिस्ट्रीब्यूटरशिप्स के चयन हेतु छत्तीसगढ़ राज्य में 81 स्थलों सहित 6351 स्थलों के लिए विज्ञापन दिया है। राज्य/संघ शासित राज्य क्षेत्र-वार ब्यौरे संलग्न विवरण-I में दिए गए हैं।

भौगोलिक क्षेत्रों (जीएज) में सीएनजी का वितरण पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस विनियामक बोर्ड (पीएनजीआरबी) द्वारा प्राधिकृत कंपनी द्वारा किया जाता है और सीएज से बाहर यह कार्य पीएनजीआरबी से अनापत्ति प्रमाण पत्र प्राप्त करके किया जाता है। पीएनजीआरबी को 174 जिलों को कवर करते हुए 86 जीएज के लिए 9वें नगर गैस वितरण (सीजीडी) दौर हेतु बोलियां प्राप्त हो गई हैं।

(ख) और (ग) दिनांक 01.07.2018 की स्थिति के अनुसार, देश में 870 ऑटो एलपीजी वितरण स्टेशन (एएलडीएस) हैं। ओएमसीज ने बताया है कि हाथरस में कोई एएलडीएस नहीं है। उत्तर प्रदेश राज्य में प्रचालन कर रहे एएलडीएस के ब्यौरे संलग्न विवरण-II में दिए गए हैं।

दिनांक 30.06.2018 के अनुसार, पीएनजीआरबी के मुताबिक उत्तर प्रदेश राज्य में 171 सीएनजी स्टेशनों सहित देश में 1432 सीएनजी स्टेशन हैं। पीएनजीआरबी ने 15 जीएज को प्राधिकृत किया है और उत्तर प्रदेश राज्य, जिसमें बुलंदशहर (पहले से ही प्राधिकृत क्षेत्र को छोड़कर), अलीगढ़ और हाथरस जिले के जीए भाग के रूप में हाथरस जिला शामिल है, में 9वीं सीजीडी बोली दौर में 9 जीए को शामिल किया है। पीएनजीआरबी प्राकृतिक गैस पाइपलाइन संद्धता/प्राकृतिक गैस की उपलब्धता तथा तकनीकी-वाणिज्यिक व्यवहार्यता पर निर्भर करते हुए सीजीडी नेटवर्क के विकास हेतु जीएज की पहचान करता है।

(घ) और (ङ) एएलडीएस की स्थापना एक सतत प्रक्रिया है। ओएमसीज द्वारा नए एएलडीएस की स्थापना के लिए स्थलों की पहचान उनकी संभाव्यता आर्थिक व्यवहार्यता का पता लगाने के बाद की जाती है।

दिनांक 30.06.2018 की स्थिति के अनुसार, देश में 94 जीएच प्रचालन रद्द हैं। मौजूदा जीएज और 9वें सीजीडी बोली दौर के जीएज से देश की लगभग 50 प्रतिशत आबादी कवर हो जाएगी। वर्ष 2017-18 के दौरान, सीएनजी की बिक्री की राज्य/संघ शासित राज्य-वार मात्रा संलग्न विवरण-III में दी गई है।

विवरण-I

विज्ञापित एलपीजी डिस्ट्रीब्यूटरशिप्स के राज्य/संघ शासित राज्य-वार ब्यौरे

राज्य/संघ शासित राज्य	दिनांक 01.07.2018 तक एकीकृत दिशा-निर्देशों के तहत विज्ञापित वितरकों की कुल संख्या
1	2
चंडीगढ़	0
दिल्ली	0
हरियाणा	55
हिमाचल प्रदेश	46
जम्मू और कश्मीर	56
पंजाब	26
राजस्थान	334
उत्तर प्रदेश	1030
उत्तराखंड	78
उप-योग उत्तर	1625
अंडमान और निकोबार द्वीपसमूह	7
अरुणाचल प्रदेश	16
असम	159
बिहार	998
झारखंड	312
मणिपुर	18
मेघालय	20
मिजोरम	2
नागालैंड	23
ओडिशा	435
सिक्किम	18
त्रिपुरा	14
पश्चिम बंगाल	631
उप-योग पूर्व	2653
छत्तीसगढ़	81
दादरा और नगर हवेली	2
दमन और दीव	0
गोवा	4
गुजरात	320
मध्य प्रदेश	355
महाराष्ट्र	452
उप योग पश्चिम	1214
आंध्र प्रदेश	140
कर्नाटक	238
केरल	93
लक्षद्वीप	0
पुद्दुचेरी	1
तमिलनाडु	309
तेलंगाना	78
उप-योग दक्षिण	859
अखिल भारत	6351

विवरण-II

उत्तर प्रदेश में एएलडीएस के ब्यौरे

शहर	ऑटो एलपीजी वितरण स्टेशनों की संख्या (ओएमसीज के)
1	2
इलाहाबाद	2
बस्ती	1

1	2
देवरिया	1
गोरखपुर	1
झांसी	1
कानपुर	2
ऊंचाहार	3
उन्नाव	1
वाराणसी	2
इलाहाबाद	1
आगरा	1
अलीगढ़	2
अमरोहा	3
बरेली	1
बदायूं	2
बुलंदशहर	1
चंदौसी	1
इटावा	1
गाजियाबाद	1
ग्रेटर नोएडा	1
गुलामखेड़ा	1
मथुरा	1
मुरादाबाद	1
मुजफ्फरपुर	1
नोएडा	1
रामपुर	1
सहारनपुर	1
आगरा	1
मैनपुरी	1
फिरोजाबाद	1
रायबरेली	1
मेरठ	1
योग	42

विवरण-III

वर्ष 2017-18 के दौरान सीएनजी बिक्री राज्य/संघ शासित राज्य-वार मात्रा

राज्य/संघ शासित राज्य	2017-18 (अनंतिम) (एमटी में)
गुजरात	612005
दिल्ली	1016144
राजस्थान	4871
महाराष्ट्र	630166
आंध्र प्रदेश/तेलंगाना	31647
उत्तर प्रदेश	152802
त्रिपुरा	13290
मध्य प्रदेश	24772
हरियाणा	144318
पश्चिम बंगाल	2020
कर्नाटक	35
चंडीगढ़	5186
केरल	1
दमन	920
ओडिशा	57
योग	2638234

कार्यस्थल पर स्वास्थ्य और सुरक्षा नीति

2058. डॉ. श्रीकांत एकनाथ शिंदे :
श्री आधलराव पाटील शिवाजीराव :
डॉ. प्रीतम गोपीनाथ मुंडे :
श्री आनंदराव अडसूल :
कुंवर पुष्पेन्द्र सिंह चन्देल :
श्री धर्मेन्द्र यादव :

क्या **श्रम और रोजगार मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या कामगारों के लिए उनके कार्यस्थलों पर सुरक्षा और स्वास्थ्य सुनिश्चित करने के लिए नई प्रारूप नीति बनाने का प्रस्ताव है और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ख) क्या सरकार का उक्त नियमावली से संबंधित मामलों पर सरकार को सलाह प्रदान करने के लिए राष्ट्रीय व्यवसायिक सुरक्षा और स्वास्थ्य सलाहकार बोर्ड स्थापित करने का प्रस्ताव है और यदि हां, तो इसकी संरचना सहित तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या सरकार ने कंपनियों के पंजीकरण हेतु दिशानिर्देश निर्धारित किए हैं;

(घ) क्या राज्य या केन्द्र सरकार से संबद्ध कार्यालयों को पंजीकरण प्रक्रिया से छूट प्रदान की गई है और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इसके क्या कारण हैं; और

(ङ) प्रस्तावित प्रारूप नीति को कब तक लागू किए जाने की संभावना है?

श्रम और रोजगार मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री संतोष कुमार गंगवार) : (क) भारत सरकार द्वारा 20 फरवरी, 2009 को घोषित कार्यस्थल पर सुरक्षा, स्वास्थ्य एवं वातावरण संबंधी राष्ट्रीय नीति एक मौजूदा नीति है तथा इसके लिए नई नीति का प्रारूप तैयार करने का कोई प्रस्ताव नहीं है। इस नीति का लक्ष्य कार्य संबंधी चोटों, रोगों, मृत्युओं, आपदाओं की घटना के उन्मूलन के माध्यम से देश में निवारक सुरक्षा एवं स्वास्थ्य संस्कृति स्थापित करना तथा देश में आर्थिक गतिविधि के सभी क्षेत्रों में कर्मचारियों के कुशलक्षेम को बढ़ाना है। इस नीति में प्रस्तावना, लक्ष्य, उद्देश्य और कार्य योजना का उल्लेख है: कार्य योजना में प्रवर्तन, राष्ट्रीय मानक, अनुपालन, जागरूकता, अनुसंधान एवं विकास, व्यावसायिक सुरक्षा एवं स्वास्थ्य, कौशल विकास, डेटा संग्रहण एवं समीक्षा शामिल हैं।

(ख) श्रम और रोजगार मंत्रालय ने सुरक्षा एंव स्वास्थ्य के मानकों, कार्य दशा, कर्मचारी के लिए कल्याणकारी प्रावधानों तथा छुट्टी और कार्य के घंटों से संबंधित 13 विद्यमान केन्द्रीय श्रम कानूनों के संगत प्रावधानों का सरलीकरण, समामेलन और युक्तिकरण करके व्यावसायिक सुरक्षा, स्वास्थ्य एवं कार्य दशाओं संबंधी श्रम संहिता, 2018 का कप्रारूप तैयार करने के लिए विधायी-पूर्व उपाय किए हैं। इस संहिता में अन्य बातों के साथ-साथ उक्त संहिता से संबंधित विभिन्न मामलों पर केन्द्रीय सरकार को सलाह देने के लिए सचिव, श्रम और रोजगार मंत्रालय की अध्यक्षता में राष्ट्रीय व्यावसायिक सुरक्षा एवं स्वास्थ्य सलाहकार बोर्ड के गठन की परिकल्पना भी है।

(ग) से (ङ) कंपनियों के पंजीकरण और पंजीकरण की प्रक्रिया से छूट हेतु कंपनी अधिनियम, 2013 और इसके अधीन बनाए गए नियमों के अंतर्गत पर्याप्त प्रावधान पहले ही विद्यमान हैं। इसके अतिरिक्त, कॉर्पोरेट कार्य मंत्रालय ने कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 396 के अंतर्गत केन्द्रीय पंजीकरण केन्द्र स्थापित किया है जिसे समावेशन संबंधी ई-फॉर्मों के द्रुत प्रक्रमण अर्थात् कंपनियों के नाम और समावेशन के आरक्षण हेतु समस्त भारत में अधिकार-क्षेत्र प्राप्त है। भारत सरकार ने कारखानों में काम कर रहे कामगारों की सुरक्षा, स्वास्थ्य और कल्याण सुनिश्चित करने के लिए कारखाना अधिनियम, 1948 का अधिनियमन किया है। धारा 6: कारखानों का अनुमोदन, लाइसेंसीकरण और पंजीकरण के अंतर्गत उल्लिखित उपबंधों: में कारखानों के रूप में पंजीकृत की जाने वाली इकाईयों को लाइसेंस का अनुमोदन और पंजीकरण के प्रावधान शामिल हैं तथा इन इकाईयों में कंपनियां शामिल हो सकती हैं।

धारा 86 के अंतर्गत शामिल प्रावधान : सार्वजनिक संस्थानों को छूट देने की शक्ति राज्य सरकारों को प्रदान करते हैं कि वे किसी ऐसी कार्यशाला या कार्यस्थल को छूट प्रदान कर सकते हैं जहां विनिर्माण प्रक्रिया चल रही हो तथा जो अधिनियम के सभी या किन्हीं उपबंधों से शिक्षा, प्रशिक्षण, अनुसंधान के लिए किसी सार्वजनिक संस्था से संबद्ध हो।

सक्षम अभियान

2059. श्री मोहनभाई कल्याणजीभाई कुंदरिया :
श्री डी.एस. राठौड़ :

क्या **पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने पेट्रोलियम कंजर्वेशन रिसर्च एसोसिएशन पीसीआरए में सक्षम अभियान शुरू किया है और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा और इसके उद्देश्य क्या है;

(ख) इसके अंतर्गत प्रस्तावित गतिविधियों का ब्यौरा क्या है; और

(ग) इस प्रयोजन हेतु आवंटित निधियों का ब्यौरा क्या है?

पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्री तथा कौशल विकास और उद्यमशीलता मंत्री (श्री धर्मेन्द्र प्रधान) : (क) ईंधन संरक्षण, ऊर्जा दक्षता और पर्यावरण बचाव के तरीकों और आवश्यकताओं के बारे में जागरूकता पैदा करने के उद्देश्य से पीसीआरए द्वारा प्रतिवर्ष एक गहन शिक्षा अभियान 'सक्षम' चलाया जाता है। इस अभियान के दौरान, ईंधन संरक्षण और पर्यावरण बचाव के संदेश को बढ़ावा देने के लिए कई जन केन्द्रिक क्रियाकलापों का आयोजन किया जाता है। इस अभियान का आयोजन पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय के प्रशासनिक नियंत्रण के अधीन सार्वजनिक क्षेत्र के तेल उपक्रमों के समन्वय से किया जाता है।

(ख) सक्षम अभियान में आयोजित महत्वपूर्ण क्रियाकलापों में शामिल हैं:—

(i) उद्योग, घरेलू, कृषि और परिवहन क्षेत्र में ईंधन संरक्षण और ऊर्जा दक्षता पर प्रदर्शनियां, कार्यशालाएं, सम्मेलन, सामूहिक चर्चाएं।

(ii) ईंधन संरक्षण, स्वास्थ्य और पर्यावरण बचाव के लिए साइकिलिंग को बढ़ावा देने के लिए साइकिल दिवस तथा सक्षम साइक्लोथोन जैसे साइकिलिंग कार्यक्रम।

(iii) प्रिंट, रेडियो, टीवी और डिजिटल मीडिया (सोशल मीडिया सहित) द्वारा अभियान।

(iv) ईंधन संरक्षण और ऊर्जा दक्षता के बारे में अपनी भावनाओं/विचारों को अभिव्यक्त करने के लिए स्कूली बच्चों के लिए निबंध, चित्रकला और प्रश्नोत्तरी पर राष्ट्रीय स्तर पर प्रतियोगिता तथा

(v) किसानों/ग्रामीणों आदि के लिए सामूहिक चर्चाओं/कार्यशालाओं का आयोजन करते हुए वैन प्रचार कार्यक्रमों के माध्यम से ईंधन संरक्षण अभियान

(ग) वर्ष 2017-18 के दौरान, पीसीआरए ने शिक्षा अभियान क्रियाकलापों पर 16.86 करोड़ रुपए खर्च किए थे।

मेक इन इंडिया कार्यक्रम

2060. श्री मोहम्मद सलीम :
श्री मोहम्मद बदरुद्दोजा खान :

क्या **वाणिज्य और उद्योग मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) सितंबर, 2014 में मेक इन इंडिया पहल के प्रारंभ होने के बाद सृजित किए गए नवीन रोजगार और रोजगार प्राप्त करने वाले लोगों संबंधी वर्ष राज्य/क्षेत्र-वार ब्यौरा क्या है;

(ख) क्या सरकार देश में रोजगार सृजन में वृद्धि करने हेतु मेक इन इंडिया पहल को पुनर्जीवित करने पर विचार कर रही है और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और ऐसी पुनर्जीवित पहल में किन श्रम गहन क्षेत्रों पर ध्यान केन्द्रित किया जाएगा; और

(ग) सरकार देश में व्यापार करने में सुगमता के नाम पर कामगारों के शोषण को रोकने के लिए किस प्रकार श्रम कानूनों के सुदृढ़ीकरण को सुनिश्चित करेगी?

उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री सी.आर. चौधरी) : (क) ऐसे कोई भी आंकड़े केन्द्रीय रूप से नहीं रखे जाते हैं। तथापि, सरकार ने वर्ष 2014 से देश में विनिर्माण प्रतिस्पर्धात्मकता को बढ़ाने के लिए अनेक कदम उठाए हैं, जिनमें अन्य बातों के साथ-साथ, गुणवत्तापूर्ण अवसंरचना उपलब्ध कराना, लॉजिस्टिक लागत में कमी लाना, कौशल विकास और प्रौद्योगिकी अपनाना शामिल है। इसके परिणामस्वरूप मेक इन इंडिया, कुशल भारत और स्टार्ट अप इंडिया जैसे कार्यक्रम शुरू किए गए हैं।

श्रम और रोजगार मंत्रालय में श्रम ब्यूरो तिमाही रोजगार सर्वेक्षण (क्यूईएस) करता है जिसका उद्देश्य 10 या उससे अधिक कामगारों वाले 8 प्रमुख क्षेत्रों में गैर-कृषि औद्योगिक अर्थव्यवस्था के बड़े क्षेत्र में बाद की तिमाहियों के दौरान रोजगार की स्थिति में परस्पर परिवर्तन का आकलन करना है। क्यूईएस के पांचवें दौर के परिणाम, 1 अप्रैल, 2016 से 1 अप्रैल, 2017 की अवधि के दौरान 2.03 प्रतिशत की वृद्धि दर्शाते हैं।

(ख) 25 क्षेत्रों के लिए तैयार कार्य योजनाओं के साथ वर्ष 2014 में शुरू की गई 'मेक इन इंडिया' पहल की समीक्षा की गई है तथा अब इस पहल में 27 क्षेत्रों पर ध्यान केन्द्रित किया गया है। औद्योगिक नीति एवं संवर्धन विभाग 15 विनिर्माण क्षेत्रों के लिए कार्य योजनाओं का समन्वय करता है, जबकि वाणिज्य विभाग 12 सेवा क्षेत्रों का समन्वय करता है। 27 क्षेत्रों की नई संशोधित सूची संलग्न विवरण में दी गई है।

(ग) ईज ऑफ डूइंग बिजनेस (ईओडीबी) भारत में व्यवसाय करने हेत अनुकूल वातावरण का सृजन करने के लिए सरकार द्वारा की गई पहल है। ईओडीबी में सुधार के लिए उठाए गए कदमों में, अन्य बातों के साथ-साथ, विभिन्न नियमों का सरलीकरण किया जाना एवं उन्हें तर्कसंगत बनाया जाना, सूचना प्रौद्योगिकी का उपयोग और निवेशक सहायता प्रकोष्ठ आदि की स्थापना किया जाना आदि शामिल है, जिसमें कामगारों का शोषण न हो।

विवरण

27 क्षेत्रों की संशोधित सूचित

(i) एयरोस्पेस और रक्षा

(ii) ऑटोमोटिव और ऑटो संघटक

(iii) भेषज और चिकित्सा उपकरण

(iv) जैव-प्रौद्योगिकी

(v) पूंजीगत वस्तुएं

(vi) वस्त्र एवं परिधान

(vii) रसायन एवं पैट्रो रसायन

(viii) इलैक्ट्रॉनिक सिस्टम डिजाइन और विनिर्माण (ईएसडीएम)

(ix) चमड़ा और फुटवेयर

(x) खाद्य प्रसंस्करण

(xi) रत्न एवं आभूषण

(xii) जहाजरानी

(xiii) रेलवे

(xiv) निर्माण

(xv) नवीन और नवीकरणीय ऊर्जा

(xvi) सूचना प्रौद्योगिकी और सूचना प्रौद्योगिकी समर्थित सेवाएं (आईटी एंड आईटीईएस)

(xvii) पर्यटन और हॉस्पिटैलिटी सेवाएं

(xviii) मेडिकल वेल्यू ट्रेवल

(xix) परिवहन एवं लॉजिस्टिक सेवाएं

(xx) लेखा एवं वित्त सेवाएं

(xxi) दृश्य श्रव्य सेवाएं

(xxii) कानूनी सेवाएं

(xxiii) संचार सेवाएं

(xxiv) निर्माण और संबद्ध इंजीनियरिंग सेवाएं

(xxv) पर्यावरणीय सेवाएं

(xxvi) वित्तीय सेवाएं

(xxvi) शिक्षा सेवाएं

[हिन्दी]

कार्यस्थल पर दुर्घटनाएं

2061. श्रीमती संतोष अहलावत :
श्री ओम प्रकाश यादव :
श्री सुनील कुमार सिंह :
श्री ए.टी. नाना पाटील :

क्या **श्रम और रोजगार मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या हाल ही में कारखानों की अनदेखी के कारण आग लगने, गैस के स्राव या सिलेंडर और बॉयलर के फटने की स्थिति में कामगारों की मौतों की घटनाओं में वृद्धि हुई है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है तथा गत तीन वर्षों के दौरान देश में राजस्थान और महाराष्ट्र सहित सरकारी और निजी कंपनियों में ऐसी कितनी घटनाएं होने की सूचना मिली है;

(ग) उक्त घटनाओं में कितने कामगारों की मौतें हुई हैं तथा उक्त कंपनियों के प्रबंधन/स्वामियों के विरुद्ध राज्य/संघ राज्य क्षेत्र-वार किस प्रकार की कार्रवाई की गई है;

(घ) क्या सरकार औद्योगिक ईकाइयों और कारखानों में कर्मचारियों हेतु सुरक्षा नियंत्रण, सुरक्षित कार्य दशा और सुरक्षा संबंधी अन्य पहलुओं की नियमित रूप से निगरानी करती है;

(ङ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(च) गत चार वर्षों के दौरान सुरक्षा में कमी से संबंधित मामलों का राज्य-वार ब्यौरा क्या है?

श्रम और रोजगार मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री संतोष कुमार गंगवार) : (क) से (ग) श्रम और रोजगार मंत्रालय के अधीन एक संबद्ध कार्यालय कारखाना सलाह सेवा एवं श्रम संस्थान महानिदेशालय (डीजीफासली) द्वारा कारखाना मुख्य निरीक्षक से पत्राचार के माध्यम से एकत्र की गई सूचना के अनुसार, वर्ष 2014, 2015 तथा 2016 के दौरान राजस्थन तथा महाराष्ट्र राज्यों सहित निजि एवं सार्वजनिक क्षेत्र के पंजीकृत कारखानों दोनों के संबंध में आग लगने, गैस के स्राव तथा विस्फोटों के कारण हुई घातक चोटों से संबंधित राज्य-वार ब्यौरा क्रमशः विवरण-I, विवरण-II तथा विवरण-III में दिया गया है। सिलेंडर तथा बॉयलर फटने के संबंध में विशेष आंकड़े नहीं रखे जाते।

भारत सरकार ने कारखाना, अधिनियम, 1948 के अंतर्गत पंजीकृत कारखानों में नियोजित कामगारों की व्यावसायिक सुरक्षा, स्वास्थ्य तथा

कल्याण मामलों का ध्यान रखने हेतु एक व्यापक विधान का अधिनियमन किया है। इसके अतिरिक्त, इस अधिनियम तथा इसके अंतर्गत बनाए गए राज्य कारखाना नियमों का प्रवर्तन संबंधित राज्य/संघ क्षेत्र राज्य द्वारा किया जाता है। ऐसे कारखानों के अधिष्ठाता तथा/अथवा प्रबंधक द्वारा किसी भी उपबंध के उल्लंघन के मामले में इस अधिनियम के अंतर्गत दंडात्मक प्रावधानों के अनुसार दंडात्मक कार्रवाइयां की जाती हैं। वर्ष 2014, 2015 तथा 2016 के संबंध में कारखाना अधिनियम, 1948 के अंतर्गत उल्लंघन का ब्यौरा/चलाए गए ऐसे अभियोजनों तथा दोषसिद्धियों की राज्य-वार संख्या क्रमश: विवरण-IV, विवरण-V तथा विवरण-VI में दी गई है।

(घ) से (च) राज्य/संघ राज्य क्षेत्र सरकारें कारखाना अधिनियम, 1948 तथा उसके अंतर्गत बनाए गए राज्य कारखाना नियमों के तहत अध्याय III: स्वास्थ्य, अध्याय IV: सुरक्षा तथा अध्याय IVक: पंजीकृत कारखानों में जोखिमकारी प्रक्रियाओं से संबंधित निहित उपबंधों के प्रवर्तन हेतु नियमित निरीक्षण करके सुरक्षित कार्यदशाओं की नियमित निगरानी करती हैं। ऐसे कारखानों के अधिष्ठाता तथा/अथवा प्रबंधक द्वारा किसी भी उपबंध के उल्लंघन के मामले में इस अधिनियम के अंतर्गत दंडात्मक प्रावधानों के अनुसार दंडात्मक कार्रवाइयां की जाती हैं। उल्लंघन तथा चलाए गए अभियोजन दोषसिद्धियों का राज्य-वार ब्यौरा उत्तर के भाग (क) से (ग) में दिए गए अनुसार है।

विवरण-I

कारखाना अधिनियम, 1948 के अंतर्गत पंजीकृत कारखानों में आग लगने के कारण हुई खतरनाक घटनाएं/ घातक चोटें तथा गैर-घातक चोटें (2014-2016)

राज्य/संघ राज्य क्षेत्र	2014			2015			2016		
	खतरनाक घटनाओं की संख्या	घातक चोटों की संख्या	गैर-घातक चोटों की संख्या	खतरनाक घटनाओं की संख्या	घातक चोटों की संख्या	गैर-घातक चोटों की संख्या	खतरनाक घटनाओं की संख्या	घातक चोटों की संख्या	गैर-घातक चोटों की संख्या
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
अंडमान और निकोबार द्वीपसमूह	#	#	#	#	#	#	3	#	3
आंध्र प्रदेश	7	5	28	1	3	9	1	2	33
अरुणाचल प्रदेश	*	*	*	*	*	*	*	*	*
असम	#	#	1	#	#	#	#	#	2
बिहार	#	#	#	#	#	#	1	#	2
चंडीगढ़	#	#	#	#	#	#	#	#	#
छत्तीसगढ़	2	2	7	1	1	1	1	11	1
दमन और दीव और दादरा और नगर हवेली	1	1	#	3	#	3	#	2	#
दिल्ली	#	#	#	#	#	#	1	2	1
गोवा	3	#	1	3	#	1	3	#	1
गुजरात	87	15	74	67	5	65	87	16	52

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
हरियाणा	#	2	7	#	4	10	2	21	8
हिमाचल प्रदेश	#	#	#	#	#	#	#	#	#
जम्मू और कश्मीर	#	#	#	#	#	#	#	#	#
झारखंड	#	1	4	#	#	1	#	#	#
कर्नाटक	#	5	19	0	1	20	0	0	11
केरल	5	#	1	7	#	8	6	2	5
लक्षद्वीप	*	*	*	*	*	*	*	*	*
मध्य प्रदेश	#	2	#	4	3	#	2	1	1
महाराष्ट्र	46	11	54	47	15	26	60	22	36
मणिपुर	#	#	#	#	#	#	#	#	#
मेघालय	#	#	#	1	#	#	#	#	#
मिज़ोरम	*	*	*	#	#	#	#	#	#
नागालैंड	#	#	#	#	#	#	#	#	#
ओडिशा	5	6	7	4	0	0	1	5	0
पुदुचेरी	#	#	1	#	#	#	#	#	6
पंजाब	#	1	#	#	3	16	#	3	2
राजस्थान	#	1	3	#	1	3	#	1	0
सिक्किम	*	*	*	*	*	*	*	*	*
तमिलनाडु	29	12	45	21	7	24	16	26	31
तेलंगाना	5	4	9	11	5	4	3	3	1
त्रिपुरा	#	#	#	#	#	#	#	#	#
उत्तर प्रदेश	#	3	#	#	4	#	#	3	#
उत्तराखंड	#	#	4	#	1	2	#	#	1
पश्चिम बंगाल	9	1	42	8	#	84	1	6	2
कुल	199	72	307	178	53	277	188	126	199

स्रोत: डीजीफासली द्वारा राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों के कारखाना मुख्य निरीक्षक से पत्राचार के माध्यम से एकत्र किए गए आंकड़े।

नोट: (i) *इन राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों में कोई पंजीकृत कारखाना नहीं है।

(ii) #आंकड़े उपलब्ध नहीं/सीआईएफ/एनआईएल द्वारा रिपोर्ट नहीं किए गए।

विवरण-II

कारखाना अधिनियम, 1948 के अंतर्गत पंजीकृत कारखानों में गैस के स्रोव के कारण हुई खतरनाक घटनाएं/ घातक चोटें तथा गैर-घातक चोटें (2014-2016)

ज्य/संघ राज्य क्षेत्र	2014			2015			2016		
	खतरनाक घटनाओं की संख्या	घातक चोटों की संख्या	गैर-घातक चोटों की संख्या	खतरनाक घटनाओं की संख्या	घातक चोटों की संख्या	गैर-घातक चोटों की संख्या	खतरनाक घटनाओं की संख्या	घातक चोटों की संख्या	गैर-घातक चोटों की संख्या
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
आंध्र प्रदेश	#	2	#	0	4	0	2	3	3
अरुणाचल प्रदेश	*	*	*	*	*	*	*	*	*
असम	#	4	2	#	#	#	#	#	#
बिहार	#	#	#	#	#	#	1	1	2
चंडीगढ़	#	#	#	#	#	#	#	#	#
छत्तीसगढ़	2	7	0	1	5	4	3	3	1
दमन और दीव और दादरा और नगर हवेली	#	#	#	#	#	1	#	#	#
दिल्ली	#	#	#	#	#	#	#	#	#
गोवा	#	#	#	1	1	5	#	#	#
गुजरात	5	14	41	6	14	28	4	12	28
हरियाणा	#	#	#	1	3	4	0	4	0
हिमाचल प्रदेश	#	#	1	#	#	#	#	#	#
जम्मू और कश्मीर	#	#	#	#	#	#	#	#	#
झारखंड	#	#	2	#	#	1	#	1	#
कर्नाटक	#	1	2	0	0	0	0	0	11
केरल	6	#	6	1	#	4	1	2	1
लक्षद्वीप	*	*	*	*	*	*	*	*	*
मध्य प्रदेश	#	1	11	#	#	#	#	1	#
महाराष्ट्र	13	1	58	9	1	56	3	2	19

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
मणिपुर	#	#	#	#	#	#	#	#	#
मेघालय	#	#	#	#	#	#	#	#	#
मिज़ोरम	*	*	*	#	#	#	#	#	#
नागालैंड	#	#	#	#	#	#	#	#	#
ओडिशा	1	1	2	0	0	75	0	0	0
पुदुचेरी	#	#	#	#	#	#	#	#	#
पंजाब	#	#	#	#	#	#	#	#	#
राजस्थान	#	3	11	#	2	4	#	0	0
सिक्किम	*	*	*	*	*	*	*	*	*
तमिलनाडु	2	9	23	5	11	7	#	1	#
तेलंगाना	4	5	2	4	5	3	0	4	1
त्रिपुरा	#	#	#	#	#	#	#	#	#
उत्तर प्रदेश	#	2	#	#	2	#	#	4	#
उत्तराखंड	#	#	8	#	1	7	#	#	#
पश्चिम बंगाल	2	#	16	2	#	11	#	2	#
कुल	35	50	185	30	49	210	14	40	66

स्रोत: डीजीफासली द्वारा राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों के कारखाना मुख्य निरीक्षक से पत्राचार के माध्यम से एकत्र किए गए आंकड़े।

नोट: (i) *इन राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों में कोई पंजीकृत कारखाना नहीं है।

(ii) #आंकड़े उपलब्ध नहीं/सीआईएफ/एनआईएल द्वारा रिपोर्ट नहीं किए गए।

विवरण-III

कारखाना अधिनियम, 1948 के अंतर्गत पंजीकृत कारखानों में आग लगने के कारण हुई खतरनाक घटनाएं/ घातक चोटें तथा गैर-घातक चोटें (2014-2016)

राज्य/संघ राज्य क्षेत्र	2014			2015			2016		
	खतरनाक घटनाओं की संख्या	घातक चोटों की संख्या	गैर-घातक चोटों की संख्या	खतरनाक घटनाओं की संख्या	घातक चोटों की संख्या	गैर-घातक चोटों की संख्या	खतरनाक घटनाओं की संख्या	घातक चोटों की संख्या	गैर-घातक चोटों की संख्या
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
आंध्र प्रदेश	4	3	21	0	3	8	1	3	4

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
अरुणाचल प्रदेश	*	*	*	*	*	*	*	*	*
असम	#	#	4	#	1	1	#	1	6
बिहार	#	#	#	#	#	#	#	#	#
चंडीगढ़	#	#	#	#	#	#	#	1	#
छत्तीसगढ़	#	7	1	0	6	2	0	3	5
दमन और दीव और दादरा और नगर हवेली	#	#	#	7	3	5	#	#	3
दिल्ली	#	#	1	#	#	#	#	#	#
गोवा	1	#	1	#	#	#	#	#	#
गुजरात	8	16	50	7	15	48	4	11	15
हरियाणा	#	5	4	#	3	#	0	2	0
हिमाचल प्रदेश	#	#	#	#	#	#	#	#	#
जम्मू और कश्मीर	#	#	#	#	#	#	#	#	#
झारखंड	#	#	1	#	5	5	#	3	2
कर्नाटक	#	1	1	0	2	2	0	1	11
केरल	7	2	7	#	1	#	1	0	1
लक्षद्वीप	*	*	*	*	*	*	*	*	*
मध्य प्रदेश	1	18	7	#	2	#	1	1	#
महाराष्ट्र	12	27	58	16	18	16	11	26	60
मणिपुर	#	#	#	#	#	#	#	#	#
मेघालय	#	#	#	#	#	#	#	#	#
मिज़ोरम	#	#	#	#	#	#	#	#	#
नागालैंड	#	#	#	#	#	#	#	#	#
ओडिशा	1	#	#	2	3	0	2	2	3
पुदुचेरी	#	#	#	#	1	#	#	#	#
पंजाब	#	#	#	#	#	#	#	3	24

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
राजस्थान	#	0	19	#	0	3	#	2	0
सिक्किम	*	*	*	*	*	*	*	*	*
तमिलनाडु	2	7	13	25	12	19	12	20	24
तेलंगाना	1	7	4	3	1	2	2	8	3
त्रिपुरा	#	#	#	#	#	#	#	#	#
उत्तर प्रदेश	#	5	#	#	4	#	#	#	#
उत्तराखंड	#	#	#	#	#	#	#	#	#
पश्चिम बंगाल	#	10	607	#	1	409	#	6	#
कुल	37	108	799	60	81	520	34	93	161

स्रोत: डीजीफासली द्वारा राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों के कारखाना मुख्य निरीक्षक से पत्राचार के माध्यम से एकत्र किए गए आंकड़े।

नोट: (i) *इन राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों में कोई पंजीकृत कारखाना नहीं है।

(ii) #आंकड़े उपलब्ध नहीं/सीआईएफ/एनआईएल द्वारा रिपोर्ट नहीं किए गए।

विवरण-IV

वर्ष 2014 के संबंध में धारा 92 तथा धारा 96क के अंतर्गत अभियोजन तथा दोषसिद्धियां

क्र. सं.	राज्य/संघ राज्य क्षेत्र	2014			
		वर्ष के दौरान चलाए गए अभियोजनों की संख्या	दोषसिद्धियों की संख्या	लगाया गया दंड	
				कारावास (व्यक्ति)	लगाया गया कुल जुर्माना (रुपए)
1	2	3	4	5	6
1.	अंडमान और निकोबार द्वीपसमूह	#	#	#	#
2.	आंध्र प्रदेश	546	303	#	4276500
3.	अरुणाचल प्रदेश	*	*	*	*
4.	असम	10	#	#	#
5.	बिहार	34	#	#	#
6.	चंडीगढ़	#	#	#	#
7.	छत्तीसगढ़	674	82	6	17186000

1	2	3	4	5	6
8.	दमन और दीव और दादरा और नगर हवेली	#	#	#	#
9.	दिल्ली	88	53	#	582000
10.	गोवा	15	10	#	175900
11.	गुजरात	2430	223	0	4174450
12.	हरियाणा	10242	5905	#	14923450
13.	हिमाचल प्रदेश	195	73	#	511500
14.	जम्मू और कश्मीर	17	#	#	50000
15.	झारखंड	34	#	#	#
16.	कर्नाटक	310	98	0	2239000
17.	केरल	57	37	0	865000
18.	लक्षद्वीप	*	*	*	*
19.	मध्य प्रदेश	165	#	#	3090800
20.	महाराष्ट्र	745	473	0	8847500
21.	मणिपुर	#	#	#	#
22.	मेघालय	#	#	#	#
23.	मिज़ोरम	*	*	*	*
24.	नागालैंड	#	#	#	#
25.	ओडिशा	172	#	#	#
26.	पुदुचेरी	10	9	#	520000
27.	पंजाब	109	50	#	877300
28.	राजस्थान	44	58	#	529000
29.	सिक्किम	*	*	*	*
30.	तमिलनाडु	4003	3276	7	26051050
31.	तेलंगाना	793	385	#	34554700
32.	त्रिपुरा	5	10	#	64000

1	2	3	4	5	6
33.	उत्तर प्रदेश	53	35	#	1024500
34.	उत्तराखंड	43	#	#	710000
35.	पश्चिम बंगाल	102	68	#	2161500
	कुल	20895	11148	13	92304150

स्रोत: डीजीफासली द्वारा राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों के कारखाना मुख्य निरीक्षक से पत्राचार के माध्यम से एकत्र किए गए आंकड़े।

नोट: (i) *इन राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों में कोई पंजीकृत कारखाना नहीं है।

(ii) #आंकड़े उपलब्ध नहीं/सीआईएफ/एनआईएल द्वारा रिपोर्ट नहीं किए गए।

विवरण-V

वर्ष 2015 के संबंध में धारा 92 तथा धारा 96क के अंतर्गत अभियोजन तथा दोषसिद्धियां

क्र. सं.	राज्य/संघ राज्य क्षेत्र	2015			
		वर्ष के दौरान चलाए गए अभियोजनों की संख्या	दोषसिद्धियों की संख्या	लगाया गया दंड	
				कारावास (व्यक्ति)	लगाया गया कुल जुर्माना (रुपए)
1	2	3	4	5	6
1.	अंडमान और निकोबार द्वीपसमूह	#	#	#	#
2.	आंध्र प्रदेश	456	591	0	5171000
3.	अरुणाचल प्रदेश	*	*	*	*
4.	असम	9	#	#	#
5.	बिहार	15	#	#	#
6.	चंडीगढ़	#	#	#	#
7.	छत्तीसगढ़	499	365	13	22041100
8.	दमन और दीव और दादरा और नगर हवेली	#	#	#	#
9.	दिल्ली	63	27	#	322000
10.	गोवा	5	8	#	170000
11.	गुजरात	1733	1199	0	10245900

1	2	3	4	5	6
12.	हरियाणा	5963	3728	#	14775600
13.	हिमाचल प्रदेश	94	113	#	1401700
14.	जम्मू और कश्मीर	39	4	#	228000
15.	झारखंड	47	#	#	#
16.	कर्नाटक	175	167	1	4062600
17.	केरल	73	38	#	898000
18.	लक्षद्वीप	*	*	*	*
19.	मध्य प्रदेश	169	#	#	3100800
20.	महाराष्ट्र	632	599	0	11662500
21.	मणिपुर	#	#	#	#
22.	मेघालय	#	#	#	#
23.	मिज़ोरम	#	#	#	#
24.	नागालैंड	#	#	#	#
25.	ओडिशा	157	18	#	3410000
26.	पुदुचेरी	10	11	#	507000
27.	पंजाब	121	11	1	901500
28.	राजस्थान	22	31	#	182000
29.	सिक्किम	*	*	*	*
30.	तमिलनाडु	4138	3448	12	24613200
31.	तेलंगाना	1412	677	#	5682800
32.	त्रिपुरा	3	3	#	21000
33.	उत्तर प्रदेश	82	51	#	1230000
34.	उत्तराखंड	44	#	#	81000
35.	पश्चिम बंगाल	26	6	#	251000
	कुल	15987	11095	27	110958700

स्रोत: डीजीफासली द्वारा राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों के कारखाना मुख्य निरीक्षक से पत्राचार के माध्यम से एकत्र किए गए आंकड़े।

नोट: (i) *इन राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों में कोई पंजीकृत कारखाना नहीं है।

(ii) #आंकड़े उपलब्ध नहीं/सीआईएफ/एनआईएल द्वारा रिपोर्ट नहीं किए गए।

विवरण-VI

वर्ष 2016 के संबंध में धारा 92 तथा धारा 96क के अंतर्गत अभियोजन तथा दोषसिद्धियां

क्र. सं.	राज्य/संघ राज्य क्षेत्र	2016			
		वर्ष के दौरान चलाए गए अभियोजनों की संख्या	दोषसिद्धियों की संख्या	लगाया गया दंड	
				कारावास (व्यक्ति)	लगाया गया कुल जुर्माना (रुपए)
1	2	3	4	5	6
1.	अंडमान और निकोबार द्वीपसमूह	#	#	#	#
2.	आंध्र प्रदेश	463	582	0	894000
3.	अरुणाचल प्रदेश	*	*	*	*
4.	असम	49	#	#	#
5.	बिहार	3	#	#	#
6.	चंडीगढ़	#	#	#	#
7.	छत्तीसगढ़	387	211	4	15421800
8.	दमन और दीव और दादरा और नगर हवेली	#	#	#	#
9.	दिल्ली	90	53	#	698500
10.	गोवा	6	5	#	140000
11.	गुजरात	1637	1166	0	10424600
12.	हरियाणा	2986	1675	#	6995950
13.	हिमाचल प्रदेश	89	61	#	735700
14.	जम्मू और कश्मीर	45	36	#	167000
15.	झारखंड	44	#	#	100000
16.	कर्नाटक	122	162	0	3031000
17.	केरल	44	45	#	801250
18.	लक्षद्वीप	*	*	*	*
19.	मध्य प्रदेश	119	#	#	41500

1	2	3	4	5	6
20.	महाराष्ट्र	584	421	0	8072500
21.	मणिपुर	#	#	#	#
22.	मेघालय	#	#	#	#
23.	मिज़ोरम	#	#	#	#
24.	नागालैंड	#	#	#	#
25.	ओडिशा	93	#	#	330000
26.	पुदुचेरी	6	2	#	144000
27.	पंजाब	52	12	#	686000
28.	राजस्थान	43	21	#	121000
29.	सिक्किम	*	*	*	*
30.	तमिलनाडु	2669	2989	18	28012100
31.	तेलंगाना	398	199	3	3302500
32.	त्रिपुरा	9	5	#	385000
33.	उत्तर प्रदेश	114	#	#	770000
34.	उत्तराखंड	37	#	#	714000
35.	पश्चिम बंगाल	25	23	#	1163000
	कुल	10114	7668	25	91241400

स्रोत: डीजीफासली द्वारा राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों के कारखाना मुख्य निरीक्षक से पत्राचार के माध्यम से एकत्र किए गए आंकड़े।

नोट: (i) *इन राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों में कोई पंजीकृत कारखाना नहीं है।

(ii) #आंकड़े उपलब्ध नहीं/सीआईएफ/एनआईएल द्वारा रिपोर्ट नहीं किए गए।

ई-वाणिज्य हेतु निगरानी स्कंध

2062. श्री सुमेधानन्द सरस्वती :
श्री ओम प्रकाश यादव :
श्री सुनील कुमार सिंह :
श्री आर. ध्रुवनारायण :
श्रीमती संतोष अहलावत :
डॉ. रामशंकर कठेरिया :

क्या **वाणिज्य और उद्योग मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ई-वाणिज्य कपनियों के कार्य की निगरानी और ई-वाणिज्य में व्यापार निवेश संबंधी कार्य और प्रदान की जा रही छूटों को इस संबंध में निर्धारित नियमों के अनुसार प्रदान करना है, सुनिश्चित करने के लिए एक विशेष स्कंध की स्थापना पर विचार कर रही है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और उक्त विशेष स्कंध का अधिकार क्षेत्र और शक्तियां क्या होंगी;

(ग) क्या सरकार को ई-वाणिज्य कंपनियों द्वारा प्रत्यक्ष विदेशी

निवेश नियमों के उल्लंघन के संबंध में कोई शिकायतें प्राप्त हुई हैं;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और सरकार द्वारा दोषियों के विरुद्ध क्या कार्रवाई की गई है; और

(ङ) क्या सरकार ई-वाणिज्य की परिभाषा के दायरे को और विस्तृत बनाने पर विचार कर रही है जिसमें इलेक्ट्रॉनिक तरीकों के माध्यम से खरीद, विपणन, वितरण और वस्तु और सेवाएं शामिल करने की संभावना है और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है तथा इस संबंध में क्या कदम उठाए जा रहे हैं?

उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री सी.आर. चौधरी) : (क), (ख) और (ङ) वाणिज्य विभाग ने एक प्रयास प्रारंभ किया है और "कॉमर्स पर राष्ट्रीय नीति के लिए ढांचा" पर एक थिंक टैंक और इसके तहत एक कार्य बल गठित किया है तथा डिजिटल इकोनॉमी एवं इलेक्ट्रॉनिक कॉमर्स (ई-कॉमर्स) के क्षेत्र में भारत के समक्ष उपस्थित चुनौतियों पर विचार-विमर्श किया है। इस थिंक टैंक द्वारा जिन मुद्दों पर चर्चा की गई उनमें से कुछ मुद्दों में ई-कॉमर्स के पहलू और डिजिटल इकोनॉमी जैसे भौतिक एवं डिजिटल अवसरंचना निश्चयात्मक मुद्दे, विनियामक व्यवस्था, कराधान नीति, डेटा प्रवाह, सर्वर स्थानीयकरण, प्रत्यक्ष विदेशी निवेश (एफडीआई), प्रौद्योगिकी प्रवाह, क्षमता विकास और व्यापार से संबंधित पहलू शामिल हैं।

(ग) और (घ) विदेशी मुद्रा प्रबंध अधिनियम (एफईएमए) 1999 के तहत ई-कॉमर्स सहित विभिन्न क्षेत्रों में प्रत्यक्ष विदेशी निवेश (एफडीआई) को अधिसूचित किया गया है और एफडीआई नियमों का किसी तरह का उल्लंघन करने पर एफईएमए, 1999 के दंडात्मक प्रावधान लागू होंगे। भारतीय रिजर्व बैंक एफईएमए को प्रशासित करता है तथा वित्त मंत्रालय के तहत प्रवर्तन निदेशालय एफईएमए को प्रवर्तित करने के लिए प्राधिकरण है।

सीएसआर के अंतर्गत कौशल विकास

2063. श्री भर्तृहरि महताब :
श्री राहुल शेवाले :
श्री संजय धोत्रे :

क्या **कौशल विकास और उद्यमिता मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने और भारतीय कंपनियों ने कॉर्पोरेट सामाजिक दायित्व (सीएसआर) के अंतर्गत कौशल विकास पहलों को प्रोत्साहन प्रदान करने के लिए समझौता ज्ञापनों पर हस्ताक्षर किए हैं और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और उक्त कंपनियों द्वारा समझौता-ज्ञापनों पर हस्ताक्षर करने के पश्चात् इस प्रयोजनार्थ कंपनी-वार कितनी राशि खर्च की गई है;

(ख) उक्त समझौता ज्ञापनों पर हस्ताक्षर के बाद से देश में उक्त कौशल विकास पहलों का राज्य/संघ राज्यक्षेत्र-वार कितने लोगों ने लाभ प्राप्त किया है;

(ग) क्या उक्त अवधि के दौरान सरकार ने किसी कंपनी द्वारा उक्त समझौता ज्ञापनों के उल्लंघन की ओर ध्यान दिया है;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी कंपनी-वार ब्यौरा क्या है तथा सरकार द्वारा अब तक उक्त कंपनियों के विरुद्ध क्या कार्रवाई की गई है/की जा रही है; और

(ङ) देश में सरकार द्वारा उक्त कंपनियों द्वारा समझौतो ज्ञापनों की नियम और शर्तों का सख्ती से पालन सुनिश्चित करने के लिए अन्य क्या प्रयास किए गए हैं/कि जा रहें हैं?

कौशल विकास और उद्यमिता मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री अनंतकुमार हेगड़े) : (क) से (ङ) कौशल और उद्यमशीलता मंत्रालय (एमएसडीई) के अंतर्गत राष्ट्रीय कौशल विकास निगम (एनएसडीसी) ने निगमित सामाजिक उत्तरदायित्व (सीएसआर) के तहत कौशल विकास पहलों को प्रोत्साहित करने के लिए विभिन्न सार्वजनिक क्षेत्रों के उपक्रमों और कॉर्पोरेटों के साथ समझौता ज्ञापनों (एमओयू) पर हस्ताक्षर किए हैं। अधिकांश एमओयू राष्ट्रीय कौशल विकास निधि (एनएसडीएफ), एनएसडीसी और कंपनियों के बीच हुए त्रिपक्षीय समझौते हैं। समझौतों पर हस्ताक्षर करने से अब तक व्यय की गई राशि सहित हस्ताक्षर किए गए एमओयू (अब तक) का कंपनी-वार ब्यौरा संलग्न विवरण-I पर दिया गया है। सीएसआर प्रारंभ किए जाने से अब तक विभिन्न राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों के 80,980 व्यक्तियों ने सीएसआर के अंतर्गत ऐसी कौशल विकास पहलों का लाभ उठाया है, जिसका ब्यौरा संलग्न विवरण-II पर दिया गया है। भारत सरकार एनएसडीएफ के माध्यम से इन एमओयू के अंतर्गत वितरित पैरामीटरों की तुलना में प्रत्येक लक्ष्य की उपलब्धि की निगरानी करती है और यह सुनिश्चित करती है कि प्रदेयों को समझौतों के अनुसार पूरा किया जाए। सरकार को अब तक किसी भी कंपनी द्वारा उक्त एमओयू का कोई उल्लंघन करने की सूचना प्राप्त नहीं हुई है।

विवरण-I

सीएसआर के अंतर्गत कौशल विकास पहलों को प्रोत्साहित करने के लिए एमओयू हस्ताक्षर करने से अब तक व्यय की गई राशि सहित एनएसडीसी द्वारा पीएसयू और कॉर्पोरेटों के साथ हस्ताक्षर किए गए (अब तक) एमओयू का कंपनी-वार ब्यौरा:

(राशि रुपए में)

क्र. सं.	हस्ताक्षर किए गए एमओयू/समझौता	हस्ताक्षर करने की तारीख	कंपनियों द्वारा व्यय की गई राशि (अब तक)
1	2	3	4
1.	पावर ग्रिड	14.01.2015	5,55,02,343
2.	सीआईएफसीएल - चोलामंडलम	31.03.2015	50,00,000
3.	कोल इंडिया लिमिटेड	03.05.2015	15,00,00,000
4.	नेशनल थर्मल पॉवर कॉर्पोरेशन लिमिटेड (एनटीपीसी) - I	08.05.2015	2,92,50,000
5.	एनटीपीसी - II	26.06.2015	6,00,00,000
6.	ग्रामीण विद्युतीकरण निगम लिमिटेड (आरईसीएल)	22.08.2015	6,84,58,485
7.	सीएएमएस	07.09.2015	28,32,000
8.	हिन्दुस्तान कॉपर लिमिटेड (एनटीपीसी) - I	14.09.2015	36,76,080
9.	नेशनल एल्युमिनियम कंपनी लिमिटेड (नाल्को)	19.11.2015	80,45,073
10.	खनिज अन्वेषण निगम लिमिटेड (एनएमडीसी)	1.10.2015	26,70,000
11.	राष्ट्रीय खनिज विकास निगम (एनएमडीसी)	19.02.2016	54,00,000
12.	भारतीय विमानपत्तन प्राधिकरण	08.06.2016	1,22,50,000
13.	सार्वजनिक उद्यम विभाग-I	28.09.2016	2,59,00,000
14.	जीई पॉवर	22.12.2016	40,00,000
15.	इंडियन ऑयल-बरौनी	08.02.2017	39,33,854
16.	इंगरसोल रैंड लिमिटेड	13.02.2017	40,79,373
17.	साइमन इंडिया लिमिटेड	17.03.2017	23,00,873
18.	एसबीआई कार्ड	21.03.2017	2,28,73,532
19.	नीपको	23.03.2017	99,06,540
20.	एचसीएल-II	24.03.2017	38,89,192
21.	भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड	24.03.2017	65,02,757

1	2	3	4
22.	अल्स्टॉम भारत फोर्ज पावर	28.03.2017	81,00,000
23.	एल एंड टी	22.05.2017	51,78002
24.	पीओएसओसीओ	29.05.2017	30,22,269
25.	एनएचपीसी	09.06.2017	1,35,83,700
26.	पॉवरलिंक्स	27.06.2017	49,98,568
27.	सार्वजनिक उद्यम विभाग-2	14.09.2017	1,64,00,000
28.	एनएसकेएफडीसी	26.10.2017	0
29.	हिताची इंडिया लिमिटेड	01.11.2017	10,53,969
30.	एवरी डेनिसन इंडिया प्राइवेट लिमिटेड	26.12.2017	50,31,700
31.	एसबीआई कार्ड-II (परिशिष्ट)	08.03.2018	81,36,100
32.	परमाणु ऊर्जा (एनपीसीआईएल)	19.03.2018	43,65,113
33.	नाल्को फाउंडेशन	05.01.2018	0
34.	खनिज अन्वेषण निगम लिमिटेड (एमईसीएल-2)	15.01.2018	12,35,938
35.	बलरामपुर चीनी मिल्स लिमिटेड	30.01.2018	31,08,837
36.	इंगरसोल रैंड-2	19.02.2018	18,11,971
37.	जीई अल्स्टॉम भारत फोर्ज पॉवर प्राइवेट लिमिटेड द्वितीय	22.02.2018	40,80,384
38.	जीई ग्रिड उपकरण प्राइवेट लिमिटेड	22.02.2018	22,00,000
39.	जीई एंड डी इंडिया प्राइवेट लिमिटेड	22.02.2018	51,32,232
40.	जीई इंडिया बिजनेस सर्विसेज प्राइवेट लिमिटेड	22.02.2018	22,00,000
41.	आईओसीएल-गुजरात रिफाइनरी	23.03.2018	0
42.	आईओसीएल-बरौनी रिफाइनरी	23.03.2018	0
43.	आईओसीएल-बोंगाईगांव रिफाइनरी	23.03.2018	0
44.	आईओसीएल-डिगबोई रिफाइनरी	20.06.2018	0
45.	आईओसीएल-पानीपत रिफाइनरी	02.07.2018	0
46.	आईओसीएल-मथुरा रिफाइनरी	06.07.2018	0
47.	आईओसीएल-रिफाइनरीज मुख्यालय (आरएचक्यू)	10..07.2018	0
	योग		57,61,08,885

विवरण-II

एमओयू करने के बाद से सीएसआर के तहत कौशल विकास पहलों के लाभ प्राप्त करने वाले व्यक्तियों का राज्य/ संघ राज्य-वार विवरण:

राज्यों के नाम	लाभार्थियों की कुल संख्या
1	2
अंडमान और निकोबार द्वीपसमूह	0
आंध्र प्रदेश	1,149
अरुणाचल प्रदेश	200
असम	540
बिहार	9,793
चंडीगढ़	139
छत्तीसगढ़	8,245
दादरा और नगर हवेली	150
दमन और दीव	0
दिल्ली	1,320
गोवा	0
गुजरात	453
हरियाणा	1,158
हिमाचल प्रदेश	622
जम्मू और कश्मीर	705
झारखंड	18,720
कर्नाटक	1019
केरल	0
लक्षद्वीप	0
मध्य प्रदेश	6,091
महाराष्ट्र	4,999
मणिपुर	203
मेघालय	336
मिज़ोरम	150
नागालैंड	898
ओडिशा	5,807
पुदुचेरी	0
पंजाब	148
राजस्थान	845
सिक्किम	874
तमिलनाडु	185
तेलंगाना	434
त्रिपुरा	440
उत्तराखंड	4,505
उत्तर प्रदेश	150
पश्चिम बंगाल	10,702
योग	80,980

इस्पात उत्पादन/आयात

2064. श्री संजय धोत्रे :
श्री राहुल शेवाले :
श्री भर्तृहरि महताब :
श्रीमती एम. वसन्ती :
श्री बी.वी. नाईक :
श्री राजेश कुमार दिवाकर :

क्या **इस्पात मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) गत तीन वर्षों के प्रत्येक वर्ष और चालू वर्ष के दौरान देश के सकल घरेलू उत्पाद (जीडीपी) में इस्पात क्षेत्र का क्या योगदान है;

(ख) उक्त अवधि के दौरान देश में इस्पात का स्वदेश उत्पादन मांग-आपूर्ति और आयात संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या इस्पात की मांग और आपूर्ति में एक भारी अंतर है और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इसके क्या कारण हैं;

(घ) क्या इस्पात के आयात विशेष रूप से चीन से आयात ने घरेलू इस्पात क्षेत्र को बुरी तरह प्रभावित किया है और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ङ) क्या सरकार को देश में इस्पात के आयात में हुई वृद्धि के खिलाफ विभिन्न घरेलू इस्पात विनिर्माताओं से कोई अभ्यावेदन प्राप्त हुआ है और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और सरकार द्वारा उक्त आयात से घरेलू इस्पात उद्योग को संरक्षित करने हेतु क्या सुधारात्मक कदम उठाए गए हैं; और

(च) सरकार द्वारा देश में इस्पात उत्पादन को बढ़ावा देने हेतु अन्य क्या कदम उठाए गए हैं?

इस्पात मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री विष्णु देव साय) : (क) घरेलू इस्पात उद्योग देश के सकल घरेलू उत्पाद (जीडीपी) में 2% (लगभग) का योगदान करता है।

(ख) देश में विगत तीन वर्षों और चालू वित्तीय वर्ष के दौरान पूर्ण फिनिश्ड इस्पात का बिक्री हेतु उत्पादन, आयात और खपत संबंधी आंकड़े नीचे दर्शाए गए हैं:—

वर्ष	पूर्ण फिनिश्ड इस्पात (अलॉय/स्टेनलेस+नॉन-अलॉय) (एमटी)		
	बिक्री हेतु उत्पादन	आयात	खपत
2015-16	90.98	11.71	81.52
2016-17	101.81	7.23	84.04
2017-18*	104.98	7.48	90.68
अप्रैल-जून 2018	29.966	1.89	23.59

स्रोत: जेपीसी, *अनंतिम; एमटी = मिलियन टन

(ग) जी, नहीं।

(घ) गत वर्ष की समान अवधि की तुलना में चालू वर्श के दौरान कुल आयातों में चीन से होने वाले आयात में कमी हुई है। गत तीन वर्षों और अप्रैल-मई 2018 के दौरान नॉन-अलॉय इस्पात, समग्र अलॉय/स्टेनलेस स्टील और पूर्ण फिनिश्ड इस्पात की प्रमुख मदों का चीन से भारत में आयात का ब्यौरा नीचे दिया गया है। पिछले वर्ष में कोई प्रतिकूल प्रभाव नहीं देखा गया है।

अवधि	पूर्ण फिनिश्ड इस्पात का आयात (हजार टन में)		
	चीन	कुल सभी	कुल में चीन की % भागीदारी
2015-16	4125	11711	35
2016-17	2157	7227	30
2017-18*	1931	7482	26
अप्रैल-मई 2017*	239	1062	23
अप्रैल-मई 2018*	198	1217	16
%बदलाव* वर्ष-दर-वर्ष	-17	14.6	—

स्रोत: जेपीसी, *अनंतिम

(ङ) सरकार को देश में इस्पात आयात में वृद्धि के विरुद्ध कोई अभ्यावेदन प्राप्त नहीं हुआ है।

(च) इस्पात एक नियंत्रण मुक्त क्षेत्र है। सरकार ने इस्पात क्षेत्र को प्रोत्साहित करने के लिए विविध उपचारी उपाय किए हैं, यथा- एंटि डंपिंग शुल्क लगाना, सेफगार्ड शुल्क लगाना और गुणवत्ता नियंत्रण आदेश जारी करना, जिसके द्वारा सभी इस्पात उत्पादों और आयातों के संबंध में बीआईएस मानकों के उपयोग को अनिवार्य बनाया गया है, जैसे व्यापारिक उपाय किए गए; सरकारी खरीद में घरेलू निर्मित लोहा और इस्पात उत्पादों के उपयोग को वरीयता देने की नीति को अधिसूचित किया है, जो घरेलू मूल्यवर्द्धन को सुविधाजनक बनाती है तथा इस्पात क्षेत्र में दीर्घकालीन विकास को प्रोत्साहित करने की दृष्टि से राष्ट्रीय इस्पात नीति, 2017 को अधिसूचित किया है।

[हिन्दी]

मध्याह्न भोजन योजना

2065. श्री पंकज चौधरी :
श्री देवेन्द्र सिंह भोले :
श्री चन्द्रकांत खैरे :
श्री राजेश वर्मा :

क्या **मानव संसाधन विकास मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को जानकारी है कि हाल ही में विद्यालयों में

घटिया मध्याह्न भोजन योजना को खाने के पश्चात् कई बच्चे बीमार पड़ गए;

(ख) यदि हां, तो क्या सरकार ने देश भर में विद्यालयों में मध्याह्न भोजन योजना के अंतर्गत दिए जाने वाले भोजन की गुणवत्ता को जांचने संबंधी कोई दिशानिर्देश जारी किए हैं;

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और सरकार द्वारा उक्त दिशानिर्देशों के समुचित कार्यान्वयन को सुनिश्चित करने हेतु तैयार किए गए तंत्र का ब्यौरा क्या है और यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं;

(घ) क्या यह भी सच है कि देश में लगभग 76% बालकों को मध्याह्न भोजन नहीं मिल पा रहा है और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और उक्त योजना पर आए खर्च का राज्य/संघ राज्य क्षेत्र-वार ब्यौरा क्या है;

(ङ) क्या सरकार का विचार प्रत्यक्ष लाभ अंतरण डीबीटी योजना के अंतर्गत लाभार्थियों को सौ प्रतिशत लाभ प्रदान करने हेतु एमडीएमएस निधि को आधार से जोड़ने का है; और

(च) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इसके कब तक कार्यान्वित होने की संभावना है और यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं?

मानव संसाधन विकास मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री उपेन्द्र कुशवाहा) : (क) से (ग) वर्ष 2018 के दौरान देश में मध्याह्न-भोजन खाने के बाद कुल 38 बच्चों के बीमार होने की सूचना मिली थी। भारत सरकार ने सभी राज्यों और संघ राज्य क्षेत्रों में स्कूल स्तर की रसोई में गुणवत्ता, सुरक्षा और स्वच्छता से संबंधित दिशानिर्देश जारी किए हैं। अन्य बातों के साथ-साथ इन दिशानिर्देशों में स्कूलों को मध्याह्न-भोजन तैयार करने के लिए एगमार्क गुणवत्ता और ब्रांडेडउ सामग्री खरीदने के लिए अनुदेश प्रदान करना, बच्चों को भोजन परोसने से पहले कम से कम एक शिक्षक सहित स्कूल प्रबंधन समिति के 2-3 वयस्क सदस्यों द्वारा भोजन को चखना और मान्यता प्राप्त प्रयोगशालाओं द्वारा खाद्य नमूनों के परीक्षण की व्यवस्था करना शामिल है। इसके अतिरिक्त, एमडीएम नियम, 2015 भोजन में पोषण संबंधी मानकों और गुणवत्ता को पूरा करने को सुनिश्चित करने के लिए सरकारी मान्यता प्राप्त प्रयोगशालाओं द्वारा खाद्य नमूनों के अनिवार्य परीक्षण का प्रावधान करता है। सरकार ने योजना के तहत बच्चों को गुणवत्तापरक भोजन परोसे जाने को सुनिश्चित करने के लिए केन्द्र, राज्य और जिला स्तरों पर एक व्यापक निगरानी तंत्र को भी अपनाया है। राष्ट्रीय स्तर पर, मानव संसाधन विकास मंत्री की अध्यक्षता में एक अधिकार प्राप्त समिति और साथ ही राष्ट्रीय स्तर की एक संचालन-सह-निगरानी समिति (एनएसएमसी) के साथ-साथ कार्यक्रम अनुमोदन बोर्ड (पीएबी) द्वारा इस योजना की निगरानी करती है और इसके सुचारू और प्रभावी कार्यान्वयन के उपायों का सुझाव देती है। राज्य स्तर पर, राज्य के मुख्य सचिव की अध्यक्षता में राज्य स्तरीय संचालन-सह-निगरानी समिति और जिला स्तर पर जिले की लोक सभा के वरिष्ठतम सदस्य की अध्यक्षता में एक जिला स्तर समिति संबंधित जिले में इस योजना के कार्यान्वयन की निगरानी करती है। स्थानीय स्तर पर ग्राम पंचायत/ग्राम सभा, ग्राम शिक्षा समितियों के सदस्य (वीईसी), माता-पिता-शिक्षक संघ (पीटीए) और स्कूल प्रबंधन समितियां (एसएमसी) बच्चों को प्रदान किये जाने वाले मध्याह्न भोजन की नियमितता और संपूर्णता भोजन पकाने और परोसे जाने में स्वच्छता, अच्छी गुणवत्तापरक सामग्री, ईंधन इत्यादि की खरीद में समयबद्धता, मेनू में विविधता के कार्यान्वयन की निगरानी करते हैं ताकि इसे बच्चों के लिए आकर्षक बनाया जा सके और दैनिक आधार पर सामाजिक और जेंडर समानता सुनिश्चित की जा सके।

(घ) जी नहीं। मध्याह्न-भोजन (एमडीएम) योजना, एक चल रही केन्द्र प्रायोजित योजना है, जिसमें समग्र शिक्षा के तहत सहायता प्राप्त मदरसों और मकतबों सहित सरकार, सरकारी सहायता प्राप्त, विशेष प्रशिक्षण केन्द्रों के कक्षा I-VIII में पढ़ाई करने वाले सभी स्कूली बच्चों को शामिल किया गया है। योजना के तहत वर्ष 2017-18 के दौरान भारत सरकार द्वारा जारी की गई निधियों का राज्य और संघ राज्य क्षेत्र-वार ब्यौरा संलग्न विवरण में दिया गया है।

(ङ) और (च) मध्याह्न-भोजन योजना के तहंत लाभार्थियों को निधियां सीधे प्रदान नहीं की जाती हैं, परंतु कक्षा I से VIII में पढ़ने वाले बच्चों को प्रत्येक स्कूल दिवस में गर्म पकाया भोजन प्रदान किया जाता है।

विवरण

एमडीएमएस के तहत वर्ष 2017-18 के दौरान भारत सरकार द्वारा जारी की गई निधियां

क्र. सं.	राज्य/संघ राज्य क्षेत्र	2017-18 के दौरान जारी की गई केन्द्रीय सहायता (लाख में)
1	2	3
1.	आंध्र प्रदेश	25713.85
2.	अरुणाचल प्रदेश	2551.75
3.	असम	52903.47
4.	बिहार	97871.58

1	2	3
5.	छत्तीसगढ़	27683.33
6.	गोवा	1230.93
7.	गुजरात	40429.86
8.	हरियाणा	9953.53
9.	हिमाचल प्रदेश	8684.1
10.	जम्मू और कश्मीर	6328.69
11.	झारखंड	30332.59
12.	कर्नाटक	44788.58
13.	केरल	32978.36
14.	मध्य प्रदेश	58098.87
15.	महाराष्ट्र	80310.7
16.	मणिपुर	2479.76
17.	मेघालय	6486.73
18.	मिज़ोरम	2018.32
19.	नागालैंड	1776.42
20.	ओडिशा	41927.41
21.	पंजाब	14330.59
22.	राजस्थान	41107.05
23.	सिक्किम	881.12
24.	तमिलनाडु	42506.34
25.	तेलंगाना	15494.76
26.	त्रिपुरा	5119.04
27.	उत्तराखंड	9714.2
28.	उत्तर प्रदेश	100,475.08
29.	पश्चिम बंगाल	97146.3
30.	अंडमान और निकोबार द्वीपसमूह	388.65
31.	चंडीगढ़	669.35
32.	दादरा और नगर हवेली	538.44
33.	दमन और दीव	332.16
34.	दिल्ली	5294.99
35.	लक्षद्वीप	118.41
36.	पुदुचेरी	402.48
	कुल	909,068.08

[हिन्दी]

पर्यटन के विकास हेतु योजनाएं

2066. श्री श्याम चरण गुप्त :
श्रीमती रीती पाठक :
श्री रमेन डेका :
श्री रामस्वरुप शर्मा :
श्री उदय प्रताप सिंह :
श्री हरिश्चन्द्र चव्हाण :

क्या **पर्यटन मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) सरकार द्वारा देश के विभिन्न राज्यों/संघ राज्यक्षेत्रों में पर्यटन के विकास और संवर्धन हेतु शुरू की गई योजनाओं का ब्यौरा क्या है और सरकार द्वारा गत तीन वर्षों और चालू वर्ष के दौरान सरकारी और गैर-सरकारी संगठनों (एनजीओ) को प्रोत्साहन और बढ़ावा देने हेतु जिन योजनाओं पर कार्य किया गया है उनका ब्यौरा क्या है;

(ख) क्या इन योजनाओं की समीक्षा की गई है और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) गत तीन वर्षों के दौरान पर्यटन के विकास और संवर्धन हेतु विभिन्न राज्य/संघ राज्यक्षेत्रों को वित्तीय सहायता के रूप में आवंटित की गई निधियों का मध्य प्रदेश, असम, हिमाचल प्रदेश, महाराष्ट्र और उत्तर प्रदेश में विशेष रूप से इलाहाबाद को आवंटित की गई निधियों का राज्य/संघ राज्य क्षेत्र-वार ब्यौरा क्या है;

(घ) क्या सरकार ने देश में निम्न बजट वाले पर्यटकों हेतु सस्ते होटलों के निर्माण के लिए कोई प्रयास किए हैं; और

(ङ) यदि हां, तो तत्संबंधी महाराष्ट्र सहित राज्य/संघ राज्यक्षेत्र-वार

ब्यौरा क्या है और सरकार द्वारा देश में पर्यटन के विकास और संवर्धन हेतु अन्य क्या कदम उठाए गए हैं/उठाए जा रहे हैं?;

पर्यटन मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री अलफोन्स कन्ननथनम) : (क) से (ग) देश में पर्यटन के विकास एवं संवर्धन हेतु पर्यटन मंत्रालय की प्रमुख योजनाएं निम्नलिखित हैं:-

(1) थीम आधारित पर्यटक परिपथों का एकीकृत विकास स्वदेश-दर्शन।

(2) तीर्थस्थल जीर्णोद्धार एवं आध्यात्मिक विरासत संवर्धन अभियान पर राष्ट्रीय मिशन प्रशाद।

(3) पर्यटन अवसंरचना विकास हेतु केन्द्रीय एजेंसियों को सहायता।

(4) घरेलू संवर्धन एवं आतिथ्य सहित प्रचार (डीपीपीएच)।

(5) विपणन विकास सहायता (एमडीए) सहित विदेश में संवर्धन एवं प्रचार की पुनर्सरचित योजना।

स्वदेश दर्शन, प्रशाद तथा पर्यटन अवसंरचना विकास हेतु केन्द्रीय एजेंसियों को सहायता सम्बन्धी योजना का उद्देश्य देश के विभिन्न राज्यों/संघ राज्यक्षेत्र प्रशासनों में पर्यटन सम्बन्धी अवसंरचना का विकास करना है। पिछले तीन वर्षों तथा चालू वर्ष के दौरान मध्य प्रदेश, असम, हिमाचल प्रदेश, महाराष्ट्र तथा उत्तर प्रदेश सहित विभिन्न राज्यों/संघ राज्यक्षेत्रों के ऊपर उल्लिखित तीन योजनाओं के तहत संस्वीकृत परियोजनाओं की सूची संलग्न विवरण में दी गई है।

गैर-सरकारी संगठनों (एनजीओ को वित्तीय सहायता प्रदान करने के लिए पर्यटन मंत्रालय की कोई विशेष योजना नहीं है। तथापि, पर्यटन मंत्रालय ऐसे आयोजकों की वित्तीय सहायता प्रदान करता है जो देश तथा/अथवा देश के भीतर पर्यटन के प्रसार का सामर्थ्य रखते हैं। प्रस्तावों को संस्वीकृति दिशा-निर्देशों में उल्लिखित पात्रता सम्बन्धी शर्तों के आधार पर दी जाती है तथा आयोजकों की स्थिति सम्बंधी सूचना जैसे क्या वे पंजीकृत सोसायटियों, निजी लिमिटेड कम्पनियां, गैर-सरकारी संगठन हैं, को विशेष महत्व नहीं दिया जाता है।

पर्यटन मंत्रालय ने 12वीं पंचवर्षीय योजना के बाद भी जारी रहने वाली मौजूदा प्रमुख योजनाओं की समीक्षा की है।

(घ) और (ङ) होटल निर्माण मुख्य रूप से निजी क्षेत्र का कार्यकलाप है। पर्यटन मंत्रालय प्रचालनरत होटलों को वर्गीकृत करता है और परियोजना कार्यान्वयन के चरण पर होटलों की विभिन्न श्रेणियों को परियोजना अनुमोदन प्रदान करता है जो स्वैच्छिक योजनाएं हैं। विभिन्न पर्यटन उत्पादों के विकास एवं संवर्धन हेतु उठाए गए कदमों में निम्नलिखित शामिल हैं:-

(i) थीम आधारित पर्यटक परिपथों के एकीकृत विकास हेतु स्वदेश दर्शन योजना की शुरूआत।

(ii) तीर्थ स्थलों पर सुविधाओं और अवसंरचना में सुधार तथा सौन्दर्यीकरण हेतु तीर्थ स्थल जीर्णोद्धार एवं आध्यात्मिक विरासत संवर्धन अभियान पर राष्ट्रीय मिशन (प्रशाद) योजना की शुरूआत।

(iii) ई-वीज़ा की शुरूआत।

(iv) प्रचार और संवर्धनात्मक सामग्री का उत्पादन।

(v) सामान्यता संवर्धनों से बदलाव करके बाजार विशिष्ट संवर्धनात्मक योजनाओं से अतुल्य भारत 2.0 अभियान का आरम्भा।

(vi) "निश पर्यटन" उत्पादों का विकास एवं संवर्धन।

(vii) पर्यटन एवं आतिथ्य उद्योग की आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए प्रशिक्षित जनशक्ति सृजित करना।

(viii) 24x7 टोल फ्री बहुभाषीय पर्यटक हेल्प लाइन का आरम्भ।

(ix) नई इंक्रेडिबल इंडिया वेबसाइट आरम्भ करना।

विवरण

स्वदेश दर्शन, प्रशाद तथा पर्यटन अवसंरचना विकास योजनाओं के तहतह संस्वीकृत परियोजनाओं की सूची

स्वदेश दर्शन योजना (करोड़ रुपए में)

क्र. सं.	राज्य/संघ राज्य क्षेत्र	परिपथ का नाम	परियोजना का नाम	स्वीकृत राशि
1	2	3	4	5
वर्ष 2014-15				
1.	अरुणाचल प्रदेश	पूर्वोत्तर परिपथ	अरुणाचल प्रदेश में भालुकपोंग-बोमडिला और तवांग में मेगा परिपथ का विकास	49.77

1	2	3	4	5
2.	आंध्र प्रदेश	तटवर्ती परिपथ	आंध्र प्रदेश में विश्वस्तरीय तटवर्ती एवं ईको पर्यटन परिपथ के रूप में काकीनाडा होप आईलैंड कोनासीमा का विकास	69.83
	2014-15 का योग			119.6
वर्ष 2015-16				
3.	मणिपुर	पूर्वोत्तर परिपथ	मणिपुर में पर्यटक परिपथ का विकास : इंफाल-मोइरांग-खोंजोम-मोरेह	89.66
4.	सिक्किम	पूर्वोत्तर परिपथ	सिक्किम में रांग्पों (प्रवेश)- रोराथांग-अरितर-फाडमचेन-नाथंग-शेराथांग-त्सोंग्मो-गंगटोक-फोडोंग-मंगन-लाचुंग-युमथांग-लाचेन-थांगू-गुरुदोंगमेर-मंगन-गंगटोक-तुमिन लिंगी-सिंगतम (निकास) को जोड़ने वाले पर्यटक का परिपथ का विकास	98.05
5.	उत्तराखंड	इको परिपथ	नए गंतव्य के रूप में उत्तराखंड, जिला टिहरी में टिहरी झील और आसपास के विकास के लिए इको-पर्यटन, रोमांचकारी, क्रीड़ा, पर्यटन से जुड़ी अवसंरचना का एकीकृत विकास	80.37
6.	राजस्थान	मरुस्थल परिपथ	मरुस्थल परिपथ के अंतर्गत राजस्थान में सांभर लेक टाउन एवं अन्य गंतव्यों का विकास	63.96
7.	नागालैंड	जनजातीय परिपथ	जनजातीय परिपथ पेरेन-कोहिमा-वोखा, नागालैंड का विकास	97.36
8.	मध्य प्रदेश	वन्यजीव परिपथ	मध्य प्रदेश में पन्ना-मुकुंदपुर-संजय-कन्हा-बांधवगढ़-डुबरी-पेन्च में वन्यजीव परिपथ का विकास	92.22
9.	आंध्र प्रदेश	तटवर्ती परिपथ	स्वदेश दर्शन योजना के अंतर्गत आंध्र प्रदेश में श्री पोट्टी श्रीरामलू नेल्लोर में तटवर्ती पर्यटन परिपथ का विकास	59.70
10.	तेलंगाना	इको परिपथ	तेलंगाना के महबूबनगर जिला में ईको पर्यटन परिपथ का एकीकृत विकास	91.62
11.	केरल	इको परिपथ	केरल के इडुकी और पाथानामथिट्टा जिलों में पाथानामथिट्टा-गावी-वागमोन-थेक्काडी का ईको पर्यटन परिपथ के रूप में विकास	90.06
12.	मिजोरम	पूर्वोत्तर परिपथ	थेंजावल के पूर्वोत्तकर परिपथ एवं साउथ जोट, जिला सेरचिप और रेईक, मिजोरम में स्वदेश दर्शन — पूर्वोत्तर परिपथ के अंतर्गत नए इको-पर्यटन का एकीकृत विकास	94.91
13.	असम	वन्य जीव परिपथ	असम में वन्य जीव परिपथ के रूप में मानस-प्रोबितोरा-नामेरी-काजीरंगा-धुबरी-सेखोवा का विकास	95.67

1	2	3	4	5
14.	पुदुचेरी	तटवर्ती परिपथ	'स्वदेश दर्शन' स्कीम के अंतर्गत पर्यटक परिपथ के रूप में पुदुचेरी संघ राज्य क्षेत्र का विकास (तटवर्ती परिपथ)	85.28
15.	अरुणाचल प्रदेश	पूर्वोत्तर परिपथ	अरुणाचल प्रदेश में नए रोमांचकारी पर्यटन का एकीकृत विकास	97.14
16.	त्रिपुरा	पूर्वोत्तर परिपथ	त्रिपुरा में: अगरतला-सिपाहिजला-मेलाघर-उदयपुर-अमरपुर-तीर्थमुख-मंदिरघाट-दुम्बूर-नरिकेलकुंज-गंडाचरा-अम्बासा पूर्वोत्तर परिपथ का विकास	99.59
17.	पश्चिम बंगाल	तटवर्ती परिपथ	पश्चिम बंगाल में समुद्रतट परिपथ : उदयपुर-शंकरपुर-दीघा-हेनरी द्वीप का विकास-बक्खलई-फ्रेजरगंज-मंदारमणि-ताजपुर	85.39
18.	छत्तीसगढ़	जनजातीय परिपथ	छत्तीसगढ़ में जशपुर-महेशपुर-अंबिकापुर-मैनपत-कुंकुरी-नथयानावगांव-कोंडागांव-गंगरेल-सरोदादादर-कुरदार-रतनपुर-तीर्थगढ़ में जनजातीय-चित्रकूट-जगदलपुर पर्यटन परिपथ का विकास	99.94
19.	महाराष्ट्र	तटवर्ती परिपथ	स्वदेश दर्शन योजना के अंतर्गत महाराष्ट्र में सिंधुदुर्ग तटवर्ती परिपथ का विकास	82.17
	2015-16 का कुल			1503.09
वर्ष 2016-17				
20.	गोवा	तटवर्ती परिपथ	गोवा में तटवर्ती परिपथ (सिंक्वेरियम-बागा-अंजुना-वेगेटर-मोरजिम-केरी-अगौदा किला और अगौदा जेल) का विकास।	99.99
21.	जम्मू और कश्मीर	हिमालयन परिपथ	जम्मू और कश्मीर राज्य में पर्यटन अवसंरचना परियोजनाओं का एकीकृत विकास	82.97
22.	तेलंगाना	जनजातीय परिपथ	तेलंगाना में मुलुग-लकनावरम-मेदावरम-तडवई-दमारवी-मल्लूर-बोगाथा जलप्रपात का जनजातीय परिपथ के रूप में एकीकृत विकास	84.40
23.	मेघालय	पूर्वोत्तर परिपथ	उमियम (लेक-व्यू) युलुम-सोहपेटबनेंग-मावडियांगडियांग-आर्किड लेक रिजार्ट, मेघालय का विकास	99.13
24.	मध्य प्रदेश	बौद्ध परिपथ	मध्य प्रदेश में सांची-सतना-रीवा-मंदसौर-धार में बौद्ध परिपथ का विकास	74.94
25.	केरल	आध्यात्मिक परिपथ	पाथानामथिट्टा जिला, केरल में आध्यात्मिक परिपथ के रूप में सबरीमाला-एरुमेलि-पम्पा-सन्नीधानम का विकास	99.99

1	2	3	4	5
26.	कर्नाटक	तटवर्ती परिपथ	कर्नाटक में दक्षिण कन्नड़ जिला, उत्तर कन्नड़ जिला एवं उडुपी जिला में तटीय परिपथ का विकास	95.67
27.	मणिपुर	आध्यात्मिक परिपथ	आध्यात्मिक परिपथ — श्रीगोविंदजी मंदिर-श्रीविजय गोविंदजी मंदिर-श्रीगोपीनाथ मंदिर-श्रीबंगशीबोदन मंदिर-श्रीकैना मंदिर, मणिपुर का विकास	53.80
28.	गुजरात	विरासत परिपथ	गुजरात में अहमदाबाद-राजकोट-पोरबंदर-बारदोली-दांडी में विरासत परिपथ का विकास	93.48
29.	हरियाणा	कृष्णा परिपथ	कुरुक्षेत्र, हरियाणा में महाभारत से संबंधित स्थानों में पर्यटन अवसंरचना विकास	97.35
30.	राजस्थान	कृष्णा परिपथ	राजस्थान में गोविन्द देव जी मंदिर (जयपुर), खाटूश्याम जी (सीकर) और नाथद्वारा (राजसमंद) का एकीकृत विकास	91.45
31.	सिक्किम	पूर्वोत्तर परिपथ	सिक्किम में सिंगतम-माका-तेमी-बेरमोइक तोकल-फोंगिया-नामची-जोरथांग-ओकारे-सोमबारिया-दरमदीन-जोरेथांग-मेली (निकास) को जोड़ने वाले पर्यटक परिपथ विकास	95.32
32.	मध्य प्रदेश	विरासत परिपथ	विरासत परिपथ का विकास (ग्वालियर-ओरछा-खजुराहो-चंदेरी-भीमबेटका-मांडु) मध्य प्रदेश	99.77
33.	केरल	आध्यात्मिक परिपथ	केरल में आध्यात्मिक परिपथ के रूप में श्री पदमनाभा अरनामुला-सबरीमाला का विकास	92.44
34.	बिहार	आध्यात्मिक परिपथ	बिहार में आध्यात्मिक परिपथ के रूप में जैन परिपथ: वैशाली-आरा-मसाद-पटना-राजगीर-पावापुरी-चंपापुरी का विकास	52.39
35.	बिहार	आध्यात्मिक परिपथ	बिहार में आध्यात्मिक परिपथ के अंतर्गत कांवड़िया रूट, सुल्तानगंज देवघर का एकीकृत विकास - धर्मशाला	52.35
36.	ओडिशा	तटवर्ती परिपथ	ओडिशा में तटवर्ती परिपथ के रूप में गोपालपुर, बारकुल, सतपदा और तंपारा का विकास	76.49
37.	नागालैंड	जनजातीय परिपथ	नागालैंड में जनजातीय परिपथ का विकास (मोकोकचुंग-तुएनसांग-मोन)	99.67
38.	उत्तराखंड	विरासत परिपथ	उत्तराखंड में कुमांऊ क्षेत्र में कटारमलदेवीधुरा-बैजनाथ-जोगेश्वर-विरासत परिपथ का एकीकृत विकास	81.94
39.	जम्मू और कश्मीर	हिमालयन परिपथ	जम्मू और कश्मीर में हिमालयन परिपथ थीम के तहत जम्मू-राजौरी-शॉपियन-पुलवामा में पर्यटक सुविधाओं का एकीकृत विकास	96.38

1	2	3	4	5
40.	जम्मू और कश्मीर	हिमालयन परिपथ	जम्मू और कश्मीर के लिए प्रधानमंत्री विकास पैकेज के तहत 2014 में आई बाढ़ में हुई तबाही के एवज में परिसंपत्तियों के निर्माण के तहत पर्यटन सुविधा	98.70
41.	जम्मू और कश्मीर	हिमालयन परिपथ	जम्मू और कश्मीर में हिमालयन परिपथ थीम के तहत मंतालाई-सुधमहादेव-पटनीटॉप में पर्यटक सुविधाओं का एकीकृत विकास	97.82
42.	जम्मू और कश्मीर	हिमालयन परिपथ	जम्मू और कश्मीर में हिमालयन परिपथ थीम के अनंतनाग-किश्तवार-पहलगाम-दकसुम-रंजीत सागर बांध पर पर्यटक सुविधाओं का एकीकृत विकास	96.39
43.	जम्मू और कश्मीर	हिमालयन परिपथ	जम्मू और कश्मीर में हिमालयन परिपथ थीम के तहत गुलमर्ग-बारामुला-कुपवाड़ा-लेह परिपथ पर पर्यटक सुविधाओं का एकीकृत विकास	96.93
44.	उत्तर प्रदेश	बौद्ध परिपथ	उत्तर प्रदेश में श्रावस्ती, कुशीनगर एवं कपिलवस्तु बौद्ध परिपथ का विकास	99.97
45.	उत्तर प्रदेश	रामायण परिपथ	उत्तर प्रदेश में चित्रकूट और श्रृंगवेरपुर का रामायण परिपथ के रूप में विकास	69.45
46.	अंडमान और निकोबार द्वीपसमूह	तटवर्ती परिपथ	स्वदेश दर्शन योजना के तटवर्ती थीमैटिक परिपथ के तहत अंडमान और निकोबार में तटवर्ती परिपथ का विकास (लांग आईलैंड-रास स्मिथ आईलैंड-नील आईलैंड-हैवलॉक आईलैंड-वाराटांग आईलैंड-पोर्ट ब्लेयर)	42.19
47.	तमिलनाडु	तटवर्ती परिपथ	स्वदेश दर्शन योजना के तहत तमिलनाडु में तटवर्ती परिपथ का विकास (चैन्नई-मामल्लापुरम-रामेश्वरम-मानपाडु-कन्याकुमारी)	99.92
48.	उत्तर प्रदेश	आध्यात्मिक परिपथ	आध्यात्मिक परिपथ का विकास (शाहजहांपुर-बस्ती-अहर-अलीगढ़-कासगंज-सरोसी-प्रतापगढ-उन्नाव-कौशाम्बी-मिर्जापुर-गोरखपुर-केराना-दुमरियागंज-बागपत-बाराबंकी-आजमगढ़)	76.00
49.	उत्तर प्रदेश	आध्यात्मिक परिपथ	स्वदेश दर्शन योजना के तहत उत्तर प्रदेश में आध्यात्मिक परिपथ-II का विकास (बिजनौर-मेरठ-कानपुर-कानपुर देहात-बांदा-गाजीपुर- सलेमपुर-घोसी-बलिया-अंबेडकर नगर-अलीगढ़-फतेहपुर-देवरिया-महोबा-सोनभद्र-चन्दौली-मिसरिख-भदोही)	63.77

1	2	3	4	5
50.	उत्तर प्रदेश	विरासत परिपथ	स्वदेश दर्शन योजना के तहत उत्तर प्रदेश में विरासत परिपथ (कालिंजर किला (बांदा)-मरहर धाम (संतकबीर नगर)-चौरी चौरा, शहीद स्थल (फतेहपुर)-मावाहर स्थल (घोसी)- शहीद स्मारक (मेरठ) का विकास	41.51
51.	बिहार	बौद्ध परिपथ	बौद्ध परिपथ का विकास-बोधगया, बिहार में, सांस्कृतिक केन्द्र का निर्माण	98.73
52.	असम	विरासत परिपथ	स्वदेश दर्शन योजना के तहत असम में विरासत परिपथ के रूप में तेजपुर-माजुली-सिबसागर का विकास	98.35
53.	हिमाचल प्रदेश	हिमालयन परिपथ	स्वदेश दर्शन योजना के तहत हिमाचल प्रदेश में हिमालयन परिपथ का एकीकृत विकास	99.76
54.	मिज़ोरम	इको परिपथ	स्वदेश दर्शन योजना के इको परिपथ थीम के तहत "इको-रोमांचकारी परिपथ आइजवाल-रॉपुइछिप-खॉहफॉव-लेंगपुर-डर्टलॉग-चतलांग-सकव्रवमुईट्वेट-लॉग-मुथी-बेराटलॉग-तुइरियाल एयर फील्ड-मुईफॉग" का विकास	99.07
55.	राजस्थान	आध्यात्मिक परिपथ	स्वदेश दर्शन योजना के तहत राजस्थान में आध्यात्मिक परिपथ-चुरु (सालासर बालाजी)-जयपुर (श्री समोदे बालाजी, घटके बालाजी, बांधेके बालाजी) - अलवर (पांडुपोल हनुमानजी, भरतहरि)-विराटनगर (बीजक, जैन्नासिया, अम्बिका मंदिर)-भरतपुर (कमान क्षेत्र)-धौलपुर (मुचकुंद)-मेहंदीपुर बालाजी-चित्तौड़गढ़ (सॉवलियाजी) का विकास	93.90
56.	गुजरात	विरासत परिपथ	स्वदेश दर्शन योजना के तहत गुजरात में विरासत परिपथ : वाडनगर-मोधेरा और पाटन का विकास	99.81
	2016-17 का योग			3192.19
वर्ष 2017-18				
57.	बिहार	ग्रामीण परिपथ	स्वदेश दर्शन योजना के ग्रामीण परिपथ थीम के अंतर्गत बिहार में गांधी परिपथ : भितिहरवा-चन्द्रहिया-तुरकौलिया का विकास	44.65
58.	गोवा	तटवर्ती परिपथ	स्वदेश दर्शन योजना के तहत अंतर्गत गोवा में तटवर्ती परिपथ-II: रुआ दि ओरम क्रीक-डोन पौला-कोलवा-बेनौलिम का विकास	99.35
59.	गुजरात	बौद्ध परिपथ	स्वदेश दर्शन योजना के तहत गुजरात में बौद्ध परिपथ : जूनागढ़-गिर-सोमनाथ-भड़ूच-कच्छ-भावनगर-राजकोट-मेंहसांणा का विकास	35.99

1	2	3	4	5
60.	पुदुचेरी	विरासत परिपथ	स्वदेश दर्शन योजना के तहत पुदुचेरी में विरासत परिपथ का विकास	66.35
61.	पुदुचेरी	आध्यात्मिक परिपथ	स्वदेश दर्शन योजना के तहत पुदुचेरी में आध्यात्मिक परिपथ का विकास	40.68
62.	राजस्थान	विरासत परिपथ	स्वदेश दर्शन योजना के तहत अंतर्गत राजस्थान में विरासत परिपथ : राजसमंद (कुंभलगढ़ का किला) - जयपुर (नाहरगढ़ का किला) - अलवर (बाला किला)-सवाई माधोपुर (रणथम्बौर) का किला और खंडार किला)-झलावड़-(गागरों का किला)-चित्तौड़गढ़ (चित्तौड़गढ़ का किला)-जैसलमेर (जैसलमेर का किला) - हनुमानगढ़ (कालीबंगन, भटनेर किला और गोगामेड़ी)-जलोड़ (जलोड़ का किला) - उदयपुर (प्रताप गौरव केन्द्र)-धौलपुर (बाग ई-निलोफर और पुरानी छावनी)-नागौर (मीराबाई मंदिर) का विकास	99.60
63.	तेलंगाना	विरासत परिपथ	स्वदेश दर्शन योजना के तहत तेलंगाना में विरासत परिपथ : कुतुब शाही विरासती पार्क-पाइगाह का मज़ार-हयात बक्शी की मस्जिद, रेमण्ड की मज़ार का विकास	99.42
64.	बिहार	आध्यात्मिक परिपथ	स्वदेश दर्शन योजना के आध्यात्मिक परिपथ के तहत मंदार हिल और अंग प्रदेश का विकास	53.49
65.	मध्य प्रदेश	इको परिपथ	स्वदेश दर्शन योजना के इको परिपथ के अंतर्गत गांधीसागर बांध, मंडलेश्वर बांध, ओंमकारेश्वर बांध, इन्दिरा सागर बांध, तवा बांध, बारगी बांध, भेड़ाघाट-बनसागर बांध, केन रिवर का विकास	99.62
66.	उत्तर प्रदेश	रामायण परिपथ	स्वदेश दर्शन योजना के रामायण परिपथ के अंतर्गत अयोध्या का विकास	133.31
67.	आंध्र प्रदेश	बौद्ध परिपथ	स्वदेश दर्शन योजना के अंतर्गत आंध्र प्रदेश में बौद्ध परिपथ थीम के अंतर्गत शामिलहुंडम-थोटलाकोंडा-बावीकोंडा-बोज्जनाकोंडा-अमरावती-अनुपू बौद्ध परिपथ का विकास	52.34
	2017-18 का योग			824.8
वर्ष 2018-19				
68.	महाराष्ट्र	आध्यात्मिक परिपथ	महराष्ट्र में वाकी-अडासा-धापेवाड़ा-पराधसिंघा-छोटा ताज बाग-तेलाखांडी-गिराड का विकास	54.01
69.		बौद्ध परिपथ और रामायण परिपथ	पर्यटन मंत्रालय द्वारा बौद्ध परिपथ और रामायण परिपथ के तहत मार्गस्थ सुविधाओं का विकास: वाराणसी-गया; लखनऊ-अयोध्या-गोरखपुर-कुशीनगर, कुशीनगर-गया-कुशीनगर	18.10
	2018-19 का योग			72.11
	कुल योग			5711.79

प्रशाद योजना

(करोड़ रुपए में)

क्र. सं.	राज्य	परियोजनाओं का नाम	स्वीकृति का वर्ष	स्वीकृत राशि
1	2	3	4	5
1.	आंध्र प्रदेश	पर्यटक गंतव्यों के रूप में अमरावती टाउन, गुंटूर जिला का विकास	2015-16	28.36
2.	आंध्र प्रदेश	श्रीसेलम मंदिर का विकास	2017-18	47.45
3.	असम	गुवाहाटी में कामाख्या मंदिर और उसके आस-पास तीर्थ गंतव्य का विकास	2015-16	33.98
4.	बिहार	विष्णुपद मंदिर, गया, बिहार में मूलभूत सुविधाओं का विकास	2014-15	4.27
5.	बिहार	पटना साहेब का विकास	2015-16	41.54
6.	गुजरात	द्वारका का विकास	2016-17	26.23
7.	गुजरात	सोमनाथ में तीर्थस्थल सुविधाओं का विकास	2016-17	37.44
8.	जम्मू और कश्मीर	हजरतबल का विकास	2016-17	42.02
9.	केरल	गुरुवायर मंदिर का विकास	2016-17	46.14
10.	मध्य प्रदेश	ओंकारेश्वर का विकास	2017-18	40.67
11.	ओडिशा	मेगा परिपथ के तहत पुरी, श्री जगन्नाथ धाम-रामचंडी देवली में प्राची रिवर फ्रंट में अवसंरचना विकास	2014-15	50.00
12.	पंजाब	अमृतसर में करुणा सागर वाल्मिकी स्थल का विकास	2015-16	6.45
13.	राजस्थान	पुष्कर/अजमेर का एकीकृत विकास	2015-16	40.44
14.	तमिलनाडु	कांचीपुरम का विकास	2016-17	16.48
15.	तमिलनाडु	वेलानकनी का विकास	2016-17	5.60
16.	उत्तराखंड	केदारनाथ का एकीकृत विकास	2015-16	34.78
17.	उत्तर प्रदेश	मेगा पर्यटक परिपथ (चरण-II) के रूप में मथुरा-वृंदावन का विकास	2014-15	14.93
18.	उत्तर प्रदेश	वृंदावन, जिला मथुरा में पर्यटन सुविधा केन्द्र का निर्माण	2014-15	9.36
19.	उत्तर प्रदेश	वाराणसी का विकास	2015-16	20.40
20.	पश्चिम बंगाल	बेलूर का विकास	2016-17	30.03

1	2	3	4	5
21.	उत्तर प्रदेश	गंगा नदी, वाराणसी में क्रूज पर्यटन	2017-18	10.72
22.	महाराष्ट्र	त्रिम्बकेश्वर का विकास	2017-18	37.81
23.	उत्तर प्रदेश	प्रशाद योजना-II के अंतर्गत वाराणसी का विकास	2017-18	62.82
24.	उत्तराखंड	प्रशाद योजना के अंतर्गत बद्रीनाथ जी धाम (उत्तराखंड) में तीर्थयात्रा सुविधा के लिए बुनियादी ढांचे का विकास	2018-19	39.24
	योग			727.16

पर्यटन अवसंरचना विकास हेतु केन्द्रीय एजेंसियों को सहायता

(लाख रुपए)

क्र. सं.	राज्य	परियोजना का नाम	कार्यकारी एजेंसी	स्वीकृत राशि
1	2	3	4	5
2014-15				
1.	दमन और दीव	दीव किला, दीव में साउंड एवं लाइट शो	आईटीडीसी	775.54
2.	गोवा	मोरमुगांव पोर्ट ट्रस्ट में क्रूज टर्मिनल बिल्डिंग	मुर्मुगांव पत्तन न्यास	879.04
3.	राजस्थान	रेल मंत्रालय के सहयोग से जयपुर रेलवे स्टेशन में पर्यटक सुविधाओं का संयुक्त विकास	उत्तर पश्चिमी रेल, रेल मंत्रालय	488.00
4.	राजस्थान	रेल मंत्रालय के सहयोग से अजमेर रेलवे स्टेशन में पर्यटक सुविधाओं का संयुक्त विकास	उत्तर पश्चिमी रेल, रेल मंत्रालय	552.00
5.	आंध्र प्रदेश/महाराष्ट्र	विजाग - अराकू वैली विशाखापट्टनम पारदर्शी कोचों का विनिर्माण सुरम्य कोंकण रेलवे मार्ग दादर-मडगांव मुंबई के लिए पारदर्शी कोचों का विनिर्माण	इन्टीग्रल कोच फैक्ट्री	800.00
6.	जम्मू और कश्मीर	बदगाम - बनिहाल और बारामुला - ग्लास टाप कोच का विनिर्माण	आईआरसीटीसी	400.00
7.	उत्तर प्रदेश	वाराणसी/सारनाथ में स्मारकों का प्रदीप्तिकरण (सारनाथ में धमेख स्तूप, सारनाथ में चौखंडी स्तूप, सारनाथ में ललकान का मकबरा और बनारस में मन महल)	आईटीडीसी	512.43

1	2	3	4	5
वर्ष 2015-16 के दौरान कोई परियोजना स्वीकृत नहीं की गई।				
2016-17				
8.	आंध्र प्रदेश	रेल मंत्रालय के सहयोग से तिरुपति रेलवे स्टेशन पर पर्यटक सुविधाओं का संयुक्त विकास	दक्षिण मध्य रेलवे, रेल मंत्रालय	575.00
9.	कर्नाटक	रेल मंत्रालय के सहयोग से होसपेट रेलवे स्टेशन पर पर्यटक सुविधाओं का संयुक्त विकास	दक्षिण मध्य रेलवे, रेल मंत्रालय	541.00
10.	केरल	विलिंगडन आईलैंड, कोचीन केरल में वॉकवे/प्रोमीनेड का विकास	कोचीन पत्तन न्यास	901.00
11.	केरल	एर्नाकुलम वार्फ के बैकप क्षेत्र तथा बर्थ के उन्नयन हेतु केन्द्रीय वित्तीय सहायता	कोचीन पत्तन न्यास	2141.00
12.	केरल	भारतीय खेल प्राधिकरण द्वारा एसएआई त्रिवेन्द्रम गोल्फ क्लब पर गोल्फ कोर्स के उन्नयन हेतु परियोजना	भारतीय खेल प्राधिकरण (नई दिल्ली)	2464.99
13.	महाराष्ट्र	पर्यटक गंतव्य के रूप में कनोजी अंग्रे लाईट हाउस के विकास हेतु मुंबई पत्तन न्यास को केन्द्रीय वित्तीय सहायता	मुंबई पत्तन न्यास	1500.00
14.	महाराष्ट्र	रेल मंत्रालय के सहयोग से नांदेड़ रेलवे स्टेशन पर पर्यटक सुविधाओं का संयुक्त विकास	दक्षिण मध्य रेलवे, रेल मंत्रालय	518.00
15.	ओडिशा	रेल मंत्रालय के सहयोग से पुरी रेलवे स्टेशन पर पर्यटक सुविधाओं का संयुक्त विकास	पूवी तट रेलवे, रेल मंत्रालय	614.81
16.	तेलंगाना	रेल मंत्रालय के सहयोग से हैदराबाद रेलवे स्टेशन पर पर्यटक सुविधाओं का संयुक्त विकास	दक्षिण मध्य रेलवे, रेल मंत्रालय	441.00
2017-18				
17.	आंध्र प्रदेश	ध्वनि और लाइट शो, पुट्टपार्थी, आंध्र प्रदेश	आईटीडीसी	708.67
18.	दिल्ली	ध्वनि और लाइट शो, लाल किला	आईटीडीसी	1370.00
19.	गोवा	कोंकण रेलवे निगम लिमिटेड से गोवा राज्य में मडगांव, थिवीम और कर्मली रेलवे स्टेशनों में पर्यटन बुनिचयादी ढांचे का विकास	कोंकण रेलवे निगम लि.	2499.98
20.	हरियाणा	एसईएल, यादविंद्र गार्डन, पिंजौर हरियाणा	आईटीडीसी	600.00
21.	महाराष्ट्र	इंदिरा डॉक, मुंबई में अंतर्राष्ट्रीय क्रूज टर्मिनल का उन्नयन आधुनिकीकरण	मुंबई पोर्ट ट्रस्ट	1250.00

1	2	3	4	5
22.	महाराष्ट्र	रेल मंत्रालय के सहयोग से औरंगाबाद रेलवे स्टेशन पर पर्यटक सुविधाओं का संयुक्त विकास	दक्षिण मध्य रेलवे	571.00
23.	पंजाब	जेसीपी अटारी, में अवसंरचनात्मक विकास के लिए परियोजना	बीएसएफ	1287.00
24.	तमिलनाडु	रेल मंत्रालय के सहयोग से रामेश्वरम रेलवे स्टेशन पर पर्यटक सुविधाओं का संयुक्त विकास	दक्षिण रेलवे	470.00
25.	तमिलनाडु	रेल मंत्रालय के सहयोग से मदुरै रेलवे स्टेशन पर पर्यटक सुविधाओं का संयुक्त विकास	दक्षिण रेलवे	447.00
26.	उत्तर प्रदेश	वाराणसी, उत्तर प्रदेश में 3 स्मारकों का प्रदीप्तिकरण	केन्द्रीय लोक निर्माण विभाग	293.00
27.	पश्चिम बंगाल	रेल मंत्रालय के सहयोग से रामपुरहट रेलवे स्टेशन पर पर्यटक सुविधाओं का संयुक्त विकास	पूर्वी रेलवे	348.00
28.	पश्चिम बंगाल	रेल मंत्रालय के सहयोग में तारकेश्वर रेलवे स्टेशन पर पर्यटक सुविधाओं का संयुक्त विकास	पूर्वी रेलवे	386.00
	योग			24334.46

सामाजिक सुरक्षा बीमा योजना

2067. श्री रामदास सी. तडस :
श्री चन्द्र प्रकाश जोशी :

क्या **श्रम और रोजगार मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने सामाजिक सुरक्षा बीमा योजना कार्यान्वित की है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इस योजना के अंतर्गत कवर किए गए कामगारों की राज्य/संघ राज्य क्षेत्र-वार संख्या कितनी है;

(ग) किन क्षेत्रों में वर्तमान में इसे अनिवार्य किया गया है;

(घ) क्या इसे सीमेंट उद्योग में भी कार्यान्वित किया गया है; और

(ङ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और सीमेंट उद्योग संबंधी संगठनों में इसके अंतर्गत कितने कामगार लाभांवित हुए हैं?

श्रम और रोजगार मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री संतोष कुमार गंगवार) : (क) से (ङ) असंगठित क्षेत्र में कामगारों को सामाजिक सुरक्षा लाभ पहुंचाने के उद्देश्य से असंगठित कामगार सामाजिक सुरक्षा अधिनियम, 2008 अधिनियमित किया गया है, ताकि असंगठित कामगारों को जीवन और अशक्तता कवर स्वास्थ्य और प्रसूति लाभ, वृद्धावस्था सुरक्षा से संबंधित मामलों में कल्याण योजनाएं उपलब्ध कराई जा सकें।

2017 में केन्द्र सरकार ने असंगठित कामगारों सहित सीमेंट उद्योग में कार्यरत कामगारों को उनकी पात्रता के आधार पर जीवन और अशक्तता कवरेज उपलब्ध कराने के लिए आम आदमी बीमा योजना (एएबीवाई) की सामाजिक सुरक्षा योजना के साथ प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना (पीएमजेजेबीवाई) और प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना (पीएमजेजेबीवाई) को भी आमेलित किया है।

आमेलित पीएमजेजेबीवाई/पीएमएसबीवाई योजना 18-50 वर्ष के आयु वर्ग के लाभार्थियों के लिए है और इसमें स्वाभाविक मृत्यु की स्थिति में 2 लाख रुपए और दुर्घटनाजन्य मृत्यु की स्थिति में 4 लाख रुपए का कवरेज प्रदान किया जाता है। आमेलित योजनाएं एलआईसी के माध्यम से चलाई जा रही हैं। आमेलित योजनाओं के लिए प्रति वर्ष 342 रुपए (330+12) का प्रीमियम अपेक्षित होगा। यह प्रीमियम 50:50 के अनुपात में राज्य सरकार और केंद्र सरकार के बीच साझा किए जाएंगे। यद्यपि, इसे किसी भी क्षेत्र में अनिवार्य नहीं किया गया है, लकिन इस मंत्रालय

ने सभी पात्र असंगठित कामगारों के लिए प्रीमियम का 50 प्रतिशत कवर करने हेतु राज्य सरकारों से अपनी वित्तीय सहमति देने का आग्रह किया है। लगभग 2.83 करोड़ लाभार्थी इस योजना के अंतर्गत कवर किए गए हैं। राज्य-वार ब्यौरा संलग्न विवरण पर है। एलआईसी अथवा केंद्र सरकार द्वारा ऐसा कोई आंकड़ा अलग से नहीं रखा जा रहा है जिससे यह पता चले कि कितने लाभार्थी सीमेंट उद्योग में हैं।

विवरण

मार्च, 2018 के अनुसार एमजेजेबीवाई/पीएमएसबीवाई के अंतर्गत लाभार्थियों की संख्या

राज्य	लाभार्थियों की संख्या
1	2
आंध्र प्रदेश	22400000
अंडमान और निकोबार द्वीपसमूह	—
अरुणाचल प्रदेश	—
असम	79000
बिहार	78000
चंडीगढ़	—
छत्तीसगढ़	4500000
दिल्ली	—
गोवा	—
गुजरात	—
हरियाणा	—
हिमाचल प्रदेश	—
जम्मू और कश्मीर	52000
झारखंड	234000
कर्नाटक	1683000
केरल	840000
मध्य प्रदेश	—
महाराष्ट्र	—
मणिपुर	—
मेघालय	—
मिज़ोरम	—
नागालैंड	—
ओडिशा	270000
पुदुचेरी	—
पंजाब	—
राजस्थान	1660000
सिक्किम	—
तमिलनाडु	—
तेलंगाना	—
त्रिपुरा	—
उत्तर प्रदेश	600000
उत्तराखंड	—
पश्चिम बंगाल	—
कुल	28300000

स्मारकों के विकास और पुनरुद्धार हेतु नीति

2068. श्री नट्टूभाई गोमनभाई पटेल :
श्री कपिल मोरेश्वर पाटील :
श्री रवीन्द्र कुमार जेना :
श्री बदरुद्दीन अज़मल :

क्या **संस्कृति मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) उन संरक्षित स्मारकों, मंदिरों, संग्रहालयों और किलों का ब्यौरा क्या हैं जो प्राकृतिक आपदाओं के कारण जीण-शीर्ण अवस्था में पड़े हैं और समुचित रखरखाव के अभाव के कारण धराशाही होने की कगार पर हैं और सरकार द्वारा जिनका पुनरुद्धार का कार्य प्रारंभ किया गया है, उनका राज्य/संघ राज्यक्षेत्र-वार और स्मारक-वार ब्यौरा क्या है;

(ख) सरकार द्वारा उत्तर प्रदेश, दिल्ली और ओडिशा सहित देश में राज्य-वार ऐतिहासिक स्थलों, भवनों, किलों संग्रहालय और अन्य स्थलों के नवीनीकरण, पुनरुद्धार, सुंदरीकरण और विकास हेतु उठाए नए कदमों सहित तैयार की गई प्रस्तावित नीति का ब्यौरा क्या है;

(ग) गत पांच वर्षों के प्रत्येक वर्ष और चालू वर्ष के दौरान इन स्मारकों के संरक्षण के लिए आवंटित और खर्च की गई नीतियों का ब्यौरा क्या है और उक्त अवधि के दौरान टिकटों की बिक्री के माध्यम से इन स्मारकों से अर्जित राजस्व का राज्य और स्मारक-वार ब्यौरा क्या है; और

(घ) सरकार द्वारा घरेलू पर्यटकों के साथ-साथ विदेशी पर्यटकों को सर्वोत्तम सुविधाएं प्रदान करने के लिए और पर्यटकों की संख्या में वृद्धि हेतु क्या कदम उठाए गए हैं?

संस्कृति मंत्रालय के राज्य मंत्री तथा पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय में राज्य मंत्री (डॉ. महेश शर्मा) : (क) और (ख) जी, नहीं। देश में भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण के अधीन उत्तर प्रदेश, दिल्ली और ओडिशा सहित राष्ट्रीय महत्व के संरक्षित स्मारकों का संरक्षण कार्य नियमित रूप से विभिन्न स्थलों की आवश्यकताओं और संसाधनों की उपलब्धता के अनुसार किया जाता है तथा वे भली-भांति परिरक्षित हैं। संग्रहालयों का अनुरक्षण भी इसी प्रकार समुचित रूप से किया जाता है। भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण ने संरक्षित स्मारकों के संरक्षण के लिए पहले ही व्यापक संरक्षण नीति बना दी है जिसका ब्यौरा भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण की वेबसाइट *www.asi.nic.in* पर उपलब्ध है।

(ग) पिछले पांच वर्षों के दौरान संरक्षित स्मारकों के संरक्षण के लिए आबंटित निधियों और किए गए खर्च तथा वित्तीय वर्ष के लिए आबंटन का ब्यौरा संलग्न विवरण-I में दिया गया है। इसी अवधि के दौरान प्रवेश टिकटों की बिक्री से प्राप्त राजस्व का ब्यौरा संलग्न विवरण-II में दिया गया है।

(घ) संरक्षित स्मारक अच्छी अवस्था में रखे जाते हैं। जनसुविधाओं का आवश्यकता अनुसार उन्नयन किया जाता है। ऐसी सभी विशेषताएं देश में धरोहर स्मारकों को देखने के लिए पर्यटकों को आकर्षित करने का कार्य करती हैं।

विवरण-I

विगत पांच वर्षों के दौरान भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण के अंतर्गत संरक्षित स्मारकों के संरक्षण पर खर्च किया गया व्यय तथा चालू वित्त वर्ष के लिए आवंटन का विवरण

(राशि लाख रुपयों में)

क्र. सं.	राज्य/संघ राज्य क्षेत्र का नाम	मंडल/शाखा	स्मारकों की कुल संख्या	व्यय					आबंटन
				2013-14	2014-15	2015-16	2016-17	2017-18	2018-19
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1.	उत्तर प्रदेश	आगरा मंडल	743	957.97	1404.99	1270.00	940.00	850.00	800.00
		लखनऊ मंडल		944.99	1165.00	945.08	688.52	648.97	650.00
		सारनाथ मंडल		—	534.99	495.00	230.20	200.00	225.00
2.	महाराष्ट्र	औरंगाबाद मंडल	286	493.00	695.00	629.05	334.00	544.99	550.00
		मुंबई मंडल		415.00	645.00	902.82	900.48	914.98	850.00
		नागपुर मंडल		—	444.98	845.00	395.54	530.00	530.00
3.	कर्नाटक	बंगलौर मंडल	506	1253.00	1515.99	1427.02	1009.50	1056.89	950.00
		लघु मंडल हम्पी		—	90.00	401.24	800.31	660.00	650.00
		धारवाड़ मंडल		993.79	713.94	716.42	516.98	597.99	600.00

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
4.	मध्य प्रदेश	भोपाल मंडल	292	716.99	956.99	1261.01	745.00	779.98	750.00
5.	ओडिशा	भुवनेश्वर मंडल	79	280.00	596.99	679.52	865.00	689.92	550.00
6.	पश्चिम बंगाल	कोलकाता मंडल	136	448.18	549.63	537.95	280.68	521.00	751.18
	सिक्किम		03						
7.	तमिलनाडु	चेन्नई मंडल	413	845.00	1070.01	919.10	583.98	460.05	500.00
	पुदुचेरी (संघ राज्य क्षेत्र)		07						
8.	पंजाब	चंडीगढ़ मंडल	33	795.92	875.85	634.98	523.85	424.91	425.00
	हरियाणा		91						
9.	हिमाचल प्रदेश	शिमला मंडल	40	155.86	315.00	300.00	106.22	148.75	150.00
10.	दिल्ली	दिल्ली मंडल	111	1300.19	1499.75	1176.73	562.50	901.88	1883.65
		दिल्ली लघु मंडल	63	—	—	—	418.05	640.11	600.00
11.	गोवा	गोवा मंडल	21	144.50	397.36	240.99	155.30	239.64	240.00
12.	असम	गुवाहाटी मंडल	55	174.94	292.56	395.07	262.19	377.00	300.00
	मणिपुर		01						
	मेघालय	आईजौल मंडल,	08				72.20	86.20	100.00
	मिजोरम	मिजोरम	01						
	नागालैंड		04						
	त्रिपुरा		08						
	अरुणाचल प्रदेश		03						
13.	राजस्थान	जयपुर मंडल	162	521.48	610.00	512.98	208.48	255.00	260.00
		जोधपुर मंडल		—	569.96	729.29	322.42	370.00	375.00
14.	आंध्र प्रदेश	अमरावती मंडल	129	1068.43	998.32	776.61	841.50	350.00	650.00
15.	तेलंगाना	हैदराबाद मंडल	08						350.00
16.	बिहार	पटना मंडल	70	263.00	414.99	374.99	153.53	195.00	250.00
17.	जम्मू और कश्मीर	श्रीनगर मंडल	56	260.00	443.00	135.07	95.83	215.00	250.00
		लघु मंडल लेह	13	116.83	141.98	131.50	43.40	54.09	55.00

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
18.	केरल	त्रिशूर मंडल	28	455.00	647.19	545.00	284.98	325.00	350.00
19.	गुजरात	वडोदरा मंडल	203	655.00	847.99	1123.07	1385.00	1117.99	950.00
	दमन और दीव (संघ राज्य क्षेत्र)		12						
20.	उत्तराखंड	देहरादून मंडल	42	210.49	264.99	215.00	55.07	700.00	70.00
21.	छत्तीसगढ़	रायपुर मंडल	47	468.40	587.89	670.33	216.30	176.39	175.00
22.	झारखंड	रांची मंडल	13	69.00	115.98	147.61	50.13	175.00	150.00
		रासायनिक परिरक्षण (संपूर्ण भारत)	—	510.85	787.65	729.60	690.13	549.79	582.00
		उद्यान कार्याकलाप (संपूर्ण भारत)	—	2446.05	3357.98	3878.22	4655.95	5528.20	5300.00
		मुख्यालय, कार्यालय	—	—	—	—	10783.00	19737.09	19016.35
		आरक्षित	—	—	—	—	—	—	289.68
	कुल		3687	16963.86	23551.95	23746.25	30176.22	40391.81	41127.86

विवरण-II

पिछले पांच वर्षों और चालू वित्त वर्ष जून 2018 के दौरान टिकटेड स्मारकों से अर्जित राजस्व का राज्य-वार ब्यौरा

(राशि रुपयों में)

क्र. सं.	राज्य/संघ राज्य क्षेत्र	प्रवेश टिकटों	प्रवेश टिकटों के द्वारा अर्जित राजस्व					
			2013-14	2014-15	2015-16	2016-17	2017-18	2018-19 जून, 2018 तक
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1.	उत्तर प्रदेश	17	413375025	421576189	401296845	933984499	1166599391	177363660
2.	महाराष्ट्र	16	67839780	71537470	766664170	195156349	267753165	46827845
3.	कर्नाटक	12	87275360	45475095	48898930	111370640	150418365	21528255
4.	मध्य प्रदेश	08	33652355	33158710	32515595	69360545	96838854	9158180
5.	ओडिशा	05	28028120	28611870	33940475	77401015	104440555	20437105

1	2	3	4	5	6	7	8	9
6.	पश्चिम बंगाल	03	9984265	10232515	11856015	21178840	30601775	4510525
7.	तमिलनाडु	07	29653365	29118565	28769009	64046740	96286745	12771480
8.	हरियाणा	02	697725	895470	1115765	2657035	3332384	664860
9.	हिमाचल प्रदेश	02	921590	1061690	1263620	3812415	5000885	1148535
10.	दिल्ली	10	243794140	237671765	247298945	548856710	569644895	167229670
11.	असम	05	5114100	1907651	2418545	6230995	10013685	1251615
12.	राजस्थान	03	7686135	5427505	8581290	18561295	26946932	4306630
13.	आंध्र प्रदेश	05	1537700	1823385	1753600	7222075	6636960	1188500
14.	तेलंगाना	03	18413615	20089095	20261840	49592940	67206815	13632640
15.	बिहार	05	8625690	6500900	9736860	27361970	32678985	3760645
16.	जम्मू और कश्मीर	04	1067769	1337015	1340375	2754340	2983375	999601
17.	केरल	02	3410545	3605915	3949135	7902395	10124450	2269415
18.	गुजरात	06	7082460	7422800	7466990	16000110	16975315	2634125
19.	छत्तीसगढ़	01	341315	380300	414350	801185	1389430	164860

[अनुवाद]

भारत में अध्ययन

2069. श्री सी. महेन्द्रन : क्या **मानव संसाधन विकास मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने हाल ही में भारत में उच्च शिक्षा का अध्ययन करने की दृष्टि से विदेशी विद्यार्थियों को आमंत्रित करने हेतु 'भारत में अध्ययन' नामक कार्यक्रम को अनुमोदित किया है

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या इससे देश में विदेशी विद्यार्थियों की संख्या में बढ़ोतरी होगी जो विश्व में भारतीय शिक्षा संस्थानों की प्रतिष्ठा और रैंक में बढ़ोतरी करेगा;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ङ) क्या इससे विश्व शिक्षा के निर्यात के बाजार में भारत की हिस्सेदारी दोगुणा हो जाएगी अर्थात् एक प्रतिशत से बढ़कर दो प्रतिशत हो जाएगी; और

(च) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

मानव संसाधन विकास मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा जल संसाधन, नदी विकास और गंगा संरक्षण मंत्रालय में राज्य मंत्री (डॉ. सत्यपाल सिंह) : (क) से (च) भारत में उच्चतर शिक्षा के अंतर्राष्ट्रीयकरण की सुविधा प्रदान करने के लिए 'स्टडी इन इंडिया' कार्यक्रम की शुरूआत दिनांक 18.04.2018 को की गई है, इसका उद्देश्य विदेशी छात्रों के लिए भारत को शिक्षा हब बनाना; पड़ोसी देशों पर फोकस करते हुए भारत की सॉफ्ट शक्ति में सुधार करना और इसे राजनैतिक-कौशल में साधन के रूप उपयोग करना; व्यस्थित ढंग से एक छवि का निर्माण, कर मार्केटिंग, सोशल मीडिया और डिजिटल मार्केटिंग अभियान के माध्यम से भारत आने वाले अंतर्राष्ट्रीय छात्रों के प्रवाह को बढ़ावा देना; वैश्विक शिक्षा निर्यातों में भारत का मार्केट शेयर बढ़ाना; उच्चतर शिक्षा की समग्र गुणवत्ता में सुधार; आने-जाने वाले अंतर्राष्ट्रीय छात्रों के असंतुलन को कम करना; भारत की वैश्विक मार्केट में अंतर्राष्ट्रीय छात्रों के शेयर में वृद्धि; एवं भारत की वैश्विक रैंकिंग में बढ़ोत्तरी करना आदि है।

शुरूआत में, कार्यक्रम शैक्षिक वर्ष 2018-19 और 2019-20 के लिए दक्षिण-पूर्व एशिया, मध्य एशिया और अफ्रीका से चयनित पूरे 30 देशों से दो वर्ष की अवधि के लिए अंतर्राष्ट्रीय छात्रों पर फोकस करता है। यह कार्यक्रम किफायती दर पर अंतर्राष्ट्रीय छात्रों के लिए सीट प्रदान करने में चयनित प्रतिष्ठित भारतीय संस्थानों/विश्वविद्यालयों की भागीदारी की परिकल्पना करता है। यह कार्यक्रम कोई छात्रवृत्ति प्रदान नहीं करता है, तथापि, मेधावी विदेशी छात्रों को 100% से 25% तक शुल्क माफी देता है।

एक केन्द्रीयकृत दाखिला वेब-पोर्टल *(https://studyinindia/gov.in/)* विदेशी छात्रों के दाखिला हेतु एकल खिड़की के रूप में कार्य करता है। एडसिल (इंडिया) लिमिटेड इस कार्यक्रम के लिए कार्यान्वयन एजेंसी है।

अति विशिष्ट उपचार हेतु पात्रता मापदंड

2070. श्री के.सी. वेणुगोपाल : क्या **श्रम और रोजगार मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने इस बात को नोट किया है कि अति विशिष्ट अस्पतालों में उपचार प्राप्त करने संबंधी पात्रता मापदंड को 39 दिन से बढ़ाकर 156 दिन करने के उनके निर्णय से ई.एस.आई. योजना के अंतर्गत आने वाले कर्मचारियों को कठिनाई हो रही है; यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ख) क्या कर्मचारियों के हित में सरकार अपने निर्णय में संशोधन करने का विचार रखती है; और

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं?

श्रम और रोजगार मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री संतोष कुमार गंगवार) : (क) जी, हां।

(ख) और (ग) निर्णय पर पुन: विचार करने हेतु मामला कर्मचारी राज्य बीमा निगम की 173वीं बैठक में उठाया गया था। निगम ने मामले की जांच करने हेतु एक उप-समिति गठित करने का निर्णय लिया।

माननीय अध्यक्ष : माननीय सदस्यगण, मुझे विभिन्न विषयों पर कुद सदस्यों से 'स्थगत प्रस्ताव की सूचनाएं प्राप्त हुई हैं। मामले महत्वपूर्ण हैं, मगर व्यवधान डालना आवश्यक नहीं हैं। इसलिए मैंने 'स्थगत प्रस्ताव' संबंधी किसी भी सूचना के लिए अनुमति प्रदान नहीं की है।

[अनुवाद]

अपराह्न 12.01 बजे

सभा पटल पर रखे गए पत्र

माननीय अध्यक्ष महोदय : अब पत्र सभा पटल पर रखे जाएंगे।

पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय तथा कौशल विकास और उद्यमिता मंत्री (श्री धर्मेन्द्र प्रधान) : महोदया, मैं निम्नलिखित पत्र सभा-पटल पर रखता हूं:—

(1) पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस विनियामक बोर्ड अधिनियम, 2006 की धारा 62 के अंतर्गत पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस विनियामक बोर्ड (कंपनियों को शहरी या स्थानीय प्राकृतिक गैस संवितरण नेटवर्क बिछाने, बनाने, संचालित करने या उनका विस्तार करने हेतु प्राधिकृत किया जाना) संशोधन विनियम, 2018, जो 6 अप्रैल, 2018 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना सं. एफ.सं. पीएनजीआरबी/अथ./सीजीडी/एएमडी/2018 में प्रकाशित हुए थे, की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[ग्रंथालय में रखा गया। *देखिए* संख्या एल.टी. 9410/16/18]

(2) (एक) सोसाइटी फॉर पेट्रोलियम लेबोरेटरी, नोएडा के वर्ष 2016-2017 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।

(दो) सोसाइटी फॉर पेट्रोलियम लेबोरेटरी, नोएडा के वर्ष 2016-2017 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा के बारे में विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(3) उपर्युक्त (2) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलम्ब के कारण दर्शाने वाला विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[ग्रंथालय में रखा गया। *देखिए* संख्या एल.टी. 9411/16/18]

[हिन्दी]

श्रम और रोजगार मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री संतोष कुमार गंगवार) : महोदया, मैं कर्मचारी भविष्य निधि स्कीम, 1952 के अंतर्गत जारी अधिसूचना सं. का.आ. 2011(अ), जो 21 मई, 2018 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुई थी तथा जो उक्त स्कीम के अधीन नियोक्ता द्वारा देय प्रशासनिक शुल्क की दर को 0.65 प्रतिशत से कम करके 0.05 प्रतिशत किए जाने के बारे में है, की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) सभा पटल पर रखता हूं।

[ग्रंथालय में रखा गया। *देखिए* संख्या एल.टी. 9412/16/18]

सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री गिरिराज सिंह) : महोदया, मैं निम्नलिखित पत्र सभा पटल पर रखता हूं:–।

1. (एक) नेशनल इंस्टीट्यूट फॉर माइक्रो, स्मॉल और मीडियम इंटरप्राइजेज, हैदराबाद के वर्ष 2016-2017 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।

   (दो) नेशनल इंस्टीट्यूट फॉर माइक्रो, स्मॉल और मीडियम इंटरप्राइजेज, हैदराबाद के वर्ष 2016-2017 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा के बारे में विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

2. उपर्युक्त (1) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलम्ब के कारण दर्शाने वाला विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[ग्रंथालय में रखा गया। *देखिए* संख्या एल.टी. 9413/16/18]

इस्पात मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री विष्णु देव साय): महोदया, मैं निम्नलिखित पत्रों की एक-एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) सभा पटल पर रखता हूं:–

1. मीकॉन लिमिटेड तथा इस्पात मंत्रालय के बीच वर्ष 2018-2019 के लिए हुआ समझौता ज्ञापन।

[ग्रंथालय में रखा गया। *देखिए* संख्या एल.टी. 9414/16/18]

2. एनडीएमसी लिमिटेड तथा इस्पात मंत्रालय के बीच वर्ष 2018-2019 के लिए हुआ समझौता ज्ञापन।

[ग्रंथालय में रखा गया। *देखिए* संख्या एल.टी. 9415/16/18]

3. राष्ट्रीय इस्पात निगम लिमिटेड तथा इस्पात मंत्रालय के बीच वर्ष 2018-2019 के लिए हुआ समझौता ज्ञापन।

[ग्रंथालय में रखा गया। *देखिए* संख्या एल.टी. 9416/16/18]

4. एमएसटीसी तथा इस्पात मंत्रालय के बीच वर्ष 2018-2019 के लिए हुआ समझौता ज्ञापन।

[ग्रंथालय में रखा गया। *देखिए* संख्या एल.टी. 9417/16/18]

5. स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड तथा इस्पात मंत्रालय के बीच वर्ष 2018-2019 के लिए हुआ समझौता ज्ञापन।

[ग्रंथालय में रखा गया। *देखिए* संख्या एल.टी. 9418/16/18]

6. एमओआईएल लिमिटेड तथा इस्पात मंत्रालय के बीच वर्ष 2018-2019 के लिए हुआ समझौता ज्ञापन।

[ग्रंथालय में रखे गए। *देखिए* संख्या एल.टी. 9419/16/18]

7. केआईओसीएल लिमिटेड तथा इस्पात मंत्रालय के बीच वर्ष 2018-2019 के लिए हुआ समझौता ज्ञापन।

[ग्रंथालय में रखा गया। *देखिए* संख्या एल.टी. 9420/16/18]

जनजातीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री सुदर्शन भगत) : महोदया, मैं राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति वित्त और विकास निगम तथा जनजातीय कार्य मंत्रालय के बीच वर्ष 2018-2019 के लिए हुए समझौता ज्ञापन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) सभा पटल पर रखता हूं।

[ग्रंथालय में रखा गया। *देखिए* संख्या एल.टी. 9421/16/18]

मानव संसाधन विकास मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री उपेन्द्र कुशवाहा) : महोदया, मैं निम्नलिखित पत्र सभा पटल पर रखता हूं:–

(1) (एक) सर्व शिक्षा अभियान केरल, त्रिवेंद्रम के वर्ष 2016-2017 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।

   (दो) सर्व शिक्षा अभियान केरल, त्रिवेंद्रम के वर्ष 2016-2017 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा के बारे में विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(2) उपर्युक्त (1) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलम्ब के कारण दर्शाने वाला विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[ग्रंथालय में रखा गया। *देखिए* संख्या एल.टी. 9422/16/18]

(3) (एक) तमिलनाडु स्टेट मिशन ऑफ एजूकेशन फॉर ऑल (सर्व शिक्षा अभियान), चेन्नई के वर्ष 2016-2017 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।

   (दो) तमिलनाडु स्टेट मिशन ऑफ एजूकेशन फॉर ऑल (सर्व शिक्षा अभियान), चेन्नई के वर्ष 2016-2017 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा के बारे में विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(4) उपर्युक्त (3) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलम्ब के कारण दर्शाने वाला विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[ग्रंथालय में रखा गया। *देखिए* संख्या एल.टी. 9423/16/18]

[अनुवाद]

उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री सी.आर. चौधरी) : महोदया, मैं निम्नलिखित पत्र सभा पटल पर रखता हूं:—

(1) (एक) मद्रास स्पेशल इकोनोमिक जोन अथॉरिटी, चेन्नई के वर्ष 2016-17 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।

(दो) मद्रास स्पेशल इकोनोमिक जोन अथॉरिटी, चेन्नई के वर्ष 2016-17 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(2) उपर्युक्त (1) उल्लखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलंब के कारण दर्शाने वाला विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[ग्रंथालय में रखा गया। *देखिए* संख्या एल.टी. 9424/16/18]

(3) इंडिया ट्रेड प्रमोशन आर्गनाइजेशन तथा वाणिज्य विभाग, वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय के बीच वर्ष 2018-19 लिए हुए समझौता ज्ञापन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[ग्रंथालय में रखा गया। *देखिए* संख्या एल.टी. 9425/16/18]

(4) विस्फोटक अधिनियम, 1884 की धारा 18 की उपधारा (8) के अंतर्गत स्थिर और सचल दाब जलयान (अनफायर्ड) (संशोधन) नियम, 2018 जो 23 अप्रैल, 2018 की अधिसूचना सं. सा.का.नि. 388(अ) में प्रकाशित हुए थे, की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[ग्रंथालय में रखा गया। *देखिए* संख्या एल.टी. 9426/16/18]

(5) मसाला बोर्ड अधिनियम, 1886 की धारा 3 के अंतर्गत जारी अधिसूचना सा.का.नि. 3424(अ), जो 12 जुलाई, 2018 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुई थी तथा जो मसाला बोर्ड के अध्यक्ष के रूप में 3 वर्ष की अवधि के लिए श्री सुभाष बसु को नियुक्त किए जाने के बारे में है, की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[ग्रंथालय में रखा गया। *देखिए* संख्या एल.टी. 9427/16/18]

[हिन्दी]

मानव संसाधन विकास मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा जल संसाधन, नदी विकास और गंगा संरक्षण मंत्रालय में राज्य मंत्री (डॉ. सत्यपाल सिंह) : महोदया, मैं निम्नलिखित पत्र सभा पटल पर रखता हूं:—

(1) (एक) नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी रायपुर, रायपुर के वर्ष 2016-17 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।

(दो) नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी रायपुर, रायपुर के वर्ष 2016-17 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(2) उपर्युक्त (1) उल्लखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलंब के कारण दर्शाने वाला विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[ग्रंथालय में रखा गया। *देखिए* संख्या एल.टी. 9428/16/18]

(3) (एक) मोतीलाल नेहरु इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी इलाहाबाद के वर्ष 2016-17 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।

(दो) मोतीलाल नेहरु इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी इलाहाबाद के वर्ष 2016-17 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(4) उपर्युक्त (3) उल्लखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलंब के कारण दर्शाने वाला विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[ग्रंथालय में रखा गया। *देखिए* संख्या एल.टी. 9429/16/18]

(5) (एक) नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी मिजोरम आइजॉल के वर्ष 2016-17 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।

(दो) नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी मिजोरम आइजॉल के वर्ष 2016-17 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(6) उपर्युक्त (5) उल्लखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलंब के कारण दर्शाने वाला विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[ग्रंथालय में रखा गया। *देखिए* संख्या एल.टी. 9430/16/18]

(7) (एक) नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी कुरुक्षेत्र, कुरुक्षेत्र के वर्ष 2016-17 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।

(दो) नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी कुरुक्षेत्र, कुरुक्षेत्र के वर्ष 2016-17 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(8) उपर्युक्त (9) उल्लखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलंब के कारण दर्शाने वाला विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[ग्रंथालय में रखा गया। *देखिए* संख्या एल.टी. 9431/16/18]

(9) (एक) इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी अहमदाबादए अहमदाबाद के वर्ष 2016-2017 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।

(दो) इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी अहमदाबाद, अहमदाबाद के वर्ष 2016-2017 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(10) उपर्युक्त (9) उल्लखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलंब के कारण दर्शाने वाला विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[ग्रंथालय में रखा गया। *देखिए* संख्या एल.टी. 9432/16/18]

(11) (एक) नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी नागालैंड, दीमापुर के वर्ष 2016-2017 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।

(दो) नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी नागालैंड, दीमापुर के वर्ष 2016-2017 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(12) उपर्युक्त (11) उल्लखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलंब के कारण दर्शाने वाला विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[ग्रंथालय में रखा गया। *देखिए* संख्या एल.टी. 9433/16/18]

(13) (एक) सरदार वल्लभभाई पटेल नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी सूरत, के वर्ष 2016-2017 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।

(दो) सरदार वल्लभभाई पटेल नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी सूरत, के वर्ष 2016-2017 के वार्षिक लेखाओं की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा उन पर लेखापरीक्षा प्रतिवेदन।

(तीन) सरदार वल्लभभाई पटेल नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी सूरत, के वर्ष 2016-2017 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(14) उपर्युक्त (13) उल्लखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलंब के कारण दर्शाने वाला विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[ग्रंथालय में रखा गया। *देखिए संख्या* एल.टी. 9434/16/18]

(15) (एक) नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी उत्तराखंड, पौड़ी गढ़वाल के वर्ष 2016-2017 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।

(दो) नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी उत्तराखंड, पौड़ी गढ़वाल के वर्ष 2016-2017 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(16) उपर्युक्त (15) उल्लखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलंब के कारण दर्शाने वाला विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[ग्रंथालय में रखा गया। *देखिए* संख्या एल.टी. 9435/16/18]

(17) (एक) नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी पुद्दुचेरी, के वर्ष 2016-2017 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।

(दो) नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी पुद्दुचेरी, कराईकाल के वर्ष 2016-2017 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(18) उपर्युक्त (17) उल्लखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलंब के कारण दर्शाने वाला विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[ग्रंथालय में रखा गया। *देखिए* संख्या एल.टी. 9436/16/18]

(19) (एक) नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी मणिपुर, इंफाल के वर्ष 2016-2017 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।

(दो) नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी मणिपुर, इंफाल के वर्ष 2016-2017 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(20) उपर्युक्त (19) उल्लखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलंब के कारण दर्शाने वाला विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[ग्रंथालय में रखा गया। *देखिए* संख्या एल.टी. 9437/16/18]

(21) (एक) विश्वेश्वरैया इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी नागपुर के वर्ष 2016-2017 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।

(दो) विश्वेश्वरैया नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी नागपुर के वर्ष 2016-2017 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(22) उपर्युक्त (21) उल्लखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलंब के कारण दर्शाने वाला विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[ग्रंथालय में रखा गया। *देखिए* संख्या एल.टी. 9438/16/18]

(23) (एक) नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ टेकनोलॉजी हमीरपुर, हमीरपुर के वर्ष 2016-17 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।

(दो) नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ टेकनोलॉजी हमीरपुर, हमीरपुर के वर्ष 2016-17 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(24) उपर्युक्त (23) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलम्ब के कारण दर्शाने वाला विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[ग्रंथालय में रखा गया। *देखिए* संख्या एल.टी. 9439/16/18]

(25) (एक) नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ टेकनोलॉजी राउरकेला के वर्ष 2016-2017 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।

(दो) नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ टेकनोलॉजी राउरकेला के वर्ष 2016-2017 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(26) उपर्युक्त (25) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलम्ब के कारण दर्शाने वाला विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[ग्रंथालय में रखा गया। *देखिए* संख्या एल.टी. 9440/16/18]

(27) (एक) नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ टेकनोलॉजी दुर्गापुर, दुर्गापुर के वर्ष 2016-2017 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।

(दो) नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ टेकनोलॉजी दुर्गापुर, दुर्गापुर के वर्ष 2016-2017 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा उन पर लेखापरीक्षा प्रतिवेदन।

(तीन) नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ टेकनोलॉजी दुर्गापुर, दुर्गापुर के वर्ष 2016-2017 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(28) उपर्युक्त (27) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलम्ब के कारण दर्शाने वाला विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[ग्रंथालय में रखा गया। *देखिए* संख्या एल.टी. 9441/16/18]

(29) (एक) नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट रायपुर, रायपुर के वर्ष 2016-2017 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।

(दो) नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट रायपुर, रायपुर के वर्ष 2016-2017 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(30) उपर्युक्त (29) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलम्ब के कारण दर्शाने वाला विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[ग्रंथालय में रखा गया। *देखिए* संख्या एल.टी. 9442/16/18]

(31) (एक) मौलाना आजाद नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ टेकनोलॉजी, भोपाल के वर्ष 2016-2017 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।

(दो) मौलाना आजाद नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ टेकनोलॉजी, भोपाल के वर्ष 2016-2017 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा उन पर लेखापरीक्षा प्रतिवेदन।

(तीन) मौलाना आजाद नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ टेकनोलॉजी, भोपाल के वर्ष 2016-2017 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(32) उपर्युक्त (31) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलम्ब के कारण दर्शाने वाला विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[ग्रंथालय में रखा गया। *देखिए* संख्या एल.टी. 9443/16/18]

(33) कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 394 की उप-धारा (1) के अंतर्गत निम्नलिखित पत्रों की एक-एक प्रति(हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण):—

(एक) ईडीसीआईएल (इंडिया) लिमिटेड, नोएडा के वर्ष 2016-2017 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति।

(दो) ईडीसीआईएल (इंडिया) लिमिटेड, नोएडा का वर्ष 2016-2017 का वार्षिक प्रतिवेदन, लेखापरीक्षित लेखे तथा उन पर नियंत्रक-महालेखापरीक्षक की टिप्पणियां।

(34) उपर्युक्त (33) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलम्ब के कारण दर्शाने वाला विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[ग्रंथालय में रखा गया। *देखिए* संख्या एल.टी. 9444/16/18]

(35) (एक) इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट विशाखापत्तनम, विशाखापत्तनम के वर्ष 2016-2017 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।

(दो) इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट विशाखापत्तनम, विशाखापत्तनम के वर्ष 2016-2017 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(36) उपर्युक्त (35) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलम्ब के कारण दर्शाने वाला विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[ग्रंथालय में रखा गया। *देखिए* संख्या एल.टी. 9445/16/18]

(37) (एक) नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ फाउंडरी एंड फोर्ज टेक्नोलॉजी, रांची के वर्ष 2016-2017 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।

(दो) नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ फाउंडरी एंड फोर्ज टेक्नोलॉजी, रांची के वर्ष 2016-2017 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(38) उपर्युक्त (37) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलम्ब के कारण दर्शाने वाला विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[ग्रंथालय में रखा गया। *देखिए* संख्या एल.टी. 9446/16/18]

(39) (एक) संत लोंगोवाल इंस्टीट्यूट ऑफ फाउंडरी एंड फोर्ज टेक्नोलॉजी, लोंगोवाल के वर्ष 2016-2017 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।

(दो) संत लोंगोवाल इंस्टीट्यूट ऑफ फाउंडरी एंड फोर्ज टेक्नोलॉजी, लोंगोवाल के वर्ष 2016-2017 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(40) उपर्युक्त (39) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलम्ब के कारण दर्शाने वाला विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[ग्रंथालय में रखा गया। *देखिए* संख्या एल.टी. 9447/16/18]

[अनुवाद]

अपराह्न 12:02 बजे

राज्य सभा से संदेश

महासचिव : अध्यक्ष महोदय, मुझे राज्य सभा के महासचिव से प्राप्त निम्नलिखित संदेशों की सूचना सभा को देनी है:—

1. "राज्य सभा के प्रक्रिया तथा कार्य संचालन नियमों के नियम 127 के उपबंधों के अनुसरण में, मुझे लोक सभा को यह बताने का निदेश हुआ है कि राज्य सभा 25 जुलाई, 2018 को हुई अपनी बैठक में लोक सभा द्वारा 19 जुलाई, 2018 को हुई अपनी बैठक में पारित किए गए भगोड़ा आर्थिक अपराधी विधेयक, 2018 से बिना किसी संशोधन के सहमत हुई।"

2. "राज्य सभा के प्रक्रिया तथा कार्य संचालन नियमों के नियम 127 के उपबंधों के अनुसरण में, मुझे लोक सभा को यह बताने का निदेश हुआ है कि राज्य सभा 26 जुलाई, 2018 को हुई अपनी बैठक में लोक सभा द्वारा 23 जुलाई, 2018 को हुई अपनी बैठक में पारित किए गए परक्राम्य लिखित (संशोधन) विधेयक, 2018 से बिना किसी संशोधन के सहमत हुई।"

[हिन्दी]

अपराह्न 12:02½ बजे

सरकारी उपक्रमों संबंधी समिति

23वां प्रतिवेदन

[हिन्दी]

श्री शान्ता कुमार (कांगड़ा) : महोदया, मैं 'आवास और शहरी विकास निगम (हडको)' के बारे में सरकारी उपक्रमों संबंधी समिति के 18वें प्रतिवेदन में अतर्विष्ट टिप्पणियों/सिफारिशों पर सरकार द्वारा की-गई-कार्रवाई के बारे में समिति का 23वां प्रतिवेदन (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) प्रस्तुत करता हूं।

[अनुवाद]

अपराह्न 12:03 बजे

मंत्रियों द्वारा वक्तव्य

(एक) (क) दिव्यांगजन सशक्तीकरण विभाग, सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय से संबंधित अनुदानों की मांगों (2016-17) के बारे में सामाजिक न्याय और अधिकारिता संबंधी समिति के 28वें प्रतिवेदन में अंतर्विष्ट सिफारिशों के कार्यान्वयन की स्थिति*

[हिन्दी]

सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्री (श्री थावर चंद गहलोत) : महोदया, मैं दिव्यांगजन सशक्तिकरण विभाग, सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय से संबंधित अनुदानों की मांगों (2016-17) के बारे में सामाजिक न्याय और अधिकारिता संबंधी स्थायी समिति के

---

*सभा पटल पर रखा गया और ग्रंथालय में भी रखा गया। देखिए संख्या एल.टी. 9448/16/18.

28वें प्रतिवेदन में अंतर्विष्ट सिफारिशों के कार्यान्वयन की स्थिति से संबंधित वक्तव्य सभा पटल पर रखता हूं।

[अनुवाद]

(ख) दिव्यांगजन सशक्तीकरण विभाग, सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय से संबंधित अनुदानों की मांगों (2016-18) के बारे में सामाजिक न्याय और अधिकारिता संबंधी समिति के 37वें प्रतिवेदन में अंतर्विष्ट सिफारिशों के कार्यान्वयन की स्थिति*

[हिन्दी]

सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्री (श्री थावर चंद गहलोत) : महोदया, मैं दिव्यांगजन सशक्तिकरण विभाग, सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय से संबंधित अनुदानों की मांगों (2017-18) के बारे में सामाजिक न्याय और अधिकारिता संबंधी स्थायी समिति के 37वें प्रतिवेदन में अंतर्विष्ट सिफारिशों के कार्यान्वयन की स्थिति से संबंधित वक्तव्य सभा पटल पर रखता हूं।

[अनुवाद]

अपराह्न 12:04 बजे

(दो) वाणिज्य विभाग, वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय से संबंधित 'दक्षिण-पूर्व एशियाई राष्ट्रों का संगठन (आसियान) के साथ व्यापार' के बारे में वाणिज्य संबंधी स्थायी समिति के 137वें प्रतिवेदन में अंतर्विष्ट सिफारिशों के कार्यान्वयन की स्थिति।

उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री सी.आर. चौधरी) : महोदया, मैं वाणिज्य विभाग, वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय से संबंधित 'दक्षिण-पूर्व एशियाई राष्ट्रों का संगठन (आसियान) के साथ व्यापार' के बारे में वाणिज्य संबंधी स्थायी समिति के 137वें प्रतिवेदन में अंतर्विष्ट सिफारिशों के कार्यान्वयन की स्थिति से संबंधित वक्तव्य सभा पटल पर रखता हूं।

[ग्रंथालय में रखा गया। *देखिए* संख्या एल.टी. 9450/16/18]

---

*सभा पटल पर रखा गया और ग्रंथालय में भी रखा गया। देखिए संख्या एल.टी. 9449/16/18.

[अनुवाद]

अपराह्न 12:06 बजे

सभा का कार्य

संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा जल संसाधन, नदी विकास और गंगा संरक्षण मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री अर्जुन राम मेघवाल) : महोदया, आपकी अनुमति से मैं घोषणा करता हूं कि सोमवार, 30 जुलाई, 2018 से आरंभ होने वाले सप्ताह के लिए सरकारी कार्य की निम्नलिखित मदें होंगी:—

1. निम्नलिखित विधेयक पर विचार करना एवं उसे पारित करना:—

(1) दंत चिकित्सक (संशोधन) विधेयक, 2017

(2) लोकप्रतिनिधित्व विधेयक, 2017

(3) उपभोक्ता संरक्षण (संशोधन) विधेयक, 2018

(4) नई दिल्ली अंतर्राष्ट्रीय माध्यस्थम केन्द्र विधेयक, 2016

(5) उभयलिंगी व्यक्ति (अधिकारों का संरक्षण) विधेयक, 2016

(6) सेरोगेसी (विनियमन), विधेयक, 2016

(7) राष्ट्रीय चिकित्सा आयोग विधेयक, 2017

(8) अविनियमित निक्षेप स्कीम पाबंदी विधेयक, 2018

(9) सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम विकास (संशोधन) विधेयक, 2018

(10) माध्यस्थम और सुलह (संशोधन) विधेयक, 2018

(11) सरकारी स्थान (अप्राधिकृत अधिभोगियों की बेदखली) (संशोधन) विधेयक, 2017

(12) महापत्तन प्राधिकरण विधेयक, 2016

(13) होम्योपैथी केन्द्रीय परिषद् (संशोधन) अध्यादेश, 2018 (2018 का संख्याक 4) के निरनुमोदन संबंधी सांविधिक संकल्प पर आगे चर्चा करना तथा होम्योपैथी केन्द्रीय परिषद् (संशोधन) विधेयक, 2018 पर विचार और पारित किया जाना।

(14) दांडिक विधि (संशोधन) अध्यादेश, 2018 (2018 का संख्यांक 2) के निरनुमोदन संबंधी सांविधिक

संकल्प पर चर्चा और दांडिक विधि संशोधन विधेयक, 2018 पर विचार और पारित किया जाना।

(15) दिवाला और शोधन अक्षमता (संशोधन) अध्यादेश, 2018 (2018 का संख्यांक 6) के निरनुमोदन संबंधी सांविधिक संकल्प पर चर्चा और दिवाला और शोधन अक्षमता (संशोधन) विधेयक, 2018 पर विचार और पारित किया जाना।

(16) वाणिज्य न्यायालय, उच्च न्यायालय वाणिज्यिक प्रभाग और वाणिज्यिक अपील प्रभाग (संशोधन) अध्यादेश, 2018 (2018 का संख्यांक 3) के निरनुमोदन संबंधी सांविधिक संकल्प पर चर्चा तथा वाणिज्यिक न्यायालय, उच्च न्यायालय वाणिज्यिक प्रभाग और वाणिज्यिक अपील प्रभाग (संशोधन) विधेयक, 2018 पर विचार और पारित किया जाना।

(17) संविधान 123वां (संशोधन) विधेयक, 2017, राज्य सभा द्वारा संशोधन के साथ यथासंभव, पर विचार और पारित किया जाना।

(18) राष्ट्रीय खेलकूद विश्वविद्यालय (संशोधन) अध्यादेश, 2018 (2018 का संख्यांक 5) के निरनुमोदन संबंधी सांविधिक संकल्प पर चर्चा और राष्ट्रीय खेलकूद विश्वविद्यालय (संशोधन) विधेयक, 2018 पर विचार और पारित किया जाना।

(19) निम्नलिखित मांगों को प्रस्तुत करने, उन पर विचार करने और स्वीकार करने के पश्चात इनसे संबंधित विनियोग विधेयकों पर विचार और पारित किया जाना:—

(एक) वर्ष 2018-19 के लिए अनुपूरक अनुदान

(दो) वर्ष 2015-16 के लिए अतिरिक्त अनुदान की मांग

[हिन्दी]

श्रीमती जयश्रीबेन पटेल (मेहसाणा) : माननीय अध्यक्ष महोदया, अगले सप्ताह की कार्यवाही में निम्नलिखित विषय को शामिल किया जाए:—

1. गुजरात में सिंधु संस्कृति का जाना-पहचाना पुरातत्वीय स्पॉट लोथल में भारत सरकार द्वारा मेरी टाइम यूनिवर्सिटी म्युजियम बनाने की योजना तय हुई है। इसे जल्द से जल्द कार्यान्वित किया जाए।

2. गुजरात स्थित सुविख्यात सूर्य मंदिर मोढेरा जो एक पुरातत्वीय स्पॉट है, इसके सर्वांगीण विकास के लिए सांस्कृतिक मंत्रालय द्वारा धन आबंटित किया जाए। धन्यवाद।

श्री सुभाष चन्द्र बहेड़िया (भीलवाड़ा) : माननीय अध्यक्ष महोदया, 30 जुलाई, 2018 से शुरू होने वाले सप्ताह में चर्चा के लिए निम्न विषय जोड़े जाएं:

1. भीलवाड़ा लोक सभा क्षेत्र से गुजरने वाले एनएच 79 पर विभिन्न स्थानों पर अंडर पास बनवाने की आवश्यकता के बारे में।

2. वस्त्र उद्योग के जॉब वर्क के लिए जीएसटी में भरने वाले फॉर्म के फाइल आई.टी.आर. 4 में आने वाली समस्याओं के बारे में।

श्री कौशलेन्द्र कुमार (नालंदा) : माननीय अध्यक्ष महोदया, लोक सभा के आगामी सप्ताह की कार्य-सूची में निम्नलिखित विषयों को जोड़ा जाए:—

1. देश के किसानों की आर्थिक स्थिति अत्यंत ही दयनीय होती जा रही है। किसान कर्ज के बोझ में डूबे हुए हैं क्योंकि उनको फसल से उतनी आमदनी नहीं होती जितनी उनकी लागत होती है। जब फसल तैयार होती है तो रेट आधे हो जाते हैं और लेने वाला कोई नहीं होता। एमएसपी सिर्फ कागजी सूचना बन कर रह गया है। शादी-ब्याह, खेती के औजार, ट्रैक्टर आदि खरीद के लिए उन्हें अपने खेतों को गिरवी रखना पड़ता है। अत: सरकार किसानों को विशेष योजना के तहत पूर्ण कर्ज माफ करे और ब्याज-मुक्त ऋण देने का भी प्रावधान करे। साथ ही विशेषकर छोटे और मझोले किसान, जो साहूकारों के कर्ज के बोझ तले दबे हैं, उन्हें भी आर्थिक मदद दी जाए।

2. पूरे देश में खेती पर आधारित कृषि-श्रमिकों की दशा बहुत ही खराब है। इनकी संख्या देश भर में 55 से 58 प्रतिशत है। हमारी खेती मौसम पर आधारित है जिससे कृषि-श्रमिकों को बराबर रोजगार नहीं मिलता है, विशेषकर महिला कृषि-श्रमिक की स्थिति बहुत ही दयनीय है। उनके छोटे-छोटे बच्चे बिलखते रहते हैं। कुछ मदद मनरेगा से हो जाया करती थी परंतु अब 'मनरेगा' भी सुचारू रूप से नहीं चलती है

क्योंकि सरकार पूरा फंड ही नहीं दे रही है। बिहार जैसे गरीब राज्यों की स्थिति तो और भी ज्यादा खराब है। अत: केन्द्र सरकार कृषि श्रमिकों को पेंशन की तर्ज पर मासिक-भत्ता देने की योजना बनाकर उनके परिवार के निर्वहन की व्यवस्था करे। धन्यवाद।

श्री अजय मिश्रा टेनी (खीरी) : माननीय अध्यक्ष महोदया, मैं अगले सप्ताह की कार्यसूची में निम्नलिखित विषयों को शामिल करने का अनुरोध करता हूं:—

1. जनपद लखीमपुर में बेलरॉया-पनवारी राज्य महामार्ग को राष्ट्रीय महामार्ग (जिसका प्रस्ताव उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा केन्द्र सरकार को भेजा जा चुका है) स्वीकृत कर उक्त मार्ग पर निघासन ब्लॉक में स्थित पचपेड़ी घाट के पुल का निर्माण कराने पर विचार किया जाए।

2. गृह मंत्रालय ने पूरे देश के सभी पुलिस स्टेशनों को जोड़ते हुए क्राइम एंड क्रिमिनल ट्रैकिंग नेटवर्क एंड सिस्टम कार्यान्वित किया है जिससे अपराधी को पकड़ने में सफलता मिली है परंतु अभियोजन के स्तर पर प्रक्रिया शिथिल होने के कारण बड़ी संख्या में अपराधी न्यायालयों से बच निकलते हैं। अत: अभियोजन न्यायालयों में प्रदर्शन तथा अपराधियों को सजा दिलाने हेतु न्यायालय में पैरोकारी सशक्त किए जाने पर विचार किया जाए। धन्यवाद।

श्री अरविंद सावंत (मुंबई दक्षिण) : अध्यक्ष महोदया, एक दुर्घटना घटी है।...*(व्यवधान)*

माननीय अध्यक्ष : आप बैठ जाइए, ऐसा नहीं होता है।

...*(व्यवधान)*

माननीय अध्यक्ष : हम आपको मना नहीं कर रहे हैं। क्या जीरो आवर समाप्त हो गया है। आप बैठ जाइए, हम आपको बुलाएंगे।

...*(व्यवधान)*

श्री अरविंद सावंत : अध्यक्ष महोदया, 30 लोग मर गए।...*(व्यवधान)*

माननीय अध्यक्ष : आप बैठ जाइए। आपके चिल्लाने से मैं आपको नहीं बुलाऊंगी। आप शांति से बैठ जाइए। हम आपको बुलाएंगे।

...*(व्यवधान)*

[अनुवाद]

अपराह्न 12:10 बजे

सदस्यों द्वारा निवेदन

(एक) असम में नागरिकों का अद्यतन राष्ट्रीय रजिस्टर के पूर्ण प्रारूप के प्रकाशन के बारे में पुन: प्रकाशन

श्री सुदीप बन्दोपाध्याय (कोलकाता दक्षिण) : अध्यक्ष महोदया, हमारी पार्टी की ओर से प्रो. सौगत राय ने स्थगन प्रस्ताव की सूचना दी है।

आज सुबह राष्ट्रीय असम नागरिक रजिस्टर (एनआरसी) ने 3,20,00,000 नागरिकों को प्रमाणीकृत नागरिकों के रूप में घोषित किया है और घोषित सूची से 40,07,760 नागरिकों का नाम हटा दिया गया है। पहली सूची 30 जून को घोषित की गई। दूसरी सूची आज घोषित की गई है। जब पहली सूची घोषित की गई, उस समय जिन लोगों के नाम सूची से हटा दिये गए थे उन्हें अपने दस्तावेज पुन: प्रस्तुत करने के लिए कहा गया था और उन्होंने उक्त दस्तावेज जमा करवा दिये हैं। फिर से, जब उन्हें तीसरी बार अपने दस्तावेज जमा करने के लिए कहा गया है। लेकिन उक्त लोग बता रहें हैं कि उन्होंने सभी दस्तावेज जमा करवा दिये हैं और वे बोर्ड के समक्ष प्रस्तुत हमारे दस्तावेजों से प्रमाणित कर रहे हैं। अब, ये 40 लाख लोग कहां जाएंगे? यह उनकी मानसिकता पर अमानवीय प्रताड़ना है।

इसीलिए, मैं केन्द्रीय सरकार और गृह मंत्री, श्री राजनाथ सिंह से अनुरोध करूंगा कि यह मामला बहुत गंभीर है और वे तत्काल इस संबंध में कोई कदम उठाये और इन लोगों को न्याय से वंचित न किया जाये। नया संशोधन भारत सरकार की देखरेख में सर्वोच्च प्राथमिकता के साथ किया जाना चाहिए। यदि आवश्यक हो, तो इस आशय का संशोधन लाया जाना चाहिए ताकि इन लोगों को आश्रय मिले।

महोदया, मैं समझ नही पा रहा हू कि ऐसा असम में ही क्यों हो रहा है। अन्य राज्यों की क्या स्थिति है? इस मामले में तत्काल कार्रवाई की जानी चाहिए। यह 40,07,760 से अधिक लोगों का प्रश्न है। मैं सोचता हूं कि उन लोगों को राहत देने के लिए सरकार इस मामले को अति प्राथमिकता के साथ उठाएगी और उन लोगों को न्याय से वंचित नहीं किया जाएगा।

माननीय गृह मंत्री जी द्वारा इस संबंध में आश्वासन दिया जाना चाहिए...*(व्यवधान)*

माननीय अध्यक्ष : श्रीमती सुप्रिया सुले और श्री मुल्लापल्ली रामचन्द्रन को श्री सुदीप बन्दोपाध्याय द्वारा उठाए गए मुद्दे से संबद्ध किये जाने की अनुमति दी जाती है।

...*(व्यवधान)*

[हिन्दी]

माननीय अध्यक्ष : आप अपने नाम एसोसिएशन के लिए लिखवा दीजिए।

...*(व्यवधान)*

माननीय अध्यक्ष : खड़गे जी, एक वाक्य और आप सहयोगी बनना चाहेंगे।

...*(व्यवधान)*

श्री मल्लिकार्जुन खड़गे (गुलबर्गा) : महोदया, श्री सुदीप बंदोपाध्याय ने कहा है उसका मैं पूर्ण समर्थन करता हूं मैं चाहता था कि इसके लिए एक अलग चर्चा हो। उन्होंने मुद्दा उठाया है, चालीस लाख लोगों का मुद्दा है, उनके वोटिंग का विषय है, उनके रहने का विषय है, उनके सिटिजनशिप का विषय है, उनका यह हक है। वे चालीस लाख लोग जो यहां पर पैदा हुए हैं, यहां के रहने वाले हैं और ओरिजिनल सिटिजन्स हैं, कार्ड मांगना, आईडेंटिटी लाना और दूसरे डॉक्यूमेंट्स लाना, उनका जन्म कहां हुआ, उनके पिता जी कौन थे, ये सारी चीजें पूछ रहे हैं।...*(व्यवधान)* बहुत से लोगों को डिलिट किया गया है और यह भी है कि यह परपसली डिलिट किया गया है, यह भी हो रहा है।

अगर ऐसा हुआ तो आप लोग एक बहुत बड़ी गलती कर रहे हैं। वहां पर आप एक बहुत बड़ा डिविजन करने जा रहे है, इसलिए मैं चाहता हूं कि होम मिनिस्टर जल्द से जल्द कदम उठाए और अमेंडमेंट करके चालीस लाख लोगों को न्याय दिलाएं।

[अनुवाद]

माननीय अध्यक्ष : डॉ. शशि थरुर, एडवोकेट जोएस जॉर्ज और श्री राजीव सातव को श्री मल्लिकार्जुन खड़गे द्वारा उठाए गए मुद्दे से संबंद्ध करने की अनुमति दी जाती है।

...*(व्यवधान)*

[हिन्दी]

श्री मोहम्मद सलीम (रायगंज) : अध्यक्ष महोदया, यह बहुत गंभीर मामला है। हमें इस पर बहुत संजीदगी से विचार करना पड़ेगा। ...*(व्यवधान)*

माननीय अध्यक्ष : आप एक वाक्य में बोलिए, क्योंकि बात आ गई है।

...*(व्यवधान)*

श्री मोहम्मद सलीम : अध्यक्ष महोदया, यह बहुत संवेदनशील मामला है। पिछले कई महीनों से, असम में स्थिति बिगड़ न जाए, इसके लिए सुरक्षा बल भी तैनात किया गया है। मैं सबसे पहले यह कहूंगा कि धर्म आधारित नागरिकता या भाषा आधारित नागरिकता का सवाल लेकर हम ऐसी छेड़खानी करेंगे तो वहां पर बहुत फ्रेजाइल यूनिटी है। हमारी नागरिकता का प्रश्न है। भविष्य में एनआरसी का मामला दूसरें प्रांत में फैलाने की कोशिश की जा रही है। चालीस लाख लोगों को स्टेटलेस सिटिजंस करने से, आप उन्हें विदेश नहीं भेज पाएंगे। लेकिन आप डिकैंप में दे कर उनसे इंसानियत का अधिकार छिन रहे हैं उनके माननीय अधिकार, मूल संविधानिक अधिकार और लोकतांत्रिक अधिकार दाव पर हैं। कृपया उनकी रक्षा कीजिए...*(व्यवधान)*

माननीय अध्यक्ष : श्री एम.बी. राजेश और श्रीमती पी.के. श्रीमथि टीचर को श्री मोहम्मद सलीम द्वारा उठाए गए विषय के साथ संबद्ध करने की अनुमति प्रदान की जाती है।

...*(व्यवधान)*

माननीय अध्यक्ष : जय प्रकाश जी, आप दो वाक्यों में अपनी बात समाप्त कीजिए।

...*(व्यवधान)*

श्री जय प्रकाश नारायण यादव (बांका) : अध्यक्ष महोदया, यह मानवाधिकार का मामला है, यह इंसानियत का मामला है और असम के चालीस लाख नागरिकों की सुरक्षा के हक का सवाल है, उनके मताधिकार का सवाल है। इससे नफरत फैलेगी, अशांति फैलेगी, हिंसा फैलेगी। असम में नागरिकता पर सवाल उठाया जा रहा है, यह गंभीर मुद्दा है और मानवाधिकार से जुड़ा है। ऐसे मामले को सरकार को गंभीरता से लेना चाहिए और कोई अनहोनी घटना नहीं होनी चाहिए। जो 40, 50, 60 सालों से लोग वहां रह रहे हैं, उनकी नागरिकता पर हमला नहीं होना चाहिए।

गृह मंत्री (श्री राजनाथ सिंह) : अध्यक्ष महोदया, जहां तक नेशनल रजिस्टर ऑफ सिटीजन्स का प्रश्न है, ऐसा नहीं है कि यह सिलसिला हमारी सकार आने के बाद प्रारम्भ हुआ हो, बल्कि इसकी डिमांड लम्बे समय से असम के नागरिकों द्वारा होती रही है। असम की वर्तमान सरकार से पहले की सरकारों ने, मैं किसी राजनीतिक पार्टी का नाम नहीं लेना चाहता हूं, उस समय भी वहां फारेन ट्रिब्युनल्स बनाए गए थे। पहले उनका नम्बर-36 था, लेकिन सुप्रीम कोर्ट के आदेश पर उनका नम्बर बढ़ाकर 100 कर दिया गया। मैं यह स्पष्ट करना चाहता हूं कि सरकार ने इसमें कुछ नहीं किया है। इस विषय में जो भी काम चल रहा है वह सुप्रीम कोर्ट के सुपरविज़न के अंडर चल रहा है। यह बार-बार कहना कि सरकार ने ऐसा कुछ किया है, सरकार बड़ी इनह्युमन हो गई है, सरकार ब्रूटल हो गई है, ठीक बात नहीं है। इस बारे में यदि मैं कहूं कि इस प्रकार के

एलीगेशन्स बेसलेस हैं, तो यह गलत नहीं होगा। इस संबंध में जो भी लिस्ट पब्लिश हुई है, वह लिस्ट फाइनल एनआरसी नहीं है। अभी 2.89 करोड़ की एनआरसी पब्लिश हुई है। इसके बाद क्लेम्स एंड ऑब्जेक्शंस का पूरा अवसर मिलेगा। जिन लोगों को लगता है कि हमारा नाम एनआरसी में होना चाहिए था, वे लोग अपने क्लेम्स एंड ऑब्जेक्शंस 28 अगस्त के बाद फाइल कर सकते हैं। इसके लिए एसओपी भी तैयार होगी, उसमें क्लेम्स एंड ऑब्जेक्शंस फाइल करेंगे और उसके बाद उसका डिस्पोजल होगा। इसका डिस्पोजल कितने दिनों में होगा, इसका फैसला भी सुप्रीम कोर्ट को ही करना है, इस संबंध में हम कुछ नहीं कह सकते हैं। हायर एडमिनिस्ट्रेटिव लेवल पर क्लेम्स एंड ऑब्जेक्शंस का डिस्पोजल होगा। यदि इसके बाद भी कोई संतुष्ट नहीं होता है, तो उनके लिए फॉरनर्स ट्रिब्युनल में जाने का अवसर रहेगा।

अध्यक्ष महोदया, मैं समझता हूं कि कहीं न कहीं तो न्याय मिलेगा, इसलिए इस मुद्दे को लेकर अनावश्यक किसी प्रकार का पैनिक क्रिएट करने की आवश्यकता नहीं है और मैं पूरे सदन से अपील करना चाहता हूं कि यह बहुत ही सेंस्टिव इश्यू है और इस संबंध में सभी का सहयोग प्राप्त होना चाहिए।...*(व्यवधान)* आप भले ही आक्रोश में बोलें। ...*(व्यवधान)* आप मेरी बात सुनिए। आप मेरे बोलने के बाद नाराज़ हो जाना, पहले मेरी बात सुन लीजिए। इस बारे में सरकार कुछ नहीं कर रही है, जो कुछ भी हो रहा है, वह सुप्रीम कोर्ट के अंडर सुपरविज़न में हो रहा है।...*(व्यवधान)*

श्री मोहम्मद सलीम : आप वहां किसी को बोलने का मौका नहीं दे रहे हैं।...*(व्यवधान)*

[अनुवाद]

माननीय अध्यक्ष : श्री राजनाथ सिंह के वक्तव्य के सिवाय कुछ भी कार्यवाही-वृत्तांत में सम्मिलित नहीं किया जाएगा।

...*(व्यवधान)*

माननीय अध्यक्ष : कुछ भी कार्यवाही-वृत्तांत में सम्मिलित नहीं किया जा रहा है। *[हिन्दी]* सलीम जी, आप क्यों चिल्ला रहे हैं, आप अपना गला क्यों खराब कर रहे हैं?

*(व्यवधान)...**

श्री राजनाथ सिंह : आप निर्धारित कर दीजिए कि इसमें हमारा क्या रोल है। मैं पूरे सदन से कहना चाहता हूं कि विपक्ष के लोग यह निर्धारित कर दें कि इसमें हमारा क्या रोल है।...*(व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदया, मैं इतना ही कहना चाहूंगा कि इस प्रकार के सेंस्टिव इश्यू को अनावश्यक पोलिटिसाइज नहीं किया जाना चाहिए और इस संबंध में मैं सभी का सहयोग चाहता हूं।...*(व्यवधान)*

[अनुवाद]

श्री मल्लिकार्जुन खड़गे (गुलबर्गा) : विरोध में, हम बाहर जा रहे हैं...*(व्यवधान)*

12.20 बजे

इस समय, श्री मल्लिकार्जुन खड़गे, श्री धर्मेन्द्र यादव, श्री मोहम्मद सलीम, श्री जय प्रकाश नारायण यादव और कुछ अन्य माननीय सभी से बाहर चले गए।

...*(व्यवधान)*

माननीय अध्यक्ष : अब, शून्य काल की कार्यवाही आरंभ होगी श्री आधलराव पाटील शिवाजीराव।

...*(व्यवधान)*

श्री आधलराव पाटील शिवाजीराव (शिरुर) : अध्यक्ष महोदया, मैं आपका ध्यान खेड़ से सिन्नार तक राष्ट्रीय राजमार्ग एनएच 60 पर कार्य पूर्ण रूप से बन्द होने की ओर दिलाना चाहूंगा। यह महत्वपूर्ण परियोजना एक वर्ष से अधिक समय से लंबित पड़ी है।

खेड़-सिन्नार राजमार्ग, मुख्यत: खेड़ मानचर, कलम्ब, नारायणगांव और अलेफाटा पर छह बाइपास का लंबित कार्य शुरू करने के लिए ठीक एक वर्ष पूर्व सड़क और परिवहन मंत्री, श्री नितिन गड़करी की उपस्थिति में पुणे में अभूतपूर्व समारोह आयोजित किया गया था। अपने भाषण के दौरान, माननीय मंत्री जी ने वादा किया था कि इन बाइपासों का कार्य सकारात्मक रूप से अक्तूबर, 2017 में शुरू होगा और अगस्त, 2018 तक पूरा कर लिया जाएगा। लेकिन दु:ख की बात है यह है कि एक वर्ष के बाद भी उक्त स्थान पर कोई कार्य नहीं हुआ।

संपर्क सड़के बन चुकी हैं, लेकिन इन छह लेन का कार्य पूरा न होने की वजह से यातायात की समस्या ज्यों की त्यों बनी हुई है। इस परियोजना का निर्माण कार्य 12/6 फरवरी, 2014 में आरंभ हुआ और चूंकि परियोजना का 75 प्रतिशत कार्य पूरा कर भी लिया गया था। शुल्क संग्रहण फरवरी, 2017 में शुरू हुआ। शुल्क संग्रहण करने के बावजूद भी कंसेसनियर ने इन छह लेनों का कार्य पूरा नहीं किया है।

कंसेसनियर आईएल एंड एफएस बहाने बना रहे हैं कि भूमि अधिग्रहण होने और किसानों का विरोध उनके कार्य में व्यवधान उत्पन्न कर रहा है।

---

*कार्यवाही-वृत्तांत में सम्मिलित नहीं किया गया।

किंतु वास्तव में इस परियोजना के लिए कोई ऐसा विरोध नहीं हो रहा है। एनएचएआई अधिकारियों ने इस परियोजना को लागू करने के लिए कोई तत्परता नहीं दिखाई है। इन सड़कों का निर्माण अत्यावश्यक है क्योंकि अत्यधिक यातायात और प्रदूषण की वजह से यह क्षेत्र विकट समस्या का सामना कर रहा है। खेड से अलेफाता तक मात्र 50 किलोमीटर की दूरी में 5 घंटे से ज्यादा समय लग जाता है और अस्पताल में नाजुक हालात में रोगी को ले जा रही एम्बुलेंस कई बार लंबे समय तक जाम में फंसी रह जाती है।

जबकि माननीय मंत्री जी ने स्वयं सार्वजनिक रूप से आश्वासन दिया था कि यह कार्य अगस्त, 2018 तक पूरा कर लिया जाएगा। लेकिन अभी तक कोई कार्य शुरू नहीं हुआ है।

महोदया क्षेत्र का सांसद सदस्य और उस क्षेत्र का जन प्रतिनिधि होने के नाते कार्य के पूरा न होने का आरोप मुझे झेलना पड़ता है। इसीलिए, मैं माननीय मंत्री जी अनुरोध करना चाहूंगा कि न तो एनएचएआई अधिकारी या सरकारी आधिकारी कार्य को पूरा करने मे कोई रूचि दिखा रहे हैं। अत: यह मंत्रालय की जिम्मेवार बनती है वह कंसेमनियर पर जुर्माना था दंड लगाए और उसे कार्य पूरा करने हेतु बाध्य करे। यह बहुत ही महत्वपूर्ण मामला है क्योंकि पहले ही छह दुर्घटनाएं हो चुकी हैं और एम्बुलेंस में छह लोग अपनी जान गवा चुके हैं।

अत:, इस मामले को तत्परता से लिये जाने की आवश्यकता है। आपका धन्यवाद।

माननीय अध्यक्ष : श्री भैरों प्रसाद मिश्रा और डॉ कुलमणि सामल को श्री आधलराव पाटील शिवाजीराव द्वारा उठाए गए मुद्दे से संबंद्ध करने की अनुमति दी जाती है।

[हिन्दी]

श्री ओम बिरला (कोटा) : माननीय अध्यक्ष महोदया, मैं सदन के माध्यम से माननीय प्रधानमंत्री जी को धन्यवाद देना चाहता हूं, जिन्होंने देश के किसानों की आमदनी को वर्ष 2022 तक दुगुना करने के लक्ष्य के साथ काम किया है। पहली बार खरीफ की 14 फसलों के समर्थन मूल्य में लागत का 50 प्रतिशत से 90 प्रतिशत तक की बढ़ोतरी की गयी है।

सरकार से मेरी मांग है कि समर्थन मूल्य पर फसल की खरीद के लिए केन्द्र और राज्य सरकारें एक ऐसा तंत्र बनाएं ताकि उसके माध्यम से जिन 14 फसलों के समर्थन मूल्य घोषित किये गये हैं, उन पर उनकी खरीद सुनिश्चित हो और किसानों को समय पर भुगतान हो सके।

सीएसपी (कृषि लागत और मूल्य आयोग) ने भी यह सिफारिश की है कि देश के तमाम मण्डियों में केन्द्र और राज्य सरकारें ऐसी व्यवस्था करें कि समर्थन मूल्य से कम दाम पर किसानों के फसलों की बिक्री न हो। अगर यह व्यवस्था हो जाती है, तो मुझे आशा है देश का किसान खुशहाल और समृद्ध हो जाएगा। भारत सरकार ने ग्रामीण विकास मंत्रालय के माध्यम से 22 हजार मंडियों का विकास करने की योजना बनाई है। इसी के साथ डिजिटल के माध्यम से भी देश को जोड़ने का काम किया है।

माननीय अध्यक्ष महोदया, मेरा निवेदन है कि इसके लिए एक व्यापक योजना बनाई जाए और मंडियों में आने वाले रेहड़ियों के लिए सुनिश्चित व्यवस्था की जाए। इसी के साथ मैं एक और विषय रखना चाहता हूं। एन.सी.डी.एफ. वादा किसानों को ठीक समर्थन मूल्य मिलेगा। इसी के साथ भावांतर योजना के लिए एक नया स्वरूप और नई नीति बनाई जाए। इसी के साथ यदि बाजार आश्वासन योजना को भी ठीक से लागू किया जाए, तो प्रधानमंत्री जी का जो देश के किसानों की आमदनी को वर्ष 2022 तक दोगुना करने का सपना है, वह निश्चित रूप से पूरा होगा। इस देश में पहली बार प्रधान मंत्री जी ने सदन और सदन के बाहर कहा है। यह एक एतिहासिक कदम है वर्ष 2022 तक हम किसानों की आमदनी को दोगुना करने के लक्ष्य को पूरा करेंगे। अपना बहुत-बहुत धन्यवाद।

माननीय अध्यक्ष : श्री शरद त्रिपाठी, कुंवर पुष्पेन्द्र सिंह चन्देल, डॉ. कुलमणि सामल, श्री हरीश मीना, श्री भैरों प्रसाद मिश्र, डॉ. किरिट पी. सोलंकी, श्री रोड़मल नागर, श्री गोपाल शेट्टी एवं डॉ. मनोज राजोरिया को श्री ओम बिरला द्वारा उठाए गए विषय के साथ संबद्ध करने की अनुमति प्रदान की जाती है।

श्री निशिकान्त दुबे (गोड्डा) : धन्यवाद अध्यक्ष महोदया।

मैं आपके माध्यम से कांग्रेस की जो नीतियां रही हैं, उनके बारे में बोलूंगा। ये 20-80 की स्कीम लेकर आए थे, जिसके कारण एक लाख करोड़ रुपए का करप्शन और स्कैम हुआ। मैं आपके माध्यम से पूरे देश का ध्यान इस ओर आकृष्ट करना चाहता हूं। दिनांक 30 जनवरी, 2014 को उस वक्त के तत्कालीन वित्त मंत्री के नेतृत्व में मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस में एक मीटिंग हुई। उसके मीटिंग के बारे में कहा गया - *[अनुवाद]* एक बैठक बुलाई गई थी जिसमें आरबीआई, डीजीएफटी, सीबीईसी और राजस्व विभाग के प्रतिनिधियों ने भाग लिया था जहां यह निर्णय लिया गया था कि 20:80 योजना में स्टार-ट्रेडिंग हाउस और प्रीमियम ट्रेडिंग हाउस को शामिल करने के अनुरोध पर विचार किया जा सकता है। *[हिन्दी]* कुछ बिजनेस हाउसिज़ को फायदा पहुंचाने के लिए ये 20-80 की इस स्कीम को लेकर आए। इसके बाद डिपार्टमेंट ऑफ रेवेन्यू और कस्टम एंड एक्साइज बोर्ड ने इसे अपोज किया और कहा कि इससे नुकसान होगा। लेकिन उस वक्त की तत्कालीन सरकार ने यह सोचा कि

क्रूड ऑयल का दाम बहुत बढ़ रहा है और उसे फॉरेन एक्सचेंज कमाना है।

अध्यक्ष महोदया, आपको आश्चर्य होगा कि एक डॉलर मतलब 60 रुपए कमाने के लिए इस देश के खजाने से 212 रुपए दिए गए। हमने 60 रुपए कमाए और 212 डॉलर का हमने उन कंपनियों को फायदा दिया। इसके अलावा आपको इस पर भी आश्चर्य होगा। कि स्टॉर ट्रेडिंग और प्रीमियर ट्रेडिंग का जो क्लासिफिकेशन हुआ, उसमें डीजीएफटी के क्लासिफिकेशंस अलग थे, एसईजेड के क्लासिफिकेशन अलग थे और इसके कारण टोटल एक लाख करोड़ रुपए का नुकसान हुआ। ...*(व्यवधान)* इतना ही नहीं, इस सरकार ने 'अंधेरी नगरी चोपट राजा, टके सेर भाजी टके सेर खाजा' का काम किया। आप बताएं कि डायमंड, जो मैन मेड है और जिसका माइनिंग में प्रोडक्शन होता है, दोनों के रेट इन्होंने बराबर के फिक्स किए।...*(व्यवधान)* वर्ष 2012 से लगातार इन्होंने कम से कम 15 कंपनियों को फायदा पहुंचाया।

अध्यक्ष महोदया, आपके माध्यम से मेरा सरकार से आग्रह है कि वह 20-80 स्कीम पर उस वक्त के तत्कालीन वित्त मंत्री, उस वक्त के तत्कालीन आरबीआई के गवर्नर, उस वक्त के तत्कालीन इकोनॉमिक सेक्रेट्री और उस वक्त के तत्कालीन बैंकिंग सेक्रेट्री के ऊपर एफआईआर करें, सीबीआई इंक्वॉयरी करे, ई.डी. द्वारा जांच हो और इस स्कैम को बहार निकाला जाए। धन्यवाद।

माननीय अध्यक्ष : श्री शरद त्रिपाठी, कुंवर पुष्पेन्द्र सिंह चन्देल, श्री शिवकुमार उदासि, श्री रोड़मल नागर एवं श्री भैरों प्रसाद मिश्र को श्री निशिकान्त दुबे द्वारा उठाए गए विषय के साथ संबद्ध करने की अनुमति प्रदान की जाती है।

अपराह्न 12.28 बजे

[अनुवाद]

सदस्यों द्वारा निवेदन — *जारी*

(दो) कृषि उपज के लिए कठोर आयात नीति की आवश्यकता के बारे में

श्री भर्तृहरि महताब (कटक) : *अध्यक्ष महोदया, मैं निशिकान्त* दुबे द्वारा कथित रूप से जो भी वह कहना चाहते है वह कहे जाने पर कुछ प्रतिक्रिया की उम्मीद कर रहा था। उन्होंने एक प्रारूप प्रतिवेदन तैयार किया था और वह अभी भी लंबित है। लेकिन मेरे विचार से सरकार को उनके प्रश्नों और उनके आरोपों का जवाब देना चाहिए। लेकिन आज मेरा यहां यह कहना है कि...*(व्यवधान)*

श्री निशिकान्त दुबे (गोड्डा) : प्रारूप प्रतिवेदन लंबित है। कांग्रेस के चेयरमेन इस पर आपत्ति कर रहे हैं और आप एक सदस्य हैं। मैं सदस्य नहीं हूं। मैंने इसे मंजूरी दे दी है लेकिन यह कांग्रेस के पास लंबित है। वह चेयरमैन हैं...*(व्यवधान)* वह इसे बाधित कर रहे हैं। चूंकि, आप इस समिति का हिस्सा है इसलिए मेरा विनम्र अनुरोध है कि सभापति से पूछें ...*(व्यवधान)*

श्री भर्तृहरि महताब : सरकार को उत्तर देना चाहिए...*(व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदया, यह काफी गंभीर विषय है। यह दालों के आयात से संबधित है। भारत परंपरागत रूप से दालों का सबसे बड़ा उत्पादक और उपभोक्ता रहा है। लेकिन हाल के दिनों में यह दालों का एक बड़ा आयातक भी बन गया है। दालों का अधिकांश आयात कनाडा और ऑस्ट्रेलिया और बाकी आयात म्यांमार, रुस, यूक्रेन कुछ अफ्रीकी देशों सहित अन्य देशों से किया जाता है। आयातित दालों में ग्लाइफोसेंट के अत्यधिक स्तर की कुछ रिपोर्टें हैं।

ग्लाइफोसेट एक व्यापक खरपतवारनाशक है जो प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया और सेलुलर विकास को अवरोधित कर पौधों की वृद्धि रोकता है। यह अत्यधिक जहरीला और मानव स्वास्थ्य के लिए हानिकारक माना जाता है। यह गंभीर बीमारियों से प्रतिरक्षा और प्रोटीन संबंधित कार्यों में बाधा डालने के अलावा खनिज और विटामिन पोषक तत्वों के अवशोषण पर प्रतिकूल प्रभाव डाल सकता है।

पीले मटर की बात करें। आयातित पीले मटर की मात्रा किसी भी अन्य आयातित दाल से अधिक है। 30 लाख टन तो केवल पीले मटर ही आयातित होते हैं। यह आमतौर पर श्रमिकों एवं अन्य निम्न-आय-वर्ग के लोगों द्वारा खाया जाता है। यह बहुत आम सड़क पर बिकने वाला भोजन भी है। अनेक श्रमिक इसे लगभग हर दिन खाते हैं। ग्लाइफोसेट से संक्रमित मटर को नियमित रूप से खाने वाले लोगों के स्वास्थ्य पर जोखिम का अंदाजा लगाया जा सकता है। इसलिए आयातित दालों के स्वास्थ्य पर प्रभाव के संबंध में सचेत होना महत्वपूर्ण है।

विकसित देशों को आयातों को विनियमित और अनुमोदित करते हुए अपने नागरिकों के स्वास्थ्य संबंधी हितों की रक्षा करने के मामलें में काफी सख्त माना जाता है। उदाहरण के लिए ऑस्ट्रेलिया बेहद सख्त है, अब समय आ गया है कि विकासशील देश भी अपने नागरिकों के स्वास्थ्य को लेकर उतना ही चिंतित और सतर्क हैं। चूंकि, हम कनाडा, ऑस्ट्रेलिया और अन्य देशों को निर्यातित दालों के कड़े परीक्षण के लिए दबाव तो डाल नहीं सकते इसलिए कम से कम हम ऐसी आयातित दालों को स्वीकार करने से पहले बेहतर परीक्षण पर तो जोर दे सकते हैं।

इसलिए, मैं सरकार से आग्रह करता हूं कि अपनी आयात नीति को

उतना कठोर बनाएं जितना विकसित देशों द्वारा आयात को विनियमित और अनुमोदित करते हुए अपने नागरिकों के स्वास्थ्य संबंधी हितों की रक्षा हेतु बनाया गया है।

आदरणीय खाद्य मंत्री भी इधर मौजूद हैं। मैं आग्रह करता हूं कि वे इस मामले में हस्तक्षेप कर उपयुक्त कदम उठाएं। ऐसा इसलिए क्योंकि यह हमारे नागरिकों के स्वास्थ्य का प्रश्न है और खासकर देश में गरीब तबके व मजदूरों का प्रश्न है।

माननीय अध्यक्ष : श्री शरद त्रिपाठी, श्री भैरों प्रसाद मिश्र और डॉ. कुलमणि सामल को श्री भर्तृहरि महताब द्वारा उठाए गए विषय से संबद्ध होने की अनुमति दी जाती है।

[हिन्दी]

उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्री (श्री रामविलास पासवान) : महोदया, भर्तृहरि महताब जी ने जो मामला उठाया है, वह स्वास्थ्य से संबंधित है। हम निश्चित रूप से इसको दिखलाएंगे। किसी भी हालत में स्वास्थ्य से खिलवाड़ नहीं होना चाहिए।

[अनुवाद]

माननीय अध्यक्ष : श्री रवनीत सिंह – उपस्थित नहीं

श्री बलभद्र माझी – उपस्थित नहीं

श्री अर्जुन लाल मीणा – उपस्थित नहीं

[अनुवाद]

डॉ. शशि थरुर (तिरुवनन्तपुरम) **:** धन्यवाद, अध्यक्ष महोदया। मैं सरकार का ध्यान उस विनाश की ओर आकर्षिक करना चाहता हूं जो केरेल में दो आपस में जुड़ी हुई समस्याओं के कारण शुरू हुआ। पहला है, बाढ़ जो मानसून के कारण हुआ और उस पर हमने सदन में चर्चा भी की। दूसरा है अशांत समुद्र के कारण तटीय क्षरण के कारण हुइ भारी क्षति। राज्य में अचानक बाढ़ और भूस्खलन देखा गया जिससे लाखों लोगों का दैनिक जीवन बाधित हुआ है। वास्तव में, एक लाख से अधिक लोगों को शिविरों में स्थानांतरित कर दिया गया है। 8000 से अधिक घर क्षतिग्रस्त हो चुके हैं।

महोदया, 116 लोग जान गवां चुके हैं जिनमें पत्रकार भी शामिल हैं जिन्हें बाढ़ की रिपोर्टिंग करने के लिए भेजा गया और वे डूब गए। यह स्थिति इतनी गंभीर है। तटीय गांव सबसे अधिक प्रभावित हैं। फसलों और घरों को करोड़ो रुपए की क्षति हुई है और साथ ही कृषि भूमि भी डूब गई। पिछले सप्ताहांत मैं खुद उस इलाके में गया और मैंने देखा कि घरों में इतना पानी भर गया कि आधे घर डूब गए। राज्य सरकार ने बाढ़ राहत के लिए 831 करोड़ रुपयों की मांग की। लेकिन केन्द्र ने उसका केवल 10 प्रतिशत अर्थात् 80 करोड़ रुपए राशि स्वीकृत की। मैं सरकार से अनुरोध करता हूं कि तत्काल ही पूरी राशि दी जाए ताकि केरल में पीड़ित लोगों की मदद की जा सके।

लेकिन मानसून, समुद्र की विभीषिका को बढ़ा देता है जिसके कारण मेरे निर्वाचन क्षेत्र तिरुवनंतपुरम में तटीय बसावटों को प्रभावित करता है क्योंकि वहां उनके घरों और आजीविका को प्रभावित करने वाली लहरों को रोकने के लिए तटबंध नहीं हैं। वास्तव में, मछुआरों जिन्होंने परंपरागत तरीके से तटों पर जीवनयापन किया है और जो आर्थिक रूप से और सामाजिक रूप से वंचित अल्पसंख्यक समुदायों से आते हैं, काफी पीड़ित हैं। हालांकि कुछ मानव निर्मित पटबंध हैं लेकिन ये खराब हो चुके हैं। तिरुवनंतपुरम के तटों की रक्षा करने वाली समुद्री दीवारें, खासकर वालीयाथुरा घाट और वालीयाथुरा-चेरीयाथुरा तक के स्थान के आसपास, मेरे सरकार को गुजारिश करने के बावजूद, चक्रवात ओक्की के भयावह प्रभाव के बाद कभी भी सही तरीके से ठीक नहीं हुई हैं।

मैं सरकार से फिर एक बार आग्रह करता हूं कि 'रॉक ग्रोयन्स' जिन्हें हमारे द्वारा पुलीमट्टू कहा जाता है और पूथूंरा, पानाथूरा और बीमापल्ली तटरेखाओं के आसपास, समुद्र किनारे दीवारों को मजबूत करने के लिए आर्थिक सहायता दी जाए ताकि मेरे निर्वाचन क्षेत्र में तटरेखा के साथ साथ रहने वाले गरीब लोग अपनी कठिनाइयों से उबर पाएं। धन्यवाद, महोदया।

माननीय अध्यक्ष : श्री राजीव सातव और डॉ. कुलमणि सामल को डॉ. शशि थरुर द्वारा उठाए गए मुद्दे से स्वयं को संबद्ध करने की अनुमति दी जाती है।

श्रीमती पी.के. श्रीमथि टीचर (कन्नूर) **:** अध्यक्ष महोदया, कन्नूर का जिला अस्पताल मेरे निर्वाचन क्षेत्र की सबसे महत्वपूर्ण स्वास्थ्य संस्था है। यह 95 वर्ष पहले ब्रिटिश सरकार द्वारा स्थापित किया गया था। पिछले 9 दशकों से यह 500 बेड का अस्पताल हर वर्ष लाखों लोगों की सेवा कर रहा है। यह कन्नूर छावनी क्षेत्र में स्थित है जो डीएससी के बगल में है।

मैं विस्तार से नहीं बता रही हूं। अस्पताल में स्थान की कमी की चुनौती है। जब मैं यूपीए के समय में केरल में स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्री थी तो मैंने उन्हें अस्पताल के लिए पर्याप्त भूमि देने का आग्रह किया। जब मैं वहां के निर्वाचन क्षेत्र से सांसद बनी तो मैंने माननीय रक्षा मंत्री से पुन: अनुरोध किया। अस्पताल प्रबंधन, खासकर जिला पंचायत और स्वास्थ्य विभाग ने भी केन्द्र सरकार से भूमि आवंटित करने का आग्रह किया। उस अस्पताल के बगल में काफी ज़मीन है। मैं

माननीय रक्षा मंत्री निर्मला जी से इस सरकारी अस्पताल के लिए भूमि आवंटित करने का आग्रह करता हूं। लाखों आम आदमी उस अस्पताल में आते हैं। यह एक छोटे मेडिकल कॉलेज के रूप में कार्य कर रहा है। सभी सुविधाएं वहां पर हैं। मैं सरकार और माननीय मंत्री से विनम्र निवेदन करता हूं कि इस छावनी क्षेत्र के लिए पर्याप्त भूमि आवंटित करें।

माननीय अध्यक्ष : श्री पी.के. बिजू, एडवोकेट जोएस जॉर्ज और श्री एम.बी. राजेश को श्रीमती पी.के. श्रीमथि टीचर द्वारा उठाए गए मुद्दे से स्वयं को संबद्ध करने की अनुमति दी जाती है।

[हिन्दी]

श्री सुखबीर सिंह जौनापुरिया (टोंक-सवाई माधोपुर) **:** अध्यक्ष महोदया, आपने मुझे शून्य काल में बोलने का मौका दिया, इसके लिए मैं आपको धन्यवाद देता हूं। यह मुद्दा ऐसा है कि आज सावन के महीने का पहला सोमवार है, इसलिए मैं भगवान शंकर जी के लिए कुछ मांग इस उम्मीद के साथ कर रहा हूं कि मेरी मांग को जरूर पूरा किया जाएगा। मैं एक महत्वपूर्ण विषय सदन के सामने रखना चाहता हूं। मेरे संसदीय क्षेत्र के जिला सवाई माधोपुर में घुश्मेश्वर ज्योतिर्लिंग है, यह 12वां ज्योतिर्लिंग है, जो कि जिला सवाई माधोपुर के शिवाड में स्थापित है। इसमें लाखों की संख्या में श्रद्धालु देश के कोने-कोने से आते हैं और श्रावण मास में यहां श्रद्धालुओं की संख्या काफी बढ़ जाती है। चूंकि श्रावण मास में बारिश ज्यादा होती है और अभी-भी हो रही है, जिससे यहां आने वाले यात्रियों को सड़क मार्ग से यात्रा करने में काफी परेशानी होती है, इसलिए रेल ही एकमात्र यात्रा का साधन है।

मेरी मंत्री जी से सदन के माध्यम से यह मांग है कि ईसरदा स्टेशन पर दयोदय एक्सप्रेस ट्रेन संख्या नं.12181-82 एवं जयपुर-इंदौर एक्सप्रेस चलती है।

अध्यक्ष महोदया, जयपुर-इंदौर से मेरा और आपका कहीं न कहीं संबंध है। जयपुर-इंदौर एक्सप्रेस सप्ताह में केवल दो दिन चलती है। मेरे और आपके क्षेत्र से बहुत से लोग से यहां तक आते हैं। मैंने एक पत्र आपके माध्यम से दिया था। अत: मैं यह मांग करता हूं कि जयपुर-इंदौर एक्सप्रेस को सप्ताह में लगातार सातों दिनों के लिए चलाना चाहिए, ताकि आपके और मेरे क्षेत्र के लोगों को इससे काफी सुविधा मिल सके। वर्तमान समय में सवाई माधोपुर से ईसरदा व ईसरदा से जयपुर तक साढ़े नौ घंटे तक किसी भी गाड़ी का ठहराव नहीं है, जिससे यहां की लगभग 100 ग्राम पचायतों को काफी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। इसलिए मंत्री जी से मेरी मांग है कि इन ट्रेनों का ठहराव ईसरदा रेलवे स्टेशन पर जल्द से जल्द कराया जाए ताकि श्रद्धालुओं के साथ-साथ आस-पास के ग्रामीणों को भी इसका लाभ मिल सके।

श्री राम टहल चौधरी (रांची) **:** धन्यवाद अध्यक्ष महोदया, मेरे निर्वाचन क्षेत्र रांची में एचईसी (हैवी इंजीनियरिंग कॉर्पोरेशन) है, जिसमें मजदूरों की काफी रकम बकाया है जिसके बारे में मैंने पहले भी कई बार यह मुद्दा सदन में उठाया है। मैं शून्य काल में आज अपने लोकसभा क्षेत्र रांची के अंतर्गत स्थित एचईसी कंपनी धुर्वा, रांची (झारखंड) के बारे में सूचित करना चाहता हूं कि पिछले कई वर्षों से एचईसी से सेवानिवृत्त कर्मचारियों को 01.07.1997 से 17.01.2008 तक के पुनरीक्षण एरियर का भुगतान एवं अन्य भत्ते नहीं मिले हैं। कुछ सेवानिवृत्त कर्मचारी पैसों के अभाव के कारण अपनी चिकित्सा सही तरीके से नहीं कर पा रहे हैं। ऐसे बहुत से सेवानिवृत्त कर्मचारी भी थे, जो पैसों के अभाव में अपना इलाज नहीं करा पाएं और उनकी मृत्यु भी हो चुकी है।

हमने इस विषय को संसद में कई बार उठाया है। संसदीय प्रश्न 377 के अंतर्गत मैंने अपने विचार व्यक्ति किए हैं और शून्यकाल में भी कई बार इस मामले को उठाया है। यह आश्वासन भी दिया गया कि एचईसी की जमीन को झारखंड सरकार को बेचकर उसकी बकाया धनराशि को प्राप्त करके एचईसी के मजदूरों के बकाया वेतन का भुगतान कर दिया जाएगा। इस संबंध में मैं कई बार माननीय भारी उद्योग मंत्री को पत्र लिख चुका हूं और पर्सनली भी मिल चुका हूं। नियम के अनुसार मजदूरों का बकाया एरियर एवं बकाया वेतन का भुगतान करने की प्राथमिकता दी जाती है। झारखंड सरकार ने एचईसी की जमीन के पैसे का भुगतान कर दिया है। उसके बावजूद भी बकाये का भुगतान नहीं किया, जब कि मुख्य मंत्री जी ने कहा कि हमने जमीन का पैसा दे दिया है, आप मजदूरों का भुगतान कर दीजिए।

महोदया, त्रिपक्षीय वार्ता समझौता दिनांक 27.11.2006 को हुआ था। जिसमें भुगतान की बात कही गई थी। इसमें 7356 कर्मचारियों का बकाया वेतन है, जिनमें से बहुत से लोगों का देहांत हो गया है।

अत: मैं सदन के माध्यम से भारी उद्योग मंत्री से निवेदन करता हूं कि उन्होंने बार-बार यह आश्वासन दिया है कि बकाया पैसा राज्य सरकार से मिलने के बाद भुगतान कर देंगे, लेकिन उसके बाद भी भुगतान नहीं हुआ है। कंपनी धुर्वा, रांची के सेवानिवृत्त कर्मचारियों को 01.07.1997 से 17.01.2008 तक वेतन पुनरीक्षण एरियर का भुगतान यथाशीघ्र दिलवाने की कृपा करें। चूंकि अभी तक उपरोक्त पुनरीक्षण एरियर का भुगतान नहीं हुआ है, जिससे मजदूरों में काफी आक्रोश एवं गुस्सा है। इसके पहले भी वे लोग आंदोलन करते रहे हैं। धन्यवाद।

माननीय अध्यक्ष : श्री शरद त्रिपाठी तथा श्री भैरों प्रसाद मिश्र को श्री राम टहल चौधरी द्वारा उठाए गए विषय के साथ संबद्ध करने की अनुमति प्रदान की जाती है।

श्रीमती रंजीत रंजन (सुपौल) : अध्यक्ष जी, मैं आपके माध्यम से रेलवे में जो ऑनलाइन एग्जाम है, उसके नाम पर युवाओं के साथ जो अन्याय हो रहा है...

माननीय अध्यक्ष : आपने इसमें कुछ और विषय दिया है, क्या आप उस विषय को बदलना चाहती हैं?

श्रीमती रंजीत रंजन : मैडम, हां मैं बदलना चाहती हूं।

माननीय अध्यक्ष : आपको पहले बोलना चाहिए, आपकी इस बारे में कोई रिक्वेस्ट नहीं है।

श्रीमती रंजीत रंजन : सॉरी मैम। 9 अगस्त से रेलवे की परीक्षा शुरू हो रही है, यह असिस्टेंट लोको पायलट और टैक्नीशियन की परीक्षा है। जिसमें पदों की संख्या 26502 है और 47 लाख छात्र इसमें भाग ले रहे हैं। रेल मंत्रालय की तरफ से जो दावा किया जा रहा है, उसमें दिखाया जा रहा है कि ऑनलाइन परीक्षा है और इसमें तकरीबन 1 लाख पदों की बहाली होगी और दो करोड़ छात्र इसमें हिस्सा ले रहे हैं। यह मीडिया में भी दिखाया जा रहा है। इसमें मिनिस्टर साहब को यह क्लियर करना चाहिए। अब जब छात्रों ने 9 अगस्त की परीक्षा के लिए एडमिट कार्ड डाउनलोड किए तो पता चला कि ऑनलाइन एग्जाम है, लेकिन किसी का सेंटर बंगलुरु है और किसी का चेन्नई है। बिहार वालों का बंगलुरु है, किसी का मोहाली है। पटना के छात्र जबलपुर जा रहे हैं, कटिहार के मोहाली जा रहे हैं, आरा के हैंदराबाद जा रहे हैं और बक्सर के चेन्नई जा रहे हैं। राजस्थान और उत्तर प्रदेश के छात्रों के सामने भी यही चुनौती है। चूंकि बिहार के मैसेज बहुत ज्यादा आए हैं, इसलिए हमें वहां के लोगों के बारे में ज्यादा पता चला है। कईयों ने रेल मंत्री जी को ट्वीट करके रोते हुए कहा है कि आप इस तरह से न करें, क्योंकि हमारे एग्जाम्स छूट जाएंगे।

महोदया, पहली बात यह हे कि इसमें पांच-छः हजार रुपए का खर्चा है, दूसरा टिकट वेटिंग में मिल रही है, तीसरा ट्रेनें बहुत लेट हैं और 9 अगस्त को एग्जाम है। इसमें युवाओं के तकरीबन पांच:छः हजार रुपए खर्च होंगे। क्योंकि इतनी दूर जाना है तो बच्चे चार दिन पहले जाएंगे। वहां पर होटल में रहने का किराया आदि में बहुत पैसे खर्च होंगे। कहने को कह सकते हैं कि इसमें कोई फर्क नहीं पड़ेगा, लेकिन उनमें कोई चौकीदार का बेटा है, कोई ठेला चलाने वाले का बेटा है।

इसलिए हमारी रिक्वैस्ट है कि इसमें लगभग 1500 से 3000 हजार रुपए सिर्फ टिकट पर खर्चा आ रहा है। सवाल यह उठता है कि ऑनलाइन परीक्षा में जब कंप्यूटर पर ही परीक्षा देनी है तो आसपास के केन्द्रों में इसकी व्यवस्था क्यों नहीं की गई। लाखों युवाओं ने चार-चार साल तक एग्जाम्स की तैयार की है और यह उनके साथ बहुत नाइंसाफी है, क्योंकि 9 अगस्त के बाद तीसरे दिन ही बैंक की परीक्षा भी है तो युवाओं के साथ इतना बड़ा अन्याय क्यों हो रहा है। ऑनलाइन परीक्षा के नाम पर आप छात्रों को बिहार से हैदराबाद, मोहाली, चेन्नई आदि जगहों पर क्यों भेज रहे हैं? यह किस तरह का प्रोपेगंडा है, मैं समझती हूं कि इसे सरकार को निश्चित रूप से गंभीरता से लेना चाहिए। धन्यवाद।

माननीय अध्यक्ष : श्रीमती सुप्रिया सुले को श्रीमती रंजीत रंजन द्वारा उठाए गए विषय के साथ संबद्ध करने की अनुमति प्रदान की जाती है।

श्री कोडिकुन्नील सुरेश – उपस्थित नहीं।

श्रीमती वी. सत्यबामा।

[अनुवाद]

श्रीमती वी. सत्यबामा (तिरुपुर) : अध्यक्ष महोदया, इस अवसर के लिए धन्यवाद। मैं माननीय वस्त्र मंत्री श्रीमती स्मृति इरानी को हथकरघा क्षेत्र में कार्यरत हज़ारों लोगों के जीवन में, खासकर विकास आयुक्त (हथकरघा) कार्यालय के जरिए, खुशी लाने के लगातार प्रयासों के लिए हार्दिक धन्यवाद देती हूं और कृतज्ञता व्यक्त करती हूं। लेकिन दुर्भाग्य से विकास आयुक्त (हथकरघा) कार्यालय, नई दिल्ली के हालिया आदेश (आदेश सं. 1/2/2016-डीसीएच/पी एंड एच दिनांक 18.04.2018) के जरिए हथकरघा बुनकर उद्यमियों को पात्र लाभार्थियों की सूची से हटा दिया गया था और.. अब से वह कल्याणकारी योजनाओं के तहत सूत को नहीं खरीद सकते। मैं माननीय मंत्री जी से यह आग्रह करता हूं कि हथकरघा बुनकर उद्यमियों को पात्र लाभार्थियों की सूची में बहाल कर शामिल किया जाए ताकि 'ईरोड हथकरघा उद्यमी' के 7000 बुनकर अपने व्यवसाय में कामयाब हो सकें। मैं माननीय मंत्री जी से यह भी विनती करती हूं कि सभी हथकरघा बुनकरों को बुनकर पहचान पत्र दिए जाएं और उन्हें प्रत्यक्ष लाभ हस्तांतरण योजना (डीबीटी) में शामिल किया जाए ताकि बुनकरों को योजना के लाभ सीधे सीधे मिल जाएं। मैं माननीय मंत्री का धन्यवाद करती हूं और आशा करती हूं कि उनका समर्थन हमें निरंतर मिलता रहे। धन्यवाद*

[हिन्दी]

माननीय अध्यक्ष : श्री पी.आर. सुंदरम एवं श्री भैरों प्रसाद मिश्र को श्रीमती वी. सत्यबामा द्वारा उठाए गए विषय के साथ संबद्ध करने की अनुमति प्रदान की जाती है।

[अनुवाद]

***श्री वी. एलुमलाई** (अशवी) : माननीय अध्यक्ष महोदया, वणक्कम, राष्ट्रीय राजमार्ग 77, जो तिंदीवनम, गिंगी तिरुवन्नतमलाई और

---

*मूल रूप से तमिल में दिए गए भाषण के इस भाग का अंग्रेजी अनुवाद।

उथंगराई से होते हुए पांडिचेरी और कृष्णागिरी के बीच पड़ता है, पर सड़क बनाने संबंधी कार्य को कुछ वर्ष पहले शुरू किया गया था। अब तक कोई कार्य पूरा नहीं हुआ है।

पांडिचेरी-तिंडीवनम के बीच इस राष्ट्रीय राजमार्ग पर कार्य 2010 में पूरा हो गया था। लेकिन यह चिंता का विषय है कि कृष्णागिरी और तिंडीवनम के बीच सड़क बनाने का कार्य पूरा नहीं हुआ है। यह एक महत्वपूर्ण राजमार्ग है। हर साल कई हजार तीर्थयात्री तिरुवन्नमलाई अरुणाचलेश्वर मंदिर और मेमालाईचानुर अंगलम्मन मंदिर जाने के लिए इस राष्ट्रीय राजमार्ग को इस्तेमाल करते हैं। यह उल्लेख करना उचित है कि पांडिचेरी और कृष्णागिरी के बीच राष्ट्रीय राजमार्ग 66 बेंगुलुरु से संपर्क सुगम करता है। इस राजमार्ग की जीर्ण-शीर्ष हालत के कारण इसपर कई दुर्घटनाएं होती हैं। इसलिए मैं आग्रह करता हूं कि इस राष्ट्रीय राजमार्ग पर सड़क बनाने का कार्य जल्दी किया जाए क्योंकि यह वर्ष 2010 से लंबित था। हालांकि मैंने बार बार इस सम्मानीय सदन में इस विषय को उठाया है लेकिन फिर भी सड़क बनाने का काम पूरा नहीं हुआ है। जहां माननीय सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री देश में कई अन्य राजमार्गों को महत्व दे रहें हैं, मैं उनसे आग्रह करता हूं कि वे कृष्णागिरी और पांडिचेरी के बीच इस राष्ट्रीय राजमार्ग सं.77 पर भी ध्यान दें और इसके निर्माण कार्य को शीघ्रातिशीघ्र पूरा करना सुनिश्चित करें। पिछले 4 वर्ष में मैंने इस विषय को कई बार इस सदन में उठाया। यह राष्ट्रीय राजमार्ग, जो मेरे निर्वाचन क्षेत्र से गुजरता है और मेरे घर तक भी यात्रा सुगम करता है, काफी जर्जर हालत में है। माननीय केन्द्रीय मंत्री जी से विनती है कि वे इस कार्य को अधिकतम प्राथमिकता देकर यह सुनिश्चित करे कि राष्ट्रीय राजमार्ग 77 का निर्माण कार्य शीघ्र ही पूरा हो।

[हिन्दी]

माननीय अध्यक्ष : श्री अशोक कुमार एवं श्री भैरों प्रसाद मिश्र को श्री वी. एलुमलाई द्वारा उठाए गए विषय के साथ संबद्ध करने की अनुमति प्रदान की जाती है।

श्री रवीन्द्र कुमार पाण्डेय एवं श्रीमती रीती पाठक - उपस्थित नहीं।

श्री संतोख सिंह चौधरी।

श्री संतोख सिंह चौधरी (जालंधर) : अध्यक्ष महोदया, आपने मुझे जीरो ऑवर में अपनी बात रखने का मौका दिया है, इसके लिए मैं आपका धन्यवाद करता हूं।

मैडम, सिक्स लेन जालंधर-पानीपत एक्सप्रेस वे, जो नेशनल हाईवे नंबर-1 है, यह सन् 2009 में शुरू हुआ था और इसको तीस महीने में मुक्कमल होना था। मैडम, यह नेशनल हाईवे मेरे संसदीय क्षेत्र जालंधर से गुजरता है और जालंधर का अपना महत्व है। जालंधर एक इंडिस्ट्रियल हब है, वहां स्पोर्ट्स इंडस्ट्री है, हैण्ड-टूल इंडस्ट्री है, लैदर इंडस्ट्री है, वहां बहुत सारे रिलिजियल प्लेसिस और एजुकेशनल इंस्टिट्शंस हैं।

जालंधर स्मार्ट सिटी के प्रोजेक्ट में आया है। मेरे जालंधर सिटी को जो मुख्य द्वार है, वहां रामा मंडी जंक्शन पर फ्लाईओवर बन रहा है। यह पिछले दस साल से अपूर्ण है और यह रूका हुआ है। इस फ्लाईओवर के रुकने की वजह से जो हजारों की संख्या में वहां से वाहन गुजरते हैं, उनसे ट्रैफिक जाम होता है। वहां इसकी वजह से दुर्घटनाएं होती हैं। जो लोग माता चिंतापूर्णी और माता वैष्णो देवी के दर्शन के लिए जाते हैं, इसकी वजह से उन्हें असुविधा होती है। इस तरह से मेरा अगला जंक्शन पीएपी चौक है, फ्लाईओवर है। वह शहर का मुख्य जंक्शन है। वह भी दस साल से अपूर्ण पड़ा हुआ है। हमने बहुत बार मंत्रालय से और उसे बनाने वाली एजेंसी से निवेदन किया है, लेकिन वह वैसे का वैसे ही पड़ा हुआ है। इसके आगे हमारा पठानकोट चौक है। पठानकोट चौक के फ्लाईओवर और अन्य दूसरे फ्लाईओवर्स को जो स्टार्म वाटर ड्रेनेज सिस्टम है, उसे इन्होंने फॉल्टी बनाया है। जब बारिश होती है, तो इसकी वजह से सारा शहर फ्लडिड हो जाता है।

महोदया, मेरा आपके माध्यम से मंत्री जी से निवेदन है कि इन तीनों प्रोजेक्ट्स को फौरी तौर पर टेकओवर किया जाए ताकि शहर को जो हम स्मार्ट सिटी बनाने जा रहे हैं, उसमें हमें कामयाबी मिले और इसकी वजह से लोगों को जो असुविधा होती है, उससे निजात हासिल कर सकें। आप इसके लिए मंत्रालय को निर्देश दें कि फौरी तौर पर इन प्रोजेक्ट्स को पूरा किया जाए। धन्यवाद।

माननीय अध्यक्ष : श्री भैरों प्रसाद मिश्र को श्री संतोख सिंह चौधरी द्वारा उठाए गए विषय के साथ संबद्ध करने की अनुमति प्रदान की जाती है।

श्री अजय मिश्रा टेनी (खीरी) : महोदया, आपने मुझे शून्यकाल में बोलने का मौका दिया, इसके लिए आपका धन्यवाद।

महोदया, लगातार बढ़ती जनसंख्या के चलते देश में सबको गुणवत्तापूर्ण व सस्ती स्वास्थ्य सेवा उपलब्ध कराना एक बड़ी चुनौती है। लिहाजा स्वास्थ्य सेवाओं के निजीकरण के साथ ही जेनरिक दवाओं का प्रयोग बढ़ाने के लिए सरकार प्रयास कर रही है।

चूंकि किसी दवा का पेटेंट लेने में एक बड़ी राशि खर्च होती है, इसलिए ब्रांडेड दवाओं का दाम अधिक होता है। बिना पेटेंट के बनाए जाने वाली समान गुणवत्ता की जो दवाएं होती हैं, जिन्हें हम जेनरिक दवाओं के रूप में मानते हैं, वे सस्ती होती हैं, लेकिन उनकी गुणवत्ता और प्रभावशीलता में किसी तरह की कोई कमी नहीं होती है। यही कारण है कि पूरी दुनिया का जो दवाओं का बाजार है, उसमें भारत की जेनरिक

दवाओं का हिस्सा 20 प्रतिशत से अधिक है और 100 से अधिक देशों में हमारी दवाएं निर्यात होती हैं। अमेरिका जैसे विकसित देश में भी 40 प्रतिशत हमारी जेनरिक दवाओं का हिस्सा है। हिन्दुस्तान के दवाओं के बाजार में जेनरिक दवाओं का हिस्सा मात्र सात प्रतिशत है और वह भी अभी हम लोगों के बहुत प्रयास के बाद पहुंचा है।

सरकार द्वारा जेनरिक दवाओं के प्रचार-प्रसार का लगातार प्रयास किया जा रहा है। माननीय प्रधानमंत्री जी ने अभी 15 जुलाई को उत्तर प्रदेश के सभी जिला चिकित्सालयों में जेनरिक दवाओं के आउटलेट का उद्घाटन किया था। परंतु कम कीमत होने के कारण लोगों को जेनरिक दवाओं के प्रभाव पर लगातार शंकाएं बनी रहती हैं। जेनरिक दवाओं के प्रभावी प्रयोग हेतु लोगों को अधिक जानकारी उपलब्ध कराने की आवश्यकता है।

महोदया, मैं आपके माध्यम से माननीय स्वास्थ्य मंत्री जी और सरकार से मांग करता हूं कि जेनरिक दवाओं के प्रयोग को बढ़ाने हेतु एक ऐसी वेबसाइट व एप बनाएं, जिन पर ब्रांडेड दवा का नाम डालने के साथ ही उसके साथ जेनरिक विकल्प, जो बाजार में उपलब्ध हैं, उनका नाम आ जाए, उसका दाम आ जाए, ब्रांडेड दवा से उसके दाम का अंतर और जो निकटतम स्टोर हो, जहां वह जेनरिक दवा उपलब्ध हो, उसके बारे में भी सूचना आ जाए तो इससे जेनरिक दवाओं का प्रतिशत पूरे दवा बाजार में बढ़ाने में मदद मिलेगी। जेनरिक दवाओं के माध्यम से सस्ती दवाएं देश की जनता को उपलब्ध कराने का भारत सरकार का जो एक उद्देश्य है, जिस लक्ष्य को हम लोग लेकर चल रहे हैं, वह भी इससे पूरा होगा। धन्यवाद।

माननीय अध्यक्ष : श्री भैरों प्रसाद मिश्र, डॉ. मनोज राजोरिया, श्री हरीश मीना, श्री विनोद कुमार सोनकर, श्री राहुल शेवाले, कुंवर पुष्पेन्द्र सिंह चन्देल और डॉ. कुलमणि सामल को श्री अजय मिश्रा टेनी द्वारा उठाए गए विषय के साथ संबद्ध करने की अनुमति प्रदान की जाती है।

श्री अरविंद सावंत (मुंबई दक्षिण) **:** महोदया, आपने मुझे शून्यकाल में बोलने का मौका दिया, इसके लिए आपका बहुत-बहुत धन्यवाद।

मैं बहुत ही दुखी अंत:करण से यहां खड़ा हूं। महाराष्ट्र के दापोली में डॉ. बालासाहेब सावंत कोंकण कृषि विद्यापीठ है। उस विद्यापीठ के कर्मचारी 28 जुलाई को पिकनिक के तौर पर एक बस द्वारा महाबलेश्वर जा रहे थे। बीच में एक अंबेनली घाटी है, उस घाटी में जाते समय दुर्घटना हुई और बस बहुत गहरी खाई में, 600 फीट नीचे खाई में गिरी। उस बस में 34 लोग सवार थे। उनमें से सिर्फ एक व्यक्ति जीवित बचा, बाकी सभी लोगों की मृत्यु हो गई। साधारणतया जब ऐसी घटना होती है तो आपकी तरफ से श्रद्धांजलि का प्रस्ताव आता है। मैं ऐसी अपेक्षा कर रहा था। मैंने आपसे जाकर विनती की, आपने मुझे अनुमति दे दी। मैं इसके लिए आपको खासतौर पर धन्यवाद देता हूं।

अध्यक्ष महोदया, इनमें से केवल एक व्यक्ति, जिसकी उम्र 57 वर्ष थी, उसे छोड़कर बाकी सभी लोग 35 वर्ष से 45 वर्ष की उम्र के थे। मैं सरकार का इस तरफ ध्यान आकर्षण करते हुए विनती करना चाहता हूं कि इस परिवार को सहायता देने की आवश्यकता है। अगर आप उन सारे लोगों के परिवारों को देखें तो उनमें पत्नी, दो बच्चे हैं। अगर उनके परिवार में लड़की है, तो वह दस वर्ष की उम्र की है, किसी की उम्र बारह वर्ष की है। उनके पूरे परिवार की स्थिति इस कारण ध्वस्त हो रही है। अगर आप कृषि विद्यापीठ में जाएंगे तो आपको पता चलेगा कि हम इधर भी किसी शमशान में आए हैं। वहां पूरा ऑफिस-का-ऑफिस खाली है। यह दुर्घटना बहुत ही विदीर्ण करती है, यह हृदय-द्रावक है।

महोदया, मैं आपके माध्यम से सरकार से विनती करता हूं कि सरकार कहीं से भी इन परिवारों की सहायता करे। उनके दु:ख में हम भी शामिल हैं, यह लोक सभा भी शामिल है। आपके माध्यम से सरकार को यह समझाना चाहिए। हम सभी उन परिवारों के दु:ख के साथ हैं और आपसे फिर मांग करता हूं कि उन परिवारों को सरकार की तरफ से कुछ सहायता दी जाए।

माननीय अध्यक्ष : कुंवर पुष्पेन्द्र सिंह चन्देल, श्री भैरों प्रसाद मिश्र, श्री आधलराव पाटील शिवाजीराव, श्री श्रीरंग आप्पा बारणे एवं डॉ. श्रीकांत एकनाथ शिंदे को श्री अरविंद सावंत द्वारा उठाए गए विषय के साथ संबद्ध करने की अनुमति प्रदान की जाती है।

[अनुवाद]

श्री मुथमसेटी श्रीनिवास राव (अवंती) (अनाकापल्ली) **:** महोदया, मुझे अवसर देने के लिए धन्यवाद। यह हमारे राज्य में एक बहुत महत्वपूर्ण मुद्दा है। मैं आपको एपी काजू रिजर्वेशन (राज्य में शैक्षिक संस्थाओं में सीटों और सेवाओं में नियुक्तियों अथक पदों का विधेयक को स्वीकृति देने का अनुरोध करता हूं। आंध्र प्रदेश सरकार ने कापू समुदाय को अन्य पिछड़ा वर्ग की सूची में एक अलग 'एक' कैटगरी बनाकर पांच फीसदी आरक्षण देने का निर्णय लिया है। मुख्यमंत्री (श्री एन. चंद्रबाबू नायडु) की अध्यक्षता में राज्य मंत्रिमंडल ने कापू समुदाय को काफी लंबे समय से 5 प्रतिशत आरक्षण प्रदान करने की लंबित मांग को स्वीकृति दी जो एक चुनावी वादा भी था।

कापू से संबंधित - तेलगा, बलिजा और ओंटारी समुदाय - को रोजगार के लिए और विभिन्न शैक्षणिक संस्थानों में 'एफ' श्रेणी के तहत वर्गीकृत किया जाएगा। विधेयक में राजनीतिक आरक्षण के लिए कोई जगह नहीं थी।

कापू कृषि समुदाय, जो 2 दशक से अधिक समय से आरक्षण की मांग कर रहे हैं, ने आंध्र प्रदेश सरकार के निर्णय का स्वागत किया है।

आंध्र प्रदेश विधान सभा ने दिसंबर, 2017 में हुए शीत सत्र में शनिवार को 'एपी कापू रिज़र्वेशन (राज्य में शैक्षिक संस्थानों में सीटों और सेवाओं में नियुक्तियों और पदों का) विधेयक को पारित किया था।

विधेयक को श्री ई.एस.एल. नरसिम्हन को इसेर संविधान की अनुसूची ix में शामिल करने के लिए केन्द्र सरकार को भेजने के लिए भेजा गया था, जो उन्होंने किया। अब विधेयक, केन्द्र सरकार के समक्ष अनुमोदन के लिए लंबित है।

कापू समुदाय केन्द्र सरकार से आशा कर रहा है कि वह विधेयक को संवैधानिक दर्जा दे, चाहे संविधान में संशोधन भी करना पड़े, जैसाकि तमिलनाडु के मामले में 50 फीसदी आरक्षण की सीमा पार करने हेतु किया गया है।

इसलिए, मैं केन्द्र सरकार से आग्रह करता हूं कि वह विधेयक को शीघ्रातिशीघ्र विधेयक को पारित करे ताकि हम शैक्षिक संस्थानों और रोजगारों में कापू समुदाय के लिए 5 फीसदी आरक्षण पा लें।

माननीय अध्यक्ष : अब मैं आप सबको केवल एक-एक मिनट का समय दे रही हूं। कृपया अत्यधिक समय न लें।

[हिन्दी]

डॉ. करण सिंह यादव (अलवर) : मैडम, राजस्थान में एम्स, जोधपुर में मेरे लोक सभा संसदीय क्षेत्र अलवर के ग्राम सिहाली की प्रथम वर्ष की एक छात्रा रश्मि यादव ने चार दिन पूर्व ही उसमें एडमिशन लिया था और उसने अपने कमरे में फांसी का फंदा लगाकर आत्महत्या कर ली।

उस बच्ची ने जो छोटा-सा सुसाइड नोट लिखा है, वह मैं आपके संज्ञान में लाने के लिए मैं उसे सुनाना चाहूंगा - "मां, पापा, मामा, भाई-बहन, मुझे माफ करना। मैं तुम्हें परेशानी में नहीं डालना चाहती थी। पर, मम्मी मुझसे सेल्फ-रेस्पेक्ट के बिना नहीं जीया जाता।" वह आगे लिखती है - "महोदय, मैं क्षमा चाहता हूं। आपने मुझे कुछ ज्यादा सुना दिया कि मैं आपके सामने सॉरी भी नहीं बोल सकी। मैं बहुत शर्मिंदा हूं। पर, प्लीज, ऐसा अन्य स्टूडेंट के साथ मत करना। आपका अपना व्यवहार अच्छा होगा, पर आज मेरे साथ अच्छा नहीं हुआ। सर, मेरा स्कूल भी अच्छा था, मुझमें मैनर्स भी है और मम्मी, बड़े लोग अच्छे नहीं होते।"

मैडम, इस बच्ची का जो दर्द है, वह इसमें साफ झलकता है कि कॉलेज के किसी शिक्षक ने अपने शब्दों से, अपने व्यवहार से, अपनी भाषा से इस बच्ची के आत्म-सम्मान को ठेस पहुंचाई है। उसे ठेस लगी, जिसके कारण इस बच्ची ने ऐसा आत्मघाती कदम उठाया। वह पहली बार किसी होस्टल में नहीं गई थी। पहले वह कोचिंग में पढ़ती थी। दो साल वह वेटेनरी कॉलेज में रह कर आई थी।

मैडम, मैं आपका ध्यान एम्स, जोधपुर की तरफ लेकर जाना चाहूंगा, जहां पिछले तीन सालों में तीन सुसाइड्स हुए हैं। मुझे लगता है कि वहां कहीं-न-कहीं जब ये नए बच्चे पढ़ने जाते हैं तो वे घबराए हुए होते हैं। उन्हें अच्छा वातावरण देने की और उनके साथ शालीनता के साथ व्यवहार करने की जरूरत है। अगर वहां पर कोई अध्यापक इस तरह का व्यवहार करे तो फिर देश के ये कॉलेज कैसे चलेंगे? अतएव, इस अति महिला उत्पीड़न के विषय में मैं कहना चाहूंगा कि इसकी सीबीआई से जांच कराई जाए। इसे सिर्फ डिप्रेशन का मामला न समझा जाए।

माननीय अध्यक्ष : कुंवर पुष्पेन्द्र सिंह चन्देल एवं डॉ. मनोज राजोरिया को डॉ. करण सिंह यादव द्वारा उठाए गए विषय के साथ संबद्ध करने की अनुमति प्रदान की जाती है।

अपराह्न 13.00 बजे

श्रीमती रेखा वर्मा (धौरहरा) : धन्यवाद, अध्यक्ष महोदया। मेरे संसदीय क्षेत्र के अंतर्गत आने वाले क्षेत्रों के बीच में घाघरा और शारदा नदी बहती हैं। इन नदियों के कारण बरसात में कई गांव उजड़ जाते हैं। इससे क्षेत्रीय जनता को काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ता है।

महोदया, मैं सदन के माध्यम से माननीय मंत्री से यह जानना चाहती हूं कि इन दोनों नदियों से हर साल होने वाली तबाही से निपटने के लिए क्या कोई योजना बनाई जा रही है? भविष्य में इन परेशानियों को देखते हुए क्या कोई कारगर योजना चलाई जाएगी? धन्यवाद।

माननीय अध्यक्ष : श्री भैरों प्रसाद मिश्र तथा कुंवर पुष्पेन्द्र सिंह चन्देल को श्रीमती रेखा वर्मा द्वारा उठाए गए विषय के साथ संबद्ध करने की अनुमति प्रदान की जाती है।

[अनुवाद]

श्री आर. ध्रुवनारायण (चामराजनगर) : महोदया, मैं एक महत्वपूर्ण मुद्दा उठाना चाहता हूं। देशभर में, निजी बैंक भारतीय रिजर्व बैंक (आरबीआई) की नीतियों का पालन करते हुए सरकारी क्षेत्र के बैंकों के बराबर काम कर रहे हैं। ये निजी वित्तीय बैंक सरकारी नीतियों के सभी लाभ लेते हैं। हालांकि, आरबीआई ने सेवा क्षेत्र केवल सार्वजनिक सरकारी क्षेत्र के बैंकों के लिए तय किए हैं और किसी भी निजी बैंक को सेवा क्षेत्र नहीं सौंपे गए हैं।

सरकारी क्षेत्र के बैंक सरकारी योजनाओं को लागू कर रहें हैं चाहे वे राज्य सरकार या केन्द्र सरकार की योजनाएं हों लेकिन ये निजी बैंक सरकारी योजनाओं को लागू नहीं कर रहे हैं। उदाहरण के लिए, वे स्व-रोजगार योजनाओं, कृषि के लिए ऋण आदि नहीं दे रहे हैं।

महोदया, आपके माध्यम से मेरा केन्द्र सरकार से, विशेषकर वित्त मंत्रालय से अनुरोध है कि वे भारत सरकार की योजनाओं को कार्यान्वित करने और लक्षित लाभार्थियों को ऋण प्रदान करने के लिए उचित कदम उठाए। इस विषय के संबंध में सरकार को निजी बैंकों को सख्त निर्देश देने चाहिए। धन्यवाद, महोदया।

माननीय अध्यक्ष : कुंवर पुष्पेन्द्र सिंह चन्देल को श्री आर. ध्रुवनारायण द्वारा उठाए गए मुद्दे से खुद को संबद्ध करने की अनुमति है।

डॉ. बूरा नरसैय्या गौड (भोंगीर) : महोदया, मुझे बोलने का अवसर देने के लिए आपका धन्यवाद। मैं एक महत्वपूर्ण मुद्दा उठाना चाहता हूं और सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय व भारत सरकार का ध्यान इस ओर आकर्षित करना चाहता हूं।

जैसाकि आप जानते हैं, इस देश की प्रगति अच्छी और नि:शुल्क शिक्षा पर आधारित है, जो हमारी प्रगति और भारतीयों को विश्व में मिलने वाले सम्मान का आधार था। वर्तमान समय में, अ.जा., अ.ज.जा., अ.पि.व. और ईबीसी वर्ग के गरीब छात्रों को भी उच्च शिक्षा मिलती है, विशेषकर, विश्वविद्यालयों में पीएचडी में राजीव गांधी राष्ट्रीय फैलोशिप योजना के जरिए भी उच्च शिक्षा मिलती है लेकिन पिछले दो वर्षों से अ.जा. और अ.पि.व. के छात्रों के लिए कोई अधिसूचना जारी नहीं हुई है जबकि अ.ज.जा. छात्रों के लिए अधिसूचना जारी की गई थी और इसके परिणामस्वरूप पीड़ित छात्र पूरी तरह से कष्ट में दें।

मैं इस तथ्य पर एनडीए सरकार का ध्यान आकर्षित करना चाहता हूं कि अ.जा. छात्रों के लिए 2,000 छात्रवृत्तियां हैं लेकिन अ.पि.व. के छात्रों के लिए - जो भारत की नकदी का 50 प्रतिशत हिस्सा दें- के लिए केवल 200 छात्रवृत्तियां हैं। मैं भारत सरकार का ध्यान इस विषय की और आकर्षित करना चाहता हूं और उनसे इसपर ध्यान देने का आग्रह करता हूं। मैं यह इसलिए कह रहा हूं क्योंकि एनडीए सरकार का सिद्धांत है; सबका साथ सबका विकास। मैं चाहता हूं कि सरकार इसे अक्षरक्ष: पूरा करें। धन्यवाद।

माननीय अध्यक्ष : डॉ. ए. सम्पत और श्रीमती पी.के. श्रीमथि टीचर को डॉ. बूरा नरसैय्या गौड द्वारा उठाए गए मुद्दे में स्वयं को संबद्ध करने की अनुमति है।

[हिन्दी]

श्री सुमेधानन्द सरस्वती (सीकर) : धन्यवाद, अध्यक्ष महोदया। रेल मंत्रालय ने दुर्घटनाओं को रोकने के लिए एक बहुत ही महत्वपूर्ण प्रयास किया है और फाटक के स्थान पर अंडर-पास बनाए गए हैं। इससे दुर्घटनाएं तो रूकी हैं, लेकिन एक बड़ी समस्या खड़ी हो गई है। मेरे लोक सभा क्षेत्र में ब्रॉडगेज - निर्माण का कार्य चल रहा है और वहां अनेक-अंडर-पास बने हैं। वर्षा ऋतु में सभी अंडर-पास में पानी भर जाता है और कई बार ऐसी परिस्थिति पैदा होती है कि वहां से ट्रैफिक का निकलना मुश्किल हो जाता है। पैदल यात्री भी किसी तरह से निकल नहीं पाते हैं। मोटरसाइकिल वाले फंस जाते हैं। अभी पिछले दिनों फतेहपुर में एक बस फंस गई जिसमें 25-30 आदमी सवार थे। उस बस को बड़ी मुश्किल से क्रेन लगाकर निकाला गया।

महोदया, आपके माध्यम से मेरा सरकार से निवेदन है कि वहां पानी-निकासी की स्थायी व्यवस्था की जाए ताकि किसी प्रकार की दुर्घटना न हो। यह मेरा निवेदन है। धन्यवाद।

माननीय अध्यक्ष : श्री भैरों प्रसाद मिश्र, कुंवर पुष्पेन्द्र सिंह चन्देल, श्री हरीश मीना, डॉ. मनोज राजोरिया तथा श्री ओम बिरला को श्री सुमेधानन्द सरस्वती द्वारा उठाए गए विषय के साथ संबद्ध करने की अनुमति प्रदान की जाती है।

श्री रवीन्द्र कुमार पाण्डेय (गिरिडीह) : धन्यवाद, अध्यक्ष महोदया, मैंने इस विषय को शून्य काल में नियम 377 के तहत दो-तीन बार रखने का प्रयास किया है। हमारे लोक सभा क्षेत्र के अंतर्गत धनबाद डिविजन में डी.सी. लाइन लगभग 14 महीने से बंद है।

यह कारण बताया गया कि नीचे आग है और नई रेल लाइन हम बिछाएंगे। यह ताज्जुब की बात है कि 14 महीने होने जा रहे हैं, आज भी वहां आंदोलन चल रहा है, एक इंच भी लाइन वहां नहीं बिछी। लगभग 5 लाख लोग इससे प्रभावित हैं। कितनी ही गाड़ियां रद्द कर दी गईं। इस विषय के बारे में हम लोग रेल मंत्री से भी मिले।

मेरा आपके माध्यम से आग्रह होगा कि इस पर भारत सरकार संज्ञान ले और अविलंब रेल लाइन को चालू किया जाए।

माननीय अध्यक्ष : श्री भैरों प्रसाद मिश्र और कुंवर पुष्पेन्द्र सिंह चन्देल को श्री रवीन्द्र कुमार पाण्डेय द्वारा उठाए गए विषय के साथ संबद्ध करने की अनुमति प्रदान की जाती है।

[अनुवाद]

श्री पार्थ प्रतिम राय (कूच बिहार) : महोदया, 1947 में देश के विभाजन से पूर्व, गिलतालदाह और मुगलहाट से होते हुए लाल मोनिरहार

जंक्शन, जोकि अब बांग्लादेश में स्थित है, के लिए एक रेल लिंक था। 1955 तक, भारत और पाकिस्तान के बीच पुनरारंभ के लिए वार्ता होने तक रेल संपर्क अस्तित्व में था। बाद में वार्ता सफल न होने पर सरकार द्वारा इस संपर्क मार्ग को बंद कर दिया गया। 1972 में बांग्लादेश बना। चूंकि भारत अपने पड़ोसी देश के साथ अच्छे राजनयिक संबंध बनाए रखता है, इसलिए हमारे पास बांग्लादेश और भारत के बीच एक यात्री ट्रेन सेवा मैत्री एक्सप्रेस फ्रेंडशिप है।

इसलिए मैं निष्ठा से सरकार से रेलवे लिंक को नवीनीकृत और पुनर्स्थापित करने का अनुरोध करता हूं जो बांग्लादेश के माध्यम से उत्तर पर्वूी भारत को देश के अन्य भागों से जोड़ता है। प्रस्तावित मार्ग गीतलदाह, अलीपुर, द्वार (कूच बिहार) से लालमोनिहार (बांग्लादेश) होते हुए कोलकाता जाने वाले यात्रियों के लिए सबसे छोटा मार्ग होगा। नए मार्ग के माध्यम से लगने वाला समय वर्तमान में लगने वाले यात्रा समय के आधे से भी कम होगा। उत्तर बंगाल और पूर्वोत्तर भारत के लोगों की यात्रा के लिए यह सुगम होगा।

श्री के. अशोक कुमार (कृष्णागिरी) : महोदय, मैं कहना चाहता हूं कि जोलारपेट रेलवे स्टेशन का आरक्षण केन्द्र सुबह 8:00 बजे से सायं 2:00 बजे तक खुलता है। इस स्टेशन से लगभग 136 पैसेंजर ट्रेने गुजरती हैं। लगभग 200 गांवों के लोग इस आरक्षण केन्द्र का उपयोग करते हैं। जब अपराह्न 2:00 बजे यह काउंटर बंद हो जाता है, तो इस क्षेत्र के लोगों को जोलरपेट रेलवे स्टेशन से 40 किमी दूर अंबुर रेलवे स्टेशन के आरक्षण केन्द्र पर जाना पड़ता है। इससे इस क्षेत्र के लोगों को असुविधा होती है। इसलिए आपके माध्यम से मैं रेलमंत्री से यह अनुरोध करना चाहता हूं कि जोलारपेट रेलवे स्टेशन का आरक्षण केन्द्र सायं 8:00 बजे तक खोला जाए।

महोदय, मैं केन्द्र सरकार से अनुरोध करता हूं कि जोलारपेट रेलवे स्टेशन पर आरक्षण केन्द्र के कार्य घंटों को बढ़ाकर प्रात: 8:00 बजे से सायं 8:00 बजे तक किया जाए।

[हिन्दी]

श्री प्रवेश साहिब सिंह वर्मा (पश्चिमी दिल्ली) : अध्यक्ष महोदया, मैं आपको धन्यवाद देता हूं कि आपने बहुत ही महत्वपूर्ण विषय पर मुझे बोलने का अवसर दिया। दिल्ली के गांव के लोग दिल्ली के सबसे पुराने बाशिन्दे हैं, मगर फिर भी दिल्ली के गांव के लोगों को अपने घर, लाल डोरा बढ़ाने के लिए संघर्ष करना पड़ता है।

पिछले 10 दिनों से घेवरा मोड़ पर सारे किसान भूख हड़ताल पर बैठे हैं कि उनके गांव का लाल डोरा बढ़ना चाहिए। सैक्शन 74(4) के अंतर्गत किसानों को मालिकाना हक मिलना चाहिए। धारा 81(33) को खत्म करना चाहिए, मगर दिल्ली सरकार उनकी तरफ कोई ध्यान नहीं दे रही है। भारत सरकार से किसानों को जो स्कीम मिलती है, जो फायदा देशभर के किसानों को मिलता है, वह फायदा दिल्ली के किसानों को नहीं मिलता है, क्योंकि 2008 में कांग्रेस की सरकार ने दिल्ली में किसान का दर्जा खत्म कर दिया था। पिछले 13 सालों में दिल्ली में किसान का दर्जा नहीं दिया गया, इसलिए न उनको बढ़ा हुआ मुआवजा मिलता है, न बढ़ा हुआ फसलों का दाम मिलता है। आप सबने अखबारों में पढ़ा होगा कि घुमनहेड़ा गांव में 70 गायें मारी गईं। दिल्ली सरकार ने जिस एनजीओ को वह ठेका दिया हुआ था, वहां के विधायक ने वहां की गौशाला पर कब्जा किया हुआ था। उनकी नाकामी की वजह से वहां पर गायों की मौत हुई है। मैं चाहता हूं कि भारत सरकार दिल्ली सरकार से बात करे कि दिल्ली के गांवों का लाल डोरा बढ़े। कैर, झड़ोदा, डिचाउ, बड़ूसराय, लाडपुर जैसे कई गांवों का लाल डोरा बढ़ना है, जो दिल्ली सरकार नहीं बढ़ा रही है।

माननीय अध्यक्ष : श्री भैरों प्रसाद मिश्र ओर कुंवर पुष्पेन्द्र सिंह चन्देल को श्री प्रवेश साहिब सिंह वर्मा द्वारा उठाए गए विषय के साथ संबद्ध करने की अनुमति प्रदान की जाती है।

श्रीमती अर्पिता घोष (बालूरघाट) : मैडम, रेलवे इश्यू के ऊपर मैं अपनी बात कहना चाहूंगी। वहां पर हालत बहुत खराब है। वहां एक तेभागा एक्सप्रेस चलती है। हमारे यहां दो ही ट्रेनें बालूरघाट कांस्टीट्युएंसी में चलती हैं। रात को एक गौड एक्सप्रेस जाती है और सुबह तेभागा एक्सप्रेस जाती है। तेभागा एक्सप्रेस में नार्थ दिनाजपुर को ट्रेन से जोड़ा जा रहा है। उसमें जो एसी कोच था, उसे कट कर दिया गया। आज आदर्श स्टेशन की बात होती है। हमारे यहां पर स्टेशन की बहुत खराब हालत है। वहां ऊपर से पानी गिरता है और गंगारामपुर में इतना नीचे है कि लोग वहां से आना-जाना नहीं कर पाते हैं।

तीसरी बात यह है कि जब रेल मंत्री ममता बनर्जी थीं, उन्होंने बुनियादपुर में वैगन फैक्ट्री दी थी। गवर्नमेंट ने बताया है कि उसकी कोई गुंजाइश नहीं है, वह अभी नहीं बन सकती है। मेरी आपके माध्यम से रिक्वेस्ट है कि यह बनना बहुत जरूरी है। वहां के लड़के-लड़कियों के इंप्लायमेंट के लिए यह बहुत जरूरी है।...*(व्यवधान)*

श्री राहुल कस्वां (चुरु) : माननीय अध्यक्ष महोदया, मेरे क्षेत्र में सिधुमुख कैनाल प्रोजेक्ट है। इसे हरियाणा, पंजाब और राजस्थान के मध्य वर्ष 1983 में एग्जिक्यूट किया गया। 0.47 एमएएफ पानी का एग्रीमेंट है लेकिन 0.30 एमएएफ पानी दिया जा रहा है। 0.17 एमएएफ पानी हरियाणा ने इश्यू क्रिएट किया कि कैपेसिटी इन्हान्समेंट के बाद ही पानी दिया जाएगा। राजस्थान सरकार ने पैसा देकर कैपेसिटी इन्हान्स कर दिया, जिसे पंजाब गवर्नमेंट ने एग्री भी किया लेकिन वह पानी आज तक नहीं

दिया गया। सिधमुख कैनाल का एक बूंद पानी वहां नहीं पहुंचा। लोग मंढेर पर बैठकर इंतजार कर रहे हैं कि कब पानी आएगा?

मेरा अनुरोध है कि इसके लिए हरियाणा गवर्नमेंट को प्रैशराइज करे कि एग्रीमेंट की बात को मानते हुए सिधमुख कैनाल को पानी दिया जाए, यही मेरा निवेदन है।

माननीय अध्यक्ष : कुंवर पुष्पेन्द्र सिंह चन्देल को श्री राहुल कस्वां द्वारा उठाए गए विषय के साथ संबद्ध करने की अनुमति प्रदान की जाती है।

श्री नारणभाई काछड़िया (अमरेली) : अध्यक्ष महोदया, मैं माननीय प्रधानमंत्री जी और रोड और परिवहन मंत्री नितिन गडकरी जी को धन्यवाद करता हूं क्योंकि मेरे क्षेत्र अमरेली में नौ हजार करोड़ रुपए का नेशनल हाईवे का प्रोजेक्ट दिया है। मैं आपके माध्यम से माननीय मंत्री जी से कहना चाहता हूं कि अभी तक उसका डीपीआर और सर्वे का काम शुरू नहीं हुआ है।

मेरी जानकारी के अनुसार जब तक अस्सी प्रतिशत भूमि का अधिग्रहण नहीं होता तब तक टैंडर प्रक्रिया नहीं होती है। मैं आपके माध्यम से मंत्री जी से अनुरोध करता हूं कि जल्द से जल्द डीपीआर और टेंडर प्रक्रिया शुरू की जाए ताकि मेरे क्षेत्र के लोगों को उसका लाभ मिले। बहुत-बहुत धन्यवाद।

माननीय अध्यक्ष : कुंवर पुष्पेन्द्र सिंह चन्देल और कुवर पुष्पेन्द्र सिंह चन्देल को श्री नारणभाई काछड़ियां द्वारा उठाए गए विषय के साथ संबद्ध करने की अनुमति प्रदान की जाती है।

श्री विद्युत वरण महतो (जमशेदपुर) : अध्यक्ष महोदया, मेरे संसदीय क्षेत्र के अंतर्गत जादुगोडा यूसीआईएल माइन्स कंपनी द्वारा एक ऑटोमेकि इनर्जी एजुकेशन सोसायटी के माध्यम से केन्द्रीय विद्यालय संचालित है। नॉन-इम्पलायज संघ आदिवासी बहुत क्षेत्र है। नॉन-इम्पलायज संघ के लिए ग्यारह हजार रुपए प्रतिवर्ष से बढ़ाकर बाइस हजार रुपए कर दिया गया है। छात्रा का फीस 1800 रुपए था उसे बढ़ाकर 22,000 रुपए कर दिया गया है। यह आदिवासी बहुल और पिछड़ा क्षेत्र है।

मैं आपके माध्यम से माननीय मंत्री जी से आग्रह करता हूं कि फीस को घटा कर बेटी बचाओ, बेटी पढ़ाओ प्रधानमंत्री जी का सोच है, उसको पूरा कर सकें।

माननीय अध्यक्ष : कुंवर पुष्पेन्द्र सिंह चन्देल और भैरों प्रसाद मिश्र को श्री विद्युत वरण महतो द्वारा उठाए गए विषय के साथ संबद्ध करने की अनुमति प्रदान की जाती है।

[अनुवाद]

***श्री गुरजीत सिंह औजला** (अमृतसर) : माननीय, अध्यक्ष महोदय, मैं आपको धन्यवाद देता हूं कि आपने मुझे पंजाबी, विशेषरूप से सिखों से संबंधित महत्वपूर्ण विषय पर बात करने का अवसर दिया है। महोदया, मैं शिलांग, मेघालय में सिखों के समक्ष आ रही समस्याओं की ओर आपका ध्यान आकर्षित करना चाहूंगा।

सिख 1863 से शिलांग में 2 एकड़ की भूमि पर बसे हुए हैं। किंतु उन्हें अपने घर से बेघर करने के लिए प्रयास जारी हैं। पिछले 150 वर्षों से सिखों की कई पीढ़ियां वहां पर रह रही हैं। उनके पास अपने नाम के वोटर आई-कार्ड, आधार कार्ड, राशन कार्ड आदि हैं। विद्युत मीटर उनके नाम पर हैं। वहां गुरुद्वारा और एक स्कूल भी बना हुआ है।

महोदया, हमारे माननीय मुख्यमंत्री कैप्टन अमरिन्दर सिंह ने सिखों के इस उत्पीड़न की जांच करने के लिए एक समिति गठित की। मैं उस समिति का सदस्य था जिसमें रवनीत बिट्टू जी एवं सुखी रंधावा जी थे। हमने मेघालय के मुख्यमंत्री जी से वार्ता की किंतु हमें कोई सकारात्मक प्रतिक्रिया नहीं मिली। मुख्यमंत्री जी स्थानीय लोगों की इच्छा अनुसार कार्य कर रहे हैं जोकि चाहते हैं कि सिख यहां से चले जाएं।

महोदया, दलित सिख पिछले 150 वर्षों से 2 एकड़ जमीन पर रह रहे हैं। उन्हें वहां धमकाया और सताया जा रहा है। पूर्व में गुजरात के कच्छ में बसे हुए 25000 सिखों पर अत्याचार किए गए और उन्हें बेघर करने के प्रयास किए गए। उच्च न्यायालय ने इस मामले में स्थगन आदेश दिया था। तथापि राज्य सरकार ने इस फैसले के विरुद्ध न्यायालय में अपील दाखिल की है।

महोदया, मैं केन्द्र सरकार से विनती करता हूं कि वह इन मामलों में हस्तक्षेप करें। प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी ने पंजाब में एक रैली में विश्वास दिलाया था कि वह सिखों के अधिकारों की सुरक्षा करेंगे। केन्द्र सरकार को इन दोनों मामलों में हस्तक्षेप करना चाहिए। इन दोनों स्थानों पर सिखों की सुरक्षा एवं संरक्षा को सुनिश्चित किया जाना चाहिए।

धन्यवाद।

माननीय अध्यक्ष : सभा अपराहन 2.15 तक स्थगित होती है।

अपराह्न 1.13 बजे

तत्पश्चात् लोक सभा अपराहन 2:15 बजे तक के लिए स्थगित हुई।

---

*मूलत: पंजाबी में दिए गये भाषण के अंग्रेजी अनुवाद का हिन्दी रूपान्तरण।

अपराह्न 2.19 बजे

लोक सभा मध्याह्न भोजनावकाश के पश्चात् अपराह्न दो बजकर 19 मिनट पर पुन: समवेत हुई।

[**माननीय उपाध्यक्ष महोदय** *पीठासीन हुए*]

नियम 377 के अधीन मामले*

माननीय उपाध्यक्ष : माननीय सदस्यों, नियम 377 के अधीन मामले सभापटल पर रखे जाएंगे। आज जिन सदस्यों को नियम 377 के अंतर्गत मुद्दे उठाने की अनुमति दी गई है और जो उन्हें सदन में रखने के इच्छुक हैं, वे 20 मिनट के अंदर मामले की विषय वस्तु को सभा पटल पर रख सकते हैं। केवल उन मामलों को सभा पटल पर रखा माना जाएगा जोकि सदन में निर्धारित समय-सीमा में प्राप्त हुए हैं। शेष को व्यपगत माना जाएगा।

(एक) देश के सभी उच्चतर माध्यमिक विद्यालयों में मानविकी की पढ़ाई शुरू किए जाने की आवश्यकता

[हिन्दी]

श्रीमती जयश्रीबेन पटेल (मेहसाणा) : शिक्षा सशक्तिकरण का अहम माध्यम है, जो देश की नागरिक संस्कृति को संवारने में अभूतपूर्व योगदान देता है, जिससे देश का सर्वांगीण विकास होता है।

वर्तमान में मोदी सरकार की पढ़े भारत - बढ़े भारत की शिक्षा नीति सराहनीय है। संविधान की धारा 45 के तहत प्राथमिक शिक्षा नि:शुल्क और अनिवार्य बनाई गई है। हमारे मूलभूत कर्त्तव्यों में भी सेक्शन 51 क में बच्चों की पढ़ाई पर ज्यादा जोर दिया गया है। संविधान की धारा 21 क में भी शिक्षा को मौलिक अधिकार के तहत लाया गया है।

आज 30 मार्च, 2018 की स्थिति के अनुसार देश में 1187 केन्द्रीय विद्यालय हैं और उसमें 12 लाख 53 हजार 680 छात्रों की संख्या है। 629 नवोदय विद्यालय हैं, जिसमें 2 लाख 53 हजार 672 छात्रों की संख्या है। केवल उच्चतर माध्यमिक 11 हजार 436 विद्यालय हैं, जिसमें 33 लाख 55 हजार 613 छात्र पढ़ाई करते हैं।

देश के सभी उच्चतर माध्यमिक, केन्द्रीय विद्यालय, नवोदय विद्यालय और सर्वोदय विद्यालय, जिसमें सिर्फ कहीं-कहीं पर विज्ञान स्ट्रीम का प्रवाह, कॉमर्स स्ट्रीम ज्यादातर पढ़ाई जाती है। कई छात्रों और अभिभावकों की हम सब सांसदों के सामने मांग आई है कि ह्यूमेनिटी (आर्टस) भी इसके साथ सभी स्कूलों में पढ़ाई जानी चाहिए क्योंकि उनका लगाव उच्चतर माध्यमिक विद्यालयों से कट जाता है इसको बरकरार रखने के लिए उनके पंसदीदा आर्टस के विषय पढ़ाये जाने चाहिए तथा देश में तीनों स्ट्रीमों की पढ़ाई की नीति लागू की जाये। इससे देश में बच्चों की शिक्षा का विस्तार एवं संवर्द्धन हो सकेगा।

[अनुवाद]

(दो) झारखंड की लंबित परियोजनाओं के बारे में

श्री निशिकान्त दुबे (गोड्डा) : झारखंड राज्य को वनों के साथ-साथ खनिजों के संदर्भ में प्राकृतिक संसाधनों के विशाल भंडार के रूप में जाना जाता है। गोड्डा जिले के संथाल परगना में सिंचाई साधनों का अभाव है जहां पर लगभग 85 प्रतिशत आबादी अपनी जीविका हेतु कृषि पर निर्भर रहती है।

बिहार में बंका जिले का चंदन बांध 1978 में पूरा हो गया था और यह 80 हजार हेक्टेयर की रबी और खरीफ फसलों की सिंचाई कर सकता है। इस वृहत सिंचाई परियोजना के तहत 105 किमी लंबी नहर, बिहार के बांका में 35 किमी और झारखंड के गोड्डा में 70 किमी, के निर्माण की योजना थी। इस बांध से गोड्डा के त्रिवेणी, कझिया, हरना उत्तर एवं हरना दक्षिण में पानी पहुंचाना था। इसे पोरयाहट के प्रस्तावित सुगाबथान बांध से जोड़ा जाना था। यह सापिन, सुंदर, सोनेपुर, भौरा, राजबंध नदी और सुंदर जलाशय की सहायक योजना थी।

इसके अतिरिक्त, मैं पिछले चार वर्षों से लगभग 40 साल पहले नियोजित को आगे बढ़ाने के लिए व्यक्तिगत प्रयास कर रहा हूं। ये परियोजनाएं न तो शुरू हुई और न ही बंद की गई है।

इन परियोजनाओं में से, मैं निम्नलिखित परियोजनाओं पर प्रकाश डाल रहा हूं जिन पर तत्काल ध्यान दिए जाने की आवश्यकता है।

पुरानी परियोजनाएं—

(1) पुरानी - देवघर

(2) त्रिवेणी - गोड्डा

(3) कजहैय्या - गोड्डा

(4) हरना - गोड्डा

(5) सुगाबथान बांध - गोड्डा

(6) सुंदर बांध का विस्तार - गोड्डा

(7) बुढ़ैय डैम - देवघर

(8) सैयदापुर बीअर - गोड्डा

(9) तरडिहा बीअर - गोड्डा

*सभा पटल पर रखे माने गए।

(10) दरहवा बीअर - गोड्डा

(11) दहुआ बीअर - देवघर

(12) कृष्णा सागर बांध - देवघर

(13) त्रिकूट जलाशय - देवघर

(14) राजा बांध एवं - गोड्डा

महागमा नहर

(15) कलिकट्टा बीअर - ठाकुर गंगती, गोड्डा

(16) खनबरा बीट - गोड्डा

(17) बुधवा बंदी - गोड्डा

नई परियोजनाएं

(1) मोतीहार नदी दुमका में कालीपुर जलाशय

(2) भुरभुरा जलाशय

(3) बिशनपुर जलाशय

(4) जमानिया जलाशय

(5) बंसलोई नदी, गोड्डा पर परगोडीह जलाशय

मैं संबंधित मंत्री से अनुरोध करता हूं कि इन मामलों पर तत्काल ध्यान दें। ये झारखंड के किसानों के लिए असली उपहार होगा।

(तीन) बिहार के दरभंगा संसदीय निर्वाचन क्षेत्र में एक तारामंडल स्थापित करने, तालाबों का सौन्दर्यीकरण करने और सड़क ऊपरी पुलों का निर्माण किए जाने की आवश्यकता

[हिन्दी]

श्री कीर्ति आजाद (दरभंगा) : पर्यटन एवं संस्कृति मंत्रालय तथा रेलवे द्वारा दरभंगा, बिहार हेतु पूर्व सरकार एवं वर्तमान सरकार के कार्यकाल में कई योजनाओं को स्वीकृति प्रदान की गई थी, जिसमें प्रमुख थी दरभंगा में तारामंडल की स्थापना, दरभंगा शहर के मध्य में तीन तालाबों हरही पोखर दि्दघी पोखर और गंगा सागर का सौंदर्यीकरण। रेलवे द्वारा ऊपरी पुलों का निर्माण आज तक प्रशासनिक उदासीनता के कारण लंबित है, जिससे रेलवे फाटकों के सामने भंयकर जाम लगता है।

केन्द्र स्वीकृत योजनाओं के कार्य में प्रगति न होने के संदर्भ में कई बार संबंधित विभागों को अवगत कराने के बाद भी कार्य प्रगति की दिशा में कोई प्रयास देखने को नहीं मिला है।

मेरा सरकार से अनुरोध है कि भारत सरकार द्वारा स्वीकृत दरभंगा की योजनाओं का अतिशीघ्र क्रियान्वयन कराया जाए जिससे जनता को लाभ अर्जित हो सके।

(चार) केन्द्रीय विश्वविद्यालयों में अध्यापकों के पदों पर नियुक्तियों किए जाने के बारे में

[हिन्दी]

श्री गणेश सिंह (सतना) : मैं सरकार का ध्यान केन्द्रीय विद्यालयों में हो रही नियुक्तियों की तरफ आकर्षित करना चाहता हूं। विश्वविद्यालय अनुदान आयोग, शैक्षणिक और गैर-शैक्षणिक पदों के साक्षात्कार के दौरान आरक्षण नीति की अवहेलना के संबंध में विश्वविद्यालय की कार्यकारी परिषद द्वारा विमत-टिप्पण और केन्द्रीय विश्वविद्यालय में शैक्षणिक पदों पर भर्ती तथा विश्वविद्यालय में प्रवेश के दौरान चयन समिति द्वारा उपयुक्त नहीं पाए गए (एनएफएस) अभ्यार्थियों का श्रेणीवार ब्योरा नहीं रखता है।

मेरे पत्र दिनांक 13 मार्च, 2018 के उत्तर में विश्वविद्यालय अनुदान आयोग ने दिल्ली विश्वविद्यालय, बनारस हिन्दु विश्वविद्यालय और हैदराबाद विश्वविद्यालय में चयन समिति द्वारा अभ्यार्थियों के 'उपयुक्त न पाए जाने' का मूल्यांकन नीति की अवहेलना के संबंध में विश्वविद्यालय की कार्यकारी परिषद द्वारा विमत-टिप्पण और शैक्षणिक पदों पर भर्ती और विश्वविद्यालय में प्रवेश के दौरान चयन समिति द्वारा 'उपयुक्त नही पाए गए' (एनएफएस) अभ्यार्थियों का श्रेणीवार ब्यौरा अभी तक प्रदान नहीं किया गया है।

मैं सरकार को अवगत कराना चाहता हूं कि यूजीसी के अंतर्गत आने वाले देश के सभी प्रकार के विश्वविद्यालयों में शैक्षिक और गैर-शैक्षणिक पदों पर नियुक्ति के लिए रोस्टर प्रणाली का अनुपालन विश्वविद्यालय अनुदान आयोग ने दिनांक 8 मई, 2018 को स्वीकार किया है कि केन्द्रीय विश्वविद्यालय में शैक्षणिक पदों के संबंध में रोस्टर का मामला सर्वोच्च न्यायालय में विचाराधीन है तथा गैर-शैक्षणिक पदों पर नियुक्ति के लिए डीओपीटी के नियमानुसार रोस्टर प्रणाली का पालन किया जाता है।

मैं माननीय मानव संसाधन मंत्री से पूछना चाहता हूं कि यदि केन्द्रीय विश्वविद्यालय में शैक्षणिक पदों के संबंध में रोस्टर का मामला सर्वोच्च न्यायालय में विचाराधीन है तथा गैर-शैक्षणिक पदों पर नियुक्ति के लिए डीओपीटी के नियमानुसार रोस्टर प्रणाली का अनुपालन किया जाता है तो फिर विभिन्न केन्द्रीय विश्वविद्यालय में किस नियम के तहत नई नियुक्तियां की जा रही है? क्या यह सुप्रीम कोर्ट के आदेश की अवहेलना नहीं है? माननीय उच्च न्यायालय, इलाहाबाद के फैसले के परीक्षण और सिफारिश हेतु मानव संसाधन विकास मंत्रालय द्वारा एक अंतर मंत्रालयीय कमेटी गठित की गई थी जिसकी सिफारिश पर मानव संसाधन विकास मंत्रालय

एवं विश्वविद्यालय अनुदान आयोग ने उच्चतम न्यायालय में एसएलपी फाइल किया है। जिसमें विश्वविद्यालय को इकाई मानने का अनुरोध किया गया है। संसद की अन्य पिछड़े वर्गों के कल्याण संबंधी समिति के अध्यक्ष बतौर मैंने भी अनुशंसा की थी कि विश्वविद्यालय को इकाई मानकर आरक्षण रोस्टर तैयार करके नियुक्तियां की जायें।

मेरा माननीय मानव संसाधन विकास मंत्री जी से आग्रह है कि जब तक केन्द्रीय विश्वविद्यालय में शैक्षणिक पदों के संबंध में आरक्षण रोस्टर का मामला सर्वोच्च न्यायालय में विचाराधीन है तब तक कोई भी नई नियुक्ति नहीं की जाए और आरक्षण रोस्टर से संबंधित मामला न्यायालय में विचाराधीन समय के दौरान की गई नियुक्तियां तुरंत निरस्त की जाएं और कानून का उल्लंघन करने वालों के विरुद्ध कार्रवाई की जाए ताकि पिछड़ों और वंचितों को सुनिश्चित न्याय दिलाया जा सके।

(पांच) अपराधियों की दोष सिद्धि की दर को अधिकतम किए जाने के लिए एक प्रणतंत्र विकसित किए जाने की आवश्यकता

[हिन्दी]

श्री अजय मिश्रा टेनी (खीरी) : गृह मंत्रालय ने राज्यों के साथ समन्वय स्थापित करके राज्य डाटा केन्द्रों व राष्ट्रीय डाटा केन्द्रों के सभी आंकड़ों को अपराध व अपराधियों के डाटा को साझा करने के उद्देश्यों से सभी पुलिस स्टेशनों को जोड़ते हुए क्राइम एण्ड क्रिमिनल ट्रैकिंग नेटवर्क एण्ड सिस्टम सीसीटीएनएस कार्यान्वित की है, जिसका लक्ष्य जानकारी साझा करने के साथ-साथ मूलभूत जरूरतें पूरी करके वामपंथी उग्रवाद से प्रभावित क्षेत्र पूर्वोत्तर राज्य, जम्मू-कश्मीर सहित संगठित गिरोहों व बड़े अपराधियों पर अंकुश लगाकर आंतरिक सुरक्षा सहित कानून व्यवस्था अच्छी रखना है, सीसीटीएनएस के प्रभावी परिणाम प्राप्त हुए हैं, जिसकी पुष्टि सदन में गृह राज्य मंत्री जी ने तारांकित प्रश्न 203 का उत्तर देते हुए की है।

परंतु अपराधियों के ऊपर अंकुश रखने व अपराधियों को पकड़ने, अभियोजित करने तक तो प्रणाली ठीक काम कर रही है, परंतु अभियोजन के स्तर तथा न्यायालय में अभियोजन की प्रक्रिया शिथिल होने के कारण बड़ी संख्या में अपराधी न्यायालयों से बच निकलते हैं।

माननीय सर्वोच्च न्यायालय के निरीक्षण में जांच होने व पर्याप्त सबूत होने के बावजूद अभियुक्त बच निकले, न्यायालय ने भी निर्णय देते हुए अभियोजन की शिथिलता की बात कही।

मैं अपराध नियंत्रण हेतु न्यायालय में प्रस्तुत किए गए मुकदमों में प्रभावी निर्णय प्रापत करने के लिए सीसीटीएनएस के अलावा अन्य जरूरी अवयवों, अभियोजन, न्यायालय में प्रदर्शन, विधि-निर्माण आदि प्रणाली को बेहतर बनाने के लिए सीसीटीएनएस की तरह न्यायालयों में प्रस्तुत आरोप पत्रों में अधिक सफलता हेतु एक तंत्र विकसित करे।

(छह) उत्तर प्रदेश में कानपुर नगर और कानपुर देहात जिलों के यमुना नदी के तटवर्ती इलाकों में बुंदेलखंड क्षेत्र के समतुल्य सुविधाएं प्रदान किए जाने की आवश्यकता

[हिन्दी]

श्री देवेन्द्र सिंह भोले (अकबरपुर) : मैं सरकार को अवगत कराना चाहता हूं कि मेरे द्वारा 16वीं लोकसभा के गठन के बाद से ही कानपुर नगर एवं देहात के यमुना तटवर्ती इलाकों को बुंदेलखंड के समतुल्य परिस्थितियों के कारण उसे बुन्देलखंड जैसी विकास सुविधाएं उपलब्ध कराए जाने की मांग की जाती रही है। ज्ञातव्य है कि मैंने सर्वप्रथम 23.04.2015 एवं 02.12.2015 को लोकसभा में नियम 377 के तहत आगरा, इटावा, औरैया, कानपुर देहात एवं कानपुर नगर, फतेहपुर और इलाहाबाद जनपदों की भौगोलिक, प्राकृतिक, वानस्पतिक, सामाजिक और आर्थिक परिस्थितियों को बुन्देलखंड के समान बताया गया था। जहां तक कि मिट्टी और जल की किस्म और स्तर, फसलें और वनस्पतियां बुन्देलखण्ड से निम्न स्तरीय है शायद उक्त क्षेत्रों की बुन्देलखण्ड से समानता के कारण ही कृषि जोत सीमा यमुना की गहरी धारा से 16 किमी उत्तर की ओर बुन्देलखण्ड के समान ही रखी गई है लेकिन सूखा राहत एवं अन्य सुविधाओं के आवंटन में इस क्षेत्र को बुन्देलखण्ड के समतुल्य तो क्या दशमांश सुविधाएं भी नहीं मिल पाती हैं। मेरे द्वारा बार-बार मामला सरकार तक पहुंचाने के बावजूद यह मुद्दा केन्द्र और राज्य के मध्य झूल रहा है जनता की बेइंतहां तकलीफों के बावजूद राज्य सरकार ने हाथ खड़े कर दिए हैं।

अत: मैं केन्द्र सरकार से मांग करना चाहूंगा कि नीति आयोग या किसी अन्य सक्षम विभाग की टीम भेजकर इन यमुना तटवर्ती जिलों की दुश्वारियों का आकलन करा लिया जाए और अगर परिस्थितियों बुन्देलखण्ड जैसी ही विषम हैं तो इस मसले को राज्य और केन्द्र के मध्य झुलाने के बजाए जनता की राहत के लिए सीधे और सधे हुए कदम उठाए जाएं।

(सात) किसानों को उनके खेतों पर बाड़ लगाए जाने के लिए वित्तीय सहायता प्रदान किए जाने की आवश्यकता

[हिन्दी]

श्री ओम बिरला (कोटा) : आज नील गाय, बंदर, सुअर और जंगली जानवरों द्वारा फसलों को होने वाले भारी नुकसान से परेशान किसानों ने कुछ स्थानों पर सब्जियां तथा बागवानी फसलों की खेती से मुंह मोड़ना शुरू कर दिया है।

कृषक दिन-प्रतिदिन मक्का, गेहूं, बेमौसमी, सब्जियां तथा बागवानी आदि की जंगली जानवरों के आतंक के कारण इनकी खेती से तौबा करने लगे हैं। भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद (आईसीएआर) के एक अध्ययन के अनुसार जंगली जानवरों के कारण लगभग 30 प्रतिशत फसलों का नुकसान होता है।

इन मामलों पर मेरा सरकार से आग्रह है कि वन्य जीवों से फसलों की सुरक्षा के लिए विभिन्न उपायों जैसे बाड़बंदी तथा तारबंदी आदि प्रबंधों के लिए किसानों को आवश्यक वित्तीय सहायता उपलब्ध कराई जाए और फसल बीमा में भी उक्त जोखिम को शामिल करने का प्रयास किया जाए तथा बाड़बंदी और तारबंदी जैसे कार्य को नरेगा में भी सम्मिलित किया जाए।

(आठ) भारत में जॉनसन एंड जानॅसन के उन उत्पादों, जिन्हें अमेरिका में हानिकारक घोषित किया गया है, की समीक्षा किए जाने और उन पर प्रतिबंध लगाए जाने की आवश्यकता

[हिन्दी]

श्री राजेन्द्र अग्रवाल (मेरठ) : प्रमुख समाचार पत्रों में हाल ही में एक खबर है कि अमेरिका के एक सर्किट कोर्ट ने दुनिया की सबसे बड़ी फॉर्मा कंपनियों में से एक जॉनसन एंड जॉनसन को अमेरिका महिलाओं में सामने आये गर्भाशय के कैंसर को लेकर 4.69 बिलियन डॉलर्स (लगभग 321 अरब रुपए) का जुर्माना एवं 550 मिलियन डॉलर (लगभग 38 अरब रुपए) का मुआवजा देने का आदेश दिया है। यह मुआवजा 22 महिलाओं को दिया जायेगा। पीड़ित महिलाओं का कहना था कि कंपनी ने बेबी पाउडर में मौजूद एक पदार्थ आस्बेस्टोस की वजह से उन्हें ओवेरियन कैंसर हुआ था।

हमारे देश में उक्त कंपनी के उत्पादों का इस्तेमाल काफी बड़ी संख्या में किया जाता है। अमेरिकन कोर्ट द्वारा दिए गए आदेश के आलोक में कंपनी के संदर्भित उत्पाद पर भारत में प्रतिबंध लगाया जाना चाहिए तथा आस्बेस्टोस अथवा अन्य हानिकारक पदार्थों के विभिन्न उत्पादों में मौजूद होने की जांच की जानी चाहिए। मेरा सरकार से अनुरोध है कि इस मुद्दे का संज्ञान लेकर उचित कार्यवाही करने का कष्ट करें।

(नौ) दमनगंगा नदी का जल महाराष्ट्र के डिंडोरी संसदीय निर्वाचन क्षेत्र में स्थित बांधों को दिए जाने की आवश्यकता

[हिन्दी]

श्री हरिश्चन्द्र चव्हाण (डिंडोरी) : दमणगंगा नदी पर नदी जोड़ने की योजना के अंतर्गत सर्वे किया जा रहा है। मेरे संसदीय क्षेत्र दिन्डोरी अंतर्गत नांदगांव, येवला, चांदवड, निफाड क्षेत्र में लोग पूरी तरह से कृषि पर निर्भर हैं, परंतु इन क्षेत्रों में जो सिंचाई डैम हैं उनमें पर्याप्त पानी नहीं मिल पाता, जिसके कारण किसान लोग अपने खेतों को पूरी तरह से सींच नहीं पाते हैं जिससे जितना उत्पादन होना चाहिए उतना नहीं हो पाता। इन क्षेत्रों में स्थित बांधों को प्रर्याप्त पानी दिलाने हेतु दमणगंगा नदी पर नदी जोड़ने का सर्वे कार्यक्रम इस तरह से तैयार किया जाये जिससे मेरे संसदीय क्षेत्र में स्थित एकदरे डैम, बाघाड़ डैम, करंजवण औझरखेड डैम को पानी दिया जा सके। इससे मेरे संसदीय क्षेत्र के सूखे से प्रभावित क्षेत्रों के नांदगांव, येवला, चांदबड, निफाड एवं दिन्डोरी क्षेत्र के किसानों को अपने खेतों को सींचने के लिए पर्याप्त पानी मिल सकेगा।

मेरा सरकार से अनुरोध है कि नदी जोड़ने की योजना के अंतर्गत दमणगंगा के पानी का वितरण मेरे संसदीय क्षेत्र दिन्डोरी के नांदगांव, येवला, चांदवड, निफाड एवं दिन्डोरी क्षेत्रों को मिल सके जिससे वे अपना आर्थिक एवं सामाजिक विकास आसानी से कर सकें।

(दस) उत्तर प्रदेश के जालौन संसदीय निर्वाचन क्षेत्र में कोंच से एट रेलवे लाइन के अंडर पास को शिफ्ट किए जाने की आवश्यकता

[हिन्दी]

श्री भानु प्रताप सिंह वर्मा (जालौन) : मेरे संसदीय क्षेत्र जालौन गरौठा भोगिनीपुर में उत्तर मध्य रेलवे के अंतर्गत कोंच-ऐट शटल चलाई जाती है जिसकी रेल लाइन पर एक गांव सातोह पड़ता है, जहां कोंच से सतोह जाने वाले रास्ते पर एक अंडरपास निर्माणधीन है। जिसका निर्माण दाई ओर किया जा रहा है जबकि इसका निर्माण बाई तरफ किया जाना चाहिए था। गलत दिशा में निर्माण किए जाने के कारण उक्त अंडरपास में जरा सी बारिश में पानी भर जाता है और इसका ठेकेदार भी मानक के अनुरूप कार्य नहीं कर रहा है। उसकी लापरवाही के कारण अंडरपास के समीप लगी स्वतंत्रता संग्राम सेनानी की मूर्ति भी मिट्टी में दब गई है।

अत: मेरी केन्द्र सरकार से मांग है कि उक्त मामले की जांच करवाकर दोषियों के खिलाफ कार्यवाही करें और उक्त अंडरपास को बाईं तरफ बनवाने का कष्ट करें।

(ग्यारह) हावड़ा-नई दिल्ली दुरन्तो एक्सप्रेस और रांची-जयनगर एक्सप्रेस ट्रेन को झारखंड के धनबाद से होकर चलाए जाने की आवश्यकता

[हिन्दी]

श्री पशुपति नाथ सिंह (धनबाद) : मैं माननीय रेल मंत्री भारत सरकार को अवगत कराना चाहता हूं कि धनबाद मंडल के अंतर्गत

धनबाद चन्द्रपुरा रेलवे लाइन बंद होने के कारण धनबाद से और धनबाद से होकर चलने वाली 19 जोड़ियां ट्रेन बंद हो गई है। इसी बीच हाबड़ा से नई दिल्ली दुरन्तो एक्सप्रेस भी जिसका ठहराव धनबाद में था उसे बंद कर दिया गया है। इस ट्रेन से धनबाद जो भारत के कोयला की राजधानी जानी जाती है तथा इसके इर्द-गिर्द बोकारो, गिरिडीह, कोडरमा, हाजारीबाग तथा बंगाल के पुरुलिया आदि जिलों के लोगों में अधिक आक्रोश है। यह ट्रेन अब ग्रेन्ड कोड लाइन होकर नहीं बल्कि मेन लाइन पटन होकर पिछले कुछ दिनों से चलाई जा रही है। 19 जोड़ियां ट्रेन बंद होने के कारण मेरे संसदीय क्षेत्र तथा अगल-बगल के संसदीय क्षेत्र के लोगों में काफी आक्रोश बढ़ा है। इतना ही नहीं मेरे संसदीय क्षेत्र धनबाद के पूर्व और उत्तर की दिशा में जाने आने हेतु एकमात्र चन्द्रपुरा रेल लाइन थी जो अब वर्तमान में बंद है। जिसका प्रभाव जनमानस को भुगतना पड़ रहा है।

अत: माननीय रेल मंत्री, भारत सरकार से अनुरोध है कि हावड़ा-नई दिल्ली दुरन्तो एक्सप्रेस के धनबाद होकर ही पूर्व की भांति चलाई जाए तथा रांची से जयनगर चलने वाली एक्सप्रेस के रूट बदल जाने के कारण मिथिलावासी जिनकी बहुत बड़ी संख्या है, की परेशानी को देखते हुए बंद ट्रेनों में से एक रांची जयनगर एक्सप्रेस को तत्काल धनबाद होकर चलाने का आदेश दिया जाए।

(बारह) दयोदय एक्सप्रेस (गाड़ी संख्या 12181/82) और जयपुर-इंदौर एक्सप्रेस (गाड़ी संख्या 12973/74) का ठहराव राजस्थान के सवाई माधोपुर जिले में ईसरदा रेलवे स्टेशन पर दिए जाने की आवश्यकता

[हिन्दी]

श्री सुखबीर सिंह जौनापुरिया (टोंक-सवाई माधोपुर) : मेरे संसदीय क्षेत्र के जिला सवाई माधोपुर में घुश्मेश्वर ज्योतिर्लिंग है। ये 12वां ज्योतिर्लिंग है जो कि जिला सवाई माधोपुर के शिवाड में स्थापित है इसमें लाखों की संख्या में श्रद्धालु देश के कोने-कोने से आते हैं और श्रावण मास में इसमें श्रद्धालुओं की संख्या काफी बढ़ जाती है। श्रावण मास में बारिश ज्यादा होती है जिससे यहां आने वाले यात्रियों को सड़क के मार्ग से यात्रा करने में काफी परेशानी होती है इसलिए रेल ही एक मात्र यात्रा का साधन है।

मेरी मंत्री जी से मांग है कि ईसरदा स्टेशन पर दयोदय एक्सप्रेस ट्रेन संख्या 12181-82 एवं जयपुर इंदौर एक्सप्रेस ट्रेन संख्या 12973-74 का ठहराव कराया जाए। इससे घुश्मेश्वर ज्योतिर्लिंग की दूरी ढाई कि.मी. है। वर्तमान में सवाई माधोपुर से ईसरदा व ईसरदा से जयपुर तक साढ़े 9 घंटे तक किसी भी गाड़ी का ठहराव नहीं है। जिससे यहां की लगभग 100 ग्राम पंचायतों को काफी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। इसलिए मंत्री जी से मेरी मांग है कि इन ट्रेनों का ठहराव ईसदरा रेलवे स्टेशन पर जल्द से जल्द कराया जाए जिससे कि श्रद्धालुओं के साथ-साथ आस-पास के ग्रामीणों को भी इसका लाभ मिल सके।

(तेरह) उत्तर प्रदेश के कौशाम्बी जनपद में एक केन्द्रीय विद्यालय की स्थापना किए जाने की आवश्यकता

[हिन्दी]

श्री विनोद कुमार सोनकर (कौशाम्बी) : मैं सरकार के संज्ञान में लाना चाहता हूं कि मेरा संसदीय जनपद-कौशाम्बी 4 अप्रैल, 1997 को इलाहाबाद से कट कर नया जनपद बना, यह अति पिछड़ा जनपद है। यहां एक भी उच्च शिक्षण संस्था (राजकीय) नहीं है एवं केन्द्रीय विद्यालय भी नहीं है यहां के बच्चों को पढ़ने के लिए 50 किमी. दूर इलाहाबाद जाना पड़ता है। मैंने माननीय मानव संसाधन विकास मंत्री जी से अनेकों बार मिलकर कौशाम्बी में केन्द्रीय विद्यालय खोलने का आग्रह किया है। केन्द्रीय विद्यालय खोलने हेतु प्रस्ताव सभी मापदंड पूर्ण कर मंत्रालय को भेजा दिया गया है। मैं माननीय मंत्री जी से आग्रह करता हूं कि प्रस्ताव की स्वीकृति देते हुए धनराशि आवंटन की कार्यवाही सुनिश्चित करें जिससे गरीब बच्चों को गुणवत्तापूर्ण शिक्षा मिल सके।

(चौदह) महाराष्ट्र के मराठा समुदाय को आरक्षण दिए जाने के बारे में

[हिन्दी]

श्री राजीव सातव (हिंगोली) : मराठा समाज के आरक्षण की मांग को लेकर महाराष्ट्र में आंदोलन चल रहे हैं। इसमें लाखों की संख्या में युवक और युवतियां आरक्षण की मांग कर रहे है। राज्य सरकार द्वारा आंदोलनकारियों पर झूठे आपराधिक मामले दर्ज किए जा रहे हैं ताकि आरक्षण की मांग करने वालों की आवाज दब जाए। मराठा समाज को आरक्षण देना जरूरी है।

मेरा सरकार से अनुरोध है कि अपने हक की मांग करने वाले आंदोलनकारियों पर पुलिस प्रशासन द्वारा दर्ज किए झूठे मामले राज्य सरकार द्वारा जल्द से जल्द वापस लिए जाए और मराठा समाज को तुरन्त आरक्षण दिया जाए।

[अनुवाद]

(पंद्रह) इंफाल और जिरीबाम के बीच राष्ट्रीय राजमार्ग 37 की स्थिति के बारे में

डॉ. थोकचोम मेन्या (आंतरिक मणिपुर) : मानसून पर आक्षेप लगाए बिना, राष्ट्रीय राजमार्ग 37 (इंफाल-जिरीबाम सड़क) की दयनीय स्थिति हमेशा लोगों के दिमागों और मणिपुर सरकार को भयभीत करती

रहती है। राष्ट्रीय राजमार्ग (इंफाल-दीमापुर सड़क) के साथ बार-बार बंद और अवरोध से इंफाल-जिरीबाम सड़क को सभी मौसमों में दूसरी लाइक लाइन के रूप में विकसित करने की आवश्यकता हमेशा महसूस की गई है। तत्कालीन प्रधानमंत्री ने आश्वासन दिया था कि इंफाल-जिरीबाम सड़क के साथ-साथ विकास के मार्च को वर्ष 2013 तक पूरा कर लिया जाएगा। मौजूदा प्रधानमंत्री ने भी आश्वासन दिया था कि 2014 में उनकी नई सरकार बनने के बाद यह कार्य 100 दिन के भीतर पूरा कर लिया जाएगा। राष्ट्रीय राजमार्ग 37 की स्थिति सामान्यत: उपयोग योग्य नहीं रही है। मैं आरसीसी ब्रिज के शीघ्र निर्माण को पूरा करने और राष्ट्रीय राजमार्ग 37 को सभी मौसमों हेतु दो लेन का बनाने की मांग करता हूं।

मैं चौबीस घंटे यात्रियों और माल वाहनों के आवागमन नियंत्रित करने हेतु एक समर्पित राष्ट्रीय राजमार्ग संरक्षा सुरक्षा बल की स्थापना के लिए अनुरोध करता हूं।

(सोलह) तमिलनाडु के शहरी स्थानीय निकायों को मूलभूत और कार्यनिष्पादन अनुदान राशि जारी किए जाने के बारे में

श्री एस.आर. विजय कुमार (चेन्नै केन्द्रीय) : 14वें आयोग ने तमिलनाडु में शहरी स्थानीय निकायों के लिए वर्ष 2017-18 हेतु मौलिक अनुदान के रूप में 1263.96 करोड़ रुपए की राशि और कार्यनिष्पादन अनुदान के रूप में 365.37 करोड़ रुपए की राशि आवंटित की थी। केन्द्र सरकार ने शहरी स्थानीय निकायों के लिए वर्ष 2017-18 हेतु मौलिक अनुदान की प्रथम किस्त के रूप में 631.98 करोड़ रुपए की राशि जारी की है। पहली किश्त जारी करते हुए केन्द्र सरकार ने तमिलनाडु सरकार को निदेश दिया है कि स्थानीय निकाय चुनाव के संबंध में न्यायिक मामले को आगे बढ़ाने और दूसरी किश्त जारी करने से पूर्व वित्तीय मंत्रालय को अवगत कराए।

शहरी स्थानीय निकायों को वर्ष 2018-19 हेतु मौलिक अनुदान के लिए निर्धारित 1462.18 करोड़ रुपए और कार्यनिष्पादन अनुदान के लिए निर्धारित 414.92 करोड़ रुपए में से 731.09 करोड़ रुपए जून में जारी किय जाने हैं।

शहरी स्थानीय निकायों को जल आपूर्ति, स्वच्छता, कचरा प्रबंधन, स्ट्रीट लाइटों आदि जैसी मौलिक सुविधाओं को उपलब्ध करवाने के लिए वर्ष 2017-18 हेतु पूरी पहली किस्त जारी कर दी गई है, और केन्द्र सरकार को उपयोगिता बिल और उपयोगिता प्रमाण पत्र प्रस्तुत कर दिये हैं। वर्तमान में नागरिकों को मौलिक सुविधाएं उपलब्ध करवाने हेतु रोजमर्रा के कार्य को निष्पादित करने के लिए सभी शहरी स्थानीय विदायों को निधि की अति आवश्यकता है।

विभिन्न मुकदमेबाजी और परिसीमन मुद्दों की वजह तमिलनाडु में स्थानीय निकायों के चुनावों में विलंब हुआ। उक्त कारण का जिक्र करते हुए, केन्द्र सरकार ने वर्ष 2017-18 के लिए मौलिक अनुदान और कार्य निष्पादन अनुदान की दूसरी किस्त और तमिलनाडु में शहरी निकायों हेतु वर्ष 2018-19 के लिए मौलिक अनुदान की पहली किशत को जारी नहीं किया। 14वें वित्त आयोग ने यह नहीं कहा है कि यदि शहरी स्थानीय निकायों के चुनाव करवाए गए हों और निर्वाचित निकाय मौजूद हैं। तभी निधियों को जारी किया जाना चाहिए।

अत:, मैं सरकार से तमिलनाडु में शहरी स्थानीय निकायों को और वर्ष 2017-18 के लिए मौलिक अनुदान कार्यनिष्पादन अनुदान की दूसरी किशत और वर्ष 2018-19 के लिए मौलिक अनुदान की प्रथम किस्त तत्काल जारी करने का अनुरोध करता हूं।

(सत्रह) तमिलनाडु में रेल संपर्क बढ़ाए जाने के बारे में

श्रीमती के. मरगथम (कांचीपुरम) : कांचीपुरम और चेंगलपट्टू रेलवे स्टेशन को यात्रियों को एक्सप्रेस ट्रेनों पर चढ़ने और उतरने के लिए एस्केलेटर सुविधा की आवश्यकता है क्योंकि चेंगलपट्टू, ताम्बरम के बाद अगला व्यस्त स्टेशन है। चिरुकालुकुंदरम और चेंगलपट्टू के बीच लेवल क्रॉसिंग सं.45 पर सबवे का निर्माण कार्य शुरू हो गया है। हालांकि यह अभी भी अधूरा है। चेंगलपट्टू लेवल क्रॉसिंग (एलसी-54) भिरुकालुकुदंरम रेलवे क्रॉसिंग पर वर्षा जल चेन्नल के पूरा किये जाने में विलंब।

कांचीपुरम चेन्नई से जुड़ा हुआ औद्योगिक केन्द्र है। क्योंकि कांचीपुरम से चेन्नैई बीच-तिरुमल्पुर और श्रीपेरुम्बुदुर तक डेढ़ घंटे से ज्यादा समय में एक ट्रेन है।

मदुरनकातमम स्टेशन पर ट्रेन सं.16127/गुरुवायुर एक्सप्रेस; ट्रेन सं. 16105/तिरुचेन्दुर एक्सप्रेस; ट्रेन सं.16853/चोलन एक्सप्रेस; ट्रेन सं. 16351/मुंबई-नागरकोइल एक्सप्रेस का ठहराव दिए जाने की जरूरत है। गेज परिवर्तन से पूर्व इन ट्रेनों का ठहराव था।

विल्लियम्बक्कम और रेत्तीपलायम रेलवे स्टेशन पर ईएमयू ट्रेन सं. 40804/40802 चेन्नई बीच-कांचीपुरम के ठहराव की भी आवश्यकता है।

(अठारह) भारत-पाकिस्तान संबंधों के बारे में

प्रो. सौगत राय (दमदम) : पाकिस्तान के आम चुनावों के परिणामों से, यह प्रतित होता है कि इमरान खान की पार्टी तहरीक पाकिस्तान में बहुमत वाली पार्टी होगी। पूर्व क्रिकेटर इमरान खान को एक पार्टी या गठबंधन के मुखिया के रूप में पाकिस्तान का प्रधानमंत्री चुना जाना है। इससे भारत पाकिस्तान के रिश्तों में एक नया युग शुरू होगा।

इमरान खान ने कहा है कि पाकिस्तान भारत के साथ संबंध सुधारना चाहता है और उन्होंने यह जोर देकर कहा है कि दो पड़ोसियों के बीच आक्षेप का खेल उपमहाद्वीप के लिए हानिकारक है। निसंदेह, वह इस पर कायम रहे कि दोनों देशों के बीच में कश्मीर मुख्य मुद्दा है और इसका समाधान बातचीत के माध्यम से किया जाना चाहिए। उन्होंने कहा कि दक्षिण एशिया में गरीबी पर जोर है। भारत सरकार को इमरान खान के बयान का अवलोकर करना चाहिए और पाकिस्तान की नई सरकार के साथ अपनी स्थिति स्पष्ट करनी चाहिए।

(उन्नीस) पश्चिम बंगाल के आरामबाग संसदीय क्षेत्र में जवाहर नवोदय विद्यालय की समस्याओं के संबंध में दीहीबागन में जवाहर नवोदय विद्यालय की समस्याओं के बारे में

श्रीमती अपरुपा पोद्दार (आरामबाग) : जवाहर नवोदय विद्यालय अद्वितीय शैक्षणिक संस्थान हैं। इनकी स्थापना प्रतिभाशाली छात्रों को अच्छी आधुनिक शिक्षा और सुविधाएं उपलब्ध करवाने के लिए की गई थी।

मेरे चुनाव क्षेत्र में आरामबाग दिहीबागन, के नवोदय विद्यालय से संबंधित एक गंभीर चिन्ता उभरकर आई है। छात्रों को निम्न गुणवत्ता वाला भोजन परोसा जाता है और वहां वित्तीय अनियमिताएं भी हैं।

मेरी माननीय मानव संसाधन मंत्री से निवेदन है कि वे उक्त मामले पर ध्यान दें और इस संबंध में आवश्यक कार्रवाई करें।

(बीस) ओडिशा के पारादीप क्षेत्र में मलिन बस्तियों में रहने वाले व्यक्तियों को मूलभूत सुविधाएं प्रदान किए जाने के बारे में

डॉ. कुलमणि सामल (जगत सिंहपुर) : ओडिशा पारादीप क्षेत्र में संक्षाकुड, अथरबांकी, लोकपाड़ा, वृंदावन कॉलोनी, लोकनाथ कॉलोनी आदि में मलिन बस्तियों में रहने वालों को पेयजल, स्वच्छता और बिजली जैसी मौलिक सुविधाओं से वंचित दिया गया है। यह बताया गया है कि पारादीप के आसपास मलिन बस्तियों में लगभग 9000 पंजीकृत घर हैं। इन पंजीकृत परिवारों में से 5000 घरों के पास या तो शौचालय नहीं है या अप्रयोज्य शौचालय हैं जिसकी वजह से उन्हें मजबूरीवश खुले में शौच के लिए जाना पड़ता है। संबधित प्राधिकरण को बार-बार अनुरोध करने पर भी निरंतर समस्याओं का सामना कर रहे इन मलिन बस्तियों में रहने वाली की समस्याओं पर विचार नहीं किया जा रहा है।

अत:, मैं पोत परिवहन मंत्री से अनुरोध करता हूं कि वे यथाशीघ्र ओडिशा के पारादीप में ऊपर उल्लेखित मलिन बस्तियों में रहने वालों की पेयजल, स्वच्छता और बिजली की आपूर्ति सुनिश्चित करने हेतु पारादीप पोर्ट ट्रस्ट प्रशासन के संबंधित अधिकारी निदेश दें।

(इक्कीस) थैलेसीमिया रोगियों के लिए एक विशेष निधि और ब्लड बैंक स्थापित करने की आवश्यकता

[हिन्दी]

श्री श्रीरंग आप्पा बारणे (मावल) : थैलेसीमिया दो प्रकार का होता है। यदि पैदा होने वाले बच्चे के माता-पिता दोनों के जींस में माइनर थैलेसीमिया होता है तो बच्चे में मेजर थैलेसीमिया हो सकता है जो काफी घातक होता है। विश्व स्वास्थ्य संगठन के अनुसार भारत देश में हर वर्ष सात से दस हजार थैलेसीमिया पीड़ित बच्चों का जन्म होता है। भारत की कुल जनसंख्या का 3.4 प्रतिशत भाग थैलेसीमिया ग्रस्त है और भारत में करीब 10 लाख बच्चे इस रोग से ग्रसित हैं। इस रोग का फिलहाल कोई इलाज नहीं है। थैलेसीमिया पीड़ित के इलाज में काफी बाहरी रक्त चढ़ाने और दवाइयों की आवश्यकता होती है इस कारण सभी इसका इलाज नहीं करवा पाते, जिससे 12 से 15 वर्ष की आयु में बच्चों की मृत्यु हो जाती है। सही इलाज करने पर 25 वर्ष व इससे अधिक जीने की आशा होती है। जैसे-जैसे आयु बढ़ती जाती है, रक्त की जरूरत भी बढ़ती जाती है।

थैलेसीमिया पर विश्वभर में शोध अनुसंधान जारी है। इन प्रयासों से ही थैलेसीमिया पीड़ितों के लिए एक दवाई अविष्कृत हुई थी। जिसे खाने सही शरीर में लौह मात्रा नियंत्रित हो जाएगी। असुरां नाम की यह दवा पश्चिमी देशों में एक्स जेड नाम से पहले से ही प्रयोग हो रही है। इससे इलाज का खर्च भी कम हो जाएगा, किन्तु इसके दुष्प्रभावों (साइड एफैक्ट्स) में इससे किडनी प्रभावित होने का एक परसेंट खतरा बना रहता है और यह प्रक्रिया बहुत महंगी और कष्टदायक होती है। इसमें प्रयोग होने वाले एक इंजेक्शन की कीमत 164 रुपए होती है। इस प्रक्रिया में हर साल पचास हजार से डेढ़ लाख रुपए तक खर्च आता है।

अत: मैं सरकार से आग्रह करूंगा कि थैलेसीमिया के इलाज हेतु देशभर में विशेष निधि का आवंटन करने हेतु एक शाखा बनाये जाने का प्रस्ताव करे और इसके उपचार हेतु विशेष ब्लड बैंक की स्थापना करने की व्यवस्था की जाये।

(बाईस) तिरुपति और विजयवाड़ा विमानपत्तन से अंतर्राष्ट्रीय उड़ानों के बारे में

[अनुवाद]

श्री जैदेव गल्ला (गुंटूर) : भारत सरकार ने अंतर्राष्ट्रीय उड़ानों के अंतर्राष्ट्रीय मानकों की आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए उनका उन्नयन करने के बाद तीन वर्ष से ज्यादा समय पूर्व तिरुपति और विजयवाड़ा की अंतर्राष्ट्रीय हवाईअड्डों के रूप में बहुत ही तामझाम के साथ घोषणा की थी।

2016 में ही आरंभ में विजयवाड़ा हवाईअड्डे से यू.एस., सिंगापुर, पश्चिम एशिया और तत्पश्चात अन्य अंतर्राष्ट्रीय स्थानों के लिए उड़ान स्थगित करने का निर्णय लिया गया था। लेकिन अभी तक कुछ नहीं हुआ। यही स्थिति तिरुपति के साथ हैं जहां से अभी तक एक भी अंतर्राष्ट्रीय उड़ान नही भरी गई। जब विशाखापट्टनम की बात की जाती है तो रक्षा हवाई अड्डा होने के नाते, नौसेना इतने प्रतिबंध लगा रही है और मुझे बताया गया हे कि जेट अपनी उड़ान रद्द कर जा रहा है, स्पाइस जेट ने अपनी अंतर्राष्ट्रीय उड़ान को बंद कर दिया है और श्रीलंकन एयरलाइन ने विशाखापट्टनम से अपना संचालन बंद करने की चेतावनी दी है।

यह स्पष्ट रूप से दर्शाता है कि भारतीय नौसेना द्वारा अस्वीकार्य प्रतिबंध लगाने की वजह से आंध्र प्रदेश में एकमात्र अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा ठप्प हो गया है। यह यहां से प्रशिक्षण के लिए अपने फाइटरों की उड़ान भरना चाहती थी जिसकी वजह से वाणिज्यिक उड़ानों का आवागमन एक जाता है।

दूसरा, विजयवाड़ा हवाई अड्डे को राज्य का कार्गो केन्द्र बनाने के उद्देश्य से, कार्गो कॉम्पलेक्स की स्थापना की गई है। ऐसा अनुमान था कि यह वर्ष के शुरू में अपना ऑपरेशन शुरू कर देगा, लेकिन ऐसा नहीं हुआ है। एक बार कार्गो कॉम्पलेक्स पूरा हो जाता है तो जल कृषकों को इसका बहुत फायदा होगा क्योंकि वे झींगा मछली का निर्यात कर सकेंगे। केवल जल ही नहीं, यहां तक कि कृषि उत्पाद मसालों आदि को भी निर्यात किया जा सकेगा जिससे किसानों को फायदा होगा।

उपरोक्त के मद्देनजर, मैं नागरिक उड्डयन मंत्री से अनुरोध करूंगा कि वे तिरुपति और विजयवाड़ा से अंतर्राष्ट्रीय उड़ाने शुरू करवाएं और विजयवाड़ा कार्गो कॉम्पलेक्स से ऑपरेशन भी शुरू करवाएं।

(तेईस) बहरामपुर से कृष्णानगर तक एक रेलवे लाइन बिछाए जाने के बारे में

श्री मोहम्मद बदरुद्दोजा खान (मुर्शिदाबाद) : जहां तक मेरे जिले मुर्शिदाबाद में नई रेल लाइन बनाने का सवाल है तो यह मांग पुरानी है। यह इसलामपुर, डोमकारण, जलांगी और करीमपुर होते हुए बहरामपुर से कृष्णानगर तक रेल लाइन बनाने की बात है। पर पिछले रेल बजट में इस रेललाइन के बारे में कोई उल्लेख नहीं है। इसलामपुर, डोमकाल, जालंगी और करीमपुर होते हुए बहरामपुर से कृष्णानगर तक रेल लाइन बनाया जाना एक महत्वपूर्ण प्रस्ताव हैं क्योंकि लाखों लोग वहां डिस्ट्रिक्ट टाउन और साथ ही, कोलकाता की कैपिटल सिटी से बिना किसी रेल कनैक्टिविटी के जी रहे हैं। वे लोग पूरी तरह से सड़क परिवहन पर निर्भर हैं जो वह भी पर्याप्त नहीं है। इसकी वजह से इन क्षेत्रों के लोगों और विशेषकर छात्रों, सब्जी विक्रेताओं, छोटे-छोटे व्यावसायियों, रोगियों आदि का अपने दैनिक जीवन में ढेर सारी समस्याओं का सामना करना पड़ रहा है और युवा रोजगार के ढेर सारे अवसर गवां रहे हैं।

अत:, मैं संबद्ध मंत्री से पुन: यह अनुरोध करता हूं कि वे कृपया कर इस प्रस्ताव को अगले रेल बजट में शामिल करें जिससे कि उस क्षेत्र के लोगों को कुछ राहत मिल सके।

(चौबीस) वर्ष 2016-2017 और 2018 के लिए सेक्शन ऑफिसर्स हेतु सीमित विभागीय प्रतियोगिता परीक्षा कराए जाने की आवश्यकता।

श्री तारिक अनवर (कटिहार) : मैं उस विषय को उठाना चाहता हूं जिसमें यह बताया गया है कि केन्द्र सरकार के विभिन्न मंत्रालयों व विभागों में अनुभाग अधिकारी के 3193 पदों में से तकरीबन 1270 पद रिक्त पड़े हुए हैं। रिक्त पदों में 50 फीसदी पद संघ लोक सेवा आयोग से संचालित विभागीय परीक्षा के जरिए भरे जाते हैं। अनुभाग अधिकारियों की वर्ष 2015 में हुई सीमित विभागीय प्रतियोगिता परीक्षा का परिणाम मुकदमेबाजी की वजह से अभी तक घोषित नहीं किया गया है। नतीजनत इसकी वर्ष 2016, 2017 और 2018 की अगली परीक्षा की अधिसूचना अभी तक जारी नहीं की गई है। मौजूदा केन्द्रीय सचिवालय सेवा विनियम, 2010 में जिसके तहत उक्त परीक्षा का संचालन होता है, कुछ कनीय अधिकारी अर्ह हो जाते हैं और उसी चयन सूची के कुछ वरिष्ठ अधिकारी अनर्ह हो जाते हैं जिसका नतीजा यह होता है तकरीबन हर साल शिकायतें मिलती हैं जो अदालती मुकदमों में तबदील हो जाती है और इस तरह पदोन्नति की प्रक्रिया पटरी से उतर जाती है। डीओपीटी को चाहिए कि वे इस समस्या का समाधान सौहार्दापूर्ण तरीके से निकाले जिससे कि अनुभाग अधिकारियों की वर्ष 2016, 2017 और 2018 की सीमित विभागीय प्रतियोगिता परीक्षा का संचालन अतिशीघ्र हो सके।

(पच्चीस) उत्तर प्रदेश के मैनपुरी संसदीय निर्वाचन क्षेत्र में एक सीजीएचएस वेलनैस सेंटर स्थापित किए जाने की आवश्यकता

[हिन्दी]

श्री तेज प्रताप सिंह यादव (मैनपुरी) : भारत सरकार ने अपने कर्मचारियों को सुविधा प्रदान करने के लिए केन्द्र सरकार चिकित्सा योजना (सीजीएचएस) वर्ष 1954 में प्रारंभ की। इस योजना के अंतर्गत देश भर में ऐलोपैथिक और अलग-अलग विधाओं के केन्द्र चलते हैं।

मैं मैनपुरी संसदीय क्षेत्र से आता हूं। केन्द्र सरकार के कई सारे महकमों के हजारों सेवारत एवं सेवानिवृत्त लोग यहां निवास करते हैं, लेकिन यह बहुत दुर्भाग्यपूर्ण है कि इस योजना के शुरू होने के 60 सालों के बाद भी आज मैनपुरी में सीजीएचएस का एक भी वैलनेस सेंटर नहीं है।

इस कारण हमारे यहां के लोगों को इतनी तकलीफ है कि उन्हें दो सौ रुपए की दवा लेने के लिए लखनऊ/कानपुर जाना पड़ता है। मैं सरकार से आग्रह करता हूं कि मैनपुरी में शीघ्र डिस्पेंसरी खोली जाए। फिलहाल टेम्पोरेरी अरेंजमेंट के रूप में लखनऊ से एक डिस्पेंसरी मैनपुरी में स्थानांतरित की जाए ताकि लोगों को शीघ्र इसकी सुविधा मिल सके।

होम्योपैथी केन्द्रीय परिषद् (संशोधन) अध्यादेश, 2018 का निरनुमोदन किए जाने के बारे में और होम्योपैथी केन्द्रीय परिषद् (संशोधन) अध्यादेश, 2018 — *जारी**

[अनुवाद]

अपराह्न 2.20 बजे

माननीय उपाध्यक्ष महोदय : अब हम मद सं. 16 और 17 को एकसाथ लेंगे।

डॉ. मनोज राजोरिया।

[हिन्दी]

डॉ. मनोज राजोरिया (करौली-धौलपुर) : माननीय उपाध्यक्ष जी, आपने मुझे होम्योपैथिक सेंट्रल काउंसिल अमेंडमेंट बिल-2018 पर बोलने का अवसर दिया। मैं माननीय प्रधानमंत्री जी और माननीय मंत्री जी को धन्यवाद देना चाहूंगा कि जो शुरूआत उन्होंने की थी कि इस देश में आम आदमी की सुविधा के लिए किस तरीके से सारे सिस्टम को पारदर्शी बनाया जाए, किस तरीके से आम जन के लिए उपयोगी बनाया जाए, उसी के हित में यह एक महत्वपूर्ण है। माननीय उपाध्यक्ष जी, सेंट्रल काउंसिल ऑफ होम्योपैथिक एक ऐसी काउंसिल थी, जिसमें चुनाव के माध्यम से लोग चुने जाते हैं और वे होम्योपैथिक शिक्षा और चिकित्सा को किस तरीके से बढ़ाया जाए, इसका काम करते हैं। इसमें काफी कमियां रहीं, उन कमियों को दूर करने के लिए ही माननीय मंत्री जी यह बिल लेकर आए हैं। मैं इस बिल के समर्थन में खड़ा हुआ हूं। मैं सदन से आह्वान करूंगा कि सदन इस बिल का समर्थन करे और जो सुधार माननीय मंत्री जी ने किए हैं कि सेक्शन 3(1) और सेक्शन 12(सी में किस प्रकार से होम्योपैथिक मेडिकल कॉलेजेज़ की जो परमिशन होती है, उसको दिया जाए। इससे पहले ऐसा होता था कि परमिशन सिर्फ सीसीएच देती थी। भारत सरकार का 2012 के बाद जो भी कॉलेज बने उनमें कोई योगदान नहीं होता था। प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी जी का सपना है कि मेडिकल शिक्षा में भी एक क्वालिटी होना चाहिए, एजुकेशन का स्तर होना चाहिए। चूंकि सरकार का सीधा नियंत्रण नहीं था और उसको नियंत्रित करने, अच्छी शिक्षा और अच्छी चिकित्सा उपलब्ध कराने के लिए मंत्री जी यह एमेंडमेंट बिल लेकर आए हैं। इसमें कुछ लोगों भ्रम है कि ये सेंट्रल काउंसिल ऑफ होम्योपैथिक को कहीं भंग तो नही कर रहे हैं। माननीय मंत्री जी इसको स्पष्ट करेंगे और मैं भी बताना चाहूंगा कि यहां एक गवर्निंग बॉडी एक साल के लिए बनाई गयी है। इसके बाद जिस प्रकार से सीसीएच मेम्बर्स के चुनाव होते थे, दोबारा देश में चुनाव होंगे और यह गवर्निंग बॉडी एक साल तक कार्य करेगी, जो सभी मेडिकल कॉलेजेज़ को देखेगी। इसका महत्वपूर्ण उद्देश्य यह है कि होम्योपैथिक मेडिकल कॉलेजेज़ में जो शिक्षा के लिए इंफ्रास्ट्रक्चर चाहिए, जो चिकित्सक चाहिए, जो मेडिकल एजुकेशन चाहिए, वे सब किस प्रकार से सुनिश्चित किए जाएं, क्योंकि सब स्टैण्डर्ड कॉलेज देश के कई हिस्सों में चल रहे थे। उन सब स्टैण्डर्ड कॉलेजेज़ का स्टैण्डर्ड किस प्रकार से सुधारा जाए और उनकी गुणवत्ता एवं शिक्षा में किस प्रकार से सुधार किया जाए, यह इस बिल का उद्देश्य है। मैं माननीय मंत्री जी को इसकी बारीकियों एवं उनकी नीयत के लिए धन्यवाद देना चाहूंगा कि इनका उद्देश्य सिर्फ एजुकेशन सिस्टम को इम्प्रूव करना है। इसके लिए मैं उनका बहुत आभार एवं धन्यवाद व्यक्त करता हूं। एक अच्छी व्यवस्था जो माननीय मंत्री जी ने की है कि हमेशा यह शिकायत आती थी कि मेडिकल कॉलेज में एडमिशन हो जाते थे, लेकिन टीचर्स नहीं आते थे, स्टूडेंट्स नहीं आते थे। यह जियो लोकेशन अटेंडेंस का सिस्टम पूरे देश में लागू करने जा रहे हैं, जिसमें यह सुनिश्चित होगा कि संबंधित कॉलेज में, जो मान्यता प्राप्त है, उनमें सभी शिक्षक समय पर आ रहे हैं और सभी टीचर्स के साथ क्या सभी स्टूडेंट्स भी समय पर आ रहे हैं? इससे उनकी अटेंडेंस और उनकी शिक्षा को सुनिश्चित किया जाए। साथ में, कॉलेजेज़ खोलने के लिए जो इंस्पेक्शन था, उसका अधिकार भी माननीय मंत्री जी ने मंत्रालय को दिया है, जिससे कि उनकी गुणवत्ता उसमें सुनिश्चित की जाए।

माननीय उपाध्यक्ष जी, जिस प्रकार से माननीय मंत्री जी ने आयुष के अंदर पूरे देश में अच्छा काम किया है। इसके साथ-साथ उन्होंने होम्योपैथी के लिए बहुत अच्छा काम किया है। मैं एक छोटी-सी जानकारी देना चाहूंगा कि होम्योपैथिक चिकित्सा के साथ में इन्होंने होम्योपैथिक एजुकेशन और रिसर्च में भी काम किया है। अभी कोलकाता का एब बहुत बड़ा इंस्टिट्यूट है- कोलकाता नेशनल इंस्टिट्यूट ऑफ होम्योपैथी, उसमें एक हॉस्टल बनाने का काम माननीय मंत्री जी कर रहे हैं। कोलकाता में एक बड़ी लैब, जो रिसर्च करेगी, उसके लिए भी उन्होंने काम किया है। कोट्टायम में एक मेंटल हॉस्टिपल था, उसको बड़ा बनाने का माननीय मंत्री जी ने काम किया है। मैं आपके ध्यान में लाना चाहूंगा कि प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में 21 जून को अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस मनाया गया। पूरे देश में योग के माध्यम से आयुष का और भारत का मान-सम्मान बढ़ा, इसके

---

*26 जुलाई, 2018 को श्री श्रीपाद येसो नाईक द्वारा पेश किए गए विधेयक के विचारार्थ प्रस्ताव पर आगे चर्चा जारी।

लिए मैं प्रधानमंत्री जी एवं मंत्री को धन्यवाद दूंगा। आयुष में माननीय मंत्री जी होम्योपैथिक चिकित्सा को आम जन तक पहुंचाने के लिए काम किया, क्योंकि होम्योपैथिक चिकित्सा ही एक ऐसी चिकित्सा पद्धति है, जिसमें गरीब लोगों को ही साइंटिफिक, सस्ती और प्रभावशाली दवाएं मिलती हैं। जनता के लिए विशेष तौर से भारत जैसे देश के लिए यह एक बहुत उपयोगी कारगर कदम होगा।

उपाध्यक्ष महोदय, माननीय प्रधानमंत्री जी 'आयुष्मान भारत' के माध्यम से, आज देश के दस करोड़ परिवारों को प्रधानमंत्री आयुष्मान भारत योजना के तहत जोड़ने जा रहे हैं, इसमें पांच लाख रुपए तक का बीमा उन परिवारों को दिया जाएगा। मैं मंत्री जी से आग्रह करूंगा कि 'आयुष्मान भारत' में आयुष के सभी सिस्टम्स को जोड़ें, जिससे आम जन को आयुष और होम्योपैथी का लाभ मिल सके। प्रधानमंत्री जी ने बहुत बड़ा सपना देखा है कि देश के सभी लगभग डेढ़ लाख पीएचसीज को वेलनेस सेंटर्स बनाया जाए। उन वेलनेस सेंटर्स में सभी डॉक्टर्स की नियुक्ति भी करने जा रहे हैं। मैं सदन के माध्यम माननीय मंत्री जी से कहना चाहूंगा कि उन सभी डेढ़ लाख वेलनेस सेंटर्स में यह सुनिश्चित किया जाए कि वहां इतने आयुष डॉक्टर्स होंगे और उनमें से कितने प्रतिशत होम्योपैथी डॉक्टर्स, कितने प्रतिशत आयुर्वेद और यूनानी के डॉक्टर्स होंगे। इसका एक सुनिश्चित फॉर्मूला तय करके पूरे देश में लागू किया जाए, जिसके माध्यम से आम जन को एलोपैथी के साथ-साथ आयुष सिस्टम, विशेष तौर से होम्योपैथी का भी लाभ मिल सकेगा।

उपाध्यक्ष जी, मैं आपका ध्यान राजस्थान सरकार की तरफ भी दिलाना चाहूंगा कि जिस प्रकार से प्रधानमंत्री जी ने 'आयुष्मान भारत' के माध्यम से पांच लाख रुपए तक का बीमा देने का कार्य देश की जनता की सेवा के लिए किया है, उसी प्रकार से राजस्थान की यशस्वी मुख्यमंत्री श्रीमती वसुन्धरा राजे जी ने एक बहुत शानदार भामाशाह बीमा योजना चला रखी है। इसमें तीस हजार रुपए से लेकर तीन लाख रुपए तक का बीमा पीड़ित परिवार को दिया जाता है। आज राजस्थान में लाखों परिवारों ने इस योजना का लाभ लिया है और जैसे ही 'आयुष्मान भारत' योजना लागू होगी, मैं समझता हूं कि यह राशि तीन लाख रुपए से बढ़कर पांच लाख रुपए हो जाएगी। राजस्थान एक ऐसा राज्य है, जिसमें 'आयुष्मान भारत' को पहले ही अपनाकर, भामाशाह बीमा योजना के माध्यम से बहुत सफलतापूर्वक, माननीय मुख्यमंत्री जी के नेतृत्व में जनता की सेवा का कार्य किया जा रहा है।

महोदय, मैं माननीय मंत्री जी के ध्यान में लाना चाहूंगा कि जिस प्रकार से उन्होंने आयुष का पूरे देश और दुनिया में नाम रोशन किया है, आयुष की एक गाइडलाइन पूरे देश में जारी की जाए, क्योंकि अधिकतर विषय राज्यों के लिए छोड़ दिए जाते हैं और जब सरकारी नौकरियां निकलती हैं, होम्योपैथी डॉक्टर्स की नौकरी लगने का विषय आता है तो कुछ राज्य सरकारें उदारतापूर्वक उनका उत्तर देती हैं और कुछ राज्य सरकारों में उनके अवसरों का हनन हो जाता है। कई जगह ऐसा होता है कि आयुष के अन्य सिस्टम्स उनके अधिकारों का हनन करते हैं। सदन के माध्यम से मैं कहना चाहूंगा कि आयुष की सभी पद्धतियों को समान रूप से महत्व दें और उनके बीच बंटवारा इस तरीके से करें कि राज्यों द्वारा उनका पालन सुनिश्चित रूप से किया जाए। महोदय, मुझे चीफ व्हिप जी ने समय कम दिया है, फिर भी मैं उस समय में ही अपनी बात रखूंगा।

मैं होम्योपैथिक डॉक्टर्स की बात कहना चाहूंगा। मैं खुद एक होम्योपैथिक डॉक्टर हूं। मैंने बीएचएमएस और एमडी किया है। लगभग दस साल पढ़ाई में लगते हैं। होम्योपैथी में भी एमबीबीएस के बराबर ही सब्जेक्ट्स होते हैं। उसमें एनॉटमी, फिजियोलॉजी, गाइनी, प्रैक्टिस ऑफ मेडिसिन, सर्जरी, ईएनटी आदि सभी सब्जेक्ट्स होते हैं। सिर्फ हॉस्पिटल्स की एक कमी थी, माननीय मंत्री जी को धन्यवाद दूंगा कि होम्योपैथी डॉक्टर्स की गुणवत्तापूर्ण शिक्षा के लिए इन्होंने यह सुनिश्चित किया है कि प्रत्येक होम्योपैथिक कॉलेज में एनएबीएच सर्टिफाइड हॉस्पिटल हो ताकि उन्हें अच्छी ट्रेनिंग मिले।

मैं इसके साथ ही यह सुझाव देना चाहूंगा कि राज्य सरकारों को एक गाइडलाइन जारी करें कि जो होम्योपैथिक डॉक्टर्स पढ़ाई कर रहे हैं, चाहे वे अंडरग्रेजुएट बीएचएमएस की पढ़ाई कर रहे हैं या एमडी कर रहे हैं, स्थानीय मेडिकल कॉलेज या हॉस्पिटल में जाकर वे अपनी इंटर्नशिप कार्य पूरा कर सकें, क्योंकि होम्योपैथिक डॉक्टर्स की योग्यता और जनता की सेवा में मेरा पूरा भरोसा है। होम्योपैथिक डॉक्टर्स की योग्यता, उनके काम और जन सेवा में आप भरोसा कीजिए। मैं छोटी सी शायरी के साथ अपनी बात समाप्त करूंगा। होम्योपैथी डॉक्टर्स की क्षमता के बारे में मैं एक बात कहना चाहूंगा:

"मिलेगी परिन्दो को मंजिल, ये बातें उनके पर बोलते हैं।
रहते हैं कुछ लोग खामोश, लेकिन उनके हुनर बोलते हैं।"

बहुत-बहुत धन्यवाद, उपाध्यक्ष जी।

[अनुवाद]

डॉ. के. कामराज (कल्लाकुरुचि) : माननीय उपाध्यक्ष महोदय, आपका धन्यवाद। होम्योपैथी केन्द्रीय परिषद् (संशोधन) विधेयक, 2018 का आशय (होम्योपैथी केन्द्रीय परिषद (संशोधन) अध्यादेश, 2018 जिसमें होम्योपैथी केन्द्रीय परिषद अधिनियम, 1973 में संशोधन किया गया है, को प्रतिस्थापित करना है।

होम्योपैथी केन्द्रीय परिषद अधिनियम में केन्द्रीय होम्योपैथी परिषद के गठन तथा केन्द्रीय होम्योपैथी रजिस्टर के अनुरक्षण का प्रावधान किया गया है। सरकार अध्यादेश को प्रतिस्थापित करने के लिए यह विधेयक लाई है। इस विधेयक में केन्द्रीय परिषद के प्रतिस्थापन संबंधी खंड 3क को शामिल करने का प्रस्ताव किया गया है। सरकार ने वर्तमान केन्द्रीय होम्योपैथी परिषद को समाप्त कर दिया है और इसके स्थान पर बोर्ड ऑफ गर्वनर्स का गठन किया है, जो एक वर्ष तक केन्द्रीय परिषद के अधिकारों का प्रयोग करेगा।

दूसरा, सरकार ने एक नए खंड, अर्थात् खंड 12 ग को शामिल किया है, जिसमें वर्तमान होम्योपैथी कॉलेजों को अनुमति देने का प्रावधान किया गया है। इसमें कहा गया है कि सभी वर्तमान केन्द्रीय होम्योपैथी कॉलेजों को केन्द्र सरकार से एक वर्ष के भीतर पुन: अनुमति प्राप्त करनी होगी अन्यथा इन सभी कॉलेजों द्वारा प्रदान की गई डिग्री की मान्यता रद्द कर दी जाएगी।

महोदय, भारत में दो चिकित्सा पद्धतियां प्रचालित हैं; एलोपैथिक अथवा आधुनिक वैज्ञानिक पद्धति तथा आयुष पद्धति जिसमें होम्योपैथी , भारतीय चिकित्सा पद्धति आयुर्वेद, सिद्धा, यूनानी, योग तथा प्राकृतिक चिकित्सा इत्यादि। होम्योपैथी चिकित्सा पद्धति को मिथ्या चिकित्सा विज्ञान कहकर उसकी आलोचना की जाती है लेकिन यह दुनियाभर में व्यवहार में लाई जाने वाली दूसरी सबसे बड़ी चिकित्सा पद्धति है।

इन सभी चिकित्सा पद्धतियों के लिए अनेक नियामक निकाय विद्यमान हैं। सभी इस बात से अवगत हैं कि ये सभी नियामक निकाय उनको दिए गए अधिदेश का निष्पादन करने में विफल रहे हैं। केन्द्रीय होम्योपैथी परिषद का गठन एक अधिनियम द्वारा किया गया है। केन्द्रीय होम्योपैथी परिषद का प्रमुख कृत्य होम्योपैथी में एकसमान शिक्षा मानदंडों को विकसित करना तथा होम्योपैथी चिकित्सकों का पंजीकरण करना है। केन्द्रीय होम्योपैथी रजिस्टर में होम्योपैथी चिकित्सकों का पंजीकरण यह सुनिश्चित करेगा कि दवाईयां उन चिकित्सकों द्वारा नहीं लिखी गई हैं जो इस चिकित्सा पद्ध में योग्य नहीं है ओर इस चिकित्सा पद्धति के चिकित्सक इलाज में चिकित्सीय नियमों का अनुपालन करेंगे। यह अधिनियम 1973 में अधिनियमित किया गया था।

भारत में लगभग 223 होम्योपैथी कॉलेज हैं, जिनमें से लगभग 171 कॉलेजों के पास होम्योपैथी पाठ्यक्रमों का संचालन करने की अनुमति है और 50 कॉलेजों के पास को उक्त अनुमति नहीं दी गई है। योजना आयोग की नौवीं रिपोर्ट में भारत सरकार ने नोट किया कि देश में होम्योपैथी चिकित्सा कॉलेजों की संख्या लगातार बढ़ती जा रही है, कॉलेजों में योग्य शिक्षकों का अभाव है और प्रशिक्षण की गुणवत्ता अपेक्षित मानकों के अनुरूप नहीं है। अत: यह महसूस किया गया कि होम्योपैथी केन्द्रीय परिषद अधिनियम के कुछ उपबंधों को संशोधित करने की आवश्यकता है।

होम्योपैथी केन्द्रीय परिषद अधिनियम, 1973 में वर्ष 2002 में धारा 12क तथा 12ख को शामिल किया गया था। ये दोनों धाराएं कॉलेजों की मान्यता तथा इन कॉलेजों द्वारा प्रदान की गई डिग्रियों की मान्यता से संबंधित हैं।

माननीय मंत्री ने विधेयक पर बोलते हुए कहा कि अनधिकृत कॉलेजों की स्थापना, अप्राधिकृत पाठ्यक्रमों के संचालन तथा मेडिकल सीटों की बढ़ती संख्या पर रोक लगाने के लिए यह संशोधन विधेयक लाया गया है। कोई अनधिकृत कॉलेज कैसे खोल सकता है जबकि इस संबंध में अधिनियम विद्यमान है? अधिनियम के संगत उपबंधों के नहीं होने के कारण विद्यमान कॉलेजों को दोबारा मान्यता दी गई और इसके परिणामस्वरूप कतिपय ऐसे कॉलेज चल रहे हैं, जो निर्धारित मानदंडों को पूरा नहीं करते। सभा में इस विधेयक को प्रस्तुत करने का तीसरा कारण यह है कि मंत्रालय के पास कॉलेजों को अवैध घोषित करने का अधिकार नहीं है। वर्तमान अधिनियम में केन्द्रीय होम्योपैथी परिषद के चेयरमैन और इसके सदस्यों को हटाने के लिए कोई उपबंध नहीं है। केन्द्रीय परिषद् मंत्रालय के निर्देशों का अनुपालन नहीं करती।

वर्तमान अधिनियम में भी केन्द्रीय होम्योपैथी परिषद को नियंत्रित करने के लिए स्पष्ट उपबंध विद्यमान हैं। दूसरा कारण जिस वजह से परिषद को बर्खास्त किया गया और इसे केन्द्र सरकार के बोर्ड ऑफ गर्वनर्स द्वारा प्रतिस्थापित किया गया वह परिषद में गंभीर कदाचार की घटनाएं हैं, जिसके परिणामस्वरूप चिकित्सा शिक्षा की गुणवत्ता के साथ समझौता किया गया। केन्द्रीय होम्योपैथी परिषद के प्रेसीडेंट ने रिश्वत ली और सीबीआई ने उन्हें गिरफ्तार किया।

किन्तु, इस जांच का परिणाम क्या निष्कर्ष निकला? मैं माननीय मंत्री से जानना चाहता हूं कि इस जांच का क्या निष्कर्ष निकला।

दूसरी बात यह है कि परिषद के कार्यकरण में कोई पारदर्शिता नहीं है। यह परिषद् केन्द्र सरकार के सुधारात्मक कदमों को लागू नहीं करने दे रही है। परिषद के अनेक सदस्य कार्यकाल पूरा के बाद भी परिषद के सदस्य बने हुए हैं। परिषद के अनेक वरिष्ठ सदस्यों को बार-बार निर्वाचित किया गया।

मैं माननीय मंत्री से केन्द्रीय परिषद के गठन के बारे में पूछाना चाहता हूं। राज्य होम्योपैथी परिषद से लगभग पांच सदस्यों का निर्वाचन किया जाता है; होम्योपैथी विश्वविद्यालय (यूनीवर्सिटी) से सात सदस्यों का निर्वाचन किया जाता है। कुल सदस्यों में से 40 प्रतिशत सदस्य केन्द्र सरकार द्वारा नाम निर्दिष्ट किए जाते हैं। कुल सदस्यों में से 40 प्रतिशत

सदस्यों को नामनिर्दिष्ट किया जाता है। ऐसी स्थिति में, परिषद् कोई गलती कैसी कर सकती है। परिषद में 40 प्रतिशत प्रतिनिधित्व मंत्रालय का है। परिषद के प्रेसीडेंट के विरुद्ध कदाचार का गंभीर मामला है, जो अपना कार्यकाल पूरा होने के बाद भी परिषद के सदस्य बने रहे क्योंकि नए पदधारी के लिए चुनाव पूरा नहीं हो सका। पूर्ववर्ती अधिनियम में कहा गया है कि तीन महीनों से पहले सदस्यों और प्रेसीडेंट का निर्वाचन किया जाना अनिवार्य है। उन्होंने इसमें हुए विलंब का कारण बताया है कि वे रजिस्टर का अनुरक्षण नहीं कर पाए और चुनाव का आयोजन नहीं कर पाए। मैं इसमें यह स्मरण कराना चाहता हूं कि परिषद की वेबसाइट के अनुसार श्री रामजी नौ वर्ष तक परिषद के प्रेसीडेंट रहे। उनसे पूर्व श्री जुगल किशोर लगभग 15 वर्षों तक इस पद पर बने रहे। पूर्ववर्ती अधिनियम में विशेष रूप से उल्लिखित था कि कोई व्यक्ति प्रेसीडेंट के पद पर केवल दो बार ही निर्वाचित हो सकता है। परिषद की अवधि पूर्ण होने पर यदि उत्तरवर्ती परिषद का गठन नहीं होता, तो ऐसी स्थिति में पूर्ववर्ती सदस्य परिषद के सदस्य बने रहेंगे। अन्य कारण यह बता रहे हैं कि कॉलेज संचालक होम्योपैथी चिकित्सा पद्धति को नियंत्रित कर रहे हैं।

अध्यक्ष सहित बहुत से सीसीएफ सदस्यों के अपने कॉलेज हैं। काउंसिल के कुछ सदस्य डायरेक्टर अथवा फैकल्टी के रूप में कुछ कॉलेजों से जुड़े हुए हैं। इससे ऐसी संस्कृति विकसित हुई है कि जहां होम्योपैथी कॉलेज को वस्तु-विनियम प्रणाली अर्थात् आप मेरे कॉलेज को मंजूरी दे और मैं आपके कॉलेज को मंजूरी दूंगा के अंतर्गत मंजूरी मिलती है। आर्थिक लाभ के लिए भी ऐसा किया जाता है।

मैं माननीय मंत्री को यही ध्यान दिलाना चाहता हूं कि पूर्व अधिनियम में ही 'जांच आयोग' का उल्लेख है। जांच आयोग उच्च न्यायालय के सेवानिवृत्त न्यायाधीश की अध्यक्षता में गठित किया जाता है। मैं जानना चाहता हूं कि सरकार ने इसके लिए क्या किया है। आप कहते हैं कि अनियमितताएं हैं। मैं जानना चाहता हूं कि जांच आयोग ने क्या किया है और आयोग की रिपोर्ट क्या है। यदि आयोग ने अपनी रिपोर्ट दे दी है तो अधिनियम के अनुसार सरकार को कार्रवाई करनी है। इसमे स्पष्ट कहा गया है कि यदि केन्द्र सरकार समझती है कि केन्द्रीय परिषद ऐसी किसी शर्त का पालन करने में विफल रहती है तो केन्द्र सरकार केन्द्रीय परिषद के नियम में संशोधन कर सकती है अथवा ऐसे कदम उठाने के लिए प्रावधान कर सकती है अथवा आदेश कर सकती है जोकि वह आयोग की सिफारिशों को लागू करने के लिए आवश्यक समझती हो। यदि काउंसिल में कोई कदाचार अथवा दुराचार हुआ है तो सरकार ने क्या किया है? माननीय मंत्री को इस बारे में हमें बताना चाहिए।

माननीय मंत्री ने जो कहा है मैं उसे स्वीकार करता हूं कि अधिकांश होम्योपैथी कॉलेजों में बुनियादी अवसंरचना की कमी है। उनके पास रोगी नहीं है; अस्पताल नहीं हैं; स्टॉफ पर्याप्त नहीं है; और अस्पताल के रिकॉर्ड जाली है। यहां तक कि अंडर ग्रेजुएट और पोस्ट-ग्रेजुएट पाठ्यक्रम दोनों ही इस हद तक होम्योपैथिक चिकित्सा के पाठ्यक्रमों की आंखे मूंदकर नकल बनाये गए हैं कि आयुष प्रणाली की मूल प्रकृति से ही समझौता किया गया है। शिक्षक वर्ग की कमी है।

दूसरी चीज यह है कि जो व्यक्ति होम्योपैथिक कॉलेजों से डिग्री लेता है वह होम्योपैथी की प्रैक्टिस नहीं करता। वह वैकल्पिक चिकित्सा पद्धति की प्रैक्टिस करता है। उनमें से अधिकांश आधुनिक चिकित्सा पद्धति की प्रैक्टिस करते हैं। इसे नीमहकीमी कहते हैं।

काउंसिल भारतीय चिकित्सा और होम्योपैथी प्रणाली की प्रैक्टिस में नैतिकता सुनिश्चित करने के विफल रही है। सरकार की बहुत सही आंतरिक रिपोर्ट से पता चलता है कि काउंसिल के कार्यकरण में कदाचार होता है। काउंसिल को जो अधिदेश दिया गया था वह उसमें विफल रही है।

इस समस्या से निपटने हेतु पहले ही दो विधेयक हैं। एक विधेयक होम्योपैथी केन्द्रीय परिषद (संशोधन) विधेयक, 2005 है। चूंकि काउंसिल के अध्यक्ष और उपाध्यक्ष को हटाने तथा कुछ अनियमितता और अवांछित कार्य करने पर काउंसिल में नामित सदस्यों को वापस बुलाने का कोई इसलिए विधेयक को स्थायी समिति को भेजा गया था। सेंट्रल काउंसिल अपनी शक्तियों का दुरूपयोग करती है और ऐसी स्थिति में सेंट्रल काउंसिल को उचित निर्देश जारी करने की आवश्यकता है। पूर्व विधेयक में उपबंध थे। इसे सुधारने के लिए पूर्व विधेयक संसद में लाया गया था और स्थायी समिति को भेजा गया था। स्थायी समिति ने वर्ष 2005 में अपनी रिपोर्ट दी थी। मैं जानना चाहता हूं कि सरकार ने 2005 की सिफारिशों पर कार्रवाई क्यों नहीं की।

पुन: 2015 में स्वास्थ्य और परिवार कल्याण संबंधी स्थायी समिति द्वारा इस विधेयक की जांच की गई थी। समिति ने 2005 में ही हम सब कठिनाइयों को दूर करने के लिए सिफारिश की थी और आपको इस बारे में संशोधन लाना था। पुन: उन्होंने इन सब कठिनाइयों को दूर करने की सिफारिश की है। सरकार विगत तीन वर्षों से क्या कर रही थी? वह इस अधिनियम में कोई संशोधन क्यों नहीं लेकर आए?

महोदय, अधिनियम में पर्याप्त उपबंध हैं। वे सरकारी अधिकारियों के साथ मिलीभगत से कदाचार में लिप्त हैं। किंतु सरकार सभी गलत कार्यों रोकने में विफल रही है। अब लोकतांत्रिक तरीके से चुनी गई काउंसिल के स्थान पर विभाग बनाया जा रहा है। यदि काउंसिल भी इसके अधिदेश के अनुसार कार्य नहीं कर रही है तो आप अब काउंसिल को क्यों बदल रहे हैं।

मैं सरकार से जानना चाहता हूं कि क्या सरकार द्वारा नामित शाशी मंडल सुधारात्मक उपाय कर सकता है। वह मौजूदा उपबंधों के अंतर्गत कार्य कर सकते हैं। मैं मंत्रीजी से जानना चाहता हूं कि वह अधिनियम की विसंगतियों को किस प्रकार ठीक करेंगे।

महोदय, जब पूरी व्यवस्था की इतनी खराब स्थिति है तो यह आश्चर्यजनक है कि यह सरकार भारतीय चिकित्सा परिषद के स्थान पर राष्ट्रीय आयोग विधेयक का प्रस्ताव ला रही है जो मेडिकल प्रैक्टिसनर्स को एक ब्रिज कोर्स के माध्यम से आधुनिक चिकित्सा की प्रैक्टिस करने की अनुमति देता है। मैं मंत्रीजी से जानना चाहता हूं कि जब उनके सचिव ने ब्रिज कोर्स का विरोध किया है, जब केन्द्रीय होम्योपैथी परिषद ने ब्रिज कोर्स का विरोध किया है तो यह सरकार ब्रिज कोर्स क्यों ला रही है? यह अन्य चिकित्सा पद्धतियों में कार्य करने वाले दूसरे लोगों को एलोपैथी चिकित्सा पद्धति की प्रैक्टिस करने के लिए लाना चाहती है।

अंत में मेरा कहना है कि यदि काउंसिल और विभाग मेडिकल कॉलेजों के विस्तार को नियंत्रित करने में विफल रहे हैं तो सरकार को काउंसिल को अलग करने के बजाय अधिनियम में कमियों को ठीक करने हेतु एक संशोधन लाना चाहिए था।

सरकार हर चीज के लिए अध्यादेश ला रही है। जब स्थायी समिति ने 2015 में ही अधिनियम में संशोधन की सिफारिश की थी तो उन्हें अध्यादेश की क्या जरूरत है? मैं मंत्री जी से यह भी अनुरोध करता हूं कि होम्योपैथी चिकित्सा के पीछे के विज्ञान की पहचान करें।

इन्हीं शब्दों के साथ मैं अपनी बात समाप्त करता हूं।

डॉ. रत्ना डे (नाग) (हुगली) : महोदय, जैसाकि सभा को विदित है होम्योपैथी केन्द्रीय परिषद् (संशोधन) अध्यादेश, 2018 मई 18, 2018 को प्रख्यापित किया गया था। इसका उद्देश्य होम्योपैथी केन्द्रीय परिषद् अधिनियम, 1973 को संशोधित करना है। इस अति महत्वपूर्ण पहलु पर इस अध्यादेश को प्रख्यापित करने की अत्यावश्यकता क्या है। सच यह है कि यह 2018 से होम्योपैथी केन्द्रीय परिषद को अधिक्रमण सुनिश्चित करता है। सरकार का उद्देश्य इसके अधिक्रमण की तिथि से एक वर्ष के भीतर केन्द्रीय परिषद् का पुनगर्ठन करना है। इस महत्वपूर्ण विधान को अध्यादेश के माध्यम से लाने की क्या आवश्यकता है जिससे जवाबदेही सुनिश्चित करने और विधान की सामान्य प्रक्रिया को महत्व देने की संसदीय प्रक्रिया का अनादर कर रहे हैं। संसद का प्राथमिक कार्य देश के प्रशासन को सुनिश्चित करने हेतु कानून बनाना है अपितु सरकार की जवाबदेही सुनिश्चित करना है।

होम्योपैथी केन्द्रीय परिषद् को इतनी हड़बड़ी में अधिक्रमित करने की आवश्यकता क्या है? क्या किसी विशेषज्ञ ने इस तिथि से इसके अधिक्रमण को प्रभावी बनाने संबंधी संपूर्ण पहलु का अध्ययन किया है? केन्द्रीय परिषद को पुनगर्ठित करने के लिए इसके अधिक्रमण को तिथि से एक वर्ष की अवधि की आवश्यकता क्यो है?

इसमें यह बताया गया है कि : निति निर्णय के संबंध में सरकार के निदेश अंतिम होंगे। जब हम शासी मंडल का पुनर्गठन कर रहे हैं और होम्योपैथी परिषद् की शक्तियों का उपयोग करने की अनुमति है तो सरकार का हस्तक्षेप क्यों हो? यह क्यों कहा गया है कि निति निर्णय के संबंध में सरकार के निदेश अंतिम होंगे? शासी मंडल के पुनर्गठन का यह कार्य विशेषज्ञों जो कि अपने क्षेत्र के अनुभवी एवं विशेषज्ञ होते हैं, पर छोड़ा जाए जो कि होम्योपैथी परिषद् में उनका योगदान दीर्घावधि के लिए लाभदायक होगा।

महोदय, मैं एलोपैथी पद्धति में पेशेवर डॉक्टर हूं फिर भी मुझे होम्योपैथी से प्यार है मैं अक्सर राहत के लिए कुछ औषधी लेने होम्योपैथी डॉक्टरों के पास जाती हूं। किंतु होम्योपैथी को एलोपैथी का पर्याय माना जाता है क्योंकि यह सस्ती है। होम्योपैथी को समग्र सहायता की आवश्यकता है। किंतु पिछले एक दशक अथवा इतने ही समय से होम्योपैथी को इसका समुचित देय नहीं दिया गया है। मैं माननीय मंत्री जी से जानना चाहता हूं कि हाल के दिनों में होम्योपैथी को कितनी निधि आबंटित की गई है। अब सरकार उन व्यक्तियों जिन्होंने होम्योपैथी चिकित्सा महाविद्यालय, नए पाठ्यक्रम आरंभ किए हैं, इस अध्यादेश के प्रख्यापन के पूर्व सीटों की संख्या बढ़ाई है, पर सरकार से अनुमति प्राप्त करने के संबंध में जोर दिया जा रहा है। यदि वह यह निदेश के अनुपालन में असफल होते हैं तो इन महाविद्यालय से शिक्षित एवं अर्हता प्राप्त विद्यार्थियों को मान्यता प्रदान नहीं की जाएगी। इसे होम्योपैथी शिक्षा क्षेत्र के अनुकूल बनाने के लिए संशोधित करने की आवश्यकता है। मुझे आशा है कि माननीय मंत्री अपनी स्थिति स्पष्ट करने तथा न केवल उन व्यक्तियों की जिन्होंने अध्यादेश को प्रख्यापित करने से पूर्व होम्योपैथी चिकित्सा महाविद्यालय स्थापित किया है, सीटें बढ़ाई है तथा नया पाठ्यक्रम आरंभ किया है अपितु अध्यादेश के प्रख्यापन से पूर्व ऐसे महाविद्यालयों से मेडिकल डिग्री प्राप्त की है।

महोदय कोलकाता में राष्ट्रीय होम्योपैथी संस्थान नामक होम्योपैथी संस्थान है। जिसकी स्थापना सन् 1975 में हुई थी। यह स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय, भारत सरकार के अधीन एक स्वायत्त संगठन के रूप में आरंभ हुआ। वर्तमान में यह 'आयुष' विभाग भारत सरकार के अधीन है। पहले यह 2003-04 तक कोलकाता विश्वविद्यालय से संबद्ध था। शैक्षिक वर्ष 2004-05 से यह कोलकाता विश्वविद्यालय के स्वास्थ्य विज्ञान विभाग से संबद्ध रही। यह 1981 से पाठ्यक्रम संचालित कर रहा हे एवं होम्योपैथी औषधियों में स्नातक डिग्री प्रदान करता है और 1990 से यह संस्थान पाठ्यक्रम संचालित कर रहा है और होम्योपैथी में

डॉक्टर ऑफ मेडिसिन नामक स्नातकोत्तर डिग्री प्रदान करता है। पश्चिम बंगाल राज्य होम्योपैथी का गढ़ माना जाता है। अब समय आ गया है कि इस संस्थान का उन्नयन किया जाए और इसे होम्योपैथी का केन्द्रीय विश्वविद्यालय का दर्जा दिया जाए और इसे एक सर्वोत्तकृष्ट संस्थान घोषित किया जाए। मैं माननीय मंत्री से अनुरोध करना चाहता हूं कि वह इस संस्थान को उदारता से निधि आबंटित करे और इस संस्थान का उन्नयन करे।

महोदय हम अक्सर देखते है कि विभिन्न अस्पतालों में होम्योपैथी डाक्टरों की भारी कमी है। डॉक्टरों की नियमित भर्ती की आवश्यकता है। होम्योपैथी डॉक्टरों की पदोन्नति चिकित्सा विज्ञान के क्षेत्र में होम्योपैथी को कैरियर के रूप में चुनने के लिए इच्छुक छात्रों के लिए प्रेरक के रूप में कार्य करेगा।

महोदय, मैं माननीय मंत्री से यह अनुरोध करना चाहता हूं कि सरकार जब भी भारतीय होम्योपैथी परिषद् के शासी मंडल के पुनगर्ठन पर विचार करता है तो उसे विशेषज्ञों और कोलकाता के विशेषकर राष्ट्रीय होम्योपैथी संस्थान प्रतिष्ठित होम्योपैथी डॉक्टर्स को शामिल करने पर विचार करना चाहिए। इससे न केवल सरकार पर संपूर्ण देश को लाभ होगा और इससे हम काफी फायदा उठा सकेंगे इससे देश की उन्नति और प्रगति होगी इसके परिणामस्वरूप जरूरतमंद एवं गरीबों का होम्योपैथी चिकित्सा पद्धति में विश्वास पैदा होगा और मेरा विश्वास है कि पिछले तीन या चार दशकों से विश्व का ध्यान चिकित्सा की इस पद्धति की ओर आकर्षित हुआ है।

इन शब्दों से मैं अपनी बात समाप्त करता हूं।

धन्यवाद।

[अनुवाद]

श्री रवीन्द्र कुमार जेना (बालासोर) : महोदय, होम्योपैथी केन्द्रीय परिषद (संशोधन) विधेयक, 2018 पर मुझे बोलने की अनुमति देने के लिए मैं आपको धन्यवाद देता हूं।

इस विधेयक का आशय वर्ष 1973 के मूल अधिनियम में संशोधन करना है। विधेयक में यह उपबंध किया गया है कि केन्द्रीय परिषद एक वर्ष की अवधि के लिए केन्द्र सरकार के निकाय का स्थान ले लेगा। और कारणों के कथन में बताया गया है कि मुख्यत: परिषद् में पाई गई भारी अनियमितताओं को देखते हुए इस संशोधन विधेयक को पेश करना आवश्यक हो गया है।

महोदय, तीन प्रक्रियात्मक मुद्दे हैं। विधेयक की विशेषताओं की चर्चा करने से पूर्व, मैं उन तीन प्रक्रियात्मक मुद्दों पर चर्चा करूंगा।

सर्वप्रथम, हम वर्ष 1973 के मूल अधिनियम की धारा 4.1 और 4.2 को पढ़े : धारा 4.1 में कहा गया है:

"केन्द्र सरकार द्वारा बनाए गए ऐसे नियमों के अनुसरण में एक चुनाव किया जाएगा।"

धारा 4.2 कहता है कि विवाद की स्थिति में केन्द्र सरकार का निर्णय बाध्यकारी एवं अंतिम होगा। जब मूल अधिनियम, 1973 में ऐसी धाराएं दी गई हैं, तो एक मूल प्रश्न उठता है, क्या यह संशोधन और अध्यादेश लाना आवश्यक था? यह मेरा प्रथम प्रश्न है।

अब मैं अध्यादेश के मुद्दे से संबंधित दूसरे बिंदू पर आता हूं। यह अध्यादेश 18 मई, ख81 को लाया गया था। जैसा कि उद्देश्यों और कारणों के कथन में बताया गया है कि दुर्विनियोजन जैसी बड़ी अनियमितताएं मौजूद थीं; सीबीआई द्वारा किसी को गिरफ्तार किया गया था। यह 22 अक्टूबर, 2016 की घटना है। यहां मैं कुछ क्षण के लिए रुक जाऊंगा और संविधान सभा में हुई चर्चा के एक पैराग्राफ को उद्धत करूंगा जिसमें डॉ. अंबेडकर ने कहा था:

"राष्ट्रपति की विधायी शक्तियां" शीर्षक अध्याय को 'सत्र नहीं चलने के दौरान कानून बनाने की शक्ति' कर दिया जाना चाहिए।"

जब उद्देश्यों और कारणों के कथन में बताया गया है कि दुर्विनियोजन के कारण एक अध्यादेश अथवा विधेयक लाया जाना आवश्यक था, हमारे पास कानून बनाने के लिए डेढ़ वर्ष का समय था। हमारे पास वर्ष 2016 का शीतकालीन सत्र, वर्ष 2017 के तीनों पूर्ण सत्र और वर्ष 2018 का एक पूर्ण सत्र था। विगत डेढ़ वर्ष के दौरान माननीय मंत्री महोदय के पास विधेयक लाने और अध्यादेश को रोकने के लिए बहुत समय था। यह कानून बनाने का क्या उद्देश्य था? विधायी शक्तियों का बारंबार दुरूपयोग क्यों किया जा रहा है?

मैं न्यायधीश मंडल से भी एक और वाक्य उद्धृत करता हूं। यह मुख्य न्यायाधीश पी.एन. भगवती का एक प्रसिद्ध ऐतिहासिक निर्णय है। उनका कहना है:

"अध्यादेश जारी करने की शक्ति अनिवार्य रूप से एक असाधारण स्थिति का सामना करने के लिए उपयोग की जानेवाली शक्ति है।"

विगत डेढ़ वर्ष में वह असाधारण स्थिति क्या थी? उन्होंने आगे कहा है कि राजनीतिक फायदे के लिए इसे विकृत करने की अनुमति नहीं दी जा सकती। माननीय मंत्री अपने विवेक से यह निर्णय लें कि अध्यादेश लाया जाना आवश्यक था अथवा नहीं।

मेरी चर्चा का तीसरा बिंदु प्रक्रियात्मक मुद्दों से संबंधित है, यह निर्णय लेकर भारत सरकार के एक निकाय द्वारा अचानक संसद के अधिनियम द्वारा बनाए गए एक सांविधिक निकाय को समाप्त कर दिया गया। क्या ऐसा करना आवश्यक था?

प्रक्रियात्मक मुद्दे पर ऐसा कहने के बाद अब मैं विधेयक की विशेषताओं की बात करूंगा। हम जानते हैं कि प्रत्येक वर्ष लगभग 63 मिलियन लोग, जो कि यूनाइटेड किंगडम की जनसंख्या के बराबर है, को चिकित्सा संबंधी व्यय के कारण गरीबी झेलनी पड़ती है। इसके अलावा, स्वास्थ्य के क्षेत्र में हमारे देश को विश्व में मधुमेह की राजधानी के रूप में जाना जाता है।

इस परिस्थिति में हमें होम्योपैथी जैसी वैकल्पिक चिकित्सा प्रणाली की पूरी क्षमता का पता लगाना चाहिए एवं इसका उपयोग करना चाहिए।

हम माननीय प्रधानमंत्री को धन्यवाद, देते हैं कि वर्ष 2014 में कार्यभार संभालने के बाद उन्होंने देश को संबोधित किया। पूरे देश को और हमें यह आशा थी कि चिकित्सा की वैकल्पिक प्रणाली को अपेक्षित महत्व मिलेगा। लेकिन महोदय, हमें क्या प्राप्त हुआ है?

यह दुर्भाग्य है कि हम कम से कम होम्योपैथी को एक विज्ञान के रूप में महत्व दिलाने और उसका मानकीकरण करने में असफल रहे हैं। हम ऐसा करने में असफल रहे हैं और एक बहुत प्रतिष्ठित होम्योपैथ के योगदान को पहचान नहीं पाए हैं। हम डॉ. विजयकर के मामले को लेते हैं। मैं इस मामले में माननीय मंत्री महोदय का ध्यान आकृष्ट करना चाहता हूं। डॉ. विजयकर ओडिशा के नहीं हैं। वह मुंबई से हैं। संयुक्त राष्ट्र सहित पूरे विश्व होम्योपैथी के क्षेत्र में उनके अद्भुत योगदान को स्वीकार करता है जिसका लाभ विश्व के लाखों-करोड़ों लोगों को हुआ है।

यह दुर्भाग्यपूर्ण है कि हम उनकी योग्यता को पहचान नहीं पाए। यदि भारत रत्न संभव नहीं हो तो कम-से-कम डॉ. विजयकर जैसे लोगों को पद्म विभूषण दिए जाने का उपयुक्त समय है। यह कम-से-कम होम्योपैथी का सम्मान होगा। और फिर देखिए कि हमारे देश में किस प्रकार होम्योपैथ को पुरस्कार, सम्मान और पहचान दी जाती है। मैं आपको अपने गृह नगर का एक छोटा उदाहरण देता हूं। मैं बालासोर से आता हूं। यह एक छोटा जिला है और इसकी जनसंख्या पचास हजार है। यूनाइटेड किंगडम और सिंगापुर के लोग मेरे शहर के दो महान होम्योपैथी डॉक्टरों से उपचार कराने आते हैं। डॉ. सुरेश नायक और दूसरे हैं डॉ. राधाकांत महापात्रा इतना ही नहीं, अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान, दिल्ली के कई प्रोफेसर होम्योपैथी उपचार के लिए मेरे गृहनगर जाते हैं। डॉ. रत्ना डे, एक एलोपैथिक डॉक्टर होते हुए अभी कह रही थीं कि वह भी होम्योपैथी का सम्मान करती हैं। इसलिए, यह होम्योपैथी की शक्ति और क्षमता है, जिसे हम किसी कारणवश पहचान नहीं पाए हैं। मैं पुनः माननीय मंत्री जी से आग्रह करना चाहता हूं कि यही समय है कि आप स्वयं इसे महसूस करें। ऐसा हो सकता है कि आप स्वयं का या अपने किसी पारिवारिक सदस्य का उपचार कराएं एवं देखें कि होम्योपैथी की क्या शक्ति होती है। यह नए अध्याय की शुरूआत होगी। आप इसे माननीय प्रधानमंत्री के संज्ञान में ला सकते है, जिनकी चिकित्सा की वैकल्पिक प्रणाली के प्रति रूचि रहती है, ताकि लाखों-करोड़ों लोगों को नया जीवनदान मिल सकता है।

महोदय, समाप्त करने से पूर्व मैं माननीय मंत्री से अनुरोध करता हूं कि चूंकि हम समझ गए हैं कि इस बोर्ड को एक वर्ष के लिए क्यों लाया गया है, इस बोर्ड में सेवानिवृत्त नौकरशाहो की भर्ती करने मात्र के लिए नहीं और न ही चुनावी वर्ष में इसे राजनीतिक से जुड़े लोगों को समायोजित करने के लिए है। यदि हम ऐसा करते हैं तो हम हमारे देश के लाखों लोगों की जिन्दगियों से खिलवाड़ करते हैं। यह हमारे देश के लोगो से न्याय नहीं होगा। महाराष्ट्र विधान सभा का मामला देखें। उन्होंने एलोपैथिक दवा लिखने के लिए एक वर्ष का ब्रिज (संबद्ध) पाठ्यक्रम पारित किया। सभी ने इस पर आपत्ति व्यक्ति की। परिषद ने इस पर आपत्ति की थी, होम्योपैथी ने इस पर आपत्ति की और एलोपैथी ने भी इस पर आपत्ति की। ऐसा इसलिए है कि होम्योपैथी और एलोपैथी दो विज्ञान हैं जो दो अलग-अलग तरीके से काम करते हैं। इन दोनों की चिकित्सा प्रणालियां अलग-अलग हैं। हमें इसको मान्यता देनी चाहिए एवं इसका सम्मान करना चाहिए और निश्चित रूप से हमें होम्योपैथी के अलग परिणाम नजर आएंगे।

महोदय अपनी बात समाप्त करने से पूर्व मैं आपको पुनः धन्यवाद देता हूं और माननीय मंत्री महोदय से अनुरोध करता हूं कि चूंकि आपके पास विधेयक को पारित करने का बहुमत है, कृपया इस विधेयक के अंतर्गत बनाए जाने वाले नियम में इन टिप्पणियों को सम्मिलित करें धन्यवाद, महोदय।

डॉ. श्रीकांत एकनाथ शिंदे (कल्याण) : धन्यवाद, उपाध्यक्ष महोदय। आज हम केन्द्रीय परिषद होम्योपैथी (संशोधन) विधेयक, 2018 पर चर्चा कर रहे हैं। महोदय, भारत में चिकित्सा शिक्षा के क्षेत्र में एक तरह से बहुत परिवर्तन होने वाला है। एक तरफ हम आधुनिक औषधि की शिक्षा के लिए राष्ट्रीय चिकित्सा आयोग की स्थापना की चर्चा कर रहे हैं, और दूसरी तरफ आज इस विधेयक पर चर्चा कर रहे हैं जिससे होम्योपैथी शिक्षा की गुणवत्ता पर सकारात्मक प्रभाव पड़ने की आशा है। इस विधेयक में, केन्द्रीय परिषद होम्योपैथी को भंग कर दिया जाएगा और एक नए बोर्ड ऑफ गवर्नर्स (शासी बोर्ड) की स्थापना की जाएगी जो कि केन्द्रीय परिषद के अधिकारों का उपयोग करेगी। लेकिन, एक वर्ष के पश्चात केन्द्रीय परिषद को पुनर्गठित किया जाएगा। लेकिन, कहीं भी

यह नहीं बताया गया है कि इसकी संरचना क्या होगी और इसके पास क्या अधिकार होंगे। विधेयक में इसका कोई उल्लेख नहीं है। महोदय, मुझे भारतीय चिकित्सा परिषद और केन्द्रीय होम्योपैथी परिषद के बारे में की जा रही अनेक शिकायतों में आश्चर्यजनक रूप से समानता प्रतीत होती है- शिक्षा का स्तर नीचे आ रहा है; कोई उपयुक्त अवसंरचना नहीं है; कोई शिक्षक नहीं हैं। अब तक होम्योपैथिक डॉक्टरों को उपयुक्त शिक्षा नहीं दी जाती है। सीसीएच पर भ्रष्टाचार के आरोप लगे हैं, और मैं कहता हूं कि सीसीएच में व्यावसायिक सांठगांठ है। हमें एमसीआई के बारे में भी ये सभी शिकायतें मिलती हैं। एमसीआई के स्वयं अनुमोदन और आंकलन निकाय होने के कारण उसमें कथित रूप से कई भ्रष्टाचार होते थे।

[हिन्दी]

उसी के चलते एमसीआई की जगह पर एनएमसी बिल लाया गया और उसका कानून भी जल्द बनने वाला है। एमसीआई के बारे में भी सरकार ने वर्ष 2010 में उसको सस्पेंड किया था और तीन साल के बाद नवंबर, 2013 में फिर एक बार एमसीआई को कंस्टीट्यूट किया गया, लेकिन फिर एक बार एमसीआई को डिसोल्व कर एनएमसी बिल लाने जा रहे हैं।

[अनुवाद]

इसलिए, उपाध्यक्ष महोदय, केन्द्रीय होम्योपैथीक परिषद के विरुद्ध शिकायतों की प्रकृति में समानता और एमसीआई के गत अनुभव से सीखकर विचार करते हुए, मेरा सरकार से यह सुझाव है कि वह एक व्यापक संरचना तैयार करे अथवा एनएमसी की तर्ज पर वैकल्पिक औषधियों के समस्त संकायों हेतु व्यापक आयोग बनाए।

अपराह्न 3.00 बजे

उद्देश्यों और कारणों के कथन में, यह उल्लखित हैं कि परिषद में गंभीर कदाचार के अनेक मामलें हैं, जिसके परिणामस्वरूप, चिकित्सा शिक्षा की गुणवत्ता जोखिमपूर्ण है। ऐसे अनेकों उदाहरण है कि होम्योपैथीक कॉलेज बिना समुचित भवनों, समुचित आधारभूत सुविधाओं, पर्याप्त शिक्षकों तथा छात्रावास सुविधाओं के अभाव में चल रहे हैं।

चिकित्सकों के साथ जो हो रहा है यह अन्याय नहीं है बल्कि यह उन लोगों के साथ भी अन्याय है जो बीमार है और जिनका भरोसा होम्योपैथी औषधियों पर है, क्योंकि वे चिकित्सकों, उन सब चिकित्सा कॉलेजों में पढ़ते हैं और ये भविष्य में उनका उपचार करेंगे, पर निर्भर है।

उद्देश्यों और कारणों के कथन में भी यह उल्लखित है कि इस परिषद के कई सदस्य काफी समय से परिषद में कार्य कर रहे हैं हालाकि उनका कार्यकाल भी पूरा हो चुका है; समय पर पर चुनाव नहीं होता है तथा उस पर भ्रष्टाचार के भी गंभीर आरोप है। सीसीएच के गत प्रेसीडेंट को रिश्वत के आरोप में सीबीआई द्वारा गिरफ्तार किया गया था। यह न तो स्वास्थ्य क्षेत्र के लिए ठीक है और न ही होम्योपैथी के लिए ठीक है। अतः मैं केन्द्रीय होम्योपैथी परिषद के अधिक्रमण हेतु विधेयक का स्वागत करता हूं। परंतु यह अस्थायी नहीं होना चाहिए। स्थायी और सुदृढ़ विनियामक ढांचों का कार्य आगे बढ़ रहा है।

सरकार आधुनिक चिकित्सा शिक्षा के संबंध में, सुधारवादी कदम उठा रही है। हिन्दी वहां पर कॉलेज को परमीशन देने वाली संस्था और रेटिंग करने वाली संस्था अलग होगी। अनुवाद दो बोर्ड नामतः पूर्व-स्नातक बोर्ड और स्नातकोत्तर बोर्ड होंगे इसके अलावा, एक रेटिंग बोर्ड तथा इसके अलावा, मेडिकल आचार बोर्ड भी होगा।

[हिन्दी]

जिसके चलते मेडिकल एजुकेशन से जुड़े हर अंग का परिचालन अलग-अलग संस्था के माध्यम से किया जाएगा और कन्फिल्क्ट ऑफ इंटरेस्ट की कोई गुंजाइश नहीं रहेगी। हमें पता नहीं है कि सीसीएच को किस तरह गठित किया जाएगा सीसीएच की संरचना किस तरह की होगी?

मुझे लगता है कि मिनिस्ट्री को इस पर प्रकाश डालने की बहुत जरूरत है। इसलिए मेरा यह मानना है कि मॉडर्न मेडिसिन एजुकेशन के लिए सरकार जो कदम उठा रही है, ठीक वैसे ही कदम होम्योपैथी और अन्य आयुष मेडिकल एजुकेशन के लिए भी उठाने चाहिए। सेंट्रलाइज्ड एडमिशन, सेपरेट बोर्ड्स फॉर एप्रुव्हल एंड एसेसमेंट ऑफ कालेजेस जैसी व्यवस्था होम्योपैथी और आयुष के संदर्भ में भी होनी चाहिए, तब जाकर के आयुष के शिक्षा का स्तर बढ़ेगा।

[अनुवाद]

महोदय, विधेयक में एक वर्ष की अवधि के भीतर नए मेडिकल कॉलेजों के अनुमोदन का प्रावधान है, यदि इस अधिनियम के आरंभ होने से पूर्व ऐसे मेडिकल कॉलेज आरंभ हो जाते है और यदि निर्धारित अवधि के भीतर अनुमति नहीं ली जाती है तो उस स्थिति में, मूल अधिनियम की धारा 12ख के अनुसार मान्यता वापस ले ली जाएगी। हालाकि, इसमें स्पष्टता होनी चाहिए ऐसे कॉलेजों में पढ़ रहे विद्यार्थियों का क्या होगा। हम इनको अधर में नहीं छोड़ सकते हैं। उनको अन्य कॉलेजों में समायोजित किया जाना चाहिए चाहे यह उसी शहर, उसी जिले अथवा उसी राज्य में हो।

केवल महाराष्ट्र में इन कॉलेजों से 5000 से 6000 होम्योपैथी के

चिकित्सक पास होते हैं देश में तीन लाख से अधिक होम्योपैथी चिकित्सक विद्यमान है और अकेले महाराष्ट्र में इनमें से 59,831 पंजीकृत है।

महोदय, जब हम होम्योपैथी की अंतर्राष्ट्रीय प्रैक्टिस की बात करते है, 95 प्रतिशत फ्रेंच बाल रोग विशेषज्ञ होम्योपैथी औषधियां लिखते हैं। फ्रेंच चिकित्सकों की इसकी औषधियां का फ्रेंच सरकार के रिकॉर्ड से किए गए सर्वेक्षण के अनुसार, फ्रेंच बाल रोग विशेषज्ञ, त्वचा रोग विशेषज्ञ और काय-चिकित्सक होम्योपैथिक औषधियों का उपयोग करते है इसके अलावा, फ्रांस में समस्त स्वास्थ्य और चिकित्सा व्यावसायिकों का 43% अपने रोगियों को होम्योपैथिक औषधियां लिखते हैं। विश्व स्वास्थ्य संगठन (डब्लूएचओ) ने विश्व में सर्वोत्तम चिकित्सा देखरेख सुविधा है और स्पष्ट रूप से, चिकित्सा प्रोफेशनलों द्वारा आम लोगों में होम्योपैथिक औषधियों का लगातार और अनवरत उपयोग फ्रांस के लोगों के स्वास्थ्य में सहयोग करता है। इसके अलावा, जर्मनी की 57% जनसंख्या होम्योपैथिक औषधियों को वरीयता देती है।

यह अन्य देशों में होम्योपैथीक औषधियों के उपयोग की स्थिति है।

इसके विपरीत, हमारे देश में केवल 7,439 होम्योपैथीक औषधालय हैं और पूरे देश में केवल 200 होम्योपैथीक कॉलेज हैं। इन कॉलेजों में न समुचित आधारभूत सुविधाएं है और नही समुचित फैकल्टी है। इन अवसरों के अभाव में, अधिकांश डॉक्टरों ने एलोपैथी प्रैक्टिस को बंद कर दिया है और यही कारण है कि, लोगों का उनमें विश्वास नहीं है और सरकार को भी होम्योपैथीक चिकित्सकों पर भरोसा नहीं है।

इसलिए, गुणवत्ता में सुधार के लिए हमारे पास एक निगरानी तंत्र होना चाहिए था। ये सभी मुद्दे केन्द्रीय होम्योपैथी परिषद के केन्द्र में हैं। किंतु इस विधेयक में उनको पर्याप्त रूप से समाधान नहीं किया गया है।

केन्द्रीय होम्योपैथी परिषद को बंद करना और इसके स्थान पर बोर्ड ऑफ गवर्नर्स की नियुक्ति करना एक अच्छा/स्वागत योग्य कदम है। लेकिन हमें नहीं भूलना चाहिए कि यह केवल शुरूआत है। जिस बोर्ड का हम गठन कर रहे हैं, वह एनएमसी में अन्य चार बोर्डों की तरह है, जिसे नामित सदस्यों द्वारा पूर्ण नियंत्रित किया जाता है। यह एनएमसी के साथ-साथ इस होम्योपैथी परिषद के साथ भी नहीं होना चाहिए। सरकार का बोर्ड पर पूर्ण नियंत्रण नहीं होना चाहिए। होम्योपैथी क्षेत्र से निर्वाचित प्रतिनिधि होने चाहिए जो इस बोर्ड को चलाएंगे और होम्योपैथी परिषद की अच्छी गुणवत्ता को बनाए रखेंगे।

इसलिए, मैं सरकार से होम्योपैथी केन्द्रीय परिषद के स्थान पर अनुमोदन और मूल्यांकन कार्य में पृथक्करण के साथ एनएमसी जैसे आयोग लाने का अनुरोध करना चाहूंगा, ताकि कई विकृतियों/कुरीतियों को दूर किया जा सके और बुनियादी ढांचे में सुधार किया जा सके।

इन्हीं शब्दों के साथ, मैं इस विधेयक का समर्थन करता हूं। धन्यवाद।

डॉ. रविन्द्र बाबू (अमलापुरम) **:** माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मैं इस महत्वपूर्ण विधेयक पर बोलने का अवसर दिए जाने पर आपका आभारी हूं।

महोदय, यह होम्योपैथी एक बहुत पुरानी वैकल्पिक दवा/चिकित्सा पद्धति है और यह लगभग 1779 में शुरू हुई। इसे सैमुअल हीनेमन ने शुरू किया था। हीनेमन गलती से दालचीनी की छाल अर्थात् कुबैन (सिंकोना), जिसे हम 'एंटी माले रियल' दवा कहते हैं, ले रहे थे। वे लगातार उसका सेवन कर रहे थे। लेकिन वे परिणामों को देखकर चौंक गए थे जो बीमारी की तरह थे। छाल का सेवन करते समय जो लक्षण उन्हें दिखे वे बीमारी की तरह ही थे। फिर उन्होंने एक कहावत लाइक क्योर्स लाइक बनाई एक ही चीज जो ज्यादा मात्रा में ली जाए तो वह बीमारी का कारण बन जाती है, पर उसी चीज को कम मात्रा में ली जाए तो यह दवा बन जाती है। उदाहरण के लिए, यदि आप मिचली का इलाज कराना चाहते हैं, तो आपको ऐसी दवा लेनी पड़ेगी जो हलकी मिचली पैदा करे। उदाहरण के लिए, अमृतानंजन। हर कोई इसके बारे मैं जानता है। जब आपको सिरदर्द हो तो आप अमृतानंजन लगाएंगे या कोई दर्द निवारक लेंगे। इससे भी दर्द पैदा होगा। लेकिन जो वास्तविक सिरदर्द है वह उसके मुकाबले कम लगने लगेगा।

तो, इसी सिद्धांत पर होम्योपैथी विकसित हुई और फली-फूली। बेशक, सैमुएल को शुरूआत में 15 वर्ष के लिए अभ्यास की कमी खली। लेकिन वह 1843 में देहान्त के समय करोड़पति बन चुके थे। भारत में आने से पहले होम्योपैथी पूरे यूरोप में फैल गया था।

महोदय, मैं माननीय मंत्री जी से एक छोटा सा स्पष्टीकरण मांगना चाहता हूं। वैकल्पिक चिकित्सा के रूप में होम्योपैथी को जर्मनी में मुश्किलों से गुजरना पड़ा और अगर मुझे सही ढंग से याद है तो वहां रोगियों का इलाज करने के लिए होम्योपैथी के प्रयोग पर प्रतिबंध लगा दिया गया था। इसलिए मैं माननीय मंत्री जी से जानना चाहता हूं कि क्या यह बात सही है कि जर्मनी में रोगियों का इलाज करने के लिए होम्योपैथी के प्रैक्टिस पर प्रतिबंध लगा दिया गया था। यदि ऐसा है तो हमें उस पर प्रतिबंध लगाने के कारणों से अवगत कराया जाए। उस समय जो कारण बताया गया वह यह था कि 'होम्योपैथी अब, एलोपैथी, आयुर्वेद, सिद्धा और यूनानी चिकित्सा के वैकल्पिक प्रैक्टिस के रूप में आंतरित चिकित्सा के वैज्ञानिक सिद्धांत पर आधारित नहीं रही है।

इसलिए, मैं माननीय मंत्री जी से आग्रह करता हूं कि होम्योपैथी को प्रभावी रूप से लागू करने से पहले एक संस्था का गठन करें। क्यों इसे जर्मनी में कुछ समय के लिए प्रतिबंधित किया गया था? मुझे नहीं पता कि यह प्रतिबंध अभी भी जारी है या नहीं। इसलिए हम ऐसी वैकल्पिक दवा को बढ़ावा देने में जल्दबाजी न करें।

दूसरे, मेरे साथी श्री जेना ने अच्छा कहा है और खंड 4.2 को उद्धृत करते हुए उन्होंने बहुत अच्छी बात बताई है जिसमें यह बताया गया है कि केन्द्र सरकार के पास परिषद को निलंबित करने की शक्ति है। यहां तक कि यह पुराने अधिनियम में भी है। क्यों नहीं माननीय मंत्री जी इस परिषद को निलंबित करने के लिए उस खंड को लागू कर सकें? क्यों उन्हें संसद में पुन: आना पड़ता है? जैसाकि उन्होंने भी सही कहा कि उन्होंने डेढ़ वर्ष में चार सत्र देखे हैं। अब क्यों उन्हें यह लाना पड़ता है? इसे पारित कराने से पहले अध्यादेश क्यों लाना पड़ता है? इससे संसद के विधायी कार्यों का उपहास ही हो रहा है। भविष्य में इस तरह की परंपरा को प्रोत्साहन नहीं दिया जाना चाहिए।

महोदय, वे राष्ट्रीय आयुष परिषद् का गठन करने जा रहे हैं। भारतीय चिकित्सा परिषद् का भी नाम बदलकर राष्ट्रीय आयोग रखा जा रहा है। यदि वे केन्द्रीय होम्योपैथी परिषद् का गठन करने जा रहे हैं तो इस बात की क्या गारंटी है कि यह भारतीय चिकित्सा परिषद् से इतर काम करेगी। अब वे परिषद् के स्थान पर 'बोर्ड ऑफ गवर्नर्स का प्रस्ताव दे रहे हैं। पर इसकी क्या गारंटी है कि यह बोर्ड ऑफ गवर्नर्स होम्योपैथी के हित के लिए निष्पक्ष रूप से काम करेगा? उन्होंने यह स्पष्ट नहीं किया है कि क्या इन गवर्नर्स की कोई होम्योपैथी संबंधी पृष्ठभूमि होगी या इन गवर्नस की होम्योपैथी के क्षेत्र में कोई विशेषज्ञता होगी। इसलिए, इस निकाय की संरचना व स्वरूप किस तरह का है? इसके भी स्पष्ट किए जाने की जरूरत है। साथ ही होम्योपैथी कॉलेजों, विशेषकर अंतर-स्नातक और परा स्नातक कॉलेजों, के लिए स्वीकृति प्रदान करना भी हमेशा भ्रष्टाचार से ही शुरू होता है। जहां कहीं भी नया होम्योपैथी कॉलेज खोलना होता है, वहां भ्रष्टाचार की संभावना रहती है। उन्होंने स्वयं ही इस बात को स्वीकार किया है कि इस परिषद् के अध्यक्ष के यहां केन्द्रीय अन्वेषण ब्यूरो का छापा पड़ा है। इसलिए, भविष्य में पुनरावृत्ति रोकने के लिए क्या कदम उठाए जा रहे हैं ताकि भ्रष्टाचार को हमेशा के लिए जड़ से मिटा दिया जाए?

आयुष वैकल्पिक चिकित्सा पद्धति है ओर पूरे भारत में इसे काफी बढ़ावा दिया जा रहा है तो हम स्वास्थ्य और परिवार कल्याण को आयुष से क्यों न जोड़ दें ताकि बाएं हाथ को भी पता रहे कि दायां हाथ क्या कर रहा है अर्थात् सारे कार्यकलापों की सरकार को जानकारी रहे। यह गरीब लोगों के लिए उपलब्ध सबसे सस्ती चिकित्सा है। इसलिए, मैं इस विधेयक का प्रस्तावित संशोधनों के साथ समर्थन करता हूं।

डॉ. बूरा नरसैय्या गौड (भोंगीर) : महोदय, यह बहुत ही महत्वपूर्ण विधेयक हे जो होम्योपैथी चिकित्सा प्रणाली के प्रबंधन को बदल सकता है फिर चाहे वो देशभर में शिक्षा प्रदान करना हो या उपचार।

जैसाकि आप जानते हैं, होम्योपैथी का मूल सिद्धांत है 'लाइक क्योर्स लाइक'। *[हिन्दी]* जैसे अपने देश में कहा जाता है कि कांटे को निकालना है तो कांटा इस्तेमाल करना पड़ता है। *[अनुवाद]* यह होम्योपैथी का मूल सिद्धांत है। मैं आपको बताना चाहता हूं कि क्यों यह विधेयक मंत्री जी द्वारा लाया गया है। सर्वप्रथम मैं मानवीय आयुष के मंत्री जी द्वारा योगा के संबंध में जागरूकता फैलनो के प्रयासों की सराहना करता हूं। अभी हमने अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस मनाया है। साथ ही, इस वैकल्पिक चिकित्सा आयुष, को न केवल देश में, बल्कि विश्वभर में सम्मान मिला है। मुझे लगता है विधेयक पर आगे और कुछ कहने से पहले मुझे उनकी सराहना करनी चाहिए। क्यों यह विधेयक लाया गया है? इस विधेयक को पुर:स्थापित करते हुए माननीय मंत्रीजी ने विशेषरूप से व्यापक भ्रष्टाचार, पारदर्शिता की कमी और पर्याप्त शैक्षिक कौशल के अभाव के बारे में बात की थी। ये तीन सवाल हैं। इस विधेयक को 1973 के पुराने अधिनियम में संशोधन के लिए लाया गया है। यह काफी उचित है। हमें कोई आपत्ति नहीं है। सदन इससे सहमत होगा। लेकिन यह समस्या न केवल इस विधेयक में, बल्कि पूरे देशभर में देखने को मिलती है। अब हम मानते हैं कि भ्रष्टाचार हर भारतीय की रग-रग में फैल गया है और इसके परिणामस्वरूप हर संस्था भ्रष्ट हो गयी है।

इस विधेयक को पेश करने से एक नया संस्थान गठित किया जाएगा जहां आयुष मंत्रालय का जाने-माने शिक्षाविदों वाले बोर्ड ऑफ गवर्नर्स, के माध्यम से ऐसे संस्थानों पर प्रत्यक्ष पर्यवेक्षण रहेगा। मैं यहां 'आप' को जोड़ना चाहूंगा।

यह होम्योपैथी चिकित्सा क्षेत्र में सत्यनिष्ठा है। यह वही शब्द है जिसका प्रयोग इस विधेयक में किया गया है। मुझे लगता है कि 'होम्योपैथी क्षेत्र में सत्यनिष्ठता' नहीं, बल्कि 'व्यक्ति की सत्यनिष्ठता' की जरूरत है। इसकी वजह यह है कि पूरा 'बोर्ड' भ्रष्टाचार का आरोपी रहा है। यह होम्योपैथी दवाओं में प्रमाणिकता का नहीं, बल्कि उन लोगों की सत्यनिष्ठा का प्रश्न है जो कल को बोर्ड ऑफ गवर्नर्स में जा रहे हैं। अन्यथा हमें फिर इस समस्या का सामना करना पड़ेगा क्योंकि समस्या व्यक्ति है, न कि अधिनियम जैसाकि होम्योपैथी में कहा गया है, लाइक क्योर्स लाइक। मैं इस बात से सहमत हूं कि हमारे देश में सत्ता भ्रष्टाचार का द्योतक है और निरंकुश शासन पूरी तरह भ्रष्ट बना देता है।

संसद में मेरे चार वर्षों के अनुभव के पश्चात् भ्रष्टाचार सूचकांक के मामले में मैं यह यकीन से कह सकता हूं कि राजनेताओं को हर पांच वर्ष में एक इम्तहान से गुजरना पड़ता है। उनसे मीडिया और संसद द्वारा सवाल पूछे जा रहे हैं। उनका हर एक कृत्य संसद के प्रति जवाबदेह होना चाहिए। पहले, ये संस्थान स्वयं में एक कानून थे। वे किसी की नहीं सुनते थे। लेकिन अब ऐसा नहीं है और मैं इसका स्वागत करता हूं।

मूल अधिनियम में धारा 12बी के बाद एक नई धारा 12सी जोड़ दी गई हैं धारा 12सी में कहा गया है कि सभी होम्योपैथी मेडिकल कॉलेजों को जिन्हें पहले ही अनुमति दी जा चुकी है, फिर से एक वर्ष के भीतर अनुमति लेनी होगी। मुझसे पहले मेरे मित्र ने जो कहा था, उन्होंने भी यही मुद्दा उठाया था। यदि आप उस धारा को शामिल कर देते हैं, तो इसकी दो संभावनाएं हैं। यदि नए गवर्नर को चुनने वाले लोग पूर्णरूप से ईमानदार नहीं हैं तो इससे बड़े स्तर पर भ्रष्टाचार होने की संभावना है। दूसरा, उन छात्रों का क्या होगा जिन्होंने दो साल तक अध्ययन किया है? यदि आप अचानक उनकी मान्यता रद्द कर देते हैं तो वे छात्र कहां जाएंगे? हमने इसके लिए कोई प्रावधान नहीं किया है। ऐसा इसलिए है क्योंकि जब हम कोई कानून बना रहे हैं तो हम कई छात्रों के जीवन के साथ खिलवाड़ कर रहें हैं। कम-से-कम नियम बनाते समय में माननीय मंत्रीजी से अनुरोध करना चाहूंगा कि यदि ऐसी स्थिति आती भी है तो उसके लिए भी उपाय होना चाहिए।

होम्योपैथी के संबंध में यह कहा जा सकता है कि यह सभी बिमारियों के लिए प्रभावी न हो लेकिन चिरकालिक बिमारियों में यह काफी हद तक प्रभावी है। आज आप किसी भी टीवी चैनल, किसी भी समाचार पत्र को खोलेंगे तो आपको होम्योपैथी जैसे संवैधानिक होम्योपैथी, संसद होम्योपैथी, राज्य सभा होम्योपैथी जैसी होम्योपैथी से संबंधित सैकड़ों विज्ञापन देखने को मिल जाएंगे। इसी तरह, हर पृष्ठ होम्योपैथी विज्ञापनों से भरा पड़ा होता है। फिर इसकी निगरानी की कोई व्यवस्था नहीं है जिसके जरिए यह देखा जा सकें वे क्या दे रहे हैं। चिकित्सा नीति के अनुसार आप एक सीमा से परे कोई विज्ञापन नहीं दे सकते हैं। आप हिंदी, तेलुगु, तमिल, अंग्रेजी कोई भी टीवी चैनल खोल लें आपको ऐसे विज्ञापन देखने को मिल जाएंगे। मैं जानना चाहता हूं कि क्या आप इस अनैतिक प्रथा पर अंकुश लगाने के लिए कोई कदम उठाने के इच्छुक हैं जिससे होम्योपैथी प्रणाली पर बड़ा असर पड़ेगा।

अपनी बात समाप्त करने से पहले, जैसाकि मैंने कहा, राष्ट्रीय होम्योपैथी संस्थान एक उत्कृष्ट व प्रतिष्ठित संस्थान है। मेरे विचार से हमारे कई माननीय सदस्यों समेत कई लोग कतिपय बीमारियों, दीर्घकालिक बीमारियों के लिए होम्योपैथी की दवाएं लेते हैं। लेकिन, हमारे देश में केवल कोलकाता में एक राष्ट्रीय होम्योपैथी संस्थान है। मैं इस अवसर पर माननीय मंत्री जी से मेरे नए राज्य तेलंगाना में एक और राष्ट्रीय होम्योपैथी संस्थान खोलने का आग्रह करता हूं।

श्रीमती पी.के. श्रीमथि टीचर (कन्नूर) : धन्यवाद, श्रीमान, मैं भी अन्य माननीय सदस्यों की तरह सोचती हूं। सरकार ने इस विधेयक के लिए एक अधिदेश जारी किया। वास्तव में, यदि कोई तात्कालिकता है, तो सरकार के पास पर्याप्त समय था; सरकार के चार वर्ष पूरे हो चुके हैं। उद्देश्यों और कारणां का कथन में, यह कहा गया है कि परिषद् के कई सदस्य अपना कार्यकाल समाप्त हो जाने के लंबे समय बाद में परिषद में बने हुए हैं। यह अत्यंत दुर्भाग्यपूर्ण और अलोकतांत्रिक है। इसके लिए कौन जिम्मेदार है? इसके अतिरिक्त, परिषद के अध्यक्ष के विरुद्ध गंभीर कदाचार के कई आरोप हैं। पिछले कई वर्षो से, लोग यह चर्चा कर रहे हैं और मेडीकल समाज में यह चर्चा हो रही है कि परिषद के सदस्य और अध्यक्ष के ऊपर कई बहुत गंभीर आरोप हैं। वे अपना कार्यकाल समाप्त होने के बाद भी परिषद के सदस्य बने रहे क्योंकि नए सदस्यों के चयन के लिए चुनाव समय पर पूर्ण नहीं हो सका। मैं यह पूछना चाहती हूं कि आपने उन्हें पद पर बने रहने की अनुमति क्यों दी? वास्तव में, हम इस संबंध में एक अधिदेश लाने की बजाय एक विधेयक लाना चाहिए था। अधिदेश लाने का अर्थ हमेशा यह होता है कि यह अलोकतांत्रिक है। यह कोई तात्कालिक कदम नहीं है। इस संबंध में जल्दी क्या है? हम अच्छी तरह जानते हैं कि उनके ऊपर आरोप है और परिषद के अध्यक्ष बहुत भ्रष्ट हैं। हम सब कुछ जानते हैं। हम तब भी प्रतीक्षा कर रहे हैं। अतः, मैं माननीय मंत्री जी से पूछना चाहती हूं कि हमने इस विधेयक के स्थान पर अधिदेश जारी क्यों किया।

केन्द्रीय होम्योपैथी परिषद शीर्ष निकाय है, जो भारत में होम्योपैथीक शिक्षा और प्रैक्टिस को नियंत्रित करती है। परिषद का मुख्य कार्य स्नातक और स्नातकोत्तर शिक्षा के लिए पाठ्यक्रम बनाना तथा महाविद्यालयों में निरीक्षणों का आयोजन करना है कि क्या परिषद के विनियमों को कार्यान्वित किया जा रहा है अथवा नहीं। परिषद के बारे में अधिकांश आरोप निरीक्षणों और कुछ सब-स्टैण्डर्ड कॉलेजों को मान्यता के बारे में हैं।

होम्योपैथी विश्व में उपलब्ध सर्वाधिक सुरक्षित और सस्ता उपचार पद्धति है, हालांकि उसकी कुछ सीमाएं हैं। भारत में ढाई लाख रजिस्टर्ड प्रैक्टीशनर हैं। उन्हें ग्रामीण क्षेत्रों में भेजा जा सकता है और वे भारत के ग्रामीण क्षेत्रों में रहने वाले गरीबों को प्रथम स्तर का बेहतरीन उपचार दे सकते हैं और सभी गांवों के लोगों के लिए स्वास्थ्य देखभाल सुनिश्चित कर सकते हैं। जिन मामलों में अस्पताल में भर्ती करना और अधिक उपचार की आवश्यकता हो, उन्हें मुख्य केन्द्रों में भेजा जा सकता है। होम्योपैथी इसे सर्वाधिक सस्ती कीमत में मुहैया करा सकती है क्योंकि होम्योपैथिक दवाएं अन्य उपचारों की लागत की तुलना में सबसे सस्ती हैं।

केरल होम्योपैथिक डॉक्टरों के उपयोग के लिए एक उदाहरण है। हमारी लगभग सभी पंचायतों में होम्योपैथिक डिस्पेंसरी या अस्पताल है और जमीनी स्तर पर लगभग एक लाख लोग प्रतिदिन होम्योपैथिक डॉक्टरों की सेवाओं का उपयोग करते हैं। केरल ने जन स्वास्थ्य के बहुत से प्रतिमानों पर प्रशंसनीय उपलब्धियां हासिल की हैं।

पिछली परिषद में लगभग 60 सदस्य थे, जिसमें केन्द्र सरकार द्वारा नामनिर्दिष्ट 14 सदस्य, विभिन्न विश्वविद्यालयों में होम्योपैथिक संकायों से एक सदस्य और विभिन्न राज्यों से चयनित सदस्य थे। लेकिन विभिन्न राज्यों और संकायों से चुनाव समुचित समय पर नहीं हो सके थे, इसलिए कई सदस्यों ने अपना कार्यकाल समाप्त हो जाने के बाद भी परिषद में कार्य जारी रखा, क्योंकि अधिनियम में एक खंड है कि सदस्य तब तक कार्य करना जारी रख सकते हैं, जब तक अगले व्यक्ति का चुनाव न हो जाए।

मेरा एक सुझाव है कि पिछले सदस्यों के कार्यकाल की समाप्ति में छह महीने पहले चुनाव कराने के कार्यकाल के इस विस्तार को घटाया जा सकता है।

कुछ सदस्य परिषद में 25 साल से अधिक समय से हैं और वे निजी प्रबंधन लॉबियों से है।

मेरा सुझाव यह है कि किसी सदस्य के कार्यकाल की अधिकतम दो कार्यकालों तक सीमित करके इसे रोका जा सकता है।

होम्योपैथी केन्द्रीय परिषद अधिनियम को अनेक राज्यों ने समान रूप से लागू नहीं किया है। इससे विभिन्न राज्यों की अर्हताओं को मान्यता देने में कठिनाई होती है।

इस संदर्भ में मेरा सुझाव यह है कि नए प्रस्तावित विधेयक को सभी राज्यों के लिए अनिवार्य बनाने का प्रावधान किया जाना चाहिए और यदि कोई विश्वविद्यालय ऐसा नहीं कर रहा है, तो उन्हें पाठ्यक्रम संचालित करने की अनुमति नहीं दी जानी चाहिए।

वर्तमान में, सभी विषय स्नातकोत्तर पाठ्यक्रम नहीं है। माननीय मंत्री जी को मेरा सुझाव है कि सभी विषयों में स्नातकोत्तर पाठ्यक्रम शुरू किए जाएं।

अब, कुछ राज्यों में अन्य राज्यों की तुलना में तीन या चार अधिक सदस्य हैं क्योंकि उनके पास प्रत्येक दस हजार पंजीकृत चिकित्सकों के लिए एक सदस्य है। ये राज्य परिषद को नियंत्रित कर रहे हैं।

माननीय मंत्री जी को मेरा सुझाव है कि प्रत्येक राज्य में पंजीकृत चिकित्सकों की संख्या के बावजूद केवल एक निर्वाचित प्रतिनिधि होना चाहिए।

निरीक्षणों के बारे में, परिषद के खिलाफ अधिकांश शिकायतें निरीक्षणों में एकरूपता की कमी के कारण आती हैं जो भ्रष्टाचार को बढ़ावा देती हैं।

महोदय, विभिन्न कॉलेजों के शिक्षकों से निरीक्षकों की एक टीम का चयन किया जा सकता है और उन्हें निरीक्षण करने के लिए प्रशिक्षित किया जाना चाहिए तथा परिषद से किसी भी सदस्य को निरीक्षक नहीं बनाया जाना चाहिए। केवल शिक्षकों को निरीक्षक के रूप में नियुक्त किया जा सकता है। यदि किसी कॉलेज को लगता है कि उनके साथ भेदभाव किया जाता है, तो एक निश्चित शुल्क लेकर पुन: निरीक्षण करने का प्रावधान किया जा सकता है।

शिक्षण संकाय के मानक में सुधार के लिए, स्नातकोत्तर डिग्री धारकों के लिए एक अखिल भारतीय परीक्षा (जैसे यूजीसी नेट) आयोजित की जानी चाहिए जो शिक्षक बनना चाहते हैं। एक बाहरी निकाय को इसे सौंपा जा सकता है।

विश्वविद्यालय परीक्षाओं, कॉलेजों में सुविधाओं और कॉलेजिएट अस्पतालों के संचालन के आधार पर कॉलेजों की ग्रेडिंग की व्यवस्था होनी चाहिए।

महोदय, हम होम्योपैथी को बढ़ावा देते हैं। लेकिन ग्रामीण क्षेत्रों को प्राथमिकता देते हुए सरकार पहल करनी चाहिए तथा ग्रामीण क्षेत्रों में औषधालय खोले जाने चाहिए। हम मेडिकल कॉलेज और बड़े अस्पतालों की आशा कर रहे हैं। हमें औषधालयों को भी प्राथमिकता देनी होगी।

[हिन्दी]

श्री निहाल चन्द (गंगानगर) : उपाध्यक्ष महोदय, आपने मुझे होम्योपैथी केन्द्रीय परिषद अधिनियम 1973 में संशोधन हेतु होम्योपैथी केन्द्रीय विधेयक, 2018 पर बोलने के लिए टाइम दिया, इसलिए मैं अपनी तरफ से आपको धन्यवाद देना चाहूंगा।

महोदय देश में शिक्षा, अनुसंधान और औषधि विकास को उन्नत करने और प्रत्येक नागरिक के स्वास्थ्य सुरक्षा योजनाओं में तीव्रता लाने के लिए माननीय प्रधानमंत्री जी और मंत्री जी द्वारा यह बिल लाया गया है। इसकी गुणवत्ता में वृद्धि करने पर निरंतर ध्यान केन्द्रित किया गया है, इसके लिए मैं सरकार को धन्यवाद देना चाहूंगा। मैं इस बिल का समर्थन करने के लिए खड़ा हुआं हूं। इस कड़ी में भारतीय चिकित्सा पद्धतियों और होम्योपैथी के फार्मासिस्टों के केन्द्रीय पंजीका के संरक्षण हेतु, उनके मामलों से जुड़ी हुई भारतीय चिकित्सा पद्धति, होम्योपैथी की शिक्षा तथा अभ्यास में एकरूपता लाने के लिए केन्द्र सरकार ने काफी काम किया है।

महोदय, केन्द्र सरकार ने इस अधिसूचना में एक शासी बोर्ड बनाने का फैसला किया है। इसमें सात सदस्य नामित होंगे। केन्द्र सरकार द्वारा जो सात सदस्य नामित होंगे, उनमें से एक सभापति होगा। इस प्रकार से

केन्द्र सरकार ने एक बोर्ड बनाने का फैसला किया है। इस बिल द्वारा संबंधित विभाग में सुधार लाने का काम किया जा रहा है। वर्ष 2012 से पहले होम्योपैथीक कॉलेज की मान्यता लेने के लिए विभाग की जरूरत नहीं पड़ती थी। पहली बार ऐसा बिल लाया गया है, क्योंकि आज तक जो इसके प्रोफेसर्स या स्टाफ थे, उनकी जवाबदेही नहीं हुआ करती थी। वहां बॉयोमीट्रिक मशीन का उपयोग नहीं किया जाता था। यह बिल पास होने के बाद मंत्रालय पर इसका दबाव रहेगा और काउंसिल पर भी दबाव रहेगा।

महोदय, अगर कॉलेज के मामले में देखा जाए तो हिन्दुस्तान के अंदर सरकार ने 223 कॉलेज खोलने का काम किया है। सरकार ने राजस्थान प्रदेश में 8 कॉलेज खोलने का काम किया है। केन्द्रीय होम्योपैथीक अनुसंधान परिषद पिछले चालीस वर्षों से जो काम कर रही है, मैं उसके बेहतर भविष्य के लिए शुभकामना दूंगा। हमारे वैज्ञानिकों ने इसके बेहतर भविष्य के लिए जो रोडमेप तैयार किया है, वह काफी सराहनीय है। परिषद ने पिछले चालीस वर्षों के दौरान 168 नैदानिक अनुसंधान केन्द्र, 40 मूल अनुसंधान केन्द्र खोले हैं और 348 दवाओं के मानकीकरण के लिए अध्ययन किया है। इसके अलावा, 55 अनुसंधान प्रस्तावों की जांच भी की गई है। डेंगू, मलेरिया, चिकनगुनिया तथा इंसेफ्लाइटिस सिंड्रोम जैसी बीमारियों के लिए भी व्यापक अध्ययन शुरू किए गए हैं।

महोदय, परिषद ने होम्योपैथी के क्षेत्र में अल्प अवधि के पाठ्यक्रम भी शुरू किये हैं। छात्रों को और आगे अनुसंधान के लिए प्रेरित किया जा सके, इसके लिए छात्रों को छात्रवृत्तियां भी दी जा रही हैं। होम्योपैथी की खोज अठारहवीं सदी के अंत में हुई थी। इसमें एकरूपता लाने के लिए यह विधेयक लाया गया है। मैं समझता हूं कि यह चिकित्सा प्रणाली इस देश के खुशहाल भविष्य के लिए काफी अच्छी होगी। भारत में इस चिकित्सा प्रणाली को लगभग दो सौ साल पहले प्रारंभ की गई थी। आज यह देश के खुशहाल भविष्य के लिए एक महत्वपूर्ण हिस्सा बन गई है। *...(व्यवधान)*

[अनुवाद]

माननीय अध्यक्ष : कृपया सभापीठ को संबोधित कीजिए।

...(व्यवधान)

[हिन्दी]

श्री निहाल चन्द : महोदय, केन्द्र सरकार ने होम्योपैथी, आयुर्वेद, योग, प्राकृतिक चिकित्सा, यूनानी जैसे अन्य पारंपरिक प्रणालियों के विकास एवं प्रगति के लिए निरंतर प्रयास किया है। केन्द्र सरकार के इस विभाग ने एलोपैथी, होम्योपैथिक तथा आयुर्वेदिक के क्षेत्र में रिसर्च का जो कार्य किया है, वह काफी सराहनीय है। फिजियोथेरेपी भारत की मूल चिकित्सा पद्धति थी, लेकिन आज चीन ने उसे अपनाया है। मैं समझता हूं कि चीन जैसा बड़ा देश आज उस पर अमल कर रहा है।

महोदय, मैं इस मौके पर राजस्थान के मुख्य मंत्री आदरणीय वसुंधरा जी को भी धन्यवाद देना चाहूंगा। मेरे बोलने से पहले जिस माननीय सदस्य ने जिस तरीके से जिक्र किया, राजस्थान में एक 'भामाशाह योजना' की शुरूआत की गई है। इसमें तीन लाख रुपए तक का खर्च सरकार अपने खजाने से दे रही है। प्रत्येक व्यक्ति स्वस्थ रहे, इसके लिए सारी जिम्मेदारी राजस्थान सरकार ने ली है। केन्द्र की सरकार ने 'प्रधानमंत्री स्वास्थ्य बीमा योजना' की शुरूआत की है। देश का प्रत्येक परिवार, जो गरीब तबके का है, उनको पांच लाख रुपए तक का खर्च सरकार अपने खजारे से दें, ऐसी व्यवस्था केन्द्र सरकार ने की है। मैं अपनी तरफ से माननीय प्रधानमंत्री जी को धन्यवाद देना चाहूंगा कि उन्होंने इसकी शुरूआत की है।

महोदय, होम्योपैथी के क्षेत्र में भी अनिवार्य रूप से अनुसंधान होना चाहिए। मैं यह बात जरूर कहना चाहूंगा कि वर्तमान में ऐसे कई बीमारियों से यह देश जूझ रहा है। इन बीमारियों का उचित इलाज होम्योपैथी में भी तलाशा जा सकता है।

महोदय, मैं पांच मिनट में अपनी बात समाप्त करना चाहूंगा। मैं राजस्थान प्रदेश से आता हूं। श्रीगंगानगर मेरा लोक सभा क्षेत्र में श्रीगंगानगर व हनुमानगढ़ सहित राजस्थान के जो आठ जिले हैं, वे कैंसर की चपेट में आ गए हैं। भटिंडा से बीकानेर तक चलने वाली ट्रेन का नाम भी 'कैंसर ट्रेन' हो गया है। दो-तीन साल के बच्चे जिनको कैंसर हो गया है, उनका बीकानेर में कीमोथेरेपी किया जा रहा है। हमारे क्षेत्र में कैंसर जैसी भयानक बीमारी फैली है।

एक महीने पहले पंजाब से जो पानी राजस्थान आता था, चड्ढा शुगर मिल्स का बॉयलर फटने से सारा रसायन, सारा कैमिकल हरीके बैराज में जा गिरा। इसका गंदा पानी राजस्थान को पीने को मिला। इसमें हजारों मछलियां मर गईं। इसमें लाखों पशु-पक्षी भी मर गए थे।

मेरा केन्द्र सरकार से अनुरोध है कि श्रीगंगानगर में एक मेडिकल कॉलेज बनाया जाए। मैं सरकार से श्रीगंगानगर से होम्योपैथिक रिसर्च सेंटर खोलने के लिए अनुरोध करूंगा। जितने भी सरकार ने काम किए हैं, उसमें राजस्थान सरकार से केन्द्र सरकार बातचीत करके इस विशेष मंत्रालय की एक विशेष टीम श्रीगंगानगर जाए। कैंसर जैसी भयानक बीमारी पश्चिमी राजस्थान के 8 जिलों में हो रही है, उनको रोकने के लिए केन्द्र सरकार काम करे। मैं अपनी ओर से केन्द्र सरकार के इस विधेयक का समर्थन करता हूं। धन्यवाद।

डॉ. करण सिंह यादव (अलवर) : सर, मैं इस होम्योपैथिक अमेंडमेंट बिल पर अपनी बात सूक्ष्म में कहना चाहूंगा। यह बात सही है कि इस आर्डिनेंस को लाने का मतलब कुछ और है। अगर होम्योपैथिक काउंसिल के कार्यकलापों से मंत्री महोदय और सरकार दु:खी होती, तो जिस दिन इनके चेयरमैन के खिलाफ कोई चार्जेज आए थे, उसी दिन उस आर्डिनेंस को लेकर आया जा सकता था। इस आर्डिनेंस को लाने के पीछे मूल कारण यह है कि गवर्नमेंट हर कोर्ट केस के अंदर लगातार हार रही है। यह जो भी कार्रवाई करती है, उसके खिलाफ में कोर्ट अपने फैसले देती रहती है। इसका मूल कारण यह है कि ये इस तरह के तुगलकी फरमान यहां से फरमां देते हैं, जिसको सेंटर काउंसिल एक्ट नहीं कर सकती है। जिस बॉडी का दायित्व इस देश में संस्था को रेग्युलेट करने का है, उनको ये रबर स्टैम्प बनाना चाहते हैं। जो आदेश वहां से आ जाए, उस आदेश का क्रियान्वयन हो जाए। यह सिर्फ यहां के लिए नहीं है, जितनी संस्थाएं हैं, जिस दिन से यह सरकार आई है, नाम बदलने और काम बदलने पर लगी हुई है। प्लानिंग कमीशन को नीति आयोग, मेडिकल काउंसिल ऑफ इंडिया को तोड़-मरोड़कर, सारे देश के अंदर हड़ताल हो रही है, लेकिन नेशनल मेडिकल काउंसिल बिल लेकर आएंगे और इन्हीं होम्योपैथी वैद्य को वहां पर डॉक्टर बनाकर भेज देंगे। यूजीसी कमीशन को तोड़ा-मोड़ा जा रहा है और बहाना लिया जा रहा है, मेडिकल काउंसिल और होम्योपैथिक काउंसिल में होने वाले भ्रष्टाचार का। मैं आपको ऐसे दर्जनों एग्जांपल्स बता दूंगा, जहां पर सेंटर काउंसिल ऑफ होम्योपैथी ने मना किया है कि इस कॉलेज का रिकमंड न किया जाए, लेकिन इन्होंने रिकमंड कर दिया और जहां उन्होंने रिकमेंडेशन दे दी, वहां इन्होंने कह दिया कि इसको नहीं दिया जाए। आपस में मालिक और नौकर के जैसे झगड़ा होता रहा, इसी वजह से आज यह स्थिति आई है। इनका सदा यह रहा है कि जितनी संस्थायें हैं, उन संस्थाओं पर अपना राज हो, भगवाकरण हो। इस आयुष विभाग के बारे में मैं आपको बताना चाहूंगा, सरकार बनने के बाद यह अच्छी बात है कि नया विभाग बनाया गया, लेकिन विभाग के अंदर स्पेशल सेक्रेटरी लाए गए, गुजरात से इंपोर्ट करके एक वैद्य जी, जो राजवैद्य रहे हैं, उन्होंने शायद यूनिवर्सिटी के अंदर पढ़ाया है। आज देश में बात हो रही है कि हम लेटरल एंट्री करेंगे। बहुत सारे कारपोरेट हाउसेज के लोगों को ज्वाइंट सेक्रेटरी बनाएंगे। पहले ही वित्त विभाग के अंदर लाकर उन्हें स्पेशल सेक्रेटरी बनाया गया, बाद में उन्हें सेक्रेटरी बनाया गया। इस वजह से वहां एक अनुराग नाम के आईएएस थे, वे इनके नीचे छुट्टी लेकर घर चले गए। जिस दिन से ये वैद्य जी आए हैं, उस दिन से इस विभाग के अंदर काउंसिल और उनके बीच में झगड़े ही चलते रहे।

महोदय, यह मेरी पहली मेडन स्पीच है। आप बहुत कृपा पात्र हैं। आप मुझे दो मिनट और बोलने के लिए दे दीजिए।

ये जहां चाहें, वहां कॉलेज खोल रहे हैं। भोपाल में एक आरबीएस यूनिवर्सिटी होती थी। उसकी जगह 5 यूनिवर्सिटीज कर दीं। उसी एक मालिक के साथ में...*(व्यवधान)* सतसाई कॉलेज, सब्बरवाल कॉलेज, आरकेबी कॉलेज, इंदौर में कर दिया। अपने लोगों को असम के अंदर बिना मांगे ही पोस्ट ग्रेजुएट कोर्सेज दे दिए, आंध्र प्रदेश के अंदर बहुत सारे मेडिकल कॉलेज दे दिए।

ये चाहते थे कि इसके नीचे जो काउन्सिल है, वह इनके आदेशों का पालन करती रहे और सारे सिस्टम पर इनके आदमी बैठाते रहे। इन्होंने काउन्सिल के ऊपर भ्रष्टाचार के आरोप लगाए हैं।

उपाध्यक्ष महोदय, आप मुझे दो मिनट का समय दें। मैं एक छोटा सा पत्र यहां पढ़ कर सुनाना चाहूंगा। यह पत्र किसी रुलिंग पार्टी के माननीय सांसद द्वारा माननीय प्रधान मंत्री जी को लिखा गया है, जिसे मुझे पढ़ने की अनुमति दें।

[अनुवाद]

माननीय उपाध्यक्ष : जी नहीं।

[हिन्दी]

डॉ. करण सिंह यादव : महोदय, मैं दो मिनट से ज्यादा नहीं लूंगा। उन्होंने एक मेडिकल कॉलेज के लिए किसी माननीय मंत्री महोदय को अनेकों बार रिक्वेस्ट की है।

[अनुवाद]

माननीय उपाध्यक्ष : जी नहीं। कार्यवाही-वृत्तांत में कुछ भी सम्मिलित नही किया जाएगा।

*(व्यवधान)...**

माननीय उपाध्यक्ष : जी नहीं। कार्यवाही-वृत्तांत में कुछ भी सम्मिलित नहीं किया जाएगा।

*(व्यवधान)...**

माननीय उपाध्यक्ष : जी नहीं। कार्यवाही-वृतांत में कुछ भी सम्मिलित नहीं किया जाएगा।

*(व्यवधान)...**

माननीय उपाध्यक्ष : यदि आप चाहते हैं तो इसे मंत्री जी को दे सकते हैं।

अब, कार्यवाही-वृत्तान्त में कुछ भी सम्मिलित नहीं किया जाएगा।

...*(व्यवधान)**

---

*कार्यवाही-वृत्तांत में सम्मिलित नहीं किया गया।

श्री धनंजय महांडीक (कोल्हापुर) : माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मेरी पार्टी, राकांपा की ओर से, मैं होम्योपैथी केंद्रीय परिषद (संशोधन) विधेयक, 2018 का विरोध करने के लिए खड़ा हुआ हूं। यह विधेयक अध्यादेश को मंजूरी देने की मांग करता है जो 18.05.2018 को जल्दबाजी में लाया गया और अधिसूचित किया गया। जब संसद ठीक से नहीं चल रहा थी, तो मंत्री जी को इस विधेयक पर विचार किए जाने की क्या जल्दी थी?

वर्ष 2002 में, होम्योपैथी केंद्रीय परिषद अधिनियम में संशोधन किया गया और केंद्र सरकार द्वारा नए कॉलेजों, नए पाठ्यक्रमों और अधिभोग क्षमता में वृद्धि की अनुमति देने का अधिकार ले लिया गया था। जिसमें कहा गया कि सीसीएच शिक्षा के स्तर में सुधार करने में विफल रहा है। इस प्रकार, 2002 के बाद, यह केंद्र सरकार की जिम्मेदारी थी कि वह शैक्षिक मानकों में सुधार करे।

इस प्रकार, मंत्री जी से यह सूचित करने का अनुरोध है कि जब 2016-17 के लिए, केंद्रीय होम्योपैथी परिषद ने छात्रों के प्रवेश के लिए 71 कॉलेजों को अनुसंशा नहीं की थी या अनुमति नहीं दी थी, तो आयुष मंत्रालय ने किस आधार पर 36 ऐसे कॉलेजों की अनुमति दी और वे कौन से कॉलेज थे। उक्त 36 कॉलेजों की 2017-18 में क्या स्थिति थी?

माननीय उपाध्यक्ष महोदय, एचसीसी विनियमावली, 2013 को अधिसूचित किया गया था, लेकिन मंत्रालय ने इस विनियमों के गैर-प्रवर्तन द्वारा माफी देने के बारे में बाद में निर्देश जारी किए, जिसके लिए मंत्रालय के पास एचसीसी अधिनियम के अनुसार कोई अधिकार नहीं था। यह माफी पांच साल तक जारी रही जिसने होम्योपैथिक कॉलेजों में शिक्षा के मानकों को खराब और निम्नीकृत कर दिया।

महोदय, सीसीएच में सदस्यों का चुनाव करना इस मंत्रालय की जिम्मेदारी है, जिसे उसने समय पर नहीं किया, और अब यह सीसीएच के अध्यक्ष, उपाध्यक्ष और सदस्यों को दोषी ठहराता है, जिन्हें अलोकतांत्रिक तरीके से बाहर निकाल दिया गया है। उनमें से कुछ ने इस अध्यादेश को उच्च न्यायालय में चुनौती दी है। यहां तक कि चुनाव जीतने वाले उम्मीदवारों को भी काफी देर से अधिसूचित किया गया या अधिसूचित ही नहीं किया गया।

वास्तव में, मेरी जानकारी के अनुसार, सीबीआई कोर्ट ने अभी तक आरोपी डॉक्टर रामजी सिंह को दोषी नहीं ठहराया है। इसके अलावा, डॉ रामजी सिंह द्वारा दायर एक और मामला दिल्ली उच्च न्यायालय के समक्ष लंबित है।

तत्कालीन अध्यक्ष, उपाध्यक्ष के खिलाफ कई साल पहले 51 सांसदों द्वारा हस्ताक्षरित एक शिकायत के संदर्भ में, माननीय मंत्री जी द्वारा, सीबीआई कोर्ट ने 2005 में एक केस दर्ज किया जिसके बाद, मैं कहना चाहता हूं कि जिन लोगों खिलाफ आरोप पत्र दाखिल किया गया था उन्हें दोषमुक्त कर दिया गया। इसकी सूचना सदन को नहीं दी गई।

अध्यादेश में कहा गया है कि शाषी निकाय में प्रतिष्ठित व्यक्ति होंगे, लेकिन मुझे वर्तमान शाषी निकाय के व्यक्तियों के चयन के मापदंड के बारे में नहीं पता जिसमें आयुष मंत्रालय के सेवानिवृत्त सचिव हैं, जिनके कार्यकाल में सीसीएच के मामलों में देरी हुई और वे अनसुलझे बने रहे।

यहां तक कि उनमें से कुछ के अन्य संपर्क हो सकते हैं। महोदय, मैं उपरोक्त तथ्यों से निष्कर्ष निकालता हूं कि मंत्रालय मुद्दों को जटिल बना रहा है, जबकि इसे परिषद के साथ सक्रिय रूप से बातचीत करनी चाहिए और सीसीएच की स्वायत्तता को बहाल करना चाहिए। महोदय, मैं उन माननीय सदस्यों का उल्लेख करना चाहूंगा जिन्होंने पहले बात की थी। हजारों एमबीबीएस डॉक्टर हैं और वे ग्रामीण क्षेत्रों में काम करने के लिए तैयार नहीं हैं। होम्योपैथिक छात्र लाखों में हैं। वे बहुत कम भुगतान पर भी ग्रामीण क्षेत्रों में काम करने के लिए तैयार हैं। यदि 20,000 रुपए का भुगतान किया जाता है, तो भी वे ग्रामीण क्षेत्रों में काम करने के लिए तैयार हैं। हमारे पास कोई बुनियादी ढांचा नहीं है, हमारे पास ग्रामीण क्षेत्रों में कोई औषधालय नहीं है। मैं होम्योपैथिक औषधि लेता हूं। यह अच्छी है। इसका कोई दुष्प्रभाव नहीं है। यह बच्चों के लिए अच्छी है। मेरा आपसे अनुरोध है कि होम्योपैथिक छात्रों को ग्रामीण क्षेत्रों में कार्य करने की अनुमति दी जाए और वे काम करने के लिए तैयार हैं। मेरा सुझाव है कि यह मामला या तो यहां छोड़ दिया जाए या संयुक्त प्रवर समिति को भेज दिया जाए।

माननीय उपाध्यक्ष : अब, श्री कौशलेंद्र कुमार बोलेंगे। आपसे अनुरोध है कि दो मिनट के भीतर अपना भाषण समाप्त करें।

[हिन्दी]

श्री कौशलेन्द्र कुमार (नालंदा) : माननीय उपाध्यक्ष जी, अपने मुझे केन्द्रीय होम्योपैथी परिषद संशोधन विधेयक 2018 की चर्चा में भाग लेने की अनुमति दी, इसके लिए मैं आपका धन्यवाद करता हूं।

सरकार द्वारा आज होम्योपैथी केन्द्रीय परिषद अधिनियम 1973 में संशोधन कर होम्योपैथी मेडिकल कॉलेजों द्वारा गुणवत्तापूर्ण होम्योपैथी शिक्षा दिए जाने को सुनिश्चित किया जा रहा है। यह सरकार का काफी अच्छा कदम है। कानून बनने से देश में मेडिकल सिस्टम को बेहतर बनाने में काफी सफलता मिलेगी।

मेडिकल कॉलेजों द्वारा वार्षिक प्रवेश के लिए केंद्र सरकार मंजूरी लेना अनिवार्य कर रही है। इसे साथ तय मापदंडों पर खरे उतरने वाले कॉलेजों के लिए पांच साल की अनुमति का प्रावधान होगा। यह संशोधन गुणवत्तापूर्ण होम्योपैथी शिक्षा सुनिश्चित करेगा जिससे होम्योपैथी चिकित्सा पद्धति के जरिए बेहतर चिकित्सा सेवाएं उपलब्ध हो सकेंगी।

मैं आपके माध्यम से कहना चाहता हूं कि सरकार होम्योपैथी चिकित्सा के बारे में जागरूकता पैदा करे क्योंकि यह ऐसी चिकित्सा प्रणाली है जिसके इलाज में कोई साईड इफेक्ट नहीं है। सस्ता इलाज है और सहज उपलब्ध है। देश के कोने-कोने में डॉक्टर इलाज कर रहे हैं, अत: इसके लिए जागरूकता पैदा करनी चाहिए।

यह सही है कि होम्योपैथी परिषद में काफी कदाचार के मामले आ रहे हैं। अत: सरकार द्वारा इसे भंग किया जाना और नया शासक मंडल नियुक्त किया जाना एक सराहनीय कदम है। सीसीएच अधिनियम में धारा 12 (ग) को जोड़ा जा रहा है, इससे मान्यता देने में हो रही धांधली रुकेगी। अब एक वर्ष के अंदर सभी होम्योपैथी चिकित्सा कॉलेजों की मान्यता के नवीकरण का रास्ता साफ होगा।

श्री जय प्रकाश नारायण यादव (बांका) **:** माननीय उपाध्यक्ष जी, आपने मुझे इसे बिल पर बोलने की अनुमति दी, इसके लिए मैं आपका बहुत धन्यवाद करता हूं। होम्योपैथी केन्द्रीय परिषद संशोधन विधेयक 2018 सदन के सामने आया है। इसमें कई मुद्दे हैं। होम्योपैथी, आयुर्वेद चिकित्सा भारतीय परंपरा और संस्कृति से रचा-बसा तात्कालिक और बेहतर चिकित्सा है। असाध्य से असाध्य रोगों का भी होम्योपैथी चिकित्सा से सुधार हुआ है। इससे मरीज ठीक हुए हैं। देश के ग्रामीण क्षेत्रों तक होम्योपैथी व्यवस्था से लोग जुड़े हुए हैं, आज भी इसकी मान्यता और लोगों को इस पर विश्वास है। पटना में होम्योपैथी के बड़ा कॉलेज कदमकुंआ में है। भागलपुर में भी है। मुंगेर में बेहतर कॉलेज है। इसकी व्यवस्था और बेहतर करने का काम होना चाहिए। दरभंगा में होम्योपैथी कॉलेज है। कई जगह कॉलेजों की हालत खराब है। मैं मुंगेर कॉलेज के विषय में यही कहना चाहता हूं कि राशि आबंटित करके पुराने कॉलेज को बेहतर बनाया जाए।

दरभंगा मेडिकल कॉलेज, सिन्हा होम्योपैथी कॉलेज में 20 वर्षों से गवर्निंग बॉडी नहीं बनी है, इसका गठन नहीं हुआ है। हाई कोर्ट का फैसला हुआ है, लेकिन मैनेजमेंट हाथों में कुंडली मारकर बैठी हुई है।

वहां प्रबंध समिति नहीं है, इसलिए उसकी मान्यता रद्द की जाए। कोलकाता होम्योपैथी का गढ़ रहा है, लेकिन कोलकाता का जो सबसे बड़ा होम्योपैथी कॉलेज है, उसमें बिल्ली घूमती है। सरकार उस पर ध्यान नहीं देती है। इसमें आप अध्यादेश लाने का काम कर रहे हैं। प्रजातांत्रिक तरीके से इसमें बहस होनी चाहिए, चाहे जो भी गड़बड़ियां हों। किसी का पक्ष-विपक्ष नहीं, जनतांत्रिक तरीके से पूरी चीजों को लाने का काम होना चाहिए। आपने अध्यादेश लाने का काम किया। आप इसको सेलेक्ट कमेटी में भेज सकते थे। इसलिए आप होम्योपैथी कॉलेज की गुणवत्ता पर, इसकी पढ़ाई पर ध्यान दें। वहां कम आय वाले भी गंभीर-से-गंभीर रोगों का इलाज करवाते हैं।

मैं अंत में यही कहना चाहूंगा कि जो भी कॉलेजेज़ खराब हालत में हैं, उनको बेहतर बनाया जाए। खासकर के हमारे मुंगेर, भागलपुर एवं बांका के इलाके में हैं, उनको बेहतर किया जाए।

[अनुवाद]

श्री सी.एन. जयदेवन (त्रिस्सूर) **:** माननीय उपाध्यक्ष महोदय होम्योपैथी केन्द्रीय परिषद (संशोधन) विधेयक, 2018 ने होम्योपैथी केन्द्रीय परिषद अधिनियम, 1973 में संशोधन करने के लिए 18 मई, 2018 को लागू अध्यादेश की जगह ली है।

होम्योपैथी केन्द्रीय परिषद अधिनियम, 1973 केन्द्रीय होम्योपैथी परिषद की स्थापना करता है, जो होम्योपैथिक शिक्षा और अभ्यास का विनियमन करती है। विधेयक में वर्तमान केन्द्रीय परिषद को समाप्त करने का प्रावधान है, जिसे इसकी समाप्ति की तारीख से एक वर्ष के भीतर पुनर्गठित किया जाएगा। अंतरिम अवधि में, केन्द्र सरकार एक शाषी निकाय का गठन करेगी, जो केन्द्रीय परिषद की शक्तियों का उपयोग करेगा।

विधेयक के उद्देश्यों और कारणों के विवरण के अनुसार, 1973 के अधिनियम में वर्ष 2002 में संशोधन किया गया था ताकि नए कॉलेजों की स्थापना के लिए केन्द्र सरकार की अनुमति लेने या मौजूदा कॉलेजों में अध्ययन के नए पाठ्यक्रम शुरू करने या प्रवेश क्षमता बढ़ाने का प्रावधान किया जा सके। घटिया स्तर के होम्योपैथी कॉलेजों की बढ़ती संख्या की जांच करने औरे गुणवत्तायुक्त शिक्षा प्रदान करने के लिए संशोधन किया गया था। लेकिन परिषद में गंभीर कदाचार के उदाहरण सामने आए हैं, जिसके परिणामस्वरूप चिकित्सा शिक्षा की गुणवत्ता के साथ समझौता हुआ है।

इस संशोधन के 12 साल बाद भी, 2014 में यह बताया गया कि देश के 188 कॉलेजों में से 121 होम्योपैथिक कॉलेज - जिनमें राज्य सरकारों द्वारा संचालित 36 कॉलेज शामिल हैं, मान्यता देने के लिए उपयुक्त नहीं पाए गए क्योंकि वे इसके लिए आवश्यकताओं को पूरा करने में विफल रहे। इन कॉलेजों को सरकार द्वारा माफी दी गई और शैक्षणिक वर्ष 2014-2015 से नए छात्रों को स्वीकार करने की अनुमति दी गई।

मैं जानना चाहता हूं कि क्या इन महाविद्यालयों ने कमियों को ठीक कर लिया या और इन्हीं मान्यता दी गयी थी।

श्रीमान, मूल समस्या भ्रष्टाचार और परिषद सदस्यों की अक्षमता है। भारतीय चिकित्सा परिषद (एमसीआई) भी इसी समस्या का सामना कर

रही थी। सरकार ने भारतीय चिकित्सा परिषद को भंग कर दिया था और अंतरिम व्यवस्था कर दी गई थी। तत्पश्चात् एमसीआई को समाप्त करने के लिए राष्ट्रीय चिकित्सा आयोग विधेयक, 2017 का लाया जा रहा है। उक्त विधेयक में, होमियोपैथिक और आयुर्वेदिक डॉक्टरों के लिए ब्रिज कोर्स द्वारा एलोपैथिक प्रैक्टिस करने का प्रावधान है। एलोपैथिक डॉक्टरों के पूरे समुदाय ने इस प्रावधान का विरोध किया है। हाल ही में, एक अध्ययन ने पाया हे कि गत पांच वर्षों के दौरान देश में होमियोपैथिक इलाज करवाने वाले रोगियों की संख्या में 50 प्रतिशत इजाफा हुआ है।

इसलिए, यह आवश्यक है कि देन में होमियोपैथिक महाविद्यालयों के कामकाज को विनियमित किया जाना चाहिए और सीसीएच द्वारा विहित पाठ्यक्रम के साथ मानकीकृत शिक्षा दी जानी चाहिए।

मैं इन्हीं शब्दों के साथ मैं अपनी बात को समाप्त करता हूं और उक्त विधेयक का समर्थन करता हूं।

श्री एन.के. प्रेमचन्द्रन (कोल्लम) **:** आपका धन्यवाद, उपसभापति, श्रीमान, मैं विधेयक का समर्थन करने के लिए खड़ा हुआ हूं लेकिन अध्यादेश के माध्यम से कानून बनाने का विरोध करता हूं। यह एक ऐसा मामला है जिसमें अध्यादेश के प्रचार करने की कोई आवश्यकता नहीं है।

होमियोपैथिक चिकित्सा एक चिकित्सकीय प्रणाली है जिसे जर्मन चिकित्सक, डॉ. सैम्युअल हैनिमैन द्वारा 18वीं शताब्दी में विकसित किया गया था। यह समग्र चिकित्सा प्रणाली है जो व्यक्ति की अपनी रोगमुक्ति की प्राकृतिक स्वास्थ्य शक्तियों को उत्प्रेरित और प्रोत्साहित करती है। होमियोपैथी सुरक्षित, किफायती, प्रतिष्ठित और प्रभावशाली है। यह पद्धति बहुत ही गंभीर क्रोनिक और यहां तक की जैनरिक बीमारियों का इलाज करने में अपना नाम स्थापित कर चुकी है।

आजकल, मृत्यु सामान्यत: जटिलताओं या दवाइयों के कुप्रभाव की वजह से हो रही हैं न कि बीमारियों से। होमियोपैथिक इलाज का महत्व यह है कि इसका कोई कुप्रभाव नहीं होता है।

हाल ही में, पूरे देश में होमियोपैथिक की स्वीकृति के संबंध में अंतर्राष्ट्रीय परामर्श एजेंसी, आईएसआरबी द्वारा एक अध्ययन किया गया जिससे यह प्रकाश में आया है कि 59 प्रतिशत लोग एलौपैथी से होमियोपैथी की और अग्रसर हुए है; कम से कम 77 प्रतिशत का मानना है कि लंबे इलाज के लिए होमियोपैथी सबसे बेहतर विधि है। यह बहुत ही दुर्भाग्य की बात है कि हमारे देश में होमियोपैथिक चिकित्सा शिक्षा की गुणवत्ता और मानक के संबंध में देश के विभिन्न हिस्सों से बहुत शिकायतें प्राप्त हो रही हैं। केन्द्रीय होमियोपैथी का अधिक्रमण किया गया है और परिषद को चलाने के लिए नये शासी मंडल का गठन किया गया है। यही ही विधेयक का सार है।

इसीलिए, उपसभापति, महोदय, मैं गंभीर आपत्ति दर्जन करवाना चाहूंगा जिसके लिए आप आदेश दें। यदि आप विधेयक के उद्देश्यों और कारणों का अध्ययन करोगे तो राज्य सभा में लंबित पिछले विधेयकों के बारे में कोई उल्लेख नहीं है। कृपया आप इसका संज्ञान लें कि वर्ष 2002 में, इस अधिनियम में संशोध किया गया था। इसी के परिणामस्वरूप, वर्ष 2005 में, राज्य सभा में केन्द्रीय होमियोपैथी परिषद (संशोधन) विधेयक प्रस्तुत किया गया। उक्त विधेयक को स्थायी समिति को भेजा गया है, जिसने स्वयं जुलाई में प्रतिवेदन प्रस्तुत किया है। जोकि लंबित है।

मई, 2017 में, स्वास्थ्य संबंधी समिति ने परिषद के कामकाज को सुगम बनाने के लिए सरकार को निदेश दिया है कि वह विधेयक पर कार्रवाई करे और इसे पारित करवाए। यह निदेश स्थायी समिति द्वारा मई, 2017 में दिया गया था। सरकार परिषद के कामकाज को सुगम बनाने के लिए विधेयक 2005 पर कार्रवाई करे जिसके लिए हमारे पास स्थायी समिति का प्रतिवेदन है और इस पर सरकार ने कोई कार्रवाई नहीं की है।

इसी के साथ-साथ, वर्ष 2015 में राज्य सभा में दूसरा विधेयक प्रस्तुत किया गया। मेरी जानकारी के अनुसार, या तो स्थायी समिति का प्रतिवेदन वहीं है या यह लंबित है। लेकिन विचार-विमर्श करने योग्य बात यह हे कि माननीय मंत्री जी माननीय सभा के समक्ष विधेयक कब प्रस्तुत करने वाले हैं, मंत्री जी ने कम से कम यह उल्लेख करना चाहिए कि दूसरे सदन में दो विधेयक लंबित है और स्थायी समिति ने प्रतिवेदनों को प्रस्तुत कर दिया है। स्थायी समिति की बहुत महत्वपूर्ण हैं। प्रमुख तथ्य यह है कि केन्द्रीय होमियोपैथिक परिषद के सुगम कामकाज के लिए, इन सिफारिशों को कार्यान्वित किया जाना चाहिए। दुर्भाग्यवश, सरकार ने कुछ नहीं किया।

अंत में, पिछले बजट सत्र के उपरांत, सरकार एक अध्यादेश लेकर आई। अध्यादेश का क्या पैमाना है? यह केवल केन्द्रीय होमियोपैथी परिषद अधिक्रमण करने और परिषद को चलाने के लिए शासी मंडल/निदेशकों की नियुक्ति और गठन करना है। मैं अध्यक्ष पीठ से इस पहलू के संबंध में आदेश चाहता हूं।

यह करने के लिए मेरे पास दो सुझाव हैं। देश में क्या हो रहा है? आयुष मंत्रालय ने वर्ष 2017-18 से अवर स्नातक सीटों के लिए निरंतर अनुमति प्राप्त करने हेतु निर्देश दिए हैं।

वर्ष 2013 के कम से कम मानक विनियमन के विलंब से एनईईटी (नीट) की परीक्षा में उपस्थित होने वाले और पूरे देश में होमियोपैथी महाविद्यालय में अवर स्नातक पाठ्यक्रमों में प्रवेश लेने वाले सुपात्र छात्रों के अवसर को खत्म कर दिया है। इसीलिए, मैं मंत्री जी से अनुरोध करता

हूं कि वे अनुमति पत्र को समय से जारी करना सुनिश्चित करवाएं। आयुष मंत्रालय से भ्रष्टाचार का बोल-बाला है। मैं विशेष रूप से आरोप लगाता हूं। मैं आरोप लगा रहा हूं।...*(व्यवधान)*

श्रीमान, मेरे राज्य में 60 वर्ष पुराने सरकारी-सहायता प्राप्त चिकित्सा महाविद्यालय को प्रत्येक वर्ष आयुष मंत्रालय के समक्ष आना पड़ता है; उन्हें बयान देना पड़ता है, बातचीत आदि होती हैं। तत्पश्चात्, उन्हें अनुमति पत्र दिया जाता है। सदन के समक्ष इस संशोधन के लेकर आने का क्या प्रयोजन है?...*(व्यवधान)*

दूसरा महाविद्यालय 80 वर्ष पुराना है। प्रत्येक वर्ष व्यक्तिगत बातचीत करने और मंजूरी प्राप्त करने के लिए इन चिकित्सा महाविद्यालयों की प्राधिकरणों को आयुष मंत्रालय आना पड़ता है। हम देश में निजी स्वयं वित्तपोषित महाविद्यालयों को कुकरमुत्ता की तरह बढ़ता देख रहे हैं। इन्हें एलओपी प्राप्त करने में कोई परेशानी नहीं होती।

श्रीमान, महाराष्ट्र में, 53 में से 53 महाविद्यालय निजी वित्तपोषित हैं; मध्य प्रदेश में 24 में से 23 महाविद्यालय वित्त निजी पोषित हैं; और गुजरात में 31 में से 30 महाविद्यालय निजी वित्तपोषित हैं। कोई नियंत्रण नही है कोई विनियमन नहीं है। श्रीमान, आयुष मंत्रालय को एलओपी देना होगा। एलओपी देने में विलंब क्यों होता है। एनईईटी परीक्षा के उपरांत भी छात्र होमियोपैथिक चिकित्सा महाविद्यालयों में प्रवेश नहीं ले पाते क्योंकि आयुष मंत्रालय एलओपी नहीं दे रहा है। यही कारण है, कि केन्द्रीय होमियोपैथी परिषद को लोकतांत्रिक तरीके से फिर से गठित कने की आवश्यकता है जिसके लिए अध्यादेश की बजाय नये विधेयक को लाना चाहिए। अध्यादेश के माध्यम से कानून बनाने के तरीके को हतोत्साहित किया जाना चाहिए।

इन्हीं शब्दों के साथ, मैं विधेयक का समर्थन करता हूं लेकिन अध्यादेश के माध्यम से कानून बनाने के तरीके का विरोध करता हूं।

माननीय अध्यक्ष : कृपया संक्षिप्त में बात रखें क्योंकि हमें 4 बजे तक विधेयक पारित करना है।

[हिन्दी]

डॉ. रमेश पोखरियाल निशंक (हरिद्वार) : माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मैं होम्योपैथी केन्द्रीय परिषद विधेयक 2018 के पक्ष में बोलने के लिए खड़ा हुआ हूं। मैं माननीय मंत्री जी को बधाई देना चाहता हूं कि उन्होंने एक सशक्त कदम उठाकर होम्योपैथी और आयुष मंत्रालय को सशक्त करने की दिशा में ठोस और महत्वपूर्ण पहल की है। पूरा सदन इस बात से सहमत है कि आज देश और दुनिया को आयुष की जरूरत है। आयुर्वेद, होम्योपैथी, यूनानी, सिद्धा और योग को मिलाकर जो आयुष का गठन किया गया था, पहली बार जो मंत्रालय बनाया गया था, वह श्रीमान् अटल बिहारी वाजपेयी जी ने बनाया था। सुषमा जी ने इसको इसकी ऊंचाइयों तक पहुंचाया और आज नरेन्द्र मोदी जी की अगुवाई में हमारे यशस्वी मंत्री जी इसको आगे बढ़ा रहे हैं। इसी का परिणाम है कि इस योग ने, इस विभाग ने आज पूरी दुनिया में 'ओशो योग दिवस' पर 199 देशों को एक कतार में लाकर खड़ा कर दिया है। मैं इसके लिए माननीय प्रधानमंत्री जी और मंत्री जी को बधाई देना चाहता हूं।

महोदय, चर्चा कुछ भी हो, लेकिन इसकी जरूरत थी। यह कहा जा रहा है कि इस अध्यादेश की जरूरत क्या थी? एक परिषद जिसको जो अधिकार दिये गये हैं, उनका वह उल्लंघन कर रही है। एक परिषद जो प्रावधानों को खंडित करके तमाम गड़बड़ियां कर रही है। सवाल उठ रहा है कि इसको क्यों किया गया? मैं माननीय मंत्री जी को बधाई देना चाहता हूं कि वह जो नयी धारा 3(ख) और 2 लाए हैं, इसमें बोर्ड बनाया है और उसके सारे सदस्यों से बात करके कि इनका क्या काम होगा, इसका भी प्रावधान है। मैं इसकी डिटेल में नहीं जाना चाहता हूं। लेकिन दूसरा नीतिगत निर्णय केन्द्र ने अपने पास रखा है और उसमें 3(ग) के अंदर रखा गया है कि अध्यादेश जारी होने से पहले अगर किसी व्यक्ति ने होम्योपैथी मेडिकल कॉलेज की स्थापना की है, नये कोर्सेज शुरू किये हैं या छात्रों की क्षमता बढ़ाई है तो उसको एक वर्ष के अंदर शासन से अनुमति लेनी पड़ेगी, अन्यथा वह समाप्त हो जाएगा। यह इसलिए भी आया कि बीच में जिस तरीके से उस परिषद ने अधिकारों का दुरूपयोग किया और माननीय मंत्री जी ने अपने कथन में कहा था कि सीबीआई ने रंगे हाथों उसको पकड़ा। उसके बाद भी सदन में इस तरीके से बहस हो रही है। सीबीआई ने बाकायदा उसको दोषी पाया और उन लोगों के खिलाफ कार्रवाई हो रही है। आयुष को सशक्त करने की दिशा में यह एक बहुत महत्वपूर्ण कदम है। मैं माननीय मंत्री जी से अनुरोध करना चाहता हूं कि आपने निजी क्षेत्र ही क्यों, जो इसमें शासकीय क्षेत्र हैं, क्योंकि होम्योपैथी में, चाहे वह शासकीय है, चाहे प्राइवेट है, सबके मानक एक जैसे हैं। इसलिए मैं चाहता हूं कि उनको भी इसके साथ सम्मिलित किया जाना चाहिए।...*(व्यवधान)*

महोदय मैं यह कहना चाहता हूं कि इस समय भारत में 2 लाख से भी अधिक चिकित्सक हैं और प्रतिदिन और प्रतिवर्ष 12000 होम्योपैथी चिकित्सक आ रहे हैं। इस देश में 10 करोड़ से भी अधिक लोक होम्योपैथी की चिकित्सा प्राप्त करते हैं। जो अभी यूरोपीय देशों देशों का जिक्र किया गया है, उसमें चाहे जर्मनी, ब्राजील, मैक्सिको, इंग्लैंड और फ्रांस जैसे देशों में 60 प्रतिशत से अधिक लोग होम्योपैथी की चिकित्सा पर निर्भर हैं। कुल मिलाकर 20 से 25 करोड़ लोग आज होम्योपैथी की चिकित्सा ले रहे हैं। भले ही होम्योपैथी का जन्म जर्मनी में हुआ हो,

लेकिन उसका लीडर, उसका नेतृत्व आज भी हिन्दुस्तान कर रहा है। इसलिए मैं यह समझता हूं कि भारत में चिकित्सालय है, महाविद्यालय हैं, विद्यार्थी हैं, लेकिन हां, अभी शोध की कमी है। अभी हमारे तमाम मित्रों ने कहा कि चाहे कोलकाता हो, चाहे पूर्वोत्तर राज्य हों, तमाम स्थानों पर शोध के बड़े-बड़े केन्द्र स्थापित किये गये हैं।

अपराह्न 4:00 बजे

गुणवत्तापरक शिक्षा कैसे हो सकती है, अनुसंधान कैसे हो सकता है, उत्तर चिकित्सा कैसे हो सकती है, विश्वविद्यालयों में दवाइयों के लिए हमारी जो प्रतिबद्धता है, उसकी गुणवत्ता के लिए मैं माननीय मंत्री जी को बधाई देना चाहता हूं कि उन्होंने इस दिशा में सार्थक पहल की है।

श्रीमन्, सीसीएच हो या सीसीआईएम हो, दोनों की संस्थाओं पर समान तरीके से नियंत्रण होना चाहिए क्योंकि जो शिकायतें सीसीएच में हैं, वहीं शिकायतें सीसीआईएम में भी हैं। मैं यह कहना चाहता हूं कि जितने महाविद्यालय खुले हैं, उनके लिए आयुर्वेद में कुल 12 हजार फैकल्टीज चाहिए, लेकिन पंजीकरण केवल छः हजार फैकल्टीज का है। वहां प्रोफेसर्स नहीं है, रीडर्स नहीं है। मेरा विनम्र निवेदन हैं कि मंत्रालय को इसके लिए एक ठोस नीति बनानी चाहिए। नए कॉलेजों की अनुमति तब तक नहीं मिलनी चाहिए जब तक कि उनकी आपूर्ति न हो जाए।

श्रीमन्, मैं इसके लिए आयुष मंत्री जी को विशेष बधाई देना चाहता हूं कि बड़े से बड़ा चिकित्सालय क्यों न हो, वह देश का हो या दुनिया का हो, आज वह बिना आयुष विंग के नहीं चल सकता है। आज उनको आयुर्वेद की जरूरत है, होम्योपैथी की जरूरत है। होम्योपैथी का त्वचा विज्ञान में कोई विकल्प नहीं है। एक नहीं ऐसी दसों बिमारियां हैं, जो बहुत न्यूनतम समय, न्यूनतम मूल्य और न्यूनतम कष्ट में वे सौ प्रतिशत समाधित होती हैं।

मैं एक बार पुनः जो अध्यादेश लाया गया है और उसे आज बिल के रूप में प्रस्तुत किया गया है, उसका समर्थन करता हूं। यह कहा जा रहा है कि यह क्यों जल्दी में लाया गया? यह नोटबंदी के समय हुआ था, तो ठीक है लेकिन इतनी जल्दी इसे लाने की क्या जरूरत थी, दो-तीन दिन रूक जाते... *(व्यवधान)*

डॉ. बंशीलाल महतो (कोरबा) : उपाध्यक्ष महोदय, मैं आज होम्योपैथी केन्द्रीय परिषद् (संशोधन) विधेयक, 2018 के समर्थन में बोलने के लिए खड़ा हूं। किसी भी पद्धति के लिए एनाटॉमी, फिजिओलॉजी और पैथोलॉजी है लेकिन होम्योपैथी की भी आवश्यकता है। कॉलेजों में इसकी फुल-फ्लेज व्यवस्था होनी चाहिए और बजट का भी बहुत अच्छा प्रावधान होना चाहिए।

मैं माननीय प्रधानमंत्री जी और आयुष मंत्री जी को धन्यवाद देना चाहता हूं, जिन्होंने भारतीय परंपराओं को स्थापित करने के लिए अनेक प्रकार के नए-नए बिल लाए हैं। इसी प्रकार से इस आयुष बिल का भी यही अर्थ है। आयुष एक ऐसा विभाग है, जिससे पूरी दुनिया में लोग सबसे ज्यादा चिकित्सा लाभ प्राप्त करते हैं। इसी में होम्योपैथी भी आता है। आपने इस बिल को लाकर देश पर बहुत बड़ी कृपा की है। किसी भी परिषद को बनाकर, मठाधिश बैठा कर काम करना ठीक नहीं है। कुछ माननीय सदस्यों ने आपत्ति व्यक्ति की है कि जिस प्रकार से राम जी वगैरह के लिए निर्णय हुआ हैं, वह ठीक निर्णय है। सरकार चाहे तो इस बिल में अमेंडमेंट करके, इसे बढ़िया से बढ़िया बनाकर कॉलेजों को वेल-एस्टैब्लिश करे। देहात के लोगों को आयुर्वेद की सुविधा सबसे ज्यादा मिलती है। उनको होम्योपैथी की सुविधा भी मिलती है। यह पद्धति दो सौ वर्ष पुरानी है। आयुष के अंतर्गत एक आयुर्वेद है, जिसे हम लोग भारतीय चिकित्सा पद्धति कहते हैं। यह सभी युगों में प्राप्त हुआ है। जब लक्ष्मण जी को शक्तिबाण लगा था तो उनकी आयुष पद्धति से चिकित्सा हुई थी। उनको कोई इजैक्शन लगाने नहीं आया था। अल्टरनेटिव मेडिसिन्स के रूप में लोग एलोपैथी मेडिसन का उपयोग कर रहे हैं। झोला-छाप डॉक्टर्स जगह-जगह फैल रहे हैं। इनको रोकने के लिए यह विधेयक आवश्यक हैं। मैं आपको एक जानकारी देना चाहता हूं कि वर्ल्ड हैल्थ ऑर्गेनाइजेशन ने एक सर्वे किया है कि उसमें आयुष के लिव-52 मेडिसिन को सात मेडिसनों में अपनाया है और आज लिव-52 का पूरे विश्व में नाम है।

जहां तक योग का सवाल है तो आज 192 देशों ने हमारे प्रधानमंत्री जी के योग कार्यक्रम को 21 जून को अपनाया है। मैं प्रधानमंत्री जी को धन्यवाद देता हूं, आयुष मंत्री जी को धन्यवाद देता हूं। मैं चाहता हूं कि हर जिले में आयुष का बहुत बड़ा अस्पताल हो। हर डिस्ट्रिक्ट में होम्योपैथी का बड़ा अस्पताल होना चाहिए। मैं छत्तीसगढ़ में रहता हूं। सरकार एमबीबीएस डॉक्टर्स की देहात में नियुक्ति करती है, लेकिन वहां कोई नहीं जाता है। केवल आयुष के डॉक्टर्स ही देहाती में जाते हैं। नर्सिंग होम में आयुष के डॉक्टर्स प्रैक्टिस कर रहे हैं। मेरा कहना है कि आयुष को बहुत महत्व दिया जाना चाहिए और आयुष पद्धति को अपनाने के लिए बजट में भी ज्यादा प्रावधान करना चाहिए तथा अच्छे कॉलेजज खोले जाने चाहिए।

आयुर्वेद, योग और प्राकृतिक चिकित्सा, यूनानी, सिद्ध और होम्योपैथी (आयुष) मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री श्रीपाद येसो नाईक) : उपाध्यक्ष महोदय, इस बिल पर जिन माननीय सदस्यों ने भाषण दिया है और जिन्होंने अपने विचार व्यक्त नहीं किए हैं, उन सभी का मैं आभार व्यक्त करता हूं, क्योंकि मुझे खुशी है कि हम सब मिलकर इस बिल को पारित करेंगे। अधीर रंजन चौधरी जी ने इस बिल के बारे में अपने विचार रखे थे और आज जिन माननीय सदस्यों ने प्रश्न उठाए हैं, वे सभी उनके द्वारा उठाए गए प्रश्न में समावेश होते हैं। अधीर रंजन जी ने पूछा कि दो

महीने बाद नया सैशन शुरू होने वाला है, तो इस बिल को पहले क्यों लाया गया? मेरा कहना है कि सभी कालेजेज की इंस्पेक्शन करके तय समय सीमा में परमिशन देने की आवश्यकता है। यदि इसमें लेट हो जाते हैं तो बाद में स्टूडेंट्स नहीं मिलते हैं। यदि हम सभी अध्यादेश नहीं लाते, तो इस साल भी पहले वाली प्रक्रिया ही चलती रहती और जिन मुद्दों के कारण यह बिल लाए हैं, उसका कोई उपयोग न रहता।

महोदय, यह केवल एक ही मुद्दा नहीं है, जिसके कारण हम बिल लाए हैं। एक प्रश्न यह आया कि किसी चेयरमैन ने भ्रष्टाचार किया, इसलिए यह बिल लाया गया है। ऐसा बिलकुल नहीं है, मैंने अपने पहले भाषण में संबंधित मुद्दे रखे थे। मंत्रालय ने कहा भी था कि उस अधिकारी को रिटायरमेंट बेनिफिट्स मत दीजिए। सीसीआई के जो सैक्रेटरी थे, उन्होंने बहाल कर दिया और रिटायरमेंट के बाद सारे बेनिफिट्स दे दिए। सुप्रीम कोर्ट का आदेश था कि कोई मेम्बर यदि किसी दूसरी जगह से आता है तो उन्हें अपना पद छोड़ना था। पहले ऐसा होता था कि कई सालों तक, जब तक कि इलेक्शन नहीं होने थे, वे बदले नहीं जाते थे, लेकिन सुप्रीम कोर्ट के आदेश के अनुसार उन्हें तीन महीने में ही रिटायर होना चाहिए था। ऐसे कई मैम्बर थे, जिन्होंने पद नहीं छोड़ा था और एक ही जगह रहें है। ऐसी कई अनियमितताओं को खत्म करने के लिए या ठीक करने के लिए मंत्रालय के पास कोई प्रावधान नहीं था। इस कारण मंत्रालय ने बोर्ड ऑफ गवर्नेंस एक साल की अविध के लिए बनाया है और सभी अनियमितताओं को ठीक करने का वचन दिया है। माननीय सदस्य ने यह पूछा कि क्या इस तरह की बातें भारत में पहले हुई हैं? मैं कहना चाहता हूं कि मेडिकल काउंसिल ऑफ इंडिया में ऐसा हुआ था। उन्होंने ब्रिज कोर्स के बारे में पूछा था। मेरा कहना है कि हमने कभी ब्रिज कोर्स को अनुमति नहीं दी है और हम कभी भी ब्रिज कोर्स शुरू नहीं करेंगे।

होम्योपैथी कॉलेजज विश्वविद्यालय से संलग्न क्यों नहीं हैं, यह पूछा गया था। मैं कहना चाहता हूं कि कुल 233 होम्योपैथी कॉलेजज अस्तित्व में हैं और ये अपने-अपने राज्यों के विश्वविद्यालयों से संलग्न हैं।

सैफ्रनाइजेशन के बारे में भी आपने कुछ कहा था। जब आप सदन में अपने विचार रखने के लिए खड़े हुए थे, तो उस दिन आपने सैफ्रन शर्ट नहीं पहनी थी। लेकिन यह शर्ट आपको अच्छी लगी, इसीलिए आपने इसे पहना है।...*(व्यवधान)* लेकिन इसमें सैफ्रनाइजेशन की कोई बात नहीं है। जो बोर्ड ऑफ गवर्नर्स गठित किया गया है, वह किन लोगों से हुआ है, उसके बारे में मैं बता रहा हूं।

इस बोर्ड के चेयरमैन आयुष के रिटायर्ड सेक्रेटी हैं। वे आपके राज्य के ही हैं। उनका नाम डॉ. निरंजन सान्याल है। ये कोलकाता के हैं। इससे इनका कोई संबंध नहीं है। इसमें अन्य मेम्बर्स हैं— श्री पी.के. पाठक, जो आयुष के एक्स-ऑफिशियों सेक्रेटी हैं। श्री संजय गुप्ता हैं, जो गर्वनमेंट होम्योपैथिक कॉलेज, भोपाल के प्रोफेसर हैं। डॉ. नित्यानन्द तिवारी हैं, जो पालघर होम्योपैथीक कॉलेज के रिटायर्ड प्रोफेसर हैं। डॉ. अनिल खुराना हैं, जो सीसीआरएच के डेप्युटी डायरेक्टर हैं। होम्योपैथी से संबंधित इन सभी लोगों से यह बोर्ड बनाया गया है। इन लोगों के नाम मशहूर हैं। इन लोगों ने होम्योपैथी के लिए बहुत अच्छे काम किये हैं।...*(व्यवधान)* इसमें वैसा कोई नहीं है। इसलिए मैं कह सकता हूं,...*(व्यवधान)* हम इसका विचार भी नहीं करते हैं।...*(व्यवधान)*

आयुष मंत्रालय को यहां-वहां नहीं दिखता है। सभी 'पैथीज़' को समान अवसर देने का हमारा प्रयास है।

डॉ. कामराज जी ने बहुत-से मुद्दे उठाए। यह भी कहा गया कि इससे संबंधित ऑर्डिनेंस क्यों लाया गया। ऑर्डिनेंस लाने का कारण यह था कि यदि हम ऐसा नहीं करते, तो आने वाले वर्षों में बहुत-सी दिक्कतें आतीं। इसलिए मैं चाहता हूं कि हमारे पास जो अधिकार हैं, *[अनुवाद]* वर्ष 2002 में होमियोपैथी अधिनियम का संशोधन मौजूदा महाविद्यालयों की मान्यता के नवीकरण को कवर नहीं करता। इसीलिए धारा2(ग) की आवश्यकता है। इसकी जरूरत थी।

डॉ. कामराज जी ने कहा था, डॉ. रामजी सिंह एक ही नाम नहीं था, हमने कई उदाहरण रखे हैं। सीसीएच सदस्यों के खिलाफ कई शिकायतें हैं। परिणामस्वरूप, वर्ष 2005 आयोग गठित किया गया। इसी के निष्कर्ष आधार पर डॉ. ललित वर्मा के खिलाफ आरोप तैयार किये गए। मैंने उसे आपके सामने पेश किया हुआ है।

ऐसे बहुत-से कॉमन मुद्दे हैं। मंत्रालय इस परिषद अधिनियम में संशोधन की कार्रवाई कर रहा है। दो विधेयक निश्चित रूप से संसद में लंबित है। मंत्रालय भी मौजूदा कमी को दूर करने के लिए अधिनियम की पुनस्थापन की संभावना की जांच कर रहा है और अच्छे नियम और विनियम तैयार किये जाएंगे। हम विस्तृत विधेयक के साथ आएंगे और अच्छे नियम और विनियम तैयार किये जाएंगे।

डॉ. रत्ना डे जी ने कहा कि इसे सुपरसीड क्यों किया गया है। शासी मंडल द्वारा सीसीएच का अधिक्रमण किया गया क्योंकि अध्यक्ष सहित सीसीएच के सदस्य नैतिक रूप से सही नहीं थे यह बात मैंने ऑलरेडी कही है। मौजूदा अधिनियम के प्रावधानों के अनुसार एक वर्ष के भीतर सीसीएच का पुनर्गठन किया जाएगा केन्द्र सरकार द्वारा नियुक्त छह सदस्यों वाले शासी मंडल में उच्च प्रतिष्ठा वाले प्रसिद्ध होम्योपैथी शामिल हैं।

श्री रवीन्द्र कुमार जेना जी ने सीसीएच के मेम्बर्स के इलेक्शन के बारे में पूछा था। सीसीएच के सदस्यों का चुनाव निर्वाचन अधिकारी की

नियुक्ति के द्वारा केन्द्र सरकार द्वारा किया जाता है जो राज्य सरकार का संयुक्त सचिव होता है।

प्रशासनिक मुद्दों की वजह से चुनाव में विलंब हुआ जिनमें प्रैक्टिशनरों के रजिस्टर का गैर अद्यतन जोकि मतदाता हैं।

माननीय उपसभापति : सभा में व्यवस्था बनाए रखें

श्री श्रीपाद येसो नाईक : श्रीकांत शिंदे जी ने निश्चित तौर पर अपने कई अच्छे सजेशंस यहां दिए हैं। एचसीसी के अनुसार शक्तियों का उपयोग शासी मंडल करेगा। इसके बाहर पावर का मिसयूज़ नहीं करेंगे।

सरकार यह सुनिश्चित करने का उपाय कर रही है कि सभी होमियोपैथिक महाविद्यालयों के पास कम से कम मानक और ढांच हो ...*(व्यवधान)*

श्रीमान, सरकार आयुर्वेद, युनानी, सिद्ध, योगा और होमियोपैथिक पर नया विधेयक लाने का विचार कर रही है। इस पर सरकार सक्रिय रूप से विचार-विमर्श कर रही है।

डॉ. रवीन्द्र बाबू जी ने कुछ प्रश्न रखे। *[हिन्दी]* उन्होंने कहा कि होम्योपैथी तो जर्मनी से है। वहां उसे रिजैक्ट किया गया, लेकिन उसे किसलिए रिजैक्ट किया गया, इसके बारे में उन्होंने एक इंक्वॉयरी कमेटी बैठाने की चेष्टा की है।

मौजूदा अधिनियम में सीसीएच को भंग करने का कोई प्रावधान नहीं है। यह जो ऑर्डिनेंस लाया गया है, इसके बारे में मैंने बार-बार बताया है, कि यह एक साल के लिए लाया गया है। यह सब ठीक होने के बाद निश्चित तौर पर हम सीसीएच की पावर्स को बहाल करेंगे। उन्होंने यह भी पूछा कि इस करप्शन को कम करने के लिए हमने क्या उपाय किए हैं? हमने सीसीएच का फंक्शन इंप्रूव करने का प्रयास किया है। वैसे ही हमने बायोमीट्रिक अटेंडेंस के बारे में सभी कॉलेजेज़ और इंस्टीट्यूशंस में आगे जाने की चेष्टा की है। कॉलेजेज़ में जो इंस्पैक्शन होती है, उनके बारे में श्रीमती टीचर ने हमें सलाह दी है कि ये इंस्पैक्शंस गवर्नमेंट टीचर्स द्वारा ही होने चाहिए, ताकि वहां कोई गड़बड़ी न हो।

बूरा नरसैय्या गौड जी ने भी निश्चित तौर पर यहां अपने सुझाव रखे हैं। 12-सी के अंदर कुछ प्रोविजंस हैं। इसके पहले कुछ कॉलेजेज़ पर एक्शन लेने का हमारे पास अधिकार नहीं था, लेकिन इसी 12-सी के अंदर हम कुछ अमेंडमेंट्स लाए हैं, जिनसे इसका अधिकार भी आयुष मिनिस्ट्री को प्राप्त होगा।...*(व्यवधान)* मिसलीडिंग एड्वर्टाइज़मेंट्स पर हम निश्चित तौर से उपाय करेंगे।...*(व्यवधान)* मिसलीडिंग एड्वर्टाइज़मेंट्स पर हम निश्चित तौर से उपाय करेंगे।...*(व्यवधान)* जो नेशनल इंस्टीट्यूट और रिसर्च सैंटर की मांग की गई है, उस पर भी निश्चित तौर से विचार किया जाएगा।

उपाध्यक्ष महोदय, बाकी सभी मेंबर्स-निहाल चंद जी भी बोले, डॉ. करण सिंह यादव भी बोले। उन्होंने जो कुछ बोला और पूछा, वह एक साधारण क्वेश्चन था। मैं एक और बात आपके सामने रखना चाहता हूं। करण सिंह यादव जी ने आर्डिनेंस के बारे में बोला और इस बारे में उनके भी थोड़े प्रश्न थे। उनके एक पत्र के जरिए मेरे ऊपर आरोप था, पी. एम. को किसी ने एक पत्र लिखा था, उन्होंने उसके बारे में बोला। मैं उनसे कहना चाहता हूं कि वह जिस मेंबर ने लिखा था, उस मेंबर ने इसी हाउस में मेरे पास आकर माफी मांगी है कि उन्होंने गलतफहमी से पी. एम को पत्र लिखा था, जिसका उन्हें स्पष्टीकरण देना है।...*(व्यवधान)*

[अनुवाद]

माननीय उपाध्यक्ष महोदय : कृपया अध्यक्ष पीठ को संबोधित करें।

[हिन्दी]

श्री श्रीपाद येसो नाईक : निहाल चंद जी ने गंगा नगर में कैंसर के बारे में जो कुछ हो रहा है, इसलिए वहां होम्योपैथी का एक सैंटर बनवाने के लिए कहा है। मैं निश्चित तौर से इसके ऊपर विचार करूंगा। करण सिंह यादव जी के बाद डॉ. महाडीक ने बोला। उन्होंने ये सजेशंस दिए कि एक्ट में जो प्रोविजंस हैं, उनके सिवा आयुष मंत्रालय कैसे भी आगे नहीं जा सकता है।

[अनुवाद]

कॉलेज को अनुमति देने से संबंधित कोई भी निर्णय मंत्रालय द्वारा अधिनियम और विनियम के आधार पर मंत्रालय द्वारा लिया जाता है।

[हिन्दी]

हमारे एक-दो साथियों को छोड़कर बाकी सभी माननीय सदस्यों ने इसका समर्थन किया है। यह एक अच्छी बात है। शैलेन्द्र कुमार जी, जयप्रकाश नारायण जी, जयदेव जी और एम.के. प्रेमचन्द्रन जी ने होम्योपैथी सेन्ट्रल काउंसिल बिल के बारे में पूछा था और मैंने क्लीयर कर दिया है कि हम एक कॉम्प्रीहेंसिव बिल लाने की तरफ काम करेंगे। निशंक जी और डॉ. महतो जी ने जो सुझाव दिए हैं, उन पर निश्चित तौर से ध्यान दिया जाएगा। होम्योपैथी को अच्छी तरीके से आगे बढ़ाने के लिए आयुष मंत्रालय अपना प्रयास जारी रखेगा और इन प्रयासों को आपका सहयोग प्राप्त होता रहेगा। इन्हीं शब्दों के साथ मैं अपनी बात समाप्त करता हूं। धन्यवाद।

[अनुवाद]

श्री अधीर रंजन चौधरी (बहरामपुर) : महोदय, एक दोहा है "विषया विषमसरि", जिसे कि विश्व में होम्योपैथी का मूल माना जाता है। बाद में सैमुअल हानेमन ने **सिमिलिया सिमिलिबस करेंचर** का विकास किया था। आपको यह जानकर प्रसन्नता होनी कि वर्ष 1810 में एक फ्रेंच यात्री हॉनिगबर्गर होम्योपैथी को हमारे देश में लाये। बंगाल में पहले होम्योपैथिक कॉलेज की स्थापना की गई थी।

माननीय उपाध्यक्ष : आप पहले ही इस पर बोल चुके हैं।

श्री अधीर रंजन चौधरी : बंगाल में, पहले होम्योपैथिक डॉक्टर, डॉ. राजेन्द्र लाल दत्ता को भारत में होम्योपैथी का जनक माना जाता है और सैमुअल हानेमन को विश्व में होम्योपैथी का जनक माना जाता है। इसलिए, होम्योपैथ और बंगाल से इसका संबंध हमारे लिए गर्व की बात है।

माननीय उपाध्यक्ष : आप पहले ही इन सब पर बोल चुके हैं।

श्री अधीर रंजन चौधरी : वर्ष 1948 में संविधान सभा में डॉ. सतीश सामंत होम्योपैथी से संबंधित एक संकल्प लेकर आए थे।

मैं अपने माननीय दोस्त और मंत्री से एक सरल स्पष्टीकरण मांगता हूं। आपने कहा है कि कॉलेज मे विद्यार्थियों के प्रवेश के लिए अध्यादेश लाया गया है। लेकिन, अध्यादेश के पुरस्थापन के बावजूद निरीक्षण कार्य चलने के कारण पूरे देश में इस वर्ष होम्योपैथी कॉलेज में छात्रों का प्रवेश नहीं हो पाया है। इसलिए, अध्यादेश प्रकट किए जाने से आपके उद्देश्य की पूर्ति नहीं हुई है।

क्या मैं मंत्रालय द्वारा लड़े जा रहे होम्योपैथिक कॉलेज से संबंधित न्यायिक मामलों की संख्या जान सकता हूं और इनमें से कितने मामलों में हार हुई और क्यों? मैं वर्ष वार हुए व्यय की जानकारी भी चाहता हूं।

असम के सरकारी होम्योपैथी कॉलजों ने डिग्री पाठ्यक्रम में छात्रों को लेने की क्षमता में वृद्धि करने के लिए कभी आवेदन नहीं किया है। लेनि कुछ वर्ष पूर्व, मंत्रालय ने सीसीएच की किसी सिफारिश के बिना प्रत्येक कॉलेज में सीटों को 20 से बढ़ा कर 25 करने की अनुमति दी थीं। ये कॉलेज न्यूनतम मानकों को भी पूरा नहीं करते हैं। सीसीएच ने गुडीवडा, कड्डापाह और राजमुंद्री के तीन सरकारी होम्योपैथिक कॉलेजों में एम-डी पाठ्यक्रम शुरू किए जाने की अनुमति नहीं दिए जाने की सिफारिश की थी, क्योंकि उनके पास डिग्री पाठ्यक्रमों के लिए भी न्यूनतम मानक नहीं थे। लेकिन, आयुष मंत्रालय ने उन्हें एम-डी पाठ्यक्रम में प्रति विशेषज्ञता विषय 10 सीटों की शुरूआत करने की अनुमति दे दी।

यह ध्यान रखें कि सीसीएच में सदस्यों के निर्वाचन की जिम्मेदारी आपके मंत्रालय की है। आपने सभा को आश्वस्त किया है कि एक वर्ष के अन्दर नई संस्था का पुनर्गठन कर दिया जाएगा। लेकिन मुझे पता चला है कि नई संस्था का पुनर्गठन डिजिटल वोटिंग से किया जाएगा। क्या आप अल्प समय में डिजिटल तंत्र के माध्यम से निर्वाचन करा पाएंगे? आपको सभा में आश्वासन और गारंटी देनी होगी कि एक वर्ष के अंदर नई संस्था का पुनर्गठन कर दिया जाएगा। सीबीआई न्यायालय ने आरोपित श्री रामजी सिंह को दोषी नहीं माना है। इसके अलावा, श्री रामजी सिंह द्वारा दायर किया गया एक और मामला माननीय दिल्ली उच्च न्यायालय में लंबित है। *[हिन्दी]* मैं किसी की पैरवी करने के लिए खड़ा नहीं हुआ हूं।

मैं यहां किसी की पैरवी करने के लिए नहीं आया हूं। *[अनुवाद]* हम अपने देश की पुरानी संस्था को मजबूत करना चाहते हैं।

अंतिम लेकिन महत्वपूर्ण बात यह है कि मैं इस तथ्य से अवगत हूं कि आयुष मंत्रालय ने डॉ. रामजी सिंह को हटाने के लिए 9 दिसंबर, 2016 को सीसीएच के अध्यक्ष पद का चुनाव कराया, लेकिन इसने जयपुर उच्च न्यायालय के निदेशों के अनुसार डॉ. पंकज शर्मा के एक वोट का संज्ञान नहीं लिया जिसे एक उम्मीदवार द्वारा लिखित में बताया गया।

[हिन्दी]

श्री श्रीपाद येसो नाईक : महोदय, बहुत ही जल्दी अर्थात एक या दो महीने के अंदर हम सभी को परमीशन देने की कोशिश कर रहे हैं। आधे कालेजेस की रिपोर्ट हमारे पास आ भी चुकी है। आठ से दस दिनों के भीतर हम 50 प्रतिशत से भी अधिक कॉलेजेस को परमीशन दे देंगे और अगले महीने तक सभी कॉलेजेस को परमीशन दे दी जाएगी। दूसरी बात जो मैंने कही थी कि इस काम में एक साल भी नहीं लगेगा और जो आपने डिजीटाइजेशन की बात की है, उस पर हम निश्चित तौर से विचार करके उसे पूरा करने का प्रयास करेंगे।

[अनुवाद]

माननीय उपाध्यक्ष : क्या माननीय सदस्य संकल्प पेश करना चाहते हैं?

श्री अधीर रंजन चौधरी : महोदय, मैं सहमत नहीं हूं। लेकिन, चूंकि मंत्री ने पहले ही सभा को आश्वस्त कर दिया है कि कुछ प्रभावी उपाय किए जाएंगे इसलिए मैं मानता हूं कि वह ऐसा करेंगे।

इसलिए, मैं अपना संकल्प वापस लेने के लिए सभा की अनुमति मांगता हूं।

सभा की अनुमति से संकल्प वापस लिया गया।

माननीय उपाध्यक्ष : प्रश्न यह है:

"कि होम्योपैथी परिषद अधिनियम, 1973 में और संशोधन करने वाले विधेयक पर विचार किया जाए।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

माननीय उपाध्यक्ष : अब सभा विधेयक पर खंड-वार विचार करेगी।

खंड दो - नई धारा 3क, 3ख और 3ग का अंतःस्थापन

श्री एन.के. प्रेमचन्द्रन (कोल्लम) : मैं प्रस्ताव करता हूं:

पृष्ठ 2, पंक्ति 6,–

"एक वर्ष" **के स्थान पर**

"छह माह" **प्रतिस्थापित** किया जाए। (1)

पृष्ठ 2, पंक्ति 10,–

"इस अधिनियम के अधीन" **के पश्चात्**

"छह माह से अनधिक अवधि के लिए" **अंतःस्थापित** किया जाए। (2)

पृष्ठ 2, पंक्ति 12,–

"शासी बोर्ड" **के पश्चात्**

"छह माह से अनधिक अवधि के लिए" **अंतःस्थापित** किया जाए। (3)

हिन्दी पाठ पर लागू नहीं।

पृष्ठ 2, पंक्ति 31 से 33,– (4)

"इससे पहले कि वह शासी बोर्ड की ऐसी कार्यवाहियों में भाग लेने के लिए अनुज्ञात किया जाए, उस विषय में अपना हित प्रकट करेगा" **के स्थान पर**

"शासी बोर्ड के सदस्य के रूप में नियुक्त या नामनिर्दिष्ट होने के लिए अर्ह नहीं होगा" **प्रतिस्थापित** किया जाए। (5)

पृष्ठ 3, पंक्ति 2,–

"इस अधिनियम के अधीन" **के पश्चात्**

"इस अधिनियम के प्रारंभ होने से छह माह से अनधिक अवधि के लिए" **अंतःस्थापित** किया जाए। (6)

7. पृष्ठ 3, पंक्ति 15,–

"क्या कोई प्रश्न नीति विषयक है या नहीं" **के स्थान पर**

"नीति के विषय पर" **प्रतिस्थापित** किया जाए। (7)

महोदय, मैंने इस विधेयक पर गहरी आपत्ति व्यक्त की है। माननीय मंत्री ने वाद-विवाद का उत्तर दिया और कहा है कि वह एक व्यापक विधेयक लाएंगे। मेरा प्रश्न तकनीकी मुद्दों से संबंधित है। दो विधेयक जो राज्य सभा में लंबित हैं, उनका उद्देश्यों और कारणों के विवरण में उल्लेख क्यों नहीं किया गया। इस मामले का फैसला होना चाहिए और इसे स्पष्ट किया जाना चाहिए। ऐसा इसलिए है कि यह संसद है।

माननीय उपाध्यक्ष : उन्होंने पहले ही उल्लेख किया है। यह सिर्फ स्वीकृति के लिए है और वह एक नया विधेयक लाने जा रहे हैं उस समय आप जो चाहे कह सकते हैं।

श्री एन.के. प्रेमचन्द्रन : महोदय, अध्यक्षपीठ से एक निदेश दिया जा सकता है कि जब उद्देश्यों और कारणों का कथन प्रारूपित किया जाएगा तो सभी विवरण उसमें होंगे ताकि संसद के सभी सदस्य विधेयक पर विस्तृत चर्चा करने के लिए पूरी तैयारी के साथ आ सकें।

माननीय उपाध्यक्ष : उन्होंने अपने उत्तर में इसे बहुत स्पष्ट कर दिया है कि यह केवल सीमित उद्देश्य के लिए है। यह अध्यादेश सिर्फ स्वीकृति के लिए लाया गया था। वह बहुत शीघ्र एक व्यापक विधेयक लाने जा रहे हैं। उस समय वह आपके सभी सुझावों पर विचार करेंगे।

अब मैं श्री एन.के. प्रेमचन्द्रन द्वारा पेश किए गए खंड 2 में संशोधन संख्या 01 से 07 को सभा के मतदान हेतु रखता हूं।

संशोधन मतदान के लिए रखे गए तथा अस्वीकृत हुए।

माननीय उपाध्यक्ष : श्री चौधरी, क्या आप संशोधन संख्या 8 और 9 प्रस्तुत कर रहे हैं?

श्री अधीर रंजन चौधरी : महोदय, मैं माननीय मंत्री को सुझाव देना चाहूंगा कि लोकतांत्रिक बलों की आवाज को दबाने के लिए किसी प्रकार का निरंकुश और सत्तावादी रवैया न अपनाएं।

महोदय, मैं अपने संशोधन पेश नहीं कर रहा हूं।

माननीय उपाध्यक्ष : डॉ. संघमिता, क्या आप अपने संशोधन प्रस्तुत कर रही हैं?

डॉ. ममताज़ संघमिता (बर्धमान दुर्गापुर) : महोदय, मैं प्रस्ताव करती हूं:

पृष्ठ 2, पंक्ति 13,–

"होम्योपैथी शिक्षा" **के पश्चात्** "और जो सरकारी या सरकारी सहायता प्रापत होम्योपैथी चिकित्सा महाविद्यालय के पूर्व डीन/प्रधानाध्यापक रह चुके हों" **अंतस्थापित** किया जाये। (10)

माननीय उपाध्यक्ष : अब मैं डॉ. ममताज संघमिता द्वारा प्रस्तुत संशोधन संख्या 10 से खंड 2 को सभा की स्वीकृति के लिए रखता हूं।

संशोधन मतदान के लिए रखा गया तथा अस्वीकृत हुआ।

माननीय उपाध्यक्ष : प्रश्न यह है:

"कि खंड 2 विधेयक का अंग बने"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

खंड 2, विधेयक में जोड़ दिया गया।

खंड 3 नई धारा 12ग का अंत:स्थापन

डॉ. ममताज़ संघमिता : मैं प्रस्ताव करती हूं:

पृष्ठ 3, पंक्ति 19,–

"अधिनियम, 2018" **के पश्चात्** "और जिसने पूर्व परिषद् से अनुमति प्राप्त नहीं की हो" **अंत:स्थापित** किया जाये। (11)

माननीय उपाध्यक्ष : अब मैं डॉ. ममताज़ संघमिता द्वारा प्रस्तुत संशोधन संख्या 11 से खंड 3 को सभा की स्वीकृति के लिए रखता हूं।

संशोधन मतदान के लिए रखा गया तथा अस्वीकृत हुआ।

माननीय उपाध्यक्ष : प्रश्न यह है:

"कि खंड 3 विधेयक का अंग बने"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

खंड 3, विधेयक में जोड़ दिया गया।

खंड 4, विधेयक में जोड़ दिया गया।

खंड 1, अधिनियमन सूत्र तथा विधेयक का पूरा नाम विधेयक में जोड़ दिये गये।

माननीय उपाध्यक्ष : माननीय मंत्री अब आप पारित करने के लिए विधेयक पेश करें।

श्री श्रीपाद येसो नाईक : महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूं:

"कि विधेयक पारित किया जाए।"

माननीय उपाध्यक्ष : प्रश्न यह है:

"कि विधेयक पारित किया जाए।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

अपराह्न 04.31 बजे

[अनुवाद]

*स्टेट बैंक (निरसन और संशोधन) विधेयक, 2017 राज्य सभा द्वारा किए गए संशोधन

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री शिव प्रताप शुक्ला) : महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूं:

"कि भारतीय स्टेट बैंक (समनुषंगी बैंक) अधिनियम 1959, हैदराबाद का स्टेट बैंक अधिनियम, 1956 का निरसन करने और भारतीय स्टेट बैंक अधिनियम, 1955 का और संशोधन करने वाले विधेयक में राज्य सभा द्वारा किए गए निम्नलिखित संशोधनों पर विचार किया जाए।"

अधिनियमन सूत्र

1. पृष्ठ 1, पंक्ति 1 में, शब्द "अड़सठवें" **के स्थान पर**, शब्द "उनहत्तरवें" **प्रतिस्थापित** किया जाए।

खंड 1

2. पृष्ठ 1, पंक्ति 6 में, शब्द "2017" **के स्थान पर** अंक "2018" **प्रतिस्थापित** किया जाए।

माननीय उपाध्यक्ष : प्रश्न यह है:

"कि भारतीय स्टेट बैंक (समनुषंगी बैंक) अधिनियम 1959, हैदराबाद का स्टेट बैंक अधिनियम, 1956 का निरसन करने और भारतीय स्टेट बैंक अधिनियम, 1955 का और संशोधन करने वाले विधेयक में राज्य सभा द्वारा किए गए निम्नलिखित संशोधनों पर विचार किया जाए।"

---

*विधेयक 10 अगस्त, 2017 को लोक सभा द्वारा पारित किया गया तथा इसे राज्य सभा को उसकी सहमति के लिए भेजा गया था। राज्य सभा ने 18 जुलाई, 2018 को हुई अपनी बैठक में विधेयक को संशोधनों के साथ पारित किया और इसे 19 जुलाई, 2018 को लोक सभा को लौटा दिया।

अधिनियमन सूत्र

1. पृष्ठ 1, पंक्ति 1 में, शब्द "अड़सठवें" **के स्थान पर**, शब्द "उनहत्तरवहें" **प्रतिस्थापित** किया जाए।

खंड 1

2. पृष्ठ 1, पंक्ति 6 में, अंक "2017" **के स्थान पर** अंक "2018" **प्रतिस्थापित** किया जाए।

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

माननीय उपाध्यक्ष : अब हम राज्य सभा द्वारा किए गए संशोधनों पर विचार करेंगे। अब मैं राज्य सभा द्वारा किए गए संशोधन संख्या 1 और 2 दोनों को सभा में मतदान हेतु रखता हूं।

प्रश्न यह:

अधिनियमन सूत्र

1. पृष्ठ 1, पंक्ति 1 में, शब्द "अड़सठवें" **के स्थान पर**, शब्द "उनहत्तरवहें" **प्रतिस्थापित** किया जाए।

खंड 1

2. पृष्ठ 1, पंक्ति 6 में, शब्द "2017" **के स्थान पर** अंक "2018" **प्रतिस्थापित** किया जाए।

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

माननीय उपाध्यक्ष : अब मंत्री जी प्रस्ताव प्रस्तुत करेंगे कि लोक सभा द्वारा यथापारित, स्टेट बैंक (निरसन और संशोधन) विधेयक, 2017 में राज्य सभा द्वारा किए गए संशोधनों से सहमति व्यक्त की जाए।

श्री शिव प्रताप शुक्ला : महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूं:

"कि राज्य सभा द्वारा विधेयक में किए गए संशोधनों से सहमति व्यक्ति की जाए।"

माननीय उपाध्यक्ष : प्रश्न यह है:

"कि राज्य सभा द्वारा विधेयक में किए गए संशोधनों से सहमति व्यक्ति की जाए।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

अपराह्न 4.33 बजे

दाण्डिक विधि (संशोधन) अध्यादेश, 2018 का निरनुमोदन किए जाने के बारे में सांविधिक संकल्प

और

दाण्डिक विधि (संशोधन) विधेयक, 2018

माननीय उपाध्यक्ष : अब सभा मद संख्या 19 और 20 पर एक साथ विचार करेगी:

श्री एन.के. प्रेमचन्द्रन।

श्री एन.के. प्रेमचन्द्रन (कोल्लम) **:** महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूं:

"कि यह सभा राष्ट्रपति द्वारा 21 अप्रैल, 2018 को प्रख्यापित दाण्डिक विधि (संशोधन) अध्यादेश, 2018 (2018 का संख्याक 2) का निरनुमोदन करती है।"

गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री किरेन रिजीजू) : महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूं:

"कि भारतीय दण्ड संहिता, भारतीय साक्ष्य अधिनियम, 1872, दंण्ड प्रक्रिया संहिता, 1973 और लैंगिक अपराधों से बालकों का संरक्षण अधिनियम, 2012 का और संशोधन करने वाले विधेयक पर विचार *किया जाए।"*

महोदय, इस विधेयक पर विचार किए जाने का प्रस्ताव करते हुए मैं आरंभ में कुछ कहना चाहूंगा। किसी राजनीतिक दल का पक्ष लिए बिना एक साथ आने और इस विधेयक पर बोलने का हम सबके लिए यह अत्यंत महत्वपूर्ण अवसर है।

महोदय, हाल ही के दिनों में, विशेष रूप से 16 वर्ष से कम आयु की बच्चियों और यहां तक की 12 वर्ष की बच्चियों के साथ बलात्कार की ऐसी कई घटनाएं हुई हैं, जिन्होंने देश की आत्मा को झकझोर कर रख दिया। इसलिए ऐसे अपराधियों को दंड देने के कठोर उपाय करने के लिए सरकार ने 21 अप्रैल, 2018 को यह अध्यदेश प्रख्यापित किया था। अब, इस अध्यादेश को प्रतिस्थापित करने के लिए सरकार दाण्डिक विधि (संशोधन) विधेयक, 2018 लायी है।

महोदय, मैं एक बार फिर से सभा से अपील करता हूं कि इस विधेयक के उपबंधों का समर्थन करे और देश की महिलाओं और बालिकाओं की सुरक्षा के लिए ऐसे ही और कदम उठाने के लिए सरकार को प्रोत्साहित करे।

माननीय उपाध्यक्ष : प्रस्ताव प्रस्तुत हुए:

"कि यह सभा राष्ट्रपति द्वारा 21 अप्रैल, 2018 को प्रख्यापित दाण्डिक विधि (संशोधन) अध्यादेश, 2018 (2018 का संख्याक 2) का निरनुमोदन करती है।"

"कि भारतीय दण्ड संहिता, 1860, भारतीय साक्ष्य अधिनियम, 1872, दंण्ड प्रक्रिया संहिता, 1973 और लैंगिक अपराधों से बालकों का संरक्षण अधिनियम, 2012 का और संशोधन करने वाले विधेयक पर विचार किया जाए।"

श्री एन.के. प्रेमचन्द्रन : महोदय, मैं कानून को अध्यादेश के रास्ते से बनाने का विरोध करता हूं किंतु कुछ आपत्तियों के साथ इस विधेयक की विषय वस्तु का समर्थन करता हूं।

अपराह्न 04.35 बजे

[**श्री कलराज मिश्र** *पीठासीन हुए*]

अधिकांश समय हमने इस सभा में अध्यादेश के प्रख्यापन और इसके प्रभाव के संबंध में चर्चा कर रहे हैं। मुझे उन सब बातों को पुनः दोहराने की जरूरत नहीं है क्योंकि यह एक सुस्थापित सवैंधानिक स्थिति है कि जब तक देश में कोई असाधारण परिस्थिति न हो तब तक अनुच्छेद 123, अध्यादेश के प्रख्यापन की इजाजत नहीं देता है।

यह कार्यपालिका द्वारा लाया गया एक स्वतंत्र विधान है और इसके साथ ही संविधान के अनुच्छेद 123 में संसद के एक अधिनियम द्वारा अध्यादेश के प्रतिस्थापन के बारे में कुछ नहीं कहा गया है। यहां तक कि संविधान महामहिम राष्ट्रपति अथवा राज्यपाल को विधानमंडल से अलग एक समानान्तर कानून बनाने वाले प्राधिकारी के रूप में इजाजत नहीं देता है। मैं अध्यादेश के जरिए कानून बनाने का विरोध करता है क्योंकि सरकार द्वारा ढाई महीने की अवधि में छः अध्यादेश प्रख्यापित किए गए थे। यह बहुत दुर्भाग्यपूर्ण है। इसलिए, मैं इस अध्यादेश का पुनः विरोध करता हूं।

विधेयक की बात करें तो मैं माननीय मंत्री जी द्वारा अपनी आरंभिक टिप्पणी में व्यक्त किए गए विचारों की पुष्टि करता हूं जिनमें उन्होंने उन अपराधियों को कड़ी सजा देने की बात की है जोकि विशेषकर बालिका छात्राओं अथवा 16 वर्ष से कम और 12 वर्ष से कम की महिलाओं के साथ बलात्कार का गुनाह कर रहे हैं।

अध्यादेश और विधेयक का आशय 16 वर्ष और 12 वर्ष से कम उम्र की महिलाओं के साथ बलात्कार और सामूहिक बलात्कार की घटनाओं के मुद्दे का समाधान करना है।

मैं माननीय मंत्री और सरकार से इस बात को लेकर पूरी तरह सहमत हूं कि इस जघन्य अपराध पर कठोर दंड के कानूनी प्रावधानों के जरिए प्रभावी तरीके से अंकुश लगाना बहुत ही आवश्यक है; यह समय की मांग है; इस बारे में कोई संदेह नहीं है और मैं माननीय मंत्रीजी के विचारों को पूरी तरह समर्थन करता हूं।

दंडात्मक प्रावधानों को और अधिक सख्त व प्रभावी बनाने के लिए सजा जरूरी है। अभियुक्त की शीघ्र गिरफ्तारी बहुत ही आवश्यक है और ऐसे मामलों में शीघ्र सुनवाई सुनिश्चित की जानी चाहिए। तभी हम स्थिति पर काबू पाने में कामयाब हो सकेंगे।

उक्त लक्ष्य को हासिल करने के लिए इस अध्यादेश या इस विधेयक के जरिए भारतीय दंड संहिता, भारतीय साक्ष्य अधिनियम, 1872, दंड प्रक्रिया संहिता और लैंगिक अपराधों से बालकों का संरक्षण अधिनियम, 2012 जैसे चार कानूनों में संशोधन किए जाने का प्रस्ताव है।

महोदय, इस संशोधन से 12 साल से कम आयु की लड़की के साथ बलात्कार के अपराध के लिए मृत्यु दंड और फिर 12 साल से कम आयु की लड़की से सामूहिक बलात्कार के अपराध के लिए भी मृत्यु दंड और 16 साल से कम उम्र की लड़की के मामले में 20 वर्षों की कैद की सजा, जिसे कतिपय परिस्थितियों में आजीवन कारावास की सजा में भी तबदील की जा सकती है, का प्रस्ताव है। साथ ही, 16 वर्ष से कम आयु की महिला के साथ सामूहिक बलात्कार के लिए आजीवन कारावास की कठोर सजा है।

बलात्कार के अपराध के मामले में न्यूनतम सात से दस वर्षों की सजा है। इसे अब आजीवन कारावास की सजा में तबदील कर दिया गया है। यही संशोधन है जिसका प्रस्ताव सरकार द्वारा इस संशोधन विधेयक में किया जा रहा है।

मैं अन्य संशोधनों से भी पूरी तरह सहमत हूं क्योंकि जांच दो महीने के अंदर पूरी की जानी चाहिए। यह देखना व्यवहारिक है कि क्या बलात्कार के मामले में आपराधिक जांच अपराध होने की तिथि से दो महीने के अंदर पूरी हो सके। जो भी हो, मैं इसे पूरी तरह स्वीकार करता हूं और इसका समर्थन करता हूं।

दो महीने के अंदर सुनवाई पूरी किए जाने, आपराधिक मामले को और विशेषकर उस आपराधिक मामले को जिसमें अपराध बलात्कार का होता है, अपराध होने की तिथि से या फिर कानूनी अदालत में आरोप-पत्र दाखिल करने के तिथि से दो महीने के अंदर पूरा किए जाने के इस मुद्दे को स्पष्ट करना होगा।

जहां तक अपील को छह महीनों में निपटाए जाने का प्रावधान है, तो मैं इस बात से भी पूरी तरह सहमत हूं। अधिकांश मामलों से जहां

मजिस्ट्रेट अदालत या जांच अदालत मुजरिम या अभियुक्त को दोषी करार भी कर देती है तो भी मामला अपील या दूसरी अपील में कुछ इस तरह चलता रहेगा जिससे कि अंतिम निर्णय पीड़ित के खिलाफ ही जाएगा।

दूसरा महत्वपूर्ण प्रावधान जिसे शामिल किया गया है वह यह है कि 16 और 12 साल से कम आयु की लड़कियों के साथ हुए बलात्कार या सामूहिक बलात्कार के मामले में अग्रिम जमानत नहीं होगी। यह भी सरकार का एक स्वागत योग्य प्रावधान है क्योंकि आजकल किसी भी कानूनी अदालत में, चाहे वह उच्च न्यायालय हो या कोई अन्य अदालत, हर कोई को अग्रिम जमानत मिल जा रही है और वह जेल से बाहर हो जाता है। मैं इन शिथिलताओं या शीघ्र सुनवाई का पूरी तरह समर्थन करता हूं या इनसे सहमत हूं। यह एक व्यापक संशोधन विधेयक है जिसपर हम चर्चा करने जा रहे हैं।

मैं संशोधनों से पूर्णत: सहमत हूं क्योंकि जांच दो माह के अंदर पूरी हो जानी चाहिए। क्या यह देखने में व्यवहारिक है कि बलात्कार के मामले पर आपराधिक जांच अपराध/आरोप लगाए जाने की तिथि से दो माह के भीतर पूरी की जा सकती है। वैसे भी मैं पूरी तरह से इसे स्वीकार करता हूं और इसका समर्थन करता हूं।

दो माह के अंदर मुकदमे को पूरा करने का यह मामला, आपराधिक मामले को पूरा करना, एवं विशेषरूप से आपराधिक मुकदमा पूरा करना जिसमें अपराध का आरोप लगाए जाने की तिथि अथवा न्यायालय में चार्जशीट/आरोप पत्र दाखिल करने से दो माह के भीतर बलात्कार शामिल है, को स्पष्ट किया जाना चाहिए। मैं अपील पर 6 माह के अंदर सुनवाई पूरी करने संबंधी प्रावधान पर भी पूर्णत: सहमत हूं। अधिकांश मामलों में, हालांकि मजिस्ट्रेट कोर्ट या ट्रायल कोर्ट एक अपराधी या आरोपी को दोषी ठहराता है, फिर भी अपील या दूसरी अपील कुछ भी हो जाए, अंतिम फैसला पीड़ित के खिलाफ होगा/एक अन्य महत्वपूर्ण प्रावधान जिसे शामिल किया गया है, 16 वर्ष एवं 12 वर्ष से कम उम्र की महिलाओं के साथ बलात्कार अथवा सामूहिक बलात्कार के मामले में कोई भी अग्रिम जमानत नहीं होगी। यह सरकार द्वारा भी एक स्वागत योग्य प्रावधान है क्योंकि आजकल, किसी भी अदालत में चाहे वे उच्च न्यायालय हो अथवा किसी अन्य अदालत हो, किसी को भी अग्रिम जमानत मिल रही है और वह जेल से छूट जाएगा। मैं इन छूटों अथवा त्वरित मुकदमों का पूरी तरह से समर्थन करता हूं एवं सहमत हूं/यह एक व्यापक संशोधन विधेयक है जिस पर हम चर्चा करने जा रहे हैं।

इस प्रतिष्ठित सदन के समक्ष प्रथम बिंदु जिस पर मैं प्रकाश डालना चाहूंगा, कि क्या अध्यादेश जारी करने की कोई तात्कालिकता है और क्या यह संशोधन विधेयक उद्देश्य को पूरा करने के लिए पर्याप्त है या नहीं।

यही वह बिंदु है जिस पर मैं विस्तार से चर्चा करना चाहता हूं। इस मामले में हम सभी जानते हैं कि यह अध्यादेश 21 अप्रैल 2018 को प्रख्यापित किया गया था। तारीख बहुत प्रासंगिक है और कश्मीर में कठुआ घटना के बाद यह अध्यादेश लाया किया गया था। मेरा मानना है कि जम्मू एवं कश्मीर सरकार के साथ-साथ केन्द्र सरकार भी 8 साल से कम उम्र की एक छोटी लड़की के बलात्कार की कठुआ घटना और मंदिर परिसर में उस लड़की की हत्या के मामले में बचाव में है। जहां तक इस देश का संबंध है, यह बहुत दुर्भाग्यपूर्ण है।

महोदय, यह देश कहां जा रहा है? दुनिया का सबसे बड़ा लोकतंत्र किस दिशा में जा रहा है? एक 8 साल से कम उम्र की बच्ची/लड़की को परेशान किया गया, यौन उत्पीड़न किया गया, बलात्कार किया गया और अंत में क्रूर तरीके से उसकी हत्या कर दी गई है।

[हिन्दी]

श्री रमेश बिधूड़ी (दक्षिण दिल्ली) : इसी के लिए तो यह बिल ला रहे हैं। आप बिल पर बोलिएगा।

श्री एन.के. प्रेमचन्द्रन (कोल्लम) : आप कठुआ की घटना से इतने डरे हुए क्यों है?

...*(व्यवधान)*

[अनुवाद]

रसायन और उर्वरक मंत्री तथा संसदीय कार्य मंत्री (श्री अनंत कुमार) : सभापति महोदय, कोई भी भयभीत नहीं है। किंतु मेरे प्रिय मित्र श्री प्रेमचन्द्रन को समझना चाहिए कि वे अपने संकल्प पर केवल बात कर रहे हैं। विधेयक पर विचार किया जाना चाहिए। जब विधेयक पर विचार किया जाएगा तो वह अपना भाषण दे सकते है। उन्हें अभी अपना भाषण देने की कोई जरूरत नहीं है क्योंकि वह इस बहस की शुरूआत नहीं कर रहे हैं।

श्री एन.के. प्रेमचन्द्रन : महोदय, मैं जानना चाहता हूं कि क्या विधेयक एवं सांविधिक संकल्प एक साथ उठाए गए हैं।

[हिन्दी]

माननीय सभापति : प्रेमचन्द्रन जी, यह कंबाइंड डिस्कशन है, आप इस बात का ध्यान रखिए।

[अनुवाद]

श्री एन.के. प्रेमचन्द्रन : मुझे विधेयक पर बात करने की पूर्ण स्वतंत्रता है।

श्री अनंत कुमार : नहीं महोदय। आपको इस विधेयक पर बात करने का कोई अधिकार नहीं है। अध्यादेश के मुद्दे का विरोध करने वाले

प्रस्ताव को पेश करते हुए, वह केवल इस बात का जिक्र कर सकता है कि वह तकनीकी और संवैधानिक आधार पर अध्यादेश का विरोध क्यों कर रहा हैं। वह विधेयक के गुण-दोष के बारे में चर्चा नहीं कर सकते हैं और कठुआ घटना और अन्य चीजों का संदर्भ नहीं दे सकते है।

[हिन्दी]

माननीय सभापति : आप इस बात का ध्यान रखें और उसके अनुसार बोलें तो ठीक रहेगा।

[अनुवाद]

श्री एन.के. प्रेमचन्द्रन : महोदय; मैं बहुत भाग्यशाली हूं कि आप अध्यक्ष हैं। मैं मंत्री जी के अवलोकन को नहीं समझ सकता हूं। अध्यादेश और विधेयक की विषयवस्तु एक जैसी है। माननीय संसदीय कार्य मंत्री कृपया इसे देख सकते हैं। इसलिए, मुझे विधेयक पर भी बोलना है। इसलिए कठुआ और उन्नाव की घटनाओं का उल्लेख करना आवश्यक है। एक मंदिर के परिसर में नाबालिग लड़की का सामूहिक बलात्कार एवं हत्या ने पूरे देश की अंतर-आत्मा को झकझोर दिया है।

[हिन्दी]

माननीय सभापति : आप बिल पर बोलिए। आपने रेफर कर दिया, यह पर्याप्त है।

...*(व्यवधान)*

माननीय सभापति : अब आप समाप्त कीजिए। आप बिल पर बोलिए।

[अनुवाद]

श्री एन.के. प्रेमचन्द्रन : इस विधेयक के उद्देश्यों और कारणों के कथन का प्रारंभिक वाक्य यह है कि बलात्कार की हालिया घटनाओं ने देश/राष्ट्र की अंतरात्मा को झकझोर दिया है। यही प्रारंभिक वाक्य है।

[हिन्दी]

माननीय सभापति : अब आप समाप्त कीजिए।

...*(व्यवधान)*

माननीय सभापति : प्रेमचन्द्रन जी, अब आप अपनी स्पीच समाप्त कीजिए।

[अनुवाद]

श्री एन.के. प्रेमचन्द्रन : जी महोदय, मैं विधेयक पर बोल रहा हूं। ...*(व्यवधान)* सरकार इतनी असहिष्णु क्यों है?

श्री अनन्त कुमार : कोई भी असहिष्णु नहीं है। आप नियमों और विनियमों को नहीं समझ रहे हैं। आप एक सदस्यीय दल हो और आपको अपनी सीमाएं/हद जानना चाहिए। आपके पास सीमित समय है और आप बारंबार विधेयक पर बोल रहे हो। ये कोई तरीका नहीं है।

श्री एन.के. प्रेमचन्द्रन : यह उचित नहीं है। सभापति अपना निर्णय निर्देश दें।

...*(व्यवधान)*

श्री अनन्त कुमार : वह इस समय विधेयक पर अपना भाषण नहीं दे सकते हैं।

...*(व्यवधान)*

श्री एन.के. प्रेमचन्द्रन : महोदय, यह बहुत दुर्भाग्यशाली है। मैं बोलने के लिए खड़ा हूं क्योंकि मैं संकल्प का प्रस्तावक हूं। संकल्प का प्रस्ताव देना सदस्य का विशेषाधिकार है। इसका मतलब है कि मैं भलीभांति इस पर बोल सकता हूं...*(व्यवधान)* यदि आप सुनना नहीं चाहते हो, वह अलग बात है।

[हिन्दी]

श्री अनन्त कुमार : महोदय आप इनसे कहिए कि ये रिजोल्यूशन को कंसीडर करें।

...*(व्यवधान)*

माननीय सभापति : अब आप अपनी बात समाप्त कीजिए।

[अनुवाद]

श्री एन.के. प्रेमचन्द्रन : यदि आप कठुआ एवं उन्नाव की घटनाओं से इतने ज्यादा चिन्तित है...*(व्यवधान)*

[हिन्दी]

माननीय सभापति : प्रेमचन्द्रन जी, आप अपने रेजॉल्यूशन को कनक्लूड करें।

...*(व्यवधान)*

माननीय सभापति : आपने इसे पहले ही मूव कर दिया है। अब आप इसे कनक्लूड करें।

[अनुवाद]

श्री एन.के. प्रेमचन्द्रन : जी हां, महोदय।

महोदय, 12 से 18 वर्ष से कम उम्र की लड़कियों के बलात्कार एवं हत्या की हाल की घटनाओं...*(व्यवधान)*

[हिन्दी]

माननीय सभापति : इसे आप कई बार कह चुके हैं। अब अपने प्रस्ताव को कनक्लूड करें।

[अनुवाद]

श्री एन.के. प्रेमचन्द्रन : महोदय, इसने देश की छवि को बिगाड़ा है। यही कारण है कि मैं विधेयक का समर्थन कर रहा हूं। इसने देश की छवि को कलंकित किया है। इसका मुकाबला/विरोध/सामना करना होगा। ...*(व्यवधान)*

माननीय सभापति : कृपया अब समाप्त कीजिए।

श्री एन.के. प्रेमचन्द्रन : महोदय, यह क्या है?

[हिन्दी]

माननीय सभापति : प्लीज, आप इसे जल्दी कनक्लूड करें। जब आपने इसे एक बार रेफर कर दिया है। उसमें सारी बातें आ गई हैं। अब अपने प्रस्ताव को आप कनक्लूड करें।

...*(व्यवधान)*

[अनुवाद]

श्री एन.के. प्रेमचन्द्रन : महोदय अब मैं अपने स्पीच/भाषण के दूसरे भाग पर आऊंगा।

माननीय सभापति : अब आपके पास समय नहीं है।

श्री एन.के. प्रेमचन्द्रन : महोदय, मैं संकल्प का प्रस्तावक हूं।

श्री अनन्त कुमार : महोदय, यह प्रारंभ करने वाले नहीं हैं। वह केवल संकल्प के प्रस्तावक हैं।

[हिन्दी]

माननीय सभापति : आपको बोलने के लिए दस मिनट का समय था। आप इसके मूवर थे। इसलिए आपको इतना समय दिया गया। कृपया अब इसे समाप्त करे। आपका दस मिनट से ज्यादा समय हो गया।

...*(व्यवधान)*

[अनुवाद]

माननीय सभापति : आपने पहले ही 10 मिनट ले लिए हैं।

श्री एन.के. प्रेमचन्द्रन : महोदय, मैंने तो अभी शुरू किया है।

माननीय सभापति : आपने 16:34 बजे शुरू किया था।

...*(व्यवधान)*

माननीय सभापति : कृपया अब कनक्लूड कीजिए।

...*(व्यवधान)*

[हिन्दी]

माननीय सभापति : कृपया आप लोग बैठ जाइए।

श्री निशिकान्त दुबे (गोड्डा) **:** सर, मेरा इसमें पॉइंट-ऑफ-आर्डर है।

माननीय सभापति : ठीक है, आप बोलिए।

[अनुवाद]

श्री निशिकान्त दुबे : लोकसभा में प्रक्रिया और संचालन के नियमों के नियम 179 के तहत मेरा व्यवस्था का प्रश्न यह है जो कहता है कि, "किसी संकल्प पर चर्चा संकल्प के दायरे के भीतर वास्तव में प्रासंगिक होगी"।

[हिन्दी]

सर इनका रिजोल्यूशन क्या है? इन्होंने किसी कंस्टीट्यूशनल वैलिडिटी के ऊपर रिजॉल्यूशन दिया होगा। ये पूरे बिल के ऊपर चर्चा नहीं कर सकते। रूल 179 के आधार पर यह चर्चा नहीं हो सकती। जब वे इसके डिस्कशन में भाग लेंगे, फिर वे पूरे बिल के कॉन्टेंट के ऊपर चर्चा करेंगे। इसमें नियम-179 पूरा क्लियर है। यदि यह क्लियर है तो इन्होंने रिजॉल्यूशन का जो रीजन दिया है, वे अपनी डिबेट का स्कोप केवल उसके ऊपर करेंगे।

...*(व्यवधान)*

[अनुवाद]

माननीय सभापति : प्रेमचन्द्रन जी, अब कृपया कनक्लूड करें।

प्रोफेसर सौगत रॉय (दमदम) **:** महोदय...*(व्यवधान)*

[हिन्दी]

माननीय सभापति : सौगत जी, आप बैठ जाइए।

[अनुवाद]

प्रोफेसर सौगत रॉय : महोदय, मेरी व्यवस्था का प्रश्न है।

[हिन्दी]

श्री अनुराग सिंह ठाकुर (हमीरपुर) : दादा आप रूल बताइए।

[अनुवाद]

प्रोफेसर सौगत रॉय : यह नियम 376 है। महोदय, माननीय सदस्य, श्री निशिकान्त दुबे ने नियम 179 का हवाला दिया है। श्री प्रेमचन्द्रन का संकल्प नियम 179 के अंतर्गत संकल्प/प्रस्ताव नहीं है। यदि आप संविधान के अनुच्छेद 123(2)(क) पर गौर करेंगे, यह सांविधिक संकल्पों से संबंधित है। अब सांविधिक संकल्प इस कथन को संदर्भित करता है कि जब तक अध्यादेश के विरुद्ध प्रस्ताव सदन द्वारा पारित नहीं किया जाता है, अध्यादेश एक विधेयक के रूप में पारित किया जाएगा।

अत: उन्होंने जो भी बताया है वह संविधान के तहत एक नियम है।

श्री अनुराग सिंह ठाकुर : किंतु उन्हें संकल्प को प्रस्तावित करना चाहिए। कोई भी उन्हें संकल्प को प्रस्तावित करने से नहीं रोक रहा है।

प्रोफेसर सौगत रॉय : इसलिए *[हिन्दी]* उसे करने दिया जाए।

...*(व्यवधान)*

माननीय सभापति : अनुराग जी, सौगत जी, आप लोग बैठ जाइए। मैं इस पर अपनी बात बता रहा हूं।

...*(व्यवधान)*

माननीय सभापति : इस पर डिबेट नहीं होता है।

सौगत जी, कृपया आप अपना आसन ग्रहण करें। मैं इस पर अपनी बात बता रहा हूं।

...*(व्यवधान)*

माननीय सभापति : इन्होंने पॉइंट-ऑफ-ऑर्डर उठाया है। मैं इस पर अपनी बात बता रहा हूं।

...*(व्यवधान)*

माननीय सभापति : प्रेमचन्द्रन जी, यह बिल है। इस पर आप बोल सकते हैं, इसे रेफर कर सकते हैं। आप अपनी बात कनक्लूड करके बैठिए।

...*(व्यवधान)*

श्री एन.के. प्रेमचन्द्रन : महोदय, क्या मैं श्री निशिकान्त दुबे को जवाब दे सकता हूं?

माननीय सभापति : अब वह समाप्त हो गया। आप बिल पर डिस्कशन के अंतर्गत इसे रेफर कर सकते हैं। आपने जो रेजॉल्यूशन दिया है, वह इस बिल के ऊपर दिया है। इसलिए रेफरेंस की दृष्टि से यह बात आ गयी। इसके बाद आप बिल पर बोलिए। आपका जो समय था, उससे बहुत ज्यादा समय हो गया है। इसलिए कृपया अब अपनी बात कनक्लूड करके बैठ जाइए।

...*(व्यवधान)*

[अनुवाद]

श्री एन.के. प्रेमचन्द्रन : महोदया, मैं पहले ही प्रस्ताव प्रस्तुत कर चुका हूं...*(व्यवधान)*

माननीय सभापति : आप दस मिनट से ज्यादा समय नहीं ले सकते।

...*(व्यवधान)*

श्री एन.के. प्रेमचन्द्रन : महोदय, कृपया मुझे बात रखने दीजिए। मैं प्रस्ताव प्रस्तुत कर चुका हूं। मेरा प्रस्ताव क्या है? अध्यादेश को अनुमोदित न करना है। अध्यादेश क्या है?...*(व्यवधान)* यदि सरकार मुझे सुनने के लिए तैयार नहीं है तो मैं अपनी बात को समाप्त करता हूं ...*(व्यवधान)*

श्री अनंत कुमार : यह प्रश्न नहीं है, महोदय। उनका समय समाप्त हो चुका है...*(व्यवधान)*

माननीय सभापति : अब, श्रीमती किरण खेर।

श्रीमती किरण खेर (चंडीगढ़) : धन्यवाद माननीय सभापति जी, महोदय।

सबसे पहले मैं कहना चाहूंगी कि श्री प्रेमचन्द्रन कह रहे थे कि "18 अप्रैल को अध्यादेश लाने की क्या जरूरत है।" हम ऐसा करने के लिए बाध्य नहीं होते यदि माननीय विपक्ष बजट सत्र के दौरान सभा की कार्यवाही करने देता। मैं कहना चाहूंगी कि आप चयनात्मक रूप से एक या दो मामलों का संदर्भ देते रहते हो, जोकि, मैं समझती हूं, मामले का राजनीतिकरण किया जा रहा है जोकि सामान्यत: पूरे देश और सभी महिलाओं और सभी बच्चों से संबंधित है। मैं एक या दो क्षेत्रों के चुनने, उठाने या रखने पर जोरदार आपत्ति करती हूं। आप दूसरे क्षेत्रों के बारे में बात नहीं करते जिनका उत्तर देकर में शुसोभित नहीं हूंगी।

मैं आज कानून के इस ऐतिहासिक अंश का समर्थन करने के लिए खड़ी हुई हूं।

इस समय हम डरावनी वास्तविकता से रूबरू हो रहे हैं, देश में बड़ी संख्या में भोले-भाले बच्चे, विशेष तौर पर, लड़कियां, अकथनीय हिंसा में अपने बचपन को खोए जाने के खतरे में हैं। फौजीदारी कानून (संशोधन) अध्यादेश उपयुक्त समय की घोषणा थी और जिस विधेयक पर हम आज चर्चा कर रहे हैं, वास्तव में गृह मंत्रालय द्वारा प्रस्तावित कानून का स्वागतयोग्य अंश है। वर्ष 2014 से पूर्व, हमने निर्भया गैंग रेप और क्रूर हत्या के भयानक मामले को देखा है। हमने देखा कि पूरा देश इसके खिलाफ खड़ा हो रहा था और संसद ने इस जैसी घटनाओं के विरुद्ध कड़ा कानून पारित किया। इसके बावजूद, हम समाचार पत्रों में भयानक विवर्ण से युक्त बढ़ते भयावह आंकड़ों को देखते हैं। यह विधेयक आपकी लड़कियों और बच्चों के सुरक्षित भविष्य के लिए, देश की लंबे समय से प्रतीक्षित आशा को प्रतिबिंबित करता है।

यह निर्विवाद तथ्य है कि यौन उत्पीड़न से संबंधित मामलों को प्रत्येक स्तर पर कड़ाई से निपटने की आवश्यकता है। इस सिद्धांत को ध्यान में रखते हुए, यह विधेयक बलात्कार से संबंधित संगत कानूनों में विस्तृत संशोधन करता है और स्पष्ट तौर पर जो पीड़ित नाबालिग हैं उन्हें समायोजित करता है। उदाहरण के लिए, चरित्र के प्रमाण को सुनिश्चित करने या 12 और 16 वर्ष से कम उम्र की लड़कियों के बलात्कार से संबंधित मामलों पर पूर्व यौन अनुभव का कोई प्रभाव नहीं होगा, यह विधेयक धारा 53 क और भारतीय प्रमाण अधिनियम, 1872 की धारा 146 के अंतर्गत परंतुक में उपयुक्त रूप से संशोधन करता है। कुछ वर्गों द्वारा 'जल्दबाजी और हड़बड़ाहट' के दावों के विपरित, इस विधेयक के प्रावधान निश्चित रूप से सुविचारित और वर्तमान वास्तविकताओं के समतुल्य हैं। हम सब दो या तीन वर्ष के बच्चों के साथ हो रहे बलात्कार की भयानक सच्चाई के बारे में सुन चुके हैं। हम व्यवस्थापक कैसे और कड़ा कानून नहीं ला सकते? और यदि हम ऐसा नहीं करते हैं, तो हम अपनी विवेकशीलता के साथ इसका कैसे सामजंस्य स्थापित कर सकते हैं।

संदेह की कोई गुंजाइश न छोड़ते हुए 12 और 16 वर्ष की लड़कियों के सामूहिक बलात्कार और बलात्कार की घटनाओं से निपटने के लिए नयी धारा को शामिल करने के लिए भारतीय दंड संहिता में संशोधन किया गया है। यह सही ही किया गया, क्योंकि इन अपराधों के 'जघन्य' जैसा शब्द भी छोटा प्रतीत होता है, जिसे अब मजबूत किया गया है, ताकि हम स्पष्टरूप से यह कह सकें कि "अपराध के अनुसार दंड दिया गया है।" जो लोग मृत्युदंड को अप्रत्यक्ष रूप से निरअनुमोदित कर रहे हैं, मैं उनसे पूछना चाहूंगी कि "बार-बार अपराध करने वालों के लिए कम दंड कैसे संभव हो सकता है?"

लंबी अवधि, विलंब और लंबे मुकदमों ने पीड़ितों के सदमें को बढ़ा दिया है और इसीलिए दंड संहिता प्रक्रिया में प्रस्तावित संशोधन उक्त परिदृश्य में परिवर्तन का वादा करता है। यह विधेयक समयबद्ध जांच और आवेदनों का निपटान प्रत्येक पीड़ित का अधिकार है और किसी को भी विलंबित निर्णय के दर्द से न गुजरना पड़े। इस तरह, प्रावधान दो से तीन माह में जांच को पूरा करने और छह माह के भीतर आवेदन पत्रों के निपटाने और आयु सीमा को मद्देनजर न रखते हुए सभी मामलों पर लागू किया गया है।

हम इन मामलों में बहुत ज्यादा विलंब को पाते हैं। निर्भाया के मामले में निर्णय चार साल बाद आया। क्या यह "न्याय विलंब न्याय से वंचित" का मामला नहीं है। यह प्रशंसनीय है कि सरकार विशेष फास्ट ट्रैक कोर्टों के स्थापित करने, अस्पतालों को फॉरेंसिक किट उपलब्ध करवाने और समर्पित जनशक्ति को बढ़ावा देने के लिए पहले से ही इस दिशा में महत्वपूर्ण कार्य कर रही है। यह माननीय प्रधानमंत्री जी के बेटी बचाओ मिशन के अंतर्गत महत्वपूर्ण कदम है।

इस विधेयक का दूसरा प्रशंसनीय प्रावधान, इन अपराधों के प्रति सरकार की शून्य सहनशीलता पर संदेह की कोई गुंजाइस नहीं छोड़ता, आईपीसी की संगत धारा के अंतर्गत बलात्कार के आरोपियों के लिए अग्रिम जमानत से वंचित करता है। पोस्को मामलों में आरोपी बड़ी ही आसानी से जमानत ले लेता है जिसके परिणामस्वरूप पीड़ित और इसका परिवार सदमे का शिकार होते हैं। दंड संहिता प्रक्रिया या अग्रिम जमानत की धारा 438 उद्देश्य को हम सब जानते हैं, हमें यह बात स्वीकार करने की आवश्यकता है कि इसे बड़े स्तर आरोपी ठहराया गया है।

इस बात को बड़े स्तर पर मान्यता दी गई है कि यह आरोपी के लिए मजबूत यंत्र के रूप में दबदलि हो चुकी है जो निर्धारित न्यायिक प्रक्रिया को दरकिनार करता है। नई अंतर्विष्ट उपधारा 4, इस धारा के कार्यान्वयन की सीमा को न्यायोचित ठहरता है जो यह सुनिश्चित करेगी कि पीड़ितों पर हतोत्साहित प्रभाव नहीं होगा।

मेरा विश्वास है कि विधेयक के ये और अन्य प्रावधान बड़े स्तर पर लोगों की भावना को प्रतिबिंबित करेगा और भविष्य के सृजन के लिए लंबत अवधि तय करेगा और भविष्य में ऐसी घटना और नहीं होगी जिसने पूरे राष्ट्र की विवेकशीलता को हिला दिया था। तथापि, हमें नये कानून को पारित करने तक ही सीमित नहीं रहना चाहिए। यह दुर्भाग्य है कि कुछ स्थानों पर दिशानिर्देशों के लिए घोर अपमान हैं जो प्राधिकरणों की आवश्यकता है कि इन मामलों की संवेदनशील प्रकृति का सम्मान करे। और ज्यादा स्पष्ट होने सरकार द्वारा दिशानिर्देश जारी किये जाने के बावजूद बलात्कार मामलों में पीड़ितों और साक्षी गवाहियों प्रत्यक्ष जांच पर लगातार निर्भर रहना, अनिश्चित शर्तें, दखलंदाजी लड़कियों और बच्चों की अवमानना है।

पिछले साढ़े चार वर्षों में, मैं बहुत बार खड़ी हुई हूं और इस देश की महिलाओं के लिए बलात्कार और स्टाकिंग के विरुद्ध बोली भी हूं। ऐसी घटनाएं पूरे देश में हुई हैं, न कि केवल कुछ राज्यों में जैसाकि श्री प्रेमचन्द्रन कह रहे हैं।

मैं इस विधेयक का जोरदार समर्थन करती हूं। यह कदम निश्चित रूप से सही दिशा में है। मुझे पूर्ण विश्वास है कि जो लोग इन दिशानिर्देशों का उल्लंघन करेंगे सरकार उनके विरुद्ध उपयुक्त कार्रवाई करेगी।

[हिन्दी]

यह बिल नारी के सम्मान का बिल है। लाल किले से आदरणीय प्रधानमंत्री ने नारियों के सम्मान और बच्चियों की रक्षा की जो बात कही थी, यह बिल उसी दिशा में एक ऐतिहासिक कदम है। बहुत-बहुत धन्यवाद।

श्रीमती रंजीत रंजन (सुपौल) : सभापति जी, आपने मुझे बोलने का अवसर दिया, इसके लिए मैं आपको धन्यवाद देती हूं। आज हम लोग एक बहुत ही संवेदनशील मुद्दे पर अमेंडमेंट लेकर आए हैं। कानून को और अधिक सख्त करने के लिए सभी लोग इस सदन में चर्चा कर रहे हैं।

एक मां होने के नाते जब भी मैंने ऐसे केसेज देखे हैं, तो मुंह से यही निकलता है कि उसको फांसी दे दो। मुझे लगता है कि जब हम कानून बनाते हैं, तो हमें जोश में होश नहीं खोना है। मुझे लगता है, जो मेरा एक्सपीरियंस है, जो मैंने देखा है, जो सिचुएशन है, जो हमारा एन्वायर्नमेंट है, जो हमारा सिस्टम है, हम कानून जितने भी कड़े कर लें, लेकिन जब तक हमारी सोसाइटी, हमारा सिस्टम उसे इम्प्लीमेंट करने के लिए ईमानदार नहीं है, एकाउंटबिलिटी नहीं है, तो मुझे नहीं लगता कि हम फांसी को भी लॉ में लेकर आ जाएं, लेकिन जिस तरह से एक साल, दो साल, पांच साल, छः साल की बच्ची का रेप जघन्य तरीके से होता है, उसका रास्ता सिर्फ लॉ को सख्त करना है।

अपराह्न 5.00 बजे

मैं आपको एक एग्जाम्पल देती हूं। मैं अपने निर्वाचन क्षेत्र में थी, दो किलोमीटर की दूरी पर हमारी मीटिंग चल रही थी। मेरे पास एक व्यक्ति भागता हुआ आया और मुझे बताया कि बगल में छह-सात साल की बच्ची से रेप हो गया है। वह थाने में है और अभी तक एफआईआर दर्ज नहीं हुई है। मैं मीटिंग छोड़ कर वहां गई। वहां मां बच्ची को गोद में ली हुई थी। उसका वैजाइना टीयर हो गया था और ब्लीडिंग हो रही थी। थानेदार उसको वेट करने के लिए कह रहा था चूंकि एक एमपी वहां पहुंच गया इसलिए आनन-फानन में उन्होंने एफआईआर दर्ज की। मैंने कहा कि एफआईआर दिखाओ कि क्या उम्र लिख रहे हो। उसने कहा, जो भी लिखेंगे, आपको दिखा कर लिखेंगे। पहले इसको डॉक्टर के पास लेकर चलते हैं। डॉक्टर के पास जाने के बाद कहा गया कि मैं गाइनोकोलोजिस्ट नहीं हूं। मैं वेजाइना टीयर लिख दूंगा लेकिन इस बच्ची के साथ रेप हुआ है, इसे देखने के बावजूद नहीं लिख सकता। अगर मैं उस बच्ची को वहां छोड़ कर चली जाती तो उसकी उम्र भी बढ़ जाती, वैजाइना टीयर लिख दिया जाता। रेप उसमें नहीं लिखा जाता, दो दिन के बाद जिस लड़के ने रेप किया था उसकी उम्र भी कम हो जाती। हमारा सिस्टम ऐसा है कि बहुत ईजी तरीके से रेपिस्ट को बचा लिया जाता है। मैं दो घंटे समय लगाकर सदर अस्पताल गई और महिला डॉक्टर से बात की। मैंने उससे कहा कि आप गाइनोकोलोजिस्ट है, आप सिर्फ यह देखना कि यह बच्ची है। हमारी बच्ची इसलिए नहीं है क्योंकि हम वेल सैटल्ड घर से हैं। सिर्फ मां समझकर इसका इलाज करना। उस बच्ची को तीन लेयर स्टेचेज लगे। एफआईआर में सात साल की बच्ची को नौ साल लिखा गया, गाइनोकोलोजिस्ट ने कहा कि रेप दिखता है क्योंकि वैजाइना टीयर है। वह लड़का पड़ोस का था और 21 वर्ष का था। उसकी भी पांच बहनें हैं। पांच-छह घंटे सिर्फ थाने की गलती और लापरवाही के कारण बच्चे को पड़ोस से नहीं पकड़ा गया, क्योंकि हम रेपर को गंभीरता से नहीं लेते हैं। दिल्ली या मैट्रो सिटी में हाइलाइट हो जाता है लेकिन गांव में लाखों रेप होते हैं और कोई पूछने वाला नहीं है। मैंने कहा कि उसको पकड़ने क्यों नहीं गए, तब तक उस लड़के को भनक लग गई कि कोई जनप्रतिनिधि उसमें इंट्रेस्टेड है। वहां नेपाल बार्डर है, वह वहां भाग गया। मैं यह सब इसलिए बता रही हूं कि हम सब का इनिशिएटिव है। आप फांसी की सजा करके भी रेपिस्ट को फांसी नहीं दे सकते, जब तक हम खुद नहीं सुधरते। मैंने कहा उसको कहा कि अब क्या करोगे, उसे क्यों नहीं पकड़ा, तो उसने कहा कि अब जांच करेंगे। मैंने कहा कि कैसे जांच करोगे? थानेदार को यह भी नहीं मालूम है कि बच्ची का स्वैब लेना है, उसके अंडरगारमेंट्स लेने हैं।

मैंने अपने सामने गारमेंट्स को सील कराया और फॉरेंसिक लैब जो शायद बंगलुरू में है, बिहार में लैब नहीं है, इस तरह के छह-सात स्टेटों में ही फॉरेंसिक लैब हैं, उसमें भेजा गया। चौबीस घंटे के अंदर उस लड़के की गिरफ्तारी हुई, उसके तीन दिन के बाद मुझे सूचना मिली कि उसको स्कूल में अंडर एज दिखाया जा रहा है। तब तक सोलह का कानून नहीं बना था। मैंने कहा वहां क्या हुआ इसके बारे में बताते रहना। मैंने फिर फोन किया और टीचर्स से कहा कि आप क्या कर रहे हैं? उस 21 साल के लड़के की एज को नहीं घटाया गया। आज तक वह लड़का जेल में है अन्यथा वह पन्द्रह दिनों के अंदर बाहर होता। मैं इसे क्यों कह रही हूं? हम फांसी की सजा कर देंगे। अभी मेरी बहन किरण जी बोल रही थीं

कि हम थानों में टेस्ट किट देंगे। क्या थानों की एकाउन्टेबिलिटी है? एक गरीब बच्ची का रेप होता है। दस हजार रुपए में हमारा थाना बिकता है तो क्या वह किट नहीं बिकेगी? यह और ज्यादा गलत होगा। मैं इसलिए नहीं बोल रही हूं कि मैं अपोजिशन में हूं, अनुभव के कारण और एक मां होने के नाते कह रही हूं। आज जो सिचुएशन है, आप मैट्रो सिटी में बचा सकते हैं लेकिन रूरल एरिया और छोटे शहरों में रेपिस्ट को बचाने और गुमराह करने के ज्यादा चांसेज होते हैं। उसकी एकाउन्टेबिलिटी नहीं है। हम फॉरेन्सिक लैब पर विश्वास रखते हैं, फॉरेन्सिक लैब में जाएगा तो कम से कम पुष्टि होकर आएगा। थाने में 99.9 परसेंट गारंटी नहीं है कि अगर किसी की सेटिंग नहीं हुई तो वह रेप को रेप घोषित करेंगे। वहीं केस खत्म हो जाएगा। मुझे नहीं लगता है कि आप इस चीज को संशोधन करें। आप थानों में किट दे रहे हैं, जब तक उनकी एकाउन्टेबिलिटी न हो, विश्वास न हो, उनको बिल्कुल नहीं देना चाहिए।

अभी मुजफ्फरपुर की घटना हुई। 29 बच्चों का रेप हुआ है, 34 का रेप हुआ है या 40 रेप हुआ है, हम इसकी डिसक्शन कर रहे हैं, हम इसकी लड़ाई लड़ रहे हैं। रेप हुआ है, यह सही है, 15 संस्थाओं में रेप हुआ है। सीबीआई जांच हो रही है। हम जब तक चिल्ला-चिल्लाकर, कैंडल लेकर बिहार में नहीं जाएंगे, तब तक बाकी की 14 संस्थाओं में जांच शुरू नहीं होगी।

जहां रेप की राजनीति का अखाड़ा बना दिया जाए, जाति का अखाड़ा बना दिया जाए, प्रभुत्व का अखाड़ा बना दिया जाए, बड़े-छोटे लोगों का अखाड़ा बना दिया जाए, वहां हमें कैसे इंसाफ मिलेगा? यह बहुत महत्वपूर्ण बात है।

मैं सिर्फ कठुआ नहीं दोहराऊंगी, मंदसौर नहीं दोहराऊंगी, निठारी कांड भी दोहराऊंगी, गुड़िया कांड भी दोहराऊंगी। हर दिन रेप होते हैं, लेकिन कितने हम लोगों के सामने आ पाते हैं? बड़ी शर्म आती है, हमने कठुआ की बात की, मंदसौर की बात की, उस दिन भी एक रेप हुआ, न मीडिया ने उठाया, न हम लोगों ने उठाया। उसमें थाने भी चुप बैठ जाते हैं। मेरा सबसे पहले यही कहना है कि एकाउंटिबिलिटी तय होनी चाहिए, जिम्मेदारी तय होनी चाहिए। अगर थाने ने गलत किया है, रेपिस्ट को बचाने की कोशिश की है, डॉक्टर ने रेपिस्ट को बचाने की कोशिश की है, उसे कौन से दंड का भागीदार बनाएंगे, यह देखना बहुत जरूरी है। सिस्टम ही ज्यादातर जगहों पर रेपिस्ट को बचाता है क्या रेपिस्ट बचेगा या सजा होगी? उसे बचाने वाले पीछे रह जाते हैं, चुपचाप रह जाते हैं। इसमें 96 परसेंट रिलेटिव और जानने वाले होते हैं। आपने उनके लिए फांसी की सजा कर दी, डाटा में साफ दिख रहा है, आप निर्भया कानून को लेकर आए, उसे और मजबूत कर दिया, लेकिन उसके बाद क्या हुआ? सजा का परसेंटेज और घट गया। दिल्ली में कन्विक्शन 16.8 परसेंट हुई और होस्टाइल 67.5 परसेंट हुए। असम में कन्विक्शन 24 परसेंट हुई और होस्टाइल 32 परसेंट हुए। महाराष्ट्र में कन्विक्शन 19 परसेंट हुई और होस्टाइल 47 परसेंट हुए। आंध्र प्रदेश में कन्विक्शन 11 परसेंट हुई और होस्टाइल 78 परसेंट हुए। कर्नाटक में कन्विक्शन 4.5 परसेंट हुई और होस्टाइल 94 परसेंट हुए। क्या सॉल्युशन है कि हम फांसी का प्रावधान लेकर आ रहे हैं और इसलिए लोग रेप करना बंद कर देंगे? मुझे तो डर है कि फांसी की सज़ा 12 साल से नीचे लेकर आ रहे हैं, इसमें विक्टिम पर और प्रैशर बढ़ेगा।

एक तरफ कानून कहता है कि बच्ची का रेप हुआ, उसका टेस्ट हुआ, स्वॉब हुआ, फोरेंसिक लैब से आया, रेप की पुष्टि हो गई, लेकिन उसके बावजूद बच्ची से पूछा जाता है। लॉ कहता है कि उसके साथ बैठे होंगे, ये होंगे, वे होंगे, लेकिन फैक्ट यह है कि और भी डाटा कहता है कि कोई भी नियम कानून नहीं माने जाते हैं, बच्ची से डायरेक्ट पूछा जाता है। उससे बहुत ही गंदे सवाल पूछे जाते हैं। फैक्ट है, डाटा कहता है कि बच्ची घबरा जाती है, डर जाती है, अपनी गवाही से मुकर जाती है। आप खुद सोचें की 12 साल की बच्ची से आप पूछेंगे कि कैसे हुआ, क्या हुआ, क्यों हुआ, क्या तुम भी इन्वाल्व थी? क्या वह जवाब देगी? क्या हमने यह सिस्टम बनाया है कि उसकी सिक्योरिटी के लिए उसके साथ कौन रहेगा? अगर हम दिल से बच्चियों के साथ रेप को रोकना चाहते हैं, 12 साल से नीचे की बच्ची के रेप की पुष्टि होती है तो बच्ची को दोबारा गवाही के लिए इन्वाल्व नहीं करना चाहिए। यह बहुत जरूरी काम है।

आप फांसी के लिए कह रहे हैं, उसमें चार मेन प्वाइंट्स हैं, जो पहले भी कानून में थे, हमें उन पर ध्यान देना चाहिए, उनकी जिम्मेदारी तय करनी चाहिए। मैं फिर उसी प्वाइंट पर आऊंगी, 12 साल से नीचे बच्ची से रेप के लिए फांसी की सजा है। निर्भया कांड के बाद क्या हुआ? ज्यादातर रेप केस में बच्ची को मार देने का प्रयास किया जाता है। अब इसमें क्या होगा?

आपके रिलेटिव्स हैं। फैक्ट है बहुत कड़वा है कि बहुत बार ऐसा होगा। टाउन में नहीं गांव में होता है। जाति को बचाने के लिए लोग रेपिस्ट के साथ चले जाते हैं, तो जब इसमें फांसी की सजा का आप प्रावधान करेंगे, तब बच्ची पर प्रेशर दिया जाएगा कि नहीं भइया नहीं करना नहीं तो उसको फांसी की सजा हो जाएगी। कोर्ट में जज को आपने कोई भी राइट नहीं दिया है कि वह उस सजा को कम कर सके या ज्यादा कर सके। बहुत चासेंज हैं, जैसा डाटा बताता है कि जज उसको पॉस्को में लेते ही नहीं हैं। जो चार प्वाइंट्स, जिसमें हम लोगों को गंभीरता से ध्यान देना चाहिए। एक विशेष न्यायालय और सरकारी वकीलों का जो अभाव है, उसकी कमी को हम कैसे पूरा करेंगे वह बहुत अहम है। हर स्टेट में एक फॉरेंसिक लैब होनी चाहिए। आप कृपया थाने में किट न देकर फॉरेंसिक लैब का प्रावधान करें और यह बहुत जरूरी है।

इसके अलावा प्रक्रियागत कमियां, जिसमें बच्चों को अक्सर आरोपी से आमना-सामना करा दिया जाता है। इस पर एक संशोधन लाया जाए कि बच्चों को किस तरह से रेपिस्ट है, उससे बचाया जाए। तफ्तीस में कमियां जिसके बारे मैंने कहा कि तफ्तीस में कमियां ही नहीं है हमारा भ्रष्ट तंत्र अधिकतर में रेपिस्ट को बचाता है। उसकी एकाउंटेबिलिटी तय करने के लिए, उसके दंड के प्रावधान को भी आपको इसमें लेकर आना चाहिए। पीड़ितों की सुरक्षा का अभाव, हक सेंटर फॉर चाइल्ड राइट ने पॉस्को कानून के प्रावधानों के अनुसार जिन मामलों में बच्चों सपोर्ट पर्सन के रूप में सहायता दी है, उनमें से 26 परसेंट मामलों में बच्चों को इस हादसे के बाद अपनी पढ़ाई छोड़नी पड़ी है, 20 परसेंट बच्चों को इस घटना के बाद घर बदलना पड़ा है। बहुत सारे ऐसे बच्चे हैं, जो उसके बाद नार्मल नहीं हैं। इस सिचुएशन को हम कैसे हैंडल करेंगे। इसका क्या प्रावधान किया है? पुलिस, डॉक्टर्स और मडिकल स्टॉफ की स्पेशल ट्रेनिंग होनी चाहिए। इसके साथ ही मैं एक सौल्यूशन देना चाह रही हूं कि जो हम सिर्फ सजा को बढ़ाने का प्रावधान कर रहे हैं। एक ऐसा माहौल हमें बच्चों को देना चाहिए जो यौन अपराधो के बारे में ओपनली बात कर सकें। उन्हें सुनिश्चित करना होगा कि बच्चों के साथ दोस्ताना प्रक्रियाओं का पालन किया जाए। अदालतों में बच्चों के अनुकूल माहौल सुनिश्चित किया जाए। इससे भी महत्वपूर्ण बात यह है कि यौन उत्पीड़न की रोकथाम की कोशिशों को सख्ती से आगे बढ़ाना चाहिए और एक मॉडल विक्टिम एट विटनेस प्रोटेक्शन स्कीम उसके साथ आप जोड़ें। जो विटनेस प्रोटेक्शन है उसको आप किस प्रकार से देंगे?

[अनुवाद]

श्री टी.जी. वेंकटेश बाबू (चेन्नई उत्तर) : माननीय सभापति, महोदय, आपका धन्यवाद। जब अपराध कानून (संशोधन) विधेयक, 2018 को पारित किया जाएगा तो यह 21 अप्रैल, 2018 के अध्यादेश का स्थान लेगा। यह विधेयक निवारक के रूप में दंड को बढ़ावा देने के लिए भारतीय दंड संहिता, भारतीय प्रमाण अधिनियम, 1872, अपराध संहिता प्रक्रिया 1974 और 2012 के यौन अपराध अधिनियम से बच्चों की रक्षा में संशोधन करता है। तीव्र ट्रॉयल, एफआईआर का अनिवार्य रूप से पंजीकरण, उक्त का अनुपालन न करने पर संबंधित अधिकारी को दंड दिया जाना, बेहतर तरीके से रिकॉर्ड की देखरेख करना, बलात्कार सर्वाइवर की प्रतिष्ठा की रक्षा करना, पीड़ित को आर्थिक क्षतिपूर्ति, अपराधकर्त्ताओं को अग्रिम जमानत से मनाही, सीमा/दायरे को बढ़ाने और पीड़ित के विरुद्ध मौन सहमति जैसे विपरित साक्ष्यों को स्वीकार न करना जो पीड़ित पर ही आरोप तय करते हैं, अनेक चरित्रों का भूतपूर्व व्यवहार आदि-आदि ये सभी विधेयक के स्वागत योग्य पहलू हैं जो गृह मंत्रालय ध्यान और विस्तृत राय और किये गये अनुसंधान जो इस विधेयक का सार है।

12 वर्ष से कम उम्र की बच्चियों/लड़कियों के साथ बलात्कार जैसे अति घृणित अपराध निवारक सजा के रूप में मृत्युदंड को विधेयक में शामिल किया जाए, जो मानव अधिकार कार्यकर्ताओं के लिए आंख का कांटा बन सके, जो अति असाधारण मामलों में भी मृत्युदंड के पूर्ण त्याग का तर्क देते हैं, परंतु उक्त विधेयक उन लोगों का है क्योंकि उक्त अपराध अक्षम्य है और सभ्य समाज की संस्कारी पद्धति का स्तर गिराता। उक्त अपराध के दोषी प्राकृतिक न्याय के सिद्धांत और समानता के आधार पर उपलब्ध सहानुभूति, मानव अधिकार और रक्षा का के बिल्कुल भी हकदार नहीं है। संभवतः, यही ऐसा मामला है जहां पर मृत्युदंड को लागू किया जा सकता है और प्रस्तावित अधिनियम एक निवारक के रूप में कार्य कर पाता है या नहीं इसकी आने वाले समय में समीक्षा की जाए।

परिचर क्रूरता ओर हिंसा के साथ बलात्कार अपराधों की बढ़ी हुई दर ने पूरे राष्ट्र की अंतरात्मा को झंकझोर कर रख दिया है। निर्भया का मामला अंतिम प्रयास था जिसकी वजह से अपराध अधिनियम 2013 में अप्रत्याशित संशोधन हुए। बलात्कार के मामलों में बढ़ी दर ने उक्त अधिनियम को अपर्याप्त साबित कर दिया है। हमारे देश में प्रत्येक 29 मिनट में एक लड़की या महिला का बलात्कार होता है।

राष्ट्रीय अपराध रिकॉर्ड ब्यूरो के अनुसार बलात्कार के मामलों में 87.3 प्रतिशत वृद्धि हुई। रिपोर्ट यह उल्लेखित करती है कि वर्ष 1997 में बलात्कारों की कुल संख्या 2487 थी जबकि वर्ष 2011 में यह संख्या बढ़कर 24,206 हो गई। संभवता, सामाजिक जागरूकता की वजह से अनरिपोर्टिड मामलों की संख्या में कमी आई जो सामाजिक कलंक, लंबी और ढीली कानूनी प्रक्रिया की वजह से तेजी से फैल रहे थे। बलात्कार पीड़ित अभी भी सामाजिक कलंक का शिकार हैं, जिसका इस विधेयक में कोई व्यवहारिक समाधान नहीं किया गया। बलात्कार पीड़ित की अभिव्यक्ति पर किसी प्रकार का पर्दा डालने और कैमरा ट्रायल का विधेयक में उपबंध किया जाना चाहिए।

बार-बार बलात्कार के अपराधी और यहां तक की पहली बार बलात्कार अपराधी के सुधारात्मक उपाय और इसे समाप्त करने हेतु इस विधेयक में बाधिया करने से प्रावधान पर भी विचार किया जाना चाहिए। यह प्रत्येक सरकार का कर्त्तव्य है कि वह किसी भी कीमत पर हमारी बहन-बेटियों की रक्षा करे। यह एक ऐसा क्षेत्र है जहां हमारी बहन-बेटियों/ हमारी लड़कियों और महिलाओं का अधिकार सर्वोत्तम होना चाहिए।

इस विधेयक में समकालीन वैवाहित बलात्कारों, कार्यस्थलों पर तांकझांक और उत्पीड़न को अनदेखा किया गया है। जिसके लिए गहरे अध्ययन और जांच की आवश्यकता है।

महोदय, इस विधेयक के अधिनियम के रूप में पारित होने के बाद इसको पूरे तरीके से कार्यान्वयन करने में समस्या उत्पन्न होगी। पुरुष प्रधान, कौमपरस्त समाज में कार्यान्वयन हमेशा विरोधाभासी होगा। इस कठोर चुनौती का सामना करने के लिए पूरी सरकारी तंत्र को तैयार किया जाना है। इस अधिनियम के विपरीत क्रियाओं को निश्चित रूप से गंभीरता से निपटाना चाहए जिससे निरोधात्मक प्रभाव हो। इस विधेयक में यह प्रावधान होना चाहिए।

इस विधेयक में यौन शिक्षा का भी प्रावधान होना चाहिए जिससे पुरुष-महिला संबंधों में मौजूदा वर्जनाओं को दूर किया जाए जो बलात्कार के अपराध का एक मुख्य कारण है।

बलात्कार का प्रभुता के हथियार के रूप में भी इस्तमाल किया जाता है, जैसे पुरुषों की महिलाओं पर, एक जाति की दूसरी जाति पर इत्यादि बलात्कार के अपराधों को समाप्त करने के लिए समानतावाद एक शक्तिशाली हथियार होगा।

अंत में लिंग के संबंध में न्यायसंगतता मार्गदर्शक सिद्धांत होना चाहिए। धर्म, जाति मतभेद, पंथ, नस्ल और लिंग का इस विधेयक को लागू करने में कोई स्थान नहीं होगा। इस विधेयक में यह सब अवश्य शामिल किया जाना चाहिए।

महिलाओं आरक्षण विधेयक का तत्काल मार्ग, उच्च सदन में लंबे समय से लंबित..* महिलाओं के विरुद्ध भेदभाव समाप्त करने का पहला सही कदम है। महिला सशक्तीकरण के इस पहलू पर हमारी महान नेता अम्मा का अत्यधिक योगदान था।

स्थानीय निकायों में महिलाओं को 50 प्रतिशत सीटें उपलब्ध कराने के अलावा उन्होंने स्व-सहायता समूह भी बनाए; 'ऑल वूमेन' पुलिस स्टेशन; महिला कमांडो फोर्स; और लड़कियों को शिक्षा और नौकरियों के लिए वित्तीय सहायता सहित सारी व्यवहार्य सहायता प्रदान की। ये सभी दृढ़ उदाहरण हैं जिसका अन्य लोग अनुसरण कर सकें।

नतीजतन, हमारे अधिकांश शहर, कस्बें और यहां तक कि गांव भी लड़कियों और महिलाओं के लिए सुरक्षित स्थान बनें। निवारण हमेशा इलाज से बेहतर है। इसलिए, इन सभी तीन पहलुओं को शामिल करने के लिए इस विधेयक को सुधारना होगा।

धन्यवाद, महोदय।

[हिन्दी]

श्री प्रहलाद सिंह पटेल (दमोह) : माननीय सभापति जी, मुझे लगता है, जैसे मैं मध्य प्रदेश से आता हूं, अगर सशक्त कानून हो, राजनैतिक इच्छा-शक्ति हो तो क्या नहीं हो सकता है? देहली में भी एक केस हुआ था। उसमें 48 दिन में फांसी हुई थी। इंदौर की घटना में 23 दिन में फांसी हुई। अभी ग्वालियर की घटना में 19 दिन में फांसी हुई। लास्ट अभी कटनी की घटना में 5 दिन में फांसी हो सकती है तो मुझे लगता है कि कानून है और राजनैतिक इच्छा-शक्ति है तो हम बाकी चीजों से भी पार पा सकते हैं। धन्यवाद

[अनुवाद]

प्रो. सौगत राय (दमदम) : महोदय, सबसे पहले, मेरी ओर से एक स्पष्टीकरण। मैंने अध्यादेश के विरुद्ध सांविधिक संकल्प दिया था, लेकिन वह केवल इसलिए किया था क्योंकि सरकार अध्यादेश के जरिए आगे बढ़ना चाहती थी जोकि लोकतंत्र विरोधी है। मुझे विधेयक से कोई आपत्ति नहीं है क्योंकि यह विधेयक नाबालिग बालिकाओं के बलात्कार की सजा को और भी अधिक कठोर बनाने का प्रयास करता है।

मैं यह कहना चाहता हूं कि मैं जब इस विधेयक पर बोलता हूं तो मैं काफी पीड़ा में होता हूं। मैं महसूस करता हूं कि एक राजनीतिक वर्ग के रूप में अपनी महिलाओं, बहनों और माताओं को निराश किया है और सुरक्षा प्रदान करने में विफल हुए हैं, हम किसी घटना के घटने की प्रतीक्षा करते हैं जो देश के अंत:करण को झकझोर के रख देता है और फिर हम एक कानून लाते हैं। कानून सामाजिक परिवर्तन से पहले आना चाहिए की बाद में। हम निर्भया कि हत्या के बाद 2013 में क्रिमिनल लॉ (एमेंडमेंट) एक्ट लाए; कठुआ में लड़की के बलात्कार और हत्या के बाद सरकार में अचानक हड़बड़ी में प्रतिक्रिया की और अध्यादेश लाए; और हम पूरे देश में उपद्रवी हिंसा का इंतजार करते रहे और उसके बाद गृह मंत्री ने एक समिति की स्थापना की घोषणा की थी। यह संसद का कार्य नहीं है। संसद को हमेशा पहले से यह पता होना चाहिए कि समाज में क्या आवश्यक है और दुर्घटनाओं के घटने से पहले कानून ले आने चाहिए।

यह कहकर, जब सरकार कानून जल्दबाज़ी में लाती है, जैसाकि विधेयक से स्पष्ट है, तो क्या होता है। मुझे नहीं पता कि माननीय मंत्री जी और मेरे युवा मित्र श्री रिजिजू ने विधेयक को अच्छे से पढ़ा है कि नहीं। मुझे बताने दें कि आपने ऐसा कहां कहा है: "...जब 16 वर्ष से कम की महिला का बलात्कार होता है..." क्या 16 वर्ष से कम आयु की लड़की महिला होती है या उसे लड़की कहा जाए? क्या क्या आपके विभागीय अफसरों को अंग्रेजी नहीं आती? इसके अतिरिक्त कहा गया है कि: "...जब 12 वर्ष से कम आयु की महिला..." क्या 12 वर्ष से कम आयु की बालिका एक महिला है या लड़की है? क्या आप इन चीजों को सही नहीं कर सकते? क्या इन चीजों को जांचने के लिए कोई

*कार्यवाही-वृत्तांत में सम्मिलित नहीं किया गया।

अफसर नहीं हैं? लेकिन इससे भी बुरी बात यह हे कि जब आपने सामूहिक बलात्कार की बात की जहां कहा गया: "...जब 12 वर्ष से कम आयु कि महिला का एक से अधिक लोगों द्वारा बलात्कार किया जाता है..." इसका अर्थ है चाहे एक या एक से अधिक व्यक्ति। जब एक व्यक्ति बलात्कार करता है तो वह सामूहिक बलात्कार नहीं होता। इसलिए, यह उल्लेख किया जाना चाहिए कि '2 या अधिक लोग' जबकि लिखा हुआ है कि 'एक या अधिक लोग'।

इन लोगों को कैसा कानूनी ज्ञान है? श्री रिजिजू आपको सदन में कानून लाने से पहले उसका अध्ययन कर लेना चाहिए।

[हिन्दी]

श्री निशिकान्त दुबे : आईपीसी में गर्ल और वूमैन में कोई फर्क नहीं है...*(व्यवधान)*

प्रो. सौगत राय : नहीं, आप इसको ठीक करिये।

माननीय सभापति : आप बोलिए।

[अनुवाद]

प्रो. सौगत राय : एक 12 वर्ष की लड़की को महिला नहीं कहा जाना चाहिए।

फिर आपने जुर्माने की बात की है जिसमें कहा गया: "... बशर्ते ऐसा जुर्माना चिकित्सा खर्चों और पीड़ितों के पुनर्वास के लिए उचित और तर्कसंगत होगा" अब यह अस्पष्ट है। मोटर वाहन अधिनियम में, यह कहा गया है कि कुछ राशि का जुर्माना क्षतिपूर्ति के लिए होगा, लेकिन वो राशि कितनी होगी यह आपने निर्दिष्ट नहीं किया। इसलिए, आप यह न्यायाधीश पर छोड़ देते हैं कि क्या न्यायसंगत है।

आपने हर अपराध के लिए न्यूनतम जुर्माना क्यों निर्धारित नहीं किया है? तब, कानून सही होता। मैंने सभापटल के अधिकारियों से पूछा है कि क्या सरकार ने कोई संशोधन किया है। आपने 'पेटेंट' और स्पष्ट गलतियों को सही करने के लिए कोई संशोधन नहीं किया है। मेरे विचार से आपको अपनी गलतियों को मानना चाहिए।

इस विधेयक के आने से पहले कई उच्चतम न्यायालय के वकीलों ने मुझसे संपर्क किया था। वे आए और मुझे बताया कि वे मृत्युदंड के खिलाफ हैं और उन्हें नहीं लगता कि मृत्युदंड से बलात्कारों में कमी आएगी। मैंने एक दिन के लिए सोचा कि क्या वो जो कह रहे हैं वह सही है, क्या दम बलात्कारियों के लिए मृत्युदंड की मांग करके खुद को खून का प्यासा साबित कर रहे हैं। फिर मेरे अंत:करण ने मुझे कहा, नहीं। जो लोग 16 या 12 वर्ष के बच्चों का बलात्कार करते हैं, वे किसी भी तरह की दया के लायक नहीं हैं। अगर यह साबित होता है तो उन्हें मरने दें। इसलिए मैं इस विधेयक का समर्थन करता हूं। यह खून का प्यासा होना नहीं है। यह तर्कसंगत है। क्या है तर्कसंगत?

कठुआ के मंदिर में उस लड़की के बारे में सोचें जिसका कई लोगों ने बलात्कार किया, और जैसाकि उल्लेख किया गया था, उसे मार दिया गया। क्या ये लोग कानून के नाम पर दया या सहानुभूति की मांग करते हैं? मुझे ऐसा नहीं लगता। बाबा राम रहीम के बारे में, आसाराम बापू और सभी बाबा लोग के बारे में सोचें जो बलात्कारी बन गए। सोचिए कि वे क्या कर रहे हैं। वे अधिकतम सजा के लायक हैं। उन घटनाओं के बारे में सोचें जो मध्य प्रदेश के मंदसौर में हुई।

मैं आपको बताता हूं कि मध्य प्रदेश में क्या स्थिति है...*(व्यवधान)*

[हिन्दी]

माननीय सभापति : आपके एक वक्ता और हैं, इसलिए आप समय का ध्यान रखें।

प्रो. सौगत राय : पंडित जी, आप थोड़ा प्रोटेक्शन नहीं देंगे तो हम कहां जाएंगे।

माननीय सभापति : चूंकि, समय सुनिश्चित है।

प्रो. सौगत राय : मैं समय पर नजर रख कर बोलूंगा।

माननीय सभापति : आप बहुत अच्छा बोल रहे हैं।

[अनुवाद]

प्रो. सौगत राय : मैं आपको यह भी बताना चाहता था कि इस सबसे हमारे देश का नाम बदनाम हो रहा है। 26 जून को वैश्विक विशेषज्ञों द्वारा जारी एक सर्वेक्षण के मुताबिक अफगानिस्तान और सिरिया के बाद भारत महिलाओं के लिए यौन हिंसा के भारी जोखिम की वजह से सबसे खतरनाक देश है।

हमारी यह बदनामी हो रही है।

मैं आपको यह भी बताना चाहता हूं कि भारत में बलात्कार पीड़ितों में 43 प्रतिशत नाबालिग हैं। भारत में हर 20 बलात्कार पीड़ितों में से एक 12 वर्ष से कम उम्र का बच्चा है। एनसीआरबी रिपोर्ट में भी यह कहा गया है कि उनमें से, 12 से 16 वर्ष की आयु के पीड़ित 37.8 प्रतिशत हैं। इसलिए, 37.8 प्रतिशत और 5 प्रतिशत 42 प्रतिशत बलात्कार पीड़ित 18 वर्ष की आयु से कम के हैं। अगर मैं आपको कहूं तो यह एक खतरनाक प्रवृत्ति है।

बलात्कारों की संख्या के बारे में क्या विवरण है? मेरे मित्र श्री प्रहलाद जी ने कहा कि मध्य प्रदेश काफी अच्छा था। लंबित पीओसीएसओ केसों की सबसे अधिक कुल संख्या महाराष्ट्र में है, और उसके बाद मध्य उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश...*(व्यवधान)*

[हिन्दी]

श्री प्रहलाद सिंह पटेल : हमारे यहां एफआईआर नहीं होता है।

माननीय सभापति : प्रहलाद जी बोल चुके हैं। कृपया आप इधर संबोधित कीजिए।

प्रो. सौगत राय : मैं आपसे ही कह रहा हूं।

[अनुवाद]

अगर आप बलात्कारों की संख्या वास्तव में देखें तो मैं यहां कहना चाहूंगा कि 2000 से अधिक बलात्कार पीड़ितों के मामले में मध्य प्रदेश में 4,908; उत्तर प्रदेश में 4,817; महाराष्ट्र में 4,216; राजस्थान में 2,657 और दिल्ली में 2,170 हैं।

तो सबसे अधिक कहां हैं? महाराष्ट्र पहले स्थान पर 348 के साथ है, उत्तर प्रदेश दूसरे...*(व्यवधान)*

[हिन्दी]

माननीय सभापति : आप अपनी बात समाप्त कीजिए।

...*(व्यवधान)*

प्रो. सौगत राय : यह राजनीतिक नहीं है, ये आंकड़े हैं। ये एनसीआरबी के आंकड़े हैं।...*(व्यवधान)*

माननीय सभापति : आप बैठ जाएं। श्री पिनाकी मिश्रा।

...*(व्यवधान)*

माननीय सभापति : आप बैठ जाएं। मैंने अन्य माननीय सदस्य का नाम बोल दिया है।

...*(व्यवधान)*

माननीय सभापति : आप बैठ जाएं, आपकी बात रिकॉर्ड में नहीं जा रही है।

(व्यवधान)...*

[अनुवाद]

श्री पिनाकी मिश्रा (पुरी) : माननीय सभापति मुझे और मेरी पार्टी बीजू जनता दल को इस महत्वपूर्ण विधान जिसे यह सभा पारित करने के लिए लाई है में भाग लेने का अवसर प्रदान करने के लिए धन्यवाद ...*(व्यवधान)*

[हिन्दी]

माननीय सभापति : आपके पास बोलने के लिए चार मिनट का समय है।

[अनुवाद]

श्री पिनाकी मिश्रा : इस सभा ने लैंगिग अपराधों से बालकों का संरक्षण अधिनियम, 2012 (पीओसीएसओ) तथा दंड विधि संशोधन अधिनियम, 2013 भी पारित किया जो कि केवल बलात्कार के उन मामलों में जिनमें बर्बरता के कारण पीड़ित की मृत्यु हो गई हो या मरणासन्न अवस्था में चली गयी हो में मृत्यु दंड को अनुमति प्रदान करता है। हमारी पार्टी ने इन दोनों विधानों में सरकार का समर्थन किया।

आज, हमारी पार्टी बलात्कार हेतु दंड के संबंध में कठोर प्रावधान बढ़ाने के सरकार के प्रयासों का निरंतर समर्थन कर रही है। हालांकि, हमारी पार्टी की गंभीर चिंता है कि सरकार इन प्रावधानों में से कुछ पर स्थाई समिति द्वारा जांच, जिसे वस्तुत: वांछनीय आवश्यकता माना जाता है, पर ध्यान दिए बिना ही इस प्रकार के कानून सभा में लाना पसंद करती है। सरकार ऐसे महत्वपूर्ण कानून स्थाई समिति का चयन समिति को विशेषज्ञों के साथ बातचीत का अवसर प्रदान किए बिना ही पारित कर रही है। देश में इस विषय पर सैंकड़ों विशेषज्ञ हैं जो सरकार को अमूल्य सुझाव प्रदान कर सकते हैं।

अपराह्न 5.32 बजे

[**माननीय उपाध्यक्ष** *पीठासीन हुए*]

आज मेरा भाषण तीन पहलुओं पर केन्द्रित होगा। पहला, आज की ढांचागत समस्या है जिसके परिणामस्वरूप पॉक्सो असफल होता गया। जेसा आंकड़ों से हमें पता चलता है कि पॉक्सो की धारा 4 और 6 के अंतर्गत बालकों के साथ बलात्कार के 9533 मामले गत वर्ष से विचारण हेतु लंबित थे। 912 मामलों में से 7 प्रतिशत मामलों में विचारण पूरा किया गया है। इसलिए इस 7 प्रतिशत आंकड़ों पर विचार करते हुए यदि यह विचारण का पूर्ण होना भी है तो भी पॉक्सो मामलों में दोष सिद्धि को भूल जाएं, इसलिए पॉक्सो स्पष्ट रूप से सफल नहीं हुआ है।

इसलिए, आज जिस प्रकार से हम अपने कानूनों को कार्यान्वित कर रहे हैं उसमें समस्या है। कानूनों की कोई कमी नहीं है। मूल समस्या कानून के कार्यान्वयन से संबंधित है।

दूसरा, जहां तक इस विशेष कानून का संबंध है, मैं तृणमूल कांग्रेस पार्टी के माननीय सदस्य से सहमत हूं कि कुछ अर्थ/संबंधी वाक्य रचना संबंधी समस्या है जिसका 'किसी एक व्यक्ति या ज्यादा व्यक्तियों द्वारा बलात्कार' के संबंध में समाधान किया जाना चाहिए। यह 'एक या

*कार्यवाही-वृत्तांत में सम्मिलित नहीं किया गया।

ज्यादा' नहीं हो सकता 'यह दो या ज्यादा द्वारा' होना चाहिए। किसी मामले में इन अर्थ संबंधी समस्याओं की जांच होनी चाहिए। लेकिन इसके अलावा बहुत महत्वपूर्ण बात बलात्कार की परिभाषा अभी भी लिंग निरपेक्ष नहीं है। लड़कों को इस प्रकार के बाल उत्पीड़न के दायरे से बाहर क्यों रखा जा रहा है? लड़कों का भी समान रूप से गंभीर तरीके से शोषण होता है। इसलिए सभी पॉक्सो में सुझाव के तौर पर लड़कों को भी शोषण कानून के दायरे में लेकर आई है वहीं सामान्य भारतीय दंड संहिता कानून लड़कों को बाहर रखती है जो कि बहुत बड़ा अन्याय है। इसलिए बालिकाओं के साथ यौन शोषण के लिए दंड और छोटे लड़कों के साथ किए जा रहे यौन शोषण के लिए दिए जा रहे दंड में अत्याधिक अंतर आ रहा है जो कि समाज के लिए अच्छी बात नहीं है।

मैं मानता हूं कि यदि यह स्थाई समिति या एक प्रवर समिति के पास जाता तो वह सरकार को सलाह देते कि सरकार को इसे लिंग निरपेक्ष कानून बनाना चाहिए।

मैं व्यक्तिगत रूप से उन्मूलनवादी नहीं हूं। मैं समझता हूं कि हमारे देश में संविधि की किताब में मृत्युदंड होना बहुत आवश्यक है। कठिनाई यह है कि उच्चतम न्यायालय ने मृत्युदंड के दायरे को इस हद तक संकुचित कर दिया है कि दुर्लभ तो भूल जाइए यह दुर्लभतम से भी दुर्लभतम मामला बन गया है। सत्र न्यायालय द्वारा मृत्युदंड देने के पश्चात जब तक मामला उच्चतम न्यायालय में पहुंचता है और महामहिम राष्ट्रपति के पास अनुमोदन हेतु पहुंचते-पहुंचते मैं समझता हूं कि लगभग 0.7 प्रतिशत लोगों को ही अंतिम रूप में फांसी दी जाती है। प्रह्लाद जी ने कहा कि मध्य प्रदेश में 5 दिन के भीतर मृत्युदंड दिया गया था। मैं पूछता हूं कि उसे वस्तुत: कब फांसी दी जाएगी। भाजपा की माननीय सदस्य किरण खेर जी ने कहा वह सही है कि यह शर्म की बात है कि निर्भया कांड में जिन लोगों ने बर्बरता दिखाई वे अभी जेल में आराम कर रहे हैं। बावजूद इसके कि उनकी पुनर्विचार याचिका अस्वीकृत कर दी गई है लेकिन उन्हें कब फांसी पर चढ़ाया जाएगा इसको कोई संकेत नहीं मिल रहा है। अब यह मामला माननीय राष्ट्रपति तक जाएगा और उपचारी याचिका के माध्यम से वे पुन: वापस आ जाएंगे। सभी प्रकार की युक्ति लगाई जाएगी। इसलिए इस कानून के कार्यान्वयन में स्पष्ट रूप से कमियां हैं।

इसके अतिरिक्त सरकार का दंड को बढ़ाकर 20 वर्ष करने का पूर्ण रूप से समर्थन करता हूं। लेकिन यदि वे यहां पर मृत्युदंड ले आते हैं तो यहां पर यह समस्या होगी: (1) इसको कार्यान्वित करना असंभव होगा और इससे भी महत्वपूर्ण बात (2) हमारे देश में आंकड़े दर्शाते हैं कि 50 प्रतिशत मृत्युदंड के मामले में जिन लोगों की दोष सिद्ध होती है या जिनको मृत्युदंड दिया जाता है वे निर्धनतम लोग होते हैं।

मैं पिछले 35 वर्षों से वकालत कर रहा हूं; मैंने कभी किसी अमीर व्यक्ति को फांसी पर चढ़ते हुए नहीं देखा। मैंने ऐसा कभी नहीं देखा। जो अत्यधिक गरीब होते हैं, हमेशा उन्हें ही फांसी पर लटकाया जाता है। चूंकि अच्छी कानूनी सेवाओं तक उनकी पहुंच नहीं है, किसी अच्छी विधिक सेवाओं तक उनकी पहुंच नहीं है, किसी तरह की सामाजिक मदद या पारिवारिक मदद उन्हें नहीं मिलती, इसलिए उन्हें ही इसका खामियाजा भुगतना पड़ता है। हमारे देश में दुर्भाग्य से मृत्युदंड अत्यंत गरीबों को ही प्रभावित करने की दिशा में काम करता है।

पोस्को ने वास्तव में पीड़ित बच्चों की यह महत्वपूर्ण सुरक्षा प्रदान की कि बच्चों की अदालत में प्रतिपरीक्षा नहीं की जा सकती। परंतु यदि कानून में मृत्युदंड है तो भारतीय दंड संहिता के अंतर्गत यह असंभव है कि बच्चों की प्रतिपरीक्षा नहीं की जाए क्योंकि यह मृत्युदंड का सामना कर रहे नागरिकों को मौलिक अधिकार है। इसलिए, तब आप एक नया कानून का क्षेत्र लाएंगे। एक बार न्यायालय में उनकी प्रतिपरीक्षा आरंभ हो जाएगी, फिर वह सुरक्षा पूरी तरह कमजोर हो जाएगी जो हमने पोस्को के अंतर्गत पीड़ित बच्चों को दी थी।

आपने देखा है कि बच्चों के साथ बलात्कार या छेड़खानी के लगभग 75 से 80 प्रतिशत मामले परिवार के भीतर, नजदीकी संबंधों में होते हैं। एक बार कानून में मृत्युदंड का प्रावधान हो जाए, तो फिर बच्चों पर किसी पारिवारिक सदस्य या नजदीकी संबंधी को फांसी तक ले जाने में अस्वीकार करने का दबाव बहुत ज्यादा होगा। अत:, आज की तुलना में, बच्चों द्वारा अभियोक्ता के वास्तविक तौर पर उनकी वास्तविक स्थिति से अस्वीकार करने के मामले बढ़ जाएंगे।

इसलिए, मैं यह कहना चाहूंगा कि इन महत्वपूर्ण मुद्दों पर स्थायी समिति या प्रवर समिति में विचार होना चाहिए। इसके अलावा, मैं माननीय कांग्रेस सदस्य और मेरे अन्य साथियों से सहमत हूं जिन्होंने कहा कि कार्यान्वयन की दृष्टि से आपको और अधिक विशेष न्यायालयों की आवश्यकता है, आपको और अधिक सरकारी अभियोजकों की आवश्यकता है, आपको और अधिक फोरेंसिक प्रयोगशालाओं की आवश्यकता है, जांच और दोषसिद्धि की संपूर्ण प्रक्रिया के अधिक.प्रभावी कार्यान्वयन के लिए इस देश में एक बृहद अवसंरचना की आवश्यकता है।

मैं इसे सुस्त शासन नहीं कहूंगा बल्कि मैं यह कहूंगा कि मैं यह समझता हूं कि सरकार को एक उपद्रव वाली घटना के प्रति हमेशा संवेदनशील होना चाहिए जैसाकि हाल में हुआ जिसके कारण यह अध्यादेश लाया गया, अत: मैं सभा से और सरकार से आग्रह करना चाहूंगा कि मृत्युदंड जैसा कुछ लाने से पहले इस पर बहुत ज्यादा विचार करना चाहिए क्योंकि यह बहुत महत्वपूर्ण प्रावधान है जिसके अंतत: दूरगामी परिणाम होंगे।

इन शब्दों के साथ, मैं अपने दल का समर्थन देता हूं परंतु मैं सरकार से इस कानून के बुनियादी और महत्वपूर्ण पक्षों पर फिर से विचार करने का आग्रह करता हूं। बहुत-बहुत धन्यवाद।

[हिन्दी]

श्री श्रीरंग आप्पा बारणे (मावल) : माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मैं दाण्डिक विधि (संशोधन) विधेयक, 2018 का अपनी पार्टी की तरफ से सपोर्ट करता हूं।

माननीय उपाध्यक्ष जी, आज देश भर में दिनों-दिन क्राइम बढ़ता जा रहा है। गुनहगारों को कानून का डर नहीं रहा है। रोज अखबार खोलने पर पहले पन्ने पर बलात्कार, चोरी, डकैती, छेड़छाड़ जैसी खबरें रहती हैं। सोशल मीडिया में ऐसी खबरों को ऐसे पेश किया जाता है।, जिसके कारण जिनके साथ यह घटना घटी होती है या जिन्हें इस प्रकार की घटना का सामना करना पड़ता है, उन पीड़ितों और उनके परिवारों पर इन घटनाओं को बुरी तरह असर होता है। बार-बार इन खबरों को दिखाने से बुरी तरह उन परिवारों की बदनामी होती है। उन्हें बहुत सारा अपमान झेलना पड़ता है।

महोदय, गुनहगारों को पुलिस और कानून का कोई डर नहीं है। इसलिए क्राइम बढ़ता जा रहा है। एक बात यह भी है कि कई गुनहगारों को राजनीतिक सपोर्ट मिलने के कारण गुनाह करने वालों का मनोबल बढ़ता जा रहा है। कई राजनीतिक पार्टियां ऐसे गुनाह करने वालों को बड़ी इज्जत से सपोर्ट करती हैं। मैं सदन के माध्यम से सभी पार्टियों से एक बात कहना चाहता हूं कि गुनहगार किसी मजहब, किसी धर्म का नहीं होता है। गुनहगार आखिर गुनहगार होता है। आज यह जो बिल पेश हुआ है, इसमें भारतीय दंड सहिता, आई.पी.सी. 1860 में संशोधन करके अपराधियों के लिए कड़ी सजा का प्रावधान किया गया है। गुनहगारों को इस क्रिमिनल लॉ के तहत ज्यादा से ज्यादा सजा का प्रावधान किया गया है।

महोदय, जब निर्भया और महाराष्ट्र में कोपर्डी जैसी घटनाएं हुईं, तब सभी जाति धर्म, और पार्टी के लोगों ने सामने आकर इसका विरोध किया था। लेकिन एक बात हमारे ध्यान में रहनी चाहिए कि अपराध करने वाले अपराधी, कोर्ट्स में कई वर्षों तक फैसला न होने के कारण, जेल में अपने दिन काटते हैं और उस अपराध की जितनी तीव्रता होती है, वह तीव्रता कम हो जाती है। खून, बलात्कार जैसे केसों के लिए फास्ट ट्रैक कोर्ट्स होनी चाहिए। अपराधियों को जल्दी से जल्दी कम समय में सजा मिलनी चाहिए।

महोदय, आज देश भर में न्याय व्यवस्था की क्या हालत है? देश में लाखों की संख्या में केसिज़ पेंडिंग हैं। कई जगहों में कोर्ट्स में स्टॉफ की भारी कमी है। इसके साथ ही साथ देश में न्यायधीशों की भी कमी है। कई जगहों पर न्याय व्यवस्था में इमारतों एवं अन्य सुविधाओं की भी कमी होती है। मैं इस बिल के द्वारा सरकार का ध्यान इस ओर भी आकर्षित करता हूं कि हम केवल सदन में यह बात उठाते आ रहे हैं कि समय पर न्याय मिलना चाहिए, लेकिन न्याय व्यवस्था के इन पन्नों पर, इन बातों पर भी ध्यान देने की आवश्यकता है। कानून बनाने से अपराधी को सजा मिल जाएगी, लेकिन जिन महिलाओं और नाबालिगों को दुर्भाग्य से ऐसी घटनाओं का सामना करना पड़ता है, उनको भी कानूनी सहायता मिलनी चाहिए।

मीडिया से भी मेरी यह विनती है कि ऐसी घटनाओं को बार-बार ब्रेकिंग न्यूज़ बनाकर दिखाने से पीड़ितों और उनके परिवार वालों को जो बेइज्ज़ती झेलनी पड़ती है, उसके ऊपर भी ध्यान देने की आवश्यकता है। मैं सरकार के इस बिल का समर्थन करता हूं और आशा करता हूं कि देश भर में ऐसी घटनाएं न होने के लिए सरकार सख्त कदम उठाएगी। कोई राजनीतिक दल, समाज और कोई राजनेता इस पर राजनीति न करे। गुनहगार आखिर गुनहगार होता है। वह किसी जाति, मजहब का नहीं होता है। इसी के साथ मैं अपना भाषण खत्म करता हूं और इस बिल का समर्थन करता हूं।

माननीय उपाध्यक्ष : डॉ. रविन्द्र बाबू।

[अनुवाद]

डॉ. रविन्द्र बाबू *(अमलापुरम)* : *यह अवसर देने के लिए आपका धन्यवाद।*

यह ऐसा विधेयक है कि इसके विधेयक के बारे में और सरकार के इरादों में कोई मतभेद नहीं हो सकता। मैं नहीं जानता परंतु प्रकृति ने गर्भ से कब्र तक महिलाओं के प्रति भेदभाव किया है। गर्भाशय में जन्म लेने के बाद से ही, कन्या भ्रूण हत्या आरंभ हो जाती है; किशोरवस्था तक आते-आते उनका मासिक धर्म और अन्य चीजें; शुरू हो जाती है। गर्भावस्था, प्रसव, दुग्ध स्रवण, ये समस्याएं उनके लिए हैं। इनके अलावा, उनके साथ क्रूरता और हमले किए जाते हैं। यह अपराध नहीं है, ये कृत्य मनोरोगियों और सनकियों द्वारा किए जाते हैं। हमें उन्हें मध्ययुगीन सजा देनी चाहिए।

यद्यपि हम अफगानिस्तान या कुछ खाड़ी देशों में होने वाले चाबुक की मार, अंगहीन करने, पत्थरबाजी करने और उन्हें मौत की सजा देने से सहमत नहीं हैं, बलात्कार कमजोर लिंग के विरुद्ध एक क्रूर हिंसा है जो स्वयं अपनी रक्षा नहीं कर सकते। सामूहिक बलात्कार की तो कल्पना ही नहीं कर सकते, देखने की बात तो दूर है।

12 वर्षीय लड़कियों से संबंधित एक प्रावधान है। मेरे मित्र ने बताया कि चूंकि वे समान लिंग से संबद्ध हैं, उन्हें, 'औरत', 'महिला' या 'लड़की' जैसे विभिन्न शब्दों के बजाय 'फीमेल' (मादा) शब्द का प्रयोग करना चाहिए था। 'फीमेल' (मादा) शब्द का प्रयोग बेहतर होता। जब वह बलात्कार से गुजरती हैं उसे इस बात का पता भी नहीं होता। वह यही सोच रही होती है कि यह शील हरण है। ऐसे मामले में, जब पीड़ित को अस्पताल ले जाया जाता है, डॉक्टर उसकी जांच करते हैं। उन्हें आवश्यक रूप से स्त्री रोग विशेषज्ञ की प्रतीक्षा करनी पड़ेगी, स्वैब लेना पड़ेगा और उसे भेषज प्रयोगशाला में भेजना पड़ेगा। उसके बाद, बालिका को, पुलिस स्टेशन ले जाया जाता है जहां वे उससे बहुत ही अभ्रद और व्यर्थ के प्रश्न पूछते हैं। यहां तक कि हम उन प्रश्नों को सुन भी नहीं सकते और उन्हें हम उनका सामना करने के लिए अकेले छोड़ देते हैं। भारत में न्यायशास्त्र और न्यायिक प्रणाली स्त्रियों के अत्यधिक विरुद्ध है।

समाज और धर्म की प्रकृति कुछ ऐसी है कि हमारे यहां कुछ ऐसे धर्म हैं जिनमें हम लक्ष्मी, सरस्वती और दुर्गा जैसी देवियों की पूजा करते हैं। हमारे यहां रक्षाबंधन नामक एक उत्सव भी है। जिसमें बहनों को आश्वासन देते हैं लेकिन दूसरी ओर हम स्त्रियों के विरुद्ध इस प्रकार के अपराधों का पाप भी करते हैं। मुझे नहीं पता कि समस्या कहां है और क्या खामी है। गरीब लोगों, विशेषकर गांव में बालिकाओं, को यह भी नहीं पता कि सेक्स क्या होता है। वे अभी भी शरीर को क्षत-विक्षत करने सहित इस प्रकार की क्रूरता का सामना करती हैं। वे डर जाती हैं। उनके लिए यह अनुभव शेष जीवन डरकर जीने, एक मानसिक विकार का जीवन व्यतीत करने और मतिभ्रम और भ्रम से भरा जीवन व्यतीत करने के लिए विवश होती है। वे एक बार बलात्कार होने के बाद सदैव निंदनीय जीवन जीती हैं। वे कभी भी मानव नहीं रह पाती हैं। इस आघात से पीड़ित होने पर उनकी निंदा की जाती है। इसलिए, व्यवस्था होनी चाहिए कि जब कोई पीड़ित अपने अभिभावकों को को यह बताता है कि उसके साथ यह सब हुआ है तो उसके साथ ऐसा गंदा व्यवहार करने की बजाय उस घटना की निंदा की जानी चाहिए, उसे तत्काल ही अपराध के स्थान से दूर ले जाना चाहिए, उसे जिले से किसी दूसरे स्थान पर ले जाना चाहिए जहां उसे मनोवैज्ञानिक परामर्श, चिकित्सा उपचार देकर आरामदायक पुनर्वास प्रदान किया जाना चाहिए और ऐसे बच्चों की भविष्य में निशुल्क शिक्षा और उपयुक्त रोजगार प्रदान करके उनकी देखभाल की जानी चाहिए ताकि उन्हें समाज और सरकार से कुछ आश्वासन मिल सके।

वास्तव में, अधिनियम में बलात्कारियों के साथ उपयुक्त रूप से निपटा जा रहा है।...*(व्यवधान)* हम इसका समर्थन करते हैं। इसमें मौत की सजा मिलनी चाहिए।...*(व्यवधान)* मैं संक्षिप्त में समाप्त करूंगा। निर्भया मामले को चार साल हो गए हैं और अपराधियों को अभी भी फांसी दिया जाना बाकी है। अत:, हमें कुछ माध्यमिक प्रकार के दंड लाने होंगे। मैं अपने भाजपा के मित्रों से यह अनुरोध करूंगा कि वे बलात्कारियों को कारावासों अथवा न्यायालयों की बजाय सार्वजनिक तौर पर कड़ा दंड देने पर विचार करें और इसे स्वीकार करें। इसी तरह, बालकों की भावी पीढ़ियों और पुरुष-प्रधान समाज, जो बालकों को पसंद करते हैं, को हमेशा के लिए सबक सिखाया जाए। सार्वजनिक तौर पर कड़े दंड दिए जाने चाहिए।

इन्हीं टिप्पणियों के साथ मैं इस विधेयक का समर्थन करता हूं।

श्री कुण्डा विश्वेश्वर रेड्डी (चेवेल्ला) : धन्यवाद महोदय। महोदय, एनसीआरबी के आंकड़े वर्ष 2016 में बच्चों के विरुद्ध 1,06,000 से अधिक मामलों को दर्शाते हैं और वे सब शहरी और ग्रामीण क्षेत्रों में हाते हैं। ऐसे मामले पूरे देश भर में हो रहे हैं। कठुआ बलात्कार मामला भी हाल ही की घटना है। दिल्ली में अत्यंत निर्दयी निर्भया सामूहिक बलात्कार मामले के 5 वर्षों के बाद अभी भी ऐसी घटनाएं जारी है।

विधेयक में आईपीसी में संशोधन करने का प्रस्ताव है। हमारे पास पॉस्को है लेकिन मुझे लगता है कि यह बहुत-बहुत आवश्यक है। हम लगभग सभी मौत की सजा दिए जाने पर सहमत हैं क्योंकि हम देश के लोगों का प्रतिनिधितव करते हैं और देश के लोगों में भावना और संवेदनशीलताओं की समझ विकसित हो चुकी हैं। इन पशुतुल्य लोगों ने भावना और संवेदनशीलताओं की सीमा को पार कर लिया है और इसलिए यह कड़ा दंड होना चाहिए।

जम्मू और कश्मीर के रसाना गांव में असीफा बानो के मामले में कठुआ बलात्कार ने हमें पूरी तरह से चुप कर दिया है। हमें अपने आप पर शर्म आती है।

[हिन्दी]

श्री निशिकान्त दुबे : यह नाम रिकॉर्ड में नहीं जाना चाहिए।

[अनुवाद]

श्री कुण्डा विश्वेश्वर रेड्डी : महोदय, यह सच है। इसने हमें चुप कर दिया है। यह हमारे अन्त:करण पर प्रश्न उठाता है। क्या मानव वास्तव में पहले स्थान पर हैं? इतना ही नहीं क्या यह पर्याप्त नहीं है। हमें न केवल अपने आप पर शर्म आती है अपितु विदेशों की मीडिया भी हमारी इस बदनामी पर नमक छिड़क रही है। महोदय, क्रिस्टोफर पॉल कांवे, जिसने अपने स्वयं के दो जुड़वा बच्चों जो कि 9 महीने के थे के साथ बलात्कार किया, मामले की बजाए जम्मू कश्मीर में बलात्कार के कुछ मामलों ने अमेरिका में न्यूयॉर्क टाइम्स में बड़ी सुर्खियां बटोरी है। यह बहुत भयावह था। यह शायद कठुआ मामले से भी बहुत भयावह था।

लेकिन उसे मात्र दो इंच के स्तंभ में जगह दी गई है जबकि कठुआ बलात्कार मामले को 'न्यूयॉर्क टाइम्स' में पूरे आधे पन्ने पर प्रकाशित किया गया है।

यदि कोई अपराध होता है, तो क्या अपराधी ही उसके लिए जिम्मेदार होता है अथवा समाज भी आंशिक रूप से जिम्मेदार होता है? निश्चित रूप से, महोदय, समाज जिम्मेदार होता है। लेकिन मुझे लगता है कि विदेशी मीडिया इसके लिए पूरे देश को जिम्मेदार ठहरा रहा है। हमें अपराधी को फांसी देनी चाहिए या पूरे समाज को? मुझे लगता है कि अपराधी को फांसी देनी चाहिए और यहां के इन भयावह कृत्यों को देखने के बाद देश की भी यही इच्छा है।

मैं बच्चों के संबंध में गठित सांसदों के समूह का सह-संयोजक हूं। हम बच्चों की स्वच्छता, शिक्षा और सुरक्षा जैसे मामलों पर विमर्श करते हैं। हमें इस वर्ष मई में बांग्लादेश में 17 अन्य देशों के सांसदों सहित आमंत्रित किया गया था। हमने गर्व के साथ अपने देश की उपलब्धियां गिनाई और भी बहुत कुछ करने की जरूरत पर बल दिया। बांग्लादेश से एक सदस्य ने कठुआ बलात्कार मामले को उठाया। निश्चित रूप से हमें शर्मिंदगी महसूस हुई। परंतु मैं इतना ही कह पाया कि, 'हां, मैं शर्मिंदा हूं, लेकिन हम ऐसा कानून लाएंगे जिससे सजा को और सख्त किया जाए और उम्मीद है कि ऐसे मामलों में कमी आएगी। महोदय, आज मुझे गर्व है कि मैं संसद में खड़ा हूं और इस संबंध में एक अध्यादेश विधेयक में परिवर्तित हो रहा है। निश्चित रूप से हम टीआरएस पार्टी की तरफ से इसका समर्थन करते हैं।

संयुक्त राष्ट्र के आंकड़ों के अनुसार संयुक्त राज्य में प्रति लाख 27.3 बलात्कार के मामले दर्ज होते हैं; ब्रुसेल्स में यह आंकड़ा प्रति लाख पर 21 मामलों का है और भारत में यह प्रति लाख पर 1.8 बलात्कार के मामले हैं जो बहुत ही कम हैं। अत: सं.यूएसए और ब्रुसेल्स में बलात्कार के मामले भारत से लगभग 15-20 गुना अधिक हैं। इसके बावजूद, हमें विदेशी मीडिया गलत ढंग से प्रस्तुत कर रहा है। अत: यह अच्छी बात है कि हम विश्व को यह दिखा रहे हैं कि संसद इसके विरुद्ध कार्रवाई करने जा रही है।

यह दर्शाता है कि कुछ मामलों में बेहतर पत्रकारिता नहीं हुई है क्योंकि मुझे नहीं लगता कि हमारा देश ऐसा इकलौता देश है जहां ऐसी घटनाएं होती हैं। हमारे यहां विवाहोपरांत ऐसे मामले भी हैं और कई अप्रकाशित मामले भी हैं। कुछ मामलों में पुलिस काफी दक्ष है और कुछ मामलों में नहीं है।

मुझे लगता है कि हमें इस बात का संज्ञान लेने की जरूरत है।

महोदय, जस्टिस वर्मा समिति ने वर्ष 2013 में कहा था कि अपराध का प्रघटन होना चाहिए। पर इसका निर्णय कौन करेगा? आनुपातिक अपराध क्या होता है? बिलकुल, यह जनता तय करती है। इन दरिंदों ने समझ और संवेदना की सीमा पा कर ली है। इसलिए, सबसे बड़ी सजा के रूप में मृत्युदंड को, इस विधेयक में लागू किया जा रहा है।

महोदय, गलत पत्रकारिता के अतिरिक्त, जैसा कि माननीय सांसदों द्वारा रेखांकित किया गया है, इन मामलों को लंबित रहना भी एक अन्य बड़ी समस्या है। अध्यादेश में जो फास्ट-ट्रैक न्यायालय थे उन्हें इस विधान में हटा दिया गया है। लेकिन आपने दो माह की सीमा तय कर दी है। मुझे लगता है कुछ बड़े वकीलों ने इस मुद्दे को उठाया है। मैं सच में दुविधा में हूं। बेहतर कौन है? क्या फास्ट-ट्रैक न्यायालय बेहतर था अथवा दो माह की सीमा? जैसा कि वेणुगोपाल जी ने बताया दो माह की सीमा की परिभाषा बहुत स्पष्ट नहीं है।

दोषसिद्धि-दर भी बहुत कम है। लेकिन, सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि यह लिंग-निरपेक्ष नहीं है। हमने यह भी देखा है कि लड़के भी इन दरिंदों का शिकार बन रहे हैं।

मैं कोई वकील नहीं हूं। लेकिन एक बड़े न्यायाधीश ने मुझे एक बार बताया कि विधि इस बारे में कुछ नहीं स्पष्ट करती कि क्या नैतिक है और क्या अनैतिक। वह नहीं कहती कि क्या अच्छा है और क्या बुरा है, बल्कि यह कि लोग किसको सही अथवा गलत मानते हैं। हमारे लोकतंत्र में, जो हम सांसद सोचते हैं, जो जनता सोचती है, वही-अच्छा है अथवा बुरा। अब लोग जो सोचते हैं वह आनुपातिक है अथवा नहीं? मेरे विचार से सभी लोग यही सोचते हैं कि यह आनुपातिक है। यह दंड आनुपातिक रूप से सही है। हमें इसे अवश्य रखना चाहिए।

टीआरएस पार्टी और मेरे संसदीय निर्वाचन क्षेत्र के सदस्यों की ओर से, मैं इस विधेयक का समर्थन करता हूं।

***डॉ. ए. सम्पत** (अट्टिंगल) : धन्यवाद, उपाध्यक्ष महोदय। मुझे आशा है कि आप मुझे अपनी मातृभाषा मलयालम में बोलने की अनुमति देंगे।

महोदय, व्यक्तिगत रूप से मैं मृत्युदंड के खिलाफ हूं। एक वकील और एक लोकसेवक के रूप में, मैं मृत्युदंड का विरोध करता हूं। लेकिन मैं इस विधेयक का समर्थन करने के लिए मजबूर हूं, मैं इस विधेयक के पीछे की नेक मंशा पर सवाल नहीं उठा सकता। मेरा मानना है कि इस तरह का विधेयक अब इस सदन में इसलिए पेश हुआ है, क्योंकि देश की भावना यही है। लेकिन प्रासंगिक सवाल यह है कि बलात्कार को भारतीय दंड सहिता की धारा 376 द्वारा परिभाषित किया गया है, क्योंकि हम बलात्कार के लिए मृत्युदंड देते हैं, पर क्या हम यह आश्वासन दे

*मूल रूप से मलयालम में दिए गए भाषण के अंग्रेजी अनुवाद का हिन्दी रूपांतर।

सकते हैं, कि इससे इस देश की महिलाएं और बच्चियां सुरक्षित हो जाएंगी? हम कहते हैं, कि महिलाएं मां हैं। वे देवताओं की तरह पूजा के योग्य हैं। जीवन के सभी क्षेत्रों में महिलाओं को वरीयता दी जाए। मुझे विश्वास है कि इस सदन में सभी सदस्य, माता-पिता भी होंगे। यहां अधिकांश सदस्य बालिकाओं के अभिभावक हैं। क्या उनकी बच्ची सुरक्षित है? क्या बहनें और माताएं सुरक्षित हैं? बलात्कार कहे जाने वाले इस नृंशस कृत्य की उत्पत्ति को हम कहां खोज सकते हैं? चलना सीखने से पहले ही, पालने में भी, एक बच्ची असुरक्षित ही है। अक्सर, अपने ही घर में उसका यौन शोषण किया जाता है। स्कूल और कॉलेज में, जहां वह पढ़ाई करने जाती है, सार्वजनिक स्थानों और कार्यस्थलों पर, कुल मिलाकर समाज में, उसे यौन शोषण के लिए निशाना बनाया जा सकता है। उसकी निजता पर आक्रमण होता है। अंग्रेजी में हम इसे कहते हैं "पिपिंग टॉम्स" अर्थात् हमेशा सेंध लगाने वाले वे मनचले जो उसकी निजता का उल्लंघन करते हैं। एक लड़की कहां जाती है; वह क्या करती है; क्या पहनती है; कहां यात्रा करती है, जब वह अपना घर छोड़ती है तो क्या खाती है, इन सब पर उन लोगों पर नजर रखी जाती है जो नैतिक पुलिसिंग करते हैं।

राजधानी तक में सबसे ज्यादा दुर्भाग्यपूर्ण घटनाएं हुई हैं। जब निर्भया कांड हुआ तो हम बहुत रोए, हम में से कई लोग रोए कुछ ने तो यह पूछने की हिम्मत भी कि निर्भया उसी समय क्यों यात्रा कर रही थी? क्यों उसने अपने प्रेमी के साथ यात्रा की? वह उसी बस में क्यों चढ़ी? हमारा समाज एक पितृसत्तात्मक समाज है। इस देश में सभी पुरुष, गहरे पुरुषवादी दिमाग के हैं। महोदय, मुझे उम्मीद है कि आप मुझे रोकने की घंटी बजाने नहीं जा रहे हैं। महोदय, ऐसे मामले सोशल मीडिया में आए हैं। मैं हाल ही में केरल में जो हुआ, उसके बारे में बोल सकता हूं?

सांय 6:00 बजे

माननीय उपाध्यक्ष : अब 6 बजे चुके हैं। यदि सदन सहमत है, तो हम सदन के समय को एक घंटे तक बढ़ा सकते हैं, ताकि विधेयक पारित हो सके।

श्री अनंतकुमार : हम इसे विचार और पारित करने के लिए ले सकते हैं।

प्रो. सौगत राय : क्या आप विधेयक को आज ही पारित करना चाहते हैं।

कई माननीय सदस्य : हां।

माननीय उपाध्यक्ष : सम्पत जी, आप मुद्दे पर आएं। इसलिए, क्योंकि बालिका के बारे में लोग जो सोच रहे हैं वह अलग बात है। हम तो यह चर्चा कर रहे हैं कि लड़की के साथ क्या हुआ। यह बता ज्यादा गंभीर है। हमारी सोच अलग हो सकती है। वह एक अलग मुद्दा है। हम यह नहीं कह सकते कि निर्भया ने उसी समय यात्रा क्यों की; उसे कहीं भी जाने का पूरा अधिकार है। हम इस बारे में चिंतित हैं कि उनके साथ क्या हुआ। हम इसको लेकर चिन्तित हैं कि उसकी कितनी भयावह रूप से हत्या की गई। हमें उसका विश्लेषण करना होगा।

डॉ. ए. सम्पत : महोदय, मेरे ही राज्य केरल में एक दुर्भाग्यपूर्ण घटना घटी। एक गरीब बालिका अपनी पढ़ाई को आगे बढ़ाने और अपने परिवार का समर्थन करने के लिए वह पैसा कमाना चाहती थी। वह मछली बेचने गई, जिसके लिए उसे सोशल मीडिया के माध्यम से घृणापूर्ण मेल/संदेश मिला। लोगों ने पूछा कि क्या यह एक मछली विक्रेता की पोशाक है? क्या यह तरीका है, क्या एक भूखी लड़की को मुस्कुराना और हंसना चाहिए? चाहे वह सार्वजनिक स्थान हो, या सोशल मीडिया, यही हमारे समाज का रवैया है। मैं सिर्फ इस रवैये की इंगित करना चाहता हूं।

महोदय, यदि बारह साल से कम उम्र की लड़कियों के साथ बलात्कार के मामले में अधिकतम सजा मृत्युदंड हो सकती है, पर अगर सोलह साल से कम उम्र की लड़कियों से बलात्कार हो यह तो सजा दस साल तक के कारावास से बीस साल तक बढ़ें। महोदय, आप इससे सहमत होंगे कि यह एक महत्वपूर्ण विधान है। यह इस देश में विद्यमान आपराधिक कानून में संशोधन के लिए है। इस तरह के एक महत्वपूर्ण संशोधन को स्थायी संसदीय समिति को भेजा जाना चाहिए था।

हो सकता है कि मंत्री जी कहेंगे कि यह मात्र एक संशोधन है। अक्सर बहुत महत्वपूर्ण विधेयक वित्त विधेयक की श्रेणी में डाले गए हैं और उन्हें बिना किसी चर्चा के पारित कर दिया गया है। जब ऐसा होता है, तो यह लोकसभा की संप्रभुता का उल्लंघन है। तो, इस संशोधन विधेयक को, स्थायी समिति द्वारा किए गए मौखिक साक्ष्यों हेतु और टिप्पणी हेतु भेजा जाना चाहिए था। इसकी स्थायी समिति द्वारा और अधिक चर्चा और जांच की आवश्यकता थी।

महोदय, जब बलात्कार होता है, तो अक्सर उसकी सूचना नहीं दी जाती। बेइज्जती के डर से लोग रिपोर्ट नहीं करते हैं। हम वकील कहते हैं कि "मानव शरीर की अस्मिता है। मेरी सहमति के बिना कोई अन्य व्यक्ति मेरे शरीर को नहीं छू सकता।" दूसरे, सबूतों के साथ छेड़छाड़ की जाती है। तीसरा, आरोप-पत्र समय से दाखिल नहीं किया जाता है। इसी महान सभा में जो कुटुंब न्यायालय का गठन करने के लिए विधान आया। मैं बस दो मिनट और लूंगा।

विधान में उल्लेख किया गया है कि कुटुंब न्यायालयों को आपराधिक अदालतों के परिसर के भीतर कार्य नहीं करना चाहिए। आज हमारे देश में कुटुंब न्यायालय आपराधिक अदालतों के परिसर और इमारतों के भीतर काम कर रहे हैं। देश में लैंगिक अपराधों से बालकों का संरक्षण (पोस्को) के एक लाख से अधिक मामले लंबित हैं। जिन स्थानों पर पोस्को मामले की पीड़ितों का पुनर्वास किया जाता है, वहां अक्सर एंबुलेंस सेवाएं भी नहीं होती हैं।

अतः, बलात्कार की घटनाएं नहीं होनी चाहिए। क्योंकि कुछ राज्यों से बलात्कार के मामले सामने नहीं आते, इसका मतलब यह नहीं है कि वहां बलात्कार की घटनाएं नहीं होती। हमें इसकी सही तस्वीर पाने के लिए प्रति एक लाख की आबादी पर बलात्कार के प्रतिशत पर विचार करना होगा। इस हिसाब से सिक्किम की स्थिति हैरान करने वाली है। मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र और उत्तर प्रदेश में बलात्कार की घटनाओं की संख्या सबसे अधिक हो सकती हैं। मूक प्रश्न यह है कि क्या हमारी पुलिस प्रणाली त्रुटिरहित और प्रभावी हो सकती है। दूसरी बात यह कि सत्ता और पैसे के अहंकार के आगे क्या पुलिस बल निष्पक्ष रहेगा? क्या हम यह सुनिश्चित कर सकते हैं महत्वपूर्ण सबूत नष्ट न किए जाएं और उन्हें निश्चित रूप में अदालत में पेश किया जाए? क्या हम यह आश्वासन दे सकते हैं कि विचारण निर्धारित समय के भीतर पूरा हो? चौथा, क्या हम यह सुनिश्चित कर सकते हैं कि पीड़ित को बार-बार मानसिक रूप से प्रताड़ित न किया जाए। अंत में, क्या हम यह सुनिश्चित कर सकते हैं कि सिर्फ इसलिए कि एक लड़की का बलात्कार हुआ है, उसे पापी नहीं माना जाए, बल्कि समाज द्वारा मुख्यधारा में स्वीकार किया जाए। ये पहलू विधेयक में पर्याप्त रूप से शामिल नहीं हैं। यह एक जटिल मुद्दा है। लेकिन हम इसे सीधे सरल तरीके से संभालने का प्रयास कर रहे हैं। महोदय, मैं आपके माध्यम से सरकार की जानकारी में इन मुद्दों का लाना चाहूंगा। यह एक बहुत ही जटिल स्थिति है, यह जटिल सवाल खड़े करती है। और अगर आप इससे सरल तरीकों से निपटेंगे, तो मैं कहूंगा कि हमारे प्रयास सफल नहीं हो सकते हैं। इसलिए, इस संबंध में और अधिक साक्ष्य, बहस, विचार-विमर्श, अन्य विशेषज्ञों के साथ विचार-विमर्श और परामर्श किए जाने की आवश्यकता है।

महोदय, आपके माध्यम से, मैं इन मामलों को सरकार के ध्यान में लाना चाहूंगा। यह एक बहुत ही जटिल और कठिन प्रश्न है। अगर सरकार सरल तरीकों से इससे निपटने का प्रस्ताव करती है, तो मैं कह सकता हूं कि यह सफल नहीं होगा। इसलिए, इस पर साक्ष्य, आंकड़ों, चर्चा, विचार-विमर्श और अन्य विशेषज्ञों के साथ परामर्श किए जाने की आवश्यकता है।

धन्यवाद।

श्रीमती सुप्रिया सुले (बारामती) : महोदय, मुझे बोलने का अवसर प्रदान करने के लिए धन्यवाद। मैं, अपनी पार्टी की ओर से, इस अत्यंत महत्वपूर्ण विधेयक पर बोलने के लिए खड़ी हुई हूं। मैं विधेयक का समर्थन करती हूं।

मैं सबसे पहले यह कहना चाहूंगी कि यह केवल एक विधान नहीं है, बल्कि जिस समाज में हम रहते हैं उसके लिए यह एक सामाजिक आघात और सामाजिक कलंक है। मेरा हमेशा से मानना रहा है कि मैं भारत की 21वीं सदी का प्रतिनिधित्व करती हूं, जहां स्त्री-पुरुष समान थे। मेरा जन्म मुंबई में हुआ और मैं अपने माता-पिता की इकलौती संतान थी। जिस समाज में मेरा पालन-पोषण हुआ, वह स्त्री-पुरुष के लिए बेहद समान, निष्पक्ष और न्यायोचित था। लेकिन यह दुर्भाग्यपूर्ण है कि हमारे जीवन के इस पड़ाव पर, जब हम डिजिटलीकरण और एक आधुनिक दुनिया की बात कर रहे हैं, जिसके आगे हम बहुत छोटे लग रहे हैं, क्या हम वास्तव में एक प्रतिगामी समाज बन रहे हैं, जहां महिलाओं के खिलाफ में वृद्धि हो गई है।

महोदय, सरकार द्वारा लाए गए विधान की मैं सराहना करती हूं। लेकिन मुझे महाराष्ट्र के कोपर्डी की घटना याद आती, जहां एक छोटी बच्ची के साथ बलात्कार कर उसे बेरहमी से मार दिया गया। यह अकेली घटना नहीं है। पूरा समाज इससे हिल गया। अगर आप आज कोपर्डी जाए, तो पाएंगे कि लड़कियां स्कूल जाने से डरती हैं। शाम के समय यदि उनकी बस छूट जाए, तो वे अगले दिन स्कूल नहीं जाना चाहती। इसलिए, हमें एक देश के रूप में समग्र तस्वीर को देखना होगा। मैं इस तथ्य से शर्मिंदा हुई, जब बार-बार महाराष्ट्र राज्य का उल्लेख यह कहकर किया गया कि महाराष्ट्र में बलात्कार के मामलों की संख्या अधिक है। मेरा मानना है कि अगर कोई एक बलात्कार पीड़िता है, तो यह एक समाज के रूप में हम सभी के लिए शर्मनाक है। हम सीधा बलात्कार की बात क्यों करते हैं? छेड़खानी के बारे में बात क्यों नहीं की जाती? कई बार लड़कियां छेड़खानी के कारण ही स्कूल और कॉलेज बीच में ही छोड़ देती हैं।

[हिन्दी]

रेप/बलात्कार तो बहुत गंभीर चीज है, लेकिन लड़कियों से छेड़छाड़ रोकने के लिए हमारा समाज क्या कर रहा है?

[अनुवाद]

मुझे याद नहीं है कि जब हम कॉलेज जाते थे तो मुंबई में होती थी। लेकिन आज अगर आप ग्रामीण भारत में कहीं भी जाते हैं, तो छेड़छाड़ एक बहुत बड़ी शैतानी बन गया है और लड़कियों को स्कूल और कॉलेज छोड़ना पड़ रहा है।

दूसरी बात जिसे एक समाज के रूप में और जो पहले भी सदस्यों ने भी कहा है, वह पीड़िता की पहचान के बारे में है। पहली बात, मीडिया वहां तक पहुंचता है। यहां तक कि हमारे जैसे लोग उनके घरों तक पहुंच जाते हैं। हम केवल एकजुटता दिखाने जा रहे हैं लेकिन वास्तव में इस तरह की यातना से गुजरने वाले किसी भी व्यक्ति की पहचान को गुप्त रखना होगा। हमने निर्भया के बाद एक कानून पारित किया लेकिन उसका पालन नहीं किया गया। हर कोई उस युवा महिला या युवा लड़के की पहचान जानता है जो भी इससे गुजरता है। मुझे लगता है कि एक लिंग-निरपेक्ष समाज में, लड़कों को इससे बाहर रखना, इस विधेयक की बहुत बड़ी कमी है। मैं माननीय मंत्री से आग्रह करूंगा कि 'लड़कियों और लड़कों' को इसमें जोड़ा जाए क्योंकि भारत में हर बच्चा सुरक्षा का हकदार है।

लोगों ने पुलिस की संवेदनशीलता और जागरूकता के बारे में बात की है। मानव तस्करी के संबंध में विधेयक के बारे में भी, इस विधेयक का पूरा क्रियान्वयन राज्यों द्वारा किया जाने वाला है। यह एक बहुत अच्छा और सख्त विधेयक है जब राज्यों को पूरी तरह से जागरूक बना दिया जाता है। हमने बहुत अच्छा कार्यक्रम किया जब श्री आर.आर. पाटिल गृह मंत्री थे। दुर्भाग्य से अब उनकी मृत्यु हो चुकी है। उस कार्यक्रम को टंटा मुक्ति कार्यक्रम कहा जाता है जहां हर गांव में एक परिषद होती थी। गांवों में सभी झगड़ों और तर्कों के समाधान के लिए दस से 15 लोगों की एक प्रतिनिधि सभा होती थी तो, आप एक ग्रामीणों की समिति क्यों नहीं बनाते है जिसमें आम लोगों द्वारा निगरानी की जाएगी।

केवल पुलिस हस्तक्षेप से कुछ नहीं होने वाला है। हमें, एक समाज के रूप में, एक बदलाव लाने के लिए कदम उठाना होगा। आप हरेक गांव में महाराष्ट्र में टंटा मुक्ती की तरह एक सतर्कता समूह के लिए भी कदम उठा सकते हैं। आप सतर्कता समूहों को एक प्राधिकरण के रूप में क्यों नहीं लाते हैं जिसका मुखिया ग्राम के वृद्धों को बराबर बनाया जाए जो लड़कियों का ख्याल रखेगें और देखेंगे कि कौन लड़का बुरा व्यवहार कर रहा है? यह परिवार के वरिष्ठों के रूप में बर्ताव करेगा। वे किसी के जीवन में हस्तक्षेप नहीं कर रहे हैं, लेकिन वे मूक सतर्कता दल हैं। यदि आप उन्हें किसी प्रकार का अधिकार दे सकते हैं, तो इससे मदद मिलेगी। मैं यह नहीं कह रहा हूं कि उन्हें निर्णय लेने की शक्ति प्रदान करनी चाहिए, लेकिन आपको हमारी बेटियों की सुरक्षा करने की शक्ति प्रदान करनी चाहिए। इससे बहुत फर्क पड़ेगा।

हमारे पास महाराष्ट्र में हर संगठन में विशाखा समिति की अवधारणा है। भले ही यह दस लोगों का कार्यालय हो, वहां विशाखा समितियां बनाई जाती हैं। लेकिन क्या उन्हें वास्तव में लागू किया जाता है? नहीं। यदि आपके साथ छेड़-छाड़ होती हैं या कोई व्यक्ति कुछ कहता है जो एक महिला को उचित नहीं लगता है, तो वह उस समिति के पास जा सकती है और वह समिति उस मामले को उठाती है। हमारे पास इस तरह का पैन-इंडिया कार्यक्रम क्यों नहीं हो सकता है, जहां एक महिला को पुलिस स्टेशन के बाहर भी अधिकार प्राप्त हो। जहां वह जा सकती है और अपने अधिकारों मांग कर सकती है? कभी-कभी पुरुषों को इन चीजों के बारे में जरूरी जानकारी नहीं होती है। मैं यह नहीं कहूंगी कि सभी पुरुष असंवेदनशील हैं। मैं बहुत खुश हूं कि इतने सारे पुरुष सदस्यों ने इस मुद्दे पर बात की है। यह सभा की भावना और इस सभा की संवेदनशीनलता को दर्शाता है।

एक और मुद्दा जिसे विस्तारित करने और चर्चा करने की आवश्यकता है, साइबर अपराध का मुद्दा है। साइबर अपराध के कारण बहुत सी महिलाओं का अत्यधिक शोषण होता है। हम उस भाग को कैसे देख रहे हैं? यह एक जघन्य अपराध है। सभी महिला से संबंधित मुद्दों पर फिर से विचार करना होगा। इसका मतलब यह नहीं है कि पुराना कानून खराब था, लेकिन आज प्रौद्योगिकी के आने के साथ, साइबर अपराधों द्वारा विवाहित महिलाओं और युवा लड़कियों का भी बहुत शोषण होता है। समग्ररूप में यौन शोषण और इसके दायरे में वृद्धि हो रही है। मैं माननीय मंत्री से आग्रह करूंगा कि इस मुद्दे पर कुछ प्रकाश डाले, ताकि हम समझ सकें और एक स्वर में हमें इस सभा में हर बच्चे की रक्षा करने की आवाज उठानी चाहिए, न कि सिर्फ बालिकाओं की।

मैं इस सभा के संज्ञान में लाना चाहूंगा कि महाराष्ट्र एक अत्यंत कठिन स्थिति से गुजर रहा है। बेटी बचाओ-बेटी पढ़ाओ ऐसी चीज है जो महाराष्ट्र ने 25 साल पहले की थी और हमें गर्व है कि सारी सरकारें इस प्रक्रिया को जारी रखे हुए हैं। लेकिन पिछले तीन वर्षों में महाराष्ट्र के आंकड़ों से पता चलता है कि कन्या भ्रूण हत्या की संख्या में वृद्धि हुई है। अनुपात में पूर्णतः असंतुलन है। जाहिर है, कि कहीं कुछ न कुछ गलत हो रहा है।

विधान सामाजिक परिवर्तन नहीं लाते है। स्कूलों में बैड टच और गुड टच सिखाया जा रहा है। ये सभी जागरूकता कार्यक्रम चलाये जा रहे है। लोग हमारे समाज में यौन शिक्षा के बारे में बात करना पसंद नहीं करते हैं लेकिन हमें वास्तव में इसके बारे में बात करने की आवश्यकता है। इस पर खुलकर बहस की जा सकती है। मैं यह नहीं कह रही हूं कि यह सही बात है या गलत चीज है लेकिन वास्तविकता तक पहुंचने और पता लगाने के लिए यह एक रास्ता हो सकता है। मराठी में, एक शब्द है जिसका नाम 'विक्षिप्त' है। एक बच्चे का शोषण करने के बारे में कोई सोच भी नहीं सकता तो, इस इंसान के साथ कोई गहरी मनोवैज्ञानिक समस्या है और उसे इस समाज में रहने का कोई अधिकार नहीं है।

मैं यहां प्रो. सौगत राय द्वारा उल्लिखित बिंदु को उठाना चाहूंगी। मैं भी यही सोच रही थी कि क्या इस कानून के साथ हम वापस पीछे की ओर जा रहे हैं लेकिन जब मैंने खुद को और अपने बच्चे को उस परिस्थिति में रखकर देखा, तो बेशक, इस देश में किसी बच्चे के साथ ऐसा दुर्व्यवहार नहीं होना चाहिए, बलात्कार तो बहुत दूर की बात है। इसलिए, उसे फांसी होनी चाहिए और कठोर सजा दी जानी चाहिए।

एक समाज के रूप में, हमें वास्तव में ध्यान रखना होगा कि किसी बच्चे के साथ दुर्व्यवहार न हो। यहां तक कि गर्भधारण-पूर्व और प्रसव-पूर्व निदान तकनीक (लिंग चयन प्रतिषेध) अधिनियम (पीसीपीएनडीटी एक्ट) के संबंध में भी, राज्य समितियां इसे क्रियान्वित नहीं कर रही हैं। आज यह कानून बना दिया जाएगा लेकिन क्या लोगों को वास्तव में इसका लाभ मिल पाएगा? मैं सोचती हूं, समाज के एक सदस्य के रूप में, मैं फिर से दोहराना चाहूंगी कि यह कानून सामाजिक बदलाव नहीं करता।

सामाजिक बदलाव लाने में पीढ़ियां लग जाएंगी। मुझे हमेशा ऐसा महसूस होता था कि शिक्षा से बदलाव आता है, लेकिन शिक्षा से कोई बदलाव नहीं आता। एक परिवार में, अगर पति और पत्नी दोनों शिक्षित भी हों, तो वे एक बच्च चाहते हैं और, दुर्भाग्य से, वे हमेशा यही कहेंगे कि उन्हें बेटा चाहिए। इसलिए, सामाजिक बदलाव केवल शिक्षा के साथ नहीं आते। कानून इस प्रक्रिया को बढ़ावा देता है। लेकिन इससे अपराधों को खत्म करने में मदद नहीं मिलती।

इसलिए मैं माननीय मंत्री जी से आग्रह करना चाहूंगी कि सबसे पहले तो हमें यह संदेश देना होगा कि किसी भी महिला और बच्चे के विरुद्ध किसी भी अपराध को सहन नहीं किया जाएगा और सरकार को इसे जहां तक संभव हो लागू करना होगा। मैं चाहूंगी कि मंत्री जी हमें बताएं कि बदलाव लाने के लिए एक समाज के तौर हम और क्या कर सकते हैं।

इन्हीं शब्दों के साथ, मैं विधेयक का समर्थन करती हूं और इस विधेयक को लाने के लिए मंत्री जी को बधाई देती हूं।

श्रीमती बुत्ता रेणुका (कुरनूल) : श्रीमान उपाध्यक्ष महोदय, एक महिला के तौर पर, मुझे गहरी पीड़ा और निराशा होती है कि आजादी के 70 वर्ष बीतने और पूरे देश में साक्षरता का फैलाव होने के बाद भी, हमें महिलाओं, विशेष रूप से बच्चियों के विरुद्ध अत्याचारों से जुड़े कानूनों को और भी कठोर बनाने की आवश्यकता पड़ रही है।

मुझे हमेशा से यह आशा थी कि यह देश और भी सभ्य होता जा रहा है और महिलाओं के प्रति अत्यंत सम्मान के साथ व्यवहार किया जाएगा। यह अत्यंत दु:खद है कि संवैधानिक रक्षा उपायों और महिलाओं को अधिकार प्रदान किए जाने के बावजूद, अत्याचार अभी भी जारी हैं और संसद पर विभिन्न कानूनों के माध्यम से महिलाओं की सुरक्षा का दायित्व आ गया है।

हमारा संविधान, कागजों पर तो, किसी के साथ भी लिंग के आधार पर भेदभाव नहीं करता और समान अधिकार और अवसर प्रदान करता। लेकिन वास्तविकता में, यह अत्यंत दु:खद है कि हम रोज सुनते हैं कि किस तरह महिलाओं और बच्चों के साथ दुर्व्यवहार हो रहा है और उन्हें विभिन्न प्रकार की हिंसाओं का शिकार बनाया जा रहा है।

कठुआ और मुज़फ्फरपुर में हाल ही में हुई बलात्कार की घटनाओं ने इस देश की आत्मा को झकझोर दिया है। मैं बस एक उदाहरण देना चाहती हूं। मेरे निर्वाचन क्षेत्र में, एक 7 साल की बच्ची के साथ बलात्कार हुआ और मेरे जगह-जगह जाकर प्राधिकारियों से मिलने और अनुरोध करने के बावजूद उसे न्याय नहीं मिला। जब मैं जाकर उस बच्ची से मिली और उसके साथ बातचीत की, तो उसे यह भी नहीं पता था कि उसके साथ क्या हुआ है। जब मैं उस बच्ची से मिली तो मैं सचमुच रो पड़ी। यह अत्यंत पीड़ादायक घटना है। जब हम ऐसी घटनाओं को घटित होते हुए देखते हैं, तो हमें बहुत बुरा महसूस होता है। सभी संसद सदस्यों ने यहां एक सी भावना ज़ाहिर की है। जब हम ऐसी घटनाओं को होता हुआ देखते हैं, तो हम महसूस होता है कि ऐसे निर्दयी लोगों को केवल मृत्युदंड ही दिया जाना चाहिए और ऐसे लोगों के लिए कोई अन्य सजा नहीं है।

महोदय, भारतीय महिलाएं आदिकाल से अपमान, यातना और शोषण का शिकार रही हैं। एक महिला को जीवन में अलग-अलग कालों में विभिन्न प्रकार की हिंसा का सामना करना पड़ रहा है। इसके अलावा, ऐसे उदाहरण हैं कि जब वे शिकायतों के निवारण के लिए पुलिस से संपर्क करती हैं तो पुलिस महिलाओं पर अत्याचार करती है।

दुर्भाग्यपूर्ण बात यह है कि यह बीमारी फैल रही है और छोटे बच्चों में इससे बचने की क्षमता नहीं है। नाबालिग लड़कियां बलात्कार और सामूहिक बलात्कार का शिकार हो रही हैं। एक नाबालिग लड़की, जो इस तरह के बलात्कार का शिकार हो जाती है, उस पर जीवन भर का कलंक लग जाता है और उसके लिए सामान्य और गरिमापूर्ण जीवन जीना मुश्किल हो जाता है।

इस विधेयक में अपराधियों के लिए कड़ी सजा का प्रावधान है। इस विधेयक के माध्यम से सजा की अवधि बढ़ाई गई है। इस विधेयक में सबसे महत्वपूर्ण प्रावधान यह है कि जांच के लिए समयसीमा निर्धारित की गई है। ऐसे मामलों की अपील के निपटान के लिए समय अवधि भी निर्धारित की गई है।

यह कहते हुए कि, जिस क्षण हमें पता चलेगा कि एक बच्ची के साथ बलात्कार हुआ है, मौत के अलावा और कोई सजा नहीं होनी चाहिए। महिलाओं के रूप में भी हम सभी यही महसूस करते हैं। इन अपराधियों के प्रति किसी भी प्रकार की कोई दया नहीं दिखाई जानी चाहिए।

केवल आपराधिक अभियोग से पीड़ित को मुआवजा नहीं मिलेगा। इसलिए, यह आवश्यक है कि हम पीड़ितों के पुनर्वास पर भी विचार करें।

हमें उत्पीड़न समाप्त करने और हिंसा झेलने वाली महिलाओं और बच्चों को त्वरित न्याय प्रदान करने के लिए बहुत कुछ करना है।

महिलाओं पर अत्याचार का समाज और राष्ट्र पर बहुत बुरा प्रभाव पड़ता है और सार्वजनिक स्वास्थ्य, उत्पादकता आदि पर इसका असर पड़ता है। पीड़ितों पर हिंसा का प्रभाव जीवन भर रहता है।

अनेक वर्षों से, विधानमंडलों, सरकारी नौकरियों और यहां तक कि निजी नौकरियों में महिलाओं का हिस्सा काफी हद तक बढ़ गया है। इसके बावजूद, जिसके लिए हमें सूचना प्रौद्योगिकी को धन्यवाद देना चाहिए। मुझे यह बताते हुए खेद है कि शासन में महिलाओं की भागीदारी बढ़ने के बावजूद महिलाओं के खिलाफ अत्याचार कम नहीं हो रहे हैं। इसका कारण उन स्थानों पर महिलाओं की संख्या में कमी होना है जहां यह मायने रखती है। पुलिस अधिकारियों, अभियोजकों और न्यायाधीशों के रूप में महिलाओं की उपस्थिति न केवल महिलाओं और बाल दुर्व्यवहार के खिलाफ न्याय को मजबूत करेगी, बल्कि इस वर्ग में विश्वास पैदा करते हुए संभावित अपराध रोकने का भी काम करेगी।

इसलिए महोदय मैं बार बार जोर दे रहा हूं कि सजां गंभीर होनी चाहिए। जो भी कानून इस सदन में लाया जा रहा है, उसका क्रियान्वयन वास्तव में मायने रखता है। यदि हम जमीनी स्तर पर इस तरह के कानूनों को ठीक से लागू नहीं कर पाए, तो हम अपने कर्तव्य पालन में विफल हो जाएंगे। जब हम इस तरह के अच्छे कानून बनाते हैं, तो हमें यह सुनिश्चित करने की आवश्यकता होती है कि वे बिना किसी असफलता के प्रभावी ढंग से लागू हों।

इन शब्दों के साथ, मैं इस विधेयक का समर्थन करता हूं। धन्यवाद।

श्रीमती मीनाक्षी लेखी (नई दिल्ली) : माननीय उपाध्यक्ष महोदय, इस अति महत्वपूर्ण विधेयक पर मुझे बोलने का अवसर देने के लिए मैं आपको धन्यवाद देती हूं।

महोदय, मुझे दो प्रकरणों की याद दिलाई गई। मुझे मोइनुद्दीन कुट्टी का मामला स्मरण कराया गया जो कि थियेटर से संबंधित है जिसमें एक बच्चे का शोषण हुआ था और यह कठुआ मामले का विरोध करने में सबसे आगे थे। एकदम अलग था।

फिर मुझे मदरसे से संबंधित एक मामला याद दिलाया गया जिसमें मुहम्मद रफी ने चार नाबालिग लड़कियों का बलात्कार किया था। तदनन्तर चार पादरियों वाला एक अलग मामला सामने आया जिसमें वे जमानत के लिए पिछले सप्ताह ही उच्चतम न्यायालय में चले गये। हमने बिशप वाला मामला देखा है।

महोदय, आप पूछेंगे कि मैं इन मामलों का उल्लेख क्यों कर रही हूं? मैं इन मामलों का उदाहरण इसलिए दे रही हूं कि जब हम नाबालिगों के बलात्कार और महिलाओं के प्रति अपराध जैसे गंभीर मुद्दों पर चर्चा कर रहे होते हैं, तो कुछ लोग हमें लगातार कठुआ मामले की याद दिलाते हैं तथा अन्य सभी मामलों को भूल जाते हैं। इसी कारण मैं इन सभी मामलों का उदाहरण दे रही हूं।

जबकि महिलाओं और बच्चों के प्रति अपराध की स्थिति में राजनीति के लिए कोई स्थान नहीं बचता। और इसी संदर्भ में मैनें अपनी बात करने के लिए खड़ी हुई। मेरा कहना यह है कि हम ऐसी सभ्यता से आते हैं जिसके मानने वाले प्राय: इसका गलत उदाहरण देते हैं परंतु मैं पूरे श्लोक का उद्धरण दूंगी जिसमें कहा गया है:–

[हिन्दी]

"यत्र नार्यस्तु पूज्यन्ते रमन्ते तत्र देवता:।
यत्रैतास्तु न पूज्यन्ते सर्वास्तत्राफला: क्रिया:।"

इसका मतलब है कि जहां कहीं आप नारी की पूजा करते हैं, वहां पर देवताओं का वास है। जहां पर आप नारी की पूजा नहीं करते हैं, वहां पर आपकी क्रिया का आपको फल नहीं मिलेगा। देश, दुनिया कितनी तरक्की करे, जब तक इस देश में महिलायें, बच्चे सुरक्षित नहीं हैं, तब तक आपकी तरक्की का लाभ समाज को नहीं मिलेगा। अपने समाज के लिए, अपनी सभ्यता के लिए, अपने संस्कारों के लिए हमें महिलाओं और बच्चों को सुरक्षा देनी है।

इसी के साथ दो लाइनें मुझे और याद आ रही हैं।

"नारी का मत कर अपमान, इसके बल पर चलता जग है।
इससे पैदा होकर, इसकी कोख में पलता मनुष्य है।"

[अनुवाद]

इसलिए, उस स्त्री, जो जीवन देने वाली है, उसको अपमान नहीं किया जा सकता और उसे शर्मिन्दा नहीं किया जा सकता। परंतु आज सुबह ही मुझे "विश्व नारी अभ्युदय संगठन" नामक समूह की ओर से एक अभ्यावेदन मिला जिसे यह नहीं पता था कि इसी अपराह्न में इस सभा में इसी विषय पर बोलूंगी। जो महिलाएं मेरे पास आई थीं उन्होंने कहा था कि *[हिन्दी]* किसी को इस देश में कानून का डर नहीं है। मैंने कहा कि आज सरकार पूरी तरह से काम कर रही है। मानव तस्करी के खिलाफ कानून लेकर आई है। कठुआ जैसी जब हरकतें देश में होती

हैं, तो उन्नाव की घटना के बाद देश के अंदर इस तरीके का कानून भी लाया जा रहा है।

प्रेमचन्द्रन जी ने कहा कि आर्डिनेंस लाने की क्या जल्दी थी? आर्डिनेंस लाने की जल्दी इसलिए थी कि पूरे देश भर में बहुत आक्रोश था। लॉ एंड ऑर्डर की सिचुएशन थी, अगर आप कानून नहीं लाते तो उन विक्टम को क्या आश्वासन देते? आप क्या करना चाहते हैं? उन सभी को आश्वस्त करना भी आवश्यक था। अप्रैल के महीने में संसद नहीं बैठती इसलिए आर्डिनेंस लाने की आवश्यकता हुई। आर्डिनेंस लाने की बात, आर्डिनेंस केवल रूट नहीं है। हम देश का कानून बदलना चाहते हैं इसलिए अब कानून को कानून का रूप देकर लाया गया। जब इन महिलाओं से बात हुई। तब उन्होंने कहा कि बहन जी, जो भी इस तरह की घटनाओं में संलिप्त हों, उन्हें चौराहे पर फांसी दो

[अनुवाद]

मैं अचंभित थी। मेरी अंतरात्मा हिल गई थी कि हम किस ओर जा रहे हैं। एक तरफ तो हमें अमानवीयता देखने को तब मिलती है जब छोटे बच्चों का बलात्कार होता है और दूसरी तरफ हमें पीड़ित के दृष्टिकोण से भी यही लगता है *[हिन्दी]* कि वह खुद बंदूक लेकर मारने को तैयार बैठे हैं। वे चाहते हैं कि उनको सजा-ए-मौत चौराहे पर दी जाए। हम किसी तरह की ट्राइबल लाइफ की तरफ जा रहे हैं या सिविलाइज्ड सभ्यता की तरफ जा रहे हैं। सभ्यता का मतलब यह है कि कानून व्यवस्था के तहत ऐसे तमाम लोगों को सरकारी तौर पर सजा दी जाए। जब तक सरकारी तौर पर सजा नहीं मिलेगी तो रीट्रिब्यूटिव फॉर्म ऑफ जस्टिस को मायने हम भूल जाएंगे। इंडियन पीनल कोड की बात होती है। यह दण्डात्मक प्रावधान है जो डेथ सैन्टेंस और कैपिटल पनिशमेंट के खिलाफ बोलते हैं, मेरा उनसे यही आग्रह है कि जब आपके अपने परिवार में किसी अपने बच्चे के साथ ऐसा हादसा हो तब मन खुद से गोली उठाकर मारने का, खुद से फांसी लगाने का या कानून के तहत उसका निराकरण किया जाए, यही मांग विक्टम के दृष्टिकोण से देखी जाए। जब निर्भया केस में जस्टिस वर्मा कमेटी बैठी थी, तब मुझे अपनी पार्टी की तरफ से रिपोर्ट ड्राफ्ट करने का सौभाग्य मिला था, हमने उसमें ये मांग की थी और सत्तर प्रतिशत के आसपास हमारी मांगें मान ली गई थीं। कुछेक चीजें रह गईं थी जो इस कानून के तहत अब पूरी की जा रही है। मैंने इन केसेज का इतिहास शांति मुकुंद केस से लेकर निर्भर केस, एक इवोल्यूशन के रूप में, आर्डिनेंस को कानून बनाया जा रहा है, हमने इस रूप में देखा है। जब मैं इस इतिहास को पढ़ती हूं तो मुझे लगता है कि समाज का कोई भी व्यक्ति इसकी अनुमति नहीं देगा। जब अनुमति नहीं देते तो इस पर राजनीति न करे। राजनीति से हमारे मन की व्यवस्था खराब होती है। महिला और बच्चों में किसी भी प्रकार का भेद नहीं कर सकते कि वह किस जाति और किसी धर्म का है या किस जगह पर यह घटना हुई है। जहां कहीं भी ऐसा हुआ है, उसके खिलाफ आवाज उठनी चाहिए और जिसने किया है उसको सख्त से सख्त सजा मिलनी चाहिए।

इस कानून में बदलाव लाने की कोशिश है। मैं इस सरकार के विषय में कहूं तो एक बात जरूर कहना चाहती हूं, मुझे प्रधानमंत्री जी का पहला भाषण याद आता है जिसमें उन्होंने कहा कि यह सरकार गरीब, किसान, मजदूर और महिलाओं को समर्पित है। जितने अभी तक कानून बने हैं, चाहे वह मानव तस्करी के हों, महिलाओं को मैटरनिटी लीव देने की हों, तमाम जगहों पर उसी पक्ष को ध्यान में रखा गया है। विक्टमहुड विक्टम के प्रस्पेकटिव से देखा गया है ओर लैगिंक समानता के पक्ष में प्रायोजित हम काम करना चाहते हैं, इसलिए हम लोग इस तरह के कार्यों में एकजुट हैं। मैं कानून के रूप में बताना चाहती हूं कि क्या बदलाव आया है? बारह वर्ष से कम आयु की बलात्कार की घटना हो, उसमें पहले दस साल न्यूनतम सजा थी अब उसको न्यूनतम बीस वर्ष कर दिया गया है और अधिकतम सजा आजीवन कारावास है। जब बारह वर्ष से कम आयु का सामूहिक बलात्कार हो उसकी न्यूनतम सजा बीस वर्ष थी, अब न्यूनतम सजा को आजीवन कारावास कर दिया गया है, और अधिकतम मृत्युदंड है। बलात्कार अगर बाहर से सोलह वर्ष के बीच का हो तो उसके लिए दस साल न्यूनतम सजा थी अब उसको बढ़ा कर बीस वर्ष कर दिया गया है और अधिकतम आजीवन कारावास थी, जिसमें कोई परिवर्तन नहीं है। न्यूनतम बारह वर्ष सामूहिक बलात्कार के केस में सजा थी वहां अब आजीवन कारावास कर दिया गया है और अधिकतम सजा में कोई बदलाव नहीं है। वह आजीवन कारावास ही है। सोलह और अधिक उम्र के बीच न्यूनतम सजा सात वर्ष थी, उसे दस वर्ष कर दिया गया है, अधिकतम सजा में डेथ पैनल्टी एक अग्रैवेटैड फॉर्म ऑफेंस है, उसमें डेथ पैनल्टी भी दी जा सकती है। इसमें कई तरह के संशोधन हुए हैं, आईपीसी में संशोधन हुआ है, इंडियन एविडेंस एक्ट में संशोधन हुआ है। सीआरपीसी, जो दंड प्रक्रिया संहिता है, उसमें संशोधन हुआ है।

पोक्सो अपराध संरक्षण अधिनियम में संशोधन हुआ है। मैंने बहुत सदस्यों की बात सुनी, सब इसे अलग-अलग हिस्सों में देख रहे थे, लेकिन संगठित रूप से इससे संबंधित जितने कानून हैं, उनमें संशोधन है।

आईपीसी की धारा 376 की उपधारा 3 में 16 वर्ष से कम उम्र की बच्चियों के लिए संशोधन किया है। 376एबी को जोड़ा गया है, जिसमें 12 साल से कम बच्चियों की उम्र तक यौन दुष्कर्म के लिए 20 साल की सजा दी गई है। धारा 376डीए और 376डीबी के प्रावधान में 12 से 16 वर्ष की आयु से कम उम्र की बालिकाओं के साथ सामूहिक बलात्कार के लिए आजीवन कारावास की सजा दी जाएगी। धारा 376)2ए) में 12 वर्ष से कम आयु की बच्ची के साथ यौन दुष्कर्म के लिए मृत्युदंड का प्रावधान किया गया है।

[अनुवाद]

माननीय उपाध्यक्ष महोदय : आप इसके विस्तार में न जाएं। अपनी बात रखें।

श्रीमती मीनाक्षी लेखी : महोदय, मैं यह बात उठाने जा रही हूं, बहुत सी बातें कही गई हैं। एक तो अध्यादेश के बारे में जिस पर मैं पहले ही बता चुकी हूं और दूसरी अपील के बारे में है। अब, यह निर्णय किया जा चुका है कि यदि पहली की गई है और यह दूसरी अपील है, तो इसे छह माह के अंदर दाखिल किया जाएगा। अत: अध्यादेश लाने में जो जल्दबाजी की गई उसके पीछे सामान्य तौर पर ऐसे जघन्य अपराधों के खिलाफ समाज का जो गुस्सा और आक्रोश होता है, वही अब यह पूछना क्या इस कानून से इस उद्देश्य की पूर्ति होगी, तो मुझे यह कहना है कि, मुझे पूरा विश्वास है कि यह कानून लोगों के मानस में सुरक्षा का सामान्य भाव लाने की दिशा में एक कदम होगा। कुछ लोगों ने उल्लेख किया है कि न्यायिक विज्ञान प्रयोगशालाओं का संचालन जिला स्तर पर नहीं किया जा रहा है। मैं केवल यही कह सकती हूं कि संभवत: उन्होंने उस चर्चा को नहीं सुना जो उस समय हो रही थी जब मानव दुर्व्यापार विधेयक पर सभा में चर्चा की जा रही थी। मंत्री महोदय ने पहले ही वक्तव्य दे चुके हैं कि इस उद्देश्य की पूर्ति हेतु पहले ही निर्धारित धन आबंटित किया जा चुका है और इसके परिणामस्वरूप इसी विशेष पहलु को ध्यान में रखते हुए प्रयोगशालाएं इत्यादि संचालित की जानी हैं।

मैं इतना ही कहता हूं। जब हम महिलाओं से संबंधित मुद्दों पर चर्चा कर रहे होते हैं, तो वास्तव में यह एक बड़ा मामला है जिस पर हम बात कर रहे हैं और यह क्रमवार दृष्टिकोण है। अत: एक पहल महिलाओं और बच्चों के प्रति होने वाले यौन अपराधों से संबंधित है। मेरा विचार है कि ये दोनों विधेयक आज का संशोधन विधेयक और मानव व्यापार (रोकथाम, संरक्षण और पुनर्वास) विधेयक, नया विधेयक जो कि आ चुका है, उस ने वास्तव में देश के समग्र दृष्टिकोण को परिवर्तित कर दिया है।

मैंने इसकी शुरूआत के बारे में चर्चा की थी। शांति मुकुंद मामले से लेकर अब तक मामलों तक, अब मैं कहना चाहती हूं कि औरत अपने आप बचाए, तब भी मुजरिम, औरत अपने आप गंवाए, तब भी मुजरिम। अत: दोनों ही तरह, महिला ही हमेशा पीड़ित और मुज़रिम होती है। महिलाओं के प्रति समाज के विचार, सिद्धांत और स्वीकार्यता में बदलाव की आवश्यकता है। *[हिन्दी]* आज हम और हमारा समाज उन सभी अबलाओं और बालिकाओं के अपराधी हैं, जो यौनाचार, यौन दुष्कर्म से पीड़ित होकर अपने मन में निराशा का भाव लेकर बैठी है। मैं इसके लिए कुछ पंक्तियां कहना चाहती हूं—

उठो द्रोपदी वस्त्र संभालो, अब गोविंद न आएंगे,
छोड़ो मेहंदी, भुजा संभालो, खुद ही अपना चीर बचा लो।
द्युत बिछाए बैठे शकुनि, मस्तक सब बिक जाएंगे,
उठो द्रोपदी वस्त्र संभालो, अब गोविंद न आएंगे,

यह महिलाओं को सशक्त बनाने के लिए है परंतु मुझे यहां रुकने ठिठकने और यह कहने की आवश्यकता है। यह स्थिति थी जब इस कानून और प्रशासन पर काम नहीं हुआ था, लेकिन मैं उन सभी वंचित महिलाओं को आश्वासन देना चाहती हूं कि निराश होने की आवश्यकता नहीं है। यह सरकार महिलाओं के प्रति होने वाले अपराधों के प्रति पूर्ण रूप से संवेदनशील है। इन नए संशोधनों से पीड़ित एवं कुंठित महिलाओं को निश्चित ही बल मिलेगा तथा किसी अन्य के साथ ऐसी घटना न हो, इसकी अलख जागेगी। धन्यवाद।

श्री कौशलेन्द्र कुमार (नालंदा) : उपाध्यक्ष महोदय, मैं जनता दल (यू) की तरफ से इस विषय पर बोलने के लिए खड़ा हुआ हूं।

उपाध्यक्ष महोदय, भारतीय दंड संहिता, भारतीय साक्ष्य अधिनियम, 1872, दंड प्रक्रिया संहिता, 1923 और बालकों का लैंगिक अपराध से संरक्षण अधिनियम, 2012 के संबंध में अभी सरकार की तरफ से अध्यादेश जारी हुआ है, उसे कानूनी प्रावधान देने का प्रस्ताव आया है। यह सरकार द्वारा महिलाओं के ऊपर दिनोंदिन बढ़ते अपराध को रोकने के लिए एक सशक्त कदम है। अब ऐसा कानून बन गया है कि 12 साल की बच्चियों से दुष्कर्म करने वालों को फांसी की सजा होगी। यौन हमलों में सहमति की उम्र सीमा भी 16 वर्ष से बढ़ाकर 18 वर्ष की गई है। यौन हमले की सजा कम से कम सात साल हो सकती है, जो जीवन के लिए कारावास और जुर्माना या दोनों हो सकती है। गैंगरेप की सजा भी आजीवन कारावास की गई है। इसके लिए धारा 376(डी)(ए) और 376(डी)(बी) जोड़ी गई है। साक्ष्य संबंधी धाराएं भी संशोधित की गई हैं। अपराधियों को जल्द से जल्द सजा मिले, इसकी पक्की व्यवस्था की जा रही है, जिससे न्याय में किसी भी प्रकार की देरी न हो। सजा पर अपील के निपटारे के लिए अधिकतम सीमा छ: महीने रहने का प्रावधान किया गया है। पुलिस को अधिक अधिकार दिए गए हैं। मेरा सुझाव है कि पुलिस की किसी भी प्रकार की कोताही पर उसे भी कठोर सजा मिले। ऐसा मेरा सुझाव है, जिससे समाज में अपराध के प्रति भय पैदा हो और अपराध पर रोक लगे।

महोदय, हमारा समाज पुरुष प्रधान समाज है। इसका कारण यह है कि आज भी समाज में महिलाओं की बराबरी का स्थान नहीं मिला है। यूनिसेफ की एक रिसर्च रिपोर्ट में कहा गया है कि भारत देश में 15 से 19 वर्ष के बीच की लगभग 77 प्रतिशत लड़कियां यौन हिंसा की शिकार होती हैं। उनमें से आधे से अधिक बच्चियां अपने सगे-संबंधियों के हाथों

शारीरिक प्रताड़नाओं की शिकार होती हैं। अत: संबंधों की मर्यादाएं भी टूट रही हैं। आज विश्व के प्राय: सभी देशों में महिलाओं को अपने ही देश में अस्तित्व के लिए संघर्ष करना पड़ रहा है।

मेरा मानना है कि मात्र कानून बना देने से अपराध समाप्त नहीं हो सकता है, इसके लिए जागरूकता लानी होगी। कानून का पालन कराना समाज और प्रशासन की जिम्मेदारी होनी चाहिए। आपराधिक न्याय प्रशासन संवेदनशील हो, अभियोजन पक्ष सशक्त हो, चिकित्सा एवं फोरेंसिक लैब की सुविधाएं दुरूस्त हों, पीड़ितों के पुनर्वास एवं समायोजन तंत्र को मजबूत किया जाए और अन्य उपाय किए जाएं। इस बिल का मैं समर्थन करता हूं। धन्यवाद।

[अनुवाद]

श्री असादुद्दीन ओवैसी (हैदराबाद) : महोदय, मैं इस विधेयक के विरोध में खड़ा हुआ हूं, कारण यह है कि मैं सरकार को याद दिलाना चाहूंगा कि कार्यकारी मुख्य न्यायाधीश ने 23 अप्रैल, 2018 को दिल्ली उच्च न्यायालय में क्या कहा था। न्यायमूर्ति गीता मित्तल ने कहा कि क्या सरकार जानती है कि बलात्कार के पीछे मूल कारण क्या है? क्या वह लोगों को जागरूक कर रही है, क्योंकि कई मामलों में बलात्कार करने वाला अल्पव्यस्क होता है या लड़की का जानकार होता है? माननीय मुख्य न्यायाधीश ने पूछा, क्या आपने इस विषय पर अध्ययन किया है - कोई वैज्ञानिक मूल्यांकन किया है- कि मृत्युदंड बलात्कार का निवारक है? क्या आपने सोचा है कि इसका पीड़ित पर क्या प्रभाव पड़ेगा? कितने अपराधी होंगे जो अपने शिकार को जीवित रहने देंगे जब बलात्कार और हत्या की सजा एक ही होगी? उच्च न्यायालय के कार्यकारी मुख्य न्यायाधीश ने यही कहा था। यह बिलकुल सत्य है। मैं इस विधेयक का विरोध क्यों करता हूं? मेरी राय है कि प्रतिकार, निवारण या समानता के आधार पर मृत्युदंड का औचित्य साबित नहीं किया जा सकता। आंख के बदले आंख, दांत के बदले दांत की धारण का संवैधानिक मध्यस्थता वाली हमारी आपराधिक न्याय प्रणाली में कोई स्थान नहीं है। मैं ऐसा क्यों कहता हूं? यह मैंने नहीं कहा है, यह एक ऐसे व्यक्ति ने कहा है जो हम सबसे ज्यादा कानून का ज्ञान रखते हैं। न्यायमूर्ति जे.एस. वर्मा समिति ने कहा था कि उन्होंने लैंगिक अपराधों के लिए कानूनों की समीक्षा की है। समिति ने बलात्कार के लिए मृत्युदंड की सिफारिश नहीं की है।

विधि आयोग के 22वें प्रतिवेदन में ऐसे सभी अपराधों के लिए मृत्युदंड का समर्थन किया गया है जिनसे आतंक फैलता है। अब, हम क्या कर सकते हैं? हां, हमें एक बचाव चाहिए। जैसा कि आप अच्छी तरह जानते हैं, हमारे देश में, न्यायिक व्यवस्था में 5000 रिक्तियां हैं। हमें 15000 और न्यायाधीशों की जरूरत है। महोदय, आप अच्छी तरह जानते हैं कि 5000 से अधिक न्यायालयों में कोई न्यायाधीश नहीं है। न्यायाधीशों का हमारा अनुपात ऐसा है कि दस लाख की जनसंख्या पर जहां 100 न्यायाधीश होने चाहिए वहां हमारे पास केवल 10 न्यायाधीश हैं। यह तो केवल प्रतीकात्मक तौर पर बताया गया है। अगर यह विधेयक एक कानून बन जाता है, तो हम ऐसा करके हमारी बेटियों के साथ और भी अन्याय करेंगे। सरकार एक विशेष बाल-अनुकूल न्यायालय क्यों नहीं बना सकती ताकि बलात्कार के मामलों की सुनवाई, पीड़ित के लिए एक कष्टदायक अनुभव न बने। महोदय, 98 प्रतिशत पीड़ित अपराधी को जानते हैं। क्या पीड़ित अपराधी के लिए मृत्युदंड चाहेगा? यही सवाल है जिसका सरकार को जवाब देना चाहिए।

राष्ट्रीय अपराध रिकॉर्ड ब्यूरो के आंकड़े स्पष्ट रूप से हमें बताते हैं कि वर्ष 2016 में, भारत में हर घंटे में 4 बलात्कार के मामले सूचित किए गए, और पंजीकृत किए गए उन चार बलात्कार के मामलों में से केवल एक मामले में दोषसिद्ध हो सका। इसलिए मेरा सरकार से अनुरोध है कि वह महिला पुलिस कार्मिकों की संख्या क्यों नहीं बढ़ा रही है। हमारे पुलिस स्टेशनों में, महिला पुलिस कार्मिकों का प्रतिशत क्या है? यह केवल 7.28 प्रतिशत है। यहां आपको ध्यान देने की जरूरत है ताकि जब किसी महिला या उसकी बच्ची के साथ बलात्कार हो और मामला पुलिस स्टेशन में जाए, तो आपके पास पर्याप्त महिला पुलिस कार्मिक हों और इससे उनमें आत्मविश्वास आएगा। लेकिन यहां एक दक्षिणपंथी सरकार है जो हमेशा की तरह केवल प्रतिक्रियावादी हो रही है। समय की जो मांग है, वे नहीं करना चाहते हैं।

मै अपनी बात समाप्त कर रहा हूं, महोदया अगर यह विधेयक एक कानून बन जाता है, तो मैं सरकार को बधाई देना चाहूंगा कि आप सऊदी अरब, ईरान और चीन के साथ खड़े हो जाएंगे। आपको शुभकामनाएं। शायद, शरिया आने वाला है। हम नहीं जानते। मैं यह बात माननीय मंत्री जी से जानना चाहता हूं। क्योंकि उनके संसद सदस्य ने कहा था कि मुस्लिम जनसंख्या में वृद्धि के कारण बलात्कार के मामले बढ़े हैं, क्या वह इस बात से सहमत हैं? उत्तर प्रदेश के एक माननीय संसद सदस्य ने यह कहा था। क्या वह उत्तर प्रदेश के अपने एक विधायक के बयान से सहमत हैं? उन्होंने कहा था, "क्या तीन बच्चों की मां का बलात्कार हो सकता है?" क्या वह हमारे देश के हिस्से के अपने खुद के विधायक की बात से सहमत है, जो अपराधियों के पक्ष में खड़े हैं?

इसलिए, हमें पुरुषों की मानसिकता बदलने की जरूरत है ...*(व्यवधान)* महोदय, मैं अपनी बात समाप्त कर रहा हूं। यह शक्ति का जो समीकरण है, जो पुरुषों को लगता है कि उनका है, बदलना चाहिए। कानून बनाने से बच्चियों के बलात्कार नहीं रूकेंगे। अगर पुरुषों की मानसिकता बदलेगी, तो ऐसा हो सकता है। आप न्यायिक व्यवस्था में बदलाव लाते हैं। यह केवल प्रतीकवाद है। सरकार केवल दिखावा कर

रही है। उसे बच्चों के संरक्षण में कोई रूचि नहीं है। वास्तव में, उनका ट्रैक रिकॉर्ड है, वे बच्चियों का बलात्कार करने वाले अपराधों का समर्थन दे रहे हैं। धन्यवाद, महोदय।

***श्री सी.एन. जयदेवन** (त्रिस्सुर) : माननीय उपाध्यक्ष, मैं अपनी मातृभाषा मलयालम में बोल रहा हूं। दाण्डिक विधि संशोधन विधेयक 2018 सभा में पुर:स्थापित किया जा रहा है और मैं तहे दिल से इसका समर्थन करता हूं। भारत के कई राज्यों में, बच्चियों और महिलाओं पर लैंगिक हमले और उनके साथ बलात्कार हुए हैं। इसलिए, व्यक्तिगत रूप से, और मेरे दल भारतीय कम्युनिस्ट दल की ओर से, मैं इस विधेयक का तहे दिल से समर्थन करता हूं। हमारे देश की समृद्ध सांस्कृतिक संपदा है। हमें हमारी प्राचीन विरासत पर वास्तव में गर्व है। कवि, वल्लथोल जिन्होंने भारतीय महिलाओं के सतीत्व और शुचिता के बारे में लिखा है, मेरे पैत्रिक स्थान, त्रिचूर और मेरे राज्य केरल से हैं। हमारे देश में यह एक विडंबना है कि जहां की परंपरा हमें महिलाओं का सम्मान करना सिखाती है और सभी महिलाओं को माता मानकर उनकी पूजा करती है, वहां महिलाओं और बच्चियों पर अत्याचार बढ़ रहे हैं। इसलिए, ऐसी संकुचित सभ्यता के खिलाफ लड़ाई लड़ी जानी चाहिए। और उसके लिए हमें एक मजबूत कानून की आवश्यकता है।

यहां, ओवैसी जी सहित कई सदस्यों ने अपने तर्क प्रस्तुत किये हैं। यह प्रश्न हमारे देश और कई अन्य देशों में उठाया गया है। क्या मृत्युदंड सही है? क्या अपराधी की सोच में परिवर्तन लाने के लिए परिस्थितियां प्रदान नहीं की जानी चाहिए? लेकिन मैं उन लोगों के साथ हूं, जो सोचते हैं कि बच्चियों और महिलाओं के साथ बलात्कार जैसे घृणित अपराध को अंजाम देने वाले लोग, किसी दया के हकदार नहीं। उसे आजीवन कारावास और अन्य दंड दिए जाने चाहिए। यहां पर एक प्रतिशत की भी रियायत नहीं दी जानी चाहिए। मैं अपने भाषण को बढ़ाना नहीं चाहता हूं। शायद सभा में बोलने के लिए मुझे सबसे कम समय मिला है। हालांकि मैं अपने दल का एकमात्र सदस्य हूं, मैं अपने मित्रों को हमेशा याद दिलाता रहता हूं कि भाकपा सभी उनतीस राज्यों में कार्यरत है। शायद आज लोक सभा में हमारा केवल एक ही सदस्य है लेकिन कभी भाजपा के भी केवल दो ही सदस्य थे। यहां तक कि, हाल ही में प्रधानमंत्री जी ने भी इस तथ्य पर गौर किया है। मैं अपने भाषण को आगे नहीं बढ़ा रहा हूं।

मैं संशोधन विधेयक का समर्थन करता हूं। धन्यवाद।

डॉ. ममताज़ संघमिता (बर्धमान दुर्गापुर) : धन्यवाद महोदय, इस विधेयक पर बोलने का अवसर देने के लिए मैं आपको धन्यवाद देती हूं।

*मूल रूप से मलयालम में दिए गए भाषण के अंग्रेजी अनुवाद का हिन्दी रूपांतर।

यह संशोधन मूल रूप से सजा की अवधि को सात साल से बढ़ाकर 10 साल करने या पीड़ित की उम्र के आधार पर उसे और आगे बढ़ाने के लिए है। इसमें इस तरह की कार्रवाई को रोकने के लिए एक उदाहरण देने का भी प्रयास किया गया है।

इस संशोधन विधेयक के माध्यम से, सरकार ने ऐसे मुकदमों की सुनवाई का समय तीन माह से घटाकर दो माह कर दिया है। फिर, दोषसिद्धि या दोषमुक्ति के विरुद्ध अपील का निपटारा छह माह के अंदर किए जाने का उपबंध भी किया गया है।

माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मैं इस विधेयक का समर्थन करती हूं क्योंकि बलात्कार एक बलात्कार होता है चाहे वो एक बच्ची के साथ हो या 100 वर्ष की वृद्ध महिला के साथ। लेकिन यह अपराध और भी घृणित हो जाता है जब 12 वर्ष के कम उम्र की लड़की के साथ किया गया हो क्योंकि उसे यह नहीं पता कि क्या हुआ।

माननीय उपाध्यक्ष महोदय : कृपया अपनी बात समाप्त करें।

डॉ. ममताज़ संघमिता : फिर, एक अन्य उपबंध के अनुसार अगर लड़की की उम्र 16 वर्ष से कम है तो सजा को आजीवन कारावास तक बढ़ाया जा सकता है। इस बारे में, मैं एक बिंदु उठाना चाहूंगी। आजकल, हम जेल को सुधारगृह कहते हैं। कुछ माननीय सदस्यों ने इस ओर इशारा किया है कि इनमें से ज्यादातर मामलों में अपराधी मनोरोगी पृष्ठभूमि से होते हैं। हम इन अपराधियों की सजा बढ़ाने से पहले मनोवैज्ञानिक या मनोविश्लेषक की सहायता क्यों नहीं ले सकते?

अब, मैं मृत्युदंड के बारे में कुछ कहना चाहती हूं। इस बारे में दो तरह के विचार हैं। लेकिन ज्यादातर मृत्युदंड के विरुद्ध हैं। तो फिर, हमारे देश में हम इन मामलों में मृत्युदंड का उपबंध बनाकर आदिम पक्ष की ओर क्यों लौट रहे हैं?

महोदय, हमने पीड़ितों के पुनर्वास के बारे में भी उचित तरीके से नहीं सोचा है।...*(व्यवधान)*

माननीय उपाध्यक्ष : कृपया अपनी बात समाप्त करें।

श्री हरीश मीना जी।

...*(व्यवधान)*

डॉ. ममताज़ संघमिता : महोदय, हम सामूहिक बलात्कार और बलात्कार की सजा लिए उपबंध बना रहे हैं। दोनों पूरी तरह अलग-अलग हैं। सामूहिक बलात्कार इरादतन किया जाता है। यहां भी, एक बिंदु है जो हमें देखना होगा। सामूहिक बलात्कार आमतौर पर, किसी कारण से, सामाजिक-आर्थिक रूप से पिछड़े और निर्धन लोगों द्वारा निर्धन लोगों,

अक्सर दलितों या ऐसे लोगों के साथ किया जाता हैं हमें इस पर गौर करना होगा।

अब एक और मामला है। जैसे कि उन्होंने पहले ही कहा है, महिला थाने बनाये जाने चाहिए। स्त्री-रोग विशेषज्ञ होने के कारन, मैं जानती हूं कि यह साबित करना बहुत कठिन है कि बलात्कार हुआ है। इसलिए, समुचित छानबीन के लिए, महिला पुलिस कर्मियों का होना आवश्यक है ताकि वह घटनास्थल पर जा सके।

धन्यवाद।

[हिन्दी]

श्री हरीश मीना (दौसा) : उपाध्यक्ष महोदय, सर्वप्रथम मैं सरकार को धन्यवाद देना चाहता हूं कि इस महत्वपुर्ण मुद्दे को लेकर पूरा हिन्दुस्तान चिंतित था।...*(व्यवधान)* यह मुद्दा व्यक्ति विशेष से जुड़ा हुआ नहीं है, सिर्फ महिलाओं से जुड़ा हुआ नहीं है, यह भारत की संस्कृति, भारत की सभ्यता और भारत की आत्मा पर हमला है। हमारे देश में महिलाओं को देवी, मां और बहन के रूप में पूजा जाता है। हम रोज अखबार में यह देखते हैं कि यह क्या हो रहा है? यह हमारी समाज और सभ्यता के बिलकुल विपरीत है।

महोदय, सरकार जो बिल लाई है, मैं इसका स्वागत करता हूं। इसका आना आवश्यक है, पर केवल बिल से समस्या का समाधान नहीं होगा। हमें इसको लागू करना है, फलीभूत करना है। मैं आपके माध्यम से मंत्री जी को कुछ सुझाव देना चाहता हूं। आप इसको लागू करेंगे, पुलिस मुकदमों की जांच करेगी लेकिन हम देखते हैं कि हर प्रदेश में पुलिस की वैकेंसीज हैं, वहां पुलिस अधिकारी नहीं है। कृपया आप उन वैकेंसीज को भरिए, क्योंकि ये गंभीर मुकदमें हैं। जैसे एससी/एसटी के मुकदमें में एक डिप्टी एसपी रैंक का अधिकारी जांच करता है, वैसे ही इसमें भी मेरी प्रार्थना है कि डेप्टी एसपी रैंक के अधिकारी जांच करे। अगर वह महिला पुलिस अधिकारी होगी तो उनके साथ न्याय होगा।

दूसरा, इन मुकदमों की ट्रायल ज्यूडिशियरी में होगी। आप कोर्ट्स की स्थिति देखिए कि वहां कितने कोर्ट्स है, वहां कितनी वैकेंसीज हैं और किस तरह के जजेज आ रहे हैं, उनकी क्वालिटी क्या है? अब ज्यूडिशियल रिफॉर्म का समय आ गया है। अगर हमें इस कानून को मूल रूप में लागू करना है तो हमें ज्यूडिशियल रिफॉर्म लाने पड़ेंगे। हमें सहानुभूतिपूर्व, न्यायपूर्वक न्यायपालिका का निर्माण करना पड़ेगा, जहां क्वालिटी जजमेंट हो।

तीसरा, इन मुकदमों की कोर्ट में कौन पैरवी करेगा? हमारे एपीपी, सरकारी वकीलों की क्वालिटी क्या है, हमें उसको देखना आवश्यक है।

उपाध्यक्ष महोदय, मेरा गृह मंत्री जी से सुझाव है कि अगर 12 वर्ष से कम आयु की बच्ची का बलात्कार होता है, उसमें उम्र कैद से लेकर मृत्युदंड तक का प्रावधान है। तेरह साल की बच्ची, चौदह साल की बच्ची या पंद्रह साल की बच्ची के साथ हुए अपराध के लिए यह क्यों नहीं है? मैं मानता हूं कि अपराधर, अपराध है, दोषियों को समान सजा मिलनी चाहिए। उनको कठोर से कठोर सजा मिले, यह मेरा आपसे अनुरोध है।

महोदय, आज ये घटनाएं क्यों हो रही हैं? जब हमारा जन्म हुआ था तो हम इन चीजों के बारे में नहीं सुनते थे, कल्पना नहीं करते थे। ये क्यों हो रहे हैं, इनके कुछ कारण हैं। आज आप फ्री इंटरनेट पर पाबंदी लगाइए, उसके लिए कुछ तो नियम हो। आप सोशल मीडिया और टीवी पर पाबंदी लगाइए। वे किस तरह की फिल्में देख रहे हैं। आज ही मुझे टेक्निकल ऑफिसर ने कहा है कि 'जिओ जो टेलीफोन कंपनी है, वह इंटरनेट सर्विस प्रदान करती है, उनके सर्वे में आया है कि 60 प्रतिशत बच्चे रात पॉर्नोग्राफी, अश्लील चीजें देखते हैं। हमारी इस पर रेग्युलेशन होनी चाहिए। उससे हमारी सभ्यता नष्ट हो रही है, हमारे युवा पथ भ्रष्ट हो रहे हैं।

अंत में, मैं पीड़ितों के पुनर्वास के लिए कहना चाहता हूं। जो पीड़ित हैं, हमें उनका जीवन बर्बाद नहीं करना है। उनकी इज्जत चली गई, लेकिन वे भविष्य में अपना जीवन कैसे जीवन शुरू करें, इसके लिए भी आप चिंता करें। सरकार की मंशा बहुत अच्छी है। मैं इस बिल का पुरजोर समर्थन करता हूं। जयहिंद।

[अनुवाद]

श्री निनोंग इरिंग (अरुणाचल पूर्व) : माननीय उपाध्यक्ष महोदय, आपराधिक विधि (संशोधन) विधेयक, 2018 पर बोलने का अवसर देने के लिए मैं आपका धन्यवाद करता हूं।

मैं अपने सहकर्मियों विशेष रूप से श्रीमती सुप्रिया सुले, प्रो. सौगत रॉय, श्री पिनाकी मिश्रा और अन्यों का आभारी हूं जिन्होंने इस विधेयक पर अपने दिल से बोला है। मैं इस विधेयक का समर्थन कर रहा हूं क्योंकि यह विधेयक प्रत्येक व्यक्ति और उनके बच्चों से संबंधित है।

बेशक, मैडम लेखी कह रही थीं कि हमें इसमें किसी भी राजनीतिक मुद्दे को नहीं लेना चाहिए और यह किसी के लिए राजनीतिक भाषण नहीं होना चाहिए। मुझे लगता है कि इन सभी मामलों में, यह मदरसों या गिरिजाघरों के मामले हों या उन्नाव, कठुआ या नलिया के मामले हों, जो कोई भी अपराधी है या जो कोई भी दोषी है, वह अपराधी है अत: उसके अनुसार कार्रवाई की जानी चाहिए।

बेशक, जब सभी ने इस मुद्दे पर बात की है, तो कवर करने के लिए बहुत कुछ नहीं है। मैं इस विधेयक पर केवल तीन बिंदु कहना चाहूंगा।

सबसे पहले, मैं बलात्कार और सजा की परिभाषा में लिंग-आधारित अंतर के बारे में उल्लेख करना चाहूंगा, जिसका श्री पिनाकी ने अपने भाषण के दौरान पहले भी संदर्भ लिया था। अब, पोक्सो अधिनियम पहले से ही है, जो दोनों लिंगों को पहचानता है, विशेष रूप से, जब मामला एक छोटे बच्चे का हो। ये चीजें न केवल बालिकाओं के साथ होती हैं, परंतु दुर्भाग्यवश, बालकों के साथ भी होती हैं। लेकिन यह प्रावधान हमारे समक्ष प्रस्तुत इस विधेयक में नहीं है।

मैं कहूंगा कि यह एक जन तुष्टिकरण विधेयक है क्योंकि 2013 में भी निर्भया मामले के कारण संशोधन हुआ था, और फिर से कठुआ मामले के कारण हम यह विधेयक लाए हैं, जो मृत्युदंड का प्रावधान करता है। मुझे मृत्युदंड के बारे में ज्यादा कुछ नहीं कहना है, लेकिन बात यह है कि आप इसे लागू कैसे करेंगे? आप इन लोगों को कैसे दोषी ठहराएंगे? मैं यह इसलिए पूछ रहा हूं, क्योंकि कार्रवाई ठीक से नहीं होने के कई कारण हैं।

गृह राज्य मंत्री भी मेरे ही राज्य से है, और हम उत्तर पूर्व से हैं। वहां हमारा मातृसत्तात्मक समाज है, और आप देखेंगे कि उत्तर पूर्व में बलात्कार बहुत कम हैं। ऐसा क्यों है? यह इस कारण से है, और क्योंकि वहां समानता है। यहां, वह विभेद है और पुरुष और महिला के बीच कोई समानता नहीं है। अतः, इस मुद्दे को भी ध्यान में रखा जाना चाहिए।

इस विधेयक के संबंध में एक अन्य बात जिसका मुझे डर है वह है कि अपराध की रिपोर्ट करने के लिए पीड़ित बच नहीं पाएगा। अब जबकि मृत्युदंड का प्रावधान है तो अपराधी स्वत: यह सोचेगा कि अगर हमें मरना ही है और सजा-ए-मौत मिलनी ही है, तो क्यों न मैं इसे ही खत्म कर दूं, ताकि कोई गवाह ही नहीं रहेगा। इन बातों पर भी ध्यान देना होगा। ऐसा नहीं है कि हम मृत्युदंड से सहमत नहीं हैं। हां, यह होना चाहिए और यहां तक कि मैं भी यह चाहता हूं, विशेषकर उन्नाव और कठुआ के हालिया मामलों में जहां हमें वास्तव में बहुत बुरा महसूस हुआ।

तीसरा, मैं मौजूदा कानूनों के कार्यान्वयन की समस्या के बारे में बात करना चाहूंगा, न कि कानूनों की कमी। कई कड़े कानून पहले से ही हैं, लेकिन बात यह है कि हम उन्हें लागू कैसे करेंगे। यह एक मुद्दा है, जो माननीय गृह मंत्री जी को देखना है।

मेरी तरफ से एक सिफारिश के रूप में, मैं यह उल्लेख करना चाहूंगा कि यह पहचानना आवश्यक है कि समस्या उस तरीके में निहित है जिसमें मौजूदा आपराधिक न्याय प्रणाली सामने आती है। हमें पुलिस और न्यायिक प्रणालियों में सुधार के माध्यम से सजा दरों में वृद्धि करनी चाहिए। अब, मैं यह कहना चाहूंगा कि सिस्टम पर काम करने; न्यायाधीशों की नियुक्ति; गांवों में मामले; डॉक्टरों, पुलिस, नर्सो आदि को इन स्थितियों में सुधार के लिए संवेदनशील बनाने को प्राथमिकता दी जानी चाहिए।

मैं हमारे गृह मंत्री को तीन सुझाव देना चाहूंगा जिनपर हमें कम से कम प्रयास करके अवश्य देखने चाहिए, नामतः, एक निवारणात्मक पद्धति होनी चाहिए; दूसरे हम कार्यान्वयन कैसे करेंगे; और तीसरे; पुनर्वास। अब दिल्ली में भी आप देखेंगे कि महिलाएं भी जब बस से यात्रा करती हैं वे बहुत असुरक्षित महसूस करती हैं, परंतु जब वे मैट्रो से यात्रा करती हैं, तो वे और सुरक्षित महसूस करती हैं क्योंकि सीसीटीवी, पुलिस आदि वहां होते हैं। यदि आप छोटे बच्चों से पूछे, विशेषकर; उत्तरी दिल्ली की लड़कियों से सुरक्षित महसूस नहीं और वे बस से यात्रा नहीं करना चाहती, परंतु दक्षिण दिल्ली में, वे अधिक सुरक्षित है क्योंकि वहां पुलिस और सीसीटीवी होता है, और प्रशासन यह कार्य कर रहा है। अत: उन कारकों को भी देखा जाना होगा।

जहां तक कार्यान्वयन भाग का संबंध है, मैं कहूंगा कि पुलिस की जांच बहुत शीघ्रतापूर्वक की जानी होगी; इस मुद्दे पर उन्हें संवेदनशील बनाया जाना चाहिए; फास्ट ट्रैक कोर्ट होने चाहिए; मेडिकल जांच की रिपोर्टें भी शीघ्रतापूर्वक मिलनी चाहिए; फोरेन्सिक रिपोर्टें समय पर आनी चाहिए और साक्षियों की रक्षा भी अत्यंत आवश्यक है क्योंकि साक्षी असुरक्षित महसूस करते हैं। इस पहलू पर भी विचार किया जाना चाहिए।

जहां तक पुनर्वास का संबंध है, कांउसलिंग होनी ही चाहिए; क्षतिपूर्ति; पीड़ित के स्वास्थ्य की स्थिति को भी ध्यान में रखा जाना चाहिए; और सामाजिक कलंक से भी निपटना होगा कि घटना घटने के पश्चात् हम क्या करेंगे।

अरुणाचल प्रदेश, में 'विमेन अगेन्सर सोशल इबिल' नाम से एक सोसाइटी है। अब, यह टीम अरुणाचल प्रदेश में जागरूकता कार्यक्रम भी कर रही है; और वे प्रत्येक विद्यालय में जाकर पौस्को अधिनियम के संबंध में समझाते हैं तथा साथ ही इस विधेयक के बारे में भी समझाते हैं।

अत: मेरा विचार है कि जागरूकता अत्यंत आवश्यक है; और हमें इसे और महत्व देना होगा।

सांय 7.00 बजे

माननीय उपाध्यक्ष महोदय : अब, 7 बज गए हैं। यदि सभा सहमत हो, तो हम सभा का समय विधेयक पारित किए जाने तक बढ़ा सकते हैं।

श्री अनन्त कुमार : सभा का समय विधेयक पर विचार करने और इसे पारित किए जाने तक बढ़ाया जाए।

अनेक माननीय सदस्य : जी हां।

श्री किरेन रिजीजू : धन्यवाद, उपाध्यक्ष महोदय, सर्वप्रथम, मैं उन सभी माननीय सदस्यों का आभार व्यक्त करना चाहूंगा जिन्होंने इस दूरगामी परिणाम वाले, परिणामी आपराधिक विधि (संशोधन) विधेयक पर चर्चा में भाग लिया। मैं विशेष रूप से माननीय सदस्यों; श्रीमती किरण खेर, श्रीमती रंजीत रंजन, श्री टी.जी. वेंकटेश बाबू, प्रो. सौगत रॉय, श्री पिनाकी मिश्रा, श्री श्रीरंग आप्पा बारणे, डॉ. रविन्द्र बाबू, श्री कुण्डा विश्वेश्वर रेड्डी, डॉ. ए. सम्पत श्रीमती सुप्रिया सुले, श्रीमती बुत्ता रेणुका, श्रीमती मीनाक्षी लेखी, श्री कौशलेन्द्र कुमार, श्री निनोंग इरिंग और निस्संदेह श्री एन.के. प्रेमचन्द्रन, के नामों का उल्लेख करना चाहूंगा जिन्होंने अध्यादेश का ही विरोध किया है।

सर्वप्रथम मैं इस सम्मानित सभा को यह बता दूं कि सरकार के लिए महिलाओं की सुरक्षा और संरक्षा के लिए कदम उठाने से अधिक तत्काल महत्व की बात और क्या हो सकती है।

अनेक माननीय सदस्यों ने यह मुद्दा उठाया कि अध्यादेश के प्रस्थापन के लिए कोई आवश्यकता या तात्कालिकता नहीं है।

मैं वास्तव में महसूस करता हूं कि जब पूरा राष्ट्र 16 और 12 वर्ष से कम की बालिकाओं और बालकों को क्रूर बलात्कार का शिकार होता देख दुख महसूस कर रहा है तो सरकार को इस अवसर पर आगे बढ़कर कदम उठाना चाहिए; सरकार चुप नहीं रह सकती। यही कारण है कि जब सभा का सत्र नहीं चल रहा था तो सरकार द्वारा यह निर्णय लिया गया कि अध्यादेश का प्रख्यापन करके इसे लागू किया जाए। यही कारण है कि 21 अप्रैल, 2018 को अध्यादेश का प्रख्यापन किया गया।

मैं इस सम्मानित सभा को याद दिला दूं कि जब भारत के माननीय प्रधानमंत्री ने लालकिले की प्राचीर से अपना भाषण दिया, उन्होंने अपना इरादा स्पष्ट कर दिया कि इस देश में हमारी बहनों हमारे बच्चों, हमारी माताओं और इस राष्ट्र की महिलाएं अपने देश में सुरक्षित महसूस करें। इसके लिए, प्रत्येक अभिभावक अपने पुत्रों से पूछे कि आपका व्यवहार समाज के मनोबल को किस प्रकार प्रभावित कर रहा है? अत: माननीय प्रधानमंत्री का इरादा इस अध्यादेश के प्रख्यापन के रूप में आगे बढ़ाया गया है। अब हम यहां इस अत्यंत महत्वपूर्ण विधेयक को पारित करने के लिए उपस्थित है, जिसके संबंध में अनेक माननीय सदस्यों ने अपनी अमूल्य टिप्पणियां और सुझाव दिए हैं।

मैंने सभी महत्वपूर्ण सुझावों को नोट कर लिया है। मैं इस बात से भी सहमत हूं कि केवल कानून बनवाना पर्याप्त नहीं होगा। कानून आवश्यक है कठोर विधिक प्रावधान आवश्यक है परंतु उनसे अधिक महत्वपूर्ण यह है कि हम उन विधिक प्रावधानों को किस प्रकार कार्यान्वित करते हैं। कार्यान्वयन प्रक्रियाएं क्या हैं? हम देश के अभिकरणों और अवसंरचना को किस प्रकार सुदृढ़ करेंगे? परिवर्तन करने के लिए क्या आवश्यक है? यह बातें महत्वपूर्ण है। इस चर्चा के संक्षिप्त उत्तर में मैं उन सभी प्रावधानों का उल्लेख करूंगा जो हमने किए हैं।

उसके पहले, मुझे कानून के उन प्रावधानों की बात करनी है जिनमें हमने परिवर्तन किए हैं। आरंभ में, मुझे यह कहना है कि व्यस्क हो या अव्यस्क, बलात्कार तो बलात्कार ही है। यदि एक भी घटना बलात्कार की होती है तो यह देश के लिए अत्यंत शर्मिंदगी की बात है।

यह देश का 'सामूहिक अत:करण है' हम इकट्ठा होना होगा। यह वह प्लेटफॉर्म हैं जहां हम संपूर्ण देश को प्रतिनिधित्व करते हैं तथा जिसे हमने विनियमित करके प्रावधान बनाने है। इसी कारण पिछले प्रावधानों में, बलात्कार के लिए सात वर्ष की जेल की सजा थी। अब नए प्रावधानों में, सजा को बढ़ाकर 10 वर्ष कर दिया गया है जिसे बढ़ाकर आजीवन कारावास तक बढ़ाया जा सकता है। यह भारतीय दंड संहिता की धारा 376 के अंतर्गत है।

अब, मैं विशिष्ट रूप से उन परिवर्तनों की बात कर रहा हूं जो हम लाए हैं। मैं कुछ माननीय सदस्यों द्वारा 'महिला' की परिभाषा के संबंध में माननीय सदस्यों द्वारा उठाए गए बिन्दु को स्पष्ट कर दूं भारतीय दंड संहिता के उपबंध के अनुसार 'महिला' का उल्लेख किया गया हैं क्योंकि महिला या लड़की में कोई अंतर नही किया गया है क्योंकि दोनों में कोई भेद नहीं है तथा बलात्कार को किसी भी आयु की महिला के साथ बलात्कार के रूप में ही परिभाषित किया गया है। हम यहां शीर्षक या अवधारणा पर विस्तार से चर्चा कर रहे हैं। मैं कह रहा हूं कि भारतीय दंड संहिता में 'महिला' को किसी भी आयु की महिला के रूप में परिभाषित किया गया है।

16 वर्ष से कम आयु की महिला से बलात्कार के संबंध में, पहले सजा का प्रावधान 10 वर्ष का था। अब यह बढ़कर 20 वर्ष का सश्रम कारावास या उसके शेष जीवन पर्यन्त कारावास कर दिया गया है। इसका अर्थ है कि वह अपना शेष जीवन जेल में बिताएगा। यदि यह सामूहिक बलात्कार का मामला है तो इसके लिए पहले बीस वर्ष सश्रम कारावास या आजीवन कारावास की सजा थी। अब इसके लिए मृत्युदंड या शेषजीवन पर्यन्त कारावास की सजा का उपबंध है। अत: यह बहुत ही कठोर प्रावधान है।

अब उपबंधों में, परिणामी प्रभाव भी होता है। आपराधिक प्रक्रिया संहिता के अंतर्गत, बलात्कार के मामलों की जांच के संबंध में पूर्ववर्ती उपबंध में, एफआईआर करने से 3 माह के भीतर जांच पूरी की जानी

होती थी। अब इस समय सीमा को कम करके एफआईआर दर्ज कराने की तारीख से दो माह तक किया जा रहा है। पूर्ववर्ती प्रावधान में बलात्कार मामलों की जांच या मुकदमा यथासंभव दो माह के भीतर पूरा किया होता था उसमें इरादा था क्योंकि इसमें कहा गया था 'जहां तक संभव हो', परंतु अब हमने इसे अनिवार्य कर दिया है। अत: जांच या बलात्कार मामलों में न्यायिक कार्रवाई 2 माह की समयसीमा के भीतर पूरी की जानी होती है। यह स्पष्ट आदेशात्मक उपबंध है जिसे अंतर्विष्ट किया जा रहा है।

जांच अधिकारी को तभी पता चलेगा जब उसे मामलों की सूचना दी जाएगी। अत: हम उस तरफ नहीं जा सकते। पहले, यदि निचली अदालत दंडात्मक विनिर्णय देती थी तो अपील के निपटान की कोई समयसीमा नहीं होती थी। तब कोई भी अपीलीय अदालत में जा सकता था और अपीलों के निपटान की कोई समय सीमा नही थी।

अब, नया प्रावधान इसे पूरी तरह से स्पष्ट करता है कि अपील के मामलों की दशा में भी, इसका निर्णय छह माह के भीतर होना चाहिए। ये सरकार द्वारा लाए गए बहत ही महत्वपूर्ण प्रावधान है।

एंटी अग्रिम जमानत के संबंध में, बहुत से माननीय सदस्य इस बारे में बात कर रहे थे कि लोगों की अच्छे वकीलों और कानूनी सेवाओं तक पहुंच होनी चाहिए। वे मामलों में हेरफेर करते हैं और जमानत ले लेते हैं। ये कुछ आरोप हैं। पहले, अग्रिम जमानत का प्रावधान था परंतु, अब अग्रिम जमानत 16 वर्ष से कम आयु की महिला के बलात्कार के आरोपित व्यक्ति के लिए नहीं है। जब जमानत की याचिका सुनी जाती है, तो हमें व्यवस्था को सुदृढ़ बनाने की आवश्यकता है।

जमानत की अर्जी जो कि 16 वर्ष से कम आयु की महिला के बलात्कार के आरोपी द्वारा लगाई गई हो, पर अनिवार्य नोटिस का प्रावधान नहीं था। अब, न्यायालय के लिए यह अनिवार्य है कि वह सार्वजनिक अभियोक्ता को जमानत की अर्जी के नोटिस की प्राप्ति के 75 दिनों के भीतर सूचित करें।

सीआरपीसी की धारा 439 के तहत, 15 दिन की अवधि को अनिवार्य बनाया गया है इसके अतिरिक्त, जमानत की अर्जी पर सुनवाई के दौरान उस मामले में जबकि 16 वर्ष से कम आयु की महिला के बलात्कार का मामला हो तो पीड़ित की ओर से मिलने का कोई प्रावधान नहीं था, अब, पीड़ित की ओर से न्यायालय में अभ्यावेदन देने का भी प्रावधान किया गया है। इसका अभिप्राय है कि जब आरोपित प्रार्थना पत्र देगा, तो वकील अथवा पीड़ित के प्रतिनिधि को न्यायालय में उपस्थित होना होगा।

माननीय उपाध्यक्ष महोदय : मंत्री जी, आप उन प्रावधानों का अतिश्योक्तिपूर्ण वर्णन कर रहे हैं जो पहले से हैं। इन सब का और प्रचार होना चाहिए। नागरिक इन प्रावधानों को लेकर जागरूक होने चाहिए। ग्रामीण क्षेत्रों के लोगों को भी यह पता होना चाहिए कि ऐसे प्रावधान मौजूद हैं। केवल तभी वे इसकी गंभीरता को समझेंगे। बिना प्रचार के, यदि नियम केवल पुस्तकों में लिखकर रख दिए जाते हैं, तो इससे कोई मदद नहीं होगी। अत: आपको इसका और अधिक प्रचार करना चाहिए।

श्री किरेन रिजीजू : माननीय उपाध्यक्ष महोदय, आपके सुझाव की मैं बहुत सराहना करता हूं।

माननीय उपाध्यक्ष महोदय : आपको इसकी गंभीरता का सभी क्षेत्रीय भाषाओं में प्रचार करना चाहिए। केवल तभी इसका प्रभाव होगा। अन्यथा, इसका कोई उपयोग नहीं है।

श्री किरेन रिजीजू : हमें और जागरूकता फैलाने की आवश्यकता है। माननीय उपाध्यक्ष महोदय, आपकी सलाह का पूरी तरह ध्यान रखा जा रहा है। इस सम्माननीय सभा के सभी सदस्य भी अनिवार्य कर्त्तव्य समझकर इस संदेश को फैलाएंगे और नए कानून तथा उपबंध भी यहां बनाए जा रहे हैं।

माननीय उपाध्यक्ष : इसका सभी मीडिया जगत में प्रचार होना चाहिए।

श्री किरेन रिजीजू : ठीक है, महोदय। महोदय, मुझे कुछ मुद्दों का पहले ही पता चल गया है जो कि माननीय सदस्यों ने पहले उठाए हैं। जैसा कि मैंने कहा है केवल कानून बनाना ही पर्याप्त नहीं है। हमारी सरकार अच्छी तरह से यह जानती है कि कानून बनाने के अतिरिक्त, इसका सामना करने के लिए हमें उपयुक्त कदम उठाने होंगे। इसीलिए, श्री नरेन्द्र मोदी जी की अध्यक्षता में केन्द्रीय मंत्रिमंडल ने 21.04.2018 को इस अपराध कानून (संशोधन) अध्यादेश, 2018 के प्रख्यापन के दौरान ही, अन्य उपायों की भी सिफारिश की है। ये उपाय महिलाओं की सुरक्षा में वृद्धि करने वाले अपराध कानून के विभिन्न उपबंधों के प्रभावी कार्यान्वयन के लिए हैं।

जो महत्वपूर्ण उपबंध किए जा रहे हैं, उनमें से एक फास्ट ट्रैक विशेष अदालत स्थापित करना है। केवल बलात्कार के मामलों की सुनवाई के लिए केन्द्र प्रायोजित योजना के तहत विशिष्ट फास्ट ट्रैक अदालतों की स्थापना का प्रस्ताव किया जा रहा है तथा जहां ऐसी अदालतें पहले से मौजूद हैं, वहां उन्हें सशक्त बनाने का प्रस्ताव किया है। इस योजना में उच्च न्यायालयों तथा संबधित राज्य सरकार की सलाह से विशेष न्यायालयों इत्यादि के लिए भौतिक संसाधनों और कार्यशक्ति को सशक्त बनाना भी शामिल होगा।

अभियोजन प्रणाली को भी सशक्त बनाने की आवश्यकता है। इसके लिए, राज्यों और संघ राज्य क्षेत्रों को लोक अभियोजकों के अतिरिक्त पद सृजित करने, कार्यालय संसाधन तथा सहयोगी कार्यशक्ति के माध्यम से विशेष फास्ट ट्रैक अदालतों में मामलों के समय से निपटान के लिए उन्हें सुदृढ़ बनाने और उनकी समग्र कार्यक्षमता बढ़ाने को कहा जा रहा है।

जांच की गुणवत्ता की भी आवश्यकता है। बहुत से माननीय सदस्यों ने यह प्रश्न उठाया है कि बलात्कार के मामलों में दोषसिद्ध ठहराएं जाने की दर पूरी तरह से जांच अभिकरणों द्वारा एकत्र किए गए साक्ष्यों की गुणवत्ता पर निर्भर करती है। इसलिए फोरेंसिक साक्ष्यों की गुणवत्ता में सुधार करने और उनके द्वारा अभियोजन के मामलों को मजबूत बनाने के लिए उन सभी पुलिस स्टेशनों तथा अस्पतालों में जो ऐसे चिकित्सा-विधिक मामलों को देख रहे हैं। विशेष फोरेंसिक किट उपलब्ध कराई जानी चाहिए।

यौन अपराधों के मामलों की जांच के लिए समयबद्ध तरीके से समर्पित और प्रशिक्षित जनशक्ति उपलब्ध कराई जानी चाहिए।

माननीय उपाध्यक्ष महोदय, भारत के प्रत्येक राज्य और संघ राज्य क्षेत्र में बलात्कार के मामलों में फोरेंसिक जांच को प्रभावी तरीके से और समयबद्ध रूप से निपटाने के लिए एक अथवा एक से अधिक विशिष्ट न्यायिक विज्ञान प्रयोगशालाएं जिनमें संपूर्ण स्टॉफ तथा उपकरण हो, की स्थापना का प्रस्ताव है।

बलात्कार के मामलों के महत्वपूर्ण पहलुओं में से एक आरोपित व्यक्तियों का पता लगाना तथा इस सूचना को साझा करना है। पिछले वर्ष माननीय माननीय गृह मंत्री श्री राजनाथ सिंह जी ने देश में अपराध और अपराध ट्रैकिंग नेटवर्क तथा प्रणाली की यह अति महत्वपूर्ण योजना शुरू की थी। इससे यह सुनिश्चित होगा कि हमारे राष्ट्रीय अपराध रिकॉर्ड ब्यूरो के पास सारा डाटाबेस होगा तथा राष्ट्रीय स्तर पर उन सभी यौन अपराधियों का प्रोफाइल होगा और वे इसे राज्यों तथा संघ राज्य क्षेत्रों के साथ साझा कर सकेंगे ताकि पुलिस द्वारा इस डाटा का उपयोग भावी रोजगार प्रदाता द्वारा पूर्व चरित्र के सत्यापन के लिए किया जा सकेगा और यह देश के किसी भी राज्य या अन्य अभिकरण द्वारा भविष्य की जांच का अहम भाग होगा। इससे पूरी प्रक्रिया आसान बनेगी। व्यापक रूप में पूरे मामले के समाधान के लिए, महिलाओं की सुरक्षा के लिए राष्ट्रीय मिशन की स्थापना पर विचार किया गया था।

जैसा कि मैंने पहले बताया है, फास्ट ट्रैक अदालतों के अतिरिक्त, और न्यायिक विज्ञान प्रयोगशालाओं को सशक्त बनाने के अतिरिक्त, यौन अपराधियों का राष्ट्रीय रजिस्टर बनाना और उसके माध्यम से और अधिक लोक अभियोजकों की नियुक्ति करना तथा पीड़ितों को उपयुक्त चिकित्सा तथा पुनर्वास सुविधाएं उपलब्ध कराना बहुत महत्वपूर्ण कदम हैं जो कि उठाए जा रहे हैं। स्कूल के पाठ्यक्रम में उचित परिवर्तन द्वारा बच्चों का संवेदीकरण जैसे मुद्दे तथा मीडिया अभियान जो कि माननीय उपाध्यक्ष महोदय ने अभी बताया है, उन पर भी विचार किया जा रहा है। इसीलिए मीडिया अभियान, सामाजिक जागरूकता और पॉर्नोग्राफिक सामग्री के प्रसार को रोकना जैसा कि माननीय सदस्य ने बताया है तथा अन्य ऑनलाइन सामग्री को भी इसमें शामिल किया जाएगा।

हमारे माननीय गृह मंत्री श्री राजनाथ सिंह जी, मैं मंत्रालय में गवाह रहा हूं, गृह मंत्री जी ने लगातार मंत्रालय के कार्य का निरीक्षण किया है तथा सभी अभिकरणों के कार्य का निरीक्षण इस आशय से किया है कि महिलाओं की सुरक्षा को सर्वोच्च प्राथमिकता दी जाए। इसी कारण हमारे गृह मंत्री जी ने पहली बार गृह मंत्रालय में नए प्रभाग की स्थापना की और यह प्रभाग महिला सुरक्षा प्रभाग के नाम से जाना जाता है। यह प्रभाग देश में महिलाओं की सुरक्षा और संरक्षा के लिए समर्पित है। इसके अतिरिक्त, मंत्रालय द्वारा इस क्षेत्र के लिए विशेष एप और इस क्षेत्र विशेष में कार्य कर रहे विभिन्न गैर सरकारी संगठनों को विशिष्ट सहायता जैसे विभिन्न कदम उठाए जा रहे हैं। इसके अतिरिक्त, महिला सुरक्षा संबंधी राष्ट्रीय मिशन से बहुत सी लाभकारी बातें होंगी जिसके परिणामस्वरूप महिलाओं के खिलाफ और विशेषकर नाबालिग लड़कियों के खिलाफ होने वाले अपराधों की उभरती स्थिति में एक विश्वसनीय प्रतिक्रिया दिए जाने की ओर कार्य किया जा सकेगा।

आज, हम भारतीय दंड संहिता में और दंड प्रक्रिया संहिता में कुछ बदलाव कर रहे हैं। भारतीय साक्ष्य अधिनियम के परिणामी प्रभावी होंगे तथा मैं उन कुछ महत्वपूर्ण प्रभावों का वर्णन करना चाहता हूं जोकि आए हैं।

पहले हमने उन स्थितियों के बारे में सुना था जहां महिलाओं के चरित्र पर हमला किया गया था। महिलाएं परिस्थितियों की शिकार है और मुकदमें की सुनवाई के दौरान, उन पर विभिन्न बातों के लिए दबाव बनाया जाता है जोकि पीड़ित के लिए बहुत कष्टकर है और समग्र रूप में समाज के लिए भी कष्टदायी है। यही कारण है कि भारतीय साक्ष्य अधिनियम की धारा 53क को परिवर्तित किया गया है और नए खंड में व्यवस्था की गयी है कि चरित्र का साक्ष्य अथवा पूर्व का यौन अनुभव ऐसे मामलों में प्रासंगिक नहीं होगा।

दूसरा महत्वपूर्ण उपबंध यह है कि बलात्कार के मामले की सुनवाई के दौरान जिरह के दौरान पीड़ित से उसके चरित्र के बारे में प्रश्न पूछने की अनुमति नहीं होगी। किसी भी अधिवक्ता को पीड़ित महिला के चरित्र के संबंध में प्रश्न पूछने की अनुमति नहीं दी जाएगी। इसी के साथ, दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 26 के तहत महत्वपूर्ण उपबंध में व्यवस्था की गई है कि बलात्कार के मामलों की सुनवाई जहां तक संभव हो, महिला न्यायाधीश की अध्यक्षता वाले न्यायालय में ही होगी।

यह प्राथमिकता होगी कि बलात्कार के मामलों की सुनवाई महिला न्यायाधीश की अध्यक्षता वाले न्यायालय में होगी। ये पीड़ित - संवेदनशील कदम हैं जो सरकार ने उठाए हैं।

दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 154 के तहत, एक नया उपबंध जोड़ा जा रहा है कि बलात्कार के मामलों की सूचना को महिला पुलिस अधिकारी अथवा किसी अन्य महिला अधिकारी द्वारा रिकॉर्ड किया जाएगा। इससे महिला पीड़ित को संपूर्ण सुरक्षा मिलती है। दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 161 के तहत उपबंध में व्यवस्था है कि पुलिस गवाह की जांच करे। अब, नया उपबंध व्यवस्था करता है कि पीड़ित का बयान महिला पुलिस अधिकारी अथवा अन्य किसी महिला अधिकारी द्वारा रिकॉर्ड किया जाएगा। यह था एक बहुत ही पीड़ित - संवेदी उपाय है।...*(व्यवधान)*

श्रीमती पी.के. श्रीमथि टीचर (कन्नूर) : "किसी अन्य महिला अधिकारी" से क्या अभिप्राय है?

श्री किरेन रिजीजू : उसके लिए, वह व्यक्ति योग्य होगा। हम किसी भी महिला को काम पर नहीं रख सकते।...*(व्यवधान)*

माननीय उपाध्यक्ष महोदय : यह पुलिस विभाग से कोई महिला अधिकारी हो सकती हैं।

...*(व्यवधान)*

श्री किरेन रिजीजू : मैं आपका बिन्दु समझता हूं। हम सुनिश्चित करेंगे कि इस तरह के संवेदनशील मुद्दों का किसी अन्य ऐसी व्यक्ति द्वारा न देखा जाए जो कि इसके लिए सक्षम न हो। पुलिस अधिकारी केवल एक पुलिस अधिकारी ही नही है, वह इन मामलों को देखने के लिए सक्षम पुलिस अधिकारी भी है। यही कारण है कि आप किसी भी एक व्यक्ति को इस कार्य के लिए नियुक्त नहीं कर सकते जो कि उचित प्राधिकरण में नियुक्त न हो। वह एक प्राधिकृत अधिकारी अथवा प्राधिकृत व्यक्ति होना चाहिए, एक सक्षम व्यक्ति होना चाहिए।...*(व्यवधान)*

धारा 164(5क) (क) में कहा गया है कि पीड़ित के बयान को जुडिशियल मजिस्ट्रेट द्वारा रिकॉर्ड किया जाएगा जैसे ही अपराध पुलिस के संज्ञान में आए। सीआरपीसी की धारा 173 में भी कहा गया है जैसा कि मैंने पहले ही बताया है- जैसा मैंने पहले भी कहा है कि मामले की जांच अपराध के सामने आने की तिथि से दो माह के भीतर पूरी की जाएगी। इसका अर्थ है कि किसी भी अधिकारी के पास दो माह से अधिक समय लेने का अवसर नहीं है चूंकि समय सीमा बहुत महत्वपूर्ण है। सीआरपीसी की धारा 197(1) के तहत, जो नया उपबंध जोड़ा गया है, वह यह है कि बलात्कार के आरोपित किसी लोक सेवक पर अभियोग चलाने के लिए किसी पूर्व अनुमति की आवश्यकता नहीं होगी। यह बहुत महत्वपूर्ण है। इसका अर्थ है कि हम पूरा भार अधिकारियों पर डाल रहे हैं जो त्वरित न्याय के लिए पूर्णरूपेण जिम्मेदार हैं। सीआरपीसी की धारा 309 के तहत, एक नया उपबंध जोड़ा गया है। यह वह उपबंध है जिसे आरोप पत्र दाखिल होने के दो माह के भीतर अनिवार्य रूप से बलात्कार के मामलों की जांच अथवा परीक्षा करने के लिए संशोधित किया गया है। एक बार यदि आरोप-पत्र दाखिल कर दिया जाता है, तो इसे आवश्यक रूप से दो माह के भीतर पूरा किया जाए।

श्री अधीर रंजन चौधरी : क्या आरोप-पत्र दाखिल करने के लिए भी किसी समय सीमा का उल्लेख किया गया है?

श्री किरेन रिजीजू : इसके लिए पहले से ही विस्तृत प्रावधान है। यदि कोई भी पुलिस अधिकारी ऐसे किसी भी मौके पर कार्रवाई करने में विफल रहता है जो कि गंभीर प्रकृति के हैं, तो उस अधिकारी के खिलाफ कार्रवाई करने के लिए पहले से ही पर्याप्त प्रावधान हैं। बचने का कोई रास्ता नहीं है। मैं यह भी उल्लेख करना चाहूंगा कि पिछले तीन से चार वर्षों में मामले मुख्य रूप से बढ़ गए हैं क्योंकि अब पुलिस अधिकारी द्वारा मामले को दर्ज करना अनिवार्य है। इसमें न केवल मामलों को दर्ज करना, बल्कि आरोप-पत्र दाखिल करना और समयबद्ध निपटान भी है। यह बहुत महत्वपूर्ण है। मैं माननीय सदस्यों से इस प्रयास की सराहना करने की अपील करता हूं।...*(व्यवधान)*

[हिन्दी]

श्रीमती रंजीत रंजन : किरेन जी, आपने जो दो महीनों का टाइम दिया है, सपोज कि जो एक्युजड है, वही नहीं दे पा रहा है। जो विकिट्म है, वह गवाही देने के ही लायक नहीं है, उसको सदमा लगा हुआ है, तो उस केस में अगर दो महीने से ऊपर टाइम जाता है, तो उस केस में आप क्या क्लैरिफिकेशन देना चाहते हैं?

[अनुवाद]

श्री किरेन रिजीजू : महोदय, मुझे उत्तर देने दीजिए और अंत में यदि सदस्य कोई स्पष्टीकरण चाहते हैं, तो मैं उसका उत्तर देने के लिए तैयार हूं।

यहां जिस महत्वपूर्ण प्रगति का मैं उल्लेख करना चाहता हूं, वह सीआरपीसी की धारा 327, उप-खंड 2 के संबंध में है। इसमें बलात्कार के मामलों की जांच या सुनवाई कैमरे में किए जाने का प्रावधान है। इससे यह सुनिश्चित करने की पर्याप्त गुजाइंश है कि पीड़ित को न्याय मिले। रिकॉर्डिंग अब कैमरे में होनी है। हम सोच रहे हैं कि कहीं कोई खामी न रह जाए। जिससे आरोपी बच सके।

मौजूदा धारा 357ख में प्रावधान है कि एसिड हमले और सामूहिक बलात्कार के पीड़ितों को राज्य द्वारा देय मुआवजा पीड़ित को जुर्माने के भुगतान के अतिरिक्त होगा। इस संशोधन से यह सुनिश्चित होगा कि मुआवजा योजना को नई प्रस्ताविक श्रेणियों के पीड़ितों को धारा 376कख, धारा 376घक और धारा 376धखएस के तहत बढ़ाया जाएगा।

एक अन्य महत्वपूर्ण प्रावधान, जिसका मैं उल्लेख करना चाहता हूं, वह है मौजूदा धारा 357गग जिसमें प्रावधान है कि सभी सार्वजनिक या निजी अस्पताल, बलात्कार पीड़ितों को तुरंत नि:शुल्क प्राथमिक चिकित्सा या चिकित्सा उपचार प्रदान करेंगे और तुरंत पुलिस को सूचित करेंगे। इस संशोधन के माध्यम से पीड़ितों को नि:शुल्क प्राथमिक चिकित्सा या चिकित्सा उपचार की सुविधा उन प्रावधानों की नई प्रस्तावित श्रेणियों के तहत दी जाएगी, जिनका मैंने अभी उल्लेख किया है। ये बहुत महत्वपूर्ण कदम है जो बिना किसी वित्तीय बोझ के पीड़ित को तत्काल चिकित्सा सुविधा प्रदान करते हैं।...*(व्यवधान)*

माननीय उपाध्यक्ष महोदय : मंत्रीजी, आप बोलना जारी रख सकते हैं। सदस्य अंत में स्पष्टीकरण मांग सकते हैं। मैं सभी सदस्यों को अनुमति दूंगा।

श्री किरेन रिजीजू : महोदय जैसा कि मैंने शुरू में उल्लेख किया है, मैं इस मुद्दे को उस बिन्दु पर नहीं ले जा रहा हूं, जहां पर मेरा कुछ बिन्दुओं पर माननीय सदस्यों से विरोधाभास हूं, जो उन्होंने बनाए हैं। शुरूआत में ही, मैंने कहा था कि यह एक पार्टी का मुद्दा नहीं है। यह पार्टी के एक हिस्से की चिंता का विषय नहीं है। यह राष्ट्र की चिंता है, इस सम्मानित सदन की चिंता है।

इसीलिए मैं श्री प्रेमचंद्रन से भी पूछना चाहता हूं कि वह अध्यादेश के लागू होने के समय पर सवाल क्यों उठा रहे हैं। जब अध्यादेश को रद्द कर दिया गया था, हमें पहले से ही मध्य प्रदेश राज्य और अन्य जगहों से जानकारी मिली थी कि उन्होंने इस अध्यादेश के तहत पहले से ही अपराधियों को दोषी ठहराया था। इसका मतलब है कि यह बहुत उपयोगी है। प्रो. सौगत राय ने कहा है कि हमें यह कानून बहुत पहले बनाना चाहिए था। हम जानते हैं कि संसद को निवारक कदम उठाने होंगे और निवारक कानून भी बनाने होंगे। कई बार इस सदन को इस देश की भावनाओं को प्रतिबिंबित करना पड़ता है। जब पूरे देश की भावनाएं यह होती हैं कि सरकार को यह सुनिश्चित करने के लिए कड़े कदम उठाने चाहिए कि ऐसे जघन्य प्रकृति के अपराधों के लिए सजा बहुत ही कड़ी, बहुत ही कठोर होनी चाहिए तो सरकार को इस अवसर पर इन मुद्दों को उठाना चाहिए।

महोदय, हालांकि मेरे पास माननीय सदस्यों को स्पष्ट करने के लिए कई बिन्दु है, लेकिन जिन प्रावधानों को मैंने पढ़ा है, मुझे यकीन है कि माननीय सदस्य संतुष्ट होंगे और वे इस सरकार की मंशा का समर्थन करेंगे ताकि यह सुनिश्चित हो सके कि हमारी महिलाएं हमारे समाज में असुरक्षित महसूस न करें। महात्मा गांधी जी ने एक बार बहुत महत्वपूर्ण टिप्पणी की थी जिसे मैं इस सम्मानित सदन में पढ़ना चाहूंगा। जब महिलाएं रात में सड़कों पर चलना सुरक्षित समझेंगी तब इसका मतलब है कि हमने पूर्ण स्वतंत्रता हासिल कर ली है। इसलिए, यहां यह सुनिश्चित करना सभी का नैतिक कर्त्तव्य है कि हमारी बहनें, बेटियां और माताएं हमारे अपने सभ्य, अति प्राचीन राष्ट्र कहे जाने वाले भारत में खुद को सुरक्षित महसूस करें।

हम यह सुनिश्चित करने में कोई कसर नहीं छोड़ेंगे कि इस आपराधिक कानून (संशोधन) विधेयक, 2018 में सरकार द्वारा जो प्रावधान किए गए हैं, उन्हें मजबूती से लागू किया जाए। यह महिलाओं के खिलाफ यौन अपराध के हर एक मामले में न्याय प्रदान करने के सरकार के दृढ़ संकल्प को दर्शाता है।

इन शब्दों के साथ, मैं इस विधेयक का समर्थन करने के लिए माननीय उपाध्यक्ष महोदय और माननीय सदस्यों का शुक्रिया अदा करता हूं। इसके साथ ही, मैं इस विधेयक को पारित करने के लिए सराहना करता हूं।

डॉ. ममताज़ संघमिता : मैं एक मुद्दा उठाना चाहूंगी। यदि हम उपचार कर रहे हैं, तो यह ठीक है; हम सभी उपचार करना चाहते है। परंतु साक्ष्य समाप्त हो सकता है। यही कारण है, कि अस्पतालों में किट होनी चाहिए, विशेषत; महिला विभाग में स्वैब लेने के लिए किट होनी चाहिए।

श्रीमती सुप्रिया सदानंद सुले : माननीय मंत्री जी स्पष्ट कर सकते हैं कि क्या वह इसे "12 वर्ष से कम के बच्चे" करना चाहेंगे इसलिए कम से कम लिंग समानता का विधेयक होना चाहिए। यह एक अनुरोध है।

डॉ. ए. सम्पत : महोदय आपके माध्यम से, मैं माननीय मंत्री जी से स्पष्टीकरण चाहूंगा। कुछ बच्चे तीसरे लिंग से संबंधित होते है। वे जन्म से ही तीसरे लिंग से संबंधित होते हैं। उन बच्चों का भी बलात्कार हो सकता है। तीसरे लिंग का होने में उनकी कोई गलती नही है। बस ऐसा हो जाता है। परंतु वे भी इस प्रकार के लैंगिक अत्याचारों के शिकार हो सकते है। अत: इसे 376 की परिभाषा के अंतर्गत रखा जा सकता है। मैं जानना चाहूंगा कि क्या हम सभी बच्चों को इस उपबंध के अंतर्गत रख सकते हैं अथवा नहीं।

माननीय उपाध्यक्ष : क्या आप कोई स्पष्टीकरण चाहते हैं या आप केवल संशोधनों का प्रस्ताव करना चाहते हैं?

श्री भर्तृहरि महताब (कटक) **:** मैं संशोधनों का प्रस्ताव करूंगा।

माननीय-उपाध्यक्ष : इस चरण में नहीं।

श्रीमती पी.के. श्रीमथि टीचर : माननीय मंत्री जी, निर्भया फंड से 3000 करोड़ रुपए बचे हैं। क्या आप सभी राज्य सरकारों को कड़े निर्देश जारी करेंगे कि वे बलात्कार के मामलों से निपटने के लिए अव्यस्क लड़कियों के लिए विशेष अदालत स्थापित करेंगे? हम चाहते हैं कि महिला पुलिस की संख्या बढ़ाई जाए। क्या आप सभी राज्य सरकारों को इसे कार्यान्वयन करने के कड़े निर्देश देंगे।

[हिन्दी]

श्रीमती रंजीत रंजन : आपने कहा है कि सीआरपीसी 1973 के अनुसार सभी बलात्कार पीड़ितों को राज्य सरकार द्वारा मुफ्त मेडिकल उपचार और मुआवजा दिया जाएगा। इसके साथ ही आपने लिख दिया है कि इस प्रावधान में अंडर-16 यानी 16 साल से कम उम्र की नाबालिग लड़कियों के साथ हुए बलात्कार को ही शामिल किया जाएगा। जो 16 साल से अधिक उम्र की लड़कियां या महिलाएं होंगी, क्या इसमें उनको मुआवजा देने का कोई प्रावधान नहीं है? क्या यह जिम्मेदारी सिर्फ राज्य की होगी या इसकी मानीटरिंग सेन्ट्रल गवर्नमेंट भी करेगी? मैं फिर से इस बात को रिपीट करूंगी कि यह जो दो माह का समय है, सपोज जो फॉरेंसिक किट है, आप कह रहे हैं कि उसे थाना ही करेगा तो मुझे एक बार फिर क्लेरिफाई करें कि क्या फर्स्ट ऐड, जो फॉरेंसिक किट है, रेप हुआ है या नहीं, क्या उसे थाना ही क्लेरिफाई करेगा?

[अनुवाद]

माननीय उपाध्यक्ष महोदय : आपको स्पष्टीकरण लेना है। आपको भाषण नहीं देना है। केवल स्पष्टीकरण मांगा जाए। मैं भाषणों की अनुमति नहीं दे सकता।

श्री अधीर रंजन चौधरी : रिजीजू जी, आपने कहा है कि बलात्कार के मामलों के लिए महिला न्यायधीश नियुक्त किए जाएंगे। यह एक बहुत उचित प्रस्ताव किया गया है। परंतु हमारे देश में न्यायिक अधिकारियों की अत्यधिक कमी के मद्देनजर मैं जानना चाहूंगा कि क्या आपके लिए प्रत्येक अदालत में महिला न्यायिक अधिकारी प्रदान करना संभव होगा या नहीं क्योंकि बलात्कार के मामलों की संख्या में बढ़ोतरी हो रही है।

माननीय उपाध्यक्ष : आपने स्पष्टीकरण मांगा है। आपने अपनी बात कह दी है अब माननीय मंत्री जी उत्तर देंगे।

[हिन्दी]

श्री किरेन रिजीजू : महोदय, इसमें से कुछ बातें मैंने अपने रिप्लाई के दौरान बोल दी हैं। माननीय सदस्य का जेंडर के स्पेसिफिकेशन के बारे में प्रश्न आया है। मेरे ख्याल से जो अमेंडमेंट महताब जी मूव करने वाले हैं, वे उसमें इस मुद्दे को मेंशन करेंगे। जो लैंगिक अपराधों से बालकों का संरक्षण अधिनियम है, उसमें ऑलरेडी जेंडर न्यूट्रल का प्रोविजन है। वह एक स्पेशल एक्ट बनाया गया है। यहां सवाल यह है कि आईपीसी जो डिफाइन करता है, जैसा मैंने पहले बताया कि आईपीसी की धारा के तहत वुमेन ऑफ एनी ऐज की परिभाषा क्लियर है।

उस अंडरस्टैंडिंग से ही हम लोगों ने यह कानून बनाया है। आगे जाकर उसे डेफिनिशन का क्या होगा, अगर आप उसकी प्रक्रिया पर चर्चा करना चाहते हैं, तो आप उसकी चर्चा कर सकते हैं। लेकिन, आज के इस कानून के प्रावधानों के बारे में मैं बताना चाहता हूं कि महिलाओं की सुरक्षा को लेकर, खासकर, जो बच्चियां हैं, उनको लेकर हम आज जो यह स्पेसिफिक और महत्वपूर्ण बिल लाए हैं, अगर हम लोग उसी पर कंसेंट्रेटेड रहें तो ठीक है।

विशेष अदालतों के संबंध में फोरेंसिक सुविधाएं और राज्य सरकारों को निदेश उसके बारे में हम समय-समय पर अपने होम मिनिस्ट्री से, जहां आवश्यक हो उसके बारे में हमारे यहां से एडवाइजरी जाती ही है। इस कानून के बनने के बाद, *[अनुवाद]* हम यह सुनिश्चित करेंगे कि प्रत्येक राज्य और संघ राज्य क्षेत्र इसका अक्षःरश पालन करे।

श्री एन.के. प्रेमचन्द्रन : अधिकांश माननीय सदस्यों द्वारा उठाए गए मुद्दे पर तुरंत प्रतिक्रिया देने के लिए मैं माननीय मंत्री जी का आभारी हूं। मैं माननीय मंत्री जी से पूर्णतः सहमत हूं कि अध्यादेश के प्राख्यापन के लिए आकस्मिक आवश्यकता थी।

माननीय मंत्री को मेरा सुझाव यह है कि ऐसी स्थिति जिसमें महिला पर हमला होता है और बलात्कार होता है; विशेषरूप से सामूहिक बलात्कार होता है और पूरा देश हिल जाता है; निश्चित रूप से सरकार अधिनियम बनाने के लिए विशेष सत्र का आयोजन करने का विकल्प चुन सकती थी।

जहां तक इस मामले में अध्यादेश के प्रख्यापन का संबंध है, निश्चय ही मैं माननीय मंत्री जी और सरकार से सहमत हूं। यह 12 वर्ष तथा 16 वर्ष से कम आयु के छोटे बच्चों के साथ बलात्कार के संबंध में है।

जहां तक प्रवर्तन का संबंध है, उसे सर्वाधिक महत्व दिया जाना चाहिए। अतः बच्चों के प्रति इन अत्याचारों से लड़ने के लिए प्रवर्तन और राजनैतिक इच्छा सर्वाधिक आवश्यक है।

इन शब्दों के साथ मैं अपना संकल्प वापस लेने के लिए सभा से अनुमति चाहता हूं।

संकल्प अनुमति से वापस लिया गया।

माननीय उपाध्यक्ष : प्रश्न यह है:

"कि भारतीय दंड सहिता, भारतीय साक्ष्य अधिनियम 1872, आपराधित प्रक्रिया संहिता, 1973 और लैंगिक अपराधों से बालकों का संरक्षण अधिनियम, 2012 में और संशोधन करने के लिए विधेयक पर विचार किया जाए।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

माननीय उपाध्यक्ष : अब सभा विधेयक पर खंडवार विचार करेगी।

प्रश्न यह है:

"कि खंड 2 और 3 विधेयक का अंग बने।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

खंड 2 और 3 विधेयक में जोड़ दिए गए।

खण्ड 4 धारा 376 का संशोधन

माननीय उपाध्यक्ष : श्री एन.के. प्रेमचन्द्रन, क्या आप संशोधन सं. 1 से 3 प्रस्तुत कर रहे हैं?

श्री एन.के. प्रेमचन्द्रन : मैं प्रस्ताव करता हूं:

पृष्ठ 2, पंक्ति 14,—

"दस वर्ष" **के स्थान पर**

"पन्द्रह वर्ष" **प्रतिस्थापित** किया जाए। (1)

पृष्ठ 2, पंक्ति 21,—

"बीस वर्ष" **के स्थान पर**

"पच्चीस वर्ष" **प्रतिस्थापित** किया जाए। (2)

पृष्ठ 2, पंक्ति 25,—

"पुनर्वास की" के **पश्चात्**

"पर्याप्त" **अंत:स्थापित** किया जाए। (3)

माननीय उपाध्यक्ष : अब मैं श्री एन.के. प्रेमचन्द्रन द्वारा प्रस्तुत किए गए खण्ड 4 के संशोधन सं.1 से 3 को सभा की स्वीकृति के लिए रखूंगा।

संशोधन रखे गए और अस्वीकृत हुए।

माननीय उपाध्यक्ष : डॉ. संघमिता क्या आप संशोधन सं. 19 को प्रस्तुत कर रही हैं?

डॉ. ममताज़ संघमिता : महोदय, मैं प्रस्ताव करती हूं:

पृष्ठ 2, पंक्ति 28 **के पश्चात्** निम्नलिखित **अंत:स्थापित** किया जाए,—

"परंतु यह भी कि बलात्संग के सभी अभियुक्तों, जब कारागार में हों, का मनोविश्लेषण और यदि आवश्यक हो, मनोचिकित्सीय जांच कराई जाए और स्वस्थचित्त अभियुक्त का कारावास उसके शेष जीवनकाल के लिए बढ़ाया जाएगा।"। (19)

माननीय उपाध्यक्ष : अब मैं डॉ. ममताज़ संघमिता द्वारा प्रस्तुत किए गए खण्ड 4 के संशोधन सं.19 को सभा की स्वीकृति के लिए रखूंगा।

संशोधन रखा गया और अस्वीकृत हुआ।

माननीय उपाध्यक्ष : प्रश्न यह है:

"कि खण्ड 4 विधेयक का अंग बने"।

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

खण्ड 4 विधेयक में जोड़ा गया।

खण्ड 5 नई धारा 376 कख का अंत:स्थापन

माननीय उपाध्यक्ष : श्री एन.के. प्रेमचन्द्रन, क्या आप संशोधन सं. 4 और 5 प्रस्तुत कर रहे हैं?

श्री एन.के. प्रेमचन्द्रन : मैं प्रस्ताव करता हूं:

पृष्ठ 2, पंक्ति 32,—

"बीस वर्ष" **के स्थान पर**

"तीस वर्ष" **प्रतिस्थापित** किया जाए। (4)

पृष्ठ 2, पंक्ति 36,—

"पुनर्वास की" **के पश्चात्**

"पर्याप्त" **अंत:स्थापित** किया जाए। (5)

माननीय उपाध्यक्ष : अब मैं श्री एन.के. प्रेमचन्द्रन द्वारा प्रस्तुत किए गए खण्ड 5 के संशोधन सं.4 और 5 को सभा की स्वीकृति के लिए रखूंगा।

संशोधन रखे गए और अस्वीकृत हुए।

माननीय उपाध्यक्ष : श्री महताब, क्या आप संशोधन सं. 13 को प्रस्तुत कर रहे हैं?

श्री भर्तृहरि महताब : मैं प्रस्ताव करता हूं:

पृष्ठ 2, पंक्ति 31,–

"कि किसी स्त्री से बलात्संग करेगा" **के स्थान पर** "के किसी बालक पर लैंगिक हमला करेगा" **प्रतिस्थापित** किया जाए। (13)

इस विधेयक में व्यावहारिक दृष्टि से चार अधिनियमों का संशोधन किया जा रहा है। ये अधिनियम भारतीय दंड संहिता साक्ष्य अधिनियम, दण्ड प्रक्रिया संहिता और पोक्सो अधिनियम हैं। यहां मेरा सीमित विचारार्थ बिन्दु यह है कि जब आप भारतीय दंड संहिता में 'स्त्री' के उल्लेख वाले संदर्भों को संशोधित कर रहे हैं तो यह आवश्यक है कि उन्हें "किसी बालक पर लैंगिक हमला" से प्रतिस्थापित करके अधिक स्पष्ट बनाया जाए। इसका कारण यह है कि बलात्संग का एक अलग ही अर्थ है। दण्ड न्यायालय में व्यवसाय करने वाले लोग अच्छी तरह समझते हैं कि बलात्संग का अंततः अभिप्राय क्या होता है।

परंतु लैंगिक हमले का एक व्यापक अर्थ है और एक बालक बलात्संग को स्पष्ट करने में समर्थ नहीं भी हो सकता है। इसलिए, उस संबंध में, इस पंक्ति में मैंने उल्लेख किया है कि 'किसी स्त्री से बलात्संग करेगा' के स्थान पर 'किसी बालक पर लैंगिक हमला करेगा' प्रतिस्थापित होना चाहिए। यही संशोधन है जो मैंने दिया है। इस संबंध में दो विरिल प्रतिवेदन थे - एक था 2000 का विधि आयोग प्रतिवेदन और दूसरा 2013 का न्यायमूर्ति वर्मा का जिसने विशिष्ट तौर पर यह सिफारिश की थी कि बलात्संग की इस परिभाषा को लिंग की दृष्टि से तटस्थ बनाया जाना चाहिए और यह पुरुष एक्ट महिला पीड़ितों दोनों पर समान रूप से लागू होनी चाहिए।

यहां मैं एक उदाहरण देना चाहूंगा और मैं आशा करता हूं, कि सभा इसे सुनने का धैर्य रखती है। जब आप बालक एक्ट बालिकाओं की तुलना करते हैं तो विधि भेदभाव नहीं कर सकती है। इसके लिए वकील हैं जो बहस कर सकते हैं। 2018 के अध्यादेश के प्रख्यापन के पूर्व, 12 वर्ष से कम के बालकों के लिए यह 10 वर्ष से आजीवन कारावास थी; बालिकाओं के लिए, वर्ष 2018 के अध्यादेश के पश्चात, यह 20 वर्ष का आजीवन कारावास है और इसमें मृत्युदंड का उपबंध भी है। यही इसमें अंतर है। इस संशोधन विधेयक के पारित होने से पूर्व, बालकों के लिए यह 10 वर्ष और आजीवन कारावास था तथा विधेयक के पारित होने के पश्चात् यह आजीवन कारावास के साथ 20 वर्ष होगा और इसके साथ मृत्युदंड का उपबंध भी होगा। बालकों के विरुद्ध यह भेदभाव क्यों? जैसा हम सभी जानते हैं बालक रिपोर्ट करने के लिए नहीं आते हैं या बालकों के माता-पिता ऐसे मामले दर्ज करने के लिए पुलिस स्टेशन नहीं आते हैं कि उनके बालकों पर लैंगिक हमला किया गया है जबकि बालिकाओं के मामले में शिकायतें आ रही हैं।

पुनः, 12 से 16 वर्ष के आयु समूह के लिए यह प्रस्ताव किया गया है कि बालकों के लिए यह सात वर्ष से आजीवन कारावास तथा बालिकाओं के लिए यह 20 वर्ष से आजीवन कारावास है। 16 से 18 वर्ष के बालकों के लिए यह 7 वर्ष से आजीवन कारावास तथा इस विधेयक में बालिकाओं के लिए यह 10 वर्ष से आजीवन कारावास है। यह भेदभावपूर्ण है। इसे लिंग की दृष्टि से तटस्थ बनाया जाना चाहिए। यह वह बिन्दु है जिसके लिए मैं इस संशोधन को प्रस्तुत कर रहा हूं।

श्री किरेन रिजीजू : महोदय, मैंने इस विषय को पहले आंशिक रूप से लिया है। भारतीय दण्ड संहिता बलात्संग को महिलाओं के लिए ही विशिष्ट रूप से परिभाषित करता है परंतु नया अधिनियम जो लैंगिक अपराधों से बालकों का संरक्षण (पोक्सो) शीर्षक के अंतर्गत लाया गया था, लिंग की दृष्टि से तटस्थ है।

उस अधिनियम में दोनों लिंग के लिए स्पष्ट उपबंध हैं। उस अधिनियम में लिंग के आधार पर कोई भेदभाव नहीं है। परंतु जब भारतीय दंड संहिता और इस उपबंध विशेष के पोक्सो पर परिणामी प्रभाव के संबंध में, जब कभी दण्ड की मात्रा अधिक है तो उस अधिनियम विशेष के उपबंध का प्रभाव लागू होगा। इसका अर्थ यह है कि यदि अपराध के लिए दण्ड को भारतीय दंड संहिता के अंतर्गत अधिक सरल होना है तो इसे भारतीय दंड संहिता के अंतर्गत लाया जाएगा। यह स्वाभाविक है कि इस विधेयक के पारित होने के पश्चात 16 वर्ष की आयु से कम आयु की बालिकाओं के विरुद्ध ये सभी लैंगिक अपराध इस उपबंध के अंतर्गत आएंगे।

श्री भर्तृहरि महताब : मेरा बिन्दु लैंगिक तटस्थता के बारे में है।

श्री किरेन रिजीजू : मैंने पहले ही बताया है पोक्सो अधिनियम पहले ही विद्यमान है। इसलिए, भारतीय दंड संहिता में परिभाषा के इस मुद्दे में नहीं जाते हैं। इस संबंध में मैं बहुत विशिष्ट ध्यान रखता हूं कि यह भारतीय दंड संहिता की परिभाषा के अनुसार महिलाओं पर ही विशेष रूप से लागू है।

माननीय उपाध्यक्ष : अब मैं श्री भर्तृहरि महताब द्वारा प्रस्तुत किए गए खण्ड 4 के संशोधन सं. 13 को सभा के मतदान के लिए रखता हूं।

संशोधन रखा गया और अस्वीकृत हुआ।

डॉ. ममताज़ संघमिता : महोदय, मैं प्रस्ताव करती हूं कि:

पृष्ठ 3, पंक्ति 1 **के पश्चात्** निम्नलिखित **अंत:स्थापित** किया जाए,–

"परंतु यह भी कि बलात्संग के सभी अभियुक्तों, जब कारागार में हों, का मनोविश्लेषण और यदि आवश्यक हो, मनोचिकित्सीय जांच कराई जाए और स्वस्थचित्त अभियुक्त का कारावास उसके शेष जीवनकाल के लिए बढ़ाया जाएगा।"। (20)

माननीय उपाध्यक्ष : अब मैं प्रो. (डॉ.) ममताज़ संघमिता द्वारा प्रस्तुत किए गए खण्ड 5 के संशोधन सं.20 को सभा के मतदान के लिए रखता हूं।

संशोधन रखा गया और अस्वीकृत हुआ।

माननीय उपाध्यक्ष : प्रश्न यह है:

"कि खण्ड 5 विधेयक का अंग बने"।

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

खण्ड 5 विधेयक में जोड़ा गया।

खण्ड 6 नई धारा 376 कख और 376 घख का अंत: स्थापन

श्री एन.के. प्रेमचन्द्रन (कोल्लम) : मैं प्रस्ताव करता हूं कि:

पृष्ठ 3, पंक्ति 10,–

"पुनर्वास की" **के पश्चात्**

"पर्याप्त" **अंत:स्थापित** किया जाए। (16)

पृष्ठ 3, पंक्ति 20,–

"पुनर्वास की" **के पश्चात्**

"पर्याप्त" **अंत:स्थापित** किया जाए। (7)

माननीय उपाध्यक्ष : अब मैं श्री एन.के. प्रेमचन्द्रन द्वारा प्रस्तुत किए गए खण्ड 6 के संशोधन सं.6 और 7 को सभा के मतदान के लिए रखता हूं।

संशोधन रखे गए और अस्वीकृत हुए।

श्री भर्तृहरि महताब : मैं प्रस्ताव करता हूं कि:

पृष्ठ 3, पंक्ति 15,–

"376घख, "आयु की किसी स्त्री से बलात्संग किया जाता है" **के स्थान पर** "आयु के किसी बालक पर लैंगिक हमला" किया जाता है" **प्रतिस्थापित** किया जाए।" (14)

माननीय उपाध्यक्ष : अब मैं श्री भर्तृहरि महताब द्वारा प्रस्तुत किए गए खण्ड 6 के संशोधन सं.14 को सभा के मतदान के लिए रखता हूं।

संशोधन रखे गए और अस्वीकृत हुए।

श्री अधीर रंजन चौधरी (बहरामपुर) : मैं प्रस्ताव करता हूं कि:

"पृष्ठ 3, पंक्ति 4,–

"एक या" **के स्थान पर**

"दो या" **प्रतिस्थापित** किया जाए। (15)

पृष्ठ 3, पंक्ति 5,–

"आशय" **के पश्चात्**

"चाहे समूह के किसी सदस्य ने वास्तव में बलात्संग के कृत्य को कारित किया हो या नहीं," **अंत:स्थापित** किया जाए। (16)

पृष्ठ 3, पंक्ति 14,–

"एक या" **के स्थान पर**

"दो या" **प्रतिस्थापित** किया जाए।" (17)

यह एक तकनीकी त्रुटि है जिसमें शुद्धि किए जाने की आवश्यकता है क्योंकि एक समूह का गठन किसी एक से नहीं हो सकता है।

एक समूह को एक से अधिक के रूप में परिभाषित किया जाना चाहिए। मैं सोचता हूं कि यह एक तकनीकी त्रुटि है और इसलिए इसमें शुद्धि किए जाने की आवश्यकता है।

माननीय उपाध्यक्ष : अब मैं श्री अधीर रंजन चौधरी द्वारा प्रस्तुत किए गए खण्ड 6 के संशोधन सं. 15, 16 और 17 को सभा के मतदान के लिए रखता हूं।

संशोधन रखे गए और अस्वीकृत हुए।

डॉ. ममताज़ संघमिता : मैं प्रस्ताव करती हूं कि:

पृष्ठ 3, पंक्ति 13 **के पश्चात्** निम्नलिखित **अंत:स्थापित** किया जाए,–

"परंतु यह भी कि बलात्संग के सभी अभियुक्तों, जब कारागार में हों, का मनोविश्लेषण और यदि आवश्यक हो, मनोचिकित्सीय जांच कराई जाए और स्वस्थचित्त अभियुक्त का कारावास उसके शेष जीवनकाल के लिए बढ़ाया जाएगा।"। (21)

पृष्ठ 3, पंक्ति 24 **के पश्चात्** निम्नलिखित **अंत:स्थापित** किया जाए,—

"परंतु यह भी कि बलात्संग के सभी अभियुक्तों, जब कारागार में हों, का मनोविश्लेषण और यदि आवश्यक हो, मनोचिकित्सीय जांच कराई जाए और स्वस्थचित्त अभियुक्त का कारावास उसके शेष जीवनकाल के लिए बढ़ाया जाएगा।"। (22)

माननीय उपाध्यक्ष : अब मैं प्रो.(डा.) ममताज़ संघमिता द्वारा प्रस्तुत किए गए खण्ड 6 के संशोधन सं.21 और 22 को सभा के मतदान के लिए रखता हूं।

संशोधन रखे गए और अस्वीकृत हुए।

माननीय उपाध्यक्ष : प्रश्न यह है:

"कि खण्ड 6 विधेयक का अंग बने।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

खण्ड 6 विधेयक में जोड़ दिया गया।

खण्ड 7 से 20 विधेयक में जोड़ दिए गए।

खण्ड 21 धारा 377 का संशोधन

माननीय उपाध्यक्ष : श्री प्रेमचन्द्रन क्या आप संशोधन सं. 8 प्रस्तुत कर रहे हैं।

श्री एन.के. प्रेमचन्द्रन : मैं संशोधन सं. 8 प्रस्तुत नहीं कर रहा हूं।

माननीय उपाध्यक्ष : प्रश्न यह है:

"कि खण्ड 21 विधेयक का अंग बने।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

खण्ड 21 विधेयक में जोड़ दिया गया।

खण्ड 22 से 23 विधेयक में जोड़ दिए गए।

खण्ड 24 पहली अनुसूची का संशोधन

माननीय उपाध्यक्ष : श्री प्रेमचन्द्रन क्या आप संशोधन सं. 9 से 12 प्रस्तुत कर रहे हैं?

श्री एन.के. प्रेमचन्द्रन : मैं संशोधन सं. 9 से 12 प्रस्तुत नहीं कर रहा हूं।

माननीय उपाध्यक्ष : श्री अधीर रंजन चौधरी क्या आप संशोधन सं. 18 प्रस्तुत कर रहे हैं?

श्री अधीर रंजन चौधरी : महोदय, सरकार समझना नहीं चाहती है। इसीलिए, मैं यह संशोधन प्रस्तुत कर रहा हूं।

मैं प्रस्तुत करता हूं कि:

"पृष्ठ 6, पंक्ति 28 और 29, स्तंभ 3 में,—

"दस वर्ष" **के स्थान पर**

"20 वर्ष" **प्रतिस्थापित** किया जाए" (18)

माननीय उपाध्यक्ष : अब मैं श्री अधीर रंजन चौधरी द्वारा प्रस्तुत किए गए खण्ड 24 के संशोधन सं. 18 को सभा के मतदान के लिए रखता हूं।

संशोधन रखा गया और अस्वीकृत हुआ।

माननीय उपाध्यक्ष : प्रश्न यह है:

"कि खण्ड 24 विधेयक का अंग बने।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

खण्ड 24 विधेयक में जोड़ा दिया गया।

खण्ड 25 और 26 विधेयक में जोड़ दिए गए।

खण्ड 1 अधिनियमन सूत्र और विधेयक का पूरा नाम विधेयक में जोड़ दिए गए।

श्री किरने रिजीजू : मैं प्रस्ताव करता हूं:

"कि विधेयक पारित किया जाए।"

माननीय उपाध्यक्ष : प्रश्न यह है:

"कि विधेयक पारित किया जाए।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

माननीय उपाध्यक्ष : सभा मंगलवार, 31 जुलाई, 2018 को पूर्वाह्न 11 बजे समवेत होने के लिए स्थगित होती है।

सायं 7.48 बजे

तत्पश्चात् लोक सभा मंगलवार, 31 जुलाई, 2018/ 9 श्रावण, 1940 (शक) के पूर्वाह्न 11.00 बजे तक के लिए स्थगित हुई।

अनुबंध-I

तारांकित प्रश्नों की सदस्य-वार अनुक्रमणिका (27.7.2018)

क्र. सं.	सदस्य का नाम	तारांकित प्रश्न संख्या
1.	श्री एंटो एंटोनी श्री के.सी. वेणुगोपाल	141
2.	श्री लखन लाल साहू	142
3.	श्री मोहनभाई कल्याणजीभाई कुंदरिया	143
4.	श्री राम कुमार शर्मा	144
5.	श्री टी. राधाकृष्णन श्री सुधीर गुप्ता	145
6.	डॉ. किरीट सोमैया श्रीमती कविता कलवकुंतला	146
7.	श्री कोनाकल्ला नारायण राव श्री एम. वेंकटेश्वर राव	147
8.	श्री मानशंकर निनामा	148
9.	श्री विनसेंट एच. पाला	149
10.	श्री विष्णु दयाल राम	150
11.	श्री लक्ष्मी नारायण यादव श्रीमती रमा देवी	151
12.	श्री हेमन्त तुकाराम गोडसे श्री कृपाल बालाजी तुमाने	152
13.	श्री ताम्रध्वज साहू	153
14.	श्री दुष्यंत सिंह	154
15.	श्री टी.जी. वेंकटेश बाबू	155
16.	श्री के. अशोक कुमार श्री आधलराव पाटील शिवाजीराव	156
17.	श्री रावसाहेब पाटील दानवे	157
18.	डॉ. प्रीतम गोपीनाथ मुंडे श्री धर्मेन्द्र यादव	158
19.	श्री मनसुखभाई धनजीभाई वसावा श्री गोपाल शेट्टी	159
20.	श्री एन.के. प्रेमचन्द्रन	160

तारांकित प्रश्नों की सदस्य-वार अनुक्रमणिका (30.7.2018)

क्र. सं.	सदस्य का नाम	तारांकित प्रश्न संख्या
1.	श्रीमती पी.के. श्रीमथि टीचर	161
2.	श्रीमती मौसम नूर श्री एस. राजेन्द्रन	162
3.	श्री अनुराग सिंह ठाकुर	163
4.	श्री प्रसून बनर्जी प्रो. सौगत राय	164
5.	श्री राम चरित्र निषाद	165
6.	डॉ. मनोज राजोरिया	166
7.	श्री जी. हरि	167
8.	श्री अर्जुन लाल मीणा श्री लखन लाल साहू	168
9.	श्री सुशील कुमार सिंह	169
10.	श्री सुनील कुमार मण्डल श्री सी. महेंद्रन	170
11.	श्री मोहम्मद फ़ैज़ल	171
12.	श्री जय प्रकाश नारायण यादव डॉ. भारतीबेन डी. श्याल	172
13.	श्री सदाशिव लोखंडे	173
14.	श्री नलीन कुमार कटील श्री डी.के. सुरेश	174
15.	श्री एम.आई. शनवास श्री जितेन्द्र चौधरी	175
16.	श्री बी. विनोद कुमार	176
17.	श्री एस.पी. मुद्दाहनुमे गौड़ा श्री नारणभाई काछड़िया	177
18.	श्री ज्योतिरादित्य माधवराव सिंधिया कुमारी सुष्मिता देव	178
19.	श्री राम कुमार शर्मा श्री कपिल मोरेश्वर पाटील	179
20.	श्रीमती प्रत्यूषा राजेश्वरी सिंह	180

अतारांकित प्रश्नों की सदस्य-वार अनुक्रमणिका (27.7.2018)

क्र. सं.	सदस्य का नाम	प्रश्न संख्या
1	2	3
1.	श्री दिव्येन्दु अधिकारी	1613, 1800
2.	डॉ. रमेश पोखरियाल निशंक	1693
3.	श्री आधलराव पाटील शिवाजीराव	1809
4.	श्री शिशिर कुमार अधिकारी	1678
5.	श्री आनंदराव अडसुल	1809
6.	श्री राजेन्द्र अग्रवाल	1652
7.	श्रीमती संतोष अहलावत	1710, 1735, 1820, 1822
8.	श्रीमती सजदा अहमद	1777
9.	श्री सिराजुद्दीन अज़मल	1700
10.	श्री तारिक अनवर	1796
11.	श्री ए. अरुणमणिदेवन	1633, 1835
12.	श्री अश्विनी कुमार	1680
13.	श्री कीर्ति आजाद	1739, 1746, 1806
14.	श्री बी. सेनगुट्टुवन	1617
15.	डॉ. रविन्द्र बाबू	1787
16.	श्री जार्ज बेकर	1739, 1741, 1767, 1805
17.	श्रीमती अंजू बाला	1649, 1798
18.	श्री बलका सुमन	1770
19.	श्री अभिषेक बनर्जी	1732
20.	श्री कल्याण बनर्जी	1776
21.	श्री प्रसून बनर्जी	1751
22.	श्री श्रीरंग आप्पा बारणे	1809
23.	श्री ई.टी. मोहम्मद बशीर	1711, 1802
24.	श्री आर.के. भारती मोहन	1708, 1733, 1759, 1826, 1827
25.	श्रीमती रंजनबेन भट्ट	1612, 1635
26.	श्री देवेन्द्र सिंह भोले	1675, 1819
27.	श्री रमेश बिधूड़ी	1714
28.	श्री पी.के. बीजू	1687, 1830
29.	श्री ओम बिरला	1619, 1739
30.	श्री राधेश्याम बिश्वास	1641
31.	श्री बोधसिंह भगत	1740
32.	श्री राम चरण बोहरा	1664
33.	श्री सी. गोपालकृष्णन	1821
34.	कर्नल सोना राम चौधरी	1694
35.	श्री निहाल चन्द	1655, 1828
36.	कुंवर पुष्पेन्द्र सिंह चन्देल	1809
37.	श्री एम. चन्द्राकाशी	1698, 1750
38.	श्री बी.एन. चन्द्रप्पा	1651, 1799
39.	श्री प्रेम सिंह चन्दूमाजरा	1778
40.	श्री पंकज चौधरी	1817, 1818
41.	श्री संतोख सिंह चौधरी	1737
42.	श्री जितेन्द्र चौधरी	1704, 1790
43.	श्री देवुसिंह चौहान	1702, 1823
44.	श्री दुष्यंत चौटाला	1627
45.	श्री अशोक शंकरराव चव्हाण	1705
46.	श्री हरिश्चंद्र चव्हाण	1620, 1754
47.	श्री विनोद लखमाशी चावड़ा	1823, 1825
48.	श्री राम टहल चौधरी	1620, 1650, 1754, 1756, 1806

1	2	3
49.	श्री शंकर प्रसाद दत्ता	1759, 1810, 1828
50.	श्री रमेन डेका	1720, 1814
51.	श्री अर्का केशरी देव	1800
52.	कुमारी सुष्मिता देव	1727, 1739
53.	श्रीमती वीणा देवी	1707
54.	श्री संजय धोत्रे	1755, 1824, 1825
55.	श्री आर. ध्रुवनारायण	1668, 1728
56.	श्रीमती ज्योति धुर्वे	1747
57.	श्री राजेश कुमार दिवाकर	1722
58.	श्री निशिकान्त दुबे	1661, 1785, 1819, 1828
59.	श्री सतीश चन्द्र दुबे	1713
60.	श्री निनोंग इरिंग	1706, 1812
61.	मोहम्मद फैजल	1801
62.	प्रो. रविन्द्र विश्वनाथ गायकवाड़	1665
63.	श्री सुनील बलीराम गायकवाड़	1790, 1794
64.	श्री गजानन कीर्तिकर	1705, 1803, 1804, 1810, 1811
65.	श्री जैदेव गल्ला	1637, 1837
66.	डॉ. हिना विजयकुमार गावीत	1623, 1723, 1815
67.	एडवोकेट जोएस जॉर्ज	1742
68.	श्री लक्ष्मण गिलुवा	1620, 1756
69.	श्री महेश गिरी	1648
70.	डॉ. के. गोपाल	1647, 1822
71.	श्री आर. गोपालकृष्णन	1686
72.	श्री सुधीर गुप्ता	1705, 1803, 1804, 1810
73.	श्री विजय कुमार हांसदाक	1650

1	2	3
74.	श्री जी. हरि	1696
75.	डॉ. कंभमपति हरिबाबू	1743, 1802
76.	श्री हरीशचन्द्र उर्फ हरीश द्विवेदी	1629
77.	प्रो. रिचर्ड हे	1735, 1739, 1767, 1805
78.	श्री दीपेन्द्र सिंह हुड्डा	1750
79.	श्री प्रतापराव जाधव	1793, 1818
80.	श्री संजय हरिभाऊ जाधव	1624, 1832
81.	डॉ. संजय जायसवाल	1717
82.	श्रीमती दर्शना विक्रम जरदोश	1792
83.	श्री सी.एन. जयदेवन	1776, 1817
84.	श्री जे. जयवर्धन	1623, 1723, 1815
85.	श्री रवीन्द्र कुमार जेना	1748, 1792
86.	श्री चन्द्र प्रकाश जोशी	1625
87.	श्री प्रह्लाद जोशी	1733
88.	श्री नारणभाई काछड़िया	1761
89.	कुमारी शोभा कारान्दलाजे	1679, 1800
90.	श्री रत्न लाल कटारिया	1654
91.	श्री नलीन कुमार कटील	1651, 1799
92.	श्री कौशल किशोर	179, 1801
93.	श्री कौशलेन्द्र कुमार	1701, 1802
94.	श्रीमती रक्षाताई खाडसे	1684
95.	श्री चन्द्रकांत खैरे	1677, 1728, 1750
96	मो. बदरुद्दोजा खान	1814, 1820
97.	श्रीमती किरण खेर	1697
98.	श्री राम मोहन नायडू किंजरापु	1753
99.	श्री जुगल किशोर	1640, 1818

1	2	3
100.	श्री कोडिकुन्नील सुरेश	1618, 1739
101.	श्री कोथा प्रभाकर रेड्डी	1812
102.	श्री फग्गन सिंह कुलस्ते	1774
103.	श्री बी. विनोद कुमार	1742, 1768
104.	श्री संतोष कुमार	1663, 1729, 1802
105.	श्री पी. कुमार	1783
106.	श्री मोहनभाई कल्याणजीभाई कुंदरिया	1710, 1773
107.	कुंवर भारतेन्द्र सिंह	1719, 1758, 1825
108.	श्री छोटे लाल	1663
109.	श्रीमती मीनाक्षी लेखी	1780
110.	श्री सदाशिव लोखंडे	1781, 1808
111.	श्री एम. उदयकुमार	1688
112.	श्रीमती पूनमबेन माडम	1711, 1726, 1813
113.	श्री धनंजय महाडीक	1623, 1723, 1815
114.	श्रीमती पूनम महाजन	1681
115.	डॉ. बंशीलाल महतो	1657, 1818, 1819
116.	श्री विद्युत वरण महतो	1705, 1803, 1804, 1810, 1811
117.	श्री सी. महेन्द्रन	1672
118.	श्री भर्तृहरि महताब	1755, 1824, 1825
119.	श्री मल्लिकार्जुन खड़गे	1756
120.	श्री हरि मांझी	1695, 1806
121.	श्रीमती के. मरगथम	1703, 1728
122.	श्री अर्जुन लाल मीणा	1669
123.	श्री हरीश मीना	1782, 1801
124.	डॉ. थोकचोम मेन्या	1726, 1813
125.	श्री भैरों प्रसाद मिश्र	1659

1	2	3
126.	श्री अनूप मिश्रा	1692
127.	श्री पिनाकी मिश्रा	1715, 1719
128.	श्री पी.सी. मोहन	1744, 1815
129.	श्री एम. मुरली मोहन	1704
130.	श्री मोहम्मद सलीम	1814, 1820
131.	श्री सुनील कुमार मण्डल	1757
132.	श्री एस.पी. मुद्दाहनुमे गौड़ा	1673, 1805, 1819
133.	श्री मुल्लापल्ली रामचन्द्रन	1749
134.	डॉ. प्रीतम गोपीनाथ मुंडे	1809
135.	श्री रोड़मल नगर	1621, 1831
136.	श्री पी. नागराजन	1632, 1819, 1821
137.	प्रो. ए.एस.आर. नायक	1786
138.	श्री बी.वी. नाईक	1635, 1723, 1805, 1828, 1836
139.	श्री केसिनेनी श्रीनिवास	1788
140.	श्री कमल नाथ	1817
141.	श्री जे.जे.टी. नटटर्जी	1644
142.	श्री अशोक महादेवराव नेते	1726, 1731
143.	श्री राम चरित्र निषाद	1775
144.	श्रीमती मौसम नूर	1724
145.	श्री असादुद्दीन ओवैसी	1642, 1840
146.	श्रीमती कमला पाटले	1655, 1682
147.	श्री जगदम्बिका पाल	1763
148.	श्री हरि ओम पाण्डेय	1729, 1802, 1816
149.	श्री रवीन्द्र कुमार पाण्डेय	1661, 1785, 1819, 1828
150.	श्री के. परसुरमन	1699, 1805
151.	श्री आर. पार्थिपन	1690

1	2	3
152.	श्रीमती जयश्रीबेन पटेल	1628
153.	श्री प्रहलाद सिंह पटेल	1667
154.	श्रीमती रीती पाठक	1640, 1728
155.	श्री भीमराव बी. पाटील	1658
156.	श्री सी.आर. पाटील	1736
157.	श्री संजय काक पाटील	1734, 1805, 1819
158.	श्री के.आर.पी. प्रबाकरन	1636
159.	श्री कृष्ण प्रताप	1783
160.	श्री टी. राधाकृष्णन	1705, 1803, 1804, 1810
161.	डॉ. उदित राज	1639, 1806, 1839
162.	श्री राजन विचारे	1638, 1838
163.	श्री एस. राजेन्द्रन	1705, 1803, 1804, 1810, 1811
164.	श्री एम.बी. राजेश	1736, 1743
165.	श्री जनक राम	1728, 1795
166.	श्री विष्णु दयाल राम	1805
167.	श्री के.एन. रामचन्द्रन	1733, 1759, 1826, 1827
168.	श्री कोनाकल्ला नारायण राव	1621
169.	श्री मुथमसेट्टी श्रीनिवास राव (अवंती)	1739, 1820, 1821
170.	श्री डी.एस. राठौड़	1773
171.	श्री रामसिंह राठवा	1685
172.	श्री विनायक भाऊराव राऊत	1809
173.	श्री परेश रावल	1721
174.	श्री विष्णु पद राय	1730
175.	श्री रवीन्द्र कुमार राय	1634, 1691

1	2	3
176.	श्री ए.पी. जितेन्द्र रेड्डी	1818
177.	श्री चामाकुरा मल्ला रेड्डी	1770, 1772, 1803
178.	श्री पी. श्रीनिवास रेड्डी	1766
179.	प्रो. सौगत राय	1653, 1764
180.	श्री लखन लाल साहू	1819
181.	श्री ताम्रध्वज साहू	1746
182.	डॉ. कुलमणि सामल	1818
183.	डॉ. ए. सम्पत	1611
184.	श्री आलोक संजर	1622
185.	श्री नव कुमार सरनीया	1645, 1779, 1810
186.	श्री सुमेधानन्द सरस्वती	1710, 1820, 1822
187.	श्री राजीव सातव	1623, 1723, 1815
188.	एडवोकेट नरेन्द्र केशव सावईकर	1738, 1800
189.	श्री अरविंद सावंत	1725
190.	श्री ज्योतिरादित्य माधवराव सिंधिया	1727, 1739, 1762, 1817
191.	श्री पी.आर. सेनथिलनाथन	1708, 1733, 1759, 1826, 1827
192.	श्री एम.आई. शनवास	1689, 1739
193.	श्री मोहिते पाटिल विजयसिंह शंकरराव	1623, 1723, 1815
194.	श्री राम कुमार शर्मा	1802
195.	श्री राजू शेट्टी	1728, 1769
196.	श्री गोपाल शेट्टी	1745
197.	श्री राहुल शेवाले	1755, 1824, 1825
198.	डॉ. श्रीकांत एकनाथ शिंदे	1809
199.	श्री अनिल शिरोले	1739, 1741, 1767, 1805
200.	श्री जी.एम. सिद्देश्वरा	1616, 1733, 1829

1	2	3
201.	श्री जनार्दन सिंह सीग्रीवाल	1671
202.	श्री प्रताप सिम्हा	1719
203.	श्री गणेश सिंह	1740, 1774, 1791
204.	श्री पशुपति नाथ सिंह	1634
205.	श्री राकेश सिंह	1662
206.	श्री अभिषेक सिंह	1718, 1801, 1808, 1818
207.	श्री भरत सिंह	1631, 1834
208.	श्री कीर्ति वर्धन सिंह	1752
209.	कुंवर हरिवंश सिंह	1705, 1803, 1804, 1810, 1811
210.	श्री लल्लू सिंह	1789, 1814
211.	श्री रवनीत सिंह	1760
212.	श्री सुशील कुमार सिंह	1674
213.	डॉ. प्रभास कुमार सिंह	1771
214.	श्रीमती प्रत्यूषा राजेश्वरी सिंह	1670
215.	श्री सुनील कुमार सिंह	1735, 1810, 1819
216.	श्री उदय प्रताप सिंह	1712
217.	डॉ. किरिट पी. सोलंकी	1643
218.	श्रीमती नीलम सोनकर	1797, 1818
219.	श्री मलयाद्रि श्रीराम	1784
220.	श्रीमती सुप्रिया सुले	1723, 1815
221.	श्री पी.आर. सुन्दरम	1623, 1723, 1815
222.	श्री डी.के. सुरेश	1651, 1799
223.	श्री रामदास सी. तडस	1625
224.	श्री कंवर सिंह तंवर	1676
225.	श्रीमती रीता तराई	1666
226.	श्रीमती पी.के. श्रीमथि टीचर	1614
227.	श्री रामेश्वर तेली	1716
228.	श्री अजय मिश्रा टेनी	1683
229.	श्री अनुराग सिंह ठाकुर	1742, 1764
230.	प्रो. के.वी. थॉमस	1810
231.	श्री मनोज तिवारी	1802, 1816
232.	श्री शरद त्रिपाठी	1765
233.	श्री कृपाल बालाजी तुमाने	1808
234.	श्री शिवकुमार उदासि	1626
235.	श्री वी. एलुमलाई	1615, 1833
236.	श्रीमती वी. सत्यबामा	1708, 1733, 1759, 1826, 1827
237.	श्रीमती एम. वसन्ती	1646, 1813
238.	श्री मनसुखभाई धनजीभाई वसावा	1750
239.	श्री प्रभुभाई नागरभाई वसावा	1739, 1741, 1767, 1805
240.	श्री टी.जी. वेंकटेश बाबू	1807, 1808
241.	डॉ. पी. वेणुगोपाल	1660, 1810
242.	श्री अंशुल वर्मा	1630
243.	श्री राजेश वर्मा	1656
244.	श्रीमती रेखा वर्मा	1808
245.	श्री एस.आर. विजय कुमार	1705, 1803, 1804, 1810, 1811
246.	श्री धर्मेन्द्र यादव	1809
247.	श्री ओम प्रकाश यादव	1710, 1820, 1822
248.	श्री तेज प्रताप सिंह यादव	1649, 1798
249.	श्री लक्ष्मी नारायण यादव	1711, 1806, 1818

अतारांकित प्रश्नों की सदस्य-वार अनुक्रमणिका (30.7.18)

क्र. सं.	सदस्य का नाम	प्रश्न संख्या
1	2	3
1.	श्री दिव्येन्दु अधिकारी	1884
2.	डॉ. रमेश पोखरियाल निशंक	1897
3.	श्री आधलराव पाटील शिवाजीराव	1952, 1956, 1970, 2058
4.	श्री शिशिर कुमार अधिकारी	1917
5.	श्री आनंदराव अडसुल	1956, 1970, 1976, 2043, 2058
6.	श्री राजेन्द्र अग्रवाल	1848
7.	श्रीमती संतोष अहलावत	1974, 2048, 2061, 2062
8.	श्रीमती सजदा अहमद	1999
9.	श्री बदरुद्दीन अजमल	1921, 2068
10.	श्री सिराजुद्दीन अजमल	1899
11.	श्री एंटो एन्टोनी	1867, 1976
12.	श्री ए. अरुणमणिदेवन	1922
13.	श्री के. अशोक कुमार	1958
14.	श्री अश्विनी कुमार	2055
15.	श्री कीर्ति आजाद	1954, 2044
16.	श्री बी. सेनगुट्टुवन	1856
17.	डॉ. रविन्द्र बाबू	2036
18.	श्री जार्ज बेकर	1861, 1955
19.	श्रीमती अंजू बाला	1876, 2041
20.	श्री बलका सुमन	1954, 2020, 2048
21.	श्री अभिषेक बनर्जी	2033
22.	श्री प्रसून बनर्जी	2048
23.	श्री श्रीरंग आप्पा बारणे	1952, 1956, 1976, 2043
24.	श्री ई.टी. मोहम्मद बशीर	1996
25.	श्रीमती रंजनबेन भट्ट	1854, 2048
26.	श्री देवेन्द्र सिंह भोले	1985, 1987, 2065
27.	श्री पी.के. बिजू	2011
28.	श्री ओम बिरला	1868
29.	श्री राधेश्याम बिश्वास	1910
30.	श्री बोधसिंह भगत	1981
31.	श्री राम चरण बोहरा	1923
32.	श्री सी. गोपालकृष्णन	1976, 2007
33.	कर्नल सोना राम चौधरी	1845
34.	श्री निहाल चन्द	2005, 2049
35.	कुंवर पुष्पेन्द्र सिंह चन्देल	1849, 1976, 2058
36.	श्री एन. चन्द्राकाशी	1933
37.	श्री प्रेम सिंह चन्दूमाजरा	2032, 2047
38.	श्री पंकज चौधरी	1981, 2057, 2065
39.	श्री देवुसिंह चौहान	2012, 2026
40.	श्री दुष्यंत चौटाला	1901, 2049
41.	श्री हरिश्चंद्र चव्हाण	1908, 2049, 2066
42.	श्री विनोद लखमाशी चावड़ा	1946, 2012
43.	प्रो. चिन्तामणि मालवीय	1895, 1936, 2036
44.	श्री राम टहल चौधरी	1898, 1919
45.	श्री राजेशभाई चुड़ासमा	1894
46.	श्री रावसाहेब पाटील दानवे	1985
47.	श्री शंकर प्रसाद दत्ता	2001
48.	श्री रमेन डेका	2002, 2066

1	2	3
49.	श्रीमती रमा देवी	2044, 2045, 2056
50.	श्रीमती वीणा देवी	1978
51.	श्री संजय धोत्रे	1963, 1979, 2063, 2064
52.	श्री आर. ध्रुवनारायण	1930, 1974, 2062
53.	श्री राजेश कुमार दिवाकर	2057, 2064
54.	श्री निशिकान्त दुबे	2038, 2051
55.	श्री सतीश चन्द्र दुबे	1945
56.	श्री निनोंग इरिंग	1983
57.	प्रो. रविन्द्र विश्वनाथ गायकवाड़	1875
58.	श्री सुनील बलीराम गायकवाड़	1915
59.	श्री गजानन कीर्तिकर	1956, 1959, 2046, 2047, 2048
60.	श्री गोकाराजू गंगा राजू	1877, 1989
61.	डॉ. हिना विजयकुमार गावीत	1847, 1966, 2052, 2053, 2054
62.	एडवोकेट जोएस जॉर्ज	1960, 2003
63.	श्री शेर सिंह गुबाया	1870
64.	श्री लक्ष्मण गिलुवा	1898, 2044, 2045
65.	डॉ. के. गोपाल	1880, 1956
66.	श्री आर. गोपालकृष्णन	2040
67.	श्री श्यामा चरण गुप्त	2066
68.	श्री सुधीर गुप्ता	1959, 2031, 2046, 2047, 2048
69.	श्री विजय कुमार हांसदाक	1895
70.	श्री जी. हरि	1976
71.	डॉ. कंभमपति हरिबाबू	1949
72.	श्री हरीशचन्द्र उर्फ हरीश द्विवेदी	2049
73.	डॉ. अनुपम हाजरा	1857
74.	श्रीमती हेमा मालिनी	2016
75.	श्री दीपेन्द्र सिंह हुड्डा	1920, 1981
76.	श्री संजय हरिभाऊ जाधव	1907
77.	डॉ. संजय जायसवाल	2035, 2049
78.	श्रीमती दर्शना विक्रम जरदोश	1843
79.	श्री सुखबीर सिंह जौनापुरिया	1902
80.	श्री सी.एन. जयदेवन	1859, 1976
81.	डॉ. जे. जयवर्धन	1847, 1966, 2052, 2053, 2054
82.	श्री रवीन्द्र कुमार जेना	1976, 1982, 2068
83.	श्री चन्द्र प्रकाश जोशी	2014, 2067
84.	श्री प्रह्लाद जोशी	1980
85.	कुमारी शोभा कारान्दलाजे	1874
86.	श्री राहुल कस्वां	1869, 1918, 1979
87.	श्री रत्न लाल कटारिया	1947
88.	डॉ. रामशंकर कठेरिया	2015, 2048, 2062
89.	श्री कौशल किशोर	1988
90.	श्री कौशलेन्द्र कुमार	1882
91.	श्री रमेश चन्द्र कौशिक	1975
92.	श्रीमती रक्षाताई खाडसे	1865
93.	श्री चन्द्रकान्त खैरे	2003, 2065
94.	बदरुद्दोजा खान	1973, 2060
95.	श्री राम मोहन नायडू किंजरापु	1846
96.	श्री जुगल किशोर	1870, 1896
97.	श्री कोडिकुन्नील सुरेश	1878
98.	श्री कोथा प्रभाकर रेड्डी	2037

1	2	3
99.	श्री फग्गन सिंह कुलस्ते	2030
100.	श्री पी. कुमार	1852
101.	श्री मोहनभाई कल्याणजीभाई कुंदरिया	1972, 2059
102.	श्री पी.के. कुनहलिकुट्टी	1950
103.	कुंवर भारतेन्द्र सिंह	2017
104.	श्री छोटे लाल	1862
105.	श्रीमती मीनाक्षी लेखी	1927, 2051
106.	श्री एम. उदयकुमार	1925, 1958
107.	श्रीमती पूनमबेन माडम	2019
108.	श्री धनंजय महादीक	1847, 1966, 2052, 2053, 2054
109.	श्रीमती पूनम महाजन	1912
110.	डॉ. बंशीलाल महतो	1869
111.	श्री विद्युत वरण महतो	1956, 1959, 2031, 2046, 2047
112.	श्री सी. महेन्द्रन	2069
113.	श्री भर्तृहरि महताब	1963, 1979, 2063, 2064
114.	श्री बलभद्र मांझी	1968, 2055
115.	श्री मल्लिकार्जुन खड़गे	2009
116.	श्री हरि मांझी	1860
117.	श्री मनोहर उटवाल	1964, 2051
118.	श्रीमती के. मरगथम	1891
119.	श्री आर.पी. मरुदराजा	1969, 2047
120.	श्री हरीश मीना	1851, 2055
121.	श्री भैरों प्रसाद मिश्र	1855, 2055
122.	श्री अनूप मिश्रा	1904
123.	श्री पिनाकी मिश्रा	1971
124.	श्री पी.सी. मोहन	1981, 2021
125.	श्री एम. मुरली मोहन	1989
126.	श्री मोहम्मद सलीम	1973, 2060
127.	श्री एस.पी. मुद्दाहनुमे गौड़ा	1888
128.	श्री मुल्लापल्ली रामचन्द्रन	1962, 2048
129.	डॉ. प्रीतम गोपीनाथ मुंडे	1952, 1970, 1976, 2043, 2058
130.	श्री रोड़मल नागर	1940, 2048
131.	श्री पी. नागराजन	1962, 1976, 2007, 2045
132.	प्रो. ए.एस.आर. नायक	2018
133.	श्री बी.वी. नाईक	1888, 2064
134.	श्री कमल नाथ	2042
135.	श्री जे.जे.टी. नटटर्जी	1913
136.	श्री अशोक महादेवराव नेते	1951
137.	श्री मानशंकर निनामा	1957
138.	श्री असादुद्दीन ओवैसी	1905
139.	श्रीमती कमला पाटले	1929
140.	श्री जगदम्बिका पाल	2004
141.	श्री विनसेंट एच. पाला	1900
142.	श्री हरि ओम पाण्डेय	1995, 2000, 2048
143.	श्री रवीन्द्र कुमार पाण्डेय	1909, 2051
144.	श्री के. परसुरमन	1911
145.	श्री आर. पार्थिपन	1863
146.	श्री छेदी पासवान	1948
147.	श्री राम चन्द्र पासवान	1956
148.	श्री देवजी एम. पटेल	1889
149.	श्री नट्टूभाई गोमनभाई पटेल	2068

1	2	3
150.	श्री प्रह्लाद सिंह पटेल	1944, 2049
151.	श्रीमती रीती पाठक	1885, 2066
152.	श्री ए.टी. नाना पाटील	1943, 2015, 2047, 2061
153.	श्री भीमराव बी. पाटील	1939
154.	श्रीमती भावना गवली (पाटील)	1992
155.	श्री संजय काका पाटील	2006
156.	श्री कपिल मोरेश्वर पाटील	2028, 2068
157.	श्री के.आर.पी. प्रबाकरन	1890
158.	श्री एन.के. प्रेमचन्द्रन	2022
159.	श्री टी. राधाकृष्णन	1956, 2031, 2046, 2047, 2048
160.	श्री राघव लखनपाल	1870
161.	श्री राजन विचारे	2050
162.	श्री एस. राजेन्द्रन	2031, 2046, 2047, 2048
163.	श्री एम.बी. राजेश	2013
164.	श्री जनक राम	1954, 1961
165.	श्री विष्णु दयाल राम	1963, 2050
166.	श्री कोनाकल्ला नारायण राव	1931
167.	श्री मुथमसेटी श्रीनिवास राव (अवंती)	1986, 2047, 2048
168.	श्री एम. वेंकटेश्वर राव	1844
169.	श्री डी.एस. राठोड़	1972, 2059
170.	श्री हरिओम सिंह राठौड़	1879
171.	श्री रामसिंह राठवा	1938
172.	श्री विनायक भाऊराव राऊत	1952, 1956, 1970, 2043
173.	श्री परेश रावल	1946
174.	श्री रवीन्द्र कुमार राय	1870, 1872, 1881
175.	श्री चामाकुरा मल्ला रेड्डी	2039, 2048
176.	श्री गुण्था सुकेंद्र रेड्डी	2024
177.	श्री पी. श्रीनिवास रेड्डी	1977
178.	श्री जे.सी. दिवाकर रेड्डी	2029
179.	श्री राज़ीव प्रताप रूडी	2027
180.	श्री लखन लाल साहू	2057
181.	श्री ताम्रध्वज साहू	1924
182.	डॉ. कुलमणि सामल	2048
183.	डॉ. ए. सम्पत	1926
184.	श्री नव कुमार सरनीया	1937
185.	श्री सुमेधानन्द सरस्वती	2015, 2048, 2062
186.	श्री राजीव सातव	1847, 1966, 2052, 2053, 2054
187.	एडवोकेट नरेन्द्र केशव सावईकर	1893, 2047
188.	श्री अरविंद सावंत	1953
189.	श्री ज्योतिरादित्य माधवराव सिंधिया	2042
190.	श्री मोहिते पाटिल विजयसिंह शंकरराव	1847, 1966, 2052, 2053, 2054
191.	श्री राम स्वरुप शर्मा	1941, 2066
192.	श्री राजू शेट्टी	1998, 2051
193.	श्री गोपाल शेट्टी	2034
194.	श्री राहुल शेवाले	1963, 2063, 2064
195.	डॉ. श्रीकांत एकनाथ शिंदे	1952, 1976, 2040, 2058
196.	श्री अनिल शिरोले	1861, 1955
197.	डॉ. भारतीबेन डी. श्याल	2049
198.	श्री जी.एम. सिद्देश्वरा	1903

1	2	3
199.	श्री जनार्दन सिंह सीग्रीवाल	1917, 1934
200.	श्री प्रताप सिम्हा	1873
201.	श्री गणेश सिंह	1993
202.	श्री पशुपति नाथ सिंह	1872
203.	श्री राकेश सिंह	1956
204.	श्री अभिषेक सिंह	1906
205.	श्री भरत सिंह	1850
206.	श्री दुष्यंत सिंह	1997
207.	श्री कीर्ति वर्धन सिंह	1994
208.	कुंवर हरिवंश सिंह	1956, 2031, 2046, 2047, 2048
209.	श्री लल्लू सिंह	2010
210.	श्री रवनीत सिंह	1871
211.	डॉ. प्रभास कुमार सिंह	1853
212.	श्री सुशील कुमार सिंह	2015, 2061, 2062
213.	श्री उदय प्रताप सिंह	2025, 2066
214.	डॉ. किरिट पी. सोलंकी	1842
215.	डॉ. किरीट सोमैया	1935
216.	श्रीमती नीलम सोनकर	1942
217.	श्री मलयाद्रि श्रीराम	1990
218.	श्रीमती सुप्रिया सुले	1847, 1966, 2052, 2053, 2054
219.	श्री पी.आर. सुन्दरम	1847, 1966, 2052, 2053, 2054
220.	श्री रामदास सी. तडस	1956, 2014, 2067
221.	श्री कंवर सिंह तंवर	1886
222.	श्रीमती रीता तराई	1883
223.	श्री कामाख्या प्रसाद तासा	1965

1	2	3
224.	श्रीमती पी.के. श्रीमथि टीचर	1980
225.	श्री अजय मिश्रा टेनी	1850
226.	डॉ. शशि थरुर	1916
227.	प्रो. के.वी. थॉमस	2008
228.	श्री मनोज तिवारी	1995, 2000, 2048
229.	श्री शरद त्रिपाठी	2023
230.	श्री हेमन्त तुकाराम गोडसे	1914, 2056
231.	श्री कृपाल बालाजी तुमाने	1992
232.	श्री शिवकुमार उदासि	1928
233.	श्री वी. एलुमलाई	1866
234.	श्रीमती वी. सत्यबामा	1892
235.	श्रीमती एम. वसन्ती	1864, 2064
236.	श्री मनसुखभाई धनजीभाई वसावा	2056
237.	श्री प्रभुभाई नागरभाई वसावा	1861, 1955, 1967
238.	श्री टी.जी. वेंकटेश बाबू	1962, 1984
239.	डॉ. पी. वेणुगोपाल	1928, 1932
240.	श्री के.सी. वेणुगोपाल	1841, 2048, 2070
241.	श्री राजेश वर्मा	2065
242.	श्रीमती रेखा वर्मा	1887
243.	श्री एस.आर. विजय कुमार	1956, 1959, 2046, 2047, 2048
244.	श्री धर्मेन्द्र यादव	1956, 1970, 1976, 2058
245.	श्री ओम प्रकाश यादव	1974, 2048, 2061, 2062
246.	श्री तेज प्रताप सिंह यादव	1876, 2041
247.	डॉ. करण सिंह यादव	2001, 2049, 2051, 2056
248.	श्री लक्ष्मी नारायण यादव	1858, 2051

अनुबंध-II

तारांकित प्रश्नों की मंत्रालय-वार अनुक्रमणिका (27.7.2018)

आयुर्वेद, योग और प्राकृतिक चिकित्सा, यूनानी, सिद्ध और होम्योपैथी (आयुष)	:	148
कॉर्पोरेट कार्य	:	145, 152
पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन	:	150, 157, 158, 159
वि त्त	:	142, 144, 146, 147, 154, 156, 160
स्वास्थ्य और परिवार कल्याण	:	141, 143, 149, 151, 153, 155
महिला और बाल विकास	:	—

तारांकित प्रश्नों की मंत्रालय-वार अनुक्रमणिका (30.7.2018)

वाणिज्य और उद्योग	:	167, 171, 176
संस्कृति	:	174
मानव संसाधन विकास	:	162, 164, 178
श्रम और रोजगार	:	165, 173, 175
सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम	:	
पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस	:	163, 169, 179
कौशल विकास और उद्यमशीलता	:	172
इस्पात	:	—
पर्यटन	:	161, 170, 177
जनजातीय कार्य	:	166, 168, 180

अतारांकित प्रश्नों की मंत्रालय-वार अनुक्रमणिका (27.7.2018)

आयुर्वेद, योग और प्राकृतिक चिकित्सा, यूनानी, सिद्ध और होम्योपैथी (आयुष)	:	1644, 1654, 1676, 1685, 1725, 1771, 1777, 1783, 1792, 1793, 1826
कॉर्पोरेट कार्य	:	1626, 1630, 1641, 1642, 1688, 1729, 1741, 1761, 1766, 1768, 1803, 1825
पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन	:	1616, 1618, 1627, 1628, 1632, 1636, 1637, 1647, 1656, 1658, 1664, 1665, 1686, 1690, 1692, 1694, 1698, 1710, 1713, 1714, 1716, 1718, 1720, 1730, 1733, 1734, 1737, 1740, 1752, 1764, 1767, 1772, 1774, 1779, 1786, 1787, 1791, 1795, 1796, 1799, 1804, 1805, 1812, 1830, 1836
वित्त	:	1611, 1613, 1614, 1615, 1622, 1623, 1625, 1631, 1633, 1635, 1639, 1640, 1643, 1645, 1649, 1651, 1652, 1653, 1655, 1659, 1660, 1661, 1663, 1667, 1671, 1672, 1673, 1674, 1675, 1677, 1682, 1689, 1691, 1693, 1696, 1699, 1700, 1701, 1703, 1705, 1707, 1708, 1715, 1722, 1726, 1731, 1736, 1742, 1744, 1745, 1748, 1749, 1751, 1753, 1754, 1757, 1758, 1759, 1760, 1762, 1765, 1769, 1770, 1773, 1775, 1776, 1778, 1785, 1788, 1789, 1800, 1801, 1802, 1807, 1808, 1813, 1817, 1822, 1823, 1832, 1834, 1835, 1837, 1838

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण	:	1617, 1619, 1620, 1621, 1624, 1629, 1638, 1646, 1648, 1650, 1662, 1668, 1670, 1680, 1681, 1683, 1684, 1687, 1695, 1704, 1706, 1712, 1717, 1719, 1721, 1723, 1724, 1728, 1732, 1735, 1738, 1743, 1746, 1750, 1755, 1781, 1790, 1798, 1806, 1810, 1811, 1814, 1815, 1816, 1819, 1820, 1821, 1824, 1829, 1833, 1839, 1840
महिला और बाल विकास	:	1612, 1634, 1657, 1666, 1669, 1678, 1679, 1697, 1702, 1709, 1711, 1727, 1739, 1747, 1756, 1763, 1780, 1782, 1784, 1794, 1797, 1809, 1818, 1827, 1828, 1831.

अतारांकित प्रश्नों की मंत्रालय-वार अनुक्रमणिका (30.7.2018)

वाणिज्य और उद्योग	:	1844, 1850, 1859, 1861, 1866, 1867, 1871, 1884, 1886, 1902, 1910, 1911, 1918, 1919, 1922, 1925, 1928, 1933, 1934, 1951, 1960, 1964, 1965, 1978, 2008, 2010, 2020, 2028, 2037, 2039, 2042, 2047, 2060, 2062
संस्कृति	:	1860, 1883, 1909, 1916, 1940, 1942, 1957, 1962, 2000, 2004, 2046, 2068
मानव संसाधन विकास	:	1843, 1847, 1848, 1853, 1854, 1857, 1858, 1862, 1864, 1868, 1869, 1870, 1873, 1874, 1877, 1882, 1885, 1889, 1890, 1891, 1897, 1898, 1899, 1900, 1901, 1904, 1907, 1912, 1913, 1915, 1927, 1929, 1930, 1932, 1938, 1941, 1943, 1945, 1947, 1950, 1953, 1955, 1956, 1966, 1969, 1972, 1974, 1977, 1979, 1981, 1982, 1988, 1989, 1993, 1996, 2007, 2012, 2014, 2015, 2021, 2025, 2026, 2029, 2033, 2035, 2038, 2044, 2045, 2048, 2050, 2051, 2052, 2054, 2055, 2065, 2069
श्रम और रोजगार	:	1841, 1851, 1872, 1878, 1880, 1892, 1906, 1931, 1937, 1944, 1946, 1949, 1961, 1967, 1973, 1984, 1987, 1992, 1997, 1999, 2001, 2022, 2034, 2041, 2049, 2058, 2061, 2067, 2070
सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम	:	1842, 1865, 1914, 1920, 1998, 2019, 2023
पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस	:	1856, 1881, 1893, 1895, 1905, 1935, 1976, 1986, 2002, 2017, 2027, 2032, 2036, 2043, 2057, 2059
कौशल विकास और उद्यमशीलता	:	1849, 1887, 1894, 1896, 1903, 1923, 1948, 1952, 1958, 1963, 1971, 2053, 2056, 2063
इस्पात	:	1917, 1921, 1936, 1939, 2009, 2064
पर्यटन	:	1852, 1863, 1908, 1954, 1959, 1970, 1985, 1990, 1994, 2003, 2005, 2006, 2011, 2016, 2024, 2030, 2031, 2040, 2066
जनजातीय कार्य	:	1845, 1846, 1855, 1875, 1876, 1879, 1888, 1924, 1926, 1968, 1975, 1980, 1983, 1995, 2013, 2018.

दिनांक 30 जुलाई 2018 के वाद-विवाद का शुद्धिपत्र

क्रम सं.	कॉलम	के स्थान पर	पढ़िए
1	पृष्ठ (iv) नीचे से 17वीं पंक्ति	के बारे में और	के बारे में सांविधिक संकल्प और
2	पृष्ठ (iv) नीचे से 15वीं पंक्ति	डॉ. मनोज रजोरिया	डॉ. मनोज राजोरिया
3	308, पंक्ति 11	स्वास्थ्य और परिवार कल्याण राज्य मंत्री	स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय में राज्य मंत्री
4	341, पंक्ति 15	श्री पशुपति नाथ	श्री पशुपति नाथ सिंह
5	352, पंक्ति 10	संस्कृति मंत्रालय में राज्य मंत्री	संस्कृति मंत्रालय के राज्य मंत्री
6	577, दूसरी पंक्ति	विवरण के नीचे तालिका का शीर्षक	2015-16, 2016-17, 2017-18 के दौरान राज्यों को संवितरित ऋणों का ब्यौरा
7	660, पंक्ति 12	वृद्धि दर मुद्रास्फीति का प्रभाव	वृद्धि दर पर मुद्रास्फीति का प्रभाव
8	660, पंक्ति17	महंगाई क	महंगाई का बाज़ार की मांग और मूल्यों पर क्या प्रभाव पड़ा है;
9	683, नीचे से 12वीं पंक्ति	अंतर्गत शामिल किये गये व्यक्तियों की संख्या	4.05.2017 से 24.07.2018 तक की अवधि के दौरान प्रधानमंत्री वय वंदना योजना (पीएमवीवीवाई) के अंतर्गत शामिल किये गये व्यक्तियों की संख्या
10	1478, पंक्ति 14	श्री तेल प्रताप सिंह यादव	श्री तेज प्रताप सिंह यादव
11	1487,पंक्ति 13	श्री विद्‌युत चरण महतो	श्री विद्‌युत वरण महतो
12	1642, पंक्ति 7	12.20 बज़े	अपराहन 12.20 बज़े
13	1642, पंवित 10	माननीय सभी	माननीय सदस्यगण सभा
14	1652, नीचे से तीसरी पंक्ति	अशवी	अरानी
15	1666, नीचे से 9वीं पंक्ति	पुरानी	पुनासी
16	1681, पंक्ति 7	के बारे में और	के बारे में सांविधिक संकल्प और
17	1805, नीचे से दूसरी पंक्ति	श्री गोपाल शेट्टी	लोप करें
18	1806, नीचे से दूसरी पंक्ति	श्री कपिल मोरेश्वर पाटील	लोप करें
19	1821, क्र.सं. 108	श्री धनंजय महादीक	श्री धनंजय महाडीक
20	1824, क्र.सं. 176	श्री गुप्था सुकेंद्र रेड्डी	श्री गुत्था सुकेंद्र रेड्डी

ANNE

IN REPLY TO PARTS (a) TO (e) OF UNSTARRED QUESTION NO. 1975 ANSWERED IN THE LOK SABHA ON 28.07.2022

****

Category wise Energy Sold

2018-19					2019-20					2020-21			
Domestic (MU)	Commercial (MU)	Agricultural (MU)	Industrial (MU)	Others (MU)	Domestic (MU)	Commercial (MU)	Agricultural (MU)	Industrial (MU)	Others (MU)	Domestic (MU)	Commercial (MU)	Agricultural (MU)	Industria (MU)
253,714	80,704	216,069	282,284	102,607	273,863	94,927	208,912	276,187	102,469	268,117	67,818	215,906	226,11
134	60	1	21	39	140	63	1	25	40	-	-	-	
14,042	4,556	15,170	17,179	3,619	15,581	5,174	15,054	16,542	8,465	16,535	3,656	16,170	14,64
172	52	-	144	89	178	55	0	167	56	-	-	-	
3,476	1,097	47	1,642	1,245	3,819	1,112	47	1,075	2,725	5,212	-	37	1,01
11,505	2,068	727	3,133	2,646	14,657	2,127	933	3,344	1,613	16,454	2,398	1,244	3,10
705	473	1	260	306	629	469	2	363	365	-	-	-	
5,180	921	4,417	9,539	8,002	5,392	936	4,264	9,618	7,245	-	-	-	
129	34	7	5,887	15	149	37	6	6,084	12	157	33	5	5,09
134	53	5	2,229	22	148	51	4	2,283	30	-	-	-	
1,161	582	27	1,986	35	1,179	560	32	2,012	55	-	-	-	
11,647	287	19,781	46,205	3,319	12,169	1,916	18,836	44,147	3,549	13,034	4,855	20,190	37,98
9,630	4,510	9,954	13,991	7,860	11,049	4,818	10,562	13,757	4,935	11,976	4,006	10,006	12,66
2,106	615	63	5,335	4,610	2,194	623	57	5,323	4,473	2,329	518	73	4,76
3,979	992	434	1,848	2,147	3,427	887	306	1,366	1,772	-	-	-	
5,442	713	211	2,703	208	5,666	878	194	2,382	284	4,881	677	150	2,01
12,856	7,070	22,610	10,324	5,477	13,643	12,250	15,541	10,434	6,007	13,872	4,973	21,089	8,38
10,864	3,221	338	5,835	2,279	11,776	3,402	373	5,798	1,612	12,700	2,982	403	1,08
36	3	-	1	9	36	3	-	0	9	-	-	-	
12,681	2,962	20,700	10,527	3,430	14,703	3,223	23,426	10,932	3,469	10,815	2,073	16,708	7,48
19,719	7,277	33,853	37,789	12,101	20,337	7,963	31,943	36,440	12,024	21,416	4,836	33,909	38,09
386	75	2	31	243	458	89	2	37	218	546	121	1	2
417	66	0	486	769	465	99	0	550	699	500	82	0	62
228	61	0	14	287	296	58	0	11	371	-	-	-	
351	83	-	52	110	233	50	0	10	115	-	-	-	
7,253	2,446	705	6,990	1,975	7,297	2,257	678	6,752	2,529	5,498	1,507	348	3,46
722	213	60	1,548	111	771	203	61	1,551	108	-	-	-	
14,164	3,487	11,227	16,958	1,610	14,144	4,061	11,538	17,559	749	15,324	3,283	13,051	16,42
11,984	4,629	22,716	15,487	7,893	12,957	4,913	25,012	14,463	7,538	13,400	3,858	28,504	13,33
107	41	-	203	790	108	42	-	228	601	-	-	-	
27,423	12,697	13,078	18,347	4,581	29,141	13,479	13,829	17,375	3,567	30,783	10,416	13,976	15,20
11,298	5,651	21,936	13,950	8,747	12,257	5,933	20,978	13,763	8,533	12,681	4,707	19,649	12,46
487	57	32	40	2,133	531	72	34	40	1,929	520	64	34	3
39,531	8,199	16,107	16,367	7,891	43,005	11,093	13,596	15,230	8,561	43,306	7,691	18,802	13,20
2,849	1,298	345	6,666	1,483	3,114	1,396	203	6,417	1,409	3,308	1,215	225	5,76
10,915	4,154	1,516	8,567	6,528	12,216	4,636	1,399	10,108	6,803	12,872	3,868	1,332	9,24
23,418	11,693	68	11,048	9,394	24,708	11,783	49	10,932	6,624	20,947	6,730	53	4,63
15,121	6,493	33	3,443	6,604	16,073	6,453	21	3,404	3,785	16,104	4,604	40	2,81
3,631	2,207	7	5,033	233	3,752	2,222	5	4,892	237	-	-	-	
4,209	2,932	-	849	2,179	4,288	3,023	-	785	2,232	4,254	2,093	0	80
452	34	26	1,002	336	586	38	22	1,078	357	588	34	13	1,00
6	26	-	719	42	10	48	-	773	14	-	-	-	
277,132	92,397	216,135	293,330	112,001	298,571	106,711	208,961	287,119	109,094	289,065	74,549	215,959	230,74

e of Power Utilities

****

इन्टरनेट

लोक सभा की सत्रावधि के प्रत्येक दिन के वाद-विवाद का मूल संस्करण भारतीय संसद की निम्नलिखित वेबसाइट पर उपलब्ध है:

http://www.parliamentofindia.nic.in

लोक सभा की कार्यवाही का सीधा प्रसारण

लोक सभा की संपूर्ण कार्यवाही का लोक सभा टी.वी. चैनल पर सीधा प्रसारण किया जाता है। यह प्रसारण सत्रावधि में प्रतिदिन प्रात: 11.00 बजे लोक सभा की कार्यवाही शुरू होने से लेकर उस दिन की सभा समाप्त होने तक होता है।

लोक सभा वाद-विवाद बिक्री के लिए उपलब्ध

लोक सभा वाद-विवाद के हिन्दी संस्करण और अंग्रेजी संस्करण की प्रतियां तथा संसद के अन्य प्रकाशन, विक्रय फलक, संसद भवन, नई दिल्ली-110001 पर बिक्री हेतु उपलब्ध हैं।

पी.एल.एस. 40/32/08/2018

30

© 2018 प्रतिलिप्यधिकार लोक सभा सचिवालय

लोक सभा के प्रक्रिया तथा कार्य संचालन संबंधी नियमों (सोलहवां संस्करण) के नियम 379 और 382 के अंतर्गत प्रकाशित और चौधरी मुद्रण केन्द्र, दिल्ली-110053 द्वारा मुद्रित।